

इस ग्रंथ में देश की अर्थव्यवस्था, प्राचीन व सहरी विकास, उपयोग तथा अस्वास्थ्य, जांच, कला, संस्कृति, स्वास्थ्य, खाद्य और जनसंचार आदि विषयों पर प्राथमिक एवं तत्त्वपूर्ण जानकारी दी गयी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, प्राचीन विकास, सामान्य ज्ञान, सप्तासाहिक विषयों और खेलों संबंधित विभिन्न वर्ष की घटनाओं की नवीनतम जानकारी को इसमें शामिल किया गया है।

सूचनाओं से भरपूर यह ग्रंथ छात्रों, अनुसंधानकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है।

भारत 2010

भारत 2010

30th Anniversary Genie

प्रकाशन विभाग
शुभम और प्रकाशक मंडल
भारत सरकार

मुद्रा: 35.00 रुपये

ISBN 81-81-206-182-8
127 MM (D) 21 2010-12

वार्षिक संदर्भ-ग्रंथ
भारत
2010

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग
द्वारा संकलित



प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

2010 (शक 1931)

54वां संस्करण



ISBN : 978-81-230-1623-8

REF-HIN-OP-071-2009-10

© गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग

मूल्य: रुपये

अपर महानिदेशक (प्रभारी), प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 द्वारा प्रकाशित

वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

ई-मेल : dpd@mail.nic.in

प्रकाशन विभाग

संपादन

कमला वर्मा

फरहत परवीन

आवरण सज्जा

आशा सक्सेना

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)

जे.के. चंद्रा

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग

संकलन और समन्वय

एस.एम. खान

सुरेन्द्र कुमार

रोमी शर्मा

सिम्ली कुमार

विक्रय केंद्र ● दिल्ली-सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 ● हाल नं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110 054 ● मुंबई-701, 'बी' विंग, केंद्रीय सदन, बेलापुर, नवी मुंबई-400 614 ● कोलकाता-8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कोलकाता-700 069 ● चेन्नई-'ए' विंग राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई-600 090 ● पटना-बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800 004 ● तिरुअनंतपुरम-प्रेस रोड, निकट गवर्मेन्ट प्रेस, तिरुअनंतपुरम-695 001 ● लखनऊ-हाल नं. 1, दूसरी मंजिल, केंद्रीय भवन, सैक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 ● हैदराबाद-ब्लाक नं. 4, गृहकल्प काम्प्लेक्स, एम.जे.रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500 001 ● बंगलुरु-प्रथम तल, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलुरु-560 034 ● अहमदाबाद-अंबिका काम्प्लेक्स, प्रथम तल, पालदी, अहमदाबाद-380 007 ● गुवाहाटी-हाउस नं. 07, न्यू कालोनी, चेनीकुथी, के.के.बी. रोड, गुवाहाटी-781 003

टाइप सेट : प्रिंटो-वर्ल्ड, 2579, मंदिर वाली गली, शादीपुर, नई दिल्ली-110 008

मुद्रक :

अनुक्रम

1. भारत भूमि और उसके निवासी	1
2. राष्ट्रीय प्रतीक	25
3. राजनीतिक संरचना	28
4. कृषि	64
5. कला और संस्कृति	116
6. मूल आर्थिक आंकड़े	132
7. वाणिज्य	160
8. संचार	177
9. रक्षा	219
10. शिक्षा	242
11. ऊर्जा	283
12. पर्यावरण	331
13. वित्त	370
14. कारपोरेट मामले	456
15. खाद्य और नागरिक आपूर्ति	469
16. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	518
17. आवास	596
18. भारत और विश्व	616
19. उद्योग	660
20. न्याय और विधि	760
21. श्रम	784
22. जनसंचार	810
23. आयोजना	857
24. ग्रामीण विकास	893
25. वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास	914

26.	परिवहन	1017
27.	जल संसाधन	1056
28.	कल्याण	1087
29.	युवा कार्य और खेल	1138
30.	राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश	1160
31.	राष्ट्रीय घटनाक्रम	1288
32.	सामान्य सूचना	1294

1. भारत भूमि और उसके निवासी

भारत मानव जाति के विकास का उद्गम स्थल तथा मानव बोली का जन्म स्थान है और साथ ही साथ यह देश गाथाओं एवम् प्रचलित परंपराओं का कर्मस्थल तथा इतिहास का जनक है। केवल भारत में ही मानव इतिहास की हमारी सबसे मूल्यवान और शिक्षाप्रद सामग्री खजाने के रूप में सहेजी गई है।

— मार्क ट्वैन

संसार की प्राचीन एवं महान सभ्यता में भारतीय संस्कृति और सभ्यता बेमिसाल है। यह उत्तर में हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों से लेकर दक्षिण के ऊष्णकटिबंधीय सघन वनों तक, पूर्व में उपजाऊ ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर पश्चिम में थार के मरुस्थल तक 32,87,263¹ वर्ग कि.मी. में फैला हुआ है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पिछले 62 वर्षों के दौरान हमारे देश ने सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से बहुत आयायी प्रगति की है। भारत इस समय खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है; तथा विश्व के औद्योगिक क्षेत्र में इसका दसवां स्थान है। जनहित के लिए प्रकृति पर विजय पाने हेतु अंतरिक्ष में जाने वाले देशों में इसका छठा स्थान है। विश्व के इस सातवें विशालतम देश को पर्वत तथा समुद्र शेष एशिया से अलग करते हैं, जिससे इसका अलग भौगोलिक अस्तित्व है। इसके उत्तर में महान हिमालय पर्वत है, जहां से यह दक्षिण में बढ़ता हुआ कर्क रेखा तक जाकर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर के बीच हिंद महासागर से जा मिलता है।

यह पूर्णतया उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि 8°4' और 37°6' उत्तरी अक्षांश और 68°7' और 97°25' पूर्वी देशांतर के बीच फैली हुई है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 कि.मी. और पूर्व से पश्चिम तक 2,933 कि.मी. है। इसकी भूमि सीमा लगभग 15,200 कि.मी. है। मुख्य भूमि, लक्षद्वीप समूह और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के समुद्र-तट की कुल लंबाई 7,516.6 कि.मी. है।

प्राकृतिक पृष्ठभूमि

भारत के सीमावर्ती देशों में उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान हैं। पूर्व में म्यांमार और पश्चिम बंगाल के पूर्व में बंगलादेश स्थित है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरूमध्य भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं।

प्राकृतिक संरचना

मुख्य भूमि चार भागों में बंटी है— विस्तृत पर्वतीय प्रदेश, सिंधु और गंगा के मैदान, रेगिस्तानी क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप।

हिमालय की तीन शृंखलाएं हैं, जो लगभग समानांतर फैली हुई हैं। इसके बीच बड़े-बड़े पठार

1. 31 मार्च, 1982 को अस्थायी

और घाटियां हैं, इनमें कश्मीर और कुल्लू जैसी कुछ घाटियां उपजाऊ, विस्तृत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटियों में से कुछ इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में हैं। अधिक ऊंचाई के कारण आना-जाना केवल कुछ ही दर्रा से हो पाता है, जिनमें मुख्य हैं— चुंबी घाटी से होते हुए मुख्य भारत-तिब्बत व्यापार मार्ग पर जेलप-ला और नाथू-ला दर्रे, उत्तर-पूर्व दार्जिलिंग तथा कल्पा (किन्नौर) के उत्तर-पूर्व में सतलुज घाटी में शिपकी-ला दर्रा। पर्वतीय दीवार लगभग 2,400 कि.मी. की दूरी तक फैली है, जो 240 कि.मी. से 320 कि.मी. तक चौड़ी है। पूर्व में भारत तथा म्यांमार और भारत एवं बंगलादेश के बीच में पहाड़ी श्रृंखलाओं की ऊंचाई बहुत कम है। लगभग पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई गारो, खासी, जैतिया और नगा पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण तक फैली मिजो तथा रखाइन पहाड़ियों की श्रृंखला से जा मिलती हैं।

सिंधु और गंगा के मैदान लगभग 2,400 कि.मी. लंबे और 240 से 320 कि.मी. तक चौड़े हैं। ये तीन अलग-अलग नदी प्रणालियों—सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के थालों से बने हैं। ये संसार के विशालतम सपाट कछारी विस्तारों और पृथ्वी पर बने सर्वाधिक घने क्षेत्रों में से एक हैं। दिल्ली में यमुना नदी और बंगाल की खाड़ी के बीच लगभग 1,600 कि.मी. की दूरी में केवल 200 मी. की ढलान है।

रेगिस्तानी क्षेत्रों को दो भागों में बांटा जा सकता है— विशाल रेगिस्तान और लघु रेगिस्तान। विशाल रेगिस्तान कच्छ के रण के पास से उत्तर की ओर लूनी नदी तक फैला है। राजस्थान-सिंध की पूरी सीमा रेखा इसी रेगिस्तान में है। लघु रेगिस्तान जैसलमेर और जोधपुर के बीच में लूनी नदी से शुरू होकर उत्तरी बंजर भूमि तक फैला हुआ है। इन दोनों रेगिस्तानों के बीच बंजर भूमि क्षेत्र है, जिसमें पथरीली भूमि है। यहां कई स्थानों पर चूने के भंडार हैं।

दक्षिणी प्रायद्वीप का पठार 460 से 1,220 मीटर तक के ऊंचे पर्वत तथा पहाड़ियों की श्रृंखलाओं द्वारा सिंधु और गंगा के मैदानों से पृथक् हो जाता है। इसमें प्रमुख हैं— अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, मैकाल और अजंता। प्रायद्वीप के एक तरफ पूर्वी घाट है, जहां औसत ऊंचाई 610 मीटर के करीब है और दूसरी तरफ पश्चिमी घाट, जहां यह ऊंचाई साधारणतया 915 से 1,220 मीटर है, कहीं-कहीं यह 2,440 मीटर से अधिक है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच समुद्र तट की एक संकरी पट्टी है, जबकि पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच चौड़ा तटीय क्षेत्र है। पठार का यह दक्षिणी भाग नीलगिरि की पहाड़ियों से बना है, जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। इसके पार फैली कार्डामम पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं।

भू-तत्वीय संरचना

भू-तत्वीय संरचना भी प्राकृतिक संरचना की तरह तीन भागों में बांटी जा सकती है— हिमालय तथा उससे संबद्ध पहाड़ों का समूह, सिंधु और गंगा का मैदान तथा प्रायद्वीपीय भाग।

उत्तर में हिमालय पर्वत का क्षेत्र और पूर्व में नगा-लुशाई पहाड़, पर्वत निर्माण प्रक्रिया के क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र का बहुत-सा भाग, जो अब संसार में कुछ मनोरम पर्वतीय दृश्य प्रस्तुत करता है, लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले समुद्र था। लगभग सात करोड़ वर्ष पहले शुरू हुई पर्वत निर्माण प्रक्रिया के क्रम में तलछट और चट्टानों के तल बहुत ऊंचे उठ गए। उन पर मौसमी और कटाव तत्वों ने काम किया, जिससे वर्तमान उभार अस्तित्व में आए। सिंधु और गंगा के विशाल मैदान कछारी मिट्टी के भाग हैं, जो उत्तर में हिमालय को दक्षिण के प्रायद्वीप से अलग करते हैं।

प्रायद्वीप अपेक्षाकृत स्थायी और भूकंपीय हलचलों से मुक्त क्षेत्र है। इस भाग में प्रागैतिहासिक

काल की लगभग 380 करोड़ वर्ष पुरानी रूपांतरित चट्टानें हैं। शेष भाग में गोंडवाना का कोयला क्षेत्र तथा बाद में मिट्टी के जमाव से बना भाग और दक्षिणी लावे से बनी चट्टानें हैं।

नदियां

भारत की नदियां चार समूहों में वर्गीकृत की जा सकती हैं—(1) हिमालय की नदियां, (2) प्रायद्वीपीय नदियां, (3) तटीय नदियां और (4) अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां। हिमालय की नदियां बारहमासी हैं, जिन्हें पानी आमतौर से बर्फ पिघलने से मिलता है। इनमें वर्षभर निर्बाध प्रवाह रहता है। मानसून के महीनों में हिमालय पर भारी वर्षा होती है, जिससे नदियों में पानी बढ़ जाने के कारण अक्सर बाढ़ आ जाती है। दूसरी तरफ, प्रायद्वीप की नदियों में सामान्यतः वर्षा का पानी रहता है, इसलिए पानी की मात्रा घटती-बढ़ती रहती है। अधिकांश नदियां बारहमासी नहीं हैं। तटीय नदियां, विशेषकर पश्चिमी तट की, कम लंबी हैं और इनका जलग्रहण क्षेत्र सीमित है। इनमें से अधिकतर में एकाएक पानी भर जाता है। पश्चिमी राजस्थान में नदियां बहुत कम हैं। इनमें से अधिकतर थोड़े दिन ही बहती हैं।

सिंधु और गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना नदियों से हिमालय की मुख्य नदी प्रणालियां बनती हैं। सिंधु नदी विश्व की बड़ी नदियों में से एक है। तिब्बत में मानसरोवर के निकट इसका उद्गम स्थल है। यह भारत से होती हुई पाकिस्तान जाती है और अंत में कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। भारतीय क्षेत्र में बहने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सतलुज (जिसका उद्गम तिब्बत में होता है), व्यास, रावी, चेनाब और झेलम हैं। गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना अन्य महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है भागीरथी और अलकनंदा जिसकी उप-नदी घाटियां हैं इनके देवप्रयाग में आपस में मिल जाने से गंगा उत्पन्न होती है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से होती हुई बहती है। राजमहल पहाड़ियों के नीचे, भागीरथी बहती है, जो कि पहले कभी मुख्यधारा में थी, जबकि पद्मा पूर्व की ओर बहती हुई बंगलादेश में प्रवेश करती है। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और सोन नदियां गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। चम्बल और बेतवा महत्वपूर्ण उप-सहायक नदियां हैं जो गंगा से पहले यमुना में मिलती हैं। पद्मा और ब्रह्मपुत्र बंगलादेश के अंदर मिलती हैं और पद्मा या गंगा के रूप में बहती रहती हैं। ब्रह्मपुत्र का उद्भव तिब्बत में होता है जहां इसे 'सांगपो' के नाम से जाना जाता है और यह लंबी दूरी तय करके भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जहां इसे दिहांग नाम मिल जाता है। पासीघाट के निकट, दिबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं; फिर यह नदी असम से होती हुई धुबरी के बाद बंगलादेश में प्रवेश कर जाती है।

भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में सुबानसिरी, जिया भरेली, धनश्री, पुथीमारी, पगलादीया और मानस हैं। बंगलादेश में ब्रह्मपुत्र में तीस्ता आदि नदियां मिलकर अंत में गंगा में मिल जाती हैं। मेघना की मुख्यधारा बराक नदी का उद्भव मणिपुर की पहाड़ियों में होता है। इसकी मुख्य सहायक नदियां मक्कू, त्रांग, तुईर्वई, जिरी, सोनाई, रुकनी, काटाखल, धलेश्वरी, लंगाचीनी, मदुवा और जटिंगा हैं। बराक बंगलादेश में तब तक बहती रहती है जब तक कि भैरव बाजार के निकट गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी में इसका विलय नहीं हो जाता। दक्कन क्षेत्र में प्रमुख नदी प्रणालियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। बहने वाली प्रमुख अंतिम नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं।

सबसे बड़ा थाला दक्षिणी प्रायद्वीप में गोदावरी का है। इसमें भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 10 प्रतिशत भाग शामिल है। प्रायद्वीपीय भारत में दूसरा सबसे बड़ा थाला कृष्णा नदी का है और तीसरा बड़ा थाला महानदी का है। दक्षिण की ऊपरी भूमि में नर्मदा अरब सागर की ओर बहती है और

दक्षिण में कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इनके थाले बराबर विस्तार के हैं, यद्यपि उनकी विशेषताएं और आकार भिन्न-भिन्न हैं। कई तटीय नदियां हैं जो तुलनात्मक रूप से छोटी हैं। ऐसी गिनी-चुनी नदियां पूर्वी तट के डेल्टा के निकट समुद्र में मिल जाती हैं जबकि पश्चिम तट पर ऐसी करीब 600 नदियां हैं।

राजस्थान में कई नदियां समुद्र में नहीं मिलतीं। वे नमक की झीलों में मिलकर रेत में समा जाती हैं क्योंकि इनका समुद्र की ओर कोई निकास नहीं है। इनके अलावा रेगिस्तानी नदियां लूनी तथा अन्य, माछू, रूपेन, सरस्वती, बनांस तथा घग्घर हैं जो कुछ दूरी तक बहकर मरुस्थल में खो जाती हैं।

जलवायु

भारत की जलवायु आमतौर से उष्णकटिबंधीय है। यहां चार ऋतुएं होती हैं: 1. शीत ऋतु (जनवरी-फरवरी), 2. ग्रीष्म ऋतु (मार्च-मई), 3. वर्षा ऋतु या 'दक्षिण-पश्चिमी मानसून का मौसम' (जून-सितंबर) और 4. मानसून पश्चात् ऋतु (अक्टूबर-दिसंबर), जिसे दक्षिण प्रायद्वीप में 'उत्तर-पूर्व मानसून का मौसम' भी कहा जाता है। भारत की जलवायु पर दो प्रकार की मौसमी हवाओं का प्रभाव पड़ता है— उत्तर-पूर्वी मानसून और दक्षिण-पश्चिमी मानसून। उत्तर-पूर्वी मानसून को आमतौर पर 'शीत मानसून' कहा जाता है। इस दौरान हवाएं स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, जो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करके आती हैं। देश में अधिकांश वर्षा दक्षिण-पश्चिमी मानसून से ही होती है।

पेड़-पौधे

उष्ण से लेकर उत्तर ध्रुव तक विविध प्रकार की जलवायु के कारण भारत में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो समान आकार के अन्य देशों में बहुत कम मिलती हैं। भारत को आठ वनस्पति क्षेत्रों में बांटा जा सकता है— पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, असम, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, दक्कन, मालाबार और अंडमान।

पश्चिमी हिमालय क्षेत्र कश्मीर से कुमाऊं तक फैला है। इस क्षेत्र के शीतोष्ण कटिबंधीय भाग में चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्षों (कोनीफर्स) और चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्षों के वनों का बाहुल्य है। इससे ऊपर के क्षेत्रों में देवदार, नीली चीड़, सनोवर वृक्ष और श्वेत देवदार के जंगल हैं। अल्पाइन क्षेत्र शीतोष्ण क्षेत्र की ऊपरी सीमा से 4,750 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में ऊंचे स्थानों में मिलने वाले श्वेत देवदार, श्वेत भोजवृक्ष और सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय क्षेत्र सिक्किम से पूर्व की ओर शुरू होता है और इसके अंतर्गत दार्जिलिंग, कुर्सियांग और उसके साथ लगे भाग आते हैं। इस शीतोष्ण क्षेत्र में ओक, जायवृक्ष, द्विफल, बड़े फूलों वाला सदाबहार वृक्ष और छोटी बेंत के जंगल पाए जाते हैं। असम क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटियां आती हैं जिनमें सदाबहार जंगल हैं और बीच-बीच में घने बांसों तथा लंबी घासों के झुरमुट हैं। सिंधु के मैदानी क्षेत्र में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान शामिल हैं। यह क्षेत्र शुष्क और गर्म है और इसमें प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्र का अधिकतर भाग कछारी मैदान है और इनमें गेहूं, चावल और गन्ने की खेती होती है। केवल थोड़े से भाग में विभिन्न प्रकार के जंगल हैं। दक्कन क्षेत्र में भारतीय प्रायद्वीप की सारी पठारी भूमि शामिल है, जिसमें पतझड़ वाले वृक्षों के जंगलों से लेकर तरह-तरह की जंगली झाड़ियों के वन हैं। मालाबार क्षेत्र के अधीन प्रायद्वीप तट के साथ-साथ लगने वाली पहाड़ी तथा अधिक नमी वाली पट्टी है। इस क्षेत्र में घने जंगल हैं। इसके अलावा, इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण

व्यापारिक फसलें, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, काफी, चाय, रबड़ और काजू की खेती होती है। अंडमान क्षेत्र में सदाबहार, अर्द्ध-सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्रतटीय और अप्लावी जंगलों की अधिकता है। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक के हिमालय क्षेत्र (नेपाल, सिक्किम, भूटान, नगालैंड) और दक्षिण प्रायद्वीप में क्षेत्रीय पर्वतीय श्रेणियों में ऐसे देशी पेड़-पौधों की अधिकता है, जो दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं मिलते।

वन संपदा की दृष्टि से भारत काफी संपन्न है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत का विश्व में दसवां और एशिया में चौथा स्थान है। अब तक लगभग 70 प्रतिशत भू-भाग का सर्वेक्षण करने के पश्चात् भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्था ने पेड़-पौधों की 46 हजार से अधिक प्रजातियों का पता लगाया है। वाहिनी वनस्पति के अंतर्गत 15 हजार प्रजातियां हैं। देश के पेड़-पौधों का विस्तृत अध्ययन भारतीय सर्वेक्षण संस्था और देश के विभिन्न भागों में स्थित उसके 9 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कुछ विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संगठनों द्वारा किया जा रहा है।

वनस्पति नृजाति विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न पौधों और उनके उत्पादों की उपयोगिता के बारे में अध्ययन किया जाता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने ऐसे पेड़ पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया है। देश के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में कई विस्तृत नृजाति सर्वेक्षण किए जा चुके हैं। वनस्पति नृजाति विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की 800 प्रजातियों की पहचान की गई और देश के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों से उन्हें इकट्ठा किया गया है।

खेती, उद्योग और नगर विकास के लिए जंगलों की कटाई के कारण कई भारतीय पौधे लुप्त हो रहे हैं। पौधों की लगभग 1336 प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है तथा लगभग 20 प्रजातियां पिछले 60 से 100 वर्षों के दौरान दिखाई नहीं पड़ी हैं। संभावना है कि ये प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण रेड डाटा बुक नाम से लुप्त प्राय पौधों की सूची प्रकाशित करता है।

जीव-जंतु

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, देश के विभिन्न हिस्सों में अपने 16 क्षेत्रीय केंद्रों के जरिए भारत में जीव-जंतुओं की विभिन्न जातियों के सर्वेक्षण का कार्य करता है। जलवायु और प्राकृतिक वातावरण की व्यापक भिन्नता के कारण भारत में 89 हजार से अधिक किस्म के जीव-जंतु पाए जाते हैं। इनमें 2,577 प्रोटिस्टा (आद्यजीव), 5,070 मोलस्क प्राणी, 68,389 एंथ्रोपोडा, 119 प्रोटोकोर्डेटा, 2,546 किस्म की मछलियां, 209 किस्म के उभयचारी, 456 किस्म के सरीसृप, 1,232 किस्म के पक्षी, 390 किस्म के स्तनपायी जीव और 8,329 अन्य अकशेरुकी आदि शामिल हैं।

स्तनपायी जीवों में हिमालय की बड़े आकार वाली जंगली भेड़ें, दलदली मृग, हाथी, गौर या भारतीय भैंसा, नील गाय, चौसिंगा मृग शामिल हैं। बिल्ली जाति के पशुओं में सिंह और शेर सर्वाधिक भव्य दिखते हैं। इनके अलावा, हिम तेंदुए, चित्ती वाले तेंदुए तथा चितकबरे तेंदुए जैसे अन्य विशिष्ट प्राणी भी पाए जाते हैं। स्तनपायी जीवों की कई अन्य प्रजातियां अपनी सुंदरता, रंग-बिरंगेपन, गरिमा और विशिष्टता के लिए उल्लेखनीय हैं। बड़ी संख्या में पाए जाने वाले रंग-बिरंगे पक्षी देश की अमूल्य धरोहरों में से एक हैं। अनेक किस्म के पक्षी, जैसे बतख, मैना, कबूतर, धनेश, तोते, तीतर, मुर्गियां और सुनहरे रंग वाले पक्षी जंगलों और दलदली भूमि में पाए जाते हैं।

नदियों और झीलों में मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल सिर्फ भारत में ही पाए जाते

हैं। पूर्वी तट और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं। सन् 1974 में शुरू की गई मगरमच्छ पालन योजना के जरिए मगरमच्छों की नस्ल को लुप्त होने से बचाया गया।

विशाल हिमालय श्रृंखला में कई अत्यंत आकर्षक जीव-जंतु पाए जाते हैं, जिनमें जंगली भेड़ और बकरियां, मारखोर, साकिन, छछूंदर और टापिर शामिल हैं। पांडा और हिम तेंदुआ ऊंचे पहाड़ी स्थानों में पाए जाते हैं।

कृषि और आवास के लिए भूमि के विस्तार से वन संपदा नष्ट होती जा रही है। भूमि का अधिक-से-अधिक इस्तेमाल, प्रदूषण, कीटनाशकों के प्रयोग, सामुदायिक संरचना के असंतुलन, बाढ़, सूखा और तूफान आदि के प्रकोप से भी पेड़-पौधों को काफी क्षति पहुंचती है। 39 से अधिक प्रजातियों के स्तनपायी जीवों, पक्षियों की 72, सरीसृप की 17, उभयचारी जीवों की तीन और मछलियों की दो प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में तितलियों, पतंगों और कीड़े-मकोड़ों के लुप्त हो जाने का खतरा है।

जनसंख्या पृष्ठभूमि

जनगणना

भारत में जनगणना 2001 का कार्य अपने आप में एक युगांतरकारी एवं ऐतिहासिक घटना है क्योंकि यह 21वीं शताब्दी तथा तीसरी सहस्राब्दी में होने वाली पहली जनगणना है। इससे हमारे देश में उपलब्ध भरपूर मानव संसाधन, उनकी आबादी, संस्कृति और आर्थिक स्वरूप के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़ों का पता चलता है।

जनगणना 2001 के लिए गणना का कार्य 9 से 28 फरवरी, 2001 के दौरान किया गया। इसके पश्चात् एक से 5 मार्च, 2001 तक इसका संशोधनात्मक दौर चला। आबादी की गिनती के कार्य को जिस क्षण से शुरू किया गया, उसे एक मार्च, 2001 को 00.00 बजे माना गया है। वर्ष 1991 तक जनसंख्या की गिनती की शुरुआत एक मार्च को सूर्योदय के समय से की जाती थी। हमेशा की तरह बेघर लोगों की गणना 28 फरवरी, 2001 की रात्रि से शुरू की गई।

जनसंख्या

एक मार्च, 2001 को भारत की जनसंख्या एक अरब 2 करोड़ 80 लाख (532.1 करोड़ पुरुष और 496.4 करोड़ स्त्रियां) थी। भारत के पास 1357.90 लाख वर्ग कि.मी. भू-भाग है जो विश्व के कुल भू-भाग का मात्र 2.4 प्रतिशत है फिर भी विश्व की 16.7 प्रतिशत आबादी का भार उसे वहन करना पड़ रहा है।

बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की आबादी करीब 23 करोड़ 84 लाख थी जो बढ़कर इक्कीसवीं शताब्दी में एक अरब 2 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गई। भारत की जनसंख्या की गणना 1901 के पश्चात् हर दस साल बाद होती है। इसमें 1911-21 की अवधि को छोड़कर प्रत्येक दशक में आबादी में वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 1901 से जनसंख्या में हुई वृद्धि के आंकड़े सारणी 1.1 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 1.2 में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की जनसंख्या वृद्धि के चुने हुए आंकड़े दर्शाए गए हैं। वर्ष 1991-2001 की जनगणना अवधि के दौरान केरल में सबसे कम 9.43 और नगालैंड में सबसे अधिक 64.53 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली में अत्यधिक 47.02 प्रतिशत, चंडीगढ़ में 40.28 प्रतिशत और सिक्किम में 33.06 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। इसके मुकाबले केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 1991-2001 के दौरान जनसंख्या वृद्धि काफी कम रही। हरियाणा,

उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, नगालैंड, मणिपुर, गुजरात, दमन और दीव तथा नगर हवेली आदि को छोड़कर शेष सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में वर्ष 1991-2001 के जनगणना दशक के दौरान पिछले जनगणना दशक की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर कम दर्ज की गई। जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जनगणना दशक के दौरान जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई, यह भारत की कुल आबादी का लगभग 32 प्रतिशत है।

जनसंख्या घनत्व

जनसंख्या की घनता का एक महत्वपूर्ण पक्ष आबादी का घनत्व है। इसे इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि प्रति वर्ग कि.मी. क्षेत्र में लोगों की संख्या कितनी है। 2001 में देश में आबादी का घनत्व 324 प्रति वर्ग कि.मी. था। सन् 1991 से 2001 के बीच राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि हुई है। प्रमुख राज्यों में पश्चिम बंगाल अभी भी सबसे घन आबादी वाला राज्य है। यहां 2001 में आबादी का घनत्व 903 था। बिहार अब दूसरे स्थान पर है जबकि आबादी के घनत्व के हिसाब से केरल का स्थान तीसरा है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आबादी के घनत्व की स्थिति सारणी 1.3 में दिखाई गई है।

स्त्री-पुरुष अनुपात

स्त्री-पुरुष अनुपात को इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या कितनी है। इससे एक निश्चित समय पर समाज में स्त्री-पुरुषों के बीच संख्यात्मक समानता का आकलन किया जाता है। देश में स्त्री-पुरुष अनुपात हमेशा स्त्रियों के प्रतिकूल रहा है। बीसवीं शताब्दी के आरंभ में यह अनुपात 972 था और उसके बाद 1941 तक इसमें निरंतर कमी का रुख रहा। स्त्री-पुरुष अनुपात (1901-2001) को सारणी 1.4 में दर्शाया गया है।

साक्षरता

जनगणना 2001 में उस व्यक्ति को 'साक्षर' माना गया है जिसकी उम्र सात वर्ष या उससे अधिक है तथा जो किसी भी भाषा में समझकर उसे लिख-पढ़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को साक्षर नहीं माना गया है जो केवल पढ़ सकता है परंतु लिख नहीं सकता। वर्ष 1991 से पूर्व हुई जनगणनाओं में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनिवार्य रूप से निरक्षर माना जाता था। 2001 की जनगणना के परिणामों से पता चलता है कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर 64.84 प्रतिशत है। पुरुषों की साक्षरता दर 75.26 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता दर 53.67 प्रतिशत है। साक्षरता में हो रहे सुधार को सारणी 1.5 में दर्शाया गया है।

साक्षरता की दृष्टि से केरल सबसे ऊपर है जहां साक्षरता दर 90.86 प्रतिशत है। उसके बाद मिजोरम में 88.80 प्रतिशत और लक्षद्वीप 86.66 प्रतिशत से दूसरे और तीसरे स्थान पर है। बिहार में साक्षरता दर सबसे कम 47 प्रतिशत है। झारखंड में उससे अधिक 53.56 प्रतिशत और जम्मू-कश्मीर में 55.52 प्रतिशत है। केरल में पुरुष और स्त्रियों की अलग-अलग साक्षरता भी सबसे अधिक है। इसमें 94.24 प्रतिशत पुरुष और 87.72 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। इसके विपरीत सबसे कम साक्षरता दर राज्य बिहार में 59.68 प्रतिशत पुरुष और 33.12 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता दर सारणी 1.6 में दर्शाई गई है।

सारणी 1.1
जनसंख्या (1901-2001)

जनगणना वर्ष	जनसंख्या	दशकीय वृद्धि		दशकीय वृद्धि औसत वार्षिक में परिवर्तन		1901 के उत्तरोत्तर वृद्धि दर (प्रतिशत)	
		परिशुद्ध	प्रतिशत	परिशुद्ध	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8
1901	23,83,96,327	—	—	—	—	—	—
1911	25,20,93,390	1,36,97,063	5.75	—	—	0.56	5.75
1921	25,13,21,213	-7,72,177	-0.31	-1,44,69,240	-6.05	-0.03	5.42
1931	27,89,77,238	2,76,56,025	11.00	2,84,28,202	11.31	1.04	17.02
1941	31,86,60,580	3,96,83,342	14.22	1,20,27,317	3.22	1.33	33.67
1951 ¹	36,10,88,090	4,24,27,510	13.31	27,44,168	-0.91	1.25	51.47
1961 ¹	43,92,34,771	7,81,46,681	21.64	3,57,19,171	8.33	1.96	84.25
1971	54,81,59,652	10,89,24,881	24.80	3,07,78,200	3.16	2.22	129.94
1981 ²	68,33,29,097	13,51,69,445	24.66	2,62,44,564	-0.14	2.20	186.64
1991 ³	84,64,21,039	16,30,91,942	23.87	2,79,22,497	-0.79	2.14	255.05
2001 ⁴	1,02,87,37,436	18,23,16,397	21.54	1,92,24,455	-2.33	1.95	331.47

टिप्पणियां

1. भारत की 1941-51 और 1951-61 की जनगणना में 'दशकीय वृद्धि' और 'दशकीय वृद्धि प्रतिशत' की गणना करते समय 1951 के लिए त्यूवेनसांग जिले की जनसंख्या (7,025) और 1961 के लिए नगालैंड के त्यूवेनसांग जिला (83,501) तथा मोन जिले (5,774) की जनसंख्या को शामिल नहीं किया गया क्योंकि इन क्षेत्रों में पहली बार 1951 में जनगणना कराई गई थी तथा वह तुलनीय नहीं है।
2. असम में गड़बड़ी की वजह से 1981 में वहां जनगणना नहीं की गई। अतः 1981 के लिए असम की जनसंख्या के आंकड़ों का आकलन अंतर-गणन विधि से किया गया है।
3. जम्मू और कश्मीर में गड़बड़ी की वजह से 1991 में वहां जनगणना नहीं हो पाई। अतः 1991 के लिए जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या का आकलन अंतर-गणना के आधार पर किया गया है।
4. 2001 के जनसंख्या आंकड़े अंतिम हैं और इनमें मणिपुर के सेनापति जिले के तीन उप जिलों—माओ मारम, पाओमाता और पुरूल के अनुमानित आंकड़े शामिल हैं क्योंकि इन तीन उप जिलों में जनगणना 2001 प्रशासनिक एवं तकनीकी कारणों की वजह से रद्द कर दी गई थी।

सारणी 1.2
राज्य और केंद्रशासित प्रदेश (1991 से 2001 के दौरान कुल जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि)

क्र. सं.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	कुल जनसंख्या						जनसंख्या बढ़ोत्तरी 1991-2001
		1991			2001			
		व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भारत**	846,421,039	439,358,440	407,062,599	1,028,737,436	532,223,090	496,514,346	21.54
1.	जम्मू और कश्मीर*	7,837,051	4,142,082	3,694,969	10,143,700	5,360,926	4,782,774	29.43
2.	हिमाचल प्रदेश	5,170,877	2,617,467	2,553,410	6,077,900	3,087,940	2,989,960	17.54
3.	पंजाब	20,281,969	10,778,034	9,503,935	24,358,999	12,985,045	11,373,954	20.10
4.	चंडीगढ़	642,015	358,614	283,401	900,635	506,938	393,697	40.28
5.	उत्तराखंड	7,050,634	3,640,895	3,409,739	8,489,349	4,325,924	4,163,425	20.41
6.	हरियाणा	16,463,648	8,827,474	7,636,174	21,144,564	11,363,953	9,780,611	28.43
7.	दिल्ली	9,420,644	5,155,512	4,265,132	13,850,507	7,607,234	6,243,273	47.02
8.	राजस्थान	44,005,990	23,042,780	20,963,210	56,507,188	29,420,011	27,087,177	28.41
9.	उत्तर प्रदेश	132,061,653	70,396,062	61,665,591	166,197,921	87,565,369	78,632,552	25.85
10.	बिहार	64,530,554	33,838,238	30,692,316	82,998,509	43,243,795	39,754,714	28.62
11.	सिक्किम	406,457	216,427	190,030	540,851	288,484	252,367	33.06
12.	अरुणाचल प्रदेश	864,558	465,004	399,554	1,097,968	579,941	518,027	27.00
13.	नागालैंड	1,209,546	641,282	568,264	1,990,036	1,047,141	942,895	64.53
14.	मणिपुर**	1,837,149	938,359	898,790	2,293,896	1,161,952	1,131,944	24.86
15.	मिजोरम	689,756	358,978	330,778	888,573	459,109	429,464	28.82

सारणी 1.2 (जारी)
राज्य और केंद्रशासित प्रदेश (1991 से 2001 के दौरान कुल जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि)

क्र. सं.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	कुल जनसंख्या						जनसंख्या बढ़ोत्तरी 1991-2001
		1991			2001			
		व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	त्रिपुरा	2,757,205	1,417,930	1,339,275	3,199,203	1,642,225	1,556,978	16.03
17.	मेघालय	1,774,778	907,687	867,091	2,318,822	1,176,087	1,142,735	30.65
18.	असम	22,414,322	11,657,989	10,756,333	26,655,528	13,777,037	12,878,491	18.92
19.	पश्चिमी बंगाल	68,077,965	35,510,633	32,567,332	80,176,197	41,465,985	38,710,212	17.77
20.	झारखंड	21,843,911	11,363,853	10,480,058	26,945,829	13,885,037	13,060,792	23.36
21.	उड़ीसा	31,659,736	16,064,146	15,595,590	36,804,660	18,660,570	18,144,090	16.25
22.	छत्तीसगढ़	17,614,928	8,872,620	8,742,308	20,833,803	10,474,218	10,359,585	18.27
23.	मध्य प्रदेश	48,566,242	25,394,673	23,171,569	60,348,023	31,443,652	28,904,371	24.26
24.	गुजरात	41,309,582	21,355,209	19,954,373	50,671,017	26,385,577	24,285,440	22.66
25.	दमन और दीव	101,586	51,595	49,991	158,204	92,512	65,692	55.73
26.	दादरा और नगर हवेली	138,477	70,953	67,524	220,490	121,666	98,824	59.22
27.	महाराष्ट्र	78,937,187	40,825,618	38,111,569	96,878,627	50,400,596	46,478,031	22.73
28.	आंध्र प्रदेश	66,508,008	33,724,581	32,783,427	76,210,007	38,527,413	37,682,594	14.59
29.	कर्नाटक	44,977,201	22,951,917	22,025,284	52,850,562	26,898,918	25,951,644	17.51
30.	गोवा	1,169,793	594,790	575,003	1,347,668	687,248	660,420	15.21
31.	लक्षद्वीप	51,707	26,618	25,089	60,650	31,131	29,519	17.30

सारणी 1.2 (जारी)
राज्य और केंद्रशासित प्रदेश (1991 से 2001 के दौरान कुल जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि)

क्र. सं.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	कुल जनसंख्या						जनसंख्या बढ़ोत्तरी 1991-2001
		1991			2001			
		व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	केरल	29,098,518	14,288,995	14,809,523	31,841,374	15,468,614	16,372,760	9.43
33.	तमिलनाडु	55,858,946	28,298,975	27,559,971	62,405,679	31,400,909	31,004,770	11.72
34.	पांडिचेरी	807,785	408,081	399,704	974,345	486,961	487,384	20.62
35.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	280,661	154,369	126,292	356,152	192,972	163,180	26.90

टिप्पणियां

* जम्मू और कश्मीर में अशांत परिस्थितियों की वजह से 1991 की जनगणना नहीं हो सकी थी। इसीलिए जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या के 1991 के आंकड़े अंतर-गणन विधि के आधार पर निकाले गए हैं।

** भारत और मणिपुर के आंकड़े अंतिम हैं और इनमें मणिपुर के सेनापति जिले के तीन उप जिलों माओ मारम, पाओमाता और पुरल के अनुमानित आंकड़े शामिल हैं क्योंकि इन तीन उप जिलों में जनगणना 2001 प्रशासनिक एवं तकनीकी कारणों की वजह से रद्द कर दी गई थी।

सूत्र : भारतीय महापंजीयक कार्यालय

सारणी 1.3
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सघनता

2001 में स्थान	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	सघनता (प्रति वर्ग कि.मी.)		1991 में स्थान
		2001	1991	
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली	9,340	6,352	1
2.	चंडीगढ़	7,900	5,632	2
3.	पांडिचेरी	2,034	1,683	5
4.	लक्षद्वीप	1,895	1,616	3
5.	दमन और दीव	1,413	907	4
6.	पश्चिम बंगाल	903	767	6
7.	बिहार	881	685	7
8.	केरल	819	749	9
9.	उत्तर प्रदेश	690	548	8
10.	पंजाब	484	403	10
11.	तमिलनाडु	480	429	11
12.	हरियाणा	478	372	12
13.	दादरा और नगर हवेली	449	282	14
14.	गोवा	364	316	13
15.	असम	340	286	15
16.	झारखंड	338	274	17
17.	महाराष्ट्र	315	257	16
18.	त्रिपुरा	305	263	18
19.	आंध्र प्रदेश	277	242	19
20.	कर्नाटक	276	235	20
21.	गुजरात	258	211	21
22.	उड़ीसा	236	203	22
23.	मध्य प्रदेश	196	158	23
24.	राजस्थान	165	129	24
25.	उत्तराखंड	159	133	25
26.	छत्तीसगढ़	154	130	26
27.	नगालैंड	120	73	27
28.	हिमाचल प्रदेश	109	93	28
29.	मणिपुर ¹	111	82	30

1	2	3	4	5
30.	मेघालय	103	79	29
31.	जम्मू और कश्मीर	100	77	31
32.	सिक्किम	76	57	32
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	43	34	33
34.	मिजोरम	42	33	34
35.	अरुणाचल प्रदेश	13	10	35

टिप्पणी

1. भारत और मणिपुर के आंकड़े अंतिम हैं और इनमें मणिपुर के सेनापति जिले के तीन उप जिलों माओ मारम, पाओमाता और पुरुल के अनुमानित आंकड़े शामिल हैं क्योंकि इन तीन उप जिलों की जनगणना 2001 प्रशासनिक एवं तकनीकी कारणों की वजह से रद्द कर दी गई थी।

सारणी 1.4 स्त्री-पुरुष अनुपात : 1901-2001

जनगणना वर्ष	स्त्री-पुरुष अनुपात (1000 पुरुषों पर महिलाएं)
1901	972
1911	964
1921	955
1931	950
1941	945
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	926
2001	933

टिप्पणियां

1. 1981 के लिए असम के आंकड़े अंतर-गणन के आधार पर निकाले गए हैं।
2. 2001 की जनगणना के जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या के आंकड़ों को अंतर-गणन के आधार पर 1991 के लिए प्रयुक्त किया गया है।
3. 2001 के जनसंख्या आंकड़े अंतिम हैं और इनमें मणिपुर के सेनापति जिले के तीन उप जिलों माओ मारम, पाओमाता और पुरुल के अनुमानित आंकड़े शामिल हैं क्योंकि इन तीन उप जिलों में जनगणना 2001 प्रशासनिक एवं तकनीकी कारणों की वजह से रद्द कर दी गई थी हालांकि इन तीन उप जिलों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनगणना हुई थी।

सारणी 1.5
साक्षरता दर : 1951-2001

(प्रतिशत में)

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	स्त्रियां
1951	18.33	27.16	8.86
1961	28.30	40.40	15.35
1971	34.45	45.96	21.97
1981	43.57	56.38	29.76
1991	52.21	64.13	39.29
2001	64.84	75.26	53.67

टिप्पणियां

- वर्ष 1951, 1961 और 1971 की साक्षरता दर में 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की जनसंख्या ली गई है। 1981, 1991 तथा 2001 की जनगणना में साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की जनसंख्या पर ली गई है।
- 1981 के लिए साक्षरता दर में असम को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वहां 1981 में जनगणना नहीं कराई जा सकी।
- 1991 की साक्षरता दर में जम्मू और कश्मीर को शामिल नहीं किया गया क्योंकि वहां गड़बड़ी के कारण 1991 में जनगणना नहीं कराई जा सकी।

सारणी 1.6
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में व्यक्तियों, पुरुषों तथा स्त्रियों की
साक्षरता दर, जनगणना-2001

स्थान	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	साक्षरता दर	पुरुष साक्षरता दर	स्त्री साक्षरता दर
1	2	3	4	5
1.	केरल	90.86	94.24	87.72
2.	मिजोरम	88.80	90.72	86.75
3.	लक्षद्वीप	86.66	92.53	80.47
4.	गोवा	82.01	88.42	75.37
5.	चंडीगढ़	81.94	86.14	76.47
6.	दिल्ली	81.67	87.33	74.71
7.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	81.30	86.33	75.24
8.	पांडिचेरी	81.24	88.62	73.90
9.	दमन और दीव	78.18	86.76	65.61
10.	महाराष्ट्र	76.88	85.97	67.03
11.	हिमाचल प्रदेश	76.48	85.35	67.42
12.	तमिलनाडु	73.45	82.42	64.43
13.	त्रिपुरा	73.19	81.02	64.91

1	2	3	4	5
14.	उत्तराखंड	71.62	83.28	59.63
15.	मणिपुर	70.53	80.33	60.53
16.	पंजाब	69.65	75.23	63.36
17.	गुजरात	69.14	79.66	57.80
18.	सिक्किम	68.81	76.04	60.40
19.	पश्चिम बंगाल	68.64	77.02	59.61
20.	हरियाणा	67.91	78.49	55.73
21.	कर्नाटक	66.64	76.10	56.87
22.	नगालैंड	66.59	71.16	61.46
23.	छत्तीसगढ़	64.66	77.38	51.85
24.	मध्य प्रदेश	63.74	76.06	50.29
25.	असम	63.25	71.28	54.61
26.	उड़ीसा	63.08	75.35	50.51
27.	मेघालय	62.56	65.43	59.61
28.	आंध्र प्रदेश	60.47	70.32	50.43
29.	राजस्थान	60.41	75.70	43.8
30.	दादरा और नगर हवेली	57.63	71.18	40.23
31.	उत्तर प्रदेश	56.27	68.82	42.22
32.	जम्मू और कश्मीर	55.52	66.60	43.00
33.	अरुणाचल प्रदेश	54.34	63.83	43.53
34.	झारखंड	53.56	67.30	38.87
35.	बिहार	47.00	59.68	33.12

टिप्पणियां

- मणिपुर के आंकड़ों में सेनापति जिले के तीन उप जिलों माओ मारम, पाओमाता और पुरुल के अनुमानित आंकड़े शामिल हैं क्योंकि इन तीन उप जिलों की जनगणना 2001 प्रशासनिक एवं तकनीकी कारणों की वजह से रद्द कर दी गई थी। साक्षरता दर 7 वर्ष तथा इससे ऊपर की जनसंख्या से संबंधित है।

सारणी 1.7

अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या और प्रतिशत : जनगणना 2001

क्रम. सं.	राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश	अनुसूचित जातियां		अनुसूचित जनजातियां		
		कुल जनसंख्या	जनसंख्या (हजार में)	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7
	भारत ¹	1,028,610	166,636	16.20	84,326	8.20
1.	जम्मू और कश्मीर	10,144	770	7.59	1,106	10.90
2.	हिमाचल प्रदेश	6,078	1,502	24.72	245	4.02
3.	पंजाब	24,359	7,029	28.85	0	0.00
4.	चंडीगढ़	901	158	17.50	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7
5.	उत्तराखंड	8,489	1,517	17.87	256	3.02
6.	हरियाणा	21,145	4,091	19.35	0	0.00
7.	दिल्ली	13,851	2,343	16.92	0	0.00
8.	राजस्थान	56,507	9,694	17.16	7,098	12.56
9.	उत्तर प्रदेश	1,66,198	35,148	21.15	108	0.06
10.	बिहार	82,999	13,049	15.72	758	0.91
11.	सिक्किम	541	27	5.02	111	20.60
12.	अरुणाचल प्रदेश	1,098	6	0.56	705	64.22
13.	नगालैंड	1,990	0	0.00	1,774	89.15
14.	मणिपुर ¹	2,167	60	2.77	741	34.20
15.	मिजोरम	889	0	0.03	839	94.46
16.	त्रिपुरा	3,199	556	17.37	993	31.05
17.	मेघालय	2,319	11	0.48	1,993	85.94
18.	असम	26,656	1,826	6.85	3,309	12.41
19.	प. बंगाल	80,176	18,453	23.02	4,407	5.50
20.	झारखंड	26,946	3,189	11.84	7,087	26.30
21.	उड़ीसा	36,805	6,082	16.53	8,145	22.13
22.	छत्तीसगढ़	20,834	2,419	11.61	6,617	31.76
23.	मध्य प्रदेश	60,348	9,155	15.17	12,233	20.27
24.	गुजरात	50,671	3,593	7.09	7,481	14.76
25.	दमन दीव	158	5	3.06	14	8.85
26.	दादरा एवं नगर हवेली	220	4	1.86	137	62.24
27.	महाराष्ट्र	96,879	9,882	10.20	8,577	8.85
28.	आंध्र प्रदेश	76,210	12,339	16.19	5,024	6.59
29.	कर्नाटक	52,851	8,564	16.20	3,464	6.55
30.	गोआ	1,348	24	1.77	1	0.04
31.	लक्षद्वीप	61	0	0.00	57	94.51
32.	केरल	31,841	3,124	9.81	364	1.14
33.	तमिलनाडु	62,406	11,858	19.00	651	1.04
34.	पांडिचेरी	974	158	16.19	0	0.00
35.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	356	0	0.00	29	8.27

टिप्पणियां

1. भारत और मणिपुर के आंकड़ों में सेनापति जिले के तीन उप जिलों माओ मारम, पाओमाता और पुरुल के आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि इन तीन उप-जिलों में जनगणना 2001 के परिणाम प्रशासनिक एवं तकनीकी कारणों की वजह से रद्द कर दिए गए थे।

सारणी 1.8
ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या

जनगणना वर्ष	जनसंख्या (दस लाख में)		कुल जनसंख्या का प्रतिशत	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5
1901	213	26	89.2	10.8
1911	226	26	89.7	10.3
1921	223	28	88.8	11.2
1931	246	33	88	12
1941	275	44	86.1	13.9
1951	299	62	82.7	17.3
1961	360	79	82	18
1971	439	109	80.1	19.9
1981	524	159	76.7	23.3
1991	629	218	74.3	25.7
2001	743	286	72.2	27.8

टिप्पणियाँ

1. भारत और मणिपुर के आंकड़े अंतिम हैं और इनमें मणिपुर के सेनापति जिले के तीन उप जिलों माओ मारम, पाओमाता और पुरुल के अनुमानित आंकड़े शामिल हैं क्योंकि इन तीन उप जिलों में जनगणना 2001 के परिणाम प्रशासनिक एवं तकनीकी कारणों की वजह से रद्द कर दिए गए थे।
2. जम्मू और कश्मीर में अशांत परिस्थितियों की वजह से 1991 की जनगणना नहीं हो सकी थी। इसीलिए जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या में 1991 के आंकड़े अंतर-गणन के आधार पर 2001 की जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के आधार पर निकाले गए हैं।
3. असम में 1981 में जनगणना नहीं हो पाई थी। असम के 1981 के आंकड़े अंतर-गणन विधि से निकाले गए हैं।

सारणी 1.9
कस्बों के वर्ग के आधार पर जनसंख्या, जनगणना 2001

	कस्बों का वर्ग	जनसंख्या 2001
1.	1,00,000 और अधिक	1,78,224
2.	50,000-99,999	34,452
3.	20,000-49,999	42,119
4.	10,000-19,999	22,614
5.	5,000-9,999	7,890
6.	5,000 से कम	821
	सभी वर्ग	2,86,120
	कुल जनसंख्या में	
	शहरी जनसंख्या का प्रतिशत*	27.82

सारणी 1.10
2001 की जनगणना के अनुसार गांवों की संख्या और जनसंख्या वितरण

क्रम सं.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	10,000 और उससे अधिक आबादी वाले गांव	5,000 से 9,999 तक आबादी वाले गांव	2,000 से 4,999 तक आबादी वाले गांव	1,000 से 1,999 तक आबादी वाले गांव	500 से 999 तक आबादी वाले गांव	200 से 499 तक आबादी वाले गांव	200 से कम आबादी वाले गांव	कुल गांवों की संख्या
1.	जम्मू और कश्मीर@	10	135	886	1,546	1,664	1,499	677	6,417
2.	हिमाचल प्रदेश	1	8	174	660	2,094	5,645	8,913	17,495
3.	पंजाब	26	273	1,987	3,405	3,378	2,130	1,079	12,278
4.	चंडीगढ़	2	6	7	2	2	1	3	23
5.	उत्तराखंड	13	69	350	752	1,890	4,912	7,775	15,761
6.	हरियाणा	97	504	2,015	2,091	1,205	582	270	6,764
7.	दिल्ली	24	26	60	29	9	4	6	158
8.	राजस्थान	100	661	4,660	8,777	11,058	9,151	5,346	39,753
9.	उत्तर प्रदेश	296	2,266	16,573	27,218	25,614	16,879	9,096	97,942
10.	बिहार	630	2,306	8,571	10,113	8,498	5,662	3,235	39,015
11.	सिक्किम	0	9	40	120	157	82	42	450
12.	अरुणाचल प्रदेश	0	3	26	126	266	682	2,760	3,863
13.	नागालैंड	5	50	171	253	372	323	104	1,278
14.	मणिपुर ¹	6	28	157	202	326	731	749	2,199
15.	मिजोरम	1	1	31	76	198	258	142	707
16.	त्रिपुरा	28	106	370	188	99	55	12	858

सारणी 1.10 (जारी)
2001 की जनगणना के अनुसार गांवों की संख्या और जनसंख्या वितरण

क्रम सं.	राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश	10,000 और उससे अधिक आबादी वाले गांव	5,000 से 9,999 तक आबादी वाले गांव	2,000 से 4,999 तक आबादी वाले गांव	1,000 से 1,999 तक आबादी वाले गांव	500 से 999 तक आबादी वाले गांव	200 से 499 तक आबादी वाले गांव	200 से कम आबादी वाले गांव	कुल गांवों की संख्या
17.	मेघालय	0	4	60	185	690	2,090	2,753	5,782
18.	असम	19	185	2,495	5,439	6,233	6,018	4,735	25,124
19.	प. बंगाल	354	1,526	6,819	8,490	8,930	7,553	4,273	37,945
20.	झारखंड	28	174	1,642	4,173	7,442	9,234	6,661	29,354
21.	उड़ीसा	5	180	2,404	6,814	11,428	14,054	12,644	47,529
22.	छत्तीसगढ़	6	80	1,264	4,185	6,465	5,498	2,246	19,744
23.	मध्य प्रदेश	19	362	3,551	10,434	16,277	14,330	7,144	52,117
24.	गुजरात	153	807	4,154	5,615	4,262	2,297	778	18,066
25.	दमन और दीव	2	5	5	4	5	2	0	23
26.	दादरा और नगर हवेली	0	7	28	15	12	7	1	70
27.	महाराष्ट्र	262	1,018	5,862	11,570	12,074	7,367	2,942	41,095
28.	आंध्र प्रदेश	498	1,788	6,915	6,475	4,467	3,402	3,068	26,613
29.	कर्नाटक	131	703	4,024	6,378	7,367	5,563	3,315	27,481
30.	गोवा	3	23	96	77	56	60	32	347
31.	लक्षद्वीप	1	2	3	0	0	1	1	8
32.	केरल	1072	207	69	10	0	4	2	1,364
33.	तमिलनाडु	168	1,254	4,870	4,484	2,801	1,344	479	15,400

सारणी 1.10 (जारी)
2001 की जनगणना के अनुसार गांवों की संख्या और जनसंख्या वितरण

क्रम राज्य/ सं. केंद्रशासित प्रदेश	10,000 और उससे अधिक आबादी वाले गांव	5,000 से 9,999 तक आबादी वाले गांव	2,000 से 4,999 तक आबादी वाले गांव	1,000 से 1,999 तक आबादी वाले गांव	500 से 999 तक आबादी वाले गांव	200 से 499 तक आबादी वाले गांव	200 से कम आबादी वाले गांव	कुल गांवों की संख्या
34. पांडिचेरी	2	20	45	18	7	0	0	92
35. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	2	23	52	62	90	272	501
संपूर्ण भारत	3,962	14,798	80,407	129,976	145,408	127,510	91,555	593,616

टिप्पणियां

@ भारत और जम्मू और कश्मीर राज्यों में उन गांवों को इस जनगणना में शामिल नहीं किया गया है जिन पर पाकिस्तान और चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है।

* भारत और मणिपुर के आंकड़ों में तीन उप-प्रभागों—माओ पारम, पाओमाता और सेनापति जिले के पुल्ल के आंकड़े शामिल नहीं किए गए हैं क्योंकि इन तीन उप-प्रभागों में जनगणना 2001 के परिणाम तकनीकी तथा प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दिए गए थे।

सूत्र : भारतीय महापंजीयक कार्यालय

सारणी 1.11
दस लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले शहर/नगर

क्र. सं.	शहर/नगर (नगर निगम)	जनसंख्या			0-6 जनसंख्या			साक्षरता दर		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	वृहत्तर मुंबई	11,978,450	6,619,966	5,358,484	1,364,423	709,777	654,646	9,207,877	5,388,552	3,819,325
2.	दिल्ली	9,879,172	5,412,497	4,466,675	1,352,656	724,171	628,485	7,075,280	4,110,213	2,965,067
3.	कोलकाता	4,572,876	2,500,040	2,072,836	390,282	202,527	187,755	3,382,103	1,925,008	1,457,095
4.	चेन्नई	4,343,645	2,219,539	2,124,106	433,340	219,720	213,620	3,336,695	1,799,981	1,536,714
5.	बंगलौर	4,301,326	2,242,835	2,058,491	484,982	249,652	235,330	3,265,702	1,787,677	1,478,025
6.	हैदराबाद	3,637,483	1,883,064	1,754,419	463,150	238,386	224,764	2,498,234	1,374,955	1,123,279
7.	अहमदाबाद	3,520,085	1,867,249	1,652,836	441,022	240,797	200,225	2,552,731	1,447,380	1,105,351
8.	कानपुर	2,551,337	1,374,121	1,177,216	317,756	171,263	146,493	1,758,807	997,001	761,806
9.	पुणे	2,538,473	1,321,338	1,217,135	302,960	158,672	144,288	1,930,063	1,064,508	865,555
10.	सूरत	2,433,835	1,372,415	1,061,420	340,582	186,746	153,836	1,736,939	1,043,703	693,236
11.	लखनऊ	2,185,927	1,156,151	1,029,776	273,401	143,232	130,169	1,474,733	827,793	646,940
12.	नागपुर	2,052,066	1,059,765	992,301	249,827	129,283	120,544	1,609,126	873,739	735,387
13.	जयपुर	2,322,575	1,237,765	1,084,810	352,661	187,351	165,310	1,537,850	908,969	628,881
14.	इंदौर	1,474,968	774,540	700,428	200,081	105,478	94,603	1,064,912	598,339	466,573
15.	भोपाल	1,437,354	757,408	679,946	208,587	108,172	100,415	979,770	555,051	424,719
16.	लुधियाना	1,398,467	793,142	605,325	169,273	93,050	76,223	981,383	573,886	407,497

सारणी 1.11 (जारी)
दस लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले शहर/नगर

क्र. सं.	शहर/नगर (नगर निगम)	जनसंख्या			0-6 जनसंख्या			साक्षरता दर	
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष
17.	पटना	1,366,444	746,344	620,100	182,037	96,034	86,003	961,681	564,625
18.	वडोदरा	1,306,227	684,013	622,100	148,034	80,610	67,424	1,014,014	557,051
19.	आगरा	1,275,134	690,599	584,535	179,411	96,850	82,561	766,860	452,770
20.	ठाणे	1,262,551	675,147	587,404	161,698	84,334	77,364	973,195	551,086
21.	कल्याण-डोंबिवली	1,193,512	633,508	560,004	144,097	75,256	68,841	944,745	525,907
22.	वाराणसी	1,091,918	582,096	509,822	161,172	84,256	76,916	670,367	392,103
23.	नासिक	1,077,236	575,737	501,499	147,919	78,579	69,340	802,695	458,005
24.	मेरठ	1,068,772	568,081	500,691	163,570	87,893	75,677	610,636	355,282
25.	फरीदाबाद	1,055,938	581,069	474,869	158,603	85,805	72,798	714,578	430,274
26.	पिंपरी चिंचवड	1,012,472	547,050	465,422	143,034	75,688	67,346	745,317	431,785
27.	हावड़ा	1,007,532	547,068	460,464	94,330	48,678	45,652	768,655	438,450
									330,205

सारणी 1.12

राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की जनसंख्या का निम्न क्रमवार एवं स्थिति 1991 से 2001 की जनगणना के अनुसार

क्र. सं.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	जनसंख्या 2001	भारत की जनसंख्या का कुल प्रतिशत		कुल प्रतिशत 1991
			2001	1991	
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर प्रदेश	166,197,921	16.16	15.59	1
2.	महाराष्ट्र	96,878,627	9.42	9.33	2
3.	बिहार	82,998,509	8.07	7.62	5
4.	पश्चिम बंगाल	80,176,197	7.79	8.04	3
5.	आंध्र प्रदेश	76,210,007	7.41	7.86	4
6.	तमिलनाडु	62,405,679	6.07	6.60	6
7.	मध्यप्रदेश	60,348,023	5.87	5.74	7
8.	राजस्थान	56,507,188	5.49	5.20	9
9.	कर्नाटक	52,850,562	5.14	5.31	8
10.	गुजरात	50,671,017	4.93	4.88	10
11.	उड़ीसा	36,804,660	3.58	3.74	11
12.	केरल	31,841,374	3.10	3.44	12
13.	झारखंड	26,945,829	2.62	2.58	14
14.	असल	26,655,528	2.59	2.65	13
15.	पंजाब	24,358,999	2.37	2.40	15
16.	हरियाणा	21,144,564	2.06	1.95	17
17.	छत्तीसगढ़	20,833,803	2.03	2.08	16
18.	दिल्ली	13,850,507	1.35	1.11	18
19.	जम्मू और कश्मीर	10,143,700	0.99	0.93	19
20.	उत्तराखंड	8,489,349	0.83	9.84	20
21.	हिमाचल प्रदेश	6,077,900	0.59	0.61	21
22.	त्रिपुरा	3,199,203	0.31	0.33	22
23.	मेघालय	2,318,822	0.23	0.21	24
24.	मणिपुर	2,293,896	0.22	0.22	23
25.	नगालैंड	1,990,036	0.19	0.14	25
26.	गोवा	1,347,668	0.13	0.14	26
27.	अरुणाचल प्रदेश	1,097,968	0.11	0.10	27
28.	पांडिचेरी	974,345	0.09	0.10	28
29.	चंडीगढ़	900,635	0.09	0.08	29
30.	मिजोरम	888,573	0.09	0.08	30

क्र. सं.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	जनसंख्या 2001	भारत की जनसंख्या का कुल प्रतिशत		कुल प्रतिशत 1991
			2001	1991	
1	2	3	4	5	6
31.	सिक्किम	540,851	0.05	0.05	31
32.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	356,152	0.03	0.03	32
33.	दादरा और नगर हवेली	220,490	0.02	0.02	33
34.	दमन और दीव	158,204	0.02	0.01	34
35.	लक्षद्वीप	60,650	0.01	0.01	35

टिप्पणियां

भारत और मणिपुर के आंकड़े अंतिम हैं। इनमें मणिपुर के सेनापति जिले के तीन उप जिलों—माओ मारम, पाओमाता और पुरुल के अनुमानित आंकड़े शामिल हैं क्योंकि इन तीन उप जिलों में जनगणना 2001 प्रशासनिक एवं तकनीकी कारणों की वजह से रद्द कर दी गई थी।

जम्मू और कश्मीर में अशांत परिस्थितियों की वजह से 1991 की जनगणना नहीं हो सकी थी। इसीलिए जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या के 1991 के आंकड़े अंतर-गणन विधि के आधार पर निकाले गए हैं।

2. राष्ट्रीय प्रतीक

राष्ट्रीय ध्वज

राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में तीन क्षैतिज पट्टियाँ हैं: गहरा केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है। ध्वज की चौड़ाई-लंबाई का अनुपात 2:3 है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है, और इसमें 24 तीलियाँ हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई, 1947 को अपनाया।

सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गैर-सांविधिक निर्देशों के अलावा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर राजचिह्नों और नामों के (दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 (1950 की संख्या 12) और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के अनादर के रोकथाम संबंधी अधिनियम 1971 (1971 की संख्या 69) की व्यवस्थाएं लागू होती हैं। भारतीय ध्वज संहिता, 2002 सभी संबंधित लोगों के मार्गदर्शन और लाभ के लिए इस प्रकार के सभी कानूनों, परंपराओं, प्रथाओं और दिशा-निर्देशों को साथ लाने का एक प्रयास है।

26 जनवरी, 2002 से 'ध्वज संहिता-भारत' का स्थान, भारतीय ध्वज संहिता, 2002 ने ले लिया है। भारतीय ध्वज संहिता में दी गई व्यवस्था के अनुसार आम नागरिकों, निजी संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु राजचिह्न और नामों के (दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के अनादर की रोकथाम संबंधी अधिनियम 1971 तथा इस विषय से संबंधित अन्य कानूनों में दी गई व्यवस्थाओं का पालन करना होगा।

राजचिह्न

भारत का राजचिह्न सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर चार सिंह हैं, जो एक-दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र वल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियाँ हैं, इसके बीच-बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर 'धर्मचक्र' रखा हुआ है।

भारत सरकार ने यह चिह्न 26 जनवरी, 1950 को अपनाया। इसमें केवल तीन सिंह दिखाई पड़ते हैं, चौथा दिखाई नहीं देता। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। दाएं तथा बाएं छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे हैं। आधार का पद्म छोड़ दिया गया है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद् का सूत्र 'सत्यमेव जयते' देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है— 'सत्य की ही विजय होती है'।

राष्ट्रगान

रवींद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित और संगीतबद्ध 'जन-गण-मन' के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी, 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर,

1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पूरे गीत में पांच पद हैं। प्रथम पद, राष्ट्रगान का पूरा पाठ है, जो इस प्रकार है :

जन-गण-मन अधिनायक, जय हे
 भारत-भाग्य विधाता।
 पंजाब-सिंध-गुजरात-मराठा-
 द्राविड़ उत्कल बंग
 विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा
 उच्छल-जलधि तरंग
 तव शुभ नामे जागे,
 तव शुभ आशिष मांगे,
 गाहे तव जय-गाथा
 जन-गण-मंगलदायक जय हे
 भारत-भाग्य विधाता।
 जय हे, जय हे, जय हे,
 जय जय जय जय हे॥

राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकेंड है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप से गाया जाता है, जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां (गाने का समय लगभग 20 सेकेंड) होती हैं।

राष्ट्रगीत

बंकिमचंद्र चटर्जी ने 'वंदे मातरम्' गीत की रचना की, जिसे 'जन-गण-मन' के समान दर्जा प्राप्त है। यह गीत स्वतंत्रता-संग्राम में जन-जन का प्रेरणा स्रोत था। वह पहला राजनीतिक अवसर, जब यह गीत गाया गया था, 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। इसका प्रथम पद इस प्रकार है :

वंदे मातरम्!
 सुजलाम् सुफलाम् मलयज-शीतलाम्,
 शस्यश्यामलाम् मातरम्!
 शुभ्रज्योत्सना पुलकितयामिनीम्
 फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्
 सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्
 सुखदाम् वरदाम्, मातरम्!

राष्ट्रीय पंचांग (कैलेंडर)

ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ-साथ देशभर के लिए शक संवत् पर आधारित एकरूप राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है, और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च, 1957 को इन सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया : (1) भारत का राजपत्र, (2) आकाशवाणी के समाचार प्रसारण, (3) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कैलेंडर और (4) भारत सरकार द्वारा नागरिकों को संबोधित पत्र।

राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों में स्थायी सादृश्य है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतया 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है।

राष्ट्रीय पशु

राष्ट्रीय पशु 'बाघ' (पैंथरा टाइग्रिस-लिन्नायस), पीले रंगों और धारीदार लोमचर्म वाला एक पशु है। अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल है। इसकी आठ प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली प्रजाति को 'रायल बंगाल टाइगर' के नाम से जाना जाता है। उत्तर-पश्चिम भारत को छोड़कर बाकी सारे देश में यह प्रजाति पाई जाती है। भारत के अतिरिक्त यह नेपाल, भूटान और बंगलादेश जैसे पड़ोसी देशों में भी पाया जाता है। देश के बाघों की घटती हुई संख्या की प्रवृत्ति को थामने के लिए अप्रैल 1973 में 'बाघ परियोजना' शुरू की गई। बाघ परियोजना के अंतर्गत देश में अब तक 27 बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए हैं, जिनका क्षेत्रफल 37,761 वर्ग कि.मी. है।

राष्ट्रीय पक्षी

भारत का राष्ट्रीय पक्षी 'मयूर' (पावो क्रिस्टेटस) है। हंस के आकार के इस रंग-बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी, आंख के नीचे एक सफेद निशान और सिर पर पंखे के आकार की कलगी होती है। मादा की अपेक्षा नर मयूर अधिक सुंदर होता है। उसकी चमचमाती नीली गर्दन, वक्ष और कांस्य हरे रंग की लगभग 200 पंखुड़ियों वाली भव्य पूंछ हमेशा से आकर्षण का केंद्र रही है। मादा मयूर का रंग भूरा होता है। वह नर मयूर से थोड़ी छोटी होती है और उसकी पूंछ बड़ी नहीं होती। नर मयूर अपने पंखों को फैलाकर अपने नृत्य से बड़ा ही लुभावना दृश्य पैदा करता है।

राष्ट्रीय पुष्प

भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल (नेलंबो न्यूसिपेरा गार्टन) है। यह एक पवित्र पुष्प है तथा प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीनकाल से ही इसे भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक माना जाता रहा है।

राष्ट्रीय वृक्ष

भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद (फाइकस बेंगालेंसिस) है। यह वृक्ष घना एवं फैला हुआ होता है। इसकी शाखाएं दूर-दूर कई एकड़ तक फैली तथा जड़ें गहरी होती हैं। इतनी गहरी जड़ें किसी और वृक्ष की नहीं होतीं।

राष्ट्रीय फल

आम (मेनिगिफेरा इंडिका) भारत का राष्ट्रीय फल है। ऊष्णकटिबंधीय देशों में आम बड़े पैमाने पर पैदा होता है। भारत में, पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ कर आम लगभग सभी स्थानों पर पैदा होता है। आम में विटामिन ए, सी और डी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे यहां आम की सैंकड़ों किस्में हैं। ये आकार और रंगों में अलग-अलग होते हैं। भारत में आम की फसल अति प्राचीनकाल से उगाई जाती रही है।

राष्ट्रीय जलीय जीव

सरकार ने 05 अक्टूबर, 2009 को डाल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। डाल्फिन की घ्राणशक्ति अत्यंत तीव्र होती है। शक्तिशाली घ्राणशक्ति तथा प्रतिध्वनि निर्धारण की क्षमताओं से यह अपने शिकार का पता लगाती है।

3. राजनीतिक संरचना

राज्यों का संघ भारत एक संपूर्ण प्रभुतासंपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें संसदीय प्रणाली की सरकार है। गणराज्य उस संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रशासित होता है जो 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया और 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।

संसदीय सरकार के संविधान का ढांचा एकात्मक विशेषताओं के साथ-साथ संघात्मक भी है। भारत के राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 74(1) यह निर्दिष्ट करता है कि कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उन्हें परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् होगी तथा राष्ट्रपति उसके परामर्श से ही कार्य करेंगे। इस प्रकार कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद् में निहित होती है। मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निहित होती है। मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

संविधान में विधायी शक्तियां संसद एवं राज्य विधानसभाओं में विभाजित की गई हैं तथा शेष शक्तियां संसद को प्राप्त हैं। संविधान में संशोधन का अधिकार भी संसद को ही प्राप्त है। संविधान में न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोगों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रावधान है।

संघ और उसका क्षेत्र

भारत में 28 राज्य और सात केंद्रशासित प्रदेश हैं। ये राज्य हैं—आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। केंद्रशासित प्रदेश हैं—अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी।

नागरिकता

संविधान में संपूर्ण भारत के लिए एक समान नागरिकता की व्यवस्था की गई है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक माना गया है जो संविधान लागू होने के दिन (26 जनवरी, 1950 को) भारत में स्थायी रूप से रहता था, और—(क) भारत में पैदा हुआ था, या (ख) जिसके माता-पिता में से एक भारत में पैदा हुआ था, या (ग) जो उस तारीख से ठीक पहले सामान्यतया कम-से-कम पांच वर्ष से भारतीय क्षेत्र में रह रहा था। नागरिकता अधिनियम, 1955 में संविधान लागू होने के पश्चात नागरिकता ग्रहण करने तथा समाप्त करने के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं।

मूल अधिकार

संविधान में सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी स्वतंत्रताओं की व्यवस्था की गई है। संविधान में मोटे तौर पर छह प्रकार की स्वतंत्रताओं की मूल अधिकारों के रूप में गारंटी दी गई है, जिनकी सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। संविधान के तीसरे भाग, अनुच्छेद 12 से 35 तक, में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये मूल अधिकार हैं—

(1) *समानता का अधिकार* : कानून के समक्ष समानता, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध और रोजगार के लिए समान अवसर; (2) *विचारों की अभिव्यक्ति* : सम्मेलन करने, संस्था या संघ बनाने, देश में सर्वत्र आने-जाने, भारत के किसी भी भाग में रहने तथा कोई वृत्ति या व्यवसाय करने का अधिकार (इनमें से कुछ अधिकार देश की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के अधीन हैं); (3) *शोषण से रक्षा का अधिकार* : इसके अंतर्गत सभी प्रकार की बेगार, बालश्रम और व्यक्तियों के क्रय-विक्रय को अवैध करार दिया गया है; (4) *अंतःकरण की प्रेरणा तथा धर्म को निर्बाध रूप से मानने*, उसके अनुरूप आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार; (5) नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने तथा अल्पसंख्यकों द्वारा पसंद की शिक्षा ग्रहण करने एवं शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें चलाने का अधिकार; और (6) मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए संवैधानिक उपायों का अधिकार।

मूल कर्तव्य

सन 1976 में पारित संविधान में 42वें संशोधन के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ये कर्तव्य संविधान के भाग चार के अनुच्छेद 51 'क' में दिए गए हैं। इसमें अन्य बातों के अलावा यह कहा गया है कि नागरिकों का कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन करें; स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों का अनुसरण करें; देश की रक्षा करें और कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवा में जुट जाएं। धर्म, भाषा और क्षेत्रीय तथा वर्ग संबंधी भिन्नताओं को भुलाकर सद्भाव और भाईचारे की भावनाओं को बढ़ावा दें।

राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत

संविधान में निहित राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत यद्यपि न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सके, तथापि वे 'देश के प्रशासन का मूलभूत आधार' हैं और 'सरकार' का यह कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों का पालन करे। उनमें कहा गया है—सरकार ऐसी प्रभावी सामाजिक व्यवस्था कायम करके लोगों के कल्याण के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी, जिससे राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का पालन हो। सरकार ऐसी नीति निर्देशित करेगी जो सभी स्त्री-पुरुषों को जीवन-यापन के लिए यथेष्ट अवसर दे, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करे; अपनी आर्थिक क्षमता, विकास की सीमाओं के अनुसार सबको काम तथा शिक्षा दिलाने की प्रभावी व्यवस्था करे और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और अपंगता या अन्य प्रकार की अक्षमता की स्थिति में सबको वित्तीय सहायता दे। सरकार श्रमिकों के लिए निर्वाह-वेतन, कार्य की मानवोचित दशाओं, रहन-सहन के अच्छे स्तर तथा उद्योगों के प्रबंधन में उनकी पूर्ण भागीदारी के लिए प्रयत्न करेगी।

आर्थिक क्षेत्र में सरकार को अपनी नीति ऐसे ढंग से लागू करनी चाहिए जिससे कि समाज के भौतिक संसाधनों पर अधिकार और उन पर नियंत्रण का लोगों के बीच इस प्रकार वितरण हो कि वह सब लोगों

के कल्याण के लिए उपयोगी सिद्ध हो और यह सुनिश्चित हो कि आर्थिक व्यवस्था को लागू करने के परिणामस्वरूप सर्वसाधारण के हितों के विरुद्ध धन और उत्पादन के साधन कुछ ही लोगों के पास केंद्रित नहीं हों।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्देशक सिद्धांत हैं—बच्चों के स्वस्थ वातावरण में विकास के लिए अवसर तथा सुविधाएं उपलब्ध कराना; 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना; अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा संबंधी और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना; ग्राम पंचायतों का गठन; राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा और विकास; वन और वन्य जीवों का संरक्षण तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा एवं राष्ट्रों के बीच न्यायोचित और समानतापूर्ण संबंधों को प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों की शर्तों का सम्मान व अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने को बढ़ावा देना।

संघ

कार्यपालिका

संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् होती है जो राष्ट्रपति को सलाह देती है।

राष्ट्रपति

राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा करते हैं। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यों के बीच आपस में समानता तथा राज्यों और संघ के बीच समानता बनाए रखने के लिए प्रत्येक मत को उचित महत्व दिया जाता है। राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक, कम-से-कम 35 वर्ष की आयु का तथा लोकसभा का सदस्य बनने का पात्र होना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। वह इस पद के लिए पुनः भी चुना जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 61 में निहित प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। वह उपराष्ट्रपति को संबोधित स्व हस्तलिखित पत्र द्वारा पद-त्याग कर सकता है।

कार्यपालिका के सभी अधिकार राष्ट्रपति में निहित हैं। वह इनका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ सरकारी अधिकारियों द्वारा कराता है। रक्षा सेनाओं की सर्वोच्च कमान भी राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने, उसे स्थगित करने, उसमें भाषण देने और उसे संदेश भेजने, लोकसभा को भंग करने, दोनों सदनों के अधिवेशन काल को छोड़कर किसी भी समय अध्यादेश जारी करने, बजट तथा वित्त विधेयक प्रस्तुत करने की सिफारिश करने तथा विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने, क्षमादान देने, दंड रोकने अथवा उसमें कमी या परिवर्तन करने या कुछ मामलों में दंड को स्थगित करने, छूट देने या दंड को बदलने के अधिकार प्राप्त हैं। किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति उस सरकार के संपूर्ण या कोई भी अधिकार अपने हाथ में ले सकते हैं। यदि राष्ट्रपति को इस बारे में विश्वास हो जाए कि कोई ऐसा गंभीर संकट पैदा हो गया है जिससे देश की अथवा उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है तो वह देश में आपातस्थिति की घोषणा कर सकते हैं। यह खतरा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या विद्रोह का हो सकता है।

उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा एक निर्वाचन-मंडल के सदस्य करते हैं। निर्वाचक-मंडल में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक, कम-से-कम 35 वर्ष की आयु का और राज्यसभा का सदस्य बनने का पात्र होना चाहिए। उसका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है और वह इस पद के लिए पुनः भी चुना जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 67 (ख) में निहित कार्यविधि द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है।

उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जब राष्ट्रपति बीमारी या अन्य किसी कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हो या जब राष्ट्रपति की मृत्यु या पद-त्याग अथवा पद से हटाए जाने के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया हो, तब छह महीने के भीतर नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकते।

मंत्रिपरिषद्

कार्य-संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उन्हें परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं। मंत्रिपरिषद् संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह भारत संघ के कार्यों के प्रशासन के संबंध में मंत्रिपरिषद् के निर्णयों, कानून बनाने के प्रस्तावों तथा उससे संबंधित जानकारियों से राष्ट्रपति को अवगत कराते रहें।

मंत्रिपरिषद् में चार तरह के मंत्री होते हैं—वे मंत्री, जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं; राज्य मंत्री, (जो विभाग का स्वतंत्र रूप से कार्यभार संभालते हैं), राज्य मंत्री तथा उपमंत्री।

विधायिका

संघ की विधायिका को 'संसद' कहा जाता है। इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा शामिल हैं। संसद के दोनों सदनों की बैठक पिछली बैठक के छह महीने के भीतर बुलानी होती है। कुछ मौकों पर दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किया जाता है।

राज्यसभा

संविधान में व्यवस्था है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं होगी। इनमें से 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। शेष 238 सदस्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे।

राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है; राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए किया जाता है। केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का चुनाव संसद द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत किया जाता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती और उसके एक-तिहाई सदस्य हर दो वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं।

इस समय राज्यसभा के 245 सदस्य हैं। इनमें से 233 सदस्य राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। राज्यसभा के सदस्यों के नाम, उनसे संबंधित दल सहित परिशिष्ट में दिए गए हैं।

लोकसभा

लोकसभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। संविधान में लोकसभा की अधिकतम संख्या अब 552 है। इनमें 530 सदस्य राज्यों का और 20 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय (एंग्लो इंडियन) समुदाय के दो व्यक्तियों को उस हालत में मनोनीत करने का अधिकार है, जब उन्हें ऐसा लगे कि सदन में इस समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला।

लोकसभा के लिए विभिन्न राज्यों की सदस्य संख्या का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि राज्य के लिए निर्धारित सीटों की संख्या और उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात, जहां तक व्यावहारिक रूप से संभव हो, सभी राज्यों में समान हो। इस समय लोकसभा के 545 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से तथा 13 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों से सीधे चुने गए हैं। दो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं, जो आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। 84वें संविधान संशोधन विधेयक-2001 के तहत विभिन्न राज्यों में लोकसभा की वर्तमान सीटों की कुल संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है तथा 2026 तक इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा।

लोकसभा का कार्यकाल, यदि उसे भंग न किया जाए, सदन की पहली बैठक की तिथि से लेकर पांच वर्ष होता है। किंतु यदि आपातस्थिति लागू हो तो यह अवधि संसद द्वारा कानून बनाकर बढ़ाई जा सकती है। परंतु यह वृद्धि एक समय पर एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकती और आपातस्थिति समाप्त होने के बाद किसी भी हालत में छह महीने से अधिक समय तक नहीं हो सकती। अब तक 14 लोकसभाएं गठित की जा चुकी हैं। प्रत्येक लोकसभा के कार्यकाल और उसके अध्यक्षों का ब्योरा सारणी 3.1 में दिया गया है।

दोनों सदनों में राज्यवार सीटों के निर्धारण तथा लोकसभा में विभिन्न दलों की स्थिति की जानकारी सारणी 3.2 में उपलब्ध है। 14वीं लोकसभा के सदस्यों के नाम, उनकी पार्टी और चुनाव क्षेत्र का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं

संसद का सदस्य चुने जाने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। लोकसभा के लिए कम-से-कम 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए कम-से-कम 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अतिरिक्त योग्यताएं संसद कानून बनाकर निर्धारित कर सकती है।

संसद के कार्य और अधिकार

अन्य संसदीय लोकतंत्रों की भांति भारत की संसद को भी कानून बनाने, प्रशासन की देखरेख, बजट पारित करने, लोगों की कठिनाइयों को दूर करने और विकास योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों आदि राष्ट्रीय नीतियों जैसे विषयों पर चर्चा करने का अधिकार है। संघ और राज्यों में अधिकारों के वितरण की संविधान में जो व्यवस्था की गई है, उसके अनुसार विधायी क्षेत्र में कई तरह से संसद को उच्च स्थान दिया गया है। अनेक विषयों पर कानून बनाने के अतिरिक्त, संसद कुछ परिस्थितियों में ऐसे विषयों के विधायी अधिकार भी प्राप्त कर सकती है, जो अन्यथा राज्यों के लिए सुरक्षित हैं। संसद को राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की संविधान की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनके पदों से हटाने का अधिकार प्राप्त है।

सभी विधेयकों को संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। किंतु वित्त विधेयकों के मामले में लोकसभा की इच्छा सर्वोपरि है। संसद प्रदत्त कानूनों की समीक्षा करती है तथा उन पर नियंत्रण रखती है। संविधान के अंतर्गत संसद को कानून बनाने के साथ-साथ संविधान में संशोधन करने का अधिकार है।

संसदीय समितियां

संसद के कार्यों में विविधता तो है, साथ ही उसके पास काम की अधिकता भी रहती है। चूंकि उसके पास समय बहुत सीमित होता है, इसलिए उसके समक्ष प्रस्तुत सभी विधायी या अन्य मामलों पर गहन विचार नहीं हो सकता है। अतः इसका बहुत-सा कार्य समितियों द्वारा किया जाता है।

संसद के दोनों सदनों की समितियों की संरचना कुछ अपवादों को छोड़कर एक जैसी होती है। इन समितियों में नियुक्ति, कार्यकाल, कार्य एवं कार्य संचालन की प्रक्रिया कुल मिलाकर करीब एक जैसी ही है और यह संविधान के अनुच्छेद 118 (1) के अंतर्गत दोनों सदनों द्वारा निर्मित नियमों के तहत अधिनियमित होती है।

सामान्यतः ये समितियां दो प्रकार की होती हैं—स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां प्रतिवर्ष या समय-समय पर निर्वाचित या नियुक्त की जाती हैं और इनका कार्य कमोबेश निरंतर चलता रहता है। तदर्थ समितियों की नियुक्ति जरूरत पड़ने पर की जाती है तथा अपना काम पूरा कर लेने और अपनी रिपोर्ट पेश कर देने के बाद वे समाप्त हो जाती हैं।

स्थायी समितियां : लोकसभा की स्थायी समितियों में तीन वित्तीय समितियों, यानी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति का विशिष्ट स्थान है और ये सरकारी खर्च और निष्पादन पर लगातार नजर रखती हैं। लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं, लेकिन प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं।

प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या-क्या सुधार किए जा सकते हैं। यह इस बात की भी जांच करती है कि धन प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप ही व्यय किया गया है या नहीं। समिति इस बारे में भी सुझाव देती है कि प्राक्कलन को संसद में किस रूप में पेश किया जाए। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखा और लेखा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी धन संसद के निर्णयों के अनुरूप ही खर्च हो। यह अपव्यय, हानि और निरर्थक व्यय के मामलों की ओर ध्यान दिलाती है। सरकारी उपक्रम समिति नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की, यदि कोई रिपोर्ट हो, तो उसकी जांच करती है। वह इस बात की भी जांच करती है कि ये सरकारी उपक्रम कुशलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं तथा इनका प्रबंध ठोस व्यापारिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा है या नहीं।

इन तीन वित्तीय समितियों के अलावा, लोकसभा की नियमों के बारे में समिति ने विभागों से संबंधित 17 स्थायी समितियां गठित करने की सिफारिश की थी। इसके अनुसार 8 अप्रैल, 1993 को इन 17 समितियों का गठन किया गया। जुलाई 2004 में नियमों में संशोधन किया गया, ताकि ऐसी ही सात और समितियां गठित की जा सकें। इस प्रकार से इन समितियों की संख्या 24 हो गई है। इन समितियों के निम्नलिखित कार्य हैं : (क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अनुदानों की मांग पर विचार करना और उसके बारे में सदन को सूचित करना; (ख) लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा समिति

के पास भेजे गए ऐसे विधेयकों की जांच-पड़ताल करना, और जैसा भी मामला हो, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना; (ग) मंत्रालयों और विभागों की वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करना तथा उसकी रिपोर्ट तैयार करना; और (घ) सदन में प्रस्तुत नीति संबंधी दस्तावेज, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति द्वारा समिति के पास भेजे गए हैं, उन पर विचार करना और जैसा भी हो, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना।

प्रत्येक सदन में अन्य स्थायी समितियाँ, उनके कार्य के अनुसार इस प्रकार विभाजित हैं—

(1) **जांच समितियाँ**—(क) याचिका समिति : विधेयकों और जनहित संबंधी मामलों पर प्रस्तुत याचिकाओं की जांच करती है और केंद्रीय विषयों पर प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार करती है; और (ख) विशेषाधिकार समिति : सदन या अध्यक्ष/सभापति द्वारा भेजे गए विशेषाधिकार के किसी भी मामले की जांच करती है; (2) **संवीक्षण समितियाँ**—(क) सरकारी आश्वासनों से संबंधी समिति : मंत्रियों द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों, वादों एवं संकल्पों पर उनके कार्यान्वित होने तक नजर रखती है; (ख) अधीनस्थ विधि निर्माण समिति : इस बात की जांच करती है कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त विनियमों, नियमों, उप-नियमों तथा प्रदत्त शक्तियों का प्राधिकारियों द्वारा उचित उपयोग किया जा रहा है; (ग) पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति : वैधानिक अधिसूचनाओं और आदेशों के अलावा, जो कि अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के कार्य क्षेत्र में आते हैं, मंत्रियों द्वारा सदन के पटल पर रखे गए सभी कागजातों की जांच करती है और देखती है कि संविधान, अधिनियम, नियम या विनियम के अंतर्गत कागजात प्रस्तुत करते हुए उनकी व्यवस्थाओं का पालन हुआ है या नहीं; (3) **सदन के दैनिक कार्य से संबंधित समितियाँ**—(क) कार्य मंत्रणा समिति : सदन में पेश किए जाने वाले सरकारी एवं अन्य कार्य के लिए समय-निर्धारण की सिफारिश करती है; (ख) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा प्रस्तावों संबंधी लोकसभा की समिति : निजी सदस्यों द्वारा पेश गैर-सरकारी विधेयकों का वर्गीकरण एवं उनके लिए समय का निर्धारण करती है, निजी सदस्यों द्वारा पेश प्रस्तावों पर बहस के लिए समय का निर्धारण करती है और लोकसभा में निजी सदस्यों द्वारा पेश किए जाने से पूर्व संविधान संशोधन विधेयकों की जांच करती है। राज्यसभा में इस तरह की समिति नहीं होती। राज्यसभा की कार्यमंत्रणा समिति की गैर-सरकारी विधेयकों एवं प्रस्तावों के चरण या चरणों में बहस के लिए समय के निर्धारण की सिफारिश करती है। (ग) नियम समिति: सदन में कार्यविधि और कार्यवाही के संचालन से संबंधित मामलों पर विचार करती है और नियमों में संशोधन या संयोजन की सिफारिश करती है, और (घ) सदन की बैठकों में अनुपस्थित सदस्यों संबंधी लोकसभा की समिति : सदन के सदस्यों की बैठकों से अनुपस्थिति या छुट्टी के आवेदनों पर विचार करती है। राज्यसभा में इस प्रकार की कोई समिति नहीं है। सदस्यों की छुट्टी या अनुपस्थिति के आवेदनों पर सदन स्वयं विचार करता है; (4) **अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की समिति** : इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। यह केंद्र सरकार के कार्यक्षेत्र में आने वाली अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी मामलों पर विचार करती है और इस बात पर नजर रखती है कि उन्हें जो संवैधानिक संरक्षण दिए गए हैं, वे ठीक से कार्यान्वित हो रहे हैं या नहीं, (5) **सदस्यों को सुविधाएं प्रदान करने संबंधी समितियाँ**—(क) सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति : सदन से संबंधित ऐसे मामलों पर विचार करती है, जो किसी अन्य संसदीय समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते तथा अध्यक्ष/सभापति को इस बारे में सलाह देती है, और (ख) आवास समिति : सदस्यों के लिए आवास तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करती है; (6) **संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति** : यह संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन अधिनियम, 1954 के अंतर्गत गठित की गई है। संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन संबंधी नियम बनाने के अतिरिक्त,

यह उनके चिकित्सा, आवास, टेलीफोन, डाक, निर्वाचन क्षेत्र एवं सचिवालय संबंधी सुविधाओं के संबंध में नियम बनाती है; (7) **लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति** : यह केंद्र, राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा नियुक्त समितियों एवं अन्य निकायों की संरचना और स्वरूप की जांच करती है, और यह सिफारिश करती है कि कौन-कौन से पद ऐसे हों, जो संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए किसी व्यक्ति को योग्य अथवा अयोग्य बनाते हैं; (8) **पुस्तकालय समिति** : इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। यह संसद के पुस्तकालय से संबंधित मामलों पर विचार करती है, और (9) **महिला अधिकारिता समिति** : 29 अप्रैल, 1997 को महिलाओं के अधिकारों के बारे में दोनों सदनों के सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया। इसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ, सभी क्षेत्रों में महिलाओं को हैसियत, गरिमा और समानता प्रदान करना है। (10) 4 मार्च, 1997 को राज्यसभा की आचार संहिता समिति गठित की गई। लोकसभा की आचार-संहिता संबंधी समिति 16 मई, 2000 को गठित की गई।

तदर्थ समितियां : इस तरह की समितियों को मोटे रूप में दो शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है—(क) संसद के दोनों सदनों द्वारा किसी विचाराधीन प्रस्ताव के स्वीकृत किए जाने पर समय-समय पर गठित समितियां अथवा अध्यक्ष/सभापति द्वारा कोई विशिष्ट विषय (उदाहरण के लिए—राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, कुछ सदस्यों के आचरण पर, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे पर, रेलवे कनवेंशन समिति, स्थानीय क्षेत्रों के विकास की योजना से संबद्ध सांसदों की समिति, बोफोर्स ठेके पर संयुक्त समिति, उर्वरक मूल्य निर्धारण पर संयुक्त समिति और प्रतिभूति तथा बैंक भुगतानों में गड़बड़ी की जांच करने के लिए संयुक्त समिति, आदि), संसदीय परिसर की सुरक्षा संबंधी संयुक्त समिति और (ख) विशेष विधेयकों पर विचार करने एवं रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त प्रवर एवं संयुक्त समितियां। जहां तक विधेयकों से संबंधित सवाल है, ये समितियां अन्य तदर्थ समितियों से भिन्न हैं और इनके द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख अध्यक्ष/सभापति के निर्देश तथा प्रक्रिया संबंधी नियमों में किया जाता है।

संसद में विपक्ष का नेता

संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष के नेता की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेताओं को वैधानिक मान्यता दी गई है। पहली नवंबर, 1977 से लागू एक पृथक कानून के अंतर्गत उन्हें वेतन तथा कुछ अन्य उपयुक्त सुविधाएं दी जाती हैं।

संसद में सरकारी कामकाज

संसद के दोनों सदनों में सरकारी कार्य को समन्वित करने, उसकी योजना बनाने और तत्संबंधी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री को सौंपी गई है। इस कार्य के संपादन में उनके राज्यमंत्री उनकी सहायता करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों, विभिन्न दलों एवं समूहों के नेताओं तथा मुख्य सचिवों से लगातार संपर्क बनाए रखते हैं। 1 अगस्त, 2008 से 30 जून, 2009 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा 44 विधेयक पारित किए गए।

सलाहकार समितियां

भारत सरकार (कामकाज का आवंटन) नियम, 1961 के तहत संसदीय मामलों के मंत्रालय को आवंटित कार्यों में से एक, विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसद सदस्यों की सलाहकार समितियों का कार्य है। इस कार्य को करने के लिए संसदीय मामलों का मंत्रालय इन समितियों का गठन करता है और उनकी बैठकें आयोजित करता है। इन समितियों का उद्देश्य एक ओर संसद सदस्यों और दूसरी ओर मंत्रियों और

वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के बीच सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों और उनके क्रियान्वयन के तरीकों के बारे में अनौपचारिक चर्चा करना है। मंत्रालय का मंत्री/प्रभारी मंत्री संबद्ध सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है।

सलाहकार समिति की न्यूनतम सदस्यता 10 और अधिकतम सदस्यता 30 है। प्रत्येक लोकसभा के भंग होने पर सलाहकार समिति भी भंग हो जाती है और नई लोकसभा के गठन के साथ सलाहकार समितियों का पुनर्गठन कर दिया जाता है। 14वीं लोकसभा के भंग होने के समय, 32 सलाहकार समितियां विभिन्न मंत्रालयों के साथ संबद्ध थीं। इनके अतिरिक्त 16 रेलवे क्षेत्रों की 16 अनौपचारिक समितियां भी गठित की गई थीं। मंत्रालयों से संबद्ध सलाहकार समितियों से भिन्न, इन अनौपचारिक समितियों की बैठकें सत्र अवधि में ही आयोजित की जाती हैं। 1 अगस्त, 2008 से 18 मई 2009 (14वीं लोकसभा भंग होने की तिथि) की अवधि में सलाहकार समितियों की 34 बैठकें आयोजित की गई थीं।

15 वीं लोकसभा, जो हाल ही में गठित हुई है, की सलाहकार समितियों के गठन की कार्यवाही का सूत्रपात हो गया है। 41 सलाहकार समितियों का गठन प्रस्तावित है और सलाहकार समितियों में नामांकन के लिए संसद सदस्यों की वरीयता को आमंत्रित किया गया है। संसद सदस्यों की वरीयता प्राप्त होने के पश्चात, विभिन्न मंत्रालयों की सलाहकार समितियों का गठन कर दिया जाएगा और उनकी बैठकें आयोजित की जाएंगी।

संसद सदस्यों की सरकारी समितियों/बोर्डों में नामजदगी

संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित समितियों, परिषदों, बोर्डों और आयोग आदि में नामजद करता है। संवैधानिक अथवा अन्य ऐसे निकायों को छोड़कर जो संविधान या कानून का निर्माण करते हैं, वहां संसद सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामजदगी संबंधित सदनों के पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाती है या फिर उसका चयन लोकसभा या राज्यसभा करती है। इस तरह के संगठनों में सदस्यों को उनकी विशेष दिलचस्पी और योग्यता को देखते हुए नामजद किया जाता है।

युवा संसद प्रतियोगिता

युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और लोकतंत्र से अवगत कराने के लिए मंत्रालय विद्यालय और कॉलेज/विश्वविद्यालय स्तर पर युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन करता है। युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित करने की यह योजना सबसे पहले 1966-67 में दिल्ली के विद्यालयों में लागू की गई थी। बाद में 1978 में दिल्ली और आसपास के केंद्रीय विद्यालयों में भी इस योजना को लागू किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर 1988 में केंद्रीय विद्यालयों में एक अलग योजना के रूप में इसे शुरू किया गया। इसी तरह 1997-98 में दो नई योजनाओं के अंतर्गत युवा संसद प्रतियोगिता लागू की गई, एक जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए और दूसरी विश्वविद्यालयों/कॉलेज के लिए।

वर्ष 2008-09 के दौरान दिल्ली के विद्यालयों के लिए 43वीं युवा संसद प्रतियोगिता में 33 विद्यालय शामिल हुए। केंद्रीय विद्यालयों की 21वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में 90 केंद्रीय विद्यालयों ने भाग लिया। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 11वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित की गई। उसके अलावा विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए नौवीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित की गई।

अन्य संसदीय विषय

अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

संसदीय कार्य मंत्रालय समय-समय पर अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित करता है। ये सम्मेलन केंद्र और राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों के सचेतकों के बीच उपयुक्त संपर्क स्थापित करने के लिए किए जाते हैं। वास्तव में इन राजनीतिक दलों का कानून बनाने वाली संस्थाओं के व्यावहारिक कार्य-संचालन से सीधा संबंध होता है। सम्मेलन में समान हित के विषयों और संसदीय लोकतंत्र की संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए उच्च मानक बनाने पर विचार किया जाता है। 1952 से अब तक 14वां अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है। यह सम्मेलन 4-5 फरवरी, 2008 को मुंबई में आयोजित किया गया था। 14वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता माननीय उपराष्ट्रपति ने की और समापन समारोह की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ने की।

नियम 377 तथा विशेष उल्लेख के अंतर्गत मामले

संसदीय कार्य मंत्रालय लोकसभा में कार्यविधि और कार्यवाही के संचालन संबंधी नियमों के नियम 377 के और राज्यसभा में विशेष उल्लेख के अंतर्गत उठाए गए विषयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है। संसद के दोनों सदनों में 'प्रश्नकाल' के बाद सदस्य सार्वजनिक महत्व के जरूरी विषय उठाते हैं। यद्यपि ऐसा करना आवश्यक नहीं है। कभी-कभी मंत्री सदस्यों द्वारा उठाए गए विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं। जब संबंधित मंत्री उपस्थित नहीं होते हैं, संसदीय कार्य मंत्री सदन या संबंधित सदस्य को आश्वासन देते हैं कि उनकी भावनाएं संबंधित मंत्री तक पहुंचा दी जाएंगी।

आश्वासनों का कार्यान्वयन

संसदीय कार्य मंत्रालय संसद के दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों में से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों/वायदों, संकल्पों आदि को छांटकर उन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को कार्यान्वयन के लिए भेजता है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से आश्वासनों को लागू करने के बारे में आवश्यक विवरण एकत्र करने तथा उसकी समुचित जांच करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री/राज्यमंत्री द्वारा उनके कार्यान्वयन के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण समय-समय पर सदन के पटल पर रखे जाते हैं।

प्रशासनिक ढांचा

भारत के राष्ट्रपति के भारत सरकार के कार्यों का आवंटन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 77 के अंतर्गत भारत सरकार (कार्य निर्धारण) नियम, 1961 बनाए हैं। इन नियमों के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों का गठन किया जाता है। इन मंत्रालयों/विभागों/सचिवालयों और कार्यालयों (जिनका उल्लेख 'विभाग' के रूप में किया गया है) में भारत सरकार के कार्यों का संचालन इन नियमों में निर्दिष्ट विषयों के वितरण के अनुसार होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच काम का बंटवारा करते हैं। प्रत्येक विभाग आमतौर पर एक सचिव के अधीन होता है, जो नीतिगत मामलों और सामान्य प्रशासन के बारे में मंत्री की मदद करता है।

मंत्रिमंडल सचिवालय

भारत सरकार (कामकाज का आवंटन) नियम, 1961 के प्रावधानों के तहत मंत्रिमंडल सचिवालय प्रत्यक्षतः प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी है।

कैबिनेट सचिव का कार्य निम्न होता है : (क) मंत्रिमंडल समितियों को सचिवालय सहयोग और (ख) कार्य नियम।

कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961 और भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है, जिसमें वह सरकार के मंत्रालयों में इन नियमों का पालन करते हुए सुचारु रूप से कार्य संचालन की सुविधा प्रदान करता है। विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए और मंत्रालयों के बीच मतभेदों को दूर करते हुए यह सचिवालय सरकार को निर्णय लेने में मदद करता है तथा सचिवालय की स्थाई/तदर्थ समितियों के जरिए आपस में सहमति बनाए रखता है। इस विधि से नई नीतियों की पहल को प्रोत्साहित भी किया जाता है।

कैबिनेट सचिवालय यह सुनिश्चित करता है कि सभी मंत्रालयों/विभागों की प्रमुख गतिविधियों के बारे में हर महीने एक सारांश बनाकर राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और मंत्रियों को उससे अवगत कराया जाए। देश में किसी बड़े संकट के समय उसका प्रबंधन करना तथा ऐसी परिस्थितियों में विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना भी कैबिनेट सचिवालय का एक काम है।

कैबिनेट सचिव, सिविल सर्विसेज का प्रमुख भी होता है। इसलिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट सचिवालय एक उपयोगी माध्यम है। सचिव यह महसूस करते हैं कि उनकी गतिविधियों के बारे में कैबिनेट सचिव को समय-समय पर सूचित करते रहना आवश्यक है। कार्य नियमों के संचालन के लिए भी यह आवश्यक है कि समय-समय पर विभिन्न गतिविधियों के बारे में, विशेषकर यदि कहीं नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो उसके बारे में कैबिनेट सचिव को सूचित किया जाए।

राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार समझौता (कन्वेंशन)

राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार कन्वेंशन (सी डब्ल्यू सी) का गठन 5 मई, 1997 को कैबिनेट सचिवालय के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। इसके गठन का उद्देश्य रासायनिक हथियार कन्वेंशन में निर्धारित दायित्वों को पूरा करना था जिस पर शुरू में 130 देशों ने 14 जनवरी, 1993 को संपन्न हुए सम्मेलन में हस्ताक्षर किए थे। इस कन्वेंशन का लक्ष्य था किसी भी सदस्य देश द्वारा सभी रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, क्रियान्वयन, हस्तांतरण, प्रयोग और भंडारण पर रोक लगाना था। प्रत्येक देश को अपनी जिम्मेदारी निभाने को एक राष्ट्रीय प्राधिकरण मनोनीत अथवा गठित करती है जो रासायनिक हथियार प्रतिबंध संगठन (ओपीसी डब्ल्यू) के साथ प्रभावी संपर्क एवं समन्वय रखे; इसीलिए कैबिनेट सचिवालय के प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार कन्वेंशन गठित किया गया है।

कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय संचालन समिति इस राष्ट्रीय प्राधिकरण के कामकाज पर निगरानी रखेगी तथा इसके अन्य सदस्य रहेंगे सचिव (रसायन और पैट्रोसायन), विदेश सचिव, रक्षा अनुसंधान व विकास सचिव, रक्षा सचिव और राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष। एनएसीडब्ल्यूसी इस संबंध में, सीडब्ल्यूसी अधिनियम लागू कराने, सीडब्ल्यूसी तथा अन्य सरकारी पक्षों से तालमेल रखने, दायित्व निर्वहन से संबद्ध आंकड़े एकत्र करने, सुविधा समझौतों पर बातचीत करने, ओपीसी डब्ल्यू निरीक्षणों से समन्वय रखने, राष्ट्रीय निरीक्षकों और उद्योग कर्मियों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने, गोपनीय कार्यवाही सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने, यह जांच करना की घोषणाएं पूरी, सही और नियमित हैं, सीडब्ल्यूसी से संबद्ध गतिविधियों में लगी संस्थाओं का पंजीकरण कराना, आदि के दायित्व निभाएगा।

सरकार के मंत्रालय/विभाग

सरकार में अनेक मंत्रालय/विभाग होते हैं। इनकी संख्या और इनका स्वरूप समय-समय पर इन बातों पर निर्भर करता है कि काम कितना है तथा किसी मसले को कितना महत्व दिया जा रहा है। स्थितियों में परिवर्तन और राजनीतिक औचित्य आदि भी उसमें निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

मंत्रालय/विभागों की सूची (30 सितम्बर, 2006)

1. कृषि मंत्रालय
 - (क) कृषि और सहकारिता विभाग
 - (ख) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
 - (ग) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग
2. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
 - (क) रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग
 - (ख) उर्वरक विभाग
 - (ग) भेषज विभाग
3. नागर विमानन मंत्रालय
4. कोयला मंत्रालय
5. वाणिज्य और उद्योग
 - (क) वाणिज्य विभाग
 - (ख) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
6. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
 - (क) दूरसंचार विभाग
 - (ख) डाक विभाग
 - (ग) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
7. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
 - (क) उपभोक्ता मामले विभाग
 - (ख) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
8. कारपोरेट कार्य मंत्रालय
9. संस्कृति मंत्रालय
10. रक्षा मंत्रालय
 - (क) रक्षा विभाग
 - (ख) रक्षा उत्पादन विभाग
 - (ग) रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग
 - (घ) भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

11. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
12. भू-विज्ञान मंत्रालय
13. पर्यावरण और वन मंत्रालय
14. विदेश मंत्रालय
15. वित्त मंत्रालय
 - (क) आर्थिक कार्य विभाग
 - (ख) व्यय विभाग
 - (ग) राजस्व विभाग
 - (घ) विनिवेश विभाग
 - (ङ) वित्तीय सेवाएं विभाग
16. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
17. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
 - (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
 - (ख) आयुर्वेद, योग-प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुश)।
 - (ग) एड्स नियंत्रण विभाग
 - (घ) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
18. भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
 - (क) भारी उद्योग विभाग
 - (ख) लोक उद्यम विभाग
19. गृह मंत्रालय
 - (क) आंतरिक सुरक्षा विभाग
 - (ख) राज्य विभाग
 - (ग) राजभाषा विभाग
 - (घ) गृह विभाग
 - (ङ) जम्मू और कश्मीर विभाग
 - (च) सीमा प्रबंधन विभाग
20. शहरी आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
21. मानव संसाधन विकास मंत्रालय
 - (क) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
 - (ख) उच्चतर शिक्षा विभाग
22. सूचना और प्रसारण मंत्रालय
23. श्रम और रोजगार मंत्रालय

24. विधि और न्याय विभाग
 - (क) विधि कार्य विभाग
 - (ख) विधायी विभाग
 - (ग) न्याय विभाग
25. खान मंत्रालय
26. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
27. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
28. अप्रवासी भारतीयों के मामलों का मंत्रालय
29. पंचायती राज मंत्रालय
30. संसदीय कार्य मंत्रालय
31. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
 - (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
 - (ख) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
 - (ग) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
32. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
33. योजना मंत्रालय
34. विद्युत मंत्रालय
35. रेल मंत्रालय
36. पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
 - (क) पोत परिवहन विभाग
 - (ख) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग
37. ग्रामीण विकास मंत्रालय
 - (क) ग्रामीण विकास विभाग
 - (ख) भूमि संसाधन विभाग
 - (ग) पेय जलापूर्ति विभाग
38. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
 - (क) विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग
 - (ख) विज्ञान और औद्योगिक विकास विभाग
 - (ग) बायोटेक्नोलॉजी विभाग
39. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

40. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
41. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
42. इस्पात मंत्रालय
43. नौवहन मंत्रालय
44. वस्त्र मंत्रालय
45. पर्यटन मंत्रालय
46. जनजाति कार्य मंत्रालय
47. शहरी विकास मंत्रालय
48. जल संसाधन मंत्रालय
49. महिला और बाल विकास मंत्रालय
50. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

केंद्र सरकार के स्वतंत्र विभाग

51. परमाणु ऊर्जा विभाग
52. अंतरिक्ष विभाग
53. युवा मामले विभाग
54. खेल विभाग
55. मंत्रिमंडल सचिवालय
56. राष्ट्रपति सचिवालय
57. प्रधानमंत्री कार्यालय

प्रमुख स्वतंत्र कार्यालय

58. योजना आयोग

सरकारी सेवाएं

अखिल भारतीय सेवाएं

आजादी से पूर्व भारत की शीर्ष सेवाओं में इंडियन सिविल सर्विस सर्वोच्च सेवा थी। इस सेवा के अतिरिक्त, भारतीय पुलिस सेवा भी थी। देश के आजाद होने के बाद यह महसूस किया गया कि भले ही इंडियन सिविल सर्विस ब्रिटिश साम्राज्य काल की देन है, फिर भी राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्थिरता को कायम रखने के लिए अखिल भारतीय सेवा की आवश्यकता है। तदनुसार संविधान के अनुच्छेद 312 में ऐसा प्रावधान किया गया, जिसके तहत संघ और राज्यों के लिए समान रूप से एक अथवा उससे अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जा सके। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा संविधान के अनुच्छेद 312 के संदर्भ में संसद द्वारा गठित की गई मानी जाती हैं। संविधान लागू होने के बाद 1966 में भारतीय वन सेवा के नाम से एक नई अखिल भारतीय सेवा गठित की गई। अखिल भारतीय सेवाओं की एक प्रमुख

विशेषता यह है कि इन सेवाओं के कर्मचारियों की भर्ती केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, परंतु इनकी सेवाएं विभिन्न राज्यों के कैडर के तहत होती हैं और इन पर राज्यों तथा केंद्र, दोनों के मातहत काम करने की जिम्मेदारी होती है। अखिल भारतीय सेवा का यह पहलू भारतीय संघ की एकता के स्वरूप को मजबूती प्रदान करता है।

तीनों अखिल भारतीय सेवाओं, अर्थात् भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) में से आईएएस कैडर के नियंत्रण का अधिकार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पास है। तीनों सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। इन अधिकारियों की भर्ती और प्रशिक्षण का काम केंद्र सरकार करती है और फिर इन्हें विभिन्न राज्यों के कैडर में भेज दिया जाता है।

केंद्रीय सचिवालय सेवाएं

केंद्रीय सचिवालय की तीन सेवाएं हैं, यानी—(1) केंद्रीय सचिवालय सेवा, (2) केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, और (3) केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा। केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 और सलेक्शन ग्रेड और केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव और प्रधान निजी सचिव के ग्रेड केंद्रीकृत हैं। केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड, इसी सेवा के ग्रेड 'डी', 'सी', 'ए' और 'बी' (विलीनित) और एलडीसी एवं यूडीसी के पद विकेंद्रीकृत हैं।

केंद्रीय ग्रेडों में नियुक्तियां और पदोन्नतियां, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा अखिल सचिवालय आधार पर की जाती हैं। विकेंद्रीकृत ग्रेडों के मामले में, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग वरिष्ठता कोटा में पदोन्नति का क्षेत्र निर्धारित करता है और कोटा रिक्तियों की सीधी भर्ती के लिए विभिन्न कैडरों की समग्र आवश्यकताओं का पता लगाता और मूल्यांकन करता है और सीधी भर्ती एवं विभागीय परीक्षा कोटा की रिक्तियों के लिए केंद्रीकृत भर्ती के जरिए खुली प्रतियोगिता और विभागीय परीक्षा आयोजित करता है।

संघ लोक सेवा आयोग

संविधान में केंद्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर ग्रुप 'ए' और 'बी' राजपत्रित पदों की भर्ती तथा विभिन्न सेवा संबंधी मामलों में सलाह देने के लिए एक स्वतंत्र निकाय—संघ लोक सेवा आयोग की व्यवस्था है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल छह वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक होता है, दोनों में जो भी पहले समाप्त हो जाए। आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था है कि नियुक्ति के समय जो सदस्य सरकारी सेवा में हो, वह आयोग में नियुक्ति के बाद सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त माना जाएगा। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी पद ग्रहण करने के अधिकारी नहीं हैं। इन्हें संविधान में की गई व्यवस्था और उसमें दिए आधार के अलावा, अपने पदों से नहीं हटाया जा सकता।

कर्मचारी चयन आयोग

कर्मचारी चयन आयोग, जिसे शुरू में अधीनस्थ कर्मचारी सेवा आयोग कहते थे, का गठन 1 जुलाई, 1976 को किया गया। इसे निम्नलिखित भर्ती का काम सौंप गया है—(1) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के सभी ग्रुप 'ख' के पद, तकनीकी और गैर तकनीकी—जिनका अधिकतम वेतनमान 6500-10,500 रुपये हो, और (2) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उनसे संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में ग्रुप 'ग' के सभी गैर-तकनीकी पदों—उन पदों को छोड़कर,

जिन्हें स्पष्ट रूप से कर्मचारी चयन आयोग के अधिकार-क्षेत्र से परे रखा गया है। आयोग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का संबद्ध कार्यालय है और इसमें शामिल हैं—अध्यक्ष, दो सदस्य, सचिव और परीक्षा नियंत्रक। अध्यक्ष/सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। आयोग का मुख्यालय और उसके उत्तरी क्षेत्र का कार्यालय नई दिल्ली में है। इसके मध्य, पश्चिम, पूर्व, पूर्वोत्तर, दक्षिण और कर्नाटक, केरल क्षेत्र के कार्यालय क्रमशः इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई और बंगलुरु में हैं। इसके मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ क्षेत्र और उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के उप-क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर और चंडीगढ़ में हैं।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

संघ सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में संवैधानिक तथा विधिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग एक नोडीय विभाग है। इसकी स्थापना जून, 1975 में की गई थी। यह विभाग केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनेक गतिविधियां चला रहा है—यथा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी भाषा, हिंदी आशुलिपि, हिंदी टंकण व अनुवाद का प्रशिक्षण देना, कार्यालयों का निरीक्षण करना, तिमाही रिपोर्ट के माध्यम से संघ के कामकाज में राजभाषा हिंदी की प्रगति पर निगरानी रखना, राजभाषा कार्यान्वयन के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न योजनाओं का परिचालन तथा उनकी मानिट्रिंग करना, अखिल भारतीय तथा क्षेत्रीय स्तर के राजभाषा सम्मेलन आदि करना और कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों की बैठकों आदि से संबंधित कार्यों का समन्वय करना आदि शामिल हैं। यह विभाग राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए सहायक साहित्य का प्रकाशन तथा वितरण का कार्य भी करता है। कार्यालयों में प्रयोग में आने वाले विभिन्न यांत्रिक तथा इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों में देवनागरी लिपि के माध्यम से काम करने की सुविधा बढ़ाने की दृष्टि से ऐसे उपकरणों के विकास, निर्माण तथा उपलब्धियों में समन्वय स्थापित करने की भूमिका भी राजभाषा विभाग निभा रहा है। कम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य करने संबंधी जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने के अतिरिक्त विभाग सी-डेक, पुणे के माध्यम से हिंदी प्रयोग में सहायक कुछ साफ्टवेयरों (लीला, मंत्रा, श्रुतलेखन आदि) का विकास भी कराता रहा है।

राजभाषा विभाग मूलतः राजभाषा हिंदी के प्रचार, प्रसार और प्रयोग से जुड़ी राजभाषायी गतिविधियों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र सरकार के कार्यालयों में सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी के प्रयोग को लक्ष्य बनाये हुए है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 में यह व्यवस्था है कि केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियम के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है तथा इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय किए जाएं। उसका यह भी दायित्व है कि राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर राजभाषा नीति संबंधी उपबंधों के अनुपालन के लिए जारी किए गए निर्देशों का पालन हो। इस विभाग के लक्ष्य अन्य विभागों से भिन्न प्रकार के हैं। राजभाषा विभाग ने सरकारी कर्मचारियों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण व आशुलिपि का प्रशिक्षण, सरकारी सामग्री के अनुवाद कार्य, राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार, प्रोत्साहन व कार्यान्वयन के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं तथा उनको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजभाषा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 8 क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय कार्यरत हैं।

राजभाषा प्रयोग से संबंधित गठित समितियां

(क) **संसदीय राजभाषा समिति**—राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(1) के अंतर्गत वर्ष 1976 में गठित 30 सदस्यीय (20-लोकसभा के तथा 10 राज्यसभा के) संसदीय राजभाषा समिति का कार्य संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनरावलोकन करते हुए अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना है। समिति द्वारा अब तक राजभाषा हिंदी संबंधी विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुत प्रतिवेदन के आठ खंडों पर राष्ट्रपति के आदेश पारित करवाए जा चुके हैं।

(ख) **केंद्रीय हिंदी समिति**—इस समिति का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में हिंदी प्रचार तथा प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्यों में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से किया गया है। यह राजभाषा नीति के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है। इस समिति का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्ष का होता है। समिति में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कुछ केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, संसद सदस्य तथा हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के विद्वान सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। वर्तमान समिति की संरचना में कुल 41 सदस्य हैं। गृह मंत्री इस समिति के उपाध्यक्ष तथा सचिव, राजभाषा विभाग इसके सदस्य सचिव हैं।

(ग) **हिंदी सलाहकार समिति**—केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के बारे में परामर्श देने के उद्देश्य से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के मंत्री की अध्यक्षता में 57 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियां गठित हैं।

(घ) **केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति**—केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों में राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों के अनुसार सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा उसके अनुपालन में पाई गई कमियों को दूर करने उपाय सुझाने के उद्देश्य से सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है।

(ङ) **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां**—केंद्र सरकार में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए देश के विभिन्न प्रमुख नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 268 है।

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा—विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध कार्यालयों में फैले हिंदी पदों को एकीकृत संवर्ग में लाने तथा उनके पदाधिकारियों को समान सेवा शर्त, वेतनमान और पदोन्नति के अवसर दिलाने हेतु वर्ष 1981 में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन केंद्रीय हिंदी समिति द्वारा वर्ष 1976 में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप किया गया है। राजभाषा विभाग इसका संवर्ग नियंत्रक अधिकारी है। इस सेवा में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध कार्यालयों के सभी हिंदी पद कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी विभाग यथा सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा आदि को छोड़कर, शामिल हैं।

राजभाषा—संवैधानिक/वैधानिक प्रावधान

हिंदी, संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार, संघ की राजभाषा है। अनुच्छेद 343 (2) में शासकीय कार्य में अंग्रेजी के उपयोग को संविधान के लागू होने के बाद से 15 वर्ष, यानी 25 जनवरी, 1965 तक जारी रखने का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 343 (3) में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह कानून बनाकर सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग को 25 जनवरी, 1965 के बाद भी जारी

रख सकती है। तदनुसार राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में संशोधित) की धारा 3 (2) में यह व्यवस्था की गई है कि हिंदी के अलावा, अंग्रेजी भाषा सरकारी कामकाज के लिए 25 जनवरी, 1965 के बाद भी जारी रहेगी। अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि कुछ विशेष कार्यों, जैसे—संकल्प, सामान्य आदेश नियम, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां, प्रशासकीय और अन्य रिपोर्टें, लाइसेंस, परमिट, ठेकों आदि में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग अनिवार्य होगा।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(4) के अंतर्गत सन् 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए। इनकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं—(1) ये नियम केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों पर लागू हैं, जिनमें सरकार द्वारा नियुक्त आयोग, समिति या ट्रिब्यूनल एवं इसके नियंत्रण वाले निगम या कंपनियां भी शामिल हैं। (2) केंद्र सरकार के कार्यालयों से क्षेत्र 'क' के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह और दिल्ली) के बीच पत्र-व्यवहार की भाषा हिंदी होगी; (3) केंद्र सरकार के कार्यालयों से क्षेत्र 'ख' (पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और चंडीगढ़) को पत्र आदि हिंदी में भेजे जाएंगे, किंतु क्षेत्र 'ख' में किसी व्यक्ति के पास भेजे गए पत्र आदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भेजे जाएंगे; (4) केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच भेजे जाने वाले पत्र 'ग' क्षेत्र के लिए (जिसमें क्षेत्र 'क', 'ख' के अन्य राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल नहीं हैं,) अंग्रेजी में भेजे जाएंगे; (5) केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच, केंद्र सरकार के कार्यालयों से राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के सरकारी कार्यालयों तथा व्यक्तियों आदि के बीच पत्र-व्यवहार उस अनुपात में हिंदी में होगा, जो समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा; (6) केंद्र सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी नियमावलियां, संहिताएं तथा प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार कराए जाएंगे। सभी फार्म, रजिस्ट्रों के प्रमुख पृष्ठ, नाम पट्टिकाएं, सूचना पट्ट तथा स्टेशनरी की वस्तुएं हिंदी और अंग्रेजी में होंगी; (7) अधिनियम के धारा 3(3) में उल्लिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले का यह दायित्व होगा कि वह देखे कि ये दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी हों; (8) केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय में प्रशासनिक प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि उप-नियम-(2) के तहत जारी नियमों और निर्देशों तथा धारा की व्यवस्थाओं का पूरा पालन हो रहा है तथा इस पर नजर रखने के लिए समुचित एवं कारगर चैक प्वाइंट बनाए जाएं।

नीति

राजभाषा के संकल्प, 1968 का पालन करते हुए राजभाषा विभाग हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है, जिसमें केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए हिंदी में पत्र-व्यवहार, हिंदी जानने वाले कर्मचारियों की भर्ती, हिंदी पुस्तकों की खरीद, निरीक्षण बैठकों और दस्तावेजों का हिंदी में अनुवाद कार्य आदि का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में केंद्र सरकार के कार्यालयों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट मांगी जाती है। इस तिमाही रिपोर्ट के आधार पर वार्षिक रिपोर्ट का आकलन किया जाता है। यह वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखी जाती है और इसकी प्रतियां राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में भेजी जाती हैं।

संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बंगलुरु, कोचीन, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, भोपाल, दिल्ली और गाजियाबाद, आठ क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

समिति

राजभाषा अधिनियम 1963 धारा 4 के निहित राजभाषा संसदीय समिति का गठन 1976 में किया गया।

इसका गठन सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करने और उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देने के लिए किया गया था। इसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। समिति ने यह रिपोर्ट हिस्सों में देने का फैसला लिया है। समिति ने अब तक आठ खंडों में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश की है। राष्ट्रपति ने सात खंडों पर आदेश जारी कर दिए हैं और आठवें खंड पर अभी काम चल रहा है।

केंद्रीय हिंदी समिति का गठन सन 1967 में किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। यह नीति निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, जो राजभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के बारे में दिशा निर्देश तय करती है।

केंद्रीय हिंदी समिति के निर्देश पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संबंधित मंत्रियों की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समितियां गठित की गई हैं। ये अपने-अपने मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करती हैं और हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सुझाव देती हैं।

इसके अलावा केंद्रीय राजभाषा क्रियान्वयन समिति (जिसके अध्यक्ष राजभाषा विभाग के सचिव होते हैं, सभी मंत्रालयों के संयुक्त सचिव (राजभाषा इंचार्ज) समिति के पदेन सदस्य होते हैं) समिति सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग की समीक्षा करती है, कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण देने, राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करवाने, तथा इन निर्देशों के कार्यान्वयन में आने वाली कमियों/कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपने सुझाव देती है।

ऐसे शहर जहां पर 10 या इससे अधिक केंद्र सरकार के कार्यालय हैं, उनमें हिंदी के उपयोग की समीक्षा करने के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाई गई हैं। पूरे देश में अभी तक 257 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा चुका है।

पुरस्कार योजनाएं

इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना 1986-87 से शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने वाले मंत्रालयों/विभागों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और नगर राजभाषा क्रियान्वयन समितियों को प्रत्येक वर्ष शील्ड प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों तथा केंद्र सरकार की स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा हिंदी में लिखी गई पुस्तकों के लिए नकद पुरस्कार दिए जाते हैं।

आधुनिक विज्ञान/प्रौद्योगिकी और समकालीन विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार योजना थी, उसका नाम पहले 'ज्ञान-विज्ञान के लिए मौलिक पुस्तक लेखन' था, इसे अब 'हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार योजना' कर दिया गया है। यह योजना भारत के सभी नागरिकों के लिए है।

हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने वाले क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नगर राजभाषा क्रियान्वयन समितियों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों को प्रत्येक वर्ष क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार दिए जाते हैं।

प्रशिक्षण

राजभाषा विभाग द्वारा चलाई जाने वाली हिंदी शिक्षण योजना के तहत हिंदी भाषा में प्रशिक्षण देने के लिए

119 पूर्णकालिक और 49 अंशकालिक केंद्र हैं। इसी प्रकार 23 पूर्णकालिक और 38 अंशकालिक केंद्रों के माध्यम से हिंदी आशुलिपि और हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रकार देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदी का प्रशिक्षण देने के लिए 229 केंद्र बनाए गए हैं। हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत पूर्व, पश्चिम, उत्तर-मध्य, दक्षिण तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शैक्षणिक और प्रशासनिक सहायता के लिए कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और गुवाहाटी में पांच क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंदी प्रशिक्षण की भारी मांग को देखते हुए गुवाहाटी में एक नया क्षेत्रीय मुख्यालय खोला गया है तथा इम्फाल, आइजोल और अगरतला में नए हिंदी प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं।

हिंदी भाषा और हिंदी टंकण में पूर्णकालिक प्रशिक्षण के साथ-साथ पत्राचार के माध्यम से प्रशिक्षण देने के लिए 31 अगस्त, 1985 को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। 1988 में मुंबई, कोलकाता और बंगलुरु में तथा 1990 में हैदराबाद में इसके उप-कार्यालय खोले गए। देश के लगभग सभी टाइपिंग/स्टेनोग्राफी केंद्रों में हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों आदि के अनुवाद कार्यों के लिए मार्च 1971 में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई थी। जैसे गैर-वैधानिक साहित्य, मैनुअल/कोड्स, फॉर्म आदि का अनुवाद करने का कार्य। ब्यूरो को अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुवाद कार्य से संबंधित प्रशिक्षण देने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रारंभिक तौर पर दिल्ली में 3 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए मुंबई, बाद में बंगलुरु, कोलकाता में ऐसे अनुवाद प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लघु-अवधि के प्रशिक्षण कोर्स भी आयोजित करता है।

तकनीकी

मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर, विशेषकर कंप्यूटर पर राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए अक्टूबर, 1983 में राजभाषा विभाग में एक तकनीकी कक्ष की स्थापना की थी। इस कक्ष की प्रमुख गतिविधियां निम्न प्रकार से हैं—(i) भाषा विकास के आवश्यक उपकरण जुटाना, इस कार्यक्रम, 'लीला राजभाषा' के अंतर्गत बांग्ला, अंग्रेजी, कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु माध्यम से स्वयं हिंदी सीखने का एक पैकेज विकसित किया गया है। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के लिए एक सहायक उपकरण 'मंत्र राजभाषा' विकसित किया गया है। (ii) हिंदी में कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन : कंप्यूटर पर हिंदी के इस्तेमाल के लिए हर साल करीब 100 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। (iii) हिंदी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने के लिए उपभोक्ताओं और निर्माताओं को आमने-सामने लाया जाता है तथा इसके लिए द्विभाषी कंप्यूटर प्रणाली के बारे में प्रदर्शनियों और गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। राजभाषा विभाग ने अपनी वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in स्थापित की है।

प्रकाशन

राजभाषा विभाग ने 'राजभाषा भारती' त्रैमासिक पत्रिका निकाली है जिसका उद्देश्य साहित्य, तकनीकी, सूचना-प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में हिंदी में लेखन को बढ़ावा देना और सरकारी कार्यालयों में हिंदी में अधिक से अधिक काम करने के लिए प्रचार-प्रसार करना है। इस पत्रिका के अभी तक 112 अंक प्रकाशित किए जा चुके हैं। राजभाषा नीति से संबंधित वार्षिक क्रियान्वयन कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिंदी के कामकाज की समीक्षा संबंधित वार्षिक आकलन रिपोर्ट जारी की जाती है और इसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाता है। राजभाषा हिंदी

के कामकाज को बढ़ावा देने से संबंधित हुए कामकाज की जानकारी देने के लिए राजभाषा मैनुअल, कैलेंडर, फिल्में, पोस्टर आदि जारी किए जाते हैं।

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उसको पद से हटाने के लिए वही आधार और कार्यविधि अपनाई जाती है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए होती है। अपना पद छोड़ने के बाद वह संघ या किसी राज्य सरकार में कोई नौकरी नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सलाह पर संघ और राज्य का लेखा-जोखा रखने के लिए प्रपत्र निर्धारित करते हैं। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों के लेखे-जोखे की रिपोर्टें राष्ट्रपति और संबद्ध राज्यपालों के पास भेजते हैं, जो संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत की जाती हैं।

अंतर्राज्यीय परिषद

अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय की स्थापना वर्ष 1991 में अंतर्राज्यीय परिषद की सेवाओं के लिए की गई थी। वर्ष 2007 में स्थापित केंद्र-राज्य संबंध आयोग की सेवाओं को भी सचिवालय को सौंपा गया है।

अंतर्राज्यीय परिषद (आईएससी)

संघीय नीति में, संघटक इकाइयों के समान हितों और उनके बीच सम्मिलित कार्रवाइयों के लिए नीतियों में समन्वय और उनका क्रियान्वयन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नीतियों में परस्पर समन्वय और उनके क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए संविधान का अनुच्छेद 263 संस्थानात्मक प्रणाली की स्थापना पर विचार करता है।

केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों का अनुसरण करते हुए 28 मई, 1990 को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया।

आईएससी एक अनुशासनात्मक इकाई है और उसे ऐसे विषयों की जांच और चर्चा के अधिकार दिए गए हैं जिनमें कुछ या सभी राज्य अथवा संघ और एक या एक से अधिक राज्यों का समान हित जुड़ा हो, इस विषय के संदर्भ में बेहतर नीतिगत समन्वय और कार्रवाई के लिए। यह राज्यों के समान हित के अन्य मुद्दों पर भी विचार करता है, जिसे परिषद के अध्यक्ष द्वारा प्रेषित किया गया हो।

माननीय प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (जहां विधानसभा हो) के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों (जहां विधान सभा न हो) के प्रशासक, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, मंत्रिमंडल के छह कैबिनेट स्तर के मंत्री, जिन्हें परिषद के अध्यक्ष ने नामांकित किया हो, इस परिषद के सदस्य होते हैं। अध्यक्ष द्वारा नामांकित कैबिनेट स्तर के पांच मंत्री परिषद के स्थायी अतिथि होते हैं। हाल ही में अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया है।

परिषद की बैठक खुली होती है और बैठक के दौरान जिन प्रश्नों पर चर्चा की जाती है, वे सर्वसम्मति से तय किए जाते हैं। इस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। संविधान के अनुच्छेद 263 के खंड (क) में परिषद के इस दायित्व को नहीं निर्धारित किया गया है कि वह राज्यों के बीच उठे विवादों की जांच करे और उन पर सलाह दे।

परिषद के लिए विचारणीय मुद्दों पर निरंतर विचार करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 1996 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति को गठन किया गया। माननीय गृह मंत्री को स्थायी समिति का

अध्यक्ष और पांच कैबिनेट मंत्रियों एवं नौ मुख्यमंत्रियों को इसका सदस्य बनाया गया। इसके बाद समिति का पुनर्गठन किया गया है।

अब तक अंतर्राज्यीय परिषद की 10 बैठकें हो चुकी हैं। शुरुआती 8 बैठकों में परिषद ने केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की 247 सिफारिशों पर ध्यान केंद्रित किया और सभी सिफारिशों पर नजर डाली। 247 सिफारिशों में से, 179 को क्रियान्वित किया जा चुका है, 65 को अंतर्राज्यीय परिषद/प्रशासनिक मंत्रालयों/संबंधित विभागों ने नामंजूर कर दिया है और केवल 3 सिफारिशें क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

परिषद सार्वजनिक नीति और प्रशासन के अन्य मुद्दों पर भी विचार करती है, ये इस प्रकार हैं :

- (क) ठेके पर श्रम और नियुक्तियां
- (ख) अच्छे प्रशासन पर कार्रवाई कार्यक्रम का ब्ल्यू प्रिंट
- (ग) आपदा प्रबंधन- आपदाओं से निपटने के लिए राज्यों की तैयारी
- (घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार की रोकथाम) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन की स्थिति

अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय की भूमिका एवं कार्य

परिषद सचिवालय अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन का निरीक्षण करता है और स्थायी समिति/परिषद के सामने कार्रवाई रिपोर्ट (एक्शन टेकिंग रिपोर्ट) को विचार के लिए रखता है।

परिषद सचिवालय ने सार्वजनिक नीति और प्रशासनिक मुद्दों पर अनेक प्रकार के अध्ययनों को अधिकृत किया है :

- (क) खनिजों के संबंध में, जिनमें कोयला, हाइड्रोपावर और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस शामिल हैं, राज्यों को संसाधनों पर मुआवजा
- (ख) उप राष्ट्रीय प्रशासन
- (ग) कृषिगत उत्पादों और वस्तुओं पर समान भारतीय बाजार का सृजन
- (घ) शहरी फुटपाथी विक्रेताओं के लिए राष्ट्रीय नीतियां

परिषद सचिवालय ने केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के परामर्श से उन मुद्दों को चुनने के लिए कदम भी उठाए हैं जिन पर परिषद को विचार करना है।

अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय ने कनाडा के फोरम ऑफ फेडरेशंस के साथ एक ढांचागत समझौता भी किया है। यह समझौता संघवाद के प्रस्तावों, सिद्धांतों और संभावनाओं पर संवाद को प्रोत्साहित करते हुए प्रशासनिक सुधार और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए इस फोरम के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी है। यह समझौता अगले तीन वर्षों 2008-2011 के लिए पुनर्नवीनीकृत किया गया है।

नवंबर 2007 में अंतर्राज्यीय परिषद और कनाडा के फोरम ऑफ फेडरेशंस ने दिल्ली में संघवाद पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहप्रायोजित किया था। इसकी कार्यवाही को निम्नलिखित नामों से पांच अंकों में प्रकाशित किया गया है- 'बिल्डिंग ऑन एंड एकोमोडेटींग डायवर्सिटीज', 'इमर्जिंग इश्यूज इन फिस्कल फेडरलिज्म', 'इंट्रैक्शन इन फेडरेशन सिस्टम्स', 'लोकल गवर्नमेंट इन फेडरल सिस्टम्स' और 'पॉलिसी इश्यूज इन फेडरलिज्म- इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स'।

सितंबर, 2008 में नेपाल के चार संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक की गई जिसमें अंतर सरकारी संबंधों और अंतर्राज्यीय परिषद की भूमिका और गतिविधियों पर चर्चा की गई।

अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय ने फोरम ऑफ फेडरेशंस के साथ मिलकर 16 जनवरी, 2009 को अंतर सरकारी संबंधों पर गोलमेज चर्चा भी की।

आईएससीएस केंद्र राज्य संबंध आयोग को सचिवालयी सहयोग प्रदान करता है। इस आयोग को समान न्यूनतम कार्यक्रम (कॉमन मिनिमम प्रोग्राम) के तहत सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धता का पालन करते हुए, यह विचार करते हुए कि सरकारी आयोग द्वारा दो दशक पूर्व सौंपी गई रिपोर्ट से अब तक समाज और अर्थव्यवस्था में अत्यधिक परिवर्तन हो गए हैं, गठित किया गया था। अध्यक्ष और सदस्यों को 27 अप्रैल, 2007 को नियुक्त किया गया था। न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) मदन मोहन पंडी, उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को अध्यक्ष नियुक्त किया गया और श्री धीरेंद्र सिंह, पूर्व सचिव- भारत सरकार, श्री विनोद कुमार दुग्गल, पूर्व सचिव-भारत सरकार और डॉ. एन.आर. माधव मेनन, पूर्व निदेशक- राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल और भारतीय राष्ट्रीय विधि विद्यालय को सदस्य नियुक्त किया गया। 17 अक्टूबर, 2008 को श्री विजय शंकर, आईपीएस (सेवानिवृत्त) को आयोग का सदस्य बनाया गया। आयोग की अवधि को 31 मार्च, 2010 तक बढ़ाया गया है।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायतें

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग प्रशासनिक सुधारों और खासकर केंद्र सरकार के संगठनों तथा राज्य सरकारों से संबंधित लोक शिकायतों को दूर करने वाली भारत सरकार की प्रमुख एजेंसी है। यह विभाग केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को प्रबंधन सलाह सेवा प्रदान करता है। यह विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से लोक शिकायतों के निवारण और प्रशासनिक सुधारों से संबद्ध सरकार के महत्वपूर्ण कार्यकलापों के बारे में सूचनाओं का प्रचार करता है। यह विभाग लोक सेवा सुधारों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान और आपसी सहयोग की गतिविधियों पर भी नज़र रखता है।

यह विभाग केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों आदि और विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, संगठनों उनके सेवा क्षेत्रों में नागरिक अधिकार अधिकार-पत्रों के प्रतिपादन के प्रयासों में तालमेल रखता है। ये अधिकार-पत्र संगठन की प्रतिबद्धता, सेवा उपलब्ध कराने के अपेक्षित मानदंडों, समय-सुबोध, शिकायत निवारण तंत्र, उनके कार्य निष्पादन को लोगों के परीक्षण के लिए खुला रखने और जिम्मेदारी तय करने के लिए प्रतिबद्धता का प्रचार करते हैं।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा के लिए 8 मई, 1998 को एक आयोग बनाया जिसका उद्देश्य वर्तमान कानूनों में परिवर्तन, अंतर-क्षेत्रीय प्रभावों के बारे में नियम और कार्यविधियां तैयार करना और पुराने हो चुके कानूनों में सुधार करना था। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने 822 धाराओं (700 विनियोग धाराओं और 27 पुनर्गठन धाराओं सहित) को बरकरार रखा है। शेष धाराएं इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से गुजर रही हैं।

लोक प्रशासनिक प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार करने हेतु श्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, विभाग ने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। आयोग ने अब तक सरकार को निम्नलिखित 15 रिपोर्टें सौंप दी हैं :

- (i) राइट टू इनफॉर्मेशन- मास्टर की टू गुड गवर्नेस (09.06.2006)

- (ii) अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल- एंटाइटलमेंट्स एंड गवर्नेस - अ केस स्टडी (31.07.2006)
- (iii) क्राइसिस मैनेजमेंट - फ्रॉम डिसपेयर टू होप (31.10.2006)
- (iv) एथिक्स इन गवर्नेस (12.02.2007)
- (v) पब्लिक आर्डर - जस्टिस फार ईच (25.06.2007)
- (vi) लोकल गवर्नेस (27.11.2007)
- (vii) कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कनफ्लिक्ट रेसोल्यूशन- फ्रिक्शन टू फ्यूजन (17.03.2008)
- (viii) कॉम्बैटिंग टेरेरिज्म (17.09.2008)
- (ix) सोशल कैपिटल- अ शेयर्ड डेस्टिनी (08.10.2008)
- (x) रीफरबिशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन- स्केलिंग न्यू हाइट्स (27.11.2008)
- (xi) प्रमोटिंग ई-गवर्नेस - द स्मार्ट वे फॉरवर्ड (20.01.2009)
- (xii) सिटिजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन- द हार्ट ऑफ गवर्नेस (30.03.2009)
- (xiii) ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (19.05.2009)
- (xiv) स्ट्रेन्थनिंग फाइनांशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स (26.05.2009)
- (xv) स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन (29.05.2009)

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू किये जाने की गति की समीक्षा करने और इन निर्णयों को लागू करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में एक मंत्री दल गठित किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा लोक प्रशासन के क्षेत्र में किए जाने वाले शानदार और अनोखे कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित करने के वास्ते विभाग ने 2005 में 'लोक प्रशासन में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार' का भी गठन किया है। इस पुरस्कार में (i) एक पदक, (ii) एक प्रशस्ति पत्र और (iii) एक लाख रुपये नकद पुरस्कार, शामिल हैं। यदि कई अधिकारियों के समूह को यह पुरस्कार मिलता है तो पूरे समूह को पांच लाख रुपये नकद दिये जाएंगे, बशर्ते कि प्रति व्यक्ति पुरस्कार राशि एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। किसी भी संस्थान के लिए इस पुरस्कार राशि की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये रखी गई है। यह पुरस्कार, केंद्र और राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत अथवा समूह के तौर पर या संस्थान के रूप में देने पर विचार किया जा सकता है। प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को ये पुरस्कार प्रशासनिक सेवा दिवस समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए जाते हैं।

विभाग ने सरकारी विभागों द्वारा उत्कृष्ट सेवाएं सुलभ कराने के लिए नमूने के तौर पर एक उत्कृष्ट सेवा मानक 'सेवोत्तम' (बेंच मार्किंग एक्सलेंस इन सर्विस डिलिवरी) तैयार किया है। इस परियोजना का उद्देश्य नागरिकों को ध्यान में रखते हुए सेवाएं सुलभ कराने की गुणवत्ता में सुधार लाना है तथा इसे नागरिक विशेषाधिकार, लोक शिकायत निवारण क्रिया-विधि स्तर और सेवाएं सुलभ कराने में उत्कृष्टता को कारगर ढंग से अमल में लाकर किया जा सकता है। इस प्रयोग को केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में लागू किया जाना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के कार्यों में देश में उत्तम प्रशासन प्रणालियों को प्रोत्साहन देना शामिल है। इसके भावी कार्यों और उद्देश्यों में सर्वोत्तम प्रशासन प्रणालियों का प्रलेखन, संचयन और प्रचारण शामिल है। इसकी पूर्ति और देश में उत्तम प्रशासन प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए विभाग विविध कार्य योजनाओं पर अमल कर रहा है जैसे प्रकाशन, गोष्ठियों, क्षेत्रीय सम्मेलनों

का आयोजन, प्रस्तुतियों, भाषण शृंखलाओं का आयोजन और वृत्तचित्र तैयार करना आदि। अपने नियमित प्रकाशनों 'मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट—अ क्वाटर्ली जरनल' और 'सिविल न्यूज—अ मंथली न्यूज लैटर' के द्वारा विभाग उत्तम कार्य प्रणालियों के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचा रहा है। इसके अलावा इसने दो पुस्तकें 'आइडियाज दैट हैव वर्कड' और 'लर्न फ्रॉम दैम' का प्रकाशन भी किया है। इन पुस्तकों में नूतन प्रणालियों को अमल में लाने वालों की सफलताओं और असफलताओं का वर्णन है। विभाग ने एक डीवीडी भी तैयार की है जिसमें 1812 से आज तक प्रशासनिक सुधारों पर आयोगों/समितियों की 73 चुनिंदा रिपोर्टें हैं। सर्वोत्तम प्रणालियों के प्रसार और अनुसरण के उद्देश्य से विभाग ने सर्वोत्तम प्रणालियों पर एक पोर्टल भी आरंभ किया है।

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अधिनियम, 1985 का पारित होना पीड़ित सरकारी कर्मचारियों को न्याय दिलाने की दिशा में एक नया अध्याय था। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स अधिनियम का स्रोत, संविधान का अनुच्छेद 323 'क' है, जो केंद्र सरकार को संसद के अधिनियम द्वारा ऐसे ट्रिब्यूनल बनाने का अधिकार प्रदान करता है, जो केंद्र सरकार और राज्यों के कामकाज को चलाने के लिए सार्वजनिक पदों और सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा-शर्तों आदि से संबंधित शिकायतों और विवादों पर निर्णय दे सकें। अधिनियम 1985 के अंतर्गत स्थापित ट्रिब्यूनल, इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में मूल अधिकार क्षेत्र को प्रयोग करता है। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 18 मार्च, 1997 के निर्णय के परिणामस्वरूप प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के फैसले के विरुद्ध संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील की जाएगी।

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल केवल अपने अधिकार-क्षेत्र और कार्य विधि में आने वाले कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों तक सीमित होता है। इसकी कार्यविधि कितनी सरल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीड़ित व्यक्ति इसके सामने स्वयं उपस्थित होकर अपने मामले की पैरवी कर सकता है। सरकार अपना पक्ष अपने विभागीय अधिकारियों या वकीलों के जरिए रख सकती है। ट्रिब्यूनल का उद्देश्य वादी को सस्ता और जल्दी न्याय दिलाना है।

अधिनियम में केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल—सीएटी) और राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल स्थापित करने की व्यवस्था है। सीएटी—केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल पहली नवंबर, 1985 को स्थापित किया गया। आज इसकी 17 नियमित पीठ हैं, जिनमें से 15 उच्च न्यायालयों के मुख्य स्थान पर हैं और शेष दो जयपुर और लखनऊ में हैं। ये पीठ उच्च न्यायालयों वाले अन्य स्थानों पर सुनवाई करती हैं। संक्षेप में, ट्रिब्यूनल में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं। ट्रिब्यूनल के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक—दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं, ताकि ट्रिब्यूनल को कानूनी और प्रशासनिक—दोनों वर्गों की विशेषज्ञ जानकारी का लाभ मिल सके।

राज्य

राज्यों में सरकारी व्यवस्था केंद्र से काफी मिलती-जुलती है।

कार्यपालिका

राज्यपाल

राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् होती है। राज्यपाल

की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति पांच वर्ष की अवधि के लिए करता हैं। उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर होता है। केवल 35 वर्ष से अधिक आयु वाले भारतीय नागरिक को ही इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। राज्य की कार्यपालिका के सारे अधिकार राज्यपाल में निहित होते हैं।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् राज्यपाल को उनके कार्यों में सहायता-सलाह देती है—सिवाय उन मामलों के, जहां संविधान के तहत उन्हें अपने कुछ कार्य या कोई कार्य अपने विवेक से करना होता है। नगालैंड के मामले में संविधान के अनुच्छेद 371 'ए' के अंतर्गत राज्यपाल को कानून-व्यवस्था के बारे में विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। यद्यपि कानून-व्यवस्था से संबंधित मामलों में उनके लिए मंत्रिपरिषद् से परामर्श करना जरूरी होता है, फिर भी वह कार्रवाई के बारे में अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं।

इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश के मामले में संविधान के अनुच्छेद 371 'एच' के अधीन कानून-व्यवस्था तथा उससे संबंधित कार्यों को निपटाने में राज्यपाल का विशेष दायित्व है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद् के परामर्श के बाद कार्रवाई के मामले में अपने निर्णय का इस्तेमाल करेंगे। किंतु ये सभी व्यवस्थाएं अस्थायी हैं। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल से प्राप्त रिपोर्ट या किसी अन्य आधार पर संतुष्ट हो जाएं कि कानून-व्यवस्था के मामले में राज्यपाल को विशेष दायित्व सौंपना अब आवश्यक नहीं है, तो वह आदेश जारी करके ऐसे निर्देश दे सकते हैं।

इसी प्रकार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय इलाकों पर लागू होने वाली छठी अनुसूची के पैरा 20 में किए गए उल्लेख के अनुसार, जिला परिषद् और राज्य सरकार के बीच रॉयल्टी के बंटवारे से संबंधित मामलों में राज्यपाल को अपने विवेक का इस्तेमाल करने के अधिकार दिए गए हैं। छठी अनुसूची में मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यपालों को दिसंबर, 1998 से लागू लगभग सभी कार्यों (कर लगाने और जिला परिषदों द्वारा गैर-जनजातीय समुदाय के उधार धन देने वालों के मामलों को छोड़कर) में अपना विवेक इस्तेमाल करने के अतिरिक्त अधिकार मिले हुए हैं। सिक्किम के राज्यपाल को राज्य में शांति तथा जनता के विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति का विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

सभी राज्यपालों को अपने ऐसे संवैधानिक कार्य करते समय, जैसे—राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति अथवा राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की रिपोर्ट को भेजते समय अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृति देने से संबंधित मामलों में अपने स्वतंत्र विवेक से निर्णय लेना होता है।

मंत्रिपरिषद्

मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

विधानमंडल

प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है, जिसके अंतर्गत राज्यपाल के अतिरिक्त एक या दो सदन होते हैं। बिहार, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के दो सदन हैं, जिन्हें *विधानपरिषद्* और *विधानसभा* कहते हैं। शेष राज्यों में विधानमंडल का केवल एक ही सदन है, जिसे *विधानसभा* कहा जाता है। किसी वर्तमान विधानपरिषद् को समाप्त करने या जहां वह नहीं है, वहां उसे बनाने के लिए यदि संबंधित विधानसभा प्रस्ताव पारित करे तो संसद कानून बनाकर ऐसी व्यवस्था कर सकती है।

विधानपरिषद्

प्रत्येक राज्य की विधानपरिषद् के सदस्यों की कुल संख्या राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक तथा किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी (जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 50 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर विधानपरिषद् में 36 सदस्य हैं)। परिषद् के लगभग एक-तिहाई सदस्य उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से निर्वाचित किए जाते हैं, जो विधानसभा के सदस्य नहीं हों। एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और राज्य के अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों के निर्वाचक-मंडल करते हैं। कुल सदस्य संख्या के 12वें भाग के बराबर सदस्यों का निर्वाचन राज्य की माध्यमिक स्तर की शिक्षा संस्थाओं में कम-से-कम तीन वर्ष से काम कर रहे अध्यापकों के निर्वाचक मंडल करते हैं। अन्य 12वें भाग के बराबर संख्या में सदस्यों का निर्वाचन ऐसे पंजीकृत स्नातक करते हैं, जिन्हें उपाधि प्राप्त किए तीन वर्ष से अधिक हो गए हों। शेष सदस्यों के नाम राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्दिष्ट किए जाते हैं, जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन तथा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की हो। विधान परिषदें भंग नहीं होती हैं। उनके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

विधानसभा

किसी राज्य की विधानसभा में अधिक-से-अधिक 500 तथा कम-से-कम 60 सदस्य होते हैं (संविधान के अनुच्छेद 371 'एफ' के अनुसार, सिक्किम विधानसभा में 32 सदस्य हैं)। इनका निर्वाचन उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन इस ढंग से किया जाना चाहिए कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियत किए गए स्थानों की संख्या के बीच अनुपात, जहां तक संभव हो, संपूर्ण राज्य में समान रहे। विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, बशर्ते कि वह पहले भंग न कर दी जाए।

अधिकार और कार्य

राज्य विधानमंडलों को संविधान की सातवीं अनुसूची-II में वर्णित विषयों पर पूर्ण अधिकार तथा उनकी सूची-III में दिए गए विषयों पर केंद्र के साथ मिले-जुले अधिकार प्राप्त हैं। विधानमंडल की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत सरकार द्वारा किया जाने वाला संपूर्ण व्यय, लगाए जाने वाला कर और ऋण प्राप्त करना शामिल है। वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश हो सकता है। विधान परिषद वित्त विधेयक प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर, उसमें आवश्यक कार्रवाई के लिए केवल सिफारिश कर सकती है, परंतु परिषद् की सिफारिशों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए विधानसभा स्वतंत्र है।

विधेयकों को रोके रखना

विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजने से रोक सकता है। संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, उच्च न्यायालयों की शक्ति और स्थिति पर प्रभाव वाले उपाय, अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी योजनाओं में पानी या बिजली के संग्रह, वितरण और बिक्री पर कर लगाने जैसे विषयों से संबंधित विधेयक अनिवार्यतः इस प्रकार से रोके रखे जाने चाहिए। राज्य विधानमंडल में अंतर्राज्यीय व्यापार पर रोक लगाने का कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्ण स्वीकृति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

कार्यपालिका पर नियंत्रण

राज्य विधानमंडल वित्त पर सामान्य नियंत्रण रखने के अतिरिक्त, कार्यपालिका के दिन-प्रति-दिन के कार्यों

पर निगरानी रखने के लिए प्रश्नों, चर्चाओं, वाद-विवादों, स्थगन, अविश्वास प्रस्तावों तथा संकल्पों आदि सामान्य प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। उनकी अपनी प्राक्कलन तथा लेखा समितियां भी होती हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि विधानमंडल द्वारा स्वीकृत अनुदानों का उचित उपयोग किया जाए।

केंद्रशासित प्रदेश

केंद्रशासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में जहां तक उचित समझें, अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करता है। अंडमान-निकोबार, दिल्ली और पांडिचेरी के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है। इस समय पंजाब के राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक हैं। दादरा और नगर हवेली का प्रशासक दमन और दीव का कार्य भी देखता है। लक्षद्वीप का अलग प्रशासक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्रशासित प्रदेश पांडिचेरी की अपनी-अपनी विधानसभाएं और मंत्रिपरिषद् हैं। पांडिचेरी विधानसभा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II में और III में निहित, केंद्रशासित प्रदेशों से संबद्ध मामलों के बारे में, जहां तक के मामले केंद्रशासित क्षेत्र पर लागू होते हैं, कानून बना सकती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा को भी संविधान की अनुसूची-II की प्रविष्टि 1, 2 और 18 को छोड़कर, ये सभी शक्तियां प्राप्त हैं। कुछ विशेष विधेयकों के लिए केंद्र सरकार की अग्रिम स्वीकृति लेना भी अनिवार्य है। केंद्रशासित प्रदेश पांडिचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभाओं द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ और मंजूरी देने के लिए रोक लिया जाता है।

स्थानीय प्रशासन

नगरपालिकाएं

भारत में स्थानीय निकायों का लंबा इतिहास है। सर्वप्रथम पूर्व-प्रेसीडेंसी शहर मद्रास में नगर निगम की स्थापना 1688 में की गई। उसके बाद 1726 में इसी तरह के नगर निगम मुंबई और कोलकाता (तत्कालीन मुंबई और कलकत्ता) में स्थापित किए गए। भारतीय संविधान में संसद और विधानसभाओं में लोकतंत्र की रक्षा की विस्तृत व्यवस्था की गई है। लेकिन, संविधान में शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय शासन पर स्पष्ट उल्लेख नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक-सिद्धांतों में गांवों में पंचायत व्यवस्था का उल्लेख है, लेकिन राज्यों की सूची में प्रविष्टि 5 को छोड़कर, नगरपालिकाओं का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस प्रविष्टि में स्थानीय स्वशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई है।

स्थानीय शहरी निकायों के लिए समान ढांचा तैयार करने और इन निकायों को स्वायत्तशासी सरकार की प्रभावशाली लोकतांत्रिक इकाई के रूप में मजबूत बनाने के कार्य में मदद करने के उद्देश्य से संसद ने 1992 में (नगरपालिका एक्ट) नगरपालिकाओं से संबंधित संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 पारित किया। इस अधिनियम को राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल, 1993 को अपनी स्वीकृति प्रदान की। भारत सरकार ने अधिसूचना जारी करके 1 जून, 1993 से इस अधिनियम को लागू कर दिया। संविधान में नगरपालिकाओं के संबंध में एक नया खंड IX-क जोड़ दिया गया है, ताकि अन्य बातों के अलावा तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का गठन किया जा सके : ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए नगर पंचायतें, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगरपालिका परिषदें और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम; निर्धारित अवधि की नगरपालिकाएं, राज्य निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोगों की नियुक्ति और महानगर तथा जिला योजना समितियों का गठन। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने निर्वाचन आयोगों और वित्त आयोगों का गठन कर लिया है।

पंचायतें

संविधान के अनुच्छेद 40 में दिए गए राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें इस प्रकार के अधिकार प्रदान करेगा कि वे एक स्वायत्तशासी सरकार की इकाई के रूप में काम कर सकें।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए संविधान में पंचायतों से संबंधित एक नया खंड (IX) जोड़ा गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित व्यवस्था भी की गई है—गांव अथवा गांवों के समूह में ग्राम सभा; ग्राम और अन्य स्तरों या स्तर पर पंचायतों का गठन; ग्राम और उसके बीच के स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए और इन स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए सीधा चुनाव; ऐसे स्तरों पर पंचायत-सदस्यों और पंचायत-अध्यक्षों के पदों के लिए जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वास्ते सीटों का आरक्षण; महिलाओं के लिए कम-से-कम एक तिहाई आरक्षण, पंचायत के लिए पांच साल के कार्यकाल का निर्धारण करना और किसी भी पंचायत की बर्खास्तगी की स्थिति में छह महीने के भीतर उसका चुनाव कराना।

निर्वाचन आयोग

भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने तथा संसद और विधानसभाओं का चुनाव कराने के लिए निर्देशन, नियंत्रण और मतदाता सूचियां तैयार करने का अधिकार, भारत के निर्वाचन आयोग को दिए गए हैं। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 1950 में हुई और अक्टूबर, 1989 तक आयोग ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में एक सदस्यीय निकाय के तौर पर काम किया। नवंबर-दिसंबर, 1989 में संसद के लिए हुए आम चुनाव के मौके पर राष्ट्रपति ने 16 अक्टूबर, 1989 को दो और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की। लेकिन एक जनवरी, 1990 को जब इन दोनों निर्वाचन आयुक्तों के पद समाप्त कर दिए गए तो दोनों आयुक्त अपने पदों से हट गए। एक अक्टूबर, 1993 को राष्ट्रपति ने एक बार फिर दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की। इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (सेवा शर्तों) के अधिनियम, 1991 में संशोधन किया गया तथा यह व्यवस्था की गई कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के अधिकार समान होंगे और दोनों को एक समान वेतन, भत्ते, और वे सभी सुविधाएं मिलेंगी, जो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलती हैं। इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि किसी मामले को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच कोई वैचारिक मतभेद पैदा हो जाए तो आयोग द्वारा उसका फैसला बहुमत के आधार पर किया जाएगा। इस अधिनियम की वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है और 1993 में इसका नया नाम निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्तों की सेवा-शर्तें तथा कार्य निष्पादन) अधिनियम, 1991 रख दिया गया है। लेकिन उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने याचिका खारिज कर दी और 14 जुलाई, 1995 को अपने सर्वसम्मत निर्णय से उक्त कानून के प्रावधानों को बरकरार रखा।

संविधान के अनुच्छेद 324 (5) के तहत विशेष प्रावधानों के जरिए निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता तथा कार्यपालिका के हस्तक्षेप से उसकी रक्षा की गई है। इन प्रावधानों के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। केवल उन्हीं परिस्थितियों में हटाया जा सकता है, जिनमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं तथा उसकी नियुक्ति के पश्चात् मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा-शर्तें उसके कार्य के रास्ते में बाधक नहीं होंगी। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों

का कार्यकाल उनके पद संभालने की तिथि से लेकर छह वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु तक दोनों में जो भी पहले हो, होता है।

संशोधन

संसद द्वारा 22 मार्च, 2003 को चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2003 और चुनाव आचार संहिता (संशोधन) कानून, 2003 पारित किए, जो कि 22 सितंबर, 2003 प्रभाव में आए। इन कानूनों के जरिए अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों और उनके संबंधियों को प्रॉक्सी मतदान की सुविधा मिल गई। इन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी जो अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, वे एक प्रतिपत्र तैयार करके अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदान अधिकारी को भेज सकते हैं।

चुनाव तथा उससे संबंधित अन्य कानून (संशोधित) विधेयक, 2003 (46वां संशोधन) संसद द्वारा 11 सितंबर, 2003 को पारित किया गया। इस संशोधन के जरिए मुख्य कानून में दो नई धाराएं 29 बी और 29 सी शामिल की गईं जिनमें प्रावधान किया गया कि किसी भी व्यक्ति, संस्था द्वारा किसी राजनीतिक दल को 20,000 रुपये से अधिक चंदा दिए जाने की सूचना निर्वाचन आयोग को दी जाएगी और तभी उसे आयकर कानून 1961 के तहत आयकर से रियायत दी जाएगी। मुख्य कानून के भाग-ए (धारा 78ए और 78बी) में मतदाता सूची की एक प्रति और कुछ अन्य जरूरी सामान पंजीकृत राजनीतिक दल के उम्मीदवार को उपलब्ध कराई जाएंगी। इस कानून की धारा 77 (1) में संशोधन किया गया जिसमें उम्मीदवार द्वारा चुनाव खर्च का लेखा-जोखा रखने, राजनीतिक दलों के कुछ विशेष नेताओं द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान विमान से यात्रा, अन्य साधनों से की गई यात्रा में हुए खर्च को छूट दिए जाने का प्रावधान है, बशर्ते कि वह उसे अपने चुनाव के खर्च में शामिल करता है।

संसद ने एक जनवरी, 2004 को निर्वाचन क्षेत्र सीमांकन विधेयक (संशोधित) 2003 पारित किया जिसमें मुख्य कानून की धारा (4) में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया कि निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा।

संसद द्वारा 28 अगस्त, 2003 को जनप्रतिनिधि (संशोधन) कानून, 2003 पारित किया गया जिसमें राज्यों की विधानसभा परिषदों के चुनाव के लिए खुली मतदान की प्रणाली लागू करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रणाली के अनुसार मतदाता अपना मतपत्र पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखा सकता है। यह भी प्रावधान किया गया कि विधान परिषद की सीट के लिए चुनाव लड़ रहा उम्मीदवार भी आवश्यकता पड़ने पर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है।

चुनाव सुधार

दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर 1998 की याचिका संख्या 4912 - (कुशरा भरत बनाम भारत सरकार और अन्य) के सिलसिले में न्यायालय ने आदेश दिया है कि उम्मीदवारों की सरकारी देनदारी जैसे सरकारी मकान, बिजली, पानी, टेलीफोन और वाहन आदि (जिसमें विमान और हेलीकॉप्टर द्वारा की गई यात्रा भी शामिल है) और अन्य बकाया की सूचना निर्वाचन प्राधिकारियों द्वारा कम से कम दो स्थानीय समाचार-पत्रों में मतदाताओं की सूचनार्थ प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचन आयोग के संशोधित आदेश दिनांक 27 मार्च, 2003 के द्वारा मतदाताओं के सूचना के अधिकार को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार की पृष्ठभूमि संबंधी हलफनामा के पैरा 3(अ) iii में संशोधन किया गया है। आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए हैं कि उम्मीदवार द्वारा हलफनामे में भरी गई सूचना को समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाए ताकि मतदाताओं को उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी मिल सके।

सारणी 3.1 लोकसभा का कार्यकाल और उसके अध्यक्ष

लोकसभा	गठन के पश्चात की प्रथम बैठक	भंग होने की तिथि	अध्यक्ष का नाम	से	तक
पहली लोकसभा	13 मई, 1952	4 अप्रैल, 1957 ²	गणेश वासुदेव मावलंकर	15 मई, 1952	27 फरवरी, 1956 ³
दूसरी लोकसभा	10 मई, 1957	31 मार्च, 1962 ⁴	एम. अनंतशयनम आयंगर	8 मार्च, 1956	10 मई, 1957
तीसरी लोकसभा	16 अप्रैल, 1962	3 मार्च, 1967 ⁵	एम. अनंतशयनम आयंगर	11 मई, 1957	16 अप्रैल, 1962
चौथी लोकसभा	16 मार्च, 1967	27 दिसंबर, 1970 ⁶	हुकम सिंह	17 अप्रैल, 1962	16 मार्च, 1967
पांचवीं लोकसभा	19 मार्च, 1971	18 जनवरी, 1977 ⁸	नीलम संजीव रेड्डी	17 मार्च, 1967	19 जुलाई, 1969 ⁹
छठी लोकसभा	25 मार्च, 1977	22 अगस्त, 1979 ¹⁰	गुरदयाल सिंह दिल्ली	8 अगस्त, 1969	19 मार्च, 1971
सातवीं लोकसभा	21 जनवरी, 1980	31 दिसंबर, 1984 ¹²	गुरदयाल सिंह दिल्ली	22 मार्च, 1971	1 दिसंबर, 1975 ⁹
आठवीं लोकसभा	15 जनवरी, 1985	27 नवंबर, 1989 ¹³	बलिराम भगत	5 जनवरी, 1976	25 मार्च, 1977
नौवीं लोकसभा	18 दिसंबर, 1989	13 मार्च, 1991 ¹⁴	नीलम संजीव रेड्डी	26 मार्च, 1977	13 जुलाई, 1977 ¹¹
दसवीं लोकसभा	9 जुलाई, 1991	10 मई, 1996	के.एस. हेगड़े	21 जुलाई, 1977	21 जनवरी, 1980
ग्यारहवीं लोकसभा	22 मई, 1996	4 दिसंबर, 1997 ¹⁵	बलराम जाखड़	22 जनवरी, 1980	15 जनवरी, 1985
बारहवीं लोकसभा	23 मार्च, 1998	26 अप्रैल, 1999 ¹⁶	बलराम जाखड़	16 जनवरी, 1985	18 दिसंबर, 1989
तेरहवीं लोकसभा	20 अक्टूबर, 1999	6 फरवरी 2004 ¹⁸	रवि राय	19 दिसंबर, 1989	9 जुलाई, 1991
			शिवराज वी. पाटिल	10 जुलाई, 1991	22 मई, 1996
			पी.ए. सांगमा	23 मई, 1996	23 मार्च, 1998 (पूर्वाह्न)
			जी.एम.सी. बालयोगी	24 मार्च, 1998	20 अक्टूबर, 1999 (पूर्वाह्न)
			जी.एम.सी. बालयोगी	22 अक्टूबर 1999	3 मार्च 2002 ¹⁷
			मनोहर गजानन जोशी	10 मई, 2002	2 जून, 2004

सारणी 3.1 (जारी)

लोकसभा	गठन के पश्चात की प्रथम बैठक	भंग होने की तिथि	अध्यक्ष का नाम	से	तक
चौदहवीं लोकसभा	2 जून, 2004	18 मई 2009	सोमनाथ चटर्जी	4 जून, 2004	18 मई 2009
पंद्रहवीं लोकसभा	1 जून, 2009	-	श्रीमती मीरा कुमार	1 जून, 2009	अब तक

1. संविधान के अनुच्छेद 94 के अंतर्गत लोकसभा भंग हो जाने पर अध्यक्ष अपना पद नई लोकसभा की प्रथम बैठक होने तक नहीं छोड़ता।

2. अपने सामान्य कार्यकाल से 38 दिन पूर्व ही भंग हो गई।

3. मृत्यु हो गई।

4. अपने कार्यकाल की समाप्ति से 40 दिन पूर्व ही भंग हो गई।

5. अपने कार्यकाल की समाप्ति से 44 दिन पूर्व ही भंग हो गई।

6. अपने कार्यकाल की समाप्ति से एक वर्ष 79 दिन पूर्व भंग हो गई।

7. त्यागपत्र दे दिया।

8. लोकसभा का कार्यकाल जो कि 18 मार्च, 1976 को समाप्त होना था (कालावधि विस्तार) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत लोकसभा एक वर्ष के लिए 18 मार्च, 1977 तक बढ़ा दिया गया। इसे लोकसभा द्वारा एक वर्ष की और अवधि 18 मार्च, 1978 तक के लिए (कालावधि विस्तार) संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत बढ़ा दिया गया।

9. त्यागपत्र दे दिया।

10. दो वर्ष, चार महीने और 28 दिन अस्तित्व में रहने के बाद सदन को भंग कर दिया गया।

11. त्यागपत्र दे दिया।

12. अपने कार्यकाल की समाप्ति से 20 दिन पूर्व ही भंग हो गई।

13. अपने कार्यकाल की समाप्ति से 48 दिन पूर्व ही भंग हो गई।

14. एक वर्ष, दो महीने और 25 दिन अस्तित्व में रहने के बाद सदन को भंग कर दिया गया।

15. एक वर्ष, छह महीने और 13 दिन अस्तित्व में रहने के बाद सदन को भंग कर दिया गया।

16. एक वर्ष, छह महीने और चार दिन अस्तित्व में रहने के बाद सदन को भंग कर दिया गया।

17. निधन

18. अपने कार्यकाल की समाप्ति से 253 दिन पूर्व ही भंग हो गई।

सारणी 3.2
संसद के दोनों सदनों में राज्यवार सीटों का आवंटन तथा लोकसभा में दलगत स्थिति
(31 जुलाई, 2006 को)

राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश	राज्यसभा में सीटों में सीटों की सं. की सं.	कांग्रेस	भाजपा	माकपा (एम)	स. पा.	रा. जद	ब. स. पा.	डी. एम. के.	शिव सेना दल	बीजू ज. दल	भा. क. पा.	ने. कां. पा.	जन. (यू)	शिरो. अकाली दल	स्वतंत्र	अन्य	रिक्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
आंध्र प्रदेश	18	42	29	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	11(ए)	-
अरुणाचल प्रदेश	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
असम	7	14	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2(बी)	-
बिहार	16	40	3	4	-	-	22	-	-	-	-	-	-	5	-	-	4(सी)	2
छत्तीसगढ़	5	11	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
गोवा	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात	11	26	12	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हरियाणा	5	10	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	3	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
जम्मू और कश्मीर	4	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3(डी)	-
झारखंड	6	14	6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4(ई)	2
कर्नाटक	12	28	9	16	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2(एफ)	-
केरल	9	20	-	-	12	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4(जी)	-
मध्य प्रदेश	11	29	3	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
महाराष्ट्र	19	48	13	11	-	-	-	-	-	12	-	-	9	-	-	-	1(एच)	2
मणिपुर	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

सारणी 3.2 (जारी)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
मेघालय	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
मिजोरम	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1(आई)	-
नागालैंड	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1(जे)	-
उड़ीसा	10	21	2	7	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	1(के)	-
पंजाब	7	13	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
राजस्थान	10	25	4	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सिक्किम	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1(एल)	-
तमिलनाडु	18	39	10	-	-	2	-	-	-	16	-	-	2	-	-	-	-	9(एम)	-
त्रिपुरा	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्तराखंड	3	5	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश	31	80	9	10	-	-	36	-	15	-	-	-	-	-	1	-	1	5(एन)	3
पश्चिम बंगाल	16	42	5	-	-	25	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	6(ओ)	3
नामांकित	12	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
केंद्रशासित प्रदेश																			
अंडमान-निकोबार	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
द्वीपसमूह	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चंडीगढ़	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दादरा और	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1(पी)
नगर हवेली	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दमन और दीव	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
राष्ट्रीय राजधानी	3	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्र दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

राजनीतिक संरचना

सारणी 3.2 (जारी)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
लक्षद्वीप	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
पांडिचेरी	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1(क्यू)	-
कुल	245	543	146	128	42	38	23	15	16	12	12	11	10	10	7	8	5	57	17
ए- तेलंगाना राष्ट्र समिति- 5, तेलुगू देशम-5, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसमीन-1																			
बी- असम गण परिषद-2																			
सी- लोक जनशक्ति पार्टी-4																			
डी- जम्मू और कश्मीर नेशनल काँग्रेस- 2, जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी-1																			
ई- झारखंड मुक्ति मोर्चा - 4																			
एफ- जनता दल (सेक्यूलर)- 2																			
जी- जनता दल (सेक्यूलर)- 1, मुसलिम लीग की केरल राज्य इकाई 1, केरल काँग्रेस-2																			
एच- रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)-1																			
आई- मिजो नेशनल फ्रंट- 1																			
जे- नागालैंड पीपुल्स फ्रंट- 1																			
के झारखंड मुक्ति मोर्चा - 1																			
एल- सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट- 1																			
एम- पट्टली मक्कल काची- 5, मारुमलाची द्रविण मुर्नेद्र कषाम- 4																			
एन- राष्ट्रीय लोकदल- 3, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी- 1, समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय)- 1																			
ओ- रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी- 3, ऑल इंडिया वृणमूल काँग्रेस-1, ऑल इंडिया फोरवर्ड ब्लॉक- 3																			
पी- भारतीय नवशक्ति पार्टी-1																			
क्यू- पट्टली मक्कल काची- 1																			

4. कृषि

भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का योगदान 2007-08 और 2008-09 के दौरान क्रमशः 17.8 और 17.1 प्रतिशत रहा। हालांकि कृषि उत्पादन मानसून पर भी निर्भर करता है, क्योंकि लगभग 55.7 प्रतिशत कृषि-क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है।

वर्ष 2008-09 के चौथे पूर्व आकलन के अनुसार खाद्यान्न का उत्पादन 238.88 करोड़ टन होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 1 करोड़ 3.1 लाख टन अधिक है। चावल का उत्पादन 9 करोड़ 91 लाख टन होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष की तुलना में 24 लाख टन अधिक है। गेहूं का उत्पादन 8 करोड़ 5 लाख टन होने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20 लाख टन अधिक है। इसी तरह मोटे अनाज का उत्पादन 3 करोड़ 94 लाख टन होने की उम्मीद है, एवं दलहन का उत्पादन एक करोड़ 46 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है जो वर्ष 2007-08 की तुलना में 0.99 लाख टन अधिक है। गन्ने का उत्पादन 2712.54 लाख टन होने की उम्मीद है, जो वर्ष 2007-08 की तुलना में 769.34 लाख टन कम है। कपास का उत्पादन 231.56 लाख गांठें अनुमानित है (प्रत्येक गांठ का वजन 170 किलोग्राम) जो वर्ष 2007-08 की तुलना में 27.28 लाख गांठें अधिक है। 2008-09 के दौरान जूट एवं मेस्टा की पैदावार 104.07 लाख गांठें (प्रत्येक गांठ का वजन 180 किलोग्राम) होने का अनुमान है, जो वर्ष 2007-08 की तुलना में 8.04 लाख गांठ कम है।

वर्ष 2008-09 के दौरान खाद्यान्नों का फसल क्षेत्र एक करोड़ 23 लाख हेक्टेयर रखा गया है, जबकि पिछले वर्ष यह क्षेत्र 1.24 करोड़ हेक्टेयर था। चावल का फसल क्षेत्र 453.52 लाख हेक्टेयर रखा गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 14.37 लाख हेक्टेयर अधिक है। गेहूं का फसल क्षेत्र वर्ष 2008-09 में 278.77 लाख हेक्टेयर अनुमानित है, जो वर्ष 2007-08 के गेहूं के फसल क्षेत्र से 1.62 लाख हेक्टेयर कम है। मोटे अनाज का फसल क्षेत्र वर्ष 2008-09 में 276.17 लाख हेक्टेयर अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.64 लाख हेक्टेयर कम है।

अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 2008-09 में 2007-08 के मुकाबले बढ़ोतरी 8 प्रतिशत (गेहूं) से लेकर 52.6 प्रतिशत (रागी) तक हुई। साधारण धान के मामले में बढ़ोतरी 31.8 प्रतिशत, दालों में 8.1 प्रतिशत (चना) और उड़द तथा मूंग में 42.8 प्रतिशत रही।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और वर्षा सिंचित खेती प्रणाली के कार्यक्रम और योजनाएं

भूमि पौधों और अन्य जीवों के लिए जल और अन्य पोषक तत्वों के भंडार के रूप में कार्य करती है। खाद्य, ऊर्जा और अन्य मानवीय आवश्यकताओं की मांग भूमि की उत्पादकता के संरक्षण और सुधार पर निर्भर करती है। भारत की जनसंख्या विश्व की 18% और पशुओं की 15% है, जिसके लिए भौगोलिक

क्षेत्र का 2% और 1.5% वन तथा चरागाह है। मानव और पशुओं की जनसंख्या में पिछले दशकों में हुई वृद्धि से प्रतिव्यक्ति भूमि की उपलब्धता कम हुई है। प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1951 के 0.89 हेक्टेयर के मुकाबले 1991 में 0.37 हेक्टेयर हो गई और यह 2035 में 0.20 हेक्टेयर हो जाएगी। जहां तक कृषि भूमि का सवाल है, वह 1951 के 0.48 हेक्टेयर के मुकाबले 1991 में 0.16 हेक्टेयर हो गई और इसके 2035 तक गिरकर 0.08 हेक्टेयर हो जाने की संभावना है। प्रतिव्यक्ति भूमि की उपलब्धता जनसंख्या वृद्धि के कारण कम हो रही है।

भारत के कुल 32 करोड़ 87 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र का 14 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य है। इसका 5.7 करोड़ हेक्टेयर (40%) सिंचित और 8.5 करोड़ हेक्टेयर (60%) वर्षा सिंचित है। यह क्षेत्र वायु और जलीय क्षरण और सघन कृषि उत्पादन के कारण क्षरण के विभिन्न चरणों पर निर्भर करता है। इसलिए अधिकतम उत्पादन प्रति इकाई भूमि और प्रति इकाई जल से सुधार की जरूरत है। वर्षा आधारित कृषि में उत्पादकता और लागत दोनों कम होती है। फसल उत्पादन साल दर साल वर्षा में अस्थायित्व पर निर्भर करता है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में 20 करोड़ से अधिक ग्रामीण गरीब रहते हैं। जोखिम भरे क्षेत्रों में व्यापक बदलाव और पैदावार में अस्थिरता दिखाई देती है।

देश में भूमि क्षरण का आकलन विभिन्न एजेंसियों ने किया है। क्षरित भूमि की पहचान और उनके अंकन में अलग तरीके अपनाने से इन एजेंसियों के अनुमानों में व्यापक अंतर है जो 6.39 करोड़ हेक्टेयर से 18.7 करोड़ हेक्टेयर तक है। भूमि क्षरण का आकलन मुख्य रूप से राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976), बंजर भूमि विकास संवर्धन सोसायटी (1984), राष्ट्रीय दर संवेदी एजेंसी (1985), कृषि मंत्रालय (1985) और राष्ट्रीय भूमि सर्वे और भूमि उपयोग ब्यूरो (1984 तथा 2005) ने किया।

देश भर में भूमि क्षरण के कई रूप हैं। व्यापक और आवधिक वैज्ञानिक सर्वे न होने के कारण अनुमान स्थानीय सर्वेक्षणों और अध्ययनों पर आधारित हैं। वर्ष 2005 में आईसीएआर के नागपुर स्थित राष्ट्रीय भूमि सर्वे और भूमि उपयोग ने प्रकाशित किया है कि 14.68 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र विभिन्न प्रकार के भूमि क्षरण से प्रभावित है। इसमें 9.36 करोड़ हेक्टेयर जलीय क्षरण, 94.8 लाख हेक्टेयर वायु क्षरण, 1.43 करोड़ हेक्टेयर जल क्षरण। बाढ़, 59.4 लाख हेक्टेयर खारापन। क्षारीय, 1.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि अम्लता और 73.8 लाख हेक्टेयर जटिल समस्या शामिल है।

भूमि विकास के लिए जलसंभरण कार्यक्रम

विभिन्न जल संभरण विकास कार्यक्रम, यथा (i) वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलसंभरण विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए) (ii) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवृत्त नदी के जलग्रहण क्षेत्र में भूमि संरक्षण (आरवीवी और पीपी आर) (iii) क्षारीय और अम्लीय भूमि की पुनर्प्राप्ति और विकास (आरएडीएस) (iv) झूम खेती क्षेत्रों में जलसंभरण विकास परियोजना (डब्ल्यूडीपीएससीए) का कार्यान्वयन हो रहा है।

जलसंभरण विकास योजनाएं/कार्यक्रम : प्रभागवार और कार्यक्रमानुसार विवरण निम्नलिखित हैं:

एनआरएम की योजनाएं और कार्यक्रम

देश में भूमि-क्षरण को रोकने और क्षरित भूमि की उत्पादन क्षमता बहाल करने के उद्देश्य से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन केंद्र प्रायोजित तीन कार्यक्रमों और केंद्रीय क्षेत्र की तीन योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। योजनावार कार्यक्रम/योजनाओं की विशिष्ट बातें हैं :

केंद्रीय/क्षेत्र योजना (योजना और गैर योजना)

एसएल्यूएसआई : केंद्रीय क्षेत्र की योजना भारतीय भूमि एवं भूमि उपयोग सर्वे जलग्रहण। जलसंभरण के भूमि का सर्वे करता है। संगठन जिलावार भूमि क्षरण नक्शा तैयार करने में भी लगा है। इसके 2009-10 के प्रस्तावित लक्ष्य इस प्रकार हैं :

(अ) त्वरित गहन सर्वेक्षण (आरआरएन)- 156.00 लाख हेक्टेयर

(ब) विस्तृत भूमि सर्वेक्षण (डीएसएस)- 1.60 लाख हेक्टेयर

(स) क्षरित भूमि का मानचित्र (एलडीएम)- 0.10 लाख हेक्टेयर

(द) भूमि संसाधन मानचित्र (एसआरएम)- 161.00 लाख हेक्टेयर

लक्ष्य पूर्ति के लिए योजना के तहत 14 करोड़ रुपए और गैर योजना के लिए 2.32 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

एससीटीसी-डीवीसी (गैर योजना) : राज्य सरकारों के तहत भूमि और जल संरक्षण के लिए कार्य करने वाले अधिकारियों के प्रशिक्षण क्षमता निर्माण के लिए हजारीबाग स्थित दामोदर घाटी निगम में भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र को वित्तीय सहायता प्रदान कर गैर योजना स्कीम के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2009-10 में विभिन्न अल्प और मध्यकालिक पाठ्यक्रमों के लिए 0.45 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

डब्लूडीपीएससीए (योजना) : पूर्वोत्तर के राज्यों में राज्य योजना को 100% विशेष केंद्रीय सहायता से झूम खेती वाले क्षेत्रों में जलविभाजक विकास परियोजना लागू की जा रही। इस योजना के तहत दसवीं योजना में 3.03 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य हो चुका है। 2009-10 में लगभग 0.40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र इसके तहत लाया जाएगा, जिस पर लगभग 40 करोड़ रुपए व्यय होंगे।

केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम (योजना-एमएम के तहत शामिल) आरवीपी और पीपीआर : नदी घाटी जल ग्रहण एवं बाढ़ोन्मुख नदी क्षेत्र में भूमि संरक्षण के तहत शुरू से दसवीं योजना तक 65.27 लाख हेक्टेयर का उपचार किया गया। 2009-10 में 290 करोड़ रुपए की लागत से 2.80 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है।

आरएडीएस : क्षारीय और अम्लीय भूमि सुधार और विकास कार्यक्रम क्षारीय भूमि वाले राज्यों में लागू किया जा रहा है। शुरू से दसवीं योजना तक 0.59 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य बनाया गया। 2009-10 में 14 करोड़ रुपए की लागत से 0.25 हेक्टेयर को कृषि योग्य बनाए जाने का लक्ष्य है।

क्षरित भूमि के विकास के लिए आरएफएस प्रखंड की योजनाएं/कार्यक्रम

आरएफएस डिवीजन वर्षा सिंचित क्षेत्रों सहित क्षरित भूमि के विकास के लिए कुछ कार्यक्रम चला रहा है। प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

(अ) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलसंभरण विकास परियोजना-(एनडब्लूडीपीआरए) वर्ष 1991-92 में 28 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए एक राष्ट्रीय जलसंभरण विकास परियोजना एकीकृत जलसंभरण प्रबंधन और सतत कृषि प्रणाली की अवधारणा के साथ लागू की गई। शुरू से दसवीं योजना के अंत तक कार्यक्रम के तहत 94.02 लाख हेक्टेयर भूमि विकसित की गई है। लघु जलसंभरण सहित 30 लाख हेक्टेयर विकसित करने का प्रस्ताव है। 2009-10 में 300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2.80 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है।

(ब) राष्ट्रीय वर्षा सिंचित प्राधिकरण (एनआरएए)—देश के वर्षा सिंचित क्षेत्रों की समस्या पर ध्यान देने के लिए केंद्र सरकार ने 3 नवंबर, 2006 को राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण का गठन किया है। प्राधिकरण सलाह, नीति निर्धारण और निगरानी के साथ वर्तमान परियोजनाओं में दिशानिर्देशों की जांच के अलावा क्षेत्र में बाहरी सहायता से चलने वाली परियोजनाओं सहित नई परियोजनाएं तैयार करता है। इसका अधिकतर क्षेत्र केवल जल संरक्षण ही नहीं, बल्कि उचित कृषि और जीविका प्रणाली सहित वर्षा सिंचित क्षेत्रों का सतत और समग्र विकास है। यह भूमिहीनों और सीमांत किसानों के मुद्दों पर भी ध्यान देगा क्योंकि वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उनकी संख्या अधिक है।

प्राधिकरण का ढांचा द्विस्तरीय है। पहला शासी निकाय है, जो कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उचित नेतृत्व और समन्वय का कार्य करता है। केंद्रीय कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री सह-अध्यक्ष हैं। दूसरी कार्यकारी समिति है जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ और संबद्ध मंत्रालयों के प्रतिनिधि हैं। कार्यकारी समिति में एक प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, उसमें पांच पूर्णकालिक तकनीकी विशेषज्ञ भी हैं। प्राधिकरण 14 मई, 2007 से कार्य करने लगा है। प्राधिकरण में पांच में से चार तकनीकी विशेषज्ञ अतिरिक्त सचिव स्तर के हैं। कृषि/बागवानी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।

प्राधिकरण ने जलसंभरण विकास परियोजना के साझा दिशा-निर्देश तैयार किए और शासी निकाय की स्वीकृति के बाद उन्हें तदनुसार क्रियान्वयन के लिए सभी राज्यों को जारी कर दिया गया है।

(स) वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आएडीपी)—केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2007-08 में वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की घोषणा की थी। योजना आयोग ने केंद्र प्रायोजित इस योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्यारहवीं योजना में 3500 करोड़ रुपये की लागत से लागू करने की सिद्धांतरूप से सहमति प्रदान कर दी है। इसके अलावा उसने एनआरएए के लिए 170 करोड़ रुपये और 20 मार्च, 2008 को जारी किए गए। योजना आयोग और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/प्रखंडों की टिप्पणियों पर आधारित संशोधित 3330 करोड़ रुपये के आवंटन के आधार पर नोट वित्त मंत्रालय और योजना आयोग को भेजे जा चुके हैं। कार्यक्रम के तहत ग्यारहवीं योजना में 30 लाख हेक्टेयर वर्षा सिंचित क्षेत्र शामिल किए जाने की उम्मीद है।

प्रचालन दिशा-निर्देशों का निरूपण और वितरण

राष्ट्रीय वर्षा सिंचित प्राधिकरण ने देश जलसंभरण विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए दिशा - निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार एनडब्ल्यूडीपीआरए, आरवीपी एवं पीपीएम तथा आएडीएस कार्यक्रमों के बारे में राज्यों को परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। झूम खेती क्षेत्र के बारे में जलसंभरण विकास कार्यक्रम के लिए भी दिशा-निर्देश राज्य सरकारों को भेजे जा चुके हैं।

वृहद् कृषि-प्रबंधन

कृषि राज्य का विषय होने के कारण कृषि उत्पादन बढ़ाने, पैदावार बढ़ाने और इस क्षेत्र के अप्रयुक्त क्षमता का इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। यद्यपि राज्य सरकार के प्रयासों में और तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र द्वारा पोषित कई योजनाएं भी लागू की गई हैं जिससे देश के कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की जा सके और किसानों के जीवन में समृद्धि लाई जा सके।

वृहद् कृषि प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा पोषित एक योजना है जिसका उद्देश्य है विभिन्न राज्यों में कृषि के विकास के लिए विशेष रूप से बल दिया जाए और इस योजना पर खर्च होने वाली केंद्रीय सहायता का सही दिशा में उपयोग हो सके। यह योजना 2000-01 से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू की जा चुकी है। इस योजना में क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यक्रमों को लागू करने और कृषि विकास के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त छूट दी गई है। फलस्वरूप राज्यों ने अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर क्षेत्रवार विकास के लिए खुलकर योजना को लागू किया है। कृषि विकास योजना में यह योजना राज्यों के स्तर पर निर्णय लेने की दिशा में विकेंद्रीकरण की एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों के जरिए कृषि में तेजी से विकास करना है।

कृषि उत्पादन और उत्पादकता की बढ़ोतरी की दिशा में राज्यों की कार्यक्षमता में सुधार हेतु 2008-09 में वृहद् कृषि प्रबंधन योजना संशोधित की गई है। अतिव्याप्ति और दोहराव रोकने के लिए योजना की भूमिका को फिर से तय किया गया है ताकि खाद्य सुरक्षा के बुनियादी उद्देश्यों तथा ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को आज के कृषि परिदृश्य में अधिक प्रासंगिक बनाया जा सके। संशोधित योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: (i) ऐतिहासिक आधार पर राज्यों केंशाप्र को आर्बंटि फंड प्रक्रिया को बदलकर इसकी जगह सकल क्षेत्र तथा लघु एवं सीमांत जोतों पर आधारित आर्बंटन मानदंड अपनाया गया है। राज्यों/केंशाप्र को सहायता शतप्रतिशत अनुदान के रूप में मुहैया कराई जाएगी; (ii) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं के तहत सब्सिडी नमूने को एक जैसा बनाने के लिए सब्सिडी ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया है। संशोधित सब्सिडी शर्तें अधिकतम सहायता की अनुमति देती हैं; (iii) मौजूदा 'क्षारीय भूमि पुनरुद्धार' हिस्से सहित दो नए हिस्से शामिल किए गए हैं— (क) तिलहन, दलहन, पाम आयल तथा मक्का एकीकृत योजना के तहत आने वाले क्षेत्रों के लिए दाल और तिलहन फसल उत्पादन कार्यक्रम तथा (ख) अम्लीय भूमि पुनरुद्धार कार्यक्रम; (iv) नई पहल के लिए अनुमोदित सीलिंग को आर्बंटन के 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत किया गया है; (v) फंड का कम से कम 33 प्रतिशत लघु, सीमांत तथा महिला किसानों के लिए रखा गया है तथा (vi) संशोधित एमएमए योजना के क्रियान्वयन की सुनिश्चितता के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए जिसमें जिला/उपजिला स्तर पर योजना की समीक्षा, निगरानी और मूल्यांकन शामिल है।

योजना के तहत 11वीं योजना में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वर्षवार जारी धनराशि इस प्रकार है:

(रुपए करोड़ में)

11वीं योजना			
2007-08	1100.00	1047.55	1001.26
2008-09	950.00	981.00	922.98

वर्ष 2009-10 के लिए 950 करोड़ रुपए संशोधित वृहद् कृषि योजनाओं के प्रबंधन के लिए रखे गए हैं। चालू वर्ष में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 254.67 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

कृषि यंत्रीकरण

किसानों के पुराने और बेकार हो चुके औजारों तथा मशीनों को हटाकर उनके स्थान पर नए आधुनिक यंत्र उपलब्ध कराने के नीतिगत कार्यक्रम अपनाए गए हैं। इसके अंतर्गत उन्हें ट्रैक्टर, पावर ट्रिलर, हारवेस्टर व अन्य मशीनें और सीमा शुल्क सेवा, मानव संसाधन विकास के लिए सहयोगी सेवाएं तथा परीक्षण, मूल्यांकन, अनुसंधान विकास आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कृषि यंत्रों के उत्पादन के लिए एक बुनियादी औद्योगिक ढांचा विकसित किया जा चुका है। विस्तार और प्रदर्शन के जरिए तकनीकी दृष्टि से आधुनिक उपकरण अपनाए गए हैं और संस्थागत ऋण की व्यवस्था की गई है। किसानों ने संसाधनों के संरक्षण के लिए भी उपकरणों को अपनाया है।

सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं, जैसे—खेती के लिए जल-व्यवस्था पर वृहद् कृषि प्रबंधन, तिलहन और दलहन के लिए प्रौद्योगिकी मिशन, बागवानी पर प्रौद्योगिकी मिशन और कपास के प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वे अपने लिए कृषि संबंधी औजार और मशीनें खरीद सकें।

कृषि मशीनरी के बारे में प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान

खेती की मशीनों से संबंधित प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों (एफएमटी ऐंड टीआई) की स्थापना मध्य प्रदेश के बुंदेली, हरियाणा के हिसार, आंध्र प्रदेश के गार्लादिने और असम के विश्वनाथ चेरियाली में की गई है। यहां प्रतिवर्ष करीब 5,600 लोगों को कृषि मशीनीकरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। इन संस्थानों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि मशीनों का परीक्षण तथा कार्यक्षमता का मूल्यांकन भी किया जाता है। शुरू से 1,10,712 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और 31 मार्च, 2009 तक 2,584 मशीनों का परीक्षण हो चुका है। इन संस्थाओं ने 2008-09 के दौरान 5,894 लोगों को प्रशिक्षित और 163 मशीनों का परीक्षण किया।

नवविकसित कृषि/बागवानी उपकरणों का प्रदर्शन

कृषि-उत्पादन प्रणाली में नई प्रौद्योगिकी प्रारंभ करने के उद्देश्य से नए विकसित/उन्नत कृषि एवं बागवानी उपकरणों के प्रदर्शन की एक योजना में मंजूर की गई थी। इसे अब केंद्रीय क्षेत्र की पुनर्गठित योजना *प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रदर्शन के जरिए कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन एवं सुदृढ़ीकरण* का एक घटक बना दिया गया है। इस घटक के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को नए/उन्नत उपकरणों की खरीद और प्रदर्शन के लिए शत-प्रतिशत सहायता-अनुदान दिया जाता है। इस योजना को राज्य/केंद्रीय सरकार के संगठनों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इस घटक से किसानों को नए कृषि/बागवानी उपकरणों को अपनाने के लिए प्रेरित करने में मदद मिली है। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सहायता के लिए प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर (आईसीएआर एवं एसपीसीआई) दो संगठनों को राशि जारी की जाती है। वर्ष 2008-09 नए उपकरणों के 11,214 प्रदर्शन किए गए, जिससे 1,52,364 किसानों को लाभ पहुंचा।

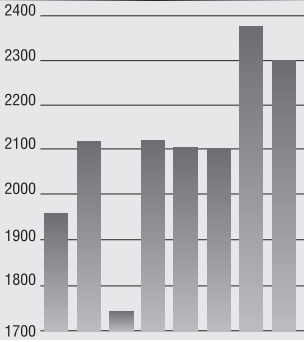
प्रशिक्षण की आउटसोर्सिंग (बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण)

यह दसवीं पंचवर्षीय योजना में केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रदर्शन के जरिए कृषि मशीनरी का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण' के अंतर्गत स्वीकृत घटक है। इसके अंतर्गत बड़ी संख्या में

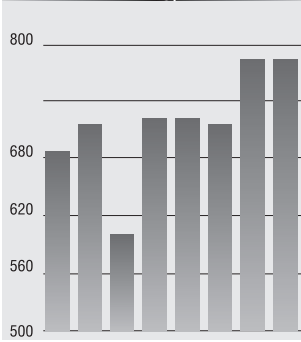
कृषि उत्पादन

(लाख टन में)

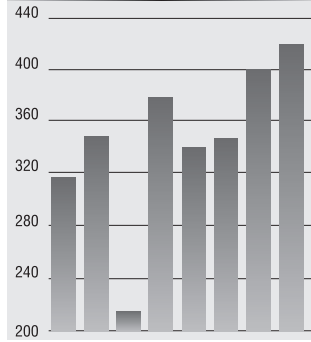
खाद्यान्न



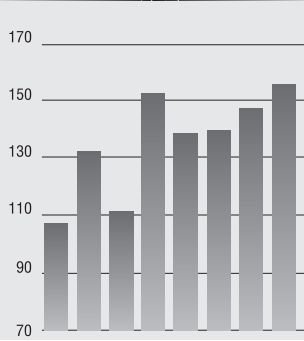
गेहूं



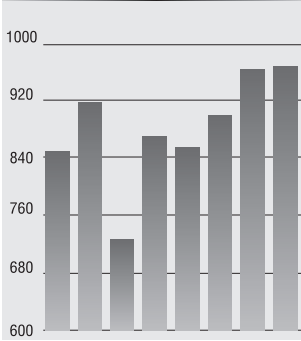
मोटे अनाज



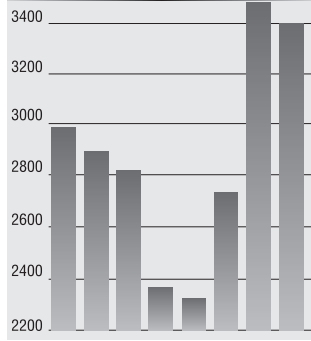
दालें



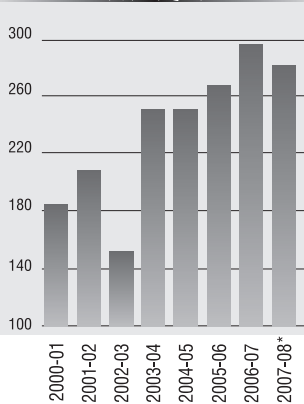
चावल



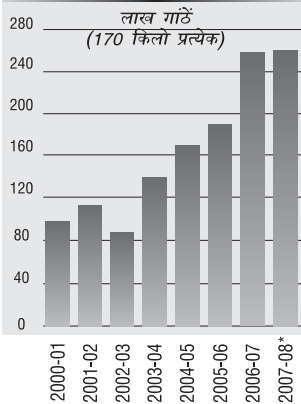
गन्ना



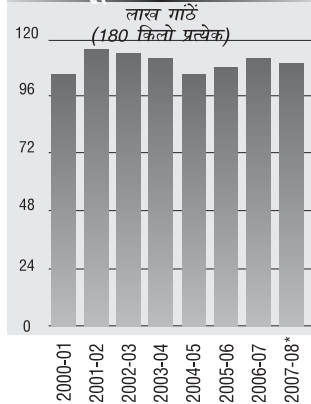
तिलहन



कपास



जूट व मेस्ता



KBK

*अस्थायी

किसानों को निकटवर्ती स्थानों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। यह 2004-05 से प्रभावी है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन प्रत्येक राज्य के चुनिंदा संस्थानों के जरिए किया जाता है। इनमें राज्य कृषि विश्वविद्यालय, कृषि इंजीनियरी कालेज/पॉलिटेक्निक्स आदि शामिल हैं। विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए 2008-09 में 27.20 लाख रुपए जारी किए गए।

फसलोपरांत प्रौद्योगिकी और प्रबंधन

कृषि मंत्रालय कृषि बाजारों के सुधार और फसलोपरांत प्रौद्योगिकी पर विशेष बल दे रहा है। तदनुसार विभाग 11वीं योजना में मार्च, 2008 से फसलोपरांत प्रौद्योगिकी प्रबंधन योजना 40 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित कर रहा है। योजना के तहत सीएसआईआर और देश तथा विदेश की चिन्हित संस्थाओं द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी पर बल दिया जाता है, जो अनाज, दाल, तिलहन, गन्ना, सब्जियों और फलों और फसल उप-उत्पाद के प्रारंभिक प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन और कम लागत वाली वैज्ञानिक भंडारण प्रबंधन में काम आती हैं। इस योजना के तहत सरकारी सहायता से फसलोपरांत उपकरणों के वितरण, प्रदर्शन आयोजन और फसलोपरांत प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण के लिए वर्ष के दौरान 478 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

राज्य कृषि उद्योग निगम

केंद्र सरकार और संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों के रूप में 17 राज्य कृषि उद्योग निगमों की स्थापना की गई है। इन निगमों का उद्देश्य कृषि मशीनों का निर्माण और वितरण, कृषि निवेशों का वितरण, कृषि-आधारित उद्योगों की स्थापना और संचालन को प्रोत्साहन तथा किसानों और अन्य लोगों को तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा परामर्श देना है। 1965 से 1970 के बीच आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इनकी स्थापना हुई। कई राज्य सरकारों ने अपनी पूंजी बढ़ा दी है। छह राज्य कृषि उद्योग निगमों- उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी नहीं रही है। केंद्र सरकार ने इन राज्य सरकारों के पक्ष में अपने शेषों का विनिवेश कर दिया है।

विधायी ढांचा

खतरनाक मशीन (नियमन) अधिनियम, (1983) 14 सितंबर, 1983 से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम में खतरनाक मशीनें बनाने वाले किसी उद्योग के व्यापार, वाणिज्य और उत्पादन, तथा उत्पादों की आपूर्ति एवं उपयोग के नियमन का प्रावधान है, ताकि ऐसी मशीनें चलाने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसमें ऐसी मशीनों के संचालन के समय होने वाली दुर्घटना में मृत्यु या शारीरिक अपंगता की स्थिति में मुआवजे के भुगतान-संबंधी प्रावधान भी किए गए हैं। फसलों की गहवाई (श्रेशिंग) में प्रयुक्त पावर श्रेशरों को इस अधिनियम की परिधि में लाया गया है। केंद्रीय सरकार ने खतरनाक मशीन (नियमन) अधिनियम, 1985 को अधिसूचित कर पावर श्रेशर लगाने आदि के बारे में विशेष निर्देश दिए हैं। पावर श्रेशर के अतिरिक्त चैफ-कटर और गन्ने के कोल्हू को भी इस अधिनियम के दायरे में लाने का प्रस्ताव है।

पौध-संरक्षण

फसल-उत्पादन के लक्ष्य हासिल करने में पौध-संरक्षण की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पौध संरक्षण के महत्वपूर्ण घटकों में समन्वित कीट प्रबंधन को प्रोत्साहन, फसल पैदावार को कीटों और बीमारियों के

दुष्प्रभाव से बचाने के लिए सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ज्यादा पैदावार देने वाली नई फसल प्रजातियों को तेजी से अपनाए जाने के लिए संगरोधन (क्वारन्टीन) उपायों को सुचारु बनाना शामिल है। इसके अंतर्गत बाहरी कीटों के प्रवेश की गुंजाइश समाप्त करना और पौध-संरक्षण कौशल में महिलाओं को अधिकारिता प्रदान करने सहित मानव संसाधन विकास पर भी ध्यान दिया जाता है।

बागवानी

पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बागवानी के एकीकृत विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी की फसलों के एकीकृत विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन पर केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम इस वर्ष के दौरान जारी रहा। इस योजना को जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में भी लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य उत्पादन, फसल के बाद और खपत की कड़ी को जोड़ने के लिए पर्याप्त, समुचित और समय रहते ध्यान देने वाले उपाय करना है जिससे सपाट और उर्वर स्थिति में सिंचाई के माध्यम से सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों को सुचारु रूप से चलाया जा सके। लघु किसान कृषि व्यापार संगठन (एसएफएसी) योजना के समन्वय में शामिल है।

प्रौद्योगिकी मिशन बागवानी विकास के सभी पहलुओं से संबंधित अपने चार/लघु मिशनों के माध्यम से एक सिरे से दूसरे सिरे तक विचार करता है। लघु मिशन-I में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान का समन्वयन और कार्यान्वयन शामिल है। लघु मिशन-II में कृषि विभाग द्वारा समन्वित उत्पादन और उत्पादक गतिविधियों में सुधार लाना और राज्य के कृषि/बागवानी विभागों द्वारा उन्हें लागू करना शामिल है। लघु मिशन-III में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा फसल के बाद के प्रबंधन विपणन और निर्यात में समन्वय रखा जाता है और लघु मिशन-IV में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रसंस्करण उद्योग में समन्वयन और कार्यान्वयन किया जाता है। राज्य स्तरीय लघु किसान कृषि व्यापार संगठनों को निचले स्तर पर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और उन्हें लागू करने वाले अधिकतर राज्यों का निरीक्षण के लिए गठित किया गया है। प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजनाओं/प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को फंड उपलब्ध कराए जाते हैं जो संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा स्वीकृत की जाती है।

प्रमुख उपलब्धियां

विभिन्न बागवानी फसलों के अंतर्गत 2008-09 तक बहुत प्रगति की गई है। पूर्वोत्तर तथा हिमालय क्षेत्र से 494343 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। इनमें फल 303667 हेक्टेयर, सब्जी 77882 हेक्टेयर, मसाले 61985 हेक्टेयर, पौध फसलें 10443 हेक्टेयर, औषधि 6079 हेक्टेयर, सुगंधित पौधे 8640 हेक्टेयर, कंद मूल 1540 हेक्टेयर, फूल 24042 हेक्टेयर शामिल हैं। इसके अलावा 47 थोक बाजार, 262 ग्रामीण प्राथमिक बाजार, 64 अपनी मंडियां, 18 ग्रेडिंग प्रयोगशालाएं, 31 रज्जुमार्ग और 49 प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गईं। बेहतर उत्पादन के लिए मूलभूत सुविधाएं 935 नर्सरियां, 10032 सामुदायिक जल टैंक, 11106 ट्यूबवेल, 26 ऊतक विकास इकाइयां, ग्रीन हाउस 2496025 वर्ग मीटर, 25 आधुनिक पुष्पोत्पादन केंद्र, 25 खुब ईकाइयां, 15785 कंपोस्ट ईकाइयां, 164960 किसानों/प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, 67329 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। परंपरागत फसलों में बेहतर उत्पादन

प्रौद्योगिकी के अलावा नींबू, केला, अनन्नास, किवी, सेब, गुलाब, आर्किड, टमाटर, तरह-तरह की मिर्चों के व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा दिया।

वर्ष 2007-08 में 323.40 करोड़ रुपए के बजट आवंटन में 321.76 करोड़ रुपए से 127850 हेक्टेयर क्षेत्र बागवानी फसलों के अंतर्गत लाया गया (फल 82494, सब्जी 16306, मसाले 11692, पौध फसलें 2125, औषधीय और सुगंधित पौधे-3760 हेक्टेयर आदि)। फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए ढांचागत सुविधाएं प्रदान की गईं। इनमें 165 नर्सरियां, 1877 सामुदायिक जल टैंक, 3068 ट्यूबवेल, 350953 वर्ग मीटर ग्रीन हाउस, 1766 कंपोस्ट ईकाइयां, 37524 किसानों, 18325 महिलाओं को प्रशिक्षण के अलावा बाजार और प्रसंस्करण ईकाइयों की स्थापना की गई जो परियोजना आधारित थी।

पिछले वित्तीय वर्ष 2008-09 में विभिन्न बागवानी फसलों के अंतर्गत 148071 हेक्टेयर क्षेत्र लाया गया (फल 104064, सब्जी 20333, मसाले 12, पौध फसलें 1902, औषधीय और सुगंधित पौधे 3429 हेक्टेयर आदि)। फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 59 नर्सरियां, 838 सामुदायिक प्रति टैंक, 2088 ट्यूब वेल, 317049 वर्ग मीटर ग्रीन हाउस, 12 आधुनिक पुष्पोत्पादन केंद्र, खुंब इकाई-एक, 2851 कंपोस्ट ईकाइयां, 27752 किसानों/प्रशिक्षकों, 14083 महिलाओं को प्रशिक्षण के अलावा बाजार और प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गईं।

वित्तीय स्थिति

वर्ष 2001-02 से 2008-09 तक मिशन के तहत 1538.60 करोड़ रुपए जारी किए गए जिसमें से 1122.37 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर के तथा 415.63 करोड़ रुपए हिमालय क्षेत्र के राज्यों के लिए दिए गए। चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में 349 करोड़ रुपए में से 280 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर के तथा 69 करोड़ रुपए हिमालय क्षेत्र के राज्यों के लिए हैं। ग्यारहवीं योजना के लिए आवंटित राशि 1500 करोड़ रुपए है लेकिन पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र के राज्यों की आवश्यकता पूरी करने के लिए इसको 2500 करोड़ रुपए की दर कम है।

इस योजना के अंतर्गत, महिलाओं को समान अवसर उपलब्ध कराते हुए आत्मनिर्भर बनाना भी शामिल है ताकि महिलाएं भी मौजूदा कृषि प्रणाली से होने वाले लाभों को प्राप्त कर सकें।

स्व-सहायता समूह बनाने के लिए महिला संगठनों को पर्याप्त संगठनात्मक, तकनीकी प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। मिशन के तहत बागवानी के विभिन्न पहलुओं में 2007-08 में 51262 महिला उद्यमियों को और 2008-09 में अब तक 4037 को प्रशिक्षित किया गया है।

केंद्रीय बागवानी संस्थान, मेजिफेमा, नगालैंड

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बागवानी विकास की महत्ता को समझते हुए केंद्र सरकार ने नगालैंड में केंद्रीय बागवानी संस्थान की स्थापना को जनवरी, 2008 में मंजूरी दी जिसे पांच वर्ष में 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 10वीं योजना के लिए 8.35 करोड़ रुपए रखे गए हैं। संस्थान की स्थापना मेजिफेमा में 43.50 हेक्टेयर क्षेत्र में की जा रही है।

राष्ट्रीय बांस मिशन

देश में बांस की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय का कृषि एवं सहकारिता विभाग देश के 27 राज्यों में राष्ट्रीय बांस मिशन का क्रियान्वयन कर रहा है। योजना के लिए वर्ष 2006-07 से 2010-11 के लिए 568.23 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

मिशन का उद्देश्य

बांस क्षेत्र का क्षेत्रीय विशिष्टता के आधार पर प्रोत्साहन। क्षमता वाले, क्षेत्रों में बेहतर किस्म के बांस लगाने को बढ़ावा देकर क्षेत्र का विस्तार।

बांस और बांस आधारित हस्तशिल्प के विपणन को प्रोत्साहन के विकास के लिए संबद्ध भागीदारों में सहयोग बढ़ाना।

परंपरागत और आधुनिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का विकास एवं प्रसार। कुशल और अकुशल लोगों के लिए, खासकर बेरोजगार युवाओं के लिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

वित्तीय समीक्षा

वर्ष 2006-07 में 15 राज्यों के लिए 7570.60 लाख रुपए जारी किए गए। वर्ष 2007-08 में अनुसंधान एवं विकास के लिए 359.80 लाख रुपए सहित 11439.62 लाख रुपए दिए गए। वित्तीय वर्ष 2008-09 में अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के लिए 123.74 लाख रुपए सहित विभिन्न राज्यों/क्रियान्वयन संस्थानों को 8466.60 लाख रुपए जारी किए गए।

चालू वित्तीय वर्ष में 7000 लाख रुपए का बजट प्रावधान है। इसमें से अभी तक 775.30 लाख रुपए छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मिजोरम और नगालैंड को दिए जा चुके हैं।

उपलब्धियां

वन और गैर-वन क्षेत्रों का 1,00,456 हेक्टेयर बांसबागान के तहत लाया गया है। वर्तमान बांसबागान के 28043 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार बांस उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया गया। अच्छे किस्म के पौध उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में 996 बांस नर्सरियां स्थापित की गईं। बांस बागान के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए 2006-07 से 2008-09 तक 29290 किसानों और 3653 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके विस्तार और आम जागरूकता पैदा करने के लिए 28 राज्य और 332 जिला स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। बांस और बांस उत्पादनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए बांस के थोक खुदरा बाजारों की स्थापना की गई।

बीज

कृषि उत्पादन तथा विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में पैदावार बढ़ाने के लिए बीज एक महत्वपूर्ण और बुनियादी आधार है। मोटे तौर पर भारतीय बीज कार्यक्रम बीजों के बहुगुणन के लिए सीमित जनन प्रणाली अपनाता है। इस प्रणाली में बीज की तीन पीढ़ियों—प्रजनक, आधार और प्रमाणित बीजों को स्वीकार किया जाता है, और बीज बहुगुणन शृंखला में गुणवत्ता आश्वासन के लिए इसमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होती है, जिससे प्रजनक से किसानों तक बीजों के प्रवाह के दौरान प्रमाणित/किस्म की शुद्धता बनाए रखने में मदद मिलती है।

भारतीय बीज विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकारों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर), राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू) प्रणाली, सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के संस्थानों का योगदान शामिल है। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के दो निगम राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) और भारतीय राज्य फार्म निगम (एसएफसीआई), 13 राज्य बीज निगम (एसएससी) और निजी क्षेत्र की लगभग 100 प्रमुख बीज कंपनियां कार्यरत हैं। गुणवत्ता नियंत्रण और प्रमाणन के लिए 22

राज्य बीज प्रमाणन एजेंसियां तथा 101 राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। बीजों के उत्पादन और वितरण में निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगा है, किंतु संगठित बीज क्षेत्र में खास कर खाद्य फसलों और अनाज के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का वर्चस्व बना हुआ है।

वैधानिक ढांचा और नीति

देश में बेचे जाने वाले बीजों की गुणवत्ता नियंत्रित करने के लिए बीज अधिनियम, 1966 विधायी ढांचा उपलब्ध कराता है। अधिनियम के तहत स्थापित केंद्रीय बीज समिति और केंद्रीय बीज प्रमाणन बोर्ड प्रमुख एजेंसियां हैं, जो इसके प्रशासन संबंधी सभी मामलों और बीजों की गुणवत्ता पर नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं। बीज विधेयक 2004, केबिनेट ने अनुमोदित कर दिया है।

किसानों के हित में बीजों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बीज निर्यात प्रक्रिया सरल बनाई गई है। विभिन्न फसलों के बीज 'ओपन जनरल लाइसेंस' के अंतर्गत रखे गए हैं। इनमें जंगली प्रजातियां, जनन द्रव्य, प्रजनक बीज तथा पटसन और प्याज के बीज शामिल नहीं हैं। 2002-07 के लिए सरकार की नई आयात-निर्यात नीति के अंतर्गत इन्हें प्रतिबंधित सूची में रखा गया है।

बीज प्रभाग की योजनाएं

(i) विभाग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 159 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना शुरू की है, जिसका नाम है 'गुणवत्तायुक्त बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण'। इस योजना के मुख्य घटकों में बीजों के बारे में गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंध, पूर्वोत्तर और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में बीजों की दुलाई के लिए परिवहन सब्सिडी, बीज बैंक की स्थापना और रख-रखाव, बीज ग्राम योजना, बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए सहायता, निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन के लिए सहायता, मानव संसाधन विकास, बीज निर्यात के लिए सहायता, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग का प्रचार, चावल के संकर बीजों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन तथा मूल्यांकन/समीक्षा शामिल है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के बौद्धिक संपदा अधिकारों पर व्यापार संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स) के अनुच्छेद 27 (3) बी के अंतर्गत बाध्यताओं को पूरा करने के लिए कृषि एवं सहयोग विभाग ने पौध किस्मों तथा किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक कानून लागू किया है। कानून में पौध की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने, पौधे की किस्मों का संरक्षण, किसानों के अधिकारों और पौध प्रजनकों के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था है। उक्त कानून को आवश्यक सहायता मुहैया कराने के नजरिए से एक केंद्रीय क्षेत्र योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना 11 नवंबर 2005 को स्थापित पौध किस्मों के संरक्षण तथा किसान अधिकार प्राधिकरण (पीपीवीएंडएफआर) द्वारा लागू की गई है। प्राधिकरण 14 चुनिंदा फसलों से संबंधित पौध किस्मों के पंजीकरण कराने की प्रक्रिया में है। 35 विभिन्न फसलों के लिए विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता (डीयूएस) के लिए परीक्षण हेतु राष्ट्रीय मसौदा दिशा-निर्देश बनाए जा चुके हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य प्राधिकरण की स्थापना के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करना तथा डीयूएस के लिए परीक्षण दिशानिर्देश को विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ डीयूएस केंद्रों को मजबूत और उपकरणों से लैस करना है।

11वीं योजना में इसमें 12 घटक होंगे और पीपीवी एवं एफआर अधिनियम को लागू करने के लिए 120 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तदनुसार प्राधिकरण की दो शाखाएं और पौध किस्मों के संरक्षण अपीली अधिकरण (पीवीपी) के अलावा 11वीं योजनावधि के अन्य योजनाओं को लागू किया जाएगा।

सहकारी ऋण ढांचे में सुधार

अगस्त 2004 में केंद्र सरकार ने प्रो. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में एक कार्यदल बनाया था। इस कार्यदल का काम सहकारी ऋण संगठनों की स्थिति में सुधार लाना था। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जिसमें लघु अवधि सहकारी ऋण का ढांचा और लघु अवधि ग्रामीण ऋण सहकारी संगठनों के लिए 14839 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज की सिफारिश की गई है। इस पैकेज के अंतर्गत होने वाला नुकसान, बिना भुगतान गारंटी, राज्य सरकारों द्वारा शेयर पूंजी की वापसी, मानव संसाधन विकास, विशेष ऑडिट का आयोजन और कार्यान्वयन लागत शामिल है।

राज्य सरकारों द्वारा आपसी सहमति से सरकार ने 13,596 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ लघु अवधि ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे को फिर से सुधारने के पैकेज को मंजूरी दे दी है। पैकेज के अंतर्गत वित्तीय सहायता के प्रावधान का संबंध सहकारी क्षेत्र में सुधार करना है। इसी कार्यदल को दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे की समस्याओं की जांच करने और उनके पुनरुत्थान के बारे में उपाय सुझाने को कहा गया है। इस संबंध में कार्यदल की रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही सरकार दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे में सुधार के लिए कदम उठायेगी। अब तक 25 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने सरकार और नाबार्ड के साथ समझौते के प्रारूप पर हस्ताक्षर किया है। इससे 96% पीएसीएस और 96% केंद्रीय सहकारी बैंक इसमें आ गए हैं। दस राज्यों के 37,821 पीएसीएस के पुनर्पूजीकरण के लिए नाबार्ड ने भारत सरकार के हिस्से के रूप में 6170.25 करोड़ रुपए जारी किए हैं जबकि राज्यों ने अपनी हिस्सेदारी के रूप में 614.75 करोड़ रुपए दिए हैं। दीर्घकालिक सहकारी ऋण सोसाइटियों (एलटीसीसी) के पुनर्जीवन के लिए केंद्र ने 3070 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

सहयोग

सहकारिता सुधार

देश में सहकारिता आंदोलन कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों से शुरू हुआ। यह शुरुआत लोगों को थोक की अर्थव्यवस्था का फायदा दिलाने के लिए उनके मामूली संसाधनों को इकट्ठा करने के तरीके के तौर पर हुई। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद सहकारिता को नियोजित आर्थिक विकास की रणनीति का हिस्सा माना गया। सहकारी संस्थाएं आज तेजी से उभर रहे आर्थिक उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण के परिदृश्य में अपने अस्तित्व को लेकर ऊहापोह में हैं। इन संस्थाओं को आमतौर पर संसाधनों की कमी, लचर प्रशासन, प्रबंधन, अक्षमता और आर्थिक अव्यवहार्यता आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सहकारिता के भविष्य के लिए सहकारिता सुधार महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति

राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों के परामर्श से केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार की है। इस नीति का उद्देश्य देश में सहकारी संगठनों के चुंमुखी विकास को बढ़ावा देना है। यह नीति सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में निर्देशक सिद्धांतों के रूप में काम करेगी। इस नीति के अंतर्गत सहकारी संगठनों को आवश्यक समर्थन, प्रोत्साहन और सहायता दी जाएगी तथा यह

सुनिश्चित किया जाएगा कि वे ऐसे स्वायत्तशासी, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक संस्थानों के रूप में काम कर सकें, जो अपने सदस्यों के प्रति पूर्ण रूप से जवाबदेह हों।

बहुराज्यीय सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 : केंद्र सरकार ने बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 के स्थान पर बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 पारित करके सहकारी संगठनों को अपेक्षित स्वायत्तता प्रदान की है। इसका लक्ष्य बहुराज्यीय सहकारी समितियों को कामकाज में स्वायत्तता प्रदान करना और उनके लोकतंत्र प्रबंधन की व्यवस्था करना है। हालांकि यह अधिनियम राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों/परिसंघों और अन्य बहुराज्यीय सहकारी समितियों पर लागू होता है, फिर भी यह उम्मीद की जाती है कि यह राज्य सहकारी नियमों में सुधारों के लिए आदर्श अधिनियम के रूप में काम करेगा।

बहुराज्यीय सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2002 : बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 में संशोधन करके मौजूदा कार्यक्रमों के अतिरिक्त खाद्य पदार्थ, औद्योगिक वस्तुएं, मवेशी और सेवाओं को कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में शामिल किया गया। कृषि उत्पादों की परिभाषा में संशोधन करके उनके अंतर्गत खाद्य और अखाद्य तिलहनों, मवेशी आहार, बागवानी और पशुपालन उत्पाद, वानिकी, मुरगी पालन, मत्स्य-पालन और कृषि-संबंधी अन्य गतिविधियों को शामिल किया गया है। संशोधित अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक वस्तुओं और मवेशी की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित उद्योगों के उत्पादों तथा किसी भी हस्तशिल्प या ग्रामीण शिल्प को शामिल किया गया। मवेशी के अंतर्गत दूध, मांस, ऊन, खाल और सह-उत्पादों के लिए पाले जाने वाले सभी पशु शामिल होंगे। एनसीडीसी स्वयं की संतुष्टि के लिए प्रतिभूति भरने पर राज्य/केंद्र सरकार की गारंटी के बिना सहकारी संस्थाओं को सीधे ऋण प्रदान करेगा। अभी तक जल संरक्षण, मवेशी स्वास्थ्य/देखभाल, बीमारियों की रोकथाम, कृषि बीमा और कृषि ऋण, ग्रामीण स्वच्छता/जलनिकासी/सीवर प्रणाली आदि गतिविधियों को अधिसूचित सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है।

सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में संविधान में संशोधन

राज्य सहकारी समिति अधिनियमों में संशोधन किए जाने के बावजूद राज्यों द्वारा सहकारी कानूनों में सुधारों की प्रक्रिया उत्साहजनक नहीं रही है। इसलिए सहकारी संस्थाओं की लोकतांत्रिक, स्वायत्त और व्यावसायिक कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया कि संविधान में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जाए। यह निर्णय 7 दिसंबर, 2004 को राज्य के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में भलीभांति विचार-विमर्श के बाद किया गया। संविधान में प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन के जरिए उन्हें अधिकार प्रदान करने के महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करना है। संविधान के एक सौ छठे संशोधन विधेयक 2006 के प्रस्ताव को लोकसभा में 22 मई, 2006 को रखा गया था।

उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन

सहकारिता आंदोलन के पिछले 100 वर्षों में इस आंदोलन की उपलब्धियों और उसके समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों की समीक्षा करने और उनका सामना करने के तौर-तरीके सुझाने तथा आंदोलन को नई दिशा प्रदान करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है, जो निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगी—

- पिछले सौ वर्षों के दौरान सहकारिता की उपलब्धियों की समीक्षा करना।

- उन चुनौतियों का पता लगाना, जिनका सामना सहकारिता क्षेत्र को करना पड़ रहा है और उनके समाधान के उपाय सुझाना, ताकि बदले हुए सामाजिक-आर्थिक वातावरण के साथ आंदोलन गति बनाए रख सके।
- देश में सहकारी संस्थाओं की लोकतांत्रिक, स्वायत्त और व्यावसायिक कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता कानून में अपेक्षित संशोधनों और तत्संबंधी समुचित नीति तथा विधायी फ्रेमवर्क के बारे में सुझाव देना। समिति ने एमएससीएस अधिनियम, 2002 और संविधान के (106वें) संशोधन विधेयक, 2006 में संशोधन के बारे में अंतरिम रिपोर्ट दे दी है। समिति ने मई, 2009 में रिपोर्ट दी है और उसकी सिफारिशों पर गौर किया जा रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का केंद्र प्रायोजित योजना देश में 11वीं योजना के अंत तक चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन क्रमशः 10,8 और 2 मिलियन टन बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। मिशन 17 राज्यों के 312 जिलों में 2007-08 के रबी फसल से लागू हो गया है।

एनएफएसएम के तहत लक्ष्योन्मुख प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप का शुरू से ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और वर्ष 2007-08 में चावल का उत्पादन 96.69 मिलियन टन रिकार्ड किया गया, जबकि 2006-07 में 93.35 मिलियन टन था। इस प्रकार इसमें 3.34 मिलियन टन की वृद्धि हुई। तदनुसार 2008-09 के तृतीय अग्रिम अनुमान में चावल का उत्पादन 99.37 मिलियन टन हो गया जो 2007-08 के मुकाबले 2.68 मिलियन टन और 2006-07 के मुकाबले 6.02 मिलियन अधिक है। गेहूं के मामले में स्थिति उत्साहजनक रही और गेहूं का उत्पादन 2007-08 में 78.57 मिलियन टन हुआ, जबकि 2006-07 में 75.81 मिलियन के मुकाबले 2.76 मिलियन टन अधिक रहा। नतीजतन 2008-09 में तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार गेहूं का उत्पादन 77.63 मिलियन रहा, जो 2006-07 से 1.63 मिलियन टन अधिक रहा। दालों का उत्पादन 2006-07 में 14.20 मिलियन टन रिकार्ड किया गया था, 2007-08 में 14.76 मिलियन टन हुआ जो 0.56 मिलियन टन अधिक रहा। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार दालों का उत्पादन 14.18 मिलियन टन होने की आशा है, जो 2006-07 की तुलना में स्थिर रहा।

समन्वित पोषक तत्त्व प्रबंधन

समन्वित पोषक तत्त्व प्रबंधन (आईएनएम) का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी समयबद्ध मांगों का आकलन कर समय पर गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की आपूर्ति करना, मिट्टी के परीक्षण के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों के इस्तेमाल और शहरी अपशिष्ट/कचरे से जैविक खाद्य बनाने को बढ़ावा देना है। इसके अलावा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के क्रियान्वयन के जरिए जैविक कचरे से खाद्य बनाने तथा उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए इस बात पर जोर देना है कि जैविक और रासायनिक खादों के जरिए पोषक तत्वों के सभी स्रोतों का समन्वित इस्तेमाल हो।

उर्वरकों की खपत

चीन और अमरीका के बाद भारत विश्व में उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। हमारा देश यूरिया के मामले में शत-प्रतिशत आत्मनिर्भर है, जबकि डी.ए.पी. के मामले में इसकी आत्मनिर्भरता 90 प्रतिशत है। पूरे देश में उर्वरकों की खपत 96.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, हालांकि

राज्यवार खपत में काफी अंतर है। पंजाब में इसकी खपत 197 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि हरियाणा में 164 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इसके विपरीत अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, सिक्किम जैसे राज्यों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी कम है। उर्वरक खपत के असंतुलित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सरकार इसके संतुलित और समन्वित प्रयोग को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रोत्साहन दे रही है। परिणामस्वरूप, एनपी के उपयोग अनुपात 2000-01 के 7:2.7:1 से 2004-05 के दौरान 5.7:2.2:1 हो गया।

उर्वरकों के मूल्य

इस समय यूरिया उर्वरक का मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। किसानों को उचित दामों पर इसकी आपूर्ति जारी रखने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। देश में यूरिया की खपत सबसे अधिक है। इसलिए नई यूरिया मूल्य निर्धारण योजना के तहत यह रियायत दी जाती है। पी. और के. उर्वरक नियंत्रित श्रेणी में नहीं थे। अब इसे भी आर्थिक रियायत योजना में शामिल कर लिया गया है। विशेष भाड़ा सब्सिडी की मौजूदा नीति को पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर को उर्वरक आपूर्ति के लिए जारी रखा गया है। प्रमुख उर्वरकों के मूल्यों में 28-2-2002 से कोई बदलाव नहीं किया गया है। मिश्रित ग्रेड उर्वरकों की कीमतें पोषण आधारित सरकारी उर्वरक की कीमतों की तरह 14 जून, 2008 से घटा दी गई हैं जो इस प्रकार हैं :

उर्वरक उत्पाद	अधिकतम खुदरा मूल्य (रुपये प्रति मीट्रिक टन में)
यूरिया	4830
डीएपी (स्वदेशी)	9350
मिश्रित	5121-8185
एमओपी	4455
एसएसपी	3400

पी और के उर्वरकों की बफर स्टॉकिंग

दूरदराज और दुर्लभ क्षेत्रों में अनियंत्रित उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए डीएपी और एमओपी की सीमित मात्रा के बफर स्टॉक की एक योजना बनाई गई है जिससे इसकी आवश्यकता पड़ने पर इसको पूरा किया जा सकेगा। यह स्टॉक संचल होता है और कमी होने पर उसकी भरपाई की जाती है। आपात ज़रूरतों को पूरा करने के अलावा यह स्टॉक राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण

सरकार आवश्यक उपभोक्ता वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जारी उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) के माध्यम से उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। इससे देश में उर्वरकों के मूल्य, व्यापार, नीति और वितरण को नियमित बनाने में मदद मिलती है। राज्य सरकारें उर्वरक नियंत्रण आदेश के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने में कार्यकारी एजेंसी की भूमिका निभाती हैं। इस आदेश के जरिए ऐसे उर्वरकों के विनिर्माण, आयात और बिक्री पर रोक लगाई जाती है, जो निर्धारित मानक पूरे न करते हों। केंद्रीय

उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में स्थित है और इसके तीन क्षेत्रीय केंद्र नवी मुंबई, चेन्नई और कल्याणी में स्थापित किए गए हैं, जो आयातित और स्वदेशी उर्वरकों का निरीक्षण और विश्लेषण करते हैं, तकनीकी परामर्श देते हैं, और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों तथा विश्लेषकों को गुणवत्ता-नियंत्रण का प्रशिक्षण देते हैं। संस्थान ने उर्वरकों में होने वाली मिलावट की तुरंत जांच के लिए एक टेस्टिंग किट भी विकसित की है।

उर्वरक-नियंत्रण आदेश में हाल ही में संशोधन किया गया, ताकि इसे उपभोक्ताओं के अधिक अनुकूल बनाया जा सके और कारगर ढंग से लागू किया जा सके। महत्वपूर्ण संशोधनों में कटे-फटे उर्वरक-थैलों की पुनः पैकेजिंग और प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुए उर्वरकों की पुनः प्रोसेसिंग तथा अस्थायी उर्वरकों के व्यावसायिक ट्रायलों के लिए प्रावधान शामिल हैं। तदनु रूप नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इन्डो-गल्फ फर्टिलाइजर्स और श्रीराम फर्टिलाइजर्स को अनुच्छेद 20 ए के अंतर्गत नीम-आलेपित यूरिया के वाणिज्यिक ट्रायलों के लिए विनिर्माण की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार मेसर्ज इफको को बोरान और जिंक के साथ सुदृढ़ मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन और मेसर्ज कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को बेंटोनाइट सल्फर के उत्पादन की अनुमति दी गई है। यूरिया सहित सभी उर्वरकों पर अधिकतम खुदरा मूल्य, आयात किए गए उर्वरक का महीना और वर्ष प्रिंट करना अनिवार्य कर दिया गया है।

इस समय देश में 67 प्रयोगशालाएं हैं। इनमें केंद्र सरकार की 4 प्रयोगशालाएं शामिल हैं। इन प्रयोगशालाओं में वर्ष में 1.31 लाख नमूनों की जांच करने की क्षमता है। पिछले 5 वर्षों के दौरान जांच क्षमता और जांच किए गए नमूनों की संख्या और गैर मानक इन नमूनों के प्रतिशत की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	प्रयोगशालाओं की संख्या	वार्षिक जांच क्षमता	जांच किए गए नमूनों की संख्या	गैर-मानक नमूनों का प्रतिशत
2004-05	67	124730	108859	6.0
2005-06	67	122488	111745	6.0
2006-07	68	129250	116142	6.0
2007-08	68	129331	95866	6.5
2008-09	71	131565	81189	3.9
अंतिम				

पिछले 5 सालों के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर गैर मानक नमूनों का प्रतिशत 5-6 प्रतिशत ऊपर-नीचे रहा है। हालांकि राज्य स्तर पर इसमें बहुत अंतर रहा है।

उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985—उर्वरक आदेश 1985 की धारा 20ए के तहत चंबल फर्टिलाइजर लि., श्रीराम फर्टिलाइजर लि; टाटा केमिकल्स नेशनल फर्टिलाइजर लि; और कृभको को व्यावसायिक परीक्षण के लिए अगस्त, 2009 तक नीम विलेपित यूरिया उत्पादन की अनुमति दी गई। सूक्ष्म पोषकों, बोरान पुष्ट एनपीके मिश्र उर्वरक 12:32:16, बोरान पुष्ट डीएपी और मिश्र उर्वरक 15:15:15 को भी आदेश में शामिल किया गया है। पानी में पूर्ण घुलनशील दो नए एनपीके 28:28:0 और 24:24:0 को भी धारा 20ए के तहत अनंतिम रूप से अधिसूचित किया गया है। फास्फेटयुक्त उर्वरक की उपलब्धि सुगम

बनाने के लिए गयी सुपर फास्फेट का विवरण एफसीओ 1985 की धारा 20ए के तहत विवरण संशोधित कर दिया गया है। भूमि और फसल के लिए 14 नए ग्रेड के विशेष उर्वरकों को अब तक अधिसूचित किया गया है।

राष्ट्रीय कार्बनिक खेती परियोजना

अक्टूबर 2004 में दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान देश में कार्बनिक खेती के उत्पादन, प्रोत्साहन और बाजार विकास के लिए 57.05 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ *राष्ट्रीय कार्बनिक खेती परियोजना* नामक नई योजना प्रारंभ की गई। योजना 11वीं योजना में भी जारी है, जिसके लिए 115 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जैव उर्वरकों का विकास और उपयोग की राष्ट्रीय परियोजना, जो पहले शुरू की गई थी, इसी में मिला दी गई है। योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

(i) सेवा प्रदाताओं के माध्यम से क्षमता निर्माण (ii) अकार्बनिक उत्पादक इकाई जैसे फलों और सब्जियों के कचरे के लिए कंपोस्ट इकाई जैव उर्वरक, जैवकीटनाशक और कृमिपालन उत्पत्तिशालाओं के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता (iii) प्रशिक्षण और प्रदर्शन से मानव संसाधन विकास (iv) जागरूकता और बाजार विकास (v) अकार्बनिक वस्तुओं की गुणवत्ता नियंत्रण।

जैव उर्वरकों के संवर्धन की पिछली योजना के जारी रहने से देश में 169 जैव उर्वरक उत्पादन इकाइयां हैं जिनकी 67 हजार मी.टन है और वार्षिक उत्पादन 28 हजार टन से अधिक जैव उर्वरक और 18800 टन से अधिक जैवकीटनाशकों सहित अन्य टीके हैं।

योजना के तहत 708 टन कृषि कचरे को कंपोस्ट, 5606 मी.ट. जैव उर्वरक और 17000 टन कृमि और कृमिकंपोस्ट के प्रसंस्करण की क्षमता स्थापित की गई है।

योजना शुरू होने के बाद प्रमाणीकृत अकार्बनिक खेती क्षेत्र 42 हजार हेक्टेयर में 2003-04 में 20 गुना बढ़ोतरी हुई और यह 2007-08 में 865,00 हेक्टेयर हो गई। अकार्बनिक खाद्य का उत्पादन 2006-07 के 4.09 लाख टन से बढ़कर 2007-08 में 9.02 लाख टन हो गया।

एकीकृत पोषक प्रबंधन का संवर्धन (आईएनएम) : सरकार भूमि परीक्षण आधारित रसायन उर्वरकों, जैव उर्वरकों और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध गोबर खाद कंपोस्ट, नाडीप कंपोस्ट, कृमि कंपोस्ट और हरी खाद को संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा दे रही है ताकि भूमि की उत्पादकता बरकरार रहे। 11वीं योजना की शेष अवधि के लिए 2008-09 में 429 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 'भूमि और उर्वरता प्रबंधन की राष्ट्रीय परियोजना' (एनपीएमएसएफ) को मंजूरी दी गई। दो वर्तमान योजनाओं (i) केंद्र प्रायोजित उर्वरकों का संतुलित और एकीकृत उपयोग और (ii) केंद्रीय उर्वरक एवं गुणवत्ता नियंत्रण तथा प्रशिक्षण संस्थानों और उसके क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को 1 अप्रैल, 2009 से नई योजना में मिला दिया गया है। नई योजना के घटकों में 500 भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, वर्तमान 315 प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाना, भूमि परीक्षण के लिए 250 सचल प्रयोगशालाओं की स्थापना, अकार्बनिक खाद का संवर्धन, भूमि संशोधन, सूक्ष्म पोषकों का वितरण, उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण के लिए 20 नई प्रयोगशालाओं की स्थापना, वर्तमान 63 प्रयोगशालाओं को 11वीं योजना में मजबूत करना शामिल है।

देश में (2007-08) 686 भूमि परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। इनमें 500 स्थायी और 120 सचल प्रयोगशालाएं हैं, जिनका रख-रखाव राज्य सरकारें और उर्वरक उद्योग करते हैं। इनमें सालाना 70 लाख मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण किया जा सकता है। वर्ष 2008-09 में एनपीएमएसएफ के तहत 42 नई

भूमि परीक्षण स्थायी प्रयोगशालाओं (एसटीएल) 44 संचल भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं, 39 वर्तमान भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं, 2 नई उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं और 16 राज्यों में 19 वर्तमान उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं (एफक्यूसीएल) को मजबूत बनाने के लिए 16.63 करोड़ रुपए जारी किए गए।

सूचना प्रौद्योगिकी

कृषि और सहकारी विभाग मुख्यालय में आईटी उपकरण

आईसीटी पहल का जोर ई-गवर्नेंस पर है ताकि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले किसानों को उन्नत सेवाओं का लाभ मिल सके।

कृषि और सहकारी विभाग हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी) की सहायता से कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना तैयार कर रही है। यह दो-दो चरणों में लागू होगी। एनईजीपी का पहला चरण पूरा हो गया है और प्राथमिकता वाली सेवाओं लक्षित और प्रक्रियाओं का ई-गवर्नेंस गतिविधियों के तहत काम पूरा हो गया है। दूसरे चरण में केंद्र और राज्य स्तर पर कृषि में ई-गवर्नेंस लागू करने के लिए रणनीति, रूपरेखा और दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे। दूसरा चरण निजी क्षेत्र और समाज की भूमिका को परिभाषित करेगा, जिस पर काम हो रहा है।

ई-गवर्नेंस पहल की सफलता के लिए हर स्तर पर उपकरण साफ्टवेयर और प्रशिक्षण के माध्यम से सहयोग आवश्यक है।

क्षेत्र कार्यालयों और डीएसी निदेशालयों में आईटी उपकरण

डैकनेट परियोजना (डीएसीएनईटी) के तहत निदेशालयों/क्षेत्र इकाइयों को मूलभूत ढांचा उपलब्ध करा दिया गया है और वे पूरी तरह से तैयार हैं। यह फैसला लिया गया कि सभी निदेशालय/क्षेत्र कार्यालय अपने बजट से अपना खर्च पूरा करेंगे। लेकिन नेटवर्किंग, साफ्टवेयर विकास और क्षेत्र कार्यालयों/निदेशालयों के प्रशिक्षण का व्यय घटक के इस मद से पूरा किया जाएगा।

कृषि संसाधन सूचना प्रणाली (एजीआरआईएस)

दसवीं योजना स्कीम के इस घटक का उद्देश्य जीआईएस और आरएस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए निर्णय प्रणाली का विकास है। दो अग्रणी जिलों हरियाणा के रोहतक और गुजरात के बनासकांठा में काम जारी है। ग्यारहवीं योजना में स्कीम के डैकनेट घटक में शामिल हो जाएगा और जारी पाइलट परियोजना को पूरा करने में मदद दी जाएगी।

कृषि सूचना और संचार का विकास

इस घटक का उद्देश्य कृषि संबंधी सभी आंकड़ों और वेब आधारित उपयोग के विकास का भंडार बनाना है। भूमि मानचित्रिकरण का अंकीकरण आंकड़ा, सीडनेट पोर्टल, डेटवेयर हाउसिंग, आरएफएस और जनसंचार विकास के पोर्टल विकास के विभिन्न चरणों में हैं। कृषि के विभिन्न विषयों के पोर्टलों का विकास संवर्धन एवं निरंतर प्रक्रिया है। आईएनएम बागवानी और सहकारिताओं आदि के पोर्टल बनाने का प्रस्ताव है।

पोर्टलों की संख्या बढ़ने और विषय सामग्री का विस्तार होता जाएगा तो उसको अद्यतन बनाने के लिए उचित ढांचे की जरूरत होगी। आशा है कि नियमित रूप से आंकड़े अद्यतन और वेब सामग्री की डिजाइनिंग के लिए जनशक्ति की जरूरत होगी। इन कार्यों को बाहर से कराने का प्रस्ताव है।

कृषि में आईटी उपकरणों को और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सहयोग को मजबूत बनाना (आईआरआईएस नेट)

राज्यों की आईसीटी के उपयोग उन्नत सूचनाएं किसानों तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका है। एग्रिसनेट को वर्तमान घटक को 11वीं योजना में जारी रखने तथा अधिक मजबूत बनाने का प्रस्ताव है। अभी तक 21 राज्यों ने एग्रिसनेट के तहत सहायता का उपयोग किया है। इन राज्यों में भी एटीएम सीमित ई-गवर्नेंस के प्रयोग के लिए राशि जारी की गई है। देश भर के किसानों को उन्नत सूचनाएं प्रदान करने के लिए योजना के कई गुना विस्तार की आवश्यकता है। 10वीं योजना के अनुभवों के आधार पर और अधिक सेवाओं को एग्रिसनेट के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है।

किसान कॉल सेंटर

देश में किसान कॉल सेंटर योजना 21 फरवरी, 2004 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य किसानों को शुल्क मुक्त नंबर 1880-180-1551 से ऑन लाइन सूचनाएं प्रदान करना है। इस सुविधा का प्रचार दूरदर्शन और रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है। एक ज्ञान प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है। 11वीं योजना में इसे जारी रखने का प्रस्ताव है।

तिलहन, दलहन और मक्का प्रौद्योगिकी मिशन

केंद्र सरकार ने तिलहन की पैदावार बढ़ाने, खाद्य तेलों का आयात घटाने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया था। इसके बाद दलहन, आयल पाम और मक्का को भी क्रमशः 1990-91, 1991-92 और 1995-96 में प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत लाया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड भी गैर-परंपरागत तिलहनों के नए क्षेत्र खोलकर तिलहन, दलहन और मक्का प्रौद्योगिकी मिशन के प्रयासों में सहयोग देता रहा है। यह वृक्षों से प्राप्त होने वाले तिलहनों को प्रोत्साहन दे रहा है। तिलहन, दलहन और मक्का प्रौद्योगिकी मिशन की निम्नलिखित योजनाएं लागू की गई हैं :

- (i) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओपीपी); (ii) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एनपीडीपी); (iii) त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (एएमडीपी); (iv) फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी (पीएचडी); (v) आयल पाम विकास कार्यक्रम (ओपीडीपी); (vi) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड (एनओबीओडी)।

तिलहन, दलहन और मक्का के लिए समन्वित योजना

फसलों की विविधता को प्रोत्साहन देने के कार्यक्रमों के प्रति केंद्रीभूत दृष्टिकोण अपनाने के लिए राज्यों को क्षेत्रीय विशिष्टताओं के आधार पर उनके कार्यान्वयन में छूट देने के उद्देश्य से पहले से लागू चारों कार्यक्रमों—ओपीपी, ओपीडीपी, एनपीडीपी और एएमडीपी का विलय अब केंद्र द्वारा प्रायोजित एक ही योजना में कर दिया गया है, जिसे 'तिलहन, दलहन आयल पाम और मक्का फसलों का समन्वित कार्यक्रम' कहा जाता है। यह कार्यक्रम दसवीं पंचवर्षीय योजना में एक अप्रैल, 2004 से कार्यान्वित

किया जा रहा है। इसे तिलहन और दलहन की खेती करने वाले 14 प्रमुख राज्यों और मक्का के लिए 15 राज्यों तथा पाम आयल के लिए 10 राज्यों द्वारा लागू किया जा रहा है।

‘तिलहन, दलहन, आयल पाम और मक्का फसलों के समन्वित कार्यक्रम’ (आईएसओपीओएम) की विशेषताएं इस प्रकार हैं—(i) अपनी पसंद की फसलों के चुनाव और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में धन खर्च करने के मामले में राज्यों के प्रति लचीलापन; (ii) वार्षिक कार्ययोजना राज्य सरकारों द्वारा तैयार करके भारत सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाना; (iii) कुल स्वीकृत राशि का 10 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों की ओर से शुरू किए जाने वाले नए कार्यक्रमों और उपायों के लिए खर्च करने की छूट; (iv) राज्य सरकारों को कुल निर्धारित वित्तीय प्रावधान का 15 प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्र के सहयोग से कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर खर्च किए जाने की छूट; (v) केवल बीजरहित संघटकों के मामले में 20 प्रतिशत धनराशि के अंतर-घटक विचलन की छूट; तथा (vi) कृषि और सहकारिता विभाग की पूर्व अनुमति के साथ बीजयुक्त से बीजरहित संघटकों के लिए धन हस्तांतरण।

तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के क्रियान्वयन से तिलहन की पैदावार बढ़ाने में मदद मिली है। वर्ष 1985-86 में तिलहन का उत्पादन 108.30 लाख था जो 2008-09 में बढ़कर 281.57 (IV अग्रिम अनुमान) लाख टन हो गया। देश में दलहन का उत्पादन 1989-90 में 128.60 लाख टन से बढ़कर 2008-09 में 146.62 (IV अग्रिम अनुमान) लाख टन हो गया। आयल पाम की खेती का क्षेत्र 1992-93 के अंत तक 8585 हेक्टेयर था जो वर्ष 2008-09 तक बढ़कर 26178 हेक्टेयर हो गया है। ताजे फलों (एफएफबी) का वास्तविक उत्पादन वर्ष 2008-09 में 355480.36 टन था जिससे करीब 59007.40 टन कच्चे पाम आयल (सीपीओ) का उत्पादन हुआ। 1994-95 में मक्का का उत्पादन 88.84 लाख था जो वर्ष 2008-09 में (IV अग्रिम अनुमान) बढ़कर 192.87 लाख टन हो गया।

विस्तार

विस्तार सुधार के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम सहयोग

विस्तार सुधारों को जिला स्तर पर संचालित करने के लिए यह योजना 2005-06 के दौरान शुरू की गई। योजना का उद्देश्य एक कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के रूप में प्रौद्योगिक प्रसार के लिए सांस्थानिक प्रबंधन के जरिए विस्तार प्रणाली को किसान सहयोगी और जवाबदेह बनाना है। एजेंसी जिला और उसके निचले स्तर पर कार्यरत किसानों/किसान समूहों, एनजीओ, केवीके, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य अंशधारकों के साथ सक्रिय भागीदारी करेगी। जारी होने वाला फंड राज्य सरकारों द्वारा तैयार *राज्य विस्तार कार्य योजना* (एसईडब्लुपी) पर आधारित है। 586 एटीएमए स्थापित किए जा चुके हैं; 517 से अधिक राज्य विस्तार कार्य योजनाएं बनाई जा चुकी हैं तथा किसान आधारित गतिविधियों के जरिए 17.97 लाख महिला किसानों (19.74 प्रतिशत) सहित 91 लाख किसान लाभ उठा चुके हैं और योजना की शुरुआत से अब तक 42.060 ‘किसान हित समूह’ (एफआईजी) सक्रिय हो चुके हैं। इस कार्यक्रम के तहत 30 अगस्त, 2009 तक 474.62 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं।

कृषि के लिए मास मीडिया सहयोग

इस योजना के तहत दो पहल के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पहली पहल के रूप में किसान समुदाय को कृषि संबंधी सूचना और ज्ञान प्रदान करने के लिए दूरदर्शन का उपयोग शामिल है। जिसके तहत क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा सप्ताह में पांच दिन 30 मिनट के कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। राष्ट्रीय

प्रसारण के तहत सप्ताह के छह दिन कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। शनिवार को सफलता की कहानियां, नूतन खोज आदि की फिल्में कृषि एवं सहकारिता विभाग दूरदर्शन को मुहैया कराता है। रबी/खरीफ अभियान, किसान कॉल सेंटर, किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा जैसे मौजूदा मुद्दों पर ऑडियो/विजुअल स्पॉट फ्री कमर्शियल टाइम (एफसीटी) पर प्रचारित किए जाते हैं तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) का प्रचार अभियान भी किया गया। मास मीडिया पहल के तहत अन्य भाग के रूप में 96 एफएम का उपयोग शामिल है।

किसान कॉल सेंटर (केसीसी)

21 जनवरी, 2004 से शुरू किसान कॉल सेंटर देश के लगभग हर क्षेत्र में 14 विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में केसीसी में 144 एजेंट कार्यरत हैं जो 23 स्थानीय भाषाओं में किसानों के प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं। देशभर में सातों दिन सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक एक ही टोल फ्री नंबर 1551 और शुल्क मुक्त नंबर 1800-80-1551 पर डायल करके संपर्क किया जा सकता है। केसीसी की गतिविधियों की निगरानी हेतु प्रत्येक केसीसी के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) बनाई गई है जिसमें सचिव (कृषि), कृषि एवं अन्य विकास विभागों के निदेशक, बीएसएनएल के प्रतिनिधि तथा केसीसी के नोडल अधिकारी केसीसी को चलाने में मदद कर रहे हैं। मांग के अनुरूप 25 स्थानों पर केसीसी सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। कृषि और सहयोग विभाग ने किसान ज्ञान प्रबंधन प्रणाली केकेएमएस के रूप में एक डाटा निर्माण विकसित करने की पहल की है। केसीसी का प्रचार डीडी/एआईआर/डीएवीपी, सेमेटि, राज्यों/केंशाप्र के जरिए किया जा रहा है। जुलाई, 2009 तक किसान कॉल सेंटरों में 36 लाख से अधिक कॉलें प्राप्त हुईं।

कृषि विपणन

देशभर में कृषि जिन्सों के व्यवस्थित विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार को नियंत्रित किया गया था। अधिकतर राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों ने कृषि जिन्सों के विपणन को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम (एपीएमसीएक्ट) बनाया था। साप्ताहिक बाजारों में से करीब 15 प्रतिशत बाजार इस अधिनियम के तहत कार्य करते हैं। नियंत्रित बाजारों की शुरूआत से उत्पादकों/विक्रेताओं को एक जगह इकट्ठे होकर थोक बिक्री में काफी सहूलियत हुई है, परंतु अभी भी सामान्य साप्ताहिक ग्रामीण बाजारों और खासकर आदिवासी बाजार इस व्यवस्था का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार बढ़ाने और आर्थिक समृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र में व्यवस्थित बाजार की बहुत आवश्यकता है। बाजार प्रणाली को अधिक गतिशील और कार्यकुशल बनाने के लिए फसल के बाद के विकास में अधिक से अधिक निवेश करने और किसानों के लिए खेतों के आस-पास ही कोल्ड स्टोरेज बनाने की आवश्यकता है। इस निवेश के लिए निजी क्षेत्र से अपेक्षा की जाती है जिसके लिए उचित कानून और नीतियां बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही खेतों से या किसानों से सीधे ही कृषि उत्पाद खरीदने को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाने की आवश्यकता है और कृषि उत्पादों और फुटकर विक्रेताओं और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बीच एक प्रभावी संबंध बनाने की आवश्यकता है। देश में विपणन व्यवस्था को अनियंत्रित करने के लिए राज्य एपीएमसी कानून में आवश्यक सुधार करने का भी सुझाव दिया गया है ताकि विपणन, मूलभूत ढांचा और सहकारिता क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिल सके।

कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों के लिए कृषि विपणन के लिए दिशा-निर्देश बनाने और उन्हें अपनाने के लिए एक मॉडल कानून बनाया है। इस मॉडल कानून के अंतर्गत देश में कृषि बाजार के विकास और प्रबंधन में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा कृषि उत्पादों की सीधी बिक्री के लिए उपभोक्ताओं/किसानों, प्रत्यक्ष क्रेता केंद्रों, निजी बाजार/यार्ड को स्थापित करना है। इस कानून के अंतर्गत ही कृषि उत्पादों की गुणवत्ता प्रमाणीकरण और मानकीकरण और विभिन्न स्तरों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य कृषि उत्पाद विपणन मानक ब्यूरो के गठन का प्रावधान किया गया था। इससे पूंजी निवेश, सीधी खरीद और भविष्य में कदम उठाने में काफी मदद मिलेगी। 13 राज्यों/केंशाप्र ने अपने एपीएमसी अधिनियम में संशोधन किया है और बाकी राज्य संशोधन कर रहे हैं। 153वें एनडीसी प्रस्ताव के अनुसरण में, कृषि मंत्रालय ने मॉडल कानून पर ही आधारित ड्राफ्ट मॉडल रूल तैयार कर संबंधित राज्यों/केंशाप्र को भेजे हैं। 7 राज्यों ने अपने एपीएमसी नियमों में संशोधन किया है।

मूलभूत ढांचे की आवश्यकता

देश में बाजार, भंडारण के विकास और कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने की दिशा में बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता है। विपणन के मूलभूत ढांचे के विकास में निवेश को प्रेरित करने के लिए मंत्रालय ने इन कार्यक्रमों और योजनाओं को कार्यान्वित किया है।

(i) पूंजी निवेश की सहायता योजना के लिए 'ग्रामीण गोदामों का निर्माण' नामक एक योजना को एक अप्रैल, 2001 से लागू किया गया है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों के भंडारण, प्रसंस्करण, कृषि आदानों और बाजार ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नई तकनीक से युक्त भंडारण जैसी सुविधाएं स्थापित करना है।

मूल योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजी लागत के 25 प्रतिशत तक बैंक एडिड सब्सिडी उपलब्ध कराई गई थी। पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी इलाकों और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों के लिए परियोजना की 33.33 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान था। इस परियोजना में 20 अक्टूबर, 2004 से संशोधन कर दिया गया। नई योजना में किसानों, कृषि स्नातकों, केंद्रीय भंडारण निगमों (सेंटर वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन)/राज्य भंडारण निगमों को 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। व्यक्तिगत तौर पर चलने वाली निजी कंपनियों और सहकारी कंपनियों की अन्य सभी श्रेणियों में आने वाली कंपनियों को परियोजना लागत की 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी सामान्य इलाकों में 50 मीटर और पहाड़ी इलाकों में 25 मीटर के आकार के छोटे गोदाम बनाने के लिए किसानों की मदद के लिए बनाई गई थी। छोटे किसानों के लिए 5 लाख टन भंडारण की क्षमता को सुरक्षित बना लिया गया है। योजना को नाबार्ड और एनसीडीसी द्वारा लागू किया जा रहा है। नाबार्ड और एनसीडीसी द्वारा 1 अप्रैल, 2001 से क्रियान्वित योजना में 30 जून, 2009 तक 240.87 लाख भंडारण क्षमता वाली भंडारण परियोजनाओं को 553.80 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता के साथ मंजूरी दी गई।

(ii) 'बाजार अनुसंधान और सूचना नेटवर्क' नामक केंद्रीय योजना के अंतर्गत देश में सभी प्रमुख कृषि बाजारों में कीमतों और बाजार संबंधी सूचनाओं के तीव्र संकलन और प्रसार के लिए देशव्यापी सूचना नेटवर्क स्थापित किया गया है। योजना के अंतर्गत 3024 बाजार केंद्र और 175 राज्य/विपणन बोर्ड तथा विपणन निदेशालय एवं निरीक्षण कार्यालयों को इस नेटवर्क से जोड़ा गया है, जहां 300 वस्तुओं और 2000 किस्मों की कीमतों की रिपोर्ट आती है। 11वीं योजना में 36 थोक बाजारों को जोड़ने की

योजना है। व्यापक बाजार पहुंच अवसर उपलब्ध कराने और बेहतर मूल्य की जानकारी के लिए योजना का दायरा नियमित रूप से मजबूत किया जा रहा है।

(iii) 'कृषि विपणन ढांचे का विकास/सुदृढीकरण ग्रेडिंग और मानकीकरण' नाम की एक और योजना कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। योजना के अंतर्गत सभी राज्यों में हरेक परियोजना के लिए विपणन की मूलभूत विकासात्मक परियोजना के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है जो अधिकतम 50 लाख रुपये तक सीमित है तथा पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी इलाकों और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों के लिए 33.3 प्रतिशत सहायता दी जाती है जो अधिकतम 60 लाख रुपये तक है। राज्य सरकारों/राज्य स्तरीय एजेंसियों की मूलभूत परियोजनाओं के लिए योजना के अंतर्गत ऊपरी परिसीमन नहीं रखा गया है। यह योजना उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में संशोधित करके लागू की जा रही है जहां कृषि उत्पादन विपणन नियमन कानून के तहत निजी और सहकारी क्षेत्रों में प्रतियोगी कृषि बाजार स्थापित करने, सीधे विपणन करने, अनुबंधित खेती का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत, आंध्रप्रदेश, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, मणिपुर, सिक्किम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नगालैंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, असम, त्रिपुरा, गुजरात, कर्नाटक, गोवा और केंद्रशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार, दमन और दीव, चंडीगढ़ और दादर एवं नागर हवेली को सहायता मिलने के लिए अधिसूचित किया गया है।

देश 31 मार्च, 2009 तक बैंकों/नाबार्ड, एनसीडीसी के माध्यम से 3265 ढांचागत परियोजनाएं 141 करोड़ रुपए सरकारी सहायता से मंजूर की गई हैं और 748 परियोजनाओं का 9.50 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता से सहकारिता क्षेत्र में विकसित किया गया है। इस निदेशालय ने राज्य की एजेंसियों की 289 ढांचागत परियोजनाओं को लगभग 84 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता के साथ स्वीकृति प्रदान की है। अधिसूचित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 31 मार्च, 2009 तक एनआईएन ने 530 प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं।

(iv) देश के सभी प्रमुख शहरी केंद्रों में फल, सब्जियों और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के विपणन के लिए आधुनिक टर्मिनल वाले बाजारों को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग ने कई कदम उठाए हैं। इन बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन, कोल्डवेन जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह बाजार किसानों की पहुंच में हैं और सुविधाजनक क्षेत्रों में स्थापित हैं। टर्मिनल बाजारों को जल्दी ही नष्ट होने वाली वस्तुओं की खरीद और बिक्री के लिए राज्य सरकारों और निजी उद्यमियों के बीच बातचीत करके स्थापित किया गया है। टर्मिनल मार्केट माल खरीदने वाले कई केंद्रों से जुड़ा रहता है और किसानों को उनके उत्पाद या फसल को बेचने के लिए उनकी पहुंच के अंदर रहता है। उपर्युक्त योजना के तहत परियोजना के लिए सरकारी सहायता देने के बारे में सुधार किया गया है। परियोजना लागत की 40% राशि सहायता के रूप में दी जाएगी जबकि निजी उद्यमियों टीएमसी की स्थापना के लिए 25% राशि दी जाएगी। सरकारी सहायता इकाई की 150 करोड़ लागत पर प्रति टीएमसी 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी। किसानों के हितों की रक्षा और सेवा स्तर की गुणवत्ता के लिए उत्पादक संघों की भागीदारी का 26% इक्विटी के साथ प्रावधान किया गया है। तदनुसार प्रचालन दिशा-निर्देशों में सुधार कर जारी किया गया है जो वेबसाइट (www.agmarknet.nic.in) पर उपलब्ध है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन तीन संगठन हैं : (1) विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद; (2) चौ. चरणसिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर; (3) लघु किसान कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली।

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

यह विभाग से जुड़ा संस्थान है और इसके अध्यक्ष कृषि विपणन सलाहकार होते हैं। इसका मुख्यालय फरीदाबाद (हरियाणा) में है और शाखा कार्यालय नागपुर (महाराष्ट्र) में है। देशभर में इसके 11 क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर में केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, 26 उपकार्यालय और 16 एगमार्क प्रयोगशालाएं हैं।

निदेशालय के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं : राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कृषि उत्पादों के विकास और प्रबंधन के लिए वैधानिक नियमों के अनुसार सलाह देना, कृषि उत्पादों (ग्रेडिंग और मार्किंग) कानून 1937 के अंतर्गत कृषि और उसके सह उत्पादों के मानकीकरण और ग्रेडिंग को प्रोत्साहन देना, बाजार अनुसंधान, सर्वेक्षण और योजना बनाना, कृषि विपणन में प्रशिक्षण देना, बाजारों का विस्तार, कृषि विपणन सूचना नेटवर्क, ग्रामीण गोदामों का निर्माण तथा कृषि विपणन के लिए मूलभूत ढांचे का विकास।

ग्रेडिंग और मानकीकरण

कृषि उत्पाद (ग्रेडिंग और मार्किंग) कानून 1937 सरकार द्वारा तय गुणवत्ता मानकों, जिन्हें 'एगमार्क' नाम से जाना जाता है, को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। अब तक 182 कृषि और उसके सहउत्पादों की ग्रेडिंग करके अधिसूचित किया जा चुका है। खाद्य मिलावट निरोधक कानून 1954, और भारतीय मानकीकरण ब्यूरो 1986 के अंतर्गत शुद्ध मानकों पर ध्यान दिया जाता रहा है। कोडेक्स अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा तैयार अंतर्राष्ट्रीय मानक पर भी ध्यान दिया जाता है ताकि भारतीय उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बना सके।

डीएनआई एगमार्क के तहत घरेलू कृषि उत्पादों पर प्रमाणीकरण योजना लागू कर रहा है, जिनके लिए ग्रेडिंग मानकों को अधिसूचित किया जा चुका है। डीएमआई यूरोपीय यूनियन के देशों के लिए ताजा फलों और सब्जियों के निर्यात के लिए निरीक्षण और प्रमाणीकरण संस्था है। यह कार्य स्वैच्छिक है। एगमार्क के तहत यूरोपीय यूनियन के देशों को अंगूर, प्याज और अंतर का प्रमाणीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2009-10 में (30 जून, 2009 तक) वनस्पति तेल ग्रेडिंग और मार्किंग (संशोधन) नियम 2009 की अंतिम अधिसूचना भारत के असाधारण गजट के भाग-2, खंड-3, उप खंड (1) में 3 जून, 2009 को उसी तिथि के आदेशानुसार प्रकाशित हो चुकी है। अकार्बनिक कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग और मार्किंग नियम 2009 की अंतिम अधिसूचना विधि और न्याय मंत्रालय की पुष्टि के बाद मंत्रालय को भारत के गजट में प्रकाशन के लिए भेजी जा चुकी है।

करंजा बीज ग्रेडिंग और मार्किंग नियम 2009 की प्रारंभिक प्रारूप अधिसूचना, पुवाद बीज ग्रेडिंग और मार्किंग नियम, 2009 की प्रारंभिक प्रारूप अधिसूचना भारत के 11 जून, 2009 के असाधारण गजट में भाग-2, खंड-3, उप खंड (1) में 4 जून, के आदेशानुसार प्रकाशित हो चुकी है। इसी दिन के गजट में 3 जून, 2009 के आदेश से सामान्य ग्रेडिंग और मार्किंग (संशोधन) नियम, 2009 (नौ फलों और सब्जियों के मानकों सहित, जिसे अरोडा की स्थायी समिति ने स्वीकृति प्रदान की है) विधि और न्याय मंत्रालय के राज भाषा ब्यूरो को हिंदी अनुवाद के लिए भेज दिया गया है।

लघु किसान कृषि व्यापार संगठन

सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत 18 जनवरी, 1994 को कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा लघु किसान कृषि व्यापार संगठन (एसएफएसी) की स्थापना की गई थी। इसके सदस्यों में रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आईडीबीआई, एक्सिम बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स, नाबार्ड, केनरा बैंक, नैफेड, यूनाइटेड फासफोरस लिमिटेड हैं।

लघु किसान कृषि व्यापार संगठन की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा की जाती है जिसमें 20 सदस्यों का बोर्ड रहता है। संगठन द्वारा 18 राज्य स्तरीय लघु किसान कृषि व्यापार संस्थान स्थापित किए गए हैं। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य कृषि परियोजनाओं में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए नए सुझावों को लागू करना है। एसएएफसी ने समग्र कोष योगदान 21 राज्य स्तरीय एसएएफसी की स्थापना की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यापार में निजी निवेश बढ़ाकर केंद्रीय क्षेत्र की योजना को सरकार ने 19 जुलाई, 2005 को दसवीं योजना की शेष अवधि में क्रियान्वयन के लिए 40 करोड़ रुपये आबंटित किए। योजना एसएएफसी कृषि व्यापार परियोजना के लिए वेंचर केपिटल सहायता और बेहतर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने वाले किसानों/उत्पादकों के समूहों को सहायता देने वाले व्यावसायिक बैंकों के साथ मिलकर लागू की जा रही है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य कृषि व्यापार परियोजना को स्थापित करने वाले निजी निवेशकों और बैंकों की भागीदारी से कृषि व्यापार को सुगम बनाना है जिससे उत्पादकों को सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराया जा सके, ग्रामीण आय और रोजगार के अवसर बढ़ाना, उत्पादकों के साथ कृषि व्यापार परियोजनाओं के लिए बेहतर माहौल बनाना, किसानों और उत्पादकों को सहायता देना, परियोजना विकास सुविधाओं के माध्यम से मूल्य कड़ी में भागीदारी बढ़ाने के लिए कृषि स्नातकों को सहायता देना और विशेष कृषि व्यापार परियोजनाएं स्थापित करने वाले कृषि व्यापारियों को प्रशिक्षण देना है। कृषि व्यापार परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता लघु किसान कृषि व्यापार संघ पूंजी की भागीदारी के अनुसार करता है। वित्तीय सहायता परियोजना की लागत पर निर्भर करती है। और इसका निम्नतम होगी- बैंक द्वारा आकलित कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, परियोजना इक्विटी का 26 प्रतिशत, 75 लाख रुपये।

जिन परियोजनाओं को अधिक पूंजी की आवश्यकता है या जो परियोजनाएं दूरदराज और पिछड़े इलाकों, पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी इलाकों में हैं या राज्यों की एजेंसियों द्वारा जिनकी सिफारिश की जाती है उन्हें अधिक सहायता देने के लिए संघ द्वारा विचार किया जाता है।

राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान

राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान 8 अगस्त, 1988 से जयपुर (राजस्थान) में कार्य कर रहा है। यह कृषि विपणन के क्षेत्र में प्रशिक्षण, सलाहकार सेवा और शिक्षा प्रदान करता है। भारत की कृषि विपणन में शीर्ष संस्था होने के नाते सरकार के कृषि मंत्रालय के नीति सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

इस संस्थान का प्रबंधन कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक सरकारी संगठन तथा कृषि एवं सहकारी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति करती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य वर्तमान कृषि विपणन कर्मियों की कुशलता को बढ़ावा। कार्यक्रम में अंतर्गत गुणवत्ता मानक, फसलोपरांत प्रबंधन, अनुबंध खेती, कृषि विपणन सुधार, बाजारोन्मुख विस्तार एवं जोखिम प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण, वैज्ञानिक भंडारण, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) आदि आते हैं। वर्ष 2008-09 में संस्थान ने 50 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और 2009-10 में 50 प्रशिक्षण का आयोजन करेगा।

कृषि और बागवानी विभागों कृषि उद्योग, राज्य विपणन बोर्ड, कृषि उत्पाद विपणन समितियों, शीर्ष स्तर की सहकारी संस्थाओं, वस्तु बोर्ड, कृषि और प्रसंस्कारित खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण

निर्यात संस्थाओं व्यावसायिक बैंकों और गैर सरकारी संगठनों के वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है।

संस्थान ने कई राज्यों कृषि विपणन विकास के लिए योजनाएं बनाई हैं। यह टर्मिनल बाजारों और कृषि आधारित परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट भी तैयार करता है।

संस्थान ने भूटान की शाही सरकार के लिए मास्टर विपणन योजना 2008 में पूरी की। एनआईएम बहुल राज्यीय कृषि स्पर्धी परियोजना (एमएसएसीपी) के तहत विश्व बैंक छूट सहायता के लिए राज्य सरकारों को प्रस्ताव तैयार करने में सहायक शीर्ष संस्थान है। एनआईएम ने 2008-09 में असम कृषि स्पर्धी परियोजना के विपणन घटकों के बारे में रिपोर्ट दी है। इनके अलावा संस्थान ने भारत के कृषि विपणन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए यूएसएआईडी के साथ समझौते का क्रियान्वयन किया है। संस्थान कृषि वस्तु व्यापार के विभिन्न पहलुओं के बारे में डब्ल्यूएटीएस, नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन करती है।

एनआईएम अपने अध्यापकों और छात्रों के माध्यम से कृषि विपणन के विभिन्न मुद्दों पर व्यावहारिक अनुसंधान करवाता है। संस्थान एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम चला रहा है। इसमें अखिल भारतीय केंद्रों पर एनआईएमएटी परीक्षा के माध्यम से पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है।

पशुपालन

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन और डेयरी विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण परिवार, खासकर भूमिहीन और छोटे तथा सीमांत किसान पशुपालन को आय के पूरक स्रोत के रूप में अपनाते हैं। इस व्यवसाय से अर्द्धशहरी, पर्वतीय, जनजातीय और सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सहायक रोजगार मिलता है, जहां केवल फसल की उपज से ही परिवार का गुजर-बसर नहीं हो सकता। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) के अनुमान के अनुसार चालू मूल्य पर मछली और पशुपालन क्षेत्र का कुल योगदान वर्ष 2007-08 के दौरान 2,82,779 करोड़ रुपये था (इसमें 2,40,601 करोड़ रुपये पशु क्षेत्र के और 4, 2178 करोड़ रुपये मछली पालन क्षेत्र के थे), जो कि कृषि, पशु पालन और मछली क्षेत्र के कुल 9,36,597 करोड़ रुपये का 30 प्रतिशत है। वर्ष 2007-08 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में इन क्षेत्रों का योगदान 5.21 प्रतिशत था।

विश्व में सबसे अधिक मवेशी भारत में हैं। दुनिया की कुल भैंसों का 57 प्रतिशत और गाय-बैलों का 14 प्रतिशत भारत में है। 2003 की मवेशी गणना के अनुसार, देश में करीब 18.5 करोड़ गाय-बैल तथा 9.8 करोड़ भैंस हैं।

पशुपालन क्षेत्र का योगदान

देश की लगातार बढ़ती आबादी की (पशुओं से प्राप्त होने वाली) प्रोटीन की आवश्यकताएं पूरा करने में दूध, अंडा और मांस के रूप में खाद्य भंडार में पशुपालन क्षेत्र जबरदस्त योगदान कर रहा है। देश में फिलहाल प्रोटीन की प्रतिव्यक्ति दैनिक उपलब्धता 10 ग्राम है, जबकि इसका विश्व औसत 25 ग्राम है। किंतु बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए बढ़ते बच्चों और शिशुओं को दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण-स्तर को बनाए रखने के लिए देश में प्रोटीन की उपलब्धता में कम से कम दुगुनी बढ़ोतरी होनी चाहिए।

दूध उत्पादन : पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं, जिनके सुखद नतीजे के तौर पर दूध के उत्पादन में जबर्दस्त बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2007-08 में 10 करोड़ 49 लाख टन से अधिक दूध उत्पादन करने के साथ ही भारत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया में पहले स्थान पर बना हुआ है।

अंडा उत्पादन : वर्ष 2007-08 के दौरान देश में 53.7 अरब अंडों का उत्पादन हुआ।

ऊन का उत्पादन : वर्ष 2007-08 के दौरान देश में ऊन उत्पादन 4 करोड़ 40 लाख किलोग्राम तक पहुंच गया।

अन्य पशु उत्पाद : पशुपालन क्षेत्र दूध, अंडे, मांस आदि के जरिए न केवल अनिवार्य प्रोटीन और पौष्टिक मानव भोजन उपलब्ध कराता है, बल्कि गैर-खाद्य कृषि सह-उत्पादों के उपयोग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पशुपालन में चमड़ा, खाल, खून, हड्डियां, चर्बी आदि कच्चा माल/सह उत्पादों की भी प्राप्ति होती है।

विभाग द्वारा लागू योजना/कार्यक्रम

पशु बीमा : गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में लागू की जानेवाली पशुबीमा योजना के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, पहला- किसानों को सुरक्षित तंत्र मुहैया कराना और पशुओं के नुकसान की भरपाई करना और दूसरा- पशुओं और उनके उत्पादों में गुणवत्ता सुधार लाकर उसके लक्ष्य को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाना। देशभर के चुने हुए 100 जिलों में 2005-06 और 2007-08 के दौरान पशु बीमा योजना लागू की गई। 2007-08 में इसे उन्हीं जिलों में जारी रखा गया। 20 नवंबर 2008 को स्वीकृत पशु बीमा योजना 100 नए जिलों में नियमित आधार पर लागू की जा रही है।

2005-06 से 2007-08 तक योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति और उसकी खामियों का पता लगाने के ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आणंद (आईआरएमए) को अध्ययन का काम सौंपा गया। उसके आधार पर दिए गए सुझावों और पहले के अनुभवों के आधार पर शुरू में लागू 100 जिलों सहित इसका विस्तार 300 जिलों में करने का फैसला किया गया।

योजना में प्रारंभिक स्तर पर गाय और भैंसों की उच्च नस्लों के अधिकतम वर्तमान मूल्यों के आधार पर बीमा किया जाता है। प्रीमियम का 50% लाभार्थी देता है, शेष केंद्र सरकार देती है। यह योजना राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों, जैसे राज्य पशुपालन विकास बोर्ड और जिन राज्यों में बोर्ड नहीं है और राज्य पशु पालन विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। वर्ष 2008-09 में 17.59 करोड़ रुपए की लागत से 3.28 लाख पशुओं का बीमा किया गया। 2008-09 12.8 में लाख पशुओं के बीमे पर 59.80 करोड़ रुपए व्यय हुए। 18 जून, 09 तक 40,891 दावों में से 33,306 का भुगतान किया गया।

पशु जनगणना

देश में पशुधन और मुर्गियों की संख्या बहुत अधिक है, ग्रामीण लोगों के सामाजिक-आर्थिक दशा को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व में भारत भैंसों के मामले में पहले, मवेशी और बकरियों के मामले में दूसरे, भेड़ के मामले में तीसरे, बत्तखों के मामले में चौथे, मुर्गों के मामले में पांचवें और ऊंटों के मामले में छठवें स्थान पर है। इनसे कृषि मजदूरों, लघु एवं सीमांत किसानों, ग्रामीण महिलाओं, कृषि आधारित उद्योगों, दुग्ध उत्पादों, दुग्ध संयंत्रों, उर्वरक और कीटनाशकों, खाल और ऊन उत्पाद आदि में मदद मिलती है।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व और उनके पुनर्उत्पादन और लघु जीवनकाल को देखते हुए सरकार ने पशुओं की गणना करने का फैसला किया। पहली गणना 1919-20 हुई थी और बाद में भी यह गणना हुई। 18वीं गणना 15 अक्टूबर, 2007 की संदर्भतिथि के साथ पूरी हो गई है। 18वीं पशु गणना के तीन कार्यक्रमों का प्रचार किया गया—(1) गृह सूची कार्यक्रम (2) गांव/वार्ड (आधारभूत ढांचा) और घर-गृहस्थी कार्यक्रम, (अ) पशुधन (ब) मुर्गीपालन (पशुचंगन/फार्म), पशु चालित कृषि उपकरण और (द) मत्स्य सांख्यिकी। सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में, कुछ राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मिजोरम और त्रिपुरा को छोड़कर, पूरा हो गया है। बिहार में अभी पूरा होना है। असम और बिहार को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों से आंकड़े प्राप्त हो गए हैं। दोनों राज्यों में डाटा इंट्री का कार्य चल रहा है। अगस्त 2009 तक अर्बन्तित परिणाम आने थे। विस्तृत आंकड़ों के लिए विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों में डाटा इंट्री का कार्य चल रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर घर-बार के विस्तृत परिणामों के जुलाई, 2010 तक जारी किए जाने की आशा है।

वर्ष 2007-08 में 27.62 करोड़ रुपए विधिमाम्य किए गए और 2007-08 एवं 2008-09 में पशुगणना के लिए 203.67 करोड़ रुपए जारी किए गए। योजना के लिए बीई के तहत 2009-10 में 23.11 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

गाय-बैल और भैंसों का विकास

देश में देसी नस्ल के गाय-बैलों की 27 और भैंसों की 7 नस्लें उपलब्ध हैं। दूध का उत्पादन बढ़ाकर प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से गाय, बैल और भैंसों में आनुवांशिक सुधार लाने के कई केंद्रीय और केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस बात के भी प्रयत्न किए जा रहे हैं कि जिन देशी गायों, बैलों और भैंसों की प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है, उनका संरक्षण उनके क्षेत्रों में किया जाए। भावी नस्ल में सुधार लाने के लिए उत्तम नस्ल के सांड और गाय पैदा करने हेतु प्रशिक्षित भ्रूण उपलब्ध कराने की क्षमता के आधार पर विशिष्ट पशुओं का चयन और पंजीकरण किया जाता है।

गाय, बैल और भैंस प्रजनन की राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत कार्यक्रम को लागू करने वाली एजेंसियों को शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है। इस परियोजना में 28 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। 2007-08 तक इन राज्यों को 398.36 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता के रूप में जारी किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में 89.70 करोड़ रुपए के आरई के मुकाबले 87.37 करोड़ रुपए जारी किए गए।

मवेशियों और भैंसों के श्रेष्ठ जनन द्रव्य (जर्म प्लाज्म) की पहचान और उसका पता लगाने, बेहतर जनन द्रव्य स्टॉक के प्रचार, उसके क्रय-विक्रय के नियमन, प्रजनकों की संस्थाएं बनाने में सहायता और देश के विभिन्न हिस्सों में बेहतर किस्म के सांडों की आपूर्ति के लिए एक केंद्रीय रेवड़ पंजीकरण योजना भी चलाई जा रही है। सरकार ने चार प्रजनन क्षेत्रों—रोहतक, अहमदाबाद, ओंगोल और अजमेर में केंद्रीय रेवड़ पंजीकरण इकाइयों की स्थापना की है। इन गाय प्रजातियों, जैसे—गिर कंकरेज, हरियाणा एवं ओंगोल तथा भैंसों की प्रजातियों (जैसे—जस्फराबादी, मेहसाणी, मुर्गा और सुरती) के पंजीकरण के लिए कुल मिलाकर 92 दुग्ध रिकार्डिंग केंद्र काम कर रहे हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान 14711 पशुओं का प्राथमिक पंजीकरण किया गया।

देश में सात केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म हैं। ये सूरतगढ़ (राजस्थान), चिपलीमा और सुनबेडा (उड़ीसा), धमरोड़ (गुजरात), हैसरघट्टा (कर्नाटक), अलमाडी (तमिलनाडु) और अंदेशनगर (उत्तर

प्रदेश) में स्थित हैं, जो गाय, बैल और भैंस प्रजनन की राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत गायों, बैलों तथा भैंसों के वैज्ञानिक प्रजनन कार्यक्रमों और उम्दा नस्ल के सांडों, गायों, बैलों और भैंसों के प्रजनन के लिए ऊंची नस्ल के सांड और प्रशीतित वीर्य के कार्य में लगे हैं। यह फार्म किसानों और प्रजकों को प्रशिक्षण भी देते हैं। 2008-09 के दौरान इन फार्मों ने देश के विभिन्न भागों में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के अंतर्गत इस्तेमाल करने के लिए 346 बछड़े तैयार किए तथा उच्च प्रजाति के 245 सांड सप्लाई किए। फार्म प्रशिक्षण प्रेक्टिस और वैज्ञानिक प्रजनन प्रदर्शन में 3711 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। डेयरी फार्म प्रबंधन में 2912 किसानों को प्रशिक्षित किया गया।

हेस्सरगट्टा (बेंगलुरु) स्थित सेंट्रल प्रोजेन सीमेन प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (सीएफएसपी और टीआई) कृत्रिम गर्भाधान के लिए देसी, विदेशी संकर नस्ल के जानवरों और मुर्ग भैंसों के हिमशीतित वीर्य तैयार कर रहा है। संस्थान राज्य सरकारों के तकनीकी अधिकारियों को वीर्य प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा देश में तैयार हिमशीतित वीर्य और कृत्रिम गर्भाधान के उपकरणों (एआई) के परीक्षण केंद्र का भी कार्य करता है। संस्थान 2008-09 में 8.66 लाख खुराक तैयार करने के अलावा 227 लोगों हिमशीतित वीर्य प्रौद्योगिकी और यंत्रों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया।

मुर्गीपालन विकास

सरकार के अनुसंधान और विकास योजनाओं और निजी क्षेत्र के संगठित बाजार प्रबंधन के कारण देश में मुर्गीपालन में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है।

भारत 489 मिलियन मुर्गियों तथा प्रतिवर्ष 47 बिलियन अंडा उत्पादन के आधार पर विश्व के तीन शीर्ष अंडा उत्पादक देशों में शामिल है। ब्रोइलर उत्पादन 8-10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है और वर्तमान में भारत 2.0 मिलियन मीट्रिक टन चिकन मांस वार्षिक पैदा करता है। वर्तमान में अंडों और चिकन मांस की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1970 के 10 अंडों और 146 ग्राम से बढ़कर 41 अंडे तथा 1.6 किग्रा हो गई है। मुर्गीपालन तथा उत्पादों में भारत का विश्व में एक छोटा हिस्सा है फिर भी पिछले दशक में देश ने निर्यात में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 1993-94 में निर्यात 11 करोड़ रुपए कम था, मुर्गीपालन क्षेत्र लगभग 30 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त बहुत से भूमिहीन तथा सीमांत किसानों के लिए सहयोगी आमदनी पैदा करने के साथ-साथ ग्रामीण गरीबों को पोषण सुरक्षा प्रदान करने का एक शक्तिशाली साधन है। भूमि हीन श्रमिक अपनी 50 प्रतिशत आमदनी पशुधन विशेषकर मुर्गीपालन से अर्जित करते हैं।

देश को किसानों की सहायता के चार क्षेत्रवार केंद्रों का पुनर्गठन कर एकल खिड़की सुविधा प्रदान की गई है। इन क्षेत्रीय केंद्रीय मुर्गीपालन विकास संगठन (सीपीओ) चंडीगढ़, भुवनेश्वर, मुंबई और हेसरघट्टा में किसानों को तकनीकी कुशलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

गुडगांव स्थित केंद्रीय कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केंद्र (रेंडम सैंपल पोल्ट्री परफोर्मेंस टेस्टिंग सेंटर सीपीपीटीसी) को लेयर और ब्रोइलर प्रजातियों के निष्पादन परीक्षण का काम सौंपा गया है। यह केंद्र एक लेयर दो ब्रोइलर परीक्षण एक वर्ष में करता है।

कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने 11वीं योजना के तीसरे वर्ष 2009-10 से मुर्गीपालन विकास की केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी और 150 करोड़ रुपए आबंटित किए। इसके तीन घटक हैं, यथा राज्य मुर्गी फार्मों को सहायता (जो जारी घटक है) और दो नए घटकों में पहला 'रूरल बैकयार्ड पॉल्ट्री डेवलपमेंट' भाग किसानों को वैज्ञानिक तरीके से संगठित गतिविधियां चलाने में समर्थ

बनाएगा तथा दूसरा 'पॉल्ट्री एस्टेट' है। योजना की प्रशासनिक स्वीकृत और दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

राज्यों के मुर्गीपालन फार्मों को सहायता का उद्देश्य वर्तमान फार्मों को बनाना है ताकि वे ग्रामीणों को अच्छी किस्म की मुर्गियां दे सकें। रूरल बैकयार्ड पाल्ट्री डेवलपमेंट कंपोनेंट अंतर्गत समाज के गरीबी की रेखा के नीचे के अधिक से अधिक जरूरतमंदों को लाया जाएगा ताकि उन्हें पूरक अन्य और पोषण प्राप्त हो सके। 'पाल्ट्री एस्टेट्स' के अग्रणी घटक से शिक्षित बेरोजगार युवकों और छोटे किसानों की उद्यम कुशलता बढ़ाई जाएगी जिससे मुर्गीपालन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों से वैज्ञानिक और सामूहिक दृष्टिकोण से उसे लाभकारी बना सकें।

भेड़ विकास

2003 की मवेशी गणना के अनुसार देश में लगभग 6.147 करोड़ भेड़ और 12.436 करोड़ बकरियां हैं। देश भर में लगभग 50 लाख परिवार भेड़, बकरी, खरगोश आदि के पालन तथा इससे संबद्ध गतिविधियों में लगे हुए हैं। वर्ष 2006-07 में 45.1 मिलियन किलोग्राम ऊन का उत्पादन हुआ।

केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार में जलवायु के अनुकूल अच्छी नस्ल की विदेशी/संकर भेड़ें पैदा की जा रही हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान फार्म द्वारा 694 नर भेड़ें और 95 बतखे उपलब्ध कराई गईं। 44 किसानों को ऊन की कटाई और 633 किसानों को भेड़ प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया।

संकटग्रस्त नस्लों का संरक्षण

देश में कई शुद्ध नस्लों के पशुओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है। कुछ की संख्या दस हजार से भी कम हो गई है। ऐसे पशुओं को 'संकटग्रस्त नस्लों' के अंतर्गत माना जाता है। इनमें जुगाली करने वाले पशु, अश्व जाति, सूअर और लद्द किस्म की कुछ प्रजातियां शामिल हैं।

ऐसे विलुप्तप्राय नस्लों के संरक्षण के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक नई परियोजना शुरू की गई है। इसके लिए बजट में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ऐसी नस्लों के पशुओं की पैदाइश के लिए संबंधित राज्यों में फार्म की स्थापना की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत सहायता देने का प्रावधान है। संरक्षण परियोजनाएं राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। दसवीं योजनावधि के दौरान 27 नस्लों के लिए संरक्षण परियोजना शुरू की गई है। वर्ष 2007-08 के दौरान संकटग्रस्त नस्लों के संरक्षण हेतु 136.06 अरब रुपये जारी किए जिसमें से गुरु अंगददेव वेटोरिनरी एंड एनीमल साइंस यूनिवर्सिटी, लुधियाना को 30 लाख रुपये, काठियावाड़ी घोड़ों के लिए गुजरात सरकार को 36.81 लाख रुपये, मुजफ्फरनगरी भेड़ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 28.25 लाख रुपये तथा योजना के मूल्यांकन के लिए नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नेबकॉस) को 9 लाख रुपये शामिल हैं। 11वीं योजना में आबंटन 16 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2008-09 में 45 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 11वीं योजना में उन मुर्गियों और बतखों की नस्लों को भी इसके अंतर्गत लाया जाएगा, जिनकी संख्या 1000 से अधिक है।

योजना के तहत 2008-09 में आबंटन 1.94 करोड़ रुपए थे, जिसके एवज में 194.95 लाख मार्च 2009 तक जारी किए गए। इसमें गुजरात को सुरती बकरियों के संरक्षण के लिए (32.25 लाख रुपए) और ऊंटों के संरक्षण के लिए 68 लाख रुपए, केरल पशुधन विकास बोर्ड को अट्टापैडी बकरियों के संरक्षण के लिए (27.25 लाख रुपए) और अंगामैली सूअरों के लिए (9.20 लाख रुपए), जम्मू और

कश्मीर को टट्टुओं के संरक्षण के लिए (6 लाख रुपए), अंगददेव वेटेरिनरी एंड एनीमल साइंस यूनीवर्सिटी, लुधियाना को बीटल बकरियों के संरक्षण के लिए 30 लाख रुपये तथा योजना के मूल्यांकन के लिए नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नेबकॉस) को 2008-09 में 2.25 लाख रुपये शामिल हैं।

लघु जुगाली पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास

अप्रैल के आखिरी पखवाड़े में 2009 में 11वीं योजना के पूरक के रूप में केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना 134.825 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ स्वीकृत की गई जिसमें से 18.33 करोड़ रुपए 2009-10 की बीई है। योजना के तहत 54 लघु जुगाली पशुओं के विकास समूह नाबार्ड की वेंचर पूंजी के अलावा राज्य की कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से ढांचागत विकास और संस्थागत पुनर्गठन किया जाएगा।

मांस उत्पादन/प्रसंस्करण और निर्यात

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तहत निर्मातोन्मुख एकीकृत आधुनिक बूचड़खाने और मांस प्रसंस्करण संयंत्र रजिस्टर किये गये हैं। कच्चा मांस (प्रशीतित) करीब 56 देशों में निर्यात किया जा रहा है। 2007-08 में लगभग 483478 मी.ट. कच्चा मांस और 8908.72 मी.ट. भेड़। बकरी का मांस निर्यात किया गया जिसकी कीमत क्रमशः 3547.79 करोड़ रुपए और 134.09 करोड़ रुपए थी। अप्रैल 2008 और फरवरी 2009 तक 4859 करोड़ रुपए मूल्य का मांस और उसके उत्पाद का निर्यात किया गया। निर्यात में रुपए के संदर्भ में 31.9190 की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

सूअरपालन विकास

वर्ष 2003 में मवेशी गणना के अनुसार देश में 139.19 लाख सूअर हैं जिनमें से 21.80 लाख बेहतरीन और विदेशी नस्ल के हैं। इस समय देश में राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा चलाए जा रहे करीब 158 सूअर-पालन फार्म हैं। इन फार्मों में लार्ज यार्कशायर, हैंपशायर, लैंड्रेस आदि उन्नत नस्लों के सूअर रखे जाते हैं। *ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वृहद प्रबंधन योजना के तहत एकीकृत सूअर विकास योजना शुरू करने के लिए योजना आयोग और अन्य संबंधित एजेंसियों से परामर्श किया जा रहा है।*

चारा और दाना विकास

समुचित वैज्ञानिक पद्धतियों, पौष्टिक आहार और चारे की उपलब्धता के जरिए विशाल पशुधन का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। चारे के उत्पादन की वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में सात क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र चारे के बेहतर किस्मों के बेहतरीन बीजों के उत्पादन और वैज्ञानिक चारा उत्पादन प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण अधिकारियों/ किसानों को प्रशिक्षण देकर नवीनतम चारा पद्धतियों के प्रदर्शन तथा किसानों के लिए मेलों के आयोजन के माध्यम से करते हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान इन केंद्रों में 212.50 मीट्रिक टन उच्च किस्म के चारा बीज का उत्पादन किया गया, 6249 क्षेत्रीय प्रदर्शन आयोजित किये गये, 110 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 116 किसान मेले आयोजित किये गये।

वर्ष 2008-09 के दौरान हैसाराघट्टा (कर्नाटक) स्थित केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म ने स्थानीय केंद्र के रूप में कार्य करके इसी तरह का लक्ष्य हासिल किया। इस केंद्र ने 66.01 मीट्रिक टन विभिन्न किस्मों के चारा बीजों का उत्पादन किया, 605 क्षेत्रीय प्रदर्शन, 12 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 12 किसान

मेले आयोजित किये। राज्यों के पशुपालन निदेशालयों के माध्यम से बड़े पैमाने पर चारे की नई किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक केंद्रीय मिनीकट टेस्टिंग कार्यक्रम भी लागू किया जा रहा है। 2008-09 के दौरान राज्यों को किसानों को मुफ्त 6.34 लाख मिनीकट वितरित करने का काम सौंपा गया। इसके अलावा चारा मंडल (फोडर ब्लॉक) इकाइयों को स्थापित करने के लिए 2005-06 से केंद्र द्वारा प्रायोजित चारा विकास योजना लागू की जा रही है जिसमें घास के लिए भूमि विकास, चारा बीज उत्पादन और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजनाएं भी शामिल हैं। वर्ष 2008-09 में राज्यों को 924.91 लाख रुपये जारी किए गए।

इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल में किसानों द्वारा आत्महत्या करने वाले जिलों के लिए विशेष पशुधन पैकेज लागू किया गया, जिसके अंतर्गत, 2008-09 में दाना और चारा आपूर्ति कार्यक्रम और चारा ब्लाक बनाने वाले इकाइयों की स्थापना के लिए 1382 लाख रुपये जारी किए गए।

डेयरी विकास

भारत डेयरी उद्योग ने आठवीं योजना अवधि से 2007-08 के अंत तक 10.48 करोड़ टन दूध का वार्षिक उत्पादन करके उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इससे विश्व में न केवल भारतीय डेयरी उद्योग का स्थान पहला हो गया है, बल्कि यह अधिक दूध और दूध-उत्पाद की उपलब्धता में स्थायी विकास का भी परिचायक है। 2008-09 में डेयरी विकास के लिए सरकार ने चार योजनाएं विकसित की हैं।

गहन डेयरी विकास कार्यक्रम : आठवीं योजना के दौरान किये गये मूल्यांकन के आधार पर गहन डेयरी विकास कार्यक्रम में कुछ बदलाव करके ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इसे जारी रखा गया है। इसके लिए 2009-10 में 32.49 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। अब तक 25 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में 489.84 करोड़ रुपये के आबंटन के साथ ही 86 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। 31 मार्च, 2000 तक विभिन्न राज्य सरकारों के लिए 373.82 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई और 207 जिलों को इसके अंतर्गत लिया गया। इस योजना से करीब 18.79 लाख किसान परिवार लाभान्वित हुए और 31 मार्च, 2009 तक 26,882 ग्रामीण स्तरीय डेयरी सहकारी समितियां आयोजित की गईं।

शुद्ध एवं गुणवत्तायुक्त दूध उत्पादन के लिए मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाना : वर्ष 2003 अक्टूबर, के दौरान प्रायोजित एक नई केंद्रीय योजना प्रारंभ की गई जिसका मुख्य उद्देश्य देश में ग्राम स्तर पर कच्चे दूध की गुणवत्ता को सुधारना था। इस योजना में दुग्ध उत्पादकों को दूध उत्पादन के प्रशिक्षण की सहायता दी जाती है। यह योजना राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के शत-प्रतिशत अनुदान सहायता के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। इसमें दुग्ध उत्पादकों को प्रशिक्षण, डिजर्टेंट, स्टेनलेस स्टील के बर्तन और प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाना है जिसके लिए गांव स्तर पर दूध प्रशीतन सुविधाएं स्थापित करने के लिए 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2009 तक कुल 195.17 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ 13 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसमें केंद्र का हिस्सा 159 करोड़ रुपये का है। 31 मार्च 2009 तक स्वीकृत परियोजना गतिविधियों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों के केंद्रीय अंश के रूप में 128.11 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 31 मार्च 2009 तक 5,30,468 किसान लाभान्वित हो चुके हैं। इस दौरान उनके दुग्ध उत्पादों के विपणन और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए 21.05 लाख लीटर के दुग्ध प्रशिक्षण कूलर स्थापित किए गए।

सहकारी संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता : राज्य और जिला स्तर पर नुकसान में जा रही डेयरी सहकारिता यूनियनों को पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) दुग्ध यूनियनों, राज्य सरकारों से विचार-विमर्श कर कार्यक्रम तैयार करती है। परियोजना को कार्यान्वित करती है और इसके जरिये दुग्ध यूनियनों को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराती है। 50 करोड़ रुपये के अनंतिम परिव्यय के साथ योजना ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई जा रही है।

1999-2000 में योजना लागू होने से अब तक विभाग द्वारा 31 मार्च 2008 तक 197.37 करोड़ रुपये (98.68 करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता सहित) के कुल व्यय के साथ 12 राज्यों में दुग्ध यूनियनों के 32 पुनर्वास पुनर्स्थान प्रस्ताव मंजूर किये गये। यह राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, असम, नगालैंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और तमिलनाडु, जिसके लिए 31 मार्च, 2009 तक 230.94 करोड़ रुपए जिसमें 115.66 करोड़ रुपए केंद्रीय हिस्सा है, मंजूर किए गए। 31 मार्च 2008 तक 88.19 करोड़ रुपए जारी किए बीई 2009-10 में 9 करोड़ रुपए प्रदान किए गए जिसमें से 155.495 लाख रुपए संबंधित यूनियनों को 20 अगस्त, 2008 तक जारी किए गए।

डेयरी उद्यम पूंजी कोष : असंगठित क्षेत्र में ढांचागत परिवर्तन लाने के लिए कई कदम उठाए गए जिनमें ग्राम स्तर पर दूध का प्रसंस्करण, कम लागत में पॉश्च्यूराइज्ड दूध की बिक्री, आधुनिक उपकरणों के माध्यम से व्यावसायिक स्तर पर पारंपरिक प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल करना और प्रबंधन कुशलता और ग्रामीण दूध उत्पादकों, मुर्गीपालकों/किसानों के लिए अच्छी नस्ल वाले पशुओं के लिए प्रोत्साहन देना शामिल हैं। इसके लिए दसवीं योजना में एक नई योजना डेयरी/पोल्ट्री उद्यम पूंजी कोष नामक केंद्रीय योजना शुरू की गई। योजना के अंतर्गत ग्रामीण/शहरी स्तर पर बैंक परियोजनाओं के माध्यम से 50% ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित योजना के लिए केंद्र सरकार धन देती है। योजना के तहत उद्यमी को 10% धनराशि देनी होती है और 40% स्थानीय बैंक से ऋण लेना पड़ता है। सरकार ब्याज मुक्त 50% ऋण नाबार्ड के माध्यम से देती है। किसानों की कृषि संबंधित गतिविधियों के देय राशि के ब्याज में भी सरकार 50% सहायता देती है, लेकिन भुगतान नियमित समय से हो।

योजना 25 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ दिसंबर 2004 में स्वीकृत हुई थी। इस योजना का कार्यान्वयन नाबार्ड के माध्यम से हो रहा है और नाबार्ड को फंड दिया जाता है जिसे रिवॉल्विंग फंड के रूप में रखा जाता है। 31 मार्च 2008 तक योजना के क्रियान्वयन के लिए नाबार्ड को 112.99 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। 2009-10 के दौरान योजना के क्रियान्वयन के लिए 38 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है जिसमें से 31 जुलाई 2009 तक 10 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

दूध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 : खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 पारित होने के बाद एमएमपीओ-92 से संबंधित कार्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के तहत आ गए हैं।

राष्ट्रीय डेयरी योजना : सरकार 2021-22 तक सालाना 18 करोड़ टन दूध उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से 17000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से राष्ट्रीय डेयरी योजना शुरू करने की संभावनाओं की जांच कर रही है। दूध उत्पादन अगले 15 वर्ष में 4% की दर से हर साल 50 लाख टन बढ़ने की आशा है। योजना के तहत सरकार बड़े दूध उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने और वर्तमान तथा नए संस्थागत ढांचों के माध्यम से दूध उत्पादन, प्रसंस्करण और बाजार में पहुंचाना चाहती है। योजना में नस्ल, पशु चारा उत्पादन बाई-पास प्रोटीन और खनिज मिश्रण बढ़ाने के लिए संयंत्रों की स्थापना की बात

है। योजना में संगठित क्षेत्र में उत्पादित बचे दूध का 65% वसूली का प्रस्ताव है, जबकि अभी यह 30% है। परियोजना के लिए विश्व बैंक से धन राशि लेने के प्रयास चल रहे हैं।

पशु स्वास्थ्य

भारत में पशुओं के स्वास्थ्य में कई तरह से सुधार हुआ है और पशुपालन के स्तर में भी कई बदलाव आए हैं। विश्व व्यापार संगठन से हुए समझौते से उदारीकरण की वजह से देश में बहुत सी विदेशी बीमारियों का प्रवेश हुआ है। क्रॉस ब्रीड कार्यक्रम को व्यापक तौर पर लागू करने के लिए पशुओं की गुणवत्ता में सुधार होने के साथ-साथ पशुओं में कई तरह की नई बीमारियां भी बढ़ी हैं। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी मानकों के अनुसार बीमारियों से मुक्त पशुओं के लिए पशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों की मदद से एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है।

पशुओं में बीमारियां कम करने और उनकी जन्म दर बढ़ाने के लिए राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, पोलीक्लिनिक, पशुओं के अस्पतालों, डिसपेंसरियों, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और चलती-फिरती पशु डिस्पेंसरियों द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बीमारियों का जल्दी और विश्वसनीय इलाज करने के लिए 27,562 पोली क्लीनिक, अस्पताल और डिसपेंसरियां और 25,195 पशु सहायता केंद्र खोले गए हैं। इसके अलावा 250 रोग निदान केंद्र खोले गए हैं। पशुओं के रोगों और मुर्गियों में होने वाली बीमारियों की कई रोगनिरोधक टीकों से रोकथाम की जा रही है। इसके लिए देश में पशु टीका उत्पादन की 27 इकाइयों में रोग निरोधक टीकों का उत्पादन किया गया है। इन इकाइयों में 21 इकाइयां सार्वजनिक क्षेत्र की और 6 इकाइयां निजी क्षेत्र की हैं। आवश्यकता पड़ने पर निजी एजेंसियों द्वारा रोगनिरोधक टीकों का आयात भी किया जा सकता है।

पशु संगरोधन और प्रमाणीकरण सेवा

इस सेवा का काम भारत में पशुओं और पशुओं से संबंधित उत्पादों के आयात से होने वाली बीमारियों के प्रवेश को रोकना है। इसके अलावा भारत से निर्यात होने वाले पशुओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निर्यात प्रमाणीकरण करना भी है। इस सेवा के 4 केंद्र नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में हैं।

हैदराबाद और बेंगलुरु में दो अतिरिक्त पशु संगरोधन केंद्र की स्थापना तथा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के हवाई अड्डों, बंदरगाहों और अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर डिपो के प्रचालन क्षेत्र में अतिरिक्त संगरोधन इकाइयां स्थापित कर चारों संगरोधन केंद्रों को मजबूत कर पशु क्षेत्र जैव सुरक्षा मजबूत करने का निश्चय किया गया है। समुद्री क्षेत्र में जैव सुरक्षा मजबूत करने के लिए मुंबई संगरोधन इकाई और मुख्यालय में समन्वय इकाइयां स्थापित की जाएंगी। हैदराबाद और बेंगलुरु में संगरोधन केंद्रों के जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। मुर्गीपालन के सामान, पालतू जीव, प्रयोगशाला के लिए जीव और पशु उत्पादों का आयात हैदराबाद हवाई अड्डे से शुरू हो गया है।

राष्ट्रीय पशु जैविकी उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केंद्र

जैविकी और टीकों की गुणवत्ता के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में बागपत, उत्तरप्रदेश में राष्ट्रीय पशु चिकित्सा जैविकी गुणवत्ता नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जा चुका है। इसके उद्देश्य हैं :

- टीकों, जैविकी, दवा, निदान और पशु स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य वस्तुओं के निर्माताओं को लाइसेंस देने की सिफारिश।

- जैविकी जांच में संदर्भ सामग्री के रूप में इस्तेमाल के लिए मानक उपक्रम की स्थापना।
- देश में उत्पादित और आयातित पशु चिकित्सा संबंधी सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

कार्यालय और प्रयोगशाला की इमारतें बन गई हैं। आशा है कि संस्थान शीघ्र ही पूरी तरह से कार्य करने लगेगा।

केंद्रीय/क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाएं

राज्यों में पहले से मौजूद रोग निदान प्रयोगशालाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मौजूदा सुविधाओं में इजाफा किया गया है। इसके तहत एक केंद्रीय और पांच क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाएं खोली गई हैं। पशु रोग अनुसंधान एवं रोग निदान केंद्र, इज्जतनगर केंद्रीय प्रयोगशाला के रूप में काम कर रहा है। यह प्रयोगशाला भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत है। डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी, पुणे; पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान, कोलकाता; पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान, बंगलौर; पशु स्वास्थ्य संस्थान, जालंधर और पशु चिकित्सा जैविकी, खानापार, गुवाहाटी पांच प्रयोगशालाएं क्रमशः पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं।

सीडीडीएल/आरडीडीएल के मुख्य उद्देश्य हैं :

- (i) उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करना संदर्भित-निदान सेवाएं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और बाद में पड़ोसी देशों को प्रदान करना।
- (ii) पशुओं में होने वाली बीमारी मुख्य रूप से बोवाइन राइनोट्रैकेटिस, नीली जुबान, जुगाली करने वाले पशुओं में पेस्ट डेस पोटिट्स, भेड़ और बकरियों में भेड़ चेचक आदि, सुअरों में स्वाइन बुखार, घोड़ों में ग्लैंडर, इक्वीन राइनोव्यूमोनिटिस कुत्तों में कैनी पार्वोवायरस, पक्षी इन्फ्लुएंजा, पक्षी इनसेफलाइटिस, मुर्गियों में संक्रामक लैरिंगोट्रैकेटिस आदि की समस्याओं का अध्ययन करना।
- (iii) प्रयोगशाला और क्षेत्र में बीमारी जांच अधिकारियों और क्षेत्र में कार्यरत पशुविज्ञानियों को आधुनिक निदान तकनीकी का प्रदर्शन।
- (iv) संक्रामक पशु बीमारियों के अंतर्राज्यीय संक्रमण और उपचारात्मक उपायों से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन।

पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण

देश में पशु स्वास्थ्य से संबंधित सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लागू करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाले पशुओं के स्वास्थ्य के लिए पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता : इस कदम के अंतर्गत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है : जिसमें टीकाकरण, मौजूदा पशु चिकित्सा जैविकी उत्पादन इकाइयों को सुदृढ़ बनाना, मौजूदा रोग निदान प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाना और पशु चिकित्सकों और इस क्षेत्र में काम कर रहे अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

कार्यक्रम का कार्यान्वयन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 75 : 25 की हिस्सेदारी से लागू किया जा रहा है, लेकिन प्रशिक्षण और संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के केंद्र 100% सहायता देता है। इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पशुओं या मुर्गियों में होने वाली बीमारियों से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करना भी इस घटक में शामिल है। इन सूचनाओं को मासिक एनिमल डिजीज सर्विसलेंस बुलेटिन

में प्रकाशित करके सभी राज्यों में वितरित किया जाता है। इसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआईई), एनीमल प्रोडक्शन ऐंड हेल्थ कमिशनर फॉर एशिया ऐंड पैसिफिक में भी इन सूचनाओं को भेजा जाता है। सूचना प्रणाली को ओआईई के दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्वरित किया गया है।

राष्ट्रीय पशु प्लेग (रिंडरपेस्ट) उन्मूलन परियोजना (एनपीआरई) : इस परियोजना का उद्देश्य देश में पशु प्लेग (रिंडरपेस्ट) और संक्रामक बोवाइन फ्लूरो निमोनिया का उन्मूलन करना है और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआईई) और पेरिस द्वारा सुझाए गए कदमों से इन बीमारियों से मुक्ति पाना। ओआईई ने भारत को पशु प्लेग रिंडरपेस्ट और संक्रामक बोवाइन फ्लूरो निमोनिया से क्रमशः 26 मई, 2006 और 26 मई, 2007 को मुक्त घोषित कर दिया। इसीलिए व्यापार और निर्यात के लिए आवश्यक है कि इन दो बीमारियों से मुक्ति बनी रहे। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पशुपालन विभाग के कर्मचारियों द्वारा पूरे देश में जांच जारी है ताकि इस मुक्ति के स्तर को बनाए रखा जा सके।

देश में पशु प्लेग के 25 लाख टीके छह टीका बैंकों में सुरक्षित रखे गए हैं, ताकि पशु प्लेग के पुनः फैलने पर उनका उपयोग किया जा सके।

(ii) मुंह पका-खुर पका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफएमडी-सीसी) : मुंह पका-खुर पका रोग को नियंत्रित करने के लिए देश के 54 जिलों में मुंह पका-खुर पका रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके लिए पशुओं को छह माह में टीका लगाया जाता है। पंजाब को छोड़कर भागीदारी करनेवाले सभी राज्यों में इस टीकाकरण के पांच चरण पूरे हो चुके हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में नौवां दौर भी पूरा हो चुका है। हर चरण में 2 करोड़ 80 लाख टीके लगाए जाते हैं।

(iii) पेशेवर क्षमता विकास (पीईडी) : इस योजना का उद्देश्य वेटनरी प्रैक्टिस को नियमित करना और भारतीय पशु चिकित्सक परिषद् अधिनियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप पशु चिकित्सा प्रैक्टिशनरों का रजिस्टर रखना और पशु चिकित्सा शिक्षा (सीवीई) के माध्यम से पशु चिकित्सकों को आधुनिक तकनीकी प्रदान कर उनकी क्षमता बढ़ाना है। योजना में केंद्र में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम को अपनाने वाले राज्यों में राज्य पशु चिकित्सा परिषद् की स्थापना की बात है। वर्तमान में यह जम्मू और कश्मीर को छोड़कर देश के सभी राज्यों में लागू है।

एवियन इन्फ्लूएंजा के नियंत्रण और रोकथाम करने की तैयारी : 18 फरवरी, 2006 में जब पहली बार भारत के पश्चिमी हिस्से महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ इलाकों में एवियन इन्फ्लूएंजा का प्रकोप फैला था। दूसरी बार यह महाराष्ट्र के जलगांव और मध्य प्रदेश बुरहनपुर जिले में मार्च-अप्रैल, 2006 में फैला। तीसरी बार एवियन इन्फ्लूएंजा मणिपुर के एक छोटे मुर्गीपालन केंद्र में जुलाई, 2007 में यह फैला। देश में चौथी बार एवियन इन्फ्लूएंजा का प्रकोप पश्चिम बंगाल के बीरभूम और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में 15 जनवरी, 2008 को हुआ। फिर यह बीमारी राज्य के 13 जिलों—मुर्शिदाबाद, माल्दा, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुए, पुरलिया, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग में फैल गई। पश्चिम बंगाल के 15 जिलों के 55 ब्लाक और 2 नगरपालिकाओं में इसका प्रकोप हो गया। एवियन इन्फ्लूएंजा की आखिरी घटना का पता 16 मई, 2008 को चला। पश्चिम बंगाल में नियंत्रण और रोक अभियान के दौरान 42.62 लाख पक्षियों को मार दिया गया; लगभग 15.60 लाख अंडे और 89,823 किलोग्राम मांस नष्ट कर दिया गया।

एवियन इन्फ्लूएंजा त्रिपुरा के घाताई जिले में फैलने की जानकारी 7 अप्रैल, 2008 को मिली। उसके बाद पश्चिम त्रिपुरा जिले के मोटनपुर और विशालगढ़ में भी यह फैल गई। पश्चिम त्रिपुरा जिनके इन्फ्लूएंजा की आखिरी घटना की जानकारी 24 अप्रैल, 2008 को मिली। एवियन इन्फ्लूएंजा के नियंत्रण

और रोक अभियान के दौरान 0.19 मिलियन पक्षी मारे गए। सफल नियंत्रण और रोक अभियानों के बाद 4 नवंबर, 2008 को भारत एवियन इन्फ्लूएंजा से मुक्त घोषित किया गया।

असम और पश्चिम बंगाल में इन्फ्लूएंजा की हाल की घटनाएं

एक महीने की खामोशी के बाद असम के कामरूप जिले में एवियन इन्फ्लूएंजा के प्रकोप की जानकारी 27 नवंबर, 2008 को मिली। यह राज्य के आठ और जिलों कामरूप (मेट्रो), बरपेटा, नलबारी, चिरांग, डिब्रूगढ़, बोंगाईगांव, नौगांव और बकरा में फैल गया। इससे असम के 9 जिलों में 13 ब्लॉक तथा दो नगर पालिकाएं प्रभावित हुईं। राज्य में इन्फ्लूएंजा की आखिरी घटना 24 दिसंबर, 2008 को हुई थी।

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के इंगलिश बाजार ब्लॉक में एवियन इन्फ्लूएंजा का प्रकोप 15 दिसंबर, 2008 को हुआ। यह पश्चिम बंगाल के 5 जिलों और 9 ब्लॉक में फैला। एवियन इन्फ्लूएंजा की आखिरी घटना उत्तर दिनाजपुर में 27 मई, 2009 को हुई। सिक्किम के दक्षिण सिक्किम जिले की रावोंग्ला नगरपालिका में भी एवियन इन्फ्लूएंजा की पुष्टि हुई। सभी प्रकोपों को शांत किया जा चुका है।

भारत सरकार ने एवियन इन्फ्लूएंजा के चालू प्रकोप के नियंत्रण और रोक के लिए देश में पुनः प्रवेश के लिए निम्नलिखित कदम उठाए :

- (i) प्रभावित क्षेत्र के 0-5/0-3 कि.मी. दायरे में, जो उचित हो, सारी मुर्गियों को मार देना।
- (ii) भविष्य में अचानक किसी स्थिति का सामना करने के लिए प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाना, जनशक्ति को प्रशिक्षित करना, नियंत्रण और रोक आदि के लिए जारी सामग्री का भंडार कोर के निरंतर तैयारी रखना।
- (iii) पशु विज्ञान कर्मियों की नियंत्रण और रोक संबंधी प्रशिक्षण जारी है। देश का 75% से अधिक पशु विज्ञान कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- (iv) नियंत्रण अभियान के लिए आवश्यक सामग्री का भंडार बनाया गया है और उसे बढ़ाया जा रहा है। विभाग ने एक टीका बैंक बनाया है, जिसकी क्षमता 450 लाख टीकों की है।
- (v) सूचना, शिक्षा और संचार अभियानों के जरिये आम जनता को एवियन इन्फ्लूएंजा के बारे में संवेदनशील बनाना।
- (vi) बीमारी के प्रकोप ही नहीं बल्कि मुर्गियों में असामान्य बीमारी, मौत और प्रयोगशाला निदान की जानकारी देने की व्यवस्था।
- (vii) सभी राज्य सरकारों को बीमारी के प्रकोप के बारे में, अगर कोई है, सतर्क किया गया है।
- (viii) एचपीआई पाजिटिव देशों में मुर्गियों और अन्य उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध।
- (ix) पड़ोसी देशों के साथ सीमा चौकियों को मजबूत करना।
- (x) मुर्गीपालन करने वाले किसानों के मार्गदर्शन के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए गए।

मछलीपालन उद्योग

पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग विभिन्न उत्पादनों, कच्चे माल की आपूर्ति, बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम और कल्याणोन्मुखी योजनाएं चला रहा है। इसके साथ ही यह विभाग मत्स्य-पालन क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए समुचित नीतियां बनाने/लागू करने में लगा हुआ है।

पिछले पांच वर्षों का मछली-उत्पादन का ब्योरा नीचे सारणी में दर्शाया गया है—

(लाख टन में)

वर्ष	समुद्री मछलियां	नदी/तालाबों की मछलियां	कुल
1980-81	15.55	8.87	24.42
1990-91	23.00	15.36	38.36
1991-92	24.47	17.10	41.57
1992-93	25.76	17.89	43.65
1993-94	26.49	19.95	46.44
1994-95	26.92	20.97	47.89
1995-96	27.07	22.42	49.49
1996-97	29.67	23.81	53.48
1997-98	29.50	24.38	53.88
1998-99	26.96	26.02	52.98
1999-2000	28.52	23.23	56.75
2000-2001	28.11	28.45	56.56
2002-03	29.90	32.10	62.00
2003-04	29.41	34.58	63.99
2004-05	27.78	35.26	63.04
2005-06	28.16	37.55	65.71
2006-07	30.24	38.45	68.69
2007-08	29.14	42.07	71.26

मात्स्यिकी क्षेत्र निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा को अर्जित करने वाला एक प्रमुख क्षेत्र है। मछली और मछली उत्पादों के निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है। इन उत्पादों का निर्यात 1961-62 में 3.92 करोड़ मूल्य का 15700 टन था, जो 2007-08 में बढ़कर 5.41 लाख टन हो गया, जिसका मूल्य 7621 करोड़ रुपये आंका गया।

अंतर्देशीय मात्स्यिकी जलकृषि विकास

ताजा पानी के मछली-पालन विकास की मौजूदा योजना और समन्वित तटवर्ती मछली-पालन को मिलाकर चार नए कार्यक्रम बनाए गए हैं। ये कार्यक्रम हैं—शीतल जल मछली-पालन विकास; जलभराव क्षेत्र और परित्यक्त जलाशयों को जलकृषि संपदा में बदलना, जलकृषि के लिए अंतर्देशीय लवणीय/क्षारीय मृदा का उपयोग और जलाशयों की उत्पादकता बढ़ाने का कार्यक्रम। मोटे तौर पर इस योजना के दो घटक हैं—जलकृषि और अंतर्देशीय नियंत्रित मछली-पालन।

ताजा पानी के मछली-पालन का विकास

सरकार अंतर्देशीय क्षेत्र में मत्स्यपालक विकास एजेंसियों के जरिए ताजा जल में मछली-पालन का महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला रही है। देश में मछली उत्पादन की संभावनाओं वाले सभी जिलों में 429 मत्स्यपालक विकास एजेंसियों के जरिए इस दिशा में काम चल रहा है। वर्ष 2007-08 के दौरान 24,752

हेक्टेयर नए क्षेत्र में सघन मछली-पालन कार्यक्रम चलाया गया। इन एजेंसियों ने 39,000 मछली पालने वालों को उन्नत पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया।

खारे पानी में मछली-पालन

इस योजना का उद्देश्य देश के खारे पानी के विशाल जल-क्षेत्र का इस्तेमाल झींगा मछली-पालने के लिए करना है। 2007-08 तक 30,889 हेक्टेयर जल-क्षेत्र का विकास झींगा मछली-पालन के लिए किया जा चुका है। देश के तटवर्ती समुद्री इलाकों के खारे पानी वाले क्षेत्रों में स्थापित 39 **खारा पानी मत्स्यपालक विकास एजेंसियां** (बीएफडीए) इस काम में लगी हुई हैं। इन एजेंसियों ने 2007-08 तक 31,624 किसानों को झींगा-पालन की उन्नत पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया। फिलहाल देश से किए जाने वाले झींगा निर्यात का 50 प्रतिशत हिस्सा इसी क्षेत्र से होता है।

समुद्री मात्स्यकी विभाग

सरकार गरीब मछुआरों को उनकी परंपरागत नौकाओं में मोटर लगाकर यांत्रिक नौकाओं में बदलने के लिए सब्सिडी देती है। इन नौकाओं से वे अधिक बार तथा अधिक समुद्री क्षेत्र में जाकर ज्यादा मात्रा में मछली पकड़ सकते हैं। इससे मछलियों की पैदावार और मछुआरों की आय में बढ़ोतरी होती है। अब तक करीब 46,223 परंपरागत नौकाओं को मोटर नौकाओं में बदला जा चुका है। सरकार मछली पकड़ने वाली 20 मीटर से कम लंबाई की नौकाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एच.एस.डी. तेल के केंद्रीय उत्पाद-शुल्क में रियायत देने की योजना पर भी अमल कर रही है, ताकि छोटी-छोटी यांत्रिक नौकाओं के मालिकों की परिचालन लागत में कमी लाई जा सके।

मछली पकड़ने के बंदरगाहों का विकास

मछली पकड़ने वाले जहाजों का सुरक्षित अवतरण करने और लंगर डालने की आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने की एक योजना पर सरकार अमल कर रही है। इस योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक मछली पकड़ने वाली नौकाओं और जहाजों के लिए छह प्रमुख बंदरगाहों—कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, रायचौक, पाराद्वीप और सीजन डॉक में 62 छोटे बंदरगाहों और 190 मछली अवतरण केंद्रों का निर्माण किया गया है।

परंपरागत मछुआरों के लिए कल्याण कार्यक्रम

परंपरागत ढंग से मछली पकड़ने वाले मछुआरों के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं—(1) कार्यरत मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना, (2) मछुआरों के लिए आदर्श ग्रामों का विकास और (3) बचत व राहत योजना। मछुआरों को अवधि में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बचत व राहत योजना के तहत 3.5 लाख मछुआरों को 2008-09 में सहायता दी गई।

विशेष संस्थान

केंद्रीय मत्स्य-पालन और समुद्री इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (कोचीन), जिसकी एक-एक इकाई चेन्नई और विशाखापत्तनम में है, का उद्देश्य गहरे पानी में मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए पर्याप्त संख्या में परिचालक और तटवर्ती प्रतिष्ठानों हेतु तकनीशियन उपलब्ध कराना है। समन्वित मत्स्य परियोजना, (कोच्चि), में गैर-परंपरागत मछलियों की किस्मों के परिरक्षण, उन्हें लोकप्रिय बनाने और उनकी परीक्षण

बिक्री पर जोर दिया जाता है। मात्स्यिकी हेतु तटवर्ती इंजीनियरिंग का केंद्रीय संस्थान बंगलौर, मत्स्यपालन हेतु बंदरगाह स्थलों की तकनीकी-आर्थिक संभावनाओं का अध्ययन करता है। भारतीय मछली सर्वेक्षण विभाग देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र में समुद्री संसाधनों के सर्वेक्षण और मूल्यांकन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है।

राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड

राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड की स्थापना नीली क्रांति के लिए कार्य करने के लिए की गई ताकि देश में मछली का 103 लाख उत्पादन करके वर्तमान 7000 करोड़ के निर्यात को 14,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाया जाए और अंतर्देशीय, पानी और समुद्री क्षेत्र की गतिविधियों के कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को सहायता देकर 35 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। यह मत्स्य क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का मंच बनेगा, ताकि विपणन आदि के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्वायत्त संस्था है। इसका पंजीयन सोसायटी अधिनियम के तहत हैदराबाद में 10 जुलाई, 2006 को किया गया। पंजीयन नंबर 2006 का 933 है बोर्ड का उद्घाटन 9 सितंबर, 2006 को किया गया। कार्यालय की स्थापना हैदराबाद में की गई। बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों को 6 वर्ष में 2006-12 में लागू किया जाना है। बोर्ड के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

1. मछली और समुद्री जीव उद्योग से संबंधित प्रमुख गतिविधियों पर ध्यान देना और उनका व्यवसायिक प्रबंधन।
2. केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मछली उद्योग से संबंधित गतिविधियों के बीच समन्वय।
3. मछली पालन और मछली उत्पादों का उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण लाना-ले जाना और विपणन।
4. मछली स्टॉक सहित उनके स्थायी प्रबंधन और प्राकृतिक जलजीव संसाधनों के संरक्षण।
5. अधिकतम मछली उत्पादन और फार्म उत्पादकता के लिए जैव प्रौद्योगिकी सहित अनुसंधान और विकास के आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल।
6. मछली उद्योग के लिए आधुनिक मूलभूत ढांचा उपलब्ध कराना और उसका अधिकतम उपयोग तथा प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना।
7. रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना।
8. मछली उद्योग में महिलाओं को प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाना।
9. खाद्य और पोषण सुरक्षा के प्रति मछली उद्योग के योगदान को बढ़ाना।

राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा चलाई जा रही गतिविधियां :

1. तालाबों और टैंकों में व्यापक मछली पालन।
2. जलाशय में मछलियों का उत्पादन बढ़ाना।
3. खारे पानी में तटीय समुद्री जीव पालन।
4. गहरे पानी में मछलीपालन और टूना मछली का प्रसंस्करण।
5. समुद्री जीवन पालन।

6. समुद्री जीव फार्म।
7. समुद्री वनस्पति का विकास।
8. फसल उगने के बाद उसके लिए मूलभूत सुविधाएं तैयार करना।
9. मछलियों को सौर ऊर्जा से सुखाना (सोलर ड्राइंग) और प्रसंस्करण केंद्र।
10. घरेलू बाजार।
11. अन्य गतिविधियां।

राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 2006-12 तक का बजट प्रावधान 2100 करोड़ रुपए का है लेकिन उसे घटाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

बोर्ड के लिए बजट आबंटन

बोर्ड का छह वर्ष का परियोजना व्यय 2100 करोड़ रुपए है। भारत सरकार ने बोर्ड की शुरुआत से 105 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें से 96.33 करोड़ रुपए विभिन्न राज्य सरकारों और संगठनों को पिछले तीन वर्ष में विभिन्न मत्स्य विकास गतिविधियों के लिए जारी किए गए। पिछले तीन वर्ष में व्यय किए गए 96.33 करोड़ रुपए में से 65.58 करोड़ रुपए वर्ष 2008-09 से संबद्ध हैं।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग कृषि, पशुपालन तथा मत्स्य-पालन के क्षेत्र में अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधियां संचालित करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा यह इन क्षेत्रों तथा इनसे संबंधित क्षेत्रों में काम कर रही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के विभिन्न विभागों और संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने में भी मदद करता है। यह विभाग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को सरकारी सहयोग, सेवा और संपर्क-सूत्र उपलब्ध कराता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष स्वायत्त संस्था है, जिसका उद्देश्य कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना और उनके बारे में शिक्षित करना है। परिषद् प्रत्यक्ष तौर पर कृषि क्षेत्र में संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन, फसलों, पशुओं व मछली आदि पालन से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए पारंपरिक व सीमांत क्षेत्रों में अनुसंधान की गतिविधियों में शामिल है। कृषि क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी विकसित करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसे प्रचारित और लागू करने का कार्य कृषि विज्ञान केंद्रों के व्यापक नेटवर्क से किया जाता है।

कृषि अनुसंधान

परिषद् का मुख्यालय नई दिल्ली में है और देश भर में इसके 49 संस्थान और विश्वविद्यालय स्तर के 4 राष्ट्रीय संस्थान, 6 राष्ट्रीय ब्यूरो, 17 राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, 25 परियोजना निदेशालय और 61 अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजनाएं, 17 नेटवर्क परियोजनाएं हैं। कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए 45 राज्य कृषि विश्वविद्यालय और इम्फाल में एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है जो कि इसके चार विश्वविद्यालयों से अलग है।

आईसीएआर की अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार गतिविधियां

विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के कार्यक्रम 2008-09 में इस प्रकार रहे:-

फसल विज्ञान

वर्ष के दौरान 33 अभियानों में 784 जंगली प्रजातियों सहित 2203 का संग्रह किया गया। विकसित पौधों के राष्ट्रीय हर्बोनियम के 371 नमूने, 121 बीज के नमूने और 21 आर्थिक उत्पाद शामिल किए गए। विविध फसलों के 25,456 किस्में विभिन्न देशों से लाए गए और आईसीआरआईएएडी जर्म प्लाज्म सहित 15000 किस्में 19 देशों को निर्यात किए गए।

बीज 13,850 प्रजातियां नेशनल जीन बैंक में शामिल की गईं।

गेहूं की पांच, जौ की तीन और ट्रिटिकल की एक किस्म जारी की जा चुकी है। गेहूं की सोलह जननिक स्टाक पंजीकृत किए गए। मक्का के नौ संकर/समिश्र सेंट्रल वेरायटी रिलीज कमेटी द्वारा देश के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए जारी किए गए।

सोर्घुम की दो किस्में यथा खरीफ किस्म सीएसवी 23 और रबी की किस्म एसपीवी 1626, बाजरे की दो किस्में जारी की गईं। अल्पकालिक सीजन के बीच में बुआई के लिए बाजरे की किस्म जीपीयू 48 कर्नाटक के लिए जारी की गईं।

पिजनपी किस्में आजाद (एनईपीजेड), जेकेएम 189 (सीजेड), एलआरजी 30 और एलआरजी 38 (एएजेड) को देर से बुआई के उपयुक्त पाया गया। अधिक उपज देनेवाली दो किस्में मसूर, अंगूरी (आईपीएल 406) और राजमा, अरुण (आईपीआर 98-3-1) को उत्तरी राज्यों, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित किया गया।

डीओआर बीटी-1 बैसिलस थुरिंगिएनसिस, कुर्सटरी (एच-3ए 3बी, 3सी) को अरंडी सेमीकूपर के प्रबंधन के लिए विकसित कर भारत सरकार के केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड के पास व्यापारिक नाम केएनओसीके डब्लूपी से व्यवसायीकरण के लिए पंजीकृत किया गया। डीआरएसएच-1 (42-44%) तेल और हेक्टेयर में 1300-1600 कि.ग्रा. उपज देनेवाले हाइब्रिड को रबी के लिए पूरे भारत में जारी किया गया। सैफ्लावर हाइब्रिड एनएआरआई-एच-15 जिसका उत्पादन एक हेक्टेयर में 2200 कि.ग्रा. तक है और तेल की मात्रा 28% है, जारी की गई। प्रतिरोधक वाली किस्म जेएसएफ-99 आल्टरनेटव मध्य प्रदेश के लिए जारी की गई। अरंडी उगाने वाले सभी क्षेत्रों के लिए डीसीएच-519 और सागरशक्ति जारी की गई। सोयाबीन की तीन उन्नत किस्में पीएस 134 और पीआरएस-1 (उत्तरांचल) और जेएस 95-60 (मध्य प्रदेश) जारी की गईं।

बीटी कपास किस्में बीकानेरी नरमा और एनएचएच 44 बीसी कपास हाइब्रिड विकसित की गईं। कम लागत वाली खुंव उत्पादन के लिए फफूंद एस थर्मोफिटम के उपयोग कंपोस्ट उत्पादन की विधि विकसित की गई।

एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) की रणनीति देश भर के कपास उत्पादक नौ राज्यों के 2360 हेक्टेयर परंपरागत कपास, 605 हेक्टेयर बीटी काटन क्षेत्र 12 प्रदर्शन केंद्रों से प्रचारित की गई। आईपीएम की रणनीतियां किसानों को समझाने और उत्तरी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए चार केंद्र स्थापित किए गए।

कीट प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) कीट नियंत्रण और आईपीएम रणनीतियों के बारे

में पूर्ण जानकारी सहित कंप्यूटर आधारित प्रणाली कपास, बैंगन और भिंडी के लिए विकसित की गई है, जिसमें जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता के बारे में बताया गया है। निर्णय में सहायक साफ्टवेयर (कीटनाशक सलाहकार) भी विकसित किया गया, जिसमें उपलब्ध कीटनाशकों के बारे में पूरी सूचना है।

लार्जिडेड, पिरोकोरिडेड और खरकोपीडेड के जीनस और प्रजातियों के लिए टैक्सोनॉमिक आधार विकसित किया गया।

शहद फसल के परागण के लिए डंकहीन मधुमक्खियों, ट्रिगोना दूरीडिपेनिस के बारे में केरल कृषि विश्वविद्यालय में अनुसंधान के फलस्वरूप कृत्रिम घोंसला सामग्री के रूप में मिट्टी के बर्तन, बांस की खपचियों और पीवीसी को विकसित किया गया।

बागवानी

भारतीय फली (एचडीबी-6) गोल लौकी, एचएलएस-11 एचएलएस-24 और एचपी 13 गुच्छा फली की उन्नत वंश की पहचान की गई। जीजीपीआर वंश की पहचान हुई। महुआ में कमल का मानकीकरण। दो फसल मॉडलों की सिफारिश टिरोडर्मा जैसे जैव नियंत्रण एजेंट से जैव नियंत्रण का उपयोग कर रोग का नियंत्रण। नारियल और कोको में सुधार, जैव प्रौद्योगिकी खोज ताड़ और कोकोआ में बागान फसलों में उत्पादन प्रौद्योगिकी, रोग और कीटाणु का एकीकृत प्रबंधन, ताड़ और कोकोआ, ताड़ और कोकोआ में उत्पादन तंत्र का इस्तेमाल। काजू जर्म प्लाज्म आरएपीडी। आरगेजाइम मार्कर्स जर्म प्लाज्म में विशिष्टता, छतरी प्रबंधन, उच्च घनत्व पौध रोपड़ परीक्षण, अकार्बनिक खेती, मिट्टी और जंकसंरक्षण, सीएसआरवी एवं टीएमवी के लिए आईपीएम टेक्नोलॉजी का विकास, काजू परागण के प्रभाव का अध्ययन कराया गया।

पीजीआर प्रबंधन, अधिक उपज की किस्में/संकर, टमाटर, बैंगन, मिर्ची और घीया के महत्वपूर्ण गुणों के लिए आरआईएल का विकास, सीआरवाई। एसी, डीआईवी, जेडएटी-12 टी-आरआईपीजीन के उपयोग से टमाटर में ट्रॉंसजेनिक वंश क्रम का विकास, अकार्बनिक खेती प्रोटोकोल्स विकसित। प्रियो में 1400 विकसित आलू सुरक्षित रखे गए। फ्रेंच फ्राई किस्म के रूप में संकर एमपी 198-71 जारी किया गया, जबकि संकर एमपी 198-916 एआईसीपी आईपी में लागू। इन्फोक्राप आलू के इस्तेमाल के लिए आंकड़ा आधार तैयार।

खुम्ब की उत्पादकता और उत्पादन और खपत बढ़ाने और उसके उत्पादों पर काम जारी है। कंद फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की प्रौद्योगिकी, प्रति इकाई खेती लागत में कमी, कस्सावा उत्पादन प्रणाली में भूमि की उर्वरता बनाए रखने का काम प्रगति पर है। राष्ट्रीय स्तर पर खरीफ और विकसित खरीफ और टीएएस सफेद प्याज, की पहचान की गई।

अधिक उपज वाली अदरक, हल्दी, काली मिर्च की किस्में विकसित की गईं। धनिया, क्यूमिन, सौंफ, अजवाइन का अधिक उत्पादन के लिहाज से मूल्यांकन प्रगति पर है। लंबी काली मिर्च में एक नई किस्म (एसीसी नंबर-2) की पहचान अच्छे किस्म के रूप में की गई है। एको बार्बेडेनसिस से एकोरन निकालने के लिए नया तरीका विकसित। गुलाब की पांच नव संग्रहित किस्में वर्तमान जर्मप्लाज्म में शामिल की गईं।

ग्लैंडियोलस में दो किस्में आईएआरआई नई दिल्ली एमपीकेपी पुणे से एक-एक, पीएयू से गुलदाउदी की छह नई किस्मों का बहु स्थानीय परीक्षण चल रहा है।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विभाग कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार और सक्षम उपयोग से जुड़ी समस्याओं का हल निकालता है। भूमि सूची, प्रबंधन, पोषण प्रबंधन, जल प्रबंधन फसल/फार्मिंग प्रणाली, जैव ईंधन और कृषि में जलवायु प्रबंधन सहित कृषि वानिकी में अनुसंधान कार्यक्रम चल रहे हैं।

महत्वपूर्ण उपलब्धियों में भूमि सरण के मूल्यांकन और मानचित्रीकरण के लिए बहुआयामी दूर संवेदी तकनीक शामिल है। अधिक पैदावार देने वाली बैंगन की किस्म (स्वर्ण अभिलंब) लौकी (स्पन प्रभा), मटर (स्वर्ण मुक्ति) काऊपी (स्वर्ण सुफल) और फली (स्वर्ण उत्कृष्ट) पूर्वी भारत में बोने के लिए जारी। विलायती बबूल की कांटारहित किस्म देश के शुष्क इलाकों के लिए विकसित। पौधे की फलियां सुगंधित काफी और बिस्कुट बनाने में किया जाता है।

ड्रमस्टिक + हरा चना -सौंफ के लिए पानी की कम जरूरत होती है और वसाड, गुजरात में यह तंबाकू की फसल से ज्यादा लाभकारी है। जलनिकासी का प्रभावी उपयोग करने के लिए फसल उगाने की प्रौद्योगिकी निकाली गई, इसके साथ ही किनारे की ढलान पर नींबू लगाया गया। वनस्पति के अवरोधक लगाने से सोर्घुम और सोयाबीन की पैदावार 20% बढ़ गई। नीलगिरी और उधमगंडलम क्षेत्रों के नए बागानों में भूमि क्षरण रोकने के लिए कंदूर स्टेगर्ड ट्रेचेज (सीएसटी) + फलियां अधिक प्रभावी साबित हुई।

अमरूद/प्रासोपिस और सोयाबीन-गेहूं प्रणाली उत्तर पश्चिम भारत के मिट्टी के लिए चावल-गेहूं प्रणाली से अच्छी है। रिजोक्वियम, एजोस्त्रिलम सोलुबिलाइजिंग बैसिलस मेगाटेरियन तरल जैव उर्वरक बनाया गया। नमक प्रभावित मिट्टी को सुधारने और सोडसिटी का मूल्यांकन करने के लिए किट विकसित किया गया। अनार के लिए मानक एकीकृत पोषण प्रबंधन पैकेज-10 कि.ग्रा. कृमि कंपोस्ट। पीवाईएम + 50% खुराक एनपीके उर्वरक प्रति पौधा, बनाया गया।

दलदल में धान की खेती के लिए एनईएच क्षेत्र के लिए धान बुआई यंत्र विकसित किया गया। इन्हीं क्षेत्रों में ऊंची ढलानों पर मक्का नस्ल और तिलहन बोने के लिए यंत्र बनाया गया। 'हर बूंद पानी के साथ अधिक फसल और अधिक आप' कार्यक्रम जल संसाधन मंत्रालय के सहयोग से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में वर्षा जल के बेहतर उपयोग के लिए शुरू किया गया। आईसीएआर ने महाराष्ट्र में एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की है ताकि कृषि में विभिन्न प्रकार की समस्याओं (सूखा, शीत लहरी, बाढ़, खारापन, अम्लीयता, और पोषण संबंधी गड़बड़ियाँ आदि) का हल निकाला जा सके।

नई दिल्ली में फरवरी 2009 में कृषि संरक्षण पर विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया जिसमें क्षमता, पूंजी और पर्यावरण में सुधार के मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन के जोर दिए जानेवाले कई क्षेत्रों के बारे में किसानों के कई प्रशिक्षण एफएकडीएस/कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कृषि अभियांत्रिकी

कृषि उत्पादन में क्षमता बढ़ाने के लिए कई नई मशीनों और उपकरणों का विकास किया गया है। ट्रैक्टरों के उचित चयन के लिए निर्णय में सहायक प्रणाली विकसित की गई है। खाद्य डालने के लिए ट्रैक्टर चालित प्रसारक का विकास हुआ है। घास-फूस से भरे खेतों, नियंत्रित रोटरी स्लिट प्लांटर भी विकसित किया गया है। हस्तचालित मक्का शेकर विकसित। महिलाओं के लिए औजार और उपकरण तीन गांवों

में दिए गए हैं, और महिलाओं की संलिप्तता का सूचकांक भी है। ट्रैक्टर चालित तीन लाइनों की घास निकालने वाली मशीन विकसित की गई है।

सब्जियों की बुआई के लिए तीन कतारों का पौध रोपड़ा उपकरण विकसित किया गया है। चार औजार और उपकरण, एक कतार की रोटरी बीडर, यात्रा कटाई थैम, वैभव हंसिया और नवीन हंसिया का काम करने की दशा के अनुसार आकलन महिला मजदूरों के लिए इनकी उपयोगिता की दृष्टि से किया गया। महिलाओं के लिए चुनिंदा उपकरणों का ईएसए धारा 25 प्रदर्शनों का आयोजन किया गया, जिसमें 500 फार्म महिलाओं ने हिस्सा लिया। बड़ी इलायची को सुखाने के लिए यंत्र विकसित किया गया है जिसकी क्षमता प्रति बैच 400-450 कि.ग्रा. है।

जटरोपा बीज निकालने के लिए डिकोर्टीकेटर बनाया गया है। जिसकी क्षमता 100 कि.ग्रा प्रति हेक्टेयर है। पपीता, लौकी, बैंगन, बंद और फूल गोभी से फल-सब्जी छड़ बनाए गए हैं। नाशे के लिए तैयार अनाज सोर्गुम से बनाए गए हैं। केला का गुच्छा काटने, आंवला गोदने और धनिया को दो हिस्से में बांटकर बीज के काम लायक बनाने वाला उपकरण विकसित कर परीक्षण भी किया गया। पहाड़ी मिर्च के साथ हरी मिर्च की प्यूरी बनाने की प्रक्रिया विकसित की गई। एलोवेरा का रस निकालने वाली कम लागत का उपकरण विकसित किया गया।

काटन बेक मैनेजर नाम का सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। बिनौले का आटा दो हिस्सों में छाना गया। प्रारंभिक परीक्षण ताजा निकाले गए रेशे पर किया गया। नायलोन 6 से नौ अलग धागे बनाए गए। जूट से गोंद के स्थानापन विकसित किए गए। जम्मू और राजस्थान से दो रंगीनी लाख कीटों का संग्रह लाकर उनकी संख्या बढ़ाई गई और मैदानी परिस्थितियों में गर्मी में क्षमता आंकी गई। दो क्षमता लाख के कीड़े (एलआईके 0023 और 0031) उत्पादन के अच्छे पाए गए। पौधों का संग्रह चार राज्यों से किया गया और 12 संग्रह मैदानी जीन बैंक में रखे गए। पांच सुरक्षित रासायनिक कीटनाशक-इंडोक्सा कार्ब; स्पिनोसैड, फिप्रोनिल, अल्फामेबनि और कार्बोसुल्फान तथा दो जैव कीटनाशक हाल्ट और नॉक लाख के कीड़ों की रक्षा के लिए प्रभावी पाए गए। लाख के कीड़ों के नौ रंगों की पहचान की गई।

व्यावसायिक रूप से प्राकृतिक रेसिन, गम और गम रेसिन का दस्तावेजीकरण किया गया। लाख के वैज्ञानिक ढंग से उत्पादन के बारे में 19 प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन से 7412 लोगों को लाभ पहुंचा। प्रयोगशाला स्तर पर धान की भूसी से इथाइल अल्कोहल का उत्पादन किया गया। जटरोपा तेल से निर्धारित प्रक्रिया से मोम तथा चिपचिपाहट को दूर किया गया तथा हाई स्पीड डीजल के साथ ट्रैक्टर चलाने में उपयोग किया गया।

कुछ बायो गैस संयंत्र (क्षमता 2-6 एम³) किसानों के लिए लगाए गए। ईंधन की लकड़ी काटने के लिए सचल प्लेटफार्म जैसा विकसित किया है। बाजार में उपलब्ध से उसकी क्षमता तीन गुना अधिक है। बहुस्थलीय परीक्षण प्रगति पर एक उचित प्रणाली विकसित की गई है जिससे मक्का और पिजन मटर की अच्छी पैदावार की जा सकती है। इनमें 20 से 40% बढ़ोत्तरी हो सकती है।

ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली के लिए साफ्टवेयर विकसित किया। रायसेन जिले के दो गांवों में फालतू जल की निकासी के निकासी प्रणाली का मूल्यांकन किया गया। प्रशिक्षण के 58 कार्यक्रम चलाए गए जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ने पूरे देश में 1671 उपकरणों की आपूर्ति की। साल के दौरान सीधे धान की बुआई करने वाले मशीन के चार प्रदर्शन किए गए।

पशु विज्ञान

क्षय और जान्स बीमारियों के टीके का उत्पादन और व्यवसायीकरण किया गया। ब्रुसेलियोस और आईबीएम के निदान के विकसित और विधिमान्य किए गए। स्वाइन बुखार का टीका विकसित हो गया है और उसे विधि मान्य किया जा रहा है। नीली जीभ बीमारी के लिए पेंटावैलेंट टीका विकसित किया गया। पीपीआर टीके का परीक्षण किया गया। बकरी-चेचक टीका विकसित करके जारी किया जा रहा है। एलपीबीई एवं इएलआईएसए 2000 नमूनों का राष्ट्रीय पीएमडी नियंत्रण कार्यक्रम में मूल्यांकन किया गया। सेरोटाइप पीएमडी विषाणु की पूरे देश में निगरानी की गई।

सोया दूध मिलावट के लिए संवेदनशील परीक्षण विकसित भैंस के दूध से क्वार्ग किस्म का पनीर तैयार किया गया। स्वस्थ पेय सोर्घुम और बाजरा आधारित लस्सी विकसित की गई। चन्ना, बासुंडी, आम, लस्सी, हर्बल, घी, कुंडा, पेड़ा, बर्फी आदि विकसित। पशुओं को खिलाने के लिए क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण का व्यवसायीकरण किया गया। चारा के नए संसाधनों की पहचान और परीक्षण कर पोषक तत्वों का पता लगाया गया। देश के विभिन्न कृषि-पारिस्थिति प्रणाली के लिए चारा और पशु संसाधनों का जिलावार आंकड़ा तैयार किया गया। भेड़ों में सूक्ष्म पोषकों की सूक्ष्म जैव उपलब्धता का मूल्यांकन किया गया। विभिन्न पेड़ों के पत्तों का मेथानोजेनिक रोधी गुणों के लिए बिट्रो मूल्यांकन किया गया। खमीरीकरण के कारण मीथेन उत्सर्जन कम करने का कार्यक्रम शुरू किया। गहन चयन से अंडा देने वाले पक्षियों और ब्रोइलर की किस्मों में और सुधार किया गया। विभिन्न अंडा देने वाले पक्षियों और ब्रोइलरों की आपूर्ति एआईसीआरपी को की गई। रंगीन ब्रोइलर और छह सफेद वंशी को पांच सप्ताह में वजन बढ़ाने के लिए और अधिक सुधार किया गया। इनका बहुस्थलीय परीक्षण किया गया। उन्नत किस्म के हर साल 300 अंडे देने वाली मुर्गियों का विकास। ग्रामीण पालट्री को हर साल 220 अंडे देने वाली द्विउद्देशीय मुर्गियों का विकास किया।

गहन चयन से चोकला और मारवाड़ी नस्लों की दैनिक वजन वृद्धि 60 ग्रा. से बढ़ाकर 120 ग्राम किया गया। ब्रोइलर और अंगोरा खरगोशों को नस्ल सुधार के लिए किसानों को उपलब्ध कराया गया। भेड़, मिथुन याक के लिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध संसाधनों से चारा विकसित किया गया। अच्छी किस्म का हल्का नमदा तैयार कर घटिया स्तर के खरगोश के ऊन और संकर भेड़ों की ऊन में सुधार किया गया। भेड़ों/दरी का ऊन/मांस की विभिन्न किस्मों का जर्मप्लाज्म उत्पादित कर किसानों में वितरित किया गया। बरबरी और जमुना पारी बकरियों की 12वीं पीढ़ी का उत्पादन गहन चयन से कर फार्म और मैदानी परिस्थितियों में मूल्यांकन किया गया। मेमनों के लिए खाने और जल स्थल का डिजाइन और विकास किया गया। पशुओं के चारे की कम लागत वाला मिश्रण विकसित किया गया।

मुर्ग नस्ल के वीर्य से किसानों के पशुओं के सुधार कार्यक्रम शुरू किए। अभिजात मुर्ग सांडों के 10 वेंसेट का चयन पूरा और 11वें की शुरूआत। 5वें सेट के 15 मुर्ग सांडों का परीक्षण और वीर्य के 10,000 खुराक सुरक्षित किए गए। वीर्य की गुणवत्ता परखने और उसकी प्रजनन क्षमता के सूचक विकसित भैंसों के खरे में बिनौला की खन्नी, सोयाबीन की खली बढ़ाने से दूध के उत्पादन में 6-10% बढ़ोत्तरी।

आईसीएआर ने विश्व में पहला भैंस के पाड़े का क्लोन बनाकर वैज्ञानिक क्षेत्र इतिहास बनाया। फरवरी, 2009 में पैदा हुआ पाड़ा निमोनिया से मर गया। लेकिन 6 जून, 2009 को पैदा हुआ पाड़ा स्वस्थ है। इस प्रौद्योगिकी से मनपसंद जानवरों को पैदा किया जा सकेगा। पशुमिना बकरियों की क्लोनिंग का कार्यक्रम शुरू किया गया है।

लाक सिंधी, कृष्णा घाटी जानवर, मदुरा रेड, तिरुची ब्लैक, माराए भेड़, गोहिजवादी बकरी, तेलीचेरी चिकन का फेनोटिपकली वर्गीकरण किया गया। डांगी चंगथांगी बकरी, जालौनी छोटा नागपुरी भेड़ और नगामी मिथुन का जनविक वर्गीकरण पूरा हुआ। नस्ल पंजीयन प्राधिकरण मनोनीत, देसी नस्ल पशुओं और मुर्जियों का दस्तावेजीकरण और नंबर प्रदान किए गए। भैंस जिनोमिक्स परियोजना शुरू की गई।

पूर्वोत्तर के राज्यों से चार किस्म के सूअरों का मूल्यांकन किया जा रहा है। 50-87.5% संकर नस्लें तैयार कर मैदानी परीक्षण किया गया। मांस में पशु की प्रजाति और लिंग का पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया गया। ऊंटों की तीन नस्लों में सूखा वहन क्षमता का मूल्यांकन। पनीर, विभिन्न रंगों की कुल्फी और चीनी रहित कुल्फी बनाकर ऊंट के दूध का मूल्यवर्धन कर प्रौद्योगिकी का व्यवसायीकरण किया गया। सैनिक फार्मों में फ्रेशवाल सांडों की संतानी के परीक्षण के लिए 40830 खुराक वीर्य का इस्तेमाल किया गया। हरियाणा और ओंगोल नस्ल की 1920 गाएं पैदा की गईं। पशुओं की बीमारी, रोग प्रचलन, मौसमी आंकड़ा, जमीन उपयोग आंकड़ा, पशु और मनुष्य जनसंख्या, भूमि की किस्म और फसल उत्पादन का आंकड़ा बैंक तैयार किया गया।

मछली पालन

सार्डीन, माकेरेल, टुना, सीयर, ऐंकोवीज, कैसनगिड्स, बांबे डक रिबन मछली की प्रजातियों और उपकरणवार उनको मारने के बारे में आंकड़े विकसित किए गए। केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री मछलियों के पकड़ने और प्रबंधन के बारे में दिशा-निर्देश विकसित और प्रकाशित किए गए। मन्नार और पाक खाड़ी के जीपीएस मानचित्रीकरण से अंतर्जल संसाधन सर्वेक्षण किये गए। अध्ययन से पता चला कि कड़ा मूंगा भूरे समूह-रोग, पोराइट्स अल्सर के लक्षण, सफेद चेचक लक्षण और गुलाबी रेखीय लक्षण हैं। कारवाड़ मैंगलोर, कोच्चि, विजिंजाम और तूतीकोरन में लुजैनिडे परिवार की मछलियों की प्रजातियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। समुद्री मछलियों की 19 परिवारों की 70 प्रजातियों का अंतर्जल दृश्य गणना तकनीकी से मूंगा चट्टानों में रिकार्ड तैयार किया गया। 6 परिवारों की 9 बिवाल्स प्रजातियों और 17 गेस्ट्रोपोड्स परिवारों की 25 प्रजातियों को रिकार्ड किया गया। सक्रिय यौगिक बनाने के लिए मंडपम तट से समुद्री घास सर्गासम और गेलिडिएला इकट्ठा की गईं। समुद्री घास आधारित प्रक्रिया/उत्पाद के विकास से अम्ल और अगार निकाले गए। कृत्रिम परिस्थितियों में सीबॉस का प्रजनन पूरे साल विधिमान्य किया गया। यह पाया गया कि मछलियां 14 पीपीटी खारेपन में परिपक्व हो जाती हैं और 18 पीपीटी में मछलियों के अंडे देने को रिकार्ड किया गया। सीबॉस नर्सरी के फार्म परीक्षण में हापा में चिराला आंध्रप्रदेश में पालन में 750/हापा (एचएपीए) में 25 दिन बाद 90% जीवित बचे। दूधिया मछली के बीज का संग्रह कर आरसीसी टैंक में पाला गया। तैयार चारे से उनमें परिपक्वता स्वाभाविक रूप से आई। 40% मछली के चारे को पौध प्रोटीन शामिल कर शंखमीन चारा बनाकर पी.मोनोडोन को तालाबों में खिलाया गया। शंखमीन का वजन दो महीने में 16 गुना बढ़ गया।

पश्चिम बंगाल और असम के दलदल से कुल 0.04 से 9 टन मछलियां पकड़ी गईं तथा सालाना अनुमानित उत्पादन 0.1 से 0.4 टन प्रति हैक्टेयर है। कर्नाटक के जलाशयों में यह 8.4 टन 8.5 कि.ग्रा. सीपीआई के साथ रही। इसी अवधि में ब्रह्मपुत्र नदी में 23.62 टन मछली पकड़ी गई। जलाशयों में भंडारण के लिए विकसित उपायों का मध्य प्रदेश में परीक्षण किया गया जिससे मछली पकड़ने में 60% बढ़ोत्तरी हुई। भीमताल झील में बहने वाले पिंजड़े में गोल्डेन महसीर और स्नोट्राउट को रखा गया। उनके विकास और अन्य बातों को रिकार्ड किया गया। जाड़े में पानी का तापमान कम

होने से वृद्धि दर धीमी रही। चाकलेट महसीर की वृद्धि का उत्तर-पूर्व और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ताजे पानी में वृद्धि दर का आकलन किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भूरीट्राउट के प्रजनन से ट्राउट के 15000 बीज पैदा किए गए और उनको पालने का कार्य प्रगति पर है। महसीर हैचरी में 75000 बीज तैयार किए गए।

उत्तराखंड में ठंडे पानी में मछली पकड़ने के लिए कीमती ऐनी की लकड़ी की जगह नारियल की लकड़ी से डोंगी बनाई गई। 6.4 मीटर लंबी गेंगी प्रयोगात्मक आधार पर मछली पकड़ने के लिए दी गई। नवनिर्मित 26 मीटर लंबी नौका परीक्षण चल रहा है। देश के विभिन्न भागों में 100 प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए जिसमें 400 लोगों को विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। तटीय स्व सहायता समूह की 100 महिलाओं ने कार्यशाला में भाग लिया।

तीस से अधिक अंशकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 500 से अधिक लोगों को मछली पालन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। इनके अलावा मछली पकड़ने वाले किसानों, छात्रों और अधिकारियों सहित 117 लोगों को पांच विभिन्न कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया। सजावटी मछलियों के बारे में आंकड़े आन लाइन हैं। 60 प्रजातियों के 250 नमूने मन्नार की खाड़ी से लाए गए। पेंगसिस-पेंगसिस का सफल निषेचन करवाया गया। इसमें अंडों से लार्वा निकलने की दर क्रमशः 80 से 60 प्रतिशत रही तथा दो सप्ताह बाद 37-46 प्रतिशत मछलियां जीवित रहीं। अनाबास टेस्ट्यूडाइनस को दीर्घावधि मल्टीपल ब्रीडिंग करवाई गई।

कृषि शिक्षा

आईसीएआर के विकास अनुदान से देश में कृषि शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए आईसीएएम ने विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में 29 उत्कृष्टता क्षेत्र में सहायता दी। चौथे डीन समिति की प्रतिमान, स्तर, अकादमिक नियमन और स्नातक पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरण के बारे में सिफारिशों को कृषि विश्वविद्यालय ने अपना लिया है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता, स्वीकार्यता और स्नातकों को रोजगार मिलने पर अच्छा असर पड़ा है। कृषि और सहायक विज्ञानों में स्नातकोत्तर (मास्टर्स और डाक्टोरल) कार्यक्रमों में समान अकादमिक नियमन, पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण 2008-09 में पहली बार संशोधित कर आवश्यकता आधारित बनाया गया। कृषि विश्वविद्यालयों के कामों के आधुनिकीकरण के लिए 2008-09 में एक बड़ी परियोजना शुरू की गई ताकि कृषि विश्वविद्यालयों की अनुसंधान और शैक्षिक क्षमता बढ़ सके। 22 कृषि विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई। शिक्षण के तरीके में सुधार, व्यावहारिक प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिए जाने से छात्रों में जोखिम क्षमता बढ़ी है। अनुदान से लिंग समानता, बेहतर कक्षा प्रयोगशाला सुविधा और छात्र सुविधाएं बढ़ी हैं। सहायता का परिणाम अध्यापकों और छात्रों में ज्ञान और कौशल अर्जन/अद्यतन के रूप में निकला है और 2000 संकाय सदस्यों को हर साल नए क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। शिक्षण में कंप्यूटर सुविधा से शिक्षा संसाधनों में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। योजना में दी गई धन राशि से केंद्रीय कॉलेज पुस्तकालयों में सुधार से शिक्षा और स्नातकोत्तर अनुसंधान बेहतर हुआ है। विश्वविद्यालयों के समग्र विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

समुद्रपारीय फेलोशिप की शुरुआत की गई, जिससे भारतीयों को विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशालाओं में और विदेशियों को सर्वश्रेष्ठ भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अवसर मिले तथा उन देशों से गुणवत्ता, अनुसंधान और अनुसंधान विकास में और सहयोग बढ़े।

कृषि विस्तार

फसल उत्पादन, फसल सुरक्षा और पशुधन उत्पादन तथा प्रबंधन से संबंधित 520 प्रौद्योगिकियों का 2044 स्थानों पर 20,002 फार्म ट्रायल पर इसलिए लिया गया ताकि प्रौद्योगिकी के उपयुक्त स्थानों की पहचान खेती की विभिन्न प्रणालियों में किया जा सके। विभिन्न फसलों के संकर किस्मों सहित 74,732 प्रदर्शन किसानों को खेतों में उन्नत प्रौद्योगिकी की उत्पादन क्षमता का पता लगाने के लिए किया गया। इसी अवधि में 11.53 लाख किसानों और 0.90 लाख विस्तार कर्मियों को उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी और कौशल उद्यतन करने का प्रशिक्षण दिया गया। कृषि विज्ञान केंद्रों (बेबीके) द्वारा विस्तार के अन्य कार्यक्रम चलाए गए जिससे 80.69 लाख किसानों और अन्य अधिकारियों को लाभ पहुंचा। कृषि विज्ञान केंद्रों ने किसानों को उपलब्ध कराने के लिए 2.02 लाख किंवटल बीज और 133.20 लाख सैपलिंग। बीज के अलावा 11.97 लाख किलो जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक और जैव एजेंट और 61.19 लाख और अन्य पशुधन/मुर्गी का उत्पादन किया। जहां तक केवीके की नेटवर्किंग का सवाल है, कार्य अग्रिम चरण में है और इससे 200 केवीके/क्षेत्रीय निदेशालय जुड़ जाएंगे।

अब तक 568 कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना हो चुकी है, जबकि लक्ष्य 667 का है। ये फार्म परीक्षण, विभिन्न प्रौद्योगिकियों की स्थलीय उपयोगिता का पता लगाने के अलावा किसानों के खेतों में प्रदर्शन उपयोगिता का पता लगाने के अलावा किसानों के खेतों में प्रदर्शन कर उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी की उत्पादन क्षमता के बारे में जानकारी देंगे। किसानों की कुशलता बढ़ाने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

राष्ट्रीय कृषि नवीनीकरण परियोजना

घटक-1 (आईसीएआर को परिवर्तन के प्रबंधक के रूप में मजबूत करना) का उद्देश्य लगभग 10,000 पीएच-डी शोध प्रबंधों को अंकीय संग्रह, स्प्रिंगर प्रकाशनों तक आन लाइन पहुंच (www.springerluck.com), वार्षिक समीक्षाओं (www.anmealreviews.org), और सीएनआईआरओ (www.publishcocro.av), लगभग 2000 ई. पत्रिकाओं/स्रोतों और 126 एनएआरएस पुस्तकालयों से जोड़ना है। परियोजना प्रस्ताव लेखन और रिपोर्ट देने की कुशलता लगभग 3500 लोगों में विकसित करना। एग्रोपीडिया-ब्रोसिंग मिलनबिंदुओं और शोध उपकरणों से संकलन और सूचना की भागीदारी का प्लेटफार्म विकसित और जारी किया गया। चार महीने में 400,000 एसएमएस संदेश भेजे गए, क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी प्रबंधन और व्यापार नियोजन और विकास इकाइयों की स्थापना। कृषि विज्ञान के 26 क्षेत्रों में लगभग 500 वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और 1000 एनएआरएस वैज्ञानिकों की लगभग 80 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण।

घटक-2 के अंतर्गत ये (खपत प्रणाली के उत्पादन पर अनुसंधान) स्वीकृत उप परियोजनाओं में मीठे सोर्घुम का इस्तेमाल इर्थनाल उत्पादन, बाजरा से खाद्य उत्पादों का विकास सोर्घुम, मोतिया बाजरा फाक्सटेल और छोटा बाजरा कपास के बहु प्रयोगों की खोज (डंठल, अच्छे धागे और कपड़े के लिए कपास, रेशे, तेल, प्रोटीन) मछली मारने और छोटी समुद्री तथा ताजे पानी की मछलियों के प्रसंस्करण के लिए नाव और साज-सामान शामिल हैं।

घटक-3 (धारणीय ग्रामीण आजीविका पर अनुसंधान) में 36 स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से देश के 27 राज्यों के (150 सुविधाविहीन जिलों में से) 80 सुविधाविहीन जिलों को शामिल किया गया है। इसमें लगभग 83,000 किसानों/खेतिहर मजदूरों का लक्ष्य है। एक तिहाई भागीदार एनजीओ और शेष एसएयू, आईसीएआर संस्थान, सामान्य विश्वविद्यालय, सीजीआईएआर संस्थान आदि शामिल हैं।

घटक-4 (मौलिक और रणनीतिक अनुसंधान) में आगामी पीढ़ी के नवीनीकरणों सहित कृषि विज्ञान के अन्वेषित क्षेत्रों में 61 उप-परियोजनाओं को मंजूरी। इन परियोजनाओं में लगभग 50% भागीदार आईसीएआर संस्थान, 16% एएसयू, आदि भागीदारी की विविधता के प्रतीक हैं। 61 स्वीकृत आईआईटी, राष्ट्रीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र आदि भागीदारी में विविधता के प्रतीक हैं। 61 स्वीकृत परियोजनाओं से खाद्य शृंखला में आर्सेनिक समस्या समाधान के लिए रणनीति, हेटरोसिस निर्धारण के लिए जनन अभियांत्रिकी, उन्नत कपास गांठ और रेशे के विकास के अनुवंशिक समाधान, भैंस के दूध का उत्पादन बढ़ाना आदि में योगदान मिलने की आशा है।

डीएआरई/आईसीएआर मुख्यालय

छह भारतीय पेटेन्ट्स आईसीएआर को दिए गए जिसमें पशु पोषण (क्षेत्र-विशिष्ट खनिज मिश्रण) कीटनियंत्रण और पौध पोषण (जैव कीटनाशक- जैव उर्वरक, फफूंदनाशक, कीट ट्रैप), कृषिमशीनरी (बीज- उर्वरक ड्रिल) और रेमी रेशा (डीगर्मिंग) शामिल हैं। 227 वैज्ञानिकों और संबद्ध कर्मचारियों को आईपीआर की बारीकियों से 5 राज्यों मेघालय, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को समाप्त 5 आईपी एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन पर आयोजित प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला कार्यक्रमों से अवगत कराया गया।

2008-09 में सात पत्रिकाओं/आईसीएएम समाचार/रिपोर्टर और वार्षिक रिपोर्ट के सभी प्रकाशन प्रकाशित हुए। इसके अलावा इंटरनेट संपर्क ढांचे की विस्तार और ई-पुस्तकालय प्रकाशन शुरू हुआ।

कृषि सूचना और प्रकाशित निदेशालय ने 2008 में रोज की खबरों की आन लाइन सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया के अलावा आईसीएआर रिपोर्टर और आईसीएआर यूज की आईसीएआर के वेब पर अपलोडिंग शुरू कर दी है।

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंपाल

विश्वविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली है और दस ग्रेडिंग दी जाती है। स्नातक कार्यक्रमों के लिए आंतरिक और बाह्य परीक्षा और स्नातकोत्तर के लिए आंतरिक व्यवस्था है। विश्वविद्यालय ने आईसीएआर द्वारा प्रस्तावित नियमन और पाठ्यक्रम को स्वीकार किया है। लेकिन क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप उसमें बदलाव किया गया है। विश्वविद्यालय 7 स्नातक और 20 स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम चलाते हैं। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 2008 में 226 छात्रों ने प्रवेश लिया और 129 सफल रहे। विभिन्न स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में 57 ने प्रवेश लिया और कृषि कॉलेज से 118 छात्रों को सफलता मिली।

पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों के लिए अनुसंधान

उत्तर-पश्चिम हिमालय क्षेत्र में संस्थानों द्वारा किए गए अनुसंधान कार्यों के परिणामस्वरूप विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के विभिन्न फसलों की 11 किस्में/हाइब्रिड जारी की गईं। जारी की गई 47 किस्मों के कुल 21.9 टन प्रजनन बीज पैदा किए गए। गेहूं, मटर, मसूर, चना और फ्रेंचबीन के ऑर्गेनिक बीज (0.405 टन) भी पैदा किए गए। इसके अतिरिक्त जारी 33 किस्मों के लगभग 1.2 टन न्यूक्लियस बीज भी पैदा किए गए।

एनईएच क्षेत्र में बाढ़ के बाद कृषि के लिए 6.0 टन प्रति हेक्टेयर वाले दो चावल के जीनोटाइप के विकास के लिए उत्तरपूर्व हिमालय क्षेत्र में स्थित संस्थान में अनुसंधान कार्य किया गया। झूम खेती के लिए एक और चावल जीनोटाइप आरसीपीएल 1-129 को विकसित किया गया। नगालैंड से 80

परिग्रहण भी एकादित किए गए। स्ट्रॉबेरी की विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई किस्में जैसे—मेघालय के लिए आफेरा तथा सिक्किम और मणिपुर के लिए स्वीट चार्ली की सिफारिश की गई।

ऊपरी क्षेत्रों में दोगुनी फसल के लिए वर्षा के मौसम में उगाई जाने वाली मक्का की फसल का इस्तेमाल कर रबी फसल (सरसों) के लिए एक कम लागत वाली तकनीक 'इन-सिटु' नमी संरक्षण नमूने के रूप विकसित की गई। मिजोरम की डेयरी गायों में खनिज अल्पता पाई गई और डाटा आधारित एक राज्य विशेष खनिज मिक्स्चर फीड फॉर्मूला ईजाद किया गया। ब्लड सीरम नमूने, जमीन तथा फीडर नमूने एकत्रित कर उनके आधार पर मेक्रो और माइक्रो मिनरल के लिए अनेक विश्लेषण किए गए। खून में कमी के आधार पर मिजोरम की गाय-भैंसों के लिए एक मिनरल मिक्स्चर कंपोजीशन विकसित किया गया।

आइसलैंड (अंडमान और निकोबार)

विभिन्न संसाधन परिस्थितियों के तहत विकसित एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) मॉडल के हिस्सों के विश्लेषण से पता चलता है कि पहाड़ी और ढलुआं पहाड़ी जमीनों में फसल का हिस्सा शुद्ध आमदनी से अधिक (69 से 83 प्रतिशत) है वहीं मध्यम ऊपरी घाटी तथा निचली घाटी क्षेत्रों में पशुधन हिस्सा (49 से 66 प्रतिशत) है। एक औसत रूप में विभिन्न संसाधन स्थितियों के तहत आईएफएस से शुद्ध आमदनी 1.0-2.5 लाख प्रति हेक्टेयर थी। मछली-मुर्गीपालन-बतख पालन में बेक्टीरियाई लोड से खुलासा होता है कि सैमोनेल मानसून के समय तालाब में बढ़ जाती है तथा गर्मियों में फिर बढ़ जाती है। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्देश्य के लिए तालाब का पानी अनुपयुक्त है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूल्यांकन के लिए मुख्य खेतों में 50 पौधे रोपे गए। बकरियों की दो किस्में (स्थानीय अंडमान तथा टैरेसा) पहली बार फिनोटिपिकली पहचानी गईं।

105 रिकार्ड की गई रीफ मछलियों में से डेमसेल्फिश की लगभग 15 किस्में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पैदा की जा रही हैं।

5. कला और संस्कृति

संस्कृति मंत्रालय कला और संस्कृति के संरक्षण तथा विकास में अहम भूमिका निभाता है। इस विभाग का उद्देश्य ऐसी पद्धति विकसित करना है जिससे कला और संस्कृति से जुड़े बुनियादी, सांस्कृतिक और सौंदर्यपरक मूल्यों तथा अवधारणाओं को जनमानस में जीवंत रखा जा सके। यह समकालीन सृजनात्मक कार्यक्रमों की विभिन्न विधाओं को प्रोत्साहित करने से जुड़े कार्यक्रम भी चलाता है। यह विभाग ऐतिहासिक घटनाओं की जयंती और महान कलाकारों की शताब्दियां मनाने वाली प्रमुख एजेंसी भी है।

दृश्य कलाएं

ललित कला अकादमी

भारतीय कला के प्रति देश-विदेश में समझ बढ़ाने और प्रचार-प्रसार के लिए सरकार ने नई दिल्ली में 1954 में ललित कला अकादमी (नेशनल अकादमी ऑफ आर्ट्स) की स्थापना की थी। अकादमी के लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली और भुवनेश्वर में क्षेत्रीय केंद्र हैं जिन्हें राष्ट्रीय कला केंद्र के नाम से जाना जाता है। इन केंद्रों पर पेंटिंग, मूर्तिकला, प्रिंट-निर्माण और चीनी मिट्टी की कलाओं के विकास के लिए कार्यशाला-सुविधाएं उपलब्ध हैं।

अकादमी अपनी स्थापना से ही हर वर्ष समसामयिक भारतीय कलाओं की प्रदर्शनियां आयोजित करती रही है। 50-50 हजार रुपये के 15 राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक तीन वर्ष पर अकादमी समकालीन कला पर नई दिल्ली में त्रैवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी (त्रिनाले इंडिया) आयोजित करती है।

अकादमी हर वर्ष जाने-माने कलाकारों और कलाक्षेत्र के इतिहासकारों को अपना फेलो चुनकर सम्मानित करती है। विदेशों में भारतीय कला के प्रचार-प्रसार के लिए अकादमी अंतर्राष्ट्रीय द्विवार्षिकियों और त्रिवार्षिकियों में नियमित रूप से भाग लेती है और अन्य देशों की कलाकृतियों की प्रदर्शनियां भी आयोजित करती है। देश के कलाकारों का अन्य देशों के कलाकारों के साथ मेलमिलाप और तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से अकादमी भारत सरकार के सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों और समझौतों के अंतर्गत कलाकारों को एक-दूसरे के यहां भेजने की व्यवस्था करती है।

ललित कला अकादमी कला संस्थाओं/संगठनों को मान्यता प्रदान करती है और इन संस्थाओं के साथ-साथ राज्यों की अकादमियों को आर्थिक सहायता देती है। यह क्षेत्रीय केंद्रों के प्रतिभावान युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करती है। अपने प्रकाशन कार्यक्रम के तहत अकादमी समकालीन भारतीय कलाकारों की रचनाओं पर हिंदी और अंग्रेजी में मोनोग्राफ और समकालीन पारंपरिक तथा जनजातीय और लोक कलाओं पर जानेमाने लेखकों और कला आलोचकों द्वारा लिखित पुस्तकें प्रकाशित करती है। अकादमी अंग्रेजी में 'ललित कला कंटेम्परेरि', 'ललित कला एंशिपेंट' तथा हिंदी में 'समकालीन कला' नामक अर्द्धवार्षिक कला पत्रिकाएं भी प्रकाशित करती है। इसके अलावा अकादमी

समय-समय पर समकालीन पेंटिंग्स और ग्राफिक्स के बहुरंगी विशाल आकार के प्रतिफलक भी निकालती है। अकादमी ने अनुसंधान और अभिलेखन का नियमित कार्यक्रम भी शुरू किया है। भारतीय समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से संबद्ध समसामयिक लोककला संबंधी परियोजना पर काम करने के लिए अकादमी विद्वानों को आर्थिक सहायता देती है।

मंचन कलाएं

संगीत

भारत में शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख विधाएं—हिंदुस्तानी और कर्नाटक—गुरु-शिष्य परंपरा का निर्वाह करती चली आ रही हैं। इसी परंपरा ने *घरानों* और *संप्रदायों* की स्थापना की प्रेरणा दी जो बराबर आगे बढ़ रही है।

नृत्य

भारत में नृत्य परंपरा 2000 वर्षों से भी ज्यादा वर्षों से निरंतर चली आ रही है। नृत्य की विषयवस्तु धर्मग्रंथों, लोककथाओं और प्राचीन साहित्य पर आधारित रहती है। इसकी दो प्रमुख शैलियां हैं—शास्त्रीय नृत्य और लोकनृत्य। शास्त्रीय नृत्य वास्तव में प्राचीन नृत्य परंपराओं पर आधारित है और इनकी प्रस्तुति के नियम कठोर हैं। इनमें प्रमुख हैं—‘भरतनाट्यम’, ‘कथकलि’, ‘कथक’, ‘मणिपुरी’, ‘कुचिपुड़ी’ और ‘ओडिसी’। ‘भरतनाट्यम’ मुख्यतः तमिलनाडु का नृत्य है और अब यह अखिल भारतीय स्वरूप ले चुका है। ‘कथकलि’ केरल की नृत्यशैली है। ‘कथक’ भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव से विकसित नृत्य का एक अहम शास्त्रीय रूप है। ‘मणिपुरी’ नृत्य शैली में कोमलता और गीतात्मकता है जबकि ‘कुचिपुड़ी’ की जड़ें आंध्र प्रदेश में हैं। उड़ीसा का ‘ओडिसी’ प्राचीनकाल में मंदिरों में नृत्य रूप में प्रचलित था जो अब समूचे भारत में प्रचलित है। लोकनृत्य और आदिवासी नृत्य की भी विभिन्न शैलियां प्रचलित हैं।

शास्त्रीय और लोकनृत्य दोनों को लोकप्रिय बनाने का श्रेय संगीत नाटक अकादमी, तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों और सांस्कृतिक संगठनों को जाता है। अकादमी सांस्कृतिक संस्थानों को आर्थिक सहायता देती है और नृत्य तथा संगीत की विभिन्न शैलियों में विशेषतः जो दुर्लभ हैं, को बढ़ावा देने तथा उच्चशिक्षा और प्रशिक्षण के लिए अध्ययेताओं, कलाकारों और अध्यापकों को फेलोशिप प्रदान करती है।

रंगमंच

भारत में रंगमंच उतना ही पुराना है जितना संगीत और नृत्य। शास्त्रीय रंगमंच तो अब कहीं-कहीं जीवित है। लोक रंगमंच को अनेक क्षेत्रीय रूपों में विभिन्न स्थानों पर देखा जा सकता है। इनके अलावा शहरों में पेशेवर रंगमंच भी हैं। भारत में कठपुतली रंगमंच की समृद्ध परंपरा रही है जिनमें सजीव कठपुतलियां, छड़ियों पर चलने वाली कठपुतलियां, दस्ताने वाली कठपुतलियां और चमड़े वाली कठपुतलियां (समानांतर रंगमंच) प्रचलित हैं। अनेक अर्द्ध-व्यावसायिक और शौकिया रंगमंच समूह भी हैं जो भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में नाटकों का मंचन करते हैं।

संगीत नाटक अकादमी

संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है जिसे आधुनिक भारत को निर्माण प्रक्रिया में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में याद किया जा सकता है, जिससे भारत को 1947 में

स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। कलाओं के क्षणिक गुण-स्वभाव तथा उनके संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए इन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार समाहित हो जाना चाहिए कि सामान्य व्यक्ति को इन्हें सीखने, अभ्यास करने और आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो सके। बीसवीं सदी के शुरू के कुछ दशकों में ही कलाओं के संरक्षण और विकास का दायित्व सरकार का समझा जाने लगा था।

इस आशय की पहली व्यापक सार्वजनिक अपील 1945 में सरकार से की गई जब बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि एक राष्ट्रीय संस्कृति न्यास (नेशनल कल्चरल ट्रस्ट) बनाया जाए जिसमें तीन अकादमियां—नृत्य, नाटक एवं संगीत अकादमी, साहित्य अकादमी और कला एवं वास्तुकला अकादमी सम्मिलित हों।

इस समूचे मुद्दे पर स्वतंत्रता के पश्चात कोलकाता में 1949 में आयोजित कला सम्मेलन में तथा नई दिल्ली में 1951 में आयोजित साहित्य सम्मेलन तथा नृत्य, नाटक व संगीत सम्मेलन में फिर से विचार किया गया। भारत सरकार द्वारा आयोजित इन सम्मेलनों में अंततः तीन राष्ट्रीय अकादमियां स्थापित करने की सिफारिश की गई। इनमें से एक अकादमी नृत्य, नाटक और संगीत के लिए, एक साहित्य के लिए और एक कला के लिए स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया।

31 मई, 1952 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हस्ताक्षर से पारित प्रस्ताव द्वारा सबसे पहले नृत्य, नाटक और संगीत के लिए राष्ट्रीय अकादमी के रूप में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। 28 जनवरी, 1953 को भारत के राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने संगीत नाटक अकादमी का विधिवत उद्घाटन किया।

1952 के प्रस्ताव में शामिल अकादमी के कार्यक्षेत्र और गतिविधियों में 1961 में मूलभावना के अंतर्गत ही विस्तार किया गया और तदनुसार सरकार ने संगीत नाटक अकादमी का समिति के रूप में पुनर्गठन किया और समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1957 में संशोधित) के अंतर्गत इसे पंजीकृत किया गया। समिति के कार्यक्षेत्र और गतिविधियां उस नियमावली में निर्धारित किए गए हैं जो 11 सितंबर, 1961 को इसके समिति के रूप में पंजीकरण के समय पारित की गई थी।

अकादमी अपनी स्थापना के बाद से ही भारत में संगीत, नृत्य और नाटक के उन्नयन में सहायता के लिए एकीकृत ढांचा कायम करने में जुटी है। यह सहायता परंपरागत और आधुनिक शैलियों तथा शहरी और ग्रामीण परिवेशों के लिए समान रूप से दिया जाता है। अकादमी द्वारा प्रस्तुत अथवा प्रायोजित संगीत, नृत्य एवं नाटक समारोह समूचे देश में आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न कला-विधाओं के महान कलाकारों को अकादमी का फेलो चुनकर सम्मानित किया गया है। प्रतिवर्ष जानेमाने कलाकारों और विद्वानों को दिए जाने वाले संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मंचन कलाओं के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मान माने जाते हैं। दूर-दराज क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों में संगीत, नृत्य और रंगमंच के प्रशिक्षण और प्रोत्साहन में लगे हजारों संस्थानों को अकादमी की ओर से आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है और विभिन्न संबद्ध विषयों के शोधकर्ताओं, लेखकों तथा प्रकाशकों को भी आर्थिक सहायता दी जाती है।

अकादमी द्वारा अपनी स्थापना के बाद की गई मंचन कलाओं की व्यापक रिकार्डिंग और फिल्मींग के आधार पर ऑडियो-वीडियो टेपों, 16 मि.मी. फिल्मों, चित्रों और ट्रांसपेरेंसियों का एक बड़ा अभिलेखागार बन गया है जो मंचन कलाओं के बारे में शोधकर्ताओं के लिए देश का अकेला सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है।

अकादमी की संगीत वाद्ययंत्रों की वीथि में 600 से अधिक वाद्ययंत्र रखे हैं और इन वर्षों में बड़ी मात्रा में प्रकाशित सामग्री का भी यह स्रोत रही है। संगीत नाटक अकादमी का पुस्तकालय भी इन विषयों के लेखकों, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के आकर्षण का केंद्र रहा है। अकादमी 1965 से एक पत्रिका 'संगीत नाटक' नाम से निकाल रही है जो अपने क्षेत्र और विषय की सबसे ज्यादा अवधि से निकलने वाली पत्रिका कही जा सकती है और इसमें जानेमाने लेखकों के साथ-साथ उभरते नए लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित की जाती हैं।

अकादमी मंचन कलाओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और परियोजनाओं की स्थापना एवं देखरेख भी करती है। इनमें सबसे पहला संस्थान है इंदिरा की जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी। यह मणिपुरी नृत्य का अग्रणी संस्थान है। 1959 में अकादमी ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना की और 1964 में कथक केंद्र स्थापित किया। ये दोनों संस्थान दिल्ली में हैं। अकादमी द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में केरल का कुटियट्टम थिएटर है जो 1991 में शुरू हुआ था और 2001 में इसे यूनेस्को की ओर से मानवता की उल्लेखनीय धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई। 1994 में उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में छाऊ नृत्य परियोजना आरंभ की गई। 2002 में असम के सत्रिय संगीत, नृत्य, नाटक और संबद्ध कलाओं के लिए परियोजना समर्थन शुरू किया गया।

मंचन कलाओं की शीर्षस्थ संस्था होने के कारण अकादमी भारत सरकार को इन क्षेत्रों में नीतियां तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने में परामर्श और सहायता उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त अकादमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों के बीच तथा अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संपर्कों के विकास और विस्तार के लिए राज्य की जिम्मेदारियों को भी एक हद तक पूरा करती है। अकादमी ने अनेक देशों में प्रदर्शनियों और बड़े समारोहों-उत्सवों का आयोजन किया है। अकादमी ने हांगकांग, रोम, मास्को, एथेंस, वल्लाडोलिड, काहिरा और ताशकंद तथा स्पेन में प्रदर्शनियां तथा गोष्ठियां आयोजित की हैं। अकादमी ने जापान, जर्मनी और रूस जैसे देशों के प्रमुख उत्सवों को प्रस्तुत किया है।

वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है और इसकी योजनाओं तथा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए पूरी तरह से मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित है।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दुनिया में रंगमंच का प्रशिक्षण देने वाले श्रेष्ठतम संस्थानों में से एक है तथा भारत में यह अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है जिसकी स्थापना संगीत नाटक अकादमी ने 1959 में की थी। इसे 1975 में स्वायत्त संगठन का दर्जा दिया गया जिसका पूरा खर्च संस्कृति विभाग वहन करता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का उद्देश्य रंगमंच के इतिहास, प्रस्तुतिकरण, दृश्य डिजाइन, वस्त्र डिजाइन, प्रकाश व्यवस्था और रूप-सज्जा सहित रंगमंच के सभी पहलुओं का प्रशिक्षण देना है। इस विद्यालय में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष है और हर वर्ष पाठ्यक्रम में 20 विद्यार्थी लिए जाते हैं। प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों को दो चरणों में से गुजरना पड़ता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डिप्लोमा को भारतीय विद्यालय संघ की ओर से एम.ए. की डिग्री के बराबर मान्यता प्राप्त है और इसके आधार पर वे कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं अथवा पीएच.-डी. (डाक्टरेट) उपाधि के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।

इस विद्यालय के मंचन विभाग 'रेपर्टरि' की स्थापना दोहरे उद्देश्य से 1964 में की गई थी। एक उद्देश्य था व्यावसायिक रंगमंच की स्थापना करना और दूसरा, लगातार नए प्रयोग जारी रखना। बाल रंगमंच को बढ़ावा देने की दिशा में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। 1989 में 'थिएटर इन एजुकेशन' की स्थापना की गई। बाद में इसका नाम बदल कर 'संस्कार रंग टोली' कर दिया गया। यह बच्चों के लिए नाटक तैयार करने, दिल्ली के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों में कार्यशालाएं आयोजित करने और सैंटरडे क्लब के जरिए बाल रंगमंच को प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है। 1998 से ही यह विद्यालय बच्चों के लिए राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव का आयोजन कर रहा है। यह महोत्सव हर वर्ष नवंबर में 'जन्मे बचपन' के नाम से आयोजित किया जाता है। भारत की आजादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 18 मार्च से 14 अप्रैल, 1999 तक पहले राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव 'भारत रंग महोत्सव' का आयोजन किया गया था। इस प्रथम 'भारत रंग महोत्सव' की सफलता को देखते हुए इसे हर वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया है।

विभिन्न राज्यों में अनेक भाषाएं बोलने वाले और विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले हजारों रंगमंच कलाकार इस विद्यालय के नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे में इन कलाकारों तक पहुंचने के लिए 1978 में 'विस्तार कार्यक्रम' नामक एक अल्पावधि शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय स्थानीय थिएटर ग्रुपों/कलाकारों के सहयोग से कार्यशालाएं चलाता है जिनमें सभी कार्यक्रम स्थानीय भाषाओं में होते हैं। इन कार्यशालाओं को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है—प्रस्तुतिकरणोन्मुख कार्यशालाएं, बच्चों के लिए प्रस्तुतिकरणोन्मुख कार्यशालाएं और रंगमंच संबंधी शिक्षण तथा प्रशिक्षण। चार दक्षिणी राज्यों और पांडिचेरी की रंगमंच संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से विद्यालय ने बंगलुरु में अपना क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया है।

विद्यालय की एक अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि है रंगमंच के बारे में पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन करना तथा रंगमंच से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी अनुवाद कराना।

साहित्य अकादमी

साहित्य अकादमी विभिन्न भाषाओं की कृतियों की राष्ट्रीय अकादमी है। इसका उद्देश्य प्रकाशन, अनुवाद, गोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करके भारतीय साहित्य के विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत देशभर में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और साहित्य सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। अकादमी की स्थापना 1954 में स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी और इसके लिए धन की व्यवस्था भारत सरकार का संस्कृति विभाग करता है। अकादमी का समिति के रूप में पंजीकरण 1956 में हुआ था। अकादमी ने 24 भाषाओं को मान्यता दे रखी है। प्रत्येक भाषा के लिए एक सलाहकार बोर्ड है जो संबद्ध भाषा के कामकाज और प्रकाशन के बारे में सलाह देता है। अकादमी के चार क्षेत्रीय बोर्ड हैं जो उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की भाषाओं के बीच तालमेल और परस्पर आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देते हैं। अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा कोलकाता, मुंबई, बंगलुरु और चेन्नई में भी इसके कार्यालय हैं। अकादमी के बंगलुरु और कोलकाता में दो अनुवाद केंद्र भी हैं। मौखिक और जनजातीय साहित्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिलांग में अकादमी का परियोजना कार्यालय स्थित है तथा दिल्ली में भारतीय साहित्य का अभिलेखागार है। नई दिल्ली में ही अकादमी का अनूठा बहुभाषीय पुस्तकालय भी है जिसके क्षेत्रीय कार्यालय बंगलुरु और कोलकाता में हैं। इनमें 25 से ज्यादा भाषाओं की करीब डेढ़ लाख पुस्तकों का संग्रह है।

साहित्य अकादमी लेखकों को सर्वोच्च सम्मान अपना 'फेलो' चुनकर देती है। यह सम्मान अमर साहित्यकारों के लिए सुरक्षित है तथा एक बार में 21 लोगों को दिया जाता है। अब तक यह सम्मान 66 लेखकों को दिया जा चुका है। अकादमी 850 लेखकों और 283 अनुवादकों को साहित्य तथा अनुवाद के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित कर चुकी है और 31 भाषा सम्मान दिए जा चुके हैं जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना है। साथ ही भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले विदेशी विद्वानों को मानद फेलोशिप प्रदान की गई है। अकादमी 24 भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करती है जिनमें पुरस्कृत कृतियों का अनुवाद, भारतीय साहित्य के महान लेखकों के मोनोग्राफ, साहित्य का इतिहास, अनुवाद में महान भारतीय और विदेशी रचनाएं, उपन्यास, कविता और गद्य, आत्मकथाएं, अनुवादकों का रजिस्टर, भारतीय लेखकों के बारे में जानकारी (कौन, कौन है), भारतीय साहित्य की राष्ट्रीय संदर्भ सूची और भारतीय साहित्य का विश्वकोश शामिल हैं। अभी तक अकादमी इन विभिन्न श्रेणियों में कुल 4000 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी है। अकादमी की तीन पत्रिकाएं हैं—अंग्रेजी में द्विमासिक 'इंडियन लिटरेचर', हिंदी द्विमासिक 'समकालीन भारतीय साहित्य' और संस्कृत छमाही पत्रिका 'संस्कृत प्रतिभा'। अकादमी हर वर्ष औसतन 250 से 300 पुस्तकें प्रकाशित करती है। इसकी कई विशेष परियोजनाएं भी हैं, जैसे—प्राचीन भारतीय साहित्य, मध्यकालीन भारतीय साहित्य और आधुनिक भारतीय साहित्य और पांच सहस्राब्दियों के दस सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। अकादमी ने 'भारतीय काव्यशास्त्र का विश्वकोश' तैयार करने की नई परियोजना भी शुरू की है।

साहित्य अकादमी साहित्य के इतिहास एवं सौंदर्यशास्त्र जैसे विभिन्न विषयों पर हर वर्ष अनेक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन करती है। साथ ही, नियमित रूप से अनुवाद कार्यशालाएं भी लगाई जाती हैं।

अकादमी हर वर्ष, आमतौर पर फरवरी के महीने में, सप्ताहभर का साहित्योत्सव आयोजित करती है जिसमें पुरस्कार वितरण समारोह, संवत्सर भाषणमाला और राष्ट्रीय संगोष्ठी शामिल रहती हैं।

अकादमी ने स्वर्ण जयंती समारोहों के अंतर्गत 2004-05 में 'सूर साहित्य' विषय से कार्यक्रमों की नई श्रृंखला भी आरंभ की।

छात्रवृत्ति और फेलोशिप डिवीजन

छात्रवृत्ति और फेलोशिप डिवीजन देश में सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रचार-प्रसार में लगे व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चार योजनाएं चला रहा है।

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्तियां

युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भारतीय शास्त्रीय संगीत, रंगमंच, दृश्यकला तथा लोक एवं पारंपरिक शैली की कलाओं के क्षेत्र में छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कुल 400 छात्रवृत्तियां दो वर्षों की अवधि के लिए दी जाती हैं। छात्रवृत्ति में प्रतिमाह 2000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इस छात्रवृत्ति के लिए 18 से 25 वर्ष के आयुवर्ग के कलाकार आवेदन के पात्र होते हैं। छात्रवृत्ति उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दी जाती है।

मंचन, साहित्य तथा दृश्य कलाओं के क्षेत्र में चुने हुए श्रेष्ठ कलाकारों के लिए फेलोशिप

भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भारतीय शास्त्रीय संगीत, रंगमंच, दृश्यकला, लोककला और पारंपरिक कला तथा साहित्य के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कलाकारों को फेलोशिप प्रदान की जाती है। दो वर्ष की अवधि के लिए

कुल 170 फेलोशिप दी जाती हैं। इनमें से 85 सीनियर फेलोशिप होती हैं जिनमें प्रतिमाह 12,000 रुपये दिए जाते हैं और 85 जूनियर फेलोशिप होती हैं जिनमें प्रतिमाह 6,000 रुपये दिए जाते हैं। सीनियर फेलोशिप के लिए 41 वर्ष या इससे ऊपर के कलाकार तथा जूनियर फेलोशिप के लिए 25 से 40 वर्ष की आयु वाले कलाकार आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार/सरकारी उपक्रमों/सरकारी संगठनों/यूजीसी से सहायता प्राप्त कॉलेजों में कार्य करने वाले आवेदकों को चुने जाने पर दो वर्ष की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश अथवा अन्य किसी प्रकार का अवकाश लेना होगा।

ये छात्रवृत्तियां भारतीय परियोजनाओं पर शोधकार्य करने के लिए दी जाती हैं। इस योजना के तहत शैक्षिक अनुसंधान तथा निष्पादन आधारित अनुसंधान दोनों को बढ़ावा दिया जाता है और आवेदक को इस प्रकार की परियोजना पर काम करने की अपनी क्षमता का सबूत देना होता है। ये फेलोशिप प्रशिक्षण देने, कार्यशाला चलाने, संगोष्ठियां कराने या आत्मकथा/उपन्यास आदि लिखने के लिए नहीं दी जाती हैं।

संस्कृति से जुड़े नए क्षेत्रों में सीनियर/जूनियर फेलोशिप

भारत विद्या, पुरालेख शास्त्र, सांस्कृतिक समाजशास्त्र, सांस्कृतिक अर्थशास्त्र, स्मारकों की संरचना और अभियांत्रिकी से जुड़े पहलुओं, मुद्राशास्त्र, संरक्षण के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं, कला और सांस्कृतिक धरोहर के प्रबंधन पहलुओं तथा संस्कृति और सृजनशीलता से संबद्ध विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रयोगों के अध्ययन जैसे क्षेत्रों में फेलोशिप प्रदान की जाती हैं। हर वर्ष कुल 19 फेलोशिप दी जाती हैं जिनमें से 11 सीनियर और 8 जूनियर होती हैं। संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त 41 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग सीनियर फेलोशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं जबकि जूनियर फेलोशिप के लिए आयुसीमा 25 से 40 वर्ष है। सीनियर फेलोशिप में प्रतिमाह 12,000 रुपये और जूनियर फेलोशिप में प्रतिमाह 6,000 रुपये दिए जाते हैं।

सीनियर और जूनियर फेलोशिप आधुनिक विचारों, सिद्धांतों, पद्धतियों और प्रौद्योगिकी को कला और संस्कृति से संबद्ध मुद्दों में प्रयोग करने के उद्देश्य से नए क्षेत्रों में परियोजनाएं चलाने के लिए दी जाती हैं। इसका उद्देश्य कला और संस्कृति से जुड़े क्षेत्रों के समसामयिक मुद्दों और समस्याओं के समाधान में नई अनुसंधान तकनीकों, प्रौद्योगिकियों और आधुनिक प्रबंधन सिद्धांतों के विश्लेषणात्मक प्रयोग को बढ़ावा देना है।

सांस्कृतिक गतिविधियों में लगे स्वैच्छिक संगठनों को अनुसंधान सहयोग के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना

इस योजना के अंतर्गत ऐसे स्वैच्छिक संगठन लाभान्वित होते हैं जो सांस्कृतिक गतिविधियों में लगे हैं और भारतीय संस्कृति की परंपरा और दर्शन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर शोधकार्य कर रहे हैं। ये संगठन कम से कम तीन वर्षों से इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हों और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) के अंतर्गत पंजीकृत हों। आर्थिक सहायता निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए दी जाती है :

- (क) महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मुद्दों पर सम्मेलन, विचार गोष्ठियां और परिसंवाद/परिचर्चाएं आयोजित कराने के लिए;
- (ख) सर्वेक्षण कार्य करने तथा प्रायोगिक परियोजना चलाने आदि जैसी विकास गतिविधियों का खर्च वहन करने के लिए।

विशेष परियोजनाओं के लिए सहायता राशि कुल व्यय के 75 प्रतिशत तक ही दी जाएगी जो अधिकतम एक लाख रुपये हो सकती है जैसा कि विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है।

वर्ष 2004-05 में विशेषज्ञ समिति ने स्वैच्छिक संगठनों को अनुसंधान समर्थन के लिए आर्थिक सहायता देने के 176 प्रस्तावों का चयन किया था।

रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान, कोलकाता

इस संस्थान की स्थापना का विचार श्री रामकृष्ण (1836-1886) की पहली जन्मशती के अवसर पर उनका स्थाई स्मारक बनाने के रूप में 1936 में व्यक्त किया गया था। श्री रामकृष्ण द्वारा प्रतिपादित वेदांत के संदेश के प्रसार के लिए स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के शाखा केंद्र के रूप में 29 जनवरी, 1938 को इसकी विधिवत स्थापना की गई। श्री रामकृष्ण के मूल उपदेशों में (i) सभी धर्मों को समान आदर देना; (ii) मनुष्य की दैवीय क्षमताओं को प्रतिपादित करना और उभारना; तथा (iii) मानव सेवा को ईश्वर की पूजा मानना अर्थात् मानवता को नया धर्म मानना शामिल हैं।

मानव मात्र की एकता के आदर्श के प्रति समर्पित इस संस्थान ने लोगों को विश्व की संस्कृतियों के समृद्ध मूल्यों से अवगत कराने तथा उन्हें यह समझाने के लिए सालोंसाल अथक प्रयास किए हैं कि परस्पर एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझना, मानना और स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है—यही वह दृष्टिकोण है जो वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समझ एवं सहमति विकसित करने और देश में राष्ट्रीय एकता की भावना को बल प्रदान करने में सर्वथा अनुकूल है। इस प्रकार, कुल मिलाकर, संस्थान का मुख्य संदेश है आपस में एक-दूसरे के दृष्टिकोण तथा विचारों का सम्मान करना तथा स्वयं की समृद्धि के लिए उन्हें एकजुट करना।

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला एक अग्रणी अनुसंधान संगठन है। यह अपनी स्थापना के 59 वर्ष पूरे कर चुका है और अपने गौरवपूर्ण कार्यकाल में सामान्य तौर पर जनता के और विशेषकर 'अत्यधिक कमजोर' कहे जाने वाले वर्गों के जैव-सांस्कृतिक पहलुओं के क्षेत्रों में मानव विज्ञान संबंधी अनुसंधान में प्रयासरत रहा है। इनके अलावा सर्वेक्षण कई अन्य समयसंगत गतिविधियों में लगा है जिनमें नृवंश सामग्री और प्राचीन मानव कंकाल अवशेषों को एकत्र करना, उनका संरक्षण करना, उनकी देखरेख करना, उनके बारे में आंकड़े तथा दस्तावेज तैयार करना और उनका अध्ययन करना शामिल हैं। इन वर्षों में सर्वेक्षण ने कोलकाता स्थित अपने मुख्यालय और सात क्षेत्रीय केंद्रों, एक उपक्षेत्रीय केंद्र, तथा आठ अन्य क्षेत्रीय स्टेशनों और नई दिल्ली के अपने कैंप कार्यालय की मदद से निरंतर अनुसंधान करते हुए गांव स्तर से जानकारीयां एकत्र की हैं।

दसवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय परियोजनाओं—जीवमंडल रिजर्व में पर्यटन के सांस्कृतिक आयाम और पर्यटकों की रुचि के स्थलों—के बारे में शोधकार्य किया जा रहा है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना सन् 1861 में हुई थी और यह पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संस्कृति विभाग के संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है। इस विभाग के प्रमुख महानिदेशक होते हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं :

- (i) पुरातात्विक अवशेषों तथा उत्खनन कार्यों का सर्वेक्षण;
- (ii) केंद्र सरकार की सुरक्षा वाले स्मारकों, स्थलों और अवशेषों का रखरखाव और परिरक्षण;
- (iii) स्मारकों और भग्नावशेषों का रासायनिक बचाव;
- (iv) स्मारकों का पुरातात्विक सर्वेक्षण;
- (v) शिलालेख संबंधी अनुसंधान का विकास और मुद्राशास्त्र का अध्ययन;
- (vi) स्थल संग्रहालयों की स्थापना और पुनर्गठन;
- (vii) विदेशों में अभियान;
- (viii) पुरातत्व विज्ञान में प्रशिक्षण; और
- (ix) तकनीकी रिपोर्ट और अनुसंधान कार्यों का प्रकाशन।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने 21 मंडलों और 3 मिनी मंडलों के जरिए अपने संरक्षण वाले स्मारकों का बचाव और संरक्षण करता है।

प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने देश में 3656 स्मारकों/स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है जिनमें 21 संपत्तियां यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। एक सौ चवालीस (144) वर्ष पहले हुई अपनी स्थापना के बाद से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बहुत विशाल संगठन का आकार ले चुका है और समूचे देश में इसके कार्यालयों, शाखाओं और मंडलों का जाल फैला है।

गुजरात का पावगढ़ पार्क, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल (जो पहले विक्टोरिया टर्मिनल था) रेलवे स्टेशन और गंगाकोंडाचोलापुरम का बृहदेश्वर तथा दारासुरम का ऐरावतेश्वरैया मंदिर (जो तंजावूर के बृहदेश्वर मंदिर परिसर का विस्तार है और महान चोला मंदिरों के नाम से विख्यात हैं) यूनेस्को द्वारा 2004 में विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। यूनेस्को की इस सूची में सम्मिलित कराने के उद्देश्य से विश्व धरोहर केंद्र के पास निम्नलिखित स्थलों के विवरण भेजे गए हैं :

- (i) पंजाब में अमृतसर का हरमंदिर साहब (स्वर्ण मंदिर);
- (ii) असम में ब्रह्मपुत्र नदी की मध्यधारा में स्थित माजुली द्वीपसमूह;
- (iii) उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार 'फूलों की घाटी';
- (iv) दिल्ली का लाल किला; और

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कुल पांच हजार से ज्यादा स्मारकों और ढांचों की देखरेख कर रहा है।

जलगत पुरातत्व शाखा

देश के भीतर या सीमावर्ती सागर क्षेत्र में पानी के नीचे मौजूद सांस्कृतिक धरोहर की खोज, अध्ययन और संरक्षण जलगत पुरातत्व शाखा के मुख्य कार्य हैं। यह शाखा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में खोज तथा खुदाई करती है।

विज्ञान शाखा

सर्वेक्षण की विज्ञान शाखा का मुख्यालय देहरादून में है और इसकी क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं देशभर में हैं। यह शाखा स्मारकों, प्राचीन सामग्रियों, पांडुलिपियों, पेंटिंग्स, आदि के रासायनिक संरक्षण का दायित्व संभालती है।

देहरादून स्थित विज्ञान शाखा की प्रयोगशालाओं ने निम्नलिखित वैज्ञानिक परियोजनाएं हाथ में ली हैं: (i) पत्थर, टेराकोटा, और ईंट से बने ढांचों पर संरक्षणात्मक कोटिंग करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए नई सामग्री की खोज; (ii) प्राचीन चूना पलस्तर के संरक्षण के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन, और (iii) त्वरित सख्त होने वाले पलस्तर सीमेंट के विभिन्न अनुपातों में उसकी भौतिक विशेषताओं का आकलन।

बागवानी शाखा

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बागवानी शाखा देश के विभिन्न भागों में स्थित केंद्र सरकार के संरक्षण वाले करीब 287 स्मारकों/स्थलों में बगीचों और उद्यानों की देखभाल करती है। यह शाखा दिल्ली, आगरा, श्रीरंगपट्टन और भुवनेश्वर में आधार-नर्सरियां विकसित करके इन बगीचों, उद्यानों के लिए मौसमानुसार पौधे उपलब्ध कराती है।

पुरालेख शास्त्र शाखा

मैसूर स्थित पुरालेख शास्त्र शाखा संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में शोधकार्य करती है जबकि नागपुर स्थित शाखा अरबी और फारसी में शोधकार्य करती है।

विदेशों में अभियान

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विदेश मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आदान-प्रदान कार्यक्रम (आईटीईसी) के अंतर्गत कंबोडिया में 'ता प्रोह्म' के संरक्षण की परियोजना शुरू की है जिसके लिए 19 करोड़ 51 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह संरक्षण परियोजना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अप्रैल और नवंबर, 2002 में अपनी कंबोडिया यात्रा के दौरान 'प्रसात ता प्रोह्म' के संरक्षण और बहाली के बारे में वहां की सरकार के अनुरोध पर दिए आश्वासन को पूरा करने के लिए शुरू की गई है। यह संरक्षण परियोजना दस वर्ष की है और इसे पांच चरणों में पूरा किया जाएगा।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यह संरक्षण परियोजना जनवरी, 2004 में शुरू कर दी थी परंतु इसे कंबोडिया में फरवरी, 2004 में विधिवत् आरंभ किया गया।

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्वतंत्रता से पहले इंपीरियल रिकार्ड विभाग के तौर पर 11 मार्च, 1891 को कोलकाता में स्थापित किया गया था परंतु अब यह अभिलेखागार के रूप में नई दिल्ली में काम कर रहा है। यह भारत सरकार और उसकी पूर्ववर्ती हुकूमतों के स्थायी महत्व वाले सभी अभिलेखों का सरकारी संरक्षक है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है और भुवनेश्वर, पांडिचेरी तथा जयपुर में इसके रिकार्ड केंद्र हैं।

अभिलेखागार की मुख्य गतिविधियां हैं—(1) विभिन्न सरकारी एजेंसियों और शोधकर्ताओं को रिकार्ड उपलब्ध कराना, (2) संदर्भ मीडिया तैयार करना, (3) उक्त उद्देश्य के लिए वैज्ञानिक जांच-पड़ताल का संचालन और अभिलेखों की सार-संभाल करना, (4) अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम का विकास करना, (5) अभिलेखों के संरक्षण में लगे व्यक्तियों और संस्थानों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, (6) पेशेवर और उप-पेशेवर स्तर पर पांडुलिपियों, पुस्तकों और अभिलेखों के संरक्षण, प्रबंधन और प्रकाशन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना, और (7) देश में विभिन्न विषयों पर प्रदर्शनियां आयोजित करके अभिलेखों के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

राष्ट्रीय अभिलेखागार राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, स्वैच्छिक संगठनों और अन्य संस्थानों को आर्थिक सहायता देता है ताकि अभिलेख संबंधी विरासत की हिफाजत की जा सके और अभिलेख विज्ञान का विकास हो।

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन

हमारी सांस्कृतिक विरासत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं पांडुलिपियां। इनके संरक्षण के उद्देश्य से ही सांस्कृतिक मंत्रालय ने 2 फरवरी, 2003 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का शुभारंभ किया। यह मिशन पांच वर्ष की महत्वाकांक्षी योजना है और इसके अंतर्गत सिर्फ पुस्तक सूचियों को खोजकर भारत की पांडुलिपियों का संरक्षण ही नहीं किया जाता बल्कि शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उन तक आसानी से पहुंच उपलब्ध कराने, जागरूकता बढ़ाने और बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाता है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की वेबसाइट www.namami.nic.in है।

राष्ट्रीय संग्रहालय

राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना 1949 में की गई थी और 1960 के बाद से यह संस्कृति मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में काम कर रहा है। इसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक की दो लाख साठ हजार से ज्यादा वस्तुएं संग्रहीत हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान कुल 1,95,083 लोग इस संग्रहालय को देखने पहुंचे थे। इसकी मुख्य गतिविधियां हैं :

प्रदर्शनियां लगाना, वीथियों का पुनर्गठन/आधुनिकीकरण, शैक्षिक गतिविधियां व आउटरीच कार्यक्रम, जनसंपर्क, प्रकाशन, फोटो प्रलेखन, ग्रीष्मावकाश कार्यक्रम, स्मारक भाषणमालाएं, संग्रहालय कॉर्नर, फोटो यूनिट, मॉडलिंग यूनिट, पुस्तकालय, संरक्षण प्रयोगशाला और अध्यापन कार्यशाला चलाना।

कला, संरक्षण व संग्रहालय विज्ञान के इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान

कला, संरक्षण व संग्रहालय विज्ञान के इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान नई दिल्ली में है। यह स्वायत्त संगठन है और इसके लिए धन का पूरा प्रबंध संस्कृति मंत्रालय करता है। 1989 में उसे समकक्ष विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। यह भारत का एकमात्र संग्रहालय/विश्वविद्यालय है और इस समय इसका कार्यालय नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रथम तल पर है। इसकी नियमावली (मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन) के अनुसार राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक इस विश्वविद्यालय के पदेन कुलपति हैं।

मुख्य उद्देश्य

- (क) कला इतिहास, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान के क्षेत्रों में एम.ए. और पीएच.-डी. की उपाधियों के लिए विशेषज्ञ शिक्षण व प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- (ख) भारतीय संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से यह संस्थान कुछ अल्पावधि पाठ्यक्रम चलाता है—भारत कला व साहित्य, कला मूल्यांकन और भारतीय कलानिधि (हिंदी माध्यम)।
- (ग) इन क्षेत्रों में नई संभावनाओं के विकास के लिए उपयुक्त ढंग से संगोष्ठियां/कार्यशालाएं, सम्मेलन और विशेष व्याख्यान आयोजित करना।

राष्ट्रीय पुस्तकालय

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता की स्थापना 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम,

1948 पारित करके की गई थी। इस पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। इसकी मुख्य गतिविधियां हैं :

- (i) राष्ट्रीय महत्व की प्रत्येक मुद्रित सामग्री (एकदिवसीय प्रकाशनों को छोड़कर) तथा सभी पांडुलिपियां प्राप्त करके उनका संरक्षण करना;
- (ii) देश से संबंधित मुद्रित सामग्री एकत्र करना चाहे वह कहीं भी प्रकाशित की गई हो;
- (iii) सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार की सामयिक व पुरानी सामग्री के संदर्भ में ग्रंथ सूची और प्रलेखन सेवाएं उपलब्ध कराना (इसमें देश से संबद्ध विभिन्न पहलुओं पर चालू राष्ट्रीय ग्रंथसूचियां तथा पूर्वसमय की ग्रंथसूचियां तैयार करने की जिम्मेदारी भी शामिल है।);
- (iv) ग्रंथ सूची जानकारी के सभी सूत्रों के पूरी और सही जानकारी देने वाले संदर्भ केंद्र की भूमिका निभाना और अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथसूची निर्माण गतिविधियों में हिस्सा लेना;
- (v) पुस्तकों के अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान तथा देश के भीतर पुस्तकें देने वाले केंद्र की भूमिका निभाना।

केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय

केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1891 में कोलकाता में इंपीरियल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी के नाम से की गई थी और 1969 से यह नई दिल्ली के शास्त्री भवन में काम कर रहा है। इसमें सात लाख से अधिक दस्तावेजों का संग्रह है जो मुख्य रूप से समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के विषयों पर हैं। यहां भारत के सरकारी दस्तावेज तथा केंद्र सरकार के दस्तावेज संग्रहीत किए जाते हैं और राज्य सरकारों के दस्तावेजों का भी विशाल संग्रह इसमें है।

इसके क्षेत्र अध्ययन डिवीज़न में अनूठा संग्रह है, यहां भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार पुस्तकें रखी गई हैं। साथ ही, इसका ग्रंथ सूची संग्रह भी बहुत विशाल है और इसमें अत्यधिक दुर्लभ पुस्तकों का खासा संग्रह है।

केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय का माइक्रोफिल्म संग्रह भी है जो माइक्रोफिल्मिंग ऑफ इंडियन पब्लिकेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम करता है और इसमें बहुत बड़ी संख्या में माइक्रोफिल्में संग्रहीत हैं।

केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की मुख्य जिम्मेदारी है नीति निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए उपयोगी सभी विषयों के सकल संग्रह एकत्र करना और उन्हें विकसित करना तथा विकासपरक साहित्य का संग्रह एकत्र करना भी इसका दायित्व है। यह पुस्तकालय केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा देशभर से आने वाले शोधार्थियों को वाचन संबंधी सभी सेवा-सुविधाएं उपलब्ध कराता है। हाल में ही पुस्तकालय ने भारत के राजपत्र तथा समितियों और आयोगों की रिपोर्टों का डिजिटलीकरण करके सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारित उत्पादों का विकास शुरू किया है और अपने संग्रह-कार्य के लिए ओपाक (ओपीएसी) प्रणाली भी विकसित की है।

पुस्तकालय की दो शाखाएं हैं। पहली है नई दिल्ली के बहावलपुर हाउस में स्थित क्षेत्रीय भाषाओं की शाखा जो तुलसी सदन लाइब्रेरी के नाम से मशहूर है। इसमें हिंदी तथा संविधान में स्वीकृत 13 अन्य भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें हैं। दूसरी शाखा पाठ्यपुस्तकों की है और नई दिल्ली के रामकृष्णपुरम में स्थित है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के स्नातक-स्तर तक के बच्चों की जरूरतों को पूरा करती है।

पुस्तकालय ने हाल ही में 'इंडिया इन्फार्मेशन गेटवे' पोर्टल शुरू किया है। 21 मार्च, 2005 को सचिव, संस्कृति मंत्रालय ने पुस्तकालय की वेबसाइट <http://www.csl.nic.in> का उद्घाटन किया।

सांस्कृतिक संसाधन व प्रशिक्षण केंद्र

सांस्कृतिक संसाधन व प्रशिक्षण केंद्र संस्कृति से शिक्षा को जोड़ने के क्षेत्र में कार्यरत अग्रणी संस्थानों में से है। इस केंद्र की स्थापना मई, 1979 में भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी और अब यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम कर रहा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा उदयपुर और हैदराबाद में इसके दो क्षेत्रीय केंद्र हैं।

इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में भारत की क्षेत्रीय संस्कृतियों की विविधता के प्रति समझ और जागरूकता पैदा करके शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाना और इस जानकारी का शिक्षा के साथ समन्वय स्थापित करना है। खास जोर शिक्षा और संस्कृति के बीच तालमेल कायम करने और विद्यार्थियों को सभी विकास कार्यक्रमों में संस्कृति के महत्व से अवगत कराने पर है। केंद्र के प्रमुख कार्यों में देश के विभिन्न भागों से चुने गए अध्यापकों के लिए कई प्रकार के इन सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना भी शामिल है। इस प्रकार दिए जाने वाले प्रशिक्षण का लाभ यह होता है कि पाठ्यक्रम पढ़ाने वालों में भारतीय कला और साहित्य के दर्शन, सौंदर्य तथा बारीकियों की बेहतर समझ विकसित होती है और वे इनका अधिक सार्थक आकलन कर पाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संस्कृति के पहलू पर ज्यादा जोर दिया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आवास, कृषि, खेल, आदि के क्षेत्रों में संस्कृति की भूमिका पर भी जोर दिया जाता है। प्रशिक्षण एक अहम अंग है विद्यार्थियों और शिक्षकों में पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं के समाधान तथा प्राकृतिक व सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण में उन्हें उनकी भूमिका से अवगत कराना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केंद्र देशभर में अध्यापकों, शिक्षाविदों, प्रशासकों और विद्यार्थियों के लिए विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

सांस्कृतिक संसाधन व प्रशिक्षण केंद्र विशेष अनुरोध पर विदेशी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के लिए भारतीय कला और संस्कृति के बारे में शिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है। नाटक, संगीत और अभिव्यक्ति-प्रधान कला विधाओं से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं ताकि कलाओं और हस्तकलाओं का व्यावहारिक ज्ञान और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके। इन कार्यशालाओं में शिक्षकों को ऐसे कार्यक्रम स्वयं विकसित करने की प्रेरणा दी जाती है जिनमें कला की विधाओं का शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए लाभकारी ढंग से प्रयोग किया जा सके।

सांस्कृतिक संसाधन व प्रशिक्षण केंद्र अपने विस्तार तथा सामुदायिक फीडबैक कार्यक्रमों के तहत स्कूली छात्रों, अध्यापकों और सरकारी तथा स्वैच्छिक संगठनों के बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां आयोजित करता है जिनमें ऐतिहासिक स्मारकों, संग्रहालयों, कलावीथियों, हस्तकला केंद्रों, चिड़ियाघरों और उद्यानों में शिक्षा टूर; प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदाओं के संरक्षण के बारे में शिविर; स्थानीय तौर पर उपलब्ध कम लागत वाली सामग्री की मदद से हस्तकलाएं सिखाने के लिए शिविर; कला की विभिन्न विधाओं पर जानेमाने कलाकारों व विशेषज्ञों के भाषण और प्रदर्शन तथा स्कूलों में कलाकारों और हस्तशिल्पियों के प्रदर्शन शामिल हैं। इन शैक्षिक गतिविधियों में विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास और उनके सौंदर्य बोध को विकसित करने पर जोर दिया जाता है।

इन वर्षों में यह केंद्र आलेख, रंगीन स्लाइड्स, चित्र, ऑडियो और वीडियो रिकार्डिंग और फिल्मों के रूप में संसाधन एकत्र करता रहा है। ग्रामीण भारत की कलाओं और हस्तशिल्पों को पुनर्जीवित करने और

उन्हें प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से केंद्र की डॉक्यूमेंटेशन टीम हर वर्ष देश के विभिन्न भागों में कार्यक्रम आयोजित करती है। यह केंद्र भारतीय कला एवं संस्कृति की समझ विकसित करने के उद्देश्य से प्रकाशन भी उपलब्ध कराता है। सांस्कृतिक संसाधन व प्रशिक्षण केंद्र के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है

सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना को क्रियान्वित करना केंद्र का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे संस्कृति विभाग ने 1982 में शुरू किया था। इस योजना के तहत 10 से 14 वर्ष की आयु के उन होनहार बच्चों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं जो या तो मान्यताप्राप्त स्कूलों में पढ़ते हैं या पारंपरिक कलाओं में लगे परिवारों से हैं जिससे उनकी प्रतिभा को कलाक्षेत्र में और विशेषकर दुर्लभ कलाविधाओं के क्षेत्र में विकसित किया जा सके। ये छात्रवृत्तियां 20 वर्ष की आयु तक अथवा विश्वविद्यालय की डिग्री लेने तक चलती हैं। हर वर्ष करीब 350 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

सांस्कृतिक संसाधन व प्रशिक्षण केंद्र ने सीसीआरटी शिक्षक पुरस्कार आरंभ किया है जो हर वर्ष शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में प्रशस्तिपत्र, स्मृति पट्टिका, अंगवस्त्रम और 10,000 रुपये दिए जाते हैं।

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना के पीछे प्रादेशिक और क्षेत्रीय सीमाओं के आरपार सांस्कृतिक भ्रातृत्व की भावना को उभारने का उद्देश्य था। असल उद्देश्य तो स्थानीय संस्कृतियों के प्रति गहन जागरूकता पैदा करना और यह दिखाना है कि ये संस्कृतियां किस प्रकार क्षेत्रीय पहचान से घुलमिल जाती हैं तथा अंततः भारत की समृद्ध विविधतापूर्ण संस्कृति में समाहित हो जाती हैं। ये केंद्र समूचे देश में संस्कृति को बढ़ावा देने, उसका संरक्षण करने और उसका विस्तार करने वाली अग्रणी संस्था का दर्जा अर्जित कर चुके हैं। ये मंचन कलाओं को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ साहित्य तथा दृश्य कलाओं के संबद्ध क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 1985-86 में पटियाला, कोलकाता, तंजावर, उदयपुर, इलाहाबाद, दीमापुर और नागपुर में सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए थे। इन क्षेत्रीय केंद्रों की संरचना की खास विशेषता यह है कि राज्य अपने सांस्कृतिक संपर्कों के अनुसार एक से ज्यादा केंद्रों में शामिल हो सकते हैं। मंत्रिमंडल की स्वीकृति से प्रत्येक क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र के लिए अलग-अलग सहायता (कॉर्पस) कोष स्थापित किया गया था जिसमें केंद्र सरकार और संबद्ध राज्य सरकारें अंशदान करती हैं और इस कोष में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज से इन केंद्रों की गतिविधियों का खर्च वहन किया जाता है। भारत सरकार ने प्रत्येक केंद्र को पांच करोड़ रुपये का अनुदान दिया और संबद्ध राज्य सरकार ने एक करोड़ रुपये दिए। यदि कोई राज्य एक से ज्यादा केंद्रों का सदस्य होगा तो उसका कुल अंशदान एक करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होगा। ये क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र 1993 से हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर होने वाले लोकनृत्य समारोह में भाग लेने के लिए अपने लोककलाकारों को भेजते हैं। भारत के राष्ट्रपति 24/25 जनवरी को तालकटोरा इनडोर स्टेडियम में इस समारोह का उद्घाटन करते हैं। इस समारोह के माध्यम से लोक कलाकारों को राष्ट्रीय मंच पर अपनी कला प्रदर्शित करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त होता है। गणतंत्र दिवस लोकनृत्य समारोह के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में हस्तशिल्प मेला भी लगाया जाता है। इस हस्तशिल्प मेले में विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृति केंद्रों के जानेमाने कुशल हस्तशिल्प और कारीगर भाग लेते हैं। हस्तशिल्प मेले के माध्यम से देश के विभिन्न भागों के हस्तशिल्पियों और कारीगरों को अपने उत्पाद ग्राहकों के समक्ष प्रदर्शित करने और उनके सामने ही इन उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया दिखाने का अनोखा अवसर प्राप्त होता है। ये क्षेत्रीय

सांस्कृतिक केंद्र विभिन्न लोक व जनजातीय कलाओं तथा खासतौर पर दुर्लभ एवं लुप्त होती कलाविधाओं के प्रलेख तैयार करने पर विशेष ध्यान देते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों, संगीतकारों और विद्वानों का आदान-प्रदान किया जाता है। इससे देश के विभिन्न भागों में जनजातीय/लोक कला-विधाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद मिली है और इस प्रकार विविधता में एकता की हमारी भावना और मजबूत हुई है। रंगमंच के कलाकारों, विद्यार्थियों, कलाकारों, निर्देशकों और लेखकों को साझे मंच पर काम करने और परस्पर एक-दूसरे को देखने-समझने का अवसर जुटाने के उद्देश्य से भी एक योजना चलाई जा रही है। संगीत और नृत्य के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए 'गुरु-शिष्य परंपरा' योजना है जिसके अंतर्गत हर क्षेत्र में गुरुओं की पहचान करके शिष्य उनके सुपुर्द कर दिए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए उन्हें छात्रवृत्ति भी दी जाती है। अपने शिल्पग्रामों के माध्यम से ये केंद्र हस्तशिल्पियों को बढ़ावा देकर उन्हें हाट-सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों ने युवा प्रतिभाओं की पहचान करके इन्हें प्रोत्साहन देने की एक नई योजना भी शुरू की है जिसके तहत ये केंद्र अपने-अपने क्षेत्र में मंचन/लोक कलाकारों का पता लगाएंगे और हर क्षेत्र में एक या प्रतिभाशाली कलाकारों का चुनाव करेंगे।

राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथि

राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथि नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य समसामयिक भारतीय कला को प्रोत्साहन देना और उसका विकास करना है। इस कला-वीथि में करीब 1748 समकालीन भारतीय कलाकारों की विभिन्न विषयों पर 17858 कृतियों का संग्रह है। इस संग्रह के लिए मुख्य रूप से कलाकृतियां खरीदी गई हैं और उपहार में प्राप्त हुई कृतियां भी शामिल हैं। यहां के महत्वपूर्ण संग्रहों में पेंटिंग्स, मूर्तियां, लिपिविज्ञान की कृतियां, रेखाचित्र तथा चित्र शामिल हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथि सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत समय-समय पर अपने संग्रह की प्रदर्शनियां भी आयोजित करता है। अनेक रंगीन प्रतिकृतियां भी प्रकाशित की गई हैं। इस कला वीथि का असल उद्देश्य लोगों में आधुनिक कला के कार्यों के प्रति बेहतर समझ और अनुभूति विकसित करना है। इसे ध्यान में रखते हुए 1996 में मुंबई की राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथि का उद्घाटन किया गया था और एक नई कला वीथि बंगलुरु में बनाई जा रही है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र देश में कला और संस्कृति से जुड़ी जानकारी एकत्र करने और इनके साथ ज्ञान और जीवन के अन्य विभिन्न विषयों का संबंध जानने की दिशा में प्रयासशील प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। इसकी स्थापना दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में 1985 में की गई थी। इसकी बहुआयामी गतिविधियों में अनुसंधान, प्रकाशन, प्रशिक्षण, प्रलेखन, वितरण और नेटवर्किंग शामिल हैं। यह भारत में कलाओं से संबद्ध जानकारी का विशाल भंडार बनने वाला है। यह विभिन्न कलाओं के बीच, कलाओं और विज्ञानों के बीच, कलाओं और पारंपरिक तथा वर्तमान प्रणालियों के बीच रचनात्मक और विश्लेषणात्मक आदान-प्रदान का मंच उपलब्ध करा कर प्राकृतिक व मानवीय परिवेश के भीतर ही कलाओं को समाहित करना चाहता है। यह केंद्र विविध समुदायों, क्षेत्रों, सामाजिक वर्गों तथा भारत और विश्व के अन्य भागों में परस्पर आदान-प्रदान तथा आपसी सूझबूझ बढ़ाता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को कला, मानव-विज्ञान और सांस्कृतिक धरोहर का राष्ट्रीय डाटा बैंक स्थापित करने वाली केंद्रीय मूल एजेंसी का दर्जा दिया गया। इसकी एक बड़ी पहल है सांस्कृतिक

आसूचना प्रयोगशाला की स्थापना जो मल्टीमीडिया और डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से कला से संबद्ध सभी क्षेत्रों के बारे में विविध माध्यमों तक पहुंचने के तरीके निकालने के लिए समन्वित पद्धति अपना रही है। मोटे तौर पर इस प्रयोगशाला की प्रमुख गतिविधियों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है—डिजिटलीकरण, वेब-आधारित डिजिटल पुस्तकालय और सीड्रॉम/डीवीड्रॉम परियोजना।

सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला

1976 में स्थापित सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला संस्कृति विभाग का अधीनस्थ कार्यालय है और विज्ञान व प्रौद्योगिक विभाग द्वारा इसे भारत सरकार के वैज्ञानिक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस प्रयोगशाला का उद्देश्य और लक्ष्य है देश में सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण करना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह प्रयोगशाला संग्रहालयों, अभिलेखागारों, पुरातत्व विभागों और इसी प्रकार के अन्य संस्थानों को संरक्षण सेवाएं तथा तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराती है; संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण देती है; संरक्षण के तरीकों और सामग्री के बारे में अनुसंधान करती है; संरक्षण संबंधी जानकारी का प्रचार-प्रसार करती है और देश में संरक्षण से जुड़े विषयों पर पुस्तकालय सेवाएं मुहैया कराती है। इस राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का मुख्यालय लखनऊ में है तथा दक्षिण राज्यों में भी संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मैसूर में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में क्षेत्रीय संरक्षण प्रयोगशाला काम कर रही है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला की वेबसाइट <http://www/nrlccp.org>. देखें।

6. मूल आर्थिक आंकड़े

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की दो शाखाएं हैं—सांख्यिकी शाखा और कार्यक्रम क्रियान्वयन शाखा। यह मंत्रालय देश में सांख्यिकी तंत्र की सर्वोच्च संस्था है। मंत्रालय भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) और अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस) का नियंत्रक प्रभारी भी है। यह राष्ट्रीय महत्व की स्वायत्तशासी और पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था ‘भारतीय सांख्यिकी संगठन’ का प्रशासकीय मंत्रालय भी है। इस मंत्रालय में केंद्रीय सांख्यिकी और संगठन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन हैं।

केंद्रीय सांख्यिकी संगठन

केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दिल्ली में स्थित है और इसकी शाखा कोलकाता में है। यह संगठन सांख्यिकी मानकों के प्रतिपादन और अनुरक्षण, राष्ट्रीय लेखा से संबद्ध कार्यों, औद्योगिक आंकड़ों, शारीरिक श्रम न करने वाले शहरी कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों, आर्थिक संगणना और सर्वेक्षण, शासकीय सांख्यिकी के प्रशिक्षण और देश में चल रही सांख्यिकी गतिविधियों से संबद्ध मामलों में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से तालमेल रखने का दायित्व संभालता है।

राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय

राष्ट्रीय आय सामान्य रूप से देश में रहने वाले नागरिकों द्वारा उत्पादन के साधनों से अर्जित वह आय है जिसमें से प्रत्यक्ष कर नहीं घटाए गए हैं। यह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की उत्पादन लागत के बराबर होती है। सारणी 6.1 में 1999-00 के मूल्यों के आधार पर राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय दर्शाई गई है। जबकि सारणी 6.2 में चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधित आय के बीच संबंध दर्शाया गया है। सारणी 6.3 में सार्वजनिक क्षेत्र की उपलब्धियां दिखाई गई हैं और सारणी 6.4 में अंतिम निजी उपभोग व्यय, शुद्ध घरेलू बचत और पूंजी निर्माण के आंकड़े दिए गए हैं।

कार्मिकों की श्रेणियां

वर्ष 2001 की जनगणना के लिए जनसंख्या को मुख्य कार्मिकों, सीमांत कार्मिकों और गैर कार्मिकों में बांटा गया था। अभी तक जारी आंकड़ों में कुल कार्मिकों को मुख्य कार्मिकों और सीमांत कार्मिकों में उप-विभाजित किया गया है तथा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्य कार्मिकों को 1 मार्च, 2001 तक कुल चार मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन्हें सारणी 6.5 में दर्शाया गया है। संगठित क्षेत्र के रोजगार को सारणी 6.6 में दिखाया गया है।

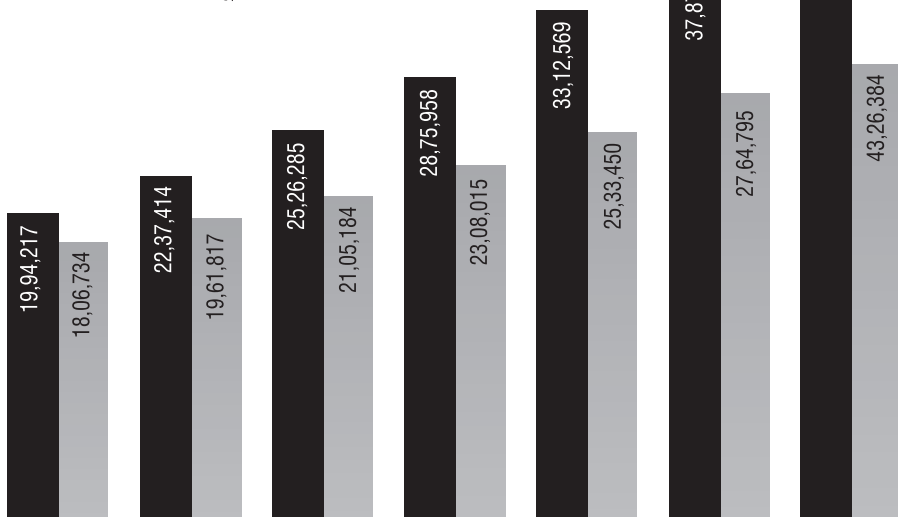
बेरोजगारी

रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज व्यक्तियों की कुल संख्या कुछ सीमा तक बेरोजगारी की प्रवृत्ति की जानकारी देती है। सारणी 6.7 में 1994-2008 की अवधि के लिए पंजीकृत व्यक्तियों, रिक्तियों, नौकरीप्राप्त व्यक्तियों और रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों के बारे में दर्शाया गया है।

राष्ट्रीय आय

करोड़ रुपए में

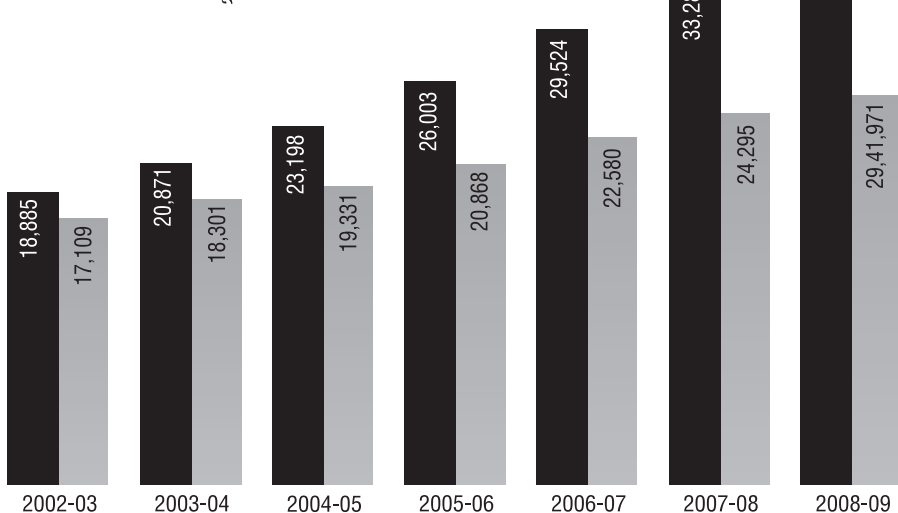
■ वर्तमान मूल्यों पर
■ 1999-2000 के मूल्यों पर



प्रति व्यक्ति आय

करोड़ रुपए में

■ वर्तमान मूल्यों पर
■ 1999-2000 के मूल्यों पर



KBK

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएस) की स्थापना 1950 में देश के आंकड़ों संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने और राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से की गई थी। सर्वेक्षण संबंधी कार्य के सभी पहलुओं को एक ही एजेंसी के अंतर्गत रखने के लिए 1970 में इसका पुनर्गठन किया गया और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) बना जो प्रबंध परिषद् के नियंत्रण में रखा गया था। भारत सरकार के 1.6.2005 प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय आंकड़ा आयोग (एनएससी) की स्थापना के बाद संचालन का दायित्व एनएससी पर आ गया है। इसकी सिफारिशों पर एनएसएस के सर्वेक्षण के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए एक संचालन समिति गठित की गई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (डीजी एंड सीईओ) इस संगठन की गतिविधियों की देख-रेख व निगरानी करते हैं। इसके चार विभाग हैं—1. सर्वे डिजाइन और अनुसंधान विभाग (एसडीआरडी) 2. क्षेत्रीय कार्य विभाग (एफआरडी), 3. डाटा प्रोसेसिंग विभाग (डीपीडी), 4. समन्वय और प्रकाशन विभाग (सीपीडी)।

सर्वे, डिजाइन और अनुसंधान विभाग का मुख्यालय कोलकाता में है और इसके क्षेत्रीय कार्य विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, कोलकाता, नागपुर, बंगलुरु, जयपुर और गुवाहाटी में हैं। इनके अलावा देशभर में 49 क्षेत्रीय और 116 उप-क्षेत्रीय कार्यालय हैं। डाटा प्रोसेसिंग विभाग का मुख्यालय कोलकाता में है। यह दिल्ली, गिरिडीह, नागपुर, कोलकाता, अहमदाबाद और बंगलुरु स्थित अपने कार्यालयों के जरिये काम करता है। नई दिल्ली स्थित समन्वय और प्रकाशन विभाग महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों का विषयवार कार्यक्रम एक सुनियोजित चक्र के हिसाब से चलाया जाता है जिसकी अवधि 10 वर्ष होती है। उपभोक्ता व्यय, रोजगार और बेरोजगारी, सामाजिक खपत (स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि), असंगठित क्षेत्र में माल तैयार करने वाले और सेवा उद्यमों का सर्वेक्षण पांच वर्ष में एक बार किया जाता है जबकि जोतों, पशुधन, ऋण और निवेश जैसे विषयों का सर्वेक्षण 10 वर्ष में एक बार किया जाता है। इसके अलावा आंकड़ों का इस्तेमाल करने वालों की मांग पूरी करने के लिए समसामयिक रुचि के विशेष विषयों के सर्वेक्षण किए जाते हैं। जांच के दौरान मुख्य सर्वेक्षण के साथ ही प्रत्येक चक्र में नमूने लेकर उपभोक्ता व्यय तथा रोजगार और बेरोजगारी के बारे में आंकड़े एकत्र किए गए। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 62वां चक्र (जुलाई 2005-जून 2006) सर्वेक्षण घरेलू उपभोक्ता व्यय, रोजगार व बेरोजगारी के अलावा अक्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं पर था। इस चक्र की सभी पांच रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी हैं और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। एन एस एस का 63वां दौर (जुलाई 2006-जून 2007) सेवा क्षेत्र उद्यमों (व्यापार छोड़ कर) और घरेलू उपभोक्ता व्यय पर था। इसकी सभी तीन रिपोर्टें जारी की जा चुकी हैं। एनएसएस के 64वें चक्र (जुलाई, 2007-जून 2008) का सर्वेक्षण शिक्षा, रोजगार-बेरोजगार में भागीदारी और व्यय तथा प्रवास और घरेलू उपभोक्ता व्यय पर है। फील्ड का कार्य पूरा हो चुका है और पांच रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं। एनएसएस को 65वां चक्र (जुलाई, 2008-जून 2009) घरेलू पर्यटन, आवासीय स्थिति, शहरी स्लम तथा नागरिक सुविधाओं पर है तथा फील्ड कार्य जून 2009 में पूरा हो चुका है। श्रृंखला का अगला 66वां राउंड रोजगार, बेरोजगारी और उपभोक्ता व्यय पर है। जुलाई 2009 से काम शुरू हो चुका है और यह जून 2010 तक चलेगा।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षणों को एनएसएस रिपोर्टों के रूप में प्रकाशित किया जाता है और ये रिपोर्ट बिजली के लिए उपलब्ध हैं। ये एनएसएस रिपोर्टें मंत्रालय की वेबसाइट “<http://www.mospi.nic.in>” पर भी मुफ्त उपलब्ध रहती हैं। इन रिपोर्टों का सार राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की द्विवार्षिक तकनीकी पत्रिका *सर्वेक्षण* में भी प्रकाशित किया जाता है। इस संगठन के विभिन्न सर्वेक्षणों से संबद्ध वैधता प्राप्त यूनिट-स्तरीय आंकड़ों की सीडी भी नाममात्र मूल्य पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन आंकड़ा संकलन अधिनियम, 1953 (केंद्रीय नियम, 1959) के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत उद्योगों का सारे देश में वार्षिक सर्वेक्षण भी करता है। जम्मू कश्मीर में यह काम जम्मू एवं कश्मीर आंकड़ा संग्रह अधिनियम 1961 के तहत किया जाता है। इसके अंतर्गत वे सभी कारखाने आ जाते हैं जो कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 एम (I) जिनमें 10 या ज्यादा श्रमिक काम करते हैं और बिजली इस्तेमाल होती है और 2 एम (II) जिनमें 20 या ज्यादा श्रमिक काम करते हैं और बिजली इस्तेमाल नहीं की जाती के तहत पंजीकृत हैं और वे सभी बीड़ी और सिगार यूनिटें आती हैं जो बीड़ी व सिगार कर्मचारी (रोजगार शर्तें) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत और वातानुकूलित भंडारण, जल आपूर्ति, गैस उत्पादन, फिल्म निर्माण, लांड्री सेवाएं, वाहनों की मरम्मत मोटर गैराज और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की उत्पादन इकाइयों की यूनिटें पंजीकृत होती हैं। प्रतिरक्षा कारखाने, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, जेल कारखाने, तेल भंडारण और वितरण में लगी इकाइयां, रेस्त्रां/कैफे और कंप्यूटर सेवाएं सर्वे से अलग रखी गई हैं। एएसआई 1998-99 से विद्युत उत्पादन इकाइयां, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में प्रसारण और वितरण शामिल नहीं हैं, को भी अलग रखा जाता है। रेलवे कार्यशालाएं, सड़क परिवहन, निगम कार्यशालाएं, सरकारी टकसाल, सफाई, जल आपूर्ति, गैस भंडारण इत्यादि विभागीय इकाइयों को भी शामिल नहीं किया गया है क्योंकि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) के राष्ट्रीय लेखा विभाग द्वारा जीडीपी आकलन के लिए उनके डाटा संकलन के वैकल्पिक साधन हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन कृषि सांख्यिकी के क्षेत्र में राज्यों को फसलों का अनुमान लगाने में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है और फसलों के आंकड़ों में सुधार योजना के तहत फसल आंकड़ों की गुणवत्ता पर लगातार नजर रखता है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन उपभोक्ता (खुदरा) मूल्य सूचकांक तैयार करने के उद्देश्य से नियमित रूप से प्रतिमाह 603 गांवों और 59 शहरी केंद्रों के चुने हुए बाजारों की चुनिंदा दुकानों और बिजली केंद्रों से आवश्यक वस्तुओं के ग्रामीण खुदरा मूल्यों के आंकड़े एकत्र करता है।

शहरी क्षेत्रों के लिए, 59 शहरी केंद्रों से मार्च, 2008 तक शहरी गैर श्रमिक बेरोजगारों के लिए डाटा एकत्रित किए जा रहे हैं। अप्रैल, 2008 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी) की नई शृंखला के लिए राज्यों/के.शा.प्र. के 310 कस्बों से डाटा एकत्रित किए गए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन शहरी क्षेत्रों में प्रथम चरण इकाइयों को नमूना ढांचा (फ्रेम) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शहरी ढांचागत सर्वेक्षण करता है। यह हर पांच वर्ष के बाद किया जाता है। इस प्रकार 10 वर्ष की अवधि में दो बार अद्यतन ढांचा उपलब्ध कराया जाता है। इस समय 2007-12 के शहरी फ्रेम सर्वेक्षण का काम चल रहा है। यह काम शहरी फ्रेम को उद्यतन बनाने और तैयार करने के प्रबंधों का काम इसकी समीक्षा के लिए बनाई गई समिति के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।

सारणी 6.1

कारक लागत पर प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय

(करोड़ रुपये में)

मद	1999- 00	2000- 01	2001- 02	2002- 03	2003- 04	2004- 05	2005- 06	2006- 07	2007- 08	2008- 09
कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (करोड़ रुपये में)										
• चालू मूल्यों पर	1589673	1700466	1849361	1994217	2237414	2526285	2875958	3312569	3787596	4326384
• 1999-2000 के मूल्यों पर	1589673	1648018	1743998	1806734	1961817	2105184	2308015	2533450	2764795	2941971
प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (रुपये में)										
• चालू मूल्यों पर	15881	16688	17782	18885	20871	23198	26003	26524	33283	37490
• 1999-2000 के मूल्यों पर	15881	16173	16769	17109	18301	19331	20868	22580	24295	25494
1999-2000 के आधार पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का सूचकांक										
• चालू मूल्यों पर	100	107	116	125	141	159	181	208	238	272
• 1999-2000 के मूल्यों पर	100	104	110	114	123	132	145	159	174	185
1999-2000 के आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का सूचकांक										
• चालू मूल्यों पर	100	105	112	119	131	146	164	186	210	236
• 1999-2000 के मूल्यों पर	100	102	106	108	115	122	131	142	153	161
उत्पादन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद (करोड़ रुपये में)										
• चालू मूल्यों पर	1771095	1902284	2077658	2244725	2517462	2855326	3256269	3749607	4297047	4906167
• 1999-2000 के मूल्यों पर	1771095	1841873	1952467	2030419	2203258	2367683	2595441	2849856	3114864	3323648
1999-2000 के आधार पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सूचकांक										
• चालू मूल्यों पर	100	107	117	127	142	161	184	212	243	277
• 1999-2000 के मूल्यों पर	100	104	110	115	124	134	147	161	176	188

सारणी 6.2

राष्ट्रीय आय और अन्य में संबंध (चालू मूल्यों पर)

(करोड़ रुपये में)

क्र. मद सं.	1999- 00	2000- 01	2001- 02	2002- 03	2003- 04	2004- 05	2005- 06	2006- 07	2007- 08
1. राष्ट्रीय आय (शुद्ध राष्ट्रीय आय कारक लागत पर)	1589673	1700466	1849361	1994217	2237414	2526285	2875958	3312569	3787596
2. अप्रत्यक्ष कर घटाएँ सस्विडी	165510	177297	181226	193146	216450	271706	304358	349789	402508
3. बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद	1755183	1877763	2030587	2187363	2453864	2797991	3180316	3662358	4190104

सारणी 6.2 (जारी)

(करोड़ रुपये में)

क्र. मद सं.	1999- 00	2000- 01	2001- 02	2002- 03	2003- 04	2004- 05	2005- 06	2006- 07	2007- 08
4. शेष विश्व से अन्य चालू अंतरण (शुद्ध)	53132	58811	73363	79229	99165	91971	108565	126088	163709
5. शुद्ध राष्ट्रीय डिसपो- जेबल आय	1808315	1936574	2103950	2266592	2553029	2889962	3288881	3788446	4353813
6. विदेश से शुद्ध कारक आय	-15431	-22733	-20068	-16690	-20708	-22375	-26116	-29778	23845
7. बाजार मूल्यो पर शुद्ध घरेलू उत्पाद (3-6-5-6-4)	1770614	1900496	2050655	2204053	2474572	2820366	3206432	3692136	4213949
8. कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद	1605104	1723199	1869429	2010907	2258122	2548660	2902074	3342347	3811441
9. सरकारी प्रशासन विभागों का उद्यमिता और संपत्ति से लाभ	36895	33576	33274	37182	52542	47526	59426	74393	89101
10. गैर-विभागीय उद्यमों द्वारा बचत	20361	15782	29131	46637	58245	70133	75967	95457	105800
11. प्राइवेट सेक्टर को घरेलू उत्पाद से आय	1547848	1673841	1807024	1927088	2147335	2431001	2766681	3172497	3616540
12. सार्वजनिक ऋण पर ब्याज	93329	114071	125521	140782	166144	171791	192057	225724	241305
13. सरकारी प्रशासन विभागों से चाल अंतरण	50048	58551	69157	70796	84149	103215	128698	168250	202012
14. प्राइवेट इनकम (11+12+13+4+6)	1728926	1882541	2054997	2201205	2476085	2775603	3169885	3662781	4299721
15. प्राइवेट कोरपोरेट सेक्टर की बचत, विदेशी कंपनियों द्वारा रखी कमाई के अलावा	41036	26750	14351	30308	49298	119092	164675	206655	250426
16. कारपोरेशन टैक्स	30692	35696	36609	46172	63267	82344	101343	144346	164065
17. व्यक्तिगत आय	1657198	1820095	2004037	2124725	2363520	2574167	2903867	3311780	3785230
18. सरकारी प्रशासन की फुटकर प्राप्तियां एवं मकानों से प्रत्यक्ष	39233	46845	49198	59886	81372	79152	97440	129070	193058
19. पर्सनल डिसपोजेबल इनकम	1617965	1773250	1954839	2064839	2282148	2495015	2806427	3182710	3592172

* रेलवे और संचार की बचत शामिल है।

** उत्पादकों द्वारा अदा किए गए शुल्क, जुर्माने आदि का विवरण उपलब्ध नहीं है। उस हद तक पर्सनल इनकम का अनुमान कम लगाया गया है।

सारणी 6.3
सार्वजनिक क्षेत्र का निष्पादन
(चालू मूल्यों पर)

क्र.स.	मद	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
										(करोड़ रुपये में)
1.	सकल घरेलू उत्पाद	1786526	1925017	209726	2261415	2538170	2877701	3282385	3779385	4320892
1.1	सार्वजनिक	457006	480952	523781	576210	613897	669335	714876	804937	887757
1.2	प्राइवेट	1329520	1444065	1573945	1685205	1924273	2208366	2567509	2974448	3433135
2.	सकल घरेलू बचत	484256	499033	534885	646521	820685	997873	1228026	1475108	1779614
2.1	सार्वजनिक	-15494	-36882	-46186	-15936	29521	68951	96823	137926	212543
2.2	प्राइवेट	499750	535915	581071	662457	791164	928922	1141203	1337182	1567071
3.	सकल घरेलू पूंजी निर्माण, असमायोजिक	493999	493285	536855	604850	713649	955045	1207497	1452799	1775755
3.1	सार्वजनिक	144610	144638	156537	149399	174579	216962	271835	329679	429014
3.2	प्राइवेट	349389	348647	380318	455451	539070	738083	935662	1123120	1346741
4.	अंतिम खपत व्यय	1510285	1610671	1752038	1843596	2013843	2186162	2439858	2741372	3084958
4.1	सार्वजनिक	252744	265088	281786	290978	310297	338052	375562	421546	479099
4.2	प्राइवेट	1257541	1345583	1470302	1552618	1703546	1848110	2064296	2319626	2605859
सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिशत										
1.	सकल घरेलू उत्पाद	25.6	25.0	25.0	25.5	24.2	23.3	21.8	21.3	20.5
2.	सकल घरेलू बचत	-3.2	-7.4	-8.6	-2.5	3.6	6.9	7.1	9.4	11.9
3.	सकल घरेलू पूंजी निर्माण (असमायोजित)	29.3	29.3	29.2	24.7	24.5	22.7	22.5	22.7	24.2
4.	अंतिम खपत व्यय	16.7	16.5	16.1	15.8	15.4	15.5	15.4	15.4	15.5

सारणी 6.4
निजी खपत, बचत एवं पूंजी निर्माण

वर्ष	घरेलू बाजार में निजी घरेलू खपत खर्च (करोड़ रुपये में)		घरेलू बाजार में प्रति व्यक्ति अंतिम खपत व्यय (रुपये में)		शुद्ध घरेलू बचत (करोड़ रुपये में)		शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण (करोड़ रुपये में)		शुद्ध पूंजी निर्माण दर (प्रतिशत)	
	चालू मूल्य पर	1999-2000 मूल्यों पर	चालू मूल्य पर	1999-2000 मूल्यों पर	चालू मूल्य पर	1999-2000 मूल्यों पर	चालू मूल्य पर	1999-2000 मूल्यों पर	चालू मूल्य पर	1999-2000 मूल्यों पर
1999-2000	1257541	1257541	12563	12563	302835	17.1	324823	324823	18.3	18.3
2000-01	1345583	1303435	13205	12791	297215	15.6	309970	294803	16.3	16
2001-02	1470302	1377919	14138	13249	306588	15.0	292359	265980	14.3	13.8
2002-03	1552618	1417031	14703	13419	396014	18	367528	330359	16.7	16.6
2003-04	1703546	1501974	15891	14011	540637	21.8	479277	409905	19.4	19.0
2004-05	1848110	1584690	16971	14552	668832	23.7	682171	531054	24.2	22.7
2005-06	2064296	1692194	18665	15300	847714	26.4	892318	661054	27.8	25.8
2006-07	2319826	1800874	20676	16051	1038071	28.1	1084768	757377	29.4	27.0
2007-08	2605850	1946780	22899	17107	1270165	30.1	1336064	881177	31.7	28.9

सारणी 6.5
श्रमिकों की श्रेणी के अनुसार जनसंख्या

(करोड़ में)

मद	ग्रामीण	शहरी	कुल
2001 की जनगणना			
कुल जनसंख्या	74.25	28.61	102.86
कुल मजदूर	31.00	9.23	40.22
सीमांत मजदूर	8.08	0.85	8.92
प्रमुख मजदूर	22.92	8.38	31.30
कुल मजदूरों की श्रेणी			
1. काश्तकार	12.47	0.26	12.73
2. खेतिहर मजदूर	10.24	0.43	10.68
3. घरेलू उद्योग मजदूर	1.21	0.48	1.70
4. अन्य मजदूर	7.07	8.05	15.12

नोट : 'भारत' के आंकड़ों में तीन उप-डिवीजनों माओ मारम, पाओमाता और मणिपुर के सेनापति जिले के पुरल के आंकड़े शामिल नहीं किए गए हैं क्योंकि इनके आंकड़े तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दिए गए थे।

स्रोत : महापंजीयक कार्यालय, भारत सरकार

मूल्य

थोक मूल्य

थोक मूल्य सूचकांकों की नई शृंखला (आधार 1993-94=100) 1 अप्रैल, 2000 को शुरू की गई थी। इन शृंखलाओं में 435 चुनिंदा वस्तुएं शामिल हैं। संशोधन करके नई शृंखला में 1,918 निवेदित मूल्य शामिल किए गए हैं।

सारणी 6.8 में सभी वस्तुओं और तीन प्रमुख वर्गों: (i) मूल वस्तुएं (ii) ईंधन, ऊर्जा, बिजली, लुब्रीकेंट और (iii) निर्मित उत्पाद: की चुनिंदा श्रेणियों/उप श्रेणियों के 2003-04 से 2008-09 तक के थोक मूल्यों (1993-94=100) के सूचकांक दिए गए हैं।

उपभोक्ता मूल्य

सारणी 6.9 में 1993-94 से 2005-06 की अवधि के दौरान 1982=100 के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए 1993-94 से 2005-06 अवधि के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिए गए हैं। 2001=100 के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी 2006-07 से 2008-09 तक के लिए जारी किए जा चुके हैं। सारणी 6.10 में शहरी शारीरिक श्रम न करने वाले

कार्मिकों के अखिल भारतीय स्तर पर कुछ चुनिंदा केंद्रों पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिए गए हैं। अप्रैल 2008 से केंद्रीय आंकड़ा संगठन ने शहरी गैर-शारीरिक श्रमिकों के लिए केंद्रवार आंकड़ा संकलन करना बंद कर दिया है।

पांचवीं आर्थिक संगणना

केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने विस्तृत जानकारी एकत्र करने के लिए खासतौर पर असंगठित उद्यमों के सर्वेक्षण के लिए बेहतर ढांचा उपलब्ध कराने के लिए 1977 में पहली देशव्यापी आर्थिक गणना कराई थी। यह सूचना गैर कृषि उद्यमों के वितरण, रोजगार आदि के बारे में थी जिसकी जरूरत कुशल नमूना डिजाइन के लिए पड़ती है।

दूसरी और तीसरी आर्थिक गणना 1980 और 1990 में कराई गई जबकि 1981 और 1991 में जनगणना भी साथ-साथ हुई। चौथी आर्थिक संगणना 1998 के दौरान सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में संबद्ध राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश के आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालयों के सहयोग से कराई गई थी।

वर्तमान आर्थिक संगणना जो इस श्रृंखला की पांचवीं संगणना है सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में उनके आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालयों के सहयोग से कराई गई। इस संगणना में देशभर के उद्यमों की सभी गतिविधियों (फसल उत्पादन और बागानों को छोड़कर) को शामिल किया गया।

आर्थिक संगणना 2005 के अंतिम परिणाम 29 मई 2008 को जारी किए गए। परिणामों के अनुसार, देश में 418.27 लाख उद्यमिता प्रतिष्ठान पांचवी आर्थिक संगणना से 'उद्यमिता प्रतिष्ठान' शब्द की जगह संस्थापना लिखा जा रहा है। जिनमें 10.09 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था। आर्थिक जनगणना का विस्तृत विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.mospi.gov.in पर उपलब्ध है।

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण

भारत में औद्योगिक आंकड़ों का प्रमुख स्रोत उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण है। निष्पक्ष और यथार्थवादी तरीके से अनुमान लगाने और आकलन करने के लिए यह आंकड़ों संबंधी सूचना देता है। इस सूचना का इस्तेमाल विकास दर में परिवर्तन, माल तैयार करने वाले संगठित क्षेत्र की रचना और ढांचा, जिसमें शामिल हैं माल तैयार करने की विधियां, मरम्मत संबंधी सेवाएं, बिजली, गैस उत्पादन और पारेषण और जलापूर्ति तथा कोल्ड स्टोरेज के लिए किया जाता है। यह सर्वेक्षण प्रतिवर्ष आंकड़ों का संग्रहण अधिनियम, 1953 के वैधानिक प्रावधानों के तहत किया जाता है। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम तथा केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण भारत में किया जाता है। यह कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 एम (I) और 2 एम (II) के अंतर्गत पंजीकृत सभी कारखानों पर लागू होता है। बीड़ी और सिगार मजदूर (रोजगार शर्त) अधिनियम, 1966 के तहत पंजीकृत बीड़ी और सिगार बनाने वाले प्रतिष्ठान भी इसके अंतर्गत आते हैं। शीत भंडारण, जलापूर्ति, मोटर वाहन और अन्य स्थायी उपभोक्ता साज-सामान की मरम्मत जैसी कुछ सेवाएं और गतिविधियां भी इस सर्वेक्षण में शामिल होती हैं। रक्षा प्रतिष्ठान, तेल भंडारण एवं वितरण डिपो, रेस्तरां, होटल, कैफे और कंप्यूटर सेवाएं तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान इस सर्वे के क्षेत्र से बाहर रखे गए हैं। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधीन इकाइयों को भी शामिल किया गया है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अंतर्गत एकत्र आंकड़ों का संबंध होता है पूंजी, रोजगार व वेतन, ईंधन और चिकनाई की खपत, कच्चा माल और निविष्ट/उत्पाद, मूल्य, श्रम, कारोबार, अनुपस्थिति, श्रम

की लागत, मालिकों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण और कारखानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की अन्य विशेषताओं से। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के क्षेत्रीय प्रचालन विभाग द्वारा कार्य स्थलों पर जाकर यह कार्य किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आंकड़ों की प्रोसेसिंग करता है और परिणामों का प्रकाशन करता है।

2005-06 के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम तथा केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 1,40,160 कारखाने हैं। इन कारखानों की कुल स्थायी पूंजी 6,06,94,028 लाख रुपये, उत्पादक पूंजी 7,91,40,288 लाख रुपये और निवेशित पूंजी 9,01,57,861 लाख रुपये थी। इन कारखानों में लगभग 91 लाख 15 हजार लोगों को लाभप्रद रोजगार मिला था और ये 740,0820 लाख रुपये का वेतन कर्मचारियों को दे रहे थे।

ऊर्जा संबंधी आंकड़े

केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का औद्योगिक सांख्यिकी विभाग ऊर्जा संबंधी आंकड़ों पर भी एक प्रकाशन निकालता है। इस प्रकाशन में कोयला, अशोधित पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली (पन बिजली) और परमाणु बिजली जैसे विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के आंकड़े रहते हैं। वर्ष 2000-01 में राज्य और अखिल भारतीय स्तर पर गैर-परंपरागत प्रमुख ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत बिजली संयंत्र प्रतिष्ठापित करने संबंधी आंकड़ों को भी पहली बार इस प्रकाशन में शामिल किया गया है। हालिया प्रकाशन 'एनर्जी स्टेटिस्टिक्स -2007' (ऊर्जा संबंधी आंकड़े) केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माताओं, प्रशासकों, और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े लोगों की सूचना संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए समय-समय पर प्रकाशित किए जाने वाले दस्तावेजों की श्रृंखला में 15वां प्रकाशन है। भारत में प्रमुख ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन, उपलब्धता, खपत और थोक मूल्य सूचकांक से संबंधित पिछले 37 वर्षों (1970-71 से 2006-07) के आंकड़े इसमें दिए गए हैं। इसमें दिए गए आंकड़े संबंधित सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा दी गई नवीनतम सूचना पर आधारित हैं। ये हैं— कोयला नियंत्रक कार्यालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आर्थिक मामलों के सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय बिजली प्राधिकरण और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय। 'एनर्जी स्टेटिस्टिक्स-2008' का अगला अंक छप रहा है।

सारणी 6.6
संगठित क्षेत्र में रोजगार

	(लाख रुपये में)													
	मार्च 1994	मार्च 1995	मार्च 1996	मार्च 1997	मार्च 1998	मार्च 1999	मार्च 2000	मार्च 2001	मार्च 2002	मार्च 2003	मार्च 2004	मार्च 2005	मार्च 2006	मार्च 2007
सार्वजनिक क्षेत्र														
केंद्र सरकार	33.92	33.95	33.66	32.95	32.53	33.13	32.73	32.61	31.95	31.33	30.27	29.39	28.60	28.00
राज्य सरकार	73.37	73.55	74.14	74.85	74.58	74.58	74.60	74.25	73.84	73.67	72.22	72.02	73.00	72.09
अर्ध सरकारी	65.14	65.20	64.58	65.35	64.61	63.85	63.26	61.92	60.20	59.01	58.22	57.48	59.09	58.61
स्थानीय निकाय	22.02	21.97	21.92	22.44	22.46	22.59	22.55	22.61	21.75	21.79	21.26	21.18	21.18	21.32
निजी क्षेत्र														
(गैर-कृषि)														
बड़े प्रतिष्ठान														
(25 या अधिक कर्मचारी)	69.98	71.18	75.50	77.06	78.21	77.70	77.19	77.09	75.08	74.72	72.34	74.89	78.04	82.29
छोटे प्रतिष्ठान														
(10 से 24 कर्मचारियों)	9.32	9.40	9.61	9.79	9.27	9.28	9.27	9.43	9.24	9.49	10.12	9.63	10.01	10.46

स्रोत : डीजीई एंड टी, श्रम मंत्रालय

सारणी 6.7
रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्ट्रों में पंजीकरण, अधिसूचित रिक्रिया, सेवा-स्थान और रोजगार चाहने वालों की स्थिति
1994-2005 (जनवरी-दिसंबर)

वर्ष	रोजगार कार्यालयों की संख्या	पंजीकरण	अधिसूचित रिक्रिया	नियुक्तियां	वर्ष के अंत में चालू रजिस्टर	पिछले वर्ष की तुलना में चालू रजिस्ट्रों में प्रतिशत वृद्धि (हजार में)
1994	891	5,927.3	396.4	204.9	36,691.5	1.1
1995	895	5,858.1	385.7	214.9	36,742.3	0.1
1996	914	5,872.4	423.9	233.0	37,429.6	1.9
1997	934	6,322.0	393.0	275.0	39,139.9	4.6
1998	945	5,852.0	358.8	233.3	40,089.6	2.4
1999	955	5,966.0	328.9	221.3	40,371.4	0.7
2000	958	6,041.9	284.5	177.7	41,343.6	2.4
2001	938	5,552.6	304.1	169.2	41,995.9	1.6
2002	939	5,064.0	220.3	142.6	41,171.2	2.0
2003	945	5,462.9	256.1	154.9	41,388.7	0.5
2004	947	5,373.0	274.6	137.6	40,457.7	-2.2
2005	947	5,437.1	349.2	173.2	39,347.8	2.7
2006	947	7,289.5	358.2	177.0	41,466.0	5.4
2007	965	5434.2	525.8	263.5	39974.0	-3.6
2008	918	5315.7	571.0	304.9	39114.9	-2.1

विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और दिशानिर्देश ब्यूरो के आंकड़ों सहित

स्रोत : रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय, ग्राम मंत्रालय

मूल आर्थिक आंकड़े

145

सारणी 6.8
थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1993-94=100)
संशोधित श्रृंखला

मुख्य समूह/समूह एवं उपसमूह	भार	वित्तीय वर्ष औसत					
		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1. सभी जिसें	100.00	175.9	187.3	195.6	206.07	215.7	233.9
प्राथमिक वस्तुएं	22.025	181.5	188.1	193.6	208.7	224.4	247.3
(क) खाद्य वस्तुएं	15.0402	181.5	186.3	195.3	210.5	222.0	239.8
(ख) अखाद्य वस्तुएं	6.138	186.3	187.2	179.1	188.2	211.9	235.8
(ग) खनिज	0.485	121.6	255.1	322.8	413.6	460.4	631.6
2. ईंधन, बिजली, रोशनी लुब्धकें	14.226	254.5	280.2	306.8	323.9	327.0	351.4
3. उत्पादित वस्तुएं	63.749	156.5	166.3	171.4	179.0	187.7	203.1
(क) खाद्य उत्पाद	11.538	166.7	174.9	176.8	182.5	190.2	209.3
(ख) पेय, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	1.339	205.6	216.2	226.8	243.5	268.3	294.0
(ग) कपड़े	9.800	131.6	135.7	129.5	132.3	130.9	138.8
(घ) काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद	0.173	179.4	179.5	194.6	206.3	215.9	233.9
(ङ) कागज एवं कागज उत्पाद	2.044	173.3	174.6	178.5	190.7	194.2	202.7
(च) चमड़ा एवं चर्म उत्पाद	1.019	146.9	155.7	166.8	159.5	166.1	167.9
(छ) रबड़ एवं प्लास्टिक उत्पाद	2.388	135.0	134.5	139.1	148.2	158.9	166.3
(ज) रसायन एवं रसायन उत्पाद	11.931	177.2	181.7	188.2	193.9	204.6	219.5
(झ) अधातु खनिज उत्पाद	2.516	148.3	157.7	170.0	191.7	208.7	216.6
(ट) बुनियादी धातु, एलॉय/धातु उत्पाद	8.342	167.8	203.3	218.4	233.3	248.6	285.3
(ठ) मशीनरी एवं मशीन टूल्स	8.363	132.7	140.2	147.4	155.6	166.6	174.5
(ड) परिवहन उपकरण एवं पुर्जे	4.295	147.4	154.3	159.0	162.4	166.8	175.5

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली

सारणी 6.9
औद्योगिक मजदूरों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
(आधार 1982=100)

वर्ष	मुंबई	अहमदाबाद	कोलकाता	चेन्नई	कानपुर	दिल्ली	अखिल भारतीय	
							सभी वस्तुएं	खाद्य
संपर्क गुणांक	5.12	4.78	4.74	5.05	4.69	4.97	4.93	4.98
I आधार : 1982 =100								
1993-94	279	257	264	264	262	278	258	272
1994-95	314	285	286	297	283	306	284	304
1995-96	346	309	319	336	313	331	313	337
1996-97	372	343	347	367	337	356	342	369
1997-98	412	363	369	390	360	392	366	388
1998-99	461	409	427	432	420	461	414	445
1999-2000	474	428	439	452	430	486	428	446
2000-01	512	444	456	478	430	518	444	453
2001-02	536	465	507	494	451	534	463	466
2002-03	565	480	533	579	461	556	482	477
2003-04	588	492	547	536	477	575	500	495
2004-05	610	510	568	555	494	611	520	506
2005-06 *	608	522	593	567	525	652	540	526
II आधार : 2001 =100								
संपर्क गुणांक	5.8	4.62	5.12	4.95	4.50	5.60	4.63	4.58
2006-07	128	123	124	119	127	124	125	126
2007-08	136	131	134	126	133	130	133	136
2008-09	148	141	145	139	144	140	145	153

*यह आंकड़े अप्रैल 2005-दिसंबर 2005 के औसत हैं।

सारणी 6.10

शहरी एवं गैर-शारीरिक काम करने वाले कर्मचारी

आधार 1984-85 =100

वर्ष	मुंबई	कोलकाता	चेन्नई	दिल्ली	अखिल भारत
1993-94	219	212	232	211	216
1994-95	239	229	259	229	237
1995-96	260	251	284	247	279
1996-97	285	268	311	267	283
1997-98	309	286	334	288	302
1998-99	339	316	368	338	337
1999-2000	353	328	386	359	352
2000-01	375	344	420	381	371
2001-02	395	355	456	398	390
2002-03	406	364	486	412	405
2003-04	415	382	502	425	420
2004-05	434	398	520	446	436
2005-06	450	416	543	472	456
2006-07	478	439	569	499	486
2007-08	304	476	605	521	515

नोट-1984-85 =100 को आधार मानकर एक नई सूचकांक श्रृंखला की 1987 में शुरुआत की गई। नए सूचकांक को 5.32 के गुणक से गुणा करके पुराने आधार वाला (1960 = 100) सूचकांक निकाला जा सकता है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली के गुणक (कनवर्जन फैक्टर) क्रमशः इस प्रकार होंगे-5.38, 4.51, 5.77 और 5.08

स्रोत: सीएसओ, आंकड़े एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय दिल्ली

आंकड़ा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(मूल सुविधा एवं परियोजना मानीटरिंग प्रभाग)

आंकड़ा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का मूल सुविधा एवं परियोजना मानीटरिंग प्रभाग रु. 20 करोड़ से अधिक लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखता है।

मूल सुविधा क्षेत्र की मानीटरिंग

आंकड़ा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का मूल सुविधा एवं परियोजना मानीटरिंग प्रभाग देश की 11 प्रमुख मूल सुविधा परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रख रहा है। ये हैं-बिजली, कोयला, रेलवे, जहाजरानी एवं बंदरगाह, दूर संचार, उर्वरक, सीमेंट, पेट्रोलियम, सड़कें और नागरिक उड्डयन। यह मूल-सुविधा क्षेत्र की परियोजनाओं पर समीक्षा रिपोर्टें और सारांश रिपोर्टें बनाता और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रस्तुत करता है। हर मूल सुविधा क्षेत्र की वृद्धि दर 2000-01 से और 2008-09 में उत्पादन उपलब्धियों के आंकड़े सारणी 22.1 में दिए गए हैं।

केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाओं की मानीटरिंग

परियोजना मानीटरिंग में 20 करोड़ से ज्यादा लागत वाली सभी केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की मानीटरिंग शामिल है। साथ ही, यह केंद्र पोषित त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम वाली सिंचाई परियोजना की भी मानीटरिंग करता रहा है। यह मंत्रालय अन्य संबद्ध मंत्रालयों के समन्वय से परियोजना कार्यान्वयन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवस्थित ढंग से सुधार लाने के प्रयास करता है। मानीटरिंग के अनुसार परियोजनाओं को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है—(1) मेगा परियोजनाएं जिनकी हर एक की लागत रु. 1000 करोड़ या अधिक है। (2) प्रमुख परियोजनायें जिनकी लागत रु. 100 और 1000 करोड़ के बीच है और (3) औसत परियोजनाएं जिनकी लागत रु. 20 और 100 करोड़ के बीच है।

सभी योजनाओं की निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है जबकि, 100 करोड़ रुपये व उससे अधिक लागत की योजनाओं की निगरानी मासिक आधार पर होती है।

इस मंत्रालय की निगरानी में वर्ष 2008-2009 की चौथी तिमाही के अंत में कुल 925 योजनाएं थीं, जिनकी लागत लगभग 552,092.66 करोड़ रुपये थी। वर्तमान में चल रही योजनाओं की समयावधि से अधिक समय और लागत से अधिक खर्च की नई समय-सारणी के आधार पर सारी जानकारीयों के साथ सारणी 22.2 में दर्शाया गया है।

बीस सूत्री कार्यक्रम

बीस सूत्री कार्यक्रम लोगों और विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के जीवन-स्तर में तेजी से सुधार लाने के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आवास, शिक्षा, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-स्तर बेहतर बनाने से संबंधित अन्य योजनाओं को मजबूती प्रदान करना था। यह कार्यक्रम 1975 में आरंभ किया गया और पहले इसे 1982 में, दूसरी बार 1986 में और तीसरी बार 2006 में संशोधित किया गया।

यह संशोधित बीस सूत्री कार्यक्रम (टी.पी.पी.)- 2006, 1 अप्रैल, 2007 से कार्यान्वित है।

बीस सूत्री कार्यक्रम (टी.पी.पी)- 2006

टी.पी.पी.- 2006 में 20 सूत्रों और 66 मदों का समावेश किया गया है। इनकी निगरानी संबंधित केंद्रीय नोडल मंत्रालयों द्वारा की जाती है। 66 मदों में से एक 'संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई)' को एक अन्य मद 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' में एक अप्रैल, 2008 से मिला दिया गया है। इस प्रकार टीपीपी-2006 के तहत 66 मदों में से एसजीआरवाई को हटा दिया गया है। 65 मदों की सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

टी.पी.पी.-2006 की निगरानी संरचना

टी.पी.पी.-2006 की निगरानी प्रक्रिया का दायरा जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर पर निगरानी के साथ-साथ ब्लाक स्तर पर भी निगरानी के साथ बढ़ा दिया गया है। टी.पी.पी.-2006 के दिशा-निर्देश के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों ने विभिन्न स्तर पर निगरानी समितियां बना दी हैं।

केंद्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी और समीक्षा संबंधित विभागों/मंत्रालयों तथा सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा की जाती है जहां प्रशासनिक मंत्रालय अपने लिए निर्धारित

लक्ष्यों के प्रति उत्तरदायी है वहीं यह मंत्रालय संपूर्ण रूप से कार्यक्रम में शामिल योजनाओं की निगरानी करता है।

इस मंत्रालय ने टी.पी.पी.-2006 की निगरानी के दिशा-निर्देशों को प्राप्त सुझावों और मापदंडों/संसूचकों/मानीटरिंग की बारंबारिता के अनुसार संशोधित कर दिया है और इन्हें राज्यों/कें.शा.प्र. के लिए जारी किया है। ये दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। (www.mospi.gov.in)

प्रबंध सूचना तंत्र

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रबंध सूचना तंत्र (एमआईएस) के अंतर्गत मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) तैयार की जाती है। इसके अलावा मासिक कैप्सूल रिपोर्ट भी निकाली जाती है जिसमें मासिक प्रगति रिपोर्ट की खास-खास बातें दी जाती हैं। मार्च, 2009 तक की मासिक प्रगति रिपोर्ट और मासिक कैप्सूल रिपोर्ट जारी कर दी गई है। केंद्रीय गठित मंत्रालयों/राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 2007-08 वार्षिक की समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके अंतर्गत सभी मदों का समावेश किया जाता है।

बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 के प्रभाव आकलन की मानीटरिंग

मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए जनादेश के अनुसार इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के प्रभाव के अध्ययन के लिए व्यवस्था की है। यह अध्ययन पूर्वोत्तर भारत के सैहा (मिजोरम), मोन (नगालैंड) और धलई (त्रिपुरा) में कराया जाएगा।

बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 का प्रचार

इस संशोधित कार्यक्रम को व्यापक प्रचार देने के उद्देश्य से एक पर्चा और पुस्तिका तैयार की गई है। इसे राज्यों के शा. प्र. सरकारों, केंद्रीय नोडल मंत्रालयों और सांसदों को भेज दिया गया है।

बीस सूत्री कार्यक्रम (टी.पी.पी.)-2006 के तहत मासिक प्रदर्शन

टी.पी.पी.- 2006 के अंतर्गत मासिक आधार पर आकलन किए गए मदों की उपलब्धियों को अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009 तक की अवधि के लिए अनुलग्नक-II में दर्शाया गया है।

अनुलग्नक-1

बीस सूत्री कार्यक्रम (टी.पी.पी.)-2006, 20 सूत्रों और 65 मदों की संशोधित सूची

क्रम सं.	मद सं.	सूत्रों/मदों के नाम
I.		
		गरीबी हटाओ
		ग्रामीण क्षेत्र
	1.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत रोजगार सृजन
	2.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
	3.	पंचायती भागीदारी ग्रामीण व्यवसाय/व्यापार स्थल
	4.	स्वतः सहायता समूह

शहरी क्षेत्र

5. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

II.**जन शाक्ति (जनता को सत्ता)**

6. स्थानीय स्वशासन सरकार (पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय) – कार्यों के हस्तांतरण के लिए गतिविधि मानचित्रण
– फंड का बजटप्लो
– कार्यकर्ताओं को कार्य निर्धारण
7. शीघ्र और मितव्ययी न्याय-ग्राम न्यायालय और न्याय पंचायतें
8. जिला योजना समितियां

III.**किसान मित्र (किसानों को सहायता)**

9. वाटर शेड विकास
10. किसानों को विपणन और बुनियादी सहायता
11. कृषि के लिए सिंचाई सुविधाएं (अल्प और सूक्ष्म सिंचाई सहित)
12. किसानों को कर्ज
13. भूमिहीनों को परती भूमि वितरण

IV.**श्रमिक कल्याण**

14. किसानों और असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा
15. न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (खेतिहर श्रम सहित)
16. बाल श्रम पर रोक
17. महिला श्रमिकों का कल्याण

V.**खाद्य सुरक्षा**

18. खाद्य सुरक्षा
- i. लक्ष्य निर्धारित जन वितरण प्रणाली
- ii. अंत्योदय अन्न योजना
- iii. खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों में अन्न बैंक बनाना

VI.**सबके लिए आवास**

19. ग्रामीण आवास-इंदिरा आवास योजना
20. शहरी क्षेत्रों में EWS/LIG आवासों का निर्माण

VII**शुद्ध पेय जल**

21. ग्रामीण क्षेत्र
- त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम

22. शहरी क्षेत्र
-त्वरित शहरी क्षेत्र जल आपूर्ति कार्यक्रम

VIII.**जन-जन का स्वास्थ्य**

23. इन प्रमुख बीमारियों का नियंत्रण और निवारण-(क) एच आईवी/एड्स (ख) तपेदिक (ग) मलेरिया (घ) कुष्ठ रोग (ङ) अंधता
24. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
25. बच्चों का टीकाकरण
26. सफाई कार्यक्रम
-ग्रामीण क्षेत्रों में
-शहरी क्षेत्रों में
27. अस्पताल में प्रसव
28. कन्या भ्रूण हत्या निवारण
29. माता और बच्चे का पूरक आहार
30. दो बच्चों की सीमा

IX**सबके लिए शिक्षा**

31. सर्व शिक्षा अभियान
32. दोपहर का भोजन स्कीम

X**अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण**

33. अ. जा. परिवारों की सहायता
34. मैला ढोने वालों का पुनर्वास
35. अ.ज.जा. की सहायता
36. वनवासियों का सशक्तीकरण-वनोपज स्वामित्व
37. खास वनवासियों की सहायता
38. जनजातियों की भूमिरक्षा
39. पंचायत अधिनियम का कार्यान्वयन
40. अल्पसंख्यक कल्याण
41. अल्पसंख्यक समुदायों को व्यावसायिक शिक्षा
42. ओ.बी.सी. को आरक्षण-
-शिक्षा में
-रोजगार में

XI**महिला कल्याण**

43. महिला कल्याण योजनाओं को आर्थिक सहायता

44. निम्नलिखित में महिलाओं की अधिक भागीदारी
 (क) पंचायत
 (ख) नगरपालिका
 (ग) राज्य विधायिका
 (घ) संसद

XII.**बाल कल्याण**

45. अंतर्राष्ट्रीय बाल विकास योजना का वैश्वीकरण
 46. कार्यरत आंगनवाड़ियां

XIII.**युवा विकास**

47. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए खेलों की उपलब्धता
 48. राष्ट्रीय सद्भावना योजना
 49. राष्ट्रीय सेवा योजना

XIV.**बस्ती सुधार**

50. सात सूत्रीय राजपत्र- भूमि पर अधिकार की अवधि, उचित कीमत पर आवास, जल, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत मदद किए गए गरीब परिवारों की संख्या

XV.**पर्यावरण संरक्षण एवं वन वृद्धि**

51. वन वृद्धिकरण
 क. सार्वजनिक और वन भूमि पर वनारोपण कार्यक्रम के तहत वनारोपित क्षेत्र
 ख. सार्वजनिक और वन भूमि पर लगाये गए नए पौधों की संख्या
 52. नदियों और अन्य जल स्रोतों के प्रदूषण की रोकथाम
 53. जल-मल उपचार प्रबंधन
 -शहरी क्षेत्रों में
 -ग्रामीण क्षेत्रों में

XVI.**सामाजिक सुरक्षा**

54. विकलांगों और अनाथों का पुनर्वास
 55. वृद्धों का कल्याण

XVII.**ग्रामीण सड़क**

56. ग्रामीण सड़क- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

XVIII.**ग्रामीण ऊर्जा**

57. बायो-डीजल उत्पादन
58. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
59. पुनः नवीकरण योग्य ऊर्जा
60. पंप सेटों को ऊर्जायित करना
61. बिजली आपूर्ति
62. केरोसीन और एल.पी.जी. आपूर्ति

XIX.**पिछड़ा क्षेत्र विकास**

63. पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान निधि

XX.**ई- शासन**

64. केंद्रीय एवं राज्य सरकारें
65. पंचायतें तथा नगरपालिकाएं

अनुलग्नक-II

**बीस सूत्रीय कार्यक्रम- 2006 के अंतर्गत मानीटर की गई मदों का कामकाज—
अप्रैल 2008 से मार्च 2009**

क्र. सं.	मद	इकाई	2008-09 का वार्षिक लक्ष्य	2008-09 की उपलब्धियां	लक्ष्य प्राप्ति प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6
1.	जारी जाब कार्ड (संख्या)	000 सं.	@	76141	—
2.	सृजित रोजगार	000 श्रम दिवस	@	2062350	—
3.	दी गई मजदूरी	लाख रु. में	@	1863287	—
4.	सहायता प्राप्त स्वरोजगारी व्यक्ति	संख्या	380981	716671	188
5.	गठित स्वसहायता समूह	संख्या	—	533711	—
6.	स्वसहायता समूह जिन्हें आयप्रद काम दिया गया	संख्या	138168	153700	111
7.	वितरित भूमि	हेक्टेयर	@	106988	—
8.	किए गए निरीक्षण	संख्या	@	229669	—
9.	पाई गई अनियमितताएं	संख्या	@	474423	—
10.	ठीक की गई अनियमितताएं	संख्या	@	40634	—
11.	दायर किए गए दावे	संख्या	@	7091	—
12.	निपटाए गए दावे	संख्या	@	6877	—
13.	लंबित मुकदमे	संख्या	@	16238	—
14.	दायर मुकदमे	संख्या	@	90	—
15.	निपटाए गए मुकदमे	संख्या	@	180	—

16.	खाद्य सुरक्षा-राज्यों/के.श.प्र. द्वारा उठाया गया अनाज, टी पी डी एस*	टन	38776431	34600804	89
17.	खाद्य सुरक्षा-राज्यों/के.श.प्र. द्वारा उठाया गया अनाज, ए ए वाई*	टन	10195770	9524637	93
18.	इंदिरा आवास योजना-बनाए गए मकानों की संख्या	संख्या	2127165	1988532	93
19.	शहरों में बताए गए ई डब्लू एस/एल आई जी मकान संख्या		119504	65954	55
20.	ए आर डब्लू एस पी-लाभार्थी आवास (एन सी/पी सी)	संख्या	16763	11402	68
21.	ए आर डब्लू एस पी-समस्याग्रस्त आवास/पानी की समस्या वाले आवास-समस्या दूर की गई		201135	128844	64
22.	गांवों में सफाई कार्यक्रम-निजीघर जिनमें शौचालय बनाए गए	000 संख्या	@	11790	—
23.	संस्थानिक प्रसव	000संख्या	@	15159	—
24.	अ.जा परिवार जिनकी सहायता की गई	000संख्या	4774	4369	92
25.	आई सी डी एस ब्लाक चालू (संचयी)*	संख्या	6284	6278	100
26.	काम कर रही आंगनवाड़ियां (संचयी)*	संख्या	1052638	1036367	98
27.	शहरी परिवारों की सहायता* की गई	संख्या	84502	82808	98
28.	वनीकरण क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन)	000 हेक्टेयर	1771	1676	95
29.	रोपे गए बीज (वही)	लाख	11514	11963	104
30.	बनाई गई सड़क* (पी एम जी एस वाई)	कि.मी.	64440	565541	88
31.	विद्युतीकृत गांव (आर जी जी बी वाई)*	संख्या	19000	13641	72
32.	ऊर्जायित पंपसेट	संख्या	211635	288941	137
33.	सप्लाई की गई बिजली (मिलियन यूनिट)	एम यू	763297	677547	89

* मासिक लक्ष्य वाली मदें जिनके आधार पर राज्यों की रैंकिंग की गई

@लक्ष्य नहीं निर्धारित किए गए

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 23 दिसंबर, 1993 को शुरू की गई ताकि सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों/राज्यों में स्थानीय विकास आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करवाने की सिफारिश कर सकें। प्रारंभ में यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन थी। अक्टूबर, 1994 में इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को स्थांतरित कर दिया गया। इस योजना के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं जिन्हें व्यापक रूप से संशोधित कर नवंबर 2005 में जारी किया गया।

योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- 'एमपीलेड्स' भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित योजना है जिसके तहत राज्यों को विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में अनुदान राशि जारी की जाती है।
- 1993-94 में प्रति सांसद 5 लाख रुपये योजना हेतु थे जिसे 1994-95 में एक करोड़ प्रति सांसद प्रति वर्ष तथा आगे 1998-99 में दो करोड़ कर दिया गया। यह सीधे जिला अधिकारी को दो समान किशतों में जारी की जाती है।
- योजना के तहत जारी राशि व्ययगत नहीं होती, उसे आवश्यकतानुसार आगे ले जाया जा सकता है।
- इस योजना के तहत कार्य का स्वरूप विकासोन्मुखी होना चाहिए। यह स्थानीय जरूरतों पर आधारित होना चाहिए जिससे स्थायी परिसंपत्ति बनाई जा सके।

- पात्रता की जांच, मंजूरी देना, पैसे जुटाना, ठेकेदार चुनना, प्राथमिकता तय करना, लागू कराना, जमीनी स्तर पर नजर रखना आदि सारे काम जिला अधिकारी करते हैं।
- सांसद अपनी पसंद के कार्यों के बारे में जिलाधिकारियों को सिफारिश भेजते हैं जिसे संबंधित राज्य सरकार की प्रक्रिया के तहत क्रियान्वित किया जाता है। योजना के बारे में सभी तरह के फैसले और उनकी निगरानी जिला अधिकारियों द्वारा की जाती है।
- पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अनुसूचित जाति/जन-जाति के विकास वाली योजना के लिए राशि को प्राथमिकता दी जाती है।
- आपदा की स्थिति में प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वास के लिए 50 लाख रुपये की सीमा तय की गई है। आपदा प्रभावित राज्य में गैर-प्रभावित क्षेत्र का सांसद वहां के लिए एक वर्ष में 10 लाख तक के कार्य की सिफारिश कर सकता है।
- सामुदायिक मूल सुविधा और सार्वजनिक उपयोगिता वाले भवनों के लिए सांसद 25 लाख रुपये की सीमा तक सिफारिश कर सकते हैं। जमीन का मालिकाना हक सोसाइटी/ट्रस्ट के पास रहता है जबकि निर्माण राज्य की संपत्ति हो जाती है।
- किसी राज्य के आपदाग्रस्त क्षेत्र में पुनर्वास के लिए लोकसभा सांसद 10 लाख रु. तक के अनुमन्य कार्य की सिफारिश कर सकते हैं। किसी क्षेत्र में बड़ी आपदा के लिए कोई सांसद 50 लाख रुपये प्रभावित जिले को दे सकता है।
- सांसद उस राज्य/केंशाप्र में शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है जहां से वह चुना गया है भले ही वह स्थान कहीं और राज्य में है। एक वित्तीय वर्ष में इसके तहत अधिकतम 10 लाख रुपये की सिफारिश की जा सकती है।
- लोकसभा गठन, और राज्य सभा सदस्य के चुनाव के समय एक करोड़ रुपये की पहली किश्त जिला अधिकारी को जारी की जाएगी।
- वित्तीय दायित्व निर्धारण के लिए पिछले वित्त वर्ष की उपयोगिता प्रमाणपत्र और उससे पूर्व के वर्ष में जारी राशि की आर्डर रिपोर्ट दूसरे किस्त को जारी करने के पूर्व प्रस्तुत करना आवश्यक है। निधि की पहली किस्त वित्त वर्ष के शुरू में जारी की जाएगी, शर्त यह कि पहले वाले वर्ष की दूसरी किस्त सांसद को जारी कर दी गई हो।
- कार्यान्वयन के लिए जिस राज्य में कार्य हो रहा है, उसमें लागू वित्तीय, आडिट प्रक्रिया ही लागू होगी।
- मंत्रालय ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के काम-काज की भौतिक निगरानी हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। यह कार्य नाबार्ड की परामर्शी कंपनी नेबकॉन्स (NAB CONS) को दिया गया है और नेबकॉन्स ने रिपोर्ट पेश कर दी है। पहले चरण में, देशभर के 73 जिलों में निगरानी कार्य लिया गया है जिसकी नेबकॉन्स ने रिपोर्ट दाखिल कर दी है। तीसरे चरण में, इस योजना के तहत 60 और जिलों को शामिल किया गया है। इस कदम से योजना के प्रति जवाबदेही और पारदर्शिता मजबूत होगी। इससे योजना की पारदर्शिता और आकलन में और भी सुधार आएगा।
- लोकसभा के सदस्य अपने चुनाव क्षेत्र में, राज्यसभा के सदस्य चुने हुए राज्य में और मनोनीत सदस्य पूरे देश में कहीं भी कार्य की सिफारिश कर सकते हैं।

- अनुसूचित जाति/जन-जाति के इलाके में विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए सांसद स्थानीय विकास निधि का 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जन-जाति वाले इलाके में व्यय किया जाता है। मूल सुविधा विकास को प्राथमिकता दी जाती है।
- कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में अब पंचायती राज्य संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका पर जोर दिया जाता है।

योजना का प्रभाव

लोगों की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में इस योजना का अच्छा प्रभाव रहा है। आम जनता के लाभ के अनेक कार्य इस योजना के तहत कराये गए। इनमें स्कूल भवनों का निर्माण, पीने के पानी की व्यवस्था, सड़कों, पुलों, खेल स्टेडियम, फुटपाथों और बिजली इत्यादी की व्यवस्था से संबंधित कार्य शामिल हैं।

योजना का निष्पादन (30.06.2009 को)

- योजना शुरू होने के बाद से 19,685.25 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
- जिलों से मिली सूचनानुसार 18,304.59 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। जारी राशि का 92.99 प्रतिशत व्यय हो चुका है।
- 30 जून, 2009 तक स्वीकृत 11.40 लाख कार्यों में से 10.35 लाख कार्य पूरे हो चुके हैं। स्वीकृत कार्यों में से 90.97 प्रतिशत पूरे हो चुके हैं।

भारत सरकार द्वारा जारी और जिला अधिकारियों द्वारा खर्च की गई निधियों की क्रमिकस्थिति

करोड़ रुपए में

दिनांक को	सरकार द्वारा जारी	व्यय	उपयोग प्रतिशत
31.03.1998	2837.80	1549.02	54.59
31.03.1999	3626.39	2315.40	63.85
31.03.2000	5017.80	3813.14	75.99
31.03.2001	7097.80	4649.49	65.51
31.03.2002	8897.80	6610.18	74.29
31.03.2003	10497.80	8272.70	78.80
31.03.2004	12179.80	10009.38	82.18
31.03.2005	13489.80	11918.49	88.35
31.03.2006	14923.70	13562.46	90.87
31.03.2007	16375.20	14579.83	89.04
31.03.2008	17845.75	16086.28	90.14
31.03.2009	19425.75	18057.91	92.96
30.06.2009	19685.25	18304.59	92.99

अनुलग्नक-III

औद्योगिक क्षेत्र के आधारभूत ढांचे की वार्षिक विकास दर

वृद्धि दर (प्रतिशत में)

क्र. सं.	क्षेत्र	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	वास्तविक (2008-09)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ऊर्जा	3.9	3.1	3.2	5.0	5.2	5.1	7.3	6.3	2.7	723.79 (बीयू)
2.	कोयला	3.6	4.2	4.4	5.6	6.1	6.4	5.9	6.0	8.1	487.25 (एमटी)
3.	तैयार इस्पात	6.7	4.3	9.2	13.7	7.6	10.8	12.2	5.2	0.6	56.41 (एमटी)
4.	रेलवे राजस्व अर्जन फ्रेट यातायात	3.7	4.0	5.3	7.5	8.1	10.7	9.2	9.0	4.9	833.31 (एमटी)
5.	प्रमुख बंदरगाहों पर माल की ढुलाई	3.4	2.4	9.0	10.0	11.3	10.4	9.5	11.9	2.1	530.35 (एमटी)
6.	दूरसंचार										
	क. स्विचिंग क्षमता में बढ़ोत्तरी	6.4	-2.6	-35.6	0.1	49.8	85.8	-23.0	-25.4	101.0	14592.60 (लाख लाइनें)
	ख. टेलीफोन कनेक्शन	20.5	-4.7	-39.8	148.8	-17.7	123.3	-19.6	79.2	10.1	24663.29 (लाख)
	ग. सेलफोन कनेक्शन	-	-	119.2	115.3	10.4	89.4	85.4	38.3	44.8	104569.46 (लाख)
7.	उर्वरक	2.9	-0.5	-1.1	-1.4	8.0	1.1	3.3	-8.6	-2.5	14.33 (एमटी)
8.	सीमेंट	-2.8	9.5	8.8	6.1	8.2	10.7	9.4	7.8	7.5	187.42 (एमटी)
9.	पेट्रोलियम										
	क. कच्चा तेल	1.5	-1.2	3.2	1.0	1.8	-5.3	5.6	0.4	-1.8	33.51 (एमटी)
	ख. रिफाइनरी	20.3	3.7	4.9	8.2	4.3	2.4	12.6	6.5	1.4	160.77 (एमटी)
	ग. प्राकृतिक गैस	3.6	0.8	5.7	1.8	-0.6	1.4	-1.4	2.1	1.4	32849 (एम.सी.एस)

औद्योगिक क्षेत्र के आधारभूत ढांचे की वार्षिक विकास दर (जारी)

क्र. सं.	क्षेत्र	वृद्धि दर (प्रतिशत में)										
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2008-09	वास्तविक (2008-09)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10. नागरिक उड्डयन												
	क. निर्यात सामान की तुलनाई	5.1	4.1	13.3	1.0	12.4	7.3	3.6	7.5	3.4	429527	(टन)
	ख. आयात सामान की तुलनाई	3.6	-1.0	18.6	13.4	24.2	15.8	19.4	19.7	5.7	429527	(टन)
	ग. अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों पर यात्रियों का आवागमन	4.6	-5.0	4.8	6.5	14.0	12.8	12.1	11.9	3.8	219.26	(लाख)
	घ. घरेलू टर्मिनलों पर यात्रियों का आवागमन	7.7	-5.7	9.6	13.1	23.6	27.1	34.0	20.6	-12.1	429.76	(लाख)
11. सड़कें												
	राजमार्गों का उन्नयन											
	क. एनएचएआई	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	207.9	-69.6	-12.5	164.6	30.9	2203	(कि.मी.)
	ख. एन एच (ओ) बी आर डी बी	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	-3.1	35.7	-10.5	12.5	17.3	2226	(कि.मी.)

बीयू. बिलियन यूनिट, एमटी-मिलियन टन, *अर्नलिम एन ए- उपलब्ध नहीं, एम.सी.एम-दस लाख घन मीटर एनएचएआई, एनएच बी आर डीबी द्वारा चारलेन तक विस्तार, मौजूदा कमजोर मार्गों को दो लेन का तथा पट्टी को मजबूत करना

अनुलनक-IV

नवीनतम शेड्यूल के संदर्भ में लंबित परियोजनाओं की लागत और समय में वृद्धि (31.12.2009 तक)

क्र. सं.	क्षेत्र	कुल परियोजनाएं		लागत सहित लंबित परियोजनाएं					लंबित परियोजनाएं				
		परियोजनाओं की संख्या	नवीनतम स्वीकृत लागत (करोड़ रु.)	अपेक्षित लागत (करोड़ रु.)	वृद्धि प्रतिशत	परि-योजनाओं की संख्या	नवीनतम स्वीकृत लागत (करोड़ रु.)	अपेक्षित लागत (करोड़ रु.)	% बढ़ोतरी	परियोजनाओं की संख्या	नवीनतम स्वीकृत लागत (करोड़ रु.)	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	विलंब की अवधि (महीने)
1.	आणविक ऊर्जा	6	25397.55	24466.55	-3.67	0	0.00	0.00	0.00	3	20456.00	19525	2.19
2.	नागरिक उड्डयन	20	2237.38	2117.58	-5.35	5	202.84	221.56	9.20	24	1933.64	1808.84	4.48
3.	कोयला	125	29760.48	31003.73	4.38	12	-6951.94	8855.21	27.38	30	7313.69	8357.54	3.192
4.	सू. और प्र.	1	35.00	35.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	-
5.	खान	1	4091.51	4091.51	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	-
6.	स्टील	55	47134.60	52039.16	9.12	16	15872.55	20793.48	31.00	32	23727.97	28243.13	2.28
7.	पेट्रोलियम	53	103808.38	113279.55	9.12	19	34041.13	48286.79	41.85	30	48998.61	59363.00	1.61
8.	बिजली	70	130882.01	133065.06	1.67	20	26163.79	29331.22	12.30	32	71571.43	73382.86	1-68
9.	स्वास्थ्य और प. क.	1	422.60	423.15	4.86	1	422.60	443.15	4.86	0	0.00	0.00	-
10.	रेलवे	262	52259.31	90344.48	72.33	179	38544.83	76729.26	99.66	53	19864.76	41056.90	1.180
11.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	195	54333.17	55034.05	1.29	15	3995.31	4997.97	25.10	154	38716.50	39377.12	1-96
12.	जहाजरानी और बंदरगाह	50	13291.94	13489.98	1.49	11	550.31	879.87	59.86	20	1975.51	2002.77	1-94
13.	दूर संचार	46	15779.92	15093.26	-4.35	3	533.55	654.48	22.67	25	7664.12	7143.92	3-54
14.	शहरी विकास	28	16271.99	16255.74	-0.10	2	8689.03	-8811.03	1.40	14	9142.60	9128.42	3.55
15.	जल संसाधन	1	542.90	1187.00	118.64	1	542.90	1187.00	118.64	1	542.90	1187.00	60
16.	सूचना टेक्नालाजी	2	64.90	86.86	33.84	1	20.22	41.96	109.80	0	0.00	0.00	-
	जोड़	925	496313.64	552092.66	11.24	285	136530.97	201282.92	47.43	423	251912.73	290576.40	-

7. वाणिज्य

भारत के आर्थिक विकास में विदेश व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत के विदेश व्यापार की संरचना और दिशा में विशेषरूप से 1990 के दशक के शुरू से उदारीकरण प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद बहुत बदलाव आया है। अब हमारे प्रमुख निर्यात माल में तैयार माल-जैसे इंजिनियरिंग एवं पेट्रोलियम उत्पाद, रासायनिक एवं संबद्ध उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक माल आदि शामिल हैं जो कुल निर्यात के 80 प्रतिशत से अधिक होते हैं। दूसरी ओर बड़ी आयात वस्तुओं में पूंजीगत और बीच के माल शामिल हैं जिनसे निर्माता क्षेत्र को सहायता ही नहीं मिलती बल्कि आयातोन्मुख यूनितों को कच्चा माल भी प्राप्त होता है। पिछले वर्षों में एशिया और आसियान देशों, अफ्रीका को निर्यात बहुत बढ़ा है। साथ ही, भारत अब विदेश व्यापार में बड़ी भूमिका वाला देश बन गया है और अब भारत की अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्र बाहरी दुनिया में व्यापार द्वारा जुड़ गए हैं।

सारणी 7.1 भारत का विदेश व्यापार

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	व्यापार घाटा
1991-92	44,042	47,851	91,893	-3,809
1992-93	53,688	63,375	1,17,063	-9,686
1993-94	69,751	73,101	1,42,852	-3,350
1994-95	82,674	89,971	1,72,645	-7,297
1995-96	1,06,353	1,22,678	2,29,031	-16,325
1996-97	1,18,817	1,38,920	2,57,737	-20,103
1997-98	1,30,101	1,54,176	2,84,277	-24,075
1998-99	1,39,753	1,78,332	3,18,085	-38,579
1999-2000	1,59,561	2,15,236	3,74,797	-55,675
2000-01	2,03,571	2,30,873	4,34,444	-27,302
2001-02	2,09,018	2,45,200	4,54,218	-36,182
2002-03	2,55,137	2,97,206	5,52,343	-42,069
2003-04	2,93,367	3,59,108	6,52,475	-65,741
2004-05	3,75,340	5,01,065	8,76,405	-1,25,725
2005-06	4,56,483	6,35,013	10,91,496	-1,78,530
2006-07	5,71,779	8,40,506	14,12,286	-2,68,727
2007-08 (अ)	6,55,864	10,12,312	16,68,176	-3,56,448
2008-09 (अ)	7,66,435	13,05,503	20,72,438	-5,38,568

(अ)-अस्थायी आंकड़े

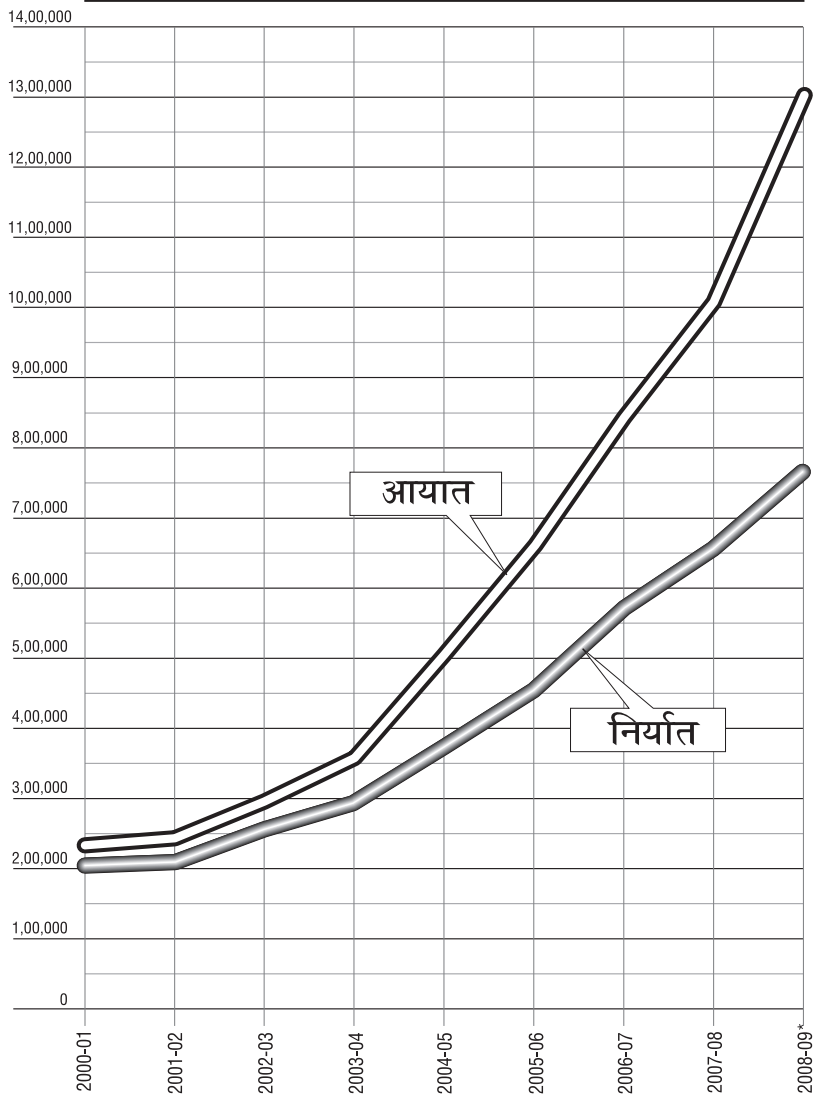
स्रोत-डीजीसी आई एस, कोलकता

भारत का विदेश व्यापार

Dream Dare Win

करोड़ रुपए में

www.jeywin.com



* अस्थायी

स्रोत: डी.जी.सी.आई.एस. कोलकाता

KBK

व्यापार परिदृश्य

देश का कुल विदेश व्यापार 1991-92 में (आयात और निर्यात जोड़कर, जिसमें पुनर्निर्यात भी शामिल था) 90,893 करोड़ रुपये था। तबसे इसमें कभी-कभार आई कमी को छोड़कर निरंतर वृद्धि होती रही है। वर्ष 2008-09 में भारत का विदेश व्यापार 20,72,438 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। सारणी 7.1 में वर्ष 1991-92 से 2008-09 तक के भारत के आयात, निर्यात, विदेश व्यापार का कुल मूल्य और व्यापार संतुलन के आंकड़े दिए गए हैं। (सारणी देखें)

भारत से 2008-09 के दौरान निर्यात 16.9 प्रतिशत बढ़ कर रु. 7,66,935 करोड़ हो गया। अमरीकी डालर के अनुसार निर्यात 168.7 अरब डालर का हुआ। इसके पहले साल के मुकाबले 3.5 की वृद्धि हुई जबकि इसके पूर्व वर्ष यह वृद्धि 29.1 प्रतिशत हुई थी। सितंबर 2008 के बाद निर्यात में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई। साल की पहली तिमाही में (अप्रैल-सितंबर 2008-09) इसमें 31.3 प्रतिशत वृद्धि हुई।

वर्ष 2008-09 में आयात 2007-08 के रु. 10,12,312 करोड़ के स्तर से बढ़कर रु. 13,05,503 करोड़ हो गया जो रुपये के अनुसार 29.0% ज्यादा है। अमरीकी डालर के मामले में आयात 2008-09 में बढ़कर 287.8 अरब हो गए जो 14.4% अधिक है। इनमें तेल आयात का भाग बढ़कर 93.2 अरब डालर हो गया जो इससे पहले वाले साल की तुलना में 16.9% अधिक है। गैर-तेल आयात भी बढ़ा। यह 194.6 अरब अमरीकी डालर हो गया जो 13.2% ज्यादा है। जिन जिनसों का आयात बढ़ा उनमें मोती, मूल्यवान एवं अर्धमूल्यवान रत्न, कच्चा एवं तैयार उर्वरक, कोयला, अजैविक रसायन, परियोजना माल आदि शामिल है। सोने और परिवहन उपकरणों का आयात काफी कम हुआ।

2008-09 के दौरान व्यापार घाटा बढ़ा। 2007-08 के रुपये (-)356449 करोड़ की तुलना में यह बढ़कर रु. (-)538568 करोड़ पर आ गया। अमरीकी डालर में यह घाटा 119.1 अरब हो गया। पूर्व वर्ष यह घाटा 88.5 अरब डालर था।

भारत के व्यापारिक संबंध सभी बड़े व्यापारिक ब्लॉकों और विश्व के सभी भौगोलिक क्षेत्रों से हैं। क्षेत्रवार और उपक्षेत्रवार वर्ष 2007-2008 और 2008-09 के दौरान व्यापार के प्रसार को सारणी 7.2 में दिया गया है। अप्रैल-फरवरी 2008-09 में एशिया और आसियान (दक्षिण एशिया, मध्यपूर्व, खाड़ी देश) को 51.4 प्रतिशत निर्यात किया गया भारत से यूरोप और अमरीका को निर्यात का हिस्सा क्रमशः 23.8 और 16.5 प्रतिशत बैठा। यूरोपीय यूनियन क्षेत्र को 22.3 प्रतिशत निर्यात किया गया। अवधि के दौरान अमरीका (12%) सबसे महत्वपूर्ण व्यापार का भागीदार देश रहा। इसके बाद संयुक्त अरब अमरात (10.8%), चीन (5.1%), सिंगापुर (4.7%), हॉलैंड (3.7%), हांगकांग (3.7%), ब्रिटेन (3.6%), जर्मनी (3.4%), सऊदी अरब (3.0%), बेल्जियम (2.6%) और इटली (2.2%) का नंबर है।

आयात के मामले में एशिया और आसियान देशों का भारत के साथ सर्वाधिक (61.7%) व्यापार हुआ। इसके बाद यूरोप (18.7%) और अमरीका का नंबर है। देशों के मामले में चीन सबसे ऊपर है। यहां से 10.7% वस्तुएं आयात की गईं। सऊदी अरब (7.1%), संयुक्त अरब अमीरात (6.4%) और यू.एस.ए. (6.0%), ईरान (4.7%), स्विटजरलैंड (4.2%), जर्मनी (3.6%), कुवैत (3.4%), नाइजीरिया (3.2%) और ईराक (2.8%) अन्य प्रमुख देश हैं।

सारणी 7.2
भारत के व्यापार की दिशा

Dream Dare Win www.jeywin.com में

क्षेत्र	निर्यात		आयात	
	2007-08 (अप्रैल-फरवरी)	2008-09 (अ) (अप्रैल-फरवरी)	2007-08 (अप्रैल-फरवरी)	2008-09 (अ) (अप्रैल-फरवरी)
1 यूरोप	1,33,151	1,65,925	1,75,335	2,23,813
1.1 यूरोपियन यूनियन के देश (27)	1,23,219	1,55,266	1,27,315	1,61,593
1.2 पश्चिमी-पूर्वी देश	9,553	10,123	47,881	62,115
1.3 पूर्वी यूरोप	379	536	138	106
2. अफ्रीका	41,969	45,656	54,830	80,041
2.1 दक्षिणी अफ्रीका	13,058	12,393	17,868	29,377
2.2 पश्चिमी अफ्रीका	12,851	13,204	35,614	48,514
2.3 मध्य अफ्रीका	934	1,372	189	632
2.4 पूर्वी अफ्रीका	15,126	18,687	1,158	1,518
3. अमरीका	98,900	1,14,966	79,780	1,21,381
3.1 उत्तरी अमरीका	79,880	89,476	56,281	80,825
3.2 लतीनी अमरीका	19,019	25,490	23,498	40,556
4. एशिया और आसियान	2,96,287	3,57,982	5,43,551	7,39,622
4.1 पूर्वी एशिया	5,070	6,719	30,783	40,230
4.2 आसियान	56,663	75,357	82,289	1,06,418
4.3 डब्ल्यू ए एन ए	1,08,920	1,44,039	2,58,645	3,56,716
4.4 पूर्वोत्तर एशिया	92,974	96,846	1,64,030	2,28,746
4.5 दक्षिण एशिया	32,659	35,020	7,805	7,513
5. सी आई एस तथा बाल्टिक देश	6,101	7,623	14,238	28,793
5.1 सी ए आर एस देश	826	1,047	419	1,157
5.2 अन्य सी आई एस देश	5,275	6,577	13,818	27,636
6. अनिर्दिष्ट क्षेत्र	1,482	4,346	2,666	4,710
कुल	5,77,089	6,96,498	8,70,399	11,98,360

(अ)-अस्थायी आंकड़े

स्रोत : डीजीसीआई एवं एस, कोलकाता

निर्यात

रुपए के मामले में प्रमुख जिनसे के अलग-अलग आंकड़े 2008-09 (अप्रैल-फरवरी) की अवधि के लिए उपलब्ध हैं। इनकी तुलनात्मक स्थिति सारणी 7.3 में दी गई है। इस अवधि में प्रमुखतः निर्यात में

वृद्धि दिखाने वाले उत्पाद थे-इंजिनियरिंग सामान, बागान एवं खेलकूद का सामान, रसायन तथा संबद्ध उत्पाद एवं कृषि तथा संबद्ध उत्पाद तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं 2008-09 (अप्रैल-फरवरी) अवधि में भारत से निर्यात की गई प्रमुख वस्तुएं थीं—इंजिनियरी सामान (23.9%), पेट्रोलियम पदार्थ (16.3%), रसायन (14.1%), रत्न एवं आभूषण (11.2%) तथा वस्त्र (11.1%)।

सारणी 7.3 प्रमुख वस्तुओं का निर्यात

(करोड़ रुपये में और वृद्धि प्रतिशत में)

क्र. स.	वस्तुएं	2007-2008 (अप्रैल-फरवरी)	2008-2009 (अप्रैल-फरवरी)	वृद्धि
1.	बागान उत्पाद	3,348	4,343	29.7
2.	कृषि और संबद्ध उत्पाद	48,542	59,312	22.2
3.	समुद्री उत्पाद	6,396	6,522	2.0
4.	अयस्क और खनिज	31,994	32,965	3.0
5.	चमड़ा और चमड़े का सामान	12,908	15,011	16.3
6.	रत्न और आभूषण	71,868	78,260	8.9
7.	खेल का सामान	481	596	23.9
8.	रसायन और संबद्ध उत्पाद	78,795	98,389	24.9
9.	इंजीनियरी सामान	1,19,546	1,66,206	39.0
10.	इलेक्ट्रॉनिक सामान	12,521	18,462	47.5
11.	परियोजना-गत सामान	559	595	6.5
12.	वस्त्र	66,610	77,211	15.9
13.	दस्तकारी सामान	1,918	1,273	-33.7
14.	गलीचे	3,591	3,302	-8.1
15.	कच्ची रुई (रुई सहित)	6,597	2,507	-62.0
16.	पेट्रोलियम उत्पाद (अ)	97,803	1,13,270	15.8
17.	अवर्गीकृत निर्यात	14,412	18,272	26.8
	योग	5,77,889	6,96,498	20.5

(अ)-अस्थायी आंकड़े स्रोत- डी जी सी आई एंड एस, कोलकता

आयात

प्रमुख वस्तुओं के आयात के अलग आंकड़े देखने से जाहिर होता है कि 2008-09 (अप्रैल-फरवरी) के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इसी अवधि के पहले वर्ष के दौरान आयात वृद्धि में योग देने वाले क्षेत्र हैं—पेट्रोलियम, कच्चा तेल और पेट्रोलियम पदार्थ, उर्वरक तथा उत्पाद, मोती तथा मूल्यवान और अर्ध मूल्यवान रत्न, कोयला, कोक तथा डले, अजैविक रसायन, वनस्पति तेल, धातु की वस्तुएं, परियोजना माल आदि।

2008-09 के दौरान भारत कुल आयातित पदार्थों में जिन 5 उत्पादों का योग रहा है, वे हैं पेट्रोलियम पदार्थ (32.8८) इलेक्ट्रॉनिक सामान, (7.4८) मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक के अलावा (7.3८), सोना (6.1८) मोती, मूल्यवान एवं अर्ध-मूल्यवान रत्न (4.9८)।

Dream Dare Win

www.jeywin.com

सारणी 7.4
प्रमुख वस्तुओं का आयात

(करोड़ रुपये में वृद्धि प्रतिशत में)

वस्तुएं	2007-08 (अप्रैल-फरवरी)	2008-09 (अ) (अप्रैल-फरवरी)	वृद्धि/ह्रास (%)
क. थोक आयात	4,04,458	5,73,170	41.71
अनाज और उसके उत्पाद	2,829	195	-93.09
उर्वरक	20,512	60,522	195.06
खाद्य तेल	9,623	14,446	50.12
चीनी	5	423	7672.31
लुगदी और रद्दी कागज	2,864	3,451	20.51
गत्ता और उससे तैयार माल	5,760	5,835	1.30
अखबारी कागज	1,997	3,608	80.67
कच्चा रबड़	2,856	3,799	33.02
अलौह धातुएं	12,651	13,446	6.28
धातुमय अयस्क और धातु उत्पाद	28,983	34,244	18.15
लोहा और इस्पात	32,348	40,123	24.03
पेट्रोलियम (अशोधित) और उत्पाद	2,84,029	3,93,076	38.39
ख. मोती, कीमती और अर्द्ध कीमती रत्न	29,181	58,237	99.57
ग. मशीनरी	1,20,920	1,43,949	19.04
मशीनरी संयंत्र	8,062	9,696	20.27
मशीनरी के अतिरिक्त विद्युत संयंत्र	71,789	86,926	21.08
विद्युत संयंत्र	10,521	13,411	27.46
यातायात संसाधन	30,547	33,916	11.03
घ. परियोजनागत सामान	4,489	12,885	187.01
ङ. अन्य	3,11,350	4,10,119	31.72
जिनमें निम्न शामिल हैं :			
इलेक्ट्रॉनिक सामान	73,804	88,828	20.36
सोना और चांदी	65,926	82,060	24.47
कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन	36,467	51,705	41.78

कोयला, कोक एवं ब्रिकेट्स	23,549	42,691	81.29
कृत्रिम रेशम, आदि	13,529	15,736	16.32
व्यावसायिक यंत्र आदि	14,031	16,852	20.11
Dream Dare Win धातु निर्मित वस्तुएं	9,706	13,458	38.65
औषधि और भेषजीय उत्पाद	6,183	7,588	22.72
रसायनिक उत्पाद	5,822	8,215	41.10
काष्ठ और काष्ठ उत्पाद	4,910	5,590	13.84
योग	8,70,399	11,98,360	37.68

(अ)-अस्थायी आंकड़े स्रोत- डीजीसी आई एंड संस, कोलकता

निर्यात संवर्द्धन के उपाय

सरकार निर्यात संवर्द्धन के लिए सतत प्रयासरत रहने के साथ-साथ निर्यात निष्पादन कार्य की सतत निगरानी करती है और निर्यात की नीतियां बना रही है। सरकार ने 31 अगस्त, 2004 को विदेश व्यापार नीति 2004-09 की घोषणा इस दृष्टि से की थी ताकि पांच वर्षों में विश्व व्यापार में देश का हिस्सा दोगुना हो सके और अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें। विदेश व्यापार नीति की स्थिरता से सापेक्षिक परिणाम मिले हैं और विदेश व्यापार नीति के लागू होने के तीन वर्षों में ही भारत के व्यापारिक निर्यात में सराहनीय वृद्धि हुई है।

बहुराष्ट्रीय व्यापार मुद्दे और पहल

विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश जिन विषयों पर वार्ता करने को सहमत हुए थे उनका विवरण 14 नवंबर 2001 के दोहा मंत्रि-स्तर घोषणा में उपलब्ध है। इसे 1 अगस्त 2004 (जुलाई फ्रेमवर्क) और 18 दिसंबर 2005 की हांगकांग घोषणा में और स्पष्ट किया गया। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों ने 2006 में वार्ता पूरी कर लेने का संकल्प किया था और इसे सभी क्षेत्रों में अंतरिम समय में तौर तरीके तय करने का प्रस्ताव किया था। लेकिन सदस्य देशों के बीच मतभेद बहुत गहरे थे अतः वार्ता 24 जुलाई 2006 को रोक दी गई। बाजार पहुंच और कृषि के घरेलू मुद्दे पर खासतौर से मतभेद थे। वार्ता 7 फरवरी 2007 को फिर शुरू की गई।

वर्ष 2007 और 2008 में कृषि एवं गैर-कृषि बाजार पहुंच (नामा) के अनेक मुद्दों पर गहन वार्ता और काफी प्रगति हुई लेकिन बीते वर्षों की तरह कृषि संबंधी मुद्दे असहमति के मूल बने रहे। जिनेवा में 21 से 29 जुलाई 2008 तक विश्व व्यापार संगठन के 30 सदस्य देशों को मंत्रि-स्तर की बैठक हुई। इसका उद्देश्य कृषि और नामा के तौर तरीके तय करना था। साथ ही साथ, सेवा व्यापार (सिगनलिंग कानफ्रेंस) भी हुई। उद्देश्य यह था कि कृषि और नामा के तौर तरीके तय होते ही वर्ष के अंत तक समय-सारणी बना ली जाए जिसके अनुसार सेवाओं, नियमों, व्यापार सुविधा, व्यापार और पर्यावरण और व्यापार संबद्ध बौद्धिक संपदा से जुड़े मुद्दों पर वार्ता पूरी कर ली जाए। लेकिन यह मंत्रि स्तर की लघु बैठक किसी मुद्दे पर सहमति बिना समाप्त हो गई। जहां मंत्री कृषि और नामा पर अनेक जटिल मुद्दों पर सकारात्मक रवैया रखते थे बशर्ते कि उनके सरोकार वाले अन्य मुद्दे सुलझाए जाएं, लेकिन मुद्दों पर मतभेद इतने गहरे थे कि या तो उन पर बात ही नहीं हो पाई अथवा सहमति नहीं बनी। इनमें से अनेक मुद्दे विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण थे। अंत में सारा ध्यान विकासशील देशों के लिए विशेष सुरक्षा तंत्र (स्पेशल सेफगार्ड मेकेनिज्म) पर केंद्रित हो गया।

तब से तकनीकी स्तर पर वार्ताएं शुरू हुई हैं। इनमें सितंबर के बाद तेजी आने की संभावना है। इससे पहले अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर 2008-09 में दोहा राउंड के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की जा चुकी है। इनमें 15 नवंबर 2008 को जी-20 की वित्तमंत्री स्तर की और 2 अप्रैल 2009 को सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बाली, इंडोनेशिया में हुई कैरन बैठक, जून 2009 में आईसीडी के मंत्रियों की कौंसिल की व्यापार मंत्रियों अनौपचारिक बैठक, ल अकिला इटली में जी-8 और जी-5 की बैठक और सिंगापुर में एपीईसी व्यापार मंत्रियों की शामिल हैं। बाद की दोनों बैठकें जुलाई 2009 में हुई।

कृषि वार्ता में विश्व व्यापार संगठन सदस्यों ने उन विभिन्न फार्मूलों और तौर तरीकों पर विचार किया जिनसे कृषि उत्पादों और कृषि सब्सिडी पर टैरिफ में कटौती की जा सकती है। कृषि पर समझौते (ए ओ ए) के तीन मुख्य तत्व या स्तंभ हैं—(1) बाजार पहुंच, (2) घरेलू सहायता और (3) निर्यात प्रतियोगिता। नवंबर 2001 की दोहा मंत्रिस्तर घोषणा में सदस्यों ने निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की थी—बाजार पहुंच में पर्याप्त सुधार किया जाए, धीरे धीरे खत्म करने के उद्देश्य से हर प्रकार की निर्यात सब्सिडी समाप्त करें और व्यापार बिगाड़ने वाली घरेलू सहायता में पर्याप्त कमी की जाए। विकासशील सदस्यों को विशेष और अलग से रियायतों के लिए भी कहा गया।

कम आय और सीमित संसाधनों वाले किसानों की हित रक्षा इन वार्ताओं में भारत का परम लक्ष्य बना हुआ है। इन वार्ताओं में भारत की प्राथमिकता होती है अपने और अन्य विकासशील देशों के कम आय और सीमित साधनों वाले किसानों को हितों को बढ़ावा देना।

भारत अपने विकासशील देशों के ग्रुप के अन्य भागीदारों के साथ मिल कर रचनात्मक ढंग से काम करता रहा है ताकि वह कृषि वार्ताओं से ऐसे परिणाम प्राप्त कर सके जो दोहा जनादेश और विकासशील देशों के हितों और महत्वाकांक्षाओं के प्रतिबिंब बनें।

नामा वार्ताओं में भारत ने नामा-11 के सहयोगी देशों के साथ ऐसी रियायतों के लिए बातचीत करता रहा है जो उसके संवेदनशील क्षेत्रों के लिए काफी और उचित हों और जो दरों में कमी या बाध्यताओं के प्रभाव से बचाव कर सकें।

जुलाई 2008 की लघु-मंत्रिस्तर बैठक में सेवाओं पर एक सिग्नलिंग कानफ्रेंस भी हुई जिसमें कृषि और नामा तौर-तरीके तय करने के प्रयास किए गए। इस सम्मेलन में सदस्य देशों ने ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिसके बाद आगामी प्रस्तावों में मुक्त पहुंच की उम्मीद की जा सकती है। भारत ने संकेत दिए कि उसने एक महत्वाकांक्षी संशोधित प्रस्ताव पेश कर दिया है और अब इस पर मिलने वाले उत्तर और प्रतिक्रिया तथा अनुषंग पर भविष्य निर्भर करेगा। ई.सी. और अमरीका ने भी अपने मोड-4 प्रस्तावों में सुधार के संकेत दिए। लेकिन सुधारों के मामले में ये संकेत स्पष्ट या दुविधा रहित नहीं थे। नामा संबंधी तौर तरीके तय नहीं हो पाए, अतः मसौदा प्रस्ताव पेश करने या तय करने की कोई समय सारणी भी निर्धारित नहीं की जा सकी।

भारत सेवाक्षेत्र संबंधी वार्ता को आगे बढ़ाने का बहुत उत्सुक है क्योंकि सेवाक्षेत्र उसके सकल घरेलू उत्पाद के 55% का अंशदाता है। इसका भारत के व्यापार में भी काफी महत्वपूर्ण भाग है। सेवाक्षेत्र के कारण भारत का आर्थिक विकास तेज हो सका है और इस क्षेत्र में अनेक लाभदायक रोजगार अवसर मिले हैं।

भारत का मत्स्यपालन सब्सिडी में भी प्रमुख सरोकार है और यह रूल्स निगोसिएशंस का एक भाग है। लेकिन यही एकमात्र वे क्षेत्र नहीं हैं जिनमें विश्व व्यापार संगठन वार्ताओं के दौरान प्रगति नहीं हो पाई। इन वार्ताओं में अनेक बहुपक्षीय वार्ताएं भी हैं जिनमें कृषि और गैर-कृषि बाजार पहुंच, सेवाएं तथा व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार और इकहरी वचनबद्धता के अंग के रूप में व्यापार और पर्यावरण शामिल हैं।

विश्व व्यापार संगठन में किसी भी मुद्दे पर फैसले सदस्य देशों में बनने वाली सहमति के आधार पर लिए जाते हैं। इस समय सदस्यों की संख्या 153 है। अनेक मुद्दों पर मतभेद के चलते अक्सर वार्ताएं रोकनी पड़ी हैं।

कम विकसित देशों के लिए करमुक्त दर प्राथमिकता स्कीम

दुनिया भर में यह माना जाता है कि सर्वाधिक कम विकसित देशों (एल डी सी) को उनके आर्थिक विकास में तेजी लाने में समन्वित विकास सहायता दी जानी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2005 में डब्लू टी ओ की हांगकांग बैठक में यह फैसला किया गया है कि सभी विकसित देश और वे विकासशील देश जो घोषित करें कि वे भी ऐसा कर सकते हैं, कम विकसित देशों के उत्पादों को अपने बाजारों में ड्यूटीफ्री, कोटाफ्री पहुंच प्रदान करें।

उक्त जनादेश को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने 8 अप्रैल 2008 को 49 सर्वाधिक कम विकसित देशों को करमुक्त दर प्राथमिकता स्कीम के तहत लाने की घोषणा की। इनमें से 33 देश अफ्रीका के हैं। इस स्कीम के अंतर्गत भारत की कुल टैरिफ लाइन में 94 रियायत दी जाती है। इस स्कीम में इन देशों को निर्यात में भी 92.5 की प्राथमिकता आधार पर पहुंच मिलती है। अफ्रीकी देशों की रूचि वाली इन वस्तुओं में रूई, कोकोआ, अल्मुमिनियम खनिज, तांबा खनिज, काजू गिरी, गन्ना, तैयार वस्त्र, मछली उत्पाद और गैर-व्यापारिक हारे शामिल हैं।

इस स्कीम से लाभ उठाने के लिए लाभार्थी देशों को भारत सरकार को एक आशयपत्र और उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों/अधिकारियों के विवरण देने होते हैं। जून 2009 तक 19 लाभार्थी देशों से आशयपत्र मिल चुके थे। इनके नाम हैं—बेनिन, बर्कीना फासो, कंबोडिया, इरिट्रिया, इथियोपिया, गांबिया, लाओ पीडीआर, मडागास्कर, मलावी, मालदीव्स, माली, मोजांबिक, म्यांमार, रोआंडा, समोआ, सनैगल, सूडान, तंजानिया और उगांडा। इनमें से आठ देशों ने उन एजेंसियों/अधिकारियों के विवरण भी भेज दिए हैं जो उद्गम प्रमाणपत्र देने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

भारत एशिया के पहले देशों में से एक है जिसने निर्यात संवर्धन में निर्यात संसाधन क्षेत्र (ईपीजेड) की महत्ता को स्वीकार किया और 1965 में कांडला में एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किया, इसके बाद सात और ऐसे क्षेत्र स्थापित किए गए। अतः ये क्षेत्र नियंत्रण और अनुमति के बारे में बहुलता, विश्व स्तरीय ढांचे की गैर मौजूदगी तथा अस्थायी वित्तीय व्यवस्था के कारण निर्यात संवर्धन के प्रभावी माध्यम नहीं बन सके। निर्यात संवर्धन क्षेत्र की खामियों को दूर करते हुए कुछ नई बातें जोड़ते हुए अप्रैल, 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की गई।

विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का उद्देश्य अच्छी ढांचागत सुविधाओं और केंद्र तथा राज्य दोनों स्तर पर

आकर्षक वित्तीय पैकेज, न्यूनतम संभव नियमों की मदद से विशेष आर्थिक क्षेत्र को आर्थिक विकास का इंजिन बनाना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- एक निर्दिष्ट शुल्क मुक्त क्षेत्र जिसे व्यापार संचालन तथा शुल्क एवं तटकर के लिए विदेशी क्षेत्र माना जाएगा।
- आयात के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं।
- विनिर्माण या सेवा गतिविधियों की अनुमति।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयां तीन वर्ष के अंदर विदेशी मुद्रा की कमाई में शुद्ध लाभ अर्जित करने लगेंगी।
- पूरे सीमा शुल्क के साथ घरेलू बाजार में बिक्री तथा आयात नीति लागू।
- उपानुबंध की पूर्ण स्वतंत्रता।
- निर्यात/आयात माल की सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा नियमित जांच नहीं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र की व्यवस्था टिकाऊ बनाने के लिए और अधिकतम आर्थिक गतिविधियों के संचालन से रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से विशेष तीन वर्ष के लिए विशेष कानून बनाया गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की व्यवस्था स्थायी बनाने के लिए और अधिकतम आर्थिक गतिविधियों के संचालन से रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम बनाया गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 और विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 10 फरवरी, 2006 से प्रभावी हुए हैं। अधिनियम के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों को विदेशी निवेश सहित निवेश बढ़ाने के लिए दी गई सुविधाओं में शुल्क मुक्त निर्यात/विकास के लिए घरेलू बाजार वस्तुओं की खरीद, विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों का संचालन और रखरखाव, आयकर अधिनियम की धारा 10 ए के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों को आय पर पहले पांच वर्षों तक कर में पूरी छूट, उसके बाद पांच वर्ष तक 50 प्रतिशत छूट और बाद के पांच वर्षों में लाभ पर 50 प्रतिशत की छूट, केंद्रीय बिक्री कर से छूट, सेवा कर से छूट और इकाइयों की स्थापना में एकल खिड़की अनुमति की व्यवस्था शामिल है।

कांडला और सूरत (गुजरात), सांताक्रुज (महाराष्ट्र), कोच्चि (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), विशाखापट्टनम (आंध्रप्रदेश), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) और नोएडा (उत्तर प्रदेश) स्थित सभी आठ निर्यात संवर्धन क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया गया है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के फरवरी 2006 में प्रभावी होने के बाद तीन वर्षों की अन्य अवधि में 576 एस ई जेड की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया जिनमें से 319 अधिसूचित किए जा चुके हैं। इस सबमें 3.87 लाख लोगों को रोजगार मिला है जिसमें से 2.53 लाख लोगों को फरवरी 2006 के बाद काम मिला जब यह कानून लागू हुआ। यह उस काम के अलावा है जो विकासकर्ताओं ने मूल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदान किए गए। इन क्षेत्रों से निर्यात 2007-08 के रु. 66,638 करोड़ से बढ़कर 2008-09 में रु. 99,689 हो गया जो 50% अधिक है। पांच वर्षों (2004-09) में निर्यात 620% बढ़ा है। इन आंकड़ों से यह बात निःसंदेह जाहिर हो जाती है कि केंद्र सरकार की एस ई जेड नीति के अच्छे परिणाम रहे हैं और इस स्कीम ने अपने उद्देश्य पूरे किए हैं। इन क्षेत्रों में रु. 1,08,903 करोड़ का निवेश किया गया जिसमें 2.21 अरब अमरीकी डालर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश शामिल है।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संचालन से पिछले पांच वर्षों का निर्यात इस प्रकार है:

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपये में)	विकासदर (पिछले वर्षों की तुलना में)
Dream Dare Win		www.jeywin.com
2004-2005	18,314	32ल
2005-2006	22,840	24.7ल
2006-2007	34,615	52ल
2007-2008	66,638	92ल
2008-2009	99,689	50ल

कुल 91 विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात कर रहे हैं। इनमें से 43 आई.टी/आईटीईएस, 13 बहु-उत्पादी और 35 अन्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। इन सभी क्षेत्रों में कुल 2263 यूनिटें हैं।

स्कीम का असर

एस ई जेड स्कीम के प्रति जबर्दस्त उत्साह देखने को मिला। यह इस बात से जाहिर है कि इसके बाद देश में जोरदार निवेश का दौर शुरू हुआ और रोजगार के अवसर बढ़े। इस स्कीम ने देश विदेश में निवेशकों का उत्साह बढ़ाया जो निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट हो जाता है :

- तमिलनाडु में नोकिया विशेष आर्थिक क्षेत्र (दूरसंचार उपकरण)
- तमिलनाडु में महिंद्रा सिटी एस ई जेड (परिधान एवं फैशन उत्पाद आई टी/हार्डवेयर)
- अपाशे एस ई जेड (अडीडास ग्रुप) आंध्र प्रदेश (फुटवेअर)
- मुंदड़ा बंदरगाह एवं एस ई जेड, गुजरात (बहु उद्देश्यीय)
- मोज़र बेयर एस ई जेड, नोएडा, उ.प्र. (अपारंपरिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा उपकरण सहित) एस ई जेड
- विप्रो लिमिटेड, आंध्रप्रदेश (आई टी, एस ई जेड)
- डीवी लेबोरेट्रीज लिमिटेड, आंध्रप्रदेश (फार्मा एस ई जेड)
- फ्लेक्सोनिक्स एस ई जेड, तमिलनाडु (इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर)
- ई टी एल इंफ्रास्ट्रक्चर आई टी एस ई जेड, तमिलनाडु
- विप्रो लिमिटेड, कर्नाटक-2 सर्जापुर और इलेक्ट्रॉनिक सिटी (आई टी)
- बाइफोन लिमिटेड, कर्नाटक (बायोटेक एस ई जेड)
- सेरम बायोफार्मा पार्क, महाराष्ट्र (फार्मा एस ई जेड)
- मान्यता प्रोमोटर्स प्राइवेट लि. कर्नाटक (आई टी/आई टी ई एस)
- चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ (आई टी एस ई जेड)
- हैदराबाद जेम्स लि. हैदराबाद (रत्न जवाहरात एस ई जेड)
- महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. (बहुउद्देश्यीय एस ई जेड)
- रिलायंस जामनगर इंफ्रास्ट्रक्चर लि. (बहु-उत्पाद)
- सुजलोन इंफ्रास्ट्रक्चर लि. (हार्ड-टेक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट तथा संबद्ध सेवाएं)

अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार

स्वतंत्रता के बाद से ही अफ्रीकी देशों के साथ भारत के हार्दिक एवं मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं। 1947 से और दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात् अफ्रीका के बाद इन देशों के साथ व्यापार संबंध बढ़े हैं। 2005-06 के आँकड़ों के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से व्यापार संबंध बढ़े हैं—

भारत-अफ्रीकी व्यापार

मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में

वर्ष	निर्यात**	आयात	कुल व्यापार
2005-2006	6993.53	4878.56	11872.09
2006-2007	10263.96	14726.67	24990.63
2007-2008	14196.09	20497.65	34693.74
2007-2008 * (अप्रैल 07-फरवरी 08)	12716.42	18789.23	31505.65
2008-2009 (अप्रैल 08-फरवरी 09)	12857.06	22853.51	35710.57

*तेल आयात मिला कर

** भारत से पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात मिला कर

वर्ष 2007-08 के दौरान अफ्रीका के साथ कुल 34693.74 मिलियन अमरीकी डालर का व्यापार हुआ जिसमें 14196.09 मिलियन डालर का निर्यात और 20497.65 मिलियन का आयात शामिल है। अगर तेल व्यापार को भी मिला लिया जाए तो अप्रैल 2008-फरवरी 2009 कुल कारोबार 35710.57 मिलियन अमरीकी डालर का था जिसमें से 12857.06 मिलियन का निर्यात और 22853.51 मिलियन का आयात शामिल है। 2007-08 की इसी अवधि में यह व्यापार 31505.65 मिलियन अमरीकी डालर का था जिसमें से 12716.42 मिलियन (निर्यात) और 18789.23 मिलियन का आयात था। अगर तेल को अलग कर लें तो इन देशों के साथ भारत का व्यापार लाभप्रद बैठता है।

वर्ष 2007-08 के दौरान भारत और अफ्रीकी देशों के साथ कुल जिन्स व्यापार 16586.60 मिलियन अमरीकी डालर का था जिसमें तेल व्यापार शामिल नहीं है। 2006-07 में यह 12,445.36 मिलियन था। इस प्रकार 33.27 प्रतिशत वृद्धि रही। अफ्रीकी देशों का भारत से निर्यात 2006-07 में 33.42 प्रतिशत से बढ़कर 7668.81 मिलियन से 10231.75 (2007-08 में) हो गया।

अफ्रीकी देशों से आयात में भी वृद्धि हुई। 2006-07 के 4776.55 मिलियन से 33 प्रतिशत बढ़कर 2007-08 में 6354.85 मिलियन अमरीकी डालर हो गया।

2007-08 पश्चिमी अफ्रीकी देशों के साथ भारत का जिन्स व्यापार 4507.19 मिलियन डालर था जबकि 2006-07 में यह मात्र 3214.89 मिलियन डालर था। यह 40 प्रतिशत वृद्धि है। निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थीं—परिवहन उपकरण, दवाएं, औषधियां एवं रसायन तथा चावल (गैर-बासमती), औद्योगिक धातुएं, मशीनरी, एवं यंत्र आयात की प्रमुख वस्तुओं में धात्विक खनिज, धातु कबाड़, काजू, लकड़ी और काठ की वस्तुएं, अजैविक रसायन, उर्वरक, कच्चा तेल शामिल हैं। इस क्षेत्र में नाइजीरिया प्रमुख व्यापार

भागीदार था। उसके साथ 2007-08 में कुल 1162.89 मिलियन डालर का व्यापार हुआ जबकि 2006-07 में यह 978.40 मिलियन डालर का था। यह वृद्धि 18.85 प्रतिशत बैठती है।

दक्षिणी अफ्रीका के साथ 2007-08 में 6014.24 मिलियन डालर का व्यापार हुआ जबकि 2006-07 में यह 4600.12 मिलियन अमरीकी डालर था। यह 30.74 प्रतिशत अधिक है। निर्यात के प्रमुख पदार्थ थे परिवहन उपकरण, प्राथमिक ओर अर्धतैयार इस्पात और लोहा तथा चावल (बासमती के सिवाय)। आयात की जाने वाली वस्तुओं में सोना, धात्विक खनिज, धातु कबाड़, अजैविक रसायन, कोयला एवं अलौह धातुएं शामिल थीं। इस क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका भारत का प्रमुख व्यापार भागीदार था। 2007-08 में उसके साथ 5200.09 मिलियन डालर का व्यापार हुआ जबकि 2006-07 में यह 3906.73 मिलियन अमरीकी डालर बैठती है।

पूर्वी अफ्रीका के साथ 2007-08 में 2341.83 मिलियन अमरीकी डालर का व्यापार हुआ। 2006-07 में यह व्यापार 1650.83 मिलियन अमरीकी डालर का हुआ था। यह 41.85 प्रतिशत वृद्धि है। प्राथमिक एवं अर्ध-तैयार लोहा एवं इस्पात, मशीनरी, यंत्र, औषधियां और रसायन, चीनी एवं तैयार धातुएं निर्यात की गईं। आयात की प्रमुख वस्तुओं में काजू, दालें, धात्विक खनिज, धातु कबाड़, अजैविक रसायन और मसाले शामिल हैं। केन्या के साथ सबसे ज्यादा व्यापार हुआ। उसके साथ 2007-08 में 748.68 मिलियन डालर का व्यापार हुआ जबकि इसके पहले वाले वित्त वर्ष यह राशि 541.24 मिलियन थी। वृद्धि 38.32 प्रतिशत रही।

मध्य अफ्रीकी देशों के साथ 2007-08 में 304.48 मिलियन अमरीकी डालर का जिनस व्यापार हुआ। 2006-07 में यह मात्र 203.72 मिलियन डालर का था। वृद्धि 32 प्रतिशत हुई। निर्यात प्रमुखतः दवाओं, रसायन, मशीनरी, यंत्र, परिवहन उपकरण, तैयार धातु प्लास्टिक तथा लिनोलियम की वस्तुएं थी। जबकि आयात मुख्य रूप से धात्विक खनिजों, धातु कबाड़, दालों, कच्ची रुई, चाय और अलौह धातुओं का था। उगांडा सबसे बड़ा भागीदार था जिसके साथ 2007-08 में कुल 167.51 मिलियन डालर का व्यापार हुआ। यह 2006-07 के 110.85 मिलियन से 51 प्रतिशत अधिक था।

एस ए सी यू के साथ पीटीए

साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन (एस ए सी यू) दुनिया की सबसे पुरानी कस्टम यूनियन है। इसमें दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, और नामीबिया शामिल है। भारत और इस यूनियन ने दोनों पक्षों के बीच व्यापार बढ़ाने और समग्र मुक्त व्यापार समझौता करने की इच्छा जाहिर की है। अक्टूबर 2007 में वार्ता शुरू हो चुकी है। अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं। वार्ता सफल बनाने के लिए भारत और एस ए सी यू ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 25 से 27 नवंबर 2008 तक चली नई दिल्ली बैठक में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

मारीशस के साथ सीईसीपीए

भारत और मारीशस के बीच द्विपक्षीय व्यापार निवेश और सामान्य आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिये सीईसीपीए को अंतिम रूप देने की दिशा में दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है।

फोकस अफ्रीका कार्यक्रम

फोकस अफ्रीका कार्यक्रम शुरू-शुरू में सात, सब सहारा क्षेत्र के देशों—दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, मारीशस, तंजानिया, केन्या, घाना ओर इथियोपिया पर ध्यान देने के उद्देश्य से शुरू किया गया। अफ्रीका

के भारत का व्यापार और बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का क्षेत्र अंगोला, बोत्सवाना, आइवरी कोस्ट, मैडागास्कर, मोजांबिक, सेवेगल, सेशेल्स, उगांडा, जाम्बिया, नामीबिया और जिम्बाब्वे और उत्तर अफ्रीका के 6 देशों-मिस्र, लीबिया, ट्यूनिशिया, सूडान, मोरक्को और अल्जीरिया तक बढ़ा दिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार निर्यातकों को सहायता देती है, निर्यात संबंधन परिषदों का प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि वे इन देशों में जाकर व्यापार बढ़ा सकें और व्यापार मेले प्रायोजित करें। एम डी ए और एम ए आई स्कीम के अंतर्गत विभिन्न निर्यात संबंधन परिषदें अनेक निर्यात संबंधक गतिविधियां चला चुकी हैं। फोकस अफ्रीका कार्यक्रम 2008-09 में भी लगातार 7वें वर्ष जारी रहा।

पारस्परिक सहयोग

भारत और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग से जुड़े मुद्दे सुलझाने के लिए संयुक्त आयुक्त और संयुक्त समितियां हैं। भारत-नामीबिया संयुक्त समिति की दूसरी बैठक वालविस बे (नामीबिया) में 18-19 फरवरी 2008 को हुई। भारत-इथियोपिया संयुक्त व्यापार समिति की पांचवीं बैठक अदीस अबाबा में 7 अक्टूबर 2008 को हुई। भारत-केन्या संयुक्त व्यापार समिति की 5वीं मीटिंग 16-17 दिसंबर 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत और जाम्बिया ने 17 सितंबर 2008 को नई दिल्ली में बैठक करके दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग की समीक्षा की।

भारत और अफ्रीकी देशों के व्यापार संघों के बीच सर्वोच्च स्तर पर व्यापारिक संपर्क और सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। व्यापार और उद्योग प्रतिनिधि मंडलों की उच्च स्तरीय यात्रायें भी आयोजित की जाती हैं। मार्च-अप्रैल 2008 में दो उच्च स्तर के प्रतिनिधि मंडलों ने अंगोला और नामीबिया की यात्रा की। जून 2008 में ये प्रतिनिधि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ कांगो भी गए।

भारत-अफ्रीका व्यापार

करोड़ रुपए में

वर्ष	निर्यात**	आयात	कुल व्यापार
1960-61	40	63	103
1970-71	129	169	298
1980-81	350	205	555
1990-91	668	959	1627
2000-01	10764.95	9410.7	20175.65
2001-02	13766.99	12435.34	26202.33
2002-03	15156.11	16636.23	31792.34
2003-04	17683.56	14702.80	32386.36
2004-05	25036.30	18003.89	43040.19
2005-06	30982.78	21599.09	52561.87
2006-07*	46407.31	66663.33	113070.64

*आयात आंकड़ों में तेल शामिल है

**भारत से पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात शामिल है।

भारत-यूरोप व्यापार

भारत के साथ कुल विदेशी व्यापार देशों की भागीदारी लगभग 21.5 प्रतिशत है। जबकि भारत से यूरोप www.wti.org निर्यात साल 2007-08 में 51.63 अरब डालर www.wti.org 2005-06 की तुलना में भारत और यूरोप के साथ द्विपक्षीय व्यापार में 28.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गयी थी जबकि इस अवधि में भारत से यूरोप को होने वाले निर्यात में 29.15 प्रतिशत और यूरोप से भारत को होने वाले निर्यात में 28.79 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। भारत से यूरोप के लिये होने वाले निर्यात में सबसे ऊपर की पांच वस्तुएं रेडीमेड वस्त्र, कपड़े और इससे जुड़ी अन्य वस्तुएं नग और आभूषण, मशीनें और औजार, पेट्रोलियम पदार्थ तथा परिवहन सामग्री शामिल हैं। यूरोप से भारत के लिए निर्यात होने वाली सर्वाधिक पांच वस्तुओं में इलेक्ट्रिकल वस्तुओं को छोड़कर सभी तरह की मशीनरी, मोती और अर्धनिर्मित कीमती नग पत्थर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, यातायात तथा परिवहन वस्तुएं तथा लोहा एवं इस्पात शामिल हैं।

यूरोपीय संघ के साथ व्यापार एवं निवेश संबंध

यूरोपीय संघ, ईयू में फिलहाल 27 देश शामिल हैं। ये देश हैं—आस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाक गणराज्य, स्लोविया, स्पेन, ब्रिटेन, बल्गारिया और रोमानिया।

भारत और ईयू के बीच बेहतर आर्थिक संबंध हैं। इन रिश्तों की बुनियाद भागीदारी और सहयोग पर आधारित अगस्त, 1994 में किये गये भारत-ईयू सहयोग समझौते तथा सितंबर, 2005 में घोषित की गयी भारत-ईयू रणनीतिक भागीदारी पर आधारित है। इसके अलावा भारत का ईयू के कई सदस्य देशों के साथ वाणिज्य, निवेश और दोहरे कराधान से बचने से संबंधित क्षेत्र में अलग से द्विपक्षीय सहयोग समझौता पहले से ही विद्यमान है। भारत का यूरोप के 22 देशों और ईयू के 17 देशों के साथ निवेश संरक्षण और प्रोत्साहन समझौता है। इसी तरह से दोहरे कराधान से बचने का समझौता भी 26 देशों के साथ लागू है।

भारत ईयू द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा भारत-यूरोपीय परिषद संयुक्त आयोग द्वारा आधिकारिक स्तर पर की जा रही है। इसकी पिछली बैठक जुलाई, 2008 में हुई थी। इस दौरान व्यापार, आर्थिक सहयोग एवं विकास सहयोग के क्षेत्र में तीन उप आयोग और कृषि एवं समुद्री वस्तुओं, वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, वाणिज्य मामले, पर्यावरण, इस्पात, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, दवा एवं जैव तकनीक और सेनेटरी एवं फाईटो सेनेटरी के क्षेत्र में व्यापार संबंधी तकनीकी बाधाओं के बारे में नौ संयुक्त कार्यसमूह कार्यरत हैं और इनकी रिपोर्ट पर संयुक्त आयोगों द्वारा विचार किया गया है।

एमएमटीसी

एमएमटीसी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी व्यापार कंपनी है जिसका वार्षिक कारोबार आठ बिलियन अमेरिकी डालर का है। यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी खनिज और अयस्क निर्यातक, कृषि उत्पादों की अग्रणी निर्यातक/आयतक, देश में कोयला और हाइड्रोकार्बनों तथा अलौह धातुओं के आयात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा भारत में तैयार उर्वरकों और उर्वरक का कच्चा माल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। यह कंपनी एशिया, यूरोप, अफ्रीका ओशियाना और अमेरिका आदि 65 से अधिक

देशों में बड़े पैमाने पर बाज़ार में कमान कसती है। भारत में एमएमटीसी के घरेलू कार्य क्षेत्र में अनेक कार्यालय, गोदाम और खुदरा बिक्री केंद्र हैं।

एमएमटीसी इस समय भारत में अव्वल दर्जे की व्यापारिक कंपनी है और साल 2008-09 में कंपनी ने अपना प्रदर्शन पहले से भी बेहतर करते हुए लगातार पांचवे साल रिकार्ड स्तर पर 36,905 करोड़ रुपये का कुल कारोबार किया। इसमें साल 2008-09 में कंपनी द्वारा किया 4580 करोड़ रुपये का निर्यात भी शामिल है। निर्यात के मामले में कंपनी का यह अब तक सबसे बेहतर प्रदर्शन है। इसके अलावा इसमें अब तक का सबसे अधिक 30,767 करोड़ रुपये का आयात और 1558 करोड़ रुपये का घरेलू कारोबार भी शामिल है। एमएमटीसी ने साल 2008-09 में कर अदा करने के बाद 1558 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया।

एमएमटीसी ने अपनी व्यापार प्रक्रियाओं को मूल्यवर्द्धित बनाने और कामकाज में विविधता लाने की रणनीति के रूप में नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) की स्थापना की। इसके अंतर्गत उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर लगभग 2000 करोड़ रुपये की पूंजीगत परिव्यय से 11 लाख टन क्षमता का लौह और इस्पात संयंत्र तथा 8 लाख टन क्षमता की कोक भट्टी लगाई है।

एमएमटीसी सिंगापुर में अपने पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी इकाई एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि. (एमटीपीएल) का भी संचालन कर रही है। दस लाख अमरीकी डालर की शेयर पूंजी वाली इस इकाई की शुरुआत 1994 में दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अपना व्यापारिक प्रसार करने की नीति के तहत की गयी थी। सिंगापुर के कानून के तहत गठित इसे साल 2000 में इसके शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित “ग्लोबल ट्रेडर” अवार्ड भी मिल चुका है। साल 2008-09 में एमटीपीएल ने 68.7 करोड़ डालर का कुल कारोबार किया। इसके साथ ही, इसने कर अदा करने के बाद 68 लाख डालर का शुद्ध मुनाफा भी कमाया। 31 मार्च, 2009 तक कंपनी का कुल नेटवर्थ 150 लाख डालर हो चुका है।

अपने मूल मकसद में संलग्न रहते हुए एमएमटीसी अधोसंरचनात्मक व्यापार के प्रोत्साहन और मूल सुविधा विकास के काम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही है। अपने कार्यक्षेत्र के आयाम को विस्तार देने और कारोबारी गतिविधियों में बढ़ोतरी करने के लिए एमएमटीसी ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी का मार्ग अपनाते हुए कई रणनीतिक कदम उठाये हैं। इनमें मुख्य रूप से कमोडिटी एक्सचेंज* की शुरुआत करना, सोने और चांदी के फलक बनाने वाली इकाई स्थापित करना शामिल हैं। इस इकाई में सोने का शोधन करने वाली इकाई इसी का हिस्सा है। इस इकाई में पूर्ण निर्मित उत्पादों और आभूषणों की प्रभावी मार्केटिंग के लिए एमएमटीसी की देश में विभिन्न हिस्सों में निजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के साथ मिलकर खुदरा बिक्री केंद्रों की पूरी शृंखला शुरू करने की योजना है। इन दुकानों में एमएमटीसी के चांदी के आभूषण अपने ब्रांड 'सांची' के नाम से और सोने के आभूषण तथा स्वर्ण एवं रजत फलक भी बेचने की योजना है।

इसके अलावा खनन के क्षेत्र में निवेश के प्रयास के तहत एमएमटीसी खनिज तत्वों की खोज और खनन के लिए संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की योजना को मूर्त रूप देने में लगी है। इसके तहत खनिज, फेरस और नानफेरस धातुएं कीमती धातुएं, हीरा और कोयला आदि शामिल हैं। एमएमटीसी ने इस क्रम में झारखंड में एक कोयला खदान के आबंटन के लिए आवेदन किया था। इस पर उसे राज्य सरकार की ओर से 70 करोड़ मीट्रिक टन कोयले की संभावित मौजूदगी वाली खदान का आबंटन कर दिया गया है। इस खदान में खनन का काम शीघ्र शुरू हो जाएगा। एमएमटीसी ने कच्चे लोहे की खदानें

भी उसी पट्टे पर आबंटित करने का आवेदन किया है। इसके बाद वह इन खानों से प्राप्त लौह खनिज को मूल्य वर्धित करने के लिए खनिज लौह के डले बनाने का संयंत्र लगाएगा।

आधारभूत क्षेत्र में एमएमटीसी पहले से ही चेन्नई बंदरगाह से एन्नोर बंदरगाह तक कच्चे लोहे की लदाई के लिए एक अस्थाई जेट्टी विकसित करने के काम में अपना योगदान दे रहा है। इसके अलावा एमएमटीसी एन्नोर बंदरगाह पर कच्चे लोहे की लदाई के लिये स्थायी जेट्टी के निर्माण कार्य से जुड़ी परियोजना में भी अपनी अंशधारिता सुनिश्चित कर रहा है। यह 2010में चालू होने वाला है। एम एम टी सी एक अन्य कंसोर्टियम का भी सदस्य है जिसे पारादीप बंदरगाह पर लौह खनिज लदान सुविधा बनाने का काम सौंपा गया है। साथ ही एमएमटीसी द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हल्दिया, ग्रेटर नोएडा और कांडला में मुक्त व्यापार क्षेत्र और मालगोदाम स्थापित कर रहा है।

एमएमटीसी ने रेल विभाग की मालगाड़ी के अपने डिब्बे आबंटित कराने की योजना के तहत डिब्बे आबंटित करा लिये हैं। इसके अलावा कंपनी बेल्लारी होसपेट में नापवाले ढेलेनुमा कच्चे लोहे का संवर्द्धन संयंत्र शुरू करने के अलावा पर्यावरण और पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए फायदेमंद माने जाने वाली शुद्ध ऊर्जा के लिए कर्नाटक में मार्च, 2007 में 15 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला पवनऊर्जा संयंत्र भी शुरू करने जा रही है।

8. संचार

भारतीय डाक

भारत में आधुनिक डाक-व्यवस्था की स्थापना 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध में हुई। वर्ष 1766 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा स्थापित इस डाक-व्यवस्था का आगे विकास वारेन हेस्टिंग्स ने वर्ष 1774 में एक पोस्टमास्टर जनरल के अधीन कलकत्ता जी.पी.ओ. की स्थापना करके किया। मद्रास एवं बंबई की अन्य प्रेसीडेंसियों में जनरल पोस्ट ऑफिस क्रमशः 1786 एवं 1793 में अस्तित्व में आया। 1837 अधिनियम ने सर्वप्रथम तीन प्रेसीडेंसियों में पोस्ट ऑफिस संगठन को एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में समान आधार पर एक करने के लिए विनियमित किया। 1854 के पोस्ट ऑफिस अधिनियम ने डाक प्रणाली के स्वरूप आमूल चूल संशोधन किया और भारतीय पोस्ट ऑफिस व्यवस्था की एक सौ तिरपन वर्षों पूर्व 1 अक्टूबर, 1854 को वर्तमान प्रशासनिक नींव रखी गई थी। वर्तमान में भारतीय पोस्ट ऑफिस अधिनियम, 1898 देश में पोस्टल सेवाओं को नियंत्रित कर रहा है।

पोस्ट ऑफिस नेटवर्क ने डाक संचार सुविधाओं को प्रदान करने के अतिरिक्त पैसा भेजने, बैंकिंग और बीमा सेवाओं की सुविधाओं को भी 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध से प्रदान किया है।

पोस्टल नेटवर्क

आजादी के वक्त देश भर में 23,344 डाकघर थे। इनमें से 19,184 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में और 4,160 शहरी क्षेत्रों में थे। देश भर में 31 मार्च, 2008 तक 1,55,035 डाकघर थे। जिनमें से 1,39,173 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों और 15,862 शहरी क्षेत्रों में थे। पोस्टल नेटवर्क में इस सात गुने विकास के परिणामस्वरूप आज भारत में विश्व का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है।

पोस्टल नेटवर्क के विस्तार में, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, काफी हद तक, डाक विभाग के विशिष्ट तंत्र अंशकालिक अतिरिक्त विभागीय डाकखानों को शुरू करने का योगदान रहा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत विशेष प्रावधानों के अनुसार स्थानीय निवासियों को नियुक्त किया जाता है, जो पोस्ट ऑफिस की अधिकतम 5 घंटों की अवधि तक देखभाल करते हैं और निश्चित भत्तों के भुगतान पर पत्रों को लाने एवं पहुंचाने का काम करते हैं। भारत में एक डाकघर 21.20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र और 7174 लोगों की जनसंख्या को अपनी सेवा प्रदान करता है। विभाग द्वारा निर्धारित जनसंख्या, आय एवं दूरी से संबंधित मानकों के अनुरूप ही डाकघर खोले जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने पर सब्सिडी दी जाती है जो पर्वतीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में लागत की 85 प्रतिशत तक होती है और सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में लागत की दो-तिहाई तक होती है।

पोस्टल नेटवर्क में चार श्रेणियों के डाकघर हैं—प्रधान डाकघर, उप डाकघर, अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर और अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर। सभी श्रेणियों के डाकघर समान पोस्टल सेवाएं

प्रदान करते हैं। हालांकि डिलीवरी का काम विशिष्ट डाकघरों के लिए निश्चित है। प्रबंधन-नियंत्रण के लिए शाखा डाकघरों से कोष को उप-डाकघरों में और अंत में प्रधान डाकघर में लाकर जमा किया जाता है।

विभाग में 31 मार्च, 2009 तक 2.18 लाख विभागीय कर्मचारी और लगभग 2.76 लाख ग्रामीण डाक सेवक थे। उनके प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को एक सुविकसित प्रशिक्षण तंत्र द्वारा पूरा किया जाता है।

डाक पद्धति

प्रथम श्रेणी की डाक जैसे पोस्टकार्डों, अंतर्देशीय पत्रों और लिफाफे को हवाई सुविधाओं से जुड़े स्टेशनों के बीच बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के जहां लाभप्रद हो विमान सेवा द्वारा पहुंचाया जाता है।

द्वितीय श्रेणी की डाक जैसे किताबों के पैकेट, सूचीबद्ध समाचार पत्रों और सामयिकी को स्थलीय यातायात द्वारा पहुंचाया जाता है अर्थात् रेल एवं सड़क यातायात द्वारा।

अंतर्राष्ट्रीय डाक

भारत 1876 से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यू.पी.यू.) का और 1964 से एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन (ए.पी.पी.यू.) का सदस्य है। इन संगठनों का उद्देश्य है अन्य देशों के बीच डाक संबंधों को बढ़ाना, सुगम करना और सुधारना। भारत 217 से भी अधिक देशों के साथ स्थलीय और विमान सेवा द्वारा पत्रों का आदान-प्रदान करता है।

मनीआर्डर के माध्यम से चुने हुए देशों से रुपया भारत भेजा जा सकता है। भारत से 27 देशों के साथ मनीआर्डर सेवा की व्यवस्था है। भारत का भूतान एवं नेपाल के साथ दोतरफा मनीआर्डर सेवा का संबंध है अर्थात् इन देशों से और इन देशों को मनीआर्डर भेजा जा सकता है। शेष 25 देशों के साथ सिर्फ आनेवाली सुविधा उपलब्ध है अर्थात् इन देशों में जमा किए गए रुपये का भारत में भुगतान हो सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मनीआर्डर सेवा जो 1986 में पांच देशों के साथ शुरू की गई थी, अब उसका विस्तार 97 देशों के साथ हो गया है। विदेशी स्थानों से निर्यात एवं आयात को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में विनिमय के मुख्य विदेशी कार्यालयों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त आयात एवं निर्यात दोनों के लिए अहमदाबाद, बंगलोर, जयपुर, कोचीन, श्रीनगर एवं नोएडा में छह उप विदेशी पोस्ट ऑफिसों की स्थापना की गयी है। वाराणसी, कानपुर, सूरत, लुधियाना, मुरादाबाद और गुवाहाटी में इन क्षेत्रों में निर्यातकों/पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात विस्तार खिड़की को भी प्रारंभ किया गया है।

व्यापार विकास प्रक्रियाएं

खास ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगी सेवाओं के विज्ञापन एवं प्रोत्साहन के उद्देश्य से 1996 में एक व्यापार विकास निदेशालय की स्थापना की गई थी। पोस्टल उत्पादों के संपूर्ण भंडार के विज्ञापन पर तीक्ष्ण दृष्टि प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल, 2005 को इस निदेशालय को व्यापार विकास एवं विपणन निदेशालय के रूप में पुनर्संगठित किया गया। व्यापार विकास एवं विपणन निदेशालय (बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग डायरेक्टरेट) में पार्सल उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अलग

पार्सल और लॉजिस्टिक डिवीजन बनाया गया है। इस विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली मुख्य सेवाओं में से कुछ निम्नलिखित हैं :

स्पीड पोस्ट : स्पीड पोस्ट सेवा 1 अगस्त, 1986 को शुरू किया गया था। इस सेवा के अंतर्गत पत्रों, दस्तावेजों और पार्सलों की डिलीवरी एक निश्चित अवधि के अंतर्गत की जाती है और अवधि में डिलीवरी न होने पर ग्राहक को डाक शुल्क पूर्ण रूप से वापस कर दिया जाता है। स्पीड पोस्ट नेटवर्क में 266 राष्ट्रीय और 857 राज्य स्पीड पोस्ट केंद्र शामिल हैं। यह सेवा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी 97 देशों में उपलब्ध है।

इंटरनेट आधारित ट्रैक एंड ट्रेस सर्विस स्पीड नेट को 3 जनवरी, 2002 को शुरू किया गया था। ग्राहकों को स्पीड पोस्ट की गयी चीजों के लिए ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करने के साथ यह प्रबंधन को सेवा की गुणवत्ता, व्यापार कार्य, ग्राहक सेवा विज्ञापन के बारे में सूचना भी प्रदान करता है। यह अब सभी 315 राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्रों और 857 राज्य स्पीड पोस्ट केंद्रों में सेवा प्रदान कर रहा है।

बिजनेस पोस्ट : इस विभाग ने 1 जनवरी 1997 से पूर्व मेलिंग प्रक्रियाओं के लिए थोक ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिजनेस पोस्ट शुरू किया है। इसके अनुसार, यह संग्रह में, चीजों को अंदर रखने में, पता लिखने में, सील करने में, स्टॉप लगाने इत्यादि के रूप में डाक द्वारा प्रदान की गई सभी परंपरागत सेवाओं में मूल्यसंवर्द्धन का काम करता है। बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत ग्राहकों को प्रदान की गई पूर्व मेल-सेवाओं में अभी हाल में बिलों की छपाई, वित्तीय ब्योरा, मेलर इत्यादि को भी शामिल कर लिया गया है।

बिल मेल सेवा : वित्तीय स्टेटमेंटों, बिलों, मासिक खाता बिलों और इसी तरह की अन्य चीजें जो सेवा प्रदानकर्ता अपने ग्राहकों को पोस्ट कर सकते हैं, आवधिक संचार के मेल के लिए मूल्योपयोगी हल प्रदान करने के लिए 15 सितंबर, 2003 को बिल मेल सेवा शुरू की गई थी।

एक राष्ट्रीय बिल मेल सेवा फरवरी 2005 में शुरू की गई थी जो यह अनुमति प्रदान करती है कि बाहर के गंतव्य स्थानों के लिए जाने वाले बिल मेल सेवा उत्पादों को भी पैकेटों में स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल इत्यादि के रूप में गंतव्य शहरों को भेजा जा सकता है, अगर भेजने वाला इसका भुगतान करता है। व्यक्तिगत बिलों का शुल्क सिर्फ स्थानीय बिल मेल सेवा की दरों पर लिया जाता है।

एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट : एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट स्थलीय यातायात के माध्यम से एक विश्वसनीय और समयबद्ध पार्सल सेवा प्रदान करता है। यह कॉरपोरेट वालों और व्यवसाय संस्थानों के लिए ठेके के आधार पर डोर टू डोर डिलीवरी और 50,000 रुपये तक की वीपीपी सेवा प्रदान करता है। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट की बुकिंग देश में 315 स्टेशनों में की जा सकती है जहां राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्र उपलब्ध हैं।

लॉजिस्टिक पोस्ट : इस विभाग द्वारा 2004-05 में एक लॉजिस्टिक पोस्ट सेवा शुरू की गई थी। यह सेवा पहले ही कई पोस्टल सर्किलों में शुरू हो चुकी है। लॉजिस्टिक पोस्ट बिना किसी अधिकतम सीमा के मालों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। लॉजिस्टिक पोस्ट में माल उठाने, उनकी डिलीवरी, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग जैसी मूल्य संवर्धित सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं।

मीडिया पोस्ट : यह विभाग कॉरपोरेटों और सरकारी संगठनों को मीडिया पोस्ट के माध्यम से सक्षम ग्राहकों तक पहुंचने के लिए एक अद्वितीय मीडिया प्रदान करता है। इस सुविधा के अंतर्गत ग्राहक अपने ब्रांडों के विज्ञापन के लिए अग्रलिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण कर सकते हैं : (क) पोस्टकार्डों,

अंतर्देशीय पत्रों, ऐरोग्राम और अन्य पोस्टल उत्पादों पर विज्ञापन। (ख) लेटर बॉक्सों पर स्थान के लिए प्रायोजन।

रिटेल पोस्ट : 1.5 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिसों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से यह विभाग सरकारी और अन्य निजी संगठनों के लिए सभी जनोपयोगी बिलों को एकत्र करने और आवेदन फॉर्मों की बिक्री की सुविधा प्रदान करता है। रिटेल पोस्ट के अंतर्गत की जाने वाली प्रक्रियाओं में से कुछ हैं- संघ लोक सेवा आयोग के आवेदन फॉर्मों की बिक्री, पोस्टमैन के जरिये सर्वे, पोस्टमैन के जरिये पते की जांच और पोस्ट नेटवर्क के माध्यम से ऋण आवेदनों को एकत्र करना इत्यादि।

डाइरेक्ट पोस्ट : बहुत सारे देशों ने डाइरेक्ट मार्केटिंग/एडवर्टाइजिंग मेल की पहचान विकास की उच्च क्षमता वाले बिजनेस मेल के एक प्रमुख अंग के रूप में की है। उच्च आर्थिक विकास के साथ डाइरेक्ट मेल का दायरा भारत में भी काफी विकास करेगा। लक्ष्य समुदाय के घरों तक बिना पते वाले मेलों की डिलीवरी के लिए डाइरेक्ट पोस्ट के नाम से जाने वाली सेवा को 2 जून, 2005 में शुरू किया गया था। 18 अप्रैल, 2006 से एक नयी डाइरेक्ट मेल मूल्य संवर्धित सेवा भी शुरू की गयी है जिसमें बिलों इत्यादि जैसे लेन-देन वाले मेलों के साथ विज्ञापन मेल को मिलाने की अनुमति दी गयी है।

ई-पोस्ट : 30 जनवरी, 2004 को शुरू की गयी इस सेवा के अंतर्गत देश के सभी पोस्ट ऑफिसों में ई-मेल के माध्यम से संदेशों या तस्वीरों को भेजने और प्राप्त करने की सुविधा लोगों को प्रदान की जाती है। वैसे लोग जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है और ई-मेल आई डी नहीं है वैसे लोग भी ई-मेल के माध्यम से संदेशों को भेजने और प्राप्त करने का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार डिजिटल डिवाइड की खाई को पाटा जा सकता है। इसे व्यापार क्षेत्र के लिए भी उपयोगी बनाने के लिए 18 अक्टूबर, 2005 को ई-पोस्ट का एक कारपोरेट अंग शुरू किया गया था जो 9999 पतों की अधिकतम संख्या को तत्क्षण भेजने की अनुमति देता है।

ई-बिल पोस्ट: ग्राहकों के लिए प्रौद्योगिकी युक्त सेवाओं में से एक के रूप में इस विभाग ने ई-बिल पोस्ट नामक एक नई सेवा शुरू की है। वर्तमान में यह सेवा बंगलोर और कोलकाता में उपलब्ध है और बहुत जल्दी ही अन्य शहरों में इसके शुरू होने की संभावना है। इसे ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह सेवा बिजली, टेलीफोन, मोबाइल, पानी और अन्य बिलों के पोस्ट ऑफिस के काउंटरों पर भुगतान के लिए बहुत उपयोगी है। ग्राहक अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाकर अपने बिलों का भुगतान कर सकते हैं।

डाक टिकट संग्रह (फिलेटली)

भारतीय डाक टिकट हमारी ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत और हमारी संस्कृति और परंपराओं की समृद्ध विविधता की रंग-बिरंगी झलक प्रदान करते हैं। बहुत सारी विषय वस्तुओं को शामिल करते हुए ये डाक टिकट महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, मशहूर व्यक्तित्वों और संस्थानों के योगदानों और खेल-कूद, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी इत्यादि जैसे विविध क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियों को भी दर्शाते हैं। ये डाक टिकट बहुत लोकप्रिय हैं।

भारतीय डाक विभाग पिछले साल, बीजिंग में ओलंपिक खेलों के दौरान ओलिम्पेक्स पोस्ट एक्सपो बीजिंग 2008 में तथा प्राग में लगी वर्ल्ड फिलेटेलिक एक्जीबिशन प्राग 2008 में भी शामिल हुआ। आपसी सम्मान एवं सहयोग का वातावरण बनाने की भावना से बीजिंग और नई दिल्ली में भारत-चीन संयुक्त डाक टिकट विमोचन कार्यक्रम किए गए। राज्यस्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनियां भी बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा,

गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एवं छत्तीसगढ़ सर्कलों द्वारा आयोजित की गई। विभाग ने 'राष्ट्रीय बालिका दिवस' को डाक टिकट जारी करके मनाया। लुई ब्रेल की जन्म द्विशताब्दि, सेंट पॉल चर्च, संत संताजी जवाड़े, महाराज बाबू राव फुलेश्वर शेड्रमाके पर वर्ष 2009 में डाक टिकट जारी किए गए।

विशेष उत्सव वाले डाक टिकटों, लघु चित्रों, प्रथम दिवस आवरणों, सूचना पत्रों, पोस्टकार्डों और मैक्सिम कार्डों जैसे डाक टिकट संग्रह वाले उत्पाद देश भर में 68 फिलेटेलिक ब्यूरो और 881 फिलेटेलिक काउंटर्स पर उपलब्ध हैं।

वित्तीय सेवाएं

डाकघर बचत बैंक : डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की लघु बचत योजनाओं को एक एजेंसी के आधार पर क्रियान्वित करता है। इसके अंतर्गत 17 करोड़ से अधिक बचत खाते संचालित हैं। पीओएसबी देश भर में फैले 1.54 लाख से भी अधिक डाकघरों में काम करते हैं। पीओएसबी का ग्रामीण नेटवर्क बढ़कर 1,38,000 शाखाओं तक हो गया है। वर्तमान में पीओएसबी द्वारा चलायी जा रही योजनाएं हैं—बचत खाता स्कीम, आवर्ती जमा स्कीम, सावधि जमा स्कीम, (1,2,3, और 5 वर्ष), मासिक आय स्कीम, लोक भविष्य निधि स्कीम, किसान विकास पत्र स्कीम, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (VIII) और वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम-2004।

मनीऑर्डर : मनीऑर्डर पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किया गया आदेश है जो डाकघर की एजेंसी के माध्यम से रुपये के भुगतान के लिए दिया जाता है। एक मनीऑर्डर के अन्तर्गत अधिकतम 5000 रुपये की राशि के भुगतान का आदेश जारी किया जा सकता है। यह सेवा देश के कोने-कोने में फैले 1.5 लाख से भी अधिक डाकघरों में उपलब्ध है। इससे ग्राहक भारत में कहीं भी आसानी से और बिना किसी परेशानी के अपना रुपया भेज सकते हैं और अपने घरों में प्राप्त कर सकते हैं।

अन्य वित्तीय सेवाएं

अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर सेवा (अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा) : यह सेवा बहुराष्ट्रीय कंपनी, वेस्टर्न यूनियन फायनेंशियल सर्विसेज इंटरनेशनल, के सहयोग से ग्राहकों को 205 देशों और क्षेत्रों से एक वास्तविक समय के आधार पर भेजे गए रुपये को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। यह सेवा 8511 डाकघरों में उपलब्ध है। यह सेवा ऐसे आम आदमी को विदेश में रहने वाले अपने संबंधियों और परिवार के सदस्यों द्वारा भेजे गए रुपयों को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है जिनका कोई बैंक खाता नहीं है, जिनको इंटरनेट की सुविधा नहीं है और विदेश में रहने वाले अपने लोगों द्वारा भेजे गए रुपये को प्राप्त करने का और कोई जरिया नहीं है। इस विभाग ने वर्ष 2004 और 2005 में 'लेन-देन में सर्वाधिक विकास' के लिए पुरस्कार प्राप्त किया था।

तत्काल मनीआर्डर (आईएमओ) : यह एक ऑन लाइन घरेलू मनी ट्रांसमिशन सेवा है जिसका उद्देश्य बाजार में ग्राहकों को उनके लिए भेजे गए रुपयों को उसी क्षण रुपया उपलब्ध कराया जाए। इस सेवा के द्वारा ग्राहक आईएमओ सेवा प्रदान करने वाले किसी भी डाकघर से मिनटों में रुपया प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा 20 जनवरी, 2006 को शुरू की गयी थी। इस सेवा के अन्तर्गत एक व्यक्ति एक बार में 1,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की रकम भेज सकता है। इस रकम को 16 अंकों वाले आईएमओ संख्या और फोटो पहचान पत्र भारत के किसी भी आईएमओ डाकघर (बुकिंग वाले डाकघर को छोड़कर) में दिखाकर प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में यह सेवा देश भर में 1000 से भी अधिक डाकघरों में प्रदान की जा रही है। इस सेवा का और विस्तार किया जा रहा है।

पोस्टल फायनेंस मार्ट

पोस्टल फायनेंस मार्ट की स्थापना का उद्देश्य बाजार के मानकों के अनुरूप क्षमतावर्धित डाकखाने में और ग्राहकोन्मुख वातावरण में विशिष्ट मूल्यसंवर्धित वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। पोस्टल फायनेंस मार्ट प्रतिष्ठित बैंकिंग संस्थानों के समान ही पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं प्रौद्योगिकी समर्थित कार्यालय में एक ही छत के नीचे डाक विभाग के सभी वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। यह 'वित्तीय सेवाओं की समग्र दुकान' है। यह डाकखाना बचत बैंक द्वारा दी जा रही वित्तीय सेवाओं की साख स्थापित करने की कवायद है। वैसे ही जैसे बैंक अपने उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करते हैं। इसलिए पोस्टल फायनेंस मार्ट द्वारा प्रस्तुत सुविधाएं डाकघरों द्वारा दी जा रही सेवाओं से माहौल के मामले में ही नहीं, बल्कि 'निषेध डेस्क' जैसी विशिष्ट सुविधा के प्रावधान के सिलसिले में भी भिन्न हैं। निवेश डेस्क पर एएमएफआई प्रशिक्षित स्टाफ तैनात रहता है। मार्ट में डाकघर बचत बैंकिंग सेवाएं यथा—बचत बैंक, आवर्ती जमा, मासिक आय योजना, सावधि जमा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VII इशू), किसान विकास पत्र एवं वित्तीय सेवाएं, जैसे—डाक जीवन बीमा एवं गैर जीवन बीमा, म्युचुअल फंड एवं बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियां, पेंशन योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण, मनीऑर्डर आदि।

म्युचुअल फंड एवं बॉन्ड वितरण

फरवरी, 2001 से 1000 डाकखानों का निरंतर बढ़ता नेटवर्क चुनींदा म्युचुअल फंड का वितरण कर रहा है। यह फंड हैं : प्रिंसीपल, यूटीआई, एसबीआई, फ्रेंकलिन टेम्पलटन एवं रिलायंस म्युचुअल फंड। यह सेवा आम आदमी तक देश के पूंजी बाजार का दायरा फैला रही है और साथ ही उसे बाजार आधारित निवेश विकल्प भी उपलब्ध करा रही है।

पीओएसबी खाता धारकों को दुर्घटनावश मृत्यु बीमा : इस विभाग ने ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ गठबंधन किया है और यह मामूली प्रीमियम अदा करने वाले बचत खाता धारकों को दुर्घटनावश मृत्यु बीमा अनुरोध के आधार पर प्रदान कर रहा है। यह योजना 20 जनवरी, 2006 को आरंभ की गई थी। यह योजना ओरिएंटल बीमा कंपनी द्वारा डाकखाने के माध्यम से पहले से बेची जा रही योजनाओं के अतिरिक्त योजना है। यह डाकखाना बचत बैंकों, ग्राहकों के लिए मूल्य संवर्धन हैं। यह योजना संपूर्ण वर्ष के लिए सिर्फ 15 रुपये की प्रीमियम पर एक वर्ष के लिए एक लाख रुपये का बीमा प्रदान करता है। ग्रामीण एवं दूरस्थ इलाकों में यह योजना लोकप्रिय है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के पेंशन उत्पादों का डाकखानों द्वारा वितरण

डाक विभाग ने 17.09.08 को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के साथ अपने चुनींदा डाकघरों के माध्यम से परामर्श नमूने पर उनके पेंशन उत्पादों की खुदरा बिक्री का समझौता किया है। भारतीय डाक विभाग के परामर्श पर पॉलिसी खरीदने वाले ग्राहकों द्वारा जमा किए गए प्रीमियम में से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निर्धारित प्रतिशत के अनुसार शुल्क का भुगतान करता है।

ई-मनीऑर्डर

डाक विभाग ने 10.10.08 को ईएमओ सेवा आरंभ की है। इलेक्ट्रॉनिक मनीऑर्डर प्रणाली के अंतर्गत मनीऑर्डर की राशि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाता है। इसके लिए डाकघर में वान/ब्रॉडबैंड

कनेक्शन की सुविधा होनी चाहिए। यह आपस में जुड़े एचओ तथा एसओ अपने से संबद्ध अन्य एचओ एवं (उनमें खाताधारी एसओ एवं बीओ सहित) को ईएमओ संप्रेषित करेंगे। पुरानी व्यवस्था के मुकाबले ईएमओ का फायदा यह है कि ग्राहक को अतिरिक्त शुल्क चुकाए बिना ही कम समय में पैसा स्थानांतरित होने की सुविधा मिल जाती है। इसके साथ ही सेंट्रल डेटा बेस में एमआईएस की उपलब्धता से सेवा की अधिक दक्ष एवं सुधरी हुई गुणवत्ता हासिल होती है।

प्रमुख उपादान

साधारण मनीऑर्डर के समान ही शुल्क ढांचा होगा और निम्नलिखित उपादान होंगे :

- स्टैंडर्ड कोड में ही संदेश
- अठारह अंकों के पीएनआर नंबर के माध्यम से निगरानी सुविधा।
- थोक प्रदाता द्वारा दी गई सूची के आधार पर ईएमओ की थोक बुकिंग और भेजा गया विवरण सॉफ्ट कॉपी यानी कंप्यूटर आंकड़ों की सीडी आदि के रूप में उपलब्ध।
- थोक ईएमओ का भुगतान एकीकृत सूची द्वारा।
- थोक बुकिंग/भुगतान के मामले में प्रदाता तथा आदाता के लिए एमआईएस।

भुगतान के बाद भुगतान पाने वाले पोस्ट ऑफिस को भुगतान का विवरण सेंट्रल सर्वर को भेजना होता है।

ईसीएस स्कीम

इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) डाक विभाग द्वारा 'मासिक आय योजना' (एमआईएस) के अंतर्गत ब्याज के मासिक भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के सभी 15 स्थानों तथा भारतीय स्टेट बैंक के 21 स्थानों पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना का लाभ यह है कि बिना कागजी उपकरण का प्रयोग किए डाक विभाग बेहतर उपभोक्ता सेवा का कारक बन रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा)

भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) सितंबर, 2005 में लागू किया था। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। इसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हरेक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा का मजदूरी रोजगार देने का प्रावधान है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की मजदूरी के भुगतान की जिम्मेदारी डाक विभाग को सौंपी गई है। यह कार्य विभाग डाकघरों (एचओ/बीओ/एसओ सहित) के माध्यम से कर रहा है। डाकखानों में 31 मार्च, 2009 तक इस योजना के लाभार्थियों के लगभग 2.92 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिनके द्वारा लाभार्थियों को 3907 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। डाक विभाग को 2009-10 की सालाना योजना में इस परियोजना को प्लान स्कीम के रूप में लागू करने के लिए 100 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं और ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2009-10 की समाप्ति तक डाकखानों में करीब पांच करोड़ खातों में लेनदेन होने लगेगा।

डाक जीवन बीमा

डाक जीवन बीमा की शुरुआत 1884 में डाक कर्मचारियों के लिए कल्याण के उपाय के तौर पर की गई थी। कालांतर में केंद्र/राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त

संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों तथा डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों तथा रक्षा एवं अर्धसैनिक कार्मिकों के लिए इसका विस्तार किया गया।

डाक जीवन बीमा के अंतर्गत सात योजनाएं हैं : 1. सुरक्षा (जीवन भर का बीमा), 2. सुविधा (परिवर्तनीय जीवन भर के लिए बीमा), 3. संतोष (एंडाउमेंट बीमा), 4. सुमंगल (पूर्वानुमानित एंडाउमेंट बीमा), 5. युगल सुरक्षा (दंपतियों के लिए संयुक्त एंडाउमेंट बीमा), 6. बाल बीमा। मार्च, 2006 तक एवं विकलांग बीमा। चालू पालिसियों की संख्या 31/03/2009 तक कुल 38,41,539 थी। कुल राशि 31/03/2009 तक 14152.59 करोड़ रुपए जमा थी।

ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरुआत 24 मार्च, 1995 को की गई थी। डाक जीवन बीमा की इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों तथा समाज के कमजोर वर्गों को कम प्रीमियम पर बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना था। इसे अब स्थायी आधार पर चलाने की अनुमति दे दी गई है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत सात तरह की योजनाएं हैं : 1. ग्राम सुरक्षा (जीवन भर का बीमा), 2. ग्राम सुविधा (परिवर्तन की सुविधा के साथ जीवन भर का बीमा), 3. ग्राम संतोष (एंडाउमेंट बीमा), 4. ग्राम सुमंगल (पूर्वानुमानित एंडाउमेंट बीमा), 5. ग्राम प्रिय (10 वर्षीय पूर्वानुमानित एंडाउमेंट (बीमा), 6. बाल बीमा। (मार्च 2006 तक) 7. विकलांग बीमा। चालू पालिसियों की संख्या 31/03/2009 तक 73,56,446 थी और 31/03/2009 तक 3994.36 करोड़ रुपए जमा थे।

ग्राहक सेवा

जनता की शिकायतें निपटाने के लिए डाक विभाग की 1948 से ही सुव्यवस्थित प्रणाली है। इस समय जिला मुख्यालय/मंडलीय मुख्यालय स्तर पर 1500 कंप्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केंद्र हैं। इनका उद्देश्य जनशिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए सभी यूनितों के बीच ऑनलाइन सूचना का आदान-प्रदान करना है। साथ ही शिकायत निवारण एवं सूचना पाने के लिए ग्राहकों को सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध कराना भी लक्ष्य है। देश के सभी मुख्य डाकघर इस नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं और इसका उद्देश्य जनता की शिकायतें निपटाने के साथ-साथ ग्राहकों द्वारा वांछित सूचना तथा सहायता शीघ्रता तथा आसानी से उपलब्ध कराना है। प्रत्येक डाकघर शिकायत प्राप्ति केंद्र का कार्य करता है जिससे यह प्रणाली ग्राहकों के लिए आसानी से सुलभ हो जाती है। वर्ष 2001 से डाक विभाग ने ग्राहकों के लिए शिकायतों को www.indiapost.gov.in पर आन लाइन दर्ज कराने की प्रणाली प्रारंभ की है और 2003 से इसने शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने के लिए ग्राहक सेवा केंद्रों को आपस में जोड़ने के लिए वैब आधारित प्रणाली का विकास किया है। विभाग अपना नागरिक अधिकार पत्र देश के सभी प्रमुख डाकघरों तथा बड़े उपडाक घरों तथा प्रोजेक्ट ऐरो लागू करने को चयनित बड़ी संख्या में डाक घरों में लागू कर चुका है। चार्टर को अन्य उपडाक घरों सामयिक नागरिक अधिकार पत्र www.indiapost.gov.in पते पर उपलब्ध है। इसमें दृष्टि, मिशन, संगठन का परिचय, नागरिक अधिकार पत्र का उद्देश्य, डाक सेवाएं तथा उपभोक्ता सुविधाएं, डाक उत्पाद एवं सेवाएं, वितरण के मानक, तथा उपभोक्ता की अपेक्षाएं उल्लिखित हैं। साथ ही शिकायत निवारण प्रणाली, संगठन के दायित्व तथा प्रशासनिक ढांचे का विवरण भी मौजूद है।

विभाग ने व्यक्तिगत दौड़ों, टेलीफोन संदेशों तथा प्रश्नावलियों के माध्यम से भी ग्राहकों की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया है। भारतीय डाक विभाग को नई दिल्ली जनरल पोस्ट ऑफिस में 'सर्वोत्तम' नामक लोक सेवा वितरण उत्कृष्टता मॉडल लागू करने के लिए आईएस 15700:2005 प्रमाण पत्र मिला है। यह प्रमाण पत्र 11 अप्रैल, 2008 को मिला था और तीन वर्ष की अवधि के लिए है। भारतीय डाक को यह योजना लागू करने वाला पहला सरकारी विभाग होने का गौरव हासिल हुआ है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 को विभाग में लागू करने के अतिरिक्त भारतीय डाक विभाग आम जनता को विशिष्ट सेवा दे रहा है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों एवं संगठनों के कुछ विशिष्ट केंद्रीय सार्वजनिक अधिकरणों से संबंध आरटीआई प्रार्थना पत्रों को जिला/उपजिलास्तरीय डाकघरों में निर्धारित कैपियों के पास जमा कराया जा सकता है। इस प्रकार के आवेदनों को कैपियों (सीएपीआईओ) द्वारा अविलंब संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों के निर्धारित प्रभारी अधिकारी को भेज दिया जाता है। आवेदक को पावती भी भेजी जाती है। विभाग द्वारा प्रयोग के लिए एनआईसी द्वारा विकसित कैपियो प्रणाली को 4000 से अधिक डाकखानों में चालू कर दिया गया है। प्रोजेक्ट ऐरो के अंतर्गत चयनित कार्यालयों को सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स (कैपियो) के रूप में कार्य करने को अधिकृत किया जा रहा है। डाक विभाग ने वर्तमान में देश भर में 778 पदों को सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के रूप में अधिकृत किया है। वर्ष 2008-09 के दौरान डाक विभाग ने विभाग के भीतर सूचना के 25598 आवेदनों पर कार्रवाई की तथा अन्य केंद्रीय सरकारी/मंत्रालयों/विभागों की ओर से सूचना के लिए 8265 आवेदनों को प्राप्त किया।

प्रौद्योगिकीय उन्नयन

भारतीय डाक सेवा आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा उपभोक्ताओं एवं कर्मचारियों को और अधिक संतुष्ट करने के साथ ही साथ अपना राजस्व बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत है। डाक विभाग का यह लक्ष्य है कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अपने क्षेत्र में अव्वल स्थिति प्राप्त की जाए। और डाक सेवाएं उपलब्ध कराने में श्रेष्ठता हासिल की जाए ताकि विभाग को आधुनिक संचार एवं वित्तीय सेवा एजेंसी का स्वरूप प्रदान किया जा सके।

डाकघरों को कंप्यूटरीकृत करके नेटवर्क से जोड़ना

डाक विभाग ने मार्च, 2009 के अंत तक सभी मुख्य डाकघरों तथा बड़ी संख्या में उप-डाकघरों को कंप्यूटर तथा उससे संबंध उपकरण यथा-प्रिंटर, स्कैनर, तुला, मोडम आदि तथा उन्हें चलाने के लिए उचित बिजली उपकरण जैसे- जेनरेटर सेट, यूपीएस आदि की आपूर्ति की जा चुकी है। मार्च, 2009 तक कुल 9939 डाकखानों को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर भी, सभी मुख्य डाकघरों, प्रशासनिक कार्यालयों प्रमुख स्पीड पोस्ट केंद्रों और लेखा कार्यालयों को आपस में जोड़ने के लिए वान (वाइड एरिया नेटवर्क) भी स्थापित कर रहा है। इस नेटवर्क के अंतर्गत मार्च, 2009 तक, 1274 कार्यालयों को आपस में जोड़ा जा चुका है। नई दिल्ली एवं मैसूर में नेशनल डेटा सेंटर स्थापित किया गया है। और इस डेटा सेंटर को भी वान से जोड़ा गया है।

प्रोजेक्ट ऐरो तथा नया शब्द चिह्न (लोगो)

अपने आधारभूत कार्यकलापों को मजबूत करने तथा आम आदमी को भी नई प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डाक विभाग ने 'प्रोजेक्ट ऐरो' नामक परियोजना आरंभ की है। इस परियोजना का उद्देश्य डाकघरों की नई पहचान बनाना है, जिसके लिए उनमें भीतरी और बाहरी साज-सज्जा को आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही उनमें बुनियादी ढांचा सुधारा जा रहा है और अपने मुख्य कार्यों जिनमें आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी संवर्धित सेवाएं एवं प्रक्रियाएं शामिल हैं, भी विस्तृत किया जा रहा है। परियोजना को कर्मचारियों एवं ग्राहकों द्वारा व्यापक रूप में स्वीकार करने एवं सराहे

जाने के मद्देनजर इसे देश भर में और 500 डाकघरों में लागू किया जा रहा है। इस गतिविधि के लिए 65 करोड़ रुपए की राशि वर्ष 2009-10 के दौरान आबंटित की गई है।

प्रोजेक्ट ऐरो के अंतर्गत भारतीय डाक के लिए नया शब्द चिह्न (लोगो) 23 सितंबर, 2008 को नई दिल्ली में विमोचित किया गया है। नए लोगो में भारतीय डाक (इंडिया पोस्ट) को अग्रदृष्टा एवं आधुनिक संगठन के रूप में निरूपित किया गया है, जो भौगोलिक दूरी को पाटते हुए भावनाओं और अभिव्यक्तियों को संप्रेषित करता है। नया लोगो लागू करने होने के साथ ही भारतीय डाक अपनी ग्राहक के प्रति, संवेदनशील एवं दक्ष संगठन के रूप में नई और बेहतर छवि स्थापित करना चाहता है।

नवीन डाक निदर्शन

व्यापार से ग्राहक और व्यापार से व्यापार वर्ग की डाक संख्या में बढ़ोतरी होने से भारतीय डाक विभाग में डाक के स्वरूप में भारी परिवर्तन आया है। इसी के अनुरूप भारतीय डाक ने नया डाक निदर्शन अथवा नमूना तैयार किया है, जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके डाक के त्वरित वितरण के लिए प्रमुख केंद्र बनाए जाएंगे। डाक को थोक में इकट्ठा करने, छांटने और उसके वितरण के लिए एकीकृत डाक व्यापार केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनमें आधुनिकतम प्रौद्योगिकी तथा आधुनिक डाक उपकरणों का समावेश किया जा रहा है। देशभर में मार्च, 2009 तक 161 डाक व्यापार केंद्र (मेल बिज़नेस सेंटर्स) स्थापित किए जा चुके हैं।

देश के बड़े नगरों में डाक विभाग ने स्वचालित डाक छंटाई केंद्रों (ऑटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स) की स्थापना की भी योजना बनाई है ताकि डाक की त्वरित छंटाई और वितरण किया जा सके। डाक की आवाजाही से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में डाक, पार्सल और संभार तंत्र की ढुलाई के लिए पहली पूर्ण मालवाहक विमान सेवा आरंभ की है। विमान रोजाना कोलकाता-गुवाहाटी-इंफाल-अगरतला-कोलकाता के बीच डाक लाने-ले जाने के लिए उड़ान भरता है। डाक की आवाजाही को और अधिक सुस्थिर बनाने के लिए विभाग की प्रमुख महानगरीय केंद्रों पर और दो मालवाहक विमान सेवा आरंभ करने की योजना है। यह डाकवाहक विमान सेवाएं पूर्वोत्तर की विमान सेवा के इतर होंगी और यह सेवाएं केंद्र और शाखाओं के बीच ही हवाई आवाजाही करेंगी।

दूरसंचार

टेलीग्राफ और टेलीफोन के आविष्कार के तुरंत बाद ही भारत में दूरसंचार सेवाओं की शुरुआत हो गई थी। कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन 1851 में परियात के लिए चालू हुई। मार्च 1884 तक आगरा से कोलकाता को तार संदेश भेजे जा सकते थे। 1900 तक भारतीय रेलवे में टेलीग्राफ और टेलीफोन का उपयोग होने लगा था। टेलीग्राफ की ही तरह टेलीफोन सेवा की शुरुआत भी 1881-82 में टेलीफोन के आविष्कार के सिर्फ छह साल बाद कोलकाता में हुई। 700 लाइनों की क्षमता वाला पहला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज 1913-14 में शिमला में चालू किया गया।

भारत में दूरसंचार सेवाओं में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से अब तक महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। दूरसंचार क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश की अनुमति दिए जाने तथा स्वतंत्र नियामक की स्थापना के साथ ही दूरसंचार विभाग के सेवा प्रावधान कार्यकलापों को विलग करने तथा सरकारी सेवा प्रदाता सहित विभिन्न सेवा प्रदाताओं को समान अवसर प्रदान करने का मामला हल हो गया है। एक अक्टूबर, 2000 को नए सार्वजनिक उपक्रम भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का गठन किया गया। इस उपक्रम को पूर्व दूरसंचार सेवा विभाग (डीटीएस) के सभी सेवा कार्य सौंप दिए गए।

भारत में दूरसंचार सेवाएं, टेलीग्राफी और टेलीफोन के आविष्कार के तत्काल बाद आरंभ हो गई थीं। पहली टेलीग्राफ लाइन (तार सेवा) कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच परियात के लिए 1851 में खोली गई थी। मार्च, 1884 में आगरा से कोलकाता के बीच तार संदेश भेजे जाने लगे थे। वर्ष 1900 से भारतीय रेलवे को तार और टेलीफोन सेवा मिलनी शुरू हो गई थी। तार सेवा की भांती टेलीफोन सेवा भी टेलीफोन के आविष्कार के मात्र छह वर्ष बाद ही 1881-82 में कोलकाता में आरंभ कर दी गई थी। 700 लाइनों की क्षमता से युक्त प्रथम स्वचालित एस्सचेंज वर्ष 1913-14 में शिमला में चालू किया गया।

स्वतंत्रता से लेकर अब तक दूरसंचार सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है तथा दूरसंचार क्षेत्र में सुधार संबंधी कई उपाय किए गए हैं, जिनमें राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 की घोषणा भी शामिल है। इस नीति में कतिपय महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जैसे मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना, वाजिब दरों पर विश्व स्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराना, भारत का प्रमुख विनिर्माता/दूरसंचार उपस्कर निर्यातक के रूप में विकास सुनिश्चित करना तथा सभी गांवों को सार्वभौमिक रूप से बुनियादी दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराना। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) नामक स्वतंत्र विनियामक की स्थापना 1997 में हुई थी और नई दूरसंचार नीति 1999 में घोषित की गई थी, जिसमें इस क्षेत्र के विकास के लिए ढांचा उपलब्ध कराने और सूचना प्रौद्योगिकी महाशक्ति (सुपर पॉवर) बनने की भारत की परिकल्पना को सुसाध्य बनाने और देश में एक विश्व स्तरीय अवसंरचना विकसित करने पर जोर दिया गया था।

तब से, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र अपने नागरिकों को वाजिब और प्रभावपूर्ण संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के अपने स्वप्न को पूरा करने में काफी हद तक सफल रहा है। परिणामस्वरूप, यह सबसे जरूरी सुविधा आज आम आदमी के लिए सुलभ है। ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी टेलीफोन सुविधारहित क्षेत्रों में सार्वभौमिक सेवा प्रदान करने के लिए सतत रूप से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। जिन अन्य क्षेत्रों में सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है उनमें आधुनिक तथा कुशल दूरसंचार अवसंरचना का विनिर्माण, दूरसंचार क्षेत्र को एक अत्यंत प्रतिस्पर्द्धी माहौल में बदलना, जिसमें सभी प्रचालकों के लिए प्रचालन के समान अवसर हों, देश के अनुसंधान और विकास प्रयासों में वृद्धि करना, स्पैक्ट्रम प्रबंधन में कौशल तथा पारदर्शिता लाना और भारतीय दूरसंचार कंपनियों को सही आयामों में ग्लोबल प्रचालक बनाना शामिल है।

दूरसंचार विभाग की पहलकारी (प्रोएक्टिव) नीतियों के साथ-साथ सुधार संबंधी उपायों के परिणामस्वरूप दूरसंचार क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 31 अगस्त, 2009 की स्थिति के अनुसार लगभग 497 मिलियन कनेक्शनों से युक्त भारतीय दूरसंचार नेटवर्क विश्व में तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। 31 अगस्त, 2009 की स्थिति के अनुसार भारत में 457 मिलियन वायरलेस फोनों से युक्त विश्व में दूसरा सबसे बड़ा वायरलेस नेटवर्क काम कर रहा है। भारत विश्वव्यापी दूरसंचार उद्योग के लिए एक प्रमुख आधार के रूप में उभर कर आया है और सरकार का यह प्रयास है कि वह इस महत्वपूर्ण उद्योग के और अधिक विकास को सुकर बनाए, क्योंकि यह केवल किसी एक ही क्षेत्र का विकास नहीं है, बल्कि समस्त अर्थव्यवस्था पर इसका विभिन्न तरह से प्रभाव पड़ता है।

दूरसंचार के विकास की संरचना और गठन में मोबाइल बनाम फिक्सड फोन तथा सार्वजनिक - निजी भागीदारी के हिसाब से काफी परिवर्तन आया है। बेतार सेवाओं का विकास असाधारण रहा है जिसमें अप्रैल, 2004 से 31.03.2009 के दौरान बेतार उपभोक्ताओं की संख्या 61.54 प्रतिशत प्रति वर्ष की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी है। आज, बेतार उपभोक्ता, देश में वायरलाइन उपभोक्ताओं से न केवल काफी अधिक हैं, अपितु काफी तेज़ रफ्तार से इनकी संख्या बढ़ रही है। बेतार फोनों की

हिस्सेदारी मार्च, 2003 में 24.3 प्रतिशत से बढ़कर 31 अगस्त, 2009 को 92.44 प्रतिशत हो गई है। बेतार फोनों की बेहतर उपलब्धि से सार्वभौमिक अभिगम्यता का उद्देश्य अधिक व्यवहार्य हो गया है।

सरकार के उदारीकरण प्रयास कुल टेलीफोन कनेक्शनों में निजी क्षेत्र की बढ़ती हुई हिस्सेदारी को देखते हुए स्पष्ट हैं, जो कि 1999 में मात्र 5% से बढ़कर अगस्त, 2009 में 80.98 प्रतिशत हो गई है।

ग्रामीण टेलीफोन में वृद्धि और दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीफोनों की अभिगम्यता, विभाग के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिस पर विभाग अधिक प्रयासरत है। यह सुविज्ञात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तृत प्रावधान से लोगों की बाजार अर्थव्यवस्था में भाग लेने की क्षमता बढ़ती है, जिससे कि उनकी उत्पादकता में सुधार आता है और उनकी आय में इसका योगदान होता है।

अगस्त, 2009 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 150.83 मिलियन फोन हैं तथा टेलीघनत्व 18.37% है और ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क विस्तार की कार्य नीति में व्यवहार्य क्षेत्रों में मुख्यतः बाजार कार्यविधि के माध्यम से और अव्यवहार्य क्षेत्रों में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के माध्यम से फोन प्रदान करना शामिल है। हालांकि ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) तथा ग्रामीण सामुदायिक फोन (आरसीपी) सार्वजनिक अभिगम्यता प्रदान करेंगे, लेकिन ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में अवसंरचना सर्जित करने के लिए यूएसओएफ के तहत ग्रामीण सामुदायिक फोन की एक योजना आरंभ की गई है।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि में ब्रॉडबैंड सेवा की महत्ता को स्वीकार करते हुए और ज्ञान आधारित समाज के लिए अच्छे माहौल को सर्जित करने के लिए, अक्टूबर, 2004 में घोषित ब्रॉडबैंड नीति में 2010 तक 20 मिलियन ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी। 11वीं योजना के लक्ष्यों में सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों तथा ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड प्रदान करने का प्रस्ताव है।

अगस्त, 2009 की स्थिति के अनुसार 6.98 मिलियन ब्रॉडबैंड उपभोक्ता हैं, जो कि 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार 0.18 मिलियन उपभोक्ताओं से काफी अधिक है।

शीघ्र नेटवर्क विस्तार हेतु भारी मात्रा में धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) एक महत्वपूर्ण स्रोत है। एफडीआई नीति, दूरसंचार क्षेत्र के विकास के लिए एक निवेश अनुकूल माहौल प्रदान करती है। अप्रैल, 2000 से जुलाई, 2009 तक दूरसंचार क्षेत्र में कुल एफडीआई इक्विटी इनफ्लो 33264 करोड़ रुपए रहा है जो कि इस अवधि के दौरान भारत में कुल एफडीआई इक्विटी इनफ्लो का 8% है।

दूरसंचार क्षेत्र में एफडीआई का भविष्य उज्ज्वल है। आज यह सेवाओं (वित्तीय तथा गैर वित्तीय) तथा कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर जिनमें क्रमशः 23% तथा 11% का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता है, के बाद दूरसंचार क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्तकर्ता है। हाल में सरकार ने भारतीय कंपनी में कुल विदेशी निवेश अर्थात् प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के विदेशी निवेश के परिकलन के संबंध में प्रेस नोट संख्या 2/2009 तथा जिन क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेश पर अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है वैसी भारतीय कंपनियों का स्वामित्व या नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों से अनिवासी नागरिकों को अंतरित करने के संबंध में प्रेस नोट संख्या 3/2009 जारी किए गए हैं।

सरकार, वाणिज्यिक दूरसंचार प्रचालकों के इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त स्पैक्ट्रम प्रदान करने के मुद्दे पर निरंतर कार्य कर रही है, ताकि इस महत्वपूर्ण संसाधन की कमी की वजह से इस गतिशील क्षेत्र

के विकास में कोई रुकावट न आए। सरकार ने बदलती प्रौद्योगिकियों के मूल्यांकन के आधार पर एक प्रगतिशील दृष्टिकोण और अन्य देशों के रुझानों के नक्शेकदम पर इस क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तनों की गति को तेज करने की आवश्यकता महसूस की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दूरसंचार सेवाएं न केवल उस पैमाने पर उपलब्ध कराई जा सकें, जितना कि समग्र रूप से अर्थव्यवस्था का तेज विकास बनाए रखने के लिए आवश्यक हो, अपितु इसलिए भी ताकि इन सेवाओं की गुणवत्ता तथा लागत भी एक आधुनिक होती हुई अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

दूरसंचार विभाग की उपलब्धियां

दूरसंचार क्षेत्र का निष्पादन : सुधारात्मक उपायों और सरकार की पहलकारी नीतियों के परिणामस्वरूप दूरसंचार क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। अगस्त, 2009 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार नेटवर्क जिसमें लगभग 494 मिलियन कनेक्शन काम कर रहे हैं (समग्र टेलीघनत्व 42.27%), विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वायरलेस नेटवर्क है। भारत का दूरसंचार बाजार विश्व में सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रहा बाजार है जिसमें प्रति माह 12 मिलियन से भी अधिक उपभोक्ता जुड़ रहे हैं।

दूरसंचार विभाग विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रशुल्कों पर अत्याधुनिक विश्वस्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराकर और दूरसंचार सेवा विहीन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करके सुविधायुक्त और सुविधाविहीन क्षेत्रों के बीच अंतर को कम करने में सफल रहा है। भारत विश्वभर में दूरसंचार उद्योग के लिए एक प्रमुख आधार के रूप में उभरा है।

समग्र टेलीघनत्व में मार्च 2004 के 7.02% की तुलना में अगस्त, 2009 में छह गुने से भी अधिक की वृद्धि हुई है और अब यह प्रतिशत 42.27% हो गया है। इसी अवधि के दौरान ग्रामीण टेलीघनत्व में ग्यारह गुने से भी अधिक वृद्धि हुई है और यह आंकड़ा 1.57% से बढ़कर 18.37% हो गया है। टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या 76.5 मिलियन की तुलना में छह गुना बढ़ कर अगस्त, 2009 में 494 मिलियन हो गई है। वायरलेस कनेक्शनों की संख्या 35.6 मिलियन की तुलना में बारह गुना से अधिक बढ़कर लगभग 457 मिलियन हो गई है।

अवसंरचना की भागीदारी : सरकार ने विभिन्न सेवा प्रदाताओं को सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार की अवसंरचना की भागीदारी के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि दूरसंचार अभिगम सेवा प्रदाताओं का निवेश कम हो सके और प्रशुल्क में और कमी हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीघनत्व में वृद्धि हो।

ब्रॉडबैंड : अगस्त, 2009 की स्थिति के अनुसार, 3935 शहरों, 5377 ब्लॉक मुख्यालयों और लगभग 85913 गांवों को कवर करने वाले 625 जिला मुख्यालयों में लगभग 6.98 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

देश में सभी गांवों को कवर करने वाले 100000 सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) की स्थापना होने से ब्रॉडबैंड की कवरेज को बढ़ावा मिलेगा। मई, 2009 की स्थिति के अनुसार 22,089 सामान्य सेवा केंद्रों को ब्रॉडबैंड से कवर किया गया है। ये सामान्य नागरिकों को इंटरनेट अभिगम्यता तथा ई-गवर्नेंस का लाभ प्रदान करेंगे।

अनुसंधान एवं विकास : नई प्रौद्योगिकियों का वर्धित प्रयोग, प्रचालनात्मक सेवाओं से निगमितीकरण, प्रतिस्पर्धा और विनियामक कार्यों का पृथक्कीकरण हेतु उन्नत स्तर की नीति विनियामक प्रबंधकीय और

प्रौद्योगिकीय दक्षता अपेक्षित है। ऐसी दक्षता सृजित करने के लिए क्षमता विकसित करने और उसे सशक्त करने के संबंध में टेलीकॉम सर्विस ऑफ एक्सीलेंस (टीसीओई) की स्थापना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में की गई है। प्रमुख शिक्षण संस्थानों आईआईटी, आईआईएम, अहमदाबाद और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सात टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं और प्रत्येक (टीसीओई) प्रमुख दूरसंचार प्रचालक से सहायता प्राप्त है।

ये केंद्र इस उद्योग के सहयोग से महत्वपूर्ण परियोजनाएं अभिज्ञात किए हैं और ये दूरसंचार के माध्यम से अति गरीब लोगों को शिक्षा और आर्थिक लाभ प्रदान करने की मूल अवधारणा के साथ ग्रामीण भारत के लिए कार्यकुशल दक्ष पूल, अत्याधुनिक अनुसंधान, उपभोक्ता केंद्रित विनियामक ढांचे और अभिनव व्यवसाय मॉडल सृजित करने के लिए कार्य कर रहे हैं।

दूरसंचार उद्यम विकास केंद्रों एवं दूरसंचार मानक विकास केंद्रों को स्थापित करने की भी योजना बनाई जा रही है।

भारत दूरसंचार 2008 : नई दिल्ली में 11 से 13 दिसंबर 2008 के बीच भारत दूरसंचार 2008 का आयोजन किया गया और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। भारत दूरसंचार 2008 की मुख्य विषय वस्तु 'ग्रामीण भारत को जोड़ना' ('कनेक्टिंग रूरल इंडिया') था। इस घटना से संपूर्ण दूरसंचार अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्टेकहोल्डरों के लिए नेटवर्किंग और व्यावसायिक अवसर उपलब्ध कराएंगी। माननीय प्रधानमंत्री ने भी माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से वीडियो काल प्राप्त करके भारत में 3जी मोबाइल सेवाओं का उद्घाटन किया। माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा प्रगति मैदान में भारत दूरसंचार 2008 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया।

भारत दूरसंचार 2009 : 'वायरलेस वर्ल्ड में भारत कैसे अग्रणी बन सकता है?' इस संबंध में विभिन्न देशों से विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संगठनों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए मंच प्रदान करने तथा सहयोग स्थापित करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। दो दिन के सम्मेलन में उन नये विकास संचालनों पर विचार-विमर्श हुआ जो भारत में तथा विश्व में दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं और ग्रामीण भारत में सीमलेस कनेक्टिविटी प्रदान करने के अवसरों और चुनौतियों पर केंद्रित हैं।

इस शीर्ष सम्मेलन के दौरान माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ सीईओ/एमडी भी उपस्थित थे। सभी निर्णायकों का एक ही बिंदु पर ध्यान यह निर्णय करने के लिए केंद्रित था कि भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को अगले लेवल पर लाने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के दृष्टिकोण को साझा करने के लिए निर्णायक एवं ठोस चर्चा की जाए।

दूरसंचार क्षेत्र में विनियामक ढांचा

1997 के आरंभ में दूरसंचार सेवाओं और इनसे संबंधित मामलों अथवा आनुषंगिक सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) की स्थापना की गई। उदारीकरण तथा दूरसंचार क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के संदर्भ में और सभी प्रचालकों को समान अवसर प्रदान करने के लिए विनियामक की स्थापना आवश्यक समझी गई।

वर्ष 2000 के प्रारंभ में ट्राई अधिनियम में संशोधन करके संपूर्ण दूरसंचार विनियामक ढांचे और विवाद समाधान तंत्र को सुदृढ़ किया गया। विनियामक (ट्राई) की भूमिका और कार्यों को स्पष्ट करने के

अलावा, इसे कतिपय अतिरिक्त कार्य भी सौंपे गए। विवादों का शीघ्रता से समाधान करने के लिए दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण नामक विवाद समाधान निकाय का अलग से गठन किया गया। भारत सरकार के दिनांक 9 जनवरी, 2004 की अधिसूचना के तहत प्रसारण और केबल सेवाओं को भी 'दूरसंचार सेवाएं' की परिभाषा के अंतर्गत लाया गया है।

ग्रामीण संचार सेवा योजना

ग्रामीण संचार सेवा योजना (जीएसएस) : इस योजना के अंतर्गत प्रदर्शन यूनिट सहित एक सचल स्थिर बेतार टर्मिनल होता है और वे इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष सुविधा प्रदान करने के लिए घर-घर तक जाते हैं। यह योजना फ्रैंचाइजी आधार पर मौजूदा एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ पर भी उपलब्ध है। इसे अंडमान और निकोबार, हरियाणा तथा पंजाब जहां पहले ही पर्याप्त/पूर्ण कवरेज उपलब्ध है, को छोड़कर पूरे देश में कार्यान्वित किया जाता है।

दिनांक 31.08.2009 की स्थिति के अनुसार देशभर में 10,421 जीएसएस के माध्यम से लगभग 2453 गांवों को कवर किया गया है। जीएसएस के अंतर्गत सभी किए जाने वाले कॉलों पर 20% कमीशन देय है। जीएसएस गांव में संबंधित व्यक्तियों को संदेश भेजने के लिए 5 रुपये प्रशुल्क ले सकता है।

प्रशुल्क पुनर्संतुलन उपाय

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में नीतिगत परिवर्तनों की प्रतिक्रिया में प्रशुल्क ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। भारत में दूरसंचार सेवाओं के लिए विनियामक (ट्राई) द्वारा दूरसंचार प्रशुल्क आदेश 1999 की अधिसूचना के जरिए प्रशुल्क नियमन की शुरुआत की गई। इस आदेश में देश में दूरसंचार सेवाओं के लिए व्यापक और दीर्घकालिक प्रशुल्क नीति संबंधी ढांचे की व्यवस्था की गई है। उक्त आदेश में संकल्पित प्रशुल्क में दूरसंचार का कम इस्तेमाल करने वाले प्रयोक्ताओं को विभिन्न सेवाओं से जोड़ने तथा इस प्रणाली का अधिकाधिक प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के सामाजिक उद्देश्य पर बल देते हुए लागतों में पुनर्संतुलन की बात शामिल की गई है। समय के साथ पुनर्संतुलन की इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय लंबी दूरी और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रशुल्कों में पर्याप्त कमी आई है। सेल्यूलर टेलीफोनी के क्षेत्र में भी प्रशुल्क दरों में पर्याप्त कमी आई है। विभिन्न विनियामक उपायों का प्रभाव भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में देखा जा सकता है। हम वहनीय प्रशुल्क प्राप्त करने और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने संबंधी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी सब्सिडी तंत्र को स्थापित करने में सफल हुए हैं। यह नीति प्रचालकों को वित्तीय निरंतरता प्रदान करने, क्षेत्र में दक्षता को बढ़ावा देने और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रही है। इसके परिणाम उपभोक्ता आधार में वृद्धि तथा प्रशुल्कों में गिरावट से स्पष्ट हैं। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ट्राई द्वारा की गई पहल के अंतर्गत लागत आधारित अंतर्संयोजन उपयोग शुल्क प्रणाली तथा कॉलिंग पार्टी पेज प्रणाली शामिल है। ट्राई दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्कों तथा सेवा की गुणवत्ता की लगातार निगरानी करता है। उन क्षेत्रों, जहां प्रतिस्पर्धा अपर्याप्त मानी जाती है, में प्रशुल्क में छूट की नीति का अनुसरण करते हुए प्रशुल्कों की उच्चतम सीमा निर्धारित की है। इस प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रशुल्क, रोमिंग सेवाओं तथा पट्टाशुदा सर्किटों को लगातार विनियमित किया जाता है।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि

संगठनात्मक ढांचा

1.1 सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का गठन संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत हुआ है। प्रशासक यूएसओ फंड इसके अध्यक्ष हैं जिनकी सहायता संयुक्त प्रशासक (तकनीकी), संयुक्त प्रशासक (वित्त) और उप महानिदेशक (ब्रॉडबैंड) सहायता करते हैं। उनका कार्यालय दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है।

तार अधिनियम का संशोधन

सार्वभौमिक सेवा सहायता नीति 01.04.2002 से लागू हुई है। सार्वभौमिक सेवा सहायता नीति दूरसंचार विभाग द्वारा जारी की गई थी और इसे 27 मार्च, 2002 को दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया गया था। तदनन्तर भारतीय तार अधिनियम, 1885 दिसंबर, 2003 में सार्वभौमिक सेवा दायित्व, निधि (यूएसओएफ) को स्वायत्तशासी का दर्जा देते हुए भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत संशोधन किया गया था। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सभी प्रकार की तार सेवाएं प्रदान करने के संबंध में भारतीय तार अधिनियम 1885 को संशोधित करने के लिए भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश 2006 के रूप में 30.10.2006 को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था। इसके पश्चात 29.12.2006 को भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम 2006 पारित किया गया था।

यूएसओएफ प्रशासन की नियमावली

निधि के प्रशासन की नियमावली जिसे भारतीय तार (संशोधन) नियमावली के रूप में जाना जाता है, प्रारंभ में 26.03.2004 को अधिसूचित की गई थी। तदनन्तर देश में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम बनाने हेतु नियमावली भारत तार (संशोधन) नियमावली, 2006 के रूप में संशोधित की गई और 17.11.2006 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। 01.04.2002 से पूर्व संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन हाउसहोल्ड सीधी एक्सचेंज लाइनों की प्रचालनात्मक स्थिरता के लिए पात्र प्रचालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 18.07.2008 को भारतीय तार (संशोधन) नियमावली 2008 के रूप में यह नियमावली पुनः संशोधित की गई।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के लिए संसाधन

सार्वभौमिक सेवा दायित्व के कार्यान्वयन के लिए संसाधन, सार्वभौमिक सेवा शुल्क (यूएसएल) द्वारा जुटाए जाते हैं, जो इस समय इंटरनेट, वायस मेल, ई-मेल सेवा प्रदाताओं जैसे विशुद्ध मूल्यवर्धित सेवा प्रदाताओं को छोड़कर, सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का अधिकतम 5% है। 01.10.2008 से ग्रामीण क्षेत्रों में फिक्सड वायर लाइन सेवाओं के लिए बुनियादी टेलीफोन सेवा/यूएसएल लाइसेंसधारियों द्वारा देय वार्षिक लाइसेंस शुल्क को हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार अनुदान और ऋण भी प्रदान कर सकती है। निधि की शेष राशि वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत नहीं होगी। इस निधि में धनराशि संसदीय अनुमोदनों के माध्यम से जमा की जा रही है।

क्रियाकलाप और उद्देश्य

यूएसओ फंड की स्थापना ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में वहनीय और तर्कसंगत मूल्य पर लोगों को

बुनियादी टेलीग्राफ सेवा उपलब्ध कराने के बुनियादी उद्देश्य से की गई थी। बाद में, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवा, ब्रॉडबैंड संयोजकता और ओएफपी जैसी अवसंरचनाओं के सर्जन सहित सभी प्रकार की टेलीग्राफ सेवाओं के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए इसके दायरे को बढ़ाया गया। नियमों के अनुसार निम्नलिखित सेवाओं को फंड द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी :

स्ट्रीम-I : सार्वजनिक दूरसंचार और सूचना सेवाएं प्रदान करना।

- (क) 1991 की जनगणना के अनुसार चिह्नित राजस्व गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन का प्रचालन और अनुरक्षण तथा 2001 की जनगणना के अनुसार अतिरिक्त राजस्व गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन का संस्थापन।
- (ख) प्रत्येक राजस्व गांव में एक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन का लक्ष्य प्राप्त करने के बाद अतिरिक्त ग्रामीण सामुदायिक फोनो का प्रावधान।
- (ग) 1 अप्रैल, 2002 से पूर्व संस्थापित मल्टी एक्सेस रेडियो रिले प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहे ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन को बदलना।

स्ट्रीम- II : समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा यथा-निर्धारित ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में घरेलू टेलीफोन प्रदान करना।

स्ट्रीम- III : - ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने हेतु अवसंरचना का सृजन।

स्ट्रीम- IV : गांवों में चरणबद्ध रूप में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना।

स्ट्रीम- V : दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिए ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सामान्य अवसंरचना का सृजन करना।

स्ट्रीम- VI : ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार क्षेत्र में हुए नवीन प्रौद्योगिकीय विकास को पहुंचाना।

भारतीय तार (संशोधन) नियमावली के अनुसार यूएसओ से संबंधित कार्यकलापों का क्रियान्वयन 'पात्र प्रचालकों' द्वारा किया जाता है जिसमें बुनियादी सेवा प्रचालक, सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाता, एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारी, अवसंरचना प्रदाता (आईपी- I) और इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) शामिल हैं। ये दूरसंचार सेवा प्रदाता सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों के हैं। यूएसओ फंड द्वारा जारी क्रियाकलापों के क्रियान्वयन की स्थिति का ब्योरा दूरसंचार विभाग की वेबसाइट (www.gov.in) पर उपलब्ध है।

जारी यूएसएफ क्रियाकलापों के क्रियान्वयन की मौजूदा स्थिति

स्ट्रीम- I : सार्वजनिक अभिगम

ग्रामीण सामुदायिक टेलीफोन

मौजूदा वीपीटी के लिए ओपैक्स

1991 की जनगणना के अनुसार देश में चिह्नित राजस्व गांवों में मौजूदा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए मार्च, 2003 में बीएसएनएल और अन्य निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा 2001 की जनगणना के अनुसार अतिरिक्त राजस्व गांवों में संस्थापित वीपीटी के लिए वित्तीय सहायता भी अनुमत्य है। 30 सितंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार लगभग 5.66 लाख अर्थात् 2001 की जनगणना के 95% आबादीयुक्त

राजस्व गांवों को पहले ही ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है। इसमें नीचे पैरा (ii) और (iii) में उल्लिखित भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए वीपीए और नए चिह्नित गांव भी शामिल हैं।

भारत निर्माण के अंतर्गत सुविधारहित वीपीटी

देश में 100 से कम जनसंख्या वाले गांवों, घने वन क्षेत्रों में स्थित और उग्रवाद से प्रभावित गांवों को छोड़कर, 62302 सुविधारहित गांवों में वीपीटी प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने हेतु नवंबर, 2004 में बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर हुए थे। इन गांवों में वीपीटी का प्रावधान भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए कार्यकलापों में शामिल है। 30 सितंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार 59800 वीपीटी, अर्थात् वीपीटी का 96% उपलब्ध करा दिए गए हैं। शेष वीपीटी को भी चरणबद्ध रूप में नवंबर, 2009 तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

नए चिह्नित वीपीटी

हाल ही में 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी वाले गांवों का समायोजन मौजूदा वीपीटी और भारत निर्माण के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए वीपीटी के आधार पर किया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार शेष सभी 62443 आबादी वाले गांवों को 31 अक्टूबर, 10.2008 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत वीपीटी की सुविधा के लिए उनकी जनसंख्या दूरी, पहुंच और कानून व्यवस्था आदि की स्थितियों के मानदंडों पर गौर किए बिना शामिल किया गया है। इस संबंध में 27 फरवरी, 2009 को बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। 30 सितंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार कुल 32932 वीपीटी इस करार के अंतर्गत उपलब्ध करा दिए गए हैं। शेष वीपीटी चरणबद्ध रूप से फरवरी, 2011 तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

एमएआरआर आधारित वीपीटी (एमएआरआर-क और एमएआरआर-ख) को बदलना

1,85,121 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन, जो 01 अप्रैल, 2002 के पूर्व संस्थापित किए गए थे और मल्टी ऐक्सेस रेडियो रीले (एमएआरआर) प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे थे, को विश्वसनीय प्रौद्योगिकी द्वारा बदलने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इनमें 30 जून, 2003 से पहले बदले गए 47075 एमएआरआर वीपीटी (एमएआरआर-बी) और 01 जुलाई, 2003 के बाद से बदले जाने वाले 138046 एमएआरआर वीपीटी (एमएआरआर-ए) शामिल हैं। 30 सितंबर, 2009 तक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा एमएआरआर प्रौद्योगिकी आधारित कुल 1,84,284 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को बदला गया है। एमएआरआर प्रौद्योगिकी आधारित शेष ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को नवंबर, 2009 तक बदल दिए जाने की संभावना है।

ग्रामीण सामुदायिक फोन का प्रावधान

2000 से अधिक आबादी वाले तथा पीसीओ सुविधारहित गांवों में 40,705 ग्रामीण सामुदायिक फोन (आरसीपी) (बीएसएनएल : 21,958, आरआईएल : 18,747) प्रदान करने के लिए 30 सितंबर, 2004 के करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इनमें से सितंबर, 2009 तक नीचे दिए गए विवरणानुसार 40691 ग्रामीण सामुदायिक फोन प्रदान कर दिए गए हैं। शेष ग्रामीण सामुदायिक फोनों के दिसंबर, 2009 तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है।

सेवा प्रदाता	लक्ष्य	उपलब्धि
बीएसएनएल	21958	21958
आरसीएल	18747	18733
कुल	40705	40691

स्ट्रीम- II : व्यक्तिगत अभिगम्यता

01 अप्रैल, 2002 से पूर्व संस्थापित आरडीईएल (आरडीईएल-डी) के लिए सहायता

01 अप्रैल, 2002 से पूर्व संस्थापित लगभग 90.5 लाख ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों (आरडीईएल) के लिए टीआरएआई द्वारा निर्धारित किराया और सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित किराया के बीच किराया में अंतर के लिए सहायता प्रदान की गई है। यह सहायता 01 अप्रैल, 2002 से 31 जनवरी, 2004 तक सीमित अवधि के लिए थी।

01 अप्रैल, 2005 के बाद संस्थापित आरडीईएल (आरडीईएल-क और आरडीईएल-एक्स) के लिए सहायता

01 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2007 (आरडीईएल-ए) की अवधि के दौरान संस्थापित की जाने वाली ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों की संस्थापना के लिए मार्च, 2005 में मै. बीएसएनएल, मै. आरआईएल, मै. टीटीएल और मै. टीटीएल (महाराष्ट्र) के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनें 1685 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) में संस्थापित किए जाने थे जिनमें टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की लागत, अर्जित राजस्व से अधिक आती है।

तदनुसार ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों के संस्थापन की अंतिम तिथि को 31 मार्च, 2010 (आरडीईएल-एक्स) तक बढ़ा दिया गया है। 30 सितंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के अंतर्गत यूएसओ निधि से आर्थिक सहायता के द्वारा लगभग 66.8 लाख ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान की गई हैं।

01 अप्रैल, 2002 और 31 मार्च, 2005 की अवधि के दौरान संस्थापित ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों के लिए सहायता (आरडीईएल-बी)

01 अप्रैल, 2002 और 31 मार्च, 2005 की अवधि के दौरान पात्र अल्पदूरी प्रभारण क्षेत्रों में संस्थापित लगभग 18,65,690 ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों (बीएसएनएल : 1826923, आरआईएल : 38767) के लिए भी उसी नमूना दर पर आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके संबंध में मई, 2005 और अगस्त, 2005 में मै. बीएसएनएल और मै. आरआईएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

01 अप्रैल, 2002 से पूर्व संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों की प्रचालन धारणीयता के लिए सहायता

12 मार्च, 2009 को बीएसएनएल के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें समाप्त की जा रही एडीसी के बदले में 01 अप्रैल, 2002 से पूर्व संस्थापित बीएसएनएल की ग्रामीण वायरलाइन घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों की प्रचालन धारणीयता के लिए यूएसओएफ से तीन वर्षों की अवधि के लिए बीएसएनएल को 2000 करोड़ रु. वार्षिक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

स्ट्रीम III : मोबाइल सेवाएं

साझा मोबाइल अवसंरचना स्कीम (चरण-I)

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा 27 राज्यों के 500 जिलों में अवस्थित उन विनिर्दिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों, जिनमें स्थिर वायरलेस अथवा मोबाइल फोन की सुविधा नहीं है, में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए 7871 अवसंरचना स्थलों (टावरों) की संस्थापना और प्रबंधन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु हाल ही में एक स्कीम शुरू की गयी है। टावरों की संख्या में परिवर्तन करारों के निबंधन और शर्तों के अनुसार अर्जित कवरेज और वास्तविक क्षेत्र परीक्षण के आधार के अध्यधीन है।

इस प्रकार से सृजित अवसंरचना को मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए तीन सेवा प्रदाताओं द्वारा साझे में उपयोग किया जाएगा। मई, 2007 में सफल बोलीदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित करार 01.06.2007 से लागू है। 30.09.2009 की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के अंतर्गत 6566 टावर स्थापित किए जा चुके हैं। शेष टावर संस्थापन का कार्य विभिन्न स्तरों पर हैं। इस स्कीम के तहत अधिकतर टॉवरों को चरणबद्ध रूप से दिसंबर, 2009 तक चालू कर दिए जाने की संभावना है।

सफल बोलीदाताओं द्वारा चालू किए गए टॉवरों की संख्या

क्र. सं.	बोलीदाता का नाम	स्थापित किए जाने वाले टावरों की संख्या	टावरों की संशोधित संख्या	चालू टावरों की संख्या
1.	भारत संचार निगम लिमिटेड	6175	5843	5006
2.	जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	421	412	409
3.	बोडाफोन एस्सार सेल्यूलर लिमिटेड	123	93	93
4.	बोडाफोन एस्सार साउथ लिमिटेड	208	216	216
5.	राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड (अब के एफसी)	384	376	374
6.	क्विपो टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	88	88	88
7.	रिलायंस कम्युनिकेशंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	472	408	380
कुल		7871	7436	6566

*- टावरों की संख्या करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार वास्तविक क्षेत्र सर्वेक्षण और हासिल किए गए टेलीफोन सुविधा के लक्ष्य के आधार पर बदल सकती है।

इस प्रकार सृजित अवसंरचना का प्रयोग करते हुए, 31.08.2009 की स्थिति के अनुसार विभिन्न सार्वभौमिक सेवा प्रदाताओं द्वारा 8394 बीटीएस चालू किए गए हैं।

स्ट्रीम- IV : ग्राम स्तर तक वायरलाइन ब्राडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा को बढ़ाने के लिए ग्रामीण ब्राडबैंड स्कीम

मौजूदा ग्रामीण एक्सचेंजों की अवसंरचना और कॉपर वायर-लाइन नेटवर्क को मजबूत बनाकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में वायर-लाइन ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक स्कीम की शुरुआत की

गई है। इसका उद्देश्य, ब्रॉडबैंड अवसंरचना सृजित करने के लिए सेवा प्रदाताओं को सुविधा प्रदान करके ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र ब्रॉडबैंड को सक्षम बनाना है। फिक्स्ड मोड में डाटा, वायस और वीडियो सेवाएं डीलिवर करने की क्षमता के साथ प्रत्येक ब्रॉडबैंड की स्पीड कम से कम 512 केबीपीएस आलवेज आन होगी। ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी संस्थानिक प्रयोक्ताओं जैसे कि डीआईटी द्वारा स्थापित किए जा रहे ग्राम सेवा केंद्रों, नाम पंयायतों, उच्च माध्यमिक स्कूलों और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा साथ ही गांवों में स्थित व्यक्तिक प्रयोक्ताओं को कवर करेगी।

5 वर्षों की अवधि अर्थात 2014 तक इस स्कीम के तहत व्यक्तिक प्रयोक्ताओं और सरकारी संस्थानों को 8,61,459 वायर-लाईन ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करने तथा 27789 क्योस्क स्थापित करने के लिए 20 जनवरी, 2009 को बीएसएनएल के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। (i) ब्रॉडबैंड कनेक्शनों; उपभोक्ता परिसर उपस्कर (सीपीई), कंप्यूटर/कंप्यूटिंग डिवाइस और (ii) ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए सार्वजनिक अभिगम हेतु क्योस्क संस्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता वितरित की गई है। 30 सितंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के तहत बीएसएनएल द्वारा 68622 ब्रॉडबैंड कनेक्शन तथा 5 क्योस्क प्रदान किए गए हैं।

बीएसओ/यूएसएल के लिए दूरसंचार विभाग से वैध लाइसेंस प्राप्त करके सेवा प्रदाता भी इस स्कीम के तहत आवेदन करने के पात्र थे तथा उनकी रूचि की अभिव्यक्ति पर विचार किया जा रहा है।

योजित यूएसएफ योजनाएं

(क) स्ट्रीम- III : साझा मोबाइल अवसंरचना स्कीम (चरण-II और III)

मोबाइल सेवाओं के माध्यम से देश में अन्य सुविधारहित क्षेत्रों को कवर करने का प्रस्ताव है जिसके लिए अतिरिक्त टॉवरों की पहचान की जा रही है। ऐसे गांव व गांवों का ऐसा समूह जिनकी जनसंख्या 500 या 500 से अधिक है तथा जहां मोबाइल कवरेज नहीं है वहां इस स्कीम के तहत टॉवर संस्थापित करने के लिए विचार किया गया है।

(ख) स्ट्रीम- IV : ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेतार ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

लगभग 2 लाख गांवों में भी बेतार ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रस्ताव है। विभिन्न प्रयोक्ता मंत्रालय/विभाग अपनी आवश्यकताओं को वरीयता प्रदान करने तथा मजबूती प्रदान करने के लिए समन्वय स्थापित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, स्पेक्ट्रम की उपलब्धता और आवंटन प्रक्रिया सहित इस विषय से संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। सरकार द्वारा बीडब्ल्यूए और 3जी स्पेक्ट्रम नीलामी स्थिति की घोषणा के पश्चात इस योजना की शुरुआत की जाएगी।

(ग) स्ट्रीम- V : ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य अवसंरचना जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल का सृजन

ग्रामीण क्षेत्रों में अभिगम नेटवर्क से उनके कोर नेटवर्क में वॉयस और डाटा परियात को सम्मिलित करने के लिए पर्याप्त बैंक-हाल क्षमता उपलब्ध कराने के मद्देनजर, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में ओएफसी नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए यूएसओएफ ने पहल की है। इस स्कीम में, शुरुआत में ब्लॉक मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों के बीच ओएफसी नेटवर्क संवर्धन पर ध्यान दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु सबसे पहले असम राज्य को लिया गया है।

(घ) स्ट्रीम- VI : प्रायोगिक परियोजना

ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में प्रायोगिक परियोजना आधार पर दूरसंचार क्षेत्र की नई प्रौद्योगिकीय गतिविधियों को शामिल करने के लिए, एक स्कीम चालू की गई है जिसमें लगभग पांच प्रायोगिक परियोजनाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रायोगिक आधार पर 20 स्थलों के लिए नवीकरण ऊर्जा संसाधनों (सौर, पवन, डीजल हाइब्रिड समाधान) हेतु भी सहायता प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लाइटिंग ए बिलियन लाइव (एलएबीएल) की टेरी परियोजना के माध्यम से 5000 गांवों में मोबाइल प्रभारण केंद्रों हेतु सहायता प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है।

बजट आबंटन और संवितरण

31 अगस्त, 2009 की स्थिति के अनुसार निधियों का संवितरण और उपलब्धता की स्थिति

(करोड़ रु. में)

वर्ष	आरंभिक शेष	यूएसएल के रूप में संग्रहित निधियां	आबंटित निधियां	संवितरित निधियां	वर्ष के अंत में शेष
2002-03	0.00	1653.61	300.00	300.00	1353.61
2003-04	1353.61	2143.22	200.00	200.00	3296.83
2004-05	3296.83	3457.73	1314.59	1314.59	5439.97
2005-06	5439.97	3533.29	1766.85	1766.85	7206.41
2006-07	7206.41	4211.13	1500.00	1500.00	9917.54
2007-08	9917.54	5405.46	1290.00	1290.00	14033.00
2008-09	14033.00 *	5759.52#	1600.00	1600.00	18192.52
2009-10	18192.52 *		2400.00 **	972.46	
कुल		26163.96	7971.44	7971.44	18192.52 *

वर्ष 2008-09 के लिए यूएसएल वसूली के नए आंकड़े

* वित्त मंत्रालय ने यह उल्लेख किया है कि उपलब्ध शेष को मालूम करने के लिए वर्ष 2002-2003 से 2005-2006 की अवधि के दौरान ग्रामीण दायित्व को पूरा करने के लिए बीएसएनएल को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभारों के लिए 6949 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति को भी हिसाब में लेना अपेक्षित है। बीएसएनएल को की गई क्षतिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2009-10 के आरंभ में उपलब्ध शेष 11243.52 करोड़ रु. (18192.52-6949) होगा।

** वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए 3000 करोड़ रु. के संशोधित बजट प्राक्कलन की तुलना में 2400 करोड़ रु. का बजट आबंटन मिलने की संभावना है।

बुनियादी टेलीफोन सेवा, सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा और एकीकृत अभिगम सेवाएं

बुनियादी टेलीफोन सेवाओं के लिए राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड पदस्थ प्रचालक हैं। एमटीएनएल, दो महानगरों नामतः दिल्ली और मुंबई में बुनियादी टेलीफोन सेवाएं प्रदान करता है। बीएसएनएल शेष भारत में बुनियादी टेलीफोन सेवाएं प्रदान करता है।

विभिन्न सेवा क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए 1996 से 2001 के बीच एक सेवा क्षेत्र में अधिकतम चार लाइसेंस प्रदान करते हुए 78 सीएमटीएस लाइसेंस मंजूर किए गए थे।

विभिन्न सेवा क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए 1996 से 2001 के बीच 78 सीएमटीएस लाइसेंस, एक सेवा क्षेत्र में अधिकतम चार लाइसेंस मंजूर किए गए थे।

एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसिंग प्रणाली नवंबर, 2003 में शुरू की गई थी और इसके लिए नई दूरसंचार नीति-1999 में भी संशोधन किया गया था। मौजूदा बुनियादी और सीएमटीएस लाइसेंसधारकों को यूएस लाइसेंसिंग प्रणाली में स्थानांतरण के लिए पेशकश की गई थी। सभी अन्य बुनियादी सेवा प्रदाता यूएस लाइसेंसिंग प्रणाली में स्थानांतरित हो गए हैं। तथापि, अभी तक 38 सीएमटीएस लाइसेंसधारी यूएस लाइसेंसिंग प्रणाली में स्थानांतरित नहीं हुए हैं।

यूएस लाइसेंसिंग के उद्देश्य से देश को 22 सेवा क्षेत्रों में बांटा गया है। वर्तमान में, दिनांक 14 दिसंबर, 2005 के यूएस लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के अंतर्गत यूएस लाइसेंसिंग प्रदान किए जाते हैं। यूएस लाइसेंसों की मंजूरी के लिए, सेवा क्षेत्र के आधार पर आवेदक को 1 करोड़ से 233 करोड़ रु. के बीच का अप्रतिदेय प्रविष्टि शुल्क अदा करना अपेक्षित है। वार्षिक लाइसेंस शुल्क इसे 6 से 10% समायोजित सफल राजस्व (एजीआर) के रूप में सेवा क्षेत्र की श्रेणी के अनुसार देय है। यदि सेवा प्रदाता अभिगम सेवाएं प्रदान करने के लिए बेतार फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का प्रयोग कर रहे हैं तो उन्हें वार्षिक लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त, स्पेक्ट्रम शुल्क भी अदा करना होगा।

31 मई, 2009 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 452.91 मिलियन है, जिसमें 415.25 मिलियन मोबाइल उपभोक्ता भी शामिल हैं। भारत में औसत टेलीघनत्व 38.88 है। देश में बुनियादी, सीएमटीएस और यूएस सहित अभिगम सेवा लाइसेंसधारकों की कुल संख्या 281 है। प्रत्येक सेवा क्षेत्र में यूएस लाइसेंसधारकों की संख्या 12 से 13 के बीच है।

राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा

राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) सेवा निजी क्षेत्र के लिए दिनांक 13 अगस्त, 2000 से खोली गई थी। 2.5 करोड़ रु. के नेटवर्क और 2.5 करोड़ रु. की प्रदत्त इक्विटी वाली पंजीकृत भारतीय कंपनियां आवेदन करने की पात्र हैं। संपूर्ण लाइसेंस अवधि के दौरान किसी भी समय आवेदक कंपनी में कुल विदेशी इक्विटी 74 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनिवासी भारतीय/ओसीबी/अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों द्वारा आवेदक कंपनी की इक्विटी में निवेश को इसकी विदेशी इक्विटी में गिना जाएगा। लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पहले 2.5 करोड़ रु. का प्रवेश शुल्क प्रस्तुत करना होता है। प्रचालकों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एक एनएलडी प्रचालक देश में अंतर सर्फिकल परियात का वहन कर सकता है। एनएलडीओ के लिए लाइसेंस गैर-विशिष्ट आधार पर 20 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाता है और इसे एक बारगी 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। भारत संचार निगम लिमिटेड के अतिरिक्त और 28 कंपनियों ने राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा हेतु लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए हैं। उक्त प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप प्रशुल्क में कमी आई है।

अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा

अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा मुख्य रूप से विदेशी कैरियरों द्वारा प्रचालित नेटवर्क को अंतरराष्ट्रीय संयोजकता प्रदान करने वाली एक नेटवर्क कैरिज सेवा है। नई दूरसंचार नीति-1999 के अनुसार, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा 1 अप्रैल, 2002 से निजी प्रचालकों के लिए खोली दी है। प्रचालकों की

संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 2.5 करोड़ रु. के नेटवर्क वाली पंजीकृत भारतीय कंपनियां आवेदन करने की पात्र हैं। संपूर्ण लाइसेंस अवधि के दौरान किसी भी समय आवेदक कंपनी में कुल विदेशी इक्विटी 74 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनिवासी भारतीय/ओसीबी/अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियों द्वारा आवेदक कंपनी की इक्विटी में निवेश को इसकी विदेशी इक्विटी में गिना जाएगा। लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पहले 2.5 करोड़ रु. का निष्पादन बैंक गारंटी सहित 2.5 करोड़ रु. का प्रवेश शुल्क प्रस्तुत करना होता है। लाइसेंस करार की तारीख से 20 वर्षों के लिए वैध है। अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा के लिए अब तक 24 कंपनियों ने लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-I (आइपी-I)

आइपी-I के लिए आवेदक कंपनी को केवल दूरसंचार विभाग में पंजीकरण कराना अपेक्षित है। आइपी-I के रूप में पंजीकृत कंपनियां डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे, डस्ट स्पेस तथा टॉवर जैसी परिसंपत्तियां प्रदान कर सकती हैं। सभी भारतीय पंजीकृत कंपनियां आवेदन करने के लिए पात्र हैं। विदेशी इक्विटी और प्रवेशकों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई प्रवेश शुल्क अथवा बैंक गारंटी नहीं है। आवेदक कंपनी को आवेदन के साथ 5000 रुपए प्रक्रिया शुल्क के रूप में देना अपेक्षित है। अब तक 273 कंपनियों को अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-I के रूप में पंजीकृत किया गया है।

वॉयस मेल/ऑडियोटैक्स/एकीकृत संदेश सेवा

एनटीपी-1999 के अनुसार वॉयस मेल/ऑडियो टैक्स सेवा के लिए नई नीति जुलाई, 2001 में घोषित की गई थी जिसमें एकीकृत संदेश सेवा (यूएमएस) नामक नई सेवा भी शामिल की गई थी, यह एक ऐसी प्रणाली है, जिसके माध्यम से टेलीफोन उपकरण, फैक्स मशीन, मोबाइल फोन, इंटरनेट ब्राउजर इत्यादि का इस्तेमाल करते हुए एक ही मेल बॉक्स से वॉयस मेल, फैक्स और ई-मेल (तीनों) प्राप्त किए जा सकते हैं।

वॉयस मेल/ऑडियो टैक्स सेवा प्रदान करने के लिए कोई लाइसेंस शुल्क नहीं है।

इस समय आठ (8) शहरों में इन सेवाओं को प्रदान करने हेतु 12 कंपनियों के पास 23 लाइसेंस हैं।

पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा लाइसेंस (पीएमआरटीएस) के लिए नीति

एनटीपी-99 के अनुसार पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा (पीएमआरटीएस) के लिए नीति की घोषणा 1 नवंबर, 2001 को की गई थी। नए पीएमआरटीएस लाइसेंस 'पहले आओ पहले पाओ' गैर-विशिष्ट आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

इस समय 3 महानगरों और 17 सर्किल क्षेत्रों में पीएमआरटी सेवा प्रदान करने के लिए 15 कंपनियों के पास 60 लाइसेंस हैं।

इस समय 3 महानगरों और 7 सर्किल क्षेत्रों में 13 कंपनियों और 4 सरकारी पुलिस विभागों के पास सीएमआरटी सेवा प्रदान करने के लिए 21 लाइसेंस हैं।

उपग्रह द्वारा ग्लोबल मोबाइल निजी संचार के लिए नीति

एनटीपी-1999 के अनुसार ग्लोबल मोबाइल निजी संचार उपग्रह (जीएमपीसीएस) के लिए लाइसेंस प्रदान करने संबंधी नीति को 2 नवंबर, 2001 को अंतिम रूप दिया गया और घोषित की गई।

जीएमपीसीएस लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया एक पेचीदा प्रक्रिया है। जीएमपीसीएस लाइसेंस का आवेदन समस्त प्रस्ताव सहित विधि प्रवर्तन एजेंसी को सुरक्षा निकासी हेतु प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्ताव को अंतर-मंत्रालय समिति जिसमें सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, गृह सचिव, रक्षा सचिव, सचिव (अंतरिक्ष विभाग) और निदेशक (आसूचना ब्यूरो) होते हैं, से सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात आशय पत्र जारी किया जाता है। इस समय एक आवेदक कंपनी को जीएमपीसीएस लाइसेंस के लिए आशय पत्र जारी किया जा चुका है और लाइसेंस पर अब हस्ताक्षर किए जाने हैं। इस प्रक्रिया में सुरक्षा निगरानी के संबंध में जीएमपीसीएस गेटवे और भू-स्टेशन की जांच भी शामिल है।

लाइसेंस शुल्क, जो राजस्व भागीदारी के रूप में है, समायोजित सकल राजस्व का 10 (दस) प्रतिशत है और प्रवेश शुल्क एक करोड़ रुपए है।

अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी)

- (i) कॉल सेंटरों (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू), नेटवर्क प्रचालन केंद्रों और वाहन ट्रेकिंग प्रणालियों का पंजीकरण अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) श्रेणी के तहत किया जा रहा है।
- (ii) दूरसंचार विभाग मुख्यालय में अभी तक 2500 से अधिक मामलों को ओएसपी श्रेणी के तहत पंजीकृत किया जा चुका है।
- (iii) 10 सर्किलों में कॉल सेंटरों को ओएसपी श्रेणी और टेलीमार्केटरों का टेली मार्केटिंग श्रेणी में पहले ही 01.09.2007 से दूरसंचार विभाग मुख्यालय से टीईआरएम प्रकोष्ठों को विकेंद्रीकृत कर दिया गया था। इसके अलावा 01.06.2008 से इस कार्य को सभी टीईआरएम को विकेंद्रीकृत किया गया है। तथापि, ओएसपी और टेलीमार्केटर के नीतिपरक मुद्दों का संचालन ग्राहक सेवा (सीएस) प्रकोष्ठ करेगा।
- (iv) हाल में ओएसपी पंजीकरण नीति 05.08.2008 संशोधित की गई है और नई नीति के अनुसार काल सेंटर ओएसपी के लिए घर से कार्य (वर्क फ्रॉम होम) की अवधारणा की अनुमति दी गई है।

प्रशिक्षण अवसंरचना

भारत संचार निगम लिमिटेड की 42 प्रशिक्षण केंद्रों की व्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था है जिसमें तीन शीर्ष स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र यथा गाजियाबाद में उच्च स्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र (एएलटीटीसी), जबलपुर में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम ट्रेनिंग (बीआरबीआरआईटीटी), हैदराबाद में नेशनल अकादमी ऑफ टेलीकॉम फाइनेंस एंड मैनेजमेंट (एनएटीएफएम) तथा प्रादेशिक, सर्किल और जिला स्तरों पर 39 अन्य दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र शामिल हैं। ये प्रशिक्षण केंद्र विभिन्न प्रशिक्षण जरूरतों यथा दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र शामिल हैं। ये प्रशिक्षण केंद्र विभिन्न प्रशिक्षण जरूरतों यथा दूरसंचार प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, कंप्यूटर, वित्त, निर्माण विज्ञान इत्यादि में बीएसएनएल के कार्यपालक और गैर कार्यपालक सभी कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनओपी) तथा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू), की सहायता से भारत सरकार द्वारा 1975 में संस्थापित एएलटीटीसी गाजियाबाद एशिया की अग्रगण्य प्रशिक्षण केंद्रों में से एक है और यह बीएसएनएल तथा ईएससीएपी व एपीटी के सदस्य देशों के

दूरसंचार प्रशासन की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह केंद्र निम्न, मध्यम तथा उच्च स्तरीय दूरसंचार इंजीनियरों तथा प्रबंधकों के लिए हाई टेक दूरसंचार और आधुनिक प्रबंधन प्रथाओं का विकास करता है और उसमें प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह विकसित पाठ्यक्रम सामग्री ऑडियो विजुअल निर्देशात्मक उपकरण, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, सॉफ्टवेयर इत्यादि प्रदान करने में संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह केंद्र प्रशिक्षणार्थियों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। एएलटीटीसी, गाजियाबाद, एक आईएसओ 9001-2000 प्रमाणित संस्थान है।

बीआरबीआरएआईटीटी, जबलपुर बीएसएनएल का एक अन्य प्रमुख संस्थान है जोकि दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी में उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह अपने अध्यापन की गुणवत्ता के कारण आईएसओ 9001-2000 प्रमाणित भी है। अन्य प्रशिक्षण केंद्र प्रादेशिक, सर्किल तथा जिला स्तर के प्रशिक्षण के धर्मतंत्रात्मक गठन के अंदर आते हैं। इन सभी स्तरों पर प्रशिक्षण केंद्रों की सूची अनुबंध-I में संलग्न है।

जबकि बीआरबीआरएआईटीटी जबलपुर, एएलटीटीसी गाजियाबाद, आरटीटीसी तिरुवनंतपुरम, आरटीटीसी मैसूर, सीटीटीसी मैसूर, आरटीटीसी अहमदाबाद, आरटीटीसी जयपुर, आरटीटीसी लखनऊ, आरटीटीसी नागपुर, सीटीटीसी इंदौर, आरटीटीसी पूणे, आरटीटीसी राजपुरा, सीटीटीसी राजपुरा, सीटीटीसी सुंदरनगर, सीटीटीसी जम्मू, सीटीटीसी कुरुक्षेत्र, सीटीटीसी तिरुवनंतपुरम और आजीएम टीटीसी चेन्नई के लिए आईएसओ प्रमाणन उपलब्ध है, अन्य प्रशिक्षण केंद्र भी स्वयं को आईएसओ मानकों के अनुरूप प्रमाणित होने के प्रयास कर रहे हैं।

देशभर में बीएसएनएल के समग्र प्रशिक्षण क्रियाकलापों के केंद्रीकृत सरलीकरण और मॉनीटरिंग के लिए सीटीएमएस (कंप्यूटरीकृत प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली) पैकेज शुरू करके इन क्रियाकलापों को कंप्यूटरीकरण किया गया है। सभी एसएसए यूनिटों को कवर करके प्रशिक्षण समन्वयकों का एक नेटवर्क संस्थापित किया गया है। ताकि प्रशिक्षण को 'आवश्यकता आधारित' और 'संगत' बनाने के प्रयास करते हुए प्रत्येक यूनिट के लिए प्रशिक्षण योजनाओं पर प्रभावी रूप से कार्य किया जा सके। प्रौद्योगिकीय परिदृश्य में तेजी से हो रहे परिवर्तन को देखते हुए बीएसएनएल दूरसंचार क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा मांगों को पूरा करने के लिए अपनी प्रशिक्षण अवसंरचना की नियमित समीक्षा कर रहा है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, मानव संसाधन के साथ-साथ तकनीकी परिप्रेक्ष्य में सेवा में सुधार के लिए निम्नलिखित पहलें की गई हैं :

1. स्टाफ सशक्तिकरण संबंधी पहल की गई है ताकि स्टाफ को कार्य-कुशलता के उन्नयन संबंधी उनके अपने दृष्टिकोण को सीधे प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
2. ज्ञान समर्थन पूल का सृजन किया गया है जिसके तहत अधिकारी वर्ग को विशेषज्ञ प्रशिक्षण देने की योजना है और उन्हें विशेषज्ञता के विशिष्ट चुने हुए क्षेत्र के लिए नामित किया जाता है।
3. प्रबंधन-दूरस्थ शिक्षण योजना प्रारंभ की गई है ताकि स्वाध्याय को प्रोत्साहित किया जा सके।
4. अधिकारी पदोन्नति नीति के तहत सभी अधिकारियों के लिए विभिन्न-स्तरों पर अनिवार्य प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था।
5. चुनिंदा क्षेत्रों से संबंधित व्यावसायिक सामग्री प्रदाताओं के माध्यम से प्रायोगिक परियोजना के रूप में ई-लर्निंग की पहल की गई है।

6. प्रोजेक्ट विजय (मोबाइल क्षेत्र में) और प्रोजेक्ट उड़ान/दोस्ती (स्थिर अभिगम के लिए), प्रोजेक्ट कुबेर (लैंडलाइन) और प्रोजेक्ट वीएस (मूल्यवर्द्धित सेवा) विभिन्न इकाइयों में लगाए गए हैं और संबंधित कमचारियों का प्रशिक्षण विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में किया जा रहा है।

बीएसएनएल के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्रों की सूची

शीर्ष स्तर

1. एएलटीटीसी, गाजियाबाद
2. बीआरबीआरआईटीटी, जबलपुर
3. एनएटीएफएम, हैदराबाद

क्षेत्रीय दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र

क्रम संख्या	प्रशिक्षण केंद्र	क्रम संख्या	प्रशिक्षण केंद्र
1.	अहमदाबाद	9	मैसूर
2.	भुवनेश्वर	10	नागपुर
3.	चेन्नई	11	रांची
4.	गुवाहाटी	12	पुणे
5.	हैदराबाद	13	राजपुरा
6.	जयपुर	14	तिरुअनंतपुरम
7.	कल्याणी	15	आरजीएम टीटीसी, चेन्नई
8.	लखनऊ		

सर्किल दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र

क्रम संख्या	प्रशिक्षण केंद्र	क्रम संख्या	प्रशिक्षण केंद्र
1.	अहमदाबाद	10	लखनऊ
2.	इंदौर	11	मैसूर
3.	भुवनेश्वर	12	मेरठ
4.	कोलकाता	13	नासिक
5.	गुवाहाटी	14	राजपुर
6.	जयपुर	15	शिलांग
7.	जम्मू	16	सुंदरनगर (हिमाचल प्रदेश)
8.	काकीनाडा	17	तिरुअनंतपुरम
9.	कुरुक्षेत्र	18	पटना

जिला दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र

क्रम संख्या	प्रशिक्षण केंद्र	क्रम संख्या	प्रशिक्षण केंद्र
1.	अहमदाबाद	5	हैदराबाद
2.	बंगलूरु	6	पुणे
3.	कोलकाता		
4.	चेन्नई		

दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र

भूमिका

दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र (टीईसी) दूरसंचार विभाग का एक तकनीकी स्कंध है। दूरसंचार विभाग को तकनीकी सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त, टीईसी भारत में विभिन्न दूरसंचार नेटवर्कों में प्रयुक्त होने वाले सभी दूरसंचार उपस्करों के लिए तकनीकी आवश्यकताओं संबंधी विवरण वाले दस्तावेजों का प्रकाशन करता है। ये दस्तावेज बाजार की आवश्यकताओं, प्रौद्योगिकीय विकास और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। ये दस्तावेज सभी स्टेकधारकों (सेवा प्रदाताओं और विनिर्माताओं) और प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाओं के विशेषज्ञों की सहायता लेकर तैयार किए जाते हैं। टीईसी पूर्वोक्त आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए और अंतरप्रचालनीयता के लिए दूरसंचार उत्पादों और नेटवर्कों का परीक्षण और अधिप्रमाणन भी करता है। ये दस्तावेज और अधिप्रमाणित उत्पाद व सेवाएं न केवल भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा बल्कि पड़ोसी देशों के सेवा प्रदाताओं द्वारा भी व्यापक रूप से स्वीकार्य हैं।

तकनीकी प्रभाग

टीईसी के निम्नलिखित तकनीकी प्रभाग हैं :

- स्थिर लाइन अभिगम
- सूचना प्रौद्योगिकी
- मोबाइल संचार
- नेटवर्क टर्मिनल और ग्राहक परिसर उपस्कर
- अगली पीढ़ी के नेटवर्क
- अगली पीढ़ी के नेटवर्कों का समन्वय
- रेडियो
- सेवाएं और अनुप्रयोग
- स्पैक्ट्रम
- स्विचन
- पारेषण

मानकीकरण

किन्हीं दो प्रयोक्ताओं के बीच एंड-टु-एंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अंतरकार्य हेतु असमान नेटवर्कों के लिए मानकीकरण एक अनिवार्य आवश्यकता है। यह स्पष्ट है कि कोई भी नेटवर्क संबंधित मानकों के अनुरूप हुए बिना अंतरकार्य नहीं करेगा। टीईसी का प्रथम उद्देश्य है मानक तैयार करके वैश्विक सामंजस्य को प्रोत्साहित करना जिसके अंतर्गत सभी प्रमुख स्टेकहोल्डर सक्रिय रूप से योगदान करते हैं।

मानकीकरण के लिए प्रमुख कार्यकलाप

- भारत में विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के विभिन्न नेटवर्कों में अबाध अंतरकार्य सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी आवश्यकताओं नामतः जेनरिक, इंटरफेस, और सभी दूरसंचार उपस्करों, इंटरफेसों और सेवाओं के लिए सेवा संबंधी आवश्यकताओं को व्यवस्थापन।

- मौलिक राष्ट्रीय दूरसंचार योजनाओं नामतः संख्यांकन योजना, स्पेक्ट्रम प्रबंधन योजना, पारेषण योजना, सिंक्रोनाइजेशन योजना का व्यवस्थापन और इन्हें क्रियान्वित करने में सेवा प्रदाताओं को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- उपस्करों का उचित कार्यचालन सुनिश्चित करने के लिए और मानव की इससे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हानिकारक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को सीमित करने के लिए मानकों का व्यवस्थापन।
- रेडियो स्पेक्ट्रम जैसे दुर्लभ संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मानकों का व्यवस्थापन।
- अनुरूपता और अंतरप्रचालनीयता के लिए उपस्कर, इंटरफेसों और नेटवर्कों का परीक्षण और अधिप्रमाणन।
- स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने और सी-डॉट के साथ सक्रिय सहयोग के द्वारा भारत में ही विनिर्माण प्रारंभ करने के लिए, विशिष्ट रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लक्षित दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए उपस्कर का परीक्षण और प्रमाणन।
- लिखित सिद्धांतों और मानकों के अनुपालन के लिए नेटवर्क की मॉनीटरिंग।
- मानकों में सामंजस्य लाने के लिए अन्य मंचों नामतः एमईएफ, आईईटीएफ, 3जीपीपी, वाईमैक्स इत्यादि के साथ परस्पर संबंध का कार्य।
- मानकों को लागू करने और समग्र समन्वय के लिए स्टेकहोल्डरों और एसोसिएशनों नामतः सीओआई, एयूएसपीआई, आईएसपीआई, वीएसएआई, टीईएमए, फिक्की, सीआईआई इत्यादि के साथ परस्पर संबंध स्थापित करना।
- घरेलू को नामोद्दिष्ट करने और विदेशी अनुरूपता निर्धारण निकाय (सीएबी) को मान्यता देने के लिए भारत के मनोनयन प्राधिकरण (डीए) के रूप में और आपसी मान्यता करार (एमआरए) वाले देशों में प्रयोग के लिए दूरसंचार उत्पादों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए प्रमाणन निकायों के रूप में कार्य करना।
- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानक संगठनों, अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू), इसके दूरसंचार मानकीकरण क्षेत्र (आईटीयूटी), रेडियो संचार क्षेत्र (आईटीयू-आर), रेडियो विनियमन बोर्ड (आरआरबी), विकास क्षेत्र (आईटीयू-डी) इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियर्स (आईईई), यूरोपियन टेलीकॉम्युनिकेशन्स स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट (ईटीएसआई) इत्यादि से संवाद करना।

परीक्षण और अनुमोदन

टीईसी विभिन्न दूरसंचार उत्पादों को मानकों के अनुरूप बनाए जाने और मौजूदा नेटवर्क में उनकी कार्य करने की क्षमता के लिए उनका परीक्षण और प्रमाणन करता है। इस प्रयोजन हेतु चार ज़ोनों में इसके क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा परीक्षण और प्रमाणन संबंधी कार्यकलाप किए जाते हैं।

तकनीकी सहायता और अन्य कार्यकलाप

टीईसी दूरसंचार विभाग को विभिन्न तकनीकी मुद्दों अर्थात् मूलभूत योजनाएं, प्रौद्योगिकी योजनाएं तैयार करने, प्रौद्योगिकी मूल्यांकन करने, स्पेक्ट्रम के दक्ष उपयोग आदि के संबंध में सहायता और सलाह प्रदान करता है।

टीईसी विभिन्न दूरसंचार लाइसेंसिंग और विनियामक निकायों अर्थात् ट्राई, टीडीएसएटी, डब्ल्यूपीसी, यूएसओएफ, आईसीसी आदि को तकनीकी जानकारी (इनपुट) प्रदान करता है।

टीईसी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों तथा शैक्षिक संस्थानों की भागीदारी में अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहन प्रदान करके भारत में दूरसंचार पारिस्थितिक तंत्र के विकास हेतु दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्रों के साथ समन्वय करता है। टीईसी दूरसंचार से जुड़े मुद्दों के संबंध में अन्य विभागों अर्थात् योजना आयोग, गृह मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, इसरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बीआईएस, डीआईटी, टीडीबी, एनडीएमए, डीएसडी, डीएसआईआर आदि को तकनीकी जानकारी भी प्रदान करता है।

टीईसी भारत के हितों की रक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों अर्थात् एशिया-पैसिफिक टेलीकम्युनिटी (एपीटी), अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन (इंटरसेट), अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन (इनमारसेट), अंतर्राष्ट्रीय अंतःसरकारी अंतरिक्ष संगठन (इंटरस्पुतनिक) आदि के साथ संवाद करता है।

भारत में अगली पीढ़ी के नेटवर्क (एनजीएन) संस्थापित करने हेतु सूचना का प्रसार करने में टीईसी सबसे आगे हो गया है, इस संबंध में वर्ष 2007 में एनजीएन पर एक सार-संग्रह प्रकाशित किया गया था। यह नेटवर्क के विभिन्न घटकों का अनुरूपता परीक्षण और प्रमाणन करने के लिए एनजीएन परीक्षण स्थल (टेस्ट बेड) भी स्थापित कर रहा है।

टीईसी सीमलेस ट्रांजिशन सुनिश्चित करने के लिए आईपीवी 4 से आईपीवी 6 में माइग्रेशन के लिए सूचना के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

टीईसी भारत में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

टीईसी सेल्युलर मोबाइल बेस स्टेशनों से निकलने वाली विकिरणों के परीक्षण हेतु दिशा-निर्देश जारी करने की कार्यवाही कर रहा है। यह मोबाइल हैंडसेटों से संबंधित विशिष्ट समावेशन दर के (एनएआर) पैरामीटर के परीक्षण हेतु प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव भी कर रहा है।

प्रकाशन

टीईसी निम्नलिखित दस्तावेजों का प्रकाशन करता है :

- जेनेरिक अपेक्षाएं (जीआर)
- इंटरफेस अपेक्षाएं (आईआर)
- सेवा अपेक्षाएं (एसआर)
- मानक दस्तावेज (एसडी)
- अनुमोदन प्रक्रिया
- प्रौद्योगिकी श्वेत पत्र

वेबसाइट www.tec.gov.in

टेलीमैटिक्स विकास केंद्र (सी-डॉट)

टेलीमैटिक्स विकास केंद्र (सी-डॉट) भारत सरकार का दूरसंचार अनुसंधान और विकास केंद्र है। इसकी स्थापना 1984 में विस्तृत रेंज वाले, अत्याधुनिक और किफायती स्वदेशी संपूर्ण दूरसंचार समाधान प्रदान करने के लिए की गई थी।

सी-डॉट ने डिजिटल स्विचन प्रणालियों से विकास यात्रा प्रारंभ करके विगत वर्षों की सर्किट स्विचन प्रौद्योगिकी के बदले ऑप्टिकल, उपग्रह और वायरलेस संचार के क्षेत्र में उत्पाद विकसित करके दूरसंचार के जटिल परिदृश्य को नया स्वरूप प्रदान किया है जिसके द्वारा सी-डॉट ने एटीएम और अगली पीढ़ी के नेटवर्कों की दिशा में अपनी सुविज्ञता सिद्ध की है। एक पूर्णतः हार्डवेयर विकास केंद्र होते हुए भी इसने आईएन, एनएमएस, डाटा क्लियरिंग हाउस आदि जैसे दूरसंचार सॉफ्टवेयर समाधानों का विकास करके अपने कार्यों में विविधता दर्शायी है।

सी-डॉट के पास प्रतिभाशाली इंजीनियरों का समूह है जो दिल्ली और बेंगलूर परिसरों में स्थित इसकी अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, जिनकी तुलना विश्व की श्रेष्ठतम प्रयोगशालाओं से की जा सकती है, में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर कार्य कर रहे हैं।

सी-डॉट ने वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिकता और आवश्यकता को ध्यान में रखकर अपने प्रयासों को पुनः संयोजित किया है और चार प्रमुख दिशाओं में ध्यान केंद्रित करके अपनी भावी योजना तैयार की है। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए इन दिशाओं में प्रमुख विकासपरक स्कीमें इस प्रकार हैं :

निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय और रणनीतिक महत्व की परियोजनाएं :

- (क) ग्रामीण क्षेत्र : साझा जीएसएम रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जिसे अभी विकसित किया जा रहा है, ग्रामीण भारत में कारोबार को प्रोत्साहन देगा।
- (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र : मैक्स एनजी कार्यक्रम स्थिर लाइन अवसंरचना के रूप में नए स्वरूप में कार्य करेगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को वीओआईपी और ब्रॉडबैंड सेवाएं सुलभ कराएगा।

साफ्टवेयर प्रधान, दूरसंचार समाधानों के लिए परियोजनाएं :

- (क) एनएमएस, जो विविध विक्रेताओं के उत्पादों से सज्जित नेटवर्क के प्रबंधन का साझा संरक्षण प्रदान करता है।
- (ख) एसपी मॉडल, जो वाणिज्यिक तौर पर प्रचालन में आ गया है, पर आधारित रोमिंग के लिए डाटा क्लियरिंग हाउस सेंटर।

हार्ड-टेक के क्षेत्रों में परियोजनाएं :

- (क) घरों और एसओएचओ में ब्रॉडबैंड पाइप पहुंचाने के लिए गीगाबिट ऑप्टिकल पैसिव नेटवर्क (जी पॉन)।
- (ख) अगली पीढ़ी के नेटवर्क (एनजीएन) के उत्पाद और सेवाएं।

आगामी अध्ययन परियोजनाएं

- (क) मोबाइल व्यक्तिगत नंबर के लिए एक ऐसा नंबर जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा नंबर जैसे विशिष्ट नंबर का उपयोग करना होगा।
- (ख) ज्ञानात्मक रेडियो।
- (ग) उन्नत ऑप्टिकल नेटवर्क प्रौद्योगिकी।

सी-डॉट एकल लक्ष्योन्मुखी संगठन से एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र के रूप में विकसित हुआ है जो विभिन्न महत्वपूर्ण, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर कार्य कर रहा है और सरकार से, विशेषकर

राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में इसे प्राप्त हो रही सहायता से यह केंद्र अपनी राष्ट्रीय प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहा है।

बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध

1952 में संस्थापित बेतार आयोजना एवं समन्वय (डब्ल्यूपीसी) स्कंध राष्ट्रीय रेडियो विनियामक प्राधिकरण है, जो देश में रेडियो स्पेक्ट्रम के उपयोग के समन्वयन और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। यह सभी दूरसंचार मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अधिकरण अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) और क्षेत्र के अंतः सरकारी संगठन, एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी (एपीटी) से संबंधित सभी मामलों हेतु नोडल अधिकरण है। अपने अनुश्रवण संगठन के सहयोग से डब्ल्यूपीसी भारत में रेडियो फ्रीक्वेंसियों के उपयोग की आयोजना, समन्वयन, आवंटन, विनियमन और प्रशासन से संबंधित सभी कार्यकलापों को निष्पादन करता है, बेतार स्टेशनों की संस्थापना हेतु स्थल की अनुमति देता है और भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अधीन भारत में बेतार स्टेशनों की संस्थापना, अनुरक्षण और कार्यकरण हेतु लाइसेंस जारी करता है। यह भू-स्थिर उपग्रह केंद्र (जीएसओ) में स्थिति और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर इससे संबंधित आवश्यक समन्वयन सहित सभी स्थलीय, भू-स्थिर उपग्रह केंद्र (जीएसओ) और गैर-जीएसओ आधारित उपग्रह नेटवर्कों के लिए फ्रीक्वेंसियों के आवंटन से संबंधित सभी मामलों के लिए जिम्मेदार है। यह वैमानिकी और समुद्रीय मोबाइल सेवाओं के लिए दक्षता प्रमाण-पत्र प्रदान करने तथा रेडियो एमेच्योर के लिए परीक्षाओं का आयोजन भी करता है।

निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा मूल्यवर्धित सेवाएं, एफएम रेडियो व सेटेलाइट टीवी/डीटीएच के साथ बुनियादी मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने, आर्थिक उदारीकरण सहित सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र और प्रसारण कवरेज के विस्तार के संबंध में भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप रेडियो स्पेक्ट्रम और कक्ष (ऑरबिट) संसाधनों, जो बहुत ही सीमित संसाधन हैं, की मांग में बेतहाशा वृद्धि हो गई है।

आधुनिक दूरसंचार का रुझान उच्च डाटा गति के साथ वर्धित मोबिलिटी की ओर अभिमुख है। मोबाइल संचारण केवल वायरलेस के जरिए ही संभव है। इसकी वजह से दुर्लभ संसाधन, रेडियो फ्रीक्वेंसी की मांग अधिक बढ़ गई है। मोबाइल सेवाओं ने अपरिमित सामाजिक-आर्थिक लाभों के अलावा भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। बेतार आयोजना समन्वय स्कंध स्पेक्ट्रम रिफ्रेमिंग इत्यादि के माध्यम से नई सेवाओं/प्रौद्योगिकियों के लिए चुनौती को पूरा करने तथा आवश्यक स्पेक्ट्रम प्रदान करने का प्रयास कर रहा है।

सरकार ने 3जी सेवाओं के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश 01 अगस्त, 2008 को और संशोधन दिनांक 11 सितंबर, 2008 को जारी किया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार सहित विस्तार की जरूरतों का निर्धारण किया गया है। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इन सफल बोलीदाताओं को लाइसेंसों की स्वीकृति एक विशेषज्ञ समिति द्वारा एक नियंत्रित, सह आरोही इ-नीलामी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई व्यक्ति जिसके पास यूएस/सीएमटीएस लाइसेंस हो अथवा (क) जिसके पास 3जी स्पेक्ट्रम संचालित करने का पूर्व अनुभव हो तथा (ख) दूरसंचार प्रचालन आरंभ करने से पूर्व दूरसंचार विभाग के दिनांक 14 दिसंबर, 2005 के दिशा-निर्देशों के अनुसार एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यूएसएल) प्राप्त करने की वचनबद्धता प्रस्तुत करता है, 3जी स्पेक्ट्रम की बोली दे सकता है और नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र है।

सरकार ने ब्रॉडबैंड बेतार अभिगम (बीडब्ल्यूए) सेवा के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी और आबंटन के लिए दिनांक 01 अगस्त, 2008 को विस्तृत दिशा-निर्देशों की घोषणा की है तथा दिनांक 11 सितंबर, 2008 को संशोधन जारी किए हैं। इनके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास यूएस लाइसेंस हो अथवा जो दूरसंचार विभाग के 14 दिसंबर, 2005 के दिशा-निर्देशों के अनुसार एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यूएसएल) प्राप्त करने हेतु पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा करता हो अथवा जिसके पास श्रेणी 'क' या 'ख' का आईएसपी लाइसेंस हो, स्पेक्ट्रम के आबंटन के लिए पात्र होगा। डाटा सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी 2.5 गीगाहर्टज तथा 2.3 गीगाहर्टज बैंडों में की जाएगी। प्रत्येक सफल बोलीदाता किसी दूरसंचार सेवा क्षेत्र में 2.3 और 2.5 गीगाहर्टज बैंडों में 20 मेगाहर्टज प्राप्त कर सकता है। ब्लॉकों की संख्या 2.3 गीगाहर्टज बैंड में दो तथा 2.5 गीगाहर्टज बैंड में दो होगी।

सरकार ने राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आबंटन योजना 2008 जारी कर दिया है जिसके अंतर्गत स्पेक्ट्रम आबंटन के मुद्दों पर बेतार प्रयोक्ताओं, बेतार उपस्कर विनिर्माताओं तथा दूरसंचार उद्योग सभी के लिए उपयोगी सूचना दी गई है। यह दस्तावेज स्वाभाविक रूप से गत्यात्मक है और इसे डब्ल्यूआरसी के निर्णयों तथा आईटीयू के रेडियो विनियम के अनुसार आवधिक रूप से संशोधित किया जाएगा।

आईटीयू-आर अध्ययन समूह के प्रश्नों तथा एपीटी कार्यों के संबंध में, भारतीय शिष्टमंडल, जिसमें सरकारी प्रतिनिधि तथा उद्योग शामिल हैं, अध्ययन समूह की विभिन्न बैठकों में भाग ले रहे हैं और इनके द्वारा विभिन्न अध्ययन संबंधी प्रश्नों से संबंधित योगदान विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

नई उभरती प्रौद्योगिकियों तथा स्पेक्ट्रम जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एनएफएपी-2008 की समीक्षा और विचार की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई है।

दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति

दूरसंचार क्षेत्र हेतु विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति निम्नानुसार है :

क्रम सं.	क्षेत्र/कार्य	एफडीआई की अधिकतम सीमा/इक्विटी	प्रवेश मार्ग	अन्य शर्तें
1.	बुनियादी और सेलुलर, एकीकृत अभिगम सेवाएं, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय, लंबी दूरी, वी-सेट, सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंकड सेवाएं (पीएमआरटीएस) ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कॉम्युनिकेशन्स सर्विसेज (जीएमपीसीएम) और अन्य मूल्य वर्धित दूरसंचार सेवाएं	74 प्रतिशत (एफडीआई, एफआईआई, एनआरआई, एफसीसीबी, एडीआर, जीडीआर, परिवर्तनीय अधिमानी शेयर तथा भारतीय प्रवर्तकों/निवेशक कंपनियों में समानुपाती विदेशी इक्विटी सहित)	49% तक स्वतः 49% के बाद एफआईपीबी	प्रेस नोट सं. 2/2009 के साथ पठित प्रेस नोट सं. 3 (2007 श्रेणी) में अधिसूचित दिशानिर्देशों के अध्याधीन
2.	गेटवेज सहित आईएसपी, रेडियो पेजिंग, एंड-टू-एंड बैंडविड्थ	74%	49% तक स्वतः 49% के बाद एफआईपीबी	दूरसंचार विभाग द्वारा अधिसूचित लाइसेंसिंग और सुरक्षा जरूरतों के अध्याधीन www.gov.in

3.	(क) गेटवे रहित आईएसपी (ख) अवसंरचना प्रदाता डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस, टॉवर (श्रेणी-1) प्रदान कर रहा है; (ग) इलेक्ट्रानिक मेल और वॉइस मेल	100%	49% तक स्वतः: इस शर्त के 49% के बाद अध्याधीन कि यदि एफआईपीबी ये कंपनियां विश्व के अन्य भागों में सूचीबद्ध की जाती हैं तो ये कंपनियां पांच वर्षों में भारतीय जनता के हित में अपनी 26% इक्विटी का परित्याग करेंगी बशर्ते कि साथ ही जहां अपेक्षित हो वहां लाइसेंसिंग और सुरक्षा संबंधी इंजाम हो www.gov.in
4.	दूरसंचार उपस्करों के विनिर्माता	100%	स्वतः: क्षेत्रीय जरूरतों के अध्याधीन www.gov.in
5.	कुल विदेशी निवेश अर्थात् भारतीय कंपनियों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निवेश की गणना संबंधी दिशा-निर्देश	-	- प्रेस नोट सं. 2/2009
6.	निवासी भारतीय नागरिकों से अनिवासी संस्थाओं को उच्चतम सीमा वाले क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के स्वामित्व या नियंत्रण के स्थानांतरण संबंधी दिशा-निर्देश	-	- प्रेस नोट सं. 3/2009

24 अगस्त, 2007 को सरकार ने आईएसपी के दिशा-निर्देश संशोधित किए हैं और 74% एफडीआई सहित आईएसपी लाइसेंस के लिए नए दिशानिर्देशों में व्यवस्था की गई है।

अप्रैल, 2000 से मार्च, 2009 तक दूरसंचार क्षेत्र में वर्षवार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतःप्रवाह संबंधी विवरण

क्र.सं.	वर्ष (अप्रैल-मार्च)	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (रु. करोड़ में)	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (अमरीकी मिलियन डालर में)
1.	2000-01	784	178
2.	2001-02	3,937	873
3.	2002-03	908	192
4.	2003-04	514	112
5.	2004-05	570	125

6.	2005-06	2,776	624
7.	2006-07	2,155	478
8.	2007-08	5,103	1,261
9.	2008-09	11,727	2,558

कुल योग	28,474	6401

टिप्पणी : राशि में एसआईए/एफआईपीबी रूट मौजूदा शेयरों के प्रापण तथा भारतीय रिजर्व बैंक के स्वतः रूट के माध्यम से प्राप्त अंतप्रवाह ही शामिल हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

भारत संचार निगम लिमिटेड :

- भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की स्थापना 1 अक्टूबर, 2000 को तत्कालीन दूरसंचार सेवा विभाग का निगमीकरण करके की गई थी। कंपनी ने देश के सभी भागों में दूरसंचार सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित दूरसंचार विभाग के तत्कालीन कार्यों को अपने हाथ में लिया है।
- बीएसएनएल भारत सरकार के 100% स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसकी प्रदत्त पूंजी 12,500 करोड़ रु. है जिसमें 5000 करोड़ रु. की इक्विटी तथा 9 प्रतिशत अधिमानी शेयरों के 7500 करोड़ रु. शामिल हैं।
- वर्ष 2007-08 के दौरान इसका वार्षिक राजस्व 38,053 करोड़ रुपये से अधिक था।
- बीएसएनएल एक प्रौद्योगिकी उन्मुखी कंपनी है और सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाएं अर्थात् लैण्ड लाईन पर टेलीफोन सेवाएं डब्ल्यूएलएल तथा मोबाइल, पट्टाशुदा सर्किट्स, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और लंबी दूरी की दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है।
- दिनांक 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल के कर्मचारियों की संख्या 3.08 लाख है, जिनमें से अधिकांश डीटीएस से स्थानान्तरित हुए थे और अब बीएसएनएल में आमेिलित हो चुके हैं।
- कंपनी देश में शत-प्रतिशत नई डिजिटल स्विचिंग नेटवर्क के साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अग्रणी रही है। 31 जुलाई, 2008 की स्थिति के अनुसार लैण्डलाइनों से संबंधित इस विशाल स्विचिंग नेटवर्क के अंतर्गत 38,244 एक्सचेंज शामिल हैं जिनकी क्षमता 465.22 लाख लाइनों की है। बीएसएनएल का देशव्यापी टेलीकॉम नेटवर्क, सभी जिला-मुख्यालयों, उप-मंडल मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों तथा लगभग सभी प्रखण्ड मुख्यालयों को कवर करता है। 31 जुलाई, 2008 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल का लैण्डलाइनों पर उपभोक्ता आधार 306.57 लाख टेलीफोनों का है।
- बीएसएनएल ने वायरलेस इन लोकल लूप नेटवर्क में सीडीएमए प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण लगाए हैं। 31 जुलाई, 2008 की स्थिति के अनुसार डब्ल्यूएलएल पर 46.17 लाख टेलीफोन कार्य कर रहे हैं जिनकी कुल उपस्कर युक्त क्षमता 74.39 लाख लाइनों की है। 2642 अल्पदूरी प्रभारण क्षेत्रों में से 2580 अल्पदूरी प्रभारण क्षेत्रों को कम से कम एक बेस ट्रांसीवर स्टेशन उपलब्ध कराया गया है।
- बीएसएनएल ने दिनांक 19 अक्टूबर, 2002 को अपनी जीएसएम आधारित देशव्यापी सेल्युलर मोबाइल सेवाओं की शुरुआत की। बीएसएनएल मोबाइल नेटवर्क के अंतर्गत लगभग सभी शहर

तथा अधिकांश राष्ट्रीय राज मार्ग, रेलमार्ग तथा राज्यों के राज्य मार्ग शामिल हैं। बीएसएनएल की सेल्युलर सेवाएं राष्ट्रीय तथा महत्वपूर्ण राज्य-राजमार्गों में स्थित ग्रामीण क्षेत्रों को आनुषंगिक कवरेज भी प्रदान कर रही हैं। 31 जुलाई, 2008 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल का उपभोक्ता आधार 37.92 मिलियन है तथा दो लाख गांवों में आनुषंगिक कवरेज सहित उपस्कर युक्त क्षमता 34.42 मिलियन है।

- बीएसएनएल ने ब्रॉडबैंड सेवाएं जनवरी, 2005 में शुरू की थी तथा 31 जुलाई, 2008 तक 24.57 लाख कनेक्शन प्रदान किए थे। बीएसएनएल ने 621 जिला मुख्यालयों में से 589, 6374 ब्लॉक मुख्यालयों में से 2,698 तथा 593,601 गांवों में से 30,124 में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की हैं।
- बीएसएनएल डायल-अप पर इंटरनेट सेवा प्रदान कर रहा है। 31 जुलाई, 2008 की स्थिति के अनुसार इसका उपभोक्ता आधार लगभग 5.5 लाख है।
- बीएसएनएल ने ग्रामीण क्षेत्रों में 2.59 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए हैं।
- 31 जुलाई, 2008 तक बीएसएनएल द्वारा 5.94 लाख गांवों (2001 की जनगणना के अनुसार) में से 5.22 लाख गांवों को वीपीटी पहले ही प्रदान कर दिए गए हैं।
- मूल्य वर्द्धित सेवाएं : बीएसएनएल ब्रॉडबैंड तथा मोबाइल नेटवर्क पर विभिन्न प्रकार की मूल्यवर्द्धित सेवाएं जैसे समाचार, वित्तीय जानकारी, मनोरंजन, यात्रा, दूरदर्शन कार्यक्रमों की सूची, शेरो-शायरी, रिंगटोंस, क्रिकेट, हास्य, एस्ट्रोलांजी, खेलकूद, रेडियो, परीक्षा परिणाम, धार्मिक तथा आध्यात्मिक जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, वैवाहिक, जन्मकुंडली, संगीत, फोन रेडियो, लाईव चैट, रोचक समाचार, पोलिफोनिक टयुन्स, वालपेपर्स, कलर लोगो, एनीमेशन, वीडियो क्लिप्स आदि सेवाएं प्रदान करा रहा है।
- बीएसएनएल का ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क 5.5 आरकेएम से भी अधिक विस्तृत है। इसके पास 216 उपग्रह केंद्र के अलावा 50,000 आरकेएम से अधिक डिजिटल माइक्रोवेव हैं।
- बीएसएनएल ने अपनी आईएलडी का प्रचालन वर्ष 2004 से आरंभ किया। फिलहाल बीएसएनएल आईएलडी उपलब्ध करा रहा है।
- बीएसएनएल ने श्रीलंका तक समुद्री केबल चालू किया है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के अंतर्गत सरकार द्वारा पूर्ण-स्वामित्व प्राप्त कंपनी के रूप में 1 अप्रैल, 1986 को अस्तित्व में आया। एमटीएनएल को मुंबई और नवी मुंबई (कल्याण और थाने भी मोबाइल सेवा के लिए शामिल) और दिल्ली (नोएडा, गुडगांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद चार शहर मोबाइल सेवा के लिए शामिल) की महानगरीय सीमाओं में दूरसंचार सेवाओं (सार्वजनिक तार सेवाओं को छोड़कर) के प्रबंधन, नियंत्रण और प्रचालन का कार्य सौंपा गया है।

कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 800 करोड़ रु. है। प्रदत्त शेयर पूंजी 630 करोड़ रु. है जो प्रत्येक 10 रु. के 63 करोड़ शेयर में विभाजित है। वर्तमान में, 56.25% इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितों के पास है और 43.75% शेयर एफआईआई, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, म्यूचुअल फंडों और निवेशक सहित अन्य के पास है। पिछले दो दशक एमटीएनएल के कार्यकाल में महत्वपूर्ण

अवधि रही है। इस दौरान सर्वांगीण विकास, वृद्धि और इसकी प्रचालन क्षमता में सुधार हुआ है। वर्तमान परिदृश्य में, कंपनी को अन्य निजी दूरसंचार प्रचालकों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और कंपनी प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने के लिए नये विनियामक वातावरण के साथ सफलतापूर्वक सामंजस्य (अनुकूलन) स्थापित कर रही है। कंपनी ने इस संबंध में विभिन्न कदम उठाए हैं जिसमें प्रचालन स्तर पर पुनर्गठन और कंपनी द्वारा पेश की जा रही सेवा पोर्टफोलियो विस्तार शामिल हैं। चूंकि कंपनी के पास सीमित प्रचालन क्षेत्र है इसलिए कंपनी नई और मूल्यवर्द्धित सेवाओं पर जोर दे रही हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी दिल्ली और मुंबई दोनों में उच्च गति युक्त इंटरनेट, उच्च गुणवत्ता युक्त विडियो और नई पीढ़ी के बेतार सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए विधिमान मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार पर अधिक जोर दे रही है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की नेटवर्क की स्थिति (30 जून, 2009 की स्थिति के अनुसार) निम्नवत हैं :

	दिल्ली	मुंबई	कुल
एक्सचेंज की संख्या	344	214	558
उपस्कर क्षमता (लाख में)			
डब्ल्यूएलएल स्थिर सहित स्थिर लाइन	27.76	28.65	56.41
सीडीएमए (गरूड़)	5.50	5.48	10.98
जीएसएम (डॉल्फिन और ट्रंप)	20.25	23.25	43.50
ब्रॉडबैंड क्षमता (लाख पोर्ट में)	5.64	5.20	10.83
ग्राहक आधार (लाख में)			
डब्ल्यूएलएल स्थिर सहित स्थिर लाइन	15.61	21.13	36.74
सीडीएमए (गरूड़)	1.12	0.73	1.85
जीएसएम (डॉल्फिन और ट्रंप)	19.70	23.27	42.97
ब्रॉडबैंड ग्राहक	3.33	3.69	7.01

वर्तमान में एमटीएनएल विविध प्रकार की दूरसंचार सेवाएं प्रदान कर रहा है जिसमें दूरभाष सेवा, जीएसएम (3जी सेवाएं सहित) और सीडीएमए आधारित मोबाइल सेवा, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, आईएसडीएन और लीज्ड लाइन सेवाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एमटीएनएल विविध सेवाएं प्रदान कर रहा है जैसे :

- फोन प्लस सेवाएं जैसे कंप्यूटरीकृत मॉनिंग अलार्म, वायसमेल, ऑटोमेटिक बदली हुई संख्या उद्घोषणा, कंप्यूटरीकृत शिकायत दर्ज करना बुकिंग/भुगतान/प्रणाली इत्यादि।
- इंटरनेट आधारित सेवा जैसे ई-मेल, इंटरनेट टेलीफोन, वेब कॉस्टिंग, वेब सर्फिंग इत्यादि।
- आईएन आधारित सेवाएं जिसमें प्रीमियम दर सेवा, प्री-पेड सेवा इत्यादि शामिल है।
- एमटीएनएल पीएसटीएन/मोबाइल नेटवर्क दोनों पर उभरते रुझानों के अनुरूप कई मूल्यवर्द्धित सेवाएं जैसे समाचार गेमिंग, क्रिकेट सूचना उपलब्ध करा रही है।
- आईपीटीवी एवं वीओपी सेवाएं।
- मोबाइल के माध्यम से एसएमएस भेजकर बिलों के भुगतान के लिए (पीएसटीएन एवं जीएसएम) दिल्ली में एम कॉमर्स सेवा।

हाल में पूरी की गई परियोजनाएं

- एमटीएनएल ने दिल्ली और मुंबई दोनों में 750 हजार 2जी जीएसएम क्षमता की वृद्धि की है।
- दिल्ली एवं मुंबई दोनों में 250 हजार 3जी जीएसएम क्षमता संस्थापित की गई है। 3जी सेवाएं दोनों शहरों में आरंभ कर दी गई हैं।
- दिल्ली और मुंबई दोनों में श्रेणी-4 एनजीएन (अगली पीढ़ी नेटवर्क) पर आधारित 32 हजार टैण्डम क्षमता का उपयोग मार्च, 2009 से आरंभ कर दिया गया है।
- मुंबई में 200 हजार ब्रॉडबैंड उपस्कर तथा दिल्ली में 300 हजार ब्रॉडबैंड उपस्कर की संस्थापना का कार्य लगभग पूरा हो गया है।

फिलहाल चल रही परियोजनाएं

जीएसएम परियोजना : एमटीएनएल ने फरवरी, 2001 में दिल्ली एवं मुंबई में जीएसएम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सेल्युलर सेवाएं 'डॉल्फिन' के ब्रांड नाम से आरंभ की है। वर्ष 2002 में 'ट्रंप' के ब्रांड से प्रीपेड सेल्युलर सेवाएं आरंभ की गईं। जीएसएम नेटवर्क की मौजूदा क्षमता 43.50 लाख लाइनों की है तथा दिल्ली और मुंबई में उपभोक्ताओं की संख्या 42.97 लाख है। एमटीएनएल सेल्युलर सेवा की मांग में हो रही वृद्धि को पूरा करने के लिए दिल्ली और मुंबई दोनों की जीएसएम क्षमता में 20 लाख लाइनों (750 हजार लाइन 3जी सहित) की वृद्धि करने की योजना बनाई गई। इसमें से, 1000 हजार (750 हजार 2जी एवं 250 हजार 3जी) जीएसएम क्षमता का उपयोग पहले ही आरंभ हो गया है। दिल्ली और मुंबई में 3जी जीएसएम क्षमता की संस्थापना का कार्य प्रगति पर है।

एमटीएनएल ने (50 नोड बी वाले) दिल्ली के एनडीएमसी क्षेत्र में 'जादू' के ब्रांड नाम से 3जी डाटा/वॉएस सेवाएं 5 फरवरी, 2009 को आरंभ किया। अब, सेवाएं दिल्ली के जीएसएम लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्र के लगभग 50 प्रतिशत हिस्से में उपलब्ध हैं। आज की तिथि के अनुसार, दिल्ली में 245 नोड बी का विकिरण हो रहा है। मुंबई में 77 नोड बी का विकिरण हो रहा है तथा 3जी डाटा सेवाएं 30 मई, 2009 को आरंभ कर दी गई हैं। मुंबई में वॉएस सेवा जुलाई, 2009 के अंत तक आरंभ हो जाने की संभावना है। एमटीएनएल ने इस वर्ष के अंत तक प्रत्येक शहर में लगभग 820 नोड बी को विस्तारित करने की योजना बनाई है तथा 3जी सेवाएं दिल्ली एवं मुंबई के लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्रों में सभी जगह उपलब्ध है।

ब्रॉडबैंड क्षमता विस्तार : एडीएसएल 2+प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ब्रॉडबैंड सेवाएं जनवरी, 2005 में आरंभ की गईं। इस ब्रॉडबैंड नेटवर्क में ट्रिपल प्ले सेवाएं जैसे वॉएस (वीओआईपी सहित), हाई स्पीड इंटरनेट एवं आईपीटीवी उपलब्ध कराई जा रही हैं। 30.06.2009 की स्थिति के अनुसार, ब्रॉडबैंड के उपभोक्ताओं की कुल संख्या 7.01 लाख है। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, 500 बीबी पोर्ट्स (मुंबई में 200 हजार तथा दिल्ली में 300 हजार) की संस्थापना हेतु क्रयादेश मैसर्स एसओटीएल को दे दिया गया। अधिकांश उपस्कर का उपयोग आरंभ हो गया है। दिल्ली और मुंबई के लिए 10 लाख ब्रॉडबैंड पोर्टों की अतिरिक्त क्षमता वृद्धि हेतु क्रयादेश अल्काटेल को दे दिया गया है। उपस्कर की आपूर्ति शीघ्र आरंभ हो जाएगी।

एनजीएन श्रेणी- IV : एमटीएनएल ने दिल्ली और मुंबई में 6.02 करोड़ रु. की लागत से श्रेणी 4 एनजीएन (अगली पीढ़ी का नेटवर्क) पर आधारित 32 हजार टैण्डम क्षमता का उपयोग आरंभ कर दिया है।

डीडब्ल्यूडीएम : एमटीएनएल ने अपने पारेषण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के प्रयोजनार्थ 15.78 करोड़ रु. की लागत से 40 चैनल 10 गीगाबीट/चैनल डी डब्ल्यूडी के 42 टर्मिनलों (20 दिल्ली एवं 22 मुंबई) की आपूर्ति हेतु क्रयादेश दे दिया है। उपस्कर का परीक्षण पूरा हो गया है और इसका उपयोग शीघ्र ही आरंभ हो जाएगा।

वाई मैक्स : वाई-मैक्स सेवाएं प्रदान करने के लिए एमटीएनएल को दिल्ली और मुंबई, प्रत्येक में 20 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम आबंटित किया गया है। इससे पूर्व, प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करने की दृष्टि से एमटीएनएल ने दिल्ली और मुंबई, दोनों स्थानों पर वाई-मैक्स सेवाओं का परीक्षण किया था। स्पेक्ट्रम का आबंटन हो जाने पर रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) तैयार की जा रही है ताकि वाई-मैक्स सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

कन्वर्जेंट बिलिंग : अत्याधुनिक कन्वर्जेंट बिलिंग और सीआरएम प्रणाली की संस्थापना की जा रही है। इससे सीडीआर आधारित बिल बनाने, उपभोक्ताओं को सभी सेवाओं के लिए एक ही बिल जारी करने, उपभोक्ताओं की बिलिंग में लचीलापन और नवीन प्रशुल्क पैकेज प्रदान करने में सुविधा होगी और इस प्रकार इससे बिलिंग संबंधी शिकायतों को कम करने में सहायता मिलेगी। कन्वर्जेंट बिलिंग प्रणाली परीक्षण के चरण में है। दिल्ली में बिलों की छपाई तथा आईयूसी बिलिंग कार्य के लिए इस उपस्कर का उपयोग किया जा रहा है।

कन्वर्ड नेटवर्क : एमटीएनएल ने ऐसा भावी स्वतंत्र नेटवर्क, जो नई सेवाओं को तीव्रतापूर्वक और कम खर्च में शुरू करने की सुविधा प्रदान कर सके, प्रदान करने में सक्षम एक ही एकीकृत पैकेट आधारित मल्टी सर्विसेज प्लेटफार्म में वायस, डाटा और वीडियो मल्टीमीडिया नेटवर्कों के कन्वर्जेंस की सुविधा प्रदान करने के लिए कन्वर्ड नेटवर्क की निविदा जारी की है। कतिपय अपरिहार्य कारणों की वजह से उक्त निविदा रद्द कर दी गई है तथा इसे पुनः जारी किया जा रहा है।

निकट भविष्य में आरंभ की जाने वाली परियोजनाएं

एफटीटीएच : एमटीएनएल अपने अभिगम नेटवर्क में और भी ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ रहा है और जी-पॉन पर आधारित एफटीटीएच की शुरुआत करने की योजना बना रहा है ताकि अपने सभी महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं को उनके घरों तक फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान कर सके। इससे उनकी डाटा और वीडियो, दोनों के अनुप्रयोगों की बढ़ी हुई बैंडविड्थ की आवश्यकता को पूरा करने में सहायता मिलेगी। इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। प्रारंभ में, दिल्ली एवं मुंबई प्रत्येक में 60.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 15000 जीपीओएन पोर्टों को संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

एजीएन श्रेणी V/आईएमएस : इस वर्ष टीडीएम स्विचों को आईपी स्विचों से बदलने के लिए एनजीएन श्रेणी 5 निविदा आमंत्रित किए जाने की भी योजना है। दिल्ली एवं मुंबई प्रत्येक में 55.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से लगभग 1 लाख लाइनें संस्थापित की जाएंगी, जिससे प्रति लाइन अनुमानित लागत 2750 रु. आएगी।

एमटीएनएल द्वारा सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के माध्यम से शुरू की गई परियोजनाएं

मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एमटीएल) : एमटीएनएल, एमटीएल, जोकि एमटीएनएल और बीएसएनएल का एक संयुक्त उद्यम है, के माध्यम से भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों समुद्री तटों को

दक्षिण पूर्व एशिया तथा मध्य-पूर्व के साथ जोड़ते हुए अन्ततः यूरोप और यूएसए को जोड़ने के उद्देश्य से समुद्री तार बिछाने की योजना बना रहा है। इसके लिए दिसंबर, 08 में निविदा खोली गई थी। इस समय तकनीकी वाणिज्यिक बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है और इसकी संविदा अगस्त/सितंबर, 2009 के अंत तक प्रदान किए जाने की संभावना है।

महानगर टेलीफोन मॉरीशस लिमिटेड (एमटीएमएल) : एमटीएमएल, एमटीएनएल की 100% सहायक कंपनी है। कंपनी के पास स्थिर टेलीफोन सेवा, मोबाइल सेवा, अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का लाइसेंस है।

एमटीएनएल अपने ग्राहकों को किफायती सेवाएं प्रदान कर रहा है। यह अपनी सीडीएमए आधारित स्थिर तथा मोबाइल सेवाएं और इंटरनेट तथा आईएलडी सेवाएं पहले ही शुरू कर चुका है। 30.06.09 की स्थिति के अनुसार कंपनी के उपभोक्ताओं की कुल संख्या 86,452 है।

यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड (यूटीएल) : नेपाल वेंचर (प्रा.) लिमिटेड (एनवीपीएल) के साथ मिलकर एमटीएनएल, वीएसएनएल और टीसीआईएल द्वारा यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की गई है ताकि नेपाल में सीडीएमए आधारित बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। यूटीएल के पास राष्ट्रीय लंबी दूरी एवं अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवाओं को प्रचालित करने का भी लाइसेंस है। एमटीएनएल ने अब तक यूटीएल में इक्विटी के रूप में 29.015 करोड़ रु. का निवेश किया है। 15.06.09 की स्थिति के अनुसार, कंपनी का लगभग, 1,57,000 का उपभोक्ता आधार है।

एफटीएनएल-एसटीपीआई आईटी सेवा लिमिटेड : एमटीपीआई सर्विसेज लिमिटेड सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) और एमटीएनएल के बीच 50:50 का संयुक्त उद्यम है। 2006 में बनाए गए संयुक्त उद्यम में एसटीपीआई का इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में गहरा अनुभव और एमटीएनएल का भारतीय समुदाय को उत्कृष्ट वेबपोर्टल सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से भारत की अग्रणी दूरसंचार प्रचालन कंपनी के रूप में सुदीर्घ रिकॉर्ड का संयोजन विद्यमान है।

यह परियोजना तीन अलग-अलग चरणों में कार्यान्वित की जाएगी। पोर्टल तथा निःशुल्क ई-मेल सेवाओं के अतिरिक्त, राजस्व के अभिज्ञात स्रोतों में एसएमएस के लिए होस्टेड मैसेजिंग सॉल्यूशन्स, फैमिली मेल बॉक्स, वेब होस्टिंग, एप्लीकेशन होस्टिंग, उद्यम संसाधन आयोजना (ई.आर.पी.) समाधान, पोर्टल के माध्यम से पोर्टल विज्ञापन आदि शामिल हैं। प्रस्तावित डाटा केंद्र के लिए स्थान की पहचान पहले ही कर ली गई है। उक्त डाटा केंद्र चेन्नै में एसटीपीआई भवन में बनाया जाएगा।

ग्राहक सुविधा एवं संपर्क

एमटीएनएल ने ग्राहकों के साथ अंतः संपर्क बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। टेलीफोन अदालत एवं खुला सत्र अधिवेशन आयोजित किए जा रहे हैं ताकि इन दोनों तरीकों के माध्यम से ग्राहकों के साथ प्रभावी संपर्क बनाया रखा जा सके। सभी प्रभागीय कार्यालयों में तीव्र ग्राहक सेवा केंद्र चलाए जा रहे हैं ताकि ग्राहकों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं जैसे सहायक उपस्कर, फोन सहित सेवा, एसटीडी की सुविधा बंद कराने/पुनः कराने, टेलीफोन का स्थानीय आधार पर स्थानांतरण, आईएसडीएन, इंटरनेट कनेक्शन तथा आईएन सेवाओं संबंधी सुविधाओं को पूरा किया जा सके।

- एमटीएनएल ने टेलीफोन बिलों के सुगम भुगतान की सुविधाओं जैसे-ऑन लाइन सुविधा, ईसीएस, चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर मास्टर कार्ड तथा ऑटोमेटिक टेलर मशीन के माध्यम से भुगतान,

सुगम बिल भुगतान केंद्र इत्यादि को सुलभ बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं ताकि समाज के सभी वर्गों की अपेक्षा को पूरा किया जा सके।

- कॉरपोरेट ग्राहकों का विशेष ध्यान एवं लॉयल्टी स्कीम।
- एमटीएनएल ने किराया में स्वतः छूट, प्रभार, नंबर परिवर्तित होने के संबंध में घोषणा की सुविधा, ग्राहक सेवा प्रबंधन प्रणाली, इत्यादि जैसी विभिन्न सीआरएम सेवाएं भी आरंभ की है।
- एमटीएनएल ग्राहकों के लिए कॉल सेंटर/हेल्प लाइन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है ताकि उनकी शिकायतों को दर्ज किया जा सके।
- एमटीएनएल समय-समय पर समाज के सभी वर्गों के अनुकूल प्रशुल्क को संशोधित करता रहा है।
- पीएसटीएन, बी/बी जीएसएम, सीडीएमए (एम) के लिए विभिन्न सेवाओं और शिकायतों की ऑनलाइन बुकिंग अब उपलब्ध है।
- एमटीएनएल ने दिल्ली में संचार डाटों और मुंबई में उपभोक्ता सेवा केंद्रों की स्थापना की है जहां उपभोक्ता नयी सेवा के लिए पंजीकरण, सेल्युलर कनेक्शन के डुप्लीकेट बिल, बिल भुगतान, वीसीसी कार्ड आदि जैसी विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

मैसर्स आईटीआई लिमिटेड

दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मैसर्स आईटीआई लिमिटेड की बेंगलुरु, रायबरेली, नैनी, मनकापुर, श्रीनगर और पालाक्कड़ में छह विनिर्माण इकाइयां हैं। वे दूरसंचार उपस्करों की एक बड़ी शृंखला का विनिर्माण करते हैं। इस कंपनी को लगातार घाटा हो रहा है और एसआईसीए 1985 की धारा 17/2 के अंतर्गत इसे रुग्ण घोषित किया गया है। तथापि कंपनी का पुनरुद्धार करने के लिए सरकार अथक प्रयास कर रही है। बीएसएनएल/एमटीएनएल ने आईटीआई को निविदा की प्रतिभूति और निष्पादन बैंक गारंटी के प्रावधान से छूट दी है। बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा आईटीआई को 30% आरक्षण की सुविधा को बढ़ा दिया गया है। जोकि 20.09.2009 को समाप्त हो गई थी। उक्त तारीख बढ़ाए जाने संबंधी मामला प्रक्रियाधीन है।

पिछले कई सालों से कंपनी को लगातार घाटा हो रहा है परंतु सरकार द्वारा अथक प्रयास किए जाने से पुनरुद्धार के पथ पर है। अगस्त, 2009 में आईटीआई को 2820 करोड़ रु. का वित्तीय पैकेज दिया गया ताकि इसके तुलनपात्र को व्यवस्थित किया जा सके। सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से 180 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता भी अनुमोदित की गई है। सरकार ने चुनिंदा मदों के विनिर्माण के लिए रायबरेली, नैनी और बेंगलुरु में विशिष्ट प्रयोजनमूलक इकाइयों/संयुक्त उद्यमों को लगाने का भी अनुमोदन दिया है।

दूरसंचार विभाग के अपर सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति आईटीआई लिमिटेड के लिए एसपीवी/जेवी को लगाने संबंधी मामले पर विचार कर रही है।

टेलीकम्युनिकेशंस कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड

टेलीकम्युनिकेशंस कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) की स्थापना 1978 में हुई और अब यह एक बहुउद्देशीय दूरसंचार संस्थान है जो परिकल्पना से पूर्णता तक संपूर्ण दूरसंचार समाधान प्रदान करती है। इस कंपनी का मुख्य वर्चस्व संचार नेटवर्क परियोजनाओं के टर्नकी जैसे कि बैकवोन और अभिगम क्रियान्वयन के अलावा संचार ई-गवर्नेंस, ई-शिक्षण, टेली-मेडिसिन के साथ-साथ बुनियादी,

जीएसएम, सीडीएमए, माइक्रोवेव, सेटेलाइट, रेडियो ट्रकिंग और दूसरे आकर्षक नेटवर्क इत्यादि में है। इस कंपनी से राजस्थान में जीएसएम सेवाओं के प्रचालन के लिए एक संयुक्त स्थापित किया है और नेपाल में सीडीएमए आधारित डब्ल्यूएलएल संचार सेवाओं के लिए एक अन्य संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। इस कंपनी को प्रतिष्ठित पैन अफ्रीकन परियोजना भी दी गई जिसका उद्देशीय अफ्रीकी क्षेत्र के 53 देशों में टेलीएजुकेशन तथा टेली-मेडिसीन सेवाएं प्रदान करना है। टीसीआईएल को भूटान तथा अन्य सार्क देशों के लिए भी टेली-मेडिसीन सुविधाएं प्रदान करने संबंधी इस तरह का कार्य प्राप्त हुआ है।

टीसीआईएल, मध्य-पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, यूरोप और मध्य एशिया के 60 देशों में परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर चुकी/कर रही है। 30 लाख रुपए की इक्विटी से शुरू करते हुए आजी की तारीख की स्थिति के अनुसार इस कंपनी की इक्विटी 7 बोनस शेयर इश्यू के माध्यम से 43.20 करोड़ रुपए हो गई है। इस कंपनी ने वर्ष 2008-09 के दौरान 646 करोड़ रु. का टर्न ओवर प्राप्त किया और इसका नेट वर्थ लगभग 405 करोड़ रुपए है।

इंटरनेट सेवा प्रदाता

(श्रेणी वार) 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की संख्या :

क	ख	ग	योग
96	128	148	372

(श्रेणी वार) 31 अगस्त, 09 की स्थिति के अनुसार इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की संख्या :-

क	ख	ग	योग
96	127	148	370

क्र.सं.	इंटरनेट ग्राहक	ब्रॉडबैंड ग्राहक
1.	(31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार) 1364700	(31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार) 6067577
2.	(31 जून, 06.2009 की स्थिति के अनुसार) 14394793	(31 जुलाई, 2009 की स्थिति के अनुसार) 6630361

9. रक्षा

21 वीं शताब्दी के प्रथम दशक में इस बात के साक्ष्य उत्तरोत्तर बढ़ते रहे हैं कि सीमाएं इन सुरक्षा खतरों को रोक सकने में अक्षम रही हैं। भारत का हर पड़ोसी एक संक्रमण से गुजर रहा है जिससे विभिन्न राजनीतिक अनुभवों एवं प्रयोगों की उत्पत्ति हो रही है। आतंकवाद और हथियार, ड्रग्स एवं आणविक तकनीक का विस्तार खतरे उत्पन्न कर रहा है जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

वर्ष 2008 के विकासों ने, विशेषकर वैश्विक आर्थिक प्रणाली की चुनौतियों ने वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा में अपूर्व तनावों को उत्पन्न किया है।

उग्रवादी और आतंकी संगठनों के साथ पाकिस्तान के सम्मिलन ने महानतम जटिलताओं और खतरों को उत्पन्न किया है जिससे हमें दो चार होना पड़ रहा है। इसलिए आंतरिक और सीमाओं दोनों स्तरों पर हमारे सुरक्षा उपकरणों की मजबूती सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता है।

चीन के सुदूर जल में अभियानों के संचालन के लिए समुद्री बेड़े और सामरिक मिसाइल तथा आकाशीय प्रक्षेपास्त्रों का विस्तार, साथ ही साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में क्रमिक ढांचागत विकास, गहन सर्वेक्षण और निगरानी। चौकसी, त्वरित प्रतिक्रिया और अभियानात्मक क्षमताओं की बढ़ती की अपने श्वेतपत्र में घोषित उद्देश्यों के, भारत की रक्षा-सुरक्षा पर निकट भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों के मद्देनजर, सजग जांच-पड़ताल की जरूरत है। वैसे ही पाकिस्तान के साथ इसका सहयोग और इसकी सैन्य सहायता, जिसमें जम्मू-कश्मीर राज्य के अवैध पाकिस्तानी कब्जे वाले भू-भाग के जरिये पाकिस्तान से संपर्क बढ़ाए जाने की संभावना भी शामिल है, का भारत पर सीधा सैन्य-प्रभाव पड़ेगा।

भारत की विश्वसनीय न्यूनतम भयकारी/ हतोत्साहन की नीति का क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों में महत्वपूर्ण योगदान है। न्यूनतम हतोत्साहन की स्थिति रखते हुए भारत ने 'प्रथम-प्रयोग-नहीं' की नीति एवं गैर-परमाणु हथियार वाले देशों के लिए 'प्रयोग-नहीं' की नीति की घोषणा की है। साथ ही, भारत स्वैक्षिक रूप से आणविक परीक्षण के एकपक्षीय विलंबन/स्थगन की स्थिति भी बनाए रखता है।

आवर्धित समुद्री सुरक्षा को लंबी तटरेखा की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए जो पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से लगी हुई है।

हाल के कुछ वर्षों में, जहाजरानी मुद्दे जैसे-समुद्री-पथों की सुरक्षा, गहरे समुद्र में लूट-पाट, उर्जा-सुरक्षा, डब्ल्यूएमडी, आतंकवाद आदि भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण तत्व बन गए हैं। भारतीय नौ-सेना ने हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में समुद्री लूट-पाट के नियंत्रण में अहम भूमिका निभाई है। मुंबई के आतंकी हमलों ने एक बार फिर भारत की सुरक्षा में जहाजरानी-आयाम की महत्ता को विशिष्टता प्रदान की है।

संगठन

रक्षा मंत्रालय का प्रमुख काम है रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार से निर्देश प्राप्त करना और सशस्त्र बलों के मुख्यालयों, अंतर-सेना संगठनों, रक्षा उत्पादन प्रतिष्ठानों और अनुसंधान एवं विकास

संगठनों तक कार्यान्वयन के लिए उन्हें पहचाना। सरकार के नीति-निर्देशों को प्रभावी ढंग से तथा आवंटित संसाधनों का ध्यान रखकर उन्हें कार्यान्वित करना भी उसका काम है। विभाग के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं—

(i) रक्षा विभाग एकीकृत रक्षा स्टाफ और तीनों सेनाओं तथा विभिन्न अंतर-सेवा संगठनों की जिम्मेदारियों का वहन करता है। रक्षा बजट, स्थापना कार्य, रक्षा नीति, संसद से जुड़े मुद्दे, बाहरी देशों के साथ रक्षा सहयोग तथा समस्त क्रियाकलापों का समन्वय इसी विभाग के दायित्व हैं।

(ii) रक्षा उत्पादन विभाग का प्रमुख सचिव इसका प्रमुख होता है और यह रक्षा उत्पादन, आयातित भंडार के स्वदेशीकरण, उपकरणों और अतिरिक्त कलपुर्जों तथा हथियार कारखाना बोर्ड और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उद्यमों की विभागीय उत्पादन इकाइयों के नियंत्रण संबंधी कार्यों को निपटाता है।

(iii) रक्षा, शोध तथा विकास विभाग का प्रमुख सचिव होता है जो रक्षा मंत्री का सलाहकार भी होता है। इसका काम सैनिक साजो-सामान के वैज्ञानिक पक्ष, संचालन तथा सेना द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले उपकरणों से संबंधित शोध, डिजाइन और विकास योजनाएं बनाना है।

(iv) भूतपूर्व सैनिक/रक्षाकर्मी कल्याण विभाग का प्रमुख एक अतिरिक्त सचिव होता है इसके जिम्मे पेंशनयापता भूतपूर्व सैनिकों, भूतपूर्व कर्मचारी स्वास्थ्य योजना, पुनःनियोजन और केंद्रीय सैनिक बोर्ड महानिदेशालय तथा तीनों रक्षा सेवाओं के पेंशन नियमों से जुड़े मुद्दों का निष्पादन है।

करगिल समिति की रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों के समूह द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 1 अक्टूबर, 2001 को इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (आईडीएस) की स्थापना की गई। आईडीएस के लिए स्टाफ तीन सेनाओं, एमईए, डीआरडीओ, सशक्त सेना मुख्यालय, सिविल सेवाओं तथा रक्षा विभाग से मुहैया कराया गया है। वर्तमान में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ सीओएससी के सलाहकार के रूप में कार्यरत है। वर्तमान में आईएसडी अध्यक्ष सीओएससी के सलाहकार स्टाफ के रूप में कार्य कर रहा है।

तीनों सेनाओं के मुख्यालय—यानी थल सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय और वायु सेना मुख्यालय थल सेना प्रमुख (सीओएस) नौसेना प्रमुख (सीएनएस) और वायुसेना प्रमुख (सीएस) के अधीन काम करते हैं। इनकी सहायता के लिए प्रधान स्टाफ अधिकार (पीएसओ) होते हैं। चिकित्सा सहायता, जन संपर्क और रक्षा मुख्यालय में सिविलियन स्टाफ के कार्मिक प्रबंधन जैसे तीनों सेनाओं से संबद्ध कार्यों के लिए रक्षा मंत्रालय के अधीन एक अंतर-सेवा संगठन है।

रक्षामंत्री को रक्षा संबंधी गतिविधियों में मदद देने के लिए अनेक समितियां होती हैं। स्टाफ समिति का प्रमुख एक ऐसा मंच होता है जो तीनों सेनाओं की गतिविधियों से संबद्ध मामलों पर विचार का स्थान होता है और यह मंत्रालय को सलाह देता है। स्टाफ समिति प्रमुख का पद सबसे लंबी सेवा वाले सेना प्रमुख को दिया जाता है और यह तीनों सेना प्रमुखों के बीच बारी-बारी से आता है।

रक्षा मंत्रालय का वित्त विभाग वित्तीय मामलों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करता है। रक्षा सेवाओं का रक्षा सलाहकार इसका प्रमुख होता है तथा यह रक्षा मंत्रालय से पूर्णतः संबद्ध होता है और सलाहकार की भूमिका निभाता है।

थल सेना

भारतीय थल सेना सीमा पर चौकस रहती है—चौकन्नी, किसी भी बलिदान के लिए तैयार - ताकि देश के लोग शांति व सम्मान के साथ जी सकें।

उच्च तकनीक आधारित सटीक हथियारों को शामिल किए जाने से आगामी युद्धों की मारक क्षमता कई गुणा बढ़ गई है। खतरों का वर्णक्रम पारंपरिक से आणविक तथा विषम तक फैला है, साथ ही आतंकवाद एक हाइड्रा के सिर वाले राक्षस के रूप में उभर रहा है। जलवायु की कठिनाता जैसे- हिम खंडों की ऊंचाई एवं अत्यधिक ठंड, सघन पहाड़ी जंगल तथा मरुभूमि की गर्मी एवं उमस आदि का भी सामना करना पड़ता है।

लंबी अवधि के परिप्रेक्ष्य में थलसेना का आकार, आकृति एवं भूमिका का व्यावहारिक दृष्टिकोण थलसेना की आधुनिकीकरण प्रक्रिया को गतिशील/ओसस्वी बनाता है तथा प्रौद्योगिकी प्रक्रिया इसे एक भय-सह-क्षमता आधारित ताकत बनने की तरफ अग्रसर करती है। भारतीय थल सेना को विभिन्न वर्णक्रम उन्मुख परिवर्तनों के लिए एवं भविष्य की चुनौतियों के लिए एक 'तैयार व प्रासंगिक थलसेना' के रूप में तैयार किया जाना है।

भारतीय सेना बहुबल के अर्थ में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी थल सेना है। थल सेना का प्रमुख उत्तरदायित्व बाहरी खतरों से देश की रक्षा करना है। इसके अतिरिक्त थल सेना आंतरिक सुरक्षा गड़बड़ियों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सिविल प्रशासन की मदद भी करती है। थल सेना बाढ़, भूकंप, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्य भी करती है तथा आवश्यक सेवाओं की बहाली में मदद करती है।

भारतीय थल सेना विश्व की उत्कृष्ट थल सेनाओं में से एक है। वर्तमान तथा भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए थल सेना का निरंतर आधुनिकीकरण तथा उन्नयन किया जाता है। यह पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। आधुनिकीकरण के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं—

- (i) गोलीबारी क्षमता में सुधार तथा गश्त में वृद्धि
- (ii) सभी मौसमों में युद्ध क्षेत्र निगरानी क्षमता
- (iii) रात्रि युद्ध की क्षमता
- (iv) विशिष्ट बलों की क्षमता में बढ़ोत्तरी
- (v) नेटवर्क आधारित युद्ध की क्षमता
- (vi) एनबीसी संरक्षण

आर्टिलरी का मुख्य जोर बेहतर गोलीबारी क्षमता रेंज में सुधार के लिए भारी कैलिबर बंदूकों की खरीद करना है। रात्रि निगरानी उपकरणों तथा अतिरिक्त मानवरहित विमानों की खरीद से आर्टिलरी की निगरानी तथा लक्ष्यबेधन क्षमता में वृद्धि होगी।

निगरानी क्षमता, गोलीबारी क्षमता, संरक्षण, संचार तथा गश्त में कई गुना वृद्धि कर राष्ट्रीय राइफल तथा पैदल सेना की युद्ध क्षमता में व्यापक बदलाव लाया जा रहा है। आधुनिकीकरण के तहत पैदल सेना की टुकड़ियों को अधिक मारक क्षमता तथा रेंज वाले हथियार, T-90 टैंक, ब्रह्मोस शस्त्र प्रणाली, मिसाइल और राकेट प्रणाली, थर्मल इमेजिंग उपकरण, बुलेट तथा माइन प्रूफ गाड़ियां तथा सुरक्षित रेडियो संचार उपलब्ध कराया गया है।

नौसेना

अपनी क्षमता, रणनीतिक स्थिति तथा भारतीय महासागरों में अपनी मुखर उपस्थिति के कारण नौसेना भारतीय महासागरीय क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा प्रशांति की उत्प्रेरक है। इसने अन्य समुद्रीवर्ती देशों से मित्रता तथा

सहयोग कायम किया है। हमारे पड़ोस के छोटे मुल्क तथा वे देश जो अपने व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए भारत के महासागरों पर निर्भर हैं, उनके लिए नौसेना भारत के समुद्री क्षेत्र में प्रशांति तथा स्थिरता के उपाय सुनिश्चित करती है। इस काम को पूरा करने के लिए भारतीय नौसेना अपनी क्षमता तथा क्षेत्रीय और क्षेत्र के बाहर की नौसेनाओं के साथ सहयोग और अंतः क्षमता बढ़ा रही है। जहाज, पनडुब्बियां, देश में और बाहर निर्मित की जा रही हैं। कोचि में देसी एयरक्राफ्ट केरियर भी निर्माणाधीन है। बीवीआर डब्लो मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। 6 यूएच 3 एच हेलीकाप्टर शामिल किए गए हैं। इसके लिए आईएफटीयू स्थापित की गई है। यह यूनिट 23 मार्च, 2009 को भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन (आईएनएस) के रूप में शुरू की गई।

लैंडिंग शिप टैंक आईएनएस शार्दूल 4 जनवरी, 2007 को नेवल बेस, कारवार में नियुक्त किया गया। अमरीकी नौसेना से खरीदे गए आईएनएस जलाशव को 22 जून, 2007 को नोरफोक (अमरीका) में तैनात किया गया। इसने भारतीय नौसेना में एक नया आयाम जोड़ा है। यह जहाज भारतीय नौसेना में पहला लैंडिंग प्लेटफार्म डॉक (एलपीडी) है।

भारतीय नौसेना के जहाजों की विदेशों में तैनाती देश की विदेश नीति में सहायक है। इस प्रकार के मिशन विदेशी मित्र देशों के साथ संबंधों की बेहतरी तथा विदेशी सहयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण हैं। वर्ष 2007 में हुई महत्वपूर्ण विदेशी तैनातियों में पर्सियन खाड़ी, उत्तरी अरब सागर, भू-मध्य सागर, लाल सागर, चीन सागर तथा उत्तरी-पश्चिमी प्रशांत महासागर में की गई जहाजों की तैनाती शामिल है।

तटरक्षक

समुद्री क्षेत्र में भारत के राष्ट्रीय हित की संरक्षा के लिए तटरक्षक कानून 1978 लागू होने के साथ ही 18 अगस्त, 1978 को भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) की स्थापना हुई थी। तटरक्षक का दायित्व भारत की सीमाओं में जलीय क्षेत्र तथा विशिष्ट आर्थिक जोन की नियमित निगरानी करना है, ताकि चोरी और तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त तटरक्षक बल के कार्यों में खोज और बचाव कार्य तथा समुद्री वातावरण को प्रदूषण से बचाना भी शामिल है।

तटरक्षक की कमान और नियंत्रण तटरक्षक महानिदेशक में निहित है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके तीन क्षेत्रीय मुख्यालय मुंबई, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर में हैं। अपने 11 तटरक्षक जिलों और 6 तटरक्षक स्टेशनों के जरिए ये क्षेत्रीय मुख्यालय संगठन की कमान संभालते हैं।

तटरक्षक बल अधिनियम के अनुसार इसके बुनियादी कार्य इस प्रकार हैं—(क) कृत्रिम द्वीपों और समुद्री प्रतिष्ठानों की रक्षा, (ख) मछुआरों को सुरक्षा प्रदान करना, (ग) समुद्री प्रदूषण सहित समुद्री पर्यावरण का संरक्षण करना और लुप्तप्राय नस्लों की रक्षा करना, (घ) तटकर और अन्य अधिकारियों की तस्करी विरोधी अभियानों में सहायता करना, (ङ) भारत के समुद्री कानूनों को लागू करना, (च) समुद्र में जान-माल की सुरक्षा करना और भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य कर्तव्य (छ) युद्ध के समय नौसेना की सहायता करना।

वायु सेना

भारतीय सेना बदलाव के दौर में है। यह बदलाव बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण और नए उपकरण शामिल करने तक सीमित नहीं बल्कि प्रभावी रोजगार में सैद्धांतिक बदलाव का भी है।

वायु सेना आज एक पीढ़ी आगे है और इसने आधुनिक युद्ध क्षमताएं हासिल कर ली हैं। इस बीच

देश और देश से बाहर बहुत से अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों और मिशन दोनों में सर्वोच्च प्रदर्शनों से अपनी पेशेवर धाक बढ़ाना जारी रखा है।

भारतीय वायु सेना ने अति आधुनिक एसयू-30 एमकेआई एयरक्राफ्ट शामिल किया है। 20 हॉक एजेटो एयरक्राफ्ट भी शामिल किए गए हैं। विशेष अभियानों के लिए सी-130 जे-30 एयरक्राफ्ट प्राप्त करने के लिए यूएस सरकार के साथ निविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आक्रमण और रक्षा दोनों में प्रभावी बढ़ोत्तरी के लिए हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली (अवाक्स) प्राप्त की जा रही है। इसके शामिल होने से सामने आने वाली परिस्थितियों में बल प्रलंबता क्षमताओं में भी बढ़ोत्तरी होगी।

मिग-29 को बीच में अपग्रेड करने और संपूर्ण तकनीकी जीवन के विस्तार के लिए रूस के आरएसी मिग के साथ करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए वायु सेना मिराज 2000, जगुआर एयरक्राफ्ट तथा एमआई-17 हेलिकॉप्टरों को अपग्रेड करने की प्रक्रिया भी शुरू कर रहा है। डीओ-228 एयरक्राफ्ट को आधुनिक तकनीक से लैस रखने के लिए सभी मौजूदा एयरक्राफ्टों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है। मरम्मत के लिए पुर्जों का देश में ही निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। वायु सेना की विभिन्न टुकड़ियों के लिए 80,000 से अधिक पुर्जे बेस रिपेयर डिपो (बीआरडी) द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं। सभी आयातित बेरियरों की जगह देसी बेरियर लगाने की एक दीर्घकालीन योजना बनाई गई है।

इलेक्ट्रॉनिक निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए बढ़ी संख्या में ग्राउंड आधारित रडार शामिल किए जा रहे हैं। इन रडारों से एयरस्पेस प्रबंधन में खासा सुधार होगा।

वायु सेना सभी क्षेत्रों के लिए आधुनिकतम संचार उपकरण हासिल कर रही है। इनमें शामिल सेटकॉम, एचएफ तथा वी/यूएचएफ सेट शामिल हैं। इसके अथावा सभी कमांड, नियंत्रण और युद्ध तत्वों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद एनक्रिप्शन उपकरणों को भी हासिल किया जा रहा है।

कमीशंड रैंक

तीनों सेनाओं में कमीशंड रैंक का विवरण और उनके समान पद नीचे चार्ट में दिए गए हैं :

थलसेना	नौसेना	वायुसेना
जनरल	एडमिरल	एयर चीफ मार्शल
लेफ्टिनेंट जनरल	वाइस एडमिरल	एयर मार्शल
मेजर जनरल	रियर एडमिरल	एयर वाइस मार्शल
ब्रिगेडियर	कमोडोर	एयर कमोडोर
कर्नल	कैप्टन	ग्रुप कैप्टन
लेफ्टिनेंट कर्नल	कमांडर	विंग कमांडर
मेजर	लेफ्टिनेंट कमांडर	स्क्वॉड्रन लीडर
कैप्टन	लेफ्टिनेंट	फ्लाइट लेफ्टिनेंट
लेफ्टिनेंट	सब लेफ्टिनेंट	फ्लाइट ऑफिसर

भारतीय वायु सेना में भर्ती

गैर-संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से अधिकारियों की भर्ती : भारतीय वायु सेना में कमीशन अधिकारियों की भर्ती मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है। तकनीकी शाखाओं, महिला

विशेष भर्ती स्कीम, एनसीसी विशेष भर्ती स्कीम, सेवा भर्तियों के लिए चयन भारतीय वायु सेना मुख्यालय के माध्यम से किया जाता है।

सेवा चयन बोर्डों के माध्यम से भर्ती : इसके जरिए फ्लाइटिंग (पायलट), एयरो नॉटिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिकी), शिक्षा, प्रशासन, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट तथा अंतरिक्ष विज्ञान शाखाओं के लिए भर्ती की जाती है।

विश्व विद्यालय प्रवेश स्कीम : इसके तहत तकनीकी शाखाओं में स्थाई कमीशन अधिकारियों के रूप में शामिल होने के लिए इंजीनियरिंग के अंतिम/प्री- अंतिम वर्ष के छात्र योग्य होते हैं।

महिला अधिकारियों की भर्ती : फ्लाइटिंग, एयरो नॉटिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकेनिकल) शिक्षा, प्रशासन, लॉजिस्टिक, अकाउंट तथा अंतरिक्ष विज्ञान शाखाओं में लघु सेवा कमीशन अधिकारियों के रूप में योग्य महिलाओं की भर्ती की जाती है

एनसीसी के जरिये भर्ती : एनसीसी 'सी' (बी ग्रेड) प्रमाणपत्र तथा 50 प्रतिशत अंक वाले स्नातक सेवा चयन बोर्डों के माध्यम से नियमित कमीशन अधिकारियों के रूप में शामिल किए जाते हैं।

अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों की भर्ती : नई दिल्ली में स्थित केंद्रीय वायुसैनिक चयन बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्रीकृत चयन प्रणाली के जरिए वायुसैनिकों का चयन किया जाता है। इसमें देशभर में फैले 14 चयन केंद्रों की सहायता ली जाती है।

थल सेना में भर्ती

संघ लोकसेवा आयोग के अतिरिक्त सेना में निम्नलिखित तरीकों से भी कमीशंड अधिकारियों की भर्ती की जाती है।

(अ) **विश्वविद्यालय भर्ती योजना (यूईएस):** अधिसूचित इंजीनियरिंग शाखाओं के फाइनल और प्री-फाइनल के विद्यार्थी इस योजना के तहत सेना की तकनीकी शाखा में कमीशंड अधिकारी के रूप में स्थायी कमीशन के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। सेना मुख्यालय द्वारा नियुक्त एक स्क्रीनिंग दल कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन करता है। इन उम्मीदवारों को एसएसबी तथा मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है।

(ब) **तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टीजीसी):** अधिसूचित इंजीनियरिंग शाखाओं के स्नातक/स्नाकोत्तर विद्यार्थी इसके माध्यम से स्थाई कमीशन के लिए आवेदन के पात्र हैं। एसएसबी और मेडिकल बोर्ड के बाद अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को भारतीय सेना अकादमी, देहरादून में एक वर्ष का प्री-कमीशन प्रशिक्षण पूरा करना होता है।

(स) **शॉर्ट सर्विस कमीशन (तकनीकी):** अधिसूचित इंजीनियरिंग शाखाओं के इंजीनियरिंग स्नातक/स्नातकोत्तर विद्यार्थी शॉर्ट सर्विस कमीशन (तकनीकी) प्रवेश के जरिए तकनीकी शाखा में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आवेदन के पात्र हैं। चुने गए उम्मीदवारों को एसएसबी और मेडिकल बोर्ड के बाद 11 महीने के प्री-कमीशन प्रशिक्षण के लिए ओटीए, चेन्नई जाना पड़ता है।

(द) **10+2 तकनीकी योजना (टीईएस):** 10+2 सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने भौतिकी, रसायन तथा गणित विषयों में कुल मिलाकर 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों, इस योजना में आवेदन के पात्र हैं।

(य) **महिला अधिकारियों के लिए विशेष प्रवेश योजना (डब्ल्यूएसईएस-ओ):** इस योजना के जरिए

सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशंड अधिकारियों के लिए योग्य महिला उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। इन्हें इलक्ट्रॉनिक तथा मेकेनिकल इंजीनियरी, सिग्नल, सेना शिक्षा, सेना आर्डिनेंस, आपूर्ति, सेना गुप्तचर दलों, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच तथा सेना वायु रक्षा में कमीशंड किया जाता है।

(र) **एनसीसी (विशेष) प्रवेश योजना** : कम से कम 'बी' ग्रेड के साथ एनसीसी का 'सी'

सर्टिफिकेट रखने वाले और स्नातक परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक पाने वाले विद्यार्थी इस योजना के माध्यम से शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इन्हे संघ लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से छूट मिलती है तथा इनका चुनाव सीधे एसएसबी बोर्ड के साक्षात्कार तथा मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाता है।

(ल) **न्यायाधीश वकील सामान्य प्रवेश** : न्यायाधीश वकील सामान्य शाखा के लिए 21 से 27 वर्ष आयु के लोग आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने एलएलबी में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। योग्य उम्मीदवारों को सीधे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद चिकित्सा परीक्षण। यह लघु सेवा कमीशन प्रवेश है जिसमें उम्मीदवार स्थाई कमीशन का विकल्प दे सकता है।

अधिकारी स्तर से नीचे कार्मिकों की भर्ती (पीबीओआर): सेना में पीबीओआर की भर्ती खुली रैलियों द्वारा होती है। रैली स्थल पर उम्मीदवारों की प्राथमिक स्क्रीनिंग के बाद उनके दस्तावेजों की जांच तथा शारीरिक क्षमता की परीक्षा होती है। वहीं पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा मेडिकल जांच भी की जाती है। इसके बाद शारीरिक रूप से सक्षम अभ्यर्थियों को एक लिखित परीक्षा भी देनी पड़ती है। सफल उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों में भेज दिया जाता है।

47 रेजीमेंटल केंद्रों के अलावा ग्यारह जोनल भर्ती कार्यालय, दो गोरखा भर्ती डिपो तथा एक स्वतंत्र भर्ती कार्यालय अपने संबंधित क्षेत्रों में आयोजित रैलियों के जरिए भर्ती करते हैं।

भारतीय नौसेना में भर्ती

अधिकारियों की भर्ती : नौसेना की निम्नलिखित शाखाओं/कॉर्डरों में संघ लोकसेवा आयोग के अलावा अन्य तरीकों से भर्ती की जाती है।

- (i) **कार्यकारी** : वायु परिवहन नियंत्रण/विधि/लॉजिस्टिक/नेवल अर्मामेंट इंस्पेक्टर (एनएआई)/हाइड्रो कॉर्डर के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन तथा विधि/एनएआई कॉर्डरों के लिए स्थाई कमीशन।
- (ii) **इंजीनियरिंग (नेवल वास्तुकार सहित)** : विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यूईएस), विशेष नेवल वास्तुकार प्रवेश योजना तथा एसएससी (ई) योजना के जरिए शॉर्ट सर्विस कमीशन। 10+2 (तकनीकी) योजना के जरिए स्थाई कमीशन।
- (iii) **इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग** : यूईएस तथा एसएससी (एल) योजना के जरिए शॉर्ट सर्विस कमीशन में भर्ती। 10+2 (तकनीकी) योजना के जरिए स्थाई कमीशन।
- (iv) **शिक्षा शाखा** : इस शाखा के लिए स्थाई तथा शॉर्ट सर्विस कमीशन योजनाएं विद्यमान हैं।
- (v) **10+2 (तकनीकी) योजना** : यह योजना भारतीय नौसेना की इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रिकल शाखाओं में स्थाई कमीशन के लिए है। इस योजना के तहत एसएसबी द्वारा 10+2 पास चयनित अभ्यर्थियों को नेवल संचालन पाठ्यक्रमों के लिए नौसेना अकादमी में भेजा जाता है। इसके पश्चात उन्हें आईएनएस शिवाजी/वालसुरा पर चार वर्षीय इंजीनियरिंग कोर्स करना पड़ता है।

- (vi) **विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यूईएस)** : इस योजना को शार्ट सर्विस कमीशन योजना के रूप में अगस्त, 2005 में पुनः शुरू किया गया है। नौसेना की तकनीकी शाखाओं/ कॉडरों में इंजीनियरिंग के फाइनल तथा प्री-फाइनल विद्यार्थी आवेदन के पात्र हैं।
- (vii) **महिला अधिकारी** : महिलाएं नौसेना की शिक्षा शाखा तथा कार्यकारी (एटीसी, विधि तथा लॉजिस्टिक कैंडरों) में शार्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के रूप में शामिल हो रही हैं।
- (viii) **एसएससी अधिकारियों के लिए स्थाई कमीशन (महिला एवं पुरुष)** : जनवरी, 2009 से इसमें शामिल होने वाले बैचों के लिए शिक्षा, एक्स/विधि तथा ई/नौसेना प्रशिक्षक कैंडर के लिए स्थाई कमीशन दिया जाएगा।
- (ix) **एनसीसी के जरिए भर्ती** : स्नातक परीक्षा में 'बी' ग्रेड तथा 50 प्रतिशत अंक पाने वाले एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्रधारी स्नातक विद्यार्थी नौसेना में नियमित कमीशंड अधिकारी के लिए आवेदन के पात्र हैं। इन स्नातकों को सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा में शामिल होने से छूट मिलती है तथा इनका चयन सीधे एसएसबी साक्षात्कार द्वारा होता है।
- (x) **विशेष नेवल वास्तुकार प्रवेश योजना** : आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी चेन्नई, कोचीन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा आंध्र विश्वविद्यालय में बी.टेक. (नेवल वास्तुकार) कोर्स कराए जाते हैं। नौसेना का एक दल यहां कैंपस साक्षात्कारों के जरिए अभ्यर्थियों का चयन करता है। समीप के सेना अस्पताल में इन अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच की जाती है तथा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाता है।

नाविकों की भर्ती : नौसेना में नाविकों की भर्ती लिखित परीक्षा, शारीरिक क्षमता परीक्षा तथा मेडिकल परीक्षा की प्रक्रिया के जरिए की जाती है। नाविकों की भर्ती के लिए विभिन्न प्रवेश योजनाएं इस प्रकार हैं—

- (i) आर्टिफिशर अप्रेंटिस (एएस)—10+2 (पीसीएम)
- (ii) सीधा प्रवेश (डिप्लोमा धारक) [डीई(डीएच)]—मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / उत्पादन/एयरोनॉटिकल/मैटलर्जी/पोत निर्माण में डिप्लोमा।
- (iii) मैट्रिक प्रवेश भर्ती—मैट्रिकुलेशन
- (iv) नान-मैट्रिक प्रवेश भर्ती—मैट्रिक से नीचे
- (v) सीधी भर्ती पैटी अधिकारी—उत्कृष्ट खिलाड़ी

भारतीय वायुसेना में भर्ती

भारतीय वायुसेना में अधिकारियों का चयन : भारतीय वायुसेना में संघ लोकसेवा आयोग द्वारा प्रवेश केवल फ्लाईंग शाखा के लिए होता है। तकनीकी तथा गैर तकनीकी शाखाओं में भर्ती वायुसेना मुख्यालय द्वारा की जाती है।

विभिन्न वायुसेना स्टेशनों पर महिला तथा पुरुष इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट का आयोजन किया जाता है। इसके पश्चात वायुसेना चयन बोर्ड द्वारा चयन परीक्षा ली जाती है। 74 हफ्तों के सफल प्रशिक्षण के बाद इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स तथा मैकेनिकल शाखा में भेजा जाता है। विश्वविद्यालय

प्रवेश योजना (यूईएस) के माध्यम से अधिसूचित इंजीनियरिंग शाखाओं के फाइनल तथा प्री-फाइनल विद्यार्थी आवेदन के पात्र होते हैं।

गैर-तकनीकी शाखाओं में भर्ती के लिए स्नातक तथा स्नातकोत्तर महिला और पुरुष उम्मीदवारों के लिए विभिन्न वायुसेना स्टेशनों पर वर्ष में दो बार संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है, इसके बाद वायुसेना चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चयन परीक्षा देनी पड़ती है।

वायुकर्मियों की भर्ती : नई दिल्ली स्थित केंद्रीय वायुकर्मी चयन बोर्ड पूरे देश में फैले अपने 14 चयन केंद्रों की सहायता से एक केंद्रीकृत चयन प्रणाली के जरिए अखिल भारतीय स्तर पर वायुकर्मी के तौर पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करता है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की स्थापना एनसीसी अधिनियम, 1948 के तहत की गई। इसने स्थापना के 59 वर्ष पूरे कर लिए हैं। एनसीसी देश के युवा वर्ग को उनके सम्पूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराता है। उनमें प्रतिबद्धता, समर्पण, आत्मानुशासन और नैतिक मूल्यों के विकास के लिए काम करता है ताकि वे अच्छे नेता और उपयोगी नागरिक बन सकें तथा राष्ट्र की सेवा में उचित भूमिका निबाह सकें। एनसीसी कैडेटों की कुल अनुमोदित संख्या 13 लाख है। देश के लगभग 606 जिलों के 8454 स्कूलों तथा 5377 कॉलेजों में एनसीसी की उपस्थिति महसूस की जा सकती है।

नई दिल्ली स्थित एनसीसी महानिदेशालय देशभर में फैले सोलह एनसीसी निदेशालयों के जरिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन और नियंत्रण करता है। समस्त नीति-निर्देशों के लिए एक केंद्रीय सलाहकार समिति है। एनसीसी में सेवाकर्मी, पूर्णकालिक महिला अधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर और नागरिक हैं। प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में एक लेक्चरर/शिक्षक की नियुक्ति एसोशिएट एनसीसी अधिकारी के रूप में होती है।

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक सेना एक स्वैच्छिक और अंशकालिक नागरिक सेना है। प्रादेशिक सेना के पीछे यह अवधारणा काम करती है कि युद्ध के समय तैनाती के लिए इनका उपयोग हो सकेगा और शांति काल में कम-से-कम खर्च में इनका रख-रखाव होगा। नियमित सेना के संसाधनों के पूरक के रूप में जीवन के हर क्षेत्र से इच्छुक, अनुशासित और समर्पित नागरिकों को लेकर कम लागत वाली इस सेना की तैयारी होती है। प्रादेशिक सेना में शामिल होने वाले नागरिकों को थोड़े समय के लिए कड़ा प्रशिक्षण पूरा करना होता है, जो उन्हें एक सक्षम सैनिक के रूप में तैयार करता है। इसके बाद इस प्रशिक्षण को बरकरार रखने के लिए वे प्रत्येक वर्ष दो महीनों के लिए अपनी-अपनी इकाइयों में जाते हैं।

इस सेना के गठन से ही विभिन्न व्यावहारिक अभियानों के लिए इनके साथ पैदल बटालियन को जोड़ा गया है। प्रादेशिक सेना की इकाइयों की सभी युद्धों में नियमित सेना के साथ भागीदारी रही है। हाल के समय में अधिकतम बाईस इकाइयों को ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में शामिल किया गया था। पूर्वोत्तर तथा जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की रोकथाम के लिए भी पैदल बटालियन को तैनात किया गया है। इसके अलावा रेलवे, तेल आपूर्ति, आपातकाल के दौरान चिकित्सा, चिकित्सा सुविधा जैसी आवश्यक सेवाएं बनाए रखने में भी इनका उपयोग किया गया है। कुछ इकाइयों को पर्यावरण तथा वनीकरण जैसे राष्ट्रीय विकास कार्यों में भी लगाया गया है।

प्रशिक्षण संस्थान

रक्षा क्षेत्र में अनेक प्रशिक्षण संस्थान एक-दूसरे के सहयोग से कार्य कर रहे हैं। इनका विस्तृत व्योरा आगे के पैरा में दिया गया है।

सैनिक स्कूल

सैनिक स्कूल केंद्रीय और राज्य सरकारों के संयुक्त उद्यम हैं। ये सैनिक स्कूल सोसाइटी के अधीन कार्य करते हैं। वर्तमान में 24 सैनिक विद्यालय सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। रेवाड़ी में सैनिक स्कूल अप्रैल, 2009 से शुरू हुआ।

सैनिक स्कूलों के उद्देश्यों में आम आदमी तक ऊंची पब्लिक स्कूल शिक्षा की पहुंच बनाना, बच्चे के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना एवं सशस्त्र सेनाओं के अधिकारी संवर्ग में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना शामिल है। यह स्कूल लड़कों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की मार्फत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए शैक्षिक, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करते हैं।

मिलिट्री स्कूल

देश में पांच मिलिट्री स्कूल अजमेर, बंगलुरु, बेलगांव, चायल और धौलपुर में हैं, जो सीबीएससी से मान्यता प्राप्त हैं। यह मिलिट्री स्कूल अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर लड़कों को कक्षा 6 में प्रवेश देते हैं। इनमें से 67 प्रतिशत सीटें जे सी ओ/ओ आर के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं, उन्हें 'अधिकृत श्रेणी' कहते हैं। शेष 33 प्रतिशत सीटों में से 20 प्रतिशत सीटें सर्विस अधिकारियों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं।

राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज

भारतीय सशस्त्र बल में अधिकारी बनने के इच्छुक तथा भारत में जन्मे या रहने वाले लड़कों को आवश्यक प्राथमिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (आरआईएमसी), देहरादून की स्थापना 13 मार्च, 1922 को की गई। आरआईएमसी इस समय देश के प्रमुख शिक्षा संस्थानों में से एक है। इस कॉलेज के लिए चयन एक परीक्षा तथा वायवा द्वारा होता है। यह संस्थान आज राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडगवासला, पुणे के एक सहयोगी संस्थान के रूप में काम कर रहा है।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), खडगवासला एक प्रमुख अंतर-सेवा प्रशिक्षण संस्थान है, जहां सशस्त्र बलों के भावी ऑफिसर्स को प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण तीन वर्षों का होता है। इसके बाद कैडेट्स अपनी संबंधित सेवा अकादमियों में जाते हैं, जैसे-इंडियन मिलिट्री अकादमी, नेवल अकादमी या वायुसेना अकादमी।

इंडियन मिलिट्री अकादमी

इंडियन मिलिट्री अकादमी (आईएमए), देहरादून युवाओं को साहसी, ऊर्जावान और प्रतिभा संपन्न अधिकारी बनाता है, जो युद्ध की विभीषिकाओं का मुकाबला कर सकें और देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए हर कठिनाई का सामना कर सकें। 1932 में स्थापित आईएमए सेना में कमीशन के लिए कैडेट्स को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करता है।

ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी

21 सितंबर, 1992 से थलसेना में महिलाओं की भर्ती शुरू होने से अब तक प्रत्येक वर्ष लगभग सौ महिला अधिकारियों को कमीशन किया गया है। अकादमी में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए केडेट को प्रशिक्षण दिया जाता है। इन अधिकारियों को एजुकेशन कार्पआर्मी सर्विस कार्प, जज एडवोकेट जनरल विभाग, इंजिनियर्स, सिग्नल आदि में नियुक्ति दी जाती है।

डिफेंस सर्विसेज स्टॉफ कॉलेज

डिफेंस सर्विसेज स्टॉफ कॉलेज (डीएसएससी), वेलिंगटन एक प्रमुख सेवा प्रशिक्षण संस्थान है, जिसकी स्थापना का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र सेनाओं की तीनों शाखाओं, बाहरी मित्र देशों तथा भारतीय सिविल सर्विसेज के मध्यक्रम के अधिकारी (मेजर तथा समकक्ष) को आवश्यक प्रशिक्षण देना है।

रक्षा प्रबंधन कॉलेज

रक्षा प्रबंधन कॉलेज तीन दशक से त्रि-सेवा 'A' वर्ग प्रशिक्षण संस्थान है। सशस्त्र बलों के वरिष्ठ नेतृत्व में सामायिक प्रबंधन विचारों, सिद्धांतों और व्यवहार को उत्तरदायित्व के साथ समाहित करने का कार्य कर रहा है। सीडीएम के कोर पाठ्यक्रमों जैसे प्रबंधन अध्ययन में मास्टर डिग्री के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय ने मान्यता दी है।

कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग

मिलिट्री अभियांत्रिकी महाविद्यालय (सीएमई), पुणे एक प्रमुख तकनीकी संस्थान है। यहां इंजीनियरिंग कोर, अन्य सशस्त्र सेवाओं, नौसेना, वायुसेना, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस तथा सिविलियन को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा मित्र राष्ट्रों के कर्मियों को भी यहां प्रशिक्षण दिया जाता है। सीएमई जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से बीटेक और एमटेक डिग्री प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

नेशनल डिफेंस कॉलेज

राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (एनडीसी) देश का एकमात्र संस्थान है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा तथा रणनीति के प्रत्येक पहलू के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। एनडीसी वरिष्ठ रक्षा तथा सिविल सेवा के अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति पर सैतालीस सप्ताह का एक व्यापक कार्यक्रम चलाता है।

उत्पादन

रक्षा उत्पादन विभाग निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण, विकास तथा उत्पादन हेतु कार्य करता है। इसमें 39 आयुध कारखाने तथा आठ रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम शामिल हैं। इन आयुध कारखानों में विमानों और हेलीकाप्टरों के लिए मूल सुविधाएं और युद्धपोतों, पनडुब्बियों, भारी वाहनों, मिसाइलों आदि के लिए तरह-तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कल पुर्जे और विशेष काम आने वाला इस्पात और धातु मिश्रण तैयार किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य के साथ आजादी के बाद रक्षा उत्पादन क्षेत्र सतत विकसित हुआ है।

आयुध-कारखाने

आयुध निर्माणी संगठन देश का विभागीय रूप से संचालित सबसे बड़ा संगठन है और यह सशस्त्र सेनाओं के लिए रक्षा सामग्री तैयार करता है। आयुध कारखानों की स्थापना रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से हुई थी।

आयुध कारखाने पुरानी तथा आधुनिक तकनीकों से सज्जित कारखानों का बेहतरीन संगम हैं। 1801 में कोलकाता के निकट काशीपौर में पहला आयुध कारखाना लगाया गया था। पूरे देश में 24 स्थानों पर 39 आयुध कारखाने हैं। नालंदा तथा कोरबा के आयुध कारखाने परियोजना के स्तर पर हैं।

आजादी पूर्व के कारखानों की, सिविल क्षेत्र में औद्योगिक ढांचे के अपर्याप्त होने के कारण बुनियादी तथा इंटरमीडिएट सामग्री उत्पादन क्षमता थी। आजादी बाद सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के क्रमिक विकास के चलते अपनी जरूरतों को आरुटसोर्स करना शुरू कर दिया है। रक्षा बलों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कारखाने निर्माण प्रौद्योगिकियों को अपग्रेड करते रहे हैं। गैर-रक्षा ग्राहकों तथा निर्यात और रक्षा बलों के उपयोग के लिए अधिकतम क्षमता हासिल करने की नीति पर जोर दिया जा रहा है।

रक्षा उपक्रम

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)

यह रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का एक 'नवरत्न' उपक्रम है। एयरोस्पेस क्षेत्र में रणनीतिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा रक्षा सेवाओं को पूरा सहयोग प्रदान करने के लिए कंपनी प्रतिबद्ध है। इसके कोर व्यवसाय में शामिल हैं- डिजाइन, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट तथा हेलीकाप्टर (लड़ाकू, प्रशिक्षक तथा परिवहन) का विकास और उत्पादन, उनकी सहायक सामग्रियां, लाइफसाइकल ग्राहक सेवा, एयरोस्पेस उत्पादों की मरम्मत तथा ढांचे का निर्माण तथा स्पेस लांच व्हीकल और सेटेलाइट के लिए एकीकृत प्रणाली का उत्पादन। कंपनी ने 11 एयरक्राफ्ट इन हाउस तथा 14 प्रकार के लाइसेंस के तहत उत्पादित किए हैं। देश के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी कंपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (बीईएल)

बेल रडार तथा सोनार, संचार उपकरण, ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रणनीतिक भागों के क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति के साथ बहु-प्रौद्योगिक, बहु-उत्पाद कंपनी है। यह कंपनी सुरक्षा बलों सहित आल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, बीएसएनएल, एमटीएनएल वीएसएनएल. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे सरकारी संस्थानों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की आपूर्ति करती है।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएललि)

यह कंपनी खनन और निर्माण उपकरणों, रक्षा उत्पादों, रेलवे तथा मेट्रो उत्पादों की डिजाइन, निर्माण, विपणन तथा विक्री बाद सहयोग के क्षेत्र में सक्रिय है। कंपनी अपने व्यापार विभाग के जरिए तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए अपनी प्रौद्योगिकी तथा गैर-कंपनी उत्पादों, हिस्सों, एकत्रीकरण तथा कम्पोजिटियों के माध्यम से ई-इंजीनियरिंग समाधान मुहैया कराती है। बीईएमएल टाट्टा आधारित उच्च सचल ट्रकों, आर्मर्ड रिकवरी वाहनों, टैंक परिवहन ट्रेलरों, मिल रेल वैगन तथा कोचों, क्रेश फायर टैंडरों, एयरक्राफ्ट टोइंग ट्रेक्टरों, एयरक्राफ्ट वीपन लोडिंग ट्रॉली, बीएमपी कंबेट वाहनों के लिए ट्रांसमीशन प्रणालियों सहित युद्ध टैंकों के लिए सस्पेंशन प्रणाली के निर्माण और ग्राउंड सपोर्ट उपकरण तैयार करती है। कंपनी डीजीबीआर तथा सेना, सीमा सड़क निर्माण/देखरेख के लिए बुलडोजरों और मोटर-ग्रेडरों की आपूर्ति भी करती है।

मजगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल)

एमडीएल देश का प्रमुख शिप निर्माता है। जिसकी 6800 टन तक स्थांतरण क्षमता के युद्धपोत तथा 27000 डीडब्ल्यूटी मर्चेट पोत निर्माण की क्षमता है। यह तटों के फेब्रिकेशन, तेल निकालने तथा भारी इंजीनियरिंग कार्यों को यार्ड में पूरा करती है। कंपनी ने भारतीय नौ सेना को लिण्डर श्रेणी के 6 फ्रिगेट, गोदावरी श्रेणी के 3 फ्रिगेट, एक कैडेट प्रशिक्षण जहाज, 3 मिसाइल कर्वेट्स, 4 मिसाइल नाव 3 डेस्ट्रॉयर्स तथा 2 पनडुब्बियां बनाकर सौंपी हैं।

गोवा शिपयार्ड (जीएसएल)

गोवा शिपयार्ड लि. भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक दल तथा अन्य के लिए मध्यम आकार की उच्च विकसित नौका निर्माण का अग्रणी शिपयार्ड है। 29 सितंबर, 1967 से निदेशकों के अपने बोर्ड के साथ इसने अपना कार्य प्रारंभ किया। मार्च, 2007 में भारत सरकार ने इसे I- श्रेणी के मिनी रत्न का दर्जा दिया। यह आईएसओ-9001 प्रमाणित कंपनी है।

गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुपालन में कंपनी ने बिल्डिंग ग्लास री-इनफोर्सड प्लास्टिक (जीआरसी) में प्रमुख कार्य शुरू किया है। उड्डयन विशेषज्ञता के लिए जीएसएल तट आधारित परीक्षण सुविधा (एसबीटीएफ) के निर्माण में भी कदम रख रहा है।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)

जीआरएसई का भारत के समुद्रीय हितों के विस्तार के साथ कदम बढ़ाना जारी है और अब पूर्वी भारत में एक अग्रणी शिप निर्माण यार्ड तथा उच्च मूल्य, उच्च प्रौद्योगिकी, जटिल इंजीनियरिंग आइटमों के निर्माता के रूप में पहचाना जाता है। कंपनी को श्रेणी- 1 के मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधि भारतीय नौसेना तथा तट रक्षक के लिए शिप निर्माण तथा शिप मरम्मत करना है।

द भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल)

निर्धारित लक्ष्यभेदी मिसाइलों के निर्माण के लिए इसकी स्थापना 1970 में हुई। यह सार्वजनिक क्षेत्र के गिने-चुने युद्ध संबंधी उद्योगों में एक है और अति उन्नत गाइडेड मिसाइल प्रणाली के निर्माण की क्षमता रखता है। पी-II मिसाइल प्रणाली के स्वदेशी विकास के अतिरिक्त बीडीएल रूस के सहयोग से कांकर्स-एम तथा इनवार (3 यूबीके-20) मिसाइलों के निर्माण से भी जुड़ा है। बीडीएल तकनीकी अधिकृत/समावेश के लिए डीआरडीओ से भी निकट से संबद्ध है। यह आकाश, नाग, आर्टिकल के-15, अग्नि के प्रतिरूप (ए 1, ए 2 तथा ए 3) जैसी मिसाइलों के परिक्षण के लिए डीआरडीओ को मिसाइल उप-प्रणाली इंटीग्रेटेड मिसाइल उपलब्ध कराता है।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)

रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग की देखरेख में 1973 में इसका निगमीकरण किया गया। इसका उद्देश्य सुपरअलॉय, टिटैनियम अलॉय और वैमानिकी, अंतरिक्ष, अस्त्र-शस्त्र, परमाणु ऊर्जा और नौसेना जैसे रणनीतिक महत्व के कामों में इस्तेमाल के लिए विशेष प्रकार के इस्पात के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। मिधानि के उत्पादों में विशेष उत्पाद जैसे मालिबिडनम कॉयर तथा प्लेट, टाइटेनियम तथा स्टेनलेस

स्टील ट्यूब्स, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रॉनिक के लिए अलॉय, साफ्ट मेगनेटिक अलॉय, कंट्रोल्ड एक्सपेंशन अलॉय और रजिस्टेंस अलॉय शामिल हैं।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन रक्षा मंत्रालय की आर एंड डी विंग है जिसका विजन रक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत का सशक्तिकरण करना है। इसका मिशन स्वदेशीकरण तथा नवाचार द्वारा *समालोचनात्मक (Critical)* रक्षा प्रौद्योगिकियों तथा प्रणालियों में स्वावलंबन प्राप्त करना है। साथ ही सशस्त्र सेनाओं को अति आधुनिक शस्त्र प्रणालियों तथा उपकरणों से सज्जित करना है। डीआरडीओ का गठन 1958 में किया गया। इसे सेना के तकनीकी विकास स्थापना तथा रक्षा विज्ञान संगठन सहित तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय का विलय कर स्थापित किया गया। डीआरडीओ का प्रमुख रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार होता है जो रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव तथा अनुसंधान एवं विकास महानिदेशक भी होता है। इस संगठन के पहले प्रमुख मशहूर वैज्ञानिक तथा शिक्षा विद डा.डी.एस. कोठारी थे। रक्षामंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की सहायता के लिए आठ मुख्य नियंत्रक होते हैं। डीआरडीओ का कॉरपोरेट मुख्यालय नई दिल्ली के राजाजी मार्ग स्थित डीआरडीओ बिल्डिंग में है।

संगठन का ढांचा द्विस्तरीय है, अर्थात् नई दिल्ली में कॉरपोरेट मुख्यालय; तथा देशभर में प्रयोगशालाएं/स्थापनाएं, क्षेत्रीय केंद्र, फील्ड स्टेशन इत्यादि स्थित हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के अंतर्गत डीआरडीओ मुख्यालय के अधीन दो निदेशालय हैं अर्थात् कॉरपोरेट निदेशालय तथा तकनीकी निदेशालय। अपनी कोर क्षमता के आधार पर प्रयोगशालाएं आठ छोटे समूहों में वर्गीकृत हैं। सरकार से नई परियोजनाओं के अनुमोदन, ढांचागत सुधार, नई सुविधाएं जुटाने, जारी परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा में सहायता करने तथा अन्य प्रयोगशालाओं को संबंधित तकनीकी निदेशालयों जैसे- एयरोनॉटिक्स, अर्मामेंट्स, कंबेट व्हीकल्स एवं इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेज, सामग्रियां, मिसाइल, नौसेना अनुसंधान एवं विकास तथा जीवन विज्ञान का सहयोग प्राप्त होता है। ये निदेशालय प्रयोगशालाओं के लिए आर एंड डी मुख्यालय तथा भारत सरकार से 'सिंगल विंडो' के रूप में कार्य करते हैं। व्यवसाय, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रौद्योगिकी अर्जन, सार्वजनिक कार्य तथा संपदा सेवाओं सहित प्रौद्योगिकी विस्तार केंद्र तथा परस्पर संवाद निदेशालय और तकनीकी परीक्षण सैल सभी प्रमुख, वायुसेना प्रमुख नौसेना प्रमुख तथा एकीकृत रक्षा उप प्रमुख के वैज्ञानिक सलाहकार अपने-अपने प्रमुखों को तकनीकी निदेशकों के रूप में भी सेवाएं प्रदान करते हैं।

कॉरपोरेट निदेशालय जैसे बजट वित्त एवं लेखा निदेशालय, *एक्स्ट्रायोरल* अनुसंधान एवं बौद्धिक संपदा अधिकार, मानव संसाधन विकास, प्रबंधन सेवाएं, सामग्री प्रबंधन, कार्मिक, योजना और समन्वय, पब्लिक इंटरफेस, राजभाषा और ओएम, निगरानी और सुरक्षा निदेशालय संसाधनों की योजना और उनका प्रबंधन करते हैं और अन्य सरकारी मंत्रालयों तथा विभाग के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। वे मानव शक्ति, प्रशिक्षण तथा कैरियर विकास सहित वित्तीय प्रबंधन, चालू परियोजनाओं की योजना और समन्वय, संसदीय प्रश्नों, बड़े पैमाने पर जनता के साथ-साथ मीडिया, शिक्षाविदों तथा छात्रों को डीआरडीओ के कार्यक्रमों/नीतियों/निष्पादनों से संबंधित सूचना प्रदान करने जैसी इमेज निर्माण गतिविधियों में केंद्र (आरएसी) विभिन्न स्तरों पर वैज्ञानिकों की नई भर्तियां करता है तथा आवधिक आधार पर वैज्ञानिकों के प्रमोशन के लिए आकलन करता है। कार्मिक प्रतिभा प्रबंधन (सीईपीटीएम) संगठन के

लिए 'तकनीकी तथा अन्य स्टाफ' की भर्ती तथा प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी है। डीआरडीओ की निम्नलिखित जिम्मेदारियां हैं :

- उत्पादन के लिए डिजाइन, विकास और मार्गदर्शन, अतिआधुनिक सेंसर, शस्त्र प्रणालियां, प्लेटफार्म और सहयोगी उपकरण (स्ट्रेटेजिक उपकरण, टेक्टिकल प्रणालियां, ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी)
- जीवन विज्ञान में अनुसंधान, सैनिकों की युद्ध प्रभावकारिता को श्रेष्ठता बनाना और उनका जीवन स्तर संवारना विशेषकर कठिन वातावरण में।
- मजबूत रक्षा प्रौद्योगिकी बेस के लिए बुनियादी और उच्च प्रशिक्षित मानव शक्ति का विकास डीआरडीओ राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान डिजाइन और विकास के कार्यक्रमों को बनाता और क्रियान्वित करता है। यह राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थानों, पीएसयू तथा निजी एजेंसियों के साथ मिलकर प्रमुख रक्षा संबंधी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। तीनों सेवाओं द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप इसने विश्वस्तरीय शस्त्र प्रणालियां और उपकरणों के उत्पादन में मार्गदर्शन किया है। इसके अतिरिक्त, डीआरडीओ स्टाफ जरूरतें, हासिल किए जाने वाली प्रणालियों का मूल्यांकन, अग्नि तथा विस्फोटक सुरक्षा, संचालन समस्याओं इत्यादि के गणितीय/सांख्यिकीय विश्लेषणों जैसे मामलों पर तकनीकी सलाह देकर सेना सेवाओं की सहायता करता है।

निम्नलिखित तथ्य डीआरडीओ के ढांचे तथा आयाम की झलक देते हैं:

- लैब/ईएसटीटीएस की कुल संख्या - 52
- प्रशिक्षण संस्थान - सीईपीटीएएम (दिल्ली), डीआईएटी (पुणे), आईटीएम (मसूरी)
- इंटीग्रेटेड टैस्ट रेंज - 2
- कुल क्षमता - 28292
 - वैज्ञानिक - 7454
 - तकनीकी कार्मिक - 10433
 - अन्य - 10405
- रक्षा आर एंड डी परिव्यय 2008-09 - 7694.41 (करोड़ रुपये में)
- रक्षा आर एंड डी बजट 2009-10 - 8481.54 (करोड़ रुपये में)
- विभागीय वेबसाइट - <http://www.drdo.com>
<http://www.drdo.org/>,
<http://www.rac.drdo.in>
- विभागीय संपर्क सूत्र - निदेशक -
फोन : 911123011073
e mail : dpidrdo @ hgr. drdo.in

ठोस रूप में डीआरडीओ ने रणनीतिक तथा व्यावहारिक शस्त्र प्रणालियों की विशाल शृंखला तथा ऐसी प्रणालियों से जुड़ी जटिल प्रौद्योगिकियों को विकसित किया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रणालियों

के लिए अब तक 35,000 करोड़ रुपये तक के ऑर्डर हैं। यद्यपि, डीआरडीओ उत्पादों का उत्पादन मूल्य राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं पर इन विकास के प्रभाव का पैमाना नहीं है। इनमें से कई प्रणालियां, गतिरोधों और प्रौद्योगिकी देने से मना करने के युग में किसी अन्य देश के साथ न तो मांगी जा सकती हैं। और ना ही संयुक्त रूप में विकसित की जा सकती हैं। आधुनिक सेना प्रौद्योगिकियों से लैस विकसित देश उन प्रणालियों के लाइसेंसयुक्त उत्पादों का प्रस्ताव देते हैं जो उनके लिए पुरानी हो चुकी हैं और जिनमें मुश्किल से ही प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होता है। अग्नि तथा पृथ्वी शृंखला की मिसाइलों, पनडुब्बी सहित बैलेस्टिक मिसाइल इत्यादि जैसी रणनीतिक प्रणालियों और प्लेटफार्मों के सफलतापूर्वक देसी विकास तथा उत्पादन ने भारत की सैनिक शक्ति को लंबी छलांग लगाने में सहायता की है। इससे प्रभावी रोधक पैदा करने और निर्णायक क्षमता प्रदान करने तथा ऐसी प्रौद्योगिकी रखने वाले इलीट क्लब में भारत का प्रवेश संभव हुआ है।

विकसित उत्पाद और प्रणालियां/स्वीकृत/समाहित, विकसित प्रौद्योगिकियों और स्थापित ढांचागत सुविधाओं के रूप में डीआरडीओ के प्रत्येक समूह के प्रमुख योगदान :

समूह	उत्पाद और प्रणालियां विकसित/स्वीकृत/समाहित	प्रौद्योगिकियां विकसित तथा ढांचागत सुविधाएं स्थापित
एयरो प्रणालियां	एलसीए-तेजस भारत का पहला देसी डिजाइन विकसित तथा निर्मित मल्टी रोल लाइट कंबेट एयरक्राफ्ट (सात) ने 1150 उड़ाने भरी हैं। 2010-11 में 20 एलसीए के पहले दस्ते का शामिल होना। 2010 तक ही नौसेना के लिए एलसीए का निर्माण। अन्य सफलता की कहानियां हैं- पायलट रहित लक्ष्य एयरक्राफ्ट, निशांत अनाम एरियल व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्युट, उच्च सटीक दिशा सूचक चेतावनी रिसीवर (एचएडीएफ) आर डब्ल्यूआर, कई लड़ाकू जहाजों के लिए मिशन कंप्यूटर तथा उड्डयन अपग्रेडेशन, मिसाइल अप्रोच चेतावनी प्रणाली तथा लेजर चेतावनी प्रणाली विकसित की गई है और विभिन्न सैनिक जहाजों और हेलीकॉप्टरों पर लगाई जा रही हैं। बड़े लाभ सहित पनडुब्बी को चलाने के लिए कावेरी इंजन के कई प्रकार विकसित किए जा रहे हैं।	उच्च जटिल प्रौद्योगिकी की विशाल शृंखला तैयार की जा चुकी है और एलसीए-तेजस, इसकी उप-प्रणालियों तथा गैस टर्बाइन इंजन-कावेरी के विकास की प्रक्रिया में विशाल ढांचा खड़ा किया गया है। अस्थिर एयरोडायनामिक्स, अस्थिर, रूप रेखा एयरक्राफ्ट, फ्लाई-बाइ-वायर डिजिटल फ्लाइट नियंत्रण प्रणाली, ओपन आर्किटेक्चर मिशन एवियोनिक्स, विकसित मिश्रित ढांचा, अनुकरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर
सशस्त्र डी सैन्य प्रणालियां	डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित अर्मामेंट की बड़ी संख्या शस्त्र बलों में शामिल की गई हैं। जब तक असॉल्ट राइफलों और एलएमजी के फिक्स और फोल्ड होने वाले बट वर्जन में 5.56 एमएमआईएनएसएस (भारतीय लघु शस्त्र प्रणाली) राष्ट्रफल उपलब्ध नहीं हुई तब तक डीआरडीओ द्वारा दस लाख से अधिक 7.62 एमएम ईशापोर सेल्फ लोडिंग राइफल (एसएलआर) बनाई गईं। सभी में एक तरह का गोला-बारूद इस्तेमाल होता है और लगभग 70 प्रतिशत पुर्जे भी समान ही हैं।	हाइड्रो-न्यूमेटिक सस्पेंसन, राकेट मोटर थर्मल प्रोटेक्शन कंपोजिट प्रोपलेंट प्री-फ्रेगमेंट, इंसेडियरी एंड बमलेट वार हेड इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रो-हाइड्रॉलिक लांचर
युद्ध वाहन और	प्रथम आर्मोरेड रेजीमेंट (45 टैंक) के लिए 45 सहित 50 से अधिक मुख्य युद्ध टैंक-अर्जुन तथा एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर (ईआरए) सज्जित 645 कंबेट इम्पूल्ड	इंजन परीक्षण सुविधा, पारेषण परीक्षण सुविधा, फुल इंजेक्शन पंप परीक्षण रिंग, वेरिएबल स्पीड ड्राइव परीक्षण सुविधा, रोड व्हील

इंजीनि- अजय टैंक, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस),
यरिंग इंटीग्रेटेड फायर डिटेक्शन एंड सुप्रेशन प्रणाली (आई-
एफडीएसएस) तथा रीकनफीगर्ड स्मोक ग्रेनेड डिस्चार्जर
(एसजीडी) बनाए गए हैं। अन्य प्रमुख उपलब्धियां हैं :
भीम-76 स्वचालित 155 एमएनगन, अतिआधुनिक एमबी
टी अर्जुन शस्त्र प्रणाली, ब्रिज लेयर अर्जुन टैंक (कुछ ही
घंटों में अर्जुन टैंक से बीएलटी में परिवर्तित होने की
क्षमता), ब्रिज लेयर टैंक टी-72, सर्वत्र मोबाइल ब्रिज
लेइंग प्रणाली, साकव 46 एम सिंगल स्पेन ब्रिज प्रणाली,
एमएलसी 70 तथा एमएलसी 40 मोड्युलर ब्रिज, केरियर
कमांड पोस्ट ट्रेकड, बीएमपी-II एनबीसी प्रोटेक्टड
इंटीग्रेटेड फील्ड शेल्टर, रिमोट चालित वाहन (दक्ष),
आईईडी क्षमता वाला रोबोटिक वाहन, दंगा नियंत्रण
वाहन, मानवरहित ग्राउंड वाहन (यूजीवी), सशस्त्र
अंबुलेंस बीएमपी-II, बीएमपी-II पर, केरियर मोर्टार
ट्रेकड, कंटेनराइज्ड आपरेशन बिप्टर कांप्लेक्स ऑन
व्हील्स, विभिन्न देसी स्ट्रेटेजिक एंड टेक्टिकल मिसाइलों
के लिए जीएसवी, निशांत लांचर, टी-72 टैंक पर काउंटर
माइनफ़ेल्ड (सीएमएफ), स्नो गैलरी, स्नो प्रेशर के प्रभावी
स्थानांतरण के लिए माइक्रो पाइल फाउंडेशन।

इलेक्ट्रॉ- आर्टिलरी कंबेट कमांड कंट्रोल सिस्टम (एससीसीसी)
निक और भारतीय डॉप्लर रडार इंद्र-I और II, मल्टीफंक्शन फेज्ड
कंप्यूटर अरे रडार-राजेंद्र, सुपरविजन मेरिटाइम पेट्रोल रडार
प्रणालियां (एसवी-2000 एमपीएआर), अवेलेंचो विक्टिम डिटेक्टर
(एवीडी), बेटलफील्ड और पेरीमीटर सर्वेलांस-बी एफ
एसआर, का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया है।
इलैक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणालियां समुक्ता और संग्रह सेना
तथा नौसेना के लिए, 3डी-सीएआर मध्यम दूरी का पूर्व
चेतावनी सेंसर-रेवती नौसेना के लिए, शस्त्र दिशा सूचक
रडार इथोन-51 इलेक्ट्रो-ऑप्टिक फायर कंट्रोल प्रणाली,
ब्रीफकेस सेटकॉम टर्मिनल, सेक्टेल् (सुरक्षित टेलीफोन),
कंपेक्ट कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्यूट-सुजव,
इंटीग्रेटेड वीपन सिस्टम सिम्युलेशन, आई सेफ लेजर्स,
लेजर डेजिग्नेटर, लेजर चेतावनी सेंसर, पामटॉप ग्रीन
माइक्रो चिप लेजर माइयूल, ईओसीएम-क्लास लेजर
लेजर प्रणाली तथा एस-बैंड 130 केडब्ल्यू (पल्सड)
कपल्ड-केविटी टीडब्ल्यू टी।

जीवन थल सेना, नौसेना और वायु सेना कर्मियों के लिए जीवन
विज्ञान रक्षक प्रणालियां, 30,000 फीटएनबीसी केनिस्टर से फ्री
प्रणालियां फाल की कठिन परिस्थितियों में कार्य करने वाली फ्री

परीक्षण रिंग, एयर क्लीनर परीक्षण रिंग,
सस्पेंशन परीक्षण सुविधा, हाइड्रोलिक परीक्षण
बैंच, सार्वभौमिक गीयर परीक्षण, अल्ट्रासॉनिक
फ्लॉइडेटेक्टर एयरक्राफ्ट गीयर बॉक्स परीक्षण
सुविधाएं, निम्न ताप चैंबर सहित पर्यावरणीय
परीक्षण सुविधाएं, ड्राइविंग रेन चैंबर, जल
इमर्शन चैंबर, डस्ट चैंबर, साल्ट स्प्रे चैंबर,
शॉक परीक्षण मशीन, तथा बंप परीक्षण मशीन,
परीक्षण ट्रेक सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक तथा
इलेक्ट्रिकल उपकरणों के प्रदर्शन और
संरचनात्मक इंटीग्रिटी के मूल्यांकन के लिए
ड्राइहीट चैंबर तथा डेप हीट। रेपिड प्रोटोटाइपिंग
तथा प्रोटोटाइप निर्माण सुविधाएं। वीआरडीई
में रक्षा और नागरिक वाहनों की आधुनिक
ईएमसी परीक्षण सुविधा के साथ अति
आधुनिक उपकरणों से लैस एक राष्ट्रीय
ऑटोमोटिव परीक्षण केंद्र तैयार किया है जो
विश्व स्तरीय है।

उच्च परिशुद्धता दिशा खोजी प्रौद्योगिकी, उच्च
शक्ति जैमिंग, वाॅयस रिकग्नीशन और वाॅयस
प्रिंट एनालिसिस डेटा/इमेज फ्यूजन, जैम-
रेजिस्टेंट डेटा लिंक सी 1 प्रणालियां,
मल्टीफंक्शन इलेक्ट्रॉनिक स्केनिंग रडार, पैरलल
प्रोसेसिंग, 1-4 सीएमओएस फेब्रिकेशन
प्रौद्योगिकी जीएसएस क्रिस्टल ग्रोथ सुविधा,
मॉल्युकुलर बीम एपिटेक्सी सिस्टम, इयोन-
इंफ्लॉटेशन प्रणाली, इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रो
लिथोग्राफी प्रणाली, एम ओसीवीडी प्रणाली,
मास्क फेब्रिकेशन सुविधा, एमएमआईसी के
फेब्रिकेशन के लिए फेब लाइन, यूएचवी.
प्रोसेसिंग स्टेशन, प्रोसिजन मशीनी सुविधा,
सिंगल पॉइंट डाइमंड टर्निंग (एसपीडीटी)
माइक्रो-मशीनी सुविधा।

जीवन रक्षक प्रौद्योगिकियां, एनबीसी रक्षा
प्रौद्योगिकियां मिलिट्री न्यूट्रीशन (ताजा और
परिवर्धित खाद्य प्रौद्योगिकी), मिलिट्री मनो-

फाल प्रणाली, जल विष खोजी किट, पोर्टेबल डिफेंडिमेंशन उपकरण, एनबीसी फिल्टर/वेंटिलेशन प्रणालियाँ, सीडब्ल्यू टाइप ए/बी डिफेंडिमेंशन किट/सॉल्युशन, हर्बल एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट, हाईएल्टीट्यूड अडेप्टड एंड फास्ट ग्राइंग बॉइलर शीप, बायोडीजल उत्पादन, ठंड बर्दाश्त करने वाली सब्जियाँ, हाइपर बेरिक ऑक्सीजन थैरेपी चैंबर (समुद्रसुता), कड़ाके की ठंड के लिए गर्म दस्ताने और मौजे, 65° C पर लंबी अवधि तक तैयार डिब्बाबंद भोजन को रखने और गर्म करने की प्रणाली, कड़ाके की सर्दी के लिए मानव अपव्यय के परिशोधन के लिए बायो-डाइजेस्टर जिसे रेलवे लाइन पर गंदगी रोकने के लिए रेलवे कोच में भी लागू किया जा रहा है। मल्टी-इंसेक्ट रिपेलेंट डीईपीए कंप्यूटरीकृत पायलट चुनाव प्रणाली (सीपीएसएस), एनबीसी और हाई एल्टीट्यूड चिकित्सा उत्पाद।

सामग्रियाँ नौसेना अनुप्रयोग के लिए एबी श्रेणी का इस्पात, टाइटेनियम स्पंज, एनबीसी संरक्षित वस्त्र/भेद्य सूट, कड़ाके की ठंड में पहने जाने वाले वस्त्र, विस्फोटक संरक्षित सूट, सिंथेटिक लाइफ जैकेट, दंगारोधी पॉली कार्बोनेट शील्ड, दंगारोधी हेलमेट, विमान के लिए ब्रेकपैड, भारीधातु पेनट्रेटर रॉड, जैकाल आर्मर, कंचन आर्मर, पनडुब्बी अनुप्रयोगों के लिए हाइड्रॉलिक पाइप-लाइन, टर्बाइन कंपोनेंट की इनवेस्टमेंट कास्टिंग आदि।

मिसाइल जमीन से जमीन वाली मिसाइल प्रणालियाँ-अग्नि I (700 प्रणालियाँ किमी), अग्नि-II (2000 किमी) तथा अग्नि III (3000 किमी) तथा पृथ्वी शृंखला। सेना और नौसेना के लिए सुपरसॉनिक क्रूज मिसाइल-ब्रह्मोस धनुष-शिप लांच्ड एसएस मिसाइल, मल्टी-डाइरेक्शनल, आकाश मल्टी टारगेट सेम एरिया डिफेंस वीपन सिस्टम-आकाश, थर्ड जेनरेशन एंटी टैंक मिसाइल। 2000 किमी तक की बैलेस्टिक मिसाइल का मुकाबला करने वाली एयर डिफेंस प्रणाली लंबी दूरी की मिसाइल और एयरक्राफ्टों के लिए रिस्-टिंग लेजर गाइरो आधारित आईएनएस-जीपीएस-ग्लोनेस, मिलीमीटर वेव सीकर, मिंग्स-मेम्स आधारित हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम, सेना तथा वायु सेना के लिए कंप्यूटरीकृत बार गेम।

नौसेना शिप-बोर्न सोनार हमसा, एयर बोर्न डकिंग सोनार मिहिर, प्रणालियाँ सब मेरीन-सोनार 3 शूस, टॉरपीडो एडवांस्ड लाइट (टीएएल), टॉरपीडो फायर नियंत्रण प्रणाली, अंडरवाटर

विज्ञान और कार्मिक चयन, मेन-मशीन इंटरफेस, पानी से फ्लोराइड अलग करने की प्रौद्योगिकी, पानी से आर्सेनिक आयरन अलग करने की प्रौद्योगिकी शीतकाल में आलू स्टोर करने की प्रौद्योगिकी।

कंपोजिट आर्मर संबंधी प्रौद्योगिकी, नौसेना के लिए विशेष इस्पात, गैस टर्बाइन के लिए कास्ट एयरफॉइल, टाइटेनियम अलॉय, रेयरअर्थ धातु आधारित उच्च ऊर्जा वाली चुंबकें, लड़ाकू वाहनों के लिए आर्मर, एनबीसी रक्षा, डिजिट प्रणालियाँ और रेडिएशन इंस्ट्रुमेंटेशन।

देश में विकसित की जाने वाली प्रौद्योगिकियाँ, फाइबर ऑप्टिक गाइरो का परीक्षण तथा उत्पादन, रिंग लेजर गाइरो, एक्सीलटो-मीटर, इनार्शियल/ऑटोनॉमस नेविगेशन प्रणालियाँ, मेम्स तथा मेम्स आधारित सेंसर, डाइरेक्ट एक्शन ट्रेजेक्टरी तथा एल्टीट्यूड नियंत्रण प्रणाली, लंबी दूरी के ठोस राकेट मोटर, प्री-फ्रेग्मेंट और सबम्युनीशन वार हेड, कमांड गाइडेंस के लिए प्रौद्योगिकियाँ, रैम राकेट प्रोपल्शन, मल्टी टारगेट एंगेजमेंट मूविंग शिप के लिए लांच प्लेटफॉर्म का ट्विन-इंजन लिक्विड प्रोपल्शन स्टेबिलाइजेशन मल्टी ब्रांड रडार सीकर परीक्षण सुविधा, इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक पल्स सुविधा, इलेक्ट्रो-हाइड्रॉलिक सर्वो वाल्स लि. उत्पादन सुविधा, ठोस प्रोपेलेंट प्रोसेसिंग सुविधा।

तैरती प्रयोगशाला-आईएनएस-सागर ध्वनि, अंडरवाटर अकास्टिक्स अनुसंधान सुविधा, हाइड्रोडायमिक परीक्षण सुविधाएं, शॉक नॉइज

टेलीफोन (यूडब्ल्यूटी), टेडपोल, स्व-नियंत्रित कार्बन डाइआक्साइड प्रणाली, पॉली-लिस्ट डॉकब्लॉक।

और वाइब्रेशन परीक्षण सुविधाएं, टॉरपीडो इंजीनियरिंग केंद्र, मेट्स सुविधाएं, दर्पण को सिस्टम लेवल सिम्युलेशन प्रदान करने के लिए कल्स्टर कंप्यूटिंग सुविधा। प्रोटोटाइप निर्माण सुविधा।

डीआरडी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के साथ भागीदारी बढ़ाकर अतिआधुनिक विकास के लिए प्रेरक एक प्रणाली का सृजन है। इसके अलावा बुनियादी ढांचा-संगठन के भीतर और सहयोगी संस्थानों दोनों में खड़ा करना; उत्कृष्टता संस्थान और उच्च गुणवत्ता के मानव संसाधन का सृजन भी शामिल है। आज डीआरडीओ के पास कोर क्षमताओं का विशाल फलक है जिसमें शामिल हैं- सिस्टम डिजाइन और जटिल सेंसरों का एकीकरण शस्त्र प्रणालियां और प्लेटफार्म, कांफ्लेक्स हाई-एंड सॉफ्टवेयर पैकेज, कार्यकारी सामग्रियां, परीक्षण और मूल्यांकन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा अवशोषण इत्यादि। इसके अतिरिक्त, संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी/अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचा खड़ा किया गया है। डीआरडीओ द्वारा तैयार ढांचागत सुविधाएं राष्ट्रीय परिसंपत्ति हैं और इसमें एकीकृत यांत्रिक फ्लाइट परीक्षण रेंज, एयरक्राफ्टों के लिए संरचनात्मक डायनामिक्स और कंपन परीक्षण सुविधा, ईडब्ल्यू परीक्षण रेंज, प्रपल्सन और बैलेस्टिक परीक्षण सुविधाएं, ईएमआई/ईएमसी परीक्षण रिंग, ईएमपी/प्रकाश करना, एंटेनी परीक्षण रेंज, यांत्रिक शिप, अकॉस्टि अनुसंधान शिप, पानी के नीचे शस्त्र परीक्षण रेंज, लैंड प्रणाली के लिए परीक्षण ट्रेक इत्यादि। अन्य अमूर्त लाभ हैं- सैन्य कौशलता और अग्रणी प्रौद्योगिकियों की विशाल शृंखला में सक्षमता, कंपोनेंट की सतत आपूर्ति की सुनिश्चितता, बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में स्पेयर्स तथा आत्मनिर्भरता वाले रक्षा और आर एंड डी बेस को विकसित करना।

हमारे राष्ट्र निर्माण उद्यमों के प्रमुख भागीदारी की प्रयोक्ता सेवाओं की तीन शाखाएं हैं - रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, निजी उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा अकादमिक/अनुसंधान कर्ता। रक्षा सहयोग पर लगभग 35 देशों के साथ अंतर-सरकारी समझौते/एमओयू लागू हैं। उच्च प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान (मानद विश्वविद्यालय) पुणे में विकासशील देशों के वैज्ञानिकों/इंजीनियरिंग कार्मिकों को विशेष रक्षा प्रौद्योगिकी संबंधी क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। डीआरडीओ रक्षा उत्पादन में भारतीय उद्योगों की भागीदारी को सक्रियता से बढ़ावा दे रहा है। परिणामस्वरूप, पीएसयू और निजी क्षेत्रों दोनों उद्योगों में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है। डीआरडीओ एकीकृत रक्षा स्टाफ और सेवा मुख्यालय के माध्यम से प्रयुक्त सेवाओं के बीच सक्रिय है। देश के भीतर स्थापित किए जाने वाले उत्पादों तथा सूक्ष्म प्रौद्योगिकी की पहचान के लिए एस एंड टी रोड मैप्स और तीनों सेवाएं अध्ययन कराती हैं। प्रौद्योगिकियों को 'खरीदो', 'बनाओ' तथा 'खरीदो और बनाओ' श्रेणियों में बांटा गया है। रणनीति इन्हें देश में निम्नलिखित में से किसी एक मार्ग द्वारा स्थापित करने की है- डीआरडीओ में ही विकास, राष्ट्रीय एस एंड टी लेबों और अकादमिया के जरिए संयुक्त विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए विकास, ऑफसेट बाध्यताओं के माध्यम से समृद्ध प्रौद्योगिकियों का अधिग्रहण। 33 देशों के साथ इस क्षेत्र में समझौते हैं। प्रमुख विदेशी भागीदार हैं—रूस, सूएसए, फ्रांस, इजराइल, जर्मनी, यूके, सिंगापुर कजाकिस्तान। डीआरडीओ के अपने प्रमुख विदेशी भागीदारों के साथ सहयोग के लिए संयुक्त कार्य समूह भी हैं। ऐसे तीन समूह हैं—भारत-यूएस संयुक्त प्रौद्योगिकी समूह, भारत-रूस आर एंड डी उप समूह तथा भारत-इजराइल प्रबंध समिति।

वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान 7,694 करोड़ रुपये का रक्षा अनुसंधान व्यय देश के कुल 1,14,600.28

करोड़ रुपयों के रक्षा सेवा व्यय का मात्र 6.67 प्रतिशत है। इसमें 77 प्रतिशत से अधिक अनुसंधान गतिविधियों तथा इनके लिए ढांचागत सुविधाएं तैयार करने पर था। चालू वित्त वर्ष (2009-10) के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास बजट 8481 करोड़ रुपये है। रक्षा सेवा बजट 1,41,703 करोड़ रुपये का 5.98 प्रतिशत होने के नाते बजट का 44 प्रतिशत केपिटल हेड के तहत है। रक्षा अनुसंधान बजट का पर्याप्त हिस्सा लेते हुए रणनीतिक प्रणालियां प्राथमिकता पर हैं।

ज्ञान आधारित संगठन होने के नाते, डीआरडीओ अपनी संस्कृति के रूप में बौद्धिक संपदा अधिकारों को पैदा और उनकी रक्षा कर रहा है। डीआरडीओ ने अब तक 416 से अधिक भारतीय तथा 45 विदेशी पेटेंट/डिजाइन/कॉपीराइट लिए हैं जबकि 459 भारतीय और 110 विदेशी पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रियाधीन हैं। हमारे वैज्ञानिकों द्वारा काफी संख्या में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पेपर प्रकाशित किए जा रहे हैं। डीआरडीओ में अकेले डीआरडीएस श्रेणी में 640 से अधिक पीएचडी हैं। राष्ट्र और विशाल बौद्धिक संपदा के मालिक के लिए यह सही मायने में एक 'नॉलेज बैंक' है। डीआरडीओ अपने कामचारियों को संचालन, स्वायत्तता, वित्तीय तथा प्रबंधकीय जिम्मेदारियां, उच्च प्रशिक्षण और कैरियर के मामलों में पर्याप्त व्यावसायिक मौके प्रदान करता है। वैज्ञानिकों की स्व-विकास आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाता है। संगठन के कर्मचारी अपूर्व प्रकृति की दैनिक ड्यूटी निभाते हैं। कई परियोजनाएं मिशन मोड की और फील्ड आधारित हैं। रेतीले और ऊंचे ठंडे क्षेत्रों जैसी कठिन परिस्थितियों के अंदर महीनों तक फील्ड ट्रायलों को अंजाम देने के अलावा, डीआरडीओ के वैज्ञानिक अक्सर लेह, तेजपुर आदि कठिन केंद्रों पर भी तैनात किए जाते हैं। वैज्ञानिकों से अपनी परियोजना जिम्मेदारियों के रूप में सघन वायु और समुद्री सेवाओं संबंधी ट्रायल करने की अपेक्षा की जाती है।

डीआरडीओ कैरियर विकल्प के रूप में रक्षा एस एंड टी को लेने के लिए युवा छात्रों को आकर्षित करता है। डीआरडीओ में विभिन्न स्कीमों के माध्यम से सक्षम मानव शक्ति शामिल की जाती है। ये स्कीमों हैं— अखिल भारतीय डीआरडीओ वैज्ञानिक प्रवेश परीक्षा (सेट), वार्षिक कैंपस प्रति का खोज, रोसा स्कीम के तहत हाल ही में पीएचडी पूरी करने वाले उम्मीदवारों का बतौर वैज्ञानिक चयन, एनआरआई के लिए ऑन लाइन चयन तथा पाशिर्वक प्रवेश स्कीम के अंतर्गत वैज्ञानिकों का चयन।

‘बलस्य मूलम विज्ञानम्’ अर्थात ‘बल का स्रोत विज्ञान है।’ डीआरडीओ की टेगलाइन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में खासकर सैन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में राष्ट्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए डीआरडीओ कृत संकल्प है।

पूर्व सैनिकों का पुनर्वास

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की योजनाएं पूर्व सैनिक कल्याण विभाग बनाता है। इस विभाग में दो प्रभाग हैं—पुनर्वास प्रभाग और पेंशन प्रभाग। इनकी सहायता के लिए दो अंतर्सेना संगठन हैं—अर्थात पुनर्वास महानिदेशालय और केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी)। रक्षा मंत्री केंद्रीय सैनिक बोर्ड के प्रमुख और इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वह भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के लोगों के पुनर्वास की नीति निर्धारित करते हैं और कल्याण कोष के प्रशासन की दिशा भी तय करते हैं। पुनर्वास महानिदेशालय सरकार की विभिन्न नीतियों/योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है।

केंद्रीय सैनिक बोर्ड/पुनर्वास महानिदेशालय की विभिन्न राज्यों के सैनिक बोर्ड/जिला सैनिक बोर्ड सहायता करते हैं। ये राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं। राज्य सैनिक बोर्डों पर होने वाले

खर्च का 50 प्रतिशत भार केंद्र वहन करता है। शेष 50 प्रतिशत संबद्ध राज्य द्वारा वहन किया जाता है क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास राज्य और केंद्र का संयुक्त दायित्व है।

पुनर्वास महानिदेशालय, केंद्रीय सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्डों और जिला सैनिक बोर्डों के मिले-जुले प्रयासों का मुख्य जोर इस बात पर होता है कि पूर्व सैनिकों को सम्मानपूर्वक फिर से रोजगार दिया जा सके और उन्हें रोजगार के विभिन्न अवसर उपलब्ध कराए जाएं। प्रत्येक वर्ष लगभग साठ हजार कार्मिक सेना से सेवानिवृत्त होते हैं या सक्रिय सेवा से हटाए जाते हैं; उनमें से अधिकतर की आयु 35-45 वर्ष होती है। इन्हें राष्ट्रीय निर्माण के कार्य में लगाने की जरूरत है। पूर्व सैनिकों को फिर से काम धंधे से लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार निम्नलिखित प्रकार के उपाय करती है: (क) ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनके जरिए सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों को काम धंधे में लगाया जा सके। (ख) सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से पदों का आरक्षण तथा कारपोरेट सेक्टर में काम पाने में उनकी मदद करना। (ग) स्वरोजगार की योजनाएं और (घ) उद्यमिता और लघु उद्योग शुरू करने में सहायता।

अधिकारी प्रशिक्षण

पुनर्वास महानिदेशालय अधिकारियों के लिए भी रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। एक से तीन महीने के व्यावसायिक पाठ्यक्रम से लेकर छह माह तक के कार्यक्रम शामिल हैं।

जूनियर कमीशंड अधिकारियों (जेसीओ) अन्य रैंक (ओआर) समकक्ष

जूनियर कमीशंड अधिकारी। अन्य रैंक तथा इनके समकक्ष अन्य सेवाओं के लिए पूरे देश में फैले सरकारी, अर्ध-सरकारी तथा निजी संस्थानों में छह माह के पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

पूर्व सैनिक (ईएसएम) प्रशिक्षण

इस योजना के तहत राज्य सैनिक बोर्डों को संबद्ध राज्यों में ईएसएम के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के वास्ते धनराशि मुहैया कराई जाती है। प्रारंभ में यह योजना उन ईएसएम के लिए बनाई गई थी जो सेवाकाल के दौरान पुनर्वास प्रशिक्षण सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते।

भूतपूर्व कर्मियों को पुनः रोजगार

केंद्र और राज्य सरकार भूतपूर्व कर्मियों को केंद्रीय और राज्य सरकार के अधीन पदों पर पुनः रोजगार के लिए कई रियायतें देती है। इनमें पदों में आरक्षण, उम्र सीमा, शैक्षणिक योग्यता में छूट तथा आवेदन और परीक्षा शुल्क में छूट शामिल है। विकलांग भूतपूर्व सैनिकों और मारे गए सैनिकों के आश्रितों को अनुग्रह के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता दी जाती है।

सरकारी नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण

केंद्र सरकार ने ग्रुप-सी के दस प्रतिशत और ग्रुप-डी के बीस प्रतिशत पद भूतपूर्व कर्मियों के लिए आरक्षित किए हैं, जबकि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान और राष्ट्रीयकृत बैंकों में उन्हें ग्रुप-सी के पदों में 14.5 प्रतिशत और ग्रुप-डी के पदों में 24.5 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। अर्द्धसैनिक बलों में असिस्टेंट कमांडेंट के दस प्रतिशत पद भी भूतपूर्व कर्मियों के लिए आरक्षित हैं। सुरक्षा कोर में शतप्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं।

पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा रोजगार

सुरक्षा एजेंसियां

पुनर्वास महानिदेशालय विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों में सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को निबंधित करती है। इस योजना के तहत अवकाश प्राप्त अधिकारियों तथा ऑफिसर रैंक से नीचे के पूर्व स्टाफ को उन क्षेत्रों में स्व-रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, जिनकी पर्याप्त विशेषज्ञता उन्हें हासिल है। बैंकों की सुरक्षा भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे बैंकों की सुरक्षा के लिए महानिदेशालय द्वारा पंजीकृत सुरक्षा एजेंसियों/कंपनियों/कारपोरेशन की सेवाएं लें।

स्व-रोजगार योजनाएं

सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए अनेक स्वरोजगार योजनाएं तैयार की हैं। इनका विस्तृत ब्योरा इस प्रकार है-

सेना के फालतू वाहनों का आबंटन- भूतपूर्व सैनिक तथा सेवा के दौरान मारे गए सैनिकों की विधवाएं सेना के V-B क्षेत्रों के फालतू वाहनों के लिए आवेदन कर सकती हैं।

कोयला परिवहन योजना - यह योजना पिछले 27 वर्षों से चल रही है। वर्ष 2007 में कोल इंडिया लिमिटेड के लिए सात ई एस एम कोल कंपनियां स्पांसर की गईं।

उद्यमी योजनाएं

इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में सेमफेक्स-II तथा सेमफेक्स-III योजनाएं चल रही हैं। प्रमुख संस्थान राष्ट्रीय बैंक, कोपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि हैं। इन योजनाओं के लिए 25-30 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध है। भूतपूर्व सैनिक ऋण के लिए संबद्ध जिला सैनिक बोर्ड के जरिए बैंक को सीधे आवेदन कर सकते हैं।

सेमफेक्स-II योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में उद्यम शुरू करने के लिए नाबार्ड के सहयोग से 1988 में यह योजना शुरू की गई। इसमें परियोजना लागत की 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। योजना शुरू होने से अब तक 7580 भूतपूर्व सैनिकों को 5706 लाख रुपये का ऋण इस योजना के तहत उपलब्ध कराया जा चुका है।

सेमफेक्स-III योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्सटाइल, ग्रामीण, कुटीर, लघु तथा छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग की सहायता से 1992 में यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 25 लाख रुपये तक का ऋण तथा 30 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना

इस योजना का उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों तथा सैनिकों की विधवाओं के बच्चों को उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन देना है। इसके तहत पूरे पाठ्यक्रम के दौरान छात्र को 1250 रुपये तथा छात्रा को 15 हजार रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

रक्षा

241

तेल उत्पादन एजेंसी का आबंटन

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलपीजी वितरण, पेट्रोल पंप श्रेष्ठ केरोसिन तेल वितरण इत्यादि तेल उत्पादों की एजेंसी के लिए वारंटाइम/पीस टाइम विधवाओं तथा शारीरिक रूप से अक्षम सैनिकों को रक्षा श्रेणी के आवेदनों में आठ प्रतिशत आरक्षण देता है।

मदर डेयरी दुग्ध बूथ तथा फल-सब्जी (सफल) दुकानें

ईएसएमपी बीओआर के लिए यह एक जांचा-परखा अच्छी आमदनी वाला स्वरोजगार है। मदर डेयरी से विचार-विमर्श के बाद यह स्कीम अब न केवल एनसीआर अर्थात् गुड़गांव, नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा बल्कि अन्य राज्यों में भी बढ़ाई जा रही है। जयपुर को मार्च, 2009 में इसमें शामिल किया गया है।

10. शिक्षा

सन् 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था। संविधान द्वारा 1976 में किए गए जिस संशोधन से शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया, उस के दूरगामी परिणाम हुए। आधारभूत, वित्तीय एवं प्रशासनिक उपायों को राज्यों एवं केंद्र सरकार के बीच नई जिम्मेदारियों को बांटने की आवश्यकता हुई। जहां एक ओर शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की भूमिका एवं उनके उत्तरदायित्व में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, वहीं केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय एवं एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ करने का गुरुतर भार भी स्वीकारा। इसके अंतर्गत सभी स्तरों पर शिक्षकों की योग्यता एवं स्तर को बनाए रखने एवं देश की शैक्षिक जरूरतों का आकलन एवं रखरखाव शामिल है।

केंद्र सरकार ने अपनी अगुवाई में शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रम बनाने और उनके क्रियान्वयन पर नजर रखने के कार्य को जारी रखा है। इन नीतियों में सन् 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा-नीति (एनपीई) तथा वह कार्यवाही कार्यक्रम (पीओए) शामिल है, जिसे सन् 1992 में अद्यतन किया गया। संशोधित नीति में एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत शिक्षा में एकरूपता लाने, प्रौढ़शिक्षा कार्यक्रम को जनांदोलन बनाने, सभी को शिक्षा सुलभ कराने, बुनियादी (प्राथमिक) शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने, बालिका शिक्षा पर विशेष जोर देने, देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे आधुनिक विद्यालयों की स्थापना करने, माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायपरक बनाने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विविध प्रकार की जानकारी देने और अंतर अनुशासनिक अनुसंधान करने, राज्यों में नए मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना करने, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सुदृढ़ करने तथा खेलकूद, शारीरिक शिक्षा, योग को बढ़ावा देने एवं एक सक्षम मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाने के प्रयास शामिल हैं। इसके अलावा शिक्षा में अधिकाधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक विकेंद्रीकृत प्रबंधन ढांचे का भी सुझाव दिया गया है। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी एजेंसियों के लिए विभिन्न नीतिगत मानकों को तैयार करने हेतु एक विस्तृत रणनीति का भी पीओए में प्रावधान किया गया है।

एनपीई द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक ऐसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे पर आधारित है, जिसमें अन्य लचीले एवं क्षेत्र विशेष के लिए तैयार घटकों के साथ ही एक समान पाठ्यक्रम रखने का प्रावधान है। जहां एक ओर शिक्षा नीति लोगों के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने पर जोर देती है, वहीं वह उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की वर्तमान प्रणाली को मजबूत बनाने का आह्वान भी करती है। शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में कुल राष्ट्रीय आय का कम से कम 6 प्रतिशत धन लगाने पर भी जोर देती है।

केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड (सीएबीई) शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय और राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए गठित सर्वोच्च संस्था है। इसका गठन 1920 में किया गया था और 1923 में व्यय में कमी लाने के लिए इसे भंग कर दिया गया। 1935 में इसे पुनः गठित किया गया और यह बोर्ड 1994 तक अस्तित्व में रहा। इस तथ्य के बावजूद कि विगत में सीएबीई के परामर्श पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श एवं परीक्षण हेतु इसने एक मंच उपलब्ध कराया है,

दुर्भाग्यवश मार्च, 1994 में बोर्ड के बड़े हुए कार्यकाल की समाप्ति के बाद इसका पुनर्गठन नहीं किया गया। देश में हो रहे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा की वर्तमान जरूरतों को देखते हुए सीएबीई की भूमिका और भी बढ़ जाती है। अतः यह महत्व का विषय है कि केंद्र और राज्य सरकारें, शिक्षाविद एवं समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि आपसी विचार-विमर्श बढ़ाएं और शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय लेने की ऐसी सहभागी प्रक्रिया (प्रणाली) तैयार करें, जिससे संघीय ढांचे की हमारी नीति को मजबूती मिले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (जैसा कि 1992 में संशोधित किया गया) में भी यह प्रावधान है कि शैक्षिक विकास की समीक्षा करने तथा व्यवस्था एवं कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए आवश्यक परिवर्तनों का निर्धारण करने में भी सीएबीई की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह मानव संसाधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आपसी तालमेल एवं परस्पर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई उपयुक्त प्रणाली के माध्यम से अपना कार्य करेगा। तदनुसार ही सरकार ने जुलाई, 2004 में सीएबीई का पुनर्गठन किया और पुनर्गठित सीएबीई की पहली बैठक 10 एवं 11 अगस्त, 2004 को आयोजित की गई। विभिन्न विषयों के विद्वानों के अलावा लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यगण, केंद्र, राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों के प्रतिनिधि इस बोर्ड के सदस्य होते हैं।

पुनर्गठित सीएबीई की 10 एवं 11 अगस्त, 2004 को हुई बैठक में कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर विशेष विचार-विमर्श करने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार निम्नलिखित विषयों के लिए सीएबीई की सात समितियां बनाई गईं—

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक तथा प्राथमिक शिक्षा से जुड़े अन्य मामले, बालिका शिक्षा तथा एक समान स्कूल प्रणाली, एक समान माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता, स्कूल पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक शिक्षा का एकीकरण, सरकार-संचालित प्रणाली के बाहर चल रहे स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकों एवं समानांतर पाठ्य पुस्तकों के लिए नियामक व्यवस्था तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को वित्तीय सहायता देना।

उपर्युक्त हेतु समितियों का गठन सितंबर, 2004 में किया गया। इनसे मिली रिपोर्टों पर 14-15 जुलाई, 2005 को नई दिल्ली में हुई सीएबीई की 53वीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया। इन सभी प्राप्त रिपोर्टों से उभरे कार्य-बिंदुओं की पहचान करने तथा उन पर एक निश्चित कार्यवाधि में अमल करने के लिए कार्य-योजना तैयार करने के आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सीएबीई की तीन स्थायी समितियां बनाए जाने का निर्णय किया गया है—

(i) नई शिक्षा नीति को लागू कराने की विशेष आवश्यकता सहित बच्चों एवं युवाओं के लिए सन्निहित शिक्षा हेतु स्थायी समिति,

(ii) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को निर्देश देने के लिए साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा पर स्थायी समिति,

(iii) बच्चे की शिक्षा, बाल विकास, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजनाओं को ध्यान में रखते हुए बाल विकास प्रयासों के समन्वयन और एकीकरण मामलों के लिए एक स्थायी समिति।

सीएबीई की 6-7 सितंबर 2005 को हुई बैठक की सिफारिश के आधार पर एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य पुस्तकों के पाठ्यक्रम तैयार करने के प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एक निगरानी समिति गठित की गई है। प्रत्यापित और संबद्ध करने वाली संस्थाओं में नेट लाइन के माध्यम से आवेदन स्वीकार कर उस पर कार्यवाही करने और अन्य मामलों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इनकी कार्यप्रणाली में सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए विचारों के समावेश और सुधार प्रक्रिया पर निगरानी के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन पर विचार-विमर्श शुरू हो गया है।

शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत एवं विदेशों से प्राप्त होने वाली छोटी से छोटी सहायता (दान) राशि की सुगमता से प्राप्ति के लिए सरकार ने समिति पंजीयन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी के तौर पर 'भारत सहायता कोष' का गठन किया है। 09 जनवरी, 2003 को 'प्रवासी भारतीय दिवस' के अवसर पर आयोजित समारोह में विधिवत प्रारंभ किया गया यह कोष शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित सभी गतिविधियों एवं क्रियाकलापों के लिए निजी संगठनों, व्यक्तियों, कारपोरेट (उद्योग) जगत, केंद्र एवं राज्य सरकारों, प्रवासी भारतीयों एवं भारतीय मूल के लोगों से दान/अंशदान तथा सहायता राशि प्राप्त कर सकेगा।

व्यय

शिक्षा के लिए और अधिक संसाधन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के अनुपालन में पिछले वर्षों के दौरान किए जाने वाले आवंटन में भारी वृद्धि हुई है। शिक्षा के लिए निर्धारित योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151.20 करोड़ रुपये से बढ़कर दसवीं योजना (2002-2007) में 43,825 करोड़ रुपये हो गया। सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की तुलना में शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय वर्ष 1951-52 के 0.64 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2003-04 (बजट अनुमानों के अनुसार) में 3.74 प्रतिशत हो गया।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित 43,825 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय नौवीं पंचवर्षीय योजना के 24,908.38 करोड़ रुपये से 1.76 गुना अधिक है। इसमें से प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को 30,000 करोड़ रुपये एवं माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग को 13,825 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए योजना परिव्यय 12,531.76 करोड़ रुपये तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए योजना परिव्यय 2712.00 करोड़ रुपये रहा। योजनावधि में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों पर हुआ व्यय तालिका 10.1 में दिया गया है।

प्राथमिक शिक्षा

सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए)

एक राष्ट्रीय योजना के रूप में सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) की योजना देश के सभी जिलों में लागू की जा रही है। एसएसए का उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। एसएसए के लक्ष्य इस प्रकार हैं : (i) 2005 तक सभी स्कूलों, शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों/ब्रिज पाठ्यक्रमों में 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के समस्त बच्चे। (ii) सभी प्रकार के लैंगिक एवं सामाजिक भेदभाव प्राथमिक शिक्षा के स्तर वर्ष 2007 तक तथा 2010 तक बुनियादी शिक्षा स्तर पर समाप्त करना। (iii) 2010 तक सभी के लिए शिक्षा। जीवन हेतु शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए संतोषप्रद गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा पर जोर।

एसएसए कार्यक्रम के अंतर्गत नौवीं योजना में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य 85:15 की सहभागिता प्रबंध के आधार पर सहायता दी गई, 10वीं योजना के दौरान सहभागिता प्रबंध 75:25 है तथा इसके बाद यह 50:50 के आधार पर दी जाएगी। इसमें 8 उत्तर पूर्वी राज्य शामिल नहीं हैं जिनकी 15 प्रतिशत सहायता राशि दो वर्षों (2005-06 और 2006-07) के लिए डीओएनईआर मंत्रालय मुहैया कराएगा।

यह कार्यक्रम पूरे देश में लागू किया जाएगा तथा इसमें बालिकाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों तथा कठिन परिस्थितियों में रह रहे छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन आबादी क्षेत्रों में अभी तक स्कूल नहीं हैं, वहां नए स्कूल खोलना तथा अतिरिक्त कक्षाओं हेतु नए कमरे, शौचालय, पेयजल, रखरखाव एवं स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से नए स्कूल खोलना और उनमें सुधार लाना शामिल है। सर्वशिक्षा अभियान की शुरुआत से दिसंबर 2006 तक लगभग 1.81 लाख नए विद्यालय खोले जा चुके हैं। 1,49,683 लाख नई विद्यालय इमारतें तथा 6,50,442 लाख अतिरिक्त कमरे या तो पूरे हो चुके हैं या पूरे होने वाले हैं और 31.3.2007 तक एसएसए के अंतर्गत 8.14 लाख नए शिक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं। सरकार ने एसएसए के लिए ग्यारहवीं योजना में 576.45 करोड़ रुपये मुहैया कराए थे।

सर्वशिक्षा अभियान के तहत स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई है। 2001-02 में स्कूल छोड़ने वाले 3.20 करोड़ बच्चों के मुकाबले मार्च, 2007 में यह संख्या लगभग 70 लाख रही। इसी अवधि के दौरान प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के नामांकन में 19.2 प्रतिशत की तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वर्तमान में 67 लाख बच्चे उन वैकल्पिक स्कूलों में नामांकित हैं जो छोटे और दूर-दराज की रिहायशों में खोले गए हैं और कामकाजी बच्चों, परिवारों के साथ दूसरी जगहों से आए बच्चे और शहरी वंचित बच्चों को शिक्षा मुहैया कराते हैं। एसएसए में बालिकाओं एवं समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों पर विशेष ध्यान देने का प्रावधान है। इसके तहत ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था सहित कई अन्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। शिक्षा के अंतर को समाप्त करने के लिए एसएसए के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का भी प्रावधान है।

शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षा

शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षा (ईजीएस तथा एआईई) स्कूल नहीं जा रहे बच्चों को बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के तहत लाने का सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस योजना में स्कूली शिक्षा से अभी तक छूट गए प्रत्येक बच्चे के लिए अलग से योजना बनाने का प्रावधान है।

ईजीएस में ऐसे दुर्गम आबादी-क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है, जहां एक किलोमीटर के घेरे में कोई औपचारिक स्कूल नहीं हो और स्कूल नहीं जाने वाले 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के कम से कम 15-25 बच्चे वहां मौजूद हों। पर्वतीय क्षेत्रों के दुर्गम क्षेत्रों जैसे अपवादों में 10 बच्चों पर भी एक ईजीएस स्कूल खोला जा सकता है।

वैकल्पिक शिक्षा की शुरुआत समाज के वंचित वर्ग के बच्चों—बाल श्रमिक, सड़कों पर जीवनयापन करने वाले बच्चे, प्रवासी बच्चे, कठिन परिस्थिति में रहने वाले बच्चे और 9 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए बनाई गई है। ईजीएस और एआईई में देश-भर में किशोरावस्था की बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

उन आबादी क्षेत्रों (रिहायशी क्षेत्रों) में जहां स्कूल तो हैं, किंतु या तो उनमें बच्चों ने प्रवेश ही नहीं लिया या भर्ती होने के बाद बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी, ऐसे बच्चे संभवतया पारंपरिक स्कूली प्रणाली से सामंजस्य नहीं बिठा पाते। ऐसे बच्चों को स्कूल में वापस लाने हेतु स्कूल वापसी शिविरों का आयोजन और सेतु (ब्रिज) पाठ्यक्रम की नीतियां लागू की गई हैं। सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल वापसी शिविर बच्चों की जरूरतों के अनुसार आवासीय और गैर आवासीय हो सकते हैं।

मध्याह्न भोजन योजना

पृष्ठभूमि

नामांकन बढ़ाने, उन्हें बनाए रखने और उपस्थिति के साथ-साथ बच्चों के बीच पोषण स्तर सुधारने के दृष्टिकोण के साथ प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 15 अगस्त, 1995 से शुरू किया गया। केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना को पहले देश के 2408 ब्लॉकों में शुरू किया गया। वर्ष 1997-98 के अंत तक एनपी-एनएसपीई को देश के सभी ब्लॉकों में लागू कर दिया गया। 2002 में इसे बढ़ाकर न केवल सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों के कक्षा एक से पांच तक के बच्चों तक किया गया बल्कि ईजीएस और एआईई केंद्रों में पढ़ रहे बच्चों को भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया। इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं : प्रत्येक स्कूल दिवस प्रति बालक 100 ग्राम खाद्यान्न तथा खाद्यान्न सामग्री को लाने-ले जाने के लिए प्रति कुंतल 50 रुपये की अनुदान सहायता।

सितंबर 2004 में, इस योजना में संशोधन कर सरकारी, सहायता प्राप्त स्कूलों और ईजीएस/एआईई केंद्रों में पढ़ाई कर रहे कक्षा एक से पांच तक के सभी बच्चों को 300 कैलोरी और 8-10 ग्राम प्रोटीन वाला पका हुआ मध्याह्न भोजन प्रदान करने की व्यवस्था की गई। निःशुल्क अनाज देने के अतिरिक्त इस संशोधित योजना के तहत दी जाने वाली केंद्रीय सहायता इस प्रकार है : (क) प्रति स्कूल दिवस प्रति बालक एक रुपया भोजन पकाने की लागत, (ख) विशेष वर्गीकृत राज्यों के लिए परिवहन अनुदान पहले के 50 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति कुंतल तक किया गया, (ग) अनाज, परिवहन अनुदान और रसोई सहायता को दो प्रतिशत की दर से प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन लागत सहायता, (घ) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मियों की छुट्टी के दौरान मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान। जुलाई, 2006 में रसोई लागत में सहायता देने के लिए फिर इस योजना में संशोधन किया गया जो इस प्रकार है : (क) उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्यों के लिए प्रति बालक/स्कूल दिवस की दर से, एनईआर राज्यों का योगदान 1.80 रुपये प्रति बालक/स्कूल दिवस, और (ख) अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 1.50 रुपये प्रति बालक/स्कूल दिवस तथा बाकी .50 रुपये प्रति बालक/स्कूल दिवस। ये राज्य और केंद्रशासित प्रदेश मुहैया कराएंगे।

उद्देश्य

मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य हैं :

- (i) सरकारी, स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, और ईजीएस तथा एआईई केंद्रों में कक्षा एक से पांचवीं तक पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार।
- (ii) सुविधाहीन वर्ग के गरीब बच्चों को कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा कक्षाओं की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- (iii) गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण सहायता उपलब्ध कराना।

कार्यक्रम मध्यस्थता और कवरेज

उपर्युक्त उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सारणी के कॉलम 3 में दर्शाई गई मात्रा में पोषक तत्वों से

भरपूर पका हुआ मध्याह्न भोजन कक्षा एक से पांच तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा:

पोषण सामग्री	एनपी-एनएसपीई, 2004 के मुताबिक नियम	एन पी- एनएसपीई, 2006 के संशोधित नियम
कैलोरी	300	450
प्रोटीन	8-12	12
सूक्ष्म आहार	निर्धारित नहीं	आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन-ए इत्यादि सूक्ष्म आहारों की पर्याप्त मात्रा

संशोधित योजना के भाग

संशोधित योजना निम्नलिखित भागों को मुहैया कराती है :

- नजदीकी एफसीआई गोदाम से प्रति स्कूल प्रति बालक 100 ग्राम खाद्यान्न (गेहूं/चावल) की निशुल्क आपूर्ति;
- एफसीआई गोदाम से स्कूल तक खाद्यान्न ले जाने के लिए हुए वास्तविक परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति जो अधिकतम इस प्रकार है: (क) 11 विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 100 रुपये प्रति कुंतल। ये राज्य हैं : अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और (ख) अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 75 रुपये प्रति कुंतल।
- रसोई लागत के लिए निम्नलिखित दर से सहायता का प्रावधान :—

(क) उत्तरपूर्वी राज्यों के लिए	:	प्रति स्कूल प्रति बालक 1.80 रुपये की दर से राज्य की सहायता 20 पैसे प्रति बालक।
(ख) अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए	:	प्रति बालक प्रति स्कूल 1.50 रुपये की सहायता, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों का योगदान 50 पैसे प्रति बालक।

उपर्युक्त बढ़ी हुई केंद्रीय सहायता पात्रता के लिए राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रशासनों को न्यूनतम सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक है।

- राज्य सरकारों द्वारा घोषित सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मियों की छुट्टियों में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए सहायता का प्रावधान।
- चरणबद्ध तरीके से रसोई-सह-भंडार निर्माण के लिए प्रति इकाई 60 हजार रुपये तक सहायता का प्रावधान। हालांकि अगले 2-3 वर्षों में सभी स्कूलों के लिए रसोई-सह-भंडार के निर्माण के लिए एमडीएमएस के अंतर्गत आवंटन पर्याप्त नहीं लगता। अतः इस उद्देश्य के लिए अन्य विकास कार्यों के साथ राज्य सरकारों से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है। (कृपया पैरा 2.5 भी देखें)
- 5000 रुपये प्रति स्कूल की सामान्य लागत पर भोजन सामग्री तथा रसोई उपकरण बदलने के लिए चरणबद्ध तरीके से सहायता का प्रावधान। स्कूलों की वास्तविक आवश्यकताओं (राज्य/कें.शा.प्र. के लिए कुल सामान्य सहायता प्रति स्कूल 5000 रुपये ही रहेगी) के आधार पर नीचे दी गई वस्तुओं पर खर्च में लचीलापन राज्य/कें.शा.प्र. रख सकते हैं।

- (क) खाना पकाने के उपकरण (स्टोव, चूल्हा इत्यादि)
- (ख) खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री के भंडारण के लिए कंटेनर
- (ग) खाना पकाने और खिलाने के लिए बर्तन
- (vii) (क) मुफ्त खाद्यान्न, (ख) परिवहन लागत और (ग) खाना बनाने की लागत पर कुल सहायता का 1.8 प्रतिशत की दर से प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन (एमएमई) के लिए राज्यों/कें.शा.प्र. को सहायता का प्रावधान। उपर्युक्त राशि का अन्य 0.2 प्रतिशत प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए केंद्र सरकार द्वारा उपयोग में लाया जाएगा।

निगरानी पद्धति

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी और निरीक्षण के लिए एक विस्तृत पद्धति निर्धारित की है। इसमें शामिल है:

स्थानीय स्तर पर निगरानी व्यवस्था

ग्राम पंचायत ग्राम सभा प्रतिनिधि वीईसी, पीटीए, एस डी एमसी के साथ-साथ मदर्स समिति के सदस्य भी प्रतिनिधि के हिसाब से निगरानी व्यवस्था इस प्रकार देख सकेंगे। (i) बच्चों को परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन की निरंतरता और समग्रता (ii) मध्याह्न भोजन को पकाने और परोसने में स्वच्छता (iii) अच्छी गुणवत्ता वाले सामान तथा ईंधन की समय पर खरीद (iv) विविध मेन्यु (प्रकार) के खाने की उपलब्धता (v) सामाजिक और लैंगिक समानता।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना का प्रदर्शन

पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए उन सभी स्कूलों और केंद्रों से, जहां यह कार्यक्रम लागू किया जा रहा है स्व विवेक के आधार पर सूचना प्रदर्शन के लिए कहा जाता है। इस सूचना में सम्मिलित है :

- (i) प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा, प्राप्ति की तारीख
- (ii) उपयोग किए खाद्यान्न की मात्रा
- (iii) अन्य खरीदे गए, उपयोग में लाए गए अंश
- (iv) मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चों की संख्या
- (v) दैनिक मेन्यु
- (vi) कार्यक्रम में शामिल सामुदायिक सदस्यों का रोस्टर

राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास, शिक्षा और महिला और बाल विकास, खाद्य, स्वास्थ्य जैसे अन्य संबंधित क्षेत्रों के राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों से जिन स्कूलों में कार्यक्रम लागू किया जा रहा है वहां निरीक्षण के लिए कहा जाता है। प्रत्येक तिमाही में 25 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों/ईजीएस और एआईई केंद्रों के निरीक्षण की सिफारिश की गई है।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की जिम्मेदारी

एफसीआई के डिपो में पर्याप्त खाद्यान्न निरंतर उपलब्ध रहे इसकी जिम्मेदारी एफसीआई की है

(उत्तरपूर्वी राज्यों के मामले में खाद्यान्न मुख्य वितरण केंद्रों पर उपलब्ध रहना चाहिए)। यहां किसी महीने/तिमाही के लिए एक महीने पहले ही खाद्यान्न उठाने की अनुमति है ताकि खाद्यान्नों की आपूर्ति निर्बाध बनी रहे।

एनपी-एनएसपीई, 2006 के लिए, एफसीआई को उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता के खाद्यान्न जारी करने का आदेश है जो किसी भी हालत में कम से कम फेयर एवरेज क्वालिटी (एफएक्यू) का होगा।

एमडीएम कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति में आने वाली विभिन्न परेशानियों से निपटने के लिए एफसीआई प्रत्येक राज्य में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करता है। जिलाअधिकारी/जिला पंचायत प्रमुख सुनिश्चित करते हैं कि खाद्यान्न कम से कम एफएक्यू का है तथा एफसीआई और जिलाअधिकारी तथा/या जिला पंचायत प्रमुख द्वारा नामित व्यक्तियों की संयुक्त टीम के निरीक्षण के बाद ही जारी किया जाता है।

आवधिक रिटर्न

भारत सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राज्य सरकार/कें.शा.प्र. को (i) बच्चों और संस्थानों के कवरेज, (ii) खाना पकाने की लागत, परिवहन, किचन शैड का निर्माण और किचन के सामानों की प्राप्ति पर आवधिक सूचना दाखिल करने के लिए कहा जाता है।

सामाजिक विज्ञान शोध संस्थानों द्वारा निगरानी

सर्वशिक्षा अभियान की निगरानी के लिए चिह्नित 41 सामाजिक विज्ञान शोध संस्थानों को मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी का काम भी सौंपा गया है।

शिकायत निवारण

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कहा गया है कि जन शिकायतों के निवारण के लिए एक समुचित पद्धति विकसित करें जिसका बड़े पैमाने पर प्रचार होना चाहिए और आसान पहुंच में हो।

उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार

केंद्रीय बजट 2007-08 में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि मध्याह्न भोजन योजना 2007-08 में 3427 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को कवर करने के लिए बढ़ाई जाएगी। इसके लिए 7324 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है जो 2006-07 के बजट के मुकाबले 37 प्रतिशत अधिक है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

केंद्र द्वारा प्रायोजित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) 1994 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में फिर से जान फूंकना और प्राथमिक शिक्षा के सावर्गीकरण का लक्ष्य पूरा करना था।

कार्यक्रम मानदंडों के अनुसार 5-7 वर्ष की अवधि के लिए प्रति जिला निवेश सीमा 40 करोड़ रुपये है। इसमें निर्माण कार्यों पर 33.3 प्रतिशत और प्रबंधन मद में व्यय सीमा 06 प्रतिशत है। शेष राशि गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों के लिए है।

डीपीईपी बाहरी सहायता से चलने वाला कार्यक्रम है। परियोजना व्यय का 85 प्रतिशत केंद्र

सरकार द्वारा एवं शेष 15 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। केंद्र सरकार का हिस्सा विदेशों से प्राप्त सहायता के माध्यम से आता है। वर्तमान में विदेशी सहायता लगभग 6938 करोड़ रुपये है, जिसमें से 5137 करोड़ रुपये अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (आईडीए) से ऋण रूप में तथा शेष 1801 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में है।

इस समय डीपीईपी नौ राज्यों के 123 जिलों में चल रहा है। अपने सर्वोच्च स्तर पर डीपीईपी किसी समय 18 राज्यों के 273 जिलों में चल रहा था। धीरे-धीरे इसमें कमी आने के साथ ही अब यह मात्र 123 जिलों में लागू है।

डीपीईपी की प्रमुख उपलब्धियां

(i) डीपीईपी ने अभी तक 1,60,000 से अधिक स्कूल खोले हैं, जिसमें लगभग 84,000 वैकल्पिक शिक्षण केंद्र (एएस) हैं। इन वैकल्पिक शिक्षण केंद्रों में 35 लाख बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबकि अन्य दो लाख बच्चे विभिन्न प्रकार के सेतु (ब्रिज) पाठ्यक्रमों का लाभ उठा रहे हैं। (ii) डीपीईपी के अंतर्गत तैयार किया गया स्कूली ढांचा उल्लेखनीय है। 52,758 स्कूली भवनों; 58,604 अतिरिक्त कक्षाओं; 16,619 संसाधन केंद्रों; 29,307 मरम्मत कार्यों; 64,592 शौचालयों और 24,909 पेयजल सुविधाओं के निर्माण का कार्य या तो पूरा हो चुका है या प्रगति पर है। (iii) पिछले तीन वर्षों के दौरान चरण-I के राज्यों में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 93 से 95 प्रतिशत रहा है। वैकल्पिक स्कूलों/शिक्षा गारंटी केंद्रों में दाखिले का समायोजन करने के बाद वर्ष 2001-02 में जीईआर 100 प्रतिशत से भी अधिक आता है। जो जिले डीपीईपी के अंतर्गत आते हैं और जहां डीपीईपी अलग-अलग चरणों में लागू है, वहां वैकल्पिक स्कूलों/शिक्षा गारंटी स्कूलों (एएस/ईजीएस) सहित सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 85 प्रतिशत से अधिक है। (iv) बालिकाओं के नामांकन (दाखिले) में अच्छा खासा सुधार हुआ है। डीपीईपी चरण-I के जिलों में हुए कुल नामांकनों की तुलना में बालिकाओं के नामांकन में 48 से 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि डीपीईपी जिलों में विभिन्न चरणों में यह वृद्धि 46 से 47 प्रतिशत है। (v) वर्तमान में नामांकन किए हुए कुल विभिन्न प्रकार के सक्षम बच्चों की कुल संख्या 4,20,203 है, जो डीपीईपी राज्यों में विभिन्न प्रकार के सक्षम बच्चों की कुल संख्या 5,53,844 का लगभग 76 प्रतिशत है। (vi) सभी परियोजना गांवों/रिहाइशी इलाकों/स्कूलों में ग्राम शिक्षा समितियों/स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। (vii) अंशकालिक शिक्षकों, शिक्षाकर्मियों सहित लगभग 1,77,000 अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। (viii) शिक्षा संबंधी सहायता और शिक्षण प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रखंड (ब्लॉक) स्तर पर 3380 संसाधन केंद्र और समूह स्तर पर 29,725 केंद्रों की स्थापना की गई है।

महिला समाख्या योजना

महिला समाख्या योजना ग्रामीण क्षेत्रों खासकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं की शिक्षा तथा उनके सशक्तिकरण के लिए 1989 में शुरू की गई। एनपीई, 1986 के उद्देश्यों के अनुरूप लक्ष्य हासिल करने के लिए एक ठोस कार्यक्रम के रूप में इसकी शुरुआत हुई। समानता हासिल करने में महिलाओं को शिक्षित बनाने में एमएस योजना को पहचाना जाता है। महिला संघ गांव स्तर पर महिलाओं को मिलाने, सवाल करने और अपने विचार रखने तथा अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने के अलावा अपनी इच्छाओं को जाहिर करने का स्थान मुहैया कराते हैं।

महिला संघों ने ग्रामीण महिलाओं के दृष्टिकोण में विभिन्न कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों

के माध्यम से बदलाव ला दिया है जिसका प्रभाव अब घर, परिवार में, सामुदायिक तथा ब्लॉक और पंचायत स्तर पर देखा जा सकता है। कार्यक्रम में बच्चों खासकर लड़कियों की शिक्षा की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करने पर भी केंद्रित होता है। ताकि लड़कियों को भी बराबर का दर्जा और अवसर मिल सके। इसके परिणाम स्कूलों में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि और स्कूल न छोड़ने के रूप में सामने आए हैं।

महिला समाख्या योजना वर्तमान में नौ राज्यों के 83 जिलों में 21,000 गांवों में चलाई जा रही है। ये नौ राज्य हैं : आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। वित्त वर्ष 2007-08 से इस योजना को दो और राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बढ़ाया गया है। वित्त वर्ष 2007-08 में इस योजना के लिए 34 करोड़ का बजटीय प्रावधान रखा गया।

अध्यापक शिक्षा योजना

केंद्र द्वारा प्रायोजित अध्यापक शिक्षा योजना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 1987-88 में शुरू की गई थी :

- (1) जहां संभव हो मौजूदा प्रारंभिक अध्यापक शिक्षण संस्थानों (ईटीईआई) का स्तर बढ़ाकर और जहां आवश्यक हो नए डीआईईटी की स्थापना कर जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) की स्थापना।
- (2) चयनित द्वितीयक अध्यापक शिक्षण संस्थानों (एसटीईआई) का स्तर बढ़ाना:
 - (क) अध्यापक शिक्षा कालेज (सीटीई) और
 - (ख) शिक्षा में उच्च अध्ययन के संस्थान, और
- (3) राज्य शैक्षिक शोध और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को मजबूती प्रदान करना।
- (ii) योजना 2003 में संशोधित की गई और जनवरी 2004 में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए। अध्यापक शिक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :
 - (1) डीआईईटी/सीटीई/आईएएसई/एससीईआरटी की उन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना जो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंजूर की गई थीं लेकिन समय से पूरी नहीं हो सकीं।
 - (2) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि तक के डीआईईटी, सीटीई/आईएएसई को स्वीकृति प्रदान करना और एससीईआरटी को सुदृढ़ बनाना तथा उन्हें संचालन योग्य बनाना।
 - (3) आवश्यकतानुसार डीआईईटी/सीटीई/आईएएसई/एससीईआरटी की नई परियोजनाओं को मंजूरी देना और उन्हें लागू करना।
 - (4) डीआईईटी के सेवाकालीन और सेवा पूर्ण प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करना ताकि वे अपने-अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में केंद्रीय भूमिका निभा सकें और अपेक्षित स्तर की उपलब्धि हासिल कर सकें।
- (iii) डीआईईटी/जिला संसाधन केंद्र (डीआरसी) स्थापित करने के मानदंड :
 1. कम से कम 2500 अध्यापकों वाले प्रत्येक जिले के लिए एक डीआईईटी, यदि जिले में पहले से सरकारी ईटीईआई है तो इसे डीआईईटी ग्रेड तक बढ़ाया जाएगा। यदि कोई ईटीईआई मौजूदा नहीं तो जिले में नया डीआईईटी स्थापित किया जाएगा।

2. 2500 अध्यापकों वाले जिलों में जिला संसाधन केंद्रों की स्थापना यदि जिले में सरकारी ईटीआईआई मौजूद है तो इसे डीआरसी स्तर तक बढ़ाया जाएगा अन्यथा नया डीआरसी स्थापित किया जाएगा। ऐसे मामले में ये केंद्र पूर्व-सेवा पाठ्यक्रम संचालित नहीं करेगा।

3. यदि किसी जिले में 2500 से अधिक अध्यापक हैं तो राज्य सरकार डीआईटी की अपेक्षा डीआरसी स्थापित करने को प्राथमिकता देगी।

(iv) अध्यापक शिक्षा के लिए 11वीं योजना के प्रस्तावों के लिए एनसीईआरटी के निदेशक की अध्यक्षता में एक उप-समूह गठित किया गया था। उप-समूह की सिफारिशों के आधार पर, योजना के वर्तमान प्रावधानों को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त 11वीं योजना के दौरान कुछ नई योजनाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है।

1. अनु.जा./ज.जा. तथा अल्पसंख्यक क्षेत्रों (ब्लॉक अध्यापक शिक्षण संस्थान) में अध्यापक शिक्षण क्षमता बढ़ाना।

2. सेवारत प्राथमिक और द्वितीयक अध्यापकों का व्यावसायिक विकास

(क) अप्रशिक्षित तथा सहा. अध्यापकों को प्रशिक्षण:

(ख) अध्यापनरत अध्यापकों को प्रशिक्षण और विषय की जानकारी को अद्यतन करना।

3. अध्यापक शिक्षकों का व्यावसायिक विकास

(क) रिफ्रेशर पाठ्यक्रम

(ख) फेलोशिप कार्यक्रम

4. एनजीओ को सहयोग

5. उत्तरपूर्व के लिए विशेष कार्यक्रम

6. अध्यापक शिक्षा में प्रौद्योगिकी

7. उच्च शिक्षा के साथ एकीकृत प्राथमिक अध्यापक शिक्षा

(v) चालू वित्त वर्ष अर्थात 2007-08 के दौरान अध्यापक शिक्षा योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इनमें से 50 करोड़ रुपये उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं।

राष्ट्रीय बाल भवन

राष्ट्रीय बाल भवन, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित एक स्वायत्तशासी संस्था है जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत कार्य करती है। 1956 में इसके गठन से ही बाल भवन ने देशभर में उत्तरोत्तर प्रगति की है। वर्तमान में राष्ट्रीय बाल भवन से संबद्ध 68 राज्य बाल भवन तथा 10 बाल केंद्र हैं। संबद्ध बाल भवनों और बाल केंद्रों के माध्यम से बाल भवन की स्कूल छोड़ने वाले बच्चे, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चे, गलियों के बच्चे तथा विशेष बच्चों तक पहुंच है। दिल्ली के कई स्कूलों ने राष्ट्रीय बाल भवन की सदस्यता ली है और औपचारिक तथा अनौपचारिक संस्थानों के इस साझा प्रयासों से ही बच्चों की रचनात्मक अभिवृद्धि में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

राष्ट्रीय बाल भवन बच्चों को उनके लिंग, जाति, धर्म, रंग आदि भेदभाव के बिना तनावमुक्त वातावरण में विभिन्न गतिविधियों में शामिल कर उनके समग्र विकास के लिए कार्यरत है। इनमें कुछ प्रमुख गतिविधियां हैं: क्ले मॉडलिंग, पेपर मैची, संगीत, नृत्य, नाटक, पेंटिंग, क्राफ्ट, म्यूजियम गतिविधि,

फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंडोर-आउटडोर खेल, गृह प्रबंधन, पारंपरिक कला तथा क्राफ्ट, शैक्षिक और इन्नोवेटिव खेल/चेस, विज्ञान रोचक है इत्यादि। राष्ट्रीय बाल भवन के कुछ विशेष आकर्षण हैं: मिनी ट्रेन, मिनी जू, फिश कॉर्नर, साइंस पार्क, फनी मिरर, कलचर क्राफ्ट विलेज। राष्ट्रीय बाल भवन में राष्ट्रीय प्रशिक्षण संसाधन केंद्र (एनटीआरसी) है जो विभिन्न गतिविधियों में अध्यापकों को प्रशिक्षित करता है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य और ध्यान बच्चों के सर्वांगीण विकास और व्यक्तित्व विकास में अध्यापकों को प्रशिक्षित करना है क्योंकि अध्यापक समुदाय बच्चों की सामाजिक आर्थिक, भावुक, बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों को समझने में कुशल होते हैं। एनटीआरसी का उद्देश्य अध्यापकों और छात्रों दोनों के लिए अध्यापन और सीखने को एक सुखद अनुभव बनाना भी है।

राष्ट्रीय बाल भवन ने उन रचनाशील बच्चों को उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर में भेद किए बिना पहचान, सम्मान और देखभाल के लिए एक योजना भी शुरू की है। 'द बालश्री स्कीम' योजना के पीछे मकसद यही है कि रचनात्मकता मानवीय संभावना है जिसका सीधा संबंध स्व-अभिव्यक्ति और स्व-विकास से होता है। इस योजना के तहत चार रचनात्मक क्षेत्रों अर्थात् सृजनात्मक कला, सृजनात्मक प्रदर्शन, सृजनात्मक वैज्ञानिक खोज, सृजनात्मक लेखन में 9-16 वर्ष के आयु वर्ग की रचनात्मकता वाले बच्चों की पहचान करना है। यह योजना 1995 से चालू है और तब से बच्चों को उनके रचनात्मक क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए पहचान कर उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ये सम्मान उनको या तो राष्ट्रपति या उनकी पत्नी से राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक रंगारंग कार्यक्रम में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बाल भवन कुछ स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे- कार्यशालाएं, ट्रेकिंग कार्यक्रम, टाक शो, कैंप, आयोजित करता है। इसके अलावा पृथ्वी दिवस, पर्यावरण- दिवस इत्यादि भी मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल सभा, युवा पर्यावरणविद सम्मेलन, सभी के लिए शिक्षा तथा अध्यक्षाओं और निदेशकों का अखिल भारतीय सम्मेलन मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की देखरेख में आयोजित करता है। इन सब के अतिरिक्त राष्ट्रीय बाल भवन देश के विभिन्न भागों से अपने बच्चों को सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न देशों में भेजता है और ये बच्चे उप-महाद्वीप की सामाजिक सांस्कृतिक विशिष्टता के युवा राजदूत के रूप में कार्य करते हैं। इसके साथ-साथ राष्ट्रीय बाल भवन के सदस्य बच्चे, देशभर में संबद्ध बाल भवनों के बच्चे और राष्ट्रीय बाल भवन के सदस्य स्कूल/संस्थान भी वैश्विक समस्याओं के थीम पर अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) की स्थापना अगस्त, 1995 में इस लक्ष्य के साथ की गई थी कि पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित एवं समन्वित विकास किए जाने के साथ ही जरूरी नियम बनाने और अध्यापक शिक्षा के मानकों एवं स्तरों का उचित संरक्षण किया जा सके। एनसीटीई के कुछ प्रमुख कार्य विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए स्तरों का निर्धारण करना, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना, अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना, सर्वेक्षण और अध्ययन करना, अनुसंधान एवं नवीन तरीके अपनाना तथा शिक्षा के व्यावसायीकरण पर रोक लगाना इत्यादि हैं।

परिषद् की चार क्षेत्रीय समितियां जयपुर, बंगलुरु, भुवनेश्वर तथा भोपाल में गठित की गई हैं जो क्रमशः उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र के लिए हैं। ये क्षेत्रीय समितियां अपने-अपने क्षेत्र में अध्यापक-शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने का कार्य करती हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम

के प्रावधानों के अंतर्गत इन्हें अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए ऐसी संस्थाओं को अनुमति देने का अधिकार है।

एक जनवरी, 2007 तक एनसीटीई ने 9045 पाठ्यक्रमों के माध्यम से 7.72 लाख प्रशिक्षु अध्यापकों को प्रशिक्षण देने हेतु 7461 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान की। एनसीटीई ने सी.एड, डी.एड, बी.एड, डीपी.एड और एमपी.एड जैसे विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नए नियम और मानक जारी किए हैं। नए नियम अध्यापक कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारने और अध्यापक शिक्षण संस्थानों में अन्य सुविधाओं के अलावा बुनियादी मजबूती के लिए बनाए गए हैं।

शिक्षा का अधिकार

दिसंबर 2002 में बने संविधान (86वें संशोधन) अधिनियम, 2002 के भाग-III (मूलभूत अधिकार) में एक नई धारा 21-ए जोड़कर 6-14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात करता है। संविधान की धारा 21ए कहती है :

“कानून, संकल्प द्वारा, राज्य अपने अनुरूप छह से चौदह वर्ष तक की आयुवर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।”

सरकार एक ऐसे उपयुक्त कानून के अधिनियम को वचनबद्ध है जो संविधान की आवश्यकतानुसार शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने के अहसास को मजबूत बनाए। संविधान की धारा 21ए के तहत विचारित उपयुक्त कानून के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

प्रारंभिक शिक्षा कोश

बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता हेतु सरकार की वित्तीय सहायता के लिए वित्त (नं.2) अधिनियम, 2004 के जरिए सभी प्रमुख केंद्रीय करों पर दो प्रतिशत शिक्षा अधिकार लगाया गया था। इस शिक्षा अधिकार को एकत्रित कर प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा 6.10.2005 को सार्वजनिक खाते में एक निष्क्रिय फंड प्रारंभिक शिक्षा कोश (पीएसके) स्वीकृत किया गया था। पीएसके बनाने का औपचारिक आदेश 14.11.2005 को जारी किया।

28.2.2006 को केंद्रीय बजट (2006-07) की प्रस्तुति के बाद पीएसके एक अलग मद बन गया। शिक्षा अधिकार की अनुमानित प्राप्ति को ध्यान में रखकर केंद्रीय बजट 2006-07 में पीएसके के खाते में 8746 करोड़ रुपये प्रारंभ में स्थानांतरित करने का प्रावधान किया गया। बाद में, अनुदान के लिए तीसरी पूरक मांग के बैच में 2006-07 के दौरान 2 प्रतिशत शिक्षा अधिकार के अतिरिक्त अनुमानों पर आधारित पीएसके में 189 करोड़ रुपये अतिरिक्त स्थानांतरित किए गए। पीएसके के तहत उपलब्ध फंड का उपयोग विशेष रूप से सर्वशिक्षा अभियान एसएसए और प्राथमिक शिक्षा के पोषण सहयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए ही किया गया। शिक्षा अधिकार प्राथमिक शिक्षा के लिए निश्चित फंड उपलब्ध कराने की दिशा में एक ठोस कदम है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना मई 1988 में की गई थी। इसका उद्देश्य 2007 तक 15 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के उत्पादक और पुनरोत्पादक समूह के निरक्षर लोगों को व्यावहारिक साक्षरता प्रदान करते हुए 75 प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना है। व्यावहारिक साक्षरता के अंतर्गत पठन, लेखन गणना-बोध के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता पर्यावरण संरक्षण, नारी समानता और सीमित परिवार के सिद्धांत

और मूल्य निहित हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में निहित साक्षरता की अवधारणा मात्र साक्षरता तक सीमित नहीं है बल्कि उपरिलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिगमोन्मुख समाज के निर्माण का एक कारगर शस्त्र है। जीवन की गुणवत्ता में एक निश्चित सुधार और सशक्तिकरण ही व्यावहारिक साक्षरता की प्रमुख उपलब्धि है।

निरक्षरता उन्मूलन के लिए संपूर्ण साक्षरता अभियान ही राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की मुख्य अवधारणा है। ये अभियान समयबद्ध, विशिष्ट क्षेत्र, सहभागिता, किफायती, उपलब्धिपरक हैं, इन्हें जिला साक्षरता-समितियां (जिला स्तर की साक्षरता समिति) स्वतंत्र और स्वायत्तशासी संस्था के रूप में क्रियान्वित करती हैं, इनमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। व्यावहारिक साक्षरता देने के अतिरिक्त संपूर्ण साक्षरता अभियान (टीएलसी) सामाजिक जरूरत के महत्वपूर्ण संदेशों का प्रचार-प्रसार भी करता है जिनमें बच्चों का स्कूलों में दाखिला और उनकी शिक्षा, टीकाकरण, परिवार सीमित रखने के उपायों का प्रचार, महिला समानता और सशक्तिकरण, शांति और सद्भाव आदि शामिल हैं। इन साक्षरता अभियानों ने प्राथमिक शिक्षा की मांग भी पैदा की है। जिन लाखों निरक्षर लोगों ने व्यावहारिक शिक्षा की दक्षता हासिल की है वे बेहद नाजुक स्थिति में होते हैं यदि ऐसे नवसाक्षर लोगों को साक्षरता की प्रक्रिया से जोड़े रखने और उनकी शिक्षा का स्तर बनाए रखने के प्रयास नहीं किए गए तो इनके फिर से निरक्षर हो जाने की संभावना बनी रहती है। मूल साक्षरता का पहला चरण निर्देशों पर आधारित है जबकि दूसरे चरण में सुदृढ़ीकरण और निदान शामिल हैं। अब कौशल उन्नतिकरण को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंचने के लिए निरंतरता, दक्षता और अभिमुखता सुनिश्चित करने में एक समन्वित परियोजना के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य यह है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान और साक्षरता के बाद के कार्यक्रम सफलतापूर्वक अनवरत शिक्षा-प्रक्रिया के रूप में जारी रहें और जीवनपर्यन्त साक्षरता के अवसर उपलब्ध कराते रहें। इस समय संपूर्ण साक्षरता अभियान 101 जिलों में लागू है जबकि साक्षरता पश्चात कार्यक्रम 168 जिलों में क्रियान्वित है।

सतत शिक्षा योजना देश में संपूर्ण साक्षरता और साक्षरता पश्चात कार्यक्रमों के लक्ष्य हासिल करने के प्रयासों को सतत अधिगम प्रदान करता है। नव साक्षर लोगों को आगे अधिगम के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अनवरत शिक्षा केंद्रों की स्थापना पर मुख्य जोर दिया जाता है। ये केंद्र मूल साक्षरता, साक्षरता कौशल में सुधार, वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमों और व्यावसायिक कौशल की खोज तथा सामाजिक और पेशागत विकास के प्रोत्साहन के लिए क्षेत्रीय मांग और जरूरत के मुताबिक अवसर उपलब्ध कराते हैं। इस योजना के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जाते हैं जैसे—प्रतिभागियों में व्यावसायिक कौशल बढ़ाने, आय उत्पादक गतिविधियां शुरू करने में सहयोग प्रदान करने वाला समतुल्यता कार्यक्रम, जीवन गुणवत्ता कार्यक्रम जिसके माध्यम से नौसिखिए और समुदाय अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए जरूरी ज्ञान, दृष्टिकोण, मूल्य और कौशल हासिल कर सकें और व्यक्तिगत अभिरुचि प्रोत्साहन कार्यक्रम जिसके तहत कोई भी नौसिखिया व्यक्तिगत रूप से सामाजिक स्वास्थ्य, शारीरिक, सांस्कृतिक और कलात्मक अभिरुचियों के अनुसार अवसर हासिल कर सकता है।

भौगोलिक दृष्टि से दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं तथा वहां के लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए अवशेष साक्षरता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सतत शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 328 जिले शामिल किए जा चुके हैं।

गैर सरकारी संगठन : राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम) अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वयंसेवी संगठनों की अपार क्षमताओं को मान्यता देता है। इसने स्वयंसेवी संगठनों के साथ साझेदारी मजबूत बनाने के

लिए कई उपाय किए हैं। इसके साथ ही साक्षरता आंदोलन में स्वयंसेवी संगठनों को सक्रिय उत्साहवर्धक भूमिका सौंपी गई है। साक्षरता उपलब्ध कराने के अलावा स्वयंसेवी संगठन प्रयोगात्मक और नवोन्मुख कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक और तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। स्वयंसेवी संगठनों की ओर से संचालित राज्य संसाधन केंद्रों से प्रशिक्षण सामग्री, विस्तारगत विधियां नवोन्मुख परियोजनाएं, अनुसंधान अध्ययन और मूल्यांकन सामग्री के रूप में अकादमिक और तकनीकी संसाधन सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। इस समय कुल 26 राज्य संसाधन केंद्र कार्यरत हैं।

महिला साक्षरता के लिए विशेष हस्तक्षेप — 2001 की जनगणना के अनुसार देश के 47 जिलों में महिला साक्षरता दर 30 प्रतिशत से नीचे है इसलिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए इतनी कम महिला साक्षरता दर एक चिंता का विषय है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 47 जिलों में नीची महिला साक्षरता दर में सुधार का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इनमें से अधिकांश जिले उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों में हैं। इन जिलों में महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रवर्तित कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में यह कार्यक्रम पूरा हो चुका है और इसका मूल्यांकन भी किया जा चुका है।

उड़ीसा में नौ जिलों में महिला साक्षरता दर काफी कम है इन जिलों को एक विशेष परियोजना के तहत त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के करीब 10,43,000 महिलाओं को साक्षर बनाने का कार्य 117 स्वयंसेवी संगठनों के नेटवर्क को सौंपा गया। इस कार्यक्रम का बाह्य मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

विशिष्ट महिला साक्षरता कार्यक्रम झारखंड के उन पांच जिलों में भी लागू किया जा रहा है जहां महिला साक्षरता दर बहुत कम है। इन जिलों की 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग की करीब पांच लाख महिलाओं को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। यह कार्यक्रम भी लगभग पूरा हो चुका है केवल दो जिलों में बाह्य मूल्यांकन का काम बाकी है।

अवशेष निरक्षरता की परियोजनाएं

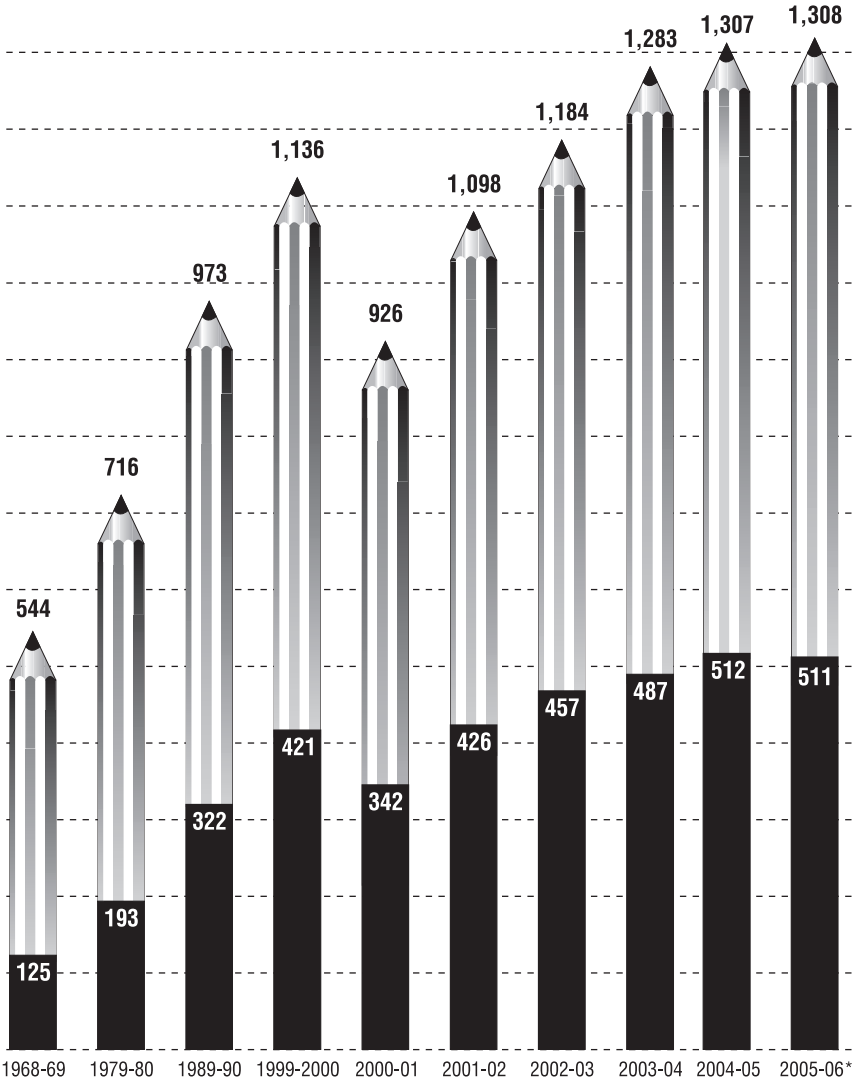
यद्यपि संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरे देश में एक जन आंदोलन के रूप में चलाया गया लेकिन कई इलाकों में यह प्राकृतिक आपदाओं तथा राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी के कारण पूरा नहीं हो सका। साक्षरता में सफलता के बावजूद अभी भी कुछ इलाकों में नीची महिला साक्षरता दर और अवशेष निरक्षरता मौजूद है। इस समस्या के निदान के लिए अवशेष निरक्षरता परियोजनाएं आरंभ की गईं। इसके तहत राजस्थान के 9 जिलों के करीब 6.6 लाख, आंध्र प्रदेश के 10 जिलों में 22.81 लाख, बिहार के सात जिलों में 12.54 लाख, झारखंड के तीन जिलों में 3.01 लाख, कर्नाटक के 14 जिलों में 27.35 लाख, मध्य प्रदेश के 12 जिलों में सात लाख और त्रिपुरा के तीन जिलों में एक लाख अड़तीस हजार तथा पश्चिम बंगाल के आठ जिलों में 29 लाख 54 हजार, उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में 36.11 लाख और मिजोरम के चार जिलों में 0.45 लाख नव साक्षरों को शामिल किया गया।

विशेष साक्षरता अभियान - एनएलएमए परिषद की अप्रैल 2005 में हुई बैठक में देशभर से ऐसे 150 जिलों की पहचान की गई जिनमें साक्षरता दर सबसे कम थी। इन जिलों की क्षेत्रीय, सामाजिक और सामुदायिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से अल्पसंख्यक समूह, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए विशेष साक्षरता अभियान की रणनीति तय की गई। अब तक राज्यों के कुल 134 जिलों को विशेष साक्षरता मिशन में शामिल किया जा चुका है।

भारत में प्रारम्भिक शिक्षा

दाखिलों में बढ़ोत्तरी

लाख में



प्राथमिक स्तर (कक्षा I-V) आयु 6-11 वर्ष



मध्य स्तर (कक्षा VI-VIII) आयु 11-14 वर्ष

KBK

*अनंतिम (30 सितम्बर 2006 अनुमानित)

इनमें अरुणाचल प्रदेश में (7), आंध्र प्रदेश (8), बिहार (31), छत्तीसगढ़ (2), जम्मू-कश्मीर (8), राजस्थान (10), झारखंड (12), कर्नाटक (2), मध्य प्रदेश (9), मेघालय (3), नागालैंड (2), उड़ीसा (8), पंजाब (1), उत्तर प्रदेश (27) और पश्चिम बंगाल के (4) जिले शामिल हैं।

जनशिक्षण संस्थान - जनशिक्षण संस्थान का लक्ष्य सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े तथा शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों विशेषकर नवसाक्षरों - अर्ध शिक्षितों अनुसूचित जाति/जनजातियां, महिलाओं तथा बालिकाओं, मलिन बस्ती निवासियों और प्रवासी श्रमिकों का शैक्षिक और व्यावसायिक विकास करना है।

जनशिक्षण संस्थान विभिन्न दस्तकारी के अलग-अलग अवधि के कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलता है। इस समय देश में कुल 172 जनशिक्षण संस्थान हैं। इन संस्थानों के जरिए ढाई सौ से अधिक प्रकार के पाठ्यक्रमों और गतिविधियों का संचालन होता है। जिन कार्यों और पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाता है उनमें सिलाई-कटाई, ड्रेस तैयार करना, बुनाई और कढ़ाई, सौंदर्य तथा स्वास्थ्य देखभाल, दस्तकारी, कला, चित्रकला, बिजली के सामानों की मरम्मत, मोटर वाइंडिंग, रेडियो और टीवी मरम्मत, कंप्यूटर प्रशिक्षण शामिल हैं। 2004-05 के दौरान 13.91 लाख लाभार्थियों को विभिन्न विषयों और पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिए गए और जनशिक्षण संस्थान गतिविधियों में शामिल किए गए। इनमें से 65 प्रतिशत महिलाएं थीं।

जनशिक्षण संस्थान की ओर से संचालित नवीन कार्यक्रम और गतिविधियां इस प्रकार हैं :

- राउरकेला में मानसिक रूप से अल्प विकसित बच्चों को कढ़ाई, बुनाई और वाटर कलर्स का प्रशिक्षण दिया गया।
- मुंबई में एक स्वयंसेवी संगठन के सहयोग से मूक और बधिरों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- औरंगाबाद में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी और पंचायत समिति के सहयोग से स्वसहायता समूहों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- तमिलनाडु आदि द्रविड़ हाउसिंग डवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से अनुसूचित जाति/जनजाति के चयनित उम्मीदवारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया।
- कोयंबटूर में वन विभाग के सहयोग से आदिवासियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया।
- कोयंबटूर में बर्ड विजन की ओर से मलिन बस्ती के नागरिकों व ग्रामीण युवकों के लिए व्यावसायिक कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- इंदुकी में आदिवासी बस्तियों में रहने वाले परिवारों से मिलकर स्वसहायता समूह का गठन किया और साक्षरता से जुड़ा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया और उसके बाद उत्पादक इकाइयां स्थापित कीं तथा स्वयं इन उत्पादों का विपणन किया।
- शिवकाशी में जनशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षित स्वसहायता समूह के सदस्यों ने आधारभूत इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयों की स्थापना की, जहां घरेलू साज सामान की मरम्मत की जाती है।
- तमिलनाडु महिला विकास निगम लिमिटेड की ओर से चयनित महिलाओं के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय

केंद्रीय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में शैक्षिक और तकनीकी संसाधन का सहयोग देता

है। यह संसाधन सहयोग का नेटवर्क विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है विशेष रूप से यह आदर्श शिक्षण/अधिगम सामग्री, मीडिया सॉफ्टवेयर के उत्पादन तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी तरह के मीडिया का सहयोग हासिल कराता है।

40वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस : नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 8 सितंबर, 2006 को आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तत्कालीन उप राष्ट्रपति भैरो सिंह शेखावत थे। हर वर्ष एनएलएम-यूनेस्को पुरस्कार कुछ चुनिंदा राज्य संसाधन केंद्रों, जन शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय, प्रौढ़, सतत शिक्षा और प्रौढ़ तथा साक्षरता कार्यक्रमों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाते हैं। इस बार के पुरस्कार विजेता थे : 1. राज्य संसाधन केंद्र, कोलकाता 2. जन शिक्षण संस्थान औरंगाबाद और 3. सतत शिक्षा और *एक्स्टेंशन* विभाग, एस.वी. विश्वविद्यालय, तिरुपति।

साक्षरता कार्यक्रमों में बेहतरीन प्रदर्शन और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए चुनिंदा टीएलसी/पीएलपी/सीई को हर वर्ष सत्येन मित्रा मेमोरियल पुरस्कार दिया जाता है। 2006 के पुरस्कार पाने वाले हैं : चांगलांग, अरुणाचल प्रदेश (टीएलसी), हनुमानगढ़, राजस्थान (पीएलपी), कडप्पा, आंध्र प्रदेश (सीईपी), कोल्लम, केरल (सीईपी) तूथुकुडी, तमिलनाडु (सीईपी)।

यूनेस्को का साक्षरता के लिए दिया जाने वाला कम्प्यूशियस पुरस्कार राजस्थान सरकार के साक्षरता और सतत शिक्षा निदेशालय को राजस्थान में साक्षरता और सतत शिक्षा कार्यक्रम के जरिए उपयोगी शिक्षा के लिए दिया गया है। पुरस्कार में 20,000 यूएस डालर नकद और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस वर्ष के पुरस्कार के लिए थीम थी *टिकाऊ विकास के लिए साक्षरता* राजस्थान के साक्षरता और सतत शिक्षा निदेशालय को अपने निरक्षर महिलाओं को लक्षित विशेष कार्यक्रम के लिए यह पुरस्कार मिला।

राजस्थान ने विशेष पहल की है जिसके तहत निरक्षर महिलाओं को आईपीसीएफ वर्णमाला की पुस्तक पढ़ाई गई और सीई पर वर्णमाला-III को पूरी करने के बाद सभी जिलों में 15 दिनों के विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण कैंप आयोजित किए गए तथा उनके द्वारा निर्मित सामानों के विपणन के लिए व्यवस्था की गई। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। लगभग 10 लाख निरक्षरों के लाभार्थ राज्य के 30 जिलों में बाकी बची निरक्षरता को समाप्त करने के लिए एक परियोजना भी शुरू की गई।

प्रकाशन

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय की प्रकाशन इकाई ने 2006-07 के दौरान साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा संबंधी विभिन्न प्रकार के प्रकाशन निकाले। प्रकाशित पुस्तकें विभिन्न भाषाओं में थीं जो इस प्रकार हैं: नव साक्षरों के लिए; नव साक्षरों के लिए साक्षरता कार्यक्रमों (बुनियादी साक्षरता, उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा) के विभिन्न पहलुओं पर दिशा-निर्देश; नीति दिशा-निर्देश, वार्षिक रिपोर्ट, सांख्यिकी डाटा पुस्तकें इत्यादि। शिक्षाविदों और समाज विज्ञान शोधकर्ताओं के लिए; अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं इत्यादि महत्वपूर्ण अवसरों के लिए विशेष प्रकाशन।

वर्षभर काफी संख्या में प्रकाशन सामने आए और फोटो-प्रलेखन, प्रकाशनों के डिजाइन आर्टवर्क तैयार करना और मुद्रित सामग्री के प्रेषण जैसे अन्य संबद्ध कार्य भी किए गए। बहुत-सी प्रकाशित सामग्री देश में विभिन्न स्तर के उपयोगकर्ताओं को निःशुल्क वितरित की गई।

8 सितंबर, 2006 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर भारत के उप राष्ट्रपति ने एक विशेष पुस्तक-‘इनोवेशन इन लिटरेसी’ जारी की और इसी अवसर पर उप राष्ट्रपति को नव-साक्षरों के लिए 8 पुस्तकों का एक सेट भेंट किया गया।

मूल्यांकन

संपूर्ण साक्षरता अभियान के कुल 393 और साक्षरता पश्चात कार्यक्रम के कुल 172 जिलों का बाहरी मूल्यांकन संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन किया गया। अनवरत शिक्षा कार्यक्रम के सात जिलों—मंडी (हिमाचल प्रदेश), अजमेर (राजस्थान) और इड्डुकी केसरगढ़ और कोल्लम केरल तथा देवागाल (कर्नाटक) का भी मूल्यांकन बाहरी मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा किया गया। इसी प्रकार 106 जनशिक्षण संस्थानों की गतिविधियों का भी मूल्यांकन हुआ। इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने वाली संस्थाओं में भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलुरु, एक्सएलआरआई, जमशेदपुर, प्रबंधन विकास संस्थान, गुणगांव, टाटा परामर्श सेवा, मुंबई और मीडिया अनुसंधान समूह, नई दिल्ली शामिल हैं।

उपलब्धियां

- 2001 में साक्षरता दर 64.84 प्रतिशत रिकार्ड की गई जबकि 1991 में यह दर 52.21 प्रतिशत थी। इस तरह एक दशक के दौरान साक्षरता दर में 12.63 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई।
- अब तक 12 करोड़ 42 लाख 7 हजार लोगों को साक्षर बनाया जा चुका है।
- साक्षरता की वृद्धि दर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की अपेक्षा अधिक है।
- पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर कम हुआ है। यह 1991 में 24.84 प्रतिशत था जो 2001 में घटकर 21.60 प्रतिशत रह गया।
- महिला साक्षरता में 14.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह 39.29 प्रतिशत से बढ़कर 53.67 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इसी तरह पुरुष साक्षरता में 11.13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जो एक दशक में 64.13 प्रतिशत से बढ़कर 75.26 प्रतिशत हो गई।
- स्त्री-पुरुष समानता और महिला सशक्तिकरण भी दिखाई दिया है क्योंकि लगभग 60 प्रतिशत प्रतिभागी और लाभार्थी महिलाएं हैं।
- 1991 से 2001 तक की अवधि के दौरान 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या में 17 करोड़ 16 लाख की वृद्धि हुई। जबकि इसी अवधि में 20 करोड़ 36 लाख लोग साक्षर बने।
- 1991 से 2001 के बीच सभी राज्यों एवं केंद्र प्रशासित प्रदेशों ने बिना किसी अपवाद के साक्षरता दर में वृद्धि की है।
- सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अब पुरुष साक्षरता बढ़कर 60 प्रतिशत से अधिक है। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक 90.92 प्रतिशत है। जबकि बिहार की साक्षरता दर सबसे कम 47.53 प्रतिशत है।
- निरक्षरों की संख्या में महत्वपूर्ण गिरावट देखने को मिली है। 1991 में निरक्षरों की संख्या 32 करोड़ 88 लाख 80 हजार थी जो 2001 में घट कर 30 करोड़ 40 लाख हो गई।
- देश के कुल 600 जिलों में से 597 जिलों को साक्षरता कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में शामिल किया गया।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा

संवैधानिक प्रावधान : संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार—“राज्य विशेष सावधानी के साथ समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों के उन्नयन को

बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के सामाजिक शोषण से उनकी रक्षा करेगा''। अनुच्छेद 330, 332, 335, 338 से 342 तथा संविधान के पांचवीं और छठवीं अनुसूची अनुच्छेद 46 में दिए गए लक्ष्य हेतु विशेष प्रावधानों के संबंध में कार्य करते हैं। समाज के कमजोर वर्ग के लाभार्थ इन प्रावधानों का पूर्ण उपयोग किए जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के संकल्प

संप्रग (यूपीए) सरकार ने सुशासन के लिए छह मूलभूत सिद्धांत निर्धारित किए हैं। उनमें से एक है—*अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए विशेषकर शिक्षा एवं रोजगार में पूर्ण अवसरों की समानता उपलब्ध कराना।* इसके अतिरिक्त संप्रग सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में इन समुदायों के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित प्रावधान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है—

- (क) संप्रग सरकार पिछले पांच वर्षों से किए जा रहे शिक्षा के सांप्रदायीकरण को पूरी तरह पलटने के लिए तत्काल कदम उठाएगी।
- (ख) संप्रग यह सुनिश्चित करेगा कि किसी को भी व्यावसायिक शिक्षा से इसलिए वंचित न रखा जाए, क्योंकि वह निर्धन है। इसके लिए विशेषज्ञों की एक समीक्षा समिति का गठन किया जाएगा।
- (ग) सभी आरक्षित सीटों को एक समयबद्ध ढंग से भरा जाएगा। इसमें प्रोन्नति से संबंधित सीटें भी शामिल होंगी। सभी आरक्षकों को नियमबद्ध करने के लिए एक आरक्षण अधिनियम लागू किया जाएगा।
- (घ) संप्रग सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण दिए जाने सहित सकारात्मक कार्यवाही के मुद्दे पर अत्यधिक संवेदनशील है।

विशेष प्रावधान

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्तियों के शैक्षणिक आधार को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं कार्ययोजना (पी.ओ.ए.) 1992 के अनुपालन में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए प्राथमिक शिक्षा, साक्षरता एवं माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग की वर्तमान योजनाओं में निम्नलिखित विशेष प्रावधान किए गए हैं—

- (क) अब 300 की जनसंख्या के स्थान पर 200 की जनसंख्या हेतु एक कि.मी. की चलने योग्य दूरी के भीतर प्राथमिक स्कूल खोला जा सकेगा।
- (ख) उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी राज्यों के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा शुल्क की समाप्ति। वस्तुतः अधिकतर राज्यों ने अनुसूचित जाति/जनजातियों के छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर तक शिक्षा-शुल्क समाप्त कर दिया है।
- (ग) इन वर्गों के छात्रों के लिए निःशुल्क पुस्तकें, वर्दी, स्टेशनरी, स्कूल बैग इत्यादि के रूप में प्रोत्साहन।
- (घ) संविधान का 86वां संशोधन विधेयक : 13 दिसंबर, 2002 को अधिसूचित इस विधेयक में 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है।

सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए)

प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रीकरण के बहुप्रतीक्षित उद्देश्य को निर्धारित समय सीमा में प्राप्ति की दिशा में

यह ऐतिहासिक पहल है। यह कार्यक्रम राज्यों के सहयोग से चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत देश के प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने, संकल्प, वर्ष 2010 तक 6-14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी एवं स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल है। कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं—

- (i) बालिकाओं पर विशेषतः अनुसूचित जाति/जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं पर ध्यान,
- (ii) विद्यालय छोड़कर जा चुकी बालिकाओं को वापिस लाने हेतु अभियान चलाना,
- (iii) लड़कियों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें,
- (iv) बालिकाओं हेतु विशेष प्रशिक्षण (कोचिंग) और तैयारी-कक्षाओं का आयोजन और सीखने के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना,
- (v) शिक्षा के समान अवसर को बढ़ावा देने हेतु शिक्षक जागरूकता कार्यक्रम,
- (vi) बालिका शिक्षा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाओं पर विशेष ध्यान,
- (vii) 50 प्रतिशत महिला शिक्षकों की नियुक्ति।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी)

इस योजना का प्रमुख जोर बालिकाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति कामकाजी बच्चों, शहरी वंचित बच्चों, विकलांगों आदि की शिक्षा के लिए विशेष सहयोग उपलब्ध कराना है। बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए विशेष रणनीतियां हैं, तथापि इन समूहों को शामिल करने के लिए समेकित रूप में वास्तविक लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। एनआईपीए द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार डीपीईपी जिलों के स्कूलों में 60 प्रतिशत से अधिक बच्चे अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं।

महिला समाख्या (एमएस)

महिला समाख्या शैक्षिक पहुंच एवं उपलब्धि के क्षेत्र में लैंगिक अंतर का निराकरण करती है। इसमें महिलाओं (विशेषतः सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी एवं वंचित) को ऐसे सशक्तिकरण के योग्य बनाना शामिल है, ताकि वे अलग-थलग पड़ने और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं से जूझ सकें और दमनकारी सामाजिक रीति-रिवाजों के विरुद्ध खड़े होकर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर सकें।

प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल)

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) की वर्तमान योजना के अधीन एनपीईजीईएल प्राथमिक स्तर पर सहायताप्राप्ति से वंचित/पिछड़ी बालिकाओं हेतु अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराता है। यह कार्यक्रम शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े उन विकास खंडों में चलाया जा रहा है, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम है और लैंगिक भेदभाव राष्ट्रीय औसत से अधिक है। साथ ही यह कार्यक्रम ऐसे जिलों के विकास खंडों में भी चलाया जा रहा है, जहां कम से कम 5 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति/जनजाति की है और जहां अनुसूचित जाति/जनजाति महिला साक्षरता की दर 1991 के आधार पर राष्ट्रीय औसत से 10 प्रतिशत कम है।

शिक्षाकर्मी कार्यक्रम (एसकेपी)

एसकेपी का लक्ष्य बालिका शिक्षा पर प्रमुख रूप से ध्यान देने के अतिरिक्त राजस्थान के दूर-दराज के

अर्धशुष्क एवं सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रीकरण एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है। यह उल्लेखनीय है कि शिक्षाकर्मि स्कूलों में अधिकतर बच्चे अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के हैं।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं के साथ 750 विद्यालय खोले जा रहे हैं। यह योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े (ईबीबी) केवल ऐसे विकास खंडों में लागू की जाएगी, जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम और लैंगिक भेदभाव का स्तर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। ऐसे विकास खंडों में कम महिला साक्षरता वाले तथा/अथवा स्कूल न जाने वाली अधिकतर बालिकाओं वाले जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय खोले जाएंगे।

जनशिक्षण संस्थान (जेएसएस)

जेएसएस अथवा जनता की शिक्षा का संस्थान एक ऐसा बहुआयामी अथवा बहुमुखी वयस्क शिक्षा कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य लाभान्वित होने वाले लोगों के व्यावसायिक हुनर और निपुणता में सुधार लाना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सामाजिक आर्थिक-रूप से पिछड़े तथा शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों, विशेषकर नवसाक्षरों, अर्ध-शिक्षितों, अनुसूचित जाति/जनजातियों, महिलाओं तथा बालिकाओं, मलिन बस्ती निवासियों, प्रवासी श्रमिकों इत्यादि का शैक्षिक, व्यावसायिक विकास करना है।

साक्षरता अभियान का अन्य सामाजिक क्षेत्रों पर भी व्यापक असर हुआ है। इसने समाज में सामाजिक न्याय और समानता के कारणों को मजबूती प्रदान की है। इससे भारत की महान मिली जुली संस्कृति तथा विविधता में एकता के बोध के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मजबूती मिली है।

दोपहर भोजन योजना : दोपहर भोजन योजना एक सफल प्रेरणादायक कार्यक्रम है। इसमें देश के सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्राथमिक स्तर के बच्चों को शामिल किया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन और उपस्थिति है। इसके अलावा बच्चों में पोषण तत्वों की उपयुक्त मात्रा निश्चित करना है।

केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल)

केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर की एक योजना जनजातीय भाषाओं सहित आधुनिक भारतीय भाषाओं में अनुसंधान, इनमें निपुण व्यक्तियों का विकास तथा इस हेतु उन्नत पाठ्य सामग्री तैयार करना है। संस्थान ने 90 से अधिक जनजातीय भाषाओं के क्षेत्र में कार्य किया है।

केंद्रीय विद्यालय (केवी)

इसमें नए छात्रों के दाखिले में क्रमशः 15 प्रतिशत एवं 7.5 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षित हैं। इन वर्गों के छात्रों से 12वीं कक्षा तक किसी भी प्रकार का शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता।

सारणी 10.1 शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों पर योजना खर्च

क्षेत्र	पहली योजना खर्च	दूसरी योजना खर्च	तीसरी योजना खर्च	योजना अवकाश खर्च	चौथी योजना खर्च	पांचवीं योजना खर्च	छठी योजना खर्च	सातवीं योजना खर्च	खर्च 1990-92	आठवीं योजना खर्च	नौवीं योजना खर्च	दसवीं योजना खर्च	(प्रतिशत में)
	1951-56	1956-61	1961-66	1966-69	1969-74	1974-79	1980-85	1985-90	1992-97	1997-02	1997-02	2002-07	केंद्रीय क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
प्रारंभिक शिक्षा	58 (870)	35 (950)	34 (2010)	24 (750)	50 (3743)	52 (5913)	32 (8414)	37 (28494)	37 (17290)	48 (103940)	66 (163696)	65.7 (287500)	
माध्यमिक शिक्षा	5 (83)	19 (510)	18 (1030)	16 (530)	@	@	20 (5344)	24 (18315)	22 (10530)	24 (52311)	10 (26035)	10.5 (43250)	
व्यवस्थापक शिक्षा	-	-	-	-	2	2	6 (1533)	6 (4696)	9 (4160)	5 (11421)	3 (6304)	2.4 (12500)	
उच्च शिक्षा	8 (117)	18 (480)	15 (870)	24 (770)	25 (1883)	28 (3188)	21 (5604)	16 (12011)	12 (5880)	10 (20944)	10 (25000)	10.3 (41765)	
अन्य	15 (227)	10 (300)	12 (730)	11 (370)	13 (936)	9 (1071)	11 (2729)	3 (1980)	2 (1180)	3 (7398)	2 (4314)	1.6 (6235)	
तकनीकी शिक्षा	14 (215)	18 (490)	21 (1250)	25 (810)	10 (786)	9 (1015)	10 (2563)	14 (10833)	17 (8230)	10 (21987)	9 (23735)	9.5 (47000)	
योग	100 (1512)	100 (2730)	100 (5890)	100 (3230)	100 (7474)	100 (11435)	100 (26187)	100 (76329)	100 (47270)	100 (218001)	100 (249084)	100 (438250)	

स्रोत : पंचवर्षीय योजना दस्तावेज, योजना आयोग और बजट व्यय का विश्लेषण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

1. लघु कोष्ठक में दी गई संख्याएं दस लाख रुपये में हैं।

2. कॉलम 2 से 11 में दी गई संख्याओं में राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों का हिस्सा शामिल है।

@ प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत शामिल।

नवोदय विद्यालय (एनवी)

अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के पक्ष में आरक्षण संबंधित जिलों में उनकी आबादी के हिसाब से इस प्रकार दिया जाता है कि वह 22.5 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत (15 प्रतिशत अजा के लिए एवं 7.5 प्रतिशत अजजा के लिए) से किसी भी प्रकार कम न हो और अधिकतम दोनों वर्गों (अजा एवं अजजा) को मिलाकर 50 प्रतिशत से अधिक न हो। ये आरक्षण परस्पर परिवर्तनीय हैं तथा सामान्य दक्षता सूची से आने वाले छात्रों से अतिरिक्त हैं।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस)

एससी/एसटी छात्रों को शुल्क में छूट

माध्यमिक पाठ्यक्रमों के लिए एससी/एसटी छात्रों को प्रवेश शुल्क में 450 रुपये तक तथा उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रमों के लिए 525 रुपये तक प्रवेश शुल्क में छूट प्रदान की जाती है।

एससी/एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना

अनुसूचित जाति और जनजाति के उन मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनकी पहचान करने, उन्हें प्रोत्साहन देने और उनकी सहायता करने के विचार से 1992 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत स्थापित डा. अंबेडकर फाउंडेशन मेधावी छात्रों को डा. अंबेडकर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इसके तहत शिक्षा बोर्ड/काउंसिल द्वारा आयोजित नियमित कक्षा दसवीं स्तर की परीक्षा में सर्वाधिक अंक पाने वाले तीन छात्रों को नकद पुरस्कार दिया जाता है। यह एससी/एसटी के लिए अलग होगा। यदि इन तीन छात्रों में कोई लड़की नहीं होती तो सर्वाधिक अंक पाने वाली लड़की को विशेष पुरस्कार दिया जाता है। जब भी समाज कल्याण और न्याय मंत्रालय इस योजना के तहत नाम मांगता है तो एनआईओएस पात्र छात्रों के नाम भेजता है।

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए बोर्डिंग और छात्रावास सुविधाओं में वृद्धि करने की योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली एवं कमजोर वर्ग की किशोरियों को इन छात्रावासों में प्रवेश हेतु प्रेरित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को शत प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। इनमें शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। विशेष रूप से वहां, जहां अनुसूचित जाति/जनजातियों के लोगों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की बहुलता है।

माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभावान बच्चों को दी जाने वाली 43,000 छात्रवृत्तियों में से 13,000 छात्रवृत्तियां कुछ शर्तों पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)

एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं, अध्यापक निर्देशिकाओं, सहायक पठन सामग्री के विकास, पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन, व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी, परीक्षा सुधारों, सर्व शिक्षा अभियान को समर्थन, शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों की शिक्षा पर ध्यान देती है। एनसीईआरटी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में शोधस्तर तक शिक्षा हेतु और चिकित्सा और इंजीनियरी जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में द्वितीय-डिग्री स्तर तक की पढ़ाई हेतु कुछ शर्तों के पूरा करने पर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना का संचालन करती है। कुल 1000 छात्रवृत्तियों में से 150 छात्रवृत्तियां अनुसूचित जाति एवं 75 अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए)

अनुसूचित जाति और जनजाति का शैक्षिक विकास करना एनआईईपीए का एक प्रमुख कार्यक्षेत्र है। यह अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए चल रहे शैक्षिक कार्यक्रमों एवं योजनाओं का अध्ययन करता है। यह अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के शैक्षिक विकास और उनसे संबद्ध शैक्षिक संस्थाओं के लिए सामग्री भी तैयार करता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)

यूजीसी अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्गों के लिए आरक्षण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय के रूप में मान्य संस्थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति एकक की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। अभी इस आयोग ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत 113 विश्वविद्यालयों में अजा/अजजा एककों का गठन किया है। अजा/अजजा पर बनी स्थायी समिति विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्य पर नजर रखती है और उनकी समीक्षा करती है।

आरक्षण नीति के अंतर्गत आयोग ने केंद्र सरकार के अधीन सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सभी शिक्षण एवं गैर शिक्षण पदों में भर्ती, प्रवेश, छात्रावास इत्यादि में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। राज्यों के विश्वविद्यालय संबंधित राज्य द्वारा बनाई गई आरक्षण नीति का पालन करते हैं। आयोग भारत सरकार की आरक्षण नीति को लागू करने के लिए समय-समय पर दिशा निर्देश/नीति निर्देश/आदेश जारी करता रहता है। आरक्षणों के अलावा अजा/अजजा छात्रों के प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंकों में छूट दिए जाने का भी प्रावधान है। यूजीसी यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी स्नातकों, जिनमें अजा/अजजा स्नातक शामिल हैं, के पास सामान्य रूप से नौकरी क्षेत्र एवं विशेष रूप से स्वरोजगार करने के लिए आवश्यक ज्ञान, निपुणता एवं रुझान है। आयोग अजा/अजजा छात्रों को प्रतिविधि कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता देता है। यह यूजीसी/सीएसआईआर द्वारा आयोजित कराई जाने वाली राष्ट्रीय अर्हता परीक्षा (एनईटी) के लिए अजा/अजजा के छात्रों को योग्य बनाने के लिए वर्तमान कोचिंग केंद्रों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है। आयोग विस्तार (प्रसार) गतिविधियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति समेत समाज के सभी वर्गों को शामिल किया जाता है। सामाजिक समानता के कार्य में सहयोग देने और समाज के सुविधाओं से वंचित वर्ग की सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता बढ़ाने हेतु यूजीसी ने अवर स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रतिविधि कोचिंग योजना शुरू की है। योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं—(i) विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों की शैक्षिक निपुणता एवं भाषाई कुशलता को सुधारना, (ii) मूलभूत विषयों में समझ का स्तर बढ़ाना, ताकि उच्च शिक्षा के लिए एक सुदृढ़ आधार मिल सके, (iii) ऐसे छात्रों के ज्ञान, निपुणता एवं रुझान को ऐसे विषयों में बढ़ाना, जिनमें गुणात्मक प्रविधियां एवं प्रयोगशाला संबंधी कार्य किया जाता है, (iv) परीक्षाओं में ऐसे छात्रों का सकल प्रदर्शन सुधारना।

आयोग ने अनुसूचित जाति/जनजाति के योग्य छात्रों के लिए एक केंद्रीय डाटाबेस पूल तैयार किया है। वह विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक पदों के लिए निर्धारित आरक्षित पदों को भरने के लिए उनका नाम भी प्रस्तावित करता है तथा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों की समय-समय पर बैठकों का आयोजन कराता है। वर्तमान एककों के कार्यों की समीक्षा के लिए एक विशेष निगरानी एकक भी है।

सामुदायिक पॉलीटेकनीक

सामुदायिक पॉलीटेकनीक की योजना के अंतर्गत क्षेत्र विशेष में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके ग्रामीण/सामुदायिक विकास गतिविधियां चलाई जाती हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों/स्थानीय समुदायों को उनके उपयुक्त एवं अनुरूप प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए मंच उपलब्ध कराया जाता है। प्रशिक्षण देने में ग्रामीण युवकों, अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों, महिलाओं, स्कूल बीच ही में छोड़ चुके व्यक्तियों तथा अन्य वंचित वर्गों को वरीयता दी जाती है और आवश्यकतानुसार रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। सामुदायिक पॉलीटेकनीकों की योजना चुनिंदा डिप्लोमास्तरीय संस्थाओं में 1978-79 से लागू है। इसमें निपुणता-उन्मुख अनौपचारिक प्रशिक्षण, तकनीकी हस्तांतरण तथा प्रौद्योगिक समर्थन सेवाओं के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है।

इंजीनियरी कॉलेज

केंद्र सरकार द्वारा संचालित उच्च शिक्षा संस्थान, जिनमें आईआईटी, आईआईएम तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान शामिल हैं, में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को क्रमशः 15 प्रतिशत एवं 7.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण के अलावा इनमें अजा/अजजा छात्रों के लिए न्यूनतम अर्हता अंकों में भी छूट दिए जाने का प्रावधान है। छात्रावासों में भी सीटें आरक्षित हैं, तथापि राज्य सरकारों द्वारा संचालित संस्थाओं में संबंधित राज्य सरकारों की नीति के अनुसार आरक्षण दिया जाता है।

विशेष घटक योजना (एससीपी) तथा जनजातीय उप-योजना (टीएसपी)

प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभागों के आवंटित बजट में क्रमशः 16.20 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीपी) और जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के अंतर्गत आवंटित है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग ने वर्ष 2004-05 की वार्षिक योजना के 2225 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय में से एससीपी और टीएसपी के लिए क्रमशः 333.75 करोड़ रुपये एवं 166.88 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने वर्ष 2004-05 की वार्षिक योजना के लिए 6000 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय में से एससीपी और टीएसपी के लिए क्रमशः 900 करोड़ रुपये एवं 450 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

साक्षरता दर

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की वयस्क साक्षरता योजनाएं देश के लगभग सभी जिलों में लागू की जा रही हैं। अल्प महिला साक्षरता वाले जिलों (45) में जिला साक्षरता समितियों, गैर सरकारी संगठनों, महिला स्वयंसेवी अध्यापकों तथा पंचायतीराज कर्मियों के माध्यम से केंद्रीकृत प्रयास के रूप में विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं। आजीवन चलने वाले शिक्षा अवसरों के प्रावधान, व्यावसायिक निपुणता प्रदान करने तथा देश के 272 जिलों में चल रहे सतत शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से नव साक्षरों के लिए आय में वृद्धि पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

अनुसूचित जाति और जनजाति की साक्षरता में प्राप्त उपलब्धियां भी वर्ष 1991 की जनगणना के आंकड़ों, अर्थात् 37.41 प्रतिशत एवं 29.41 प्रतिशत की तुलना में उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में महिला साक्षरता की दर भी पुरुष साक्षरता दर की तुलना में कहीं अधिक है।

स्कूलों में गुणवत्ता सुधार

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 'स्कूलों में गुणवत्ता सुधार' की केंद्र द्वारा प्रायोजित एक ऐसी मिलीजुली योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया, जिसमें निम्नलिखित घटकों को भी शामिल किया गया था—

- (i) राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना,
- (ii) स्कूली शिक्षा को पर्यावरणोन्मुखी बनाना,
- (iii) स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार करना,
- (iv) स्कूलों में योग शिक्षा को बढ़ावा देना,
- (v) अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड।

राज्यों को स्थानांतरित स्कूलों में, विज्ञान शिक्षा के सुधारों को छोड़कर अप्रैल, 2006 से उपर्युक्त चारों घटकों को एनसीईआरटी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 115 करोड़ रुपये का योजना खर्च रखा गया है। 2006-07 में इसके लिए 7 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया जिसमें चार भाग एनसीईआरटी को स्थानांतरित किए गए हैं।

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना देश की जनसंख्या और विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्कूली शिक्षा और अध्यापक शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा को शामिल करने के उद्देश्य से अप्रैल 1980 में शुरू की गई। 2002 तक यह पूरी तरह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या फंड (यूएनएफपीए) से एक बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना के रूप में लागू की जा रही थी। यह परियोजना विश्वविद्यालय शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र में भी चलाई जा रही थी। परियोजना की उपलब्धियों और महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने इसे दसवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने का निर्णय लिया है जिसमें स्कूली पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा को पुनः परिकल्पित ढांचे के साथ और केंद्रित उद्देश्यों के साथ एकीकृत किया जाएगा।

इससे अधिक, यूएनएफपीए ने 2004 से किशोर प्रजनन और सेक्सुअल हेल्थ (एआरएसएच) पर केंद्रित एक सहगामी परियोजना की सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके लिए 2004-2007 की अवधि के लिए 7.29 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। 2006-07 के दौरान, एनपीईपी किशोर शिक्षा कार्यक्रम के एक अभिन्न भाग के रूप में लागू किया गया था जिसे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के सहयोग से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2005 में शुरू किया गया।

स्कूली शिक्षा को पर्यावरणोन्मुखी बनाना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 में यह व्यवस्था की गई है कि पर्यावरण संरक्षण एक ऐसा विषय है जो अन्य मानकों के साथ शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनना चाहिए। इस पुनीत लक्ष्य को कार्यरूप दिए जाने के लिए छात्रों के मन एवं प्रतिभा को प्रकृति का पर्यावरण संतुलन बिगाड़ने वाले तत्वों के खतरों के प्रति संवेदनशील बनाना आवश्यक होगा। इस चरण के अंतर्गत छात्रों को पर्यावरण-संख्या से संबंधित मूलभूत अवधारणाओं के प्रति जागरूक बनाना एवं उन्हें उनका सम्मान करना सिखाया जाएगा।

इस हेतु वर्ष 1988-89 में केंद्र द्वारा प्रायोजित 'स्कूली शिक्षा को पर्यावरणोन्मुख बनाने' की योजना शुरू की गई। इस योजना में स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों को स्कूलों के शैक्षिक कार्यक्रमों से जोड़ने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रायोगिक एवं परीक्षात्मक कार्यक्रम चलाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता देने का प्रावधान है। वर्ष 2006-07 के दौरान पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में प्रायोगिक एवं परीक्षात्मक परियोजनाएं चलाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को 90 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रावधानों के अनुसार विज्ञान शिक्षा के स्तर में सुधार लाने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना 'स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार' वर्ष 1987-88 में प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। जहां स्वयंसेवी संस्थानों को यह सहायता प्रयोगात्मक एवं परीक्षात्मक कार्यक्रमों के लिए मिली, वहीं केंद्रशासित प्रदेशों/राज्य सरकारों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान उपकरण किट मुहैया कराने, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशालाओं की स्थापना/वर्तमान प्रयोगशालाओं का उच्चीकरण करने, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय सुविधाएं मुहैया कराने तथा विज्ञान और गणित के अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यों हेतु यह सहायता प्रदान की गई।

इस योजना का एक महत्वपूर्ण अंग भारतीय छात्रों को स्कूल स्तर पर आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाडों अर्थात: अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड (1989 से), अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड (1998 से), अंतर्राष्ट्रीय रसायनिकी ओलंपियाड (1999 से) तथा अंतर्राष्ट्रीय जीवविज्ञान ओलंपियाड (2000 से) में भागीदारी करना है।

स्कूलों में योग शिक्षा की शुरुआत

स्कूलों में योग की शुरुआत 1989-90 के दौरान एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए की गई। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण और शोध के लिए वित्तीय सहायता, पुस्तकालयों को अद्यतन बनाने और योग शिक्षकों के लिए छात्रावासों का निर्माण/विस्तार करना है। यह योजना राज्यों/कें.शा.प्र. के संबंधित शिक्षा विभागों के माध्यम से लागू की जा रही है। अप्रैल 2007 से इसे एनसीईआरटी को दे दिया गया। एनसीईआरटी ने इस योजना की नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क 2005 के नजरिए से समीक्षा करने की पहल की है।

2006-07 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता (योजना और गैर-दोनों) प्रदान की गई। प्रशिक्षण और पुस्तकालय संबंधी गतिविधियों को संचालित करने के लिए एजेंसी को गैर-योजना के रूप में 65 लाख की तथा 13 एजेंसियों को 26,38,000 रुपये की सहायता प्रदान की गई।

अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड

गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव-विज्ञान विषयों की प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान ओलंपियाड, अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड और अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है। भारत इन ओलंपियाड

में क्रमशः 1989, 1998, 1999 और 2000 से भाग ले रहा है। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रत्येक देश को अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड के लिए 6 सेकेंड्री विद्यार्थी, भौतिकी ओलंपियाड के लिए 5, रसायन शास्त्र ओलंपियाड के लिए 4 और जीव विज्ञान ओलंपियाड के लिए 6 विद्यार्थी भेजने होते हैं। इनके साथ एक दल का नेता और एक उप नेता भी होता है। वर्ष 2002 से भारतीय विद्यार्थियों की टीम अंतर्राष्ट्रीय इंफार्मेटिक्स ओलंपियाड में भी भाग ले रही है।

मौजूदा वित्तीय प्रबंध के तहत ओलंपियाड आयोजित करने वाले देश को प्रतियोगिता में शामिल होने वाली टीमों के ठहरने, खाने-पीने और स्थानीय यातायात का व्यय वहन करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का खर्च प्रतियोगिता में भाग लेने वाले देश को वहन करना पड़ता है। पिछले ओलंपियाड में भारतीय टीम का खर्च संयुक्त रूप से माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग और एनबीएचएम/होमी भाभा विज्ञान केंद्र (एचबीसीएसई/विज्ञान शिक्षा संघ बंगलौर) बीएसई/भारतीय संगणना विज्ञान अनुसंधान संघ (आईएआरसीएस) और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएससी) ने प्रायोजित किया था। अंतर्राष्ट्रीय आवागमन व्यय माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग वहन करता है तथा विद्यार्थियों के चयन, आंतरिक यातायात और अन्य आकस्मिक खर्च एनबीएचएम/एचबीसीएसई/आईएआरसी द्वारा वहन किया जाता है।

2005 में ताइवान के ताइपेई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड (आईसीएच.ओ-2005) में भारतीय टीम ने तीन रजत और एक कांस्य पदक जीता था। जुलाई 2005 में स्पेन के सलवांसा में आयोजित आईपीएचओ-2005 में भारतीय टीम को दो स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक प्राप्त हुए थे। चीन के बीजिंग में आयोजित आईबीओ 2005 में भारतीय टीम ने एक स्वर्ण और तीन कांस्य पदक जीते। जुलाई, 2005 में मैक्सिको के मेरिडा में आयोजित आईएमओ 2005 में भारतीय टीम को एक रजत, एक कांस्य पदक प्राप्त हुआ था तथा तीन में उन्हें उल्लेखनीय सम्मान मिले। भारत ने अगस्त, 2005 में पोलैंड के नॉवे सेज में आयोजित (आईओआई-2005) में भी हिस्सा लिया।

नवोदय विद्यालय समिति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में देश के हर जिले में एक मॉडल (आदर्श) विद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया था। तदनुसार एक योजना बनाई गई, जिसके अंतर्गत सहशिक्षा आवासीय विद्यालय (अब जवाहर नवोदय विद्यालय) खोलने का निर्णय लिया गया।

नवोदय विद्यालय माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करने वाले पूर्ण आवासीय सह-शिक्षा विद्यालय हैं। वर्ष 1985-86 में मात्र दो विद्यालयों के साथ प्रायोगिक रूप से शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत देश के 34 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में अब तक (31 मार्च, 2007 तक) इनकी संख्या बढ़कर 565 हो चुकी है और 31 मार्च 2007 तक इन विद्यालयों में एक लाख 93 हजार छात्र पढ़ रहे थे। प्रतिवर्ष 30,000 से अधिक छात्र इन विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं। इन विद्यालयों में मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे प्रतिभावान, प्रखर एवं मेधावी छात्रों का चयन (पहचान) कर विकास करने का प्रावधान है, जिन्हें इन विद्यालयों के अभाव में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों से वंचित रहना पड़ता। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं कि प्रवेश पाने वाले छात्रों में कम से कम एक तिहाई (33 प्रतिशत) बालिकाएं हों।

छात्रों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर शिक्षा लेना (शैक्षिक प्रवास) नवोदय विद्यालयों की एक विशिष्टता है। इसके अंतर्गत देश के हिंदीभाषी क्षेत्र में स्थित किसी एक नवोदय विद्यालय की नौवीं कक्षा

में पढ़ रहे छात्रों के 30 प्रतिशत विद्यार्थी किसी अहिंदीभाषी क्षेत्र के विद्यालय में एक सत्र की पढ़ाई करते हैं। इसी तरह अहिंदीभाषी स्कूल के छात्र हिंदी भाषी इलाके के विद्यालय में जाकर एक सत्र तक पढ़ते हैं। इस योजना का उद्देश्य देश के नागरिकों की भाषा एवं संस्कृति की विविधता एवं बहुलता की समझ के माध्यम से राष्ट्रीय अखंडता (एकता) को बढ़ावा देना है।

केंद्रीय विद्यालय संगठन

केंद्र सरकार ने द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर 1962 में 'केंद्रीय विद्यालय संगठन' की योजना को मंजूरी दी। शुरू में विभिन्न राज्यों में स्थित 20 सेना रेजिमेंटों के 20 स्कूलों का सेंट्रल स्कूलों के रूप में अधिग्रहण किया गया था। 1965 में केंद्रीय विद्यालय संगठन के रूप में एक स्वायत्तशासी निकाय का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था रक्षाकर्मियों एवं अर्ध सैनिक बलों के कर्मचारियों सहित अखिल भारतीय सेवाओं और देश भर में स्थानांतरित होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों की एक समान शिक्षा की आवश्यकता पूरी करने के लिए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना करना और उसके काम पर नजर रखना। इस समय (17 जून 2005 तक) देश में 931 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें से तीन विदेश (अर्थात काठमांडू, मास्को एवं तेहरान) में स्थित हैं। सभी केंद्रीय विद्यालयों में एक जैसे पाठ्यक्रम हैं।

विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा

केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना वर्ष 1974 में समाज कल्याण विभाग की ओर से शुरू की गई थी। बाद में 1982-83 में यह योजना शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई। यह योजना अंतिम बार 1992 में संशोधित की गई थी। यह योजना विकलांग बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराती है ताकि वे सामान्य स्कूलों में टिक कर अध्ययन करते हुए अपने आप को योग्य बना सकें।

आईईडीसी के तहत सामान्य स्कूलों में बहुत कम विकलांगता वाले बच्चों को शत प्रतिशत शिक्षा सहायता प्रदान की जाती है। जिन रूपों में शिक्षा सहायता उपलब्ध करायी जाती है वे इस प्रकार हैं : सहयोगी उपकरण, विशेष अध्यापकों के लिए वेतन और विकलांग छात्रों के लिए अनुदान शामिल हैं।

2005 के अंत तक 85 हजार स्कूलों के दो लाख विकलांग विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिला। दसवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कुल 200 करोड़ का बजट रखा गया है तथा 2005-06 में इस योजना के लिए 45 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और विकास परिषद् (एनसीईआरटी)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और विकास परिषद् (एनसीईआरटी) स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था है। एनसीईआरटी के घोषणा पत्र में स्कूली पाठ्यक्रम तैयार करने के कार्य को विशेष स्थान दिया गया है। एनसीईआरटी से यह अपेक्षा रहती है कि वह शिक्षा का सर्वोच्च स्तर बनाए रखने के लिए और इसे सुनिश्चित करने हेतु स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा नियमित रूप से समय-समय पर करता रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986 और कार्य योजना (पीओए) 1992 ने एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा बनाने और उसे प्रोत्साहन देने हेतु एनसीईआरटी को विशेष भूमिका प्रदान की है। एनपीई इस तरह के ढांचे को भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित कुछ प्रमुख मानदंडों एवं परिवर्तनकारी लक्षणों को पूरा करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने के साधन के रूप में देखता है।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा (एनसीएफ) 2005 व्यापक विचार विमर्श एवं परिश्रम का परिणाम था। इस हेतु लब्धप्रतिष्ठ वैज्ञानिक प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया था। समिति के 35 सदस्यों में विभिन्न विषयों के विद्वान, प्रधानाचार्य एवं अध्यापक, जाने माने गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि तथा एनसीईआरटी के सदस्य शामिल थे। पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय विषयों तथा व्यवस्थित विषयों को देखने वाले 21 राष्ट्रीय फोकस ग्रुपों ने इसके कार्यों का समर्थन किया था। इस विषय पर पूरे देश में व्यापक विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा एनसीईआरटी ने ग्रामीण अध्यापकों, राज्यों के शिक्षा सचिवों तथा निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ विचार-विमर्श किया। अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर तथा शिलांग के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित किए गए।

भाषाओं का विकास

भाषाएं परस्पर संवाद एवं शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं कार्ययोजना में इनके विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः हिंदी और संविधान में अधिसूचित विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

हिंदी

अहिंदीभाषी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में त्रिभाषा फार्मुले के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता देने के लिए केंद्र प्रायोजित एक योजना के अंतर्गत इन अहिंदीभाषी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में हिंदी शिक्षण के लिए अध्यापक नियुक्त करने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। गैर सरकारी संस्थाओं को भी हिंदी शिक्षण कक्षाएं चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। अहिंदीभाषी छात्रों को हिंदी पढ़ाने के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान के माध्यम से सरकार परिष्कृत तरीकों के विकास को बढ़ावा देती है। संस्थान विदेशी नागरिकों को हिंदी पढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष नियमित आधार पर एक विशेष पाठ्यक्रम चलाता है।

केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा हिंदीभाषी राज्यों एवं विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में निःशुल्क वितरण के लिए पुस्तकों की खरीद एवं प्रकाशन संबंधी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यह हिंदी के विकास एवं संवर्धन में लगे गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली आयोग (नई दिल्ली) हिंदी एवं अन्य भाषाओं के विभिन्न विषयों के पारिभाषिक शब्दकोशों एवं शब्दावलियों का निर्माण एवं प्रकाशन करता है।

आधुनिक भारतीय भाषाएं

आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास करने के लिए भाषाई, साक्षरता, वैचारिक, सामाजिक, नृशास्त्रीय एवं सांस्कृतिक विषयों पर मौलिक लेखन, पुरानी पांडुलिपियों के समालोचनात्मक संस्करणों-विश्वकोशों, शब्दकोशों, ज्ञानवर्धक पुस्तकों के प्रकाशन हेतु स्वयंसेवी संगठनों एवं व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों को क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद (एनसीपीयूएल) एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में 1996 से उर्दू एवं अरबी तथा फारसी भाषा के संवर्धन के लिए कार्य कर रही है।

उर्दूभाषी जनसंख्या को उत्पादक मानव संसाधन के रूप में बदलना तथा वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के युग का एक अंग बनाना और अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को प्रवेश दिलवाना एन.सी.पी.यू.एल. के कार्यों का एक उल्लेखनीय अंग है। सरकार ने सिंधी भाषा के विकास हेतु भी एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है।

सरकार सभी भारतीय भाषाओं के अध्ययन हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस हेतु मैसूर स्थित केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल) द्वारा भाषा विश्लेषण, भाषा शिक्षा शास्त्र, भाषा प्रौद्योगिकी एवं प्रयोग के क्षेत्रों में शोध किया जाता है। त्रिभाषा सूत्र को लागू करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरा करने हेतु यह संस्थान क्षेत्रीय भाषा केंद्रों का संचालन करता है। क्षेत्रीय भाषा केंद्र विभिन्न स्तरों पर विभिन्न भारतीय भाषाओं में मातृभाषा अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण भी देते हैं।

अंग्रेजी तथा विभिन्न विदेशी भाषाएं

हैदराबाद स्थित केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान (सीआईईएफएल) इस मंत्रालय के अधीन विश्वविद्यालय के समकक्ष उच्च शिक्षा देने वाला एक ऐसा स्वायत्तशासी निकाय है, जहां माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता में सुधार लाने के लिए अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यह अंग्रेजी शिक्षण में स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा जैसे कई पाठ्यक्रम और दूरवर्ती शिक्षा (एवं पत्राचार) के माध्यम से शोध पाठ्यक्रम चलाता है। यह अरबी, जर्मन, जापानी, रूसी, स्पेनिश आदि कई प्रमुख विदेशी भाषाओं के शिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाता है। शिलांग और लखनऊ में इसके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हैं। यह देश में अंग्रेजी शिक्षण/अध्ययन के क्षेत्र में आधारभूत सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार की दो योजनाओं—अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान (ईएलटीआई) तथा (डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स फार इंग्लिश) को भी लागू करता है और इसके लिए सीआईईएफएल द्वारा राज्य सरकारों को अनुदान भी दिया जाता है।

शिक्षा में सांस्कृतिक एवं मूल्य पक्ष को मजबूत बनाना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में संशोधित) तथा कार्ययोजना 1992 में सामाजिक एवं चारित्रिक मूल्यों का विकास करने के लिए शिक्षा को एक प्रभावपूर्ण उपकरण बनाने की आवश्यकता को उजागर करके मूल्य-आधारित शिक्षा पर पर्याप्त जोर दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य पूरे करने के उद्देश्यों से शिक्षा में सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों का सर्वधन करने के लिए सहायता देने की एक केंद्रीय योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रौद्योगिक एवं प्रबंधन शिक्षा सहित पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रणाली से उच्च शिक्षा स्तर तक सांस्कृतिक एवं नैतिक (चारित्रिक) शिक्षा के उन्नयन हेतु सरकारी और गैर सरकारी विभागों, पंचायतीराज संस्थाओं को शत प्रतिशत अनुदान सहायता दी जाती है और इस सहायता की सीमा 10 लाख रुपये है।

संस्कृत विभाग

संस्कृत ने सभी भारतीय भाषाओं के विकास एवं देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में एक जीवंत भूमिका निभाई है। भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से (क) निर्धनता की स्थिति में जी रहे लब्धप्रतिष्ठ संस्कृत विद्वानों की सहायता, (ख) संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण करने, (ग)

उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत शिक्षण हेतु सुविधा प्रदान करने, (घ) उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ रहे छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने, (ङ) संस्कृत को प्रोत्साहित करने की विभिन्न योजनाएं लागू करने, तथा (च) स्कूलों, संस्कृत महाविद्यालयों/विद्यापीठों को संस्कृत पढ़ाने के तरीकों में सुधार लाने हेतु शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में इस योजना में संशोधन किया जा रहा है।

संस्कृत, पाली, अरबी तथा फारसी भाषा के लब्धप्रतिष्ठत विद्वानों को इन भाषाओं के संवर्धन करने के क्षेत्र में जीवन भर किए गए उनके श्रम एवं योगदान को मान्यता देते हुए प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर *राष्ट्रपति पुरस्कार एवं मानपत्र* से सम्मानित किया जाता है। तीस से चालीस वर्ष के आयु वर्ग के उन युवा विद्वानों को, जिन्होंने संस्कृत अथवा प्राचीन भारतीय मनीषा को आधुनिकता एवं परंपरा के समन्वयन की प्रक्रिया से जोड़ने के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की हो, के लिए महर्षि बादरायण व्यास सम्मान भी प्रारंभ किया गया है।

महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान (उज्जैन) एक स्वायत्तशासी निकाय है जो (क) वैदिक अध्ययनों की वाचिक परंपरा को नष्ट होने से बचाने, संरक्षण एवं विकास, (ख) पाठशालाओं के साथ-साथ अन्य माध्यमों एवं संस्थाओं से वेदों के अध्ययन, (ग) शोध सुविधाओं के निर्माण एवं संवर्धन, (घ) सूचनाओं के संग्रहण तथा इनके अनुरूप जानकारी के एकत्रीकरण हेतु आधारभूत ढांचे तथा अन्य लाभकारी परिस्थितियों के निर्माण को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (नई दिल्ली) भारत सरकार द्वारा 1970 में स्थापित एक स्वायत्तशासी संस्थान है। यह देश में संस्कृत शिक्षा के प्रसार, संवर्धन एवं विकास में संलग्न प्रमुख एजेंसी है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसे शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। इस संस्थान को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है।

राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (तिरुपति) में इंटरमीडिएट से लेकर विद्यावारिधी (पीएच.डी.) तक के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। विद्यापीठ ने अपने भाषा-शिक्षण विभाग को उच्चकृत करके उसे आधुनिक शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईएसई) बना दिया है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (नई दिल्ली) में शास्त्री से विद्यावाचस्पति (डी.लिट.) स्तर तक के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। वर्ष 1997-98 से विद्यापीठ ने वैदिक एवं रिक्रेशर पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है। ये उपाधियाँ—विद्यावारिधी (पीएच.डी.) तथा मानद उपाधि (मानद डी.लिट.) भी संस्थान द्वारा प्रदान की जाती हैं।

छात्रवृत्तियाँ

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से 'राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना' नाम से केंद्र द्वारा एक प्रायोजित योजना चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के कक्षा 9 और 10 के प्रतिभावान छात्रों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों सहित राज्य योग्यता सूची में शामिल प्रतिभाशाली छात्रों को 10वीं कक्षा के बाद स्नातकोत्तर स्तर तक के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्तियों की राशि पाठ्यक्रम के अनुसार 250 रुपये से 750 रुपये तक है। अहिंदीभाषी राज्यों के छात्रों के लिए हिंदी में 10वीं कक्षा के बाद से स्नातकोत्तर स्तर तक अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की दर 300 रुपये से 1000 रुपये प्रतिमाह है।

भारत सरकार विभिन्न सांस्कृतिक/शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अंतर्गत विदेशी सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विदेशों में स्नातकोत्तर/शोध/शोध पश्चात अध्ययनों के लिए भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इन प्रस्तावों के लिए आवेदन पत्र मंगाते समय इन प्रस्तावों के विवरण और शर्तों का प्रकाशन सभी प्रमुख समाचार पत्रों में किया जाता है तथा ये विभाग की वेबसाइट www.education.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। विदेशी सरकारों द्वारा दी जाने वाली धनराशि एवं सुविधाएं प्रत्येक देश के लिए समय-समय पर बदलती रहती हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में शैक्षिक विकास

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उच्च साक्षरता दर वाले समृद्ध जातीय सांस्कृतिक विरासत और भाषाई विभिन्नता वाले आठ राज्य आते हैं। तथापि पूरे क्षेत्र में शिक्षा के आधारभूत ढांचे और सुविधाओं का अभाव है और इस क्षेत्र में दी जा रही शिक्षा के स्तर को सुधारने की आवश्यकता है। पूर्वोत्तर राज्यों को अपनी आधारभूत सुविधाओं में सुधार लाने के लिए समाप्त न होने वाले संसाधनों के केंद्रीय पूल (एनएलसीपीआर) से अनुदान सहायता दी जाती है। एनएलसीपीआर को लागू करने वाली उच्चाधिकार समिति ने 1998-99 में अपनी स्थापना के बाद से पूर्वोत्तर क्षेत्र में शैक्षिक आधारभूत ढांचे के विकास हेतु 480.68 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। 30 नवंबर, 2005 तक 392.81 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। इसमें से वर्ष 2005-06 में 14.84 करोड़ रुपये जारी किए गए।

केंद्रीय क्षेत्र में आने वाले प्रस्ताव मुख्यतः केंद्रीय संस्थानों के आधारभूत ढांचे के विकास, अर्थात् पूर्वोत्तर में पांच केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिनमें कर्मचारी आवासों, शैक्षणिक भवनों, पुस्तकालय भवनों, प्रशासनिक भवनों के निर्माण तथा प्रयोगशालाओं हेतु उपकरणों और पुस्तकों की खरीद इत्यादि से संबंधित हैं। ये परियोजनाएं विभिन्न चरणों में लागू की जा रही हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में महत्वपूर्ण केंद्रीय संस्थान इस प्रकार हैं : आईआईटी, गुवाहाटी; एनईआरआईएसटी, ईटानगर; एनआईटी, सिलचर; इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र, असम, तेजपुर, मिजोरम, नगालैंड और एनईएचयू के केंद्रीय विश्वविद्यालय। एनएलसीपीआर के अंतर्गत जारी किए गए आवंटनों के अलावा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग ने वर्ष 2003-04 के दौरान अपने बजट से एनएलसीपीआर के अंतर्गत दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के मद के अधीन असम विश्वविद्यालय, तेजपुर; एनईएचयू तथा जेएनयू (एनईआर छात्रों के छात्रावास हेतु) में आधारभूत संरचनाएं तैयार करने की परियोजनाओं के लिए 40.42 करोड़ रुपये जारी किए।

बजट अनुमान 2005-06 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में माध्यमिक और उच्च शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता के लिए क्रमशः 261.05 करोड़ और 1053 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इनमें से जनवरी 2006 तक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग तथा प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए क्रमशः 187.57 करोड़ और 501.60 करोड़ रुपये का व्यय प्रभावित किया जा चुका है।

केंद्रीय विद्यालय संगठन पूर्वोत्तर क्षेत्र में 86 विद्यालयों का संचालन कर रहा है।

नवोदय विद्यालय समिति पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के प्रत्येक जिले (78) में से प्रत्येक में एक नवोदय विद्यालय खोलने के अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास कर रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 76 जनवि स्वीकृत हो चुका है।

वर्ष 2003-04 के दौरान माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग पूर्वोत्तर राज्यों में अपने संशोधित बजट अनुमानों का 10 प्रतिशत से अधिक खर्च करने में सफल रहा।

विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा

भारत में विश्वविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओं में 20 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 215 राज्य विश्वविद्यालय, 100 समकक्ष विश्वविद्यालय, राज्य अधिनियम के अंतर्गत गठित 5 संस्थाएं तथा 13 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान शामिल हैं। ये संस्थान 1800 महिला महाविद्यालयों सहित 17000 महाविद्यालयों के अतिरिक्त हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 28 दिसंबर, 1953 को अस्तित्व में आया। संसद के एक अधिनियम द्वारा 1956 में इसे एक वैधानिक निकाय बना दिया गया। यह विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु समन्वय, मानदंडों के निर्धारण और अनुरक्षण करने वाली राष्ट्रीय संस्था है। यह केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के बीच समन्वयक संस्था के रूप में कार्य करता है। यह उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों पर इन सरकारों और संस्थाओं की परामर्शदात्री संस्था के रूप में भी कार्य करता है।

यूजीसी अधिनियम के खंड 12 में यह प्रावधान है कि आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्द्धन और समन्वयन हेतु तथा शिक्षण, परीक्षा एवं शोधन के क्षेत्र में संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ विचार विमर्श करके जो कार्यवाही उचित समझे, कर सकता है। शिक्षण और अनुसंधान के साथ प्रसार को आयोग द्वारा शिक्षा के तीसरे आयाम के रूप में जोड़ा गया था। अपने कार्य को चलाने के उद्देश्य से आयोग अपने कोष से महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को रखरखाव एवं विकास हेतु अनुदान आवंटन एवं वितरण करने, विश्वविद्यालय शिक्षा उन्नयन हेतु आवश्यक उपायों के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षा के संस्थानों को परामर्श देने और अधिनियम के अनुरूप नियम एवं प्रक्रिया निर्धारण करने का कार्य कर सकता है।

आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा भारत सरकार द्वारा नियुक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। सचिव इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं।

आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी तथा बंगलुरु में हैं। अभी तक गाजियाबाद में स्थित उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय अब यूजीसी मुख्यालय से उत्तर क्षेत्रीय महाविद्यालय ब्यूरो (एनआरसीबी) के रूप में कार्य कर रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ नए कदम उठाए हैं। जिनमें, उद्यमशीलता और ज्ञान आधारित उद्यमों को बढ़ावा देना, बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण, भारतीय उच्च शिक्षा का संवर्द्धन, विदेशों में शिक्षा प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण और विकास तथा व्यापक कंप्यूटरीकरण संबंधी उपाय शामिल हैं।

स्वायत्तशासी अनुसंधान संस्थान

वर्ष 1972 में गठित भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् (आईसीएचआर) ऐतिहासिक शोध कार्यों की समीक्षा करती है और इतिहास के वैज्ञानिक लेखन को बढ़ावा देती है। नई दिल्ली स्थित यह परिषद् शोध परियोजनाओं का संचालन, निजी शोधार्थियों द्वारा किए जा रहे शोध कार्यों को वित्तीय सहायता देना, फेलोशिप प्रदान करना, पुस्तक प्रकाशन एवं अनुवाद कार्य आदि का कार्य करती है।

भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् (आईसीपीआर) अपने लखनऊ और नई दिल्ली स्थित कार्यालयों से वर्ष 1977 से कार्यरत है और दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यक्रमों और परियोजनाओं

की प्रगति की समीक्षा, उनका प्रायोजन और उनमें सहायता करने के साथ ही दर्शनशास्त्र और इससे संबद्ध विषयों में शोध हेतु निजी शोधार्थियों एवं संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

भारतीय उच्चतर अनुसंधान परिषद् (आईआईएस) की स्थापना 1965 में शिमला में हुई थी। यह मानविकी, समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतर शोध के लिए आवासीय सुविधायुक्त केंद्र है। यह ज्ञान के क्षेत्र से संलग्न विद्वानों का ऐसा समूह है, जो समकालीन प्रासंगिक प्रश्नों के वैचारिक विकास और उसके अंतरविषयी दृष्टिकोण पर दृष्टि रखते हैं।

नई दिल्ली स्थित भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आईसीएसएसआर) एक स्वायत्तशासी निकाय है जो सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के उन्नयन और समन्वयन का कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य समाज विज्ञान में शोध (अनुसंधान) की प्रगति की समीक्षा करना, सरकार या अन्य संगठनों/व्यक्तियों को शोध संबंधी परामर्श देना, शोध कार्यक्रमों का प्रायोजन और समाज विज्ञान में अनुसंधान हेतु संस्थाओं और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद् (एनसीआरआई) की स्थापना 1995 में केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित स्वायत्तशासी संगठन के रूप में की गई थी। इसका कार्य महात्मा गांधी के क्रांतिकारी विचारों के अनुरूप ग्रामीण उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना, गांधीवादी दर्शन के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों और स्वायत्त एजेंसियों को सामाजिक एवं ग्रामीण विकास के उपकरण के रूप में बढ़ावा देना है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सितंबर, 1985 में हुई थी। इसका दायित्व देश की शिक्षा व्यवस्था में मुक्त विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देना एवं सुदूर शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने के साथ ही ऐसी प्रणाली में समन्वयन और मानकों का निर्धारण करना है। विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य जनसंख्या के एक बड़े भाग तक उच्च शिक्षा की पहुंच का विस्तार करना, सतत शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित करना और विशेष लक्षित समूहों, जैसे—महिलाओं, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों तथा पूर्वोत्तर और उड़ीसा के पिछड़े जिलों जैसे पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों, मुख्यतः अनुसूचित जाति एवं जनजातीय बहुल क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के विशेष कार्यक्रम प्रारंभ करना है।

इग्नू तृतीयक शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु एक परीक्षणात्मक प्रणाली चलाता है। वह प्रणाली शिक्षा के तौर तरीकों तथा गति पाठ्यक्रमों को जोड़ने, पंजीकरण हेतु योग्यता प्रवेश की आयु और मूल्यांकन के तौर तरीकों के मामले में लचीली और खुली है। विश्वविद्यालय ने एकीकृत बहुमाध्यमी (मल्टीमीडिया) निर्देशन रणनीति अपनाई है, जिसमें प्रकाशित सामग्री, श्रव्य दृश्य पाठ्य सहायक सामग्री, शैक्षिक रेडियो तथा टेलीविजन, टेली कांफ्रेंसिंग और वीडियो कांफ्रेंसिंग शामिल हैं। यह देशभर में फैले अध्ययन केंद्रों के नेटवर्क के आगने सामने के परामर्श के माध्यम से होती है। यह समयबद्ध निरंतर मूल्यांकन के साथ-साथ सत्र के अंत में परीक्षाओं का आयोजन भी करता है।

इग्नू ने अपने कार्यक्रम 1987 में प्रारंभ किए और अभी तक 117 कार्यक्रम चलाए हैं, जिनमें पीएच.डी., स्नातकोत्तर, उच्चतर/स्नातकोत्तर डिप्लोमा, डिप्लोमा कार्यक्रम तथा प्रमाण पत्र कार्यक्रम जैसे 900 कार्यक्रम शामिल हैं। वर्ष 2005 के दौरान 4.60 लाख से अधिक छात्रों का पंजीकरण विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों में किया गया।

विश्वविद्यालय ने देश के विभिन्न भागों में 60 क्षेत्रीय केंद्र, 7 उपक्षेत्रीय केंद्र एवं 1298 अध्ययन केंद्रों वाला एक व्यापक छात्र सहायता सेवाओं का नेटवर्क स्थापित किया है। इग्नू ने महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 269 अध्ययन केंद्रों की स्थापना की है। इग्नू ने 26 जनवरी, 2001 को एक शैक्षिक चैनल *ज्ञानदर्शन* की शुरुआत की थी, जो अब 24 घंटे का चैनल है तथा छह लगातार प्रसारण करने की इसकी क्षमता है। इग्नू ने नवंबर, 2001 में छात्रों को अतिरिक्त सुविधाएं देने के लिए एफ.एम. रेडियो नेटवर्क शुरू किया। इस समय 17 एफ. एम. रेडियो नेटवर्क चालू हालत में हैं जो कुछ समय बाद बढ़कर 40 हो जाएंगे। शिक्षित भारत बनाने हेतु दूरवर्ती शिक्षा के उन्नयन और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष शैक्षिक चैनल *एजुसेट* की शुरुआत एक ऐतिहासिक अवसर है, जो लोगों को अच्छी शिक्षा देकर उनका सशक्तिकरण करेगा और जनाकांक्षाएं पूरी करेगा। वर्ष 2005 में विश्वविद्यालय ने देशभर में स्थित अपने क्षेत्रीय अध्ययन केंद्रों में एसआईटी के साथ 100 एजुसेट स्थापित किए। विश्वविद्यालय द्वारा एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित दूरशिक्षा परिषद देश की दूरशिक्षा के समन्वयन और मानकों के निर्धारण करने वाली शीर्ष संस्था है।

अल्पसंख्यक शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में संशोधित) में समानता और सामाजिक न्याय के हित में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर विशेष बात कही गई है। संशोधित कार्ययोजना, 1992 के आधार पर केंद्र द्वारा प्रायोजित दो नई योजनाएं (1) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए गहन क्षेत्रीय कार्यक्रम, तथा (2) मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण वित्तीय सहायता योजना 1993-94 के दौरान प्रारंभ की गई।

समय के साथ यह अनुभव किया गया कि इन सभी योजनाओं को एकीकृत रूप में क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, जिससे इनका क्षेत्र व्यापक बन सके तथा अल्पसंख्यक शिक्षा कार्यक्रम अधिक प्रभावी एवं स्पष्ट रूप से लागू हो सके। दसवीं पंचवर्षीय योजना में इन दोनों योजनाओं को मिलाकर गहन क्षेत्रीय एवं मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम बना दिया गया।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग 2004 का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया और जिसके तहत अल्पसंख्यक संस्थाएं अनुसूचित विश्वविद्यालय से स्वयं को संबद्ध कर सकती हैं। वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, नगालैंड विश्वविद्यालय एवं मिजोरम विश्वविद्यालय इस सूची में आते हैं।

तकनीकी शिक्षा

देश में प्रौद्योगिक (तकनीकी) शिक्षा प्रणाली के दायरे में अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग), प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वस्तु विज्ञान (आर्किटेक्चर), फार्मसी इत्यादि आते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्नातक-पूर्व, स्नातकोत्तर और अनुसंधान (शोध) स्तर के कार्यक्रम चलाता है। केंद्रीय स्तर पर प्रौद्योगिक शिक्षा प्रणाली के अंग हैं : (अ) अखिल भारतीय प्रौद्योगिक (तकनीकी) शिक्षा विकास परिषद् (एआईसीटीई)—तकनीकी शिक्षा में उचित नियोजन और समन्वित विकास की देखरेख करने वाला निकाय, (ब) सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), (स) छह भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), (द) भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बंगलौर, (च) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान

(आईआईआईटीएम) ग्वालियर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) इलाहाबाद तथा इसका अमेठी स्थित विस्तार परिसर, एवं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन तथा निर्माण संस्थान, (आईआईआईडीएम) जबलपुर, (छ) 18 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान 100 प्रतिशत सहायता पश्चात रीजनल इंजिनियरिंग कालेजों में परिवर्तित।

देश में भौतिक विज्ञान की शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठाए गए हैं। आईआईएस, बंगलुरु में प्रयोगशाला सहित अन्य ढांचागत सुविधाओं के सुधार के लिए इसे 100 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान मंजूर किया गया। प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद की सिफारिश पर कोलकाता और पुणे में दो भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। इन संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर विश्व स्तरीय अनुसंधान सुविधाओं के साथ भौतिक विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा में शोधात्मक उत्पादकता बढ़ाने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी प्रौद्योगिकी संस्थानों को इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स और डाटाबेस सुलभ कराया जा रहा है। कम लागत के उद्देश्य से एआईसीटीई और भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी डाटा लाइब्रेरी (आईएनडीईएसटी) ने एक साथ मिलकर संयुक्त एआईसीटीई-आईएनडीईएसटी संकाय स्थापित करने के लिए कदम उठाया है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तकनीकी संस्थानों और कुल विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। 10वीं योजना में माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए निर्धारित 13,825 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय में से 4700 करोड़ रुपये का प्रावधान तकनीकी संस्थानों के 16 कार्यक्रमों के लिए किया गया।

इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा 900 करोड़ रुपये विश्व बैंक सहायता प्राप्त-तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) के लिए दिया जाता है। एआईसीटीई के लिए 600 करोड़ और आई.आई.टी. के लिए 612 करोड़ रुपये का खर्च निर्धारित है। 2004-05 में तकनीकी शिक्षा के लिए वार्षिक योजना परिव्यय 750 करोड़ रुपये का था जिसमें से खर्च 615.85 करोड़ रुपये हुए।

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय आयोग (आईएनसीसीयू)

भारत 1946 से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) का सदस्य रहा है। सरकार ने यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए 1949 में एक अंतरिम भारतीय राष्ट्रीय आयोग (आईएनसीसीयू) का गठन किया, जिसे 1951 में स्थायी स्वरूप दिया गया। आयोग में शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, समाज विज्ञान, संस्कृति एवं संचार से संबंधित पांच उप-आयोग हैं।

आयोग का प्रमुख उद्देश्य यूनेस्को के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों पर सरकार को परामर्श देना एवं यूनेस्को के कार्यों, विशेषकर कार्यक्रमों की तैयारी और इनमें क्रियान्वयन में भूमिका निभाना है। मानव संसाधन विकास मंत्री इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं तथा केंद्र सरकार में माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग का सचिव इस आयोग का महासचिव होता है। आयोग की सदस्यता दो प्रकार की होती है—(1) व्यक्तिगत और (2) सांस्थानिक। ये पांच उप-आयोगों में बंटे होते हैं।

राष्ट्रीय आयोग यूनेस्को के कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर सलाहकार

संयोजक और संपर्क एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह क्षेत्र के राष्ट्रीय आयोगों और यूनेस्को के क्षेत्रीय आयोगों से शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और सूचना के क्षेत्र में क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते भी करता है।

पुस्तक प्रोत्साहन

नेशनल बुक ट्रस्ट, (भारत) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन है जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका कार्य (i) प्रकाशन, (ii) पुस्तक और पुस्तक पठन को प्रोत्साहन (iii) विदेशों में भारतीय पुस्तकों को प्रोत्साहन, (iv) लेखकों और प्रकाशकों को सहायता, तथा (v) बाल साहित्य को बढ़ावा देना है। यह विभिन्न शृंखलाओं के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं तथा ब्रेल लिपि में पुस्तकें प्रकाशित करता है। यह हर दूसरे वर्ष नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन करता है, जो एशिया और अफ्रीका का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है। ट्रस्ट हर वर्ष 14 से 20 नवंबर तक 'राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह' भी मनाता है।

17वां नई दिल्ली पुस्तक मेला 27 जनवरी से 4 फरवरी 2006 तक आयोजित किया गया। 18 देशों के 37 प्रकाशकों सहित कुल 1300 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। भाग लेने वालों में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) और यूरोपीय संघ (ई.यू.) भी शामिल थे।

फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला 2006

फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला अधिकारियों के आमंत्रण पर भारत 58वें फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले का सम्माननीय अतिथि बना। विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन और कार्यान्वयन के लिए एनबीटी को नोडल एजेंसी नामित किया गया।

कॉपीराइट

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की निगरानी का उत्तरदायित्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास है। यह कानून देश में बौद्धिक अधिकार संपदा (आईपीआर) से जुड़े कई अधिनियमों में से एक है। कॉपीराइट कार्यालय की स्थापना जनवरी 1958 में विभिन्न रचनात्मक कार्यों के वर्गों के पंजीकरण हेतु की गई थी। कॉपीराइट अधिनियम के अनुच्छेद 33 के अनुसार, कॉपीराइट संबंधी कार्य करने के लिए सरकार द्वारा कॉपीराइट समितियों का गठन भी किया जाता है। प्रौद्योगिकीय बदलावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 में 1994 में व्यापक संशोधन किए गए। संशोधित अधिनियम 10 मई 1995 से लागू हुआ। सन 1999 में इस अधिनियम में आगे भी संशोधन किया गया और यह नए रूप में 15 जनवरी 2000 से प्रभावी हुआ। कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 11 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने एक बोर्ड का गठन किया है, जिसे *कॉपीराइट बोर्ड* कहा गया है। यह बोर्ड एक अर्द्ध न्यायिक निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कम से कम दो एवं अधिकतम 14 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति पांच वर्षों के लिए की जाती है। कॉपीराइट बोर्ड 22 फरवरी 2001 से पांच वर्षों के लिए पुनर्गठित किया गया है। यह बोर्ड कॉपीराइट पंजीकरण में सुधार, कॉपीराइट प्रदान करने से जुड़े विवादों और जनता से वापस ली गई रचनाओं को लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है।

भारत में कॉपीराइट प्रवर्तन

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 में कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करने के लिए दंड का प्रावधान है और यह पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्राधिकृत करता है। वस्तुतः इस कानून को लागू करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में अनधिकृत प्रतियां बनाने (पाइरेसी) पर रोक लगाने के लिए कॉपीराइट कानून में सुधार लाने हेतु केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में कॉपीराइट प्रवर्तन सलाहकार परिषद (सीईएसी) का गठन भी शामिल है, जिसमें सभी संबंधित विभागों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को सदस्य बनाया जाता है। यह परिषद कॉपीराइट कानून के पालन और नकल को रोकने से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा करती है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं और राज्य सरकारों को (1) कॉपीराइट कानून लागू कराने के लिए राज्य प्रशासन में विशेष सेल का गठन, (2) उद्योग जगत और कानून लागू कराने वाली एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, (3) कॉपीराइट कानून के बारे में जनता को जागरूक बनाने के लिए सेमिनार/कार्यशाला आदि का आयोजन, (4) कॉपीराइट समितियों द्वारा सामूहिक प्रशासन तथा भारत सरकार के नियम (कार्य आवंटन) 1961 में ताजा संशोधन के अनुसार डब्ल्यूआईपीओ के साथ समन्वय का काम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है।

डब्ल्यूआईपीओ के साथ सहयोग

भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) का सदस्य है, जो इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी है। यह एजेंसी कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकार के मामलों का निपटान करती है एवं संबंधित विचार-विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम 1961 में किये गये संशोधन के अनुसार इस संगठन को वाणिज्य और उद्योग के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को दे दिया गया है।

सेवाओं के व्यवसाय पर आम समझौता (जीएटीएस)

शुल्क एवं व्यापार पर आम समझौता (जीएटीएस) के अंतिम दौर के बाद 1994 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अंतर्गत व्यापार से संबंधित अनेक बहुपक्षीय समझौते किए गए। डब्ल्यूटीओ पहली जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। उससे पहले सेवाओं पर किसी तरह का बहुपक्षीय समझौता नहीं होता था। वर्ष 1996 में अगले दौर की वार्ताओं के बाद सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक व्यापक समझौता हुआ। इस समझौते का उद्देश्य सेवाओं के व्यापार का प्रगतिशील उदारीकरण है। इसके अंतर्गत सेवाओं के क्षेत्र में अधिक खुला बाजार बनाना था, ठीक उसी तरह जिस तरह गैट ने वस्तुओं के व्यापार के क्षेत्र में किया था। शिक्षा उन बारह सेवाओं में से एक है, जिन पर सेवाओं के व्यापार पर आम समझौता (जीएटीएस) के तहत समझौता किया जाना है। समझौता वार्ता के उद्देश्य से शिक्षा को पांच क्षेत्रियों—उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा एवं अन्य शिक्षा में बांटा गया। जीएटीएस शिक्षा सेवा समेत सेवाओं के व्यापार के क्षेत्र में चार तरह के प्रस्ताव करता है—(क) सीमापार आपूर्ति सेवा में दूर शिक्षा अथवा इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाने वाला किसी भी प्रकार का पाठ्यक्रम, किसी भी प्रकार की परीक्षण सेवा तथा शैक्षणिक सामग्री, जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार जा सके, (ख) विदेशों में खपत सेवा में मुख्यतः विदेश जाने वाले छात्र

शामिल हैं और यह शैक्षणिक सेवाओं के व्यापार का सामान्य उदाहरण है, (ग) व्यावसायिक उपस्थिति का आशय किसी मेजबान देश में विदेशी निवेशकों की वास्तविक उपस्थिति है। इसमें वे विदेशी विश्वविद्यालय शामिल हैं, जो दूसरे देश में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं या संस्थान की स्थापना कर देते हैं, तथा (घ) ऐसे सक्षम व्यक्तियों की उपस्थिति, जो शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने के लिए दूसरे देशों की यात्रा करने में समर्थ हैं।

शिक्षा सेवाओं के तहत भारतीय संशोधित प्रस्तावों में उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए कई शर्तें रखी गई हैं। इनके अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान को सक्षम अधिकार के माध्यम से शुल्क निर्धारित करने की अनुमति है लेकिन यह शुल्क कैपिटेशन शुल्क की तरह मुनाफे पर आधारित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सभी उच्च शिक्षा सेवाएं ऐसे नए नियमों तथा पहले से मौजूद नियमों के अनुपालन के लिए बाध्य होंगी।

11. ऊर्जा

ऊर्जा आर्थिक विकास और जीवन-स्तर बेहतर बनाने के लिए एक आवश्यक साधन है। समाज में ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरतों को उचित लागत पर पूरा करने के लिए ऊर्जा के पारंपरिक संसाधनों के विकास की जिम्मेदारी सरकार की है। ऊर्जा के गैर-परंपरागत, वैकल्पिक, नए और फिर से उपयोग में लाए जा सकने वाले स्रोतों, जैसे सौर, पवन और जैव ऊर्जा आदि के विकास और संवर्धन पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। देश में ऊर्जा सुलभता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है।

विद्युत

भारत में बिजली का विकास 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ। सन 1897 में दार्जिलिंग में बिजली आपूर्ति शुरू हुई और उसके बाद सन 1902 में कर्नाटक में शिवसमुद्रम में पनबिजलीघर काम करने लगा। स्वतंत्रता से पहले बिजली की आपूर्ति मुख्यतौर पर निजी क्षेत्र करता था और यह सुविधा भी कुछ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थी। पंचवर्षीय योजनाओं के विभिन्न चरणों में राज्य बिजली बोर्डों का गठन, देशभर में बिजली आपूर्ति उद्योग के सुव्यवस्थित विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। अनेक बहुदेशीय परियोजनाएं आरंभ हुईं और ताप, जल और परमाणु बिजलीघरों की स्थापना के बाद से बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।

देश में बिजली के विकास का काम विद्युत मंत्रालय देखता है। मंत्रालय का काम भावी योजनाएं तैयार करना, नीतियां निर्धारित करना, निवेश संबंधी फैसलों के लिए परियोजनाओं का चयन करना, विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना तथा प्रशिक्षण और श्रम शक्ति के विकास के साथ ही जल और ताप बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण से जुड़े कानून बनाना और उन्हें लागू करना है। सभी तकनीकी और आर्थिक मामलों में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय की सहायता करता है।

केंद्रीय क्षेत्र में उत्पादन और संप्रेषण परियोजनाओं के निर्माण और संचालन का काम केंद्रीय क्षेत्र के बिजली निगमों यानी—राष्ट्रीय ताप बिजली निगम [नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी)], राष्ट्रीय पनबिजली निगम [नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (एनएचपीसी)], पूर्वोत्तर विद्युत ऊर्जा निगम [नार्थ-इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (एनईईपीसीओ)] तथा भारतीय बिजली ग्रिड निगम लिमिटेड [पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)] को सौंपा गया है। बिजली ग्रिड केंद्रीय कॉर्पोरेशन क्षेत्र में सभी वर्तमान और भावी संप्रेषण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय बिजली ग्रिड के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। संयुक्त क्षेत्र के दो बिजली निगमों—सतलुज जलविद्युत निगम-4 (जोकि पूर्व में नाथपा-झाकड़ी बिजली निगम के नाम से जाना जाता था) और टिहरी पनबिजली विकास निगम—टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन (टीएचडीसी) क्रमशः हिमाचल प्रदेश में नाथपा-झाकड़ी बिजली परियोजना तथा उत्तराखंड में टिहरी पनबिजली परियोजना के लिए जिम्मेदार है। तीन वैधानिक निकाय—दामोदर घाटी निगम [दमोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी)], भाखड़ा व्यास

प्रबंधन बोर्ड (भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड) तथा ऊर्जा कुशलता ब्यूरो भी बिजली मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रमों के लिए ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम [रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी)] आर्थिक सहायता देता है। बिजली वित्त निगम बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं को मियादी वित्तीय सहायता देता है। इसके अलावा स्वायत्तशासी निकाय (समितियां) यानी केंद्रीय बिजली अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) तथा राष्ट्रीय बिजली प्रशिक्षण संस्थान (नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) भी विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। निजी क्षेत्र की बड़ी बिजली परियोजनाओं की सहायता के लिए बिजली व्यापार निगम का गठन किया गया है जो बिजली खरीद समझौतों को अंतिम रूप देने वाला एकमात्र संगठन है।

विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि

सन 2012 की अनुमानित विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगली दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान 1,00,000 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। दसवीं योजना में 21,180 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई और 11वीं योजना में 78,700 मेगावाट (ताप बिजली 25,416.24 मेगावाट) क्षमता का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 59,393 मेगावाट ताप विद्युत, 15627 मेगावाट जलविद्युत और 3380 मेगावाट परमाणु बिजली होगी। केंद्रीय क्षेत्र में 36874 मेगावाट और राज्य क्षेत्र में 26,783 मेगावाट क्षमता जुटाई जाएगी जिसमें से क्रमशः 24,840 मेगावाट तथा 23,301 मेगावाट ताप विद्युत होगी। निजी क्षेत्र का 11वीं योजना में 15043 मेगावाट का योगदान करेगा जिसमें 11552 मेगावाट ताप बिजली होगी।

1947 में प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता 1400 मेगावाट थी जो 31 मार्च, 2009 में बढ़कर 150,574 मेगावाट हो गई इसमें तापीय एवं डीजल ऊर्जा 96,295 मेगावाट, जल विद्युत 36,917 मेगावाट, 13,242 मेगावाट पवन सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से तथा परमाणु ऊर्जा का हिस्सा 4120 मेगावाट था।

विद्युत उत्पादन

2008-09 के दौरान 723.55 अरब यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ जिसमें 583.91 अरब यूनिट ताप बिजली, 113.03 अरब यूनिट पनबिजली, 14.71 अरब यूनिट परमाणु बिजली और 5.90 अरब यूनिट भूतन से आयातित बिजली शामिल है। 2009-10 के लिए 789.51 अरब बिजली तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। प्लांट लोड फैक्टर में पिछले वर्षों के दौरान काफी सुधार हुआ है। 1990-91 में 52.8 प्रतिशत की जगह यह 2008-09 में 77.19 प्रतिशत हो गया है।

50,000 मेगावाट की जलविद्युत योजनाएं

सरकार ने 2003-04 में एक योजना की शुरुआत की जिसके अंतर्गत 50,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। उसके लिए 16 राज्यों में 162 पनबिजली परियोजनाएं बनाने की प्रारंभिक रिपोर्टें बनाने का काम नोडल एजेंसी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को दिया गया। सितंबर 2004 में इन सभी के लिए प्रारंभिक रिपोर्टें तैयार कर ली गईं। इनकी प्रतिस्थापित क्षमता 47,930 मेगावाट होगी। प्रारंभिक तैयारी रिपोर्टें तैयार करने के बाद चुनिंदा परियोजनाओं की विस्तृत योजना रिपोर्टें बनाने का काम शुरू कर दिया गया ताकि इन्हें भविष्य में कार्यान्वित किया जा सके। इन तकनीकी आर्थिक विश्लेषण के आधार पर 77 स्कीमों (33951 मेगावाट) को प्रथम वर्ष की दर के आधार पर प्रारंभिक दर वाली लागत माना गया है। इनको विस्तृत सर्वेक्षण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के कार्यान्वयन के लिए चुना गया है।

इनमें से 20 परियोजनाओं की (7793 मेगावाट/संशोधित क्षमता 7296 मेगावाट) डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) बना ली गई है।

2008-09 के दौरान चार जलविद्युत परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया। कुल मिलाकर इनकी स्थापित क्षमता 860 मेगावाट है।

राष्ट्रीय ग्रिड का विकास

देश में चरणबद्ध ढंग से एक समन्वित (एकीकृत) राष्ट्रीय पावर ग्रिड की स्थापना की योजना बनाई गई है। इसका पहला चरण पूरा हो गया है और अब तक सभी क्षेत्रीय ग्रिडों को जोड़ा जा चुका है। 30 जून, 2009 की स्थिति के अनुसार कुल पारेषण क्षमता 20750 मेगावाट हो गई है। वर्तमान में दक्षिणी क्षेत्र को छोड़कर बाकी अन्य सभी चार क्षेत्र आपस में जोड़े जा चुके हैं और समानांतर काम कर रहे हैं।

शुरू-शुरू में अधिशेष बिजली के आपस में सीमित आदान-प्रदान को आसान बनाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के तहत अंतरक्षेत्रीय संपर्क विकसित किए गए। क्षेत्रीय ग्रिड स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और उनकी संचालन प्रीक्वेंसियां अलग होती हैं। अतः इनमें विद्युत आदान-प्रदान केवल रेडियल मोड पर होता था। 1992 में पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र को एक 220 के वी डबल सर्किट पारेषण लाइन से जोड़ा गया और तब से ये ठीक सामंजस्य के साथ चल रहे हैं। 9वीं योजना के अंत तक इनकी अंतरक्षेत्रीय पारेषण क्षमता 5750 मेगावाट हो गई थी।

दसवीं योजना (अर्थात् 2002-07) के अंत तक कुल 8300 मेगावाट अंतरक्षेत्रीय क्षमता जोड़ी गई। इस कोशिश में जो प्रमुख उपलब्धियां मिली उनमें तलचर-कोलार एचवीडीसी बाईवोल, गाजवाका में एसआर और ईआर के बीच बैक-टू-बैक एचवीडीसी का दूसरा माइयूल, सासाराम ग्रिड के सिंक्रोनामस इंटर-कनेक्शन को डब्लूआर ग्रिड के साथ राउरकेला-रायपुर के 400 किलोवाट डी/सी लाइन से जोड़ना, एनईआर/ईआर/डब्लूआर ग्रिड को एनआर ग्रिड के साथ मुजफ्फरपुर-गोरखपुर 400 किलोवाट/डीसी (क्वाड) लाइन के साथ सिंक्रोनामस इंटर-कनेक्शन और बाद में पटना-बलिया 400 किलोवाट डीसी (क्वाड) लाइन के एक सर्किट और आगरा-मलनपुर 765 किलोवाट पारेषण लाइन 400 किलोवाट पर संचालित दसवीं योजना के अंत तक जोड़ी गई कुल अतिरिक्त अंतरक्षेत्रीय पारेषण क्षमता 14,050 मेगावाट हो गई।

2007-12 यानी ग्यारहवीं योजना में 24600 मेगावाट क्षमता अंतरक्षेत्रीय पारेषण तंत्र में जोड़ने की योजना बनाई गई। इससे राष्ट्रीय ग्रिड की कुल अंतरक्षेत्रीय पारेषण क्षमता बढ़कर 38650 मेगावाट हो जाएगी। ग्यारहवीं योजना के कार्यक्रम में से 2400 मेगावाट क्षमता 2007-08 में 3300 मेगावाट 2008-09 में 1000 मेगावाट, 2009-10 (जून 2009 तक) जुटाई गई। इस प्रकार 11वीं योजना में 30 जून 2009 तक 6700 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ी जा चुकी है।

बारहवीं योजना अर्थात् 2012-17 के दौरान 37000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। इससे 12वीं योजना के अंत तक राष्ट्रीय ग्रिड की अंतरक्षेत्रीय पारेषण क्षमता बढ़कर लगभग 75000 मेगावाट हो जाएगी।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 3(1) के अंतर्गत गठित एक वैधानिक संगठन है। अब यह संगठन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70(1) से नियंत्रित होता है।

प्राधिकरण देश में विद्युत विकास की नीतियां और कार्यक्रम बनाने तथा विद्युत क्षेत्र में विभिन्न विकास गतिविधियों में समन्वय करता है। यह केंद्र सरकार को राष्ट्रीय विद्युत नीति के बारे में सलाह देता है, विद्युत तंत्र के विकास के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि नीतियां बनाने में सहायता करता है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हितों को बढ़ावा देने के लिए नियोजन एजेंसियों की गतिविधियों में समन्वय करता है ताकि संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके और सभी उपभोक्ताओं को बिजली की किफायती और भरोसेमंद सप्लाई मिल सके।

विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण बिजलीघरों के निर्माण, बिजली लाइनों और राष्ट्रीय ग्रिड के विकास, मीटरों के प्रतिस्थापन और संचालन, पनबिजली परियोजनाओं के अनुमोदन और सुरक्षा तथा ग्रिड के मानक तय करता है। यह विद्युत आपूर्ति में सुरक्षा उपाय भी विनिर्दिष्ट करता है। इससे विद्युत के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की कुशलता आती है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र में पनबिजली विकास परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान करने की जिम्मेदारी संभालता है। ऐसा करते हुए वह नदियों और उनकी सहायक नदियों के बिजली पैदा करने और साथ सिंचाई, पेयजल, नौवहन, बाढ़ नियंत्रण तथा अन्य सार्वजनिक हित के पक्षों का भी ध्यान रखता है। यह बांधों तथा नदियों पर अन्य निर्माण कार्यों के बारे में अध्ययन करता है और ऐसा करते हुए उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है।

यह प्राधिकरण उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं की मानीटरिंग करता है ताकि विद्युत तंत्र में सुधार और संवर्धन हो सके और परियोजनाएं समय पर पूरी हों। यह उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं को पूरी करने में बाधक समस्याओं और रुकावटों का पता लगता है और उन्हें दूर करने के उपाय करता है। यह बेहतर संचालन एवं अनुरक्षण व्यवहारों पर जोर देकर मौजूदा बिजलीघरों के निष्पादन में सुधार लाता है और उनके आधुनिकीकरण, नवीकरण तथा कार्यकाल बढ़ाने के लिए काम करता है। परियोजनाओं/स्कीमों को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से उनकी प्रगति पर नजर रखने की जिम्मेदारी भी इस प्राधिकरण की है।

विद्युत उत्पादन, पारेषण, खरीद, बिक्री, वितरण और खपत—सबके बारे में आंकड़ों का संग्रह और उनका रिकार्ड रखना तथा लागत, कुशलता, प्रतियोगितात्मकता आदि के अध्ययन करवाना भी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रमुख कार्य हैं। यह विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्राप्त सूचना और रिपोर्टें तथा अन्वेषण प्रकाशित करता रहता है।

यह प्राधिकरण केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और विद्युत विनियामक आयोगों को सभी तकनीकी विषयों पर इस प्रकार से सलाह देता है कि वे विद्युत तंत्र को इस प्रकार संचालित और अनुरक्षित कर सकें कि ऐसा करने वाले अन्य राज्यों, लाइसेंसधारकों और उत्पादन कंपनियों के साथ तालमेल बना रहे।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय ग्रिड व्यवस्थाओं के समेकित संचालन और राष्ट्रीय ग्रिड के विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाता है। पूर्वी, पूर्वोत्तर के और पश्चिमी क्षेत्रों को समेकित किया जा चुका है और वे सिंक्रोनामस मोड में काम कर रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र के साथ एचवीडीसी बैक-टु-बैक संपर्कों से जुड़ा हुआ है। इसी तरह पश्चिमी क्षेत्र भी उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों से उसी प्रकार जुड़ा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण कमी वाले क्षेत्रों, अधिक बिजली वाले इलाकों से और पड़ोसी देशों से परस्पर लाभ के लिए बिजली प्राप्त करने में सहायता देता है।

प्राधिकरण बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यापार से संबंधित विषयों में अनुसंधान को बढ़ावा देता है। विद्युत उत्पादन या पारेषण अथवा वितरण के बारे में जांच करता और करवाता है तथा

विद्युत उद्योग में लगे व्यक्तियों का कौशल बढ़ाने के उपायों को प्रोत्साहित करता है। देश के विभिन्न भागों में सूखा/तूफान/बाढ़/सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से तबाही की स्थिति में यह बिजली आपूर्ति बहाल करने में खुलकर भाग लेता है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण भारत तथा विदेशों में कान्फ्रेंस इंटरनेशनल डे ग्रां रिसर्च इलेक्ट्रीक्स (सीआईजीआरई), भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड (सीबीआई एंड पी) जैसे कई पेशेवर संगठनों में महत्वपूर्ण योगदान करता है। जल और ताप बिजलीघरों तथा पारेषण परियोजनाओं में प्राधिकरण परामर्श सेवा उपलब्ध कराता है।

विद्युत अधिनियम, 2003

विद्युत अधिनियम, 2003 पारित कर दिया गया है और इस अधिनियम के प्रावधान 10 जून, 2003 से प्रभावी हो गए हैं। बिजली अधिनियम, 2003 के लागू होने से भारतीय बिजली अधिनियम, 1910, बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 तथा बिजली नियामक आयोग अधिनियम, 1988 निरस्त हो गए हैं। इस अधिनियम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

- (i) बिजली उत्पादन लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और निजी प्रतिष्ठानों को अपने उपयोग के लिए उत्पादन करने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन पनबिजली परियोजनाओं को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति लेनी होगी।
- (ii) ग्रामीण इलाकों में उत्पादन और वितरण के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है।
- (iii) केंद्र और राज्य स्तर पर पारेषण उपयोगिता, एक सरकारी कंपनी होगी—इस पर पारेषण नेटवर्क के नियोजित और समन्वित विकास की जिम्मेदारी होगी।
- (iv) पारेषण में सभी को अधिकार, सरचार्ज की व्यवस्था के साथ होंगे ताकि वर्तमान स्तर पर क्रॉस सब्सिडी की व्यवस्था जारी रहे लेकिन अन्ततः सरचार्ज समाप्त कर दिया जाएगा।
- (v) वितरण लाइसेंसधारक उत्पादन का काम करने और उत्पादन कंपनियां वितरण करने के लिए स्वतंत्र होंगी।
- (vi) राज्य सरकारों को बिजली बोर्डों का निगमीकरण करना होगा। लेकिन वे वितरण लाइसेंसधारक और राज्य पारेषण सेवा के रूप में इसे जारी रख सकते हैं।
- (vii) राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है।
- (viii) केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और राज्य विद्युत नियामक आयोग के फैसले के खिलाफ अपीलों पर सुनवाई अपीलीय न्यायाधिकरण करेगा।
- (ix) राज्य विद्युत नियामक आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी को वितरण के अधिकार दे। इसके लिए विभिन्न चरणों में वर्तमान स्तर पर क्रॉस सब्सिडी के लिए सरचार्ज की अनुमति हो लेकिन क्रॉस सब्सिडी और आपूर्ति का दायित्व धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाएगा।
- (x) बिजली की आपूर्ति मीटर से करने को अनिवार्य बनाया गया है।
- (xi) बिजली की चोरी से जुड़े प्रावधानों को और कड़ा किया गया है।
- (xii) विशिष्ट गतिविधि के रूप में व्यापार को इस शर्त के साथ मान्यता है कि नियामक आयोग को आवश्यकता पड़ने पर व्यापारिक मार्जिन की सीमा तय करने का अधिकार होगा।

- (xiii) ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में उत्पादन और वितरण के लिए अलग प्रणाली की अनुमति दी गई है।
- (xiv) पंचायतों, सहकारी समितियों, गैर सरकारी संगठनों, अन्य अधिकृत संगठनों आदि द्वारा पूर्ण ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण वितरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपने पर जोर दिया गया है।
- (xv) केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीति तैयार करेगी।
- (xvi) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण एक राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करेगी।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियम

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नियमों का सूत्रीकरण

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 177 में प्रावधान है कि यह प्राधिकरण अधिनियम के अनुकूल नियम बनाएगा ताकि अधिनियम के प्रावधान लागू किए जा सकें। निम्नलिखित चार विनियम अधिसूचित किए जा चुके हैं—

1. धारा 177 (2-सी) के साथ पठित धारा 55 के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (कार्यवाही संचालन प्रक्रिया) विनियम 2006
2. धारा 177 (2-डी) के साथ पठित धारा 70 की उपधारा 9 के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (कार्यवाही संचालन प्रक्रिया) विनियम-2007
3. धारा 177 (2-ई) के साथ पठित धारा 73 की उपधारा (बी) के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड संयोज्यता के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2007
4. धारा 177 (2-एफ) के साथ पठित धारा 74 के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (आंकड़े, विवरणी एवं सूचना) विनियम, 2007

निम्नलिखित चार विनियम अधिसूचित किए जाने के अंतिम चरण में हैं—

1. धारा 177 (2-ए) के साथ पठित धारा 34 के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम-2009
2. धारा 177 (2-बी) के साथ पठित धारा 53 के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति के बारे में उपाय) विनियम 2009
3. धारा 73 (सी) के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्र एवं विद्युत लाइनों के निर्माण, संरक्षण एवं अनुरक्षण के बारे में सुरक्षा अपेक्षाएं)
4. धारा 177 के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों एवं लाइनों के निर्माण से संबंधित विद्युत मानक) विनियम-2009

विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण : केंद्र सरकार ने विद्युत प्राधिकरण, 2003 की धारा 110 के तहत 7 अप्रैल, 2004 को विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण गठित किया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। न्यायाधिकरण नियामक आयोगों/न्यायिक अधिकरणों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेगा।

राष्ट्रीय विद्युत नीति : राष्ट्रीय विद्युत नीति की अधिसूचना भारत सरकार द्वारा अधिनियम के अंतर्गत जारी की गई। सरकार ने बोली लगाकर बिजली खरीद के दिशानिर्देश जारी किए। शुल्क नीति की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

राष्ट्रीय विद्युत योजना : राष्ट्रीय विद्युत योजना का मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसे मंजूरी के लिए बिजली मंत्रालय के पास भेज दिया गया है।

बिजली चोरी रोकने के लिए कानून : आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, बिहार और पंजाब ने बिजली चोरी रोकने के कानून को पारित कर दिया है। मसौदा तैयार कर लिया गया है। बिजली चोरी के मामलों से निपटने के लिए आंध्रप्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में विशेष अदालतें स्थापित की गई हैं।

उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण और लोकपाल की नियुक्ति

विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधान के अनुसार हर वितरण लाइसेंसधारक को उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच स्थापित करना होगा जो राज्य विद्युत विनियामक आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा। इस अधिनियम की धारा 42 (5) के अनुसार वितरण कंपनियों ने 22 राज्यों में इस प्रकार के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच स्थापित कर दिए हैं। विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम की धारा 42(6) के अनुसार हर राज्य एक लोकपाल नियुक्त करेगा। जिस भी शिकायतों को लेकर इस लोकपाल को अभ्यावेदन दे सकता है। अभी तक 22 राज्यों के विद्युत विनियामक आयोगों ने लोकपाल की नियुक्ति कर दी है।

त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम

उपपारेषण एवं वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए केन्द्र सरकार ने दसवीं योजना के दौरान त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के रूप में एक सहायता योजना पेश की थी। इसके दो घटक थे। निवेश घटक जिसके अंतर्गत क्षति कम करने के लिए धन निवेश पर प्रोत्साहन घटक के रूप में सहायता देना था। नवंबर 2009 तक, कुल 7675.51 करोड़ का निवेश घटक और ए पी डी आर पी के रूप में 2879.73 करोड़ प्रोत्साहन घटक के रूप में जारी किए जा चुके हैं।

ग्यारहवीं योजना के दौरान इस योजना को पुनर्गठित किया गया और क्षतियों में निरंतर कमी के रूप में वास्तविक निष्पादन पर जोर दिया गया। तदनुसार ए पी डी आर पी के अंतर्गत सभी योजनाएं समय से पहले ही बंद कर दी गईं। पुनर्गठित ए पी डी आर पी (आर ए पी डी आर पी) का लक्ष्य परियोजना क्षेत्रों में ए टी एंड सी क्षतियों में निरंतर आधार पर 15 प्रतिशत कमी का लक्ष्य रखा गया। आर ए पी डी आर पी के अंतर्गत परियोजनाएं दो भागों में शुरू की जायेगी। भाग-ए में बेस लाइन डाटा गली तथा आई टी अप्लीकेशन गली परियोजनाएं शामिल होंगी जिनमें उपभोक्ता सेवा केंद्रों में आई टी और ऊर्जा लेखाकरण/लेखापरीक्षा के आधार पर आंकड़े रखे जाएंगे। भाग बी में नवीकरण, आधुनिकीकरण और 11 के वी स्तर के सब-स्टेशनों, ट्रांसफार्मरों/ट्रांसफार्मर केंद्रों को मजबूत बनाना और 11 के वी तथा इससे नीचे के स्तर वाली लाइनों के कंडक्टर बदलना शामिल होगा। लोड-बाइफरकेशन, फीडर-सेपरेशन, लोड-बैलेंसिंग, एच वी डी एस (11 के वी) और सघन जनसंख्या वाले इलाकों में एरियर बंचड कंडक्टरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटरों की जगह छेड़छाड़ मुक्त इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाना, कैपेसिटर बैंकों और चलते-फिरते सेवा केंद्रों आदि की स्थापना जैसे काम भी किए जाएंगे। भाग-ए के लिए 10,000 करोड़ रुपये और भाग बी के लिए 40,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

ताप बिजलीघरों के लिए स्थानों का चुनाव

देश में 2012 तक और उसके बाद भी बिजली की जरूरतें पूरी करने के लिए और अतिरिक्त आवश्यकताएं पूरी करने के उद्देश्य से अतिरिक्त बिजलीघर स्थापित करने के बारे में सुझाव देने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सितम्बर 2001 में सदस्य (ताप) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्य बिजली बोर्डों आदि के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य थे। इस समिति को तटीय-क्षेत्रों/कोयला खानों के नजदीक बड़े ताप बिजलीघरों की स्थापना के लिए स्थलों का चुनाव करना था। स्थलों का चुनाव एक निरन्तर प्रक्रिया है, अतः उक्त समिति को एक स्थायी समिति के रूप में बदल दिया गया है। इस समिति में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, योजना आयोग, विद्युत मंत्रालय और वन मंत्रालय, सी एम पी डी आई, रेलवे आदि के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हैं। ये लोग समय-समय पर राज्य एजेंसियों, केंद्रीय खान नियोजन एवं डिजाइन संस्थान (सी एम पी डी आई) और राष्ट्रीय दूरसंचेदी एजेंसी (एन आर एस ए) द्वारा चिन्हित स्थलों का दौरा करते हैं। समिति की टीमों विभिन्न राज्यों/केंद्रीय विभागों के साथ बातचीत करके ताप बिजलीघरों की स्थापना के लिए जरूरी तत्वों जैसे जमीन, पानी, ईंधन आदि की उपलब्धता के अनुसार स्थल का मूल्यांकन करते हैं। योजना आयोग ने ग्यारहवीं योजना में इस स्कीम को जारी रखने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

चयन समिति के मौके के दौरों के आधार पर तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सी एम पी डी आई और एन आर एस ए की सहायता से मिली रिपोर्टों और उपग्रह नक्शों की मदद से संभावित स्थलों की एक बड़ी सूची तैयार कर ली गई है। इस सूची के अनेक स्थलों को ग्यारहवीं योजना में इस्तेमाल करने के लिए चुन लिया गया है। सी एम पी डी आई और एन आर एस ए की रिपोर्टों को राज्य सरकारों/ एन टी पी सी को भेज दिया गया है ताकि वे चिन्हित स्थलों का विकास करें। तटीय स्थलों की रिपोर्टें और एन आर एस ए रिपोर्टें परमाणु विद्युत कारपोरेशन की चयन समिति को भी भेजी गयी हैं, जो परमाणु बिजलीघरों के लिए तटीय स्थल चिन्हित करने की प्रक्रिया में है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को सी एम पी डी आई से 26 मार्च, 2007 को एक अतिरिक्त अध्ययन करवाने को भी कहा गया था जो दूर-संचेदी तकनीकों के इस्तेमाल के आधार पर दक्षिणी कर्णपुरा, वरधाघाटी, इब घाटी और तलचर कोयला खानों के 12 कोयला ब्लॉकों के पास हैं। यह अध्ययन पूरा हो गया है और झारखंड उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में कोयला खानों के निकट 28 नए स्थलों का, झारखंड (7 स्थल), उड़ीसा और छत्तीसगढ़ (14 स्थल) का राज्य इंजीनियरों ने दौरा किया है। सी एम पी डी आई ने फरवरी 2009 में अपने अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी है और ये स्थल विकसित किए जाने के लिए उपलब्ध हैं। रिहन्द जलाशय के एम डी डी एल की बहाली का अध्ययन डिजाइन स्तर पर है। वर्तमान बिजलीघरों और अतिरिक्त जल उपलब्धता के कारण पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन का काम आई आई टी रुड़की को सौंपा गया है। सी एम पी डी आई को फरवरी 2009 में एक और अध्ययन का काम दिया गया है जिसके अंतर्गत वह लोड सेंटर के पास कोयले से चलने वाले बिजलीघरों की स्थापना के बारे में परामर्शी सेवाएं देंगे।

ताप बिजलीघरों के स्थलों के चुनाव के लिए राजस्थान में सूरतगढ़ और महाराष्ट्र में सोलापुर के दौर किए गए। इस दौरान चिन्हित किए गए स्थलों पर परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

जलविद्युत परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता

सरकार ने 1991 में एक नीति की घोषणा की थी जिससे निजी क्षेत्र को ऊर्जा योजनाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई। फरवरी 1995 में यह निर्णय लिया गया था कि 18 फरवरी, 1995 के बाद केंद्रीय

बिजली प्राधिकरण (सीईए) ऐसे किसी निजी बिजली परियोजना प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा, जिस परियोजना पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आईसीबी) द्वारा निविदा आमंत्रित न की गई हो। 1991 में बिजली की निजीकरण नीति की घोषणा के बाद बड़े और मझोले 38 ताप बिजली उपक्रमों, जिनकी कुल क्षमता लगभग 8049.46 मेगावाट है, ने पूरी तरह काम करना आरंभ कर दिया है तथा निजी क्षेत्र में लगभग 17780 मेगावाट क्षमता की 19 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

वर्ष 2003 में विद्युत कानून पारित किया गया जिससे इस क्षेत्र के विभिन्न खंडों में प्रवेश की बाधाएं कम हो गईं। ताप बिजली उत्पादन को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। कैप्टिव उत्पादन की अनुमति होगी। बिजली का पारेषण, वितरण और लेन-देन के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। अखिल भारतीय स्तर पर बिजली का बाजार बढ़ाने के लिए, पारेषण में सीधे पहुंच की व्यवस्था की गई है। वितरण के क्षेत्र में सीधे पहुंच का काम चरणों में किया जाएगा। कानून में एक ही इलाके में एक से ज्यादा वितरण लाइसेंस की इजाजत दी गई है।

2008 की जल विद्युत नीति के अनुसार जनवरी 2011 तक दर आधारित बोली से छूट निजी क्षेत्र को भी दे दी गई है लेकिन वे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अनुमति लेंगे। वितरण लाइसेंसधारकों के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और जनवरी 2011 से पहले वित्तीय परिसमापन प्राप्त करेंगे। परियोजना स्थल की खरीद में हुए खर्च की विकासकर्ता भरपाई कर पाए—इस उद्देश्य से उसे बिक्री योग्य बिजली का 40 प्रतिशत भाग तक को खुले बाजार में बेचने की अनुमति होगी। यदि परियोजना पूरी करने में देर हुई तो यह प्रोत्साहित चरणबद्ध तरीके से कम कर दिया जाएगा। इस परियोजना के अधिकारी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन में भी शामिल होंगे। उनका कार्यक्षेत्र बिजलीघर/बांध क्षेत्र के आस-पास के दायरे तक आवश्यकतानुसार सीमित होगा। परियोजना अधिकारी परियोजना स्थल के आस-पास राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रति राज्य सरकार की 10 प्रतिशत जिम्मेदारी संभालेंगे।

विद्युत मंत्रालय निजी क्षेत्र की बिजली परियोजनाओं पर नजर रखे हुए है। इसका उद्देश्य है कि इनका वित्तीय समापन सही समय पर होना चाहिए। इसके लिए एक अंतर-संस्थानिक समूह बनाया गया है। जिसमें ऋणदाताओं और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। यह समूह इन परियोजनाओं का मूल्यांकन करेगा और इन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा कराएगा। अब तक 11272 मेगावाट क्षमता वाली 16 ताप बिजली परियोजनाओं का वित्तीय परिसमापन कराया जा चुका है और 6508 मेगावाट कुल क्षमता की तीन और परियोजनाओं का शीघ्र वित्तीय परिसमापन करने के प्रयास चल रहे हैं। उत्पादन, पारेषण और वितरण के क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। बिजली के लेन-देन को हाल ही में विदेशी निवेश के लिए खोला गया है।

संगठन

राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम

भारत सरकार के अनुसूची 'क' के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठान राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम [नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी)] की अधिकृत शेयरपूंजी 15,000 करोड़ रुपये है और वर्तमान में इसका निवेश आधार 22,200 करोड़ रुपये से अधिक है। 1975 में स्थापित एनएचपीसी अपनी स्थापना के बाद के 31 वर्षों में भारत में जल विद्युत विकास का प्रमुख संगठन बन गया है। इसके पास पनबिजली परियोजनाओं की परिकल्पना से लेकर उनके चालू होने तक की तमाम गतिविधियों के

संचालन की क्षमता है। एनएचपीसी के पास गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली के लिए आईएसओ 9001 तथा निगम कार्यालयों में पर्यावरण मानकों के लिए आईएसओ 14001 प्रमाणपत्र हैं।

एनएचपीसी के नौ विद्युत स्टेशन कार्य कर रहे हैं जिनकी क्षमता 2,755 मेगावाट है, इसमें मध्य प्रदेश में 1000 मेगावाट क्षमता की इंदिरा सागर परियोजना भी शामिल है। 5103 मेगावाट की क्षमता वाली एनएचपीसी की 10 परियोजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम 520 मेगावाट की ओंकरेश्वर परियोजना स्थापित की जा रही है। एनएचपीसी ने नेपाल में 14.1 मेगावाट क्षमता की देवीघाट परियोजना और भूटान में 60 मेगावाट की कुरिछू परियोजना और अंडमान निकोबार द्वीप में 5.25 मेगावाट को कलिंगपोंग परियोजना का कार्य भी पूरा कर लिया है। इन बिजलीघरों में पैदा की गई बिजली 24 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को दी जाती है।

बड़ी बिजली परियोजनाओं की स्थापना

बिजली मंत्रालय और भारत सरकार ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और वित्त निगम के साथ मिलकर भारत में कोयला आधारित निम्नलिखित बड़ी बिजली परियोजनाओं के विकास की दिशा में पहल की है। इनमें से प्रत्येक की क्षमता 4000 मेगावाट या उससे ज्यादा है—

1. मध्य प्रदेश का सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट-कोलपिटहेड-6660 मेगावाट
2. गुजरात का मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट- तटीय- 5800 मेगावाट
3. आंध्रप्रदेश का कृष्णपतनम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट-तटीय 5800 मेगावाट
4. झारखंड का अल्ट्रामेगा पावर प्रोजेक्ट-कोल पिच्छ- 4000 मेगावाट और
5. छत्तीसगढ़ का मेगा पावर प्रोजेक्ट-कोल पिच्छ 4000 मेगावाट
6. उड़ीसा का अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट-कोल पिच्छ 4000 मेगावाट
7. तमिलनाडु का अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट-कोल पिच्छ 4000 मेगावाट
8. महाराष्ट्र का अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट-तटीय 4000 मेगावाट
9. कर्नाटक का अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट-तटीय 4000 मेगावाट

उक्त अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्टों के ठेके दर पर आधारित प्रतियोगितात्मक बोलियों के जरिए दिए जाने हैं। उक्त नौ विद्युत परियोजनाओं में से चार (म.प्र. में सासन, गुजरात में मुंद्रा, आंध्र प्रदेश में कृष्णपतनम और झारखंड में तिलैया) के ठेके दिए जा चुके हैं और इन्हें प्रतियोगितात्मक बोलियों के आधार पर चुने गए विकासकर्ताओं को सौंपा जा चुका है। मुंद्रा और सासन के मुख्य संयंत्रों के ठेके दिए जा चुके हैं। ये संयंत्र निर्माणाधीन हैं। प्रत्येक 800 मेगावाट वाली मुंद्रा की पहली दो और 600 मेगावाट क्षमता वाली सासन की दो यूनिटों को ग्यारहवीं योजनावधि में शुरू किए जाने की संभावना है।

तीन अन्य अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तमिलनाडु) के लिए स्थलों का चुनाव हो चुका है और विभिन्न अध्ययन किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं के विकासकर्ताओं की चयन प्रक्रिया जल्दी ही शुरू की जाएगी। महाराष्ट्र और कर्नाटक की परियोजनाओं के लिए स्थलों का चयन अभी नहीं हुआ है।

उक्त नौ के अलावा, अन्य राज्यों से भी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्टों के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके नाम हैं—

- (1) उड़ीसा में 4000 मेगावाट के दो अतिरिक्त अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट

- (2) गुजरात में 4000 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा पावर प्राजेक्ट
 (4) आंध्र प्रदेश में 4000 मेगावाट का दूसरा अल्ट्रा मेगा पावर प्राजेक्ट

आंध्र प्रदेश के दूसरे अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए स्थल का चुनाव कर लिया गया है और आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे अनुमोदित कर दिया है। गुजरात और उड़ीसा के अतिरिक्त अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए स्थल का चुनाव करना अभी बाकी है।

जलविद्युत परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी

सरकार ने 1991 में एक नीति की घोषणा की थी जिससे निजी क्षेत्र को ऊर्जा योजनाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई। फरवरी 1995 में यह निर्णय लिया गया था कि 18 फरवरी, 1995 के बाद केंद्रीय बिजली प्राधिकरण (सीईए) ऐसे किसी निजी बिजली परियोजना प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा, जिस परियोजना पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आईसीबी) द्वारा निविदा आमंत्रित न की गई हो। 1991 के बाद से 38 ताप बिजली परियोजनाएं (क्षमता 8049.46 मेगावाट) पूरी की जा चुकी हैं और चालू हो गई हैं। 17,780 मेगावाट क्षमता की 19 ताप बिजली परियोजनाएं निजी क्षेत्र में निर्माणाधीन हैं।

विद्युत अधिनियम 2003 पारित किया जा चुका है जिसके जरिए क्षेत्र के विभिन्न खंडों में प्रवेश की बाधाएं कम कर दी गई हैं। ताप बिजली उत्पादन को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। कैप्टिव उत्पादन की अनुमति होगी। बिजली का पारेषण, वितरण और लेन-देन के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। अखिल भारतीय स्तर पर बिजली का बाजार बढ़ाने के लिए, पारेषण में सीधे पहुंच की व्यवस्था की गई है। वितरण के क्षेत्र में सीधे पहुंच का काम चरणों में किया जाएगा। कानून में एक ही इलाके में एक से ज्यादा वितरण लाइसेंस की इजाजत दी गई है। उत्पादन, पारेषण और वितरण के क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है।

2008 की ताप विद्युत नीति के अनुसार 2011 तक दर आधारित बोली से छूट निजी क्षेत्र को भी दे दी गई है लेकिन वे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अनुमति लेंगे। वितरण लाइसेंसधारकों के साथ विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और जनवरी 2011 से पहले वित्तीय परिसमापन प्राप्त करेंगे। परियोजना स्थल की खरीद पर हुए खर्च की भरपाई करने के लिए विकासकर्ताओं को बिक्री योग्य बिजली के 40% तक को खुले बाजार में बेचने की अनुमति होगी। यदि परियोजना पूरी करने में देर हुई तो यह प्रोत्साहन चरणबद्ध तरीके से कम कर दिया जायेगा। इस परियोजना के अधिकारी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन में भी शामिल होंगे। उनका कार्य क्षेत्र बिजलीघर/बांध के आसपास के दायरे तक आवश्यकतानुसार सीमित होगा। परियोजना अधिकारी परियोजना स्थल के आसपास राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रति राज्य सरकार की 10% जिम्मेदारी संभालेंगे।

विद्युत मंत्रालय निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं पर गहराई से नजर रखती रही है ताकि इनका वित्तीय परिसमापन सही समय पर संभव हो। इसके लिए एक अंतर-संस्थानिक समूह बनाया गया है जिसमें ऋणदाताओं और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। यह समूह इन परियोजनाओं का मूल्यांकन करेगा और इन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा कराएगा। अब तक 11272 मेगावाट क्षमता वाली 16 ताप बिजली परियोजनाओं का परिसमापन कराया जा चुका है और तीन और ताप बिजली परियोजनाओं के शीघ्र परिसमापन के प्रयास चल रहे हैं। इन तीन परियोजनाओं की कुल क्षमता 6508 मेगावाट है।

संगठन

राष्ट्रीय जलविद्युत निगम

एनएचपीसी ने 2755 मेगावाट क्षमता की 9 जलविद्युत परियोजनाएं पूरी कर ली हैं और मध्य प्रदेश में एक परियोजना इंदिरा सागर (1000 मेगावाट) पूरी की है, जो राज्य सरकार के साथ संयुक्त उद्यम है। एनएचपीसी की प्रतिस्थापित क्षमता 5103 मेगावाट की 10 परियोजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम (ओंकारेश्वर-520 मेगावाट) पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा एनएचपीसी ने नेपाल में 14.1 मेगावाट क्षमता की देवीघाट पनबिजली परियोजना, भूटान में 60 मेगावाट क्षमता वाली कुरीछू परियोजना और 5.25 मेगावाट क्षमता वाली कलिंपोंग बिजली परियोजना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डिपाजिट वर्क आधार पर पूरी की है। इन बिजलीघरों में तैयार फालतू बिजली 21 राज्यों/संघशासित प्रदेशों को दी जा रही है।

एनएचपीसी ने उत्तराखंड में 240 मेगावाट की चुंगर चाल, 630 मेगावाट की गरबा तवाघाट और 55 मेगावाट की करमोली लुमती तूली परियोजनाओं को लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। किशनगंगा, निम्नो बाजगो, चुटक, उरी-II, दुलहस्ती, चमेरा-III और तीस्ता बांध परियोजना चरण-IV के लाभकर्ताओं के साथ बिजली खरीदने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तेजी से लागू करने के लिए एनएचपीसी ने सिक्किम सरकार के साथ 495 मेगावाट की तीस्ता चरण-IV और 210 मेगावाट लाचेन पनबिजली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

संगठन ने प्रमुख कारोबार प्रक्रिया को जोड़ने के लिए उद्यम संसाधन योजना सॉफ्टवेयर समाधान ढांचा लागू करने के लिए मुख्य रूप से पहल की है ताकि काम की गुणवत्ता, अधिक लाभ और बेहतर कामकाज का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

राष्ट्रीय ताप बिजली निगम

राष्ट्रीय ताप बिजली निगम (एनटीपीसी) की स्थापना देश में ताप बिजली के नियोजन, प्रोत्साहन एवं विकास के उद्देश्य से नवंबर 1975 में की गई थी। कंपनी का दोबारा नामकरण किया गया है और इसे एनटीपीसी लिमिटेड नाम दिया गया है। कंपनी के बिजनेस पोर्टफोलियो में परिवर्तनों से कंपनी ताप बिजली उत्पादक से एक समग्र बिजली कंपनी बन गई है।

रत्नागिरि गैस और बिजली संयंत्र प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 8 जुलाई, 2005 को एनटीपीसी, गेल, एमएसईबी और भारतीय वित्त संस्थानों के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में की गई ताकि तत्कालीन दाभोल बिजली कंपनी की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया जा सके, परियोजना को पूरा और इसे चालू किया जा सके। एनटीपीसी ने इस परियोजना में 500 करोड़ रुपये 28.33 प्रतिशत इक्विटी के रूप में निवेश किए हैं।

एनटीपीसी हिमाचल प्रदेश में 800 मेगावाट की अपनी पहली कोलदम पनबिजली परियोजना को चालू कर रही है। एनटीपीसी ने 600 मेगावाट की लोहारीनाग-पाला, 520 मेगावाट की तपोवन-विष्णुगढ़ परियोजना और 260 मेगावाट की रूपसियाबागर-खसियाबाड़ा पनबिजली परियोजना को लागू करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा एनटीपीसी की सहायक एनटीपीसी हाइड्रो लिमिटेड ने भी 171 मेगावाट की लता-तपोवन परियोजना और 120 मेगावाट की रम्माम-III परियोजना को लागू कराने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

एनटीपीसी लिमिटेड, कैनोरो रिसोर्स लिमिटेड और जियो पेट्रोल इंटरनेशनल को मिलाकर बने एक संघ को अरुणाचल प्रदेश में एक तेल खोज खंड आर्बटिंट किया गया है। इस खंड के लिए भारत सरकार और संघ के बीच उत्पादन हिस्सेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत सरकार ने एनटीपीसी को पाकरी-बरवाडीह कोयला खदान खंड आर्बटिंट किया है और एनटीपीसी ने इसके विकास के लिए काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने उसे 7 और कैप्टिव कोयला खदान खंड आर्बटिंट किए हैं। इन खंडों से प्रतिवर्ष 5 करोड़ टन कोयला उत्पादन होने की उम्मीद है। उड़ीसा में ब्राह्मणी और शिकरो पटसीमल खंडों को एनटीपीसी और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच 50:50 के संयुक्त उद्यम के जरिए विकसित किया जाएगा।

अपने विविधकरण अभियान के तहत एनटीपीसी ने अनेक संयुक्त उद्यम कंपनियों की स्थापना की जैसे : 240 मेगावाट की कुल क्षमता वाले दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों के कैप्टिव बिजली संयंत्रों को चलाने के लिए एनटीपीसी—सेल बिजली आपूर्ति कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड (एनएसपीएससीएल), सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र में 74 मेगावाट के कैप्टिव बिजली संयंत्र को चलाने के लिए भिलाई बिजली आपूर्ति कंपनी लिमिटेड (बीईएससीएल), 500 मेगावाट (2 x 250 मेगावाट) की विस्तारित भिलाई कैप्टिव बिजली परियोजना को भी चालू कर रही है। भारत और विदेश में बिजली संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण (आर और एम) कार्यों को हाथ में लेने के लिए एनटीपीसी आल्सटम बिजली सेवा लिमिटेड (एनएसएसएल) है, बिजली और अन्य क्षेत्रों में निर्माण और परियोजना प्रबंधन का कार्य करने के लिए यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड (यूपीएल), तमिलनाडु में एन्नौर बंदरगाह की ढांचागत सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए एन्नौर में 1000 मेगावाट क्षमता के कोयला आधारित बिजलीघर की स्थापना के लिए एनटीपीसी तमिलनाडु ऊर्जा कंपनी लिमिटेड (एनटीईसीएल), रत्नागिरी परियोजना (तत्कालीन दाभोल परियोजना) में नयी जान डालने/दोबारा शुरू करने के लिए रत्नागिरी गैस और बिजली प्राइवेट लिमिटेड(आरजीपीपीएल)।

एनटीपीसी ने अपने पूरे स्वामित्व वाली कई सहायक कंपनियां स्थापित की हैं : बिजली के लेन-देन के लिये एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन), एनवीवीएन भारत में बिजली के आदान-प्रदान के विकास के काम में भी लगी है; एनटीपीसी बिजली आपूर्ति कंपनी लिमिटेड (एनईएससीएल) बिजली वितरण का काम करेगी; एनटीपीसी हाइड्रो लिमिटेड (एनएचएल) 250 मेगावाट से कम क्षमता की छोटी और मझोली पनबिजली परियोजनाओं के विकास के लिए, पीपाराव में 1000 मेगावाट की ताप बिजली परियोजना की स्थापना के लिए पिपावा बिजली विकास कंपनी लिमिटेड (पीपीडीसीएल)।

एनटीपीसी ने भारतीय बिजली क्षेत्र के विकास के लिए सेवाएं प्रदान करके अपनी सफलता और अनुभव के लाभ बांटे हैं। एनटीपीसी ने सहायक कंपनियों के कई कार्यक्रमों में भाग लिया जैसे:

- (i) त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (एआरईपी)—जिसका राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना नाम से बाद में गांवों और घरेलू विद्युतीकरण कार्यक्रम के साथ विलय हो गया। इसके अंतर्गत एनटीपीसी 6 राज्यों के 40,000 गांवों में विद्युतीकरण के कार्यान्वयन में लगा हुआ है।
- (ii) वितरण सुधार और उच्चीकरण प्रबंधन (डीआरयूएम)—बिजली मंत्रालय और यूएसएड का एनटीपीसी बिजली प्रबंधन संस्थान (पीएमआई) के साथ वितरण के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम देने के लिए एक प्रमुख सहयोगी के रूप में मिलाजुला प्रयास है।
- (iii) एपीडीआरपी (वितरण)—12 राज्यों में वितरण क्षेत्र के सुधार का लक्ष्य रखते हुए एपीडीआरपी

कार्यक्रम को लागू करने के लिए एनटीपीसी की प्रमुख सलाहकार और परामर्शदाता (एसीसी) के रूप में पहचान की गई है। इनमें से 6 राज्यों की जिम्मेदारी सीधे एनटीपीसी को दी गई है और शेष 6 एसीसी—सीपीआरआई और मेकन (एमईसीओएन) के जरिए होगी।

- (iv) श्रेष्ठता में भागीदारी—सीईए ने 26 बिजलीघरों का पता लगाया है जो 40 प्रतिशत से कम के पीएलएफ पर संचालन कर रहे हैं। इन बिजलीघरों की बेहतर काम करने वाली जनोपयोगी यूटीलिटियों के साथ 'श्रेष्ठता में भागीदारी' होगी, ताकि कम-से-कम समय में काम में सुधार के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। एनटीपीसी ने 26 में 14 स्टेशनों की जिम्मेदारी ली है।
- (v) एसईबी के बिजलीघरों की आर और एम — 10वीं योजना में 75-80 प्रतिशत पीएलएफ और 20 वर्ष के विस्तार का 11.055 मेगावाट की क्षमता का लक्ष्य हासिल करने के लिए आर और एम पर ध्यान दिया गया। एनटीपीसी ने इनमें से कुछ के आर एवं एम कार्य संभालने की जिम्मेदारी ली है।

भारतीय बिजली ग्रिड निगम लिमिटेड

भारतीय बिजली ग्रिड निगम लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) को 23 अक्टूबर, 1989 को विभिन्न क्षेत्रों के भीतर तथा उनके बीच बिजली के हस्तांतरण के लिए क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय बिजली ग्रिड की स्थापना एवं उसका संचालन करने हेतु सरकारी प्रतिष्ठान के रूप में गठित किया गया था। भारत सरकार ने इसे 1 मई, 2008 को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है।

31 मार्च, 2009 को पावरग्रिड 71,500 सर्किट कि.मी. लंबी ट्रांसमिशन क्षमता वाली ट्रांसमिशन लाइनों का संचालन कर रहा था। इसके अंतर्गत 765 कि.वा. की 2396 सर्किट किमी. एच.वी.डी.सी. प्रणाली की 4,368 सर्किट किमी. लाइनें, 400 कि.वोल्ट. की 54,428 सर्किट किमी. लाइनें, 220 कि.वोल्ट. की 7,977 सर्किट किमी. लाइनें, 132 कि.वोल्ट. की 2,241 सर्किट किमी. लाइनें तथा 66 कि.वोल्ट. की 37 सर्किट किमी. लाइनों के साथ-साथ 79,500 एम.वी.ए. ट्रांसमिशन क्षमता वाले 120 उपकेंद्र भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिता मानकों के अनुरूप सर्वोच्च स्तर के संचालनात्मक एवं अनुरक्षण उपायों द्वारा लगातार 99 प्रतिशत से अधिक की ट्रांसमिशन क्षमता उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में देश में उत्पादित कुल बिजली के लगभग 45 प्रतिशत भाग को पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा पारेषण किया गया है।

क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों के एकीकृत, समन्वित और संयुक्त रूप से संचालन, नियंत्रण तथा निगरानी के लिए भारतीय विद्युत प्रणाली के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वोत्तर, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में एकीकृत लोड डिस्पैच और संचार व्यवस्था कायम की गई है। पावरग्रिड ने क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटरों को एकीकृत लोड डिस्पैच स्कीमों से आधुनिक बना दिया है और उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वोत्तर और पश्चिमी—सभी ग्रिडों में यह व्यवस्था है। पूर्वी क्षेत्र में अधिकतर भौतिक गतिविधियां पूर्ण हो चुकी हैं और स्थल स्वीकृति परीक्षण का कार्य चल रहा है। इसके अलावा बहुत कम समय में नेशनल ग्रिड के अबाध संचालन और गैर आबादी क्षेत्रों के बीच बिजली के मुक्त आदान-प्रदान के लिए, दिल्ली में नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर स्थापित किया गया है जो यह सुनिश्चित करने वाला सर्वोच्च निकाय है कि राष्ट्रीय ग्रिड व्यवस्था में एकीकृत संचालन होता रहे।

निगम ने अपने एकीकृत लोड डिस्पैच सेंटरों में उपलब्ध दूरसंचार संबंधी बकाया क्षमता का उपयोग करने तथा अपनी देशव्यापी पारेषण अवसंरचना का फायदा उठाने के लिए दूरसंचार के कारोबार में भी अपने काम का विस्तार किया है। उसने 1000 करोड़ रुपये की लागत से देश के महानगरों और

सभी राज्यों की राजधानियों सहित करीब 60 प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए 20,000 किलोमीटर लंबा दूरसंचार नेटवर्क स्थापित किया है। उसने चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बंगलूरु, हैदराबाद को इस प्रणाली से जोड़ा है। इसके साथ ही, उसने जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों को भी संयोज्यता प्रदान की है। पावरग्रिड ने मूल सुविधा प्रदाता वर्ग-2 का लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। उसने इंटरनेट सेवा प्रदाता वर्ग ए और राष्ट्रीय लांग डिस्टेंस आपरेटर का भी लाइसेंस लिया है और ग्राहकों को विविध सेवाएं प्रदान कर रहा है।

त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पी.जी.सी.आई.एल. को सलाहकार एवं परामर्शदाता की भूमिका सौंपी गई है। इसके अनुसार यह करीब 6,600 करोड़ रुपये की लागत से 18 राज्यों में 177 वितरण सर्किलों/शहरों/योजनाओं के विकास के लिए अपनी प्रबंधकीय तथा तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराएगा। उसकी अधिकांश परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं। निगम ने गोवा, बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और गुजरात जैसे राज्यों के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत डिपोजिट कार्य आधार और द्विपक्षीय आधार पर 1100 करोड़ रुपये की एडीपीआरपी योजनाओं का कार्यान्वयन शुरू किया है। इनमें से अनेक परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत पावरग्रिड ने रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन, राज्य सरकार और राज्य विद्युत संगठन के साथ एक समझौता किया है जिसके अंतर्गत देश में ग्राम विद्युतीकरण का काम शुरू किया जाएगा। उसे 68 जिलों के लगभग 4,000 गांवों में 64,000 करोड़ रुपये के व्यय से ग्राम विद्युतीकरण का काम सौंपा गया है। इसके परिणामस्वरूप पावरग्रिड ने दसवीं योजनावधि में स्वीकृत 31,566 में से 30,000 गांवों में बुनियादी सुविधाएं जुटा दी गई हैं। बाकी का काम भी मार्च 2010 तक पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। ग्यारहवीं योजना के दौरान स्वीकृत 33 जिलों के 43,670 गांवों में भी अधिकांश में परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड

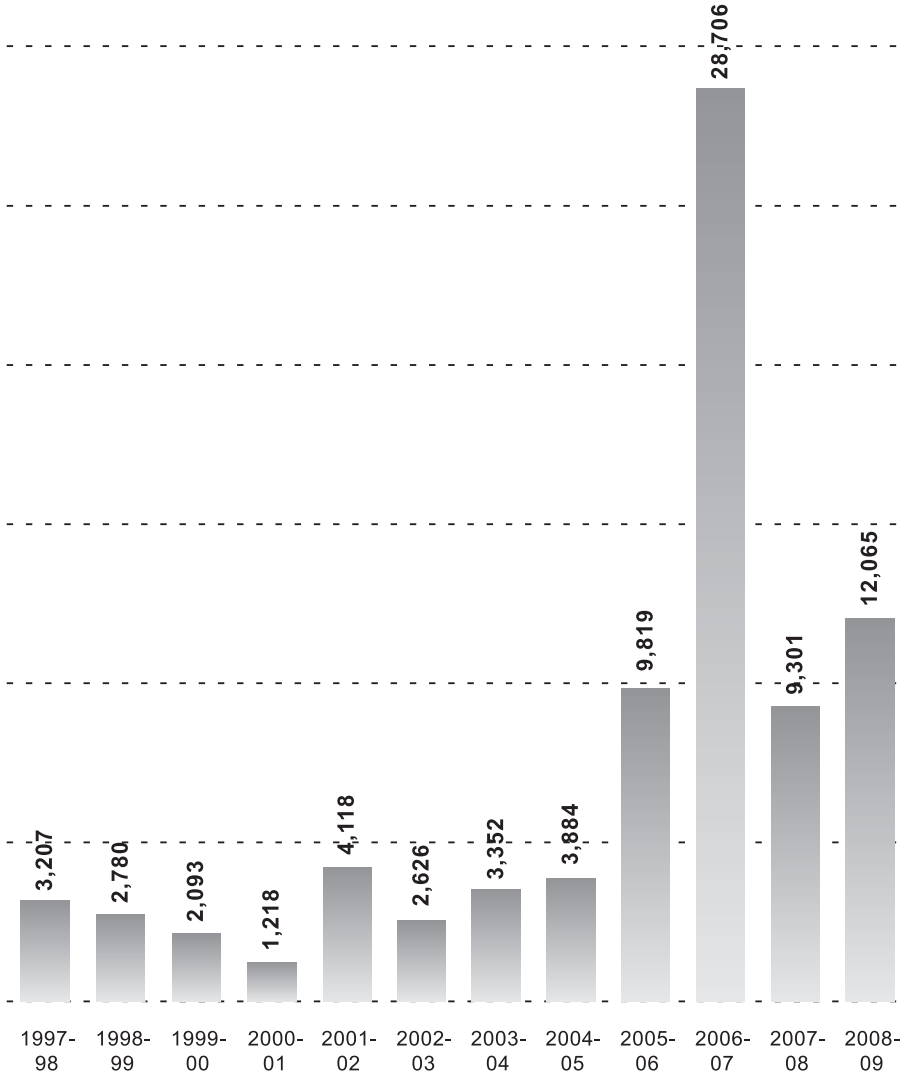
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आर.ई.सी.) की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 1969 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य देश की ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को वित्त उपलब्ध कराना है। आर.ई.सी. का वर्तमान लक्ष्य ग्रामीण एवं अर्द्ध-नगरीय जनसंख्या के त्वरित विकास एवं जीवन स्तर में सुधार के लिए देश में बिजली के उत्पादन, बिजली की बचत, ट्रांसमिशन तथा इसकी वितरण प्रणाली के लिए परियोजनाओं को बढ़ावा देना एवं उनको वित्तीय सहायता देने वाले एक प्रतियोगी, पर्यावरण एवं ग्राहक हितैषी एवं विकासोन्मुखी संगठन के रूप में कार्य करना है।

उद्देश्य

(1) समन्वित प्रणाली सुधार, विद्युत उत्पादन, विकेंद्रित और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन, ऊर्जा संरक्षण, रख रखाव तथा अनुरक्षण, पंपसेटों को बिजली उपलब्ध कराने के विशेष उद्देश्य से विद्युत वितरण, सभी गांवों और घरों के विद्युतीकरण की भारत सरकार की योजना को लागू करना तथा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में इसी तरह के अन्य कार्यों से संबंधित परियोजनाओं का विनियोग और उन्हें प्रोत्साहन देना, (2) अन्य संबद्ध क्षेत्रों और गतिविधियों, जैसे विकेंद्रित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल, परामर्श सेवा, विद्युत पारेषण, उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली, नवीकरण, अनुरक्षण और आधुनिकीकरण के माध्यम से दूर-दराज के पहाड़ी, रेगिस्तानी इलाकों, जनजातीय व अन्य दुर्गम इलाकों सहित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की

ग्रामीण विद्युतीकरण

विद्युतीकृत गांव (संचायी)



KBK

*राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, अप्रैल 2005 से प्रभावी

विश्वसनीयता को ऊंचे स्तर पर बनाए रखना, (3) विभिन्न स्रोतों से धन की व्यवस्था करना (जैसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां), और राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों, बिजली संगठनों, ग्रामीण विद्युत सहकारिताओं, गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के भवन निर्माताओं को ऋण उपलब्ध कराना, (4) सामूहिक लक्ष्यों को पूरा करते हुए आर्थिक और वित्तीय लाभ दर को बेहतर बनाने के लिए (i) बिजली ढांचा स्थापित करना, (ii) बिजली लोड विकास, (iii) ग्रामीण और शहरी इलाकों का त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास और (iv) टेक्नालॉजी को उन्नत करना, (5) संगठन के भीतर और व्यावसायिक सहयोगियों के साथ आपसी विश्वास और आत्मसम्मान के जरिए ग्राहक की संतुष्टि और उपभोक्ता के हितों की रक्षा, संचालन और आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए लगातार सुधार लागू करना, (6) आर्थिक/वित्तीय दृष्टि से व्यावहारिक योजनाओं को लागू करने और ग्रामीण और शहरी इलाकों में विकास की गति को तेज करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/जनोपयोगी सेवाओं, राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारिताओं और अन्य कर्जदारों को तकनीकी मार्गदर्शन, परामर्शदात्री सेवाएं और प्रशिक्षण सुविधाएं देने में सहायता करना।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली संबंधी आधारभूत ढांचे और घरों में बिजली उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल 2005 में 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना' राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शुरू की गई। इसमें पांच साल में सभी ग्रामीण परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। यह योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से लागू की जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी दी जाएगी : (1) प्रत्येक विकास खंड में राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली से समुचित रूप से संबद्ध 31/11 किलो वोल्ट (या 66/11 किलोवोल्ट) लाइन पर आधारित ग्रामीण विद्युत वितरण आधारतंत्र का निर्माण; (2) बिजली से वंचित सभी गांवों/बस्तियों के लिए ग्राम विद्युत अवसंरचना का निर्माण तथा हर गांव/बस्ती में उपयुक्त क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था; (3) ऐसे गांवों/बस्तियों के लिए जहां ग्रिड से विद्युत आपूर्ति किफायती नहीं है और जहां अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से बिजली उपलब्ध नहीं करा रहा है, वहां परंपरागत स्रोतों से बिजली के विकेंद्रित स्वतंत्र उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था।

इस योजना में अन्य बातों के अलावा कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अनुसार सभी ग्रामीण बस्तियों में 100 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी से गरीबी रेखा से नीचे के सभी बिजली रहित आवासों के विद्युतीकरण के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना पूंजी-सब्सिडी प्राप्त करने के लिए तभी पात्र होगी जब राज्य सरकार इस बारे में पहले वादा करेगी, इसके बाद ही ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। राज्य सरकार को यह वादा करना होगा कि : (1) इस योजना के तहत वित्त पोषित ग्राम विद्युत वितरण परियोजना के प्रबंधन के लिए फ्रेंचाइजी की व्यवस्था की जाएगी। (2) विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार राज्य विद्युत संगठनों को आवश्यक राजस्व सब्सिडी दी जाएगी।

राज्यों को भी बिजली आपूर्ति का काफी इंतजाम करना होगा तथा शहरी व ग्रामीण घरों में बिजली आपूर्ति के घंटों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समूचा देश इस योजना के दायरे में है और धनराशि भेजी गई परियोजना को स्वीकृति मिलने के बाद ही जारी की जाएगी। अनुमान है कि समूची योजना के

लिए 16,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में लागू करने के लिए स्वीकृत पहले चरण के लिए केंद्र सरकार ने पूंजी सब्सिडी के रूप में 5,000 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

भारत सरकार ने इस योजना को ग्यारहवीं योजनावधि में जारी रखने की स्वीकृति दे दी है। इसके अंतर्गत सभी आवासों को 2009 तक बिजली सुलभ कराने, लगभग 1.15 लाख अविद्युतीकृत गांवों को बिजली देने, लगभग 2.34 लाख गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को कनेक्शन देने के लिए 28,000 करोड़ की सब्सिडी देने की व्यवस्था की है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2008 तक आरईसी 613 परियोजना प्रस्ताव मिले जिनमें से 551 परियोजनाएं रुपये 25275.63 करोड़ की अनुमानित लागत पर अनुमोदित की गईं। इनमें 235 परियोजनाएं दसवीं योजनावधि की थीं। अनुमोदित परियोजनाओं में 114747 अविद्युतीकृत गांव और 242.17 लाख बीपीएल सहित 402.26 लाख आवास शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत 8660.15 करोड़ रुपये राज्यों को जारी किए जा चुके हैं।

इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2008 तक 27.72 लाख ग्रामीण आवासों और 47826 अविद्युतीकृत गांवों को बिजली दी जा चुकी है। इनमें 22.93 लाख बीपीएल आवास शामिल हैं।

राष्ट्रीय ग्रिड

देश में राष्ट्रीय ग्रिड का विकास चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है जो मांग विकास/विद्युत उत्पादन के अनुरूप हो ताकि उत्पादन संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और बिजली व्यवस्था के संचालन में सुरक्षा और विश्वसनीयता लाई जा सके। इस योजना के अनुसार अनेक अंतरक्षेत्रीय योजनाएं शुरू की गईं। जो कार्यान्वित की जा रही हैं/पावरग्रिड द्वारा नियोजित की जा रही हैं। वर्ष 2008-09 के अंत तक 20,800 मेगावाट हस्तांतरण क्षमता का राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित किया जा चुका है। इस समय उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र एक सिंक्रोनामस ग्रिड की तरह काम कर रहे हैं और दक्षिणी क्षेत्र इससे एक सिंक्रोनामस मोड में जुड़ा हुआ है।

विभिन्न अंतरक्षेत्रीय संपर्कों को कार्यान्वित करने के साथ राष्ट्रीय ग्रिड को सुदृढ़ किया जा रहा है। 2012 तक राष्ट्रीय ग्रिड की अंतरक्षेत्रीय विद्युत हस्तांतरण क्षमता बढ़ाकर 38,000 मेगावाट कर दिए जाने का कार्यक्रम है।

पावरग्रिड के सुदृढ़ पारेषण तंत्र और आधुनिकीकृत आरएलडी ने वास्तविक आधार पर देशभर में विद्युत आदान-प्रदान को अनेक गुना अधिक किया है। वर्ष 2008-09 के दौरान देशभर में लगभग 46,000 यूनिट बिजली का अंतरक्षेत्रीय आदान-प्रदान से कमी वाले क्षेत्रों में बिजली की मांग पूरी करने में सहायता मिली और किफायत भी हुई। इस प्रकार पावर ग्रिड देशभर में बिजली का आदान-प्रदान सरल बना रहा है और वह उपलब्ध पारेषण सुविधाओं का सदुपयोग कर रहा है।

विद्युत वित्त निगम (पीएफसी)

विद्युत वित्त निगम (पावर फाइनेंस कारपोरेशन—पीएफसी) विद्युत क्षेत्र का अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र का वित्तीय संस्थान और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए निधि और गैर निधि आधारित वित्तीय सहायता देती है। यह भारत सरकार की विद्युत विकास योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विद्युत क्षेत्र में निवेश का माध्यम है तथा विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए एक समर्पित एजेंसी के रूप में काम करता है।

पीएफसी शिड्यूल-ए वित्तीय सेवा क्षेत्र की नवरत्न कंपनी है, जिसका प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार के हाथ में है। इसमें 89.78% शेयरधारिता भारत सरकार की है। इसका पंजीकृत कारपोरेट कार्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 16 जुलाई, 1986 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत में बिजली परियोजनाओं की निधियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए भारत सरकार की पहल पर की गई। इसका उद्देश्य बिजली परियोजनाओं को वित्तीय संसाधन प्रदान करना और बिजली तथा संबद्ध क्षेत्रों में पूंजी निवेश बढ़ाना था ताकि यह निगम एक उत्प्रेरक की भांति कार्य कर सके और वित्तीय, तकनीकी और प्रबंधकीय क्षेत्रों में ऋण प्राप्तकर्ताओं के कार्यों में संस्थानिक सुधार आए, उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव हो, प्रतियोगी दरों पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से संसाधन जुटाए जा सकें, कौशल का उच्चीकरण संभव हो, बिजली क्षेत्र का कुशलतापूर्ण विकास हो और कुशल संचालक के जरिए प्रतिलाभ की दर अधिकतम की जा सके तथा बिजली क्षेत्र में नवाचारी लिखतों और सेवाओं की शुरुआत की जा सके।

पीएफसी बिजली क्षेत्र की अपनी व्यापक जानकारी और वित्तीय विशेषज्ञता का इस्तेमाल ग्राहकों को उनकी आवश्यकतानुसार सेवाएं प्रदान करता है। इसके अलावा वह अपनी अनुषंगी—पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के जरिए तकनीकी, प्रबंधकीय और परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है। पीएफसी के ग्राहकों में राज्यों के बिजली यूटिलिटीज, केंद्रीय और प्राइवेट सेक्टर के ऋण प्राप्तकर्ता शामिल हैं। ये ग्राहक भारत के विभिन्न क्षेत्रों से संबद्ध हैं जिनमें विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण तथा अन्य गतिविधियां शामिल हैं।

पीएफसी की प्राथमिकताओं में सिर्फ विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण परियोजनाएं ही नहीं बल्कि इन्हीं गतिविधियों के लिए समूह वित्त पोषण भी शामिल है। साथ ही, यह विद्युत उपकरण निर्माताओं, ईंधन उत्पादकों, नवीकरणीय ऊर्जा और सीडीएम और पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड (पीईसीएवी) के जरिए इक्विटी फंडिंग भी करता है।

पीएफसी की दीर्घावधि उधार कार्यक्रम को मूडे ने 'बीएए-3' स्टैंडर्ड एंड पूअर ने 'बीबीबी', फिच ने 'बीबीबी' रेटिंग दी है जो कि भारत की रेटिंग के समतुल्य है। पीएफसी को क्राइसिल और इकरा ने क्रमशः 'एएए' और 'एलएएए' रेटिंग दी है।

निष्पादन की खास बातें

अपनी स्थापना के बाद से पीएफसी ने अपनी परिसंपत्तियों में लगातार वृद्धि दिखाई है। यह विद्युत क्षेत्र का अग्रणी वित्तीय संस्थान है और इसकी स्वीकृतियां संचयी रूप से 2,33,715 करोड़ रुपये और संवितरण 1,13,120 करोड़ रुपये हो गया है। इसका ऋण संपत्ति आधार 31 मार्च, 2009 को 64,429 करोड़ रुपये और नेटवर्थ 9,605 करोड़ रुपये थी।

सरकारी योजनाओं की नोडल एजेंसी

विद्युत क्षेत्र की योजनाओं के लिए पीएफसी प्रमुख एजेंसी है। इसने पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम, त्वरित विद्युत उत्पादन एवं सप्लाई कार्यक्रम, वितरण सुधार, उच्चीकरण एवं प्रबंधन तथा विकेंद्रीकृत प्रबंधन के द्वारा विद्युत आपूर्ति जैसे कार्यक्रम लागू किए हैं/कर रहा है। भारत सरकार ने पीएफसी को प्रतियोगितात्मक बोली प्रक्रिया के आधार पर अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट विकसित करने की नोडल एजेंसी बनाया है। ऐसी हर यूनिट की क्षमता 4,000 मेगावाट होगी और इनमें 20,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। इस उद्देश्य से पीएफसी ने स्पेशल पर्पज वेहिकल के रूप में अनुषंगी

कंपनियां गठित की हैं जो पूर्व निर्धारित अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्टों का विकास करेंगी। अब तक पीएफसी प्रतियोगितात्मक बोली प्रक्रिया के अंतर्गत चार अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बनाने के ठेके दिए हैं।

पीएफसी स्वतंत्र परिषद परियोजनाओं के विकास की भी नोडल एजेंसी है। इसका ठेका भी दर आधारित प्रतियोगितात्मक बोली के आधार पर दिया जाना है। पीएफसी इस समय ऐसी एक परियोजना के लिए काम कर रहा है।

विद्युत ऋणदाता क्लब

पीएफसी ने एक विद्युत ऋणदाता क्लब की स्थापना की है। इसमें 18 बैंक और हडको और एलआईसी जैसे बड़े वित्तीय संस्थान शामिल हैं।

विद्युत आदान-प्रदान

पीएफसी पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड की अंशपूंजी में भागीदार है। इस कंपनी को एनएसई और एनसीडीईएक्स ने प्रमोट किया है। इसमें पीएफसी पूंजी भागीदारी 7% तक हो सकती है जो 1.75 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी। पीएफसी ट्रेडिंग मेंबर्स की सहायता के लिए इसमें प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर है।

उक्त के अलावा पीएफसी ने एनटीपीसी, एनएचपीसी और टीसीएस के साथ मिलकर 'नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड' प्रमोट किया है। यह कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक कंपनी है जिसकी प्राधिकृत पूंजी 50 करोड़ रुपये है। इसकी 16.66% अंशपूंजी पीएफसी के पास होगी। इस कंपनी ने अभी काम शुरू नहीं किया है।

पावर एक्सचेंज की बिजली की इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग के रूप में राष्ट्रव्यापी उपस्थिति होगी। पावर एक्सचेंज, पावर ट्रेडिंग के अलावा ट्रांसमिशन क्लियरिंग का भी काम करेगा। यह अपने सदस्यों को विद्युत व्यापार का एक पारदर्शी, तटस्थ और कुशल इलेक्ट्रानिक मंच प्रस्तुत करेगा।

सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड

एसजेवीएन के बारे में

सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएन—पूर्व में एनजेपीसी) की स्थापना 24 मई, 1988 को भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में की गई। इसमें क्रमशः 75:25 पूंजी लगी हुई है। इसका उद्देश्य जलविद्युत परियोजनाओं का नियोजन, अन्वेषण, आयोजन, निष्पादन, संचालन और अनुरक्षण करना है। यह एक शिड्यूल 'ए' की मिनीरल कंपनी है। एसजेवीएन की मौजूदा प्राधिकृत अंशपूंजी 4500 करोड़ रुपये है।

एसजेवीएन आधुनिकतम टेक्नालाजी का इस्तेमाल करके विश्वसनीय और पर्यावरण हितैषी ढंग से बिजली उत्पादन करने के प्रति वचनबद्ध है। इंजीनियरी श्रेष्ठता और गुणवत्ता में निरंतर सुधार इसके लक्ष्य हैं यह एक सूचना टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसने श्रेष्ठ व्यापार वित्तीय और विनियामक नीतियां अपनाई हैं।

एसजेवीएन की परियोजनाएं

एसजेवीएन ने 1500 मेगावाट की नाथपा-झाकड़ी जलविद्युत परियोजना का निर्माण किया है। उसके पास

इस विषय की अधुनातन टेक्नोलाजी ही नहीं बल्कि हिमालयी भूविज्ञान की जानकारी भी है। इसने हर आकार की पनबिजली परियोजना के विकास की क्षमता विकसित कर ली है।

नई परियोजना का काम लेकर निगम के विस्तार के उद्देश्य से इस कारपोरेशन ने अपना आधार बढ़ाया है। पहले जहां इसके पास एक ही परियोजना थी वहीं अब इसके पास कई परियोजनाएं हैं और पहले जहां इसका कार्यक्षेत्र एक राज्य तक सीमित था, वहीं अब इसकी भारत भर में मौजूदगी है। अब इसने नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी राज्यों में भी पैर जमा लिए हैं।

एसजेवीएन के विवरण निम्नलिखित चार्ट में दर्शाए गए हैं—

क्रम सं.	परियोजना विवरण	राज्य	क्षमता
ए	संचालनाधीन		
1.	नाथपा झाकड़ी जलविद्युत संयंत्र	हिमाचल प्रदेश	1500
बी	निर्माणाधीन		
1.	रामपुर जलविद्युत परियोजना**	हिमाचल प्रदेश	412
सी	सर्वेक्षण एवं अन्वेषणाधीन		
सी1	भारत में परियोजनाएं		
1.	लुहरी जलविद्युत परियोजना**	हिमाचल प्रदेश	775
2.	खाब जलविद्युत परियोजना	हिमाचल प्रदेश	1020
3.	देवसारी जलविद्युत परियोजना (चरण-1)**	उत्तराखंड	252
4.	नैटवाड़ मोरी जलविद्युत परियोजना**	उत्तराखंड	59
5.	जाखोल संकरी जलविद्युत परियोजना**	उत्तराखंड	45
6.	धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना**	हिमाचल प्रदेश	40
सी2	नेपाल में प्रतियोगी बोलियों के जरिए प्राप्त परियोजनाएं		
1.	अरुण-3 जलविद्युत परियोजना #	नेपाल	402
सी3	डीपीआर तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई परियोजना		
1.	कोलोंगचू जलविद्युत परियोजना	भूटान	486
2.	वांग्चू जलविद्युत परियोजना	भूटान	900
कुल (बी+सी)			4391

*बीओओएम आधार पर निष्पादन के लिए एसजेवीएन को आबंटित परियोजनाएं

बीओओटी आधार पर एसजेवीएन को आबंटित परियोजनाएं

1500 मेगावाट की एनजेएचपीएस से उत्पादन

एसजेवीएन इस समय 1500 मेगावाट क्षमता वाली एनजेएचपीएस का संचालन कर रहा है। पिछले पांच वर्षों के दौरान इस परियोजना से उत्पादित बिजली के विवरण इस प्रकार हैं—

क्रम सं.	वर्ष	सकल विद्युत उत्पादन मिलियन यूनिट में
1.	2004-05	5147.342
2.	2005-06	4104.422
3.	2006-07	6014.480
4.	2007-08	6448.970
5.	2008-09	6608.693

उक्त विवरण के अनुसार बिजली उत्पादन सतलज नदी में गाद की समस्या हल करके और पानी के अंदर की मशीनों में हार्डकोटिंग करके तथा अन्य नवाचारी तरीके अपनाकर किए गए। इन नए उपायों में जलाशय की फ्लशिंग आवक में पैन्लों को खाली करने के प्रावधान आदि शामिल हैं।

पिछले पांच वर्षों में एसजेवीएन का वित्तीय निष्पादन इस प्रकार रहा—

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	कुल आय	1120.99	1391.79	1665.76	1582.21	1825.83 *
2.	निबल लाभ	298.43	498.21	732.71	764.51	946.96 *
3.	भारत सरकार/हि.प्र. सरकार को अदा लाभांश	143.16	159.43	235.00	244.00	110 अंतरिम

*अलेखापरीक्षित

रामपुर पनविद्युत परियोजना के निष्पादन से एसजेवीएन कम कार्बन उत्सर्जन के रास्ते पर

रामपुर पनबिजली परियोजना के निष्पादन से यह निगम सीडीएम परियोजना का निर्माण करके कार्बन वित्त प्राप्त करेगा। प्रारंभिक अनुमानों से पता चलता है कि इस परियोजना के परिणामस्वरूप हर वर्ष 1.4 मिलियन उत्सर्जन में कमी आ सकेगी, जिससे 14 लाख टन ऑक्सीजन की वार्षिक बचत हो पाएगी।

एसजेवीएन की पर्यावरण चिंता और राहत तथा पुनर्वास

एसजेवीएन सदैव पर्यावरण एवं राहत-पुनर्वास मुद्दों के प्रति जागरूक रहा है। इन मुद्दों पर उसने विशेष नीति अपनाई है जो इस कंपनी की सतत विकास के प्रति वचनबद्धता जाहिर करती है। ऐसा विकास जो पर्यावरण का ध्यान रखे और जो जीवन की गुणवत्ता सुधारने में सहायक हो।

पर्यावरण रक्षा में उल्लेखनीय योगदान के लिए एसजेवीएन को ग्रीन टेक पुरस्कार और गोल्डन पीकाक ईको इन्नोवेशन पुरस्कार मिल चुके हैं।

परामर्शदात्री सेवाएं

सतलज जलविद्युत निगम को निगम और परियोजना की योजना तैयार करने, डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, प्रबंधन, उसे शुरू करने, ठेका प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन और भारत की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना के व्यावसायिक प्रबंधन का अनुभव है। इस विशेषज्ञता और अनुभव का उपयोग करने के लिए एक परामर्शदात्री डिवीजन स्थापित किया गया है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को परामर्श सेवाएं देगा।

राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान

राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी है और यह पिछले चार दशकों से विद्युत क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए काम करती रही है।

फरीदाबाद में अपने निगमित कार्यालय के साथ यह देशभर में आठ संस्थान चला रहा है। इसके पांच क्षेत्रीय संस्थान नेवेली (तमिलनाडु), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), बदरपुर (नई दिल्ली), नागपुर

(महाराष्ट्र) और गुवाहाटी (असम) में स्थित हैं। इसके दो विशेषज्ञता केंद्र—पावर सिस्टम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और हाट लाइन ट्रेडिंग सेंटर बंगलूरु में हैं। फरीदाबाद (हरियाणा) में एक सेंटर फार एडवांस मैनेजमेंट एंड पावर स्टडीज चल रहा है। एनपीटीआई (एनई-आर) इस समय अपने अस्थायी स्थान—नारंगी कांप्लेक्स, असम राज्य बिजली बोर्ड से काम कर रहा है। भारत सरकार द्वारा पूरे प्रशिक्षण संस्थान की हैसियत प्राप्त 18.29 करोड़ रुपये की लागत से गुवाहाटी के काहिलीपाड़ा में बनकर तैयार होने वाला है। भारत सरकार ने नांगल में 14.75 करोड़ रुपये की लागत से एक हाइड्रो पावर ट्रेनिंग सेंटर बनाने की योजना बनाई है।

एनपीटीआई के संस्थान हार्डटेक बुनियादी सुविधाओं से लैस हैं और उनमें तकनीकी और प्रबंधन संबंधी उच्च पाठ्यक्रम चलाए जा सकते हैं जो ताप, जलविद्युत और परमाणु बिजलीघरों और पारेषण एवं वितरण व्यवस्थाओं तथा ऊर्जा से संबंधित क्षेत्रों की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। इनके पास उच्च क्षमता वाले, फुल स्कोप 500 मेगावाट और 210 मेगावाट खनिज तेल ईंधन से चलने वाले विद्युत संयंत्र ट्रेनिंग स्टीम्युलेटर हैं जो कार्मिकों को प्रशिक्षण देने में इस्तेमाल किए जाते हैं। फरीदाबाद स्थित एनपीटीआई के कारपोरेट आफिस में एक 430 मेगावाट सीसीजीटी रेप्लिका स्टीम्युलेटर लगाया गया है।

फरीदाबाद के एनपीटीआई कारपोरेट आफिस में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एक जियोग्राफिकल इनफार्मेशन सिस्टम (जीआईएस) रिसोर्स सेंटर बनाया गया, जो जीआईएस आधारित विद्युत वितरण नेटवर्क प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में काम आता है।

एनपीटीआई के हाट लाइन ट्रेनिंग सेंटर बंगलूरु में 400 केवी तक का एक लाइव लाइन मॉटीनेस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स तैयार किया गया है जो एशिया में अपने ढंग का पहला उपकरण है। इसके जरिए प्रशिक्षित कार्मिक बिना बिजली रोके लाइन का रखरखाव करना सीखते हैं।

एनपीटीआई के विभिन्न संस्थानों में ताप, जलबिजली, पारेषण, वितरण तथा प्रबंधन आदि के क्षेत्रों से संबद्ध अपने अल्पावधि और दीर्घावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एनपीटीआई कार्यरत इंजीनियरों, सुपरवाइजरों आदि के लिए अनेक रिफ्रेश कोर्स संचालित करता है। साथ ही, विद्युत प्रबंधन में एमबीए, बी.टेक (पावर) और ताप विद्युत संयंत्र इंजीनियरों में परास्नातक डिप्लोमा कोर्स भी चलाए जाते हैं। अपनी स्थापना के बाद से ही, एनपीटीआई ने देश के विभिन्न भागों के 1.50 लाख से ज्यादा विद्युत प्रोफेशनलों को अपनी विशेषज्ञता के लाभ दिए हैं।

केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान

केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला के रूप में काम करती है, जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग में अनुसंधान किया जाता है। यह एक स्वतंत्र टेस्टिंग और प्रमाणन प्राधिकरण भी है जो बिजली उपकरणों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है।

अपने चार दशक के पिछले कार्यकाल के दौरान इस संस्थान ने अति आधुनिक सुविधाएं जुटा ली हैं जो अनुसंधान और परीक्षण—दोनों में उपयोगी हैं। इन सुविधाओं में बंगलूरु में 250 एमबीए शार्ट सर्किट टेस्टिंग व सिंथेटिक टेस्टिंग, हैदराबाद की अल्ट्रा हाई वोल्टेज रिसर्च लैबोरेटरी, भोपाल की शार्ट सर्किट टेस्टिंग फेसिलिटी, कोराडी नागपुर की थर्मल रिसर्च सेंटर और नोयडा, कोलकाता एवं गुवाहाटी की रीजनल टेस्टिंग लैबोरेटरीज शामिल हैं।

पिछले वर्षों के दौरान, सीपीआरआई ने विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण व्यवस्था, विद्युत गुणवत्ता, एनर्जी मीटरिंग, एनर्जी आडिटिंग, ट्रांसमिशन लाइन के टावरों की डिजाइन, प्रोटोकॉल टेस्टिंग, कंडक्टर वाइब्रेशन स्टडीज, पावर सिस्टम स्टडीज, ऊर्जा संरक्षण अध्ययन, ट्रांसफार्मर आयल रिक्लेमेशन एवं परीक्षण, डाइनोस्टिक एवं कांडीशन मानीटरिंग एवं उपकरणों के शेष जीवन का अनुमान, विद्युत प्रायोज्यता में नई सामग्री, अल्ट्रा हाई वोल्टेज टेस्टिंग, शार्ट सर्किट टेस्टिंग, हाई वोल्टेज टेस्टिंग तथा इनसे जुड़े क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है। इस संस्थान ने एक अति आधुनिक भूकंपमापी प्रयोगशाला भी स्थापित की है तथा रियल टाइम डिजीटल स्ट्रिम्युलेशन सुविधा बनाई है। यह इन क्षेत्रों में परामर्शी सेवा भी दे रहा है।

सीपीआरआई की प्रयोगशालाएं देश की प्रयोगशाला प्रत्यापन की सर्वोच्च संस्था नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन आफ लैबोरेटरीज से मान्यता प्राप्त है। सीपीआरआई को योरोप की शार्ट सर्किट टेस्टिंग लेबोरेट्री (एसटीएल) से सदस्यता प्राप्त है। सीपीआरआई की कुछ प्रयोगशालाओं को अंडरराइटर्स लैबोरेट्रीज एंड कनाडियन स्टैंडर्ड एसोसिएशन द्वारा संचार केबल, एलटी कैपेसिटर्स जैसे उत्पादों की टेस्टिंग के लिए अनुमोदित है। इस संस्थान को इंटरटेकास्टा यू.के. सेलो वोल्टेज एवं औसत वोल्टेज उपकरणों पावर ट्रांसफार्मर एवं पावर केबिल की टेस्टिंग के लिए मान्यता प्राप्त है।

इसकी अनुसंधान एवं परामर्शी गतिविधियां आईएसओ 900.:2000 के लिए एनबीटी, केमा से प्रमाणित हैं। सीपीआरआई की प्रयोगशालाएं इलेक्ट्रिकल निदेशालय, किंगडम आफ बहरीन और सऊदी अरब से मान्यता प्राप्त है। इसके प्रमाणन अरब देशों में माने जाते हैं। दक्षिण एशिया, सुदूर पूर्व एशिया और अफ्रीकी देशों में भी इसे मान्यता प्राप्त है।

यह संस्थान विद्युत तंत्र में अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय स्तर की नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। इसके नए उद्यमों में, विद्युत क्षेत्र से संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए एक कोलेबोरेटिव एंड एडवांस्ड रिसर्च सेंटर खोला गया है। उद्योगों के लाभ के लिए एक ठोस औद्योगिक कचरा उपयोग केंद्र खोला गया है जो मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करने के लिए अनुसंधान करता है।

इस संस्थान ने कोलकाता और गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय टेस्टिंग लेबोरेट्री खोली है जो देश के पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों की जरूरत पूरी करता है। मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत एक रेफ्रिजरेटर एवं एयरकंडीशनर टेस्टिंग लेबोरेट्री खोली गई है।

सीपीआरआई ने एपीडीआरपी-1 कार्यक्रम के तहत तीन राज्यों के लिए सलाहकार की भूमिका निभाई है। ये राज्य हैं—कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। इन तीन राज्यों में 9 वितरण वृत्तों और 256 कस्बों के लिए सराहनीय काम किया गया है। सीपीआरआईआर-एपीडीआरपी के लिए परामर्शदाता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण परियोजना के लिए कर्नाटक और केरल में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी भी है।

यह संस्थान विद्युत संगठनों और उद्योगों को थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की सेवाएं भी देता है।

पूर्वोत्तर विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड (नीपको)

क्षेत्र की प्रभूत विद्युत संभावनाओं को विकसित करने के उद्देश्य से 2 अप्रैल, 1976 को विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको) की एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में स्थापना की गई। इसका उद्देश्य है पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजलीघरों का नियोजन, सर्वेक्षण, डिजाइन, निर्माण, उत्पादन, संचालन और अनुरक्षण करना। इसकी वर्तमान प्राधिकृत पूंजी 3500

करोड़ रुपये है। नीपको की स्थापित क्षमता 1130 मेगावाट है जिसमें से 755 मेगावाट जलविद्युत और 375 मेगावाट गैस-चालित बिजली संयंत्रों से उत्पन्न बिजली है। यह निगम क्षेत्र की वर्तमान 60% ऊर्जा आवश्यकता पूरी करता है। इसका मुख्यालय शिलांग में है और इसे आईएसओ-9001:2000 (गुणवत्ता), आईएसओ-14001:1996 (पर्यावरण) और ओएसएसएस-18001:1999 (सुरक्षा) के प्रमाणपत्र मिले हुए हैं।

इस निगम ने 11वीं योजनावधि में 107.50 मेगावाट क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई है। वर्तमान में नीपको 710 मेगावाट की दो जलविद्युत परियोजनाओं (कामेंग 600 मेगावाट और पारे 110 मेगावाट) तथा एक गैस चालित परियोजना (त्रिपुरा गैस विद्युत परियोजना 100 मेगावाट) का कार्यान्वयन कर रहा है।

राज्य विद्युत बोर्ड के बिजलीघरों का आर एंड एम

11वीं परियोजना के दौरान 7318 मेगावाट क्षमता वाले बिजलीघरों के विस्तारित जीवनकाल में आर एवं एम के जरिए उनका प्लांट लोड फैक्टर 80-85 प्रतिशत बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। उसका जीवनकाल भी 20 वर्ष बढ़ जाएगा। इनमें से कई बिजलीघरों का ठेका एनटीपीसी ने लिया है।

भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड

भाखड़ा नांगल परियोजना का समारंभ पूर्व पंजाब और राजस्थान सरकारों द्वारा एक संयुक्त उद्यम के रूप में किया गया। 1966 में पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बाद 1 अक्टूबर, 1967 को भाखड़ा नांगल बोर्ड का गठन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत किया गया। इसका उद्देश्य व्यास परियोजना का निर्माण करना था। भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड का नाम बदल कर 15 मई, 1976 से भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड कर दिया गया। इससे पहले व्यास परियोजना पूरी होते ही इसका प्रबंधन भी इस बोर्ड को दे दिया गया।

इस बोर्ड के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

1. पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को सिंचाई और दिल्ली तथा चंडीगढ़ को पेयजल की आपूर्ति का विनियमन।
2. बीबीएमबी के बिजलीघरों में उत्पादित बिजली का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और पुराने हिमाचल प्रदेश, नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. नंगल आदि को बिजली आपूर्ति का विनियमन।
3. 1999 में इस बोर्ड को राज्यों/विद्युत संगठनों को परामर्शी सेवाएं देने का काम भी सौंपा गया।

बीबीएमबी बिजलीघरों की स्थापित क्षमता 2464.73 मेगावाट है। इनमें तैयार बिजली भेजने के लिए इनका अपना तंत्र है जिसकी 3706 किमी. लाइनों में 400 केवी, 220 केवी, 132 केवी और 66 केवी पारेषण लाइनें और 24 ईएचवी उपकेंद्र हैं।

ऊर्जा कुशलता ब्यूरो

ऊर्जा कुशलता ब्यूरो की स्थापना ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत की गई। इसने ऊर्जा कुशलता के अनेक कार्यक्रम बनाए जिसे प्रधानमंत्री ने अगस्त 2002 में राष्ट्र के लिए जारी किया। इस ब्यूरो का मिशन ऐसी नीतियां और कार्यनीतियां विकसित करना है कि बाजार में आत्मनियंत्रण बढ़े और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की व्यवस्थाओं का पालन हो और भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा गहनता में कमी लाई

जा सके। यह लक्ष्य हितधारकों के सक्रिय सहयोग से ही पूरा हो सकता है और हर क्षेत्र में ऊर्जा कुशलता पर ध्यान देकर पूरा किया जा सकता है।

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम मार्च 2002 में प्रभावी हुआ। ऊर्जा कुशलता ब्यूरो की स्थापना से ऊर्जा कुशलता उपायों की वैधानिक रूपरेखा स्पष्ट हुई। इस अधिनियम में अनेक वैधानिक व्यवस्थाएं हैं जो मोटे तौर पर इन बातों से संबद्ध हैं—

- निर्धारित उपभोक्ता, खासतौर से ऊर्जा की अधिक खपत वाले उपभोक्ता, व्यापारिक भवन तथा प्रतिष्ठान।
- उपकरण और उपस्करों के लिए ऊर्जा खपत मानक तथा लेबलिंग कार्यक्रम।
- ऊर्जा की कुशल खपत के लिए भवनों और भवन समूहों में ऊर्जा संरक्षण संहिता।
- अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन, भवनों/प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशलता को बढ़ावा, शिक्षा संस्थानों में जागरूकता बढ़ाना।

ऊर्जा कुशलता ब्यूरो ने 11वीं योजना के दौरान ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां शुरू की हैं—

बचत लैंप योजना : यह योजना संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन की रूपरेखा के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत 28 मई, 2008 को शुरू की गई। इसके अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को 15 रुपये प्रति सीएफएल बल्ब की दर से उपलब्ध कराए जाएंगे। ये बल्ब इनकैंडेसेंट बल्बों के समान ऊर्जा कुशल होते हैं। इससे सीएफएल बल्बों के महंगे होने की बाधा दूर होगी। फिलहाल उपलब्ध बल्बों की कीमत 80-100 रुपये तक है। इस कारण ये घरेलू उपभोक्ताओं में लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं। इसके अंतर्गत लगभग 40 करोड़ इनकैंडेसेंट बल्बों को बदलने का कार्यक्रम है। परिणामस्वरूप करीब 6000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। हर वर्ष 2.4 करोड़ टन कार्बन-डाई-आक्साइड उत्सर्जन भी कम होगा। कीमत में कटौती का लक्ष्य क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के जरिए पूरा किया जाएगा जिसके जरिए सीएफएल आपूर्तिकर्ता प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआर) प्राप्त कर सकेंगे जो उन्हें कार्बन-डाई-आक्साइड उत्सर्जन में कमी के आधार पर मिल सकेगा। बिजली की खपत में भी कमी आएगी।

मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने इस कार्यक्रम का ऐलान 18 मई, 2006 को शुरू में स्वैच्छिक आधार पर किया था। इसके लक्ष्य उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण थे। इनके लिए न्यूनतम निष्पादन मानक तय किए गए। फ्रास्ट-फ्री, डाइरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर्स, ट्यूबलर फ्लूरोसेंट लैंप्स और एयरकंडीशनर्स बाजार में उतारे गए। अब इस स्कीम के अंतर्गत एयरकंडीशनर, वितरण ट्रांसफार्मर और थ्री फेज स्विचरल केज मोटर्स भी लाई जा चुकी हैं। अब तक 80% फ्रिज, 90% टीएफएल निर्माता और 80% एयरकंडीशनर निर्माता इस स्कीम के तहत आ चुके हैं। ऊर्जा कुशलता ब्यूरो की स्कीम से फ्रिज उपभोक्ताओं द्वारा 264 मेगावाट और एयरकंडीशनर के जरिए 26 मेगावाट तथा टीएफएल के माध्यम से 35 मेगावाट ऊर्जा की संभावित बचत की जा चुकी है।

इमारतों में ऊर्जा संरक्षण :

(क) **ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता :** इसकी शुरुआत विद्युत मंत्रालय ने 27 मई, 2007 को की। यह संहिता उन भवनों के लिए शुरू-शुरू में स्वैच्छिक आधार पर लाई गई है जिनका कनेक्टेड लोड 500 किवा से ज्यादा है। इस संहिता द्वारा ऊर्जा कुशलता के मापदंड स्पष्ट किए गए हैं और इसमें

स्थानीय जलवायु परिवर्तन का भी ध्यान रखा गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 14(बी) में व्यवस्था है कि व्यापारिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से केंद्र सरकार भवन संहिता तय कर सकेगी। यह उन भवनों के लिए होगा जिनका कनेक्टेड लोड 500 केवी या कंटेक्ट डिमांड 600 केवी अथवा अधिक हो। राज्य सरकारें इसमें क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार फेरबदल कर सकती हैं। केंद्र सरकार को धारा 14(ई) के अंतर्गत निर्धारित उपभोक्ताओं की सूची में अन्य व्यापारिक भवनों को शामिल कर सकती हैं। अब 312 ऐसी इमारतें निर्माणाधीन हैं जिनमें इस संहिता को लागू करके 300 मेगावाट की बचत की जा सकेगी।

(ख) वर्तमान भवन : इमारतों में ऊर्जा संरक्षण की काफी गुंजाइश है। अनेक कार्यालय भवनों, होटलों और अस्पताओं में की गई ऊर्जा ऑडिट से मालूम हुआ है कि रोशनी, हवा निकास, रेफ्रिजरेटरों आदि में सुधार करके 23% से 46% ऊर्जा बचाई जा सकती है। सरकारी भवनों में ऊर्जा बचत कार्यक्रम के प्रथम चरण के दौरान 9 सरकारी भवनों में काम शुरू किया गया और इनमें एनर्जी ऑडिट के परिणाम बहुत उत्साहवर्धक रहे। इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में 17 सरकारी भवन लिए गए। सरकारी भवनों में वे बड़ी इमारतें शामिल हैं जो दिखाई देती हैं जिन्हें देखकर अन्य लोग भी वैसे उपाय अपना सकते हैं। ये भवन नगरपालिका अथवा स्थानीय निकाय के कार्यालय या अस्पताल आदि हो सकते हैं। व्यापारिक भवनों की रेट्रोफिटिंग में एनर्जी सर्विस कंपनियां भी शामिल हो रही हैं। इकरा और क्राइसिल ने ऐसी 3 कंपनियों को मान्यता दी है।

कृषि में ऊर्जा संरक्षण : देश में पैदा की गई बिजली का 27% कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। ग्राम विद्युतीकरण में वृद्धि से यह खपत और बढ़ रही है। बिजली का इस्तेमाल पंपसेट ऊर्जायन के लिए किया जाता है। यह कार्यक्रम (जिसे एजीडीएसएम कहा गया है) कृषि कार्यों में बिजली की खपत घटाने के लिए है। इसमें भूजल खींचने में ऊर्जा संरक्षण करके राज्यों पर सब्सिडी बोझ कम करने का प्रयास शामिल है। ऐसा करके सब्सिडी में बचत का लाभ किसान को दिया जा सकता है। जहां तक ऊर्जा संरक्षण संभावनाओं का सवाल है, अग्रगामी अध्ययनों से जानकारी मिली है कि अकुशल की जगह ऊर्जा कुशल पंपसेट लगा कर ही 45-50% तक खपत बचाई जा सकती है। करीब 2 करोड़ ऐसे पंपसेटों को बदलकर लगभग 62.1 अरब यूनिट बिजली हर साल बचाई जा सकती है।

म्युनिसिपल डीएसएम : दस प्रतिशत बिजली की खपत नगरपालिकाएं करती हैं अतः ऊर्जा संरक्षण में ये भी महत्वपूर्ण हैं। भारत की नगरपालिकाओं का करीब 60-70% खर्च बिजली पर अधिकांशतः नागरिकों के लिए पानी पंप करने पर होता है। संसाधनों की कमी, बुनियादी सुविधाएं कमजोर होना और प्रबंधकीय क्षमता में कमजोरी अन्य कारण हैं जिनके कारण नगरपालिकाएं अपनी जल सेवा सुधार नहीं पातीं और बिजली का अकुशल उपयोग करती हैं। उनका बिजली का बिल कुल व्यय का प्रमुख भाग होता है और इसका लगभग 10% हिस्सा शहरी पानी के पंपिंग पर खर्च होता है। कृषि और नगरपालिकाओं में बिजली के कुशल उपयोग के द्वारा 2000 मेगावाट बिजली बचाने का लक्ष्य है।

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को सुदृढ़ करना : ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 15 अंतर्गत निर्धारित सरकारी एजेंसियां राज्य स्तर पर कार्यान्वयन की वैधानिक निकाय हैं। इस स्कीम के तहत इनकी संस्थागत क्षमता सुदृढ़ की जा रही है ताकि वे अपने क्षेत्र में इसे सरलता से कार्यान्वित कर सकें।

लघु एवं मध्यम उद्यमों में ऊर्जा कुशलता : इस स्कीम के द्वारा लघु उद्योगों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। देश के अनेक भागों में बहुत से लघु उद्योग संकुल स्थित हैं जिनमें ऊर्जा संरक्षण की

प्रभूत संभावनाएं मौजूद हैं। इस बात की भरोसेमंद सूचना है और इसके सबूत के तौर पर आंकड़े उपलब्ध हैं। ऊर्जा कुशलता ब्यूरो निर्धारित राज्य एजेंसियों के सहयोग से देश के ऐसे 25 संकुलों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नियम पुस्तिकाएं/अन्य दस्तावेज तैयार करेगा और इन समूहों में ऊर्जा कुशलता बढ़ाएगा।

केंद्रीय बिजली नियामक आयोग

1. मानक और लैबलिंग कार्यक्रमों से 142.587 करोड़ यूनिट बिजली की बचत हुई जो 260 मेगावाट क्षमता बढ़ाने के समान है।
2. राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के परिणामस्वरूप 161.23 अरब यूनिट बिजली बचाई गई जो 236 मेगावाट क्षमता वृद्धि के बराबर है। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम ने 68,429 एमटीओई के बराबर ताप ऊर्जा बचाई।
4. भवन संहिता के कारण व्यापारिक इमारतों में लगभग 316 मेगावाट बिजली संरक्षण की संभावना मौजूद है।

पुनर्गठित एपीडीआरपी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 11वीं योजना के लिए अपनी 31 जुलाई, 2008 की बैठक में केंद्रीय क्षेत्र के लिए यह योजना अनुमोदित की। इस कार्यक्रम का पूरा जोर वास्तविक और देखे जा सकने वाले परिणाम की ए एंड टी सी प्रतियां घटाने पर है। स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं शहरी क्षेत्र में—कस्बों और शहरों में दो भागों में शुरू की जाएंगी। भाग-ए में उनके लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी जिनके लिए ऊर्जा लेखाकरण/ऑडिट का आई-टी आधारित सेवा केंद्रों में आधारभूत (बेसलाइन) आंकड़ा मौजूद है। भाग बी के अंतर्गत नियमित वितरण परियोजनाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। हर भाग में आने वाली गतिविधियों के विवरण इस प्रकार हैं :

भाग ए—उपभोक्ता इनडेक्सिंग वाले क्षेत्र में परियोजना क्षेत्र के लिए बेसलाइन डाटा तैयार करना, जीआईएस मैपिंग, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों की मीटरिंग और बड़े शहरों के लिए एससीएडीए/डीएमएस व्यवस्था। इनमें पूरे वितरण तंत्र का एसेट मैपिंग होगा तथा इसके अंतर्गत वितरण ट्रांसफार्मरों, फीडरों, लो-टेंशन लाइनों, खंभों और वितरण तंत्र की अन्य सामग्री को शामिल किया जाएगा। इसमें मीटर रीडिंग, बिलिंग और वसूली, ऊर्जा लेखाकरण/ऑडिटिंग, शिकायत निवारण सेवा केंद्रों आदि में आई टी का प्रयोग करना शामिल होगा। इस बेसलाइन डाटा का सत्यापन एक स्वतंत्र एजेंसी करेगी जिसे विद्युत मंत्रालय नियुक्त करेगा।

भाग बी—11 केवी सब-स्टेशनों का नवीकरण, आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण 11 केवी स्तर की लाइनों पर फिर से कंडक्टर लगाना, ट्रांसफार्मरों/ट्रांसफार्मर केंद्रों को मजबूत बनाना भी इसके अंतर्गत आएगा। लोड बाइफर्केशन, लोड बैलेंसिंग, एचवीडीएस, कैपेसिटर बैंकों की स्थापना और सचल सेवा केंद्र खोले जाएंगे। विशेष मामलों में, यदि उप-पारेषण तंत्र कमजोर पाया गया तो 33 केवी अथवा 66 केवी स्तर पर भी विचार किया जाएगा।

- भाग ए (बेसलाइन तंत्र) में संभावित निवेश 10,000 करोड़ रुपये तथा भाग बी में 40,000 करोड़ रुपये होगा।
- शुरू-शुरू में भाग ए के लिए 100% तथा भाग बी के लिए 25% (विशेष वर्ग के राज्यों के लिए

90%) निधियां भारत सरकार द्वारा ऋण के रूप में दी जाएंगी। भाग बी के लिए शेष राशि वित्तीय संस्थानों से जुटानी होगी।

- जैसे बेसलाइन डाटा एकत्र करने में कामयाबी मिली, भाग ए को पूरी राशि अनुदान में बदल दी जाएगी। इसका सत्यापन विद्युत मंत्रालय द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसी करेगी।
- भाग बी की परियोजना लागत के 50% (विशेष वर्ग के राज्यों के मामले में 90%) पांच टुकड़ों में अनुदान में बदल दिया जाएगा। ऐसा परियोजना क्षेत्र में पांच वर्षों की अवधि के लिए निरंतर आधार पर ए एवं टी सी क्षतियों में 15% तक कमी लाने पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ए एवं टी सी के मामले में यूटिलिटी में 3% प्रतिवर्ष लेकिन बेसलाइन स्तर पर 30% से अधिक हो तथा यूटिलिटीज को बेसलाइन क्षति का स्तर घटाकर 30% से कम तक लाना होगा।

भाग सी—यह इस कार्यक्रम का घटक है जिसके जरिए एपीडीआरपी का कार्यान्वयन होगा। इस स्कीम में जीबीएस के द्वारा 1177 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस भाग का कार्यान्वयन विद्युत मंत्रालय/नोडल एजेंसी के द्वारा किया जाना है। इसके लिए पीएफसी को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

भाग डी—इस स्कीम के भाग डी के अंतर्गत शहरों में यूटिलिटी कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है। ए टी एवं सी की क्षतियों को बेसलाइन लेवल पर लाना है। भाग बी परियोजनाओं के लिए दिए जाने वाले अनुदान का 2% (400 करोड़ रुपये) परियोजना क्षेत्र के यूटिलिटी कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का प्रस्ताव है ताकि इन क्षतियों को 15% से नीचे लाया जा सके।

संचालन समिति ने भाग ए के अंतर्गत 13 राज्यों में 599 परियोजनाएं अनुमोदित की हैं जिनकी लागत 1947.70 करोड़ रुपये होगी। विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजना राशि (करोड़ रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	113	388.02
2.	बिहार	10	81.18
3.	गोवा	4	104.89
4.	गुजरात	17	47.37
5.	हरियाणा	36	146.04
6.	झारखंड	5	8.82
7.	कर्नाटक	94	384.09
8.	मध्य प्रदेश	82	228.08
9.	महाराष्ट्र	107	162.18
10.	राजस्थान	87	315.94
11.	तमिलनाडु	27	70.04
12.	उत्तराखंड	12	8.55
13.	उत्तर प्रदेश	5	2.50
योग		599	1947.70

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तरल प्राकृतिक गैस के आयात सहित तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन, शोधन, वितरण, विपणन, आयात-निर्यात तथा पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी है।

देश में तेल की मांग और इसके घरेलू उत्पादन स्तर को ध्यान में रखते हुए सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों को विदेशों में स्वयं के या नीतिगत साझेदारी/संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से तेल क्षेत्रों और तेल संपत्तियों से संबंधित कार्य में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम (आईईएफ) का सदस्य है जो ऊर्जा का उत्पादन तथा उपभोग करने वाले देशों के मंत्रियों की द्विवार्षिक बैठक के लिए मंच उपलब्ध कराता है। यह मंच पहले तेल उत्पादक और उपभोक्ता देशों की 'उत्पादक-उपभोक्ता वार्ता' के नाम से भी जाना जाता था। इसका स्थायी सचिवालय रियाद में है। सचिवालय ऊर्जा के बारे में राजनीतिक स्तर पर विश्वस्तर की वार्ता को बढ़ावा देता तथा सुदृढ़ बनाता है।

कच्चे तेल और गैस का उत्पादन

देश की दो राष्ट्रीय तेल कंपनियां तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) तथा निजी एवं संयुक्त उपक्रम कंपनियां देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन में लगी हैं।

पिछले पांच वर्षों में सरकार ने 'ऊर्जा सुरक्षा' बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास किये हैं। इसके अंतर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना में जो कदम उठाए गए हैं, वे इससे पहले की योजनाओं से इस अर्थ में भिन्न हैं कि इसमें सफल परिवर्तन नज़र आता है क्योंकि तेल क्षेत्रों को नियंत्रण मुक्त आर्थिक माहौल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोली लगाकर सौंपने की व्यवस्था है। 1991 से भारत सरकार नियमित आधार पर निविदाएं आमंत्रित कर रही है और नयी खोज लाइसेंस नीति के तहत कई दौर की बोलियां लग चुकी हैं।

कोयला खानों से प्राप्त मीथेन

कोयला खानों से प्राप्त होने वाली मीथेन गैस पारम्परिक प्राकृतिक गैस की तरह पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित ईंधन है। कोयला क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस के नये स्रोतों का पता लगाने तथा इसके उत्पादन के लिए सरकार ने कोयला खान मीथेन (सीबीएम) नीति बनायी है जिसमें देश में इस तरह की गैस के उत्पादन और नए स्रोतों की खोज के लिए आकर्षक वित्तीय तथा अनुबंध संबंधी ढांचा उपलब्ध कराया गया है। सरकार ने सीबीएम की खोज और उत्पादन के तीसरे चरण में 10 खंडों की पेशकश की है। सरकार ने अब तक 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड

पेट्रोलियम संसाधनों के विकास तथा पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम के अंतर्गत 14 अगस्त, 1956 को एक सांविधिक संगठन के रूप में तेल और प्राकृतिक आयोग को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 1 फरवरी, 1994 से तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड नाम की पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया। मार्च 2004 में सरकार ने

ओएनजीसी के 10 प्रतिशत इक्विटी शेयरों का घरेलू पूंजी बाजार में 750 रुपये प्रति शेयर की दर से पब्लिक ऑफर के जरिए विनिवेश किया।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

विदेशी उपक्रमों से तेल मंगाने में भारत को सहायता करने के लिए 1965 में ओएनजीसी सहायक के रूप में हाइड्रोकार्बन इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया। ये श्री के.डी. मालवीय के दिमाग की उपज था। इसे 1989 में नया नाम ओवीएल (ओएनजीसी विदेश लिमिटेड) दिया गया। इस समय ये 13 देशों वियतनाम, रूस, सूडान, ईरान, इराक, लीबिया, म्यांमार, सीरिया, कतर, क्यूबा, मिस्र, ब्राजील और नाइजीरिया में 21 तेल परियोजनाओं में शामिल है। सूडान में ग्रेटर नाइस ऑयल प्रोजेक्ट में ओवीएल का 25 प्रतिशत हिस्सा है। तीन खंडों वाला ये तटवर्ती कच्चा तेल उत्पादन क्षेत्र है। ओवीएल इस समय अपने सूडान (ग्रेटर नाइस ऑयल प्रोजेक्ट), वियतनाम, सीरिया और रूस (सखालिन-1) से तेल और गैस का उत्पादन कर रहा है। ओवीएल की विदेशों में निवेश वचनबद्धता 4.5 अरब अमरीकी डालर है। ओवीएल सबसे बड़ा भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम है। ओएनजीसी के बाद ओवीएल भारत में दूसरी सबसे बड़ी ई और पी कंपनी बन गई है।

भारत सरकार ने ओवीएल के प्रयासों को पूरा समर्थन दिया है और ओवीएल को विदेशों में पेट्रोलियम तथा अन्य उत्पादों की खोज तथा उत्पादन के लिए परियोजनाएं चलाने का दायित्व सौंपा गया है। विदेशों में पेट्रोलियम कार्यों के लिए ओवीएल को भारतीय नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त कार्य दल में स्थायी भागीदार बनाया गया है।

ऑयल इंडिया लिमिटेड

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत ऑयल इंडिया लिमिटेड कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज, उत्पादन तथा परिवहन के व्यवसाय में लगी है। ओआईएल का गठन 1959 में किया गया। इसमें दो तिहाई हिस्सापूंजी बर्मा ऑयल कंपनी की और एक-तिहाई भारत सरकार की लगी है। 1961 में ओआईएल संयुक्त क्षेत्र की कंपनी बन गयी और इसमें भारत सरकार तथा बर्मा ऑयल की हिस्सा पूंजी बराबर-बराबर हो गयी। 14 अक्टूबर, 1981 में ओआईएल भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बनी। ओआईएल असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में काम कर रही है।

ओआईएल को I से V दौर की बोली में नई खोज लाइसेंस नीति के कुल 14 खंड दिए गए, इसमें से 6 खंडों में संचालक और 8 खंडों में भागीदारी के रूप में हिस्सेदारी है। इनमें से अधिकतर खंड खोज के चरण-I में हैं जबकि ओआईएल में 2 खंड संचालक के रूप में हैं। चरण-II का काम प्रगति पर है। ओआईएल राजस्थान में एनईएलपी-III खंड नंबर आरजे-ओएनएन-2001/1 में एक कुएं की खुदाई का काम पूरा कर चुकी है। अभी तक 14 एनईएलपी खंडों में से कहीं से भी हाइड्रोकार्बन नहीं मिले हैं।

गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल)

गेल इंडिया लिमिटेड 'नवरत्न' कंपनी है जिसका गठन 1984 में किया गया था। मूलतः यह समन्वित प्राकृतिक गैस कंपनी है जो प्राकृतिक गैस तथा इससे संबंधित अन्य उत्पादों प्रोपेन, एसबीपी सोल्वेंट और पेंटेन की खोज, उत्पादन, परिवहन, पेट्रोलियम प्रसंस्करण, वितरण और विपणन सहित गैस आपूर्ति एवं

मूल्य श्रृंखला के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है। विनिवेश के बाद अब गेल में भारत सरकार की हिस्सेदारी 57.35 प्रतिशत रह गयी है।

कंपनी के पास देश भर में 118 एमएमएससीएमडी प्राकृतिक गैस ले जा सकने की क्षमता वाली 5,340 कि.मी. लम्बी उच्च दाब गैस ट्रंक पाइप लाइन है। गेल के पास 3.8 एमएमटीपीए तरल पेट्रोलियम गैस परिवहन की क्षमता है।

कंपनी ने उत्तर भारत में गैस आधारित एकमात्र समन्वित पेट्रोरसायन संयंत्र उत्तर प्रदेश में पाटा में स्थापित किया है। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 4 लाख टीपीएस एथिलीन और 3.10 लाख टीपीए पॉलीमर (यानी एचडीपीई और एलएलडीपी) उत्पादन की है। गेल ने घरेलू उपभोक्ताओं, वाणिज्यिक उपयोग करने वालों तथा परिवहन क्षेत्र के लिए गैस की स्प्लाई के वास्ते संयुक्त उपक्रम कंपनियां बनायी हैं। गेल दूरसंचार नेटवर्क के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। गेल की दूरसंचार सेवा यूनिट—‘गेलटैल’ के पास 13,000 किलोमीटर का नेटवर्क उपलब्ध है। उसने राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को बैंडविड्थ देने की पेशकश की है। गेल दिल्ली-मुंबई रूट पर काम करने वाली पहली कंपनी है। भारत के लंबी दूरी के कुल ट्रैफिक में गेलटैल का उत्तर-पश्चिमी-मध्य क्षेत्र में 65 प्रतिशत नेटवर्क है। कंपनी 83,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खोज के काम में लगी हुई है और उसकी ई और पी कार्यों में अगले तीन साल में करीब 800 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना है।

गेल की 16 खोज क्षेत्रों में 10 से 80 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इनमें से 7 जमीन और 9 समुद्र में हैं। भारत में 13 क्षेत्र हैं जो नदी-थालों जैसे महानदी, बंगाल, गुजरात-सौराष्ट्र, मुंबई, काम्बे, असम-अकरन और कावेरी हैं। इसके अलावा गेल म्यांमार में A-1 और A-3 क्षेत्र और ओमान में ब्लॉक नम्बर-56 में साझेदार है। 16 क्षेत्रों में कंपनी के सहयोगी हैं—ओएनजीसी, सीएसपीसी, गजप्रोम, ऑयल, आईओसी, हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, एनप्रो फाइनैस प्राइवेट लिमिटेड, ईएनआई इंडिया लिमिटेड, जुब्लीयेंट, जीजीआर कनाडा, देवू, ओबीएल, कोरिया गैस कॉर्पोरेशन, ओलीएक्स, वीडियोकॉन, बीपीसीएल और एचपीसीएल।

अपने वैश्वीकरण कार्यक्रम के अलावा गेल की मिश्र में तीन खुदरा गैस कंपनियों में इक्विटी हिस्सेदारी है। इनमें फ्यूम गैस कंपनी, नैटगैस और शेल सीएनजी मिश्र शामिल हैं। उसने चीन में भी 7.5 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी हासिल की है। उसकी म्यांमार में 2 क्षेत्रों और ओमान में एक क्षेत्र में हिस्सेदारी है। सिंगापुर में गेल (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड गेल के विदेशी उद्यमों की देखरेख कर रहा है।

पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण

भारत में कोयले के बाद पेट्रोलियम उत्पाद ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत हैं और इनकी खपत लगातार बढ़ती जा रही है। देश के तीव्र विकास के लिए ऊर्जा क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय भारत ऊर्जा के उपयोग में कुशलता की दृष्टि से सबसे पिछड़े देशों में शामिल है और संरक्षण के उपायों से सभी प्रमुख क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत में 20-30 प्रतिशत कमी की गुंजाइश का आकलन किया गया है। हाल के वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों की लगातार बढ़ती कीमतों ने विकासशील अर्थव्यवस्था वाले सभी देशों को पहले से सीमित अपने संसाधनों का किफायत से उपयोग करने के लिए सचेत किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन 1978 में पंजीकृत सोसाइटी के रूप में गठित

पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन (पीसीआरए) को अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों, जैसे- परिवहन, उद्योग, कृषि तथा घरेलू उपयोग आदि में सीधे तकनीकी सहायता, अनुसंधान और विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। पीसीआर की गतिविधियों में सभी ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण, विकास, मूल्यांकन तथा ऊर्जा कुशलता वाले उपकरणों व योजकों का वाणिज्यिक उपयोग, पेट्रो-फसलों को लोकप्रिय बनाना तथा बायो ईंधन का उत्पादन एवं पर्यावरण संरक्षण आदि शामिल हैं। नयी पहल विशेष ध्यान देने वाले क्षेत्रों के तहत पीसीआर ने जैव-ईंधन को बढ़ावा देने और शहरी ऊर्जा प्रबंधन का कार्य हाथ में लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल बनाने में काम आने वाले जेट्रोफा (रतनजोत) के उत्पादन की दिशा में भी पहल की गयी है।

तेलशोधन

1 अप्रैल, 2006 को घरेलू तेल शोधन क्षमता 132.468 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक थी। इस समय देश में 18 तेल शोधक कारखाने (17 सार्वजनिक क्षेत्र में और एक निजी क्षेत्र में) काम कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की 17 रिफाइनरियों में से 7 इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के स्वामित्व में हैं। दो-दो का स्वामित्व चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (जो इंडिया आयल की सहायक कंपनी है), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और ओएनजीसी लिमिटेड के हाथों में है तथा एक-एक बीपीसीएल, कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड (बीपीसीएल की सहायक कंपनी), नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड (भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन की सहायक) तथा बोंगाइगांव रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड (इंडियन आयल कंपनी लिमिटेड की सहायक) के स्वामित्व में हैं। निजी क्षेत्र की रिफाइनरीज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की है।

कोयला

कोयला देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और देश की व्यावसायिक ऊर्जा की खपत में इसका योगदान 67 प्रतिशत है। यह इस्पात और कार्बो-रासायनिक उद्योगों में काम आने वाला आवश्यक पदार्थ है।

कोयला भंडार

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार 1 जनवरी, 2006 को देश में 1200 मीटर की गहराई तक सुरक्षित कोयले का भंडार 2,53,300 मिलियन टन था।

परियोजनाएं और नियोजन

सी.आई.एल. का निदेशक मंडल 100 करोड़ रुपये तक की लागत वाली कोयला परियोजनाओं को मंजूरी दे सकता है जबकि 50 करोड़ रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं को नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एन.सी.एल.), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यू.सी.एल.), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) तथा महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम.सी.एल.) के निदेशक मंडल कुछ निश्चित शर्तों पर मंजूरी दे सकते हैं।

कोयला संरक्षण

कोयला संरक्षण के कार्य के अंतर्गत इसके भंडारों से अधिकतम कोयला प्राप्त करने का काम शामिल है। कोयले के संरक्षण संबंधी पहलू पर नियोजन के समय से ही ध्यान दिया जाता है और कार्यान्वयन के दौरान अधिकतम प्राप्ति सुनिश्चित की जाती है।

कम गहराई वाली मोटी परतों से कोयला निकालने के लिए आमतौर पर यंत्रिकृत ओपन कास्ट माइनिंग तकनीक इस्तेमाल की जाती है। संरक्षण की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विधि से प्रतिशत प्राप्ति काफी अधिक होती है। इस टेक्नोलाजी का जमकर इस्तेमाल इसलिए भी होता है क्योंकि कोयला उत्पादन में अभी इसका योगदान 80 प्रतिशत तक रहा है। भविष्य में भी यही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके अलावा कोयले की मोटी परतों, जो पहले बोर्ड और पिलर तकनीक अथवा अन्य भूमिगत खनन विधियों से विकसित की गयी थीं तथा जो निष्कर्षण की उपयुक्त टेक्नोलाजी के अभाव में लम्बे समय से खंभों या पिलर पर खड़ी हैं, उनमें से अधिकतर में से ओपनकास्ट खनन विधि से एचईएमएम उपकरणों से कोयला निकाला जाता है। इस तरह की खानों में डब्ल्यू.सी.एल., बी.सी.एल., सी.सी.एल. और ई.सी.एल. की कम गहरी खानें शामिल हैं।

भूमिगत खनन के मामले में, यंत्रिकरण की शुरुआत से निष्कर्षण का प्रतिशत बढ़ा है (70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत) और भूमिगत खुदाई की अन्य विधियों की तुलना में उत्पादन दर अधिक रहती है। ये विधियां कोल इंडिया लिमिटेड और एससीसीएल की कुछ खानों में अपनायी गयी हैं। लेकिन भारत में कठिन भू-खनन परिस्थितियों के कारण लांगवॉल टेक्नोलाजी को बड़े पैमाने पर अपनाना संभव नहीं हो पा रहा है।

रूप सपोर्ट टेक्नोलाजी में सुधार से खानों के भीतर गलियारों की चौड़ाई बढ़ाई जा सकी है और खान की छत की खराब हालत के बावजूद कोयला पट्टियों से अधिक कोयला निकालकर इसका संरक्षण संभव हो सका है।

कोयला खान संरक्षण एवं विकास अधिनियम, 1974 में कोयला संरक्षण, कोयला खानों में नई प्रौद्योगिकी के विकास/प्रयोग, खानों में सुरक्षा और खनन कार्यों में सहायता जैसी गतिविधियों का खर्च चलाने के लिए कोयले की खेपों पर उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया। वैज्ञानिक और अनुसंधान स्थायी समिति और उसकी तीन उपसमितियों के निर्देशन और देखरेख में कोयला क्षेत्र में अनेक अनुसंधान और विकास कार्य किए गए हैं।

सुरक्षा और कल्याण

कोयला उद्योग में सुरक्षा का स्तर सुधारने के लिए किए गए विशेष प्रयासों के फलस्वरूप प्रति 10 लाख टन कोयले के उत्पादन पर मृत्युदर वर्ष 1975 में 2.62 के मुकाबले वर्ष 2005 में 0.28 रह गई। सुरक्षा के बारे में एक स्थायी समिति खानों के सुरक्षा मानकों की नियमित रूप से समीक्षा करती है।

कोल इंडिया लिमिटेड में 1 जनवरी, 2005 तक 4.73 लाख कर्मचारी काम कर रहे थे तथा कोयला उद्योग में सात लाख से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के बाद से उनके कल्याण के लिए आवास, जलापूर्ति, चिकित्सा, शिक्षा सुविधाओं आदि के सुधार पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

लिग्नाइट

1 जनवरी, 2004 को देश में लगभग 36,009 मिलियन टन लिग्नाइट के भंडार होने का अनुमान है। इसमें से 4150 मिलियन टन लिग्नाइट नेवेली क्षेत्र में, जो तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में है, पाया जाता है। इसमें से 2360 मिलियन टन की उपस्थिति सिद्ध हो गई है। भूगर्भशास्त्रीय अनुमानों के अनुसार

तमिलनाडु के त्रिची जिले में जयम्कोंडाचोलापुरम में करीब 1,168 मिलियन टन लिग्नाइट का भंडार ढूंढा गया है। मन्नारगुड़ी तथा वीरानाम के पूर्वी क्षेत्र (तमिलनाडु) में क्रमशः 22,661.62 मिलियन टन और 1342.45 मिलियन टन लिग्नाइट के भंडार होने का अनुमान है। लिग्नाइट भंडारों का राजस्थान, गुजरात, जम्मू और कश्मीर और केरल में भी पता लगाया गया है, जहां क्रमशः 3485 मिलियन टन, 1816 मिलियन टन, 128 मिलियन टन और 108 मिलियन टन लिग्नाइट के भंडार हैं।

नेवेली में लिग्नाइट भंडारों से लिग्नाइट का खनन नेवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है। वर्ष 1956 में एक प्राइवेट लि. कंपनी के रूप में स्थापित एन.एल.सी. का सरकार ने पूरी तरह अधिग्रहण करके इसे 7 मार्च, 1986 से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया था। पिछले कई वर्षों में इस कंपनी ने अपार विशेषज्ञता हासिल कर ली है और लिग्नाइट खनन के क्षेत्र तथा देश में लिग्नाइट आधारित विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान बनकर उभरा है। एन.एल.सी. तीन लिग्नाइट खानों एवं तीन ताप बिजलीघरों का एक समन्वित परिसर है।

गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत

भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे-सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा जैव ईंधन की भरमार है। पुनरोपयोगी ऊर्जा स्रोतों का महत्व हमारे देश में 1970 के दशक की शुरुआत में समझा गया। भारत अब पुनरोपयोगी ऊर्जा के बड़े कार्यक्रम चलाने वाले देशों में से एक है। अनेक पुनरोपयोगी ऊर्जा प्रणालियां और उपकरण अब व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैं। इनमें बायोगैस, बायोमास, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु पनबिजली और अन्य उभरती प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यक्रम शामिल हैं। गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय नयी और पुनरोपयोगी ऊर्जा प्रणालियों तथा युक्तियों से संबद्ध सभी मामलों के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है।

भारत पुनरोपयोगी ऊर्जा के क्षेत्र में हर प्रकार की प्रौद्योगिकी से जुड़ा है, जिसमें बायोगैस संयंत्र, बायोमास गैसीफायर्स, सौर ताप एवं फोटोवोल्टिक प्रणालियां, पवन-चक्कियां, बायोमास आधारित सह उत्पादन, छोटी व लघु पनबिजली प्रणालियां, शहरी, नगरीय एवं औद्योगिक कचरे से ऊर्जा प्राप्ति, भूतापीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, विद्युत वाहन तथा जैव ईंधन शामिल हैं। ऊर्जा के पुनरोपयोगी उपकरणों एवं उनकी प्रणालियों की बिक्री को बढ़ावा देने तथा ऐसी प्रणालियों और प्रविधियों की मरम्मत एवं रखरखाव के उद्देश्य से 104 प्रमुख नगरों एवं कस्बों में *अक्षय ऊर्जा दुकानें* खोली गई हैं। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में संसाधन आकलन, अनुसंधान तथा विकास, प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रदर्शन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। देश में उपलब्ध सौर, पवन, बायोमास और लघु जलविद्युत जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का लाभ उठाने की दिशा में अच्छी प्राप्ति हुई है। इसने नवीकरणीय स्रोतों से 2008 तक 12800 मेगावाट विद्युत क्षमता ग्रिड को उपलब्ध करायी है वह मुख्य रूप से पवन, लघु पनबिजली और जैव-ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त हुई है। यह देश में ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता का 8 प्रतिशत है। इसके अलावा 10 लाख से ज्यादा सौर प्रकाश प्रणालियां और ऊर्जा से पानी गरम करने वाली प्रणालियों का 10 लाख वर्ग मीटर संग्रह क्षेत्र, 40 लाख बायोगैस संयंत्र तथा कई अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां तथा उपकरण देश भर में गांवों, कस्बों तथा शहरों में लगाये गये हैं।

कच्चे तेल के दामों में उत्तरोत्तर हो रही वृद्धि के कारण पूरे विश्व में गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास तथा प्रोत्साहन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। प्रधानमंत्री ने 30 जून, 2008 को पर्यावरण परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) जारी की। योजना में आठ मिशन शामिल किए गए हैं, जिसमें से एक राष्ट्रीय सौर मिशन है। कार्य योजना में नवीकरण ऊर्जा के अन्य स्रोतों को

प्रोत्साहन देने की बात की गई है। विशिष्ट कार्यबिंदुओं में विस्तार को प्रोत्साहन, नवीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में बुनियादी अनुसंधान, बायोमास का व्यवसायिक प्रसार और विकास की रुकावटों को हटाना, जल विद्युत, सौर तथा पवन प्रौद्योगिकियां, लघु पवन इलेक्ट्रिक जनरेटरों के निर्माण और विकास को प्रोत्साहन तथा राष्ट्रीय विद्युत प्रणाली में नवीकरण ऊर्जा स्रोतों को शामिल करने के लिए नियंत्रक/शुल्क व्यवस्था में वृद्धि शामिल हैं।

इससे पहले 27 जून, 2008 को प्रधानमंत्री ने ऊर्जा समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी। इसमें निर्णय किया गया कि एमएनआरई एक विस्तृत कार्य योजना बनाएगी, जिसमें राज्य संबंधी मुद्दे और ध्यान देने वाले क्षेत्रों जैसे-सौर ऊर्जा पर विशेष बल देते हुए नवीकरणीय ऊर्जा में परिणाम/उत्पादन आधारित अप-स्केलिंग, पणधारियों यथा प्रयोगकर्ता आदि पर ध्यान तथा उनसे निपटने के लिए रणनीतियां और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होने वाले उत्पादन के प्रतिशत को बढ़ाने जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा। इस समय कुल विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की भागदारी 8 प्रतिशत है।

पिछले दो दशकों में विभिन्न भागीदारों, जैसे—राज्यों की नोडल एजेंसियों, राज्य बिजली बोर्डों, एनजीओ और उद्योगों आदि ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की योजना बनाने तथा उनके कार्यान्वयन में पर्याप्त अनुभव अर्जित किया है। लेकिन आम आदमी को वाजिब दामों पर नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि जीवाश्म ईंधन पर लोगों की निर्भरता कम करने तथा उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता एवं विभिन्न प्रणालियों तथा उपकरणों की उपलब्धता के बारे में जागरूक बनाने के लिए और कदम उठाए जाएं। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सोसाइटी द्वारा 'नवीकरणीय ऊर्जा भविष्य की ओर संक्रमण' विषय पर जारी श्वेत पत्र में कहा गया है:

“नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में संक्रमण एक शहर के बाद दूसरे शहर, एक क्षेत्र के बाद दूसरे क्षेत्र तथा एक देश के बाद दूसरे देश में होगा। जब किसी स्थान पर नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग में 'क्रांतिक द्रव्यमान' वाली स्थिति आ जाएगी तो उस जगह यह प्रक्रिया चल पड़ेगी। यह मोड़ तब आएगा जब लोग, सरकार, विनियामक संगठन और वित्तीय समुदाय—सभी टेक्नोलॉजी से अवगत हो जाएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में संक्रमण अभी शुरू हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत देरी हो जाएगी। सरकारों, शहरों, कंपनियों और लोगों को इस दिशा में आगे बढ़ने में सहयोग करना चाहिए।”

ऊर्जा के गैर-परम्परागत उपकरणों के विनिर्माण एवं आपूर्ति के लिए देश में ही विनिर्माण की आधारभूत संरचना का क्षेत्र उभरा है। इसमें सार्वजनिक और निजी—दोनों ही क्षेत्रों में लघु एवं मझोले/बड़े उद्योग शामिल हैं। कुछ विकासशील देशों को बायोगैस संयंत्रों के निर्माण के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराई गई है। निर्यात किये जाने वाले उत्पादों में मुख्य रूप से सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स और उसकी प्रणालियां सम्मिलित हैं। हमारे देश में निर्मित पवन टरबाइनों के पुर्जे यूरोप, आस्ट्रेलिया और अमरीका को निर्यात किए गए हैं। स्विट्जरलैंड की एक कम्पनी ने छोटे-छोटे गैसीफायरों के निर्माण के लिए भारतीय डिजाइन का उपयोग किया है।

उपलब्धियां

पिछले दो दशकों के दौरान गांवों और शहरों में कई पुनरोपयोगी ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है। कुछ उपलब्धियों को अनुमानित क्षमता के साथ सारणी में दर्शाया गया है।

पुनरोपयोगी ऊर्जा क्षमता और उपलब्धियां

क्रमांक	स्रोत/प्रणाली	अनुमानित क्षमता	उपलब्धियां 31 मार्च, 2005- 2006 की स्थिति
(क) पुनरोपयोगी संसाधनों से प्राप्त बिजली			
1.	सौर फोटोवोल्टेइक ऊर्जा	5,000 मेगावाट	2.74 मेगावाट
2.	पवन ऊर्जा	45,000 मेगावाट	5310.40 मेगावाट
3.	लघु पनबिजली (25 मेगावाट तक)	15,000 मेगावाट	1826.43 मेगावाट
4.	बायोमास/सहउत्पादन बिजली	66,000 मेगावाट*	912.53 मेगावाट
5.	बायोमास गैसीफायर	—	1.00 मेगावाट
6.	कचरे से प्राप्त ऊर्जा	7,000 मेगावाट	34.95 मेगावाट
	पुनरोपयोगी ऊर्जा (कुल)	1,83,000 मेगावाट	8088.05 मेगावाट
(ख) विकेंद्रीकृत ऊर्जा प्रणालियां			
7.	परिवार के उपयोग हेतु बायोगैस संयंत्र	1.20 लाख	38.4 लाख
8.	सौर फोटोवोल्टिक प्रणालियां	20 मेगावाट/प्रतिवर्ग किमी.	
	(i) सौर सड़क प्रकाश प्रणालियां	—	54,795 (संख्या)
	(ii) सौर गृह प्रकाश प्रणालियां	—	3,42,607 (संख्या)
	(iii) सौर लालटेन	—	4,78,058 (संख्या)
	(iv) एस.पी.वी. बिजली संयंत्र	—	1566 कि.वा.
9.	सौरजल तापन प्रणालियां	14 करोड़ वर्ग मीटर संग्राहक क्षेत्र	15 लाख वर्ग मीटर संग्राहक क्षेत्र
10.	सोलर कुकर	—	6 लाख (संख्या)
11.	सौर पी.वी. पंप	—	7015 (संख्या)
12.	पवन पंप	—	1111 (संख्या)
13.	संकर प्रणालियां	—	484.68 कि.वा.
14.	बैटरीचालित वाहन	—	212 (संख्या)

*बायोमास गैसीफायर सहित

ग्रामीण ऊर्जा

भारत की लगभग 73 प्रतिशत आबादी छह लाख गांवों और मजरों में निवास करती है। मंत्रालय इनमें नवीकरणीय ऊर्जा उत्पाद तथा उपकरण—जैसे बायोगैस संयंत्र, सौर थर्मल प्रणाली, फोटोवोल्टिक उपकरण, बायोमास गैसीफायर के प्रयोग के लिए कार्यक्रमों को सहायता दे रहा है। दसवीं योजना के दौरान दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण, ग्राम ऊर्जा सुरक्षा परीक्षण परियोजनाएं तथा बायोगैस विद्युत उत्पादन कार्यक्रम शुरू किए गए थे, ये कार्यक्रम 11वीं योजना में भी चल रहे हैं।

राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम

बायोगैस विभिन्न रूपों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कार्बनिक अपशिष्ट से प्राप्त होने वाला वैकल्पिक ईंधन है। बायोगैस संयंत्रों से प्राप्त होने वाली गैस में 55 से 65 प्रतिशत तक मीथेन, 35 से 40 प्रतिशत कार्बन डाई आक्साइड तथा अन्य गैसों की कुछ मात्रा होती है। पारिवारिक जरूरत के बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना 1981-82 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गांवों में स्वच्छ तथा सस्ते ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराना, समृद्ध जैविक खाद तैयार करना, सफाई व स्वच्छता की स्थिति सुधारना और स्त्रियों को कड़ी मशक्कत से मुक्ति दिलाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत के.वी.आई.सी. डिजाइन के, तैरते हुए ड्रम प्रकार के, स्थिर गुंबद प्रकार के और खड्डयुक्त नाइलोन के कपड़े से बने तथा आसानी से ले जा सकने वाले थैलानुमा डाइजेस्टर किस्म के तीन प्रकार के डिजाइनों वाले बायोगैस संयंत्र बनाए जा रहे हैं। खाना पकाने, रोशनी करने और उपकरणों को चलाने जैसे कई कार्यों में बायोगैस उत्कृष्ट ईंधन साबित हुई है।

बायोगैस कार्यक्रम राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासनों, राज्यों के निगमित व पंजीकृत निकायों, के.वी.आई.सी. द्वारा चलाया जाता है। गैर-सरकारी संगठन भी इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग देते हैं। राज्य सरकारों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सेवा शुल्क भी प्रदान किए जाते हैं। तकनीकी सहायता इकाइयां-टेक्निकल बैक-अप यूनिट्स (टी.बी.यू.) नौ स्थानों पर स्थापित की गई हैं, जो विकेंद्रित तौर पर तकनीकी व प्रशिक्षण सहायता प्रदान कर रही हैं। वाणिज्यिक और सहकारी बैंक बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य बायोगैस संयंत्रों की लागत में कमी करना तथा देश के ठंडे क्षेत्रों में प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। बायोगैस से कार्बनडाईआक्साइड को निकालकर उसे प्राकृतिक गैस में बदलने तथा आसानी से परिवहन के लिए बोतल में भरने के लिए अनुसंधान तथा विकास पहल की गई है। अब तक 40 लाख से अधिक परिवारों के लिए बायोगैस संयंत्र लगाए जा चुके हैं। बायोगैस संयंत्र के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा बायोगैस संयंत्र से निकलने वाले अपशिष्ट का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है, इससे पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले रासायनिक उर्वरकों की खपत को भी कम करने में सहायता मिल रही है।

समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक तरीके के ऊर्जा स्रोतों के एक साथ प्रयोग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इससे पूर्व यह कार्यक्रम विकास खंड को योजना की एक इकाई मानकर लागू किया गया था। इस कार्यक्रम को 2003-04 में संशोधित किया गया। अब इसमें ग्राम समूहों, जिला तथा राज्य के लिए ऊर्जा योजना बनाने और चुने हुए ग्राम समूहों में इसे शुमार करने का भी प्रावधान किया गया है। मार्च 2006 को संशोधित आई.आर.ई.पी. के अंतर्गत 21 राज्यों एवं एक केंद्रशासित प्रदेश के 312 जिलों को लाया गया था। इस कार्यक्रम की योजना बनाने एवं कार्यान्वयन में शामिल किए गए विभिन्न लक्ष्य समूहों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली, लखनऊ, अमरोल (गुजरात), बंगलौर एवं शिलांग में पांच क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं।

दूरस्थ ग्रामों का विद्युतीकरण

ऐसे दूरस्थ गांव तथा बस्तियां जिन्हें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत ग्रिड से नहीं जोड़ा

जा सका है, उन्हें नवीकरण ऊर्जा उपायों द्वारा बिजली उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय ने 2001-02 में यह कार्यक्रम शुरू किया था। हालांकि जून, 2008 में संपन्न ईसीसी की बैठक में निर्णय किया गया कि इन गांवों को सौर उपकरणों के जरिए बिजली उपलब्ध कराने के उपाय अंतरिम है तथा ऐसा नहीं है कि इसके बाद इन्हें ग्रिड से नहीं जोड़ा जाएगा। इसके मद्देनजर एमएनआई ने सौ से कम जनसंख्या वाले सभी अविद्युतीकृत गांवों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव दिया। आवश्यक बिजली उपलब्ध कराने के लिए उपलब्धता के अनुसार लघु पन-बिजली उत्पादन प्रणाली, सौर फोटोवोल्टिक विद्युत प्रणाली के जरिए बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें इकहरी/दोहरी लाइट एचएलसी, सेंट्रल एसपीवी विद्युत संयंत्र तथा केंद्रीकृत चार्जिंग स्टेशन सहित सोलर लालटेन शामिल हैं। अन्य विकल्प माइक्रोमनी हाइडल प्लांट, बायोमास गैसीफायर और एयरोजेनेरेटर/हाइब्रिड संयंत्र होंगे। वर्ष 2012 तक दस हजार दूरस्थ गांवों के 10 लाख आवासों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के जरिए विद्युतीकरण हेतु अनुमोदित परियोजना के लिए परियोजना लागत की 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना के अतिरिक्त जागरूकता फैलाने, प्रशिक्षण, सर्वे आदि के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

राज्यों में यह कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे नवीकरण ऊर्जा हेतु राज्य नोडल एजेंसी, विद्युत विभाग या वन विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत 2007-08 के दौरान 1648 दूरस्थ गांवों तथा 344 दूरस्थ बस्तियों के विद्युतीकरण की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। कार्यक्रम शुरू होने से लेकर अब तक 6907 गांवों तथा 1812 बस्तियों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें से 3985 गांवों तथा 1142 बस्तियों में विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है।

ग्राम ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम : मंत्रालय ने गांवों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने की एक संकल्पना विकसित की है। इसमें मुख्य रूप से बायोमास और विशेष योजना के जरिए गांवों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। प्रारंभ में दूर-दराज के सीमित गांवों और बस्तियों में जहां परंपरागत तरीकों से विद्युतीकरण नहीं किया जा सकता, ऊर्जा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ऐसा करते समय वनों के छोर पर बसे और जनजातीय गांवों पर जोर दिया जाएगा, ताकि योजना के तकनीकी-आर्थिक पैरामीटर प्रदर्शित किए जा सकें, संचालन अनुभव प्राप्त हो सके, स्थानीय समाज को गतिशील बनाया जा सके सारांश योजना के अनुसार संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत बनाया जा सके।

ग्राम ऊर्जा सुरक्षा परीक्षण परियोजना का उद्देश्य विद्युतीकरण से आगे जाकर गांवों की कुल ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। इनमें शामिल है—भोजन पकाना, रोशनी करना और चालन शक्ति। इस कार्य में महिलाओं सहित स्थानीय समाज को पूरी तरह भागीदार बनाया जाएगा। यह परियोजना पर्यावरण हितैषी होगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। इससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और परिणामस्वरूप समग्र स्वपोषित विकास होगा।

ग्राम ऊर्जा सुरक्षा पर 200 परीक्षण परियोजनाएं शुरू जा रही हैं। इस समय नौ राज्यों में 65 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से अब तक 29 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। मार्च, 2010 तक सभी 200 परियोजनाएं पूरी होने की आशा है। मंत्रालय को तकनीकी सहायता परियोजना के लिए विश्व बैंक से 998,700 अमरीकी डालर की सहायता मिली है। इससे दो वर्षों के लिए ग्राम ऊर्जा सुरक्षा परीक्षण परियोजनाओं के प्रायोगिक चरण के कामों में सहायता मिलेगी। इस अनुदान का उद्देश्य ग्राम ऊर्जा की व्यापक जरूरतों से निपटने के लिए समुदाय द्वारा चलाए जा रहे तथा बनाए जा रहे कार्यक्रमों की पहचान तथा परीक्षण करना है।

सौर ऊर्जा

भारत विश्व के ऐसे भाग में स्थित है जहां सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भारत को प्रतिवर्ष 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा के बराबर ऊर्जा मिलती है। प्रतिदिन का औसत भौगोलिक स्थिति के अनुसार 4-7 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर है। वैश्विक सौर रेडिएशन का वार्षिक प्रतिशत भारत के संबंध में प्रतिदिन 5.5 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर है। उच्चतम वार्षिक रेडिएशन लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान तथा गुजरात में तथा निम्नतम रेडिएशन पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्राप्त होता है।

सौर ऊर्जा के दो रास्ते : सौर ऊर्जा हमें प्रकाश और आंच के रूप में मिलती है। हम इसका उपयोग दो प्रकार से कर सकते हैं—सौर फोटोवोल्टेइक और सौर तापीय। इसके लिए हम सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में बदल सकते हैं या फिर आंच के रूप में।

सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम

सौरताप यंत्रों का प्रयोग पानी गरम करने, जगह गरम करने, खाना पकाने, सुखाने, पानी को लवणमुक्त करने, औद्योगिक ताप प्रक्रिया, औद्योगिक तथा विद्युत उत्पादन उपयोगों के लिए वाष्प उत्पन्न करने और रेफ्रीजरेशन प्रणालियों के परिचालन आदि के लिए किया जाता है। निम्न ग्रेड के सौरतापीय यंत्रों (100 डिग्री से. से 300 डिग्री से. तापमान तक गरम करने वाले) का देश में विकास किया गया है और इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। 50 लीटर प्रतिदिन से लेकर 20,000 लीटर प्रतिदिन सौर जल उष्मन क्षमता वाली सोलर हीटर प्रणालियां देश में स्थापित की जा चुकी हैं। इनका घरेलू, वाणिज्यिक और व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। घरेलू, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में अब तक 23 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र शामिल किया गया है। देश में वाटर हीटिंग का निर्माण आधार स्थापित हो चुका है। देश में 62 बीआईएस अनुमोदित निर्माता हैं तथा 44 एमएनआरई अनुमोदित आपूर्तिकर्ता हैं। करीब 6.34 लाख से अधिक सौरकुकरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भाप पैदा करने के लिए सौर ऊर्जा संकेन्द्रण संग्राहक लगाए गए हैं। खाना बनाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली आंध्र प्रदेश में तिरुमला में स्थापित की गई। इससे 15,000 लोगों का खाना एक साथ बनाया जा सकता है। गांवों में डिश सौर कुकरों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इनका उन गांवों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो ग्रिड से विद्युतीकृत हो चुके हैं या हो सकते हैं। इनसे 10 लोगों के लिए तेजी से खाना बनाया जा सकेगा। ऊर्जा की खपत घटाने और इमारतों को अधिक आरामदेह बनाने के लिए सौर-अनुकूलन वास्तुकला सिद्धांतों का प्रयोग करने के जोरदार प्रयास किए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा से हवा को गर्म कर उससे कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों को सुखाने की प्रणाली भी इस्तेमाल की जा रही है। इससे पारम्परिक ईंधन की बड़ी बचत हुई है।

सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम

भारत को देश के अधिकांश हिस्सों में उच्च सौर रेडिएशन मिलता है। इस कारण देश में सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली के जरिए सौर ऊर्जा के प्रयोग की उच्च क्षमता मौजूद है। यह प्रणाली सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में बदल देती है। सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली दूरस्थ तथा ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों में आवश्यक जरूरतों जैसे प्रकाश, जल पंपिंग, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों, सामुदायिक केंद्रों, विद्यालयों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए विकेंद्रीकृत विद्युत उत्पादन हेतु एक आकर्षक स्रोत बन रहा है। यह प्रणाली टी.वी. ट्रांसमीटर, बैटरी चार्जिंग आदि के लिए विश्वसनीय विद्युत स्रोत है। देश में मेगावाट आकार के ग्रिड विद्युत उत्पादन के लिए मंत्रालय ने 2007-08 के दौरान एक नये प्रदर्शन कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके तहत उन परियोजना विकास को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन

उपलब्ध कराया जाएगा, जो मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार बनाओ, मालिक बनो, संचालित करो आधार पर सौर विद्युत संयंत्र स्थापित करेंगे। एस.पी.वी. प्रणाली के निर्माण में 130 उद्योग शामिल हैं और 21 उद्योग पी.वी. माड्यूल्स के उत्पादन में सम्मिलित हैं। 2007-08 के दौरान लगभग 80 एम 300 मी. क्षमता के सौर-फोटोवोल्टिक माड्यूल्स का उत्पादन किया गया जिनमें से 55 मेगावाट क्षमता का निर्यात किया गया। अब तक देश में 15 लाख से अधिक एस.पी.वी. प्रणालियां अनेक प्रकार के अनुप्रयोगों में बिजली दे रही हैं। देश में 31 मार्च, 2008 तक फोटोवोल्टिक माड्यूल्स का कुल उत्पादन 460 मेगावाट से अधिक था, जिसमें से 325 मेगावाट का निर्यात यूरोप, अमरीका तथा अन्य देशों को किया गया।

फोटोवोल्टिक प्रदर्शन और उपयोग कार्यक्रम के तहत देश में मार्च, 2006 तक 6.70 लाख सौर लालटेनें, 4.03 लाख सौर गृह प्रकाश प्रणालियां, 70,500 सौर सड़क-प्रकाश प्रणालियां, 7148 सौर जल-पम्पिंग प्रणालियां, 2.2 मेगावाट क्षमता के 'स्टैंड-अलोन' बिजली संयंत्र और 2.2 मेगावाट क्षमता के ग्रिड से जुड़े बिजली संयंत्र लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा विभिन्न सौर-फोटोवोल्टिक प्रणालियों के इस्तेमाल द्वारा 3985 दुर्गम स्थानों में स्थित गांवों और 1142 बस्तियों में भी बिजली उपलब्ध कराई गई।

ग्रिड-आधारित पुनरोपयोगी ऊर्जा

अक्षय ऊर्जा स्रोतों से कुल 12,800 मेगावाट बिजली ग्रिड को उपलब्ध करायी जा रही थी। इस तरह की ऊर्जा का अधिकांश भाग व्यावसायिक परियोजनाओं से प्राप्त हुआ है और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, छोटी पनबिजली परियोजनाओं और बायोमास से यह क्षमता जुटाई गयी है।

पवन ऊर्जा

भारत में कम से कम 45,000 मेगावाट की पवन ऊर्जा की क्षमता आंकी गई है। 31 मार्च, 2008 तक कुल मिलाकर 8,757 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई है, जिससे जर्मनी, अमेरिका और स्पेन के बाद भारत विश्व में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है।

सौर विद्युत

सौर फोटोवोल्टेइक कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च 2008 तक देशभर में लगभग 6.7 लाख सौर लालटेनें, 4.03 लाख सौर गृह प्रकाश प्रणालियां, 70,500 गली बत्तियां, 7,148 सौर नल पंपिंग प्रणालियां, 2.2 मेगावाट क्षमता वाले 'स्टैंड अलोन' बिजलीघर और 2.2 मेगावाट बिजली ग्रिड में देने वाले संयंत्रों की स्थापना की गई है। इसके अलावा, सौर फोटोवोल्टेइक प्रणालियों का इस्तेमाल करके 3,985 गांवों और 1,142 मजदूरों का विद्युतीकरण किया गया है।

बायोमास ऊर्जा

बायोमास ऊर्जा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य विविध प्रकार की बायोमास सामग्री का अधिकतम उपयोग करना है। इनमें वन और कृषि उद्योग आधारित अवशिष्ट, ऊर्जा समर्पित वृक्षारोपण के अलावा दक्ष और आधुनिक तकनीकी परिवर्तन के माध्यम से वन और कृषि अवशिष्टों से ऊर्जा उत्पादन शामिल है। इन तकनीकों में दहन या भट्टी में डालना, गैसीकरण आदि शामिल हैं। इनके लिए बने संयंत्रों में गैस/भाप टरबाइन, दोहरा ईंधन इंजन/गैस इंजन या इनका मिश्रण, जिनका उपयोग सिर्फ बिजली उत्पादन या ऊर्जा के एक से अधिक प्रकारों के सह-उत्पादन के लिए कैप्टिव उपयोग या ग्रिड बेचने के लिए

किया जाता है। 2007-08 के दौरान देश में बायोमास ऊर्जा प्रौद्योगिकियों तथा चीनी मिलों से प्राप्त गन्ने की खोई से 266 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया गया। इस समय इन दोनों तकनीकों से 1500 मेगावाट से अधिक बिजली पैदा की जा रही है। गन्ने की खोई वाली विधि से 100 चीनी मिलें 950 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन कर ग्रिड को उपलब्ध करा रही हैं। इन परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकियां तथा उपकरण देश में ही जुटाए गए। 610 मेगावाट क्षमता वाली 90 बायोमास परियोजनाएं देश में इस कारण से लोकप्रिय हो रही हैं, क्योंकि ये बड़ी संख्या में रोजगार तथा आमदनी के मौके भी उपलब्ध करा रही हैं।

देश में बायोमास से विद्युत उत्पादन की अनुमानित क्षमता 19,500 मेगावाट है। इसमें देश की वर्तमान चीनी मिलों में गन्ने की खोई पर आधारित 3,500 मेगावाट उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता शामिल है। देश में अब तक 912 मेगावाट की बायोमास आधारित परियोजनाओं की स्थापना का काम पूरा किया जा चुका है। 1180 मेगावाट क्षमता की बायोमास परियोजनाओं की स्थापना का काम जारी है।

लघु पनबिजली

देश में लघु पनबिजली क्षमताओं का लगभग 15,000 मेगावाट का आकलन किया गया है। 31 मार्च, 2008 के अंत तक कुल 2180 मेगावाट की लघु जलविद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 638 मेगावाट की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

शहरी, औद्योगिक और व्यावसायिक कचरे से पुनरोपयोगी ऊर्जा

शहरी एवं औद्योगिक कचरे से ऊर्जा प्राप्त करने के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा ऐसी तकनीकों एवं प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाता है जिनसे ऊर्जा हासिल करने के साथ-साथ कचरे में कमी, पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति तथा उपयोगी ऊर्जा/बिजली प्राप्त होती है।

सौर ऊर्जा

मंत्रालय ने सौर ऊर्जा के जरिए पानी गर्म करने की प्रणाली के विकास और 10 लाख वर्ग मीटर कलेक्टर क्षेत्र में इनको लगाने के लिए एक त्वरित कार्यक्रम लागू किया है। देश में 15 लाख वर्ग मीटर कलेक्टर क्षेत्र में अब तक ये प्रणालियां लगाई जा चुकी हैं। इसमें 4 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में 2005-06 के दौरान ये प्रणालियां लगाई गईं। मंत्रालय ब्याज पर सब्सिडी भी दे रहा है ताकि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से 2 प्रतिशत से 5 प्रतिशत की दर पर ऋण उपलब्ध हो सके। इसमें शामिल बैंकों/वित्तीय संस्थानों का नेटवर्क भी बढ़ाया गया है। कुछ और उपाय भी किए गए हैं जैसे इस प्रणाली को अनिवार्य बनाने के लिए इमारत उपनियमों में संशोधन किया गया है, उपभोक्ताओं को बिजली शुल्क और संपत्तिकर में भी छूट दी गई है, बिल्डर्स और डेवलपर्स से कहा जा रहा है कि ऐसी इमारतें और हाउसिंग परिसर बनाएं जहां पानी गर्म करने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो।

खाना पकाने, सुखाने और ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए उद्योगों और संस्थानों में सौर एयर हीटिंग/स्टीम जनरेटिंग प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक अलग-अलग क्षमताओं के करीब 10,000 वर्ग मीटर कलेक्टर एरिया में सौर ऊर्जा से सुखाने की प्रणाली और 12 स्टीम जनरेटिंग प्रणालियां लगाई गई हैं। परंपरागत बिजली के संरक्षण के साथ सर्दियों और गर्मियों में आरामदायक और बेहतर जीवन स्तर के लिए ऐसी इमारतों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है जिनमें सौर ऊर्जा से जुड़ी प्रणालियों को लगाया जा सके।

शहरी कचरे से ऊर्जा

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 5161 नगरों में 28.5 करोड़ आबादी निवास करती है। भारत के शहरी क्षेत्र प्रतिवर्ष लगभग पांच करोड़ टन ठोस कचरे तथा छह हजार मिलियन टन तरल कचरा निकालते हैं। इसमें 2900 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है, जिसे 2017 तक 5600 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

अब तक देश में 22.50 मेगावाट क्षमता की कुल आठ परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, जो ठोस तथा तरल कचरे जैसे जानवरों के मल-मूत्र, सब्जी बाजार तथा कसाई बाड़े से निकले कचरे आदि पर आधारित हैं। ये परियोजनाएं बायोमीथेनेशन तथा आरडीएफ कंबर्शन प्रौद्योगिकियों पर आधारित हैं। सूरत के तीन ट्रीटमेंट संयंत्रों में से प्रत्येक से एक मेगावाट विद्युत उत्पादन अर्थात् कुल तीन मेगावाट की परियोजना भी इसमें शामिल है जिसमें से एक 2007-08 में पूरी कर ली गई।

औद्योगिक कचरे से ऊर्जा

देश में औद्योगिक कचरे से 1300 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। देश में इस समय लगभग 200 शराब के कारखाने हैं जिनमें प्रदूषित जल उपचार संयंत्र लगे हैं। ये बड़े पैमाने पर बायोगैस पैदा करते हैं, जिसमें 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। इसी प्रकार अन्य औद्योगिक क्षेत्रों जैसे खाद्य प्रसंस्करण, मुर्गीपालन, चर्मशोधन, पल्प तथा पेपर, तेल मिलों तथा भेषज उद्योगों आदि में बायोगैस/विद्युत उत्पादन परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं।

देश में 35 मेगावाट क्षमता की 23 औद्योगिक 'अपशिष्ट से ऊर्जा' परियोजनाएं लगाई जा रही हैं। इसके साथ ही देश में 31 मार्च, 2008 तक 59 मेगावाट क्षमता वाली ऐसी 39 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 13 मेगावाट क्षमता की आठ परियोजनाएं स्थापित करने का कार्य चल रहा है।

उद्योगों में बायोमास तथा गन्ने की खोई से प्राप्त ऊर्जा

मंत्रालय उद्योगों में बायोमास तथा गन्ने की खोई से प्राप्त ऊर्जा परियोजना लागू कर रहा है। विभिन्न उद्योगों जैसे पेपर मिल, चावल मिल तथा फेरस मिल आदि में ऊष्मा तथा ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए 95 मेगावाट क्षमता की 19 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त 40 मेगावाट क्षमता की 20 परियोजनाएं लगाने का कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नई प्रौद्योगिकियां

हाइड्रोजन ऊर्जा : हाइड्रोजन को वैकल्पिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल और उसके उत्पादन तथा भंडारण के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप बनाने तथा हाइड्रोजन ऊर्जा पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से इसके कार्यान्वयन पर नजर रखने एवं नीतियों के निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप तैयार करने के लिए एक संचालन समूह गठित किया है। संचालन समूह द्वारा तैयार रोडमैप को राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड ने जनवरी 2006 में हुई अपनी बैठक में मंजूरी दी। रोड मैप में हाइड्रोजन ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन गतिविधियों को हाथ में लेने पर विचार किया जा रहा है। इसमें देश में 2020 तक हाइड्रोजन ईंधन वाले 10 लाख वाहनों

और 1000 मेगावाट क्षमता की हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा उत्पादन की कल्पना की गई है। परिवहन (यातायात) में उपयोग तथा विकेंद्रित ऊर्जा उत्पादन के लिए आंतरिक दहन इंजनों में हाइड्रोजन के सीधे इस्तेमाल के साथ ही फ्यूल सेल में हाइड्रोजन के इस्तेमाल को प्रदर्शित किया गया है। हाइड्रोजन पर आधारित छोटे जेनरेटर, दुपहिया वाहन और केटालिटिक बर्नरों को विकसित और प्रदर्शित किया गया है।

फ्यूल सेल्स : विभिन्न प्रकार के फ्यूल सेलों—प्रोटोन एक्सचेंज मेंब्रेन फ्यूल सेल्स (पी.ई.एम.एफ.सी.), फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल्स (पी.ए.एफ.सी.), सॉलिड आक्साइड फ्यूल सेल्स (एस.ओ.एफ.सी.), डायरेक्ट मेथेनाल फ्यूल सेल्स (डी.एम.एफ.सी.); डायरेक्ट इथेनाल फ्यूल सेल्स (डी.ई.एफ.सी.) तथा मोल्टेन कार्बोनेट फ्यूल सेल्स (एम.सी.एफ.सी.) के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने, फ्यूल सेल्स के लिए उपकरणों एवं सामग्री, जिसमें नियंत्रण एवं यंत्रीकरण प्रणाली शामिल है, संबंधी कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। भेल ने 3 किलोवाट का आटोमेटेड प्रोटान एक्सचेंज मेंब्रेन फ्यूल सेल पावर पैक विकसित कर इसका प्रदर्शन किया। एक परियोजना के तहत भारतीय रसायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद ने पहले से विकसित 10 किलोवाट मीथेनाल रिफार्मर को 10 किलोवाट के फ्यूल सेल से समन्वित कर 1000 घंटे तक चलाया। संस्थान ने 50 किलोवाट मीथेनाल रिफार्मर का विकास कार्य भी पूरा कर लिया है। प्रत्यक्ष अल्कोहल फ्यूल सेल तथा ठोस आक्साइड फ्यूल सेल, जो सीधे हाइड्रोजन फीडस्टॉक से संचालित होता है के विकास एवं परीक्षण का काम आईआईटी, दिल्ली को सौंपा गया है। कम लागत वाली सीरमिक प्रोसेसिंग तकनीक द्वारा उच्च कार्यक्षमता वाले मध्यवर्ती तापमान ठोस आक्साइड फ्यूल सेल के विकास की परियोजना इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मेटिरियल्स टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर को सौंपी गई है।

भूतापीय ऊर्जा : राष्ट्रीय भूगर्भीय अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद द्वारा किए गए अध्ययनों में झारखंड के सूरजखंड तथा उत्तराखंड के तपोवन में भूतापीय ऊर्जा की मौजूदगी का पता चला है। लद्दाख में पुगा भूतापीय क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन की क्षमताओं का पता लगाने तथा यहां एक विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए सदस्य (योजना) सी ई ए की अध्यक्षता में सितंबर, 2007 में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। इस समूह ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी है।

समुद्री ऊर्जा : समुद्री ऊर्जा के विभिन्न रूपों में समुद्री लहरें, समुद्री ताप ऊर्जा परिवर्तन, ज्वार और भाटा शामिल हैं। इनमें से ज्वार ऊर्जा को ही मध्यावधि तौर पर विकसित किया जा सकता है। फरवरी, 2008 में पश्चिम बंगाल पुनरोपयोगी ऊर्जा विकास एजेंसी ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में दुर्गादुआनी क्रीक में 3.75 मेगावाट क्षमता वाली ज्वारीय विद्युत परियोजना स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। परियोजना की कुल लागत 48 करोड़ रुपये है। परियोजना लागत का 90 फीसदी खर्च मंत्रालय तथा 10 फीसदी खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। परियोजना 33 महीने में पूरी कर ली जाएगी। परियोजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना जिले में स्थित गोसावा तथा बाली बिजयनगर के 11 दूरस्थ गांवों को विद्युत आपूर्ति करना है। परियोजना एनएचपीसी द्वारा पूरी की जाएगी।

जैव ईंधन : विभिन्न अखाद्य वनस्पति तेलों को जैव डीजल में परिवर्तित करने की टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए देश में अनेक अनुसंधान और विकास परियोजनाएं चलाई गई हैं। परिवहन क्षेत्र में इन जैव ईंधनों के उपयोग के बारे में संचालनात्मक कार्यक्रम शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय की आर्थिक सहायता से अनेक परियोजनाओं के तहत देश में पेट्रोल और डीजल में इथेनोल मिलाकर उसके परीक्षण की कई योजनाएं शुरू की गई हैं।

बैटरी चालित वाहन : बैटरी चालित वाहनों के लिए उच्चतम क्षमता वाली बैटरियों जैसे निकेल धातु के हाइड्राइड, लीथियम आयन और लीथियम पोलीमर इलेक्ट्रोलाइट बैटरियों तथा सुपर कैपेसिटर्स से संबंधित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जा रही है। बिजली से चलने वाले स्कूटर को चलाने के लिए विकसित की गई निकेल धातु हाइड्राइड बैटरियों का प्रदर्शन किया गया।

विशेष तकनीकी संस्थान

मंत्रालय ने अनुसंधान और विकास तथा संबंधित क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित संस्थान खोले हैं :

सौर ऊर्जा केंद्र : सौर ऊर्जा केंद्र की स्थापना 1982 में सौर ऊर्जा टेक्नालाजी के विकास और उसको बढ़ावा देने के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अभिन्न अंग के रूप में की गई। केंद्र के मुख्य उद्देश्य हैं :

- (i) (क) सौर ऊर्जा सामग्रियों, उपकरणों और प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और मानकीकरण केंद्र के रूप में कार्य करना, (ख) उद्योग और शैक्षिक जगत के साथ अनुसंधान और विकास, (ग) नई प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन, (घ) सलाहकार और परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करना, तथा (ङ) मानव संसाधन विकास पर कार्य और सूचना का प्रसार।
- (ii) केंद्र का अनुसंधान और विकास परिसर दिल्ली से बाहर गुडगांव-फरीदाबाद मार्ग पर है। परिसर में सौर ताप और सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली और उपकरण सिस्टम डिजाइन और इंजीनियरिंग के लिए प्रयोगशाला, सौर बिजली उत्पादन प्रणाली के दीर्घकालीन कामकाज मूल्यांकन की प्रमाणन इकाइयां, प्रशिक्षण के लिए सेमिनार हाल, ऑडिटोरियम और कार्यशालाएं, पुनरोपयोगी ऊर्जा विषयों के संदर्भ के लिए पुस्तकालय और आगंतुकों के लिए छोटे अतिथि गृह हैं। ये सरकार, संस्थानों, उद्योगों और उपयोगकर्ता संगठनों के प्रभावकारी अंतरापृष्ठ के रूप में कार्य करते हैं।
- (iii) अपने अस्तित्व में आने के समय से ही केंद्र देश में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। केंद्र तकनीकी समर्थन प्रदान करने, अनुसंधान और विकास परीक्षण और प्रदर्शन सहित विभिन्न गतिविधियां चलाने, प्रशिक्षण और सूचना प्रसार के कार्य में मंत्रालय के सौर ऊर्जा समूह के साथ मिलकर काम कर रहा है। केंद्र ने सौर प्रौद्योगिकी पर अनेक राष्ट्रीय मानक तय करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- (iv) बड़े आकार (200 सेमी. × 200 सेमी.) के सौर फोटोवोल्टिक माड्यूल्स (600 मेगावाट क्षमता) के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए एसईसी में बड़े क्षेत्र वाले सूर्य उद्दीपक लगाए गए हैं। मेसर्स मोजर बीयर फोटोवोल्टिक लिमिटेड के सहयोग से 1.2 किलोवाट क्षमता की पीवी कंसंटेन्टर माड्यूल टेस्ट बेड सुविधा स्थापित की गई है। भारतीय मौसम विभाग के सहयोग से देश के लिए सौर रेडिएशन आंकड़े तैयार करने के लिए परियोजना चलाई जा रही है। केंद्र के परिसर में स्वचालित 'मौसम स्टेशन' स्थापित करने का काम चल रहा है। आईआईटी, मुंबई के सहयोग से ऊर्जा सचेतन वास्तुशिल्प पर एक हैंडबुक तैयार की गई है।

पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र : चेन्नई में एक पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र (सी-वेट) की स्थापना की गई है। इसका पवन टरबाइन परीक्षण स्टेशन थुथुकुडी, तमिलनाडु के कयाथर जिले में है। सी-वेट का लक्ष्य स्वदेशी पवन उद्योग को उत्पादों और सेवाओं के निरूपण और व्यावसायीकरण के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों, विनिर्देशन और निष्पादन पैरामीटरों

के बराबर लाया जा सके। सी-वेट की पांच इकाइयां इस प्रकार हैं—अनुसंधान और विकास; पवन संसाधनों का आकलन; पवन टरबाइन परीक्षण; मानक, प्रमाणीकरण और सूचना; प्रशिक्षण और व्यावसायिक सेवाएं। ये इकाइयां पवन बिजली जनरेटरों (डब्ल्यूईजी) की तैनाती के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का पता लगाकर समुद्र तट से दूर और तट का उपयोग करते हुए पवन बिजली जनरेटरों के विकास, प्रदर्शन और व्यावसायीकरण के अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समन्वित समाधान की पेशकश करती हैं। पवन मैपिंग कराने के लिए देश में पवन ऊर्जा के इस्तेमाल की गति को तेज करने और इस क्षेत्र के विस्तार को समर्थन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार टाइप अनुमोदन परीक्षण करा कर डब्ल्यूईजी का निर्माण और तैनाती सुनिश्चित की जाती है।

आईईसी अनुबंधों के अनुसार परीक्षण प्रक्रिया के विकास हेतु छोटे पवन टरबाइन परीक्षण शुरू किए गए हैं। प्रायोगिक सह प्रदर्शन संयंत्र के रूप में सी-वेट परिसर में माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रण तथा जीपी आरएस/इंटरनेट के जरिये रिमोट निगरानी के साथ 5 किलोवाट क्षमता की पवन-सौर-बैटरी-डीजल हाइब्रिड प्रणाली स्थापित की है। भारतीय पवन मानचित्र का कार्य प्रगति पर है। दक्षिणी, मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्र (प्रत्येक से पांच) से 15 स्थानों का अध्ययन कर रिपोर्ट मीजोस्केल मॉडल के मानकीकरण के लिए राइजो नेशनल लेबोरेट्री, डेनमार्क भेजी गई है। वर्ष के दौरान पवन संसाधन मूल्यांकन एकक ने 25 पवन निगरानी स्टेशन स्थापित किए हैं तथा 64 पर काम चल रहा है। 29 परामर्श परियोजनाएं शुरू की गई हैं तथा नौ पूरी हो चुकी हैं। इसमें माइक्रो-सर्वे, माइक्रो-सिटिंग तथा ड्यू-डिलिजेंस अध्ययन शामिल हैं। दो स्वस्थाने प्रकार के पवन टरबाइन परीक्षण मूल्यांकन पूरे किए जा चुके हैं, दो पर काम चल रहा है तथा एक के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मानक तथा प्रमाणपत्र एकक ने एक पवन टरबाइन मॉडल के लिए प्रमाणपत्र का काम पूरा कर लिया है तथा नौ मॉडलों के लिए अंतरिम प्रमाणपत्र का काम चल रहा है।

सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय पुनरोपयोगी ऊर्जा संस्थान: मंत्रालय ने पंजाब के कपूरथला जिले के वडालाकलां में सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय पुनरोपयोगी संस्थान नामक स्वायत्तशासी संस्थान की स्थापना की है। संस्थान जैव ऊर्जा, जैव ईंधन, सिंथेटिक ईंधन के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास तथा कार्य प्रदर्शन के काम कर रहा है।

प्रचार और जागरूकता पैदा करना

नयी और पुनरोपयोगी ऊर्जा के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने की पहल की गई है ताकि ग्रामीण और शहरी इलाकों और औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में इसे अधिक लोग अपना सकें।

राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस

पुनरोपयोगी ऊर्जा के बारे में प्रभावकारी जागरूकता अभियान चलाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन पर 20 अगस्त को देशभर में राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक/तालुक स्तर पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें विशाल रैलियों का आयोजन, मानव श्रृंखला बनाना, निबंध लेखन, क्विज, नारे लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता, वाद-विवाद, संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। देशभर में 50 लाख से ज्यादा बच्चे इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। इनसे दैनिक जीवन में पुनरोपयोगी ऊर्जा प्रणाली/उपकरणों के इस्तेमाल से जागरूकता पैदा करने में मदद मिलती है।

वर्ष 2007 में राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस का राष्ट्रीय समारोह हैदराबाद में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. वई.एस. राजशेखर रेड्डी ने लगभग नौ हजार विद्यार्थियों को तथा अन्य भागीदारों को नवीकरण ऊर्जा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मैराथन, निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग तथा अन्य प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया और डॉ. रेड्डी ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।

पूरे देश में राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस-2008 का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय समारोह पंचकुला, हरियाणा में आयोजित किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़, मोहाली तथा पंचकुला के 18,000 विद्यार्थियों को नवीकरण ऊर्जा शपथ दिलाई। इस अवसर पर अक्षय ऊर्जा अर्द्ध मैराथन (21 किमी.), नवीकरण ऊर्जा रैली, बैटरी चालित वाहनों की रैली तथा नवीकरण ऊर्जा संदेश के पैराट्रापर्स द्वारा स्काईडाइविंग प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली तथा उपकरणों के 30 निर्माताओं ने भाग लिया और नवीकरणीय प्रणालियों तथा उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। नवीकरणीय ऊर्जा पर विद्यालयों में स्लोगन लिखने तथा पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

दिल्ली में राष्ट्रीय बाल भवन में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 3000 विद्यार्थियों, अनेक विद्यालयों तथा सैकड़ों कॉलेज विद्यार्थियों ने भाग लिया। अन्य राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में भी राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। देश के सभी जिलों में 'विशेष दिवस' के अवसर पर हिंदी/अंग्रेजी में अखिल भारतीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, ग्यारहवीं तथा बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं (कन्नड़, तमिल, मराठी तथा बंगाली) में राज्य स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया।

जिला सलाहकार समितियां

प्रत्येक जिले में जिला सलाहकार समितियां (डीएसी) गठित की गई हैं। जिला स्तर पर पुनरोपयोगी ऊर्जा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए गठित इन समितियों का अध्यक्ष कलेक्टर/उपायुक्त होता है। देश में अब तक 540 समितियां गठित की जा चुकी हैं। इन्होंने पुनरोपयोगी ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है। अन्य लोगों के अलावा जिला अधिकारी, सांसदों के प्रतिनिधि, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, रोटरी/लायन्स क्लब डीएसी के सदस्य होते हैं, जिनमें से 6 महिलाएं होनी चाहिए। इन समितियों की हर तिमाही में बैठक होनी चाहिए। इन समितियों से निचले स्तर पर प्रभावकारी पुनरोपयोगी ऊर्जा संवर्धन नेटवर्क का गठन होता है।

विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम

विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सभी भागों में अक्षय ऊर्जा/गैर-परंपरागत ऊर्जा व्यवस्था और तंत्रों का प्रदर्शन करना है, ताकि लोगों में इस विषय की चेतना फैले और छात्रों, अध्यापकों और जनता में इसका प्रचार हो। 31 मार्च 2008 तक 27 राज्य स्तर के, 477 जिला स्तर के ऊर्जा पार्क स्थापित किए जा चुके थे।

अक्षय ऊर्जा दुकानें

अक्षय ऊर्जा की व्यवस्थाओं/यंत्रों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए देश के हर जिले में अक्षय ऊर्जा की दुकानें स्थापित की जा रही हैं। इससे ये व्यवस्थाएं/उपकरण सर्वत्र आसानी से उपलब्ध होंगे और उनकी

मरम्मत, रखरखाव संबंधी समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा। आशा है कि इन दुकानों की स्थापना और अन्य संबंधित पहलों के बाद जनता भोजन पकाने, रोशनी करने और चालन शक्ति की ऊर्जा संबंधी जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा टेक्नालॉजी को अपनाने लगेगी। इन दूकानों पर सौर फोटोवाल्टिक सिस्टम/उपकरण यानी सड़क की बत्तियों की नियंत्रण व्यवस्था, सड़कों/सार्वजनिक बगीचों की रोशनी, रोशनीकृत होर्डिंग, रोड स्टड, ब्लिंकर, ट्रैफिक सिगनल, वीआईपीवी सिस्टम और पावर पैक आदि इन दुकानों पर उपलब्ध कराए गए हैं। अक्षय ऊर्जा के यंत्रों उपकरणों को बढ़ाना देने के अलावा ये दुकानें इन यंत्रों/उपकरणों के इस्तेमाल से होने वाले लाभ की चेतना फैलाती हैं और नगरों/कस्बों में परंपरागत ऊर्जा पर पड़ने वाले दबाव के बारे में बताती हैं। अब तक 269 अक्षय ऊर्जा दुकानें खोली जा चुकी हैं।

जन जागरूकता पर अन्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं—

- नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली और उपकरणों के प्रदर्शन के लिए सौ प्रदर्शनियों तथा 150 चल प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।
- विभिन्न एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा अन्य तकनीकी संस्थानों में 521 नवीकरणीय ऊर्जा क्लबों की स्थापना की गई।
- टीईआरआई के सहयोग से डी डी न्यूज पर नवीकरणीय ऊर्जा पर दस एपिसोड के कार्यक्रम 'टेराव्यू' का प्रसारण किया गया।
- नवीकरणीय ऊर्जा पर दो रेडियो कार्यक्रमों—नई दिशाएं—नई आशाएं तथा रोशन रहे जमाना का प्रसारण आकाशवाणी तथा हिंदी सहित 17 क्षेत्रीय भाषाओं में एफएम के 16 स्टेशनों द्वारा किया गया।
- असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा केरल में नवीकरणीय ऊर्जा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- मंत्रालय की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 22 नवंबर, 2007 को विज्ञान भवन में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने नवीकरणीय ऊर्जा पर चार स्मारक डाक टिकट जारी किए, मंत्रालय की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया, 'भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के 25 वर्ष' शीर्षक से एक सार-संग्रह जारी किया तथा राज्य नोडल एजेंसियों, बैंकों और निर्माताओं को इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा पुरस्कार प्रदान किए।
- 14-27 नवंबर, 2007 को प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2007 के दौरान एक आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें देशभर के निर्माताओं द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों जैसे सौर कुकर, सौर वाटर हीटर, सौर लालटेन, सौर इनवर्टर, सौर वाटर पंप, सौर गार्डन लाइट, सौर टार्च, सौर ऊर्जा से जलने वाली स्ट्रीट तथा घरेलू लाइट का प्रदर्शन किया गया।
- लखनऊ, भुवनेश्वर, जयपुर तथा हैदराबाद में जिला परामर्श समिति के सदस्यों के लिए चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- मीडिया के लोगों को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हुई प्रगति से अवगत कराने के लिए गुडगांव में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क तथा सौर ऊर्जा केंद्र में मीडिया दौरे का आयोजन किया गया।

12. पर्यावरण

पर्यावरण एवं वन विभाग का प्रमुख कार्य देश के प्राकृतिक संसाधनों जैसे झीलें और नदियां, इसकी जैव-विविधता, वन और वन्य जीवन, जानवरों के संरक्षण को सुनिश्चित करना और प्रदूषण से बचाव व उसे समाप्त करने से संबंधित नीतियों व कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना है। इन नीतियों को लागू करते समय मंत्रालय सतत विकास और मनुष्यों के कल्याण से जुड़े सिद्धांतों के बारे में भी ध्यान रखता है। मंत्रालय देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (एसएसीईपी), अंतर्राष्ट्रीय समन्वित पर्वत विकास केंद्र (आईसीआईएमओडी) के लिए केंद्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है और वह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन (यूएनसीईडी) की अनुवर्ती कार्यवाही पर भी ध्यान देता है। इस मंत्रालय पर बहुपक्षीय निकायों जैसे सतत विकास आयोग (सीएसडी), विश्व पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) और पर्यावरण से जुड़ी क्षेत्रीय इकाइयां जैसे एशिया और प्रशांत सामाजिक और आर्थिक परिषद (ईएससीएपी) और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन से संबंधित मामलों का भी उत्तरदायित्व है।

मंत्रालय के मुख्य कार्य निम्न हैं :

- वनस्पतियों, जीवजंतुओं और वन्यजीवों का संरक्षण और सर्वेक्षण
- प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण
- वनरोपण और वन क्षेत्र का विकास
- पर्यावरण की सुरक्षा एवं
- पशुओं का कल्याण सुनिश्चित करना।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनेक कानून और विनियामक उपाय हैं। कानूनों के अलावा राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति और पर्यावरण और विकास पर नीतिगत वक्तव्य 1992, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 1988, प्रदूषण नियंत्रण वक्तव्य 1992 और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 भी भविष्य में कार्रवाई की देखरेख करेंगे।

प्राकृतिक संसाधन-सर्वेक्षण और अन्वेषण

पेड़-पौधों का सर्वेक्षण

भारत की वनस्पतियों का सर्वेक्षण

देश के पौध संसाधनों की अन्वेषण और आर्थिक महत्व की पौध प्रजातियों की पहचान भारतीय वनस्पति सर्वे करता है। इसकी स्थापना 13 फरवरी, 1890 को कोलकाता में हुई थी। इसकी मदद के लिए देश के विभिन्न भागों में दस सर्किल अधिकारी हैं। देश के वैज्ञानिक विकास के लिए, इसका पुनर्गठन किया गया और विभिन्न योजना अवधि में इस आधार को व्यापक कर नए क्षेत्र जैसे एक स्थान पर उगने वाली दुर्लभ

और विलुप्त हो रही पौध प्रजातियों की सूची बनाना, संरक्षण की रणनीति बनाना, कमजोर पारिस्थितिकी प्रणाली, अभयारण्यों, राष्ट्रीय पार्कों और जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों का अध्ययन, पुष्पोत्पादन घटकों में परिवर्तन, जंगली अलंकारिक पौधों आदि की निगरानी, वानस्पतिक उद्यानों में प्रजाति वानस्पतिक और भूवानस्पतिक अध्ययन और जड़ीबूटियों पर राष्ट्रीय आंकड़ा जीवत संग्रहों, पौध अनुवांशिक संसाधनों, पौध वितरण और नामावली का विकास शामिल किया गया। भारतीय वानस्पतिक सर्वे सामान्य और संरक्षित क्षेत्रों में पौधविधिता का अन्वेषण, सूचीबद्ध करना, दस्तावेजीकरण, और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पेड़-पौधों का प्रकाशन करना ताकि प्रजातियों में गुणात्मक परिवर्तन, वनस्पति उद्यानों में गंभीर खतरेवाली प्रजातियों का संरक्षण और पारंपरिक आर्थिक रूप से लाभकारी प्रजातियों की पहचान और उनके संरक्षण और सतत उपयोग के लिए आचार संहिता बनाना।

- बीएसआई के सर्किल कार्यालयों और इकाइयों द्वारा 38 क्षेत्रीय अन्वेषण/जीवत पौध संग्रह/ईआईए अध्ययन दौरों का आयोजन किया गया। जिनके अंतर्गत विभिन्न राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के विभिन्न जिलों में वन्यजीव अभयारण्य, जलग्रहण क्षेत्रों, दलदली जमीन और मैंग्रोव क्षेत्रों को शामिल किया गया था।
- क्षेत्र अन्वेषण/पौध संरक्षण दौरों के दौरान, 5,500 से अधिक नमूनों का संग्रह किया गया जिसमें समूहों के पौधों जैसे ऐलजी, फंजी, लाइकेन, ब्राओफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जैसी प्रजातियां शामिल हैं। बीएसआई की इकाइयों और विभिन्न सर्किलों द्वारा 900 प्रजातियों से संबंधित करीब 3000 नमूनों की पहचान की गई।
- राष्ट्रीय/राज्य/क्षेत्रीय/जिला वनस्पतियों के अंतर्गत 10 हरबेरियम परामर्श दौरों/ अध्ययनों का आयोजन किया गया; जिसमें परिशोधित और वानस्पतिक अध्ययन भी शामिल हैं।
- बीएसआई द्वारा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य की वनस्पतियों के पादप विविधता के प्रलेखन का कार्य किया गया।
- बीएसआई द्वारा अब तक 11 नई प्रजातियों/किस्मों, 16 नये राष्ट्रीय स्तर के रिकॉर्ड और 8 राज्य स्तर के रिकॉर्ड की खोज की गई। 50 वर्षों के बाद वर्ष 2007-08 के दौरान बीएसआई के द्वारा 4 नई प्रजातियां भी एकत्र की गईं।

जीवजंतुओं का सर्वेक्षण

भारत का प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण

भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (जेडएसआई) देश के लिए उस तरह के सर्वेक्षण, खोज और अनुसंधान में संलग्न है जिससे देश की समृद्ध जंतु विविधता के ज्ञान में वृद्धि हो। वर्ष 1916 में स्थापित जेडएसआई का मुख्यालय कोलकाता में है और देश के विभिन्न भागों में इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र हैं। भारतीय प्राणी विज्ञान ने हाल ही के वर्षों में अपने सर्वेक्षणों और अध्ययन को छह प्रमुख कार्यक्रमों में समन्वित कर अपनी कार्ययोजना को पुनर्गठित किया है। कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों के जीवजंतुओं, संरक्षित क्षेत्रों के जीवजंतु, प्रमुख पारिस्थितिकी प्रणालियों के जीवजंतु, लुप्तप्राय प्रजातियों की सर्वेक्षण स्थिति और पारिस्थितिकी अध्ययन/पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 से संबंधित जन्तु की वाई वन्यजीव सामग्री की पहचान शामिल हैं। इसके अलावा भारत के जीवजंतु संरक्षण के लिए पहले से चल रहे कार्यक्रम भी जारी रहे।

- विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रमुख पारिस्थितिक क्षेत्रों और कुछ चुनिंदा संरक्षित क्षेत्रों में एक सौ एक व्यापक सर्वेक्षण कराये गये। पांच सर्वेक्षण कार्यान्वित किये गये। छत्तीसगढ़ में राऊघाट भिलाई इस्पात संयंत्र में पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का एक सर्वेक्षण कराया गया। उसके अलावा पारिस्थितिकीय अध्ययन के लिये कई लघु अवधि सर्वेक्षण भी कराये गये। पहले से जारी सर्वेक्षणों के साथ-साथ सामग्री एकत्र करने पर विस्तृत अध्ययन भी किये गये। इस वर्ष के दौरान लुप्तप्राय जंतुओं पर स्थितिगत सर्वेक्षण जारी है।
- राष्ट्रीय जीवजंतु संग्रह के 1165 प्रजातियों से संबंधित 13016 जंतुओं को शामिल करके उसे और समृद्ध किया गया। उसके अलावा 96 भारतीय और विदेशी संस्थाओं और व्यक्तिगत स्तर पर प्रमुख गतिविधियां चलाई गईं और प्रजातियों की पहचान और परामर्श सेवाएं प्रदान की गईं।
- वर्ष 2007-08 के दौरान जेड एसआई और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कई पारिस्थितिक-प्रणाली, संरक्षित क्षेत्रों और पारिस्थितिक स्थितिगत सर्वेक्षण और जीवजंतु अन्वेषण चलाये गये।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने जीवजंतु पर प्रकाशित पुस्तक *फॉनल डाइवर्सिटी ऑफ टाइगर ऑफ इंडिया रिजर्व* का विमोचन किया।
- नवंबर 2007 के दौरान भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण की वेबसाइट शुरू की गई। इस वेबसाइट का पता है <http://www.zsi.gov.in>।

वन संसाधन और सर्वेक्षण

भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून

भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला ऐसा संगठन है जो देश के वन क्षेत्रों और वन संसाधनों से संबंधित सूचना एवं आंकड़े एकत्र करता है। इसके अलावा प्रशिक्षण, अनुसंधान और विस्तारण का कार्य भी यह संगठन करता है। इसकी स्थापना 1 जून, 1981 को की गई थी। इसका मुख्यालय देहरादून में और चार क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, कोलकाता, नागपुर और बंगलुरु में हैं। प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में समन्वय और नियंत्रण मुख्यालय द्वारा किया जाता है। उसके अलावा वन क्षेत्रों के नक्शे तैयार करना, आंकड़े एकत्र करना और प्रशिक्षण देना इसकी प्रमुख गतिविधियां हैं। इसके कार्यालय वनों के अंदर और वनों के बाहर वृक्षों की सूची तैयार करने और मुख्यालय द्वारा सौंपी गई अन्य गतिविधियों को चलाते हैं।

- भारतीय वन सर्वेक्षण देश के वन क्षेत्र का दूर संवेदी उपग्रह के आंकड़ों का डिजिटल विश्लेषण करके परिणाम 'स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट' (एस.एफ.आर.) में प्रकाशित करता है। यह कार्य 1987 में शुरू हुआ था और अब तक 9 एसएफआर प्रकाशित हो चुके हैं और 10वां प्रकाशनाधीन है। चालू 10 वें चक्र (एसएफआर-2005) में एफएसआई ने उपग्रह के आंकड़ों का उपयोग किया है। 1987 में अमरीकी दूर संवेदी उपग्रह से आंकड़े एकत्र करने के कार्य को शुरू करके 1995 में इस कार्य को स्वदेशी उपग्रह भारतीय दूर संवेदी उपग्रह (आईआरएस) पर जारी रखा गया।
- वन क्षेत्रों के नक्शे राज्य के वन्य विभागों, अन्य एजेंसियों और सार्वजनिक तौर पर बहुत ही कम दरों पर उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्ष 2001 से अब तक नक्शों की प्रतिलिपियां और डिजिटल रूप में नक्शे रखे गये हैं।
- एफएसआई के गठन के बाद से ही, पूरे देश को शामिल करते हुए क्षेत्रीय सूची इसकी प्राथमिकी

गतिविधि रही है। वर्ष 2000 तक कुल सूचीबद्ध वन क्षेत्र 69.2 मिलियन था, जिसमें से कुल दो बार सूचीबद्ध हुए क्षेत्र भी शामिल थे। अब तक 35 वर्ष की अवधि में 80 प्रतिशत वन क्षेत्र को सूचीबद्ध किया जा चुका है।

- राज्य की वन रिपोर्ट 2005 के अनुसार (वर्ष 2005 के मूल्यांकन के अनुसार) देश में कुल 677.088 कि.मी. वन क्षेत्र है और यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.60 प्रतिशत है। 54,569 कि.मी. (1.66%) अत्यंत सघन वन, 332.647 कि.मी. (10.12%) औसत घने वन और 289.872 कि.मी. (8.82%) खुले वन क्षेत्र हैं। इसमें बाद में जुड़ा वन क्षेत्र है 38,475 कि.मी. (1.17%)।
- देश के वन क्षेत्र का प्रतिशत संकलन के लिए कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2,287.263 कि.मी. क्षेत्र को लिया गया है। इस क्षेत्र का मूल्यांकन करने के बाद यह पता चला है कि देश का अधिकतर हिस्सा ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, ग्लेशियर, खड़ी चढ़ाई और चट्टानों से भरा है, इस क्षेत्र पर जलवायु और प्राकृतिक कारणों से वृक्ष लगाना संभव नहीं है। हाल ही में एफएसआई द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड में लगभग 1,83,135 कि.मी. क्षेत्र में करीब 4000 मी. ऊंचे क्षेत्र का पता लगाया है जहां वृक्ष लगाना संभव नहीं है। अगर इस हिस्से को वन क्षेत्र के अध्ययन के लिए देश के भौगोलिक हिस्से से अलग करके देखा जाए तो यह देश के भौगोलिक हिस्से का 21.8% होगा।
- राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को देखें तो मध्य प्रदेश में 76013 कि.मी. वन क्षेत्र वाला पहले स्थान पर आने वाला राज्य है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश (67,777 कि.मी.), छत्तीसगढ़ (55863 कि. मी.) का स्थान है। वन क्षेत्र के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात को ध्यान में रखते हुए मिजोरम का 88.63% भाग वाला पहले स्थान का राज्य है उसके बाद नगालैंड (82.75%), अरुणाचल प्रदेश (80.93%) और अंडमान और निकोबार द्वीप (80.36%) का स्थान है। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक 9862 कि.मी. वन क्षेत्र है।
- हाल ही में तैयार वन रिपोर्ट के अनुसार देश में कच्छ वनस्पतियां (मैंग्रोव) 4445 वर्ग कि.मी. (0.14 प्रतिशत) में पाई जाती हैं। अत्यधिक सघन कच्छ वनस्पतियों का क्षेत्रफल 1,147 वर्ग कि.मी. (25.8 प्रतिशत), कम सघन कच्छ वनस्पतियों का क्षेत्रफल 1629 वर्ग कि.मी. (36.6 प्रतिशत) और खुली कच्छ वनस्पतियों का क्षेत्रफल 1669 वर्ग कि.मी. (37.6 प्रतिशत) है।
- वन क्षेत्र के रिकार्ड के बाहर लगाये गये वृक्षों का आकलन भी किया जाता है, इस क्षेत्र की दूर संवेदी उपग्रह द्वारा जानकारी लेना संभव नहीं है। यह क्षेत्र नक्शे में आने वाले न्यूनतम क्षेत्र एक हेक्टेयर है। और ऐसे क्षेत्र हैं जहां वृक्ष दूर-दूर लगे हैं। एक हेक्टेयर से कम वाले वन क्षेत्रों जहां बहुत अधिक पेड़ नहीं हैं और कहीं-कहीं पेड़ों के झुंड हैं, ऐसे शहरी क्षेत्रों जहां बीच में सड़कें, झीलें आदि भी हैं ऐसे क्षेत्रों के चित्र लेना और नक्शे तैयार करना तकनीकी सीमाओं के कारण उपग्रह द्वारा लेना संभव नहीं रहता।
- भारत का पेड़ों से घिरा कुल भू-भाग अनुमानतः 91663 कि.मी. है जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 2.79% है। यह भी देखा गया है कि सबसे अधिक वन पूर्वी दक्कन (11,293 कि.मी.), उसके बाद उत्तरी मैदानों (10747) और पश्चिमी तटों (8307), क्षेत्र पर हैं यद्यपि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो पश्चिमी तटों पर वनों का प्रतिशत सबसे अधिक (6.85%), उसके बाद पश्चिमी घाटों (5.37%) और पूर्वी घाटों (4.84%) का स्थान है। पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में 255 कि.मी. सबसे कम वृक्ष हैं जबकि यह पूरी तरह से वन क्षेत्र है।

- भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2002 से एक नई राष्ट्रीय वन सूची तैयार की गई और अपनाई गई। देश को 14 भू-मार्ग क्षेत्रों में बांट कर और इन क्षेत्रों में से 60 जिलों को चुनकर उनकी सूची तैयार की गई। प्रत्येक चक्र में देश के वन क्षेत्र के करीब 8000 प्लांटों को लिया गया। हर दो वर्ष बाद बढ़ रहे वृक्षों की संख्या का अनुमान लगाना अब संभव हो गया।
- मंत्रालय ने वन प्रमाणन पर नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी समूह/प्रशासनिक इकाई बनाया है। यह समूह/इकाई इन तीन समितियों द्वारा कार्य करेगी :
 - प्रमाणन मानदंड के लिए समिति
 - प्रमाणन प्रक्रिया के लिए समिति
 - मान्यता दिलाने और प्रक्रिया पूरी करने के लिए समिति
- देश में इमारती लकड़ी और गैर इमारती लकड़ी वन उत्पादों आदि के राष्ट्रीय प्रमाणन के लिए आवश्यक मानदंड और प्रक्रियाओं के लिए और सड़क के नक्शे तैयार करने की प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाया गया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने वन उत्पादों सहित आयात दरों के अध्ययन के लिए एक समिति गठित की है ताकि कच्ची लकड़ी और तैयार लकड़ी या उसके उत्पादों के व्यापार के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा सके।
- मंत्रालय ने वन सांख्यिकी के इस्तेमाल और प्रभावी प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी संस्थागत और मानवीय क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय वन डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए एक विशेषज्ञ/परामर्श/कार्यकारी ग्रुप गठित किया है।
- 21 मार्च, 2007 को विश्व वन दिवस के अवसर पर माननीय पर्यावरण और वन मंत्री ने एक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का नाम है 'नेशनल फोरेस्ट्री डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम—ए विज़न'। इस पुस्तक में मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ दल द्वारा बैठकों में दी गई जानकारी का ब्योरा है।

संरक्षण

कच्छ वनस्पतियां और प्रवाल भित्तियां

मंत्रालय द्वारा कच्छ वनस्पतियों और प्रवाल भित्तियों के संरक्षण और प्रबंधन के संबंध में अग्रणी भूमिका निभाई जाती है। इसके साथ ही मंत्रालय द्वारा देश के कच्छ वनस्पतियों और प्रवाल भित्तियों के संरक्षण तथा प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (1986) के अंतर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना (1991) में कच्छ वनस्पतियों तथा प्रवाल भित्तियों को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है और इन्हें सीआरजैड-I के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसका अर्थ है कि इन क्षेत्रों को उच्च स्तर की सुरक्षा हासिल है। बढ़ावा देने के उपायों के अंतर्गत सरकार ने 38 कच्छ वनस्पति क्षेत्रों तथा चार प्रवाल भित्ति क्षेत्रों के व्यापक संरक्षण और प्रबंधन हेतु देशव्यापी आधार पर पहचान की है। विवरण तालिका-1 और 2 में दिया गया है। राष्ट्रीय नीति, 2006 में इस बात को माना गया है कि कच्छ वनस्पतियां और प्रवाल भित्तियां महत्वपूर्ण तटीय पर्यावरणीय संसाधन हैं जिनसे समुद्री जीव प्रजातियों को आश्रय मिलता है, उन्हें तीव्र मौसमी बदलाव से सुरक्षा मिलती है। इसके साथ ही ये सतत पर्यटन के लिए संसाधन का आधार है। नीति में यह भी माना गया है कि कच्छ वनस्पतियों और दूसरे तटीय संसाधनों जैसे कच्छ वनस्पतियों और तटीय वनों को विभिन्न क्षेत्रों से खतरा बना हुआ है।

भारत में कच्छ वनस्पतियां विश्व का लगभग पांच प्रतिशत हैं और ये तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं। भारत में कच्छ वनस्पतियों के कुल क्षेत्र का आधे से थोड़ा-सा कम पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में है। भारतीय वन सर्वेक्षण गुजरात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कच्छ वनस्पतियों सहित पूरे देश में वनस्पति क्षेत्र का मूल्यांकन कर रहा है। भारत में विश्व की कुछ सर्वश्रेष्ठ कच्छ वनस्पतियां हैं। मंत्रालय ने उड़ीसा में राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति अनुवांशिक संसाधन केंद्र स्थापित किया है।

प्रवाल भित्तियां

प्रवाल भित्तियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिये चार प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है :

- मन्नार की खाड़ी
- कच्छ की खाड़ी
- लक्षद्वीप
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

भारतीय प्रवाल भित्ति क्षेत्र अनुमानतः 2,375 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2008 को विश्व प्रवाल भित्ति वर्ष के रूप में मनाने के लिए मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप सरकार और गोवा के राष्ट्रीय समुद्रीक संस्थान द्वारा 'प्रवाल भित्ति की स्थिति' पर संयुक्त रूप से आयोजित कार्यशाला को प्रायोजित किया। यह कार्यशाला 21-23 जनवरी, 2008 को लक्षद्वीप के कदामत द्वीप पर आयोजित की गई थी।

कच्छ वनस्पतियों और प्रवाल भित्तियों के संरक्षण पर बनी योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रभावी समन्वय के जरिये द्विपक्षीय प्रणाली है।

जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र

जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली में आनुवांशिक विविधता बनाए रखने वाला बहुउद्देशीय क्षेत्र है। यूनेस्को के मानव और जैवमंडल (एमएबी) कार्यक्रम के तहत इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। यूनेस्को द्वारा तैयार जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के विश्व व्यापी ढांचे में शामिल होने के लिए आरक्षित क्षेत्रों को कुछ निश्चित शर्तों और कुछ न्यूनतम मानकों को पूरा करना पड़ता है। इसके अंतर्गत विश्व की प्रमुख पारिस्थितिकी प्रणालियां और भू-दृश्य (लैंडस्केप) आते हैं। इसका उद्देश्य प्रमुख भू-दृश्यों के संरक्षण और पौधों, जीव-जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा संपूर्णता को बनाए रखना, सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान को बनाए रखने वाली आर्थिक और मानव विकास से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहन देना और शिक्षा, सूचना का आदान-प्रदान, अनुसंधान, निगरानी और प्रशिक्षण देना है। अब तक 10 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं और इन क्षेत्रों के अंतर्गत 25 जैव भौगोलिक प्रांत हैं।

इन जैवमंडलीय क्षेत्रों को इसलिये बांटा गया ताकि प्रत्येक आरक्षित क्षेत्र की निगरानी की जा सके और उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके।

मंत्रालय ने अब तक चौदह जैव मंडलीय क्षेत्रों के संरक्षण और प्रबंधन के लिये संबंधित राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। इसके अलावा गुजरात में कच्छ जैव मंडलीय क्षेत्र को देश के 15वीं जैव मंडलीय क्षेत्र के रूप में 29 जनवरी, 2008 को शामिल किया।

देश में 15 जैवमंडलीय क्षेत्रों में से चार आरक्षित क्षेत्र सुंदरवन (पश्चिम बंगाल), मन्नार की खाड़ी

(तमिलनाडु), नीलगिरी (तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक) और नंदादेवी (उत्तराखंड) को विश्व के जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में शामिल किया गया है। कंचनजंगा (सिक्किम), मानस (असम), सिमलीपाल (उड़ीसा) और पंचमढ़ी (मध्य प्रदेश) के आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को द्वारा विश्व नेटवर्क में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। शेष जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों को विश्व नेटवर्क में शामिल करने की भी कोशिश की जा रही है।

जैवमंडलीय आरक्षित प्रमुख क्षेत्रों का संरक्षण वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत जारी रहेगा। लेकिन जैवमंडलीय आरक्षित बफर क्षेत्र में गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत अलग विनियमन तैयार किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के अंतर्गत नये विनियमों को परिभाषित किया जाएगा।

जैव विविधता संरक्षण

सजीव आर्गेनिज्म एवं पारिस्थितिकीय जटिलताओं की जैव-विविधता, जिसका वे एक भाग हैं, परिवर्तनशील है। इसमें प्रजातियों एवं पारितंत्रों के अंदर की विविधता भी शामिल है। भोजन, कृषि, औषधि एवं उद्योग में जैव-विविधता की सापेक्ष खपत होती है। जैव-विविधता के संरक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने तथा उसके लिए पर्याप्त नीतिगत दस्तावेजों की समीक्षा करने, उन पर निगरानी रखने तथा उन्हें तैयार करने के लिए जैव विविधता पर एक योजना शुरू की गई थी।

- सबसे महत्वपूर्ण समझौता 1992 में रियो डी जिनेरो में 1992 में विश्व शिखर वार्ता के दौरान किया गया जो कि जैव विविधता से संबंधित सभी पहलुओं पर किया गया एक व्यापक समझौता है। सीबीडी के 190 देश सदस्य हैं। यह सम्मेलन सदस्य देशों के जैविक स्रोतों के अधिकारों की संप्रभुता को बनाये रखने के लिए आयोजित किया गया था। इसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं : जैव विविधता का संरक्षण, इसके अवयवों का स्थायी इस्तेमाल और जैनेटिक संसाधनों के इस्तेमाल के लाभों का उचित एवं सही भागीदारी। भारत सीबीडी का सदस्य देश है।
- सीबीडी की अब तक आठ बैठकें हो चुकी हैं। इसकी आठवीं बैठक ब्राजील में क्यूरिटिबा में 20-31 मार्च, 2008 को आयोजित की गई थी।
- दक्षिण एवं पश्चिमी एशिया क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्रों पर सीबीडी की क्षमता बढ़ाने और उसकी समीक्षा के लिए भारत में उप-क्षेत्रीय कार्यशाला (सीओपी-8) आयोजित की गई। यह कार्यशाला 2-4 अप्रैल, 2007 से देहरादून में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा आयोजित की गई।
- सीओपी-8 के निर्णयों के बाद सीबीडी के अंतर्गत 4 अंतर्राष्ट्रीय बैठकें आयोजित की गई। इस दिशा में 2-6 जुलाई 2007 को फ्रांस, पैरिस में वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रौद्योगिकी परामर्श पर सहायक निकाय की 12वीं बैठक शामिल है। दूसरी बैठक 9-13 जुलाई, 2007 को पैरिस में ही आयोजित की गई। ओपन एंडिड वर्किंग ग्रुप की पांचवीं बैठक कनाडा में 8-12 अक्टूबर, 2007 को मांटीरियाल, कनाडा में आयोजित की गई। उसके बाद 15-19 अक्टूबर, 2007 को मांटीरियाल में ही आयोजित की गई।
- 2006 में मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की स्वीकृति के बाद राष्ट्रीय जैविक नीति और कार्ययोजना पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की अंतिम तकनीकी रिपोर्ट को देखते हुए कार्य किया जा रहा है।

- 1 अक्टूबर, 2003 को चेन्नई में राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई। यह प्राधिकरण जैव-विविधता अधिनियम 2002 के कार्यान्वयन के लिए स्थापित किया गया था। अनुसंधान पर दिशा-निर्देश की अधिसूचना और जैनेटिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण की तीन बैठकें हुईं। इसके अलावा प्राधिकरण ने अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूकता जगाने के लिए कई सेमीनार और गोष्ठियां भी आयोजित कीं।

आनुवंशिकी अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति

मंत्रालय ने पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, (1986) के अंतर्गत पारिसंकरमय माइक्रोऑर्गेनिज्म आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीवों अथवा सैल्स, 1989 (नियम, 1989 के रूप में विख्यात) के आयात और भंडारण के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति, जोकि नियम 1989 के अंतर्गत एक सर्वोच्च निकाय है, को बड़े पैमाने पर ट्रायल करने और सजीव रूपांतरित जीवों को वाणिज्यिक आधार पर रिलीज करने और यह सुनिश्चित करने का अध्यादेश प्राप्त है कि एल एम ओ को वातावरण में छोड़ने से पूर्व उनकी वैज्ञानिक और सुरक्षित रूप से रिसर्च और परीक्षण करा लिया जाए। इन नियमों में परिसंकटमय अपशिष्टों से संबंधित ऐसे आवेदनों को भी शामिल करने की व्यवस्था है, जिन्हें आनुवंशिक रूप से रूपांतरित नहीं किया गया हो। परिसंकटमय माइक्रोऑर्गेनिज्म में ऐसे जीव शामिल होते हैं जो प्राणियों और वनस्पतियों के लिए पैयो जैनिक होते हैं। अप्रैल, 2007 से आज तक आनुवंशिकी अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति की सात बैठकें हो चुकी हैं।

बीटी टेक्नोलॉजी को बॉलवार्म, एक प्रमुख कीट को, नियंत्रित करने के लिए आनुवंशिकीय अभियांत्रिकी के जरिए कपास की फसल में प्रयोग किया जाता है जिससे फसल बरबाद होने तथा कीटनाशकों के प्रयोग का खतरा कम हो जाता है। बीटी कॉटन प्राकृतिक रूप से कीटनाशक पदार्थ पैदा करता है जोकि यूबीक्वीटस साइल बैक्टीरियम जिसे बैसिल थूरिजिसिस कहा जाता है, से पैदा होता है। इसे आनुवंशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति ने वर्ष 2002 में भारत में व्यापक जैव सुरक्षा और वर्गों का परीक्षण करने के पश्चात अनुमोदित कर दिया। आज की तारीख तक जीईएसी के 135 बीटी कॉटन हाइब्रिड नस्लों को अनुमोदित किया है जिनमें क्राई फस्ट एसीजीन (मोन-बीजी) सेकेंड जिसे मैसर्स माहीको द्वारा विकसित किया गया है, एनकोडिंग प्यूजन जीन्स (क्राईजीन ईवेंट) इसे मैसर्स जे.के. एग्रीजेंटिक्स लि. ने विकसित किया है, जिनमें 73 बीटी कॉटन हाइब्रिड नस्लों, नौ कपास उगाने वाले राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु में वाणिज्यिक उपयोग के लिए रिलीज किया था।

बीटी कॉटन व्यावसायिक घोषित किया गया है तथा इसकी 2002 के बाद से बड़े पैमाने पर कॉटन उगाने वाले क्षेत्रों में खेती की जा रही है। इसकी विनियमन की आवश्यकता की समीक्षा के लिए मंत्रालय ने एक उपसमिति का गठन किया है।

कार्टिजेन जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल

जैव सुरक्षा पर कार्टिजेन प्रोटोकॉल, जोकि सजीव रूपांतरित जीवों के सुरक्षित स्थानांतरण, संचालन और उपयोग संबंधी पहला अंतर्राष्ट्रीय विनियामक ढांचा है, इस पर कंवेशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के तत्वावधान के अंतर्गत विचार-विमर्श हुआ था। यह प्रोटोकॉल 29 जनवरी, 2000 को अपनाया गया था। एक सौ तैंतालीस देशों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने 17 जनवरी, 2003 को जैव

सुरक्षा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करना मंजूर किया था। यह प्रोटोकॉल 11 सितंबर, 2003 से प्रभावी हो गया है। आज की तारीख तक 143 देश प्रोटोकॉल के पक्षकार हैं।

देनदारी और सुधार संबंधी अस्थाई कार्यकारी दल की पांचवीं बैठक 12-19 मार्च, 2008 तक कार्टिजेन, कोलंबिया में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस बैठक में हिस्सा लिया। लायबिलिटी एंड रीड्रेस संबंधी एडहॉक ओपन एंडिड वार्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की रिपोर्ट पर भारत का नजरिया और बातचीत के मुद्दों को तैयार कर लिया गया और जैवविविधता, जैवसुरक्षा संबंधी कंसलटेटिव ग्रुप की बैठक में व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया गया। मंत्रालय ने 14-01-2008 को नई दिल्ली में लायबिलिटी एंड रीड्रेस विषय पर एक नेशनल कंसलटेशन भी आयोजित किया था।

कार्टिजेन प्रोटोकॉल कार्यान्वित करने के लिए जैव सुरक्षा पर जीईएफ विश्व बैंक क्षमता निर्माण परियोजना (जून 2004 से जून 2007) को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

परियोजना की उपलब्धियां तथा सफलताएं निम्नलिखित हैं :

- घटक-1** मंत्रालयों के भीतर और बाहर निर्णय लेने की क्षमता का निर्माण और समन्वय करने के कार्य में सुधार करने हेतु संस्थागत और कानूनी ढांचे को सुदृढ़ बनाना।
- घटक-2** जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए उन्नत क्षमता।
- घटक-3** प्रयोगशालाओं/संस्थाओं का विश्लेषण। एलएमओ का पता लगाने के लिए प्रयोगशालाएं बनाना।
- घटक-4** जैव सुरक्षा क्लियरिंग हाउस और एन्हेंस्टड इन्फोर्मेशन शेयरिंग और जनजागरूकता।

वर्गीकरण विज्ञान में अखिल भारतीय क्षमता निर्माण पर समन्वित परियोजना

वर्गीकरण विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो जीवित प्राणियों के अन्वेषण, पहचान और विवरण देने में मदद करता है। लेकिन इसका कार्यक्षेत्र इसके साथ ही समाप्त नहीं हो जाता। एक ठोस वर्गीकरण आधार पर्यावरणीय मूल्यांकन, पारिस्थितिकीय अनुसंधान, प्रभावी संरक्षण, प्रबंधन तथा जैविक संसाधन सतत उपयोग के लिए पहली आवश्यकता है।

अभी तक पशुओं की 90,000 प्रजातियों तथा 47000 वनस्पति प्रजातियों की पहचान की गई है और उनका विवरण दिया गया है। बड़ी संख्या में वन्य प्राणियों और पौधों का अभी पता लगाया जाना है और उनकी पहचान करके उनका विवरण दिया जाना है।

वर्ष 1992 में रियो-डी जनेरो में आयोजित कन्वेंशन आन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत ने वर्गीकी के क्षेत्र क्षमता निर्माण के लिए स्वयं को वचनबद्ध किया है और जीवित प्राणियों की एक इन्वेंटरी का अन्वेषण करने और उसे तैयार करने का काम शुरू किया है। मंत्रालय ने वर्गीकरण पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना शुरू की है। इसमें पशु विभाग, जीवाणु, एल्गी, फंजाई, लाइकेन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट-पॉम, जीमनोरूपम आदि पर वर्गीकरण कार्य शुरू कर दिया है।

बॉटैनिक गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक (बीजीआईआर), नोएडा

बीजीआईआर (बॉटैनिक गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक) की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ देश की दुर्लभ, संकटग्रस्त, देशज वनस्पतियों का संरक्षण करने, उनका प्रसार करने तथा रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्य करने तथा क्षेत्र में संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण की

आवश्यकताओं को पूरा करने और वनस्पति विविधता के संरक्षण पर शिक्षा द्वारा संरक्षण की जरूरतों पर जनजागरूकता बनाने के लिए की गई थी। बीजीआईआर द्वारा इस समय रिसर्च फील्ड आपरेशनों के संदर्भ में परियोजना निष्पादित करने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी कार्य किया जा रहा है।

यह कार्यक्रम लगभग 350 पादप प्रजातियों के साथ जारी रखा गया था जिन्हें रैडसैंडर्स मिश्रित वनों को विकसित करने के लिए वूडलैंड के साउथ ईस्ट सैक्शन में शामिल किया जा रहा है। लगभग 375 पादप प्रजातियां वूडलैंड के नार्थ सैक्शन में शुष्क पतझड़ी गंगाई सब-टाइप वनों को विकसित करने के लिए शामिल की जा रही हैं और लगभग 20 प्रजातियों को वूडलैंड के पश्चिमी समभाग के फिक्स आर्बोरिप्स में शामिल किया जा रहा है।

स्वास्थ्य और आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए औषधीय पादपों और परंपरागत जानकारी को बढ़ावा देने के संबंध में यूएनडीपी-जीओआईसीसीएफ-II परियोजना : यह परियोजना 2005-06 में 12.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शुरू की गई थी और इसे नौ राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। द फाउंडेशन फार रीवाइटेलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन, बंगलुरु इस परियोजना का समन्वय कर रहा है। इस परियोजना में भागीदारी करने वाले राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र।

इनका निरीक्षण करने के लिए और अंतर विभागीय समन्वय को सुचारू बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय परियोजना प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया है तथा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश देने के लिए एक शक्ति प्राप्त प्रोजेक्ट विषय संचालन समिति का गठन किया गया है। प्रोजेक्ट के तकनीकी समन्वयन और कार्यान्वयन का कार्य फाउंडेशन फार रीवाइटेलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन, बंगलुरु द्वारा किया जा रहा है। फील्ड स्तर पर प्रोजेक्ट के हिस्सों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य वन विभाग और चुनिंदा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया जा रहा है।

परियोजना से संबंधित राज्यों ने परियोजना विषय संचालन समिति का गठन किया है और अपने-अपने हिस्सों के लिए कार्य योजनाएं तैयार की हैं। चार राज्यों में चिकित्सकीय पादप संरक्षण क्षेत्र स्थापित करने के लिए स्थानों के पहचान की प्रक्रिया, तीन राज्यों में सतत एनटीएफपीएस और चिकित्सकीय पौधों के रोपण की प्रक्रिया, चार राज्यों में केंद्रीय बीज केंद्रों के मूल्यांकन की आवश्यकता, घर में हर्बल गार्डन (बगीचा) लगाने की क्षमता के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई है। महत्वपूर्ण चिकित्सकीय पौधों की प्रजातियों के लिए आईयूसीएन के दिशा-निर्देशों के अनुसार तीव्र संकट मूल्यांकन के लिए चिकित्सकीय पादप संरक्षण क्षेत्र कार्यशालाएं तीनों राज्यों अर्थात् उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में आयोजित की जा रही हैं।

वनस्पति उद्यान के लिए सहायता

दुर्लभ देशज स्थानीय पौधों के स्थान पर बाह्य संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1992 में वनस्पति उद्यान और दूरस्थ संरक्षण केंद्रों को सहायता प्रदान करने की योजना को आरंभ किया गया था। वनस्पति उद्यान और दूरस्थ संरक्षण केंद्रों को उनकी संरचनात्मक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ताकि दुर्लभ स्थानीय पौधों का संरक्षण सरलता से किया जा सके। इन वनस्पति सर्वेक्षण की सहायता से समय-समय पर मॉनीटर किया जाता है।

मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है जो इस स्कीम के तहत प्राप्त प्रस्तावों की पहचान करेगा और अपनी सिफारिशें देगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण उन दुर्लभ स्थानीय पौधों की

पहचान करने में सहायता करेगा जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। वर्ष के दौरान वनस्पति उद्यानों के लिए सात प्रस्तावों को धन राशि उपलब्ध कराने के लिए अनुमोदित किया गया है।

उपयुक्त प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न राज्यों को योजना के लिए संशोधित दिशानिर्देश परिचालित किए गए थे। संशोधित दिशानिर्देश में प्रत्येक फाइटो-जियोग्राफिक क्षेत्र में मुख्य उद्यानों की स्थापना और संवर्धन पर विचार किया गया था। मार्गदर्शी सिद्धांतों में निर्धारित मानदंड के आधार पर देश के विभिन्न वनस्पति भौगोलिक क्षेत्रों में 'लीड गार्डन' विकसित करने के लिए तीन प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं। ये लीड गार्डन छोटे-छोटे बगीचों के आवश्यक विशेषज्ञता उपलब्ध कराएंगे और उन्हें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

वन संरक्षण

वन संरक्षण प्रभाग का कार्य वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 को लागू करना है, जिसे 25 अक्टूबर, 1980 को लागू किया गया था। यह अधिनियम वनभूमि को गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए परिवर्तन के लिए अनुमति देने से संबंधित है। यह गैर-प्रयोजन विकास परियोजनाओं के लिए है जैसे विद्युत, सड़क, रेलवे, सिंचाई, खनन, स्कूल, रक्षा, पेय जल, लोगों का पुनःस्थापन और पुनर्वास आदि।

1980 में इसे लागू किए जाने के बाद से लेकर 31 दिसंबर, 2007 तक लगभग 16,939 विकासशील परियोजनाओं जिनमें 11.56 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र शामिल हैं, वनविभाग की ओर से अनुमति दी गई है। इनमें विद्युत उत्पादन, सिंचाई, सड़कें बनाना, रेलवे लाइनें, सम्प्रेषण लाइन, पेय जल आपूर्ति परियोजनाएं, ग्रामीण बिजली, स्कूल, अस्पताल आदि शामिल हैं। इनमें से 84275.55 हेक्टेयर वन भूमि वाली विभिन्न श्रेणी की 2244 विकासशील परियोजनाओं को 31 दिसंबर, 2007 तक वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अधीन अनुमति दी गई है।

इसके अलावा कम विकसित क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम एक हेक्टेयर वन भूमि वाली विकासशील परियोजनाओं के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत एक ही बार में अनुमति दी गई है। सरकारी विभागों द्वारा निष्पादित की जाने वाली ये परियोजनाएं इस प्रकार हैं : स्कूल, डिसपेंसरी/अस्पताल, बिजली और दूर संचार लाइनें, पेय जल, जल/वर्षा का पानी संचयी संरचनाएं/लघु सिंचाई नहरें, गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, कौशल उन्नयन/व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, विद्युत उप-केंद्र, संचार हॉट तथा पुलिस स्टेशन/आउट पोस्ट/बॉर्डर आउट पोस्ट/निगरानी टॉवर। इस सामान्य अनुमोदन की वैधता अवधि को बढ़ाकर 31.12.2008 तक किया गया है।

जनजातीय क्षेत्रों में व.स. अधि. 1980 को धारा-2 के अंतर्गत सामान्य अनुमोदन अलग-अलग परिवार की बिजली को भूमिगत केबल तथा तार बिछाने, पेय जल आपूर्ति/पानी की पाइप लाइनें, टेलीफोन लाइनें बिछाने के लिए दिया गया है जिसमें प्रति परियोजना 50 पेड़ों तक को गिराना स्वीकार्य है तथा सामान्य अनुमोदन की वैधता को 31.12.2008 तक बढ़ाया गया है।

जनजातीय तथा ग्रामीण लोगों को रहने की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत एक सामान्य अनुमोदन प्रदान करते हुए भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत मान्य अधिकार धारकों को कुछेक के अधीन अपने वास्तविक घरेलू प्रयोग के लिए वन क्षेत्रों से पत्थर/स्लेट/छोटी शिलाएं प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की है। इस छूट-व्यवस्था के व्यावसायिक प्रयोग की अनुमति नहीं है।

सरकार ने राज्य/संघ राज्य सरकारों को अयोग्य अतिक्रमणकर्ताओं के अलावा, जनजातीय तथा वनवासियों को उनके अधिकार सत्यापन कार्य को प्रक्रिया पूरी होने तक वन-भूमि से बेदखल न करने के निर्देश जारी किए हैं। विवादित दावों के निपटारे के लिए वन भूमि पर जनजातीय वनवासियों के अधिकारों के सत्यापन/मान्यकरण के लिए नए दिशानिर्देश भी 3 नवंबर, 2005 को जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में अधिकारों के निपटारे के लिए ग्राम और ब्लॉक स्तरीय समितियों का गठन करने में, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया स्वीकार्य साक्ष्य का स्वरूप तथा दावों को स्वीकार करने के लिए मानदंड निहित है।

क्षेत्रीय कार्यालय

इस मंत्रालय के नई दिल्ली में मुख्यालय एवं बंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, लखनऊ, शिलांग तथा चंडीगढ़ में स्थित 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रमुख कार्य एफसीए 1980 तथा ईपीए 1986 के अंतर्गत विकासशील परियोजनाओं को अनुमति प्रदान करने वाले इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों तथा सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए वनों के संरक्षण तथा अनुवर्ती कार्रवाई पर विशेष बल देते हुए चालू वानिकी परियोजनाओं तथा स्कीमों को मॉनीटर करना तथा उनका मूल्यांकन करना है।

एकीकृत वन संरक्षण योजना

एकीकृत वन संरक्षण स्कीम दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की जा रही थी तथा ग्यारहवीं योजना के दौरान भी जारी रखी जा रही है। योजना आयोग ने इस स्कीम का नाम बदल कर ग्यारहवीं योजना के दौरान 'वन प्रबंधन का तीव्रिकरण' किए जाने का सुझाव दिया है। इस स्कीम के आधारिक विषयों को व्यापक बनाने के लिए आई एफ पी एस अर्थात् अवसंरचना विकास तथा दावानल नियंत्रण प्रबंधन के विद्यमान तत्वों के अतिरिक्त निम्नलिखित दो तत्वों को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है :

- विशिष्ट वनस्पति तथा पारिस्थितिक-तंत्र के संरक्षण तथा पुनर्स्थापन।
- पवित्र वृक्ष-कुंजू का रक्षण तथा संरक्षण।

संयुक्त वन प्रबंधन : संयुक्त वन प्रबंधन की मूल अवधारणा वन के आस-पास रहने वाले लोगों की भागीदारी के विकास पर जोर देती है। संयुक्त वन प्रबंधन के दिशा-निर्देशों को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है और अद्यतन करते समय विभिन्न स्तरों पर पी आर आई के सहयोग से एन टी एफ पी के प्रबंधन और उपयोग पर जोर दिया जाता है। इस समय वन क्षेत्र के 21.99 मिलियन लोगों वाले 22.02 एम एच ए की सीमा तक 1,06,479 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां कार्यरत हैं।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मूली बांसों की ग्रीगेरियस फ्लावरिंग का प्रबंधन

इस योजना को 30 मार्च, 2006 को योजना आयोग और वित्त मंत्रालय ने अंतिम रूप से अनुमोदित कर दिया। इसका कार्यान्वयन 8500 करोड़ रुपये के कुल परियोजना परिव्यय के साथ 2005-06 से 2008-09 के दौरान किया गया। इस परियोजना को पूर्वोत्तर के सातों राज्य आई सी एफ आर ई के साथ कार्यान्वित कर रहे हैं।

वन नीति

सभी प्रकार के वनों के स्थायी विकास संबंधी नॉन लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट को संयुक्त राष्ट्र

संघ के सभी सदस्य देशों ने विश्व वन नीति के रूप में स्वीकृत किया जिसे आम सभा में अंगीकृत किया गया। भारत सरकार ने वनों के भीतर और आस-पास रहने वालों को लघुवन इत्यादि का स्वामित्व संग्रह, प्रोसेसिंग, व्यापार और विपणन संबंधी स्वामित्व अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों संबंधी मान्यता) अधिनियम, 2006 को सौंप दिया है। इससे वनों पर आश्रित लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (एम डी जी) यानी शताब्दी के विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति वनों के योगदान में भी वृद्धि होगी।

- राष्ट्रीय वन आयोग (एन एफ सी) अपनी तरह का पहला आयोग है, पूर्व में गठित इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 28 मार्च, 2006 को प्रस्तुत की। आयोग ने भारत में वनों की दीर्घावधि बेहतरी के साथ-साथ वनों पर आश्रित समुदायों के हितों की रक्षा और साथ ही राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश की पारिस्थितिकीय सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय वचनबद्धता का भी पालन किए जाने की सिफारिश की है।
- रिपोर्ट में वनों की मौजूदा स्थिति की जांच की गई है। वन नीति, लीगल फ्रेम वर्क तथा वन क्षेत्र के संस्थागत और प्रशासनिक ढांचे की भी समीक्षा की गई है। वन क्षेत्र संबंधी बाधाओं, वनों, वन्य जीवों तथा प्रकृति संरक्षण कार्य तथा वन कृषि, केंद्र-राज्य संबंधों, वन तथा स्थानीय समुदायों के संबंध में गहन चिंतन किया गया। रिपोर्ट में वनों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय विलेखों, वन अनुसंधान, वनों और उद्योगों के बीच में संबंध, वन तथा स्थानीय समुदायों के तरीकों की गहन जांच की।
- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन संबंधी अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य के स्तरों/संघ राज्य सरकारों तथा अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के साथ 25 जून, 2007 को एक राष्ट्रीय स्तरीय परामर्श किया गया था। इस परामर्श में वन सचिवों, पीसीसीएफ के तथा राज्य सरकारों/केंद्र शासित राज्यों के प्रशासनों के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्ड्स ने भाग लिया और अपने-अपने विचार रखे।

वन्यजीव संरक्षण

वन और वन्यजीवों को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। केंद्रीय मंत्रालय वन्य जीव संरक्षण संबंधी नीतियों और नियोजन के संबंध में दिशा-निर्देश देने का काम करता है तथा राज्य वन विभागों की जिम्मेदारी है कि वे राष्ट्रीय नीतियों को कार्यान्वित करें। वन्यजीव संबंधी अपराधों को रोकने के लिए वन्यजीव संरक्षण निदेशक के अंतर्गत वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और जबलपुर पांच क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अमृतसर, गुवाहाटी और कोचीन उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को मिलाकर किया गया है। यह मंत्रालय विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत वन्यजीव संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसमें राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारण्यों के विकास के लिए, हाथियों संबंधी परियोजनाओं के लिए स्कीमें, वन्यजीव प्रभाग को सशक्त बनाने संबंधी केंद्रीय स्कीम तथा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को सहायता अनुदान देना शामिल है।

भारत में रक्षित क्षेत्र (प्रोटेक्टड एरिया) नेटवर्क में वन राष्ट्रीय पार्क तथा 513 वन्यजीव अभयारण्य, 41 संरक्षण रिजर्व्स तथा चार सामुदायिक रिजर्व्स शामिल हैं। हमारे रक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन संबंधी जटिल कार्य को अनुभव करते हुए वर्ष 2002 में राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) को अपनाया गया जिसमें वन्यजीवों के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी तथा उनकी सहायता पर बल दिया गया है।

इस मंत्रालय ने देश भर में एक विशेषज्ञ दल द्वारा राष्ट्रीय पार्कों तथा वन्यजीव अभयारण्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया था ताकि यह निश्चित किया जा सके कि वन्यजीव प्रबंधन के लिए देश भर में संरक्षण दायित्वों तथा सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में रक्षित क्षेत्र नेटवर्क कितने कारगर प्रयास करता है। इस प्रयोजनार्थ पांच क्षेत्रीय विशेषज्ञ समितियों का भी गठन किया जाता है। प्रथम चरण के दौरान 30 रक्षित क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया था।

भारत सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर गिद्ध (वल्चर) संरक्षण के लिए एक कार्ययोजना तैयार की है जो इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए लागू की जा रही है। सरकार ने हरियाणा में पिंजोर, पं. बंगाल में बक्सा तथा असम में रानी वन में और भोपाल, भुवनेश्वर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद के चार चिड़ियाघरों में पालन-पोषण केंद्रों को स्थापित किया है। ये केंद्र कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 का संशोधन 2006 में किया गया था। इस ब्यूरो के अधिकार और दूसरे कार्यों को इस अधिनियम की धारा 38 में परिभाषित किया गया है। इस ब्यूरो के गठन से चार क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके उप-क्षेत्रीय कार्यालयों सहित एक साथ समेकित कर दिया गया है। इसका एक नया क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में भी गठित किया गया है।

वन्यजीवों संबंधी राष्ट्रीय बोर्ड की चौथी बैठक 1 नवंबर, 2007 को माननीय वन एवं वन्यजीव मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में लुप्तप्राय जीवों के रिकवरी कार्यक्रम और समुद्री जीवों के संरक्षण संबंधी उपसमिति की स्थापना करना शामिल है।

9 जुलाई, 2007 के आदेशानुसार, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड संबंधी स्थायी समिति का पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठित समिति की बैठक 10 सितंबर, 2007 को माननीय वन और वन्यजीव मंत्री की अध्यक्षता में हुई।

यह मंत्रालय जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता तथा वन्यजीव संरक्षण आदि संबंधी निर्माण अंतर्राष्ट्रीय संयोजनों की मुख्य एजेंसी है। भारत वन्यजीव संरक्षण संबंधी पांच प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों-कन्वेंशन आन इंटरनेशनल ट्रेड इन एनडेजर्ड स्पीसिज ऑफ वाइल्ड फौना एंड प्लोरा (साइट्स), इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल सोर्सिज (आईयूसीएन), इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन (आईआरयूसी) तथा कन्वेंशन आन माइग्रेटरी स्पीसिज (सीएमएस) में भारत की भी भागीदारी है।

साइट्स संबंधी पार्टियों का चौदहवां सम्मेलन 3-15 जून, 2007 के दौरान हेग, नीदरलैंड में हुआ था। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने इस सम्मेलन में भाग लिया। माननीय पर्यावरण एवम् वनमंत्री ने भी सीओपी 14 संबंधी सम्मेलन में भाग लिया था। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने सम्मेलन में सक्रिय भाग लिया और एजेंडा की विभिन्न मदों विशेषकर उन मदों पर जिनका संबंध राष्ट्रीय हितों से अथवा जो अप्रत्यक्ष रूप से देश के संरक्षण संबंधी प्रयासों पर आघात करने वाले थे, पर अपना विरोध दर्ज किया। भारत के एशियाई बाघ तथा बारहसिंगे के संरक्षण संबंधी प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। सीओपी में भारत द्वारा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की भी प्रशंसा की गई। भारत ने सम्मेलन में बताया कि भारत में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इसमें अन्य बातों के साथ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम में वर्ष 2006 में किए गए संशोधन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तथा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन का उल्लेख करना भी शामिल है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बाघों के वाणिज्यिक प्रजनन संबंधी किसी भी प्रस्ताव को नहीं

मानने की अपील की क्योंकि इससे बाघों की संख्या पर खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद बाघ संरक्षण के लिए भारत, चीन, नेपाल, रूस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने संयुक्त प्रस्ताव पेश किया जिसे सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया।

भारत विश्व विरासत स्थलों की सूची बनाने के लिए उत्तरदायी वर्ल्ड हैरिटेज साइट्स का सदस्य है जो कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों ही प्रकार के स्थलों को शामिल करता है। मंत्रालय का वन्यजीव विभाग विश्व विरासत के प्राकृतिक स्थलों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है।

भारत में विश्वस्तर के प्राकृतिक स्थलों के महत्व को देखते हुए 'वर्ल्ड हैरिटेज बायोडायवर्सिटी प्रोग्राम फॉर इंडिया : बिल्डिंग पार्टनर शिप टू सपोर्ट यूनेस्कोज वर्ल्ड हैरिटेज प्रोग्राम' नाम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त परियोजना आरंभ की गई है। यह परियोजना यूनेस्को तथा यूनाइटेड नेशन्स फाउंडेशन (यूएनएफ) से प्राप्त अनुदान के नियोजन का परिणाम है तथा इसे मंत्रालय के महानिदेशक की अध्यक्षता में संचालन समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है।

वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के तत्वावधान में साइबेरियन क्रेंस के संरक्षण के संबंध में छठी बैठक अलमाटी, कजाकिस्तान में हुई थी। बैठक के दौरान क्योलाडियो नेशनल पार्क, राजस्थान को साइबेरियाई सारसों के लिए संभावित शीतकालीन स्थल के रूप में स्वीकार किया गया। साइबेरियाई सारसों के संरक्षण के लिए दो और संभावित स्थलों—उत्तरप्रदेश में इटावा-मैनपुरी वनभूमि तथा गुजरात में बन्नी चरागाह पर भी विचार किया गया।

इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन की 59वीं वार्षिक बैठक, एंकोरेज, अलास्का में 28-31 मई, 2007 को हुई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने इस बैठक में भाग लिया। भारत ने विश्व में व्हेलों की संख्या बढ़ाने के संबंध में अति सक्रिय भूमिका निभाई।

भारत ने कोएलिशन एगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेफिकिंग (सीडब्ल्यूएटी) में भाग लेकर वन्यजीवों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ मिलकर कार्य किया। भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रयासों की मंत्री स्तर पर पहली बैठक नैरोबी में 10 फरवरी, 2007 को हुई थी। माननीय पर्यावरण और वन मंत्री ने इस बैठक में भाग लिया। इससे पहले लंदन में 20-21 नवंबर, 2006 को बैठक हुई थी।

1982 में भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) की स्थापना की गई। यह संस्थान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वशासी संस्थान है जिसे वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधानिक संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इस संस्थान को इसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 1999 में राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया था।

केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण

केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण (सीजेडए) की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करके प्राणी उद्यानों के कार्यों पर नजर रखने तथा भारतीय प्राणी उद्यानों में जीवों के स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करने तथा सार्वजनिक पार्कों, औद्योगिक परिसरों और सड़कों के किनारे अव्यवस्थित तथा दुर्दशा वाले प्राणी उद्यानों की आ रही बाढ़ को रोकने के लिए की गई थी। पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (वन और वन्यजीव) की अध्यक्षता में सितंबर, 2007 में केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण को छठी बार पुनर्गठित किया गया। इस प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सदस्य सचिव हैं। केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण के निर्धारित कार्यों को करने के लिए इस प्राधिकरण में 15 अनुभवी सदस्य होते हैं।

वर्ष के दौरान विभिन्न 39 प्राणी उद्यानों तथा राहत केंद्रों का मूल्यांकन किया गया। इनमें से 33 प्राणी उद्यानों/राहत केंद्रों को सशर्त मान्यता दी गई। इस अवधि के दौरान 6 लघु प्राणी उद्यानों/राहत केंद्रों की मान्यता रद्द कर दी गई।

61 विभिन्न लुप्तप्राय प्रजातियों की भारतीय प्राणी उद्यानों में संभावित संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए पहचान की गई है। ऐसा करने से पहले प्रमुख वन्यजीव वार्डन और संबंधित राज्यों के प्राणी उद्यान निदेशकों के बीच कई बैठकें की गई थीं। इस प्रयोजन के लिए गुवाहाटी (पूर्वोत्तर की स्थानीय प्रजातियों के लिए), नई दिल्ली (हिमाचल में अत्यधिक ऊंचाई पर रहने वाली प्रजातियों के लिए) तथा ऊटी (पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजातियों के लिए) में बैठकों का आयोजन किया गया था।

वर्ष के दौरान गिद्धों (जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद और भुवनेश्वर), पेंटिड रूफ कछुए (कुकरैल), ब्लिथंस ट्रेगोपन (रंगापहाड़), ह्यूम्स फीजेंट (आइजॉल) तथा पंगोलिन (भुवनेश्वर) संरक्षण प्रजनन केंद्रों की स्थापना के लिए धनराशि जारी की गई।

समन्वित संरक्षण प्रजनन के लिए ली गई सभी संकटग्रस्त वन्यजीव प्रजातियों की राष्ट्रीय स्टड बुक्स का रखरखाव करने के लिए राष्ट्रीय स्टड बुक सैल की स्थापना के लिए देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

वर्ष के दौरान प्राणी उद्यान प्राधिकरण द्वारा भारतीय प्राणी उद्यानों के बीच जीवों के आदान-प्रदान के लिए जारी ग्यारह प्रस्तावों तथा भारतीय और विदेशी प्राणी उद्यानों के बीच सात प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

नई दिल्ली (उत्तरी क्षेत्र) और चेन्नई (शेष भारत के लिए) में एवियन इन्फ्लुएंजा के नियंत्रण के संबंध में प्राणी उद्यानों में पशु चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में सोन चिड़िया के संरक्षण के संबंध में संबंधित राज्यों के प्रमुख वन्यजीव वार्डन्स और अन्य विशेषज्ञों की एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

बाघ परियोजना (राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण)

वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्यपरक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से भारत में बाघों की वास्तविक आबादी को बरकरार रखने के लिए तथा हमेशा के लिए लोगों की शिक्षा व मनोरंजन के लिए राष्ट्रीय धरोहर के रूप में जैविक महत्व के क्षेत्रों को परिरक्षित रखने के उद्देश्य से केंद्र द्वारा प्रायोजित बाघ परियोजना वर्ष 1973 में शुरू की गई थी।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तथा बाघ व अन्य संकटग्रस्त प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन संबंधी प्रावधानों की व्यवस्था करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया। बाघ अभयारण्य के भीतर अपराध के मामलों में सजा को और कड़ा किया गया। कोई भी वन्यजीव अपराध करने में प्रयुक्त किसी भी उपकरण, वाहन अथवा शस्त्र को जब्त करने की व्यवस्था भी अधिनियम में की गई है।

सेवानिवृत्त सैनिकों और स्थानीय कार्यबल तैनात करके 17 बाघ अभयारण्यों को शत-प्रतिशत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया और बाघ संरक्षण

फाउंडेशन की स्थापना की गई। संसद के समक्ष वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी गई। अभयारण्य प्रबंधन में संख्यात्मक मानकों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए 4.9.2006 से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया।

वन्यजीवों के अवैध व्यापार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए पुलिस, वन, सीमा शुल्क और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों से युक्त एक बहुविषयी बाघ तथा अन्य संकटग्रस्त प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो), की स्थापना 6.6.2007 को की गई थी।

आठ नए बाघ अभयारण्यों की घोषणा के लिए अनुमोदन स्वीकृत हो गया है।

बाघ संरक्षण को और अधिक मजबूत बनाने के लिए राज्यों को बाघ परियोजना के संशोधित दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिनमें चल रहे कार्यकलापों के साथ ही बाघ अभयारण्य के मध्य या संवेदनशील क्षेत्र में रहने वाले लोगों के संबंधित ग्राम पुनर्पहचान/पुनर्वास पैकेज (एक लाख रुपये प्रति परिवार से दस लाख रुपये प्रति परिवार) को धन सहायता देने, परंपरागत शिकार और मुख्यधारा में आय अर्जित करने तथा बाघ अभयारण्य से बाहर के वनों में वन्यजीव संबंधी चीता और बाघों के क्षेत्रों में किसी भी छेड़छाड़ को रोकने संबंधी रक्षात्मक रणनीति को अपना कर बाघ कोरीडोर संरक्षण का सहारा लेते हुए समुदायों के पुनर्वास/पुनर्स्थापन संबंधी कार्यकलाप शामिल हैं।

बाघों का अनुमान लगाने के लिये एक वैज्ञानिक तरीका अपनाया गया। इस नये तरीके से अनुमानतया 93697 कि.मी. क्षेत्र को बाघों के लिये संरक्षित रखा गया है। उस क्षेत्र में बाघों की संख्या अनुमानतया 1411 है, अधिकतम 1657 और नई वैज्ञानिक विधि के अनुसार न्यूनतम 1165 है। इस अनुमान/आकलन के नतीजे भविष्य में बाघों के संरक्षण की रणनीति बनाने में बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं।

भारत ने चीन के साथ बाघ संरक्षण संबंधी समझौता किया है। इसके अलावा वन्यजीवों के अवैध व्यापार के बारे में सीमापार नियंत्रण और संरक्षण के संबंध में नेपाल के साथ एक समझौता किया है।

बाघ संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए बाघ पाए जाने वाले देशों में एक ग्लोबल टाइगर फोरम का गठन किया गया है।

हाथी परियोजना

हाथियों की मौजूदा आबादी को उनके प्राकृतिक आवास स्थलों में दीर्घकालिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी रखने वाले राज्यों की सहायता करने की बाबत फरवरी, 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना को आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्यों को परियोजना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। हाथियों की कम संख्या वाले अन्य राज्यों को जनगणना, क्षेत्रीय स्टाफ के प्रशिक्षण एवं मानव-हाथी संघर्ष के लिए भी सहायता प्रदान की गई है।

देश में पहले हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना करने के लिए हरियाणा को सहायता प्रदान की गई।

वर्ष 2007 में पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा पूरे भारत में हाथियों का आकलन किया गया जबकि पूर्वोत्तर में यह मौसमी स्थिति के कारण शीतकाल में किया जाएगा। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चला है कि 2002 की तुलना में हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

तीन हाथी अभयारण्यों, दो छत्तीसगढ़ में लेमरु और बादलखोड नाम से और एक अरुणाचल प्रदेश में देवमाली की स्थापना करने की अनुमति दी गई।

पशु कल्याण

इस मंत्रालय के जीव-जंतु कल्याण प्रभाग को जीव-जंतुओं के प्रति कूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) के प्रावधानों को लागू करने का काम सौंपा गया है। इस अधिनियम के अधीन सांविधिक बाध्यताओं के क्रियान्वयन का कार्य जारी है। दो सांविधिक संगठन अर्थात् भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (ए डब्ल्यू बी आई) एवं जीव-जंतुओं पर किये जाने वाले प्रयोगों के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के प्रयोजनार्थ गठित किया गया है। जीव-जंतु कल्याण प्रभाग का उद्देश्य जीव-जंतुओं को दिए जाने वाली अनावश्यक पीड़ा का निवारण करना है।

देश में जीव-जंतुओं की देखभाल के लिए कथित जीव-जंतुओं के लिए आश्रय स्थल की स्थापना करने और उसका रख-रखाव करने के लिए जीव-जंतु आश्रय स्थल संबंधी योजना के अंतर्गत अनुदान दिया जाता है। दीवारों, आश्रय स्थलों, वाटर टैंक, नालियों, डिस्पेंसरी के निर्माण, चिकित्सा उपकरण तथा आकस्मिक स्थिति के लिए गैर सरकारी संगठनों तथा सोसाइटी फॉर-प्रीवेंशन आफ क्रूरएलिटी टू एनिमल्स (एसपीसीएस) को 22.50 लाख रुपए तक का अनुदान दिया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में नवंबर, 2007 तक 13 आश्रय स्थलों का निर्माण हो चुका है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवारा कुत्तों की संख्या के नियंत्रण और टीकाकरण योजना के अंतर्गत नवंबर, 2007 तक एनीमल वैलफेयर आर्गेनाइजेशन (ए डब्ल्यू ओ) पशु कल्याण संगठन को 22 एंबुलेंस दी जा चुकी हैं।

वर्ष के दौरान भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (डब्ल्यू बी आई) 55 नव स्थापित पशु कल्याण संगठनों (ए डब्ल्यू ओ) को मान्यता प्रदान कर चुका है।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मंत्रालय विकासात्मक गतिविधियों का मूल्यांकन करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थाई विकास प्राप्त करने के लिए विकासात्मक गतिविधियों में पर्यावरण संबंधी दृष्टिकोण भी शामिल होता है। वर्ष 1978-79 में नदी धारा परियोजनाओं के साथ शुरू की गई ईआईए प्रक्रिया में अब बढ़कर 39 गतिविधियां हो गई हैं। ईआईए को शासित करने वाले प्रमुख सांविधिक विनियमों में 2006 की ईआईए सूचना तथा कोस्टल रेगुलेशन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 1991 है।

वर्ष के दौरान 1994 की ईआईए अधिसूचना के साथ-साथ वर्ष 2006 की ईआईए अधिसूचना का अनुपालन किया गया। वर्ष 2007-2008 (अप्रैल, 2007-दिसंबर, 2007) के दौरान निपटाई गई योजनाओं का ब्योरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	गतिविधियां	पर्यावरण मंजूरी प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1.	उद्योग	371
2.	ताप विद्युत	77
3.	नदी घाटी और जल विद्युत	22
4.	खनन	335
5.	ढाँचागत और विविध	107
6.	निर्माण परियोजनाएं	500
	कुल	1412

मंत्रालय ने, एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन जिसमें मैपिंग करना, कोस्टल इकोलॉजिकल संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्रण करना, संस्थागत सुदृढ़ीकरण तथा क्षमता निर्माण शामिल है— इसके कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है।

विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण स्वीकृति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ 6 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मॉनीटरिंग की जाती है। मॉनीटरिंग रिपोर्टों के आधार पर पर्यावरण प्रबंधन के कार्यों में सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। इसके अलावा, वर्ष के दौरान पर्यावरणीय परियोजना के क्रियान्वयन से संबद्ध मुद्दों को समझने की दृष्टि से भुवनेश्वर, लखनऊ, मुंबई, जयपुर आदि में प्रस्तावकों के साथ विचार-विमर्श के लिये बैठकें भी आयोजित की गईं।

प्रदूषण उपशमन

प्रदूषण नियंत्रण

बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिक एवं वाहन प्रदूषण के साथ-साथ पर्यावरणीय मानदंडों एवं मानकों की पुष्टि के बिना बहिःस्राव (एफ्लुएंट) छोड़ने के कारण पानी के स्रोतों के प्रदूषण के वर्तमान परिदृश्य में पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सरोकार सबसे प्रमुख मुद्दा बन गया है। वायु, जल, मृदा आदि जैसे विभिन्न पर्यावरणीय माध्यमों में प्रदूषण के इस रुझान को देखते हुए मंत्रालय ने प्रदूषण उपशमन की नीति अपनाई, जिसमें प्रदूषण की रोकथाम एवं उपशमन के सभी विनियम, कानून, समझौते, वित्तीय प्रोत्साहन तथा अन्य उपायों के रूप में बहु-उद्देशीय रणनीतियों का प्रावधान है। प्रदूषण नियंत्रण के सभी विभिन्न उपायों एवं नीतियों का विनियम, पर्यावरणीय मानकों का विकास, वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण, स्थलीय पर्यावरण आयोजना आदि शामिल हैं।

मॉनीटर किये गये परिवेश की वायु गुणवत्ता द्वारा पता चलता है कि सल्फर डाई आक्साइड और नाइट्रोजन आक्साइड की मात्रा अधिसूचित मानदंडों के भीतर है। तथापि, कई अवसरों पर, मौसम-विज्ञानी पारिस्थितिकी के कारण निलंबित विविक्त पदार्थ सस्पेंडिड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) का मान निर्धारित मानदंडों को पार कर रहा है। 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, प्रदूषण नियंत्रण के लिए सहायता नामक योजना के तहत विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों, पर्यावरण विभागों, केंद्र/राज्य अनुसंधान संस्थाओं तथा अन्य सरकारी एजेंसियों/संगठनों को 24.5 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय के मुकाबले 24.98 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की गई, ताकि नीति वक्तव्य के उद्देश्यों को पूरा करने, उनकी तकनीकी सक्षमता सुदृढ़ होने, पूर्वोत्तर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों एवं समितियों को सहायता दी जाए और वे प्रदूषण को कम करने वाली परियोजनाओं को लागू करें।

वायु की गुणवत्ता पर विभिन्न स्रोतों के योगदान का मूल्यांकन करने के लिए, 6 शहरों नामतः दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, पुणे और कानपुर के लिए स्रोत संविभाजन अध्ययन (एसएसएस) शुरू किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर, ऊर्जा और संसाधन संस्थान, नई दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई, भारतीय आटोमोटिव अनुसंधान संघ, पुणे और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर जैसी संस्थाओं को शामिल किया गया है। सर्वेक्षण एवं अध्ययन के दौरान मूल्यांकन एवं मार्गदर्शन के लिए सचिव महोदय (ई एंड एफ) की अध्यक्षता में राष्ट्र स्तरीय संचालन समिति गठित की गई है। डाटा संग्रहण, उपयुक्त डाटा मॉडल के प्रयोग आदि के दौरान

तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति भी गठित की गई है तथा विभिन्न तकनीकी संस्थाओं एवं संगठनों के सदस्य इसके सदस्य हैं।

वर्ष 2007-08 के दौरान, निम्नलिखित श्रेणी के उद्योगों के संबंध में मानक तैयार किए गए हैं तथा अधिसूचना के लिए उनको अंतिम रूप दिया गया है :

- पेट्रोलियम तेल शोधन;
- सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र;
- सामान्य घातक अपशिष्ट इनसीनरेटर;
- स्पंज आयरन प्लांट; और
- कॉफी उद्योग

मई, 2002 में 1000 केवीए तक के डीजल जेनरेटर सेटों के लिए ध्वनि सीमा अधिसूचित की गई तथा 01 जनवरी, 2005 से इसे लागू किया गया। मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के तहत डीजल से चलने वाले जेनरेटर सेटों के लिए ध्वनि सीमा पर उक्त अधिसूचना में संशोधन के लिए सुझाव आमंत्रित करने हेतु नवंबर, 2007 में मसौदा अधिसूचना जारी की है ताकि डीजी सेट के संयोजनकर्ताओं को शामिल करके विनिर्माता को परिभाषित किया जा सके और उत्सर्जन और ध्वनि मानदंडों को शामिल किए बिना 250 केवीए से ऊपर के डीजी सेटों के परिवहन को शामिल किया जा सके।

दिनांक 31.12.2007 तक तमिलनाडु के लिए पारिस्थितिकी क्षति (रोकथाम और क्षतिपूर्ति भुगतान) प्राधिकरण का कार्यकाल 28 दिसंबर, 2008 तक बढ़ाया गया है।

वर्ष 2007-08 के दौरान, (फरवरी, 2008 तक) केंद्र सरकार द्वारा ई(पी)ए, 1986 के तहत 11 प्रयोगशालाओं को मान्यता दी गई।

41 औद्योगिक सेक्टरों में कुल 118 अपशिष्ट न्यूनकोण मंडल (वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्किल) (डब्ल्यूएमसी) स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से 600 लघु और मध्यम उद्योगों को लाभ पहुंचा है। इस प्रक्रिया में 39 डब्ल्यूएमसी संगठनों ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के मार्गदर्शन में डब्ल्यूएमसी स्थापित करने की पहल की है। डब्ल्यूएमसी प्रशिक्षण कार्यक्रम, इस गतिविधि का अभिन्न अंग है, जिसके लिए योजना के तहत भारत सरकार की ओर से धन उपलब्ध कराया जाता है। आवश्यक गणना संबंधी सहायता प्रदान करके प्रतिभागी संगठन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में एनपीसी की सहायता करते हैं। वर्ष के दौरान, एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा 167.33 करोड़ रुपए की राशि संग्रहित की गई तथा केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न एसपीसीबी और पीसीसी को 76.52 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई।

देश में एयरक्राफ्ट/एयरपोर्ट से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिये उचित कानून बनाने के संबंध में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर विशेषज्ञ समिति विचार कर रही है। इसका उद्देश्य एयरक्राफ्ट के कारण एयरपोर्ट के आसपास ध्वनि के स्तर की मॉनीटरिंग करना एवं प्रक्रियाएं निर्दिष्ट करना है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने घातक अपशिष्ट के प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति दस्तावेजों की तैयारी और यथासंशोधित घातक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियमावली, 1989 की अनुसूची 3 (रिपोसेसिंग के लिए आयात एवं निर्यात हेतु लागू अपशिष्ट सूची), अनुसूची 4 (अपशिष्ट की सूची, जिसके रिपोसिलिंग के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकरण की जरूरत होती है) और अनुसूची 8 (घातक अपशिष्टों के आयात एवं निर्यात के लिए निषिद्ध माल सूची) के संशोधन में मंत्रालय के साथ

समन्वय किया। घातक अपशिष्ट के प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति दस्तावेजों का अंतिम प्रारूप तथा घातक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियमावली की अनुसूची 3, अनुसूची 4 और अनुसूची 8 को विचार-विमर्श के लिये भेजा जा चुका है।

विभिन्न अस्पतालों, नर्सिंगहोमों में उत्पन्न जैव-चिकित्सा (बायोमेडिकल) अपशिष्ट के शोधन के लिए विभिन्न शहरों में सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन शालाएं स्थापित की गई हैं। उत्तरांचल में 28 सीबीडब्ल्यूटीएफ शालाएं स्थापित की गई हैं। इनमें से 8 सामान्य शालाओं का निरीक्षण किया गया। मध्यांचल में 18 सीओडब्ल्यूटीएफ स्थापित की गई है, जिनमें से 16 का निरीक्षण किया गया। दक्षिणांचल में 10 सीबीडब्ल्यूटीएफ सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। पश्चिमांचल में 31 सीबीडब्ल्यूटीएफ स्थापित की गई है, जिनमें से 9 का निरीक्षण किया गया।

राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के तहत 27 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 1019 जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग केंद्रों के माध्यम से राष्ट्रव्यापी जल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग की जाती है। सीपीसीबी द्वारा संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी के सहयोग से यह प्रचालित किया जा रहा है। मॉनीटरिंग नेटवर्क के तहत 200 नदियों पर स्थित 592 मॉनीटरिंग केंद्र, 60 झीलों पर स्थित 65 मॉनीटरिंग केंद्र, पांच टैंकों पर स्थित 5 मॉनीटरिंग केंद्र, तीन तालाबों पर स्थित तीन मॉनीटरिंग केंद्र, 13 नहरों पर स्थित 13 केंद्र, 17 नालों पर स्थित 17 केंद्र और 321 कुओं पर स्थित 321 केंद्र शामिल हैं। सतह जल में मासिक अथवा तिमाही आधार पर और भूजल के मामले में छह महीने में मॉनीटरिंग की जाती है।

वायु की गुणवत्ता के लिए देशभर में 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 121 शहरों/नगरों में 332 केंद्रों पर चल रहे जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग केंद्रों के माध्यम से राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम पर निगरानी की जा रही है। एनएएमपी के तहत चार वायु प्रदूषकों—सल्फर डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) तथा आरएमपीएम की सभी स्थानों पर नियमित मानीटोरिंग की जाती है। वायु गुणवत्ता की माप के लिए वायु की गति और दिशा, आद्रता तथा तापमान को भी शामिल किया जाता है।

सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड, एसपीएम और आरएसपीएम के लिए 90वें शतमक और 10वें शतमक के साथ राष्ट्रीय मध्य संकेद्रण के विश्लेषण से पता चला है कि सल्फर डाई आक्साइड का राष्ट्रीय माध्य संकेद्रण पिछले वर्षों में घटा है, जो इस बात का संकेत देता है कि सल्फर डाई आक्साइड के स्तर में गिरावट आई है। नाइट्रोजन आक्साइड और आरएसपीएम संकेद्रण वाहन जैसे उत्सर्जन स्रोतों में बढ़ोत्तरी के बावजूद पिछले वर्षों से स्थिर रहा है। दूसरा कारण अपनाए गए विभिन्न उपाय हो सकते हैं, जिससे वाहन प्रौद्योगिकी में इस तरह के सुधार हुए हैं और इसके अलावा वैकल्पिक ईंधन आदि जैसे उपायों का भी इसमें योगदान रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर एसपीएम संकेद्रण पिछले वर्षों में घटता-बढ़ता रहा है।

घातक पदार्थों का प्रबंधन

घातक पदार्थ प्रबंधन प्रभाग के प्रमुख कार्यों में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत घातक अपशिष्टों/रसायनों, प्लास्टिक और नगर पलिका द्वारा फेंके गये ठोस अपशिष्ट के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन से संबंधित आवश्यक नियम बनाने के लिए नियामक गतिविधियां और इनके क्रियान्वयन हेतु संबंधित एजेंसियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करके संवर्धनात्मक गतिविधियां शामिल हैं। यह प्रभाग घातक अपशिष्ट सहित रासायनिक आपात स्थितियों और घातक पदार्थों के प्रबंधन पर

नीतियों एवं कार्यक्रमों की आयोजना, निगरानी एवं क्रियान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। इस प्रभाग का अधिदेश घातक रसायनों एवं अपशिष्टों के कारण स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की क्षति की रोकथाम एवं उपशमन के लिए घातक रसायन एवं घातक अपशिष्ट सहित घातक पदार्थों के प्रबंधन एवं प्रयोग में सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

आम जनता की टिप्पणी प्राप्त करने के लिए 28 सितंबर, 2007 को घातक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली की नई प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई है। प्रस्तावित नियमावली शीर्षक से घातक सामग्री (प्रबंधन, संचालन एवं सीमापारीय आवाजाही) नियमावली, 2007 है। उक्त प्रारूप नियमावली पर आपत्ति/सुझाव देने का समय 28 नवंबर, 2007 को समाप्त हो गया। प्रस्तावित प्रारूप नियमावली, 1989 को संशोधित किया जा चुका है। विभिन्न संगठनों से प्रारूप अधिसूचना पर टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं तथा उनकी जांच की जा रही है।

आपातकालीन स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, एसोसिएटिड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और राज्य सरकारों के संगठनों को दुर्घटना को रोकने के उपायों के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रसायनों और घातक पदार्थों से होने वाले कुप्रभाव को रोकने और निपटाने के प्रभावी उपाय करना।

एक लाल पुस्तक प्रकाशित की गई, जिसमें आपातस्थिति के दौरान किए जाने वाले कार्यों, मंत्रालय, राज्य सरकारों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, मुख्य कारखाना निरीक्षणालयों, विशेषज्ञों/संस्थानों के मुख्य कर्मियों का नाम, पता, टेलीफोन नंबर होते हैं।

वैश्विक पर्यावरण कोष (जीईएफ) ने ऑर्गेनिक प्रदूषकों (पीओसी) पर स्टाकहोम सम्मेलन की भारत की राष्ट्रीय क्रियान्वयन योजना तैयार करने के लिए अनुदान स्वीकृत किया।

भारत से एक अंतर-मंत्रालय शिष्टमंडल ने डकार, सेनेगल में 25 से 27 अप्रैल, 2007 और 30 अप्रैल-04 मई, 2007 तक आयोजित गैर अनुपालन संबंधी तदर्थ कार्य समूह और कार्बनिक प्रदूषकों पर हुए सम्मेलन में भाग लिया।

वर्ष के दौरान 2000 और 2003 में यथा संशोधित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियमावली, 1998 के कारगर क्रियान्वयन के लिए जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं गुजरात, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ तथा आंध्र प्रदेश में क्रमशः मैसर्स सेफ्टी एक्शन ग्रुप (बडोदरा), एडवांस्ड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (दिल्ली) और मैसर्स सीपीआर एनवायरनमेंटल एजुकेशन सेंटर (चेन्नई) द्वारा आयोजित की गई।

जल स्रोतों का संरक्षण

राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एनआरसीडी)

मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय राज्य सरकारों को सहायता देकर राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएससीपी) एवं राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के तहत नदी एवं झील कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन में लगा है।

एनआरसीपी का उद्देश्य निर्दिष्ट सर्वोत्तम प्रयोग के स्तर तक प्रदूषण को रोकने के उपायों के क्रियान्वयन के माध्यम से नदियों के पानी की गुणवत्ता में सुधार लाना है, जो देश में पानी के प्रमुख स्रोत हैं। अब तक कार्यक्रम के तहत 35 नदियों को शामिल किया गया है।

एनआरसीपी के अंतर्गत किए गए प्रमुख कार्यों में शामिल है : खुले नालों के माध्यम से नदी में बह रहे कच्चे सीवेज को रोकने तथा उनके शोधन के लिए अवरोध एवं विपथन कार्य, विपथित सीवेज के शोधन के सभी सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना, कम लागत से स्वच्छता शौचालयों का निर्माण, लकड़ी का प्रयोग रोकने के लिए विद्युत शवदाह गृहों एवं परिष्कृत काष्ठ शवदाह गृहों का निर्माण, नदी मुहाना विकास, नदी के तटों पर पेड़ लगाना, सार्वजनिक भागीदारी एवं जागरूकता आदि।

663 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत से गंगा कार्य योजना चरण II (फिलहाल राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का अंग) के तहत 59 कस्बों में कार्य चल रहा है।

यमुना कार्य योजना चरण II जो एनआरसीडी का अंग है, के क्रियान्वयन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (जेबीआईसी) से 13.33 बिलियन येन की वित्तीय सहायता प्राप्त की है।

गोमती कार्य योजना चरण I के तहत 31 स्वीकृत योजनाओं में से 26 योजनाएं पूरी हो गई हैं। इस योजना के तहत कुल 42 एमएलडी एसटीपी की क्षमता अब तक सृजित की जा चुकी है।

गोमती कार्य योजना चरण-I और चरण II के तहत शामिल गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के अलावा, एनआरसीडी ने 14 अन्य राज्यों की प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं को हाथ में लिया है, जिसके तहत 30 नदियां और 68 कस्बे शामिल हैं।

प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (हरिद्वार), सीपीसीबी आधारित कार्यालय, लखनऊ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, पटना विश्वविद्यालय और बिधान चन्द्र कृषिविश्वविद्यालय, कल्याणी जैसी संस्थाओं के माध्यम से उत्तराखंड में ऋषिकेश से पश्चिम बंगाल में उलूबेरिया तक 27 स्थानों पर गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। गंगा कार्य योजना के तहत पूरी की गई परियोजनाओं के फलस्वरूप नदी के तटों के किनारे जनसंख्या में भारी वृद्धि के बावजूद गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में आमतौर पर सुधार हुआ है।

यमुना, पश्चिमी यमुना नहर, गोमती, हिण्डन, सतलुज (पंजाब), कावेरी (तमिलनाडु), कर्नाटक में तुंगा, भद्रा, तुंगभद्रा के जलमार्गों की भी जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग की गई है। इस समय मॉनीटरिंग केंद्रों की संख्या 10 नदियों पर 158 हैं, जिसमें गंगा पर स्थापित 27 केंद्र और चेन्नई जलमार्गों के 32 केंद्र शामिल हैं।

632.62 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत से 13 राज्यों में 49 झीलों के संरक्षण की कुल 33 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। अब तक 11 झीलों का संरक्षण कार्य पूरा हो गया है, जबकि कुछ मामलों में परियोजना क्रियान्वयन का कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है (फरवरी, 2002 से) एनएलसीपी के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों 70:30 के अनुपात से खर्च वहन करेंगी।

28 अक्टूबर से 02 नवंबर, 2007 तक जयपुर, राजस्थान में मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय झील पर्यावरण समिति (आईएलईसी) फाउंडेशन के तत्वावधान में 12वें विश्व झील सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। राजस्थान सरकार 24 बड़े कार्यक्रम के लिए सह-आयोजक थी। सम्मेलन का मुख्य विषय भविष्य के लिए झीलों एवं जल-भूमि का संरक्षण था। अन्य मुख्य उद्देश्यों में विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई विभिन्न परिस्थितियों में जीर्णोद्धार के लिए झीलों एवं जल-भूमियों से संबंधित मुद्दों की पहचान शामिल हैं।

राजस्थान के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में 29

अक्टूबर, 2007 को भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। सम्मेलन की विषय-वस्तु से संबंधित अपने अध्ययनों पर मौखिक अथवा पोस्टर के माध्यम से प्रस्तुतियों के साथ विश्व के विभिन्न भागों से लगभग 150 विदेशी शिष्टमंडलों सहित तकरीबन 600 शिष्टमंडलों ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन समापन सत्र में जयपुर डिकलेरेशन अपनाया गया।

राष्ट्रीय दलदली भूमि संरक्षण कार्यक्रम

देश में दलदली भूमि (वेटलैंड) के संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार करने, गहन संरक्षण उपायों के लिए प्राथमिकता वाली जल-भूमियों के संरक्षण, अनुसंधान एवं अनुसंधान कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी करने और भारत में दलदली भूमि की सूची तैयार करने के लिए 1987 में जल-भूमि संरक्षण और प्रबंधन की योजना शुरू की गई।

जल-भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत दलदली भूमि की संख्या 2004 के 27 से बढ़कर 2005 में 71 और फिर जनवरी, 2008 में 103 हो गई।

02 फरवरी, 2007 को 'राष्ट्रीय जल-भूमि संरक्षण : दृष्टिकोण एवं दिशा-निर्देश' नाम से पुस्तिका जारी की गई, जो अब प्रकाशित हो चुकी है तथा सभी प्रयोक्त एजेंसियों को भेजी जा चुकी है।

36 जल-भूमियों की प्रबंधन कार्य योजनाएं अनुमोदित हो गई हैं तथा वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। नई अभिचिह्नित दलदली भूमियों के लिए 10 और प्रबंधन कार्य योजनाओं के मामलों को उठाया जा रहा है।

अभी तक रामसर साइट सहित 25 साइट की पहचान की गई है।

वेटलैंड इंटरनेशनल के निदेशक मंडल ने भारत को मनोनित किया है तथा भारत के अनुरोध पर वेटलैंड इंटरनेशनल के निदेशक मंडल की बैठक 19-20 अक्टूबर, 2005 को मानेसर, नई दिल्ली में हुई, इसमें तकरीबन 23 देशों ने भाग लिया। भारत ने एक सत्र की अध्यक्षता की तथा सभी प्रतिभागी देशों ने जल-भूमि संरक्षण में भारत के प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

पुनरुत्पादक और पारिस्थितिकी विकास

राष्ट्रीय वानिकीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड

देश में वानिकीकरण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकी संतुलन और पारिस्थितिकी विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अगस्त, 1992 में राष्ट्रीय वानिकीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड (एनईडीबी) का गठन किया गया। विकसित वन क्षेत्रों तथा वन क्षेत्र की समीपवर्ती भूमियों, राष्ट्रीय पार्कों, अभ्यारण्यों एवं अन्य संरक्षित क्षेत्रों के साथ-साथ पश्चिमी हिमालय, अरावली की पहाड़ियों, पश्चिमी घाट आदि जैसे पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के पुनरुज्जीवन पर भी एनईडीबी द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

कुल 12.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के शोधन के लिए 1920.69 करोड़ रुपए की लागत से 2000-01 के बाद से 743 एफडीए को मूर्त रूप दिया गया है (19.11.2007 की स्थिति के अनुसार) राष्ट्रीय वानिकीकरण कार्यक्रम के तहत बांस, औषधीय पौधा लगाने तथा बायोफ्यूल पर 10वीं योजनावधि के दौरान पर्याप्त बल दिया गया। कार्यक्रम के तहत कृषि भूमि के पुनर्वास पर विशेष बल दिया गया है, और अब तक पूर्वोत्तर राज्यों एवं उड़ीसा में 25 झूम परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। राष्ट्रीय

वानिकीकरण कार्यक्रम (एनएपी) के क्रियान्वयन हेतु 2007-08 के दौरान एफडीए के लिए 193.23 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई (19.11.2007 की स्थिति के अनुसार)।

58 क्रियान्वयन एजेंसियों को वर्ष 2007-08 (27.11.2007 तक) के दौरान 2.58 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की गई, जिसमें से 56 वृक्षारोपण की स्वैच्छिक एजेंसियां और दो राज्य वन विभाग के अंतर्गत हाइटेक नर्सरी की स्थापना के लिए हैं।

पारिस्थितिकी विकास बल (ईडीएफ) योजना के तहत चार पारिस्थितिकी कार्यबल बटालियनों को सहायता दी जा रही है। ये बटालियनें पिथौरागढ़, सांबा, बीकानेर और देहरादून में स्थित हैं। असम में दो नई बटालियनें अनुमोदित की गई हैं।

सभी इटीएफ बटालियनों ने नर्सरी लगाने, वृक्षारोपण तथा वृक्षारोपण क्षेत्र के संरक्षण के लिए संरक्षण उपाय जैसे कार्यों को संपन्न किया है। उन्होंने अन्य मृदा तत्व नमी संरक्षण कार्य के अलावा पथरों से बांध का निर्माण भी किया है। इसके अतिरिक्त, बटालियनों ने पुराने वृक्षारोपण कार्य की देखरेख भी की।

मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए यूएन कंवेन्शन (यूएनसीसीडी) की तहत मरुस्थलीकरण के संस्तरों को अंतिम रूप देने के लिए एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू की गई। 1.500.000 स्केल पर भारतीय दूरस्थ संवेदी (आईआरएस) एडब्ल्यूआईएफएस प्रतिबिंबों का प्रयोग करके पूरे देश के लिए डी ग्रेडेशन स्टेटस मैप (डीएसएम) तैयार किया गया है। भूमि विकृति रोकने तथा पलटने के लिए गतिविधियों की योजना बनाने तथा समय-समय पर मॉनीटरिंग में भी यह मानचित्र उपयोगी है।

भारत ने यूएनसीसीडी की कंवेन्शन के निर्णयों को लागू करने के लिये बनी समिति की 5वीं बैठक में भाग लिया और यह बैठक 12 से 21 मार्च, 2007 तक ब्यूनोस एयरस, अर्जेन्टीना में आयोजित की गई।

भारत ने 3-14 सितंबर, 2007 तक मैड्रिड, स्पेन में यूएनसीसीडी सम्मेलन (सीओबी) की 8वीं बैठक में भाग लिया। सीओपी ने 10 वर्षीय रणनीति योजना को (यूएनसीसीडी 2008-18) अनुमोदित किया। नई योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, क्रियान्वयन पुनरीक्षा समिति और वैश्विक तंत्र का प्राथमिकताओं एवं सूचना प्रक्रियाओं की दृष्टि से पुनर्गठन करती है।

भारत ने 25 से 28 नवंबर, 2007 तक जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थाई विकास आयोग के लिए एशियन प्रशांत क्षेत्र की क्षेत्रीय क्रियान्वयन बैठक में भाग लिया। बैठक में उठाये गये मुद्दों तथा उनकी चुनौतियों की दिशा में हुई प्रगति से संबंधित एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए भी रणनीति पर चर्चा हुई।

अनुसंधान

पर्यावरण अनुसंधान

मंत्रालय ने अपने अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) कार्यक्रम के तहत अभिचिह्नित क्षेत्रों में विभिन्न विश्वविद्यालयों, उच्च अध्ययन संस्थाओं, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों में पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण, परिरक्षण और प्रबंधन के विभिन्न बहु-विषयक पहलुओं में अनुसंधान जारी रखा। पर्यावरण में अनुसंधान को सहायता देने की यह 1985 से केंद्रीय योजना है। इस योजना का उद्देश्य बेहतर पर्यावरण प्रबंधन के लिए रणनीतियां, प्रौद्योगिकी तथा विधियां विकसित करने के वास्ते अपेक्षित सूचना सृजित करना है। इसका लक्ष्य संसाधन प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण

और विकसित क्षेत्रों के पारिस्थितिकी पुनरुज्जीवन की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान ढूँढना भी है। इसके अलावा, योजना का लक्ष्य अनुसंधान एवं वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ाना है।

वर्ष 2007-08 के दौरान मंत्रालय ने अभिचिह्नित क्षेत्रों में प्राथमिक क्रम तथा विस्तृत अनुसंधान विषयों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अनुसंधान की सहायता के लिए नए दिशा-निर्देश निकाले। वर्ष के दौरान मंत्रालय के विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों का विलय करके 6 विषय परक विशेष समूहों का गठन किया गया है।

विषय परक समूह प्रदूषण की रोकथाम, उपशमन और नियंत्रण के तहत तीन योजनाएं शामिल हैं : (i) पर्यावरण अनुसंधान, (ii) राष्ट्रीय नदी संरक्षण और (iii) जलवायु परिवर्तन/स्वच्छ प्रौद्योगिकी। वर्ष के दौरान नए/संशोधित प्रस्तावों पर विचार करने तथा चल रही/पूरी की गई परियोजनाओं की पुनरीक्षा/मॉनीटरिंग करने के लिए विषय परक समूह की 4 बैठकें हुईं। विशेषज्ञ समूह द्वारा 69 नई परियोजनाओं पर विचार किया गया। विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर वर्ष के दौरान 28 नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं (अनुबंध- III)। वर्ष के दौरान 46 चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। विशेषज्ञ समूह ने वर्ष के दौरान पूरी की गई 17 परियोजनाओं के एफटीआर की भी समीक्षा की।

वर्ष 2007-08 के दौरान पारिस्थितिकी तंत्र अनुसंधान योजना के तहत 5 नई परियोजनाएं शुरू की गईं, 14 अध्ययन पूरे किए गए तथा 33 परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा निगरानी की गई।

वर्ष 2007-08 के दौरान पारिस्थितिकी तंत्र अनुसंधान योजना के तहत 6 नई परियोजनाएं शुरू की गईं तथा 4 अध्ययन पूरे किए गए।

मंत्रालय ने नए थैमेटिक समूहों का गठन किया। यद्यपि इस विषय परक दल के तहत कोई विभिन्न विशिष्ट कार्यक्रम शामिल नहीं होगा, परंतु यह दल लागत-लक्ष्य विश्लेषण, सामाजिक-आर्थिक मसलों तथा अन्य विविध मुद्दों के संबंध में सभी प्रस्तावों पर विचार करेगा। नए/संशोधित प्रस्तावों पर विचार करने तथा चल रही/पूरी की गई परियोजनाओं की समीक्षा/मॉनीटरिंग के लिए समूह की एक बैठक आयोजित की गई। विशेषज्ञ समूह द्वारा 4 नई तथा 1 संशोधित परियोजना पर विचार किया गया। विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर वर्ष के दौरान एक नई परियोजना स्वीकृत की गई और पहले से चल रही परियोजनाओं की समीक्षा तथा निगरानी की गई। विशेषज्ञ समूह ने पूरी की गई परियोजनाओं के एक एफटीआर की समीक्षा की।

राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एनएनआरएमएस)

राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली योजना के तहत भूमि, पानी, वन खनिज, समुद्र आदि जैसे संसाधनों की सटीक सूची के लिए तथा पारिस्थितिकी प्रणाली के लिए इस सूचना का उपयोग करने के उद्देश्य से दूर-संवेदी प्रौद्योगिकी का प्रयोग शामिल है। सचिव (ईएंडएफ) की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा जैव संसाधन और पर्यावरण पर एक स्थाई समिति गठित की गई है। योजना आयोग द्वारा गठित यह समिति देश में प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम प्रयोग एवं प्रबंधन के लिए दूर-संवेदी प्रौद्योगिकी के प्रयोग की विधियों पर सलाह देती है।

इस समिति ने तकनीकी और वित्तीय दृष्टि से एनएचआरएमएस एससीबी के तहत विधियन के लिए प्रस्तुत सभी प्रस्तावों की संवीक्षा/समीक्षा के लिए एक तकनीकी एवं वित्तीय उप समिति द्वारा

प्रस्तावों को ही एनएनआर एमसी एससीसी द्वारा वित्तीय सहायता के लिए चुना जाता है। समिति स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी एवं मॉनीटरिंग भी करती है।

समीक्षा के बाद बर्फ एवं ग्लेशियर, वन्यजीव अभयारण्य/राष्ट्रीय पार्क के नक्शे, वनों के नक्शे और तटीय कच्छ वनस्पतियों और प्रवाल भित्तियों के अध्ययन पर राष्ट्रीय परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

10वीं योजना के दौरान वानिकी एवं वन्यजीव, वेटलैंड दलदली भूमि, मरुस्थलीकरण, विकास गतिविधियों पर पर्यावरणीय प्रभाव, भूस्खलन और वन आग आदि के क्षेत्र में एससीबी द्वारा तकरीबन 30 परियोजनाएं अनुमोदित की गईं तथा वे क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

जी बी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान, कोसीकटरामल, अल्मोड़ा

मंत्रालय द्वारा अगस्त, 1988 में भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थाई विकास और पर्यावरण संरक्षण के आदेश के बाद स्वायत्त संगठन के रूप में जी बी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान (जेबीपीआईएचईडी) की स्थापना की गई। कोसीकटरामल, अल्मोड़ा (उत्तराखंड) में स्थित अपने मुख्यालय तथा कुल्लू (हिमाचल प्रदेश), श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर), पंगथांग (सिक्किम) और ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) में स्थित चार क्षेत्रीय यूनिटों के माध्यम से संस्थान अपना कार्य निष्पादित करता है। संस्थान की प्राथमिकता बढ़ती पर्यावरणीय समस्याओं पर अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां क्रियान्वित करता है, सर्वोत्तम तकनीक विकसित एवं प्रदर्शित करता है और इस क्षेत्र के निवासियों की जीविका में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी पैकेज प्रदान करता है।

फास्फेट विलेयता गतिविधि के लिए भारतीय हिमालय क्षेत्र से एकत्रित मिट्टी से पृथक किए गए पेंसिलियम की 21 प्रजातियों पर मौसम विज्ञानी अध्ययनों से पता चला कि उद्भवन के 15 दिन बाद पेंसिलियम की 7 प्रजातियों ने अधिकतम विलेयता दिखाई। मूटिया समुदाय द्वारा प्रयुक्त किण्वित आहार (गेहूं आधारित स्टार्टर कल्चर, बालम) में सूक्ष्मजीवों के पृथक्करण के 32 माइक्रोबायल आइसोलेट दर्ज किया। हालांकि स्पोट फार्मिंग बैक्टीरिया प्रजातियां जेनुस बैसिलस से संबंधित थी, यीस्ट ओसालेटस की पहचान सक्रोमाइकोपसिस फाइबुलिगेटा, क्यूवेरामाइसिस मैक्सिआनुस और सैकरामाइसिस एसपीपी के रूप में की गई।

पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों के भीतर प्रौद्योगिक संस्थानीकरण, बैकस्टापिंग और क्षमता संवर्धन नामक कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों से 7 साझेदारी गैर सरकारी संगठनों ने प्रासंगिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पार्क स्थापित किया।

कोलीधाक गांव (चंपावत जिला, उत्तराखंड) में ग्राम समाज की क्षरित भूमि (3 हेक्टर) के जीर्णोद्धार, सिल्वी-पाश्चर विकास के लिए गांव की बंजर भूमि (तकरीबन 40 हेक्टर) पर चारा उगाने वाले वृक्षों के रोपण (15 प्रजातियों के 10000 से अधिक पौधे) और भीमताल झील क्षेत्र जीर्णोद्धार (नैनीताल जिला) पर सहयोगात्मक कार्यक्रम के माध्यम से विकसित बंजर भूमि के जीर्णोद्धार का क्रियान्वयन किया गया।

दलदली भूमि, कच्छ वनस्पतियों और प्रवाल भित्तियों पर अनुसंधान

दलदली भूमि

राष्ट्रीय महत्व के और वेटलैंड की पहचान करने तथा अनुसंधान के संकेंद्रित क्षेत्रों पर गहन संरक्षण हेतु प्रबंधन कार्य योजना को संपूरित करने के लिए वेटलैंड पर एक अनुसंधान उप समिति गठित की गई है।

दलदली भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत वेटलैंड संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न पहलुओं पर चल रही 19 परियोजनाएं प्रचालन के अधीन हैं, जो निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। वर्ष के दौरान तीन परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

कच्छ वनस्पतियां और प्रवाल-भित्तियां

एक से अधिक कारणों से सुंदरवन के अनूठेपन एवं महत्व के मद्देनजर उस पर लक्षित अनुसंधान एवं विकास के लिए अलग समर्पित अनुसंधान की आवश्यकता के आधार पर मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि सुंदरवन के लिए अलग से अनुसंधान एवं विकास कार्य किया जाए। यद्यपि परिचालित संस्थान के केंद्र में सुंदरवन होगा, यह समूचे देश की तटीय एवं समुद्री जैव विविधता के संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान कर सकता है, और क्षेत्र की क्षमता निर्माण एवं शिक्षा, जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता पूरा कर सकता है।

मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि प्रस्तावित संस्थान का नाम 'राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति और तटीय जैव विविधता अनुसंधान संस्थान' होगा, जो सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में स्थित होगा।

प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण एवं स्थाई उपयोग पर विशेषज्ञ समूह बी द्वारा कच्छ वनस्पति एवं प्रवाल-भित्ति के क्षेत्र में विस्तृत चार अनुसंधान परियोजनाएं मंत्रालय द्वारा वर्ष के दौरान स्वीकृत की जा रही हैं।

जैव मंडलीय रिजर्व पर अनुसंधान

जैवमंडलीय रिजर्व के नामोद्विष्ट रिजर्वों और संभावित स्थलों में भी अनुसंधान एवं विज्ञान परियोजनाओं को सहायता दी जाती है। यद्यपि वर्ष के दौरान अनेक अनुसंधान परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, काफी संख्या में परियोजनाएं पूरी भी की गई हैं, जिन्होंने इन बायोस्फीयर रिजर्वों के वैज्ञानिक प्रबंधन में उपयोगी मूलभूत आंकड़े उपलब्ध कराया।

वानिकी अनुसंधान

वानिकी के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार की उपयुक्त योजना, समन्वय, निष्पादन और संवर्धन के माध्यम से समग्र वानिकी अनुसंधान रणनीति विकसित करने के लिए बनाई गई भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआई), राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान प्रणाली में सर्वोच्च संस्था है। देश के विभिन्न कृषि-पारिस्थितिकी अंचलों अर्थात् देहरादून, शिमला, रांची, जोरहट, जबलपुर, जोधपुर, बंगलुरु और कोयंबटूर में स्थित 8 अनुसंधान संस्थानों और इलाहाबाद, छिंदवाड़ा, हैदराबाद एवं आईजोल में स्थित चार केंद्रों के अपने नेटवर्क के माध्यम से भारतीय अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की राष्ट्रव्यापी उपस्थिति है।

लेप्टोसोइवे इनवासा नामक कीट से उत्पन्न यूकेलिप्टस में सूंडी की समस्या पहली बार भारत में दर्ज की गई तथा कीट नियंत्रण के लिए रणनीति एवं विस्तार योजना तैयार की गई।

परिषद को आईएसओ 9001:2000 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

सौर तापित भट्टे तैयार किए तथा हवा में शुष्कन प्रक्रिया की तुलना में अधिक त्वरित सीजनिंग की दृष्टि से मानकीकृत किया गया, तथा सौर ताप द्वारा वाष्प तापित भट्टों में सुखाने के लिए ताप ऊर्जा अपेक्षा का विकल्प तैयार करने के लिए मानक तैयार किए, लगभग 200 वाणिज्यिक इकाइयां अभी तक लगाई जा चुकी हैं।

वन अनुसंधान संस्थान ने लिंगों सेल्युलॉसिक सामग्री का इस्तेमाल करके प्लाईवुड अनुसंधान पर कार्य के जरिए पैनेल उत्पादों की व्यापक रेंज तैयार की।

पॉपलर, यूकेलिप्टस, लेन्टाना, पार्थेनियम आदि से अनुकूल आकर्षक स्तर की रंगछायाएं तैयार की।

एक वर्ष में 1 से 64 प्लांटलेट्स से बहुलता के लिए बांस प्रचार-प्रसार मैक्रो प्रॉलिफिएशन तकनीक विकसित की।

भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान (आईपीआईआरटीआई) ने वहन योग्य, सुरक्षित तथा टिकाऊ आश्रय/वास सुविधा के सृजन की व्यवहार्यता दर्शाई है जिनमें स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री के साथ बांस का इस्तेमाल किया गया है। आवास प्रणाली की यह टाइप भूकंप तथा अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए आदर्श हो सकती है।

आईपीआईआरटीआई ने टेनिस विस्तृत फिनाल फार्मेलिडहाइड रेसिन विरचन तैयार किया है ताकि नमी अंश की परत को बांधा जा सके। खुले असेंबली टाईम, प्रैस तापमान तथा संहित प्रक्रिया जैसे प्लाईवुड की प्रैसिंग के प्रक्रियागत पैरामीटर तैयार किए जा सके।

बेंबू मेट कारगेटेड शीट की मजबूती को बढ़ाने के लिए 4 प्लाई माड्यूल रिज कैप का विकास किया गया। इसके लिए मौजूदा हाइड्रोलिक हॉट प्रेस में रिज कैप लगाया गया।

हालांकि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आई आई एफ एम), भोपाल ने 14 अनुसंधान परियोजनाएं तथा आठ परामर्श देने संबंधी कार्य पूरे किए, लेकिन इस वर्ष 21 अनुसंधान परियोजनाएं चलती रहीं।

छत्तीसगढ़ राज्य में चीतों के पुनर्वास के संबंध में आईआईएफएम द्वारा आयोजित अध्ययन से पता चला कि विशेषकर रेशम कीट उत्पादन, फूल-उत्पादन, बांस के रोपण तथा विपणन, उत्पादन, कृषि वानिकी तथा नर्सरी प्रबंधन जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से आय अर्जनकारी कार्य सर्वाधिक प्रभावी तथा चीतों के पुनर्वास में कामयाब रहे।

वन्यजीव अनुसंधान

मानव उत्प्रेरित बदलावों में वृद्धि से आज वन्य जीव संसाधनों के परीक्षण के प्रति नए खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। मात्रा तथा गुणवत्ता की दृष्टि से वन में रहने वाले (Harboring) जीवों में हास हो रहा है, इससे खास तौर पर विशालकाय/खतरे से जूझ रही प्रजातियों के बने रहने/उत्तर जीविका को खतरा बढ़ रहा है। इनमें हाथी, बाघ, गेंडा (राइनों) आदि प्रमुख हैं। वास क्षेत्र के संकुचन तथा बढ़ती आबादी के कारण अवैध शिकार, रोग, आबादी-संरचना (स्त्री-पुरुष अनुपात) तथा सूखा, आगजनी एवं बाढ़ जैसी दुखद घटनाएं इसका कारक बनते जा रहे हैं, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं का हिस्सा थे और इनसे प्रबंधन में कठिनाइयां आती थीं। इस स्थिति से देश के वन्य जीव के प्रबंधन में विशेष तौर पर प्रबंधकों और नीति निर्माताओं के समक्ष असंख्य चुनौतियां आ रही हैं।

भारतीय वन्य जीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) ने अभी तक देश के विभिन्न जैव-भौगोलिक क्षेत्र में आरंभ की गई 128 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की हैं। इस समय, इस संस्थान में 55 परियोजनाएं चल रही हैं।

शिक्षा और जागरूकता

पर्यावरणीय शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण

निरंतर हो रहे जनसंख्या विस्फोट, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की त्वरित गति, ऊर्जा की बढ़ती

जरूरतों तथा तेजी से हो रही वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय प्रगति के कारण पहले से ही पर्यावरण को काफी क्षति पहुंच चुकी है। इस समस्या का तब तक समाधान नहीं हो सकता, जब तक सामूहिक विचारणा, इच्छा शक्ति तथा प्रयास मौजूद नहीं है। इसके लिए, अभिवृत्तिमूलक बदलाव और अंततः पर्यावरण को और अधिक पहुंचने वाली क्षति पर अंकुश लगाने के लिए जन जागरूकता और प्रतिभागिता आवश्यक है। पर्यावरणीय प्रबंधन और परीक्षण कार्यक्रमों का कारगर कार्यान्वयन शिक्षा, जागरूकता तथा संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के तरीके तथा ऐसा करने की आवश्यकता को समझे बिना, पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी के लिए बहुत कम लोगों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। इस प्रकार से, पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता का अत्यंत महत्व है। 'पर्यावरणीय शिक्षा, जागरूकता तथा प्रशिक्षण' मनुष्यों और पर्यावरण के बीच संबंधों के बारे में सभी स्तरों पर लोगों की समझ-बूझ बढ़ाने तथा पर्यावरण में सुधार और संरक्षण की क्षमताओं/कौशलों के विकास के लिए मंत्रालय की महत्वपूर्ण स्कीम है।

वर्ष के दौरान (31.12.07 तक) 83372 पारिस्थितिकीय-क्लब देश भर में खोले गए। एन जी सी कार्यक्रम राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से देश भर में कार्यान्वित किया जा रहा है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का काम शुरू किया गया। पारंपरिक माध्यमों के अतिरिक्त रेडियो जनता तक संदेश पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है। अतः यह निर्णय किया गया कि डीएवीपी, आल इंडिया रेडियो के अलावा सीबीएस तथा एफएम स्टेशनों पर क्रमशः एक घंटे तथा 15 मिनट के साप्ताहिक प्रायोजित कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा।

वर्ष के दौरान, 9938 संगठन, राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान से जुड़ गए और क्षेत्रीय संसाधन एजेंसियों के माध्यम से स्कीम के अंतर्गत इनसे वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस अभियान में संपूर्ण देश के गैर सरकारी संगठनों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, महिला और युवा संगठनों, सेवा एककों, सरकारी विभागों आदि कार्योन्मुख कार्यकलापों द्वारा अपनाए गए कार्यों के माध्यम से लोगों को संगठित करने और जागरूकता पैदा की जा रही है।

व्यापक जागरूकता कार्यक्रम के अधीन सर्वश्रेष्ठ भूमि (बैस्ट ऑफ भूमि) सहित भूमि के 22 एपीसोड का प्रसारण दूरदर्शन राष्ट्रीय चैनल पर पर्यावरण संबंधी दूरदर्शन पत्रिका के रूप में किया गया।

वातावरण 2007 चौथा पर्यावरण और वन्य जीव फिल्म महोत्सव दिनांक 12 से 16 दिसंबर 2007 तक इंडिया हैबीटेड सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें 18 दूसरे देशों से 54 प्रविष्टियां सहित कुल 275 प्रविष्टियां आईं। 18 विभिन्न श्रेणियों (भारतीयों के लिए 12 और अंतर्राष्ट्रीय के लिए 6) के लिए 31 पुरस्कार दिए गए। प्रसारण में युवा पर्यावरण पत्रकार और कैमरा संपादन तथा कहानी के रूप में कहने के लिए तकनीकी उत्कृष्टता संबंधी पुरस्कार की पहली बार शुरुआत की गई।

इच्छुक लोगों को पर्यावरण विशेष मुद्दों के बारे में विस्तृत जानकारी का अवसर प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी ओपन युनिवर्सिटी से एक पर्यावरणी मूल्यांकन पाठ्यक्रम मॉडल तैयार कराया गया। इग्नू के क्षेत्रीय केंद्रों के जरिए दूर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से इस पाठ्यक्रम का अध्ययन पहले ही शुरू किया जा चुका है।

अब तक देश में 1800 विश्व प्रशिक्षित अध्ययनों को ग्लोब लर्निंग एंड आब्जर्वेशन के लिए शामिल किया गया ताकि 'विद्यालय प्रणाली में पर्यावरण शिक्षा' कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी

कार्यक्रमों से लाभ मिल सके। इस कार्यक्रम को 16 राज्यों आंध्रप्रदेश, असम, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में परियोजना के एक घटक में रूप में शुरू किया गया। प्रत्येक राज्य में 100 विद्यालयों में इस परियोजना के आधारित पर्यावरणिक मानदण्डों- जलविज्ञान, मृदा, भूमि आरक्षण और वायुमंडलीय तापमान और वृष्टि के परीक्षण करने हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया।

राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय

राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय मंत्रालय के अधीन संगठन है। इसे पर्यावरण और प्राकृतिक संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 1978 में आम लोगों के लिए खोला गया था। पिछले कई वर्षों में इस संग्रहालय ने देश के अलग-अलग भागों में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है और मैसूर (कर्नाटक), भोपाल (मध्यप्रदेश), भुवनेश्वर (उड़ीसा) प्रत्येक में एक-एक क्षेत्रीय संग्रहालय भी स्थापित किए गये हैं। इन संग्रहालयों की स्थापना संबंधित क्षेत्रों की वनस्पतियों, प्राणियों, वनों, वन्य जीवों और अन्य पर्यावरणीय पहलुओं को दर्शाने के लिए की गई है।

नई दिल्ली स्थित संग्रहालय प्रदर्शनी हाल में मॉडल्स की एक माह के लिए प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस मॉडल को विद्यालय के छात्रों द्वारा 'ओजोन परत का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के अवसर पर 29.10.07 को आयोजित मॉडल मेकिंग कंपिटिशन के लिए बनाया गया था।

'वन संपदा' शीर्षक संबंधी चलती-फिरती प्रदर्शनी को उड़ीसा के विभिन्न जिलों में प्रदर्शनी के साथ-साथ प्रकृति एवं वन्यजीवों से संबंधित एक फिल्म दिखाई गई। इस प्रदर्शनी एवं शो में 7800 छात्रों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय वन्य जीव के अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में 17-18 नवंबर, 2007 के दौरान 'भारत में विलुप्त प्राय एवं संकटग्रस्त प्राणी' संबंधी एक प्रदर्शनी में 10000 से अधिक छात्रों एवं अध्यापकों ने भाग लिया।

संग्रहालय द्वारा 5 जून, 2007 को इंडिया हेबीटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस और संग्रहालय का स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। माननीय विदेश मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह का उद्घाटन किया। ग्रीष्म कार्यक्रम 2007 के सहभागियों द्वारा 'मैलिंग आइस—एक ज्वलंत विषय' संबंधी यूएनईपी शीर्षक के आधार पर पर्यावरणिक समस्याओं पर इस वर्ष एक लघु नाटिका प्रस्तुत की।

राजस्थान राज्य सरकार से राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (आर-जी-आर एम एन एच), सवाई माधोपुर, राजस्थान के लिए 7.42 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री एम हामिद अंसारी ने इसका दिनांक 23 दिसंबर को शिलान्यास किया।

मंत्रालय में गंगटोक, सिक्किम में पांचवें क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किया और इसे 11वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। यह संग्रहालय जैव विविधता के प्रबल क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र को कवर करेगा।

वानिकी शिक्षा, प्रशिक्षण और विस्तार

वानिकी शिक्षा और प्रशिक्षण की मौजूदा प्रणाली निपुण वन प्रबंधक बनाने हेतु तैयार की गई है ताकि राष्ट्रीय वन नीति, 1988, राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम, 1999 इत्यादि के अनुरूप प्रबंधन बचाव और संरक्षण

किया जा सके। वानिकी शिक्षा, प्रशिक्षण और विस्तार से संबंधित कार्यकलाप मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों द्वारा किए जाते हैं, ये विभिन्न संस्थान हैं : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आई जी एन एफ ए), देहरादून; वन शिक्षा निदेशालय (डी एफ ई), देहरादून; भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आई सी एफ आई ई), देहरादून ; भारतीय वन प्रबंधन प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (आई पी आई आर टी आई), बंगलुरु इत्यादि।

वर्ष 2004-2007 के पाठ्यक्रम को भारतीय वन सेवा के इक्कीस प्रोबेशनर्स अधिकारियों और भूटान के दो विदेशी प्रशिक्षुओं ने तथा वर्ष 2005-2007 के पाठ्यक्रम भारतीय वन सेवा के उन्तीस परिवीक्षाधीन अधिकारियों तथा दो विदेशी प्रशिक्षुओं ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून से अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिए हैं। अब तक वर्ष 1987 से इस अकादमी में भारतीय वन सेवा अधिकारियों के बाइस बैचों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

वर्ष 2007-2009 के पाठ्यक्रम में भारतीय वन सेवा के चौबीस परिवीक्षाधीन अधिकारियों तथा दो विदेशी प्रशिक्षु लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में फाउंडेशनल पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु एक दिसंबर 2007 को अकादमी में शामिल हुए।

अगस्त-अक्टूबर, 2007 के दौरान दक्षता उन्नयन पाठ्यक्रमों को अद्यतन किया गया जिसमें विभिन्न काडरों के 24 अधिकारियों ने भाग लिया।

अक्टूबर, 2007 के दौरान 'नीति और विविध मामले' संबंधी एक सप्ताह का पुनश्चर्चा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न राज्यों से भारतीय वन सेवा के 24 अधिकारियों ने भाग लिया।

वन शिक्षा निदेशालय द्वारा नए नियुक्त एसएफएस के लिए दो वर्षीय डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और रेंज फॉरेस्ट अधिकारियों के लिए 18 माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के रूप में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है।

वन्यजीव शिक्षा एवं प्रशिक्षण

वन्यजीव शिक्षा एवं प्रशिक्षण का कार्य मुख्यतः भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा देखा जाता है जो कि मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है और यह सरकारी एवं गैर सरकारी कार्मिकों को अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण देता है और वन्यजीव संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन संबंधी विषयों पर सलाह देता है।

यह संस्थान तीन नियमित पाठ्यक्रम जैसे वन्यजीव विज्ञान में 2 वर्षीय एम.एससी डिग्री पाठ्यक्रम, वन्यजीव प्रबंधन में 3 माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

इस संस्थान ने 20 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के माध्यम से 457 भारतीय एवं 77 विदेशी नागरिकों को और 27 प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में 351 भारतीय और 52 विदेशी नागरिकों को प्रशिक्षित किया है।

यह संस्थान एक वर्ष के अंतराल पर वन्यजीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम चलाता है और अभी तक आयोजित 10 पाठ्यक्रमों में 84 छात्रों को प्रवेश दिया गया है।

उत्कृष्टता केंद्र

मंत्रालय ने यह योजना 1983 में पर्यावरण विज्ञान और प्रबंधन के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में जागरूकता, अनुसंधान और प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए आरंभ की थी। मंत्रालय द्वारा पर्यावरण विज्ञान और

प्रबंधन के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में जागरूकता, अनुसंधान और प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाने हेतु अब तक जिन 9 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है, वे निम्नलिखित हैं :-

- पर्यावरण शिक्षा केंद्र, अहमदाबाद
- सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र, चेन्नई
- पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, बंगलुरु
- खनन पर्यावरण केंद्र, धनबाद
- सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञान केंद्र, कोयंबटूर
- पारिस्थितिकी अवक्रमण के लिए पर्यावरण प्रबंधन संस्थान, दिल्ली
- मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई में पर्यावरण आर्थिकी में उत्कृष्टता केंद्र, चेन्नई
- फाउंडेशन फार रीवाइटाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडीशन्स, बंगलुरु
- 3001 कंठिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान, तिरुवनन्तपुरम।

पर्यावरण शिक्षा केंद्र (सीईई) ने भारत सरकार द्वारा ईपी द्वारा 28 नवंबर, 2007 को अहमदाबाद में प्रायोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। 'यूनाइटेड नेशनल डिकेड ऑफ एजुकेशन' के तीसरे चालू वर्ष के प्रकाश में इस सम्मेलन को खास महत्व दिया गया।

इस सम्मेलन को डीईएसडी के संदर्भ में ईई के स्टेटस की समीक्षा करने, सतत विकास के लिए शिक्षा को समर्थन देने, पर्यावरण शिक्षा का ढांचा पुनः तैयार करने, अच्छी कार्यपद्धतियां और अनुभवों को परस्पर आदान-प्रदान करने तथा विश्व में ईएसडी को प्रौसेस करने की कार्यनीतियां विकसित करने के प्रयोजन से आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 1500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था जिनमें से लगभग 650 महिलाएं थीं और 150 युवा थे। ये प्रतिभागी विश्व के 97 देशों से आए थे।

सीईई 15 राज्यों और दो संघशासित क्षेत्रों में संसाधन एजेंसी है तथा इस मंत्रालय द्वारा चलाए गए एवं निधिप्राप्त देशव्यापी जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से इसमें लगभग 40000 स्कूल शामिल हैं। नेशनल ग्रीन कोर का लक्ष्य पारिस्थितिकीय क्लब के कार्यों के माध्यम से तथा व्यापक स्तर पर बच्चों के माध्यम से समाज में पर्यावरणीय जागरूकता का प्रसार करना है। मास्टर प्रशिक्षकों के शिक्षा सामग्री के विकास और वितरण, पर्यावरण दिवस का आयोजन, ईको-बालमेला तथा मोगली उत्सव जैसे समारोहों के आयोजन तथा कार्यशाला सहित विभिन्न कार्यक्रम किए गए।

वर्ष 2007-08 के दौरान, सी.पी.आर. पर्यावरण शिक्षा केंद्र के साझेदारियों की विशिष्ट जरूरतों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर फोकस रहा। आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम तटीय समुदायों और गैर सरकारी संगठनों के लिए आयोजित किए गए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के दक्षिणी राज्यों में यह कार्यक्रम चलाए गए।

पर्यावरण कार्यक्रमों को और अधिक कारगर बनाने के लिए, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, वर्मी-कम्पोस्टिंग तकनीकों, धुएं रहित चूल्हों के निर्माण आदि में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। महिलाओं के समूहों को रसोई घर के आस-पास बागवानी के लिए बीज और पौधे वितरित किए गए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी के राज्यों के एनजीओ के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किए गए।

पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र (सी.ई.एस.), भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु ने इस वर्ष 'जैव विविधता और प्रशिक्षण क्रिया-व्यापार, और विकास जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव' शीर्षक के

तहत 30 अनुसंधान परियोजनाएं कार्यान्वित कीं। इसके अलावा, इस केंद्र ने पीएच-डी छात्रों के लिए अनेक पाठ्यक्रम चलाए, संस्थाओं के वैज्ञानिकों तथा अन्य छात्रों की मेजबानी की तथा उससे जुड़े अन्य लोगों, वन विभाग के लिए अनेक कार्यशालाएं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

सी.ई.एस. ने मॉलिक्यूलर पारिस्थितिकीय विज्ञान में नए कार्यक्रम शुरू किए। इसमें मॉलिक्यूलर फिलोजनी का अध्ययन तथा कर्नाटक में हनुमान-लंगूर मार्फोटाइप तथा जेनेटिक्स का सर्वेक्षण किया गया। इसका रोचक परिणाम यह निकला कि जैव-भौगोलिक बाधा (बैरियर) के रूप में जाना जाने वाला 'पालघाट गैप' से आनुवंशिकी विभिन्नता वाले पश्चिमी घाट के बड़े स्तनधारी जीवों का पता चला।

खनन पर्यावरण केंद्र में इस वर्ष तीन अनुसंधान और विकास परियोजनाएं लगातार चलती रहीं।

सलीम अली पक्षी विज्ञान (आर्निथोलॉजी) तथा प्राकृतिक विज्ञान केंद्र द्वारा एवियन प्रजातियों से संबंधित विशिष्ट अध्ययन किए गए। इनमें 'पश्चिमी भारत में चारा-भूमि नेटवर्क के विकास के लिए अपेक्षाकृत कम फ्लोरिकन थ्रीडिंग स्थलों के अभिनिर्धारण तथा मानचित्रण का अध्ययन' शामिल है। इसके अलावा 'पारिस्थितिकीय-विज्ञान और आंध्रप्रदेश में स्पॉट-बिल कृत पेलिकन का परिरक्षण', तथा दक्षिणीपूर्वी घाट में इनकी भूमिका के विशेष संदर्भ में इंडियन ग्रे हॉर्नबिल (ऑसिसेरोस बाइरोस्ट्रिस) अध्ययन भी शामिल है।

राष्ट्रीय खनिज विकास कार्पोरेशन, बेचेली की बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना के फाइन अयस्क डम्प (डिपोजिट 5, 10, 11ए) में अवनत प्रणाली पर्यावरण प्रबंधन केंद्र (सी ई एम डी ई) द्वारा विकसित घास के मैदान ने 90% घास उगाई है तथा कूड़ा-करकट और जैव पदार्थ तथा माइक्रोबियल कार्यों से जैवविज्ञानी उत्पादकता ही नहीं बढ़ी, बल्कि पुनर्वास की दिशा में भी प्रगति हुई है। घास के मैदान में सल्टोनिया स्कॉलेरिस, मेकारंगा, ट्रेमा, जंगली मेन्नगीफेरा, वुड फोर्डिया, तथा एटीलोसिया जैसी काष्ठ प्रजातियों के प्रौढ़ को भी आश्रय मिला है। ये मूल नमी वाले अर्ध सदाबहार वन की प्रारंभिक प्रजातियां हैं।

स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा के पुनरुज्जीवन फाउंडेशन द्वारा मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा कर्नाटक जैसे देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोटेनिकल सर्वेक्षण किए गए। 2100 से ज्यादा पौधों के नमूने इन बोटेनिकल अभियानों में एकत्रित किए गए। प्रक्रमण तथा नमूने के अंतिम अभिनिर्धारण के बाद पौधों की कुल लगभग 200 प्रजातियां हर्बेरियम में जोड़ी गईं।

एफ आर एल एच टी कैपस में स्थित सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के उद्यान में 800 से अधिक औषधीय पौधों की प्रजातियां हैं। इस वर्ष, इस उद्यान में 60 और औषधीय पौधों की प्रजातियां लगाई गई हैं। इस उद्यान के विन्यास को सुधारा गया है, जिसमें चार और विषय जोड़े गए हैं। इनमें जंगली खाद्य तथा औषधीय फूल तथा पवित्र औषधीय पौधे भी शामिल हैं।

फेलोशिप और अवाइर्स

इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार

वर्ष 2003 और 2004 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार के लिए भारत के उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में पुरस्कार समिति द्वारा पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया। 5 जून, 2007 को आयोजित पुरस्कार समारोह में पुरस्कार दिए गए।

इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र (आई पी एम) पुरस्कार

वर्ष 2005 तक पुरस्कार दिए जा चुके हैं। अब पुरस्कारों का ढांचा पुनः तैयार करने पर विचार किया जा

रहा है ताकि पुरस्कार विजेताओं की प्रोफाइल में सुधार हो, जिससे ये लोग लंबे समय तक रोल मॉडल बने रहें। वृक्षारोपण कार्यकलाप के लंबे समय तक प्रबंधन चक्र की दृष्टि से इसकी जरूरत है।

पीतांबर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप

वर्ष 2006 के लिए फेलोशिप पर कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष फेलोशिप के अवार्ड के लिए दिशानिर्देशों तथा मानदंडों में संशोधन किया गया; आवेदक की आयु सीमा 60 वर्ष तक तय की गई।

बी.पी. पाल राष्ट्रीय जैव विविधता संबंधी पर्यावरण फेलोशिप

वर्ष 2005 के लिए यह फेलोशिप डॉ. आर. सुकुमार पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु को दिया गया। वर्ष 2006 के लिए यह फेलोशिप डॉ. के. एस. बांगरवा को दिया गया। सी सी एस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा को दिया गया।

मेदिनी पुरस्कार योजना

मंत्रालय की मूल्यांकन समिति द्वारा वर्ष 2006 के इस पुरस्कार के लिए प्राप्त प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया गया।

पर्यावरण सूचना

पर्यावरण सूचना प्रणाली (एनन्विस)

पर्यावरण सूचना पर्यावरण प्रबंधन नीतियों के लागू करने में ही आवश्यक भूमिका नहीं निभाती, बल्कि पर्यावरणीय सुरक्षा तथा प्राणियों के लिए उत्तम जीवन गुणवत्ता बनाए रखने की ओर लक्ष्यबद्ध निर्णय लेने की प्रक्रिया में इसका अत्यंत महत्व है। समुचित पर्यावरण सूचना संरक्षण की आवश्यकता अनुभव करते हुए, इस मंत्रालय ने योजना कार्यक्रम तथा पर्यावरणीय सूचना संचय, कॉलेशन, भंडारण, रिट्रीवल तथा निर्णय लेने वालों, अनुसंधान-वैज्ञानिकों, आदि जैसे अलग प्रयोक्ताओं तक सूचना प्रसार के विशेष नेटवर्क के रूप में पर्यावरणीय सूचना प्रणाली (एनन्विस) गठित की है। नेटवर्क में इस समय 76 नेटवर्क साझेदारी की श्रृंखला है, जिसमें से 46 विषय निविशिष्ट हैं तथा 30 राज्य से संबंधित मुद्दों से जुड़े हैं। इन नेटवर्क साझेदारों को एनन्विस केंद्र कहा जाता है। ये केंद्र देश भर के उल्लेखनीय संगठनों/संस्थाओं/संघ शासित सरकारी विभागों/ विश्वविद्यालयों में स्थित हैं तथा यह एनन्विस नेटवर्क के सभी साझेदारों के कार्यकलापों को समन्वित करता है ताकि एनन्विस को वेब योग्य व्यापक सूचना प्रणाली बनाया जा सके।

वर्ष के दौरान, इस नेटवर्क द्वारा सूचना से संबंधित कार्यकलापों द्वारा डाटाबेस विकास, और न्यूजलेटर, सार सेवाओं, आदि के माध्यम से अपेक्षित सूचना पैकजों के प्रकाशन और प्रश्नोत्तरी सेवाओं संबंधी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं।

इस मंत्रालय का एनन्विस केंद्र बिन्दु इस मंत्रालय की वेबसाइट (URL: <http://envfor.nic.in>) को अद्यतन बनाने तथा सभी संबंधितों को वेबसाइट के माध्यम से सूचना के प्रसार के लिए जिम्मेदार है। इस वेबसाइट को प्रतिमाह लगभग 1.75 लाख लोगों ने प्रयोग किया। इसमें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोक्ता शामिल हैं।

एनन्विस तथा इसके सभी साझेदारों ने इस वर्ष 17800 से भी अधिक सवालों का जवाब दिया तथा यथासंभव रूप से महत्वपूर्ण/सार्थक सूचना प्रदान की।

लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, देहरादून तथा हैदराबाद में इस वर्ष आयोजित क्षेत्रीय मूल्यांकन समितियों द्वारा एनन्विस नेटवर्क साझेदारों के कार्यकलापों का मानीटरन तथा मूल्यांकन किया गया।

एनन्विस फोकल प्वाइंट ने 'डाटाबेस ऑफ एन्वायरन्मेंटल एक्सपर्ट इन इंडिया : 2007' नामक भारत के पर्यावरणीय विशेषज्ञों की डाइरेक्टरी प्रकाशित की। देश में पर्यावरण विज्ञानों के अनेक क्षेत्रों के पर्यावरणीय विशेषज्ञों/प्रोफेशनल की प्रोफाइल दी गई ताकि अनुसंधान परियोजनाओं में, उनके मूल्यांकन तथा विभिन्न समुदायों के सदस्यों को उससे जुड़ने के लिए इन विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाया जा सके।

इस वर्ष के दौरान मंत्रालय के साथ परामर्श करके विश्व प्रकृति निधि, भारत में एनन्विस केंद्र द्वारा 'ए डाइरेक्टरी ऑफ एन्वायरन्मेंटल एनजीओ इन इंडिया-2007' प्रकाशित की गई। सभी राज्यों तथा संघ शासित केंद्रों में पर्यावरण संरक्षण, परिरक्षण तथा जागरूकता की ओर कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों का इस निर्देशिका (डाइरेक्टरी) में ध्यान रखा गया है।

एस ओ ई रिपोर्ट तैयार करते समय साझेदारों के बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिए, इस मंत्रालय ने 29 अगस्त, 2007 को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की ताकि एसओई रिपोर्टिंग के विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जाए।

विधान एवं संस्थागत सहयोग

इस मंत्रालय का नीति एवं विधि प्रभाग प्रदूषण उपशमन के लिए सहायता, पर्यावरण नीति एवं कानून तथा 'पर्यावरण आयोग और न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) की स्थापना' नामक स्कीमें अंशतः कार्यान्वित कर रहा है तथा विद्यमान विधान/अधिसूचना में संशोधन या नए विधान के प्रवर्तन के लिए आवश्यक होने पर अन्य थिमेटिक प्रभागों को वैधानिक एवं संस्थागत सहयोग दे रहा है। इसके अलावा विभाग राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन, कानून आयोग की 186वीं रिपोर्ट की सिफारिशों और इकोमार्क योजना को लागू करने का कार्य भी विशेष तौर पर देखता है।

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति को बड़े पैमाने पर परिचालित किया गया है और यह मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in पर उपलब्ध है। मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि एन ई पी 2006 में पर्यावरण से संबंधित मामलों को 11वीं योजना अवधि के दौरान उचित ढंग से सेक्टरल/राज्य के विकास योजनाओं में एकीकृत किया जाए।

मंत्रालय ने कानून आयोग की 186वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया है और इस संबंध में विधेयक लाने के लिये कानून एवं न्याय मंत्रालय के वैधायी विभाग को प्रस्ताव का मसौदा भेजा जा चुका है।

उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और उत्पादों को उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए ईको-मार्क योजना बनाई गई। इस इको मार्क योजना पर विचार किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सतत विकास

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय बहुपक्षीय पर्यावरणीय करारों के लिए भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। इसमें ओजोन परत के संरक्षण के लिए विना सम्मेलन, ओजोन परत में छेद करने वाले पदार्थ पर मोंट्रियल समझौते, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन, मरुस्थलीयकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकाल, खतरनाक

पदार्थों के एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में प्रवेश पर बासेल सम्मेलन, चिरस्थायी आर्गेनिक प्रदूषण वाले कारक पर स्टॉकहोम सम्मेलन इत्यादि सम्मिलित हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्थाई विकास प्रभाग, रैमसट सम्मेलन, आर्गेनिक प्रदूषकों पर रोट्टरडम सम्मेलन भी इसमें शामिल है। यह संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम (यू एन ई पी), यू एल डी पी, विश्व बैंक, यू एन आई ओ, सतत विकास के लिए यू एन आयोग (सी एस डी), ग्लोबल इन्विरामेंट फैसिलिटी (जी ई पी), तथा क्षेत्रीय निकायों जैसे एशिया एवं पैसिफिक के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (ई एस सी ए पी), क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशिया समन्वय पर्यावरण कार्यक्रम (एस ए सी ई पी) ए डी बी और यूरोपीयन यूनियन (ई यू) के लिए नोडल संस्था है। प्रभाग पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को भी देखता है।

आयोग का पंद्रहवां सत्र दिनांक 30 अप्रैल से 11 मई 2007 को न्यूयार्क में सतत विकास पर आयोजित हुआ था जिसमें सतत विकास के लिए ऊर्जा का थिमेटिक एरियाज, जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण/वायुमंडल एवं औद्योगिक विकास पर विचार किया गया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व राज्य मंत्री श्री नमो नारायण मीणा द्वारा किया गया। 15 वें सी एस डी के कार्यों के बारे में जानकारी निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:- www.un.org/sn/sustdev/csd/csd15/csd15.htm.

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शासकीय परिषद, ग्लोबल मिनिस्ट्रीयल इन्वायरमेंटल फोरम का विशेष सत्र 20-22 फरवरी, 2008 को मोनाको में आयोजित हुआ था। सत्र का मुख्य मुद्दा 'वैश्वीकरण तथा पर्यावरण', 'चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना' था। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री ने किया था।

8वां दिल्ली स्थाई विकास सम्मेलन 7-9 फरवरी, 2008 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में टी ई आर ई द्वारा आयोजित किया गया था और सम्मेलन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने किया था। इस बार मुख्य मुद्दा 'स्थायी विकास और जलवायु परिवर्तन' था जिसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और स्थाई विकास जैसे मुद्दों पर वैश्विक परिचर्चा पर महत्वपूर्ण योगदान देना था।

पर्यावरण और वन सचिव, दक्षिण एशिया समन्वय पर्यावरण कार्यक्रम (एस ए सी ई पी) भारत के प्रमुख हैं। एस ए सी ई पी अपने शासकीय परिषद (जी सी) के बैठक को आयोजित करता है जो वर्तमान क्षेत्रीय मुद्दों के साथ-साथ वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करता है। एस ए सी पी के 10वीं शासकीय परिषद का आयोजन 25 फरवरी, 2007 को काठमांडू में हुआ था। बैठक में संस्थागत मामलों, परियोजना की स्थिति और कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भूटान में क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन (सार्क) वानिकी की स्थापना रही। भारत सार्क का वर्तमान अध्यक्ष है और सार्क के विविध फोरम की घोषणाओं को प्रचालित करने में मुख्य भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इसके साथ ही भारत ने क्षमता के विस्तार एवं तकनीकी समर्थन में क्षेत्रीय सहयोग का प्रस्ताव दिया है।

जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन विश्व की सबसे ज्वलंत पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। 2007 में प्रकाशित जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर सरकारी पैनल की चौथी आकलन रिपोर्ट में पृथ्वी के भविष्य की गंभीर तस्वीर दर्शाई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक तापन का पृथ्वी की जलवायु पर घातक प्रभाव पड़ सकता है। इस वक्त की पूरी संभावना है कि जलवायु परिवर्तन प्रतिकूल प्रभावों में वृद्धि के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप में अथवा

अनुकूलन की क्षमता क्षीण करके परोक्ष रूप में स्थाई विकास की दिशा में प्रगति को धीमा कर सकता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु अधिक ठोस योजना देने के लिए 1997 के सम्मेलन के सदस्य देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल (संधि के पूर्व दस्तावेज) में विकसित देशों को आश्वस्त किया है कि 2008-2012 के दौरान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 से नीचे औसतन 5.2% की दर से कम किया जाएगा, इसमें पारगमन के क्षेत्र में मितव्ययता की बात भी कही गई है। क्योटो प्रोटोकॉल (संधि के पूर्व दस्तावेज) 16 फरवरी, 2005 से लागू किया गया। भारत भी इसका एक सदस्य देश है।

वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय रणनीति और भारत में स्थाई विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और ऊर्जा सक्षम दो नई परियोजनाओं का वित्त पोषण किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ विकास मैकेनिज्म (सीडीएम) प्राधिकारी की बैठकों का समय-समय पर आयोजन किया गया, ताकि आयोजक देश के अनुमोदन को स्वीकृति प्रदान करने के लिए सी डी एम परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया जा सके। दिसंबर, 2007 तक राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकारी ने जैवद्रव्य आधारित सह उत्पादन, ऊर्जा प्रवीणता, नगर से निकलने वाले अपशिष्ट के क्षेत्र में 772 परियोजनाओं; नवीनीकरण योग्य जैसे हवा, लघु जलीय परियोजनाओं का अनुमोदन किया है। इन परियोजनाओं से वर्ष 2012 तक 433 मिलियन प्रमाणित उत्सर्जन कम किया जा सकेगा, बशर्ते कि इन सभी परियोजनाओं का पंजीकरण सीडीएम कार्यकारी बोर्ड के साथ सफलतापूर्वक हो जाए।

केंद्रीय बजट 2007-08 प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा में सरकार ने श्री आर. चिदंबरम, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, ने भारत सरकार की अध्यक्षता में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर विशेषज्ञ समिति का गठन दिनांक 7 मई, 2007 को किया। समिति के विषयों में भारत में मानवोत्पत्तिजनक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करना और भविष्य में जलवायु परिवर्तन के इन प्रभावों की सुभेद्यता को कम करने के संबंध में भविष्य में किए जाने वाले उपायों की पहचान करना है। विशेषज्ञ समिति में शिक्षा जगत, विज्ञान और विभिन्न संबद्ध मंत्रालयों और विभागों से भी ख्याति प्राप्त लोगों को शामिल किया गया है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति, जिसे जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद के नाम से जाना जाता है, का गठन जून, 2007 में जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन, अनुकूलन और शमन के लिए राष्ट्रीय कार्यवाई का समन्वय करने के लिए किया गया। परिषद की पहली बैठक जुलाई, 2007 में और दूसरी नवंबर, 2007 में हुई। बहुत से निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए भारत द्वारा की गई कार्यवाई के साथ-साथ प्रस्तावित कार्यवाई को शामिल कर एक राष्ट्रीय दस्तावेज तैयार किया जाए, जिसे जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय रिपोर्ट के रूप में तैयार किया जाए।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ने नवंबर 2007 में जलवायु परिवर्तन के आकलन पर अपनी चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट वर्ष के दौरान जारी तीन कार्यकारी समूहों की रिपोर्टों पर आधारित है। पहली रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के विज्ञान, दूसरी उसके प्रभाव, अनुकूलन और जलवायु के शमन और तीसरी जलवायु परिवर्तन को कम करने से संबंधित है।

जलवायु परिवर्तन पर भारत-यू.के. संयुक्त अनुसंधान का दूसरा दौर संयुक्त वार्ता के रूप में शुरू किया गया था। भारत का पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा यू.के. के पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण कार्य विभाग (डीईएफआरए) ने संयुक्त रूप से भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और अनुकूलन पर एक त्रिवर्षीय अनुकूलन कार्यक्रम की योजना बनाई है। परियोजना जलवायु परिवर्तन पर क्षेत्रीय प्रभावों के

आकलन (मूल्यांकन) में भारत की विद्यमान विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान जलवायु परिवर्तन भविष्यवाणी मॉडलों में अनिश्चितता को कम करने और जलवायु परिवर्तन के विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाने के लिए तैयार की गई है।

ओजोन परत संरक्षण

भारत सरकार ने ओजोन परत संरक्षण और मोंट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य इस मंत्रालय को सौंपा है। मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय यूनिट के रूप में देख-रेख करने और प्रोटोकॉल और भारत में इसके चरणबद्ध कार्यक्रमों (ओडीएस) के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सेवाएं देने के उद्देश्य से ओजोन सेल की स्थापना की है। मंत्रालय ने एक सशक्त विषय संचालन समिति (ईएससी) का गठन किया है। इसके अध्यक्ष, सचिव (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) हैं। इसको स्थाई समिति का सहयोग प्राप्त है। ये समितियां मोंट्रियल प्रोटोकॉल उपबंधों के कार्यान्वयन, परियोजना अनुमोदन और परियोजना मॉनीटरिंग विकल्पों, परियोजना अनुमोदन और परियोजना मॉनीटरिंग के लिए उत्तरदायी हैं।

भारत में मोंट्रियल प्रोटोकॉल की नियंत्रण अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित अनुपालन तिथियों को पूरा किया है :

- सीएफसी उत्पादन और खपत का जुलाई, 1999 में क्रमशः 22588 ओडीपी टन और 6681 ओडीपी टन तक सीमित करना।
- 01-01-2002 को हेलोन उत्पादन और खपत को सीमित करना।
- 2003 में हेलोन उत्पादन और खपत को पूरी तरह फेज-आउट करना।
- 2005 में सीएफसी उत्पादन और खपत में 50% की कमी (उत्पादन 22588 मी.टन और खपत 6681 मी.टन)।
- 2005 में सीटीसी उत्पादन और खपत में 85% की कमी (उत्पादन 11525 मी.टन से 1508 मी.टन और खपत 11537 मी.टन से 1493 मी.टन)।

ओजोन परत के संरक्षण के लिए तेरहवां अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर, 2007 को दिल्ली में मनाया गया। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की विषय वस्तु में 'प्रगति के 20 वर्षों का आयोजन' शामिल था। श्री सत्य साई सभागार, नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में लगभग 500 स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर उनके बीच पोस्टर, पेंटिंग और नाटक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रत्येक प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ 3 विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। ओजोन सेल के प्रकाशन-मोंट्रियल प्रोटोकॉल : इंडियास सक्सेस स्टोरी का विमोचन और वितरण किया गया।

13. वित्त

वित्त मंत्रालय सरकार का वित्तीय प्रशासन देखता है। यह उन सभी वित्तीय मामलों से संबद्ध है जिनका प्रभाव समूचे देश पर पड़ता है। इसमें विकास और अन्य कार्यों के लिए संसाधन जुटाना भी शामिल है। यह सरकार के व्यय का नियमन करता है, जिसमें राज्यों को हस्तांतरित किए जाने वाले संसाधन भी शामिल हैं। इस मंत्रालय के चार विभाग हैं : (i) आर्थिक मामले, (ii) व्यय, (iii) राजस्व और (vi) विनिवेश।

आर्थिक मामले

आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के प्रमुख विभाग हैं—(i) वित्त प्रभाग, (ii) बजट प्रभाग, (iii) बैंकिंग और बीमा प्रभाग, (iv) पूंजी बाजार, (v) द्विपक्षीय सहयोग, (vi) विदेश व्यापार, (vii) फंड बैंक प्रभाग, (viii) राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएन) और प्रशासन, (ix) सहायता, खाते एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक तथा (x) आर्थिक प्रभाग। यह विभाग अन्य कार्य करने के साथ चालू आर्थिक प्रवृत्तियों पर नजर रखता है, तथा सरकार को देश की आंतरिक और विदेशी आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न विषयों के बारे में परामर्श देता है, जैसे—मूल्य, ऋण, राजकोषीय एवं मुद्रा नीति तथा पूंजीनिवेश नियमन। यह विभाग राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन एवं सामान्य बीमा संबंधी नीतियों की भी देखरेख करता है। इसके अतिरिक्त यह विभाग भारत सरकार की टकसाल और मुद्रा मुद्रणालयों, सिक्कुरिटी प्रेसों और सिक्कुरिटी पेपर मिलों का प्रबंधन भी संभालता है। खाद्य एवं कृषि संगठनों (एफएओ), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) जैसे विशेष अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जरिए मिलने वाली सहायता, और विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, संस्कृति एवं शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय/द्विपक्षीय समझौतों के अंतर्गत प्राप्त सहायता को छोड़कर शेष सभी विदेशी तथा तकनीकी सहायता पर भी यह विभाग नजर रखता है। आर्थिक कार्य विभाग केंद्रीय बजट और राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के बजट तैयार करके उन्हें संसद में पेश करता है।

हाल के घटनाक्रम

2005-06 के आम बजट में राष्ट्रीय न्यूनतम साक्षा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप 7 से 8 प्रतिशत विकास दर हासिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए किए गए प्रमुख उपायों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (पहले राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कहा जाता था) के लिए अधिक धन आवंटित करना और अन्त्योदय अन्न योजना का विस्तार 2.5 करोड़ परिवारों तक करना शामिल है। अधिक ध्यान देने के लिए पहचाने गए प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं दोपहर के भोजन की योजना के लिए अधिक आवंटन, सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए धन जुटाने के वास्ते बनाए गए और कभी व्ययगत न होने वाले प्रारंभिक शिक्षा कोष के लिए अधिक धन आवंटन, पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं में सुधार, कृषि विविधता

कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, कृषि विपणन ढांचे का विकास/सुदृढ़ीकरण, 2005-06 के लिए खरीफ और रबी फसलों के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनआईएस) जारी रखना तथा ऋण मुहैया कराने संबंधी लघु वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत मदद पहुंचाने का लक्ष्य दो लाख स्वयं सहायता समूहों से बढ़ाकर 2.5 लाख स्वयं सहायता समूहों तक करना।

बजट में लघु वित्त विकास कोष का नाम बदलकर 'लघु वित्त विकास एवं इक्विटी कोष' रखा गया। इसकी राशि बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये की गई। जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और जीर्णोद्धार की राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत 9 राज्यों में 16 जिलों के लिए पायलट परियोजनाएं शामिल की जाएंगी। इसके अंतर्गत करीब 700 जल निकायों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और 20,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाया जायेगा। 2005-06 के दौरान गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में बाढ़ प्रबंधन और भूमि कटाव नियंत्रण के लिए 180 करोड़ रुपये और फरक्का बैराज परियोजना के लिए 52 करोड़ रुपये परिव्यय निर्धारित किया गया।

विनिर्माण क्षेत्र पर अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता महसूस करते हुए बजट में लघु और मझोले उद्यमियों की सहायता के लिए एक 'मैन्युफैक्चरिंग प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम' शुरू करने का प्रस्ताव किया गया। अन्य महत्वपूर्ण उपायों में वस्त्र क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष के वास्ते आवंटन बढ़ाना तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत कवरेज का विस्तार करना शामिल है। 2005-06 में इंदिरा आवास योजना के लिए आवंटन बढ़ाकर 2,750 करोड़ रुपये किया गया तथा वर्ष के दौरान 15 लाख आवास बनाने का प्रस्ताव किया गया।

वर्ष 2005-06 के बजट में देश के समग्र विकास पर बल देते हुए 'भारत निर्माण' कार्यक्रम की परिकल्पना की गई, जिसे चार वर्ष की अवधि में लागू किया जाना है।

भारत निर्माण कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं : (क) एक करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को पक्की सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत लाना; (ख) 1000 (या पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों में 500) की आबादी वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ना; (ग) निर्धनों के लिए 60 लाख अतिरिक्त आवास बनाना; (घ) अभी तक कवर न की जा सकी 74,000 बस्तियों को पेयजल उपलब्ध कराना; (ङ) बकाया 1,25,000 गांवों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना और 2.3 करोड़ परिवारों को बिजली का कनेक्शन देना; और (च) बकाया 66,822 गांवों को टेलीफोन लाइनों से जोड़ना।

भारत निर्माण कार्यक्रम जोर-शोर से लागू किया जा रहा है। इसलिए इस कार्यक्रम के लिए विशाल बजटीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। 2005-06 में पूर्वोत्तर घटक सहित 12,160 करोड़ रूपयों के प्रावधान के मुकाबले 2006-07 के बजट में भारत निर्माण कार्यक्रम के लिए 54 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 18,696 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया। 2006-07 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए सुनिश्चित सिंचाई, विविधता और कृषि उत्पादों के लिए बाजार बनाने जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया है।

जल निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और उन्हें पूर्वावस्था में लाने के लिए विभिन्न राज्यों में प्रायोगिक परियोजनाओं के माध्यम से कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। राज्यों के साथ परामर्श कर कार्यक्रम का खाका तैयार किया गया है। परियोजना के पहले चरण में 14.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ 20,000 जल निकायों की पहचान की गई है। बजट 2006-07 में खरीफ और रबी 2006-07 के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को चालू रखने की घोषणा की गई है। सार्वजनिक-व्यक्तिगत भागीदारी मॉडल देश के अलग-अलग हिस्सों में मॉडल टर्मीनल मार्केट स्थापित करने में अपनाया जाएगा। बजट में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत 2006-07 के लिए 150 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं।

सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम

वर्ष 2006-07 के दौरान सामाजिक क्षेत्र में कई पहल/कार्यक्रमों के लिए पहले से अधिक व्यय मुहैया कराया गया है। संग्रह सरकार के आठ सूत्रीय कार्यक्रमों के तहत सामाजिक क्षेत्र के लिए बढ़े हुए संसाधनों को निर्दिष्ट किया गया था। ये आठ कार्यक्रम हैं : सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे मील योजना, राजीव गांधी पेयजल मिशन, पूर्ण स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय अर्बन रिन्युवल मिशन। शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रमुखता मिली। वर्ष 2006-07 के लिए शिक्षा के लिए आवंटन 31.5 प्रतिशत बढ़ाकर 24,115 करोड़ रुपये कर दिया गया है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए आवंटन 22.0 प्रतिशत बढ़ाकर 12,546 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है।

वर्ष 2005-06 में आठ सूत्रीय कार्यक्रमों के लिए कुल आवंटन 34,927 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष में कुल आवंटन 50,015 करोड़ रुपये रखा गया है जो 15,088 करोड़ या 43.2 प्रतिशत अतिरिक्त है।

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) : बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए एसएसए के लिए 2006-07 में परिव्यय 2005-06 के 7156 करोड़ रुपये के मुकाबले 7156 करोड़ से बढ़ाकर 10041 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 5,00,000 अतिरिक्त कमरों का निर्माण करने तथा 1,50,000 अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2006-07 के दौरान शिक्षा कर से प्राप्त 8746 करोड़ रुपयों को प्रारंभिक शिक्षा कोष में स्थानांतरित करने का फैसला किया गया है।

मिड-डे मील योजना : मिड-डे मील योजना के अंतर्गत 12 करोड़ बच्चों को कवर किया गया है। विश्व में यह सबसे बड़ा स्कूल लंच कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए 2006-07 में आवंटन राशि 3010 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4813 करोड़ रुपये कर दी गई है।

पेयजल और स्वच्छता : वर्ष 2006-07 में 213 करोड़ रुपये की गैर आवर्तक सहायता के लिए एक प्रावधान किया गया है जिसके तहत जनपद स्तर पर पानी के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं तथा क्षेत्रीय स्तर पर पानी परीक्षण किट स्थापित करने की योजना है। चालू वर्ष में राजीव गांधी पेयजल मिशन के लिए पिछले साल के 3645 करोड़ रुपयों के मुकाबले 4680 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण स्वच्छता अभियान के लिए 2006-07 में पिछले साल के 630 करोड़ रुपये के मुकाबले 720 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल, 2005 को शुरू किया गया था। 2006-07 में दो लाख से अधिक संयुक्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के (एएसएचए) पूर्ण रूप से क्रियाशील होने की उम्मीद है और 1000 से अधिक ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौबीसों घंटे सेवाएं मुहैया करने में सक्षम होने की आशा है। पिछली साल के 6553 करोड़ रुपये के मुकाबले चालू वित्त वर्ष के लिए एनआरएचएम का बजट आवंटन 8207 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है।

एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) : आईसीडीएस के कुल आवंटन 3315 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4087 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना : ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से निजात पाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सरकार की एक प्रमुख योजना है। वर्ष 2006-07 के लिए

ग्रामीण रोजगार हेतु कुल आवंटन 14,300 करोड़ रुपये है जिसमें 11,300 करोड़ रुपये (एनईआर भाग सहित) एनआरईजी अधिनियम के अंतर्गत होने तथा 3,000 करोड़ रुपये (एनईआर के हिस्से सहित) एसजीआरवाई के अंतर्गत आवंटित होंगे। क्योंकि एनआरईजी अधिनियम के अंतर्गत रोजगार के लिए कानूनी गारंटी मिली है इसलिए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर और अधिक धन मुहैया कराया जाएगा।

जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन : जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्युवल मिशन तीन दिसंबर, 2005 को शुरू किया गया। इस मिशन को 4595 करोड़ रुपये की सहायता मुहैया कराई गई है। मुंबई मेट्रो रेल और बंगलुरु मेट्रो रेल सहित चार परियोजनाओं के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में परियोजनाएं विचाराधीन हैं। सुनियोजित शहरीकरण विकास, रोजगार और बेहतर जीवन स्तर के लिए एक उत्साही तरीका हो सकता है। सरकार नए शहरों के स्थापन को प्रोत्साहित करेगी विशेषकर खास इंडस्ट्री आधारित; उदाहरण के लिए सूचना टेक्नोलॉजी या कोई विशेष थीम, उदाहरण के रूप में शिक्षा अथवा स्वास्थ्य।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम : 65 वर्ष के ऊपर आयु वाले निराश्रय व्यक्तियों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत वृद्ध आयु पेंशन दी जाती है। पूर्व में 75 रुपये प्रतिमाह की राशि काफी अपर्याप्त थी। अब इसको बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। 2006-07 के लिए इस कार्यक्रम के लिए 1430 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं।

महिलाएं और बच्चे : महिलाओं और बच्चों के लिए 32 मंत्रालयों और विभागों में जेंडर बजटिंग सैल स्थापित किए गए हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए केवल एससी और एसटी लाभार्थियों के लिए योजनाओं के लिए 14.5 प्रतिशत आवंटन में वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष के मुकाबले 2006-07 के दौरान 2902 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। एससी और एसटी के लिए कम से कम 20 प्रतिशत आवंटन के साथ 13.9 प्रतिशत बढ़ाकर 9690 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

राष्ट्रीय एससी वित्त और विकास निगम को निष्पक्ष सहयोग के रूप में 37 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम को 2006-07 में 80 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

बारहवां वित्त आयोग

बारहवें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति ने एक नवम्बर, 2002 को किया, जिसे 2005-10 वर्ष की अवधि के लिए केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों के निर्दिष्ट पहलुओं के बारे में सिफारिशें देने का काम सौंपा गया। सभी पहलुओं को शामिल करते हुए आयोग ने अपनी रिपोर्ट 17 दिसम्बर, 2004 को सौंपी।

आयोग ने राजकोषीय हस्तांतरण की एक योजना की सिफारिश की है, जो राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के दायरे के भीतर समानता और सक्षमता के लक्ष्य हासिल कर सके। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए अपेक्षित इस उपाय को केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के रूप में देखने की आवश्यकता है। शिखर और समांतर संतुलन कायम करने, सार्वजनिक और गुणवत्ता युक्त वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करने के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को अपने-अपने राजस्व आधारों से सापेक्षिक राजस्व के स्तर बढ़ाने और अवांछित व्यय प्रतिबद्धताओं से बचने की आवश्यकता है।

एक अप्रैल, 2005 से प्रारंभ पांच वर्ष की अवधि के लिए आयोग ने सिफारिश की है कि हिस्सेदारी योग्य केंद्रीय करों में विशुद्ध प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा 30.5 प्रतिशत होगा। इस प्रयोजन के लिए बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों को केंद्रीय करों के सामान्य पूल का हिस्सा माना जाएगा। यदि कर किराया व्यवस्था समाप्त की जाती है, और राज्यों को बिना किसी निर्धारित सीमा के इन वस्तुओं पर बिक्री कर (या वैट) लागू करने की अनुमति दी जाती है, तो हिस्सेदारी योग्य केंद्रीय करों की विशुद्ध प्राप्तियों में राज्यों की हिस्सेदारी घटकर 29.5 प्रतिशत रह जाएगी। संविधान के 88वें संशोधन के अधिसूचित होने के बाद यदि सेवा कर के बारे में कोई कानून बनाया जाता है, तो उसमें यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कानून के अंतर्गत राज्यों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला राजस्व उस हिस्से से कम नहीं होना चाहिए, जो उस स्थिति में राज्य को मिलता, जबकि समूचे सेवा कर से प्राप्त राशि हिस्सेदारी योग्य पूल का हिस्सा होती।

राजस्व के स्रोत

केंद्रीय कर राजस्व के मुख्य स्रोत हैं : सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, कंपनी कर और आय कर। गैर-कर राजस्व में मुख्यतः ब्याज की प्राप्तियां, लाभांश और लाभ होते हैं। जिसमें रेलवे से प्राप्त लाभांश और ब्याज भी शामिल है। राज्यों के राजस्व की मुख्य मदें हैं—राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कर और शुल्क, केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए करों में राज्यों का हिस्सा और केंद्र सरकार से राज्यों को मिलने वाले अनुदान। संपत्ति शुल्क, चुंगी कर तथा सीमा कर स्थानीय संस्थाओं के राजस्व के मुख्य साधन हैं।

संसाधनों का हस्तांतरण

केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को संसाधनों का हस्तांतरण किया जाना हमारे देश की संघीय वित्त व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। राज्यों को केंद्र सरकार से करों व शुल्कों में से उनका हिस्सा तो मिलता ही है, साथ ही राज्यों को वैधानिक तथा अन्य अनुदान, विकास तथा गैर-विकास कार्यों के लिए ऋण भी मिलते हैं। वर्ष 2001-02 से विभिन्न राज्यों को सीधे हस्तांतरित संसाधनों की कुल राशि का विवरण और वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए बजट अनुमान सारणी 13.1 में दर्शाए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को भी संसाधन हस्तांतरित किए जाते हैं, जिन्हें राज्यों के बजट के माध्यम से नहीं भेजा जाता।

सारणी : 13.1 राज्यों को हस्तांतरित संसाधनों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

अवधि	कर और शुल्क	अनुदान	ऋण (सकल)	कुल
2001-02	52,841	41,493	24,154	1,18,488
2002-03	56,122	42,136	27,720	1,25,978
2003-04	65,766	47,320	25,061	1,38,147
2004-05(सं.अ.)	78,617	51,485	27,108	1,57,210
2005-06(ब.अ.)	94,959	77,274	1,179	1,73,412

लघु बचतों की शुद्ध जमा राशि को सार्वजनिक लेखा से राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों को ऋण रूप में हस्तांतरित करने की एक नई पद्धति एक अप्रैल, 2002 से प्रचलित है।

वार्षिक बजट

संघ की आगामी वित्तीय वर्ष की सभी अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का पूर्वानुमान प्रतिवर्ष संसद में रखा जाता है। इसे *वार्षिक वित्तीय वक्तव्य* या *बजट* कहा जाता है। इसमें पिछले वर्ष, चालू वर्ष (जब बजट पेश किया जाता है) और आगामी वित्त वर्ष, जिसे बजट वर्ष कहा जाता है, का केंद्र सरकार के देश के अंदर और देश से बाहर के सभी प्रकार के लेन-देन का विवरण रहता है।

बजट पेश होने के बाद संसद के दोनों सदनों में इस पर आम बहस होती है। भारत की संचित निधि में से होने वाले अनुमानित खर्चों को लोकसभा के सामने 'अनुदान मांगों' के रूप में रखा जाता है। संचित निधि में से निकाली जाने वाली सभी राशियों को प्रतिवर्ष संसद द्वारा विनियोग अधिनियम के माध्यम से अधिकृत किया जाता है। बजट के कर प्रस्तावों को एक विधेयक में शामिल किया जाता है, जिसे वर्ष के *वित्त अधिनियम* के रूप में पारित किया जाता है। इसी प्रकार राज्य सरकारें वित्त वर्ष शुरू होने से पहले अपने-अपने विधानमंडलों में प्राप्तियों और खर्चों के अनुमान पेश करती हैं तथा खर्च के लिए विधायी स्वीकृति भी उसी तरीके से प्राप्त की जाती है। वर्ष 2001-02 से केंद्र सरकार की बजट-स्थिति सारणी 13.2 में दर्शाई गई है।

सारणी 13.2 बजट स्थिति

(करोड़ रुपये में)

मद	2001-02 वास्तविक	2002-03 वास्तविक#	2003-04 वास्तविक#	2004-05 संशोधित अनुमान था	2005-06 बजट अनुमान था
1. राजस्व प्राप्तियां	2,01,306	2,30,834	2,63,878	3,00,904	3,51,200
2. राजस्व व्यय	3,01,468	3,38,713	3,62,140	3,86,068	4,46,513
3. राजस्व घाटा	1,00,162	1,07,879	98,262	85,164	95,313
4. पूंजी-प्राप्ति	1,62,500	1,80,531	2,07,490	1,83,862 ^s	1,60,004 ^s
5. ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियां	20,049	37,342 *	84,218 *	65,656 *	12,000
6. ऋण और अन्य दायित्व	1,42,451	1,43,189	1,23,272	1,18,206	1,48,004
7. पूंजी व्यय	60,842	74,535 **	1,09,228 **	1,19,723 **	67,831
8. कुल प्राप्तियां	3,63,806	4,11,365	4,71,368	4,84,766	5,11,204
9. कुल व्यय	3,62,310	4,13,248	4,71,368	5,05,791	5,14,344
10. बजट घाटा	-1,496	1,883	0	21,025	3,140
11. वित्तीय घाटा	1,40,955	1,45,072	1,23,272	1,39,231	1,51,144

[(1+5)-9=6+10]

नोट : इन आंकड़ों में लघु बचत संग्रह में राज्यों की हिस्सेदारी का हस्तांतरित शामिल नहीं है।

2002-03 और 2003-04 के अनंतिम वास्तविक पर आधारित।

* ऋण अदला बदली योजना के कारण राज्यों से प्राप्तियां शामिल हैं।

** इनमें राष्ट्रीय लघु बचत कोष को पुनर्भुगतान शामिल है।

\$ 2004-05 के संशोधित अनुमान में 65,481 करोड़ रुपये और 2005-06 के बजट अनुमान में बाजार स्थिरीकरण के अंतर्गत जुटाए जाने वाले में 85,500 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं। यह केंद्र सरकार की नकद शेष राशि होगी और व्यय के रूप में इस्तेमाल नहीं की जाएगी।

सार्वजनिक ऋण

सार्वजनिक ऋण में देश के अंदर लिए गए ऋण, जैसे—बाजार-ऋण, मुआवजे और अन्य बॉन्ड; राज्य सरकारों, वित्त मंत्रालय को जारी किए गए ट्रेजरी बिल; अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई अविनिमेय बिना व्याज वाली रुपया प्रतिभूतियां तथा देश के बाहर से लिए गए ऋण, अर्थात् विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं आदि से लिए गए ऋण शामिल हैं। कुछ चुनिंदा वर्षों के अंत में सार्वजनिक ऋण और अन्य देयताओं की स्थिति का विश्लेषण सारणी 13.3 में किया गया है। अन्य देयताओं में विभिन्न लघु बचत योजनाओं; भविष्य-निधि खातों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी प्रतिभूतियों, विशेष बचत योजनाओं में जमा राशि, रिजर्व कोष तथा जमा राशियों के बकाया शामिल हैं।

सारणी : 13.3

भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण और अन्य देनदारियां (मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपये में)

मद	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 सं. अ.	2005-06 ब. अ.
क-सार्वजनिक ऋण					
1 घरेलू-ऋण (i से vii तक)	9,13,061	10,20,689	11,41,706	12,70,272	14,06,525
i बाजार-ऋण	5,16,517	6,19,105	7,07,965	7,58,999	8,70,836
ii अन्य ¹ (विशेष बियरर बॉन्ड सहित)	61,635	1,14,375	1,93,551	2,77,213	2,98,375
iii 91 दिन ट्रेजरी बिल	5,047	9,673	7,184	7,184	7,184
iv ट्रेजरी बिलों के बदले में रिजर्व बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,01,818	61,818	0	0	0
v विशेष फ्लोटिंग और अन्य ऋण	22,551	23,617	22,139	21,388	21,631
vi भारतीय रिजर्व बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियां	3,222	3,596	3,596	1,867	1,868
vii लघु बचतों पर प्रतिभूतियां	2,02,271	1,88,505	2,02,271	2,03,621	2,06,631
2. विदेशी ऋण*	71,546	59,612	46,124	54,359	63,215
कुल सार्वजनिक ऋण (1+2)	9,84,607	10,80,301	11,87,830	13,24,631	14,69,740
3. अन्य देयताएं [@]	3,81,801	4,78,900	5,48,848	6,56,883	7,62,146
कुल सार्वजनिक ऋण तथा अन्य देयताएं	13,66,408	15,59,201	17,36,678	19,81,514	22,31,886

* इनमें मुख्यतः वे अविनिमेय और गैर-व्याज वाली सिक्क्यूरिटीज शामिल हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक तथा एशियाई विकास बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी की जाती हैं।

@ इनमें राष्ट्रीय लघु बचत योजनाओं, भविष्य निधि, गैर-सरकारी भविष्य निधि की विशेष जमा राशियों तथा अन्य आरक्षित (रिजर्व) कोषों एवं जमा राशियों के उपचय शामिल हैं।

नोट—विदेशी ऋण अंकित मूल्य पर है।

सं.अ.—संशोधित अनुमान था

ब.अ.—बजट अनुमान था

राजकोषीय प्रबंधन में नई पहल

लगातार बढ़ रहे राजकोषीय घाटे और उसके साथ बढ़ते सार्वजनिक ऋण को आर्थिक विकास की संभावनाओं को प्रभावित करने वाली कठिन चुनौती माना गया है। आर्थिक मापदंडों पर राजकोषीय, अनुशासनहीनता का बुरा असर रोकने के उद्देश्य से संसद ने 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम एक्ट) पारित किया, जो जुलाई, 2004 से अमल में आ गया। इस अधिनियम से अन्य बातों के अलावा सरकार को 2007-08 तक राजस्व घाटे के उन्मूलन का समादेश मिल गया। 2004 में इस अधिनियम में एक संशोधन के जरिए लक्ष्य वर्ष बदल कर 2008-09 कर दिया गया। अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नए नियम राजस्व घाटे में हर वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत के बराबर की कटौती निर्धारित करते हैं।

एफआरबीएम अधिनियम 2003 तथा एफआरबीएम अधिनियम 2004 के अंतर्गत सरकार के दायित्व इस प्रकार हैं : (i) राजकोषीय घाटे में इतनी कमी लाना कि सकल घरेलू उत्पाद का न्यूनतम 0.3 प्रतिशत हो, ताकि 2007-08 तक यह घट कर सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत रह जाए। (ii) किसी एक वित्तीय वर्ष में सरकारी गारंटी को सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत तक सीमित करना। (iii) अतिरिक्त देनदारियों को (मौजूदा विनियम दर में विदेशी ऋण सहित) 2004-05 में सकल घरेलू उत्पाद के 9 प्रतिशत, 2005-06 में 8 प्रतिशत, 2006-07 में 7 प्रतिशत तथा 2007-08 में 6 प्रतिशत तक सीमित करना। (iv) एक अप्रैल, 2006 के बाद से रिजर्व बैंक से सीधे उधार न लेना। (v) संसद में आर्थिक बजट के साथ माइक्रोइकॉनॉमिक फ्रेमवर्क, राजकोषीय नीति और मध्यावधि राजकोषीय नीति पर बयान पेश करना। (vi) 2006-07 से पहले अधिक राजकोषीय पारदर्शिता की ओर अग्रसर होना तथा राजस्व बकाया और गारंटी तथा परिसंपत्ति आदि विनिर्दिष्ट सूचना देना शुरू करना।

2005-06 में निर्धारित घाटे संबंधी लक्ष्य इस प्रकार हैं :

क्र.सं.	मद	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	लक्ष्य	
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1.	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा	2.7	2.7@	2.0	1.1
2.	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	4.5@@	4.3	3.8	3.1
3.	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर-राजस्व	9.8	10.6	11.1	12.6
4.	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया देयताएं	68.8	68.6	68.2	67.3

@ 2005-06 के बजट में 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है, ताकि 01.04.2005 स्तरीय मूल्य संवर्धित कर प्रणाली लागू होने से राज्यों के राजस्व में होने वाले घाटे की भरपाई की जा सके। परंतु इस अनुमानित खर्च को पुनः शामिल करने की स्थिति में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.6 प्रतिशत रह जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार का मानना है कि यह धन राज्यों के राजस्व की भरपाई करने में खर्च नहीं करना पड़ेगा, और यह प्रावधान केवल राज्यों को आश्वस्त करने के उपाय के रूप में किया गया है।

@ @ वित्तीय घाटे को वित्त पोषित करने के लिए विनिवेश प्राप्तियों को संसाधन न माने जाने की स्थिति में यह घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.6 प्रतिशत होगा।

विदेशी सहायता

बहुपक्षीय/द्विपक्षीय संगठनों से विदेशी सहायता प्राप्त करने और इसमें समन्वय स्थापित करने के लिए आर्थिक मामलों का विभाग नोडल विभाग है। विदेशी सहायता प्राप्त करने के इच्छुक राज्य सरकारें और अन्य संगठन, केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालय की मार्फत अपने प्रस्ताव डीईए को भेज सकते हैं। मंत्रालय/विभाग को इन प्रस्तावों पर आर्थिक मामलों के विभाग के पास सिफारिशें भेजते समय यह सुनिश्चित करना होता है कि विदेशी सहायता संबंधी प्रस्ताव/योजनाएं योजना-संबंधी प्राथमिकताओं, बजट-संबंधी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति तथा योजना आयोग की स्वीकृति उपयुक्त समय पर लेने के बाद भेजी गई है। डीईए ने विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के प्रस्ताव, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए मई, 2005 में नए दिशा-निर्देश जारी किए।

केंद्र/राज्य सरकारों के सभी परियोजना-प्रस्तावों के बारे में बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से किए गए समझौतों पर केंद्र सरकार की ओर से डीईए (केंद्र सरकार के नोडल विभाग के रूप में) हस्ताक्षर करता है, क्योंकि यह केंद्रीय सूची का विषय है। केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त समग्र विदेशी सहायता से संबद्ध नीतिगत मामलों के लिए भी यही जिम्मेदार है।

वित्त वर्ष 2005-06 से विभिन्न बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त विदेशी सहायता राज्यों को उन्हीं शर्तों के आधार पर दे दी जाती है, जिन पर विदेशी वित्तीय एजेंसी से प्राप्त की गई हो। वर्ष 2004-05 में सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा 17,137.43 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्राप्त की गई। जबकि वर्ष 2003-04 के दौरान यह राशि 17,355.68 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में 8,716.69 करोड़ रुपये जारी किए गए, जबकि वर्ष 2003-04 में यह राशि 9,324.36 करोड़ रुपये थी।

डीईए द्वारा 20 सितंबर, 2004 को घोषित नई नीति के अंतर्गत सभी जी-8 देशों, यानी जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूसी परिसंघ और यूरोपीय आयोग से द्विपक्षीय विकास सहायता प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा जी-8 से इतर यूरोपीय संघ के देशों से भी ऐसी सहायता ली जाएगी, बशर्ते भारत को दिया जाने वाला द्विपक्षीय सहायता का पैकेज न्यूनतम 2.5 करोड़ अमेरिकी डालर का हो। गैर सरकारी संगठनों, स्वायत्त संस्थानों, और विश्वविद्यालयों द्वारा द्विपक्षीय विकास भागीदारों के जरिए प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्तावों का तेजी से निपटारा करने के लिए एक सरल प्रक्रिया लागू की गई है।

भारत-अमरीका द्विपक्षीय संबंध

भारत को अमरीकी विकास सहायता 1951 में मिलनी शुरू हुई थी, और मई, 2004 तक भारत को करीब 14 अरब अमरीकी डॉलर की कुल सहायता प्राप्त हो चुकी थी। यह सहायता मुख्यतः विकास परियोजनाओं, खाद्य वस्तुओं और तकनीकी सहायता के रूप में प्राप्त हुई। अमरीकी सहायता का संचालन मुख्य रूप से अमरीका की अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता एजेंसी (यूएसएड) द्वारा किया जाता है। वर्तमान में यूएसएड द्वारा दी जाने वाली समूची सहायता अनुदान के रूप में दी जा रही है।

शुरू में भारत को दी जाने वाली अमरीकी सहायता में मुख्य जोर ऐसी परियोजनाओं पर दिया जाता था, जिनका लक्ष्य प्रमुख संस्थानों को मजबूत बनाना और कृषि एवं सामाजिक वानिकी में ढांचागत कार्यक्रमों के लिए संसाधनों का हस्तांतरण करना हो। 1980 के दशक के मध्य से प्राथमिकता में विविधता आई और उसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आयाम शामिल किए गए। इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी

के व्यावसायीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। फिलहाल यह विकास सहायता चार प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए मिल रही है। ये हैं : वित्तीय बाजार सुधार, राज्य राजकोषीय सुधार, स्वास्थ्य, पर्यावरण और ऊर्जा आपदा प्रबंधन। इन क्षेत्रों में यूएसएड की सहायता से 11 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।

भारत-जापान द्विपक्षीय संबंध

भारत को जापान सरकार से वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए 13,446.6 करोड़ येन (लगभग 5,600 करोड़ रुपये) की सरकारी विकास सहायता का आश्वासन मिला है। किसी एक वित्तीय वर्ष में जापान सरकार की ओर से दी जाने वाली यह अब तक की सबसे बड़ी ऋण सहायता है। यह वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए जापान द्वारा दी जाने वाली कुल वैश्विक सरकारी विकास सहायता का 19.2 प्रतिशत है। इसे मिलाकर जापान से भारत को मिलने वाला कुल सरकारी विकास सहायता ऋण प्रतिबद्धता के आधार पर 31 मार्च 2005 तक 2193.67 अरब येन (लगभग 89,406 करोड़ रुपये, 100 येन = 40.7 रुपये) हो गया। 29 मार्च, 2005 को भारत सरकार और जापान सरकार ने 8 परियोजनाओं के लिए 13,446.6 करोड़ येन (लगभग 5,600 करोड़ रुपये) के सरकारी विकास सहायता ऋण संबंधी दस्तावेज का आदान-प्रदान किया। इन परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है :

परियोजना	राशि लाख येन में
दिल्ली मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम परियोजना (VI)	1,92,920
नार्थ करनपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना (I)	1,59,160
राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना	1,15,550
तमिलनाडु वानिकी परियोजना (II)	98,180
कर्नाटक स्थाई वन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण परियोजना	1,52,090
गंगा कार्वाई योजना परियोजना (वाराणसी)	1,11,840
बंगलौर जलापूर्ति एवं सीवेज परियोजना फेज (II-I)	4,19,970
उत्तर प्रदेश बौद्ध परिक्रमा विकास परियोजना	94,950

उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर भी 31 मार्च, 2005 को कर दिए गए।

वैश्विक भागीदारी की समग्र संभावनाओं को महसूस कर दोनों देशों ने आठ सूत्रीय पहल और उन्हें लागू करने का फैसला किया। इनमें परस्पर सहयोग के आठ क्षेत्र शामिल हैं : (i) दोनों देशों के बीच वार्ता व्यवस्था को मजबूत करना, उच्चस्तरीय विचार-विमर्श पर अधिक बल देना, उच्चस्तरीय वार्ता शुरू करना और मौजूदा वार्ता व्यवस्था का पूर्ण उपयोग शामिल है; (ii) सामान और सेवाओं में व्यापार के विस्तार, पूंजीनिवेश में वृद्धि और आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों के जरिए व्यापक आर्थिक संबंधों की स्थापना और भारत-जापान आर्थिक भागीदारी समझौते की संभावनाएं तलाशना; (iii) सुरक्षा वार्ता और सहयोग में वृद्धि; (iv) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग की पहल; (v) सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग के उपाय, तथा परस्पर परिचय और प्रभाव बढ़ाने के लिए दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना; (vi) नए एशिया युग की शुरुआत में सहयोग; (vii) संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के स्तर पर सहयोग, जिनमें संयुक्त राष्ट्र, विशेषकर सुरक्षा परिषद में सुधारों को शीघ्र मूर्त रूप देने में सहयोग शामिल है; और (viii) वैश्विक चुनौतियों और अवसरों का लाभ उठाने में सहयोग।

जापान अनुदान सहायता कार्यक्रम की पुनः शुरुआत 28 अगस्त, 2003 को 'मुंबई में सर जेजे हास्पिटल, कामा और एल्बलेस हॉस्पिटल्स के लिए चिकित्सा उपकरणों के परिष्कार' परियोजना के

दस्तावेजों के आदान-प्रदान से हुई। इस परियोजना के लिए 75,90,00,000 येन के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसी प्रकार 'एनआईसीडी कोलकाता में अतिसार अनुसंधान एवं नियंत्रण केंद्र निर्माण' परियोजना के लिए 25 जून, 2004 को 2,13,40,00,000 येन के एक अन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंध

ब्रिटेन 1958 से भारत को द्विपक्षीय विकास सहायता प्रदान कर रहा है। भारत को दी जाने वाली समस्त सहायता ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय सहायता विभाग (डीएफआईडी) द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती है। भारत को फिलहाल अनुदान के मामले में ब्रिटेन से सर्वाधिक द्विपक्षीय विकास सहायता मिल रही है। मार्च, 1999 में यह फैसला किया गया था कि ब्रिटेन से मिलने वाली अनुदान सहायता संबद्ध राज्यों को गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में नई परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में दी जाएगी। डीएफआईडी अनुदान सहायता के लिए भारत में आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को वरीयता देता है। डीएफआईडी अन्य राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र आदि में भी स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लागू की जा रही परियोजनाओं के जरिए विकास सहायता प्रदान करता है।

वित्तीय सहायता (भारत सरकार के बजट के माध्यम से) और तकनीकी सहायता के रूप में भी ब्रिटेन से भारत को सहायता मिलती है। इसके तहत डीएफआईडी द्वारा परामर्श सेवाओं, विशेषज्ञों, प्रशिक्षण, आदि के लिए किया जाने वाला प्रत्यक्ष भुगतान शामिल है। मार्च, 2004 में डीएफआईडी ने 2004-08 की अवधि के लिए भारत में अपनी नई कंट्री प्लान शुरू किया, जिसे 'इंडिया कंट्री प्लान-पार्टनरशिप फॉर डेवलेपमेंट' नाम दिया गया। शिक्षा, मलिन बस्ती सुधार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वानिकी आदि विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहमति के आधार पर शुरू की गई परियोजनाओं के लिए डीएफआईडी की सहायता से 28 परियोजनाएं अमल में लाई जा रही हैं। इसमें सर्वशिक्षा अभियान और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) जैसे केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम (सीएसएस) भी शामिल हैं। डीएफआईडी एक और केंद्र प्रायोजित परियोजना—प्रजनन एवं स्वास्थ्य (आरसीएच)-II परियोजना के लिए भी सहायता प्रदान करेगा।

भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय संबंध

यूरोपीय आयोग 1976 से भारत को सहायता दे रहा है। यूरोपीय आयोग से भारत को मिलने वाली समूची सहायता अनुदान के रूप में मिलती है और वर्तमान में इस सहायता के लिए पर्यावरण, जन-स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

यूरोपीय आयोग द्वारा भारत में निम्नांकित विकास सहयोग कार्यक्रमों के लिए सहायता दी जा रही है :

सर्व शिक्षा अभियान- यूरोपीय आयोग द्वारा मिलने वाली सहायता में शिक्षा क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीआईपी) आंशिक रूप से यूरोपीय संघ की 15 करोड़ यूरो की मदद से चलाया जा रहा है, जो दिसंबर 2002 में समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम के विस्तार के रूप में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा देश के 42 जिलों में लागू किए जा रहे सर्व शिक्षा अभियान के वास्ते यूरोपीय आयोग ने 20 करोड़ यूरो की सहायता देने का वायदा किया। पहले चरण में 3 करोड़ यूरो का उपयोग किया जा चुका है। दूसरे चरण के लिए फरवरी, 2005 में यूरोपीय आयोग ने 2.4 करोड़ यूरो की सहायता मंजूर की। इस कार्यक्रम के लिए सहायता देने वालों में अन्य भागीदार हैं—आईडीए/विश्व बैंक और डीएफआईडी, ब्रिटेन जो क्रमशः 39 करोड़ यूरो तथा 27 करोड़ यूरो की सहायता प्रदान कर रहे हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र विकास के लिए सहायता- यूरोपीय आयोग द्वारा उसके क्षेत्र निवेश कार्यक्रम (एसआईपी) के अंतर्गत प्रायोजित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र विकास सहायता कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का पुनर्गठन करना है। क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भारत सरकार के राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है। इसके साथ ही प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) और सुरक्षित मातृत्व एवं अन्य कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इनके लिए यूरोपीय आयोग की सहायता राशि 24 करोड़ यूरो है।

राज्य भागीदारी कार्यक्रम- यूरोपीय आयोग ने अब अपनी विकास सहयोग नीति में बदलाव लाते हुए क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण की बजाय एक या दो भारतीय राज्यों के साथ भागीदारी दृष्टिकोण अपनाने का निश्चय किया है। इसके तहत इन राज्यों में स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए अपने व्यापक संसाधनों को लगाना है। तदनुसार, आयोग और भारत सरकार ने आपसी सहमति से यूरोपीय आयोग के राज्य भागीदारी कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान को चुना। आयोग ने इन राज्यों में विकास भागीदारी कार्यक्रमों के लिए 16 करोड़ यूरो की सहायता देने का वायदा किया है।

यूरोपीय संघ (ईयू)-भारत छात्रवृत्ति कार्यक्रम- यूरोपीय संघ-भारत छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए यूरोपीय आयोग के साथ 3.3 करोड़ यूरो की वित्त व्यवस्था समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस राशि का उपयोग यूरोपीय संघ के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 2005-09 की अवधि में भारतीय छात्रों द्वारा उच्चतर शिक्षा (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों) के लिए 1,000 छात्रवृत्तियां प्रदान करने के वास्ते किया जाएगा।

भारत-स्विट्जरलैंड संबंध

भारत को स्विट्जरलैंड से अनुदानों के रूप में सहायता मिलती रही है और यह स्थानीय लागत तथा तकनीकी सहायता के रूप में उपलब्ध कराई गई है। पहले, स्विट्जरलैंड ऊर्जा क्षेत्र परियोजनाओं के लिए 40 प्रतिशत अनुदान और 60 प्रतिशत ऋण के रूप में मिश्रित ऋण सहायता प्रदान करता रहा है। केरल राज्य की नरियामंगलम पन बिजली परियोजना 25 जून, 1991 को हुए स्विस् मिश्रित ऋण समझौते के तहत लागू की गई है। वर्तमान में स्विस् सहायता मुख्यरूप से भारत में गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित परियोजनाओं को मिल रही है। पिछले वर्ष के दौरान स्विट्जरलैंड ने भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों की परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है।

भारत-इटली द्विपक्षीय संबंध

इटली भारत को 1981 से सहायता प्रदान कर रहा है। 5 जून, 1996 को हुई भारत-इटली सहयोग बैठक में इटली ने 100 अरब लीरा की सहायता देने का वायदा किया था। इस समझौते के तहत निम्नलिखित दो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं :

(i) **एनएसआईसी को ऋण सहायता :** 100 अरब लीरा की सहायता का जो वायदा इटली ने किया था, उसमें से 50 अरब लीरा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) को आवंटित की गई, ताकि भारतीय लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास के लिए पूंजीगत सामान और तकनीकी सहायता की आपूर्ति के वास्ते मुक्त ऋण वित्त व्यवस्था की जा सके। एनएसआईसी ने 21 मार्च, 2000 को 10 अरब लीरा की पहली किस्त के वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। शेष 40 अरब लीरा (दूसरी किस्त) के बारे में सितंबर 2004 से पहले प्रचलित भारत सरकार की नीति को देखते हुए बकाया राशि न लेने का फैसला

किया गया। यह निर्णय इटली सहित छोटे द्विपक्षीय भागीदारों से विकास सहायता न लेने की नीति के तहत लिया गया।

(ii) पश्चिम बंगाल में जलापूर्ति और ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना : पश्चिम बंगाल में ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना के लिए वित्त व्यवस्था के वास्ते 50 अरब लीरा का इस्तेमाल किए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए डीईए ने इटली दूतावास के साथ 5 फरवरी 2003 को समझौता दस्तावेज का आदान-प्रदान किया था। संशोधित प्रस्ताव के अनुसार 38 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि के लिए ब्याज दर 0.1 प्रतिशत वार्षिक होगी, जिसमें 17 वर्ष की रियायत अवधि भी शामिल है। सरकार ने द्विपक्षीय विकास सहायता संबंधी नीति में संशोधन किया है। इटली से सहायता स्वीकार करने की भारत सरकार की संशोधित नीति को देखते हुए एनएसआईसी ने विदेश विभाग से अनुरोध किया है कि 40 अरब लीरा की बकाया विकास सहायता राशि को प्राप्त करने के प्रस्ताव पर फिर से विचार किया जाए।

भारत-फ्रांस द्विपक्षीय सहायता

द्विपक्षीय भागीदारों के साथ सहायता नीति की समीक्षा की गई। फ्रांस से मिलने वाली सहायता फ्रांसीसी वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात से जुड़ी हुई है। फ्रांस विशेष परियोजनाओं के लिए सहायता मंजूर करता है, जिनमें फ्रांसीसी कंपनियों को ठेके देने होते हैं। फ्रांसीसी सहायता के अंतर्गत स्थानीय लागत के लिए धन की व्यवस्था नहीं की जाती।

20 सितंबर, 2004 को घोषित नीति के अनुसार उन देशों की सूची में फ्रांस (जी-8 का सदस्य होने के नाते) का नाम शामिल किया गया, जिनसे भारत को विकास सहायता स्वीकार्य होगी। हालांकि भारत फ्रांस से मिलने वाली विकास सहायता का स्वागत करता है लेकिन सशर्त सहायता स्वीकार नहीं करेगा। फ्रांस को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत के लिए सशर्त सहायता स्वीकार करना संभव नहीं है, भले ही वह सहायता अनेक मुक्त घटकों के पैकेज के साथ ही क्यों न दी गई हो।

भारत-डेनमार्क द्विपक्षीय संबंध

विदेशी सहायता संबंधी भारत की नई नीति के अनुसार डेनमार्क के साथ सरकार के स्तर पर कोई द्विपक्षीय विकास सहयोग नहीं किया जाएगा। डेनमार्क सरकार ने भी 2005 के अंत तक जारी परियोजनाओं सहित सहायता बंद करने का फैसला किया है। भारत सरकार भी इस निर्णय से सहमत है। परिणामस्वरूप 31 दिसंबर 2005 के बाद भारत-डेनमार्क परियोजनाओं के लिए कोई ऋण जारी नहीं होगा। भारत ने डेनमार्क के सभी ऋण अदा कर दिए हैं, और भारत पर डेनमार्क की अब कोई देनदारी नहीं है।

भारत-जर्मनी द्विपक्षीय सहायता

संघीय जर्मन गणराज्य भारत की सर्वाधिक सहायता प्रदान करने वाला यूरोपीय देश है और वह भारत को 1958 से वित्तीय तथा तकनीकी दोनों तरह की सहायता मुहैया करा रहा है। वित्तीय सहायता मुख्यतः आसान ऋण, मिश्रित ऋण (वाणिज्यिक ऋण के साथ आसान ऋण) और अनुदान के रूप में दी गई है। यह सहायता जर्मन सरकार के विकास बैंक, केएफडब्ल्यू के माध्यम से वितरित होती है। फिलहाल, संचालित परियोजनाओं में से 32 को वित्तीय और 18 परियोजनाओं को तकनीकी सहायता प्राप्त हो रही है। जारी परियोजनाओं के लिए कुल सहायता क्रमशः 9873.49 लाख यूरो तथा 499.8 लाख यूरो प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त शुरू होने वाली 18 वित्तीय सहयोग और 31 तकनीकी सहयोग वाली

परियोजनाओं के लिए क्रमशः 6612.3 लाख यूरो और 637.55 लाख यूरो राशि की सहायता का वायदा किया गया है।

भारत-जर्मनी वार्षिक वार्ता-2004, जुलाई 2004 में आयोजित हुई, जिसमें 1235.3 लाख यूरो की सहायता का वायदा किया गया (इसमें पुनर्निर्धारित कार्यक्रम कोष से 155.3 लाख यूरो की सहायता शामिल है)। भारत जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के लिए जर्मनी के केएफडब्ल्यू के साथ निम्नांकित वित्त व्यवस्था/ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए :

क्र.सं.	परियोजना	राशि (लाख यूरो में)
1.	पल्स पोलियो कार्यक्रम (पांचवां, छठा और सातवां चरण)	267 (अनुदान)
2.	कर्नाटक में माध्यमिक स्तरीय अस्पताल (चरण-II)	143 (अनुदान)
3.	आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा बिजली परियोजना	2810.57

वर्ष 2004 के लिए जर्मनी द्वारा तकनीकी सहयोग के बारे में किए गए वायदों के संदर्भ में संघीय जर्मनी गणराज्य सरकार और भारत सरकार के बीच 2290.5 लाख यूरो की सहायता के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

बैंकिंग

भारतीय प्रबंधन के अधीन पहला सीमित दायित्व वाला बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक था, जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी। उसके बाद 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। 1906 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन से कई *वाणिज्यिक बैंकों* की स्थापना में प्रोत्साहन मिला। वर्ष 1913-17 के दौरान बैंकिंग संकट तथा पांचवें दशक में विभिन्न राज्यों में 588 बैंकों के दिवालिया हो जाने से वाणिज्यिक बैंकों के नियमन और उन पर नियंत्रण की आवश्यकता को बल मिला। बैंकिंग कंपनी अधिनियम फरवरी, 1949 में पारित हुआ, जिसे संशोधन के बाद 'बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949' के रूप में जाना गया। इस अधिनियम के जरिए बैंकिंग व्यवस्था पर नियमन का कानूनी अधिकार रिजर्व बैंक को मिल गया।

देश के सबसे बड़े बैंक 'इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया' का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया और इसका नाम बदल कर 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया' कर दिया गया। इसके बाद 1959 में इसके सात सहयोगी बैंकों का गठन किया गया। निश्चित सामाजिक दायित्वों के साथ वाणिज्यिक बैंकों को आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए 19 जुलाई, 1969 को एक अध्यादेश जारी किया। 15 अप्रैल, 1980 को छह अन्य वाणिज्यिक बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

आठवें दशक के अंत में बैंकिंग व्यवस्था में कुछ अनियमितताएं पाई गईं। सरकार को लगा कि इन्हें दूर किया जाना चाहिए, ताकि वित्तीय प्रणाली एक कुशल और प्रतिस्पर्धापूर्ण अर्थव्यवस्था बनाने की अपनी भूमिका निभा सके। तदनुसार, वित्तीय ढांचे, संगठन, कामकाज और प्रक्रियाओं के सभी पहलुओं की जांच के लिए 14 अगस्त, 1991 को श्री एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (सीएफएस) गठित की गई। समिति की सिफारिशों के आधार पर 1992-93 में बैंकिंग प्रणाली में व्यापक सुधार प्रारंभ किए गए। 1991 में वित्त प्रणाली समिति द्वारा वित्तीय क्षेत्र के बारे में सुझाए गए सुधार के उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा और भविष्य में सुधार के बारे में सुझाव देने के लिए केंद्र

सरकार ने दिसंबर, 1997 में एम.नरसिंहम की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति ने अप्रैल, 1998 में अपनी रिपोर्ट पेश की। विवेकसम्मत लेखा मापदंडों, खासतौर से पूंजी पर्याप्तता अनुपात, सरकारी गारंटी वाले अग्रिमों के वर्गीकरण, मानक अग्रिमों में आवश्यक व्यवस्थाओं और बैंकों के तुलन-पत्र (बैलेंसशीट) में अधिक प्रकटीकरण आदि के बारे में इस समिति की सिफारिशें मंजूर कर ली गयीं, और उनको कार्यान्वित किया गया। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार, वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए हाल ही में जो पहल की गयी हैं, वे बैंकों की परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देशों, लेखा मानकों के परिपालन, समेकित लेखा विधि और पर्यवेक्षण, आय-मान्यता के विवेकसम्मत मापदंडों को ठीक-ठाक करना, परिसंपत्ति वर्गीकरण, अशोध्य ऋणों के लिए व्यवस्था आदि के बारे में हैं। बैंकिंग क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं: विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपतटीय बैंकिंग इकाइयों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश, उधारदाताओं के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता, कारपोरेट सुशासन, काले धन को सफेद धन बनाने से रोकने के उपाय आदि। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002 के कार्यान्वयन से बैंकों को अशोध्य ऋणों के प्रबंधन में प्रभावी ढंग से सहायता मिलने की संभावना है।

1993 में बैंकिंग प्रणाली में अधिक स्पर्धा पैदा करने की आवश्यकता अनुभव करते हुए भारतीय बैंकिंग प्रणाली में नये बैंकों की स्थापना करने की अनुमति निजी क्षेत्र को दी गयी। कुछ शर्तों को पूरा करना इन नये बैंकों के लिए अनिवार्य था। निजी क्षेत्र के नये बैंकों के लिए कुछ और मार्गप्रदर्शक नियम 3 जनवरी, 2001 को जारी किए गए।

नए बैंक खोलने के निर्धारित समय में मिले आवेदनों की जांच भारतीय रिजर्व बैंक ने की। इनमें से दो आवेदकों को 7 फरवरी, 2002 को सिद्धांत के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया। इनमें से एक 'कोटक महिंद्रा बैंक' को अन्य औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद 6 फरवरी, 2003 को बैंकिंग लाइसेंस जारी किया गया। इस बैंक ने 22 मार्च, 2003 से काम करना शुरू कर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसार बाद में इसे 12 अप्रैल, 2003 को रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया गया।

सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 24 मई, 2004 को 'येस बैंक लिमिटेड' को लाइसेंस जारी किया गया। इस बैंक ने 16 अगस्त, 2004 को काम शुरू कर दिया और इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसार 21 अगस्त, 2004 से रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया गया।

निजी क्षेत्र में बैंकों के स्वामित्व और संचालन के बारे में 2 जुलाई, 2004 को व्यापक नीति का मसौदा विचार-विमर्श और फीडबैक के लिए जारी किया गया। सभी संबद्ध पक्षों से फीडबैक मिलने और भारत सरकार से सलाह मशिवरा करने के बाद रिजर्व बैंक ने 28 फरवरी, 2005 को निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व और प्रशासन के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों में अंतर्निहित सिद्धांतों में अन्य बातों के अलावा निम्नांकित मुद्दे सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है : निजी क्षेत्र के सभी बैंकों की विशुद्ध पूंजी 300 करोड़ रुपये हो, निजी क्षेत्र के बैंकों का अंतिम स्वामित्व और नियंत्रण भलीभांति विविधता युक्त हो, महत्वपूर्ण शेयर धारक (यानी 5 प्रतिशत और उससे अधिक शेयर रखने वाले व्यक्ति) 3 फरवरी, 2004 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 'उपयुक्त एवं समुचित' हों और बैंक के कामकाज का प्रबंधन करने वाले निदेशक और सीईओ 25 जून, 2004 को जारी परिपत्र के अनुसार 'उपयुक्त एवं समुचित' हों। दिशा निर्देशों में 6 जुलाई, 2004 को जारी परिपत्र में किए गए

प्रावधान के अनुसार एक बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान के पांच प्रतिशत या अधिक शेयर रखने पर प्रतिबंध लगाने और सृढ़ कंपनी प्रशासन सिद्धांतों का पालन करने की भी व्यवस्था है। रिजर्व बैंक ने स्थिति की समीक्षा के लिए बैंकों के साथ विचार-विमर्श किया।

भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना एक अप्रैल, 1935 में हुई थी। एक जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीकरण किया गया। देश में एक रुपये के सिक्कों/नोटों और छोटे सिक्कों को छोड़कर अन्य मुद्रा जारी करने का एक मात्र अधिकार रिजर्व बैंक को ही प्राप्त है। केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में रिजर्व बैंक भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले एक रुपये के नोटों, सिक्कों तथा छोटे सिक्कों के वितरण का कार्य करता है। रिजर्व बैंक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ किए गए अनुबंधों के अनुसार उनके बैंक के रूप में कार्य करता है। रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों के उधारी कार्यक्रम का संचालन भी करता है। यह ऋण के समुचित उपयोग से मूल्यों में स्थिरता लाने के साथ-साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए मुद्रा नीति तैयार करता है, और उसे लागू करता है। रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में व्यवस्था बनाये रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष में भारत की सदस्यता के नाते सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। यह विकास और संवर्धन के विभिन्न कार्यों के अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था, शहरी सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र का नियमन तथा निरीक्षण भी करता है।

बैंकिंग प्रणाली की संरचना

भारत में बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत कुल 218 अनुसूचित (विदेशी बैंकों सहित) वाणिज्यिक बैंक हैं। इनमें से 161 सार्वजनिक क्षेत्र के हैं जिनमें से 133 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबीज) हैं और ये सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि का 75.2 प्रतिशत एकत्र करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे ऋण लेने वालों को और अधिक ऋण मुहैया कराने के लिए विशेष रूप से की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा बाकी 28 बैंकों में 19 राष्ट्रीयकृत, एसबीआई समूह के 8 बैंक और आईडीबीआई लिमिटेड शामिल हैं और ये सभी तरह का बैंकिंग व्यवसाय करते हैं। 1999 से भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग की प्रगति संबंधी कुछ प्रमुख संकेतक सारणी 13.4 में दर्शाए गए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच 31 मार्च, 2006 को राष्ट्रीयकृत बैंक समूह (आईडीबीआई लि० सहित) सबसे बड़ी इकाई है जिसके 33,868 कार्यालय, 10,13,664 करोड़ रुपये जमा राशि और 7,21,066 करोड़ रुपये अग्रिम थे। 13,820 कार्यालयों, 4,90,375 करोड़ रुपये जमा राशि और 3,50,961 करोड़ रुपये के अग्रिम के साथ भारतीय स्टेट बैंक समूह (एसबीआई और इसके सात सहायक) दूसरा सबसे बड़ा समूह है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह का हिस्सा (जमा और उधार सहित) राष्ट्रीयकृत बैंकों के समूह का हिस्सा (आरआरबी को छोड़कर) 67.3 प्रतिशत बैठता है तथा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल व्यवसाय का 48.0 प्रतिशत है। स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों का हिस्सा एक समूह के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए गए कुल कारोबार (आरआरबी को छोड़कर) का 23.3 प्रतिशत है। (स्रोत: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमा और उधार के त्रैमासिक आंकड़े-मार्च 2006)।

निधि संग्रह और उसका उपयोग

राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जून 1969 के अंत में इन बैंकों में जमा राशि केवल 4,646 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च, 2006 को यह

रकम बढ़कर 20,93,042 करोड़ रुपये हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जून, 1969 में कुल जमा रकम 3,871 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च, 2006 को यह रकम 15,74,664 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। (स्रोत: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमा और उधार के त्रैमासिक आंकड़े मार्च-2006) बैंकों द्वारा जमा की गई राशि का उपयोग—(i) ऋण और अग्रिम राशि देने, (ii) नकदीकरण की निर्धारित शर्तें पूरी करने के लिए सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों में, तथा (iii) कॉमर्शियल पेपर, शेयर डिबेंचरों आदि में निर्धारित सीमा तक निवेश करने में होता है।

सरकारी और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह जून, 1969 में 1,361 करोड़ रुपये था; मार्च, 2006 में ये 7,17,454 करोड़ रुपये हो गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की राशि जून, 1969 में केवल 3,599 करोड़ रुपये थी, मार्च 2006 के अंत तक ये 15,07,077 करोड़ रुपये तक हो गई। (स्रोत—रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन—अगस्त 2006)

प्राथमिक क्षेत्र की अग्रिम राशियां

राष्ट्रीयकरण के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सौंपा गया एक प्रमुख कार्य अर्थव्यवस्था के अब तक उपेक्षित वर्ग के लोगों को ऋण उपलब्ध कराना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैंकों ने कृषि, लघु उद्योगों, सड़क और जल परिवहन, फुटकर व्यापार और छोटे मोटे व्यापार में लगे उन लोगों को ऋण देने की योजनाएं बनाई हैं, जिनकी परंपरागत रूप से बैंक ऋण में बहुत कम भागीदारी होती थी। कृषि और लघु स्तरीय उद्योग क्षेत्र को शामिल करते हुए प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देने में तेजी तथा सुधार लाने के लिए निम्नलिखित नीतिगत पहल की गई हैं :

- प्राथमिक क्षेत्र के भीतर उधारी विषय संबंधी निश्चित परिस्थितियों के साथ बैंकों द्वारा मोर्टेज बेकूड सिक्कुरिटीज में किए गए निवेश को आवास के लिए सीधा उधार ऋण के रूप में माना जाए;
- बैंकों द्वारा एक अप्रैल, 2005 को या इसके बाद कुछ विशेष संस्थानों द्वारा जारी विशेष बॉन्ड्स में किया गया निवेश प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं होगा। (बैंकों द्वारा) 31 मार्च, 2005 तक किया गया/किया जाने वाला कोई निवेश प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत एक चरणबद्ध तरीके से वर्गीकरण के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा;
- खेल सामानों से संबंधित सात वस्तुएं जोकि लघु उद्योग क्षेत्र (एसएसआई) में निर्माण के लिए सूचीबद्ध हैं के प्लांटों और मशीनरी में निवेश सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये तक कर दी गई है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक क्षेत्र की अग्रिम राशियों के अंतर्गत वर्गीकृत करना है;
- बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत 'प्रोड्यूस मार्केटिंग स्कीम' के माध्यम से किसानों को दिया जाने वाला अग्रिम ऋण, कृषि उत्पादन को बंधक बनाने की एवज में जिसमें गोदाम रसीदें शामिल हैं, जो 12 महीनों से अधिक पुरानी हों, पांच लाख से बढ़ाकर दस लाख कर दिया गया था;
- बैंकों द्वारा 'वेंचर केपिटल' में एक जुलाई 2005 को या बाद में किया गया निवेश प्राथमिक क्षेत्र ऋण के तहत नहीं माना जाएगा जबकि इस प्रकार का निवेश जो 30 जून, 2005 तक किया जा चुका है, वह एक अप्रैल, 2006 के बाद प्राथमिक क्षेत्र ऋण की श्रेणी में नहीं रहेगा;
- सामान्य उद्देश्यों के लिए दिये जाने वाले कुल ऋण का 50 प्रतिशत जनरल क्रेडिट कार्ड्स (जीसीसी) के अंतर्गत कृषि के लिए प्राथमिक क्षेत्र के भीतर दिया गया अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में वर्गीकृत होगा।

सारणी - 13.4
देश में वाणिज्यिक बैंकों की प्रगति

क्रम सं.	मद	मार्च 1999	मार्च 2000	मार्च 2002	मार्च 2003	मार्च 2004	मार्च 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वाणिज्यिक बैंकों की संख्या	303	297	298	294	291	288
	(क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	302	297	294	289	286	284
	(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196	196	196	196	196	196
	(ग) गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1	-	4	5		4
2.	देश में बैंक कार्यालयों की संख्या	64,939	65,412	66,190	66,535	67,188	68,355
3.	कार्यालय के अनुसार जनसंख्या (हजारों में)	15	15	16	16	16	16
4.	देश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल डिपॉजिट (करोड़ रुपये में)	7,14,025 [@]	8,51,593 [@]	11,31,187 [#]	13,11,761 [#]	15,42,284 ^{&}	17,32,858 ^{&}
5.	देश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल ऋण (करोड़ रुपये में)	3,68,887	4,54,069	6,09,053	7,46,432	8,65,594	11,24,300
6.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिव्यक्ति जमा (रुपये)	7,237	8,498	10,994	12,554	14,550	16,091
7.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया हुआ प्रतिव्यक्ति ऋण						
8.	वर्तमान मूल्यों पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि राष्ट्रीय आय के प्रतिशत में	3,738	4,531	5,919	7,143	8,166	10,440
		49.8	53.5	60.7	65.3	68.5	68.3

इसमें रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड (17,945 करोड़ रुपये) तथा इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट्स (25,662 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

@ इसमें रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड (17,945 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

& इसमें इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट्स (25,662 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

स्रोत : देश के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के बेसिक स्टेटिस्टिकल रिटर्न्स, खंड 34 (मार्च, 2005)

- राज्य विद्युत परिषदों के विभाजन/पुनर्निर्माण के रूप में सामने आए विद्युत वितरण निगमों/कंपनियों को दिया ऋण, किसानों को उनके ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए पहले से ही बांटे गए ऋण की वापसी भी कृषि के लिए प्रत्यक्ष वित्त मानी जाएगी।

जून 1969 से मार्च 2006 के बीच प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए गए ऋण के रूप में बकाया राशि 441 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,10,379 करोड़ रुपये तक पहुंच गई और मार्च 2006 के अंतिम शुक्रवार तक कुल बैंक ऋण 40.3 प्रतिशत था।

कमजोर वर्गों को ऋण

छोटे और गरीब उधारकर्ताओं को अधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वाणिज्यिक बैंकों को सलाह है कि वे अपने कुल बैंक ऋण का कम-से-कम 10 प्रतिशत या अपने प्राथमिकता क्षेत्र की अग्रिम राशियों का 25 प्रतिशत भाग कमजोर वर्गों को उपलब्ध कराएं। इन वर्गों में 50,000 रुपये तक की अधिकतम व्यक्तिगत सीमा वाले लघु और सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक, काश्तकार, बटाईदार, दस्तकार, ग्राम एवं कुटीर उद्योगों, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे ग्रामीण निर्धनों के लिए स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना और सफाई कर्मियों के पुनर्वास की योजना, विभेदक ब्याज दर योजना के लाभार्थी और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्य शामिल हैं। शहरी निर्धनों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने के लिए बैंकों को सलाह दी गयी है कि वे ऋणग्रस्त शहरी निर्धनों को उपयुक्त ऋणाधार या सामूहिक ऋणाधार पर, लेकिन अपने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत दिशा-निर्देशों के अधीन ऋण मंजूर करें। इस तरह प्राप्त ऋण से वे गैर संस्थागत ऋण-दाताओं से लिए गए महंगे ऋणों को शीघ्र चुकता कर सकेंगे। शहरी निर्धनों को इस तरह दिए जाने वाले ऋणों को प्राथमिकता क्षेत्र के भीतर कमजोर वर्गों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मार्च, 2006 के अंतिम शुक्रवार तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्गों को वितरित किए गए ऋणों की बकाया राशि 78,374 करोड़ रुपये थी, जो उनके विशुद्ध बैंक ऋण का 7.7 प्रतिशत है।

कृषि के लिए ऋण

शुरू में बैंकों के लिए यह लक्ष्य तय किया गया था कि वे मार्च 1985 तक अपने कुल ऋणों का 15 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध कराने के लिए इस्तेमाल करें। बाद में यह लक्ष्य बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया, जिसे मार्च 1990 तक प्राप्त करने को कहा गया। अक्टूबर, 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, 18 प्रतिशत के लक्ष्य का आकलन करने हेतु कृषि के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की अग्रिम राशियों को लेने का निश्चय किया गया, बशर्ते कृषि के लिए अप्रत्यक्ष अग्रिम राशियां बैंकों के कुल ऋण में से 18 प्रतिशत के कृषि ऋण की एक चौथाई से अधिक न हों, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषि को प्रत्यक्ष ऋण देने पर बैंकों का ध्यान कम न हो। किन्तु, 'प्रत्यक्ष' और 'अप्रत्यक्ष' श्रेणियों के अंतर्गत सभी कृषि ऋणों की गणना प्राथमिकता क्षेत्र के समग्र लक्ष्य यानी विशुद्ध बैंक ऋण के 40 प्रतिशत के तहत कार्य निष्पादन मूल्यांकन में की जाएगी। मार्च, 2006 तक खेती तथा संबद्ध क्षेत्रों के लिए सभी बैंकों द्वारा दिया गया ऋण 1,54,900 करोड़ रुपये हो गया, जो इस क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिए गए ऋण का 15.22 प्रतिशत था। निजी क्षेत्र के बैंकों ने मार्च, 2006 तक कृषि को 36,185 करोड़ रुपये के ऋण दिए, जो कुल बैंक ऋण के 13.5 प्रतिशत थे।

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को ऋण

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को समाज का सबसे कमजोर वर्ग माना जाता है। इसीलिए बैंकों से कहा गया है कि वे उनके जीवन-स्तर में सुधार लाने के लिए उन्हें स्वरोजगार वाले धंधे चलाने हेतु पर्याप्त ऋण देने का विशेष प्रयास करें। मार्च, 2006 के अंत तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों / जनजातियों को दिए गए ऋण की कुल रकम 22,666 करोड़ रुपये और उधार खातों की संख्या 84.38 लाख थी।

विभेदी ब्याज-दर योजना

1972 में शुरू की गई विभेदी ब्याज-दर-योजना (डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटेरेस्ट स्कीम— डीआरआई) के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पिछले वर्ष दिए गए कुल ऋणों की कम से कम एक प्रतिशत राशि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को चार प्रतिशत की वार्षिक ब्याज-दर से देने का लक्ष्य पूरा करना पड़ता है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे गरीब लोगों को ऋण दिया जाता है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आमदनी ग्रामीण क्षेत्रों में 6,400 रुपये और अन्य क्षेत्रों में 7,200 रुपये से अधिक न हो और जिनके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा असिंचित भूमि अथवा एक एकड़ से अधिक सिंचित भूमि न हो। उन्हें सावधि ऋण और उत्पादक कार्यों के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में 6,500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। मार्च, 2006 के अंत तक सार्वजनिक बैंकों ने 490 करोड़ रुपये विभेदक ब्याज-दर पर ऋण के रूप में दे रखे थे।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 1999 को पुनर्गठित 'गरीबी उन्मूलन योजना' के रूप में शुरू की थी। यह कार्यक्रम एकीकृत ग्रामीण विकास योजना और उसकी सहयोगी योजनाओं जिनमें स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (ट्राइसेम), ग्रामीण क्षेत्रों महिला एवं बाल विकास (डवाकरा), ग्रामीण दस्तकारों को परिष्कृत औजारों की आपूर्ति, गंगा कल्याण योजना और दस लाख कुओं की योजना शामिल है, के स्थान पर शुरू किया गया।

इस योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में छोटे उद्यम शुरू करना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी देकर आय अर्जक परिसंपत्ति उपलब्ध कराने में मदद दी जाती है, ताकि उसे तीन वर्ष के भीतर गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके। इसके अंतर्गत शुरू की जाने वाली गतिविधि से होने वाली मासिक आय 2000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए, ताकि बैंक को कम से कम तीसरे वर्ष इतनी राशि का पुनर्भुगतान किया जा सके।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक संपूर्ण योजना है जिसमें निर्धनों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने, उनके लिए प्रशिक्षण, ऋण, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचा और विपणन सुविधाएं जुटाने जैसे सभी पक्षों पर बल दिया जाता है। ये योजना केंद्र और राज्यों द्वारा 75:25 के आधार पर कार्यान्वित की जाती है और डी.आर.डी.ए द्वारा पंचायत समितियों के सहयोग से चलाई जाती है। सहायता का मुख्य अंश 4-5 प्रमुख गतिविधियों को जाता है, जिनका निर्धारण ब्लॉक स्तर पर किया जाता है।

वर्ष 2005-06 इस योजना के क्रियान्वयन का सातवां साल था। वर्ष 2005-06 के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत 12,07,078 स्वरोजगारियों को बैंक ऋण के रूप में 1125.42 करोड़ रुपये (और सरकार से सब्सिडी के रूप में 37,509 करोड़ रुपये) प्रदान किए

गए। कुल सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों में 4,26,000 (35.29 प्रतिशत) लाभार्थी अनुसूचित जाति तथा जनजाति (एससी/एसटी), 6,08,756 (50.43 प्रतिशत) महिलाएं और 20,788 (1.72 प्रतिशत) लाभार्थी विकलांग थे।

स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना

देश के सभी शहरों/अर्द्ध शहरी कस्बों में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक दिसंबर, 1997 से चल रही है। बैंक-ऋण के साथ अन्य घटकों में इसकी दो उपयोजनाएं हैं—शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) और शहरी क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास की योजना (डीडब्ल्यूसीयूए)। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान शहरी स्थानीय निकायों द्वारा घर-घर जाकर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर की जाती है। इसके अंतर्गत कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं, तीन प्रतिशत विकलांगों और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों को उनकी स्थानीय आबादी के अनुपात में सहायता देना अनिवार्य है। इस योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकारें 75.25 के अनुपात में धन उपलब्ध कराती हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान 55,023 मामलों में (68,579 स्वीकृत आवेदनों में से) कुल 183.61 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए। इनमें से 49.68 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति तथा जनजाति के 14,674 व्यक्तियों को, 100.25 करोड़ रुपये 12,494 महिलाओं को और 4.12 करोड़ रुपये 919 विकलांग व्यक्तियों को वितरित किए गए।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

प्रारंभ में प्रधानमंत्री रोजगार योजना दो अक्टूबर, 1993 को शहरी क्षेत्रों में लागू की गई। एक अप्रैल, 1994 से यह योजना देशभर में चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य 18 से 35 वर्ष की आयु के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस योजना के लिए योग्य व्यक्तियों का आयु समूह 18-40 वर्ष के बीच है। अजा/अजजा, भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक विकलांग और महिलाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए लाभार्थियों की पारिवारिक आय 40,000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। लाभार्थियों के माता-पिता की आय भी 40,000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। 21 नवंबर, 2002 से बैंकों को माता-पिता/अविवाहित लड़की के परिवार प्रमुख को सह-ऋणकर्ता बनाने की अनुमति दी गयी। ऋण लेने वाला व्यक्ति 3 वर्ष से अधिक समय से क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। उसने कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। यह व्यवस्था भी की गयी है कि मार्जिन मनी और सब्सिडी की राशि परियोजना लागत का 20 प्रतिशत होगी। सब्सिडी की अधिकतम सीमा पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को छोड़कर रुपये 7500 होगी। पूर्वोत्तर के सात राज्यों में सब्सिडी की अधिकतम सीमा रुपये 15,000 रखी गयी है। यह लाभ सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तरांचल को भी दिया गया है। इस प्रकार ऋण लेने वाले व्यक्ति को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत से लेकर 16.25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी की व्यवस्था करनी होती है। कृषि और अनुषंगी गतिविधियों सहित आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य सभी गतिविधियां अब योजना के अंतर्गत शुरू की जा सकती हैं। लेकिन, फसल उगाने/खाद खरीदने जैसे प्रत्यक्ष खेती कार्य इनमें शामिल नहीं है। बैंक व्यापार क्षेत्र में एक लाख रुपये और अन्य क्षेत्रों में 2 दो लाख रुपये की परियोजनाओं के लिए ऋण दे सकते हैं। साझेदारी के मामले में 10 लाख रुपये तक की परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं, जिनमें ऋण राशि व्यक्तिगत

स्वीकार्य सीमा तक मंजूर की जाती है। 11 अगस्त, 2003 से मेघालय में विवाहित पुरुषों के मामले में निवास मानदंड में देश के अन्य भागों की विवाहित महिलाओं के अनुरूप छूट दी गई है।

8 दिसंबर, 2003 से स्वयं सहायता समूहों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने का पात्र समझा गया है (30 जुलाई, 2004 को शर्तों में संशोधन किया गया) बशर्ते ऐसे समूह के सभी सदस्य अलग-अलग पात्रता मानदंड पूरे करते हों, और उसकी कुल सदस्य संख्या 20 से अधिक न हो। ऋण राशि की अधिकतम सीमा भी तय की गयी है। 2004-05 में बैंकों ने 2.98 लाख खातेदारों को 1923 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए, जबकि 2.48 लाख खातेदारों को 1542 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए (ये आंकड़े अनंतिम हैं)। आगे, वर्ष 2005-06 के दौरान 3.10 लाख खातेदारों को 1987 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए जबकि 2.49 लाख खातेदारों को 1521 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए।

आवास वित्त

वर्तमान में भारतीय आवास वित्त से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का जोर बैंकों के आवास ऋण पोर्टफोलियो के नियमित विकास को सुनिश्चित करना है।

(i) आवास वित्त पर जोखिम भारिता

आवास क्षेत्र में ऋण के तीव्र विस्तार को ध्यान में रखते हुए बैंक बंधक आवासीय संपत्तियों के मुकाबले व्यक्तिगत आवासीय ऋणों का विस्तार कर रहे हैं। इस तरह के ऋणों पर 75 प्रतिशत की रिस्क भागीदारी की जिम्मेदारी लेते थे। ये ऋण आवास वित्त कंपनियों के लिए मोर्टगेज बेकड सिक्कुरिटीज (एमबीएस) में निवेश और आवासीय संपत्तियों को बंधक रखने से पूर्ण सुरक्षित हैं। 26 जुलाई, 2005 को व्यावसायिक अचल संपत्तियों के लिए रिस्क वेट 125 प्रतिशत तक पहुंच गया है और आगे 25 मई, 2006 को यह 150 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

(ii) राष्ट्रीय आवास का अनुपालन

इमारतों की सुरक्षा (खासकर प्राकृतिक आपदा को देखते हुए) के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) का पालन सुनिश्चित करने का सुझाव बैंकों को दिया गया था।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना विशेषकर दूरदराज के उन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं देने के उद्देश्य से की गई है, जहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इन बैंकों का मूल उद्देश्य समाज के उन कमजोर वर्गों के लोगों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना है, जिन्हें लक्ष्य समूह कहा जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की परिकल्पना ऐसे संस्थानों के रूप में की गयी है, जो सहकारी संस्थाओं की भांति स्थानीय जरूरतें पूरी करें, और जिन्हें ग्रामीण समस्याओं की जानकारी हो, और साथ ही वे वाणिज्यिक बैंकों की भांति व्यापारिक संगठन के रूप में काम करें, और बचत जुटाने की क्षमता रखें। बैंकों का एक उद्देश्य ग्रामीण बचत को जुटाकर गांवों में उत्पादक गतिविधियों में लगाना भी है। परंतु, अप्रैल, 1997 से प्राथमिकता क्षेत्र के लोगों को ऋण देने की शर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर भी लागू की गयी। ऋण पर ब्याज लेने और सावधि जमाओं पर अलग-अलग दर से ब्याज देने की छूट भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दे दी गयी।

मार्च, 2005 के अंत तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सभी 196 शाखाओं द्वारा दिए गए ऋण की राशि 32,870 करोड़ रुपये तथा जमा राशि 62,143 करोड़ रुपये थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कुछ निर्धारित शर्तों को पूरी करने पर भारतीय मुद्रा यानी रुपयों में अनिवासी भारतीयों के खाते भी खोलने और संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक करने तथा उन्हें और सशक्त बनाने के विचार के साथ भारत सरकार ने सितंबर 2005 में चरणबद्ध तरीके से इन बैंकों को मिलाने की प्रक्रिया शुरू की। 31 अगस्त 2006 तक 134 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाकर 42 नए बैंक गठित किए गए हैं। इन बैंकों को 16 राज्यों में 18 बैंकों ने प्रायोजित किया है। अब इनकी संख्या 196 से घटकर कुल 104 हो गई है। विलय प्रक्रिया अभी जारी है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योगों की उन्नति, वित्त पोषण और विकास के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। सिडबी ने दो अप्रैल, 1990 से अपना काम शुरू किया। यह देश में लघु उद्योग क्षेत्र को अन्य संस्थानों जैसे राज्य वित्त निगमों, वाणिज्यिक बैंकों और राज्य उद्योग विकास निगम के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराता है। वर्ष 2005-06 के दौरान इसने 11975 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की और 9100 करोड़ रुपये वितरित किए। कर के बाद वर्ष 2005-06 के दौरान शुद्ध लाभ 270 करोड़ रुपये रहा।

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) की स्थापना देश के विदेश व्यापार को वित्तीय सुविधाएं और प्रोत्साहन देने के लिए की गई। 31 मार्च, 2006 के अंत तक एक्जिम बैंक ने 20,489 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जबकि 15,039 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए। वर्ष 2005-06 की अवधि में बैंक को कुल लाभ (कर उपरांत) 271 करोड़ रुपये रहा।

राष्ट्रीय आवास बैंक

देश में आवासीय वित्त की शीर्षस्थ संस्था 'राष्ट्रीय आवास बैंक' की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक प्रतिष्ठान के रूप में की गई। इसने जुलाई, 1988 से काम करना शुरू किया। 30 जून, 2005 को इस बैंक की अधिकृत चुकता पूंजी 450 करोड़ रुपये और आरक्षित एवं अधिशेष राशि 1,201.32 करोड़ रुपये (संशोधित) थी। वर्ष 2004-05 के दौरान कुल लाभ (कर उपरांत) 44 करोड़ रहा।

राष्ट्रीय आवास बैंक देश में आवास वित्त कंपनियों का नियामक और पर्यवेक्षक है। इसने 30 जून, 2005 को सभी आवास वित्त संस्थानों, जिनमें वाणिज्यिक बैंक और आवास वित्त कंपनियां शामिल हैं, को 7,500 करोड़ रुपये पुनर्वित्त के रूप में उपलब्ध कराये।

इस बैंक को स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के कार्यनिष्पादन पर निगरानी रखने का काम सौंपा गया है, जो अनुसूचित बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और सहकारी क्षेत्र के संस्थानों के माध्यम से लागू की जा रही है। वर्ष 2004-05 में 2.5 लाख मकानों के लिए धन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से बैंक ने 2.58 लाख मकानों का वित्तपोषण किया। वर्ष 2005-06 में सरकार ने 2.75 लाख आवासीय इकाइयों के लिए धन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।

नाबार्ड

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना 12 जुलाई, 1982 को की गयी। इसकी स्थापना समेकित ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली लाने के उद्देश्य से गांवों में कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गयी। 31 मार्च, 2006 को नाबार्ड की चुकता पूंजी 200 करोड़ रुपये है। वर्ष 2005-06 के दौरान कर उपरांत लाभ 857 करोड़ रुपये रहा।

विदेशों में भारतीय बैंक

30 जून, 2006 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के 12 और निजी क्षेत्र के 6 (कुल 18) भारतीय बैंक 47 देशों में काम कर रहे हैं। विदेशों में इनकी 111 शाखाएं (विदेशी इकाइयों सहित), 6 संयुक्त उपक्रम, 18 सहायक संगठन और 34 प्रतिनिधि कार्यालय थे। इस क्षेत्र में बैंक आफ बड़ौदा का पहला स्थान है, जिसकी 20 देशों में 39 शाखाएं, 7 सहायक संगठन, एक संयुक्त उद्यम और तीन प्रतिनिधि कार्यालय हैं। भारतीय स्टेट बैंक का दूसरा स्थान है, जिसकी 29 देशों में 30 शाखाएं, 5 सहायक संगठन और तीन संयुक्त उद्यम तथा 7 प्रतिनिधि कार्यालय हैं। इसके बाद बैंक आफ इंडिया का स्थान है, जिसकी 14 देशों में 20 शाखाएं, एक सहायक संगठन और दो संयुक्त उद्यम तथा तीन प्रतिनिधि कार्यालय हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

अंतर्राष्ट्रीय निगरानी रखने के अपने समादेश के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट के अंतर्गत सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए अनुच्छेद-4 के परामर्श का आयोजन सामान्यतः वर्ष में एक बार करता है। इसे आमतौर पर दो चरणों में आयोजित किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-मिशन भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार विमर्श करता है। अनुच्छेद-4 के अंतर्गत परामर्श का काम वाशिंगटन डीसी स्थित आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड की बैठक के साथ पूरा होता है, जो रिपोर्ट पर विचार करता है। 2004 के दौरान अनुच्छेद-4 के परामर्श का पहला चरण नवंबर 2003 में आयोजित किया गया। आईएमएफ मिशन ने मार्च 2004 में भारत की एक और यात्रा की, ताकि बृहत-आर्थिक और मौद्रिक विकास स्थिति के बारे में अंतरिम मूल्यांकन किया जा सके। यह मूल्यांकन विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए किया जाता है। 2004 के लिए अनुच्छेद-4 के परामर्श का दूसरा चरण अक्टूबर 2004 में पूरा किया गया।

विशेष आंकड़ा प्रसार मानक (एसडीडीएस) : विशेष आंकड़ा प्रसार मानकों का संबंध समय पर कवरेज और आंकड़ों की आवर्तिता, जनता तक पहुंच और आंकड़ों की निष्ठा और गुणवत्ता के साथ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सांख्यिकी विभाग ने भारत के नेशनल समरी डाटा पेज को 7 जुलाई, 2003 को प्रसार मानक बुलेटिन बोर्ड (डीएसबीबी) के साथ जोड़ा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और विश्लेषकों को भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने में आसानी हुई है।

भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य है। वित्त मंत्री आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पदेन गवर्नर होता है। और भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर भारत का वैकल्पिक गवर्नर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का प्रतिनिधित्व एक कार्यकारी निदेशक (वर्तमान में श्री बी.पी. मिश्रा) करता है, जो अन्य तीन देशों—बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का भी प्रतिनिधित्व करता है।

अंश : भारत का आईएमएफ में वर्तमान अंश कुल 213 बिलियन एसडीआर (स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स) में 4,158.20 मिलियन एसडीआर है यानी भारत की 1.95 प्रतिशत अंश की हिस्सेदारी है। लेकिन मतों में हिस्सेदारी के आधार पर भारत (बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के साथ) 24 निर्वाचन संघों में इक्कीसवें स्थान पर है।

निगरानी : आईएमएफ के अनुबंध के भाग IV के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए अनिवार्य हिस्से के रूप में आईएमएफ हर वर्ष अपने सदस्यों के साथ द्विपक्षीय चर्चा कराता है। इसमें सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है। भाग IV के परामर्श अभ्यास के दौरान आईएमएफ मिशन आरबीआई और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ चर्चा करता है। भाग IV की परामर्श प्रक्रिया आईएमएफ की कार्यकारी परिषद की वाशिंगटन डीसी में एक बैठक के साथ समाप्त होती है जिसमें रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है। वर्ष 2005 के लिए मार्च 2005 में एक मध्यावधि समीक्षा की गई। भाग IV की पिछली मंत्रणा अक्टूबर, 2005 में हुई थी। आईएमएफ स्टाफ ने 22 दिसंबर, 2005 को अपनी रिपोर्ट पूरी की। फरवरी 2006 में भारत की स्टाफ रिपोर्ट पर आईएमएफ की कार्यकारी परिषद में चर्चा हुई और उसी के अनुसार यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई।

वित्तीय लेन-देन योजना (एफटीपी)

भारत 2002 से आईएमएफ की एफटीपी में भाग लेता है। भारत सहित 43 देश एफटीपी में भाग लेते हैं। एफटीपी में भाग लेते हुए भारत अपने अंशदान के हिस्से के रूप में रुपये की हिस्सेदारी को भुनाने की आईएमएफ को अनुमति दे रहा है जोकि आईएमएफ ने अन्य सदस्य देशों को कर्ज के रूप में दे रखी है। वर्ष 2002 से फरवरी 2006 तक भारत ने 493.230 मिलियन एसडीआर का लेनेदेन किया है और 466.474 एसडीआर मिलियन की पुनर्खरीद की है।

भारत-आईएमएफ संस्थान

जुलाई, 2004 में भारत और आईएमएफ ने पुणे के राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान में संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थापना की। प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय कर्मचारियों और दक्षिण एशिया तथा पूर्व अफ्रीकी देशों के कर्मचारियों को अर्थशास्त्र तथा उससे संबंधित क्षेत्र में नीति आधारित प्रशिक्षण मुहैया कराएगा। पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम जुलाई, 2006 में आयोजित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक आईएमएफ के साथ नोडल निकाय के रूप में इस कार्यक्रम को चलाएगा।

पवर्टी रीडक्शन ग्रोथ फेसिलिटी

वर्ष 1987 में 6 बिलियन एसडीआर के साथ एक बड़ी हुई संरचनात्मक अनुकूलन सुविधा (ईएसएएफ) की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य कठिन बाहरी परिस्थितियों में भारी कर्ज के बोझ से दबे कम आय वाले देशों की सहायता करना है ताकि वे अपनी ऋण अदायगी स्थिति और पर्याप्त विकास को तेज और मजबूत करने के उद्देश्य में मेक्रो इकॉनॉमिक तथा संरचनात्मक नीति कार्यक्रम लागू कर सफल हो सकें। भारत दान के रूप में सब्सिडी खाते में पैसा देता है और दस लाख यूएस डॉलर प्रतिवर्ष 15 वर्षों तक कुल डेढ़ करोड़ यूएस डॉलर प्रदान करने का वायदा किया है। भारत ने पीआरजीएफ ट्रस्ट के सब्सिडी खाते को जुलाई 2006 के दौरान तेरहवीं वार्षिक किश्त के रूप में दस लाख यूएस डॉलर का भुगतान किया है (4,66,70,000 रुपये के बराबर)।

विश्व बैंक का भारत को ऋण

भारत विश्व बैंक से गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचा, ग्रामीण विकास इत्यादि विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के माध्यम से ऋण हासिल कर रहा है। आईजीए ऋण भारत सरकार के लिए सर्वाधिक रियायती बाहरी ऋण है जोकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (एमडीजीज) हासिल करने के लिए सामाजिक क्षेत्र परियोजनाओं में उपयोग किए जाते हैं। आईबीआरडी फंड कुछ महंगे हैं लेकिन बाहरी व्यावसायिक ऋणों से सस्ते हैं। भारत सरकार इन ऋणों का उपयोग प्रमुखतः बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए करती है। यद्यपि कभी-कभी आईडीए और आईबीआरडी दोनों के ऋणों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। अब तक भारत विश्व बैंक से 65.8 बिलियन यूएसडालर का ऋण ले चुका है।

विश्व बैंक ऋण के नियम एवं शर्तें

आईबीआरडी ऋण

पुनर्भुगतान अवधि	20 वर्ष (पांच वर्ष की अनुग्रह अवधि सहित)
ब्याज	एलआईबीओआर + वेरिएबल स्प्रेड
अवितरित रकम पर वायदा शुल्क	0.75 प्रतिशत
फ्रंट एंड शुल्क	1.0 प्रतिशत
कुल कीमत	एलआईबीओआर + 40 बेसिस अंक (लगभग)

आईडीए ऋण

पुनर्भुगतान अवधि	35 वर्ष (10 वर्ष की अनुग्रह अवधि सहित)
ब्याज	शून्य
सेवा शुल्क	0.75 प्रतिशत
अवितरित रकम पर वायदा शुल्क	0.5 प्रतिशत

अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष

भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) के मूल सदस्यों में से एक है। भारत सरकार ने आईएफएडी संसाधनों के छोटे पुनर्भरण के लिए 1.5 करोड़ अमरीकी डालर (50 लाख की तीन समान किश्तों में) का योगदान करने का वायदा किया था। जिसका भारत भुगतान कर चुका है। सातवें पुनर्भरण के लिए भारत सरकार ने आईएफएडी संसाधनों के लिए 1.7 करोड़ अमरीकी डालर देने का वायदा किया है। पूरा भुगतान वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए 50 लाख अमरीकी डालर की तीन किश्तों में जमा किया जाएगा तथा वित्त वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए 60 लाख अमरीकी डालर की किश्त जमा की जाएगी। आईएफएडी ने कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में 19 परियोजनाओं के लिए 47.978 करोड़ अमरीकी डालर की सहायता देने का वायदा किया है। इनमें से 12 परियोजनाएं पहले ही बंद हो चुकी हैं।

एशियाई विकास बैंक

1966 में स्थापित एशियाई विकास बैंक 63 देशों की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी वाली संस्था है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। एडीवी का मुख्यालय मनीला में है। बैंक एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपने विकासशील सदस्यों के आर्थिक-सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने में संलग्न हैं। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं :

(i) अपने विकासशील सदस्य देशों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए ऋण और इक्विटी निवेश उपलब्ध कराना; (ii) विकास परियोजनाएं और कार्यक्रम, परामर्श सेवाएं विकसित करने और उन्हें लागू करने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना; (iii) विकासशील सदस्य देशों में समन्वयकारी विकास नीतियों और योजनाओं में सहायता के अनुरोधों पर कार्रवाई; और (iv) विकासशील सदस्य देशों के विकास नीतियों और योजनाओं की सहायता समन्वय के लिए अनुरोध पर कार्रवाई करना।

31 दिसंबर, 2004 तक बैंक के पूंजी स्टॉक में भारत का अंशदान सभी सदस्य देशों के अंशदान का 6.424 प्रतिशत था।

भारत ने एशियाई विकास बैंक के सामान्य पूंजी संसाधनों (ओसीआर) से ऋण लेना 1986 में शुरू किया। कैलेंडर वर्ष 2004 के दौरान बैंक के बोर्ड ने भारत के लिए पांच ऋणों के वास्ते 120 करोड़ अमरीकी डालर के ऋण मंजूर किए। जिनका ब्योरा इस प्रकार है :

परियोजना का नाम	राशि करोड़ अमरीकी डालर में
1. बिजली ट्रांसमिशन (सेक्टर) परियोजना	40.00
2. राष्ट्रीय राजमार्ग कोरिडोर सेक्टर-2 परियोजना	40.00
3. असम सरकार और सार्वजनिक संसाधन प्रबंधन क्षेत्र विकास कार्यक्रम	12.50
4. असम सरकार और सार्वजनिक संसाधन प्रबंधन क्षेत्र विकास परियोजना	2.5
5. जम्मू कश्मीर में मल्टी सेक्टर बुनियादी ढांचा पुनर्स्थापना परियोजना	25.00
कुल	120

बैंक से मुख्य रूप से ऊर्जा, परिवहन और संचार, उद्योग और सामाजिक ढांचा क्षेत्र के लिए राशि उधार ली गयी। 31 दिसंबर, 2004 तक बैंक ने भारत के लिए कुल मिलाकर 14.111 अरब अमरीकी डालर मूल्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 83 ऋण मंजूर किए थे। इनमें से 52 लोन अदा किए जा चुके हैं, इस प्रकार 31 ऋण सक्रिय पोर्टफोलियो में शेष हैं। 31 दिसंबर, 2004 तक कुल 7.304 अरब अमरीकी डालर के ऋण संवितरित किए गए।

भारत ने एशियाई विकास बैंक के विशेष तकनीकी सहायता कोष में परिवर्तनीय मुद्रा में 29.1 लाख अमरीकी डालर (2004 के अंत तक) का योगदान किया।

एशियाई विकास बैंक ने भारत को सामान्य पूंजी संसाधनों ओसीआर से जारी ऋणों के अतिरिक्त तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करायी है। बैंक की तकनीकी सहायता 1988 में 6 लाख अमरीकी डालर की थी। 2004 के अंत तक भारत इस मद में कुल मिलाकर 1089.6 लाख अमरीकी डालर की सहायता प्राप्त कर चुका है। तकनीकी सहायता के अंतर्गत संस्थागत सुदृढ़ीकरण, प्रभावकारी परियोजना कार्यान्वयन और नीति सुधारों तथा परियोजना तैयारी के लिए सहायता शामिल है।

भारत बैंक के निदेशक मंडल का कार्यकारी निदेशक है, इसके अधिकार क्षेत्र में भारत, बांग्लादेश, भूटान, लाओ पीडीआर और ताजिकिस्तान शामिल हैं। वित्त मंत्री एशियाई विकास बैंक के बोर्ड आफ गवर्नर्स में भारत के गवर्नर हैं, और सचिव (विदेश विभाग) इसके वैकल्पिक गवर्नर हैं।

विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड

विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) का 18 फरवरी, 2003 को पुनर्गठन किया गया और इसे

वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग को हस्तांतरित किया गया। इसके साथ निम्नांकित प्रशासनिक प्रबंध किए गए :

विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) में सरकार के निम्नांकित सचिवों के कोर ग्रुप शामिल होंगे : (i) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय-अध्यक्ष। (ii) सचिव, उद्योग नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (iii) सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (iv) सचिव, आर्थिक संबंध, विदेश मंत्रालय। (v) सचिव, विदेश में भारतीय कार्य मंत्रालय (शामिल किया जा रहा है)।

जब भी आवश्यक होगा, बोर्ड में भारत सरकार के अन्य विभागों के सचिवों और वित्तीय संस्थानों, बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग तथा वाणिज्य से संबद्ध व्यावसायिक विशेषज्ञों को सहयोजित किया जाएगा। वर्तमान संगठन में सचिव राजस्व विभाग और सचिव, लघु उद्योग विभाग बोर्ड के सह-प्रायोजित स्थायी सदस्य हैं।

आर्थिक कार्य विभाग में एफआईपीबी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के बारे में सरकार की नीति पर अमल करने के लिए सचिवालय के रूप के काम कर रहा है। एफआईपीबी सचिवालय में प्राप्त सभी प्रस्तावों (सभी प्रकार से परिपूर्ण) पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है और 30 दिन की निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार के निर्णय की जानकारी दे दी जाती है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

भारत सरकार ने एफडीआई और संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं की हाल ही में विस्तृत समीक्षा की है। परिणामस्वरूप, कई उचित कदम उठाए गए हैं जिसमें दूसरे उपायों के बीच सरकार/नियामक एजेंसियों से प्राप्त बहुप्रस्तावों जो कि कुछ क्षेत्रों में उपस्थित होते हैं, का निवारण करना शामिल है। इसके अलावा और अधिक क्षेत्रों के लिए स्वतः मार्ग का विस्तार और नए क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति शामिल है।

वर्तमान नीति के मुताबिक स्वतः मार्ग के अंतर्गत अधिकतर क्षेत्रों/गतिविधियों में शत-प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। स्वतः मार्ग के अंतर्गत एफडीआई के लिए न तो सरकार और ना ही भारतीय रिजर्व बैंक की प्राथमिक अनुमति लेने की आवश्यकता है। निवेशकों को केवल बाहरी धन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर आरबीआई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करना होता है और विदेशी निवेशकों को जारी शेयरों के 30 दिनों के भीतर आवश्यक कागजात उसी कार्यालय में दाखिल करने होते हैं।

सरकारी प्रस्तावित मार्ग के अंतर्गत गैर अनिवासी भारतीयों के अलावा सभी एफडीआई आवेदन तथा 'सिंगल ब्रांड' उत्पाद की खुदरा बिक्री में एफडीआई के लिए आवेदन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) में प्राप्त किए जाते हैं। 'सिंगल ब्रांड' उत्पाद की खुदरा बिक्री के लिए और एनआरआई द्वारा प्रस्ताव वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और उन्नति विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन) में प्राप्त किए जाते हैं। पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत एक भारतीय कंपनी का इक्विटी पूंजी में विदेशी निवेश एफडीआई नीति के दायरे में नहीं है तथा आरबीआई/सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के अलग नियमों के अंतर्गत आता है।

वर्तमान में निम्नलिखित क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति नहीं है : (i) खुदरा व्यापार (एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा बिक्री छोड़कर), (ii) परमाणु ऊर्जा, (iii) लाटरी व्यापार और (iv) जुआ और सट्टा।

निम्नलिखित परिस्थितियों में सभी गतिविधियों/क्षेत्रों में एफडीआई के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी : (i) जहां प्रेस नोट 1 (2005 शृंखला) के प्रस्ताव लगे हों, (ii) जहां 24 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए लगाई जानी है जो लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं।

शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वतः मार्ग पर अनुमति है। लेकिन सेक्टरल नियम/दिशा-निर्देश लागू होंगे।

एफडीआई नीति की व्याख्या

एफडीआई की वर्तमान शर्तें इस प्रकार हैं :

क. स्वतः मार्ग के अंतर्गत शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति निम्नलिखित के लिए :

- (i) पीने योग्य अल्कोहल से शराब बनाना;
- (ii) औद्योगिक विस्फोटक का निर्माण;
- (iii) खतरनाक रसायनों का निर्माण;
- (iv) प्रामाणिक शहरी क्षेत्र के भीतर 25 किमी के दायरे में स्थित निर्माण गतिविधियां जिसके लिए इंडस्ट्रीज (डेवलेपमेंट एंड रेग्युलेशन) एक्ट, 1951 के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता;
- (v) ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट परियोजना की स्थापना;
- (vi) प्राकृतिक गैस/एलएनजी पाइप लाइनें बिछाना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में बाजार अध्ययन एवं निवेश की योजना बनाना और उसके लिए धन उपलब्ध कराना; और
- (vii) केश एंड केरी थोक बिक्री व्यापार और निर्यात व्यापार।

ख. एफडीआई की सीमा शत-प्रतिशत बढ़ाना और स्वतः मार्ग के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए अनुमति प्रदान करना :

- (i) बंदी उपभोग के लिए कोल एंड लिग्नाइट माइनिंग;
- (ii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में विपणन से संबंधित ढांचे की स्थापना।

ग. स्वतः मार्ग के अंतर्गत शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति :

- (i) बिजली अधिनियम, 2003 के अंतर्गत तय नियमों के पूरा करने पर बिजली व्यवसाय;
- (ii) कॉफी और रबर का प्रसंस्करण और उसका एकत्रीकरण।

घ. एकल ब्रांड उत्पाद के खुदरा व्यापार के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन के साथ एफडीआई की सीमा 51 प्रतिशत करने की अनुमति : विस्तृत दिशा-निर्देश प्रेस नोट-3(2006 शृंखला) में दिए गए हैं।

ङ. स्वतः मार्ग के अंतर्गत भारतीयों से अनिवासियों को शेयरों के स्थानांतरण की अनुमति देना और जहां सेबी (वास्तविक अभिग्रहण और कार्यभार संभालना) के नियम लागू हों, ऐसे मामलों में जहां भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी (वास्तविक अभिग्रहण और कार्यभार संभालना) नियम/बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता हो। इसके साथ, एक मौजूदा कंपनी में भारतीयों से अनिवासियों को शेयरों के स्थानांतरण की अनुमति होगी और एफडीआई पर सचिवीय नीति के पूरी करने पर स्वतः मार्ग एफडीआई के अंतर्गत आएंगे।

च. बी2बी ई-कॉमर्स में 26 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनिवार्यता की आवश्यकता के साथ निवारण।

स्वतः मार्ग के अंतर्गत एफडीआई/एनआरआई निवेश सचिवीय नियमों/लाइसेंस आवश्यकताओं के द्वारा संचालित जारी रहेगा।

निवेश आयोग

भारत में निवेशकों के लिए आकर्षक वातावरण बनाने के विचार के साथ दिसंबर 2004 में निवेश आयोग का गठन किया गया था। आयोग को सरकार की ओर से बातचीत करने, देश में घरेलू और विदेशी व्यापार पर चर्चा करने के लिए व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। निवेश आयोग की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय में विचार किया जाएगा और उन्हें मंजूरी के लिए सक्षम अधिकारी के सामने रखा जाएगा। निवेश आयोग की सिफारिशें सामने आने पर सभी नीतिगत निर्णय आर्थिक मामलों से संबद्ध कैबिनेट समिति के समक्ष पेश किए जाएंगे।

आयोग की फरवरी 2006 में आई रिपोर्ट शीर्षक 'भारत के लिए निवेश रणनीति' में यह बात उभरकर आई कि 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष से ऊपर स्थिर विकास हासिल करने के लिए आर्थिक क्षेत्र में निवेश स्तर 28 प्रतिशत से 32 प्रतिशत जीडीपी तक बढ़ाना होगा। आगामी पांच वर्षों में इसके 1.5 ट्रिलियन डॉलर का निवेश होने की उम्मीद है। आयोग ने भी वर्ष 2007-08 के दौरान एफडीआई के स्तर को मौजूदा 5 बिलियन डॉलर से 15 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

निवेश आयोग ने 25 प्रमुख क्षेत्रों का अध्ययन किया है जिसमें बुनियादी ढांचा, निर्माण, सेवाएं, प्राकृतिक संसाधन और नौलेज इकॉनोमी क्षेत्र शामिल हैं। ये इकॉनोमी के बड़े क्षेत्र हैं और अगले पांच सालों में 525 से 550 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता पड़ेगी।

आर्थिक विकास की रफ्तार तेज करने के लिए आयोग ने 'फ्यू नेशनल थ्रस्ट एरियाज' की पहचान करने की आवश्यकता पर जोर दिया है जहां विकास के लिए सभी अवरोध हटाने हैं तथा जहां बुनियादी ढांचे के समर्थन में सबसे अधिक जोर देने वाले क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उचित लाभ मुहैया कराने हैं। सबसे अधिक जोर देने वाले क्षेत्रों की पहचान का मकसद क्षेत्रीय अथवा वैश्विक स्तर पर उक्त क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को बढ़ाना है। ऐसा सिंगापुर (जैव तकनीकी) और आयरलैंड (औषधि निर्माण, आईटी) में सफल तरीके से किया जा चुका है।

प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं :

पर्यटन, ऊर्जा, वस्त्र उद्योग, कृषि प्रसंस्करण

ये विशेष क्षेत्र काफी संख्या में (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे जिससे अंततः अर्थव्यवस्था पर्याप्त मजबूत होगी।

आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि भारत बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान खींचने के उद्देश्य से बड़े कार्यक्रम आयोजित करे। इससे राष्ट्रीय गर्व भी बढ़ेगा और देश के बुनियादी ढांचे पर अन्य देशों का ध्यान भी जाएगा। कुछ विचार इस प्रकार हैं : 2010 के कॉमनवेल्थ खेल, 2020 के ओलंपिक खेल, फुटबाल विश्व कप, फार्मूला वन रेस आदि।

निवेश आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उनके निवेशकों के साथ हुए विस्तृत विचार विमर्श के परिणामस्वरूप नीतियों/प्रक्रियाओं अथवा अन्य रुकावटों पर बहुत से मुद्दे सरकारी संदर्भ में सुझाए गए।

रिपोर्ट में बुनियादी ढांचा, निर्माण और सेवाओं तथा 37 बहु-सचिवीय सिफारिशों सहित 115 क्षेत्र विशेष सिफारिशें हैं। ये सिफारिशें 27 मंत्रालयों/विभागों से संबंधित हैं और प्रमुख मंत्रालयों/विभागों से फीडबैक प्राप्त हो चुका है।

इन 115 क्षेत्र विशेष सिफारिशों में से अधिकतर कार्यवाही पूरी कर ली गई है या 86 सिफारिशों के संबंध में प्रक्रिया लागू की जा रही है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह

वित्त वर्ष 2005-06 (अप्रैल 2005 से मार्च 2006 तक) के दौरान प्राप्त एफडीआई के अंतिम आंकड़े 2004-05 के 321.87 करोड़ अमरीकी डालर (14,652.75 करोड़ रुपये) की तुलना में 554.83 करोड़ अमरीकी डालर (24,612.59 करोड़ रुपये) का निवेश प्रवाह दर्शाते हैं। यानी 72 प्रतिशत की बढ़त (डालर में)। अगस्त 1991 से मार्च 2006 तक अब तक कुल एफडीआई प्रवाह 38.90 बिलियन अमरीकी डालर (1,61,410.93 करोड़ रुपये) है। एफडीआई का विस्तृत विवरण तालिकाओं में दर्शाया गया है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तथ्य (एफडीआई) अगस्त 1991 से मार्च 2006 तक अद्यतन

1. एफडीआई प्रवाह :

क. कम्युलेटिव एफडीआई प्रवाह (केवल इक्विटी पूंजी भाग)

1.	एफडीआई प्रवाह की कम्युलेटिव राशि (अगस्त 1991 से मार्च 2006 तक)	1,36,798 करोड़ रुपये	33,356 करोड़ अमरीकी डालर
2.	एफडीआई प्रवाह की राशि (अप्रैल 2005 से मार्च 2006 तक)	24,613 करोड़ रुपये	5,549 करोड़ अमरीकी डालर
3.	एफडीआई प्रवाह की कम्युलेटिव राशि (मार्च 2006 तक)	1,61,411 करोड़ रुपये	38,905 करोड़ अमरीकी डालर

ख. वित्त वर्ष (2005-06) के दौरान एफडीआई प्रवाह

विवरण	एफडीआई प्रवाह की राशि	
	करोड़ रुपये में	अमरीकी डालर में
1. अप्रैल 2005	1,172	26.8
2. मई 2005	2,844	65.4
3. जून 2005	1,149	26.4
4. जुलाई 2005	1,411	32.4
5. अगस्त 2005	1,739	39.9
6. सितंबर 2005	1,238	28.2
7. अक्टूबर 2005	1,844	41.2
8. नवंबर 2005	3,410	74.6
9. दिसंबर 2005	1,587	34.7
10. जनवरी 2006	2,141	48.2
11. फरवरी 2006	563	12.7

वित्त

401

12. मार्च 2006	5,515	1,24.4
2005-06 मार्च 2006 तक	24,613	5,45.9
2004-05 मार्च 2005 तक	14,653	3,21.9

पिछले वर्ष की वृद्धि का प्रतिशत

(+)67,95%

(+) 72.30%

ग. वर्षवार एफडीआई प्रवाह

क्र. सं.	वर्ष (अप्रैल-मार्च)	एफडीआई प्रवाह की राशि	
		करोड़ रुपये में	अमरीकी डालर में
1.	1991-1992 (अगस्त-मार्च)	409	16.7
2.	1992-1993	1,094	39.3
3.	1993-1994	2,018	65.4
4.	1994-1995	4,312	1,37.4
5.	1995-1996	6,916	2,14.1
6.	1996-1997	9,654	2,77.0
7.	1997-1998	13,548	3,68.2
8.	1998-1999	12,343	3,08.3
9.	1999-2000	10,311	2,43.9
10.	2000-2001	12,645	2,90.8
11.	2001-2002	19,361	4,22.4
12.	2002-2003		3,13.4
13.	2003-2004	12,117	
14.	2004-2005	17,138 *	3,75.5 *
15.	2005-2006 (मार्च 2006 तक)	24,613	5,54.9
कुल		1,61,411	38,90.5

नोट: *53.6 करोड़ अमरीकी डालर (2.485 करोड़ रुपये) की राशि वर्ष 2004-05 के दौरान जारी शेयरों को जारी करने के लिए अग्रिम के तौर पर शामिल।

घ. एफडीआई प्रवाह में शीर्ष निवेशक देशों का हिस्सा (वित्तीय वर्षवार)

राशि करोड़ रुपये में (मिलियन अमरीकी डालर)

क्र. सं.	अगस्त 1999 से मार्च 2002 तक	2002-03 (अप्रैल-मार्च)	2003-04 (अप्रैल-मार्च)	2004-05 (अप्रैल-मार्च)	2005-06 (अप्रैल-मार्च)	कम्युलेटिव प्रवाह अगस्त 1991 से मार्च-06 तक	प्रतिशत प्रवाह के साथ
1. मॉरीशस	27,446 (6,731)	3,766 (788)	2,609 (567)	5,141 (1,129)	11,411 (2,570)	50,403 (11,785)	37.18

402

भारत-2010

2. यू.एस.ए.	12,248 (3,188)	1,504 (319)	1,658 (360)	3,055 (669)	2,210 (502)	20,675 (5,038)	15.25
3. जापान	5,099 (1,299)	1,971 (412)	360 (78)	575 (126)	925 (208)	8,931 (2,124)	6.59
4. नीदरलैंड	3,856 (986)	836 (176)	2,247 (489)	1,217 (267)	340 (76)	8,497 (1,994)	6.27
5. यू.के	4,263 (1,106)	1,617 (340)	769 (167)	458 (101)	1,164 (266)	8,271 (1,979)	6.10
6. जर्मनी	3,455 (908)	684 (144)	373 (81)	663 (145)	1,345 (303)	6,570 (1,582)	4.81
7. सिंगापुर	1,997 (515)	180 (38)	172 (37)	822 (184)	1,218 (275)	4,388 (1,050)	3.24
8. फ्रांस	1,947 (492)	534 (112)	176 (38)	537 (117)	82 (18)	3,276 (779)	2.42
9. दक्षिण कोरिया	2,189 (594)	188 (39)	110 (24)	157 (35)	269 (60)	2,912 (752)	2.15
10. स्विट्जरलैंड	1,200 (325)	437 (93)	207 (45)	353 (77)	426 (96)	22,622 (636)	1.93
कुल	92,611	14,932	12,117	17,138	24,613	1,61,411	-
एफडीआई प्रवाह *	(23,829)	(3,134)	(2,634)	(3,754)	(4,549)	(38,905)	

नोट: (1) *आरबीआई की एनआरआईयोजना के अंतर्गत एफडीआई प्रवाह/स्टॉक अदल-बदल और शेयरों के जारी होने में अग्रिम ऋण में विलंब।

(2) कम्युलेटिव देश वार एफडीआई प्रवाह (अगस्त 1991 से मार्च 2006 तक)-अनुलग्न-‘क’

ड: सर्वाधिक एफडीआई प्रवाह आकर्षित करने वाले क्षेत्र

राशि करोड़ रुपये में (मिलियन अमरीकी डालर)

क्र. क्षेत्र सं.	2002-03 (अप्रैल- मार्च)	2003-04 (अप्रैल- मार्च)	2004-05 (अप्रैल- मार्च)	2005-06 (अप्रैल- मार्च)	कम्युलेटिव प्रवाह अगस्त 1991 से 2006 तक	प्रतिशत एफडीआई प्रवाह के साथ
1. विद्युत उपकरण (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स)	3,075 (644)	2,449 (532)	3,281 (721)	6,499 (1,451)	23,709 (5,496)	17.49
2. दूर संचार (रेडियो, पेजिंग, सेल्युलर, मोबाइल, बेसिक टेलीफोन सेवाएं)	1,058 (223)	532 (116)	588 (129)	3,023 (680)	14,337 (3,372)	10.58

वित्त

403

3. परिवहन उद्योग	2,173 (455)	1,417 (308)	815 (179)	983 (222)	13,315 (3,178)	9.82
4. सेवा क्षेत्र (वित्तीय-गैर वित्तीय)	1,551 (926)	1,235 (269)	2,106 (469)	2,565 (581)	12,804 (3,091)	9.45
5. ईंधन (ऊर्जा + तेल शोधन)	551 (118)	521 (113)	759 (166)	416 (94)	10,976 (2,581)	8.10
6. रसायन (उर्वरकों के साथ)	611 (129)	94 (20)	909 (198)	1,979 (447)	8,580 (2,143)	6.33
7. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	177 (37)	511 (111)	174 (38)	183 (42)	4,702 (1,179)	3.47
8. दवाएं और फार्मसी	192 (40)	502 (109)	1,343 (292)	760 (172)	4,311 (1,007)	3.18
9. सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	101 (21)	44 (10)	1 (0)	1,970 (452)	3,231 (747)	2.38
10. धातु शोधन उद्योग	222 (47)	146 (32)	881 (192)	681 (153)	2,816 (655)	2.08

नोट : कम्युलेटिव-वार एफडीआई प्रवाह (अगस्त 1991 से मार्च 2006 तक)-अनुलग्न-‘ख’
क्षेत्रवार/राज्यवार प्राप्त एफडीआई प्रवाह का विवरण

(आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूचना के मुताबिक) (जनवरी 2000 से मार्च 2006 तक)

क्र.	आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय	राज्य	एफडीआई प्रवाह की राशि		एफडीआई प्रवाह के साथ प्रतिशत (रुपयों में)
1.	नई दिल्ली	दिल्ली, उ.प्र., और हरियाणा के कुछ भाग	23,074.29	5,116.9	24.58
2.	मुंबई	महाराष्ट्र, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव	20,535.68	4,533.5	20.90
3.	बंगलुरु	कर्नाटक	6,984.17	1,546.3	7.44
4.	चेन्नई	तमिलनाडु और पांडिचेरी	5,432.52	1,193.2	5.79
5.	हैदराबाद	आंध्रप्रदेश	3,083.46	681.7	3.28
6.	अहमदाबाद	गुजरात	2,883.90	631.9	3.07
7.	चंडीगढ़	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	1,481.41	320.3	1.58

404

भारत-2010

8.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,277.24	280.7	1.36
9.	पणजी	गोवा	494.42	107.6	0.53
10.	कोच्चि	केरल, लक्षद्वीप	333.45	73.6	0.34
11.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	315.88	70.6	0.34
12.	भोपाल	मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़	168.84	37.3	0.18
13.	गुवाहाटी	आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणीपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा	41.74	9.0	0.04
14.	जयपुर	राजस्थान	18.76	4.2	0.02
15.	पटना	बिहार, झारखंड	2.74	0.6	0.00
16.	कानपुर	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल	0.03	0.0	0.00
17.	दर्शाए नहीं गए ³		27,764.24	6,118.8	29.57
कुल			93,892.76	20,726.3	100.00
18.	प्रवाह की अग्रिम राशियां (2000 से 2004 तक)		8,962.22	1,962.8	-
19.	स्टाक अदल-बदल	284.87	61.2	-	-
20.	आरबीआई-एनआरआई योजनाएं		589.15	134.4	-
कुल एफडीआई प्रवाह (जनवरी 2000 से मार्च-06 तक)			1,03,729.00	22,884.7	-

1. केवल इक्विटी पूंजी भाग

2. क्षेत्रवार एफडीआई प्रवाह आरबीआई के अनुसार वर्गीकृत किया है—क्षेत्रवार प्रवाह आरबीआई द्वारा जुटाए गए हैं—मुंबई।

3. अनिवासियों से मौजूदा शेयरों के अधिग्रहण के जरिए प्रवाह दर्शाते हैं। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्षेत्रवार सूचना प्रदान नहीं की गई है।

एनआरआई यूनिट

एन आर आई यूनिट निवेश प्रभाग का हिस्सा है, जिसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं : (क) यूरो इक्विटी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड्स नीति। (ख) विदेशी संस्थागत निवेशक पोर्टफोलियो निवेश नीति। (ग) अनिवासी भारतीयों के लिए निवेश नीति। (घ) विदेशी कंपनियों द्वारा खोले जाने वाले शाखा/संपर्क/परियोजना कार्यालय संबंधी नीति और रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को सौंपे गए व्यक्तिगत प्रस्तावों के संदर्भ में समन्वय। (ङ) वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, भारतीय निवेश केंद्र को सौंपे गए मामले।

बीमा क्षेत्र

भारतीय जीवन बीमा निगम

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) अपने मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय तथा मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और भोपाल स्थित सात क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रमुख शहरों में स्थित अपने 101 मंडल-कार्यालयों और मुंबई के वेतन बचत योजना प्रभाग सहित तथा 2,048 शाखा कार्यालयों के जरिए कार्य करता है। 31 मार्च, 2006 तक देशभर में इसके 10,52,283 सक्रिय एजेंट थे। यह विदेशों में भी व्यवसाय करता है। वहां इसके कार्यालय फिजी, मॉरीशस और ब्रिटेन में हैं। निगम की एक अंतर्राष्ट्रीय अनुषंगी कंपनी *लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन (इंटरनेशनल)*, ई.सी. बहरीन की स्थापना 1989 में की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम ने विदेशों में बीमा क्षेत्र में संयुक्त उद्यम भी स्थापित किए हैं। इनमें केन-इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नैरोबी; नेपाल में काठमांडू में स्थानीय औद्योगिक समूह 'विशाल ग्रुप लिमिटेड' के साथ स्थापित की गयी लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन (नेपाल) लिमिटेड प्रमुख हैं। निगम का नवीनतम संयुक्त उद्यम एल.आई.सी. (लंका) लिमिटेड है, जिसकी स्थापना एक मार्च, 2003 को वहां की बर्टलीट एंड कंपनी के सहयोग से की गई। अफ्रीका में बीमा करने के लिए एल आई सी इंश्योरेंस (मॉरीशस) ऑफशोर लिमिटेड नामक कंपनी बनायी गयी।

वर्ष 2005-06 के दौरान 315.73 लाख व्यक्तिगत पॉलिसियों के अंतर्गत निगम ने 1,79,883.16 करोड़ रुपये का नया कारोबार किया। निगम के समूह बीमा विभाग ने 11,845 योजनाओं के तहत 3,919.01 करोड़ रुपये का नया कारोबार किया और 51.27 लाख लोगों को सुरक्षा प्रदान की। परंपरागत समूह बीमा कारोबार में बीमाकृत राशि 25,216.88 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त निगम ने 19,48,025 नई व्यक्तिगत पेंशन पॉलिसी बेचीं।

अस्थायी नतीजों के अनुसार 31 मार्च, 2006 को जीवन बीमा निगम का जीवन-कोष 4,63,147.62 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वर्ष 2005-06 के दौरान निगम ने बीमा धारकों की मृत्यु के मामलों में 3769.04 करोड़ रुपये; परिपक्वता दावों के तहत 24,743.42 करोड़ रुपये और वार्षिक दावों के तहत 1,977.54 करोड़ रुपये का भुगतान किया। (ये आंकड़े अंतिम और लेखा-परीक्षा से पहले के हैं।)

वारिष्ठ पेंशन बीमा योजना के अंतर्गत एल आई सी ने मृत्यु के मामलों में 75.47 करोड़ रुपये और वार्षिक दावों के तहत 656.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया। (ये आंकड़े अंतिम और लेखा-परीक्षा से पहले के हैं)

सामाजिक सुरक्षा सामूहिक बीमा योजना

सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना वर्ष 1988-89 में की गई थी ताकि समाज के कमजोर और संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। इन वर्गों की बीमा संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए एल आई सी द्वारा सामाजिक सुरक्षा कोष का प्रबंधन किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत 24 व्यावसायिक समूहों/क्षेत्रों को बीमा लाभ के दायरे में लाया गया है। यह योजना जनश्री बीमा योजना के स्थान पर अगस्त 2000 में प्रारंभ की गई। किंतु, पहले कवर किए गए समूहों को नवीकरण की अनुमति दी गई।

जनश्री बीमा योजना

जनश्री बीमा योजना 10 अगस्त, 2000 को शुरू की गई। इसने 'सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना' (एसएसजीआईएस) और 'ग्रामीण समूह जीवन बीमा योजना' (आरजीएलआईएस) की जगह ली। इस योजना के तहत बीमाधारी व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु पर उसके परिजनों को 20,000 रुपये का बीमा लाभ दिया जाता है। दुर्घटना के कारण मृत्यु होने या स्थायी विकलांगता की स्थिति में दी जाने वाली राशि 15 अगस्त, 2006 से 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई। आंशिक विकलांगता की स्थिति में दी जानी वाली राशि 15 अगस्त, 2006 से बढ़ाकर 37,500 रुपये कर दी गई। इसके लिए पहले 25,000 रुपये दिए जाते थे। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रीमियम 200 रुपये है। इसका 50 प्रतिशत भाग सामाजिक सुरक्षा कोष से दिया जाएगा। शेष राशि बीमाधारी स्वयं देगा या नोडल एजेंसी देगी। 31 मार्च, 2006 तक करीब 39.87 लाख व्यक्तियों को इसके दायरे में लाया गया। सामाजिक सुरक्षा कोष की राशि 31 मार्च, 2006 को 808 करोड़ रुपये थी।

कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना

यह योजना 1 जुलाई, 2001 को शुरू हुई। इसमें जीवन बीमा सुरक्षा, सावधिक एकमुश्त जीवन लाभ तथा कृषि मजदूरों को पेंशन का लाभ दिया जाता है। इस योजना में 18 से 50 वर्ष तक के लोग शामिल हो सकते हैं। शुरुआत के समय समूह की न्यूनतम सदस्य-संख्या 20 होनी चाहिए।

ग्राम पंचायतें इस योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करती हैं और वे स्वयं सेवी संगठन/स्वयं सहायता समूह अथवा किसी अन्य एजेंसी की मदद से कृषि श्रमिकों की पहचान करती हैं। 31 मार्च, 2006 को 29,074 कृषि श्रमिकों को इस योजना के दायरे में लाया गया। दिसम्बर, 2003 से इस योजना के अंतर्गत नई पॉलिसियों को बिक्री बंद कर दी गई। नवीकरण के समय मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत भी जीवन लाभ के लिए किसी नए सदस्य को शामिल नहीं किया जाना था।

शिक्षा सहयोग योजना

यह योजना 31 दिसम्बर, 2001 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य बच्चों की शिक्षा का खर्च पूरा करने में माता-पिता की सहायता करना है। इसके तहत 9 वीं से 12 वीं कक्षा (आईटीआई पाठ्यक्रम सहित) में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिनके माता-पिता गरीबी की रेखा से नीचे या इससे कुछ ऊपर गुजर-बसर कर रहे हों और साथ ही जनश्री बीमा योजना के सदस्य हों।

जनश्री बीमा योजना के सदस्य के अधिकतम दो बच्चों को अधिक से अधिक चार साल तक हर तिमाही पर प्रत्येक विद्यार्थी को 300 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। इस लाभ के लिए कोई प्रीमियम वसूल नहीं किया जाता। 31 मार्च, 2006 तक 3,20,253 लाभार्थियों को छात्रवृत्तियां वितरित की गईं।

जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी) को 3 नवंबर, 2000 से 'इंडियन रीइन्श्यूरर' यानी भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में मान्यता दी गयी। पुनर्बीमाकर्ता के रूप में जी आई सी सार्वजनिक क्षेत्र की चार कंपनियों और निजी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों को पुनर्बीमा सेवाएं प्रदान करती है। निगम ने 1 अप्रैल, 2003 से पुनर्बीमा कारोबार पूरी तरह शुरू कर दिया है। यह पुनर्बीमा सुविधा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका जारी रखे हुए है और भारतीय बीमा उद्योग की ओर से निगम ने मैरीन हल पूल यानी समुद्री कार्य जोखिम पूल की स्थापना की है। इसी प्रकार आतंकवादी गतिविधियों से होने वाली क्षति के

प्रबंधन में बीमा सहायता पहुंचाने के लिए भी आतंकवाद पूल का निर्माण किया है। जीआईसी के पुनर्बीमा कार्यक्रम का लक्ष्य देश में महत्वपूर्ण संपत्तियों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना और समुचित पुनर्बीमा कार्यक्रम का विकास करना है।

वर्ष के दौरान निगम ने भारतीय बीमा कर्ताओं को सभी प्रकार के करोबार में अधिकतम सहायता देना जारी रखा। कंपनी ने एक नई योजना पीक रिस्क फैसिलिटी यानी व्यस्तता के समय जोखिम प्रबंधन सुविधा शुरू की है। इस तरह व्यस्तता के समय जोखिम प्रबंधन क्षमता 1,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गयी। जी आई सी द्वारा संचालित आतंकवादी कार्रवाई जोखिम प्रबंधन क्षमता पहले की 300 करोड़ रुपये से बढ़कर एक अप्रैल, 2005 को 500 करोड़ रुपये को पार कर गयी। जीआईसी ने मालदीव, केन्या, मलेशिया, मारीशस, मध्य-पूर्व, अफ्रीका और श्रीलंका में कंपनियों के पुनर्बीमा कार्यक्रम का नेतृत्व जारी रखा। इस प्रक्रिया में यह कंपनी अफ्रीकी-एशियाई क्षेत्र में वरीयता प्राप्त पुनर्बीमाकर्ता के रूप में उभरी। वर्ष 2005-06 के दौरान इसकी शुद्ध प्रीमियम आय उससे पिछले वर्ष की 4,234.88 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,614.87 करोड़ रुपये हो गयी। कंपनी ने 4,573.07 करोड़ रुपये के दावे वहन किए, जो 107.98 प्रतिशत के थे जबकि इससे पिछले वर्ष कंपनी ने 3702.80 करोड़ रुपये के दावे वहन किए थे, जो 80.25 प्रतिशत थे। कर अदा करने से पहले कंपनी का लाभ 31 मार्च, 2006 को 442.94 करोड़ रुपये था, जबकि 31 मार्च, 2005 को यह राशि मात्र 800.08 करोड़ रुपये थी। निगम ने पिछले वर्ष 598.52 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जो पिछले वर्ष मात्र 200.02 करोड़ रुपये था। 31 मार्च, 2006 को कंपनी की कुल परिसंपत्तियां 26,424.03 करोड़ रुपये और विशुद्ध मूल्य 4,759.13 करोड़ रुपये था।

निगम ने विदेश में पुनर्बीमा व्यवसाय बढ़ाने के उद्देश्य से लंदन और मास्को में अपने प्रतिनिधि कार्यालय खोल रखे हैं। पुनर्बीमा कारोबार के अतिरिक्त जीआईसी केन इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, केन्या और इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर की शेयर पूंजी में हिस्सेदारी बनाए हुए है। निगम ने मारीशस में भारतीय जीवम बीमा निगम द्वारा प्रोन्नत संयुक्त उद्यम कंपनी एलआईसी (मारीशस) आफशोर लिमिटेड की प्रारंभिक शेयर पूंजी में 30 प्रतिशत का अंशदान किया है।

पब्लिक सेक्टर जनरल इन्श्यूरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

जीआईसी से 2000 में पृथक होने के बाद चार सामान्य बीमा कंपनियों—नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑरियन्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने जिप्सा नाम की एसोसिएशन का गठन किया। जिप्सा का मुख्यालय फिलहाल दिल्ली में है। सार्वजनिक क्षेत्र की इन चारों कंपनियों के भारत में 95 क्षेत्रीय कार्यालय, 1373 डिवीजनल कार्यालय, 2533 शाखा कार्यालय हैं। इनके अतिरिक्त इनके 55 कार्यालय विदेशों में हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की इन चारों कंपनियों को 2005-06 में सकल प्रीमियम से 14,997 करोड़ रुपये की आय हुई, जबकि 2004-05 में इन्हें इसी मद से 13,973 करोड़ रुपये की आय हुई थी। इस प्रकार कंपनियों की सकल प्रीमियम आय में पिछले वर्ष की तुलना में 10.73 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस उद्योग को 2004-05 के 1172 करोड़ रुपये की तुलना में 2005-06 में 1425 करोड़ रुपये का सकल लाभ हुआ। इन कंपनियों ने वर्ष 2005-06 के दौरान सरकार को कुल 266 करोड़ रुपये का लाभांश दिया, इस क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश हो जाने से इन कंपनियों का बीमा बाजार में प्रतिशत वर्ष 2004-05 के 77.49 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2005-06 72.87 प्रतिशत रह गया।

भारतीय कृषि बीमा निगम लिमिटेड

भारतीय कृषि बीमा निगम कृषि बीमा के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन एक अलग संगठन का गठन 20 दिसंबर, 2002 से भारतीय कृषि बीमा निगम (एआईसीआईएल) के नाम से किया गया। इस प्रयोजन के लिए भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की चार सामान्य बीमा कंपनियां— 1. नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 2. न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 3. ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 4. युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा नाबार्ड (एनएबीआरबी) से पूंजी जुटाई गई है। भुगतान की गई पूंजी के अंशदाताओं में जीआईसी की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत, नाबार्ड की 20 प्रतिशत तथा शेष 4 कंपनियों में प्रत्येक की हिस्सेदारी 8.75 प्रतिशत है। एआईसीआईएल की प्राधिकृत पूंजी 15001 करोड़ रुपये है। वहीं चुकता पूंजी 200 करोड़ रुपये है जहां प्रारंभ में एआईसीआईएल द्वारा अपना कार्य कृषि बीमा से शुरू किया जायेगा वहीं बाद में इसे संबद्ध ग्रामीण/कृषि जोखिमों के लिए बढ़ाया जायेगा। सामान्य बीमा निगम द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को अब नये संगठन एआईसीआईएल को हस्तांतरित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

केंद्र सरकार ने जीआईसी के सहयोग से वर्ष 1999-2000 की रबी मौसम की फसल से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की है। इसने 'व्यापक फसल बीमा योजना' की जगह ली है। यह योजना कृषि मंत्रालय की ओर से देश की नवगठित कृषि बीमा कंपनी लागू कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, आग लगना, कीटों/बीमारियों, आदि के कारण फसल नष्ट होने से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करना है। इससे किसानों की अगले मौसम के लिए ऋण लेने की पात्रता बहाल करने में मदद मिलती है। यह योजना सभी किसानों के लिए खुली है चाहे वे ऋण लेने वाले हों या ऋण न लेने वाले हों और उनकी जोत का आकार चाहे कितना ही बड़ा या छोटा हो। इसके अंतर्गत अनाज की सभी फसलें, (खाद्यान्न, ज्वार और दालें) तिलहन और बागवानी/नकदी फसलें शामिल होंगी, बशर्ते समुचित वर्षों के लिए पहले की पैदावार के आंकड़े उपलब्ध हों। वार्षिक नकदी/बागवानी फसलों में सात फसलें—गन्ना, आलू, कपास, अदरक, प्याज, हल्दी और लाल मिर्च फिलहाल इस योजना के अंतर्गत आती हैं। अन्य वार्षिक बागवानी और नकदी फसलें भी इसके अंतर्गत आयेंगी, बशर्ते उनसे संबद्ध पिछले पैदावार आंकड़े उपलब्ध हों।

बाजार और तिलहन के लिए प्रीमियम की दरें बीमित धन या बीमांकित राशि, में से जो भी कम हो, का 3.5 प्रतिशत तय की गयी है, जबकि खाद्यान्न, अन्य मोटे अनाज और दलहन के लिए प्रीमियम की दरें बीमित धन या बीमांकित राशि, में से जो भी कम हो, का 2.5 प्रतिशत तय की गयी है। रबी मौसम के दौरान गेहूं के लिए प्रीमियम की दरें बीमित धन या बीमांकित राशि, में से जो भी कम हो, का 1.5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। इस प्रकार अन्य अनाज फसलों और तिलहन के लिए प्रीमियम की दर बीमित धन या बीमांकित राशि, में से जो भी कम हो, का 2 प्रतिशत निर्धारित की गई है। वार्षिक नकदी/बागवानी फसलों के मामले में बीमांकित दरें वसूल की जाती हैं। छोटे और सीमांत किसानों को प्रीमियम में 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी को राज्यों/संघशासित प्रदेशों/ और केंद्र सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है। प्रीमियम में सब्सिडी को 5 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा।

कृषि आय बीमा योजना

किसानों की आय के दो महत्वपूर्ण घटकों, यानी पैदावार और मूल्य को लक्ष्य बनाकर एकल नीति दस्तावेज के जरिए कृषि और सहकारिता विभाग ने कृषि आय बीमा योजना (एफआईआईएस) शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत उपज और बाजार जोखिम से बीमा सुरक्षा देने की प्रणाली को एकीकृत करते हुए किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की जाती है। योजना की मुख्य विशेषताएं बाक्स में दी गयी हैं, प्रारंभ में यह योजना 2003-04 के रबी मौसम में 12 राज्यों के 18 जिलों में गेहूं और धान की फसलों के लिए प्रायोगिक आधार पर शुरू की गयी। इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम की दरें बीमांकिक गणना पर आधारित होती हैं। भारत सरकार प्रीमियम में छोटे और सीमांत किसानों को 75 प्रतिशत और अन्य किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी देती है। 2003-04 के रबी मौसम में 1.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 1.8 लाख किसानों को कृषि आय बीमा सुरक्षा के अंतर्गत लाया गया। 239 करोड़ रुपये की बीमित राशि के लिए 14.1 करोड़ रुपये प्रीमियम के रूप में प्राप्त किए गए। मौसम के दौरान 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान दावों के निपटारे के लिए किया गया। यह योजना 2004 के खरीफ मौसम में भी जारी रही और इस दौरान 4 राज्यों के 20 जिलों में 2.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 2.22 लाख किसानों को बीमा सुरक्षा प्रदान की गयी। 177.56 करोड़ रुपये की बीमित राशि के लिए 15.68 करोड़ रुपये प्रीमियम के रूप में प्राप्त किए गए।

वर्षा बीमा

भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड (एआईसीएल) ने वर्ष 2004 में दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान वर्षा बीमा नाम की एक योजना शुरू की। वर्षा बीमा के अंतर्गत कृषक समुदाय की विभिन्न जरूरतों के अनुकूल पांच विकल्प प्रदान किए जाते हैं। ये हैं- (क) जून से सितंबर तक कुल वर्षा के आधार पर मौसमी वर्षा बीमा, (ख) 15 जून और 15 अगस्त के बीच होने वाली वर्षा के आधार पर फसल बुआई में विफलता के लिए बीमा लाभ, (ग) जून और सितंबर के बीच अलग-अलग हफ्तों को वरीयता देते हुए वर्षा वितरण बीमा, (घ) विभिन्न चरणों के दौरान फसल की जल संबंधी जरूरतों के आधार पर कृषि वैज्ञानिक सूचकांक तैयार करना, (ङ) महाविपत्ति विकल्प, जिसके अंतर्गत पूरे मौसम के दौरान वर्षा में 50 प्रतिशत विपरीत विचलन शामिल है। वर्षा बीमा योजना आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 20 वर्षा मानक क्षेत्रों में प्रयोग के आधार पर चलायी जा रही है। इस दौरान कुल 1050 किसानों का बीमा किया गया, जिनसे 2.19 करोड़ रुपये के बीमित धन के वास्ते 6.12 लाख रुपये प्रीमियम आय के रूप में वसूल किए गए। इस अवधि में 5.57 लाख रुपये के दावों का निपटारा किए जाने का अनुमान है।

सबके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना

सार्वजनिक क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियों द्वारा समुदाय-आधारित सार्वभौम स्वास्थ्य बीमा की योजना बनाई गयी, ताकि निर्धन परिवारों को स्वास्थ्य रक्षा की सुविधा दिलाई जा सके। इस पॉलिसी में परिवार के सारे सदस्यों को अस्पताल में इलाज के लिए किए गए चिकित्सा खर्च में से 30,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था है। दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर परिवार के प्रमुख को 25,000 रुपये मिलेंगे और अर्जक सदस्य की कमाई बंद होने पर अधिकतम 15 दिनों तक 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भरपाई की जाएगी।

शाश्वत स्वास्थ्य बीमा योजना को नया रूप देते हुए इसे केवल गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए सीमित कर दिया गया है। प्रीमियम सब्सिडी 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिव्यक्ति और पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए 300 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति परिवार कर दी गयी है। परिवार के सदस्यों की संख्या भी 5 से बढ़ाकर सात कर दी गयी है। संशोधित दरों के अनुसार व्यक्ति के मामले में रुपये 165, 5 सदस्यों के परिवार के लिए रुपये 248 और 7 सदस्यों के परिवार के लिए लाभ में कोई कटौती किए बिना 330 रुपये प्रीमियम तय की गयी है।

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण

बीमा क्षेत्र में सुधार : बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के अस्तित्व में आने के साथ ही बीमा क्षेत्र मुक्त कर दिया गया है। इस समय इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक और 2 अंशकालिक सदस्य हैं। यह प्राधिकरण अपने मुख्यालय हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) से काम कर रहा है। इसके प्रमुख कार्यों में निम्नांकित शामिल हैं : (क) बीमाकर्ता और बीमा बिचौलियों को लाइसेंस जारी करना; (ख) वित्तीय और नियामक देखरेख; (ग) प्रीमियम की दरों पर नियंत्रण और नियमन; और (घ) पॉलिसी धारकों के हितों की संरक्षा करना। बीमा क्षेत्र के विकास में सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्राधिकरण ने पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के प्रति दायित्वों; और एजेंटों, कार्पोरेट एजेंटों, दलालों और तृतीय पक्ष प्रशासकों को लाइसेंस देने के बारे में विनियम जारी किए हैं। ये विनियम बीमा कंपनियों के पंजीकरण, ऋणशोध क्षमता बनाये रखने, निवेश और रिपोर्टिंग संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए प्रदान किए गए नियामक फ्रेमवर्क के अतिरिक्त हैं।

गठन के बाद से इस उद्योग में भागीदारी कंपनियों की संख्या बढ़कर 31 हो गयी है, जिसमें जीवन और जीवन-इतर क्षेत्रों से संबद्ध बीमाकर्ता (निर्यात ऋण गारंटी निगम और कृषि बीमा कंपनी जैसे विशेष बीमाकर्ताओं सहित) शामिल हैं। इसकी तुलना में वर्ष 2000 में बीमाकर्ताओं की संख्या (भारतीय जीवन बीमा निगम सहित, लेकिन साधारण बीमा निगम रहित) केवल 5 थी। स्टार हेल्थ एंड अलाइंस इन्श्योरेंस कम्पनी की स्थापना गैर-जीवन बीमा कम्पनी के रूप में की गई है जो विशेष रूप से स्वास्थ्य बीमा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस उद्योग द्वारा वसूल की गयी प्रीमियम 2000-01 में 45,677.57 करोड़ रुपये थी, जो 2004-05 में बढ़कर 1,02,376.51 करोड़ रुपये हो गयी। अस्थायी आंकड़ों के अनुसार 2005-06 के दौरान जीवन बीमा कर्ताओं के प्रथम वर्ष का प्रीमियम 35,897.96 करोड़ रुपये वसूल किया गया। अंतिम अनुमान के अनुसार 2005-06 में जीवन-इतर बीमाकर्ताओं ने 20,421.17 करोड़ रुपये प्रीमियम प्राप्त किया। प्रीमियम वसूल करने के लिए अपनाए गए माध्यमों में एजेंट, दलाल, बैंकों सहित कार्पोरेट एजेंट, रैफरल प्रबंध और इंटरनेट के माध्यम से बिक्री शामिल है। फिलहाल बीमा क्षेत्र में 24 लाख एजेंट हैं। बीमाकर्ताओं की गतिविधियों में सहायता पहुंचाने के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने का वायदा करके इस उद्योग को मजबूती प्रदान की गयी है। बीमाकर्ताओं की चुकता इक्विटी पूंजी 31 मार्च, 2006 को बढ़कर 9004.96 करोड़ रुपये हो गयी, जबकि 31 मार्च, 2001 को यह मात्र 1692 करोड़ रुपये थी। इससे उद्योग के प्रति बीमाकर्ताओं की दीर्घाविधि प्रतिबद्धता उजागर होती है।

उद्योग और नियामक स्तर पर उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए गए। इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के चलते प्रीमियम की दरों/विभिन्न उत्पादों से संबद्ध शुल्कों में कमी आई है और बीमाकर्ताओं द्वारा दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आया है। नई बीमा कम्पनियों की स्थापना से

उपजी प्रतिस्पर्धा के कारण पूंजी बाजार से जुड़े बीमा उत्पादों की धारणा को लोकप्रिय बनाने सहित विभिन्न प्रकार के नए उत्पाद बाजार में आये हैं। परंपरागत चैनलों के अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों और ई-चौपालों का इस्तेमाल ग्रामीण बाजारों में बीमा पॉलिसियां बेचने के लिए किया जा रहा है, ताकि अनौपचारिक क्षेत्रों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तक बीमा लाभ पहुंचाया जा सके। प्राधिकरण ने लघु बीमा संबंधी धारणा प्रपत्र के बारे में विचार आमंत्रित किए हैं ताकि बीमाकर्ताओं को उपयुक्त लघु बीमा उत्पादों का डिजाइन तैयार करने के लिए एक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया जा सके। लघु बीमा एजेंटों, जैसे गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों, को मान्यता प्रदान करने के लिए मानदंड तय किए जा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि लघु बीमा ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बीमे के प्रसार में सहायक सिद्ध होगा।

वर्तमान में जीवन-इतर बीमा उद्योग के अग्नि मोटर और इंजीनियरी क्षेत्रों में शुल्क व्यवस्था है। इस उद्योग में उदारीकरण और निजी कंपनियों के प्रवेश के बाद यह उम्मीद की गयी थी कि पूरे उद्योग को शुल्क मुक्त कर दिया जाएगा। मोटर कंपनियों के प्रवेश के बाद निरंतर भारी नुकसान उठाये जाने को देखते हुए प्राधिकरण ने पहले न्यायमूर्ति रंगराजन समिति और उसके बाद एसवी मोनी समिति का गठन किया ताकि मोटर पोर्टफोलियो के विभिन्न मुद्दों का अध्ययन किया जा सके। इन समितियों की सिफारिशों के अनुसार कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण ने एक जनवरी, 2007 से शुल्क के अंतर्गत आने वाले समस्त कारोबार को शुल्क-मुक्त करने का फैसला किया है। शुल्क-मुक्त कारोबार में अग्नि, मोटर, इंजीनियरी और कार्मिक मुआवजा बीमा शामिल है।

विनिवेश

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में सरकारी शेयरों के पूंजी विनिवेश की प्रक्रिया 1991-92 में शुरू की गयी थी। 1999-2000 की अवधि में विनिवेश मुख्य रूप से छोटे-छोटे लॉट्स में अल्प मात्रा में बिक्री के जरिए किया गया। 1999-2000 से 2003-04 की अवधि में महत्वपूर्ण बिक्री के तहत विनिवेश पर बल दिया गया। इसका अर्थ था बहुसंख्य शेयरों की बिक्री के साथ रणनीतिक भागीदार को प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरित करना। भागीदार का चयन प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया के जरिए किया गया। 2004-05 के बाद विनिवेश को इक्विटी की अल्प भागीदारी की बिक्री के जरिए अंजाम दिया गया। 1991-92 और 31 मई, 2008 के बीच विनिवेश से कुल 53,423.03 करोड़ रुपये जुटाए गए। तत्संबंधी ब्योरा नीचे दिया गया है :

मद	राशि (करोड़ रुपये में)	प्रतिशत
केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में अल्प शेयरों की बिक्री के जरिए प्राप्ति	35,358.01	66.18
केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के बहुसंख्य शेयरों की बिक्री से प्राप्त राशि	1,317.23	2.47
महत्वपूर्ण बिक्री के जरिए प्राप्ति	6,344.35	11.88
अन्य संबद्ध लेनदेन से प्राप्त राशियां	4,005.17	7.50
विनिवेश केंद्रीय प्रतिष्ठानों/कंपनियों में बकाया शेयरों की बिक्री से प्राप्त राशि	6,398.27	11.98
कुल	53,423.03	100

नीति संरचना

सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में सरकारी भागीदारी के विनिवेश सहित सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी सरकार की नीति स्पष्ट की गयी है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम की तत्संबंधी विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- (क) सरकार एक ऐसे सुदृढ़ और प्रभावी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए वचनबद्ध है, जिसकी कार्यप्रणाली से उसके वाणिज्यिक उद्देश्य पूरे हों। लेकिन इसके लिए चयनशीलता और रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखा जाएगा। सरकार सफल, लाभ-अर्जक और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से काम करने वाली कंपनियों को प्रबंधकीय और वाणिज्यिक स्वायत्तता देने के प्रति वचनबद्ध है। सामान्यतः लाभ-अर्जक कंपनियों का निजीकरण नहीं किया जाएगा।
- (ख) सभी निजीकरण प्रत्येक कंपनी के लिए अलग-अलग आधार पर पारदर्शी और विचार-विमर्श के बाद ही तय किए जाएंगे। सरकार मौजूदा 'नवरत्न' कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र में ही रखेगी जबकि इन कंपनियों को पूंजी बाजार से संसाधन जुटाने की छूट होगी। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार कंपनियों को आधुनिक बनाने, उनके पुनर्निर्माण के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे और बीमार कंपनियों को पुनर्जीवित किया जाएगा, लेकिन लंबे समय से घाटे में चल रही कंपनियों को या तो बेच दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। ऐसा करने से पहले सभी श्रमिकों को उनके वैधानिक बकाया और उचित मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। जिन कंपनियों को फिर से चालू करने की संभावना होगी, उन्हें कमाऊ बनाने के लिए निजी क्षेत्र की मदद ली जाएगी।
- (ग) सरकार का मानना है कि निजीकरण से प्रतिस्पर्धा बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। सरकार किसी ऐसे एकाधिकार के उभरने का समर्थन नहीं करेगी, जो प्रतिस्पर्धा पर अंकुश लगाता हो सरकार का ये भी मानना है कि निजीकरण और सामाजिक जरूरतों के बीच सीधा संबंध होना चाहिए। उदाहरण के लिए सामाजिक क्षेत्र की निर्दिष्ट योजनाओं के लिए निजीकरण से प्राप्त राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को पूंजी बाजार में प्रवेश के नए अवसर उपलब्ध करा सकें।

वर्तमान में सरकार ने सिद्धांत रूप में यह निर्णय कर लिया है कि मुनाफा कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्यमों को घरेलू शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा, और केवल चुने हुए सूचीबद्ध, मुनाफा कमाने वाले गैर-नवरत्न सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में ही शेयरों की लघु हिस्सेदारी बेची जाएगी।

राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन

सरकार ने 2005-06 में एक 'राष्ट्रीय निवेश कोष' (एनआईएफ) बनाया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी पूंजी विनिवेश से प्राप्त होने वाली आय को रखा जाएगा। एनआईएफ देश के समेकित कोष से बाहर रहेगा, और धन समाप्त किए बिना लगातार और टिकाऊ धन वापसी के लिए कुछ चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचल फंड जोकि व्यावसायिक तरीके से संचालित किए जाते हैं, के द्वारा व्यवस्थित किए जाएंगे। एनआईएफ की 75 प्रतिशत वार्षिक आय चुनिंदा सामाजिक क्षेत्र की ऐसी योजनाओं पर खर्च की जाएगी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा देंगी। वार्षिक आय की बाकी 25 प्रतिशत राशि सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों की निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा करने में लगाई जाएगी, जो मुनाफा कमाते हों, अथवा जिनके पुनर्जीवित किए जाने पर अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना हो। इससे ये उद्यम विस्तार/विवधीकरण के लिए धन जुटाने के वास्ते पूंजी आधार बढ़ा सकेंगे।

31 मार्च, 2008 के अनुसार इस कोष के तहत संचित धन 1651 करोड़ रुपये है। 31 मार्च, 2008 के अनुसार इस कोष के तहत संचित धन 1651 करोड़ रुपये है।

2004-05 के दौरान सरकार ने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 10 रुपये प्रत्येक के 43.29 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री से 2,684.07 करोड़ रुपये, आईपीसीएल के कर्मचारियों के शेयरों की बिक्री से 64.81 करोड़ रुपये और ओएनजीसी के बिक्री प्रस्ताव की बकाया राशि के रूप में 15.99 करोड़ रुपये वसूल किए।

2005-06 के दौरान जनवरी 2006 में सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड में अपनी 18.28 प्रतिशत हिस्सेदारी में से 8 प्रतिशत शेयरों की बिक्री से 1,567.60 करोड़ रुपये वसूल किए। ये शेयर सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों और बैंकों को बेचे गए। औसत वसूली 678.24 प्रति शेयर रही। मार्च, 2006 में सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड में 31,507 इक्विटी शेयरों की बिक्री से 2.08 करोड़ रुपये और प्राप्त किए। ये शेयर 660 रुपये प्रति शेयर की दर से मारुति उद्योग लिमिटेड के अधिकारियों/कर्मचारियों को बेचे गए।

मारुति उद्योग लिमिटेड में बकाया 10.27 प्रतिशत सरकारी शेयरों की बिक्री मई 2007 में विभेदक मूल्य पद्धति के जरिए भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, और भारतीय म्युचुअल फंडों को की गयी। इस बिक्री से सरकार को 2366.94 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। प्रति शेयर औसतन प्राप्ति 797.49 रुपये थी।

सरकार की कुल परिसम्पत्ति में से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के पांच प्रतिशत प्री-इश्यू पेड अप इक्विटी का 10 प्रतिशत के बराबर नयी इक्विटी समेत कंपनी के आरंभिक पब्लिक आफरिंग का निवेश किया गया। ये इश्यू सितंबर 2007 में बेचे जाने के लिये खोले गये। अक्टूबर, 2007 में सरकार ने पांच प्रतिशत इक्विटी की बिक्री से 994.82 करोड़ रुपये अर्जित किए।

सरकार की परिसम्पत्ति में से भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के दस प्रतिशत प्री-इश्यू पेड अप इक्विटी का निवेश किया गया।

पूंजी बाजार प्रभाग

पूंजी बाजार प्रभाग प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की सुरक्षा संबंधी नीतियां बनाने के लिए जिम्मेदार है और प्रतिभूति बाजार के लिए नियम बनाने तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए भी उत्तरदायी है। विशेषतः यह जिम्मेदार है : (क) प्रतिभूति बाजार में संस्थानिक सुधार, (ख) नियामक और बाजार संस्थानों के निर्माण, (ग) निवेशक सुरक्षा प्रक्रिया मजबूत करने तथा (घ) प्रतिभूति बाजारों के लिए शक्तिशाली वैधानिक ढांचा मुहैया कराने के लिए। इसी के परिणामस्वरूप प्रभाग सिक्युरिटीज कांटेक्ट्स (रेग्युलेशन) एक्ट, 1956, सिक्युरिटीज ऐंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, 1992 तथा डिपोजिटरीज एक्ट, 1996 का प्रशासन देखता है।

वर्ष 2005-06 के दौरान उठाए गए कदम

(क) प्राथमिक बाजार

- (i) सेबी ने बुकबिल्ट निर्गमों से संबंधित शेयरों के आवंटन संबंधी प्रकटीकरण और निवेश संरक्षण (डीआईपी) दिशा-निर्देश 2000 में संशोधन किया। इसके द्वारा म्यूचल फंड के लिए 5 प्रतिशत का विशेष आवंटन, क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बर्इयर्स (क्यूआईबी) और क्यूआईबी के लिए मार्जिन आवश्यकता के समानुपाती आवंटन को पहली बार लागू किया गया।

- (ii) नियमित आधार पर फ्लोटिंग स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करने और निरंतर सूचीबद्धता के उद्देश्य हेतु एकरूपता बनाए रखने के लिए सेबी (डीआईपी) दिशानिर्देश, 2000 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। जिसमें कुछ अपवादों को छोड़कर सभी सूचीबद्ध कंपनियों में सार्वजनिक हिस्सेदारी कम से कम 25 प्रतिशत रखने का प्रावधान किया गया।
- (iii) निवेशकों की सहायता करने की दिशा में खासकर खुदरा निवेशकों के लिए निर्गमों के विकल्प पर रेटिंग एजेंसी द्वारा आईपीओ को श्रेणीबद्ध करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी।
- (iv) प्रकटीकरण आवश्यकताओं को युक्तिसंगत बनाने की दिशा में, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी राइट्स निर्गम और पब्लिक निर्गम के मामले में विशाल और दोहराव प्रकटीकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
- (v) कंपनियों को यह सलाह दी गई कि वे 31 दिसंबर, 2005 तक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सहित कॉर्पोरेट प्रशासन पर सूचीबद्धता समझौते की (संशोधित) धारा 49 का पालन करें।

(ख) द्वितीयक बाजार

- (i) तीव्र और निर्बाध धन वापसी सुनिश्चित करने के वास्ते सार्वजनिक निर्गमों से प्राप्त धन वापसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) सुविधा बढ़ाने का फैसला लिया गया। शुरुआत में ये सुविधा उन 15 केंद्रों पर शुरू की गई जिनका प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक के हाथ में था।
- (ii) बाजार को प्रभावित किए बिना बड़ा कारोबार चलाने के लिए कुछ निश्चित परिस्थितियों के अधीन थोक सौदों के लिए एक अलग ट्रेडिंग विंडो मुहैया कराने के वास्ते स्टॉक एक्सचेंजों को अनुमति दी गई। बीएसई और एनएसई ने इस विंडो को 14 नवंबर, 2005 से शुरू किया।
- (iii) सेबी ने संग्रह संस्थानों/डीपी को ऐसी स्थिति में कोई कर न लगाने की सलाह दी जब कोई बेनीफिशियरी ओनर (बीओ) अपने खाते में पड़ी सभी प्रतिभूतियों को उसी संग्रह संस्थान/डीपी की किसी दूसरी शाखा में स्थानांतरित करता है या उसी संग्रह संस्थान की अन्य डीपी को अथवा अन्य डिपोजिटरी, ट्रांसफेर डीपी में दिया गया बीओ खाता और ट्रांसफेरर डीपी एक और वही है।
- (iv) कारोबार की शुरुआत में बाजार के इतर कारोबार रोकने के लिए सेबी ने डिपोजिटरीज को सलाह दी कि आईपीओ के मामलों में प्रतिभूतियों की आईएसआईएम स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार प्रारंभ करने की तारीख को ही सक्रिय करनी चाहिए।
- (v) पांच लाख और उससे ऊपर की कारोबारी राशि के लिए एमएपीआईएन दिशा-निर्देशों के तहत यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (बायोमेट्रिक इम्प्रेशन के साथ) प्राप्त करने के लिए पंजीकरण चरणों में फिर से शुरू करने का फैसला किया गया।
- (vi) आईओएससीओ सीपीएसएस कार्यबल सिफारिशों के अनुकूल बंदोबस्त प्रणाली को सुचारु करने के वास्ते ये आदेश दिया गया कि स्टॉक एक्सचेंज में किए गए सभी लेने देन स्टॉक एक्सचेंज के समाशोधन निगम/समाशोधन हाउस के माध्यम से अनिवार्य रूप से सुलझाए जाएं।
- (vii) स्टॉक एक्सचेंज के निगमीकरण और डीम्युचुराइजेशन को तेज करने के वास्ते वर्ष 2005-06 के दौरान सेबी ने 19 स्टॉक एक्सचेंजों की सीएंडडी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर उन्हें अधिसूचित किया। एनएसई और ओटीसीआई को सीएंडडी योजनाओं को दाखिल करने से छूट दी गई क्योंकि ये पहले से ही निगमीकृत और डीम्युचुराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के रूप में अधिसूचित थे।

- (viii) वर्ष 2006-07 के लिए ऋण प्रतिभूतियों में एफआईआई निवेश के लिए संचयी ऋण निवेश सीमा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों (ईसीबी) की कुल सीमा के भीतर बढ़ाने का संशोधन किया गया है। जबकि ट्रेजरी बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) की सीमा 1.75 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 2.0 बिलियन अमरीकी डालर कर दी गई। इसी तरह निगमित ऋण 0.5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 1.5 बिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया।
- (ix) कॉरपोरेट पुनर्संरचना के लिए लचीलापन प्रदान करने के वास्ते, सेबी (सबस्टेंसियल अक्विजीशन ऑफ शेयर्स ऐंड टेकओवर्स) रेग्युलेशन, 1997 संशोधित किया जा रहा है ताकि बाजार खरीदारी और बड़ी खरीदारों पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जा सके। अधिग्रहण के मामले में बाहरी शेयर धारक आने वाले या अधिग्रहण करनेवाले को अपने सभी शेयर बेच सकता है। यद्यपि, यदि लक्षित कंपनी की न्यूनतम शेयरधारिता तय न्यूनतम सीमा से नीचे रहती है तो पुनर्स्थापना सूचीबद्धता समझौते को संशोधित धारा 40ए द्वारा तय किए ढांचे के जरिए ही होनी चाहिए।
- (x) मौजूदा ढांचे को सरल बनाने के लिए सेबी (डीलिस्टिंग ऑफसिक्युरिटीज) दिशा-निर्देश, 2003 में संशोधन किए गए ताकि स्टॉक एक्सचेंजों के लिए सूचीबद्धता समझौते का पालन न करने वाली कंपनियों के शेयरों को सूची से निकालना आसान हो जाए।

(ग) सामूहिक निवेश योजना

- (i) म्युचुअल फंडों को एफआईआई की तरह गौण बाजार (डेरिवेटिव मार्केट) में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई।
- (ii) सेबी (म्युचुअल फंड्स) रेग्युलेशन, 1996 को संशोधित कर 12 जनवरी, 2006 को एक अधिसूचना जारी कर कुछ निवेश सीमाओं के साथ गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडडफंड्स (जीईओएफ) को शुरू करने की म्युचुअल फंड को अनुमति दी गई।
- (iii) एडीआर, जीडीआर और विदेशी प्रतिभूतियों में म्युचुअल फंडों को निवेश करने की अनुमति दी गई। यदि ऑफर दस्तावेज में इसकी जानकारी नहीं दी गई तो म्युचुअल फंडों को प्रस्तावित निवेश के बार में निवेशकों को लिखित सूचना देने की सलाह दी गई।
- (iv) वेंचर कैपिटल फंडों को आरबीआई और सेबी से समय-समय पर जारी शर्तों के अनुसार विदेशी कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई।

विदेशी वाणिज्यिक ऋण

भारतीय कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को अपनी वर्तमान क्षमता विस्तार और ताजा निवेश, घरेलू रूप में उपलब्ध संसाधनों को बढ़ावा देने लिए धन के अतिरिक्त स्रोत के रूप में बाहरी वाणिज्यिक ऋणों (ईसीबी) की अनुमति दी जा रही है। ई.सी.बी. के अंतर्गत वाणिज्यिक ऋण [बैंक ऋण, क्रेता ऋण, आपूर्तिकर्ता ऋण, सिक्युरिटाइज्ड इंस्ट्रुमेंट्स (जैसे फ्लोटिंग रेट नोट्स और नियत दर बांड्स) के रूप में] शामिल हैं जो अनिवासी ऋण दाताओं से 3 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता के साथ प्राप्त किए जाते हैं। ई सी बी समग्र वार्षिक सीमा के भीतर, विवेक पूर्ण ऋण प्रबंधन के अनुरूप, देश की भुगतान संतुलन की स्थिति और विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर को ध्यान में रखकर मंजूर किए जाते हैं।

मौजूदा बृहत् आर्थिक स्थिति, विदेशी पूंजी क्षेत्र की चुनौतियों और ई सी बी नीति के संचालन में अब तक प्राप्त अनुभवों को देखते हुए रिजर्व बैंक के परामर्श से इस नीति की निरंतर समीक्षा की जाती

है। हाल के महीनों की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने 3 जून, 2005 तथा जनवरी 2006 को ईसीबी नीति की घोषणा की।

ईसीबी दो मार्गों से हासिल किए जा सकते हैं : (i) स्वतः मंजूरी मार्ग और (ii) मंजूरी मार्ग। भारत में रीयल सेक्टर—यानी औद्योगिक क्षेत्र, विशेषकर बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के लिए ई सी बी स्वतः मंजूरी मार्ग के अंतर्गत आते हैं अर्थात् उनके लिए रिजर्व बैंक/सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। पात्र उधारकर्ता द्वारा लिए जाने वाले ई सी बी की अधिकतम सीमा स्वतः मंजूरी मार्ग के अंतर्गत 50 करोड़ अमरीकी डालर, प्रति वित्त वर्ष है। स्वतः मंजूरी मार्ग के अंतर्गत निम्नांकित की अनुमति है : (क) न्यूनतम 3 वर्ष की औसत परिपक्वता अवधि के साथ दो करोड़ अमरीकी डालर या समकक्ष राशि तक ई सी बी, (ख) न्यूनतम 5 वर्ष की औसत परिपक्वता अवधि के साथ 2 करोड़ से अधिक और 50 करोड़ अमरीकी डालर तक ई सी बी।

स्वतः मंजूरी मार्ग के दायरे से बाहर आने वाले सभी मामले रिजर्व बैंक की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा निबटाए जाएंगे।

पात्र उधारकर्ता

मौजूदा नीति के तहत कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत कंपनियां, ई सी बी जुटाने की पात्र हैं परन्तु इनमें वित्तीय माध्यम जैसे बैंक, वित्तीय संस्थान, आवास वित्त कंपनियां और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां शामिल नहीं हैं। बाद में लघु वित्त गतिविधियों में लगे गैर सरकारी संगठनों को स्वीकृत उद्देश्य के लिए किसी एक वित्त वर्ष में 50 लाख अमरीकी डालर तक ई सी बी की अनुमति स्वतः मंजूरी मार्ग के तहत दी गई। सेक्टर में निर्माण गतिविधियों में लगी बहुराज्य को-ऑपरेटिव सोसाइटियां वित्तीय क्षमता और ऑडिट बैलेंस शीट के साथ स्वीकृत मार्ग के तहत विदेशी वाणिज्यिक ऋण प्राप्त कर सकती हैं। रिजर्व बैंक द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं : (क) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ढाचांगत परियोजनाओं में काम आने वाले बुनियादी उपकरणों के आयात के लिए बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, प्रतिष्ठित क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों, अधिकृत निर्यात एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से स्वतः मंजूरी मार्ग के तहत न्यूनतम 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले ई सी बी की अनुमति दी गई। (ख) आवास वित्त कंपनियों द्वारा ऐसे विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड्स के माध्यम से स्वतः मंजूरी मार्ग के जरिए धन उगाहने की अनुमति होगी, जो रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित सुदृढ़ वित्तीय मानदंड पूरे करते हों।

जैसा कि ऊपर बताया गया है पात्र उधारकर्ता के अंतर्गत वर्णित गैर सरकारी संगठनों को छोड़कर व्यक्ति, न्यास और मुनाफा कमाने वाले संगठन ई सी बी से धन जुटाने के पात्र नहीं हैं।

बुनियादी ढांचे या निर्यात वित्त से विशेष रूप से जुड़े वित्तीय संस्थानों, जैसे आई डी एफ सी, आई एल एंड एफ एस, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन, पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन, इस्कॉन और एक्जिम बैंक, को प्रत्येक मामले के मूल्यांकन के आधार पर मंजूरी मार्ग से ई सी बी की अनुमति देने पर विचार किया जाता है।

सरकार द्वारा कपड़ा अथवा इस्पात क्षेत्र के मंजूर किए गए पुनर्निर्माण पैकेज में योगदान करने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पुनर्निर्माण पैकेज में योगदान करने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों को पैकेज में उनके निवेश की सीमा और रिजर्व बैंक द्वारा विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किए गए मूल्यांकन के अनुसार ई सी बी जुटाने की अनुमति है। इस प्रयोजन के लिए अभी तक जुटायी गई ई सी बी राशि उनकी पात्रता में से घटा दी जाती है।

मान्यता प्राप्त ऋण दाता : उधारकर्ता अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त स्रोतों जैसे (i) अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार, बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान (जैसे आई एफ सी, ए डी बी, सी डी सी, आदि), (ii) निर्यात क्रेडिट एजेंसियां और (iii) उपकरण आपूर्तिकर्ताओं, विदेशी भागीदारों और विदेशी इक्विटी धारकों से ई सी बी (विदेशी वाणिज्यिक ऋण) प्राप्त कर सकते हैं।

ब्याज दर प्रसार : सभी विदेशी वाणिज्यिक ऋण तत्संबंधी मुद्रा या संबद्ध बेंचमार्क (जो भी लागू हो) के लिए छह महीने के लाइबोर—यानी लंदन अंतः बैंक पेशकश दर पर निर्मांकित अधिकतम ब्याज दर प्रसार के अधीन होंगे :

न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि

6 महीने के लाइबोर पर सभी भीतरी लागत सीमाएं*

3 वर्ष से 5 वर्ष तक

200 आधार अंक

5 वर्ष से अधिक

350 आधार अंक

* 'सभी भीतरी लागत' सीमाओं में ब्याज दर, विदेशी मुद्रा में अन्य शुल्क और खर्च शामिल हैं, परंतु वायदा शुल्क, पूर्व भुगतान शुल्क और भारतीय रुपये में देय शुल्क शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त 'सभी भीतरी लागत' की गणना करते समय भारतीय रुपये में विदहोलिंडिंग टैक्स के भुगतान को भी बाहर रखा गया है।

लक्ष्य-उपयोग : स्वीकार्य लक्ष्य-उपयोग/प्रतिबंध नीचे स्पष्ट किए गए हैं : (क) भारत में इसीबी केवल वास्तविक क्षेत्र—यानी औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) और बुनियादी ढांचा क्षेत्र शामिल है, में निवेश (जैसे पूंजीगत सामान का आयात, नई परियोजनाएं, मौजूदा उत्पादन इकाइयों का आधुनिकीकरण/विस्तार) के लिए प्राप्त किया जा सकता है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में (i) बिजली, (ii) दूरसंचार, (iii) रेलवे (iv) पुलों सहित सड़कें, (v) बंदरगाह (समुद्री और हवाई दोनों), (vi) औद्योगिक परिसर और (vii) शहरी ढांचा (जलापूर्ति, स्वच्छता और मल व्ययन परियोजनाएं) शामिल हैं, (ख) इसीबी से प्राप्त राशि का इस्तेमाल विदेश में प्रत्यक्ष भारतीय निवेश संबंधी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अधीन विदेश में संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में किया जा सकता है, (ग) इसीबी से प्राप्त राशि का उपयोग विनिवेश प्रक्रिया में प्रथम चरण के शेयर खरीदने के लिए करने की अनुमति है। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के शेयर बेचे जाने के अंतर्गत दूसरे चरण में लोगों के लिए अनिवार्य प्रस्ताव के तहत शेयर खरीदने में भी इसीबी के इस्तेमाल की अनुमति है, (घ) इसीबी से प्राप्त राशि का उपयोग कंपनियों द्वारा पूंजीबाजार में निवेश करने अथवा उधार देने के लिए करने की अनुमति नहीं है, ऊपर वर्णित मामले इसका अपवाद हैं, (ङ) इसीबी से प्राप्त राशि का इस्तेमाल भू-संपदा क्षेत्र में करने की अनुमति नहीं है, 'भू-संपदा' के अंतर्गत नगरों का विकास, आवास, निर्मित ढांचा और निर्माण-विकास परियोजनाएं शामिल नहीं हैं। इस बात का खुलासा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग की एस आई ए (एफसी डिवीजन), की प्रेस विज्ञप्ति संख्या-3 (2002 शृंखला) दिनांक 4 जनवरी, 2002 में किया गया है, (च) इसीबी का इस्तेमाल कार्यशील पूंजी, सामान्य कंपनी प्रयोजन और मौजूदा रुपया ऋण के पुनर्भुगतान के लिए करने की अनुमति नहीं है।

गारंटी : इसीबी के बारे में बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा गारंटी, स्टैंडबाइ लैटर आफ क्रेडिट, लैटर आफ अंडरटेकिंग अथवा लैटर आफ कम्फर्ट जारी किए जाने की अनुमति सामान्यतः नहीं है। लघु और मध्यम उद्यमों के मामले में गारंटी/स्टैंडबाइ लैटर आफ क्रेडिट अथवा लैटर आफ कम्फर्ट जारी करने के बैंकों, वित्तीय संस्थानों के आवेदनों पर प्रगतिशील मानदंडों के अधीन गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

विदेश में ईसीबी राशि को रखना : भारत में वास्तविक आवश्यकता पड़ने तक ईसीबी राशि को विदेश में रखा जाना चाहिए।

पूर्वभुगतान : प्रारंभिक दिशा निर्देशों के तहत 10 करोड़ अमरीकी डालर तक ईसीबी राशि का पूर्वभुगतान रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना किया जा सकता है। इसके लिए ऋण पर लागू न्यूनतम निर्धारित औसत परिपक्वता अवधि का अनुपालन अनिवार्य होता है। यह राशि अब बढ़ाकर 20 करोड़ अमरीकी डालर करने का फैसला किया गया है, बशर्ते उसकी औसत परिपक्वता अवधि पांच वर्ष हो। 20 करोड़ अमरीकी डालर से अधिक राशि के ईसीबी, जिसकी न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि 3-5 वर्ष हो, का पूर्वभुगतान मंजूरी मार्ग द्वारा किया जाएगा।

मौजूदा ईसीबी का पुनर्वित्त : कम लागत पर नया ईसीबी उठाकर मौजूदा ईसीबी के पुनर्वित्त की अनुमति है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि मूल ऋण की बकाया परिपक्वता बनाये रखी जाएगी।

विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड्स (एफसीसीबीज) : ईसीबी की नीति सभी प्रकार के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड्स पर भी लागू है, परंतु आवास वित्त कंपनियों के मामले में यह नीति लागू नहीं होगी, जिसके लिए मानदंड रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित किए जायेंगे।

ईसीबी दिशा निर्देशों में संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत विनियमों/निर्देशों के अधिसूचित होने की तारीख से प्रभावी हो गया है।

जैसा कि 2006-07 के बजट में घोषित किया गया है, सरकारी प्रतिभूतियों में एफआईआई की सीमा 1.75 बिलियन डालर से बढ़ाकर 2 बिलियन डालर कर दी गई है और निगम ऋण में एफआईआई की सीमा 0.5 बिलियन डालर से 1.5 बिलियन डालर तक बढ़ा दी गई है। जबकि दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों के मामले में दोनों मार्गों अर्थात् शत-प्रतिशत ऋण मार्ग और 70:30 के अनुपात वाले सामान्य ऋण मार्ग लागू होगी। निगमित ऋण में एफआईआई निवेश 1.50 बिलियन अमरीकी डालर की भीतरी उपसीमा ऊपर हो जाएगी और सरकारी ऋण के लिए ये उप-सीमा 2 बिलियन अमरीकी डालर होगी। विदेशी संस्थागत निवेश की अधिकतम सीमा सरकारी प्रतिभूतियों और निगमित ऋण में भी प्रतिमोच्य नहीं होगी। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश सीमा सहित विदेशी वाणिज्यिक ऋणों की कुल सीमा वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए आरबीआई की सिफारिशों के आधार पर 15 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 18 बिलियन अमरीकी डालर कर दी गई है।

पेंशन सुधार

23 अगस्त, 2003 को सरकार ने पहले चरण में सशस्त्र सेनाओं को छोड़कर केंद्र सरकार की सेवा में भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान के आधार पर एक नई पेंशन योजना लागू करने का फैसला किया। यह योजना मौजूदा परिभाषित लाभ प्रणाली के स्थान पर लागू की गई। तत्पश्चात् 22 दिसंबर, 2003 को जारी अधिसूचना के जरिए नई पेंशन प्रणाली एक जनवरी, 2004 से लागू हो गई। 10 अक्टूबर, 2003 को एक सरकारी संकल्प के जरिए सांविधिक नियामक के पूर्वगामी के रूप में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) का गठन किया गया, जिसने 1 जनवरी, 2004 से काम प्रारंभ कर दिया। पेंशन क्षेत्र के लिए कानूनी स्वरूप प्रदान करने के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अंतर्गत एक विधेयक 21 मार्च, 2005 को संसद में पेश किया गया जिसे बाद में वित्त संबंधी स्थायी समिति को सौंप दिया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 26 जुलाई

2005 को संसद में रखी। समिति की सिफारिशों पर गौर करने के बाद, समिति की सिफारिशों के आधार पर पीएफआरडीए अध्यादेश में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विधेयक के प्रस्ताव के मुताबिक पीएफआरडीए का मुख्य कार्य नई पेंशन प्रणाली को नियंत्रित करना है जिसे केंद्र सरकार ने समय-समय पर संशोधित किया है। पेंशन योजनाएं पहले ही कर्मचारी भविष्यनिधि और विविध प्रावधान अध्यादेश, 1952 के अंतर्गत आती हैं और अन्य अधिनियमन एनपीएस के ढांचे से विशेष रूप से अलग रहेंगी जिसमें सीआरए और पेंशन फंड शामिल हैं। आगे, अध्यादेश में ये भी प्रावधान है कि पेंशन फंड के लिए निवेश दिशा-निर्देश पीएफआरडीए बनाएगा। पीएफआरडीए को अधिकार होगा कि पेंशन कानून का उल्लंघन होने पर कड़े दंड की व्यवस्था करे। नियामक एक विशेष कोष की भी स्थापना करेगा जिसका इस्तेमाल कर्मचारियों को पेंशन फंड योजनाओं के बारे में शिक्षित करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए किया जाएगा। पेंशन सुधार से संबंधित प्रेस विज्ञप्तियां और अधिसूचनाएं वित्त मंत्रालय की वेबसाइट www.finmin.nic.in से प्राप्त की जा सकती हैं।

गैर-सरकारी भविष्यनिधियों, सेवानिवृत्त निधि और निवेश राशि संबंधी दिशानिर्देश : वित्त मंत्रालय गैर सरकारी भविष्य निधियों, सेवानिवृत्त निधियों और ग्रेच्युटी निधियों के लिए निवेश तरीकों को अधिसूचित करता है। मंत्रालय द्वारा 24 जनवरी, 2005 को अधिसूचित निवेश नमूने में व्यवस्था दी गई है कि ऐसी निधियों द्वारा इंक्रोमेंटल एक्जीशन निम्न प्रकार से निवेश करना चाहिए :

- 40 प्रतिशत केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में और/अथवा सेबी द्वारा दिशा-निर्देशित स्वर्ण निधियों की यूनितों में तथा केंद्र/राज्य सरकार या अन्य राज्य सरकार द्वारा पूर्ण और बिना शर्त गारंटीशुदा अन्य सौदेवाली प्रतिभूतियों में, ट्रस्ट का प्रदर्शन किसी व्यक्तिगत स्वर्ण निधि में किसी भी समय अपने समग्र पोर्टफोलियों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- 25 प्रतिशत सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बॉन्ड्स/प्रतिभूतियों में, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शामिल हैं जिनको कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त हुई हो, और/अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी तीन वर्ष तक की मियादी जमा प्राप्तियां, और भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड और आरबीआई द्वारा स्वीकृत समानांतर ऋणों तथा उधारी दायित्वों में निवेश।
- इसके अलावा अन्य 30 प्रतिशत ट्रस्टी के निर्णयानुसार उपर्युक्त श्रेणियों में निवेश किया जा सकता है। इसका 10 प्रतिशत तक कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण संस्थानों में निवेश किया जा सकता है और/अथवा सेबी द्वारा दिशा निर्देशित म्यूचल फंडों की इक्विटी लिंकड योजनाओं में।
- पांच प्रतिशत तक उन कंपनियों के शेयरों में जिन्हें कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से निवेश ग्रेड ऋण रेटिंग मिली हुई हो।

वित्त मंत्रालय द्वारा 24 जनवरी, 2005 को अधिसूचित निवेश नमूने मंत्रालय की वेबसाइट www.finmin.nic.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग : अप्रैल 2006 में एस एंड पी ने भारत की दीर्घावधि विदेशी मुद्रा रेटिंग बीबी+(स्थिर दृष्टिकोण सहित) से बीबी +(सकारात्मक दृष्टिकोण) प्रदान की। मूडी ने वर्ष 2006 के लिए विदेशी मुद्रा रेटिंग पिछले वर्ष से बीएए 3 (स्थिर दृष्टिकोण) पर पुनःपुष्टि की जबकि फिच की वर्तमान रेटिंग स्थिर दृष्टिकोण के साथ बीबीबी है।

संयुक्त उद्यमों में प्रत्यक्ष भारतीय निवेश/विदेश में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों/द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन एवं संरक्षण समझौता (बीआईपीए) :

भारतीय निवेश संबंधी नीति को पिछले वर्षों में निरंतर उदार बनाया गया है। इससे भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में पूंजीनिवेश में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। उदारीकृत नीति का लक्ष्य भारतीय उद्योग को नये बाजारों और प्रौद्योगिकियों तक पहुंच कायम करने में सक्षम बनाना है, ताकि वैश्विक स्तर तक उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

इस नीति को और उदार बनाया गया ताकि भारतीय कंपनियां नेपाल और भूटान में भारतीय रुपये के अतिरिक्त आसानी से परिवर्तनीय मुद्रा में निवेश कर सकें। नेपाल और भूटान में किए गए निवेश से अर्जित ब्याज/लाभांश/मुनाफा अंशदान भारतीय रुपये के अतिरिक्त मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में लेने की अनुमति दी गयी है।

विदेश में स्वीकृत प्रत्यक्ष भारतीय निवेश में चार गुणा बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 1996-97 में तत्संबंधी 290 प्रस्ताव मंजूर किए गए थे। यह संख्या 2003-04 में बढ़कर 1229 हो गयी। इसी अवधि में मंजूर किए गए निवेश के मूल्य में भी ढाई गुणा बढ़ोतरी हुई है, जो 55.7 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर 145 करोड़ अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया। वर्ष 2004-05 (अप्रैल से नवंबर 2004) के दौरान 793 प्रस्ताव मंजूर किए गए, जिनमें 98.7 करोड़ अमरीकी डॉलर के निवेश की पेशकश की गयी थी।

वर्ष के दौरान साइप्रस, बहरीन, इंडोनेशिया और यमन के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन एवं संरक्षण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। सऊदी अरब, उरुग्वे, कनाडा, लातविया और सार्क देशों के साथ ऐसा समझौता करने के बारे में बातचीत आयोजित की गयी। कुल मिलाकर अभी तक 57 देशों के साथ ऐसे समझौते किए जा चुके हैं, जिनमें से 47 की पुष्टि हो चुकी है और अन्य पुष्टि किए जाने के विभिन्न चरणों में हैं।

एडीआर/जीडीआर/एफसीसीबी निर्गम

वर्ष 1992/1993 के दौरान एक योजना शुरू की गई जिसके तहत भारतीय निगम क्षेत्र को ग्लोबल डिपॉजिटरी मैकेनिज्म के अंतर्गत विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी)/इक्विटी शेयरों के जरिए वैश्विक पूंजी बाजार तक पहुंच बनाने की अनुमति प्रदान की गई।

दिशा-निर्देशों में उदारीकरण पर समय-समय पर घोषणाएं की गई हैं और वर्तमान में जो पहल की गई हैं वे इस प्रकार हैं :

- एफसीसीबी/एडीआर/जीडीआर जारी करने वाली सूचीबद्ध कंपनियों के लिए घरेलू पूंजी निर्गमों पर सेबी के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इन्हीं के साथ कीमत संबंधी दिशा-निर्देश लाए गए।
- एफसीसीबी/एडीआर/जीडीआर जारी करने वाली गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए भी घरेलू स्टॉक एक्सचेंजों में पहले या उसी समय सूचीबद्ध होना आवश्यक है।
- एडीआर/जीडीआर/एफसीसीबी जारी कर चुकी गैर सूचीबद्ध कंपनियों को 31 मार्च, 2006 तक घरेलू स्टॉक बाजार में सूचीबद्ध होना है। यद्यपि, 22 मई, 1998 की शर्तों के अनुसार जिन कंपनियों ने एफसीसीबी, एडीआर/जीडीआर प्राप्त किए हैं, और लाभ नहीं कमा रही हैं उन्हें लाभ

में आने के तीन वर्षों के भीतर घरेलू स्टॉक एक्सचेंज की सूचीबद्धता शर्तों के पालन करने की शर्त पर अनुमति होगी। हालांकि घरेलू स्टॉक एक्सचेंजों में पहले बिना सूचीबद्ध हुए ऐसी कंपनियों को नए एफसीसीबी, एडीआर/जीडीआर जारी करने की अनुमति नहीं होगी।

- एडीआर/जीडीआर को और युक्तिसंगत बनाने के लिए सरकार ने उन कंपनियों को संशोधित कीमत दिशा-निर्देशों की आवश्यकता से छूट दे दी जो घरेलू बाजार में प्रस्ताव ला रही हैं और साथ-साथ या अचानक एडीआर/जीडीआर निर्गमों के जरिए प्रस्ताव ले आती हैं (घरेलू निर्गम के 30 दिनों के भीतर) जहां जीडीआर/एडीआर घरेलू कीमत पर या उससे ऊपर रखे हुए हैं।
- वे भारतीय गैर-सूचीबद्ध कंपनियां जिन्होंने 31 अगस्त, 2005 से पहले एफसीसीबी, एडीआर/जीडीआर जारी किए थे और ये लाभ नहीं कमा रही हैं, उनको भी मौजूदा शेयरों के मुकाबले ऐसे निर्गम प्रायोजित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई और लाभ कमाने के तीन वर्षों के अंदर घरेलू स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्धता शर्तों का अनुपालन करने की अनुमति दी गई।

विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश : विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश आकर्षित करने की एक योजना सितम्बर, 1992 से चलायी जा रही है, इस योजना के अंतर्गत पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, निवेश न्यासों, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों, नामित कंपनियों और निगमित/संस्थागत पोर्टफोलियो प्रबंधकों या उनके मुख्तारनामा धारकों सहित विदेशी संस्थागत निवेशकों को प्राथमिक और गौण बाजारों में खरीदफरोख्त की जाने वाली सभी प्रतिभूतियों में, और साथ ही असूचीबद्ध कंपनियों में भी निवेश की अनुमति है। ऐसी प्रतिभूतियों में ऐसे शेयर, डिबेंचर और कंपनियों द्वारा जारी वारंट शामिल हैं, जो भारतीय शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हों/या सूचीबद्ध किए जा रहे हों। इसके अतिरिक्त इनमें घरेलू म्यूचुअल फंड्स द्वारा चलायी जाने वाली योजनाएं भी शामिल हैं।

ऐसे पोर्टफोलियो निवेश में विदेशी संस्थागत निवेशक नीचे दी गयी निवेश सीमाओं के अनुसार निवेश कर सकते हैं :

(i) एकल एफ आई आई/उप-खाता : किसी कंपनी में जारी और चुकता पूंजी का 10 प्रतिशत।

(ii) सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों का कुल निवेश : किसी कंपनी में जारी और चुकता पूंजी का 24 प्रतिशत, जिसे संबद्ध भारतीय कंपनियों द्वारा क्षेत्रगत सीमा/विधिविहित सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए संबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करना होगा और उसके बाद सामान्य सभा द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा।

लाहिरी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की। इस समिति का गठन निर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया गया था, जिनमें विदेशी संस्थागत निवेशक पोर्टफोलियो निवेश के लिए प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश की कोई क्षेत्रगत सीमा न हो। सभी क्षेत्रों पर सामान्य रूप से लागू होने वाली सिफारिशों के अतिरिक्त समिति ने कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष सिफारिशें भी की हैं। समिति की रिपोर्ट व्यापक सम्प्रेषण के लिए मंत्रालय की वेबसाइट (www.finmin.nic.in) पर प्रदर्शित की गयी है। सिफारिशों को लागू करने के लिए संबद्ध विभाग के साथ अलग से सलाह मशविरा शुरू किया गया है।

राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान

भारत सरकार ने लेखा सेवाओं के गुप 'ए' से संबद्ध प्रशिक्षणार्थियों को सीधे तौर पर प्रशिक्षण देने के

वास्ते 1993 में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान के रूप में राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) की स्थापना की। केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री, व्यय विभाग, भारत सरकार के सचिव और विभिन्न लेखा सेवा विभागों के प्रमुख व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश बनाने वाली पंजीकृत सोसायटी के पदेन सदस्य हैं। इस समय यह संस्थान तीन दीर्घकालिक कार्यक्रम चला रहा है—लेखा सेवाओं के लिये नवनियुक्त प्रशिक्षणार्थियों के लिये 44 सप्ताह का पेशागत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सरकारी एकाउंट एवं आंतरिक आडिट में एक साल का डिप्लोमा पाठ्यक्रम और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सरकारी संगठनों के अधिकारियों के लिये बिजनेस प्रबंधन (वित्त प्रबंधन) में दो साल का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। इसके अलावा एनआईएफएम केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और विभिन्न देशों के अधिकारियों के लिये भी अल्पावधि पाठ्यक्रम चलाता है तथा विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेता है। एनआईएफएम भारत सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अन्य देशों के विभागों एवं संगठनों को परामर्श सेवायें भी प्रदान करता है।

कर्मचारी निरीक्षण इकाई

प्रशासनिक दक्षता और कामकाज प्रदर्शन मानदंडों तथा काम-काज के नियम-कायदों से जुड़े सरकारी संगठनों में कार्मिक प्रणाली (स्टाफिंग) के संबंध में कम खर्च को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1964 में कर्मचारी निरीक्षण इकाई (एसआईयू) की स्थापना की गयी थी। बदली हुई परिस्थितियों और सरकार की ओर से बेहतर प्रशासन एवं बेहतर सेवा आपूर्ति पर बल दिये जाने के मद्देनजर एसआईयू की भूमिका पुनर्परिभाषित की गयी। एसआईयू अब मंत्रालयों एवं स्वायत्त संगठनों को बेहतर संगठनात्मक संरचना/प्रक्रियाओं, संसाधनों के अधिकतम उपयोग और निगरानी एवं मापे जाने लायक परिणामों एवं विशिष्ट सेवा आपूर्तियों पर ध्यान केंद्रित करके संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने के काम में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने लगा है।

संस्थापना प्रभाग

केंद्र सरकार के वेतनभोगी कर्मचारियों की वित्त से जुड़ी सेवा शर्तों से संबद्ध सभी मामलों की देखभाल करने वाले तंत्र की धुरी का कार्य संस्थापना प्रभाग करता है। बुनियादी तौर पर इसमें निम्नलिखित बातें आती हैं:—वेतनमान संशोधित/नियत करना, वेतन और विभिन्न भत्ते निश्चित करना। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से वेतनमानों, वेतन वृद्धि, विभिन्न पदों के प्रतिनियुक्ति भत्ते और विभिन्न पदों की श्रेणियों के कांडर या संवर्ग संशोधन संबंधी जो प्रस्ताव इस प्रभाग को मिलते हैं, उनकी जांच समानता और काम की तुलना के अनुसार यहां की जाती है। इसके अलावा यह विभाग भारतीय लागत लेखा सेवा (आईसीएस) के संवर्ग प्राधिकरण के रूप में भी काम करता है और सतर्कता संबंधी काम भी देखता है। इस विभाग में मुख्य सचिव (प्रशासन), जो निदेशक (शिकायतों) के रूप में भी काम करता है, के प्रभार में एक सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र भी काम कर रहा है।

उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार इस प्रभाग में महिलाओं की शिकायतें दूर करने के लिए एक परिवाद समिति भी काम कर रही है।

योजना वित्त-I

योजना वित्त-I प्रभाग राज्यों के वित्त तथा राज्यों की वार्षिक योजनाओं से संबंधित मामलों को देखता है।

यह राज्यों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित उनकी वार्षिक योजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराता है। जिन अन्य योजनाओं के लिए यह प्रभाग वित्तीय सहायता देता है, उनमें जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन, पर्वतीय क्षेत्र/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम, राज्यों की अन्य निर्दिष्ट योजनाओं/परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता, राज्यों को विशेष योजना सहायता, अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम, सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम और 2005-06 के दौरान आई बाढ़ों में नष्ट हुई संपत्ति का दीर्घावधि पुनर्निर्माण शामिल हैं।

वर्ष 2008-09 की अवधि में आवंटित/जारी विभिन्न प्रकार की सहायता और वर्ष 2009-10 की अवधि में किए गए बजट प्रावधान का ब्योरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं	मद/योजना	2008-09 के लिए आवंटन (संशोधित अनुमान)	2008-09 के दौरान जारी राशि	2009-10 के लिए आवंटन (बजट अनुमान) 2009-10 के अंतरिम बजट के अनुसार
क.	योजना सहायता			
1.	राज्य योजनाओं के लिए सामान्य केंद्रीय सहायता	15993.50	15948.17	18272.37
2.	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	11007.94	10434.22	4,550.00
3.	अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए विशेष योजना सहायता	4705.14	4705.14	4,602.00
4.	अन्य निर्दिष्ट योजनाओं/परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	1443.40	1443.40	1481.00
5.	किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम के वास्ते अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	162.77	23.32	162.77
6.	त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम के लिए केंद्रीय सहायता	436.03	436.03	0.0
7.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए केंद्रीय ऋण सहायता	8501.94	8501.89	8700.00
8.	अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	4442.24	4442.24	5109.24

424

भारत-2010

9.	पर्वतीय क्षेत्र/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के लिए केंद्रीय सहायता	272.00	271.88	272.00
10.	सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए विशेष केंद्रीय सहायता	635.00	635.00	635.00
11.	राष्ट्रीय सम विकास योजना/ पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष	1130.00	1130.00	1130.00
12.	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना (एनईजीएपी)	469.37	284.21	469.37
13.	शहरी बुनियादी ढांचा और प्रशासन संबंधी उप मिशन के लिए एसीए (एसएमयूआईजी)	4400.37	4400.37	4686.69
14.	लघु और मध्यम कस्बों के लिए शहरी ढांचा विकास के वास्ते एसीए (यूआईडीएसएसएमटी)	3279.69	3279.69	2973.90
15.	शहरी निर्धनों को मूलभूत सेवाएं देने वाले उप-मिशन के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	1472.68	1472.68	2043.95
16.	समग्र आवास एवं झुग्गी-झोपड़ी विकास के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	1295.24	1295.24	1009.30
17.	सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम	1183.00	1182.68	336.98
18.	बृहत मुम्बई वर्षा जल निस्तारण परियोजना	100.00	100.00	200.00
19.	राष्ट्रमण्डल युवा खेल, पुणे	60.00	60.00	0.00
20.	दीर्घावधि पुनर्निर्माण योजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	1198.50	645.15	0.0
21.	पानी के खारेपन को दूर करने के संयंत्र हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	300.00	300.00	300.00

कुल**62488.81****60991.31****56934.57**

योजना वित्त-II प्रभाग

योजना वित्त-2 प्रभाग मुख्यतः केंद्रीय योजना से संबंधित मामले देखता है। पीएफ-2 प्रभाग वित्त मंत्रालय में एक खिड़की के रूप में कार्य करता है जोकि केंद्र सरकार की विकास गतिविधियों पर कड़ी नजर रखता है। यह निगरानी परियोजना स्तर और सचिवालय नीति स्तर पर रहती है। विकास योजनाओं

और परियोजनाओं के विषय में विकास खर्च की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके लिए बेहतर परियोजना व्यवस्था, प्रदर्शन वितरण पर जोर, प्रभाव मूल्यांकन, प्रेक्षणीकरण (मिशन प्लान) और समाभिरूपता जैसे उपायों का सहारा लिया जाता है।

ग्यारहवीं योजना अवधि के शुरू होने के साथ सरकार की वित्त पोषित योजनाओं/परियोजनाओं के निर्धारण, मूल्यांकन और अनुमोदन के लिये 15 नवंबर, 2007 को ओ.एम. संख्या 1(3)/पी.ई. 2/201 के अंतर्गत नये सिरे से जारी किये गये ताकि ये तेजी से बदलते आर्थिक वातावरण के अनुकूल हों, निवेश कार्यक्रमों को लागू करने के लिये मंत्रालयों/विभागों को अधिक अधिकार दिये जा सकें तथा समूची प्रक्रियाओं को अधिक कारगर एवं उत्तरदायी बनाया जा सके और इस तरह से सही समय पर सही और समुचित निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आये। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान लागू होने वाले ये दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट (www.finmin.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

01 जनवरी से 31 दिसंबर, 2008 के दौरान सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की 113 बैठकें हुईं जिनमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की कुल 2,58,670.25 करोड़ रुपये के 108 योजना निवेश प्रस्तावों/योजनाओं पर विचार किया गया। इस दौरान सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) की 14 बैठकें भी की गयीं और 49,233.84 करोड़ रुपये के कुल पूंजी व्यय की 13 परियोजनाओं को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गयी। उन परियोजनाओं की मंत्रालय/विभागवार सूची निम्नलिखित है जिन पर पीआईबी ने विचार किया:

क्र.स	मंत्रालय/विभाग	मंजूरी के लिए अनुशंसित परियोजनाओं की संख्या	लागत (करोड़ रुपये)
1.	जहाजरानी	2	919.25
2.	कोयला	3	1242.37
3.	विद्युत	5	30354.76
4.	नागरिक उड्डयन	2	2117.46
5.	शहरी विकास	1	14600.00
कुल		13	49233.84

योजना वित्त-II प्रभाग सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन ब्यूरो की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय पुनर्गठन का काम भी देखता है। यह प्रभाग खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी संबंधी मुद्दों को भी देखता है।

लेखा महानियंत्रक

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार केंद्र और राज्यों के लेखा इस रूप में रखे जाएंगे जैसी भारत के लेखा महानियंत्रक राष्ट्रपति को व्यवस्था देंगे। राष्ट्रपति का यह कार्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77(3) के तहत लेखा महानियंत्रक को सौंपा गया है। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) लेखा संबंधी मामलों में केंद्र सरकार का प्रमुख सलाहकार है और एक कुशल तथा स्वस्थ लेखा व्यवस्था और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की स्थापना और देखभाल के लिए उत्तरदायी है।

लेखा सिद्धांत और स्वरूप : सीजीए केंद्र और राज्य सरकारों के हिसाब-किताब के आम सिद्धांत और स्वरूप निर्धारित करता है तथा इनसे संबद्ध नियम एवं नियम पुस्तिकाएं बनाता है। इसी अधिकार

के सिलसिले में उन्हें लेखाकरण नियम, केंद्रीय लेखा (प्राप्ति एवं भुगतान) नियम, केंद्रीय कोष नियम, कोष के लेखाकरण नियम, राज्य के महालेखा अधिकारियों के लिए नियम, लेखा संहिता खंड-3, मुख्य और गौण लेखा शीर्षों की सूची, नागरिक लेखा नियम पुस्तिका, उच्चतम (सस्पेंस) नियम पुस्तिका, आहरण एवं संवितरण अधिकारों की नियम पुस्तिका, निरीक्षण संहिता आदि की संरचना का भी कार्य देखना होता है।

बजट नियंत्रण, अदायगी, प्राप्ति संग्रहण और लेखाकरण : लेखा महानियंत्रक/मुख्य नियंत्रकों/लेखा नियंत्रकों और उनके वेतन एवं लेखा कार्यालयों के जरिए बजट, अदायगी, प्राप्ति संग्रहण और लेखाकरण के काम करता है। वह सरकारी लेनदेन के लिए बैंक निर्धारित करता है और रिजर्व बैंक के पास सरकार की बाकी राशि में से लेनदेन को प्राधिकृत 20,000 बैंक शाखाओं के जरिए निगरानी रखता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग : लेखा महानियंत्रक वित्त मंत्री और अन्य संबद्ध मंत्रियों को सरकारी वित्त की स्थिति के बारे में नियमित रूप से जानकारी देता है। वह वित्त मंत्री को हर महीने एक महत्वपूर्ण राजकोषीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के विशेष आंकड़ा सम्प्रेषण मानकों (एसडीडीएस) का अनुपालन करते हुए इंटरनेट पर केंद्र सरकार के कार्यों के बारे में आंकड़े जारी करता है। सीजीए केंद्र सरकार के वार्षिक खातों का संपादन भी करता है। इन खातों में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार का वित्त लेखा और विनियोजन लेखा संसद के समक्ष प्रस्तुत करना भी शामिल है। सीजीए द्वारा इन खातों का सारांश 'अकाउंट्स ऐट ए ग्लान्स' यानी 'लेखे-जोखे पर एक नजर' शीर्षक से प्रस्तुत किया जाता है, ताकि इस्तेमालकर्ताओं को इन दस्तावेजों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिले।

लेखा मामलों में तकनीकी सलाह : सीजीए सभी सिविल मंत्रालयों/विभागों को लेखा संबंधी विभिन्न मामलों में परामर्श देता है। इस परामर्श के अंतर्गत लेखा रखरखाव संबंधी पहलू, नई स्कीमों/कार्यक्रमों और गतिविधियों के बारे में अपनायी जाने वाली लेखा प्रक्रिया, प्राप्ति संग्रह और सरकारी खाते में इनका स्थानांतरण, अदायगी और उसका लेखाकरण, सरकारी लेखा के भीतर धन का सृजन और परिचालन, अदायगियों और प्राप्तिओं के लिए बैंक व्यवस्था, आदि शामिल होती हैं।

पेंशन वितरण : महालेखा नियंत्रक सभी मंत्रालयों से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को पेंशन संवितरित करने और उसका हिसाब किताब रखने की भी जिम्मेदारी संभालता है। वह यह काम केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के जरिए करता है। इस कार्यालय की स्थापना मुख्यतः पेंशन वितरण और उसके हिस्सेब किताब की प्रक्रिया को सरल बनाने और पेंशन भोगियों को बेहतर सेवा देने के लिए की गयी है। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय असैनिक पेंशन भोगियों के लिए केंद्रीय लेखा और बजट एकांश है। यह पेंशन भोगियों और सरकार के बीच तथा बैंकों और पेंशन भोगियों के बीच एक कड़ी का काम करता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के समावेश से यह कार्यालय पेंशन वितरण के लिए प्राधिकृत बैंकों के तंत्र के जरिए देशभर में 6,00,000 पेंशन भोगियों की सेवा कर रहा है।

आंतरिक लेखा परीक्षा : आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य हर मंत्रालय में मौजूदा आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा के जरिए किया जाता है। इस कार्य को संबद्ध लेखा नियंत्रक की निगरानी में अंजाम दिया जाता है। लेखा महानियंत्रक की निरीक्षण शाखा अतिरिक्त रूप से इस कार्य का निरीक्षण करती है और विषय से संबद्ध लेखा नियंत्रक को सलाह भी देती है।

लेखा महानिरीक्षक वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें अधिक अदायगी, सरकारी देयताओं की कम वसूली, बुनियादी सुविधाओं के खर्च में नुकसान, अनुचित तरीके से खरीद आदि उन

बड़ी गड़बड़ियों को उजागर किया जाता है, जिन्हें विभिन्न मंत्रालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा के दौरान पकड़ा जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पूंजी पुनर्रचना और विनिवेश

केंद्र सरकार के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) की वित्तीय पुनर्रचना संबंधी मूल्यांकन और प्रक्रिया का उत्तरदायित्व लेखा महानियंत्रक को सौंपा गया है और यही वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव सौंपता है। सामान्यतः इकाई की समीक्षा के लिए प्रस्तावित रणनीति का मूल्यांकन प्रस्ताव का हिस्सा होता है। प्रत्येक प्रस्ताव के उपलब्ध विशेष विकल्पों के मूल्यांकन के आधार पर परखा जाता है। इनका मूल्यांकन करते समय सरकार के नियामक और उद्योग भागीदार के रूप में उसके वाणिज्यिक हितों को अलग करके देखा जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्रचना परिषद का गठन करने के साथ लेखा महानियंत्रक कार्यालय में पूंजी पुनर्रचना प्रकोष्ठ परिषद की स्वीकृति के लिए प्रस्तावों के साथ-साथ प्रशासनिक मंत्रालयों से प्राप्त पुनर्रचना प्रस्तावों पर अपनी टिप्पणी देता है।

आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए उत्कृष्टता का केन्द्र

लेखा महानियंत्रण के कार्यालय में आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए उत्कृष्टता का एक केन्द्र स्थापित किया गया है, जिसके उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- (i) प्रभावी, स्वतंत्र और निष्पक्ष आंतरिक लेखा कार्य प्रक्रियाओं और सर्वोत्तम प्रणालियों को अपनाने पर मंत्रालयों के आंतरिक लेखापरीक्षा खण्डों को सलाह देने के लिए तकनीकी संसाधन एवं निर्देशन केन्द्र के रूप में विकसित होना। इस केन्द्र का दृष्टिकोण जोखिम प्रबंधन रणनीति और प्रबंध नियंत्रण के ढांचे और प्रक्रियाओं जैसे महत्वपूर्ण अवयवों को शामिल करने का होगा।
- (ii) आंतरिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना ताकि आंतरिक लेखा परीक्षा का परिणाम नियोजन, परियोजना तैयारी और क्रियान्वयन की प्रक्रियाओं को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सके।
- (iii) प्रबंधन को यह भरोसा दिलाना कि प्रक्रियाओं पर 'नियंत्रण' रखने से 'जोखिम' के विरुद्ध उपयुक्त सुरक्षा प्राप्त होती है।

गूढ़ लेखा समाधान : लेखा महानियंत्रक के कार्यालय ने चरणों में गूढ़ लेखा समाधान निकालने की पहल की है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सुरक्षित वातावरण में भुगतान और प्राप्तियों की जानकारी, लेखा जानकारी और लेखा-मिलान जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक डेटा के जरिए ट्रांसफर करना है। इससे इस संस्थान को लेखा एवं अन्य एमआईएस आंकड़ों को एक जगह उपलब्ध कराने वाला केन्द्रीय डेटाबेस विकसित करने में मदद मिलेगी। लेखा-परीक्षित लेखा जमा कराने की समय सीमाओं को संकुचित करने में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और राजस्व/व्यय आंकड़ों की जानकारी उसी समय उपलब्ध हो जाने से सरकार में वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण सुधार आने की उम्मीद है।

मानव संसाधन विकास : लेखा महानियंत्रक भारतीय सिविल अकाउंट्स सेवा और सिविल मंत्रालयों में तैनात लेखा कर्मियों के संवर्ग का प्रबंध देखता है, और उनकी भर्ती, स्थानांतरण, प्रोन्नति, प्रशिक्षण और देश-विदेश में क्षमता निर्माण तथा समय-समय पर संवर्ग संख्या और तैनाती की समीक्षा आदि सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार है।

प्रशिक्षण : सरकारी लेखा एवं वित्त संस्थान की स्थापना 1992 में लेखा महानियंत्रक के तत्वावधान में सिविल लेखा कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए की गयी थी। यह संस्थान सरकारी लेखा और वित्त के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट केंद्र का रूप ले चुका है। यह सिविल लेखा संगठन का 'थिंक टैंक' बन गया है, जो महालेखा नियंत्रक को प्रशिक्षण आवश्यकताओं और उनके तकनीकी मामलों की जानकारी देता है।

यह संस्थान सिविल सेवा संगठन के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण के अलावा केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करता रहा है। सरकारी लेखा और वित्त संस्थान विभिन्न सरकारी और स्वायत्तशासी संस्थाओं को परामर्श भी देता है। विदेश मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम तथा अन्य द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रमों के अंतर्गत यह संस्थान कई अन्य देशों के लेखा एवं वित्त कर्मियों को भी प्रशिक्षण देता रहा है। संस्थान का मुख्यालय दिल्ली में है तथा मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

संसदीय वित्त नियंत्रण

महालेखा नियंत्रक (जीसीए) कार्यालय में निगरानी प्रभाग पर लोक लेखा समिति (पीएसी) की अनुशंसाओं पर संशोधन/सुधार संबंधी टिप्पणियों पर हुई प्रगति पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है, जैसा कि समय-समय पर उनकी रिपोर्टों में उल्लेख किया जाता रहा है। इसके अलावा इसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (सिविल) में दर्ज विभिन्न भागों पर कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों को सौंपे जाने की प्रक्रियाओं के समन्वय, संग्रहण एवं निगरानी की भी जिम्मेदारी सौंपी गयी है। साथ ही इसे वार्षिक विनियोग एकाउंट्स में उल्लेख किये जाने वाले 100 करोड़ रुपये से अधिक के अतिरिक्त खर्चों एवं बचत के बारे में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की ओर से सौंपी जाने वाली व्याख्यात्मक टिप्पणियों को जमा करने, उनके बीच समन्वय करने तथा उन्हें सही समय पर लोक लेखा समिति को सौंपने की भी जिम्मेदारी दी गयी है। इसके अतिरिक्त निगरानी प्रभाग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की ओर से सौंपी जाने वाली व्याख्यात्मक टिप्पणियों को जमा करने, उनके बीच समन्वय करन तथा उन्हें सही समय पर लोक लेखा समिति को सौंपने की भी जिम्मेदारी दी गयी है। इसके अतिरिक्त निगरानी प्रभाग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की गारंटी संस्थानों से अनुप्रयोग संबंधी प्रमाणपत्र हासिल करने की भी जिम्मेदारी दी गयी है।

केन्द्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली : योजना लेखा एवं सार्वजनिक वित्त स्कीम, जिसे केन्द्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली भी कहा जाता है, 01 अप्रैल, 2008 से लेखा महानियंत्रक द्वारा कार्यान्वित की जा रही है ताकि योजना स्कीमों के संबंध में एक समग्र निर्णय समर्थन एवं प्रबन्धन सूचना प्रणाली स्थापित की जा सके।

इस स्कीम के कार्यान्वयन के पहले चरण में, योजना स्कीमों के अंतर्गत धनराशि जारी करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जारी प्रत्येक अनुमोदन पहचान को सीजीए की वेबसाइट के सीपीएसएमएस पोर्टल पर पृथक अनुमोदन पहचान संख्या देकर आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि किसी योजना स्कीम के तहत क्रियान्वयन एंजेन्सियों को जारी राशि पर नजर रखी जा सके। इस प्रकार तैयार आंकड़ा प्रणाली से योजना स्कीमों के लिए धनराशि जारी करने के बारे में अनुदान/जारी किए जाने/राज्य वार रिपोर्ट तैयार करना संभव हुआ है। कर्नाटक और पंजाब राज्यों में चुर्नीदा स्कीमों की प्रायोगिक परियोजना के तहत क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों के उपभाग वार व्यय की निगरानी भी की गई है।

ऋण एकीकरण और माफी योजना (2005-10)

ग्यारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) की अनुशंसाओं के आधार पर गठित ऋण एकीकरण एवं राहत सुविधा (डीसीआरएफ) में दो घटक हैं—केंद्रीय ऋणों का एकीकरण (वित्त मंत्रालय से) और ऋण माफी। ग्यारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी 31 मार्च, 2004 तक केंद्र से राज्यों को मिले ऋण तथा 3 मार्च, 2005 को बकाया ऋण (ग्यारहवें वित्त आयोग के अनुमान के अनुसार 128,795 करोड़ रुपये) को एकीकृत किया जा सकता है तथा 20 साल की एक नयी अवधि के लिये फिर से निर्धारित किया जा सकता है। (परिणामस्वरूप बराबर-बराबर की 20 किस्तों में भुगतान हो सके) और उस पर 7.5 प्रतिशत की ब्याज दर ली जा सके। अब तक 28 में से 26 राज्यों (पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छोड़कर) के केंद्रीय ऋण (वित्त मंत्रालय से) को 112076 करोड़ रुपये तक एकीकृत किया जा सका है। जम्मू-कश्मीर उन राज्यों में शामिल है जिसने एफआरबीएमए का क्रियान्वयन किया है, जो डीसीआरएफ के तहत लाभ लेने की एक पूर्व शर्त है। इन राज्यों के ऋण को एकीकृत किया जाना है। ऋण एकीकरण ने राज्यों को 2005-06 में 4392 करोड़ रुपये, 2006-07 में 2995 करोड़ रुपये तथा 2008-09 में 3398 करोड़ रुपये तक की ब्याज संबंधी राहत प्रदान की है।

डीसीआरएफ का दूसरा घटक कर्ज माफी है। 2005-06 के लिये 15 राज्यों को 3984.35 करोड़ रुपये तक, 2006-07 के लिये 20 राज्यों को 4691.56 करोड़ रुपये तक, 2007-08 के लिये 18 राज्यों को 4609.55 करोड़ रुपये और 2008-09 में 23 राज्यों को 5431.88 करोड़ रुपये की कर्ज माफी प्रदान की गयी है। इस प्रकार, 2005 से 2009 के दौरान राज्यों को कुल 19032.87 करोड़ रुपए की कर्ज माफी और 15688.64 की ब्याज माफी प्रदान की गई है।

केंद्रीय करों और शुल्कों तथा सहायता अनुदान में हिस्सेदारी : 12वें वित्त आयोग ने 2005-10 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट में कुल रुपये 7,55,752 करोड़ रुपये (केंद्रीय करों और शुल्कों में 6,13,112 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी तथा 1,42,640 करोड़ रुपये के अनुदान) हस्तांतरित करने की सिफारिश की थी। विभिन्न क्षेत्रों एवं मंदों में ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार जारी किये गये अनुदान इस प्रकार हैं

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं	अनुदान का उद्देश्य	2005-10 के दौरान	17 जून, 2009 तक जारी
1.	स्थानीय निकाय अनुदान	25000	18588.47
2.	आपदा राहत में केंद्र की हिस्सेदारी	16000	12687.64
3.	गैर योजना राजस्व घाटा अनुदान	56856	49709.67
4.	शिक्षा संबंधी अनुदान	10172	7626.97
5.	स्वास्थ्य के लिए अनुदान	5887	4119.90
6.	सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए अनुदान	15000	11783.40
7.	सार्वजनिक भवनों के रखरखाव के लिए अनुदान	5000	3326.68
8.	जंगलों के रखरखाव के लिए अनुदान	1000	744.32
9.	स्मारकों के संरक्षण के लिए अनुदान	625	395.42
10.	राज्यों की विशेष जरूरतों के लिए अनुदान	7100	4358.36
कुल		142640	113340.91

राहत खर्च का वित्त पोषण

12 वें वित्त आयोग ने आपदा राहत कोष योजना को उसके मूल रूप में जारी रखने की सिफारिश की है, जिसके लिए केंद्र और राज्य 75:25 के अनुपात से योगदान करते हैं।

आयोग ने राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क योजना को भी उसके वर्तमान रूप में जारी रखने की सिफारिश की है, जिसकी बुनियादी राशि 500 करोड़ रुपये है। इस कोष से खर्च की गयी राशि की प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क की वसूली और विशेष अधिभार लगाकर की जा सकती है।

आपदा राहत कोष में केंद्र के हिस्से के रूप में वर्ष 2005-06 में 2,622.94 करोड़ रुपये, वर्ष 2006-07 में 3,521.06 करोड़ रुपये, वर्ष 2007-08 में 2843.66 करोड़ रुपये, वर्ष 2008-09 में 3220.48 करोड़ रुपये और वर्ष 2009-10 (17.06.2009 तक) में 668.94 करोड़ रुपये राज्यों को जारी किए गए।

राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा योजना में केंद्र के हिस्से के रूप में वर्ष 2005-06 में 3,061.44 आपदा करोड़ रुपये, वर्ष 2006-07 में 1,962.05 करोड़ रुपये, और वर्ष 2007-08 में 373.38 करोड़ रुपये, 2008-09 में 2279.92 करोड़ रुपये और वर्ष 2009-10 में (17.6.2009 तक) 32.29 करोड़ रुपये जारी किए गए।

मुख्य सलाहकार (लागत) का कार्यालय

मुख्य लागत सलाहकार (सीएसी) का कार्यालय, जिसे पहले लागत लेखा शाखा कहा जाता था, व्यय विभाग में कार्यरत प्रभागों में से एक है। सीएससी कार्यालय का दायित्व मंत्रालय और सरकारी प्रतिष्ठानों को लागत लेखा मामलों में परामर्श देना है। यह विभाग उनकी ओर से लागत जांच कार्यों को अंजाम देता है। यह एक व्यावसायिक एजेंसी है, जिसमें लागत/सनदी लेखाकर कार्य करते हैं।

इसकी स्थापना सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में की गयी और इसे रक्षा खरीद सहित सरकारी विभागों के लिए उत्पादन की लागत की जांच करने और सौंपे गए मामलों के संदर्भ में उचित बिक्री मूल्य निर्धारित करने का काम सौंपा गया। इस कार्यालय की भूमिका का विस्तार हुआ और यह प्रशासनिक मूल्य व्यवस्था के अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आने वाली वस्तुओं, पेट्रोलियम, इस्पात, कोयला, सीमेंट इत्यादि की कीमतें तय करने लगा। मंत्रालयों में लागत/मूल्य निर्धारण कार्यों में दिन ब दिन बढ़ती को देखते हुए विभिन्न अन्य मंत्रालयों/विभागों ने विभागीय विशेषज्ञों की नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया और लागत/वाणिज्यिक लेखा मामलों में विशेषज्ञ अधिकारियों की नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हुआ।

सरकार में लागत प्रबंधन और वित्तीय लेखा विधि संबंधी विशेषज्ञों का स्रोत होने के नाते यह कार्यालय विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों को व्यावसायिक सहायता उपलब्ध करा रहा है। उदारीकरण परवर्ती युग में यह कार्यालय लागत-मूल्य अध्ययन के परंपरागत क्षेत्रों के अतिरिक्त सरकार की उदारीकरण नीति के अनुरूप अध्ययन भी संचालित करता है। सीएसी कार्यालय ने नए क्षेत्रों में प्रवेश किया है और यह बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अध्ययन संचालित करता है।

सीएसी कार्यालय लागत एवं प्रबंधन लेखा विधि मामलों में विशेषज्ञता का भंडार होने के नाते पिछले वर्षों में लागत एवं मूल्य निर्धारण संबंधी मामलों, लागत में कमी संबंधी अध्ययनों, लागत सक्षमता, उचित मूल्य निर्धारण के लिए उद्योग स्तरीय अध्ययनों, परियोजनाओं के लागत-लाभ विश्लेषणों, वाणिज्यिक वित्तीय प्रबंधन विश्लेषणों, पूंजी गहन परियोजनाओं के प्राक्कलन, मुनाफा विश्लेषण और लागत एवं वाणिज्यिक वित्तीय लेखाविधि विकसित करने वाले आधुनिक प्रबंधन उपकरणों के इस्तेमाल, आदि मामलों में प्रमुख व्यावसायिक एजेंसी के रूप में उभरा है।

मुख्य लागत सलाहकार कार्यालय भारतीय लागत लेखा (आईसीएस) के संवर्ग नियंत्रक कार्यालय के रूप में भी काम करता है, और काडर प्रशासन के बारे में भी परामर्श देता है। यह अधिकारियों के ज्ञान और कुशलता के सतत उन्नयन के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताएं भी पूरी करता है। यह इन सभी मामलों से संबंधित विभिन्न प्रकार के अध्ययनों का संचालन भी करता है।

यह कार्यालय विभिन्न भागीदार संगठनों में कार्यरत आईसीएस अधिकारियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन देने के अतिरिक्त आईसीएस अधिकारियों के समुचित मानव संसाधन विकास के लिए अपेक्षित समन्वय करते हुए जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है।

सीएसी कार्यालय के प्रमुख व्यावसायिक कार्य इस प्रकार हैं :

- (i) मूल्य/लागत संबंधी जटिल मुद्दों के समाधान, विभिन्न सेवाओं/उत्पादों के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने में सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों की सहायता करना और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को लागत मामलों में परामर्श देना।
- (ii) सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और आपूर्ति कर्ताओं के बीच क्रय संबंधी अनुबंधों के दावों की जांच/परीक्षण।
- (iii) सरकार को आपूर्ति किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के मूल्य निर्धारित करना, ताकि सरकारी विभाग आपूर्ति कर्ता संगठनों के साथ मोल भाव कर सके।
- (iv) लागत/उचित मूल्य निर्धारण के लिए यूनिट विषयक और उद्योग स्तरीय अध्ययन कराना तथा उत्पादों के लिए उचित मूल्य/दरों तथा सेवाओं के लिए इस्तेमाल प्रभारों के लिए सिफारिशें करना, इन प्रभारों में संशोधन करना और वसूल किए गए मूल्यों, शुल्क संरचना आदि की उपयुक्तता तय करना।
- (v) किए गए व्यापार की परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के शेयरों का मूल्यांकन।
- (vi) लागत/वित्तीय एवं मूल्य निर्धारण मामलों के बारे में सरकार/विभिन्न विभागों द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के रूप में काम करना।
- (vii) औद्योगिक प्रतिष्ठानों की लागत एवं निष्पादन लेखा परीक्षा।
- (viii) उर्वरक उद्योग समन्वय समिति द्वारा निर्धारित यूरिया विनिर्माण इकाइयों के लागत बढ़ोतरी संबंधी दावों की समवर्ती आंतरिक लेखा परीक्षा।
- (ix) सब्सिडी से होने वाली हानि और दावों की जांच।
- (x) विभागीय प्रतिष्ठानों/स्वायत्त निकायों के लिए लागत लेखा प्रणाली।
- (xi) प्रमुख परियोजनाओं में समय और लागत की अधिकता, सक्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता अध्ययन।
- (xii) मूल्य निर्धारण विवादों के समाधान में विवाचक के रूप में काम करना।
- (xiii) केंद्रीय उत्पादन शुल्क के प्रयोजनों के लिए कटौती दर का निर्धारण।

मार्च, 2009 तक मुख्य लागत सलाहकार कार्यालय द्वारा 8085 अध्ययनों/रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया गया और इनमें से 51 रिपोर्टों को 2008-09 के दौरान पूरा किया गया। वर्ष के दौरान जो अध्ययन पूरे किए गए उनके विषय बहुत व्यापक रहे।

वर्ष के दौरान, मुख्य सलाहकार (लागत) के कार्यालय ने विभिन्न मंत्रालयों को सेवाएं प्रदान की, जैसे—पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, रसायन एवं उर्वरक, जहाजरानी, कृषि, वाणिज्य, इस्पात, वस्त्र, रक्षा, गृह, रेल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और निगम मामले आदि। प्रमुख अध्ययनों में शामिल रहे—

तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की कम निकासी, पेट्रोलियम पदार्थों पर स्टॉक का नुकसान/लाभ, यूरिया उर्वरक इकाइयों के लागत वृद्धि दावों की सतत लेखा परीक्षा, मूल्य समर्थन स्कीम और बाजार दखल स्कीम के तहत हानि की भरपाई, सेतुसमुद्रम जलमार्ग परियोजना के लिए ट्रेनिंग दरों का निर्धारण, त्वरित आक्रमण यान (एफएसी) का लागत विश्लेषण, मेल द्वारा रेल फैक्ट्रियों को आपूर्ति किए गए ट्रेक्शन और इलेक्ट्रानिक उपकरणों के अंतिम मूल्यों का निर्धारण, भारत सरकार के मुद्रणालयों के लिए एकसमान प्रतिघंटा दर और अन्य खर्चों का प्रतिशत तय करना, बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान कार्ड के उचित/लागत मूल्य का पता लगाना और रेल वैगनों के लिए बोगियों के उत्पादन की लागत निर्धारित करना। इन अध्ययनों के जरिए कई सौ करोड़ रुपयों की बचत संभव हो सकी है।

मुख्य लागत सलाहकार कार्यालय के अधिकारी सरकार और विभिन्न विभागों द्वारा लागत/वित्तीय एवं मूल्य निर्धारण मामलों के संबंध में गठित समितियों के अध्यक्ष/सदस्यों के रूप में कार्य करते हैं, जैसे राष्ट्रीय औषधि मूल्यन प्राधिकरण, उर्वरक उद्योग समन्वय समिति और अन्य अंतर-मंत्रालय समितियां।

राजस्व

राजस्व विभाग राजस्व से संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के मामलों पर दो सांविधिक बोर्डों—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से नियंत्रण रखता है। इस विभाग को विधेयक में लिखित केंद्रीय विक्रय कर, स्टॉप ड्यूटी, तस्कर और विदेशी मुद्रा की हेरा-फेरी करने वालों की संपत्ति जब्त करने, और अन्य वित्तीय संविधियों से संबंधित मामलों में प्रशासनिक और नियामक उपायों को लागू करने की शक्तियां दी गई हैं। अफीम और इसके उत्पादों के उत्पादन और बिक्री के मामले में भी नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया है।

1. प्रत्यक्ष कर

आयकर विभाग बहुत से प्रत्यक्ष कर अधिनियमों जैसे कि आयकर अधिनियम-1961, संपत्ति कर अधिनियम-1951, उपहार कर अधिनियम-1958, ब्याज कर अधिनियम-1974, प्रतिभूति संव्यवहार कर अधिनियम-2004, बैंकिंग रोकड़ संव्यवहार कर अधिनियम-2005, फ्रिज बेनीफिट कर अधिनियम-2004, को लागू करता है।

सन् 2002-03 से सन् 2008-09 तक के प्रमुख शीर्ष के तहत प्रत्यक्ष करों के राजस्व उगाही के आंकड़े तालिका में दर्शाए गए हैं :

(करोड़ रुपये में)

कर	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	*2008-09
निगम कर	46,172	63,562	82,680	101277.16	144318.3	192910.83	213823.03
आय कर	36,866	41,387	49,268	55,976.23	75081.16	102644.05	109980.23
ब्याज कर	-275	-46	50	13.24	4.92	2.6	8.53
प्रतिभूति संव्यवहार कर	-	-	590	2559.38	4645.50	8576.07	5408
बैंकिंग रोकड़	-	-	-	321.33	507.01	585.88	582.26
संव्यवहार कर							
फ्रिज बेनीफिट कर	-	-	-	4772.28	5316.04	7098.32	7997
सम्पत्ति कर	154	136	145	250.35	240.33	340.32	387.43
उपहार कर	-2	1	2	1.96	4.35	1.58	5.62
योग	82915	105040	132735	165172	230118	312160	338192

*वर्ष 2008-09 के लिए आंकड़े अस्थायी हैं।

प्रत्यक्ष करों की दरों में प्रमुख बदलाव

आधारभूत छूट की सीमा 1,50,000/- रुपए से बढ़ा कर 1,60,000/- रुपए कर दी गई है। भारत में रहने वाली 65 वर्ष से कम उम्र की प्रत्येक महिला के लिए छूट की सीमा 1,80,000/- रुपए से बढ़ाकर 1,90,000/- रुपए कर दी गई है। भारत में रहने वाले 65 वर्ष या इससे अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधारभूत छूट की सीमा 2,25,000/- रुपए से बढ़ाकर 2,40,000/- रुपए कर दी गई है। विधेयक की अनुसूची में भाग-2 में, “वेतन” को छोड़कर अन्य आय को, स्रोत पर आयकर की कटौती की दरों को सन् 2009-10 से लागू किया गया है। भारत में रहने वाले लोगों के लिए जिनमें देशी कंपनियों को छोड़कर अन्य कंपनियां शामिल हैं, यह दरें वित्त वर्ष 2008-09 के लिए स्रोत पर आयकर की कटौती हेतु वित्त अधिनियम-2008 की पहली अनुसूची के भाग-2 में उल्लिखित हैं।

देश के कर दाताओं के लिए इनमें से कुछ दरें कम कर दी गई हैं ताकि ज्यादातर दरों को 10 प्रतिशत के अंदर लाया जा सके। देशी कंपनियों को छोड़कर प्रत्येक कंपनी से इस तरह कटौती की गई कर राशि या जहां ऐसी आय का कुल योग चुकाया जाता है या चुकाया जाने वाला है और जहां यह कटौती की राशि एक करोड़ से अधिक होती है, इस कर पर 2.5 प्रतिशत की दर से अधिभार लगता रहेगा। कटौती के अन्य सभी मामलों में अधिभार पर उगाही को वापस ले लिया गया है। आयकर पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर, अनिवासी भारतीयों जिनमें देशी कंपनियों को छोड़कर अन्य कंपनियां शामिल हैं और जहां वेतन पर ही कर की कटौती की जाती है, पर दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से कर लगता रहेगा।

वित्त (सं. 2) अधिनियम 2009 के तहत किए गए उपाय

युक्तिकरण एवं सरलीकरण उपाय

- ट्रांसफर प्राइजिंग एडजस्टमेंट के प्रावधानों के संबंध में युक्तिकरण हेतु आयकर अधिनियम की घाटा 92सी में संशोधन किया गया है।
- आयकर अधिनियम-1961 में एक नई धारा 92सीबी जोड़कर बोर्ड को ‘सेफ हारबर’ नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। “सेफ हारबर” से तात्पर्य उन परिस्थितियों से है जिनमें आयकर विभाग करदाता द्वारा घोषित ट्रांसफर प्राइस को स्वीकार कर लेगा।
- आयकर विभाग और करदाता के बीच कानूनी विवाद के निपटारे हेतु अलग से विवाद निपटारण तंत्र स्थापित करने हेतु आयकर अधिनियम में एक नई धारा 114सी जोड़ी गई है। इस विवाद निपटारण अधिकारी की कर बढ़ाने की मांगों के पहले पैनल को भेजे गए मामलों का निपटारा करेंगे।
- बंगलूरु में स्थापित केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग केन्द्र वित्त वर्ष 2009-10 में कार्यरत हो जाएगा जहां भारत में फाइल होने वाली सभी इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न्स और कर्नाटक एवं गोवा में फाइल होने वाली पेपर रिटर्न को प्रोसेस किया जाएगा।
- “ब्लाक ऑफ एसेट्स” को आयकर अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ii) में और धारा 32 की उपधारा (i) के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है। फिर भी इन परिभाषाओं में एकरूपता नहीं है और इससे इनके दुरुपयोग की संभावना है। तदनुसार आयकर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (i) के स्पष्टीकरण 3 को संशोधित करने का प्रावधान रखा गया है ताकि अंतर्निहित ‘ब्लाक ऑफ एसेट्स’ को निरस्त किया जा सके। परिणामस्वरूप ‘ब्लाक ऑफ एसेट्स’ का अर्थ धारा 2 के खंड (i) से ही लिया जाएगा।

- धारा 44 के तहत पहली अनुसूची के नियम 5 के अधीन गैर जीवन बीमा व्यवसाय के लाभ और प्राप्तियों की संगणना में संशोधन किया गया है ताकि निवेश पर प्राप्त की गई राशि में कमी की वजह से खाते में आईआरडीए के नियमों के तहत उधार ली गई राशि में बढ़ोतरी होने पर इस राशि को आय माना जा सके और इसे कुल आय की संगणना में शामिल किया जा सके। इसी तरह से, किसी भी राशि में चाहे वह बट्टे खाते में हो या खाते में कमी को पूरा करने के लिए हो या आईआरडीए के नियमों के तहत निवेश से हुए नुकसान की वजह से हो, कटौती मान्य होगी।
- आयकर अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों में निवासी भारतीयों को निर्माण कार्य की आय, माल की दुलाई और खुदरा व्यापार की आय पर संभावित आधार पर कर लगाने का प्रावधान है। सभी व्यापार पर संभावित (Presumptive basis) आधार पर कर लगाने के दायरे को एक नई धारा 44एडी प्रतिस्थापित कर बढ़ाया गया है।
- आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 7ए, 7बी और 8 के तहत कॉफी एवं चाय और रबर के उत्पादकों की संयुक्त आय की संगणना हेतु “एक्चुअली एलाउड” शब्द की अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने हेतु युक्तिसंगत बनाया गया है।
- आयकर अधिनियम के अनुसार संयुक्त आय के मामले में चाहे कर दाता को अपनी आय के एक हिस्से का पिछले किसी भी वर्ष के लिए संगणना करने की आवश्यकता न रही हो फिर भी उस मूल्यहास पर कर दाता की कुल संयुक्त आय की तरह ही आयकर अधिनियम के तहत कर लगाया जाएगा। ऐसे मूल्यहास को कर दाता के लिए “एक्चुअली एलाउड” माना जाएगा।
- “सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक” शब्द की व्याख्या धारा 10 (23डी) में की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक नए उप समूह “अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक” की श्रेणी में रखा गया है। केंद्र सरकार की आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में 51 प्रतिशत की शेयर होल्डिंग है जिसे रिजर्व बैंक द्वारा “अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक” की श्रेणी में रखा गया है। चूंकि “अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक” अभिव्यक्ति धारा 10 (23डी) में दिए गए “सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक” की व्याख्या में शामिल नहीं है, अतः आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को ऐसा बनाने के लिए संशोधित किया गया है।
- लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) अधिनियम, 2008 सन् 2009 से प्रभावी हुआ है। लिमिटेड लायबिलिटी नियम (संपरिवर्तन से संबंधित कुछ नियमों को छोड़कर) और फॉर्म 01 अप्रैल 2009 से अधिसूचित किए गए हैं। LLPs की कर प्रणाली आयकर अधिनियम में उसी तर्ज पर है जैसा कि वर्तमान में कर प्रणाली सामान्य भागीदारी के लिए लागू है—उदाहरण के लिए कराधान सत्ता के हाथ में और कर से छूट भागीदारों के हाथ में। “लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप” और सामान्य भागीदारी के लिए एक समान ही कर निर्धारण प्रक्रिया है।
- यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के विशेष उपक्रम के लिए आयकर से छूट 31 मार्च 2009 तक बढ़ा दी गई है।
- माल संचालन कर वसूल करने का अधिकार वित्त (सं. 2) अधिनियम 2009 के तहत समाप्त कर दिया गया है।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 50 के प्रावधानों के दायरे को विस्तृत किया गया है।

- क्षतिपूर्ति या बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति से प्राप्त आय की ब्याज पर कर, प्राप्ति के आधार पर लगाया जाएगा चाहे कर दाता के द्वारा गणना का कोई भी तरीका अपनाया गया हो। फिर भी “इकट्टी आय” का लाभ देने के लिए ऐसी आय के 50 प्रतिशत हिस्से पर ही कर लगाया जाएगा और 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- नोटिस जारी करने से संबंधित प्रावधानों को आयकर अधिनियम, 1961 में नई धारा 282 को प्रतिस्थापित कर युक्तिसंगत बनाया गया है।
- आयकर विभाग की कार्यप्रणाली में और पारदर्शिता लाने के लिए एक नई धारा 282 जोड़ी गई है। इसके अनुसार प्रत्येक आयकर प्राधिकार (संख्या) कंप्यूटर जनित दस्तावेज पहचान संख्या जारी करेंगे जो कि प्रत्येक नोटिस, आदेश, या उनके द्वारा किसी अन्य कर प्राधिकार या कर दाता या किसी अन्य व्यक्ति को पत्राचार जारी करने में लिखा जाएगा और ऐसे नंबर के अभाव में उपरोक्त दस्तावेज अमान्य होंगे।
- आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 293 जोड़ी गई है। इसके अनुसार अनुमोदन प्रदान करने वाले अधिकारी को स्पष्ट रूप से अनुमोदन वापस लेने का भी अंतर्निहित अधिकार है।

करदाता के लिए कल्याणकारी उपाय

आयकर अधिनियम की धारा 80-डीडी के अनुसार व्यक्ति या अविभाजित हिंदू परिवार (HUF) को जो भारत का रहने वाला है, निम्नलिखित मामलों में कर की छूट दी गई है:-

- (क) इलाज के खर्च में (जिसमें नर्सिंग सेवा भी शामिल है), अशक्त व्यक्तियों के आश्रितों के लिए प्रशिक्षण और पुनर्स्थापना में।
- (ख) अशक्त आश्रितों के गुजारे के लिए दी जाने वाली योजना में जीवन बीमा निगम या इश्योरेंस की राशि में।

यदि आश्रित अशक्त है तो कर छूट की सीमा 50,000/- रुपए है और यदि आश्रित गंभीर रूप से अशक्त है तो यह सीमा 75,000/- रुपए है।

गंभीर रूप से अशक्त व्यक्ति के लिए कर में छूट की सीमा 1 लाख रुपए कर दी गई है।

- धारा 80 में संशोधन करके गंभीर रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए कर में छूट की सीमा 75,000 रुपये से बढ़ाकर 100,000 रुपये कर दी गई है।
- नई पेंशन योजना (NPS) 01 जनवरी 2004 से लागू है। इसके अनुसार केंद्र सरकार की सेवा में 01 जनवरी 2004 से भर्ती किए जाने वाले कर्मिकों के लिए यह योजना अनिवार्य है। तभी से यह राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए, निजी क्षेत्र एवं स्वरोजगार शुदा (संगठित और असंगठित दोनों के लिए) व्यक्तियों के लिए भी है। इस योजना के तहत बचत पर कर निर्धारण "Exempt-exempt-taxed" (EET) के अनुसार साथ-साथ हो और कर निर्धारण एकमुस्त न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए NPS ट्रस्ट को कर से अलग रखा गया है। अतः नई पेंशन योजना के तहत प्राप्त किसी भी व्यक्ति की कोई भी आय आयकर से मुक्त रखी गई है। धारा 115-ओ में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि NPS ट्रस्ट को चुकाया गया कोई भी लाभांश लाभांश वितरण कर से मुक्त होगा। इसमें प्रावधान है कि NPS ट्रस्ट द्वारा खरीदे या बेंचे गए शेयर या शेयरों को प्रतिभूति संचालन कर से भी मुक्त रखा जाएगा। अतः धारा 197ए

को भी संशोधित किया गया है। इसके अनुसार NPS ट्रस्ट सभी आय बगैर स्रोत पर आयकर के स्वीकार करेगा।

- वित्त वर्ष में अग्रिम कर चुकौती की देनदारी तभी बनती है जब उस वर्ष में चुकाए जाने वाले कर की राशि पांच हजार रुपए या इससे अधिक हो। यह सीमा 1996 में मुद्रा स्फीति समायोजन को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई थी। अग्रिम कर चुकौती की प्रवेश सीमा पांच हजार से बढ़ाकर दस हजार रुपए कर दी गई है।
- संपत्ति कर चुकौती की प्रवेश सीमा पंद्रह लाख से बढ़ाकर तीस लाख रुपये कर दी गई है।
- साझेदारी फर्म की सक्रिय साझेदारों को दिया जाने वाला वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक (यहां और इसके पश्चात "remuneration" माना जाए) पर कर सीमा बढ़ा दी गई है और सरलीकरण एवं प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक फर्म दोनों के लिए एक ही सीमा रखी गई है।

(क) 300,000 रुपये के पहले बुक प्रॉफिट 1,50,000 रुपये या बुक प्रॉफिट का 90 पर या हानि होने पर प्रतिशत, जो भी ज्यादा हो।

(ख) बुक प्रॉफिट के शेष राशि पर 60 प्रतिशत की दर से

- आयकर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2एबी) के वर्तमान प्रावधानों के तहत जैव प्रौद्योगिकी के व्यापार में संलग्न या निर्माण या औषधि उत्पादन औषधि निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण, रसायन या अन्य कोई वस्तु जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित हो, जहां आंतरिक रूप से ही वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास सुविधाएं प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो, 150 प्रतिशत की दर से कर में रियायती कटौती की छूट होगी।
- अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं को छोड़कर, निर्माण या उत्पादन से जुड़ी हुई सभी कंपनियों को कर में रियायती कटौती का लाभ दिया गया है।
- नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) जो पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व में है और जो देश में गृह निर्माण से संबंधित वित्तीय संस्थाओं को बढ़ावा देने और नियमित करने के लिए है, उसे आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (viii) के तहत आयकर में छूट का लाभ दिया गया है।
- धारा 115बीबीसी के वर्तमान प्रावधानों के तहत, पूरी तरह से धार्मिक संस्थानों को मिलने वाले गुप्त दान को कर के दायरे से बाहर रखा गया है। अर्ध धार्मिक एवं अर्ध धर्मार्थ संस्थाओं को भी मिलने वाले गुप्त दान पर भी कर की छूट दी गई है। यदि यह गुप्त दान ऐसी संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले शैक्षिक और चिकित्सा संस्थाओं को दिया जाता है तो यह छूट नहीं होगी बल्कि दान राशि पर तीस प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा। पूरी तरह से धर्मार्थ संस्थाओं के मामले में सभी गुप्त दान पर तीस प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा। नियमों के पालन के दबाव को कम करने और ऐसी संस्थाओं को राहत देने के लिए गुप्त दान के एक हिस्से को कर से राहत दी गई है।
- धारा 10(23सी) के तहत कर माफी के लिए आवेदन करने की समय सीमा आने वाले वित्त वर्ष में बढ़ाकर 30 सितम्बर कर दी गई है।
- आयकर अधिनियम की धारा 2(15) में 'धर्मार्थ उद्देश्य' को परिभाषित किया गया है इसमें (क) गरीबों को राहत (ख) शिक्षा (ग) चिकित्सा राहत और (घ) जन साधारण की उपयोगिता को

उन्नत करना शामिल है। फिर भी “जनसाधारण की उपयोगिता की उन्नति के अन्य उद्देश्य’ धर्मार्थ उद्देश्य नहीं होंगे यदि इनके किसी भी कार्य में व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय शामिल है या कोई भी कार्य जिनसे व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय को उपकर या फीस या अन्य लाभ चाहे उसका उपयोग किसी भी रूप में हो, या उसको बनाए रखने में ऐसे कार्यों से लाभ हो, की वजह से सेवा प्रदान की जा रही है।

- अब धारा 2 के खण्ड 15 को संशोधित किया गया है ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए (जिनमें जल, जंगल और जंगली जीव-जन्तु शामिल हैं) और ऐतिहासिक स्मारकों या स्थानों या कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए जो शर्तें ‘जनसाधारण की उपयोगिता के उन्नति के अन्य उद्देश्य’ में लागू हैं उन शर्तों से इन्हें अलग रखा जा सके।

राजस्व उगाही के उपाय

- धारा 115 जेबी की उपधारा (1) को संशोधित किया गया है ताकि MAJ की वर्तमान दस प्रतिशत दर को बढ़ा कर पंद्रह प्रतिशत किया जा सके।
- आयकर की धारा 56 को संशोधित किया गया है ताकि किसी भी संपत्ति का प्रतिफल रहित मूल्य या अपर्याप्त प्रतिफल भी प्राप्तकर्ता की कुल आय की संगणना में शामिल किया जा सके। ऐसी संपत्तियों में अचल संपत्ति जैसे—कि भूमि या भवन या दोनों, शेयर और प्रतिभूति, गहने, पुरातात्विक सामग्री, रेखाचित्र चित्रकारी, मूर्तियां या कला का कोई भी कार्य शामिल है।
- धारा 44 के तहत कर की संभावित दरें ऐसे कर दाता पर लागू हैं जो खेल के व्यापार में संलग्न हैं और माल की दुलाई के लिए वाहन किराए पर या पट्टे पर देते हैं। ऐसे व्यापारियों के लिए भारी माल वाहनों पर 5000/- रुपए और हल्के माल वाहनों पर 4500/- रुपए कर की संभावित दरें तय की गई हैं।

सामाजिक-आर्थिक विकास के उपाय

- आयकर अधिनियम की धारा 30ई में प्रावधान है कि जो कर दाता अध्ययन के विशेष क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए किसी अनुमोदित धर्मार्थ संस्थान से या वित्त संस्थान से ऋण लेकर उस पर ब्याज चुकाता है तो उसे आयकर में छूट मिलेगी। देश में मानव संसाधन की पूंजी के संवर्धन हेतु आयकर अधिनियम की धारा 80ई को संशोधित किया गया है ताकि इसके दायरे को बढ़ाकर अध्ययन के सभी क्षेत्रों को शामिल किया जा सके (इसमें व्यावसायिक अध्ययन भी शामिल है)। इसके लिए सीनियर सेकेंडरी परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा केंद्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी भी अन्य प्राधिकरण जिसे केंद्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल, बोर्ड या विश्वविद्यालय से अधिकृत किया गया हो, से पास किया गया होना चाहिए। व्यक्ति के संबंध में “संबंधी” शब्द की व्याख्या की गई है। इससे तात्पर्य है कि इसमें व्यक्ति का जीवन साथी, बच्चे या विद्यार्थी शामिल हैं जिनका वह व्यक्ति विधिक संरक्षक है।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जीजीबी और 80 जीजीसी में कंपनियों या किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक पार्टियों को दिए गए आर्थिक योगदान में कर की छूट का प्रावधान है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जीजीबी और धारा 80 जीजीसी को राजनीतिक पार्टियों को धन देने

संबंधी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए संशोधित किया गया है जिसके तहत चुनावी संस्थाओं को दिए गए चंदे पर दाता की आय की संगणना में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

- ग्रामीण आधारभूत ढांचे और पर्यावरण के अनुकूल इकट्ठे माल की ढुलाई के लिए यातायात के साधन तैयार करने हेतु निवेश से जुड़े कर प्रोत्साहन का प्रावधान आयकर अधिनियम में एक नई धारा 35डी जोड़कर निम्नलिखित व्यापार के लिए किया गया है:-

(क) विशेष उत्पादों के लिए शीत-गृह स्थापित करने एवं संचालन

(ख) कृषि उत्पादों के भंडारण हेतु गोदाम स्थापित करने एवं संचालन हेतु।

(ग) क्रास-कंट्री में प्राकृतिक गैस या कच्चा तेल या वितरण के लिए पेट्रोलियम की पाइपलाइन का जाल बिछाने और स्टोर करने और संचालन करने हेतु।

विनिर्दिष्ट व्यापार के लिए पूंजीगत खर्चों में बीते वर्ष के खर्चों को पूरी तरह से और विशेष रूप से 100 प्रतिशत की दर में छूट दी जाएगी।

(घ) धारा 80-1ए के खण्ड (iv) की उपधारा (4) में उपक्रम द्वारा लाभ और प्राप्तियों पर आयकर में निम्नलिखित छूट दी जाएगी :

- जो उपक्रम बिजली के उत्पादन और वितरण का कार्य 01.04.1993 से 31.03.2010 के बीच किसी भी समय करते हैं।
- जो उपक्रम नई लाइन का नेटवर्क बनाकर 01.04.1999 से 31.03.2010 के बीच किसी भी समय प्रसारण और वितरण का कार्य करते हैं।
- जो उपक्रम वर्तमान प्रसारण और वितरण की नेटवर्क लाइन का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण 01.04.2004 से 31.03.2010 के बीच किसी भी समय करते हैं।
- धारा 80-1ए की उपधारा के खण्ड (iv) की आखिरी तारीख एक वर्ष 31.03.2011 तक बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है।
- जो उपक्रम औद्योगिक पार्क विकसित करती है, विकसित और संचालित करती है, या रख-रखाव और संचालन करती हैं उनका कार्यकाल 31 मार्च 2009 से बढ़ाकर 31 मार्च 2011 कर दिया गया है।

- धारा 10ए और 10बी के तहत एक वर्ष और कर छूट का लाभ देने के लिए दोनों धाराओं को संशोधित किया गया है ताकि कर छूट का लाभ निर्धारण वर्ष 2011-12 तक मिले।

टी डी एस प्रावधानों में संशोधन

- आयकर अधिनियम की धारा 194-1 के तहत किराया चुकौतियों पर टी डी एस को निम्नलिखित दरों के अनुसार घटाकर युक्तिसंगत बनाया गया है:-
- (क) किसी भी मशीन या संयंत्र या उपकरण के उपयोग पर 2 प्रतिशत।
- (ख) सभी व्यक्तियों को किसी भी भूमि, या भवन या फर्नीचर या फिटिंग्स के उपयोग पर 10 प्रतिशत।
- संविदा चुकौतियों पर टी डी एस की दरों को युक्ति संगत बनाया गया है। ये दरें निम्नलिखित हैं:-
- (क) जहां संविदा पर चुकौती व्यक्तियों या अविभाजित हिंदू परिवार को है तो 01 प्रतिशत

(ख) जहां संविदा पर चुकौती किसी अन्य संस्था को है तो 02 प्रतिशत

- वाहन मालिको को टी डी एस की चुकौतियों पर छूट दी गई है यदि वे कर प्राधिकरण को अपना परमानेंट अमाउंट नंबर (PAN) देते हैं।
- वाहन मालिको को दिए जाने वाले नकद भुगतान की वर्तमान सीमा 20,000/- रुपयों से बढ़ाकर 35000/- रुपए कर दी गई है।
- धारा 194 C के तहत टी डी एस की कटौती के लिए “कार्य” शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें निर्माण या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, और जहां ऐसे ग्राहक को छोड़कर किसी अन्य ग्राहक से कच्चा माल खरीदा जाता है तो ऐसी सुविधा “विक्रय” की संविदा है और यह कार्य की श्रेणी में शामिल नहीं है।
- PAN तंत्र को मजबूत बनाने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन किए गए हैं। इसके अनुसार कर दाता के लिए बाध्यता है कि वह कर कटौती करने वाले को नंबर दे। यदि कर दाता ऐसा नहीं करता तो स्रोत पर कर निम्नलिखित ऊंची दरों पर लिया जाएगा:-

(i) अधिनियम में निर्धारित दर पर।

(ii) दरें जो वर्तमान में लागू हैं, दरें जो वित्त अधिनियम में लिखित हैं और

(iii) 20 प्रतिशत की दर से।

- कम्प्यूटर में स्रोत पर कर कटौती की इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग स्टेटमेंट को उपलब्ध कराया गया है ताकि ब्याज और टी डी एस चुनौतियों की अन्य देनदारियों की तेजी से गणना की जा सके और कर देने वाले को सूचित किया जा सके। कर दाता को उसके कर की देनदारी की सूचना या स्टेटमेंट फाइल होने वाले वित्त वर्ष की समाप्ति से लेकर एक वर्ष के अंदर रिफंड दिए जाने की सूचना दी जाएगी। यह भी प्रावधान रखा गया है कि इन स्टेटमेंट्स की प्रोसेसिंग सेट्टलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर में की जा सकती है।
- वर्तमान में आयकर अधिनियम में किसी निर्धारित समय सीमा का प्रावधान नहीं है। इसके अभाव में विवाद पैदा होते हैं, जब इनकी कार्यवाही देरी से शुरू होती है या बहुत समय बीत जाने के बाद पूरी होती है।
- इस अधिनियम के तहत आवश्यक कर का पूरा या कोई भाग कटौती न करने की दशा में धारा 201(1) के तहत आदेश जारी करने हेतु स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की गई है। यह समय सीमा वित्त वर्ष के अंत से दो वर्ष तक है जिस वर्ष में कर दाता द्वारा स्रोत पर कर कटौती का स्टेटमेंट फाइल किया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (3) में प्रावधान है कि चैप्टर xviii के प्रावधानों के तहत कर कटौती करने वाले किसी भी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को प्रत्येक वित्त वर्ष में त्रैमासिक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह स्रोत पर कर संग्रह की त्रैमासिक रिटर्न फाइल करने का प्रावधान अधिनियम की धारा 206 सी की उपधारा (3) में किया गया है। इसके अलावा धारा 206ए में निवासी भारतीयों के लिए बिना कर कटौती के ब्याज के भुगतान की त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत करने का प्रावधान है।
- उपर्युक्त धाराओं के प्रावधानों को तदनुसार परिवर्तित किया गया है ताकि सरकार ऐसे टी डी एस के स्वरूप और तरीके के अलावा स्टेटमेंट व समयावधि निर्धारित कर सके।

कर चोरी पर रोक

आयकर विभाग काले धन को निकालने/नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर विधायी और प्रशासनिक कदम उठा रहा है और समय ही कर चोरी एवं धन के बेहिसाब संग्रह को रोकने का प्रयास कर रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित तलाशी और जब्ती अभियान, सुनियोजित ढंग से केंद्रीय सूचना शाखाओं द्वारा सूचनाओं की सत्यता की जांच एवं चुनिंदा मामलों की छानबीन की जाती है। कर चोरी में लिप्त पाए गए व्यक्तियों से सख्ती से निपटा जाता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की जाती है। वित्त वर्ष 2004-05 से लेकर 2008-09 के बीच अभियोजन हेतु तलाशी के परिणाम और आंकड़े निम्नलिखित हैं:-

तलाशी के परिणाम

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वारंटों की संख्या	जब्त सामान का मूल्य
2004-05	2,377	202.28
2005-06	3,364	351.69
2006-07	3,534	364.64
2007-08	3,364	411.45
2008-09	3,483	625.50

अभियोग के आंकड़े

वित्तवर्ष	शुरू की गई अभियोजना कार्यवाही की संख्या	कार्रवाईयों की संख्या जिनमें निपटारा हो गया	कार्यवाहियों की संख्या जिनमें दोष सिद्ध पाई गई	कार्रवाईयों की संख्या जिनमें राजी-नामा हो गया	कार्यवाहियों की संख्या जिनमें दोष मुक्त किया गया
2004-05	103	350	1	362	87
2005-06	326	125	1	85	39
2006-07	71	69	1	40	28
2007-08	263	280	11	13	256
2008-09	162	146	14	13	119

अप्रत्यक्ष कर

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रत्यक्ष कर से राजस्व वसूली के बड़े स्रोत हैं। सन् 2008-09 (वास्तविक) में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से राजस्व वसूली 99850 करोड़ रुपए, (इसमें 1246 करोड़ रुपए राजस्व विभाग के अलावा अन्य विभागों द्वारा लगाए गए उपकर से प्राप्त हुए—स्रोत पी सी सी ए) 1,09,343 करोड़ रुपए और 60707 करोड़ रुपए हुई।

सीमा शुल्क:

स्वास्थ्य सेवाएं

1. 10 निर्दिष्ट जीवन सुरक्षा दवाओं/टीकों एवं उनसे संबंधित दवाओं पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से

कम करके 5 प्रतिशत कर दिया गया है और इसमें शून्य सी वी डी है (यह उत्पाद शुल्क में छूट देकर किया गया है।)

- निर्दिष्ट हार्ड डिवाइसेस जैसे कि आर्टीफीशियल हार्ड एवं पी डी ए/ए एस डी ऑवलूसन डिवाइज पर शून्य सी वी डी के साथ सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया गया है (यह उत्पाद शुल्क में छूट देकर किया गया है)

इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर

- एल जी डी टेलीविजन के एल जी डी पेनल निर्माण पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
- टेलीविजन प्रसारण हेतु सेट टॉप बॉक्स पर सीमा शुल्क की छूट को हटाते हुए 5 प्रतिशत सीमा शुल्क लगा दिया गया है।
- मोबाइल फोन के हिस्से पुर्जों पर 4 प्रतिशत की विशेष सी वी डी एक वर्ष के लिए 06-07-2010 तक लागू की गई है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र

- वायु चालित विद्युत उत्पादन जनरेटर में उपयोग किए जाने 500KW से ऊपर के पी एम सिंक्रोनस जनरेटर के स्थायी चुम्बकों पर सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
- जैव-डीजल पर सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

पूंजीगत वस्तुएं

- 5 प्रतिशत का रियायती सीमा शुल्क, चाय, कॉफी और रबर की खेती के लिए निर्दिष्ट मशीनरी पर एक वर्ष के लिए 06-07-2010 तक फिर से लगा दिया गया है।
- कॉफी की खेती के लिए 'मेडेनिकल हारवेस्टर' पर सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। ऐसे हारवेस्टर पर उत्पाद शुल्क में छूट देते हुए सी वी डी को 8 प्रतिशत से शून्य पर लाया गया है।

निर्यात क्षेत्र

- वर्तमान में खेलकूद सामान के निर्माता-आयातक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कच्चा माल/सामग्री को निर्दिष्ट शर्तों के साथ सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। ऐसे सामान की सूची में पांच अतिरिक्त वस्तुओं को और शामिल कर लिया गया है।
- इसी तरह निर्माता-आयातक द्वारा चमड़े का सामान, वस्त्र निर्माण, जूते-चप्पल उद्योग में उपयोग होने वाले कच्चे माल और उपकरणों को निर्दिष्ट शर्तों के साथ सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। ऐसे सामानों की सूची में और सामान जोड़े गए हैं।
- साबुत मूंगे पर सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

कीमती धातुएं

- क्रम संख्यात्मक सोने की छड़ों (तोला छड़ों को छोड़कर) और सोने के सिक्कों पर सीमा शुल्क 100 रुपए प्रति 10 ग्राम से 200 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ा दिया गया है।
- सोने के अन्य स्वरूपों पर सीमा शुल्क 250 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति 10 ग्राम कर दिया गया है।

3. चांदी पर सीमा शुल्क 500 रुपए प्रति किलो से 1000 रुपए कर दिया गया है।

उपर्युक्त बढ़ी हुई दरें सोने और चांदी को (इसमें गहने भी शामिल हैं) व्यक्तिगत सामान के रूप में आयातित करने पर भी लागू हैं

कपड़ा

1. कॉटन वेस्ट पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

2. वूल वेस्ट पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

विविध

1. रॉक फास्फेट पर सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है।

2. एरियल पैसेंजर रोपवे प्रोजेक्ट पर सी वी डी की छूट वापस ले ली गई है। ऐसे प्रोजेक्ट पर अब लागू सी वी डी लगाई जाएगी।

3. 50 CUM प्रति घंटा या अधिक क्षमता के 'कंकरीट बैचिंग संयंत्र' पर सीमा शुल्क की छूट वापस ले ली गई है। ऐसे संयंत्रों पर 7.5 प्रतिशत सीमा शुल्क लगेगा।

4. डिब्बाबंद सॉफ्टवेयर पर मूल्य के उस भाग को सी वी डी से मुक्त रखा गया है जो ऐसे सॉफ्टवेयर के उपयोग का अधिकार लाभ हेतु निर्दिष्ट शर्तों पर हस्तांतरित करता है।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन

1. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में एक नई धारा 26A जोड़ी जा रही है ताकि खराब आयातित माल या आयातकर्ता और विक्रेता के बीच हुए समझौते के अनुसार विशिष्टता न पाए जाने वाले आयातित माल पर चुकाया गया आयात शुल्क निर्दिष्ट शर्तों के साथ वापस लिया जा सके। इसके परिणाम स्वरूप धारा 157 में भी संशोधन किया जा रहा है।

2. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28F में संशोधन किया जा रहा है ताकि केंद्र सरकार विनिर्दिष्ट करते हुए सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के विषय में प्राधिकरण को अधिकृत कर सके और कुछ बदलाव के साथ आयकर अधिनियम की धारा 245-0 के तहत "एंडवांस रूलिंग्स" बनाने के लिए भी प्राधिकरण को अधिकृत कर सके।

3. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 130 को 01.07.2003 से पूर्वप्रभावी बनाते हुए संशोधन किया जा रहा है ताकि उच्च न्यायालय को यह अधिकार मिल जाए कि वह नियत समय सीमा के पश्चात अपील फाइल करने में हुई देरी को माफ कर सके।

4. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 130A को 01.07.1999 से पूर्वप्रभावी बनाते हुए संशोधन किया जा रहा है ताकि उच्च न्यायालय को यह स्पष्ट अधिकार मिल जाए कि वह नियत समय सीमा के पश्चात अपील फाइल करने या प्रत्यापत्ति (Cross objection) के ज्ञापन में हुई देरी को माफ कर सके।

5. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को धारा 137 को संशोधित किया जा रहा है ताकि शमनीय अपराध (Compounding of offences) के तौर-तरीके निर्धारित हो सकें और यह निश्चित किया जा सके कि कुछ अपराध शमनीय नहीं हैं। इसके परिणाम स्वरूप धारा 156 को भी संशोधित किया जा रहा है।

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में संशोधन

1. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 को संशोधित किया जा रहा है इसके तहत भारत में उत्पादित और निर्मित वस्तुओं पर भारत सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क वसूल करने के लिए जो टैरिफ निर्धारित किया है वही टैरिफ मूल्य वैसी ही आयातित वस्तुओं पर भी लगेगा।
2. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 बी और 8 सी को पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित किया जा रहा है ताकि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 तंत्र व्यवस्था के प्रावधानों का विस्तार करते हुए वसूली कर्तव्यों की इन धाराओं के तहत रक्षा की जा सके।
3. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 को पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित किया जा रहा है ताकि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तंत्र व्यवस्था (Machinery) के प्रावधानों को विस्तार देते हुए वसूली ड्यूटी के दौरान क्षतिपूर्ति इस धारा के तहत किया जा सके।
4. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 को संशोधित किया जा रहा है ताकि:-
 - (क) आयातक या उत्पादक के द्वारा आयातित वस्तु के ढेर करने (dumping) के मार्जिन का निर्धारण उसके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स और सहयोग न करने वाले आयातक या उत्पादक के मामले में उपलब्ध सूचना के आधार पर किया जा सके।
 - (ख) सीमा शुल्क, 1962 के तंत्र व्यवस्था के प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव से विस्तार देते हुए एंटी-डंपिंग शुल्क वसूली इस धारा के तहत की जा सके।
5. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा की टिप्पणी पैरा (A) को नए पैरा से प्रतिस्थापित किया जा रहा है ताकि इसे केंद्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम, 1985 के समानांतर प्रावधान के बराबर लाया जा सके।
6. दिनांक 01.05.2006 की अधिसूचना संख्या 40/2006-कस्टम को इसको जारी करने की तारीख के पूर्वप्रभाव से संशोधित किया जा रहा है ताकि:-
 - (क) केंद्रीय उत्पाद नियम, 2002 के नियम 18 या 19 के तहत छूट की सुविधा 'ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट अंथराइजेशन स्कीम' के तहत निर्यातित वस्तुओं के निर्माण में स्थानीय बाजार से खरीदी गई सामग्री के लिए दी जा सके।
 - (ख) 'ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट' के तहत प्राप्त की गई वस्तुएं, जो नियम 18 या 19 के सुविधाओं के तहत छूट का लाभ लेते हुए प्राप्त की गई हैं, उन्हें निर्यातक के कारखाने में शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किया जाएगा या उसके सहयोगी निर्माण कारखाने में भी उपयोग किया जाएगा चाहे वह भले ही निर्यात की जिम्मेदारी से मुक्त हो गया हो।
 - (ग) यदि निर्यातक क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा प्राधिकार स्थानांतरित किए जाने के बाद भी सामग्री आयातित करता है तो उसे उपर्युक्त सामग्री की निकासी मिलने की तारीख से या क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा सामग्री स्थानांतरित किए जाने की अनुमति मिलने की तारीख से सीमा शुल्क के बराबर अतिरिक्त शुल्क और साथ ही उस पर 15 प्रतिशत की दर से प्रति वर्ष ब्याज चुकाना होगा। परंतु 01.05.2006 से 31.03.2007 के बीच जारी किए गए प्राधिकार के मामले में ऐसी कोई भी राशि नहीं चुकानी होगी।
 - (घ) अधिसूचना जारी करने हेतु शुल्क योग्य वस्तुओं को परिभाषित किया जा सके।

7. 17 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या 27/2009-कस्टम्स (NT) में प्रावधान है कि डीजीसीईआई के अधिकारी भारत के अधिकार क्षेत्र में सीमा शुल्क अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इस अधिसूचना को 09 मई, 2000 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया है।

केंद्रीय उत्पाद

दर ढाँचा

जिन वस्तुओं पर वर्तमान में 4 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगता है उसे बढ़ाकर, निम्नलिखित मुख्य अपवादों के साथ, 8 प्रतिशत कर दिया गया है:-

- निर्दिष्ट खाद्य पदार्थ जिनमें बिस्कुट, शर्बत, केक और पेस्ट्री शामिल हैं।
- खण्ड 30 के तहत आने वाली दवाएं और औषधियां।
- चिकित्सा उपकरण।
- कागज की कुछ खास किस्में, पेपर बोर्ड और उससे बनी सामग्री।
- पाराक्सलीन।
- बिजली से चलने वाले पानी के पंप।
- खुदरा मूल्य 250 रुपए से 750 रुपए प्रति जोड़ी के जूते-चप्पल।
- प्रेशर कुकर
- वाक्यूम और गैस भरे हुए बल्ब, जिनका खुदरा मूल्य 20 रुपए प्रति बल्ब से ज्यादा न हो।
- कम्पैक्ट फ्लोरसेंट लैम्प (सी.एफ.एल)
- शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए कार

ऑटोमोबाइल सेक्टर

1. बड़ी कारों/माल वाहक गाड़ियों जिनकी इंजन की क्षमता 2000 या इससे अधिक हो उनके ऊपर विशेष उत्पाद शुल्क 20,000/- रुपए प्रति वाहन से घटाकर 15,000/- रुपए प्रति वाहन कर दिया गया है।
2. पेट्रोल से चलने वाले ट्रक/लॉरी पर उत्पाद शुल्क 20% से घटाकर 8% कर दिया गया है। ऐसे ट्रक/लॉरी के चेसिस पर उत्पाद शुल्क 20% +10,000/-रुपए से घटाकर 8% +10,000/-रुपए कर दिया गया है।

पेट्रोलियम सेक्टर

1. स्पेशल बॉयलिंग पॉइंट स्पिरिट्स पर उत्पाद शुल्क घटा कर 14% कर दिया गया है।
2. नेपथा पर उत्पाद शुल्क घटा कर 14% कर दिया गया है।
3. हाई स्पीड डीजल जिसमें 20% तक जैव-डीजल मिश्रित है उसे पूरी तरह उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा गया है।
4. विक्रय के लिए ब्रांड नेम पेट्रोल पर 6% के उत्पाद शुल्क के “यथामूल्य शुल्क” कारक को निश्चित दर में बदल दिया गया है। परिणाम स्वरूप, ऐसे पेट्रोल पर अब 6% + 13 रुपए प्रति लीटर की बजाय 14.50 रुपए प्रति लीटर कुल उत्पाद शुल्क लगेगा।

- विक्रय के लिए ब्रांड नेम डीजल पर 6% के उत्पाद शुल्क के “यथामूल्य शुल्क” कारक को निश्चित दर में बदल दिया गया है। परिणामस्वरूप, ऐसे डीजल पर अब 6% + 3.25 रुपए प्रति लीटर की बजाय 4.75 रुपए प्रति लीटर कुल उत्पाद शुल्क लगेगा।

कपड़ा

- मानवनिर्मित रेशा और सूत पर उत्पाद शुल्क 4% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है।
- पीटीए और डीएमटी पर उत्पाद शुल्क 4% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है।
- पॉलिस्टर चिप्स पर उत्पाद शुल्क 4% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है।
- एक्रीलोनीट्राईल पर उत्पाद शुल्क 4% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है।
- शुद्ध कॉटन पर 4% की वैकल्पिक उत्पाद शुल्क योजना को बनाए रखा गया है।
- मानव निर्मित और प्राकृतिक रेशा, शुद्ध कॉटन को छोड़कर जो रेशा और सूत के स्तर से पीछे हो, पर उत्पाद शुल्क वर्तमान वैकल्पिक योजना के तहत 4% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है।
- वैकल्पिक उत्पाद शुल्क छूट, मानव निर्मित टॉप्स रेशा जो शुल्क अदा हो, Tow-to-top प्रक्रिया से उपयोग करते हुए टॉप्स के बराबर शुल्क अदा स्पेशल रेशा से निर्मित है, दिया गया है।
- एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनियों द्वारा देशी कच्चे माल सामग्री का उपयोग करते हुए तैयार कपड़ा की डी टी ए निकासी के लिए शुल्क की लागू दरों में उपयुक्त समायोजन किया गया है।

विविध

- खण्ड 68 में लिखित वस्तुओं के निर्माण स्थल में उत्पादन और उसी स्थल में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह मुक्त रखा गया है।
- ‘रिकॉर्डेड स्मार्ट कार्ड’ और ‘रिकॉर्डेड प्रोक्सिमिटी कार्ड्स एवं टेग्स’ पर उत्पाद शुल्क की छूट को वैकल्पिक बनाया गया है। उत्पादकों के लिए विकल्प है कि वे लागू उत्पाद शुल्क अदा करें और कच्चे माल/सामग्री दर शुल्क अदा करने की साख का लाभ उठाएं।
- व्यावसायिक कार्य में निर्मित ई वी ए कंपाउंड जिसका जूते-चप्पल के निर्माण के लिए उपयोग किया गया है, उसे उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा गया है।
- ‘एस एस आई छूट स्कीम’ का लाभ प्रिंटेड लैमिनेटेड रोलस् जिसमें किसी और व्यक्ति का ब्रांड नाम हो, ऐसे वस्तु को ब्रांड नाम सीमा के दायरे से बाहर रखा गया है।
- डिब्बाबंद सॉफ्टवेयर पर मूल्य के उस भाग को उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा गया है जो ऐसे सॉफ्टवेयर के उपयोग का अधिकार निर्दिष्ट शर्तों पर हस्तांतरित करता है।
- गहनों की ब्रांडेड वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क 2 से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 में संशोधन

- केंद्रीय उत्पाद अधिनियम की धारा 9A को संशोधित किया जा रहा है ताकि राजीनामा योग्य अपराधों का तरीका और यह सुनिश्चित किया जा सके कि कौन से अपराध व परिस्थितियां राजीनामा योग्य नहीं हैं। परिणामस्वरूप केंद्रीय उत्पाद अधिनियम की धारा 37 को संशोधित किया जा रहा है।

2. केंद्रीय उत्पाद अधिनियम की धारा 14ए व 14एए को संशोधित किया जा रहा है ताकि केंद्रीय उत्पाद के प्रमुख आयुक्त को इन प्रावधानों के तहत विशेष लेखा परीक्षा करने के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को नामित करने का अधिकार प्राप्त हो जाए।
3. केंद्रीय उत्पाद अधिनियम की धारा 23ए को संशोधित किया जा रहा है ताकि “अंथारिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स” की परिभाषा को प्रतिस्थापित किया जा सके और इसमें सीमा शुल्क की धारा 28F के तहत प्राधिकृत प्राधिकारी को शामिल किया जा सके।
4. केंद्रीय उत्पाद अधिनियम की धारा 359 को 01.07.2003 को पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित किया जा रहा है ताकि निश्चित समय सीमा के पश्चात अपील फाइल होने में देरी को माफ करने का अधिकार उच्च न्यायालय को स्पष्ट रूप से मिल सके।
5. केंद्रीय उत्पाद अधिनियम की धारा 35 को 01.07.1999 से पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित किया जा रहा है ताकि एप्लीकेशन फाइल होने में देरी को या निश्चित समयावधि के पश्चात क्रास ऑवजेक्शन के ज्ञापन जारी करने में हुई देरी को माफ करने का अधिकार उच्च न्यायालय को स्पष्ट रूप से मिल सके।

केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1935 की प्रथम अनुसूची में संशोधन

1. केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1935 की पहली अनुसूची के खंड 8 के नोट 1 को प्रतिस्थापित किया गया है ताकि टैरिफ सामग्री 21069030 ‘बीटल नट प्रोडक्ट नोन एस सुपारी’ को इसमें दायरे से बाहर रखा जा सके।
2. नोट (संख्या 6) को चेप्टर 21 में शामिल किया गया है ताकि टैरिफ सामग्री 21069030 के उत्पाद के संबंध में इलायची, कोपरा, मेंथल, मसाले, मीठी सामग्री या ऐसे कोई और पदार्थ, (चूना, कत्था छोड़कर) या तम्बाकू मिश्रित सुपारी किसी भी रूप में जोड़ने या मिश्रण करने की प्रक्रिया को ‘उत्पादन’ माना जाएगा।
3. चेप्टर 58 में टैरिफ आइटम 58012210 के सामने कॉलम 3 व 4 में दी गई प्रविष्टि ‘M’ व ‘8%’ को जोड़ा जा रहा है।

केंद्रीय उत्पाद नियम और सेनवेट क्रेडिट नियम में संशोधन

1. केंद्रीय उत्पाद नियम, 2002 में एक नया नियम जोड़ा जा रहा है इसके तहत यदि जांच के दौरान रिकॉर्ड की जब्ती की गई है और उनका उल्लेख कारण बताओ नोटिस में नहीं किया गया है तो उन्हें पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के 30 दिन के अंदर वापस कर दिया जाना चाहिए।
2. सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 2 में एक व्याख्या जोड़ी जा रही है ताकि "Input" शब्द की व्याख्या की जा सके। इस व्याख्या के तहत सीमेंट, एंगलस्, चैनल्स, सीटीडी या टी एम टी सरिया या अन्य सामग्री जो शेड, बिल्डिंग या पूंजीगत सामान की सुरक्षा के लिए निर्माण हेतु उपयोग की जाती है इनपुट में शामिल नहीं किया जाएगा।
3. 01 अगस्त, 1997 की अधिसूचना सं 33/97-CE (NT), 30 अगस्त, 1997 के अधिसूचना सं 44/97-CE (NT) और दिनांक 10 मार्च, 1998 की अधिसूचना सं 7/98-CE (NT) को पूर्वव्यापी

प्रभाव देते हुए अधिसूचना जारी करने की तारीख से संशोधित किया जा रहा है ताकि केंद्र सरकार पूर्व केंद्रीय उत्पाद अधिनियम की धारा 3A के तहत निहित शक्तियों, का उपयोग करते हुए, इन अधिसूचनाओं के तहत उत्पाद शुल्क की दरों को अधिसूचित कर सके [ये बदलाव वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2009 के पारित हो जाने के पश्चात प्रभावी होंगे]

4. सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6(3) को संशोधित किया जा रहा है ताकि निर्धारित किया जा सके कि कर देय व कर मुक्त वस्तुओं का निर्माता जो उपयोग की गई सामग्री का अलग से हिसाब नहीं रखता उसे छूट प्राप्त वस्तुओं की कुल कीमत की राशि का 5% की बजाय 10% कीमत चुकानी होगी।

सेवा कर

सेवा कर निम्नलिखित निर्दिष्ट सेवाओं में लागू किया गया है:

1. रेल से सामान की ढुलाई पर दी गई सेवा पर
2. तटीय माल व अंतर्देशीय जलमार्ग और राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा माल ढुलाई के लिए दी गई सेवाओं पर।
3. कानूनी सलाह सेवा।
4. कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी सेवा।

निर्दिष्ट कर योग्य सेवाओं के दायरे को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया गया है:

1. सहायक व्यवसाय सेवा (Business Auxiliary Service-BAS) की परिभाषा को संशोधित किया जा रहा है ताकि सिर्फ उन्ही प्रक्रियाओं को सहायक व्यवसाय सेवा माना जा सके जिनके परिणामस्वरूप उत्पाद शुल्क लगाने योग्य वस्तुएं (जैसा कि केंद्रीय उत्पाद अधिनियम में परिभाषित है) इसके दायरे से बाहर हैं।
2. 'सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवा' की परिभाषा को संशोधित किया जा रहा है ताकि "एक्वायरिंग" शब्द के स्थान पर 'प्रोवाइडिंग' शब्द लाया जा सके (यह, परिभाषा की क्रम सं (iv) व (v) में लिखित है) इस संशोधन को 16.05.2008 से पूर्वप्रभाव दिया जा रहा है।
3. "स्टॉक ब्रोकर" की परिभाषा (स्टॉक ब्रोकर सेवा में) को संशोधित किया जा रहा है ताकि इसके दायरे से "सब ब्रोकर" को अलग रखा जा सके। इसके परिणामस्वरूप, सब ब्रोकर्स सेवा कर के दायरे से बाहर रहेंगे।

वित्त अधिनियम, 1994 में संशोधन

वित्त अधिनियम, 1994 को संशोधित किया जा रहा है:

1. ताकि धारा 84 के तहत निर्धारित पुनरीक्षण प्रक्रिया को समाप्त किया जा सके और केंद्रीय उत्पाद प्रक्रिया की तरह ही सेवा कर के मामलों में कमिशनर (अपील) के समक्ष विभागीय अपील फाइल करने की प्रक्रिया को निर्धारित किया जा सके। तदनुसार, कमिशनर द्वारा पुनरीक्षण से संबंधित धारा 84 को संशोधित किया जा रहा है और परिणामस्वरूप धारा 86 में भी परिवर्तन किया जा रहा है। लंबित मामलों का बचाव करने के लिए 'सेविंग क्लॉज' जोड़ा जा रहा है।

2. ताकि कर योग्य सेवाएं मुहैया कराने के स्थान के विषय में केंद्र सरकार को नियम बनाने व सेवा कर की दर निर्धारण के लिए संबंधित दर निश्चित करने के लिए अधिकार दिया जा सके।

अधिसूचनाओं के वर्तमान नियमों में संशोधन

1. 01 मार्च, 2002 की अधिसूचना सं. 3/2002-ST को विस्तार दिया गया है ताकि भारत के पूरे महाद्वीपीय शेल्फ व भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में जलयानों, ढांचों, संस्थापनों के लिए सेवा कर की व्यावहारिकता/उपयुक्तता को बढ़ाया जा सके।
2. सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6(3) को संशोधित किया जा रहा है ताकि निर्धारित किया जा सके कि कर योग्य व कर मुक्त सेवा मुहैया कराने वाले जो प्राप्त सामग्री का लेखा-जोखा नहीं रखते उनके ऊपर कर मुक्त सेवाओं की कीमत की राशि 8% की बजाए 6% राशि देनी होगी।
3. सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 3(5B) को संशोधित किया जा रहा है, ताकि सेवा मुहैया कराने वाला सामग्री/पूँजीगत सामान खरीद के लिए ली गई उधार राशि को जो पूरी तरह बट्टे खाते में डाली जा चुकी है उसे वापस चुका दे।
4. वर्कर्स कांट्रेक्ट नियम, 2007 की व्याख्या में संशोधन किया जा रहा है इसके तहत ऑप्सनल कंपोजीशन स्कीम का लाभ सिर्फ उन्ही कार्य संविदाओं को मिलेगा जिनमें करदाता माल की पूरी कीमत (चाहे लाभ या बिना लाभ के, किसी भी संविदा के तहत दी गई हो) और सेवाओं का उपयोग कार्य संविदा पूरा करने के लिए किया हो चूंकि कार्य संविदा में ग्राँस वेल्थू शामिल है। यह शर्त वर्तमान कार्य संविदा में नहीं लागू होगी जहां कार्य शुरू हो चुका है अथवा 07 जुलाई, 2009 को या इसके तहत भुगतान किया जा चुका है।

छूट

1. अंतरराज्यीय या राज्य के अंदर यात्रियों के यातायात के लिए 'कॉन्ट्रेक्ट कैरिज परमिट' धारी वाहनों को निर्दिष्ट शर्तों के साथ सेवा कर से छूट दी गई है।
2. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशनस (FIEO) और निर्दिष्ट निर्यात प्रोत्साहन परिषदों को (जो क्लब या एसोसियेशन सेवा के तहत लागू है) सेवा कर से छूट दी गई है। यह छूट 31 मार्च, 2010 तक लागू है।
3. अधिसूचित बैंकों द्वारा अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा खरीदी और विक्रय पर (विदेशी मुद्रा विनिमय ब्रोकिंग सेवा के तहत या बैंकिंग व अन्य वित्त सेवाओं के तहत लगाए जाने वाले) सेवा कर से छूट दी गई है।

निर्यातकों के लिए रिफंड स्कीम

06 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना सं 41/2007-ST के अनुसार सामान निर्यात सेवा के लिए चुकाए गए सेवा कर को रिफंड करने का प्रावधान है परंतु इसमें इनपुट सर्विसेज के रूप में दी गई सेवाएं शामिल नहीं हैं। इस योजना में सुधार लाया जा रहा है ताकि निर्यातकों को रिफंड जल्दी चुकाया जा सके। इस योजना की मुख्य बातें 07 जुलाई, 2009 के दो अधिसूचनाओं में निम्नलिखित हैं:-

1. दो कर योग्य सेवाएं—'रोड से माल ढुलाई' और 'विदेशी एजेंट को दिया गया कमीशन' को सेवा कर से छूट दी गई है बशर्ते निर्यातक रिवर्ट चार्जेस आधार पर सेवा कर चुकाने का जिम्मेदार हो।

फिर भी कमीशन एजेंसी के खर्च पर 10% की सीमा को अब भी बनाए रखा है। 10% से अधिक कमीशन एजेंसी के खर्च पर निर्यातक को कमीशन की राशि पर ब्याज देना होगा।

2. 06 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना सं. 41/2007-ST का अधिक्रमण करते हुए रिफंड योजना में सुधार लाया है। इसकी मुख् बातें निम्नलिखित हैं:-

- उपयुक्त सेवाओं को 'टर्मिनल हैंडलिंग चार्ज' की सूची में डाला जा रहा है।
- रिफंड दावे फाइल करने की समय सीमा बढ़ाकर निर्यात की तारीख से एक वर्ष की जा रही है। रिफंड दावे तीन महीने में एक बार फाइल करने की शर्त को समाप्त किया जा रहा है। अब निर्यातक रिफंड का दावा निर्यात शिपमेंट के बाद कभी भी फाइल कर सकता है।
- रिफंड दावा फाइल करने के लिए सरलीकृत फार्म निर्धारित किया जा रहा है।
- रिफंड की त्वरित मंजूरी और वितरण हेतु स्व-प्रभावीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यदि रिफंड दावे की कुल राशि दावा किए गए निर्यात राशि के कुल एफ ओ बी का 9.25% से ज्यादा नहीं है तो निर्यातक द्वारा स्व-प्रभावीकरण संबंधित कागजात में किया जाएगा कि—(क) उसने उपयुक्त सेवाएं प्राप्त कर ली हैं। (ख) उन पर दिया जाने वाला सेवा कर वापस लिया जा चुका है और (ग) ऐसी सेवाएं निर्यात के लिए ली गई हैं और यह पर्याप्त होगी। रिफंड बिना किसी पूर्व लेखा परीक्षा के एक महीने के अंदर मंजूर दिया जाएगा।
- यदि रिफंड राशि का दावा निर्यात के एफ.ओ.बी. कीमत के 0.25% से ज्यादा हो जाता है तो निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजात को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए जो निर्यातक के लेखों की वार्षिक लेखापरीक्षा करता है। ऐसे प्रमाणीकरण के आधार पर रिफंड दावा एक महीने के अंदर बिना किसी पूर्व लेखा परीक्षा के मंजूर कर दिया जाएगा।

केंद्रीय विक्रय कर (सी एस टी)

केंद्रीय विक्रय कर अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के लिए वस्तुओं के विक्रय पर केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत लगाया जाता है। केंद्रीय विक्रय कर संकोच सूची के इन्ट्री संख्या 92A के तहत केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 269 के प्रावधानों के तहत उन राज्य सरकारों को सौंप दिया जाता है जिन राज्यों में यह कर लगाया जाता है।

यह सर्वमान्य सत्य है कि केंद्रीय विक्रय कर आधार भूत कर है जो कि VAT (जो कि दूरी आधारित कर है) के अनुकूल नहीं है। इसके अलावा, केंद्रीय विक्रय कर लगातार लगने वाला कर है चूंकि यह VAT के मुकाबले छूट देने वाला कर नहीं है। अतः यह माना गया है कि केंद्रीय विक्रय कर को समयबद्ध चरणों में समाप्त कर देना चाहिए। केंद्रीय विक्रय कर को हिस्सों में 31.03.2010 तक समाप्त करने की योजना को, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच गहन विचार विमर्श के पश्चात, अंतिम रूप दिया जा चुका है। राज्यों को होने वाली राजस्व क्षति की क्षतिपूर्ति के पैकेज को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है। तदनुसार सी एस टी को समयबद्ध चरणों में समाप्त करने की प्रक्रिया 01 अप्रैल, 2007 से सी एस टी 4% से घटाकर 3% कर दी गई है। आगे 01 जून 2008 से 3% से 2% कर दी गई है।

तस्करी विरोधी अभियान

सीमा शुल्क की चोरी रोकने व धोखाधड़ी का पता लगाने में मदद करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- भारत ने आसूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए और शुल्क चोरी की जांच में मदद करने के लिए बहुत से देशों के साथ कस्टमस म्यूचुअल एसिसटेंट एग्रीमेंट मेमोरेडम पर हस्ताक्षर किए हैं।
- कस्टमस ओवरसीज इंटेलीजेंस नेटवर्क (COIN) कार्रवाई करने लायक आसूचना मुहैया कराता है जो आपराधिक वस्तुओं की जब्ती और सीमा शुल्क की चोरी का पता लगाने में मदद करते हैं।
- नेशनल इंपोर्ट डेटाबेस (NIDB) का उपयोग आयातित सामान के अब मूल्यांकन का पता लगाने, जो कि आमतौर पर सीमा शुल्क व्यापारिक धोखाधड़ी का माध्यम रही हैं, में किया जाता है।
- इंटेलीजेंस सपोर्ट सिस्टम (ISS) आसूचनाओं को विकसित करने और अति सूक्ष्म सूचनाओं का विश्लेषण करके कार्रवाई करने योग्य आसूचना मुहैया कराने में मदद करता है। इस व्यवस्था से व्यापारिक धोखाधड़ी व सीमा शुल्क की चोरी का पता लगता है।
- अपराध के नित नए तरीकों की जानकारी संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए DRI जब्त किए गए महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी चेतावनी भरे परिचय के माध्यम से देता है। ये चेतावनी भरे परिचय सीमा शुल्क चोरी का पता लगाने में फील्ड फॉर्मेशनस के लिए हथियार का काम करते हैं। इन्हें रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क तैयार करने में भी उपयोग किया जाता है।
- विभाग ने मुम्बई समुद्र बंदरगाह पर एक मोबाइल गामा टे कंटेनर स्कैनर और एक फिक्सड एक्सरे स्कैनर लगाया है। विभाग ने गैर घोषित वस्तुओं को प्रभावी रूप से रोक लगाने के लिए 7 अतिरिक्त मोबाइल व फिक्सड कंटेनर स्कैनर लगाने का प्रस्ताव सन् 2009-10 में रखा है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में प्रभावी रूप से गश्त लगाने के लिए स्पीड बोट खरीदी जा रही हैं। विभाग ने सामान की जांच के लिए एयरपोर्ट पर 87XBIS लगाने की मंजूरी दी है।

राज्य स्तर पर मूल्य आधारित कर (वैट)

राज्य स्तर पर 'राज्य मूल्य आधारित कर' महत्वपूर्ण कर सुधार उपाय है। राज्य मूल्य आधारित कर राज्यों के पहले विक्रय कर प्रणाली के स्थान पर लाया गया है। वैट 'राज्यों के अंदर वस्तुओं के क्रय व विक्रय' पर राज्य का विषय है जो भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची, सूची- (राज्य सूची) के इंट्री संख्या 54 में निहित है। भारत सरकार ने 'अधिकार प्राप्त राज्य वित्त मंत्रियों का गठन किया है जो विक्रय कर सुधार/राज्य वैट के सभी मामलों पर गंभीरतापूर्वक विचार और निर्णय लेगी। राज्य वैट, उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया है।'

चूंकि विक्रय कर/वैट राज्य का विषय है, अतः केंद्र सरकार वैट को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मध्यस्थता कर रही है। इस विषय में केंद्र सरकार द्वारा कुछ लिए गए उपाय निम्नलिखित हैं:-

- (क) राज्यों को वैट लागू करने से हुए राजस्व हानि को पूरा करने के लिए क्षतिपूर्ति पैकेज देने की व्यवस्था की गई है।
- (ख) उत्तर-पूर्व राज्यों, विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए वैट को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए तकनीकी व वित्तीय सहायता दी जा रही है।

वित्त

451

एक नजर में—डी आर आई और कमिशनर की तस्करी विरोधी उपलब्धियां

क्रम कार्य का सं वितरण	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
	मामलों की संख्या	मूल्य/ शुल्क	मामलों की संख्या	मूल्य/ शुल्क	मामलों की संख्या	मूल्य/ शुल्क	मामलों की संख्या	मूल्य/ शुल्क	मामलों की संख्या	मूल्य/ शुल्क
1 जन्ती	45424	859.31	43676	675.17	46043	689.16	42764	1021.08	43614	173.01
2 व्यापारिक धोखाधड़ी के मामले	4147	780.75	2686	760.32	2643	900.01	3579	876.03	3303	2011.30
3 जांच पूरी हुई और व्यापारिक धोखाधड़ी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी के मामले	1033	1080.42	967	950.51	1176	1991.67	1262	1221.77	1575	2128.23
4 तस्करी के मामलों में सीधे कारण बताओ नोटिस जारी	20192	133.34	5719	152.65	4776	95.72	4885	99.67	9054	147.54
5 शुल्क वसूल किया गया	1243	234.21	2480	170.96	4403	202.98	5130	338.47	1737	674.06
6 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए	472	-	445	-	390	-	451	-	464	-
7 व्यक्तियों को कोफेपोसा (COFEPOSA)/ NDPS अधिनियम के तहत रोक़ा गया	103	-	128	-	113	-	102	-	86	-

(ग) अधिकार प्राप्त समिति व राज्यों को वैट संबंधित प्रचार-प्रसार और जागृति अभियान के लिए वित्तीय सहायता दी गई है।

(घ) अधिकार प्राप्त समिति को अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नजर रखने के लिए प्रोजेक्ट लागू करने हेतु 50% की वित्तीय सहायता दी जा रही है।

वैट लागू करने के अनुभव अब तक बहुत उत्साहजनक रहे हैं। नई प्रणाली का सभी राज्यों ने पूरी तरह स्वागत किया है। नई पद्धति में बदलाव पूरी तरह आसान रहा है। वैट लागू करने के बाद राज्यों के राजस्व में 2005-2006 में 13.8% और 2006-2007 में 21% की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।

2007-2008 में राज्य वैट व सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विक्रय कर में कुल राजस्व की बढ़ोत्तरी 15.7% रही, वैट-वस्तुओं से प्राप्त 24% राजस्व की बढ़ोत्तरी भी शामिल है। वित्त वर्ष 2008-09 में अप्रैल से दिसम्बर के बीच दर्ज की गई अस्थायी बढ़ोत्तरी इसी समय वित्त वर्ष 2007-2008 की तुलना में 19.1 प्रतिशत अधिक रही।

इंडियन स्टैंप अधिनियम, 1899 के तहत लिखत (Instruments) का युक्तिकरण

डा. आर एच पाटिल की अध्यक्षता में जो कि यू टी आई के चेयरमैन थे, कारपोरेट बॉण्ड्स और सेक्यूरिटाइजेशन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। समिति ने इंडियन स्टैंप अधिनियम 1899 के तहत कुछ लिखत जैसे कि ऋणपत्रों (Debentures) (आर्टिकल 27), प्रोमिजरी नोट्स (आर्टिकल-49) व अजाइनमेंट इत्यादि के रूप में बॉण्ड का युक्तिकरण करने की सिफारिश की। समिति की सिफारिशों को, स्टैंपस व रजिस्ट्रेशन विषय पर आयोजित राज्य सरकारों की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में NIPFP दिनांक 11.05.2007 को स्वीकार कर लिया गया है। यह निर्णय लिया गया कि केंद्रीय लिखतों के तहत डिबेंचर व प्रोमिसरी नोट्स की दरों को घटाया/स्टैंप ड्यूटी की दरों को एकरूपता लाई जाए और उन्हें इंडियन स्टैंप अधिनियम की धारा 9(1)(a) के तहत अधिसूचित किया जाए। डिबेंचर व प्रोमिजरी नोट्स की स्टैंप ड्यूटी की दरों को अधिसूचित करते हुए आवश्यक आदेश दिनांक 12.09.2008 को स्टैंप आदेश सं. 2189(E) के तहत जारी कर दिया गया है। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति से अनुरोध किया गया है कि वह केंद्र सरकार के सहयोग से सेक्यूरिटीस के लिए पूरे देश में प्रभावकारी भारतीय बाजार तैयार करे जो राज्यों के राजस्व को बढ़ाए।

वस्तु व सेवा कर

वस्तु व सेवा कर (जी एस टी) से तात्पर्य है कि वस्तु व सेवा को मिलाकर कराधान हो और यह अलग-अलग न हो जैसा कि वर्तमान में हो रहा है। वस्तु व सेवा के बीच विभाजन की सीमा अस्पष्ट हो रही है इस वजह से वस्तु व सेवा के लिए अलग-अलग कराधान निश्चित करना कठिन हो गया है। वस्तु व सेवाओं के लिए एकीकृत कर जो वैट के सिद्धांतों पर आधारित है, अप्रत्यक्ष कर के बहुत ही प्रभावकारी रूप में विकसित हुआ है और इसे आमतौर पर दुनिया के बहुत से देशों ने (जिनमें संघीय राष्ट्र भी शामिल है) अपनाया है। यहां तक कि यूरोपीय देशों ने भी वैट में वस्तु व सेवाएं दोनों शामिल की हैं। भारत में भी वैट की तर्ज पर अप्रत्यक्ष कर विकसित हो रहा है और एकीकृत जी एस टी लागू करना पिछले दो दशक के कर सुधार प्रयाशों का स्वाभाविक परिणाम होगा। केंद्र सरकार ने जी एस टी लागू करने के लिए 01 अप्रैल, 2010 का लक्ष्य रखा है। चूंकि सी एस टी लागू करने से केंद्र व राज्यों के कर ढांचे में पुनर्संरचना करनी होगी अतः इस प्रक्रिया में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच गहन संपर्क प्रक्रिया

की आवश्यकता है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्ति समिति जी एस टी 01.04.2010 तक लागू करने की योजना को केंद्र सरकार के साथ मिलकर अंतिम रूप दे। ई सी ने जी एस टी लागू करने के लिए अंतिम योजना बना चुकी है और उसे टैक्स रिसर्च यूनिट, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, कमिशनर सेवा कर, कमिशनर केंद्रीय उत्पाद गहन विचार-विमर्श से मंत्रालय में पूरी तरह जांच-परख कर लिया गया है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का समेकित प्रारम्भिक टिप्पणियां अधिकार प्राप्त समिति को 08.10.2008 भेज दी गई है ताकि जी एस टी का स्वरूप तय किया जा सके और जानकारी हासिल करने में मदद मिले। तदनुसार भारत सरकार की पुनरीक्षित टिप्पणियां अधिकार प्राप्त समिति को भेजने के लिए तैयार कर ली गई है ताकि रिपोर्ट को और अधिक सुव्यवस्थित करने में मदद मिले।

अफीम की खेती

दुनिया के बाजार में अफीम गम के अवैध उत्पादन और निर्यात का प्रमुख केंद्र भारत है। दूसरे देश जो अफीम उत्पादन करते हैं वे कनसन्ट्रेट ऑफ पॉपी स्ट्रा (सी पी एस) तरीके को अपनाते हैं। अफीम के पॉपी की खेती केंद्रीय नारकोटिक ब्यूरो द्वारा जारी लाइसेंस के आधार पर की जाती है और अफीम का निर्यात केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में है। केंद्रीय नारकोटिक ब्यूरो, नारकोटिक कमिशनर की अगुआई में अधिकार प्राप्त एजेंसी है जो तीन राज्यों- मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्रों में अफीम के अवैध उत्पादन की देखरेख करती है। फसल वर्ष 2008-09 (01 अक्टूबर 2008 से 30 सितम्बर 2009 के बीच) 8853 हेक्टेयर क्षेत्र में अफीम पॉपी की खेती 41502 किसानों द्वारा की गई थी। 90 डिग्री कंसिस्टेंस की 396 मीट्रिक टन अफीम और 70 डिग्री कंसिस्टेंस (अस्थायी) की 509 मीट्रिक टन अफीम अप्रैल 2009 में प्राप्त की गई।

केंद्रीय नारकोटिक ब्यूरो ने माइक्रो प्रोसेजर चिप आधारित कार्ड के माध्यम से डिजिटाइज ओपियम कल्टीवेशन डाटा को प्रवाहपूर्ण बनाने के लिए स्मार्ट कार्ड प्रोजेक्ट शुरू किया है।

सरकारी अफीम व क्षारोद (Alkaloid) कार्य:

वित्त वर्ष 2008-09 (31 मार्च 2009 तक) में 90 डिग्री गाढ़ेपन का 143.177 मीट्रिक टन अफीम (कृषि वर्ष 2007-08से), 8280 मीट्रिक टन सूखा अफीम प्राप्त हुआ और 421.327 मीट्रिक 90 डिग्री गाढ़ेपन का अफीम निर्यात किया गया। सरकारी अफीम और क्षारोद बर्कस, गाजीपुर व नीमच द्वारा 2008-09 में तैयार क्षारोद के उत्पाद/विक्रय के आंकड़े निम्नलिखित है:

क्र. सं.	क्षारोद (Alkaloid) का नाम	शुरूआती स्टॉक (मात्रा कि.ग्रा. में)	उत्पादन मात्रा (कि.ग्रा. में)	बिक्री मात्रा (कि.ग्रा. में)	विक्रय राशि (रुपये/लाख)
1.	कोडीन फॉस्फेट-देशी	2321	10307	10830	3573.97
2.	कोडीन फास्फेट-आयात	1777	29000	25445	8397.01
3.	कोडीन सल्फेट	92	-	-	-
4.	थिबेन	851	601	265	112.63
5.	मार्फिन साल्ट	58	316	215	107.68
6.	डाइनोनिन आई.पी.	79	381	402	216.07
7.	नॉस्केपाइन बी.पी.	1638	2987	2426	849.10

8.	एस.आर. पापावरिन	296	1448	1100	22.42
9.	मूल्य संवर्द्धित उत्पाद	11	157	137	63.20
10.	आई.एम.ओ. पाउडर	2966	3675	6079	278.46
11.	आई.एम.ओ.केक	193	1890	1490	58.09

प्रवर्तन निदेशालय

प्रवर्तन निदेशालय का मुख्य कार्य फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अधिनियम (FEMA), 1999 के प्रावधानों को लागू करता है, इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग अधिनियम (PMLA), 2002 को भी 01.07.2005 से लागू कर रहा है। निदेशालय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (FERA) (जिसे समाप्त कर दिया गया है) के तहत दायर किए गए मामलों में न्याय निर्णय करने के लिए जिम्मेदार है और साथ ही फेरा के तहत अभियोजन के मामलों में कार्रवाई करना है। पी एम एल ए में संशोधन के परिणामस्वरूप, जिसे 01 जून, 2009 से अधिसूचित किया जा चुका है, निदेशालय द्वारा पी एम एल ए को लागू करने वाले कार्य में कई गुना वृद्धि हुई है। निदेशालय विभिन्न माध्यमों से आसूचना एकत्र करता है जिसका मिलान व जांच किया जाता है। तत्पश्चात जांच अधिकारी न्यायनिर्णय प्राधिकरण के समझ शिकायत दर्ज करता है जो कि प्राधिकरण गहन विचार के बाद उपयुक्त मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करता है। कारण बताओ नोटिस के परिणामस्वरूप उल्लंघन करने वालों पर राशि जब्त करने के अलावा अर्थ-दण्ड लगाने का न्याय निर्णय दिया जाता है। निदेशालय द्वारा 01.04.2008 से 31.03.2009 के बीच फेमा के तहत मारे गए 93 छापों में 798.14 लाख रुपए व विदेशी मुद्रा 34.14 लाख रुपयों के बराबर जब्त की गई। इसी अवधि के दौरान फेमा के तहत आर्थिक दण्ड के भुगतान से 155.88 लाख रुपए व फेरा के तहत 1342.70 लाख रुपए निदेशालय ने वसूल किया। इसी अवधि के दौरान फेरा के 160 मामले व फेमा के 233 मामले निपटाए गए। परिणामस्वरूप 315086.77 रुपए अर्थ-दण्ड राशि प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त फेरा के तहत 201.97 लाख (जिनमें विदेशी मुद्रा व भारतीय मुद्रा शामिल है) रुपए जब्त किए गए व अर्थ-दण्ड के रूप में 14650.71 रुपए वसूल किए गए। साथ ही फेमा के तहत 144.59 लाख (इसमें भारतीय मुद्रा व विदेशी मुद्रा शामिल है) रुपए जब्त किए गए।

निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग अधिनियम (पी एम एल ए) 2002, के प्रावधानों के तहत 65 इ सी आइ आर एस (इनफोर्समेंट केस इनफॉर्मेशन रिपोर्ट) के मामलों की निम्नलिखित अनुसूचित अपराधों की जांच की है जैसे कि (क) देश/राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ना (ख) एन डी पी एस अधिनियम के तहत माद द्रव्य संबंधी अपराध (ग) भारतीय अपराध संहिता संबंधी अपराध जैसे मूल्यांकन प्रतिभूति की धोखाधड़ी (घ) जाली भारतीय करेंसी नोट (च) आर्म्स एक्ट के तहत अपराध (छ) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम (ज) अनैतिक देह व्यापार (रोक) अधिनियम। पी एम एल ए के तहत अस्थायी रूप से जब्त की गई संपत्ति का मूल्य 46.76 करोड़ रुपए आंका गया है।

40 मामलों में अस्थायी जब्ती आदेश (प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर्स -PAO) जारी किए गए हैं, इस अपराधा से 4676 लाख रुपए अस्थायी रूप से जब्त किए गए हैं। इनमें से 34 मामले जिनमें 7307 लाख रुपए शामिल हैं, न्याय-निर्णय प्राधिकरण द्वारा पहले ही अपराधों की पुष्टि की जा चुकी है। पी एम एल ए के तहत दो मामलों अदालत में दाखिल की जा चुकी है।

अवैध रूप से हासिल की गई संपत्ति की जब्ती

स्मगलर्स व फॉरेन एक्सचेंज मेनिपुलेटर (फोरफीचर ऑफ प्रापर्टी) अधिनियम, 1976 (SAFEM (FOP)A) में सी कस्टम एक्ट, 1878, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1974 के तहत अभियोजित व्यक्तियों और कंजरवेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, 1974 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की अवैध रूप से जमा की गई संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड सायकोट्रोपिक सब्सटांस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत या समतुल्य किसी विदेशी कानून के तहत और नारकोटिक ड्रग्स एंड सायकोट्रोपिक सब्सटांस एक्ट 1988 के तहत, जम्मू-कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रेफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड सायकोट्रोपिक सब्सटांस एक्ट 1988 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संपत्ति व अवैध व्यापार के संबंध में अवैध रूप से जमा की गई संपत्ति का पता लगाने, फ्रीज करने, जब्त करने व रोकने का प्रावधान है।

SAFEM (FOP) अधिनियम और NDPS अधिनियम के अनुसार अवैध रूप से जमा की गई संपत्ति को जब्त करने के लिए सक्षम अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है। वर्तमान में सक्षम अधिकारियों के कार्यालय कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली मुंबई में स्थित हैं और एक यूनिट अहमदाबाद में भी है। वर्ष 2008-2009 के दौरान सक्षम प्राधिकरण ने 28 मामलों में 115.33 लाख की संपत्ति जब्त की है।

14. कारपोरेट मामले

भारत का कारपोरेट क्षेत्र उसके आर्थिक विकास को गति देने वाला मुख्य कारक है। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से लेकर छोटे और मझोले उद्यमों तक और विनिर्माण, निर्माण, दूरसंचार तथा सेवा समेत तमाम उद्योगों में फैले हुए कारपोरेट क्षेत्र ने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कारपोरेट क्षेत्र की इस वृद्धि और विकास में उन उदारवादी सुधारों ने भी खासा सहयोग किया है, जिन्हें समय-समय पर देश में लागू किया गया है।

कारपोरेट क्षेत्र का विकास

मार्च में समाप्त वर्ष	कंपनियों की संख्या	पेड अप पूंजी (करोड़ रुपये में)	जीडीपी में योगदान (प्रतिशत में)
1982	72402	18935.5	11.1
1987	140670	43967.8	14.0
1992	250361	84642.3	12.9
1997	450950	190518.6	13.8
2002	589246	405753.2	17.8
2003	612155	457058.7	18.7
2004	641512	498790.8	18.1
2005	679649	654021.6	21.0
2006	732169	619152.0	17.3
2007	743678	649490.0	15.7

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर लगातार बदलते कारोबारी माहौल में कारपोरेट क्षेत्र और इससे जुड़े लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कंपनी मामलों के मंत्रालय ने अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया है और इसके तहत “सुचारू प्रशासन” लागू करने के लिए उसने कई प्रकार के कदम उठाए हैं। इन सभी पहलों का उद्देश्य वैधानिक ढांचे और प्रशासनिक प्रणाली में सुधार लाना है, ताकि कंपनियों के लिए काम करना आसान हो, कारपोरेट प्रशासन में सभी कानूनों का पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ सुविधाजनक तरीके से पालन किया जाए।

कंपनी मामलों का मंत्रालय मुख्य रूप से कंपनी कानून, 1956 और उससे जुड़े हुए दूसरे कानूनों को ठीक तरीके से लागू करने का कार्य करता है और उसने भारतीय कारपोरेट क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए हैं। इन कदमों और पहलों में महत्वाकांक्षी ई-प्रशासन परियोजना को लागू करना और उसे सुचारू रूप से चलाना शामिल है। इस परियोजना का नाम एमसीए 21 है और यह राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना के तहत भारत सरकार की अभियान के स्तर की परियोजना है। अन्य कदमों में व्यापक सलाह मशविरे के बाद कंपनी कानून, 1956 में विस्तृत संशोधन, सीमित जिम्मेदारी साझेदारियों

पर नई कानूनी प्रक्रिया लागू करना, सनदी लेखाकारों, कॉस्ट और वर्क लेखाकारों तथा कंपनी सचिवों के तीन व्यावसायिक संस्थानों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में संशोधन, लेखा मानकों का विकास और अधिसूचना जारी करना, दफ्तरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए समुचित बुनियादी ढांचा विकसित करना, दफ्तरों में काम करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना और भारतीय कंपनी मामलों के संस्थान की स्थापना करना आदि शामिल हैं।

कॉर्पोरेट क्षेत्र देश के लिए धन-संपत्ति तो जुटाता ही है, उसके अलावा भारत की जनता के बीच में से करोड़ों लोगों को निवेश करने और रोजगार प्राप्त करने के अवसर देकर देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका भी निभाता है। 1957 में जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी, उस समय देश में कुल 30 हजार कंपनियां पंजीकृत थीं और काम कर रही थीं। मार्च 2008 के अंत में इस संख्या में कई गुना इजाफा हो गया और इस समय तकरीबन 788 हजार कंपनियां पंजीकरण के बाद भारत में कार्य कर रही हैं।

कॉर्पोरेट क्षेत्र में मुख्य तौर पर गैर सरकारी कंपनियां काम करती हैं, जिनकी इस क्षेत्र में तकरीबन 99 फीसद हिस्सेदारी है। सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां कॉर्पोरेट क्षेत्र में महज एक फीसद हैं। कंपनियां तीन तरह की होती हैं - गारंटीशुदा लिमिटेड कंपनियां, शेयरों यानी हिस्सेदारी के जरिये संचालित होने वाली लिमिटेड कंपनियां और अनलिमिटेड कंपनियां। कॉर्पोरेट क्षेत्र में ज्यादातर कंपनियां हिस्सेदारी यानी होयर वाली लिमिटेड कंपनियां हैं। इनकी हिस्सेदारी लगभग 98 फीसद है।

भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र में छोटी और मझोली कंपनियों का बोलबाला है। इस क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी तकरीबन 92 फीसद है। इन कंपनियों की अधिकृत पूंजी एक करोड़ रुपये से भी कम है। बाकी 8 फीसद कंपनियों के पास एक करोड़ रुपये से भी ज्यादा की अधिकृत पूंजी है। केवल एक फीसद कंपनियां ऐसी हैं, जिनकी अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

जिन औद्योगिक क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों की तादाद ज्यादा है, उनमें खास तौर पर विनिर्माण क्षेत्र, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट और कारोबारी गतिविधियां, थोक एवं खुदरा व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट तथा निर्माण प्रमुख हैं। कुल कंपनियों में से 31 फीसद तो विनिर्माण क्षेत्र में ही काम करती हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा कंपनियां वित्त, बीमा, रियल एस्टेट और कारोबारी गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र की लगभग 30 फीसद कंपनियां इन्हीं क्षेत्रों में कारोबार कर रही हैं। थोक और खुदरा व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट में लगभग 16 फीसद कंपनियां हैं, जबकि कॉर्पोरेट क्षेत्र की 8 फीसद कंपनियां निर्माण से जुड़ी हुई हैं।

भारतीय कंपनियों का राज्यवार वितरण

भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र की सबसे ज्यादा कंपनियां तीन राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में हैं। कुल 54 फीसद कंपनियां इन्हीं राज्यों में हैं। सबसे ज्यादा कंपनियों की गतिविधियों वाले देश के 15 राज्य महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और चंडीगढ़ हैं। इन राज्यों में भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र की 96 फीसद कंपनियां काम करती हैं।

वैधानिक सुधार

मंत्रालय कॉर्पोरेट क्षेत्र से जुड़े वैधानिक ढांचे में कई तरह के सुधार करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। इस दिशा में उठाए गए कुछ प्रमुख कदम इस प्रकार से हैं :

कंपनी कानून, 1956 की व्यापक समीक्षा

आज के वैश्विक माहौल में भारत का कॉर्पोरेट क्षेत्र अपनी गतिविधियों को तेजी के साथ भारत की सीमा से भी आगे फैला रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों का भरोसा जीतने लायक प्रबंधन और प्रशासन के स्तर हासिल करने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र के वास्ते कानूनी और नियामक प्रणाली मुहैया कराई जा रही है, ताकि निवेशकों और अन्य शेयरधारकों की सुरक्षा से संबंधित तमाम जरूरतों के साथ समझौता किए बगैर उद्यमियों के लिए कारोबार के लिए अनुकूल ढांचा प्रदान किया जा सके। यह कवायद संदर्भ पत्र तैयार करने और उसे जनता की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रसारित करने के साथ शुरू की गई, जिसके बाद डा. जे. जे. ईरानी के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया। इस दल में कॉर्पोरेट, औद्योगिक संगठनों और पेशेवरों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। विभिन्न हलकों से मिली टिप्पणियों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ सलाह मशविरे के बाद कंपनी विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिसे जरूरी मंजूरी के बाद संसद में पेश किया जाएगा। नए कानून में शेयरधारकों के लोकतंत्र यानी आजादी, पारदर्शिता पर आधारित प्रणाली, तार्किक दंडात्मक प्रावधानों और निवेशकों के हितों की समुचित सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा।

सीमित जवाबदेही साझेदारी विधेयक

देश में ज्ञान और सेवा क्षेत्रों के विकास की जबरदस्त संभावनाओं को देखते हुए मंत्रालय ने नया कानूनी ढांचा तैयार किया है, जिसके तहत सीमित जवाबदेही वाली साझेदारी को नए कॉर्पोरेट प्रारूप के तौर पर खड़ा करने में मदद मिलेगी। सीमित जवाबदेही साझेदारी विधेयक, 2006 को दिसंबर 2006 में संसद में पेश किया गया था। सरकार ने संशोधित किए गए विधेयक, 2008 को संसद में विचार करने और पारित करने के लिए प्रस्तुत करने की भी मंजूरी दे दी।

लेखा मानक

कंपनी कानून, 1956 की धारा 210 ए के तहत गठित लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसीएस) ने लेखा मानक 1-29 (एस 8 के अलावा, जिसे पहले ही एस 26 में मिला दिया गया है) को इस कानून के दायरे में लाने की सिफारिश की है। इन लेखा मानकों की समीक्षा विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ सलाह मशविरे के माध्यम से की गई और उन्हें 7 दिसंबर 2006 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 739 (ई) के जरिये कंपनी कानून 1956 के दायरे में लाया गया। नए लेखा मानकों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य कार्य प्रणालियां शामिल हैं और उनके क्रियान्वयन से भारतीय लेखा व्यवस्था मोटे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों के समकक्ष हो जाएगी।

कंपनी कानून, 2002

भारत ने वैश्वीकरण के मौजूदा दौर के मुताबिक स्वयं को ढालते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को खोला है, नियंत्रण और बाधाएं दूर की हैं और ज्यादा उदार प्रशासन शुरू किया है। स्वाभाविक रूप से यह महसूस किया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के देश के भीतर और बाहर बढ़ रहे मुकाबले का सामना करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। बाजार में प्रतियोगिता होने के काफी अहम फायदे हैं, मसलन आर्थिक सक्षमता और ग्राहकों का कल्याण बढ़ जाता है, लेकिन बाजार को नाकाम होने से रोकने के लिए भी समुचित उपाय करने पड़ते हैं। बाजार की सबसे बड़ी नाकामी प्रतियोगिता रोधी कानूनों जैसे कार्टेल यानी गुट बनाने, छोटी कंपनियों को खत्म करने के लिए बेहद कम कीमतें रखने, किसी खास कंपनी के साथ आपूर्ति या वितरण

की व्यवस्था लागू करने जैसे कदमों और अपनी सत्ता कायम करने के लिए विलय जैसी गतिविधियों के रूप में होती है। इस तरह की गतिविधियों को रोकने और नियंत्रित करने के इरादे से कंपनी कानून, 2002 लागू किया गया और इस कानून के प्रावधानों के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना की गई।

कंपनी कानून, 2002 के कुछ प्रावधानों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती भी दी गई और उच्चतम न्यायालय के फैसलों को ध्यान में रखते हुए कंपनी कानून में संशोधन के प्रस्ताव संसद के सामने रखे गए। संशोधन के प्रस्तावों को 2007 के वर्षाकालीन सत्र के दौरान मंजूरी दी गई। कानून के संशोधित प्रावधान में प्रतिस्पर्धा से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए एक विशिष्ट संस्थान स्थापित करने की बात है। इस संस्थान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और प्रतिस्पर्धा अपीलीय पंचाट (कैंट) शामिल हैं। कैंट सीसीआई के आदेशों के खिलाफ होने वाली अपीलों की सुनवाई करेगा। अब केंद्र सरकार भी सीसीआई और कैंट को पूरी तरह क्रियाशील बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। इसके लिए वह संशोधन के बाद कंपनी कानून, 2002 के प्रासंगिक नियमों की अधिसूचना जारी कर रही है, सीसीआई और कैंट के अध्यक्षों तथा सदस्यों का चयन कर रही है, बताए गए संगठनों की निगरानी करने के लिए जरूरी कर्मचारियों की नियुक्ति कर रही है और उनके प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास के लिए सहायता कर रही है।

मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष (आईईपीएफ)

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष (आईईपीएफ) की स्थापना कंपनी कानून, 1956 की धारा 205 सी के तहत कंपनी संशोधन कानून, 1999 के माध्यम से की गई थी। इसका उद्देश्य निवेशकों के हित में उनकी जागरूकता बढ़ाना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना था। आईईपीएफ के तहत निवेशकों की शिक्षा और जागरूकता के लिए आईईपीएफ में पंजीकृत विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों या संस्थाओं के माध्यम से चलाए जा रहे कार्यक्रमों को आर्थिक सहायता दी गई है और उन्हें आयोजित भी किया गया है। अब तक लगभग 69 संगठन अथवा संस्थाएं आईईपीएफ के तहत पंजीकृत हैं। मंत्रालय ने निवेशकों के बीच जागरूकता और शिक्षा का प्रसार करने के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान विभिन्न कदम उठाए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं:

1. निवेशक शिक्षा पर कई प्रकार के विज्ञापन राष्ट्रीय समाचार पत्रों और क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्रों में जारी किए गए। इन विज्ञापनों के माध्यम से निवेशकों को आईपीओ, बाजार उपकरणों, म्यूचुअल फंड आदि में निवेश करने के लिए शिक्षित करने के प्रयास किए गए हैं।
2. विभिन्न समाचार पत्रों में मीडिया अभियान शुरू किए गए हैं, जिनमें ऊपर बताए गए शिक्षाप्रद संदेशों के अलावा, गैर सरकारी संगठनों या स्वयंसेवी संगठनों को निवेशक शिक्षा और सुरक्षा संबंधी गतिविधियों में शामिल किया गया है। खास तौर पर उन संगठनों से आईईपीएफ योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी खासी पैठ है। इसके अलावा उन संगठनों को भी अपने प्रस्ताव आईईपीएफ में जमा करने के लिए कहा गया है, जो निवेशकों की शिक्षा या सुरक्षा के विषय पर अनुसंधान करने के लिए उत्सुक हैं।
3. निवेशकों से संबंधित मुद्दों और आईईपीएफ के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रसार भारती के माध्यम से निवेशक शिक्षा से संबंधित संदेश ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित किए गए।

4. आईईपीएफ के तहत मिडास टच इनवेस्टर्स एसोसिएशन के माध्यम से निवेशकों के लिए एक निवेशक हेल्पलाइन परियोजना www.investorhelpline.in भी शुरू की गई। इसके तहत शिकायतों के निवारण के लिए निवेशकों को जागरूक करने के लिए प्रणाली लागू की गई। यह सेवा प्रभावी तरीके से निवेशकों की मदद कर रही है।
5. इसके अलावा एक अन्य वेबसाइट www.watchoutinvestors.com भी निवेशकों और संभावित निवेशकों की प्रभावी सेवा कर रही है। यह वेबसाइट वकीलों, सनदी लेखाकारों और कंपनी सचिवों जैसे पेशेवरों की भी मदद कर रही है। यह वेबसाइट दरअसल वित्तीय डिफॉल्टर्स की राष्ट्रीय रजिस्ट्री है और विभिन्न नियामक संस्थाओं के द्वारा दिए गए दंडों की जानकारी देती है।
6. कंपनी मामलों के माननीय मंत्री ने इसी वर्ष के दौरान एक अन्य वेबसाइट www.iepf.gov.in भी शुरू की, जो निवेशकों को शिक्षित और जागरूक बनाने के लिए वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में जानकारी साझा करने के मंच के तौर पर कार्य कर रही है।
7. इसी वित्त वर्ष के दौरान सितंबर 2007 को कंपनी मामलों के मंत्रालय ने पहली बार “निवेशक जागरूकता माह” घोषित किया। यह कार्यक्रम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सहयोग से संचालित किया गया और इसके तहत देशभर में 61 स्थानों पर निवेशकों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।
8. क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत भारतीय पूंजी बाजार संस्थान, मुंबई के माध्यम से “ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स” कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो खास तौर पर तालुकार स्तर पर गठित नए संगठनों के लिए थे।
9. इसके अतिरिक्त पूंजी बाजार अनुसंधान एवं विकास संगठन, दिल्ली ने एक अनुसंधान परियोजना भी अपने हाथ में ली, जिसमें शेयरों के असूचीबद्ध होने के निवेशकों पर पड़ने वाले प्रभाव को विषय बनाया गया था।

राष्ट्रीय कॉर्पोरेट प्रशासन न्यास

कंपनी मामलों के मंत्रालय ने गैर लाभकारी ट्रस्ट के तौर पर राष्ट्रीय कॉर्पोरेट प्रशासन न्यास (एनएफसीजी) की स्थापना की है। इसका उद्देश्य अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित प्रमुख मसलों को मंच प्रदान करना और कॉर्पोरेट प्रमुखों को अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन की अहमियत का अहसास दिलाना, कॉर्पोरेट प्रमुखों, नीति निर्माताओं, नियामकों, कानून लागू करने वाली एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों के बीच अनुभवों तथा विचारों का आदान प्रदान सुनिश्चित करना है।

एनएफसीजी के प्रबंधन का तीन स्तर वाला ढांचा है। इसमें कंपनी मामलों के मंत्री के नेतृत्व में प्रशासनिक परिषद है, ट्रस्टी का बोर्ड है और कार्यकारी निदेशालय है।

बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए नीतियों को प्रसारित करने के उद्देश्य से एनएफसीजी की वेबसाइट भी शुरू की गई है। एनएफसीजी ने एक कार्य योजना तैयार की थी, जिसमें तीन विषयों पर अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन सिद्धांतों का विकास शामिल है। ये विषय हैं : 1. संस्थागत निवेशकों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के नियम, 2. स्वतंत्र निदेशकों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के नियम, 3. लेखा परीक्षण अर्थात ऑडिट के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के नियम। इसके लिए तीन कोर समूहों की स्थापना की गई है।

इसके अलावा एनएफसीजी उत्कृष्टता के विभिन्न संस्थानों के माध्यम से निदेशकों के लिए ओरियंटेशन कार्यक्रमों को भी प्रायोजित कर रहा है और अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन की नीचे दी गई प्रणालियों की जरूरत बताने के लिए संगोष्ठियां तथा सम्मेलन भी आयोजित कर रहा है।

वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान कॉर्पोरेट प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए एनएफसीजी के तहत निम्न कदम उठाए गए :

- (i) भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु के साथ साझेदारी में कॉर्पोरेट प्रशासन पर संकाय विकास कार्यक्रम मई 2007 में आयोजित किया गया।
- (ii) लेखा परीक्षण समिति के माध्यम से कॉर्पोरेट प्रशासन पर विचार गोष्ठी आईसीएआई के साथ साझेदारी में जून 2007 में आयोजित की गई।
- (iii) भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन जुलाई 2007 और अक्टूबर 2007 में किया गया।
- (iv) लेखा परीक्षण समितियों पर कॉर्पोरेट निदेशकों के कार्यक्रम भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु के साथ सहयोग में जुलाई-अगस्त 2007 में आयोजित किए गए।
- (v) कंपनी निदेशकों के लिए के साथ नवंबर 2007 में भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु के साथ साझेदारी में कॉर्पोरेट प्रशासन ओरियंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- (vi) कॉर्पोरेट प्रशासन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी चेन्नई में जनवरी 2008 में लोयोला व्यापार प्रशासन संस्थान के साथ साझेदारी में आयोजित की गई।
- (vii) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर पहले अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन जनवरी 2008 में नैसकॉम ने किया था। इस सम्मेलन को एनएफसीजी के माध्यम से प्रायोजित किया गया था।
- (viii) राज्य स्तरीय सार्वजनिक उपक्रमों और छोटे एवं मझोले उद्योगों के निदेशकों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन सुधारों पर संगोष्ठियों का आयोजन मार्च 2008 में एनएफसीजी के साथ साझेदारी में प्रशासनिक कर्मचारी कॉलेज में किया गया।
- (ix) इसके अतिरिक्त एनएफसीजी की छत्रछाया में कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान अध्ययन भी किए गए।

एनएफसीजी की भावी योजनाओं में कॉर्पोरेट प्रशासन पर राष्ट्रीय नीति तैयार करने के मामले को उठाना, दक्षिण एशिया विशेष तौर पर दक्षिण देशों में कॉर्पोरेट प्रशासन सहयोग को बढ़ावा देना और छोटी तथा मझोली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन प्रणालियों का प्रसार करना शामिल हैं।

गंभीर धोखाधड़ी की जांच का कार्यालय (एसएफआईओ)

गंभीर धोखाधड़ी की जांच के कार्यालय की स्थापना भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के नौ जनवरी 2003 के फैसले के अनुसार दो जुलाई 2003 को पेश प्रस्ताव के माध्यम से कंपनी मामलों के मंत्रालय में की थी। यह कार्यालय गंभीर और जटिल किस्म की कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच करने के लिए स्थापित किया गया है। यह कार्यालय कंपनी कानून के प्रावधानों के दायरे में जांच करता है और कंपनी कानून तथा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के लिए मुकदमे दायर करता है। जांच एक बहुपक्षीय दल के माध्यम से की जाती है, जिसमें लेखा, अपराध लेखा परीक्षण, कराधान, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सूचना प्रौद्योगिकी, पूंजी बाजार, वित्तीय कार्य (बैंकिंग समेत) और सीबीआई, आईबी तथा क्रियान्वयन निदेशालय जैसी एजेंसियों से विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

एसएफआईओ उन धोखाधड़ियों की जांच अपने हाथ में लेता है, जिनमें (i) जटिलता होती है, अंतर विभागीय होती हैं और बहुपक्षीय मामले होते हैं, (ii) अच्छा खासा जनहित जुड़ा होता है, जिसका

फैसला आकार से होता है, जिसमें मौद्रिक अनियमितता या प्रभावित लोगों की संख्या देखी जाती है और (iii) व्यवस्था, कानूनों या प्रक्रिया में स्पष्ट सुधार की दिशा में योगदान करने के लिए जांच की संभावना होती है।

यह कार्यालय पिछले साढ़े चार वर्ष से चल रहा है और अब तक इस संगठन को जांच के लिए 65 मामले मिल चुके हैं। उसने कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के 31 मामलों की जांच की है और उनसे संबंधित जांच रिपोर्ट मंत्रालय के सामने पेश की है। इन रिपोर्टों के आधार पर उक्त कंपनियों के निदेशकों या संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मामले तय किए जा चुके हैं। उन मामलों के आधार पर अब तक कंपनी कानून और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम अदालतों में कुल 739 मामले दायर कर दिए गए हैं।

कंपनी मामलों का भारतीय संस्थान (आईआईसीए)

कंपनी मामलों का मंत्रालय कंपनी मामलों के भारतीय संस्थान (आईआईसीए) की स्थापन करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है, जो मंत्रालय और सरकार के दूसरे विभागों को विचार, नीति अनुसंधान, क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रबंधन समेत तमाम तरह की सेवाएं प्रदान करेगा। यह निवेशक शिक्षा, कॉर्पोरेट प्रशासन और इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री के मामलों से संबंधित विशिष्ट कार्यक्रमों में मंत्रालय की सेवा आपूर्ति शाखा के तौर पर काम करेगा। स्थापना की प्रक्रिया के दौरान संस्थान कंपनी मामलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ घनिष्ठ संबंध भी विकसित कर रहा है। इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है और मंत्रालय ने आईएमटी मनेसर, गुडगांव में परिसर स्थापित करने के लिए काम शुरू कर दिया है। नियमित परिसर की स्थापना अभी की जानी है, लेकिन संस्थान के अंतरिम क्रियाकलाप जल्द ही अस्थायी परिसर में आरंभ होने वाले हैं।

एमसीए 21 ई-प्रशासन परियोजना

कंपनी मामलों के मंत्रालय एमसीए ने ई-प्रशासन के लिए एक कार्यक्रम संचालित किया है, जिसका नाम एसीए 21 ई-प्रशासन परियोजना है। यह परियोजना सरकार के उस विचार पर आधारित है, जिसमें सरकारी सेवाओं की डिजाइन और आपूर्ति में सेवा केंद्रित रवैया शुरू करने की बात है। इस परियोजना में पंजीकरण से संबंधित सभी सेवाएं शामिल हैं, मसलन दस्तावेज जमा करना, कंपनियों का पंजीकरण होना और सुरक्षित पोर्टल के माध्यम से सभी लोगों को कंपनी की जानकारी देना। पोर्टल सेवाओं का इस्तेमाल किसी भी स्थान से ऐसे किसी भी समय किया जा सकता है, जो कॉर्पोरेट निकायों, पेशेवरों और आम जनता को अनुकूल लगता हो। इस प्रकार एमसीए 21 आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटरों के इस्तेमाल के जरिये आसान और पारदर्शी तरीके से सेवाओं की प्रभावी आपूर्ति और कॉर्पोरेट गतिविधियों की निगरानी आसान कर देती है।

ई-प्रशासन कार्यक्रम का उद्देश्य पारदर्शी तरीके से एमसीए की सेवाओं की आपूर्ति में सुनिश्चितता लाना और उनकी गति तेज करना है। यह सुधार प्रार्थमिक रूप से कंपनियों के पंजीयक द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं के लिए सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग (ई-फाइलिंग) और आसान ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया के जरिये सुनिश्चित किए जाते हैं। इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के नियमों के अनुसार सुरक्षित तरीके से ई-फाइलिंग करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर के व्यापक इस्तेमाल के साथ सरकारी सेवाओं की पूर्णतया कागज रहित आपूर्ति की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। कोयंबटूर में 18 फरवरी 2008 में इसका पहला परीक्षण शुरू किए जाने के और 18 मार्च 2008 को दिल्ली

में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दूसरा बड़ा परीक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने के साथ ही यह कार्यक्रम 4 सितंबर 2006 तक चरणबद्ध तरीके से सभी स्थानों पर लागू कर दिया गया। डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन के जरिये 16 सितंबर 2006 से अनिवार्य कर दिया गया। क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी इस पोर्टल पर सुरक्षित पेमेंट गेटवे के जरिये दी जा रही है, ताकि भुगतान की तुरंत पुष्टि और सेवाओं की जल्द आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

सिद्धांत और विचार के मामले में, समाधान प्रदाता के तौर पर इस परियोजना की बुनियाद बेहद मजबूत है और उसमें मजबूत बीपीआर तथा स्तरीय सेवा की सख्त प्रणाली भी है। पूरी तरह परिणाम आधारित और सेवा आपूर्ति पर ध्यान देने वाली इस परियोजना से शेयरधारकों और संबद्ध लोगों के विभिन्न वर्गों को निम्न प्रकार के लाभ मिलते हैं :

कारोबार : इससे कंपनी को पंजीकरण कराने और वैधानिक दस्तावेजों को सुविधाजनक तरीके से शीघ्रता तथा आसानी से जमा करने में मदद मिलती है।

जनता : जनता को प्रासंगिक दस्तावेजों तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलती है और उनकी शिकायतों का ज्यादा प्रभावी ढंग से निवारण हो जाता है।

पेशेवर : पेशेवरों को अपनी क्लाइंट कंपनियों को प्रभावी सेवाएं देने में मदद मिलती है।

वित्तीय संस्थान : पंजीकरण और आरोपों की पुष्टि करने में मदद मिलती है।

एमसीए : संबंधित कानूनों और कॉर्पोरेट प्रशासन के सक्रिय एवं प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

कर्मचारी : सर्वश्रेष्ठ सेवाएं देने में सक्षम हो जाते हैं।

समाधान कार्यक्रम के तहत दिल्ली में एक डैट केंद्र स्थापित किया गया है, चेन्नई में एक आपदा निवारण केंद्र है और देशभर में 52 स्थानों पर सुविधा केंद्रों का नेटवर्क है। किसी भी प्रकार की प्रौद्योगिकीगत समस्या आने पर अथवा डैट केंद्र से सेवाएं बाधित होने पर आपदा निवारण केंद्र की सेवाएं लेकर महज 12 घंटे के भीतर सेवाओं को बहाल किया जा सकता है। परियोजना को अंतर क्रियाशीलता के प्रावधानों और अन्य सरकारी विभागों अथवा मंत्रालयों के साथ सहयोग के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन आश्चर्यजनक रूप से बेहद सुगम रहा और इसमें बाहरी शेयरधारकों के साथ बेहतरीन संचार योजन और एमसीए कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा सहयोग के जरिये सारा काम कर लिया गया। पेशेवरों और कंपनियों के प्रतिनिधियों के लिए 24 स्थानों पर संगोष्ठियां और अधिवेशन हुए, ऑपरेटरों के द्वारा 55 स्थानों पर पूरे दिन की कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें 9000 से ज्यादा पेशेवरों ने हिस्सा लिया और उसके बाद 16 सितंबर 2006 को ई-फाइलिंग की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कॉर्पोरेट निकायों और जनता समेत शेयरधारकों को हाथ के द्वारा फाइलिंग की प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की प्रणाली तक पहुंचने में शुरुआत में कुछ विशेष प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, ये सुविधा केंद्र ऐसे शेयरधारकों को दस्तावेजों की ई-फाइलिंग के लिए संपूर्ण प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं, जिनके पास अपने दफ्तर से ही ई-फाइलिंग के लिए जरूरी कंप्यूटर संबंधी सुविधाएं और आईटी बुनियादी ढांचा अथवा क्षमता नहीं हैं। इस परियोजना के तहत परियोजना का क्रियान्वयन पूरा होने की तिथि से तीन वर्ष तक की अवधि के दौरान संबंधित पक्षों के यह सेवा और सुविधा बिना किसी शुल्क के मुहैया कराई जाती रहेगी।

देशभर में 52 स्थानों पर अत्याधुनिक सुविधाओं वाले सुविधा केंद्रों का नेटवर्क है, जिसके जरिये देशभर में ई-फाइलिंग की सुविधाओं को किसी भी शुल्क के बगैर मुहैया कराया जाता है। उनके अतिरिक्त प्रमाणीकृत फाइलिंग केंद्रों (सीएफसी) की भी एक योजना है, जिनका प्रबंधन पेशेवरों के द्वारा किया जाता है। ये फाइलिंग केंद्र शुल्क लेकर सुविधाएं प्रदान करते हैं। देशभर में ऐसे लगभग 900 अधिकृत सीएफसी हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज की तारीख में लगभग 92 फीसद दस्तावेज वर्चुअल दफ्तरों से दाखिल किए जाते हैं और उनमें किसी प्रकार की मदद भी नहीं करनी पड़ती।

निदेशक पहचान क्रमांक (डिन) की एक नई व्यवस्था भी शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत सभी मौजूदा निदेशकों और भविष्य में निदेशक बनने की इच्छा रखने वाले लोगों को डिन प्राप्त करने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है। कुछ विशेष प्रकार की फाइलिंग के दौरान निदेशक को आवंटित किए गए डिन का उल्लेख करना अनिवार्य है। चूंकि यह प्रक्रिया कंपनियों के निदेशकों को पहचान देती है और इसे कंपनी पहचान क्रमांक (सीआईएन) और डिन के बीच संबंध बनाने के लिए शुरू किया गया है, इसलिए इससे मंत्रालय को कंपनी कानून के वैधानिक प्रावधानों को खास तौर पर कंपनियों के निदेशकों के मामले में लागू करने में सार्थक मदद मिलेगी।

एमसीए 21 कार्यक्रम को राष्ट्रीय पुरस्कार

मंत्रालय के एमसीए 21 कार्यक्रम को भारत सरकार की ओर से 'ई प्रशासन के लिए 2007-08 का राष्ट्रीय पुरस्कार' दिया गया है। यह पुरस्कार सरकारी प्रक्रियाओं की रीडिजीनियरिंग के मामले में उत्कृष्टता के लिए स्वर्णिम श्रेणी में रखा जाता है।

स्काॅच चैलेंजर अवार्ड 2008

एमसीए 21 परियोजना को 'राष्ट्रीय महत्व की परियोजना' मानते हुए स्काॅच कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने 19 मार्च 2008 को 'स्काॅच चैलेंजर अवार्ड 2008' प्रदान किया।

31 जुलाई 2008 को परिचालन आंकड़े इस प्रकार हैं :

क्रमांक	विवरण	संख्या
31 जुलाई 2008 को फाइलिंग की स्थिति		
1	प्रतिदिन पोर्टल पर औसत हिट	29.80 लाख
2	पोर्टल पर सबसे ज्यादा हिट (28 नवंबर 2007)	141.80 लाख
3	एक दिन में सर्वाधिक फाइल होने वाले दस्तावेज (29 नवंबर 2007)	41,832
4	अब तक हुई कुल फाइलिंग	49.00 लाख
5	ऑनलाइन पंजीकृत हुई कंपनियां	1,43,537
6	अब तक जारी किए गए डिन	8.64 लाख
7	ऑनलाइन देखे गए कंपनियों के दस्तावेज	5.78 लाख
8	फाइल की गई बैलेंस शीट की संख्या	3.80 लाख
9	फाइल किए गए वार्षिक रिटर्न की संख्या	3.80 लाख
10	फाइल किए गए डिन-3 की संख्या	4.88 लाख
11	वीएफओ के जरिये ई-फाइलिंग	92 प्रतिशत
12	ऑनलाइन भुगतान की गतिविधियां	58.69 प्रतिशत

कंपनी मामलों पर भारत-ब्रिटेन कार्य बल

कंपनी मामलों पर भारत-ब्रिटेन कार्य बल की दूसरी बैठक पांच से आठ फरवरी 2008 तक आयोजित की गई। निम्न क्षेत्रों में विचार विमर्श करने और सहयोग करने के लिए पांच उपवर्ग इस दौरान बनाए गए :

- (i) नियामक और वैधानिक मसले, जिनमें संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल हैं
- (ii) कॉर्पोरेट प्रशासन
- (iii) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व
- (iv) वित्तीय और संबद्ध व्यवसायों में मानक
- (v) इनसॉल्वेंसी और संबद्ध मसले

इस बैठक के बाद निम्नलिखित कदम उठाए गए :

- पांच अधिकारियों का एक दल 15 से 20 सितंबर तक ब्रिटेन की यात्रा करेगा और इनसॉल्वेंसी सेवाओं के क्षेत्र में ब्रिटेन में प्रचलित सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों का अनुभव करेगा और क्षमता विकास करेगा। इससे सेवा आपूर्ति के सक्षम और प्रभावी तंत्र तथा अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकारों के संरक्षण के मामले में कंपनी मामलों के मंत्रालय में तैनात अधिकारियों का अनुभव बढ़ेगा।
- ब्रिटेन में इनसॉल्वेंसी के विशेषज्ञ और वरिष्ठ नीति सलाहकार टोबी वाटकिंसन भारत की यात्रा पर आए और कंपनी मामलों के मंत्रालय के चुनिंदा अधिकारियों, क्षेत्रीय निदेशकों, आधिकारिक तरलता अधिकारियों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान और भारतीय वर्क एवं कॉस्ट लेखाकार संस्थान के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की तथा अपने अनुभव बांटे, जिसका उद्देश्य बेहतर और पारदर्शी कॉर्पोरेट प्रशासन एवं तरलता प्रक्रिया के लिए मानसिकता को बदलना था।
- पांच अधिकारियों का एक दल क्षमता विकास करने और ब्रिटेन में कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के बारे में प्रचलित व्यवस्थाओं का अनुभव करने के लिए वहां के व्यापार उद्यम एवं नियामक सुधार विभाग का दौरा कर रहा है। इससे निरीक्षण, तकनीकी परीक्षण और जांच की प्रभावी प्रणाली के बारे में कंपनी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों की जानकारी बढ़ने की संभावना है और उसके अतिरिक्त धोखाधड़ी रोकने के लिए चेतावनी प्रणाली विकसित होने की भी संभावना है।

वर्ष की गतिविधियां

एमसीए के नए कार्यालय

मंत्रालय के अधिकारियों को आधुनिक और रचनात्मक कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए हैं। जहां जयपुर, चंडीगढ़ और कटक में नए कार्यालय परिसर बनाए जा रहे हैं, वहीं चेन्नई और बेंगलुरु में यूटीआईआईएसएल से बने बनाए परिसर लिए गए हैं और पहले से बने कार्यालयों को नए सिरे से संवारा जा रहा है।

जयपुर में कॉर्पोरेट भवन

कंपनी मामलों के माननीय मंत्री महोदय ने 10 मई 2007 को मंत्रालय के पहले समग्र कार्यालय की आधारशिला जयपुर में रखी, जिसका नाम 'कॉर्पोरेट भवन' रखा गया है। इस नए कार्यालय परिसर के पूरा

होने के बाद इसमें जयपुर के कंपनी पंजीयक का कार्यालय, लिक्विडेटर, जयपुर का कार्यालय होगा और जयपुर में एनसीएलटी की प्रस्तावित पीठ का कार्यालय भी इसी में होगा।

वर्ष के दौरान आयोजित संगोष्ठियां अथवा बैठकें

कॉर्पोरेट प्रशासन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

राष्ट्रीय कॉर्पोरेट प्रशासन न्यास ने 30 जुलाई 2007 को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसका विषय था "भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन : व्यापारिक वातावरण का कायाकल्प"। इस संगोष्ठी में विभिन्न उद्योगपतियों, संबंधित पक्षों, व्यापार प्रमुखों और पेशेवरों ने हिस्सा लिया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य संबंधित पक्षों के बीच सहभागिता पूर्ण रवैये के महत्व को रेखांकित करना था, जो पिछले दो वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की पहचान बन चुका है। इसमें कॉर्पोरेट क्षेत्र से संबंधित विभिन्न वैधानिक और प्रशासनिक पहलुओं पर चर्चा की गई।

आरडी और आरओसी की वार्षिक कार्यशाला

आरडी और आरओसी की दो दिन की आवासीय कार्यशाला राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद में 10 अगस्त और 11 अगस्त 2007 को आयोजित की गई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य इन कार्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार करने और उसके पुनर्गठन के लिए वार्षिक कार्य योजना विकसित करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए रणनीति तैयार करना था। अपने दफ्तरों का माहौल पूरी तरह बदलकर उन्हें नया रंगरूप देने वाले कंपनी पंजीयकों को पुरस्कार दिए गए। पहला पुरस्कार आरओसी कटक को दिया गया। दूसरा पुरस्कार आरओसी ग्वालियर और तीसरा पुरस्कार आरओसी केरल को प्रदान किया गया।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर पहली अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 29 और 30 जनवरी 2008 को नई दिल्ली में किया गया। इसे एसोचैम ने आयोजित किया था और राष्ट्रीय कॉर्पोरेट प्रशासन न्यास (एनएफसीजी) के तत्वावधान में कंपनी मामलों के मंत्रालय ने इसे प्रायोजित किया था।

कॉर्पोरेट प्रशासन पर एशिया नेटवर्क

कॉर्पोरेट प्रशासन पर एशिया नेटवर्क की एक बैठक ओईसीडी के द्वारा 25 और 26 जून, 2008 को नई दिल्ली के ओबेरॉय होटल में आयोजित की गई थी। इसका प्रायोजन राष्ट्रीय कॉर्पोरेट प्रशासन न्यास ने सीआईआई, आईसीएआई और आईसीएसआई के सहयोग से किया था। यह न्यास कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया संगठन है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

भारत-ब्रिटेन सहयोग

ब्रिटेन से लंदन शहर के सेवानिवृत्त माननीय लॉर्ड मेयर एल्डरमैन जॉन स्टुयर्ड एमए के नेतृत्व में वित्तीय और विधि विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधिमंडल 21 मई 2007 को कंपनी मामलों के मंत्रालय के दौरे पर आया। लॉर्ड मेयर भारत-ब्रिटेन उद्योग के राजदूत भी हैं, जिस संस्था का मुख्यालय लंदन में है और जिसमें क्षेत्रीय वित्तीय केंद्र जैसे एडिनबर्ग, ग्लासगो, लीड्स, मैनचेस्टर और ब्रिस्टल भी शामिल हैं। मेयर की भूमिका वित्तीय सेवाओं के राजदूत की भी है। स्टुयर्ड के पास चीन समेत कई देशों का व्यापक अंतर्राष्ट्रीय

अनुभव है। उन्हें 1981 में राष्ट्रीयकृत उद्योगों और उनके निजीकरण के मामले पर सलाह देने के लिए दो साल के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कार्यालय में भी नियुक्त किया गया था। वह दौरे पर आए राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की अगुवानी भी ब्रिटिश सरकार की ओर से करते हैं। लॉर्ड मेयर की कारोबारी पहलें लंदन को वित्तीय ज्ञान के शहर के रूप में विकसित करने पर केंद्रित रहती हैं। भारत सरकार के माननीय कंपनी मामलों के मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कंपनियों की वित्तीय जानकारी को तैयार करने, पेश करने और उसकी लेखा जांच करने के लिए नियामक ढांचे के संबंध में एक दूसरे की चिंताओं और पक्षों पर बातचीत की। बातचीत में लेखा पेशेवरों के नियमन के लिए संस्थागत प्रणालियों और वित्तीय रिपोर्टिंग के कॉर्पोरेट प्रशासन पर पड़ने वाले प्रभाव को भी शामिल किया गया। दोनों देशों की सरकारें कॉर्पोरेट कानूनों और कॉर्पोरेट प्रशासन समेत कॉर्पोरेट मामलों से संबंधित सभी मुद्दों पर परस्पर सहयोग के लिए एक भारत-ब्रिटेन संयुक्त कार्य दल की स्थापना पर पहले ही सहमत हो चुकी हैं। दोनों पक्ष चुनिंदा ब्रिटिश संस्थानों और मंत्रालय द्वारा स्थापित किए जा रहे प्रस्तावित “कंपनी मामलों के भारतीय संस्थान” के बीच गठबंधन की संभावनाएं तलाशने पर भी सहमत हुए।

भारत-ब्रिटेन कार्यबल

कॉर्पोरेट मामलों में भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग को मजबूत करने के इरादे से कंपनी मामलों पर दोनों देशों के कार्य बल की पहली बैठक एक अगस्त, 2007 को आयोजित की गई। कार्य बल ने चर्चा की और सहयोग के लिए निम्न मुद्दों पर सहमत हुए : कंपनी कानून, सहभागिता कानून, प्रतिस्पर्धा कानून, लेखा व्यवसायों के नियमन और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने समेत नियामक और वैधानिक मामले; कॉर्पोरेट प्रशासन; कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व; वित्तीय व्यवसायों में विधि मानक; इनसॉल्वेंसी; अंतरराष्ट्रीय सहयोग; क्षमता विकास और सर्वश्रेष्ठ प्रणालियां और निवेशक सुरक्षा तथा इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण सेवाएं।

ब्रिटेन के व्यापार एवं निवेश मंत्री ने कंपनी मामलों के मंत्री से भेंट की

ब्रिटेन के व्यापार एवं निवेश राज्य मंत्री लॉर्ड डिग्बी जॉस ऑफ बर्मिंघम ने 15 जनवरी 2008 को कंपनी मामलों के मंत्री के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कॉर्पोरेट कानून में शामिल किए गए विभिन्न सुधार मसलन एलएलपी विधेयक, लेखा मानक, प्रतिस्पर्धा कानून में संशोधन और कंपनी अधिनियम, 1956 में सुधार पर बातचीत की गई।

लंदन के लॉर्ड मेयर ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री से भेंट की

लंदन शहर के रिटायर्ड माननीय लॉर्ड मेयर एल्डरमैन डेविड लुइस एमए के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 22 अप्रैल 2008 को कंपनी मामलों के माननीय मंत्री से भेंट की और कॉर्पोरेट प्रशासन, एलएलपी विधेयक की ताजा स्थिति और कंपनी कानून, वित्तीय सेवा, नियमन और कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचे तथा कॉर्पोरेट मामलों पर भारत-ब्रिटेन कार्य बल के कामकाज से संबंधित मामलों पर बातचीत की।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ब्रिटेन यात्रा

कंपनी मामलों के मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व वाला एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल कॉर्पोरेट मामलों पर भारत-ब्रिटेन कार्य बल की दूसरी बैठक में हिस्सा लेने के लिए 7 फरवरी 2008 को ब्रिटेन गया। प्रतिनिधिमंडल आईएनएसओएल, कंपटीशन कमीशन, नेशनल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, यूके, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, यूके, टेक ओवर पैन्ल, यूके, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल और चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एकाउंटेंट्स, यूके का भी दौरा किया।

यूरोपीय आयोग से प्रतिनिधियों की यात्रा

- यूरोपीय आयोग के फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, कंपनी लॉ ऐंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के निदेशक पियरे डेल्सा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 7 मार्च 2008 को कंपनी मामलों के मंत्रालय में सचिव से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान लेखा और लेखा परीक्षण, लेखा मानकों और आईएफआरएस को समांगी बनाने, लेखा व्यवसाय के आधुनिकीकरण और अन्य संबंधित मसलों पर बातचीत की गई।
- यूरोपीय आयोग में आंतरिक बाजार और सेवाओं के लिए उत्तरदायी महानिदेशक जॉर्गेन होमक्विस्ट ने 10 अप्रैल 2008 को कंपनी मामलों के मंत्रालय में सचिव से मुलाकात की। इस दौरान नियामक प्रणाली, लेखा, लेखा परीक्षण और परस्पर हित के अन्य क्षेत्रों में संभावित सहयोग से संबंधित मसलों पर बातचीत की गई।

15. खाद्य और नागरिक आपूर्ति

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश की खाद्य अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करता है। यह खाद्यान्न की खरीद उनके भंडारण, परिवहन एवं वितरण एजेंसियों तक उसकी आपूर्ति का कार्य करता है। अन्न के उत्पादन पर कड़ी नजर रखी जाती है और देश के विभिन्न भागों में उचित मूल्यों पर उनकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं।

अन्न उत्पादन

वर्ष 1996-97 से वर्ष 2006-07 तक देश में हुआ खाद्यान्न उत्पादन नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(लाख टन में)

उपज	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*	2007-08
चावल	817.3	825.4	860.8	896.8	849.8	933.4	718.2	885.3	853.1	917.9	933.5	956.8
गेहूं	693.5	663.5	712.9	763.7	696.8	727.7	657.6	721.5	720.0	693.5	758.1	767.8
मोटा अनाज	341.1	304.0	313.3	303.4	310.8	333.7	260.7	376	339.2	346.7	339.2	396.7
दालें	142.5	129.7	149.1	134.1	110.7	133.7	111.3	149.1	133.8	133.9	142.0	151.9
कुल योग	1,994.4	1,922.6	2,036.1	2,098.0	1,968.1	2,128.5	1,747.8	2,131.9	2,046.1	2,092.0	2,172.8	2,273.2

22/4/2008 की स्थिति

खाद्यान्नों की खरीद

(लाख टन में)

विपणन सत्र	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
चावल ¹	155.91	125.99	182.28	212.81	221.27	164.10	228.28	217.93	276.56	251.07	259.54*	222.8*
गेहूं ²	92.97	126.52	141.44	163.55	206.3	190.54	158.01	165.95	147.85	92.26	111.27	222.8*

1. बिक्री सीजन - अक्टूबर-सितंबर

2. बिक्री सीजन - अप्रैल-मार्च

26/06/2008 की स्थिति

देश में उपभोक्ता सहाकारिताओं, मूल्य निगरानी, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, उपभोक्ता आंदोलन और भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) तथा तौल एवं माप जैसे वैधानिक निकायों के लिए नीतियों के निर्माण के लिए खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामलों का विभाग जिम्मेदार है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा बेईमान व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू किया गया। इस अधिनियम में उत्पादन के विनियमन और नियंत्रण तथा घोषित आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण और मूल्य निर्धारण का प्रावधान है ताकि उनकी आपूर्ति बनाई रखी जा सके या बढ़ाई जा सके या उचित मूल्यों पर उनका एक समान रूप से वितरण एवं उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न मंत्रालयों और केंद्र सरकार के विभागों तथा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत राज्य सरकारों/केंद्रशासित राज्य प्रशासनों ने घोषित आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण और व्यापार के विभिन्न पहलुओं के नियमन के लिए आदेश जारी किए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के प्रवर्तन/क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन की होती है।

21 मई, 2001 को हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में किए गए फैसलों के तहत मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का एक समूह गठित किया गया है जिसने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी नियमन प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश की है तदनुसार, करीब-करीब सभी कृषि-वस्तुओं पर से लाइसेंस लेने, भंडारण सीमा, एक से दूसरे स्थान पर भेजने जैसे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है। गेहूं, दाल, खाद्य तेल, तिलहन और चावल अपवाद हैं जिनके लिए राज्यों को मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए कुछ अस्थायी प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी गयी है।

अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति मांग और आपूर्ति के तथा इन वस्तुओं को नियंत्रित करने वाले संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के परामर्श के संदर्भ में समय-समय पर अनिवार्य वस्तुओं की सूची की समीक्षा की गई है। केंद्र सरकार की नीति सभी अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाने की रही है ताकि वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में बेरोक-टोक ले जाया जा सके। इसके साथ ही भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के एक हिस्से के तहत मुक्त व्यापार और उपभोक्ता की रुचि को प्रोत्साहन देने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की सूची में कांट-छांट भी की गई है। 1989 में आवश्यक वस्तुओं की सूची में 70 वस्तुएं शामिल थीं लेकिन समय-समय पर की गई समीक्षा के बाद अब यह संख्या 7 रह गई है।

आर्थिक उदारीकरण की तरफ सरकार की नीतियों के साथ उपभोक्ता मामले विभाग, निर्मित एवं कृषि उत्पादों के लिए देश भर में एक एकल भारतीय सामान्य बाजार प्राप्त करने के लिए तथा कृषि एवं उद्योग के बीच संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाकर कृषि एवं व्यापार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस विभाग ने संसद के शीतकालीन सत्र में आवश्यक वस्तु (संशोधन) बिल, 2005 पेश किया है ताकि केंद्र सरकार ऐसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा सके जिनका वर्तमान संशोधित मांग व आपूर्ति की स्थिति में कोई महत्व नहीं है और इस प्रकार मुक्त व्यापार एवं वाणिज्य को सुगम बनाया जा सके। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत सिर्फ उन वस्तुओं को रखे जाने का प्रस्ताव किया गया है जो वस्तुएं किसानों एवं गरीबी-रेखा से नीचे के लोगों के विशाल समुदाय के हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक समझी जाती हैं।

कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कालाबाजारी की रोकथाम तथा आवश्यक वस्तु-आपूर्ति एवं रख-रखाव अधिनियम, 1980, को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वे ऐसे व्यक्तियों को

हिरासत में ले सकें जिनकी गतिविधियां समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के मामले में संदिग्ध पाई जाती हैं। कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए चुनिंदा मामलों में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन हिरासत में लेने की कार्रवाई करते हैं। राज्य सरकारों से मिली रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2007 के दौरान इस अधिनियम के तहत 119 व्यक्तियों को हिरासत में लेने के आदेश दिए गए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को हिरासत में रखने संबंधी आदेश में बदलाव या उसे हटा लेने का भी अधिकार है। जिन व्यक्तियों को हिरासत में लेने के आदेश दिए गए हों उनकी ओर से दाखिल ज्ञापन पर केंद्र सरकार विचार कर निर्णय करती है।

2006 के मध्य में कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के संदर्भ में अनेक स्थानों से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग होती रही है। इस मान्यता के मद्देनजर कि कीमतों में और वृद्धि की आशंका के कारण गेहूं और दाल का खास तौर पर भंडार रोक कर रखा जाता है, पंजाब, दिल्ली और आंध्रप्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत शक्तियों को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रतिवेदन प्राप्त किए गए थे। केंद्र सरकार ने गेहूं एवं दाल के आयात पर शुल्क स्तर को कम करके आयात समेत आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास के साथ आवश्यक वस्तुओं में मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं।

सरकार द्वारा इस स्थिति की और समीक्षा की गयी और इन वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों की समस्या के समाधान के लिए खास तौर पर गेहूं और दाल के संबंध में छह महीनों की अवधि के लिए 15/02/2002 के केंद्रीय आदेश में कुछ प्रावधानों में स्थगनों को बनाये रखने का मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद निर्णय लिया गया था। तदनुसार केंद्र सरकार ने 29.08.2006 को एक केंद्रीय आदेश संख्या 1373 (ई) जारी किया जिसमें छह महीनों की अवधि के लिए गेहूं और दाल के लिए 15.02.2002 को अधिसूचित किए गए विशेष खाद्य वस्तु आदेश, 2002 पर लाइसेंस की आवश्यकताओं, भंडारण सीमा और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने जैसे प्रतिबंधों को समाप्त करने के संबंध में बिक्री के लिए खरीद, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, विक्रय, आपूर्ति, वितरण या भंडारण के सिलसिले में दिए गए आदेश को स्थगित रखा गया है। राज्य से बाहर गेहूं और दाल (संपूर्ण या हिस्से) को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने, उनके वितरण और इन वस्तुओं के आयात को 29.8.2006 को पहले दिए गए आदेश की सीमा से बाहर रखा गया है। 29.08.2006 को दिए गए आदेश को शुरू में छह महीने के लिए लागू किया गया था जिसे 27.02.2007, 31.08.2007 और 28.02.2008 की केंद्रीय अधिसूचनाओं द्वारा छह महीने की अवधि के लिए तीन बार बढ़ाया गया था। इस आदेश ने राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को गेहूं और दाल के संबंध में भंडारण सीमा तय करने की अनुमति दी है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जमाखोरी रोकने के अभियान के लिए प्रभावी कदम उठाते रहने के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रशासनों को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा मूल्य स्थिति की फिर समीक्षा की गयी थी और मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ यह निर्णय किया गया है कि खाद्य तेल, तिलहन और चावल के संबंध में एक साल की अवधि के लिए 15.02.2002 के केंद्रीय आदेश के कुछ प्रावधानों का स्थगन बनाये रखने के लिए ऐसे ही और प्रतिबंध लगाए जाएं ताकि आम आदमी के लिए कीमतों की बढ़ती प्रवृत्ति और इन वस्तुओं की उपलब्धता की समस्या से निपटा जा सके। फिर यह भी तय किया गया है कि इन वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इन वस्तुओं के आयातों को राज्य सरकारों द्वारा किसी नियंत्रण के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

उपभोक्ता सहकारिता

देश में उपभोक्ता सहकारिता ढांचे के चार स्तर हैं, जिनमें राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। 30 राज्य सहकारी उपभोक्ता संगठन इस परिसंघ के साथ जुड़े हैं। केंद्रीय/थोक स्तर पर 800 उपभोक्ता सहकारी स्टोर हैं। प्राथमिक स्तर पर 21,903 प्राथमिक स्टोर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 44,418 ग्राम-स्तरीय प्राथमिक कृषि की ऋण समितियां और विपणन समितियां अपने सामान्य व्यापार के साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं के वितरण में लगी हैं। शहरी और उप-नगरीय क्षेत्रों में करीब 37,226 खुदरा बिक्री केंद्रों का संचालन उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा किया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी की जा सकें। परिसंघ उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के अलावा खुदरा गतिविधियों में लगी उपभोक्ता सहकारी समितियों को मजबूती प्रदान करने के लिए परामर्श और प्रोत्साहन सेल का संचालन भी करता है। परिसंघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है जिसकी 34 शाखाएं/उपशाखाएं देश के विभिन्न भागों में कार्यरत हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान परिसंघ का बिक्री कारोबार 411.12 करोड़ रुपये का रहा जो पिछले वर्ष 630.39 करोड़ रुपये था। परिसंघ ने वर्ष के दौरान 1.33 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया जबकि पिछले वर्ष उसका मुनाफा 6.32 करोड़ रुपये था। परिसंघ का संचयी घाटा 31 मार्च, 2007 तक 1.12 करोड़ रुपये था।

वायदा कारोबार और वायदा बाजार आयोग

वायदा व्यापार आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना वायदा अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1952 के तहत की गई है। यह आयोग उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन काम करता है। आयोग वस्तुओं में वायदा कारोबार को मान्यताप्राप्त संगठनों के माध्यम से नियंत्रित करता है और वस्तुओं में अग्रिम व्यापार संचालन करने वाले संगठनों को मान्यता प्रदान करने/मान्यता समाप्त करने तथा देश में वायदा बाजार की कार्यप्रणाली में सामान्य सुधार लाने की सिफारिश करता है।

वर्तमान में देशभर में कुल 24 एक्सचेंज कार्यरत हैं। इनमें से 3 राष्ट्रीय स्तर के एक्सचेंज हैं जिन्हें देश में भविष्य/वायदा कारोबार के लिए मान्यता प्राप्त है। ये सभी प्रकार की वस्तुओं का कारोबार कर सकते हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान 'तापीय कोयला' और 'कार्बन क्रेडिट' के लिए भी मान्यता प्राप्त वस्तु विनियम के आधार पर व्यापार की अनुमति दी गयी है।

भारत में जिंस बाजार के उदारीकरण के मद्देनजर सभी सेवारत एक्सचेंजों को विभिन्न सुधारों को अपनाने के लिए कहा गया है। इनमें आन लाइन कारोबार, समय पर मुहर लगाना, व्यापार की गारंटी और सेटलमेंट की व्यवस्था, बोर्ड में एक तिहाई निर्दलीय सदस्यों का प्रतिनिधित्व और स्वचालित कार्यालयों की व्यवस्था शामिल है। तीन राष्ट्रव्यापी बहुजिंस एक्सचेंजों की स्थापना के अतिरिक्त कई ऐसे सहायक क्षेत्र हैं जहां जिंस के व्युत्पन्न बाजार के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित विकास की ओर ध्यान दिया जा रहा है। इसमें वस्तुओं के आवागमन और मूल्य पर से नियंत्रण समाप्त करना, करों से संबंधित कुछ मुद्दों का हल, मानकीकरण, प्रमाणीकरण और गोदाम से जुड़े मुद्दे, गोदाम की रसीदों का उपयोग, विभिन्न कारोबारी समूहों, बैंकों, एफ.आई. और एफ.आई.आई. की भागीदारी आदि शामिल हैं। सरकार इन सभी दिशाओं की ओर साथ-साथ प्रयास कर रही है।

वस्तु वायदा बाजार को वायदा समझौतों (विनियमन) के अधिनियम, 1952 (एफ सी आर अधिनियम) के प्रावधानों के तहत नियंत्रित किया जाता है। इस विभाग ने एफ सी आर अधिनियम को कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं ताकि वस्तु वायदा बाजार में हाल में हुए विकास के साथ तालमेल रखने

वाले कुछ नए पहलुओं को शामिल किया जा सके। तदनुसार वायदा समझौता (विनियमन) संशोधन बिल, 2006 लोकसभा में 21.03.2006 को लाया गया। तब से वित्तीय एवं बाजार एकीकरण से संबंधित मुद्दों के लिए सरकार ने वायदा समझौता (विनियमन) अध्यादेश की 31.01.2008 को घोषणा करके संशोधन की प्रक्रिया को तेज किया है। संशोधन के मुख्य घटक इस प्रकार हैं :

- वायदा बाजार आयोग के सदस्यों की अधिकतम संख्या को बढ़ाकर चार से नौ करना जिसमें तीन पूर्णकालिक सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होंगे।
- वायदा बाजार आयोग को शुल्क लगाने का अधिकार प्रदान करना।
- वायदा बाजार आयोग के सामान्य कोष के गठन के लिए प्रदान करना [जिसमें दंड को छोड़कर वायदा बाजार आयोग द्वारा प्राप्त किए सभी अनुदानों, शुल्कों और सभी योगों का आकलन किया जाएगा] और आयोग के खर्चों को पूरा करने के लिए धन का उपयोग करना।
- वायदा बाजार आयोग द्वारा मंजूर की जाने वाली स्कीम के साथ मान्यता प्राप्त एसोसियेशनों के निगमीकरण और गैर परस्परिकरण के लिए प्रावधान बनाना।
- सदस्यों और मध्यस्थों के निजीकरण के लिए प्रावधान बनाना।
- विकल्पों में कारोबार की अनुमति देना।
- वायदा समझौता विनियम अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने की स्थिति में जांच, प्रवर्तन और दंड के लिए प्रावधान बनाना।

कथित अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए एक नया बिल, वायदा समझौता (विनियमन) संशोधन बिल लोकसभा में 13.03.2008 को लाया गया है। पिछला वायदा समझौता (विनियमन) (ए) बिल, 2006 जो लोकसभा में लंबित पड़ा था, उसे तुरंत वापस ले लिया गया।

वस्तु वायदा बाजार का उदारीकरण और खोला जाना वस्तुओं के वायदा कारोबार के आकार और मूल्य में आए महत्वपूर्ण उछाल के रूप में दिखने लगा है। 2007-08 के दौरान वस्तु वायदा कारोबार 40.66 लाख करोड़ रुपये का हुआ है, जो 2006-07 के दौरान 36.76 लाख करोड़ रुपये के वस्तु वायदा कारोबार की तुलना में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। तीन राष्ट्रीय एक्सचेंजों की स्थापना के बाद कारोबार के आकार और मूल्यों में कई गुना वृद्धि हुई है। नेशनल मल्टी-कोमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, अहमदाबाद (एन एम सी ई) ने नवंबर, 2002 में कारोबार शुरू किया और अन्य दो राष्ट्रीय एक्सचेंजों यानी मल्टी कोमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, लिमिटेड, मुंबई (एम सी एक्स) और नेशनल कोमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, मुंबई (एन सी डी ई एक्स) ने नवंबर, 2003 में कारोबार शुरू किया। निम्नलिखित सारणी इन राष्ट्रीय एक्सचेंजों की स्थापना के बाद से वस्तु वायदा कारोबार के आकार और मूल्य में वृद्धि दर्शाता है।

2002-03 से वस्तु वायदा कारोबार मूल्य

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
कारोबार का मूल्य (करोड़ रुपये में)	66,530 (92*)	1,29,363 (94*)	5,71,759 (341*)	21,55,122 (274*)	36,76,926 (70*)	40,65,989 (10.56*)

* सारणी में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन के प्रतिशत हैं।

‘जागो ग्राहक जागो’- उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता की तरफ एक पहल

एक प्रबुद्ध उपभोक्ता एक सशक्त उपभोक्ता होता है। एक जागरूक उपभोक्ता न सिर्फ शोषण से खुद को बचाता है बल्कि संपूर्ण निर्माण और सेवा क्षेत्र में कुशलता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी लाता है। उपभोक्ता जागरूकता के महत्व को अनुभव करते हुए सरकार ने ‘उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता जागरूकता को शीर्ष प्राथमिकता दी है। भारत एक ऐसा देश है जिसने उपभोक्ता संरक्षण के लिए प्रगतिशील विधेयक लाने में पहल की है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को कानून बनाया जाना है।’ देश में उपभोक्ता आंदोलन की मार्ग में सबसे प्रमुख स्तंभ है। इस अधिनियम ने उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है जिसकी तुलना विश्व में कहीं किसी से नहीं की जा सकती है। केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर यह अधिनियम सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है चाहे वे निजी, सार्वजनिक या सहकारी हों।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

यह अधिनियम उन सभी उपभोक्ता अधिकारों को सुरक्षित करता है जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार, उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षण देने के लिए केंद्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद स्थापित किए गए हैं। ये हैं :

- **सुरक्षा का अधिकार :** जीवन के लिए नुकसानदेह/हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं के खिलाफ संरक्षण प्रदान करना।
- **सूचना का अधिकार :** उपभोक्ता द्वारा अदा की गयी कीमतों की वस्तुओं/सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, वजन और कीमतों की जानकारी ताकि गलत व्यापारिक प्रक्रियाओं द्वारा किसी उपभोक्ताओं को ठगा नहीं जा सके।
- **चुनने का अधिकार :** प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं के अनेक प्रकारों तक यथासंभव पहुंच को निश्चित करना।
- **सुने जाने का अधिकार :** उपयुक्त फोरम पर सुने जाने का अधिकार और यह आश्वासन कि विषय पर उचित ध्यान दिया जाएगा।
- **उपचार का अधिकार :** गलत या प्रतिबंधित कारोबारी गतिविधियों/शोषण के खिलाफ कानूनी उपचार की मांग करना।
- **उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार :** उपभोक्ता शिक्षा तक पहुंच।

उपभोक्ता संरक्षण के लिए मूलभूत संरचना

सरकार द्वारा किए गए उपभोक्ता संरक्षण पहल तीन मूलभूत बातों पर निर्भर करते हैं। प्रथम एक कानूनी संरचना को सुनिश्चित करना जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम शामिल हो। इस अधिनियम को विश्व के किसी भी हिस्से में बनाये गए कानून के सबसे सुन्दर आधारों में से एक के रूप में मान्यता दी गयी है और भारत उपभोक्ता संरक्षण के लिए ऐसे खास कानून की व्यवस्था वाला एकमात्र देश होने की बात गर्व से कह सकता है। उपभोक्ताओं द्वारा उठाए गए मामलों की सुनवाई के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक तीन स्तरीय, न्यायिक-कल्प प्रणाली है। द्वितीय, विभिन्न उत्पादों के बारे में जानकारी के साथ पसंद तय करने में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए विभिन्न उत्पादों के लिए मानक तैयार करना। मानक गुणवत्ता के लिए आवश्यक आधार हैं और उपभोक्ता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा

करते हैं। मानक हो सकते हैं तकनीकी जरूरतों (विनिर्देशनों) पर, संशोधित विशिष्ट मानक शब्दावली (नामों की शब्दावली) पर, कार्यविधियों पर या जांच उपायों पर या प्रबंधन तंत्र मानकों पर। इन मानकों को सामान्यतया सरकार द्वारा या अंतर्संस्कारी निकायों द्वारा बनाया गया है लेकिन विश्व भर में यह देखा जा रहा है कि ऐच्छिक रूप से बनाये गए मानक भी उपभोक्ता संरक्षण में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

उपभोक्ता संरक्षण पर राष्ट्रीय कार्ययोजना

राष्ट्रीय विकास परिषद की 50 वीं बैठक के बाद योजना आयोग ने उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कार्य के लिए प्राथमिक एजेंसी के रूप में उपभोक्ता जागरूकता, उपचार और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रवर्तन के रूप में पहचान की है। दसवीं योजना के अंतिम दो वर्षों में उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों के लिए आबंटन को काफी बढ़ा दिया गया था।

ग्यारहवीं योजना में उपभोक्ता जागरूकता स्कीम

आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 24.01.08 को कुल 409 करोड़ रुपये की राशि ग्यारहवीं योजना के लिए उपभोक्ता जागरूकता स्कीम के लिए मंजूर की गयी है। यह स्कीम उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक बनाने के लिए बहु मीडिया प्रचार अभियान को ज्यादा शक्ति देने के लिए तैयार की गयी है। 'जागो ग्राहक जागो' का नारा आज घर-घर में सबकी जुबान पर है जो पिछले तीन वर्षों में किए गए प्रचार अभियान का परिणाम है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उपभोक्ता जागरूकता पर ज्यादा जोर देकर सरकार ने आम आदमी को एक उपभोक्ता के रूप में उसके अधिकारों के बारे में सूचित करने का प्रयास किया है। उपभोक्ता जागरूकता स्कीम के हिस्से के रूप में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्य प्राथमिकता दी गयी है। उपभोक्ताओं को शिक्षित करना एक कठिन लक्ष्य है। सरकार ने देश में उपभोक्ता जागरूकता के निर्माण में अनेक गतिविधियां और स्कीमें शुरू की हैं।

बहुमीडिया प्रचार अभियान

बहुमीडिया प्रचार अभियान के हिस्से के रूप में शुरू की गयी गतिविधियों का सारांश इस प्रकार है:

1. समाचार पत्र विज्ञापनों का प्रयोग करते हुए प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार

उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने के लिए यह विभाग विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से राष्ट्रीय दैनिकों और विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की नयी विज्ञापन नीति के साथ स्थानीय भाषाओं में क्षेत्रीय समाचार पत्रों में भी छोटे विज्ञापन जारी कर रहा है।

2. वीडियो स्पॉट्स के प्रसारण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा प्रचार

इस विभाग ने शिकायत उपचार तंत्र, एम आर पी, आई एस आई हॉल-मार्क, वैकल्पिक विवाद उपचार तंत्र, वजन एवं माप, उपभोक्ता अधिकार इत्यादि उपभोक्ता से संबंधित अनेक मुद्दों पर 30 सेकंड की अवधि के वीडियो स्पॉट्स बनवाये हैं। इनको दूरदर्शन, केबल और सोनी, स्टार प्लस, जी न्यूज, स्टार न्यूज, सन नेटवर्क, ई टीवी नेटवर्क, जी टीवी नेटवर्क, डिस्कवरी और अन्य निजी लोकप्रिय चैनलों के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित मुद्दों को प्रकाशित करने के लिए डीडी न्यूज और लोकसभा टीवी पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए गए हैं। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों को अनेक विज्ञापन स्पॉट्स में प्रमुखता दी गयी है।

3. पूर्वोत्तर राज्यों में वीडियो स्पोर्ट्स का प्रसारण

इस विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में एम.आर.पी (अधिकतम खुदरा मूल्य), छोटे माप, दवाओं की खराब होने की तारीख, मिलावट, खराब उत्पाद, उपचार तंत्र जैसे उपभोक्ता से संबंधित अनेक मुद्दों पर 20 सेकंड और 30 सेकंड के 6 वीडियो स्पोर्ट्स बनाये हैं और पूर्वोत्तर राज्यों के दूरदर्शन केंद्रों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है।

4. मेघदूत पोस्टकार्ड

इस विभाग ने डाक विभाग के परामर्श से पूर्वोत्तर राज्यों समेत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए मेघदूत पोस्टकार्डों के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता का संदेश फैलाया है। उपभोक्ता जागरूकता के संदेश को फैलाने के लिए विशाल नेटवर्क का प्रयोग करने के लिए डाक विभाग के साथ भागीदारी की एक बड़ी योजना बनायी गयी है। उपभोक्ता जागरूकता के संदेश वाले कैलेंडरों को 1.55 लाख पोस्ट ऑफिसों (डाकघरों) के विशाल नेटवर्क के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है।

5. प्रिंटेड (छपा) साहित्य

इस विभाग ने आईआईटीएफ, नुक्कड़ नाटक जैसे अवसरों पर और जमीनी स्तर पर राज्य सरकारों के माध्यम से अनेक अवसरों पर वितरित करने के लिए 'उपभोक्ता जागरूकता मिशन' शीर्षक वाला एक फोल्डर पुनः छापा है जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य बातों को शामिल किया गया है। उपभोक्ता संसाधन किट, पॉकेट कैलेंडर और पोस्टर भी छापे गए हैं। उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित प्रचार के तथ्य का क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है और अनेक राज्य सरकारों तक इनका प्रसार किया गया है।

6. नुक्कड़ नाटक

इस विभाग ने जमीनी स्तर पर जागरूकता लाने के लिए सूचना व प्रसारण मंत्रालय के गीत व ड्रामा डिवीजन के साथ परामर्श कर सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 1000 से भी अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

7. राष्ट्रीय हेल्प लाइन

इस विभाग ने राष्ट्रीय हेल्प लाइन और टॉल फ्री नंबर 1800-11-4000 शुरू किया है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा उपभोक्ताओं को उनकी शिकायत के निवारण के लिए संचालित किया जा रहा है। टॉल फ्री नंबर सुविधा उपभोक्ताओं के लिए सभी कार्यदिवसों (सोमवार-शनिवार) पर 9-30 प्रातः से 5-30 सायं तक उपलब्ध है। अनेक विज्ञापनों के माध्यम से राष्ट्रीय हेल्पलाइन को पर्याप्त प्रचार दिया गया है ताकि पीड़ित उपभोक्ता राष्ट्रीय हेल्पलाइन के माध्यम से मार्गदर्शन/परामर्श प्राप्त कर सकता है।

8. खेल समारोहों का प्रयोग

उपभोक्ताओं की ज्यादा-से-ज्यादा संख्या तक पहुंचने के लिए इस विभाग ने ट्राई सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे लोकप्रिय खेल समारोहों के दौरान उपभोक्ता से संबंधित सूचना वाले वीडियो स्पोर्ट्स का प्रसारण किया है।

9. उपभोक्ता जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग

हमारा देश युवाओं का देश है जहां की 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 35 वर्षों से कम आयु के लोगों की है। युवा पीढ़ी अनेक उद्देश्यों के लिए इंटरनेट का काफी प्रयोग कर रही है और ये प्रमुख उपभोक्ता

भी हैं। इस बात को अनुभव करते हुए ऑनलाइन माध्यम के द्वारा उपभोक्ता जागरूकता फैलाने के लिए एक प्रमुख कदम उठाया जा रहा है। इस विभाग द्वारा लाए गए विज्ञापनों को मंत्रालय की वेबसाइट www.fcamin.nic.in पर भी दिखाया जा रहा है।

10. प्रकाशन विभाग के जर्नलों में विज्ञापन

इस विभाग ने सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रकाशन विभाग के साथ एक समझौता किया है। इस गठजोड़ के हिस्से के रूप में प्रकाशन विभाग द्वारा निकाली जाने वाली योजना, कुरुक्षेत्र, बालभारती, आजकल और उनके क्षेत्रीय संस्करणों जैसे सभी जर्नलों में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं। लक्ष्य पाठकों के मद्देनजर इन पत्रिकाओं में उपभोक्ता जागरूकता पर केंद्रित लेखों को प्रकाशित किया जा रहा है। प्रकाशन विभाग का शीर्ष प्रकाशन रोजगार समाचार अपने तरह का सर्वाधिक बिकने वाला कैरियर साप्ताहिक है और यह बीच-बीच में युवाओं की रुचि के लेखों को प्रकाशित करता है जो उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता है। इस विभाग के विज्ञापनों को भी इम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है ताकि देश के युवाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक बनाया जा सके।

11. उपभोक्ता जागरूकता के मुख्य क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए प्रिंट विज्ञापनों और विज्ञापन स्पॉटों ने ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है जो समाज के बड़े हिस्से की रुचि के क्षेत्र हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:-

- अधिकतम खुदरा मूल्य (एम आर पी) से संबंधित मुद्दों पर जिसमें उपभोक्ताओं को अधिकतम खुदरा मूल्य और संबंधित मुद्दों की विचारधारा के बारे में शिक्षित किया गया है।
- भारतीय मानक ब्यूरो चिह्न (आई एस आई हॉलमार्क), एगमार्क जैसे सरकारी विभागों द्वारा लाए गए विभिन्न मानकों एवं मानकीकरण के बारे में जागरूकता एवं शिक्षा।
- तौल एवं माप के अनेक प्रावधानों के बारे में शिक्षा और जागरूकता।
- शिक्षा क्षेत्र के मुद्दे जहां साधन के बारे में जानकारी के माध्यम से कोर्सों की डिग्री/प्रमाणिकता और विभिन्न संस्थानों की सिफारिश की स्थिति प्रिंट विज्ञापनों और विज्ञापन स्पॉटों द्वारा दी गयी है।
- बैंकिंग क्षेत्र द्वारा प्रदान की गयी विभिन्न सेवाओं के बारे में और बीमा क्षेत्र एवं क्रेडिट कार्ड अधिकारियों के संबंधित क्षेत्रों के बारे में भी उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित मुद्दे।
- त्रिस्तरीय शिकायत उपचार प्रणाली के बारे में शिक्षा और जागरूकता।
- शिकायत कैसे दर्ज करानी है? कहां दर्ज करानी है? और शिकायत पत्र का प्रारूप कैसा हो? इत्यादि बातों के बारे में शिक्षा और जागरूकता।
- पर्यटन एजेंटों के साथ कोई भी बात तय करने के पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन बातों के बारे में पर्यटकों को जागरूक बनाने के लिए पर्यटन क्षेत्र से संबंधित मुद्दे।
- भ्रामक विज्ञापनों के बारे में जागरूकता और शिक्षा।

कुल मिलाकर सभी प्रमुख क्षेत्रों को लक्ष्य बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं जहां उपभोक्ताओं ने समस्याओं का सामना किया और इस विभाग ने उन मामलों में तत्काल सक्रिय पहल की है।

12. अन्य विभागों के साथ संयुक्त अभियान

‘जागो ग्राहक जागो’ एक लोक विषय बन गया है जिसके माध्यम से उपभोक्ता के साथ संबंध रखने वाले लगभग सभी सरकारी विभागों के कार्यप्रणाली से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संयुक्त अभियानों को शुरू किया गया है या शुरू किया जा रहा है। इस विभाग ने ब्यूरो ऑफ इनर्जी इफीसियेन्सी (बी ई ई) के स्टार लेबलों के विषय में ऊर्जा संरक्षण के विषय में लोगों को शिक्षित करने के लिए ब्यूरो ऑफ इनर्जी इफीसियेन्सी के साथ एक संयुक्त अभियान चलाया है। फार्माउद्योग से संबंधित अनेक मुद्दों के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए नेशनल फार्मासिटिकल प्रोडक्ट अथॉरिटी के साथ एक संयुक्त अभियान की तैयारी हो रही है। इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक, फिक्की, शहरी विकास मंत्रालय (रियल ईस्टेट क्षेत्र के लिए) और मानव संसाधन विभाग (शिक्षा क्षेत्र के लिए) के साथ अभियानों की योजना तय की जा रही है।

राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता के लिए विशेष स्कीम

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जागरूकता अभियान को ग्रामीण, सुदूर और पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए इस अभियान में राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है, उपभोक्ता जागरूकता के क्षेत्र में विस्तार के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को सक्रिय रूप से जोड़ा गया है। वास्तव में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों/पी आर आई को शामिल करने से इस स्कीम की प्रभावक्षमता में वृद्धि हुई है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अनुदान/समर्थन का प्रावधान उपभोक्ता जागरूकता स्कीम के प्रमुख घटकों में से एक है।

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से वितरण के लिए राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को पोस्टर, आडियो, वीडियो, फोल्डर, कैलेंडर और मैगजीन इत्यादि जैसी प्रचार सामग्री प्रदान की है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के निकट प्रचार

24 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 24 दिसंबर को ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 प्रभाव में आया था। 2007 में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का विषय था ‘प्रबुद्ध उपभोक्ता ही सशक्त उपभोक्ता है’। इस विषय को यह संदेश फैलाने के लिए चुना गया था कि एक उपभोक्ता अपने हितों/अधिकारों की सुरक्षा करने में तभी समर्थ बन पाएगा जब उसे उसके लिए उपलब्ध अधिकारों और उपचार प्रणाली की जानकारी होगी।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के सप्ताह भर चलने वाले समारोह के हिस्से के रूप में राजधानी में एक समारोह आयोजित किया गया था। अनेक केंद्रीय सरकारी विभागों, राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों ने उपभोक्ता जागरूकता के संदेश को फैलाने के लिए इस सप्ताह के दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित किए।

सूचना व प्रसारण मंत्रालय की अनेक मीडिया इकाइयों ने प्रकाशन विभाग द्वारा छापे गए अनेक जर्नलों और मीडिया इकाइयों द्वारा संचालित कार्यक्रमों के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता के संदेश को फैलाने में सक्रिय रूप से भाग लिया। उपभोक्ता संरक्षण/उपभोक्ता अधिकारों पर जोर डालने वाले लेखों को योजना, बाल भारती और प्रकाशन विभाग के सर्वप्रमुख प्रकाशन इम्प्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में छपा गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण के स्मरण में गीत एवं नाटक डिवीजन और क्षेत्र प्रचार विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

प्रसार भारती ने भी उपभोक्ता अधिकारों के संदेश को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश भर में दूरदर्शन की कई क्षेत्रीय समाचार इकाइयों के साथ-साथ दूरदर्शन समाचार चैनल पर इस संदेश पर आधारित कहानियों को प्रसारित किया गया। डीडी-1 और दूरदर्शन के अनेक क्षेत्रीय केंद्रों पर उपभोक्ता जागरूकता और उपभोक्ता संरक्षण को रेखांकित करने वाले विशेष कार्यक्रमों को प्रसारित किया गया। ऑल इंडिया रेडियो और निजी एफ एम चैनलों पर भी इस विषय पर कई ऑडियो कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। प्रिंट मीडिया में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस से संबंधित कई समाचार सामग्रियां/संदेश छपे। निजी क्षेत्र के शीर्ष ग्रुपों ने भी इस विभाग द्वारा दिए गए संदर्भ सामग्री के आधार पर उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित विशेष लेखों (फीचरों) या समाचारों को प्रसारित किया। पत्र सूचना कार्यालय ने उपभोक्ता जागरूकता पर फीचरों/बैकग्राउंडरों को छापा और इस प्रकार इस संदेश को मध्यम एवं छोटे समाचार पत्रों तक भी पहुंचाया।

तकनीकी सहयोग के लिए डच जेसेलशाफ्ट फॉर टेकनीक जुसेम्मनारबिट (जीटीजेड) जीएमबीएच के साथ सहयोग

इस विभाग ने उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा तैयार एवं विकसित किए जाने, प्रचार सामग्री से संबंधित तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए जी टी जेड के साथ सहयोग किया है। जी टी जेड परियोजना के तहत अधिकतम खुदरा मूल्यों (एम आर पी) और गलत कारोबार की गतिविधियों से संबंधित उपभोक्ता जागरूकता के क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए विज्ञापनों के स्पॉट्स बनवाये गए। इस जर्मन तकनीकी सहयोग के तहत इस विभाग द्वारा लायी गयी प्रचार सामग्री का भी विश्लेषण किया गया है और नयी प्रचार सामग्री के लिए सुझावों की पहचान की गयी है। जी टी जेड के साथ संयुक्त भागीदारी के माध्यम से प्राप्त होने वाले व्यावसायिक सहयोग ने इस विभाग को व्यावसायिक उत्कृष्टता और सर्वोच्च डिग्री प्राप्त करने में मदद की है। इस सहयोग ने विभाग को ऐसे रचनात्मक विज्ञापनों को बनाने में मदद की है जो जनता को अपनी तरफ खींचते हैं और ये काफी मजेदार हैं।

प्रचार अभियान का समवर्ती मूल्यांकन

योजना आयोग ने बार-बार इस विभाग द्वारा शुरू किए प्रचार अभियान के मूल्यांकन एवं निगरानी अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जो नीचे दिए गए हैं :

- (अ) मल्टी मीडिया कमिटी द्वारा निगरानी
- (ब) एनसीएच/सीओआरई से प्रतिक्रिया
- (स) भारतीय जनसंचार संस्थान सर्वे

भारतीय जनसंचार संस्थान द्वारा एक व्यापक सर्वे किया गया जिसमें देश के 12 राज्यों और 144 जिलों को शामिल किया गया। इस सर्वे में उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा संचालित प्रचार अभियान के प्रभाव के बारे में उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। इस सर्वे से यह पता चला है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लगभग 62.56 प्रतिशत उत्तर देने वालों को इस विभाग द्वारा चलाये जा रहे प्रचार अभियान की जानकारी है। उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियों को शुरू करने के लिए मीडिया योजना तैयार करने के लिए भारतीय जन संचार संस्थान के परिणामों पर उचित रूप से विचार किया गया है और उनको शामिल किया गया है।

भविष्य की मार्गरेखा

उपभोक्ताओं को शिक्षित करने और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक बनाने के लिए व्यापक मल्टी मीडिया प्रचार का दीर्घकालीन प्रभाव न सिर्फ उपभोक्ताओं पर होगा बल्कि संपूर्ण निर्माण और सेवा क्षेत्र पर भी होगा। यह स्कीम सरकारी और निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं में ज्यादा जिम्मेदारी और पारदर्शिता लाने में काफी लंबी दूरी तय करेगी क्योंकि एक उपभोक्ता अपनी गाढ़ी कमाई के बदले सर्वोत्तम उपलब्ध सेवा मांगने के लिए पर्याप्त रूप से शिक्षित एवं जागरूक होगा। 'जागो ग्राहक जागो' इस प्रकार एक पहल है जो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के साथ-साथ शिकायत उपचार प्रणाली के बारे में जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाता है।

राज्यों/शासित प्रदेशों में उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना : उपभोक्ता जागरूकता, जागृति शिविर योजना और जिला उपभोक्ता सूचना केंद्र जैसी पूर्व योजनाओं को बंद किए जाने के बाद राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को अपना उपभोक्ता कल्याण कोष बनाने का सुझाव दिया गया है। इसके लिए केंद्र द्वारा दी जानेवाली वित्तीय सहायता को 1:10 के अनुपात से बढ़ाकर 50:50 कर दिया गया है। उपभोक्ता कल्याण कोष स्थायी समिति के निर्णयों के अनुसार विशेष श्रेणी के 13 राज्यों के लिए अनुपात 90:10 कर दिया गया है। अब तक आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, त्रिपुरा, सिक्किम, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, मिजोरम और उत्तराखंड में राज्य स्तर के उपभोक्ता कल्याण कोष स्थापित हो चुके हैं।

उपभोक्ता क्लब : यह योजना 2002 में शुरू की गई। इसके अनुसार सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्डों/विश्वविद्यालयों से संबद्ध प्रत्येक माध्यमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/कालेजों में उपभोक्ता क्लब स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के तहत प्रति उपभोक्ता क्लब के लिए 10,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। इस योजना का एक अप्रैल 2004 से विकेंद्रीकरण कर इसे राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सौंप दिया गया है। इच्छुक एनजीओ/वीसीओ संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता कल्याण विभाग में नोडल अधिकारी के पास आवेदन भेज सकते हैं। वर्ष 2006 में मार्च के अंत तक आंध्रप्रदेश, जम्मू-कश्मीर, त्रिपुरा, सिक्किम, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु आदि राज्यों में कुल 4,661 उपभोक्ता क्लबों के लिए स्वीकृति दी जा चुकी थी।

उपभोक्ता संरक्षण और कल्याण में अनुसंधान संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/कालेजों की भागीदारी को प्रोत्साहन : उपभोक्ता कल्याण के क्षेत्र में अनुसंधान तथा मूल्यांकन के लिए यह योजना शुरू की गई है ताकि उपभोक्ताओं के कल्याण और सुरक्षा के लिए नीति/कार्यक्रम/योजना को तैयार करने के लिए आवश्यक निवेश उपलब्ध हो सके; तथा उपभोक्ताओं से संबंधित मसलों पर गोष्ठियां/कार्यशालाएं/सम्मेलन आदि आयोजित किए जा सकें और उपभोक्ताओं के समक्ष उत्पन्न व्यावहारिक समस्याओं के लिए समाधान उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना को चलाने के लिए नई दिल्ली के भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान को मुख्य संगठन के रूप में कार्य सौंपा गया है। सेमिनार, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और समारोहों के आयोजन, तथा अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययनों के बारे में विश्वविद्यालयों/कालेजों/शोध संस्थानों की ओर से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाता है और उन्हें अनुदान स्वीकृत किया जाता है। ऐसे अध्ययनों के परिणाम उपभोक्ता-शिक्षण और जागरूकता के लिए पुस्तकों, शोध प्रबंध और पर्चों के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। मार्च 2007 तक 109 आवेदनों को अनुदान के लिए मंजूरी दे दी गई है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्प लाइन : दिल्ली विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के समन्वय से राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्प लाइन परियोजना स्थापित की गई है। देश के किसी भी भाग से उपभोक्ता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निःशुल्क फोन सेवा 1800-11-4000 पर डायल कर सलाह प्राप्त कर सकते हैं। आरंभ में हेल्प लाइन के माध्यम से दूरसंचार, कूरियर, बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवा से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाता है। हेल्प लाइन की औपचारिक शुरुआत विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, 2005 को हुई।

उपभोक्ता के लिए इंटरनेट से जुड़ा शोध एवं सशक्तिकरण केंद्र : उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट से जुड़े अनुसंधान एवं सशक्तिकरण केंद्र की स्थापना उपभोक्ता समन्वय परिषद के साथ मिलकर की गई। यह केंद्र उपभोक्ताओं से जुड़ी सूचनाओं को एकत्र करने और उनके प्रसार में वैज्ञानिक और प्रभावी भूमिका अदा करता है ताकि समाज के सभी वर्गों के उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा हो सके और वे संबद्ध जानकारी से सशक्त बन सकें। उपभोक्ता-समस्याओं के समाधान के लिए यह केंद्र मध्यस्थता और परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। यह परियोजना 15 मार्च, 2005 को आरंभ की गई।

भारतीय मानक ब्यूरो

भारतीय मानक ब्यूरो एक राष्ट्रीय मानक निकाय है जिसके प्रमुख कार्य हैं—मानक तैयार कर उन्हें लागू करना, उत्पादों व प्रणाली दोनों ही के लिए प्रमाणन योजना संचालित करना, परीक्षण प्रयोगशालाओं का गठन व प्रबंधन, उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करना तथा अंतर्राष्ट्रीय मानक निकायों के साथ निकट संपर्क बनाए रखना शामिल है। पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं—

सामान्य

भारतीय मानक ब्यूरो 1 अप्रैल, 1987 को संसद के अधिनियम के माध्यम से अस्तित्व में आया। पूर्व भारतीय मानक संस्थान (आई एस आई) के कर्मचारी, संपत्ति, देनदारी और कार्यों को लेते हुए विस्तृत कार्यक्षेत्र और ज्यादा शक्तियों के साथ यह निम्नलिखित उद्देश्यों लिए अस्तित्व में आया :

- मानकीकरण, चिह्नीकरण और गुणवत्ता प्रमाण की गतिविधियों का सुव्यवस्थित विकास
- मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को नई शक्ति प्रदान करना
- मानकों को मान्यता देने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना और उन्हें औद्योगिक उत्पादन और निर्यातों की वृद्धि और विकास के साथ जोड़ना।

मानक निर्माण

मानक निर्माण के तहत यह रसायन, खाद्य एवं कृषि, सिविल, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स व दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रबंधन व तंत्र, धातुकर्मी अभियांत्रिकी, पेट्रोलियम, कोयला व संबंधित उत्पाद, चिकित्सा और अस्पताल नियोजन, वस्त्र, परिवहन अभियांत्रिकी और उत्पादन एवं सामान्य अभियांत्रिकी, चौदह डिवीजन परिषदों के तहत जल संसाधनों जिनके अंदर 308 सेक्शनल समितियां हैं, जैसे 14 क्षेत्रों के लिए भारतीय मानकों के निर्माण में शामिल है। 31 मार्च, 2008 तक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्मित 18424 मानकों का उपयोग हो रहा है जबकि 2001-02 में 17658 का हो रहा था। ये अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्सों को शामिल करते हैं जो इस उद्योग को अपनी वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करता है। भारतीय मानक ब्यूरो एक समयबद्ध कार्यक्रम

के रूप में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप आवश्यकता के आधार पर भारतीय मानकों का निर्माण करता है।

उत्पाद प्रमाणन स्कीम

भारतीय मानक ब्यूरो की उत्पाद प्रमाणन स्कीम मूलतः स्वैच्छिक प्रकृति की है, फिर भी उपभोक्ता के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मद्देनजर और व्यापक उपभोग के मामलों में सरकार द्वारा अनेक वैधानिक उपायों जैसे खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम, कोल माइन्स रेगुलेशन्स और भारतीय गैस सिलिंडर नियम और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के माध्यम से इसे अनिवार्य बनाया गया है। स्वास्थ्य और सुरक्षा के विचार से अनिवार्य प्रमाणन के तहत लायी गयी वस्तुओं में से कुछ हैं— दूध का पाउडर, बोतल बंद पेय जल, एल पी जी सिलेंडर, तेल दबाव वाले स्टोव, क्लिनिकल थर्मामीटर इत्यादि। वर्तमान में 31 मार्च, 2008 तक इस स्कीम के तहत 20025 प्रमाणन चिह्न लाइसेंस का प्रयोग हो रहा है जिनमें खाद्य वस्तुओं से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स की लगभग 1000 विभिन्न वस्तुओं को शामिल किया गया है। 2001-2002 में 16195 प्रमाणन चिह्न लाइसेंस का प्रयोग हो रहा था। उत्पादों के सभी विदेशी निर्माताओं को जो भारत को निर्यात करना चाहते हैं, उन्हें विदेश व्यापार, निदेशालय, वाणिज्य मंत्रालय के 24 नवंबर, 2000 की अधिसूचना के तहत एक भारतीय मानक ब्यूरो उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है।

इस दिशा में, भारतीय मानक ब्यूरो ने वर्ष 1999 में विदेशी निर्माताओं के लिए अपनी उत्पाद प्रमाणन स्कीम शुरू की। इस स्कीम के प्रावधानों के तहत विदेशी निर्माता भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिह्न से अपने उत्पादों को चिह्नित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाण पत्र की मांग कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत 31 मार्च, 2008 तक लगभग 15 देशों में विदेशी निर्माताओं के लगभग 101 लाइसेंस उपयोग में हैं। भारतीय आयातकों के लिए इस स्कीम के तहत देश में आयात किए गए उत्पाद के लिए भारतीय आयातकों को प्रमाणन चिह्न लाइसेंस दिए जा सकते हैं और इन्हें नियामक अर्हताओं में नहीं शामिल किया गया है। भारतीय आयातक ऐसे उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंस के लिए आवेदन दे सकते हैं और इसके साथ भारतीय निर्माताओं जैसा व्यवहार किया जाता है। इस स्कीम के तहत तीन लाइसेंस प्रयोग में हैं। भारतीय मानक ब्यूरो आईईसीईई-सीबी, आईईसीक्यू और आईईसी की आईईसीई एक्स स्कीमों जैसी अन्य प्रमाणन स्कीमों को भी विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत चलाता है। भारत आईईसी सिस्टम ऑफ क्वालिटी असेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स (आईईसीक्यू) का और आईईसी सिस्टम फॉर कन्फॉर्मिटी टेस्टिंग टू स्टैंडर्ड्स फॉर सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट (आईईसीईई) का प्रमाणित करने वाला सदस्य है।

इसके आगे भारतीय मानक ब्यूरो ने मूल रूप से लाइसेंस देने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे नए पहल किए हैं।

प्रयोगशालाएं

उत्पाद प्रमाणन की गतिविधियों में सहयोग देने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के पास 8 प्रयोगशालाएं हैं। इन प्रयोगशालाओं के पास रसायन, खाद्य, विद्युत और मैकेनिकल विधाओं के उत्पादों के लिए प्रमाणित जांच सुविधाएं हैं। भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में प्रत्येक वर्ष लगभग 25,000 नमूनों की जांच हो रही है। कुछ मामलों में जहां भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में आर्थिक रूप से जांच सुविधाओं को विकसित करना आर्थिक रूप से संभव न हो और नमूनों की आवश्यकता से अधिक होने पर और मशीन के खराब होने जैसे अन्य कारणों की वजह से बाहरी मंजूर प्रयोगशालाओं की सुविधाओं

का भी उपयोग हो रहा है। दो प्रयोगशालाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रयोगशालाओं को एन ए बी एल (नेशनल एक्स्टेंडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज) की मान्यता प्राप्त हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने उत्पाद प्रमाणन उद्देश्यों के लिए लगभग 116 प्रयोगशालाओं को मान्यता दी है। भारतीय मानक ब्यूरो ने अपनी सभी जांच प्रयोगशालाओं में आधुनिकीकरण की परियोजना शुरू की है ताकि नमूनों की जांच की आंतरिक क्षमता बढ़ सके और जांच में लगने वाले समय को घटाया जा सके।

हॉलमार्किंग

सोने के जेवर के हॉलमार्किंग की एक बहुत लोकप्रिय स्कीम में जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत ऐच्छिक आधार पर अप्रैल, 2002 में शुरू हुआ था, इसका लक्ष्य है उपभोक्ता के हितों का संरक्षण और सोने की शुद्धता पर उपभोक्ता को तीसरे पक्ष की गारंटी प्रदान करना। इस उद्देश्य के लिए 31 मार्च, 2008 तक 91 हॉलमार्किंग केंद्रों को मान्यता दी गयी है। इस स्कीम की शुरुआत से 5403 से भी अधिक स्वर्ण विक्रेताओं (जौहरियों) ने भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस ले लिया है जबकि वर्ष 2001-02 में 186 जौहरियों ने लाइसेंस लिया था। अभी तक 381 लाख से भी अधिक आभूषण सामग्रियों की हॉलमार्किंग की गयी है। हॉलमार्क युक्त जौहरियों, जिन्होंने भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंस ले लिया है, की सूची और भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा मान्यता प्राप्त हॉलमार्किंग केंद्रों की सूची भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट पर दी गयी है। चांदी की हॉलमार्किंग की एक ऐसी ही स्कीम के तहत चांदी की हॉलमार्किंग के लिए अक्टूबर, 2005 में इस स्कीम की शुरुआत से 405 लाइसेंस दिए गए हैं।

प्रबंधन तंत्र प्रमाणन

प्रबंधन तंत्र प्रमाणन के तहत भारतीय मानक ब्यूरो अन्य महत्वपूर्ण तंत्र प्रमाणन की स्कीमें चलाता है। गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र प्रमाणन स्कीम (क्यू एम एस सी एस) सितंबर, 1991 में शुरू की गयी थी जिसके तहत 31 मार्च, 2008 तक 1161 लाइसेंस अभी सक्रिय हैं, जबकि 2001-2002 में 916 लाइसेंसों का प्रयोग हो रहा था। भारतीय मानक ब्यूरो के गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र प्रमाणन को 23 प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के लिए राड मुअर एक्स्टेंडिटेटी (आर सी ए), नीदरलैंड द्वारा मान्यता दी गयी है।

हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट सर्टिफिकेशन (एच ए सी सी पी) समेकित स्कीम के तहत 31 मार्च, 2008 तक 64 प्रमाणित कंपनियां चल रही हैं। इनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स सर्टिफिकेशन स्कीम (ई एम एस सी एस) के तहत 31 मार्च, 2008 तक सक्रिय लाइसेंसों की कुल संख्या 131 थी जो 2001-02 में 61 थी। ओकुपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स (ओ एच एंड एस एम एस) सर्टिफिकेशन स्कीम जनवरी, 2003 में शुरू की गयी थी, 31 मार्च, 2008 तक सक्रिय लाइसेंसों की कुल संख्या 35 थी।

नई स्कीमों में भारतीय मानक ब्यूरो ने गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली पर सरकार या उसके प्रभावशाली क्षेत्रों का न्यूनतम सेवा स्तर बनाए रखने के लिए और सार्वजनिक सेवा संगठनों (आई एस 15700:2005) की अच्छी सेवा देने के लिए सार्वजनिक सेवा डिलीवरी प्रबंधन तंत्र की शुरुआत की है।

प्रवर्तन प्रक्रिया

भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिह्न स्कीम की वृद्धि और लोकप्रियता के साथ-साथ भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिह्न के दुरुप्रयोग के भी उदाहरण हैं। इसलिए भारतीय मानक ब्यूरो ने ऐसे व्यक्ति या

कंपनी जिसके पास भारतीय मानक ब्यूरो का वैध लाइसेंस नहीं है, उनके द्वारा मानक चिह्न या इसके नकल के प्रयोग को रोकने के लिए प्रवर्तन प्रक्रिया पर जोर दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिह्न का दुरुप्रयोग करने वाले बेईमान व्यापारियों और निर्माताओं से आम उपभोक्ता को बचाने के लिए प्रवर्तन छापे मारे जाते हैं और जहां कानूनी तौर पर युक्तिसंगत हो, अदालत में आरोप के मामले दर्ज किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए दो बाहरी एजेंसियों को गुप्त सूचना प्रदान करने और कानून तोड़ने वालों के ऊपर छापा मारने में मदद करने के लिए चयनित स्थानों में एक वर्ष की शुरुआती अवधि के लिए शामिल किया गया है। 2007-08 में जांच और जब्त करने की प्रक्रियाओं की संख्या 125 है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाएं

1947 में अपनी स्थापना के बाद से ही ब्यूरो अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आई.एस.ओ) और अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आई.ई.सी.) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सक्रिय सदस्य रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो आई एस ओ और आई ई सी में एक सदस्य निकाय के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इसके पास आई एस ओ की 259 तकनीकी समितियों/उपसमितियों और आई ई सी की 62 तकनीकी समितियों/उपसमितियों में भागीदारी सदस्यता (पी) प्राप्त है जबकि इसे आई एस ओ की 308 तकनीकी समितियों/उपसमितियों और आई ई सी की 84 तकनीकी समितियों/उपसमितियों में पर्यवेक्षक सदस्य (ओ) का दर्जा प्राप्त है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थानों की विभिन्न नीति-नियामक समितियों में भाग लेता है। भारतीय मानक ब्यूरो के पास कुछ महत्वपूर्ण आई एस ओ/आई ई सी समितियों के सचिवालय भी हैं क्योंकि इन समितियों से भारत के कारोबारी हित जुड़े हैं। यह आई एस ओ/आई ई सी समितियों के सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में सक्रिय हिस्सा भी लेता है ताकि भारतीय व्यापार और उद्योगों के हितों की रक्षा होती रहे। भारतीय मानक ब्यूरो मानकीकरण, समरूप मूल्यांकन और मान्यता देने इत्यादि से संबंधित क्षेत्रीय और द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रमों से सक्रिय रूप से जुड़ा है। इसने इस संबंध में आई एस ओ और अमेरिका के ए एन एस आई समेत 16 देशों/संगठनों के साथ सहमति पत्र/एम आर ए पर हस्ताक्षर किया है।

उपभोक्ता संरक्षण

देश में उपभोक्ताओं की बढ़ती उम्मीदों को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने उपभोक्ता संरक्षण और कल्याण प्रदान करने के लिए और सार्वजनिक शिकायतों से निपटने के लिए विशिष्ट आदेश के साथ एक अलग विभाग की स्थापना की है। यह विभाग उपभोक्ता मामलों पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद और उपभोक्ता एसोसियेशनों के साथ बातचीत करता है और उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ समन्वय करता है। इसके कार्यों में इसका मार्गदर्शन एक उपभोक्ता नीति परामर्शदायी समिति करती है जो कार्यों को सुचारु ढंग से करने और मानकीकरण और प्रमाणन प्रक्रियाओं को सरल बनाने से संबंधित सभी नीति मामलों पर ब्यूरो को परामर्श देती है। शिकायतों से निपटने के लिए एक सुपरिभाषित प्रक्रिया बनायी गयी है। शिकायतों को ऑन लाइन भी दर्ज कराया जा सकता है और सभी दर्ज शिकायतों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। भारतीय मानकों का उन्नयन बहुत महत्वपूर्ण है और यह ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य है। सभी मानक सामान्यतया ऐच्छिक प्रकृति के हैं। इसलिए इच्छित लाभों को प्राप्त करने के लिए मानकों के क्रियान्वयन के लिए प्रोत्साहक प्रक्रियाएं आवश्यक हैं।

मानकीकरण के उन्नयन में आम उपभोक्ता से लेकर शैक्षणिक संस्थान तक विभिन्न हित शामिल हैं। लघु उद्योगों में मानकीकरण और गुणवत्ता प्रणाली की विचारधारा को प्रसारित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो व्याख्यान, विचार-विमर्श और वीडियो फिल्म समेत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है जिसमें भाग लेने वालों को मानकीकरण, गुणवत्ता प्रणाली, उत्पाद प्रमाणन की विचारधाराओं और ब्यूरो की अन्य प्रक्रियाओं से अवगत कराया जाता है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार

उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए निर्माताओं और सेवा संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए 1991 में ब्यूरो द्वारा भारत सरकार की मंजूरी से राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार की शुरुआत की गयी। इस वार्षिक पुरस्कार की तुलना समरूप अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों जैसे अमेरिका का मैल्कलम बैल्ड्रीज नेशनल क्वालिटी अवार्ड और यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड। इस पुरस्कार के लिए मूल्यांकन नेतृत्व, नीति, उद्देश्य और रणनीति; मानव संसाधन प्रबंधन; संसाधन, प्रक्रियाओं; ग्राहक को केंद्र बिंदु बनाना; कर्मचारियों की संतुष्टि; व्यापार परिणाम; और पर्यावरण एवं समाज पर प्रभाव जैसी बातों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2007 के लिए पुरस्कार उपभोक्ता मामलों के सचिव श्री यशवंत भावे के द्वारा 10 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली में अशोक होटल में आयोजित पुरस्कार प्रस्तुति समारोह में दिया गया।

सूचना व एस एस आई सुविधा कक्ष

‘पूर्ण ग्राहक संतुष्टि’ के पथ पर आगे बढ़ते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो ने नई दिल्ली में अपने मुख्यालय में एकल खिड़की सूचना व एस एस आई सुविधा कक्ष स्थापित किया था जो भारतीय उद्योगों और खास तौर पर लघु उद्योगों को जो भारतीय उद्योग जगत की रीढ़ है, विभिन्न प्रकार की सूचना/सहयोग प्रदान करने के लक्ष्य के साथ 1997 से शुरू हुआ। उद्यमियों, उपभोक्ताओं और व्यावसायियों की बड़ी संख्या इस केंद्र पर अपने सवालियों को लेकर आती है।

मानकीकरण के लिए प्रशिक्षण का राष्ट्रीय संस्थान

उद्योग, उपभोक्ता संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, सरकारी निकायों और विकासशील देशों के तकनीकी और प्रबंधन कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने मानकीकरण के लिए प्रशिक्षण के राष्ट्रीय संस्थान (नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्टैंडर्डाइजेशन-एन आई टी एस), नोएडा की स्थापना की है।

एन आई टी एस, गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र को आई एस/आई एस ओ 9001, पर्यावरण प्रबंधन तंत्र को आई एस/आई एस ओ 14001 के आधार पर, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन तंत्र को आई एस 18001, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन तंत्र को आई एस/आई एस ओ 22000 के आधार पर, हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट्स (एच ए सी सी पी) और प्रयोगशाला प्रबंधन तंत्र को आई एस/आई एस ओ/आई ई सी 17025 के आधार पर प्रशिक्षित करता है। इसके अलावा यह 1968 से प्रत्येक वर्ष एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के लिए मानकीकरण और गुणवत्ता तंत्र में और प्रबंधन तंत्र पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। एन आई टी एस भारतीय मानक ब्यूरो के कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना है। पिछले छः वर्षों से प्रत्येक वर्ष लगभग 630 कर्मचारी औसतन प्रशिक्षित/पुनर्प्रशिक्षित किए गए हैं।

पुस्तकालय (लाइब्रेरी)

सूचना सेवाओं के तहत भारतीय मानक ब्यूरो तकनीकी पुस्तकालय मानकों और संबंधित मामलों पर सूचना के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र है और उद्योग, व्यापार, सरकार, अनुसंधानकर्ताओं और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को समान रूप से पूरा करता है। आज यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मानकों की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जिसका सतही क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर है। इसके संग्रह में समस्त विश्व से लाए गए 6 लाख मानक और 50000 तकनीकी पुस्तकें शामिल हैं। ब्यूरो के लाइब्रेरी तंत्र में मुख्यालय की लाइब्रेरी (नई दिल्ली) और मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़ और चेन्नई की चार क्षेत्रीय कार्यालय लाइब्रेरी (पुस्तकालय) शामिल हैं। विश्व व्यापार संगठन के व्यापार समझौते के तकनीकी अवरोधों के तहत भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो को डब्ल्यू टी ओ/टी बी टी पूछताछ केंद्र का पद दिया गया है।

ब्यूरो ने अपने बिक्री केंद्रों को कम्प्यूटरी कृत करने और उन्हें उपभोक्ताओं को सीधे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रदान करने के उद्देश्य से विशेषाधिकार के माध्यम से भारतीय मानकों को सीडी-रोम पर निकाला है। इस उत्पाद को उद्योग ने सराहा है और यह ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए 18000 से अधिक मानकों में पूर्ण-विषय को खोजने की बेहतरीन सुविधा प्रदान करना है।

भारतीय मानक ब्यूरो की एक वेबसाइट है-www.bis.org.in। एक लिंक के माध्यम से ब्यूरो की वेबसाइट का हिंदी संस्करण भी उपलब्ध है। इस वेबसाइट पर ब्यूरो की विविध प्रक्रियाओं, योजनाओं तथा अन्य समर्थन सेवाओं से संबंधित एवं उपभोक्ताओं तथा भारतीय उद्योग के हितों से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध हैं (प्रमाणन, मानक निर्माण, उपभोक्ता मामले, विविध आवेदन फॉर्म, प्रयोगशाला सेवाएं इत्यादि)

वित्त एवं खाता

एक दशक से भी अधिक समय से भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) भारत सरकार से बिना किसी बजटीय समर्थन के अपने गैर-योजना व्यय को पूरा कर रहा है। ब्यूरो के वित्तीय संसाधनों को विस्तृत तौर पर निम्नलिखित प्रमुखों के अंतर्गत जमा किया जाता है :

- (अ) उत्पाद प्रमाणन।
- (ब) प्रबंधन तंत्र प्रमाणन।
- (स) हॉलमार्किंग।
- (द) बी आई एस मानकों और प्रकाशनों की बिक्री।
- (ड) प्रशिक्षण संस्थान।

बफर स्टॉक

खाद्यान्न की वर्तमान बफर स्टॉक नीति के अनुसार वर्ष की विभिन्न तारीखों में केंद्रीय पूल में सार्वजनिक एजेंसियों के पास कम से कम इतना अनाज होना ही चाहिए :

(लाख टन में)

तारीख	गेहूं	चावल	कुल
पहली अप्रैल	40.00	122.00	162.00
पहली जुलाई	171.00	98.00	269.00

पहली अक्टूबर	110.00	52.00	162.00
पहली जनवरी	82.00	118.00	200.00

* तदर्थ शर्तें संशोधित बफर शर्तों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया लंबित

भंडारण स्थिति

भारतीय खाद्य निगम और राज्यों की एजेंसियों सहित केंद्रीय पूल में 31 मार्च, 2007 को कुल 177.35 लाख टन खाद्यान्न (गेहूं और चावल) था (अनंतिम आंकड़े)।

वितरण

विभिन्न राज्य/संघ शासित प्रदेशों और अन्यो द्वारा वर्ष 2007-08 में उचित मूल्य की दुकानों से वितरण के लिए तथा विभिन्न कल्याण/रोजगार कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय पूल से 374.3 लाख टन खाद्यान्न (गेहूं और चावल) उठाया गया जबकि वर्ष 2006-07 में यह 367.7 लाख टन था। अप्रैल 2007 से मार्च 2008 की अवधि में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत लगभग 333.5 लाख टन खाद्यान्न उठाया गया, जिसमें 235.6 लाख टन चावल और 109.07 लाख टन गेहूं था।

आयात और निर्यात

2007-08 के दौरान 150 लाख टन गेहूं की आवश्यकता थी जबकि केंद्रीय भंडार के लिए 111 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की गयी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए 17.95 लाख मैट्रिक टन गेहूं के आयात के आदेश दिए गए थे जिसमें 17.69 लाख मैट्रिक टन गेहूं देश में पहुंचा।

वर्ष 2008-09 के दौरान (30.06.2008 को) 223.55 लाख मैट्रिक टन गेहूं की केंद्रीय भंडार के लिए खरीद की गयी है। इसलिए वर्ष 2008-09 के दौरान गेहूं आयात नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

केंद्रीय भंडार से चावल और गेहूं का निर्यात 11.8.2003 के प्रभाव से रोक दिया गया है। निर्यातों की लंबित प्रतिबद्धताओं को पूरा कर लेने के बाद 1 अक्टूबर, 2004 के प्रभाव से व्यावसायिक निर्यातों के लिए खाद्यान्न की बिक्री को पूर्ण रूप से रोक लिया गया है। इस विभाग के दिनांक 25 मार्च, 2008 को जारी किए गए आदेश, देखें ओ.एम. संख्या 176(1)/2003-पी वाई के अनुसार केंद्रीय भंडार से चावल, गेहूं और गेहूं के उत्पादों का निर्यात अगले आदेशों तक बंद रहेगा। फिर भी जरूरतमंद देशों को आवश्यकता के आधार पर समय-समय पर उठाने की तारीख पर चल रहे निर्यात मूल्य पर मानवीय मदद एवं सहयोग किया गया है।

घरेलू बाजार में चावल की तंगी के कारण निजी खाते पर गैर-बासमती चावल का निर्यात 1 अप्रैल, 2008 के प्रभाव से निषिद्ध कर दिया गया है और बासमती चावल के निर्यात के लिए एक न्यूनतम निर्यात मूल्य तय कर लिया गया है। वर्तमान में 1.04.2008 से बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य 1200 \$ प्रति टन या 48,000 रुपया प्रति टन है। इसके अतिरिक्त बासमती चावल के निर्यात पर 8,000 रुपया प्रति टन की कस्टम ड्यूटी भी लगा दी गयी है, देखें अधिसूचना दिनांक 10.05.2008।

निजी खाते पर गेहूं का निर्यात 9 फरवरी, 2007 से प्रतिबंधित कर दिया गया है। 8 अक्टूबर, 2007 के प्रभाव से गेहूं के आटे का निर्यात भी निषिद्ध कर दिया गया है।

कल्याण योजनाएं

मध्याह्न भोजन योजना

मध्याह्न भोजन योजना मानव संसाधन मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा 15 अगस्त, 1995 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य रोजगार आश्वासन योजना, पहले की संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 2368 विकास खंडों के प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को लाभ पहुंचाना था। इसके तहत सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा एक से पांच तक के छात्र आते हैं।

जहां प्रति स्कूल दिवस कम से कम 200 दिन न्यूनतम 300 कैलोरी और 8-12 ग्राम प्रोटीन वाला पका/तैयार गर्म भोजन दिया जाता है, वहां हर बच्चे को प्रतिदिन 100 ग्राम खाद्यान्न (गेहूं और चावल) दिया जाता है और जहां खाद्यान्न वितरित किया जाता है वहां तीन किलोग्राम प्रतिमाह प्रति छात्र के हिसाब से एक साल के 9-11 महीने अनाज दिया जाता है। सूखा पीड़ित क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन गर्मी की छुट्टियों में भी दिया जाता है।

योजना के क्रियान्वयन में विलंब कम करने के लिए प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्न आबंटन के लिए अधिकृत किया गया है। इसकी सूचना उसे विभाग को देनी होगी। भारतीय खाद्य निगम इस तरह आवंटित खाद्यान्न की आपूर्ति बीपीएल दरों पर करता है। इस योजना के तहत 2001-2002, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, और 2007-08 के दौरान खाद्यान्नों का आबंटन/उठान निम्न तालिका में है—

(लाख टन में)

वर्ष	चावल				गेहूं				
	आबंटन	खरीद	खरीद का प्रतिशत	आबंटन	खरीद	खरीद का प्रतिशत	कुल आबंटन	कुल खरीद	खरीद का प्रतिशत
2001-02	18.67	13.48	72.20	9.96	7.28	73.09	28.63	20.76	72.51
2002-03	18.84	13.75	72.98	9.40	7.45	79.25	28.24	21.2	75.07
2003-04	17.72	13.49	76.12	9.08	7.20	79.29	26.80	20.69	77.20
2004-05	20.14	15.41	76.51	7.35	5.92	80.54	27.49	21.33	77.59
2005-06	17.78	13.64	76.71	4.72	3.63	76.90	22.50	17.24	76.75
2006-07	17.22	13.05	75.78	4.38	3.50	80.00	21.60	16.55	76.62
2007-08*	19.98	14.41	55.61	5.29	3.95	74.67	25.27	18.36	72.66

*22.4.2008 को एफ.सी.आई द्वारा प्रस्तुत मार्च, 2008 तक खरीद

गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम

यह योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाती है। इसके तहत आबंटित खाद्यान्न का उपयोग राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत छह वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती/दूध पिलाने वाली माताओं को पोषक आहार दिलाने में किया जाता है।

इस योजना के तहत वर्ष 2002-03 से 2007-08 तक खाद्यान्न के आबंटन/कुल खरीद का विवरण इस प्रकार है :

(लाख टन में)

वर्ष	चावल			गेहूं			कुल आबंटन	कुल खरीद	खरीद का प्रतिशत
	आबंटन	खरीद	खरीद का प्रतिशत	आबंटन	खरीद	खरीद का प्रतिशत			
2001-02	0.80	0.32	0.42	1.75	1.03	58.85	2.55	1.35	52.94
2002-03	1.47	0.69	46.93	1.75	2.13	65.13	3.22	2.82	59.49
2003-04	1.04	0.61	58.65	3.72	3.16	66.39	4.76	3.77	64.70
2004-05	1.16	0.85	73.27	3.42	3.57	104.38	4.58	4.42	97.16
2005-06	1.5	2.07	>100	2.82	2.73	96.80	4.32	4.8	>100
2006-07	1.98	1.61	81.31	3.19	2.98	93.42	5.17	4.59	89.00
2007-08 *	2.31	1.79	77.49	3.25	2.74	84.31	5.56	4.53	81.47

*बकाया कोटा शामिल #22.4.2008 को एफ सी आई द्वारा प्रस्तुत, मार्च, 2008 तक खरीद

छात्रावासों/कल्याण संस्थानों को खाद्यान्न आपूर्ति योजना

आश्रयविहीन/बेघर या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली या किसी अन्य कल्याण योजना के तहत न आने वाली अन्य श्रेणियों की मदद करने वाले छात्रावासों/गैर-सरकारी संगठनों या धर्मार्थ संस्थानों जैसे कल्याणकारी संस्थानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रति राज्य/केंद्रशासित प्रदेश को मिलने वाले बीपीएल आबंटन का पांच प्रतिशत अधिक खाद्यान्न (चावल और गेहूं) बीपीएल दरों पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को किया जाता है। यह योजना वर्ष 2002-03 में शुरू की गई थी। संसदीय स्थायी समिति के निर्देशों के अनुसार, इस स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्न के औसत उठान के आधार पर आबंटन की समीक्षा कर उन्हें युक्तिसंगत बनाया गया था।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2002-03 से 2007-08 तक किए गए खाद्यान्न का आबंटन/कुल खरीद इस प्रकार रहा :

(लाख टन में)

वर्ष	चावल			गेहूं			कुल आबंटन	कुल खरीद	खरीद का प्रतिशत
	आबंटन	खरीद	खरीद का प्रतिशत	आबंटन	खरीद	खरीद का प्रतिशत			
2002-03	6.58	1.30	19.75	4.53	0.14	3.09	11.11	1.44	12.96
2003-04	6.25	3.15	50.4	5.19	0.23	4.43	11.44	3.38	29.54
2004-05	6.06	1.94	32.01	4.80	0.75	15.62	10.86	2.69	24.76
2005-06	3.47	2.37	68.29	2.44	0.27	11.06	5.91	2.64	43.99
2006-07	3.26	2.76	84.92	0.57	0.25	43.85	3.83	3.01	78.59
2007-08#	2.13	1.61	75.59	0.57	0.35	57.81	2.70	1.94	71.85

नोट : वर्ष 2005-06 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत साधनों के आबंटन और खरीद की समीक्षा की गयी है। खाद्य के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पिछले तीन वर्षों की खरीद के आधार पर अगस्त, 2005 से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के आबंटन को युक्तिसंगत बनाया गया।

अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास

यह योजना अक्टूबर 1994 में प्रारंभ की गई। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय की सिफारिशों पर पहली बार वर्ष 2001-02 में 19 राज्यों को खाद्यान्न का आबंटन किया गया। जिन छात्रावासों में अजा/अजजा/अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों की संख्या दो तिहाई है, वहां 15 किग्रा प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से खाद्यान्न मुहैया कराया जाएगा। ऐसे छात्रावासों में रहने वाले सभी वर्गों के छात्रों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2001-02 से 2006-07 तक अनाज के आबंटन/उठान का ब्योरा निम्नवत है :

(लाख टन में)

वर्ष	चावल			गेहूं		
	आबंटन	खरीद	खरीद का प्रतिशत	आबंटन	खरीद	खरीद का प्रतिशत
2001-02	1.96	0.76	38.77	-	0.07	3.57
2002-03	0.36	-	-	-	-	-
2003-04	1.63	-	-	-	-	-
2004-05	1.34	-	-	-	-	-
2005-06	-	-	-	0.14	-	-
2006-07*	1.62	-	-	0.14	-	-
2007-08**	0.28	-	-	0.14	-	-

*खरीद के आंकड़ों को 5 प्रतिशत बी पी एल आबंटन के बदले खरीद के साथ जोड़ दिया गया है। # 2007-08 में कर्नाटक को 28332 मैट्रिक टन चावल और 141666 मैट्रिक टन गेहूं।

**133,693 मीट्रिक टन चावल आंध्र प्रदेश और 28332.30 मीट्रिक टन चावल तथा 14166.15 मीट्रिक टन गेहूं कर्नाटक।

अन्नपूर्णा योजना

यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000-01 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के ऐसे असहाय वृद्ध नागरिक आते हैं, जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के पात्र तो हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस योजना में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 10 किग्रा खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाता है।

वर्ष 2002-03 से यह योजना राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना से मिलकर बने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के साथ राज्य योजना को स्थानांतरित कर दिया गया है। इस स्थानांतरित योजना के लिए धन राशि वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य योजना के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में जारी की जा रही है। राज्यों को इस हेतु योजना के कार्यान्वयन तथा लाभार्थियों के चुनाव करने की छूट होगी। ज़मीनी स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन का जिम्मा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का होगा।

इस योजना हेतु वर्तमान मानकों पर राज्य सरकारों को बीपीएल दरों पर अनाज जारी किया जाता है।

वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान इस योजना के अंतर्गत अनाज का आबंटन/कुल खरीद इस प्रकार है :

(लाख टन में)

वर्ष	चावल आबंटन	चावल खरीद	चावल खरीद का प्रतिशत	गेहूं आबंटन	गेहूं खरीद	गेहूं खरीद का प्रतिशत	गेहूं कुल आबंटन	कुल खरीद	खरीद का प्रतिशत
2001-02	1.62*	0.93	57.40						
2002-03	0.54	0.53	98.14	0.24	0.62	258.30	0.78	1.15	147.81
2003-04	0.56	0.45	80.35	0.67	0.64	95.52	1.23	1.09	88.61
2004-05	0.90	0.64	71.11	0.77	0.68	101.49	1.67	1.32	79.04
2005-06	0.90	0.69	76.66	0.77	0.70	90.90	1.67	1.39	83.23
2006-07	0.90	0.61	67.78	0.77	0.29	37.66	1.67	0.90	53.69
2007-08*	0.92	0.70	76.08	0.77	0.30	38.96	1.69	1.00	59.17

* 22.4.2008 को एफ सी आई द्वारा प्रस्तुत, मार्च, 2008 तक खरीद।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

कार्यक्रम के नोडल मंत्रालय के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह योजना 25 सितंबर, 2001 से शुरू की। यह सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में विभिन्न रोजगारपरक कार्यक्रमों के लिए चलायी गयी। इसके तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 50 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किया जाता है जिसकी कीमत का भुगतान आर्थिक लागत के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

निकासी आदेश में विलंब न हो, इसके लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की स्वीकृति से, ग्रामीण विकास मंत्रालय को विभिन्न राज्यों को किये गए आबंटन के बारे में एफ सी आई को सीधे आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। चाहे वो किसी वित्तीय स्थिति वाले परिवार से हों। यह लाभ उन किशोरियों को प्राप्त होगा जिनका वजन 35 किग्रा से कम होगा।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2001-02 से 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 और वर्ष 2007-08 तक खाद्यान्न के आबंटन एवं कुल खरीद का ब्योरा इस प्रकार है—

(आंकड़े लाख टन में)

वर्ष	चावल			गेहूं					
	आबंटन	खरीद	खरीद का प्रतिशत	आबंटन	खरीद	खरीद का प्रतिशत	कुल आबंटन	कुल खरीद	खरीद का प्रतिशत
2001-02	23.64	11.69	49.45	11.14	5.64	50.62	34.78	17.33	49.82
2002-03	28.01	21.15	75.50	13.90	18.87	135.75	41.99	40.02	95.30

2003-04	73.55	63.49	86.32	39.35	42.73	108.58	112.9	106.22	94.08
2004-05	32.64	30.27	92.73	16.99	19.73	116.12	49.63	50.00	100.00
2005-06	24.81	24.21	97.58	12.58	15.71	124.88	37.39	39.92	>100
2006-07	12.04	11.66	96.84	4.89	4.77	97.54	16.93	16.43	97.04
2007-08#	4.67	6.45	138.11	4.87	2.88	59.13	9.54	9.33	97.80

*इस खरीद में बकाया कोटा भी शामिल है।

#22.4.2008 तक एफ सी आई द्वारा प्रस्तुत, 12 मार्च, 2008 तक आबंटन और मार्च 2008 तक खरीद।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विशेष घटक

जनवरी 2001 में शुरू किया गया काम के बदले अनाज कार्यक्रम 31 मार्च, 2002 से बंद कर दिया गया। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की मंजूरी के बाद इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के एक विशेष घटक के रूप में जारी रखने की अनुमति दे दी। इस योजना के तहत वर्ष 2002-03, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, और 2007-08 तक खाद्यान्न आबंटन का विवरण इस प्रकार है—

वर्ष	चावल			गेहूं			कुल आवंटन	कुल खरीद	खरीद का प्रतिशत
	आवंटन	खरीद	खरीद का प्रतिशत	आवंटन	खरीद	खरीद का प्रतिशत			
2002-03	37.02	31.89	86.14	26.38	13.33	50.53	63.40	45.22	71.32
2003-04	43.05	32.55	75.60	22.79	21.89	96.05	65.84	54.44	82.68
2004-05	14.37	12.29	85.52	10.68	7.90	73.97	25.05	20.19	80.59
2005-06	5.99	7.44	124.20	7.15	9.82	137.34	13.10	17.26	71.00
2006-07	4.94	5.92	119.83	1.70	0.21	12.35	6.64	6.13	92.32
2007-08	0.80	0.68	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	2.33	0.00

इस खरीद में पिछला बकाया कोटा भी शामिल है।

22.4.2008 को एफ सी आई द्वारा प्रस्तुत, मार्च, 2008 तक खरीद।

किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम (एनपीएजी)

योजना आयोग द्वारा शुरू में दो वर्षों के लिए 2002-03 और 2003-04 में 51 चिह्नित जिलों में किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम— एक पायलट परियोजना शुरू की गयी थी। इस स्कीम को 2005-06 में फिर शुरू किया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक बड़े राज्य के दो सर्वाधिक पिछड़े जिलों तथा शेष छोटे राज्यों/संघशासित प्रदेशों के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिलों (राज्यों की राजधानी को छोड़कर) में कुपोषण से पीड़ित किशोरियों (11 से 19 वर्ष) गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं के चिह्नित परिवारों को 6 किग्रा. प्रतिव्यक्ति की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। खाद्यान्न मिलने के बावजूद अगर तीन महीनों के अंदर उनके पोषण में सुधार नहीं होता है तो इसकी जांच आंगनबाड़ी के

कार्यकर्ताओं द्वारा की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर जांच व उपचार के लिए डॉक्टर के पास भेजा जाता है और अगले तीन महीनों तक मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। वर्ष 2005-06 के दौरान राज्यों को 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में कोष उपलब्ध कराया गया था ताकि वे चिह्नित कुपोषित महिलाओं के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न मुफ्त में प्रदान कर सकें। वित्त मंत्रालय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए विशेष वित्तीय मदद जारी करता है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय के माध्यम से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित सरकार को निर्धनता रेखा से नीचे के दरों पर खाद्यान्न प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2002-03, 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2007-08 के दौरान वार्षिक आबंटन और खरीद का विवरण नीचे दिया गया है :

लाख टन में

वर्ष	चावल			गेहूँ			कुल	कुल	खरीद का
	आबंटन	खरीद	खरीद का प्रतिशत	आबंटन	खरीद	खरीद का प्रतिशत	आबंटन	खरीद	प्रतिशत
2002-03	0.41	0.11	27.50	0.22	0.87	3.95	0.62	0.98	>100
2003-04	2.22	0.63	28.37	0.29	0.00	0.00	2.51	0.63	25.09
2004-05 कार्यक्रम प्रचलन में नहीं था									
2005-06	0.68	0.40	58.82	0.35	0.08	22.85	1.03	0.48	46.60
2006-07	0.41	0.45	109.75	0.07	0.07	100.00	0.48	0.52	108.33
2007-08	0.45	0.35	77.78	0.07	0.03	42.86	0.52	0.38	73.07

*योजना को पूर्ण क्षमता से क्रियान्वित करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कारण कुल खरीद में बढ़ोतरी हुई।

24.4.2008 को एफ सी आई द्वारा प्रस्तुत, मार्च, 2008 तक की खरीद।

आपात आहार कार्यक्रम

आपात आहार योजना गरीबी-रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के वृद्ध, अक्षम तथा बेसहारा लोगों को विपत्ति के समय भोजन मुहैया कराने की एक खाद्य आधारित पहल है। यह योजना मई 2001 में प्रारंभ की गई थी। यह योजना उड़ीसा सरकार द्वारा आठ **केबीके** जिलों—बोलनगीर, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरी, नवरंगपुर, नौपदा, रायगढ़ तथा सोनपुर के दो लाख लाभार्थियों हेतु चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की सिफारिश पर खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग द्वारा मई 2001 से प्रति लाभार्थी 6 किग्रा प्रति माह की दर से खाद्यान्न (चावल) का आबंटन किया जाता है। वर्ष 2006-07 के दौरान अगस्त, 2006 तक 2 लाख लाभार्थियों के लिए 6 किग्रा प्रति लाभार्थी प्रति माह की दर से 14,400.00 मैट्रिक टन चावल का आबंटन किया गया था। सितंबर, 2006 से मार्च, 2007 तक 2 लाख लाभार्थियों के लिए 7.5 किग्रा प्रति लाभार्थी प्रति माह की दर से 2110 मैट्रिक टन चावल के अतिरिक्त परिमाण का आबंटन किया गया। इस प्रकार सितंबर 2006 से मार्च 2007 के दौरान वर्ष 2006-07 के लिए कुल आबंटन 16510 मैट्रिक टन हुआ।

राज्य सरकार द्वारा ऐसे लाभार्थियों को आहार में प्रतिदिन 200 ग्राम चावल, 40 ग्राम दाल तथा 30 ग्राम सब्जी पके हुए भोजन के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए धन राशि अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में दी जाती थी, इसे अब विशेष केंद्रीय सहायता कहा जाता है। केबीके जिलों में यह योजना संशोधित दीर्घकालीन कार्ययोजना के रूप में चलाई जा रही है तथा योजना आयोग विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान कर रहा है।

इस योजना के तहत वर्ष 2001-02 से वर्ष 2007-08 तक चावल की निम्नलिखित मात्रा आबंटित की गई :

(हजार टन में)

वर्ष	वार्षिक आबंटन	कुल खरीद	कुल प्रतिशत
2001-02	12.00	4.97	41.41
2002-03	14.40	13.41	93.12
2003-04	14.40	14.10	97.91
2004-05	14.40	14.18	98.47
2005-06	14.40	12.20	84.72
2006-07	16.51 *	14.31	86.73
2007-08	16.98	16.37	96.41

*इसमें 2110 मीट्रिक टन का अतिरिक्त आबंटन शामिल है।

ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना

- जनजातीय ग्रामों में खाद्यान्न बैंकों की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना की शुरुआत 1996-97 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालयों द्वारा 11 राज्यों में की गयी थी। वर्ष 1996-97 से वर्ष 2004-05 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 4858 खाद्यान्न बैंकों की स्थापना के लिए 10.26 करोड़ रुपये जारी किये गए। हाल में ही यह योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय से खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय को स्थानांतरित की गयी है।
- वित्त मंत्रालय ने 15.02.2006 को वर्ष 2005-06 तथा वर्ष 2006-07 के लिए अकालग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न बैंकों की स्थापना के लिए संशोधित ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना का ग्यारहवें प्लान में पूरा करने के लिए मंजूरी दे दी है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा या अकाल के दौरान भुखमरी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना है।
- खाद्यान्न बैंकों की स्थापना सूखा प्रभावित क्षेत्रों, गर्म एवं शीत मरुस्थली क्षेत्रों जैसे खाद्यान्न संकट वाले क्षेत्रों में तथा जनजातीय एवं दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में की जानी है।
- संशोधित स्कीम में सभी इच्छुक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को शामिल करने की व्यवस्था

है। इन परिवारों को राज्य सरकार खाद्यान्न संकट क्षेत्रों में चिह्नित करेगी। उधारी की मात्रा और वापसी की मियाद समुदाय खुद तय करेंगे। उधार लिए गए अन्न की वापसी को सुनिश्चित करने के लिए इस स्कीम को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सदस्यों के अधिकारों के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना

वर्ष 2005-06 के दौरान खाद्यान्न बैंकों की स्थापना के लिए निर्धारित/आवश्यक राशि को दिखाने वाली रिपोर्ट—

क्रम संख्या	राज्य	सिफारिश के लिए बैंकों की संख्या	खाद्यान्न की मात्रा (चावल/गेहूं) (मीट्रिक टन)	खाद्यान्न के लिए वित्तीय सहयोग (रुपया)	खाद्यान्न बैंकों की स्थापना के लिए राशि (रुपया)	कुल वित्तीय सहयोग (रुपया)
2005-06						
1.	आंध्र प्रदेश	1214	4856 (चावल)	6,24,57,872	1,48,10,800	7,72,68,672
2.	उड़ीसा	240	960 (चावल)	1,23,47,520	29,28,000	1,52,75,520
3.	छत्तीसगढ़	262	1048 (चावल)	1,34,79,376	31,96,400	1,66,75,776
4.	मध्य प्रदेश	926	3704 (चावल)+ 1852 (गेहूं)	4,20,25,399	56,12,200 56,85,000	4,76,37,599
5.	झारखंड	583	2332 (चावल)	2,99,94,184	71,12,600	3,71,06,784
कुल		3225				19,39,64,351
1.	त्रिपुरा	13	52 (चावल)	6,68,824	1,58,600	8,27,424
2.	मेघालय	44	176 (चावल)	22,63,712	5,36,800	28,00,512
कुल (उत्तर पूर्व)		57				36,27,936
कुल		3282				19,75,92,287

आर्थिक कीमत : चावल : 12,862 रुपया प्रति मीट्रिक टन

गेहूं : 11276.30 प्रति मीट्रिक टन

वर्ष 2006-07 के दौरान खाद्यान्न बैंकों की स्थापना के लिए निर्धारित/आवश्यक राशि को दिखाने वाली तालिका:

क्र. सं.	राज्य	सिफारिश के लिए बैंकों की संख्या	खाद्यान्न की मात्रा (मीट्रिक टन)	खाद्यान्न के लिए वित्तीय सहयोग (रुपया)	खाद्यान्न बैंकों की स्थापना के लिए राशि (रुपया)	कुल वित्तीय सहयोग (रुपया)
2006-07						
1.	उत्तर प्रदेश	500	2000	1,96,59,800	61,00,000	2,57,59,800
2.	असम	100	400	51,44,800	12,20,000	63,64,800
3.	सिक्किम	80	320	41,15,840	9,76,000	50,91,840
4.	हिमाचल प्रदेश	55	220	28,29,640	6,71,000	35,00,640
5.	गुजरात	226	272/632	1,06,25,086	27,57,200	1,33,82,286
6.	प. बंगाल	170	680	87,46,160	20,74,000	1,08,20,160
7.	नागालैंड	150	600	77,17,200	18,30,000	95,47,200
8.	आंध्रप्रदेश	3743	14972	19,25,69,864	4,34,45,167	23,60,15,031
9.	उत्तराखंड	55	220	28,29,640	6,71,000	35,00,640
10.	छत्तीसगढ़	1642	6568	8,44,77,616	2,00,32,400	10,45,10,016
11.	महाराष्ट्र	1111	4444	6,19,93,8000	1,35,54,200	7,55,48,000
12.	मणिपुर	93	372	47,84,664	11,34,600	59,19,264
कुल		7925				49,99,59

चावल : 12,862 रुपया प्रति मीट्रिक टन

गेहूं : 11,276.30 प्रति मीट्रिक टन

**12,200 रुपये/प्रति खाद्यान्न बैंक।

● एक खाद्यान्न बैंक को स्थापित करने की अनुमानित लागत निम्नलिखित है :

अ.	प्रति खाद्यान्न बैंक में औसत 40 परिवारों के लिए प्रति परिवार 1 क्विंटल खाद्यान्न की कीमत	13762 प्रति एम टी की दर से 40 क्विंटल खाद्यान्न अर्थात वर्तमान कीमतों के अनुसार 55,046/-
ब.	दुलाई का खर्च-90 रुपया प्रति क्विंटल	90×40=3600 रुपया; केंद्र सरकार और राज्य सरकार समान रूप से वहन करेगी।
स.	प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण व्यय	1400 रुपया प्रति बैंक
द.	भंडारण माप एवं तौल इत्यादि	7000 रुपया प्रति बैंक
ई.	निगरानी एवं प्रशासनिक व्यय	3000 रुपया प्रति बैंक
कुल		70,246 रुपया प्रति बैंक

- केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाने : 68,246 रु. प्रति बैंक से
वाले ग्रामीण खाद्यान्न बैंक की लागत 68,250 रु. प्रति बैंक
राज्य सरकार द्वारा वहन किए : 1800 रु. प्रति बैंक
जाने वाले परिवहन की लागत।

ग्यारहवीं योजना के दौरान यानी कि 2007-08 और 2008-09, 2009-10, 2010-11, और 2011-12 के दौरान इस स्कीम को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। 2007-08 के बजट आकलन में 16.90 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। 2008-09 से 2011-2012 तक 69.34 करोड़ रुपये के बजटीय आबंटन के साथ और 10160 खाद्यान्न बैंक को स्थापित करना संभव हो पाएगा और ग्यारहवीं योजना अवधि में देश में स्थापित होने वाले खाद्यान्न बैंकों की कुल संख्या 12,636 हो जाएगी। इस स्कीम के क्रियान्वयन के एक व्यापक मूल्यांकन के लिए (प्रभाव एवं प्रभावक्षमता के मूल्यांकन के लिए), 76 लाख रुपयों के प्रावधान को मंजूरी मिल गयी है। इस स्कीम के लिए ग्यारहवीं योजना का परिव्यय 87 करोड़ रुपये है।

2005-06, 2006-07, 2007-08 के दौरान खाद्यान्न बैंकों की स्थापना के लिए निर्धारित/आवश्यक धन को इस प्रकार दर्शाया गया है :

वर्ष	बैंकों की संख्या	वित्तीय सहयोग (रुपये में)
2005-2006	3282	19,75,92,287
2006-2007	8191	51,79,41,277
2007-2008	2598	17,44,20,152

- राज्य सरकार द्वारा चुने गए ग्राम पंचायत/ग्राम सभा, आत्म सहयोग समुदाय या गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से इन खाद्यान्न बैंकों को चलाया जाएगा। ऐसी प्रत्येक कार्यकारी समिति में एक महिला सदस्य होगी।
- योजना आयोग के द्वारा वर्ष 2005-06 में 20.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जिसमें 19.76 करोड़ की राशि से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा तथा मेघालय राज्यों में 3282 खाद्यान्न बैंकों की स्थापना के लिए मंजूरी दी गयी थी। वर्ष 2006-07 के लिए 50.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से 49.996 करोड़ रुपए की राशि को उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, आंध्रप्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मणिपुर राज्यों में 7925 खाद्यान्न बैंकों की स्थापना के लिए मंजूरी दी गयी है।
- जब यह स्कीम जनजातीय मामलों के मंत्रालय और खाद्य व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत थी तो इस अवधि के दौरान मंजूर किए गए/स्थापित ग्रामीण खाद्यान्न बैंकों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति वक्तव्य II में थी।
- इस अवस्था में स्कीम का मूल्यांकन नहीं करने के लिए व्यय विभाग से छूट प्राप्त की गयी है, चूंकि विभाग द्वारा चलायी गयी स्कीम के तीन वर्ष पूरे नहीं हुए हैं इसलिए विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा मूल्यांकन तब किया जाएगा जब यह स्कीम वर्ष 2007-08 में काम करते हुए तीन साल पूरे

करेगी। यह स्कीम उस अवस्था में मूल्यांकन के अनुभव के आधार पर फिर से तैयार की जाएगी और इसके अनुसार संशोधित स्कीम के लिए मंजूरी के लिए प्रयास किया जाएगा।

ग्रामीण खाद्यान्न बैंक स्कीम के तहत खाद्यान्नों के आबंटन और खरीद को नीचे दर्शाया गया है—

(आंकड़े लाख टन में)

वर्ष	चावल				गेहूं			
	आबंटन	खरीद	खरीद का प्रतिशत	आबंटन	खरीद	खरीद का प्रतिशत	कुल आबंटन	कुल खरीद
2006-07	0.40	0.10	49.00	0.04	0.02	50.00	0.44	0.18
								40.91

काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना

काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना की शुरुआत 13 अक्टूबर, 2004 से की गई। यह योजना देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में इस उद्देश्य से चलाई जा रही है कि इन जिलों में आर्थिक, सामाजिक एवं सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण के जरिए पूरक दिहाड़ी रोजगार उत्पन्न करके खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस योजना से लाभान्वित होने वाले अधिकतर पिछड़े जिले जनजातीय क्षेत्रों में हैं। इस योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक परिवार में एक सक्षम व्यक्ति को 100 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार देने का प्रावधान होगा। 2004-05 तथा 2006-07 के दौरान खाद्यान्नों का आबंटन एवं कुल खरीद नीचे दी गई है—

(लाख टन में)

वर्ष	चावल			गेहूं		
	आबंटन	खरीद	खरीद के प्रतिशत	आबंटन	खरीद	खरीद के प्रतिशत
2004-05	14.24	3.06	21.48	5.75	0.65	11.30
2005-06	6.65	6.59	99.09	2.53	4.08	161.26
2006-07	0.00	1.22	0.00	0.00	0.21	0.00

*पिछले अवशेषों सहित खरीद

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को खाद्यान्न की न्यूनतम मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत देश के लगभग छह करोड़ निर्धन परिवारों को लाभान्वित किया जाना था। इन परिवारों को 10 किग्रा. खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह की दर से प्रति वर्ष 72 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किया गया।

एक अप्रैल, 2000 से यह आबंटन 10 किग्रा. से बढ़ाकर 20 किग्रा. कर दिया गया। जुलाई, 2001 से इसे 20 किग्रा. से बढ़ाकर 25 किग्रा. प्रति माह प्रति परिवार कर दिया गया। पहली अप्रैल 2002 से इसमें और वृद्धि की गई और इसे 35 किग्रा. प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया। बीपीएल परिवारों के लिए गेहूं का 4.15 रु. प्रति किग्रा. तथा चावल का 5.65 रुपये प्रति किग्रा. का केंद्रीय निर्गम मूल्य रखा गया है।

खाद्यान्नों का आबंटन एवं कुल खरीद (लाख टन में)

वर्ष	आबंटन	कुल खरीद
2003-04	712.52	239.31
2004-05	717	293.55
2005-06	716.21	311.06
2006-07	576.56	313.69
2007-08	392.78	332.81

अंत्योदय अन्न योजना (ए ए वाई)

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा निर्धनों में भी निर्धनतम व्यक्तियों के लिए 25 दिसंबर, 2000 को अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को दो रुपये प्रति किग्रा गेहूं तथा तीन रुपये प्रति किग्रा चावल की अत्यधिक रियायती दर पर 25 किग्रा. खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। 25 किग्रा. की इस मात्रा को पहली अप्रैल 2002 से बढ़ाकर 35 किग्रा. कर दिया गया। प्रारंभ में देश में लगभग एक करोड़ अंत्योदय परिवार की पहचान की गयी। इन परिवारों की पहचान राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा अपने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में रह रहे बीपीएल परिवारों में से की गयी। वर्ष 2003 -04 में सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार किया और इसमें 50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवारों को शामिल किया।

1 अगस्त, 2004 से अंत्योदय अन्न योजना को ऐसे 50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवारों तक बढ़ा दिया गया जो भुखमरी के कगार पर हों।

वर्ष 2005-06 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवारों को लाया गया। इससे इस योजना से लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या बढ़कर 2.5 करोड़ हो गई है।

परिवारों की पहचान एवं खाद्यान्न का आबंटन

अंत्योदय परिवारों की पहचान एवं इन परिवारों को विशिष्ट राशन कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की है। विस्तृत अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत अतिरिक्त अंत्योदय परिवारों और अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों की पहचान के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के लिए विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस स्कीम के तहत पहचान किये गए परिवारों को जारी किए गए विशिष्ट राशन कार्डों के आधार पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को खाद्यान्न का आबंटन किया जा रहा है। अभी तक 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान कर ली गयी है, उनको अंत्योदय अन्नयोजना के राशन कार्ड जारी किए गए हैं और खाद्यान्न भी प्रदान किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

भारत निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है :

- अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न परिषद (आई.जी.सी.)।
- संयुक्त राष्ट्र संघ का खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) जिसमें इसकी विश्व खाद्य सुरक्षा (डब्ल्यू. एफ. एस.) समिति भी शामिल है।
- अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन।

अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन

भारत को जुलाई 2003 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न परिषद के निर्यातक सदस्य श्रेणी में शामिल किया गया। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग बीच-बीच में अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न परिषद की बैठकों में भाग लेता रहा है। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए इस विभाग ने लंदन में 11 जून, 2007 को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न परिषद के 25वें अधिवेशन में तथा 12 जून, 2007 को लंदन आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न परिषद के खाद्यान्न सम्मेलन 2007 में भाग लिया। खाद्य व सार्वजनिक वितरण का यह विभाग निर्धनता रेखा से नीचे की दरों पर कल्याण/विकास स्कीमों के तहत भारत में डब्ल्यू एफ पी द्वारा सहयोग की गयी और समर्थित परियोजनाओं को भी खाद्यान्न का आबंटन करता है। भारत सार्क खाद्य सुरक्षा बैंक का एक सदस्य है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के 27-29 मई, 2008 के दौरान अर्जेंटीना में आयोजित 32वें अधिवेशन में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के सचिव स्तर की बैठक में भी हिस्सा लिया।

भंडारण व भंडार गृह

पहली अप्रैल, 2008 को केंद्रीय भंडारण निगम तथा 17 राज्य भंडारण निगमों की भंडारण क्षमता इस प्रकार थी :

भंडारण क्षमता

(लाख मीट्रिक टन)

एजेंसी	निर्मित	किराए पर ली गई	खुली/प्लिन्थ	प्रबंधन	कुल
केंद्रीय भंडारण निगम	67.63	12.17	14.68	4.30	98.78
राज्य भंडारण निगम	121.41	63.05	286	—	187.32

निगम ने किराए पर लिए गए गोदामों की 7,000 टन भंडारण क्षमता के साथ वर्ष 1956 से अपना कार्य प्रारंभ किया। इसकी भंडारण क्षमता में निरंतर वृद्धि होती रही है और पहली अप्रैल, 2008 को इसके 490 केंद्रों की कुल भंडारण क्षमता 98.78 लाख मीट्रिक टन थी। निगम द्वारा सीमा शुल्क विभाग के 75 गोदामों का भी संचालन किया जा रहा है जिनकी पहली अप्रैल, 2008 को भंडारण क्षमता 15.18 लाख टन थी।

केंद्रीय भंडारण निगम के 17 राज्यों में गोदाम निगमों के रूप में सहयोगी भी कार्यरत हैं। निगम राज्य गोदाम निगमों की अंश पूंजी में 50 प्रतिशत का भागीदार भी है। पहली अप्रैल, 2008 को निगम का कुल निवेश 58.26 करोड़ रुपये था।

देश में विनिमय भंडारगृह प्राप्ति तंत्र की शुरुआत

वर्तमान में भंडारगृह प्राप्ति को जमाकर्ताओं और बैंकों के न्याय ट्रस्ट का लाभ नहीं मिलता क्योंकि इस बात का भय रहता है कि जमाकर्ता के दिवालिया होने पर या भंडारगृह की तरफ से कुप्रबंधन या ठगी के मामलों में ऋण की वापसी नहीं होगी। कानूनी उपचार भी काफी लंबे और अपर्याप्त हैं। अगर बैंक भंडारगृह प्राप्ति के खिलाफ वित्त देना भी चाहते हैं तो वे या तो उन्हीं संचालकों तक सीमित रहते हैं जिनपर वे भरोसा करते हैं या उन्हें उचित भंडारगृह संचालकों को छांटने में काफी पैसा खर्च करना पड़ता है।

उपरोक्त समस्याओं के संदर्भ में कृषि वस्तुओं समेत सभी वस्तुओं के लिए एक विनियम भंडारगृह विकसित करने का प्रस्ताव किया गया था और 19 सितंबर, 2007 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा एक भंडार गृह (विकास विनियमन) अधिनियम को मंजूरी दी गयी। 20 सितंबर, 2007 को इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी की गयी थी। इस अधिनियम को प्रयोग में लाने के लिए और इस अधिनियम प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं—

- (अ) पंजीकृत भंडारगृह विनियम भंडारगृह प्राप्ति को जारी कर सकते हैं।
- (ब) भंडारगृह प्राप्ति को विनियमिता इसे एक व्यापार योग्य और स्थानांतरणीय उपकरण बनाएगी।
- (स) यह किसानों को बाढ़ की तारीख में बेहतर कीमत दिलवाने में मदद करेगी जब कीमत ऊंची होगी।
- (द) यह किसानों को प्राप्ति के बदले ऋण देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करेगी।
- (ई) यह अधिनियम भंडारगृहों द्वारा निर्वाह किए जाने वाले कुछ मानकों को प्रदान करता है जो विनियम भंडारगृह प्राप्ति जारी करते हैं।
- (फ) भंडारगृह विकास एवं नियामक प्राधिकरण नामक एक नियंत्रणकारी प्राधिकरण होगा जो पंजीकृत भंडारगृहों के कार्यों का अवलोकन करेगा। यह कथित प्राधिकरण भंडारगृहों में दस्तावेजों के निर्वाह के लिए भी मानकों को प्रदान करेगा।
- (ज) यह प्राधिकरण भंडारगृह प्राप्ति को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में दिए जाने की व्यवस्था करता है जो विभिन्न स्थानों के बीच वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कारोबार में वस्तुओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा। यह अधिनियम भौतिक आवागमन के बिना विभिन्न स्थानों के बीच वस्तुओं के हस्तांतरण के लिए वस्तुओं की प्रतिमोच्यता को भी मान्यता देता है।

किसानों को यह लाभ होगा कि वे अपने भंडार को तब तक रोक कर रख सकते हैं जब तक कि उन्हें भविष्य में बेहतर कीमत न मिले और किसानों को उनके तत्कालीन कृषि कार्यों के लिए धन देने के लिए अल्प अवधि में तरलता को सुनिश्चित करता है।

भंडारगृहों को मान्यता देने से और मानकों के निर्वाह के लिए अनेक प्रावधानों से किसानों को खराब भंडारण के कारण अपनी चीजों के नष्ट होने के भय के बिना अपने उत्पाद को भंडारगृह में रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अपने उत्पाद की वापसी और भंडारगृह में रखे गए उत्पाद के बदले ऋण के आश्वासन के साथ किसान संकट की घड़ी में कम कीमत पर उत्पाद को बेचने से बचेंगे चाहे वे कृषि के लिए बीज, खाद खरीदना चाहते हों। इससे फसल के बाद होने वाले नुकसानों को भी कम किया जा सकेगा।

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक न्यूक्लियस गांव को 10 हजार रुपये की सहायता दी जाती है, जिससे किसान धातु की खतियां तथा अन्य सामग्री खरीद सकते हैं।

वर्ष 2006-07 के दौरान छात्रवृत्तीय/गैर छात्रवृत्तीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 29,250 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। धातु की कुल 15,977 खतियां वितरित की गईं तथा 15,711 गैर धात्विक भंडारण ढांचों को सुधारा/निर्मित किया गया तथा 336 न्यूक्लियस गांव विकसित किए गए।

खाद्यान्न के लिए गुणवत्ता मानक

सरकार केंद्रीय/राज्य पूल के लिए खरीदे गए खाद्यान्न की गुणवत्ता पर समुचित नियंत्रण रखती है।

मंत्रालय का नई दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद स्थित गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ केंद्रीय/राज्य पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य एजेंसियों द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों की गुणवत्ता के साथ-साथ भंडारण-समय और वितरण पर भी निगरानी रखता है।

भारतीय खाद्यान्न प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान

हापुड़ स्थित भारतीय खाद्यान्न प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान अनाज के भंडारण प्रबंधन से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्य करता है। संस्थान के अब हैदराबाद, जोरहाट और लुधियाना में तीन क्षेत्रीय केंद्र हैं। संस्थान भंडारण एजेंसियों के अधिकारियों और कीट नियंत्रणकर्मियों के लिए अनाज के भंडारण, निरीक्षण, कीट नियंत्रण आदि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। 2006-07 के दौरान 30 दीर्घ/अल्पकालीन प्रशिक्षण कोर्स और 13 शिल्प प्रशिक्षण आयोजित किये गए।

खाद्य तेल

सरकार की यह नीति रही है कि खाद्य तेलों के वितरण का प्रभावी प्रबंधन किया जाए ताकि देशभर में उपभोक्ताओं को ये उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकें। 1986 में सरकार द्वारा तिहलनों पर प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत के साथ संशोधित उत्पादों के साथ तिलहन उत्पादन में तेजी आई। कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान तिलहन का उत्पादन क्रमशः 243.54 लाख टन और 279.79 लाख टन हुआ है। खाद्य तेलों के द्वितीयक साधनों जैसे बिनौला, खोपरा, धान की भूसी और जंगलों तथा पेड़ों से प्राप्त तेलयुक्त उपज का भी दोहन किया गया। ये स्रोत अब घरेलू वनस्पति तेल उत्पादन में करीब 25 प्रतिशत तक का योगदान कर रहे हैं। देश के मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए खाद्य तेलों का आयात करना पड़ रहा है। खाद्य तेल को आयात की नकारात्मक सूची में रखा गया था, किंतु पहली बार अप्रैल 1994 में आंशिक रूप से उसके आयात की अनुमति दी गई। एक अप्रैल, 1999 से खाद्य तेलों के आयात की नीति को और उदार बनाया गया है। इसके तहत नारियल तेल को छोड़कर बाकी सभी तेलों के आयात की अनुमति दी गई है। घरेलू तिलहन उत्पादकों, उपभोक्ताओं और तेल निर्माताओं के हितों में सामंजस्य स्थापित करने और खाद्य तेलों के आयात को यथासंभव नियंत्रित करने के लिए इन तेलों पर सीमा शुल्क की दरें समय-समय पर संशोधित की जाती हैं। पिछले एक वर्ष से खाद्य तेलों की कीमत में वृद्धि होती रही है। घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने और खाद्य तेल की कीमत में कमी लाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। इनमें कूड एवं रिफाईंड तेल पर आयात शुल्क कम करना, खाद्य-तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना, राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से सब्सिडीयुक्त तेल की आपूर्ति करना और खाद्य तेलों/तिलहनों पर भंडार सीमा लगाना इत्यादि शामिल हैं।

वनस्पति तेल उद्योग की स्थिति

वनस्पति तेल उद्योग का नियंत्रण/नियमन निम्नलिखित आदेशों के तहत किया जाता है : (i) वनस्पति तेल उत्पाद (नियमन) आदेश, 1998; (ii) खाद्य तेल पैकिंग (नियमन) आदेश, 1998; और (ग) विलायक कर्षित तेल, तेलरहित आहार तथा खाद्य आटा (नियंत्रण) आदेश, 1967। ये आदेश वैधानिक हैं और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से इन्हें अधिकार प्राप्त होते हैं।

जुलाई 1991 में वनस्पति तेल उद्योग पर से लाइसेंस हटा दिया गया। वनस्पति तेलों को प्रोसेस करने के किसी भी कार्यकलाप के लिए औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल स्थानीय

नीति शर्तों का ध्यान रखना पड़ता है। मूंगफली, सरसों और तिल जैसे तिलहनों की पेराई का काम लघु उद्योगों, कृषि पर आधारित उद्योगों और तिलहन उत्पादक सहकारी समितियों के लिए आरक्षित है।

देश में 258 वनस्पति तेल उत्पादक इकाइयां हैं जिनकी वार्षिक क्षमता 58 लाख मीट्रिक टन है। वनस्पति का (नकली मक्खन और बेकरी में प्रयुक्त तेलों समेत) उत्पादन लगभग 11.50 लाख मीट्रिक टन है और क्षमता का उपयोग लगभग 21 प्रतिशत है। देश में तेल निकालने वाले 779 संयंत्र हैं जिनकी वार्षिक क्षमता (तेल संयुक्त पदार्थ के मामले में) 419 लाख मीट्रिक टन है और उनकी क्षमता का उपयोग लगभग 35 प्रतिशत है।

चीनी

चीनी उत्पादन

भारत ने 281.99 लाख टन (अस्थायी) चीनी उत्पादन करके एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है और वर्तमान चीनी के मौसम 2007-08 में उत्पादन का अनुमान लगभग 267 लाख टन है और जो आखिरी मौसम की इसी अवधि में 273.11 लाख टन (अस्थायी) के मुकाबले 7 जून, 2008 तक लगभग 256.25 लाख टन (अस्थायी) उत्पादन रहा। वर्ष 2008-09 के प्रारंभिक अनुमान के आधार पर चीनी की पैदावार 225 लाख टन है।

स्थापित चीनी मिल

31 मार्च, 2008 तक देश में 615 स्थापित चीनी फैक्टरियां हैं। इसको क्षेत्रवार इस प्रकार दर्शाया गया है :

क्षेत्र	चीनी फैक्टरियों की संख्या
(i) सार्वजनिक	62
(ii) सहकारी	317
(iii) निजी	236
कुल	615

चीनी नीति

आंशिक नियंत्रण

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत चीनी एवं गन्ना आवश्यक वस्तु हैं। सरकार चीनी के लिए आंशिक नियंत्रण और दोहरे मूल्य की नीति का अनुसरण कर रही है। इस नीति के तहत चीनी फैक्टरियों द्वारा उत्पादित चीनी का एक निश्चित हिस्सा सरकार प्रत्येक चीनी के मौसम में तय की गयी कीमत पर अनिवार्य शुल्क चीनी के रूप में अधिगृहीत कर लेती है। इस अधिगृहीत शुल्क चीनी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित किया जाता है। गैर-शुल्क कर चीनी (मुक्त बिक्री वाली) को नियंत्रित जारी प्रणाली के अंतर्गत सरकार द्वारा कोटा/मात्रा के रूप में बेचने की अनुमति दी जाती है।

चीनी उद्योग का चरणबद्ध विनियंत्रण

सरकार ने चीनी उद्योग के विनियंत्रण के लिए कदम उठाए हैं जिसमें चीनी फैक्टरियों के अनिवार्य शुल्क कर में कटौती शामिल है। तदनुसार यह शुल्क जो 01.01.2000 के पहले 40 प्रतिशत था, 01.03.2002 के प्रभाव से घटकर 10 प्रतिशत हो गया है।

गन्ना मूल्य नीति

केंद्र सरकार प्रत्येक गन्ने के मौसम के लिए चीनी का वैधानिक न्यूनतम मूल्य (एस एम पी) तय करती है। यह मूल्य (कीमत) राज्य सरकारों और चीनी उद्योगों और गन्ना उत्पादकों के साथ परामर्श के बाद कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी ए सी पी) की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है।

वर्ष 2007-08 के चीनी के मौसम के लिए गन्ने का वैधानिक न्यूनतम मूल्य (एस एम पी) केंद्र सरकार ने वर्तमान गन्ने के सीजन 2007-08 के लिए वैधानिक न्यूनतम मूल्य 81.18 रुपया प्रति क्विंटल तय किया है। वर्ष 2008-09 के लिए भी यही मूल्य और शर्तें तय की गयी।

गन्ने के मौसम 2007-08 के लिए गन्ने का न्यूनतम वैधानिक मूल्य (एस.एम.पी.)

केंद्र सरकार ने वर्तमान मौसम/वर्ष 2007-08 के लिए गन्ने का न्यूनतम वैधानिक मूल्य 81.18 रु. प्रति क्विंटल तय किया है ताकि 9% आधारभूत वसूली लाते हुए प्रति 0.1 प्रतिशत बढ़ोतरी 90 पैसे अधिशुल्क पर वसूली वर्तमान स्तर से अधिक हो। 2008-09 को गन्ना वर्ष निश्चित करते हुए उसके लिए भी गन्ने का न्यूनतम वैधानिक मूल्य इन्हीं मूल्यों और शर्तों पर निश्चित किया गया है।

चीनी का बफर स्टॉक

वर्ष 2006-07 में चीनी के रिकार्ड उत्पादन और वर्तमान 2007-08 में चीनी के अनुमानित उच्च उत्पादन की वजह से गैर-शुल्क चीनी की कीमतों में खुले बाजार में अच्छी कमी आयी जिससे गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने की कीमत चुकाने की चीनी मिलों की क्षमता बाधित हुई। चीनी के अधिक उत्पादन से गन्ने की कीमतों का बकाया न बढ़े, यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल, 2007 में 20 लाख टन का एक बफर स्टॉक बनाया है, अगस्त, 2007 में 30 लाख टन का एक और बफर स्टॉक बनाया। दोनों ही एक वर्ष की अवधि के लिए यानी 01.05.2007 से 30.04.2008 और 01.08.2007 से 31.07.2008 क्रमशः के लिए बनाया गया है।

चीनी विकास कोष के उद्देश्य

चीनी विकास कोष के नियमों के तहत इस कोष का उपयोग सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए करेगी—

- (i) चीनी फैक्टरी के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए ऋण उपलब्ध कराना।
- (ii) ऐसे क्षेत्र में गन्ने के विकास की योजना को समाहित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना जहां चीनी की फैक्टरी हो।
- (iii) चीनी के आंतरिक परिवहन पर व्यय और निर्यात करने में ढुलाई खर्च पर सब्सिडी देना।
- (iv) खोई आधारित सह-उत्पादन ऊर्जा परियोजना के लिए ऋण देना।
- (v) इथेनॉल के उत्पादन के लिए ऋण देना।
- (vi) चीनी की कीमत को स्थिर रखने के लिए बफर स्टॉक के निर्माण एवं देख-रेख पर होने वाले व्यय के भुगतान के लिए।
- (vii) इस अधिनियम के किसी भी उद्देश्य पर होने वाले व्यय के भुगतान के लिए।

खाद्य प्रसंस्करण

भूमिका एवं उद्देश्य

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना जुलाई 1988 में की गई, जिसका उद्देश्य देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास को बढ़ावा देना था। आर्थिक उदारीकरण के युग में जहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में निजी, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र को कारगर भूमिका अदा करनी है, मंत्रालय इस क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ाने, उचित दिशा-निर्देश देने, निर्यात-प्रोत्साहन तथा उचित माहौल बनाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इस प्रकार कार्य करता है कि कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन और बेहतर सदुपयोग हो ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके। खाद्य प्रसंस्करण प्रक्रिया में भंडारण के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, परिवहन और घरेलू तथा विदेशी स्रोतों से प्रसंस्करण उद्योग विकसित करने में सभी स्तरों पर बरबादी कम करना तथा खाद्य प्रसंस्करण के उत्पाद और प्रक्रिया विकास तथा पैकेजिंग में अनुसंधान-विकास को प्रोत्साहन देना।

उठाये गए मुख्य कदम :

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की पहचान रोजगार क्षमता वाले उद्योग के रूप में की गयी है।
- उद्योगों (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंसों की सीमा से अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं को मुक्त कर दिया गया है। (लघु उद्योग क्षेत्र के आरक्षित उत्पादों और मादक पेयों को छोड़कर अधिकांश को लाइसेंस के बंधन से मुक्त कर दिया गया है।)
- ऋण की आसानी से उपलब्धता के लिए सरकार ने इस उद्योग को बैंक ऋण के प्राथमिक क्षेत्र की सूची में रखा है। नाबार्ड ने प्रसंस्करण की बुनियादी सुविधाओं और बाजार के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये की निधि के साथ एक पुनर्वित्तपोषण खिड़की की रचना की है।
- अल्कोहल, बीयर और लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित उत्पादों को छोड़कर अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं के लिए 100 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी की स्वतः मंजूरी है।
- प्रसंस्कृत फलों एवं सब्जियों पर आबकारी कर 16 प्रतिशत से नीचे लाकर बजट 2001-02 में शून्य स्तर पर कर दिया गया है।
- वर्ष 2004-05 के बजट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की कुछ खास श्रेणियों के लिए आयकर छूट और अन्य रियायतों की घोषणा की गयी।
- नये कृषि जैविक उद्योगों के लिए जो फलों एवं सब्जियों का प्रसंस्करण, संरक्षण और पैकेजिंग करते हैं, आयकर अधिनियम के तहत पांच वर्षों के लिए लाभ के 100 प्रतिशत की कटौती और अगले 5 वर्षों के लिए लाभ के 25 प्रतिशत की कटौती।
- वर्ष 2007-08 के लिए बजट में निम्नलिखित राजकोषीय नीतियों की घोषणा की गयी है—
 - लघु उद्योग में आबकारी कर की छूट की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ की गयी।
 - वैसे बिस्कुटों पर आबकारी कर 8 प्रतिशत से घटाकर 0 प्रतिशत कर दिया गया जिनके खुदरा मूल्य 100 रुपया प्रति किग्रा से अधिक नहीं हैं।
 - सभी प्रकार के मिश्रित खाद्यों और तैयार खाद्यों पर आबकारी कर 8 प्रतिशत से घटाकर 0 प्रतिशत कर दिया गया।
 - सोया बरी और पैकेटों में तैयार भोजन को आबकारी शुल्क से पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया गया।

- प्रशीतक मोटर वाहनों पर आबकारी शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत किया गया। सीमा शुल्क में भी कटौती की गयी।
- खाद्य प्रसंस्करण उपकरणों पर सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।
- सूरजमुखी तेल (कच्चा) पर सीमा शुल्क 65 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत किया गया और सूरजमुखी तेल (संशोधित) पर सीमाशुल्क 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत किया गया।
- रिफाईंड खाद्य तेलों के केस में 4 प्रतिशत का विशेष अतिरिक्त शुल्क हटाया गया।
- अप्रैल 2007 से केंद्रीय बिक्री कर 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत किया गया।
- प्रौद्योगिकी व्यापार सेचकों द्वारा प्रदान की गयी सभी सेवाओं को सेवा कर से मुक्त कर दिया गया।
- इसी प्रकार इन सेचकों द्वारा सेचित व्यापारों, जिनका वार्षिक उत्पादन 50 लाख से अधिक का नहीं है, को पहले तीन वर्षों के लिए सेवा कर से मुक्त किया जाता है।

विकास दर

10 वें योजना काल के पहले 4 वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास की औसत दर वर्तमान मूल्यों पर 13.25% और 1999-2000 के मूल्यों पर 6.75% थी।

योजना स्कीमें

10 वीं योजना के दौरान मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, बुनियादी ढांचे का विकास, मानव संसाधन विकास, गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान एवं विकास और अन्य प्रोत्साहन प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी उन्नतिकरण/आधुनिकीकरण/संस्थापना के लिए योजना स्कीमों का क्रियान्वन कर रहा है।

ग्यारहवें प्लान में उपरोक्त स्कीमों को उच्च स्तर के सहयोग के साथ सहयोग जारी रखने का प्रस्ताव किया गया है। योजना आयोग ने मंत्रालय के 2007-08 के वार्षिक प्लान के लिए 250 करोड़ रुपये का आबंटन किया है। ग्यारहवीं योजना में मंत्रालय ने एक पुनर्गठित बुनियादी स्कीम को शुरू करने का प्रस्ताव किया है जिसके अंतर्गत यह मेगा फूड पार्कों, प्रशीतकों की बुनियादी शृंखला, मूल्य संवर्धित केंद्रों और पैकेजिंग केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहन देगा। यह मेगा फूड पार्क योजना पिछड़ी और अगड़ी लिंकेज के साथ विश्वसनीय और टिकाऊ आपूर्ति शृंखला भी प्रदान करेगा। कृषि एवं बागबानी के बीच मजबूत संबंध बनाने, परियोजना के क्रियान्वयन की क्षमताओं को बढ़ाने, निजी क्षेत्र निवेश की बढ़ी हुई भागीदारी और ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए समर्थन जुटाने पर विशेष जोर दिया जाएगा ताकि अच्छे गुणवत्ता वाले कृषि जैविक बागबानी की सतत आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। यह किसानों, प्रसंस्करण कर्ताओं और फुटकर विक्रेताओं को एक प्लेटफार्म प्रदान करेगा और कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ेगा ताकि कृषि उत्पादों का अधिकतम मूल्यवर्धन, न्यूनतम बर्बादी और किसानों की आमदनी में बढ़ोत्तरी को सुनिश्चित किया जा सके। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन को व्यावसायिक परियोजना प्रबंधन एजेंसियों (पी.एम.ए.) द्वारा विचार से लेकर स्थापित करने तक सहयोग दिया जाएगा। ग्यारहवीं योजना के तहत देश के विविध भागों में 30 मेगा फूड पार्कों की स्थापना में समर्थन देने की योजना है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर विजन 2015

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को शक्ति प्रदान करने के लिए एक दृष्टि, रणनीति एवं कार्ययोजना भी तय की गयी है। इसका उद्देश्य है—खराब होने वाले खाद्य के प्रसंस्करण का स्तर 6 प्रतिशत से बढ़ाकर

20 प्रतिशत करना, मूल्य संवर्धन को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करना और अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार में अपना हिस्सा 1.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करना। फलों एवं सब्जियों का प्रसंस्करण स्तर वर्तमान के 2.2 प्रतिशत से बढ़कर क्रमशः 2010 में 10 प्रतिशत और 2015 में 15 प्रतिशत होने का अनुमान है। मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के दल की सिफारिशों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कृषि व्यापार-दृष्टि, रणनीति और कार्ययोजना के लिए एक समन्वित रणनीति को मंजूरी दे दी है।

समन्वित खाद्य कानून

एक समन्वित खाद्य कानून अर्थात् खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 को 24.08.2006 को अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम खाद्य प्रसंस्करण कानूनों की जटिलताओं को खत्म करेगा और सभी सेवाओं के लिए एकल खिड़की का काम करेगा। इस अधिनियम के प्रशासन एवं क्रियान्वन के लिए केंद्रीय मंत्रालय के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को चुना गया है।

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान

मंत्रालय ने कुंडली (हरियाणा) में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान स्थापित किया है। यह संस्थान खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक ज्ञानकेंद्र के रूप में कार्य करेगा। मंत्रालय ने हरियाणा राज्य औद्योगिक बुनियादी तंत्र विकास संगठन (एच.एस.आई.आई.डी.सी) से 100 एकड़ भूमि पहले ही अपने अधिकार में ले लिया है। 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत सेक्शन 25 कंपनी के रूप में राष्ट्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.टी.ई.एम) को शामिल करने का प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में क्षेत्रवार नजर

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग अपनी स्थापित क्षमता से 01.01.1993 को 11.08 लाख टन से बढ़कर 01.01.2006 को 21.18 लाख टन और 01.01.2007 को 24.74 लाख टन हो गया। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण का उपयोग कुल उत्पादन का लगभग 2.20% अनुमानित था।

पिछले कुछ वर्षों में तैयार पेय पदार्थों, फलों के जूस और पल्प, शुष्क एवं हिमशीतित फलों एवं सब्जी उत्पाद, टमाटर उत्पाद, अचारों, सुविधाजनक शाकाहारी-मसाले के पेस्ट, प्रसंस्कृत खुंभ एवं करी सब्जियों में आशातीत/सकारात्मक वृद्धि हुई है। कराधारित फलों एवं सब्जियों/सब्जी उत्पादों के घरेलू उपभोग सामान्यतः प्राथमिक प्रसंस्कृत खाद्य के अपेक्षाकृत और विशेषकर ताजा फल एवं सब्जियों, जो उच्च कर भार से उत्पन्न होती हैं और पैकिंग सामग्री, कम क्षमता उपयोग, मूल्य प्रभावी तकनीक का न अपनाया जाना, विनिमय के उच्च मूल्य, ढांचागत विवशताएं, कृषकों के पास अपर्याप्त प्रसंस्कृत जुड़ाव जो बिचौलियों पर उनके आश्रित होने को मजबूर करते हैं, से कम हैं। घरेलू बाजार के अपर्याप्त विस्तार का एक अन्य प्रमुख कारण इकाइयों का सूक्ष्म होना और बाजार प्रोन्नति में उनकी अक्षमता भी है।

मांस एवं मांस प्रसंस्करण

मांस एवं मांस प्रसंस्करण क्षेत्र में भारत में कुक्कुट मांस सबसे तेजी से बढ़ने वाला पशु प्रोटीन है। अनुमानित उत्पादन 1500 हजार टन है जो 1991 से 2005 के बीच 13 प्रतिशत की दर से बढ़ा। 2000 में प्रति व्यक्ति उपभोग 870 ग्राम से बढ़कर 2005 में लगभग 1.68 किग्रा हो गया है। ऐसा अनुमान है

कि प्रति व्यक्ति खपत 2009 में बढ़कर 2 किग्रा हो जाएगा। भैंस के मांस उत्पादन में वृद्धि पिछले 6 वर्षों में इसकी तुलना में थोड़ा धीरे 5 प्रतिशत की दर से हुई है। ऐसा अनुमान है कि इसका वर्तमान उत्पादन 1.9 मिलियन मीट्रिक टन है। जिसका 21 प्रतिशत निर्यात किया जाता है। भेड़ के मांस और मेमने के मांस का छोटा क्षेत्र है जहां मांग की तुलना में आपूर्ति कम है जिसकी वजह से घरेलू बाजार में कीमत ऊंची होती है। 10000 मीट्रिक टन से कम के वार्षिक निर्यात के साथ उत्पादन स्तर 9,50,000 मीट्रिक टन पर रुका हुआ है।

भारतीय उपभोक्ता प्रसंस्कृत या प्रशीनकृत मांसों की तुलना में बाजार से ताजा काटे गए मांस को ज्यादा पसंद करता है। कुक्कुट मांस के उत्पादन का सिर्फ 6 प्रतिशत प्रसंस्कृत रूप में बेचा जाता है। इसमें से सिर्फ 1 प्रतिशत मूल्य संवर्धित उत्पादों (तैयार भोजन) के प्रसंस्करण में जाता है। बड़े पशुओं का प्रसंस्करण अधिकांशतः निर्यात के लिए किया जाता है। भारत में कुल प्रसंस्करण क्षमता 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से अधिक की है जिसका 40-50 प्रतिशत उपयोग किया जाता है। भारत 500,000 मीट्रिक टन से अधिक निर्यात करता है जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा भैंस के मांस का है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय भैंसों के मांस की काफी मांग है, जो भारतीय भैंसों के जैविक प्रकृति और हल्के शरीर के कारण है।

भारत विश्व के गौजातीय मांस का 5 वां सबसे बड़ा निर्यातक है। भारतीय भैंसों के मांसों के निर्यात में महत्वपूर्ण विकास की संभावनाएं हैं। मांसों के माध्यम से मनुष्यों को होने वाली बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए मांस के उपभोक्ता आजकल साफ-सुथरे एवं स्वच्छ वातावरण में प्रसंस्कृत किये गए मांसों की मांग कर रहे हैं। बड़े शहरों और शहरी क्षेत्रों में प्रसंस्कृत तैयार मांस भोजन, प्रसंस्कृत अर्द्ध तैयार मांस भोजन की मांग बढ़ रही है।

मांस उत्पादों के प्रसंस्करण को मांस खाद्य उत्पाद आदेश (एम.एफ.पी.ओ.) 1973 के अंतर्गत लाइसेंस दिया गया है जिसका क्रियान्वयन 19 मार्च, 2004 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कर रहा है। मांस खाद्य उत्पाद आदेश के मुख्य उद्देश्य हैं— निर्माताओं के लाइसेंस के माध्यम से मांस खाद्य उत्पादों के उत्पादन एवं बिक्री का विनियमन, मांस खाद्य उत्पादन में सफाई एवं स्वच्छता बनाये रखना, मांस खाद्य उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में गुणवत्ता नियंत्रण का कड़ाई से पालन करना।

घरेलू बाजारों तथा निर्यात बाजारों के लिए मांस एवं मांस खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अनुदान के रूप में वित्तीय सहयोग प्रदान कर रहा है। वर्ष 2006-07 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मांस एवं मांस खाद्य उत्पादों के निर्माण के लिए 7 परियोजनाओं को सहयोग दिया।

डेयरी प्रसंस्करण

यह गर्व की बात है कि भारत 1988 से विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में पहले स्थान पर है। इसके लिए आपरेशन फ्लड कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन को बधाई मिलनी चाहिए। विश्व दुग्ध उत्पादन लगभग 613 मिलियन टन का है जो 1.1 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है। भारत में 91 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन होता है और यह 4 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। इस प्रकार विश्व के बढ़े हुए 7.5 टन दूध उत्पादन में भारत का 4 मिलियन टन का योगदान है। उच्च विकास दर के बावजूद भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता (229 ग्राम प्रति दिन) विश्व औसत (285 ग्राम प्रति दिन) से कम है। भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में 57 प्रतिशत योगदान भैंस के दूध का है।

भारत में दूध के उत्पादन, प्रसंस्करण और बिक्री/उपभोग का एक अद्वितीय तरीका है। लगभग 70 मिलियन ग्रामीण घर (छोटे तथा सीमांत किसान और भूमिहीन मजदूर) दुग्ध उत्पादन में शामिल हैं। 11 मिलियन से भी अधिक किसान लगभग 0.1 मिलियन ग्रामीण डेयरी सहकारी समाजों (110 किसान प्रति सहकारी समाज) में संगठित हैं। ये सहकारी समाज एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से दुग्ध उत्पादक देश भर के उपभोक्ताओं से जुड़ सकते हैं।

भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में वर्तमान वार्षिक विकास दर आपरेशन फ्लड द्वारा उठाये गए कदमों एवं दुग्ध उत्पादकों को सहकारी समाजों में संगठित करने के फलस्वरूप संभव हो पाया है। इसके अतिरिक्त बुनियादी सुविधाओं का विकास, संस्करण और बिक्री और कृषि मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वित्तीय, तकनीकी और प्रबंधन संबंधी सहयोग द्वारा डेयरी क्षेत्र को एक लाभप्रद आत्मनिर्भर संगठित क्षेत्र में बदला जा सका है। संगठित क्षेत्र को में सहकारी, निजी और सरकारी क्षेत्रों में भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ 676 पंजीकृत डेयरी प्लांट हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रसंस्कृत डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए और डेयरी प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय मदद प्रदान कर भारतीय डेयरी निर्यात में वृद्धि के लिए भविष्य में उत्पाद विकास और गुणवत्ता सुधार के लिए अनुसंधान के विविध क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करने के लिए संगठित डेयरी प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन दे रहा है। वर्ष 2006-07 के दौरान दिसंबर 2006 तक मंत्रालय की योजना के तहत 591 लाख रुपये के वित्तीय सहयोग की 32 इकाइयों को मंजूरी मिल गयी है।

मत्स्य प्रसंस्करण

देश में 8000 कि.मी. तटवर्ती क्षेत्र, 50 हजार 6 सौ वर्ग कि.मी. का महाद्वीपीय शेल्फ तथा 22 लाख वर्ग कि.मी. के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होने के कारण देश का मत्स्य संसाधन काफी समृद्ध है।

50 वर्षों के काल में समुद्री उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए उल्लेखनीय बुनियादी सुविधाओं का विकास किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मत्स्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना/प्रौद्योगिकी उन्नतिकरण/आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। वर्ष 2006-07 के दौरान (दिसंबर 2006 तक) भारत सरकार ने 17 मत्स्य प्रसंस्करण इकाइयों को आर्थिक सहायता प्रदान की।

खाद्यान्न प्रसंस्करण

खाद्यान्न पिसाई उद्योग में चावल, गेहूं, दालें तथा तिलहन शामिल हैं। पिसाई इकाइयों की स्थापना/आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

अनाज/चावल/दालें/आटा चक्की क्षेत्र में इकाइयों की स्थापना तथा आधुनिकीकरण के लिए योजनागत कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता देने के बारे में समीक्षा की गयी है। इसमें यह अनुभव किया गया कि प्रसंस्करण और खराब होने वाले उत्पादों को टिकाऊ बनाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि अपव्यय कम हो और मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन मिल सके। प्रसंस्कृत रूप में केवल चावल/दालें/आटे के उपभोग और इनके प्राथमिक प्रसंस्करण के सीमित अवधि, अपव्यय नियंत्रण और मूल्यवर्धन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि चावल, आटा और दालों की पिसाई को वित्त वर्ष 2004-05 से प्रसंस्करण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।

चावल/दाल/आटा/तेल क्षेत्र की मदद के लिए सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी के लिए सिफारिशों की समीक्षा

के लिए एक तकनीकी समिति गठित की गयी थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जिसे मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है।

मूल्यसंवर्धन और प्रौद्योगिकी मानकों के मद्देनजर सहयोग प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थानों की नियमावलियों में इनको शामिल कर लिया गया है।

वर्ष 2006-07 के दौरान दिसंबर 2006 तक मंत्रालय ने 32 चावल मिलों, 13 आटा मिलों, 62 तेल मिलों और 13 दाल मिलों को वित्तीय सहायता की मंजूरी दी।

उपभोक्ता खाद्य उद्योग

उपभोक्ता खाद्य उद्योग में पास्ता, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, रस्क, बन, रोल, नूडल्स, कार्न फ्लैक्स, राइस फ्लैक्स, बिना पकाए खाने योग्य अथवा तैयार उत्पाद, कोको उत्पाद, बिस्कुट, शीतल पेय, बीयर और अल्कोहल पेय (बिना शीरे वाले) मिनरल और बोतल बंद पानी आदि शामिल हैं। इसमें डबल रोटी और बिस्कुट का हिस्सा सबसे ज्यादा है। इनका सालाना उत्पादन 40 लाख टन है। डबल रोटी का उत्पादन लघु-कुटीर उद्योगों के लिए आरक्षित है। डबल रोटी के कुल उत्पादन में से 40 प्रतिशत संगठित क्षेत्र द्वारा तैयार किया जाता है तथा बाकी 60 प्रतिशत का उत्पादन असंगठित क्षेत्र में होता है। इसी प्रकार संगठित क्षेत्र में बिस्कुट का उत्पादन करीब 80 प्रतिशत है। जबकि असंगठित क्षेत्र में इसका उत्पादन 20 प्रतिशत है। वर्ष 2006-07 के दौरान (जनवरी 2007 तक) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से 75 उपभोक्ता खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता मंजूर की गई और अभी तक 16.34 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी।

गैस युक्त शीतल पेय

देश के सभी राज्यों में गैस भरे शीतल पेय उद्योग के तहत 100 से अधिक संयंत्र हैं। इनके माध्यम से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख 25 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। देश में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करने वाला यह एक बड़ा उद्योग है। इसका सीधे और परोक्ष रूप से कांच, प्लास्टिक, प्रशीतन और परिवहन उद्योग के साथ कारोबारी संबंध है। 1 जनवरी, 2006 तक इस उद्योग की क्षमता 29.60 लाख टन वार्षिक थी।

मादक पेय

भारत मादक पेय के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। यहां शराब और बीयर की करीब 37 करोड़ 30 लाख पेटियों की वार्षिक मांग है। देश में कुल 12 संयुक्त उपक्रम की कंपनियां हैं जिनमें प्रतिवर्ष खाद्यान्न आधारित 33,919 किलोलीटर अल्कोहल युक्त पेय तैयार करने की क्षमता है। 56 इकाइयों में भारत सरकार से मिले लाइसेंस के तहत बीयर का उत्पादन होता है।

भारत में शराब उद्योग, कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र के मूल्य-वर्धन और रोजगार सृजन का भरपूर अवसर प्रदान करता है। भारत सरकार ने नासिक के विंचूर में मदिरा पार्क की मंजूरी प्रदान की है।

बोतलबंद पेयजल

218 कंपनियों को बोतलबंद पेयजल और बोतलबंद प्राकृतिक मिनरल जल के निर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। पिछले 3-4 वर्षों में उपभोक्ताओं की आवश्यकतानुसार आकारों में बोतलबंद पेयजल की उपलब्धता के कारण इस उद्योग का काफी विकास हुआ। 80 प्रतिशत बोतलबंद पेयजल 5 लीटर या इससे अधिक के कंटेनरों में आता है।

उपभोक्ता मामले

मूल्य प्रबंध : चावल, कुछ दालों और खाद्य तेल को छोड़कर वर्ष 2007-08 के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सामान्यतया संतोषजनक रही है। मुद्रास्फीति की वार्षिक दर थोक मूल्य सूचकांक पर 2007-08 के दौरान 7.5 की वृद्धि दर्ज की गयी जो पिछले वर्ष 6.6 प्रतिशत थी। मुद्रास्फीति में यह हल्की वृद्धि मोटे अनाज, दाल (अरहर और मसूर), दूध, खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को उचित स्तर पर नियंत्रित करके लाने को उच्च प्राथमिकता दी है। सरकार 14 आवश्यक वस्तुओं की उच्च स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा कर रही है। औद्योगिक कर्मियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर 2007-08 में मुद्रास्फीति की दर 7.87 प्रतिशत थी जो वर्ष 2006-07 के 6.72 प्रतिशत से थोड़ी अधिक है।

2007-08 के दौरान उपभोक्ता मामलों के विभाग ने 14 आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों पर निगरानी रखी। इनमें चावल, गेहूं, आटा, चना, अरहर, चीनी, दूध, मूंगफली तेल, सरसों तेल, वनस्पति, नमक, चाय, आलू और प्याज पर दैनिक रूप से निगरानी रखी गई जबकि थोक मूल्यों पर साप्ताहिक निगरानी 37 केंद्रों पर रखी गई। उच्च अधिकार प्राप्त मूल्य निगरानी बोर्ड, मूल्यों पर कैबिनेट समिति और सचिवों की समिति ने उपभोक्ता मामलों के विभाग की मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ द्वारा सामान्य मूल्य स्थिति और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के कार्यसूची नोट के आधार पर कीमतों और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की नियमित अंतराल पर समीक्षा की। बोर्ड और दोनों समितियों की समय-समय पर होनेवाली बैठक में मूल्यों और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता स्थिति की समीक्षा करके संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उचित और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए जाते हैं।

वर्ष 2007-08 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक की गति से संकेत मिलता है कि 63.75 प्रतिशत भार वाले उच्च निर्मित उत्पादों का समग्र सूचकांक टोकरी में थोक मूल्य सूचकांक में बढ़ोतरी 6.9 प्रतिशत हुई जबकि 14.23 प्रतिशत के निम्न भारवाले ईंधन, ऊर्जा और लुब्रिकेंट्स सूचकांक में 6.8% की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान 22.03 प्रतिशत भार वाले प्राथमिक वस्तुओं में बढ़ोतरी 9.91 प्रतिशत रही।

मदवार मूल्य प्रवृत्तियां

अनाज :

ज्वार, जौ में 15.1 प्रतिशत, गेहूं में 4 प्रतिशत, चावल में 8.3 प्रतिशत और बाजरा में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि के कारण 2007-08 के दौरान मोटे अनाज के थोक मूल्य सूचकांक में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चावल की कीमत में तेज वृद्धि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि, भंडार के निम्नस्तर आदि कारणों की वजह से हुई। अनाज का उत्पादन 2006-07 (अंतिम) के लिए 203.08 मिलियन टन के उत्पादन का अनुमान लगाया गया था जोकि 2005-06 के 195.2 मिलियन टन की तुलना में बहुत अधिक था। चावल और गेहूं का भी उत्पादन 2006-07 के दौरान क्रमशः 93.35 मिलियन टन और 75.81 मिलियन टन हुआ जो पिछले वर्ष के 91.79 मिलियन टन और 69.35 मिलियन टन से अधिक है। कृषि एवं सहकारी विभाग द्वारा जारी किए गए तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2007-08 के दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन बढ़कर क्रमशः 95.68 मिलियन टन और 76.78 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2007-08 के दौरान चावल और गेहूं की ऊंची कीमतों के कारण थे— केंद्रीय पूल में तुलनात्मक कम भंडार, कम खरीद और मौसमी कारण। ऊंची अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और ऊंची लागत ने भी अनाजों की कीमतों को प्रभावित किया।

दाल

दालों के थोक मूल्य सूचकांक ने 2006-07 की 15.3 प्रतिशत के बदले 2007-08 के दौरान (-2.2 प्रतिशत) की कमी प्रदर्शित की। व्यक्तिगत चीजों में चना (5.8 प्रतिशत), मसूर (30.9 प्रतिशत) और अरहर (15.3 प्रतिशत), में समीक्षा के अंतर्गत इस अवधि में वृद्धि दर्ज की गयी। लेकिन मूंग (-16.8 प्रतिशत) उड़द (-19.4 प्रतिशत) की कीमतों में कमी देखी गयी। इसका कारण 2006-07 में तुर दाल के उत्पादन में पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में कमी है। 2006-07 के दौरान 14.2 मिलियन टन दाल के उत्पादन का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष 13.39 मिलियन टन दालों का उत्पादन हुआ था। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2007-08 के दौरान दालों का उत्पादन 15.19 मिलियन टन होने का अनुमान है। मांग और उपलब्धता के बीच की खाई को आयात के माध्यम से भरा जा रहा है। 2007-08 (अप्रैल-फरवरी) की अवधि के लिए दालों का आयात 2.62 मिलियन टन (औपबधिक) था जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 1.98 मिलियन टन का आयात हुआ था।

(स्रोत-डी जी सी आई और एस)

खाद्य तेल : वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान खाद्य तेलों के थोक मूल्य सूचकांक ने 19.9 प्रतिशत दर्शाया है जबकि 2006-07 में 13.81 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई थी। पिछले वर्ष के दौरान तिलहन के घरेलू उत्पादन में कमी के साथ ऊंची अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की वजह से यह वृद्धि हुई है। 2006-07 के दौरान तिलहन का उत्पादन 24.29 मिलियन टन अनुमानित है जो पिछले वर्ष 27.98 मिलियन टन था। तीसरे अग्रिम अनुमानों 2007-08 के अनुसार खाद्य तिलहन का उत्पादन 28.21 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया जबकि 2006-07 में 24.29 मिलियन टन उत्पादन हुआ था। प्रमुख खाद्य तेलों में सरसों के तेल में 31.4 प्रतिशत, मूंगफली तेल में 11.4 प्रतिशत, वनस्पति में 10.8 प्रतिशत, नारियल तेल में 5.9 प्रतिशत और जिंगेली तेल में 44.1 प्रतिशत की वृद्धि समीक्षा काल में हुई। 2007-08 (अप्रैल से फरवरी तक) के दौरान खाद्य तेलों का आयात 4.58 मिलियन टन था जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 3.91 मिलियन टन था।

(स्रोत-डी जी सी आई और एस)

चीनी : चीनी की कीमतों में 2007-08 के दौरान बाजार में उपलब्धता अधिक होने के कारण कमी आयी है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, चीनी की कीमतों में 2007-08 के दौरान 1.6 प्रतिशत की कमी आयी। एक वर्ष पहले इसमें 13.2 प्रतिशत की कमी आयी थी। चीनी का उत्पादन 2006-07 के दौरान 281.99 लाख टन तक बढ़ गया है, जबकि यह उत्पादन एक वर्ष पहले 193.21 लाख टन था। 2007-08 के चीनी वर्ष (अक्टूबर-मार्च) के दौरान 227.13 लाख टन उत्पादन का अनुमान है।

सब्जियां

(i) प्याज

सब्जी की कीमतें उपलब्धता और मौसमी कारणों पर निर्भर करती हैं। सरकार ने सब्जियों की उपलब्धता खास तौर पर प्याज एवं आलू की कीमतों एवं उपलब्धता पर कड़ी नजर रखी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान प्याज का उत्पादन 7.45 मिलियन टन अनुमानित है जबकि पिछले वर्ष 6.22

मिलियन टन का उत्पादन हुआ है। (स्रोत-नेशनल हॉर्टीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, नासिक)।

(ii) आलू

आलू की कीमतें पिछले वर्ष अक्टूबर/नवंबर, 2007 तक अधिक थीं। पिछले वर्ष के दौरान ऊंची कीमतों का कारण था किसानों और व्यापारियों द्वारा शीतभंडारण से बाधित आपूर्ति और कम भंडारण। (स्रोत-एन एच आर डी एफ)

आलू का क्षेत्र और उत्पादन दोनों ही वर्ष 2007-08 के दौरान प्रमुख आलू उत्पादक राज्यों उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्यप्रदेश, बिहार और गुजरात में बढ़ गया है। इसकी वजह है पिछले वर्ष आलू उत्पादकों को बेहतर आलू की कीमतें मिलीं। आलू की कीमतें अनेक बाजारों में कम हो गई हैं जैसे दिल्ली, लखनऊ, शिमला और तिरुवनंतपुरम और 6.50 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहे हैं। (तिरुवनंतपुरम) 2007-08 के दौरान आलू का उत्पादन 30.44 मिलियन टन अनुमानित है जो पिछले वर्ष 27.02 मिलियन टन के आस-पास था। स्रोत-एन एच आर डी एफ

चाय : देश में चाय की कीमत और उपलब्धता संतोषप्रद रही। हालांकि थोक मूल्य सूचकांक पर 2007-08 के दौरान चाय की कीमत 7.3 प्रतिशत बढ़ी जबकि 2006-07 के दौरान चाय की कीमत में 8 प्रतिशत वृद्धि आई थी। वर्ष 2007-08 के दौरान (अप्रैल-फरवरी 2008) चाय का निर्यात 1799.85 लाख किग्रा. था जबकि एक वर्ष पहले इसी अवधि में चाय का निर्यात 1750.69 लाख किलोग्राम. था।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

सरकार आवश्यक वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए और कीमत को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। सरकार ने कई कदम उठाये जो नीचे दिए गए हैं :

- (i) गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों एस टी सी, एम एम टी सी, पी ई सी ने वर्ष 2007-08 के दौरान 18 लाख टन गेहूं आयात किया है। बिना किसी कर के गेहूं के आयात की वैधता की अवधि को 31.12.06 से बढ़ाकर 28.02.2007 किया गया और फिर 31.12.2007 तक बढ़ाया गया। इसे अभी बढ़ा दिया गया है जब तक कि आगे और आदेश नहीं आ जाते।
- (ii) गेहूं का निर्यात सितंबर, 2007 से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- (iii) गेहूं और धान की अधिकतम खरीद के लिए सरकार पिछले 5 वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करती रही है और बोनस की घोषणा करती रही है। सरकार ने फसल वर्ष 2007-08 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपये प्रति क्विंटल पर तय कर दिया है। (आर एम एस 2008-09 में विपणन किये जाने के लिए) खरीफ विपणन वर्ष 2008-09 के दौरान 'सामान्य' और 'ग्रेड अ' प्रकार के धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 105 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है जिससे इनकी कीमतें क्रमशः 850 रु. प्रति क्विंटल और 880 रु. प्रति क्विंटल हो गयी हैं।
- (iv) डी जी एफ ने गैर-बासमती चावल का निर्यात अप्रैल, 2008 से बंद हो गया। 31.3.2009 तक चावल पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य करने का आदेश जारी किया गया है। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि लाइसेंसिकरण, भंडार सीमा और चावल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने पर प्रतिबंधों को हटाने के आदेश को एक वर्ष की अवधि के लिए स्थगन में रखा जाए।

- (v) सरकार ने लक्षित जनवितरण प्रणाली (टी पी डी एस) और अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से समाज के कमजोर तबकों की रक्षा की है। टी पी डी एस के तहत गेहूं, चावल और किरासिन तेल को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए राज्य सरकारों को आबंटित किया जाता है।
- (vi) 1.7.2002 से चावल और गेहूं के लिए केंद्र द्वारा जारी की जाने वाली कीमत में कोई सुधार नहीं किया गया है। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए गेहूं की कीमत है 4.15 रु. प्रति किलोग्राम और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 2 रु. प्रति किलोग्राम। चावल के लिए निर्धनता रेखा से नीचे के लिए कीमत है 5.65 रु. प्रति किलोग्राम और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 3 रुपया प्रति किलोग्राम।
- (vii) 8 जून, 2006 को दालों के आयात पर सीमा शुल्क को घटाकर शून्य पर लाया गया और दालों के आयात की वैधता की अवधि को बढ़ाकर 31.03.07 से 01.08.2007 किया गया और फिर बढ़ाकर 31.03.09 किया गया।
- (viii) 22 जून, 2006 से दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था (7.3.07 से काबुली चना के निर्यात को छोड़कर) यह प्रतिबंध अभी तक लागू है।
- (ix) सरकार की पहल के अनुसार, राज्य की एजेंसियों (नेफेड, पी ई सी लिमिटेड, एम एम टी सी और एस टी सी) ने वर्ष 2007-08 के दौरान लगभग 1.4 मिलियन मेट्रिक टन दाल आयात करने का समझौता किया है।
- (x) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पी ई सी, एस टी सी, एम एम टी सी) ने वर्ष 2007-08 के दौरान 46,500 टन पाम आयल (तेल) का आयात किया है।
- (xi) 01.04.2008 की अधिसूचना द्वारा राजस्व विभाग ने खाद्य तेल के आयात शुल्क में निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं—
- (अ) कूड खाद्य तेलों (कच्चे) पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य स्तर पर लाना।
 - (ब) रिफाईंड और हाइड्रोजनीकृत तेलों पर आयात शुल्क में 7.5 प्रतिशत तक की कमी करना।
 - (स) हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क में 7.5 प्रतिशत तक की कमी।
 - (द) मक्खन और घी पर कस्टम ड्यूटी (सीमा कर) में 30 प्रतिशत तक की कमी।
- (xii) सरकार ने खाद्य तेलों पर 4 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क को वापस ले लिया है।
- (xiii) खाद्य तेलों के निर्यात को एक वर्ष के लिए यानी 31.03.2009 तक निषिद्ध कर दिया।
- (xiv) सरकार ने निर्देश दिया है कि खाद्य तेलों व तिलहनों के लाइसेंसिकरण, भंडारण सीमा और इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने से संबंधित आदेशों को एक वर्ष की अवधि के लिए स्थगन में रखा जाए।
- (xv) सरकार ने निर्देश दिया है कि—
- (i) सूरजमुखी तेल से शुल्क दर कोटा हटाया जाए।
 - (ii) अरंडी तेल, नारियल तेल और लघुवन उत्पादों से बने तेल (सीसेम तेल को छोड़कर) के निर्यात पर प्रतिबंध को हटाया जाए और ऐसे निर्यातों की कड़ी निगरानी की जाए और नारियल तेल के निर्यात की अनुमति सिर्फ कोच्चि बंदरगाह से होनी चाहिए।
 - (iii) 100 प्रतिशत निर्यात करने वाली इकाइयों को खाद्य तेलों के मान्य निर्यात को इस शर्त पर अनुमति दे देनी चाहिए कि अंतिम उत्पाद गैर-खाद्य हो।

(xvi) जब प्याज की कीमतें बढ़नी शुरू हुई, नेफेड ने मार्च/अप्रैल, 2007 से न्यूनतम समर्थन मूल्य 250 अमरीकी डालर प्रति मेट्रिक टन से बढ़ाकर अक्टूबर, 2007 में 495 डालर प्रति मेट्रिक टन कर दिया। 4 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 22 (आर ई-2007)/2004-2009 द्वारा अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से प्याज के निर्यात को लाइसेंस के तहत रखा गया। इसके अलावा सरकार ने दिल्ली सरकार, नेफेड, केंद्रीय भंडार और मदर डेयरी द्वारा संचालित मोबाइल केंद्रों के माध्यम से प्याज की बिक्री की व्यवस्था की। लगभग 375 बिक्री केंद्रों ने 17-18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज बेचा जबकि बाहर प्याज की कीमत 22-24 रुपये प्रति किलोग्राम थी। परिणाम स्वरूप, चूंकि प्याज की घरेलू कीमतों में घटने की प्रवृत्ति रही, न्यूनतम निर्यात मूल्य को भी उसके बाद घटा दिया गया। वर्तमान में प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य 155 डालर प्रति मेट्रिक टन है। खरीफ प्याज की ज्यादा उपलब्धता के कारण 16.11.2007 से निर्यात पर लगे प्रतिबंध को भी हटा लिया गया।

(xvii) सावधानी बरतने के लिए, वायदा बाजार आयोग ने

(i) मल्टी कोमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड,

(ii) नेशनल कोमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड,

(iii) नेशनल मल्टी कोमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड नामक तीन राष्ट्रीय एक्सचेंजों को 23.01.07 से तुर और उड़द के सभी अनुबंधों को सूची से हटाने और 23.01.07 की अंतिम कीमत पर तुर और उड़द के अनुबंधों की सभी बकाया स्थिति को बंद करने का निर्देश दिया। वायदा बाजार आयोग ने यह भी कहा कि बिना उसकी पूर्व मंजूरी के आगे कोई समझौते की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया जाएगा और उड़द और तुर के लिए अनुबंध करने के लिए पहले दी गयी अनुमति को वापस लिया जाता है।

(xviii) इसी प्रकार वायदा बाजार आयोग ने 27.02.2008 को सभी तीनों राष्ट्रीय एक्सचेंजों को निर्देश दिया कि गेहूं और चावल के लिए भविष्य में कोई नया अनुबंध नहीं किया जाएगा।

(xix) गेहूं, दाल इत्यादि की कीमतों में आने वाले उतार-चढ़ाव के लिए वायदा बाजार आयोग ने कुछ नियंत्रणकारी उपाय किए हैं जैसे खुली स्थिति पर सीमा तय करना, कीमतों में दैनिक उतार-चढ़ाव की सीमा में कटौती करना और अतिरिक्त/विशेष अंतर को लागू करने की क्रिया को और कठोर बनाना।

वर्तमान कीमतों की स्थिति के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को गेहूं और दाल के संबंध में 6 महीनों के लिए भंडार सीमा लगाने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 29.08.2006 को एक केंद्रीय आदेश जारी किया। इस आदेश से राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रशासनों को आम आदमी को उचित मूल्य पर इन चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इन चीजों को गलत तरीके से किए गए जमा भंडार से बाहर निकालने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए शक्ति प्रदान किया गया है। इस केंद्रीय आदेश की वैधता को अगस्त, 2008 तक बढ़ा दिया गया है। खाद्य तेल, तिलहन और चावल को भी अब केंद्रीय आदेश के अधिकार क्षेत्र के दायरे में शामिल कर लिया गया है।

माप-तौल

तौल और माप मानक अधिनियम, 1956 के अंतर्गत देश में मीट्रिक प्रणाली पर आधारित माप-तौल के एक समान मानक बनाए गए। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में तौल और माप इकाई इस विषय से सम्बद्ध सभी गतिविधियों के लिए एक प्रमुख एजेंसी है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की यूनितों की स्थापना तथा अपने कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप बनाने और कुछ कमियों को दूर करने के लिए 1956 के अधिनियम के स्थान पर एक व्यापक कानून माप-तौल मानक अधिनियम, 1976 लाया गया। नए कानून में अन्य बातों के अलावा वस्तुओं की डिब्बाबंदी के बारे में नियम बनाए गए हैं ताकि उचित व्यापार प्रथाएं स्थापित हों। डिब्बाबंद वस्तु अधिनियम के प्रावधानों और माप-तौल मानक (पैकेज्ड वस्तु) नियम, 1977 जैसे सम्बद्ध नियम सितंबर 1977 से लागू हैं। पैकेटबंद वस्तुओं के बारे में अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार फुटकर बिक्री के लिए पैकेटबंद हर वस्तु पर वस्तु का नाम, उत्पादक या पैकेट बंद करने वाले का नाम और पता, वस्तु की वास्तविक मात्रा, पैकेटबंदी विनिर्माण का महीना, वर्ष और बिक्री मूल्य आदि लिखा होना जरूरी है। खुदरा बिक्री मूल्य की अनिवार्य घोषणा सभी करों सहित एम.आर.पी. के रूप में दी जाती है। 17.07.2006 की संशोधित अधिसूचना और नियमों की समीक्षा की गयी। उपभोक्ताओं के हितों में नये प्रावधान लागू किये गए हैं। 1. वैट के अंतर्गत शामिल खुदरा विक्रेताओं को बेचे गये चीजों की कीमत एवं भार की लिखित सूचना छापनी होगी। 2. प्रत्येक पैकेट पर नाम, पता, टेलीफोन नं. लिखा होगा ताकि उपभोक्ता अपनी शिकायतों के लिए इन्हें सूचना दे सकें।

वर्ष 1976 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पादन शुरू करने से पहले भार और माप उपकरणों के सभी मॉडलों की मंजूरी ली जानी चाहिए। तौल और माप (मॉडलों की मंजूरी) नियम, 1987 के मानकों के अनुसार मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाएं मॉडल की इस बात के लिए जांच करती हैं कि वे मानकों के अनुरूप हैं या नहीं। यह नियम 1987 से प्रभावी है।

संविधान के 42वें संशोधन से तौल और मापों के प्रवर्तन का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में आ गया। देशभर में प्रवर्तन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय अधिनियम—तौल और माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 लागू किया गया। इस अधिनियम में व्यापारिक सौदों व औद्योगिक उत्पादन तथा जन-स्वास्थ्य संरक्षण और मानव सुरक्षा संबंधी कार्यों में प्रयुक्त किए जाने वाले तौल, माप तथा तौल/माप यंत्रों के बारे में प्रभावशाली वैधानिक नियंत्रण के प्रावधान शामिल हैं।

भारत अंतर्राष्ट्रीय विधि माप विज्ञान संगठन का सदस्य है। इस संगठन की स्थापना वैधानिक माप विज्ञान (तौल और माप) से संबंधित कानूनों में विश्व व्यापार में एकरूपता लाने के लिए की गई थी ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमता और व्यावहारिक रूप से चल सके।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वैधानिक मानकों का अंशांकन अहमदाबाद, भुवनेश्वर, बंगलौर और फरीदाबाद में स्थित चार क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में किया जाता है। ये अपने-अपने क्षेत्र में उद्योगों को भी प्रयोगशालाओं में अंशांकन की सुविधा और सेवाएं प्रदान करते हैं। तौल और माप उपकरणों के मॉडल यानी प्रतिदर्शी अनुमोदन परीक्षण के लिए भी ये मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाएं हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में गुवाहाटी में एक प्रयोगशाला स्थापित करने का काम शुरू किया गया। कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

मंत्रालय के अंतर्गत रांची स्थित भारतीय वैधानिक माप विज्ञान संस्थान, माप विज्ञान के कानूनी तथा सम्बद्ध विषयों का प्रशिक्षण देता है। राज्यों के प्रवर्तन अधिकारियों के अलावा कई अप्रीकी, एशियाई और लातीनी अमरीकी देशों के प्रतिनिधि संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। वर्ष 2005-07 के दौरान 8.1 करोड़ की राशि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान के रूप में दी

खाद्य और नागरिक आपूर्ति

517

गयी। 2007-08 में द्वितीयक स्टैंडर्ड शेजों के 59 सेटों और जांच करने वाले वेब्रिजों के 17 मोबाइल किटों की आपूर्ति पूरी कर ली गयी है। शेज 17 मोबाइल किटों की आपूर्ति 2008-09 में पूरी कर ली जाएगी।

संस्थान की गतिविधियों को पुनः केंद्रित करने के लिए ताकि इसका जनादेश ज्यादा प्रभावी तरीके से पूर्ण हो, और इसे उत्कृष्टता का एक केंद्र बनाने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान में एक अध्याय जोड़ दिया गया है।

राष्ट्रीय परीक्षण गृह

राष्ट्रीय परीक्षण गृह का मुख्यालय कोलकाता में है और यह खाद्य, दवा और हथियार तथा गोलाबारूद को छोड़कर सभी इंजीनियरी शाखाओं की सामग्री तथा उत्पादों के परीक्षण और मूल्यांकन से सम्बद्ध राष्ट्रीय महत्व की प्रयोगशाला है। राष्ट्रीय परीक्षण गृह अंशांकन सेवाएं भी दे रहा है और साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से राष्ट्रीय मानक तैयार करने में भी सक्रिय सहयोग कर रहा है। राष्ट्रीय परीक्षण गृह का उद्देश्य भारतीय उत्पादों का स्तर सुधारना है, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरकर विश्व बाजार में वे अपनी जगह बना सकें।

राष्ट्रीय परीक्षण गृह कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गाजियाबाद, जयपुर तथा गुवाहाटी स्थित छह क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के जरिए इसका कार्य चलता है।

16. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

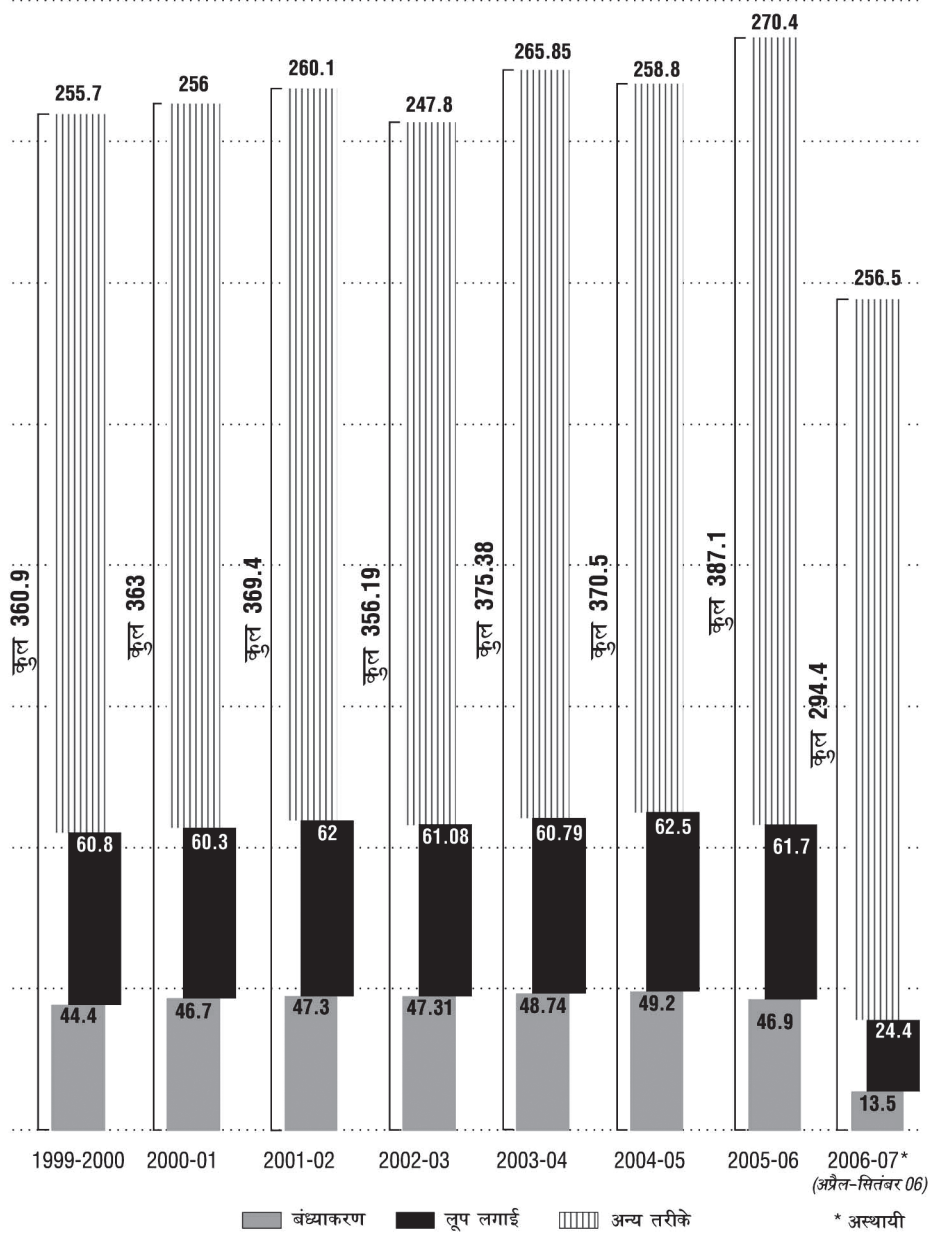
दसवीं योजना अवधि में प्राथमिक और द्वितीयक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में संघटनात्मक सुधार प्रभावी होने से स्वास्थ्य सेवा नीतियों और रणनीतियों ने संक्रमण काल सेवा और उससे तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के लिए क्षेत्रीय संतुलन को गतिशील कर दिया। स्वास्थ्य के आधार तंत्र में सुधार और जनसंख्या की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक सुधार और नीति संबंधी पहल की गई हैं। रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए रोगों के मोर्चे पर भी अनेक पहल हुई हैं।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल सात महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और आयोजना अवधि सामाजिक अर्थिक विकास की समग्र रणनीति में स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एनसीएमपी में स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिए जाने से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण दोनों के अंतर्गत तैयार कार्यक्रमों का मुख्य आधार बन गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) एनसीएमपी को लागू करने का मुख्य मंच बन गया है। एनआरएचएम आरसीएच II राष्ट्रीय संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम, टी.बी. मुख्य एनपीसीवी और एकीकृत रोग निगरानी परियोजना जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को भी संरक्षण प्रदान करता है। इससे सेक्टर स्वास्थ्य समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया है और स्वास्थ्य के मुख्य कारकों सफाई, स्वच्छता, पोषण और सुरक्षित पेयजल को उसमें शामिल करके संबंधित सामाजिक क्षेत्र विभागों के सम्मिलन की हिमायत की है। मिशन की मुख्य रणनीतियों में प्रत्याशित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एएसएचए-आशा) की पहचान और चुनाव, विकेंद्रीकृत नियोजन, वर्तमान ढांचे का सशक्तीकरण—उपकेंद्रों, पीएचसी, सीएचसी क्षेत्रवार दृष्टिकोण, लचीला वित्त, सामुदायिक भागीदारी, जनशक्ति विकास और गैर सरकारी दावेदारों के साथ भागीदारी शामिल है। कार्यक्रमों के अंतर्गत मातृ एवं शिशु चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा निगरानी सामुदायिक आधार पर एवं कड़ी आंतरिक स्थिति एवं बाह्य सर्वेक्षण पर आधारित होगी।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना सेवा में तृतीयक स्वास्थ्य सेवा विकसित करने के लिए एक बड़ी पहल की गई है ताकि क्षेत्रीय आधार पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। यह मेडिकल कालेजों की स्थापना, और उन्नत सेवा के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान कर मानव संसाधन विकास के असंतुलन को भी दूर करेगा। इस योजना के तहत एम्स की तरह के छह संस्थानों की स्थापना के अलावा 13 मेडिकल कालेजों का उन्नयन किया जाएगा।

अन्य संचारी और गैर-संचारी रोगों की समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देशभर में अंधापन, एड्स, कैसर, मानसिक रोग आदि के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू कर रहा है। संचारी और गैर-संचारी रोगों के प्रति त्वरित कार्रवाई और नियंत्रण के लिए रोग निगरानी व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य देखभाल, मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान में लगे केंद्रीय संस्थानों और संगठनों को लगातार मजबूत किया जा रहा है ताकि उभरने वाली बीमारियों से वे निपट सकें।

परिवार नियोजन के तरीके अपनाने वाले (लाखों में)



KBK

देश की जनसंख्या की सामान्य स्थिति में 1990 से महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। पुरुषों की औसत आयु 59.7 वर्ष से 1991 में 63.7 वर्ष और महिलाओं की इसी अवधि के दौरान 60.9 से 66.9 वर्ष हो गई है। बाल मृत्यु, अपरिपक्व जन्म दर और मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। कुष्ठ और टी.बी. जैसे संचारी रोगों के लिए बनाई गई रणनीति पूरी तरह सफल हुई है। संक्रामक रोगों के मामले में कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि एड्स के लिए मुख्य रणनीति आधार तंत्र को मजबूत कर लक्षित कार्यक्रम चलाने की है।

संचारी रोगों के कारण ऊंची मृत्यु दर गैर-संचारी रोगों के कारण बढ़ता बोझ, पोषण की समस्याएं, गर्भनिरोधकों की मांग न पूरी होना, अनचाही उच्च जन्म दर चिंताओं के अन्य क्षेत्र हैं।

राष्ट्रीय संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की निगरानी और समन्वय तथा प्रमुख संक्रामक रोगों जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, जापानी इन्सेफेलाइटिस, डेंगू रक्तस्रावजन्य बुखार तथा चिकनगुनिया आदि बीमारियों को रोकने और उनको नियंत्रित करने का काम करता है।

मलेरिया : यह एक परजीवी से फैलने वाली गंभीर बीमारी है, जो *प्लाजमोडियम फाल्सीपेरम* या *प्लाजमोडियम वाइवेक्स* नामक विषाणु से फैलती है। मच्छरों की 9 प्रमुख प्रजातियां हैं। ये मलेरिया फैलाती हैं। इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं—बुखार के साथ कंपकंपी, सिरदर्द और मितली आना। रक्त की सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा इस बीमारी की पहचान होती है। उचित उपचार के बाद अधिकतर मलेरिया पीड़ित रोगी कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर पी.फेल्सीपेरम वाहक मच्छर के काटे मरीज का ठीक समय से इलाज न किया गया तो उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में मलेरिया पीड़ितों की संख्या 7.5 करोड़ थी। उस दौरान हर साल इससे आठ लाख लोगों की मौत होती थी। भारत सरकार ने 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (एनएमसीपी) शुरू किया। डी.डी.टी. के छिड़काव से मलेरिया के मामलों में तेजी से कमी आई। वर्ष 1958 में एनएमसीपी को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (एनएमईपी) में बदल दिया गया। इसमें भारी सफलता मिली। वर्ष 1965-66 में मलेरिया पीड़ितों की संख्या घटकर एक लाख रह गई और इससे होने वाली मौतों का सिलसिला थम गया। परंतु वित्तीय और प्रशासनिक बाधाओं के कारण देशभर में फिर मलेरिया पीड़ितों की संख्या सन 1967 के बाद बढ़ गई। और 1976 में मलेरिया के 64.70 लाख मामले दर्ज किए गए।

मलेरिया से होने वाली मौतों को रोकने और पीड़ितों की संख्या घटाने के तात्कालिक उद्देश्य से वर्ष 1977 में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को कुछ संशोधनों के साथ संशोधित कार्ययोजना के रूप में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से जोड़ दिया गया। कीटनाशक दवाओं के छिड़काव का तरीका बदल दिया गया। अब उन्हीं क्षेत्रों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाने लगा, जहां एक साल में प्रति हजार आबादी में दो या उससे अधिक मलेरिया के मामले पाए गए। इस उपाय से मलेरिया के मामलों में काफी कमी आई और यह 64.7 लाख से घटकर वर्ष 1996 तक प्रतिवर्ष 25 से 30 लाख तक रह गए। सन 1997 से इसमें गिरावट का क्रम जारी है। सन 2002 में पहली बार एक हजार की आबादी में मलेरिया पीड़ितों की संख्या दो से कम थी और तब से ऐसे मामलों की संख्या 2 से भी कम हो गई।

मलेरिया प्रभावित जनजातीय, दुर्गम, दूरदराज एवं वनबहुल क्षेत्रों में, जहां पहुंचने में मुश्किलें होती हैं, योजना के क्रियान्वयन में दिक्कतें आती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात,

झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के जनजाति-बहुल क्षेत्रों में मलेरिया के मामलों की संख्या ज्यादा होती है। राज्य सरकारें कार्यक्रम के नियोजन, क्रियान्वयन, निरीक्षण और निगरानी के लिए जिम्मेदार होती हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों को कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है।

एड्स, टीबी और मलेरिया के लिए ग्लोबल फंड (जीएफएटीएस) से 27 जून, 2005 को एक समझौता करके गहन मलेरिया नियंत्रण परियोजना सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर के राज्यों, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों, दूरदराज के बीहड़ क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी से तीव्र निदान और इलाज, कीटनाशकों से उपचारित मच्छरदानी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता और सामुदायिक, एनजीओ और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई।

आठ राज्यों जैसे आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के 100 जिलों के जनजाति-बहुल वाले 1045 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को 1997 से विश्व बैंक की सहायता से चलनेवाली विस्तारित मलेरिया नियंत्रण परियोजना (ईएमसीपी) के तहत संचालन लागत सहित शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है।

विश्व बैंक की 'मलेरिया नियंत्रण और कालाजार उन्मूलन' की 2008-09 (पहली सितंबर 2008) से प्रभावी 5 वर्ष की नई परियोजना, को बैंक ने मंजूरी दे दी है।

फाइलेरिया : लिम्फैटिक फाइलोरिएसिस एक ऐसी गंभीर बीमारी है, जो शरीर के अंगों को काफी कमजोर और अयोग्य बना देती है। यह बीमारी *व्यूलेक्स क्वीनक्वूफेसीएटस* नामक विषाणु से फैलती है। मच्छर इस विषाणु के वाहक हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति के शरीर एवं जननांगों में सूजन आ जाती है और वह कोई भी काम करने में असमर्थ हो जाता है। इससे पीड़ित व्यक्ति को बुखार और दर्द भी होता है। फिलहाल इस हालत वाले रोगी का कोई इलाज नहीं है। इससे बीमारी बढ़ने का खतरा भी बना रहता है। देश के 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 250 से अधिक जिलों में इस बीमारी के मामले प्रकाश में आए हैं। इन क्षेत्रों की आबादी 50 करोड़ से अधिक है।

वर्ष में एक बार सामूहिक रूप से फाइलेरिया निरोधी दवा पिलाकर विश्वस्तर पर 2020 तक इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 1997 से सात राज्यों के तेरह जिलों में 4.10 करोड़ की जनसंख्या के लिए एकल खुराक दवा पिलाने की अग्रणी परियोजना शुरू की गई। 2003 तक इसके अंतर्गत 31 जिले आ गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में वर्ष 2015 तक लार्वा फाइलेरिया (लिम्फैटिक फाइलोरिएसिस) के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने लिम्फैटिक फाइलोरिएसिस के जोखिम वाली जनसंख्या को डाई ईथीकार्बामेजीन (डीईसी) को एक खुराक पिलाने का अभियान शुरू किया। सन 2004 में इस बीमारी से प्रभावित देशों के 20 राज्यों के 202 जिलों की 40.70 करोड़ की जनसंख्या को एमडीए के लिए लक्षित किया गया। दवा पिलाने योग्य 37.81 करोड़ जनसंख्या में (गर्भवती महिलाओं, दो वर्ष से कम के बच्चों और गंभीर रूप से बीमार लोगों को छोड़कर) 27.67 करोड़ यानी 73.19 प्रतिशत को दवा दी गई।

डेंगू बुखार/डेंगू रक्तम्राव बुखार: डेंगू बुखार एक वायरल ज्वर है, जो मादा एडिस (*एडीस एजिप्टी*) मच्छर के काटने से फैलता है। एडिस मच्छर कंटेनर, कूलर, बेकार पड़े टायरों, कप, गमलों तथा टूटे-फूटे बर्तनों में जमा पानी में पैदा होते हैं। हमारे देश में डेंगू बुखार का पहला मामला 1963 में कोलकाता में सामने आया था। देश में आमतौर पर सभी चार तरह का डेंगू पाया जाता है। डेंगू का

विषाणु संक्रमण या तो प्रकट नहीं होता या समरूप ज्वर उत्पादक रोग के रूप में (वायरल सिंड्रोम) प्रकट होता है, इसका दूसरा प्रकार डेंगू बुखार (डीएफ) या डेंगू रक्तस्त्रावजन्य (डीएचएफ) रोग है।

हाल के वर्षों में शहरीकरण के विस्तार तथा जीवनशैली में परिवर्तन के कारण डेंगू के मामले अर्ध शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं। चूंकि डेंगू का कोई विशेष उपचार नहीं है अतः मुख्य जोर घरों, कार्यस्थलों में मच्छरों के पनपने की स्थितियों से बचने एवं मनुष्य-मच्छर के बीच संपर्क को कम से कम करने पर है। डेंगू के प्रभावी नियंत्रण के लिए सामुदायिक जागरूकता एवं सहयोग के साथ-साथ समाज के विभिन्न तबकों के बीच तालमेल महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, गोवा इत्यादि की तरह सभी नगरीय क्षेत्रों में मच्छरों के उत्पन्न होने की स्थितियों को रोकने के लिए नगरीय कानूनों तथा भवन निर्माण कानूनों के प्रवर्तन और उन्हें लागू किए जाने पर भी जोर दिया जाना चाहिये।

चिकनगुनिया : चिकनगुनिया दुर्बल बनाने वाली अघातक वायरल बीमारी है जिसका प्रकोप भारत में 36 वर्ष बाद 2006 में हुआ। यह डेंगू बुखार से मिलता-जुलता है। यह चिकनगुनिया वायरस से होता है। यह मादा एडिस मच्छर, मुख्यतया एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। मनुष्य ही चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत होता है। मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटकर अन्य लोगों को काटते हैं, जिससे यह बीमारी फैलती है। संक्रमित व्यक्ति से यह बीमारी किसी और को नहीं हो सकती।

जापानी इन्सेफेलाइटिस : जापानी इन्सेफेलाइटिस एक वायरल बीमारी है, जिससे होने वाली मौतों की दर अधिक है। यह बीमारी लंबे समय तक रहती है। यह रोग सूक्ष्म विषाणु के कारण होता है। ये विषाणु धान के खेतों और पानी वाले क्षेत्रों में अधिक होते हैं। इसे फैलाने वाले मच्छर मैदानों में रहते हैं, जिससे इस पर नियंत्रण पाना मुश्किल होता है। जापानी इन्सेफेलाइटिस के अधिक मामले उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, बिहार, गोवा और हरियाणा में पाए गए हैं। जे.ई. का कोई विशेष उपचार नहीं है। राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार द्वारा इस महामारी को रोकने के लिये कई प्रयास किए गए जिसमें चुनिंदा क्षेत्रों में टीकाकरण भी शामिल है। जापानी इन्सेफेलाइटिस की रोकथाम में टीकाकरण के महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2006 के दौरान पांच राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल) के ग्यारह जिलों में एक से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक टीकाकरण कार्यक्रम चलाया। जिससे एसए-14-14-2 टीके की एकल डोज का प्रयोग किया गया। इसे सार्वजनिक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम का अभिन्न अंग बना दिया गया है। वर्ष 2007 में इस कार्यक्रम का विस्तार 9 राज्यों के 27 जिलों में और 2008 में 9 राज्यों के 23 जिलों में किया गया।

कालाजार : कालाजार एक परजीवी बीमारी है जो *लीशमानिया डोनोवनी* नामक परजीवी से होती है और *फ्लेबोटोमस अर्जेंटाइपस* नामक मक्खी के काटने से फैलती है। यह बीमारी ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में अधिक पाई जाती है। इससे पीड़ित व्यक्ति को रह-रहकर ज्वर होता रहता है, भूख नहीं लगती, वजन कम होने लगता है और धीरे-धीरे जिगर बढ़ जाता है। यह बीमारी लंबे समय तक रहती है। उचित इलाज नहीं होने पर रोगी की मौत हो जाती है। यह बीमारी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तथा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रायः सामने आती है। केंद्र सरकार ने वर्ष 1990-91 में कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में सन 2010 तक कालाजार के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। 2010 तक कालाजार के उन्मूलन का लक्ष्य

हासिल करने के लिए केंद्र सरकार महामारी वाले राज्यों को 100 प्रतिशत सहायता प्रदान कर रही है। तकनीकी निर्देशन अलग है। संक्रमण नियंत्रण के लिए समय पर घरों के भीतर डीडीटी का छिड़काव, मरीजों को संपूर्ण इलाज के अलावा गहन सामाजिक जागरूकता पर बल दिया जा रहा है। भारत सरकार ने कालाजार के उन्मूलन के लिए निम्नलिखित प्रयास शुरू किए हैं:

1. कालाजार पखवाड़े के माध्यम से कालाजार के मरीजों की खोज।
2. संपूर्ण इलाज सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों में मरीज कोडिंग योजना की पहल।
3. शुरुआती दौर में ही कालाजार का पता लगाने और बेहतर इलाज के लिए त्वरित निदानात्मक परीक्षण (आरके 39) और दवा पिलाने का तरीका लागू किया गया।
4. पीड़ित समुदाय को कालाजार के कार्यकर्ताओं की पहचानकर उनके माध्यम से लोगों को कालाजार की सूचना शीघ्र देने और इलाज कराने के लिए जागरूक करना।
5. अस्पतालों में इलाज के दौरान मरीजों को मुफ्त भोजन प्रदान करना।
6. भारत सरकार, आईसीएमआर और मेडिकल कालेजों की टीम तैनात कर घरों के भीतर स्प्रे की गहन निगरानी।

क्षयरोग : देश में क्षयरोग (टीबी) की गंभीर समस्या है। दुनिया के क्षयरोग पीड़ितों का पांचवां हिस्सा यहीं पाया जाता है। यहां हर वर्ष करीब 18 लाख क्षयरोगी बढ़ जाते हैं। इनमें से करीब 8 लाख क्षयरोगी स्मीयर पॉजीटिव, अर्थात् ऐसे होते हैं जिनसे यह बीमारी दूसरों को होने का बहुत अधिक खतरा होता है। इसके एक रोगी से एक वर्ष में औसतन 10-15 लोगों को संक्रमण होता है। हमारे देश में इस रोग से हर तीसरे मिनट में दो लोगों की और प्रतिदिन एक हजार लोगों की मौत होती है।

देश में वर्ष 1962 में राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) शुरू किया गया था, लेकिन इसमें खास सफलता नहीं मिली। अतः कम से कम 85 प्रतिशत रोगियों के इलाज और 70 प्रतिशत रोगियों की पहचान करने के उद्देश्य से संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) डॉट्स प्रणाली के साथ 26 मार्च, 1997 को शुरू किया। इसका उद्देश्य है: (I) नए संक्रामक टी.बी. मामलों में उपचार दर 85 प्रतिशत बनाए रखना, (II) जनसंख्या में ऐसे मामलों की खोज दर 70 प्रतिशत हासिल करना। आरएनटीसीपी चरणबद्ध रूप में लागू किया गया और 23 मार्च, 2006 तक यह पूरे देश में लागू हो गया। यह कार्यक्रम विश्व बैंक, डीएनआईडीए, डीएफआईडी, यूएसएआईडी, जीडीएफ और जीएफएटीएम की सहायता से देश में चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है।

संशोधित क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम देश के लिए बहुत अच्छा रहा। इसमें इलाज का औसत 85 प्रतिशत रहा और मृत्यु दर घटकर पांच प्रतिशत से भी कम हो गई। नब्बे प्रतिशत नए स्मीयर पॉजीटिव रोगियों को डीओटीएस (डॉट्स) के तहत निगरानी में रखा गया है। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अब तक 86.4 लाख रोगियों का इलाज किया गया, जिससे 15.75 लाख से अधिक लोगों को मौत के मुंह से बचाया जा सका। इस कार्यक्रम के तहत प्रतिमाह एक लाख से अधिक रोगियों का इलाज किया जाता है। 2007 में केवल हमारे देश में डीओटीएस के तहत 14.75 लाख रोगियों का इलाज किया गया। कार्यक्रम एनजीओ, निजी चिकित्सकों, कार्पोरेट जगत आदि सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बाहर स्वास्थ्य सुविधा प्रदाताओं से प्रभावी भागीदारी चाहता है।

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम: सन 1955 में सरकार ने राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था। सन 1983 में इसे राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी) के रूप में बदल दिया गया। विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन परियोजना का पहला चरण

1993-94 से 2003-04 तक हुआ। कुष्ठ उपचार सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उपलब्ध संस्थागत ढांचे जैसे रोगी कल्याण समिति, ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति तथा पंचायती राज संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है। संभावित रोगियों को सबसे निकट के स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाने और नियमित उपचार कराने के लिए आशा को काम में लगाया जा रहा है। जिसके लिए उन्हें नकद प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में 2005 तक कुष्ठ उन्मूलन का लक्ष्य (मरीजों की संख्या 10,000 की आबादी पर एक करने का) रखा गया था। देश ने राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक समस्या के रूप में कुष्ठ रोग से निवारण का लक्ष्य दिसंबर 2005 में हासिल कर लिया और मार्च 2009 तक 10,000 की आबादी पर मरीजों की संख्या 0.72 रह गई। मार्च 2009 तक 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कुष्ठ रोग लगभग खत्म हो गया है। अन्य 3 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश यह लक्ष्य प्राप्त करने वाले हैं।

वहां प्रति 10,000 आबादी के पीछे औसतन 1 से 2 मरीज हैं। यथा बिहार, छत्तीसगढ़ एवं दादरा और नगर हवेली में प्रति 10,000 जनसंख्या पर मरीजों की संख्या एक रह गई है। वर्ष 2008-09 के दौरान कुष्ठ के कुल 1.34 लाख नए मामलों का पता लगा और नए मामलों के पता लगने की दर प्रति एक लाख की जनसंख्या पर 11.19 रही। वर्ष 2008-09 में जिन 1.34 लाख नए रोगियों को छुट्टी दी गई उनमें से 1.24 लाख (92.5 प्रतिशत) का इलाज पूरा हो गया था और वे पूरी तरह से ठीक हो गए थे।

वर्ष 2008-09 में 3763 (2.8% कुष्ठ के नये रोगी) स्तर II अक्षमता मामलों का पता लगाया गया। कुष्ठ पीड़ित लोगों में अक्षमता की संख्या घट गई है लेकिन विकृत अंगों को ठीक करने के बहुत से मामले हैं। कुष्ठ प्रभावित लोगों की असमक्षता दूर करने के लिए सर्जरी करने वाले केंद्रों को बढ़ाकर अक्षमता निषेध और चिकित्सकीय पुनर्वास गतिविधियों में तेजी लाई गई। इससे कुष्ठ प्रभावित लोग समुदाय में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि इससे लोगों पर लगा लांछन भी कम होगा। ऐसे मान्यताप्राप्त 69 केंद्र हैं जिसमें 36 राजकीय तथा 33 स्वयंसेवी संगठन हैं।

आईईसी गतिविधियां तेज की गईं, यह अभियान जनवरी 2008 से शुरू किया गया और इस अभियान का विषय 'कुष्ठ मुक्त भारत की ओर' है जिसका अर्थ हुआ कुष्ठ का बोझ कम होना, मामलों की जल्द सूचना देना और इलाज पूरा कराना। कुष्ठ रोगियों के लिए अच्छी सेवाएं तथा लांछन और भेदभाव में कमी है। अक्षमता दूर करने के लिए वर्ष 2008-09 में 2690 आरसीएस आपरेशन किए गए।

एक केंद्रीय एंजेंसी के रूप में मंत्रालय अन्य मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से उन कानूनों अधिनियमों में बदलाव के लिए प्रयासरत है। जो प्रभावित व्यक्तियों व उनके परिवार के साथ भेदभाव से ग्रस्त हैं।

दृष्टिहीनता नियंत्रण का राष्ट्रीय कार्यक्रम

दृष्टिहीनता नियंत्रण का राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित परियोजना के रूप में 2020 तक दृष्टिहीनों की संख्या 0.3 प्रतिशत करने के लक्ष्य से शुरू किया गया। 2006-07 के एक सर्वे के अनुसार दृष्टिहीनता 2001-2002 के 1.1 से 2006-07 में 1 प्रतिशत हो गई।

इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं:

- (क) दृष्टिहीनों की पहचान और उनका इलाज करके दृष्टिहीनता के मामलों को कम करना;
- (ख) हर जिले में नेत्र देखभाल सुविधाएं विकसित करना;
- (ग) नेत्र देखभाल सेवाओं के लिए मानव संसाधन विकसित करना;
- (घ) सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता में सुधार;
- (ङ) नेत्र देखभाल में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करना;
- (च) नेत्र देखभाल में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहायता का स्वरूप

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहायता का स्वरूप इस प्रकार होगा:

- (क) बचत के उपायों को ध्यान में रखते हुए तथा काम के दोहराव को रोकने के लिए राज्य नेत्र प्रकोष्ठों का राज्य दृष्टिहीनता नियंत्रण समितियों के साथ विलय कर दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रारंभ होने से राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्य दृष्टिहीनता निवारण समितियों का भी राज्य स्वास्थ्य समितियों के साथ विलय किया गया है। जो मिशन के अंतर्गत कार्य करती हैं। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला दृष्टिहीनता का भी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला स्वास्थ्य समितियों के साथ विलय कर दिया गया है।
- (ख) आंखों की सभी तरह की बीमारियों के इलाज के उपचार की विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संस्थाओं की क्षमता को बढ़ाने के लिए सामग्री के लिए सहायता राशि बढ़ा दी गयी है।
- (ग) इंद्रा ऑक्यूलर लेंस लगाने की सुविधाओं का तालुका स्तर तक विस्तार किया गया है।
- (घ) लागत में बढ़ोत्तरी को देखते हुए और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से नेत्र बैंकों, नेत्र दान केंद्रों और एनजीओ को दी जाने वाली अनुदान राशि में मामूली बढ़ोत्तरी की गयी है।
- (ङ) मोतियाबिंद के अलावा अन्य नेत्र रोगों, जैसे ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, लेजर तकनीक से आंखों के उपचार, कॉर्निया प्रत्यारोपण, विट्रियो रेटिनल सर्जरी और बाल अंधता के उपचार आदि में भी सहायता प्रदान की जाएगी।
- (च) पूर्वोत्तर राज्यों और कुछ अन्य राज्यों में आवश्यकता के अनुसार आंखों के वार्ड और नेत्र रोगों की शल्य चिकित्सा के लिए ऑपरेशन थिएटरों के निर्माण के लिए सहायता दी जाएगी।
- (छ) नेत्र रोगों के उपचार करने वाले प्रशिक्षित कर्मियों जैसे ऑप्टोमेट्रिक सर्जनों, ऑप्टोमेट्रिक असिस्टेंटों और नेत्र दान परामर्शदाताओं की अनुबंध आधार पर नियुक्ति के लिए सहायता।
- (ज) उप-जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर नेत्र चिकित्सा में निजी मेडिकल प्रेक्टीशनरों को शामिल करने के लिए सहायता।
- (झ) कार्यक्रम के अंतर्गत सप्लाई किये जाने वाले ऑप्टोमेट्रिक उपकरणों के रखरखाव के लिए सहायता; टेली ऑप्टोमेट्रोलॉजी नेटवर्क के साथ संचल ऑप्टोमेट्रिक इकाइयों की स्थापना और पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए फिक्स्ड टेली-मॉडल्स का विकास।
- (ण) नौवीं योजना में स्वीकृत नेत्र शल्य चिकित्सकों के 228 और ऑप्टोमेट्रिक असिस्टेंटों के 510

महत्वपूर्ण पद दसवीं योजना में भी बनाए रखे गये और इन्हें चरणबद्ध तरीके से राज्य योजना में शामिल करने की योजना।

(ट) प्रबंधन सूचना प्रणाली का सुदृढीकरण, और

(ठ) आईईसी गतिविधियों में तेजी।

ग्यारहवीं योजना के दौरान पहल

1. पूर्वोत्तर राज्यों, बिहार, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेत्र रोगों की शल्य चिकित्सा के लिए विशेष ऑपरेशन थियेटर्स की पर्याप्त सुविधा की कमी वाले राज्यों में अलग से नेत्र चिकित्सा वार्डों और नेत्र ऑपरेशन थियेटर्स का निर्माण।
2. नेत्र चिकित्साकर्मियों (ऑप्थैल्मिक सर्जन, ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट और नेत्रदान परामर्शदाताओं) की अनुबंध आधार पर नियुक्ति।
3. मोतियाबिंद के अलावा अन्य नेत्र रोगों, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा प्रबंधन, लेजर तकनीक, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, विट्रियो-रेटिनल सर्जरी, बाल नेत्रहीनता आदि के प्रबंधन के लिए एनजीओ को सहायता। मोतियाबिंद/आईओएल प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए प्रति रोगी 750 रुपये और अन्य प्रमुख नेत्र रोगों के लिए 1000 रुपये प्रति रोगी की दर से सहायता।
4. पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय राज्यों और दुर्गम इलाकों में नेत्र रोगों के निदान और चिकित्सकीय प्रबंधन के लिए संचल ऑप्थैल्मिक इकाइयों का विकास।
5. उप-जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर निजी प्रैक्टिशनर्स को भी शामिल करना।
6. क्षेत्रीय नेत्र चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों, जिला/उप-जिला अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/नेत्र केंद्रों को सप्लाई किये गये ऑप्थैल्मिक उपकरणों का रखरखाव।

मनुष्यों में रेबीज की बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण की परीक्षण परियोजना

मनुष्यों में रेबीज की वजह से होने वाली मौतों को रोकने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में मार्च 2008 से एक परीक्षण परियोजना शुरू की गयी है जो मार्च 2010 तक जारी रहेगी। इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों में तालमेल रखने के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसे पांच शहरों में लागू किया जा रहा है। जिनके नाम हैं। अहमदाबाद, बंगलूरु, दिल्ली, पुणे और मदुरै। परीक्षण के तौर पर चलायी जा रही इस परियोजना के अंतर्गत चिकित्साकर्मियों को रेबीज और विभिन्न प्रकार के जानवरों के काटने से होने वाली बीमारियों की रोकथाम और उपचार उपलब्ध कराना है। इसके अलावा प्रयोगशाला नैदानिक सुविधाओं को सुदृढ़ करना, इंटरडर्मल इंजेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराना तथा पशु चिकित्सकों को जानकारी उपलब्ध कराना भी इसका उद्देश्य हैं। परियोजना के लिए कुल 3.26 करोड़ रुपये आबंटित किये गए हैं। परीक्षण के तौर पर चलायी जा रही इस परियोजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष (2008-09) में इन शहरों में विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए 1.81 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये।

- परीक्षण परियोजना वाले शहरों में कोर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण के लिए दो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एनसीडीसी में आयोजित किये गये। इन कोर ट्रेनर्स ने बाद में अपने-अपने शहरों में डॉक्टरों और अर्ध-चिकित्साकर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

- परीक्षण परियोजना लागू होने से पहले किसी भी शहर में इंटरडर्मल सेल कल्चर वैकसीन तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। परियोजना शुरू हो जाने और प्रशिक्षण मिल जाने के बाद अहमदाबाद, बंगलूरु, पुणे और मदुरै के एंटी रेबीज सेंटरों में इस तकनीक से खाल के नीचे इंजेक्शन लगाकर उपचार की शुरुआत हुई है।
- अहमदाबाद, बंगलूरु, पुणे और मदुरै में एक-एक प्रयोगशाला में विशेष सुविधाएं जुटाई गयी हैं। इनमें फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप और अन्य संबंधित उपकरण खरीदे गये हैं।
- अक्टूबर, 2008 में डॉक्टरों और प्रयोगशाला तकनीशियनों के लिए नैदानिक तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया।
- एनसीडीसी दिल्ली में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री का प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए विशेषज्ञ दल की बैठक आयोजित की गयी।
- परीक्षण परियोजना वाले शहरों ने इस सामग्री का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करा लिया है और इसे होर्डिंग, पोस्टर और रेडियों जिंगल के रूप में प्रचारित-प्रसारित व प्रदर्शित किया गया है।
- परीक्षण परियोजना वाले शहरों से बुनियादी आंकड़े जुटा लिये गये हैं।
- परियोजना के क्रियान्वयन और इसकी प्रगति पर नजर रखने के लिए एक वैज्ञानिक सलाहकार दल का गठन किया गया है।

लेप्टोस्पाइरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण की परीक्षण परियोजना

लेप्टोस्पाइरोसिस के प्रकोप और इससे होने वाली मौतों की रोकथाम के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में नयी पहल के तहत एक परियोजना परीक्षण के तौर पर दो साल के लिए (मार्च, 2008 से मार्च 2010 तक) शुरू की गयी है। एनसीडीसी इसके लिए नोडल एजेंसी है और तीन राज्य गुजरात, केरल और तमिलनाडु को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। परियोजना के अंतर्गत लेप्टोस्पाइरोसिस के मामलों का जल्द पता लगाकर उनका उपचार करने, प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने और रोगी प्रबंधन सुविधाओं के विकास, प्रशिक्षित श्रम शक्ति उपलब्ध कराने, सामुदायिक जागरूकता और अंतरक्षेत्रीय समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। परियोजना के लिए कुल 2.05 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गयी है। 2008-09 में परियोजना के लिए 99 लाख रुपये जारी किये गये। परीक्षण परियोजना वाले राज्यों को विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए 95.50 लाख रुपये का आबंटन किया गया। दो राज्यों से इस धनराशि के खर्च से संबंधित उपयोग प्रमाणपत्र तथा खर्च का ब्यौरा मिल गया है। तमिलनाडु ने 30.00 लाख रुपये और गुजरात ने 35.50 लाख रुपये खर्च किये हैं। चालू वित्त वर्ष 2009-10 में 80.00 लाख रुपये आबंटित किये गये हैं।

परीक्षण परियोजना के तहत विभिन्न गतिविधियों में प्रगति का सारांश:

- तीनों राज्यों से अगस्त, 2009 तक के बुनियादी आंकड़े जुटा लिये गये हैं।
- परियोजना में शामिल राज्यों के सभी जिलों में प्रयोगशालाओं की पहचान की गयी है और उन्हें सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रयोगशाला कर्मियों को लेप्टोस्पाइरोसिस की प्रयोगशाला नैदानिक तकनीक के बारे में एनसीडीसी में प्रशिक्षण दिया गया है।
- कोर ट्रेनर्स के लिए 2 पाठ्यक्रम संचालित किये गये और तीनों राज्यों में अगस्त 2009 तक 298 स्वास्थ्यकर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है।
- एनसीडीसी अधिकारियों ने रोगी प्रबंधन सुविधाओं का मूल्यांकन किया है। इस बारे में एकसमान दिशा-निर्देश तैयार किये गये हैं। दिशा-निर्देशों की 5000 प्रतियां प्रकाशित कर बांटी गयी हैं।

- स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करने के लिए मूल प्रारूप सामग्री राज्यों को उपलब्ध करायी गयी है। इन राज्यों ने प्रचार सामग्री को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कर प्रदर्शित किया है।
- तीनों परियोजना राज्यों में पशु चिकित्साकर्मियों और किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर-क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम

19 मई, 2003 के राजकीय राजपत्र में तम्बाकू नियंत्रण के बारे में विस्तृत कानून अधिसूचित किया गया। सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापनों और इनके व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण पर रोक) अधिनियम 2003 नाम का यह अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया है और सभी तरह के तम्बाकू उत्पाद इसके दायरे में आते हैं। अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं।

- (क) कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करेगा (संशोधित नियम अधिसूचित किये जा चुके हैं और 2 अक्टूबर, 2008 से लागू हो गये हैं)।
- (ख) तमाम तरह के तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर रोक लगाने और इनके उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन करना।
- (घ) कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचेगा (1 मई, 2004 से लागू)।
- (ङ) शिक्षा संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध होगा (2 दिसंबर, 2004 से लागू)।
- (च) कोई भी व्यक्ति निर्दिष्ट चेतावनी के बिना किसी भी तम्बाकू उत्पाद (जिसमें आयातित तम्बाकू उत्पाद भी शामिल हैं) का व्यापार नहीं करेगा (यह नियम भी अधिसूचित हो गया है और 31 मई, 2009 से लागू हो गया है)।

तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित अधिनियम/नियमों को कारगर तरीके से लागू करने, तम्बाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने और तम्बाकू नियंत्रण के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रारूप संधि के प्रति अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए 2007-08 में 9 राज्यों के 18 जिलों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का परीक्षात्मक चरण लागू किया गया। 2008-09 में 12 राज्यों के 24 जिलों में इसका विस्तार कर दिया गया। प्रस्तावित कार्यक्रम में मोटे तौर पर ये व्यवस्थाएं हैं :

1. जन संचार माध्यमों के जरिए तम्बाकू के खिलाफ अभियान
2. तम्बाकू उत्पाद परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना
3. राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ और जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बनाकर राज्य तथा जिला स्तर पर क्षमता निर्माण। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में शामिल किया जाएगा।
 - क. स्वास्थ्यकर्मियों, अध्यापकों आदि को तम्बाकू के दुष्प्रभावों के बारे में बताना।
 - ख. सरकारी स्कूलों में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू करने में एनजीओ की मदद लेना।
4. प्रौढ़ तम्बाकू सर्वेक्षण सहित तम्बाकू की लत पर निगरानी और इसका मूल्यांकन।
5. तम्बाकू के स्थान पर वैकल्पिक फसल के लिए आईसीएआर/डीएआरई के साथ सहयोग तथा बीड़ी मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आईसीएआर/डीएआरई के साथ सहयोग।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

भारत में एचआईवी/एड्स की स्थिति

- (क) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 2006 में तैयार संशोधित अनुमानों के अनुसार देश में एचआईवी पीड़ितों की संख्या 20 लाख से 31 लाख है। इनमें युवाओं की संख्या 0.36 प्रतिशत (0.27 प्रतिशत से 0.47 प्रतिशत) है।
- (ख) युवाओं में एचआईवी प्रचलन दर पिछले दो-तीन वर्षों में स्थिर हो गई है (0.41 प्रतिशत 2004, 2005 में 0.39 प्रतिशत और 2006 में 0.38 प्रतिशत)।
- (ग) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में देश के 63 प्रतिशत एचआईवी ग्रस्त व्यक्ति रहते हैं।
- (घ) 39.3 प्रतिशत महिलाएं और 3.8 प्रतिशत बच्चे इससे ग्रस्त हैं।
- (ङ) 84.6 प्रतिशत संक्रमण यौन संबंधों और 4.34 प्रतिशत जन्म के साथ जुड़ा होता है। क्रमशः 1.8 प्रतिशत और 1.9 प्रतिशत संक्रमण दवाओं के इंजेक्शन और दूषित रक्त और रक्त उत्पाद के इस्तेमाल से होता है।
- (च) सामान्य जनसंख्या के मुकाबले उच्च जोखिम समूहों में एचआईवी की व्याप्ति लगभग 6 से 8 गुना अधिक है। सेंटिनल सर्विलेंस 2004-2006 के आंकड़ों के आधार पर जिलों को चार वर्गों में बांटा गया है। ए श्रेणी में 156, बी श्रेणी में 39, सी श्रेणी में 296 और डी श्रेणी में 119 जिले हैं।

विभिन्न हस्तक्षेपों पर राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

उच्च जोखिम वाली जनसंख्या के लिए लक्षित हस्तक्षेप : इन परियोजनाओं का उद्देश्य अति असुरक्षित जनसंख्या में एचआईवी के संचारण को रोकना है। ऐसे जनसंख्या समूहों में—सेक्स वर्कर्स, इंजेक्शन से नशीली दवाएं लेने वाले, समलैंगिक यौन संबंध बनाने वाले ट्रक चालक और बाहर से आने वाले श्रमिक शामिल हैं। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इस समय 871 लक्षित हस्तक्षेप काम कर रहे हैं। एनएसीपी III के अंतर्गत सभी उच्च जोखिम समूहों को 2100 टीआई और 50% टीआई को सीबीओ में विकसित कर शामिल करने का लक्ष्य है। हाल ही में मुख्तीय प्रतिस्थापन थेरेपी को राष्ट्रीय कार्यक्रम के एक भाग के रूप में क्षति में कमी के तहत लागू किया गया है ताकि इंजेक्शन से नशीले पदार्थ लेने वालों में एचआईवी संक्रमण कम किया जा सके।

रक्त सुरक्षा : लगभग 1.1 प्रतिशत संचारण प्रदूषित रक्त से होता है। रक्त के माध्यम से संचारण एक प्रतिशत से कम करने का लक्ष्य है। 1088 से अधिक ब्लड बैंकों को आधुनिक बनाया गया है और कुल रक्त संग्रहण में 59 प्रतिशत से अधिक स्वैच्छिक रक्तदान से जुटाया गया और रक्त को एचआईवी, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी और सी तथा सिफलिस की जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे प्रदूषित रक्त से एचआईवी संक्रमण लगभग 6.07 प्रतिशत (1999), 4.61 प्रतिशत (2003), 2.07 प्रतिशत (2005), 1.96 प्रतिशत (2006), 1.1 प्रतिशत (2007) हुआ है।

रक्त सुरक्षा कार्यक्रम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण संघटक है क्योंकि अच्छा रक्त और रक्त उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मांग और आपूर्ति के अंतर को पूरा करना है। रक्त सुरक्षा कार्यक्रम का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि जिस मरीज को रक्तदान की

आवश्यकता हो उसे सुरक्षित और अच्छा रक्त अच्छी तरह से समन्वित राष्ट्रीय रक्ताधान सेवाओं के माध्यम से मिले। इसका विशिष्ट उद्देश्य रक्तदाताओं में पद्धति-प्रतिक्रिया को 1 प्रतिशत से कम करना है। वर्तमान नियामक ढांचे में हर रक्त यूनिट में रक्ताधान से होने वाले पांच संक्रमणों (टीआई) यथा एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी, हेपेटाइटिस-सी, सिफलिस और मलेरिया की जांच अनिवार्य है। टीआई का उपयोग रक्ताधान के लिए किया जाता है।

चार नए कदम हाल ही में उठाए गए हैं:

1. 4 मेट्रो में अत्याधुनिक ब्लड बैंकों का गठन जिसमें प्रतिदिन एक लाख रक्त यूनिट का संग्रहण हो सके। इस पर 400 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान किया गया है। यह प्रस्ताव सीसीई के स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
2. 250 करोड़ रुपये के फ्रैक्सेनेशन संयंत्र संबंधी प्रस्ताव सीसीई के पास स्वीकृति के लिए है।
3. रक्त सुरक्षा में मानक नियमन कानून का प्रारूप विधि मंत्रालय के पास भेजा गया है
4. राष्ट्रीय रक्ताधान प्राधिकरण का गठन।

एकीकृत परामर्श और परीक्षण केंद्र : एचआईवी संक्रमित 70 प्रतिशत लोगों को यह नहीं मालूम होता कि उनकी हैसियत क्या है और उन्हें परामर्श और परीक्षण सुविधाएं देने की जरूरत है। सभी मेडिकल कालेजों, जिला, उप-जिला स्तर के अस्पतालों और कुछ समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों में आईसीटीसी की स्थापना की गई है और इस सेवा का विस्तार देश के सभी सीएचसी और 24 घंटे वाले पीएचसी में करने का प्रस्ताव है।

माता-पिता से बच्चों में संचारण निवारण : सभी आईसीटीसी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए परामर्श और जांच सेवाएं उपलब्ध हैं। बड़ी संख्या में एनसी और संस्थागत प्रसव वाले अस्पतालों के प्रसूति और स्त्री रोग विभाग में आईसीटीसी की व्यवस्था है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सलाह और जांच वाली महिलाओं की संख्या बढ़े तथा ए और बी श्रेणी के जिलों में एचआईवी पाजिटिव महिलाओं में 70 प्रतिशत को अगले वर्ष नेवरापाइन दी जाए। उच्च ड्राप-आउट दर की ओर ध्यान देने और जागरूकता स्तर और सेवाओं की मांग बढ़ाने की आवश्यकता है।

यौन संचारित संक्रमण : एनसीओ (नाको) द्वारा समर्थित एसटीआई क्लिनिकों की संख्या 2005 में 815 से बढ़कर 2007 में 895 हो गई। एसटीआई इलाज किए जाने वाले मरीजों की संख्या 2005 में 17.5 लाख से ऊपर थी, जो बढ़कर 2006 में 20.2 लाख और 2007 में 25.9 लाख हो गई। 2001 के आधारभूत सर्वे के अनुसार किसी भी समय युवा जनसंख्या में 6 प्रतिशत में एसटीआई के लक्षण होते हैं। इस प्रकार अनुमानित एसटीआई मरीजों और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में इलाज कराने वालों में भारी अंतर है। नाको और आरसीएच डिवीजन ने 2006 में एसटीआई के प्रबंधन की नियमावली संयुक्त रूप से तैयार की ताकि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाएं मजबूत की जाएं और निजी क्षेत्र के डाक्टरों को भी इसमें शामिल किया जाए। संयुक्त प्रशिक्षण सामग्री भी विकसित की गई है। ए और बी श्रेणी के जिलों में निजी डाक्टरों की भागीदारी के लिए एक पैकेज भी तैयार किया गया है हर एसटीआई लक्षण समूह को दवाएं रंगीन डिब्बों में दी जाती हैं ताकि बाहरी स्वास्थ्य सुविधाओं में एसटीआई का प्रबंधन किया जा सके।

देखभाल और सहायता : भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 2004 से निःशुल्क एआरटी प्रदान करने के लिए नीति और कार्यक्रम प्रतिबद्धता की घोषणा की। एंटी रिट्रोवाइरल ट्रीटमेंट (एआरटी) कम से कम 3

एआरवी दवाओं का मिश्रण है जो बचाव-निग्रह के अग्रिम चरण में पहुंचे एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को दी जाती हैं। इस समय देश में 174 एआरटी केंद्र हैं। इन केंद्रों में 1.46 लाख से अधिक मरीजों को निःशुल्क एआरटी दिया जा रहा है (मई 2008)। इसके अलावा लगभग 35,000 मरीजों को निजी और एनजीओ सेक्टर में एआरटी दिया जा रहा है। दूसरी श्रेणी की एआरवी दवाएं 2008 से मुंबई और चेन्नई में निःशुल्क दी जा रही हैं। उच्च प्रचलन वाले राज्यों में, पीएलएचए को एआरटी का अभ्यस्त बनाने, दवाओं के अनुसरण पर परामर्श और अनुवर्ती व्यवहार, संक्रमण और पोषण प्रबंधन, उन पीएलएचए तक पहुंचकर और गृह आधारित सेवाओं से एआरटी पूर्व देखभाल करना जो अभी तक एआरटी पर नहीं हैं। 159 सामुदायिक देखभाल केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। मरीजों की परेशानियों और अप्रत्यक्ष व्यय को कम करने के लिए एआरटी केंद्रों से जुड़े 46 औषधि वितरण केंद्र बनाए गए हैं। मार्च 2009 तक इनकी संख्या 250 हो जाएगी। इन संपर्क केंद्रों के कारण मरीजों को एआरटी केंद्रों में 2 बार जाना पड़ेगा, अभी 12 बार जाना पड़ता है। दूसरे श्रेणी का इलाज अग्रणी आधार पर 2 केंद्रों में शुरू किया गया।

राष्ट्रीय बाल एड्स पहल : एचआईवी संक्रमित और प्रभावित बच्चों को (एआरटी सहित) व्यापक देखभाल और सहायता के लिए नाको ने राष्ट्रीय बाल एड्स पहल की शुरुआत 30 नवंबर 2006 को की। इस पहल के लिए नाको ने इंडियन अकादमी ऑफ पेडियाट्रिक्स (आईएपी) यूनीसेफ, डब्ल्यूएचओ और क्लिंटन फाउंडेशन के साथ बाल एआरटी के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। सभी एआरटी में बच्चों के लिए एआरवी दवाएं उपलब्ध हैं। एआरवी वाले बच्चों की संख्या अक्टूबर 2006 से पहले 1800 थी, मई 2008 में बढ़कर 9955 हो गई। 32,500 की निगरानी की जा रही है। पहल के अंतर्गत अन्य कार्यक्रमों में क्षेत्रीय बाल केंद्रों की स्थापना, निशुल्क सीडी 4 निगरानी, 18 माह तक के बच्चों के लिए निशुल्क डीएनए पीसीआर जांच, 5 किलोग्राम से कम वजन के बच्चों के लिए तरल दवाइयां, संक्रमणों का निदान और इलाज और सूक्ष्म पुष्टिकर पूरक शामिल हैं। इस पहल में बालरोग चिकित्सकों, परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण, निदान के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना, शुष्क रक्त नमूनों को ले जाने के लिए ड्राई ब्लड स्पॉट प्रणाली लागू करना भी शामिल है।

सीएलएचए (एचआईवी/एड्स वाले बच्चे) अनाथों की देखभाल और सहायता एनएसीपी-III का अभिन्न अंग है। इन बच्चों के लिए जीएफएटीएम-आरडी-VI के अंतर्गत एक व्यापक सेवा पैकेज तैयार कर 2007 में पालन-पोषण आधारित देखभाल और सहायता सेवाओं के माध्यम से प्रदान किया गया।

कंडोम को बढ़ावा : हस्तक्षेप के स्तर पर एचआईवी/एड्स रोकने में कंडोम महत्वपूर्ण है। परिवार नियोजन के अलावा एसटीआई और एचआईवी/एड्स से सुरक्षा के लिए कंडोम के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाता है और सभी आईसीटीसी और एआरटी केंद्रों और एसटीआई क्लिनिकों में कंडोम के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जाता है। 2006 में 1250 मिलियन कंडोम मुफ्त बांटे गए, सामाजिक विपणन से 604 मिलियन कंडोम बांटे गए और 389 मिलियन बाजारों के माध्यम से बेचे गए। 11025 कंडोम बेचने वाली मशीनें लगाई गई हैं और 11000 मशीनें लगाई जा रही हैं। एनएसीपी-III के तहत 30 लाख स्थानों से 3.5 अरब कंडोम वितरण का लक्ष्य है।

आईईसी कार्यक्रम : नाको संचार रणनीति पर काम कर रहा है, जो जागरूकता से हटकर व्यवहार परिवर्तन के लिए है। नाको ने लांछन और भेदभाव, सेवाओं को बढ़ावा, यथा परामर्श और जांच, एआरटी, कंडोम का इस्तेमाल, रक्त सुरक्षा पर ध्यान दिया है। युवाओं और महिलाओं पर विशेष बल दिया गया है जिन्हें एचआईवी संक्रमण आसानी से हो सकता है। ए और बी श्रेणी के जिलों में बीसीसी हस्तक्षेपों पर ध्यान देने के लिए गांव स्तर के संपर्क कर्मियों का कांडर बनाया जाएगा। सामान्य जनसंख्या

में गहन आईसीसी ग्रामीण जनसंख्या एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूकता लगभग 75 प्रतिशत (बीएसएस 2006) हो गई है। किशोर शिक्षा कार्यक्रम के तहत 114345 से अधिक हाई स्कूलों को एचआईवी/एड्स और जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम में कवर किया गया है। 1 दिसंबर 2007 को शुरु की गई रेड रिबन एक्सप्रेस 180 स्टेशनों और 27,000 किलोमीटर की यात्रा कर रही है। हर स्टेशन पर इसके लिए भारी भीड़ जुटी।

मुख्यधारा में लाना : प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एड्स के बारे में उच्चस्तरीय राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है, जिसमें 33 मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि संबद्ध मंत्रालयों और विभागों के कार्यक्रमों की मुख्यधारा में एचआईवी/एड्स निवारक गतिविधियों को रखा जाए। निजी क्षेत्र, समाज के संगठन पीएलएच नेटवर्क और सरकारी विभाग निदान, देखभाल, सहायता, इलाज और सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम

आयोडीन शरीर के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्व है। मनुष्य की सामान्य शारीरिक वृद्धि के लिए प्रतिदिन 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन जरूरी है। प्रतिदिन के भोजन में आयोडीन की कमी के कारण गलगंड और अन्य कई रोग हो जाते हैं। 35 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 324 जिलों में कराए गए सर्वेक्षणों में पता चला है कि 263 जिलों में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों का प्रकोप 10 प्रतिशत से ज्यादा है। अनुमान है कि देश में सात करोड़ 10 लाख लोग आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों के शिकार हैं।

सरकार सन 1962 से राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकृति नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इसे पहले राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम कहा जाता था। इस कार्यक्रम में आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराने, आयोडीन न्यूनता विकृति सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण, आयोडीन वाले नमक पर प्रयोगशालाओं में नजर रखने, स्वास्थ्य शिक्षा और प्रचार पर ध्यान दिया जाता है। देश में आयोडीनयुक्त नमक का वार्षिक उत्पादन 48 लाख मीट्रिक टन है। सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अंतर्गत गैर-आयोडीन वाले नमक की पूरे देश में बिक्री 17 मई 2006 से प्रतिबंधित करने का फैसला किया है।

राज्यस्तर पर कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, आईडीडी नियंत्रण प्रकोष्ठ और आईडीडी निगरानी प्रयोगशाला के अतिरिक्त सर्वे और स्वास्थ्य शिक्षा और लोगों द्वारा आयोडीन युक्त नमक के उपयोग हेतु प्रचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय दूरदर्शन, आकाशवाणी, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, गीत और नाट्य विभाग और विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, रेलवे एवं डाक-तार विभाग जैसी एजेंसियों के माध्यम से सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रमों से ग्रामीण और पिछड़े इलाके के लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहा है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

गंभीर मानसिक विकारों में सিজोफ्रेनिया, बाई पोलर विकार, आर्गेनिक साइकोसिस और गहन अवसाद से 1000 की जनसंख्या में 20 व्यक्ति पीड़ित हैं। इस जनसंख्या के लिए निरंतर इलाज और नियमित ध्यान

देने की आवश्यकता होती है। देश में लगभग एक करोड़ लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, जिन्हें उचित इलाज नहीं मिलता है। आधे से अधिक का कभी इलाज ही नहीं होता। इसके लिए इलाज की उपलब्धता और इलाज के फायदे की जानकारी न होना महत्वपूर्ण कारण है। एक तरफ देश की विशाल जनसंख्या दूसरी तरफ मनोचिकित्सकों की कम संख्या, हर तीन लाख जनसंख्या पर एक मनोचिकित्सक उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां 70 प्रतिशत जनसंख्या रहती है, मनोचिकित्सक/जनसंख्या का अनुपात दस लाख पर एक से भी कम हो सकता है।

इसके लिए 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया जिसके तीन उद्देश्य हैं:

- निकट भविष्य में न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सभी वर्गों खासकर जनसंख्या के सबसे असुरक्षित वर्गों को उपलब्ध और उस तक पहुंच हो।
- मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान और सामान्य स्वास्थ्य देखभाल में कुशलता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना।
- मानसिक स्वास्थ्य सेवा विकास में सामुदायिक भागीदारी और समुदाय में स्व-सहायता को बढ़ावा देना।

जिला स्तर पर आधारित माडल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली विकसित की गई और 1986-1995 के बीच निमहन्स द्वारा कर्नाटक के बेल्लारी जिले में इसे परखा गया। इसे जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के रूप में अपनाया गया और 22 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 27 जिलों में 1996 में शुरू हुई नौवीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में एनएमएचपी की रणनीति पुनः तय की गई और मानसिक बीमारियों तक प्रभावी पहुंच और प्रभाव के लिए वह एकतरफा की बजाय बहुतरफा कार्यक्रम बन गया। मुख्य रणनीतियां निम्न थीं:

- डीएमएचपी का देश के 100 जिलों तक विस्तार।
- मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण।
- सरकारी मेडिकल कालेजों/सामान्य अस्पतालों के मनोचिकित्सा विभाग का उन्नयन।
- सेवा में सुधार के लिए मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण।

इस समय जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का देश के 121 जिलों में कार्यान्वयन हो रहा है। 75 सरकारी मेडिकल कालेजों/सामान्य अस्पतालों के मनोचिकित्सा विभाग के उन्नयन और 26 मानसिक अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए अनुदान जारी किया गया है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में 1000 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। एनएमएचपी के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2008-09 में 70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम का विकेंद्रीकरण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ मिला है ताकि अधिकतम परिणाम मिल सके। एनएमएचपी के प्रस्तावित संघटक इस प्रकार हैं:

1. जनशक्ति की गंभीर कमी दूर करने के लिए वर्तमान मानसिक अस्पतालों का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण करके मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना।
2. मानसिक स्वास्थ्य में जनशक्ति विकास को गति प्रदान करना, अन्य प्रशिक्षण केंद्रों (सरकारी मेडिकल कालेजों/सामान्य अस्पतालों) को भी मानसिक स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने या क्षमता बढ़ाने के लिए भी सहायता।

3. मानसिक अस्पतालों के आधुनिकीकरण और मेडिकल कालेजों/सामान्य अस्पतालों के मनोचिकित्सा विभाग के उन्नयन के लिए 10वीं योजना की स्कीमों को वितरित करना।
4. जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में जीवन कौशल प्रशिक्षण और स्कूल, कालेजों में परामर्श सेवाएं, कार्यस्थलों में दबाव प्रबंधन और आत्महत्या निवारक सेवाओं के अतिरिक्त संघटक जोड़ना।
5. अनुसंधान—मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कमी है, इसे दूर करने के लिए कदम उठाना।
6. आईईसी—मानसिक बीमारी से बहुत से लांछन जुड़ जाते हैं। इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि मानसिक बीमारियों का इलाज हो सकता है। 11वीं योजना के दौरान मीडिया के माध्यम से गहन अभियान की योजना।
7. कार्यक्रम के क्रियान्वयन में एनजीओ और सार्वजनिक-निजी भागीदारी। इससे डीएचएचपी के अंतर्गत समुदाय मानसिक स्वास्थ्य पहलों की पहुंच बढ़ेगी।
8. निगरानी, क्रियान्वयन और मूल्यांकन—केंद्र/राज्य/जिला स्तर पर प्रभावी निगरानी से एनएमएचपी के विभिन्न संघटकों के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

यॉज बीमारी के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम (वाईईपी)

- यॉज उन्मूलन का कार्यक्रम केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में उड़िसा के कोरापुट जिले में 1996-97 में शुरू किया गया। बाद में नौवीं योजना के दौरान इसका विस्तार दस राज्यों में इस बीमारी की अधिक आशंका वाले सभी 51 जिलों में कर दिया गया। इन राज्यों के नाम हैं : आंध्र प्रदेश, उड़िसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम और गुजरात।
- इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य देश के ऐसे जनजातीय इलाकों में बीमारी की रोकथाम करना है जो इस कार्यक्रम के दायरे से बाहर हैं।
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को (जिसे पहले राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के नाम से जाना जाता था) कार्यक्रम के अंतर्गत इस बीमारी के उन्मूलन के बारे में योजना बनाने तथा इसकी निगरानी और मूल्यांकन करने का दायित्व सौंपा गया है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन संबंधित राज्यों के स्वास्थ्य निदेशालयों द्वारा मौजूदा स्वास्थ्य प्रणाली के तहत ही किया जाता है।

यॉज उन्मूलन की रणनीति में ये बातें शामिल हैं :

- बीमारी के मामलों का पता लगाना। रोगियों की पहचान, निगरानी और इसके बारे में अफवाहों की जानकारी देना।
- रोगियों और उनके संपर्क में आने वालों का उपचार
- जनशक्ति विकास
- बीमारी के सिलसिले में सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां
- बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण

भारत में गिनी वर्म उन्मूलन कार्यक्रम

- 1983-84 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गिनीवर्म (नहरुआ रोग)

उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में योजना बनाने, उसमें तालमेल, दिशा-निर्देशन और मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान को नोडल एजेंसी बनाया।

- कार्यक्रम के शुरू में यानी 1984 में इस बीमारी के प्रकोप वाले दस राज्यों के 89 जिलों के रोग की आशंका वाले 12,840 गांवों में करीब 40,000 मामले दर्ज किये गये। इन राज्यों के नाम हैं—आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तमिलनाडु से 1982 में इस बीमारी का उन्मूलन कर लिया गया। महाराष्ट्र में इस बीमारी का आखिरी मामला 1992 में और कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश में 1994 में दर्ज किया गया था। आंध्र प्रदेश और गुजरात में 1990 में इस बीमारी का आखिरी मामला दर्ज हुआ। इसी तरह 1996 में राजस्थान के जोधपुर जिले में गिनी वर्म का मामला सामने आया।
- पीने के पानी को कपड़े से छानने और लोगों को आरोग्य संबंधी मूलभूत जानकारीयां उपलब्ध कराने से भारत को ड्रैकुनकूलियासिस के उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिली है। इतने सस्ते में और इतने आसान तरीके से और किसी बीमारी का उन्मूलन नहीं किया गया है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्राष्ट्रीय ड्रैकुनकूलियासिस उन्मूलन प्रमाणन आयोग के अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन दल ने 15 फरवरी, 2000 को भारत को गिनी वर्म बीमारी के प्रकोप से मुक्त घोषित किया है। लेकिन इस दल ने यह भी सिफारिश की कि जब तक पूरी दुनिया से बीमारी का नामोनिशान न मिल जाए, सूचना-शिक्षा-संचार कार्यक्रम जारी रखे जाने चाहिए।
- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने 2001 में 'भारत में गिनी वर्म रोग' के बारे में एक मोनोग्राफ प्रकाशित कर जारी किया था।
- अब तक इस रोग का कोई नया मामला सामने नहीं आया है।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

कैंसर भारत में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। हर साल इसके 7-9 लाख मामले सामने आते हैं। अनुमान है कि इस समय लगभग 25 लाख कैंसर मरीज मौजूद हैं। देश में हर साल कैंसर से चार लाख मौतें होती हैं। देश में 40 प्रतिशत कैंसर का कारण तम्बाकू है। इसलिए तम्बाकू जनित कैंसर मनुष्यों में आम है जैसे कि फेफड़ों, मुंह का कैंसर। महिलाओं में गर्भ और स्तन कैंसर साधारण सी बात है।

इसे रोकने और इसका जल्दी पता लगाने और इलाज के उद्देश्य से 1975-76 में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। बीमारी की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसमें तीन संशोधन किए गये जिसमें तीसरा संशोधन दिसंबर 2004 में हुआ। समस्या की गंभीरता और देश में कैंसर के इलाज की सुविधाओं की उपलब्धता में भौगोलिक स्तर पर ध्यान केंद्रित किया गया। संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण स्कीमें आती हैं—(1) नए क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को मान्यता। इन केंद्रों को 5 करोड़ रुपये का एकबारगी अनुदान दिया जाता है। (2) पहले से विद्यमान क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को मजबूत बनाना। इन केंद्रों को 3 करोड़ रुपये का एकबारगी अनुदान दिया जाता है। (3) ओंकोलॉजी विभाग की स्थापना के लिए सरकारी संस्थानों (मेडिकल कालेजों और सरकारी अस्पतालों) को दिए जाने वाले अनुदान की राशि बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दी गई है। (4) जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम—इन्हें दिए जाने वाले अनुदान की रकम बढ़ाकर 90 लाख रुपये कर दी गई है जिसे 5 वर्षों में दिया जाएगा। (5) विकेंद्रीकृत गैर-सरकारी संगठन स्कीम—सूचना, शिक्षा और संपर्क गतिविधियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को प्रति शिविर 8 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

योजनाओं के लिए दिशा-निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

- इस समय देश में 25 क्षेत्रीय कैंसर केंद्र हैं जो व्यापक कैंसर देखभाल सेवा प्रदान करते हैं। 210 संस्थाओं में रेडियो थेरेपी सुविधा है।
- एक राष्ट्रीय रणनीतिक कार्य बल 11वीं योजना में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की रणनीति तय करने के लिए गठित किया गया है।
- प्रशिक्षण — स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों पर स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता बढ़ाने के लिए कैंसर नियंत्रण, तंबाकू छुड़ाने और उपशामक देखभाल के लिए प्रशिक्षण नियमावली विकसित की गई है।
- आंकोनेट-इंडिया : सी-डाक तिरुवनंतपुरम को आंकोनेट इंडिया को चालू करने का जिम्मा सौंपा गया है। परियोजना के तहत सभी 25 क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को एक-दूसरे से और हरेक केंद्र को क्रम से 5 बाहरी केंद्रों से संबद्ध किया जाएगा।
- आईएआरसी की सदस्यता : भारत कैंसर अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का सदस्य बन गया है, जो देश में कैंसर अनुसंधान को बढ़ावा देगा।
- राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस : राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मैडम क्यूरी के जन्मदिन पर मनाया जाता है।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्री का कैंसर रोगी कोष

राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत 'स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि' योजना 2009 में शुरू की गयी। इस निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए ऐसे विभिन्न क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों में राष्ट्रीय आरोग्य निधि जैसी रिवाल्विंग निधि स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिन्हें भारत सरकार के कैंसर कार्यक्रम से उपकरणों के लिए धनराशि प्राप्त होती है। इस तरह के कदम से जरूरतमंद रोगियों को शीघ्रता से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि के लक्ष्य को पूरा करने में भी सहायता प्राप्त होगी। जिन अस्पतालों/संस्थानों में रिवाल्विंग निधि बनायी गयी है वे कैंसर रोगियों के लिए एक लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता के प्रस्तावों पर विचार कर सकेंगे। इस सीमा से अधिक की सहायता के मामलों को अस्पताल/संस्थान केन्द्रीय निधि को भेजेंगे। शुरू में 27 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र बनाने का प्रस्ताव है जिनकी रिवाल्विंग निधि में 10 लाख रुपये की राशि उपलब्ध रहेगी।

आपात चिकित्सा राहत

2008 में बिहार में नेपाल की सीमा के पास कोसी नदी के तटबंध टूटने से नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और यह 120 किलोमीटर पूर्व की ओर खिसक गयी। परिणामस्वरूप राज्य के सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, सहरसा और अररिया जिलों के काफी बड़े इलाके पानी में डूब गये। इससे आम लोगों पर बड़ा बुरा असर पड़ा। आपात चिकित्सा राहत उपायों के तहत एक उच्चस्तरीय दल ने स्थिति का जायजा लिया और पानी से पैदा होने वाले, रोग-वाहकों द्वारा होने वाले और सांस संबंधी रोगों की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने की सिफारिश की इसके अलावा बाढ़ के सबसे बुरे असर वाले जिलों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए छह केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य दल भी वहां तैनात किये गये। इन जिलों में 6 महीने से 14 साल तक के बच्चों को खसरे के टीके लगाये गये, गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करायी गयी और रोग-वाहक जनित बीमारियों की

रोकथाम के लिए कदम उठाये गये। रोगियों के लिए आवश्यक दवाओं की आपूर्ति भी की गयी। इसके अलावा गुजरात, आंध्र प्रदेश, दिल्ली की राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के अस्पतालों से 50 एंबुलेंसों की भी व्यवस्था की गयी और उन्हें प्रभावित इलाकों में करीब एक महीने तक तैनात रखा गया। उडिसा भी बाढ़ की चपेट में आया और उसे भी आपात चिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी गयी। बाढ़ प्रभावित जिलों में सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी की व्यवस्था करने से बीमारियों का प्रकोप नहीं फैला।

पंजाब और बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान का जायजा करने के लिए वहां का दौरा करने गये केंद्रीय गृह मंत्रालय के क्षति आकलन दलों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल थे।

ईएमआर प्रभाग ने मणिपुर और पश्चिम बंगाल में रोगों के प्रकोप से बाल मृत्यु की जांच के कार्य का समन्वय किया। इसी तरह गुजरात और अंडमान-निकोबार में लेप्टोस्पाइरोसिस और असम में हैजे के प्रकोप की जांच में भी प्रभाग ने समन्वय स्थापित किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रभावित इलाकों में उच्चस्तरीय केंद्रीय दल भेजे और स्थिति का जायजा लिया। संबंधित राज्य सरकारों को रोकथाम और उपचार के उपयों के बारे में सलाह भी दी गयी।

खाद्य अपमिश्रण रोकथाम कार्यक्रम

उपभोक्ताओं के लिए शुद्ध खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इसको ध्यान में रखते हुए 1954 में खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम बनाया गया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलें और उनके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं हो। इस अधिनियम में तीन बार (1964, 1976 और 1986 में) संशोधन हुआ है। इन संशोधनों का उद्देश्य अधिनियम की खामियों को दूर कर उसे और कारगर बनाना तथा उसके क्रियान्वयन में उपभोक्ताओं एवं स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करना है।

संवैधानिक स्थिति और पीएफए अधिनियम का परिपालन

इस अधिनियम की विषयवस्तु संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है लेकिन इस कानून का क्रियान्वयन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार मुख्य रूप से इसके क्रियान्वयन में सलाहकार की भूमिका निभाती है। हालांकि अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक वह अपने विभिन्न वैधानिक दायित्वों को भी निभाती है।

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता विनियमित करने वाले कानून देश में 1899 से लागू रहे हैं। सन 1954 तक कई राज्यों ने इसके लिए अपने कानून बनाए थे लेकिन नियमों और खाद्य पदार्थों के विनिर्देशों में काफी अंतर था जिसके कारण अंतर-प्रांतीय व्यापार में बाधा आती थी। 1937 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय सलाहकार बोर्ड और 1943 में गठित खाद्य अपमिश्रण समिति ने खाद्य अपमिश्रण स्थिति की समीक्षा कर एक केंद्रीय कानून की सिफारिश की। खाद्य एवं औषधि अपमिश्रण का विषय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है अतः केंद्र को इस पर कानून बनाने का अधिकार है। अतः भारत सरकार ने एक कानून बनाया, जिसका नाम है खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम, 1954। यह अधिनियम 15 जून, 1955 से लागू हुआ। इस अधिनियम ने इससे पहले राज्यों द्वारा बनाए गए सभी कानून रद्द कर दिए।

खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण सेवाएं— भारत में खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तीन स्तर की व्यवस्था है : (क) भारत सरकार (ख) राज्य/केंद्रशासित सरकारें (ग) स्थानीय निकाय।

भारत सरकार की भूमिका—केंद्रीय पीएफए कक्ष : खाद्य अपमिश्रण अधिनियम केंद्रीय कानून है। इसके अंतर्गत निर्धारित मानक देशभर में समान रूप से लागू हैं। नियम और मानक निर्धारित करने के अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय निम्नलिखित गतिविधियां चलाता है—(1) खाद्य कानूनों को लागू करने हेतु राज्य/स्थानीय निकायों के साथ निकट संपर्क रखना। (2) राज्य की गतिविधियों पर नजर रखना, खाद्य विषाक्तता के मामलों की रिपोर्टें प्राप्त करना और समय-समय पर राज्यों का दौरा करना। (3) वरिष्ठ अधिकारियों/निरीक्षकों/विश्लेषकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। (4) प्रदर्शनियां लगाकर और विचार गोष्ठियां/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके तथा पुस्तिकाएं प्रकाशित करके इस कार्यक्रम के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाना। (5) शिशु आहार और शिशुओं को दूध के विकल्पों के लेबल अनुमोदित करना ताकि छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। (6) आईएसओ/एफएओ/डब्ल्यूएचओ और कोडेक्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ तालमेल करना। (7) खाद्य पदार्थों को खराब करने वाले रंगों के बारे में सर्वेक्षण और मॉनीटरिंग संचालित करना। (8) कोलकाता, गाजियाबाद, मैसूर और पुणे स्थित चार केंद्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं को प्रशासनिक/वित्तीय/तकनीकी सहायता देना और राज्यों/स्थानीय निकायों द्वारा स्थापित खाद्य प्रयोगशालाओं को तकनीकी दिशा-निर्देश प्रदान करना। (9) राष्ट्रीय मॉनीटरिंग एजेंसी के रूप में खाद्य विकिरण संबंधी नीतिगत मुद्दों पर फैसला करने के अपने निहित अधिकार संबंधी गतिविधियां संचालित करना। (10) खाद्य पदार्थों के विश्लेषण की नियम पुस्तिका बनाना।

भारत में कोडेक्स संपर्क बिंदु : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय देश में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों से संबंधित एफ.ए.ओ./डब्ल्यू.एच.ओ. की संयुक्त संस्था कोडेक्स आहार आयोग और उसकी सहायक समितियों की विभिन्न बैठकों के एजेंडे पर देश के दृष्टिकोण को जांचने और तैयार करने के लिए राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंदु के रूप में काम करता है। भारतीय पक्ष को तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय कोडेक्स समिति का गठन किया। इस समिति ने 24 उप समितियां बनाईं।

भारत कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन की बैठकों में भाग लेता रहा है। वह एशिया की समन्वय समिति और कोडेक्स कमोडिटी कमेटियों की बैठक में भी शामिल होकर भारत का दृष्टिकोण पेश कर बैठकों में उनका बचाव करता है।

कोडेक्स और खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम में समरसता : खाद्य पदार्थों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्यवस्था संबंधी एस.पी.एस. और टी.बी.टी. समझौतों पर भारत द्वारा हस्ताक्षर करने और देश में खाद्यान्नों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के बाद खाद्य उत्पादों के मानक को समरस बनाने की प्रक्रिया, खाद्य योजकों के प्रयोग सूक्ष्म जैविक आवश्यकता में तथा नियमों का संतुलन बहुत पहले से कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन तथा अंतर्राष्ट्रीय मानक आयोग द्वारा निर्धारित किए गए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कर दिए गए हैं।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों की भूमिका : खाद्य पदार्थों से संबंधित कानूनों को लागू कराने की पहली जिम्मेदारी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों की है। अधिकतर राज्यों में इस कानून के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य सेवा निदेशालय पर है लेकिन कुछ राज्यों में इसे खाद्य व औषधि प्रशासन के अंतर्गत औषधि प्रशासन के साथ निदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से लागू कराया जाता है। इसका प्रशासन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था पर छोड़ दिया गया है लेकिन इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्यों का प्रशासनिक ढांचा कुछ भी हो, इसके लिए खाद्य विज्ञान में पूर्ण योग्यता और अनुभव

प्राप्त एक वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिए जो खाद्य टेक्नोलॉजी और खाद्य विश्लेषण में निपुण हो। साथ ही, इसकी सहायता के लिए सहायक अधिकारी और निरीक्षक होने चाहिए। खाद्य कंपनियों और उद्योगों के लिए नियम तय करने और लाइसेंस शर्तें व विश्लेषण शुल्क निर्धारित करने के अधिकार भी राज्य सरकारों को प्राप्त हैं। खाद्य वस्तुओं में मिलावट रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों में करीब 300 संशोधन किए गए हैं। साथ ही अधिक खपत वाली करीब 250 वस्तुओं के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। संशोधनों को निर्धारित करते समय खाद्य उद्योग क्षेत्र में कोडेक्स/तकनीकी विकास द्वारा निर्धारित मानक/खान-पान की आदतें/जनसमूह का पौष्टिकता स्तर/सामाजिक/सांस्कृतिक गतिविधियों आदि को ध्यान में रखा जाता है।

अधिकतर राज्यों में नगरपालिका और नगर निगम क्षेत्रों में खाद्य नियमों को स्थानीय निकाय लागू करते हैं। इसके लिए स्थानीय निकाय खाद्य निरीक्षकों को नियुक्त करता है। स्थानीय निकाय खाद्य कंपनियों और उद्योगों को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) भी देते हैं।

देश में चार केंद्रीय खाद्य प्रयोगशालाएं हैं। इनके अलावा जिला/क्षेत्र या राज्य स्तर पर 72 खाद्य प्रयोगशालाएं भी हैं। प्रायः प्रत्येक राज्य में उनकी आवश्यकता के अनुसार एक या उससे अधिक खाद्य प्रयोगशालाएं हैं। इनमें से करीब 12 प्रयोगशालाएं स्थानीय निकायों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, जबकि शेष सभी पर राज्य सरकारों का प्रशासनिक नियंत्रण है।

इस कार्यक्रम में निम्नलिखित कठिनाइयां महसूस की गई हैं : (i) राज्यों/स्थानीय निकायों के पास खाद्य निरीक्षक की कमी। (ii) नीचे दिए जा रहे मुद्दों पर परीक्षण प्रयोगशालाओं की खामियां—(क) प्रशिक्षित जनशक्ति की अपर्याप्तता (ख) अपर्याप्त परीक्षण सुविधाएं (ग) आधुनिक उपकरणों की अनुपलब्धता (घ) बजट आवंटन की अपर्याप्तता (iii) संदर्भ की मानक सामग्री की अनुपलब्धता। (iv) खाद्य मिलावट निवारण के लिए राज्य/स्थानीय निकाय अथवा जिला-स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी की अनुपलब्धता और (v) सभी कार्यकर्ताओं के लिए नियमित रूप से रीफ्रेश कोर्सेस की उपलब्धता।

कठिनाइयां दूर करने के केंद्र सरकार के प्रयास : (i) सब प्रकार के कर्मचारियों के रीफ्रेश प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं यानी—(क) खाद्य निरीक्षक (ख) स्थानीय (स्वास्थ्य) अधिकारी (ग) खाद्य (स्वास्थ्य) अधिकारी (घ) सार्वजनिक विश्लेषक और रासायनिक।

विश्लेषक और रासायनज्ञ के लिए प्रशिक्षण उनकी प्रयोगशाला में ही आयोजित किया जाता है। ये प्रशिक्षक छह कार्यदिवसों तक प्रयोगशाला में रहते हैं। पहले वे हर प्रयोगशाला को अच्छे प्रयोगशाला व्यवहारों के अनुसार स्थापित करते हैं जिसके बाद विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। (ii) राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को आधुनिकतम उपकरण दिए जा रहे हैं ताकि हर राज्य में एक प्रयोगशाला उपयुक्त रूप से सक्षम बनाई जा सके। प्रयास किए जा रहे हैं कि स्पलाई किए जाने वाले उपकरणों की वारंटी कम से कम तीन वर्ष हो, साथ ही उसमें काम आने वाली सामग्री और प्रशिक्षण भी पूर्तिकर्ता विश्लेषक रासायनज्ञ को दे ताकि वे इन उपकरणों का इस्तेमाल कर सकें। (iii) प्रयास किए जा रहे हैं कि हर राज्य में कंप्यूटर, जिला मुख्यालयों के कंप्यूटर से जोड़ दिए जाएं। इस पर आने वाले खर्च की राशि विश्व बैंक की सहायता से केंद्र सरकार देगी। इससे हर तरह की सूचना का आदान-प्रदान हो सकेगा और नेटवर्क बनाया जा सकेगा। (iv) हर खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को 5 वर्ष के लिए केंद्रीय बजट से कम से कम एक रासायनज्ञ विश्व बैंक की सहायता से देने के प्रयास किए जा रहे हैं। (v) प्रस्ताव है कि हर राज्य की एक प्रयोगशाला को खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के

नियम 65 में सूचीबद्ध कीटनाशकों और नियम 57 के अंतर्गत सूचीबद्ध धातुओं और एफ्लेटाक्सिनों के बारे में मानक संदर्भ सामग्री उपलब्ध करा दी जाए। (vi) अधिकांश प्रयोगशालाओं को विश्लेषण विधि संबंधी पुस्तकें जैसे एओएसी, पीयरसन, फूड केमिकल कोडेक्स दे दी गई हैं। इस साल भी उन्हें अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ दिए जा रहे हैं। (vii) उपभोक्ताओं, व्यापारियों, दुकानदारों तथा गली-गली सामान बेचने वालों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस साल भी खाद्य सुरक्षा पर एक उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। (viii) बंदरगाह (स्वास्थ्य) अधिकारियों/हवाई अड्डा स्वास्थ्य अधिकारियों/तटकर अधिकारियों/कस्टम हाउस क्लीयनिंग एजेंटों और आयातकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उन्हें खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के नियमों और अन्य प्रावधानों जैसे डिब्बाबंदी जिस अधिनियम और तटकर अधिनियम आदि में प्रशिक्षित किया गया है ताकि वे आयातित खाद्य सामग्री को समुचित रूप से संभाल सकें।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 : खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (एफएसएसए) संसद द्वारा अगस्त 2006 में मंजूर किए जाने के बाद खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम 1954 उसी दिन रद्द हो जाएगा, जिस दिन नया अधिनियम लागू होगा।

अधिनियम और इसी सूची में विनिर्दिष्ट आदेशों के रद्द होने के बावजूद, अधिनियम में निहित मानक, सुरक्षा आवश्यकताएं और अन्य प्रावधान तथा नियम व विनियमन तथा अनुसूची सूचीबद्ध तब तक प्रभावी और लागू रहेंगे जब तक नए अधिनियम के तहत मानकों का निर्धारण या नियमों और विनियमनों को विनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता।

विश्व बैंक समर्थित खाद्य सुरक्षा पर क्षमता निर्माण परियोजना

दुनिया भर में खाद्य वस्तुओं के व्यापार के विस्तार के बाद खाद्य सुरक्षा महज घरेलू मुद्दा नहीं रह गया है। विभिन्न देशों की सरकारों के लिए विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के मुताबिक अपने देश में आधुनिक खाद्य नियंत्रण और सुरक्षा कार्यक्रमों का विकास आवश्यक हो गया है। यह मुद्दा सिर्फ उत्पादों के मानकों से ही नहीं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया पर नियंत्रण से भी संबंधित है। इस देश में खाद्य सुरक्षा का ढांचा मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार ने खाद्य सुरक्षा और औषधि गुणवत्ता नियंत्रण के लिए विश्व बैंक की सहायता से पांचवर्षीय क्षमता निर्माण परियोजना शुरू की है। परियोजना के उद्देश्य और तत्त्व हैं—(i) केंद्रीय और राज्य स्तर पर प्रयोगशालाओं में सुविधाएं तथा क्षमता बढ़ाना और उसके कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना। इसके लिए अलग से यह भी प्रस्ताव किया गया कि जिन प्रयोगशालाओं को एन.ए.बी.एल. से मान्यता मिली हो, उन्हीं को जांच करने की वैधानिक अनुमति मिले। (ii) मध्यम और लघु खाद्य प्रसंस्करण कार्यों में जी.एम.पी. और एच.ए.सी.सी.पी. शुरू किया गया और सूक्ष्म जैविक पदार्थों की जांच समेत प्रयोगशालाओं में सुविधाओं को बढ़ाया गया। (iii) लघु, कुटीर और असंगठित क्षेत्रों में प्रशिक्षण के जरिए खाद्य सुरक्षा व स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। (iv) ग्राहकों के विचार जानने के लिए नियमित रूप से घरों के सर्वेक्षण की प्रणाली विकसित करना, ताकि नीति विकसित करने और कार्यक्रमों में सुधार के लिए आवश्यक व महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकें। (v) बेहतर निगरानी और आंकड़ों के संकलन के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा केंद्र व राज्यों के कार्यालयों और केंद्रीय एवं राज्यस्तर की प्रयोगशालाओं के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स संपर्क स्थापित करना। इस पंचवर्षीय परियोजना का लागत खर्च करीब 354 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह परियोजना अक्टूबर, 2003 से प्रभावी हो गई है।

भारतीय चिकित्सा परिषद

भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना एक विधायी संस्था के रूप में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1933 के अंतर्गत की गई (बाद में इसे निरस्त कर भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 लाया गया, जिसमें 1958 में मामूली संशोधन किए गए)। वर्ष 1993 में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 में व्यापक संशोधन कर नए मेडिकल कालेज खोलने, उनकी सीटों में बढ़ोतरी और नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मंजूरी को अनिवार्य बना दिया गया, ताकि देश में स्वास्थ्य शिक्षा के प्रतिमानों का नियमन हो सके। चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 को पुनः 2001 में संशोधित किया गया, ताकि भारतीय चिकित्सा परिषद चिकित्सा के क्षेत्र में विदेशी योग्यता हासिल करने वाले भारतीय नागरिकों को देश में प्रैक्टिस करने के लिए चिकित्सा पंजीकरण जारी करने से पूर्व उनकी कुशलता की जांच के लिए परीक्षा ले सके। इस संशोधन के जरिए विदेशी संस्थानों में स्नातक-पूर्व चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों के लिए भी यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे भारतीय चिकित्सा परिषद् से इस आशय का योग्यता प्रमाणपत्र लें कि वे परिषद द्वारा सुनिश्चित मानदंडों को पूरा करते हैं।

परिषद के मुख्य कार्य हैं—स्नातक-पूर्व तथा स्नातकोत्तर स्तर पर चिकित्सा शिक्षा के समान मानक बनाए रखना, भारतीय मेडिकल पंजीका बनाना, एक-दूसरे देशों में चिकित्सा की डिग्रियों को मान्यता देने के लिए इन देशों के साथ तालमेल बनाए रखना, चिकित्सा शिक्षा जारी रखना और मान्य चिकित्सा योग्यताओं वाले चिकित्सकों को अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान करना तथा अतिरिक्त योग्यताओं का पंजीकरण और राष्ट्रमंडल देशों में जाने वाले चिकित्सकों को प्रतिष्ठित (गुड स्टैंडिंग) डाक्टर का प्रमाणपत्र देना। इस समय देश में 264 मेडिकल कालेज हैं। इनमें से 185 को भारतीय चिकित्सा परिषद की मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार ने 90 नए मेडिकल कालेजों को एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति प्रदान की है। इन कालेजों में प्रतिवर्ष करीब 30,122 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो

केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की स्थापना 6 दिसंबर, 1956 को केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारत में स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए की गई। इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं—(क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की व्याख्या करना। (ख) स्वास्थ्य व्यवहार, स्वास्थ्य शिक्षा प्रक्रिया और सहायता उपकरणों के डिजाइन तैयार करना और अनुसंधान करवाना तथा उसका मार्गदर्शन करना। (ग) स्वास्थ्य समस्याओं और कार्यक्रमों के अनुकूल स्वास्थ्य प्रोन्नयन और शिक्षा सामग्री के प्रोटोटाइप तैयार और वितरित करना। (घ) स्वास्थ्य शिक्षा और अनुसंधान के तरीकों के बारे में स्वास्थ्य एवं समुदाय कल्याणकर्मियों को प्रशिक्षित करना। प्रशिक्षण के तौर-तरीके और सहायक उपकरण विकसित करना। (ङ) स्कूली छात्रों और कर्मियों को स्वास्थ्य शिक्षा देने में स्कूलों और प्रशिक्षण संस्थानों के अध्यापकों की सहायता करना। (च) राज्य, जिला और अन्य स्तरों पर स्वास्थ्य शिक्षा के प्रसार हेतु कार्य करने के लिए संगठनात्मक ढांचे के वास्ते दिशा-निर्देश देना। (छ) स्वास्थ्य शिक्षा में लगी सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों को तकनीकी सहायता देना। (ज) स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करना।

यह ब्यूरो नई दिल्ली में कोटला रोड पर स्थित है। इसका प्रमुख निदेशक स्तर का है और उसकी सहायता के लिए विभिन्न विषयों के जानकार अधिकारी हैं। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस ब्यूरो के चार तकनीकी और एक प्रशासनिक प्रभाग हैं। इस विभाग के बारे में इंटरनेट की वेबसाइट <http://cheb.nic.in> तथा ईमेल : divcheb@nic.in से जाना जा सकता है। वर्तमान चुनौतियों एवं स्वास्थ्य शिक्षा एवं उसके प्रसार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए cheb को चार तकनीकी एवं एक प्रशासनिक विभाग में पुनर्गठित किया गया है। हर विभाग का नेतृत्व एक वरिष्ठ अधिकारी करता है। जिसके कार्यों में दीर्घ एवं कम अवधि के प्रशिक्षण देना शामिल है। यह स्वास्थ्य शिक्षा में दो वर्ष की अवधि के स्नातकोत्तर डिप्लोमा का संचालन करता है। यह भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त और दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध है। कम अवधि का पाठ्यक्रम सामान्यतः एक सप्ताह अवधि का होता है और यह विभिन्न स्तर के स्वास्थ्यकर्मियों के लिए होता है। पराचिकित्सक तथा गैर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को पुनः शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। डाइट्स की फैकल्टी के लिए स्वास्थ्य संवर्धन एवं शिक्षा के अल्पावधि के पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में स्नातकोत्तर डिप्लोमा का पाठ्यक्रम अद्यतन किया गया है। एक, दिन एक सप्ताह और तीन माह के अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रारूप निर्धारित किया जा चुका है, जिस पर इस वर्ष राष्ट्रीय कार्यक्रम में विचार किया जाएगा।

यह ब्यूरो विभिन्न पक्षों पर मुद्रित एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए सामग्री तैयार करता है। इनमें पोस्टर, पर्चे, पैम्फलेट तथा दूरदर्शन एवं अन्य चैनलों के प्रसारण के लिए वीडियो स्पॉट आदि शामिल हैं। यह ब्यूरो विभिन्न स्वास्थ्य मेलों में भाग लेता है। जन-जागरूकता के उद्देश्य से विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों पर प्रदर्शनियां लगाता है।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आरोग्य निधि का गठन 1997 में किया। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था जो जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हैं, ताकि वे सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इसके अंतर्गत ऐसे लोगों के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों/संस्थानों और सरकारी अस्पतालों में उपचार की व्यवस्था की गयी है। ऐसे रोगियों को वित्तीय सहायता एकमुश्त अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। यह राशि उस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को प्रेषित की जाती है जिसमें रोगी का इलाज चल रहा हो।

जरूरतमंद रोगियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग, एलएचएमसी और सुचेता कृपलानी अस्पताल, चंडीगढ़ के पीजीआईएमआर, पुद्दुचेरि के जेआईपीएमईआर, बंगलूरु के निमहन्स अस्पताल, कोलकाता के सीएनसीआई, लखनऊ के एसजीपीजीआईएमएस और गांधी मैमोरियल एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, इम्फाल के आरआईएमएस और शिलांग के नीग्रिहम्स के चिकित्सा अधीक्षकों के पास 10 से 40 लाख रुपये अग्रिम के रूप में रखे गए हैं ताकि वे पात्र रोगियों को संबंधित अस्पताल/संस्थान में इलाज के लिए एक लाख रुपये तक की राशि मंजूर कर सकें।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार भी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को रोग निधि बनाने के लिए अनुदान उपलब्ध कराती है। इस निधि में 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश का होता है।

आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब तथा राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली व केन्द्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी ने ऐसी निधियों का गठन कर लिया है। इन राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में रहने वाले गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आरोग्य निधि से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर आपातकालीन सुविधाएं

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना की आशंका वाले कस्बों व शहरों में स्थित चुनिंदा अस्पतालों (राज्य सरकार के) की आपातकालीन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक अग्रगामी परियोजना के तहत सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सहायता की अधिकतम राशि 1 करोड़ 50 लाख रुपये या अस्पताल द्वारा मांगी गई रकम (जो भी कम हो) उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन सेवाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्रशासित प्रदेशों के अस्पतालों/संस्थानों को निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनुदान सहायता उपलब्ध कराना है—(i) दुर्घटना और मानसिक आघात के उपचार के लिए आवश्यक उपकरण तथा पूर्ण रूप से उपकरणयुक्त एंबुलेंस; (ii) संचार प्रणाली; (iii) बुनियादी ढांचा (रक्त बैंक, जांच कक्ष, पुनर्जीवन, आई.सी.यू. और जले हुए रोगियों के लिए विशेष बिस्तर-7), एक्स-रे कक्ष, स्वागत कक्ष, नियंत्रण कक्ष और लघु शल्यक्रिया कक्ष; (iv) बिस्तर, उपकरण आदि।

राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी

सन 1961 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी की स्थापना चिकित्सा विज्ञान की प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। यह अकादमी फेलो और सदस्यों का चुनाव कर प्रतिभाओं तथा योग्यताओं को मान्यता देती है। चिकित्सा व्यवसायियों को नई समस्याओं से निपटने, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं देने तथा उनके ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए अकादमी ने 1982 से चिकित्सा शिक्षा जारी रखने का एक कार्यक्रम (सी.एम.ई.) लागू किया है। इस अकादमी में 25 जून, 2008 तक 6 मानद फेलो, 756 फेलो और 4203 सदस्य थे।

भारतीय फार्मसी परिषद

भारतीय फार्मसी परिषद का गठन फार्मसी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत किया गया। इसकी मुख्य जिम्मेदारी फार्मासिस्टों के लिए प्रशिक्षण के समान स्तर के नियम लागू करना और उनका नियमन करना है। यह परिषद फार्मासिस्टों का पंजीकरण भी करती है। इस समय मान्यताप्राप्त 4 संस्थानों में हर वर्ष 29,958 विद्यार्थियों को फार्मसी का डिप्लोमा और 276 संस्थानों में हर साल 15,815 विद्यार्थियों को फार्मसी की डिग्री दी जाती है। इस समय देश में विभिन्न राज्यों की फार्मसी परिषदों में 5.76 लाख फार्मासिस्ट पंजीकृत हैं।

समन्वित रोग निगरानी परियोजना (आईडीएसपी)

समन्वित रोग निगरानी परियोजना की शुरुआत केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने नवम्बर 2004 में की थी। इसका उद्देश्य बिमारियों के संभावित प्रकोप के संकेतों का समय रहते पता लगाना और आवश्यक कदम उठाना है। 2004-09 के दौरान परियोजना का कुल खर्च 399.70 करोड़ रुपये है।

उद्देश्य

- बीमारियों के प्रकोप की आशंका के प्रारंभिक संकेतों का समय रहते पता लगाने के लिए राज्य आधारित विकेन्द्रीकृत निगरानी प्रणाली कायम करना ताकि देश में जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कारगर कार्रवाई शुरू की जा सके।
- रोग नियंत्रण कार्यक्रमों की मौजूदा निगरानी संबंधी गतिविधियों की कार्यकुशलता में सुधार लाना और प्रासंगिक सूचनाओं को स्वास्थ्य प्रशासन, समुदाय और अन्य संबद्ध लोगों के साथ बांटना ताकि समय के साथ-साथ बीमारियों की प्रवृत्तियों का पता लगाया जा सके और नियंत्रण गतिविधियों का मूल्यांकन हो सके।

परियोजना के घटक

- निगरानी गतिविधियों में तालमेल और उनका विकेन्द्रीकरण करने के लिए केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर निगरानी इकाइयां स्थापित करना।
- मानव संसाधन विकास—राज्य निगरानी अधिकारियों, जिला निगरानी अधिकारियों, द्रुत कार्रवाई दलों, अन्य चिकित्सा और अर्धचिकित्सा कर्मियों को रोग निगरानी के सिद्धांतों के आधार पर प्रशिक्षण।
- आंकड़ों के संग्रहण, संकलन, एकत्रण, विश्लेषण और प्रसार के लिए सूचना व संचार टेक्नोलाजी का उपयोग।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना।

आंकड़ा प्रबंधन

समन्वित रोग निगरानी परियोजना के अंतर्गत महामारी की आशंका वाले रोगों संबंधी आंकड़े साप्ताहिक आधार पर (सोमवार-रविवार) एकत्र किये जाते हैं। इसके लिए तीन विशेष रिपोर्टिंग फॉर्मेट हैं जिनके नाम हैं : 'S', (संदिग्ध मामले), 'P' (परिकल्पित मामले) और 'L' (प्रयोगशाला में पुष्टि वाले मामले)। इनके बारे में ब्यौरा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, क्लीनिक कर्मियों और क्लीनिकल प्रयोगशालाकर्मियों द्वारा प्रेषित किया जाता है। साप्ताहिक आंकड़ों में रोग संबंधी रुझानों और नयी बीमारियों के मामलों की जानकारी दी जाती है।

जब भी किसी इलाके में किसी बीमारी के मामले ज्यादा संख्या में आने लगते हैं तो इनकी चिकित्सा अधिकारियों/द्रुत कार्रवाई दलों द्वारा छानबीन की जाती है ताकि बीमारियों का पता लगाकर इसके प्रकोप की रोकथाम की जा सके। आंकड़ों का विश्लेषण और कार्रवाई संबंधित इकाइयों द्वारा की जाती है। इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े अस्पतालों के बारे में निगरानी की जानकारी हासिल करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। संक्रामक रोग अस्पतालों से प्राप्त होने वाले आंकड़ों पर भी अधिक बल दिया जाता है। समन्वित बीमारी नियंत्रण परियोजना के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के राज्यों में बीमारियों की निगरानी के बारे में 606 जिलों में 306 से साप्ताहिक आंकड़े प्राप्त किये जा रहे हैं।

प्रकोप निगरानी और कार्रवाई

समन्वित बीमारी नियंत्रण परियोजना को राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों से साप्ताहिक आधार पर रिपोर्ट प्राप्त होती है। अगर कहीं से रिपोर्ट शून्य हो तो उसकी जानकारी देना भी अनिवार्य है। रोगों के

प्रकोप/चेतावनी के बारे में आंकड़ों का संकलन साप्ताहिक आधार पर किया जाता है ताकि प्रधानमंत्री कार्यालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), अपर सचिव और मिशन डायरेक्टर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, अपर सचिव (जीबी) और संयुक्त सचिव (आरएसएस) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित तमाम संबद्ध पक्षों के साथ इसको साझा किया जा सके। केन्द्रीय निगरानी एकांश को राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों से हर सप्ताह बीमारियों का प्रकोप फैलने की औसतन 10 से 12 सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सितम्बर 2009 में समन्वित बीमारी नियंत्रण परियोजना के तहत कुल 43 मामलों की जानकारी प्राप्त हुई जिनमें गंभीर डायरिया (41 प्रतिशत), मलेरिया (11 प्रतिशत) और चिकनगुनिया, डेंगू, भोजन में विषाक्तता (9 प्रतिशत) के मामले शामिल थे।

इनफ्लूएंजा ए एच1एन1 की रोकथाम में समन्वित बीमारी नियंत्रण परियोजना का योगदान

समन्वित बीमारी नियंत्रण परियोजना के तहत इनफ्लूएंजा जैसी बीमारियों से ग्रस्त बस्तियों का पता लगाने के लिए सामुदायिक निगरानी का कार्य किया जा रहा है। आईएलआई और न्यूमोनिया के मामले में सूचना देने के लिए यह परियोजना राज्यों में एक तरह से केन्द्रबिन्दु का कार्य करती है। स्थिति पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग केन्द्र में प्रकोप निगरानी प्रकोष्ठ गठित किया गया है जो चौबीसों घंटे कार्य करता है। प्राइवेट प्रैक्टिसनर्स, नर्सिंग होम्स और असपतालों से अनुरोध किया गया है कि वे इस तरह की बीमारियों के मामलों के बारे में समन्वित बीमारी नियंत्रण परियोजना कॉल सेंटर को टेलीफोन नं. 1075 (टोल फ्री) पर जानकारी दें। राष्ट्रीय संचारी रोग केन्द्र दिल्ली, एनआईवी पुणे और देश के विभिन्न भागों में अन्य प्रयोगशालाओं को चिकित्सीय नमूनों के परीक्षण के लिए चिन्हित किया गया है। राज्यों से कहा गया है कि वे जिला स्तर पर संगरोध सुविधाओं को सुदृढ़ करें। 18 राज्यों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए धनराशि जारी कर दी गयी है और राज्यों के लिए भी धनराशि जारी की जा रही है। राज्य और जिला आरआरटी को संभावित प्रकोप की छानबीन और प्रबंधन के लिए सचेत कर दिया गया है। बस्तियों में बीमारियों के प्रकोप की रोकथाम में समन्वित बीमारी नियंत्रण परियोजना बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और बीमारी के संपर्क में आए सभी लोगों का पता लगाकर उन्हें घर पर ही सबसे अलग-थलग रखती है। उन्हें रासायनिक उपचार भी उपलब्ध कराया जाता है। राज्यों को बीमारियों के चिकित्सकीय प्रबंधन, संक्रमण नियंत्रण के तौर-तरीकों और प्रयोगशाला सहायता के बारे में दिशा-निर्देश दिये गये। मृत्यु के कारणों के बारे में जानकारी देने के लिए मृत्यु सारांश प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसे राज्यों/जिलों को इस निर्देश के साथ भेजा गया है कि वे इनफ्लूएंजा-ए एच1एन1 से हुई मौतों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं। महामारी के प्रकोप की दृष्टि से भी मौत के मामलों का नियमित रूप से विश्लेषण किया जा रहा है।

मीडिया तहकीकात और सत्यापन प्रकोष्ठ

मीडिया की छानबीन बीमारियों के प्रकोप का पता लगाने और शीघ्रता से प्रारंभिक चेतावनी संकेतों का पता लगाने की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। प्रकोष्ठ को स्वास्थ्य संबंधी असामान्य घटनाओं के बारे में औसतन 4-5 मीडिया चेतावनियां प्राप्त होती हैं और उनका साप्ताहिक सत्यापन किया जाता है। सितम्बर 2009 में 40 चेतावनियां मिलीं और उनके बारे में छानबीन की गयी।

सूचना और संचार नेटवर्क

आईसीटी देशभर में समन्वित बीमारी नियंत्रण परियोजना को लागू करने में अभिन्न और जबरदस्त भूमिका निभाती है। इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक डेटा प्रबंधन, विश्लेषण और बीमारी का प्रकोप होने की स्थिति में तेजी से संचार सुनिश्चित करना है।

डेटा सेंटर

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने 796 में से 760 स्थानों को ब्राडबैंड संपर्क से जोड़ा है। डेटा सेंटर का उद्देश्य महामारियों का प्रकोप फैलने की स्थिति में डेटा को ऑन लाइन केन्द्रीय सर्वर में दर्ज करना है ताकि आंकड़ों को बड़ी तेजी से प्रेषित किया जा सके।

प्रशिक्षण केन्द्र

396 स्थानों में से 332 स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं। राज्यों से जिला स्तर पर संचार एनआईसी के ई-लर्निंग पोर्टल (<http://e-learning.nic.in/lms>) के जरिए संभव है। इस केन्द्र के पास प्रशिक्षण के लिए वर्चुअल क्लासरूम (राज्य/क्षेत्र से संबंधित बीमारियों की निगरानी के बारे में बहस के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए), ई-लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सवाल-जवाब करने, समीक्षा और परियोजना की निगरानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 400 में से 345 एडुसेट/वी-सैट साइट्स बना लिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग राज्यों और मेडिकल कालेजों में एसएसओ/एसआरआरटी/डीएसओ/डीआरआरटी के साथ बीमारियों के प्रकोप के फैलने की पड़ताल करने, सत्यापन करने, विशेषज्ञ दलों के साथ प्रलेखन, परियोजना समीक्षा, निगरानी व समीक्षा, डेटा मैनैजर्स और डेटा आपरेटरों को आंकड़ों की जानकारी देने तथा उनके विश्लेषण के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सितम्बर 2009 में सीएसयू में विभिन्न राज्यों और जिलों के साथ कुल 13 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र आयोजित किये गये।

कॉल सेंटर

देश में किसी भी स्थान से बीमारियों के बारे में चेतावनी प्राप्त करने के लिए कॉल सेंटर बनाया गया है जिसमें टेलीफोन नम्बर 1075 पर निशुल्क सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। इसके आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में उचित कदम उठाया जाता है। कई भाषाओं में मुफ्त बातचीत की सुविधा उपलब्ध होने से इस कॉल सेंटर में देश के विभिन्न भागों से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसमें जवाब देने की सुविधा भी उपलब्ध है जिसके माध्यम से संबंधित जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचना दी जाती है ताकि बीमारियों का जल्द से जल्द पता लगाकर तत्काल कार्रवाई की जा सके। सितम्बर 2009 में 8425 कॉल प्राप्त हुईं जिनमें से इनफ्लूएंजा-ए (एच1एन1) के बारे में 2758 कॉल की गईं।

आईडीएसपी पोर्टल

आईडीएसपी पोर्टल ऐसा पोर्टल है जिसमें एक ही स्थान पर डेटा एंट्री, रिपोर्ट देखने, प्रकोप के बारे में जानकारी देने संबंधी आंकड़े, विश्लेषण, प्रशिक्षण माड्यूल और बीमारियों के पूर्वानुमान संबंधी तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। 21 राज्यों ने इस पोर्टल में सूचनाएं भेजना शुरू कर दिया है।

प्रशिक्षण

आईडीएसपी में तीन स्तरों वाले प्रशिक्षण की व्यवस्था है :

- मास्टर ट्रेनरों, राज्यों व जिलों के रोग पूर्वानुमान अधिकारियों और आरआरटी सदस्यों को राष्ट्रीय स्तर के 9 पूर्व निर्धारित संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता है।
- चिकित्सा अधिकारियों और जिला प्रयोगशाला तकनीशियनों को मास्टर ट्रेनर्स के स्तर पर राज्यों में प्रशिक्षण दिया जाता है।
- स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य संबद्ध संस्थाओं के प्रयोगशाला तकनीशियनों/सहायकों को जिला स्तर पर स्वास्थ्य/चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।

प्रथम चरण में नौ राज्यों में राज्य/जिला पूर्वानुमान दलों के प्रशिक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है और द्वितीय चरण में 14 और तृतीय में 6 राज्यों में यह कार्य पूरा किया गया है।

राज्य स्तरीय प्रशिक्षण की स्थिति

श्रेणी	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	कुल
चिकित्सा अधिकारी	14,051	10,203	1811	26065
स्वास्थ्यकर्मी	71,740	64,320	2,712	1,38,772
प्रयोगशाला तकनीशियन	4,500	3,652	163	8315

राज्य स्तर के प्रतिभागियों के प्रशिक्षण में मुख्य जोर बीमारियों के पूर्वानुमान, महामारियों संबंधी अवधारणा और डेटा प्रबंधन पर दिया जाता है जबकि जिला स्तरीय प्रशिक्षण में डेटा एकत्र करने की सही प्रक्रिया, उसके संकलन और सूचना देने पर जोर रहता है। जिला पूर्वानुमान अधिकारियों के लिए दो सप्ताह का आवश्यकता पर आधारित विशेष रोग निगरानी और क्षेत्रीय महामारी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। 188 जिला निगरानी अधिकारियों को दो सप्ताह के इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने वाला संगठन है। इसे राज्य और जिला मुख्यालयों में महामारियों के विशेषज्ञों और राज्य मुख्यालयों के लिए एंटोमोलाजिस्ट व विशेष प्रयोगशालाओं के लिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट की भर्ती करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। 766 पदों (646 एपीडेमोलाजिस्ट, 85 माइक्रोबायोलॉजिस्ट और 35 एंटोमोलाजिस्ट) के लिए 1033 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए आए जिनमें से 599 (491 एपीडेमोलाजिस्ट, 85 माइक्रोबायोलॉजिस्ट और 23 एंटोमोलाजिस्ट) का चयन किया गया। राज्यों की ओर से इन चयनित विशेषज्ञों को नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया जारी है। अब तक 207 एपीडेमोलाजिस्ट, 28 माइक्रोबायोलॉजिस्ट और 23 एंटोमोलाजिस्ट ज्वाइन भी कर चुके हैं। एपीडेमोलाजिस्ट के प्रशिक्षण के लिए संकाय विकास कार्यक्रम के 4 बैच बनाए गए हैं जिनमें से तीन ने राष्ट्रीय संचारी रोग केन्द्र में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया है। संकाय विकास कार्यक्रम का चौथा बैच जल्द ही प्रशिक्षण के लिए आने वाला है। अब तक 18 राज्यों के 80 विशेषज्ञों को इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। एपीडेमोलाजिस्ट (महामारी विशेषज्ञ) का पहला प्रशिक्षण सत्र 14-26 सितम्बर तक डीएमआईएमएस वर्धा महाराष्ट्र में आयोजित किया गया।

प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना

देश में महामारी की तरह फैलने वाली बीमारियों के निदान के लिए 50 प्रयोगशालाओं को प्राथमिकता के

आधार पर सुदृढ़ किया जा रहा है। प्राथमिकता वाले राज्यों में परामर्श प्रयोगशालाओं का नेटवर्क परीक्षण के तौर पर कायम किया जा रहा है जो बीमारियों का प्रकोप फैलने पर नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। 33 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में 48 प्राथमिकता प्रयोगशालाओं की पहचान कर ली गयी है। इन राज्यों को ऐसी प्रयोगशालाओं के लिए उपकरणों की खरीद के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। चार राज्यों राजस्थान, पुदुचेरि, असम, सिक्किम में उपकरण खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है।

राज्यों की परामर्श प्रयोगशालाओं के नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए दिशा-निर्देश और समझौता ज्ञापन तैयार कर लिये गये हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में जानकारी देने के लिए बैठकें आयोजित की गयी और परामर्श नेटवर्क योजना को अंतिम रूप दिया गया। पांच अन्य राज्यों को भी दिशा-निर्देश जारी किये गये और उनसे योजना के मसौदे प्राप्त हो गये हैं। मइक्रोबायोलाजिस्टों के प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग पाठ्यक्रम के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

एनसीडी जोखिम कारक सर्वेक्षण

इस परियोजना के अंतर्गत एनसीडी जोखिम कारक सर्वेक्षण चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। सर्वेक्षण का पहला चरण भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा किया गया। जोखिम संबंधी कारकों में वजन, कद, कमर के दायरे, शारीरिक गतिविधियों, खुराक, सामाजिक जनसांख्यिकी ब्यौरे, भूखे पेट प्लाज्मा ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल और शराब पीने तथा धूम्रपान का अध्ययन शामिल है। सात राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और मजोरम में 2007-08 में सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया। अंतिम रिपोर्ट में पहले चरण का सर्वेक्षण शामिल किया जिसमें विश्व बैंक के सुझाव पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने कुछ छोटे-मोटे संशोधन किये। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एनसीडी प्रकोष्ठ अन्य राज्यों का सर्वेक्षण भी कर रहा है।

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता महानगरों में शहरी रोग निगरानी सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के लिए योजना तैयार कर ली गयी है। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई ने इस संबंध में समझौता ज्ञापनों पर दस्तखत भी कर लिये हैं और इस कार्य के लिए धनराशि जारी कर दी गयी है। कोलकाता और मुंबई ने शहरी रोग निगरानी गतिविधियां प्रारंभ कर दी हैं।

समुदाय आधारित निगरानी

सामुदायिक संस्थाओं और स्वयंसेवकों के माध्यम से समुदाय आधारित निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। इसमें जिले में बड़ी संख्या में मौजूद सामुदायिक समूहों/संस्थाओं जैसे पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम स्वच्छता समितियों, महिला मंडलों, स्व-सहायता समूहों, युवा क्लबों, स्कूलों (प्राथमिक और माध्यमिक), स्वैच्छिक संगठनों, पारम्परिक/निजी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने वालों को भी शामिल किया जाएगा।

आईडीएसपी ने तीन राज्यों महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक में समुदाय आधारित रोग निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए परीक्षण के तौर पर एक परियोजना प्रारंभ की है। दशमान्तपुर (कोरापुट-उड़ीसा), सिमिलिगुडा (कोरापुट-उड़ीसा), अक्कालकुवा (नंदुरबार-महाराष्ट्र) और तालोदा (नंदुरबार-महाराष्ट्र) में समुदाय आधारित रोग निगरानी गतिविधियां प्रारंभ की गयी हैं।

संक्रामक रोग चिकित्सालय निगरानी नेटवर्क

चारों महानगरों, बंगलूरु, अहमदाबाद और हैदराबाद के अस्पतालों सहित 7 संक्रामक रोग अस्पतालों को

अन्य संक्रामक रोग अस्पतालों से आने वाले मामलों का पता लगाने के लिए धनराशि दी गयी है। एड्सेट नेटवर्क की स्थापना कर दी गयी है और बंगलूरु को छोड़कर अन्य सभी जगह भर्ती पूरी हो गयी है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ने जानकारी देना प्रारंभ कर दिया है।

समन्वित रोग निगरानी परियोजना सितम्बर 2009 (आईडीपीएस)

- समन्वित रोग निगरानी परियोजना विश्व बैंक की सहायता से चलायी जा रही परियोजना है। इसे नवम्बर 2004 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य बीमारी के प्रकोप की आशंका को ध्यान में रखते हुए इसका पता लगाना और समय रहते चेतावनी देना था।
- देशके 606 में से 306 जिलों से (51 प्रतिशत) आईडीएसपी को साप्ताहिक रोग निगरानी आंकड़े प्राप्त होते हैं। चालू महीने के दौरान बीमारियों के प्रकोप की 43 घटनाएं हुईं। इनमें गंभीर डायरिया की बीमारी (41 प्रतिशत), मलेरिया (11 प्रतिशत) और चिकनगुनिया, डेंगू, खाद्य विषाक्तता के (9 प्रतिशत) मामले भी शामिल हैं।
- आईडीएसपी ने मीडिया स्कैनिंग एंड वेरिफिकेशन प्रकोष्ठ के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी 40 चेतावनियां प्राप्त कीं और उनका सत्यापन किया। यह प्रकोष्ठ स्वास्थ्य संबंधी असामान्य घटनाक्रमों का मीडिया के जरिए पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इनफ्लूएंजा जैसी बीमारियों वाली बस्तियों का पता लगाने के लिए आईडीएसपी के जरिए सामुदायिक निगरानी का कार्य भी करता है। आईडीएसपी राज्यों में आईएलआई और न्यूमोनिया जैसी बीमारियों के प्रकोप का पता लगाने और इसके बारे में जानकारी देने के लिए राज्यों के केन्द्रबिन्दु की तरह कार्य करता है। राष्ट्रीय संचारी रोग केन्द्र में प्रकोप निगरानी केन्द्र स्थापित किया गया है। निजी प्रैक्टीशनरों, नर्सिंग होम्स और अस्पतालों से अनुरोध किया गया है कि वे इस तरह के मामलों के बारे में आईडीएसपी कॉल सेंटर के लिए टेलीफोन नम्बर 1075 (निशुल्क) पर जानकारी दें। चिकित्सकीय नमूनों की जांच के लिए जिन प्रयोगशालाओं की पहचान की गयी है उनमें राष्ट्रीय संचारी रोग केन्द्र, दिल्ली, एनआईवी पुणे और देश के विभिन्न भागों में स्थापित अन्य प्रयोगशालाएं हैं। इनके लिए धनराशि भी जारी की गयी है। राज्यों और जिलों के आरआरटी को बीमारियों के प्रकोप के संदिग्ध मामलों की जांच करने और उनका प्रबंधन करने के बारे में सचेत कर दिया गया है। रोगी के तमाम संपर्कों की छानबीन करने और बीमारी की आशंका के प्रबंधन के लिए राज्य व जिला आरआरटी को सचेत किया गया है। आईडीएसपी रोगी के तमाम संपर्कों का पता लगाने और उन्हें घर पर ही संगरोध में रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा यह रोगियों को थर्मोप्रोफाइलेक्सिस भी उपलब्ध कराता है। राज्यों को बीमारियों के चिकित्सकीय प्रबंधन, संक्रमण नियंत्रण के तौर-तरीकों तथा प्रयोगशाला सहयोग के बारे में भी दिशा-निर्देश उपलब्ध कराये जाते हैं। मृत्यु सारांश प्रारूप तैयार कर लिया गया है और राज्यों तथा जिलों को बांटा गया है ताकि वे इन्फ्लूएंजा एच1एन1 से मौत की किसी घटना की जानकारी दें।

रोगवाहक जनित बीमारियों की निगरानी

रोगवाहकों (वैक्टर्स) से होने वाली बीमारियां जैसे मलेरिया, जे.ई., डेंगू, कालाज्वार आदि सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी बहुत बड़ा खतरा हैं। देश के विभिन्न भागों में हर साल इन महामारियों का प्रकोप फैलता

है, जिनमें बड़ी संख्या में मौतें होती हैं। कृमि विज्ञान इकाई की स्थापना दिसम्बर 2008 में की गयी। इसका उद्देश्य देश में रोगवाहक जनित बीमारियों के बारे में निगरानी को अद्यतन रखना था। सितम्बर 2009 तक 24 राज्यों से कुल 69 ई.डब्ल्यू.एस. मामलों के बारे में जानकारी (18 मलेरिया, 8 डेंगू, 41 चिकनगुनिया और 2 जे.ई.) मिली थी।

एवियन इनफ्लूएंजा की रोकथाम

इसके लिए एक नेटवर्किंग मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें 10 प्रयोगशालाओं के साथ-साथ आईसीएमआर की चार प्रयोगशालाओं को भी शामिल किया गया है। आईडीएसपी एवियन इन्फ्लूएंजा संबंध इनकी गतिविधियों में मदद करता है और इसने तीन वर्षों (2006-09) के दौरान मानवीय घटक के तहत 20.85 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था की है। क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के साथ समझौता ज्ञापनों में संशोधन किया जा रहा है। इन प्रयोगशालाओं के लिए उपकरणों की खरीद का काम जारी है।

वित्त

आईडीएसपी की शुरुआत 2004-05 में विश्व बैंक की सहायता से हुई थी। इसके लिए बैंक ने 6.8 करोड़ रुपये का ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध कराया था। इसके लिए कुल 408.36 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया।

पांच वर्षों के लिए बजट आबंटन	408.36 रुपये
विश्व बैंक की ऋण राशि	306.24 करोड़ रुपये
भारत सरकार की ओर से धनराशि	93.46 करोड़ रुपये

वर्ष वार बजट और खर्च

क्रम सं.	वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक खर्च	बजट अनुमान की तुलना में प्रतिशत खर्च
1.	2004-05	27.00	25.01	92.62
2.	2005-06	38.00	39.26	103.32
3.	2006-07	102.00	12.93	12.67
4.	2007-08	80.00	41.36	51.70
5.	2008-09	72.00	21.75	30.20
6.	2009-10	48.50	13.61	
	कुल	367.50	140.31	

भारतीय दंत परिषद

भारतीय दंत परिषद एक विधायी संस्था है, जिसकी स्थापना दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य देश में दंत शिक्षा, व्यवसाय और उसकी नीतियों का नियमन करना है। दंत संस्थाओं में पर्याप्त शैक्षणिक सुविधाओं के आकलन के लिए परिषद समय-समय पर उनका निरीक्षण भी करती है। अभी देश में कुल 224 दंत कालेज काम कर रहे हैं। 31 मई, 2006 तक पंजीकृत दंत चिकित्सकों की संख्या 78,578 थी।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम)

आशा संपर्क कार्यकर्ता

- पूरे देश में 730 लाख आशा कर्मियों का चयन किया गया है। इनमें से 6.78 लाख आशा कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण के पहले मॉड्यूल का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके अलावा 5.25 लाख ने चौथे माड्यूल तक प्रशिक्षण पूरा किया है।
- 4.67 आशा कर्मियों को दवाओं के किट भी उपलब्ध कराये गये हैं।

बुनियादी ढांचा

- देश में 1.46 लाख उप केन्द्रों में से प्रत्येक को 10,000 रुपये की संयुक्त निधि उपलब्ध करायी गयी है। 3,78,090 उप केन्द्रों और वी.एच.एस.सी. में वार्षिक संयुक्त निधि के उपयोग के लिए एनएम और प्रधानों के संयुक्त खाते चालू हैं।
- 4276 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 2949 केन्द्रों को आईपीएचसी के रूप में उच्चिकृत करने के लिए चुना गया है और 2869 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधा सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।
- विभिन्न स्तरों के स्वास्थ्य केन्द्रों में 28,877 रोगी कल्याण समितियों का पंजीकरण किया गया है।
- 28,686 एचएससी, 5407 पीएचसी और 4937 सीएचसी/एसडीएच और 444 जिला अस्पतालों में नया निर्माण/उच्चिकरण प्रारंभ किया गया है।
- 5520 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 3-3 स्टाफ नर्स हैं।

कार्यबल

- अत्यंत आवश्यक पदों को भरने के लिए राज्यों ने अनुबंध आधार पर 9874 डाक्टर और विशेषज्ञ, 44,429 एनएम, 24,494 स्टाफ नर्स और 13,278 अर्ध चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति की है।

प्रबंधन सहायता

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में सहायता के लिए राज्यों में 1665 पेशेवर कर्मी (सीए/एमबीए), 617 जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयां और 3560 ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों की स्थापना की गयी है।

सचल चिकित्सा इकाइयां

- हर जिले में एक मोबाइल चिकित्सा इकाई के लिए धनराशि जारी की गयी। 354 जिलों में सचल चिकित्सा इकाइयां चालू की गयीं।

टीकाकरण

- पोलियो उन्मूलन में प्रगति की सघन निगरानी—आशा कर्मियों की सेवाएं उपयोगी।
- 2006-07 में चार राज्यों के 11 जिलों में जेई टीकाकरण अभियान पूरा हुआ जिसमें 93 लाख बच्चों को टीके लगाये गये। 2007-08 में जेई टीकाकरण अभियान में 9 राज्यों के 28 जिलों को लिया गया। 2008-09 में 9 राज्यों के 27 जिलों में यह अभियान चलाया गया। 2009-10 में जेई

टीकाकरण अभियान के लिए 30 जिलों में यह अभियान प्रस्तावित था जिनमें से 18 जिलों ने अभियान पूरा कर लिया। बाकी 12 जिलों में अभियान या तो चल रहे हैं या फिर इन्हें चलाने की योजना बनायी जा रही है। अब तक 11 राज्यों के 82 जिलों में अभियान चलाया है। जेई टीकाकरण 1-2 साल की उम्र के बच्चों के लिए चलाया जा रहा है।

- पोलियो मामलों की घर-घर जाकर निगरानी।
- देश के 15 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों से नवजात शिशुओं में टिटनेस की बीमारी उन्मूलन की घोषणा।
- राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण टीकाकरण का मूल्यांकन 54.1 प्रतिशत रहा। (डीएलएचएस-तृतीय)
- ईएजी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए त्वरित टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत।

अस्पताल में प्रसव

- देश के सभी राज्यों में जननी सुरक्षा योजना लागू की गयी। 2005-06 में 7.04 लाख महिलाओं, 2006-07 में 29.31 लाख, 2007-08 में 70.69 लाख, 2008-09 में 83.84 लाख और 2009-10 में 19.26 लाख महिलाओं ने इसका फायदा उठाया।

नवजात शिशु की देखभाल

- 269 जिलों में नवजात शिशु और बाल रोगों के समन्वित प्रबंधन की योजना लागू। निओनेटोलाजी फोरम की मदद से 211316 स्वास्थ्य कर्मियों को नवजात शिशुओं की देखभाल की जानकारी दी गयी।

समन्वय

- विभिन्न राज्यों के आंगनबाड़ी केन्द्रों में 2006-07 में 35 लाख से अधिक, 2008-09 में 56 लाख से अधिक और 2009-10 में 12 लाख से अधिक मासिक स्वास्थ्य और पोषाहार दिवस आयोजित किये गये।
- राज्यों में 4,27,955 ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों का गठन किया है। इन्हें बीमारियों के प्रकोप से निपटने के काम में शामिल किया जा रहा है।
- समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम/पेय जल/स्वच्छता/नाको/पीआरआई के बीच समन्वय कायम करने के लिए बुनियादी कार्य पूरा किया गया।
- 20 से अधिक राज्यों में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ।

सेवा प्रदान करना

- सीआरएम ने अस्पतालों में भर्ती हुए बिना घर से ही इलाज कराने वाले रोगियों, भर्ती होकर नैदानिक चिकित्सा कराने वालों और अस्पताल में प्रसव कराने वाली महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी की जानकारी दी है।
- 10 राज्यों में आपात चिकित्सा प्रणाली काम कर रही है।
- सप्ताह में सातों दिन और रोजाना 24 घंटे चालू रहने वाले 3606 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 1664 सब-डिविजनल अस्पतालों/तालुका अस्पतालों, 7613 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों ने काम शुरू किया।

स्वास्थ्य कार्य योजना

- 2006-07 में 31 राज्यों से पीआईपी प्राप्त हुई। 2007-08 में 35, 2008-09 में 35 और चालू साल 2009-10 में 35 राज्यों से पीआईपी प्राप्त हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों को परियोजना कार्यान्वयन योजना की जानकारी दे दी गयी है और वर्ष 2009-10 के लिए धनराशि जारी की जा रही है।
- 617 जिलों में समन्वित जिला स्वास्थ्य कार्य-योजना को अंतिम रूप दिया गया।

आयुष को लोकप्रिय बनाना

- राज्यों में आयुष को मुख्यधारा में लाने का कार्य प्रारंभ किया गया। जिला और उससे कम दर्जे के 8248 केन्द्रों में आयुष सुविधाएं उपलब्ध। आयुष के सदस्य राज्य स्वास्थ्य मिशन/ सोसाइटी के सदस्य होते हैं।

प्रशिक्षण

- चिकित्सा अधिकारियों/एएनएम के लिए एनेस्थिसिया और कुशल धाय सुविधाओं सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी। एएनएम/एलएमवी/चिकित्सा अधिकारियों के समन्वित कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था। चिकित्सा अधिकारियों के लिए आपात ऑब्स्टेट्रिक्स देखभाल और बिना चीर-फाड़ के नसबंदी का प्रशिक्षण। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रम पूरे जोरों पर हैं।
- सभी राज्यों में एएनएम प्रशिक्षण स्कूलों का उच्चीकरण।
- नये नर्सिंग स्कूलों के बारे में विचार किया जा रहा है।

मूल एनजीओ

- अब तक 407 जिलों में 321 मूल एनजीओ की नियुक्ति। ये आशा कर्मियों के प्रशिक्षण के साथ अन्य गतिविधियों में पूरी तरह शामिल हैं।

स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र

- राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र की स्थापना।
- पूर्वोत्तर के लिए क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र की स्थापना।
- राज्यों में राज्य संसाधन केन्द्रों की स्थापना का कार्य जारी।

निगरानी और मूल्यांकन

- आठ राज्यों में आशा/जेएसवाई/यूएनएफपीए/यूनीसेफ/गजट का स्वतंत्र मूल्यांकन।
- यूनीसेफ ने टीकाकरण की कवरेज का मूल्यांकन किया।
- इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिटर्स ऑफ इंडिया जैसी पहचान की गयी संस्थाओं से स्वतंत्र निगरानी।
- सामुदायिक निगरानी के लिए आधारभूत कार्य संपन्न।
- राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य योजना-तृतीय और डीएलएचएस-द्वितीय का कार्य पूरा।

- 9 राज्यों के 284 जिलों में आरजीआई के माध्यम से वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण का कार्य शुरू करने का फैसला।

वित्तीय प्रबंधन

- 2007-08 के दौरान मंत्रालय को आबंटित 10890 करोड़ रुपये के कुल आबंटन में से 10189.4 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के हिस्से के रूप में जारी किये गये।
- 2008-09 के वित्तीय वर्ष में 11930 करोड़ रुपये में से 11200 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के हिस्से के रूप में जारी किये गये।
- वित्त वर्ष 2009-10 में मंत्रालय के 13930 करोड़ रुपये की कुल राशि में से 6036.6 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को दिये गये।

अब तक की प्रगति

एनआरएचएम को अभी दो वर्ष भी नहीं हुए लेकिन राज्यों के साथ भागीदारी से स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं। नीचे दी गई तालिका में इस अवधि के दौरान की उपलब्धियों और राज्यों से इस बारे में प्राप्त तथ्य प्रदर्शित हैं।

सूचक	स्रोत और वर्ष	राष्ट्रीय स्थिति
1. बाल मृत्यु दर	नमूना पंजीकरण प्रणाली आरजीआई कार्यालय 2004	देश में 58, केरल में सबसे कम 12 और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 79
2. मातृ मृत्यु दर	नमूना पंजीकरण प्रणाली 2003	देश में 301, केरल में सबसे कम 110 और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे अधिक 517 (2001-03)
3. अस्पताल में भर्ती के बिना सरकारी स्रोत से इलाज	राष्ट्रीय नमूना सर्वे 60वां दौर 2004	देश में 22%, बिहार में सबसे कम 5% और हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक 68%
4. सार्वजनिक अस्पतालों में अंतरंग रोगी इलाज	राष्ट्रीय नमूना सर्वे 60वां दौर 2004	देश में 41.7%, बिहार में सबसे कम 14.4% और जम्मू और कश्मीर में सबसे अधिक 91.30%
5. अस्पताल में ही भर्ती पर औसत व्यय	राष्ट्रीय नमूना सर्वे 60वां दौर 2004	सरकारी अस्पतालों में 3238 रुपये की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के निजी अस्पताल में 7408 रुपये।
6. स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति	डीएलएचएस और आईआईपीएस द्वारा समन्वित सर्वे, 2003	आवश्यक वस्तुओं का कम से कम 60 प्रतिशत अगर पर्याप्त माना जाए तो केवल 76% एफआरयू और 63% सीएचसी में पर्याप्त ढांचा है, 61% एफआरयू और 46% सीएचसी में पर्याप्त उपकरण हैं, 32% एफआरयू और 24% सीएचसी में पर्याप्त आपूर्ति होती है और 37% एफआरयू और 14% सीएचसी में पर्याप्त स्टाफ है। सर्वे से पहले तीन महीने के दौरान 58% पीएचसी में प्रसव कराया गया, 6% में एमटीबी, 22% में

		नवजात शिशु की देखभाल, 65% में आईयूडी लगाया गया तथा 41% में बंध्याकरण किया गया। अगर तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल में 90% से अधिक पीएचसी में पर्याप्त कर्मचारी हैं तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार में यह 20% से भी कम है।
7. बच्चों और महिलाओं में एनीमिया	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2005-06	6-35 माह के 79.1% बच्चों को एनीमिया है 15-49 आयुवर्ग की विवाहित महिलाओं को भी एनीमिया है।
8. प्रतिरक्षण	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2005-06	केवल 43.5% बच्चे पूरी तरह प्रतिरक्षित है।
9. संस्थागत जन्म, प्रसव पूर्व निरीक्षण और प्रसव बाद निरीक्षण	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2005-06	संस्थाओं में 40.7% प्रसव, 50.7% 3 प्रसव पूर्व निरीक्षण, 36.4% प्रसव बाद निरीक्षण
10. बाल रुग्णता	तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में फोकस सर्वे-2004	32% बच्चों को बुखार, 21% को अतिसार, 17% को लगातार खांसी, 11% को अत्यधिक दुर्बलता, 5% को चर्म ददोरा, 2% को आंख में संक्रमण। 50% बच्चों को कोई न कोई समस्या थी।

सुधार के क्षेत्र

राज्यों से मिले तथ्य

1. बाह्य रोगी मामले : राज्यों से मिली रिपोर्टों में महत्वपूर्ण सुधार के संकेत मिलते हैं। बिहार में हर महीने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जानेवाले रोगियों की औसत संख्या जनवरी 2006 में 39 से बढ़कर अगस्त 2006 में 3015 हो गई। पंजाब में पीआरआई के तहत 1510 सहायक केंद्रों के माध्यम से वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा के कारण बाह्य रोगी के मामले जून से अक्टूबर 2006 के बीच 290% बढ़ गई। मोतियाबिंद आपरेशन के मामले में 39.6% बढ़ोतरी हुई, क्षयरोग का पता लगाने में 11.8% बढ़ोतरी तथा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जांच किए गए छात्रों की संख्या 25.1% बढ़ने की रिपोर्ट है। गुजरात में बाह्य रोगी मामले एक वर्ष में 33.6 लाख से बढ़कर अब तक 24.92 लाख से अधिक हो गए हैं।

2. स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव : राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता मिलने से स्वास्थ्य केंद्रों में होने वाले प्रसवों की संख्या काफी बढ़ी है। पिछले वर्ष जसुयो के 6 लाख मामलों की तुलना में इस वर्ष अभी तक यह संख्या 21 लाख से अधिक हो गई है। मध्य प्रदेश के 50 ब्लॉकों के 1152 पीएचसी में धनवंतरि योजना के तहत होनेवाले प्रसवों की संख्या 100% से अधिक बढ़ी (26% से 53%) है। उड़ीसा के केबीके क्षेत्र के मलकानगिरी और कोरापुर जिलों के 3 सीएचसी के आंकड़ों के अनुसार प्रसवों की संख्या क्रमशः 88 से 149, 59 से 120 और 97 से 169 हो गई है। हरियाणा में नई योजना के कारण प्रसवों की संख्या 2004-05 के 28% से बढ़कर 2005-06 में 43.60% हो गई।

3. दवाओं की उपलब्धता : राज्यों ने दवाओं की खरीद के लिए बहुत प्रभावी व्यवस्था की है। एनआर एचएम ने तमिलनाडु औषधि आपूर्ति निगम की सफलता को देखते हुए विकेंद्रीकृत दवा खरीद पर जोर दिया। मिशन के तहत राज्यों को दवाओं की खरीद के लिए धनराशि जारी की गई। बिहार ने भी आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल दवाओं की खरीद के लिए बहुत प्रभावी और कुशल व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश और झारखंड ने बाह्य रोगियों के लिए प्रति व्यक्ति आवंटन संशोधित किया जिससे स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर दवाओं की उपलब्धता बेहतर हुई है। असम जैसे पूर्वोत्तर के राज्य टीएनएमएससी से दवाएं खरीद रहे हैं।

4. प्रतिरक्षण : प्रतिरक्षण में सुधार का दायरा बढ़ाने के लिए जहां आवश्यक हो वैकल्पिक टीके की उपलब्धता को बढ़ावा, प्रतिरक्षण सत्रों में प्रोत्साहन प्रदान कराना, झारखंड जैसे दौरे शुरू करने जैसे गंभीर प्रयास किए गए। यूनिसेफ के हाल ही के मूल्यांकन में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में स्थिति सुधरी है। आंगनवाड़ी केंद्रों में मासिक स्वास्थ्य दिवसों का आयोजन किए जाने से नियमित प्रतिरक्षण को बढ़ावा मिला है।

5. मासिक स्वास्थ्य दिवस : 45 लाख से अधिक मासिक स्वास्थ्य दिवसों का आयोजन आंगनवाड़ी केंद्रों में किए जाने से एएनसी, पीएनसी प्रतिरक्षण, मौलिक औषधियों की उपलब्धता आदि को बढ़ावा मिला है। एएनएम एडब्लूडब्लू की मौजूदगी में सफल मासिक दिवसों की रिपोर्ट त्रिपुरा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि सहित सभी राज्यों से मिल रही है। उड़ीसा मासिक दिवसों का उपयोग मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में करता है। हर गांव में ग्राम स्वास्थ्य और सफाई समितियों के गठन से सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों पर इन मासिक स्वास्थ्य दिवसों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

6. रेजिडेंट सामुदायिक कार्यकर्ता/व्यावहारिक उपकेंद्र : 4.5 लाख से अधिक आशा, सामुदायिक कार्यकर्ता संपर्क कार्यकर्ताओं को चुना गया है और चयन के विभिन्न चरणों में हैं। ये प्रतिरक्षण और अन्य स्वास्थ्य सेवा चाहने वाले, जेएसवाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा और परिवार के व्यवहारों के बारे में सामुदायिक लामबंदी में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। जरूरत होने पर अनुबंध पर एएनएम की नियुक्ति और वार्षिक दस हजार रुपये के खुले अनुदान से लगभग सभी 1,44,988 उपकेंद्रों को व्यावहारिक बना दिया गया है। उपकेंद्रों ने धनराशि से रक्तचाप उपकरण, तौलने की मशीन, परीक्षण मेज की मरम्मत और उपकेंद्र की सफाई आदि आवश्यक चीजें खरीदी हैं। अनुदान के कारण इन उपकेंद्रों में बच्चे भी जन्म लेने लगे हैं। 7877 उपकेंद्रों में दूसरा एएनएम लागू है।

7. दो अतिरिक्त नर्सों सहित 24x7 के पीएचसी : दो अतिरिक्त नर्सों के साथ 2297 पीएचसी को 24x7 का बना दिया गया है। इनमें 780 तो केवल तमिलनाडु में 24x7 के बनाए गए।

8. सीएचसी/उप जिला/जिला अस्पतालों से सेवा के लिए सामुदायिक दबाव : जेएसवाई के अंतर्गत वित्तीय सहायता, और आशा/ सामुदायिक कर्मचारी सभी राज्यों में सीएचसी/उपजिला और जिला अस्पतालों पर सेवा के लिए दबाव बना रहे हैं। सामुदायिक दबाव स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रदर्शन में सुधार के लिए दबाव बना रहा है। सभी 3910 सीएचसी को भारतीय स्वास्थ्य मानकों की ओर बढ़ने के लिए बीस लाख रुपये पहली किस्त के रूप में जारी किए जा चुके हैं। 2101 सीएचसी ने मानकों के अनुरूप खाई भरने के लिए सर्वे कराया है। सभी 22669 पीएचसी को आरकेएस की देखरेख में इस्तेमाल करने के लिए 50,000 रुपये वार्षिक रखरखाव अनुदान और 25000 रुपये मुक्त अनुदान के रूप में दिए गए हैं। कुछ सुविधाओं का काम पूरा हो गया है और कुछ में चल रहा है।

9. रोगी कल्याण समितियां : देश में 13000 से अधिक रोगी कल्याण समितियां, अस्पताल विकास

समितियां गठित की गई हैं। लगभग सभी जिला/उपजिला अस्पतालों और सीएचसी ने अपना बैंक खाता खोल लिया है। पीएचसी भी ऐसा करने की प्रक्रिया में है। पांच लाख रुपए जिला अस्पताल आरकेएस को और एक लाख रुपए उप जिला सीएचसी पीएचसी अस्पतालों केंद्रों को दिए गए हैं। इनसे अस्पतालों के कामकाज को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और आवश्यकता आधारित होने की उम्मीद है।

10. एमएमयू के माध्यम से पहुंच का दायरा बढ़ा : राज्यों में 129 सचल मेडिकल यूनिटों (एमएमयू) को अपने संसाधनों/एनआरएचएम से चालू कर दिया है। एनआरएचएम ने 314 जिलों के लिए एमएमयू की स्वीकृति दी है। जिनके इस वित्तीय वर्ष में चालू हो जाने की उम्मीद है। कई राज्यों में इन कार्यक्रमों में एनजीओ शामिल हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ने सचल यूनिटों की पहुंच दूरदराज के क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित की है।

11. गैर सरकारी सेवा प्रदाताओं के साथ भागीदारी : हर राज्य में गैर सरकारी संगठनों के साथ लाभकारी भागीदारी के प्रयास किए गए हैं। वीएचआई और करुणा ट्रस्ट जैसे प्रसिद्ध एनजीओ ने अरुणाचल प्रदेश के दूरदराज के इलाकों में पीएचसी को चलाने की जिम्मेदारी ली है। गैर-सरकारी विशेषज्ञों को सरकारी अस्पतालों में प्रति मामले के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। गुजरात के पांच जनजातीय जिलों में चिरंजीवी योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) महिलाएं स्त्री रोग विशेषज्ञों के निजी नर्सिंग होम में बच्चों को जन्म दे रही हैं और उसका खर्च सरकार उठा रही रही है। आशा और सामुदायिक कर्मियों को क्षमता निर्माण प्रयासों में हर राज्य में एनजीओ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 2277 गैर-सरकारी प्रदाताओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत मान्यता प्रदान की गई है।

12. क्षमता निर्माण : कार्यक्रम, वित्त और आंकड़ा प्रबंधन पेशे से जुड़े 1200 से अधिक लोग जिला और राज्य स्तर पर इस प्रणाली में शामिल हो चुके हैं। कुछ राज्यों में कुछ लोग ब्लॉक स्वास्थ्य प्रबंधक के रूप में शामिल हो रहे हैं। कुशल लोगों के शामिल होने से कार्यक्रम प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन वित्तीय रिपोर्टिंग और रिकार्ड रखने में सुधार हुआ है। नवजात और बाल रोग प्रबंधन के लिए आईएमएनसीआई प्रशिक्षण 25 से अधिक राज्यों में शुरू हो चुका है। एमओ और एनएम को जन्म परिचारक प्रशिक्षण, एमओ को आपात प्रसव देखभाल के लिए एनेस्थेसिया, और प्रसव देखरेख प्रशिक्षण, प्रोफेशनल विकसित कार्यक्रम और एनआरएचएम की राज्य स्तर की टीम के लिए जिला नियोजन और मूल्यांकन कार्यक्रम बड़े पैमाने पर शुरू किए गए हैं।

13. विकेंद्रीकृत नियोजन और जिला स्वास्थ्य कार्य योजनाओं का मूल्यांकन : विकेंद्रीकृत नियोजन की प्रक्रिया पूरे देशभर में शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हर जिले में जिला नियोजन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अन्य राज्य भी जिला नियोजन में काफी आगे हैं। हर जिले को विकेंद्रीकृत नियोजन के लिए दस लाख रुपए का अनुदान दिया गया था। सभी 606 जिलों ने मार्च 2007 में यह प्रक्रिया पूरी कर ली। जिला स्वास्थ्य कार्ययोजनाओं को हर स्तर पर समुदायों और स्वास्थ्य अधिकारियों से सलाह मशविरे से तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ ने हर पंचायत में मानव विकास सूचकांक विकसित करने और उसी मानव विकास रैंकिंग के आधार पर पंचायतों को पुरस्कृत करने का नया अभ्यास शुरू किया है।

14. प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन : एनआरएचएम ने निगरानी और मूल्यांकन की प्रभावी व्यवस्था बनाई है। एससी और एसटी जैसे कमजोर समूहों के संबंध में कामकाज के बारे में जानकारी

देनेवाले विस्तृत एमआईएस चालू किए गए हैं। राज्यों से गतिविधिवार रिपोर्टों के साथ एक वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टिंग प्रणाली सक्रिय हो गई है। एनजीओ के साथ भागीदारी से समुदाय निगरानी की पॉइलट पटल की जा रही है। भारतीय सार्वजनिक लेखा-परीक्षा संस्थान ने पांच राज्यों (बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु और केरल) में जांच का काम शुरू कर दिया है। यूएनएफपीए/यूनिसेफ की सहायता से आशा कार्यक्रम का मूल्यांकन शुरू हो गया है। राज्यों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन उत्कृष्ट संस्थानों से कराने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। क्षेत्र आधारित संयुक्त समीक्षा प्रणाली आरसीएच II के लिए है जो एनआरएचएम के प्रमुख क्षेत्रों को भी देखता है। इस तरह की तीन समीक्षाएं हो चुकी हैं।

अब और आगे

प्रगति तालिका से जैसा स्पष्ट है कि पिछले दो वर्षों में राज्यों के साथ भागीदारी में बहुत कुछ हासिल किया गया है। यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक साथ कई मोर्चों पर कार्रवाई की आवश्यकता है। ग्रामीण स्वास्थ्य और सफाई समितियां, रोगी कल्याण समितियां और पंचायती राज संस्थान समितियां स्वास्थ्य के सभी निर्धारकों पर सामूहिक कार्रवाई का दुर्लभ अवसर प्रदान कर रही हैं। स्थानीय निवासियों की प्रत्यापित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सेना का शक्तिशाली स्वास्थ्य प्रणाली से संपर्क सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य प्रणाली पर बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए ज्यादा दबाव डालेगी। गैर-सरकारी प्रदाताओं के साथ आवश्यकता आधारित पारदर्शी भागीदारी से मजबूत प्रणाली का परिवार कल्याण, रोग निगरानी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों आदि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आवश्यकतानुसार मानव संसाधन का उपयोग और हर स्तर पर प्रोत्साहन की व्यवस्था से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की नई प्रणाली बनाने में मदद मिलेगी। पिछले दो वर्षों के अनुभव ने हमें यह विश्वास दिया है कि हम सही रास्ते पर हैं और जरूरत है क्षमता निर्माण के सामूहिक प्रयास के साथ संस्थागत सुधारों और विकेंद्रीकरण की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र की स्थापना इस दिशा में एक कदम है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय संसाधन केंद्र पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में आवश्यकता आधारित कार्यक्रम विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

प्रशिक्षण प्रभाव

समुदाय की अच्छी सेवा इस बात पर निर्भर करती है कि स्वास्थ्य कर्मचारी अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार करते हैं, जो मुख्यतया उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। परिवार कल्याण विभाग ने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत से ही स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्रभावी और सक्षम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में प्रशिक्षण के महत्व को स्वीकार किया है।

सेवा पूर्व और सेवा के दौरान विभिन्न वर्गों के स्वास्थ्य कर्मियों को विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है।

एनआरएचएम के अंतर्गत आशा का प्रशिक्षण

भारत सरकार ने आम लोगों खासकर गरीब महिलाओं और बच्चों को अच्छी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2005 में एनआरएचएम की शुरुआत की। इस मिशन के अंतर्गत प्रत्यापित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा एक महत्वपूर्ण कदम है।

आशा के अंतर्गत प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य वालंटियर सार्वजनिक प्रतिरक्षण, सुरक्षित

प्रसव, नवजात देखभाल, जलजनित और संचारी रोगों के निवारण, पोषण सुधार और घरेलू शौचालयों को बढ़ावा देने की सामुदायिक कार्यवाई को मजबूती प्रदान करती हैं।

आशा का क्षमता निर्माण उसकी प्रभावोत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण है और यह एक निरंतर प्रक्रिया है। आशा का शुरुआती प्रशिक्षण 12 महीनों में पांच दौरों और 23 दिन में पूरा होता है। हर दूसरे महीने दो दिन का पुनर्प्रशिक्षण होता है। 18 उच्च फोकस वाले राज्यों में 265024 प्रशिक्षित आशा हैं। यह योजना शुरू में एनआरएचएम के अंतर्गत उच्च फोकस वाले केवल 10 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, असम और जम्मू और कश्मीर में शुरू की गई, जिसे पूर्वोत्तर के राज्यों और अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया। देश के अन्य राज्यों की सरकारें आरसीएच-II के अंतर्गत परियोजना क्रियान्वयन योजना (पीआईपी) में संपर्क कार्यकर्ता (आशा के समान) को अपना सकती हैं। आशा के चयन और प्रशिक्षण में 30 अप्रैल, 2007 तक की प्रगति निम्न तालिका में दी गई है :

क्षेत्र	मिशन अवधि 05-10 के लिए प्रस्तावित आशा	चुनी गई आशा की संख्या 05-06	चुनी गई आशा की संख्या 06-10	कुल चुनी गई	कुल प्रशिक्षित
10 उच्च फोकस राज्यों में	406530	119983	252249	356610	249859
पूर्वोत्तर के उच्च फोकस राज्यों में	467979	9058	24871	33929	15165
अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में	21643	0	0	0	0
अन्य क्षेत्रों के संपर्क कार्यकर्ता	116934	0	91013	91013	81275
योग	592086	129041	368133	481552	346299

एएनएम/एलएचवी के मौलिक प्रशिक्षण की केंद्र प्रायोजित योजना

एएनएम/एलएचवी ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन्हें उचित प्रशिक्षण देना जरूरी है ताकि ग्रामीण जनसंख्या को अच्छी सेवाएं मिल सकें। परिवार कल्याण विभाग इसके लिए राज्यों को 336 एएनएम/बहुद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) स्कूलों और 42 एलएचवी/स्वास्थ्य सहायक (महिला) प्रोत्साहन प्रशिक्षण स्कूलों को चलाने के लिए वित्तीय सहायता देता है। इन स्कूलों की प्रवेश क्षमता क्रमशः 13,000 और 2600 है।

ये प्रशिक्षण संस्थान आवश्यक संख्या में एएनएम और एलएचवी को सेवा-पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि देश के उप केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, ग्रामीण परिवार कल्याण केंद्रों और स्वास्थ्य चौकियों में उनकी तैनाती की जा सके। एएनएम की प्रशिक्षण अवधि डेढ़ साल और प्रवेश की न्यूनतम योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना है। पांच वर्ष के अनुभव वाले वरिष्ठ एएनएम को छह महीने का प्रोत्साहन प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे एलएचवी/स्वास्थ्य सहायक (महिला) बन सकें।

स्कूल में स्टाफ की संख्या छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता पर निर्भर करती है। विभाग ने 7 फरवरी, 2001 से वित्तीय सहायता की पद्धति में परिवर्तन कर दिया है। वेतन के अलावा प्रशिक्षार्थियों को भत्ता, आपात खर्च और किराए की इमारत में चलनेवाले स्कूलों का किराया विभाग द्वारा दिया जाता है।

बहुदेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के बुनियादी प्रशिक्षण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना

बहुदेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) की बुनियादी प्रशिक्षण योजना छठी योजना में स्वीकार की गई और शत प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 1984 में शुरू की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्रों और बहुदेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) को बुनियादी प्रशिक्षण स्कूलों द्वारा सेवापूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा होने पर पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता को एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के साथ उप केंद्रों में तैनात किया जाता है।

इसके लिए वित्तीय सहायता की पद्धति 7 फरवरी, 2001 से संशोधित की गई है। सभी आवश्यक खर्च सरकार उठाती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्रों का रखरखाव

परिवार नियोजन कार्यक्रम की गुणवत्ता और क्षमता में सुधार तथा स्वास्थ्य सेवा में लगे कर्मियों के रवैए के परिवर्तन के लिए सेवा के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से देश में 47 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों की स्थापना की गई। इन प्रशिक्षण केंद्रों को केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र रखरखाव योजना के तहत सहायता दी जाती है। ये प्रशिक्षण केंद्र अब परिवार कल्याण विभाग सेवा के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ चुनिंदा केंद्र पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एक वर्ष का पाठ्यक्रम भी चलाते हैं। वेतन के अलावा सभी आवश्यक खर्च विभाग उठाता है।

बुनियादी प्रशिक्षण स्कूलों (बेसिक ट्रेनिंग स्कूल) को मजबूत बनाना

यह योजना 10वीं आयोजना में 10 करोड़ रुपए के आवंटन से शुरू की गई है। बुनियादी प्रशिक्षण स्कूलों को मजबूत बनाने की योजना का मुख्य उद्देश्य एएनएम/एलएचवी प्रशिक्षण स्कूलों को अधिकतम 21.5 लाख रुपए की सहायता मरम्मत, इमारत को बढ़िया बनाने, छात्रावास, फर्नीचर, उपकरण और पुस्तकें/ एवी एड्स के लिए दी जाती है।

वर्ष 2005-06 के दौरान चार राज्यों मिजोरम, तमिलनाडु, उड़ीसा और नगालैंड को 13 एएनएम प्रशिक्षण स्कूलों को मजबूत बनाने के लिए 230.60 लाख रुपए दिए गए। वर्ष 2006-07 में केरल, कर्नाटक, गोवा और असम को 12 एएनएम प्रशिक्षण स्कूलों के लिए 207.89 लाख रुपए जारी किए गए।

बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वितीय में बाल स्वास्थ्य में सुधार के तमाम प्रयासों को समन्वित कर दिया गया है इसमें उन घटकों को भी शामिल किया गया है जो शिशुओं और पांच साल से कम उम्र के बच्चों की अकाल मौत का कारण बनते हैं। शिशु और बाल मृत्यु दर में कमी लाना भारत सरकार की स्वास्थ्य नीति का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और सरकार ने देश में योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया शुरू होने के प्रारंभिक चरण से ही इस ओर ध्यान देना शुरू कर दिया था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005-12) में बाल स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वितीय/राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बाल स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्य

बाल स्वास्थ्य संकेतक	वर्तमान स्थिति	आरसीएच-II एनआरएचएम 2010/2012	एमडीजी 2015
आईआरएम (शिशु मृत्यु दर)	55 (एसआरएस 2007)	<30	27
नवजात शिशु मृत्यु दर	36 (एसआरएस 2007)	<20	<20
पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर	74 (एनएचएस तीतीय 2006)		<36

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य द्वितीय कार्यक्रम के अंतर्गत नवजात शिशु और बाल स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण नीतियां

1. नवजात शिशु के जन्म पर माताओं के स्वास्थ्य के साथ प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी द्वारा देखभाल का दायरा बढ़ाना।
2. समग्र आईएमएनसीआई दृष्टिकोण अपनाते हुए 2010 तक निवारणात्मक, प्रोत्साहनात्मक और उपचारात्मक प्रयासों के पैकेज को लागू करना।
3. जिन इलाकों में आईएमएनसीआई अभी लागू नहीं किया गया है वहां मौजूदा सेवाओं (जन्म के समय देखभाल/आवश्यक नवजात शिशु जन्म/देखभाल, एआरआई और डायरिया नियंत्रण) को मजबूत करना और उनका विस्तार करना।
4. सबके लिए टीकाकरण सुविधा उपलब्ध करने का कार्यक्रम (यूपीआई)

भारत में बाल स्वास्थ्य की स्थिति

दुनिया भर में हर साल पांच साल से कम उम्र के 97 लाख बच्चे मौत का शिकार हो जाते हैं। इनमें से 21 लाख मौतें अकेले भारत में होती हैं। भारत में हर साल करीब 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं जिनमें से 17.5 करोड़ एक साल तक पहुंचते-पहुंचते मर जाते हैं और करीब 10 लाख नवजात शिशु जन्म लेने के एक महीने भीतर ही मौत की नींद सो जाते हैं।

पांच साल से कम उम्र के बच्चों में से 52 प्रतिशत अपने जीवन के पहले महीने में ही मौत का शिकार बन जाते हैं। नवजात शिशुओं की मौत के मामले में 75 प्रतिशत मौतें जन्म के पहले सप्ताह में होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में नवजात शिशुओं की मौत का प्रतिशत अनुपातिक रूप से बहुत ज्यादा है।

भारत में शिशु मृत्यु के तमाम मामलों में से 37 प्रतिशत दो राज्यों (उत्तर प्रदेश और बिहार) में होती हैं।

शिशु मृत्यु के कुल मामलों में से 70 प्रतिशत आठ राज्यों (बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात) के होते हैं।

क्षेत्रीय असमानताएं चिंता का विषय बनी हुई हैं और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर में भारी अंतर है (क्रमशः 61 और 37)। इसी तरह राज्यों में मध्य प्रदेश में यह 72 है तो मणिपुर में 12 है।

नवजात शिशुओं की मौत के मूल कारण ये हैं:

- न्यूमोनिया
- डायरिया, और
- कुछ राज्यों में मलेरिया, मेनिंजाइटिस और खसरा

स्थिति का विश्लेषण

- विकासशील देशों में 38 प्रतिशत नवजात शिशु जन्म के एक घंटे के भीतर माता का दूध पीना शुरू कर देते हैं जबकि 25 प्रतिशत माताएं प्रसव के एक घंटे के भीतर स्तनपान कराना प्रारंभ करती हैं। लेकिन सभी राज्यों में पिछले दो वर्षों में इस अनुपात में काफी सुधार हुआ है।
- 46 प्रतिशत बच्चे छह महीने तक सिर्फ मां का दूध पीते हैं जबकि 53 प्रतिशत को पूरक पोषाहार लेना शुरू करने में 6-23 महीने लग जाते हैं।
- केवल 21 प्रतिशत बच्चों को उपयुक्त पूरक पोषाहार मिल पाता है (यानी एक दिन में न्यूनतम संख्या और आहार समूह की दृष्टि से न्यूनतम संख्या में)। लगभग सभी राज्यों में सिर्फ मां का दूध पिलाने की दर का स्तर निम्न है।
- भारत में पांच साल तक की उम्र के 43 प्रतिशत बच्चे कम वजन वाले होते हैं। देश में 83 लाख शिशुओं का पैदा होते समय वजन न्यूनतम औसत से कम होता है। (यानी 2500 ग्राम से कम)।
- एसआरएस-2007 के अनुसार मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक (72) है। इसके बाद का उड़िसा (71) का स्थान है। भारत के महापंजीयक एसआरएस-2007 के अनुसार सबसे कम शिशु मृत्यु दर मणिपुर (12), गोवा (13) और केरल (13) में है।
- एनएफएचएस-तृतीय (2005-06) के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक (73) है और सबसे कम केरल तथा गोवा (15) में है।
- पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर के लिहाज से उत्तर प्रदेश में यह सबसे अधिक (73) और केरल में सबसे कम (16) है।

बाल स्वास्थ्य सुविधा के घटक

- नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल
- टीकाकरण
- शिशु और छोटे बच्चों का स्तनपान
- विटामिन ए और आयरन तथा फोलिक एसिड की पूरक खुराक
- सांस संबंधी संक्रमणों, डायरिया और अन्य संक्रमणों का समय रहते पता लगाना और उपयुक्त उपचार।
- नवजात शिशुओं और बच्चों की बीमारियों का समन्वित इलाज और प्रारंभिक सेवा

- सुविधा आधारित नवजात देखभाल
- नवजात शिशुओं की घर पर देखभाल
- कुपोषित बच्चों की देखभाल

बाल स्वास्थ्य नीति

नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल :

भारत में अधिकतर प्रसव घर पर ही कराए जाते हैं और 66 प्रतिशत शिशु जीवन के पहले महीने में ही मौत का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि प्रसव और उसके बाद शिशुओं को प्रशिक्षित चिकित्साकर्मियों की देखभाल की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवाओं की व्यवस्था करना भी जरूरी है। ये सेवाएं चिकित्सा केंद्रों में लोगों की पहुंच में होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि क्षेत्रीय स्तर के कर्मियों को नवजात शिशुओं की देखभाल के बारे में प्रशिक्षण दिया जाए। शिशु को कमरे में गर्माहट के माहौल में रखना, जन्म के समय बच्चे को नहीं नहलाना और टीकाकरण। नवजात शिशुओं की मृत्यु के मामलों में से 23 प्रतिशत में मौत दम घुटने के कारण होती है इसलिए जन्म के समय कृत्रिम रूप से सांस देने की व्यवस्था बहुत आवश्यक है।

शिशु और छोटे बच्चों को स्तनपान

शिशु और छोटे बच्चों के आहार के अंतर्गत जल्द स्तनपान शुरू कराना (प्रसव के एक घंटे के भीतर) और छह महीने तक उसे सिर्फ मां का दूध ही पिलाना तथा स्तनपान जारी रखते हुए पूरक पोषाहार देने पर जोर दिया जाता है। जन्म के बाद जल्द से जल्द मां का दूध पिलाना तथा छह महीने तक केवल मां का दूध ही देना और उसके बाद 2 साल तक मां के दूध के साथ-साथ पूरक पोषाहार देना बच्चे को बचाने का एकमात्र सबसे अच्छा उपाय है।

विटामिन-ए

विटामिन-ए की कमी को घटाकर 0.5 प्रतिशत के स्तर तक लाने के लिए नीति में संशोधन किया गया है। इस तरह अब जो नीति लागू की जा रही है उसके अनुसार:

- बच्चे के नौ महीने का होने पर विटामिन-ए की 1,00,000 आईयू खुराक पिलायी जाती है।
- नौ महीने का हो जाने के बाद पांच साल की उम्र तक बच्चे को हर छह महीने में विटामिन-ए की 2,00,000 आईयू खुराक पिलायी जाती है।
- कुपोषण के गंभीर मामलों में विटामिन-ए की एक आतिरिक्त खुराक पिलायी जाती है।

आयरन और फोलिक एसिड की पूरक खुराक

देश में एनीमिया (खून की कमी) की बीमारी के व्यापक प्रकोप को देखते हुए इसकी रोकथाम के लिए नीति में बदलाव किया गया है:

- शिशु को 6 महीने की उम्र के बाद पांच साल का होने तक हर साल 100 दिन तक रोजाना 20 मिलीग्राम एलीमेंटल आयरन और 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड की खुराक दी जाती है।

- 6-10 साल तक की उम्र के बच्चों को 30 मिलीग्राम एलीमेंटेल आयरन और 250 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड की खुराक साल में 100 दिन तक रोजाना दी जाती है।

डायरिया का प्रबंधन

भारत सरकार ने डायरिया की रोकथाम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों को अपनाया है।

- भारत दुनिया का पहला देश है जिसने डायरिया की रोकथाम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश के अनुसार ओ.आर.एस. (ओस्मोलेरिटी ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन) अपनाया है।
- डायरिया की रोकथाम के लिए जिंक को ओ.आर.एस. के पूरक के तौर पर अपनाया है। इससे बीमारी की गंभीरता और अवधि को कम करने में मदद मिलेगी।
- डायरिया की रोकथाम के बारे में नये दिशा-निर्देशों में हाल में संशोधन किया गया है।

नवजात शिशु और बाल रोगों का समन्वित प्रबंधन

नवजात शिशुओं और बच्चों की बीमारियों की रोकथाम की समन्वित नीति प्रजनन और बाल स्वास्थ्य-द्वितीय/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रमुख प्रयास है। इस रणनीति में बच्चों की मौत का कारण बनने वाली आम बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए कई उपाय अपनाये जाते हैं। इन बीमारियों में नवजात शिशुओं की बीमारियां, सांस संबंधी गंभीर बीमारियां, डायरिया, खसरा, मलेरिया और कुपोषण शामिल हैं। इसमें रोकथाम, जागरूकता और उपचार संबंधी पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। यानी इसमें कार्यक्रम पर पूरी समग्रता से विचार किया जाता है। इसका उद्देश्य है शिशु और बाल रोगों के समन्वित प्रबंधन के पैकेज को परिवार के स्तर पर और उप-केंद्र के स्तर पर (एएनएम के जरिए), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर (चिकित्सा अधिकारी, नर्स और स्थानीय हैल्थ विजिटर के जरिए) और परिवार के स्तर पर लागू करना ताकि नवजात शिशुओं और बच्चों को स्वास्थ्य की समग्र सेवा उपलब्ध करायी जा सके और उनकी सभी प्रमुख बीमारियों का इलाज हो सके।

नवजात शिशु और बाल रोगों के समन्वित प्रबंधन से पूर्व की सेवाएं

नवजात शिशु और बाल रोगों के समन्वित प्रबंधन से पूर्व की सेवाओं को इस नवजात शिशु और बाल रोगों के समन्वित प्रबंधन की सुविधाओं में विस्तार की भारत सरकार की रणनीति के रूप में स्वीकार किया गया है। इसे देश के मेडिकल कॉलेजों के पाठ्यक्रम में भी शामिल कर लिया गया है। इससे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में नवजात शिशु और बाल रोगों के समन्वित प्रबंधन के कार्यक्रम के लिए आवश्यक प्रशिक्षित कर्मियों की व्यवस्था करने में मदद मिलेगी।

सुविधा आधारित नवजात स्वास्थ्य देखभाल (एफबीएनसी)

नवजात शिशु और बाल रोगों के समन्वित प्रबंधन के तहत अधिक से अधिक संख्या में बीमार बच्चों की जांच की जाती है और बीमारी का पता लगाकर चिकित्सा केंद्रों में भेजा जाता है। इससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में बीमार नवजात शिशुओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना जरूरी हो जाता है। एफबीएनसी नवीन उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुरूप है और बीमार बच्चों के अस्पताल से बाहर इलाज के लिए इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण

सामग्री को अपनाता इस्तेमाल करता है। इसके मैनुअल में बाल रोग की मानक पाठ्य पुस्तकों का संदर्भ दिया गया है।

नवजात शिशु और बाल रोगों के समन्वित प्रबंधन के दायरे से बाहर के जिले

जो जिले नवजात शिशु और बाल रोगों के समन्वित प्रबंधन का कार्यक्रम लागू नहीं कर रहे हैं उनमें बाल और शिशु मृत्यु के आम कारणों जैसे डायरिया और न्यूमोनिया के नियंत्रण के प्रयास जारी रहेंगे। स्वच्छ पेयजल के उपलब्ध होने से डायरिया का प्रकोप कम हुआ है और डायरिया होने पर डीहाइड्रेशन को रोकने के लिए ओ.आर.एस. घोल का इस्तेमाल किया जाता है।

नवजात शिशुओं की घर पर देखभाल

राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में आशा कार्यकर्ताओं के जरिए घर पर ही नवजात शिशुओं की देखभाल का कार्यक्रम शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में इसे आशा और ए.एन.एम. के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में नवजात शिशु और बाल रोगों के समन्वित प्रबंधन के कार्यक्रम के साथ समन्वित कर समग्र बाल सुरक्षा कार्यक्रम के नाम से लागू किया जा रहा है। राज्य के 70 में से 18 जिलों में यह कार्यक्रम लागू है।

प्रगति

पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर वह संभावना है जो किसी एक वर्ष में उम्र के आधार पर मृत्यु संबंधी वर्तमान दर के परिप्रेक्ष्य में पांच साल की उम्र में पहुंचने से पहले होने वाली मौतों की संख्या को (प्रति हजार जन्म पर) दर्शाता है। पिछले दशक में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कमी आयी है। यह प्रति हजार 109 (एनएफएचएस-I 1992-93) से घटकर इस अवधि में 74 रह गयी है (एनएफएचएस-III 2005-06)

शिशु मृत्यु दर (पहली वर्षगांठ से पहले शिशु की मृत्यु की आशंका) यानी किसी एक वर्ष में प्रति हजार जन्म में से होने वाली मौतों की दर में भी लगतार गिरावट आ रही है। 1971 में यह दर 192 थी और 1980 में 114 तथा 2007 में 55 रह गयी। इस दौरान बालक और बालिका दोनों ही शिशुओं की मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गयी है। लेकिन बालिकाओं की तुलना में बालकों की शिशु मृत्यु दर में गिरावट अधिक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर सफलतापूर्वक अमल हो रहा है।

शिशु मृत्यु दर

वर्ष	कुल
1980	114
1875	97
1990	80
1993	74
1996	72
2000	68
2003	60

2005	58
2006	57
2007	55

स्रोत: भारत के महापंजीयक का कार्यालय 2007

नीतिगत निर्णय

- आयरन और फोलिक एसिड की पूरक खुराक संबंधी दिशा-निर्देशों को अद्यतन करते हुए 6 महीने से 60 महीने तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया और उन्हें 20 मिलीग्राम आयरन तथा 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड 100 दिन तक देने का प्रवधान किया गया। आयरन और फोलिक एसिड की पूरक खुराक देने के कार्यक्रम का विस्तार करते हुए उसमें 6-10 साल तक के बच्चों और 11-18 साल तक के किशोर/किशोरियों को 30 मिलीग्राम आयरन और 250 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड देने का प्रवधान किया गया।
- विटामिन-ए की पूरक खुराक देने संबंधी दिशा-निर्देशों को भी संशोधित किया गया और पांच साल तक के बच्चों को उसमें शामिल किया गया। एक साल से कम उम्र के शिशुओं को 1,00,00 आई.यू. और उससे अधिक उम्र के बच्चों को 2,00,00 आई.यू. खुराक देने का प्रावधान किया गया।
- डायरिया की गंभीरता और इससे होने वाली बाल मृत्यु को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के नये ओ.आर.एस. में जिंक को भी शामिल किया गया।
- डायरिया संबंधी दिशा-निर्देशों को अद्यतन कर उसमें हैजे की रोकथाम को भी शामिल किया गया और निष्प्रभावी मामलों में सिप्रोफ्लोक्सिन (एंटीबायोटिक) के इस्तेमाल का प्रावधान किया गया।
- सांस संबंधी गंभीर संक्रमण संबंधी दिशा-निर्देशों को अद्यतन किया गया और श्वसन तंत्र, सांस के संक्रमण तथा गंभीर न्यूमोनिया और इससे होने वाली बच्चों की मौतों की रोकथाम के लिए प्रावधान किये गये।
- कृमी उन्मूलन संबंधी दिशा-निर्देश तैयार किये गये।

आईएमएनसीआई

देश के 258 जिलों में आईएमएनसीआई के तहत बाल उत्तरजीविता रणनीति लागू की गयी और 202015 स्वास्थ्य कर्मियों को इसके बारे में प्रशिक्षण दिया गया।

सेवा पूर्व आईएमएनसीआई

79 मेडिकल कॉलेजों के पाठ्यक्रम में आईएमएनसीआई यानी समन्वित नवजात एवं बाल रोग प्रबंधन प्रणाली को शामिल किया गया और करीब 4000 छात्रों को इसका प्रशिक्षण दिया गया।

एफबीएनसी

बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए 146 एसएनसीयू खोले गये।

एचबीएनसीसी

आशा प्रशिक्षण कार्यक्रम और आशा कार्यकर्ताओं के दायित्वों में एचबीएनसीसी को शामिल किया गया।

पोषाहार पुनर्वास केंद्र

बच्चों में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए 582 पोषाहार पुनर्वास केंद्र स्थापित किये गये।

पहल

- और अधिक ध्यान केन्द्रित करने कि लिए नवजात शिशु और बाल स्वास्थ्य नीति पर कर्वाई जारी।
- नवजात शिशुओं और बच्चों की बीमारियों के इलाज के लिए सुविधा आधारित समन्वित देखभाल पैकेज (एफ-आईएमएनसीआई) लागू किया गया ताकि सुविधा उपलब्ध करने से लेकर सामुदायिक स्तर तक सभी स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता का विकास हो और बीमार शिशुओं तथा बच्चों का इलाज हो सके।
- डाक्टरों की सलाह पर जिला अस्पतालों में इलाज के लिए भेजे गये नवजात बीमार शिशुओं के लिए रुग्ण नवजात चिकित्सा इकाइयां खोली गयीं।
- कुपोषण की व्यापक समस्या वाले राज्यों में पोषाहार पुनर्वास केंद्रों की स्थापना।
- अस्पतालों में बाल स्वास्थ्य संबंधी मानदंडों को पूरा करने की लिए भारतीय जन स्वास्थ्य मानदंडों (आईपीएचएस) को अद्यतन किया गया।
- बच्चों और किशोर/किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जरिए स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले स्कूलों पर विशेष ध्यान दिया गया और विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के बीच बेहतर तालमेल कायम किया गया।

एसआरएस के अनुसार वर्तमान शिशु मृत्यु दर (2007)

देश	शिशु मृत्यु दर		
	कुल	ग्रामीण	शहरी
भारत	55	61	37

एस आर एस (2007) के अनुसार वर्तमान शिशु/नवजात मृत्यु दर

राज्य	शिशु मृत्यु दर		
	कुल	ग्रामीण	शहरी
आंध्र प्रदेश	54	60	37
असम	66	68	41
बिहार	58	59	44
छत्तीसगढ़	59	61	49
दिल्ली	36	41	35
गुजरात	52	60	36
हरियाणा	55	60	44
जम्मू-कश्मीर	51	53	38
झारखंड	48	51	31

568

भारत-2010

कर्नाटक	47	52	35
केरल	13	14	10
मध्य प्रदेश	72	77	50
महाराष्ट्र	34	41	24
उड़ीसा	71	73	52
पंजाब	43	47	35
राजस्थान	65	72	40
तमिलनाडु	35	38	31
उत्तर प्रदेश	69	72	51
पश्चिम बंगाल	37	39	29
अरुणाचल प्रदेश	37	41	15
गोवा	13	11	13
हिमाचल प्रदेश	47	49	25
मणिपुर	12	13	9
मेघालय	56	57	46
मिजोरम	23	27	16
नागालैंड	21	18	29
सिक्किम	34	36	20
त्रिपुरा	39	40	32
उत्तराखण्ड	48	52	25
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	34	38	23
चंडीगढ़	27	25	28
दादरा और नगर हवेली	34	38	18
दमण और दीव	27	29	23
लक्षद्वीप	24	25	23
पुदुचेरी	25	31	22

एनएफएचएस-III

क्रम संख्या	संकेतक	भारत (एनएफएचएस-II)	भारत (एनएफएचएस-III)
1.	जन्म के एक घंटे के भीतर मां का दूध पीने वाले शिशुओं का प्रतिशत	16.0	23.4
2.	6 महीने की उम्र तक सिर्फ मां का दूध पीने वाले बच्चे	लागू नहीं	46.3
3.	9 महीने की उम्र में मां के दूध के साथ पूरक आहार लेने वाले बच्चे	लागू नहीं	55.8

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

569

4.	एनीमिया ग्रस्त 6-35 महीने तक के बच्चों का प्रतिशत	74.2	79.1
5.	3 साल तक की उम्र के ऐसे बच्चों का प्रतिशत जिन्हें ओआरएस लेने के दो सप्ताह तक डायरिया है	26.9	26.2
6.	जन्म के समय कम वजन वाले 3 साल तक की उम्र के बच्चों का प्रतिशत	46.7	45.9

आईएमएनसीआई (समन्वित नवजात एवं बाल रोग प्रबंधन प्रणाली)

	कुल	हाई फोकस नॉन एनई	हाई फोकस इन ई	नॉन हाई फोकस लार्ज	नॉन हाई फोकस स्माल
आईएमएनसीआई लागू करने वाले जिलों की संख्या	258	123	25	106	04
आईएमएनसीआई में प्रशिक्षित लोगों की संख्या	202015	115761	1461	84770	23

सेवा-पूर्व आईएमएनसीआई (समन्वित नवजात एवं बाल रोग प्रबंधन प्रणाली)

राज्य	आईएमएनसीआई लागू करने वाले मेडिकल कॉलेजों की संख्या
गुजरात	12
तमिलनाडु	14
महाराष्ट्र	38
मध्य प्रदेश	5
कर्नाटक	9
पंजाब	1
कुल	79

बीमार नवजात शिशु देखभाल इकाइयों (एसएनसीयू) और पोषाहार पुनर्वास केंद्रों (एनआरसी) की स्थिति (30.4.2009)

राज्य	एसएनसीयू	एनआरसी
असम	1	0
छत्तीसगढ़	1	2
दिल्ली	0	2
कर्नाटक	108	0
केरल	14	
मध्यप्रदेश	5	121

उड़िसा	1	0
बिहार	1	8
राजस्थान	1	9
तमिलनाडु	17	2
त्रिपुरा	2	0
उत्तराखंड	2	0
झारखंड	1	0
पश्चिम बंगाल	6	0
महाराष्ट्र	0	438
	160	582

जननी सुरक्षा योजना

जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव की योजना का नाम है। शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए चलायी जा रही इस योजना का उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को प्रसव की संस्थागत सुविधा प्रदान करना है। जननी सुरक्षा योजना शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता से चलायी जाने वाली योजना है और इसके अंतर्गत प्रसव और प्रसव के बाद देखभाल सुविधा के साथ-साथ नकद सहायता देने का भी प्रवधान है। यह योजना गरीब गर्भवती महिलाओं पर केन्द्रित है और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़िसा, और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें संस्थागत प्रसव सुविधा का लाभ उठाने की दर कम है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक लाभार्थी के पास एमसीएच कार्ड के साथ-साथ जननी सुरक्षा योजना कार्ड भी होना जरूरी है। इसके अंतर्गत आशा/एडब्ल्यूडब्ल्यू/कोई अन्य सुनिश्चित संपर्क कार्यकर्ता द्वारा ए.एन.एम./प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में अनिवार्य रूप से प्रसव की व्यवस्था करना आवश्यक है। इससे गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य जांच और प्रसव के बाद देखभाल की निगरानी करने में भी मदद मिलती है।

पांच राज्यों में जननी सुरक्षा योजना की प्रगति का मूल्यांकन दिसम्बर 2008 में किया गया। इन राज्यों के नाम हैं: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़िसा और बिहार, मूल्यांकन के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

1. योजना के बारे में जागरूकता
2. संस्थागत प्रसव कराने वालों की संख्या में भारी बढ़ोत्तरी
3. जिला अस्पतालों की बजाय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव करने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी (करीब 70 प्रतिशत से ज्यादा) जिससे जिला अस्पतालों में भीड़ कम
4. प्रसव पूर्व सेवाओं के उपयोग में वृद्धि
5. समाजिक बराबरी के मुद्दे पर भी ध्यान
6. प्रसवोत्तर देखभाल का दायरा बढ़ा

7. पोलियो और बीसीजी टीकाकरण के दायरे में बढ़ोत्तरी
8. प्रसव के बाद कम से कम दो दिन तक अस्पताल में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं
9. लाभार्थियों को भुगतान में देरी

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि नवजात शिशु की देखभाल के अनिवार्य प्रावधानों और प्रसवोत्तर परिवार कल्याण सलाह के लिहाज से जननी सुरक्षा योजना की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है।

जननी सुरक्षा योजना पर अमल को बेहतर बनाने और इसकी निगरानी के लिए ये कदम उठाये जा रहे हैं :

- क) अस्पताल से छुट्टी से पहले बियरर चेक के जरिए भुगतान
- ख) अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर लाभार्थियों की जांच/जननी सुरक्षा योजना की निगरानी
- ग) स्वास्थ्य केंद्र पर लाभार्थियों की सार्वजनिक सूचना और जननी सुरक्षा योजना के लिए शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना
- घ) प्रसव के बाद दो दिन अस्पताल में आराम करने को बढ़ावा और बड़े पैमाने पर प्रसव सुविधा वाले केंद्रों में नवजात शिशु की देखभाल और प्रसवोत्तर परामर्श की अनिवार्य सुविधा।
- ङ) सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव सुविधाओं की गुणवत्ता की निगरानी। निजी क्षेत्र की सुविधाओं को मान्यता देना और उनकी निगरानी; 2007-08 के अंत तक देश भर में 3,154 निजी केंद्रों को जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसव पूर्व देखभाल उपलब्ध कराने और प्रसव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मान्यता प्रदान की गयी।
- च) स्थानीय जागरूकता के लिए कार्यक्रम

आगे दी गयी तालिका से 2005-2009 के दौरान विभिन्न राज्यों में जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या का पता चलता है।

क्रम सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	बिहार	0	89839	83841	1051376
2.	छत्तीसगढ़	3190	76677	175978	225000
3.	हिमाचल प्रदेश	1585	6303	10371	11323
4.	जम्मू-कश्मीर	2134	13127	10568	7364
5.	झारखंड	0	123910	251867	477890
6.	मध्य प्रदेश	68252	401184	1115941	1138000
7.	ओड़िसा	26407	227204	490657	309000
8.	राजस्थान	10085	317484	774877	917000
9.	उत्तर प्रदेश	12127	168613	797505	1563516
10.	उत्तराखंड	1360	23873	69679	66202
11.	आंध्र प्रदेश	167000	429000	563401	450000
12.	गुजरात	0	121153	185956	213000

13.	हरियाणा	1825	23123	35441	48000
14.	कर्नाटक	50542	233147	283000	331000
15.	केरल	0	56072	162050	136000
16.	महाराष्ट्र	5650	97390	375000	224000
17.	पंजाब	11595	16079	9917	68000
18.	तमिलनाडु	321567	288224	229609	386700
19.	पश्चिम बंगाल	31363	600	354	0
20.	अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	314	224863	572651	317000
21.	चंडीगढ़	0	14	1215	458
22.	दादरा और नगर हवेली	146	76	270	157
23.	दमण और दीव	0	0	0	0
24.	दिल्ली	0	242	7238	23829
25.	गोवा	57	483	898	688
26.	लक्षद्वीप	114	42	200	200
27.	पुदुच्चेरि	379	2284	4389	4807
28.	अरुणाचल प्रदेश	794	1433	7689	7782
29.	असम	17523	190334	304741	327894
30.	मणिपुर	0	7602	8664	10726
31.	मेघालय	471	4257	1003	10600
32.	मिजोरम	1056	7462	13371	14290
33.	नागालैंड	0	1301	8457	14344
34.	सिक्किम	1128	1719	1616	3161
35.	त्रिपुरा	2247	3203	15547	18350
कुल		738911	3158317	7328601	8377657

- **समुदाय और संस्थागत स्तर पर अभिदेक्ष सेवाएं :** समुदाय और प्रथम अभिदेक्ष इकाई के बीच संपर्क स्थापित करना, आपात स्थितियों में सेवाओं का उपयोग करना एक आवश्यक घटक है। चूंकि आपातस्थितियों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसलिए राज्यों को सलाह दी गई है कि प्रभावी अभिदेक्ष संपर्क स्थापित करने के लिए रणनीति बनाएं ताकि गर्भवती महिलाएं आपातस्थिति के दौरान सेवा का लाभ उठा सकें।
- **ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण दिवस :** आंगनबाड़ी केंद्रों में एक महीने में कम से कम एक बार ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण दिवस का आयोजन गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व सेवा प्रदान करना, 4 स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव के लिए प्रेरित करना और स्वास्थ्य देखभाल की शिक्षा के अलावा विभिन्न सेवाओं का लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है। राज्यों से मिली जानकारी के अनुसार मार्च 2007 तक 19.95 लाख ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण दिवसों का आयोजन किया जा चुका था।
- **भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक :** प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के क्रियान्वयन से ढांचा, उपकरण और विशेषज्ञ जनशक्ति उपलब्ध कराकर अच्छी सेवा सुनिश्चित की जा सकेगी।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

जनसंख्या स्थिरता के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और दसवीं योजना में गर्भनिरोधकों की मांग पूरी करने पर जोर देना इस बात का संकेत है कि (विवाहित औरतें, जो और बच्चा नहीं चाहतीं, गर्भ निरोध का कोई उपाय नहीं अपना रही हैं) दो बच्चों के बीच अंतर न होने की समस्या अधिकतर राज्यों में है।

बंध्याकरण आपरेशन में 2005-06 के मुकाबले 2006-07 में 3.8% की गिरावट आई। आईयूडी के उपयोग में 3.6% और कंडोम की स्वीकार्यता में 0.4% गिरावट दर्ज की गई। सिफ ओपी का उपयोग 9.2% बढ़ा है (कंडोम और ओपी के मामले में मुफ्त वितरित और सामाजिक विपणन के माध्यम से आपूर्ति—दोनों शामिल हैं)।

दो वर्ष के दौरान गर्भनिरोध के उपयोग के आंकड़े इस प्रकार हैं :

उपाय	उपलब्धि (लाख में)		परिवर्तन %
	2006-07	2005-06	
बंध्याकरण	4,514,092	4,691,975	-3.8
आईयूडी	5,945,859	6,168,584	-3.6
कंडोम का इस्तेमाल	20,630,468	20,718,296	-0.4
ओपी	8,946,014	8,194,545	9.2

अन्य उपाय

दो बच्चों के बीच अंतर रखने के उपायों की स्वीकार्यता बहुत कम है। आईयूडी 380 ए को क्षमता, प्रभाव और लागत के कारण 2002 में सीयूटी (Cut)200 के स्थान पर लाया गया। लेकिन इसके बावजूद आईयूडी की स्वीकार्यता नहीं बढ़ी है, जिसका एक कारण कुशल कर्मियों की कमी है। इस समस्या के समाधान के लिए आईयूडी सेवाओं में प्रशिक्षण के लिए वैकल्पिक प्रशिक्षण तरीके की शुरुआत जो (Zoe) शरीर रचना श्रोणीय माडल से की गई है। इसका आरंभिक चरण पूरे देश के 12 राज्यों में एक-एक जिले में शुरू किया जा रहा है।

आपात गर्भनिरोधक गोलियां (ईसीपी) पहली बार एनएफडब्लूपी 02-03 में शुरू की गई थीं। ये असुरक्षित यौन संबंध से अनचाहे गर्भ को रोकती हैं। सभी सेवा प्रदाताओं को ईसीपी के उपयोग के बारे में दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

बिना चीरे की नसबंदी (एनएसवी)

पुरुष नसबंदी साठ के दशक में गर्भनिरोध का सबसे अधिक स्वीकार्य उपाय था और कुल बंध्याकरण का 70-80% था। लेकिन विभिन्न कारणों से इसकी स्वीकार्यता घटकर 2-3% रह गई। जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम में पुरुषों को अग्रणी भूमिका देने, परिवार नियोजन का उत्तरदायित्व निभाने के उद्देश्य से बजट में विशेष प्रावधान दसवीं आयोजना में पुरुष भगीदारी के तहत किया गया है। एनएसवी में कुशल कर्मियों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से सरकार ने जिला प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की रणनीति के तहत हर जिले में एक जिला प्रशिक्षक नियुक्त करने का फैसला किया है, जिस पर इच्छुक व्यक्ति को सेवा देने के अलावा अन्य डॉक्टरों के प्रशिक्षण का दायित्व होगा। अब तक 264 जिलों में यह लागू

हो चुका है। एनएसवी को मेडिकल शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए देश के सात केंद्रों में मेडिकल कालेज के सर्जरी विभाग के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार ने बंध्याकरण को स्वीकार करने वालों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि बढ़ा दी है। सरकार ने नवंबर 2005 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत आपरेशन कराने वाले व्यक्ति की दुर्भाग्य से मौत, जटिलता और असफलता होने पर परिजनों या उसे मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा डॉक्टरों का भी क्षतिपूर्ति बीमा होता है ताकि वे व्यक्ति की मृत्यु या अन्य कोई गड़बड़ी होने पर मुकदमे का खर्च उठा सकें।

जन्म-पूर्व शिशु के लिंग का पता लगाने पर रोक

कन्या भ्रूणहत्या को रोकने के उद्देश्य से बच्चे के जन्म से पहले लिंग का पता लगाने की तकनीक के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए प्रसव पूर्व जांच अधिनियम, 1994 बनाया गया, जो एक जनवरी, 1996 से देशभर में लागू कर दिया गया। यह कानून गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग का पता लगाने से रोकता है। इस कानून के तहत प्रसव से पूर्व शिशु लिंग के बारे में पता लगाने संबंधी विज्ञापन पर भी रोक है। इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को पांच साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा उसका पंजीकरण और लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा।

इस अधिनियम के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने और जन्म से पहले लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगाने के लिए तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इसके नियमों और कानूनों में संशोधन किए गए, जो 14 फरवरी, 2003 से प्रभावी हैं।

इस अधिनियम का क्रियान्वयन जिला स्तर पर उचित अधिकारी करता है। राष्ट्रीय स्तर पर एक निगरानी समिति गठित की गई है, जो समस्यावाले राज्यों का दौरा कर जमीनी हकीकत का आकलन करती है। देश में अधिनियम का क्रियान्वयन मजबूत बनाने के लिए एक नेशनल सपोर्ट एंड मानीटरिंग सेल (एनएसएमसी) की भी स्थापना की गई है। गर्भधारण और जन्म पूर्व निदानात्मक तकनीकी अधिनियम और तत्संबंधी नियमों को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार अधिनियम और नियमों में और संशोधन करने पर विचार कर रही है।

नियमित प्रतिरक्षण कार्यक्रम

बच्चों के जीवन को खतरनाक परिस्थितियों से सुरक्षा के लिए प्रतिरक्षण कार्यक्रम एक प्रमुख उपाय है। प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम के रूप में देश में प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में हुई। इसे 1985 में सर्व प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यूआईपी) के रूप में गति मिला और 1989-90 तक देश के सभी जिलों में इसे चरणबद्ध रूप में लागू किया गया। 1992 में यह बाल और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का हिस्सा बन गया। 1997 से प्रतिरक्षण गतिविधियां राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का महत्वपूर्ण संघटक बन गया। 2005 में शुरू हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रतिरक्षण एक प्रमुख क्षेत्र है।

सरकार प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत टीके से रोकी जाने वाली छह बीमारियों क्षय रोग, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो और खसरे के टीके प्रदान कर रही है। टीकाकरण कार्यक्रम इस प्रकार है :

बीसीजी (बेसिलस काल्मेटर-ग्यूरिन) जन्म पर।

डीपीटी (डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस टोक्सोइड) -6,10,14 सप्ताहों और 16-24 माह की आयु में।

ओपीवी (पोलियो) 6,10,14 सप्ताहों और 16-24 माह की आयु और संस्थागत जन्म के समय खुराक।

खसरा-9-12 माह की आयु।

डीटी (डिप्थीरिया और टेटनस टोक्सोइड) 5 वर्ष की आयु।

टीटी (टेटनस टोक्सोइड)-10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु।

टीटी- गर्भवती महिलाओं के लिए दो खुराक या अगर तीन वर्ष के भीतर टीका लगा है तो एक खुराक।

नियमित प्रतिरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने एनआरएचएम के एक भाग के रूप में 2005-06 में निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

- सभी तरह के प्रतिरक्षण के लिए वर्तमान सिरिजों के स्थान पर एडी सिरिजों का उपयोग।
- बीसीजी वियाल 20 से घटाकर 10 खुराक करना।
- पीएचसी से उप केंद्रों और दूरदराज के लिए टीका पहुंचाने की वैकल्पिक योजना।
- शहर की गंदी बस्तियों और कम पहुंच वाले क्षेत्रों में टीकाकरण गतिविधियों की आउटसोर्सिंग।
- निरीक्षण और निगरानी का सशक्तीकरण।
- निरीक्षण और निगरानी में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी की मदद से सचल सहायता।
- छह महीने में जिले के अधिकारियों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक।
- प्रत्यापित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, संपर्क कार्यकर्ताओं, महिला स्व सहायता समूहों आदि द्वारा बच्चों को प्रतिरक्षण स्थल तक जाने के लिए प्रेरित करना।
- पूर्वोत्तर राज्यों/ईएजी राज्यों जैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछड़े राज्यों में टीकाकरण में सुधार के लिए विशेष टीकाकरण सप्ताह का आयोजन।

सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे अपनी-अपनी कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना बनाएं ताकि 2005-06 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत इनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

भारतीय नर्सिंग परिषद

भारतीय नर्सिंग परिषद का गठन नर्सिंग अधिनियम, 1947 के तहत किया गया है। यह परिषद नर्सों, दाइयों, सहायक नर्स दाइयों तथा स्वास्थ्यचरों के प्रशिक्षण का समान स्तर बनाए रखती है और उसे नियमित करती है। परिषद विभिन्न नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करती है और नियम बनाती है। अभी देश में कुल 1602 सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफ स्कूल, 440 सहायक नर्स मिडवाइफ स्कूल, 817 बी.एस.-सी. नर्सिंग कालेज और स्नातकोत्तर नर्सिंग कोर्स चलाने वाले 91 कालेज हैं। प्रतिवर्ष 25-30 हजार नर्सें तथा 10-12 हजार सहायक नर्सें और मिडवाइफ इन स्कूलों और कालेजों से प्रशिक्षित होकर निकलती हैं। 31 दिसंबर 2006 तक विभिन्न राज्यों की नर्सिंग परिषदों में 928194 नर्स और 5,26,242 सहायक नर्स मिडवाइफ पंजीकृत थीं।

पल्स पोलियो प्रतिरक्षण

विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन के 1988 के प्रस्ताव के अनुरूप पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1995-96 में

3 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए शुरू किया गया। पोलियो उन्मूलन की गति बढ़ाने के लिए 1996-97 में लक्षित आयु वर्ग 5 वर्ष कर दिया गया। 1998-99 में शीतकालीन सत्र के दौरान राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के अवसर पर दो बार निर्धारित केंद्रों पर दवा पिलाई जाती थी।

इसके बावजूद एनआईडी में 5-6 प्रतिशत बच्चे छूट जाते थे। इसीलिए 1990-2000 में केंद्रों के अलावा एनआईडी/उप एनआईडी के दो-तीन बार घर-घर जाकर दवा पिलाई जा रही है। इससे 2-3 करोड़ बच्चों को दवा पिलाई गई, जिन्हें पहले कभी दवा नहीं पिलाई गई थी। इसके तहत देश में लगभग 17 करोड़ बच्चों को दवा पिलाई गई।

टाइप तीन के पोलियो वायरस में से 1999 में टाइप 2 का उन्मूलन हो गया। टाइप 3 वायरस पश्चिम उत्तर प्रदेश के चार जिलों में सीमित रह गए। टाइप 1 के पोलियो वायरस भी उत्तर प्रदेश और बिहार के जिलों में सिमटकर रह गए हैं।

वर्ष 2007 में 27 जुलाई तक पोलियो के 124 मामले सामने आए 39 मामले टाइप 1 और टाइप 3 के हैं, इनका फैलाव 39 जिलों तक सीमित है। पोलियो वायरस का फैलाव रोकने के लिए 2007-08 में निम्नलिखित रणनीतियां अपनाई गई हैं :

- उत्तर प्रदेश, बिहार और प्रभाव वाले अन्य जिलों और राज्यों में 2007 के पहले सात महीनों में 2 एनआईडी और 4 एसएनआईडी लागू किए गए। मई का एसएनआईडी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल और कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश के उच्च जोखिमवाले जिलों में लागू किया गया।
- बिहार ने जोखिमवाले 17 जिलों में अतिरिक्त अभियान चलाया।
- पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के पोलियो प्रभावित क्षेत्रों में 2007 एमओपीवी 1 का प्रयोग किया गया।
- टाइप 3 के वायरस को नियंत्रित करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पांच जिलों में मार्च में एमओपीवी 3 और अप्रैल में पूरे उत्तर प्रदेश में टीओपीवी और जुलाई 2007 के एसएनआईडी 18 पश्चिमी जिलों में एमओपीवी 3 का प्रयोग किया गया।
- 2007 के द्वितीयार्ध अगस्त-दिसंबर 2007 में होनेवाले एसएनआईडी के चार दौरों में एमओपीवी 1 का प्रयोग होगा।
- देश के अन्य भागों में पोलियो वायरस का पता चलने पर एसआईए चलाया जाएगा।
- जनवरी और फरवरी 2008 में दो एनआईडी क्रियान्वित होंगे।
- यात्रा कर रहे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए रेलवे स्टेशनों, लंबी दूरी की ट्रेनों के भीतर, बड़े बस अड्डों, बड़े चौराहों, धार्मिक समारोह स्थलों आदि पर बूथ लगाए जा रहे हैं, इससे उत्तर प्रदेश, बिहार और मुंबई में 50 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाई जाएगी।
- बिहार और उत्तर प्रदेश से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मुंबई जाने वाले लोगों की पहचान की जाएगी और 2007 के नियोजित एसएनआईडी में उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ उन्हें भी शामिल किया जाएगा।
- बच्चों को बूथों तक जाने और दवा पिलाने में आशा की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
- छूटे हुए बच्चों को आशा/ए डब्लू डब्लू के सहयोग से महीनों के दौरान दवा पिलाई जाएगी।

- कार्यक्रम में समुदाय की बेहतर भागीदारी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में समुदाय के नेताओं और अन्य प्रभावशाली लोगों को शामिल करने की रणनीति अपनाई जा रही है।
- यूनिसेफ, रोटरी, कोर जैसी एजेंसियां समुदाय को प्रेरित करने के लिए प्रभावी लोगों का सहयोग ले रही हैं।
- राज्यों को नियमित प्रतिरक्षण के दायरे में सुधार करने की सलाह दी जा रही है ताकि समुदाय प्रतिरक्षण बढ़े और इन राज्यों में पोलियो वायरस फिर अपनी जड़ें न फैला सके।

सुरक्षित गर्भपात सेवाएं/गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन (एमटीजी) : आरसीएच कार्यक्रम का यह एक महत्वपूर्ण घटक है और मातृत्व मृत्युदर कम करने का एक साधन है। असुरक्षित गर्भपात से 8 लाख मौतें होती हैं। आरसीएच कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित गर्भपात सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए एमटीपी अधिनियम और नियमों में 2002-03 में संशोधन किया गया है ताकि जिलों को एमटीपी केंद्रों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार मिल सके। राज्यों द्वारा एमटीपी तकनीक में चिकित्सकीय जनशक्ति को प्रशिक्षित करके पीएचसी, सीएचसी और एफआरयू में चौबीसों घंटे एमटीपी सेवाओं को मजबूत बनाया जा सके।

परिवार कल्याण से जुड़ी बीमा योजना

लोगों को परिवार नियोजन का स्थायी तरीका अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय 1981 से केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना पर अमल कर रहा है जिसके अंतर्गत नसबंदी कराने वालों को आपरेशन के दिन काम पर न जाने से होने वाले मजदूरी के नुकसान की भरपाई की व्यवस्था की गयी है।

नसबंदी कराने वालों को नगद मुआवजा राशि देने के अलावा कुछ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने विविध कार्यों के लिए एक कोष बनाया है जिससे नसबंदी कराने वाले को आपरेशन के बिगड़ जाने या उसके विकलांग होने अथवा मृत्यु होने की स्थिति में उसे या उसके परिवार को मुआवजा दिया जाता है। इसकी राशि इस प्रकार है:

- मौत की स्थिति में 50,000 रुपये
- विकलांग होने पर 30,000 रुपये
- आपरेशन के बिगड़ने की स्थिति में इलाज के लिए 20,000 रुपये।

इस सीमा से अधिक राशि की कोई भी जिम्मेदारी संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों/गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन द्वारा अपने संसाधनों से जुटायी जाती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल रिट याचिका सं. 209/2003 (रमाकांत राय बनाम भारत सरकार) के मामले में दिनांक 1.3.2005 के अपने आदेश में अन्य बातों के अलावा भारत संघ और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी निर्देश दिया है कि वे बंध्याकरण आपरेशन के समय संघ सरकार के दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं पर अमल सुनिश्चित करें ताकि इसमें निम्नलिखित प्रकार से एकरूपता लायी जा सके :

- क) बंध्याकरण आपरेशन कराने के बारे में डाक्टरों/चिकित्सा केंद्रों का पैनल तैयार करना और नसबंदी आपरेशन करने वाले डाक्टरों का पैनल तैयार करने के लिए मानदंड निर्धारित करना।
- ख) बंध्याकरण आपरेशन करने से पहले डाक्टरों के अमल के लिए चैकलिस्ट तैयार करना।
- ग) बंध्याकरण आपरेशन कराने वाले व्यक्ति की रजामंदी लेने के लिए एक समान प्रारूप निर्धारित करना।

घ) बंध्याकरण के लिए आपरेशन से पहले और बाद के दिशा-निर्देशों पर अमल सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन समितियों का गठन।

ङ) बंध्याकरण को अपनाने वालों के लिए सभी राज्यों में एक समान बीमा पॉलिसी पर अमल।

नसबंदी आपरेशन के बिगड़ने से पैदा होने वाली जटिलताओं जैसे विकलांगता या मौत की स्थिति में मुआवजा देने की प्रक्रिया में जटिलताओं को समाप्त करने के लिए 29 नवम्बर 2005 से एक साल के लिए परिवार नियोजन बीमा योजना लागू की गयी। इसके अंतर्गत बंध्याकरण आपरेशन के असफल होने, आपरेशन बिगड़ने या मौत होने की स्थिति में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से बीमा की सुविधा का लाभ दिया जाता है। इसके तहत डाक्टरों को भी किसी तरह के दायित्व से सुरक्षा प्रदान की जाती है। बाद में इस कार्यक्रम का एक साल के लिए (29.11.2007 से 31.12.2007) इसी बीमा कंपनी के साथ आगे नवीकरण किया गया।

योजना के अंतर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाएं इस प्रकार हैं:

पालिसी अवधि 29.11.2005 से 28.11.2006 (पहला साल)

क.	बंध्याकरण के कारण अस्पताल में मौत	1,00,000 रुपये
ख.	बंध्याकरण आपरेशन के बाद अस्पताल से छुट्टी के 30 दिन के भीतर मौत	30,000 रुपये
ग.	बंध्याकरण आपरेशन के बाद असफल रहना (जिसमें आपरेशन के बाद गर्भधारण का पहला मामला भी शामिल है)	20,000 रुपये
घ.	बंध्याकरण आपरेशन के कारण डाक्टरी जटिलताओं के इलाज का खर्च (आपरेशन के 60 दिन के अंदर)	20,000 रुपये
ङ.	प्रत्येक डाक्टर/स्वास्थ्य केंद्र का इंडेमिटी इंश्योरेंस (साल में चार मामलों से ज्यादा नहीं होने चाहिए)	हर दावे पर 2 लाख रुपये

हर खंड के अंतर्गत बीमा कंपनी की कुल सालाना देयता 9 करोड़ रुपये से अधिक नहीं बढ़नी चाहिए।

योजना के नवीकरण के बाद 29 नवम्बर 2006 से 31 दिसंबर, 2007 तक (दूसरा साल) इसके फायदे

खंड	दायरा	सीमा
1.	1क बंध्याकरण के बाद अस्पताल में या अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 7 दिन में मौत	2 लाख रुपये
	1ख बंध्याकरण आपरेशन के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने के 8-30 दिन के भीतर मौत	50,000 रुपये
	1ग बंध्याकरण आपरेशन का असफल रहना	25,000 रुपये
	1घ आपरेशन के बिगड़ने की स्थिति में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 60 दिन तक इलाज का खर्च	वास्तविक खर्च जो 25,000 से ज्यादा न हो
2	प्रत्येक डाक्टर/स्वास्थ्य केंद्र के लिए इंडेमिटी बीमा जो साल में चार मामलों से ज्यादा के लिए नहीं होगा	2 लाख रुपये प्रति दावा

हर खंड के अंतर्गत बीमा कंपनी की कुल सालाना देयता 9 करोड़ रुपये से अधिक नहीं बढ़नी चाहिए।

1 जनवरी, 2008 से 31 दिसंबर, 2009 तक तीसरे/चौथे साल के लिए नवीकरण:

1 जनवरी, 2008 से 31 दिसंबर, 2009 की अवधि के लिए आईसीआईसीआई से योजना/पालिसी को जारी/नवीकरण का निर्णय किया जा चुका है और बंध्याकरण आपरेशन के असफल होने के मामले में मुआवजे की राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दी गयी है। लेकिन बंध्याकरण अपनाने वालों के लिए अन्य फायदे और डाक्टरों के लिए इंडेम्निटी सुरक्षा पिछले साल की पॉलिसी की ही तरह रहेंगी जिसका ब्यौर ऊपर तालिका में दिया जा चुका है।

यह योजना नसबंदी कराने वाले/करा चुके सभी लोगों पर लागू होगी चाहे वे बीपीएल परिवारों के हों या एपीएल के।

भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन बीमा योजना पर खर्च धनराशि और दावों की सूचना/निपटारे के बारे में सूचना नीचे दी गयी है:

वर्ष	बीमा कराने वाला	अनुमानित संख्या	प्रति व्यक्ति प्रीमियम बिना एसटी के	कुल प्रीमियम बिना एसटी के	एसटी के साथ कुल प्रीमियम
29.11.05 से 28.11.06	ओआईसी*	50 लाख	15 रुपये	75,00,000 रुपये	8,26,50,000 रुपये
29.11.06 से 31.12.07	ओआईसी**	45 लाख	9.60 रुपये	4,32,00,000 रुपये 2,46,95,000 रुपये की वापसी समायोजित करने के बाद	2,36,92,680 रुपये
1.1.08 से 31.12.08	आईसीआईसी आई	50 लाख	5.65 रुपये	2,82,50,000 रुपये	3,17,41,700 रुपये
1.1.09 से 31.12.09	आईसीआईसी आई	45 लाख	9.75 रुपये	4,38,75,000 रुपये	4,92,97,951 रुपये

भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रीमियम बंध्याकरण के संभावित आपरेशनों की संख्या पर आधारित है और वास्तविक संख्या के अनुसार इसमें बदलाव हो सकता है।

*29.11.2005 से 28.11.2006 तक ओआईसी को अनुमानित 50 लाख आपरेशनों के आधार पर प्रीमियम का भुगतान किया गया।

लेकिन इसके बाद के वर्ष में (29.11.06 - 31.12.07) बंध्याकरण के कम (यानी 35 लाख) आपरेशन होने के कारण प्रीमियम राशि का समायोजन कर लिया गया।

**दूसरे वर्ष बंध्याकरण आपरेशन कराने वालों की संख्या 35 लाख होने के कारण 24695000 रुपये की वापसी की अनुमति दी गयी जिसे 29.11.2006 से 31.12.2007 की अवधि के दौरान अदा की गयी 4,32,00,000 रुपये और 23,69,26,80 रुपये की प्रीमियम राशि में समायोजित कर लिया गया।

आईसीआईसीआई को 1.1.2008 से 31.12.2008 तक अदा की गयी प्रीमियम राशि 50 लाख बंध्याकरण आपरेशनों की अनुमानित संख्या पर आधारित थी और 1.1.2009 से 3.12.2009 की अवधि के लिए यह राशि बंध्याकरण आपरेशनों की अनुमानित संख्या 45 लाख होने के आधार पर तय की गयी है।

अदा किये प्रीमियम और दावों की सूचना/निपटान के बारे में 30 सितम्बर 2009 तक की स्थिति इस प्रकार है:

क्रम बीमा कंपनी सं.	अवधि	दावों की स्थिति				
		प्राप्त हुए	अदा राशि	अस्वीकृत	बंद किये	बकाया
1. आईओसी	29.11.2005	3409	1878	623	381	527
	से		5.5 करोड़	1.45 करोड़	1.25 करोड़	
	31.12.07		रुपये	रुपये	रुपये	

2008 तथा 2009 के तहत 30 जून, 2009 तक दावों की स्थिति :

2. आईसीआसीआई	1.1.2008	4128	2232	1710	-	186
	से					
	31.12.2008		8.34 करोड़	5.17 करोड़		0.57 करोड़
			रुपये	रुपये		रुपये
3. आईसीआईसीआई	1.1.2009	1570	607	534	-	432
	से		2.32	1.85 करोड़		1.71
	31.12.2009		करोड़ रुपये	रुपये		करोड़ रुपये

इन परिणामों से उत्साहित होकर यह योजना समूचे राज्य में चरणबद्ध तरीके से लागू की गयी है और 1.85 करोड़ बीपीएल परिवारों यानी 6.55 बीपीएल आबादी को इसके दायरे में लाया है।

अब इस योजना के अंतर्गत हृदय, फेफड़े, यकृत, पैंक्रियाज और गुर्दे की बीमारियों, न्यूरोसर्जरी, बच्चों में जन्मजात शारीरिक विकृतियों, जलन तथा जलन के बाद के अंग संचालन में सुधार के आपरेशनों, प्रोस्थेटिक्स (यानी कृत्रिम अंग), कैंसर के उपचार (शल्य चिकित्सा, रसायन चिकित्सा, रेडियो चिकित्सा) और पॉली ट्रॉमा के 330 मामलों में लागू किया जा रहा है। सार्वजनिक और निजी दोनों ही तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्यवर्धक भोजन एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत अस्पतालों का नेटवर्क बनाया गया है और रोगियों की पहचान की जा रही है।

30.8.2009 तक प्राप्त परिणामों के संकेत

क्रम सं.		
1.	क्रियान्वयन की तारीख	1.4.07
2.	शामिल जिले	पांच चरणों में 23 जिले
3.	आयोजित शिविर	10,736
4.	रोगियों की जांच की गयी	18.16 लाख
5.	पंजीकृत रोगी	9.3 लाख
6.	भर्ती किये गये रोगी	3.50 लाख
7.	प्री ऑथराइजेशन	3.14 लाख
8.	स्वीकृत राशि	956.94 करोड़ रुपये
9.	कुल आपरेशन	3.06 लाख
10.	ओपीडी मामले	4.11 लाख

राजीव अरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा योजना आंध्र प्रदेश

राज्य सरकार ने महसूस किया है कि कैंसर, गुर्दे खराब होने, हृदय रोग और तंत्रिका तंत्र संबंधी गंभीर बीमारियों में अस्पताल में भर्ती कराने के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य बीमा शुरू करने की आवश्यकता है। 14 मई, 2004 से 26 जून, 2007 तक की अवधि के दौरान 55,361 मामलों में मुख्यमंत्री राहत कोष से 168.52 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये।

इस स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने, इसके बारे में नीतिगत निर्णय करने और इसके वित्तीय नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने राजीव आरोग्यश्री न्यास नाम की एक संस्था गठित की है। इसकी देखभाल के लिए कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति की गयी है। यह योजना स्टार हेल्थ कंपनी के माध्यम से लागू की जा रही है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की पहचान नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी बायोमीट्रिक राशन कार्डों के जरिए की जाती है। न्यास बीपीएल परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड भी जारी करता है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल, 2007 से तीन जिलों में परीक्षण के तौर पर स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। इसके अंतर्गत पहले चरण में हृदय रोग, कैंसर, न्यूरो सर्जरी, गुर्दे की बीमारियों, जलन और पॉली ट्रॉमा (जो एमवी एक्ट में शामिल न हों) सहित शल्य चिकित्सा की आवश्यकता वाले करीब 163 मामलों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इसमें 1.50 लाख रुपये का बीमा कराया जाता है और प्रति परिवार 50,000 रुपये का बफर बनाया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत सभी बीमारियों के लिए पहले दिन से ही सुरक्षा उपलब्ध करायी जाती है। पालिसी लेने से पहले किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को भी सुविधा दी जाती है।

पैकेज की दरें अस्पताल में पहुंचने से लेकर वहां से छुट्टी मिलने के दस दिन तक के लिए होती हैं। गुर्दे के प्रतिरोपण के मामले में स्वास्थ्य बीमा पैकेज के तहत आपरेशन के बाद एक साल तक देखभाल की जाती है।

गांवों में कुछ खास बीमारियों से पीड़ित बीपीएल रोगियों की जांच के लिए नेटवर्क में शामिल अस्पतालों के जरिए मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। इसमें न्यास द्वारा निर्दिष्ट डाक्टरों का दल नैदानिक उपकरण लेकर शिविर में शामिल होते हैं।

न्यास कोचलिनर इम्प्लांट सर्जरी के साथ ऑडिटरी-वर्बल थेरेपी में होने वाले खर्च की वापसी नेटवर्क में शामिल अस्पतालों को करता है। इस योजना के अंतर्गत बीमा कंपनी ऐसे प्रत्येक रोगी का मामला तैयार करती है। इलाज के वास्तविक खर्च में से अधिकतम 6.5 लाख रुपये तक की अदायगी राज्य सरकार करती है। ये मामले बीमा योजना में शामिल नहीं हैं।

इस योजना का फायदा लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार हर साल जिलों को धनराशि उपलब्ध कराती है। 2007-08 में कुल 39.5 करोड़ रुपये आबंटित किये गये।

मध्य प्रदेश सरकार का जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग अपने यहां इस योजना को लागू करने वाली एजेंसी है। योजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट अस्पतालों में बनायी जाती है और ब्लॉक वार इनको समन्वित कर राज्य निदेशालय को भेजा जाता है। इसके लिए एक अच्छी प्रबंधन प्रणाली कायम की गयी है।

योजना के अंतर्गत प्रति परिवार औसतन 1,000 रुपये वार्षिक की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

अब तक 50 लाख परिवारों को परिवार स्वास्थ्य कार्ड जारी किये जा चुके हैं। लाभार्थियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	अ.जा.	अ.ज.जा.	समान्य	कुल
2004-05	7367	3720	0	11087
2005-06	68763	50347	0	119110
2006-07	118855	97488	51698	268041
2007-08	153579	155177	247869	556625
2008-09	153617	158190	277796	589603
कुल	502181	464922	577363	1544466

योजना के अंतर्गत दवाओं की खरीद पर हुआ खर्च इस प्रकार है:

वर्ष	खर्च करोड़ रुपये
2004-05	0.25
2005-06	3.78
2006-07	7.58
2007-08	17.14
2008-09	17.60

यह राज्य की अपने संसाधनों से चलने वाली योजना है और इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से भी सहायता प्राप्त होती है। इससे निजी स्वास्थ्य सुविधाओं तक सदस्यों की पहुंच नहीं बढ़ती।

दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना: मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार ने समाज के उपेक्षित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 25 सितम्बर 2004 से प्रारंभ की। इसके माध्यम से राज्य में 57 लाख बीपीएल परिवारों और 10 लाख अन्य परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

- आदिम जातियों के सभी सदस्य चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो और मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा कार्ड और निर्माण श्रमिक कार्ड धारक सभी व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं।
- इस समय राज्य में 57 लाख बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले परिवार और 10 लाख अन्य परिवार इस योजना में शामिल हैं। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को परिवार के मुखिया का फोटो लगा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का ब्यौरा होता है।
- योजना के अंतर्गत हर परिवार के सदस्यों को किसी भी सरकारी अस्पताल में भर्ती करने और निदान व उपचार पर सालाना 20,000 रुपये तक की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं।
- योजना का लाभ प्रसव सहित सभी बीमारियों के लिए उपलब्ध कराया जाता है।
- निजी स्वास्थ्य सुविधा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली एक्स-रे, यूएसजी, पैथोलाजी

आदि सेवाओं के लिए इस योजना के तहत सेवा उपलब्ध करायी जाती है, लागत जैसे कि शट शुल्क और डाक्टर की फीस को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।

- गंभीर रूप से बीमार रोगियों के मामले में सीमा बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति परिवार की जा रही है। एक्स-रे, यूएसजी और पैथोलाजी आदि सेवाएं उपलब्ध कराने वाले निजी प्रदाताओं से भी यह सेवा उपलब्ध है।
- जब भी परिवार स्वास्थ्य कार्डधारी कोई रोगी अस्पताल में दाखिल होता है दवाओं/सामग्री/नैदानिक चिकित्सा का खर्च उसके कार्ड पर दर्ज कर दिया जाता है। एक बार कार्ड बन जाने पर उसके नवीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती पर्याप्त प्रमाण देने पर परिवार में जुड़ने वाले अतिरिक्त सदस्यों के नाम भी कार्ड में जोड़ दिये जाते हैं।
- सभी सरकारी अस्पताल जिसमें रोगियों को भर्ती करने की सुविधा है इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।

राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष

मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना राजस्थान में 1 जनवरी 2009 से लागू है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को अस्पताल में भर्ती होकर या बाहर से ही इलाज करने की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

- मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना राजस्थान की सभी जन संस्थाओं के माध्यम से लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत बीपीएल परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर या घर पर रहकर इलाज कराने पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।
- बीपीएल कार्डधारक मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बिना पैसा दिए भर्ती हो सकते हैं और किसी भी बीमारी का मुफ्त इलाज करा सकते हैं और ओपीडी सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। अगर राज्य में बीमारी के इलाज के लिए उच्चस्तरीय सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उन्हें इलाज के लिए राज्य से बाहर, जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली या पीजीआई चंडीगढ़ में भी भेजा जा सकता है।
- प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में जिनमें चिकित्सा राहत सोसाइटी हैं। उन्हें दवाओं और चिकित्सा में काम आने वाली सामग्री की खरीद के लिए अलग से धन दिया जाता है। जयपुर के सवाई मानसिंह कॉलेज को 50 लाख रुपये और अन्य मेडिकल कॉलेजों को 25 लाख रुपये, जिला अस्पतालों को 5 लाख रुपये और समुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को एक लाख रुपये का पूर्वनिर्धारित अग्रिम इन सोसाइटियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। कोष की 75 प्रतिशत राशि खर्च हो जाने पर उन्हें अपने खातों में अतिशेष बनाए रखने के लिए और राशि दी जाती है। वांछित दवाएं और कृत्रिम अंग/उपकरण चिकित्सा राहत सोसाइटियों के माध्यम से ही खरीदे जाते हैं।
- योजना के अंतर्गत सुविधा डेस्क बनायी गयी है जो जन स्वास्थ्य संगठन में चौबीस घंटे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की मदद करती हैं। मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में इसमें एक परियोजना प्रबंधक और 3 रोगी-मित्र होते हैं जो रोजाना तीन शिफ्टों में काम करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी बीपीएल परिवारों के लिए इनकी व्यवस्था की गई है।
- यह भी प्रस्ताव किया गया है कि योजना को लागू करने के लिए तकनीकी तैयारियां राज्य सरकार की अब तक की अन्य योजनाओं के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। राज्य के सात मेडिकल कॉलेजों को

रोगी-मित्र के एप्लिकेशन साफ्टवेयर के दायरे में लाया जा रहा है और इस तरह राज्य में विभिन्न सरकारी अस्पतालों में यह योजना लागू हो जाएगी और इसका कार्यान्वयन तथा निगरानी पहले के मुकाबले और मजबूत हो जाएगी।

- जिला कलेक्टर/कमिशनर सोसाइटी का अध्यक्ष होगा और योजना की निगरानी करेगा।
- किसी भी किस्म की परेशानी होने पर लाभार्थी निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:
 - मिशन डायरेक्टर, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं
 - कमिशनर/जिला कलेक्टर
 - निदेशक, चिकित्सालय प्रशासन, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं
 - प्राचार्य/नियंत्रक मेडिकल कॉलेज
 - जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी
 - मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी
- दावों की सूचना/निपटारे के बारे में 1 जनवरी, 2009 से 31 मई, 2009 तक जानकारी इस प्रकार है:

क्रम सं.	शीर्ष	सं./खाता
1.	कुल लाभान्वित बीपीएल परिवार	6.54 लाख
2.	कुल खर्च	11.64 करोड़ रुपये
3.	आइपीडी	0.98 लाख
4.	राशि	8.82 करोड़ रुपये
5.	ओ.पी.डी.	5.56 लाख
6.	राशि	2.82 करोड़ रुपये
7.	कहां इलाज कराया गया	
	क. मेडिकल कॉलेज	0.88 लाख
	ख. जिला अस्पताल	1.92 लाख
	ग. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	2.71 लाख
	घ. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	1.03 लाख

यशस्विनी सहकारी किसान स्वास्थ्य देखभाल योजना: कर्नाटक

कर्नाटक में यशस्विनी सहकारी किसान स्वास्थ्य देखभाल योजना में शामिल होकर आवश्यक इलाज और चिकित्सा/शल्य चिकित्सा की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के सहकारिताओं के किसानों को स्वास्थ्य सुविधाएं अपलब्ध कराना है।

- यह योजना कर्नाटक राज्य सहकारिता विभाग के तत्वाधान में संचालित की जाती है स्ववित्त पोषित योजना होने के कारण लागू करने, नीति संबंधी फैसले करने और वित्तीय नियंत्रण की जिम्मेदारी विशेष उद्देश्य से बनाए गये न्यास के ऊपर है, जिसका नाम यशस्विनी ट्रस्ट है। इसके अध्यक्ष सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव होते हैं। इस योजना को मेसर्स फेमली हैल्थ प्लान लिमिटेड द्वारा लागू किया जा रहा है।

- लाभार्थियों को कार्डाटक में फैले 135 से अधिक अस्पतालों के नेटवर्क के जरिए मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति सालाना 2 लाख रुपये तक की चिकित्सा सुविधा दी जाती है। इसके अलावा हर व्यक्ति को 1 लाख रुपये प्रति आपरेशन की सीमा वाली योजना भी है।
- योजना के अंतर्गत नेटवर्क में शामिल अस्पताल पहले से तय शुल्क पर 1600 तरह के आपरेशन करते हैं। हर व्यक्ति को साल में एक आपरेशन की सुविधा दी जाती है। लेकिन इनमें प्रोस्थेसिस (कृत्रिम अंग चिकित्सा), प्रतिरापणा, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, ट्रांसप्लांट, केमोथेरेपी, कॉस्मेटिक सर्जरी, जलन संबंधी मामले, दांत का आपरेशन और कई अन्य इलाज शामिल नहीं हैं।
- कुत्ते के काटने, सांप के डसने, सांड के सींग मारने, डूबने, दुर्घनावश जहर का असर होने, बिजली का करंट लगने, खेती का काम करते वक्त किसी उपकरण से दुर्घटना, सड़क दुर्घटना और जलन के ऐसे मामले जिनमें सिर्फ दो दिन के लिए अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता हो, ऐसे मामले में प्रति दुर्घटना अधिकतम 1500 रुपये प्रति व्यक्ति का प्रावधान है।
- अठारह साल से अधिक उम्र की महिला सदस्यों को प्रसव के समय 600 रुपये की चिकित्सा सहायता दी जाती है और इसमें नवजात शिशु का इलाज भी शामिल होता है।
- मुफ्त ओपीडी सलाह, जांच शुल्क तथा योजना के दायरे के बाहर के मामलों में अस्पताल में भर्ती करने के शुल्क में रियायत की सुविधा भी उपलब्ध है।
- हर सदस्य को सालाना 120 रुपये का अंशदान करना होता है। सरकारी समिति में कम से कम 6 महीने की सदस्यता वाले सदस्यों को परिवार के अन्य सदस्यों के इलाज में 15 प्रतिशत की छूट भी दी जाती है। यह योजना सभी सदस्यों के लिए स्वैच्छिक आधार पर खुली है।
- राज्य सरकार भी योजना में आवश्यकता के अनुसार वार्षिक आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है।

31 मार्च, 2009 तक योजना की स्थिति इस प्रकार है :

क्रम सं.	जून 08 - मार्च 09
1. सूचीबद्ध सदस्यों की संख्या	3047877
2. अंशदान	36.10 करोड़ रुपये
3. सरकारी अंशदान	25.00 करोड़ रुपये
4. स्वीकृत अथराइजेशन (72440)	62.34 करोड़ रुपये
5. शल्य चिकित्सा (59453)	48.51 करोड़ रुपये
6. दावे निपटाए (56715)	46.47 करोड़ रुपये

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

श्रम मंत्रालय की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2007 को हुई थी और 1 अप्रैल 2008 से इस पर चरणबद्ध तरीके से अमल शुरू हुआ। प्रारंभ में यह योजना आधिकारत राज्यों में परीक्षण के आधार पर लागू की गयी। लेकिन सरकार ने 2009-10 में सभी जिलों को इसके अंतर्गत शामिल करने का फैसला किया है।

- अधिकतम अंशदान प्रति परिवार 725 रुपये हैं जिसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा 75:25 के अनुपात में है। लाभार्थियों को पंजीकरण/नवीकरण शुल्क के रूप में 30 रुपये वार्षिक देना होता है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा के जरिए बीमारियों के उपचार की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित स्वास्थ्य केंद्रों के नेटवर्क के जरिए अस्पताल में मुफ्त भर्ती करने और शल्य चिकित्सा का भी प्रावधान है।
- योजना में गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले परिवारों की गर्भवती महिलाओं के प्रसव और उनके नवजात शिशु के उपचार और/या शल्य चिकित्सा सहित अस्पताल में भर्ती कराने का प्रति परिवार 30,000 रुपये तक का खर्च शामिल है।
- इसमें पहले ही दिन से सभी बीमारियों/शारीरिक स्थितियों के इलाज के साथ-साथ परिवहन शुल्क की भी व्यवस्था की गयी है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अस्पतालों को पैसे की वापसी इलेक्ट्रानिक लेन-देन के जरिए अस्पताल से आंकड़े मिलने के बाद होती है।
- पंजीकरण की इकाई परिवार है जिसमें पांच सदस्य शामिल हैं। परिवार के सदस्यों में मुखिया, पति-पत्नी और उनके तीन आश्रित शामिल हैं। आश्रितों में ऐसे बच्चे और/या मुखिया के माता-पिता भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें बीपीएल डेटाबेस में परिवार का हिस्सा बताया गया है। बीपीएल लाभार्थियों का पंजीकरण राज्य सरकार/नोडल एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये सॉफ्ट डेटा और केंद्र सरकार के मापदंडों के अनुसार जारी स्मार्ट कार्ड के आधार पर होगा।
- योजना के अंतर्गत 725 आम आपरेशनों और चिकित्सीय प्रक्रियाओं की पहचान की गयी है। पैकेज में शामिल सूची के अलावा कुछ अन्य चिकित्सीय प्रक्रियाओं को भी शामिल किया गया है। रोगी के अस्पताल में आने से लेकर अस्पताल से उसे छुट्टी मिलने के पांच दिन बाद तथा इस दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी के मुफ्त इलाज की पूरी व्यवस्था इसमें शामिल है।
- कागजी खानापूरी कम से कम करने और उपचार के तौर-तरीके और लागत निर्धारित करना, उपचार प्रमाणीकरण तथा सरकारी/निजी स्वास्थ्य प्रणाली में उपलब्ध संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करना।
- योजना को कारगर तरीके से लागू करने के लिए बीमा कंपनी, जनता और सरकारी व निजी क्षेत्र के अस्पतालों तथा राज्य एजेंसियों के बीच पूरा तालमेल।
- 2008-09 में 30 जून, 2009 से 18 राज्यों के 120 जिलों में अलग-अलग तारीख से इस योजना की शुरुआत हुई है। इसके अंतर्गत कुल 60,59,599 पारिवारिक स्मार्ट कार्ड जारी किये गये हैं और इसमें 307,97,995 सदस्यों को शामिल किया गया है।

सांख्यिकी प्रभाग

सांख्यिकी प्रभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए मुख्य रूप से उत्तदायी है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कार्यक्रमों में बीच में ही संशोधन किया जा सके। मंत्रालय प्रजनक बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरसीएच) के दूसरे चरण पर अमल कर रहा है। आरसीएच राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का महत्वपूर्ण घटक है। कार्यक्रम क्रियान्वयन में प्रगति की निगरानी न सिर्फ आवश्यक है बल्कि कार्यक्रमों के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए अनिवार्य भी

है। निगरानी और मूल्यांकन एक प्रभावी प्रबंधन और गुणवत्ता मूल्यांकन उपाय है। निगरानी के अंतर्गत प्रजनक बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वितीय चरण/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं की प्रक्रिया तथा गुणवत्ता पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। एमआईएस योजना के मुख्य घटकों में एमआएस-निष्पादन, सामुदायिक निगरानी, गुणवत्ता आश्वासन, एम एंड ई का त्रिभुजीकरण, समसामयिक मूल्यांकन, ई-गवर्नेन्स, प्रशिक्षण आदि शामिल हैं।

प्रभाग द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

हैल्थ एमआईएस

संबद्ध संस्थाओं से स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आंकड़े जुटाने के लिए आंकड़ा संग्रह प्रारूप को युक्तिसंगत बनाने का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत अनुपयुक्त सूचना को हटाने, फार्मों की संख्या कम करने और सुविधाओं पर आधारित सूचना देने वाली प्रणाली पर जोर दिया गया। संशोधित फार्मों को सितम्बर 2008 में अंतिम रूप दिया गया और राज्यों को भेजा गया। अक्टूबर 2008 में वेब आधारित स्वास्थ्य एमआईएस (एचएमआईएस) पोर्टल शुरू किया गया ताकि जिला स्तर पर आंकड़े जुटाने में मदद मिले। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को नयी एचएमआईएस प्रणाली के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करने के कार्य में लगा हुआ है। एचएमआईएस पोर्टल से जिला स्तर से आंकड़ों को शीघ्रता से हासिल करने और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्टों के संकलन में तेजी आयी है। इस पोर्टल में जिलों से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में भौतिक और वित्तीय कार्यनिष्पादन संबंधी आंकड़े उपलब्ध रहते हैं। करीब 95 प्रतिशत जिलों ने 2008-09 के लिए आंकड़े पहले ही पोर्टल में डाल दिये हैं और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित रिपोर्टें इस पोर्टल के माध्यम से तैयार की जाएंगी। 2009 के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य के बारे में आंकड़े (आरएचएस) और भारत में 2009 के परिवार कल्याण संबंधी आंकड़े भी इस पोर्टल के आंकड़ों पर आधारित होंगे। आंकड़ों आदि के बारे में इस प्रणाली के स्थिरता प्राप्त कर लेने के बाद वेब आधारित उपयोग का और विस्तार किया जाएगा ताकि स्वास्थ्य केंद्रों के स्तर से आंकड़े जुटाये जा सकें। अगले चरण में जीआईएस संबंधी पहल को भी इसमें समन्वित कर लिया जाएगा।

सर्वेक्षण

मंत्रालय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने और राष्ट्रीय, राज्य/जिला स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न संकेतक तैयार करने के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा जिला स्तरीय परिवार सर्वेक्षण (डीएलएचएस) की गतिविधियों में भी तालमेल कायम करता है। एनएफएचएस-3 की राष्ट्रीय रिपोर्टें सितम्बर 2007 में जारी की गयीं। राज्य और जिलों के बारे में डीएलएचएस-3 के नतीजों पर आधारित तथ्य पत्र 2008 के दौरान जारी किया गया और स्वास्थ्य अधिकारियों व अन्य संबंधित लोगों के उपयोग के लिए स्वास्थ्य एमआईएस पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये जा रहे प्रयासों में सुधार हो और उन्हें नयी दिशा दी जा सके। इसके अलावा जिन राज्यों में अधिक ध्यान दिया जाना है उनके बारे में जिला स्वास्थ्य परिदृश्य के बारे में एक वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण की भी योजना बनायी जा रही है ताकि जिला स्तर पर हर साल महत्वपूर्ण दरें और संकेतक प्राप्त किये जा सकें। व्यय वित्त समिति ने इस बारे में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वेक्षण कराने के लिए भारत के महापंजीयक के कार्यालय में 108 पदों का सृजन पहले ही किया जा चुका है। क्षेत्रीय कार्य के 2010 तक प्रारंभ हो जाने की संभावना है।

गुणवत्ता आश्वासन

स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का अभिन्न घटक है और इसके लिए छह राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक परीक्षण अध्ययन शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत जिलों में गुणवत्ता आश्वासन के उपाय करने और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले संगठनों में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए प्रणाली कायम करने की व्यवस्था की गयी है ताकि निवारणात्मक कदम उठाये जा सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रश्नोत्तर प्रक्रिया को बड़े क्रमबद्ध तरीके से निर्धारित किया गया है और इसमें अंतर के विश्लेषण, गतिविधियों की प्राथमिकता निर्धारित करने, मानक तौर-तरीके तय करने और विशेष रणनीतियों जैसे रोगियों का अधिकार पत्र तैयार करने, एनएबीएच लाइसेंसिंग, मान्यता प्रदान करने आदि को लागू करने की व्यवस्था की गयी है। इन उपायों को सभी राज्यों को उपलब्ध कराया गया है और परीक्षण के तौर पर किये जा रहे अध्ययन के नतीजों के आधार पर असम, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे अनेक राज्यों ने कई जिलों में गुणवत्ता आश्वासन मानदंड लागू करने का फैसला किया है। उम्मीद है कि इन प्रयासों या नतीजों से एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ होगी जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तरोत्तर मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार होता जाएगा। जिला स्तर पर वर्तमान गुणवत्ता आश्वासन समितियों के हिस्से के तौर पर गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया को समन्वित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

मूल्यांकन गतिविधियां

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक मजबूत स्तंभ इसके मूल्यांकन के लिए एक बाहरी एजेंसी के तौर पर समुदाय और गैर-सरकारी संगठनों को भागीदार बनाना है। इसी के तहत जहां सामुदायिक कार्यवाई के बारे में सलाहकार दल स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं की निगरानी के लिए सामुदायिक निगरानी मानदंड तैयार कर रहा है। वहीं मंत्रालय मिशन के समसामयिक मूल्यांकन के लिए अनेक सलाहकार एजेंसियों की मदद ले रहा है। इस कार्य के लिए मंत्रालय ने इच्छुक एजेंसियों से अभिरुचि ज्ञापन प्रस्ताव मांगे थे। करीब 76 एजेंसियों ने इस कार्य के लिए अपने प्रस्ताव भेज दिये हैं। इन प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया और इनका ठेका चुनी हुई एजेंसियों में से एक को दिया गया। इस काम के लिए क्षेत्रीय कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई ने राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्य में तालमेल कायम करने की जिम्मेदारी ली है। इसके अलावा मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में सात क्षेत्रीय मूल्यांकन टीमों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्य का मूल्यांकन कर रही हैं। ये टीमों चुने हुए जिलों का दौरा करती हैं और लाभार्थियों से साक्षात्कार कर नमूने एकत्र करती हैं। क्षेत्रीय मूल्यांकन टीमों द्वारा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं के मूल्यांकन के लिए फार्म में व्यापक संशोधन किया गया है।

आंकड़ों का ट्राइंगुलेशन

मंत्रालय विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को त्रिआयामी रूप में प्राप्त करने (एमआईएस, सर्वेक्षण और मूल्यांकन आदि) के प्रयास भी कर रहा है ताकि गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। इसमें सूचना टेक्नोलॉजी की क्षमताओं का लाभ उठाया जा रहा है। इससे कुछ राज्यों/जिलों में परीक्षण के तौर पर त्रिआयामी रूप में आंकड़े प्राप्त करने के बाद इस बारे में मानदंड बनाये जा सकेंगे। इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया है। विशेषज्ञ दल ने इस बारे में कार्यक्षेत्र और विशेषज्ञों की पहचान कर ली है और कार्य जारी है।

ई-गवर्नेंस पहल

मंत्रालय द्वारा अतीत में ई-गवर्नेंस की दिशा में जो पहल की थीं वे कुछ खास क्षेत्रों में सीमित थीं। ई-गवर्नेंस और आईटी के क्षेत्र में पहल को समन्वित करने के लिए मंत्रालय के एक परामर्श संगठन को काम पर लगाया है जो मंत्रालय के लिए आईटी और ई-गवर्नेंस का खाका तैयार कर रहा है। इसे मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों और विभागों के साथ परामर्श से तैयार किया जा रहा है।

सूचनाओं का समाशोधन

स्वास्थ्य क्षेत्र में पहले भी बहुत से कार्यक्रम शुरू किये गये थे और इन कार्यक्रमों के साथ कोई न कोई निगरानी प्रणाली या रिपोर्ट का प्रारूप भी जुड़ा हुआ था। यह देखा गया है कि विभिन्न नये फार्म बिना किसी प्रयास के प्रणाली में शामिल हो जाते हैं और पुराने फार्मों को हटाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। डेटा समेकित करने वाली प्रणाली को चुस्त-दुरस्त बनाने के लिए सूचनाओं के समाशोधन के लिए सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) की अध्यक्षता में एक केंद्र स्थापित किया गया है। इसका मूल उद्देश्य जानकारी उपलब्ध कराने की वर्तमान प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि सूचना एकत्र करने के लिए कोई भी नयी डेटा मद या रिपोर्ट को शुरू करने से पहले उसकी कड़ी जांच की जाए और उसे शुरू करने का पार्याप्त औचित्य हो।

अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधियां

प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली, और विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं में कार्य कर रहे 18 जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों की गतिविधियों में तालमेल कायम करने के लिए भी उत्तरादायी है। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई, जनसंख्या, जनसांख्यिकी और संबद्ध क्षेत्रों में कई पाठ्यक्रम भी संचालित करता है तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणों के बारे में परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने वाली शीर्ष तकनीकी संस्था है। यह जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण, अनुसंधान, मूल्यांकन, परियोजना, परामर्श सेवा आदि आयोजित करता है। जनसंख्या अनुसंधान केंद्र परिवार कल्याण कार्यक्रमों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जनसंख्या अध्ययन जैसे क्षेत्रों में मंत्रालय के लिए अनुसंधान और सर्वेक्षण का कार्य करते हैं। जनसंख्या अनुसंधान केंद्र इस समय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के शीघ्रता से मूल्यांकन के बारे में अध्ययन में लगे हैं।

पोषण

स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय का पोषण प्रकोष्ठ नीति निर्धारण, कार्यक्रम क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन, चिकित्सकीय और अर्ध-चिकित्सकीय कर्मियों के प्रशिक्षण विषय वस्तु से संबंधित हर मामले में तकनीकी सलाह देता है। यह खाद्य पदार्थों के स्तर और लेबिल, प्रस्तावों, परियोजना मूल्यांकन, अनुसंधान परियोजनाओं की समीक्षा आदि की तकनीकी जांच का काम करता है। यह प्रकोष्ठ मामूली पोषण संबंधी रोगों, भोजन संबंधी गंभीर रोगों और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता विभिन्न प्रकार के आईईसी सामग्री के प्रसार से कर रहा है। अब तक उपर्युक्त मुद्दों पर पोस्टरों, पर्चे, वीडियो स्पार्ट्स तैयार किए हैं। कुपोषण और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा और मानकीकृत अस्पताल डाइट्स के दिशानिर्देश की समीक्षा और अद्यतन किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

प्रकोष्ठ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर की बैठकों और वर्कशापों का आयोजन उपर्युक्त विषयों पर करता है। फ्लूरोसिस के निवारण और नियंत्रण का शीघ्र ही राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

पोषण संबंधी मामूली खामियों को नियंत्रित करने के लिए अग्रणी परियोजना के बारे में तकनीकी, प्रशासनिक और बजट की समीक्षा और समन्वय का कार्य शुरू हो चुका है। पोषण प्रकोष्ठ 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पोषण डिवीजन से पोषण संबंधी मामूली खामियों और भोजन संबंधी गंभीर गैर-संचारी रोगों के बारे में जानकारी देता रहता है।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन मई 2000 में किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की समीक्षा, निगरानी और क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए किया गया ताकि नीति कि उद्देश्य पूरे हों, अंतर-क्षेत्रीय सहयोग बढ़े, नियोजन और क्रियान्वयन में सोसायटी भी शामिल हो, जनसंख्या की दृष्टि से कमजोर राज्यों कामकाज सुधारने के लिए सुविधाओं की पहल की जा सके और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के लक्ष्यों के समर्थन के लिए अंतराष्ट्रीय सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा सकें। आयोग की पहली बैठक 22 जुलाई 2000 को और अंतिम बैठक 23 जुलाई 2007 को हुई थी। पहली बैठक में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अधिकार प्राप्त कार्य समूह के गठन की घोषणा की ताकि जनसंख्या की दृष्टि से कमजोर सूचकों वाले राज्यों के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष का गठन कर जनसंख्या स्थिरीकरण में योगदान देने वाली परियोजनाओं को सहायता दी जाए। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 11 अप्रैल 2005 को पुनर्गठित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 40 सदस्य हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष आयोग के उपाध्यक्ष हैं। सदस्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं।

निर्देशन और प्रशासन

योजना के अंतर्गत जिला और राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो, ग्रामीण परिवार कल्याण केंद्रों और पीओएल वाहनों के लिए व्यय में तीस वर्ष बाद संशोधन किया गया है सभी राज्यों को वर्तमान कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा, अप्रासंगिक हो गए पदों की समाप्ति और आवश्यक पदों का सृजन इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के दायरे में करने की छूट दी गई है। राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों को पिछले वित्त वर्ष के अंकेक्षित व्यय के आधार पर राशि जारी की जाती है।

बंध्याकरण और आईयूडी (मुआवजा योजना)

मुआवजा योजना आरसीएच-II के लचीले पूल में है इसलिए वर्ष 2007-08 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी करने के लिए अलग नहीं रखा गया। लेकिन परिवार नियोजन में पुरुष भागीदारी बढ़ावा देने के उद्देश्य से नसबंदी कराने वाले को 800 रुपये से 1500 रुपये और नसबंदी कराने वाले को 800 रुपये से 1000 रुपये और मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में कराने वाले को नसबंदी और नलबंदी दोनों के लिए 800 रुपये से 1500 रुपये उच्च फोकस वाले राज्यों में बीपीएल/एससी/एसटी को गैर उच्च फोकस वाले राज्यों में दिया जाएगा।

स्वास्थ्य बीमा

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने

स्वास्थ्य के लिए नई वित्तीय व्यवस्था का पता लगाने के लिए कार्यबल का गठन किया है। कार्यबल के अधिकार क्षेत्र में वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा, स्वास्थ्य वित्त पोषण और जोखिम पूल योजनाओं में मानव संसाधन, सब्सिडी की आवश्यकता, समानता और गैर-भेदभाव, विभिन्न राज्यों में संभाव्यता, पाइलट का डिजाइन तथा समुदाय आधारित स्वास्थ्य बीमा माडल्स शुरू करने की साइट्स और वित्त पोषण योजनाओं को लागू करने में ढांचागत सुधार शामिल हैं।

मंत्रालय ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को स्थानीय जरूरतों के मुताबिक अग्रणी आधार पर स्वास्थ्य बीमा माडल्स तैयार करने की सलाह दी है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश और मिजोरम ने उपर्युक्त पाइलट परियोजना के लिए प्रस्ताव सहायता के लिए भेजे हैं। विवरण इस प्रकार हैं:

आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश से अनंतपुर, महबूबनगर और श्रीकाकुलम जिलों में स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने के लिए प्रयोगात्मक परियोजना 46.20 करोड़ रुपये की राशि की मांग के साथ प्राप्त हुई। वर्ष 2007-08 में केंद्र सरकार अंश के रूप में 10 करोड़ रुपये की राशि पर सहमति हुई। आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे चरण में 5 दिसंबर 2007 से पांच और जिलों चित्तूर, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, नलगोंडा और रंगारेड्डी में आरोग्य श्री सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की। राज्य सरकार ने 2008-09 में 15 और जिलों में तीन चरणों में योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव भेजा है।

असम: राज्य सरकार से 2008-09 में स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का प्रस्ताव पीआईपी में शामिल किया है। पीआईपी में विस्तृत प्रस्ताव नहीं दिया गया। राज्य सरकार से रूपरेखा के अनुरूप प्रयोगात्मक परियोजना का विवरण देने का आग्रह किया गया है।

राजस्थान: राजस्थान सरकार से श्रीगंगानगर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के लिए प्रयोगात्मक परियोजना प्राप्त हुई है। प्रस्ताव पर विचार कर मंत्रालय ने वर्ष 2007-08 के एनआरएचएम फ्लेक्सीपूल के तहत कुल प्रीमियम 37.82 करोड़ रुपये का 75% 23.64 करोड़ रुपये इस शर्त के तहत दिए कि भारत सरकार के योजना आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार बीपीएल परिवारों की संख्या होनी चाहिए।

मध्यप्रदेश: मध्यप्रदेश राज्य सरकार से मार्च 2007 में बीपीएल परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का प्रस्ताव मिला। मंत्रालय द्वारा सुझाए गए प्रारूप के अनुसार विवरण नहीं दिया गया था इसलिए विवरण देने और उसे वर्ष 2008-09 के एनआरएचएम के कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना में शामिल करने को कहा गया।

मिजोरम: मिजोरम के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से राज्य में स्वास्थ्य बीमा योजना स्वीकृत कर एनआरएचएम के तहत धन जारी करने का आग्रह किया। बीपीएल परिवारों के लिए प्रयोगात्मक परियोजना भी मिली लेकिन उसे दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार करने का आग्रह किया गया।

प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण निषेध

बालिका भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रसव पूर्व निदानात्मक तकनीक (नियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम 1994 पारित किया गया और 1 जनवरी 1996 से प्रभावी है। अधिनियम और नियम तथा विनियमनों को 14 फरवरी 2003 को संशोधित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भ धारण से पूर्व या बाद में लिंग चयन तकनीक के इस्तेमाल और लिंग के आधार पर गर्भपात पर प्रतिबंध और ऐसी तकनीकों को नियमित करना है।

लिंग चयन और भ्रूण के लिंग निर्धारण पर निषेध के अतिरिक्त ऐसी सेवाएं देने वालों के विज्ञापनों और प्रसव पूर्व तकनीक का इस्तेमाल कर भ्रूण के लिंग की जानकारी देने पर भी निषेध है। किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर 5 वर्ष की और 1,00,000 रुपये का जुर्माना तथा चिकित्सा व्यवसायों/निदान केंद्रों, क्लीनिक आदि का पंजीयन/लाइसेंस रद्द करने की सजा का प्रावधान है।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तर उचित अधिकारी कानून का क्रियान्वयन करते हैं। केंद्र में राष्ट्रीय निरीक्षण और निगरानी समिति (एनआईएमसी) गठन किया गया है जो समस्याग्रस्त राज्यों का दौरा कर जमीनी हकीकत का पता लगाती है। देश में कानून के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय सहायता एवं निगरानी प्रकोष्ठ (एनएसएमसी) का गठन हुआ है।

राष्ट्रीय स्तर पर 'बालिका बचाओ' सम्मेलन का आयोजन 28 अप्रैल 2008 को नई दिल्ली में हुआ। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसका उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य बालिका भ्रूण हत्या और नतीजतन बाल लिंग अनुपात में गिरावट और समाज को कमजोर बनाने में उसके प्रभाव की गंभीरता को सामने लाना था।

उसी अवसर पर निःशुल्क टेलीफोन नंबर 1800 110 500 और एक वेबसाइट शुरू किया गया ताकि जनता पीएनडीटी से संबंधित जानकारियां हासिल कर पीसी और पीएनडीटी अधिनियम, 1994 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों की शिकायत कर सके। वेबसाइट से देश भर के क्लीनिक फार्म एफ भरनकर जिला और राष्ट्रीय स्तर तक के आंकड़े हासिल कर सकते हैं। इस कानून को सख्त बनाने के लिए केंद्र सरकार अधिनियम और नियम/विनियमनों को और कड़ा करने पर विचार कर रही है।

एमआईएस योजना

एमआईएस योजना का संबंध मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के मध्य में सुधार के लिए निगरानी और मूल्यांकन के लिए है। इसीलिए कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने के लिए कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रति की निगरानी न केवल जरूरी बल्कि अनिवार्य है। निगरानी का केंद्र आरसीएच-II / एनआरएचएम के अंतर्गत प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता और प्रक्रियाएं होंगी।

एमआईएस योजना के मुख्य संघटकों में नियमित निगरानी, सर्वे, कार्यक्रम प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन, एमआईएस का त्रिभुजन, आकलन, ई-शासन, सीएनए प्रकोष्ठ सर्वे/अध्ययनों के माध्यम से प्रशिक्षण शामिल हैं।

नियमित निगरानी

1. समय-समय पर एमआईएस सूचना सुधरे हुए प्रारूप में जिलों/राज्यों से प्राप्त करना। यह प्रारूप राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र को सूचना देने के लिए भेजा जा चुका है। सभी स्तरों पर नियोजन और निगरानी में सूचना के उपयोग पर बल दिया जाएगा। नियमित निगरानी से प्रक्रिया सूचकों के द्वारा जबकि प्रभाव सूचकों के आंकड़े सर्वे से एकत्रित किए जाएंगे।
2. जिला और राज्य स्तर पर उपयोग के लिए वेब/इंटरनेट आधारित साफ्टवेयर उपलब्ध कराना।
3. चरणबद्ध तरीके से पूर्ण कंप्यूटरीकरण/ई-नेट संबद्धता/एमआईएस कार्यकलापों, कंप्यूटरीकरण-हार्डवेयर साफ्टवेयर प्राप्ति।

कार्यक्रम प्रबंध मूल्यांकन

आईआईएम अहमदाबाद को राजस्थान और गुजरात में एक पाइलट दिया गया था। अध्ययन रिपोर्टों के

आधार पर आईआईएम अहमदाबाद एक प्रारूप विकसित कर जिला और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर प्रबंध क्षमता के मूल्यांकन में उसकी परख करेगा।

निगरानी और मूल्यांकन का त्रिभुजन

एनआरएचएम भौतिक सूचकों और हस्तक्षेपों के प्रभावों की प्रगति की निगरानी समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार त्रिभुजन प्रक्रिया से करना चाहता है जिसमें प्रदत्त सेवाओं और प्रबंध प्रक्रियाओं की गुणवत्ता का आश्वासन हो। किसी सूचक के बारे में तीन स्वतंत्र स्रोतों से प्रासंगिक गुणात्मक और मात्रात्मक सूचना प्राप्त करना जिससे गलत जानकारी देने की संभावना न्यूनतम हो जाती है। आंकड़े के त्रिभुजन के क्रियान्वयन की रूपरेखा विकास में भागीदारों और एम और ई के कार्य समूह से विचार-विमर्श के बाद ही तय किया जाएगा। त्रिभुजन के तीन संघटक हैं:

- एमआईएस सूचकों की पहचान का प्रारूप विकसित करेगा। एमआईएस इस तरह विकसित किया जाएगा कि ब्लॉक/वार्ड और संभवतः एससी/एसटी और लिंग संबंधी सूचनाओं को अलग कर देगा।
- सामुदायिक निगरानी - पीआरआई, एनजीओ और गृहों की प्रतिनिधि संगठन और जहां उपलब्ध हो ग्रामीण सूचना का उपयोग; और
- विशेष अध्ययन/सर्वे यथा एनएफएचएस, डीएलएचएस आदि।

गुणवत्ता मूल्यांकन निगरानी

आरसीएच सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार और मूल्यांकन एनआरएचएम/आरसीएच-II कार्यक्रम की प्राथमिकताओं में है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ऐसी व्यवस्थित रूपरेखा विकसित करना चाहता है कि उसकी पैठ मां और बाल स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं तक हो सके जो आरसीएच-II कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा प्रदान की जा रही हैं। चूंकि गुणवत्ता मूल्यांकन और सुधार नवजात चरण में हैं। अतः सरल दृष्टिकोण अपनाने और प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के चुनिंदा सूचकों तक सीमित रखने का निश्चय किया गया ताकि नियमित गतिविधियों के रूप में क्यूए गतिविधियां भी आत्मसात हो सकें। नवधारण होने के कारण राष्ट्रीय स्तर तक लाने से पहले कुछ चुनिंदा जिलों में क्यूए को पाइलट किया जाए। वर्तमान में परीक्षण पूर्व अभ्यास चल रहा है।

ई-शासन पहल

ई-शासन पहल के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर तेजी से आनलाइन आंकड़ा प्रसार के लिए ई-मोड तरीकों का उपयोग किया जाए।

समकालिक मूल्यांकन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की निगरानी और मूल्यांकन रणनीति में थोड़े-थोड़े समय पर मिशन का बाह्य मूल्यांकन/समकालिक मूल्यांकन कराने पर बल दिया गया है। इन समकालिक मूल्यांकनों से सरकार कार्यक्रम के पर्यावरण नीति और क्रियावयन दिशा-निर्देशों में सुधार कर सकती है ताकि वह लक्षित समूह के लिए अधिक प्रभावी और लाभकारी हो सके।

इस उद्देश्य से सांख्यिकी विभाग ने पूरे देश में एनआरएचएम का समकालिक मूल्यांकन चरणबद्ध रूप में करने की प्रक्रिया शुरू की है:

राष्ट्रीय सर्वेक्षण

सांख्यिकी विभाग समय-समय पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (एनएफएचएस) और जिला स्तर गृह सर्वे (डीएलएचएस) सर्वे स्वास्थ्य परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रभाव के आंकलन के लिए करता है। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय और योजना आयोग ने वार्षिक आधार पर स्वास्थ्य सूचकों पर जिला स्तर के अनुमान की आवश्यकता और महत्व पर बल दिया है जिसके लिए वार्षिक स्वास्थ्य सर्वे के बारे में सोचा जा रहा है।

ए. डीएलएचएस-III: वर्तमान में मंत्रालय जिला स्तर गृह सर्वे का तीसरा दौर करने की प्रक्रिया में है। यह सर्वे आरसीएच चरण-II के कार्यक्रम का मध्यवर्ती मूल्यांकन होगा।

बी. वार्षिक स्वास्थ्य सर्वे: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग और पीएमओ की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुरूप सभी जिलों की जिला स्वास्थ्य रूपरेखा तैयार करने के लिए वार्षिक स्वास्थ्य सर्वे (एचएस) करने की प्रक्रिया में है। भारत के महापंजीयक को शीर्ष एजेंसी बनाया गया है। एनआरएचएम के मिशन संचालन समूह (एमएसजी) ने अपनी तीसरी बैठक में असम सहित 284 ईएजी जिलों में एचएस की स्वीकृति दी है।

जनसंख्या अनुसंधान केंद्र योजना (पीआरसी)

भारत सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चरणबद्ध रूप से 12 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और 6 संस्थानों, जनसंख्या अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की है:

- I. परिवार नियोजन संचार आईआई और अनुसंधान सहित परिवार नियोजन से संबंधित अनुसंधान परियोजनाएं चलाना,
- II. जनसंख्या संबंधी अनुसंधान,
- III. जैविक अध्ययन और जनसंख्या नियंत्रण के गुणात्मक पहलू
- IV. अनुसंधान से प्राप्त नतीजों को योजना, रणनीति बनाने और चल रही परियोजनाओं में सुधार के लिए लाभकारी ढंग से करना। ये केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत मंत्रालय के सांख्यिकी विभाग के अधीन काम कर रहे हैं। नियमित सावधि रिपोर्टों से इनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है। भारत सरकार कर्मचारियों के वेतन पुस्तकों, पत्रिकाओं, स्टेशनरी, सर्वेक्षणों के लिए वाहन, अन्य जरूरी और अनुसंधान अध्ययनों के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता साल दर साल अनुदान सहायता के रूप से प्रदान करती है।

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआरएम) चंडीगढ़

पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़, पंजाब सरकार की वित्तीय और प्रशासनिक मदद से केवल योग्यता के आधार पर छात्रों और शिक्षकों के चयन के लिए स्थापित किया गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन यह संसद द्वारा 1 अप्रैल, 1967 से पारित (1966 के अधिनियम 51) के माध्यम से देश का महत्वपूर्ण और स्वायत्त संस्थान बन गया।

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़, राष्ट्रीय महत्व का एक अनुसंधान संस्थान है और अपने अनुसंधान कार्यक्रमों और अच्छे अनुसंधानों, राष्ट्रीय देखभाल पर केंद्रित और उन्हें अत्याधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी से अतुलनीय इलाज प्रदान करना होता है।

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई)

भारत सरकार द्वारा कार्य समूह की रिपोर्ट के आधार पर 1975 में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका कार्य क्षेत्र इस प्रकार है:

- (अ) स्नातकोत्तर डिग्रियां और डिप्लोमे प्रदान करने के लिए परीक्षा के स्तर में एक रूपता की आवश्यकता की जांच करना और अगर जरूरी हो इसे हासिल करने के लिए, वर्तमान प्रणाली को हटाकर उसमें एक या अधिक परीक्षा संस्थाएं स्थापित करना या अन्य कोई तरीका अपनाना ताकि चिकित्सा विज्ञान की विभिन्न विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर परीक्षाओं के स्तर में सुधार हो।
- (ब) भारतीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी और भारतीय सर्जन एसोसिएशन के प्रस्ताव के अनुरूप इस तरह की राष्ट्रीय परीक्षा संस्था, संस्थाओं के स्वरूप, कार्यक्षेत्र और अधिकार के बारे में सिफारिश।

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में परीक्षा आयोजित करने वाली एक मात्र संस्था है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के विभिन्न विभागों और सहयोगी विशिष्टताओं के विशेषज्ञों से विचार विमर्श से परीक्षाओं के स्तर और गुणवत्ता को निरंतर मूल्यांकन इसकी महत्वपूर्ण गतिविधियों में से है। बोर्ड 58 विशिष्टताओं और 9 दंत विशिष्टताओं में परीक्षाओं का आयोजन करता है और कार्पोरेट क्षेत्र सहित सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के 550 संस्थाओं/अस्पतालों को परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिए मान्यता प्रदान की है। भारत सरकार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बोर्ड द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा को विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर और डाक्टरोत्तर स्तर के समकक्ष माना है।

परीक्षा के बाद बोर्ड की योग्यता प्रमाणपत्र हासिल करने वाले किसी अस्पताल या शिक्षण संस्थानों में विशेषज्ञ के पद पर नियुक्ति के योग्य हो जाते हैं। स्वतंत्र परीक्षाओं के आयोजन में बोर्ड के अनुभवों का लाभ भारत सरकार 2002 से विदेशी चिकित्सा स्नातकों की स्क्रीनिंग परीक्षण में उठा रही है।

स्वास्थ्य मंत्री की ओर से विवेकाधीन अनुदान

स्वास्थ्य मंत्री की ओर से विवेकाधीन अनुदान योजना के अंतर्गत गरीब और जरूरतमंद रोगियों को गंभीर बीमारियों के सिलसिले में उपचार और आपरेशन के खर्च में मदद के लिए 20,000 तक की अनुग्रह राशि दी जाती है। जिन बीमारियों के लिए यह अनुग्रह राशि दी जाती है उनके नाम हैं: हृदय रोग, गुर्दा प्रतिरोपण, कूल्हे और घुटने को बदलने के आपरेशन, कैंसर, एड्स, हैपेटाइटिस, आखों की बीमारी, ट्यूमर आदि।

जो रोगी बीपीएल मानदंडों के अनुसार आरएएन के दायरे में नहीं आते और जिनकी सालाना आमदनी 50,000 रुपये से अधिक नहीं है वे स्वास्थ्य मंत्री की ओर से विवेकाधीन अनुदान के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

17. आवास

आवास राज्य सूची का विषय है, लेकिन सामाजिक आवास योजनाओं और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवास सुविधाओं से संबंधित नीतियां बनाने और उनको लागू करने के तौर-तरीकों तथा कार्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। सन् 1998 में एक समन्वित आवास और पर्यावास नीति बनाई गई। इस नई नीति के अंतर्गत आश्रय उपलब्ध कराने के लिए स्थायी विकास, बुनियादी ढांचा और आवास क्षेत्र में निजी हिस्सेदारी आदि मुद्दों पर जोर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आवास सुविधाओं की उपलब्धता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना और हर वर्ष 20 लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य हासिल करना है। यह आवास के साथ-साथ सहयोग की प्राथमिकता और बुनियादी ढांचे के समकक्ष सुनिश्चित करने का प्रयास है। आवास और बुनियादी ढांचे की समस्याओं के लिए सशक्त लोक-निजी हिस्सेदारी, इस नीति का केंद्र बिंदु है।

सरकार आर्थिक रियायतें देगी, कानूनी और नियामक आधार सुनिश्चित करेगी और एक अनुकूल माहौल तैयार करेगी। इस नीति का उद्देश्य जनसंख्या विस्फोट से विकट हुई आवास की कमी की समस्या का भी समाधान करना है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय प्रशासनों, वित्तीय संस्थानों, अनुसंधान मानकीकरण संस्थाओं और तकनीकी संस्थानों की भूमिका स्पष्ट रूप से पारिभाषित की गई है। 'आवास' राज्य सूची का विषय है, इस नाते राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि स्थानीय निकायों तथा नागरिक संगठनों से परामर्श करके स्थानीय जरूरतों के अनुसार विशेष कार्य-योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने में प्राथमिक भूमिका निभाएं। सरकार ने 'सभी के लिए आवास' को प्राथमिकता का विषय माना है और इस क्रम में कमजोर वर्गों की जरूरतों को विशेष ध्यान में रखा गया है। प्रत्येक वर्ष 20 लाख अतिरिक्त मकानों के निर्माण को सुलभ कराने का प्रस्ताव है तथा ऐसा करते समय आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 20 लाख मकानों में से 7 लाख मकान शहरी क्षेत्रों में तथा शेष 13 लाख मकान ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे।

राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2007

मानव की बुनियादी जरूरतों में भोजन और वस्त्र के बाद आश्रय का तत्काल स्थान है। देश में आवास और उससे संबद्ध बुनियादी ढांचे की बढ़ती हुई जरूरतों के लिए राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति की आवश्यकता उभरकर आती है, रोजी-रोटी की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से नगर केंद्रों की ओर बढ़ते आव्रजन से शहरीकरण की तेज रफ्तार, सेवाएं तथा स्थानों के बीच मांग और आपूर्ति के विषम अनुपात, रिहायशी इकाइयों की बेतहाशा कीमतें और ऊंची लागतें तथा अपेक्षाकृत कम आय की वजह से शहरी इलाकों के बाजारों तक नए-नए बसने के इच्छुक गरीब लोगों की विशेषताएं और शहरों तथा कस्बों में गुजारे लायक स्थितियां नहीं रह पाती हैं। इसलिए राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति की समीक्षा करने और देश में पर्यावरण के टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य को सुनिश्चित करने एवं सभी वर्गों

के लिए गुजारे लायक भूमि, आश्रय तथा सेवाओं की समान आपूर्ति सुनिश्चित करने का निश्चय किया गया है।

ग्यारहवीं योजना के लिए कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार इस योजनावधि के प्रारंभ में कुल 247.10 लाख रिहायशी इकाइयों की कमी थी। पिछली योजनावधि (2007-2012) के दौरान की कुल कमी को मिलाकर इस योजनावधि में 265.3 लाख आवास इकाइयों की कमी का अनुमान है।

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति, 1998 को अद्यतन रूप दे दिया है। सभी संबद्ध विभागों से विचार-विमर्श करके नयी राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2007 को अंतिम रूप दे दिया गया है। और इसे 7 दिसंबर, 2007 को संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है। नयी नीति का उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के लोगों को गुजारे लायक लागत पर आवास और अन्य बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2007 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- सभी की क्षमता के अनुकूल शहरी आवास संबंधी नीति के अनुसार शहरी गरीबों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- शहरी गरीब लोगों के लिए आवास की भूमिका तथा बुनियादी सेवाओं के प्रावधान को जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनर्निर्माण मिशन के उद्देश्यों में शामिल किया गया है।
- शहरी गरीबों के दायरे में आने वाली अनुसूचित जातियों/जनजातियों/पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यकों पर विशेष जोर देते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है।
- चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप नीति में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के समान विकास पर जोर दिया गया है।
- सभी के गुजारे लायक आवास के लक्ष्य के दायरे में शहरी योजना पर बल, भूमि की आपूर्ति बढ़ाने के अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) जैसे प्रोत्साहनों का इस्तेमाल करने के विकास अधिकारों को हस्तांतरणीय बनाने आदि के साथ-साथ धनराशि के बढ़ते प्रवाह, स्वस्थ पर्यावरण, प्रभावी त्याज्य पदार्थों के प्रभावी प्रबंधन और ऊर्जा के बार-बार इस्तेमाल कर सकने वाले स्रोतों के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया गया है।
- समेकित नगर निर्माण तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेशल इकॉनॉमी जोन) को प्रोत्साहन देना।
- प्रत्येक नयी सार्वजनिक/निजी आवास परियोजनाओं में 10-15 प्रतिशत भूमि या 20-25 प्रतिशत एफएआर, जो उपयुक्त विस्तार प्रोत्साहनों के माध्यम से ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास योजना के लिए आरक्षित किया जा सकता हो;
- निजी क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान के अंतर्गत भूमि एकत्र करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। शहरी तंग बस्तियों में रहने वाले लोगों तथा सहकारी आवास के लिए विशेष पैकेज, श्रमिकों के आवास और कर्मचारियों के आवास के लिए योजनाएं तैयार करना।
- राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/एलआईजी आवासों के लिए 10 वर्षीय संभावित योजना का विकास करना।
- शहरी गरीब लोगों के लिए आश्रय के मामले में उनके वर्तमान स्थान या काम करने के स्थान के निकट रखने के प्रावधान की नीति में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

- तंग बस्तियों के पुनर्वास के प्रति संस्थागत दृष्टिकोण के लिए केवल विशेष मामलों में ही फिर से स्थान देने पर विचार किया जाय।
- शहरी गरीब लोगों के लिए शीघ्र वित्त उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तर पर लघु वित्तीय संस्थानों को प्रोत्साहित करना।
- केंद्र सरकार द्वारा मॉडल नगरपालिका नियमों को तैयार करना।
- जीआईएस, हवाई सर्वेक्षण तथा भूतल सत्यापन के आधार पर विस्तृत नगर मानचित्र तैयार करना।
- लागत प्रभावी आजमायी हुई प्रौद्योगिकी तथा भवन निर्माण सामग्रियों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना।
- उप क्षेत्रीय स्तर पर 'मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम' के विकास का प्रावधान।
- संतुलित पर्यावरणीय विकास के लिए शहरों के वास्ते हरित भूमि क्षेत्र तैयार करना।
- एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों के लिए 'पर्यावास बुनियादी ढांचा कार्य योजना' का विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

कार्य योजना

- राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति तथा कार्य योजना की तैयारी के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के लिए प्रोत्साहन तथा सहयोग उपलब्ध कराना।
- कोषों के त्वरित प्रवाह को केंद्रित करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कार्य योजनाएं।
- संस्थागत वैधानिक तथा वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए सड़कों के मानचित्र उपलब्ध कराने के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर नीति।
- भागीदारी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कदम के वास्ते राज्य/केंद्र शासित योजना के संकेत देना।
- राज्य स्तर पर नीति और कार्य योजना के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करना।
- नगर स्तर पर विस्तृत योजना आधारित नगर विकास योजनाओं के रूप में 15 से 20 वर्षों की प्रस्तावित योजनाओं की तैयारी।
- समय-समय पर समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय निगरानी समिति स्थापित करना तथा नीति का कार्यान्वयन और आवश्यकतानुसार संशोधन और परिवर्द्धन करना।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)

शहरी गरीबी उन्मूलन की तीनों योजनाओं जैसे गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सुविधाएं (यूबीएसपी), नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई) और प्रधानमंत्री के समेकित शहरी गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम (पीएमआई-यूपीईपी) का एक साथ विलय कर पहली दिसंबर, 1997 से एक नयी योजना 'स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना' शुरू की गयी। इस योजना के तहत दिहाड़ी रोजगार के प्रावधान या स्वयं का उद्यम स्थापित करने को प्रोत्साहन देकर शहरी बेरोजगारों या अर्द्ध-बेरोजगार गरीबों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यह कार्यक्रम सामुदायिक संरचनाओं के सृजन पर विश्वास करती है। इस योजना में केंद्र और राज्य 75:25 के अनुपात में योगदान करते हैं। योजना में दो विशेष कार्यक्रम शामिल हैं—(क) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम और (ख) शहरी दिहाड़ी रोजगार कार्यक्रम।

2007-08 के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत 336.92 करोड़ रुपये जारी किए गए। 2007-08 तक इस योजना के अंतर्गत जारी कुल केंद्रीय धन राशि 1564.46 करोड़ रुपये जारी किए गए। 251.73 करोड़ रुपए केंद्रीय हिस्से की खर्च न की गयी राशि को जोड़ने के बाद शहरी बुनियादी सुविधाएं, नेहरू रोजगार योजना और प्रधानमंत्री के समेकित शहरी गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम से प्राप्त कुल रकम 1816.19 करोड़ रुपए हैं।

मंत्रालय के वित्त वर्ष 2008-09 के बजट में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिए 515.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।

शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के तीन भाग हैं : (1) लाभकारी स्वरोजगार उद्यम लगाने के लिए शहरी गरीब लाभार्थियों को व्यक्तिगत तौर पर सहायता; (2) लाभकारी स्वरोजगार उद्यम लगाने के लिए शहरी महिलाओं के समूहों को सहायता। इस उपयोजना को 'शहरी क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों की विकास योजना' (डीडब्ल्यूसीयूए) कहा जाता है; और (3) लाभार्थियों/संभावित लाभार्थियों तथा शहरी रोजगार कार्यक्रम से जुड़े अन्य लोगों में उद्यम के हुनर, व्यावसायिक और उद्यम की कुशलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। यह उप-कार्यक्रम भारत में सभी शहरों और कस्बों में लागू है तथा शहरों के गरीब बस्ती समूहों की ओर विशेष ध्यान देते हुए समूचे कस्बे के आधार पर लागू किया जाता है। इसका लक्ष्य वे शहरी गरीब लोग हैं, जो शहरी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के रूप में पारिभाषित हैं। इस कार्यक्रम के तहत महिला लाभार्थियों की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों/जनजातियों को उनकी स्थानीय जनसंख्या के अनुपात में लाभ दिया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में विकलांगों के लिए तीन प्रतिशत का प्रावधान रखना चाहिए। इस कार्यक्रम में लाभार्थियों के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं रखी गयी है, लेकिन नौवीं कक्षा से आगे शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता। महिलाओं द्वारा संचालित घरों की महिला अभ्यर्थी यानी विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं या घर में इकलौती कमाने वाली महिला प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। 5 जून, 2008 तक शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अत्यंत लघु उद्यमों को स्थापित करने के लिए सहायता देने वाले लोगों की संख्या 2,70,352 को और इस प्रकार स्वरोजगार उद्यमों को स्थापित करने से 11,11,411 लोगों को लाभ हुआ। शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम के प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत विभिन्न हुनरों का प्रशिक्षण देने वाले व्यक्तियों की संख्या 5 जून, 2008 तक 12,44,903 तक थी।

शहरी क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों की विकास योजना कार्यक्रम (डीडब्ल्यूसीयूए) का उद्देश्य ऐसी गरीब महिलाओं की सहायता करना है जो स्वरोजगार उद्यम शुरू करना चाहती हैं। यह समूह कम से कम 10 औरतों का हो सकता है। इस योजना के तहत अनुपूर्ति की अधिकतम सीमा 1.25 लाख रु. या परियोजना की लागत के 50 प्रतिशत में से जो कम हो, वह है। जहां पर समूह ने अपने आपको स्वरोजगार उद्यम के अलावा थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटी के रूप में भी स्थापित कर रखा हो, वहां पर वह अधिक से अधिक 1,000 रुपये प्रति सदस्य की दर से 25,000 रुपये की आवर्ती निधि के अतिरिक्त अनुदान का पात्र भी हो जायेगा। इस निधि का इस्तेमाल कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कच्चा माल खरीदना, विपणन, मूलभूत सुविधाओं का संचालन, बच्चों की देखभाल गतिविधियों पर एक-बारगी खर्च, समूह के सदस्यों का बैंक जाने का 500 रुपये तक खर्च, एक सदस्य द्वारा अलग-अलग अवधि के लिए बचत जारी रखकर अपने पति-पत्नी/बच्चे की बीमा किस्त की अदायगी तथा समूह के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य की अनुमति से कोई अन्य खर्च। कोई भी समूह आवर्ती निधि को तभी

प्राप्त कर सकता है, जब उसे बने हुए एक वर्ष हो चुका हो। 5 जून, 2008 तक शहरी क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों की विकास योजना समूहों की संख्या 70,584 तक हो चुकी थी जिनसे 2,70,352 महिलाओं को लाभ पहुंचा।

शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को मजदूरी रोजगार के लाभ देना है। इसके जरिए उनके परिश्रम का उपयोग करके सामाजिक-आर्थिक लाभ वाली सार्वजनिक परिसंपत्तियां बनाई जायेंगी। इसमें शैक्षिक योग्यता का कोई प्रतिबंध नहीं है। यह कार्यक्रम उन स्थानीय निकायों पर लागू होता है जिनकी आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 5 लाख से कम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सामग्री और श्रम में 60:40 का अनुपात रखा जायेगा। लाभार्थियों को न्यूनतम मजदूरी उस दर से दी जायेगी जो हर क्षेत्र के लिए समय-समय पर अधिसूचित की जायेगी। इस कार्यक्रम को राज्य क्षेत्र की शहरी मलिन बस्तियों की पर्यावरण सुधार स्कीम और राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के साथ जोड़ दिया गया है। यह कार्यक्रम उक्त दोनों स्कीमों की जगह लेने के लिए नहीं बनाया गया है। यह राज्य क्षेत्र की किसी स्कीम का स्थान भी नहीं लेगा। 5 जून, 2008 तक इसके तहत 674.75 लाख श्रमदिनों के बराबर रोजगार सृजित किया गया था।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीकरण मिशन

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)

चयनित 63 शहरों में शहरी गरीबों को सुविधाएं देने के उद्देश्य से आश्रय, मूलभूत सुविधाएं तथा अन्य नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए परियोजनाओं के माध्यम से झुग्गी-बस्तियों के समेकित विकास हेतु माननीय प्रधानमंत्री ने 3 दिसंबर, 2005 को शहरी गरीबों के लिए उप-मूलभूत सुविधाओं के लिए उपमिशन का शुभारंभ किया। शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं के वास्ते उपमिशन मांग पर आधारित कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को नगर विकास योजनाएं, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करके प्रस्तुत करनी होती हैं और शहरी सुधारों को लागू करने के लिए वचनबद्धता के साथ ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर भी करना पड़ता है।

बीएसयूपी की प्रमुख विशेषताएं

- उप-मिशन 63 चयनित जे.एन.एन.आर.यू.एम शहरों में लागू किया जायेगा।
- वर्ष 2005-06 से आरंभ होकर 7 वर्षों में लागू किया जायेगा।
- अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में केंद्रीय अंशदान को पूर्ण अनुदान करना।
- दस लाख या अधिक की जनसंख्या वाले शहरों के संबंध में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू कश्मीर में शहरों/कस्बों की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 90 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- बचे हुए शहरों के लिए परियोजना लागत का 80 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- आवासों के लिए कम से कम 12 प्रतिशत लाभान्वित का अंशदान। अजा/अजजा/पिव/शवि तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत लाभान्वित अंशदान।

- सुधारों से सहमति जताने वाले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के लिए केंद्रीय सहायता की पहुंच।
- सुधारों से शहरी प्रशासन में सुधार सुनिश्चित करना।
- नगर विकास योजनाएं तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना।

बीएसयूपी में शामिल करने योग्य घटक :

- तंग बस्तियों का समेकित विकास जैसे चिह्नित शहरों में झुग्गी-झोपड़ी वाली बस्तियों में आवास और बुनियादी ढांचे का परियोजना विकास।
- शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं के विकास/सुधार/रखरखाव की परियोजनाएं।
- झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों का सुधार तथा पुनर्वास परियोजनाएं।
- जल आपूर्ति/सीवर/नालों सामुदायिक शौचालयों, स्नान घरों आदि के लिए परियोजनाएं।
- झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के निवासियों, शहरी गरीबों, आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों/निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए कम लागत से बने मकानों की सुविधाएं।
- नालों तथा 'स्टार्म वाटर ड्रेन' का निर्माण एवं सुधार।
- तंग बस्तियों के पर्यावरण का सुधार तथा त्याज्य मल पदार्थों का प्रबंधन।
- सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था।
- सामुदायिक हॉल तथा बाल देखभाल केंद्र आदि जैसी नागरिक सुविधाएं।
- इस घटक के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों का संचालन एवं रखरखाव।
- शहरी गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों का एक सूत्र में संचालन।

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं के उप-मिशन के शुरू किए जाने के बाद 274 परियोजनाओं के लिए 17,421.11 करोड़ रुपए की कुल परियोजनाएं शुरू की गयी हैं जिनमें केंद्र की हिस्सेदारी 8,761.03 करोड़ रुपए है। यह रकम 30.04.2008 को 61 मिशन शहरों में 7,87,111 रिहायशी इकाइयों के निर्माण तथा अन्य संबद्ध बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए स्वीकृत की गयी है।

समेकित आवास एवं झुग्गी/झोपड़ी बस्तियों का विकास (आईएचएसडीपी)

जिन नगरों/कस्बों में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं नहीं उपलब्ध कराई गयी थीं, ऐसे लोगों के लिए 3.12.2005 को जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन के साथ-साथ समेकित आवास एवं स्लम विकास के कार्यक्रम भी शुरू किए गए। समेकित आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम का नाम बाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना और राष्ट्रीय स्लम विकास स्कीम रखा गया है। समेकित आवास स्लम विकास कार्यक्रम तंग बस्तियों के समग्र विकास के साथ-साथ पर्याप्त आश्रय और पहचान किए गए शहरी क्षेत्रों की तंग बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर उन्हें स्वस्थ और बेहतर शहरी पर्यावरण उपलब्ध कराना है।

आईएचएसडीपी की प्रमुख विशेषताएं :

- अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में केंद्रीय अंशदान पूर्ण अनुदान के रूप में।
- परियोजना लागत का 80 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

- विशेष वर्ग वाले राज्यों शहरों/कस्बों की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 90 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा दिया जायेगा।
- आवासों के लिए लाभार्थी का अंशदान कम से कम 12 प्रतिशत होगा। अजा/अजजा/पिव/शवि तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए लाभार्थी का अंशदान 10 प्रतिशत।
- केंद्रीय सहायता उन्हीं राज्यों/स्थानीय निकायों आदि के लिए खुली होगी जो सुधारों को लागू करने पर सहमत होंगे।
- शहरों का सुशासन सुनिश्चित करने वाले सुधार शहरों/कस्बों द्वारा विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना।

आईएचएसडीपी में शामिल किए जाने योग्य घटक:

- नए मकानों के निर्माण तथा उन्नयन समेत आश्रय का प्रावधान।
- सामुदायिक शौचालयों का प्रावधान।
- जल आपूर्ति, 'स्टॉर्म वाटर' नाले, सामुदायिक स्नानघर, मौजूदा लेन, सीवर, सामुदायिक शौचालयों तथा पटरियों को चौड़ा करना और सड़कों के किनारे प्रकाश व्यवस्था आदि।
- पूर्व-विद्यालय शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, मनोरंजन की गतिविधियों आदि के लिए इस्तेमाल किए गए सामुदायिक केंद्रों के लिए प्रावधान जैसी सामुदायिक बुनियादी ढांचा की व्यवस्था।
- सामुदायिक प्रारंभिक स्वास्थ्य संरक्षण केंद्र भवन उपलब्ध कराना है।
- स्कूल-पूर्व शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, प्रसूति, बाल स्वास्थ्य तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जिसमें टीकाकरण आदि शामिल हैं जैसी सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।
- 'मॉडल डिमॉनस्ट्रेशन' परियोजनाओं का प्रावधान।
- ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणियों के लिए कम लागत के मकान तथा भूमि और सेवायें।
- तंग बस्तियों का सुधार एवं पुनर्वास परियोजनाएं।
- पूर्वोत्तर राज्यों एवं पहाड़ी राज्यों जैसे-हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में स्कीमों और परियोजनाओं के लिए निजी भूमि अधिग्रहण करने के लिए सुविधाएं होंगी। इनके अलावा अन्य लोगों को भूमि अधिग्रहण करने के लिए वित्त सहायता उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।

समेकित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के शुरू किए जाने के बाद से लेकर 30.04.2008 तक इसमें 396 शहरों/कस्बों में 2,59,200 रिहायशी इकाइयों और अन्य बुनियादी ढांचा सुविधाओं के निर्माण के लिए 2,871.26 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता सहित कुल 4,009.90 करोड़ रुपये की परियोजना लागत को स्वीकृति दे दी गयी है।

कम लागत की समेकित शौचालय योजना (आईएलसीएस)

कम लागत की समेकित शौचालय योजना 1980-81 में गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई; बाद में इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दी गई। इस कार्यक्रम को 1989-90 में शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया और तत्पश्चात्

2003-04 से इस कार्यक्रम का दायित्व शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन एवं एच.यू.पी.ए. ने सम्भाल रखा है। 17 जनवरी, 2008 तक निम्नलिखित घटकों ने इस स्कीम पर अमल किया :

- इस योजना का उद्देश्य शुष्क शौचालयों को कम लागत वाले दो गड्डों वाली शौचालयों का रूप देना और जहां कोई शौचालय उपलब्ध नहीं है, वहां नये व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराना है।
- समूचे कस्बे में परिवर्तन अभियान के तौर पर यह स्कीम शुरू की गई। इसके अनुसार कस्बे के सभी वर्गों की आबादी के सभी वर्गों (उच्च आय वर्ग, मझोले आय वर्ग तथा सामाजिक तौर पर कमजोर वर्ग) के ऐसे सभी आयु वर्गों को शामिल किया जाएगा जिन पर आईएफसीएस के मार्ग-निर्देश लागू होते हैं। यह स्कीम 1981 की जनगणना के अनुसार ऐसे लघु और मंझौली योजनाओं पर लागू होती है, जिनकी आबादी 5 लाख से अधिक नहीं है।
- यह स्कीम हुडको से ऋण लेकर और केंद्रीय सरकार से सब्सिडी को मिश्रित बनाकर आवास एवं शहरी विकास निगम (HUDCO) द्वारा लागू की जाती है।
- मांग के आधार पर लागू स्कीम इसलिए राज्य आबंटन/लक्ष्य निर्धारित नहीं गए 17.1.2008 तक सहायता की रूपरेखा निम्नलिखित प्रकार से थी :-

श्रेणी	सब्सिडी	ऋण	अंशदान लाभ-भोगी
ई.डब्ल्यू.एस	45%	50%	5%
एफ.आई.डी	25%	60%	15%
एम.आई.जी/एचआईजी		75%	25%

31.3.2008 तक स्कीम की समग्र सफलता

हुडको के माध्यम से स्वीकृत स्कीमों की संख्या	873
कुल सब्सिडी जारी	35932.04
परिवर्तित/निर्मित/शौचालयों की संख्या	5020074 इकाइयां
मैला ढोने की प्रथा से मुक्त कराये गए व्यक्ति की संख्या	56873
मैला ढोने की प्रथा से मुक्त कराये गए कस्बों की संख्या	654

कम लागत की समेकित स्वच्छता योजना के मार्ग निर्देशों को 17.01.2008 को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के साथ उपयुक्त संशोधन किया गया है और संशोधित मार्गनिर्देशों को पहली फरवरी, 2008 को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबद्ध विभागों के पास भेजा जा चुका है।

संशोधित मार्गनिर्देशों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के जिन लोगों के यहां शौचालय नहीं हैं, वहां स्थानीय स्थितियों (क्षेत्रीय परिस्थितियों) अनुरूप शौचालयों) उपयुक्त भिन्नताओं के अनुसार नये शौचालयों का निर्माण करना तथा सुपर ढांचे के साथ दो 'पिट' वाले सेनिटरी फ्लश शौचालयों के जरिए कम लागत वाली स्वच्छता इकाइयों का निर्माण/परिवर्तन करना है।
- यह स्कीम 'सभी कस्बों' में चलाई जा रही है। और यह कमजोर वर्गों के मकानों (ईडब्ल्यूएस) तक ही सीमित है।
- जिन मकानों में शौचालय नहीं हैं, शुरू में ऐसे 75% ई.डब्ल्यू.एस मकानों में पोर फ्लश लैट्रिन तथा 25% मकानों में शुष्क शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।

- (iv) इस 'स्कीम' के लिए निम्नलिखित तरीके से धन उपलब्ध कराया जायेगा :
केंद्रीय सब्सिडी 75%, राज्य सब्सिडी 15% तथा लाभोगियों का हिस्सा 10%।
- (v) सुपरढांचे के साथ दो पिट वाले व्यक्तिगत फ्लश शौचालय की पूरी इकाई के किए ऊपरी सीमा लागत 10,000/- है। (दुर्गम पहाड़ी इलाकों वाले राज्यों का छोड़कर) दुर्गम और पर्वतीय इलाकों में पड़ने वाले राज्यों में हर दो पिट वाले फ्लश शौचालयों के वास्ते 25% अतिरिक्त लागत का प्रावधान करना पड़ता है। यह स्कीम केवल ई.डब्ल्यू.एस. वाले मकानों तक ही सीमित है और इसके साथ ऋण घटक नहीं जुड़ा है। इस स्कीम पर 'हुडको' के माध्यम से नहीं बल्कि आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा सीधे कार्यान्वयन किया जाता है।
- (vi) राज्य ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को चुनेंगे जिनका इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव है, उन्हें अधिकतम 15% से अधिक धनराशि दी जाती है। और शेष धनराशि कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में 5:1 के अनुपात में केंद्र और राज्यों द्वारा वहन की जाती है।
- (vii) कुल केंद्रीय आबंटन का 1% हर वर्ष मंत्रालय के पास रखा जाएगा जिनका उपयोग एम.आई.एस; निगरानी प्रणाली, क्षमता निर्माण तथा आई.ई.सी. घटकों के लिए किया गया।
- (viii) 6 लाख शुष्क शौचालयों को परिवर्तित करने के लिए परियोजना लागत 715.48 करोड़ रु. है जिसमें से ग्यारहवीं योजना के दौरान केंद्रीय सहायता लगभग 545.00 करोड़ होगी। संशोधित आई.एल.सी.एस. (ILCS) कार्यक्रम में अनुमान लगाया गया है कि तीन वर्षों की अवधि (2007-2010) में सभी शुष्क शौचालयों का परिवर्तन कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

दस प्रतिशत एकमुश्त प्रावधान के अंतर्गत सिविकम सहित उत्तर-पूर्वी राज्य के विकास के लिए परियोजनाएं/कार्यक्रम

तत्कालीन शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने 19-20 मई, 2001 को गंगतोक में सिविकम एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों के स्थानीय स्वायत्त प्रशासनों शहरी विकास/आवास मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य इन राज्यों में इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा और आठ राज्यों की विशेष विकास आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार करना था। सम्मेलन के कार्यों के अनुसरण के रूप में इन राज्यों के लिए असमापनीय अतिक्रमित न होने वाले केंद्रीय पूल कोष से प्राप्त धनराशि उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा सिविकम की राज्य सरकारों से परियोजना प्रस्तावों पर विचार करने के लिए मंत्रालय में एक कार्य बल गठित किया गया था। इस प्रावधान के अंतर्गत कोष अतिक्रमित न होने के योग्य होते हैं और इन राज्यों के लिए निर्धारित अतिक्रमित न होने योग्य केंद्रीय कोष के मूल में सम्मिलित कर दिए जाते हैं और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास विभाग द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं।

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय निम्नलिखित चिह्नित क्षेत्रों में उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए परियोजना प्रस्तावों से संबद्ध है :

- (i) आवास परियोजनाएं (मुख्यतया शहरी गरीबों के लिए)
- (ii) गरीबी उन्मूलन परियोजनाएं
- (iii) झुग्गी-झोपड़ी सुधार/उन्नयन परियोजनाएं

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान चल रही परियोजनाओं के लिए 50.00 करोड़ रु. का आबंटन किया गया। चालू वर्ष (2008-09) के लिए भी इस कार्यक्रम के लिए 50.00 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

संबंधित कार्यालय

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (एनबीओ)

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (एनबीओ) आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है जो देश में आवास एवं भवन निर्माण गतिविधियों के लिए सांख्यिकीय सूचनाओं के संग्रह तालिका-निर्माण एवं प्रसार हेतु कार्य के लिए शीर्ष संगठन है। आवास, निर्माण, झुग्गी-झोपड़ी विकास शहरी गरीबी उन्मूलन तथा संबद्ध कार्य-कलापों के बारे में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक तथा सांख्यिकीय कार्यों के तहत बदलती हुई जरूरतों के संबद्ध में तथा आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त आंकड़ों, एम.आई.एस. तथा जानकारी निवेशों आदि से युक्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन का मार्च, 2006 में पुनर्गठन किया गया था।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के संदर्भ में तीन दिसंबर, 2005 को शुरू इस कार्यक्रम में पुनर्गठन ने विशेष महत्व प्राप्त किया है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. हमारे देश में शुरू किया गया एकमात्र सबसे बड़ा संगठन है जो शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं शहरी बुनियादी ढांचों के मुद्दों के संबंध में कार्य करता है। इस मिशन पर कार्यान्वयन सात वर्षों की अवधि (2005-2012) में किया जायेगा। भारत सरकार 50,000 करोड़ रु. की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन को एम.ओ.एस.यू.पी.ए. द्वारा जे.एन.एन.यू.आर.एम. के घटकों के शहरी गरीबों तथा समेकित आवास एवं झुग्गी-झोपड़ी विकास कार्यक्रम के लिए बुनियादी सेवाओं के अंतर्गत परियोजनाओं की समीक्षा निगरानी स्वीकृति एवं समन्वयन के आकलन के लिए प्रमुख एजेंसी मनोनीत किया है।

पुनर्गठित राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन के आदेश पत्र में निम्नलिखित उद्देश्य सामिलित किये गये हैं—

- शहरी गरीबी, तंग बस्तियों, आवास, भवन-निर्माण तथा संबद्ध आंकड़ों, राज्यों तथा शहरी स्थानीय स्तरों तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संसाधन केंद्रों के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र और संरक्षण केंद्र के रूप में कार्य करना, नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराना।
- भवन-निर्माण, आवास तथा अन्य संबद्ध आंकड़े एकत्र करना उन्हें संबद्ध करना, उसे वैधता प्रदान करना, विश्लेषण करना, प्रसार करना तथा भवन निर्माण और अन्य सांख्यिकीय आंकड़े तथा संबद्ध रिपोर्टों को समय-समय पर प्रकाशित करना।
- शहरी गरीबी, तंग बस्तियों, आवास के संबंध में Compendium प्रकाशित करना, निर्माण सांख्यिकी तैयार करना तथा व्यावहारिक शोध प्रकाशनों को प्रकाशित करना जिसमें सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण हो और जनगणना और एनएसएसओ जैसे विभिन्न स्रोतों से आंकड़े संग्रहीत हों।
- पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत आंकड़ा केंद्र तैयार करना तथा उसका प्रबंधन करना जिसमें उपयुक्त प्रणालियां और ई-गवर्नेंस उपकरण सज्जित हों जिनसे नीतियों तथा कार्यक्रमों से संबद्ध आंकड़ों को एकत्रित किया गया हो; उनका प्रबंधन कर सकें, उन्हें कंप्यूटर पर प्रदर्शित कर सकें और उन्हें प्रसारित कर सकें।
- आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों द्वारा संचालित योजना कार्यक्रमों के प्रभाव का देश के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित अल्पकालिक नमूना सर्वेक्षण/क्षेत्रीय सार पर अध्ययन करने की सुविधा और आवश्यकतानुसार प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करने की सुविधा।

- डिजाइन तैयार करने, फार्मूला कार्यान्वयन, अनुश्रवण, समीक्षा तथा नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों और परियोजनाओं का मूल्यांकन प्रभाव और समीक्षा कर सकें। इन परियोजनाओं में शहरी गरीब लोगों के लिए बुनियादी सेवाएं तंग बस्तियों के विकास/उन्नयन और क्षमता के अनुरूप आवास जैसे विषय शामिल हों।
- शहरी गरीबी, तंग बस्तियां, आवास, भवन-निर्माण से संबद्ध प्रलेखन केंद्र का विकास और संबद्ध शहरी आंकड़े एकत्र करना जो सर्वोत्तम प्रचलनों तथा अभिनवीकरण समेत शहरी संसाधन कोष के रूप में कार्य संचालन कर सकें।
- भारत सरकार, राज्य सहकारों और शहरी स्थानीय प्रशासनों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन तथा शहरी गरीबी तंग बस्तियों, आवास, भवन निर्माण और संबद्ध शहरी आंकड़ों का प्रसार करना।
- राज्य सरकारों, नगर अधिकारियों, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थानों, सांख्यिकी संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ तालमेल और सहयोग करना और केंद्रीय एजेंसियों के रूप शहरी नीति-नियामक योजना निर्माताओं तथा शहरी गरीबी, झुग्गी झोपड़ियों और आवास आदि से संबंधित क्षेत्रों की MIS आवश्यकताओं तथा आंकड़ों की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर होगा।

मानव संसाधन के लिए शहरी आंकड़े एवं आकलन (यूएसएचए)

राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन (एन.बी.ओ.) की नयी योजना कार्यक्रम जैसे-‘मानव संसाधन के लिए शहरी आंकड़े तथा आकलन’ शुरू किया गया जिसका उद्देश्य एक राष्ट्रीय ‘डेटाबेस’ का विकास एवं संरक्षण, एम.आई.एस. और शहरी गरीबी, तंग बस्तियों, आवास, निर्माण तथा अन्य शहरीकरण आंकड़ों से संबद्ध ज्ञान का सुरक्षा कोष तैयार करना है। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबी, तंग बस्तियों तथा विशेषकर, आवास से संबद्ध कार्यक्रमों के संबंध में आयोजना, नीति-निर्माण, परियोजना डिजाइन, फार्मूले तैयार करना, कार्यान्वयन, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन तथा आवास मंत्रालय का सहयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीकरण मिशन—शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बी.एस.यू.पी.) तथा समेकित आवास एवं तंग बस्तियां विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से सहयोग करना चाहता है। यू.एस.एच.ए. (ऊषा) के चार स्तंभ हैं— एमआईएस समेत डेटाबेस तथा नमूना सर्वेक्षण; कार्य अनुसंधान, प्रभाव आकलन तथा क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण। इस केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत ‘मानव संसाधन के लिए शहरी आंकड़े’ (यू.एस.एच.ए.) राष्ट्रीय भवन-निर्माण (एन.बी.ओ.) ने कंप्यूटरों, प्रिंटरों, यूपीएस सिस्टम साफ्टवेयर की खरीद तथा भवन-निर्माण, आवास, तंग बस्तियों तथा नमूना सर्वेक्षण आंकड़ों सहित गरीबी के आंकड़ों के संग्रह और संशोधन के लिए 2007-2008 के दौरान 32 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए धन जारी किया है।

आंकड़ों के ऑनलाइन संप्रेक्षण के लिए साफ्टवेयर जारी करना

राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन (एन.बी.ओ.) ने भवन-निर्माण से संबद्ध सूचना एवं ज्ञान प्रणाली (बी.आर.आई.के.एस.) वेब आधारित ऑन लाइन प्रणाली पर अमल किया है। एन.बी.ओ. में ई-यूनिट ‘ब्रिक्स’ प्रणाली का इस्तेमाल करके राज्य सरकारों-विभागों आर्थिक और सांख्यिकी कार्यालयों, नगरपालिका प्रशासन एवं शहरी विकास, नगर निगमों, नगरपालिकाओं, शहरी विकास प्राधिकरणों, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थाओं आदि को अप-लिंक किया जायेगा। यह विकेंद्रित प्रणाली राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन

(एन.बी.ओ.) द्वारा आंकड़ों के संग्रह में आने वाली बाधाओं पर काबू पाने में सहायता करेगी। इन दबाओं में आंकड़ों की समयबद्धता, आंकड़ों तक पूर्णता, आंकड़ों तक पहुंच तथा अधिकतर साझीदारों के लिए आंकड़ों की दृष्टिगोचरता आदि शामिल हैं। निर्माण से संबद्ध सूचना एवं ज्ञान प्रणाली (ब्रिक्स) एन.बी.ओ. और अन्य सभी उपभोक्ताओं को विकास योजनाएं तैयार करने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने, आकलन योजनाओं का सतत विकास करने, शोध और प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण करने में सहायता प्रदान करेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान

आवासीय एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको)

हुडको ने 1970 में आरंभ से ही आवासीय और शहरी विकास के वित्तीय क्षेत्र में सतत और उल्लेखनीय कार्य किए हैं जिसके परिणामस्वरूप वह एक अग्रणी और पथप्रदर्शक संस्थान के रूप में उभरा है। आबादी के सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करते हुए आवासीय और शहरी मूलभूत सुविधाओं के विकास के अनेक विकल्पों के साथ हुडको का लक्ष्य इन क्षेत्रों में लगातार वृद्धि हासिल करना है। अपने कार्य-क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरे हुडको का मुख्य लक्ष्य अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखना और अपनी क्षमता के अनुरूप नए-नए तरीके अपनाते हुए बेहतर उपलब्धि हासिल करना है। आवास और बुनियादी ढांचा विकास की अनोखी आवश्यकताओं से निबटने के मामले में यह अपने तरह का एकमात्र संगठन है और इसके बावजूद यह लाभकारी परिणाम दे रहा है। इसने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 141 लाख से अधिक रिहायशी इकाइयों के लिए सहायता उपलब्ध कराया है। इस तरह की अन्य संस्थाओं की नीति की तुलना में यह संस्था समाज के हर वर्ग की जरूरतें पूरी करती है जबकि ऐसी अन्य संस्थाएं समृद्ध, मध्यम और उच्च आय वर्गों को प्राथमिकता देती हैं। हुडको समाज के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों और वंचित लोगों की आवास जरूरतों पर अधिक जोर देता है। हुडको अपने आदर्श वाक्य '*सामाजिक न्याय के साथ लाभप्रदता*' पर जोर देता है और हुडको द्वारा स्वीकृत कुल रिहायशी इकाइयों का लगभग 92% आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग और कम आय वर्ग को आवंटित किया जाता है। हुडको ने 10 वर्षों की अवधि में 106.52 लाख आवासीय इकाइयों को सहायता देकर 1998-99 के दौरान सरकार द्वारा शुरू आवास कार्यक्रम के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान किया।

हुडको ने प्राकृतिक आपदाओं के बाद पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त तकनीकी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर आपदा समाप्ति के मोर्चे पर जोर देना जारी रखा है। 31.03.2008 तक एकत्रित रूप से 4094.07 करोड़ रु. से अधिक लागत की परियोजना लागत से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 41 लाख से अधिक मकानों के लिए तथा 2209.36 करोड़ रु. की हुडको की वित्तीय सहायता का योगदान करने में सक्षम हुडको आपदा-पूर्व शमन कार्य तथा खतरे को कम करने के ऐसे कार्यों पर जोर देता रहा है जिनमें भविष्यवाणी, तैयारी, रोकथाम, प्रचार और सुरक्षा शामिल है। जबकि प्रचलित नीति है कि आपदा के बाद कार्रवाई की जाए और बचाव, राहत, पुनर्वास पुनर्निर्माण, मरम्मत, पुनर्नवीकरण तथा पुनर्संज्ञित किया जाए। पर्याप्त बुनियादी सेवाएं तथा संबद्ध बुनियादी ढांचे के साथ-साथ उपयुक्त सामाजिक सुविधाएं और पर्याप्त बुनियादी सेवाएं टिकाऊ पर्यावास विकास के हुडको एजेंडा का अभिन्न भाग रहा है। हुडको की शहरी मूल सुविधा खिड़की 1989 में खोली गई थी; इसने कुल 1456 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं (जिनमें सेनीटेशन स्कीमें शामिल नहीं हैं) इनकी परियोजना लागत 224448 करोड़ रु. है

और जिसमें से हुडको ने 54924 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता दी है जिससे शहरी इलाकों में नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।

अब जबकि निर्माण-लागत साल-दर-साल बढ़ती ही जा रही है और आवास सुविधा लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है तथा लागत-प्रभावी टेक्नालाजी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लागत-प्रभावी, पर्यावरण के उपयुक्त, पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त, ऊर्जा की बचत करने वाली तैयार और साथ ही देखने में सुंदर और किफायती आवास सुविधा संभव हो। सबसे निचले स्तर तक प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का प्रश्न देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में 78 निर्माण केंद्रों तथा शहरी इलाकों में 577 भवन निर्माण केंद्रों की स्थापना को संभव बनाया जा सकता है।

भविष्य उन लोगों का है जो सपने देखने का साहस कर सकते हैं, जो संभावनाओं की आहट सुन सकते हैं और खतरों को सामने आने से पहले उनका पूर्वाभास कर सकते हैं। प्रगति के स्तंभों से सुस्थिर, अभिनवीकरण तथा नेतृत्व तथा नई सहस्राब्दी की चुनौतियों का सामना करने के लिए सज्जित, जो कंपनी सेवा प्रदायगी में उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचने के लिए प्रयत्नशील हो, वही हुडको के प्रख्यात नाम को बनाये रख सकते हैं। हुडको प्रखर दृष्टि, सिद्ध शक्तियों तथा दूरदर्शितापूर्ण नीतियों के साथ अंतर्गत सामर्थ्य, सेवा की गुणवत्ता, ग्राहकोन्मुखता तथा व्यावसायिकता से आगामी वर्षों में अत्यधिक उर्वर एवं रोमांचक वृद्धि के साथ सही अवसरों का उपयोग करते हुए सक्षमता पर निर्भर रहेगा।

2007-08 में हुडको के कार्यकलाप

हुडको ने मार्च, 2008 तक वर्ष 2007-08 के दौरान देश भर में 0.99 लाख रिहायशी इकाइयों, 184 से अधिक सेनिटेशन यूनितों तथा 150 शहरी मूल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 13501 करोड़ रु. की ऋण राशि जारी की राशि उपलब्ध कराई। वर्ष के दौरान 3754 करोड़ रु. (अस्थाई) की गई।

मार्च, 2008 तक हुडको ने कुल रु. 283264 करोड़ रु. (इसमें हुडको निवास शामिल नहीं है) की लागत वाली 16026 परियोजनाएं स्वीकृत कीं। इसमें 8528 करोड़ रु. के ऋण घटक है। हुडको की सहायता से 140.99 लाख रिहायशी इकाइयों के निर्माण में सहायता मिली, लगभग 67.08 लाख स्वच्छता इकाइयों तथा 1456 शहरी मूलभूत सुविधा युक्त कार्यक्रम पूरे किए गए जिनसे शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 1858 से अधिक शहरों तथा हजारों गांवों के जीवन स्तर में सुधार आया।

सभी के लिए आवास—हुडको की संचालनात्मक उपलब्धियां

हुडको ने चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 13501 रु. के ऋण लागत वाले 305 कार्यक्रमों को स्वीकृति दी जिसमें से 2152 करोड़ रु. की आवास योजनाओं (वित्तीय खुदरा शामिल) तथा विभिन्न शहरी मूल ढांचा सुविधाओं के लिए 11.349 करोड़ रु. विभिन्न शहरी मूलभूत कार्यक्रमों के लिए स्वीकृत किए गए। 3754 करोड़ रु. धनराशि भी वितरित की गई जिसमें आवास कार्यक्रमों के लिए 869 करोड़ रु. तथा शहरी मूलभूत कार्यक्रमों के लिए 2885 करोड़ रु. (अस्थायी) शामिल हैं।

वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक कुल रिहायशी इकाइयों में से 84% प्राथमिक क्षेत्र समाज के अपेक्षाकृत अधिक कमजोर वर्ग के लोगों/एल.आई.जी. तथा प्राथमिकता क्षेत्र के लिए आवास के तहत 14% ऋण स्वीकृत किए गए।

वर्ष 1998-99 के दौरान भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए आवास कार्यक्रम में हुडको का योगदान

वर्ष 1998-99 के दौरान शुरू किए गए भारत सरकार के आवास कार्यक्रम के तहत हुडको को 10

लाख इकाइयों के निर्माण के लिए ऋण सहायता दी गई (ग्रामीण क्षेत्रों में 6 लाख इकाइयां और शहरी क्षेत्रों में 4 लाख इकाइयां) कार्यक्रम के तहत 13 लाख मकानों में से ग्रामीण क्षेत्रों में 7 लाख मकान और शहरी क्षेत्रों में 6 लाख मकान बनाने का कार्यक्रम है। 31.03.2008 तक 1998 से 2007-08 के दौरान हुडको ने ग्रामीण तथा शहरी-दोनों क्षेत्रों में कुल 107.311 लाख यूनिटों के निर्माण में सहयोग दिया।

वाल्मीकि अंबेडकर-आवास योजना (वीएएमबीएवाई)

वी.ए.एम.बी.ए.वाई तथा राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) को समेकित आवास स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) मिला दिया गया है और इस कार्यक्रम की शुरुआत 3 दिसंबर, 2005 से की गई।

वीएएमबीएवाई के अंतर्गत 459779 रिहायशी इकाइयों और 65555 शौचालय सीटों के निर्माण और उन्नयन के लिए 31.03.2008 तक भारत सरकार की 93823.076 लाख रु. की सब्सिडी जारी की गई है।

प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, 390397 रिहायशी इकाइयां पूरी हो चुकी हैं और 36797 रिहायशी इकाइयों का निर्माण कार्य अभी चल रहा है तथा 61492 डब्ल्यू.सी. पूरी हो चुकी है और 2278 डब्ल्यू.सी. का कार्य प्रगति पर चल रहा है।

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) एवं समेकित आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)

पृष्ठभूमि

- शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं प्रधानमंत्री ने 2005 में शुरू की जिसका उद्देश्य शहरी तंग बस्तियों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत में सुधार करना है जो चिह्नित 63 शहरों में बहुत खराब हालत में रह रहे हैं।
- इस कार्यक्रम का बुनियादी उद्देश्य शहरी तंग बस्तियों में रहने वाले लोगों को पर्याप्त सुरक्षा और बुनियादी ढांचा सुविधाएं उपलब्ध कराकर स्वस्थ और रहने लायक शहरी वातावरण के साथ-साथ उनके संपूर्ण तंग बस्ती विकास के लिए प्रयास किया जाए।

हुडको की भूमिका

- हुडको शहरी गरीब लोगों के लिए बुनियादी सेवाओं के अंतर्गत प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के मूल्यांकन की एजेंसियों में से एक है।
- हुडको मार्ग-निर्देशों के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी में अमल करने वाली एजेंसियों और राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है।
- कार्यक्रमों/मार्गनिर्देशों से एजेंसियों को अवगत कराने के लिए हुडको विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है।

संचित स्तर-शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं के अंतर्गत 31.03.2008 तक हुडको द्वारा

आकलित 151 परियोजनाओं की 10895.19 करोड़ रु. की लागत से 4.64 लाख रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है।

हुडको निवास के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण सहायता

लाभभोगियों तक सीधे पहुंचने के उद्देश्य से हुडको ने मार्च, 1999 में अपने व्यक्तिगत ऋण 'विंडो हुडको निवास' की शुरुआत की। अपनी सर्वाधिक प्रतिस्पर्धात्मक शर्तों मूल्य सवद्धित सेवाओं तथा उपभोक्ता-हितैषी विकल्पों के कारण यह कार्यक्रम अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा है।

चालू वित्त वर्ष 2007-08 (31.03.2008) के दौरान 970 लाभोक्ताओं के लिए 50.09 करोड़ रुपये की ऋण सहायता मंजूर की गई है और 46.89 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

शहरी बुनियादी ढांचा

शहरी बुनियादी ढांचा वित्त क्षेत्र में, बाजार के अग्रणी के रूप में, हुडको का विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराने का क्रम जारी है। आलोच्य वर्ष के दौरान 1.4.2004 से 31.03.2008 तक हुडको ने 60200.95 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत के साथ 150 शहरी बुनियादी ढांचा और 11348.75 करोड़ रु. हुडको ऋण घटक को स्वीकृति दी है। हुडको द्वारा स्वीकृत शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण निम्नलिखित प्रकार हैं :

(करोड़ रु. में)

क्षेत्र	संख्या	परियोजना लागत	ऋण राशि
जल आपूर्ति	7	1975.17	1592.04
सीवर/नाले/टोस त्याज्य पदार्थ प्रबंधन	1	24.96	22
परिवहन/सड़कें/सेतु	13	1834.55	608.35
क्षेत्रीय विकास	2	23.62	20
वाणिज्यिक एंड अन्य	91	55708.54	8622.62
सामाजिक बुनियादी ढांचा	36	634.11	483.74
योग	150	60200.95	11348.75

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विशेष पहल

हुडको ने अपने आवास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए अपने वार्षिक आबंटनों के विशेष आबंटन के माध्यम से उत्तर-पूर्वी राज्यों के विकास पर विशेष जोर देना जारी रखा। आलोच्य वर्ष के दौरान हुडको ने 73.31 करोड़ रु. की परियोजना लागत की 14 आवासीय कार्यक्रमों तथा 65.50 करोड़ रु. के हुडको ऋण घटक को स्वीकृति दी है। इससे असम, मिजोरम, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 95 रिहायशी इकाइयों के निर्माणकार्य में सहायता मिलेगी।

उपरोक्त योगदान के अतिरिक्त हुडको ने नगालैंड तथा मेघालय जैसे राज्यों में 61.34 करोड़ रु. की हुडको ऋण सहायता से 19 शहरी मूलभूत सुविधाओं वाली परियोजनाओं को ऋण सहायता दी है।

भवन केंद्रों द्वारा तकनीकी हस्तांतरण पहल

हुडको निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल, ऊर्जा किफायती, मजबूत, देखने में अच्छे तथा सस्ते आवास, भवन निर्माण सामग्री और तकनीकी मुहैया कराने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। अब तक 577 भवन केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है, जिनमें से 387 केंद्र बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 31 मार्च, 2008

तक शहरी भवन केंद्रों को 2216.10 लाख रुपये की मंजूरी दी जा चुकी थी तथा 1679.44 लाख रुपये दे दिये गये थे।

आदर्श ग्राम/आदर्श बस्ती की स्थापना

हुडको ने आदर्श ग्राम और सुधरी हुई झुग्गी बस्तियों (आदर्श बस्ती) के विकास का कार्यक्रम जारी रखा है। इसके अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में व्यावहारिक योजना, वास्तुशिल्प, जमीन के उचित उपयोग के अतिरिक्त उपभोक्ता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अभिनव/अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से जुड़ी समेकित जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। हुडको ने 31 मार्च, 2008 तक 116 ग्राम/बस्ती के लिए कुल मिलाकर 3891.83 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया।

सामुदायिक शौचालय और स्वच्छता कार्यक्रम का कार्यान्वयन

हुडको ने एक नई योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत व्यस्त बाजारों, बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों, विद्यालयों, संस्थानों, अस्पतालों और झुग्गी बस्तियों में आम लोगों के लिए सामुदायिक शौचालय बनाये जाते हैं। इस कार्यक्रम पर अमल निगमित क्षेत्र का कोई भी गैर-सरकारी संगठन, सी.बी.ओ. स्थानीय स्वशासन और राज्य सरकार का संस्थान आदि कर सकते हैं। हुडको कुल परियोजना लागत के 50% तक का अनुदान या प्रत्येक डब्ल्यू सी के लिए 20,000 रु. या जो भी कम हो, परियोजना में एजेंसी के अंशदान के बाद अपना हिस्सा दे सकता है। हुडको ने मार्च, 2008 तक 24 कार्यक्रमों के लिए (सिद्धांत रूप में) 945.80 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है; हुडको ने यह धनराशि अनुदान के रूप में दी है।

परामर्श सेवा की पहल

तकनीकी आर्थिक आज्ञापत्र की ही तरह हुडको ने स्थानीय संस्थाओं तथा उधार लेने वाली एजेंसियों को तकनीकी तथा डिजाइन संबंधी मार्गनिर्देश देने का क्रम जारी रखा।

योजना, डिजाइन तथा परियोजना सूचना के क्षेत्रों में तकनीकी कार्मिक, दीर्घकालीन अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ उठाकर शुल्क पर आधारित परामर्श सेवा पर विशेष बल दिया गया है। वास्तुकला परामर्श के अतिरिक्त शुल्क आधारित परामर्श सेवा का विस्तार किया गया है जिससे विभिन्न शहरों तथा कस्बों में बुनियादी ढांचे के विकास तथा आवास, झुगियों के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी पूरी करने के लिए जी.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराने/स्वीकृति के लिए परियोजना रिपोर्टों का आज्ञापत्र जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कस्बों के लिए नगर विकास योजनाएं/मास्टर प्लान तैयारी पर भी हाल में विशेष जोर दिया गया है। हुडको ने हाल ही में शुल्क आधारित परामर्श गतिविधियों में विविधता लाने के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवा के आबंटन देने के वास्ते प्रयासों की पहल भी की है। हुडको ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों तक अपनी परामर्श सेवाओं का विकेंद्रीकरण कर दिया है। इस पहल के परिणामस्वरूप चेन्नई, जयपुर, पटना और कोहिमा जैसे कई क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय स्तर पर आबंटन आधारित परामर्श ऋणों की मंजूरी तथा वितरणों और हुडको द्वारा सहायताप्राप्त मकानों की निगरानी तथा बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए अच्छी क्षमता दिखाई पड़ने लगी है।

इस समय कार्पोरेट कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों दोनों में ही पर्याप्त संख्या में परामर्श आबंटन हैं। इनमें से कुछ प्रमुख आबंटनों में सिविकम सरकार के सोलोफोक में तीर्थ केंद्र, राजस्थान में विभिन्न बस टर्मिनलों तथा उपयोगी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विकास, बोधगया और गोवा के लिए

सीडीपी की तैयारी, बिहार तथा झारखंड आदि राज्यों में 10 शहरों के लिए 'मास्टर प्लानों' की तैयारी शामिल हैं।

मानव आवास प्रबंधन संस्थान (एचएसएमआई)

मानव आवास प्रबंधन संस्थान (एचएसएमआई) हुडको के शोध एवं प्रशिक्षण प्रभाग के रूप में कार्यसंचालन कर रहा है और इसके कार्यकलापों को विभिन्न विभागों के सुयोग्य एवं अनुभवी पेशेवर 'कोर ग्रुप' का सहयोग प्राप्त होता रहता है। मानव आवास प्रबंधन संस्थान हुडको की उधार लेने वाली एजेंसियों, स्थानीय संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों, आवासीय वित्तीय संस्थाओं आदि के निजी क्षेत्र समेत आवास एवं शहरी विकास क्षेत्रों में कार्यरत विशेषज्ञों के लिए क्षमता-निर्माण उपलब्ध कराने के लिए अपने प्रयास में सदैव संलग्न है। मानव आवास प्रबंधन संस्थान (एचएसएमआई) आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की ओर से 'नोडल' प्रमुख संस्थान है जो एसजेएसआरवाई के घटक आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा एवं संचार) के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण एवं प्रलेखन कार्यकलापों से तालमेल बनाये रखने का कार्य करता है।

आलोच्य वर्ष के दौरान मानव आवास प्रबंधन के कार्य-कलापों में अनेक प्रकार की शोध एवं संबद्ध गतिविधियां शामिल हैं जिनके विवरण संक्षेप में नीचे दिए गए हैं :

प्रशिक्षण

मानव आवास प्रबंधन संस्थान (एचएसएमआई) ने एजेंसी के पेशेवर लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिसमें शहरी स्वायत्त संस्थाओं, अन्य शहरी क्षेत्र एजेंसियों/स्थानीय संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं के विशेषज्ञों ने भाग लिया।

यू.एन. हैबिटाट के सहयोग से मैसूर में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यक्रमों में शहरी स्थानीय निकायों के पेशेवर लोगों के लिए सात एसजेएसआरवाई कार्यक्रम शामिल हैं। एनएआईडीसीओ के साथ मिलकर एचएसएमआई ने *रीयल एस्टेट* के पेशेवर लोगों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया।

मानव आवास प्रबंधन संस्थान (एच.एस.एम.आई) ने परामर्श सेवा प्रबंधन, परियोजना आबंटन, परियोजना प्रबंधन, आवास एवं मूलभूत सुविधा परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था में कानूनी मुद्दों जैसे क्षेत्रों के विषय में इस अवधि के दौरान हुडको कर्मचारियों के लिए (इन-हाउस) सेवा के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया।

अनुसंधान एवं मूल्यांकन गतिविधियां

आलोच्य अवधि में निम्नलिखित प्रमुख अनुसंधान गतिविधियां रहीं :

- 'राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति-2007' तैयार करने के लिए आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय भारत सरकार को पेशेवर सहयोग, स्वायत्त शासनों के लिए देश का पार्श्व दृश्य, लिंग समानता एवं शहरी सुरक्षा पर पृष्ठभूमि टिप्पणियां तथा शोधपत्र, अन्य संबद्ध मुद्दों पर मंतव्य एवं टिप्पणियां प्रमुख भाषणों के प्रारूप, विभिन्न मुख्य विषयों पर विमर्श बिंदु एवं भाषण।
- मानव आवास प्रबंधन संस्थान एन.एस.यू.पी. के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए राष्ट्रीयनीति से उपलब्ध कोषों के साथ राष्ट्रीय कोर ग्रुप के सदस्यों का सहयोग करता है।

- 'झुग्गी-झोपड़ियों से मुक्त नगरों से संबद्ध राष्ट्रीय नीति : शहरी निम्न आयवर्ग की बस्तियों के विकास के लिए ढांचा' का पहला प्रारूप तैयार कर लिया गया है और उसे आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है।

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल)

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल) आईएसओ 9001:2000 एक प्रमाणित कंपनी है और भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली है। यह कंपनी प्री-फैब्रिक सामग्री जैसे पीआरसी रेलवे स्लीपर, पीसी बिजली के खंभे तथा आरसीसी के अन्य उत्पादन कार्य करती है। इसका निर्माण कार्य-कलाप सितंबर, 2004 से ठप्प है।

भारत सरकार ने एच.पी.एल. कार्य-संचालन का पुनर्गठन करने का निर्णय कर लिया है। कंपनी की वित्तीय पुनर्संरचना में कार्यरत टेक्नो-कमर्शियल कंसल्टेंट ने अपनी प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसे मंत्रालय/बीआरपीएसई के पास पुनः प्रस्तुत करने के लिए जांच की जा रही है।

इस बीच कंपनी के कार्यों में विविधता आ गई है और अब यह परियोजनाओं, परियोजना प्रबंधन सेवाओं और रीयल एस्टेट आदि जैसे कार्य में जुटी हुई है। इसके पास सामूहिक आवास-निर्माण बुनियादी ढांचा विकास तथा अस्पतालों, डिस्पेंसरियों तथा दफ्तर की इमारतों के निर्माण आदि कार्यों के लिए 31.03.2008 तक 1065 करोड़ रु. के ऑर्डर मिल चुके हैं। कंपनी इन दिनों जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूयल मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन, सुनामी पुनर्वास स्कीम तथा एंपलाइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ईएसआईसी) एंप्लाइज प्राविडेंट फंड आर्गेनाइजेशन (ई.पी.एफ.ओ), दिल्ली पुलिस आदि की परियोजनाओं को पूरा करने में जुटी हुई है।

कंपनी ने वर्ष 2008-09 के लिए आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के साथ ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका कारोबार लक्ष्य 335 करोड़ रु. है और 2008-09 में ब्याज तथा करों से पहले यह लाभ-अर्जित करने वाली कंपनी बन जाएगी।

स्वायत्त संस्थाएं

भवन-निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद् (बीएमटीपीसी)

भवन-निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद् (बीएमटीपीसी) आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। पिछले 18 वर्षों से यह परिषद् लागत-प्रभावी, ऊर्जा-सक्षम पर्यावरण अनुकूल तथा आपदा-प्रतिरोधी भवन-निर्माण सामग्री एवं प्रयोगशाला से क्षेत्र तक निर्माण प्रौद्योगिकियों का सुचारु रूप से हस्तांतरण करती रही है। इस प्रक्रिया के दौरान परिषद् ने ईंटों तथा ब्लाकों पर आधारित फ्लाइऐश, रेडमड पोलीमर डोर शटर, क्वायर फेलीमर कंपोजिट, बैगास बोर्ड आदि जैसे कृषि-उद्योगों के पदार्थों पर आधारित अनेक भवन-निर्माण सामग्रियां उपलब्ध कराईं। परिषद् ने एक अन्य क्षेत्र प्रि-फैब्रिकेशन को सफलता से आगे बढ़ाया। प्रि-फैब्रिकेटेड सामग्री का इस्तेमाल करके विभिन्न राज्यों में अनेक मकानों का निर्माण किया गया। उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए परिषद् ने आसानी से चलाई जा सकने वाली मशीनें विकसित कीं जिनका देश भर में निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है और इनके परिणाम उत्साहवर्द्धक रहे हैं। वनों की लकड़ियों, मिट्टी की ऊपरी सतह, पर्यावरण और ऊर्जा आदि क्षेत्रों को बचाने के मामले में नीति तैयार करने के संबंध में परिषद् ने आवश्यक उपादानों को उपलब्ध कराया है।

परिषद् के प्रयासों के परिणामस्वरूप अनेक भारतीय मानक तैयार किए गए। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए फ्लाइट ऐश ब्रिक, आर.सी.सी. प्लैंक तथा शहतीर, बांस की चटाइयां, कोरुगेटेड रफिंग शीट आदि कम लागत की प्रौद्योगिकी के उत्कृष्ट नमूने हैं। परिषद् नई और आगे आने वाली सामग्रियों, प्रौद्योगिकियों तथा उन निर्माण प्रणालियों के कार्य-निष्पादन का आकलन करता रहता है, जिनके लिए अभी तक कोई मानक निर्धारित नहीं हो पाये हैं। इसके लिए परिषद् पर्फार्मेंस एप्राइजल सर्टिफिकेशन स्कीम (पी.ए.सी.एस.) का तरीका अपनाता है।

परिषद् आपदा की रोकथाम तथा उसे दूर करने के मामले में सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसने भारत का भेद्य एटलस, भारत के भूस्खलन खतरे वाले क्षेत्रों का एटलस, भूकंप और तेज हवाओं की आशंका वाले क्षेत्रों में भवन-निर्माण तथा स्थानीय भाषाओं में अन्य साहित्य को भी प्रकाशित किया है। इसने आई.आई.टी. कानपुर के साथ मिलकर भूकंपरोधी निर्माण के विभिन्न प्रमुख पहलुओं को आसानी से समझ में आने योग्य कुछ प्रमुख बातों को सरल भाषा में प्रकाशित किया है। भूकंप की जानकारी हासिल करने की तकनीकों को समझाने के लिए परिषद् ने जम्मू एवं कश्मीर में कुपवाड़ा सब-डिवीजनल अस्पताल की कुछ इमारतों और दिल्ली में 5 एम.सी.डी. स्कूलों, इसके अलावा गुजरात के अनेक भवनों के बारे जानकारी उपलब्ध कराई। परिषद् प्राकृतिक विपदाओं से सुरक्षा के लिए तकनीकी-वैधानिक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को सहायता उपलब्ध करा रही है।

परिषद् ने वीएएमबीए स्कीम के तहत देहरादून, बिलासपुर, त्रिचि, नागपुर, कुदालु, और बंगलुरु जैसे कई स्थानों में प्रदर्शन-आवासों का निर्माण किया है जिससे लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी को क्षेत्रों में अपनाने के बारे में आवश्यक जानकारी मिल सके। निर्माण सामग्री के रूप में बांस के प्रचलन को प्रोत्साहन देने के लिए परिषद् ने अनेक पहल की है जैसे मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में प्रदर्शन-आवासों का निर्माण एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा केरल में बांस से बनी चटाई के उत्पादन केंद्रों को सुव्यवस्थित करना।

परिषद् पेशेवर लोगों तथा कार्य बलों को तैयार करने के लिए नियमित रूप से, जागरूकता-निर्माण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, क्षमता-निर्माण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है।

परिषद् जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत परियोजनाओं की आकलन एजेंसियों में से एक है और इसे बी.एस.यू.पी. तथा आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए 'मॉनिटर' करने वाली एजेंसी के रूप में मनोनीत किया है।

यह परिषद् भारत में प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देने के आलावा भारतीय प्रौद्योगिकियों को एशियाई, अफ्रीकी और लातीनी अमरीकी क्षेत्रों में हस्तांतरित करने की दिशा में भी कार्य करती है।

परिषद् की कार्ययोजना का लक्ष्य 'सभी को गुजारे लायक मकान' उपलब्ध कराने और शहरी गरीब लोगों को बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने के सरकार के लक्ष्य को पूरा करना है।

केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सीजीईडब्ल्यूएचओ)

केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सीजीईडब्ल्यूएचओ) भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय का एक अंग है, सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी है जो 'अखिल भारतीय', 'स्व-वित्तीय' तथा 'न लाभ-न हानि' आधार पर आवासीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी। सीजीईडब्ल्यूएचओ के पास इस समय

लखनऊ (130) और चेन्नई (फेज-2) (572), हैदराबाद (फेज-III) (380), पुणे (फेज-II) (148), भुवनेश्वर (फेज-I) (256), मोहाली (फेज-I) (586), मेरठ (फेज-I) (90) और जयपुर (फेज-II) (572) आवास योजनाएं चल रही हैं उसके साथ निर्माण और योजना के विभिन्न चरणों में 2734 रिहायशी इकाइयां हैं।

सीजीई डब्ल्यूएचओ की 21 परियोजनाएं चेन्नई (फेज-I) (524), नेरुल, नवी मुंबई (384), सेक्टर 14, पंचकुला (98), कलकत्ता (फेज-I) (576), सेक्टर 51, नोएडा (फेज-I & II) (1200), खरघर, नवी मुंबई (1230), सेक्टर 56, गुडगांव (फेज-I & II) (1940), चंडीगढ़ (305), बंगलुरु (फेज-I) (603), हैदराबाद (फेज-I) (344), कोच्चि (43), पुणे (फेज-I) (159), सेक्टर 82 नोएडा (फेज-III, IV & V) (2276), अहमदाबाद (310), जयपुर (184), हैदराबाद (फेज-II) (178) और पंचकुला (फेज-II) (240) सहित कुल 10,018 रिहायशी इकाइयां पूरी हो चुकी हैं।

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ (एनसीएचएफ)

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ की स्थापना 1969 में हुई थी जो भारत में समूचे सहकारी आवास आंदोलन का राष्ट्रीय शीर्ष संगठन है। सभी 26 राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी आवास परिसंघ एन.सी.एच.एफ. के सदस्य हैं। लगभग 31000 प्राथमिक आवास सहकारी समितियां अपने सदस्यों के लिए आवासों के निर्माण के लिए ऋण सहायता प्राप्त करने के वास्ते शीर्ष परिसंघों से संबद्ध हैं। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ ने अपने सदस्य परिसंघों के माध्यम से लगभग 10125 करोड़ रु. का ऋण वितरण करके देश भर में लगभग 23.51 लाख रिहायशी इकाइयों का निर्माण किया है।

बीस लाख आवास कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रकार की सहकारी समितियों ने 1998-99 से 2006-07 वर्षों के दौरान 8,19,753 रिहायशी इकाइयों के लिए धन उपलब्ध कराया।

18. भारत और विश्व

भारत की विदेश नीति में देश के विवेकपूर्ण स्व-हित की रक्षा करने पर बल दिया जाता है। भारत की विदेश नीति का प्राथमिक उद्देश्य शांतिपूर्ण एवं स्थिर बाहरी परिवेश को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना है, जिसमें समग्र आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के घरेलू लक्ष्यों को तेजी से और बाधाओं से मुक्त माहौल में आगे बढ़ाया जा सके। सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास को उच्च प्राथमिकता दिए जाने को देखते हुए, क्षेत्रीय और वैश्विक, दोनों ही स्तरों पर सहयोग पूर्ण बाहरी वातावरण कायम करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए, भारत अपने चारों ओर शांतिपूर्ण माहौल बनाने के प्रयास करता है और अपने विस्तारित पास-पड़ोस में बेहतर मेल-जोल के लिए काम करता है। भारत की विदेश नीति में इस बात को भली-भांति समझा गया है कि जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दे, जो भारत के रूपान्तरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, वैश्विक हैं और उनके समाधान के लिए वैश्विक सहयोग अनिवार्य है।

बीते वर्ष में कई रचनात्मक कार्य हुए, कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की गईं, और भारत की विदेश नीति के समझ कुछ बड़ी नयी चुनौतियां भी सामने आयीं।

पड़ोसी देशों के साथ भारत की साझा नीति है। वर्ष के दौरान भूटान में महामहिम के राज्याभिषेक और लोकतंत्र की स्थापना से इस देश के साथ भारत के संबंधों का और विकास हुआ। भारत ने लोकतांत्रिक राजसत्ता में नेपाल के रूपान्तरण, और बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली का जोरदार समर्थन किया। भारत ने अफगानिस्तान के निर्माण और विकास में योगदान किया है। पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण और घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध बनाए रखने के अलावा, भारत के सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) को एक ऐसे परिणामोन्मुखी संगठन के रूप में विकसित करने के लिए भी काम किया है, जो क्षेत्रीय एकीकरण को प्रभावकारी ढंग से प्रोत्साहित कर सके।

जनवरी, 2008 में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की चीन की सरकारी यात्रा और जून, 2008 में विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी की चीन-यात्रा से चीन के साथ द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए। भारत-चीन सीमा पर स्थिति शांतिपूर्ण रही जबकि विशेष प्रतिनिधियों द्वारा सीमा विवाद के समाधान के प्रयास जारी रहे। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग से आपसी विश्वास बढ़ाने में मदद मिली। चीन ने सितंबर, 2008 में कोलकाता में नए वाणिज्य दूतावास की स्थापना की और इससे पहले भारत ने जून, 2008 में गवांझू (Guangzhou) में वाणिज्य दूतावास खोला था।

प्रमुख शक्तिशाली देशों के साथ भारत की भागीदारी अधिक गहन और मजबूत हुई है क्योंकि भारत ने अमरीका, रूस, चीन, जापान, यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, आईबीएसए, और कई अन्य देशों सहित विभिन्न देशों, समूहों और क्षेत्रों के साथ आर्थिक एवं सामरिक संबंधों का दायरा बढ़ाया है और उन्हें गहराई प्रदान की है। इन देशों और संगठनों के साथ भारत ने लाभप्रद और सक्रिय वार्तालाप का विकास किया है।

एक प्रमुख उपलब्धि अक्टूबर, 2008 में भारत-अमरीका सिविल परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के रूप में सामने आयी। इस समझौते से परमाणु क्षेत्र में भारत को वह प्रौद्योगिकी मिलने का रास्ता साफ हो गया, जिससे वह पिछले तीन दशक से वंचित था। इस द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत ने असैनिक परमाणु सहयोग के बारे में फ्रांस, रूस और कजाकिस्तान के साथ ऐसे ही समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत-अमरीकी महत्वपूर्ण भागीदारी को सितंबर, 2008 में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की अमरीका यात्रा से और भी बल मिला, जब उन्होंने वाशिंगटन में अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ द्विपक्षीय बैठक की और नवंबर में जी-20 शिखर सम्मेलन के अवसर भी श्रीबुश से भेंट की। अमरीका भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और प्रौद्योगिकी का स्रोत रहा है। उसके साथ सभी क्षेत्रों में संबंधों का विस्तार हुआ।

वर्ष के दौरान रूस के साथ भारत की परंपरागत मित्रता और सामरिक संबंध और मजबूत किए गए। रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति श्री दिमित्री मेदवेदेव ने दिसंबर, 2008 में वार्षिक द्विपक्षीय शिखर बैठक के लिए भारत की सरकारी यात्रा की। वर्ष 2008 को भारत में 'रूस के वर्ष' के रूप में मनाया गया। वर्ष 2009 रूस में 'भारत के वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है। रूस के साथ सामरिक संबंध और बढ़ाने के लिए भारत वचनबद्ध है। भारत मध्यएशियाई देशों के साथ अपने सुदृढ़ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करना चाहता है, तथा इस क्षेत्र के साथ और भी घनिष्ठ रूप में जुड़ना चाहता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मध्य एशियाई देशों के साथ सहयोग अधिक वास्तविक और विविधतापूर्ण हो सके।

भारत ने प्रतिरक्षा और सुरक्षा, परमाणु एवं अंतरिक्ष, व्यापार एवं निवेश, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भागीदार, यूरोपीय संघ और यूरोप के देशों के साथ अलग-अलग, संबंध बनाए रखे हैं और उन्हें और भी गहन बनाने के प्रयास किए हैं। यूरोपीय संघ आज भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और निवेश के प्रमुख स्रोतों में से एक है।

भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ अपने परंपरागत मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों को महत्व देना जारी रखा है। इस संदर्भ में अप्रैल, 2008 में भारत-अफ्रीकी मंच का प्रथम शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें दिल्ली घोषणा पारित की गई और सहयोग के लिए भारत-अफ्रीकी फ्रेमवर्क घोषित किया गया। ये दोनों दस्तावेज भारत और अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग की भावी रूप-रेखा को परिभाषित करते हैं। विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने 26 फरवरी, 2009 को नई दिल्ली में भारत की प्रतिष्ठित परियोजना, पैन-अफ्रीकन ई-नेटवर्क का उद्घाटन किया।

लैटिन अमरीकी और कैरिबियाई क्षेत्र के देशों के साथ सुदृढ़ संबंध कायम करने के भारत के प्रयासों के हाल के वर्षों में प्रभावशाली परिणाम सामने आये हैं। इन देशों के साथ विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधिक-क्षेत्रगत वार्ताएं हुई हैं और आपसी लाभप्रद सहयोग के लिए संस्थागत व्यवस्था का फ्रेमवर्क तैयार हुआ है।

पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ भारत के सहयोग का स्वरूप समसामयिक रहा है, जिसमें बाहरी अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग और भारतीय प्रक्षेपण यानों का इस्तेमाल शामिल है। इस क्षेत्र में भारत से जाकर बसे करीब 50 लाख प्रवासी रहते हैं, जिन्होंने भारत और खाड़ी क्षेत्र, दोनों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

भारत आसियान और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग को 21वीं सदी में अपनी

कूटनीति का महत्वपूर्ण आयाम समझता है, जो भारत की “लुक ईस्ट पॉलिसी” यानी “पूरब की ओर देखो” नीति में स्पष्ट रूप से झलकता है।

2009 में, भारत ने अपने आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के नेटवर्क का महत्वपूर्ण विस्तार किया। हाल में गठित मंचों, जैसे आईआरसी (भारत-रूस-चीन), ब्रिक (ब्राजील-रूस-भारत-चीन), और इबसा (भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका), में भारत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए तैयार है। भारत ने आसियान, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, बीआईएमएसटीईसी (बिम्स्टेक), मेकांग-गंगा सहयोग, जी-15, और जी-8 जैसे आर्थिक संगठनों के साथ जुड़ने के निरन्तर प्रयास किए हैं।

बहुराष्ट्रवाद के प्रति सुदृढ़ प्रतिबद्धता रखते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा को मजबूत बनाने में योगदान किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुधार और यूएनजीए के पुनरुत्थान के प्रस्तावों का समर्थन किया है। भारत चाहता है कि विकासशील देशों और उभरती हुई ताकतों की उचित आकांक्षाओं को देखते हुए वैश्विक संस्थान विश्व-व्यवस्था की नई वास्तविकताओं के अनुरूप बनें।

इन रचनात्मक गतिविधियों के साथ-साथ देश के आतंकवाद पीड़ित स्थानों और सीमा-पार के आतंकवाद से भारत की अस्थिर सुरक्षा स्थिति सहित राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से 2008-09 में भारत की विदेशी नीति को नए खतरों का सामना करना पड़ा।

2008-09 में पाकिस्तान के साथ समग्र वार्ता पांचवे दौर में पहुंची। यह वार्ता पाकिस्तान के इस घोषित वायदे पर आधारित थी कि वह किसी भी तरह से भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपने नियंत्रण वाली भूमि का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा। किंतु, जुलाई, 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर और नवंबर, 2008 में मुंबई पर पाकिस्तान की धरती से किए गए आतंकवादी हमलों से यह सिद्ध हो गया कि पाकिस्तान अपना वायदा निभाने में अक्षम रहा है। इसे देखते हुए वार्ता प्रक्रिया निलंबित होना स्वाभाविक थी।

मुंबई हमलों की विश्वभर में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने निंदा की। पाकिस्तान और पूरी दुनिया के समक्ष इस बात के ठोस सबूत पेश किए गए कि इन हमलों में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी शामिल थे। बाद में पहली दफा पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया कि हमलों की साजिश में पाकिस्तानी नागरिक शामिल थे और उन्होंने ही हमलों को अंजाम दिया। किंतु, पाकिस्तान की परवर्ती कार्रवाइयां विलंबकारी और भ्रम फैलाने वाली रही और यही वजह है कि वह अभी तक हमलों की साजिश रचने वालों को दंडित नहीं कर पाया है अथवा पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ चलाए जा रहे आतंकवाद के ढांचे को नष्ट नहीं कर पाया है।

2008 में श्रीलंका में एलटीटीई की परंपरागत सैन्य क्षमता को समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाए गए, जिससे बड़ा मानवीय संकट पैदा हुआ। भारत ने वहां के नागरिकों और आंतरिक रूप में विस्थापित व्यक्तियों के लिए राहत आपूर्ति तथा चिकित्सा सहायता भेजकर मानवीय संकट के समय तत्काल कार्रवाई की। भारत ने बातचीत के माध्यम से जातीय समस्या के राजनीतिक समाधान में श्रीलंका की सहायता करने के प्रयास भी निरंतर जारी रखे। श्री लंका में स्थिति के नए दौर में प्रवेश को देखते हुए, भारत एकीकृत श्रीलंका के फ्रेमवर्क के भीतर मुद्दों के ऐसे शांतिपूर्ण समाधान के लिए काम करेगा, जो विशेष रूप से तमिलों सहित देश के सभी समुदायों को स्वीकार्य हो।

वर्ष के दौरान अन्य प्रमुख चुनौती बिगड़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट ने आर्थिक संकट का रूप ले लिया क्योंकि प्रमुख पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं और बाजारों में मंदी छा जाने से भारत के विकास में सहायक अंतर्राष्ट्रीय माहौल तेजी से बदल गया। इसके बावजूद भारतीय

अर्थव्यवस्था में 2008-2009 के दौरान 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, और वह विश्व अर्थव्यवस्था में वृद्धि एवं स्थिरता का घटक बनी रही। आर्थिक संकट से निबटने के, जी-20 देशों जैसे, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में भारत ने सक्रिय भूमिका अदा की, ताकि विकासशील देशों के हितों की रक्षा की जा सके। भारत ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया कि वैश्विक आर्थिक मुद्दों के बारे में निर्णय करने वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था लोकतांत्रिक हो, जो मौजूदा वास्तविकताओं को व्यक्त करे।

वर्ष 2008 की समाप्ति पर यह स्पष्ट हो गया कि भारत के भविष्य पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, जैसे वैश्विक आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, सामान्य एवं परमाणु निरस्त्रीकरण, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और स्थायी विकास, के हल के लिए सहयोगपूर्ण वैश्विक समाधान अनिवार्य हैं। इन समाधानों को कार्य रूप प्रदान करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में भारत की सक्रिय एवं भागीदारीपूर्ण भूमिका रही है। भारत उन्हें सफल बनाने में निरंतर योगदान करता रहेगा।

पड़ोसी देश

अफगानिस्तान : सुरक्षा स्थिति में विकृति के बावजूद अफगानिस्तान को एक स्थिर लोकतांत्रिक और बहुलवादी समाज बनाने में सहायता करने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में भारत की भूमिका अग्रणी रही है। हालांकि वहां की बिगड़ती हुई सुरक्षा स्थिति का भारत पर सीधा असर जुलाई, 2008 में काबूल में भारतीय दूतावास पर हमले के रूप में पड़ा। अफगानिस्तान को समुद्र से जोड़ने वाले ज़रांज-देलाराम मार्ग का औपचारिक उद्घाटन विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति करज़ई ने 22 जनवरी, 2009 को किया। अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए आईसीसीआर स्कॉलरशिप और आईटीईसी ट्रेनिंग कार्यक्रम तथा कृषि, ग्रामीण विकास, स्वच्छता, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में समुदाय आधारित छोटी विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन संतोषजनक ढंग से किया जा रहा है। भारत अफगान पुनर्निर्माण न्यास कोष में निरंतर योगदान कर रहा है और उसने यूएनडीपी निर्वाचन कोष में 10 लाख अमरीकी डालर देने का वायदा किया है। भारत ने अफगानिस्तान में पहले से जारी अपनी परियोजनाओं और भावी परियोजनाओं की जरूरतें प्रभावकारी ढंग से पूरी करने के लिए 45 करोड़ अमरीकी डालर की अतिरिक्त धनराशि देने का भी वायदा किया है (जो पहले वायदा की गई 75 करोड़ अमरीकी डालर के अतिरिक्त होगी)। राष्ट्रपति करज़ई ने अगस्त, 2008 में और फिर जनवरी, 2009 में भारत की यात्रा की।

बांग्लादेश : भारत ने वर्ष के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों के व्यापार परिप्रेक्ष्य में बांग्लादेश के साथ रचनात्मक वार्तालाप जारी रखा। दिसंबर, 2008 में बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में अवामी लीग के नेतृत्व वाले महागठबंधन (ग्रैंड अलायन्स) को भारी बहुमत से सत्ता हासिल होने और प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में सरकार के गठन के बाद फरवरी, 2009 में विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने बांग्लादेश की यात्रा की। अन्य उच्च स्तरीय यात्राओं में 24 फरवरी से 1 मार्च 2008 के दौरान बांग्ला देश के सेनाध्यक्ष जनरल मोइन की भारत यात्रा, वाणिज्य और बिजली राज्यमंत्री श्री जयराम रमेश और सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर की अक्टूबर, 2008 में ढाका यात्रा शामिल है।

दोनों देशों को और करीब लाने के लिए भारत ने कई उपाय किए, जिनमें कुछ एकतरफा थे। इन उपायों में 43 वर्ष बाद कोलकाता और ढाका के बीच “मैत्री एक्सप्रेस” रेल सेवा फिर से प्रारंभ होना भी शामिल है। भारत ने बांग्लादेश को चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति पर काबू पाने में व्यापक सहायता प्रदान की। भारत ने सार्क में बांग्लादेश सहित एलडी देशों के निर्यात पर 1 जनवरी, 2008 से शुल्क मुक्त पहुंच (भारत की संवेदनशील सूची में शामिल कुछ वस्तुओं को छोड़कर) प्रदान

करना प्रारंभ किया। भारत ने ढाका विश्वविद्यालय के थियेटर और संगीत विभाग के लिए कलाभवन के निर्माण की एक परियोजना प्रारंभ की है। बांग्लादेश की धरती पर भारत के विघटनकारी गुटों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए दोनों देशों ने संयुक्त कार्यदल को बहाल किया।

भूटान : भारत और भूटान के बीच आपसी संबंध बेजोड़ सौहार्द और मैत्रीपूर्ण रहे हैं, जिनमें वर्ष के दौरान नियमित रूप से उच्च स्तरीय वार्तालाप के जरिए और भी प्रगाढ़ता आयी। वर्ष के दौरान भूटान के पांचवे नरेश का राज्याभिषेक भी हुआ। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 16-17 मई, 2008 के दौरान भूटान की यात्रा की, जिसमें उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित किया। इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 2020 तक भारत भूटान में पन-बिजली विकास का लक्ष्य दुगुना करेगा ताकि भूटान भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात कर सके; भारत और भूटान के बीच कायम किए जा रहे प्रथम रेल संपर्क के लिए भारत सरकार सहायता जारी करेगी और भूटानी विद्यार्थियों के लिए प्रतिष्ठित नेहरू-वांग्चुक स्कॉलरशिप की स्थापना की जाएगी।

भूटान के प्रधानमंत्री लियोन्जेन जिग्मी वाई थिन्ले ने 14-17 जुलाई, 2008 की अवधि में भारत की सरकारी यात्रा की और 12-14 नवंबर, 2008 के दौरान दूसरे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए एक बार फिर नई दिल्ली आये। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभादेवी सिंह पाटिल और विदेशी मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने 5-8 नवंबर, 2008 की अवधि में नेपाल नरेश महामहिम जिग्मे खेसर नामग्येल वांग्चुक के राज्याभिषेक के अवसर पर भूटान की सरकारी यात्रा की।

भूटान ने वर्ष 2008 को पंडित जवाहर लाल नेहरू की भूटान यात्रा के स्वर्ण जयन्ती वर्ष के रूप में मनाया, जिन्होंने 1958 में भूटान की यात्रा की थी। भूटान का संसदीय शिष्टमंडल फरवरी, 2009 में भारत की यात्रा पर आया और उन्होंने भारतीय सांसदों से बातचीत की।

भारत और भूटान के आपसी संबंध धनिष्ठ विचार-विमर्श, परिपक्वता, पूर्ण विश्वास और आपसी समझ पर आधारित हैं और वे आदर्श पड़ोसी के संबंधों का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन विशेष संबंधों को नियमित यात्राओं की परंपरा और उच्च स्तरों पर विचारों के आदान-प्रदान के जरिए और भी स्थायित्व प्रदान किया जाता है। मई, 2008 में भूटान में लोकतांत्रिक रूप में चुनी गई प्रथम संसद और सरकार की स्थापना के बाद भारत सरकार ने भूटान की शाही सरकार के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में पूर्ण समर्थन और सहयोग देने का वायदा किया है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार और विकास भागीदार रहा है। भूटान द्वारा 1960 के दशक के प्रारंभ में योजनाबद्ध विकास शुरू किए जाने के समय से ही भारत भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता पहुंचा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने 2020 तक भूटान में 10,000 मेगावाट पनबिजली पैदा करने का वायदा किया है ताकि वह भारत को निर्यात कर सके।

चीन: यह वर्ष भारत-चीन संबंधों की दृष्टि से महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 13-15 जनवरी, 2008 के दौरान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन की सरकारी यात्रा की। भारत और चीन के नेताओं ने दोनों देशों के बीच शांति और खुशहाली के लिए सामरिक एवं सहयोगात्मक संबंध विकसित करने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने सभी बकाया मतभेदों को शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए दूर करने का दृढ़ संकल्प दोहराया और यह सुनिश्चित करने का भी संकल्प व्यक्त किया कि ऐसे मतभेदों का आपसी संबंधों के रचनात्मक विकास पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने “21वीं सदी के लिए साझा लक्ष्य” तय करने संबंधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों देशों की

यह आकांक्षा झलकती है कि वे क्षेत्रीय और बहुराष्ट्रीय मामलों में आपसी हित के क्षेत्रों में एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे।

भारत और चीन के विदेशमंत्रियों ने भी क्रमशः जून, 2008 और सितंबर, 2008 में एक-दूसरे देश की यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान गुवान्झू (Guangzhou) और कोलकाता में नए महावाणिज्य दूतावासों का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। आपसी व्यापार 2008 में 51.8 अरब अमरीकी डालर पर पहुंच गया जो दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा 2010 के लिए तय किए गए 60 अरब अमरीकी डालर मूल्य के लक्ष्य के करीब है। रक्षा संबंधों के क्षेत्र में सहयोग और आदान-प्रदान भी जारी रहा। इसके अंतर्गत दिसंबर, 2008 में भारत में दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास और दूसरी वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की गई। भारत-चीन सीमा विवाद के बारे में 12वें दौर के विचार-विमर्श के लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की बैठक सितंबर, 2008 में हुई। मई, 2008 में चीन के सिचुवान (Sichuan) प्रांत में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने मानवीय सहायता के रूप में चीन को 50 लाख अमरीकी डालर की मदद पहुंचायी। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट और जलवायु परिवर्तन सहित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक-दूसरे के साथ विचार-विमर्श भी किया।

ईरान: विभिन्न क्षेत्रों में शिष्टमंडलों के नियमित आदान-प्रदान और उच्च स्तरीय यात्राओं के जरिए 2008-2009 में भारत-ईरान द्विपक्षीय संबंधों में गर्म-जोशी बनाए रखी गई। उच्च स्तरीय वार्ताओं में बल दिए जाने के कारण ऊर्जा, व्यापार एवं वाणिज्य, निवेश, संस्कृति और पारगमन संबंधी मुद्दों में आपसी सहयोग में वृद्धि हुई और साथ ही क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में आपसी हित में सहयोग बढ़ा। ईरान के राष्ट्रपति डाक्टर महमूद अहमदीनेजाद 29 अप्रैल, 2008 को भारत की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने 28-30 जुलाई, 2008 के दौरान गुटनिरपेक्ष मंत्रियों के 15वें सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए और उसके बाद 31 अक्टूबर-2 नवंबर, 2008 के दौरान 15वें भारत-ईरान संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए तेहरान की यात्रा की। विदेश कार्यालयों के बीच विदेश सचिव स्तर पर छठा वार्षिक विचार-विमर्श 17-18 दिसंबर, 2008 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

मालदीव : भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंध निरंतर घनिष्ठ और मित्रतापूर्ण रहे हैं। दोनों ने विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन और उच्च स्तरीय विचार-विनिमय के जरिए अपने सहयोगात्मक संबंधों को अधिक सुदृढ़ बनाने के प्रयास जारी रखे। नव-निर्वाचित राष्ट्रपति श्री मोहम्मद नशीद 23-25 दिसंबर, 2008 के दौरान भारत की सरकारी यात्रा पर आए। उनकी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच एक विमान सेवा समझौते और मालदीव को 10 करोड़ अमरीकी डालर की स्थायी ऋण सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वाणिज्य राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश ने 29-31 जनवरी, 2008 के दौरान मालदीव की यात्रा की। जनवरी और फरवरी, 2009 में मालदीव के रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत की यात्रा पर आए। उनकी यात्राओं का उद्देश्य क्रमशः सुरक्षा संबंधी मुद्दों और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना था।

म्यामांर : वर्ष के दौरान म्यामांर के साथ संबंधों का और विकास हुआ और आपसी संबंध वास्तव में बहु-आयामी हो गए। मई, 2008 में जब चकवात नर्गिस से म्यामांर को नुकसान पहुंचा तो भारत उन देशों में से एक था जिन्होंने म्यामांर को तत्काल आपात राहत भेजी। नवंबर, 2008 में बिस्मटेक शिखर सम्मेलन के अवसर पर म्यामांर के प्रधानमंत्री थिएन सेइन भारत की यात्रा पर आए और भारत के उपराष्ट्रपति डा. एम. हामिद अंसारी ने 5-8 फरवरी, 2009 के दौरान म्यामांर की यात्रा की।

उपराष्ट्रपति की यात्रा के दौरान एचएम आई टी (1) द्वारा एक औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र और एक अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के बारे में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में संबंध काफी सुदृढ़ किए गए। द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन संरक्षण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। म्यामांर से लगी नागालैंड सीमा पर एक नया व्यापार मार्ग खोलने के बारे में सहमति हुई। म्यामांर में भारत के विघटनकारी गुटों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित की गई। भारत ने भी म्यामांर में कालादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट परियोजना सहित ढांचा विकास में सहायता प्रदान करने और तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज, बिजली क्षेत्र, विनिर्माण आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का वचन दिया।

नेपाल : भारत ने नेपाल की सरकार और जनता को शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक रूपांतरण में हर संभव सहायता प्रदान की है। वर्ष के दौरान कई उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राएं हुईं। नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' पहली सरकारी विदेश यात्रा पर 14-18 सितंबर, 2008 के दौरान भारत आए। उनकी इस यात्रा से नेपाल के साथ भारत के 21वीं सदी के संबंधों की व्यापक राजनीतिक दिशा तय हुई। उनकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री श्री प्रचंड के साथ बातचीत की और उन्हें नेपाल के लोकतांत्रिक और आर्थिक रूपांतरण में सहायता की भारत की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। नए संविधान का प्रारूप तैयार करना और शांति प्रक्रिया को मुकाम पर पहुंचाना नेपाल सरकार की प्राथमिकताएं हैं। भारत ने इन कार्यों में नेपाल की सहायता करने का वचन दिया। दोनों पक्षों के बीच हुई सहमति से कई उच्च स्तरीय द्विपक्षीय विचार-विनिमय व्यवस्थाओं को फिर से सक्रिय किया गया।

नेपाल में निवेशक-अनुकूल व्यापार माहौल को बढ़ावा देने से पनबिजली, कृषि, पर्यटन और नेपाल में बुनियादी ढांचा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपसी लाभ के लिए भारतीय निवेश के प्रमुख विस्तार की संभावनाओं का दोहन करने में मदद मिल सकती है।

विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने आपसी हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए नवंबर, 2008 में नेपाल की यात्रा की। नेपाल के प्रधानमंत्री श्री प्रचंड की भारत यात्रा और विदेश मंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान हुए समझौतों के बारे में अनुवर्ती कार्यों को अंजाम देने के लिए विदेश सचिव ने 17-18 फरवरी, 2009 के दौरान नेपाल की यात्रा की।

भारत और नेपाल के बीच मैत्रिपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक गठबंधन है। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। नेपाल इस समय लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजर रहा है तथा वहां शांति की प्रक्रिया चल रही है। भारत इसमें अपना पूर्ण सहयोग दे रहा है। इस समय नये संविधान का निर्माण तथा शांति, स्थायित्व और आर्थिक विकास के लिए शांति प्रक्रिया को चलाए रखना मुख्य चुनौतियां हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' ने 4 मई, 2009 को इस्तीफा दे दिया तथा उनके स्थान पर श्री माधव कुमार ने 25 मई, 2009 के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। भारत तथा नेपाल के बीच संबंधों के सुदृढ़ीकरण के लिए विदेश सचिव ने 20-21 जून, 2009 को नेपाल की यात्रा की। भारत सरकार द्वारा कोसी नदी की कराई गई मरम्मत के निरीक्षण तथा नेपाल के सिंचाई मंत्री से वार्ता के लिए जल संसंधान मंत्री श्री पवन कुमार बंसल 11-12 जुलाई, 2009 को नेपाल की यात्रा पर गए। नेपाली विदेश मंत्री श्री बिद्या भंडारी ने 21 जुलाई, 2009 को भारत की यात्रा की।

पाकिस्तान : 2008-09 में पाकिस्तान का साथ समग्र वार्ता प्रक्रिया पांचवे दौर में पहुंची। 2004 में बहाल हुई यह वार्ता पाकिस्तान द्वारा 06 जनवरी, 2004 को किए गए उस वायदे पर आधारित है जिसमें उसने कहा था कि वह किसी भी रूप में अपने नियंत्रण वाली धरती का इस्तेमाल आतंकवाद को

सहायता देने के लिए नहीं होने देगा। समग्र वार्ता प्रक्रिया के खंडों में कुछ उपलब्धियों के बावजूद यह देखने में आया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के मुद्दे पर 06 जनवरी, 2004 को किए गए अपने वायदे का पालन नहीं किया, जिससे वार्ता प्रक्रिया का आधार समाप्त हो गया। भारत में और जुलाई, 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर आतंकवादी हमलों, युद्ध विराम के उल्लंघनों में बढ़ोतरी और नियंत्रण रेखा के पार से निरंतर घुसपैठ के कारण विशेष रूप से वार्ता प्रक्रिया पर और आमतौर पर भारत-पाक संबंधों पर दबाव पड़ा। 26 नवंबर, 2008 को मुंबई पर आतंकवादी हमले और इस हमले में पाकिस्तान स्थित तत्त्वों की भागीदारी के ठोस सबूतों को देखते हुए वार्ता प्रक्रिया को रोकना पड़ा।

मुंबई हमलों के बाद मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय आधार पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई उपाय किए ताकि हमलावारों के पाकिस्तान स्थित आकाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और पाकिस्तान यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी घटना फिर कभी नहीं होगी। परिणामस्वरूप, संयुक्त राष्ट्र की अलकायदा और तालिबान प्रतिबंध समिति ने संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव संख्या 1267 के अंतर्गत लश्कर-ए-तैयबा के सरगनाओं सहित पाकिस्तान स्थित कुछ आतंकवादियों को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया। जमात-उद-दावा को भी लश्कर-ए-तैयबा के एक अन्य नाम के रूप में प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया। 12 फरवरी, 2009 को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त को उस डोजियर के बारे में पाकिस्तान की कार्रवाई की औपचारिक जानकारी दी गई, जो भारत ने 05 जनवरी, 2009 को पाकिस्तान को सौंपा था। इसमें मुंबई पर आतंकवादी हमलों का संबंध पाकिस्तान स्थित साजिश कर्ताओं के साथ बताया गया था। जबाब में पाकिस्तान के अधिकारियों ने यह स्वीकार किया कि मुंबई पर आतंकवादी हमले में पाकिस्तान स्थित तत्त्व शामिल थे। पाकिस्तान ने जांच से संबंधित कुछ और जानकारी और सामग्री भी भारत से मांगी थी। विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने 13 फरवरी को संसद में दिए गए वक्तव्य में इसे सकारात्मक कदम कहा।

13 मार्च, 2009 को भारत सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त को पाकिस्तान द्वारा उठाए गए सभी 30 सवालों के विस्तृत जबाब दिए और अपेक्षित सामग्री सौंपी, जिसके प्राप्त होने की सूचना पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई।

उपरोक्त घटनाओं और मुंबई हमलों के बारे में जांच में सहयोग करने के पाकिस्तान के उच्चस्तरीय वायदों के बावजूद वास्तविक कार्रवाई निराशाजनक रही है। नतीजतन, द्विपक्षीय संबंध तेजी से बिगड़ते चले गए।

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए नई अमरीकी नीति की घोषणा के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 30 मार्च, 2009 को अमरीका के उस कथन का स्वागत किया, जिसमें कहा गया था कि “अफगानिस्तान में आतंकवाद और पाकिस्तान स्थित उसकी जड़ों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा जायेगा” और भारत की तरफ से कहा गया कि वह “एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में सभी प्रकार के आतंकवाद को परास्त करने में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है।”

श्रीलंका : श्रीलंका के उत्तर में 2008 में सैन्य संघर्ष बढ़ गया, जिससे एक बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया। अंततः सेना ने एलटीटीई को पूरी तरह हरा दिया। उत्तर की स्थिति और युद्ध से पीड़ित एवं विस्थापित तमिल नागरिकों की कठिनाइयां, भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण मुद्दे थे। विदेश मंत्री ने 27 जनवरी, 2009 को कोलंबो का दौरा किया और राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के साथ विचार-विमर्श किया। इससे पहले 16-17 जनवरी, 2009 को विदेश सचिव शिव शंकर मेनन ने श्रीलंका की यात्रा की थी।

श्रीलंका में बढ़ते माननीय संकट के जवाब में भारत ने बड़े पैमाने पर आपात राहत सहायता वहां भेजी। इसमें आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए फैमिली पैक और दवाएं तथा श्रीलंका के उत्तरी भाग में 62 सदस्यों के आपात फील्ड अस्पताल की स्थापना शामिल थी। भारत ने संयुक्त श्रीलंका के भीतर शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए राजनीतिक समाधान में श्रीलंका की सहायता करने के भी प्रयास किए।

इस अवधि के दौरान द्विपक्षीय आदान-प्रदान निरंतर सुदृढ़ किया गया। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने 2-3 अगस्त, 2008 की अवधि में 15वें सार्क शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए श्रीलंका की यात्रा की। व्यापार और निवेश संबंध भी और मजबूत हुए। 2008 में भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार रहा और उसके साथ द्विपक्षीय व्यापार 3.27 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य पर पहुंच गया। भारत 2008 में श्रीलंका में दूसरे सबसे बड़े निवेशक के रूप में भी उभरा।

सार्क

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की स्थापना 1985 में की गई थी। इसकी स्थापना क्षेत्रीय सहयोग ढांचा विकसित करने के क्षेत्र के सामूहिक निर्णय की अभिव्यक्ति के रूप में की गई। वर्तमान में, सार्क के आठ सदस्य हैं : अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका।

भारत 2007-08 में सार्क का अध्यक्ष था। (नई दिल्ली में 3-4 अप्रैल, 2007 में हुए 14वें सार्क शिखर सम्मेलन से लेकर 2-3 अगस्त, 2008 में कोलम्बो में हुए 15वें सार्क शिखर सम्मेलन तक)। यह अवधि सार्क के इतिहास में सर्वाधिक क्रियाशील थी, जिसमें सार्क एक घोषणा करने वाले संगठन के स्थान पर कार्यान्वयन वाले संगठन में परिवर्तित होता दिखाई दिया। दिल्ली में 14वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा की गई प्रत्येक घोषणा को अमली जामा पहनाया गया और भारत ने बदले में कुछ न चाहते हुए क्षेत्रीय हित में अपने दायित्वों का निर्वाह किया। सार्क की ऐतिहासिक उपलब्धियां इस प्रकार रही हैं :

सार्क के अनाज बैंक में सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा किए गए योगदान से कुल 2,43,000 मीट्रिक टन का भंडार है। इसके सदस्यों ने उन स्थानों की पहचान भी की है जहां से अनुरोधकर्ता देश आपसी स्वीकार्य शर्तों के आधार पर भेजने वाले देश से अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं।

दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जा रही है। इसके अंतर्गत परियोजना कार्यालय की स्थापना, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी स्वरूप को अंतिम रूप दिया जाना, संयुक्त राष्ट्र माफी एवं विशेषाधिकार अधिनियम 1947 के अनुसार विशेषाधिकारों और माफी दिए जाने की मंजूरी और “क्षेत्रीय केंद्रों के सिद्धांतों” के अनुसार धन की व्यवस्था जैसे कार्यों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से 100 एकड़ भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है।

नवंबर, 2005 में ढाका में हुए 13वें सार्क शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने वस्त्र एवं हस्तशिल्पों के लिए सार्क संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव किया था। यह संग्रहालय अन्य सार्क क्षेत्रीय केंद्रों की तर्ज पर अंतर-सरकारी निकाय होगा और इसकी स्थापना दिल्ली हाट, पीतम पुरा में की जाएगी। वस्त्र एवं हस्तशिल्प के सार्क संग्रहालय की स्थापना के लिए आवश्यक वित्तीय प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

सार्क विकास कोष (एसडीएफ) भी चालू हो गया है। इसे सार्क सचिवालय के अस्थायी प्रकोष्ठ में चलाया जा रहा है। इसका स्थायी परिसर भूटान में निर्माणाधीन है। सार्क विकास कोष से वर्तमान में दो परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। भारत में अपने वायदे के अनुसार 18.99 करोड़ अमरीकी डॉलर का पूरा योगदान एसडीएफ को हस्तांतरित कर दिया है और उसने सार्क के सदस्य देशों को बायो-मास कूकिंग स्टोव तथा सोलर लालटेन प्रदान करने के बारे में तीसरी परियोजना प्रस्तावित की है।

उपरोक्त के अलावा, भारत टेलीमेडिसिन (भूटान और अफगानिस्तान), दालों की शटल ब्रीडिंग (भूटान), बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना (भूटान), वर्षा जल संरक्षण (भूटान और श्रीलंका) और ग्रामीण सौर ऊर्जा विद्युतीकरण परियोजना (श्रीलंका) के क्षेत्रों में भी परियोजनाएं लागू कर रहा है। ये परियोजनाएं हब-एंड-स्पोक मैकेनिज्म के अंतर्गत लागू की जा रही हैं, जिनका केंद्र भारत है।

दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता (साफ्टा) पूरी तरह लागू किया जा रहा है। सदस्य देशों ने 01 जनवरी, 2008 से, यानी लक्षित तिथि से एक वर्ष पहले, एलडी देशों को शून्य शुल्क पहुंच प्रदान करने और एलडी देशों के संदर्भ में अपनी नकारात्मक सूची 744 से घटाकर 480 करने के भारत के एकतरफा निर्णय की सराहना की है। भारत संवेदनशील सूचियों में निरंतर संशोधन करता रहा है और वर्तमान में एलडी देशों के दायरे से 744 वस्तुएं और गैर एलडी देशों के दायरे से 868 वस्तुएं बाहर हैं। सेवाओं में व्यापार के बारे में एक समझौते का प्रारूप बातचीत के अंतिम चरण में हैं और उम्मीद है कि यह इस वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगा।

कोलम्बो में 15वें सार्क शिखर सम्मेलन में आपराधिक मामलों में परस्पर सहायता संबंधी सार्क समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इससे सार्क में अन्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत सुरक्षा संबंधी मामलों में इसी प्रकार के और समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद की जा सकती है। उदाहरण के लिए 28-29 मई, 2009 के दौरान शिमला में महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी रोकने और दक्षिण एशिया में बच्चों के कल्याण को प्रोत्साहित करने से संबंधित सार्क समझौतों के कार्यान्वयन संबंधी क्षेत्रीय कार्यदल की तीसरी बैठक में महिलाओं और बच्चों की तस्करी के बारे में मानक प्रचालित प्रोटोकॉल को भी इसी तरह अंतिम रूप दिया गया।

सार्क के सदस्य देशों के बीच लोगों के स्तर पर गतिविधियों और यात्राओं के आदान-प्रदान में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। इसका श्रेय प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं में हिस्सा लेने के अवसरों और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन को जाता है। इसके अंतर्गत प्रगति मैदान, आईटीपीओ, सूरजकुंड मेले में सार्क के सदस्य देशों की हथकरघा और हस्तशिल्प प्रदर्शनियां, दक्षिण एशियाई बैंड्स उत्सव, सार्क साहित्य उत्सव, सार्क लोकगीत उत्सव, सार्क खाद्य महोत्सव, सार्क फैशन शो और भूटान में आगामी 9वां सार्क व्यापार मेला आदि आयोजन शामिल हैं।

सार्क की प्रक्रियाओं में भारत ने जो गतिशीलता पैदा की है, उसका पता असंख्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों से भी चलता है, जिनकी मेजबानी भारत द्वारा सदस्य देशों के लिए की जाती है। ये कार्यक्रम महिला अधिकारिता, लघु वित्त, परिवहन, स्वास्थ्य, वित्त, सुरक्षा, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, शिक्षा और वाणिज्य आदि से संबंधित होते हैं।

उपरोक्त उपायों की बदौलत सार्क घोषणात्मक भूमिका से कार्यान्वयन चरण में प्रवेश कर रहा है। भारत सार्क के प्रति इस बात के लिए गतिशील रूप में प्रतिबद्ध है कि वह स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचा जैसे मूलभूत विकासात्मक पहलुओं के बारे में पड़ोसी देशों को शामिल करेगा। इसे देखते हुए सार्क गतिविधियों/बैठकों की संख्या में वार्षिक तौर पर भारी इजाफा हुआ है। 2009 से 2010 तक ऐसे 133

कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि सार्क में एक नई गतिशीलता अधिकाधिक दिखाई दे रही है और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग का यह प्राथमिक मंच दक्षिण एशिया के लोगों तक विकास के लाभ पहुंचा रहा है।

दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत

भारत ने अपनी “पूर्वोन्मुखी नीति” के अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ घनिष्ठ संबंध वर्ष के दौरान निरंतर बनाए रखे। क्षेत्र के कुछ देशों के साथ हमने आपसी संबंधों के स्तर का विस्तार सामरिक संबंधों तक किया, जबकि अन्य देशों के साथ भी संबंधों में विविधता लाने और उन्हें अधिक सुदृढ़ बनाने के प्रयास किए गए। द्विपक्षीय स्तर पर उच्च स्तरीय नेताओं ने एक-दूसरे के यहां यात्राएं की और क्षेत्रीय तथा बहुराष्ट्रीय मंचों पर भी परस्पर वार्तालाप के अवसर मिले, जिनसे क्षेत्र के नेताओं के बीच घनिष्ठता बढ़ी और इन देशों के साथ भारत के संबंधों में नई गतिशीलता विकसित करने में मदद मिली। पिछले पांच वर्षों में क्षेत्र के कई देशों के प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों और मंत्रियों ने भारत की यात्रा की है। भारतीय नेताओं ने भी क्षेत्र के विभिन्न देशों का दौरा किया। इन यात्राओं और उनके दौरान हस्ताक्षर किए गए कई फ्रेमवर्क समझौतों का क्षेत्र के देशों के साथ भारत के संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

भारत और आसियान देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई है, जो 2007-08 में बढ़कर करीब 40 अरब अमरीकी डालर मूल्य का हो गया। वस्तुओं के मामले में भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के प्रारूप को सफलता पूर्वक बातचीत के जरिए अंतिम रूप दिया जा चुका है और वह हस्ताक्षर के लिए तैयार है। भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौता लागू हो जाने के बाद आसियान देशों के साथ हमारा व्यापार 2010 तक 50 अरब अमरीकी डालर के लक्ष्य को पार कर जाएगा। इस बीच, क्षेत्र के कई देशों के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत की जा रही है, जिनके किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद दोनों पक्षों के व्यापार में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी होगी। आस्ट्रेलिया के साथ हमारा व्यापार 10 अरब अमरीकी डालर को पार कर गया है।

क्षेत्र के देशों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए, भारत ने कम्बोडिया, लाओस, विएतनाम और फिलिपीन्स को अनुदानों, आसान ऋणों और क्रेडिट लाइनों के रूप में सहायता देना जारी रखा तथा आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए इन देशों की मदद की। प्रशांत आइलैंड फोरम (पीआईएफ) देशों के वार्ता भागीदार के रूप में, भारत क्षमता निर्माण और सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति तथा स्थायी विकास में क्षेत्रीय सहायता प्रदान करते हुए प्रशांत द्वीप देशों के साथ जुड़ा रहा है। इसके बदले में, भारत अपने हित के मुद्दों, जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी, राष्ट्रमंडल, असैनिक परमाणु सहयोग आदि के बारे में इन देशों में से अधिकांश का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहा है।

भारत के बढ़ते प्रभाव ने दक्षिण पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय और बहुराष्ट्रीय मंचों, जैसे आसियान, ईएएस, बिमस्टेक, एमजीएफ और एआरएफ देशों को घनिष्ठ सहयोग के लिए आकर्षित किया है।

पूर्वी एशिया

जापान : भारत और जापान के संबंधों में हाल के वर्षों में बढ़ोत्तरी एवं विस्तार हुआ है और उनमें एक महत्वपूर्ण एवं गुणात्मक बदलाव जारी है। वार्षिक भारत-जापान शिखर बैठक के लिए प्रधानमंत्री डा.

मनमोहन सिंह ने 22-23 अक्टूबर, 2008 के दौरान जापान की सरकारी यात्रा की। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत और जापान के बीच सामरिक एवं वैश्विक भागीदारी की दिशा में प्रगति के बारे में एक संयुक्त वक्तव्य और सुरक्षा सहयोग के बारे में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। अगस्त, 2008 में जापान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्रियों की बीच दूसरी सामरिक वार्ता आयोजित की गई। आर्थिक एवं व्यापार मामलों और ऊर्जा के बारे में भी मंत्री स्तरीय वार्ता हुई।

वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान भारत को जापान की ओर से सबसे अधिक सरकारी विकास सहायता (236.047 अरब येन अथवा करीब 11,802.4 करोड़ रुपये मूल्य की) प्राप्त हुई। दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं की दिशा में निरंतर प्रगति हुई है। भारत में 'वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट' यानी 'पश्चिम प्रतिबद्ध मालमार्ग परियोजना' के बारे में जापान ने प्रथम-चरण के लिए 450 अरब येन की वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की और समूची पश्चिम मालमार्ग परियोजना के लिए सहायता को शीघ्र अंतिम रूप देने के बारे में भारत के साथ मिलकर काम करने की वचनबद्धता व्यक्त की। 'दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक मार्ग परियोजना' के बारे में दोनों देशों के संयुक्त कार्यदल की बैठकें हुईं ताकि परियोजना की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा सके। रक्षा आदान-प्रदान के बारे में दोनों देशों ने एक वार्षिक कार्यक्रम तय करने पर विचार किया। दोनों देशों के बीच एक "व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते" पर भी विचार-विमर्श जारी रहा। इसका उद्देश्य आपसी लाभ के उच्च गुणवत्तापूर्ण समझौते को अंतिम रूप देना है। हैदराबाद में जापानी सहायता से एक नए आईआईटी के बारे में भी दोनों देशों के बीच विचार-विमर्श जारी रहा। रक्षा एवं व्यावहारिक आदान-प्रदान भी आपसी सहयोग के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है।

कोरिया गणराज्य : कोरिया गणराज्य के साथ भारत के संबंधों में निरन्तर वृद्धि हुई है। भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कोरिया गणराज्य के नए राष्ट्रपति लीमियुंग-बाक के शपथ-ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने जुलाई, 2008 में जापान में जी-8 शिखर बैठक के अवसर पर नए राष्ट्रपति के साथ भेंट की। दोनों देश 'व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते' के बारे में बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2009-10 में यह बातचीत पूरी हो जाएगी। 2008-09 के दौरान अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण सहयोग किया गया।

मंगोलिया : प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह ने अक्टूबर, 2008 में बीजिंग में सातवीं असेम शिखर बैठक के अवसर पर मंगोलिया के राष्ट्रपति से भेंट की। मंगोलिया के रक्षा मंत्री फरवरी, 2009 में भारत की यात्रा पर आए। वर्ष के दौरान आर्थिक एवं व्यापार मामलों, रक्षा, शिक्षा, संस्कृति आदि क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में निरन्तर वृद्धि हुई और भारत ने आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत मंगोलिया के लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया। भारत ने मंगोलिया के साथ अत्यंत मित्रतापूर्ण संबंधों को देखते हुए मानवीय सहायता के रूप में 5000 मीट्रिक टन चावल और इतनी ही मात्रा में चीनी भी प्रदान की।

डीपीआरके : भारत और लोकतांत्रिक कोरियाई गणराज्य (डीपीआरके) के बीच निरन्तर सद्भावपूर्ण संबंध रहे हैं। इन संबंधों में मानवीय सहायता और संस्कृति, खेल एवं शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आदान-प्रदान पर अधिक ध्यान केंद्रित रहा है।

यूरोशिया : भारत ने रूस, यूक्रेन, बेलारूस, मध्यएशिया और कौकासियन देशों के साथ मैत्री और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखे। वर्ष के दौरान इन संबंधों के अंतर्गत द्विपक्षीय समझौतों, समय-समय पर द्विपक्षीय और बहु-पक्षीय वार्ताओं के आयोजन, सहयोग कार्यक्रमों, सांस्कृतिक गतिविधियों और अन्य उपायों को मूर्त रूप दिया गया। वर्ष के दौरान कुछ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय गतिविधियों में दिसंबर, 2008 में

रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति श्री दमित्री ए. मेदवेदेव की भारत की सरकारी यात्रा, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री नूरसुल्तान नज़रबायेव का 2009 के गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होना तथा अप्रैल, 2008 में भारत के उपराष्ट्रपति की कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान यात्राएं शामिल हैं।

भारत और रूस ने अपनी सामरिक भागीदारी को और सुदृढ़ करने के प्रयास जारी रखे। वर्ष के दौरान रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के प्रयास किए गए। वार्षिक द्विपक्षीय शिखर बैठक के लिए 4-5 दिसंबर, 2008 को राष्ट्रपति मेदवेदेव की भारत यात्रा के दौरान संयुक्त घोषणा के अलावा 9 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों में कुडनकुलम में परमाणु बिजली संयंत्र की अतिरिक्त इकाई और कुछ नए स्थलों पर रूसी डिजाइन के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण में सहयोग के बारे में अंतर-सरकारी समझौता और मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों के लिए इसरो और रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर, शामिल हैं। रूस के रक्षा मंत्री श्री अनातोली सेर्ड्यूकोव ने 28-30 सितंबर, 2008 के दौरान, विदेश मंत्री श्री सेर्गे लावरोव ने 20 अक्टूबर, 2008 और रूस के उप प्रधानमंत्री श्री अलेक्जेंडर जुकोव ने भारत की यात्रा की। उन्होंने व्यापार, अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग के बारे में भारत-रूस आईजीसी के 14वें सत्र की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। वर्ष 2008 को भारत में 'रूस के वर्ष' के रूप में मनाया गया। इस सिलसिले में भारत के विभिन्न शहरों में करीब 140 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी प्रकार वर्ष 2009 को रूस में 'भारत के वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है।

तुर्कमेनिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेशी मंत्री श्री राशिद मेरेदोव के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने 20-22 जनवरी, 2008 के दौरान भारत की यात्रा की। श्री मेरेदोव ने विदेश राज्य मंत्री श्री ई अहमद के साथ संयुक्त रूप से भारत-तुर्कमेनिस्तान अंतर-सरकारी व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग आयोग की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। इस यात्रा के दौरान श्री मेरेदोव ने उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा विदेशी मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी से भेंट की। उपराष्ट्रपति श्री एम हामिद अंसारी 4-6 अप्रैल, 2008 के दौरान तुर्कमेनिस्तान की सरकारी यात्रा पर गए। उपराष्ट्रपति के रूप में उनकी यह पहली विदेश यात्रा थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवड़ा ने नवंबर, 2008 में तुर्कमेनिस्तान की यात्रा की। बेलारूस के रक्षा मंत्री लियोनिद माल्तसेव डेफेक्सो इंडिया 2008 के सिलसिले में 16-18 फरवरी, 2008 के दौरान भारत की यात्रा पर आए। उन्होंने 16 फरवरी को रक्षा सहयोग के बारे में रक्षा मंत्री से भेंट की। भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर ने 12-15 मार्च, 2008 के दौरान बेलारूस की यात्रा की और वहां के रक्षा मंत्री, बेलारूस की सैन्य और औद्योगिक समिति के अध्यक्ष और सेनाध्यक्ष के साथ मुलाकात की। जनरल कपूर बेलारूस के उद्योग मंत्री श्री अनातोली रूसेत्स्की ने आर्थिक, व्यापार, औद्योगिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी संबंधी और सांस्कृतिक सहयोग के बारे में नई दिल्ली में 17-18 नवंबर, 2008 के दौरान भारत-बेलारूस आईजीसी की चौथी बैठक में हिस्सा लिया। सैन्य तकनीकी सहयोग के बारे में भारत-बेलारूस संयुक्त आयोग की पहली बैठक 27 से 30 मई, 2008 के दौरान मिन्स्क में हुई। किर्गिज गणराज्य के विदेश मंत्री श्री एडनान काराबाएव ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और आपसी हित के क्षेत्रीय मामलों पर विचार-विमर्श के लिए 4-6 फरवरी, 2008 के दौरान भारत की यात्रा की। उन्होंने विदेश मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, मानव संसाधन विकास और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री के साथ भेंट की।

उपराष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी 6-10 अप्रैल, 2008 के दौरान कजाकिस्तान की यात्रा की। इस यात्रा का प्रयोजन भारत-कजाकिस्तान संबंधों को बढ़ावा देना था। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ भेंट की और सीनेट को संबोधित किया। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री नूर सुल्तान नजरबायेव 23-26 जनवरी, 2009 के दौरान भारत की सरकारी यात्रा पर आए और गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। यह पहला अवसर था जब किसी मध्य एशियाई देश के नेता को यह सम्मान दिया गया। 01 अगस्त, 2008 को नई दिल्ली में विदेश कार्यालय में विचार-विमर्श और सितंबर, 2008 में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग के बारे में भारत-उज्बेकिस्तान अंतर-सरकारी आयोग की आठवीं बैठक के आयोजन के साथ मध्य एशिया के एक अन्य महत्वपूर्ण देश, उज्बेकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में काफी प्रगति हुई। उज्बेकिस्तान के आर्थिक मंत्री श्री बी. खोद्जाएव 16-17 सितंबर, 2008 के दौरान आईजीसी की आठवीं बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत की यात्रा पर आए।

खाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका

भारत ने खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ अपने ऐतिहासिक और परंपरागत सद्भावपूर्ण संबंधों को बेहतर बनाए रखने के प्रयास जारी रखे। हमारे देश की 70 प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल की आवश्यकता की पूर्ति खाड़ी क्षेत्र से होती है और करीब 45 लाख भारतीय इस क्षेत्र में रोजी-रोटी के लिए रह रहे हैं, जो हर वर्ष 10 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय यात्राएं हुईं जिनसे इस क्षेत्र के साथ हमारे संबंधों के महत्व का पता चलता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थी प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की नवंबर, 2008 में की गई कतर और ओमान की यात्रा, इससे द्विपक्षीय सहयोग के नए क्षेत्र खुले। कतर में प्रधानमंत्री ने रक्षा सहयोग और सुरक्षा एवं कानून प्रवर्तन मामलों से संबंधित दो दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। ओमान में कार्मिक शक्ति और भारत-ओमान संयुक्त निवेश कोष की स्थापना के बारे में दो अलग-अलग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी और विदेश राज्य मंत्री श्री ई अहमद तथा विदेश सचिव (पूर्व) ने 13-14 जनवरी, 2008 के दौरान मस्कट की सरकारी यात्रा की। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने ओमान के उपप्रधानमंत्री, मंत्री परिषद के सदस्यों और विदेश मंत्री श्री यूसुफ बिन अल्वाई बिन अब्दुला से भेंट की।

बहरीन के श्रम मंत्री डॉ. मजीद मोहसिन अल अल्वाई 25 अप्रैल, 2008 को भारत की यात्रा पर आए। उन्होंने श्रम और कार्मिक विकास के बारे में एक समझौता ज्ञापन के लिए भारतीय विदेश मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया। बहरीन की सामाजिक विकास मंत्री डॉ. फातिमा बिन्त अल बलूशी 17-21 अगस्त, 2008 के दौरान भारत की यात्रा पर आईं। उन्होंने अन्य लोगों के अलावा कपड़ा मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री के साथ बातचीत की।

विदेश राज्य मंत्री श्री ई अहमद 29-31 जनवरी, 2008 के दौरान कुवैत की यात्रा पर गए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कुवैत के प्रधानमंत्री से भेंट की। श्री अहमद और कुवैत के उपप्रधानमंत्री/विदेशमंत्री तथा श्रम संबंधी सामाजिक कार्य मंत्री के बीच बैठकों में कुवैत के नियोक्ता और भारतीय श्रमिक के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले श्रम अनुबंध के संशोधित प्रारूप सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय हित के व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।

वर्ष के दौरान सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय संबंध और सुदृढ़ बनाने में कई उच्च स्तरीय यात्राओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस सौद अल फैसल 2008 में दो बार भारत की यात्रा पर आए। फरवरी में उन्होंने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और विदेश मंत्री श्री

प्रणव मुखर्जी के साथ भेंट की। 26 दिसंबर, 2008 को उन्होंने उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भेंट की। विदेश मंत्री 19-20 अप्रैल, 2008 के दौरान सऊदी अरब की दो दिन की यात्रा पर गए और उन्होंने सऊदी नरेश अब्दुला बिन अब्दुल अजीज अल सौद तथा रियाद के गवर्नर प्रिंस सतमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद से भेंट की। विदेश राज्य मंत्री श्री ई अहमद 17 अप्रैल, 2008 को सऊदी अरब की यात्रा पर गए और सऊदी अरब के हज मंत्री डॉ. फौद अल फारसी के साथ हज समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्री और पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने तेल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसका आयोजन सऊदी नरेश अब्दुला की पहल पर 22 जून, 2008 को जेद्दाह में किया गया था।

वर्ष 2008, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। अमीरात की विदेश व्यापार मंत्री महामहिम शेख लूबना अल कासिमी, 25 अप्रैल को भारत की यात्रा पर आई और उन्हें फिक्की द्वारा “वूमैन अचीवर ऑफ द ईयर” के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत-संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेनाओं का पहला संयुक्त अभ्यास सितंबर, 2008 में किया गया। विदेश मंत्री ने मई, 2008 में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की और वहां के विदेश मंत्री तथा क्राउन प्रिंस दोनों के साथ भेंट की।

पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका

पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के साथ भारत के संबंधों को कई उच्चस्तरीय वार्ताओं से मजबूती मिली। इनमें सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद, मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद हुस्नी मुबारक और फलीस्तीनी नेशनल ऑथोरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की भारत यात्रा शामिल थी। जुलाई, 2008 में विदेश मंत्री की सरकारी यात्रा के दौरान भारत और मिस्र के बीच वार्ता को आगे बढ़ाया गया। फलीस्तीनी नेशनल ऑथोरिटी (पीएनए) के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की सरकारी यात्रा के दौरान फलीस्तीनियों के हित के लिए भारत की निरंतर सहायता का महत्व उजागर किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की उपस्थिति में राष्ट्रपति अब्बास ने नई दिल्ली में फलीस्तीनी दूतावास की आधारशिला रखी। यह भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से फलीस्तीन के लिए एक उपहार था, जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वर्ष के दौरान पीएनए को एक करोड़ डॉलर की बजटीय सहायता के प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर अमल किया गया।

भारत ने दिसंबर, 2008 में गाजा पट्टी पर किए गए इस्राइली हमले की कड़ी निंदा की। अबर लीग के महासचिव महामहिम श्री अमरे मूसा दिसंबर, 2008 में भारत की यात्रा पर आए। उनकी यात्रा के दौरान अरब लीग के देशों के साथ सहयोग के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिससे अरब देशों के साथ भारत के विविध संबंधों को संस्थागत रूप देने में मदद मिली।

भारत ने मानव संसाधन क्षेत्र में इराक के विकास में योगदान के लिए भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के अंतर्गत देशभर में विभिन्न प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक संस्थानों में इराक के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए 100 स्लॉट्स इराक को प्रदान किए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इराक के 228 तेल अधिकारियों को भारत में प्रशिक्षण प्रदान किया। 26 फरवरी, 2009 को इराक के राष्ट्रपति जलाल तालाबानी भारत होकर गए और उन्होंने इराक के निर्माण एवं विकास, विशेषकर बिजली क्षेत्र में भारत की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की। सचिव (पूर्व) के साथ बैठक के दौरान उन्होंने भारतीय कंपनियों और कार्मिकों को इराक में प्रोत्साहित करने के लिए पूरा सहयोग देने की इच्छा व्यक्त की।

अफ्रीका

भारत-अफ्रीका मंच का पहला सम्मेलन 8-9 अप्रैल, 2008 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस मंच का गठन दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों की बुनियाद पर किया गया है। सम्मेलन के दौरान आने वाले वर्षों में संस्थागत वार्तालाप, मैत्री और सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा तैयार की गई। सम्मेलन में अफ्रीका के प्रति भारत की वचनबद्धता नए ढंग से व्यक्त की गई। सम्मेलन के अंत में दो ऐतिहासिक दस्तावेज पारित किये गए। इनमें एक दिल्ली घोषणा और दूसरा भारत-अफ्रीका सहयोग फ्रेमवर्क से संबंधित था। दिल्ली घोषणा एक राजनैतिक दस्तावेज है जिसमें भारत और अफ्रीका के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दे शामिल थे। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुधारों, जलवायु परिवर्तन, डब्ल्यूटीओ और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण शामिल है। भारत-अफ्रीका सहयोग फ्रेमवर्क में आपसी सहमति से तय किये गये सहयोग के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने अगले पांच वर्षों में अफ्रीका को दिए जाने वाले मौजूदा ऋणों में 5.4 अरब अमरीकी डॉलर की बढ़ोतरी करने और क्षमता निर्माण एवं मानव संसाधन विकास के क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए अलग से 50 करोड़ अमरीकी डॉलर के अनुदान की घोषणा की। अफ्रीका से मंच की बैठक में हिस्सा लेने वाले राष्ट्र/शासनाध्यक्षों में तंजानिया के राष्ट्रपति श्री जकाया मरिशो किकवेते, अफ्रीकी एकता आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर अल्फा उमर कोनारे, कांगो के राष्ट्रपति श्री जोसेफ काबिला कबांजे, घाना के राष्ट्रपति श्री जॉन अगेकम कुफोर, सिरेकल के राष्ट्रपति श्री अब्दुल्लाये वाडे, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री थाबोम्बेकी, युगांडा के राष्ट्रपति श्री योवेरी कागुता मुसेवेनी, बुरुंडी फासो के प्रधानमंत्री श्री तेरतिस जोंगो और इथियोपिया के प्रधानमंत्री श्री मेलेस जेनावी शामिल थे।

अफ्रीका से कई अन्य उच्च स्तरीय नेताओं ने भी भारत की यात्रा की इनमें इथियोपिया के प्रधानमंत्री मेलेस जेनावी, रवांडा के राष्ट्रपति श्री पौल कगामे और बेनिन गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. बोनी याही शामिल थे। मंत्री और आधिकारिक स्तरों पर नियमित विचार विनियम का सिलसिला भी जारी रहा।

भारत ने बुनियादी विकास परियोजनाओं के लिए अफ्रीकी देशों को कई तरह के ऋण प्रदान किए। कृषि, स्वास्थ्य, ग्रामीण विद्युतीकरण परिवहन और बिजली से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए प्रदान किए ऋणों का टीम-9 और इकोवास देशों ने पूरा लाभ उठाया। ये परियोजनाएं कार्यावयन के विभिन्न चरणों में हैं। अफ्रीकी एकता आयोग के साथ पहले से जारी भारत के राजनैतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाया गया। इसी प्रकार क्षेत्रीय संगठनों के साथ भी हमारे संस्थागत सहयोग में बढ़ोतरी हुई। ये क्षेत्रीय संगठन कामेसा, एसएडीसी, ईसीसीएस तथा ईएसी हैं। 'अफ्रीका को अनुदान' बजट को अन्य सहयोगात्मक कार्यक्रमों पर खर्च किया जा रहा है। भारत ने अफ्रीकी देशों के लिए आईटीईसी स्लॉट को 279 से बढ़ाकर 575 कर दिया है जबकि सांस्कृतिक संबंधों के लिए छात्रवृत्तियों को बढ़ाकर 21 से 66 कर दिया गया है।

मंत्रालय के सहयोग से सीआईआई ने वर्ष के दौरान दो भारत-अफ्रीका परियोजना भागीदारी सम्मेलनों का आयोजन किया। इसमें से पहला 28 अगस्त, 2008 को दार-ए-सलाम तथा दूसरा 22-24 मार्च, 2009 को नई दिल्ली में हुआ। फिक्की ने भी 19-20 जनवरी, 2009 को नई दिल्ली में भारत-अफ्रीका बिजनेस भागीदारी सम्मेलन का आयोजन किया। 2001-02 के दौरान भारत-अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 5.5 बिलियन अमरीकी डालर था, जो 2008-09 में बढ़कर 36 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है। द्विपक्षीय निवेश लगभग 17 बिलियन अमरीकी डालर रहा।

भारत ने माली तथा निगर में रेजिडेंट मिशन खोलने की घोषणा की। गंबिया, गैबन तथा मेडागास्कर ने दिल्ली में मिशन खोले तथा माली ने मिशन खोलने की घोषणा की।

विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने 26 फरवरी, 2009 को प्रतिष्ठित पैन-अफ्रीकन ई-नेटवर्क परियोजना का उद्घाटन किया।

- नई दिल्ली में 22-24 मार्च, 2009 तक भारत-अफ्रीका परियोजना भागीदारी 2009 पर पांचवीं सीआईआई-एक्जम बैंक भारत-अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन। अफ्रीका के 500 तथा भारत के 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 2007-08 में भारत-अफ्रीका द्विपक्षीय व्यापार 36 बिलियन अमरीकी डालर था जो 2008-09 के पहले नौ महीनों में ही 33 बिलियन अमरीकी डालर पहुंच गया है।
- भारत सरकार प्रायोजित पैन-अफ्रीकन ई-नेटवर्क में शामिल होने के लिए चार और अफ्रीकी देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे इसमें शामिल देशों की संख्या 39 हो गई है।
- भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण स्लाट की संख्या 1500 तथा उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या 500 है।
- भारत ने माली तथा निगर में रेजिडेंट मिशन खोले हैं।
- बेनिन रिपब्लिक के राष्ट्रपति डॉ. बोनी याई 3-7 मार्च, 2009 तक भारत यात्रा पर आए। आईटी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना सहित पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री ने 15 मिलियन ऋण तथा 2 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता की घोषणा की है।
- दक्षिण अफ्रीका के चौथे लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति श्री जैकब जुमा के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए उप-राष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की।

यूरोप

चौथे भारत-इंग्लैंड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गोर्डन ब्राउन 20-21 जनवरी, 2008 के दौरान भारत की यात्रा पर आए। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 01 अप्रैल, 2009 को लंदन में जी-20 देशों के शिखर सम्मेलन के अवसर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री गार्डन ब्राउन से भेंट की। फ्रांस के राष्ट्रपति श्री निकोलस सरकोजी 25-26 जनवरी, 2008 के दौरान एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल, जिसमें मंत्री और व्यापारी शामिल थे, के साथ भारत की यात्रा पर आए। वे गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 30 सितंबर, 2008 को भारत-फ्रांस द्विपक्षीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस की यात्रा की। प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति सरकोजी ने भारत और फ्रांस के बीच महत्वपूर्ण भागीदारी की पुष्टि की और असैनिक परमाणु सहयोग, अंतरिक्ष और रक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ाने के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की। यूरोपीय संघ में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना हुआ है। जर्मनी के संघीय चांसलर और विदेश मंत्री डॉ. फ्रैंक वाल्टेर स्टेनमिरर 19-21 नवंबर, 2008 के दौरान भारत की यात्रा पर आए। हाल ही में भारत-जर्मनी वार्तालाप में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उभरा है। भारत और स्पेन के बीच मंत्री स्तरीय आपसी यात्राओं का सिलसिला वर्ष के दौरान जारी रहा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में भारत के वित्त मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री की स्पेन यात्रा शामिल थीं। भारत ने इटली के साथ विभिन्न स्तरों पर द्विपक्षीय संबंधों

को सुदृढ़ बनाने के प्रयास जारी रखे। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 24 अक्टूबर, 2008 को बीजिंग में असेम शिखर सम्मेलन के अवसर पर इटली के प्रधानमंत्री श्री सिलवियो बेरलुस कोनी से भेंट की।

उत्तर और मध्य एवं पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के संबंध परंपरागत रूप में मैत्रीपूर्ण और घनिष्ठ रहे हैं। इन देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों में विविधता और गहनता लाने के प्रयास भारत की ओर से जारी रखे गए। भारत में उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण की क्षमताओं, पेट्रोलियम, अपारंपरिक ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो-प्रौद्योगिकी और इंजीनियरी तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं बनी हैं। इन देशों के साथ मंत्री स्तरीय और आधिकारिक स्तरीय वार्तालाप जारी रहा। हेलेनिक गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री कोस्ताश करमालिस ने 10-13 जनवरी, 2008 के दौरान भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता से भेंट की। हंगरी के प्रधानमंत्री श्री फेरेने गिरक्सैनी 16-19 फरवरी, 2008 के दौरान भारत की यात्रा पर आए। अपनी यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति से मिलने गए। उन्होंने प्रधानमंत्री, यूपीए अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, विदेश मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, आब्रजन एवं शरण नीति मंत्री और क्राउन प्रिंस वर्ष के दौरान भारत की यात्रा पर आए। स्वीडन की संसद में विदेश मामलों की स्थाई समिति ने जनवरी, 2009 में भारत की सरकारी यात्रा की। भारत और चेक गणराज्य के बीच कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय यात्राएं हुईं, इनमें विदेश राज्य मंत्री श्री आनंद शर्मा और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ की चेक यात्रा और चेक गणराज्य के उद्योग और व्यापार मंत्री और चेक सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टॉफ के अध्यक्ष की भारत यात्रा शामिल थी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने अप्रैल, 2008 में एक सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए फिनलैंड की यात्रा की। फिनलैंड की राष्ट्रपति श्रीमती तार्जा हालोनेन 5-7 फरवरी, 2009 के दौरान दिल्ली स्थाई विकास सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आईं। पोलैंड के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित यात्राओं का सिलसिला जारी रहा। सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर ने मार्च 2008 में पोलैंड की सद्भावना यात्रा की। इसके बाद डेनमार्क के प्रधानमंत्री फू रासमुसिन 4-8 फरवरी, 2008 को भारत यात्रा पर आए। वर्ष 2008-09 के दौरान भारत और तुर्की के बीच संबंधों में तेजी आई। तुर्की के प्रधानमंत्री श्री तैय्यप इरडोगन 21-24 नवंबर, 2008 को भारत यात्रा पर आए।

पश्चिमी यूरोप

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल 20-25 अप्रैल, 2009 को स्पेन यात्रा पर गईं। यात्रा के दौरान कृषि, नवीकरण ऊर्जा तथा पर्यटन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उनके साथ एक व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल भी यात्रा पर गया।

- 8-10 जुलाई, 2009 को ला आकीला में जी-8 सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन में भाग लिया।
- पेरिस में 14 जुलाई, 2009 को आयोजित फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर भारतीय सेना के 400 जवानों ने बेसटाइल डे परेड में हिस्सा लिया।
- 29 जून, 2009 को प्राग में भारत-यूरोपियन यूनियन की 20वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा तथा यूरोपियन यूनियन का

नेतृत्व चेक विदेश मंत्री ली जान कोहट ने किया। भारत में नई सरकार के गठन के बाद यह पहली ऐसी बैठक थी। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने नई दिल्ली में 6 नवंबर 2009 को आयोजित होने वाले दसवें भारत-यूरोपियन यूनियन सम्मेलन की तैयारी पर भी बातचीत की। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया।

यूरोपीय संघ

उभरते हुए बहु-ध्रुवीय ढांचे में भारत और यूरोपीय संघ अपरिहार्य ध्रुव हैं। भारत और यूरोप के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं का आदान-प्रदान जारी रहा और शिखर स्तरीय वार्ताएं हुईं। भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों में रक्षा एवं सुरक्षा, परमाणु एवं अंतरिक्ष, व्यापार एवं निवेश, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में विविधता और गहनता आयी। अमरीका के साथ असैनिक परमाणु सहयोग के लिए एनएसजी में छूट हासिल करने में समर्थन जुटाने के लिए यूरोपीय संघ के सभी देशों में विशेष राजनायिक भेजे गए। मुंबई में आतंकवादी हमलों के बाद यूरोपीय संघ के नेताओं और सदस्य देशों ने मृतकों के प्रति संवेदना संदेश भेजे और टेलीफोन करके हमलों की निंदा की। इस प्रकार उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पुनः एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने नौवें भारत-यूरोपीय संघ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 29 सितंबर, 2008 को फ्रांस में मार्सिले की यात्रा की। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ के अध्यक्ष/फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जोसे मैनुएल बारोसो के साथ बातचीत की। शिखर सम्मेलन में अन्य बातों के अलावा 2005 की भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त कार्ययोजना की समीक्षा की गई और एक संशोधित कार्ययोजना जारी की गई जिसमें नए क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भागीदारी का विस्तार किया गया। इसमें ऊर्जा, स्वच्छ विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त कार्यक्रम भी जारी किया गया।

प्रधानमंत्री ने 'भागीदारी के लिए नई समीकरूपताएं' नाम के भारत-यूरोपीय संघ व्यापार सम्मेलन में भी हिस्सा लिया, जिसका आयोजन 30 सितंबर, को पेरिस में किया गया था। 19वीं मंत्री स्तरीय भारत-यूरोपीय संघ ट्रोइका बैठक 30 मई, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई और 05 दिसंबर, 2008 को नई दिल्ली में भारत-यूरोपीय संघ सामरिक वार्ता का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त भारत-यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की चौथी बैठक और वाणिज्य मुद्दों के बारे में भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक क्रमशः 08 सितंबर, और 23 मई, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। 2007 में द्विपक्षीय व्यापार 55 अरब यूरो को पार कर गया और अगले पांच वर्षों में इसे 100 अरब यूरो पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

अमरीका

वर्ष 2008 भारत तथा अमरीका के बीच द्विपक्षीय संबंधों के मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष रहा 10 अक्टूबर, 2008 को वाशिंगटन में भारत-अमरीका नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसकी घोषणा जुलाई 2005 में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अमरीका यात्रा के दौरान की गई थी। भारत ने पहली अगस्त, 2008 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ भारत विशिष्ट सुरक्षा समझौता किया, इससे अमरीका का रास्ता साफ हुआ कि वह 45 देशों के परमाणु आपूर्ति समूह को एनएसजी दिशा-निर्देशों में फेरबदल के लिए कह सके जिससे वे भारत के साथ परमाणु सहयोग तथा व्यापार कर सकें। इस समझौते पर भारत के विदेश मंत्री तथा अमरीका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट

कोंडालिजा राईस ने वाशिंगटन में 10 अक्टूबर, 2008 को हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए हैं तथा आर्थिक और उच्च तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग के नये अवसर खुले हैं।

आर्थिक तथा वाणिज्यिक संबंधों के अतिरिक्त रक्षा सहयोग तथा जनता के बीच सहयोग प्राथमिकता के अन्य मुख्य मुद्दे हैं। वैश्विक मुद्दों पर साझी सोच तथा ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृषि आदि के क्षेत्र में सहयोग के संबंधों में और मजबूती आएगी।

वर्ष के दौरान अन्य उच्चस्तरीय यात्राएं भी आयोजित की गईं। सितंबर, 2008 में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह वाशिंगटन यात्रा पर गए। राष्ट्रपति बुश के साथ मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की तथा जुलाई, 2005 के संयुक्त वक्तव्य में उल्लिखित मुद्दों की प्रगति पर संतोष जताया। यह संयुक्त वक्तव्य जुलाई, 2005 में प्रधानमंत्री की वाशिंगटन यात्रा तथा मार्च 2006 में राष्ट्रपति बुश की भारत यात्रा के दौरान जारी किए गए थे।

अमरीकी विदेश मंत्री डॉ. कोंडालिजा राईस अक्टूबर 2008 में भारत यात्रा पर आईं तथा विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी से चर्चा की। श्री मुखर्जी 24-25 मार्च, 2008 को वाशिंगटन यात्रा पर गए। वहां उन्होंने डॉ. राईस के अलावा राष्ट्रपति बुश से भी मुलाकात की। वे कार्नेज फाउंडेशन के विद्वानों से भी मिले। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह भी नवंबर, 2008 में जी-20 सम्मेलन में भाग लेने वाशिंगटन गए।

अमरीकी अंडर सेक्रेटरी फार पालिटिकल अफेयर्स श्री विलियम बर्न्स 10-13 जून, 2009 तक भारत यात्रा पर आए। उन्होंने विदेश सचिव से मुलाकात कर सहयोग के नये मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। श्री बर्न्स ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें राष्ट्रपति ओबामा का पत्र सौंपा। श्री बर्न्स ने विदेश मंत्री, गृह मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा विपक्ष के नेता से भी मुलाकात की।

अमरीका-भारत व्यापार परिषद् की 34वीं वर्षगांठ के अवसर पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा ने 16-19 जून, 2009 को वाशिंगटन यात्रा की। उन्होंने राजदूत रॉन क्रिक, अमरीकी व्यापार प्रतिनिधियों से भेंट कर भारत-अमरीका व्यापार संबंधों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने अमरीकी वाणिज्य मंत्री गैरी लॉक तथा सुश्री हिलेरी क्लिंटन से भी भेंट की।

अमरीकी सुरक्षा सलाहकार जनरल जेम्स जान्स 25-26 जून, 2009 को भारत यात्रा पर आए। उन्होंने भारत के सुरक्षा सलाहकार से भेंट कर साझे हित के वैश्विक मुद्दों तथा सुरक्षा सहयोग पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने प्रधानमंत्री तथा रक्षामंत्री से भी मुलाकात की। अमरीकी सेक्रेटरी आफ स्टेट सुश्री हिलेरी क्लिंटन 17-21 जुलाई, 2009 को भारत यात्रा पर आईं। उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की तथा विदेश मंत्री से प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। उनकी पांच दिवसीय यात्रा से भारत-अमरीका संबंधों को मजबूती मिली। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने तीसरे चरण में भारत-अमरीकी संबंधों के लिए नये एजेंडे की संयुक्त रूप से घोषणा की (इसे अमरीकी विदेश मंत्री ने 3.0 के रूप में परिभाषित किया)। इन्हें संबंधों को पांच-स्तंभों के रूप में वर्गीकृत किया गया, जो इस प्रकार हैं—

(i) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य तथा रचनात्मकता, (ii) राजनीतिक सहयोग, (iii) ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन, (iv) शिक्षा एवं विकास तथा (v) आर्थिक व्यापार एवं कृषि। स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, जलवायु परिवर्तन तथा राजनीतिक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए सुश्री क्लिंटन ने कहा कि भारत-अमरीकी संबंधों की मजबूती उनके लिए व्यक्तिगत प्राथमिकता है।

इस यात्रा के दौरान दो समझौतों-तकनीकी सुरक्षा समझौता (अंतरिक्ष) और भारत-अमरीका विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्थायी कोष समझौता-पर हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते में भारत-अमरीकी बोर्ड बनाने और संयुक्त अनुसंधान और विकास, मौलिकता, उद्यम शीलता को बढ़ावा देने के लिए स्थायी कोष कायम करने तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी गतिविधियों के व्यापारीकरण का प्रावधान है। प्रौद्योगिकी सुरक्षा समझौते में भारत को इस बात की अनुमति दी गई है कि वह किसी तीसरे देश के ऐसे सिविल या गैर वाणिज्यिक उपग्रहों का प्रक्षेपण कर सकता है, जो अमरीकी मूल के हों और जिनमें अमरीकी कलपुर्जे लगे हों। दोनों पक्षों के बीच इस बात पर भी सहमति हुई कि भारत सरकार के लिए अमरीका से हासिल किए जाने वाले प्रस्तावित और मंजूर किए गए उपकरणों के प्रस्ताव पत्रों में अंतिम उपयोग निगरानी व्यवस्था कायम की जाएगी। यात्रा के दौरान एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया, जिसमें भारत-अमरीकी संबंधों के महत्त्व और दोनों देशों द्वारा अमल की जाने वाली वैश्विक एवं द्विपक्षीय कार्यसूची पर प्रकाश डाला गया। सेक्रेटरी क्लिंटन की यात्रा का लक्ष्य और निहितार्थ अत्यंत उच्च था। दोनों देशों ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और भारत-अमरीकी सामरिक भागीदारी को सुदृढ़ बनाने के प्रति वचनबद्धता की पुष्टि की। वे पूसा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय और गुडगांव स्थित आईटीसी ग्रीन बिल्डिंग देखने भी गईं। उन्होंने राष्ट्रपति ओबामा की ओर से 24 नवंबर, 2009 को अमरीका की सरकारी यात्रा का निमंत्रण भी प्रधानमंत्री को दिया। अमरीका की नई सरकार द्वारा किसी राष्ट्र या शासनाध्यक्ष को सरकारी यात्रा के लिए दिया जाने वाला यह पहला निमंत्रण था।

रक्षा और सुरक्षा

भारत-अमरीका वरिष्ठ प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा समूह की पांचवी बैठक 11-12 मई, 2009 को वाशिंगटन, अमरीका में हुई। रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव श्री एसके माथुर और अमरीकी रक्षा विभाग में डिफेंस के डिप्टी अंडर सेक्रेटरी और रक्षा प्रौद्योगिकी, सुरक्षा प्रशासन के कार्यकारी निदेशक श्री जेम्स हर्स्क ने संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता की। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग जैसे मुद्दों पर बैठक में विचार किया गया।

अमरीकी प्रशांत कमान के कमांडर एडमिरल टिमोथी जे कीटिंग ने 13-15 मई, 2009 के दौरान भारत की यात्रा की और भारत सरकार के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति, आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने विदेश सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और नौसेना अध्यक्ष से मुलाकात की।

विदेश मंत्रालय में विशेष सचिव श्री विवेक काटजू ने 17 जून, 2009 को वाशिंगटन में आतंकवाद विरोधी भारत-अमरीकी संयुक्त कार्यदल की 11वीं बैठक के लिये भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। बैठक में कार्यदल के सदस्यों ने आतंकवाद की रोकथाम और वित्तीय कार्रवाई कार्यदल में भारत की सदस्यता से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया।

ऊर्जा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भागीदारी

भारत-अमरीकी असैनिक परमाणु कार्यदल की दूसरी बैठक इडाहो, अमरीका में 28-30 अप्रैल, 2009 के दौरान आयोजित की गई। परमाणु ऊर्जा विभाग में सामरिक आयोजन समूह के निदेशक डॉ. आर बी ग्रोवर और अमरीकी ऊर्जा विभाग में कार्यकारी सहायक सेक्रेटरी श्री शेन जॉनसन ने संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता की। दोनों देशों ने परमाणु ऊर्जा और रिएक्टरों के क्षेत्र में सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की।

भारत सरकार के संबद्ध मंत्रालयों के अधिकारियों और उद्योग प्रतिनिधियों के शिष्टमंडल ने 18-21 मई, 2009 के दौरान एटलांटा, अमरीका में बायो 2009 प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। भारत की प्रमुख फार्मास्युटिकल और जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों ने अपनी प्रौद्योगिकी क्षमताएं प्रदर्शित की तथा जैव प्रौद्योगिक निर्यात और अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं की खोज की।

द्विपक्षीय उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह के अंतर्गत भारत-अमरीकी जैव प्रौद्योगिकी एवं लाइफ साइंसिज कार्यदल की बैठक 20 मई, 2009 को एटलांटा में बायो 2009 प्रदर्शनी के अवसर पर हुई। बैठक के वैध आनुवंशिकी और कृत्रिम के बीच अंतर, बौद्धिक संपद्धा अधिकारों से संबंधित मुद्दों जैसे डाटा संरक्षण, परंपरागत जानकारी प्रकटीकरण संबंधी मानदंडों, नियामक फ्रेमवर्क में संतुलन कायम करने में क्षमता निर्माण और अनुसंधान एवं विकास में सहयोग जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

ओबामा प्रशासन ने अपना पहला शिष्टमंडल अमरीकी नागरिक अधिकार नेता डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर की भारत यात्रा की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 15-24 फरवरी, 2009 के दौरान भारत भेजा। इसका उद्देश्य महात्मा गांधी की शिक्षाओं का अध्ययन करना था। शिष्टमंडल में डॉ. किंग के सबसे बड़े पुत्र डॉ. मार्टिन लूथर किंग तृतीय भी शामिल थे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए अमरीका के विशेष प्रतिनिधि एम्बेसडर रिचर्ड हॉलब्रुक 15-16 फरवरी के दौरान भारत की यात्रा पर आए। उन्होंने 16 फरवरी को विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव के साथ भेंट की और उनके साथ अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान की स्थिति पर विचार-विमर्श किया।

कनाडा

वर्ष के दौरान कनाडा के साथ भारत के संबंधों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई। प्रधानमंत्री स्टीफन हारपर के नेतृत्व में कनाडा सरकार ने भारत के साथ संबंधों को विदेश नीति में प्राथमिकता देने की नीति जारी रखी। कनाडा के विदेश मंत्री श्री मैक्सिमे बर्नियर 10-12 जनवरी, 2008 के दौरान भारत की यात्रा पर आए। कनाडा के नागरिकता और आब्रजन उपमंत्री श्री रिचर्ड बी फैडेन ने 12-18 जनवरी, 2008 के दौरान भारत की यात्रा की। आईईए में भारत के हितों की रक्षा संबंधी समझौते में कनाडा भारत समर्थन किया। इससे दोनों देशों के बीच संबंधों के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। उसने भारत के साथ परमाणु सहयोग करने की अनुमति देने में एनएसजी के भीतर आम सहमति कायम करने में भी मदद की।

कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने 16-17 अप्रैल, 2009 के दौरान कनाडा इंडिया ऊर्जा फोरम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य नवीकरणीय, जीवाश्म और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के अवसरों की पहचान करना था। ऊर्जा कंपनियों, सरकारी विभागों और नियामक एजेंसियों, नीति निर्माताओं, विधायकों, बैंकरों और फाइनेंसर्स को बैठक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने किया।

परमाणु ऊर्जा विभाग में निदेशक (सामरिक आयोजन समूह) डॉ. आरबी ग्रोवर के नेतृत्व में भारत सरकार के एक दल और कनाडा के विदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉन सिनक्लेयर के बीच 21-22 मई, 2009 को सिविल परमाणु सहयोग के लिए समझौते के प्रारूप के बारे में विचार-विमर्श हुआ।

भारत और कनाडा के बीच सामरिक मुद्दों पर 18 जून, 2009 को ओटावा में विचार-विमर्श हुआ। विदेश मंत्रालय में विशेष सचिव श्री विवेक काटजू ने भारत सरकार के शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। दोनों पक्षों के बीच दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों, निरस्त्रीकरण संबंधी मुद्दों शरणार्थियों की स्थिति, आपदा प्रबंधन और समान हित के अन्य वैश्विक मुद्दों के बारे में विचार-विमर्श हुआ।

आतंकवाद की रोकथाम के लिए भारत-कनाडा संयुक्त कार्यदल की बैठक 19 जून, 2009 को ओटावा में हुई। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में विशेष सचिव श्री विवेक काटजू ने किया। बैठक में वैश्विक खतरे की धारणाओं, आतंकवादी घटनाओं की जांच प्रक्रिया, आतंकवाद की रोकथाम के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग, आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने वालों, मादक पदार्थों की तस्करी आदि मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित भारत-कनाडा संयुक्त समिति की तीसरी बैठक 08 जून, 2009 को ओटावा में आयोजित की गई। भारत सरकार के शिष्टमंडल का नेतृत्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. टी रामासामी ने किया। डॉ. रामासामी ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्री स्टॉकवेल डे और वहां के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री गैरी गुडईयर से भेंट की।

04 जून, 2009 को पंजाब के कृषि मंत्री श्री सच्चासिंह लैगाह और मनीटोबा के उपप्रधानमंत्री एवं कृषि मंत्री श्री रोसैन वॉवचक ने मनीटोबा और पंजाब के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसमें पंजाब में खाद्य विकास केंद्र की स्थापना में सहायता का प्रावधान है। इससे राज्य में कृषि-खाद्य उद्योग के विस्तार में मदद मिलेगी।

भारत-कनाडा पर्यावरण फोरम की पहली बैठक 18-19 जून, 2009 को ओटावा में आयोजित की गई। इस फोरम का गठन पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत-कनाडा समझौते के अंतर्गत किया गया है।

लैटिन अमरीका और कैरिबियाई देश

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों के बारे में मौजूदा समानताओं और आपसी आर्थिक हितों को देखते हुए लैटिन अमरीका और कैरिबियाई देशों के साथ भारत के संबंधों में वर्ष के दौरान और गहनता आयी। राजनीतिक और अधिकारिक स्तर पर नियमित वार्ता के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में संबंध बढ़ाने में मदद मिली। इसमें व्यापारिक शिष्टमंडलों, विशेषज्ञों और व्यवसायियों की एक-दूसरे के यहां यात्राओं के माध्यम से भी इन संबंधों में इजाफा हुआ। संयुक्त आयोग, मंत्री स्तरीय बैठकों और विदेश कार्यालय स्तर पर विचार-विमर्श के माध्यम से संस्थागत संबंध कायम किए गए। वर्ष के दौरान 21 समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय कंपनियों ने तेल और हाइड्रोकार्बन, आईसीटी, खनन, फार्मास्युटिकल, कृषि, आटो उद्योग, नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और सेवा क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में अपनी पहुंच का विस्तार किया। हमारी विकास भागीदारी और विकासशील देशों के बीच सहयोग के उपायों के हिस्से के रूप में लैटिन अमरीका और कैरिबियाई देशों के लिए 16 करोड़ अमरीकी डालर की ऋण सहायता की घोषणा की गई और 21.25 लाख अमरीकी डालर की आपदा राहत वितरित की गई। तीन एलएसी देशों में आईटी केंद्र खोले गए और कुल 382 आईटीईसी छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई और एलएसी देशों के उम्मीदवारों ने उनका उपयोग भी किया। लैटिन अमरीकी देशों के साथ हमारे आर्थिक/वाणिज्यिक संबंधों की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धियों में वेनेजुएला की नेशनल ऑयल कंपनी (पीडीवीएसए) और ओएनजीसी विदेश के बीच पूर्वी वेनेजुएला में सैन किस्टोबल ऑयल फील्ड (तेल

क्षेत्र) में तेल के उत्पादन और विकास गतिविधियों के लिए संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर, वीपीआरएल-वीडियोकोन संयुक्त-उद्यम द्वारा ब्राजील में 10 समुद्री ब्लॉकों में कनाडा की एन्काना कारपोरेशन के अधिकारों का अधिग्रहण, भारत से क्यूबा द्वारा लिए गए 128 करोड़ रुपये के वाणिज्यिक ऋण और ब्याज की माफी तथा एचएएल द्वारा इकुवाडोर को 7 एडवांस्ड लाइट (ध्रुव) हेलिकॉप्टरों की बिक्री शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन

भारत ने संयुक्त राष्ट्र संगठन में जारी सुधार प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा। भारत का यह प्रयास रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधिक स्वरूप में बढ़ोत्तरी हो, जिसके फलस्वरूप उसकी प्रभावकारिता बढ़ाई जा सके। अन्य सदस्य देशों के सहयोग से भारत ने सुरक्षा परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सुधार और महासभा को नया रूप देने के लिए काम करना जारी रखा।

समीक्षा अवधि के दौरान कई उच्च स्तरीय यात्राएं हुईं। प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने सितंबर, 2008 में महासभा के 63वें अधिवेशन में हिस्सा लिया। 27 सितंबर, 2008 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की कार्यसूची के बुनियादी पहलुओं में प्रगति की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने वैश्विक वित्तीय प्रणाली में संकट तथा विश्वव्यापी खाद्य एवं ऊर्जा संकट से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। वर्ष 2008 विकास के उन लक्ष्यों को हासिल करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का मध्य-बिन्दु था, जो सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के अंतर्गत तय किए गए थे। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने वैश्विक समृद्धि और कल्याण के अविभाज्य स्वरूप पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की भी चर्चा की और विश्व समुदाय का आह्वान किया कि इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत किया जाये। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में व्यापक समझौते (सीसीआईटी) को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

विदेशमंत्री ने 28 सितंबर, से 2 अक्टूबर, 2008 के दौरान न्यूयार्क की यात्रा की और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 63वें सत्र में हिस्सा लिया। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त राष्ट्र की यात्रा की थी ताकि 25 सितंबर, 2008 को सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की मध्यावधि समीक्षा के बारे में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का पक्ष रखा जा सके।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री बान-की-मून 30-31 अक्टूबर, 2008 के दौरान भारत की यात्रा पर आये और 31 अक्टूबर, 2008 को उन्होंने राजीव गांधी स्मारक व्याख्यान दिया। श्री बान की-मून 4-6 फरवरी, 2009 को फिर से भारत आए और दिल्ली स्थायी विकास सम्मेलन में हिस्सा लिया।

भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया कि विकास का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र की कार्यसूची में सर्वोपरि रहे, विशेष रूप से वैश्विक वित्तीय संकट और साथ ही खाद्य एवं ऊर्जा बाजार में आए संकट को देखते हुए विकास की अनदेखी न होने पाए। इस संदर्भ में इस बात की आवश्यकता पर पुनः बल दिया गया कि विकसित देश विकासशील देशों को अधिक सहायता, अधिक बाजार-पहुंच, ऋण राहत और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी अपने वायदे पूरे करें। भारत ने व्यापार, वित्त और आर्थिक निकायों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में विकास पर अधिक ध्यान सुनिश्चित करने के लिए विकासशील देशों की आवाज और भागीदारी को समुचित महत्त्व दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन और राष्ट्रमंडल में सक्रिय भागीदारी जारी रखी। विदेश मंत्री के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने 27-30 जुलाई, 2008 के दौरान तेहरान में 15वीं गुटनिरपेक्ष मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। ब्रिटेन में भारत के पूर्व उच्चायुक्त श्री कमलेश शर्मा, जिन्हें नवंबर, 2007 में राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना गया था, ने 1 अप्रैल, 2008 को कार्यभार संभाला और 16-22 अक्टूबर, 2008 तथा 4-11 फरवरी, 2009 के दौरान भारत की यात्रा की।

बहुपक्षीय आर्थिक संबंध

आलोच्य अवधि के दौरान बहुपक्षीय संबंधों की कार्यसूची पर आमतौर से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट, खाद्य वस्तुओं के ऊंचे दामों और ऊर्जा के मूल्यों में उतार-चढ़ाव का प्रभाव पड़ा। भारत ने असेम (एशिया-यूरोप बैठक), बिमस्टेक (बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी के प्रयास), ब्रिक (भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका), आईओआर-एआरसी (क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर परिधीय राष्ट्र संगठन), एसीडी (एशिया सहयोग वार्ता) आदि संगठनों के साथ सक्रिय भागेदारी जारी रखी। जहां कहीं वित्तीय संकट और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे खाद्य, सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और स्थायी विकास के बारे में भारत को अपना पक्ष प्रस्तुत करना पड़ा तो उसने उपरोक्त संगठनों के साथ भागीदारी और सहयोग का ध्यान रखा। प्रथम आईओआर-एआरसी फिल्म समारोह का आयोजन मार्च, 2007 में तेहरान में सातवीं आईओआर-एआरसी मंत्री परिषद में भारत द्वारा घोषित उपायों के हिस्से के सिलसिले में किया गया।

सचिव (ईआर) ने 10-11 मार्च, 2008 के दौरान रियो-द-जेनेरियो में आयोजित ब्रिक देशों के उपविदेश मंत्रियों की तैयारी बैठक में भारतीय शिष्ट मंडल का नेतृत्व किया। बैठक का आयोजन मई, 2008 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली औपचारिक बैठक की कार्यसूची तैयार करना था।

भारत ने इस अवधि के दौरान दूसरे बिमस्टेक (13/11/2008) और तीसरे इब्सा सम्मेलन, का आयोजन नई दिल्ली में किया। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने पेचिंग में असेम सम्मेलन, वाशिंगटन (15/11/2008) में जी-20 देशों के शिखर सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया और ब्रिक देशों के राष्ट्र/शासनाध्यक्षों के साथ अनौपचारिक बातचीत की। भारत और आसियान के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) के अंतर्गत “वस्तुओं में व्यापार” के बारे में समझौते के लिए बातचीत का पूरा होना भारत की ‘पूर्वाभिमुखी नीति’ की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि रही।

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम एवं विकास भागीदारी (डीपी)

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम भारत के तकनीकी और आर्थिक सहयोग प्रयासों के अंतर्गत एक प्रमुख कार्यक्रम है। भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को देखते हुए, भागीदार देशों के लिए भारत के तकनीकी सहयोग और विकास सहायता में बढ़ोतरी की गई और उसका विस्तार किया गया। इसमें क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अनुभवों के आदान-प्रदान पर विशेष बल दिया गया। इस सहयोग के दायरे में 158 विकासशील देश शामिल थे, जिनमें 139 देश आईटीईसी के अंतर्गत एशिया, अफ्रीका, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप और लैटिन अमरीका से संबद्ध थे जबकि 19 देश एससीएपी (अफ्रीकी देशों के लिए विशेष राष्ट्रमंडल सहायता कार्यक्रम) के अंतर्गत अफ्रीका से संबद्ध थे। 158 विकासशील देशों से करीब 5000 व्यवसायियों ने भारत में सरकारी और निजी क्षेत्र के संस्थानों द्वारा सिविल और सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत संचालित 200 से अधिक पाठ्यक्रमों में हिस्सा लिया। ये व्यवसायी सरकारी और अन्य क्षेत्रों

से संबंध थे। अफ्रीका, आईओआर-एआरसी, सीआईएस, अफगानिस्तान, लाओ पीडीआर और यमन के लिए प्रबंधन, डब्ल्यूटीओ मुद्दों, श्रम, लेखा परीक्षा आदि विभिन्न विषयों में विशेष पाठ्यक्रम भी आयोजित किए गए। सूचना प्रौद्योगिकी, लेखा परीक्षा, कानूनी विशेषज्ञता, औषधि विज्ञान, सांख्यिकी और जनसांख्यिकी, लोक प्रशासन, वस्त्र और कृषि जैसे विविध क्षेत्रों में भारतीय विशेषज्ञों को परामर्श एवं सहायता के लिए नियुक्त किया गया। वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी, लघु एवं मध्यम उद्यमों, सिविल निर्माण और व्यवसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में विश्व के विभिन्न भागों में अनेक परियोजनाएं चलाई गईं। भूकंप, चक्रवात, बाढ़ आदि से पीड़ित देशों को मानवीय सहायता भी पहुंचायी गयी।

निवेश और प्रौद्योगिकी संवर्द्धन (आईटीपी)

आर्थिक कूटनीति भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। दिन-ब-दिन परस्पर निर्भर और परस्पर संबंध होते जा रहे विश्व में आर्थिक कूटनीति पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। मंत्रालय ने आईटीपी डिवीजन के जरिए विदेशी निवेश और व्यापार को प्रोत्साहित एवं सुगम बनाने के लिए गहन प्रयास किए। आईटीपी ने विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की नीति संबंधी बैठकों और औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग तथा अर्थव्यवस्था में सुधार और उदारीकरण संबंधी अन्य नीतिगत बैठकों और निवेश प्रक्रिया सरलीकरण संबंधी बैठकों में हिस्सा लिया। आईटीपी डिवीजन ने भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने के सरकार के प्रयासों में पूरक भूमिका निभाई। उसने निवेशक समुदाय से संपर्क किया और निजी क्षेत्र, शीर्ष व्यापार मंडलों और विदेश स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से प्रोत्साहन गतिविधियों का आयोजन किया और उनके लिए धन की व्यवस्था की। विशेष प्रकाशनों के जरिए देश की छवि को निवेश के अनुकूल प्रस्तुत करते हुए विदेशी निवेश के लक्ष्य को और बढ़ावा दिया गया। इन प्रकाशनों में “इंडिया बिजनेस पार्टनर : इंवेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशन” आदि शामिल थे। इसके अतिरिक्त आईटीपी डिविजन की वेबसाइट (www.Indianbusiness.nic.in) का भी सहारा लिया गया।

लैटिन अमरीका, अफ्रीका और एशिया में विकासशील देशों को अनुदान और लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) (ऋण सहायता) सहित विकास सहायता हमारी आर्थिक कूटनीति का महत्वपूर्ण घटक है। सहायता करने वाली भारतीय कंपनियों को इन विकासशील देशों में परियोजनाओं के अनुबंध और वस्तुओं की आपूर्ति के आर्डर मिले। वहीं दूसरी ओर एलओसी यानी ऋण सहायता से इन क्षेत्रों में ढांचागत विकास में मदद मिली, जिससे भारत के प्रति काफी सद्भाव पैदा हुआ। 2008-09 के दौरान 16 विकासशील देशों के लिए 74.4 करोड़ अमरीकी डॉलर मूल्य के 17 ऋण मंजूर किए गए।

भारत के विकास के लिए ऊर्जा सुरक्षा के महत्व को देखते हुए मार्च, 2009 में पृथक ऊर्जा सुरक्षा डिविजन बनाया गया ताकि ऊर्जा मंत्रालयों और विदेश स्थित भारतीय मिशनों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके। इस डिविजन ने पेट्रोलियम गैस मंत्रालय के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें नवंबर, 2008 में हाइड्रोकार्बन के बारे में भारत-सीआईएस गोल मेज सम्मेलन और पेट्रोटेक-2009, भारत के ऊर्जा विकल्पों के बारे में सेमिनारों का आयोजन/सह-आयोजन, अधिक ऊर्जा वाले देशों और देशों और क्षेत्रों के बारे में अध्ययनों का संचालन जैसे कार्यक्रम शामिल थे। अन्य मंत्रालयों और वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों द्वारा आयोजित ऊर्जा सुरक्षा संबंधी सेमिनारों/सम्मेलनों में भी डिविजन की सक्रिय भागीदारी रही। इसने विदेश में ऊर्जा सहयोग और अवसरों के लिए काम करने वाली भारतीय कंपनियों को भी सहायता पहुंचायी। डिविजन ने तेल और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ मिलकर ऊर्जा के बारे में कार्यदल के गठन की भी पहल की।

नीति आयोजना और अनुसंधान

नीति आयोजना और अनुसंधान यानी पीपी एंड आर डिविजन ने नीति अनुसंधान और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखने वाले संस्थानों और व्यक्तियों के साथ घनिष्ठ सहयोग बनाए रखा और देश के विभिन्न भागों में स्थित शैक्षिक संस्थानों/विचारकों को वित्तीय सहायता प्रदान की ताकि वे हमारी विदेश नीति की आयोजना, प्रारूपण और कार्यान्वयन के लिए बहुमूल्य जानकारी जुटाने के वास्ते सम्मेलनों, सेमिनारों का आयोजन कर सकें, अनुसंधान पेपर तैयार कर सकें, भारत के विदेश संबंधों और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के बारे में विद्वानों का आदान-प्रदान कर सकें।

नीति आयोजना और अनुसंधान डिविजन ने कैबिनेट को मासिक विवरण भेजना जारी रखा। डिविजन ने मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट का संपादन और प्रकाशन भी किया। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के बारे में सरकार के दृष्टिकोण सहित राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में शेष विश्व के साथ भारत के परस्पर संपर्क का सार-संग्रह है।

वाणिज्यदूत, पासपोर्ट और वीजा सेवाएं

वर्ष के दौरान अमृतसर, देहरादून और कोयम्बटूर में 3 नए पासपोर्ट कार्यालय खोले गए। सभी 37 पासपोर्ट कार्यालय कंप्यूटरीकृत हैं और वे मशीन-मुद्रित तथा मशीन पठित पासपोर्ट जारी करते हैं।

2008-09 के दौरान कुल 53.15 लाख पासपोर्ट जारी किए गए, जिसमें 2007-08 में जारी पासपोर्ट की तुलना में करीब 6.5 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। सभी पासपोर्ट कार्यालयों से अर्जित धन भी बढ़कर 606 करोड़ रुपये पर पहुंच गया और उसमें 2007-08 की तुलना में करीब 5.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

मंत्रालय लोगों की सुविधा और आराम के लिए शीघ्रता और आसानी के साथ पासपोर्ट जारी किए जाने के वास्ते अनेक उपाय कर रहा है। जिला स्तर पर जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठ कायम किए गए हैं ताकि प्राप्ति और जांच की प्रक्रिया की कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके। सभी पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट के आवेदन ऑन लाइन प्रस्तुत करने की प्रणाली शुरू की गई है। 2008 के दौरान आवेदकों की सहायता तथा उनकी शिकायतों/कठिनाइयों का तेजी से समाधान करने के लिए सुविधा काउंटरों और हेल्प डेस्कों की भी स्थापना की गई।

भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट सेवा परियोजना प्रारंभ की गई है। जिससे उम्मीद की जा रही है कि पुलिस जांच के बाद तीन दिन के भीतर नए पासपोर्ट कर दिए जाएंगे। और पासपोर्ट संबंधी सभी अन्य सेवाएं एक दिन में उपलब्ध करा दी जाएंगी। प्रायोगिक परियोजना जुलाई-अगस्त, 2009 तक चंडीगढ़ और बैंगलूर में प्रारंभ हो जाने की उम्मीद है। 2010 तक इसे समूचे देश में लागू कर दिया जायेगा।

मंत्रालय ने विदेश स्थित 140 भारतीय मिशनों/चौकियों के संदर्भ में सीपीवी डिविजन, नई दिल्ली में मशीन पठित पासपोर्टों के केंद्रीकृत मुद्रण के लिए एक परियोजना सफलता पूर्वक कार्यान्वित की है।

प्रायोगिक परियोजना के हिस्से के रूप में अब अभी कूटनीतिक और सरकारी पासपोर्ट ई-पासपोर्ट के रूप में जारी किए जा रहे हैं। प्रायोगिक परियोजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर 2009 के अंत तक सामान्य श्रेणी में भी ई-पासपोर्ट प्रणाली शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। 2008 के दौरान मिस्र, अलसलवाडोर, होंडुरस, निकारगुआ, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की के साथ वीजा-छूट समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

ब्राजील, आस्ट्रेलिया, ईरान और मिस्र के साथ प्रत्यर्पण संधियों पर हस्ताक्षर किए गए। चेन्नई, हैदराबाद कोलकाता और गोवाहाटी स्थित मंत्रालय के शाखा सचिवालय कार्यालयों में 15 जून, 2008 से दस्तावेज के सत्यापन और टिप्पण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा 1,70,000 व्यक्तिगत और शैक्षिक दस्तावेज तथा 1,71,000 वाणिज्यिक दस्तावेज का सत्यापन किया गया। इसके अतिरिक्त 80,000 दस्तावेज अपॉस्टल किए गए, ताकि उनका इस्तेमाल विदेश में सदस्य देशों द्वारा किया जा सके।

प्रशासन

वर्तमान में विदेश में 171 रेजिडेंट इंडियन मिशन और चौकियां काम कर रही हैं। वर्ष के दौरान आइसलैंड में एक रेजिडेंट भारतीय मिशन की स्थापना की गई। निकट भविष्य में नाइजर, माली और गुवाटेमाला में तीन नए मिशन खोले जाएंगे। भारत के बढ़ते कूटनीतिक दायित्वों को देखते हुए मंत्रालय को कार्मिकों की कमी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए 10 वर्ष की एक योजना विकसित की गई है। इसके अंतर्गत मंत्रालय में चरणबद्ध तरीके से 514 अतिरिक्त चौकियां कायम की जाएंगी।

राजभाषा नीति और विदेश में हिंदी के प्रचार का कार्यान्वयन

10 जनवरी, 2008 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। केंद्रीय हिंदी संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने अध्ययनरत विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए हिंदी में निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई।

बाहरी प्रचार

बाहरी प्रचार डिविजन की मुख्य गतिविधियों में तात्कालिक पड़ोसी देशों और विश्व के अन्य प्रमुख देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में सूचना संप्रेषण पर ध्यान केंद्रित किया गया। डिविजन ने मुख्यालयों में सभी इस्तेमाल कर्ताओं के लिए मीडिया निगरानी परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य मंत्रालय के लिए मीडिया स्रोतों की निगरानी को सुचारू रूप प्रदान करना है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रिंट, वेब और इंटरनेट आधारित मीडिया पर व्यवस्थित ढंग से निगरानी रखी जाती है और इस्तेमाल कर्ताओं को वास्तविक समय आधार पर 5 दैनिक उत्पाद प्रदान किए जाते हैं।

डिविजन ने ईरान के राष्ट्रपति श्री अहमद निजाद, सीरिया के राष्ट्रपति डॉ. बशर अल-असद, मिस्र के राष्ट्रपति होस्ने मुबारक, नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्पकमल दहल “प्रचंड”, भूटान के प्रधानमंत्री श्री लियोन्वेन जिग्मी वाई. थिन्ले और रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति श्री अनातोली मेदवेदेव की यात्राओं से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाया और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में भारत के दृष्टिकोण को उजागर किया। डिविजन ने इन यात्राओं के दौरान विदेशी नेताओं के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलनों का भी आयोजन किया। भारत से संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में सरकारी प्रवक्ता और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विशेष संवाददाता सम्मेलनों का भी नियमित रूप से आयोजन किया गया। राष्ट्रपति की ब्राजील, मेडिको, चिली, वियतनाम और इंडोनेशिया यात्रा; प्रधानमंत्री की भूटान, जापान (जी-8 सम्मेलन), श्रीलंका (15वां सार्क सम्मेलन), अमरीका और फ्रांस (संयुक्त राष्ट्र महासभा और सिविल परमाणु सहयोग समझौता), चीन, ओमान और कतर

(द्विपक्षीय) यात्रा; उपराष्ट्रपति की कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान यात्रा तथा विदेश मंत्री की सऊदी अरब, पाकिस्तान, रूस, आस्ट्रेलिया, मिस्र और अमरीका यात्रा के बारे में विदेश प्रचार डिविजन द्वारा मीडिया प्रतिनिधिमंडलों की सुविधाएं प्रदान की गई।

जन कूटनीति

जन कूटनीति डिविजन भारत के भीतर और बाहर संपर्क गतिविधियों को अंजाम देने और व्यापक जनसमुदाय के समक्ष भारत की विदेश नीति को प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत और विदेश में अनुसंधानकर्ताओं, विचारकों, सिविल सोसाइटी, मीडिया और उद्योग के सहयोग से काम करता है।

पिछले वर्ष डिविजन ने भारत की विदेश नीति को प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत करने और अन्य देशों के साथ द्वितीय स्तर पर वार्तालाप करने के लिए अनेक सेमिनारों और सम्मेलनों का आयोजन किया। डिविजन द्वारा आयोजित गतिविधियों में भारत और विदेश से बड़ी संख्या में शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योग प्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों ने हिस्सा लिया। डिविजन की प्रमुख गतिविधियों में नेपाल, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और इथियोपिया के साथ हमारे संबंधों के बारे में सम्मेलनों का आयोजन शामिल था। डिविजन ने शीत युद्ध की समाप्ति, पूर्वोत्तर के विकास, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे विविध विषयों पर सम्मेलनों का भी आयोजन किया। अन्य देशों के नीति और जनमत निर्माताओं को आधुनिक भारत और हमारी चिंताओं तथा हितों से परिचित कराने के लिए डिविजन ने ब्रिटेन, मारीशस, दक्षिण अफ्रीका, तजाकिस्तान और ताईवान के शिष्ट मंडलों और 16 देशों से पीआईओ पत्रकारों के शिष्टमंडल की यात्राओं का आयोजन किया।

डिविजन द्वारा तैयार किए गए वृत्त चित्रों में भारत के हितों और देश की संस्कृति एवं धरोहर को प्रदर्शित किया गया। डिविजन द्वारा बनाए गए कुछ वृत्त चित्रों को अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में प्रदर्शित किया गया और उन्हें विशेष पुरस्कार/विशेष उल्लेख से सम्मानित किया गया। डिविजन की प्रमुख पत्रिका 'इंडिया पर्स्पेक्टिव' में विविध विषयों पर सामग्री प्रकाशित की जाती है। पत्रिका ने वर्ष के दौरान अपने प्रकाशन के 20 वर्ष पूरे किए। वर्ष के दौरान पत्रिका का एक वार्षिक अंक और भारतीय प्रकाशन एवं भारतीय सिनेमा के बारे में दो विशेषांक प्रकाशित किए गए।

विदेश सेवा संस्थान

भारत सरकार ने 1986 में विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई) की स्थापना की थी। इसका प्रमुख लक्ष्य विदेश मंत्रालय की भारतीय विदेश सेवा की व्यवसायिक प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करना है। विदेश सेवा संस्थान के नए भवन का औपचारिक उद्घाटन 14 नवंबर, 2007 को माननीय विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा किया गया था।

संस्थान ने अपनी गतिविधियों का विस्तार करते हुए विदेश मंत्रालय के सभी स्तरों के कर्मचारियों और अधिकारियों, अन्य सिविल सेवाओं और विदेशी राजनायिकों तथा संवाददाताओं के लिए पाठ्यक्रमों को उनमें शामिल किया है। एफएसआई विदेश मंत्रालय के स्टॉक, आईएफएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों, निदेशकों और संयुक्त सचिवों (2009 से) के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन और संचालन करता है। इसके अतिरिक्त यह अन्य सिविल सेवाओं, विदेशी राजनायिकों और कूटनीतिक पत्रकारों के लिए भी पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। 1979-80 बैच के संयुक्त सचिव स्तर के आईएफएस अधिकारियों के लिए अनिवार्य मध्यवर्ती सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एफएसआई

द्वारा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद के सहयोग से 13 अप्रैल से 01 मई, 2009 के दौरान किया गया।

2007 और 2008 बैचों के आईएफएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एफएसआई द्वारा 2007-09 के बीच किया गया, जिनमें आईआईएम, बेंगलूर जिला प्रशिक्षण और अन्य क्षेत्र यात्राओं के साथ संबद्धता भी शामिल थी। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक पूरा कर लेने के बाद 2007 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए बिमल सान्याल पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। 2008 बैच के आईएफएस परीक्षाधीन अधिकारियों ने अपना मिशन उन्मुखी पाठ्यक्रम 2009 में पूरा किया, जिसके अंतर्गत 10 परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने भूटान की यात्रा की।

विदेशी राजनायिकों के लिए व्यवसायिक पाठ्यक्रम (पीसीएफडी), जो विदेशी राजनायिकों के लिए एफएसआई का प्रमुख पाठ्यक्रम है, की शुरुआत 1992 में हुई थी। यह पाठ्यक्रम (4-6 सप्ताह की अवधि का) हर वर्ष करीब तीन बार आयोजित किया जाता है। 47वें पीसीएफडी का आयोजन फरवरी-मार्च, 2009 में किया गया और इसमें 100 से अधिक देशों से 1500 से अधिक विदेशी राजनायिकों को एफएसआई में प्रदर्शित किया जा रहा है। एफएसआई और यूक्रेन के विदेश सेवा संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अंतर्गत दोनों संस्थानों के बीच सहयोग का संस्थागत फ्रेमवर्क कायम करने का प्रावधान है। बांग्लादेश रोमानिया और चीन के शिष्टमंडलों ने एफएसआई का दौरा किया। इब्सा (भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका) देशों के राजनायिक संस्थानों के डीनों की दूसरी बैठक सितंबर, 2008 में एफएसआई में आयोजित की गई। इस अवसर पर “भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका सहयोग : चुनौतियां और अवसर” विषय पर एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया।

मित्र देशों के विशेष अनुरोधों के जबाब में एफएसआई ने अफगानिस्तान, कनाडा, इराक, लाओस, मालदीव (मालदीव के राजनायिकों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम 14 जुलाई, 2009 को प्रारंभ हुआ और 12 अगस्त, 2009 को संपन्न हुआ), नार्वे, फलीस्तीन, सूडान और वियतनाम के राजनायिकों के लिए विशेष पाठ्यक्रमों का भी आयोजन करता है। आसियान देशों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन 2006 से एक वार्षिक विशेषता बन गया है। भारत में विशेषज्ञतापूर्ण संस्थानों और शैक्षिक निकायों के साथ सक्रिय संपर्क के अलावा एफएसआई ने अन्य देशों के 34 विदेश सेवा संस्थानों के साथ संस्थागत संपर्क कायम किए हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान एफएसआई ने प्रमुख भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों तथा विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा कई विशेष व्याख्यानों का आयोजन किया। राष्ट्रीय रक्षा कालेज में 48वें पाठ्यक्रम में हिस्सा ले रहे विदेश रक्षा अधिकारियों ने एफएसआई का दौरा किया और उनके लिए एक व्याख्यान आयोजित किया गया।

विशिष्ट राजनायिकों को शामिल करके बनाई गई तथा श्री आबिद हुसैन की अध्यक्षता वाली आबिद हुसैन समिति ने 2009 में एक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया, जिसमें विदेश सेवा संस्थान को और उन्नत बनाने के बारे में उपयोगी सिफारिशें की गई हैं।

विदेश सेवा संस्थान का अध्यक्ष डीन होता है, जो विदेश मंत्रालय में सचिव के रैंक का अधिकारी है। यह संस्थान विदेश सेवा के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करता है। एफएसआई में बड़ी संख्या में मेहमान शिक्षक भी शामिल हैं, जो शैक्षिक और अनुसंधान समुदाय, विचारकों, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों, मीडिया, सार्वजनिक जीवन, उद्योग और व्यापार से संबद्ध विशेषज्ञों और सेवानिवृत्त लोकसेवकों में से चुने जाते हैं।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) का प्रमुख उद्देश्य भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध कायम करना, बहाल करना और सुदृढ़ करना तथा आपसी समझ-बूझ बढ़ाना है। परिषद की प्रमुख परियोजना, रवीन्द्र नाथ टैगोर केंद्र (आरटीसी), का उद्घाटन 01 जून, 2008 को पूर्व विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया।

परिषद ने प्रमुख सम्मेलनों, जैसे भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन, इबसा शिखर सम्मेलन, अरब लीग बैठक आदि के अवसर पर बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जिनमें विदेशी और भारतीय मंडलियों ने हिस्सा लिया। परिषद ने दक्षिण एशिया सांस्कृतिक समारोह, मल्हार समारोह और भारत में रहने वाले विदेशी कलाकारों द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य। 'भारत में रूसी वर्ष' मनाया जाना 2008 की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसके अंतर्गत अनेक उच्चस्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त परिषद ने विभिन्न देशों से 50 सांस्कृतिक टोलियों की मेजबानी की और दिल्ली तथा अन्य शहरों में उनके कार्यक्रमों का आयोजन कराया। परिषद ने स्वयंसेवी संगठनों और सांस्कृतिक संस्थानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की ताकि वे विस्तृत रूप से सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन कर सकें। विशिष्ट आगन्तुक कार्यक्रम के अंतर्गत परिषद ने विभिन्न देशों से 19 जाने-माने कलाकारों को आमंत्रित किया।

विदेश स्थित 21 भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों ने भारत की 'नरम शक्ति' को जोरदार ढंग से प्रोत्साहित करना जारी रखा। वर्ष के दौरान बीजिंग में भारतीय दूतावास की रिंग ने काम करना शुरू कर दिया और बैंकाक, कोआलालम्पुर, टोकियो और ढाका में नए विस्तारित सांस्कृतिक केंद्र खोलने की तैयारी की गई।

परिषद ने विदेश में सीरिया, मिस्र, नीदरलैंड, अर्जेंटीना और हंगरी में अनेक सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन किया, जिनमें विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल थे। आईसीसीआर के अध्यक्ष द्वारा 31 मार्च, 2009 को मॉस्को में 'रूस में भारतीय वर्ष' का उद्घाटन किया। परिषद ने 93 सांस्कृतिक शिष्टमंडलों को प्रायोजित किया जिन्होंने 73 देशों की यात्रा की। इसके अलावा विदेश स्थित अनेक प्रतिभाशाली कलाकारों को भी प्रायोजित किया गया और उन्हें यात्रा अनुदान प्रदान किया गया। परिषद ने विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययन संबंधी 21 दीर्घावधि और 12 अल्पावधि पीठों का संचालन भी जारी रखा।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र विदेशी विद्यार्थियों को भारतीय विश्वविद्यालय में प्रवेश की सुविधा प्रदान करना है। 2008-09 में परिषद ने विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत करीब 3200 विदेशी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की। इनमें 1778 नई छात्रवृत्तियां और 500 अफगान अध्ययन छात्रवृत्तियां शामिल थीं।

वर्ष के दौरान परिषद ने कटक और शिलांग में दो नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले ताकि पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में अपनी पहुंच बढ़ा सके। परिषद ने प्रमुख प्रदर्शनों का भी आयोजन किया, जिनमें भारतीय और विदेशी कला एवं मूर्तिकला का प्रदर्शन किया गया; 5 भाषाओं में 6 पत्रिकाएं प्रकाशित की और भारत में 24 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन में विभिन्न संगठनों/संस्थानों को सहायता भी प्रदान की।

भारत की राष्ट्रपति ने 18 नवंबर, 2008 को मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम मोहम्मद हुस्ने मुबारक को अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए 1995 के जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया। मौलाना अब्बुल कलाम स्मारक व्याख्यान 2009 श्री मार्टिन लूथर किंग तृतीय द्वारा दिया गया। इसका विषय था : "एक नई अहिंसक क्रांति"।

भारतीय विश्व कार्य परिषद

भारतीय विश्व कार्य परिषद (आईसीडब्ल्यूए) ने 2008 में एक वैचारिक संगठन के रूप में अपना विकास जारी रखा और भारत में विदेश मामलों के बारे में विचार-विमर्श के एक महत्वपूर्ण मंच की भूमिका निभाई। आईसीडब्ल्यूए ने द्विपक्षीय सहयोग के लिए 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनमें अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के सामरिक अध्ययन केंद्र (सीएसएस), न्यूजीलैंड इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स (एनआईआईए) वेलिंगटन, आस्ट्रेलियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स (एआईआईए) मेलबोर्न, अमीरात सेंटर फोर स्ट्रेटेजिक स्टडीज एंड रिसर्च (ईसीएसएसआर) अबु धाबी, एशिया सेंटर ऑफ बंगलौर और ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केंद्र (सीआरआरआईडी), चड़िगढ़ के साथ समझौता ज्ञापन शामिल हैं। परिषद ने भारत-सेंट्रल एशिया फाउंडेशन (आईसीएएफ), आईसीडब्ल्यूए और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, अल-फराबी कज़ाख़ नेशनल यूनिवर्सिटी, अल्माटी, कज़ाकिस्तान के बीच एक संयुक्त अध्ययन प्रायोजित किया, जिसका विषय था “राजनीतिक आधुनिकीकरण की समकालीन प्रक्रिया: मध्य एशियाई देशों और भारत के अनुभव।” परिषद ने 7 व्याख्यानों, 4 सेमिनारों/सम्मेलनों, 6 द्विपक्षीय वार्ताओं और 14 संदर्भ सामग्री सम्मेलनों, पुस्तक विमोचन/परिचर्चाओं का आयोजन किया। आईसीडब्ल्यूए पुस्तकालय का इस्तेमाल बड़ी संख्या में विद्वानों और विद्यार्थियों द्वारा किया जाना जारी रहा।

प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय की उपलब्धियां

प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना

सरकार ने 2 दिसंबर, 2005 से प्रवासी भारतीयों को भारत की नागरिकता देने की योजना (ओसीआई स्कीम) प्रारंभ की थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल के व्यक्तियों को आजीवन वीजा मुक्त भारत यात्रा सुविधा और विभिन्न प्रकार के आर्थिक शैक्षिक और सांस्कृतिक लाभ प्रदान करना था। 31 जुलाई तक सरकार द्वारा करीब 4.56 लाख ओसीआई दस्तावेज जारी किए गए।

प्रवासी कामगार संसाधन केंद्र (ओडब्ल्यूआरसी)

भावी प्रवासियों को अनियमित, अवैध प्रवास से जुड़े खतरों और प्रवासी रोजगार प्राप्त करने के समय बरती जाने वाली सावधानियों, प्रवासी उत्प्रवासियों की जरूरतों पर आधारित जानकारी देने के लिए प्रवासी कामगार संसाधन केंद्र की स्थापना की गई है। यह केंद्र सातों दिन और 24 घंटे टोल फ्री हेल्पलाइन टेलीफोन नंबर की सहायता से कार्य करता है।

प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद (सीपीओई)

वैश्वीकरण के दौर में बाजार की आवश्यकताओं पर शोध, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रोजगार अवसरों को पहचानने, हितधारकों तक बाजार की जानकारी को पहुंचाने, कौशलता में कमी के अंतर की भरपाई करने और इन अंतरों को बाटने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने, बाजार के बदलाव के अनुसार कूटनीति तैयार करने और भावी उत्प्रवासियों को वैश्वीकरण के कारण पैदा हुए अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक “थिंक टैंक” के रूप में कार्य करने के लिए प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद का गठन किया गया है।

प्रवासी भारतीय सुविधा केंद्र

प्रवासी भारतीय सुविधा केंद्र एक अलाभकारी संस्था है। यह केंद्र भारत में प्रवासी भारतीयों के निवेश को

प्रोत्साहित करने के लिए एकल खिड़की के रूप में काम करता है और प्रवासी भारतीयों को विविध प्रकार की व्यापार परामर्श सेवाएं और ज्ञान नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करता है।

भारतीय मूल के प्रवासियों के लिए विश्वविद्यालय

प्रवासी भारतीयों के बच्चों के लाभ के लिए सरकार ने भारतीय मूल के व्यक्तियों/प्रवासी भारतीयों के लिए बंगलौर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने का फैसला किया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रमों का संचालन करेगा। इसकी स्थापना मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ट्रस्ट, मणिपाल द्वारा की गई है। विश्वविद्यालय में 50 प्रतिशत सीटें पीआईओ/एनआरआई विद्यार्थियों के लिए होगी और शेष 50 प्रतिशत सीटें भारतीय छात्रों के लिए होंगी।

प्रवासी भारतीय केंद्रों की स्थापना

सरकार ने तीन प्रवासी केंद्रों की स्थापना दुबई, कोआलालमपुर और वाशिंगटन में की है। ये केंद्र प्रवासी भारतीय कामगारों को चिकित्सकीय, कानूनी और आर्थिक परामर्श उपलब्ध कराते हैं। अबुधाबी और वाशिंगटन में परामर्शदाता (सामुदायिक कार्य) की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है।

प्रवासी भारतीयों की भारत विकास फाउंडेशन

प्रवासी भारतीयों की भारत विकास फाउंडेशन, एक अलाभकारी न्यास के रूप में काम करती है। यह एक पंजीकृत संगठन है जो प्रवासी भारतीय परोपकारिता को भारत के समाजिक विकास में योगदान के लिए एक भरोसेमंद खिड़की प्रदान करता है। फाउंडेशन का लक्ष्य प्रवासी भारतीयों को परोपकारिक गतिविधियों में सुविधा पहुंचाना है। इसके लिए नवीन परियोजनाओं और साधनों का सहारा लिया जाता है, जैसे ग्रामीण उद्यमियों के लिए लघु ऋण, महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए स्वयं सहायता समूह, प्राथमिक शिक्षा में उत्कृष्ट पद्धति उपाय और ग्रामीण वितरण में प्रौद्योगिकी संबंधी उपाय।

ज्ञान का वैश्विक-भारतीय नेटवर्क

ज्ञान का वैश्विक भारतीय नेटवर्क (ग्लोबल आई एन के) एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मंच है जो वैज्ञानिक समेत विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय मूल के लोगों को आपस में जोड़ेगा और केवल उसी देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने क्षेत्र में विशेष स्थान दिलाएगा। यह नेटवर्क एक महत्वपूर्ण 'वास्तविक वैचारिक' बिंदु के रूप में काम करेगा। इसका अंतिम लक्ष्य विकास के बारे में विचारों का सृजन, विकास की चुनौतियों को पूरा करने में महत्वपूर्ण तत्वों की पहचान और मौलिक एवं प्रौद्योगिक संबंधी उपायों के जरिए समाधानों का विवरण और उनकी रूपरेखा तैयार करना है।

प्रवासी भारतीय और प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय

भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डायस्पोरा है। प्रवासी भारतीय समुदाय अनुमानतः 2.5 करोड़ से अधिक हैं। जो विश्व के हर बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। फिर भी किसी एक महान भारतीय डास्पोरा की बात नहीं की जा सकती। प्रवासी भारतीय समुदाय सैंकड़ों वर्षों में हुए उत्प्रवास का परिणाम है और इसके पीछे विभिन्न कारण रहे हैं जैसे वाणिज्यवाद, उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण। इसके शुरू के अनुभवों में कोशिशों, दुःख-तकलीफों और दृढ़ निश्चय तथा कड़ी मेहनत के फलस्वरूप सफलता का आख्यान है। 20वीं शताब्दी के पिछले तीन दशकों के उत्प्रवास का स्वरूप बदलने लगा है और

“नया डायस्पोरा” उभरा है जिसमें उच्च कौशल प्राप्त व्यावसायिक पश्चिमी देशों की ओर तथा अकुशल/अर्धकुशल कामगार खाड़ी, पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया की ओर ठेके पर काम करने जा रहे हैं।

इस प्रकार, प्रवासी भारतीय समुदाय एक विविध विजातीय और मिलनसार वैश्विक समुदाय है जो विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करता है। एक आम सूत्र जो इन्हें आपस में बांधे हुए है, वह है भारत और इसके आंतरिक मूल्यों का विचार। प्रवासी भारतीयों में भारतीय मूल के लोग और अप्रवासी भारतीय शामिल हैं और ये विश्व में सबसे शिक्षित और सफल समुदायों में आते हैं। विश्व के हर कोने में, प्रवासी भारतीय समुदाय को इसकी कड़ी मेहनत, अनुशासन, हस्तक्षेप न करने और स्थानीय समुदाय के साथ सफलतापूर्वक तालमेल बनाये रखने के कारण जाना जाता है। प्रवासी भारतीयों ने अपने आवास के देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान किया है और स्वयं में ज्ञान और नवीनता के अनेक उपायों का समावेश किया है।

प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (पीबीएसए)

प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का हिस्सा है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 2003 से दिया जा रहा है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है।

प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार की संशोधित मार्गदर्शिकाओं के अनुसार यह पुरस्कार किसी अप्रवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति अथवा संगठन अथवा संस्थान, जिसे अप्रवासी भारतीयों अथवा भारतीय मूल के लोगों द्वारा स्थापित किया गया हो, और जिसने निम्नलिखित कार्य किए हों:

- (क) भारत की विदेशों में बेहतर सूझबूझ के प्रति योगदान और भारत के उद्देश्यों और चिंताओं के प्रति वास्तविक रूप में सहायता;
- (ख) डायस्पोरा के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान;
- (ग) लोकोपकार और धर्मार्थ कार्य तथा भारत और विदेशों में सामाजिक और मानवीय कार्यों में उल्लेखनीय योगदान;
- (घ) आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भारत और इसके डायस्पोरा के बीच संबंधों को सुदृढ़ बनाने में उल्लेखनीय योगदान;
- (ङ) किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य में अपनी अलग पहचान, जिससे उनके निवास के देश में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी हो; अथवा
- (च) अपने कौशल से अपनी पहचान, जिससे उस देश में भारत का सम्मान बढ़ा हो (गैर व्यावसायिक कामगारों के लिए)।

पुरस्कार के लिए नामांकन विदेशों में भारतीय राजनयिकों मिशनो के प्रमुखों, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा यथानिर्णित राष्ट्रव्यापी स्तर की प्रमुख एसोसिएशन और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं द्वारा किए जा सकते हैं।

भारतीय मूल के 81 व्यक्तियों और एक प्रवासीय भारतीय संगठन राष्ट्रीय भारतीय संस्कृति संघ, त्रिनिडाड एवं टोबेगो को इस सम्मान से सुशोभित किया गया है।

मिनी-पीबीडी

‘पीबीडी सिंगापुर’ नाम के एक मिनी पीबीडी का आयोजन सिंगापुर भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (एसआईसीसीआई) और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की भागीदारी और सिंगापुर सरकार की सहायता से 9-11 अक्टूबर, 2008 के दौरान सिंगापुर में किया गया। समारोह का शीर्षक “पीबीडी सिंगापुर : गतिशील भारतीय डायस्पोरा की ओर” रखा गया था। सिंगापुर के राष्ट्रपति श्री एसआर नाथन, प्रधानमंत्री श्री ली हसिएन लूंग, उपप्रधानमंत्री प्रोफेसर एस. जयकुमार, वरिष्ठ मंत्री श्री गोचोक टोंग, मंत्री मेन्टर, श्री ली कुवान येव और वरिष्ठ राज्यमंत्री श्री एस ईश्वरन ने समारोह में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल और श्री वयालार रवि के अलावा मारीशस के प्रधानमंत्री और मलेशिया के वरिष्ठ मंत्रियों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

“पीबीडी यूरोप” नाम के एक अन्य मिनी पीबीडी का आयोजन 19 सितंबर, 2009 को नीदरलैंड में किया जा रहा है।

भारत के प्रवासी नागरिकों के लिए बाहरी नागरिकता योजना

प्रवासी भारतीयों की दोहरी नागरिकता की लगातार मांग खासकर उत्तर अमेरिका और अन्य विकसित देशों के प्रवासी भारतीयों की मांग को देखते हुए तथा सरकार की प्रवासी भारतीयों की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को निभाते हुए अगस्त, 2005 में प्रवासी भारतीयों के लिए “दोहरी नागरिकता” योजना के नागरिकता अधिनियम, 1995 में संशोधन के बाद लागू किया गया। इस योजना का शुभारंभ हैदराबाद में वर्ष 2006 में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान किया गया था। इस योजना के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश अथवा केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में निर्दिष्ट किए जाने वाले देश को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों, जो कि भारत के नागरिक थे अथवा 26 जनवरी, 1950 अथवा उसके बाद भारत के नागरिक बनने के लिए पात्र थे, को प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कराने की सुविधा देने की व्यवस्था है।

भारत के पंजीकृत प्रवासी नागरिकों को बहु-प्रवेश, बहुआयामी भारत भ्रमण के लिए आजीवन वीजा की पात्रता है। भारत के पंजीकृत प्रवासी नागरिक को क्षेत्रीय विदेश पंजीकरण अधिकारी अथवा विदेश पंजीकरण अधिकारी के यहाँ किसी भी अवधि तक भारत में रहने के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। उसे अप्रवासी भारतीय के समान आर्थिक, वित्तीय तथा शैक्षिक क्षेत्रों में सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मंत्रालय पंजीकृत प्रवासी भारतीयों के लाभ के लिए अन्य कार्य भी कर रहा है। मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि उन्हें भारत के अंदर घरेलू क्षेत्र में हवाई टिकट शुल्क में, नेशनल पार्क तथा अभ्यारण्य देखने के शुल्क में तथा देश में भारतीय बच्चा गोद लेने के मामले में अप्रवासी भारतीयों के समान माना जाएगा। जुलाई 2008 तक भारतीय मूल के 2,81,000 लोगों ने पंजीकरण करवाया है।

5 जनवरी, 2009 से निम्न मामलों के संबंध में प्रवासी भारतीय नागरिकता को अप्रवासी भारतीयों के समान माना जाएगा—

- (i) भारत में तीन राष्ट्रीय स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों तथा संग्रहालयों के लिए प्रवेश शुल्क
- (ii) संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारत में निम्न कार्य करने पर—
 - (अ) डॉक्टर, दंत-चिकित्सक, नर्स तथा फार्मासिस्ट
 - (ब) वकील

(स) वास्तुविद

(द) चार्टर एकाउंटेंट

- (iii) संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन्हें दाखिले के लिए आल इंडिया प्री-मेडिकल तथा ऐसी ही परीक्षाओं में बैठने की अनुमति होगी।

अधिसूचना के उचित तथा सुचारू कार्यान्वयन के लिए संबद्ध मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों को आवश्यक प्रावधान करने के लिए कहा गया है।

भारतीय प्रवासी नागरिकता को दोहरी नागरिकता नहीं समझना चाहिए। इससे उस व्यक्ति को राजनैतिक अधिकार नहीं मिलते। भारतीय प्रवासी नागरिकता योजना की प्रक्रिया तथा विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर उपलब्ध है। 31 जुलाई, 2009 तक भारतीय मूल के 4.56 लाख व्यक्तियों ने भारतीय प्रवासी नागरिकता के तहत पंजीकरण कराया।

प्रवासी भारतीय बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना

शैक्षिक सत्र 2006-07 में इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा को प्रवासी भारतीयों के बच्चों की पहुंच में लाना और भारत को शिक्षा के लिए केंद्र के रूप में संवर्धित करना है।

वर्तमान में मंत्रालय द्वारा भारतीय मूल के व्यक्तियों और प्रवासी भारतीय के 100 बच्चों को इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कला, वाणिज्य, प्रबंधन, पत्रकारिता, होटल प्रबंधन, कृषि, पशुपालन इत्यादि क्षेत्र में छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। अभी तक इस योजना के अंतर्गत 205 छात्रों को लाभ प्राप्त हुआ है। इस योजना के अंतर्गत संस्थान की कुल आर्थिक लागत (जिसमें ट्यूशन फीस, होस्टल फीस इत्यादि) का 75 प्रतिशत का वित्त पोषण, जिसमें 3600 अमरीकी डालर प्रति छात्र प्रति शिक्षा सत्र की सीमा तक, किया जाता है। विद्यार्थियों का चयन एडू सीआईएल द्वारा एक प्रवेश परीक्षा के आधार पर 40 चिह्नित देशों, जिनमें प्रवासी भारतीयों की संख्या काफी अधिक है, में किया जाता है।

भारतीय मूल के लोगों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना

प्रवासी भारतीय के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति तथा उच्चतम स्तर पर दी गई वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रवासी भारतीयों के बच्चों को लाभान्वित करने के लिए एक भारतीय मूल के लोगों अनिवासी भारतीय के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय का स्तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत “डीम्ड विश्वविद्यालय” का होगा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना कर्नाटक, बंगलौर में मणिपाल उच्च शिक्षा ट्रस्ट अकादमी, मणिपाल द्वारा की जाएगी।

भारत में विभिन्न शहरों (बंगलौर के अलावा) चार और पीआईओ/एनआरआई विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव पास हुए हैं। ये प्रस्ताव एक विज्ञापन के संदर्भ में मिले हैं, जिसमें इस प्रयोजन के लिए हित प्रदर्शित करने की मांग की गई थी।

भारत जानो कार्यक्रम

मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष 2 से 3 भारत जानों कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यह कार्यक्रम पहले “इंटरशिप प्रोग्राम फॉर डायस्पोरा यूथ” के नाम से जाना जाता था। यह 18-26 वर्ष की आयु वालों के लिए प्रशिक्षु कार्यक्रम है जिसके तहत भारत में हो रही औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक और वन्य क्षेत्रों में

हो रहे विकास के साथ भारत में जीवन के विभिन्न पक्षों की जानकारी देना, भारत की मिश्रित विशेषताओं के अलावा देश के विभिन्न पक्षों की जानकारी देना, भारत की मिश्रित विशेषताओं के अलावा देश के विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं से उनका परस्पर विचार-विमर्श करना शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा प्रवासी भारतीयों को उनके वंशजों की भूमि के नजदीक लाना और समसामयिक भारत से उनके जुड़ाव को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रवासी भारतीय वाले प्रमुख 39 देशों से प्रतिभागियों को तीन हफ्ते के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया तथा उन्हें राष्ट्रपति, प्रवासी भारतीय मामले मंत्री, युवा एवं खेल मंत्री और अन्य से मिलवाया गया। अभी तक आठ ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा चुका है। 11 ऐसे भारत जानो कार्यक्रम 21 मार्च, 2009 से 12 अप्रैल, 2005 के बीच आयोजित किये गये। 11 देशों के 34 अप्रवासी भारतीय इसमें शामिल हुए। अभी तक इस कार्यक्रम के तहत 235 युवा लाभान्वित हुए हैं।

उत्प्रवास की प्रवृत्तियां

विश्वभर में लगभग 55 लाख प्रवासी भारतीय कामगार हैं। इसमें से 90 प्रतिशत से अधिक कामगार प्रवासी भारतीय खाड़ी देशों और दक्षिण पूर्व एशिया में हैं। वर्ष 2007 के दौरान लगभग 8.09 लाख भारतीयों के उत्प्रवास स्वीकृति के साथ उत्प्रवास किया। इनमें से लगभग 3.12 लाख, 1.95 लाख, 95 हजार और 48 हजार कामगार क्रमशः संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान कतार और कुवैत में गए। यह उत्प्रवासी मुख्यतः तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के थे।

भारत में पिछले कुछ वर्षों में उत्प्रवासी कामगारों का पलायन मुख्यतः खाड़ी देशों में हुआ है जहां अनुमानतः लगभग 40 लाख कामगार नियोजित हैं। उत्प्रवासियों की बहुतायत मध्य-पूर्व जिनमें खाड़ी देश शामिल है, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों की है और उनमें से अधिकांश अस्थायी उत्प्रवासी हैं जो अपने रोजगार की संविदा पूरी होने पर भारत लौट आते हैं। 2003 के बाद से विदेशों में रोजगार के लिए उत्प्रवास संरक्षी के 8 कार्यालयों द्वारा दी जाने वाली उत्प्रवास स्वीकृतियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। जो 2003 में 4.66 लाख से बढ़कर 2007 में 8.07 लाख पहुंच गयी है। संयुक्त अरब अमरीका कामगारों के लिए उत्प्रवास का मुख्य स्थान है इसके बाद सऊदी अरब का नंबर आता है। 2005 तक खाड़ी क्षेत्र के बाहर भारतीय जनशक्ति को मलेशिया द्वारा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण और निरंतर वृद्धि हुई है। 2006 और 2007 में काफी कमी देखने में आई है। इन देशों में भारतीय कामगारों के लिए रोजगार की काफी संभाव्यता है।

प्रस्थान पूर्व ओरिएंटेशन और कौशल उन्नयन

प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर 2006-07 के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रस्थान पूर्व ओरिएंटेशन और कुशलता उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने और विश्व स्तर पर प्रतियोगिता करने लायक बनाने में श्रमिकों की मदद करना है।

वर्ष 2007-08 के दौरान, इस योजना को विस्तार कर इसमें कई अन्य एजेंसियों जैसे सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय, सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, और स्वयं सेवी संगठनों को शामिल किया गया है। संभावित उत्प्रवासियों के लिए प्रस्थान पूर्व ओरिएंटेशन और कौशल उन्नयन योजना को और अधिक संशोधित किया गया है तथा प्रति इकाई व्यय पहले के 1350 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। नए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार यह योजना 100 प्रतिशत केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

पिछले वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों को 5.00 करोड़ रुपये जारी किए गए।

प्रवासी भारतीय केंद्रों की स्थापना

सरकार ने विदेशों में काम कर रहे भारतीय मजदूरों को चिकित्सा, कानूनी और वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराने के लिए दुबई, कोआलालम्पुर तथा न्यूयार्क में तीन भारतीय केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

वाशिंगटन, दुबई और कुआलालम्पुर के भारतीय मिशनों में प्रवासी भारतीय कार्य मामले केंद्र क्षेत्रीय संगठन के रूप में स्थापित किए गए हैं। इनमें परामर्शक सामुदायिक मामले (विकास) के तीन पदों को स्वीकृत किया गया है। वाशिंगटन स्थित परामर्शक अमरीका और कनाडा में, दुबई स्थित परामर्शक खाड़ी देशों और कुआलालम्पुर स्थित परामर्शक मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई में प्रवासी भारतीय समुदाय के हितों की रक्षा करेंगे। स्वास्थ्य, कानूनी और वित्तीय क्षेत्रों में जुड़े क्षेत्रीय पेशेवर इन परामर्शक की सहायता करेंगे। इन कार्यालयों में इन सेवाओं को अनुभव के आधार पर अन्य देशों में भी शुरू किया जाएगा।

अबुधाबी और वाशिंगटन में परामर्शकों (समुदाय कार्य) ने कार्यभार संभाल लिया है और इन केंद्रों ने काम करना शुरू कर दिया है।

मानव श्रम पर द्विपक्षीय समझौता

खाड़ी देशों से भारतीय कामगारों की समस्याओं की शिकायतें मिलती रहती है। इनमें प्रायः मजदूरी न दिए जाने अथवा देर से दिए जाने, कामकाज और रहने की कठिन परिस्थितियां, कामगारों के अनुबंध में एकपक्षीय बदलाव, नियोक्ता द्वारा पासपोर्ट अपने पास रखना, दलालों द्वारा धोखा देना, शारीरिक और यौन उत्पीड़न इत्यादि प्रमुख हैं।

इन समस्याओं से प्रवासियों को संरक्षण देने के लिए श्रमिकों की नियुक्ति के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की आवश्यकता है। भारत में 1980 के दशक में जोर्डन और कतर के साथ इस आशा से श्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आपसी हितों की सुरक्षा के लिए भारत और कतर के बीच मौजूदा श्रम समझौते के अतिरिक्त एक समझौते पर हाल ही में नवंबर, 2007 में हस्ताक्षर किए गए।

भारतीय श्रमिकों के संरक्षण और उनकी खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, बहरीन और मलेशिया के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

सऊदी अरब ने अभी समझौता ज्ञापन पर बातचीत करने के लिए मंजूरी नहीं दी। समझौता ज्ञापनों में मोटे तौर पर निम्नलिखित सिद्धांतों को शामिल किया गया है :

1. रोजगार के अवसर बढ़ाने और कामगारों के संरक्षण और कल्याण में द्विपक्षीय सहयोगी की अपनी इच्छा की घोषणा।
2. व्यापक प्रक्रिया का विवरण जिसे विदेशी नियोक्ता भारतीय कामगारों की भर्ती के लिए अपनाएंगे।
3. समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त कार्यकारी दल गठित किया जाएगा और द्विपक्षीय श्रम समस्याओं के समाधान के लिए बैठक नियमित रूप से होगी।
4. भर्ती और रोजगार की शर्तें दोनों देशों के कानूनों के अनुरूप होंगी।

5. मेजबान देश संगठित क्षेत्र में कामगारों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वैधानिक और प्रशासनिक उपाय करेंगे।

द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते

अधिकांश विकसित देशों में कानून द्वारा शासित देश एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कवच है। इसका वित्त पोषण सभी कार्यरत लोगों और उनके नियोक्ताओं (एक निर्धारित अनुपात में) द्वारा कर के रूप में अनिवार्य अंशदान द्वारा किया जाता है ताकि वृद्धावस्था पेंशन, उत्तरजीवी की पेंशन, विकलांगता पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और बेरोजगारी बीमा आदि, विविध लाभ प्रदान किए जा सकें। सामान्यतः यह सामाजिक सुरक्षा कर अधिकतम एक मुश्त सीमा के आधार पर आय के प्रतिशत के रूप में होता है। सभी प्रवासी कामगारों को उस देश के कानून के अनुसार भी सामाजिक सुरक्षाकर अदा करना होता है।

प्रायः हमारे कामगार व्यावसायिक हैं जिन्हें उनके भारतीय नियोक्ताओं द्वारा इन देशों में अल्पावधि के लिए भेजा जाता है। इस अवधि के दौरान वे भारतीय कानून के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा अंशदान करते रहते हैं। इस प्रकार उन्हें इस अवधि के दौरान देशों में अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत भुगतान करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भारतीय कामगारों को प्रायः उनके द्वारा विदेशों में किए गए सामाजिक सुरक्षा अंशदान का कोई लाभ नहीं मिलता, जब वे स्वदेश लौटते हैं अथवा अपनी संविदा अवधि पूरी होने पर किसी अन्य देश में जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अधिकांश देश सामाजिक सुरक्षा लाभ के निर्यात की अनुमति नहीं देते हैं। इसी प्रकार इन देशों में स्वरोजगार में लगे भारतीयों को भी समूचे सक्रिय जीवन में योगदान के बावजूद वृद्धावस्था में वापस भारत आने के मामले में सामाजिक सुरक्षा लाभ से वंचित होना पड़ता है। भारतीयों को अक्सर वृद्धावस्था में स्वदेश लौटना पड़ता है। आमतौर पर मेजबान देश के कानून के अंतर्गत अंशदान की न्यूनतम अवधि निर्धारित होती है, जिसे पूरा करने पर ही सामाजिक सुरक्षा लाभ का पात्र समझा जाता है। किंतु उस अवधि से कम अवधि के लिए मेजबान देश में रहने और सामाजिक सुरक्षा अंशदान करने की स्थिति में श्रमिक को समूचे अंशदान से हाथ धोना पड़ता है। इसका एक नुकसान यह भी है कि सामाजिक सुरक्षा कर की ऊंची दर होने के कारण इन देशों में परियोजनाओं के लिए बोली लगाते समय भारतीय कंपनियों को कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौतों से दोतरफा आधार पर श्रमिकों को मेजबान देश के कानून के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योगदान से छूट मिल सकती है (बशर्त श्रमिक स्वदेश में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत आता हो और विदेश में नियुक्ति के दौरान उसने उस प्रणाली के तहत अपना अंशदान निरंतर किया हो), और अन्य श्रेणियों के उन श्रमिकों के लिए पेंशन के निर्यात की व्यवस्था की जा सकती है जिन्होंने मेजबान देश के कानून के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा अंशदान किया हो। न्यूनतम अंशदान अवधि के नाम पर अंशदान की क्षति रोकने के लिए उन्हें दोनों देशों के कानूनों के अंतर्गत अंशदान अवधियों को जोड़ने की सुविधा दी जाएगी। ऐसे समझौतों से दोनों अनुबंधकर्ता देशों की कंपनियों को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने में मदद मिलेगी क्योंकि उनके कर्मचारियों के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलने पर लागत में महत्वपूर्ण कमी आयेगी।

प्रवासी भारतीय मामले में मंत्रालय ने हाल ही में बेलजियम के साथ द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत-बेलजियम समझौता बेलजियम में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों को पारस्परिक आधार पर निम्नांकित लाभ प्रदान करता है:

1. बेल्जियम में 60 महीनों तक नियुक्त उत्प्रवासियों की बेल्जियम कानून के तहत सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी बशर्ते वे भारत में सामाजिक सुरक्षा अंशदान करते रहे हों।
2. बेल्जियम के कानून के तहत अंशदान करने वालों का अनुबंध समाप्ति अथवा अवकाश प्राप्ति पर सामाजिक सुरक्षा लाभों को भारत अथवा किसी तीसरे देश जहां वे बस गए हैं, वहां भेजा जा सकता है।
3. ये सभी लाभ किसी भारतीय कंपनी द्वारा किसी अन्य देश से बेल्जियम में नियुक्त भारतीय कामगारों को भी उपलब्ध होंगे।
4. बेल्जियम में स्वरोजगार में लगे भारतीय जो कि बेल्जियम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में अंशदान करते हैं, भी भारत या किसी तीसरे देश में बसने की स्थिति में अपने लाभों को निर्यात करने के हकदार होंगे।
5. पेंशन प्राप्त करने की पात्रता के लिए दोनों देशों में रोजगार की अवधि जोड़ी जाएगी।
6. भारतीय कंपनियां बेल्जियम में और अधिक स्पर्धात्मक हो पाएंगी क्योंकि उनके कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा अंशदान में छूट प्राप्त होगी जिससे उनके व्यय में काफी कमी आयेगी।

फ्रांस और जर्मनी के साथ भी द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

मंत्रालय ने नीदरलैंड, चेक गणराज्य, लक्समबर्ग, स्वीजरलैंड और हंगरी गणराज्य के साथ ऐसे ही समझौते करने के बारे में बातचीत पूरी कर ली है और समझौतों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, जिन पर शीघ्र हस्ताक्षर किए जाएंगे। कनाडा, आस्ट्रेलिया, डेनमार्क और स्वीडन के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया चल रही है। कई अन्य देशों के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू की गई है। अमरीका के साथ भी संभावनाएं तलाशने के लिए दो दौर की बातचीत हो चुकी है।

प्रवासियों का बीमा

2003 में प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर सरकार ने रोजगार के लिए विदेश जा रहे प्रत्येक प्रवासी के लिए अनिवार्य बीमा योजना की घोषणा की। इस घोषणा के अनुपालन में 25 दिसंबर, 2003 से प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) 2003 को लागू किया गया।

पीबीबीवाई, 2003 को अद्यतन करके प्रवासी भारतीय बीमा योजना, 2006 बना दिया गया है। इसके अंतर्गत उत्प्रवासी कामगारों को और अधिक कवरेज प्राप्त होगी। पीबीबीवाई, 2006 एक फरवरी, 2006 से लागू हो चुकी है। 28 फरवरी, 2008 के आदेश के अंतर्गत इस योजना को और उन्नत किया गया है ताकि प्रवासी श्रमिकों को अधिक लाभ दिया जा सके। प्रवासी कामगारों को अब कम से कम 10 लाख रुपये का बीमा कवर (5 लाख रुपये के बजाय) मिलेगा और यह पॉलिसी रोजगार अनुबंध की समूची अवधि के लिए लागू होगी। इसके अतिरिक्त उनके रोजगार से संबंधित कानूनी खर्चों के लिए 30 हजार रुपये का अतिरिक्त कवर भी मिलेगा। योजना के अंतर्गत 75 हजार रुपये तक के चिकित्सा तथा 25 हजार रुपये मातृत्व लाभ खर्चों को भी कवर किया जाएगा।

भारतीय प्रवासी रोजगार परिषद

मंत्रालय ने प्रवासी रोजगार संवर्धन के लिए एक परिषद की स्थापना की है। इसका संशोधित नाम भारतीय प्रवासी रोजगार परिषद (आईसीओई) रखा गया है। यह परिषद बाजार अनुसंधान करने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार में रोजगार के अवसरों का पता लगाने, बाजार में मांग को देखते हुए कौशल

विकसित करने, गतिशील अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार के प्रत्युत्तर में नीतियां तय करने और वैश्वीकरण के जनसांख्यिकीय लाभों को भारतीय प्रवासियों तक पहुंचाने के लिए “थिंक टैंक” यानी वैचारिक संगठन के रूप में कार्य करेगी। परिषद का गठन एक पंजीकृत परिषद के रूप में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया गया है।

कल्याण कोष

मंत्रालय ने सभी ईसीआर देशों के भारतीय मिशनों की इच्छानुसार “भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ)” की स्थापना की है। इससे भारतीय मिशन प्रवासी भारतीय नागरिकों के कल्याण से संबंधित गतिविधियों पर किए जाने वाले आकस्मिक व्यय को पूरा कर सकेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय सभी 17 इमिग्रेशन क्लीअरेंस रेकवायर्ड (ईसीआर) देशों में भारतीय मिशनों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ताकि वे मेजबान देशों में संकट में फंसे श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च कर सकें।

प्रस्तावित कोष का उद्देश्य आवश्यकतानुसार निर्मांकित सेवाओं के लिए धन की व्यवस्था कर रहे हैं :

1. घरेलू पारिवारिक क्षेत्रों और अर्धकुशल कारीगरों में से व्यथित प्रवासी भारतीय के लिए-रहने की व्यवस्था के लिए।
2. दिवंगत प्रवासी भारतीय के पार्थिव शरीर को, जबकि उनका प्रायोजक इसका खर्च उठाने की क्षमता न रखता हो अथवा यह खर्च उठाना न चाहता हो, तथा उनका परिवार भी इस खर्च को उठाने की क्षमता न रखता हो, भारत अथवा श्मशान भूमि/कब्रिस्तान तक ले जाने का खर्च कोष से दिया जाएगा।
3. जरूरतमंद प्रवासी भारतीयों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए।
4. किसी देश में फंसे प्रवासी भारतीय को हवाई जहाज द्वारा निकालने के लिए।
5. आवश्यक मामलों में जरूरतमंद प्रवासी भारतीय को प्राथमिक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए।

श्रम गतिशीलता भागीदारी

श्रम गतिशीलता भागीदारी के जरिए द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक प्रभावकारी फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है जिससे श्रम गतिशीलता का अधिकतम लाभ उठाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग किया जा सकता है और जोखिम को कम से कम किया जा सकता है। इसके जरिए लक्षित देशों के सरोकारों, जैसे अनियमित आब्रजन और एकीकरण संबंधी समस्याओं, से भी प्रभावकारी ढंग से निपटा जा सकेगा। यह दोनों भागीदारों को एक ऐसा अवसर प्रदान करेगा कि वे श्रमिकों के आब्रजन में बेहतर पद्धतियों का संयुक्त रूप से विकास कर सकेंगे और उन्हें लागू कर सकेंगे।

प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय यूरोपीय संघ में महत्वपूर्ण लक्षित देशों के साथ श्रम गतिशीलता भागीदारी कायम करने के लिए उपयुक्त उपाय कर रहा है। हाल ही में श्रम गतिशीलता भागीदारी के लिए डेनमार्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए मंत्रालय ने स्वीडन और फ्रांस के साथ भी श्रम गतिशीलता समझौतों के लिए बातचीत की प्रक्रिया प्रारंभ की है।

चूंकि भारत और यूरोपीय संघ के देशों की जरूरतें पूरक हैं, इसलिए प्रस्तावित श्रम गतिशीलता

भागीदारी से दोनों पक्षों को व्यापाक लाभ होगा। मंत्रालय भारत-यूरोपीय संघ के बीच श्रम गतिशीलता भागीदारी के लिए बातचीत के उपाय भी कर रहा है।

प्रवासी भारतीय सुविधा केंद्र (ओआईएफसी)

प्रवासी भारतीय सुविधा केंद्र (ओआईएफसी) एक अलाभकारी संस्था है। इसकी स्थापना भारतीय उद्योग परिसंघ की भागीदारी से की गई है। यह केंद्र भारत में प्रवासी भारतीयों के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एकल खिड़की के रूप में काम करता है और प्रवासी भारतीयों को विविध प्रकार की व्यापार परामर्श सेवाएं और ज्ञान नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करता है।

इस केंद्र के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- प्रामाणिक और सम-सामयिक जानकारी प्रदान करते हुए भारत में प्रवासी भारतीय निवेश को प्रोत्साहित करना।
 - निवेश संबंधी समस्त जानकारी के लिए क्लीयरिंग हाउस के रूप में कार्य करना। आईसीटी प्लेटफार्म के जरिए वास्तविक समयाधार पर जानकारी प्रोसेस करके इस कार्य को अंजाम दिया जाएगा।
 - प्रवासी भारतीयों, जो ज्ञान डायस्पोरा के रूप में काम करेंगे और जिनके ज्ञान संसाधनों का इस्तेमाल आईसीटी प्लेटफार्म द्वारा किया जा सकेगा, के बारे में डाटाबेस कायम करते हुए एक डायस्पोरा ज्ञान नेटवर्क (डीकेएन) की स्थापना करना और उसका संचालन करना।
 - बुनियादी ढांचा और सामाजिक क्षेत्रों में प्रवासी भारतीयों के निवेश अवसरों को प्रदर्शित करने में भारत में राज्यों की सहायता करना। ओआईएफसी का उद्देश्य भारतीय राज्यों, भारतीय व्यापारियों और संभावित प्रवासी निवेशकों को समान प्लेटफार्म पर लाना तथा निवेशकों को निवेश के अवसर की पहचान में मदद पहुंचाना है।
 - पीआईओ और एनआरआई को परामर्श सेवाएं प्रदान करना। इनमें वाणिज्य दूतावास संबंधी सवाल, भारत में प्रवास, निवेश और वित्तीय मुद्दों आदि से संबंधित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।
- 2008 के दौरान ओआईएफसी ने सिंगापुर में मिनी पीबीडी में एक बाजार स्थल का आयोजन किया। संभावित निवेशकों के साथ आमने-सामने बैठकें कराई गई। पीबीडी 2009 में ऐसे ही बाजार स्थल का आयोजन चेन्नई में किया गया।

भारत में निवेश लाने का उद्देश्य हासिल करने के लिए ओआईएफसी ने आठ क्षेत्रों में 'निवेशक जानकारी बैठकों' के आयोजन की योजना बनाई, ताकि भारतीय कंपनियों से विभिन्न श्रेणियों के विशेष उत्पादों और परियोजनाओं को प्रवासी भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके और भू-संपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल आदि में उनसे निवेश प्राप्त किया जा सके। पहचान किए गए क्षेत्रों में मध्य पूर्व, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, अमरीका और मलेशिया शामिल है। ऐसी पहली बैठक नवंबर, 2008 में ओमान में आयोजित की गई। इसका संभावित निवेशकों पर रचनात्मक प्रभाव पड़ा।

ओआईएफसी ने प्रवासी भारतीयों के लाभ के लिए अद्यतन प्रकाशनों-हैंडबुक फॉर ओवरसीज इंडियन और कंपेन्डियम ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑपरच्युनिटीज इन इंडिया-को भी प्रकाशित किया।

प्रवासी भारतीयों का भारत विकास फाउंडेशन

प्रवासी भारतीयों की भारत विकास फाउंडेशन, एक अलाभकारी न्यास के रूप में काम करती है। यह एक

पंजीकृत संगठन है जो प्रवासी भारतीय परोपकारिता को भारत के समाजिक विकास में योगदान के लिए एक भरोसेमंद खिड़की प्रदान करता है। फाउंडेशन का लक्ष्य प्रवासी भारतीयों को परोपकारिक गतिविधियों में सुविधा पहुंचाना है। इसके लिए नवीन परियोजनाओं और साधनों का सहारा लिया जाता है, जैसे ग्रामीण उद्यमियों के लिए लघु ऋण, महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए स्वयं सहायता समूह, प्राथमिक शिक्षा में उत्कृष्ट पद्धति उपाय और ग्रामीण वितरण में प्रौद्योगिकी संबंधी उपाय।

फाउंडेशन का संचालन प्रमुख न्यासियों के बोर्ड द्वारा किया जाता है और सरकार इस पर नियंत्रण रखती है। फाउंडेशन का उद्देश्य दानकर्ताओं और भारत में सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले भरोसेमंद गैर सरकारी और अलाभकारी स्वयंसेवी संगठनों के बीच भागीदारी कायम करते हुए प्रमुख प्रवासी भारतीयों की परोपकारिता पूंजी को भारत के सामाजिक क्षेत्र में लाना है।

न्यास के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :

1. प्रवासी भारतीय परोपकारियों को भारत में प्रेरित करना, एकल खिड़की सुविधा के जरिए भागीदारी में मदद पहुंचाना और सरकारी-निजी भागीदारी कायम कराना।
2. भारत में 'सामाजिक पूंजी और परोपकारिता नेटवर्क' की स्थापना और उसका रख-रखाव, जो भरोसेमंद संस्थानों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों की सूची प्रदान कर सके।
3. परोपकारिता संबंधी जानकारी के लिए क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करना।
4. भारत में राज्यों से भागीदारी और भरोसेमंद भारतीय परोपकारिक संगठनों को प्रोत्साहित करना ताकि वे ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण सहित ऐसे क्षेत्रों में प्रवासी भारतीयों के समक्ष सामाजिक विकास के अवसरों को प्रदर्शित कर सके, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से बेहतर ढंग से मेल खाते हों।
5. डायस्पोरा परोपकारिता में जबाबदेही और 'बेहतर पद्धतियों' को प्रोत्साहित करना।

वैश्विक-भारतीय जानकारी नेटवर्क (ग्लोबल आईएनके)

हाल के वर्षों में विश्वभर में महत्वपूर्ण डायस्पोरा के उदय से दो महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान केंद्रित हुआ है। पहला यह कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से बड़ी संख्या में कुशल लोगों की आबादी विकसित देशों में प्रवासित हुई है। दूसरे, प्रवासित समुदाय मूल देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हो सकते हैं और जुटा सकते हैं। उच्च प्रशिक्षित और कम प्रशिक्षित श्रमिकों का कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं से अधिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जाना और वापस आना विकास के कई नए अवसर प्रदान कर सकता है। शिक्षित, प्रशिक्षित और कुशल लोगों के प्रवास को लंबे समय से 'प्रतिभा पलायन' कहा जाता रहा है, लेकिन अब मूल देश उत्तरोत्तर यह समझने लगे हैं कि उनकी डायस्पोरा विविध क्षेत्रों में ज्ञान के प्रतिनिधि हैं और ज्ञान के इस खजाने को 'प्रतिभा प्राप्ति के रूप में वापस लाया जा सकता है।

विस्तृत और विविध प्रवासी भारतीय समुदाय के ज्ञान, विशेषज्ञता, कौशल और संसाधनों को मूल देश के विकास प्रयासों में उपयोग करने के लिए उनके साथ स्थायी संबंध कायम करने के वास्ते एक संस्थागत फ्रेमवर्क कायम करने पर अवश्य ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इस तरह के फ्रेमवर्क में डायस्पोरा को 'ज्ञान' भागीदारों, भारत में संस्थानों को 'संबद्ध पक्ष' भागीदारों और सरकार को 'सुविधा प्रदाता' के रूप में रखा जा सकेगा। इस दिशा में, ज्ञान हस्तांतरण के लिए गतिशील इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के रूप में 'ग्लोबल इंडियन नॉलेज नेटवर्क' की स्थापना, जो प्रवासी भारतीय ज्ञान भागीदारों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों और यात्राओं से समर्थित हो, वास्तव में डायस्पोरा और भारत के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान में

महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण लक्ष्य भारतीय डायस्पोरा का इलेक्ट्रिक नॉलेज बेस कायम करना और भारत में लक्षित एवं व्यापक नतीजों के साथ भली-भांति डिजाइन की गई परियोजनाओं के जरिए विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी तथा मौलिकता का उपयोग करना है।

उपरोक्त लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय ने 'ग्लोबल इंडियन नॉलेज नेटवर्क ऑफ नॉलेज' (ग्लोबल आईएनक) नाम के एक डायस्पोरा ज्ञान नेटवर्क के विकास की पहल की है।

'ग्लोबल इंडियन नॉलेज नेटवर्क ऑफ नॉलेज' (ग्लोबल आईएनक), एक इलेक्ट्रानिक मंच है जो विविध विषयों की दृष्टि से भारतीय मूल के लोगों को जोड़ेगा जैसे विदेश में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिक, अपने-अपने क्षेत्र में न केवल निवास के देश में बल्कि वैश्विक रूप में भी अग्रदूत के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति, भारत में राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर ज्ञान के इस्तेमालकर्ता। यह नेटवर्क एक महत्वपूर्ण 'वास्तविक वैचारिक' बिंदु के रूप में काम करेगा। इसका अंतिम लक्ष्य विकास के बारे में विचारों का सृजन, विकास की चुनौतियों को पूरा करने में महत्वपूर्ण तत्वों की पहचान और मौलिक एवं प्रौद्योगिकी संबंधी उपायों के जरिए समाधानों का विवरण और उनकी रूपरेखा तैयार करना है।

19. उद्योग

भारत 1947 में स्वतंत्रता के बाद से औद्योगिक विकास के अपने मार्ग पर अग्रसर हुआ। 1948 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव, भारतीय औद्योगिक नीति के विकासक्रम की शुरुआत सिद्ध हुआ। इस प्रस्ताव से न केवल नीति की व्यापक रूपरेखा परिभाषित की गयी, बल्कि औद्योगिक विकास में एक उद्यमी और प्राधिकारी के रूप में सरकार की भूमिका भी तय हुई। परवर्ती नीति प्रस्तावों में भी सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में इसी बुनियादी सिद्धांत को दोहराया गया। सन् 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव से अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका मिली। इसके अंतर्गत ऐसे उद्योगों की एक अलग श्रेणी बनाई गई जो पूर्णतया राज्य की जिम्मेदारी माने गए या जिन्हें धीरे-धीरे राज्य के नियंत्रण में लाया जाना था। सार्वजनिक क्षेत्र को सर्वोच्च महत्व प्रदान करने के साथ ही इस प्रस्ताव में सरकारी उद्यमों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के विकास की व्यवस्था भी की गयी। इस प्रकार नीतिगत ढांचे में उदारता लाने का प्रयास किया गया।

सरकार ने जुलाई 1991 के बाद से औद्योगिक नीति के तहत जो कदम उठाए, उनका उद्देश्य देश की पिछली औद्योगिक उपलब्धियों को मजबूती प्रदान करना और भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाना था। इस नीति के अंतर्गत उद्योग की शक्ति और परिपक्वता की पहचान की गयी और उसे उच्च गति विकास के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रूप में प्रेरित किया गया। इन कदमों में व्यापार व्यवस्थाओं के व्यापक उपयोग तथा विदेशी निवेशकर्ताओं और तकनीकी के आपूर्तिकर्ताओं के साथ गतिशील संबंध बनाने के जरिए घरेलू और विदेशी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर जोर दिया गया। सुधार की यह प्रक्रिया निरंतर जारी है।

ढांचागत सुधार

औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति

वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त करने का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया। ज्यादातर वस्तुओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी। अगस्त 2008 में विभाग ने उद्योगों की स्थिति संबंधी लाइसेंसिंग जरूरत समाप्त करने का भी फैसला किया है। यह उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 के अंतर्गत जरूरी था। इसके परिणामस्वरूप अब औद्योगिक लाइसेंस सिर्फ निम्नलिखित मामलों में आवश्यक हैं :

- (क) अनिवार्य लाइसेंस के तहत कोई वस्तु उत्पादित करने पर;
- (ख) जब लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित किसी मद का उत्पादन किसी अन्य प्रतिष्ठान द्वारा किया जा रहा हो। वर्तमान में सुरक्षा, सामरिक और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील निम्नलिखित पांच उद्योग अनिवार्य लाइसेंस के तहत आते हैं :
 - (i) अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थों का आसवन मद्यकरण;
 - (ii) तम्बाकू निर्मित सिगार, सिगरेट तथा विनिर्मित तम्बाकू उत्पाद;

- (iii) इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और सभी प्रकार के रक्षा उपकरण;
- (iv) डिटोनेटिंग फ्यूजिज, सुरक्षा फ्यूजिज, बारूद, नाइट्रो सेल्यूलोज और दियासलाई सहित औद्योगिक विस्फोटक;
- (v) खास तरह के खतरनाक रसायन, जैसे 1. हाइड्रोसाएनिक अम्ल और इसके व्युत्पन्न, 2 फास्जीन एवं इसके व्युत्पन्न और 3. आइसोसायनेट एवं हाइड्रोकार्बन के डासोसायनेट (उदाहरण-मिथाइल आइसोसायनेट)।

जो उद्योग अनिवार्य लाइसेंस के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें औद्योगिक सहायता सचिवालय (एस आई ए) के पास औद्योगिक उद्यम ज्ञापन (आई ई एम) जमा करना होता है बशर्ते कि ऐसी इकाई में संयंत्र एवं मशीनों पर निवेश दस करोड़ रुपये से अधिक हो।

पहले काफी संख्या में उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। अब औद्योगिक नीति धीरे-धीरे उदार बना दी गयी है और अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित हैं। 1. परमाणु ऊर्जा; 2. भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग से संबद्ध अधिसूचना संख्या- एस. ओ. 212 (ई) तिथि-15 मार्च, 1995 में स्पष्ट किये गये विषय तथा 3. रेल परिवहन।

सरकार लघु उद्योग क्षेत्र को संरक्षण प्रदान कर रही है। सरकार ने इसके लिए कुछ खास वस्तुओं को लघु उद्योग क्षेत्र में ही उत्पादित किये जाने हेतु संरक्षित करने की नीति अपनायी है। सरकार ने हाल में ही माइक्रो, लघु और मंझोले उद्यम विकास (एमएमएमईडी) अधिनियम, 2006 बनाया है। इस अधिनियम में निवेश की सीमा बहुत छोटे (माइक्रो) के लिए पांच लाख रुपये, लघु उद्योग के लिए पांच करोड़ रुपये तथा मंझोले उद्योग के लिए 10 करोड़ रुपये तय की गयी है। लघु उद्योगों के लिए खास तौर पर आरक्षित वस्तुओं के उत्पादन में लगे लघु उद्योग उपक्रमों से अलग औद्योगिक उपक्रमों के लिए औद्योगिक लाइसेंस हासिल करना जरूरी होता है तथा उन्हें अपने सालाना उत्पादन के 50 प्रतिशत का निर्यात दायित्व का पालन करना होता है। हालांकि लाइसेंस प्राप्त करने की ये शर्तें उन औद्योगिक उपक्रमों पर लागू नहीं होती हैं जो शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम योजना और विशेष यूनिट क्षेत्र स्कीम के तहत संचालित होते हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र योजनाएं

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) घरेलू निवेशों का पूरक और निवेश बचत अंतर को पाटने का सेतु होता है। अब एफडीआई की टेक्नालॉजी उन्नयन तथा दक्षता एवं प्रबंधकीय क्षमताओं को बढ़ाने में भूमिका को सभी मान्यता देते हैं। घरेलू संसाधनों से जितना संभव है, उसके अतिरिक्त निवेश से अति आवश्यक रोजगार सृजन होता है।

सरकार ने एक उदार और निवेशक हितैषी नीति बनाई है जिसके तहत अधिकांश गतिविधियों/क्षेत्रों में आटोमेटिक रूट से 100 प्रतिशत एफडीआई संभव है। एफडीआई नीति की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। पिछले दो वर्षों में इस नीति को उदार बनाने के लिए जो उपाय किए गए हैं उनमें घरेलू विमान कंपनियों और दूर संचार में एफडीआई सीमा बढ़ाना शामिल है। एफएम रेडियो प्रसारण में एफडीआई की अनुमति दी गई है और प्रक्रिया आसान बनाई गई है।

सतत प्रक्रिया के अंतर्गत की गई समीक्षा के दौरान 2007-08 में नीति की समीक्षा की गई और निम्नलिखित उपायों को अधिसूचित किया गया।

रूट परिवर्तन

साख सूचना कंपनियां : रजिस्टर्ड एफआईआई द्वारा 49% एफडीआई + एफआईआई की अनुमति दी गई है। पीआईएस के अंतर्गत यह साख सूचना कंपनियों में 24% तक सीमित रहेगा। ये कंपनियां वे होंगी जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होंगी। साख सूचना कंपनियों पर कुल 49% की विदेशी निवेश सीमा रहेगी। एफआईआई को निम्नलिखित शर्तें माननी होंगी।

- (क) किसी एक एनटिटी को 10% से ज्यादा अंशपूजी रखने की अनुमति नहीं होगी।
- (ख) 1% से ज्यादा शेयर खरीदने की सूचना को रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट समझ कर रिजर्व को देनी होगी।
- (ग) साख सूचना कंपनियों में निवेश करने वाले एफआईआई अपनी शेयरधारिता के आधार पर निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मांगेंगे।

कमोडिटी एक्सचेंज

पीआईएस के अंतर्गत एफडीआई + एफआईआई द्वारा 49% तक के निवेश की अनुमति दी गई है। यह निवेश पंजीकृत एफआईआई द्वारा किया जाएगा और 23% तक सीमित होगा। एफडीआई स्कीम एफआईपीबी रूट से कमोडिटी एक्सचेंजों में 26% तक सीमित होगी और इन शर्तों के अधीन होगी।

एफआईआई खरीदारी सेकेंडरी मार्केट तक सीमित रहेगी। इन कंपनियों में कोई विदेशी निवेशक/एनटिटी या उनके सहयोगी 5% से ज्यादा पूंजी नहीं रखेंगे।

इंडस्ट्रियल पार्क्स

इंडस्ट्रियल पार्कों में आटोमेटिक रूट से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। इन पार्कों की स्थापना करने और स्थापित किए हुए में निवेश करने पर यह लागू है। इन पर वे शर्तें लागू होंगी जिनपर विवरण प्रेस नोट संख्या 2 (2005) में दिया गया है। यदि इंडस्ट्रियल पार्क निम्नलिखित शर्तें पूरी करें तो ये शर्तें लागू नहीं होंगी।

- (1) उसमें कम से कम 10 यूनिटें हों और किसी एक के पास कुल के 50% से ज्यादा क्षेत्र न हो।
- (2) औद्योगिक गतिविधियों के लिए आबंटित क्षेत्र कुल आबंटन योग्य के 66% से कम न हो।

नागरिक उड्डयन क्षेत्र

- (क) हवाई अड्डे ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में ऑटोमेटिक रूट से 100% निवेश की अनुमति दी गई है लेकिन यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय नियमों के अधीन होगी।
- (ख) मौजूद परियोजनाओं में 100 प्रतिशत निवेश की एफआईपीबी रूट से एफडीआई की अनुमति है। यह मौजूद परियोजनाओं में 74% से आगे हो सकेगी। इस पर मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय नियम लागू होंगे।

घरेलू समयबद्ध (शिड्यूल) यात्री विमान सेवा सहित वायु परिवहन सेवाएं, गैर-शिड्यूल

गैर-शिड्यूल विमान कंपनियां, चार्टर्ड विमान कंपनियां, मालवाहक विमान कंपनियां, हेलीकॉप्टर एवं सीप्लेन सेवाएं—

- (क) हवाई परिवहन सेवाओं/घरेलू शिड्यूल यात्री विमानसेवा में आटोमेटिक रूट से 49% (एनआरआई

हेतु 100%) एफडीआई की अनुमति है। शर्त यह कि इनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी विदेशी विमानसेवा की भागीदारी न हो। क्षेत्रीय नियम भी लागू होंगे।

(ख) नान-शिड्यूल्ड विमान परिवहन सेवा/नान शिड्यूल्ड विमान कंपनी, चार्टर्ड एयरलाइन और माल वाहक विमान सेवा में ऑटोमेटिक रूट से 74% एफडीआई की अनुमति है बशर्ते कि उनमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी विदेशी विमान कंपनी की भागीदारी न हो। विदेशी विमान कंपनियों को मालवाहक विमान सेवा चलाने वाली कंपनियों को अंशपूँजी में शामिल होने की अनुमति है। इस पर भी क्षेत्रीय नियम लागू होंगे।

(ग) हेलीकॉप्टर सेवाओं/सीप्लेन सेवाओं में भी ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। इन्हें नागरिक विमानन महानिदेशालय से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। ऐसी सेवाओं की इक्विटी में भी ये हिस्सेदारी ले सकती है। क्षेत्रीय नियम लागू होंगे।

नागरिक उड्डयन क्षेत्र की अन्य सेवाएं

(घ) ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं में आटोमेटिक रूट से 74% एफडीआई की (एनआरआई को 100%) अनुमति दी गई है। इन पर भी क्षेत्रीय नियम लागू होंगे।

(ङ) अनुरक्षण और मरम्मत संगठनों में 100% एफडीआई की अनुमति आटोमेटिक रूट से होगी। उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों पर भी यह बात लागू होगी।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में एफआईपीबी रूट से 49% एफडीआई की और प्राइवेट कंपनियों में रिफाइनिंग क्षेत्र के लिए 100% की अनुमति है। शर्त यह कि इसके लिए घरेलू निवेश का विनिवेश या डाइल्यूशन नहीं किया जाएगा।

(ख) रिफाइनिंग के अलावा बाजार अध्ययन एवं सूचीकरण निवेश/वित्तपोषण, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाने एवं विपणन आटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई की अनुमति है लेकिन क्षेत्रीय नियम लागू होंगे।

टिटेनियम वाले खनिजों एवं अयस्क का खनन

खनिजों और अयस्कों से टिटेनियम अलग करने, इसके मूल्यवर्धन एवं समन्वित गतिविधियों वाले उद्योगों में आटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई की अनुमति है। क्षेत्रीय नियम खान खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 तथा निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी—

- (i) मूल्यवर्धन सुविधाएं भारत में स्थापित की जाएं तथा टेक्नालॉजी का हस्तांतरण किया जाए।
- (ii) खनिजों को अलग करते समय टेलिंग का निस्तारण परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड के नियमों और परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 तथा परमाणु ऊर्जा (रेडियोएक्टिव कचरे का सुरक्षित निपटान) अधिनियम 1987 का पालन किया जाए।

तदनुसार वर्तमान एफडीआई नीति अनुबंध इस प्रकार हैं।

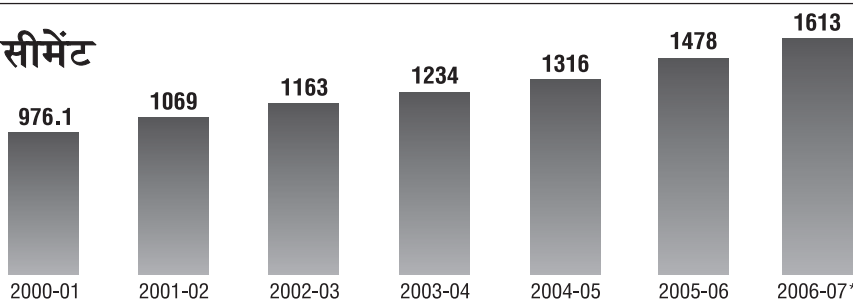
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति (31 मार्च, 2008)

1. क्षेत्र जिनमें एफडीआई का निषेध है।

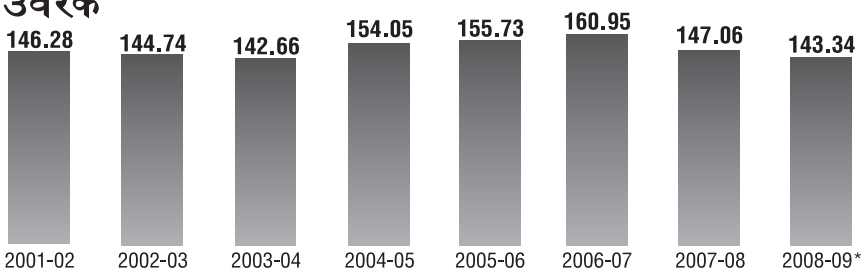
- (i) फुटकर व्यापार (सिंगल ब्रांड रिटेलिंग के अलावा)

विशिष्ट उद्योगों का उत्पादन (लाख टन में)

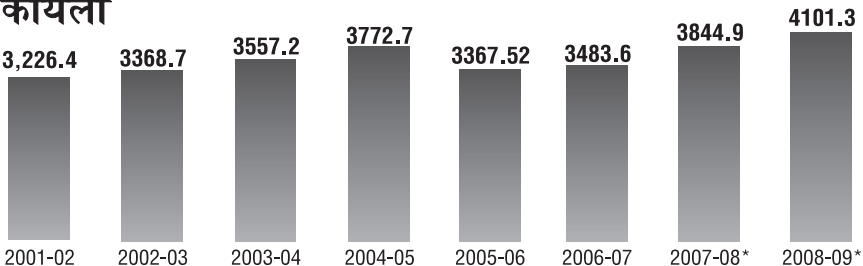
सीमेंट



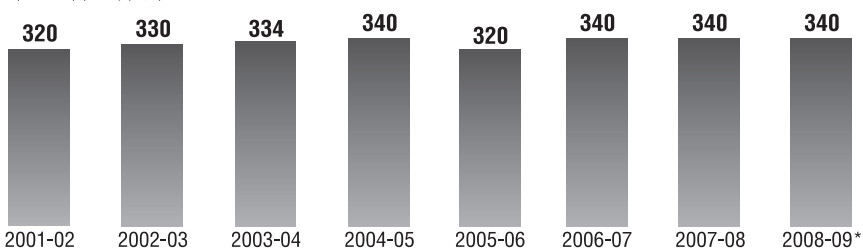
उर्वरक



कोयला



कच्चा तेल



KBK

*अस्थायी

- (ii) परमाणु ऊर्जा
- (iii) लाटरी व्यापार
- (iv) जुआ और सट्टेबाजी
- (v) चिट फंड व्यापार
- (vi) निधि कंपनी
- (vii) ट्रांसफेरेबल डेवेलपमेंट्स राइट्स व्यापार
- (viii) वे गतिविधियां/क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर निवेश के लिए नहीं खुले हैं।

एफडीआई के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट नीति

निम्नलिखित क्षेत्रों/गतिविधियों में उल्लिखित सीमा तक एफडीआई की अनुमति होगी जो शर्तों के अधीन होगी—

क्रम सं.	क्षेत्र गतिविधि	एफडीआई सीमा/ अंशपूँजी	प्रवेश रूट	अन्य शर्तें
1.	कृषि			
1.	फूल की खेती, बागवानी, बीज विकास, पशु पालन, रेशा उद्योग, मछली पालन, नियंत्रित परिस्थितियों में सब्जी एवं मशरूम उत्पादन तथा इनसे संबद्ध क्षेत्र (सेवाएं) नोट : उक्त के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति नहीं होगी	100%	आटोमेटिक	
2.	चाय क्षेत्र चाय बागान सहित	100%	एफआईपीबी	शर्त यह कि भारतीय भागीदारों जनता को 5 साल में विनिवेश करें और भविष्य के भू-उपयोग में परिवर्तन के बारे में पहले राज्य सरकार को सूचित करें।
2-अ	खनन			
3.	खनन जिसमें कीमती/पत्थरों की खोज शामिल है	100%	आटोमेटिक	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1973 के अधीन प्रेस नोट ix (1998) और प्रेस नोट। (2005) 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के मामले में लागू नहीं होंगे। शर्त यह कि आवेदक घोषणा करे कि उसी खनिज के

क्रम सं.	क्षेत्र गतिविधि	एफडीआई सीमा/ अंशपूँजी	प्रवेश रूट	अन्य शर्तें
				उसी क्षेत्र में उसका कोई अन्य उद्यम नहीं है।
4.	बिजली परियोजनाओं, लोहा, इस्पात और सीमेंट उत्पादन तथा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 द्वारा अनुमन्य अन्य पात्र गतिविधियों हेतु	100%	आटोमेटिक	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 की शर्तों के अधीन
5.	खनन और खनिज टिटेनियम वाले खनिजों और अयस्क को अलग करना, मूल्यवर्धन एवं ऐसी ही अन्य गतिविधियां नोट : वर्जित पदार्थों के खनन में एफडीआई की अनुमति नहीं दी जाएगी। इनकी सूची परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के साथ भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ 61 (ई) दिनांक 18.1.2006 में दी गई है।	100%	एफआईपीबी	इन पर निम्न शर्तें लागू होंगी- 1. मूल्यवर्धन सुविधाएं भारत में खोलें और टेक्नोलॉजी हस्तांतरित करें। 2. खनिज अलग करने के दौरान टेलिंग का निस्तारण परमाणु ऊर्जा बोर्ड और परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 तथा परमाणु ऊर्जा (रेडियोएक्टिव कचरे का सुरक्षित निस्तारण) अधिनियम, 1987 के अनुसार करना होगा।
2-ब	निर्माण क्षेत्र			
6.	अल्कोहल आसवन एवं किण्वन	100%	आटोमेटिक	उपयुक्त प्राधिकारी से प्राप्त लाइसेंस के अनुसार
7.	सिगार एवं सिगार उत्पादन	100%	एफआईपीबी	उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 के अनुसार
8.	काफी और रबड़ प्रसंस्करण तथा भंडारण	100%	आटोमेटिक	-
9.	रक्षा उत्पादन	26%	एफपीआईबी	उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951* के अंतर्गत लाइसेंस के अनुसार तथा टीडीआई के अन्य दिशा-निर्देश के अनुसार
10.	खतरनाक रसायन जैसे हाइड्रोसीनिक एसिड तथा इसके संज्ञात, फास्जीन एवं संज्ञात तथा आइसोसाइनेट और डाइसोसाइनेट हाइड्रोकार्बन	100%	आटोमेटिक	उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 तथा क्षेत्रानुसार अन्य विनियम

क्रम सं.	क्षेत्र गतिविधि	एफडीआई सीमा/ अंशपूँजी	प्रवेश रूट	अन्य शर्तें
11.	औद्योगिक विस्फोटक उत्पादन	100%	आटोमेटिक	उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 के अंतर्गत लाइसेंस और विस्फोटक अधिनियम, 1898 की शर्तों के अनुसार।
12.	औषधियां जिसमें शामिल हैं रिकंबिनेंट डीएनए टेक्नालाजी	100%	आटोमेटिक	
2-ग	विद्युत			
13.	बिजली एवं बिजली उत्पादन (परमाणु ऊर्जा के अलावा) पारेषण, वितरण तथा बिजली व्यापार	100%	आटोमेटिक	विद्युत अधिनियम 2003 की व्यवस्थाओं के अनुसार
3.	सेवा क्षेत्र			
14.	नागरिक उड्डयन क्षेत्र			
(i)	हवाई अड्डे			
(a)	ग्रीनफील्ड परियोजनाएं	100%	आटोमेटिक	नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्र नियमों के अनुसार
(b)	मौजूदा परियोजनाएं	100%	एफआईपीबी 74% से आगे	-वही-
(ii) घरेलू शिड्यूलड पैसेंजर एयरलाइंस, नान शिड्यूलड एयरलाइंस, चार्टर्ड एयरलाइंस, कार्गो एयरलाइंस, हेलीकाप्टर तथा सीप्लेन सेवा सहित वायु परिवहन सेवाएं				
(c)	शिड्यूलड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज/घरेलू शिड्यूलड पैसेंजर एयरलाइंस	49% (एफडीआई) 100% (एनआरआई निवेशकों के लिए)	आटोमेटिक आटोमेटिक	बशर्ते कि किसी विदेशी विमान कंपनी की प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भागीदारी न हो
(d)	नान-शिड्यूलड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस/ नान शिड्यूलड एयरलाइंस/चार्टर्ड एयरलाइंस और कार्गो एयरलाइंस	74% (एफडीआई) 100% (एनआरआई निवेशकों के लिए)	आटोमेटिक आटोमेटिक	बशर्ते कि किसी विदेशी विमान कंपनी की प्रत्यक्ष/परोक्ष भागीदारी न हो (नान शिड्यूलड एवं चार्टर्ड एयरलाइंस में) विदेशी एयरलाइंस को कार्गो एयरलाइंस की भागीदारी कर सकती है। क्षेत्रवार नियम भी लागू
(e)	हेलीकॉप्टर सेवाएं/सीप्लेन सेवाएं जिन्हें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की अनुमति लेना जरूरी है	100%	आटोमेटिक	विदेशी एयरलाइंस को हेलीकॉप्टर और सीप्लेन सेवा चलाने वाली कंपनियों की इक्विटी में शामिल होने की अनुमति है।

क्रम सं.	क्षेत्र गतिविधि	एफडीआई सीमा/ अंशपूँजी	प्रवेश रूट	अन्य शर्तें
(iii) नागरिक उड्डयन क्षेत्र के अंतर्गत अन्य सेवाएं				
(f)	ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं	74% एफडीएच 100% एनआरआई निवेशकों हेतु	आटोमेटिक आटोमेटिक	क्षेत्रवार नियमों और सुरक्षा अनुमति के अनुसार
(g)	अनुरक्षण एवं मरम्मत सेवाएं उड़ान प्रशिक्षण संस्थान और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान	100%	आटोमेटिक	-
15.	एसेट रिकॉस्ट्रक्शन कंपनियां	49% (सिर्फ एफडीआई)	एफआईपीबी	किसी व्यक्ति का निवेश 10% से ज्यादा होने पर सिक्कूरिटाइजेशन एंड रिकॉस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्कूरिटीज इंटरनेट एक्ट, 2002 के अनुच्छेद 3 (3) (+) के प्रावधानों के अनुसार।
16.	बैंकिंग निजी सेक्टर	74% (एफडीआई + एफएच)	आटोमेटिक	रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी बैंकों की शाखाएं खोलने के बारे में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार
17. क.	प्रसारण एफएम रेडियो	एफडीआई + एफआईआई निवेश 20% तक	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार
ख.	केबल नेटवर्क	49% एफडीआई + एफएच	एफआईपीबी	केबल टीवी नेटवर्क नियम (1994) के अनुसार (सू.प्र. मंत्रालय द्वारा जारी)
ग.	डाइरेक्ट-टू-होम	49%एफडीआई + एफआईआई	एफआईपीबी इस सीमा में एफडीआई घटक 20% से अधिक नहीं होना चाहिए	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार
घ.	अपलिकिंग हब आदि जैसी सुविधाओं की स्थापना।	49% एफडीआई + एफआईआई	एफआईपीबी	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी अपलिकिंग नीति के अंतर्गत
ङ	गैर-समाचार एवं सामयिक विषय टीवी चैनल की अपलिकिंग	100%	एफआईपीबी	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार

क्रम सं.	क्षेत्र गतिविधि	एफडीआई सीमा/ अंशपूँजी	प्रवेश रूट	अन्य शर्तें
च.	समाचार एवं सामयिक विषय टी वी चैनल की अपलिकिंग	26% एफडीआई + एफआईआई	एफआईपीबी	-वही- -वही-
18.	कमोडिटी एक्सचेंज	49% एफडीआई + एफआईआई पंजीकृत एफआईआई द्वारा निवेश पीआईएस के तहत 23% तक सीमित और एफडीआई निवेश 26% तक सीमित	एफआईपीबी	एफआईआई खरीदारी केवल सेकंडरी मार्केट तक सीमित रहेगी। केवल सेकंडरी मार्केट इन कंपनियों के साथ काम करने वाले सहित कोई भी विदेशी 5% से ज्यादा इक्विटी नहीं रख सकता।
19.	निर्माण एवं विकास परियोजनाएं इनमें आवास, व्यापारिक परिसर, रिसॉर्ट शैक्षणिक संस्थान, मनोरंजन सुविधा, नगर एवं क्षेत्रीय स्तर की बुनियादी सुविधा शामिल है। नोट-रियल स्टेट व्यापार में एफडीआई की अनुमति नहीं है।	100%	आटोमेटिक	प्रेस नोट-2 (2005) में अधिसूचित शर्तों के अनुसार (अ) यूएस डालर 10 मिलियन पूँजीकरण वाली पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी मिलाकर तथा 5 मिलियन डालर वाला संयुक्त उद्यम मिलाकर। कंपनी के व्यापार शुरू करने के 6 महीने के अंदर पैसा लाना होगा। (ब) हर परियोजना में विकसित किया जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र-10 हेक्टेयर आवासीय भूखंडों के मामले में तथा निर्माण विकास मामले में तथा उक्त अन्य किसी परियोजना सहित 50,000 वर्गमीटर का निर्मित क्षेत्र। नोट-1 एनआरआई के मामले में प्रेस नोट 2 (2005) की शर्तें लागू नहीं होंगी। नोट-2 एसईजेड में निवेश मामले में तथा होटल/हास्पिटल के मामले में भी प्रेस नोट-2 (2005)

क्रम सं.	क्षेत्र गतिविधि	एफडीआई सीमा/ अंशपूँजी	प्रवेश रूट	अन्य शर्तें
20.	कुरियर सेवाएं पैकेट पार्सल ढोने के मामले में जो भारतीय डाक अधिनियम 1898 में नहीं आते	100%	एफआईपीबी	की शर्तें लागू नहीं होंगी। मौजूदा कानूनों के अधीन तथा पत्र बांटने की व्यवस्था के सिवाय। पत्र वितरण राज्य के लिए आरक्षित है।
21.	साख सूचना कंपनियां	40% (एफडी आई + एफ आई आई) स्टाक एक्सचेंजों अधीन होगा एफआईआई में सूचीबद्ध सी.आई.सी कंपनियों में पीआईएस के 1. कोई थी अंतर्गत रजिस्टर्ड प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 10% एफआईआई द्वारा निवेश 24% तक सीमित जो 49% अधिग्रहण की सूचना तक की कुल विदेशी सीमा के अंदर होगी।	एफआईपीबी	सीआईसी कंपनियों में विदेशी निवेश क्रेडिट इंफार्मेशन कंपनी एक्ट 2005 के निवेश पर निम्न शर्तें लागू होंगी— अधिक इक्विटी नहीं रखेगा। 2. 1% से ज्यादा रिजर्व बैंक को रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट मान कर देनी होगी। 3. इन कंपनियों में निवेश करने वाले अपनी शेयरधारिता के आधार पर बोर्ड में प्रतिनिधित्व नहीं मांगेंगे।
22.	औद्योगिक पार्क (स्थापना के लिए तथा पहले से स्थापित में)	100%	आटोमेटिक	प्रेस नोट-2 (2005) की शर्तें, औद्योगिक पार्क यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी करें तो लागू नहीं होंगी— 1. कम से कम 10 यूनिटें हों और किसी यूनिट का क्षेत्र कुल के 50% से ज्यादा न हो। 2. कुल आबंटन योग्य क्षेत्र से आबंटित क्षेत्र उद्योगों के लिए 60% से कम न हो।
23.	बीमा	26%	आटोमेटिक	इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी के लाइसेंस के अनुसार।
24.	बुनियादी ढांचे में निवेश करने वाली कंपनियां (हेलीकाम क्षेत्र को छोड़कर)	100%	एफआईपीबी	जहां विदेशी निवेश सीमा निर्धारित है, सिर्फ वहां निर्धारित सीमा वाले निवेश

क्रम सं.	क्षेत्र गतिविधि	एफडीआई सीमा/ अंशपूँजी	प्रवेश रूट	अन्य शर्तें
25.	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अनुबंध-क-1 अनुसार संशोधित)			पर विचार किया जाएगा और विदेशी निवेश सीमा के मुकाबले सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। यदि कंपनी में वह 49% से ज्यादा न हो तथा उसका स्वामी भारतीय हो।
(i)	मर्चेन्ट बैंकिंग	100%	ऑटोमेटिक	बशर्ते कि-
(ii)	अंडरराइटिंग पोर्टफोलियो	मैनेजमेंट सर्विसेज		न्यूनतम पूँजीकरण माप दंड निधि आधारित एनबीएफसी के लिए- अमरीकी डालर-50 मिलियन-51% एफडीआई के लिए अपफ्रंट लाया जाए। ख-75% एफडीआई और अमरीकी डालर 50 मिलियन जिसमें से 7.5 मिलियन डालर अपफ्रंट लाया जाए और शेष राशि 24 महीनों में 75% से अधिक एफडीआई के लिए लाया जाए तथा ग- न्यूनतम पूँजीकरण मापदंड नान-फंड बेस्ड एनबीएफसी गतिविधियों हेतु-अमरीकी डालर-5 मिलियन विदेशी निवेशक 100% संचालन सहायक कंपनियां बना सकते हैं। उन्हें इस शर्त पालन की जरूरत नहीं होगी कि वे बिना अतिरिक्त पूँजी लाए 50 मिलियन अमरीकी डालर लाएं और अपनी कंपनी को भारतीयों के हाथों विनिवेशित करें (न्यूनतम 25%) घ- जो कार्यरत संयुक्त उद्यम एनबीएफसी 75% या
(iii)	निवेश परामर्श सेवाएं			
(iv)	वित्तीय परामर्श			
(v)	स्टाक ब्रोकिंग			
(vi)	परिसंपत्ति प्रबंधन			
(vii)	वेंचर कैपिटल			
(viii)	कस्टोडियल सर्विसेज			
(ix)	फैक्टरिंग			
(x)	क्रेडिट रेटिंग एजेंसिज			
(xi)	लीजिंग एंड फाइनेंस			
(xii)	फाइनेंस			
(xiii)	हाउसिंग फाइनेंस			
(xiv)	फारेक्ट ब्रोकिंग			
(xv)	क्रेडिट कार्ड बिजनेस			
(xvi)	मनी चेंजिंग बिजनेस			
(xvii)	माइक्रो क्रेडिट			
(xviii)	रूरल क्रेडिट			

क्रम सं.	क्षेत्र गतिविधि	एफडीआई सीमा/ अंशपूँजी	प्रवेश रूट	अन्य शर्तें
				इससे कम विदेशी निवेश के साथ काम कर रही हैं उन्हें भी अन्य एनबीएफसी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति होगी बशर्ते कि सहायक कंपनी भी लागू न्यूनतम पूँजीकरण की शर्त पूरी करे। ड- रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का परिपालन च- न्यूनतम पूँजीकरण मापदंड उन मामलों में भी लागू होगा जहां किसी एनबीएफसी में विदेशी निवेश (प्रत्यक्ष/परोक्ष) उक्त क में बताई गई सीमा से अधिक हो। छ- न्यूनतम पूँजीकरण में पूँजी के रूप में केवल साधारण शेयर ही शामिल किए जाएंगे।
26.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र			
	(a) तेल शोधन	49% पीएसयू मामले में तथा 100% निजी कंपनियों के मामले में	एफआईपीबी (पीएसआई के मामले में) आटोमेटिक (प्राइवेट कंपनियों के मामले में)	क्षेत्र की नीति के अनुसार मौजूदा पीएसआई की अंशपूँजी का न तो विनिवेश होगा न ही डाइल्यूशन होगा।
	(b) तेल शोधन के अलावा बाजार अध्ययन एवं फार्म्युलेशन निवेश वित्तपोषण, पेट्रोलियम क्षेत्र में विपणन की मूल संरचना के लिए	100%	आटोमेटिक	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी क्षेत्र विनियमन अनुसार
27.	प्रिंट मीडिया			
	(a) समाचार एवं समसायिक विषयों वाले अखबारों/पत्रिकाओं का प्रकाशन	26%	एफआईपीबी	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिशा निर्देशों के तहत
	(b) पत्रिकाओं-खासतौर पर वैज्ञानिक/विशेष विषयों वाली पत्रिकाओं का प्रकाशन	100%	एफआईपीबी	-वही-

क्रम सं.	क्षेत्र गतिविधि	एफडीआई सीमा/ अंशपूँजी	प्रवेश रूट	अन्य शर्तें
28.	दूरसंचार			
	(a) बेसिक एवं सेलुलर, यूनाइटेड ऐक्सेस सर्विसेज, नेशनल इंटरनेशनल लांग डिस्टेंस वी-सैट, पब्लिक मोबाइल रेडियो, ट्रंक सर्विसेज (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल, पर्सनल कम्युनिकेशंस सर्विसेज, (जीएमपीसीएस) तथा अन्य मूल्य वर्धित दूरसंचार सेवाएं	74% इसमें एफडीआईएल एफआईएल एनआरआई, एफसीसीबी, एडी आर, कनवरटेबल प्रीफ्रेंस शेयर तथा भारतीय प्रोत्साहक/ निवेशक कंपनी में अंशाधारित विदेशी इक्विटी	49% तक आटोमेटिक 49% से ऊपर एफआईपीबी	प्रेस नोट 3 (2007) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार
	(b) गेटवे के साथ आईएसपी रेडियो पेजिंग एंड-टु-एंड बैंडविड्थ	74%	49% तक आटोमेटिक 49% से आगे एफआईपीबी	दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंस तथा सुरक्षा जरूरतों के अनुसार
	(c) (i) बिना गेटवे आईएसपी (ii) मूल संरचना उपलब्ध कराने वाले डार्कफाइबर (श्रेणी 1) इलेक्ट्रॉनिक मेल तथा वायस मेल	100%	49% तक आटोमेटिक 49% से आगे एफआईपीबी	शर्त यह है कि कंपनी को 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता को 26% शेयर बेचने होंगे यदि वे दुनिया के किसी अन्य देश में पंजीकृत हों। जहां जरूरी हो, वहां लाइसेंस और सुरक्षा जरूरतें भी लागू होंगी।
	(iii) दूरसंचार उपकरणों का उत्पादन	100%	आटोमेटिक	क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप
29.	व्यापार			
	(a) थोक, 'पैसा दो माल लो' व्यापार	100%	आटोमेटिक	
	(b) निर्यात के लिए व्यापार	100%	आटोमेटिक	
	(c) लघु उद्यम क्षेत्र से प्राप्त मर्दों का व्यापार	100%	एफआईपीबी	इस शर्त के अधीन कि टेस्ट मार्केटिंग दो वर्षों की अवधि के लिए होगी और टेस्ट मार्केटिंग के साथ ही निर्माता सुविधाओं में निवेश शुरू कर दिया जाएगा। प्रेस नोट 3 (2006 सीरीज) के तहत

क्रम सं.	क्षेत्र गतिविधि	एफडीआई सीमा/ अंशपूँजी	प्रवेश रूट	अन्य शर्तें
	(d) उन मदों की टेस्ट मार्केटिंग जिनके लिए कंपनी को उत्पादन हेतु अनुमोदन मिला है।	100%	एफआईपीबी	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा व्यापार में एफडीआई हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुसार
	(e) सिंगल ब्रांड उत्पादन का फुटकर व्यापार	51%	एफआईपीबी	
30.	उपग्रह-स्थापना एवं संचालन	74%	एफआईपीबी	अंतरिक्ष विभाग द्वारा जारी क्षेत्रवार दिशा-निर्देशों के अनुसार
31.	विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं मुक्त क्षेत्र वेयरहाउसिंग क्षेत्र जो इन क्षेत्रों की स्थापना और क्षेत्रों में यूनितें खोलने के बारे में है।	100%	आटोमेटिक	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 और फॉरेन ट्रेड नीति के अनुसार

जिन क्षेत्रों/ गतिविधियों का विवरण ऊपर नहीं दिया गया है। उनमें 100% एफडीआई की आटोमेटिक रूट से अनुमति है लेकिन क्षेत्र के नियम इन पर लागू होंगे।

निम्नलिखित परिस्थितियों में एफडीआई के लिए सरकार से पहले अनुमति लेनी होगी।

(i) यदि प्रेस नोट 1 (2005 शृंखला), भारत सरकार के प्रावधान लागू हैं।

(ii) यदि लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के उत्पादन के लिए 24% से अधिक विदेशी पूँजी लगाए जाने का प्रस्ताव हो।

प्रेस नोट 7 (2008), क्रम संख्या 25 (अनुच्छेद 2) के संलग्नक में पहले के स्थान पर निम्नलिखित रखा जा रहा है :

वर्तमान प्रावधान के लिए

25. गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां

(i) मर्चेन्ट बैंकिंग	100%	आटोमेटिक	बशर्ते कि-
(ii) अंडरराइटिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज			क- फंड बेस्ड एनबीएफसी के लिए न्यूनतम पूँजीकरण
(iii) इनवेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज			मापदंड-51% तक एफडीआई के लिए अमरीकी डालर 0.5 मिलियन अपफ्रंट लाएं। 51% अधिक और 75% तक के लिए 0.50 मिलियन जिसमें से 7.5 मिलियन डालर अपफ्रंट लाना है और बाकी 24 महीने में 75% से ज्यादा और 100% तक।
(iv) फाइनेंशियल कंसल्टेंसी			ख- नान फंड बेस्ड एनबीएफसी
(v) स्टॉक ब्रोकिंग			गतिविधियों के लिए न्यूनतम पूँजीकरण-
(vi) एसेट मैनेजमेंट			0.5 मिलियन अमरीकी डालर
(vii) वेंचर कैपिटल			ग- विदेशी निवेशक 100% संचालन
(viii) कस्टोडियल सेवाएं			
(ix) फैक्ट्रिंग			
(x) क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज			
(xi) लीजिंग एंड फाइनेंस			
(xii) फाइनेंस			

- (xiii) हाउसिंग फाइनेंस
- (xiv) फारेक्स ब्रोकिंग
- (xv) क्रेडिट कार्ड बिजनेस
- (xvi) मनी चेंजिंग बिजनेस
- (xvii) माइक्रो क्रेडिट
- (xviii) सरल क्रेडिट

करने वाली सहायक कंपनी खोल सकते हैं। उन पर सबसे कम 25% इक्विटी भारतीयों को बेचने की शर्त लागू नहीं होगी बशर्ते कि वे 50 मिलियन डालर लाएं और अतिरिक्त पूंजी लाने और संचालन करने वाली सहायक कंपनियों की संपदा की भी कोई रोक नहीं।

घ- जिन संयुक्त उद्यम एनबीएफसी में 75% या इससे विदेशी पूंजी लगी है उन्हें अन्य एनबीएफसी गतिविधियों के लिए अन्य सहायक एनबीएफसी की अनुमति होगी बशर्ते कि सहायक एनबीएफसी भी लागू न्यूनतम पूंजी लाने की शर्त पूरी करे।

ङ- रिजर्व बैंक के नियमों का अनुपालन हो।

च- न्यूनतम पूंजीकरण मापदंड लागू होगा यदि किसी एनबीएफसी में विदेशी शेयरधारिता (प्रत्यक्ष और परोक्ष-दोनों) ऊपर (क) में वर्णित सीमा से अधिक हो।

छ- न्यूनतम पूंजीकरण के लिए पूंजी का आधार सिर्फ सामान्य शेयर होंगे।

संशोधित प्रावधानों को इस प्रकार पढ़ें

25. नान बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां

(i) मर्चेन्ट बैंकिंग	100%	आटोमेटिक
(ii) अंडरराइटिंग		
(iii) पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज		
(iv) इनवेस्ट एडवाइजरी सर्विसेज		
(v) फाइनेंशियल कंसल्टेंसी		
(vi) स्टॉक ब्रोकिंग		
(vii) एसेट मैनेजमेंट		
(viii) वेंचर कैपिटल		
(ix) कस्टोडियल सेवाएं		
(x) फैक्टरिंग		
(xi) क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज		
(xii) लीजिंग एंड फाइनांस		
(xiii) हाउसिंग फाइनांस		
(xiv) फारेक्स ब्रोकिंग		
(xv) क्रेडिट कार्ड बिजनेस		

बशर्ते कि-

क- फंड बेस्ड एनबीएफसी के लिए न्यूनतम पूंजीकरण मापदंड-0.5 मिलियन अमरीकी डालर 51% से एफडीआई के लिए 5 मिलियन अमरीकी डालर अपफ्रंट लाना है। इससे ज्यादा और 75% तक के लिए 75% से अधिक एफडीआई और 100% के लिए 50 मिलियन अमरीकी डालर जिसमें से 7.5 मिलियन डालर अपफ्रंट और बाकी 24 महीने में।

ख- नान-फंड बेस्ड एनबीएफसी गतिविधियों के लिए -0.5 मिलियन डालर

ग- विदेशी निवेशक यदि 50 मिलियन डालर लाएं तो उन पर 25% भारतीयों

- (xvi) मनी चेंजिंग बिजनेस
 (xvii) माइक्रो क्रेडिट
 (xviii) ररल क्रेडिट

को विनिवेशित करने की शर्त लागू नहीं होगी। उन्हें बिना अतिरिक्त पूंजी लाए कितनी ही संचालन करने वाली सहायक कंपनियां खोलने दी जाएंगी।
 घ- जिन संयुक्त उद्यमों में 75% या 75% से कम विदेशी पूंजी लगी है उन्हें अन्य एमबीएफसी गतिविधियों के लिए सहायक कंपनियां खोलने की अनुमति होगी बशर्ते कि सहायक कंपनियां भी लागू पूंजीकरण मापदंडों का पालन करें।
 ङ- रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश मानने होंगे।

विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफआईआईए)

विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफआईआईए) की स्थापना प्रौद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में 9.8.1999 की अधिसूचना के जरिए की गई। इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमोदनों को जल्दी कार्यान्वित करने का काम आसान बनाना है। इसके साथ ही यह विदेशी निवेशकों को आवश्यक अनुमोदन पाने में सहायता करने तथा एक बार में अनुमोदन पश्चात सेवाएं दिलाता है, उनकी संचालन संबंधी मुश्किलें दूर करता है और निवेशकों की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों से संपर्क करता है।

एफआईआईए विभिन्न क्षेत्रों या देशों के निवेशकों के साथ नियमित संपर्क करता है। इन संपर्कों के दौरान भारत सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेते हैं। सीआईआई, फिक्की, एसोचेम जैसे शीर्ष व्यापार संगठनों को भी बुलाया जाता है। देश विनिर्दिष्ट इस प्रकार की दो बैठकें 22.2.08 और 26.5.08 को क्रमशः जर्मनी और कोरिया के निवेशकों की समस्यायें सुलझाने के लिए हुईं। इसके अलावा, 31.7.2008 को जेसीसीआईआई और जेईटीआरओ और राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक बैठक कराई गई ताकि भारत में काम करने वाली जापान की कंपनियों के धन वापसी के दावों का निपटारा किया जा सके।

वर्ष 2007-08 में उड़ीसा में पोस्को द्वारा 12 एमटीपीए का एक समन्वित इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए बातचीत हेतु एक बैठक हुई। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एमसीसी पीटीए इंडिया प्रा.लि. की परियोजना के विस्तार, महाराष्ट्र में यूपीएम क्रियेन कार्पोरेशन, फिनलैंड द्वारा प्रस्तावित न्यूजप्रिंट कारखाना खोलने और भारत की आई फ्लेक्स में ओरेकल कार्पोरेशन द्वारा 100% हितधारिता प्राप्त करने पर भी बैठकें आयोजित की गईं।

ई-बिज़ परियोजना

विभाग ने एम ई-बिज़ परियोजना शुरू की है जो एनईजीपी के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य अनेक व्यापार उपभोक्ताओं को उनकी कार्य की पूरी अवधि के दौरान अनेक प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके जरिए अनेक आयोजनों के माध्यम से जी 2 बी संपर्क करके भारत की

व्यापार प्रतियोगिता क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार स्तर पर व्यापार और समन्वित पोर्टल स्थापित किए जाएंगे जो उद्योग व्यापार की जरूरतें पूरी करेंगे। इस परियोजना के आजमाइशी चरण में केंद्र सरकार के 9 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और 5 राज्य सरकारों (हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र, महाराष्ट्र और दिल्ली) को शामिल किया गया है। इस समय परियोजना के हितधारकों से परामर्श करके इसके टेंडर कागजात को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

यह परियोजना 10 वर्षों की अवधि की होगी। शुरू से एक वर्ष के भीतर यह चरण पूरा कर लिया जाएगा और उक्त तीन स्तरों पर 29 सेवा केंद्र खोले जाएंगे। बाद में अगले दो वर्षों में देश भर में इसका विस्तार कर दिया जाएगा और किसी बिजनेस हाउस के लिए जरूरी सभी सेवाएं उनमें मिलने लगेंगी। अंत में, परियोजना के आखिरी 7 वर्षों में इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी तरीके से संचालित किया जाएगा और राजस्व-भागीदारी के उपयुक्त इंतजाम किए जाएंगे।

औद्योगिक गलियारा परियोजना

दिसंबर, 2006 में माननीय प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के समय भारत और जापान सरकार ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके दोनों पक्षों के बीच परस्पर सहयोग के अवसर बढ़ाने का निश्चय किया। इसी के अनुसरण में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 अगस्त, 2007 को सिद्धांत रूप में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे की रूपरेखा का अनुमोदन किया। यह परियोजना विश्व स्तर की प्रतियोगितात्मक परिस्थितियों में अत्याधिक आधुनिक बुनियादी ढांचा खड़ा करके विदेशी निवेश को बढ़ावा देते हुए सतत विकास लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस परियोजना को एक आदर्श औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का प्रस्ताव है और इसे वैश्विक व्यापार एवं उत्पादन केंद्र बनाया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य 5 वर्षों में रोजगार संभावनाएं दुगुना करने, औद्योगिक उत्पादन तीन गुना बढ़ाने और इस क्षेत्र से निर्यात बढ़ा कर चार गुना करने का लक्ष्य है। इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भाग आएंगे।

इस परियोजना को दो चरणों में विकसित करने का प्रस्ताव है। पहले चरण में (2007-2012) 6 निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 330 करोड़ रुपए रखे गए हैं। दूसरे चरण (2013-2018) में अन्य 12 क्षेत्र विकास के लिए चिह्नित किए गए हैं। परियोजना में निजी क्षेत्र रुचि ले, इसके लिए हर क्षेत्र में 3-4 तुरंत उपलब्ध तथा रणनीतिक रूप से अतिमहत्वपूर्ण उत्पादन परियोजनाओं पर तुरंत काम शुरू करने का प्रस्ताव है।

इस परियोजना को मार्गदर्शन, नियोजन और अनुमोदन देने के उद्देश्य से एक शीर्ष मॉनीटरिंग अथॉरिटी 11 सितंबर, 2007 को गठित की गई है। वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री/योजना आयोग के उपाध्यक्ष और 6 राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं।

योजना कार्यान्वयन के लिए 7 जनवरी, 2008 को एक एसबीवी के रूप में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया गया। शुरू में इसकी पूंजी 10 करोड़ रखी गई है। इसमें 49% शेयर भारत सरकार के और 51% आईएल एंड एफएस तथा आईडीएफसी जैसे वित्तीय संस्थानों के हैं। एपेक्स मॉनीटरिंग अथॉरिटी के मार्गदर्शन में डीएमआईसीडी इसके विभिन्न कार्यों में तालमेल कायम करेगा। वह वित्त व्यवस्था और कार्यान्वयन के लिए सलाहकार सेवाएं उपलब्ध कराएगा। डीएमआईसीडीसी के पास परियोजना विकास के लिए रु. 1000 करोड़ की एक रिवाल्विंग विकास निधि होगी। जिसमें

प्रधान नियोजन, परियोजना रिपोर्ट तैयारी, तकनीकी अध्ययन/रिपोर्ट आदि के लिए भारत और जापान सरकारें समान आधार पर अंशदान देंगी। बाद में विभिन्न क्षेत्र निजी विकासकर्ताओं को सौंपे जाएंगे। निदेशक मंडल की 28.1.2008 को हुई पहली बैठक में आईएल एंड एफएस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन को इस परियोजना का परियोजना प्रबंधन कांसल्टेंट नियुक्त किया गया।

डीएमआईसी परियोजना की तर्ज पर विभाग ने चेन्नई-बंगलुरु-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना का कांसेप्ट पेपर तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू की है।

निवेश संवर्धन एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

यह विभाग भारत-हंगरी, भारत-लीबिया, भारत-स्वीडन, भारत-पोलैंड और भारत-बेलारूस के बीच परस्पर संयुक्त आयोग की बैठकें आयोजित करने के लिए एक नोडल प्वाइंट की हैसियत से काम करता है। इसका उद्देश्य स्वीडन, पोलैंड, हंगरी, लीबिया और बेलारूस के साथ औद्योगिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाना है। द्विपक्षीय/औद्योगिक सहयोग बढ़ाने और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह विभाग आईसी एंड जेवी योजना के अंतर्गत सीआईआई/फिक्की/एसोचेम जैसी संस्थाओं को देश विदेश में/सेमिनार/कार्यशालाएं/रोडशो आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता देता है। यह विभाग औद्योगिक संगठनों द्वारा आयोजित संयुक्त व्यापार परिषदों के तथा अन्य संस्थाओं की बैठकों में भाग लेता है।

अनेक विदेशी प्रतिनिधिमंडल भारत आते हैं और औद्योगिक संबंध सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चर्चा करते हैं। इसी तरह भारतीय शिष्टमंडल भी विदेशियों के साथ निवेश संवर्धन और भारत में औद्योगिक विकास के लिए परस्पर बातचीत करते हैं।

तृतीय भारत-जीसीसी औद्योगिक मंच

तृतीय भारत-जीसीसी उद्योग मंच की स्थापना 29-30 मई, 2007 को सीआईआई और फिक्की के सहयोग से मुंबई में की गई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व वाणिज्य मंत्री ने किया और जीसीसी देशों के मंत्री व अधिकारी इसमें शामिल हुए। इसमें भारत और जीसीसी देशों के परस्पर हित के पांच क्षेत्रों पर पूर्ण अधिवेशन हुए। ये क्षेत्र हैं—निवेश अवसर, रियल स्टेट विकास में अवसर, तेल, गैस और बिजली जैसे ऊर्जा सहयोग में अवसर, मूल संरचना क्षेत्र में अवसर और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में अवसर। इस मंच में आत्मार्पित मुंबई घोषणा में भारत और जीसीसी देशों के सामूहिक कोष से स्थापित एक होल्डिंग कंपनी भारत और जीसीसी देशों में लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देगी। होल्डिंग कंपनी निजी-सार्वजनिक भागीदारी आधार पर काम करेगी।

भारत-लीबिया संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक

भारत-लीबिया संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक नई दिल्ली में 12 जुलाई, 2007 को हुई। इसका उद्देश्य दूरसंचार, बिजली, जहाजरानी, नागरिक विमानन, रेलवे, हाइड्रो-कार्बन, व्यापार एवं निवेश, बैंकिंग तथा वित्त आदि क्षेत्रों में सहयोग स्तर का समुन्नयन करना था।

23वीं भारत आर्थिक शीर्ष बैठक

इस विभाग ने सीआईआई और विश्व आर्थिक मंच के साथ नई दिल्ली में 2-4 दिसंबर, 2007 को

23वीं भारत आर्थिक शीर्ष बैठक का आयोजन किया। इसमें देश-विदेश के 600 से ज्यादा औद्योगिक नेताओं ने अन्य हितधारकों के साथ देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस बैठक में देश की अर्थव्यवस्था के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों पर बातचीत करके उन महत्वपूर्ण चुनौतियों और अवसरों की पहचान की जो व्यापार जगत के सामने मौजूद हैं। साथ ही, भारतीय राज्यों द्वारा प्रस्तुत रोमांचक अवसरों के नए पक्षों को उजागर किया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक स्तरों पर चर्चा की गई।

भागीदारी शीर्ष बैठक 2008

इस शीर्ष बैठक का आयोजन गुड़गांव में जनवरी, 2008 में किया गया। हरियाणा इसका भागीदार राज्य था। इस बैठक में व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के अलावा व्यापार, उद्योग मंत्रियों/अधिकारियों ने भाग लिया।

डब्ल्यूईएफ 2008

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की बैठक जनवरी 2008 में डावोस में हुई। इस वार्षिक बैठक का विषय था-‘सहयोगात्मक नवाचार की शक्ति’ इसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा सचिव (आईपी एंड पी) शामिल हुए। उन्होंने इस मंच और अन्य बैठकों को संबोधित किया और बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की।

व्यापार और निवेश पर भारत-रूस मंच की दूसरी बैठक

यह बैठक नई दिल्ली में 12-13 फरवरी, 2008 को हुई। इसे रूस के प्रधानमंत्री विक्टर ए. झुवकोव ने संबोधित किया। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कमलनाथ ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ अधिकारी, महत्वपूर्ण उद्योगपति शामिल थे। रूस की ओर से आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्री श्रीमती एल्विरा एस नबीउलीना ने प्रतिनिधियों के साथ बैठक में भाग लिया।

भारत और रूस के बीच निवेश, व्यापार संपर्क सुदृढ़ बनाने और रणनीतिक संबंध मजबूत करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्ष परस्पर आर्थिक संबंध सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक सीईओ कौंसिल स्थापित करने पर सहमत हो गए।

जिन मुख्य आयोजनों की 2008-09 में होने की संभावना है या जिनमें इस विभाग की भागीदारी हो सकती है वे हैं हंगरी, लीबिया और बेलारूस के साथ संयुक्त आयोग की बैठकें, भारत-रूस व्यापार एवं निवेश मंच की तीसरी बैठक, भारत-मंच आर्थिक शीर्ष बैठक, (डब्ल्यूईएफ) भागीदारी शीर्ष बैठक आदि।

औद्योगिक परिदृश्य

वर्ष 2007-08 के दौरान औद्योगिक विकास दर सीएसओ सूचकांक के अनुसार 8.3% रही। (आधार-1993-94 = 100)। आईआईपी में 80% वेटेज रखने वाले निर्माता क्षेत्र में 8.8% की रिकार्ड वृद्धि दर दर्ज की गई। निम्नलिखित तालिका से क्षेत्रवार वृद्धि स्पष्ट हो जाएगी—

औद्योगिक उत्पादन इंडेक्स में वृद्धि (% में)

(आधार-1993-94 = 100)

क्षेत्र	वेट (%)	2005-06	2006-07	2007-08
खनन	10.47	1.00	5.4	5.1
निर्माता	79.36	9.1	12.5	8.8
बिजली	10.17	5.2	7.2	6.4
सामान्य	100.00	8.2	11.6	8.3

प्रयोग आधारित वर्गीकरण

आधार माल	35.57	6.7	10.3	7.0
पूंजीगत माल	9.26	15.8	18.2	16.9
मध्यवर्ती माल	26.51	2.5	12.0	8.9
उपभोक्ता वस्तुएं	28.66	12.0	10.1	6.1
1. ड्यूरेबल्स	5.36	15.3	9.2	-1.0
2. नान-ड्यूरेबल्स	23.30	11.0	10.4	8.5

स्रोत-केंद्रीय सांख्यिकी संगठन

प्रयोग आधारित नजरिए से पूंजीमाल क्षेत्र सर्वाधिक जीवंत क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया और 2007-08 में इसने दोहरे अंकों की वृद्धि दर 16.9% दर्ज की। 2005-06 और 2006-07 में भी इस क्षेत्र ने दोहरे अंकों में वृद्धि दर दिखाई थी। उपभोक्ता क्षेत्र में नान-ड्यूरेबल्स क्षेत्र में 8.5% वृद्धि दर रही। पूंजीमाल क्षेत्र में अच्छी वृद्धि भविष्य में अच्छे विकास का संकेत है। अलग-अलग विवरणों पर ध्यान देने से जाहिर होता है कि निर्माता क्षेत्र 17 क्षेत्रों में से 16 में वृद्धि दर सकारात्मक रही। खासतौर से 8 उद्योग समूहों में वृद्धि दर 10% या अधिक थी। इनमें आसवन एवं तंबाकू उत्पाद (वृद्धि दर 12%) बुनियादी धातुएं तथा एल्वाय (12.1%), अन्य निर्माता क्षेत्र उत्पाद (19.8%), पटसन तथा अन्य मूल्यवान रेशा वस्त्र (33.1%), लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद तथा फर्नीचर एवं जुड़कर (40.5%) चमड़ा एवं फर उत्पाद (11.7%), बुनियादी रसायन तथा रसायन उत्पाद (10.6), मशीनरी तथा उपकरण (10.4)।

छह प्रमुख मूल संरचना उद्योगों का निष्पादन

प्रमुख 6 मूल संरचना उद्योगों के निष्पादन को अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का संकेत माना जाता है। ये क्षेत्र हैं- बिजली, कच्चा तेल उत्पादन, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, कोयला, स्टील एवं सीमेंट। आईआईपी ने इनको 26.68% वेटेज दिया है। 2007-08 के दौरान इनकी वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष यह दर 9.2 प्रतिशत रही थी। उद्योगवार वृद्धि दर नीचे तालिका में दिखाई गई है:

प्रमुख 6 उद्योगों की वृद्धिदर (प्रतिशत)

	वेट	2005-06	2006-07	2007-08
कच्चा तेल	4.3	(-) 5.3	5.6	0.4
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद	2.0	2.4	12.6	6.5
कोयला	3.2	6.6	5.9	6.3
बिजली	10.2	5.1	7.3	6.0
सीमेंट	2.0	12.4	9.1	5.1
तैयार इस्पात	5.1	11.2	10.9	8.1
कुल मिलाकर	26.7	6.2	8.6	5.6

इंजिनियरिंग उद्योग

भारतीय इंजिनियरिंग उद्योग अर्थ-व्यवस्था का मेरुदंड है और अप्रत्यक्ष रूप से अनेक अन्य उद्योगों के साथ जुड़ा हुआ है। यह उद्योग प्रमुख क्षेत्रों जैसे बिजली मूल संरचना, खनन, तेल और गैस तथा सामान्य निर्माता क्षेत्र, उपभोक्ता माल उद्योग, आटोमेटिव तथा प्रसंस्करण क्षेत्र की मांग वृद्धि से तेज होता है।

बिजली तार एवं केबल उद्योग

बिजली के तार और केबल चाहे फाइबर, ऑप्टिक्स लोहे या गैर लौह (तांबे, अल्युमिनियम) के बने हों, औद्योगिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह ऐसा उद्योग है जिसकी स्थापना देश में काफी पहले हुई थी। यहां पर अनेक प्रकार के तार और केबल बनाए जाते हैं जिनमें जेली भरे संचार केबल, अधिक फाइबर वाले केबल, लोकल एरिया नेटवर्क केबल, स्विचबोर्ड केबल, को-एक्सियल केबल, बीएसएलटी केबल, इलेक्ट्रिकल केबल, यूपीएस केबल, फ्लेक्सिबल वायर, लो-वोल्टेज पावर केबल और ईएचटी केबल शामिल हैं। वायर और केबलों के प्रमुख उपभोक्ता उद्योग हैं पावर, इलेक्ट्रिकल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर, दूरसंचार, मनोरंजन और निर्माण उद्योग।

भारत सरकार मूल संरचना उद्योगों को प्राथमिकता देती है। अतः निर्माण बिजली और दूरसंचार का तेजी से विकास हो रहा है। इससे निकट भविष्य में तार और केबल उद्योगों को प्रोत्साहन मिल रहा है। 2006-07 में गैर-लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों ने 8.17 लाख करोड़ किमी. उत्पादन की सूचना दी। 2007-08 में यह उत्पादन 25.70 लाख करोड़ कि.मी. रहा। 2006-07 में भारत ने 1520.7 करोड़ रुपए के तार और केबल निर्यात किए। इसी अवधि में 1551.4 करोड़ रुपए का आयात किया गया। यह उद्योग लाइसेंस मुक्त है इसमें आटोमेटिक रूट से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा सकता है।

ट्रांसमिशन टावर

उच्च वोल्टेज वाली बिजली के पारेषण में ट्रांसमिशन टावरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनसे दूर-दूर तक बिजली का प्रेषण किया जा सकता है। इन्हीं लाइनों से सब-स्टेशनों को बिजली पहुंचाई जाती है जहां इसका वोल्टेज घटाकर ग्राहकों के इस्तेमाल के अनुकूल बनाया जाता है। देश में उद्योगों के विकास की गति को ध्यान में रखते हुए और बिजली की मांग में हो रही बेतहाशा वृद्धि के कारण यह उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। भारत में अब बड़े बिजलीघरों की स्थापना की प्रकृति बढ़ रही है और सुपर ताप बिजलीघरों की स्थापना हो रही है। परिणाम यह कि जब जहां बिजलीघरों की संख्या कम होगी वहीं बिजली पारेषण की मांग काफी बढ़ेगी। किसी भी संगठन की पारेषण व्यवस्था उसका बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है।

देश में इस उद्योग की क्षमता काफी है कि वह घरेलू जरूरत और निर्यात की आवश्यकता पूरी कर सके। इस उद्योग ने 1000 के वी तक के टावरों के टेस्टिंग की क्षमता स्थापित कर ली है। इससे बिजली व्यवस्था के भावी विकास की जरूरत भी पूरी की जा सकेगी और निर्यात भी संभव हो सकेगा। 2006-07 में भारत ने रु. 570.7 करोड़ के ट्रांसमिशन टावर निर्यात किए इससे पहले वाले वर्ष यह निर्यात रु. 14.7 करोड़ का था। यह उद्योग लाइसेंस मुक्त है और किसी प्रतिबंध के आटोमेटिक रूट से इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अनुमोदन लिया जा सकता है।

क्रेन

देश में विभिन्न प्रकार के क्रेन बनाए जाते हैं। इनमें इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रावेलिंग क्रेन्स, सचल क्रेन, लैंडल क्रेन, हाइड्रॉलिक क्रेन, क्रैब क्रेन, फ्लोटिंग क्रेन, कंट्रोलर क्रेन आदि शामिल हैं। निर्माण उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र में इनकी बहुत मांग है।

2006-07 में गैर-लघु उद्योग क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र ने 19050 टन क्रेनों के उत्पादन की सूचना दी। 2007-08 में 2190 टन उत्पादन होने की खबर है। 2005-07 में भारत ने 1203.9 करोड़ रूपए के क्रेन आयात किए जब कि इसी अवधि में 83.4 करोड़ रूपए के क्रेनों का निर्यात किया गया। यह उद्योग लाइसेंसमुक्त है और 100% तक आटोमेटिक रूट से एफडीआई की पात्र है।

लिफ्ट और एस्केलेटर

लिफ्ट और एस्केलेटर शहरों के आसमान की ओर विकास में सहायक हैं। ये उन इमारतों की जीवन रेखा हैं जिन्हें विकास का प्रतीक माना जाता है। तेजी से हो रहे शहरीकरण और विकासमान निर्माण उद्योग तथा रियलटी सेक्टर के निगमीकरण के चलते यह उद्योग तेजी से बढ़ा है। लिफ्टों और एस्केलेटरों का प्रयोग भी बहुत बढ़ रहा है क्योंकि बहु-मंजली इमारतों, मालों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों का चलन बढ़ गया है। नवाचार और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लिफ्ट और एस्केलेटरों को विभिन्न प्रकार के इस्तेमाल के अनुरूप बनाया जा रहा है। भारत में इन उपकरणों की विभिन्न प्रकार की श्रेणियां तैयार की जा रही हैं। इनमें सिंगल स्पीड, डबल स्पीड, गीयरलैस, हाइड्रालिक, सर्वो और वैरिएबल वोल्टेज, वैरिएबल फ्रीक्वेंसी (वीवीवीएफ) एलीवेटर्स शामिल हैं। हाल के वर्षों में इस उद्योग की अच्छी वृद्धि हुई है। 2006-07 में 7103 करोड़ लिफ्ट बनाए गए। 2007-08 में 8439 लिफ्ट बनाए जाने की सूचना है। यह उद्योग लाइसेंसमुक्त है और आटोमेटिक रूट से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पात्र है।

रेफ्रिजरेटर

भारत में रेफ्रिजरेटर ऐसा टिकाऊ उत्पाद है जिसे हर उपभोक्ता खरीदने की तमन्ना रखता है। सिर्फ टेलीविजन ही इसका अपवाद है। रेफ्रिजरेटर का बाजार लगातार बढ़ने का यही एक कारण है। 1991 के उदारीकरण और पाबंदियां हटाएं जाने के बाद अनेक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड भारत के बाजारों में आ गए। अब यह उद्योग अति प्रतियोगी हो गया है और उपभोक्ताओं को अनेक ब्रांड उपलब्ध हैं। इस समय भारत में बनाए जा रहे रेफ्रिजरेटरों में दो डिजाइन हैं। इन्हें सामान्य रूप से डाइरेक्ट कूल (डीसी) और फ्रास्ट फ्री (एफएफ) कहते हैं। एक अन्य विशेषता है गैर सीएफसी टेक्नोलॉजी की अपनाना। 1987 में हस्ताक्षरित मॉंट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार एक निर्धारित अवधि में चरणबद्ध तरीके से सीएफसी का इस्तेमाल बंद करना है। इन जिम्मेदारियों को पूरी करने हेतु रेफ्रिजरेटर निर्माता गैर-सीएफसी टेक्नालाजी अपना रहे हैं। उपभोक्ता-पसंद में भी काफी परिवर्तन आया है और बेहतर उत्पादों की ओर बढ़ रहे हैं।

अच्छे गुणवत्ता वाले उत्पाद, बेहतर टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी उन्नयन से रेफ्रिजरेटर उद्योग को ऊंची विकास दर प्राप्त करने में सहायता मिली है। 2006-07 में गैर-लघु उद्योग क्षेत्र में 64.9 लाख रेफ्रिजरेटर बनाए गए। 2007-08 में 74.05 लाख रेफ्रिजरेटरों का उत्पादन किया गया। भारत से 2006-07 में रु. 419.3 करोड़ के रेफ्रिजरेटर निर्यात किए गए। उसी साल 796.7 करोड़ के रेफ्रिजरेटरों का आयात हुआ। अब यह उद्योग लाइसेंसमुक्त है और 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आटोमेटिक रूट से किया जा सकता है।

वाशिंग मशीन

कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में पिछले कुछ वर्षों से कपड़े धोने की मशीनों का उत्पादन बढ़ा है। भारत में इन मशीनों का बाजार दो भागों में बंटा है। सेमी-ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक मशीनें अधिक लोकप्रिय हैं। लेकिन बढ़ती आय और महत्वाकांक्षाओं के कारण लोग सेमी ऑटोमेटिक के

स्थान पर पूरी ऑटोमेटिक मशीनों को पसंद कर रहे हैं। इस कारण निर्माता अब इस प्रकार की मशीनों के उत्पादन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और उनमें ज्यादा विशेषताएं शामिल कर रहे हैं। नियंत्रकारी उपाय सिर्फ मशीनी नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक किए जा रहे हैं। इन्हें डिजाइन में शामिल किया जा रहा है। इन उपायों से विश्वसनीयता बढ़ती है, ऊर्जा कुशलता आती है और कीमतों में क़िफ़ायत की जाती है। वाशिंग मशीनों में तीन प्रकार के माइक्रोकंट्रोलर लगाए जा रहे हैं जिनसे मशीन में बुद्धि आती है और अनेक प्रकार के कार्य करती है तथा वह अधिक नियंत्रण योग्य बनती है। माइक्रोकंट्रोलर इस्तेमाल करके मोटर पर नियंत्रण बढ़ाया जाता है, शोर घटता है और कंपन कम होता है।

2006-07 में गैर-लघु उद्योग क्षेत्र में 19.44 लाख मशीनें तैयार किए जाने की सूचना मिली। इस साल 2007-08 में 21.69 लाख मशीनों का उत्पादन किया गया। 2006-07 में भारत से 33.2 करोड़ रुपये की मशीनों का निर्यात और 154.4 करोड़ रुपए का आयात किया गया। यह उद्योग लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है और आटोमेटिक रूट से इसमें बिना किसी प्रतिबंध के एफडीआर करने की छूट है।

एयर कंडीशनर्स

अब एयरकंडीशनर्स को विलासिता की वस्तु नहीं माना जाता। इन्हें बढ़ती हुई आर्थिक-सामाजिक परिस्थितियों और जीवनशैली में आवश्यक माना जाता है। एयरकंडीशनर मार्केट को तीन खंडों में बांटा जा सकता है। विंडो एसी, स्प्लिट एसी और सेंट्रल एसी। जगह की कमी, कम जगह में बने बहुमंजले फ्लैटों और कम शोर के कारण स्प्लिट एसी का चलन बढ़ रहा है। भारतीय मध्यवर्ग की जीवन शैली बेहतर हो रही है। जिससे बिना ब्रांड वाले एसेबल किए हुए एयरकंडीशनर लोकप्रिय हो रहे हैं। विद्युत मंत्रालय की संस्था ऊर्जा कुशलता ब्यूरो ऊर्जा कुशलता के आधार पर स्टार रेटिंग प्रदान कर रही है जिससे उपभोक्ताओं को सर्वाधिक ऊर्जा कुशलता वाले एसी खरीदने में सुविधा हो रही है।

रेफ्रिजरेटर उद्योग की तरह एयरकंडीशनर निर्माता भी मांट्रियल प्रोटोकॉल की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए गैर-सीएफसी टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से सीएफसी का इस्तेमाल बंद करना है। एसी मार्केट बढ़ रहा है और पिछले कुछ वर्षों में इसमें बहुत वृद्धि हुई है। 2006-07 में गैर-लघु उद्योग क्षेत्र में 4.9 लाख एयरकंडीशनर बनाए जाने की सूचना दी। 2007-08 में 7.72 लाख एसी बनाए गए। 2006-07 में भारत से 197.7 करोड़ रुपए के एसी निर्यात किए गए। आयात 1298.4 करोड़ रुपए का रहा। यह उद्योग लाइसेंसमुक्त है और आटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई का पात्र है।

लेड एसिड स्टोरेज बैट्रीज

लेड एसिड बैट्रीज में बिजली का करंट इकट्ठा किया जाता है जो कुछ समय में डिस्चार्ज हो जाता है। इनका इस्तेमाल वाहनों में और बैकअप के यूपीएस बनाने में होता है। कंट्रोल रूम, बिजलीघरों, दूरसंचार आदि में भी इन्हें प्रयोग किया जाता है। स्वयंचालित वाहनों (मोटरगाड़ियों) का उद्योग इनका विशेष उपभोक्ता है। इनके सहारे ही मोटर वाहन स्टार्ट होते हैं। इनके अतिरिक्त, यह घरों में एमर्जेंसी लाइट और टेलीफोन आदि में भी काम आते हैं। अब नए प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों में इनका एक नया प्रयोग सामने आया है। एक बैट्री की औसत उम्र लगभग दो वर्ष होती है। अतः इनकी आवश्यकता मशीनों और वाहनों में बनी रहेगी। जाहिर है कि इस उत्पाद का मार्केट बहुत बड़ा है।

दुनियां में बिकने वाली कुल बैटरियों का 60% भाग लेड एसिड बैटरियों का है। वाहन उद्योग बहुत बढ़ रहा है और इसके साथ ही, बैटरियों की मांग भी बढ़ती जा रही है। हालांकि भारत में बड़े

पैमाने पर बैटरी उत्पादक कम संख्या में हैं, लेकिन लघु उद्योग क्षेत्र में इसका उत्पादन करने वालों की संख्या काफी बड़ी है। ये असंगठित हैं। इनके उत्पाद बीआईएस द्वारा निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरते।

गैर-लघु उद्योग क्षेत्र ने वर्ष 2006-07 में 401.12 लाख लेड एसिड बैटरियों की सूचना दी है। वर्ष 2006-07 में इन बैटरियों का निर्यात रु. 259.3 करोड़ और क्षमता आयात रु. 784.8 करोड़ का रहा। यह उद्योग लाइसेंसमुक्त है और विदेशी निवेश के लिए आटोमेटिक रूट से पूरी तरह खुला है।

ड्राई सेल बैटरी

ड्राई सेल बैटरी एक ऐसा उत्पाद है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये पुराने प्रकार के उत्पाद हैं जिसका प्रयोग चल रहा है। तकनीकी विकास के साथ इनके कामकाज में भी सुधार आया है। हालांकि ड्राई सेल के उत्पादन में सुधार हुआ है लेकिन इनका बुनियादी स्वरूप वही है। उदासीकृत आर्थिक युग में अब रिचार्जबल बैटरी जैसे कम खर्चीले उत्पाद आ रहे हैं। नए प्रकार के ड्राई सेल भी आ गए हैं जो ज्यादा चलते हैं और अधिक भरोसेमंद हैं। खर्चीले इलेक्ट्रानिक आटो उपकरणों और खिलौनों में लीकप्रूफ सेल का इस्तेमाल किया जाता है। निकेल कैडमियम और अन्य प्रकार की सुलभ बैटरियों का भी उत्पादन होने लगा है। अभी देश में हाईड्रेन इस्तेमाल नहीं बढ़ा है लेकिन सेलुलर फोन, लैपटॉप और विदेशी खिलौनों के कारण नई प्रकार की बैटरियों की मांग बढ़ रही है। अभी कई प्रकार की बैटरियां नहीं बनाई जा रही हैं।

वर्ष 2006-07 में गैर लघु-उद्योग क्षेत्र में ड्राई सेल बैटरियों का उत्पादन 2252.33 मिलियन था। 2007-08 में यह उत्पादन बढ़ कर 2551.90 मिलियन हो गया। 2006-07 में देश से 51.5 करोड़ रुपए मूल्य की बैटरियों का निर्यात और 297.8 करोड़ रुपए मूल्य का आयात हुआ। यह उद्योग पूरी तरह लाइसेंसमुक्त है और आटोमेटिक रूट से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खुला है।

इलेक्ट्रिकल लैंप और ट्यूब

बिजली क्षेत्र पर जोर और इसके वितरण में बेतहाशा वृद्धि से लाइटिंग उद्योग की भारत में नींव पड़ी। देश में लाइटिंग उद्योग पूरी तरह विकसित है। यहां पर तरह-तरह के लैंप और ट्यूब बनाए जाते हैं जिनमें इनकैंडिसेंट बल्ब, हैलोजन लैंप, जैसे सामान्य उपकरण और फ्लूरोसेंट ट्यूब लाइट, कंपैक्ट फ्लूरोसेंट लैंप, हाईप्रेसर मर्करी वेपर लैंप, मेटल हालिड लैंप, लो प्रेशर और हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप आदि शामिल हैं। ऊर्जा की कीमत बढ़ रही है जिससे विद्युत किफायती उपकरणों की मांग बढ़ रही है। अब कंपैक्ट फ्लूरोसेंट लैंप ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। ये अन्य के मुकाबले सिर्फ 20% बिजली की खपत करके उतनी ही रोशनी देते हैं और 10 गुना ज्यादा चलते हैं।

लैंपों के निर्माता अब विदेशी सहयोग और तकनीकी जानकारी ले कर आयातित डिजाइनों का उपयोग कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रानिक तकनीक के इस्तेमाल से बेहतर और अनेक प्रकार के उत्पाद लाए जा रहे हैं जो सस्ते और बिजली किफायती हैं और बेहतर दिखते हैं। इस उद्योग में प्रभूत संभावनाएं मौजूद हैं और तकनीक तथा लागत में बराबर बेहतरी आ रही है। नई तकनीकों के इस्तेमाल से जहां लागत घट रही है वहीं अधिक रोशनी देने वाले सस्ते उत्पाद आ रहे हैं जिनसे बिजली की खपत कम होती है। पिछले वर्षों में इस उद्योग का बहुत विस्तार हुआ है। 2006-07 में जीएलएस लैंपों का गैर-लघु उद्योग क्षेत्र में 470.46 मिलियन नया उत्पादन हुआ। फ्लूरोसेंट ट्यूबों का उत्पादन उसी अवधि में 209.02 मिलियन था, वर्ष 2007-08 में जीएलएस लैंपों और फ्लूरोसेंट लैंपों का उत्पादन क्रमशः

430.76 मिलियन और 214.9 मिलियन होने की सूचना है। यह उद्योग लाइसेंसमुक्त है और बिना रोक एफडीआई के लिए खुला है।

लाइट इंजिनियरी उद्योग क्षेत्र

लाइट इंजिनियरी उद्योग एक बहुआयामी क्षेत्र है और इसमें कई प्रकार के प्रमुख उत्पाद शामिल हैं। इस क्षेत्र में वह उद्योग भी आता है जिसे सभी उद्योगों की जननी कहा जा सकता है। इनमें कास्टिंग और फोर्जिंग से लेकर अतिआधुनिक माइक्रो-प्रोसेसर आधारित प्रोसेस कंट्रोल उपस्कर और चिकित्सा में काम आने वाले उपकरण आते हैं। इस समूह में बीयरिंग, स्टील पाइप, ट्यूब, नट बोल्ट आदि भी आते हैं। इंजिनियरी समूह के उद्योगों को आमतौर पर पूंजीगत माल उद्योग में शामिल किया जाता है। अतः इस क्षेत्र के उत्पादों की मांग पूंजीगत माल उद्योग के उत्पादों की मांग पर निर्भर है।

रोलर बीयरिंग उद्योग

रोलर बीयरिंग इस्तेमाल आमतौर पर किसी मशीन के घूमने वाले पुर्जों के बीच घर्षण रोकने के लिए किया जाता है और इनका उस मशीन के काम पर बहुत असर पड़ता है। अधिकांशतः आंतरिक छल्लों, बाहरी छल्लों, गतिशील पुर्जों आदि में इनका प्रयोग होता है। गतिशील पुर्जे प्रायः दो रूपों में बॉल या रोलर की शक्ल में होते हैं। रोलर चार बुनियादी रूपों में बनते हैं—सिलिंड्रिकल, नीडल, टेपर्ड और स्फीरिकल। ऊर्जा को मशीनी ताकत के रूप में इस्तेमाल करने में घूर्णन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

बीयरिंग का इस्तेमाल विभिन्न कामों में होता है। मामूली पंखे से लेकर जटिल अंतरिक्ष रॉकेटों तक में इनका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए विभिन्न प्रकार के बीयरिंग बनाए जाते हैं। भारत के बीयरिंग निर्माता तरह-तरह के बीयरिंग विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप बना रहे हैं। इसीलिए इनकी बहुत मांग है। खास इस्तेमाल वाले बीयरिंग बनाने में खास विशेषज्ञता की जरूरत होती है। कुछ प्रकार के बीयरिंग अभी भी आयात किए जाते हैं। अभी भी इस उद्योग में काफी संभावनाएं हैं। छोटे आकार, अधिक वजन और कठोर कामों में इस्तेमाल वाले बीयरिंग भी तैयार किए जा रहे हैं।

अनुमान है कि कुल की 35% मांग आटोमोबाइल उद्योग में हैं। इलेक्ट्रिकल उद्योग में 12% और मरम्मत आदि के लिए 40% तथा शेष 13% अन्य उद्योगों में काम आते हैं। दुनिया की अनेक जानी मानी कंपनियों ने इनके लिए अपनी यूनिटें लगा ली हैं। अनेक कंपनियां भारत में संयंत्र लगाने पर विचार कर रही हैं। भावी वर्षों में बीयरिंग की खपत काफी बढ़ने की उम्मीद है।

2006-07 में निर्यात और आयात के अनुमानित आंकड़े क्रमशः रु. 835.3 करोड़ और 1920.6 करोड़ रुपए हैं। 2006-07 में बाल और बीयरिंग का उत्पादन 327.9 मिलियन (नग) था। वर्ष 2007-08 में इसका उत्पादन 289 मिलियन (नग) होने की सूचना है। बीयरिंग उद्योग लाइसेंसमुक्त है और आटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई के लिए खुला है।

लोहे की ढलाई उद्योग

भारत का ढलाई उद्योग दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा उद्योग है। यह एक बुनियादी उद्योग है। इसके सहारे अनेक अनुवर्ती उद्योग शुरू होते हैं। इनमें इंजिनियरी और निर्माता उद्योग, वाहनों के कलपुर्जे ढालने का उद्योग और निर्यात के लिए वस्तुओं का उद्योग शामिल है। यह उद्योग अब देश में गहरी जड़ें जमा चुका है और लघु, औसत और बड़े उद्योगों के रूप में इसका विस्तार हो चुका है। इसकी एक खास बात

यह है कि हर इलाके में इस उद्योग ने एक खास प्रकार के उद्योग के साथ जुड़कर अपनी पहचान बना ली है। उदाहरण के लिए—कोयंबतूर में इस उद्योग ने अपने आपको पंपसेट उद्योग से जोड़ लिया है। कोल्हापुर और बेलगाम के उद्योग ने आटोमोटिव क्षेत्र के लिए अपनी पहचान बनाई है। राजकोट के समूह ने डीजल इंजन निर्माताओं की जरूरतें पूरी करने की महारत हासिल कर ली है जबकि बहाला और जलंधर समूह ने किसानों के उपकरण और मशीनी पुर्जे बनाने का काम संभाला हुआ है।

विकसित देशों जैसे अमरीका, जापान, जर्मनी आदि में सख्त प्रदूषण नियंत्रक नियम लागू हैं। इस कारण भारत का इस क्षेत्र में वर्चस्व है। वह दुनिया भर में ढलाई सामान का सप्लायर बन सकता है। बड़े सीमेंट कारखानों को छोड़ कर शेष अन्य उद्योगों में कम वजन वाले (प्रायः 5 किलोग्राम से 4 टन) ढलाई वाले पुर्जों की जरूरत पड़ती है। इस्पात कारखानों में 20 टन से 80 टन तक के ढले पुर्जे लगते हैं। भारतीय उद्योग को अपनी तकनीकी क्षमता के कारण निर्यात के मामले में विकसित देशों के मुकाबले सुविधा प्राप्त है। यही कारण है कि अनेक देशों के लोग इन पुर्जों के लिए भारत से आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। भारत के ढले पुर्जों के व्यापक उपयोग हैं और निर्यात की प्रभूत संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए भारत में अतिरिक्त क्षमता निर्माण की बहुत संभावनाएं और गुंजाइश है।

ढलाई उद्योग की वस्तुएं 2006-07 में 1978.6 करोड़ निर्यात और रु. 47.5 करोड़ की आयात की गई। संगठित क्षेत्र में 2006-07 में इस्पात ढलाई की चीजों का उत्पादन 7.79 लाख टन था। वर्ष 2007-08 में 7.69 लाख टन उत्पादन की सूचना मिली। यह उद्योग लाइसेंसमुक्त है और आटोमेटिक रुट से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खुला है।

मेडिकल एवं सर्जिकल उपकरण

इस वर्ग में मेडिकल, सर्जिकल, डेंटल सब प्रकार के औजार और इलेक्ट्रो-मेडिकल उपकरण आते हैं। एक्स-रे उपकरण, फिजियो-थेरेपी औजार और उपस्कर आर्थोपेडिक उपकरण भी इसी वर्ग में हैं। इन्हें बनाने का उद्योग स्वास्थ्यचर्या सेवाओं की उपलब्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। उदाहरण के साथ पिछले 15 वर्षों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और मेडिकल-सर्जिकल उपकरणों की मांग बहुत बढ़ी है। इसके कारण भारत में यह उद्योग खूब बढ़ा है। इसके कारण देसी उत्पादन और आयात-दोनों में खूब वृद्धि हुई है। आजकल स्वास्थ्यचर्या का काम इन उपकरणों पर काफी ज्यादा आश्रित है। अतः चिकित्सकों के लिए इनके बिना काम चलाना असंभव हो गया है। इस उद्योग में लगे निर्माता विभिन्न प्रकार के उपकरण बना रहे हैं। इनमें इलेक्ट्रो-कार्डियोग्राफ (ईसीजी) एक्स-रे स्कैनर, सीटी स्कैनर, शार्ट वेब फिजियो-थेरेपी यूनिट, इलेक्ट्रो सर्जिकल यूनिट, ब्लड केमिस्ट्री एनालाइजर आदि शामिल हैं। लेकिन न्यूक्लीयर मैग्नेटिक रिसोनेंस (एनएमआर) स्कैनर, मल्टीचैनल मानीटर आदि अभी नहीं बन रहे हैं। इस वर्ग के अधिकांश निर्माता लघु उद्योग क्षेत्र में हैं। 2006-07 में गैर-लघु उद्योग क्षेत्र में इसका उत्पादन 301.5 करोड़ रुपए था। 2007-08 में यह उत्पादन 330.41 करोड़ होने की सूचना मिली।

प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रुमेंट उद्योग

प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रुमेंट उद्योग को टेक्नोलॉजिकल विकास का उत्प्रेरक माना गया है। इन उपकरणों को आधुनिक औद्योगिक गतिविधियों का अभिन्न भाग कहा गया है। इस उद्योग में अनेक प्रकार के उपकरण आते हैं जिनकी मानीटरिंग और फिजिकल, रसायनिक और जीववैज्ञानिक गतिविधियों को मापने में जरूरत पड़ती है। इन्हें दबाव, तापमान, नमी, स्तर, प्रवाह आदि पर नजर रखने में इस्तेमाल किया जाता

है। इसे एक प्रमुख उद्योग माना जाता है, जो स्वयंचालन का साधन उपलब्ध कराता है। इनका खर्चीले, ज्यादा लागत वाले प्रोसेसिंग उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें उर्वरक, इस्पात, बिजलीघर, तेलशोधक संयंत्र, पेट्रोकेमिकल, सीमेंट तथा अन्य प्रसंस्करण उद्योग प्रमुख हैं।

टेक्नोलॉजी हस्तांतरण इस उद्योग के विकास की बुनियाद रही है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाले निर्माताओं से सहयोग के कारण इस उद्योग को अनेक क्षेत्रों में सफलता मिली है। आज यह उद्योग खुली नियंत्रण प्रणाली और स्मार्ट कंट्रोल उपकरण देने में सक्षम है। इस समय माइक्रोप्रोसेसर आधारित केंद्रीयकृत नियंत्रण प्रणाली चल रही है। भविष्य की टेक्नोलॉजी ऐसी होगी जिसमें संवेदना समय और उसके अनुरूप प्रतिक्रिया में कम समय लगेगा। साथ ही स्वतः नियंत्रण बना रहेगा। इस क्षेत्र की मांग वस्तुतः अन्य क्षेत्रों में उत्पन्न मांग है और उर्वरक, इस्पात, बिजलीघर, तेलशोधक संयंत्र, पेट्रोकेमिकल, सीमेंट जैसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर निर्भर करती है।

वर्ष 2006-07 में इस क्षेत्र में गैर-लघु उद्योग क्षेत्र को छोड़ कर 326.03 करोड़ का उत्पादन हुआ। 2007-08 में इस क्षेत्र में 447.86 करोड़ का उत्पादन हुआ। 201.1 करोड़ का निर्यात और 1231.1 करोड़ का आयात किया गया। यह उद्योग लाइसेंसमुक्त है और आटोमेटिक रूट से एफडीआई के लिए खुला है।

सीमलेस स्टील पाइप और ट्यूब

सीमलेस स्टील पाइप और ट्यूब कई आकार प्रकार के बनते हैं जिनमें पतले, छोटे, बारीक और अन्य प्रकार के स्टील पाइप शामिल हैं। इनका निर्माण कामर्शियल इलेक्ट्रिकल फर्नेस में किया जाता है। इनसे खपत योग्य, इलेक्ट्रोड वैक्यूम में गलाये हुए इस्पात से पाइप बनाया जाता है। इस तरह से बना पाइप मजबूत और टिकाऊ होता है और क्षरण-रोधी प्रयोग में लाया जा सकता है। सीमलेस पाइप कई प्रकार के आते हैं जैसे हाट रोलड, कोल्ड ड्रान, रोटोरोल्ड आदि। सीमलेस पाइपों का इस्तेमाल हाइड्रोकार्बन उद्योग, प्रोसेसिंग और जनरल इंजिनियरिंग में किया जाता है। ट्यूबिंग पर केसिंग का प्रयोग तेल और गैस की खुदाई में होता है। ब्वायलर पाइपों का इस्तेमाल ब्वायलरों में किया जाता है। इस वर्ग में मिश्र धातु, इस्पात और कार्बन स्टील ट्यूब आते हैं। सीमलेस पाइपों का प्रयोग वहां होता है जहां क्षमता, रोधक शक्ति और उत्पाद का टिकाऊ होना महत्वपूर्ण होता है।

सीमलेस पाइपों की 60% खपत तेल क्षेत्र में होती है। बीयरिंग और ब्वायलर क्षेत्र में इसकी 30% खपत है। यह उद्योग 14'' बाहरी परिधि तक के पाइप बना सकता है। अब जबकि विद्युत क्षेत्र में काफी विस्तार हो रहा है और आटोमोबाइल क्षेत्र से बीयरिंग की काफी मांग हो रही है, इन दोनों क्षेत्रों के उत्पादों की मांग बढ़ सकती है।

सीमलेस पाइप क्षेत्र के अनुमानित निर्यात और आयात आंकड़े 2006-07 में क्रमशः 1192.4 करोड़ और रु. 2,646.5 करोड़ थे। यह क्षेत्र लाइसेंसमुक्त है और इस क्षेत्र में आटोमेटिक रूट से 100% तक एफडीआई की अनुमति है।

इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट वेल्डेड स्टील पाइप और ट्यूब

इन पाइप का इस्तेमाल बाड़ लगाने, पाइपों में अस्तर डालने, आयल कंट्री ट्यूबुलर्स, मचान बांधने, पानी और गैस पहुंचाने, निर्माण और ढांचों आदि में किया जाता है। उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के पाइप विभिन्न आकार, गोलाई और परिधि में कई गुणवत्ता वाले बनाए जाते हैं। इन पाइपों के निर्माण में विशेष प्रकार के लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले इन पाइपों में क्षरण रोधकता होती है। इन पाइपों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। इसका कारण है गैस

उद्योग, मूल संरचना और आटोमोबाइल क्षेत्र में बढ़ती मांग। ये पाइप बनाने वाले अनेक निर्माता लघु उद्योग क्षेत्र में हैं। यह उद्योग लाइसेंसमुक्त है और आटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई के लिए खुला है।

सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड (एस ए डब्ल्यू) पाइप

सा पाइप दो प्रकार के—लांगट्यूडिनल और हेलिकल वेल्डेड सा पाइप होते हैं। लांगट्यूडिनल सा वहां काम आते हैं जहां 25 एमएम से ज्यादा और हाईप्रेसर गैस पाइपलाइन होती है। हेलिकल सा पाइप कम दाब वाले काम के लिए होते हैं। हेलिकल पाइप की कीमत लांगट्यूडिनल पाइपों से कम होती है। भारत में कुल 6.5 लाख टन सा पाइप की उत्पादन क्षमता है। सा पाइप की मांग काफी अधिक है क्योंकि तेल, गैस और पानी पहुंचाने का काम बहुत बढ़ गया है।

सा पाइप उद्योग के निर्यात और आयात के 2006-07 के आंकड़े रु. 2903.8 करोड़ और रु. 3844.2 करोड़ के हैं। इस उद्योग में निर्यात की बहुत संभावनाएं हैं। यह उद्योग लाइसेंसमुक्त है और आटोमेटिक रूट से इसमें विदेशी पूंजी 100% तक निवेश की अनुमति है।

इंडस्ट्रियल फास्टनर्स

फास्टनर्स वह हार्डवेयर उपकरण हैं जो दो या अधिक वस्तुओं को मशीनी रूप से जोड़ने के काम आते हैं। इस उद्योग की प्राप्ति उन उद्योगों के भविष्य पर निर्भर करती है जिनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे—वस्त्र, आटोमोबाइल और सामान्य इंजिनियरिंग। भारत में फास्टनर उद्योग दो वर्गों में बांटा जा सकता है—उच्च तननशील और मृदु इस्पात के फास्टनर्स। इनमें नट बोल्ट, स्क्रू और रिबेट शामिल हैं। माइल्ड स्टील वाले फास्टनर बुनियादी तौर पर असंगठित क्षेत्र में तैयार किए जाते हैं। अति तननशील फास्टनर बनाने के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। इसके उत्पादन पर संगठित क्षेत्र की कंपनियों का वर्चस्व है। कंज्यूमर ड्यूरेबल निर्माता और रेलवे इनके अन्य प्रमुख ग्राहक हैं। आटोमोबाइल क्षेत्र के विकास के साथ फास्टनर उद्योग की प्रगति होने की आशा है।

औद्योगिक फास्टनरों का निर्यात 2006-07 में 886.9 करोड़ और आयात 819.5 करोड़ था। संगठित क्षेत्र में नट बोल्ट का उत्पादन 90629 टन था। वर्ष 2007-08 में 89660 टन का उत्पादन होने की सूचना मिली। इस क्षेत्र से निर्यात की काफी ज्यादा गुंजाइश है। फास्टनर उद्योग लाइसेंसमुक्त है और इसमें आटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई की अनुमति तभी होगी जब फास्टनरों का निर्माण लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित न हो।

इस्पात फोर्जिंग

निर्माण प्रक्रिया में फोर्जिंग (गढ़त) की महत्वपूर्ण भूमिका है। फोर्जिंग मध्यवर्ती उत्पाद हैं और ड्यूरेबल वस्तुओं में मूल उपकरण के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। ये आकार में एक औंस से कम के अथवा 150 टन भारी बड़े आकार के हो सकते हैं। इनका निर्माण विभिन्न तरीकों से किया जाता है। जिनमें खुले सांचे की फोर्जिंग, बंद सांचे की फोर्जिंग और लगभग तैयार रूप वाली फोर्जिंग हैं।

भारत में फोर्जिंग उद्योग अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करने वाले क्षेत्र के रूप में सामने आया है। इनकी अधिकांश मांग आटोमोबाइल उद्योग में है। कुल के 65% फोर्जिंग का इस्तेमाल यही उद्योग करता है। अतः इस उद्योग का विकास आटोमोबाइल सेक्टर के विकास पर निर्भर है। फोर्जिंग का इस्तेमाल रेलवे, डिफेंस, तेल खोज आदि में भी होता है। यह उद्योग न सिर्फ घरेलू मांग पूरी करता है बल्कि बड़ा निर्यातक भी है और देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जक है। निर्यात मोर्चे पर इसने अच्छा काम

किया है। टेक्नोलॉजिकल विकास ने भी इस उद्योग के संवर्धन में अच्छी भूमिका निभाई है। इसके प्रमुख विदेशी बाजार हैं—अमरीका, यूरोप, चीन, आदि। देश में करीब 10 बड़ी यूनितें हैं जब कि अनेक यूनितें मझोले, लघु और छोटे क्षेत्र में हैं।

2006-07 के लिए इस उद्योग के निर्यात और आयात आंकड़े क्रमशः 1123.1 करोड़ और 1533.5 करोड़ हैं। 2006-07 में संगठित क्षेत्र में स्टापिंग और फोर्जिंग उत्पाद 416.566 टन थे। 2007-08 में 476442 टन उत्पादन की सूचना मिली है। विदेशों में मांग बढ़ने के चलते इस उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। उदारीकरण के परिणामस्वरूप और ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां आटोमोबाइल क्षेत्र में आ रही हैं। इससे फोर्जिंग उद्योग का कारोबार बढ़ेगा। फोर्जिंग उद्योग लाइसेंस मुक्त है और 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पात्र है।

साइकिल उद्योग

भारत में बाइसाइकिल उद्योग बहुत जमे हुए उद्योगों में से एक है। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा साइकिल उत्पादक देश है। यहां पर साइकिल निर्माताओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। हाल में यहां से साइकिलों का निर्यात भी खूब बढ़ा है। आज दुनिया में भारत की साइकिल और कलपुर्जों की उत्पादन क्षमता की अच्छी ख्याति है। यह उद्योग निर्यात बढ़ाने की भी कोशिशें कर रहा है क्योंकि इसकी बहुत गुंजाइश है।

भारत से साइकिलों के निर्यात और आयात के आंकड़े 2006-07 में क्रमशः रु. 133.7 करोड़ और रु. 31.7 करोड़ के हैं। संगठित क्षेत्र में हर प्रकार की बाइसाइकिलों का उत्पादन 2006-07 में 105.08 लाख नग था। यह उद्योग लाइसेंसयुक्त है और 100% एफडीआई आटोमेटिक रूट से किया जा सकता है। वर्ष 2007-08 के दौरान 113.16 लाख नग साइकिलों का उत्पादन हुआ।

हल्की औद्योगिक मशीनरी क्षेत्र

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक है। लेकिन अपेक्षाकृत रूप से हमारा अनाज प्रसंस्करण उद्योग छोटा है। अब यह अनाज खपत के बदलने, अनाज के मूल्यवर्धित उत्पादों पर अधिक खर्च करने, इस उद्योग में ज्यादा संख्या में महिलाओं के आ जाने से स्थिति बदल रही है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बदलती जीवन शैली और प्रचार साधनों द्वारा प्रचार भी इसके कारण हैं। अनाज प्रसंस्करण मशीनों का घरेलू बाजार तेजी से बढ़ा है। कारण यह कि देश में इन मशीनों की मांग बढ़ी है और प्रसंस्कृत पेय एवं खाद्य पदार्थ पसंद किए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में नई यूनितें चालू हो रही हैं और यह प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है। फल और सब्जियों की प्रोसेसिंग सबसे ज्यादा संभावना वाले क्षेत्र हैं। मांस, डेयरी उत्पाद, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, साफ्ट ड्रिंक्स, अनाज के डिब्बाबंद पदार्थ भी लोकप्रिय हैं। देश से तैयार खाद्य पदार्थों का निर्यात भी खूब बढ़ा है जिससे इस काम में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की मांग अधिक हो गई है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली मशीनों में भरने और सीलबंद करने वाली मशीनें, थैलियां बनाने वाली पूरी तरह ऑटोमेटिक मशीनें और ऑटोमेटिक माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल्ड पैकेजिंग मशीनें शामिल हैं।

अन्य औद्योगिक मशीनों की तरह पैकेजिंग मशीन उद्योग भी वर्तमान औद्योगिक नीति के अंतर्गत लाइसेंसमुक्त है और आटोमेटिक रूट के तहत 100% एफडीआई का पात्र है।

जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण

अपशिष्ट जलशोधन उद्योग खूब बढ़ने की स्थिति में है। कारण है जल प्रदूषण के प्रति बढ़ती जागरूकता और विभिन्न एजेंसियों द्वारा लागू पर्यावरण नियंत्रण उपाय। जल प्रदूषण रोकने के काम आने वाले अनेक प्रकार के उपकरण हैं। इनमें अपशिष्ट जल शोधक संयंत्र, पेयजल शोधक संयंत्र और अपशिष्ट शोधन संयंत्र शामिल हैं। अपशिष्ट जल शोधक संयंत्र में पानी से गंदगी दूर की जाती है और इसके लिए भौतिक, रासायनिक और जीव-वैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा गंदगी दूर की जाती है। यह प्रक्रिया गंदे पानी, उसके संभावित उपयोग और इस बात पर निर्भर करता है कि अंततः उस पानी का निस्तारण कैसे होगा। जलशोधन में प्राथमिक उपाय है गंदगी हटाना। इसके अंतर्गत तैरते गंदे पदार्थों को निकाला जाता है। इसमें आम इस्तेमाल के तरीके हैं साफ करना और पानी से तैलीय पदार्थों को अलग करना। दूसरा चरण है जैविक पदार्थों को पानी से हटा देना। इस काम में इस्तेमाल होने वाले उपकरण हैं स्लज फिल्टर, बायोलाजिकल रिएक्टर आदि। तृतीय चरण में उन प्रदूषकों को हटाया जाता है जो पहले और दूसरे चरण में नहीं दूर हुए। इसी चरण में पानी छाना जाता है। और कार्बन सोख लेते हैं। रासायनिक प्रक्रिया के जरिए जैविक और गैर-जैविक को दूर किया जाता है। इसी प्रक्रिया में अवसादन, आक्सीकरण और निष्प्रभावीकरण शामिल हैं। इस प्रक्रिया में बायोडिग्रेडेशन भी आता है। बैक्टीरिया, फंगस, कार्बो आदि हटा दिए जाते हैं। ऊतक आदि पदार्थ भी दूर कर दिए जाते हैं।

आमतौर पर सारे संयंत्र संगठित क्षेत्र में तैयार किए जाते हैं। इनके कुछ उपकरण लघु उद्योग क्षेत्र में बनते हैं। अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और ब्रिटेन की अनेक जानी मानी कंपनियों ने भारत में या तो अपने संयंत्र खोले हैं या फिर भारतीय कंपनियों से सहयोग किया है। यह उद्योग घरेलू प्रमुख मांगें पूरी करने में सक्षम है। लेकिन टेक्नोलॉजी समुन्नयन लगातार करते रहने की जरूरत है खासतौर से ऊर्जा बचत और कुशलता के क्षेत्र में लगातार अनुसंधान की जरूरत है। यह उद्योग औद्योगिक मशीनरी क्षेत्र में शामिल है और लाइसेंसमुक्त है। यह आटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई का पात्र है।

वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण

महानगरों और बड़े शहरों में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने विभिन्न उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार के सख्त वायु प्रदूषण नियंत्रक उपाय लागू किए हैं। इस कारण वायु प्रदूषण निवारक उपकरण उद्योग महत्वपूर्ण हो गया है। साथ ही, अनेक अदालती फैसलों में सुनिश्चित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और वायु प्रदूषण निरोधक उपाय शीघ्र अपनाने को कहा गया है।

कौन सा वायु प्रदूषक उपाय अपनाया जाए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रदूषण किस प्रकार का है और कितना है। वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है—

1. साइक्लोन एवं मल्टी साइक्लोन
2. ग्रेविटी सेपरेटर्स
3. फ्रेब्रिक फिल्टर्स
4. वेट कलक्टर्स एवं स्क्रबर्स
5. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीपिटेटर्स

यह उद्योग संबंधित क्षेत्र में बुनियादी इंजिनियरी कार्य करने और टर्न की आधार पर संयंत्र सप्लाय करने की स्थिति में है। अनेक देसी उद्योगों ने विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग कर रखा है।

वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण उद्योग लाइसेंसमुक्त है और आटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई के लिए खुला है।

इंडस्ट्रियल गीयर

इंडस्ट्रियल गीयर वर्ग में आमतौर पर गीयर और गीयर बाक्स आते हैं। गीयरों का इस्तेमाल ताकत और गति के प्रेषण के लिए किया जाता है। गीयर किसी मशीन के बहुत महत्वपूर्ण पुर्जे होते हैं और विभिन्न उद्योगों में इनका विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। गीयर और गीयर बाक्सों के उत्पादन में बारीक काम वाली मशीनों और सही संयोजन की जरूरत होती है ताकि मशीनी ताकत को बिना शोर किए और बिना ऊर्जा क्षति के प्रेषित किया जा सके। अपने देश में विभिन्न प्रकार के गीयर बनाए जाते हैं उदाहरणार्थ स्पर गीयर, हेलिकल गीयर, वर्म गीयर, स्पाइरल गीयर तथा अन्य कई प्रकार के गीयर। गीयरों और गीयर बाक्स की मांग प्रमुखतः औद्योगिक मशीनरी, मशीन टूल और उपभोक्ता तथा आटोमोबाइल क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है। औद्योगिक विकास की संभावनाओं को देखते हुए और खासतौर से आटोमोबाइल क्षेत्र की प्रगति को ध्यान में रख कर कहा जा सकता है कि गीयर और गीयर बाक्सों की मांग तेजी से बढ़ेगी। यह उद्योग लाइसेंसमुक्त है और आटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई का पात्र है।

सीमेंट उद्योग

सीमेंट उद्योग देश के तकनीकी रूप से सर्वाधिक उन्नत उद्योगों में से एक है। आवास निर्माण एवं देश के ढांचागत क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 1989 से सीमेंट पर से वितरण संबंधी प्रतिबंधों को हटा लिया गया तथा औद्योगिक (विकास एवं नियमन) कानून 1951 के तहत 1991 में इसे लाइसेंस से भी छूट दे दी गई। इसके बाद से सीमेंट उद्योग ने क्षमता/उत्पादन एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, दोनों में ही तेजी से कदम बढ़ाये हैं। भारतीय सीमेंट उद्योग न केवल उत्पादन के स्तर पर विश्व में दूसरा स्थान रखता है बल्कि विश्व स्तरीय गुणवत्ता का सीमेंट उत्पादित करता है। एक अप्रैल 2008 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश में 159 बड़े सीमेंट संयंत्र हैं जिनकी संस्थापित क्षमता 11.10 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। वर्ष 2007-08 के दौरान 168.3 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन हुआ। इस तरह सीमेंट उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में 7.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2007-08 में सीमेंट एवं क्लिंकर का निर्यात 60 लाख 20 हजार टन हुआ।

भारत में तरह-तरह के सीमेंट का उत्पादन होता है, जैसे साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, (ओ पी सी), पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, (पी पी सी), पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट (पी बी एफ एस), ऑयल वेल सीमेंट, सफेद सीमेंट आदि। सीमेंट की ये विभिन्न किस्में भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंडों के अनुसार बनाई जाती हैं और इनकी गुणवत्ता की तुलना विश्व के सर्वश्रेष्ठ सीमेंट से की जा सकती है। सीमेंट उद्योग ने प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण के साथ पूरा तालमेल रखा है। नई प्रौद्योगिकी अधिक ऊर्जा और ईंधन के उपयोग एवं सामग्री के संरक्षण में सहायक है।

चमड़ा उद्योग

निर्यात आय में महत्वपूर्ण योगदान, रोजगार के अवसरों और विकास दर में महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में चमड़ा उद्योग का प्रमुख स्थान है। यह क्षेत्र मुख्य तौर पर अल्पसंख्यकों और गरीब तबके के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। यही नहीं इस क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों में से 30 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं हैं।

देश में प्राकृतिक दृष्टि से प्रचुर मात्रा में कच्चा चमड़ा और खाल उपलब्ध होने, उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी तैयारियों, विस्तृत मानव संसाधन और कौशल आधारित औद्योगिक क्षेत्र को देखते हुए भारत का चमड़ा उद्योग लाभ की स्थिति में है। अनुमान लगाया गया है कि दुनिया को मिलने वाले कुल के 10% चमड़े का शोधन भारत में किया जाता है। परन्तु विश्व चमड़ा व्यापार में भारत की भागीदारी तीन प्रतिशत से भी कम है। इस क्षेत्र के पिछड़ने के मुख्य कारणों में पुरानी पड़ चुकी टेक्नोलॉजी मानकीकरण का अभाव तथा कमजोर विपणन व्यवस्था शामिल है।

भारत में चमड़े के उत्पादन और निर्यात की बुनियादी संरचना में पिछले दो दशकों में काफी परिवर्तन हुआ है। भारत परंपरागत तौर पर ही कच्चे खाल और चमड़े तथा अर्द्धसंशोधित चमड़े का निर्यातक रहा है। हालांकि पिछले दो दशकों में चमड़ा उत्पादों के निर्यात संबंधी सरकारी नीति में विकास की वजह से चमड़े के जूते, कपड़े और चमड़े से निर्मित अनेक वस्तुओं के निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है।

पिछले छह वर्षों में चमड़ा क्षेत्र में निर्यात की स्थिति को निम्न सारणी में दिखाया गया है—

वर्ग	2001 -02	2002 -03	2003 -04	2004 -05	2005 -06	2006 -07	2007 -08
तैयार चमड़ा	459.25	508.83	555.71	607.73	606.06	688.05	766.93
चमड़े के जूते-चप्पल	305.39	423.3	553.04	637.78	786.76	950.90	1163.82
जूतों के हिस्से	233.94	175.07	161.27	179.21	179.04	212.65	266.11
चमड़े परिधान	378.75	272.08	301.08	329.44	328.44	306.98	343.99
चमड़े की वस्तुएं	407.16	425.39	539.21	585.72	649.14	690.66	784.95
जीन लगाम	35.64	43.66	52.71	61.71	76.4	81.85	105.81
चमड़े के अलावा	26.02	26.38	53.42	73.78	68.75	48.69	45.90
अन्य जूते चप्पल							
कुल	1936.14	1875.21	2216.45	2495.37	2694.59	2979.78	3477.51

औद्योगिक लाइसेंस एवं आरक्षण प्रावधान

29 जून 2001 की अधिसूचना संख्या एसओ 603 (ई) तथा 3 जून 2003 के एसओ संख्या 649 (ई) के तहत चमड़ा क्षेत्र की एसएसआई सूची से चमड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं को अनारक्षित कर दिया जाता है। इस समय चमड़ा क्षेत्र में बनने वाली सभी चीजें अनारक्षित हैं। सिर्फ पी.वी.सी. के बने फुटवियर और चप्पलें, सैंडल और जूते तथा चमड़े के जूतों और परिधानों में लगने वाली धातु की फिटिंग इसका अपवाद है।

केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल

नीतिगत उपाय

चमड़ा क्षेत्र को निर्यात संभावना और रोजगार सृजन के मामले में महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया था। तदनुसार, 2004-09 की विदेश व्यापार की राष्ट्रीय नीति में इसके बारे में विशेष उपायों की घोषणा की गई थी। ये हैं—

- शुल्क मुक्त पात्रता बढ़ा कर 1% से 3% कर दी गई। चमड़े के फुटवियर और अन्य उत्पाद इसके अंतर्गत आते हैं।

- ड्यूटी फ्री स्कीम में लाइनिंग और इंटर लाइनिंग सामग्री को सीवीडी मुक्ति।
- अपशिष्ट शोधन संयंत्रों की मशीनों और कल पुर्जों को तट कर से छूट।
- फर-स्कन आदि को सीवीडी छूट।
- कुछ अन्य अतिरिक्त सामग्री को 5% रियायती आयात शुल्क के अंतर्गत लाया गया।

बाजार विकास और निर्यात संवर्धन

सरकार एक बाजार विकास सहायता एवं बाजार पहुंच योजना के तहत एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रम की सहायता कर रही है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेलों में चमड़ा निर्यातकों की समूह भागीदारी का आयोजन और चुनिंदा बाजारों में विशेष क्रेता-विक्रेता सम्मेलन किए जाएंगे।

अंतर-मंत्रालय समिति का गठन

भारतीय चमड़ा उद्योग को सबल और कमजोर पक्षों के विश्लेषण के उद्देश्य से 6 जनवरी, 2006 को एक अंतर-मंत्रालय समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष योजना आयोग के सदस्य हैं। यह समिति चमड़ा क्षेत्र के विकास की एक व्यापक रणनीति तैयार करेगी।

चमड़ा क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्र मानना

भारत में औद्योगिक उत्पादन की प्रतियोगी क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से और इसे अर्थव्यवस्था का एक अति महत्वपूर्ण भाग बनाने के लिए राष्ट्रीय निर्माता प्रतियोगिता परिषद् ने चमड़ा को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया जिसमें विकास और रोजगार सृजन की उच्च संभावना है।

10वीं पंचवर्षीय योजना की स्कीमें

10वीं योजना अवधि (2002-07) में सरकार का उद्देश्य था उत्पादन क्षमता का आधुनिकीकरण और मूल संरचना में सुधार। इसके लिए 400 करोड़ रुपए के आबंटन वाला एक चमड़ा विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें दो उपकार्यक्रम शामिल थे—चमड़ा क्षेत्र का समन्वित विकास (आईडीएलएस) और 'चमड़ा क्षेत्र की मूल संरचना का सुदृढ़ीकरण' (आईएसएलएस)। इनके लिए क्रमशः रु. 290 करोड़ और रु. 110 करोड़ के प्रावधान थे।

आईडीएलएस के अंतर्गत लघु उद्योग क्षेत्र और गैर-लघु उद्योग क्षेत्र—दोनों को आधुनिकीकरण के लिए सहायता दी गई। यह स्कीम नवंबर 2005 से चली और 31 मार्च 2007 तक 674 आवेदन मंजूर करके उन्हें रु. 400 करोड़ से अधिक की सहायता दी गई। भारत सरकार ने 180 करोड़ रुपए दिए। चमड़ा क्षेत्र के मूल संरचना सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत चेन्नई और कोलकाता में चमड़ा/फुटवीयर परिसरों तथा भवनों के निर्माण पर ध्यान दिया गया। मानव संसाधन विकास मिशन के तहत 1.70 व्यक्तियों की दक्षता का समुनयन किया गया और 3500 ग्रामीण कारीगरों को प्रशिक्षण और विपणन सहायता दी गई। 75 यूनिटों को सद्व्यवहारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग में सहायता दी गई। संस्थागत मूल संरचना में सुधार करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में फुर्सतगंज में एफडीडीआई का एक नया परिसर स्थापित किया जा रहा है। गैर-चमड़े के फुटवीयर इस उद्योग के प्रमुख उत्पाद हैं। एफडीडीआई को समुन्नत करके गैर-चमड़ा और खेल कूद वाले जूतों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए निवेश संवर्धन भी किया गया।

11वीं योजना के प्रस्ताव

अंतर-मंत्रालय समिति की सिफारिशों के अनुसार औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के तहत एक आगामी योजना की रूपरेखा मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की। 14 अगस्त को अपनी बैठक में मंत्रिमंडल ने रु. 912.67 करोड़ परिव्यय वाली एक स्कीम को मंजूरी दी। इसमें मूल सुविधा विकास, क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास, निवेश संवर्धन और चमड़ा क्षेत्र से जुड़ी पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर जोर था।

रबड़ से संबंधित उद्योग

गैर-टायर क्षेत्र में 50% वस्तुएं लघु उद्योग क्षेत्र में बनती हैं। इसका वार्षिक कारोबार रु. 10,863 करोड़ का है।

इस उद्योग में अनेक प्रकार के उत्पाद आते हैं जैसे-कनवेयर बेल्ट, रबड़ के पाइप, रबड़ के एप्रन, गर्भनिरोधक, जांच एवं शल्य क्रिया के दस्ताने, रबड़ की ढली चीजें और आटोमोटिव कलपुर्जे आदि।

टायर एवं ट्यूब

टायर उद्योग को सितंबर 1989 से लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। भारतीय टायर उद्योग में 43 निर्माता कंपनियां हैं। इनके 58 टायर उत्पादन संयंत्र हैं जो कुछ विशेष प्रकार के (स्नोटायर, एरो टायर आदि) टायरों को छोड़ कर अन्य सभी तरह के टायर बनाती हैं। मौजूदा और नई भारतीय गाड़ियों के लिए टायरों की जरूरतें भारतीय उद्योग पूरी कर रहे हैं।

भारत की संस्थापित क्षमता 850 लाख टायर है और वह उन कुछ इने गिने देशों में से एक है जो टायर के मामले में स्वावलंबी बन गए हैं। 2007-08 में टायर का वार्षिक उत्पादन 811.03 लाख था। जबकि 2006-07 में यह 733.44 लाख था। टायर उद्योग का वार्षिक कारोबार 19000 करोड़ रुपए है। इनमें से लगभग 65% भाग ट्रक और बस टायरों का है। भारतीय टायर उद्योग ने निर्यात मोर्चे पर बहुत अच्छा काम किया है। 1990-91 में जहां इस उद्योग को निर्यात से रु. 183 करोड़ की कमाई थी, वहीं 2007-08 में यह बढ़ कर रु. 3000 करोड़ हो गई। 2006-07 में यह आय रु. 2850 करोड़ थी। भारतीय टायर कंपनियां 75 देशों को अपना माल निर्यात करती हैं।

अनुसंधान एवं विकास कार्य

भारतीय रबड़ निर्माता अनुसंधान एसोसिएशन ठाणे, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग का एक स्वायत्तशासी संस्थान है। यह रबड़ एवं अन्य उत्पादों में अनुसंधान के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। इसने गैर-टायर क्षेत्र में सभी प्रकार के रबड़ उत्पादों की परीक्षणक्षमता सृजित की है। यह एसोसिएशन टायर क्षेत्र में अनुसंधान एवं परीक्षण का एक केंद्र स्थापित कर रहा है। इसके लिए 11वीं योजनावधि में रु. 22.50 करोड़ की सहायता दी जाएगी। उम्मीद है कि 2010-11 तक यह केंद्र काम करने लगेगा।

कागज तथा अखबारी कागज उद्योग

देश के सामाजिक आर्थिक विकास में कागज उद्योग की अहम भूमिका है। प्रति व्यक्ति कागज की खपत किसी देश की आधुनिकीकरण का पैमाना भी है। भारतीय कागज उद्योग करीब एक सदी से अस्तित्व में

है और इसने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। देश में करीब 700 मिलें हैं जिन्होंने करीब 63 लाख टन कागज एवं गत्ते (पेपर बोर्ड) (2007-08) तथा करीब 104 लाख टन अखबारी कागज का उत्पादन किया है। जबकि इस उद्योग की कागज और गत्ते बनाने की क्षमता लगभग 75 लाख टन तथा अखबारी कागज बनाने की क्षमता 14 लाख 40 हजार टन है। सन् 2010 तक कागज, गत्ते और अखबारी कागज की मांग बढ़कर 83 लाख टन हो जाने की संभावना है। प्रति व्यक्ति कागज की खपत को किसी भी देश के आधुनिकीकरण का मानदंड माना जाता है। इस दृष्टि से भारत में कागज की प्रति व्यक्ति खपत 7.2 किलोग्राम है जो कागज की विश्व खपत प्रति व्यक्ति 50 किलोग्राम से काफी कम है।

कागज उद्योग लाइसेंस मुक्त है और 1997 से नियंत्रण मुक्त है। इसमें आटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई किया जा सकता है।

1980 से कागज पर 0.125% मूल्यानुसार उपकर लगाया जाता है। 2006-07 में कुल रु. 233 करोड़ उपकर मिला जिसमें से रु. 26 करोड़ फिर से इस उद्योग में लगा दिया गया। इसका इस्तेमाल लुग्दी और कागज क्षेत्र में अनुसंधान विकास के लिए किया गया।

कागज

कागज और अखबारी कागज उद्योग अत्यंत विभाजित हैं और विभिन्न इकाइयों की संस्थापित क्षमता प्रति दिन 2 टन से लेकर 800 टन है। भारतीय कागज उद्योग को मोटे तौर पर तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है— (क) बड़े एकीकृत मिल जो बांस और लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, (ख) मध्यम मिल जो कृषि अवशेष और पुनर्चक्रित फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, (ग) छोटे मिल जो बेकार कागज और पुनर्चक्रित फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों इकाइयां कागज, गत्ते और अखबारी कागज के उत्पादन के मामले में देश में एक समान सहयोग करती हैं। इस उद्योग का कारोबार करीब 16,000 करोड़ रुपये का है और राष्ट्रीय राजस्व में इसकी भागीदारी 2500 करोड़ रुपये की है। भारतीय कागज उद्योग में तीन लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार जबकि दस लाख व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिले हुए हैं। आर्थिक उदारीकरण के प्रारंभ में भारतीय कागज उद्योग ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना किया, जिसने पारंपरिक भारतीय प्रबंधन प्रणाली पर विकासशील प्रभाव डाला, परिणामस्वरूप एक सकारात्मक रणनीति का विकास हुआ। आज बड़े उद्योगपतियों के लिए योजना स्तर पर उदारीकरण का सिद्धांत, परिस्थितिकीय प्रतिस्पर्धा और संबंधित वातावरण के मुद्दे एकीकृत हो गये हैं। पिछले दो-तीन वर्षों के दौरान लुग्दी एवं कागज उद्योग ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विस्तार एवं आधुनिकीकरण योजनाएं शुरू की हैं। इस उद्योग के समक्ष जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वे हैं—अच्छी गुणवत्ता के सेल्यूस्योसिक कच्चे माल की कमी, घिसी-पिटी प्रौद्योगिकी, बुनियादी कच्चे मालों की अधिक लागत, गुणवत्ता तथा पर्यावरण संबंधी मुद्दे।

साबुन और डिटरजेंट उद्योग

साबुन और डिटरजेंट उद्योग का विकास लघु और संगठित क्षेत्र दोनों में हुआ है। डिटरजेंट्स और नहाने के साबुन पर से औद्योगिक लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। कपड़े धोने के साबुन का 90 प्रतिशत उत्पादन लघु उद्योग क्षेत्र में होता है, लेकिन नहाने के साबुन का निर्माण ज्यादातर बड़ी औद्योगिक इकाइयां ही करती हैं। वर्ष 2007-08 में साबुन का उत्पादन 404846 टन तथा डिटरजेंट का उत्पादन 1102886 टन रहा।

बौद्धिक संपदा अधिकार

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग निम्नलिखित कानूनों का प्रशासन कर रहा है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित हैं :

- (क) पेटेंट अधिनियम, 1970 (1999, 2002 और 2005 में संशोधित) इनका प्रशासन कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली कार्यालयों द्वारा।
- (ख) डिजाइन अधिनियम 2000 इनका प्रशासन पेटेंट आफिस कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली के जरिए।
- (ग) ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 द्वारा ट्रेड मार्क रजिस्ट्री, मुंबई (मुख्यालय), चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद।
- (घ) सामानों का भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, चेन्नई।

इन कानूनों से जहां भारत की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां पूरी होती हैं वहीं जनहित में अधिकारों में संतुलन होता है और आवश्यक सुरक्षा उपाय भी लागू किए जाते हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व को मान्यता देते हुए और देश में आर्थिक प्रतियोगितात्मकता तथा विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने 9वीं और 10वीं योजनावधि में बौद्धिक संपदा कार्यालयों को रु. 153 करोड़ के खर्च से आधुनिक बनाने की स्कीम लागू की। इसके अंतर्गत दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के सभी चार कार्यालयों को अत्याधुनिक ढंग से समन्वित किया जाएगा, बौद्धिक संपदा कार्यालयों में एक कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, मानव संसाधनों का संवर्धन होगा, पुस्तकालय सुविधाएं जुटाई जाएंगी, पेटेंट के ई-फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और ट्रेड मार्क के आवेदन भी आनलाइन लेने की सुविधा होगी।

11वीं योजना के दौरान, भारत सरकार एक नई स्कीम लागू कर रही है जिसके अंतर्गत रु. 300 करोड़ खर्च करके बौद्धिक संपदा कार्यालयों को आधुनिक और मजबूत बनाया जाएगा। इस स्कीम का उद्देश्य इन कार्यालयों की मूल सुविधाओं का विकास किया जाएगा ताकि वे इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी के रूप में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की पेटेंट को आपरेशन ट्रीटी के लिए काम कर सकें। यह संगठन बौद्धिक संपदा के बारे में संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। सरकार ने नागपुर में एक बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव अनुमोदित किया है। इसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान और विचार की व्यवस्था की जाएगी।

सरकार ने पहली बार 8 फरवरी 2007 को एक राष्ट्रीय डिजाइन नीति की घोषणा की है। इसमें भारतीय उद्योगों की प्रतियोगी क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन को महत्व देने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत डिजाइन शिक्षा, भारतीय डिजाइनों की ब्रांडिंग और एक डिजाइन परिषद बनाने की भी व्यवस्था है।

पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने जो कदम उठाए उनके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। पेटेंट फाइलिंग बढ़ गया है। 1999-2000 में जहां 5000 से कम पेटेंट दायर किए गए वहीं 2007-08 में संख्या 7 गुना बढ़ कर 35000 से अधिक हो गई। मंजूर किए गए पेटेंटों की संख्या भी बढ़ गई है। 2004-05 में 1911 पेटेंट मंजूर किए गए वहीं 2007-08 में यह संख्या 15,261 हो गई। यह पिछले 3 वर्षों में हुई लगभग 800% वृद्धि है। ट्रेड मार्क के मामले में भी ऐसी ही प्रवृत्ति दिख रही है। ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन 2002-03 के 11,190 से बढ़ कर 2007-08 में 101,300 हो गए। वस्तुतः पिछले 3 वर्षों में

जितने ट्रेड मार्क पंजीकृत किए गए वे इससे पहले कुल पंजीकृत ट्रेड मार्कों से ज्यादा हैं। डिजाइनों के पंजीकरण के आवेदनों की संख्या भी खूब बढ़ी है। 1991-2000 में जहां ऐसे 4674 आवेदन आए थे वहीं 2007-08 में 4674 डिजाइन आवेदन प्राप्त किए गए। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने 15 सितंबर 2003 से काम शुरू किया। इसने 82 उत्पाद पंजीकृत किए हैं जिनमें जुलाई, 2008 तक दार्जिलिंग चाय, पोचमपल्ली इकात, चंदेरी साड़ियां, मैसूर की अगरबत्ती, कुल्लू शाल, कुर्म के संतरे, अरनमुला के दर्पण, कांचीपुरम रेशम शामिल हैं।

मानव संसाधन विकास पर जोर के साथ, क्षमता निर्माण, बौद्धिक संपदा क्षेत्र में जागरूकता लाने आदि के लिए सरकार ने द्विपक्षीय समझौते किए हैं। दुनिया के कई अग्रणी देशों संस्थानों के साथ ये समझौते किए गए हैं। इनमें आस्ट्रेलिया, यूरोप का पेटेंट कार्यालय, फ्रांस, जर्मन पेटेंट एवं ट्रेडमार्क कार्यालय और स्विट्जरलैंड शामिल हैं।

भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का सदस्य है और भारत में सम्मेलनों के आयोजनों आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों के जरिए बौद्धिक संपदा के बारे में जागरूकता लाने संबंधी मामलों में रुचि ली है और पहल की हैं।

सरकार ने चेन्नई में एक बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड की स्थापना की है। इसमें कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स और रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स तथा जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुनने और उनको शीघ्रता के आधार पर निपटाने की व्यवस्था है।

भारतीय वस्त्र

भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का बेजोड़ स्थान है क्योंकि औद्योगिक उत्पादन, रोजगार के अवसर पैदा करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान 14 प्रतिशत है और सकल घरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत है और विदेशी आय में 13.5 प्रतिशत है। यह साढ़े तीन करोड़ व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। इसमें बड़ी संख्या अनुसूचित जातियों/जनजातियों और महिलाओं की है। कपड़ा उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसलिए इस उद्योग की वृद्धि और विकास का भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।

पिछले छह दशकों की तुलना में आज भारतीय वस्त्र उद्योग मजबूत स्थिति में है। पिछले छह दशक से इस उद्योग में 3 से 4 प्रतिशत का विकास हो रहा था लेकिन आज इसकी सालाना विकास दर 8-9 प्रतिशत हो गयी है। यह बात कपड़े के उत्पादन में लगातार वृद्धि और प्रति व्यक्ति पीछे कपड़े की उपलब्धता बढ़ने से जाहिर होती है। वर्ष 2008-09 के दौरान कुल 55 अरब वर्ग मीटर कपड़ा तैयार किया गया जबकि 2004-05 में 45 अरब वर्ग मीटर था।

फेब्रिक उत्पादन तथा निवेश में बढ़ोत्तरी के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई है। 2008-09 के दौरान फेब्रिक उत्पादन 55 बिलियन वर्ग मीटर रहा, जो 2004-05 में 45.38 बिलियन वर्ग मीटर था। पिछले पांच वर्षों में निवेश में अत्यधिक वृद्धि हुई है, 2004-05 में निवेश 7.349 करोड़, 2005-06 में 15032 करोड़, 2006-07 में 66233 करोड़, 2007-08 में 19917 करोड़ तथा 2008-09 में 42807 करोड़ रुपये रहा। 2012 तक 150600 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। इससे 2012 तक 17.37 मिलियन रोजगार उपलब्ध होंगे।

निर्यात

भारत का वस्त्र एवं कपड़ा उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। इसका भारत के निर्यात उद्योग में 13.5% योगदान है। कहा जा सकता है कि 90 का दशक भारतीय वस्त्र उद्योग का दिशा सूचक था। यह वह दशक था जब मल्टीफाइबर-ऐग्रीमेंट की समाप्ति की उम्मीद में उद्योग ने काम बढ़ाना शुरू किया, कुशलता बढ़ाई और टेक्नोलॉजी का आधुनिकीकरण किया। एक वर्ष के अंदर 31 दिसंबर 2004 को इस समझौते की अवधि पूरी हुई और इसके बाद भारत से निर्यात में 22% की दर से वृद्धि हुई। हालांकि बाद के वर्षों में यह वृद्धि दर जारी नहीं रह पाई लेकिन नए बाजारों और नए उत्पादों के साथ यह माहौल बना रहा। 2004-05, 2005-06 और 2006-07 में वस्त्र निर्यात क्रमशः 14 अरब, 17.52 अरब और 18.73 अरब अमरीकी डालर के बराबर रहा। 2007-08 में यह निर्यात 25.06 अरब डालर का रहा। 2008-09 में अप्रैल से फरवरी तक निर्यात 19.55 अरब डालर का रहा।

तकनीकी उन्नयन

भारतीय वस्त्र उद्योग क्षेत्र तकनीकी पिछड़ेपन का सामना कर रहा है। इसके अतिरिक्त कुशल श्रम शक्ति की भी कमी है। वस्त्रोद्योग क्षेत्र के उन्नयन के लिए पहली अप्रैल, 1999 से तकनीकी उन्नयन कोष योजना शुरू की गई प्रारंभ में यह योजना पांच वर्षों के लिए लागू की गई थी। इसे 31 मार्च, 07 तक तथा बाद में 31 मार्च 2012 तक बढ़ा दिया गया है।

इस योजना के तहत सरकार बैंक तथा वित्तिय संस्थानों द्वारा लिया गया पांच प्रतिशत ब्याज (कताई क्षेत्र में चार प्रतिशत) का पुनर्भुगतान करती है। इसके अतिरिक्त योजना के तहत वस्त्र तथा जूट क्षेत्र में लघु उद्यम क्षेत्रों को मार्जिन मनी में 15 प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है। टप्स काम्पेटिबल में निवेश के लिए विकेंद्रित करघा इकाइयों को ब्याज सहायता के लिए मार्जिन मनी में 20 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। प्रोसेसिंग, परिधान तक तकनीकी वस्त्र खंड के लिए जरूरी विशिष्ट मशीनरी के लिए 10 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी मिलती है। इस योजना में वस्त्रोद्योग के लगभग सभी क्षेत्र शामिल हैं।

शुरुआती वर्षों में यह योजना धीमी गति से चली तथा 2004-05 के बाद इसने गति पकड़ी। शुरुआत से 31 मार्च, 2009 तक इसके तहत 24867 आवेदन प्राप्त हुए जिनकी परियोजना लागत 169016 करोड़ थी। इसमें से 166839 करोड़ परियोजना लागत के 24685 आवेदनों को मंजूरी दी गई। पिछले पांच वर्षों के दौरान वस्त्र क्षेत्र में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 2004-09 के दौरान सकल निवेश 151338 करोड़ रुपये था।

तकनीकी वस्त्रोद्योग

वस्त्र मंत्रालय तकनीकी वस्त्रोद्योग पर विशेष जोर दे रहा है। यह एक उभरता हुआ उद्योग है, जिसमें निवेश की अपार संभावनाएं हैं। वर्ष 2005 में तकनीकी वस्त्रोद्योग का वैश्विक बाजार 107 बिलियन डालर था, जिसके 2010 तक 127 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है। तकनीकी वस्त्रोद्योग का भारतीय बाजार 2005 में 6.7 बिलियन डालर था, जिसके 2010 तक 12.46 बिलियन डालर तक पहुंच जाने की संभावना है। भारत में तकनीकी वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में बिल्डटेक, जियोटेक, मेडिटेक तथा प्रोटेक समूह अच्छा काम कर रहे हैं।

सरकार ने ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान इस क्षेत्र के विकास और वृद्धि के लिए तकनीकी वस्त्रोद्योग योजना शुरू की। योजना का उद्देश्य एग्रोटेक, बिल्डटेक, मेडिटेक तथा जियोटेक समूह के लिए

44 करोड़ रुपये की लागत से चार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना है। एग्रोटेक के लिए सिंथेटिक तथा आर्ट सिल्क मिल अनुसंधान एसोसिएशन, मुंबई; मंत्रा; सूरत तथा नवासरी कृषि विश्वविद्यालय नवासरी, गुजरात को उत्कृष्टता केंद्र के तैयार किया गया है। प्रोटेक के लिए नार्थ इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गजियाबाद तथा आईआईटी, दिल्ली को उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है, जियोटेक के लिए अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री एसोसिएशन, अहमदाबाद तथा बांबे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई को उत्कृष्टता केंद्र और मिडटेक के लिए साउथ इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर तथा एसी कॉलेज, कोयम्बटूर को उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। जियोटेक टेक्सटाइल के लिए बीटीआरए, मुंबई में उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया जा चुका है तथा मेडटेक के लिए सिट्रा, कोयम्बटूर में जल्दी ही उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया जाएगा।

सरकार ने ग्यारहवीं योजना के दौरान तकनीकी टेक्सटाइल पर प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया। मिशन कॉम टेस्टिंग सुविधा शुरू करेगा।

बुनियादी ढांचे का विकास

सरकार का हस्तशिल्प, हथकरघा तथा विकेंद्रीकृत करघा कलस्टर के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे तथा उत्पादन सुविधाओं के विकास का प्रस्ताव। एकीकृत कलस्टर विकास पहुंच के जरिये कम-से-कम 5000 करघों के विकास का प्रस्ताव है। विकास के लिए निम्नांकित वृहद क्लास्टरों को लिया गया है।

- वाराणसी (उत्तर प्रदेश) तथा शिवसागर (असम) में हथकरघा
- नरसापुर (आंध्र प्रदेश) तथा मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) में हस्तशिल्प
- भिवंडी (महाराष्ट्र) तथा इरोड (तमिलनाडु) में हथकरघा

एकीकृत वस्त्रोद्योग पार्क की योजना जुलाई, 2005 में शुरू की गई। इसमें पहले से चल रही दो योजनाओं (i) निर्यात योजना के लिए परिधान पार्क तथा (ii) वस्त्रोद्योग केंद्र बुनियादी ढांचा विकास योजना को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य वस्त्रोद्योग वृद्धि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास करना है।

एकीकृत वस्त्रोद्योग पार्क योजना के तहत दसवीं योजना अवधि के दौरान 30 पार्कों को मंजूरी दी गई। सरकार ने इस योजना को ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान चालू रखने का निर्णय लिया। पालाडम हाई-टेक वीविंग पार्क का उद्घाटन 19 अप्रैल, 2008 को किया गया। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान 10 और पार्कों का विकास किया जाएगा। इन 40 पार्कों का विकास होने पर इनमें 21,502 करोड़ रुपये का निवेश होगा, 9.08 कार्मिकों को रोजगार मिलेगा तथा सालाना 38,115 करोड़ रुपये की सामग्री का उत्पादन होगा।

कच्चा माल

कपास—कपास देश की एक प्रमुख फसल है और घरेलू वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है। इससे लाखों किसानों का भरण पोषण होता है और देश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में सभी 4 प्रकार के कपास की खेती होती है। इसके अलावा उन्नत किस्म की कपास भी उपजाई जाती है।

देश के वस्त्र उद्योग में कपास और मानव निर्मित धागों का अनुपात 56:44 है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में देश में पैदा होने वाली कपास की 99% उपज होती है। वर्तमान में भारत कपास पैदा करने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और यहां कपास की पैदावार 41.3 लाख टन है जो वैश्विक उत्पादन का 16 फीसदी है। देश में कपास की 99 फीसदी पैदावार में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु का योगदान है। विश्व में कपास की पैदावार के मामले में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। यह किसानों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई मदद का ही नतीजा है जिससे उत्पादकता एवं उत्पादन दोनों में ही बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2005-06 से ही भारत कपास का निर्यातक देश बना हुआ है।

वर्ष 2008-09 के कपास सीजन में कपास का उत्पादन 290 लाख गांठ (170 किलोग्राम प्रति गांठ) पर पहुंच गया। इस दौरान कपास की उत्पादकता बढ़कर 591 किलोग्राम फाहा प्रति हेक्टेयर पर पहुंच गई जो 2003-04 कपास सीजन में 399 किलोग्राम फाहा प्रति हेक्टेयर थी। 2005-06 से ही भारत कपास का शुद्ध निर्यातक देश बना हुआ है। वर्ष 2006-08 में 58 लाख गांठ कपास का निर्यात किया गया, जबकि 2005-06 में यह निर्यात 47 लाख गांठ का था। 2007-08 में कच्चे कपास का निर्यात 65 लाख गांठ के लक्ष्य को पार करते हुए 80 लाख गांठों का रहा। अमेरिका में रकबा घटने एवं वैश्विक मांग में उछाल की वजह से ऐसा हुआ। परिणामस्वरूप कपास का आयात 2007-08 में करीब 6.5 लाख गांठ का रहा। वर्ष 2008-09 के कपास सीजन में कपास निर्यात 60 लाख गांठ का रहा, जबकि आयात 7 लाख गांठ का रहा।

वर्ष 2007 के अक्टूबर के अंत से जुलाई, 2008 तक कपास की कीमतें इससे पिछले साल के मुकाबले करीब 20 से 40 फीसदी तक अधिक रहीं जिससे कपड़ा मिलों के लिए इसकी खरीद व्यावहारिक नहीं रह गई। सरकार ने कपास पर 8 जुलाई, 2008 से 14.7 फीसदी आयात शुल्क और ड्राबैक लाभ खत्म कर दिया जिससे कीमतों में स्थिरता लाने में मदद मिली।

कपास के उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी से घरेलू कपड़ा उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर कपास की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिली जिससे घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धी क्षमता वैश्विक बाजार में बढ़ी। उपज बढ़ने का एक कारण है बीटी काटन और टेक्नोलॉजी मिशन आन काटन (टीएमसी) को लागू किया जाना। बीटी काटन का बुवाई रकबा जो 2003-04 के कपास सीजन में करीब 5 लाख हेक्टेयर था, 2008-09 के कपास सीजन में बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया।

न्यूनतम समर्थन मूल्य

सरकार बाजार में मंदी के दौरान भी किसानों को न्यूनतम रिटर्न उपलब्ध हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय कपास निगम के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम चला रही है। सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर कपास की दो प्रमुख किस्मों के लिए समर्थन मूल्य तय किया जाता है। इन दोनों किस्मों के कपास के समर्थन मूल्य के आधार पर और अंतर मूल्य एवं अन्य कारकों को ध्यान में रखकर अन्य किस्मों के कपास के मूल्य कपड़ा आयुक्त द्वारा तय किए जाते हैं।

2008-09 के कपास सीजन में 24.5 मिमी से 25.5 मिमी लंबे मिडियम स्टेपल कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 39 फीसदी बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। इससे पिछले वर्ष समर्थन मूल्य 1,800 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं, 29.5 मिमी से 30.5 मिमी लंबे रेशे वाले कपास का

न्यूनतम समर्थन मूल्य 2008-09 कपास सीजन में बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया जो इससे पूर्व वर्ष में 2,250 रुपये प्रति क्विंटल था।

कपास सीजन 2008-09 : भारतीय कपास निगम द्वारा तय एमएसपी

- कुल आवक 286.50 लाख गांठ
- 89 लाख गांठ कपास की खरीद करीब 12,838 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर की गई।
- 50,000 गांठ के निर्यात सहित 81.70 लाख गांठ बेची गई।

हस्तनिर्मित धागे

हस्तनिर्मित धागे एवं यार्न उद्योग में सेलुलोसिक एवं गैर सेलुलोसिक मूल के धागे शामिल हैं जिन्हें आमतौर पर रेयान और सिंथेटिक धागे कहते हैं। सेलुलोसिक धागे ... यार्न उद्योग पर कपड़ा मंत्रालय का प्रशासनिक नियंत्रण है, जबकि गैर सेलुलोसिक धागा उद्योग रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है। ज्यादातर कपड़ा उत्पादक देशों में हस्तनिर्मित धागे एवं कपास का अनुपात 60:40 है, जबकि भारत में यह अब भी 44.56 है। इस क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार इस असंतुलन को दूर करने और हस्तनिर्मित धागा क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठा रही है। जहां तक हस्तनिर्मित धागे एवं यार्न का संबंध है, ऐसे धागों के उत्पादन में पिछले पांच वर्षों के दौरान इस हद तक बढ़ोतरी का रुख दर्ज किया गया कि अब भारत विश्व में पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक देश है।

सरकार ने कपास क्षेत्र में ऐसी स्कीमें शुरू की हैं जिससे इस उद्योग के विकास में मदद मिलेगी। टेक्नोलॉजी मिशन ऑन काटन (टीएमसी) के कारण कपास की पैदावार बढ़ी है और बर्बादी कम हुई है। भारतीय वस्त्र उद्योग को विभिन्न प्रकार के कपास की जरूरत पड़ती है। इस समय भारत धागे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और किसानों को सरकार की सहायता के कारण 2007-08 में रुई की रिकार्ड पैदावार (315 बेल्लस या 170 कि.ग्रा.) हुई। देश में दुनियाभर में सबसे ज्यादा रकबे में कपास की खेती की जाती है।

2007-08 में रुई की पैदावार बढ़ कर 553 किग्रा प्रति हेक्टेयर थी। 2005-06 से भारत रुई का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। उपज बढ़ने का एक कारण है बीटी काटन। 2007-08 के रूई सीजन के दौरान 66 लाख हेक्टेयर जमीन में यह कपास बोई गई। पिछले 2-3 वर्षों में रुई का उत्पादन काफी बढ़ गया है। इससे कपास की उपलब्धता बढ़ गई है। अब घरेलू कपास उद्योग को प्रतियोगी दरों पर अधिक रुई उपलब्ध है। इससे उनकी प्रतियोगी क्षमता बढ़ी है।

रेशम कीट पालन एवं रेशम उद्योग

विश्व स्तर पर भारत रेशम का दूसरा सर्वाधिक उत्पादक देश है एवं विश्व के कच्चे रेशम उत्पादन में 18% का योगदान करता है। भारत इस अद्वितीय विशेषता से संपन्न है कि इसके पास रेशम के सभी चार प्रकार उपलब्ध हैं जिनके नाम हैं मलबरी, एरी, टसर, एवं मूंगा। यह सर्वाधिक गहन श्रम के क्षेत्रों में से एक है, जिसमें कृषि (रेशम कीट पालन) एवं उद्योग दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित हैं। उत्पादन-प्रक्रिया में अंतर निर्भरता की लंबी श्रृंखला विशेषीकृत क्रियाएं शामिल हैं जो जनसंख्या के एक व्यापक हिस्से को जीविकोपार्जन का साधन प्रदान करता है जैसे रेशम कीट बीज उत्पादक, किसान-सह-पालक, चरखी-चालक, बटाई करने वाला, बुनकर, कताई कारीगर-व्यापारी आदि। रेशम एक न्यूनतम निवेश पर अच्छा फायदा देने वाला एक उच्च लाभकारी नकदी फसल है और यह एकमात्र नकदी फसल है जो लाभों को

पूरे वर्ष बनाए रखता है। रेशमकीट पालन क्षेत्र करीब 6 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

भारत सरकार का देश में रेशम उद्योग के विकास के लिए समवर्ती उत्तरदायित्व है जिसे वह प्रमुख रूप से केंद्रीय रेशम बोर्ड (सी एस बी), केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 के अंतर्गत संस्थापित सांविधानिक निकाय द्वारा पूरा करती है। रेशमकीट-पालन के विकास में राज्य सरकारों की भूमिका सामान्यतः रेशमकीट पालन की क्रियाओं के विस्तार एवं कृषक स्तर पर विस्तार के प्रावधान एवं साख सुविधाओं समेत अन्य समर्थक सेवाओं की रही है।

सी एस बी रेशम उत्पादक राज्यों में उत्प्रेरक विकास कार्यक्रमों (सी डी सी) को क्रियान्वित करता है जो स्तरीय कोइन एवं कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए समर्थन एवं प्रोत्साहन प्रदान करता है। समर्थन एवं प्रोत्साहन मुख्यतः लघु एवं सीमांत किसानों एवं लघु उद्यमियों को कृषिगत एवं गैर कृषिगत दोनों ही क्रियाओं के अंतर्गत मलबरी एवं गैर-मलबरी क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। अधिकांश सी डी पी योजनाओं सी एस बी एवं राज्य सरकारों के रेशम कीट पालन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाता है और ग्रामीण विकास मंत्रालय के समूह दृष्टिकोण एस जी एस वाई कार्यक्रम के द्वारा भी क्रियान्वित किया जाता है। साधारणतः राज्य रेशम-कीट पालन विभाग सी डी पी की वृहद् क्रियान्वयन एजेंसियां हैं।

सन् 2008-09 के दौरान लगभग 26000 मीट्रिक टन की मांग की तुलना में कच्चे रेशम का उत्पादन 18360 मीट्रिक टन था और इसका निर्यात लगभग 2,637 करोड़ रुपये का था। निर्यात संग्रह में प्राकृतिक रेशम सूत, वस्त्र, कृत्रिम, रेडिमेड कपड़े, रेशमी कालीन, एवं रेशमी अवशिष्ट शामिल हैं। सन् 2009-10 के दौरान कुल रेशम उत्पादन 22,855 मीट्रिक टन रहने का अनुमान है।

सिल्क मार्क योजना को रेशम के ब्रांड प्रोत्साहन के लिए प्रारंभ किया गया। केंद्रीय रेशम बोर्ड (संशोधित) अधिनियम 2006 को रेशम कीट बीजों की गुणवत्ता को संचालित करने के लिए अधिनियमित किया गया जो 14 सितंबर 2006 से प्रभावी हुआ।

जूट एवं जूट वस्त्र उद्योग

जूट उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, खासकर पश्चिम बंगाल में, यह प्रमुख उद्योगों में से एक है। जूट, सुनहरा रेशा एक प्राकृतिक, पुनर्नवीनयोग्य, जैवनिम्नीकरण योग्य एवं पारिस्थितिक भिन्न उत्पादों के सुरक्षित पैकेजिंग की दृष्टि से सभी मानकों को पूरा करता है।

विश्वस्तर पर, भारत जूट के सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं दूसरा सर्वाधिक बड़ा निर्यातक है और यह क्षेत्र करीब 40 लाख कृषक परिवारों के जीविकोपार्जन में सहयोग करता है और 4 लाख श्रमिकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। देश में जूट के 77 कारखाने हैं। इनमें से 60 पश्चिम बंगाल में हैं, 3-3 बिहार और उत्तर-प्रदेश में, 7 आंध्र प्रदेश में एवं 1-1 असम, उड़ीसा, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में है। जूट उत्पादों का वार्षिक निर्यात 1075-1100 करोड़ रुपये के बीच है।

कच्चे जूट का उत्पादन 90-100 गांठों (180 किग्रा प्रति) के बीच रहता है और जूट की वस्तुओं की घरेलू खपत 13.5-14.5 लाख मीट्रिक टन के बीच रहती है। घरेलू खपत एवं निर्यात का अनुपात 80:20 है। जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आंध्र-प्रदेश के 36 जिलों में केंद्रित है। वर्ष 2008-09 के जूट मौसम (जुलाई-जून) में कच्चे जूट का उत्पादन 90 लाख गांठों (प्रति 180 किग्रा) था। सरकार ने 2 जून 2006 को 355.55 करोड़ रुपयों के अनुमानित लागत वाले

जूट तकनीकी अभियान (जे टी एम) का क्रियान्वयन स्वीकृत किया जिनमें से लघु अभियान III एवं IV के लिए लागत व्यय क्रमशः 38.60 और 260.00 करोड़ रुपये होंगे। कृषि मंत्रालय के कृषि शोध एवं शिक्षा-विभाग ने जूट तकनीक अभियान (जे टी एम) के लघु अभियान I 9 नवंबर, 2006 को प्रारंभ किया। लघु अभियान III एवं IV कपड़ा मंत्रालय द्वारा 6 फरवरी, 2007 को प्रारंभ किए गए।

सरकार ने 15 अप्रैल, 2005 को प्रथम राष्ट्रीय जूट नीति की घोषणा की और नीति में किए गए विचार के अनुसार, सरकार ने 2 जून 2006 को 355.55 करोड़ की अनुमानित लागत वाली जूट तकनीकी मिशन (जे टी एम) के क्रियान्वयन को स्वीकृत किया। जे टी एम ने चार लघु अभियानों को भी शामिल किया—

- 1) लघु अभियान-I-शोध एवं विकास का सुदृढीकरण
- 2) लघु अभियान-II-तकनीकी का हस्तांतरण
- 3) लघु अभियान-III-विपणन आधारभूत संरचनाओं का विकास
- 4) लघु अभियान-IV-जूट क्षेत्र की तकनीक का आधुनिकीकरण। उन्नयन एवं विविध जूट उत्पादों की प्रोन्नति की क्रियाओं का प्रारंभ।

कृषि मंत्रालय लघु अभियान I एवं II के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है एवं कपड़ा मंत्रालय लघु अभियान III एवं IV के लिए नोडल मंत्रालय है।

ऊन एवं ऊनी वस्त्र उद्योग

ऊनी वस्त्र उद्योग एक ग्रामीण आधारित, निर्यातोन्मुखी उद्योग है, जिसमें संगठित क्षेत्र, विकेंद्रित क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र एक-दूसरे के पूरक हैं। यह उद्योग कार्य कलापों के वृहद परिदृश्य में 27 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। देश ऊन का सातवां सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व के कुल उत्पादन में 1.8% का योगदान करता है। वर्ष 2007-08 में देशी ऊन का 45 मिलियन कि.ग्रा. उत्पादन रहा। कच्चे ऊन के कुल उत्पादन में 5% परिधान की श्रेणी के, 85% कालीन की श्रेणी के और 10% निम्न श्रेणी के हैं। घरेलू उत्पादन पर्याप्त नहीं है इसलिए, उद्योग आयातित कच्चे पदार्थ पर आश्रित है। ऊन एकमात्र प्राकृतिक रेशा है जिसकी देश में कमी है।

विशेषीकृत रेशों की लघु मात्रा पशमीना बकरियों एवं अंगोरा खरगोश से प्राप्त किए जाते हैं। देश में 958 ऊनी इकाइयां हैं, जिनमें से अधिकांश लघु उद्योग क्षेत्र में हैं। सरकार देश में ऊन एवं ऊनी वस्त्र उद्योग के वृद्धि एवं विकास के लिए एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आई डब्ल्यू आई पी) को क्रियान्वित कर रही है। कार्यक्रम के दो अवयव हैं, यानी (I) ऊनी रेशा का विकास, (II) ऊन का गुणवत्ता प्रसंस्करण। कार्यक्रम का संचालन राज्य सरकार के संगठनों/एनजीओ के द्वारा केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, (सीडब्ल्यूडीबी) जोधपुर से किया जा रहा है।

विकेंद्रित पावरलूम उद्योग

विकेंद्रित पावरलूम क्षेत्र वस्त्र उद्योग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंडों में से एक है क्योंकि यह 50 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है और देश के कुल वस्त्र उत्पादन में 62% का योगदान करता है।

केंद्रों में 21.58 लाख पावरलूम हैं। इस विकेंद्रीकरण क्षेत्र में 2005-06 के 30.63 अरब वर्ग मीटर कपड़े के उत्पादन से बढ़ कर 2008-09 में 33.65 अरब वर्ग मीटर हो गया। निर्यात के लिए प्राप्त 60%

से अधिक वस्त्र पावरलूमों से आता है। रेडीमेड और वस्त्र क्षेत्र अपनी जरूरतों के लिए पावरलूमों पर निर्भर हैं। देश के प्रमुख पावरलूम समूह इरोड, सेलम, मदुरई, इचलकरंजी, सोलापुर भिवंडी, मालेगांव बुरहानपुर, भीलवाड़ा, किशनगढ़, लुधियाना और पानीपत में हैं।

इन पावरलूमों को आधुनिक बनाने के प्रयास में सरकार ने ऋण प्रक्रिया आसान कर दी है। यह टेक्नोलॉजी समुन्नयन फंड स्कीम (टी.यू.एफ.एस.) के तहत किया गया। इसके अंतर्गत पावरलूम सेक्टर को विकेंद्रीकृत करके 20% मार्जिन मनी लेने का अतिरिक्त विकल्प है। यह सब्सिडी 2012 तक टी यू एफ एस अनुकूल मशीनरी में निवेश पर 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के बदले दी जाती है।

वस्त्रोद्योग समिति

यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। जिसकी स्थापना वस्त्रोद्योग समिति अधिनियम 1943 (1963 का 41) के तहत की गई। समिति का मुख्य उद्देश्य घरेलू खपत तथा निर्यात के लिए निर्मित वस्त्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा यह देखना है की निर्माता स्टैंडर्ड मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। इसके अन्य प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं—वस्त्र परीक्षण सुविधाओं की स्थापना, टेक्सटाइल खपत आंकड़ों का संग्रहण तथा प्रकाशन, औद्योगिक सर्वे कराना, गुणवत्ता पहलुओं का अध्ययन करवाना तथा अन्य विकास कार्य करवाना। 90 के दशक में उदारीकरण की शुरुआत के बाद से समिति ने अपनी नियंत्रण की भूमिका समाप्त कर दी है, अब यह उद्योग-अनुकूल तथा विकास गतिविधियों पर ध्यान देती है।

हथकरघा

हैंडलूम देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और करीब 65 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है। आज जबकि क्षेत्र पावरलूम एवं वस्त्र मिलों की प्रतियोगिता का सामना कर रहा है और अपने सहकारी निष्पादक मशीनरी की निर्भरता पर अनवरत बाध्य है, बाजार एवं डिजाइन समर्थन साथ ही साथ अन्य विकासपरक कल्याणकारी योजनाओं के सरकार के प्रभावी समर्थन ने इसे प्रतियोगिता में बनाए रखा है। भारत सरकार ने लच्छा रेशा बाध्यता आदेश द्वारा हैंडलूम बुनकरों को कच्चे पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित की है।

धागा उत्पादन में गिरावट का रुख था। अब यह खत्म है और जल्दी ही सुधार आ रहा है। इस क्षेत्र में 6108 मिलियन वर्ग मीटर कपड़ा 2005-06 में तैयार किया गया। 2006-07 में 6536 मिलियन वर्ग मीटर कपड़ा तैयार हुआ। सरकार ने पहली बार इस क्षेत्र के समग्र और व्यापक विकास के लिए समूह विकास योजना अपनाई। 2005-06 में 5000 हैंडलूम वाले 20 हथकरघा समूहों के विकास का काम शुरू किया। इस पर प्रति समूह रु. 2.00 करोड़ लागत का अनुमान था। बाद में संशोधित समूह विकास स्कीम के तहत 251 समूहों का विकास शुरू किया गया। उम्मीद है कि 2012 तक रु. 60 लाख प्रति समूह की दर से 300 से 580 करघों वाले 625 समूहों का विकास कार्य शुरू किया जा सकेगा।

पहले की जगह 3 नवंबर, 2005 को नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई। इस स्कीम में सभी नई पुरानी बीमारियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा 2 अक्टूबर, 2005 को महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। इसे जीवन बीमा निगम की ओर से प्राकृतिक रूप से दुर्घटनाओं में मरने वालों के लिए चलाया गया। जून, 28, 2006 को हैंडलूम मार्क का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने हथकरघा उत्पादों को एक स्पष्ट पहचान देने के लिए किया।

हस्तशिल्प

हस्तशिल्प देश की समृद्ध एवं विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। इनकी सांस्कृतिक महत्ता विरासत के संरक्षण, पारंपरिक कौशल, एवं मेधा की सुनिश्चितता से संबंधित है इनकी आर्थिक महत्ता इनके उच्च रोजगार क्षमता, कम पूंजी-निवेश/ऊँची मूल्यवर्धिता और निर्यात। विदेशी मुद्रा आमदनी की क्षमता में समाविष्ट है।

यह क्षेत्र अनुमानित 65.00 लाख शिल्पकारों को रोजगार प्रदान करता है जिनमें 47.42% महिलाएं, 24.73 प्रतिशत अनुसूचित जातियों एवं 12.38% अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है।

सरकार ने मार्च 2007 में राजीव गांधी शिल्प स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य शिल्पकारों, उनकी पत्नी और दो बच्चों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना था। 2006-07 में 51,919 और 2007-08 में 8,82,000 शिल्पकारों और उनके परिवार को इसका लाभ मिला। 2008-09 में 8,60,000 परिवारों को इसके दायरे में लाने की योजना है। हस्तशिल्प क्षेत्र भारत के लिए लगातार काफी अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाला क्षेत्र बन कर उभरा है। उत्पाद-विविधता, और अच्छी गुणवत्ता वाले हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात करने वाली कंपनियों की संख्या में भी खूब वृद्धि दिखाई दी है। 1991 में हस्तशिल्प के रु. 713 करोड़ मूल्य के उत्पाद निर्यात किए गए। 2006-07 में यह राशि बढ़ कर रु. 20,963 करोड़ हो गई। इनमें हाथ से बुने गलीचों का निर्यात शामिल है। 2007-08 में यह निर्यात मूल्य रु. 17,537 करोड़ (4.36 अरब अमरीकी डालर) हो गया। इसका एक कारण डालर के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ना भी है। 2008-09 के लिए रु. 28,827 करोड़ का निर्यात लक्ष्य रखा गया है। गलीचा निर्यात में भारत दुनिया का अग्रणी देश है और कुल मार्केट में 36% उसके हाथ में है।

सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के कारीगरों को प्रत्यक्ष विपणन का मंच उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली हाट की तर्ज पर देशभर में 44 शहरी हाटों की मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर, उचाना, करनाल, जोधपुर, गोहर महल, भोपाल, अहमदाबाद एवं भुज, मैसूर, तिरुपति, भुवनेश्वर एवं कोणार्क, आगरा और पीतमपुरा में शहरी हाट शुरू भी हो गए हैं।

शोध एवं विकास

टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन

आठ वस्त्र शोध संघ (टीआरए) हैं। अहमदाबाद वस्त्र उद्योग शोध संघ (एटीआईआरए), बांबे वस्त्र उद्योग शोध संघ (बीटीआईआरए), दक्षिण भारत वस्त्र उद्योग शोध संघ (एसआईटीआरए) और उत्तर भारत वस्त्र उद्योग शोध संघ (एनआईटीआरए) सलाह, जांच प्रशिक्षण एवं शोध तथा कपास सिंथेटिक में विकास साथ ही साथ कपास प्राकृतिक/रेशों के मिश्रण को पूरा करते हैं। मानव-निर्मित वस्त्र उद्योग शोध संघ (एमएएनटीआरए) एवं सिंथेटिक एवं कला रेशम मिल शोध-संघ (एसएसएस एमआईआरए) सिंथेटिक में प्रभावी रूप से कार्यरत है। ऊन शोध संघ (डब्ल्यूआरए) और भारतीय जूट शोध संघ (आईजेआरए) क्रमशः ऊन और जूट में कार्यरत हैं।

वस्त्र समिति की प्रयोगशालाएं उद्योग की जांच प्रमाणीकरण एवं विपणन शोध की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। टीआरए उद्योग के प्रोत्साहक निकाय हैं और रेशा/तकनीक, उत्पादन विकास के क्षेत्रों, प्रसंस्करण विकास जांच सलाह के लिए क्षेत्रों के लिए कार्यरत है तथा उद्योग की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करती है। भारत सरकार की प्रारंभिक नीति टीआरए की नवीनता शोध एवं विकास में निवेश एवं

आनुवंशिक शोध कार्यक्रमों का समर्थन करती है तथा उद्योग को उनकी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में टीआरए के समर्थन के लिए उत्साहित करती है।

सरकार इस बात को मानती है कि वैश्वीकृत दुनिया में बने रहने के लिए नवाचार जरूरी है। टेक्नोलॉजी, मशीनरी उत्पाद और प्रक्रिया में नवाचार जरूरी है। विश्व बाजार में लाभ उठाने के लिए ये आवश्यक हैं। उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टीआरए को पर्याप्त समर्थन देगी और चिह्नित परियोजनाओं के शोध एवं विकास की सहायता को जारी रखेगी। तकनीक तेजी से बदल रही है और उपकरण तीव्रतर गति से पुराने होते जा रहे हैं। इन परिवर्तनों को पूरा करने के लिए टीआरए की सुविधाएं एवं प्रयोगशालाओं को उन्नत किया जाएगा। सरकार तकनीकी डाटा बेस, तकनीक भविष्यवाणी एवं प्रबंधन अभ्यासों के लिए एक संसाधन बैंक की स्थापना करेगी।

मानव संसाधन विकास

औद्योगिक संगठन के लिए मानव संसाधन विकास (एच आर डी) सार्वजनिक आलोचनात्मक निवेशों में से एक है। विश्व वस्त्र बाजार के एकीकरण ने प्रतियोगिता को तेज किया है और इस परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाजार की हिस्सेदारी को विकसित करने और आयातित वस्त्र के प्रकारों के आक्रमण का सामना करने के लिए एच आर डी के मुद्दों को संबोधित करना आवश्यक है। मूल विचार उत्पादकता के विकास एवं वस्त्र उत्पाद की गुणवत्ता के लिए अनुकूलतम बौद्धिक पूंजी का प्रयोग करना है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कपड़ा क्षेत्र की वृद्धि दर 16 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है जिसके 2012 तक बढ़कर 115 अरब डालर पर पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विनिर्माण क्षमता मौजूदा सालाना 55 अरब वर्गमीटर से बढ़ाकर 2012 तक लगभग 95 अरब वर्गमीटर पहुंचानी होगी। इसेक लिए और कपड़ा मिलें लगानी होंगी और साथ ही प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन की जरूरत होगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनुमानित 1,50,600 करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत पड़ेगी। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में श्रमिकों की मांग बढ़ी है जिससे लगभग 1.7 करोड़ श्रमिकों की जरूरत पड़ने का अनुमान है। इनमें से निश्चित तौर पर 50 लाख कुशल कर्मचारियों की जरूरत होगी, जबकि शेष 1.20 करोड़ गैर कुशल कर्मचारी होंगे। मूल्यवर्धन के लिए आवश्यक 50 लाख कर्मचारियों में से करीब 40 लाख लोगों को अकेले वस्त्र क्षेत्र में काम करने का प्रशिक्षण देना होगा जबकि शेष 10 लाख लोगों को कपड़े की स्पिनिंग, बुनाई एवं प्रसंस्करण क्षेत्र में लगाना होगा।

कपड़ा क्षेत्र में प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहे इंजीनियरिंग एवं स्नातकोत्तर संस्थान यद्यपि टेक्स्टाइल इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा के लिए मांग पूरा करने में सक्षम हैं, आधुनिक कपड़ा उद्योग में नई प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखकर ये संस्थान अपने पाठ्यक्रम का विस्तार कर रहे हैं।

कपड़ा उद्योग में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के निचले स्तर पर निम्नलिखित संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है—

टेक्स्टाइल रिसर्च एसोसियेशन्स	: 8
पावरलूम सर्विस सेंटर्स	: 44
इंडियन इंस्टीट्यूट्स आफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी	: 5
वीवर्स सर्विस सेंटर्स	: 25

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान : 4,971, कपड़ा में 1,243

अपैरेल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर्स : 39

इसके साथ ही कपड़ा एवं वस्त्र में कुछ गृह विज्ञान महाविद्यालय भी प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहे हैं।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उद्योग में प्रशिक्षण के लिए मुख्य संस्थान हैं और 4,971 में से केवल 1,243 संस्थान कपड़ा क्षेत्र से जुड़े पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। ये कोर्स विद्यार्थियों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए विशेषतौर पर डिजाइन किये गये हैं न कि आधुनिक उद्योग में काम करने के लिए। सरकार कपड़ा उद्योग से जुड़े औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

हथकरघा क्षेत्र के विकेंद्रीकरण करने के लिए भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान योग्य एवं प्रशिक्षित लोग उपलब्ध कराता है और अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करता है। वाराणसी, सलेम, गुवाहाटी और जोधपुर में स्थित आईआईएचटी केंद्र स्तरीय हैं, जबकि गडक, वेंकटगिरि एवं चंपा में स्थित आईआईएचटी राज्य स्तरीय हैं और ये केंद्रीय संस्थानों के पाठ्यक्रम चलाते हैं।

वहीं श्रीनगर, चमोली, मेरठ, वाराणसी, पानीपत, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, नागपुर, रायगढ़, बेंगलुरु, कन्नूर, विजयवाड़ा, हैदराबाद, सलेम, चेन्नई, कांचीपुरम, कोलकाता, भागलपुर और भुवनेश्वर स्थित 25 बुनकर सेवा केंद्र छोटी अवधि के रिफ्रेशर कोर्स उपलब्ध कराते हैं।

विकेंद्रीकृत पावरलूम क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण की जरूरत देशभर में फैले 44 पावरलूम सर्विस सेंटरों के जरिए पूरी की जाती है। 14 पावरलूम सर्विस सेंटर कपड़ा आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत और 25 पावरलूम सेंटर विभिन्न कपड़ा अनुसंधान संगठनों के प्रशिक्षण नियंत्रण में काम कर रहे हैं। वहीं 4 सर्विस सेंटर कर्नाटक स्टेट पावरलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन के तहत और जबलपुर स्थित एक पावरलूम सर्विस सेंटर मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में काम कर रहा है। कपड़ा क्षेत्र की उभरती जरूरतों के मुताबिक सरकार पावरलूम सर्विस सेंटरों का आधुनिकीकरण कर रही है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट)

निफ्ट को 1980 में कपड़ा मंत्रालय द्वारा—वस्त्र, कपड़ा और सहायक क्षेत्रों में एच आर डी के शीर्ष निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। निफ्ट को हाल ही में संसद के एक अधिनियम द्वारा सांविधानिक दर्जा फैशन तकनीक में शिक्षा एवं शोध की प्रोन्नति एवं विकास के लिए दिया गया है। यह अधिनियम संस्थान को सन् 2007 से उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करने की शक्ति देता है। कपड़ा मंत्रालय के समर्थन द्वारा संस्थान भारत में फैशन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट संस्थान के रूप में प्रकट हुआ है। सरकार ने 14 जुलाई, 2006 को राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी अधिनियम कार्यान्वित किया। इस अधिनियम से संस्थान को कानूनी हैसियत प्राप्त हो गई। इसमें इस संस्थान को फैशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अग्रणी माना गया। अधिनियम से इस संस्थान को डिग्री देने का 2007 के बाद अधिकार प्राप्त हो गया। भारत के राष्ट्रपति इस संस्थान के विजिटर हैं। इस संस्थान ने देश भर में फैशन बिजनेस शिक्षा का विकास किया है। इसके आठ केंद्र हैं जो नई दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई, गांधीनगर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और रायबरेली में हैं। कन्नूर, केरल में इसके केंद्र की आधारशिला 19 अप्रैल, 2008 को रखी गई। पटना, शिलांग और भोपाल में इसके केंद्र खोलने की प्रक्रिया पूरी होने वाली है।

एपरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी)

परिधान उद्योग लगभग 5 मिलियन श्रमिकों को काम देता है जिनमें से करीब 2.5 मिलियन श्रमिक निर्यात-क्षेत्र में लगे हैं। परिधान निर्यात प्रोन्नति परिषद (ईपीसी) द्वारा तेरह परिधान प्रशिक्षण एवं डिजाइन केंद्र (एटीडीसी) द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। अपने प्रारंभ से ए टी डी सी 21000 से अधिक श्रमिकों को प्रशिक्षित कर चुका है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ए पी ई सी की 13 राज्यों में 25 नए केंद्रों एवं 13 गतिशील केंद्रों की स्थापना करने की योजना है। यह अतिरिक्त सुविधाएं वर्तमान ए टी डी सी द्वारा प्रशिक्षित किए जा रहे 30000 विद्यार्थियों के अलावा ए टी डी सी को 57625 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए योग्य करेगा। इसके आगे, गतिशील केंद्रों द्वारा वर्ष 2012 तक 15000 विद्यार्थी प्रशिक्षित होंगे।

2012 तक प्रशिक्षण की आवश्यकता

वस्त्र क्षेत्र में कपड़ा सर्वाधिक रोजगार प्रदाता होगा। यह राष्ट्रीय निर्माता प्रतियोगितात्मकता परिषद (एनएमसीसी) और योजना आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है। रोजगार संभावनाओं में इस वृद्धि को करीब 6 मिलियन प्रशिक्षित श्रमिकों को व्यावसायिक संस्थानों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा नया आधार देना होगा। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कताई बुनाई, प्रसंस्करण एवं कपड़ा में 6.5 मिलियन कार्य शक्ति को प्रत्यक्ष वृद्धि रोजगार संभावनाओं को सृजित किया जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रम

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार खेती था और उसका औद्योगिक आधार कमजोर था। बचत और निवेश का स्तर बहुत नीचा और मूल संरचना लगभग नहीं के बराबर थी। इसका कारण विदेशी शासकों द्वारा अपर्याप्त नियोजन था। स्पष्ट था कि अगर देश को अपनी आर्थिक प्रगति तेज करनी थी और इसे लंबे समय तक बनाए रखना था तो इसके लिए बहुत बड़े प्रयत्नों की जरूरत थी। यही कारण है कि हर क्षेत्र में सरकार का प्रयास जरूरी था।

पिछले वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश काफी बढ़ा है। 1951 में जहां केंद्रीय क्षेत्र के 5 उपक्रमों में रु. 29 करोड़ लगे थे वहीं यह 31 मार्च 2006 को 247 उपक्रमों में 403706 करोड़ रुपए हो गया। 2006-07 में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा जुटाए गए संसाधनों में 4.431% वृद्धि हुई और ये संसाधन 96551 करोड़ हो गए। ये उपक्रम केंद्र सरकार के संसाधनों में काफी ज्यादा योगदान करते रहे हैं। यह योगदान लाभांश, ब्याज, कार्पोरेट कर, तट कर आदि के रूप में रहा। 2006-07 के दौरान इन उपक्रमों ने केंद्रीय निधि में रु. 147728 करोड़ का योगदान किया। इसी साल 217 केंद्रीय उपक्रमों का कुल कारोबार रु. 964410 करोड़ था। इससे पहले वाले साल यह रु. 837295 करोड़ रुपए था। यह 15.18% वृद्धि दर्शाता है।

इन उपक्रमों में 1.64 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। यह मार्च 2007 की स्थिति है। इन उपक्रमों ने रु. 3581 करोड़ अपने आवासीय परिसरों पर खर्च किए।

भारत सरकार ने 24 जुलाई, 1991 को इन उपक्रमों की स्थिति में सुधार लाने के लिए औद्योगिक नीति का ऐलान किया। तब से इनकी स्थिति में बहुत सुधार आया है। इनके काम काज के कुछ आंकड़े यहां दिए जा रहे हैं :

तालिका 18.1 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का निष्पादन

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	चल रहे उपक्रमों की संख्या	कारोबार/ संचालन से आय	कर पूर्व लाभ	सकल लाभ	कर के लिए प्रावधान	अदा लाभांश	सरकार को योगदान	सकल आंतरिक संसाधन जुटाए
1991-92	237	133,906	13675	2356	1647	687	19951	12943
1992-93	239	147,266	15957	3271	1805	792	22449	14792
1993-94	240	158,049	18556	4545	2110	1028	22988	16676
1994-95	241	187,355	22630	7183	2581	1436	27472	19992
1995-96	239	226919	27587	9574	4047	2205	30878	24198
1996-97	236	260735	30915	10186	5192	2836	39009	25554
1997-98	236	276002	37,206	13582	5634	3609	42289	31192
1998-99	235	310179	39727	13203	6499	4932	46934	31302
1999-2000	232	389199	42270	14331	7706	5455	56157	35933
2000-01	234	458237	48767	15653	9314	8260	61037	37811
2001-02	231	447529	63190	25978	12255	8068	62866	52544
2002-03	227	535165	73374	32399	17432	13768	81867	54273
2003-04	230	587052	99053	53084	22134	15288	89035	75409
2004-05	227	700862	109518	65429	21661	20714	110599	83854
2005-06	226	837295	117614	69536	24370	22886	125456	85587
2006-07	217	964410	142949	81550	34330	26805	147728	96551
2006-07 में (—) वृद्धि	9	1518	2154	1728	4087	1712	1775	1281
2005-06 में (—) प्रतिशत	11	620.21	94533	336138	198440	380175	67543	64597

स्रोत: पब्लिक इंटरप्राइज सर्वे-2006-07 तथा पहले वाले अंक

उदारीकरण के बाद आए सुधार आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। निवेश पर प्रतिफल यानी करपूर्व लाभ और कुल लगी पूंजी का अनुपात जहां 1991-92 में 11.6 था वहीं 2006-07 में यह 21.49 हो गया और इसी अवधि में अदा किया लाभांश 29.2% से बढ़ कर 33.28% हो गया।

जुलाई, 1997 में सरकार ने 9 केंद्रीय उपक्रमों को नवरत्न के रूप में चिह्नित किया। इन उपक्रमों की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है और इनके बढ़ कर अंतर्राष्ट्रीय महाउपक्रम बनने की संभावित क्षमता है। इस समय के नवरत्न उपक्रमों के नाम हैं—बीएचईएल, बीपीसीएल, जीएआईएल, एचपीसीएल, आईओसी, एमटीएनएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी और एसएआईएल। इन सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को अधिक स्वायत्तता दी गई है और इन्हें खर्च करने, तकनीकी संयुक्त उद्यम में शामिल होने, संगठनात्मक

पुनर्गठन करने, बोर्ड स्तर से नीचे के पद सृजित अथवा रद्द करने, आंतरिक और विदेशी बाजारों से संसाधन जुटाने और संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां गठित करने का अधिकार है।

अक्टूबर, 1977 में, सरकार ने कुछ अन्य कंपनियों को ज्यादा स्वायत्तता देने और अधिकार बढ़ाने का फैसला किया था। ये लाभ कमाने वाली कंपनियां थीं। अधिक अधिकार उन्हें कुछ शर्तों के तहत सौंपे गए थे। उद्देश्य था कुशलता बढ़ाना और प्रतियोगिता सक्षम करना। इन कंपनियों को मिनीरत्न कहा गया है। ये दो वर्गों की हैं—वर्ग-1 और वर्ग-2। मिनीरत्न दर्जा देने की शर्तें इस प्रकार हैं—(1) कंपनी लगातार 3 साल से लाभ कमा रही हो और उसका नेटवर्क सकारात्मक हो। (2) ऋणों, ब्याज आदि की अदायगी में चूककर्ता न हो। (3) वह बजट सहायता अथवा सरकारी गारंटी के लिए सरकार पर निर्भर न करती हो। (4) गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करके अपने निदेशक-मंडल का पुनर्गठन कर चुकी हो।

जिन सार्वजनिक उपक्रमों ने तीन वर्षों में कम से कम एक साल करपूर्व 30 करोड़ रु. का लाभ कमाया हो, उन्हें वर्ग-1 का दर्जा दिया जाता है। अन्य को वर्ग-2 में शामिल किया जाता है। यदि इन शर्तों को पूरा करती हों तो किसी भी कंपनी को उसका प्रशासकीय मंत्रालय मिनीरत्न का दर्जा दे सकता है। इस समय कुल 45 मिनीरत्न (30 वर्ग-1 में और 15 वर्ग 2) कंपनियां हैं।

मिनीरत्न कंपनियों को जो अधिक अधिकार दिए जाते हैं उनमें पूंजी पर खर्च करना, भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करना और सहायक कंपनियां खोलना, टेक्नोलॉजिकल संयुक्त उद्यम खोलना और रणनीतिक गठबंधन बनाना और खरीद के जरिए तकनीकी जानकारी प्राप्त करना शामिल हैं। इन अधिकारों के प्रयोग पर कुछ शर्तें हैं और इनमें गैर-सरकारी निदेशकों को शामिल करके बोर्ड का पुनर्गठन करना शामिल है।

राष्ट्रीय साझे न्यूनतम कार्यक्रम की इन प्रतिबद्धताओं को देखते हुए कि प्रतियोगी वातावरण में काम करके लाभ कमाने वाले उद्यमों को पूरी प्रबंधकीय एवं वाणिज्यिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, सरकार ने नवरत्न और मिनीरत्न कंपनियों को दिए गए अधिकारों की समीक्षा की है और अगस्त, 2005 से उनके अधिकार बढ़ा दिए हैं। अन्य लाभ कमाने वाले उपक्रमों, यानी वे जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में लाभ कमाया है और जिनका नेटवर्क सकारात्मक है, को अधिक अधिकार सौंपे गए हैं।

राष्ट्रीय साझे न्यूनतम कार्यक्रम में कहा गया है कि सरकार मजबूत और कुशल सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति वचनबद्ध है। तदनुसार, जहां सार्वजनिक कंपनियों को आधुनिक बना कर पुनर्गठित करने की हर संभव कोशिश की जाएगी, वहीं लगातार घाटा करने वाले प्रतिष्ठानों को या तो बेच दिया जाएगा अथवा बंद कर दिया जाएगा। ऐसे उपक्रमों के सभी कामगारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और उनकी देय राशि मिलेगी। जिन कंपनियों में फिर सक्षम बनने का दम है, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए निजी कंपनियों की मदद ली जाएगी।

सरकार की लगातार यह कोशिश रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को पुनर्गठित/पुनर्जीवित बनाया जाए ताकि उनकी उत्पादकता, निष्पादन और लाभप्रदता में वृद्धि हो। बीमार और घाटा उठाने वाले उद्यमों पर खास जोर रहा है। इनका मामला औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को भेजा जाता है ताकि उनके लिए उपयुक्त पुनर्गठन पैकेज तैयार किया जा सके। जहां तक घाटा करने वाले उपक्रमों का सवाल है, उन्हें फिर से सक्षम बनाने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय, विभाग प्रबंधन/कामगारों और विशेषज्ञों से सलाह करके उचित कदम उठाते हैं। 31 मार्च 2008 तक 66 उपक्रम आईएफआर के

पास पंजीकृत थे। इनमें से 9 उद्यमों को पुनर्जीवित करने की स्कीमें स्वीकृत की गई थीं, 3 मामलों को खारिज कर दिया गया था और 5 कंपनियों को घोषित किया गया था कि अब वे बीमार नहीं हैं। 5 मामलों को यह देख कर छोड़ दिया गया था कि उनका नेटवर्क सकारात्मक हो चुका है।

सरकार ने एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड बनाया है। यह विचार करके सरकार को बीमार एवं घाटा उठाने वाले उपक्रमों के बारे में सलाह देता है। इनमें वे मामले भी होते हैं जहां विनिवेश अथवा बंद करना न्यायपूर्ण होता है। इस मामले में संबद्ध मंत्रालय/विभाग प्रस्ताव तैयार करते हैं और इसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुनर्गठन बोर्ड के पास विचारार्थ भेजते हैं। बीआरपीएसई ने अब तक 53 सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में सिफारिशें की हैं। इनमें से सरकार ने 30 जून, 2008 तक 32 मामलों में पुनर्गठन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।

आर्थिक अव्यवस्थाग्रस्त और घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन और निष्पादन से सुधार की प्रक्रिया में जोर जनशक्ति को युक्तिसंगत करने पर है। वर्ष 2000 और 2001 में सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को उदार बनाया। केंद्रीय उपक्रमों के 5.9 लाख कर्मचारियों ने अक्टूबर, 1988 से 2007 तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। इन कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौंसिलिंग, दुबारा प्रशिक्षित करने और फिर से तैनात करने की एक स्कीम लागू की जा रही है। सार्वजनिक उद्यम विभाग की यह योजना 2001-02 से चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य 30/45/60 दिनों की अल्प अवधि की ट्रेनिंग दे कर इन कर्मचारियों का पुनर्वास करना है।

केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में सहमति ज्ञापन सरकार प्रशासकीय मंत्रालय और इन प्रतिष्ठानों के बीच आपसी समझौता है। इसके अंतर्गत प्रतिष्ठान वर्ष के शुरू में लक्ष्य पूरे करने का वचनबद्धता जाहिर करता है। ये लक्ष्य वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों प्रकार के होते हैं और निष्पादन का मूल्यांकन 5 मापदंडों के आधार पर साल के अंत में किया जाता है। विभिन्न मापदंडों के लिए अलग-अलग अंक होते हैं अतः परिणाम मिला-जुला होता है। 1987-88 में केवल चार प्रतिष्ठानों ने सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर किए थे लेकिन 2008-09 में ऐसे प्रतिष्ठानों की संख्या बढ़ कर 144 हो गई।

अब सरकार ने फैसला किया है कि बीमार और घाटा करने वालों सहित सभी प्रतिष्ठानों को सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। सहायक कंपनियों को अपनी मुख्य कंपनी के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने चाहिए। 2006-07 से सहमति पत्र व्यवस्था संबंधी प्रमुख दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं—

- (1) केंद्रीय प्रतिष्ठानों के सहमति ज्ञापनों का मूल्यांकन साल में एक बार केवल लेखा परीक्षित आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। जो प्रतिष्ठान लेखा परीक्षित आंकड़ों पर आधारित स्वमूल्यांकन 31 अगस्त तक सार्वजनिक उद्यम विभाग को नहीं सौंपेंगे वे पुरस्कार पाने के पात्र नहीं होंगे।
- (2) सहमति पत्र प्राप्तिक और रेटिंग संबद्ध कार्यबल के सिंडीकेट ग्रुप द्वारा तैयार और तय किया जाना चाहिए।
- (3) एक बार सहमति ज्ञापन पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हो जाने के बाद इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- (4) कुल पुरस्कारों की संख्या 12 होगी। इनमें से 10-सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों से 1, दस में से हर सिंडीकेट से 10 और 1 बीमार और घाटेवाले प्रतिष्ठानों से होगा।
- (5) निष्पादन मूल्यांकन हर साल एक बार किया जाएगा। यह काम सभी सिंडीकेट सदस्यों का मिला-जुला प्रयास होगा।

(6) एक सहमति ज्ञापन पुरस्कार सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों पर आधारित होगा।

(7) एक सहमति ज्ञापन पुरस्कार बीमार और घाटा करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए होता है।

स्थायी पंचाट तंत्र

सार्वजनिक उद्यमों के बीच विवादों के निपटान के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग ने एक स्थायी तंत्र स्थापित किया है। केवल कर संबंधी मामले इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आएंगे। केंद्रीय प्रतिष्ठानों और केंद्र सरकार के बीच के विवाद इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होंगे। 1993-94 से बंदरगाह न्यासों के विवाद भी इसके अंतर्गत आ गए हैं। सार्वजनिक उद्यम विभाग के 12.2.97 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए रेलवे संबंधी मामलों को इससे बाहर कर दिया गया है। विवाद पहले सार्वजनिक उद्यम विभाग को भेजे जाते हैं जो मोटे तौर पर सहमत होता है तो इसे पंचाट को भेज देता है। इन मामलों पर पंचाट अधिनियम 1940 (अब 1996) लागू नहीं होता। इसमें मामलों को पेश करने के लिए किसी बाहरी वकील के जाने की अनुमति नहीं होती।

स्थायी पंचाट तंत्र के दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया और 22.1.2004 को इन्हें फिर से जारी किया गया। इस तंत्र में एक पंचाट है। यह तंत्र स्ववित्तपोषक है अतः शुल्क वसूल करता है। इसके लिए दिशा निर्देश मौजूद हैं। 22.1.2004 कार्यालय ज्ञापन के अनुसार मामला विचार में लेने के 6 महीने के अंदर वह तंत्र अपना फैसला सुनाएगा। या फिर संबंध पक्ष द्वारा लिखित नोटिस के द्वारा अनुरोध करने के 6 महीने के अंदर फैसला देगा। 1989 में स्थापना के बाद से सचिव (सार्वजनिक प्रतिष्ठान) ने 224 मामले पंचाट को भेजे। अब तक 144 मामलों के पंचाट फैसले प्रकाशित किए जा चुके हैं।

आटोमोबाइल उद्योग

मौजूदा औद्योगिक नीति

आटोमोबाइल उद्योग को जुलाई 1991 में नयी औद्योगिकी नीति की घोषणा के साथ लाइसेंस प्रणाली से मुक्त कर दिया गया। हालांकि पैसेंजर कारों को 1993 में लाइसेंस प्रणाली से मुक्त किया गया। कुछ विशेष मामलों को छोड़कर आटोमोबाइल उत्पादन की किसी इकाई की स्थापना के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। इस उद्योग को विश्व के साथ प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से पैसेंजर कारों सहित विभिन्न वाहनों के उत्पादन के लिए विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी के आयात संबंधी नियमों को साल दर साल उदार बनाया गया। इस समय इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वतः मंजूरी के दायरे में रखा गया है। इस क्षेत्र में किसी अवधि सीमा के बगैर 5 प्रतिशत के रॉयल्टी भुगतान पर प्रौद्योगिकी/प्रौद्योगिकी उन्नयन के आयात तथा 20 लाख यूएसडी के एकमुश्त भुगतान को स्वतः मंजूरी के दायरे में रखा गया है। प्रतिबंधों को उदार बनाने के कारण इस क्षेत्र को स्वयं पुनःसंगठित होने, नई प्रौद्योगिकियां अपनाने, विश्व के घटनाक्रमों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने में मदद मिली है।

आयात निर्यात (एक्जिम) नीति

एक अप्रैल, 2001 से मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाये जाने के साथ वाहन आयात को डी जी एफ टी की और से अधिसूचित कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे दी गई। यह छूट पैसेंजर कारों के लिए भी लागू है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुराने और उपयोग में लाये गये विदेशी वाहनों के लिए भारत डंपिंग ग्राउंड नहीं बने, पैसेंजर कारों सहित पुराने वाहनों के आयात पर 100 प्रतिशत सीमाशुल्क लगाया जाता

है। पूर्ण रूप से निर्मित नये वाहनों पर सीमा शुल्क 60 प्रतिशत रखा गया है। इस कारण से वाहनों के आयात के बजाय देश में ही वाहनों के निर्माण को बढ़ावा मिला है।

भारतीय आटोमोबाइल उद्योग तथा पैसेंजर कार सेक्टर की मौजूदा स्थिति

मुख्य कंपनियां : वर्ष 1991 के बाद से आटोमोबाइल क्षेत्र में सतत उदारीकरण के साथ भारत में उत्पादकों की संख्या लगातार बढ़ी है। इस समय पैसेंजर कारों तथा बहुपयोगी वाहनों का उत्पादन करने वाली 17 कंपनियां, वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन करने वाली 9 कंपनियां, दुपहिये एवं तिपहिये वाहनों का उत्पादन करने वाली 16 कंपनियां तथा ट्रैक्टरों का उत्पादन करने वाली 14 कंपनियां हैं। इसके अलावा इंजनों का उत्पादन करने वाली 5 कंपनियां हैं। वर्ष 2006-07 में इस उद्योग में करीब 70,000 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश है जिसके 2007 तक बढ़ कर 80,000 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है। वर्ष 2006-07 के दौरान ऑटोमोटिव सेक्टर के कुल कारोबार के बढ़कर 206,000 करोड़ हो जाने का अनुमान है। पैसेंजर कारों के खंड में मारुति कंपनी अभी भी पहले स्थान पर बनी हुई है। इसके बाद हुंडई और टाटा मोटर्स का स्थान है। इस उद्योग में रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं और इस क्षेत्र में साढ़े चार लाख प्रत्यक्ष रोजगार तथा करीब एक करोड़ अप्रत्यक्ष रोजगार हैं।

संस्थापित क्षमता, उत्पादन एवं बिक्री

संस्थापित क्षमता: समय के साथ खास तौर पर उदारीकरण के बाद पैसेंजर कारों समेत आटोमोबाइल उद्योग की उत्पादन क्षमता व्यापक तौर पर बढ़ी है। वर्ष 2004-2005 में चार पहिये वाले वाहनों तथा दोपहिये और तिपहिये वाहनों की क्षमता क्रमशः 15.90 लाख, 79.50 लाख थी।

उत्पादन : पिछले छह वर्षों के दौरान सभी तरह के वाहनों के उत्पादन निम्नलिखित हैं—

उत्पादन (संख्या में)

वर्ग	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
चार पहिये वाले वाहन	832,227	927,027	1,264,600	1,563,579	1,700,383	2,064,850
दुपहिये एवं तिपहिये वाहन	4,484,075	5,352,940	5,978,964	6,904,274	8,0431,120	9,000,292
कुल	5,316,302	6,279,967	7,243,564	8,467,853	9,743,503	11,065,142

स्रोत : एसआईएएम

वाहनों की बिक्री : पिछले 6 वर्षों तथा चालू वित्त के दौरान सभी तरह के वाहनों की बिक्री निम्नलिखित हैं—

घरेलू बिक्री (संख्या में)

वर्ग	2001-02	2003-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
चार पहिये वाले वाहन	821,787	897,880	1,162,210	1,380,002	1,494,117	1,847,580
दुपहिये एवं तिपहिये वाहन	4,404,001	5,043,655	5,648,327	6,517,627	7,412,311	8,261,457
कुल	5,225,788	5,941,535	6,810,537	7,897,629	8,906,428	10,109,037

स्रोत : एसआईएएम

उद्योग का विकास

उदारीकरण तथा नये एवं आधुनिक मॉडलों की गाड़ियों के आगमन के साथ बाजार में वाहनों की मांग में तेजी आयी। इससे पैसेंजर कार खंड सहित आटोमोबाइल उद्योग में व्यापक विकास हुआ। वर्ष 1992-97 के बीच आटो उद्योग ने कुल मिलाकर 16 प्रतिशत का संचित वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) हासिल किया। इस वजह से औद्योगिक उत्पादन में इस उद्योग की भागीदारी वर्ष 1992-93 में 4.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1996-97 में 5.4 प्रतिशत तक पहुंच गई। वर्ष 1992-97 के दौरान पैसेंजर कार खंड में भी इसी दर से विकास हुआ। हालांकि 1997-98 के दौरान इस उद्योग का विकास दर वैसा नहीं रह पाया। दरअसल विभिन्न कारणों से कुछ खंडों में नकारात्मक विकास दर रही। इन कारणों में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी और कृषि क्षेत्र में कम विकास प्रमुख हैं। हालांकि इस उद्योग में एक बार फिर सुधार होना शुरू हुआ है और 1999-2000 से इस क्षेत्र में लगतार विकास जारी है। पिछले पांच वर्षों से आटोमोबाइल सेक्टर में 14 प्रतिशत की दर से विकास हो रहा है। घरेलू बिक्री में 13.5 प्रतिशत की जबकि वाणिज्यिक वाहनों, यात्री वाहनों, तिपहिये वाहनों तथा दुपहिये वाहनों में क्रमशः 33 प्रतिशत, 21 प्रतिशत, 12 प्रतिशत तथा 11 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में आटो उद्योग की हिस्सेदारी 2006-07 में बढ़कर 5.5 प्रतिशत हो गई।

वाहनों का निर्यात

भारतीय आटोमोबाइल उद्योग को धीरे-धीरे विश्व भर में मान्यता मिल रही है। हालांकि वाहनों के निर्यात की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस क्षेत्र की पूरी संभावनाओं का इस्तेमाल किया जाना बाकी है। यह महत्वपूर्ण है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान, इस क्षेत्र में खास तौर कारों और दुपहिये/तिपहिये वाहनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। पिछले पांच सालों में इस क्षेत्र में 40 प्रतिशत से अधिक की दर से वृद्धि हो रही है। निम्न तालिका में पिछले छह साल के प्रदर्शन दिखाये गये हैं :

निर्यात-संख्या में

वर्ग	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
चार पहिये वाले वाहन	65,035	84,260	146,723	196,342	216,172	248,244
दुपहिये एवं तिपहिये वाहन	119,645	223,048	333,196	433,202	590,052	763,034
कुल	184,680	307,308	479,919	629,544	806,222	1,011,278

स्रोत - एसआईएम

सरकार की नवीन पहल

हालांकि इस क्षेत्र में मुख्य चुनौती विकास स्तर को बरकरार रखना और विश्व बाजार में अपनी मौजूदगी को बढ़ाना, 'मेड इन इंडिया' ब्रांड की पहचान बनाना तथा संरक्षण रहित वातावरण में सफलता हासिल करने की क्षमता को पूरी तरह हासिल करने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके योगदान का पूरा इस्तेमाल करने के उद्देश्य से भारी उद्योग विभाग ने भारतीय आटोमोटिव सेक्टर के विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय आटोमोटिव हब बनाने के लिए दस वर्ष की मिशन योजना बनाई है।

आटोमोटिव मिशन योजना 2006-2016

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने जनवरी, 2007 में भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय द्वारा "आटोमोटिव मिशन योजना 2006-2016" (एएमपी 2006-2016) का शुभारंभ किया। उद्योग शिक्षा

क्षेत्र तथा विभिन्न मंत्रालयों/सरकारी विभागों सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप एएमपी 2006-2016 सामने आया।

इस मिशन योजना का उद्देश्य, “आटोमोबाइलों तथा आटो कलपुर्जों आदि की डिजाइन एवं उत्पादन के मामले में विश्व में भारत की पहचान को एक महत्वपूर्ण मंजिल के रूप में कायम करना है। साथ ही साथ उत्पादन को 145 अरब अमरीकी डालर के स्तर तक पहुंचाना है ताकि सकल घरेलू उत्पाद में उसकी भागीदारी 10 प्रतिशत से अधिक हो और 2016 तक ढाई करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित हों।”

मिशन योजना में निवेश, निर्यात, घरेलू मांग, मानव संसाधन विकास, श्रम सुधार को बढ़ावा देने तथा उद्योग एवं सरकार के स्तर पर देश में अनुसंधान एवं विकास के ढांचे को तैयार करने के लिए विभिन्न उपायों/अवधारणाओं की पहचान की गई ताकि एएमपी 2006-2016 के तहत तय किए गए लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। इसमें इस बात के भी प्रावधान किए गए हैं कि उद्योग के विकास में बाधक बनाने वाली संरचनात्मक रूकावटों को दूर किया जा सके तथा इस क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम तौर पर ही जरूरी संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। एएमपी में इसके लिए जो सुझाव दिये गए हैं वे इस प्रकार हैं—छोटे कारों, बहुउद्देश्य वाहनों, ट्रैक्टरों और उनके कल पुर्जों के उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देना, निवेश एवं निर्यात के लिए अनुकूल नीतियों को अपनाना, अनुसंधान एवं विकास तथा मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत एवं संरचनात्मक सहयोग सुविधाएं उपलब्ध करना तथा सुरक्षा एवं उत्सर्जन संबंधी नियमों का समन्वय करना। भारतीय आटो उद्योग को विश्व के नक्शे पर लाने के लिए सरकार की एक और महत्वपूर्ण पहल 1718 करोड़ रुपये की कुल लागत से राष्ट्रीय आटोमोटिव परीक्षण एवं अनुसंधान एवं विकास संरचना परियोजना (नैट्रिव) की शुरुआत करना है।

इस परियोजना के मुख्य लक्ष्य हैं—1. आटोमोटिव परीक्षण की अतिआवश्यक संरचना का विकास किया जाना ताकि सरकार वाहन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, उत्सर्जन एवं प्रदर्शन मानदंडों को लागू कर सके, 2. भारत में उत्पादन को बढ़ावा देना, व्यापक वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देना और सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रोनिक्स में भारत की क्षमता के साथ आटोमोटिव इंजीनियरिंग के साथ समन्वय स्थापित करना, 3. निर्यात को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र में विश्व स्तर पर भारत मौजूदगी को बढ़ाना जो इस समय बहुत ही कम है, 4. भारत के सबसे बड़े उद्योग में शुमार इस उद्योग के विकास के रास्ते में मौजूद अवरोधकों को दूर करना, जो इस समय बुनियादी उत्पाद परीक्षण, प्रमाणीकरण तथा विकास संरचना के भयानक अभाव से जूझ रहा है।

इस परियोजना में विश्व स्तर के तीन परीक्षण केंद्रों की स्थापना करना तथा देश में आधार मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। इन तीन परीक्षण केंद्रों की स्थापना के बाद से सरकार तेजी से विकसित हो रहे आटो क्षेत्र के लिए दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी अनुसंधान एवं विकास संरचना तैयार करने में सक्षम हो जायेगी। यह उम्मीद की जाती है कि इससे इस क्षेत्र का पूरा विकास हो सकेगा तथा इसकी निर्यात संभावनाओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा।

इस्पात

आज भारत विश्व का पांचवां कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 2008-09 (अनंतिम) में

भारत में 54.52 मिलियन टन कच्चा इस्पात तैयार किया गया जबकि 2007-08 में यह उत्पादन सिर्फ 53.86 मिलियन टन था। विवरण तालिका में देखें—

वर्ष	भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन (मिलियन टन)
2003-04	38.73
2004-05	43.44
2005-06	46.46
2006-07	50.42
2007-08	53.86
2008-09 (अनंतिम)	54.52

स्रोत: जेपीसी

बिक्री के लिए कुल तैयार इस्पात का उत्पादन

	(यूनिट : मीट्रिक टन)					
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अनंतिम)
मुख्य उत्पादक	15.363	15.814	16.406	17.599	18.017	17.216
	(5.9)	(2.9)	(3.9)	(7.3)	(2.4)	(-4.5)
प्रमुख तथा अन्य	25.346	27.699	30.160	34.930	38.55	39.20
उत्पादक	(11.9)	(9.3)	(8.9)	(15.8)	(8.9)	(3.0)
योग	40.709	43.513	46.566	52.529	56.075	56.416

ब्रेकट में दिखाए आंकड़े परिवर्तन प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत: जेपीसी

स्पंज लोहा

तेजी से कम होती जा रही इस्पात पिघलाने वाली रद्दी धातु (स्क्रैप) के लिए वैकल्पिक फीड सामग्री उपलब्ध कराने के लिए स्पंज आयरन उद्योग को विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया। भारत आज दुनिया में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्ष 2002-03 में यह 7.86 लाख टन और 2003-04 के दौरान यह बढ़कर 12.54 लाख टन, वर्ष 2005-06 में 14.82 मिलियन टन और 2007-08 में अनंतिम तौर पर 19.2 मिलियन हो गया, जबकि 2006-07 में 18.35 मि.ट. था।

आयात और निर्यात

भारत में लोहे और इस्पात से बनी सभी वस्तुओं के आयात और निर्यात की अब पूरी छूट है। उच्च श्रेणी के लौह अयस्क, क्रोम अयस्क और मैंगनीज अयस्क का निर्यात नामित एजेंसियों के जरिए सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार किया जाता है।

आयात

यद्यपि भारत में उत्पादित लोहा और इस्पात देश की जरूरतें पूरी करने के लिए काफी है फिर भी कुछ

मात्रा में इस्पात आयात की जरूरत पड़ती है खासतौर से उस प्रकार के इस्पात की जिसकी जरूरत कम मात्रा में होती है और जिसके लिए उत्पादन सुविधाएं जुटाना अनावश्यक होता है। पिछले कुछ वर्षों से कुल लगभग 4 मी.ट. तैयार इस्पात (कार्बन+एल्वाय) हर साल आयात किया जाता है। यह आयात अधिकांशतः मूल्य के आधार पर किया जाता है और कुछ मामलों में यह घरेलू उत्पादन का पूरक होता है। जिस प्रकार के इस्पात का आयात बढ़ रहा है वह मुख्यतः हाटरोल्ड क्वाइल्स, अर्ध एवं लौह कबाड़ होता है। 2007-08 में तैयार इस्पात (कार्बन + एल्वाय) का आयात 7.03 मि.ट. था जा 2008-09 में 5.72 मि.ट. पर आ गया।

निर्यात

भारत से निर्यात की एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है मूल्यवर्धन। इससे पहले अधिकांश निर्यात प्लेटों, निर्माण के काम आने वाले सरिफ और छड़ों का रहा है। अब इनके अलावा हाट रोलड क्वाइलें, कोल्ड रोलड क्वाइलें, रंगीन चादरें, जीपी/जीसी शीटें, कच्चा लोहा और स्पंज आइरन का निर्यात किया जा रहा है। 2007-08 में कुल तैयार इस्पात (कार्बन + एल्वाय) 5.08 मि.ट. निर्यात किया गया, जबकि 2008-09 में 5.24 मि.ट. का निर्यात हुआ।

अनुसंधान एवं विकास

लोहे एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का कार्य खुद इस्पात कारखानों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं और शिक्षा संस्थाएं भी यह काम करती हैं। खुद संयंत्रों द्वारा किए गए अनुसंधान के कारण लोहा एवं इस्पात निर्माण प्रक्रियाओं में काफी सुधार हुआ है। तकनीकों के समुन्नयन, उत्पाद विकास, उत्पादकता बढ़ाने और ऊर्जा संरक्षण क्षेत्रों में भी इसके कारण सुधार आया है। लेकिन इस्पात संयंत्रों में अनुसंधान एवं विकास व्यय अब भी अपेक्षाकृत नगण्य कुल कारोबार का 0.2 प्रतिशत बना हुआ है।

लोहा एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए इस्पात मंत्रालय ने इस्पात सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की है जो इस्पात विकास कोश से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। अधिकार प्राप्त समिति ने अभी तक 59 अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इसमें से 26 परियोजनाओं के पूरा होने से देश में लौह एवं इस्पात उद्योग लाभान्वित हो रहा है।

देश में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 118 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से एक नई अनुसंधान एवं विकास योजना शुरू की है।

शुल्क छूट भुगतान योजना

शुल्क छूट योजना के अंतर्गत निर्यात उत्पादन के लिए जरूरी सामान का शुल्क मुक्त आयात किया जा सकता है। अग्रिम लाइसेंस जारी करने और मानक तय करने में इस्पात मंत्रालय विदेश व्यापार महानिदेशालय को मदद करता है। इससे लोहे और इस्पात का निर्यात बढ़ाने में भारी मदद मिलती है।

शुल्क छूट भुगतान योजना के तहत ड्यूटी इन्टाइटलमेंट पासबुक योजना (डीईपीबी) के अंतर्गत निर्यात उत्पाद में इस्तेमाल सामान पर लगे आयात शुल्क को लौटा दिया जाता है। यह योजना निर्यातकों

में खास लोकप्रिय रही है और इसने लोहे तथा इस्पात उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लेकिन डीपीईबी स्कीम (इस्पात के मामले में) अस्थायी तौर पर रोक दी गई है।

ऊर्जा एवं पर्यावरण प्रबंधन

नेशनल सीडीएम अथारिटी ने लौह, इस्पात, एलाय, रेफैक्टरी एवं मेटालर्जिकल कोक संयंत्रों द्वारा सौंपी गई 127 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। इस्पात मंत्रालय की तकनीकी शाखा एनसीडीएमए को तकनीकी मदद उपलब्ध कराती है। उक्त परियोजनाओं को एक बार यूएनएफसीसीसी के कार्यकारी बोर्ड से मंजूरी मिलते ही ये परियोजनाएं ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटकर 9.9 लाख टन कार्बन डायऑक्साइड के स्तर के बराबर लाएंगी।

वर्ष 2008-09 में आर्थिक मंदी

वैश्विक आर्थिक मंदी से भारतीय इस्पात उद्योग का भी निष्पादन प्रभावित हुआ है। वर्ष 2008-09 के दौरान भारतीय इस्पात उद्योग के निष्पादन की निम्नलिखित रपट में घरेलू इस्पात उद्योग पर आर्थिक मंदी के असर का संकेत मिलता है। सरकार ने मांग बढ़ाने के लिए उत्पाद शुल्क में कटौती, ढांचागत क्षेत्र पर विशेष जोर जैसे कई उपाय किए हैं।

वस्तु भारतीय इस्पात उद्योग का परिदृश्य : 2008-09 अस्थाई

कुल तैयार	इस्पात मात्रा	बदलाव प्रतिशत में
बिक्री के उत्पादन	5.642 करोड़ टन	0.6
आयात	57.2 लाख टन	-19
निर्यात	36.6 लाख टन	-28
उपभोग	52.05 करोड़ टन	-0.1
कच्चा इस्पात		
उत्पादन	5.452 करोड़ टन	1.2
क्षमता उपयोग प्रतिशत में	8.9 करोड़ टन	-

स्रोत : जेपीसी

मौजूदा स्थिति

अप्रैल-जून, 2009 के दौरान भारतीय इस्पात उद्योग के निष्पादन पर निम्नलिखित रपट अस्थाई आंकड़ों पर आधारित है जो खपत के लिए स्थिर वृद्धि दर का संकेत देती है। इससे संकेत मिलता है कि मांग में सुधार हो रहा है। कुल तैयार इस्पात भारतीय इस्पात परिदृश्य : अप्रैल-जून, 2009

कुल तैयार	मात्रा	बदलाव प्रतिशत में
बिक्री के लिए उत्पादन	1.398 करोड़ टन	3.4 प्रतिशत
आयात	14.1 लाख टन	-5.3 प्रतिशत
निर्यात	6.4 लाख टन	-38
खपत	1.283 करोड़ टन	5.2

स्रोत : जेपीसी, आंकड़े, अस्थाई

अवलोकन

1. बिक्री के लिए उत्पादन 1.398 करोड़ टन था।
2. इस्पात का निर्यात 38 फीसदी घटकर अनुमानित 6.4 लाख टन रहा, जबकि आयात 5.3 फीसदी घटकर अनुमानित 14.1 लाख टन रहा।
3. भारत इस्पात का शुद्ध आयातक रहा।
4. घरेलू इस्पात खपत 1.283 करोड़ टन रही और इसमें 5.2 फीसद की बढ़त दर्ज की गई जिससे मांग में सुधार का संकेत मिलता है।

उर्वरक

खेती ग्रामीण लोगों की रोजीरोटी का साधन बनी हुई है और यह भारत की अर्थव्यवस्था की मेरुदंड है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला हुआ है, भले सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान घट रहा है। देश की बढ़ती आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए भारतीय कृषि के लिए उर्वरकों को आवश्यक माना जाता है। अनाज उत्पादन बढ़ाने में रासायनिक उर्वरकों का बहुत योगदान है। इस काम में उन्नत बीज, सिंचाई साधन, ऋण सुविधा, उत्पाद का बाजार में भाग और मूल्य भी महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादक है। चीन और अमरीका क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। वर्तमान में देश में 56 ऐसी बड़ी उर्वरक इकाइयां हैं, जहां नाइट्रोजन और फॉस्फेट युक्त एवं जटिल उर्वरकों का उत्पादन होता है। इनमें से 29 इकाइयों में यूरिया 20 में डीएपी और जटिल उर्वरक, सात इकाइयों में कम मात्रा वाले नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उत्पादन होता है। नौ ऐसी इकाइयां हैं जिनमें सह-उत्पाद के रूप में अमोनियम सल्फेट का उत्पादन होता है। इसके अलावा, करीब 72 ऐसी छोटी एवं मध्यम इकाइयां हैं, जो सिंगल सुपरफास्फेट (एसएसजी) का उत्पादन करती हैं। 31 मार्च, 2004 तक नाइट्रोजन और फॉस्फेट की कुल उत्पादन क्षमता 119.60 एलएमटी और 53.60 एलएमटी थी जो बढ़कर क्रमशः 120.61 एलएमटी और 56.59 एलएमटी हो गई।

पिछले कुछ वर्षों से देश में उर्वरकों की खपत में जबर्दस्त वृद्धि हुई है। पोषक तत्वों की दृष्टि से रासायनिक उर्वरकों की कुल खपत 1981-82 के 6.06 मिलियन टन से बढ़कर 2006-07 में 21.65 मिलियन टन और 2007-08 में 22 मिलियन टन पर पहुंच गई। देश में प्रति हेक्टेयर उर्वरकों की औसत खपत 116.51 किलोग्राम है, जो पड़ोसी देश पाकिस्तान और बंगला देश सहित अनेक विकासशील देशों की तुलना में बहुत ही कम है। देश में खाद्यान्न की बढ़ती जरूरतों की पूर्ति के लिए उर्वरकों की खपत बढ़ाने की आवश्यकता है। खपत में वृद्धि के साथ-साथ पोषक तत्वों के उपयोग के साथ द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के पर्याप्त प्रयोग में संतुलन की आवश्यकता है।

सरकार किसानों को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि खेती के लिए अति महत्वपूर्ण इस आवश्यक वस्तु की कमी न हो। कच्चे माल की कमी के कारण भारत को कुछ मात्रा में डीएपी, कुल जरूरत की एमओपी आयात करना पड़ता है। उर्वरकों की बढ़ती जरूरत पूरी करने और देशी उत्पादन में कमी पूरी करने के उद्देश्य से उर्वरकों के विभाग को काफी मात्रा में यूरिया, डीएजी और एमओपी आयात करना पड़ता है। वर्ष 2008-09 के दौरान भारत ने 57 लाख टन यूरिया, 30 लाख टन डीएपी और 44 लाख टन एमओपी का आयात किया।

देश की आबादी तेजी के साथ बढ़ने की वजह से कृषि उत्पादों के लिए मांग बढ़ रही है। कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने के साथ ही पोषक तत्वों यानी उर्वरक की भी मांग बढ़ रही है।

कंप्लेक्स फर्टिलाइजर को छोड़कर जहां एमआरपी में जून, 2008 से औसतन 18 फीसद की गिरावट आई है, उर्वरकों के अधिसूचित बिक्री मूल्य पिछले सात वर्षों से स्थिर बने हुए हैं। कंप्लेक्स फर्टिलाइजर की कीमत में गिरावट से उर्वरक के संतुलित इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलेगा और कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। सिंगल सुपर फास्फेट की कीमतें भी तर्कसंगत की गईं और 3,400 रुपये प्रति टन का समान अधिकतम खुदरा मूल्य पूरे देश में लागू किया गया जिससे कई राज्यों में सिंगल सुपर फास्फेट की कीमतों में कमी आई।

उर्वरक क्षेत्र के लाभ के लिए निम्नलिखित नीतिगत कदम उठाए गए

- सरकार द्वारा सस्ते उर्वरक को प्रोत्साहन देने, वितरण व्यवस्था दुरुस्त करने और सभी गैर गैस आधारित यूरिया इकाइयों को गैस आधारित यूरिया इकाइयों में तब्दील करने और अतिरिक्त यूरिया उत्पादन के लिए एक प्रोत्साहन प्रणाली शुरू करने के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना-3 पर नीति की घोषणा की गई।
- उर्वरक क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने एक नई निवेश नीति की घोषणा की। बेंचमार्क नीति है आयात समानता मूल्य
- सरकार ने सब्सिडी या रियायती योजना के तहत सभी उर्वरकों के लिए एकसमान उर्वरक मूल्य की घोषणा की। इसके फलस्वरूप कंप्लेक्स फर्टिलाइजर का अधिकतम खुदरा मूल्य 18 फीसदी तक घटा दिया गया।
- तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, मिस्र, कुवैत, सउदी अरब, आस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, मोजांबिक और अजरबैजान जैसे देशों में संयुक्त उद्यम के तहत अमोनिया यूरिया परियोजनाएं लगाने की संभावना तलाशी जा रही है।
- भारतीय कंपनियां जार्डन, मोरक्को, ट्यूनीशिया, आस्ट्रेलिया, सीरिया और कनाडा जैसे देशों में फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाने के लिए बातचीत कर रही हैं।
- परामर्श अध्ययन कराने एवं विदेश में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए उर्वरक विदेश लिमिटेड नाम से एक विशेष उद्देश्य कोश की स्थापना की गई है।

उर्वरक की खपत, देशी उत्पादन एवं उर्वरक पोषक तत्वों की दृष्टि से 1998-99 से 2008-09 तक की अवधि के दौरान उर्वरकों का आयात नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	खपत	उत्पादन	लाख टन में
			आयात
1998-1999	167.98	136.21	31.45
1999-2000	180.70	142.89	40.75
2000-2001	167.02	147.05	20.91
2001-2002	175.60	146.28	23.99
2002-2003	160.94	144.40	16.74
2003-2004	167.98	142.65	20.18
2004-2005	183.99	154.05	27.50
2005-2006	203.40	155.75	52.53
2006-2007	216.51 *	160.95	60.80
2007-2008	225.70	147.06	77.56
2008-2009	124.70	143.34	102.21

*अनुमानित खरीफ

सभी तीनों पोषक तत्वों यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटैश के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने एवं किसानों को वहन करने योग्य मूल्य पर उर्वरकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार यूरिया पर अनुदान प्रदान करती है, यह वह एकमात्र उर्वरक है जो वर्तमान में सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत है एवं अनियंत्रित फॉस्फेटिक एवं पोटैसिक उर्वरकों (पी एवं के) पर छूट है।

यूरिया एवं अनियंत्रित पी एवं के उर्वरकों पर पिछले पांच वर्षों के दौरान अदा किए गए अनुदान/छूट की राशि का विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है :

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	जारी सब्सिडी यूरिया	पी एवं के	कुल सब्सिडी संवितरित/देय	देनदारी अगले साल के लिए ले जाई गई	वर्ष के लिए कुल सब्सिडी की राशि
2003-2004	8509	3326	11835	2002	-
2004-2005	10637	5142	15779	3372	17149
2005-2006	11749	6550	18299	5914	20841
2006-2007	15354	10598	25952	8788	28826
2007-2008	23204	17134	40338	5000	36550
अनुमान-2008-2009	30597	75877	106475	-	101474

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

वर्तमान में इस विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत 7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं एक सहकारी उपक्रम हैं कंपनी वार विवरण नीचे दिए गए हैं—

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) के पास वर्तमान में, छह कार्यशील इकाइयां जैसा कि नांगल में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (सीएएन) परियोजना एवं नांगल, भटिंडा, पानीपत एवं विजयपुर (दो इकाइयां) हैं। एनएफएल की कुल स्थापित क्षमता नाइट्रोजन का 14.86 एलएमटी है। वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी ने 33.44 एएमटी यूरिया का उत्पादन किया था।

राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) 5 उर्वरक परियोजनाओं को संचालित कर रहा है। इनकी स्थापना अक्टूबर 1965 से जुलाई 1982 की अवधि के बीच हुई थी एवं एक गैस आधारित एक व्यापक उर्वरक परियोजना ने थाल में व्यावसायिक उत्पादन 1985 में प्रारंभ किया। आरसीएफ परियोजनाओं की स्थापित क्षमता नाइट्रोजन की 10.54 एलएमटी और फॉस्फेट की 1.20 एलएमटी है। वर्ष 2008-09 के दौरान नाइट्रोजन एवं फॉस्फेट का उत्पादन 9.46 एलएमटी एवं 0.77 एलएमटी नाइट्रिक एसिड, मिकोलमाइन, अमोनियम बाइ-कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, डि-मिथेलेसिटमाईड डियामाइलफारमाईड, अमोनियम नाइट्रिक, आर्गन आदि जैसे कुछ औद्योगिक रासायनिकों को उत्पादित करती है।

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीबीएफसीएल) की स्थापना एक अप्रैल, 2002 को एक नई कंपनी के रूप में एमएफसी के नामरूप इकाई से अलग होने के बाद हुई। बीबीएफसीएल की इकाइयों का नवीकरण 509.90 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत हो चुका है। बीबीएफ सी एल की इकाई I एवं III पुनर्निर्माण के बाद मार्च 2002 में प्रारंभ की गई। इकाई II को नवंबर 2005 में चालू

किया गया। इकाई II ने वर्ष 2008-09 के दौरान 0.61 मिट्रिक टन यूरिया जबकि इकाई III ने 1.28 लाख मिट्रिक टन यूरिया उत्पादन किया।

एफसीआई-अरावली जिप्सम एंड मिनरल इंडिया लिमिटेड (एफएजीएमआईएल) की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में 14 फरवरी, 2003 को तब हुई जब वह जोधपुर माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन के जोधपुर फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) से अलग हो गई। नई कंपनी के उद्देश्य में राजस्थान राज्य में उपलब्ध अन्य खनिज पदार्थों में खनन प्रक्रिया को प्रदान करना शामिल है। वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी ने 9.30 लाख मिट्रिक टन जिप्सम उत्पादित किया।

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) उद्योगमंडल (केरल) के पास तीन कार्यशील इकाइयां हैं, एक उद्योगमंडल में और दो कोचीन में। उर्वरकों के अतिरिक्त कंपनी रसायनों के उत्पादन में सक्रिय है। अक्टूबर 1990 में एक कैप्रोलेक्टम परियोजना को प्रारंभ करने के साथ ही कंपनी ने पेट्रो-रसायन के क्षेत्र में भी प्रवेश किया। कंपनी की एक शाखा—(एफईडीओ) उर्वरक/रसायन परियोजनाओं के डिजाइन इंजीनियरिंग, अनुरक्षण निर्माण की समीक्षा एवं प्रारंभ के कार्यों में सक्रिय है। एफएसीटी की वार्षिक क्षमता नाइट्रोजन की 1.74 लाख मीट्रिक टन एवं फॉस्फेट की 1.26 लाख मिट्रिक टन है। वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी ने 6.05 लाख मीट्रिक टन के फेक्टॉमफॉस और 1.29 लाख मीट्रिक टन अमोनियम सल्फेट का उत्पादन किया है।

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल) भारत सरकार एवं राष्ट्रीय ईरानी तेल कंपनी और शेष सार्वजनिक हिस्सा धारिता के रूप में एक संयुक्त उपक्रम है। वर्तमान में भारत सरकार के पास 95.85 करोड़ (59.50%), एनआईओसी 41.52 करोड़ (25.77) एवं आम जनता की 23.73 करोड़ (14.73%) की हिस्सेदारी है। एमएफएल की वार्षिक स्थापित क्षमता अमोनिया की 3.47 लाख मीट्रिक टन, यूरिया की 4.87 लाख मीट्रिक टन एवं एनपीके की 8.4 लाख मिट्रिक है। वर्ष 2008-09 में इसने 4.05 लाख टन यूरिया का उत्पादन किया।

प्रोजेक्ट्स एंड डवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल) जो पहले फर्टिलाइजर (योजना एवं विकास) इंडिया लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, उर्वरक एवं सहायक रासायनिक परियोजनाओं में डिजाइन, इंजीनियरिंग एवं संरक्षण एवं निर्माण/प्रारंभ की क्रियाओं में सक्रिय है। कंपनी ने भारत में उत्प्रेरकों के निर्माण और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी ने 18.17 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया।

सहकारी क्षेत्र

कृष्णको का गुजरात के हजीरा में गैस आधारित अमोनिया यूरिया संयंत्र है जो प्रति वर्ष 7.95 एलएमटी नाइट्रोजन के उत्पादन क्षमता के साथ स्थित है। वर्ष 2008-09 के दौरान इकाई ने 17.43 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पाद किया।

रसायन उद्योग

रसायन उद्योग भारत के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है जो देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। यह अत्यंत विज्ञान आधारित है और विभिन्न लक्षित उत्पादों जैसे वस्त्र, कागज, पेंट एवं वार्निश चमड़ा आदि के लिए मूल्यवान रसायन उपलब्ध कराता है, जिनकी जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यकता होती है। भारतीय रसायन उद्योग भारत की औद्योगिक एवं कृषिगत विकास के रीढ़ का निर्माण करता है और अनुप्रवाही उद्योगों के लिए घटकों को प्रदान करता है।

रसायन उद्योग भारतीय अर्थ व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई है। इसका आकार लगभग 35 बिलियन अमरीकी डालर अनुमानित है जो भारतीय सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 3 % के बराबर है। भारतीय रसायन उद्योग में सकल निवेश लगभग 60 बिलियन अमरीकी डालर है और कुल सृजित रोजगार लगभग 1 मिलियन है। भारतीय रसायन क्षेत्र देश के सकल निर्यात के 13-14% और सकल आयात के 8-9% के लिए उत्तरदायी है। आकार के अर्थ में यह विश्व का 12 वां सर्वाधिक बड़ा और एशिया में तीसरा सर्वाधिक बड़ा है। वर्तमान में, भारत में प्रति व्यक्ति रसायन उद्योग के उत्पादों की खपत विश्व औसत के लगभग 1/10 है। पिछले दशक से अधिक भारतीय रसायन उद्योग एक आधारभूत रसायन उत्पादक होने से एक नवीन उद्योग बन चुका है। शोध एवं विकास में निवेश के साथ उद्योग विशेषीकृत रसायन, उत्कृष्ट रसायन और औषधि समेत ज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट वृद्धि को दर्ज करा रहा है। भारतीय रसायन बाजार खंडवार निम्नांकित प्रकार का है :

खंड	बाजार-मूल्य (अमरीकी बिलियन डालर)
आधारभूत रसायन	20
विशेषीकृत रसायन	9
उच्च लक्ष्य/ज्ञान खंड	6
कुल	35

भारतीय रसायन उद्योग में लघु एवं वृहद् स्तर की इकाइयां दोनों ही शामिल हैं। अस्सी के दशक के मध्य में लघु क्षेत्र को प्रदान किए गए वित्तीय रियायतों ने लघु स्तरीय उद्योगों (एस एस आई) के क्षेत्र में वृहद् संख्या में इकाइयों को स्थापित करने के लिए बाध्य किया। वर्तमान में, भारतीय रसायन उद्योग वृहद् पुनर्संरचना एवं मजबूतीकरण के मध्य चरण में है। उत्पाद की नवीनता पर प्रभाव शाखा निर्माण एवं पर्यावरणीय मित्रता पर प्रभाव के स्थानांतरित होने के कारण यह उद्योग क्रमिक रूप से व्यापक ग्राहकोन्मुखीकरण की ओर बढ़ रहा है। भारत को आधारभूत कच्चे माल की प्रचुरता का लाभ है, इसे वैश्विक प्रतियोगिता का सामना करने और निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए तकनीकी सेवाओं और व्यापारिक क्षमताओं का निर्माण करना होगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था नब्बे के दशक के प्रारंभ तक एक संरक्षित अर्थव्यवस्था थी, रसायन उद्योग द्वारा बौद्धिक संपदा के सृजन के लिए व्यापक स्तर के शोध एवं विकास के लिए बहुत कम कार्य किए गए थे। इसलिए उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय रसायन उद्योग की प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए शोध एवं विकास में व्यापक निवेश करना होगा। विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों के साथ, देश की शक्ति दूसरे उच्च स्तरीय प्रशिक्षित वैज्ञानिक जन शक्ति पर में निर्भर रहती है।

भारत वृहद् संख्या में उत्कृष्ट एवं विशेषीकृत रसायनों का भी उत्पादन करता है जिनके विशिष्ट प्रयोग हैं जिनका खाद्य संयोजक, चमड़ा रंगाई, बहुलक संयोजक रबर उद्योग में प्रति-उपयामक आदि में व्यापक प्रयोग होता है।

रसायन क्षेत्र में, 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। रासायनिक उत्पादों, साथ ही साथ कार्बनिक/अकार्बनिक रंग-सामग्री और कीटनाशक के ज्यादातर निर्माता लाइसेंसमुक्त हैं। उद्यमियों को केवल आई ई एम को औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के नियमों के अनुकूल काम करना होता

हैं, बशर्ते कि स्थानीयता दृष्टिकोण लागू न हो। केवल निम्नलिखित वस्तुएं ही अपने खतरनाक प्रकृति के कारण ही आवश्यक लाइसेंसिंग सूची में शामिल हैं—

- हाइड्रोरासायनिक अम्ल एवं इसके संजात
- फॉस्जीन एवं इसके संजात
- हाइड्रोकार्बन के आइसोसाइनेट्स एवं डीआइसोसाइनेट्स।

भारत में रंग-सामग्री का क्षेत्र रसायन उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जो वस्त्र, चमड़ा, कागज, प्लास्टिक, छपाई की स्याही और खाद्य पदार्थों के विभिन्न उद्योगों के साथ आगे और पीछे जुड़ा है। वस्त्र उद्योग में करीब 70 प्रतिशत रंग सामग्री के सर्वाधिक उपयोग होता है। 1950 तक यह आयातक एवं वितरक था परंतु आज यह एक मजबूत उद्योग एवं वृहत विदेशी मुद्रा अर्जक के रूप में उभर चुका है। भारत रंग सामग्रियों एवं रंग मध्यवर्ती खासकर प्रतिरोधी, अम्ल, वैट एवं प्रत्यक्ष रंग के लिए एक वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में सामने आया है। विश्व में इसके कुल उत्पादन का करीब 7 प्रतिशत भारत में होता है।

रासायनिक खाद्य एवं कीटनाशकों ने 1960 एवं 1970 के दौरान हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। पिछले पांच वर्षों में भारत ने कृषि रसायन के निर्यात में प्रभावकारी वृद्धि दर्शाई है। निर्यात बाजार के मुख्य देश यू.एस.ए., यू.के., फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, मलेशिया और सिंगापुर हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक गतिशील सामान्य कीटनाशक निर्माताओं में से एक है। साथ ही, वृहद एवं मध्यम स्तर के उद्योगों समेत (करीब 10 बहुराष्ट्रीय कंपनियों समेत) 125 उत्पादकों द्वारा 60 से अधिक तकनीकी स्तर के देशी कीटनाशक निर्मित हो रहे हैं और 500 से अधिक कीटनाशक उत्पादक देश भर में काम कर रहे हैं।

कुछ महत्वपूर्ण कीटनाशकों एवं रंग-सामग्री समेत कीटनाशकों के उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	क्षार रसायन	अन्य अकार्बनिक रसायन	कार्बनिक रसायन	कीटनाशक (तकनीकी)	रंग तथा रंग सामग्री	कुल मुख्य रसायन	वार्षिक वृद्धि दर
2002-03	4792	404	1349	70	26	6641	
2003-04	5070	441	1474	85	25	7096	6.85
2004-05	5272	508	1506	94	28	7508	4.40
2005-06	5475	544	1545	82	30	7676	3.62
2006-07	5269	602	1545	85	33	7534	-1.85
2007-08	5443	609	1546	83	44	7725	2.54
2008-09	5550	622	1373	77	51	7673	-0.67
सीएबीआर	2.58	8.55	2.76	3.47	11.10	3.03	

रासायनिक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र की दो इकाइयां रासायनिक क्षेत्र में हैं जिनके नाम हैं—हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल लिमिटेड (एचओसीएल) एवं हिंदुस्तान इंसाइक्लोसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल)।

हिंदुस्तान और्गेनिक केमिकल लिमिटेड की स्थापना रसायनी, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में दिसंबर 1960 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य औषधियों, रंग-सामग्री, रबर रसायन एवं लेमिनेट्स आदि के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थों का निर्माण करना है। कंपनी की दो इकाइयां रसायनी (महाराष्ट्र) एवं कोच्चि (केरल) में हैं। रसायनी इकाई में भारी रसायन एवं नाइट्रोबैजें, फॉर्मैलिडहाईड, एनीलीन, सल्फ्यूरिक एसिड, ओलम आदि सामग्री के कार्बनिक समूह का उत्पादन करती है। कोच्चि इकाई फेनॉल, एसीटोन, हाइड्रोजन पाराऑक्साइड को उत्पादित करती है। कंपनी ने पॉलीलेट्राफ्लोरोथाइलीन (पी टी ई एफ) के निर्माण के लिए हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बंस लिमिटेड नामक एक सहायक कंपनी प्रारंभ की है। सरकार ने मार्च 2006 में एच ओ सी एल को पुनर्जीवित करने के लिए एक पैकेज स्वीकृत किया है जिसमें ऊंची लागत वाले ब्रांडों की पुनर्अदायगी के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन एवं नए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शामिल है। पुनर्जीवन पैकेज कार्यान्वयन के अंतर्गत है। एच एफ एल के संदर्भ में भी पुनर्जीवन पैकेज अभी विचाराधीन है। वर्ष 2005-06 के दौरान कंपनी का उत्पादन 2,16,244 मीट्रिक टन और कारोबार 451.03 करोड़ रुपये का था।

1954 में स्थापित हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल) की तीन इकाइयां, भटिंडा, (पंजाब), उद्योग मंडल (केरल) एवं रसायनी (महाराष्ट्र) में हैं। एच.आई.एल. डीडीटी, मेलाथिऑन, एंडोसल्फान एवं देश में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला कीटनाशक बूराक्लोर का उत्पादन करती है। सरकार ने जुलाई 2006 में एच आई एल के लिए एक पुनर्जीवन पैकेज को स्वीकृत किया है जिसमें ऋण एवं ब्याज की माफी/ शामिल है। पुनर्जीवन पैकेज के क्रियान्वयन पर कंपनी के नेटवर्क में सकारात्मकता आई है। वर्ष 2005-06 के दौरान कंपनी द्वारा 149.35 करोड़ रुपये के टर्नओवर के साथ 19,866 मीट्रिक/ क्विंटल का उत्पादन हुआ था।

पेट्रोलियम रसायन पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर)

पीसीपीआईआर नीति की स्वीकृति सीसीईए द्वारा हुई है। इसका मुद्रण 4 अप्रैल, 2007 को भारत के गजट (असाधारण) में हुआ है। यह विभाग के वेबसाइट (www.chimicals.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

- एकीकृत रसायन क्षेत्र विश्व के विभिन्न हिस्सों में इस खंड के उद्योगों के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। ह्यूस्टन, रोटेडम, शंकाई एंटरप्राइज ऐसे पार्क के उदाहरण हैं।
- अपनी प्रकृति से रसायन एवं पेट्रोसायन उद्योग को अच्छा पत्तन, रसायन भंडारण टर्मिनल, एक सामान्य बहुप्रवाही परियोजना एवं औद्योगिक इकाइयों को मानवीय निवास से अलग करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभावशाली हरित पट्टी समेत निश्चित आधारभूत संरचनाओं की सुविधाओं की आवश्यकता होती है।
- साथ रहने के लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोसायन के यौगिक सर्वोत्तम विकल्प हैं। ऐसे क्षेत्र इस खंड को वैश्विक प्रतियोगिता के लिए सर्वोत्कृष्ट आधारभूत संरचना प्रदान कर सकते हैं।
- पीपीआईआर से लगभग 250 वर्ग किलोमीटर (कम से कम 40% क्षेत्र प्रसंस्करण क्रियाओं के लिए चिह्नित समेत) के क्षेत्र को विनिर्दिष्ट रूप से निवेश की अपेक्षा की जाती है। यह उत्पादन परियोजना, जन उपयोगिताएं, माल-ढुलाई, पर्यावरण सुरक्षा, आवासीय क्षेत्रों एवं प्रशासकीय सेवाओं का क्षेत्र होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों में विश्व स्तरीय निवेश प्रोत्साहित करना है।

- केंद्र सरकार इस नीति के अर्थ में पी सी पी आई आर की स्थापना के लिए राज्य सरकारों के आवेदनों पर विचार करेगी तथा स्वीकृति देगी तथा रेल, सड़क, पत्तन, एवं हवाई अड्डों समेत बाहरी भौतिक आधारभूत संरचनाओं के संपर्कों की सुविधा देगी। पी सी पी आई आर आवेदन देते समय राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी- भौतिक आधारभूत संरचनाएं एवं उपयोगिताएं प्रदान की जाएंगी।
- यह एक नीतिगत मामला है जो इस उद्योग को प्रतियोगितात्मक बनने के लिए जरूरी सुविधाएं देगा।
- श्री रामविलास पासवान, मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) ने इस नीति को 8, मई 2007 को जारी किया।

भारत रसायन-2006

भारतीय रासायनिक उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार का रसायन एवं उर्वरक विभाग एवं फिक्की संयुक्त रूप से एक वर्ष के अंतराल पर घटनाओं की यह श्रृंखला 'भारत रसायन' आयोजित करते आ रहे हैं। ये आयोजन भारतीय रासायनिक उद्योग को अपनी क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने दिखाने का मंच प्रदान करता है- जैसाकि रासायनिक पेट्रोरासायनिक एवं औषधि क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की सहभागिता भारतीय उद्योग के अंतर्राष्ट्रीय विकास को दिखाते हैं। भारत रसायन-2006 की चौथी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी का आयोजन 8-10 नवंबर को मुंबई में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन 8 नवंबर, 2006 को रसायन एवं उर्वरक एवं स्टील मंत्री माननीय श्री रामविलास पासवान द्वारा किया गया।

भारत रसायन-2006 कार्यक्रम की विशेषताएं

- 140 विदेशी कंपनियों समेत कुल 260 वृहद कंपनियों की हिस्सेदारी हुई जिससे जाहिर होता है कि विदेशी भारत में कितनी रुचि लेते हैं।
- 14 देशों से प्रदर्शक एवं 58 देशों के लोग व्यापार के लिए आए।
- इटली भागीदारी देश था और इटली की 24 कंपनियां शामिल हुईं।
- जापान अतिथि देश था और 40 बड़ी जापानी कंपनियों ने भाग लिया।
- जर्मनी ने मुख्य बिंदु वाले देश के रूप में भाग लिया और 16 जर्मन कंपनी हिस्सा ले रही थीं।
- यू एस ए, चीन, बेल्जियम एवं ताईवान ने राष्ट्रीय पैवेलियन बनाए।
- इसके अतिरिक्त अन्य देशों जैसे, कोरिया, फ्रांस, ईरान, स्विट्जरलैंड सिंगापुर, रूस एवं यू.के. की कंपनियों की भी भागीदारी थी।
- गुजरात हिस्सेदार राज्य था और इसने एक पैवेलियन रखा।
- इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम एवं राजस्थान के भी पैवेलियन थे।
- कार्यक्रम में 18500 व्यापारिक आगंतुक आए।
- प्रदर्शनी स्थल पर अनुमानित 325 करोड़ रुपये (72.2 अमरीकी मिलियन डालर) का व्यापार हुआ, संभावित आदेश अधिक ऊंचे हो सकते हैं। (आंकड़े सर्वेक्षण पर आधारित)

भारत-रसायन 2006 में अन्य व्यापारिक मंच

- विभिन्न देशों से 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीददारों के साथ क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित की गई।

- 200 प्रतिनिधियों द्वारा सहयोगी संगोष्ठियों में भाग लिया गया जिसमें 65 वक्ताओं में 15 समुद्रपारीय वक्ता और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, राजनयिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण, और भारत तथा विदेश के रासायनिक कंपनियों के शीर्ष अधिकारी, शिक्षाविद और छात्र शामिल थे। संगोष्ठी में नीतिगत विषयों पर गोलमेज वार्ता भी शामिल थी जिसमें उद्योगों के मुखिया और संबंधित सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों को रू-ब-रू कराया गया।
- भारत रसायन 2006 एक जबर्दस्त सफलता थी और सहभागी उत्साहवर्धक व्यापारिक प्रतिक्रियाओं से लाभान्वित हुए।

नीम परियोजना

विभाग नीम के बीजों से तैयार सुरक्षित एवं पर्यावरण हितैषी कीटनाशकों के विकास के लिए एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नीम-आधारित उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देना है और किसानों को पारिस्थितिकी मित्र/जैव अपघट्य कीटनाशकों को प्रदान कर बेकार भूमि के विकास एवं ग्रामीण रोजगार (खासकर महिलाओं के लिए) पैदा करना है।

यह परियोजना दो स्थानों विवेकानंद इंस्टिट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा नीमपीठ, पश्चिम बंगाल और नीम फाउंडेशन द्वारा नागपुर, महाराष्ट्र में लागू की जा रही है, पहले चरण का परिणाम उत्साहवर्द्धक था। इस कार्यक्रम में नीम के फलों के संग्रह एवं गूदा निकालने से संबंधित कार्यों के साथ ग्रामीण महिलाओं की अच्छी उपस्थिति थी। नीम आधारित कीटनाशक का प्रयोग सब्जी की फसलों (खासकर, टमाटर, एवं अन्य सब्जियों) पर किया गया जो परियोजना के नियंत्रण क्षेत्र की मुख्य फसलें थीं। इसके परिणाम स्वरूप किसानों ने इसे अपनाया और परिणाम प्रभावकारी थे। कार्यक्रम का पहला चरण 31.5.2005 को समाप्त हुआ।

द्वितीय चरण के दौरान, जो अक्टूबर 2006 को प्रारंभ हुआ कार्यक्रम की गतिविधियां जारी रखी गईं और आगे इसे वर्तमान स्थानों पर जारी रखने के अतिरिक्त रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग वाले क्षेत्रों जैसे चाय/कॉफी/मसाले के पौधों आदि खासकर उत्तर-पूर्व के क्षेत्रों में ले जाया गया। यह परियोजना उन विभिन्न फसलों में, जो अत्यधिक खतरनाक जहरीले रसायनों के निरंतर अवशिष्टों के कारण खतरे हैं, प्रयोग के लिए वृहद स्वीकृति वाली सामान्य कम लागत तकनीक नीम आधारित कीटनाशकों के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करेंगी। परियोजना का लक्ष्य व्यापारिक आधार पर नीम आधारित कीटनाशकों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करने के लिए विष वैज्ञानिक जांच को बढ़ाना है। यह उद्योगों के सम्मिलन एवं नीम बीजों के कीटनाशकों की व्यापक उपलब्धता को सरल करेगा और निम्नलिखित को भी बढ़ावा देगा।

- I) पर्यावरणीय बचाव सहित आर्थिक विकास।
- II) भूमिगत एवं सतही जल दोनों की जल गुणवत्ता का विकास।
- III) जैव-विविधता का संरक्षण।
- IV) बेकार भूमि का सुधार एवं पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण।
- V) विकास के लिए स्वीकार्य मॉडलों का प्रसार, और सतत् कार्बनिक प्रदूषक (पी ओ पी) कीटनाशकों के विकल्प के रूप में जैव कीटनाशकों का प्रचार।

एशिया एवं पैसेफिक के लिए कीटनाशकों का क्षेत्रीय नेटवर्क (आरईएनपीएपी)

आरईएनपीएपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के अंतर्गत एशिया एवं पैसेफिक क्षेत्रों में 17

भागीदारी देशों के सम्मिलन से स्थापित एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क में भाग ले रहे 17 देशों में भारत, चीन, पाकिस्तान फिलीपींस आदि शामिल हैं। भारत आर ईएनपीएपी की मेजबानी करता है और न्यास कोष की स्थापना में योगदान देता है। आर ईएनपीएपी कार्यक्रम का लक्ष्य स्वच्छ उत्पादन को ग्रहण करने एवं पर्यावरण की दृष्टि से मजबूत प्रबंधन व्यवहारों के द्वारा पर्यावरण हितैषी फसल सुरक्षा साधनों को प्रोत्साहित करना है ताकि किसानों एवं श्रमिकों की सुरक्षा की सुनिश्चितता एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि हो। कार्यक्रम एक विकेंद्रित प्रारूप में आठ तकनीकी समन्वयक इकाइयों (टीसीयू) के द्वारा आठ सदस्य देशों की मेजबानी में क्रियान्वित किए जाते हैं जो नेटवर्क के विशेषीकृत कार्यक्रमों के मुख्य बिंदु के रूप में कार्य करेंगे। उदाहरणार्थ उपयोगकर्ता एवं पर्यावरण मित्र कीटनाशक प्रतिपादक तकनीक का तकनीक समन्वयक इकाई कीटनाशक प्रतिपादक तकनीक संस्थान (आईपीएफटी) भारत द्वारा किया जाता है जो विभाग के एक स्वायत्तशासी संस्थान पर आधारित है।

आरईएनपीएपी की क्रियाएं एक न्यास कोष द्वारा समर्थित है जिसमें सदस्य राष्ट्रों और निजी उद्योगों आदि का योगदान शामिल है। न्यास कोष का उपयोग विभिन्न क्रियाओं की निगरानी एवं क्रियान्वयन की त्रिपक्षीय पुनर्विलोकन (टीपीआर) परियोजना प्रबंधन समिति (पीएमसी) द्वारा स्वीकृत बजट पर आधारित है। ऐसा पिछला पुनर्विलोकन चीन के नानतोंग में वर्ष 2006 में संपन्न हुआ था। कार्यक्रम की वैधता अक्टूबर 2008 तक थी। यह वित्त मंत्रालय के अर्थिक मामलों के विभाग द्वारा स्वीकृत है।

औषधि क्षेत्र

औषधि नीति

फरवरी 2002 में औषधि नीति-2002 की घोषणा की गई थी। इस नीति की मुख्य विशेषताएं हैं : (i) औषधि महानियंत्रक (भारत) द्वारा स्वीकृत सभी समूह औषधियों के लिए औद्योगिक लाइसेंस किए गए। इसके अनुसार उनके सभी मध्यवर्ती एवं नुस्खे समाप्त हो जाएंगे, औद्योगिक नीति में समय-समय पर रेखांकित शर्तों के अंतर्गत, सिवाय इन मामलों के (क) पुनर्संमिश्रित डी एन ए तकनीक के प्रयोग द्वारा उत्पादित बल्क औषधि (ख) विनिर्दिष्ट कोशिका/ऊतकलक्षित नुस्खे, (i) 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति होगी, बशर्ते कि औद्योगिक नीति में समय-समय पर निर्दिष्ट संविदा सभी समूह औषधियों के मामले में महानियंत्रक, औषधि (भारत) से स्वचालित रास्ते से स्वीकृत, उनके सभी मध्यवर्ती एवं प्रतिपादन, सिवाय उनके जिनका हवाला ऊपर दिया गया है। (iii) औषधि महानियंत्रक (भारत) द्वारा स्वीकृत सभी समूह औषधियों एवं उनके मध्यवर्ती एवं नुस्खों के मामले में विदेशी तकनीक करार के लिए स्वचालित स्वीकृति उपलब्ध होगी सिवाय उपरोक्त संदर्भित के, (घ) औषधि क्षेत्र में शोध एवं विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उपाय इस प्रकार हैं : (a) भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पेटेंट की हुई एक नई औषधि का एक निर्माता उत्पादन कर रहा है और अन्य कहीं उसका उत्पादन नहीं होता और यदि देशी अनुसंधान एवं विकास द्वारा विकसित है तो वह देश में व्यापारिक उत्पादन के प्रारंभ की तारीख से 15 वर्षों की अवधि के लिए मूल्य-नियंत्रण से छूट की पात्र होगी। (b) देशी अनुसंधान एवं विकास के द्वारा विकसित प्रक्रिया से भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत देश में उत्पादित हो रही किसी औषधि का निर्माता दवा के संदर्भ में नए पेटेंट प्रक्रिया द्वारा देश में दवा के व्यापारिक उत्पादन के प्रारंभ होने की तिथि से पेटेंट की समाप्ति तक मूल्य नियंत्रण से छूट के लिए पात्र होगा। (c) देशी अनुसंधान एवं विकास द्वारा विकसित कोई नई औषधि एक नुस्खे समेत और भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पेटेंट किए हुए, प्रतिपादन के लिए पेटेंट के लिए प्रक्रिया जिसमें नई निष्पादन व्यवस्था शामिल है, पेटेंट व्यापक प्रतिपादक के पक्ष में देश में इसके व्यापारिक उत्पादन की तिथि के प्रारंभ से लेकर पेटेंट की समाप्ति तक मूल्य नियंत्रण से

छूट की पात्र होगी। (v) मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था को 'औषधि नीति 2002' में रेखांकित की गई श्रेणी के आधार पर चयनित मूल्य नियंत्रित औषधि की एक एकल सूची एवं देशी प्रतिपादनों के लिए 100 प्रतिशत की एम ए पी ई के साथ उस पर आधारित प्रतिपादन एवं आधारित प्रतिपादनों के लिए 50 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि से चालित होगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय आवश्यक औषधि-सूची (1966) में आवश्यक औषधियों की वर्णानुक्रम सूची में दिखाई देने वाली 279 वस्तुएं और मंत्रालय द्वारा 173 ऐसी वस्तुएं जो विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं आपातकालीन देखभाल आदि की दृष्टि से आवश्यक मानी गई हैं, संपूर्ण संग्रह में से होंगी जिनमें से समूह औषधियों का चयन मूल्य विनियमन के लिए किया जाएगा। (vi) समय-समय पर किसी भी प्रतिपादन के लिए उच्चतम मूल्य निश्चित किया जा सकता है। और यह लघु स्तरीय इकाइयों का ऐसी निश्चित की गई कीमत मानन के लिए सामान्य नाम के अंतर्गत व्यापार के लिए बाध्यकारी होगा। (vii) मूल्य निर्धारण/पुनरीक्षण एवं अन्य संबंधित मामलों का कार्य भार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण नामक एक स्वतंत्र निकाय के सुपुर्द कर दिया गया है। (viii) मूल्य नियंत्रण से बाहर वाली औषधियों के मूल्यों पर सरकार निगरानी रखेगी, इन औषधियों के मूल्यों में अतार्किक वृद्धि के मामले में सरकार मूल्य नियंत्रण के दुबारा प्रतिबंध समेत उचित उपाय करेगी। (ix) वर्तमान औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 की उपबंध iii के अनुसार लाभ की सीमा निर्धारण का प्रावधान किया जाएगा फिर भी यदि जनहित में जरूरी हो तो सरकार द्वारा एक गैर-अनुसूचित प्रतिपादक समेत किसी प्रतिपादन के मूल्य को निश्चित या पुनरीक्षित किया जाएगा।

कर्नाटक उच्च न्यायालय में जनहित याचिका में दिनांक 12 नवंबर, 2002 के एक आदेश के परिणामस्वरूप सरकार को औषधि नीति 2002 के मूल्य नियंत्रण की प्रणाली को क्रियान्वित करने से रोक दिया गया। सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है।

सरकार ने मूल्य नियंत्रण के विस्तार (व्यापार की अतिरिक्त राशि समेत) के मामले की जांच के लिए संयुक्त सचिव (औषधि) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तदनन्तर, उचित मूल्यों पर जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता के लिए मूल्य-नियंत्रण के अन्य विकल्पों को ढूंढने के लिए सरकार ने योजना आयोग के प्रधान सलाहकार डॉ. प्रणव सेन की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया।

संयुक्त सचिव (औषधि) की अध्यक्षता के अंतर्गत समिति के प्रस्तावों एवं कार्यबल के प्रस्तावों पर आधारित औषधि उद्योग समेत विभिन्न साझेदारों के साथ गहन-विचार के बाद विभाग ने राष्ट्रीय औषधि नीति 2006 का प्रारूप तैयार किया और गरीबों को उचित मूल्य पर जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराने के सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के घोषित लक्ष्यों को पूरा किया। इस नीति को स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मंत्रिमंडल ने नीति पर 11.1.2007 को संपन्न हुई बैठक में विचार किया और इसे मंत्रियों के समूह (जीओएम) को संदर्भित किया है। मंत्रियों के समूह की प्रथम बैठक 10.4.2007 को संपन्न हुई। मंत्रियों के समूह द्वारा अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है।

औषधियों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत पांच केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं पांच संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्ण स्वामित्व वाली दो इकाइयां हैं। इन संगठनों की संक्षिप्त जानकारी निम्नांकित अनुच्छेदों में दी गई है :

भारतीय औषधि एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) की स्थापना 5 अप्रैल, 1961 को हुई

थी। वर्तमान में कंपनी के पास तीन निर्माण कारखाने हैं। इनमें एक-एक उत्तराखंड के ऋषिकेश, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद एवं हरियाणा के गुड़गांव में हैं। आईडीपीएल के पास दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं। जिनके नाम हैं, आईडीपीएल (तमिलनाडु) लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु में एवं बिहार ड्रग्स एंड आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, मुजफ्फरपुर बिहार में। इनके अलावा संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से प्रोन्नत दो संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम आई डी पी एल के पास है। ये हैं राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल), जयपुर एवं उड़ीसा ड्रग्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (ओडीपीएल), भुवनेश्वर। बी.आई.एफ.आर. के तारीख 26 मार्च, 2004 के आदेश के अनुसरण में उत्तरप्रदेश ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, आईडीपीएल संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम, को 1 अप्रैल, 2004 की प्रभावी तिथि से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिगृहीत कर लिया गया है। बी आई एफ आर ने 4.12.2003 को आई डी पी एल को बंद करने की अनुशंसा की। रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग ने बी आई एफ आर के मत के विरुद्ध 10.2.2004 को औद्योगिक एवं आर्थिक पुनर्संरचना के अपीलीय प्राधिकार (एएआईएफआर) में एक अपील दाखिल किया। ए ए आई एफ आर ने 13.9.2005 को संपन्न हुई सुनवाई में बीआईएफआर के 4.12.2003 के प्रतिकूल आदेश को खारिज कर दिया और मामले को आई डी पी एल के पुनर्वास के लिए आगे की कार्यवाही करने के लिए बीआईएफ को वापस कर दिया। दि बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज (बीआरपीएसई) ने अपनी 9.3.2007 को संपन्न हुई बैठक में आई डी पी एल के पुनर्जीवन के लिए पुनर्वास योजना पर विचार करते हुए इसे सरकारी स्वीकृति के लिए अनुशंसित किया है। मंत्रिमंडल ने अपनी 17.5.2007 को संपन्न हुई बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया और विचार करने के लिए मंत्रियों के समूह को सौंपा। मंत्रियों के समूह का गठन अभी किया जाना है।

हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल) पिंपरी पुणे, की स्थापना 30 मार्च, 1954 को हुई थी। ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में यह पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था। एच.ए.एल का अपना कारखाना पिंपरी में स्थित है। संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से एच ए एल द्वारा प्रोन्नत संयुक्त क्षेत्र की तीन इकाइयां हैं। ये हैं—कर्नाटक के बंगलुरु में कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (के.ए.पी.एल.), महाराष्ट्र के नागपुर में महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, एवं मणिपुर के इम्फाल में मणिपुर राज्य ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (एम.एस.डी.पी.एल.), एम.ए.पी.एल एवं एम एस डी पी एल अब बंद हो चुकी हैं। एच ए एल के मुख्य उत्पादन समूह औषधि पेनिसिलिन-जी, पेनिसिलिन के विभिन्न नमक एवं स्ट्रिप्टोमाइसिन हैं। कंपनी कृषि-पशु उत्पादों समेत औषधि प्रतिपादनों की वृहद शृंखला को उत्पादित करती है। जनवरी 1997 में कंपनी को बी.आई.एफ.आर. के हवाले किया गया और यह बीमार घोषित की गई। वर्ष 2004-05 के बजट में सरकार ने कंपनी की पुनर्संरचना के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। मार्च 2006 में सरकार ने कंपनी के पुनर्जीवन के लिए पुनर्वास योजनाओं की स्वीकृति दी। पुनर्वास योजना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित शामिल थीं—

- 1) भारत सरकार द्वारा नकद राशि सहायता-137.59 करोड़ रु.;
- 2) कुल हानि/भारत सरकार से छूट- 267.57 करोड़ रु.;
- 3) बैंक, वित्तीय संस्थाओं एवं सार्वजनिक-103.34 करोड़ रु.।

उद्यमों द्वारा क्षेत्र के उपक्रमों का परित्याग

इसमें से 56.96 करोड़ रुपये एच ए एल द्वारा जमीन बेंचकर उत्पन्न किए जाएंगे। भूमि की लंबित बिक्री, भारत सरकार के दो वर्षों के भीतर पुनर्अदायगी योग्य ब्याज युक्त 56.96 करोड़ रुपये एच ए एल को

जारी की। एच ए एल भूमि के बेचने की पहल-बीआई एफ आर द्वारा परिसंपत्ति बिक्री समिति के गठन करते ही करेगा।

137.59 करोड़ रुपयों की कुल नकद सहायता कंपनी को जारी कर दी गई। संसद ने ब्याज एवं ऋण की माफी को स्वीकृत किया (259.43 करोड़ रुपये)

दिनांक 5.10.2006 को संपन्न हुई सुनवाई में बी आई एफ आर ने पुनर्वास योजना की स्वीकृति दी। यद्यपि योजना को बी आई एफ आर द्वारा अधिसूचित किया जाना बाकी है।

बंगाल कैमिकल एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बी.सी.पी.एल.) की स्थापना 17 मार्च, 1981 को हुई थी। कंपनी की चार निर्माण इकाइयां हैं जो एक-एक कोलकाता के माणिकतल्ला, 24 परगना के पानीहाटी, (पश्चिम बंगाल), एक महाराष्ट्र के मुंबई में और एक कानपुर (उत्तरप्रदेश) में है। कंपनी औद्योगिक रसायनों की वृहद् शृंखला, व्यापक संख्या में ड्रग्स एवं फार्मास्युटिकल के अतिरिक्त सौंदर्य प्रसाधन एवं घरेलू उत्पादों का निर्माण एवं विपणन करती है। बी आई एफ आर ने 14 जनवरी, 2004 को (बी सी पी एल) के पुनर्जीवन के लिए एक रूपांतरित पुनरीक्षित पुनर्वास योजना को स्वीकृत किया। दिसंबर 2006 में सरकार ने कंपनी के पुनर्जीवन के लिए पुनर्वास योजना को स्वीकृत किया। इसके साथ-साथ योजनाएं निम्नांकित शामिल हैं—

1. भारत सरकार द्वारा नकद सहायता	—	207.19 करोड़ रुपये
2. ऋण/ब्याज से माफी	—	233.41 करोड़ रु.
(31.3.2005 के अनुसार)		
3. भारत सरकार द्वारा कर्ज/ब्याज की माफी	—	निर्धारित नहीं
आयकर अधिनियम के अर्थ में		
आय के रूप में नहीं		

पुनर्वास योजनाएं निर्धारण के अनुसार 117.19 करोड़ रुपये मार्च 2007 में जारी किए गए और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 90 करोड़ रुपयों की बजटीय सहायता प्रस्तावित की गई है।

बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड (बीआईएल) की स्थापना 1 अप्रैल, 1984 को हुई थी। बीआईएल ने बीआईएल को बंद करने के आदेश जारी किए। कंपनी बंद हो गई फिर भी बीआईएल के संदर्भ में परिसमापक की नियुक्ति को बी आई एल कर्मचारी संघ द्वारा दाखिल रिट याचिका पर रोक दी गई और इसके बाद विभाग ने इस आधार पर बी आई एल के पुनर्जीवन के मुद्दे की जांच के लिए एक समिति को गठित किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट विचाराधीन है।

स्मिथ स्टैनस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (एसएसपीएल) की स्थापना 19 जुलाई, 1978 को हुई थी। बीआईएल ने बी आई एल को बंद करने के आदेश जारी कर दिए। कंपनी बंद है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने परिसमापक की नियुक्ति की है।

पेट्रो-रसायन क्षेत्र

पेट्रो-रसायन पर राष्ट्रीय नीति

पेट्रो-रसायन पर राष्ट्रीय नीति की स्वीकृति सरकार द्वारा 12 अप्रैल 2007 को की गई। पेट्रो रसायन पर राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य है :

- इस क्षेत्र निचले एवं ऊपरी उद्योगों में निवेश बढ़ाना और बहुलकों की एशियाई मांग के एक हिस्से

पर अधिकार करना एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी मूल्य पर कच्चे माल की उपलब्धि की सुनिश्चितता द्वारा क्षमता एवं उत्पादन में निम्न प्रवाही प्रसंस्करण द्वारा वृद्धि, मूल्य वृद्धि एवं निर्यात वृद्धि की सुनिश्चितता एवं स्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण।

- प्लास्टिक एवं कृत्रिम रेशों के वर्तमान प्रति व्यक्ति खपत 4 किग्रा एवं 1.6 किग्रा के स्तर एवं घरेलू मांग की वृद्धि करना। प्रतियोगिता, बहुलक अवशोषण क्षमता एवं आधुनिकीकरण, शोध विकास-परक उपायों द्वारा घरेलू निम्नप्रवाही प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में मूल्य वृद्धि एवं इसे संरचनात्मक बाधाओं से मुक्त करना।
- पेट्रो-रसायन के उभरते क्षेत्रों में निवेश को करना।
- पेट्रो-रसायन क्षेत्र में रद्दी प्लास्टिक प्रबंधन की नवीन विधि एवं पुनर्चक्रण द्वारा पर्यावरणीय निरंतर विकास को प्राप्त करना एवं जैव-तस्वीर-निम्नीकरण बहुलक एवं प्लास्टिक का विकास।
- पेट्रो-रसायन में शोध एवं विकास को उन्नत करना एवं मानव संसाधन विकास को उन्नत करना।

नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं :

- फीड स्टॉफ के लिए एक नीतिगत मसौदे की अनुशंसा के लिए पेट्रो-रसायन फीडस्टॉफ पर स्थायी समिति की स्थापना करना।

आधारभूत संरचना

- a) पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रो-रसायन निवेश क्षेत्र (पी सी पी आई आर) पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रो-रसायन निवेश क्षेत्र इस क्षेत्र में निवेश को उन्नत करेगा और देश का घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय, दोनों ही प्रकार के बाजारों के लिए पी सी पी आई आर की नीति के अनुसार एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाना।
- b) विद्यमान उद्योग-रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग संबंधित मंत्रालयों के साथ सलाह कर एक सरल तंत्र की स्थापना करेगा।
- c) प्लास्टिक पार्क-प्लास्टिक प्रयोग एवं प्लास्टिक पुनर्चक्रण के विकास के क्षेत्र में एक समूह दृष्टिकोण की प्रोन्नति के लिए समर्पित प्लास्टिक पार्कों की स्थापना।
- d) समूह-सामान्य बहुप्रवाही शोधन की बाधाओं रोड आदि समेत यातायात के संपर्क विद्युत आपूर्ति जल एवं सुविधाओं के समाधान के लिए सामान्य आधारभूत संरचना की सुविधाओं के प्रावधान करना।

तकनीक एवं शोध विकास

- a) पेट्रो केमिकल शोध एवं विकास कोष—पेट्रो-रसायन शोध एवं विकास कोष की एक नई योजना, जो शोध एवं विकास की परियोजनाओं को पूरा करेगी। रद्दी प्रबंधन जैव बहुलक एवं जैव अपघट्य बहुलक का पुनर्चक्रण एवं विकास का प्रतिपादन प्रस्तावित हैं।
- b) प्लास्टिक विकास परिषद्—परिषद् एक व्यापार/उद्योग निकाय परामर्शदातृ निकाय होगी और उद्योग तथा सरकार के सदस्यों को शामिल करेगी।
- c) बहुलक तकनीक में उत्कृष्टता के केंद्र—बहुलक के क्षेत्र में राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, भारतीय रसायन तकनीक संस्थान, भारतीय तकनीक संस्थान, राष्ट्रीय तकनीक संस्थान प्लास्टिक अभियंत्रण एवं तकनीक केंद्र आदि जैसे कार्यरत शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों में उत्कृष्टता के केंद्रों को स्थापित करना।

प्राथमिकता के क्षेत्रों में प्लास्टिक का विकास

रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग के अंतर्गत एक अंतर-मंत्रालयी विशेषज्ञ समिति का गठन करना जो प्राथमिकता के क्षेत्रों में प्लास्टिक के प्रयोग को बढ़ाने एवं संबंधित मंत्रालयों को प्रस्ताव देने की आवश्यकताओं की जांच करेगी।

प्लास्टिक का अनारक्षण

लघु स्तरीय उद्योगों के लिए आरक्षित प्लास्टिक की वस्तुओं का सभी हिस्सेदारों के साथ एक विचार-विमर्श की प्रक्रिया के द्वारा एक समयबद्ध तरीके से अनारक्षण।

पर्यावरणीय सतत विकास

प्रयुक्त प्लास्टिक के पुनर्चक्रण तकनीक के वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्लास्टिक के पुनर्चक्रण पर उचित बल दिया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय को सहयोग दिया जाएगा और उनकी क्षमता को मजबूत किया जाएगा ताकि वे प्लास्टिक कचरा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से हल करें। नोडल मंत्रालय के रूप में शहरी विकास मंत्रालय के साथ प्लास्टिक कचरा प्रबंधन/पुनर्चक्रण के लिए प्रोत्साहन स्कीम बनाई जाएगी जिसमें शहरी स्थानीय निकाय का महत्वपूर्ण योगदान होगा।

प्लास्टिक को बढ़ावा

- 1) तकनीकी नवीनता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
- 2) औद्योगिक व्यापार मेले एवं प्रदर्शनी

स्वायत्त संस्थाएं

सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी : सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPT) देश में मानव संसाधन विकास एवं प्लास्टिक एवं सहायक उद्योगों के लिए प्लास्टिक अभियंत्रण एवं तकनीक में स्तरीय तकनीकी सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध एक उत्कृष्ट संस्थान है। सी आई पी ई टी ने पिछले 38 सालों में प्रशिक्षण, शोध एवं प्रयोग विकास, उद्यमिता विकास एवं सलाह सेवाओं में संवर्धक क्रियाओं द्वारा बहुमुखी वृद्धि को हासिल किया है।

सी आई पी ई टी को “प्लास्टिक अभियंत्रण एवं तकनीक में विशेषीकृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को संचालित करने और डिजाइन तथा विकास पर आई एस ओ 9001: 2000 का प्रमाणन प्राप्त है तथा यह प्लास्टिक एवं सहायक उद्योग में डिजाइन, यांत्रिक, प्लास्टिक प्रसंस्करण में सलाह सेवाएं प्रदान कर रहा है।”

सी आई पी ई टी की स्थापना भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत यू एन डी पी/ आई एल ओ के सहयोग से चेन्नई में 1968 में की गई थी। कई वर्षों से सी आई पी ई टी की सेवाओं की आवश्यकता को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा महसूस किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सी आई पी ई टी के केंद्रों की स्थापना, इलाहाबाद अमृतसर, भोपाल, भुवनेश्वर, हैदराबाद, इफाल, लखनऊ, मैसूर, हाजीपुर, हल्दिया एवं गुवाहाटी में की गई। सी आई पी ई टी के तीन अन्य केंद्रों को जयपुर (राजस्थान), औरंगाबाद (महाराष्ट्र) एवं पानीपत (हरियाणा) में स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। शैक्षणिक वर्ष 2006-07 में इन नवीन केंद्रों पर प्रशिक्षण की गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं।

सीआईपीईटी के केंद्रों के पास एक छत के नीचे समान रूप से डिजाइन-सीएडी/सीएम, टूलिंग, प्लास्टिक प्रसंस्करण, जांच एवं गुणवत्ता सुनिश्चितता के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान 7 दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों स्नातकोत्तर डिग्री (एम.टेक), स्नातकोत्तर डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा एवं प्लास्टिक अभियंत्रण एवं तकनीक की विभिन्न शाखाओं में डिप्लोमा को संचालित करता है। मशीनरी एवं यंत्र के संदर्भ में आधारभूत सुविधाएं निरंतर उन्नत आधुनिक की जा रही हैं ताकि विश्व स्तर पर उद्योग की आवश्यकताओं एवं तकनीकी विकास को पूरा किया जा सके। सीआईपीईटी की अपनी उपस्थिति को दक्षिण पूर्व एशियाई एवं मध्य-पूर्व के देशों में कराने की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। एशियन इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, मनीला फिलीपींस, यूएनआईडी नाइजीरिया, गल्फ आर्गेनाइजेशन फॉर इंडस्ट्रीयल कंसल्टिंग (जी ओ आई सी), कतर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) ओमा, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड, श्रीलंका ने सीआईपीईटी को प्लास्टिक एवं तकनीकी में तकनीकी प्रशिक्षण सेवाओं को प्रदान करने के लिए संपर्क संस्था के रूप में अनुबंधित किया है।

संस्थान के मुख्य उद्देश्य हैं

- प्लास्टिक अभियंत्रण एवं तकनीक की विभिन्न शाखाओं में प्रभावकारी प्रशिक्षण एवं जन शक्ति में विकास।
- प्लास्टिक उद्योग के कर्मचारियों की कुशलता एवं ज्ञान में संवर्धन के लिए पारंपरिक एवं उन्नत स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना।
- डिजाइन, यंत्रों के निर्माण, मोल्ड्स/डाई, मशीनरी एवं उपकरण कंप्यूटर आधारित डिजाइन/निर्माण/अभियंत्रण (सी ए डी/सीए एम/सी ए ई) सेवाओं जांच एवं गुणवत्ता नियंत्रण, सलाह एवं परामर्शदातृ सेवाओं के क्षेत्र में तकनीकी सेवाओं को प्रदान करना।
- प्लास्टिक एवं इसके सहायक उत्पादों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग का विकास।
- स्तरीय उत्पादों के विभिन्न लघु स्तरीय उद्योगों में उत्पादन के लिए उत्तम निर्माण व्यवहारों को लागू करने के मुख्य बिंदु पर प्लास्टिक अभियंत्रण एवं तकनीक के क्षेत्र में शोध एवं विकास।

वर्ष 2005-06 के दौरान दबाव वाले क्षेत्रों में सी आई पी ई टी केंद्रों की क्षमता निर्माण के लिए भारत सरकार एवं पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्र समूह (ओपेक) के बीच 12.3 मिलियन अमरीकी डालर के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना अभी प्रगति के अंतर्गत है और 2008 तक पूरी हो जाएगी।

वर्ष 2007 में भारत सरकार द्वारा गुवाहाटी में 7.80 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली प्लास्टिक पुनर्चक्रण कचरा प्रबंधन केंद्र (PWMC) की स्थापना के लिए परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स शिक्षा एवं शोध संस्थान

फार्मास्यूटिकल्स विज्ञान में उन्नत अध्ययन एवं शोध के लिए एक केंद्र होने की उद्घोषित लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स शिक्षा एवं शोध संस्थान (एन आई पी ई आर) मोहाली, फार्मास्यूटिकल्स विज्ञान में प्रथम राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। भारत सरकार एन आई पी ई आर को एक “राष्ट्रीय महत्ता का संस्थान” के रूप में घोषित कर चुकी है। एन आई पी ई आर का दृष्टिकोण एवं मिशन “फार्मास्यूटिकल्स विज्ञान में शिक्षा एवं शोध की सर्वोत्कृष्टता को पूरा” करना है। संस्थान देश के अंतर्गत तथा दक्षिण पूर्व एशिया एवं अफ्रीका के देशों में भी फार्मास्यूटिकल्स विज्ञान एवं संबंधित क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने में सफल रहा है।

स्नातकोत्तर एवं शोध-कार्य की डिग्री तथा शोध-कार्य पश्चात् प्रशिक्षण का प्रस्ताव देने वाले फार्मास्यूटिकल्स विज्ञान के विभिन्न पक्षों में नौ विभाग संस्थान के पास हैं। शोध एवं विकास के क्षेत्र में, वर्तमान में संस्थान मलेरिया, लेशमेनियोसिस, तपेदिक एवं मधुमेह पर कार्यरत है। संस्थान क्षेत्रीय एमबीए (फार्मा.) भी प्रदान कर रहा है। अभी तक 323 स्नातकोत्तर एवं 48 पीएचडी छात्र उत्तीर्ण हो चुके हैं। एनआईपीआईआर के छात्र राष्ट्रीय के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेधावी माने जाते हैं। संस्थान ने 550 से अधिक शोध प्रकाशनों को प्रकाशित किया है और 50 पेटेंटों (राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय) को दाखिल किया है। संस्थान ने अभी तक 166 परियोजनाओं को हाथ में लिया है।

शोध एवं विकास कार्यक्रमों विशेष जोर हमारे देश के प्रासंगिक क्षेत्रों में है जैसे- मलेरिया, तपेदिक, मधुमेह एवं हर्बल उत्पादों के स्त्रीकरण/मधुमेह के क्षेत्र में, संस्थान ने विट्रो-स्क्रीनिंग विधि को विकसित किया है साथ ही साथ विभिन्न इन-विट्रो मॉडलों को भी स्थापित किया है। मलेरिया एवं तपेदिक के क्षेत्र में हमारे कुछ एनसीई उच्चस्तरीय परिणाम प्रदर्शित कर रहे हैं लगभग 8% विश्व विविधता के साथ भारत पारंपरिक ज्ञान के भंडारों में से एक है और हर्बल औषधि में एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनने की अच्छी क्षमता रखता है। इस क्षेत्र में, संस्थान हर्बल उत्पादों के मानकीकरण में शामिल है और आयुर्वेदिक औषधि-संग्रह के लिए विनिबंधन विकसित कर रहा है। इसके कुछ आगामी प्रयास गंभीर अवरोधक फुप्फुसीय रोगों के लिए के क्षेत्र में हैं। यद्यपि फार्मास्यूटिकल्स उद्योग के साथ संपर्क उत्साहजनक रहा है फिर भी वैश्वीकरण के इस जमाने में इसे और बढ़ाने की जरूरत है। इस प्रकार का संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एन आई पी ई आर के राष्ट्रीय जैव उपलब्धता केंद्र को तपेदिक प्रतिरोधी औषधियों के निश्चित खुराक के मिश्रण के जैव-उपलब्धता अध्ययन को संचालित करने वाले दो केंद्रों में से एक केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान की है। एन आई पी ई आर ने एक बार पुनः उद्योग को निर्यात में सहायता के लिए समूह ए पी आई के अशुद्ध प्रोफाइल के एक केंद्र को स्थापित करने में पहल किया है। अशुद्धता के संदर्भ मानक यू एस ए साथ ही साथ जापान को निर्यात किए गए हैं। कृत्रिम या हर्बल मूल के सक्रिय फार्मास्यूटिकल तत्व के लिए विकास प्रक्रिया के लिए एक नई तकनीक विकास केंद्र को स्थापित किया गया है। और यह केंद्र अच्छा औद्योगिक परस्पर संपर्क प्राप्त कर रहा है।

ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र एवं व्यवसाय की चुनौतियों को पूरा करने के लिए फार्मेसी प्रैक्टिस विभाग को सृजित किया गया है, जो औषधियों के तार्किक प्रयोग को बढ़ावा देता है, क्लीनिकल फार्मेसी को स्थापित कर रहा है और दवा संबंधी समस्याओं मूल्य एवं दवा के विपरीत प्रभावों की निगरानी कर रहा है। इस विभाग का समन्वयकारी संबंध लंदन स्कूल ऑफ फार्मेसी यू.के. से है। यह संबंध विद्यमान फार्मासिस्टों साथ ही साथ लंबी अवधि के क्रियात्मक कुशलता वाले नए फार्मासिस्टों को विकसित करने में सहायता कर रहा है ताकि देश के नागरिकों को उच्चस्तर की फार्मेसी सेवाएं प्राप्त हों। क्षेत्रगत एम.बी.ए. की महत्ता को अनुभव करते हुए संस्थान ने फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किया और एम.बी.ए. (फार्मा) के दो बैचों ने अपनी डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं। इसके आगे, फार्मा को इनफार्मेटिक्स एवं एम टेक (फार्मास्यूटिकल तकनीक जैवतकनीक) प्रारंभ किए गए हैं एवं डी एस टी एवं डीबी टी से क्रमशः वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है।

विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने (डी एस टी) फार्मास्यूटिकल्स शोध एवं विकास समर्थन कोष (पी आर डी एस एफ) के अंतर्गत राष्ट्रीय विष विज्ञान केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर फार्मा को इन फार्मेटिक्स, नेशनल सेंटर फॉर सेप्टी फार्माकोलॉजी, एवं सेंटर फॉर फार्मास्यूटिकल्स नैनाटेक्नोलॉजी के अच्छी प्रयोगशाला प्रैक्टिस अनुपालन को समर्थन दिया है।

भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत औषधि नियामक कर्मचारियों को प्रशिक्षण, विश्लेषण, एवं लघु स्तरीय उद्योग के कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थान को विश्व बैंक द्वारा संस्थान को क्षमता निर्माण परियोजना में एक आदर्श एजेंसी में चुना गया है। संस्थान पांच वर्षों के अंदर 2000 प्रोफेशनलों को प्रशिक्षण प्रदान करने की मंशा रखता है। अभी तक संस्थान ने 42 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं और 2038 प्रोफेशनलों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। यह हर्ष की बात है कि संस्थान ने प्रारंभ से अब तक विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त किए हैं, इनमें शामिल हैं— एस.एस. भटनागर पुरस्कार, दो रैनबैक्सी पुरस्कार, दो ओओपीआई वैज्ञानिक पुरस्कार, बायो साइंस पुरस्कार, केमिकल रिसर्च सोसायटी ऑफ इंडिया मेडल, दो फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ कैमिस्ट्री, फेलो ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, एम एल खुराना सम्मान, सी डी आर आई सम्मान, सूर्य कुमारी पुरस्कार इत्यादि। कम समय में ही, एन आई पी ई आर ने फार्मास्यूटिकल विज्ञान में अपने लिए एक ब्रांड नाम तैयार किया है। फार्मास्यूटिकल्स साइंस एवं फार्मास्यूटिकल्स प्रबंधन के एन आई पी ई आर के स्नातकोत्तर छात्रों की भारी मांग है।

फार्मास्यूटिकल उद्योग में उच्च प्रशिक्षित जन शक्ति की बढ़ती मांग को देखते हुए एन आई पी ई आर के चार अन्य केंद्रों, अहमदाबाद, हैदराबाद, हाजीपुर एवं कोलकाता में पाठ्यक्रमों को स्थापित करने एवं प्रारंभ करने की सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है।

कीटनाशक प्रतिपादन तकनीक संस्थान (आईपीएफटी)

कीटनाशक प्रतिपादन तकनीक संस्थान (आईपीएफटी) यू एन डी ओ/यू एन डी पी की सहायता से भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991 में स्थापित एक स्वायत्त शासी संस्थान है। यह संस्थान नए सुरक्षित एवं पर्यावरण मित्र कीटनाशक प्रतिपादन के विकास एवं ऐसी तकनीक को औद्योगिक क्षेत्र में उन्नत एवं हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में सक्रिय है। आई पी एफ टी ने विभिन्न नवीन पीढ़ी के कीटनाशक प्रतिपादकों को विकसित किया है, इनके नाम हैं—संस्पेंशन कॉसेंट्रेट्स (एस सी) वाटर डिस्पर्सीबल ग्रेन्यूलस (डब्ल्यू जी), कॉसेंट्रेटेड इमल्सन (सी ई) कैप्सुलेटेड संस्पेंशन, अल्ट्रा ओ वॉल्यूम फोरयूलेशन (यू एल वी) माइक्रो इमल्सन (एम ई) एवं कुछ प्रतिपादन प्रयोगकर्ता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। संस्थान एक प्रतिपादक प्रयोगशाला, एक विश्लेषक प्रयोगशाला एक जीव-विज्ञान प्रयोगशाला एवं एक पाइलट प्लांट प्रयोगशाला से सुसज्जित है ताकि उद्योग के शोध एवं विकास के लिए प्रतिपादन तकनीक की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

संस्थान यू एन आई डी के एशिया एवं पैसिफिक के लिए कीटनाशकों के क्षेत्रीय नेटवर्क के तकनीकी समन्वयक इकाई के रूप में भी कार्य करता है। संस्थान भारत सरकार की ओर से आर ई एन पी ए पी को सचिवालयीय सहायता एवं माल ढुलाई में सहयोग करता है।

खनिज

खान मंत्रालय प्राकृतिक गैसों, पेट्रोलियम एवं परमाणु खनिजों को छोड़कर सभी खनिजों के लिए सर्वेक्षण एवं उत्खनन के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय एल्युमीनियम, तांबा, जस्ता, सीसा, सोना, निकेल जैसी अलौह धातुओं की खानों की खोज एवं उत्खनन के लिए जिम्मेदार है। साथ ही वह कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम को छोड़कर सभी के लिए खान एवं खनिज विकास एवं नियम अधिनियम, 1959 को लागू करता है।

खनिज कानून—भारत विभिन्न खनिजों से प्रचुर मात्रा में संपन्न है। संविधान के अंतर्गत खनिज अधिकार एवं खनिज कानूनों के प्रशासक संबंधित राज्य सरकारों में निहित हैं। फिर भी, केंद्र सरकार खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (एम एम डी आर) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अंतर्गत खनन एवं खनिज पदार्थों के विकास को नियमित करता है। एम एम डी आर अधिनियम 1957 दिनांक 1.6.1958 को प्रभाव में आया और 1972, 1986, 1991 एवं 1999 में बड़ी संख्या में संशोधन लाए गए। यह संविधि भारत सरकार को निम्नलिखित कार्यों के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है :

- महत्वपूर्ण खनिज-पदार्थों के लिए सर्वेक्षण अनुमति की मंजूरी, पुनर्नवीनीकरण, वृद्धिकारक लाइसेंसिंग एवं खनन पट्टा अर्थात् एम एम डी आर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत निर्मित खनिज पदार्थ छूट कानून 1960।
- खनिज पदार्थों का संरक्षण एवं विकास अर्थात् महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के लिए एम एम डी आर अधिनियम 1957 के धारा 18 के अंतर्गत खनिज पदार्थ सर्वेक्षण एवं विकास नियम 1988। ये नियम आणविक, ईंधन एवं लघु खनिज-पदार्थों पर लागू नहीं होंगे।
- देश में ग्रेनाइट संसाधन के व्यवस्थित विकास एवं संरक्षण के लिए ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियम 1999। ये नियम एम एम डी आर अधिनियम 1957 की धारा 18 के अंतर्गत निर्मित किए गए हैं।
- देश में संगमरमर के संरक्षण एवं व्यवस्थित विकास के लिए संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियम (एम डी सी आर) 2002। ये नियम एम एम डी आर अधिनियम 1957 की धारा 18 के अंतर्गत निर्मित किए गए हैं।

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 की कुछ खास बातें

राष्ट्रीय खनिज नीति की समीक्षा के लिए योजना आयोग द्वारा गठित होदा समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने एक नई राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 को मंजूरी दी। यह नीति निम्नलिखित बातों की वकालत करती है।

1. उत्खनन के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल।
2. खनन में शून्य बर्बादी।
3. सर्वेक्षण एवं आकलन में जोखिम भरा निवेश आकर्षित करने के लिए पूंजी बाजार ढांचे का विकास।
4. रियायतें देने में पारदर्शिता।
5. स्वतंत्र खनन प्रशासन पंचाट
6. जैव विविधता जैसे मुद्दों का ध्यान रखने के लिए टिकाऊ विकास की रूपरेखा तैयार करना।

मौजूद एमएमडीआर कानून की जगह नया कानून लाने के लिए एक मसौदा विधेयक सरकार के विचाराधीन है और राज्य सरकारों एवं उद्योग सहित अन्य भागीदारों के साथ परामर्श की प्रक्रिया जारी है।

खनिज-संसाधन

दिनांक 1.4.2005 के अनुसार यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क क्लासीफिकेशन (यू.एन.एफ.सी.) पर आधारित

विभिन्न खनिज पदार्थों के संरक्षण/संसाधनों का वर्गीकरण अद्यतन किया गया है। यू एन एफ सी तीन पक्षों के साथ तीन आयामी व्यवस्था शामिल करता है :

- भू-वैज्ञानिक मूल्यांकन
- संभाव्यता मूल्यांकन एवं
- अर्थिक संभाव्यता

यू एन एफ सी एक तीन अंकीय कोड आधारित व्यवस्था है जहां अर्थिक संभाव्यता का पक्ष पहले अंक का प्रतिनिधित्व करता है, संभाव्यता मूल्यांकन दूसरे अंक का एवं भू-गर्भिक कोण तीसरे अंक का प्रतिनिधित्व करता है। आगे इन तीनों पक्षों में से प्रत्येक के पास घटते क्रम के कोड हैं।

अर्थिक संभाव्यता के पास घटते क्रम में 1, 2 और तीन के कोड हैं। इसी प्रकार संभाव्यता मूल्यांकन के पास 1, 2 और 3 कोड हैं। भू-वैज्ञानिक मूल्यांकन के पास 4 कोड अर्थात् 1 (विस्तृत अनुसंधान) 2, (सामान्य अनुसंधान) 3, (संभावना) और 4 (सर्वेक्षण) इस प्रकार, यू एन एफ सी व्यवस्था के अंतर्गत संसाधनों की सर्वोच्च श्रेणी के पास (III) कोड होगा और निम्नतम श्रेणी के पास (334) कोड होगा। इस वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न शब्द निम्नांकित हैं :

संपूर्ण खनिज संसाधन-संरक्षित एवं शेष संसाधन संपूर्ण खनिज संसाधनों में शामिल हैं।

- a) खनिज संरक्षण— परिमापित और/या निर्दिष्ट खनिज संसाधन का आर्थिक खनन योग्य हिस्सा
 - 1) साबित हो चुके खनिज संरक्षण (II) और संभावित खनिज संरक्षण (121) एवं (122)
- b) खनिज संसाधन—यह कुल खनिज संसाधनों का शेष है जो खनिज संरक्षण के रूप में चिह्नित नहीं किया गया है।
 - i) परिमापित खनिज संसाधन-(331)
 - ii) निर्दिष्ट खनिज संसाधन-(332)
 - iii) अनुमानित खनिज संसाधन-(333)
 - iv) सर्वेक्षण खनिज संसाधन-(334)
 - v) पूर्ण संभावित योग्य खनिज संसाधन-(221 एवं 222)
 - vi) संभावित खनिज संसाधन-(221)

देश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज-पदार्थ एवं उनके अनुमानित संरक्षित/संसाधन निम्नांकित हैं:

बॉक्साइट : यू.एन.एफ.सी. के अनुसार देश में बॉक्साइट का कुल संसाधन 1.4.2005 तक 3290 मिलियन टन है। इस जमा संग्रह में 899 मिलियन टन संरक्षित एवं 2391 मिलियन टन शेष स्रोतों के हैं। इन संसाधनों में 539 मिलियन टन सिद्ध संरक्षित एवं 360 मिलियन टन संभावित भंडार के हैं। उड़ीसा, आंध्र-प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य-प्रदेश, झारखंड एवं महाराष्ट्र वे प्रमुख राज्य हैं जहां, बॉक्साइट के जमा संग्रह स्थित हैं। वृहद् जमा संग्रह उड़ीसा एवं आंध्र-प्रदेश के पूर्वी तट पर केंद्रित हैं।

क्रोमाइट : यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन (यू.एन.एफ.सी) के अनुसार, दिनांक 1.4.2005 के अनुसार क्रोमाइट के कुल संसाधन 213 मिलियन टन हैं। जिसमें 66 मिलियन टन संरक्षित (31%) एवं 147 मिलियन टन (69%) शेष संसाधनों के हैं। भारत में 95% साधन उड़ीसा एवं शेष 5% संसाधन मणिपुर, कर्नाटक एवं झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में अल्प मात्रा में वितरित हैं।

तांबा : यू.एन.एफ.सी. के अनुसार तांबा अयस्क का कुल संसाधन 1.39 बिलियन टन एवं जिसमें धातु का 11418 हजार टन धातु घटक शामिल है। इनमें से 4383.97 हजार टन कुल धातु समेत 369.49 मिलियन

टन संरक्षित श्रेणी में है। जबकि शेष 1.02 बिलियन टन जिसमें धातु समेत 7033.75 हजार टन समेत “शेष संसाधनों” में शामिल है। राजस्थान 668.5 मिलियन टन ताम्र अयस्क एवं ताम्र धातु के 3982 हजार टन के साथ प्रथम स्थान पर है, जिसके बाद मध्य-प्रदेश, झारखंड का स्थान है। ताम्र संसाधन आंध्र-प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल में भी हैं।

स्वर्ण : देश में सोने के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, इनके नाम हैं: कोलार स्वर्ण क्षेत्र, कोलार जिला एवं रायचूर जिले में हट्टी स्वर्ण क्षेत्र (दोनों कर्नाटक में) एवं अनंतपुर जिले में रामगिरि स्वर्ण क्षेत्र (आंध्र-प्रदेश)। यू.एन.एफ.सी. के अनुसार दिनांक 1.4.2005 तक देश में स्वर्ण अयस्क (मुख्यतः) के संसाधन 390.29 मिलियन टन है जिसमें धातु की मात्रा 490.81 टन है। इनमें से 85.12 टन समेत 19.25 मिलियन टन संरक्षित श्रेणी में रखे गए हैं और शेष 371.03 मिलियन टन, जिसमें 405.69 टन धातु घटक शामिल है, संसाधन की श्रेणी में रखे गए हैं।

लौह-अयस्क : भारत में 14.630 मिलियन टन हेमाटाइट के संसाधन हैं जिनमें 13916 मिलियन टन (95 प्रतिशत) संसाधन मुख्यतः उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एवं गोवा में वितरित हैं। उच्च श्रेणी का संसाधन अत्यंत सीमित और मुख्यतः छत्तीसगढ़ के बेलाडिला क्षेत्र में संरक्षित है और कुछ मात्रा में कर्नाटक के बेलारी हौसपेट क्षेत्र और झारखंड तथा उड़ीसा के बड़ा जामदा क्षेत्र में है। मेग्नेटाइट संसाधन 10,619 मिलियन टन है जिनमें से 59 मिलियन टन संरक्षित भाग मुख्यतः गोवा, राजस्थान एवं झारखंड में स्थित है शेष 10,560 मिलियन टन (99%) मेग्नेटाइट संसाधन शेष संसाधन वर्ग में है जो मुख्यतः कर्नाटक (74%) एवं आंध्र-प्रदेश (14%) में है। अन्य जमा संग्रह गोआ, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, असम, झारखंड, नागालैंड, मेघालय, बिहार, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा में है।

सीसा-जिंक : सीसा-जिंक संसाधन राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य-प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु एवं मेघालय में हैं। यू.एन.एफ.सी. के अनुसार 1.4.2005 तक सीसा धातु के 7207 हजार टन एवं 24260 हजार टन के जिंक धातु समेत इस धातु के 522.58 मिलियन टन अनुमानित भंडार हैं। इनमें से 125.75 मिलियन टन धातु जिनमें 2591 हजार टन सीसा धातु एवं 11093 हजार टन जिंक धातु समेत संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत जबकि शेष 4617 हजार टन सीसा धातु एवं 13167 हजार टन जिंक धातु समेत 396.83 मिलियन टन शेष संसाधनों की श्रेणी में वर्गीकृत हैं।

मैंगनीज : देश में मैंगनीज अयस्क का कुल भंडार 379 मिलियन टन है जिनमें से 138 मिलियन टन संरक्षित एवं शेष 241 मिलियन टन शेष भंडार के रूप में वर्गीकृत हैं। इसके मुख्य भंडार उड़ीसा में हैं, जिसके बाद कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं गोवा में हैं। छिटपुट रूप से मैंगनीज आंध्रप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है।

निकल : यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन (यू.एन.एफ.सी.) के अनुसार निकल अयस्क का कुल भंडार 189 मिलियन टन अनुमानित है। करीब 92% यानी 174.48 मिलियन टन भंडार उड़ीसा में और शेष 8% झारखंड, नागालैंड एवं कर्नाटक में है।

टंगस्टन : यू.एन.एफ.सी. के अनुसार देश में टंगस्टन अयस्क का कुल भंडार 87.39 मिलियन टन है जिसमें WO_3 की मात्रा 142094 टन है। इसका कुल भंडार संरक्षित श्रेणी में है। इसके मुख्य भंडार देगाना, राजस्थान में हैं। यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड एवं तमिलनाडु में भी पाया जाता है।

बाराइट्स : यू.एन.एफ.सी. के अनुसार दिनांक 1.4.2005 तक भारत में ब्राइट्स का कुल भंडार 74 मिलियन टन है, जिसमें करीब 46% (34 मिलियन टन) संरक्षित श्रेणी और 54% (40 मिलियन टन) शेष भंडार श्रेणी में है। मंगामपेंट भंडार आंध्र प्रदेश के कडपा जिले में स्थित है जो विश्व का एकमात्र सर्वाधिक बड़ा भंडार है। आंध्र प्रदेश देश में अकेले 90% से अधिक के ब्राइट्स का उत्पादन करता है। बाराइट्स का उत्पादन राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तरांचल, कर्नाटक एवं हरियाणा में भी होता है।

हीरा : हीरा के भंडार तीन प्रकार के भू-गर्भीय संरचना में पाए जाते हैं—किंबरलाइट पाइप, संपिंडित बेड एवं कछारी कंकड़ के रूप में। भारत में हीरा का मुख्य उत्पादक क्षेत्र मध्य-प्रदेश के पन्ना में है। भारत में यह कुनूल जिले के मुनीमाडुगू-बंगनपल्ली, अनंतपुर जिले के बजराकरूर, आंध्र प्रदेश की कृष्णा घाटी, छत्तीसगढ़ के रायपुर, बस्तर और रायगढ़ जिलों भी मिलता है। पन्ना क्षेत्र, कृष्णाघाटी और रायपुर में भंडारों का अनुमान लगा लिया गया है। यूएनएफसी आंकड़ों के अनुसार कुल भंडारों में 4582 कैरट हीरा हो सकता है। इनमें से 606 हजार कैरट अनुमान सिद्ध है और 600 हजार कैरट अनुमानित वर्ग में है।

डोलोमाइट : यूएनएफसी की सूचना के अनुसार सभी प्रकार के डोलोमाइट संसाधनों की मात्रा 7533 मिलियन टन है जिसमें से 985 मिलियन टन के रिजर्व हैं और बाकी यानी 6548 मिलियन टन 'शेष संसाधनों' के वर्ग में है।

डोलोमाइट की उपलब्धता देश के लगभग सभी क्षेत्रों में है। लेकिन अधिकांश भंडार (88%) मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में पाए गए हैं।

फायरक्ले : इसके भंडार अधिकांश: गोंडवाना में हैं। झरिया, रानीगंज के कोयला भंडारों, झारखंड और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कोरबा इलाके और तमिलनाडु के नेवेली लिग्नाइट में भी यह पाया जाता है। फायरक्ले (ताप सहमिट्टी) के अन्य प्रमुख प्राप्ति स्थान हैं गुजरात, मध्य प्रदेश में जबलपुर और उड़ीसा में बेलवहाड़- सुंदरगढ़। यूएनएफसी आंकड़ों के अनुसार 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार भारत में फायरक्ले के कुल भंडार 705 मिलियन टन के हैं। फायरक्ले भंडारों और खासतौर पर पट्टेवाले इलाकों में कोयला प्रमापकों से जुड़े भंडारों का आकलन जरूरी है। हमारे देश में फायरक्ले के काफी भंडार हैं लेकिन जिन भंडारों में फायरक्ले का घटक काफी है और जिनमें उच्च श्रेणी (गैर-प्लास्टिक) फायरक्ले का अंश है, ऐसे भंडार कम हैं।

फ्लूरोस्पायर : यूएनएफसी के अनुसार 1.4.2005 को देश में कुल 20.16 मिलियन टन फ्लूराइट संसाधन होने का अनुमान है। इसमें से 9.21 मिलियन टन 'रिजर्व' वर्ग में और बाकी 'शेष संसाधन' वर्ग में आता है। फ्लूरोस्पायर के प्रमुख भंडार गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में हैं।

जिप्सम : जिप्सम खनिज के भारत में कुल भंडार यू.एन.एफ.सी. के अनुसार दिनांक 1.4.2005 तक 1237 मिलियन टन अनुमानित था। इनमें से 69 मिलियन टन संरक्षित एवं 1168 मिलियन टन 'शेष भंडार' के अंतर्गत है। श्रेणी वार 41 मिलियन टन स्वीकृत संरक्षित एवं 28 मिलियन टन संभावित संरक्षित क्षेत्र है। जिप्सम का उत्पादन राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, तमिलनाडु में केंद्रित है, जिसमें राजस्थान प्रथम एवं जम्मू-कश्मीर दूसरे स्थान पर है।

ग्रेफाइट : दिनांक 1.4.2005 तक यू.एन.एफ.सी. के अनुसार ग्रेफाइट का कुल भंडार 168.77 मिलियन टन था जिसमें 10.75 मिलियन टन संरक्षित श्रेणी एवं शेष 158.82 मिलियन टन संसाधन श्रेणी में है। ऐसे कुल संसाधनों का 43% अरुणाचल प्रदेश में, 37% जम्मू कश्मीर में, 6% झारखंड में, 5% तमिलनाडु में और 30% उड़ीसा में उपलब्ध है।

इल्मेनाइट : आणविक ऊर्जा विभाग के अनुसार इल्मेनाइट का भंडार 461.37 मिलियन टन है। इल्मेनाइट मुख्यतः रत्नागिरी (महाराष्ट्र) से लेकर केरल, तमिलनाडु एवं उड़ीसा के तटों तक बालू के किनारों में पाए जाते हैं। इस खनिज को आंध्र प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है।

काओलिन : यू.एन.एफ.सी. के अनुसार भारत में स्पष्ट रूप से चीनी मिट्टी का सर्वाधिक भंडार कुल भंडार 2595.66 मिलियन टन है, जिनमें से 222 मिलियन टन भंडार संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत है। और यह मुख्यतः केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, गुजरात, मेघालय, आंध्र-प्रदेश एवं तमिलनाडु में फैला हुआ है।

लाइम-स्टोन : दिनांक 1.4.2005 तक यू.एन.एफ.सी. के अनुसार लाइम-स्टोन के सभी श्रेणियों एवं स्तरों का कुल भंडार 175345 मिलियन टन है जिसमें से 12715 मिलियन टन संरक्षित श्रेणी एवं 162630 मिलियन टन शेष भंडार श्रेणी के अंतर्गत है। कर्नाटक इस क्षेत्र में अग्रणी राज्य है जिसके बाद आंध्र-प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मेघालय, छत्तीसगढ़, मध्य-प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड का स्थान है।

अबरख : अबरख सहित पेग्माटाइट आंध्रप्रदेश, झारखंड, बिहार एवं राजस्थान में पाया जाता है। यू.एन.एफ.सी. के अनुसार देश में अबरख का कुल भंडार 393855 टन अनुमानित है, जिसमें से केवल 68570 टन संरक्षित श्रेणी के अंतर्गत है। “शेष संसाधन” में 325285 टन है। राजस्थान में 51% अबरख है जबकि आंध्र-प्रदेश (28%), महाराष्ट्र (17%) और बिहार (3%) का क्रमशः स्थान है।

माइका : इसके जमाव आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार तथा राजस्थान में पाए जाते हैं। पहली अप्रैल, 2005 को देश में माइका के कुल संसाधन 393855 टन थे। जिसमें से 68570 संरक्षित श्रेणी में था। राजस्थान में सबसे अधिक 51 प्रतिशत जमाव है, उसके बाद क्रमशः आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा बिहार आते हैं।

मैग्नेजाइट : दिनांक 1.4.2005 तक यू.एन.एफ.सी. के अनुसार मैग्नेजाइट का कुल भंडार 338 मिलियन टन है। जिसमें संरक्षित (स्वीकृत+संभावित) एवं शेष भंडार क्रमशः 76 मिलियन टन एवं 262 मिलियन टन है। भंडारों की वास्तविक मात्रा में उत्तराखंड (68%), राजस्थान (16%) तमिलनाडु (14%) आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक एवं केरल का योगदान है।

कायनाइट और सिलिमेनाइट : दिनांक 1.4.2005 तक यू.एन.एफ.सी. के अनुसार कायनाइट एवं सिलिमेनाइट का देश में कुल भंडार क्रमशः 103 मिलियन टन एवं 74 मिलियन टन हैं। इसमें से संरक्षित (स्वीकृत+संभावित) श्रेणी में कायनाइट 1.4 मिलियन टन एवं सिलिमेनाइट 11 मिलियन टन है। कायनाइट के भंडार महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान आंध्रप्रदेश एवं तमिलनाडु में स्थित हैं। सिलिमेनाइट के भंडार उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर-प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल के साथ-साथ असम, झारखंड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय एवं राजस्थान में भी अल्पमात्रा के भंडार हैं।

फॉस्फेट खनिज पदार्थ : फॉस्फेट का भंडार मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात में है। इसके अतिरिक्त अपाटाइट के व्यावसायिक महत्ता के भंडार झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र-प्रदेश, तमिलनाडु एवं राजस्थान में बताए गए हैं। दिनांक 1.4.2005 को यू.एन.एफ.सी. की व्यवस्था के अनुसार अपाटाइट का देश में कुल भंडार 26.86 मिलियन टन है। जिसमें से 6 मिलियन टन संरक्षित है, जिसमें 61% पश्चिम बंगाल में स्थित है। चट्टानी फॉस्फेट का कुल भंडार यू.एन.एफ.सी. के अनुसार 305 मिलियन टन निर्धारित है, जिनमें से 53 मिलियन टन संरक्षित श्रेणी के अंतर्गत स्थित है और 252 मिलियन टन शेष भंडार की श्रेणी के अंतर्गत है। इसका काफी बड़ा भंडार राजस्थान में है।

अन्य खनिज पदार्थ : विशेष मात्रा में भारत में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ हैं—बेन्टोनाइट

(राजस्थान, गुजरात, झारखंड एवं जम्मू कश्मीर), **कोण्डम**, (कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान तमिलनाडु एवं छत्तीसगढ़), **केल्साइट** (आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात), **फुलर अर्थ** (राजस्थान, झारखंड, बिहार, आंध्र-प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं कर्नाटक), **गारनेट** (तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र-प्रदेश, राजस्थान एवं केरल), **पायराइट** (झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश), **स्टियटाइट** (राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश), **वोलास्टोनाइट** (राजस्थान, गुजरात), **झिरकोन** (केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की तटीय बालू) **क्वाटर्ज और सिलिका** खनिज लगभग हर प्रदेश में मिलते हैं। देश में संगमरमर, स्लेट और बलुआ पत्थर के प्रचुर भंडार हैं। **ग्रेनाइट** मुख्यतः तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में, **संगमरमर** राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में, **स्लेट** छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश, हरियाणा और आंध्रप्रदेश में और **बलुआ पत्थर** राजस्थान में मिलता है।

खनिज एवं धातु का उत्पादन

देश में 86 से अधिक खनिजों का उत्पादन किया जाता है। जिसमें 4 ईंधन, 10 धातु, 46 अधातु, 3 परमाणु खनिज और 23 छोटे खनिज जैसे निर्माण सामग्री आदि शामिल हैं। वर्ष 2008-09 में देश के खनिज उत्पादन का कुल मूल्य करीब 1,15,981 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो पिछले साल के मुकाबले 7 फीसदी से अधिक है। इसमें से ईंधन खनिजों की हिस्सेदारी 73,063 करोड़ रुपये या 63 फीसद, धातु खनिजों की हिस्सेदारी 29,189 करोड़ रुपये या 25 फीसद और गैर धातु खनिजों की हिस्सेदारी करीब 13,728 करोड़ रुपये या 12 फीसद है। चुनिंदा खनिजों का उत्पादन 2006-07 से 2008-09 के बीच निम्नलिखित है।

चुने हुए खनिजों का उत्पादन

(मूल्य करोड़ रुपये में)

खनिज	इकाई	2006-07 (आर)		2007-08 (पी)		2008-09 (ई)	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सभी खनिज			98262.91		108287.41		115980.53
ईंधन			66158.29		70336.34		73063.37
कोयला	मिलियन टन	431	34836.79	457	38449.35	493	41013.31
लिग्नाइट	मिलियन टन	31	2626.03	34	2960.88	33	2849.65
प्राकृतिक गैस (उपयोग की गई) मी.	मिलियन घन	31747	9764.16	32274	9922.94	33682	10352.05
पेट्रोलियम (क्रूड)	मिलियन टन	34	18931.32	34	19003.17	34	18848.36
मेटेलिक खनिज			18285.81		24038.14		29189.32
बाक्साइट	हजार टन	15733	384.78	23085	525.94	15250	399.55
क्रोमाइट	हजार टन	5296	1450.17	4799	2020.16	3976	2372.67
तांबा	हजार टन	150	311.71	159	382.54	123	351.42
सोना	कि.ग्रा.	2488	229.09	2858	282.59	2677	325.01

उद्योग

743

लौह अयस्क	हजार टन	187696	14204.31	206452	18495.4	222544	23322.62
लैंड	हजार टन	107	133.14	126	142.18	139	156.8
मैंगनीज	हजार टन	2116	557.37	2551	1098.3	2695	1102.71
जिंक	हजार टन	947	971.47	1036	937.54	1145	1035.91
अन्य खनिज			43.76		153.49		122.63
अन्य मैटेलिक खनिज		3351.46		3445.57		3260.48	
बालकले	हजार टन	627	13.87	641	14.57	1043	20.23
बाराइट	हजार टन	1681	94.71	1072	55.32	1859	61.53
हीरा	कैरट	2180	1.47	586	0.577	717	0.56
डोलोमाइल	हजार टन	5172	112.57	5117	126.67	4248	105.79
फायरक्ले	हजार टन	497	6.59	460	7.31	351	6.25
गार्नेट	हजार टन	859	25.92	873	30.32	742	35.93
जिप्सम	हजार टन	3006	49.92	2607	54.23	3265	69.87
काओलिन	हजार टन	1460	162.22	1292	154.79	1798	59.33
लैटराइट	हजार टन	1373	15.76	1431	19.78	1584	21.86
लाइम शेल	हजार टन	104	7.29	139	9.07	73	5.61
चूना पत्थर	हजार टन	197	2405.01	188	2413.54	186	2302.3
मैग्नेसाइट	हजार टन	239	34.17	248	36.99	251	34.49
फास्फोराइट	हजार टन	1581	218.46	1860	309.04	1814	299.71
पायरोक्सीन	हजार टन	302	8.27	315	9.58	190	7.79
बालू अन्य	हजार टन	1770	6.71	1424	5.89	1568	7.37
सिलिका सेंड	हजार टन	2663	37.79	3931	41.6	2613	21.56
सिलिमेनाइट	हजार टन	26	10.13	43	17.99	38	21.09
स्टीयटाइट	हजार टन	740	40.12	826	51.96	826	49.81
वोलस्टोलाइट	हजार टन	132	11.41	119	10.19	108	9.19
अन्य-गैरधातु खनिज	हजार टन		89.59		76.27		120.21
लघु खनिज		10467.36		10467.36		10467.36	

आंकड़े राउड ऑफ किए गए हैं।

(R) संशोधित

(P) अंतिम तथा आइबीएम में उपलब्ध मासिक विवरणियों पर आधारित

(E) अनुमानित

*इसमें उस फायरक्ले का उत्पादन शामिल नहीं है जो कोयला निकालते समय मिला हो।

इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस

इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस (आई बी एम) की स्थापना 1 मार्च, 1948 को हुई थी। यह खनन मंत्रालय के अंतर्गत एक बहुशाखीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगठन है जिस पर कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज पदार्थ एवं लघु खनिजों के अतिरिक्त खनिज संसाधनों के संरक्षण एवं चरणबद्ध दोहन के लिए सांविधिक एवं विकासपरक दायित्व हैं।

आई बी एम का मुख्यालय नागपुर में है। इसके देश भर में 3 आंचलिक कार्यालय, 12 क्षेत्रीय कार्यालय एवं उप-क्षेत्रीय कार्यालय फैले हुए हैं। नागपुर में यू.एन.डी.पी. के सहयोग से आधुनिक खनिज प्रसंस्करण प्रयोगशाला पाइलट परियोजना के अतिरिक्त दो क्षेत्रीय अयस्क ड्रेसिंग प्रयोगशालाएं एवं पाइलट परियोजनाएं अजमेर एवं बंगलोर में क्रियाशील हैं।

इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस खान मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय है। यह देश में खनिज विकास, खनिज संरक्षण, खानों में पर्यावरण रक्षा जैसे कामों में लगा है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिज आदि इसके कार्यक्षेत्र में नहीं आते। यह खनिज संरक्षण एवं विकास नियम 1988, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की प्रमुख धाराओं, खनिज रियायत नियम 1960 तथा पर्यावरण रक्षण अधिनियम 1986 तथा इसके अंतर्गत पारित नियमों के परिपालन कराने के लिए विनियामक कार्य करता है।

यह खनन, भू-वैज्ञानिक अध्ययनों, अयस्क एवं पर्यावरण संबंधी अध्ययनों संबंधी तकनीकी-आर्थिक अनुसंधान परक अध्ययन कराता है। आईबीएम खनन उद्योग को खनिज संसाधनों के मूल्यांकन, एवं परिष्करण संयंत्र सहित खनन परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने में तकनीकी परामर्श देता है। यह लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड क्षेत्रों में खनिज संसाधनों की देशव्यापी सूची तैयार करता है तथा खनिज नक्शे बनाता है। आईबीएम खान एवं खनिजों के डाटा बैंक के रूप में काम करता है तथा सांख्यिकीय प्रकाशन निकालता है। यह हर खनिज जिम्सों और क्षेत्रीय रूचि के तकनीकी प्रकाशन भी छापता है। यह खनिज उद्योग, व्यापार और विद्यायी मामलों पर राज्य एवं केंद्र सरकार को सलाह देता है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई), एक सर्वप्रमुख राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं शोध संगठन है तथा यह सरकार उद्योग एवं सामान्य जनता को मूल भू-विज्ञान सूचना प्रदान करने वाला है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय-भू-वैज्ञानिक मंच पर सक्रिय सहभागी है। 1851 में स्थापित जी एस आई ने वर्षों से देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में अपनी भूमिका का विस्तार किया है। राष्ट्रीय स्तर पर स्टील कोमल धातु, सीमेंट एवं जल विद्युत उद्योगों में जी एस आई की प्रासंगिकता प्रमाण है। इसकी शुरुआत कोयले की खोज करने वाले विभाग के तौर पर हुई। पिछले 156 वर्षों में जीएसआई ने इसकी गतिविधियों में कई गुना विस्तार हुआ है। यह राष्ट्रनिर्माण के लगभग हर क्षेत्र में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में शामिल हुआ है। अब इसके पास पिछली आधी सदी से विकसित विशाल भूवैज्ञानिक आंकड़ों का खजाना है। इसने अपने क्रियाकलापों का विस्तार किया है और अब यह भूविज्ञान के हर क्षेत्र में सक्रिय है।

इसके कार्यक्षेत्र को 2003 में संशोधित करके उसमें भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारियां बढ़ा दी हैं और अब हर प्रकार की भूवैज्ञानिक गतिविधियां इसकी परिधि में आ गई हैं। इसके कार्यक्षेत्र में हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर दूरदराज का अंटार्कटिका महाद्वीप और रेगिस्तानी, समुद्री और आकाशीय क्षेत्र शामिल है। यह भूवैज्ञानिक सूचनाओं एवं जानकारीयों का संग्रह करता है, उन्हें अद्यतन रखता है और इसके लिए जमीनी, समुद्री तथा आकाशीय सर्वेक्षण करता है।

इसका केंद्रीय मुख्यालय कोलकाता में है। नागपुर, कोलकाता, शिलांग, लखनऊ, हैदराबाद और जयपुर में छह क्षेत्रीय कार्यालय हैं और बंगलुरु में आकाशीय खनिज सर्वेक्षण स्कंध, कोलकाता में समुद्री शाखा और हैदराबाद में प्रशिक्षण संस्थान है।

सार्वजनिक क्षेत्र एवं विनिवेशित कंपनियां

खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र की चार कंपनियां हैं। नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड : नाल्को, हिंदुस्तान कापर लिमिटेड: एचसीएल: और भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड: बीजीएमएल: खनन एवं खनिज प्रसंस्करण क्षेत्र में परिचालन कर रही हैं, जबकि मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड: एमईसीएल: खनिजों के उत्खनन के क्षेत्र में परिचालन कर रही है। इसके साथ ही सरकार की भारत एल्युमीनियम कंपनी: बाल्को: में 49 फीसदी और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में 29.54 फीसदी हिस्सेदार है। वर्ष 2008-09 के दौरान इन कंपनियों का निष्पादन निम्न प्रकार से रहा।

खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

नेशनल एलुमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को)

नेशनल एलुमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) भारत का सर्वाधिक बड़ा एकीकृत एलुमिनियम परियोजना कॉम्प्लेक्स की स्थापना 7 जनवरी, 1981 को हुई थी। इसका निर्बंधित कार्यालय भुवनेश्वर में है, और 4200 करोड़ रुपये के निवेश से कंपनी के प्रथम चरण का विस्तार 2004 में पूरा किया गया। एलुमिना-एलुमिनियम कॉम्प्लेक्स की स्थापित क्षमता 4.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एम टी पी वाई) बॉक्साइट खान, पंचपटमाली (कोरापुट जिला), दमनजोड़ी (कोरापुट जिला) में 1575 एम टी पी वाई एलुमिनियम शोधन, अंगुल में 0.345 एम टी पी वाई एलुमिनियम स्मेल्टर के साथ 8×120 एम डब्ल्यू सी पी पी सभी उड़ीसा में एवं एलुमिना के निर्यात के लिए विशाखापट्टनम (आंध्र-प्रदेश) में पोर्ट हैंडलिंग सुविधाएं साथ ही कास्टिंग सोडा के आयात की भी हैं। कंपनी एलुमिनियम के निर्यात के लिए कोलकाता एवं पारादीप पत्तन का भी उपयोग करती हैं।

नाल्को के एकीकृत एलुमिना-एलुमीनियम कॉम्प्लेक्स के विस्तार का द्वितीय चरण 4091.51 करोड़ की लागत से अक्टूबर 2004 से क्रियान्वयन के अंतर्गत है और इसे 50 महीनों में पूरा हो जाने की आशा है। इस विस्तार के साथ बॉक्साइट खान, शोधन, स्मेल्टर एवं कैप्टिव पावर प्लांट की क्षमता 4.8 मीट्रिक टन/वर्ष से बढ़कर 6.3 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, 15.75 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से 2.1 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, 0.345 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से 0.46 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं 960 मेगावाट से 1200 मेगावाट क्रमशः हो जाएगी।

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)—हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 9 नवंबर, 1967 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत हुई थी। एचसीएल देश का एकमात्र शोधित तांबे का एकीकृत उत्पादक हैं एवं इसके पास 5442 कर्मचारी हैं (1.5.2007 के अनुसार) कंपनी की प्रमुख इकाइयां हैं— (i) राजस्थान में खेतड़ी कॉपर काम्प्लेक्स; (ii) झारखंड में इंडियन कॉपर काम्प्लेक्स; (iii) मध्य प्रदेश में मलंजखंड कॉपर कॉम्प्लेक्स, (iv) महाराष्ट्र में तलोजा कॉपर कॉम्प्लेक्स।

एच.सी.एल. के प्रमुख कार्यों में खनन अयस्क वर्धन, स्मेल्टिंग, शोधन एवं शोधित तांबे की निम्न प्रवाही उत्पादों में ढालना है। कंपनी तांबे के कैथोड, तांबे के तार, सतत कास्ट पेपर रॉड एवं सह उत्पाद जैसे- एनोड स्लाइम (सोना, चांदी समेत) कॉपर सल्फेट एवं सल्फ्यूरिक एसिड का व्यापार करती है। एच सी एल की कुल स्थापित क्षमता 47500 टन शोधित तांबे की है। वर्ष 2007-08 के दौरान एच.सी.एल. ने 31378 टन सांद्र धातु एवं शोधित तांबे का उत्पादन किया एवं (कर पश्चात्) 246.46

करोड़ रुपये का लाभ (अनाअंकेक्षित) कमाया। 2008-09 के दौरान 323 करोड़ रुपये मूल्य की 126.600 मिट्रिक टन धातु का खनन किया गया।

मिनरल एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडिया : (एमईसीएल) मिनरल एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडिया (एमईसीएल) को सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में 1972 में स्थापित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य खनिज पदार्थों के व्यवस्थित अनुसंधान एवं खनिज पदार्थों के भविष्य एवं इसके संभावित दोहन के बीच सेतु बनाना है। इसके मुख्य कार्य खनिज संसाधनों के अनुसंधान के लिए योजना प्रोत्साहन, संगठन एवं क्रियान्वयन कार्यक्रमों को तैयार करना है। एम ई सी एल का मुख्यालय नागपुर में है।

वर्ष 2008-09 के दौरान भौतिक-अर्थिक प्रदर्शन कुल मिलाकर महत्वपूर्ण रहा है। एमईसीएल का सकल राजस्व 105.90 करोड़ रुपये एवं शुद्ध लाभ 1.24 करोड़ रुपये रहा। कोयला, लिग्नाइट, तांबा, जिंक, सीसा जिंक, लौह अयस्क के 5695 मिलियन टन को नेशनल मिनरल की सूची में वर्ष 2008-09 के दौरान जोड़ा गया।

भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड (बीजीएमएल)

भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड का निर्बंधित कार्यालय कोलार स्वर्ण क्षेत्र में है। और यह खनन मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में 1 अप्रैल, 1972 को स्थापित हुआ। यह स्वर्ण के खानों से सोने के खनन एवं उत्पादन में सक्रिय है। कंपनी को बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फिनांसियल रिकंस्ट्रक्शन (बी आई एफ आर) को संदर्भित किया गया जिसने लोकहित में बी जी एम एल को बंद करने का आदेश जून 2000 में दिया। बी आई एफ आर का निर्णय एपीलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फिनांसियल रिकंस्ट्रक्शन (ए ए आई एफ आर) द्वारा मान्य रखा गया। कंपनी को श्रम मंत्रालय की अनुमति के बाद 1 मार्च, 2001 से प्रभावी तारीख को बंद कर दिया गया। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने तारीख 26 सितंबर, 2003 के अपने आदेश में बी आई एफ आर/ए ए आई एफ आर एवं श्रम मंत्रालय के कंपनी बंद करने के आदेश को बनाए रखा। न्यायालय ने कुछ सिफारिशें की हैं जो सरकार द्वारा विचाराधीन हैं।

दिनांक 27.7.2006 को भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के पूर्व कर्मचारियों के लिए विशेष छंटनी लाभ पैकेज (एस टी बी पी), मकानों की बिक्री, परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए विश्वस्तरीय निवदाएं एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय (कंपनी न्यायालय) एवं परियोजना की व्यावहारिकता के अधीन एक प्रस्ताव की स्वीकृति दी है। आवेदन को कर्नाटक उच्च न्यायालय (कंपनी न्यायालय) में दाखिल कर दिया गया है जो कि जी एम के पूर्व कर्मचारियों को वितरित करने के एसटीबीपी की राशि को तैयार किया जा रहा है एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय (कंपनी न्यायालय) के आदेशानुसार घरों को बेचने का कार्य चल रहा है।

भारत एलुमीनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को)

भारत एलुमीनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) की स्थापना 27 नवंबर, 1965 को एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में एक एकीकृत एलुमिना/एलुमीनियम कॉम्प्लेक्स एवं 270 मैगावाट कैप्टिव पावर प्लांट के साथ वर्तमान में छतीसगढ़ के कोरबा में हुई थी। एलुमीनियम परियोजना के पास 2,00,000 टन प्रति वर्ष (टीपीए) क्षमता एवं स्पेलटर के पास 1,00,000 टीपीए की क्षमता थी।

भारत सरकार ने 2 मार्च, 2001 से प्रभावी अपने 51 प्रतिशत हिस्सेदारी को खत्म कर लिया और प्रबंधन के नियंत्रण की भी मेसर्स स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड को हस्तांतरित का दिया। कंपनी

ने एक वृहद विस्तार परियोजना को प्रारंभ किया है जिसने स्मेल्टर क्षमता को 1,00,000 टीपीए से बढ़ाकर 3,45,000 टीपीए और कैप्टिव पावर प्लांट को 270 मेगावाट से 810 मेगावाट किया गया।

कंपनी ने 4,800 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1,200 मेगावाट का एक बिजली संयंत्र लगाने के लिए अक्टूबर, 2006 में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। कंपनी ने बिजली परियोजना पर कार शुरू कर दिया है और इसके 2010-11 में पूरी तरह से परिचालन में आने की उम्मीद है।

कंपनी ने 8,100 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अतिरिक्त 6.5 लाख टन प्रतिवर्ष की क्षमता की एल्युमीनियम स्मेल्टर इकाई लगाने के लिए अगस्त, 2007 में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया।

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल)

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 10 फरवरी, 1960 को पूर्व मेटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिग्रहण द्वारा हुई थी। इसका उद्देश्य जिंक एवं शीशे के धातुओं की मांग को पूरी करने के लिए खनन एवं गलन क्षमता को बढ़ाना था। एचजेडएल की क्रियाएं व्यापक आधार की हैं और इसकी क्रियाओं का क्षेत्र अनुसंधान, खनन एवं सीसा के जलन एवं शोधन की प्रक्रियाएं चांदी, कैडमियम एवं सल्फ्यूरिक एसिड जैसे सह-उत्पाद समेत जिंक की प्राप्ति है। भारत सरकार ने अपनी 26 प्रतिशत की हिस्सेदारी को एचजेडएल के मेसर्स स्टर्लाइट अपॉरचुनिटी एवं वेंचर्स लिमिटेड (एसओवीएल) में 28 मार्च, 2002 को विनिवेशित किया है एवं 11 अप्रैल, 2002 को कंपनी का प्रबंध नियंत्रण एसओवीएल को हस्तांतरित किया गया है, परिणामतः एसओवीएल ने बाजार से खुले प्रस्ताव के द्वारा एचजेडएल की 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी प्राप्त की। 11 नवंबर, 2003 को भारत सरकार ने शेयर धारक करार के अंतर्गत अपने 18.92 प्रतिशत की हिस्सेदारी को एसओवीएल के पक्ष में एचजेडएल को दिया। एचजेडएल में वर्तमान में एसओवीएल की हिस्सेदारी 64.92 प्रतिशत है और भारत सरकार की 29.54 प्रतिशत।

एचजेडएल का मुख्यालय उदयपुर में है। यह अपने तीन शीशा-जिंक खदानों का संचालन उदयपुर, राजपुरा, दरीबा खदान, राजसमंद एवं रामपुरा अगुथा खदान भीड़वाड़ा जिला (सभी-राजस्थान) के द्वारा करता है। इसकी कुल सीसा-जिंक अयस्क उत्पादन क्षमता करीब 7.1 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। एचजेडएल तीन गलन (उदयपुर में देबारी जिंक गलन, चितौड़गढ़ जिले में चंदेरिया सीसा जिंक गलन (दोनों राजस्थान) एवं वाइजाग जिंक गलन, आंध्रप्रदेश) का संचालन करता है जिनकी संयुक्त क्षमता 4.11 लाख टन प्रतिवर्ष जिंक की और 85,000 टन प्रतिवर्ष सीसा की है। एचजेडएल ने 348.567 टन जिंक एवं 50187 टन सीसा का उत्पादन वर्ष 2006-07 के दौरान किया था।

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी की सालाना स्थापित क्षमता 71 लाख टन की है और इसके सीसा-जस्ता स्मेल्टरों की उत्पादन क्षमता सालाना 7,62,000 टन की है। वर्ष 2007-08 के दौरान हिंदुस्तान जिंक ने दूसरे चरण का विस्तार पूरा किया जिसमें सालाना 1,70,000 टन क्षमता हाइड्रो जिंस स्मेल्टर, 80 मेगावाट का थर्मल कैप्टिव संयंत्र और रामपुरा अगुथा खान की उत्पादन क्षमता 37.5 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख टन सालाना किया जाना शामिल है। कंपनी ने कुछ अड़चनों को दूर कर जस्ता उत्पादन क्षमता में और 8,000 टन का विस्तार किया।

वर्ष 2008-09 के दौरान हिंदुस्तान जिंक ने दूसरा 80 मेगावाट का थर्मल कैप्टिव बिजली संयंत्र लगाया। कंपनी ने तीसरे चरण का विस्तार कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत 2,10,000 टन सालाना

का हाइड्रो जिक स्मेल्टर, एक लाख टन सालाना क्षमता का सीसा स्मेल्टर और सीसा-जस्ता खनन क्षमता का विस्तार और 160 मेगावाट का थर्मल कैप्टिव बिजली संयंत्र शामिल है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स

यह अनुप्रयुक्त तथा बेसिक रॉक मैकेनिक्स में अनुसंधान की प्रमुख संस्था है। भारत सरकार के खान मंत्रालय के तहत इसका गठन किया गया है। यह खनन तथा सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में सुरक्षा तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान तथा परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराती है। यह एक आईएसओ-9001: 2008 प्रमाणपत्र प्राप्त अनुसंधान संस्था है। यह संस्था सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थानों तथा उद्योग दोनों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा परामर्श परियोजनाओं के लिए अनुसंधान सुविधा उपलब्ध कराती है। संस्था उद्योग को निम्न क्षेत्रों में सहायता कर रही है।

- इंजीनियरिंग भूगर्भ विज्ञान
- इंजीनियरिंग भू-भौतिकी
- जीयोटेक्नीकल इंजीनियरिंग
- रॉक फ्रेक्चर मेकेनिक्स तथा सामग्री परीक्षण
- इंजीनियरिंग सिसमोलॉजी
- न्यूमेरिकल मॉडलिंग, रॉक ब्लास्टिंग तथा उत्खनन इंजीनियरिंग
- खानों का डिजाइन तथा ग्राउंड कंट्रोल। माइक्रोसिसमिक तथा आटोमेशन
- पर्यावरण इंजीनियरिंग तथा डाइमेंशनल स्टोन टेक्नोलॉजी

राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान

राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, नागपुर की स्थापना खनन तथा खान आधारित उद्योगों में लगे खनिकों के स्वास्थ्य तथा इस क्षेत्र में प्रशिक्षित श्रमिकों के विकास के लिए की गई थी। कर्नाटक राज्य में यह सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। वर्ष 2002 में अमरावती रोड, वाडी, नागपुर में इसका कैंप ऑफिस स्थापित किया गया था।

संस्थान आधुनिक उपकरणों तथा बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है। संस्थान में निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं।

- खान नियम 1995 के मानकों के अनुसार समयबद्ध मेडिकल जांच
- क्लीनिकल परीक्षण जैसे हिमेटोलॉजी टेस्ट, बायोकेमेस्ट्री, आडियोमिटी, स्पाइरोमिटी तथा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी
- आंखों की कंप्यूटर द्वारा जांच
- धूल तथा कंपन आदि के संदर्भ में व्यक्तिगत जांच
- कार्यस्थल के वातावरण के अनुसार जोखिम मूल्यांकन
- फ्री सिलिका, भारी खनिजों की धूल के लिए जोखिम घटकों का निर्धारण
- क्लीनिकल बायोकेमेस्ट्री, प्रोटीन बायोमार्कर्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एलिसा, स्पेक्ट्रोफोटोमिट्रिक विश्लेषण के लिए विशेष परीक्षण
- खनन संबंधी स्वास्थ्य मुद्दों पर मानव संसाधन विकास गतिविधियां

जवाहरलाल नेहरू एलुमिनियम अनुसंधान, विकास तथा डिजाइन केंद्र

इस संस्थान की स्थापना 1989 में नागपुर में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में की गई थी। केंद्र ने 1996 से पूरी तरह से कार्य करना शुरू कर दिया है। केंद्र भारत में उभरते हुए आधुनिक एलुमिनियम उद्योग के लिए अनुसंधान एवं विकास सहायता उपलब्ध कराता है। केंद्र ने प्राथमिक तथा द्वितीयक एलुमिनियम उत्पादों के लिए अनेक बड़ी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्र के आंतरिक राजस्व उत्पादन में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है।

केंद्र अन्य अ-लौह, इस्पात संयंत्रों, लघु उद्योगों, अनुसंधान एवं विकास संगठनों तथा अकादमिक संस्थानों के लिए विश्लेषण तथा परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

खान मंत्रालय ने 1978 में खनिज तथा अ-लौह धातु क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अब तक 137 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं तथा 7 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। कार्यक्रम का प्रमुख घटक राष्ट्रीय महत्व से संबंधित प्रमुख खनन गतिविधियों के संबंध में अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं चलाना है।

खनिज तथा खनन क्षेत्र में संलग्न अनुसंधान संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा विभिन्न सरकारी संस्थानों द्वारा प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा तथा मूल्यांकन एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय प्राथमिकता की दृष्टि से समुचित परियोजनाओं को एक उच्चस्तरीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह द्वारा मंजूरी दी जाती है।

अतिसूक्ष्म, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (एमईएस) क्षेत्र

विश्वस्तर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (एम ई एस क्षेत्र) को आर्थिक वृद्धि एवं औचित्यपूर्ण विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अग्रगामी के रूप में स्वीकार किया गया है। एम ई एस अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के कुल उद्योग के 90 प्रतिशत से अधिक दर पर आधारित है और यह रोजगार वृद्धि के सर्वाधिक दर को उत्पादन कर रहा है तथा औद्योगिक उत्पाद तथा निर्यात के बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार है। भारत में भी - एन ई एस देश के संपूर्ण औद्योगिक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। यह अनुमान किया जाता है कि, मूल्य के अर्थ में, यह क्षेत्र निर्माण की दृष्टि से 39 प्रतिशत एवं देश के कुल निर्यात के 33 प्रतिशत हिस्से के लिए जिम्मेदार है। इसके आगे, हाल के वर्षों में एच ई एस क्षेत्र लगातार संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में एच ई एस क्षेत्र लगातार संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में उच्च विकास दर को दर्ज करा रहा है। क्षेत्र का वृहद् लाभ यह है कि इसकी रोजगार क्षमता न्यूनतम पूंजी लागत पर है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यह क्षेत्र 12.8 मिलियन उद्योगों में पसरे अनुमानित 31 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार देता है और एम ई एस में मजदूरों की तीव्रता-वृद्ध उद्योगों की तुलना में करीब 4 गुना ज्यादा अनुमानित हो।

वैश्वीकरण की चुनौतियों को पूरा करने के लिए एम ई एस की मदद करने के क्रम में, सरकार ने हाल के वर्षों में विभिन्न पहल एवं उपाय किए हैं। इनमें प्रथम एवं प्रमुख है 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006' जिसका उद्देश्य प्रोत्साहन एवं विकास को सुविधाजनक बनाना है और एम एस एम ई की प्रतियोगिता व्यक्तता को बढ़ाना है। यह अधिनियम 2 अक्टूबर 2006 से प्रभावी हुआ है। सरकार द्वारा उठाए

गए अन्य उपाय हैं, राष्ट्रीय-निर्माण-प्रतियोगितात्मकता परिषद् (एन एम सी सी) की स्थापना करना एवं असंगठित क्षेत्र में उद्योगों के राष्ट्रीय-आयोग की स्थापना करना। इसके आगे, इस तथ्य का पहचानने के बाद कि एम ई एस के लिए साख निष्पादन एक गंभीर समस्या रही है। सरकार द्वारा 'लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए साख चरण-दो-चरण विकास के लिए योजना पैकेज' की घोषणा की गई जिसका उद्देश्य पांच वर्षों की अवधि के अंतर्गत साख के प्रवाह को दुगना करना है। सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए प्रोत्साहन के लिए समग्र पैकेज की घोषणा की है जिससे सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए प्रत्यक्ष प्रभाव वाले प्रस्ताव/योजनाएं शामिल हैं, विशेषकर तीव्र गति से परिवर्तित हो रहे आर्थिक पर्यावरण की दृष्टि से जहां प्रतियोगी बनना सफलता की कुंजी है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय नीतियों के निर्माण एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के अपने कार्यभार को मुख्यतौर पर दो केंद्रीय संगठनों द्वारा संपन्न करता है। ये संगठन हैं :

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास संगठन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास (पूर्व में लघु उद्योग विकास संगठन के नाम से ज्ञात) की स्थापना 1954 में की गई थी और यह सूक्ष्म, एवं मध्यम उद्योग के सतत एवं संगठित विकास के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। एक शीर्ष/नोडल अंग के रूप में यह अपने तीस लघु उद्योग सेवा संस्थानों (एस आई एस), अट्वाईस एस आई एम शाखाओं, चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों (आर टी सी), सात फील्ड टेस्टिंग स्टेशनों, छह प्रसंस्करण-सह-उत्पाद विकास केंद्रों (पी पी डी सी) ग्यारह यंत्र कक्ष एवं दो विशेषीकृत संस्थान- इंस्टीट्यूट और डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट्स (आई डी ई एम आई) एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर (ई एस टी सी) के नेटवर्क के द्वारा यह एम ई एस को सुविधाओं एवं सेवाओं की व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

1955 में अस्तित्व में आने से लेकर अब तक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए प्रोत्साहन, सहायता एवं पोषण के अपने मिशन के लिए कार्य कर रहा है। यह सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के हितों के प्रोत्साहन के लिए कार्य कर रहा है तथा इनकी प्रतिभोगी क्षमता को विपणन, तकनीक वित्त एवं समर्थनकारी सेवाओं के अंतर्गत एकीकृत समर्थन सेवाओं की प्रदान कर रहा है, निगम सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के बदलते परिदृश्य को पूरा करने के लिए समय-समय पर विभिन्न नई योजनाएं प्रारंभ करता रहा है। इन सभी योजनाओं के मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के हितों की प्रोत्साहित करना है और उन्हें प्रतिभोगी एवं लाभदायक स्थितियों में रखना है। एनएसआईसी की योजनाएं देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने में काफी उपयोगी पाई गयी हैं। योजनाओं से परे सूचनाएं ग्यारहवी योजना अवधि में निगम द्वारा सरकारी समर्थन से जारी रखने की है। ये योजनाएं हैं :

प्रदर्शन एवं साख स्तर योजना

एनएसआईसी ने रेटिंग एजेंसियों एवं भारतीय बैंक संघ के परामर्श से लघु उद्योगों के लिए प्रदर्शन एवं क्रेडिट रेटिंग योजनाएं निर्मित की हैं। योजना का लक्ष्य है लघु उद्योगों के बीच जारी कार्यों की शक्तियों एवं कमजोरियों के बारे में जागृति पैदा करना, अपनी सांगठनिक क्षमता में वृद्धि करने के लिए अवसर प्रदान करवाना एवं साख वृद्धि। योजना के अंतर्गत रेटिंग एक विश्वसनीय तृतीय पक्ष के विचारों के रूप में लघु उद्योगों की समताओं एवं साख के रूप में निर्धारित है। एक अधिमान्य रेटिंग एजेंसी द्वारा एक

स्वतंत्र रेटिंग को बैंकर वित्तीय संस्थान, ग्राहक/खरीदार और विक्रेता द्वारा स्वीकारा जाता है। इस योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों द्वारा अदा किए जाने वाला रेटिंग शुल्क केवल पहले साल अनुदानित किया जाता है और यह शुल्क का 75 प्रतिशत या 40000 रुपये जो भी कम हो, के अधीन होता है।

विपणन सहायता योजना

यह एक चल रही पुरानी योजना है। व्यापारिक विकास के लिए एक रणनीतिक उपकरण के रूप में विपणन, विकास के लिए कठिन एवं वर्तमान में तीव्र प्रतियोगी बाजार में लघु उद्योगों को जीवित रखने के लिए है। लघु उद्योगों के समक्ष वृहद् चुनौतियों में से एक अपने उत्पादन सेवाओं का विपणन है। एनएसआईसी विभिन्न घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता सम्मिलन, तीव्र-गहन अभियानों/सेमिनारों एवं संघ निर्माण के आयोजनों/सहभागिता के द्वारा नई बाजारवादी संभावनाओं पर अधिकार कर लघु उद्योगों की क्षमता का विकास बाजार प्रयासों को विकसित करने के प्रदाता के रूप में कार्य करता है। एनएसआईसी लघु उद्योगों को प्रदर्शन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी/ व्यापार मेलों में रियायती दर पर भाग लेने में सहायता करता है। और उनके उत्पादों के लिए बाजार की व्यवस्था करता है।

क्रेता-विक्रेता भेंट को समूह क्रेता/सरकारी विभाग एवं सूक्ष्म तथा लघु उद्यमियों को एक मंच पर लाने के लिए आयोजित किए जाते हैं। यह एक और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को समूह क्रेताओं की आवश्यकताओं को जानने योग्य बनाता है एवं समूह क्रेताओं को उनकी खरीद के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की क्षमता को जानने योग्य बनाता है। संपूर्ण देश में लघु उद्योगों के लाभ के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रचार-प्रसार करने एवं आधुनिकता विकास, गुणवत्ता स्तर आदि के बारे में ज्ञान को विकसित करने के लिए गहन अभियान एवं सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के पास तीन राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास संस्थान हैं जिनके नाम हैं- भारतीय उद्यमिता संस्थान (आई आई ई) गुवाहाटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योर शिप एंड स्मॉल बिजनेस, डेवलपमेंट (एन आई ई एस बी यू डी) तमिलनाडु एवं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (एन आई एम एस एम ई) हैदराबाद।

अति लघु, लघु और मझोले उद्यम क्षेत्र

अति लघु, लघु एवं मझोले उद्यम: एमएसएमई: क्षेत्र अति लघु, लघु एवं मझोले का मंत्रालय विकास आयुक्तों, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, खादी ग्रामोद्योग आयोग और कोयर बोर्ड के कार्यालय के जरिए नीतियां बनाने एवं कार्यक्रमों को लागू करने का काम करता है।

वर्ष 1954 में स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम विकास संगठन एमएसएमई के सतत एवं संगठित विकास के लिए काम करने वाला शीर्ष निकाय है। यह 30 एमएसएमई विकास संस्थानों और इसकी 28 शाखाओं, 4 क्षेत्रीय जांच केंद्रों, 7 फील्ड टेस्टिंग स्टेशनों, छह पीपीडीसी, 11 टूल रूम और 2 विशेष संस्थानों-इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मीजरिंग इंस्ट्रुमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर के जरिए कई सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराता है।

विनिर्माण उद्यम

1. एक सूक्ष्म उद्योग वह है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होता है।
2. एक लघु उद्योग-जहां प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपये से अधिक लेकिन पांच करोड़ रुपये से कम होता हो, एवं

3. एक मध्यम उद्योग- जहां प्लांट एवं मशीनरी में निवेश पांच करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम होता है।

सेवा उद्यम

1. एक सूक्ष्म उद्योग- जहां उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपये से आगे नहीं बढ़ता है।
2. एक लघु उद्योग- जहां उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपये से अधिक लेकिन दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।
3. एक मध्यम उद्योग- जहां उपकरणों में निवेश दो करोड़ रुपये से अधिक लेकिन पांच करोड़ रुपये से कम हो।

सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र का निष्पादन

वर्ष 2001-02 के लिए संपन्न अखिल भारतीय जनगणना के अनुसार देश में 105.21 लाख उद्योग (निबंधित एवं गैर निबंधित) थे। इनमें से 14.89 लाख निबंधित कार्यशीलता उद्यम एवं 90.32 लाख अनिबंधित उद्यम थे। उत्पादन में उनका 2,82 270 करोड़ रुपये और रोजगार में 249.32 लाख व्यक्तियों का योगदान था। यह अनुमान किया गया कि वर्ष 2007-08 में इकाइयों की संख्या 133.68 लाख हो गई। और यह वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 4.08 प्रतिशत थी। वर्तमान पूल पर उत्पादन का मूल्य 18.8 प्रतिशत बढ़कर 5,85,112 करोड़ से 6,957,126 करोड़ रुपये हो गया। रोजगार 2006-07 वर्ष के 312.52 लाख व्यक्तियों से बढ़कर 322.28 लाख हो गया।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र लगातार पिछले कुछ वर्षों की तुलना में कुल मिलाकर उच्चतर विकास दर दर्ज कर रहा है।

राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम

सरकार ने एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम (एनएमसीपी) के तहत एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है जिसमें कुछ विशेष घटक हैं जिनका लक्ष्य इस क्षेत्र में उद्यमों की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाना है ताकि ये वैश्विक एवं संगठित प्रतिस्पर्धा में टिक सकें और बेहतर प्रौद्योगिकी एवं कौशल के जरिए आगे बढ़ सकें। एनएमसीपी के घटकों का प्रयास एसएमई क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के सर्वोत्तम कारकों को पेश करना है। अति लघु, लघु एवं मझोले उद्योग के मंत्रालय द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनएमसीपी के घटकों को लागू किया जा रहा है।

1. आश्रित विनिर्माण
2. डिजाइन क्लिनिक्स
3. नए मिनी टूल रूमों (एमटीआर) की स्थापना
4. एमएसएमई में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन
5. इनक्यूबेटर के जरिए एमएसएमई के उद्यमशीलता एवं प्रबंधकीय विकास को सहयोग।
6. तकनीकी उन्नयन गतिविधियों के लिए मार्केटिंग सहायता
7. एमएसएमई के लिए गुणवत्ता प्रबंधन मानक एवं गुणवत्ता प्रौद्योगिकी टूल
8. बौद्धिक संपदा अधिकारों में निवेश के लिए राष्ट्रीय अभियान।
9. एमएसएमई के लिए ऊर्जा कार्यकुशलता एवं गुणवत्ता उन्नयन सहयोग।
10. एमएसएमई के लिए मार्केटिंग सहयोग।

अति लघु एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम सरकार ने अगस्त, 2000 में क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्माल इंडस्ट्रीज (अब क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्माल इंडस्ट्रीज) पेश की। इसका उद्देश्य लघु उद्योग इकाइयों विशेषकर अति लघु इकाइयों को बिना किसी बंधक पत्र या तीसरे पक्ष की गारंटी के 100 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराना है।

इस योजना के तहत पात्र अग्रणी संस्थानों द्वारा प्रति इकाई 100 लाख रुपये के हिसाब से नई एवं मौजूदा अति लघु एवं लघु इकाइयों को बंधक पत्र ऋण सुविधा (सावधि ऋण एवं या कार्यशील पूंजी) उपलब्ध करायी जाती है। यह स्कीम भारत सरकार और सिडबी द्वारा स्थापित क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) द्वारा चलाई जा रही है। सीजीटीएमएसई के कोष में भारत सरकार और सिडबी द्वारा 4:1 के अनुपात में योगदान किया जाता है। सीजीटीएमएसई का कोष बढ़ाकर 1,754.05 करोड़ रुपये पहुंच गया है जिसमें भारत सरकार का योगदान 1,403.25 करोड़ रुपये और सिडबी का योगदान 350.80 करोड़ रुपये है। पैकेज फॉर प्रमोशन ऑफ माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेज की घोषणा के मुताबिक, कोष निधि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बढ़ाकर 2,500 करोड़ रुपये पहुंचाई जाएगी। वर्तमान में 98 पात्र संस्थान क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत भागीदारी के लिए सीजीटीएमएसई के सदस्य उधारीकर्ता संस्थान (एमएलआइ) बन चुके हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 14 निजी बैंक, 54 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम और सिडबी शामिल हैं। 30 जून, 2009 तक कुल 1,73,249 प्रस्ताव गारंटी कवर के लिए मंजूर किए गए जिसके लिए कुल 5,863.85 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

एमएसई-क्लस्टर विकास कार्यक्रम

पिछले कुछ वर्षों में सरकार एमएसई के विकास के लिए क्लस्टर विकास की रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिसके जरिए विभिन्न 'क्लस्टरों' एवं उद्यमों को उद्यमी वातावरण उपलब्ध कराने से लेकर कौशल विकास तक के लाभ प्रदान किए जाते हैं। इन लाभों में ऋण उपलब्ध कराना, मार्केटिंग की सुविधा, तकनीकी सुधार एवं बेहतर डिजाइन एवं उत्पादों का विकास शामिल है। जून, 2009 तक 436 क्लस्टरों को स्कीम के तहत मध्यस्थता के लिए मंजूर किया गया जिसमें नरम एवं सख्त मध्यस्थता और डायग्नोस्टिक अध्ययन शामिल हैं।

आईएसओ-9000/आईएसओ-14001/एचएसीसीपी प्रमाणन रीइंबर्समेंट योजना

आर्थिक उदारीकरण एवं बाजार में सुधार की प्रक्रिया ने भारतीय अति लघु एवं लघु उद्यमों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में ला खड़ा किया है। क्षेत्र की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए इस स्कीम के तहत आईएसओ-9000/14001/एचएसीसीपी (या इसके समान) प्रमाणन हासिल करने के लिए एकमुश्त रीबर्समेंट की सुविधा है जो लागत का 75 फीसदी तक या अधिकतम 75,000 रुपये तक है।

स्कीम की शुरुआत से मार्च, 2009 तक कुल 18,811 इकाइयों ने 92.20 करोड़ रुपये रीइंबर्स कराए।

राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (आरजीयूएमवाई)

इस स्कीम का उद्देश्य संभावित पहली पीढ़ी के उन उद्यमियों को नए अति लघु एवं लघु उद्यमों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करना एवं उद्यम स्थापना में सहयोग करना है जो कम से कम दो सप्ताह का उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम या कौशल विकास कार्यक्रम या उद्यमशीलता सह कौशल

विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हों या फिर उन्होंने इसका व्यावसायिक प्रशिक्षण लिया हो। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संभावित उद्यमियों को प्रक्रियात्मक एवं कानूनी अडचनों वाली विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने में मदद करना है जो एक उद्यम लगाने एवं उन्हें सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना का प्रमुख ध्येय भारतीय अति लघु, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) में प्रौद्योगिकी उन्नयन, उनका आधुनिकीकरण एवं उनके निर्यात को बढ़ाना है। स्कीम के तहत एमएसएमई के संघों एवं संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शिनियों एवं मेलों में भागीदारी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अति लघु, लघु एवं मझोले उद्यमों का मंत्रालय कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के क्षेत्र में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एवं कॉयर बोर्ड के जरिए विभिन्न योजनाएं चलाता रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य स्थानीय कच्चे मालों एवं कौशल के आधार पर खादी, ग्रामोद्योग एवं कॉयर क्षेत्रों का विकास करना और ग्रामीण एवं गैर कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन करना है।

1. सरकार ने ग्रामीण एवं कस्बाई इलाकों में अति लघु उद्यमों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री का रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से एक नई रोजगार सृजन क्रेडिट लिंकड सब्सिडी स्कीम शुरू की है। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का विलय कर शुरू किया गया जिसमें पहले के मुकाबले अधिक सब्सिडी उपलब्ध गई है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों (2008-08 से 2011-12) में करीब 38 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन होने का अनुमान है जिसके लिए कुल 4,735 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें 250 करोड़ रुपये बैंकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज के लिए शामिल है।

2. पीएमईजीपी के लिए 2008-09 के बजट अनुमान में 823 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं जिसमें 83 करोड़ रुपये बैंकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज के लिए शामिल हैं। इसमें ईडीपी प्रशिक्षण, प्रचार, मार्केटिंग सहयोग, आवेदन की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, परियोजनाओं की जांच आदि शामिल है। वर्ष 2008-09 में अनुमानित 6.17 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2009-10 में अनुमानित 7.40 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसरों को सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है।

खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम

खादी कारीगरों को काम का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जुलाई, 2008 में खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम शुरू की गई जिसमें वर्कशेड के निर्माण में सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। 2008-09 के बजट अनुमान में 25 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए। 10,000 वर्कशेड के लिए सहायता उपलब्ध कराने लक्ष्य के मुकाबले मार्च, 2009 तक 11,076 वर्कशेड (अस्थायी आंकड़े) के लिए मदद दी गई। वर्ष 2009-10 में 6000 वर्कशेड के लिए सहायता उपलब्ध कराए जाने का अनुमान है।

खादी उद्योगों एवं कारीगरों की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने के लिए जुलाई, 2008 में स्कीम मंजूर की गई जिसके जरिए 200 खादी संस्थानों को मदद दी गई। साथ ही इस स्कीम के माध्यम से बेकार एवं पुरानी पड़ चुकी मशीनों एवं उपकरणों की जगह नई मशीनें लगाकर एवं खादी उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाकर उन्हें अधिक लाभ कमाने लायक बनाने के प्रयास किए गए। 2008-09 के बजट अनुमान में इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जिसमें से 0.05 करोड़ रुपये एनईआर के

लिए रखे गए। 2008-09 के दौरान संपूर्ण राशि केवीआईसी के लिए जारी की गई। इस स्कीम के तहत 25 परियोजनाओं के लक्ष्य के मुकाबले 21 परियोजनाएं मार्च, 2009 तक मंजूर की गईं और 2009-10 के लिए 23 खादी संस्थानों की मदद करने का लक्ष्य रखा गया। ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणन (आईएसईसी) स्कीम खादी कार्यक्रम के लिए वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत है। जरूरत के बीच अंतर पाटने के लिए बैंकिंग संस्थानों से धन जुटाने के उद्देश्य से मई, 2007 में यह स्कीम पेश की गई। आईएसईसी स्कीम के तहत बैंकों द्वारा खादी संस्थानों को पूंजीगत खर्च एवं कार्यशील पूंजी के लिए सालाना 4 फीसदी की रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वास्तविक उधारी दर और 4 फीसदी ब्याज दर के बीच अंतर का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा केवीआईसी या राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में पंजीकृत संस्थान आईएसईसी स्कीम के तहत वित्त पोषण की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान केवीआईसी द्वारा बैंकों को इस स्कीम के तहत 23.81 करोड़ रुपये सब्सिडी उपलब्ध कराई गई और 2009-10 के लिए 25 करोड़ रुपये सब्सिडी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

छूट योजना

खादी एवं खादी उत्पादों की बिक्री पर सरकार द्वारा छूट दी जाती है ताकि खादी के मूल्य को अन्य कपड़े के साथ प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। सामान्य छूट (10 फीसदी) साल भर उपलब्ध रहती हैं, जबकि 10 फीसदी की अतिरिक्त विशेष छूट 108 दिन ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। केवल केवीआईसी या राज्य केवीआईबी द्वारा संचालित संस्थानों एवं केंद्रों की ओर से बिक्री पर और खादी एवं पालीवस्त्र के उत्पादन में लगे पंजीकृत संस्थानों द्वारा संचालित बिक्री केंद्रों पर यह छूट दी जाती है। केवीआईसी ने वर्ष 2008-09 के दौरान छूट के तौर पर 136.22 करोड़ रुपये जारी किए और 2009-10 के लिए 86.78 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।

उत्पाद विकास, डिजाइन मध्यस्थता एवं पैकेजिंग (प्रोडिप)

उत्पाद विकास, डिजाइन मध्यस्थता एवं पैकेजिंग (प्रोडिप) स्कीम नवंबर, 2002 में केवीआईसी द्वारा एक छोटी मध्यस्थता के तौर पर पेश की गई जिसका लक्ष्य खादी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार एवं नए उत्पादों में विविधीकरण करने में चिह्नित खादी संस्थानों की मदद करना है। केवीआईसी द्वारा कराए गए आंतरिक अध्ययन से संकेत मिला है कि प्रोडिप के तहत ली गई परियोजनाओं में उत्पादन में 13 फीसद और बिक्री में 21 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इस स्कीम के तहत 2008-09 के दौरान 245 परियोजनाएं मंजूर की गईं और 2009-10 के लिए 249 परियोजनाओं का लक्ष्य रखा गया है।

खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना

खादी कारीगरों को बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना नाम से एक सामूहिक बीमा योजना 15 अगस्त, 2003 को शुरू की गई। यह योजना केवीआईसी द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से पेश की गई जिसमें प्रति लाभार्थी सालाना प्रीमियम 200 रुपये है। केवीआईसी एलआईसी को प्रीमियम राशि 100 रुपये के स्तर पर लाने में राजी करने में सक्षम रहा जो 2005-06 से प्रभावी है। इसमें 50 रुपये का योगदान केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा कोष, 20 रुपये खादी संस्थान और 12.50 रुपये खादी कारीगर और 12.50 रुपये का योगदान केवीआईसी द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत मृत्यु के लिए 30,000 रुपये का कवर उपलब्ध कराया जाता है, जबकि दुर्घटना के चलते मृत्यु के लिए 75,000 रुपये का कवर उपलब्ध है। वहीं आंशिक अपंगता के लिए 37,500 रुपये का बीमा

कवर उपलब्ध है। इसके साथ ही कारीगर के बच्चों को हर तिमाही 300 रुपये प्रति बच्चा छात्रवृत्ति के तौर पर उपलब्ध कराया जाता है। अभी तक 2.50 लाख से अधिक कारीगर जनश्री बीमा योजना के दायरे में आ चुके हैं।

खादी सुधार कार्यक्रम

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने एक व्यापक खादी सुधार कार्यक्रम को लागू करने के लिए एशियाई विकास बैंक से तीन वर्षों के लिए 15 करोड़ डालर का ऋण हासिल करने का समझौता किया है। सुधार पैकेज के तहत खादी क्षेत्र के पुनरुद्धार, आय एवं रोजगार में बढ़ोतरी, कारीगरों के कल्याण एवं सशक्तिकरण एवं केवीआईसी को धीरे-धीरे आत्मनिर्भर बनाने एवं सरकारी अनुदान पर उसकी निर्भरता घटाने का प्रस्ताव है। शुरुआत में क्षेत्रीय संतुलन, भौगोलिक फैलाव और पिछड़े क्षेत्रों का समावेश की जरूरत को ध्यान में रखकर 300 खादी संस्थानों में कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। योजना आयोग के वीएसई डिवीजन ने इस स्कीम को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है जो मंजूरी के लिए विचाराधीन है।

काँयर बोर्ड

काँयर बोर्ड नारियल-जटा उद्योग को प्रोत्साहन, वृद्धि एवं विकास, निर्यात संवर्धन और बाजार इनपुट उपलब्ध करारकर घरेलू बाजार का विस्तार करने को काम देखता है। काँयर बोर्ड इस क्षेत्र के लिए कई योजनाएं चला रहा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए मदद, घरेलू बाजार को विकास, महिला काँयर योजना और उत्पादन ढांचे का विकास शामिल हैं। इस उद्योग में करीब 6.75 लाख लोग लगे हैं जिसमें 80 फीसदी महिलाएं हैं। यद्यपि काँयर उद्योग की जड़ें केरल में हैं, यह तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में लोकप्रिय हुआ है और उड़ीसा, त्रिपुरा, गोवा आदि जैसे नारियल उत्पादक राज्यों में फैल रहा है। पिछले पांच वर्षों के दौरान काँयल क्षेत्र में उत्पादन, निर्यात एवं रोजगार का विवरण निम्न है।

वर्ष	काँयर फाइबर का उत्पादन (मीट्रिक टन में)	काँयर कर निर्यात मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य करोड़ रु. में	रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
2004-05	3,85,000	122927	473.40	6,06,00
2005-06	4,10,000	136027	508.45	6,22,000
2006-07	4,30,025	168755	605.17	6,40,500
2007-08	4,37,800	187566	592.88*	6,57,000
2008-09	4,91,000	189858	634.17	6,90,000

रुपये के अर्थ में निर्यात पूर्व वर्ष की तुलना में दो प्रतिशत कम रहा। ऐसा मूल्यवृद्धि के कारण हुआ।

वर्ष 2009-10 के लिए 5,30,000 मीट्रिक टन काँयर उत्पादन करने और 650 करोड़ रुपये मूल्य के काँयर उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है।

काँयर क्षेत्र के तहत योजनाएं/कार्यक्रम

काँयर उद्योग के कायाकल्प, आधुनिकीकरण एवं तकनीकी उन्नयन के लिए योजना

काँयर उद्योग के विकास के लिए मंत्रालय ने 'काँयर बोर्ड के जरिए काँयर उद्योग के कायाकल्प, आधुनिकीकरण एवं तकनीकी उन्नयन के लिए योजना' शीर्षक से मार्च, 2008 में एक केंद्रीय योजना पेश

की है जो स्पिनर एवं कुटीर क्षेत्र को मदद उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत पुराने पड चुके करघे को बदलने और कारीगरों के समूहों के लिए वर्कशेड के निर्माण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ताकि उनका उत्पादन एवं आय बढ़ाई जा सके। 2008-09 के बजट अनुमान में 21.30 करोड़ रुपये का प्रावधान इसके लिए किया गया जिसमें से 2.50 करोड़ रुपये एनईआर के लिए रखा गया। 2008-09 के दौरान संपूर्ण राशि कॉयर बोर्ड को जारी कर दी गई। 1000 स्पिनिंग इकाइयां और 800 कुटीर इकाइयों को मदद उपलब्ध कराने के लक्ष्य के मुकाबले मार्च, 2009 तक 6,404 आवेदन (3412 स्पिनिंग इकाइयों और 2992 कुटीर इकाइयों की ओर से) प्राप्त किए गए। 2009-10 के लिए स्पिनिंग और कुटीर इकाइयों प्रत्येक के लिए 500 इकाइयों को मदद उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

महिला कॉयर योजना

महिला कॉयर योजना कॉयर उद्योग में पहली महिला उन्मुखी स्वरोजगार स्कीम है जो कॉयर रेशे का उत्पादन करने वाले इलाकों में ग्रामीण महिला कारीगरों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। ग्रामीण घरों में कॉयर रेशे को मोटराइज्ड रेट पर यार्न में तब्दील करना व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है और इससे उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ती है एवं कारीगरों को काम का बेहतर माहौल मिलता है और साथ ही उनकी आय भी बढ़ती है। इस स्कीम के तहत महिला कारीगरों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के बाद स्पिनिंग कॉयर यार्न के लिए मोटराइज्ड रेट वितरित करने की व्यवस्था है। बोर्ड के प्रशिक्षण केंद्रों में महिला कारीगरों को मोटराइज्ड रेट पर कॉयर यार्न की बुनाई का दो महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के तहत 2008-09 के दौरान 3009 रेटस वितरित किए गए और 5367 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। 2009-10 के लिए 5,000 रेटस वितरित करने और 6250 महिलाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

निर्यात बाजार संवर्धन

निर्यात संवर्धन उद्योग के टिकाऊ विकास के लिए कॉयर बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से एक है। इस कार्यक्रम के तहत व्यापार एवं उद्योग के सहयोग से कॉयर बोर्ड निर्यातकों को विदेश में व्यापार में विस्तार के लिए बड़े अंतर्राष्ट्रीय मेलों प्रदर्शनियों में हिस्सा ले रहा है। कॉयर एवं कॉयर उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कॉयर बोर्ड ने वर्ष 2008-09 के दौरान कॉयर बोर्ड ने कॉयर उत्पादकों के साथ मिलकर 11 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया। कॉयर बोर्ड के प्रयासों से कॉयर एवं कॉयर उत्पादों को निर्यात 2008-09 में 634.7 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2009-10 के लिए 650 करोड़ रुपये के कॉयर उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है।

पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए कोष की योजना

स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज (एसएफयूआरटीआई) नाम से अक्टूबर, 2005 में एक स्कीम पेश की गई जिसके जरिए कुल 97.25 करोड़ रुपये की लागत से खादी, गांव एवं कॉयर उद्योग क्षेत्रों में करीब 100 क्लस्टरों के विकास का लक्ष्य रखा गया ताकि इन उद्योगों को अधिक उत्पादक एवं प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और देश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें।

महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन

खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में तेजी लाने के लिए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन नाम से महाराष्ट्र के वर्धा में आईआईटी, दिल्ली के सहयोग से एक

राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना की गई। वर्ष 2008-09 में निदेशक पद पर नियुक्त एवं 35 वैज्ञानिकों एवं तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ अनुसंधान एवं विकास परियोजना शुरू की गई। वर्ष 2007-08 के दौरान 1.80 करोड़ रुपये और 2008-09 के दौरान 3 करोड़ रुपये का कोष जारी किया गया।

आधारभूत संरचना का विकास

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए विद्युत वितरण नेटवर्क, संचार जल निकास एवं प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं सड़क, बैंक, कच्चेमाल, भंडारण एवं बाजार सम्मान्य सेवा सुविधाएं एवं तकनीकी सेवाएं जैसी औद्योगिक संपदा की स्थापना एवं आधारभूत संरचना के विकास के लिए एकीकृत आधारभूत संरचनात्मक विकास योजना (आई आई डी) 1994 में लागू की गई। योजना उन जिलों को शामिल करती है जो विकास केंद्र योजनाओं द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं। यह योजना ग्रामीण के साथ शहरी क्षेत्रों को शामिल करती है। इसमें 50 प्रतिशत आरक्षण ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 50% औद्योगिक भूखंड लघु इकाइयों के लिए आरक्षित हैं। योजना वर्तमान पुरानी औद्योगिकी संपदाओं को आधारभूत संरचना में उन्नयन/सशक्तिकरण प्रदान करता है। आई आई डी केंद्र को स्थापित करने की अनुमानित लागत 5 करोड़ रुपये (भूमि की लागत छोड़कर) है। केंद्र सरकार 40 प्रतिशत तक (अधिकतम दो करोड़ रुपये तक) साधारण राज्यों के मामले में एवं उत्तर पूर्व क्षेत्रों (सिक्किम सहित), के एम के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लिए 80 प्रतिशत तक (अधिकतम 4 करोड़ रुपये तक) अनुदान दिए जाते हैं एवं शेष राशि को ऋण के रूप में सिडबी बैंक वित्तीय संस्थान या राज्य कोष से लिए जा सकते हैं। देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रोत्साहन एवं विकास के लिए 11वीं योजना में मंत्रालय के लिए समूह दृष्टिकोण प्रमुख क्षेत्र रहा है। आई आई डी योजना को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम समूह विकास कार्यक्रम (एमएसईसीडीपी) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। आई आई डी की सभी विशेषताएं शामिल की गई हैं और एम एस ई सी डी पी के अंतर्गत 'नए समूह' के रूप में शामिल होंगे। केंद्र ने 2008-09 में विभिन्न राज्यों में 13 परियोजनाएं मंजूर कीं।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र तकनीकी उन्नयन

अर्थव्यवस्था के खोल दिए जाने के कारण अब सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को वैश्विक एवं घरेलू प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में प्रतियोगितात्मकता की वृद्धि की दृष्टि से सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं (i) उद्योग संघों को जांच केंद्रों की स्थापना के एवं राज्य सरकारों तथा उनके स्वायत्तशासी निकायों को गुणवत्ता विपणन केंद्रों के आधुनिकीकरण। विस्तार के लिए सहायता देना। (ii) परीक्षण सेवा और गुणवत्ता उन्नयन सेवाएं देने के लिए क्षेत्रीय टेनिंटिंग केंद्रों की स्थापना (iii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम समूह विकास कार्यक्रम इसके अंतर्गत 91 समूहों का काम शुरू किया गया है जिसमें एवं उनके स्वायत्त निकायों का आधुनिकीकरण। विस्तार के लिए सहायता करना। (ii) गुणवत्ता उन्नयन के लिए सेवा एवं जांच सेवाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय जांच केंद्र एवं क्षेत्र जांच केंद्र (iii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम समूह विकास कार्यक्रम (एम एस ई सी डी पी) जिसके अंतर्गत 91 समूह शामिल किए गए हैं जिसमें खिलौने, पत्थर, मशीनी उपकरण का यू एन आई डी ओ के सहयोग से विकास राष्ट्रीय कार्यक्रम।

क्रेडिट लिंकड सब्सिडी योजना, 2000

इसके साथ ही, क्रेडिट लिंकड सब्सिडी योजना 2000 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत 12% की एक पूंजी सहायता सांस्थानिक वित्त के रूप में प्रदान किया गया जो अधिकतम 40 लाख की सीमा तक

उप-क्षेत्रों उत्पादों में एस एस आई इकाइयों में सुस्थापित एवं विकसित तकनीक को शामिल करने के लिए प्राप्त किया गया। योजना का पुनरीक्षण 29th सितंबर 2005 से हुआ। पुनरीक्षित योजना के अंतर्गत, पूंजी सहायता की दर 15 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई और ऋण सीमा बढ़ाकर-1 करोड़ कर दी गई, अनुनम्य पूंजी सहायता को प्लांट और मशीनरी की खरीद के संदर्भ में जोड़ा गया न कि इकाइयों के ऋण संवितरण के साथ।

निर्यात प्रोत्साहन के उपाय

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से निर्यात प्रोत्साहन को शामिल किया गया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को उनके उत्पादों के निर्यात में सहायता देने के लिए निम्नांकित योजनाएं प्रारंभ की गई हैं (i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के निर्यातकों के उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय-प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किए गए और इस पर हुए व्यय की वापसी सरकार द्वारा की गई। (ii) नवीनतम पैकेजिंग स्तर, तकनीक आदि से सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को परिचित कराना। भारतीय पैकेजिंग संस्थान के सहयोग से निर्यातकों के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में पैकेजिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना। (iii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विपणन विकास सहायता (एम डी ए) योजना के अंतर्गत समुद्रपारीय मेलों/ प्रदर्शनी, समुद्रपारीय अध्ययन, के लिए व्यक्तियों या विदेश जा रहे व्यापार शिवमंडल के सदस्य के रूप में व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराना। यह योजना प्रस्ताव यह भी सहायता करती है।

- क्षेत्र आधारित भारतीय निर्यात संगहन। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम संध। निर्यात प्रोत्साहन के लिए बाजार अध्ययन।
- सूक्ष्म एवं लघु संध द्वारा एंटी डंपिंग को प्रारंभ करना, एवं
- बाद कोडिंग की प्राप्ति के लिए एक प्रश्न निबंधन शुल्क एवं सालाना शुल्क (प्रथम तीन वर्षों के लिए), भारत सरकार द्वारा अधिरोपित, के 75 प्रतिशत हिस्सों की पुन अदायगी।

उद्यमिता एवं कौशल विकास

मंत्रालय बेरोजगार युवकों को सूक्ष्म एवं उद्योगों को स्थापित करने का कौशल प्रदान करने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का संचालन करता है। इसके अलावा, वर्तमान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को उच्च उत्पादकता एवं साख के संदर्भ में उनके निर्णय निर्माण क्षमता को विकसित करने के लिए प्रबंधन में प्रशिक्षण दिया जाता है। अ.जा., महिलाओं और शाररिक विकलांगों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंत्रालय प्रतिव्यक्ति रु. 500 प्रतिमास इन वर्गों को देता है जो प्रशिक्षण अवधि के लिए होती है।

20. न्याय और विधि

भारतीय गणतंत्र के संविधान में अन्य अधिकारों के अलावा जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है और सरकार मनमाने ढंग से इनका उल्लंघन नहीं कर सके, इसकी पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

भारत ने वर्ष 1950 में जब संविधान अपनाया, तो तत्कालीन कानूनों और न्यायालयों की एकीकृत व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। न्यायिक प्रणाली की एकरूपता और एकीकृत व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए आपराधिक कानून और प्रक्रिया, नागरिक प्रक्रिया, वसीयत, उत्तराधिकार, अनुबंध, जिसमें अनुबंध का विशेष रूप शामिल है, लेकिन कृषि भूमि से संबंधित अनुबंध शामिल नहीं है, समझौते और दस्तावेजों के पंजीकरण, सबूत आदि से संबंधित कानूनों को समवर्ती सूची में रखा गया।

कानून के स्रोत

हमारे देश में कानून के मुख्य स्रोत संविधान, विधान, विधेयक, परंपरागत कानून और अदालतों के निर्णय पर आधारित कानून हैं। संसद, राज्य विधान मंडल और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा द्वारा विधान बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त देश में कई कानून ऐसे हैं जिन्हें उप कानून माना जाता है। ये उप कानून केंद्र/राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों जैसे नगर निगमों, नगरपालिकाओं, ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा बनाए जाते हैं। ये उप कानून या तो संसद या राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा द्वारा प्रदत्त या प्राधिकृत अधिकार के तहत बनाए जाते हैं। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय भी कानून के मुख्य स्रोत हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय हमारे देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। स्थानीय रीति-रिवाज और परंपराओं जो विधान, नैतिकता आदि के विरुद्ध नहीं हो, को भी अदालतें मान्यता देती हैं और निर्णय लेते समय इन्हें ध्यान में रखती हैं।

कानून बनाना

संसद संघ सूची में उल्लिखित मामलों पर कानून बनाने में समर्थ हैं। राज्य की विधासभाएं राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने में समर्थ हैं। केवल संसद को उन मामलों पर कानून बनाने का अधिकार है जो राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं। जो विषय समवर्ती सूची में उल्लिखित हैं, उन पर संसद या विधानसभाएं कानून बना सकती हैं लेकिन विवाद की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा और किसी राज्य द्वारा बनाया गया कानून तब तक अवैध होगा जब तक उस कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित न रख दिया गया हो और उनकी मंजूरी न ले ली गई हो और मंजूरी पाने की स्थिति में वह कानून उस राज्य में प्रभावी होगा।

न्यायपालिका

पूरी न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर हमारा उच्चतम न्यायालय है। हर राज्य या कुछ राज्यों के समूह पर उच्च न्यायालय है। उनके अंतर्गत निचली अदालतों का एक समूचा तंत्र है। कुछ राज्यों में पंचायत न्यायालय

अलग-अलग नामों से काम करते हैं, जैसे न्याय पंचायत, पंचायत अदालत, ग्राम कचहरी इत्यादि। इनका काम छोटे और मामूली प्रकार के स्थानीय दीवानी और आपराधिक मामलों का निर्णय करना है। राज्य के अलग-अलग कानून इन अदालतों का कार्यक्षेत्र निर्धारित करते हैं।

प्रत्येक राज्य न्यायिक जिलों में विभाजित है। इनका प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है। जिला एवं सत्र न्यायालय उस क्षेत्र की सबसे बड़ी अदालत होती है और सभी मामलों की सुनवाई करने में सक्षम होती है, उन मामलों में भी जिनमें मौत की सजा तक सुनाई जा सकती है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। उसके तहत दीवानी क्षेत्र की अदालतें होती हैं जिन्हें अलग-अलग राज्यों में मजिस्ट्रेट, उप न्यायाधीश, दीवानी न्यायाधीश आदि नाम दिए जाते हैं। इसी तरह आपराधिक प्रकृति के मामलों के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि होते हैं।

उच्चतम न्यायालय

देश के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 26 न्यायाधीश होते हैं। ये न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। उच्चतम न्यायालय का मूल कार्यक्षेत्र उन मामलों में है जिनका विवाद (क) केंद्र सरकार और किसी एक या कई राज्यों के बीच हो या (ख) एक ओर केंद्र सरकार और कोई एक या कई राज्य तथा दूसरी ओर एक या कई राज्यों के बीच हो अथवा (ग) दो या कई राज्यों के बीच हो।

देश के किसी उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश पर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, चाहे वह दीवानी, आपराधिक या अन्य प्रकार का मामला हो।

उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन का प्रमुख होता है। देश में 21 उच्च न्यायालय हैं जिनमें से तीन के कार्यक्षेत्र एक राज्य से ज्यादा हैं। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास उच्च न्यायालय है। अन्य छह केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के तहत आते हैं। हर उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कई न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति देश के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया वही है सिवा इस बात के कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ये 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। न्यायाधीश बनने की अर्हता यह है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। देश में किसी न्यायिक पद पर दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए या वह किसी उच्च न्यायालय या इस श्रेणी की दो अदालतों में इतने समय तक वकील के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो।

प्रत्येक उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य से अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत किसी व्यक्ति या किसी प्राधिकार या सरकार के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। यह रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण के रूप में भी हो सकता है। कोई भी उच्च न्यायालय अपने इस अधिकार का उपयोग उस मामले या घटना में भी कर सकता है जो उसके कार्यक्षेत्र में घटित हुई हो, लेकिन उसमें संलिप्त व्यक्ति या सरकारी प्राधिकरण उस क्षेत्र के बाहर के हों। विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों और अतिरिक्त न्यायाधीशों

की स्वीकृत संख्या 678 है लेकिन 26 जून 2006 की स्थिति के अनुसार इनमें से 587 न्यायाधीश अपने-अपने पद पर कार्यरत थे।

सारणी 19.1
उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र और स्थान

नाम	वर्ष	प्रदेशीय-कार्यक्षेत्र	स्थान
इलाहाबाद	1866	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद (लखनऊ में न्यायपीठ)
आंध्र प्रदेश	1954	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
मुंबई	1862	महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	मुंबई (पीठ-नागपुर, पणजी और औरंगाबाद)
कोलकाता	1862	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर)
छत्तीसगढ़	2000	बिलासपुर	बिलासपुर
दिल्ली	1966	दिल्ली	दिल्ली
गुवाहाटी*	1948	असम, मणिपुर, और अरुणाचल प्रदेश	मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम गुवाहाटी (पीठ- कोहिमा, इंपाल, आइजॉल, अगरतला, शिलांग और इटानगर)
गुजरात	1960	गुजरात	अहमदाबाद
हिमाचल प्रदेश	1971	हिमाचल प्रदेश	शिमला
जम्मू और कश्मीर	1928	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर और जम्मू
झारखंड	2000	झारखंड	रांची
कर्नाटक**	1884	कर्नाटक	बंगलौर
केरल	1958	केरल	एर्नाकुलम
मध्य प्रदेश	1956	मध्य प्रदेश	जबलपुर (पीठ- ग्वालियर और इंदौर)
मद्रास	1862	तमिलनाडु और पांडिचेरी	चेन्नई (पीठ- मदुरै)
उड़ीसा	1948	उड़ीसा	कटक
पटना	1916	बिहार	पटना
पंजाब और हरियाणा***	1966		पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़
राजस्थान	1949	राजस्थान	जोधपुर (पीठ- जयपुर)
सिक्किम	1975	सिक्किम	गंगटोक
उत्तराखंड	2000	उत्तराखंड	नैनीताल

*पहले के असम उच्च न्यायालय का नाम वर्ष 1971 में बदलकर गुवाहाटी उच्च न्यायालय किया गया।

**मूल नाम मैसूर उच्च न्यायालय, वर्ष 1973 में नाम बदलकर कर्नाटक उच्च न्यायालय किया गया।

***पंजाब उच्च न्यायालय का नाम वर्ष 1966 में बदलकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय किया गया।

प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने कार्यक्षेत्र की सभी अधीनस्थ अदालतों के अधीक्षण का अधिकार है। यह अधीनस्थ अदालतों से जवाब तलब कर सकता है और सामान्य कानून बनाने तथा अदालती कार्यवाही के लिए प्रारूप तय करने और मुकदमों और लेखा प्रविष्टियों के तौर-तरीके के बारे में निर्देश जारी कर सकता है।

निचली अदालतें

देश भर में निचली अदालतों का कामकाज और उसका ढांचा लगभग एक जैसा है। अदालतों का दर्जा इनके कामकाज को निर्धारित करता है। ये अदालतें अपने अधिकारों के आधार पर सभी प्रकार के दीवानी और आपराधिक मामलों का निपटारा करती हैं। ये अदालतें नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 और अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 के आधार पर कार्य करती हैं। अदालतों को इन संहिताओं में उल्लिखित प्रक्रियाओं के आधार पर निर्णय लेना होता है। इन्हें स्थानीय कानूनों का भी ध्यान रखना होता है। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन के मामले डब्ल्यू.पी. (सिविल) 1022/1989 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार देश भर में निचली अदालतों में न्यायिक अधिकारियों के पदों में एकरूपता रखी गई है। सीआर. पीसी के तहत, दीवानी मामलों के लिए जिला एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सिविल जज (सीनियर डिविजन) और सिविल जज (जूनियर डिविजन) होते हैं जबकि आपराधिक मामलों के लिए सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि होते हैं। अगर आवश्यक हो तो सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन इन श्रेणियों के समान श्रेणियों के माध्यम से वर्तमान पदों में कोई उपयुक्त नियोजन कर सकते हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार, अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अनुच्छेद 233 और 234 के साथ अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत, प्रदत्त अधिकारों के संदर्भ में, राज्य सरकारें उच्च न्यायालय के साथ परामर्श के बाद इन राज्यों के लिए नियम और विनियम बनाएंगी। राज्य न्यायिक सेवाओं के सदस्य इन नियमों और विनियमों द्वारा शासित होंगे।

राष्ट्रीय न्याय अकादमी

न्यायिक अधिकारियों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना की है। इसका पंजीकरण 17 अगस्त, 1993 को सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत हुआ है। यह अकादमी भोपाल में स्थित है जिसका पंजीकरण कार्यालय दिल्ली में है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति ने 5 सितंबर, 2002 को किया था।

इस अकादमी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के न्यायिक अधिकारियों के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभागीय अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह अकादमी न्यायिक शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करेगी।

अकादमी के उद्देश्यों में न्यायिक सुधार और नीति निर्माण के साथ-साथ बेहतर कुशलता, निष्पक्षता और प्रस्तुति के लिए शोध प्रदत्त सेवाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त न्यायार्थी हितैषी न्याय प्रणाली के लिए अदालतों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार भी प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं।

कानूनी सहायता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ए में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है और गरीबों तथा

समाज के कमजोर वर्गों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22 (1) के तहत राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करे। समानता के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को सक्षम विधि सेवाएं प्रदान करने के लिए एक तंत्र की स्थापना करने के लिए वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पास किया गया। इसी के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन किया गया। इसका काम कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन एवं निगरानी करना है। साथ ही, इस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना भी इसका काम है।

आदरणीय श्री न्यायमूर्ति के. जी. बालाकृष्णन, भारत के मुख्य न्यायाधीश इस प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक और आदरणीय श्री न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कार्यकारी अध्यक्ष हैं।

प्रत्येक राज्य में एक राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति गठित की गई है। जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण और तालुका कानूनी सेवा समितियां जिला और तालुका स्तर पर बनाई गई हैं। इनका काम नालसा की नीतियों और निदेशों को कार्य रूप देना और लोगों को निशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करना और लोक अदालतें चलाना है। राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरणों की अध्यक्षता संबंधित जिले के मुख्य न्यायाधीश और तालुका कानूनी सेवा समितियों की अध्यक्षता तालुका स्तर के न्यायिक अधिकारी करते हैं।

नालसा के कार्य

नालसा देश भर में कानूनी सहायता कार्यक्रम और स्कीमें लागू करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण पर दिशानिर्देश जारी करता है।

मुख्य रूप से राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण, जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण, तालुक कानूनी सहायता समितियों आदि को निम्नलिखित दो कार्य नियमित आधार पर करते रहने की जिम्मेदारी सौंपी गई है—

सुपात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना।

विवादों को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए लोक अदालतों का संचालन करना।

मुफ्त कानूनी सेवाएं

निशुल्क कानूनी सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं— (1) किसी कानूनी कार्यवाही में कोर्ट फीस और देय अन्य सभी प्रभार अदा करना, (2) कानूनी कार्यवाही में वकील उपलब्ध कराना, (3) कानूनी कार्यवाही में आदेशों आदि की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना, (4) कानूनी कार्यवाही में अपील और दस्तावेज का अनुवाद और छपाई सहित पेपर बुक तैयार करना।

मुफ्त कानूनी सहायता पाने के पात्र : (1) महिलाएं और बच्चे (2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य (3) औद्योगिक श्रमिक (4) बड़ी आपदाओं, हिंसा, बाढ़, सूखे, भूकंप और औद्योगिक आपदाओं के शिकार लोग (5) विकलांग व्यक्ति (6) हिरासत में रखे गए लोग (7) ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं है (8) बेगार या अवैध मानव व्यापार के शिकार।

लोक अदालतें

लोक अदालत ऐसा मंच है जहां विवादों/अदालत में लंबित मामलों या दायर किए जाने से पहले हीवादों

का सदभावनापूर्ण ढंग से निपटारा किया जाता है। लोक अदालतों को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत कानूनी दर्जा दिया जाता है। इसके अधिनियम के तहत लोक अदालत द्वारा किए गए निर्णय को वही मान्यता प्राप्त है जो किसी दीवानी कोर्ट के फैसले का होता है, वह अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है और उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।

लोक अदालतें कानूनी सेवा प्राधिकरणों/समितियों द्वारा सामान्य तरीके से अर्थात् कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 19 के तहत आयोजित की जाती हैं। इनमें निम्नलिखित प्रकार के मामले आते हैं, वैवाहिक/पारिवारिक मामले, आपराधिक मामले जो बढ़ सकते हैं, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, श्रम विवाद, कामगारों को मुआवजा, बैंक वसूली मामले, पेंशन संबंधी मामले, आवास बोर्ड और मलिन बस्ती निपटान मामले और गृह ऋण मामले, उपभोक्ता शिकायत मामले, बिजली संबंधी मामले, टेलीफोन बिल के मामले, गृह कर सहित नगरपालिका संबंधी मामले और सेलुलर कंपनियों के साथ विवाद के मामले।

जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित समाधान और व्यवस्था के विवादों के संदर्भ में मुकदमेबाजी से पहले का प्रबंध प्रदान करने के लिए संसद ने वर्ष 1987 में कानूनी सेवा प्रशासन अधिनियम में संशोधन किया था। संशोधित अधिनियम जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के संदर्भ में न्याय व्यवस्था के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना को अनुबंधित करता है जैसे परिवहन सेवा, डाक, संचार, बिजली आपूर्ति, अस्पतालों/दवाखानों की सेवा, बीमा सेवा आदि। इस जनोपयोगी सेवा के साथ विवाद वाले पक्ष को कानूनी सेवा(संशोधन)अधिनियम, 2002 की धारा 22 बी के तहत स्थायी लोक अदालत को आवेदन करना होता है।

इस संशोधन के बाद जनोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में की गई है।

नालसा की योजनाएं

कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए नालसा ने निम्नलिखित स्कीमें बनाई हैं :

कानूनी सहायता स्कीम

नालसा ने ऐसे विचाराधीन कैदियों को कानूनी सहायता वकील स्कीम के तहत सहायता देनी शुरू की जो संसाधनों के अभाव अथवा विकलांगता के कारण अपना बचाव नहीं कर सकते और अपना पक्ष रखने के लिए वकील नहीं रख सकते। अब हर मजिस्ट्रेट की अदालत के साथ कानूनी सहायता वकील लगाए गए हैं जो पुलिस द्वारा पेश किए जाने के दिन से ही, वकील न रख पाने वालों का बचाव करते हैं।

स्थायी और निरंतर लोक अदालत स्कीम

अधिनियम की धारा 19 के तहत देश के सभी जिलों में लोक अदालतें स्थापित करने के लिए एक स्थायी और निरंतर लोक अदालत स्कीम लागू की गई है। इसके तहत अदालत परिसर से दूर निर्धारित स्थानों पर अब तक लोक अदालतें आयोजित होती हैं और जो मामले इनमें नहीं सुलझ पाते, वे अगली लोक अदालतों में ले जाए जाते हैं। इस प्रकार ये अदालतें निरंतर लगती हैं।

सलाह और समाधान स्कीम

नालसा ने एक सलाह और समाधान स्कीम तैयार की है जिसके तहत बातचीत और सुलह सफाई के जरिए मामले निपटाए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत देश के सभी जिलों में न्यायार्थियों को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से मामले सुलझाने के लिए समझाया जाएगा। अधिसंख्य जिलों में इस प्रकार के केंद्र खोले जा चुके हैं।

विधिक साक्षरता स्कीम

नालसा ने एक ऐसी रणनीति बनाई है कि संभावित जरूरतमंदों को बुनियादी जानकारी दी जाए ताकि वे अपने कानूनी अधिकारों को समझ सकें और जरूरत के समय उपयुक्त कार्रवाई करने, अपनी सामाजिक हैसियत बढ़ाने और सामाजिक परिवर्तन लाने में अधिकारों का उपयोग करें।

नालसा कमजोर वर्गों के लोगों को अपने अधिकारों के लिए शिक्षित करने और एडीआर प्रणाली के जरिए अपने विवाद निपटाने के लिए ग्रामीण तथा मलिन क्षेत्रों में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, तालुक विधिक सेवा समितियों, गैर सरकारी संगठनों आदि के माध्यम से कानूनी सहायता केंप आयोजित कर रहा है। लोग समाज कल्याण विधायिका, प्रशासनिक कार्यक्रमों और पहल आदि द्वारा शिक्षित होते हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं और उनसे लाभ उठाते हैं।

नालसा देश के विभिन्न हिस्सों में कानूनी सेवा कार्यक्रमों से जुड़ी बैठकें, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है। आम आदमी को कानूनी सेवा कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूक करने के लिए नालसा ने दृश्य-श्रव्य स्पॉट और प्रचार सामग्री तैयार की है। वृत्तचित्र भी तैयार किए गए हैं और भारत सरकार के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में दिखाए जा रहे हैं।

स्वैच्छिक सामाजिक सेवा संस्थानों का प्रत्यायन

नालसा ने कानूनी शिक्षा, कानूनी जागरूकता और कानूनी सेवाओं के प्रचार के उद्देश्य से स्वैच्छिक संस्थाओं का राष्ट्रीय तंत्र स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक सामाजिक सेवा संस्थानों के प्रत्यायन की एक योजना शुरू की है। राज्य स्तर के सभी कानूनी सेवा प्राधिकरण से आग्रह किया गया है कि वे अपने जिलों में ऐसे सामाजिक सेवा संस्थानों की पहचान करें और उन्हें प्रत्यायन प्रदान करें।

राज्य स्तरीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) के कार्यान्वयन में सहयोग के लिए योजना

नालसा द्वारा राज्य स्तरीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नरेगा के कार्यान्वयन को सहयोग प्रदान करने हेतु एक योजना का प्रतिपादन किया गया है जिससे कानूनी शिक्षा और जन जागरण अभियान की मदद से जागरूकता फैलाई जा सके। साथ ही लोक अदालतें लगाकर शिकायत दूर करना संभव हो। इससे नरेगा के अंतर्गत योजना और रोजगार गारंटी के कार्यान्वयन के संदर्भ में किसी प्रकार के विवाद/ शिकायत या कानूनी समस्याओं को सुलझाया जा सके।

वर्ष 2009-2010 की कार्रवाई योजना

कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के विषय के अनुरूप, नालसा की कानूनी सहायता योजनाओं और कानूनी सेवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए, वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए निर्धारित कार्रवाई योजना इस प्रकार है—

- कानूनी जागरूकता कार्यक्रम।
- सभी राज्यों में लघु कानूनी शिक्षा कार्यक्रमों को जारी रखना।
- नालसा जनजागरण अभियान और नरेगा मामलों से संबद्ध लोक अदालतों को जारी रखना।

निम्नलिखित कानूनों पर राज्यों में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम चलाना :

- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और कल्याण अधिनियम, 2007
- ग्राम न्यायालय अधिनियम
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
- विकलांग व्यक्ति (अधिकारों का समान संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम
- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम
- विवाह से संबद्ध कानून
- श्रम कानून
- पर्यावरण संरक्षण कानून
- उपभोक्ता संरक्षण कानून
- महिला भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान
- मानव तस्करी के खिलाफ अभियान

केंद्र में राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ समन्वय और राज्य महिला आयोगों के साथ राज्य कानूनी सेवा प्रशासनों को संबद्ध करना।

राष्ट्रीय महिला आयोग, समाज कल्याण मंत्रालय, बाल कल्याण और विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालयों की संलग्नता से जागरूकता कार्यक्रमों और सेमिनार का आयोजन।

अर्द्ध कानूनी स्वैच्छिक योजना : यह एक ऐसी योजना है जिसके तहत ग्रामीण लोगों के बीच से स्वयंसेवियों के एक समूह को तैयार किया जाए। यह समूह आम लोगों और केंद्र, राज्य, जिला और तालुका स्तर के कानूनी सेवा संस्थानों के बीच मध्यस्थ का कार्य करें।

लोक अदालत : सरकारी विभागों में लोक अदालतों का दायरा बढ़ाकर, महिला आयोगों, विभिन्न अदालतों, श्रम अदालतों, औद्योगिक न्यायाधिकरणों और कर न्यायाधिकरणों आदि में लंबित पड़ी याचिकाओं की सुनवाई। सभी परिवार अदालतों में विशेष लोक अदालतों का गठन।

कानूनी सहायता केंद्र

सभी ग्राम पंचायतों में कानूनी सहायता केंद्रों की स्थापना (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के समान) और वहां सक्षम वकीलों को कानूनी परामर्शदाता के तौर पर संलग्न करना। स्थानीय प्राधिकृत संस्थानों की मदद से इन केंद्रों के विषय में प्रचार करना।

सभी विधि महाविद्यालयों और विधि विश्वविद्यालयों में कानूनी सहायता केंद्रों की स्थापना और विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करें। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं :

- विद्यार्थी छोटे समूहों में बंट जाएं और उन्हें स्वीकृत गांवों में प्रतिनियुक्त कर दिया जाए।

- शहरी क्षेत्रों में जिन कालोनियों और मलिन बस्तियों में आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े लोग रहते हैं, उन क्षेत्रों को कानूनी सहायता केंद्रों की स्थापना के लिए चुना जाए।
- विद्यार्थियों का मार्गदर्शन अल्पकालिक लेक्चररों सहित सीनियर प्रोफेसर/लेक्चरर करें। वर्ष भर विद्यार्थियों और चुने गए क्षेत्र के लोगों के बीच सामंजस्य बरकरार रहे।
- विद्यार्थी ऐसी समस्याओं की पहचान करें जिन्हें कानूनी सहायता की जरूरत है। वे नियुक्त अध्यापक से इस विषय पर चर्चा करें और अगर इसके लिए मुफ्त कानूनी सहायता की जरूरत है तो इस विषय को संबंधित कानूनी सेवा प्राधिकरण /समितियों के संज्ञान में लाया जाए।
- विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे छोटे समूहों में (4-5 परिवारों के साथ या 10-12 लोगों के बीच) कानूनी सहायता के प्रति जागरूकता लाने के लिए शिक्षा सत्र चलाएं। यह अनौपचारिक बैठक होनी चाहिए।
- विद्यार्थियों को रोकथाम और रणनीतिगत कानूनी सहायता का लक्ष्य लेकर चलना चाहिए।
- अदालतों में मुकदमा दायर करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ विद्यार्थियों और स्नातकोत्तर करने वाले विद्यार्थियों को, जिनका पंजीयन वकीलों के रूप में हो चुका है, उपयुक्त मामले सौंपे जाने चाहिए।
- कानूनी सहायता केंद्रों के लाभार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।

कानूनी सहायता

कानूनी सेवा और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अधिक सक्षम, विख्यात और वरिष्ठ वकीलों को साथ लाना।

- कानूनी सहायता प्रदान करने वाले वकीलों को बेहतर मानदेय का भुगतान।
- कानूनी सहायता योजना में सभी मनोनीत वरिष्ठ वकीलों को शामिल करना और उनसे आग्रह करना कि वे हर वर्ष कम से कम दो मामलों पर निशुल्क सेवा प्रदान करें।
- उपयुक्त मामलों में, समूचे परिव्यय का भुगतान, जिसमें वकीलों का सामान्य शुल्क शामिल है।
- जिन मामलों में कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है, उनकी प्रगति का वार्षिक मूल्यांकन। कानूनी सहायता के मामलों की सफलता की दर मूल्यांकन उपायों के घटक होने चाहिए।

वर्ष 2009-10 के लिए राज्य स्तरीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित योजना, परियोजना और कार्यक्रम :

- राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2009-10 के लिए गतिविधियों के ब्ल्यू प्रिंट की तैयारी को प्रोत्साहन।
- प्रत्येक ऐसे कार्यक्रम के संदर्भ में मासिक प्रगति रिपोर्ट के लिए आह्वान।
- धारा 22 (बी) के तहत सभी जिलों में जनहित सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए कदम उठाना।
- सभी जिला स्तरीय कानूनी सेवा प्राधिकरण में पूर्णकालिक सचिवों को नियुक्त करने के लिए कदम उठाना।

परियोजनाओं और योजनाओं का मूल्यांकन

इस अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रत्येक परियोजना और कार्यक्रम के संदर्भ में सभी लाभार्थियों द्वारा प्राप्त वास्तविक लाभों के मूल्यांकन के लिए समिति गठित करने हेतु राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को निर्देश देना और नालसा को इसकी रिपोर्ट की प्रति भेजना।

प्रचार के लिए उपाय

- क. परियोजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में प्रेस और मीडिया को समय पर जानकारी देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती के साथ संपर्क कायम करना।
- ख. अन्य प्रचार सामग्री जैसे होर्डिंग, लघुफिल्मों का निर्माण, लघु नाटकों की सीडी को तैयार करना और उन्हें तालुका और जिला स्तर के कानूनी सेवा प्रशासनों को सौंपना।
- ग. पोस्टर, पैम्फलेट, बुकलेट जैसी प्रचार सामग्री को प्रकाशित करवाना और आवश्यक संख्या में इन्हें राज्य स्तर के सेवा प्राधिकरणों में वितरित करना, समाचार पत्र और टेलीविजन (निजी और सरकार नियंत्रित) आदि में विज्ञापन देना।

भारत के संविधान के भाग - चार के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

नालसा के आधिकारिक न्यूजलेटर न्यायदीप की गुणवत्ता और विषयों में सुधार करना।

विचारों का आदान-प्रदान : पड़ोसी देशों (जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ताइवान आदि) और अन्य कॉमनवेल्थ देशों के कानूनी सेवा प्रशासनों के साथ।

उपलब्धियां

31-03-2009 तक देश भर में कानूनी सहायता और परामर्श के माध्यम से 96.99 लाख लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। इनमें 13.83 लाख लोग अनुसूचित जाति और 4.64 लाख लोग अनुसूचित जनजाति वाले थे। इनमें 10.22 लाख महिलाएं थीं और 2.35 लाख लोग हिरासत में थे।

देश भर में 7.25 लाख लोक अदालतें लगाई गईं जिनसे 2.68 करोड़ मामले निपटे। सड़क हादसों के 16.87 लाख मामलों में, 7593 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर बांटे गए।

महान्यायवादी

देश के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और राष्ट्रपति ही उसे पद से हटा सकते हैं। इस पद के लिए चयनित व्यक्ति में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। देश के महान्यायवादी का कर्तव्य कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना और कानूनी प्रकृति की उन जिम्मेदारियों को निभाना है जो राष्ट्रपति की ओर से उनके पास भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त संविधान और किसी अन्य कानून के अंतर्गत उनका जो काम निर्धारित है, उनका भी पालन उन्हें पूरा करना होता है। अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उन्हें देश के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है। उन्हें संसद की कार्यवाही में भी भाग लेने का अधिकार है, हालांकि उनके पास मतदान का अधिकार नहीं होता। उनके कामकाज में सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं।

वैकल्पिक विवाद क्षतिपूर्ति (एडीआर)

कानून और कानूनी मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अदालतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। अदालती समय की बढ़ती मांग को देखते हुए यह प्रयास किया जाना चाहिए कि अदालत में पहुंचने से पहले ही कुछ मामलों को वैकल्पिक तरीकों से सुलझा लिया जाए।

पंचाट, मध्यस्थता और समाधान ऐसे उपाय हैं जो वैकल्पिक विवाद क्षतिपूर्ति प्रणाली के मुख्य स्तंभ हैं।

पंचाट

पंचाट वह प्रक्रिया है जहां निष्पक्ष तीसरा पक्ष मामले की विशेषता देखकर निर्णय दे। भारतीय संदर्भ में पंचाट प्रक्रिया के नियमों के दायरे को पंचाट और समाधान अधिनियम 1998 के प्रावधानों द्वारा व्यापक स्तर पर बनाया गया था और इस संविधि में जो मामले नहीं शामिल किए गए हैं, उनमें सभी पक्षों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे उपयुक्त और विवादों के संदर्भ में प्रासंगिक पंचाट प्रक्रिया को निर्धारित करें।

मध्यस्थता

मध्यस्थता प्रक्रिया का उद्देश्य विवादित पक्षों द्वारा सहमतिजन्य समाधान को सुसाध्य बनाना है। इस मध्यस्थ प्रक्रिया को गैर समर्थक- तीसरा पक्ष- मध्यस्थ देखता है। वादी-प्रतिवादी पक्षों द्वारा मध्यस्थ को यह अधिकार दिया जाता है कि वह उनके बीच समझौता कराए।

समाधान

यह वह प्रक्रिया है जिसमें विवादों को किसी सुलह या स्वैच्छिक समझौते के माध्यम से सुलझाया जाता है। पंचाट के विपरीत, समाधान कराने वाले व्यक्ति के साथ कोई बाध्यकारी परिणाम प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती। वादी-प्रतिवादी समाधानकर्ता की सिफारिश को मंजूर या नामंजूर करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। भारतीय संदर्भ में, समाधानकर्ता अक्सर सरकारी अधिकारी होता है जिसकी रिपोर्ट में सिफारिशें दर्ज होती हैं। जहां तक कानूनी मामलों के विभाग का प्रश्न है, यह विभाग राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) को वार्षिक आवर्ती अनुदान प्रदान करता है। नालसा एक सांविधिक निकाय है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान, विभाग ने 188269495 रुपए का अनुदान जारी किया है। इसमें से तीन करोड़ रुपए नालसा को मध्यस्थता और समाधान परियोजना समिति की गतिविधियों के लिए जारी किए गए हैं।

विवादों को सुलझाने के वैकल्पिक तरीकों के संदर्भ में, कानूनी मामलों के विभाग द्वारा अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद प्रस्ताव केंद्र (आईसीएडीआर) का गठन किया गया। यह सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है। आईसीएडीआर का मुख्य उद्देश्य विवादों को जल्द सुलझाने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधानों को लोकप्रिय बनाना है जिससे अदालतों पर दबाव को कम किया जा सके।

कानूनी व्यवसाय

देश के कानूनी व्यवसाय से संबंधित कानून अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और देश की बार काउंसिल द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर संचालित होता है। कानून के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों के लिए यह स्वनिर्धारित कानूनी संहिता है जिसके तहत देश और राज्यों की बार काउंसिल का गठन होता है। अधिवक्ता कानून, 1961 के तहत पंजीकृत किसी भी वकील को देश भर में कानूनी व्यवसाय करने

का अधिकार है। किसी राज्य की बार काउंसिल में पंजीकृत कोई वकील किसी दूसरे राज्य की बार काउंसिल में अपने नाम के तबादले के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन कर सकता है। कोई भी वकील एक या ज्यादा राज्य की बार काउंसिल में पंजीकृत नहीं हो सकता है। अधिवक्ताओं की दो श्रेणियाँ हैं जिनमें से एक को वरिष्ठ अधिवक्ता और शेष को अधिवक्ता कहा जाता है। यदि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का यह मत है कि कोई अधिवक्ता अपनी योग्यता अदालत में अपनी स्थिति, विशेष जानकारी या कानूनी अनुभव के आधार पर वरिष्ठ अधिवक्ता बनने का अधिकारी है तो उसे उसकी सहमति से वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया जा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता किसी अन्य अधिवक्ता के बगैर उच्चतम न्यायालय में पेश नहीं हो सकता। दूसरे अधिवक्ता का नाम रिकॉर्ड में होना चाहिए। इसी तरह अन्य अदालतों और न्यायाधिकरणों में पेश होने के लिए सहयोगी अधिवक्ता का नाम राज्य सूची में दर्ज होना चाहिए। अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण के लिए शिक्षा का स्तर निर्धारित है। व्यावसायिक आचरण और व्यवहार पर नियंत्रण के साथ-साथ अन्य मामलों के लिए नियम बनाए गए हैं। राज्य की बार काउंसिलों के पास अपने यहां पंजीकृत वकीलों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का अधिकार होता है। इस कार्यवाही के विरुद्ध देश की बार काउंसिल में अपील की जा सकती है और उच्चतम न्यायालय में भी जाने का अधिकार मिला हुआ है।

अधिवक्ता कल्याण कोष

कनिष्ठ वकीलों को वित्तीय सहायता मुहैया कराकर उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और दरिद्र एवं विकलांग वकीलों के लिए कल्याण कार्यक्रम चलाना कानूनी बिरादरी के लिए सदैव महत्वपूर्ण रहा है। कई राज्यों ने इस विषय पर अपने अलग विधान बनाए हैं। संसद ने 'अधिवक्ता कल्याण कोष कानून, 2001' पारित किया है। यह कानून उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए मान्य है जहां इस विषय पर कोई कानून नहीं बना है। इस कानून का उद्देश्य है कि संबंधित सरकार 'अधिवक्ता कल्याण कोष' का गठन करे। इस कानून में यह अनिवार्य है कि हर वकील किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण और प्राधिकार में वकालतनामा दाखिल करने के लिए निश्चित मूल्य के टिकट लगाए। 'अधिवक्ता कल्याण कोष टिकट' से जुटाई गई राशि अधिवक्ता कल्याण कोष का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

सभी वकील आवेदन राशि और वार्षिक चंदा देकर अधिवक्ता कल्याण कोष के सदस्य बन जाते हैं। इस कोष का संचालन संबद्ध सरकार द्वारा गठित ट्रस्टी समिति करती है। सदस्य को गंभीर स्वास्थ्य समस्या होने पर इस कोष से अनुदान राशि दी जाती है या वकील की प्रैक्टिस बंद हो जाने पर एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। वकील की मौत हो जाने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी को भी राशि देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सदस्यों और उसके आश्रितों को चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधा मुहैया कराने और वकीलों को पुस्तक खरीदने तथा समान सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी राशि देने का प्रावधान है।

भारत का विधि आयोग

18वें विधि आयोग का पुनर्गठन 1 सितंबर, 2006 को तीन वर्षों के लिए किया गया था। डॉ. न्यायमूर्ति ए. आर. लक्ष्मणन इसके अध्यक्ष हैं और डॉ. डी.पी. शर्मा को 31 मार्च 2006 से सदस्य सचिव बनाया गया है। विधि आयोग द्वारा विचारणीय विषय हैं : (क) पुराने पड़ गए कानूनों की समीक्षा करना और उन्हें समाप्त करना, (1) उन कानूनों की पहचान करना, जिनकी जरूरत या प्रासंगिकता नहीं रह गई है और जिन्हें तुरंत समाप्त किया जा सकता है (2) उन कानूनों की पहचान करना, जो आर्थिक उदारीकरण

के मौजूदा माहौल में उपयुक्त हैं और जिन्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं है (3) उन कानूनों की पहचान करना जिनमें बदलाव या संशोधन की आवश्यकता है, इनमें संशोधन के लिए सुझाव देना (4) कानूनों के समन्वय और उनके सामंजस्य के लिए विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के विशेषज्ञ समूहों द्वारा सुझाए गए संशोधन/सुधार पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार करना (5) एक से ज्यादा विभागों/मंत्रालयों के कामकाज को प्रभावित करने वाले कानूनों के संबंध में मंत्रालयों/विभागों की सिफारिश पर विचार करना (6) कानून के क्षेत्र में नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए उपयुक्त उपाय सुझाना। (ख) कानून और गरीबी (1) उन कानूनों की समीक्षा करना, जो गरीबों को प्रभावित करते हैं, सामाजिक-आर्थिक कानूनों का मूल्यांकन करना (2) गरीबों की सेवा के लिए कानून और कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए आवश्यक उपाय करना। (ग) न्यायिक प्रशासन की प्रणाली की निरंतर समीक्षा करना, ताकि यह बदलते समय के साथ उठने वाली मांगों के प्रति जवाबदेह हो सके और विशेष रूप से (1) मुकदमे के फैसले जल्द हो सकें, विलंबित पड़े मुकदमों का निपटारा जल्द हो सके और न्याय पाने का खर्च कम हो सके ताकि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण फैसले के मूल सिद्धांत को प्रभावित किए बगैर त्वरित ढंग से कम खर्च में मुकदमों का निपटारा हो (2) अदालती प्रक्रियाओं को सरल बनाना ताकि विलंब के लिए जिम्मेदार तकनीकी जटिलताओं और अड़चनों को कम या समाप्त किया जा सके तथा जिससे अदालती प्रक्रियाएं अपने आप साध्य न बनकर न्याय पाने का साधन बन सकें (3) न्याय प्रशासन से जुड़े सभी लोगों के स्तर में सुधार करना। (घ) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और इसमें सुधार तथा संशोधन के सुझाव देना और ऐसे कानूनों के बारे में भी सलाह देना जो संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्यों की पूर्ति के उद्देश्य से निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों। (च) सामान्य महत्व के केंद्रीय कानूनों में सुधार करना ताकि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विसंगतियां, असामान्यताएं और अस्पष्टताएं दूर हो सकें। पुराने कानूनों और अधिनियमों को समाप्त करके, तथा इन कानूनों के निरर्थक अंशों को समय के अनुकूल बनाने के लिए सरकार से सिफारिश करना। (छ) विधि और न्याय मंत्रालय (कानूनी मामलों का मंत्रालय) के जरिए सरकार की ओर से भेजे गए न्यायिक प्रशासन से संबंधित विषयों या अन्य किसी भी विषय पर विचार करना और अपने विचारों से सरकार को अवगत कराना।

आयोग ने कई मुद्दों को उनके महत्व को देखते हुए स्वेच्छा से विचार के लिए स्वीकार किया जबकि कुछ विषय उनके पास सरकार और उच्चतम न्यायालय की ओर से भेजे गए थे। आयोग अभी तक 201 रिपोर्ट सरकार को सौंप चुका है।

प्रवर्तन एजेंसियां

पुलिस

देश में पुलिस को आम कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों को रोकने एवं उनकी जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संविधान के तहत आम कानून व्यवस्था और पुलिस राज्य सरकार के विषय हैं। इसलिए पुलिस पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है और राज्य सरकार ही उसकी देखभाल करती है।

राज्य में पुलिस बल का प्रमुख पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक होता है। राज्य को सुविधानुसार कई खंडों में विभाजित किया जाता है जिन्हें क्षेत्र कहा जाता है और हर पुलिस क्षेत्र उपमहानिरीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। एक क्षेत्र में कई जिले होते हैं। जिला पुलिस का विभाजन, पुलिस डिविजन, अंचलों और पुलिस थानों में किया गया है। राज्यों के पास नागरिक पुलिस के

अतिरिक्त अपनी सशस्त्र पुलिस, अलग खुफिया शाखा, अपराध शाखा आदि होती है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, नागपुर, पुणे आदि बड़े शहरों में पुलिस विभाग का नियंत्रण पुलिस आयुक्त के हाथों में है। विभिन्न राज्यों में पुलिस के वरिष्ठ पदों पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति होती है जिसका चयन अखिल भारतीय आधार पर होता है।

केंद्र सरकार केंद्रीय पुलिस बलों, केंद्रीय जांच ब्यूरो, गुप्तचर ब्यूरो, पुलिस अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, अपराध विज्ञान संस्थान आदि की देखभाल करती है। इनका काम राज्यों को गोपनीय जानकारी एकत्र करने, कानून व्यवस्था बहाल करने, विशेष आपराधिक मामलों की जांच करने और राज्य सरकारों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने में मदद करना है।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) का गठन चीन के आक्रमण के बाद 21 अक्टूबर 1962 को किया गया था। इसका गठन खुफिया/सिगनल/पायनियर/इंजीनियरिंग/चिकित्सा और छापामार की एकीकृत इकाई के रूप में किया गया था और नियंत्रण प्रारंभ में खुफिया ब्यूरो के हाथों में दिया गया था। वर्ष 1975 में इसके कार्यक्षेत्र की पुनःव्याख्या की गई जिसके तहत इन पर सीमा पार से घुसपैठ और अपराध को रोकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस मध्य और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आपदा प्रबंध के नोडल एजेंसी होने के साथ-साथ कैलाश-मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को सुरक्षा/संचार/स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व भी वहन करती है। चार विशेष बटालियनों सहित भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में कुल 29 बटालियन हैं।

सीमा सुरक्षा बल

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का गठन वर्ष 1964 में हुआ था। इसकी जिम्मेदारी देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना है। इस समय इसकी 157 बटालियन हैं। सीमा सुरक्षा बल कुल 6385.36 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करता है जो पवित्र, दुर्गम रेगिस्तानों, नदी-घाटियां और हिमाच्छादित प्रदेशों तक फैली हुई है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा बोध को विकसित करने की जिम्मेदारी भी बीएसएफ को दी गई है। इसके अतिरिक्त सीमा पर होने वाले अपराधों, जैसे तस्करी/घुसपैठ और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी भी बीएसएफ की है।

असम राइफल

असम राइफल का गठन वर्ष 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था। यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। इसमें 46 बटालियन हैं। इस पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा का दोहरा उत्तरदायित्व है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने में असम राइफल की भूमिका सराहनीय रही है। इस बल को प्यार से 'पूर्वोत्तर का प्रहरी' और 'पर्वतीय लोगों का मित्र' कहा जाता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का गठन वर्ष 1984 में आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियानों के संचालन के साथ-साथ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए किया गया था। यह

समुचित ढंग से प्रशिक्षित और प्रेरित बल है जिसका काम देश में आतंकवादी गतिविधियों से निपटना है। यह राज्य पुलिस के कमांडो को प्रशिक्षण भी देता है ताकि आतंकवादी खतरों से निपटने, बम की तलाशी करने, उसे निष्क्रिय करने आदि में उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। एनएसजी देश के एकमात्र राष्ट्रीय बम डाटा केंद्र की देखभाल करता है। एनएसजी के कमांडो ने वर्ष 2002 में अहमदाबाद में अक्षरधाम मंदिर में आतंकवाद विरोधी अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था और उन आतंकवादियों को खत्म करने में सफलता पाई थी जिन्होंने मंदिर में शरण ली थी। एनएसजी को 16 अक्टूबर 2004 को राष्ट्रपति ने प्रतीक चिन्ह प्रदान किया।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार का एक सशस्त्र बल है। इसका गठन वर्ष 1939 में नीमच (म.प्र.) में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस नाम से किया गया था। वर्ष 1949 में इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया।

अभी सीआरपीएफ की 191 बटालियनें हैं जिनमें त्वरित कार्रवाई बल शामिल है। यह बल आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी अभियानों के प्रति कटिबद्ध है। यह ऐसा बल है जिसमें महिला टुकड़ियां भी हैं। इस बल में महिलाओं की दो बटालियनें हैं।

त्वरित कार्रवाई बल

त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक भाग है। इसकी 10 बटालियनें हैं। इसका गठन वर्ष 1992 में विशेष रूप से प्रशिक्षित और सुसज्जित एक प्रभावी आक्रामक बल के रूप में किया गया था। इसका काम सांप्रदायिक दंगों आदि पर नियंत्रण करना है। यह कानून व्यवस्था लागू करने के अतिरिक्त दंगों के बाद राहत और बचाव कार्यों में भी योगदान देता है।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की स्थापना सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1969 में की गई थी। इस बल में 96,057 सुरक्षाकर्मी हैं जिनकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के औद्योगिक प्रतिष्ठानों और सरकार द्वारा घोषित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना है। फिलहाल सीआईएसएफ सावर्जनिक क्षेत्र के 267 उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त 54 हवाई अड्डों और दिल्ली स्थित सरकारी इमारतों की सुरक्षा का दायित्व भी इसी सुरक्षा बल का है। इसने वर्ष 2001 में सुरक्षा और आग से बचाव के बारे में परामर्श सेवाओं की भी शुरुआत की है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

सरकार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी देश की प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्था है जो पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों को प्रारंभिक और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करती है। राजस्थान के माउंट आबू में वर्ष 1948 में स्थापित इस अकादमी को वर्ष 1975 में हैदराबाद ले जाया गया। इस अकादमी में पुलिस से संबंधित विषयों पर अध्ययन और शोध करने की व्यवस्था भी है।

सशस्त्र सीमा बल

वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध के मद्देनजर जनता में विश्वास जगाने और सीमा पार से विघटनकारी गतिविधियों, घुसपैठ और अन्य खतरों से निपटने का जब्बा सीमावर्ती प्रदेशों के लोगों में विकसित करने

के उद्देश्य से वर्ष 1963 की शुरुआत में, मंत्रिमंडलीय सचिवालय के तहत विशेष सेवा ब्यूरो (एसएसीबी) का गठन किया गया। 15 जनवरी, 2001 से यह गृह मंत्रालय के नियंत्रण में है। इसे भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। 15 सितंबर, 2003 से विशेष सेवा ब्यूरो का नाम बदलकर 'सशस्त्र सीमा बल' कर दिया गया। इसकी विशिष्ट सेवा और समर्पण के लिए मार्च, 2004 में इसे राष्ट्रपति से प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया।

नागरिक सुरक्षा

नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य शत्रु देश द्वारा हमारे देश पर आक्रमण करने की स्थिति में शत्रु का सामना करने की बजाय, लोगों की जान बचाना, संपत्ति की कम से कम क्षति होने के उपाय करना और औद्योगिक उत्पादन जारी रखने में सहयोग प्रदान करना है। इसका काम है, आक्रमण की स्थिति में जान-माल का नुकसान कम करना, उत्पादन और जनता का मनोबल बनाए रखना। नागरिक सुरक्षा के लिए राज्यों को केंद्र की ओर से मिलने वाली वित्तीय सहायता कुछ ही शहरों तक सीमित है। नागरिक सुरक्षा का गठन मुख्यतया स्वैच्छिक आधार पर हुआ है। इसमें कुछ ही लोग ऐसे हैं जो वेतनभोगी हैं। उनकी संख्या आपातकाल में बढ़ जाती है। फिलहाल सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 225 शहरों में नागरिक सुरक्षा संगठन हैं। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की संख्या 13 लाख करने का लक्ष्य है। अभी तक 6.64 लाख स्वयंसेवक बना लिए गए हैं जिनमें से पांच लाख को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को स्वेच्छा के आधार पर तैनात किया जाता है। इन्हें प्राकृतिक और मानव कृत आपदाओं के समय और बाद में राहत कार्यों में लगाया जाता है। इनका प्रशिक्षण तीन स्तरों पर होता है। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण तथा विशेष प्रशिक्षण राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संस्था नागपुर में दिया जाता है और टीम/नेतृत्व प्रशिक्षण राज्य नागरिक सुरक्षा संस्थान में दिया जाता है। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण स्थानीय/नगर स्तर पर प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा अल्प अवधि के कार्यक्रमों द्वारा दिया जाता है।

दिल्ली में नागरिक सुरक्षा का विस्तार 200 स्कूलों और रिहाइशी इलाकों तक हो चुका है। आत्मरक्षा में 10,000 से ज्यादा महिलाओं और लड़कियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

होम गार्ड

होम गार्ड एक स्वयंसेवी बल है जिसका गठन दिसंबर 1946 में नागरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगों के नियंत्रण में पुलिस को सहयोग देने के उद्देश्य से किया गया था। इसके बाद अनेक राज्यों ने नागरिकों के स्वयंसेवी संगठनों की अवधारणा को स्वीकार कर लिया। वर्ष 1962 में चीनी हमले के बाद केंद्र ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अलग-अलग स्वयंसेवी संगठनों के विलय की सलाह दी और इसे होम गार्ड नाम दिया। होम गार्ड का काम हवाई हमले, अग्निकांड, चक्रवात, भूकंप, महामारी आदि आपात स्थिति में पुलिस की सहायता करना, आवश्यक सेवाएं बहाल करना, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाना, कमजोर वर्ग के लोगों की रक्षा में प्रशासन का साथ देना, सामाजिक-आर्थिक और कल्याण के कार्यों में हिस्सा लेना और नागरिक सुरक्षा का ध्यान रखना है। होम गार्ड दो तरह के होते हैं- ग्रामीण और शहरी। सीमावर्ती राज्यों में होम गार्ड की सीमावर्ती इकाई गठित की गई है जो सुरक्षा बलों को सहायता प्रदान करती है। देश में होम गार्ड के जवानों की कुल निर्धारित संख्या 573793 है, फिलहाल इनमें से 490842 जवान सेवारत हैं। केवल केरल को छोड़कर, अन्य सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में होम गार्ड हैं।

सीमावर्ती राज्यों में होम गार्ड की 18 बटालियनें हैं। इनमें से पंजाब में छह, गुजरात में 4 और असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में एक-एक बटालियनें हैं। ये सीमा सुरक्षा बल की सहायता

के लिए हैं और बाहरी आक्रमण के समय अंतरराष्ट्रीय सीमा तट पर घुसपैठ रोकने, विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षा करने में सहायता करती हैं।

होम गार्ड की भर्ती होम गार्ड अधिनियम और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के नियमानुसार की जाती है। इन्हें समाज के विशेष वर्गों जैसे डॉक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों, निजी क्षेत्र के संगठनों, कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, कृषि और औद्योगिक श्रमिकों आदि से चुना जाता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो समाज में भलाई के लिए अपना समय दे सकते हैं। 18-50 वर्ष के आयु वर्ग वाले भारत के नागरिक होम गार्ड बन सकते हैं। सामान्यतः इनका कार्यकाल 3 से 5 वर्ष का होता है। होम गार्डों को दी जाने वाली सुविधाओं में निशुल्क वर्दी और कुछ अन्य सुविधाएं शामिल हैं। जब भी किसी होम गार्ड को ड्यूटी पर बुलाया जाता है, उसे ड्यूटी/प्रशिक्षण भत्ता और निर्धारित दरों पर जेब खर्च दिया जाता है। तीन साल की सेवा हो जाने पर होम गार्ड सदस्यों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अपराध रोकने, डकैती विरुद्ध उपाय करने, सीमा पर गश्त लगाने, नशाबंदी, बाढ़ राहत, अग्निशमन, चुनाव ड्यूटी और समाज कल्याण का कार्य करने, जैसे कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी प्रकार जैसे पुलिस का प्रशिक्षण होता है। राष्ट्रीय आपात स्थिति में नागरिक सुरक्षा का कुछ हिस्सा होम गार्ड में शामिल कर दिया जाता है।

गृह मंत्रालय होम गार्ड संगठनों की स्थापना, प्रशिक्षण, साज-सामान से लैस करने तथा अन्य मामलों से संबंधित नीति बनाता है। इस संगठन पर होने वाला खर्च मौजूदा वित्त नीति के अंतर्गत केंद्र और राज्य मिलकर वहन करते हैं।

अग्निशमन सेवा

अग्निशमन राज्यों का मामला है। इसकी सेवाएं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संचालित होती हैं। गृह मंत्रालय अग्नि से सुरक्षा करने, आग बुझाने और अग्निशमन संबंधी कानून के बारे में तकनीकी सलाह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को देता है। गृह मंत्रालय राज्यों में अग्निशमन सेवा के आधुनिकीकरण के लिए वित्त मंत्रालय के माध्यम से साधारण बीमा निगम (जीआईसी) के ऋण उपलब्ध कराता है। वर्ष 1980-81 से अब तक राज्य अग्निशमन विकास के लिए साधारण बीमा निगम से 404.97 करोड़ रुपए ऋण की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त 10 वें वित्त आयोग ने वर्ष 1995-2000 की अवधि में विभिन्न राज्यों के अग्निशमन सेवा के आधुनिकीकरण के लिए 80 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए हैं। 11 वें वित्त आयोग ने वर्ष 2000-2005 की अवधि के लिए 201 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया है। अग्निशमन सेवा का प्रशिक्षण दमकलकर्मियों और अधिकारियों को दो स्तरों पर 14 राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्रों पर दिया जाता है। फिलहाल अधिकारियों का प्रशिक्षण नागपुर के राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय में दिया जाता है। वर्ष 1956 में स्थापित होने से बाद से यहां अब तक 13794 अग्निशमन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें 12 देशों के 71 विदेशी प्रशिक्षु भी शामिल हैं।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध तथा न्याय विज्ञान संस्थान

राष्ट्रीय अपराध तथा न्याय विज्ञान संस्थान (एमएचए) की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मशती समारोहों के मद्देनजर 3 अक्टूबर 2003 को इस संस्थान का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध तथा न्याय विज्ञान संस्थान कर दिया गया। यहां मानवीय और शांतिपूर्ण तरीके से अपराधों के रहस्य सुलझाने की दिशा में नियमित शोध किए जाते हैं। इसे आपराधिक न्याय प्रणाली के अधिकारियों के प्रशिक्षण का नोडल संस्थान बनाया गया है।

शिक्षण कार्यक्रम/प्रशिक्षण एवं अनुसंधान : यह संस्थान दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध है। यह अपराध विज्ञान और अपराध जांच विज्ञान में स्नातकोत्तर-कला/स्नातकोत्तर- विज्ञान पाठ्यक्रम चलाता है। ये पाठ्यक्रम 3 अगस्त 2004 से शुरू किए गए हैं। बायोरोबोट जैसे आधुनिकतम उपकरणों से लैस एक डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।

वैयक्तिक कानून

देश में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग रहते हैं। उनके पारिवारिक मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि के लिए अलग-अलग तरह के वैयक्तिक कानून हैं।

विवाह

अलग-अलग धर्मों के लोगों के लिए विवाह और/ अथवा तलाक विषयक कानून भिन्न-भिन्न अधिनियमों में उल्लिखित हैं। ये हैं-

धर्मांतरण विवाह विच्छेद अधिनियम, 1866

भारतीय तलाक अधिनियम, 1869

भारतीय ईसाई विवाह कानून, 1872

काजी अधिनियम, 1880

आनंद विवाह अधिनियम, 1909

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925

बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929

पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम, 1936

मुस्लिम विवाह भंग अधिनियम, 1939

विशेष विवाह अधिनियम, 1954

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 और

मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 जम्मू-कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू है, लेकिन यह देश के उन नागरिकों पर लागू होता है जो जम्मू-कश्मीर में रह रहे हैं। जिन व्यक्तियों पर यह अधिनियम लागू होता है, वे इस अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट तौर पर विवाह का पंजीकरण करवा सकते हैं, भले ही वे अलग-अलग धर्मों के मानने वाले क्यों न हों। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि किसी अन्य तरीके से संपन्न विवाह यदि इस अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप है तो ऐसे विवाह को विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है। हाल ही में अधिनियम की धारा 4 (बी) (तीन) में संशोधन कर 'अथवा मिरगी' शब्द हटा दिया गया है। इस कानून की धारा 36 और धारा 38 में भी संशोधन कर यह व्यवस्था की गई है कि नाबालिग बच्चे के पालन-पोषण और शिक्षा के मुकदमे को नोटिस मिलने की तिथि से 60 दिनों के अंदर निपटा लिया जाएगा।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में हिंदुओं के विवाह से संबंधित पारंपरिक कानूनों को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया है। यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है।

यह अधिनियम उन हिंदुओं पर लागू होता है जो ऐसे राज्यों में रहते हों जहां यह अधिनियम लागू नहीं है। इसके अतिरिक्त यह सभी प्रकार के हिंदुओं और बौद्ध, सिख, जैन पर भी लागू होता है। इनमें वे सभी शामिल हैं जो अपने आपको मुसलिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं मानते, किंतु यह अधिनियम तब तक किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होता, जब तक सरकार अपने गजट में उन्हें अधिसूचित न करे या अन्य निर्देश न दे।

तलाक संबंधी व्यवस्थाएं हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में और विशेष विवाह अधिनियम की धारा 27 में दी गई हैं। इन अधिनियमों के अधीन पति या पत्नी द्वारा जिन सामान्य आधारों पर विवाह के विच्छेद की मांग की जा सकती है, वे इन प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत हैं— व्याभिचार, क्रूरता, विकृत मन, रति रोग, कुष्ठ रोग, परस्पर सहमति और जीवित रहने के बारे में सात वर्षों तक नहीं सुना सकता।

जहां तक ईसाई धर्म का संबंध है, उनके विवाह और तलाक संबंधी व्यवस्थाएं क्रमशः भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10 में हैं। इस धारा के अनुसार, कोई पति इस आधार पर तलाक की मांग कर सकता है कि उसकी पत्नी व्यभिचारीणी है, जबकि पत्नी इस आधार पर तलाक की मांग कर सकती है कि उसके पति ने धर्म परिवर्तन कर लिया है या उसने दूसरी स्त्री से शादी कर ली है या वह (क) पारिवारिक व्यभिचार, (ख) व्यभिचार सहित द्विविवाह, (ग) किसी अन्य व्यभिचारी स्त्री से विवाह, (घ) बलात्कार, गुदा-मैथुन या पशुगमन, (च) ऐसी क्रूरता से युक्त व्यभिचार, जो व्यभिचार के बिना भी पत्नी को तलाक मांगने की अधिकारिणी बना देता है—ए मेंसा एटोरो (यह रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा बनाई गई विवाह-विच्छेद की एक ऐसी पद्धति है जो व्यभिचार, दोषपूर्ण आचरण, क्रूरता, पाखंड, धर्मविमुखता आदि के आधार पर न्यायिक पृथक्करण के समकक्ष है), और (छ) दो वर्ष या इससे अधिक समय से युक्तिसंगत कारण के बिना परित्याग सहित व्यभिचार का दोषी है।

तलाक के मामले में महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण प्रावधानों को हटाने के लिए भारतीय तलाक (संशोधन) अधिनियम, 2001 के जरिए भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 में व्यापक संशोधन किए गए। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम की धारा 36 और 41 में विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 2001 के जरिए संशोधन किया गया, ताकि गुजारा खर्चा अथवा नाबालिग बच्चों के भरण-पोषण और शिक्षा व्यय के वहन के लिए दी जाने वाली याचिका का निपटारा प्रतिवादी को नोटिस दिए जाने के 60 दिनों के भीतर किया जा सके।

जहां तक मुसलमानों का प्रश्न है, देश में विवाह से संबंधित प्रचलित मुस्लिम कानून उन पर लागू होता है। जहां तक उनके तलाक का संबंध है, मुस्लिम पत्नी को तलाक के बहुत सीमित अधिकार प्राप्त हैं। अलिखित और पारंपरिक कानूनों में निम्नलिखित रूपों में तलाक की मांग करने की इजाजत देकर उसकी स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है—(क) तलाके-तौफिद : यह तलाक का एक रूप है जिसके अनुसार पति अपने तलाक का अधिकार अपनी शादी के इकरारनामे में पत्नी को सौंप देता है। इस स्थिति में अन्य बातों के अतिरिक्त यह शर्त भी हो सकती है कि पति द्वारा दूसरी शादी कर लेने पर उसकी पहली पत्नी को तलाक ले लेने का अधिकार होगा। (ख) खुला : इसके अनुसार पति-पत्नी आपस में विवाह के लिए किए गए समझौते को समाप्त कर तलाक ले लेते हैं। इस पद्धति में पत्नी तलाक लेने के लिए आम तौर पर पति से अपना मेहर नहीं मांगती है। तलाक लेने की शर्तें आपस में तय की जाती हैं। (ग) मुबारत : यह आपसी रजामंदी का तलाक होता है।

साथ ही, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 द्वारा मुस्लिम पत्नी को निम्नलिखित आधारों

पर तलाक पाने का अधिकार दिया गया है—(1) चार वर्षों से पति के संबंध में कोई जानकारी न हो, (2) पति दो वर्ष से उसका भरण-पोषण नहीं कर रहा हो, (3) पति को सात वर्ष या उससे अधिक का कारावास दे दिया गया हो, (4) किसी समुचित कारण के बिना पति तीन वर्ष से अपने वैवाहिक दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रहा हो, (5) पति नपुंसक हो, (6) पति दो वर्ष से पागल हो, (7) पति कुष्ठ रोग या उग्र रति रोग से पीड़ित हो, (8) उस (पत्नी) की शादी 15 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो चुकी हो और उसने पति के साथ सहवास न किया हो, और (9) पति का व्यवहार क्रूर रहा हो।

पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 पारसियों के वैवाहिक संबंधों के बारे में है। इस अधिनियम में 'पारसी' शब्द को 'जरथुष्टपंथी पारसी' के रूप में परिभाषित किया गया है। जरथुष्टपंथी वह होता है जो जरथुष्ट धर्म को मानता है। यह नस्ल का द्योतक है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक विवाह और तलाक को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत कराना आवश्यक है लेकिन इस प्रक्रिया का पालन न करने से विवाह गैर कानूनी नहीं होता। अधिनियम में केवल एकल विवाह की व्यवस्था है। पारसी विवाह और तलाक (संशोधन) अधिनियम, 1988 के तहत पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 के कुछ प्रावधानों का विस्तार कर उन्हें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुरूप बना दिया गया है। इस अधिनियम की धारा 39 और धारा 49 में विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा संशोधन कर यह व्यवस्था की गई है कि मुकदमे के दौरान निर्वाह और नाबालिग बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता संबंधी याचिका पर प्रतिवादी, पति अथवा पत्नी, को नोटिस मिलने की तिथि से 60 दिनों के अंदर फैसला घोषित कर दिया जाएगा।

यहूदियों के वैवाहिक कानूनों के बारे में देश में कोई संहिताबद्ध विधि नहीं है। आज भी वे अपने धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। वे लोग विवाह को सिविल संविदा न मानकर, दो व्यक्तियों के बीच स्थापित ऐसा संबंध मानते हैं जिनमें अत्यंत पवित्र कर्तव्यों का पालन करना होता है। इसमें भी पर पुरुषगमन या पर स्त्री गमन अथवा क्रूर व्यवहार किए जाने पर न्यायालय के माध्यम से तलाक दिया जा लिया जा सकता है। उनमें भी एक विवाह का ही प्रचलन है।

बाल विवाह

वर्ष 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम में 1978 में संशोधन कर, विवाह के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और स्त्री की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। यह संशोधन, एक अक्टूबर, 1978 से लागू है।

दत्तक ग्रहण

यद्यपि गोद लेने का कोई सामान्य कानून नहीं है, फिर भी हिंदुओं में हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 द्वारा तथा कुछ समुदायों में उनकी प्रथा के अनुसार इसकी स्वीकृति दी गई है। मुसलमानों, ईसाई और पारसियों में दत्तक विधि नहीं है। उन्हें इसके लिए संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के तहत अदालत में जाना पड़ता है। ये तीनों धर्मावलंबी उक्त अधिनियम के अधीन पालन-पोषण के लिए ही किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। ऐसे बच्चे को वयस्क हो जाने पर अपने प्रतिपालक से सभी संबंध तोड़ लेने का अधिकार है। ऐसे बच्चे को विरासत का कानूनी अधिकार नहीं दिया गया है। जो विदेशी नागरिक भारतीय बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त अधिनियम के अधीन न्यायालय में आवेदन करना पड़ता है।

दत्तक ग्रहण संबंधी हिंदू कानून को हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 द्वारा

संशोधित और संहिताबद्ध किया गया है जिसके अंतर्गत कानूनी तौर पर सक्षम हिंदू पुरुष या स्त्री किसी बालक या बालिका को गोद ले सकता है। पारिवारिक कानून के अन्य पहलुओं की भांति किसी अवयस्क बालक के संरक्षण के संबंध में कोई समान कानून नहीं है। इसके लिए तीन विभिन्न कानूनी पद्धतियां (हिंदू विधि, मुस्लिम विधि और संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890) प्रचलित हैं। संरक्षक तीन प्रकार के हो सकते हैं- नैसर्गिक संरक्षक, वसीयती संरक्षक और न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक। संरक्षण से जुड़े नहसंपत्ति। प्रायः दोनों एक ही व्यक्ति को नहीं सौंपी जाती।

अल्पवयस्कता और संरक्षकता से संबद्ध हिंदू कानूनों को हिंदू अल्पवयस्क और संरक्षण अधिनियम, 1956 द्वारा संहिताबद्ध किया गया है। असंहिताबद्ध कानून की स्थिति में इसमें भी पिता के श्रेष्ठ अधिकार को कायम रखा गया है। इसमें कहा गया है कि बालक 18 वर्ष की आयु तक अवयस्क रहता है। पुत्रों और अविवाहित पुत्रियों, दोनों का नैसर्गिक संरक्षक पहले पिता है और इसके बाद माता। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की संरक्षकता के मामले में ही मां का अधिकार प्रथम माना गया है। अवैध बच्चों के मामले में मां को कथित पिता से बेहतर अधिकार प्राप्त हैं। इस अधिनियम के अनुसार, बच्चे के शरीर और उसकी संपत्ति में कोई अंतर नहीं रखा गया है। अतः संरक्षकता का अभिप्राय इन दोनों पर नियंत्रण है।

मुस्लिम कानून में पिता को प्रधानता दी गई है। इसके अंतर्गत संरक्षक और अभिरक्षक में भी अंतर किया गया है। संरक्षक का संबंध प्रायः संपत्ति 'संपत्ति के संरक्षक' से होता है। सुन्नियों के अनुसार, यह अधिकार पहले पिता का है, उसकी अनुपस्थिति में उसके निष्पादक का है। यदि पिता ने कोई निष्पादक नियुक्त नहीं किया है तो संरक्षक का अधिकार दादा को मिलता है, निष्पादक को नहीं। फिर भी दोनों विचारधाराओं के विद्वान इस बात से सहमत हैं कि जीवित रहने पर पिता ही एकमात्र संरक्षक है। पिता की मृत्यु के बाद भी मां को नैसर्गिक संरक्षक नहीं माना जाता।

जहां तक नैसर्गिक संरक्षक के अधिकारों का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिता का अधिकार संपत्ति और शरीर दोनों पर होता है। अगर अवयस्क बालक मां की अभिरक्षा में है तो भी देखभाल और नियंत्रण का सामान्य अधिकार पिता को प्राप्त रहता है किंतु पिता की मृत्यु के बाद मां को संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार भले ही मां को नैसर्गिक संरक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त न हो, फिर भी पिता की वसीयत के अंतर्गत उसे संरक्षक नियुक्त किए जाने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है।

मुस्लिम कानून के अनुसार, अवयस्क बालक की अभिरक्षा (हिजानत) का पूरा अधिकार मां को है। पिता भी इस अधिकार से उसे वंचित नहीं कर सकता। अनाचार के आधार पर मां को इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है। किस आयु में मां का अभिरक्षण समाप्त हो जाता है, इस बारे में शिया संप्रदाय का मत है कि हिजानत पर मां का अधिकार केवल स्तनपान कराने की अवधि तक होता है। अतः बच्चे की दो वर्ष की आयु होने पर उसका यह अधिकार तब तक रहता है, जब तक लड़की सात वर्ष की न हो जाए जबकि हनफी विचार के अनुसार, उसे यह अधिकार लड़की की किशोरावस्था आरंभ होने तक प्राप्त रहता है।

संरक्षकों और प्रतिपालकों के बारे में सामान्य कानून संरक्षक और प्रतिपालक अधिनियम, 1890 में उल्लिखित हैं। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि पिता का अधिकार प्रधान है और संरक्षक या प्रतिपालक के रूप में अन्य कोई व्यक्ति तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता, जब तक पिता अयोग्य न पाया जाए। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि न्यायालय को इस अधिनियम के अनुसार, संरक्षक नियुक्त करते समय बच्चे की भलाई को ध्यान में रखना चाहिए।

भरण-पोषण

अपनी पत्नी के भरण-पोषण की पति की जिम्मेदारी विवाह से संपन्न होती है। भरण-पोषण का अधिकार वैयक्तिक कानून के तहत आता है।

अपराध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का दो) के अनुसार, गुजारा (निर्वहन) का अधिकार पत्नी और आश्रित संतानों को ही नहीं, अपितु निर्धन माता-पिता और तलाकशुदा पत्नियों को भी दिया गया है। परंतु पत्नी आदि का दावा पति के पास उपलब्ध साधन पर निर्भर करता है। सभी आश्रित व्यक्तियों के भरण-पोषण का दावा 500 रुपए प्रतिमाह तक सीमित रखा गया है, किंतु अपराध दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का 50वां) के अनुसार, यह सीमा हटा दी गई है। इस संहिता के अंतर्गत भरण पोषण के अधिकार को शामिल करने से बड़ा लाभ यह हुआ है कि भरण पोषण की राशि जल्दी और कम खर्च में मिलने लगी है। वे तलाकशुदा पत्नियां, जिन्हें परंपरागत वैयक्तिक कानून के अंतर्गत गुजारा राशि मिलती है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण की राशि पाने की अधिकारिणी नहीं हैं।

हिंदू कानून के अनुसार, पत्नी को अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है लेकिन अगर वह पतिव्रता नहीं रहती हैं, तो वह अपने इस अधिकार से वंचित हो जाती हैं। भरण पोषण का उसका अधिकार हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, 1956 में संहिताबद्ध है। भरण पोषण की रकम निर्धारित करते समय न्यायालय अनेक बातों को ध्यान में रखता है, जैसे पिता की आर्थिक स्थिति और देनदारियां। न्यायालय इस बात का भी निर्णय करता है कि पत्नी का पति से पृथक रहना न्यायसंगत है या नहीं। न्यायसंगत मानने योग्य कारण इस अधिनियम में उल्लिखित हैं। मुकदमा चलाने की अवधि के दौरान भरण पोषण, निर्वाह व्यय और विवाह संबंधी मुकदमे के खर्च का भी वहन या तो पति द्वारा किया जाएगा या पत्नी द्वारा, बशर्ते दूसरे पक्ष, पति या पत्नी की कोई स्वतंत्र आय नहीं हो। स्थायी भरण पोषण के भुगतान के बारे में भी यही सिद्धांत लागू होगा।

तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के हितों के संरक्षण तथा तलाक संबंधी बातों के लिए मुसलिम महिला (तलाक संबंधी अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 में व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के तहत मुस्लिम महिलाओं को दूसरी बातों के अलावा ये अधिकार भी प्राप्त हैं- (क) 'इद्दत' की अवधि के दौरान पूर्वपति से उचित और न्यायसंगत निर्वाह भत्ता पाने का अधिकार, (ख) यदि तलाक के पहले या बाद जन्म लिए बच्चों का भरण पोषण तलाकशुदा महिला खुद करती है तो उसके पूर्व पति द्वारा उसे उचित और न्यायसंगत निर्वाह भत्ता बच्चे की जन्म की तिथि से दो साल तक मिलेगा, (ग) 'मेहर' की राशि या स्त्री धन, जो भी मुस्लिम कानून के अनुसार, विवाह के अवसर पर या बाद में, पत्नी को देने का निश्चय हुआ हो, उतनी राशि तलाकशुदा महिला को मिलेगी, और (घ) तलाकशुदा महिला उस पूरी संपत्ति की अधिकारिणी होगी जो विवाह पूर्व, विवाह के समय या विवाह के बाद उसे उसे सगे-संबंधियों, मित्रों या पति के रिश्तेदारों ने दी होगी।

इद्दत के बाद अपना भरण पोषण न कर सकने वाली तलाकशुदा मुस्लिम महिला के लिए भी इस कानून में प्रावधान हैं। इसके अनुसार, मजिस्ट्रेट ऐसी महिला की संपत्ति के वारिसों को आदेश दे सकता है कि वे उस महिला को उचित और न्यायसंगत निर्वाह भत्ता दें। ऐसा आदेश देते समय मजिस्ट्रेट महिला की आवश्यकताओं, उसके विवाहित जीवन के स्तर और वारिसों की आय को ध्यान में रखेगा। यह निर्वाह भत्ता वारिसों द्वारा उसी अनुपात में दिया जाएगा जिस अनुपात में वे उस महिला की संपत्ति के उत्तराधिकार बनेंगे। वे लोग उसे उस अवधि तक निर्वाह भत्ता देते रहेंगे, जितनी अवधि का जिक्र मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में किया होगा।

अगर उस महिला के बच्चे हैं तो मजिस्ट्रेट केवल बच्चों को ही निर्वाह भत्ता देने के लिए कहेगा, लेकिन बच्चों को भत्ता न दे सकने की स्थिति में वह तलाकशुदा महिला के माता-पिता आदेश देगा कि वह उसे निर्वाह भत्ता दें।

यदि महिला के रिश्तेदार न हों या वे महिला का भरण पोषण करने में असमर्थ हों तो मजिस्ट्रेट वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 13 के तहत उचित निर्वाह भत्ता देने का आदेश उस महिला से संबंधित राज्य के वक्फ बोर्ड को देगा।

पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 में पत्नी को मुकदमे के दौरान गुजारा भत्ता एवं स्थायी गुजारा भत्ता देने का प्रावधान है। जिस अवधि के दौरान विवाह से संबंधित मुकदमा न्यायालय में चलता है, उसके लिए न्यायालय पत्नी को अधिकतम रकम जोकि पति की शुद्ध आय का पांचवा भाग तक होती है, दिला सकता है। न्यायालय स्थायी भरण पोषण की राशि तय करने के दौरान पति की उचित भुगतान क्षमता, पत्नी की अपनी संपत्ति और दोनों पक्षों के आचरण को ध्यान में रखेगा। यह आदेश तब तक लागू रहेगा, जब तक पत्नी पतिव्रता रहती है और दूसरी शादी नहीं करती।

ईसाई महिलाओं के भरण पोषण के अधिकारों के बारे में भारतीय तलाक अधिनियम 1869 में प्रावधान किए गए हैं। इस कानून में वैसे ही प्रावधान हैं जैसे पारसी कानून के अंतर्गत हैं। भरण पोषण, मुकदमे के दौरान निर्वाह व्यय एवं स्थायी निर्वाह व्यय- दोनों को स्वीकृत करते समय भी पारसी कानून की सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है।

उत्तराधिकार

वर्ष 1925 में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य उन सभी कानूनों को समन्वित करना था, जो उस समय अस्तित्व में थे। मुसलमानों और हिंदुओं के उत्तराधिकार के विषय में लागू होने वाले कानूनों को इस अधिनियम से अलग रखा गया था। उत्तराधिकार संबंधी कानूनों को समन्वित करते समय दो स्पष्ट योजनाओं को अपनाया गया। पहला भारतीय ईसाइयों, यहूदियों और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन विवाहित व्यक्तियों के संपत्ति-उत्तराधिकार के बारे में और दूसरा पारसियों के उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों के बारे में।

पहली योजना में, अर्थात् उन लोगों के संदर्भ में जो पारसी नहीं हैं, प्रावधान था कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु वसीयत लिखने से पहले हो जाती है और उसकी विधवा एवं उसके खानदान के लोग जीवित हैं तो विधवा पति की एक तिहाई संपत्ति के निश्चित भाग की अधिकारिणी होगी और बाकी उत्तराधिकारी बचे हुए दो तिहाई भाग के अधिकारी होंगे। विधवा के अधिकारों को बेहतर बनाने के लिए इस कानून में संशोधन किया गया और उसमें बाद में प्रावधान किया गया कि जिस व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत लिखे हो जाती है, उसकी विधवा जीवित हो, खानदान में कोई न हो और संपत्ति का शुद्ध मूल्य 5000 रुपए से अधिक न हो तो वह पूरी संपत्ति की अधिकारिणी होगी। यदि संपत्ति का मूल्य 5000 रुपए से अधिक होगा तो वह 5000 रुपए पर चार प्रतिशत ब्याज की अधिकारिणी होगी और शेष संपत्ति में वह अपने भाग की अधिकारिणी होगी। यह अधिनियम किसी व्यक्ति पर अपनी संपत्ति की वसीयत करने के मामले में कोई प्रतिबंध नहीं लगाता।

इस कानून की दूसरी योजना में पारसी बेवसीयती उत्तराधिकार के लिए प्रावधान है। भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 का 51 वां) द्वारा उक्त अधिनियम को इस प्रकार संशोधित किया गया है कि पुत्रों और पुत्रियों- दोनों को अपने पिता अथवा माता की संपत्ति का समान

हिस्सा मिले। इसमें यह भी प्रावधान है कि पारसी अपनी संपत्ति धार्मिक या दान संबंधी कार्यों के लिए दे सकते हैं। इस पर कोई रोक नहीं है। इस कानून के अनुसार, जब कोई पारसी वसीयत किए बिना अपने पीछे विधवा/विधुर और बच्चे छोड़कर मर जाता/जाती है तो संपत्ति इस प्रकार वितरित की जाएगी कि विधवा/विधुर और हर बच्चे को समान हिस्सा मिले। इसके अतिरिक्त अगर किसी पारसी की मृत्यु अपने बच्चों और विधवा/विधुर के अतिरिक्त अपने पीछे माता या पिता या माता-पिता, दोनों को छोड़ जाने की स्थिति में हो जाती है तो माता या पिता या दोनों को बच्चे के हिस्से का आधा भाग मिलेगा।

इस कानून में भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) कानून 2002 द्वारा संशोधन किया गया है। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि इस कानून की धारा 32 में विधवाओं के प्रति भेदभाव किया जाता है। इस भेदभाव को दूर करने के लिए धारा 32 में वर्णित उपबंध हटा दिया गया है। इस संशोधित कानून द्वारा धारा 213 में भी संशोधन कर ईसाइयों को दूसरे धर्मावलंबियों के समान कर दिया गया है।

वेवसीयत हिंदू संपत्ति के बारे में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (1956 का 30वां) को संहिताबद्ध किया गया है। यह जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है। इस कानून की यह विशेषता है कि अगर किसी व्यक्ति की बिना वसीयत लिखे मृत्यु हो जाती है तो इसमें महिलाओं को भी पुरुषों के समान उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया है।

भारत में अधिसंख्य मुसलमान सुन्नी कानून के हनफी सिद्धांत को मानते हैं। अदालतें भी यह मानती हैं कि अगर इसके विपरीत कुछ नहीं कहा गया तो हनफी कानून ही लागू होगा। हालांकि शिया और सुन्नी कानून के सिद्धांतों में बहुत समानता है लेकिन कुछ मतभेद भी हैं। सुन्नी कानून कुरान के उत्तराधिकार की आयतों को इस्लाम के पहले के रीति-रिवाजों के अनुरूप मानता है और पुरुषों को प्रमुखता देता है। हिंदू और ईसाई कानून के विपरीत मुसलिम कानून वसीयत लिखने पर प्रतिबंध लगाता है। कोई मुसलमान अपनी संपत्ति का एक तिहाई भाग वसीयत में दे सकता है। वह अपने उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना वसीयत लिखकर किसी अनजान व्यक्ति को भी अपनी संपत्ति का एक तिहाई भाग दे सकता है। लेकिन अपने एक उत्तराधिकारी को अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना वह कुछ देगा, वह कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। वसीयत पर उत्तराधिकारियों की सहमति होने पर भी वसीयत लिखने वाले की मृत्यु होने के बाद मुकरा जा सकता है। शिया कानून के अनुसार, संपत्ति का एक तिहाई भाग वसीयत द्वारा किसी को भी दिया जा सकता है।

21. श्रम

भारत में श्रम नीति नियोजित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हुई है और इसके दो प्रमुख उद्देश्य रहे हैं—औद्योगिक शांति बनाए रखना और श्रमिक के कल्याण को हर हाल में प्रोत्साहन देना।

श्रम सुधार

श्रम सुधारों का वास्तव में अर्थ है देश में उत्पादन, उत्पादकता तथा रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए कदम उठाना और साथ ही श्रमिकों के हितों की पूरी रक्षा करना। मुख्य रूप से श्रम सुधार का अर्थ है श्रमिकों की कार्यकुशलता का विकास करना, उन्हें बार-बार प्रशिक्षण देना, उनकी पुनः तैनाती करना, श्रमिक-अध्यापकों की जानकारी अपडेट करना, नेतृत्व के गुण विकसित करना इत्यादि। श्रम सुधारों में श्रमिक कानूनों का सुधार भी शामिल है। श्रमिक कानूनों में बदलाव (परिवर्तन-संशोधन) भी इस प्रकार किए जाते हैं कि श्रमिकों के हित सुरक्षित रहें। विभिन्न श्रमिक कानूनों पर संक्षिप्त टिप्पणियां आगे दी गई हैं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में केंद्र और राज्य सरकारों के अंतर्गत अनुसूचित रोजगारों में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण, समीक्षा, संशोधन और क्रियान्वयन की व्यवस्था है। केंद्र के अधीन अनुसूचित रोजगारों की संख्या 46 है, जबकि राज्य क्षेत्र में यह संख्या 1596 है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में स्त्री पुरुष के बीच न्यूनतम मजदूरी या लिंग में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता है। अधिनियम की सारी सुविधाएं स्त्री-पुरुष मजदूरों पर एक समान लागू होती हैं।

मजदूरों को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ता लागू किया है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा है। यह महंगाई भत्ता हर छह महीने बाद, पहली अप्रैल और पहली अक्टूबर को संशोधित किया जाता है। अभी तक 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने न्यूनतम मजदूरी के घटक के रूप में परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की व्यवस्था अपनाई है। केन्द्र और राज्य सरकार समय-समय सूचीबद्ध रोजगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करते रहते हैं। परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में साल में दो बार अप्रैल और अक्टूबर में समयबद्ध संशोधन का प्रावधान है। इसके तहत पहली अप्रैल, 2009 को मूल्यों में संशोधन किया गया।

राष्ट्रीय बुनियादी न्यूनतम मजदूरी

देश में एक समान मजदूरी ढांचा बनाने और न्यूनतम मजदूरी में असमानता को एक कम करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग की सिफारिश पर 1991 में राष्ट्रीय बुनियादी न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा शुरू की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग सिफारिश पर 1996 में न्यूनतम मजदूरी 35 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई। 1998 में केन्द्रीय राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ने राष्ट्रीय बुनियादी न्यूनतम मजदूरी 40 रुपये प्रतिदिन कर दी। 1.12.1999 सुझाए गए मुद्दों में 45 रुपये और 1.09.2002 को यह दर 50 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है।

कार्यकारी बुनियादी समूह द्वारा सुझाए गए मुद्दों पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक 19.12.2003 हुई। इनकी सलाह को मानते हुए राष्ट्रीय बुनियादी न्यूनतम मजदूरी 1 फरवरी 2004 को 66 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बढ़ने के कारण केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बुनियादी न्यूनतम मजदूरी को 1.9.2007 से 66 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रतिमाह कर दिया है।

यह भी स्पष्ट किया है कि विभिन्न राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश राष्ट्रीय भू-स्तरीय न्यूनतम मजदूरी की मात्रा अधिकता की ओर ही संशोधित होना कानून के दायरे में नहीं है। इसलिए राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी देने के लिए राजी कर लिया है। इसमें वह मजदूर भी शामिल हैं जो सूचीबद्ध कामगार हैं जिन्हें राष्ट्रीय भू-स्तरीय न्यूनतम मजदूरी मिल रही थी।

नई पहल

22.1.2008 और 26.6.2008 को हुई बैठक में न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक अधिसूचना राष्ट्रीय राजपत्र (अतिरिक्त) में प्रकाशित की। इस अधिसूचना में न्यूनतम मजदूरी सूचीबद्ध मजदूर को देना तय किया है।

रोजगार, “झाड़ू एवं सफाई” के लिए नियुक्त केन्द्रीय घटक को 120 रुपये, 150 रुपए और 180 रुपए प्रतिदिन, “निगरानी और रखवाली” गैर शस्त्रधारी कर्मचारियों के लिए 120 रुपया, 150 रुपया, 180 रुपया प्रतिदिन और सशस्त्र को 140 रु., 170 रु. और 200 रु. प्रतिदिन क्रमांक सी, बी, और ए क्षेत्रों में विभाजित किया है। अधिसूचना में न्यूनतम मजदूरी मूल्य को संशोधित करने की सिफारिश की है। “निर्माण स्थल” और “चढ़ाने और उतारने” के केन्द्रीय घटक में रु. 120, 150 रु. प्रतिदिन गैर प्रशिक्षित कामगारों को एवं 180 रुपये और 200 रुपया, 220 रुपया और 240 रुपया प्रतिदिन ‘ए’, बी और सी क्षेत्रों के अनुसार दिया जायेगा। जबकि कामगारों में जो ‘गैर खदान’ में केन्द्रीय घटक गैर प्रशिक्षित और जमीन के ऊपर काम करने वाले कारीगरों को 120 रुपया और 240 रुपया प्रतिदिन और खदान में काम करने वाले प्रशिक्षित कामगारों को 240 रुपये मजदूर प्रतिदिन दिया जाता है।”

वेतन भुगतान अधिनियम, 1936

वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को उनके मालिक/नियोक्ता निर्धारित समय-सीमा में वेतन का भुगतान कर दें और कानून द्वारा अधिकृत कटौतियों के अलावा कोई और कटौती न करें। अभी इस कानून में मजदूर कवर होते हैं, जिनका मासिक वेतन 1600 रुपये से ज्यादा नहीं है। वेतन-सीमा बढ़ाकर 6500 रुपये प्रतिमाह कर दिया, भविष्य में केंद्र सरकार को अधिसूचना द्वारा वेतन सीमा बढ़ाने का अधिकार तथा पैनल के प्रावधानों को बढ़ाने के उद्देश्य से वेतन भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2005 संसद दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तथा इसे विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 के अधिनियम 41 के रूप में 6 सितंबर, 2005 को अधिसूचित कर दिया गया है। वेतन भुगतान (संशोधन) नियम, 2005 को 9 नवंबर, 2005 से प्रभावी बनाने के लिए श्रम तथा रोजगार मंत्रालय ने सूचना एस.ओ. 1577(ई) जारी की। क्षमता प्रदान करने के अभ्यास के उपधारा (6) के धारा 1 के अधिनियम में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण में मूलभूत आंकड़े लिये हैं। उन्होंने मजदूरी की सीमा बढ़ाकर 10,000 प्रतिमाह कर दिया। 8 अगस्त, 2007 के राजपत्र अधिसूचना संख्या ए.ओ. 1380 (ई) में यह प्रकाशित हुआ है।

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में फैक्टरी के और अन्य संस्थानों में जहां 20 से अधिक कामगार या

व्यक्ति हो उन्हें बोनस का भुगतान करने का प्रावधान है। वह प्रत्येक उद्योग और प्रतिष्ठान जो धारा 10 के अंतर्गत आता है वह न्यूनतम 8.33 प्रतिशत बोनस प्रदान करेगा। धारा 11 एवं 31 ए के तहत अधिकतम बोनस उत्पादकता पर भी आधारित चालू वित्त वर्ष में 20 प्रतिशत वेतन मजदूरी से अधिक नहीं होना चाहिए।

परिणामस्वरूप पुनः विचार विमर्श हेतु 40 वां एवं 41वां भारतीय श्रम अधिवेशन (आई एस सी) आयोजित हुआ। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 को संशोधित कर योग्यता की क्षमता बढ़ना और वेतन सीमा की गणना, नियोक्ता के प्रतिनिधियों और भवन निर्माण कार्यों में ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कामगारों को भी बोनस देने का प्रावधान है। यह 13 दिसंबर, 2007 के बोनस के भुगतान (संशोधित) अधिनियम 2007 (2007 के 45वें अध्याय में अधिसूचित किया गया) परिणामस्वरूप योग्यता का दायरा बढ़ा कर 3,500 से 10,000 प्रतिमाह और वेतन सीमा की गणना को 2500 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये प्रतिमाह करने पर आम सहमति जताई। यह संशोधित धारा 2(13) और 12 के अंतर्गत है। बोनस भुगतान 1965 के धारा 32 (vi) को हटाया गया जिससे भवन निर्माण कार्य में नियोक्ता, मजदूर और ठेकेदार द्वारा नियुक्त मजदूर 1.4.2006 के संशोधन लागू होने कारण बोनस के हकदार होंगे।

वेतन आयोग

1950 और 1960 के दशकों में, जब संगठित श्रम क्षेत्र अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, तब न तो पर्याप्त मजदूर यूनियन थीं और न मजदूर संघों के पास अपने हितों की रक्षा के लिए बातचीत के लिए जोर डालने की पूरी ताकत ही थी। वेतन निर्धारण को लेकर उठने वाली समस्याओं को देखते हुए सरकार ने विभिन्न वेतन आयोगों का गठन किया। वेतन आयोग त्रिपक्षीय होते हैं। इनमें श्रमिकों तथा नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ-साथ स्वतंत्र सदस्य भी शामिल रहते हैं और सिफारिशों को अंतिम रूप देते हैं। इन आयोगों की उपयोगिता और इनका योगदान आज के संदर्भ में विवादरहित नहीं है। समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के पत्रकार तथा गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए गठित वेतन आयोग को छोड़कर अन्य सभी वेतन आयोग गैर संवैधानिक हैं।

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अनुशंसा की कि किसी भी उद्योग में श्रमिकों के लिए वेतन दरें निर्धारित करने हेतु किसी भी प्रकार के वेतन आयोग (संवैधानिक या अन्य) की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि सरकार ने संवैधानिक वेतन आयोग यथा श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार कर्मचारी (सेवा शर्त) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 के तहत श्रमजीवी पत्रकारों तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए गठित वेतन बोर्ड के संबंध में उपर्युक्त सिफारिश को न मानने का निर्णय लिया है।

श्रमजीवी पत्रकारों और समाचार प्रतिष्ठान में कार्यरत अन्य लोगों के लिए वेतन आयोग

श्रमजीवी पत्रकारों और समाचार प्रतिष्ठानों में कार्यरत अन्य लोगों की सेवा-शर्तें 'श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा शर्त) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1955' द्वारा नियंत्रित होती हैं। इस अधिनियम में समाचार-पत्र/समाचार एजेंसियों में काम करने वाले श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार कर्मचारियों के बारे में वेतन-दरें तय करने तथा उन्हें संशोधित करने के लिए वेतन आयोगों के गठन का प्रावधान है। अब तक 1956, 1963, 1975 और 1985 में वेतन आयोगों का गठन किया जा चुका है। अंतिम वेतन आयोग अर्थात् मणिसाना वेतन का गठन वर्ष 1994 में किया गया था, इसने 25 जुलाई, 2000 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी।

सरकार ने धारा 9 और 13 सी के अंतर्गत दो नए वेतन बोर्डों का गठन किया, एक सक्रिय पत्रकारों एवं दूसरा समाचार पत्रों में कार्यरत अन्य लोगों (सेवा शर्त) के लिए और विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 की अधिसूचना 24.5.07 के राष्ट्रीय राजपत्र (अतिरिक्त) में एसो क्रमांक 809 (ई) और 810 (ई) में दी गई। इसके अध्यक्ष डॉ न्यायधीश के. नारायण कुरूप हैं। इस बोर्ड के पूर्व कालिक सचिव सदस्य हैं और इसके आम स्वतंत्र सदस्य और संबंधित समाचार पत्र के तीन सदस्य हैं। तीन सदस्यी प्रतिनिधिमंडल पत्रकार वेतन बोर्ड के धारा 9 और तीन सदस्य प्रतिनिधि धारा 13 सी के तहत समाचार प्रतिष्ठान में कार्यरत अन्य लोगों के प्रतिनिधि हैं। केन्द्र सरकार को रिपोर्ट देने के लिए वेतन बोर्ड के पास तीन साल की अवधि दी गई है। इस बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली है।

वेतन बोर्ड ने अंतरिम राहत हेतु मूल वेतन का 30 प्रतिशत देने की सिफारिश की है जिसे सरकार ने अक्टूबर 2008 में स्वीकार भी कर ली है।

डॉ न्यायधीश के. नारायणना कुरूप, न्यायधीश जी.आर. मजेठिया ने 4 अप्रैल 2009 में सामान्य अध्यक्ष पद संभाल ली है।

सरकार द्वारा क्रियान्वयन की पुनरीक्षा हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम व रोजगार सलाहकार की अध्यक्षता में एक केन्द्रस्तरीय निरीक्षण समिति का गठन किया गया है। राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों ने भी निगरानी समितियां बनाई गई हैं जो वेतन बोर्डों की सिफारिशों का उचित कार्यान्वयन हो रहा या नहीं इसकी निगरानी करेगी।

ठेका मजदूर

विभिन्न प्रकार के कुशल और अर्द्धकुशल कार्यों के लिए ठेका मजदूरों को काम पर लगाने की प्रथा अधिकतर उद्योगों में प्रचलित है। कृषि और संबद्ध गतिविधियों में भी यह मौजूद है और कुछ हद तक तो सेवा-क्षेत्र में भी ठेके पर मजदूर रखे जाते हैं। ठेका मजदूर ऐसा मजदूर है जिसे किसी ठेकेदार द्वारा भाड़े पर रखा जाता है और ठेकेदार की भरपाई उपयोगकर्ता उद्यमों द्वारा की जाती है। ठेका मजदूरों के काम करने के हालात और रहन-सहन के स्तर के प्रति चिंता और स्टैंडर्ड वैक्यूम रिफ़ाइनरी कंपनी और उसके कर्मचारियों के बीच चले मुकदमे में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के बाद ठेका मजदूर (नियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 लागू किया गया था।

अधिनियम, 1970 का उद्देश्य कुछ खास प्रतिष्ठानों में ठेका श्रमिकों को काम पर रखने को नियमित करना और कुछ परिस्थितियों तथा उनसे संबद्ध मामलों में इस प्रथा का उन्मूलन करना है। यह अधिनियम और ठेका मजदूर (नियमन तथा उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971, 10 फरवरी, 1971 से लागू हुए। इस अधिनियम में इसे लागू करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए मसलों पर संबद्ध सरकारों को परामर्श देने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर ठेका श्रमिक बोर्ड गठित करने का प्रावधान है। अधिनियम में ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान और कुछ अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में विशेष प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

केंद्र और राज्य सरकारों को किसी भी प्रतिष्ठान की किसी भी गतिविधि में ठेका मजदूर रखने से रोकने का अधिकार है। उन्हें अधिनियम के प्रावधान लागू होने के कारण आपात स्थिति में प्रतिष्ठानों/ठेकेदारों को छूट देने का भी अधिकार है। केन्द्र सरकार ने 1.9.2008 तक 76 अधिसूचनाएं जारी की जिसमें ठेका मजदूरों पर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रियों में काम पर रोक लगाई है।

बाल श्रम

संवैधानिक प्रावधान

बालश्रम उन्मूलन के लिए भारत सरकार वचनबद्ध है। हमारे संविधान में बच्चों को आर्थिक गतिविधियों या उनकी आयु के अनुपयुक्त कार्यों में बचाव का प्रावधान उपलब्ध कराता है। संविधान में संवैधानिक नीति के तहत यह राज्यों के लिए यह एक कठोर नीति है कि वह बच्चों को मौलिक अधिकार प्रदान करे। इसमें यह महसूस किया गया है कि यह समस्या बहुअयामी है। सरकार ने समस्या की प्रकृति प्रथा आकार को ध्यान में रखते हुए बच्चों को खतरनाक व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में काम करने से हटाने तथा पुनर्वास करने के लिए एक सतत और क्रमिक प्रक्रिया की शुरुआत की। इस नीति के तहत कार्ययोजना बहुमुखी है जिसमें यह मूल्यरूप से कानूनी कार्यवाही, बच्चों के परिवारों के लाभ के लिए सामान्य विकास कार्यक्रम पर जोर देना तथा बालश्रम की अधिकता वाले क्षेत्रों में परियोजना के आधार पर कार्य करना शामिल है।

नीतियां

संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप बालश्रम (उन्मूलन एवं विनिमय) अधिनियम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का खतरनाक व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में काम करने पर प्रतिबंध लगाया है। यह अधिनियम गैर खतरनाक व्यवसाय की प्रक्रिया में भी प्रतिबंध लगाता है। बालश्रम के तकनीकी सलाहकार समिति ने अनुशासनों के प्रक्रिया 8 में खतरनाक व्यवसाय या वह व्यवसाय जो बच्चों के लिए खतरनाक माने जाते हैं उन्हें सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। बच्चों को गर्म (विभिन्न महकों के बीच) और सर्द; मशीनों से मछली पकड़ना, खाद्य प्रक्रिया, लकड़ी चीरना-लादना, बैवरेज उद्योग, चमड़े, प्लेट, पेंसिल, पत्थर की पिसाई एस ओ संख्या 2280 (ई) को 25.9.2008 में अधिसूचित किया गया है। अभी 16 खतरनाक व्यवसाय और 65 उद्यम हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण व्यवसाय पर प्रतिबंधित है जैसे बच्चों को घरेलू नौकर, ढाबों, रेस्टोरेंट, होटल, मोटलों, चाय की दुकान।

2001 के सूचकांक में 5-14 वर्ष आयु वर्ग के 12.6 मिलियन बच्चे काम करते हैं जिसमें 0.12 लाख बच्चे खतरनाक व्यवसाय से जुड़े हैं। 2009-2010 के 66वें दौर में एन एस एस ओ एक तुलनात्मक सर्वेक्षण करने वाले हैं, तभी बाल श्रम की तस्वीर साफ होगी।

कार्यक्रम

सरकार ने राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना 1988 के तहत काम करने वाले बच्चों के पुनर्स्थापित के योजना आरंभ की जिसमें देश के सुदूर छोरों के 13 बाल श्रमिकों को पुनर्स्थापित किया। इसमें बढ़ोतरी होते हुए देश के 271 जिलों में बढ़ाया।

राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना योजना के तहत बच्चों को काम से हटाकर विशेष स्कूलों में डाला गया जहां उन्हें अनौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, दिन का खाना के साथ स्वास्थ्य, सेवा एवं अन्य सुविधाएं दी जाती है। वर्तमान में देश भर में 10,000 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत स्कूल चल रहे हैं। इन स्कूलों में 5 लाख बच्चे पढ़ते हैं और लगभग 5.21 लाख बच्चे अब तक एनसीएसपी योजना के तहत लाभ प्राप्त कर मुख्य धारा में शामिल हो गये हैं। बच्चों के अलावा कई अन्य भी व्यवसायिक प्रशिक्षण लेकर मुख्यधारा में शामिल हो गये हैं।

नई पहल

विस्थापित और बाल तस्करी द्वारा आये बाल श्रमिकों के पुनर्वसन के लिए सरकार ने प्रलेखानुसार बचाव के उपाय, छुटकारा, प्रत्यावर्तन और पुनर्वसन के लिए राज्य सरकार अंतराष्ट्रीय मजदूर संगठन एवं गैर सरकारी संगठन एवं अन्य दावेदारों से परामर्श की।

बदलाव

गरीब और अशिक्षा बालश्रम का मूल कारण है। सरकार इस समस्या से निबटने के लिए बहुउद्देश्यीय परियोजना पर काम कर रही है। शैक्षणिक पुनर्वसन के लिए इन बाल श्रमिकों के परिवारों को आर्थिक मदद करना चाहिए जिससे वह अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए बाध्य न हों।

विधि एवं न्याय मंत्रालय, विभिन्न मंत्रालय के योजनाओं का केन्द्रीकरण करने के लिए प्रयत्नशील है। जिससे कि बाल श्रमिक और परिवार इन मंत्रालयों के विभिन्न योजना में लाभों के अंतर्गत आ सके।

अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम

दिसम्बर 1991 में अंतराष्ट्रीय श्रमिक संघ द्वारा बाल श्रम को समाप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर एक कार्यक्रम आरंभ किया। 1992 में भारत पहला देश था जो इसमें सम्मिलित हुआ। आईपीईसी बाल श्रम को समाप्त करना दूरगामी लक्ष्य प्रदान करता है और उसका तत्कालिक लक्ष्य है

- अंतराष्ट्रीय श्रम संघ की क्षमता को बढ़ाना है। गैर सरकारी संगठन का निर्माण करना, बालश्रम के कार्यक्रम को लागू करना और बाल श्रमिकों पर इसका प्रभाव।
- किसी जाति सामाजिक राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे तत्वों की पहचान करना ताकि वह बालश्रम को कम करने के लिए आदर्श काम कर सकें।
- समाज में बाल श्रम के प्रति सजगता और लामबंदी करना होगा ताकि इसका खात्मा हो सके।

इंडस परियोजना

भारत सरकार तथा अमरीकी श्रम विभाग ने भी बालश्रम उन्मूलन के लिए 40 मिलियन, अमरीकी डालर की संयुक्त परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का लक्ष्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पांच राज्यों सहित, 21 जिलों में खतरनाक उद्योगों में बालश्रम उन्मूलन करना है। यह परियोजना 31 मार्च 2009 को समाप्त हुई।

आंध्र प्रदेश परियोजना

इसके अलावा अंतराष्ट्रीय श्रम संघ ने अपनी योजना के प्रथम फेज को आंध्र प्रदेश में राज्यस्तर पर कार्यान्वित की है। फेज 2 की परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में अभी जारी है। परियोजना का केन्द्र बिन्दु आंध्र प्रदेश के सबसे ज्यादा बालश्रम प्रभावित क्षेत्र महबूब नगर और कर्लूल में सक्रिय रूप से केन्द्रित है। इस परियोजना को शहर के विभिन्न भागों में लागू किया जा रहा है और हैदराबाद शहर में इसे लागू करने की नीति बनाई जा रही है।

कर्नाटक

यह राज्य आधारित परियोजना कर्नाटक राज्य के दो जिलों रामराज नगर और बिदर में भी लागू है। यह परियोजना को इटली सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इसका बजट 3.29 मिलियन अमेरिकन

डालर है। इस परियोजना का शुभारंभ हो चुका है। इसकी कार्यावधि 3 वर्ष है। इस परियोजना में परियोजना राष्ट्रीय बाल श्रमिक योजना के सारे तत्व लिये गए हैं। इस परियोजना में कुछ योजना बनाई गई हैं जो भविष्य में आदर्श बन जाएगी।

भारत सरकार-यूनिसेफ संयुक्त उच्चस्तरीय योजना

भारत सरकार और यूनिसेफ के संयुक्त रूप से बचपन को बचाने के लिए एक उच्चस्तरीय योजना का निर्माण किया है। मंत्रालय ने इस योजना को बाल श्रम खत्म करने के लिए लागू किया है। यूनिसेफ ने इस योजना के लिए 120,000 अमरीकी डालर देने का प्रावधान किया है। राष्ट्रीय बाल तस्करी में बच्चे एनसीएलपी के द्वारा बच्चों पर नजर और बालश्रम के राष्ट्रीय संचार नीति के तहत उन्मूलन करना है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पहले ही बाल तस्करी के रोकथाम की योजना को प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया है।

भारत बालश्रम के विरुद्ध एकजुट

भारत सरकार ने यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के द्वारा लागू किया है। इसकी आर्थिक सहायता, श्रम विभाग अमेरिका ने 68,50,000 अमेरिकन डालर से किया है। मुख्य योजना के तहत बिहार, झारखंड, गुजरात, मध्यप्रदेश और उड़ीसा के दो-दो जिलों को लक्षित कर किया गया है। जिसका उदाहरण देश भर में नजर आयेगा। इस परियोजना को खत्म करने की समय सीमा 42 महीना है।

महिला श्रमिक

भारत की श्रमशक्ति में महिला श्रमिकों का एक प्रमुख हिस्सा है, लेकिन रोजगार के स्तर और गुणवत्ता की दृष्टि से वे पुरुषों से पीछे रह जाती हैं। भारत की जनगणना (2001) के अनुसार महिला श्रमिकों की संख्या 25.60 प्रतिशत है, यानी देश में महिलाओं की कुल संख्या 49 करोड़ 60 लाख में से 12 करोड़ 72 लाख 20 हजार महिलाएं श्रमिक हैं। अधिकांश श्रमिक महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिला श्रमिकों में 87 प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं। शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत श्रमिक महिलाएं घरेलू उद्योगों, छोटे-मोटे व्यवसायों और नौकरी तथा भवन-निर्माण जैसे असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही हैं। संगठित क्षेत्र (निजी और सार्वजनिक दोनों) में 31 मार्च, 2002 तक महिला श्रमिकों की संख्या लगभग 49 लाख 35 हजार थी। यह देश में संगठित क्षेत्र के कुल रोजगार का 17.8 प्रतिशत है। प्रमुख उद्योगों में महिला कर्मचारियों की तैनाती की संख्या विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकतर महिलाएं सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवा-क्षेत्र में कार्यरत हैं। बिजली, गैस, जल क्षेत्रों में सबसे कम संख्या में महिलाओं को रोजगार मिला है। सन 2000 में फैक्टरियों और बागानों में महिला श्रमिकों की संख्या कुल कर्मचारियों का क्रमशः 10 तथा 5 प्रतिशत थी। सन 2000 में ही खनन प्रतिष्ठानों में महिला श्रमिकों की संख्या कुल श्रमिकों की 5 प्रतिशत थी। महिला श्रमिकों के बारे में सरकार की नीतियों में मुख्य ध्यान उनके काम में आने वाली अड़चनें समाप्त करने, वेतन के बारे में सौदेबाजी कर पाने की उनकी क्षमता बढ़ाने, उनका वेतन बढ़ाने, उनकी कार्यस्थितियों में सुधार लाने, उनकी कुशलता बढ़ाने और उनके लिए रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर रहता है।

इन समस्याओं के समाधान के लिए श्रम मंत्रालय में 'महिला श्रम प्रकोष्ठ' नाम का अलग प्रकोष्ठ कायम किया गया है। कामकाज के स्थान पर महिला मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 और समान मजदूरी अधिनियम, 1976, दो संरक्षणात्मक तथा शोषणनिवारक कानून हैं। समान मजदूरी अधिनियम 1976 के तहत एक ही तरह के या एक समान काम के लिए पुरुष तथा महिला

श्रमिकों को एक समान मजदूरी देने की व्यवस्था है। इस अधिनियम के अंतर्गत भर्ती एवं सेवा शर्तों में महिला और पुरुष का भेदभाव दूर करने का भी प्रावधान है। अधिनियम के तहत केंद्र में एक समिति कायम की गई है, जो महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के बारे में सरकार को सलाह देगी और अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए जाने वाले उपायों की समीक्षा करेगी। राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी ऐसी ही समितियां गठित की गई हैं। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड तथा राज्य स्तर पर सलाहकार समितियां सक्षम अधिकारियों के साथ मिलकर समान मजदूरी अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन पर निगरानी रखती हैं।

साथ ही, मंत्रालय में कार्यरत महिला प्रकोष्ठ भी महिला श्रमिकों के कल्याण के लिए अनुदान-सहायता योजना लागू कर रहा है। यह योजना स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही है और इन संगठनों को उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनुदान सहायता दी जाती है, जिनका उद्देश्य है महिला श्रमिकों में उनके अपने अधिकारों तथा महिलाओं से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता पैदा करना, जिन्हें केंद्र/राज्य सरकारें चला रही हैं। ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना में दसवीं पंचवर्षीय योजना की स्वीकृत 245 लाख रुपये की ये राशि को बढ़ाकर 270 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है।

उच्चतम न्यायालय ने 13 अगस्त, 1997 को विसाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के मामले में दिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले में काम के स्थान पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए व्यापक दिशानिर्देश/मानक निर्धारित किए थे। इन दिशानिर्देशों को संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत कानूनी ताकत भी प्राप्त है।

सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित इन दिशानिर्देशों को अमली जामा पहनाने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। इन उपायों में इन दिशानिर्देशों को भारत सरकार के सभी सचिवों/राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, केंद्र सरकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के प्रमुखों तथा कर्मचारी/नियोक्ता संगठनों के प्रमुखों के पास भेजना भी शामिल है, ताकि वे निर्धारित कार्रवाई कर सकें। उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन करने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों तथा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, कर्मचारियों की आचरण नियमावली में संशोधन किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों को निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी लागू करने के उद्देश्य से औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 में भी उचित संशोधन किए गए हैं।

बंधुआ मजदूर

भारत में बंधुआ मजदूरों की प्रथा समाज के कुछ आर्थिक रूप से शोषित, बेसहारा और कमजोर वर्गों में कुछ खास तरह की ऋणग्रस्तता के कारण लंबे समय से चली आ रही है। यह प्रथा सामंतवादी और अर्द्धसामंती परिस्थितियों से उत्पन्न असमान सामाजिक ढांचे की देन है।

बंधुआ मजदूरी का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में उस समय प्रमुख रूप से सामने आया, जब 1975 में इसे बीस सूत्री कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अध्यादेश जारी किया गया। बाद में इसका स्थान लेने के लिए बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 लाया गया। इससे बंधुआ मजदूरों के कर्ज खत्म करने के साथ ही उन्हें एकतरफा रूप से बंधुआ मजदूरी की बेड़ियों से मुक्त कर दिया गया।

जिला और उपमंडल दंडाधिकारियों को सांविधिक प्रावधानों को लागू करने के वास्ते कुछ दायित्व सौंपे गए हैं। इस अधिनियम के कानूनी प्रावधान लागू करने के लिए जिला और उपमंडल स्तर पर सतर्कता समितियां गठित करने की व्यवस्था भी की गई है। इस अधिनियम में किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी करने

के लिए मजबूर करने वाले या इसके लिए कर्ज देने वाले को तीन साल की कैद और 2,000 रुपये तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है। बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अनुसार, बंधुआ मजदूरों की पहचान करना, उन्हें छुड़ाना तथा उनका पुनर्वास करना संबंधित राज्य सरकार की सीधी जिम्मेदारी है।

बंधुआ मजदूरी के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में जनहित याचिकाओं के रूप में बहस हुई है। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को बंधुआ मजदूरी से संबंधित मामलों के हल में शामिल किया जाना चाहिए।

केंद्र प्रायोजित योजना मई 2000 में संशोधित की गई थी। जिसमें प्रति बंधुआ मजदूर पुनर्वास सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने के साथ-साथ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जागरूकता बढ़ाने, बंधुआ मजदूरों के सर्वेक्षण और आकलन संबंधी अध्ययनों के लिए केंद्रीय अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया। संशोधित योजना के अनुसार राज्य सरकार को जागरूकता पैदा करने के लिए 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष, तीन साल में एक बार जिले में बंधुआ मजदूर सर्वेक्षण के लिए दो लाख रुपये प्रति जिला और आकलन संबंधी अध्ययनों के लिए पांच लाख रुपये सालाना दिए जाते हैं। अब तक 2,68,136 बंधुआ मजदूरों की पहचान करके 6983.36 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता से उनका पुनर्वास किया जा चुका है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक

‘असंगठित क्षेत्र के श्रमिक’ से तात्पर्य उन मजदूरों से है, जो रोजगार के अस्थायी स्वरूप, अज्ञानता और निरक्षरता, छोटे तथा बिखरे प्रतिष्ठानों आदि कुछ कारणों से अपने साझा हितों के लिए स्वयं को संगठित नहीं कर पाए।

असंगठित क्षेत्र के श्रमकों में मुख्यतः घरों पर रहकर काम करने वाले मजदूर शामिल हैं। ये मुख्यतः बीड़ी, अगरवत्ती, पापड़ बनाने, सिलाई करने, जरी तथा कढ़ाई के कामों में लगे हुए हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन 2004-05 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार, देश में संगठित और असंगठित, दोनों ही क्षेत्रों में श्रमिकों की कुल संख्या 45.9 करोड़ थी। इनमें से 2.6 करोड़ श्रमिक संगठित क्षेत्र में थे और बाकी 43.3 करोड़ असंगठित क्षेत्र में थे।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की देख-रेख के लिए सरकार ने विधायी उपायों तथा कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों की द्विस्तरीय नीति अपनाई है। विधायी उपायों में न्यूनतम मजदूरी कानून, 1948; कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923; मातृत्व अभिलाभ अधिनियम, 1961; बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976; ठेका मजदूर (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970; अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979; भवन और अन्य विनिर्माण श्रमिक अधिनियम, 1996 आदि शामिल हैं।

भारत सरकार ने बीड़ी मजदूरों, कोयले को छोड़कर अन्य खानों के मजदूरों और सिने-कर्मियों के कल्याण के लिए कल्याण कोष का गठन किया है। इसकी धनराशि का उपयोग मजदूरों को उनके बच्चों की शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं, मकानों के निर्माण आदि के लिए धनराशि उपलब्ध कराने पर किया जाता है। भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1996 के तहत यह भी प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार कल्याण बोर्ड/कोष की स्थापना कर निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के कल्याण/सामाजिक सुरक्षा के लिए कदम उठाए। कुछ राज्यों जैसे—केरल ने असंगठित क्षेत्र में अधिसूचित श्रेणी के श्रमिकों के लिए कल्याण कोष की स्थापना की है।

भारत सरकार ने असंगठित श्रमिक कानून बनाया जो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के नाम से है। यह अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का केन्द्र स्तरीय और राज्य स्तरीय पर असंगठित कार्यकर्ता को सामाजिक सुरक्षा योजना देने की सिफारिश करता है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जीवन और विकलांगता, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धा जीवन सुरक्षा और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। यह सभी केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित होता है। राज्य स्तरीय बोर्ड कल्याणकारी योजना शुरू की है। जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी जख्मी सुविधा, घर बच्चों के लिए शिक्षा योजना, कर्मचारी की योग्यता को बढ़ाना, अंतिम संस्कार में मदद और वृद्धा आश्रम इसमें सम्मिलित है।

- धारा (2) असंगठित मजदूर, स्वयं रोजगार और रोजाना मजदूरी करने वाले को अलग-अलग परिभाषित करना।
- धारा 3 (1) केन्द्र सरकार के योजना का विभिन्न असंगठित मजदूरों के क्षेत्र में कुछ संबंधित क्षेत्रों में सूत्रधार करना (क) जीवन और दुर्घटना बीमा (ख) स्वास्थ्य और मातृत्व सुविधा (ग) वृद्धावस्था सुरक्षा (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान अन्य सुविधा।
- धारा 3 (4) कुछ अन्य योजनाओं का सूत्रधार राज्य सरकारों द्वारा हुआ है जैसे भविष्य निधि, कामगार जख्मी सुविधा, घर, बच्चों के लिए शैक्षिक योजनाएं, योग्यता को बढ़ाना, घर, अंतिम संस्कार में मदद और वृद्धों के लिए घर। धारा 4 में अंतिम संस्कार की योजना का सूत्रधार केन्द्र सरकार के द्वारा हुआ है।
- धारा 5 में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के संविधान के गठन पर विचार किया जा रहा है जिसमें श्रम एवं रोजगार के केन्द्रीय मंत्री, मेमर सेक्रेटरी और संसद नामांकित 34 सदस्यी प्रतिनिधि, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, असंगठित श्रमिकों के नियोक्ता, केन्द्रीय मंत्री और राज्य सरकार होंगे।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और महिलाओं की समुचित भागीदारी मुहैया करना।
- राष्ट्रीय बोर्ड और अंतर-उपनाम के कार्य में केन्द्र सरकार को असंगठित मजदूरों के लिए योग्य योजना बनाना उनका निरीक्षण करना और उनके कार्यान्वयन पर नजर रखना। केन्द्र सरकार प्रशासनिक अधिनियम द्वारा उन मुद्दों को उठाएगी।
- धारा 6 में राज्य स्तरीय संविधान में एकरूपीय बोर्ड का निर्माण करना।
- धारा 7, राज्य सरकार के वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है।
- धारा 8 में जिला अधिकारियों द्वारा सभी रिकॉर्ड को रखने की सलाह दी गई है। इस उद्देश्य से राज्य सरकार को निर्देश दिया जा सकता है (क) ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत और (ब) शहरी क्षेत्र के शहरी स्थानीय जनता इस तरह का कार्य कर सकती है।
- धारा 9 में कामगारों के लिए सुविधा केन्द्र स्थापित करना है (क) उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा की जानकारी चारों ओर फैलाना (ख) जिला अधिकारियों के पास पंजीकृत कामगारों को सुगमता प्रदान करना और असंगठित कामगारों को पंजीकृत करना।
- धारा 10 के अधिनियम में पंजीकृत करवाने के नियम और योग्यता बताता है।
- सेक्शन 11-17 में अधिनियम लागू करने के विविध प्रकार लागू करना है।

असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 को राजपत्र में अधिसूचित किया है और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कानून 2009 अधिनियम और अधिसूचना की प्रक्रिया जारी है। यह अधिनियम 16 मई 2009 से लागू की गई।

श्रम-संबंधी आंकड़े

चंडीगढ़ और शिमला स्थित श्रम ब्यूरो संस्थान, अखिल भारतीय स्तर पर संगठित और असंगठित क्षेत्र के उद्योगों में मजदूरी, आमदनी, हड़तालों, तालाबंदियों, श्रमिक टर्न-ओवर, कार्य तथा जीवन स्थितियों आदि के बारे में सांख्यिकीय तथा अन्य सूचना के संग्रहण, संकलन, विश्लेषण और प्रचार-प्रसार में लगा हुआ है। यह ब्यूरो औद्योगिक, ग्रामीण तथा खेतिहर मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित और प्रकाशित भी करता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इस प्रकार है : (i) औद्योगिक श्रमिक (आधार वर्ष 2001=100), (ii) ग्रामीण श्रमिक (आधार वर्ष 1986-87=100) और (iii) खेतिहर मजदूर (आधार वर्ष 1986-87=100), श्रम ब्यूरो ग्रामीण और शहरी केंद्रों के लिए 31 आवश्यक वस्तुओं के आंकड़े तैयार करने और 21 औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों की मजदूरी के आंकड़े निकालने का कार्य भी करता है।

यह विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत संवैधानिक करों को भरने के लिए मूल्य संग्राहक (प्राइज क्लैक्टर), उद्यमियों या उनके प्रतिनिधियों, आई.ई.एस.आई.एस.एस. प्रशिक्षुओं तथा आई.एस.ई.सी. कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रशिक्षण भी देता है। भारत सरकार की मंजूरी से श्रम ब्यूरो ने 9 मार्च, 2006 की सी.पी.आई.आई.डब्ल्यू. की नई शृंखला जारी की, जो जनवरी 2006 से लागू हुई। यह नई शृंखला पुरानी शृंखला (1982=100) से बेहतर है क्योंकि इसमें अधिक केंद्रों, बाजारों और उपभोक्ता वस्तुओं को शामिल किया गया है। सी.पी.आई.आई.डब्ल्यू. के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए प्रो. जी. के. चड्ढा की अध्यक्षता में एक सूचकांक समीक्षा समिति का गठन हुआ इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2009 में पेश कर दी। 2008-09 के दौरान श्रम ब्यूरो ने त्रिमासिक त्वरित सर्वेक्षण किया जिसमें अर्थव्यवस्था में रोजगार की कमी के असर पर ध्यान केन्द्रित किया गया। दो सर्वेक्षण अक्टूबर-दिसम्बर, 2008 और जनवरी-मार्च 2009 में किए गए। तीसरा सर्वेक्षण अप्रैल-जून 2009 जुलाई 2009 में आरंभ हुआ।

श्रमिक अनुसंधान

वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा (उत्तर प्रदेश) एक स्वायत्त संस्था है। यह संस्थान श्रमिकों से संबद्ध अनुसंधान कार्यों और श्रम प्रशासकों, मजदूर यूनियनों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधकों तथा अन्य सरकारी संस्थानों के कर्मियों के प्रशिक्षण में लगा है। यहां समय-समय पर श्रम-संबंधी समस्याओं पर सेमिनार, कार्यशाला और व्याख्यानों का आयोजन भी किया जाता है।

संस्थान अनुसंधान की गतिविधियों में अग्रणी है। यह संस्थान संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से संबंधित मामलों और समस्याओं पर अनुसंधान करने के लिए जाना जाता है। अनुसंधान के लिए विभिन्न प्रासंगिक विषयों तथा नीतियों से संबंधित मुद्दों को उठाया जाता है। संस्थान ने बाल मजदूर, महिला श्रम, ग्रामीण श्रम आदि पर ध्यान केंद्रित किया है।

संस्थान के अनुसंधान कार्यों में वंचित समूहों के लिए विभिन्न दलों के प्रशिक्षकों, जिनमें मजदूर संगठनों के नेता, संगठित और असंगठित क्षेत्र के प्रबंधक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रबंधक, श्रम प्रशासक और गैर सरकारी संस्थानों के स्वयंसेवक शामिल हैं, के प्रशिक्षण में काम आने वाली मूलभूत जरूरतों का भी पता लगाया जाता है। इसके लिए सात केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें अनुसंधान के मूल विषयों पर अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक केंद्र में एक अनुसंधान परामर्श समूह होता है, जिसमें अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है।

संस्थान की देखरेख में श्रम बाजार, रोजगार एवं विनियमन, कृषि-संबंधी एवं ग्रामीण श्रम, समाकलित श्रम इतिहास, बालश्रम, कार्यस्थल पर एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम आदि विषयों पर

अनुसंधान परियोजनाएं चलाई जाती हैं। श्रम सूचना पर एन.आर.डे अनुसंधान केंद्र देश में श्रम-संबंधी अध्ययन के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र है। श्रम इतिहास के बारे में अनुसंधान को पुनर्जीवित करने, समन्वित करने और प्रारंभ करने के लिए संस्थान में समन्वित श्रमिक इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री केंद्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं। इसके सदस्यों में केंद्र तथा नियोक्ता और मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि तथा संसद सदस्य और श्रम क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। परिषद अपनी कार्यकारी परिषद का चुनाव करती है जो संस्थान के मामलों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होती है।

वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा भविष्य के लिए कार्य निष्पादन में सुधार के लिए अपनी अपार क्षमता के अनुसार कई पहल की गई हैं। संस्थान समीचीन ज्ञानार्जन और जागरूकता के साथ अद्यतन प्रबंधन उपकरण के इस्तेमाल के लिए तैयार है। संस्थान का लक्ष्य अनुसंधान निष्कर्ष के व्यापक प्रसार है, जिससे संस्थान के अनुसंधान, प्रकाशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में पहुंच सकें, निचले स्तर तक नीति क्रियान्वयन हो सके और संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं डिजिटल अभिलेखागार की पहुंच बढ़े।

श्रमिक शिक्षा

संगठित, असंगठित तथा ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा इकाई/ ग्राम स्तर पर श्रमिक योजना लागू करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने सन् 1958 में केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की। संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रमों के जरिये पर्यवेक्षण तथा प्रबंधकीय संवर्ग को भी इसमें शामिल किया गया है। बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य श्रमिकों में शिक्षा तथा जागरूकता का प्रसार करना है, जिससे वे देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदारी कर सकें।

बोर्ड का मुख्यालय नागपुर में है तथा पूरे देश में इसके 50 क्षेत्रीय तथा 9 उप-क्षेत्रीय निदेशालय हैं। पांच जोनल निदेशालय दिल्ली, गोवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई तथा मुंबई में स्थित हैं, जो अपने संबंधित जोन के क्षेत्रीय निदेशालयों की गतिविधियों की निगरानी करते हैं। बोर्ड ने मुंबई में शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान स्थापित किया है। यह संस्थान बोर्ड के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के अतिरिक्त केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों/फेडरेशनों की गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है। बोर्ड ने अभी तक विभिन्न स्तरों पर 3,91,630 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए, जिनमें 1,12,14,218 कामगारों को प्रशिक्षण दिया गया।

केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याण योजनाओं के संबंध में औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए बोर्ड ने एक नया कार्यक्रम—श्रमिक कल्याण तथा विकास कार्यक्रम तैयार किया है। जिसके जरिए भागीदारों को प्रासंगिक योजनाओं की विस्तृत जानकारी देने के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सहायता दी जा सके।

श्रमिक सुरक्षा

कारखानों में कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण

कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न पहलुओं को विनियमित करने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 प्रमुख कानून है। यह एक केंद्रीय अधिनियम है, जिसका उद्देश्य कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को औद्योगिक एवं व्यावसायिक जोखिमों से

सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम के तहत केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन और राज्य सरकारें अपने नियम तैयार करती हैं और अधिनियम के प्रावधानों और नियमों को अपने कारखानों के निरीक्षणालयों की मदद से कार्यान्वित करती हैं। मुंबई स्थित कारखाना सलाहकार सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है, कारखाना अधिनियम 1948 के प्रशासन और कार्यान्वयन के बारे में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को तकनीकी सलाह देते हैं। अपने अधीन मुंबई, कोलकाता, कानपुर, चेन्नई और फरीदाबाद के पांच क्षेत्रीय संस्थानों के सहयोग से महानिदेशालय सहयोगी अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करता है तथा व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर शिक्षा व प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों के जरिए संवर्धनात्मक गतिविधियां भी चलाता है। महानिदेशालय अधिनियम के कार्यान्वयन और प्रवर्तन की स्थिति की समीक्षा भी करता है।

इस अधिनियम में वयस्क श्रमिकों के लिए 48 घंटे प्रति सप्ताह कार्य करने का प्रावधान है और किसी भी कारखाने में 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों को काम पर रखने की मनाही है। नियोक्ताओं के लिए कारखानों में समुचित मात्रा में प्रकाश, हवा, स्वच्छता तथा अन्य कल्याणकारी सुविधाओं के मानदंड तय किए गए हैं। जिन कारखानों में महिला श्रमिकों की संख्या 30 से अधिक है, वहां उनके बच्चों के लिए शिशु-सदन (क्रैच) का होना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन कारखानों में 250 से अधिक श्रमिक काम करते हैं, उनके लिए आश्रयघर, आरामघर, भोजन कक्ष आदि का भी प्रावधान किया गया है। जहां 250 या उससे ज्यादा श्रमिक काम करते हैं, वहां कल्याण अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक है। श्रमिकों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य की देखभाल की आम जिम्मेदारी तय करने के लिए 1987 में कारखाना अधिनियम में संशोधन किया गया। इसके तहत डिजाइनर, निर्माता, आयातक और आपूर्तिकर्ता के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे इस बात की पक्की व्यवस्था करें कि उनके द्वारा निर्मित सामान श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक न हों। जोखिम वाले उद्योगों में सुरक्षा और स्वास्थ्य के पहलुओं को लागू करने के लिए अधिनियम में एक नया अध्याय जोड़ा गया।

बंदरगाहों और गोदियों में सुरक्षा

गोदी कर्मचारी (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा विनियमों में गोदियों में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। यह अधिनियम 15 अप्रैल, 1987 से लागू है। सभी प्रमुख बंदरगाहों में इस अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी श्रम मंत्रालय की है और यह काम कारखाना परामर्श सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय, मुंबई के माध्यम से कराया जाता है। पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत निर्मित खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण तथा आयात संबंधी नियम, 1989 को प्रमुख बंदरगाहों में लागू करने की जिम्मेदारी भी गोदियों के मुख्य निरीक्षक होने के नाते महानिदेशालय को सौंपी गई है।

खानों में सुरक्षा

खान अधिनियम, 1952 और इसके तहत निर्मित नियमों और विनियमों में खानों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण का प्रावधान रखा गया है। इन प्रावधानों को श्रम और रोजगार मंत्रालय, खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा लागू करता है। महानिदेशालय का मुख्यालय धनबाद में है और इसके आंचलिक, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय कार्यालय देश के सभी खनन क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इसके मुख्य कार्य हैं— खानों का निरीक्षण करना, स्थिति की गंभीरता के अनुरूप सभी घातक और गंभीर दुर्घटनाओं की जांच-पड़ताल, विभिन्न खानों के परिचालन के संबंध में कानूनी स्वीकृति, छूट और ढील देना; खान सुरक्षा

उपकरणों, यंत्रों और सामग्री की स्वीकृति देना तथा संवैधानिक क्षमता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए परीक्षा की व्यवस्था करना, सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलनों आदि का आयोजन करना।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

दुर्घटनाओं को रोकने, खतरों और मानव कष्टों को कम-से-कम करने तथा श्रमिकों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1966 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई। सुरक्षा के बारे में कार्यक्रम चलाना, व्याख्यान तथा सम्मेलन आयोजित करना, नियोक्ताओं और श्रमिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए शैक्षिक अभियान चलाना और शैक्षिक तथा सूचना आंकड़े आदि इकट्ठे करना परिषद के प्रमुख कार्यकलाप हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष 4 मार्च को देश भर में 'राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस' मनाया जाता है।

पुरस्कार

प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार

विभागीय प्रतिष्ठानों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के उन कर्मचारियों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनका उत्पादन बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान रहा हो और जिन्होंने असाधारण लगन तथा उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया हो। निजी क्षेत्र की जिन विनिर्माण इकाइयों में 500 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं, उनके श्रमिकों को भी ये पुरस्कार दिए जाते हैं। वरीयता क्रम के अनुसार ये पुरस्कार इस प्रकार हैं—श्रमरत्न, श्रमभूषण, श्रमवीर, श्रम-वीरांगना और श्रम श्री/देवी। पुरस्कारों के तहत सनद और क्रमशः दो लाख, एक लाख, 60 हजार तथा 40 हजार रुपये की नकद राशि भी दी जाती है। पुरस्कारों की कुल संख्या 33 है।

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार

औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अच्छे सुरक्षा उपायों को मान्यता देने और दुर्घटना निवारक कार्यक्रमों में श्रमिकों तथा प्रबंधकों, दोनों को प्रोत्साहन देने और उनकी दिलचस्पी बनाए रखने के लिए सरकार ने 1965 में राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कारों की शुरुआत की। यह पुरस्कार योजना कारखानों, बंदरगाहों, परमाणु विद्युत परियोजनाओं तथा न्यूक्लियर पावर स्टेशनों पर लागू होती है।

खानों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 1983 में शुरू किए गए थे। इन पुरस्कारों का उद्देश्य खान अधिनियम, 1952 के अधीन खानों में सुरक्षा के लिए हुए श्रेष्ठ कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देना था। इनमें 34 पुरस्कार हैं—17 प्रथम और 17 द्वितीय जो प्रबंधकों को दिए जाते हैं।

विश्वकर्मा पुरस्कार

श्रमवीर पुरस्कार—जिन्हें अब *विश्वकर्मा पुरस्कार* के नाम से जाना जाता है—की शुरुआत 1965 में हुई। ये पुरस्कार अधिक उत्पादकता, किफायत और कुशलता बढ़ाने में सराहनीय योगदान के लिए कारखाना, खान, बागान और गोदी श्रमिकों को दिए जाते हैं। तीन श्रेणियों—ए, बी और सी के अंतर्गत क्रमशः 5, 8 और 15 पुरस्कार सहित कुल मिलाकर 28 पुरस्कार दिए जाते हैं। 75,000, 50,000 और 25,000 हजार रुपये के नकद पुरस्कार प्रतियोगियों को दिए जाते हैं।

औद्योगिक संबंध

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 मूलतः औद्योगिक विवादों की जांच और उनके निबटारे से संबंधित है। अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं : नियोक्ता और श्रमिकों के बीच सद्भाव और अच्छे संबंध कायम करना और उनके संरक्षण के उपायों को प्रोत्साहन, पंजीकृत ट्रेड यूनियन या ट्रेड यूनियनों के परिसंघ या नियोक्ता संगठन या नियोक्ता संगठनों के परिसंघ द्वारा प्रतिवेदन के अधिकार के साथ नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के बीच, नियोक्ताओं और श्रमिकों या श्रमिक और श्रमिक के बीच, औद्योगिक विवादों की जांच और उनका निबटारा, अवैध हड़ताल और तालाबंदी की रोकथाम, मंदी और छंटनी के दौरान श्रमिकों को राहत और सामूहिक समझौते।

अधिनियम में निहित अस्थायी छंटनी, छंटनी और तालाबंदी से संबंधित विशेष प्रावधान उन प्रतिष्ठानों पर लागू हैं, जिनमें प्रत्येक कार्य-दिवस को औसतन कम से कम 100 कर्मचारी काम करते हों। अधिनियम में छंटनी के मुआवजे के रूप में संरक्षण और किसी प्रतिष्ठान में 240 दिनों तक लगातार सेवा पूरी करने वाले श्रमिकों की छंटनी के मामले में 12 महीने पहले छंटनी, तालाबंदी आदि का नोटिस दिए जाने का प्रावधान है।

औद्योगिक विवाद बिल (संशोधित) 2009 राज्य सभा में 26.2.2009 को पेश किया गया। बिल इस प्रकार है:

मौजूदा परिभाषा को व्यापक बनाने के लिए अधिनियम की धारा 2 (अ) के तहत शब्द 'समुचित सरकार' में संशोधन।

धारा 2 (एस) के तहत मजदूरी की सीमा एक हजार छह सौ रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये प्रतिमाह करना है।

धारा 2 (ए) के तहत विवादों में मामले में कामगार सीधा श्रम न्यायालय या ट्रिब्यूनल में जाकर मामला सुलझा सकता है।

श्रम न्यायालय धारा 7 और 7 (ए) के अधिनियम में और ट्रिब्यूनल के सभापतित्व करने वाले अधिकारी की विज्ञाता में विस्तार

20 या उससे अधिक कर्मचारी वाले उद्योगों में व्यक्तिगत शिकायतों के निपटारे के लिए शिकायत निपटान प्रकोष्ठ का गठन।

श्रम न्यायालयों तथा ट्रिब्यूनल को दंडित करने का अधिकार देना।

अधिष्णता अधिकारी की नियुक्ति के लिए सेवा शर्तों, वेतनमान तथा अन्य भत्तों के निर्धारण के लिए नियम बनाने हेतु सरकार को अधिकार देना।

ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926

ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के संघों (यूनियनों) के पंजीकरण का प्रावधान है और कुछ हद तक यह अधिनियम पंजीकृत मजदूर संघों से संबंधित कानून को परिभाषित करता है। यह पंजीकृत मजदूर संगठनों को कानूनी और निगमित दर्जा प्रदान करता है। उक्त अधिनियम को संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है।

इस अधिनियम में संशोधन किया गया और 9 जनवरी, 2002 में निम्नांकित संशोधन लागू किए गए—

किसी भी कर्मचारी संघ को तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक प्रतिष्ठान या उद्योग में नियोजित कुल श्रमिक या कर्मचारियों का कम से कम 10 प्रतिशत या 100 कर्मचारी, जो भी कम हों, प्रस्तावित ट्रेड यूनियन द्वारा पंजीकरण के आवेदन की तारीख को उसके सदस्य न हों। सात से कम सदस्यों वाली किसी यूनियन का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन के लिए किसी भी समय 100 कामगार या 10 प्रतिशत, जो भी कम हों, तथा सदस्यों में से सात उद्योग या प्रतिष्ठान में कार्यरत होने चाहिए। पंजीकरण न होने/पंजीकरण बहाल किए जाने के मामले में औद्योगिक ट्रिब्यूनल/श्रमिक अदालत के समक्ष अपील दायर करने का प्रावधान है। किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की कुल संख्या का एक-तिहाई या पांच, जो भी कम हो, सदस्यों को छोड़कर सभी पदाधिकारी संबंध उद्योग या प्रतिष्ठान में कार्यरत होने चाहिए। मजदूर संघ के सदस्यों द्वारा दी जाने वाली चंदे की न्यूनतम राशि संशोधित कर ग्रामीण श्रमिकों के लिए एक रुपया वार्षिक, असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिकों के लिए तीन रुपये वार्षिक व अन्य सभी मामलों में 12 रुपये वार्षिक की गई है।

सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 1 अक्टूबर 2007 से 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' आरंभ की है। 2012-13 तक पांच वर्षों में इसमें 6 करोड़ परिवार शामिल होने की आशा है। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को नकदी भुगतान के बिना स्मार्टकार्ड के आधार पर प्रतिवर्ष 30,000 रुपये का बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें केंद्र तथा राज्य की भागीदारी क्रमशः 75:25 होगी। पूर्वोत्तर राज्य और जम्मू कश्मीर में यह अनुपात 90:10 का होता है। स्मार्ट कार्ड का खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी। लाभार्थी को 30 रुपये स्मार्ट कार्ड के पंजीकरण/नवीकरण के लिए देने होंगे। यह योजना 1.4.2008 से आरंभ हो गई है।

इस योजना के लाभ

- 30,000 का स्वास्थ्य बीमा जो प्रत्येक परिवार के प्रतिवर्ष फ्लोटिंग लाभ पर आधारित है।
- बिना नकदी के सभी क्षेत्र को कवर करता है।
- अस्पताल का खर्च, आम बीमारी के साथ प्रसव के खर्च को भी उठाता है।
- बीमा से पूर्व की बीमारी पर भी यह लाभ देता है।
- यातायात खर्च (वास्तविक में अधिकतम सीमा 100 रुपये प्रति विजिट/अधिकतम सीमा 1000 रुपए है।

त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति

त्रिपक्षीय भावना को बढ़ावा देने के लिए कई त्रिपक्षीय औद्योगिक समितियों का गठन किया गया है। इन त्रिपक्षीय संगठनों का उद्देश्य खास उद्योग से जुड़ी समस्याओं के संदर्भ में उसमें काम करने वाले मजदूरों से संबंधित विशिष्ट समस्याओं को सुलझाना है। ये समितियां गैर-वैधानिक और तदर्थ हैं और आवश्यकतानुसार इनकी बैठकें आयोजित की जाती हैं। इस समय इंजीनियरिंग, बिजली उत्पादन और वितरण, सड़क परिवहन, रसायन, चीनी उद्योग, बागवानी, सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग में से प्रत्येक के लिए एक-एक और कुल मिलाकर आठ औद्योगिक त्रिपक्षीय समितियां हैं।

सामाजिक सुरक्षा

कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923

सन् 1923 में कामगार मुआवजा अधिनियम पारित होने के साथ-साथ, सामाजिक सुरक्षा की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सेवाकाल के दौरान किसी दुर्घटना (व्यवसायजन्य कुछ

रोगों समेत) में मृत्यु या अपंग होने की स्थिति में मुआवजा देने का प्रावधान है। यह अधिनियम रेलवे कर्मचारियों और अधिनियम की अनुसूची-II में निर्दिष्ट किसी पद पर कार्यरत व्यक्तियों पर लागू होता है। अनुसूची-II में कारखानों, खानों, बागानों, मशीन से चलने वाले वाहनों के संचालन, निर्माण-कार्यों और जोखिम वाले कुछ अन्य व्यवसायों में कार्यरत व्यक्ति शामिल हैं। स्थायी व पूर्ण विकलांगता होने पर न्यूनतम मुआवजा राशि 90 हजार रुपये और मृत्यु होने पर 80 हजार रुपये निर्धारित की गई है। कर्मचारी की आयु और वेतन के हिसाब से मृत्यु होने पर अधिकतम मुआवजा 4.56 लाख रुपये और स्थायी पूर्ण विकलांगता होने पर 5.48 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।

प्रसूति-लाभ अधिनियम, 1961

प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 में कुछ प्रतिष्ठानों में प्रसव-काल से पूर्व और पश्चात कुछ निश्चित अवधि के लिए महिलाओं के रोजगार के नियमन का प्रावधान है। उन्हें प्रसूति और अन्य दूसरे लाभ देने का भी प्रावधान है। यह अधिनियम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत आने वाले कर्मचारियों को छोड़कर उन खानों, कारखानों, सर्कसों, उद्योगों, बागानों तथा दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जहां दस या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। राज्य सरकारें अन्य संस्थानों पर भी इस अधिनियम को लागू कर सकती हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत आने के लिए कोई वेतन-सीमा निर्धारित नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रसव लाभ की हकदार प्रत्येक महिला अपने नियोक्ता से 2500 रुपए मेडिकल बोनस पाने की भी हकदार है। अगर उसे प्रसव काल के पूर्व और बाद में नियोक्ता द्वारा मुफ्त की मेडिकल सुविधा नहीं मिली हो तो।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम, 1948

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम बिजली का इस्तेमाल करने वाले ऐसे गैर-मौसमी कारखानों में लागू होता है, जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हों। इस अधिनियम के तहत ऐसे कारखाने भी आते हैं, जहां विद्युत का इस्तेमाल नहीं किया जाता और जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। 18 अक्टूबर, 2006 से 10 हजार रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी इस बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। इस अधिनियम के तहत कर्मचारियों को आकस्मिक बीमारी, प्रसूति, काम के दौरान घायल होने की अवस्था में इलाज का प्रबंध और नकद भत्ता देने तथा काम करते समय घायल होने के कारण मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को पेंशन देने का प्रावधान है। बीमाशुदा व्यक्ति के परिवार को अस्पताल से इलाज के साथ-साथ पूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। 1 अप्रैल, 2005 से कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 'राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना' शुरू की है, जिसके अंतर्गत ऐसे श्रमिकों को रखा गया है, जो छंटनी, फैक्टरी/संस्थान की तालाबंदी के कारण अपना रोजगार खो चुके हैं, काम के दौरान नहीं, किंतु स्थायी रूप से अपंग हो चुके हैं। इस योजना के तहत उन लाभार्थियों को उनके वेतन का 50 से 53 प्रतिशत नकद मासिक भत्ता उनके स्वयं और आश्रितों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए दिया जाता है। वे चाहें तो इसे एकमुश्त ले सकते हैं या फिर प्रत्येक महीने भी ले सकते हैं।

इस अधिनियम के अंतर्गत बीमाशुदा व्यक्ति के परिवार को अस्पताल के इलाज की पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। बीमार होने या अस्थायी या पूर्ण अपंगता की स्थिति में उसके आश्रितों को नकद राहत पहुंचाई जाएगी। काम के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को समय-समय पर भुगतान कर लाभ पहुंचाया जाएगा। बीमित महिला की प्रसूति के लिए और मृत्यु होने की स्थिति में उसकी अंत्येष्टि के लिए नकद भुगतान किया जाएगा।

मार्च 2008 तक योजना के तहत ईएसआई अस्पतालों, उप केंद्रों के अलावा 144 अस्पताल, 42 उप स्वास्थ्य केंद्रों में 27,727 बिस्तर और 2955 बिस्तरों रिजर्व रखे गए हैं। स्वास्थ्य केंद्रों के राज्य बीमा अस्पताल के अलावा 13971 डिस्पेंसरियों, 1753 क्लीनिक हैं। कुल 1.21 करोड़ कर्मचारी बीमा का लाभ उठा रहे हैं, इनमें 20,29,440 बीमा धारी महिलाएं हैं। कुल 468.33 लाख लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 कारखानों, खानों, तेल-क्षेत्रों, बागानों, बंदरगाहों, रेलों, मोटर परिवहन प्रतिष्ठानों, कंपनियों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होता है। इस अधिनियम के अनुसार, हर वर्ष के सेवा-काल पर कर्मचारी को 15 दिनों का वेतन ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाता है, बशर्ते यह रकम 3 लाख 50 हजार रुपये से अधिक न हो। जिन प्रतिष्ठानों में विशेष सत्र में काम होता है, उनमें हर सत्र में सात दिनों के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी दी जाती है। अगर किसी कर्मचारी को अपने मालिक के साथ किए गए समझौते या अनुबंध के अंतर्गत बेहतर शर्तों पर ग्रेच्युटी मिलती है तो अधिनियम में कर्मचारी के इस अधिकार पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है।

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम, 1952

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर कई प्रकार के लाभ उपलब्ध हैं। इनमें भविष्य निधि, पारिवारिक पेंशन और जमा राशि से जुड़ा बीमा शामिल है। जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर यह पूरे भारत में लागू है। यह अधिनियम अनुसूची में निर्देशित सभी प्रतिष्ठानों तथा ऐसे सभी प्रतिष्ठानों, जहां बीस या बीस से अधिक व्यक्ति कार्यरत हों पर लागू होता है। केंद्र सरकार आधिकारिक गजट में अधिसूचना द्वारा किसी भी अन्य प्रतिष्ठान को जिसमें बीस या बीस से अधिक व्यक्ति कार्य करते हों या इस प्रकार के प्रतिष्ठान के वर्ग में निर्देशित कर सकती है, उस पर यह अधिनियम लागू होगा। वर्तमान में अधिनियम 182 प्रतिष्ठानों पर लागू है। इस अधिनियम के अंतर्गत तीन योजनाएं तैयार की गई हैं—कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 तथा जमा राशि से जुड़ी कर्मचारी बीमा योजना, 1976। केंद्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जरिए योजना का संचालन करता है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड त्रिपक्षीय निकाय है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय श्रम तथा रोजगार मंत्री होते हैं। कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन ने तीनों योजनाओं में लगभग 4 करोड़, 30 लाख कर्मचारी पंजीकृत किए हैं। कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन अनेक सेवाएं उपलब्ध कराता है, जैसे प्रतिष्ठान के सदस्यों द्वारा दी गई धनराशि का संग्रहण, सदस्यों के खातों की देखरेख तथा सदस्यों और उनके आश्रितों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं के तहत धनराशि का वितरण।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के प्रावधान के तहत एक कर्मचारी अपने प्रतिष्ठान में अनिवार्य जमा पूंजी के बल पर अपने को वित्तीय दृष्टि से सुरक्षित महसूस करता है। वर्तमान में अधिनियम के तहत लाभ पाने वाले कर्मचारियों की वेतन-सीमा 6500 रुपये मासिक है। पहली नवंबर, 1990 से प्रावधान किया गया है कि कर्मचारी फैक्टरी प्रतिष्ठान में नियुक्त होने की तिथि से ही भविष्यनिधि का सदस्य हो जाएगा। 31 मार्च, 2008 तक के आंकड़ों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 5,32,702 प्रतिष्ठान और उद्योग हैं जिनके 449.19 लाख सदस्य हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान 61024 नये प्रतिष्ठान और उद्योगों के 18.43 लाख नये कर्मचारियों को इस योजना में शामिल किया गया।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, 16 नवंबर, 1995 से लागू हुई। इसका उद्देश्य वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखना है। 16 नवंबर, 1995 से भविष्यनिधि कोष की सदस्यता लेने वाले नए सदस्य अनिवार्य रूप से इस योजना के भी सदस्य बन जाते हैं। कर्मचारी भविष्यनिधि योजना, 1995 लागू होने के साथ ही कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 समाप्त हो गई तथा उस योजना के सदस्य नई योजना के सदस्य बन गए। पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम दस वर्ष की सेवा अवधि होनी चाहिए। 31 मार्च, 2006 तक इस योजना की कुल सदस्य संख्या 324 लाख थी। वर्ष 2005-06 के दौरान इस योजना में 12.4 लाख नए सदस्य शामिल हुए। सदस्य को देय पेंशन की गणना पेंशन योग्य सेवा (16.11.95 के पश्चात सेवा) लाभ तथा पूर्व सेवा (16.11.95 के पूर्व सेवा) लाभ के योग के अनुसार होगी।

31 मार्च, 2008 को योजना के लाभार्थियों की संख्या 29.53 लाख थी। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 सदस्यों तथा उनके परिवारों को निम्न लाभ उपलब्ध कराती है।

- मासिक सदस्य पेंशन
- पूर्ण विकलांगता पेंशन
- पूंजी का प्रतिलाभ
- पेंशन राशि के एक-तिहाई का विनिमय
- विधवा/विधुर पेंशन
- बाल पेंशन
- अनाथ पेंशन
- विकलांग बच्चों को पेंशन
- नामजद व्यक्ति को पेंशन
- अश्रित माता/पिता को पेंशन

इस योजना के अंतर्गत धन की व्यवस्था के लिए भविष्यनिधि में नियोक्ता की ओर से दिए जाने वाले मासिक वेतन की 8.33 प्रतिशत धनराशि को पेंशन कोष में जमा करा दिया जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार वेतन के 1.16 प्रतिशत के बराबर योगदान करती है। अधिकतम वेतन राशि 1 जून, 2001 से 5000 रुपये से बढ़ाकर 6500 रुपये कर दी गई है। कोष में 31 मार्च, 2008 को कुल राशि 94101.42 करोड़ रुपये थी।

जमा राशि से जुड़ी कर्मचारी बीमा योजना, 1976

सामाजिक सुरक्षा की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना जमा राशि से जुड़ी कर्मचारी बीमा योजना, 1976 है। इसे कर्मचारी भविष्यनिधि और छूट-प्राप्त भविष्यनिधियों के सदस्यों के लिए एक अगस्त, 1976 से लागू किया गया। इसके अनुसार कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को भविष्यनिधि में जमा धनराशि के अतिरिक्त वह धनराशि भी मिलेगी जो पिछले 12 महीनों में निधि में जमा औसत अधिशेष के बराबर होगी। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम भुगतान 60 हजार रुपये होगा और इसके लिए कर्मचारियों को कोई अंशदान नहीं करना होगा।

रोजगार और प्रशिक्षण

युवाओं को आजीविका के लिए तैयार करने के उद्देश्य से रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय ने अनेक

प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए हैं। जहां तक संभव है, ये कार्यक्रम राष्ट्रीय ढांचे के भीतर तैयार किए जाते हैं और इस कार्य में अन्य देशों से सहयोग तथा भारत सरकार और विश्व बैंक आदि से वित्तीय सहायता भी ली जाती है।

दस्तकारों का प्रशिक्षण

14 से 40 साल की आयु वाले युवक-युवतियों को इंजीनियरी और गैर-इंजीनियरी व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के लिए देशभर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं। 31 मार्च, 2009 तक 6906 आई.टी.आई. संस्थानों में 9.53 लाख लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। इस समय 112 ट्रेड इस योजना के अंतर्गत रखे गए हैं। इंजीनियरी और गैर-इंजीनियरी ट्रेड्स के लिए पाठ्यक्रम की अवधि छह माह या तीन वर्ष होती है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए शैक्षिक योग्यता व्यवसाय के अनुसार आठवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक या इसके समकक्ष रखी गई है। कुछ राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों की मांगें पूरी करने के लिए अन्य ट्रेडों में भी राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषदों के अंतर्गत प्रशिक्षण देना शुरू किया है।

प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्देशित उद्योगों में प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षु नियुक्त करना नियोक्ता के लिए अनिवार्य बनाया गया है। यह प्रशिक्षण योजना 6 माह से चार वर्ष तक हो सकती है। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उसके बाद ऑन द जॉब अथवा शाप फ्लोर प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसका मानक सरकार द्वारा केंद्रीय प्रशिक्षु परिषद से सलाह के बाद निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में व्यवसाय प्रशिक्षुओं के लिए 188 व्यवसायों को विनिर्दिष्ट किया गया है तथा केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों में 2.5 लाख सीटें रखी गई हैं। वर्ष 1973 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया ताकि स्नातक और डिप्लोमा इंजीनियरों के प्रशिक्षण को “स्नातक एवं तकनीशियन” प्रशिक्षु के रूप में शामिल किया जा सके। वर्ष 1986 में इस अधिनियम को दोबारा संशोधित किया गया तथा इसकी परिधि में 10+2 व्यावसायिक स्ट्रीम के प्रशिक्षण को तकनीशियन व्यवसाय प्रशिक्षु के रूप में लाया गया। इसके लिए 114 विषय क्षेत्रों को स्नातक एवं तकनीशियन प्रशिक्षु की श्रेणी में तथा 102 को तकनीशियन (व्यावसायिक प्रशिक्षु) की श्रेणी में रखा गया। इन श्रेणियों में 96747 सीटें रखी गई हैं।

महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

देश में महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए 370 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। इसके अलावा 818 महिला-स्कंध सामान्य शिक्षण संस्थानों और निजी डब्ल्यूआईटीआई में भी हैं, जिनकी कुल क्षमता 51,236 है। ये राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं।

राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ने सिफारिश की कि सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की 25-30 प्रतिशत सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी जाएं। ये सीटें राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की आम आरक्षण नीति के आधार पर भरी जाएं। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार, और महिलाओं के लिए बने राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा की देख-रेख में चलाए जाते हैं और मुंबई, बंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, हिसार, तुरा, इलाहाबाद, इंदौर, वडोदरा और जयपुर में 10 क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं जिनमें प्रारंभिक, उच्च तथा निर्देशात्मक कौशल उपलब्ध कराने के लिए 3568 महिलाओं को प्रशिक्षण देने की क्षमता मौजूद है। इसके अलावा बुनियादी प्रशिक्षण सुविधाओं

की उपलब्धता के अनुसार अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। मार्च 2008 तक लगभग 67,246 महिलाओं को इन संस्थानों से प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

शिल्प प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

हावड़ा, मुंबई, कानपुर, लुधियाना और हैदराबाद स्थित उच्च प्रशिक्षण संस्थान और चेन्नई स्थित केंद्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान 1960, प्रशिक्षु अनुदेशकों को औद्योगिक कौशल सिखाने का प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित किए गए। ये प्रशिक्षु अनुदेशक आगे उद्योग जगत के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराते हैं। इन संस्थानों की क्षमता 1099 अनुदेशकों को प्रशिक्षित करने की है। इनमें कौशल-विकास और शिक्षण सिद्धांत, दोनों में ही गहन प्रशिक्षण के लिए एकवर्षीय पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। अनुदेशकों के गहन ज्ञान और कौशल को आधुनिक तथा अद्यतन बनाए रखने और उन्हें उद्योग जगत के प्रौद्योगिकी विकास की जानकारी देने के लिए ये संस्थान सेवाकालीन पाठ्यक्रम भी आयोजित करते हैं। अनुदेशकों के प्रशिक्षण के लिए कुछ चुने हुए विशेष व्यवसायों में प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ए.टी.आई. (लुधियाना) में कृषि-उपकरण और ए.टी.आई. (कानपुर, हावड़ा और लुधियाना) में मशीनी उपकरण रख-रखाव व्यवसाय में प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारत सरकार के नियमों के अनुसार, इनमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है। बड़ी संख्या में गैर-प्रशिक्षित अनुदेशकों को शिक्षण के सिद्धांत का प्रशिक्षण देने के लिए तीन महीने की अवधि का एक पाठ्यक्रम 11 संस्थानों में शुरू किया गया है।

उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली

विभिन्न प्रकार के उच्च और परिष्कृत कौशलों, जिनका प्रशिक्षण अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उपलब्ध नहीं होता, में प्रशिक्षण देने के लिए अक्टूबर 1977 से एक उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उच्च कौशल वाले क्षेत्रों में दो से 12 सप्ताह तक की अवधि के पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। यह योजना मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना और चेन्नई स्थित छह उच्च प्रशिक्षण संस्थानों और 15 राज्य सरकारों के 16 चुने हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत स्थानीय उद्योगों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न उच्च पाठ्यक्रम चलाने के लिए इन संस्थानों का आधुनिकीकरण किया गया।

केंद्रीय शैक्षिक मीडिया संस्थान

चेन्नई में केंद्रीय मीडिया संस्थान खोला गया है, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना के तहत, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा उद्योगों और प्रतिष्ठानों में अप्रेंटिशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षकों तथा प्रशिक्षुओं के इस्तेमाल के लिए शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना है। संस्थान ने निर्देशात्मक मीडिया पैकेट की विविध सामग्री विकसित की है, जिसमें लिखित निर्देशात्मक सामग्री, निर्देशक गाइड, चार्ट विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए पारदर्शिता शामिल है। अब तक के इसके कार्य निम्नलिखित हैं-

राष्ट्रीय शैक्षिक मीडिया संस्थान में 22 वाणिज्यों का शोधकर 174 किताब अंग्रेजी में प्रकाशित हुए हैं। पुस्तक में विषय से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध है।

- केंद्रीय मीडिया संस्थान में 13 वाणिज्य की सामग्री का अंग्रेजी से हिन्दी में कर 70 किताबें प्रकाशित की गई हैं।
- केंद्रीय मीडिया संस्थान में 12 वाणिज्य के सामग्री का अंग्रेजी से तमिल में अनुवाद किया गया है और 55 किताबें छप चुकी हैं।

- केंद्रीय मीडिया संस्थान में 3 वाणिज्य के सामग्री का अंग्रेजी से तेलगू में अनुवाद हुआ और 6 पुस्तकें छपी जा चुकी हैं।
- केंद्रीय मीडिया संस्थान में 6 वाणिज्य के सामग्री का अंग्रेजी से कन्नड़ में अनुवाद कर 26 किताबों का प्रकाशन हुआ।
- केंद्रीय मीडिया संस्थान में 5 वाणिज्य के सामग्री का अंग्रेजी से बंगला में अनुवाद कर 13 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया।
- केंद्रीय मीडिया संस्थान में 8 वाणिज्य के सामग्री का अंग्रेजी से मराठी में अनुवाद कर 26 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया।
- केंद्रीय मीडिया संस्थान में 1 वाणिज्य के सामग्री का अंग्रेजी से उड़िया में अनुवाद कर 4 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया।

केन्द्रीय आकर्षण

राष्ट्रीय शैक्षिक मीडिया संस्थान ने 10 विभाग का शोध और पढ़न सामग्री का विकास अंग्रेजी में किया जिससे 31 किताबें और 7 विभाग का किताब प्रकाशित हुआ है।

- 5 सेक्टर के 29 पुस्तक छपने को तैयार हैं। 29 किताब 5 सेक्टर के छपने को तैयार है।
- 70 शीर्षक हिन्दी में अनुवादित और 6 अन्य क्षेत्रिय भाषाओं में अनुवादित किये जा चुके हैं।

आधुनिक रोजगार योग्य अनुभव

राष्ट्रीय शैक्षिक मीडिया संस्थान ने 235 कोर्स को अंग्रेजी में विकसित किया है जिसका 134 किताब प्रकाशित हो गया है और 101 शीर्षक प्रकाशन के लिए तैयार है।

- निर्देशात्मक सामग्री के साथ 218 कोर्स अंग्रेजी में तैयार और विकसित हैं।
- 259 कोर्स के प्रश्नमालिका भी तैयार कर ली गई है।
- अंतिम निपुणता परखने का कार्यक्रम 40 कोर्स में विकसित कर लिया गया है।
- 40 कोर्स के विडियो द्वारा निर्देशात्मक कार्यक्रम तैयार कर लिये गए हैं।
- 32 शीर्षक हिन्दी में अनुवादित और प्रकाशित कर लिए गए हैं।

फोरमैन/सुपरवाइजर का प्रशिक्षण

उद्योगों के फोरमैन/सुपरवाइजरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बंगलुरु और जमशेदपुर स्थित दो फोरमैन प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित किए जाते हैं।

केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान

भारत सरकार ने जर्मन सरकार के सहयोग से 1968 में केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता की स्थापना की थी। इस संस्थान के तीन प्रभाग हैं—प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास। प्रशिक्षण प्रभाग देश में व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण से संबद्ध कार्यपालक अधिकारियों और प्रशासकों को प्रशिक्षण देता है। अनुसंधान प्रभाग व्यावसायिक प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं के बारे में समस्यामूलक अध्ययन करता है और विकास प्रभाग औद्योगिक प्रशिक्षण को प्रभावी ढंग से संचालित कराने के लिए निर्देशात्मक सामग्री और सहायक सामग्री/मॉडलों का विकास और वितरण करता है।

हाल की पहल

500 औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थानों का दर्जा बढ़ाने हेतु

वित्तमंत्री ने वर्ष 2004-05 के अपने बजट भाषण में और फिर 2006-07 के बजट भाषण में भी 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का दर्जा बढ़ाने की घोषणा की प्रथम 100 केन्द्रों को घरेलू स्रोतों से तथा 400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को विश्व बैंक से सहायता मिल रही है।

इस योजना की मुख्य विशिष्टताएं इस प्रकार हैं—प्रथम वर्ष के दौरान बहुकौशल पाठ्यक्रमों को आरंभ करना, उन्नत/विशिष्ट मॉड्यूल पाठ्यक्रम जो व्यवसाय अनुसार समूह प्रवेश, बहुप्रवेश तथा बहुनिकास प्रावधानों के साथ रखे गए तथा प्रशिक्षण के सभी पक्षों में उद्योगों की सक्रिय तथा दीर्घ सुनिश्चित कराने के लिए संस्थान प्रबंधक समिति के रूप में सार्वजनिक नीति भागीदारी भी इस योजना की विशिष्टता है। 21 क्षेत्रों को कवर करते हुए अग्रवर्ती मॉड्यूलों के पाठ्यक्रम विकसित किए गए और उन्हें अंतिम रूप दिया गया है।

प्रथम 100 उत्कृष्टता केंद्रों को घरेलू स्रोतों से तथा 400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को विश्व बैंक से सहायता मिल रही है। 2 नवंबर, 2007 को विश्व बैंक ने 280 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के ऋण की मंजूरी दी है। सी.सी.ई.ए की मंजूरी ली जा रही है। 400 आई.टी.आई. को में उन्नत किया जा रहा है। शेष 1396 सरकारी आई.टी.आई. को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत उन्नयन कर उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की पूर्वोत्तर सिक्किम और जम्मू एवं कश्मीर में स्थापना

वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान शत-प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना जम्मू-कश्मीर राज्य में मौजूदा 37 आई.टी.आई. के उन्नयन तथा जम्मू में नई महिला आई.टी.आई. स्थापित करने के लिए शुरू की गई। योजना के पूरी तरह लागू हो जाने के बाद इसका परिणाम राज्य में 1836 प्रशिक्षण सीटों की वृद्धि के रूप में होगा। एक शत-प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में लागू की जा रही है। जिसकी कुल लागत 100 करोड़ रुपये होगी जिससे 22 नई आई.टी.आई. स्थापित की जाएंगी तथा मौजूदा 35 आई.टी.आई. का उन्नयन किया जाएगा। 13.70 करोड़ रुपये के लागत से 31.1.2010 तक 3 आई.टी.आई. में से 2 सिक्किम में और 1 आसम में स्थापित करता है। इसके परिणामस्वरूप आई.टी.आई. की सीटों की क्षमता दुगुनी होकर 7244 से 16144 हो जाएगी।

1396 सरकारी आईटीआई का सार्वजनिक-निजी भागीदारी द्वारा उत्थान

सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 1396 सरकारी आई आई टी का उन्नयन अपने बजट अभिभाषण 2007-2008 में केन्द्रीय वित्तमंत्री ने 1396 सरकारी आई आई टी सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा उत्थान कर उन्नयन कर उत्कृष्टता केन्द्र बनाया जाना है। इस योजना की उद्घोषणा के कार्य पालन 'सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 1396 सरकारी आई आई टी का उन्नयन' को व्यवस्थित करने के कुल व्यय 3550 करोड़ रुपये (3490 करोड़ रुपये 1396 सरकारी आई आई टी उन्नयन है इसमें 2.5 करोड़ रुपये प्रत्येक आई आई टी और 60 करोड़ रुपये व्यवस्थापन, निरीक्षण और परीक्षण योजना के लिए है) आई आई टी के विद्यार्थी को नौकरी के लिए तैयार करने हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसका खाका और प्रशिक्षण की वितरण और बाजार की मांग के अनुसार होगा।

योजना के तहत उद्योग की साझेदारी में प्रत्येक आई आई टी उन्नयन हेतु व्यवस्था में अगुवाई करेगा। उद्योग के साझेदार राज्य सरकार द्वारा चयनित किया जायेंगे जिसमें उद्योग संघ से भी विचार विमर्श की जायेगा। संस्था व्यवस्थापक समिति प्रत्येक आई आई टी को स्थापित। पुनर्स्थापित (यह उद्योग साझेदार या उसके प्रतिनिधि को अध्यक्ष, क्षेत्रीय उद्योग से चार सदस्य द्वारा नामांकित, प्रधानाचार्य, आई टी आई और भूतपूर्व मेम्बर सेक्रेट्री इसके होंगे) सामाजिक पंजीकरण सरकार द्वारा पंजीकृत होनी चाहिए केन्द्र सरकार द्वारा योजना को दिया जायेगा जो उद्योगों की आई आई टी के लिए वित्तीय और शैक्षणिक स्वैच्छा प्रदान की जायेगी। 2.5 करोड़ रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण तुरंत केंद्र सरकार द्वारा उद्योगों की साझेदारी में अगुवाई करेगा। आई आई टी में 20 प्रतिशत दाखिले पर भी संस्था व्यवस्थापक का हक होगा अन्य पर राज्य सरकार का अधिकार होगा। वह 20 प्रतिशत छोड़कर बाकी की फीस एवं दाखिले का अधिकारी होगा। 10 वर्षों तक ब्याज विलंब में छूट है। ऋणों को बराबर भागों में विभक्त कर 20 वर्षों में भुगतान करना है। संस्था व्यवस्थापक अपने पैसों को विभिन्न मदों द्वारा कमा सकता है जैसे सेवा/परियोजना केन्द्र, अल्पावधि कोर्स, सलाह, सहायता इत्यादि। योजना को लागू करने के लिए केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यवसन हेतु केन्द्र की स्थापना करना। इस योजना का निरीक्षण राष्ट्रीय कर्णधार समिति और राज्य कर्णधार समिति राज्य और केन्द्र में उद्योग संघ के साथ मिलकर करेगी।

1500 करोड़ रुपये का दिया गया है जिसमें 2.5 करोड़ प्रत्येक आई आई टी में संस्था व्यवस्थापक समिति को दिया गया। ब्याज मुक्त ऋण को 600 आई आई टी को 2007-08 और 2008-09 को उन्नयन करना है। तीसरा सत्र 300 आई आई टी को 2009-10 में उन्नयन होगा।

योग्यता विकास पहल

एक नए योजना 'योग्यता विकास स्वयंरोजगार' के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण, पांच सालों में एक मिलियन लोगों में प्रतियोगिता के लिए टेस्ट अल्पावधि के लिए प्रशिक्षण कोर्स का 550 करोड़ रुपये में व्यवस्थित करना।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 2005-2006 में उद्घोषण की कि "विशेष योग्यता की मांग को पूरा करने के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी सरकार और उद्योग ने योग्यता के विकास कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम 'योग्यता विकास स्वयंरोजगार'"

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास का नए नीति के तहत किया है जिसमें स्कूली स्तर पर और काम करने वाले उद्योग के करीबी परामर्शदाता का विकास करना है। राज्य सरकार और विशेषज्ञ ने मई 2007 के एसडीआई योजना का कार्यवन्धन हुआ।

योजना का लक्ष्य

- स्कूली स्तर पर व्यवसायिक प्रशिक्षण काम करने वाले मजदूर, आई टी आई स्नातक इत्यादि को सरकार की सुविधा को इस प्रकार देना कि रोजगार के अवसर बढ़ें। व्यक्ति की योग्यता को योजना के तहत टेस्ट और प्रमाणित करने को कहा।
- योग्यता बढ़ाने के लिए पढ़ने की सामग्री, कोर्स और देश में असिस्टमेंट मापदंड बढ़ाया गया।

योजना के मुख्य बिन्दु

उद्योगकर्ताओं से सलाह मशविरा

- एमईएस की तर्ज पर कम समयावधि के प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। एमईएस आसान तकनीकी तंत्र है जो काम पाने में सहायक है।

- केन्द्रीय सरकार उद्योगों, निजी क्षेत्र और राज्य सरकारों को इस तरह के प्रशिक्षण के लिए अधिक सुविधाएं देकर उत्साहित कर रही है।
- प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार उपलब्ध संसाधनों का अधिक-से-अधिक उपयोग कर रही है।
- विभिन्न वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह प्रशिक्षण पार्ट टाइम, सप्ताह के अंत में और पूर्णासमयाविधि के अनुसार बनाया गया है।
- विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को विभिन्न चरणों में (जैसे की मूलभूत चरण और तकनीकी उच्च दक्षता) प्रदान की गयी हैं।
- इस काम के लिए उपलब्ध/सेवा निवृत्त और भेदभाव विशेषज्ञों की सेवाओं को उपयोग में लिया गया है।
- जो भी व्यक्ति 5वीं पास है उनके लिए भी कोर्स उपलब्ध हैं।
- तकनीकी का परीक्षण और परिपक्वता बिना किसी रुकावट की हासिल की जा सकती है
- प्रशिक्षण पाने वालों का तकनीकी प्रशिक्षण ज्ञान की परीक्षा स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा ली जाती है जो प्रशिक्षण कार्यक्रम देने में शामिल नहीं होती और यह संस्थाएं इस बात के लिए प्रतिबद्ध होती है कि प्रशिक्षण पूरी तरह से लागू हो।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना ही इस योजना का निचोड़ है।

सक्रिय अनुग्रहण

- 436 मोडूलर रोजगार योग्य 40 क्षेत्र विकसित किए गए हैं।
- 22 परीक्षण केंद्र परीक्षा के लिए की सूची बनाई गई।
- आई एल एंड एफ एस ने परामर्शदाता नियुक्त किये हैं जो वेब पर आधारित साफ्टवेयर के लागू योजना का निरीक्षण और परीक्षण कर सके।
- 1,75,000 से अधिक व्यक्ति को प्रशिक्षित किया गया व्यक्ति की।
- 3963 पंजीकृत व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधा मुहैया करवाया।
- वी टी पी के लिए रूपरेखा को स्वीकृत किया और राज्य सरकार को लागू किया है।

रोजगार

संगठित क्षेत्र में रोजगार में सार्वजनिक क्षेत्र और गैर खेतिहत क्षेत्र में रोजगार विकसित करना। 10 या उससे अधिक वाले निजी क्षेत्र में मार्च 2005 तक बहुत कम 264.58 से 269.93 लाख तक बढ़ी जो 0.1 प्रतिशत ही है। मार्च 2006 0.1 प्रतिशत निजी क्षेत्रों में 2006-07 में 4.2 प्रतिशत रोजगार बढ़ी है।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा

राष्ट्रीय रोजगार सेवा 965 रोजगार विनिमय विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन ब्यूरो का नेटवर्क अगस्त 2008 से हुआ। राष्ट्रीय विनिमय सहायता विशेष समूह को करती है विकलांग, पूर्व-सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं आदि विशेष वर्गों समेत रोजगार के इच्छुक सभी व्यक्तियों की सहायता नियोक्ताओं द्वारा अधिसूचित रिक्तियों को भरने के लिए करते हैं। राष्ट्रीय रोजगार सेवा के तहत कई अन्य कार्य भी किए जाते हैं, जिनमें व्यावसायिक मार्गप्रदर्शन और रोजगार परामर्श, रोजगार बाजार की

सूचना का समन्वय तथा प्रसार के अलावा रोजगार तथा जनशक्ति नीतियां बनाने के लिए डाटा तैयार करने के लिए रोजगार तथा व्यावसायिक अनुसंधान के क्षेत्र में अध्ययन भी शामिल है।

रोजगार कार्यालय (रिक्त पदों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के सभी और निजी क्षेत्र के उन गैर-कृषि प्रतिष्ठानों के लिए, जिनमें 25 या इससे अधिक व्यक्ति काम करते हों, अपने यहां रिक्त स्थानों की समय-समय पर सूचना (कुछ अपवादों को छोड़कर) अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार रोजगार कार्यालयों को देना अनिवार्य है। राष्ट्रीय स्तर पर, विशेषकर सामान्य नीतियां तैयार करने, सामान्य मानक और पद्धतियां निर्धारित करने, अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने का दायित्व केंद्र सरकार का होता है, जबकि रोजगार केंद्रों के रोजमर्रा के प्रशासन का कार्य राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों का होता है। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए 43 विशेष रोजगार कार्यालय हैं। 20 व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों में विकलांगों के लिए व्यापक पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

युवाओं (जिन आवेदकों को कोई अनुभव न हो) और वयस्कों (काम का अनुभव रखने वालों) को व्यावसायिक मार्गप्रदर्शन और रोजगार के बारे में परामर्श दिया जाता है। इस तरह की सुविधा मार्च 2009 तक 392 रोजगार कार्यालय कार्यरत में उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त 82 विश्वविद्यालयों में रोजगार सूचना और परामर्श ब्यूरो भी कार्य कर रहे हैं। ये इकाइयां आवेदकों और युवाओं को अपने व्यवसाय के बारे में योजना बनाने में सहायता करती हैं। रोजगार की तलाश करने वाले लोगों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 22 चुने हुए जिलों में प्रायोगिक आधार पर एक विशेष योजना चलाई गई है।

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए कोचिंग एवं मार्गदर्शन केंद्र नौकरी इच्छुकों को पंजीकरण, मार्गदर्शन, फार्म जमा करने से पूर्व मार्गदर्शन, आत्मविश्वास प्रशिक्षण, चयन-पूर्व प्रशिक्षण तथा टंकण और आशुलिपि में विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं।

22. जनसंचार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, प्रेस तथा प्रिंट प्रकाशन, विज्ञापन और संचार के पारंपरिक तरीकों जैसे नाटक, संगीत, आदि के जरिए जनसंचार के साथ-साथ सूचना का प्रवाह करता है। मंत्रालय विभिन्न आयु समूह के लोगों को मनोरंजन उपलब्ध कराने के साथ ही राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, परिवार कल्याण, निरक्षरता उन्मूलन तथा बच्चों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य दुर्बल वर्गों की समस्याओं के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करता है। मंत्रालय के चार विंग नामतः सूचना विंग, प्रसारण विंग, फिल्म विंग तथा समन्वित वित्त विंग हैं। मंत्रालय की 24 मीडिया इकाइयां। संबंधित तथा अधिनस्थ कार्यालय, स्वायत्तशासी निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं।

अपर सचिव (नीति एवं प्रशासन) के अधीन सूचना विंग प्रिंट तथा प्रेस मीडिया की नीतियों तथा सरकार की प्रचार संबंधी आवश्यकताओं को देखता है।

उप-सचिव (प्रसारण) के अधीन प्रसारण विंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित मामलों को देखता है। यह जनसेवा प्रसारणकर्ताओं केवल टेलीविजन, निजी टेलीविजन चैनल, एफ.एम. रेडियो, सामुदायिक रेडियो सहित इस क्षेत्र के लिए नीतियां तथा नियम बनाता है।

उप-सचिव (फिल्म) के अधीन फिल्म विंग वृत्तचित्रों का निर्माण तथा वितरण; प्रशिक्षण, फिल्म समारोहों का आयोजन, आयात तथा निर्यात नियमन सहित फिल्म उद्योग से संबद्ध विकास तथा प्रोत्साहन गतिविधियों में संलग्न है।

एएस तथा एफए के अधीन वित्त विंग बजट, योजना समन्वय तथा ओ एवं एम गतिविधियों सहित मंत्रालय के वित्तीय पहलू से संबंधित कामकाज को देखता है। एएस तथा एफए को आर्थिक सलाहकार सहयोग देता है।

प्रसार भारती

प्रसार भारती देश में सार्वजनिक प्रसारण सेवा है और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन इसके दो घटक हैं। लोगों को सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन प्रदान करने और रेडियो तथा टेलीविजन पर प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए 23 नवंबर, 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया।

प्रसार भारती अधिनियम 1990 में वर्णित प्रसार भारती निगम के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं:

- देश की एकता और अखंडता तथा संविधान में वर्णित मूल्यों को बनाए रखने में सहयोग करना;
- राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना;
- जनहित के सभी मामलों के बारे में जानकारी प्रदान करके और सूचना के निष्पक्ष तथा संतुलित प्रवाह के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना;
- शिक्षा तथा साक्षरता के प्रसार; कृषि; ग्रामीण विकास; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना;
- महिलाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना और बच्चों, वृद्धों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष उपाय

करना; (vi) विविध संस्कृतियों, खेलों और युवा मामलों को समुचित कवरेज प्रदान करना; (vii) सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना और श्रमिक वर्ग, अल्पसंख्यकों तथा जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना और (viii) प्रसारण सुविधाओं का विस्तार तथा प्रसारण प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।

निगम का कार्य संचालन प्रसार भारती बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी सदस्य (जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी कहा जाता है), एक सदस्य सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि तथा पदेन सदस्यों के रूप में आकाशवाणी महानिदेशक और दूरदर्शन महानिदेशक शामिल होते हैं। इसका अध्यक्ष अंशकालिक सदस्य होता है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कार्यकारी सदस्य, सदस्य (वित्त) और सदस्य (कार्मिक) इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल भी 6 वर्ष के लिए होता है लेकिन इनके लिए अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है।

आकाशवाणी

भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया। इसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले दो ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की स्थापना हुई। सन 1930 में सरकार ने इन ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से उन्हें परिचालित करना आरंभ कर दिया। 1936 में इसका नाम बदलकर आल इंडिया रेडियो कर दिया गया और यह 1957 में आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा।

संगठनात्मक ढांचा

आकाशवाणी महानिदेशालय प्रसार भारती के अंतर्गत कार्य करता है। प्रसार भारती का बोर्ड 1990 के अधिनियम के अनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति और संगठन की नीतियों के निर्धारण और कार्यान्वयन को शीर्ष स्तर पर सुनिश्चित करता है। इसका कार्यकारी सदस्य निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में बोर्ड के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अंतर्गत काम करता है। सीईओ, सदस्य (वित्त) और सदस्य कार्मिक प्रसार भारती के मुख्यालय—द्वितीय तल, पीटीआई बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली में बैठते हैं।

वित्त, प्रशासन और कार्मिक संबंधी सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मामले परामर्श, कार्यान्वयन और निर्णय के लिए आवश्यकतानुसार सदस्य (वित्त) और सदस्य कार्मिक के जरिए सीईओ और बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। प्रसार भारती सचिवालय में कार्यरत विभिन्न कार्यक्षेत्रों के अधिकारी कार्यों, अभियानों, योजनाओं और नीति कार्यान्वयन में समन्वयन और बजट, लेखा एवं सामान्य वित्तीय मामलों में सीईओ, सदस्य (वित्त) और सदस्य कार्मिक को सहायता प्रदान करते हैं।

प्रसार भारती के पास मुख्य सर्तकता अधिकारी के नेतृत्व में मुख्यालय स्तर पर एकीकृत सर्तकता संगठन भी है।

आकाशवाणी का मुखिया महानिदेशक होता है। वह आकाशवाणी के रोजमर्रा के कामों में सीईओ, सदस्य (वित्त) और सदस्य कार्मिक के साथ काम करता है। आकाशवाणी में मुख्य तौर पर पांच विभिन्न खंड हैं : कार्यक्रम, इंजीनियरिंग, प्रशासन, वित्त और समाचार।

कार्यक्रम स्कंध

महानिदेशक की सहायता के लिए मुख्यालय में उप महानिदेशक और क्षेत्रीय केंद्रों के बेहतर पर्यवेक्षण के लिए

क्षेत्रीय केंद्रों में उप महानिदेशक होते हैं। क्षेत्रीय उप महानिदेशकों के कार्यालय कोलकाता (पूर्वी क्षेत्र), मुंबई (पश्चिमी क्षेत्र), लखनऊ (मध्य क्षेत्र-1), भोपाल (मध्य क्षेत्र-2), गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र), चेन्नई (दक्षिण क्षेत्र-1), बंगलुरु (दक्षिण क्षेत्र-2), दिल्ली (उत्तर क्षेत्र-1) और चंडीगढ़ (उत्तर क्षेत्र-2) में हैं। एक नया उप महानिदेशक कार्यालय अहमदाबाद (पश्चिम क्षेत्र-2) में प्रस्तावित है।

इंजीनियरी स्कंध

आकाशवाणी के तकनीकी मामलों में महानिदेशक की मदद के लिए मुख्यालय में इंजीनियर इन चीफ और चीफ इंजीनियर और जोनल इंजीनियर हैं। मुख्यालय में एक नियोजन और विकास एकांश भी है जो विकास योजनाएं और कार्यक्रम बनाने में मदद करता है। सिविल निर्माण गतिविधियों में महानिदेशक की सहायता के लिए सिविल निर्माण स्कंध है जिसका प्रमुख चीफ इंजीनियर होता है। सिविल निर्माण स्कंध दूरदर्शन के निर्माण कार्य भी देखता है।

प्रशासनिक स्कंध

महानिदेशक को प्रशासन संबंधी सभी मामलों में सहायता के लिए एक उप महानिदेशक (प्रशासन) होता है जबकि उप निदेशक (कार्यक्रम) कार्यक्रम कर्मियों के प्रशासन में महानिदेशक की मदद करता है। एक निदेशक आकाशवाणी के इंजीनियरी प्रशासन को देखता है जबकि दूसरा निदेशक (प्रशासन और वित्त) प्रशासन और वित्त के मामलों में महानिदेशक की मदद करता है।

सुरक्षा स्कंध

आकाशवाणी प्रतिष्ठानों, ट्रांसमीटरों, स्टूडियो, कार्यालयों आदि की सुरक्षा से संबंधित मामलों में महानिदेशक की सहायता के लिए उप महानिदेशक (सुरक्षा), सहायक महानिदेशक (सुरक्षा) और उप महानिदेशक (सुरक्षा) होते हैं।

श्रोता अनुसंधान स्कंध

देश भर में फैले विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित कार्यक्रमों के बारे में तत्काल फीडबैक और अनुसंधान सहयोग उपलब्ध कराने में निदेशक श्रोता अनुसंधान महानिदेशक की मदद करते हैं।

आकाशवाणी के अधीनस्थ कार्यालयों की गतिविधियां

आकाशवाणी के कई अधीनस्थ कार्यालय हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं।

समाचार सेवा प्रभाग

समाचार सेवा प्रभाग 24 घंटे प्रसारण करता है और घरेलू तथा विदेशी सेवाओं में कुल मिलाकर 620 से अधिक समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है। ये भारतीय और विदेशी भाषाओं में होते हैं। समाचार सेवा प्रभाव का प्रमुख महानिदेशक समाचार सेवा होता है। इसकी 45 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां हैं। श्रोताओं की समाचारों के प्रति रुचि के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों से अलग-अलग बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं।

विदेश सेवा प्रभाग

आकाशवाणी का विदेश सेवा प्रभाग 16 विदेशी भाषाओं और 11 भारतीय भाषाओं में प्रसारण करता है। इस सेवा की दैनिक कुल प्रसारण अवधि 72 घंटे है और ये प्रसारण 100 देशों में प्रसारित किये जाते हैं।

ट्रांसक्रिप्शन और कार्यक्रम आदान-प्रदान सेवा

यह सेवा विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों के बीच कार्यक्रमों के विनिमय, साउंड आर्काइव के निर्माण व इसके रखरखाव और नामी-गिरामी संगीतकारों की प्रसिद्ध रिकार्डिंग को बिक्री के लिए जारी करने के काम की देखरेख करती है।

अनुसंधान विभाग

अनुसंधान विभाग की गतिविधियों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की जरूरत के उपकरणों के बारे में अनुसंधान और विकास, आकाशवाणी और दूरदर्शन के बारे में अन्वेषण और अध्ययन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क में सीमित क्षेत्रीय परीक्षण के लिए आर एं डी उपकरणों के प्रोटोटाइप मॉडलों का विकास शामिल है।

केंद्रीय स्टोर कार्यालय

केंद्रीय स्टोर कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये आकाशवाणी केंद्रों के तकनीकी उपकरणों के रखरखाव के लिए आवश्यक इंजीनियरी सामग्री की खरीद, भंडारण और वितरण से संबंधित कार्य करता है।

स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (कार्यक्रम)

स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (कार्यक्रम) 1948 में निदेशालय में शुरू किया गया था। आज इसकी दो प्रमुख शाखाएं किंगजवे कैंप, दिल्ली और भुवनेश्वर में कार्य कर रही हैं। ये कार्यक्रम कर्मियों और प्रशासनिक कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण और नये भर्ती हुए कर्मचारियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। इसके अलावा ये अल्पकालिक रिफ्रेशर पाठ्यक्रम भी संचालित करती हैं। प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए परीक्षाएं भी इसके द्वारा आयोजित की जाती हैं।

इसके अलावा इस समय पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान भी हैदराबाद, शिलांग, लखनऊ, अहमदाबाद, और तिरुअनंतपुरम में कार्य कर रहे हैं।

स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (तकनीकी)

स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (तकनीकी) 1985 में निदेशालय के एक हिस्से के रूप में प्रारंभ किया गया था। आज यह किंगजवे कैंप, दिल्ली में कार्य कर रहा है। संस्थान आकाशवाणी और दूरदर्शन के तकनीशियन से लेकर अधीक्षण अभियंता तक के इंजीनियरी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करता है। इसके अलावा ये विभागीय परीक्षाएं और प्रतियोगिता परीक्षाएं भी आयोजित करता है। भुवनेश्वर में एक क्षेत्रीय स्टाफ ट्रेनिंग संस्थान (तकनीकी) भी कार्यकरत है।

विज्ञापन प्रसारण सेवा और विविध भारती

देश में 40 विविध भारती सह वाणिज्यिक प्रसारण सेवा केंद्र हैं जिनमें 3 ऐसे केंद्र भी हैं जो केवल वाणिज्यिक प्रसारण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। वाणिज्यिक प्रसारण सेवा से संबंधित कार्य दो स्कंधों— बिक्री और उत्पादन में किया जाता है। इसके अलावा एक अलग और स्वतंत्र कार्यालय जिसे केंद्रीय बिक्री यूनिट के नाम से जाना जाता है, 15 मुख्य विज्ञापन प्रसारण सेवा केंद्रों के साथ प्रसारण समय के विपणन की देखरेख करता है। वाराणसी और कोच्चि में भी दो और विविध भारती केंद्र हैं।

नेटवर्क और कवरेज का विकास

आजादी के बाद से आकाशवाणी दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण नेटवर्कों में से एक बन गया है। आजादी के समय कुल छह आकाशवाणी केंद्र और 18 ट्रांसमीटर थे जो देश के 2.5% क्षेत्र में 11% जनसंख्या तक पहुंच पाते थे। आज इसका नेटवर्क बढ़कर 232 आकाशवाणी केंद्रों और 374 ट्रांसमीटरों का हो गया जो देश के 91.82 प्रतिशत भू-भाग में 99.16 प्रतिशत जनसंख्या की पहुंच में है।

वर्ष के दौरान की गयी गतिविधियां

1. लेह (जम्मू-कश्मीर) में एफएम ट्रांसमीटर चालू किया गया है।
2. नजीबाबाद में 100 किलोवाट के मीडियम वेव ट्रांसमीटर के स्थान पर 200 किलोवाट का अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित ट्रांसमीटर लगाया गया।
3. सीमावर्ती इलाकों में कवरेज बढ़ाने के लिए जम्मू-कश्मीर विशेष पैकेज के तहत करगिल क्षेत्र के पदम में एक किलोवाट मीडियम वेव का ट्रांसमीटर लगाया गया है।
4. लेह, वाराणसी, रोहतक और औरंगाबाद में नये डिजिटल कैप्टिव अर्थ स्टेशन (अपलिंक) चालू किए गए। देहरादून और सिलचर में नए अपलिंक स्टेशन चालू होने को हैं।
5. प्रसार भारती के केयू बैंड के जरिए डायरेक्ट टु होम सेवा : देश के विभिन्न राज्यों की राजधानियों से विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में आकाशवाणी के 21 चैनल केयू बैंड के जरिए प्रसार भारती के डीटीएच प्लेटफार्म (डीडी डायरेक्ट प्लस) पर उपलब्ध हैं। देश भर में श्रोता इनका आनंद उठा रहे हैं।
6. आकाशवाणी फोन समाचार सेवा : दुनिया के किसी भी स्थान से किसी भी समय एक खास टेलीफोन नंबर डायल करके श्रोता आकाशवाणी के मुख्य समाचारों को हिंदी और अंग्रेजी में आसानी से सुन सकते हैं। आकाशवाणी की फोन समाचार सेवा इस समय 14 स्थानों से संचालित की जा रही है। इनके नाम हैं : दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पटना, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, बंगलुरु, तिरुअनंतपुरम, इफाल, लखनऊ, रायपुर, गुवाहाटी और शिमला।

नई पहल

आकाशवाणी आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन की ओर ध्यान दे रहा है। इसने कार्यक्रम निर्माण और प्रसारण दोनों में व्यापक डिजिटलाइजेशन कार्यक्रम शुरू किया है। कई रेडियो स्टेशनों के एनेलॉग उपकरणों के स्थान पर अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण लगा दिये गये हैं।

- 76 आकाशवाणी केंद्रों में कंप्यूटर हार्ड डिस्क आधारित रिकार्डिंग, एडिटिंग और प्लेबैक प्रणाली पहले ही उपलब्ध करा दी गयी है और 61 केंद्रों में इन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। इस समय आकाशवाणी के 48 मुख्य केंद्रों में हार्ड डिस्क पर आधारित प्रणाली उपलब्ध कराने का काम चल रहा है।

पूर्वोत्तर पैकेज द्वितीय चरण

पूर्वोत्तर पैकेज के दूसरे चरण को मई 2006 में स्वीकृति प्रदान की गयी। द्वितीय चरण के अंतर्गत स्वीकृत आकाशवाणी परियोजनाओं का ब्योरा इस प्रकार है :

(क) एक किलोवाट एफएम स्टेशन	-	19 स्थानों पर
1. अरुणाचल प्रदेश	-	दापोरिजा, अनिनी, बोमडीला, चांगलांग, खोनसा

2. असम	- करीमगंज, लमडिंग, गोवालपाड़ा
3. मणिपुर	- उखरूल, तामेंगलांग
4. मेघालय	- डावकी
5. मिजोरम	- तुइपांग, चम्फई, कोलासिब
6. नगालैंड	- वोखा, जुन्हेबोटो, फेक
7. त्रिपुरा	- उदयपुर, नूतन बाजार

(क) एक किलोवाट एफएम ट्रांसमीटरों के साथ उन्नीस एफएम स्टेशनों में से दस स्थानों बोमडिला, चांगलंग, खोंसा, दापोरिजो, गोलपाड़ा, चांफाई, तुइपांग, नूतन बाजार, उदयपुर और तमेंगलांग में स्थानों का अधिग्रहण कर लिया गया है। कोलासिब, करीमगंज और फेक में जल्द ही राज्य सरकार द्वारा स्थान सौंप दिए जाएंगे।

(ख) सिचलर में 5 किलोवाट का एफएम ट्रांसमीटर : सिविल कार्य प्रगति पर है। ट्रांसमीटर की खरीद की जा रही है।

(ग) दूरदराज के इलाकों में 100 स्थानों पर 100 एफएम केंद्र : सूची तैयार की जा चुकी है और 15 स्थानों पर स्थापना पूरी हो चुकी है, जबकि अन्य स्थानों पर स्थापना चालू वर्ष के दौरान पूरी होने की संभावना है।

(घ) चिन्सुरा : 1000 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर : आर्डर दिए जा चुके हैं।

(ङ) कावारत्ती - 10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर : ट्रांसमीटर की खरीद की प्रक्रिया चालू है।

(च) लेह, मैसूर, जयपुर और तवांग में डिजिटल उपकरणों और कंप्यूटरीकृत हार्ड डिस्क के साथ स्थाई स्टूडियो स्थापित किए जा रहे हैं। जहां रिकॉर्डिंग, डबिंग, संपादन और प्लेबैक सुविधा उपलब्ध होगी।

(छ) द्वितीय चरण के कार्यान्वयन का कार्य 2009-10 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

जम्मू-कश्मीर विशेष पैकेज द्वितीय चरण

कैप्टिव बिजली आपूर्ति बढ़ाने के लिए जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष पैकेज के दूसरे चरण के तहत मौजूदा आकाशवाणी केंद्रों एवं एफएम ट्रांसमीटरों के लिए अतिरिक्त डीजल जेनरेटर और यूपीएस उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे बिजली जाने पर भी और आपात स्थिति या प्राकृतिक आपदा में सतत प्रसारण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

आकाशवाणी की गतिविधियां

आकाशवाणी ने प्रसारण के क्षेत्र में परामर्श और तैयार समाधान उपलब्ध कराने के लिए अपनी एक वाणिज्यिक शाखा के रूप में **एआईआर रिसोर्सेज** की शुरुआत की है। इसकी वर्तमान गतिविधियां इस प्रकार हैं :

- ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) को देश में 40 स्थानों पर ज्ञानवाणी केंद्रों की स्थापना के लिए एफएम ट्रांसमीटर स्थापित करने में टर्नकी आधार पर समाधान उपलब्ध करा रहा है। जमीन, भवन और टावर जैसी बुनियादी ढांचे से संबंधित जरूरतें भी पट्टे पर दी गयी हैं।
- 26 ज्ञानवाणी केंद्र पहले ही चालू हो चुके हैं। अब तक चालू हुए सभी ज्ञानवाणी केंद्रों का संचालन और रखरखाव भी इसके द्वारा किया जा रहा है।

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योजना के पहले चरण के अनुसार 10 एफएम चैनलों के लिए चार शहरों में प्रसारकों को पट्टे के आधार पर जमीन, भवन और टावर जैसी बुनियादी ढांचे की चीजें उपलब्ध करायी गयी हैं। दूसरे चरण में 87 शहरों में 245 एफएम चैनलों के लिए बुनियादी ढांचा किराये पर उपलब्ध कराया गया है।
- दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद एवं जयपुर कुल छह शहरों में अंतरिम स्थापना के लिए निजी प्रसारणकर्ताओं के साथ समझौते किए गए।
- एआईआर रिसोर्सेज से 2007-2008 में 46.40 करोड़ रुपये तथा 1 अप्रैल, 2008-31 अक्टूबर, 2008 तक 13.15 करोड़ रुपये राजस्व अर्जित किया गया।

अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान विभाग रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यों में लगा है। यह एक प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान है जो प्रसारण इंजीनियरिंग में शामिल है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां इसके द्वारा की गईं।

अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009 के दौरान उपलब्धियां

1. मीडियम वेव ट्रांसमिशन के लिए प्रौद्योगिकी प्रणाली
2. 20 किलोवाट से 40 किलोवाट की पावर रेटिंग के लिए उच्च शक्ति वाले एफएम ट्रांसमिटिंग एंटीना का विकास।
3. मीडियम वेव, शार्ट वेव और एफएम में आकाशवाणी और विदेशी ट्रांसमीटरों के प्रसारण अध्ययन के लिए सर्वेक्षण और दिन के दौरान मीडियम वेव ट्रांसमीटरों के कवरेज एरिया में अगर कोई कमी हो तो उसकी जांच के लिए अध्ययन।
4. मौजूदा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक एआईआर स्टेशनों के एकोस्टिक की जांच एवं मापन, एकोस्टिक मैटेरियल की जांच एवं मूल्यांकन।
5. डिजिटल गुणवत्ता के विभिन्न ऑडियो चैनलों को उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल रेडियो ट्रांसमिशन का प्रयोग।
6. श्रीनगर के शंकराचार्य हिल स्टेशन पर स्थित रिमोट कंट्रोल वाले एफएम ट्रांसमीटरों और 10 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटरों के लिए टेलीमीटरी प्रणाली।
7. वर्ल्ड स्पेस रिसीवर और वीसैट के जरिए प्राप्त समाचार के एकीकरण एवं क्षेत्रीय समाचार इकाइयों के लिए बहुभाषी समाचार आटोमेशन प्रणाली।

जनवरी, 2008 से मार्च, 2009 की अवधि में गतिविधियां

निम्नलिखित कार्य/परियोजनाओं पर इस अवधि में विचार किया गया :

1. प्रायोगिक डिजिटल रेडियो ट्रांसमिशन (डीआरएम)
2. आपात चेतावनी प्रसारण प्रणाली (ईडब्ल्यूबीएस)
3. एफएम टेलीमीटरी प्रणाली

समाचार सेवा प्रभाग

प्रमुख घटनाक्रम

- देशभर में 15 आकाशवाणी स्टेशनों से अतिरिक्त 102 एफएम हेडलाइन्स बुलेटिन की शुरुआत।
- अतिरिक्त 8 क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन की शुरुआत।
- तीन क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन की अवधि का विस्तार।
- दिल्ली में एफएम गोल्ड पर समाचार आधारित चार नए कार्यक्रमों की शुरुआत।
- जुलाई, 2008 में दिल्ली में आल इंडिया आरएनयू हेड्स कान्फ्रेंस का आयोजन।
- एसएमएस के जरिए न्यूज अपडेट की सुविधा शुरू।
- सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे का कवरेज।
- 10 राज्यों के विधानसभा चुनावों का कवरेज।

समाचार सेवा प्रभाग ने समाचार एवं समाचार आधारित कार्यक्रमों के विस्तार के संबंध में 2008-09 के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की। क्षेत्रीय भाषाओं में एक बड़ी आबादी की सूचनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए समाचार सेवा प्रभाग ने विस्तार की कई नई पहल की और 11वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कई और पहल करने की उसकी योजना है। चार स्थानों से नवंबर, 2008 में 16 अतिरिक्त एफएम हेडलाइन बुलेटिन शुरू किए गए। इससे पहले जुलाई, 2008 में अतिरिक्त 86 एफएम हेडलाइन्स बुलेटिन देश के 12 स्थानों से शुरू किए गए। इसके साथ एफएम हेडलाइन्स बुलेटिन की कुल संख्या बढ़कर 294 पर पहुंच गई और ये बुलेटिन 36 स्थानों से प्रसारित किए जाते हैं।

न्यूज ऑन फोन सेवा : यह सेवा अब देश के 14 शहरों में उपलब्ध है—दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, पटना, जयपुर, अहमदाबाद, बंगलुरु, तिरुअनंतपुरम्, गुवाहाटी, और शिमला। ग्यारहवीं योजना के दौरान इस सेवा को 30 और शहरों में शुरू की जाएगी। यह सेवा बीएसएसएल/एमटीएनएल के साथ राजस्व बंटवारे के आधार पर चलाई जा रही है।

वेब साइट : समाचारों में दिलचस्पी लेने वाले श्रोता ताजा समाचार और बुलेटिन समाचार सेवा प्रभाग की अधिकारिक वेबसाइट www.newsonair.com और www.newsonair.nic.in पर देख और सुन सकते हैं। सभी नेशनल बुलेटिन, 14 क्षेत्रीय भाषाओं में 22 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां 40 क्षेत्रीय बुलेटिनें, एनएसडी मुख्यालय से 13 भाषाओं में 32 क्षेत्रीय बुलेटिनें, एम.एफ. गोल्ड पर नये शुरू किए गए चार समाचार आधारित कार्यक्रम तथा मुख्य चैनलों के अन्य समाचार आधारित कार्यक्रम इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

एसएमएस : राष्ट्रीय समाचार की हेडलाइन्स देश के किसी भी हिस्से से एसएमएस के जरिए भी प्राप्त की जा सकती हैं। यह सेवा मई, 2008 में दिल्ली से शुरू की गई थी और इस खंड में भारी संभावनाएं हैं। कोई भी समाचार ब्रेक होने के साथ एसएमएस की विषयवस्तु अपडेट कर दी जाती है। श्रोता अपने प्रश्न एवं प्रतिक्रिया एसएमएस के जरिए मार्केट मंत्र कार्यक्रम को भेज सकते हैं। समाचार सेवा प्रभाग ने धीरे-धीरे क्षेत्रीय समाचार के लिए भी देशभर में यह सेवा शुरू करने की योजना बनाई है।

कार्यक्रम संबंधी गतिविधियां

- सरकार के अग्रणी 12 कार्यक्रमों का नियमित तौर पर प्रचार-प्रसार किया जाता है। ये कार्यक्रम हैं—सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन स्कीम, राजीव गांधी पेयजल मिशन, संपूर्ण स्वच्छता

अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत बाल विकास सेवा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन आदि। विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों द्वारा की गई गतिविधियों के संबंध में हर पखवाड़े की एक रपट प्रसार भारती के सीईओ को सौंपी जा रही है।

- सरकार के नेशनल कामन मिनिमम प्रोग्राम के प्रत्येक पहलू का नियमित तौर पर प्रचार किया जा रहा है जैसे—रोजगार के अवसर, कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बच्चे, खाद्य एवं पोषण, पंचायती राज, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, समुदायों के बीच सामाजिक समरसता एवं कल्याण, उद्योग, ढांचागत विकास आदि।
- वर्ष 2008 को यूनेस्को द्वारा पृथ्वी दिवस घोषित किया गया जिसे ध्यान में रखते हुए प्रसार भारती ने धरती मेरी धरती नाम से 52 एपिसोड में एक विज्ञान धारावाहिक का प्रसारण करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। यह धारावाहिक जनवरी से दिसंबर, 2008 तक देशभर में 117 आकाशवाणी केंद्रों से 19 भाषाओं में प्रसारित किया गया।

सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान : 13 अक्टूबर, 2008 को नई दिल्ली में अंग्रेजी में इस व्याख्यान का आयोजन किया गया। प्रख्यात पर्यावरणविद राजेन्द्र पचौरी ने 'टिकाऊ विकास के लिए जागरूक सरकार' विषय पर व्याख्यान दिया। इसकी रिकॉर्डिंग का प्रसारण सरदार पटेल के जन्मदिवस के मौके पर 31 अक्टूबर, 2008 को किया गया।

डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान : कोलकाता में 22 नवंबर, 2008 को हिंदी में इस व्याख्यान का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध कवि डाक्टर केदारनाथ सिंह ने 'भारतीय साहित्य क्या है - विशेषताएं आज की कविता के संदर्भ में', विषय पर व्याख्यान दिया। इसकी रिकॉर्डिंग का प्रसारण डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद के जन्मदिवस के मौके पर 3 दिसंबर, 2008 को किया गया।

सर्व भाषा कवि सम्मेलन : यह सम्मेलन भुवनेश्वर में 16 जनवरी, 2009 को किया गया जिसमें विभिन्न भाषाओं के प्रसिद्ध कवियों ने अपनी कविताएं पढ़ीं।

क्वरेज : दि इंडिया ग्लोबल एग्री इंडस्ट्रीज फोरम समिट, 2008 के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 10 अप्रैल, 2008 को हुए इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा संबोधित किया गया।

- दिल्ली के बुराड़ी मैदान में 10 अप्रैल, 2008 को हुए जिला परिषद् और पंचायतों के मुखिया के राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण।
- परिषद् एवं पंचायतों के मुखिया के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र पर रेडियो रपट।
- भूटान की नेशनल असेम्बली के संयुक्त सत्र को 17 मई, 2008 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संबोधन का प्रसारण एवं रिकॉर्डिंग।
- पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी के संदर्भ में 4 जून, 2008 को प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश का प्रसारण।
- राष्ट्रपति भवन में 11 जून, 2008 को हुए बालश्री पुरस्कार समारोह की रेडियो रपट।
- नई दिल्ली में 18 नवंबर, 2008 को स्वच्छता पर आयोजित दक्षिण एशियाई सम्मेलन के उद्घाटन का सीधा प्रसारण।

- गोवा की राजधानी पणजी में 22 नवंबर, 2008 को 39वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के उद्घाटन का सीधा प्रसारण।
- पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के अंतिम संस्कार का इलाहाबाद से 29 नवंबर, 2008 को सीधा प्रसारण।
- मुंबई आतंकी हमले के संदर्भ में 29 नवंबर, 2008 को प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश का प्रसारण।

राज्य विधानसभा चुनाव

भारतीय चुनाव आयोग के दिशानिर्देश के मुताबिक, मई 2008 में कर्नाटक और नवंबर-दिसंबर, 2008 में दिल्ली, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, और जम्मू-कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के लिए प्रसारण की उचित व्यवस्था। इन चुनावों के नतीजों का सीधा प्रसारण। इसी तरह का एक कार्यक्रम जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा चुनावों के नतीजों पर 28 दिसंबर, 2008 को प्रसारित किया गया।

जनवरी से मार्च, 2009 तक विशेष कार्यक्रम एवं कवरेज

1. केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण—2008-09 में किसानों के लिए घोषित कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 का प्रचार प्रसारण।
2. चेन्नई में 7 - 9 जनवरी, 2009 के दौरान हुए प्रवासी भारतीय दिवस का कवरेज।
3. तिरुवयूर से 15 जनवरी, 2009 को थ्यागराज संगीत उत्सव का सीधा प्रसारण।
4. आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की एकीकृत कम लागत वाली स्वच्छता योजना का व्यापक प्रचार प्रसार।
5. 23 जनवरी, 2009 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर रेडियो रपट।
6. गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी, 2009 को राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल का राष्ट्र के नाम संदेश का प्रसारण।
7. आकाशवाणी द्वारा आयोजित सर्वभाषा कवि सम्मेलन की रिकॉर्डिंग एवं 25 जनवरी, 2009 को इसका प्रसारण।
8. गणतंत्र दिवस परेड और राजपथ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का 26 जनवरी, 2009 को सीधा प्रसारण।
9. नई दिल्ली के एकता स्थल से पूर्व राष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरमण के अंतिम संस्कार का सीधा प्रसारण और उनकी स्मृति में 27, 28 और 29 जनवरी, 2009 को श्रद्धांजलि कार्यक्रम।
10. भारतीय गणतंत्र की 60वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम का प्रसारण।
11. महात्मा गांधी की 61वीं पुण्यतिथि पर 30 जनवरी, 2009 को रेडियो रपट।
12. राष्ट्रीय बालिका दिवस पर 24 जनवरी, 2009 को कार्यक्रम का प्रसारण।
13. प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय श्री सुदीप बनर्जी की स्मृति में 11 फरवरी, 2009 को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का प्रसारण।
14. संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति के संबोधन का 12 फरवरी, 2009 को सीधा प्रसारण। अंतरिम रेल बजट और अंतरिम आम बजट का सीधा प्रसारण।

15. संसद भवन में छत्रपति साहूजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण का सीधा प्रसारण।
16. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर 28 फरवरी, 2009 को एक रपट।
17. लखनऊ में 28 फरवरी, 2009 को आयोजित आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार समारोह कार्यक्रम पर रपट।
18. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दिवस पर एक रपट।
19. मेटोलार्जिकल डे पर कार्यक्रम।
20. राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस पर 12 से 18 फरवरी के बीच साप्ताहिक कार्यक्रम का प्रसारण।
21. राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर 4 मार्च, 2009 को कार्यक्रम का प्रसारण।
22. सूचना का अधिकार कानून, महिलाओं के अधिकार और उपभोक्ता अधिकार पर फोन इन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण।
23. अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के मौके पर 1 मार्च, 2009 को कार्यक्रम का प्रसारण।
24. आर्एमपीसीसी—कीमत बढ़ोतरी पर प्रमुख समिति आदि पर रपट।
25. अपंग व्यक्तियों के अधिकार, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सांस्कृतिक, मनोरंजन आदि में उनकी भागीदारी पर एक कार्यक्रम का प्रसारण।
26. आम आदमी बीमा योजना—मीडिया रणनीति।
27. लिंग समानता एवं सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए सरकारी कार्यक्रमों के समन्वय पर कार्यबल की सिफारिशों पर रपट।
28. 'भारत में है विश्वास' विकास गतिविधियों पर कार्यक्रम।

खेल

आकाशवाणी ने भारत और विदेश में आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को उचित एवं प्रभावी कवरेज दिया। इन कार्यक्रमों में पाकिस्तान में जून-जुलाई, 2008 में खेला गया एशिया कप क्रिकेट सीरीज, श्रीलंका में जुलाई-अगस्त, 2008 के बीच खेला गया भारत-श्रीलंका क्रिकेट सीरीज और भारत में नवंबर, 2008 में खेला गया भारत-इंग्लैंड एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज शामिल है। दिल्ली अर्द्ध मैराथन तथा 23वीं पुणे मैराथन का प्रसारण

आकाशवाणी ने पेइचिंग में आयोजित ओलंपिक खेलों की मशाल रैली, राष्ट्रमंडल युवा खेलों के बैटन रिले का भी प्रसारण किया। इसके अलावा, एआईआर द्वारा छठे मेन्स जूनियर एशिया कप हाकी टूर्नामेंट का हैदराबाद से, सुरजीत सिंह हाकी मेमोरियल का जालंधर से, एशियन फुटबाल कनफेडरेशन चैलेंज कप का हैदराबाद और दिल्ली से व्यापक कवरेज किया। न्यूजीलैंड में खेले गए भारत-न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच का प्रसारण

खेतीबाड़ी संबंधी प्रसारण

आकाशवाणी पिछले 50 वर्षों से देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है। आकाशवाणी के सभी स्टेशन ग्रामीण श्रोताओं के लिए फार्म तथा होम कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। यह कार्यक्रम किसानों की रोजमर्रा की जरूरतों के आधार पर बनाए जाते हैं। इसके तहत नवीनतम तकनीकों

की जानकारी दी जाती है। यह कार्यक्रम न केवल जानकारी उपलब्ध कराते हैं बल्कि उनके जीवन स्तर को सुधारने के बारे में भी जानकारी देते हैं। इन कार्यक्रमों की औसत अवधि प्रतिदिन 60-100 मिनट है। इसके तहत ग्रामीण महिलाओं, बच्चों तथा युवाओं के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

आकाशवाणी के फर्म एंड होम एकांश ने मिले-जुले कार्यक्रम प्रसारित किये जिनमें ग्रामीण विकास योजनाओं और कृषि संबंधी कार्यक्रमों को एक समान महत्व दिया गया। जहां एक ओर उनमें ठेठ खेतीबाड़ी से संबंधित विषयों, जैसे पशुपालन, मछलीपालन, और कृषि संबंधी गतिविधियां, शुष्क और भाद्रक्षेत्र में खेती पर जानकारी दी गयी वहीं इनमें रोजगार कार्यक्रमों, ऋण और प्रशिक्षण सुविधाओं, साफ-सफाई, स्वास्थ्य और आरोग्य और पौष्टिक आहार के बारे में भी बताया गया।

आकाशवाणी ने स्थानीय किसानों को दैनिक बाजार भाव, मौसम संबंधी जानकारी और उनके इलाके में सूक्ष्म स्तर पर दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए कृषि मंत्रालय के सहयोग से कृषि संबंधी प्रसारणों में वृद्धि की है। इसके लिए 15 फरवरी, 2004 से आकाशवाणी पर किसानवाणी नाम की विशेष परियोजना शुरू की गयी है जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार के कार्य को जनसंचार माध्यमों का सहयोग प्रदान किया जाता है। इस समय 96 एफ.एम. स्टेशनों से किसानवाणी का प्रसारण हो रहा है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम

नियमित तौर पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत जिन विषयों को कवर किया जाता है उनमें विवाह की सही उम्र, पहले बच्चे में देरी, दो बच्चों के बीच अंतर, परिवार नियोजन उपाय, मातृत्व देखभाल, महिला सशक्तिकरण, पति-पत्नी के बीच मतभेद दूर करने पुरुषों की जिम्मेदारी, गर्भधारण से बचाव, संस्थागत कानूनी प्रावधानों को प्रोत्साहन, गर्भ में लिंग की पहचान रोधी कानून का प्रचार, एड्स, नशे की आदत से छुटकारा, अपंगता, टीबी आदि पर कार्यक्रम शामिल हैं।

रेड रिबन एक्सप्रेस—राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने एचआईवी एड्स पर संदेश के लिए रेड रिबन एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू की जिसने देशभर में 180 रेलवे स्टेशनों तक की यात्रा की। आकाशवाणी ने इस अभियान को व्यापक कवरेज दिया जिससे श्रोताओं को रेल देखने आने के लिए आकर्षित किया जा सके। समाचार बुलेटिन में मुद्दे को उठाया गया और लोगों में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए।

महिला कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, खाद्य एवं पोषण, वैज्ञानिक तरीके से घर का प्रबंधन, महिला उद्यमशीलता, शिक्षा जिसमें प्रौढ़ शिक्षा शामिल हो, महिला सशक्तिकरण, लिंग संबंधी मुद्दे शामिल किए गए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य कानूनी साक्षरता के जरिए महिलाओं में महिला अधिकार एवं अन्य लाभ के बारे में सामाजिक जागरूकता फैलाना भी था।

आकाशवाणी कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण के संबंध में देश में सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। महिलाओं विशेषकर ग्रामीण महिलाओं तक संदेश पहुंचाने के लिए लोक कलाओं जैसी विभिन्न पारंपरिक कलाओं का इस्तेमाल किया जाता है। आकाशवाणी में हर साल मार्च में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है जिसमें विशेष कार्यक्रम, परिचर्चा आदि आयोजित किए जाते हैं।

बाल कार्यक्रम

सभी केंद्र बाल कार्यक्रमों का नियमित रूप से प्रसारण करते हैं। महिलाओं और आम श्रोताओं के कार्यक्रमों में स्वास्थ्य तथा जच्चा-बच्चा की देखभाल पर विशेष जोर दिया जाता है। टीकाकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम भी आकाशवाणी के प्रसारण का अनिवार्य हिस्सा होते हैं। आकाशवाणी बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, खास तौर पर बाल मजदूरी की रोकथाम के लिए भी नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करती है।

कार्यक्रम निर्माण में निम्न मुद्दों का ध्यान रखा जाता है।

1. विशेषकर बाल श्रम के संबंध में बाल अधिकारों का संरक्षण
2. विकलांग बच्चों की सहायता तथा सुरक्षा
3. दुर्गम परिस्थितियों में बच्चों की देखरेख
4. बालिकाओं के समान अधिकार तथा समान प्रस्थिति
5. बच्चों की विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा तक पहुंच
6. पर्यावरण के प्रति जागरूकता
7. बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाना
8. परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार
9. बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
10. सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता उपाय

प्रतिवर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

विदेश सेवा प्रभाग (ईएसडी)

आकाशवाणी का विदेश सेवा प्रभाग पहुंच एवं विस्तार दोनों ही मामलों में विश्व के विदेश रेडियो नेटवर्क में बहुत ऊंचा स्थान रखता है और यह 27 भाषाओं में करीब 100 देशों को कवर करता है। आकाशवाणी का लक्ष्य अपने विदेश प्रसारण के जरिए विदेश में रह रहे श्रोताओं को भारत के बारे में जागरूक रखना है। आकाशवाणी अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्वाहिली, अरबी, पारसी, पश्तो, दारी, बलूची, सिंहली, नेपाली, तिब्बती, चीनी, थाई, बर्मी और इंडोनेशियाई भाषाओं के जरिए समाचार प्रसारित करता है। विदेश में रहने वाले भारतीयों को सेवा देने के लिए हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयाली और गुजराती में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। वहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले श्रोताओं के लिए उर्दू, पंजाबी, सिंधी, साइराकी, कन्नड़ और बंगला में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। विदेश सेवा प्रभाग की तीन प्रमुख सेवाएं हैं—सामान्य विदेश सेवा अंग्रेजी में, आकाशवाणी की विदेश सेवा हिंदी में और आकाशवाणी की विदेश सेवा उर्दू में। विदेश सेवा प्रभाग के कार्यक्रमों में समाचार एवं समसामयिक घटनाएं, भारतीय प्रेस की समीक्षा, न्यूजरील, खेलों पर मैगजीन कार्यक्रम और साहित्यिक वृत्तचित्र एवं फीचर्स, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विषयों पर परिचर्चा एवं संवाद शामिल हैं।

1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 के बीच सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों, गोष्ठियों आदि को कमेटी, रेडियो रपट और भेंटवार्ता के माध्यम से व्यापक कवरेज दिया गया। साथ ही

विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों, सरकारों और अन्य विदेशी प्रतिनिधिमंडल के भारत आगमन को भी व्यापक कवरेज दिया गया। इस दौरान श्रीलंका के विदेश मंत्री, भूटान के प्रधानमंत्री और डब्ल्यूटीओ प्रमुख के भारत दौरे का कवरेज शामिल हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की लातिन अमरीका यात्रा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जी-8 सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान यात्रा और विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी की संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान एवं चीन की यात्रा को व्यापक कवरेज दिया गया।

ट्रांसक्रिप्शन एवं कार्यक्रम आदान-प्रदान सेवा

ट्रांसक्रिप्शन सेवा की शुरुआत 3 अप्रैल, 1954 को की गई और इसके तहत सभी उच्चाधिकारियों के भाषणों के अभिलेखन तैयार करने का काम तय किया गया।

इस कार्यालय में निम्नलिखित इकाइयां हैं :

1. केंद्रीय अभिलेखागार
2. कार्यक्रम आदान-प्रदान इकाई
3. अभिलेखन इकाई
4. रिफर्बिशिंग इकाई
5. डिजीटल साउंड अभिलेखागार
6. कमर्शियल रिलीज एवं विपणन
7. केंद्रीय टेप बैंक

आकाशवाणी का केंद्रीय अभिलेखागार अप्रैल, 2003 से आकाशवाणी संगीत के बैनर तले संगीत एलबम जारी करता रहा है। अभी तक 59 एलबम जारी किए जा चुके हैं जिनमें 'बाणी गुरु गुरु है बाणी' शीर्षक से शब्द-कीर्तन के दो एलबम शामिल हैं। इन एलबमों की ज्यादातर मार्केटिंग आकाशवाणी स्टेशनों के जरिए की जाती है और कुछ मार्केटिंग प्रसार भारती के मार्केटिंग डिवीजन द्वारा की जाती है।

केंद्रीय अभिलेखागार

आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार को राष्ट्र का राष्ट्रीय ध्वनि अभिलेखागार कहा जा सकता है क्योंकि इसमें 15,000 घंटे से अधिक अवधि की बहुमूल्य रिकॉर्डिंग का खजाना है जिसमें संगीत और विभिन्न वर्गों में बोले गए शब्दों की रिकॉर्डिंग शामिल है। यह भारतीय संगीत की रिकॉर्डिंग का सबसे बड़ा संग्रहालय है जिसमें हिंदुस्तानी, कर्नाटक और विभिन्न लोक संगीत के 12,000 से अधिक टेप रखे गए हैं।

संग्रहालय में महात्मा गांधी के भाषणों का अलग संग्रह है। आकाशवाणी के अभिलेखागार में पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण के 3000 एनालाग टेपों में संरक्षित कर रखे गए हैं। संग्रहालय में भारत के सभी राष्ट्रपतियों एवं प्रधानमंत्रियों की रिकॉर्डिंग संरक्षित है। इसके अलावा, रबीन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चन्द्र बोस, डाक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू आदि जैसी अन्य प्रसिद्ध हस्तियों की भी आवाजें संरक्षित की गई हैं। रेडियों ऑटोबायोग्राफी श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित हस्तियों की 300 रिकॉर्डिंग शामिल हैं।

कार्यक्रम विनिमय इकाई

1. **आंतरिक कार्यक्रम इकाई** : इस इकाई का मुख्य उद्देश्य अन्य स्टेशनों के बीच उनकी जरूरत के मुताबिक अच्छी गुणवत्ता के कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करना है। कार्यक्रम विनिमय इकाई के संग्रहालय में करीब 8000 टेप मौजूद हैं जिनमें संगीत और अन्य कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग संरक्षित हैं। इसके अलावा संग्रहालय में बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, संस्कृत, तमिल और तेलुगु में भाषा शिक्षा को भी संरक्षित रखा गया है।
2. **विदेशी कार्यक्रम इकाई** : विदेश कार्यक्रम इकाई विश्वभर के प्रसारण संगठनों से प्राप्त कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के लिए समन्वय स्थापित करती है। इन कार्यक्रमों में विज्ञान, समसामयिक घटनाएं, पश्चिमी संगीत आदि शामिल हैं। यह इकाई भारत में सार्क आडियो विजुअल एक्सचेंज कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए भी समन्वय का काम करती है।
3. **ट्रांसक्रिप्शन इकाई** : इस सेवा के तहत मुख्य कार्य राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषणों की प्रतिलिपि तैयार करना और उन्हें क्रम से संरक्षित रखना है।

रिफर्बिशिंग इकाई

अभिलेखागार में रखी गई पुरानी रिकॉर्डिंग में समय के साथ वातावरण की आवाज मिल जाती है। इन आवाजों को टेप की रिफर्बिशिंग के जरिए हटाया जाता है। अभिलेखागार में रखी गई पुरानी रिकॉर्डिंग की रिफर्बिशिंग के लिए इस इकाई की स्थापना कुछ साल पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत की गई।

डिजिटल साउंड अभिलेखागार

लेखागार में रखी गई सभी रिकॉर्डिंग को डिजिटल प्रारूप में बदलने के लिए 2001 में एक विशेष परियोजना शुरू की गई जो 2005 में पूरी हो गई। इसके साथ ही प्रसारण नेटवर्क के मामले में आकाशवाणी विशाल डिजिटल संग्रहालयों में से एक बन गया जहां आधुनिक टेप नंबरिंग प्रणाली मौजूद है।

लगभग 15900 घंटों के कार्यक्रम का डिजिटलीकरण किया गया। इसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

प्रधानमंत्री के भाषण	-	3200 घंटे
राष्ट्रपति के भाषण	-	1150 घंटे
महात्मा गांधी	-	280 घंटे
सरदार पटेल	-	35 घंटे
गुरुदेव तैगोर तथा उन पर रिकॉर्डिंग	-	175 घंटे
रेडियो जीवनियां	-	525 घंटे
हिंदुस्तानी संगीत	-	3000 घंटे
कर्नाटक संगीत	-	1400 घंटे
सुगम संगीत	-	1000 घंटे
लोक संगीत	-	500 घंटे

2008 में डिजिटलीकरण के दूसरे चरण में लगभग 500 घंटे की रिकॉर्डिंग का डिजिटलीकरण किया गया। इस चरण में 5000 घंटे की रिकॉर्डिंग की जाएगी।

कमर्शियल रिलीज तथा विपणन

आकाशवाणी अप्रैल, 2003 से 'आकाशवाणी संगीत' के बैनर तले संगीत एलबम जारी कर रहा है। अभी तक 59 एलबम जारी किए गए हैं। इसमें सबद के दो अलबम भी शामिल हैं। इनकी बिक्री मुख्यतः आकाशवाणी स्टेशनों तथा प्रसार भारती की मार्केटिंग डिविजन द्वारा की जाती है।

सेंट्रल टेप बैंक

शुरुआत में यह इकाई खाली टेपों के बैंक के तौर पर काम कर रही थी और स्टेशनों को उनकी मांग पर टेप उपलब्ध कराती थी। प्रौद्योगिकी उन्नयन के साथ टेप की जगह कांपैक्ट डिस्क ने ली जिसे स्टेशन अब स्वयं खरीदते हैं। इस तरह से यह इकाई अब बेकार हो गई है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध एकांश : आकाशवाणी महानिदेशक का अंतर्राष्ट्रीय संबंध एकांश आकाशवाणी की प्रकृति से मेल खाती विभिन्न गतिविधियों/प्रतिबद्धताओं के लिए सक्रिय रहा है।

इस अवधि के दौरान आकाशवाणी यूनिट ने विदेशों में हुई अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में भागीदारी की।

1. सुश्री मेधा कुलकर्णी, कार्यक्रम कार्यकारी, सीबीएस, आकाशवाणी, मुंबई ने मार्च 10 दिसंबर, 2008 को कुआलालंपुर, मलेशिया में सांस्कृतिक विभिन्नता तथा प्रवास पर आयोजित एआईबीडी/आरसीआई क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।
2. आकाशवाणी महानिदेशक/प्रसार भारती सीईओ श्री बलजीत लाली ने 14-17 अप्रैल, 2008 को लासवेगास, अमरीका में आयोजित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शो, नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्राडकास्टर तथा संबद्ध सम्मेलन में भाग लिया।
3. सुश्री मीनू खरे, कार्यक्रम कार्यकारी, आकाशवाणी, लखनऊ तथा श्री पी.एल. दास, कार्यक्रम कार्यकारी, आकाशवाणी, संभलपुर ने 18-22 मई, 2008 को ईरान में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय रेडियों समारोह में भाग लिया।
4. श्री शिवकुमार विशंभरन, नायर, कार्यक्रम कार्यकारी, सीबीएस, आकाशवाणी, तिरुअनंतपुरम ने 3-14 नवंबर, 2008 को हनोई, वियतनाम में रेडियो नीदरलैंड प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित रिफ्रेशर कोर्स में भाग लिया।
5. अंतर्राष्ट्रीय संबंध एकांश के तीन विदेशी भाषा विशेषज्ञों ने उन भाषाओं को बोलने वाले क्षेत्रों की यात्रा की।
6. श्री बलजीत सिंह लाली ने 22-25 नवंबर, 2008 को बाली, इंडोनेशिया में आयोजित 45वीं एबीयू आम सभा में भाग लिया।

सह उत्पादन : आकाशवाणी ने विश्वभर के अन्य प्रसारण संगठनों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे। इस प्रक्रिया में आकाशवाणी दिल्ली और ड्यूश वेले रेडियो जर्मनी ने अक्टूबर, 2008 में अक्षय ऊर्जा पर एक संयुक्त रेडियो सह उत्पादन किया जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीरीज थी। इसमें दोनों प्रसारण संगठनों के एक एक अधिकारी ने मिलकर एक डाक्यूमेंट्री बनाई। इस समय भारत सरकार ने 41 देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का समझौता कर रखा है।

द्विपक्षीय सहयोग : आकाशवाणी प्रसार भारती के साथ बेहतर सहयोग की संभावना तलाशने के लिए कई देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने आकाशवाणी का दौरा किया। अन्य देशों के कई संगठनों ने

आकाशवाणी के कार्यक्रमों का अपने नेटवर्क पर इस्तेमाल करने के लिए आकाशवाणी के कार्यक्रमों में रुचि दिखाई है। आकाशवाणी ने हांगकांग रेडियो-4 कार्यक्रम शृंखला में भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय रेडियो प्रतिस्पर्धा में हिस्सेदारी : अंतर्राष्ट्रीय संबंध इकाई ने विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेडियो प्रतिस्पर्धा में आकाशवाणी के कार्यक्रमों को पेश करने के लिए सतत प्रयास जारी रखा है। इसके लिए विभिन्न रेडियो स्टेशनों से एंट्रियां मंगाई गईं और निदेशालय में उनका चयन किया गया एवं अच्छे कार्यक्रमों को एआईबीडी अवार्ड 2008, एबीयू प्राइज 2008, सीबीए अवार्ड 2009, इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स रेडियो कंटीशन 2008, ईरान के अंतर्राष्ट्रीय रेडियो उत्सव, प्रिक्स इटालिया और टरकोइस 2008 में भेजा गया।

वर्ष 2008 में अंतर्राष्ट्रीय रेडियो प्रतिस्पर्धाओं में जीते गए पुरस्कार

आकाशवाणी संबलपुर के कार्यक्रम कार्यकारी श्री पद्मलोचन दास द्वारा तैयार कार्यक्रम जानिबा अमेकामा करिबा को 17 से 23 मई के बीच ईरान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेडियो फेस्टिवल में बच्चों के वर्ग में प्रथम पुरस्कार मिला।

आकाशवाणी देवीकुलम के कार्यक्रम कार्यकारी श्री बीजू मैथ्यू ने अबू-माए परियोजना अवार्ड जीता। इस परियोजना का लक्ष्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में एचआईवी एड्स पर स्थानीय टेलीविजन एवं रेडियो कार्यक्रम के लेखन, विकास एवं उत्पादन में मदद के लिए अवार्ड के तहत 1000 डालर की राशि उपलब्ध कराना है।

कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम)

कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (प्रोग्राम) की स्थापना 1948 में दिल्ली में आकाशवाणी महानिदेशालय नई दिल्ली के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गयी। जनवरी, 1990 से इसे अधीनस्थ कार्यालय घोषित कर दिया गया। दिल्ली के कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (प्रोग्राम) के अलावा भुवनेश्वर, हैदराबाद, लखनऊ, शिलांग, और तिरुअनंतपुरम में भी इसी तरह के संस्थान आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम तथा प्रशासनिक काडरों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

वाणी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

वाणी (वी.ए.एन.आई.—यानी वाइस आर्टिक्युलेशन एंड नर्चिंग इनीशिएटिव) नये चुने गये उद्घोषकों, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं और कार्यक्रम संचालकों के लिए चलाया जाने वाला प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम है जो आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों पर शुल्क भुगतान के आधार पर संचालित किया जा रहा है। नवंबर, 2008 तक करीब 1,489 अभ्यर्थियों को 97 बैचों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

बाहरी पाठ्यक्रम

प्रसार भारती इग्नू के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद रेडियो प्रसारण पर स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.आर.पी.) और आडियो कार्यक्रम निर्माण पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दे रहा है। इस साल 143 छात्रों को 11 बैचों में 7 आकाशवाणी केंद्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

अक्टूबर-नवंबर, 2008 को प्रसार भारती कर्मचारियों के लिए एशिया-पेसेफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्राडकास्टिंग डवलपमेंट के सहयोग से तीन कार्यशालाओं का आयोजन किया। एचआईवी/एड्स तथा

गुणवत्तापूर्ण टीवी बाल कार्यक्रम पर कार्यशाला का आयोजन। 'कन्वर्जेंट पत्रकारिता' विषय पर तीसरी कार्यशाला का आयोजन।

कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी)

दिल्ली का कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान इंजीनियरी कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि के लिए भुवनेश्वर, शिलांग और मुंबई में भी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोले गये हैं। दिल्ली का संस्थान 1948 में स्थापित किया गया था और अब यह विकसित होकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र बन चुका है। इस संस्थान में एक सुसज्जित पुस्तकालय और अत्याधुनिक मल्टीमीडिया उपकरणों से युक्त कंप्यूटर सेंटर भी है।

संस्थान विभागीय उम्मीदवारों और इसी तरह के विदेशी संगठनों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करता है। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में भी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। संस्थान सीधी भर्ती से चुने जाने वाले इंजीनियरी सहायकों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है इसके अलावा इसके द्वारा अधीनस्थ इंजीनियरी काडरों में पदोन्नति के लिए विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं। क्षेत्रीय संस्थान हार्डडिस्क पर आधारित कंप्यूटरीकृत रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और प्लेबैक प्रणाली के इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं।

(अ) 1.4.2008-31.03.09 तक प्रशिक्षित कर्मचारी

1. एसटीआई (टी) दिल्ली	910
2. आरएसटीआई (टी) भुवनेश्वर	172
3. आरएसटीआई (टी) मलाड	71
4. आरएसटीआई (टी) शिलांग	22

(ब) 1.4.08-31.12.08 तक आयोजित पाठ्यक्रम

1. एसटीआई (टी) दिल्ली द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम	61
2. आरएसटीआई (टी) भुवनेश्वर में आयोजित पाठ्यक्रम	21
3. आरएसटीआई (टी) मलाड में आयोजित पाठ्यक्रम	07
4. आरएसटीआई (टी) शिलांग में आयोजित पाठ्यक्रम	02

(स) एआईबीडी एवं सीबीए, प्रसार भारती के एईजीएस के तहत आकाशवाणी तथा दूरदर्शन नये अधिकारियों के लिए विशेष कार्यशाला

(द) एसटीआई (टी) को वर्ष 2008-09 का आईएबीएम टाम मेकगेन बुरसरी प्रशिक्षण पुरस्कार (यह पुरस्कार तीसरी बार मिला)।

(य) अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी : बीबीसी भूटान के 11 तथा एमबीसी मारीशस के 4 लोगों ने एसटीआई (टी) दिल्ली में विभिन्न पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

(र) एसटीआई (टी) द्वारा चारों छह सप्ताह के समर ट्रेनिंग कोर्स आयोजित किए गए 160 इंजीनियरिंग छात्रों ने भाग लिया।

(ल) एसटीआई (टी) दिल्ली ने 424000 रुपये का राजस्व अर्जित किया।

(व) आरएसटीआई (टी) भुवनेश्वर ने 3859066 रुपये का राजस्व अर्जित किया।

श्रोता अनुसंधान एकांश

सबसे बड़ा फीडबैक और अनुसंधान सहयोग नेटवर्क

आकाशवाणी का श्रोता अनुसंधान एकांश न सिर्फ अपने प्रोड्यूसरों और कार्यक्रम नियोजकों को तत्काल फीडबैक तथा अनुसंधान सहयोग उपलब्ध कराता है, बल्कि प्रयोजक, विज्ञापनदाता और विपणन कर्मी भी इससे लाभ उठाते हैं।

जनसंचार परिदृश्य में भारी बदलाव खास तौर पर बाजारोन्मुख प्रसारण को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी के श्रोता अनुसंधान एकांश ने भी अपने में बदलाए किए हैं। प्रायोजकों, विज्ञापनदाताओं और विपणन विशेषज्ञों के बीच पैठ बनाने के प्रयास जारी हैं। हाल में विभिन्न एजेंसियों द्वारा श्रोता अनुसंधान एकांश को सौंपे गये अध्ययनों से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है। प्रयोजित अध्ययनों के अलावा श्रोता अनुसंधान नेटवर्क नियमित रूप से रेडियो श्रोता सर्वेक्षण कराता है ताकि आकाशवाणी से विज्ञापन प्रसारित करने के इच्छुक विज्ञापनदाताओं और कार्यक्रम बनाने वालों को अद्यतन आंकड़े उपलब्ध कराये जा सकें।

प्रायोजित अध्ययन

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित 'कोशिश सुनहरे कल' की और 'फैंटेस्टिक फोर' का अध्ययन।
2. एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 'इनी ओनू विधि सेवम' पर सर्वेक्षण। प्रायोजक तमिलनाडु राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी।
3. शिक्षाप्रद कार्यक्रम केली कली, चुक्की चाइना और चिनारा चुक्की पर तत्काल प्रतिक्रिया। प्रायोजक डीएसईआरटी, कर्नाटक सरकार।
4. कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 'किसान वाणी' सर्वेक्षण।

वर्ष 2008-09 के दौरान श्रोता अनुसंधान गतिविधियां

1. देशभर में 18 स्थानों पर एफएम रेंबो एवं गोल्ड चैनल के श्रोताओं का सर्वेक्षण।
2. कोशिश सुनहर कल की और फैंटेस्टिक फोर के संबंध में देशभर के 11 स्थानों पर प्रतिक्रिया एवं आकलन अध्ययन।
3. अरुणाचल प्रदेश में 'सामुदायिक रेडियो सेट वितरण' पर अध्ययन
4. एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 'इनी ओनू विधि सेवम' पर सर्वे
5. डेजर्ट, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम केली - कली, चुक्की - चिन्ना का सर्वे
6. देश में 64 स्थानों पर भारतीय रेडियो श्रोता सर्वे 2008 आयोजित
7. किसानवाणी कार्यक्रम की समीक्षा कार्यशाला
8. फ्लैगशिप कार्यक्रमों के प्रभाव पर अध्ययन
9. आकाशवाणी -2007 पर वर्ष 2008 में सार संग्रह प्रकाशित किया गया।

दूरदर्शन

सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन विश्व के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क में से एक है। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर, 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में शुरू किया गया।

आकाशवाणी के भाग के रूप में टेलीविजन सेवा की नियमित शुरुआत दिल्ली (1965), मुंबई (1972), कोलकाता (1975), चेन्नई (1975) में हुई।

दूरदर्शन की स्थापना 15 सितंबर, 1976 को हुई। उसके बाद रंगीन प्रसारण की शुरुआत नई दिल्ली में 1982 के एशियाई खेलों के दौरान हुई, जिसके साथ देश में प्रसारण क्षेत्र में बड़ी क्रांति आ गई। उसके बाद दूरदर्शन का तेजी से विकास हुआ और 1984 में लगभग हर दिन एक ट्रांसमीटर लगाया गया।

उसके बाद महत्वपूर्ण मोड़ इस प्रकार आए :

- दूसरे चैनल की शुरुआत
- दिल्ली (9 अगस्त, 84), मुंबई (1 मई, 85), चेन्नई (19 नवंबर 87), कोलकाता (1 जुलाई, 88)।
- मेट्रो चैनल शुरू करने के लिए दूसरे चैनल की नेटवर्किंग (26 जनवरी, 93)
- अंतर्राष्ट्रीय चैनल डीडी इंडिया की शुरुआत (14 मार्च 95)
- प्रसार भारती का गठन (भारतीय प्रसारण निगम) (23 नवंबर 97)
- खेल चैनल डीडी स्पोर्ट्स की शुरुआत (18 मार्च, 99)
- संवर्धन/सांस्कृतिक चैनल की शुरुआत (26 जनवरी, 2002)
- 24 घंटे के समाचार चैनल डीडी न्यूज की शुरुआत (3 नवंबर, 2003)
- डीटीएच सेवा डीडी डाइरेक्ट + की शुरुआत (16 दिसंबर 2004)

वर्तमान परिदृश्य

दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क में 64 केंद्र/निर्माण केंद्र, 24 क्षेत्रीय समाचार एकक, 126 दूरदर्शन रखरखाव केंद्र, 202 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 828 अल्पशक्ति ट्रांसमीटर, 18 ट्रांसपोंडर 30 चैनल तथा डी टी एच सेवा आती है। विभिन्न सवर्गों में 21708 अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं।

दूरदर्शन ट्रांसमीटर

चैनल	एचपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	ट्रांसपोजर	योग
नेशनल डीडी-1	128	747	346	18	1239
डीडी न्यूज	70	81	5	-	156
अन्य	4				04
योग	202	828	351	18	1399

पांच अखिल भारतीय चैनल (डीडी-1, डीडी न्यूज, डीडी-भारती, डीडी-स्पोर्ट्स तथा डी डी उर्दू), 11 क्षेत्रीय भाषाओं के उपग्रह चैनल (उत्तर पूर्व, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम सहयाद्रि, मराठी, उड़िया, पंजाबी, पोधी गई और सप्तगिरी। 11 राज्य नेटवर्क चैनल (बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मीजोरम)। 126 दूरदर्शन अनुरक्षण केंद्र, 24 क्षेत्रीय समाचार यूनिट।

दूरदर्शन का त्रिस्तरीय कार्यक्रम सेवा—राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय है।

- राष्ट्रीय सेवा में कार्यक्रम पूरे देश की रुचि के मुद्दों और घटनाओं पर केंद्रित होते हैं।
- क्षेत्रीय सेवा में कार्यक्रम उस राज्य के लोगों के हित की घटनाओं और मुद्दों पर केंद्रित होते हैं।
- स्थानीय सेवा में उस विशेष ट्रांसमीटर की पहुंच में आनेवाले लोगों की आवश्यकताएं स्थानीय भाषाओं और बोलियों में विशेष कार्यक्रम से पूरी की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सेवाओं के कार्यक्रम पूरे देश में दर्शकों के लिए उपग्रह पद्धति से उपलब्ध हैं।

दूरदर्शन का क्षेत्रीय कवरेज : दूरदर्शन के दो क्षेत्रीय चैनलों का कवरेज इस प्रकार है :

चैनल	कवरेज (प्रतिशत)	
	राष्ट्रीय औसत (30 जुलाई 2006 को)	
	क्षेत्र	जनसंख्या
डीडी-1	79.4%	91.4
डीडी न्यूज	24.4%	48.5

डीडी डाइरेक्ट प्लस : दूरदर्शन की फ्री टू एयर डीटीएच सेवा डीडी डाइरेक्ट प्लस का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 16 दिसंबर, 2004 को किया गया। 33 टीवी चैनलों (दूरदर्शन/निजी) और 12 रेडियो (आकाशवाणी) चैनलों से शुरुआत हुई। इसकी सेवा क्षमता बढ़कर 36 टीवी चैनल और 20 रेडियो चैनल हो गई। अंडमान और निकोबार को छोड़कर इसके सिगनल पूरे भारत में एक रिसीवर प्रणाली से मिलते हैं। इस सेवा के ग्राहकों की संख्या 50 लाख से अधिक है।

डीडी राष्ट्रीय चैनल

डीडी-1 चैनल (राष्ट्रीय)

दूरदर्शन का डीडी-1 चैनल सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक रुचि, ज्ञान का प्रसारण, शैक्षिक कार्यक्रम, सार्वजनिक जागरूकता, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, परिवार कल्याण संदेश, पर्यावरण सुरक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन, महिला कल्याण उपाय, बच्चे और कमजोर लोगों आदि के बारे में अपने कार्यक्रमों से महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यह खेल और देश की कला और सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा देता है।

सार्वजनिक सेवा प्रसार के अलावा मनोरंजन कार्यक्रमों, सामाजिक रूप से प्रासंगिक विभिन्न विषयों पर धारावाहिकों का प्रसारण करता है। ये प्रायोजित/कमीशंड/स्ववित्त कमीशंड कार्यक्रम, फिल्म आदि के रूप में होते हैं।

राष्ट्रीय चैनल की सेवा टेरैसिट्रयल मोड के अलावा सेटेलाइट में सुबह 5.30 बजे 00.00 (आधी रात) और उसके बाद सेटेलाइट मोड में अगली सुबह 5.30 बजे तक उपलब्ध है।

क्षेत्रीय भाषा उपग्रह सेवा : ग्यारह क्षेत्रीय भाषा उपग्रह सेवाएं इस प्रकार हैं :

डीडी-मलयालम	डीडी-सप्तगिरी (तेलुगु)
डीडी-बांग्ला	डीडी-चंदन (कन्नड)
डीडी-उड़िया	डीडी-सहयाद्रि (मराठी)
डीडी-गुजराती	डीडी-मणिपुर (कश्मीरी)
डीडी-पंजाबी	डीडी-उत्तर पूर्व
डीडी-पोधिगई (तमिल)	

क्षेत्रीय भाषा उपग्रह सेवाएं और क्षेत्रीय राज्य नेटवर्क विकासात्मक समाचार, धारावाहिक, वृत्तचित्र, समाचार और करंट अफेयर्स कार्यक्रमों का प्रसारण लोगों की भाषा में संसूचित करने के लिए करते हैं। सामान्य सूचना, सामाजिक और फिल्म कार्यक्रम और अन्य बड़ी विधाओं के कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं।

क्षेत्रीय राज्य नेटवर्क : क्षेत्रीय राज्य नेटवर्क हिंदी क्षेत्र उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लोगों की जरूरतें पूरी करता है। इस सेवा के कार्यक्रम विभिन्न राज्यों के राजधानी केंद्रों से तैयार और 3.00 और 8.00 बजे के बीच प्रसारित किए जाते हैं। इनको राज्य के सभी भू-ट्रांसमीटर रिले करते हैं।

डीडी न्यूज : डीडी न्यूज चैनल देश का एकमात्र 24 घंटे का स्थलीय समाचार चैनल है, जिससे रोजाना हिंदी और अंग्रेजी में 16 घंटे से अधिक के समाचार बुलेटिनों का सीधा प्रसारण किया जाता है। हेडलाइंस, न्यूज अपडेट, स्क्रोलर पर ब्रेकिंग न्यूज इस चैनल की विशेषताएं हैं। रोजाना संस्कृत और उर्दू में समाचार बुलेटिन भी प्रसारित किए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न दूरदर्शन केंद्रों से जुड़ी क्षेत्रीय समाचार यूनिटें रोजाना क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न अवधि के समाचार बुलेटिन प्रसारित करती हैं। डीडी न्यूज हेडलाइंस अब एसएमएस से हासिल किए जा सकते हैं।

डीडी-न्यूज पूरे दिन स्टॉक और वस्तुओं के सूचकांक आटोमैटेड मोड से प्रसारित करता है जिसमें, एनएसई और बीएसई और एनसीडीईएक्स, एमसीएक्स आदि अग्रणी शेयर बाजार की सूचनाएं होती हैं।

डीडी स्पोर्ट्स : यह देश का एकमात्र फ्री टू एयर स्पोर्ट्स चैनल है। यह क्रिकेट, फुटबाल, हाकी, टेनिस, कबड्डी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स और अन्य देशी खेलों आदि का कवरेज करता है। डीडी स्पोर्ट्स पर गैर ओलंपिक और परंपरागत खेलों के कवरेज की व्यवस्था भी की गई है। यह चैनल विभिन्न खेल फेडरेशनों और एसोसिएशनों द्वारा आयोजित खेल कार्यक्रमों को कवर करता है।

डीडी भारती : यह चैनल 26 जनवरी, 2002 को शुरू किया गया था। एडवेंचर, क्विज कंटेस्ट, ललित कला/पेंटिंग्स, शिल्प और डिजाइन, कार्टून, प्रतिभा खोज आदि के अलावा यह युवा लोगों के साथ एक घंटे के कार्यक्रम 'मेरी बात' का सीधा प्रसारण करता है।

स्वस्थ जीवन शैली पर जोर देने वाले, इलाज की बजाय निवारण पर केंद्रित चिकित्सा के आधुनिक और परंपरागत रूपों पर कार्यक्रमों का भी प्रसारण होता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के

शीर्ष कलाकारों के शास्त्रीय नृत्य/संगीत कार्यक्रम इस चैनल पर दिखाए जाते हैं। इसके अलावा थिएटर, साहित्य, संगीत, पेंटिंग्स, मूर्तिकला और वास्तु शिल्प पर कार्यक्रम भी दिखाए जाते हैं।

चैनल आईजीएनसीए, सीईसी, इग्नू, पीएसबीटी, एनसीईआरटी और साहित्य अकादमी जैसे संगठनों के सहयोग से भी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। चैनल आकाशवाणी संगीत सम्मेलनों का व्यापक कवरेज करता है। क्षेत्रीय दूरदर्शन केंद्रों के कार्यक्रमों का सीधा रिकार्डेड प्रसारण होता है।

डीडी इंडिया : इस चैनल पर कार्यक्रम इस तरह प्रसारित किए जाते हैं कि विश्व खासकर भारतीय लोगों को भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य देखने का प्राथमिक उद्देश्य पूरा हो सके। चैनल हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, मलयालम और तेलुगु में समाचार, सामयिक विषयों पर फीचर, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चाएं प्रसारित करता है। यह मनोरंजन कार्यक्रम, धारावाहिक, थिएटर, संगीत और नृत्य के अलावा फिल्मों का प्रसारण भी करता है।

पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, बंगला, मराठी, कन्नड़, मलयालम और गुजराती जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम इस चैनल के आवश्यक संघटक हैं। स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस समारोह, बजट प्रस्तुतीकरण और राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अन्य घटनाओं का इस चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है।

प्रेस और प्रिंट मीडिया

भारत के समाचार-पत्र पंजीयक

1953 में प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश पर तथा प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 में संशोधन से पहली जुलाई, 1956 को भारत के समाचार-पत्र पंजीयक का कार्यालय अस्तित्व में आया। समाचार-पत्र पंजीयक को प्रेस पंजीयक भी कहा जाता है। यह हर वर्ष 31 दिसंबर से पहले, समाचार-पत्रों की स्थिति के बारे में सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है। जिस अवधि के लिए वार्षिक विवरण दिए जाते थे, उसे 2002 में कैलेंडर वर्ष से बदलकर वित्तीय वर्ष कर दिया गया था, इसलिए वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष के अनुसार बनाई गई है। पंजीयक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2008 तक पंजीकृत समाचार पत्रों/पत्रिकाओं की कुल संख्या 69,323 थी। इनमें 7,710 दैनिक थे, 379 त्रि/द्विसाप्ताहिक, 23,414 साप्ताहिक, 9,053 पाक्षिक, 20,940 मासिक, 4,681 त्रैमासिक, 622 वार्षिक तथा 2,510 अन्य कालावधियों के थे।

प्रेस पंजीयक की 2005-06 की रिपोर्ट के अनुसार 123 भाषाओं और बोलियों में समाचारपत्रों का पंजीयन किया गया। संविधान की आठवीं अनुसूची में अभिलिखित अंग्रेजी के अलावा 22 अन्य प्रमुख भाषाओं और 100 अन्य भाषाओं और बोलियों, अधिकतर भारतीय, कुछेक विदेशी में समाचारपत्रों का पंजीयन हुआ। उड़ीसा में 23 प्रमुख भाषाओं में से 18 में समाचारपत्र प्रकाशित होते हैं। महाराष्ट्र में 17 भाषाओं और दिल्ली में 16 प्रमुख भाषाओं में समाचारपत्रों का प्रकाशन होता है।

रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2008 तक पंजीकृत 69,323 में से 9,072 ने 2007-08 में वार्षिक रिपोर्ट दी। 9,072 समाचारपत्रों की प्रसार संख्या 20,71,08,115 थी। सबसे अधिक समाचारपत्र और पत्रिकाएं हिंदी में पंजीकृत हुईं, इनकी संख्या 23,527 थी। अंग्रेजी में पंजीकृत समाचारपत्र और पत्रिकाएं दूसरे स्थान पर रहीं, जिनकी संख्या 10,000 थी। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक (10,799) समाचार पत्रों का पंजीकरण हुआ। पंजीकृत समाचार पत्रों की सर्वाधिक संख्या के लिहाज से दिल्ली दूसरे (9,483) स्थान पर रही।

पत्र सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय (पी.आई.बी.) सरकार की नीतियों, कार्यक्रम पहल और उपलब्धियों के बारे में समाचार-पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूचना देने वाली प्रमुख एजेंसी है। यह प्रेस विज्ञप्तियों, प्रेस नोट, विशेष लेखों, संदर्भ सामग्री, प्रेस ब्रीफिंग, फोटोग्राफ, संवाददाता सम्मेलन, साक्षात्कार, प्रेस दौरे और कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से सूचना को सर्वत्र पहुंचाता है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जारी सूचना सामग्री समाचारपत्रों और मीडिया संगठनों तक पहुंचाई जाती है।

कार्यालय अपने मुख्यालय में विभागीय प्रचार अधिकारियों के माध्यम से कार्य करता है। ये अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों तथा महत्वपूर्ण सरकारी संगठनों से संबद्ध होते हैं। सरकार और मीडिया के बीच सूत्र का काम करते हुए ये अधिकारी मीडिया से जुड़े मुद्दों पर मंत्रालयों को सलाह भी देते हैं। बड़ी घटनाओं तथा निर्णयों के देशव्यापी कवरेज के विश्लेषण के लिए विशेष फीडबैक सार-संग्रह तैयार किया जाता है। 8 क्षेत्रीय कार्यालय, 34 शाखा कार्यालय और सूचना केंद्र सूचना सामग्री के ज़रिए सीधे लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। दिल्ली और अन्य कार्यालयों से लगभग एक साथ इंटरनेट तथा इंटरनेट से सूचना सामग्री जारी की जाती है।

सूचनाओं के तेजी से प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट में लगातार सुधार किया जा रहा है और इसके उपयोग के लिए लोगों को आकर्षित करने के उपाय किए जा रहे हैं। कार्यालय द्वारा जारी समूची जानकारी तुरंत इंटरनेट पर दी जाती है। इसके साथ ही वेबसाइट पर उच्च क्वालिटी के फोटो भी दिए जाते हैं, जिन्हें निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इसकी छह भाषाओं; तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड, बंगला तथा निजी में सिस्टर वेबसाइट भी हैं। कार्यालय ने शाखा कार्यालयों के साथ बेहतर संपर्क तथा व्यावसायिक गतिविधियों के साधन के रूप में कार्य करने के लिए अत्यधिक इंटरएक्टिव प्लेटफार्म पर इन्ट्रा-पीआईबी, इंटरनेट की भी शुरुआत की है।

विशेष सेवाओं के रूप में पत्र सूचना कार्यालय का फीडबैक सेल राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से लिए गए समाचारों तथा संपादकीय लेखों पर आधारित, दैनिक डाइजेस्ट और विशेष डाइजेस्ट तैयार करता है। कार्यालय की विशेष सेवाओं में एक फीचर यूनिट है, जो संदर्भ सामग्री, अद्यतन सामग्री, फीचर और ग्राफिक उपलब्ध कराती है। यह सामग्री राष्ट्रीय नेटवर्क से प्रसारित की जाती है तथा स्थानीय प्रेस को देने के लिए यह सामग्री क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों में अनुवाद तथा वितरण के लिए भेजी जाती है। इसके अलावा क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय भी मूल विशेष लेख जारी करते हैं। यूनिट प्रतिवर्ष लगभग 200 फीचर, फोटो फीचर तथा संदर्भ सामग्री तैयार करती है। विभाग का फीडबैक एकक डेली प्रइजेस्ट करता है, जो समाचारों तथा विश्लेषण पर आधारित होता है।

करीब 1508 संवाददाताओं और 454 कैमरामैन/फोटोग्राफरों को मान्यता दी गई है। इसके अलावा 152 टेक्नीशियन और 82 संपादकों एवं मीडिया आलोचकों को भी मान्यता दी गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य

अप्रैल 2008 से मार्च 2009

1. प्रेस टूर का आयोजन	47
2. पत्र सूचना कार्यालय द्वारा जारी की गई तस्वीरें	4,893
3. प्रेस विज्ञप्तियां	82,286

4. विशेष लेख	4,541
5. संवाददाता सम्मेलन/पत्रकार ब्रीफिंग्स	8,363

समाचार एजेंसियां

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया

भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पी.टी.आई.) भारतीय समाचार-पत्रों की बिना मुनाफे के चलाई जाने वाली सहकारी संस्था है, जिसका दायित्व अपने ग्राहकों को कुशल एवं निष्पक्ष समाचार उपलब्ध कराना है। इसकी स्थापना 27 अगस्त, 1947 को हुई और इसने 1 फरवरी, 1949 से अपनी सेवाएं आरंभ कर दीं।

पी.टी.आई. अंग्रेजी और हिंदी में अपनी समाचार सेवाएं दे रही है। भाषा एजेंसी की हिंदी समाचार सेवा है। पी.टी.आई. के ग्राहकों में भारत के 500 समाचार-पत्र और बीसियों विदेशी समाचार संगठन शामिल हैं। भारत में सभी और विदेशों में लंदन से बी.बी.सी. सहित कई प्रमुख टी.वी./रेडियो चैनल पी.टी.आई. की सेवाएं ले रहे हैं।

पी.टी.आई. सेवाएं प्रदान करने के माध्यम में उपग्रह ट्रांसमिशन शामिल है और पी.टी.आई. की अपनी स्वयं की उपग्रह डिलीवरी प्रणाली है। इनसेट उपग्रह पर एक ट्रांसपोंडर के जरिए, पी.टी.आई. की सेवाएं पूरे देश में इसके ग्राहकों तक सीधे पहुंचती हैं। अधिकाधिक उपभोक्ताओं द्वारा उपग्रह से सामग्री प्राप्त करने का विकल्प अपनाया गया है। पी.टी.आई. ने के.यू.बैंड पर उपग्रह ट्रांसमिशन भी प्रारंभ किया है जो उपभोक्ताओं को सस्ते और छोटे आकार के उपग्रह रिसीवरों पर समाचार उपलब्ध कर देता है। पी.टी.आई. से इंटरनेट पर भी संपर्क किया जा सकता है। एजेंसी की समाचार सेवाएं इसकी वेबसाइट <http://www.ptinews.com> पर भी उपलब्ध हैं और इसके ग्राहक इंटरनेट के जरिए भी एजेंसी की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। फोटो सर्विस उपग्रह के जरिए उपलब्ध है और साथ ही डॉयल करके भी फोटो मंगवाए जा सकते हैं। एजेंसी अब अपने फोटोग्राफ्स का अभिलेखागार बना रही है। इस ऑन लाइन अभिलेखागार के चालू हो जाने के बाद एजेंसी की पुरानी फाइलों से वर्ष 1886 तक के वे फोटो भी मिल सकेंगे जब फोटो सेवा आरंभ हुई थी। पीटीआई समाचार सेवाएं अब वर्ल्ड स्पेस रेडियो ब्राडकास्ट रिसेप्शन के माध्यम से भी उपलब्ध हैं।

पी.टी.आई. में करीब 1,300 कर्मचारी हैं, जिनमें से 350 पत्रकार हैं। इस एजेंसी के देशभर में 80 कार्यालय हैं तथा पेइचिंग, बैंकाक, कोलम्बो, ढाका, दुबई, इस्लामाबाद, काठमांडू, लंदन, मास्को, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन सहित दुनिया के प्रमुख शहरों में इस एजेंसी के विदेश संवाददाता हैं। इनके अलावा देश में करीब 350 स्ट्रिंगर इसे खबरें भेजते हैं, जबकि 20 अंशकालिक संवाददाता विश्व भर से खबरें भेजते हैं। एजेंसी का देश भर में करीब 200 फोटो स्ट्रिंगर्स का नेटवर्क भी है।

समाचार और फोटो सेवाओं के अतिरिक्त, एजेंसी की अन्य सेवाओं में, फीचरों का मेलर पैकेज, विज्ञान सेवा, आर्थिक सेवा और डाटा इंडिया तथा स्क्रीन आधारित न्यूज़-स्कैन और स्टॉक-स्कैन सेवाएं शामिल हैं। पी.टी.आई. का एक टेलीविजन विंग, पी.टी.आई.-टी.वी. भी है, जो मांग पर निगमों के लिए वृत्तचित्र बनाता है।

एजेंसी एक समझौते के तहत एसोसिएटिड प्रेस (ए.पी.) और एजेंसी फ्रांस प्रेस (ए.एफ.पी.) के समाचार भारत में वितरित करती है। इसी प्रकार का समझौता एसोसिएटिड प्रेस के साथ उसकी फोटो सेवा और अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक सूचना के वितरण के लिए भी है।

पी.टी.आई. सिंगापुर में पंजीकृत कंपनी एशिया पल्स इंटरनेशनल में भी साझीदार है। इस कंपनी का गठन एशियाई देशों में आर्थिक विकास और व्यापारिक अवसरों के बारे में आन लाइन डाटा बैंक उपलब्ध कराने के लिए पी.टी.आई. तथा पांच अन्य एशियाई मीडिया संगठनों ने किया है। पी.टी.आई. एशियानेट में भी भागीदार है, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र की 12 समाचार एजेंसियों के बीच निगम और सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों के वितरण के लिए एक सहकारी व्यवस्था है।

पी.टी.आई. गुटनिरपेक्ष देशों के समाचार पूल और एशिया-प्रशांत समाचार एजेंसी संगठन का प्रमुख भागीदार है। यह एजेंसी द्विपक्षीय समाचार विनिमय व्यवस्था के तहत एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिकी देशों की कई समाचार एजेंसियों से समाचारों का आदान-प्रदान करती है।

यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया (UNI) : यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया की स्थापना 1956 के कंपनी कानून के तहत 19 दिसम्बर, 1959 को हुई। इसने 21 मार्च, 1961 से कुशलतापूर्वक कार्य करना शुरू कर दिया।

पिछले चार दशकों में यू.एन.आई., भारत में एक प्रमुख समाचार ब्यूरो के रूप में विकसित हुई है। इसने समाचार इकट्ठा करने तथा समाचार देने जैसे प्रमुख क्षेत्र में अपेक्षित स्पर्धा भावना को बनाये रखा है।

यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया की नएन की भावना तब स्पष्ट हुई, जब इसने 1982 में पूर्ण रूप से हिंदी तार सेवा 'यूनीवार्ता' का शुभारंभ किया और भारत की पहली हिंदी समाचार एजेंसी बन गई। इसी दशक में इसने *फोटो सेवा* तथा *ग्राफिक्स सेवा* का भी आरंभ किया। इसने 90 के आरंभ में सबसे पहली उर्दू सेवा की शुरुआत की।

इस समय इस समाचार एजेंसी के लगभग 719 ग्राहक हैं। भारत में इसके 71 कार्यालय हैं तथा 391 पत्रकारों सहित लगभग 975 कर्मचारी हैं। देश के प्रमुख शहरों में इसके अपने संवाददाता हैं। इनमें लगभग 305 स्ट्रिंगर्स हैं जो अन्य प्रमुख शहरों से रिपोर्ट भेजते हैं। पूरे देश में नेटवर्क होने के कारण यूएनआई देश के सभी क्षेत्रों से घटनाओं की जानकारी दे पाने में सक्षम है।

यू.एन.आई. के संवाददाता वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन, मॉस्को, दुबई, इस्लामाबाद, काठमांडू, कोलंबो, ढाका, सिंगापुर, टोरंटो (कनाडा), सिडनी (ऑस्ट्रेलिया), बैकक (थाइलैंड) और काबुल (अफगानिस्तान) में हैं।

यू.एन.आई. विश्व की सबसे बड़ी सूचना कंपनी *रायटर* के माध्यम से विश्व के समाचार वितरित करती है। इसके अलावा इसने चीन की सिन्हुआ, रूस की *आर.आई.ए. नोवस्ती*, बंगलादेश की *यू.एन.बी.*, तुर्की की *अनादोलू*, संयुक्त अरब अमीरात की *डब्ल्यू.ए.एम.*, बहरीन की *जी.एन.ए.*, कुवैत की *के.यू.एम.ए.*, ओमान की *ओ.एन.ए.*, कतर की *क्यू.एन.ए. तथा ताइवा* की सी.एच.ए. के साथ सूचना आदान-प्रदान का तालमेल किया हुआ है।

यू.एन.आई. की फोटो सेवा, यूरोपियन प्रेस फोटो एजेंसी *ई.पी.ए.* और रायटर से मिलने वाले 60 अंतर्राष्ट्रीय चित्रों समेत लगभग 200 फोटो प्रतिदिन वितरित करती है। इसकी ग्राफिक्स सेवा 5 से 6 ग्राफिक्स प्रतिदिन उपलब्ध कराती है। इस समय यूएनआई के देशव्यापी नेटवर्क में 27 फोटोग्राफर और इतने ही फोटोस्ट्रिंगर हैं जो यूएनआई की लगभग 200 फोटो प्रतिदिन वाली दैनिक रिपोर्ट के लिए दिन-रात काम करते हैं।

अपने 46 वर्ष के जीवनकाल में यू.एन.आई. ने समाचारों के द्रुतगति से सटीक कवरेज के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम प्रतिद्वंद्वी की ख्याति प्राप्त की है। समाचार संग्रह और प्रसार की आवश्यकताओं

के अनुरूप आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने में यू.एन.आई. हमेशा अग्रणी रही है। अपने आधुनिकीकरण अभियान के तहत इसने पूरे देश में अपने कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण कर दिया है। यू.एन.आई. के राष्ट्रव्यापी टेलीप्रिंटर नेटवर्क का विस्तार 50 बॉड से 300 बॉड डाटा सर्कट्स से 10,00,000 किलोमीटर से अधिक करने से इसके कार्यक्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इसमें एक बार फिर बड़ा बदलाव अस्थाई तौर पर तब आया जब 1,200 बॉड स्पीड डाटा सर्कट्स और 56 केबीपीएस की गति से समाचारों के राष्ट्रव्यापी वितरण के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी का और उन्नत इस्तेमाल शुरू किया गया।

वी सेट प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से देशभर के सभी ग्राहकों को एक साथ बिना किसी देरी के समाचार उपलब्ध हो सकते हैं। इस प्रणाली के तहत चित्र भी उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

यू.एन.आई. पहली समाचार एजेंसी है जो इंटरनेट पर हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार, फोटो सहित उपलब्ध कराती है। इसके ग्राहक लेख तथा फोटो यू.एन.आई. तथा यूनीवार्ता वेबसाइट से क्रमशः www.uniindia.com और www.univarta.com से डाउनलोड कर सकते हैं।

गुटनिरपेक्ष समाचार नेटवर्क

गुटनिरपेक्ष समाचार नेटवर्क (एनएनएन) इंटरनेट आधारित समाचार और फोटो आदान-प्रदान की व्यवस्था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों की समाचार एजेंसियों की व्यवस्था है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया सहित गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसियों के समाचार और फोटो एनएनएन वेबसाइट पर <http://www.namnewsnetwork.org> पर अपलोड किए जाते हैं ताकि सभी को आन लाइन उपलब्ध हो सकें।

मलेशिया की सामाचार एजेंसी बरनामा इस समय कुआलालाम्पुर से इस वेबसाइट का संचालन कर रही है। अप्रैल, 2006 से कार्यरत एनएनएन की औपचारिक शुरुआत मलेशिया के सूचना मंत्री जैनुद्दीन मेदिन ने कुआलालाम्पुर में 27 जून, 2006 को की थी। एनएनएन ने गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसियों के पूल (एनएनएनएपी) का स्थान लिया है, जिसने पिछले 30 वर्ष गुटनिरपेक्ष देशों के बीच समाचार आदान-प्रदान व्यवस्था के रूप में काम किया है। सस्ता और विश्वसनीय संचार माध्यम इंटरनेट से एनएनएन गुटनिरपेक्ष विश्व के 116 सदस्यों को सतत सूचना प्रवाह जारी रखेगा।

एनएनएनएपी को एनएनएन से बदलने का फैसला कुआलालाम्पुर में नवंबर 2005 में गुटनिरपेक्ष देशों के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में किया गया था। बैठक में महसूस किया गया कि सदस्य देशों का समर्थन घटने से पूल ने अपनी गति खो दी है और इसे नई व्यवस्था से पुनर्जीवित किया जाना चाहिए, अगर जरूरी हो तो नए रूप में, ताकि आगे बढ़ा जा सके।

गुटनिरपेक्ष न्यूज पूल की स्थापना 1976 में सदस्य देशों के बीच समाचारों के आदान-प्रदान के लिए की गई थी। अपने 31 वर्ष के कार्यकाल में इसने गुटनिरपेक्ष विश्व में समाचारों का प्रवाह सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस समय संचार लागत बहुत अधिक थी, एनएनएन ने सदस्य समाचार एजेंसियों को चैनल में भागीदारी का अवसर उपलब्ध कराया जिससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सभी देशों को समाचार आदान प्रदान का साझा नेटवर्क सुनिश्चित हो सके। समाचारों का आदान-प्रदान अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनी और अरबी भाषा में होता था।

भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करने और भारत में समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखने और उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से संसद के

अधिनियम के तहत की गई है। यह शासन तंत्र तथा प्रेस जगत पर नियंत्रण रखने वाला समान अर्ध-न्यायिक नियंत्रक स्वायत्तशासी संगठन है। परंपरा के अनुसार परिषद के अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। परिषद में 28 सदस्य होते हैं—20 समाचार जगत से तथा पाठकों के हितों का ध्यान रखने के लिए आठ सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्य, साहित्य अकादमी, भारत की बार काउंसिल और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे देश के प्रतिष्ठित साहित्यिक एवं विधायी (न्यायिक) संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

परिषद की आय के अपने स्रोत हैं। यह पंजीकृत समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों से शुल्क वसूल करती है। यह केंद्र सरकार से अपना कामकाज करने के लिए अनुदान भी प्राप्त करती है। इसके वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति जी. एन. रे हैं।

प्रेस परिषद प्रेस द्वारा पत्रकारिता की आचारसंहिता का उल्लंघन करने या प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने की शिकायतों के संबंध में अपने दायित्वों का निर्वाह मुख्यतः न्याय-निर्णय के ज़रिए करती है। अगर जांच के बाद परिषद इस बात से संतुष्ट होती है कि किसी समाचार एजेंसी या किसी श्रमजीवी पत्रकार ने कोई व्यवसायिक कदाचार किया है तो परिषद उसे चेतावनी दे सकती है, उसकी भर्त्सना या निंदा कर सकती है या उसके आचरण को अस्वीकार या रद्द कर सकती है। प्रेस परिषद् को सरकार सहित किसी अधिकारी के विरुद्ध भी प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने के लिए ऐसी टिप्पणी करने का अधिकार है, जैसा वह उचित समझे। प्रेस परिषद के निर्णय अंतिम होते हैं और उन्हें किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

वर्ष के दौरान कुल 726 शिकायतें प्राप्त हुईं। 541 शिकायतें प्रेस द्वारा पत्रकारिता के आदर्शों का उल्लंघन करने संबंधी थीं। पिछले वर्ष से लम्बित 759 मामलों को मिलाकर परिषद के पास कुल 1485 मामले थे। परिषद ने वर्ष के दौरान अध्यक्ष द्वारा मामलों की सुनवाई अथवा मध्यस्थता करके अथवा जांच करवाने या मुकदमा न चलाने के लिए पर्याप्त सबूतों के अभाव में (मामला वापस लेने) अथवा उस मामले का निपटान किसी अन्य न्यायालय में लम्बित होने की स्थिति में 581 मामलों पर अपना निर्णय दिया था।

वर्ष के दौरान निपटाए गए कुल 904 मामलों में से 443 प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 (1) के तहत निपटाए गए।

भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 (4) (b) के तहत परिषद मीडिया के सुचारु संचालन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करती है। एचआईवी/एड्स से ग्रस्त दो बच्चों को मीडिया द्वारा दिए जाने के मुद्दे पर तिरुअनंतपुरम में किशोर न्यायालय द्वारा नेशनल नेटवर्क ऑफ पाजिटिव पिपुल द्वारा दाखिल याचिका संख्या सीएमपी 52/2008 के मामले में दिए गए फैसले के मद्देनजर एचआईवी/एड्स तथा मीडिया के संबंध में 1993 में जारी दिशा-निर्देशों को अद्यतन किया गया। परिषद ने इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में अनूदित करने का भी प्रस्ताव किया।

‘पत्रकारीय आचारसंहिता’ को 2005 संस्करण को अद्यतन किया गया है तथा नया संस्करण जल्दी ही निकाला जाएगा।

सलाहकार के रूप में परिषद ने सरकार तथा अन्य प्रधाकारियों को निम्न मुद्दों पर सलाह दी है।

1. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के कुछ प्रावधानों के संशोधन पर ड्राफ्ट कैबिनेट नोट के संदर्भ में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संदर्भ।

2. उदारीकृत अर्थव्यवस्था में प्रिंट मीडिया की वृद्धि : सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबद्ध संसद सदस्यों की सलाहकार समिति।
3. चुनाव प्रक्रिया के दौरान ओपिनियन पोल मत : मताधिकार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 की जांच पर कार्मिक, जन शिकायत, विधि और न्याय पर संसदीय संवैधानिक समिति को।
4. विदेशों में रोजगार विज्ञापनों के खिलाफ जागरूकता पर दिशा-निर्देश।
5. महिलाओं के सशक्तिकरण तथा तीव्र आर्थिक विकास के लिए रणनीति बनाने तथा उसके अध्ययन के लिए राज्यपालों की समिति का गठन
6. परिषद को मजबूत बनाने के लिए सरकार के हस्तक्षेप के बिना पत्रकारिता संस्थान की स्थापना : सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबद्ध सांसदों की सलाहकार समिति।
7. सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा विकलांगों पर यूएन संधि के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी हवाले।
8. 'एनजीओ डाटाबेस' तथा 'स्वैच्छिक संगठनों पर राष्ट्रीय नीति,' पर विभागों/मंत्रालयों के साथ बैठक।

परिषद ने निम्नलिखित मामलों में मीडियाकर्मियों के खिलाफ हिंसा तथा प्रेस की आजादी के खतरे के खिलाफ संज्ञान लिया।

1. जनसत्ता में 21.4.08 को छपी खबर के आधार पर पत्रकार का उत्पीड़न।
2. हिंदू में 27.5.08 को छपी खबर के आधार पर 'आंध्र ज्योति' कार्यालय पर हमला।
3. 2.6.08 के हिंदू तथा इंडियन एक्सप्रेस तथा 3.6.08 के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के आधार पर अहमदाबाद पुलिस आयुक्त द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया पर राजद्रोह तथा देशद्रोह के आरोप।
4. सिक्किम प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 5.7.08 को जारी प्रेस रीलीज के अनुसार नेपाली दैनिक 'हमारा प्रजाशक्ति' के संपादकीय कार्यालय पर हमला।
5. इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली में 3.9.08 को प्रकाशित समाचार के आधार पर जम्मू-कश्मीर में प्रेस की आजादी पर हमला।
6. हिंदू में 14.10.08 को छपे समाचार के आधार पर कोयंबटूर में 'हिंदू' के कार्यालय पर हमले का प्रयास।
7. असम तथा मणिपुर में पत्रकारों की हत्या।

बटला/जामिया एनकाउंटर मामले में परिषद उस आरोप की जांच कर रही है, जिसमें कहा गया है कि मीडिया के कुछ हिस्सों में प्रकाशित रिपोर्ट से दो समुदायों को बांटने की कोशिश की गई।

विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रेस परिषद, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मार्च 2008 में 'मीडिया द्वारा न्यायालयों में सुनवाई की रिपोर्टिंग' विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कोच्ची, मुंबई तथा कटक में क्रमशः 21.06.08, 19.8.08 तथा 30.8.08 को इसी विषय पर क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में वैधानिक मामलों की रिपोर्टिंग में गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके मद्देनजर इग्नू में 7-11 दिसंबर, 08 को पांच दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। परिषद ने 21

जनवारी, 09 को नागपुर में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया तथा तिलक पत्रकार भवन के सौजन्य से 'न्यूज कवरेज ड्यूरिंग क्राइसेज राइट्स एंड रिसर्पोसबिलिटी ऑफ मीडिया' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

वर्ष 2008 का राष्ट्रीय प्रेस दिवस 'मीडिया तथा महिलाएं' के रूप में मनाया गया। राष्ट्रपति ने समारोह का उद्घाटन किया।

ई-प्रशासन

1. प्रेस परिषद के फैसलों को दोनों भाषाओं में नेट पर डाला जाता है।
2. नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है।
3. कर्मचारियों के भविष्य निधि रिकार्ड का कंप्यूटरीकरण।
4. अनुदानों का लेवी रिकार्ड वेबसाइट पर उपलब्ध है।
5. प्रेस तथा पंजीयन अपीली बोर्ड का इंडेक्स ऑफ आर्डर-वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्रेस परिषद को संसद द्वारा प्रेस तथा पंजीकरण पुस्तक अधिनियम, 1867 की धारा 8 (c) के तहत अपीली प्राधिकरण के रूप में कार्य करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है। अपीली बोर्ड में परिषद के अध्यक्ष तथा सदस्य होते हैं। वर्ष के दौरान बोर्ड की चार बैठकें हुई, जिनमें आठ अपीलों का निपटान किया गया तथा 12 मामले विचाराधीन हैं।

आलोच्य अवधि के दौरान माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय तथा मीडिया स्टडीज के सहयोग से परिषद ने दो शोध परियोजनाएं शुरू कीं।

परिषद हिंदी में कार्य करने को प्रोत्साहन देता है। हिंदी पखवाड़े के दौरान 10 सितंबर को 'प्रशासनिक तथा तकनीकी शब्दावली' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। 'राष्ट्र की एकता और अखंडता में हिंदी का योगदान' विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। 24 मार्च, 2009 को हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया।

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग

सन 1945 में स्थापित गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और उसकी मीडिया इकाइयों तथा उनके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए सूचना सेवा एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह मीडिया इकाइयों के लिए सूचना बैंक तथा सूचना फीडर सेवा उपलब्ध कराकर उन्हें अपने कार्यक्रम तैयार करने और प्रसार अभियानों में सहायता करता है। यह जनसंचार माध्यमों की प्रवृत्तियों का अध्ययन भी करता है और जनसंचार के बारे में संदर्भ सामग्री जुटाने के साथ-साथ प्रलेखन सेवा उपलब्ध कराता है। यह प्रभाग पृष्ठभूमि, संदर्भ और अनुसंधान सामग्री तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है जिनका उपयोग मंत्रालय, इसकी मीडिया इकाइयों और जनसंचार से जुड़े अन्य लोगों द्वारा किया जाता है।

प्रमुख घटनाओं की पाक्षिक डायरी-*डायरी ऑफ इवेंट्स* निकालने की नियमित सेवा के अलावा यह प्रभाग दो वार्षिक संदर्भ ग्रंथों का संकलन करता है। इसमें से एक का शीर्षक *इंडिया* है, जो देश के बारे में प्रामाणिक संदर्भ-सामग्री प्रस्तुत करता है और दूसरा है *मास मीडिया इन इंडिया* जो देश में जनसंचार के बारे में एक वृहद् प्रकाशन है।

संदर्भ पुस्तकालय : प्रभाग में एक समृद्ध पुस्तकालय है जिसमें विभिन्न विषयों पर प्रलेखों का विशाल संग्रह है। इसमें चुनी हुई पत्रिकाओं और मंत्रालयों, समितियों तथा आयोगों की विभिन्न रिपोर्टों के सजिल्द खंड हैं। इस संग्रह में विशिष्ट विषयों पर पुस्तकें जैसे—पत्रकारिता, जनसंपर्क, विज्ञान, श्रव्य-दृश्य माध्यम, सभी प्रमुख विश्व कोषों की शृंखला, वार्षिकी और सामयिक लेखों का संग्रह है। इस पुस्तकालय में भारतीय और विदेशी प्रेस के मान्यताप्राप्त पत्रकारों तथा सरकारी अधिकारियों—दोनों के लिए ही सुविधाएं उपलब्ध हैं।

जनसंचार से सम्बद्ध राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र

जनसंचार राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र (एन.डी.सी.एम.सी.) की स्थापना मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में की गई थी। यह गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य अपनी सावधिक सेवाओं के ज़रिए जनसंचार माध्यमों की घटनाओं और गतिविधियों के बारे में सूचनाओं का संकलन, व्याख्या और उनका प्रचार-प्रसार करना है। जनसंचार राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र, जनसंचार माध्यमों के बारे में उपलब्ध सभी सूचनाओं, लेखों तथा अन्य सूचना सामग्रियों का प्रलेखन तैयार करता है। केंद्र की वर्तमान गतिविधियों में सूचना के संकलन और प्रलेखन से लेकर न केवल पूरे देश में जनसंचार विकसित करने, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह में शामिल होने के लिए उसका प्रसार भी शामिल है।

संकलित सूचनाओं को विभिन्न सेवाओं के ज़रिए संरक्षित तथा प्रचारित-प्रसारित किया जाता है जैसे *करंट अवेयरनेस सर्विस*—चुने हुए लेखों की अनुक्रमणिका, *बिब्लियोग्राफी सर्विस*—लेखों की विषयानुसार अनुक्रमणिका, *बुलेटिन ऑन फिल्म*—फिल्म उद्योग की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी, *रेफरेंस इनफॉर्मेशन सर्विस*, *हूज हू इन मास मीडिया*—प्रसिद्ध मीडिया विशेषज्ञों की जीवनियां, *आनर्स कनफर्ड ऑन मास कम्यूनिकेटर्स*—जनसंचार विशेषज्ञों को दिए गए सम्मानों का विवरण तथा *मीडिया अपडेट*—राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया घटनाओं की डायरी।

फोटो प्रभाग

भारत सरकार की विभिन्न गतिविधियों को दृश्य सहायता देने के लिए गठित की गई एक स्वतंत्र मीडिया, फोटो प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है और फोटोग्राफी के क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी उत्पादक इकाई है।

प्रभाग पर भारत सरकार की ओर से बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार के लिए घटनाओं और गतिविधियों के दृश्य प्रलेखन और श्वेत-श्याम एवं रंगीन चित्रों को तैयार करने का उत्तरदायित्व है।

फोटो प्रभाग का प्रमुख कार्य देश में उन्नति, विकास तथा राजनैतिक आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों को चित्रों में सहेजना एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों तथा अन्य केंद्र एवं राज्य सरकार की एजेंसियों, मंत्रालयों और राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय और विदेश मंत्रालय जैसे विभागों को चित्र उपलब्ध कराना है।

विदेश मंत्रालय के बाह्य प्रचार विभाग द्वारा भारत सरकार के विदेशों में प्रयोग हेतु इसका अधिकतम उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत विदेशी राष्ट्राध्यक्षों/राष्ट्र प्रमुखों की भारत यात्रा के दौरान उनके चित्रों का प्रलेखन और यात्रा, समझौते के समय उन्हें इन प्रलेखों की तैयार अलबम की भेंट

किया जाना सम्मिलित है। पीआईबी द्वारा अब स्थानीय प्रमुख नेताओं की प्रमुख दैनिक गतिविधियों की कवरेज और फोटो प्रभाग द्वारा लिए गए दृश्य सामग्री को इंटरनेट द्वारा प्रतिदिन प्रेस के लिए उपलब्ध कराया जाता है। डीएवीपी अपनी विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों, देश के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण के लिए प्रकाशित की जाने वाली विज्ञापन सामग्री हेतु प्रभाग के अभिलेख पर पूर्णतः निर्भर है, जिसे पिछले पांच दशकों में विकसित किया गया है।

प्रभाग ने विभिन्न प्रकार के श्वेत-श्याम तथा रंगीन चित्रों को तैयार करने के लिए परंपरागत एवं आधुनिकीकृत डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए अपनी प्रयोगशाला एवं उपकरणों का व्यापक आधुनिकीकरण किया है। फोटो प्रभाग के सूचना भवन, नई दिल्ली स्थित कार्यालय में चित्रों के प्रेषण हेतु न्यूज फोटो नेटवर्क की स्थापना की गई है और सरकार की विभिन्न गतिविधियों की कवरेज के लिए इस नेटवर्क से कहीं से भी संपर्क किया जा सकता है।

समय-समय पर परंपरागत तरीके से विभाग द्वारा खींचे गए चित्रों के डिजिटल रूप में भंडारण के लिए विभाग द्वारा सूचना भवन, नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में एक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। परंपरागत रूप से (कैमरे से) खींचे गए चित्रों को डिजिटल फोटो लाइब्रेरी में रखने का कार्य भी प्रगति पर है। डिजिटल रूप से खींचे गए चित्र अभी सामान्य रूप से उपलब्ध हैं। हालांकि इन्हें शीघ्र ही ऑनलाइन (अर्थात इंटरनेट पर) कर दिया जाएगा।

अन्य मीडिया इकाइयों से तालमेल बनाए रखने के लिए विभाग ने कई उपाय किए हैं। नेटवर्क के माध्यम से समाचार पत्रों को अपने चित्र बिना किसी विलम्ब के भेजने के लिए प्रभाग अब अपने चित्रों को पीआईबी डेस्क तक भेजने के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित है। यह विशेष रूप से प्रधानमंत्री की दिल्ली से बाहर यात्रा के दौरान उनके चित्रों को वायरलेस इंटरनेट प्रणाली से भेजने के लिए डू डाटा प्रणाली का प्रयोग कर रहा है। उत्कृष्ट कोटि के चित्र तैयार करने के लिए चाहे वह कैलेंडर प्रकाशन हेतु हो अथवा प्रदर्शनी हेतु प्रचार सामग्री इनके आधुनिकतम प्रयोग के लिए फोटो प्रभाग के निदेशक द्वारा सही कदम उठाया गया है। अपनी विशेषज्ञता की जानकारी देने के लिए प्रभाग ने विभिन्न मीडिया इकाइयों तथा राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्यशालाओं का आयोजन भी किया है।

प्रमुख गतिविधियां

इस दौरान फोटो प्रभाग द्वारा कई पहल की गई। वर्ष 1885 से स्वतंत्रता तक की करीब 50 फोटोग्राफ ब्रिटिश संग्रहालय से लिए गए। मंत्रालय में अपर सचिव और फोटो प्रभाग के निदेशक की अंजमान एवं निकोबार प्रशासन के संस्कृति सचिव से बैठक के बाद फोटो को डिजिटल स्वरूप देने का निर्णय किया गया जिससे फोटो प्रभाग इन तस्वीरों का उपयोग कर सके। इस तरह से 50 दुर्लभ तस्वीरों और सेलुलर जेल में रखी गई गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों की 119 तस्वीरों को प्रभाग द्वारा डिजिटल स्वरूप प्रदान किया गया।

तस्वीरों की आउटसोर्सिंग : फोटो अभिलेखागार को समृद्ध करने के लिए फोटो प्रभाग ने अपनी नेशनल सेंटर आफ फोटोग्राफी योजना के जरिए फोटोग्राफरों, संग्रहकर्ताओं और व्यक्तियों से कम से कम 50 वर्ष पुरानी बहुमूल्य तस्वीरों को खरीदने का निर्णय किया। इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया जिसमें मंत्रालय के दो निदेशकों, फोटो प्रभाग के एक निदेशक के अलावा दो बाहरी विशेषज्ञों, प्रख्यात इतिहासकार डाक्टर नारायणी गुप्ता और प्रख्यात फोटोग्राफर श्री रघु राय को शामिल किया गया। समिति ने दो बैठकें कीं और 28 लोगों एवं संगठनों से इच्छा पत्र प्राप्त किए जिनमें से 8 लोगों से 323 तस्वीरें

खरीदने का निर्णय किया गया। इन तस्वीरों में से कुछ तस्वीरें 1880 के बाद की अनूठी तस्वीरें थीं। प्रभाग ने इनमें से कुछ तस्वीरें खरीदीं।

इसके अलावा, अखबारों से फोटोग्राफ प्राप्त करने के लिए उन्हें एक प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके तहत 25 राज्यों के 506 फोटोग्राफरों से 2206 फोटोग्राफ प्राप्त किए गए। फोटो प्रतियोगिता का उद्देश्य देश के फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करना था ताकि इस क्षेत्र के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सामने लाया जा सके और उन्हें पहचान दिलाई जा सके।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सचिव श्रीमती सुषमा सिंह ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और 29 दिसंबर, 2008 को नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फार आर्ट्स में विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। 20वीं राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता की पुरस्कार प्राप्त फोटो तथा अन्य चयनित फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी का आयोजन बंगलूरु, भोपाल, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता, गुवाहाटी तथा इंदौर में किया गया। प्रदर्शनी का विषय 'द स्प्रिट ऑफ़ इनडिपेंडेंट इंडिया' था।

सामुदायिक समरसता सप्ताह के अवसर पर प्रभाग ने 'धर्मनिरपेक्ष भारत' विषय पर नई दिल्ली स्थित सूचना भवन में एक प्रदर्शनी आयोजित की।

प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग, राष्ट्रीय महत्व तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाने वाली पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का प्रकाशन भंडार है। यह अंग्रेजी, हिंदी तथा सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में सस्ती कीमत पर पुस्तकों का प्रकाशन करता है। यह कला, इतिहास, संस्कृति, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवनियां, भूमि तथा निवासी, बाल साहित्य, जीव-जंतु तथा वनस्पति, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर पुस्तकें और *गांधी वांडमय* तथा वार्षिक संदर्भ ग्रंथ-*भारत और इंडिया* का प्रकाशन करता है। विभाग राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के चुनिंदा भाषण भी प्रकाशित करता है। प्रकाशन विभाग ने अब तक अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में अब तक करीब 8,000 शीर्षक प्रकाशित किए हैं। वर्ष 2008-09 में इसने विभिन्न विषयों पर 116 शीर्षक प्रकाशित किए।

विभाग का मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयां—विक्रय केंद्र, नई दिल्ली, मुंबई, चैन्नई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम में और *योजना* कार्यालय, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद तथा बंगलूरु में हैं। *रोज़गार समाचार* और पत्रिका एकक के कार्यालय नई दिल्ली में हैं।

बदलते समय को ध्यान में रखते हुए प्रकाशन विभाग ने समकालीन क्षेत्रों पर पुस्तकें प्रकाशित करने की पहल की जिनमें वैश्वीकरण, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, आईसीटी आदि शामिल हैं। विभाग ने पर्यावरण पर—प्रोफेसर पुष्पेश पंत द्वारा लिखित पुस्तक पर्यावरण, सुभाष शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक व्हाय पीपुल प्रोटेस्ट, अर्थ इन पेरिल आदि प्रकाशित कीं। वहीं वैश्वीकरण पर पुष्पेश पंत द्वारा हिंदी में लिखित पुस्तक भूमंडलीकरण, मोहन सुंदर राजन द्वारा लिखित पुस्तक इंडिया इन स्पेज एज, गुणाकर मुले द्वारा हिंदी में लिखित पुस्तक आईस्टीन, देवेन्द्र भारद्वाज द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्रमंडल खेल : सफरनामा मैत्री खेलों का आदि का प्रकाशन किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के चुनिंदा भाषण खंड-IV का भी प्रकाशन किया गया।

अप्रैल, 2007 से मार्च, 2008 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन जारी किए गए जिनमें माई बुक आफ ह्यूमन राइट्स, लीजेंड्स एंड फोक टेल्स फ्रॉम एंड एराउंड दि एशिया, 1857—दि अपराइजिंग,

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के चुनिंदा भाषण खंड-3, ए गाइड टु होम गार्डेनिंग, कवि सूरदास, सफलता का मंत्र, भूकंप, किले का रहस्य, एमिनेंट ब्राडकास्टर, पीकाक, बैताल कथाएं, नेहरू पिक्टोरियल बायोग्राफी आदि। इस दौरान कुल 103 पुस्तकें जारी की गईं। प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की सूची विभाग की वेबसाइट www.publicationsdivision.nic.in पर उपलब्ध है।

पत्रिकाएं : विभाग पुस्तकों के अलावा 21 मासिक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन करता है। ये हैं—‘बाल भारती’ हिंदी; ‘आजकल’ हिंदी तथा उर्दू; ‘कुरुक्षेत्र’ हिंदी तथा अंग्रेजी; ‘योजना’ 13 क्षेत्रीय भाषाओं में तथा ‘रोजगार समाचार’ हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी, में।

बाल भारती : बच्चों की लोकप्रिय हिंदी मासिक पत्रिका ‘बाल भारती’ का प्रकाशन 1948 से नियमित रूप से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लघु कथाओं, कविताओं तथा जानकारी से भरपूर लेखों के माध्यम से बच्चों का स्वस्थ मनोरंजन करने के साथ-साथ उन्हें शिक्षित करना और उनमें मानव मूल्यों तथा वैज्ञानिक प्रकृति का संचार करना है।

आजकल : हिंदी और उर्दू साहित्य की इस प्रतिष्ठित पत्रिका ने भारत की सभ्यता और साहित्य के विभिन्न आयामों पर कई विशेष अंक प्रकाशित किए। पत्रिका ने मई 2009 में अपने प्रकाशन के 65वें वर्ष में प्रवेश किया।

योजना : विभाग की यह संदेशवाहक पत्रिका, नियोजित विकास का संदेश समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाती है और विकास के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर प्रतिकूल विचारों के वर्ग के प्रतिनिधियों की स्वस्थ बहस को बढ़ावा देने के मंच के रूप में कार्य करती है। तेरह भाषाओं में प्रकाशित योजना, क्षेत्रीय विकास, पहल तथा अभिनव परिवर्तनों के साथ समूचे भारत की तस्वीर प्रस्तुत करती है। शृंखला शोधयात्रा को नवंबर, 2008 में फिर से शुरू किया गया। इसे ग्रासरूट इनोवेशन आगमेंटेशन नेटवर्क, जयपुर द्वारा पुरस्कृत किया गया था।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान योजना के सभी 13 संस्करणों : हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, बंगला और असमिया और कुरुक्षेत्र : अंग्रेजी एवं हिंदी का डिजीटलीकरण किया गया। योजना की वेबसाइट को परिचालन में लाया गया और यह संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है। योजना के कंप्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण का काम पूरा कर लिया गया है।

कुरुक्षेत्र : ग्रामीण विकास की यह पत्रिका पिछले 57 वर्षों से हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित की जा रही है। यह ग्रामीण क्षेत्र में विकास के प्रयासों से संबद्ध कार्यक्रमों, नीतियों तथा कार्यान्वयन स्थिति पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए मंच के रूप में कार्य करती है। अपनी तरह की पत्रिकाओं में यह पत्रिका सर्वाधिक प्रसार संख्या (40 हजार से ज्यादा) वाली पत्रिका है।

रोजगार समाचार : विभाग सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी संगठनों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, बैंकों तथा विश्वविद्यालयों में रोजगार के उपलब्ध अवसरों के बारे में साप्ताहिक रोजगार समाचार का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में करता है। इसकी साप्ताहिक प्रसार संख्या औसतन करीब 4 लाख प्रतियां हैं। इसके देशभर में लगभग 297 विक्रय एजेंट और 4051 प्रत्यक्ष वितरक हैं। वर्षों से इसकी प्रसार संख्या और इससे प्राप्त राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है। इस विशिष्ट रोजगार साप्ताहिक ने अपनी मुख्य वेबसाइट www.employmentnews.gov.in के अंतर्गत एक परस्पर सक्रिय रोजगार उन्मुख वेबसाइट शुरू करके अपनी विशिष्टता को और बढ़ाया है। लगभग 65,000 युवाओं तक इसकी पहुंच है।

भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार : भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार की स्थापना जनसंचार पर मौलिक लेखन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह बाल साहित्य, पत्रकारिता तथा जनसंचार, महिलाओं की समस्याओं तथा राष्ट्रीय एकता पर लिखी उत्कृष्ट कृतियों के लिए भी दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 25 वर्ष पहले की गई थी।

फिल्म प्रभाग

1943 में स्थापित 'इंडियन न्यू पेरड' तथा 'इंफॉर्मेशन फिल्म्स ऑफ इंडिया' का पुनः नामकरण कर जनवरी, 1948 में फिल्म प्रभाग का गठन किया गया। 1952 में 1918 के सिनेमाटोग्राफी कानून का भारतीयकरण किया गया जिसके तहत वृत्तचित्र फिल्मों का पूरे देश में प्रदर्शन करना अनिवार्य कर दिया गया।

फिल्म प्रभाग, 1949 से देशभर के थियेट्रों को हर शुक्रवार को एक वृत्तचित्र या एनिमेशन फिल्म या समाचार आधारित फिल्म जारी करता है। प्रभाग ने वस्तुतः स्वतंत्रता पश्चात का पूरा इतिहास तैयार किया है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह निर्माण, स्टूडियो, रिकार्डिंग थियेटर, संपादन कक्ष, एनिमेशन एकक, कैमरे, वीडियो सेटअप, पूर्व दर्शन थियेटर जैसी सुविधाओं से लैस है। प्रभाग 15 भारतीय भाषाओं में फिल्मों की डबिंग भी स्वयं करता है।

वृत्तचित्र, समाचार पत्रिका तथा एनिमेशन फिल्मों के विषय इस प्रकार होते हैं—कला, संस्कृति, उद्योग, राष्ट्रीय घटनाएं, पर्यावरण, परिवार कल्याण से लेकर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी तक देश की प्रगति।

देश के थिएटरों को प्रिंट के वितरण के लिए प्रभाग की दस शाखाएं—मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मद्रास, हैदराबाद, विजयवाड़ा, बंगलुरु, नागपुर, लखनऊ तथा कोलकाता में हैं।

फिल्म प्रभाग की लोकप्रिय कार्टून फिल्म इकाई में भी सैल या पुरानी एनीमेशन के स्थान पर कंप्यूटर एनिमेशन के साथ उच्च प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में आधुनिक टेक्नालॉजी से लैस यह इकाई अब ओपस, कन्सर्टो, हार्ड एंड तथा माया सहित समुन्नत सॉफ्टवेयर के साथ 2-डी तथा 2-डी एनिमेशन का निर्माण कर सकती है।

बड़ी संख्या में लोगों को सूचना और शिक्षा प्रदान करने के मूल उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध फिल्म प्रभाग, सफलता की कहानियों और विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के बुरे प्रभावों के बारे में कथा या फीचर फिल्मों भी बना रहा है। इसके लिए इसके दो क्षेत्रीय निर्माण केंद्र बंगलुरु तथा कोलकाता में हैं। इसकी कई फीचर फिल्मों की प्रशंसा हुई है और पुरस्कार भी मिले हैं।

वृत्तचित्र, लघु तथा एनिमेशन फिल्मों के लिए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (एमआईएफएफ) का जन्म हुआ। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से इसका आयोजन किया जाता है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की शुरुआत 1990 में हुई। तब से इसमें विश्व के लगभग सभी देश भाग लेते हैं और वृत्त चित्र सर्वश्रेष्ठ समारोह बन गया है। एक दशक से भी अधिक समय से यह सिनेमा में नई शैली को बढ़ावा दे रहा है। एमआईएफएफ वृत्त चित्र समारोह में लगभग 26 लाख नकद पुरस्कार के साथ स्वर्ण/रजत पदक के अलावा 'डॉ. वी. शांताराम लाइफटाइम एचीवमेंट एवार्ड' प्रदान करता है जिसमें ट्राफी के साथ नकद 250 लाख रुपये दिए जाते हैं। 10वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 3 फरवरी 2008 से NCPA मुंबई में हुआ।

प्रभाग का संगठन मोटे तौर पर चार विंग में विभाजित है—(1) निर्माण, (2) वितरण, (3) अंतर्राष्ट्रीय वित्त चित्र, लघु तथा कार्टून फिल्म समारोह तथा (4) प्रशासन।

निर्माण खंड

निर्माण खंड का दायित्व (1) वृत्तचित्र, (2) ग्रामीण दर्शकों के लिए विशेष लघु फीचर फिल्मों (3) एनीमेशन फिल्मों और (4) वीडियो फिल्मों बनाने का है। मुंबई के अपने मुख्यालय के अलावा प्रभाग के तीन निर्माण केंद्र बंगलूरु, कोलकाता और नई दिल्ली में हैं।

वृत्तचित्रों की विषय-वस्तु में कृषि से लेकर कला और वास्तुशिल्प, उद्योग से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, खानपान से त्योहारों तक, स्वास्थ्य देखभाल से आवास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से खेल, व्यापार और वाणिज्य से परिवहन तथा आदिवासी कल्याण से लेकर सामुदायिक विकास आदि शामिल हैं।

सामान्यतः प्रभाग निजी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के विचार के साथ ही देश में वृत्तचित्र आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए देशभर के स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के लिए अपने निर्माण शेड्यूल का लगभग 40 प्रतिशत सुरक्षित रखता है। अपने सामान्य निर्माण कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रभाग वृत्तचित्र निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों सहित सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को सहायता देता है।

फिल्म प्रभाग की न्यूजरील इकाई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की राजधानियों सहित प्रमुख शहरों और कस्बों में फैले अपने नेटवर्क के जरिए प्रमुख घटनाओं, अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे तथा प्राकृतिक आपदाओं आदि की कवरेज कराती है। इस कवरेज को पाक्षिक समाचार पत्रिकाओं और अभिलेखन सामग्री के संकलन में भी प्रयुक्त किया जाता है।

फिल्म प्रभाग की कार्टून फिल्म इकाई भी सैल या क्लासीकल एनीमेशन की जगह कंप्यूटर एनीमेशन से लैस तथा हाईटेक हो चुकी है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में उच्च प्रौद्योगिकी से सुसज्जित इकाई अब यू.एस. एनीमेशन, 2-डी और 3-डी एनीमेशन में ओपस, कंसर्टों, हाई-एंड और माया जैसे आधुनिक सॉफ्टवेयर में निर्माण कर सकती है।

कमेंट्री अनुभाग अंग्रेजी/हिंदी में बनी मूल फिल्मों और समाचार पत्रिकाओं का 14 भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में रूपांतरण कराता है।

दिल्ली स्थित प्रभाग की इकाई पर रक्षा मंत्रालय तथा परिवार कल्याण विभाग और अन्य मंत्रालयों/विभागों के लिए शिक्षाप्रद तथा प्रेरक फिल्मों बनाने का दायित्व है। बदलते परिदृश्य के अनुसार इकाई के पास वीडियो फिल्म निर्माण सुविधाएं हैं।

प्रभाग के कोलकाता और बंगलूरु स्थित क्षेत्रीय केंद्र सामाजिक तथा राष्ट्रीय मुद्दों जैसे परिवार कल्याण, सांप्रदायिक सद्भाव, दहेज, बंधुआ मजदूरी, छूआछूत आदि विषयों पर संदेश देने के लिए सामाजिक और शैक्षिक वृत्तचित्रों का भी निर्माण करते हैं।

वितरण खंड

वितरण खंड (डीएचओ) के प्रमुख वितरण प्रभारी अधिकारी होते हैं। खंड के 10 वितरण शाखा कार्यालय हैं जो कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, मुंबई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, बंगलूरु, चेन्नई, मदुराई और तिरुवनंतपुरम में हैं। इन शाखाओं के प्रमुख वरिष्ठ शाखा प्रबंधक या शाखा प्रबंधक (जो कार्यालय प्रमुख तथा संबंधित शाखाओं के डीडीओ के रूप में कार्य करते हैं) होते हैं और सभी सिनेमाघरों को स्वीकृत फिल्मों की आपूर्ति, समझौता निष्पादन, फिल्म प्रभाग प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ प्रदर्शकों से एक प्रतिशत किराया एकत्रित करते हैं।

फिल्म प्रभाग ने देशभर में फिल्मों के 7917 प्रिंट जारी किए। इससे प्रभाग को मार्च, 2009 तक किराया राजस्व के रूप में 498.74 लाख रुपए की कमाई हुई।

वितरण खंड ने स्वयं को पुनः परिभाषित किया है और राज्य और जिला स्तर पर स्वतंत्र रूप से, साथ ही एनजीओ, फिल्म समितियों, शैक्षिक संस्थाओं आदि के साथ मिलकर फिल्म समारोहों को नियमित गतिविधि बनाया है ताकि जनता तक पहुंचा जा सके और वृत्तचित्र आंदोलन को प्रोत्साहन दिया जा सके। भारत के दूर-दराज क्षेत्रों में पहुंचते हुए वितरण शाखा कार्यालयों ने मार्च, 2009 तक 34 फिल्म समारोह आयोजित किए।

फिल्म लाइब्रेरी अनुभाग

फिल्म प्रभाग की लाइब्रेरी भारत के समकालीन इतिहास और इसकी समृद्ध विरासत तथा कलामक परंपराओं की मूल्यवान अभिलेखीय सामग्री का खजाना है। विश्वभर के फिल्म निर्माताओं में इसकी बड़ी मांग है। स्टॉक फुटेज बिक्री के जरिए राजस्व देने के अतिरिक्त यह सेवाएं प्रदान कर फिल्म निर्माण के लिए महत्वपूर्ण फुटेज जुटाती है। फिल्म लाइब्रेरी का कुल संग्रह 8200 शीर्षकों के लगभग 1.9 लाख आयटम का है जिनमें मूल पिक्चर निगेटिव, ड्यूट/इंटर निगेटिव, साउंड निगेटिव, मास्टर/इंटर पॉजिटिव, सुखाए हुए प्रिंट, प्री डब साउंड निगेटिव, 16 एमएम प्रिंट, लाइब्रेरी प्रिंट आदि शामिल हैं। फिल्मों को अभिलेखीय मूल्यांकन के आधार पर सर्वाधिक मूल्यवान, मूल्यवान और सामान्य फिल्मों में वर्गीकृत किया गया है। सर्वाधिक मूल्यवान वर्ग की 1239 फिल्मों को हाई डेफिनेशन फार्मेट में पुनः संग्रहीत किया गया है तथा 7403 फिल्मों को स्टैंडर्ड डेफिनेशन फार्मेट पर रूपांतरित किया गया है। यह लाइब्रेरी यूजर फ्रेंडली कंप्यूटराइज्ड सिस्टम पर आधारित है। फिल्म लाइब्रेरी के बारे में विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

प्रशासनिक खंड

प्रशासनिक खंड में वित्त, कार्मिक, भंडार लेखा, फैक्टरी प्रबंधन और सामान्य प्रशासन आते हैं। यह खंड वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करता है जिसकी सहायता निम्नलिखित अधिकारी करते हैं—

1. सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्मिक प्रबंधन, खरीद, सामान्य प्रशासन, सतर्कता, वित्त और सुरक्षा संबंधी मामलों में सहायता करता है।
2. लेखा अधिकारी वित्त और लेखा संबंधी मामलों में आंतरिक वित्तीय सलाहकार के साथ परामर्श करता है।

केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड

सिनेमटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत स्थापित केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड, भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का प्रमाणन करता है। बोर्ड में एक अध्यक्ष और 25 अन्य गैर सरकारी अधिकारी होते हैं। बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है और इसके नौ क्षेत्रीय कार्यालय—बंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चैन्नई, तिरुवनंतपुरम, कटक तथा गुवाहाटी में हैं। सलाहकार पैनल फिल्मों की जांच में क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता करते हैं। इन पैनलों में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होते हैं। जानीमानी फिल्मी हस्ती श्रीमती शर्मिला टैगोर बोर्ड की अध्यक्ष हैं।

सिनेमटोग्राफ अधिनियम 1952 के अनुच्छेद 5बी(2) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी सांविधिक दिशानिर्देशों का उल्लंघन किए जाने के कारण मार्च 2009 तक 43 भारतीय और 17 विदेशी फीचर फिल्मों के प्रमाणपत्र नामंजूर किए गए। इनमें से कुछ को बाद में संशोधन के बाद प्रमाण पत्र दे दिए गए।

केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड की 115वीं बैठक 7 जुलाई, 2008 को कोलकाता में हुई। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सदस्यों की 116वीं बैठक 6 सितंबर, 2008 को नई दिल्ली में हुई। बोर्ड के सदस्यों की 117वीं बैठक 26 दिसंबर, 2008 को नई दिल्ली में हुई। इन सभी बैठकों की अध्यक्षता श्रीमती शर्मिला टैगोर ने की।

लक्ष्य पूर्ति और समय सीमा बढ़ाने के लिए सी.बी.एफ.सी. ने कार्य की गति बढ़ाने हेतु विभिन्न उपग्रह चैनलों से संबंधित कामकाज क्षेत्रीय सी.बी.एफ.सी. में बांट दिया है। फिल्मों की समीक्षा हेतु केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर बुलाया गया है।

वर्ष 2006 में जनवरी से दिसंबर तक फिल्मों में विभिन्न स्थानों पर अन्तर्वेशन के 46 मामले सामने आए और इनकी जांच रिपोर्ट संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी। वर्ष 1980 में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम और फिल्म वित्त निगम के विलय के बाद इसका पुनर्गठन किया गया। इस निगम का मुख्य उद्देश्य भारत में सिनेमा की गुणवत्ता में सुधार लाना और श्रव्य-दृश्य तथा संबंधित क्षेत्रों में अति आधुनिक प्रौद्योगिकी विकसित करना है। निगम की मुख्य गतिविधियों में शामिल हैं : सामाजिक दृष्टि से उपयुक्त विषयों पर रचनात्मक व कलात्मक उत्कृष्टता वाली और प्रायोगिक स्वरूप वाली बढ़िया फिल्मों का वित्तपोषण और निर्माण तथा विभिन्न माध्यमों से फिल्मों का वितरण व प्रसार। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम फिल्म उद्योग को नवीनतम प्रौद्योगिकी के अनुरूप आवश्यक निर्माण पूर्व और निर्माण पश्चात बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यह फिल्म समितियों, राष्ट्रीय फिल्म सर्किल और भारतीय एवं विदेशी फिल्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली अन्य एजेंसियों के सहयोग से फिल्म सप्ताहों, भारतीय फिल्मों की झांकी और फिल्म समारोहों के आयोजन से फिल्म संस्कृति और फिल्मों की समझ विकसित करने के प्रयास करता है।

निगम गुणवत्ता, विषय-वस्तु और निर्माण मूल्यों की दृष्टि से उत्कृष्ट, कम बजट की फिल्मों की अवधारणा को बढ़ावा देता है। वेणु निर्देशित निगम की परिनामम (मलयालम) फिल्म को ऐशडोड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह इसराइल में सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

निगम द्वारा स्थापित भारतीय सिने कलाकार कल्याण कोष भारतीय फिल्म उद्योग का सबसे बड़ा ट्रस्ट है। इसका संग्रहीत कोश 4.48 करोड़ रुपये है।

फिल्म समारोह निदेशालय

फिल्म समारोह निदेशालय की स्थापना 1973 में की गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन इस निदेशालय का उद्देश्य, अच्छे सिनेमा को प्रोत्साहन देना है। इसके लिए यह निम्न वर्गों के तहत अपनी गतिविधियों का संचालन करता है—

- (क) अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म समारोह
- (ख) राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार
- (ग) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम तथा विदेशों में शिष्टमंडलों के ज़रिए भारतीय फिल्म प्रदर्शन का आयोजन

- (घ) भारतीय पनोरमा का चयन
- (च) विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेना
- (छ) भारत सरकार की ओर से विशेष फिल्मों का प्रदर्शन
- (ज) प्रिंट संग्रहण तथा अभिलेखन।

ये गतिविधियाँ, सिनेमा के क्षेत्र में भारत और अन्य देशों के बीच विचारों, संस्कृति तथा अनुभव के आदान-प्रदान के लिए बेजोड़ मंच प्रदान करती हैं। ये भारतीय सिनेमा को सशक्त मंच प्रदान करती हैं तथा भारतीय फिल्मों के लिए व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देती हैं। देश के भीतर इसने विश्व सिनेमा की नवीनतम प्रवृत्तियाँ आम जनता, फिल्म उद्योग तथा विद्यार्थियों तक पहुंचाने का काम किया है।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार

भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना फरवरी 1964 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र मीडिया इकाई के रूप में की गई। इसके उद्देश्य तथा लक्ष्य इस प्रकार हैं— राष्ट्रीय सिनेमा की विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए संजोकर रखने के लिए संबंधित सामग्री की खोज, अधिग्रहण और संरक्षण करना और विश्व सिनेमा का प्रदर्शक संचयन करना। फिल्मों से संबद्ध अभिलेखा आंकड़ों का वर्गीकरण और सिनेमा पर अनुसंधान करना तथा इसे बढ़ावा देना और वितरण करना। देश में फिल्म संस्कृति के प्रसार केंद्र के रूप में कार्य करना और विदेशी दर्शकों को भारतीय सिनेमा से परिचित कराना।

राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का पता लगाकर उन्हें अभिलेखागार के संग्रह में लाना एक सतत प्रक्रिया है। अभिलेखागार के समृद्ध पुस्तकालय में विश्व भर के सिनेमा के बारे में प्रकाशित 25,000 से अधिक पुस्तकें हैं, जो सिनेमा के गंभीर अध्येताओं/छात्रों के लिए वरदान हैं। लाइब्रेरी में 100 से अधिक भारतीय और विदेशी फिल्म पत्रिकाएं आती हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से प्राप्त भारतीय और विदेशी फिल्मों की 30,000 से अधिक पटकथाएं भी अभिलेखागार में सुरक्षित हैं।

अनुसंधान और दस्तावेजीकरण केंद्र में भारतीय सिनेमा की सहायक सामग्री का विशाल संग्रह है। यह केंद्र फिल्मों के फोटोग्राफ/स्टिल्स, गीतों की पुस्तिकाएं, पोस्टर, परचे और अन्य प्रचार सामग्री एकत्र करने की कोशिश करता है, जो विभिन्न फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित की जाती है।

एनएफएआई सिनेमा के सभी पहलुओं के बारे में अनुसंधान और अकादमिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। यह जाने-माने भारतीय फिल्म निर्माताओं और अग्रणी फिल्मी हस्तियों के बारे में मोनोग्राफ, भारतीय सिनेमा से जुड़ी विषयवस्तु पर अनुसंधान वृत्त और वरिष्ठ कलाकारों और तकनीशियनों को इतिहास की रिकार्डिंग का काम सौंपता है। अभिलेखागार अब तक ऐसी 12 परियोजना का प्रकाशन कर चुका है। फिल्म संस्कृति के प्रचार के लिए एनएफएआई के पास फिल्म वितरण लाइब्रेरी है जो फिल्म सोसायटियों, शिक्षा संस्थानों और सांस्कृतिक संगठनों को फिल्म की आपूर्ति करती है। यह मुंबई, कोलकाता, बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, जमशेदपुर, पुणे और दिल्ली जैसे केंद्रों पर संयुक्त प्रदर्शन का काम भी करता है। यह भारत और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए फिल्मों का बड़ा स्रोत है।

एनएफएआई पिछले तीन दशक से पुणे में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के सहयोग से हर वर्ष चार सप्ताह का फिल्म समीक्षा पाठ्यक्रम चलाता है। विभिन्न पेशों से जुड़े लोगों को भारत और

विश्व के सर्वश्रेष्ठ सिनेमा के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें फिल्म माध्यम की मूल बातें, एक कला के रूप में सिनेमा, फिल्म इतिहास, फिल्म सिद्धांत, सिनेमा का अन्य कलाओं से संबंध के बारे में पढ़ाया जाता है। अभिलेखागार पुणे से बाहर की शिक्षा संस्थाओं और सांस्कृतिक संगठनों के सहयोग से इसी तरह के पाठ्यक्रम चलाता है।

भारत और विदेश के विद्वान और शोधकर्ता एनएफएआई को स्रोत का बड़ा केंद्र मानते हैं, जहां उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े संग्रह और संभवतः सिनेमा कला से जुड़ी सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी मिलती है। एनएफएआई की वेबसाइट है <http://www.nfaipune.gov.in>.

भारतीय बाल फिल्म समिति

भारतीय बाल फिल्म समिति की स्थापना 1955 में बच्चों को फिल्मों के माध्यम से उच्च आदर्शों की प्रेरणा देने वाला मनोरंजन प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। समिति बच्चों की फिल्मों का निर्माण, संग्रहण, वितरण, प्रदर्शन और संवर्द्धन करती है। बाल फिल्म समिति का मुख्यालय मुंबई में है और नई दिल्ली तथा चेन्नई में इसके क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय हैं। समिति द्वारा निर्मित/संग्रहित फिल्मों का प्रदर्शन राज्य/जिलावार बाल फिल्म समारोहों, थियेट्रों और स्कूलों में गैर थिएटर मंचों के माध्यम से वितरकों तथा गैर सरकारी संगठनों के जरिए किया जाता है।

सीएफएसआई की फिल्मों ने टोरंटो फिल्म समारोह, 8वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 11वें सियोल अंतर्राष्ट्रीय युवा उत्सव और शंघाई फिल्म समारोह में हिस्सा लिया। सीएफएसआई के मुंबई मुख्यालय एवं दिल्ली और चेन्नई स्थित जोनल कार्यालयों में 22,65,968 बच्चों ने फिल्में देखीं। इस तरह से प्रतिवर्ष औसतन 10,147 शो आयोजित किए गए।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय भारत सरकार की प्रमुख मल्टीमीडिया विज्ञापन एजेंसी है। सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को विभिन्न माध्यमों से प्रचारित करने वाली यह सिंगल-विंडो एजेंसी है। इन माध्यमों में समाचार पत्र विज्ञापन, मुद्रित प्रचार सामग्री (फोल्डर, पोस्टर, ब्रोशर, किट, पुस्तिकाएं, कलेंडर तथा डायरियां), बाहरी प्रचार (होर्डिंग, बस बैक पैनल, बैनर, कियोस्क, कंप्यूटर एनिमेशन डिस्प्ले इत्यादि), दृश्य-श्रव्य प्रचार (आडियो-वीडियो स्पॉट, लघु फिल्में, डॉक्यू ड्रामा, जिंगल, प्रायोजित कार्यक्रम इत्यादि) और प्रदर्शनियां शामिल हैं। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके बंगलौर तथा गुवाहाटी में दो क्षेत्रीय कार्यालय हैं और देश भर में इसकी 32 क्षेत्रीय प्रदर्शनी इकाइयां हैं।

प्रेस विज्ञापन : विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की सूची में 4100 समाचारपत्र तथा सावधि प्रकाशन हैं, जिन्हें सभी राज्यों में जानी जाने वाली 22 भाषाओं में विज्ञापन जारी किए जाते हैं। यह सूची भारत सरकार की विज्ञापन नीति के दिशा-निर्देशों तथा प्रक्रियाओं के आधार पर तैयार की जाती है। इसका उद्देश्य सरकार के संदेशों, लक्ष्यों तथा बजट का विज्ञापनों के माध्यम से अधिक से अधिक प्रचार करना है। निदेशालय ने वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान 32,000 विज्ञापन जारी किए।

दृश्य-श्रव्य प्रचार : विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का दृश्य-श्रव्य कक्ष मंत्रालयों तथा विभागों के लिए सामाजिक विषयों पर स्पॉट तथा कार्यक्रम बनाता है तथा प्रसारित करता है। निदेशालय दृश्य/श्रव्य स्पॉट, रेडियो, दूरदर्शन तथा प्राइवेट रेडियो/टेलीविजन पर प्रसारण की व्यवस्था करता है। ये दृश्य/श्रव्य

कार्यक्रम सूचीबद्ध निर्माताओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में ऑडियो तथा वीडियो स्पॉट/जिंगल, प्रायोजित तथा लोकसंगीत आधारित रेडियो कार्यक्रम, प्रेरणादायक टेली फिल्में शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रीय प्रसारण के लिए हिंदी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में डब किया जाता है। वर्ष 2008-09 में 5000 से अधिक आडियो वीडियो और रेडियो स्पॉट, जिंगल, वृत्तचित्र और डाक्यू-ड्रामा तैयार किए गए और रेडियो एवं टेलीविजन पर 160 अभियान चलाए गए। डीएवीपी के पैनल में दूरदर्शन, आकाशवाणी और लोकसभा टीवी के अलावा, 250 से अधिक आडियो एवं वीडियो कार्यक्रम निर्माता, 170 निजी टीवी चैनल और 100 से अधिक निजी एफएम चैनल शामिल हैं।

मुद्रित प्रचार सामग्री : सरकार द्वारा जन-जन तक पहुंचाने के लिए सामाजिक महत्व के संदेशों के बारे में निदेशालय द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री जैसे पोस्टर, फोल्डर, पुस्तिकाएं, ब्रोशर, डायरी, कैलेंडर, दीवार पर लटकाने की सामग्री, स्टिकर आदि प्रचार सामग्री का मुद्रण हिंदी, अंग्रेजी और विभिन्न भारतीय भाषाओं में होता है। वर्ष 2008-09 के दौरान निदेशालय ने 800 लाख रुपये मूल्य की प्रचार सामग्री का प्रकाशन विभिन्न भाषाओं में किया।

प्रदर्शनी : फोटो प्रदर्शनियां राष्ट्रीय विकास और सामाजिक महत्व के विभिन्न मुद्दों का संदेश प्रचारित करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। निदेशालय विभिन्न विषयों पर प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनी सामग्री, फिल्म-संग्रह, (मोन्टाज़) शिल्प तथ्य को मूर्त रूप देता है तथा तत्संबंधी डिज़ाइन, विकास और निर्माण कार्य करता है। वर्ष 2008-09 के दौरान देशभर में 600 फोटो प्रदर्शनियां लगाई गईं, जो 2000 प्रदर्शनी दिवसों तक जारी रहीं।

बाह्य प्रचार : केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों की नीतियों/कार्यक्रमों का संदेश प्रदर्शित करने के लिए निदेशालय द्वारा होर्डिंग्स, दीवारों पर चित्रांकन, सिनेमा स्लाइड्स, कंप्यूटरीकृत एनिमेशन डिस्के, कियोस्क, बस क्यू शेल्टरों, बस के पीछे लगे पैनल आदि विभिन्न प्रकार के बाह्य प्रचार-प्रसार का इस्तेमाल किया गया। यह हालांकि परंपरागत माध्यम है लेकिन किसी संदेश के प्रसार का प्रभावी जरिया है। डिस्के, देखने वालों को हमेशा याद रहता है। 2008-09 में निदेशालय ने 1389 लाख की लागत वाले 380 काम किए।

मास मेलिंग : विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की मास मेलिंग विंग के पास 16.5 लाख से अधिक संगठनों के पते संरक्षित हैं, जहां लक्षित जानकारी और संदेश भेज कर देशभर में व्यापक जनसमुदाय तक पहुंचा जा सकता है।

स्टूडियो : दृश्य प्रचार निदेशालय का अपना एक संपूर्ण स्टूडियो है, जिसमें विभिन्न अभियानों के लिए अपेक्षित प्रचार सामग्री तैयार की जाती है। जिस क्षेत्र में प्रचार अभियान शुरू किया जाना है उसकी विशेष प्रचार जरूरतों को देखते हुए सामग्री का डिज़ाइन निदेशालय के अपने स्टूडियो में तैयार किया जाता है। स्टूडियो में डी.टी.पी. सेल है जिससे मुद्रित प्रचार सामग्री, प्रेस विज्ञापन, आदि तैयार किए जाते हैं। होर्डिंग, कियोस्क, बस-बैक पैनल, दीवार चित्रांकन आदि बाह्य प्रचार के डिज़ाइन भी स्वयं तैयार किए जाते हैं।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह देश में ग्रामोन्मुखी अंतर वैयक्तिक संचार का सबसे बड़ा माध्यम है। यह सरकार और जन सामान्य के बीच दो तरफा-सूचना संप्रेषण और फीड बैक, संपर्क के रूप में काम करता है। इसकी स्थापना पंचवर्षीय योजना प्रचार संगठन के नाम से 1953

में हुई थी और इसका एकमात्र उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं का प्रचार था। 1959 में संगठन का आधार व्यापक बनाया गया और इसका नाम बदलकर क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय कर दिया गया। पिछले कई वर्षों में इस संगठन के कार्यक्षेत्र के साथ इसके उद्देश्यों तथा लक्ष्यों का दायरा भी बढ़ा है। निदेशालय के लक्ष्य और उद्देश्य संक्षेप में इस प्रकार हैं—(क) देश की जनता विशेषकर, निचले तबके के लोगों को सूचना देना, शिक्षित करना तथा प्रेरित करना और उन्हें विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाना ताकि संविधान निर्माताओं द्वारा प्रस्तावना में उल्लेखित उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। (ख) विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जनमत जुटाना और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लोगों को भागीदारी बनाना। (ग) लोगों, विशेषकर कमजोर वर्ग के, सीमांत तथा दूरदराज के इलाकों में बसे लोगों को सरकार के कार्यक्रमों तथा नीतियों की जानकारी देना और राष्ट्रीय तथा सामाजिक महत्व के मुद्दों के प्रति जागरूकता पैदा करना। (घ) सरकारी कार्यक्रमों तथा नीतियों और क्षेत्रीय स्तर पर उनके कार्यान्वयन के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया से सरकार को अवगत कराना, ताकि जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

निदेशालय लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए कई माध्यमों का प्रयोग करता है। अंतर वैयक्तिक संवाद सभी कार्यक्रम गतिविधियों का आधार है। निदेशालय अपना संदेश पहुंचाने के लिए मुख्य तौर पर समूह चर्चाओं, जनसभाओं, विचार गोष्ठियों, संगोष्ठियों आदि अंतर-वैयक्तिक संवाद माध्यमों का इस्तेमाल करता है। यह लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए फिल्मों और चित्र प्रदर्शनियों जैसे दृश्य तथा मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इनके अलावा वाद-विवाद, निबंध लेखन, चित्रकला तथा पेंटिंग, स्लोगन लेखन और ग्रामीण खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय का एक प्रमुख कार्य प्रशासन तक विभिन्न योजना के बारे में जनता की राय पहुंचाना भी है। वर्ष के दौरान निदेशालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एड्स जागरूकता, आयोडीन की कमी से होने वाली शारीरिक विकृति पर नियंत्रण, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, न्यायिक साक्षरता तथा निर्धनों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम, संग्राम सरकार का साझा न्यूनतम कार्यक्रम जैसे विषयों पर व्यापक प्रचार अभियान चलाए। विभाग की प्रचार गतिविधियों की एक नयी तथा महत्वपूर्ण विशेषता जन सूचना अभियान है। निदेशालय ने प्रेस सूचना कार्यालय के नेतृत्व में भारत निर्माण पर देशभर में चलाए गए लगभग 400 जनसूचना अभियानों में भाग लिया। प्रत्येक लोक सूचना अभियान में चार क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों को लोक सूचना अभियान से पहले के प्रचार में पांच दिनों के लिए तथा चार क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों को मुख्य पांच दिनों के मुख्य जनसूचना अभियान के लिए तैनात किया गया। इन सभी जन सूचना अभियानों (पी.आई.सी.) में क्षे.प्र.नि. द्वारा एक स्टाल लगाया गया जिसमें लोक रुचि के विभिन्न विषयों पर जानकारी का प्रचार प्रसार किया गया। क्षे.प्र.नि. द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि देशभर में अधिक से अधिक संख्या में लोग जन सूचना अभियानों में भाग लें।

राष्ट्रीय महत्व के दिवस एवं सप्ताहों पर कार्यक्रम आयोजन क्षे.प्र.नि. का एक ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा लोगों की राष्ट्रीयता तथा साम्प्रदायिक सद्भाव की भावना जागृत कर राष्ट्र-निर्माण प्रक्रिया में जन भागीदारी बढ़ाने में सहायता मिलती है। वर्ष के दौरान क्षे.प्र.नि. द्वारा राष्ट्रीय महत्व के सभी दिवसों तथा सप्ताहों का अयोजन लाभकारी रूप में किया गया।

गीत और नाटक प्रभाग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन स्थापित गीत और नाटक प्रभाग एक अनूठा संगठन है जिसे सामाजिक-सांस्कृतिक तथा विकास संबंधी कार्यक्रमों के संचार का विशेष दायित्व सौंपा गया है। इसकी

स्थापना आकाशवाणी की एक इकाई के रूप में 1954 में की गई थी। 1960 में इसे एक स्वतंत्र मीडिया इकाई का दर्जा दे दिया गया। इसकी स्थापना समृद्ध तथा जीवंत प्रचार माध्यमों, विशेषकर पारंपरिक और लोक प्रचार माध्यमों के विभिन्न स्वरूपों का प्रयोग करने के उद्देश्य से की गई थी। यह लोगों के साथ तत्काल तादात्म्य बनाने और नए-नए विचारों को प्रभावशाली ढंग से अपने कार्यक्रमों में समाविष्ट करने में सक्षम है। यह पारंपरिक नाटक, नृत्यनाटिका, लोकगीत, कठपुतली, जैसे विभिन्न मंचन स्वरूपों के अलावा ध्वनि तथा प्रकाश का उपयोग करके दर्शकों का ध्यान राष्ट्रीय जीवन और विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति तथा विकास के विभिन्न पहलुओं की ओर खींचता है।

संगठनात्मक स्वरूप

इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके निम्नलिखित कार्यालय हैं :

- (क) 10 क्षेत्रीय कार्यालय : बंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, पुणे और रांची में स्थित हैं;
- (ख) सात सीमावर्ती केंद्र : इम्फाल, जम्मू, शिमला, नैनीताल, दरभंगा, जोधपुर और गुवाहाटी;
- (ग) छह नाटक मंडली : भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद, पटना, पुणे और श्रीनगर;
- (घ) सशस्त्र सेना मनोरंजन इकाई की 9 मंडलियां (टूप) दिल्ली और चेन्नई में हैं;
- (ङ) बंगलुरु और दिल्ली में दो ध्वनि व प्रकाश इकाइयां और
- (च) रांची में जनजातीय प्रायोगिक परियोजना।

सशस्त्र सेना मनोरंजन विंग : विभाग सुदूरवर्ती तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बल के मनोरंजन का कार्य करता है। यह टूप लोकगीत, लोकनृत्यों आदि के माध्यम से सेना का मनोरंजन करते हैं। इस टूप ने लेह, लद्दाख, थामपांग, थोयास, परतापुर, मोकोक चुंग, लंग तलाई, एलॉन समाधु, पांग, पोर्टब्लेयर, भारत-चीन तथा बर्मा, पाक, बंगाल सीमा तथा पूर्वोत्तर आदि में अपने कार्यक्रम पेश किए।

जनजातीय प्रचार : वर्ष 1980 में रांची जनजातीय केंद्र की स्थापना की गयी। इसका उद्देश्य विकास प्रक्रिया में जनजातीय कलाकारों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करके जागरूकता गतिविधियों को बढ़ावा देना है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश और उड़ीसा की मंडलियों ने 419 कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन कार्यक्रमों के जरिए अप्रैल से दिसंबर 2007 की अवधि में जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए बनायी गयी विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करायी गयी।

सीमावर्ती प्रचार मंडलियां : सीमावर्ती प्रचार मंडलियां विभागीय मंडलियां हैं, जो इम्फाल, गुवाहाटी, दरभंगा, नैनीताल, शिमला, जम्मू और जोधपुर में काम कर रही हैं। इन मंडलियों ने अपने कार्यक्रमों के जरिए भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को जानकारी प्रदान की और सीमापार से फैलाये जा रहे दुष्प्रचार का निराकरण किया। ये कार्यक्रम एसएमबी, बीएसएफ और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल करके आयोजित किए गए।

विभागीय नाट्य मंडलियां : वर्ष के दौरान पुणे, पटना, हैदराबाद, भुवनेश्वर, जम्मू और दिल्ली स्थित विभागीय नाट्य मंडलियों ने विभिन्न विषयों पर नाटक प्रस्तुत किए। इनमें परिवार कल्याण, एड्स, नशाखोरी से बचाव, राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव और पर्यावरण आदि विभिन्न विषय शामिल थे। इन नाटक मंडलियों ने स्थानीय मेलों और उत्सवों तथा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान नाटकों का विशेष मंचन किया।

पर्वतीय/जनजातीय/रेगिस्तानी/संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों में सूचना, संचार व तकनीक से संबद्ध गतिविधियां : प्रभाग ने जनजातीय, पर्वतीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में अलग-थलग रह रहे जनजातीय लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए शुरू की गयी विकास गतिविधियों से उन्हें अवगत कराना था ताकि वे देश के प्रति अपनापन महसूस करें। इनके जरिए जनजातीय लोगों को विकास गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करने के भी प्रयास किए गए। निर्धारित लक्ष्य 3640 की तुलना में 5029 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

चुने हुए 76 जिलों में गतिविधियां : योजना कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रभाग ने 'चुने हुए 76 जिलों में गतिविधियां' घटक के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, आतंकवाद विरोधी व देशभक्ति के भावों को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान प्रभाग द्वारा 1082 कार्यक्रम पेश किए गए, जबकि निर्धारित लक्ष्य 760 कार्यक्रम का था।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम का प्रचार : इस कार्य के लिए विभाग ने 685 कार्यक्रम आयोजित किए, जबकि 2008-09 के दौरान निर्धारित लक्ष्य 480 कार्यक्रम का था।

जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष गतिविधियां : इन क्षेत्रों के लिए विभाग ने वर्ष 2008-09 के दौरान 652 कार्यक्रम तैयार किए।

राष्ट्रीय थीम पर नाटकों का आयोजन : भारत की ऐतिहासिक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा से जनता विशेषकर युवाओं को परिचित कराने के लिए विभिन्न स्थानों पर लाइट तथा साउंड शो आयोजित किए गए।

रेड रिबन एक्सप्रेस : एड्स पर जन-जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से नाको ने 1 दिसंबर, 2007 को रेड रिबन एक्सप्रेस को रवाना किया इसके 111 स्टेशन हैं। प्रभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा असम में 1515 कार्य दिखाए।

भारत निर्माण—जन सूचना अभियान : वर्ष 2008-09 के दौरान प्रभाग ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित जन सूचना अभियानों में भाग लिया। सभी मीडिया इकाइयों ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वस्थ मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन, सूचना का अधिकार कार्यक्रम, अल्पसंख्यकों पर प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम आदि कार्यक्रमों के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभियान वाले स्थान पर रंगारंग कार्यक्रम पेश करने के अलावा विभाग ने वास्तविक अभियान शुरू करने के पांच दिन पहले तथा बाद में प्रचार कार्यक्रम चलाया जिससे न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत लागू कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा हो सके।

योजना गतिविधियां

योजना कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रभाग ने वर्ष 2008-09 के दौरान 'ग्रामीण भारत के लिए सजीव कला एवं संस्कृति' के रूप में एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम के सात घटक इस प्रकार हैं :

1. पर्वतीय/जनजातीय/रेगिस्तानी/संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों में सूचना, संचार, प्रौद्योगिकी, गतिविधियां।

2. 76 चुने हुए जिलों में गतिविधियां।
3. 12 क्षेत्रीय केंद्रों में न्यूनतम साझा कार्यक्रम से संबद्ध गतिविधियां।
4. जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में विशेष गतिविधियां।
5. राष्ट्रीय/सामाजिक विषयों पर मंचीय कार्यक्रमों का प्रस्तुतीकरण।
6. अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण।
7. कार्यक्रमों की प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करना।

इन गतिविधियों का उद्देश्य जन समुदाय में विकास नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और पर्वतीय/जनजातीय/रेगिस्तानी/संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों तथा जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में रह रहे लोगों सहित समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के समग्र कल्याण के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करना है। मंचीय प्रस्तुतियों का लक्ष्य इस देश की सांस्कृतिक विरासत, जीवन और महान व्यक्तियों की शिक्षाओं के बारे में लोगों को शिक्षित करना और प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्रदान करना है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5242 कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था है।

प्रशिक्षण

भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान

पुणे का भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, फिल्म निर्माण और टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण की कला तथा शिल्प का प्रशिक्षण देने वाला एक प्रमुख संस्थान है। यह संस्थान फिल्म और टेलीविजन में तीन साल का स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स तथा टेलीविजन में एक वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स चलाता है। संस्थान ने अब फीचर फिल्म पटकथा लेखन में एक वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स और अभिनय में दो वर्ष का डिप्लोमा कोर्स भी शुरू किया है। शैक्षिक वर्ष 2005-06 से कला निर्देशन में दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स जिसमें 12 छात्रों को प्रवेश दिया गया और एनिमेशन तथा कंप्यूटर ग्राफिक्स में डेढ़ वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है। संस्थान, दूरदर्शन के कर्मचारियों के लिए टेलीविजन निर्माण तथा तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण कोर्स चलाता है और अब तक पांच हजार से अधिक प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

यह मीडिया से संबंधित विभिन्न व्यवसायिक विषयों में अल्पावधि कोर्स भी चलाता है। संस्थान अपने छात्रों द्वारा निर्मित फिल्में नियमित रूप से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समारोहों से प्रतियोगिता तथा गैर प्रतियोगिता दोनों वर्गों के लिए भेजता है, ताकि उन्हें अपने काम के प्रदर्शन का मौका मिल सके। इनमें से कई फिल्मों ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। संस्थान विश्व के अग्रणी फिल्म स्कूलों के साथ संबंध बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों तथा फेकल्टी के सदस्यों के वास्ते आदान-प्रदान कार्यक्रम भी चलाता है। संस्थान का एक महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन चार सप्ताह का ग्रीष्मकालीन फिल्म समीक्षा कोर्स है, जिसे वह पुणे के राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अभिलेखागार के सहयोग से चलाता है।

सत्यजीत रे फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान

सत्यजीत रे फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता की स्थापना, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत, एक स्वायत्त शैक्षिक संस्थान के रूप में की गई। इसका पंजीकरण, पश्चिम बंगाल, समिति

पंजीकरण अधिनियम, 1961 के अंतर्गत किया गया। यह एक राष्ट्रीय संस्थान है जिसमें 3 वर्ष के स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स (I) फिल्म निर्देशन और पटकथा लेखन, (II) मोशन फिल्म फोटोग्राफी, (III) संपादन फिल्म और वीडियो और (IV) साउंड रिकार्डिंग में चलते हैं। विभिन्न पाठ्यक्रमों में भरती के लिए संस्थान अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा आयोजित करता है। 'चेन पाओ चाइनीज चिली सॉस', 'हियर इज माई नाक्टर्न' और 'फ्लाइट आफ डिस्ट्रेस' नामक वृत्तचित्रों को मुंबई फिल्म समारोह 2006 में अधिकारिक प्रविष्टि मिली। 'हियर इज माई नाक्टर्न' को केन्स फिल्म समारोह 2006 में प्रदर्शन के लिए चुना गया। संस्थान की कई फिल्मों को भारत और विदेश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आमंत्रण मिला। संस्थान के छात्रों के प्रयासों को विश्व के सिने प्रेमियों ने हमेशा सराहा। संस्थान फिल्मों और दृश्य कला/मीडिया पर नियमित रूप से सेमिनार/सम्मेलन/प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। संस्थान ने 24-28 मई 2008 के दौरान एनएफडीसी इन रिट्रोस्पीड का आयोजन किया।

भारतीय जनसंचार संस्थान

भारतीय जनसंचार संस्थान की स्थापना देश के संपूर्ण विकास की नीति के तहत संचार संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल करने और इसके लिए व्यवस्था की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभाग के रूप में इसकी शुरुआत 17 अगस्त, 1965 को की गई। बाद में 22 जनवरी, 1966 को इसे स्वायत्त संगठन के रूप में 1860 के समिति पंजीकरण अधिनियम (xxi) के तहत पंजीकृत किया गया। संस्थान को अपने आवर्ती और गैर आवर्ती खर्चों के लिए, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से अनुदान मिलता है। भारतीय जनसंचार संस्थान आज जनसंचार के क्षेत्र में अध्ययन, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के विशिष्ट केंद्र के रूप में जाना जाता है। यह जनसंचार में रुचि रखने वाले युवाओं को प्रिंट, फोटोग्राफी, रेडियो तथा टेलीविजन और विकास संचार, सम्प्रेषण अनुसंधान, विज्ञापन तथा जनसंपर्क सहित विभिन्न विषयों में दक्षता तथा सुविज्ञता उपलब्ध कराता है।

संस्थान राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से प्रशिक्षण, कार्यगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करता है और संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं चलाता है। यह सरकार, सरकारी उपक्रमों तथा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार अल्पावधि कोर्स भी चलाता है।

वर्ष 2008-09 के दौरान संस्थान ने कई लंबी अवधि के कार्यक्रमों तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन किया जो इस प्रकार हैं—(क) नई दिल्ली और ढेंकनाल (उड़ीसा) में पत्रकारिता (अंग्रेजी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, (ख) पत्रकारिता (हिंदी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, (ग) विज्ञापन और जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, (घ) रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, (ङ) उडिया पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम और (च) विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

इनके अलावा संस्थान विभिन्न मीडिया इकाइयों के भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ तथा मध्य स्तर के अधिकारियों के लिए अल्पावधि शैक्षिक कार्यक्रम भी चलाता है।

संस्थान केंद्र तथा राज्य सरकारों एवं लोक उपक्रमों के अनुरोध पर परामर्शदात्री सेवाएं भी उपलब्ध कराता है तथा विकास मूलक संवाद से जुड़े प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रमों को बनाने व चलाने में भी सहायता प्रदान करता है।

विकासशील देशों में पत्रकारिता के कौशल को सुधारने तथा तीसरे विश्व का परिदृश्य तैयार करने के गुट निरपेक्ष देशों के प्रयासों की परिपाटी को जारी रखते हुए संस्थान द्वारा विकास पत्रकारिता के क्षेत्र में दो डिप्लोमा कार्यक्रम चलाया जाता है। इस श्रेणी में 51वां पाठ्यक्रम 1 अगस्त, 2008 को शुरू हुआ।

भारतीय जनसंचार संस्थान की ढेंकनाल शाखा अगस्त 1993 से पूर्ण रूप से कार्यरत है तथा पूर्वी क्षेत्र से बड़ी संख्या में छात्र यहां अध्ययन हेतु आते हैं। इस शाखा में सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा यहां पत्रकारिता में दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (अंग्रेजी तथा उड़िया) में चलाया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 'पहल के एक भाग के रूप में' तथा 'शिक्षा के क्षेत्रीय केंद्रों के साथ सहयोग' योजना कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थान ने नगालैंड विश्वविद्यालय के साथ पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने हेतु सहयोग समझौता किया है। इस संबंध में भारतीय जनसंचार संस्थान तथा नगालैंड विश्वविद्यालय के बीच 17 सितम्बर, 2004 को सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऐसा पहला पाठ्यक्रम 14 छात्रों के साथ 20 जनवरी, 2005 को प्रारंभ हुआ।

संस्थान ने 'अपना रेडियो एफ.एम. 96.9 मेगा हर्ट्स' नाम से एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना की है। 09 सितम्बर, 2005 को प्रारंभ हुए इस रेडियो स्टेशन पर छात्रों को लोक सेवा प्रसारण के क्षेत्र में पढ़ाई के साथ प्रसारण अनुभव भी मिलता है।

23. आयोजना

भारत में योजनाओं का लक्ष्य और सामाजिक उद्देश्य संविधान में वर्णित राज्य के नीति-निर्धारक सिद्धांतों से तय हुआ है। इसके अनुसार सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को एक-दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाता है। निजी क्षेत्र में संगठित उद्योग, लघु उद्योग, कृषि, व्यापार और गृह निर्माण तथा संबद्ध क्षेत्र शामिल हैं। विकास के राष्ट्रीय प्रयास में व्यक्तिगत कोशिश और निजी पहल को आवश्यक और वांछित माना जाता है और इनके साथ अधिकतम स्वैच्छिक सहयोग को भी अनिवार्य समझा जाता है।

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह योजना आयोग के अध्यक्ष और डा. मोंटेक सिंह आहलूवालिया इसके उपाध्यक्ष हैं। योजना राज्य मंत्री श्री वी. नारायणसामी हैं। अन्य सदस्य श्री बी.के. चतुर्वेदी, सौमित्र चौधरी, डा. (श्रीमती) सईदा सय्यदैन हमीद, डा. नरेन्द्र जाधव, प्रो. अभिजित सेन, डा. मिहिर शाह, डा. के. कस्तूरीरंगन तथा श्री अरूण माइरा हैं।

पहली योजना

1951 में बड़े पैमाने पर अनाजों के आयात और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए पहली योजना (1951 से 1956) में सिंचाई और बिजली के साथ-साथ कृषि संबंधी परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इनके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के वास्ते निर्धारित 2069 करोड़ रुपये में से (जिसे बाद में बढ़ाकर 2378 करोड़ रुपये कर दिया गया) 44.6 प्रतिशत रखा गया। पहली योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय आय का पांच से सात प्रतिशत तक पूंजी निवेश की दर को बढ़ाना था।

दूसरी योजना

दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-57 से 1960-61) में विकास की एक ऐसी प्रणाली को बढ़ावा देने की कोशिश की गई जिससे देश में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य : (i) राष्ट्रीय आय में 25 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करना; (ii) बुनियादी तथा भारी उद्योगों के विकास पर जोर देते हुए तीव्र औद्योगीकरण; (iii) रोजगार के अवसरों को बड़े पैमाने पर बढ़ाना तथा (iv) आय एवं संपत्ति में असमानता घटाना और आर्थिक शक्ति का बेहतर बंटवारा था। दूसरी योजना का लक्ष्य निवेश की दर को 1960-61 तक सात प्रतिशत से बढ़ा कर 11 प्रतिशत करना भी था। इसमें औद्योगीकरण, लोहा और इस्पात, नाइट्रोजन उर्वरकों सहित खेती में काम आने वाले रसायनों का उत्पादन बढ़ाने तथा भारी इंजीनियरी और मशीन निर्माण उद्योग का विकास करना तय हुआ।

तीसरी योजना

तीसरी योजना (1961-62 से 1965-66) का लक्ष्य सतत विकास की दिशा में सुनिश्चित प्रगति की स्थिति हासिल करना था। इसके तात्कालिक लक्ष्य थे : (i) राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत से

अधिक की वृद्धि हासिल करना तथा साथ ही यह सुनिश्चित करना कि आगे की योजनाओं में यह विकास दर बनी रहे; (ii) खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना तथा उद्योगों और निर्यात की जरूरतों को पूरा करके कृषि उत्पादन को बढ़ाना; (iii) बुनियादी उद्योगों का विस्तार जैसे इस्पात, रसायन, ईंधन और बिजली के क्षेत्र का, तथा मशीन निर्माण की क्षमता स्थापित करना ताकि भविष्य में दस साल के भीतर अपने ही संसाधनों से औद्योगीकरण की जरूरतों को पूरा किया जा सके; (iv) मानव संसाधन का पूरी तरह उपयोग तथा रोजगार के अवसरों का पर्याप्त विस्तार सुनिश्चित करना और (v) समानता के बेहतर अवसरों का विकास तथा आय और संपत्ति के मामले में फर्क घटाना, साथ ही धन के समान वितरण की बेहतर व्यवस्था करना। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में करीब 30 प्रतिशत की वृद्धि करके उसे 1960-61 के 14,500 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1965-66 तक 19,000 करोड़ रुपये करना था तथा प्रतिव्यक्ति आय को 17 प्रतिशत बढ़ाकर इस दौरान 330 रुपये से 386 रुपये तक पहुंचाना था।

वार्षिक योजनाएं

1965 में भारत-पाक युद्ध के कारण, दो साल तक लगातार सूखा पड़ने के कारण, मुद्रा के अवमूल्यन के कारण, आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के कारण तथा योजना के लिए संसाधनों में कमी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ। इसलिए 1966 से 1969 के बीच चौथी योजना के प्रारूप के अंतर्गत तीन वार्षिक योजनाएं बनाई गईं।

चौथी योजना

चौथी योजना (1969-74) का उद्देश्य कृषि उत्पादन में उतार-चढ़ाव की स्थिति को सुधारते हुए तथा विदेशी सहायता में अनिश्चितता की स्थिति को दूर करते हुए विकास की गति को बढ़ाना था। इस दौर में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों के जरिए जीवन स्तर को उठाने की कोशिश की गई। इस योजना में विशेष रूप से रोजगार और शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से समाज के पिछड़े और दुर्बल वर्ग की स्थिति में सुधार पर ध्यान दिया गया। इस दिशा में किए गए प्रयास समानता बढ़ाने के लिए संपत्ति, आय तथा आर्थिक शक्ति के एक स्थान पर एकत्र हो जाने को रोकने हेतु किए गए।

योजना का एक उद्देश्य कुल घरेलू उत्पाद को (1968-69 की दर पर) 1969-70 में 29,071 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1973-74 में 38,306 करोड़ रुपये तक पहुंचाना था। औसत वार्षिक कुल विकास दर का लक्ष्य 5.7 प्रतिशत तय किया गया।

पांचवीं योजना

पांचवीं योजना (1974-79) भावी मुद्रा स्फीति के दबाव में बनाई गई। इस योजना का एक बड़ा उद्देश्य आत्मनिर्भरता हासिल करना और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की उपभोग की क्षमता को बढ़ाना था। इसमें मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता हासिल करने को भी उच्च प्राथमिकता दी गई। इसका एक उद्देश्य राष्ट्रीय आय में 5.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की दर हासिल करना भी था। पांचवीं योजना अवधि की चार वार्षिक योजनाओं को इस दौरान पूरा किया गया। इसके साथ यह भी तय किया गया कि पांचवीं योजना को 1978-79 की वार्षिक योजना को पूरा करने के साथ ही समाप्त कर दिया जाए।

छठी योजना

छठी योजना (1980-85) का सर्वप्रमुख उद्देश्य गरीबी दूर करना था। रणनीति यह तय की गई कि एक ही साथ कृषि और उद्योग दोनों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए। इस बात पर बल दिया गया कि सभी क्षेत्रों में बेहतर व्यवस्था, कार्यक्षमता और सघन निगरानी के जरिए व्यवस्थित तरीके से परस्पर जुड़ी समस्याओं का निराकरण किया जाए। इसके साथ ही जनता की सक्रिय भागीदारी से स्थानीय स्तर पर विकास की विशेष परियोजनाएं तैयार की जाएं तथा तेजी से और प्रभावी ढंग से उन्हें पूरा किया जाए।

छठी योजना का वास्तविक खर्च 1,09,291.7 करोड़ रुपये (वर्तमान दर पर) रहा, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का योजनागत खर्च (1979-80 की दर पर) 97,500 करोड़ रुपये रहा अर्थात् 12 प्रतिशत की वृद्धि। इस योजना में औसत वार्षिक विकास दर 5.2 प्रतिशत तय की गई थी।

सातवीं योजना

सातवीं योजना में (1985-90) नीतियों और कार्यक्रमों पर बल दिया गया। इसका लक्ष्य अनाजों के उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों और उत्पादकता का विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय की मूलभूत अवधारणाओं के तहत विकास करना था। सातवीं योजना के दौरान अनाजों के उत्पादन में 3.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1967-68 से 1988-89 तक यह 2.68 प्रतिशत रही थी और आठवें दशक में यह 2.55 प्रतिशत रही थी। इसका कारण अच्छा मौसम, विभिन्न प्रमुख निर्धारित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा सरकार और किसानों का समन्वित प्रयास रहा। बेरोजगारी और साथ ही गरीबी दूर करने के लिए पहले से चल रहे कार्यक्रमों के अलावा जवाहर रोजगार योजना जैसे विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए। लघु एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उचित महत्व दिया गया। पूरी सातवीं योजना के दौरान कुल खर्च (वर्तमान दर पर) 2,18,729.62 करोड़ रुपये पड़ा अर्थात् पहले से 21.52 प्रतिशत ज्यादा। इस योजना के दौरान कुल घरेलू उत्पाद में 5.8 प्रतिशत की औसत दर हासिल हुई अर्थात् निर्धारित लक्ष्य से 0.8 प्रतिशत ज्यादा।

वार्षिक योजनाएं

केंद्र में तेजी से बदलते राजनीतिक परिस्थिति के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) समय पर शुरू नहीं हो सकी। जून 1991 में बनी नई केंद्रीय सरकार ने तय किया कि आठवीं पंचवर्षीय योजना एक अप्रैल 1992 से शुरू होगी और 1990-91 तथा 1991-92 के लिए अलग वार्षिक योजनाएं स्वीकार की जाएंगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) के दृष्टिगत तैयार की गई इन वार्षिक योजनाओं में मुख्य रूप से अधिकतम रोजगार प्रदान करने और सामाजिक स्थांतरण पर बल दिया गया।

आठवीं योजना

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) ढांचागत समायोजन की नीतियों और बड़े पैमाने पर स्थिरीकरण की नीतियों को शुरू करने के तुरंत बाद चालू की गई। इन नीतियों की जरूरत 1990-91 के दौरान भुगतान संतुलन और मुद्रास्फीति की बिगड़ती स्थिति के कारण पड़ी थी। विभिन्न ढांचागत समायोजन की नीति को क्रमशः इसलिए लागू किया गया कि अर्थव्यवस्था को विकास के एक बेहतर रास्ते पर लाया जा सके और उसे मजबूत किया जा सके ताकि भविष्य में भुगतान संतुलन और मुद्रा स्फीति के संकट से बचा जा सके। आठवीं योजना में उन नीतिगत परिवर्तनों पर भी ध्यान दिया गया जो इन सुधारों की वजह से आने वाले थे। योजना का लक्ष्य औसतन 5.6 प्रतिशत विकासदर और 7.5 प्रतिशत औद्योगिक

विकासदर हासिल करना था। विकास के ये लक्ष्य कीमतों में स्थिरता और देश के भुगतान संतुलन में पर्याप्त सुधार के साथ हासिल करने थे।

आठवीं योजना की आर्थिक गतिविधि की कुछ विशेषताएं अन्य बातों के अलावा इस प्रकार रहीं : (क) बेहतर आर्थिक विकास, (ख) निर्माण, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का बेहतर विकास और (ग) आयात-निर्यात में उल्लेखनीय विकास दर, व्यापार और चालू खाते के घाटे में सुधार और केंद्र सरकार के वित्तीय घाटे में उल्लेखनीय कमी। पर, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और विभिन्न विभागों द्वारा आंतरिक और गैर बजटीय संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं किए जाने से केंद्रीय क्षेत्र में खर्च कम हुआ। राज्य के क्षेत्र में खर्च कम किए जाने की वजहें राजस्व संतुलन की खराब स्थिति के कारण संसाधन नहीं जुटा पाना, राज्य बिजली बोर्डों और परिवहन निगमों का अंशदान नहीं होना, घाटे का बजट, गैर योजनागत खर्चों का बढ़ते जाना तथा अल्प बचतों की उगाही में कमी आदि रहीं।

आठवीं योजना का कुल खर्च 4,95,669 करोड़ रुपये (1996-97 को आधार वर्ष मानते हुए) वर्तमान दर पर रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का (1991-92 की कीमतों के आधार पर) खर्च 4,34,100 करोड़ रुपये रहा। इस योजना के दौरान औसत वार्षिक विकास दर 5.6 प्रतिशत हासिल की जानी थी, जबकि 6.68 प्रतिशत हासिल की गई।

नौवीं योजना

नौवीं योजना (1997-2002) देश की आजादी के पचासवें वर्ष में शुरू हुई। योजना का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर प्रतिवर्ष सात प्रतिशत हासिल करना था। इसमें सात बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर बल देना तय हुआ था। इन सेवाओं के लिए केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया गया था ताकि समयबद्ध तरीके से संपूर्ण आबादी को इसका लाभ पहुंचाया जा सके। इन सेवाओं में शुद्ध पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की उपलब्धता, सबके लिए प्राथमिक शिक्षा, गरीबों के लिए घर, बच्चों के लिए पोषक आहार, सभी गांवों और बस्तियों के लिए सड़क तथा गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाना शामिल था। इस योजना का एक लक्ष्य वित्तीय समेकन की नीति लागू करना भी था ताकि केंद्र, राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी घाटे को पर्याप्त कम किया जा सके। इसके लिए राजस्व की बेहतर उगाही, आवश्यक खर्चों पर नियंत्रण जैसे उपाय अपनाए गए, खासतौर पर राज सहायता के मामले में। इसके अलावा उपभोक्ता शुल्कों की वसूली, योजना के विकेंद्रीकरण तथा इनके क्रियान्वयन के लिए राज्यों और पंचायती राज की संस्थाओं पर निर्भरता बढ़ाने जैसे उपायों पर अमल किया गया।

नौवीं योजना के विशेष उद्देश्य थे : (i) गरीबी उन्मूलन और पर्याप्त उत्पादक रोजगार का सृजन करने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास पर ध्यान देना; (ii) मूल्यों को स्थिर रखते हुए आर्थिक विकास की दर बढ़ाना; (iii) सभी के लिए खाद्य एवं पोषाहार सुरक्षा सुनिश्चित करना, खासतौर पर समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए; (iv) बुनियादी न्यूनतम सेवा उपलब्ध कराना जैसे पेयजल, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा, सबको शिक्षा, घर और सड़क आदि; (v) जनसंख्या नियंत्रण; (vi) सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी बढ़ाना; (vii) महिलाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों को सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और विकास के लिए अधिकार संपन्न कराना; (viii) पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, स्वयंसेवी समूहों जैसी जनभागीदारी वाली संस्थाओं को बढ़ावा देना और (ix) आत्मनिर्भरता के प्रयासों को मजबूत करना।

नौवीं योजना में औसत विकास दर 6.5 प्रतिशत तय किया गया जबकि दृष्टिकोण पत्र में यह सात प्रतिशत था। इस लक्ष्य को कम करने की जरूरत नौवीं योजना के आरंभिक वर्षों की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय

आर्थिक स्थिति में आए परिवर्तनों को देखते हुए आ गई। इसके बावजूद विकास दर 5.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष रहने की उम्मीद की जाती है।

उपलब्धियां

1950-51 से 2002-03 के बीच राष्ट्रीय आय—कुल राष्ट्रीय उत्पाद 8.7 गुना बढ़कर 1,32,367 करोड़ रुपये से 11,56,714 करोड़ रुपये हो गया। अर्थात् कुल वृद्धि दर औसतन 4.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष/प्रतिव्यक्ति आय तीन गुना बढ़ी और यह 3687 रुपये से बढ़कर 10,964 रुपये (1993-94 की कीमतों के आधार पर) हो गई और इसमें 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर औसतन प्रतिवर्ष दर्ज की गई।

आगे दी गई सारणी में कुल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की जानकारी दी गई है। इसमें विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्य की भी जानकारी है। पिछली कई योजनाओं में से पांच में अर्थव्यवस्था ने लक्ष्य के मुकाबले बेहतर उपलब्धि हासिल की और दूसरी योजना में भी फर्क बहुत कम का रहा। जहां तक तीसरी और चौथी योजनाओं की बात है, इनमें कमियों के कारण आमतौर पर बाह्य रहे और जिनका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सका। इन कारणों में 1965 और 1966 के अकाल और 1965 में हुआ भारत-पाक युद्ध प्रमुख रहा। चौथी योजना में लगातार तीन साल (1971-1973) अकाल पड़ा और 1973 में तेल की कीमतों के संकट का सामना करना पड़ा। यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि चौथी योजना के बाद आर्थिक विकास की दर में नौवीं योजना से पहले तक लगातार वृद्धि होती रही, जब इसे आघात लगा। इस तरह पता चलता है कि योजनाओं की उपलब्धि अच्छी रही है पर गलतियों के प्रति सतर्क रहना भी जरूरी है।

पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धि

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

क्र.सं.	योजना	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	पहली योजना (1951-1956)	2.1	3.60
2.	दूसरी योजना (1956-1961)	4.5	4.21
3.	तीसरी योजना (1961-1966)	5.6	2.72
4.	चौथी योजना (1969-1974)	5.7	2.05
5.	पांचवीं योजना (1974-1979)	4.4	4.83
6.	छठी योजना (1980-1985)	5.2	5.54
7.	सातवीं योजना (1985-1990)	5.0	6.02
8.	आठवीं योजना (1992-1997)	5.6	6.68
9.	नौवीं योजना (1997-2002)	6.5	5.5

टिप्पणी : पहली तीन योजनाओं का लक्ष्य राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निर्धारित किया गया है। चौथी योजना का लक्ष्य कुल घरेलू उत्पाद में है। बाकी सभी योजनाओं में यह सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में है।

दसवीं योजना

राष्ट्रीय विकास परिषद ने 21 दिसंबर 2002 को दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) को स्वीकृति दी। इस योजना में परिषद के निर्देशों को और बेहतर करने का फैसला किया गया। परिषद का निर्देश दस वर्ष में प्रतिव्यक्ति आय को दोगुना करना तथा प्रतिवर्ष घरेलू उत्पाद की दर आठ प्रतिशत हासिल करने का था।

चूंकि आर्थिक विकास ही एक मात्र लक्ष्य नहीं होता है इसलिए इस योजना का लक्ष्य आर्थिक विकास के लाभ से आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य तय किए गए : 2007 तक गरीबी का अनुपात 26 प्रतिशत से घटाकर 21 प्रतिशत करना, जनसंख्या विकास की दर को (प्रति दस वर्ष) 1991-2001 के 21 प्रतिशत से घटाकर 2001-2011 में 16.2 प्रतिशत करना, लाभप्रद रोजगार की व्यवस्था कम से कम श्रम शक्ति में हो रही वृद्धि के अनुपात में करना, सभी बच्चों को 2003 तक स्कूलों में दाखिल करना और 2007 तक सभी बच्चों की स्कूली पढ़ाई का पांच साल पूरा करना, साक्षरता और मजदूरी के मामले में फर्क 50 प्रतिशत तक घटाना, साक्षरता की दर 1999-2000 के 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 2007 तक 75 प्रतिशत तक पहुंचाना, सभी गांवों में पेयजल पहुंचाना, शिशु मृत्यु दर 1999-2000 के 72 से घटाकर 2007 तक 45 तक पहुंचाना, प्रसूति मृत्यु दर को 1999-2000 के चार से घटाकर 2007 तक दो तक पहुंचाना, वानिकीकरण में 1999-2000 के 19 प्रतिशत से बढ़ाकर 2007 में 25 प्रतिशत तक पहुंचाना और नदियों के प्रमुख प्रदूषण स्थलों की सफाई कराना।

दसवीं योजना की कई नई विशेषताएं हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं—

सर्वप्रथम इस योजना में श्रम शक्ति के तीव्र विकास को स्वीकार किया गया। विकास की मौजूदा दर और उत्पादन के क्षेत्र में मजदूरों की बढ़ती तादाद को देखते हुए देश में बेरोजगारी की संभावना बढ़ती जा रही है, जिससे सामाजिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। इसीलिए दसवीं योजना में रोजगार के पांच करोड़ अवसर सृजित करने का लक्ष्य तय किया गया। इसके लिए कृषि, सिंचाई, कृषि-वानिकी, लघु एवं मध्यम उद्योग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा अन्य सेवाओं के रोजगार-परक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया।

द्वितीयतः इस योजना में गरीबी और सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के मुद्दों पर ध्यान दिया गया। हालांकि पहले की योजनाओं में भी ये लक्ष्य रहे हैं, पर इस योजना में विशेष लक्ष्य रखे गए जिन पर विकास के लक्ष्यों के साथ ही निगरानी रखने की व्यवस्था है।

तृतीयतः चूंकि राष्ट्रीय लक्ष्य संतुलित क्षेत्रीय विकास के स्तर पर अनिवार्यतः लागू नहीं हो पाते और हर साल की क्षमता और कमियां अलग-अलग होती हैं, इसलिए दसवीं योजना में विकास की अलग-अलग कार्यनीति अपनायी गई हैं। पहली बार राज्यवार विकास के और अन्य लक्ष्य इस तरह तय किए गए हैं जिनकी निगरानी रखी जा सके और इसके लिए राज्यों से भी सलाह ली गई है ताकि उनकी अपनी विकास योजनाओं को विशेष महत्त्व दिया जा सके।

इस योजना की एक और विशेषता इस बात को महत्त्व देना है कि योजना को ज्यों का त्यों लागू करने में प्रशासन एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इसलिए इस योजना में प्रशासनिक सुधार की एक सूची तय की गई।

अंततः, मौजूदा बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था को देखते हुए दसवीं योजना में उन नीतियों और संस्थाओं के स्वरूप पर विस्तार से विचार किया गया है जो जरूरी होंगी। दसवीं योजना में न सिर्फ एक मध्यावधि व्यापक आर्थिक नीति केंद्र और राज्य दोनों के लिए अत्यंत सतर्कता पूर्वक तैयार की गई है, बल्कि हर क्षेत्र के लिए जरूरी नीति और संस्थागत सुधारों को भी निर्धारित किया गया।

अर्थव्यवस्था में विगत पूंजी के अनुपात में वृद्धि को नौवीं योजना में 4.5 से घटाकर 3.6 होने का अनुमान लगाया गया। यह उपनिधि मौजूदा क्षमता के बेहतर उपयोग और पूंजी के क्षेत्रवार समुचित प्रावधान और इसके अधिकतम उपयोग के जरिए संभव होगी। इसलिए विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए सकल घरेलू उत्पादन के 28.4 प्रतिशत के निवेश दर की जरूरत होगी। यह जरूरत सकल घरेलू

उत्पादन में 26.8 प्रतिशत की बचत और 1.6 प्रतिशत की बाहरी बचत से पूरी की जाएगी। अतिरिक्त घरेलू बचत का अधिकतम सरकार में बचत घाटे को 2001-02 के 4.5 से 2006-07 में 0.5 तक कम करके हासिल किया जा सकता है।

दसवीं योजना में क्षमता बढ़ाने, उद्यमी ऊर्जा को उन्मुक्त करने तथा तीव्र और सतत विकास को बढ़ावा देने के उपायों का भी प्रस्ताव किया गया। दसवीं योजना में कृषि को केंद्रीय महत्त्व दिया गया। कृषि क्षेत्र में किए जाने वाले मुख्य सुधार इस प्रकार हैं : वाणिज्य और व्यापार में अंतर्राज्यीय बाधाओं को दूर करना, आवश्यक उपभोक्ता वस्तु अधिनियम में संशोधन करना, कृषि उत्पाद विपणन कानून में संशोधन, कृषि व्यापार, कृषि उद्योग और निर्यात का उदारीकरण होने पर खेती को प्रोत्साहित करना और कृषि भूमि का पट्टे पर देने और लेने की अनुमति देना, खाद्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न कानूनों को एक व्यापक 'खाद्य कानून' में बदलना, सभी वस्तुओं में वायदा व्यापार को अनुमति तथा भंडारण और व्यापार के पूंजी निवेश पर प्रतिबंधों को हटाना।

सुधार के कुछ अन्य प्रमुख उपायों में एसआईसीए को निरस्त करना, और परिसंपत्ति के हस्तांतरण को सुगम बनाने के लिए दिवालिया घोषित करने और फोर क्लोजर के कानूनों को मजबूत करना, श्रम कानूनों में सुधार, ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्रों की नीतियों में सुधार ताकि बेहतर ऋण प्रौद्योगिकी, विपणन और कुशल कारीगरों की उपलब्धता संभव हो, विद्युत विधेयक का शीघ्र कार्यान्वयन, कोयला राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक और संचार समरूप विधेयक में संशोधन, निजी सड़क परिवहन यात्री सेवा को मुक्त करना तथा सड़क की मरम्मत आदि में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना, नागरिक उड्डयन नीति को शीघ्र मंजूरी देना, इस क्षेत्र को शीघ्र विनियमित करना और प्रमुख हवाई अड्डों पर निजी भागीदारी के जरिए विकास शामिल है। बढ़ता क्षेत्रीय असंतुलन भी चिंता का विषय है। दसवीं योजना में संतुलित और समान क्षेत्रीय विकास का लक्ष्य तय किया गया है। इस पर आवश्यक ध्यान देने के लिए योजनाओं में राज्यवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तत्काल नीतिगत और प्रशासनिक सुधारों की जरूरत को भी मंजूरी दी गई है।

शासन व्यवस्था संभवतः योजनाओं को लागू करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। इस दिशा में कुछ आवश्यक उपाय इस प्रकार हैं— बेहतर जन भागीदारी, खासतौर पर पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत बनाकर, नागरिक समाज को शामिल करना, खासतौर पर स्वैच्छिक संगठनों को विकास में भागीदार बना कर, सूचना के अधिकार संबंधी कानून को लागू करना, पारदर्शिता क्षमता और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए लोक सेवाओं में सुधार, कार्यकाल को संरक्षण, पुरस्कृत और दंडित करने की बेहतर और समान व्यवस्था, सरकार में आकार और उसकी भूमिका को ठीक करना, राजस्व और न्यायिक सुधार और अच्छे प्रशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग।

दसवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा

दसवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा को राष्ट्रीय विकास परिषद ने जून, 2005 में मंजूरी दे दी। इसमें दसवीं योजना के लक्ष्यों के बरअक्स आमतौर पर अर्थव्यवस्था के कामकाज का और विभिन्न क्षेत्रों के कामकाज का जायजा लिया गया है। इस समीक्षा से मिली-जुली स्थिति का पता चलता है। इसके अनुसार कई क्षेत्रों में स्थिति अच्छी है और उन्हें मजबूती देने की जरूरत है, पर कई कमजोरियां भी हैं, जिन्हें अगर सुधारा नहीं गया तो वे कामकाज के मौजूदा स्तर को भी प्रभावित कर सकती हैं।

पहले तीन वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में औसत वृद्धि 6.5 प्रतिशत रही है और यह अनुमान लगाया गया है कि दसवीं योजना अवधि में वृद्धि की दर सात प्रतिशत से कम रहेगी जो 8 प्रतिशत के लक्ष्य से कम है। 2005-06 में वृद्धि की दर 7.6 तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया। कम विकास दर का एक महत्वपूर्ण कारण यह कि उपलब्ध संसाधनों की तुलना में निवेश नहीं बढ़ा तथा कृषि क्षेत्र का विकास गति से नहीं हो पाया।

तेल की कीमतों में वृद्धि से 2004 के मध्य में मुद्रास्फीति का गंभीर मसला पैदा हुआ। लंबे अरसे की ढिलाई के बाद निजी क्षेत्र का पूंजी निवेश फिर से शुरू हुआ। दसवीं पंचवर्षीय योजना ने प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में अच्छा वातावरण बनाया है। निरंतर पूंजी प्रवाह के साथ विदेशी भुगतान की स्थिति अच्छी रही है। दसवीं योजना के पहले दो वर्षों में खराब रिकार्ड के बाद 2004-2005 में औद्योगिक क्षेत्र का कामकाज बेहतर रहा है। पहले तीन वर्षों का औसत उत्पादन क्षेत्र, औषध, जैव प्रौद्योगिकी, मोटर-कार उद्योग, उसके कल-पुर्जे आदि क्षेत्रों की संचार प्रौद्योगिकी को छोड़कर सफलता के कारण सात प्रतिशत रहा।

ये सकारात्मक स्थितियां मजबूती देने वाली हैं और अब नीति इन उपलब्धियों को और स्थायी बनाने तथा दसवीं योजना के शेष वर्षों में विकास की गति तेज करने की है। दसवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा कुछ कमजोरियों की ओर भी संकेत करती है जो चिंता का विषय है। कृषि क्षेत्र में धीमा विकास, बुनियादी ढांचे का अपर्याप्त होना, खराब स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा, लिंग भेद की समस्या, गांव और शहरों के बीच बड़े पैमाने पर भेदभाव, असमानता, गरीबी, असंतुलित क्षेत्रीय विकास, बढ़ती बेरोजगारी आदि और सुधार की मांग करती हैं।

दसवीं योजना के तहत इन कमियों को दूर करने के सीमित अवसर रहे। हालांकि, समीक्षा में यह महसूस किया गया कि सुधार का एक कार्यक्रम तैयार करने तथा इस पर शीघ्रताशीघ्र अमल करने की प्रक्रिया शुरू करना जरूरी है। इन कमजोरियों को दूर करने के लिए दसवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा में कई नीतिगत पहलों का प्रस्ताव किया गया। इनमें प्राथमिकता के जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है उनमें सिंचाई और जल प्रबंधन, उर्वरकों की कीमतों पर नियंत्रण, एसएसए की प्रभावी उत्पादकता बढ़ाना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तेल की कीमतों पर नियंत्रण, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना, लघु उद्योग आदि शामिल हैं। इन सुझावों पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है और इन्हें ग्यारहवीं योजना के लिए नीति निर्धारण में पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

कृषि

कुल सकल घरेलू उत्पाद का 1/5 हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है। यह देश के दो-तिहाई हिस्सों को रोजी-रोटी देता है। इससे 58.4 प्रतिशत आबादी को रोजगार मिलता है और यह निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है। निर्यात से होने वाली आय का 10 प्रतिशत हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है तथा अनेक उद्योगों के लिए इससे कच्चा माल भी मिलता है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्र उपभोक्ता सामानों के सबसे बड़े बाजार हैं, मशीनों में भी और घरेलू बचत का भी सबसे बड़ा क्षेत्र यही है। सर्वोपरि यह कि कृषि क्षेत्र ही देश के लिए खाद्य सुरक्षा का एकमात्र स्रोत है।

2005-06 के चौथे अग्रिम अनुमानों के मुताबिक अनाजों का उत्पादन 20 करोड़ 83 लाख टन हुआ है। इनमें 19 करोड़ 51 लाख 90 हजार टन अन्य अनाज और एक करोड़ 51 लाख दस हजार टन दालें शामिल हैं। 2004-05 की तुलना में 2005-06 में अनाजों के अनुमानित उत्पादन में पांच प्रतिशत

की वृद्धि हुई। 2005-06 में तिलहनों का उत्पादन 2 करोड़ 77 लाख 30 हजार टन होने का अनुमान है जो 2003-04 के दो करोड़ साढ़े तैतालीस लाख टन के उत्पादन से 14 प्रतिशत ज्यादा है। ईख का उत्पादन 2005-06 में 27 करोड़ 83 लाख अस्सी हजार टन होने का अनुमान लगाया गया जो 2004-05 के 23 करोड़ 70 लाख 80 हजार टन के उत्पादन से 17 प्रतिशत ज्यादा था। कपास का उत्पादन इस वर्ष एक करोड़ 5 लाख 70 हजार गांठ (हर गांठ 170 कि.ग्रा. की) और जूट का उत्पादन एक करोड़ सात लाख 40 हजार गांठ (हर गांठ 180 कि.ग्रा. की) होने का अनुमान है।

2004-05 में दूध का उत्पादन अंतरिम रूप से 9 करोड़ 10 लाख टन अनुमानित था। भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। मछलियों का उत्पादन 63 लाख टन हुआ। बागवानी का उत्पादन (फल, सब्जी, फूल, गिरियां, पौधे और मसालों का) 2003-04 में 14 करोड़ 40 लाख टन हुआ। कृषि क्षेत्र का तीव्र और सतत विकास सरकार के प्राथमिक विषयों में रहा है। इसलिए कृषि प्रौद्योगिकी के प्रसार-प्रचार के लिए कृषि क्लिनिक, कृषि व्यापार एवं कृषि विज्ञान केंद्र खोलने को प्राथमिकता दी गई। किसानों की समस्याओं और उनकी आय बढ़ाने के उपायों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय किसान कमीशन भी बनाया गया। जल प्रबंधन में सुधार लाने के लिए टपका सिंचाई और छिड़काव पद्धति के जरिए अधिक पानी के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से लघु सिंचाई का एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया। कृषि संबंधी मुद्दों और समस्याओं के निराकरण के लिए किसान कॉल सेंटर खोले गए ताकि उन्हें विशेषज्ञों की राय मिल सके। किसानों की समस्याओं और निर्धारित मुद्दों से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए टीवी चैनल 'कृषि दर्शन' और रेडियो चैनल 'कृषि वाणी' भी शुरू किया गया।

सिंचाई

पहली योजना के बाद से देश ने सिंचाई क्षेत्र के विकास में प्रभावी प्रयास किए हैं। देश की सर्वाधिक सिंचाई क्षमता 13 करोड़ 98 लाख अस्सी हजार हैक्टेयर अनुमानित है। पूर्व योजनाकाल (1951 से पहले) के दो करोड़ 26 लाख हैक्टेयर की तुलना में सिंचाई की क्षमता नौवीं योजना तक 9 करोड़ 39 लाख 80 हजार हैक्टेयर हो गई है। इसमें बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं की क्षमता 3 करोड़ 69 लाख 80 हजार हैक्टेयर भूमि सिंचित करने की है और छोटी परियोजनाओं की 5 करोड़ 9 लाख 2 हजार हैक्टेयर की। नौवीं योजना के अंत तक आठ करोड़ 20 हजार हैक्टेयर भूमि सिंचित करने की क्षमता का उपयोग किया गया। पहली योजना से नौवीं योजना तक सिंचाई क्षेत्र पर 1,55,624.97 करोड़ रुपये (निर्धारित मूल्यों पर) खर्च किए गए। दसवीं योजना में सिंचाई पर 92,143.42 करोड़ रुपये का प्रावधान था जो सभी योजनाओं के प्रावधानों से 15.59 प्रतिशत ज्यादा है। दसवीं योजना में एक करोड़ 67 लाख 43 हजार हैक्टेयर की क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। दसवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा में यह लक्ष्य एक करोड़ पांच लाख कर दिया गया (इसमें 65 करोड़ बड़ी और मझौली परियोजनाओं के लिए और 40 लाख छोटी परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया। सरकार की भारत निर्माण पहल का उद्देश्य 2009 तक एक करोड़ हैक्टेयर भूमि की सिंचाई सुनिश्चित करना है। इस क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए जो कार्यनीति बनाई गई है उनमें सिंचाई के लिए पूंजी निवेश बढ़ाना, निर्मित और उपसीमित क्षमता में फर्क घटाना, पानी का उपयोग करने वाले संघों को अधिक अधिकार देना ताकि जल शुल्क वसूला जा सके और इसका एक हिस्सा नहरों में रख-रखाव पर खर्च करना शामिल हैं। इसके अलावा जल नियामक स्थापित करना ताकि रख-रखाव का खर्च निकालने के लिए समय-समय पर शुल्कों का पुनरीक्षण हो सके।

बिजली

बिजली के क्षेत्र में कुल स्थापित क्षमता (गैर-उपयोगित सहित) जो 1950 में मात्र 2,301 मेगावाट थी, मार्च 2005 तक बढ़कर 1,43,772 मेगावाट हो गई। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत इस दौरान चार लाख 38 हजार गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार गांवों की कुल संख्या 5 लाख 94 हजार है। इस तरह ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में 78.8 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है।

उद्योग

अगले दस वर्षों में प्रतिव्यक्ति आय दो गुना करने के उद्देश्य से, दसवीं योजना में प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर आठ प्रतिशत तय की गई। इसी के अनुरूप औद्योगिकी क्षेत्र की विकास दर दस प्रतिशत तय की गई। सात प्रतिशत से भी कम की विकास दर की तुलना में यह एक बड़ा लक्ष्य है। मौजूदा हालात में, भारतीय उद्योग खासतौर पर विनिर्माण क्षेत्र निरंतर रिकार्ड उपलब्धि हासिल कर रहा है। संरक्षण की कोई विशेष सुविधा नहीं होने के बावजूद, ऐसा प्रदर्शन भारतीय उद्योग की मजबूती को दर्शाता है, खासतौर पर मोटर-कार के कल-पुर्जों और औषधि के उपक्षेत्र में।

विकास और पूंजीनिवेश की दर को बनाए रखने के लिए आधुनिकीकरण और बेहतर प्रौद्योगिकी अपनाने की दिशा में कई उपाय किए गए हैं जिनमें हस्तांतरण की कीमत कम करना, निर्यात पर बल देना। इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता बढ़ाना और संतुलित क्षेत्रीय विकास शामिल हैं। उदाहरण के लिए उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में हस्तांतरण की कीमत कम करने के लिए औद्योगिक नीति एवं विकास विभाग ने कई परियोजनाएं और उपाय शुरू किए हैं जैसे औद्योगिक ढांचा विकास परियोजना और पेटेंट कार्यालय का आधुनिकीकरण आदि। इसके अलावा, निर्यात पर बल देने के लिए वाणिज्य विभाग (ए.एस.आई.डी.) ने कई प्रमुख कदम उठाये हैं जिनमें राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहायता देना, बाजार उपलब्ध कराने में पहल करना, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण नीति, विदेश व्यापार महानिदेशालय का आधुनिकीकरण इत्यादि शामिल हैं।

संतुलित औद्योगिक विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये विशेष दर्जा प्राप्त उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिये औद्योगिक नीति पैकेजों की घोषणा की गई है। हथकरघा, कृषि व ग्रामीण उद्योग तथा प्रसंस्करित समुद्री उत्पाद क्षेत्र के श्रमिकों के हेतु बीमा के जरिये सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। एक प्रमुख रोजगारपरक क्षेत्र कपड़ा उद्योग की आवश्यकताओं को विशेष रूप से हल करने के लिये प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (TUFs) जैसी विशेष योजना/पैकेज की शुरुआत की गई जिससे विकेंद्रीकृत पावरलूम-क्षेत्र तक बेहतर ढंग से इस क्षेत्र को प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष के अधीन लाया जा सके। भारत सरकार ने भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये प्रसंस्करण उद्योगों में व्यापक पूंजी निवेश किया है। यह लाभ योग्य बनने में समय लेती है। ऐसे उद्योगों को प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना के अंतर्गत 5 प्रतिशत ब्याज पुनर्भुगतान के अंतर्गत एक वर्ष के लिए 10 प्रतिशत की पूंजी सहायता मंजूर की गई है। इसी प्रकार चमड़ा निर्यात में वैश्विक हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से एक नयी योजना डी.आई.पी.जी. द्वारा प्रारंभ की गई है।

वाहनों एवं उपकरणों के परीक्षण हेतु विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा बनाने के लिये राष्ट्रीय वाहन अनुसंधान एवं विकास आधारभूत ढांचा परियोजना की शुरुआत की गई है। इस परियोजना के पहले चरण हेतु 430 करोड़ रुपये का प्रावधान था और इसके दसवीं योजना के अंतर्गत पूरा हो जाने की आशा है।

मार्च 2006 में राष्ट्रीय उत्पादन प्रतियोगिता परिषद ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 'उत्पादन हेतु राष्ट्रीय नीति उत्पादन पर उच्चस्तरीय समिति (एच.एल.सी.एम.) का गठन' शीर्षक से एक दस्तावेज प्रकाशित किया। 4 अगस्त 2006 को एच.एल.सी.एम. की पहली बैठक में राष्ट्रीय उत्पादन नीति को मंजूरी दी गई। यह समिति उत्पादन क्षेत्र में 12 प्रतिशत की स्थायी दर प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय उत्पादन पहल हेतु सुझाव देगी और इसकी समीक्षा करेगी। वर्ष 2004 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सुदृढ़ता आधुनिकीकरण पुनर्जीवन और पुनर्निर्माण सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिये सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के उपनिर्माण हेतु बोर्ड का गठन किया। 31 दिसंबर 2005 तक इस बोर्ड ने रुग्ण सार्वजनिक उपकरणों के 33 मामलों पर विचार किया।

सरकार ने इन सुझावों के आधार पर विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र/उपक्रमों को पुनः चालू करने/उनके पुनर्गठन हेतु कई निर्णय लिये हैं।

इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र की अन्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं—(i) प्रत्यक्ष सब्सिडी से अलग औद्योगिक नीति और योजना बनाने हेतु राज्यों को प्रेरित करना ताकि निवेशक अनुकूल वातावरण/सक्षम आधारभूत ढांचे की उपलब्धता पर अधिक जोर दिया जा सके (ii) स्वैच्छिक अवकाश योजना के संबंध में एक नीतिगत राय तैयार की गई है जिसे योजना से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होगी। (iii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिये संधि पद प्रणाली की समीक्षा, (iv) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठनों के आध्यक्ष से विकास केंद्र योजना का मूल्यांकन प्रारंभ करना (v) अधिक सक्षम आयोजना संसाधन आबंटन प्राप्ति हेतु संस्थागत त्रैमासिक कार्य निष्पादन (क्यूपीआर) प्रक्रिया (vi) राज्यों तथा अच्छे विचारों/सर्वोत्तम तरीकों की अनुकृति के लिये अनुभवों का आदान-प्रदान, (vii) औद्योगिक उपयोगों के लिये आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों जैसे नैनो प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा एकपक्षीय उत्पादन जैसे आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों की पहचान के लिये सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य, (viii) उत्पादन क्षेत्र और निर्यात क्षेत्र के कार्य निष्पादन से झलकने वाले नये परिदृश्य-वैश्विक प्रतियोगात्मकता हेतु कार्य।

वर्ष 2005-06 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की विकास दर 8.1 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 2005-06 के दौरान यह दर 8.4 प्रतिशत थी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 79.63 प्रतिशत भागीदारी वाले उत्पादन क्षेत्र में विकास वर्ष 2004-05 में 9.2 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2005-06 में 9.1 प्रतिशत हुआ। उद्योगों के उपयोग आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में पूंजी क्षेत्र में वर्ष 2005-06 के दौरान 15.8 प्रतिशत की विकास दर पिछले वर्ष की इसी अवधि के विकास दर से 13.9 प्रतिशत अधिक है। स्थायी एवं क्षरण योग्य उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में भी कार्य निष्पादन पिछले दो वर्षों के दौरान दो अंकों में पहुंच गया। वर्ष 2003-04 से उपभोक्ता उत्पादों में परिवर्तन जारी रहा। वर्ष 2005-06 के दौरान मौलिक उत्पादों के क्षेत्र में विकास दर 6.6 प्रतिशत रही जो 2004-05 से कहीं अधिक है।

खनिज क्षेत्र

देश के खनिज क्षेत्र में निवेश का वातावरण और सुधारने के उद्देश्य से योजना आयोग ने 14 सितंबर, 2005 को राष्ट्रीय खनिज नीति की समीक्षा के लिए योजना आयोग के सदस्य श्री अनवारुल हुदा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसके अधिकार क्षेत्र में (I) राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 और खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की समीक्षा कर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में खोज और खनिजों की खोज के लिए निवेश को बढ़ावा देने के उपाय सुझाना, (II) आरपी/पीएल/एम एल देने की वर्तमान प्रक्रियाओं की समीक्षा और आधुनिक एवं सरल बनाने के उपाय सुझाना, (III) वन संरक्षण और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के तहत खनिज खोज और खनन परियोजनाओं की अनुमति

देने की प्रक्रिया की समीक्षा कर उनमें तेजी लाने के उपाय सुझाना, (IV) भारतीय खनिज क्षेत्र में ढांचा आवश्यकताओं की प्राथमिकता तय करना और उनको पूरा करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के उपाय सुझाना, (V) खनिज संपन्न राज्यों द्वारा राज्य में खनिज छूट देने के लिए मूल्यवर्धन को एक शर्त बनाने की नीति के परिणामों की जांच कर इस बारे में उचित सिफारिशें करना, (V) खनिज क्षेत्र से राज्यों का राजस्व बढ़ाने के तरीकों का पता लगाना और (VI) इस क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी सहित निवेश प्रवाह बढ़ाने से जुड़े किसी मुद्दे की जांच करना शामिल है।

वार्षिक योजना 2002-03 (दसवीं योजना का प्रथम वर्ष) में शून्य आधारित बजट व्यवस्था की अवधारणा लागू की गई और तदनुरूप भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो जैसे संगठनों ने शून्य आधारित बजट व्यवस्था अनुसार अपनी गतिविधियों को श्रेणीबद्ध किया है और ये वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्यों और उपलब्धियों के रूप में योजनाओं की निगरानी करते हैं। यह कार्य योजना आयोग में त्रैमासिक/छमाही निष्पादन समीक्षा के जरिए किया जाता है।

सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम कार्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों के मद्देनजर दसवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा से उभरनेवाली प्राथमिकताओं के आधार पर खनिज क्षेत्र की वार्षिक योजना 2006-07 के लिए 883.69 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया, इसमें 250 करोड़ रुपये (जीबीएस) और 663.69 करोड़ रुपये (आईबीआर) के लिए रखे गए। कुल योजना आबंटन से 18.95 करोड़ रुपये उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए हैं।

शिक्षा

मानव विकास में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। पिछले दशकों में साक्षरता, स्कूली दाखिलों, स्कूलों के नेटवर्क और तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के संसाधनों में फैलाव की दृष्टि से काफी प्रगति हुई है। साक्षरता दर, जो 1951 में 18.43 प्रतिशत थी, 2001 में बढ़कर 64.84 प्रतिशत पहुंच गई। 1990 के दशक को बुनियादी शिक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया है क्योंकि जनगणना 2001 में साक्षरता में 12.63 प्रतिशत की बिंदु वृद्धि दर्शाई गई है जो 1951 के बाद की सबसे अधिक वृद्धि है। प्राथमिक स्तर पर सकल दाखिला अनुपात 1950-51 के 42.6 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 98.3 प्रतिशत पर पहुंच गया है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर के लिए इसी अवधि में यह दर 12.7 प्रतिशत से बढ़कर 62.5 प्रतिशत हो गई है।

प्राथमिक स्कूलों की संख्या 2.10 लाख से तीन गुना से अधिक बढ़कर 7.12 लाख हो गई है, जबकि उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या 13,600 से 19 गुना बढ़कर लगभग 2.62 लाख हो गई है। सातवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अस्थायी आंकड़ों (2002) के अनुसार देश की 12.31 लाख बस्तियों में से 87 प्रतिशत में प्राथमिक स्कूल थे जो एक किलोमीटर की दूरी के भीतर थे। 1950-51 में कुल प्रारंभिक शिक्षकों की संख्या 6.24 लाख थी जो 2002-03 तक बढ़कर 36.89 लाख हो गई। इस प्रकार यह वृद्धि पांच गुना से भी अधिक थी। महिला शिक्षकों की संख्या भी इसी अवधि में 12 गुना बढ़कर 0.95 लाख से 14.88 लाख हो गई।

वैसे अब भी कुछ कमियां हैं। प्रारंभिक स्तरों पर बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर वर्ष 1960-61 के 78.3 प्रतिशत से घटकर 2003-04 में 52.32 प्रतिशत रह गई है, लेकिन अब भी यह दर अधिक है। शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार की जरूरत है। लड़का-लड़की, सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताएं भी हैं। इसके अलावा, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की गैरहाजिरी की उच्च दर और प्रयोगशाला तथा लाइब्रेरी की अपर्याप्त सुविधाएं जैसी प्रणालीगत समस्याएं भी हैं। स्कूल न जाने वाले

बच्चों की संख्या 2002-03 तक तेजी से घटी है। नवंबर 2005 में यह संख्या 1.35 करोड़ तक आ गई है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने जानकारी दी है कि मार्च 2006 तक यह संख्या और घटकर केवल 95 लाख रह गई है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में जिन क्षेत्रों पर जोर दिया गया है, उनमें सभी को प्रारंभिक शिक्षा, पूर्ण प्रौढ़ साक्षरता, सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाना तथा शिक्षार्थी की उपलब्धियों को बेहतर बनाना शामिल हैं। योजनावधि में *सबके लिए शिक्षा* का लक्ष्य प्राप्त करने के देश के मजबूत इरादे पर जोर देते हुए, प्रारंभिक शिक्षा को उच्चतम प्राथमिकता दी गई। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई उपायों पर अमल करना था, जिनमें प्रारंभिक शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने के लिए भारत के संविधान में संशोधन, स्थानीय निकायों के माध्यम से शिक्षा के नियोजन, देख-रेख और प्रबंध का विकेंद्रीकरण, प्रौढ़ शिक्षा के लिए सामाजिक भागीदारी, गैर-सरकारी संगठनों के साथ मजबूत भागीदारी विकसित करना और सबसे पिछड़े इलाकों में स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना शामिल हैं। प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार लाने के लिए जो प्रमुख कदम उठाए गए हैं, उनमें ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षक शिक्षा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा के बच्चों का पोषण (दोपहर के भोजन योजना के नाम से प्रचलित) शामिल हैं।

इस पृष्ठभूमि में, दसवीं पंचवर्षीय योजना में निगरानी योग्य महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गए थे, जिनका उद्देश्य 2003 तक सभी बच्चों को स्कूल भेजना; वर्ष 2007 तक सभी बच्चों की 5 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी करना; स्त्री-पुरुष में साक्षरता के अंतर को कम से कम 50 प्रतिशत घटाना; और साक्षरता दर में 75 प्रतिशत की वृद्धि करना है।

सबको प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना की रणनीति को संपूर्णता की दृष्टि से बनाया गया है, क्योंकि मौजूदा नीतियां और कार्यक्रम या तो विशिष्ट लक्षित समूहों/क्षेत्रों (लोक जुंबिश) या पहलुओं (स्कूली बुनियादी संरचना पर जोर देने वाला ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड) को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। वर्ष 2000-01 में पूरे देश में एक सर्वव्यापक कार्यक्रम *सर्वशिक्षा अभियान* चलाया गया। यह कार्यक्रम सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति का प्रमुख साधन सिद्ध होगा। इस योजना में लड़कियों, आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। यह कार्यक्रम एक मिशन मोड में चलाया जा रहा है और प्रधानमंत्री सर्वशिक्षा अभियान के राष्ट्रीय मिशन के अध्यक्ष हैं।

पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों को शामिल करके, समुदाय की भागीदारी को अधिक व्यवस्थित बनाया गया है। निचले स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों, माता-शिक्षक एसोसिएशनों और अभिभावक शिक्षक एसोसिएशनों की गांव में स्कूलों के प्रबंध में औपचारिक भूमिका होगी। प्रौढ़ साक्षरता अभियानों और प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए स्थानीय समुदायों को सामाजिक रूप से सक्रिय करने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूली प्रणाली का सामुदायिक स्वामित्व, सर्वशिक्षा अभियान का एक मूल तत्व है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में समस्या के क्षेत्रों को पहचानने और प्रत्येक समस्या क्षेत्र के लिए सर्वशिक्षा अभियान के संपूर्ण संरक्षण में अलग-अलग रणनीति पर जोर दिया गया है। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई है, समन्वय और क्षमता निर्माण, दोनों ही क्षेत्रों में केंद्र सरकार और उसके

संस्थान प्रमुख भूमिका निभाते रहेंगे। सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य पाने के लिए दसवीं योजना के दौरान सरकारी-निजी क्षेत्र की परस्पर सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया।

प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण का राष्ट्रीय कार्यक्रम या दोपहर का भोजन योजना 15 अगस्त, 1995 को आरंभ की गई थी। इस शिक्षा का उद्देश्य सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना था, जिसके लिए दाखिलों, उपस्थिति और स्कूली शिक्षा जारी रखने का अनुपात बढ़ाने और सरकारी, स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों का पोषण स्तर सुधारने पर जोर देने का फैसला किया गया था। एक सितंबर, 2004 से यह कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के लिए सार्वजनिक कर दिया गया है और इसमें 11 करोड़ बच्चों को लक्षित किया गया है।

वर्ष 1992 में संशोधित (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986) महिला शिक्षा नीति के क्षेत्र में मील का पत्थर है, क्योंकि इसमें शिक्षा की पहुंच और उपलब्धि के मामले में पारंपरिक स्त्री-पुरुष असंतुलों को समाप्त करने को मान्यता दी गई थी। वर्ष 1992 की बाद की कार्य योजना में कहा गया था कि जब तक बालिकाओं तक पहुंचने के लिए एकजुट प्रयास नहीं किए जाते हैं, सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना असंभव है। इस दिशा में अब तक उठाए गए विशेष कदमों में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के तहत कम से कम 50 प्रतिशत महिला शिक्षकों की अनिवार्य भर्ती, अपारंपरिक शिक्षा योजना के अधीन बालिका केंद्रों के लिए अलग बजट, ईजीएस स्कूल, ब्रिज कोर्स, वापिस स्कूल कैम्पस, स्कूल न जाने वाली बच्चियों के लिए आवासीय शिविर, प्राथमिक शिक्षा में स्त्री-पुरुष अंतर पाटने के लिए लोक जुंबिश (राजस्थान), निम्न महिला साक्षरता जिलों में डी.पी.ई.पी., महिला अधिकारिता के लिए महिला समाख्या योजना के तहत महिला संघ, प्रारंभिक स्तर पर बालिका को निःशुल्क शिक्षा योजना (सर्वशिक्षा अभियान का एक अंग) और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े जिलों/ब्लाकों में विशेष रूप से बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी स्वतंत्रता विद्यालय के तहत आवासीय स्कूल शामिल हैं।

देश में निरक्षरता मिटाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के तहत, संपूर्ण साक्षरता अभियान को प्रधान रणनीति बनाया गया है। साक्षरता अभियान क्षेत्र विशेष आधारित एवं समयबद्ध होते हैं और इन्हें स्वैच्छिक, किफायती और परिणाम-प्रधान विधियों के जरिए विकसित किया जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य 2007 तक 15-35 आयु वर्ग के व्यक्तियों को कामकाज करने लायक साक्षर बनाना तय किया गया ताकि 2007 तक स्थायित्व का स्तर 75 प्रतिशत तक पहुंचाया जा सके। अब तक कुल 600 जिलों में से 128 जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान, 164 में पी एल पी तथा 305 में निरंतर शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। इस तरह इन योजनाओं को 597 जिलों में क्रियान्वित किया गया। 2001 की जनगणना में आरंभिक परिणामों के अनुसार साक्षरता अनुपात 1991 में 52.21 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 64.84 प्रतिशत हो गया। महिला साक्षरता, जो कि 1991 में 39.29 प्रतिशत थी, 14.38 प्रतिशत अंक बढ़कर 2001 में 53.67 प्रतिशत हो गई। जबकि पुरुष साक्षरता दर, जो कि 1991 में 64.13 प्रतिशत थी, 11.13 प्रतिशत अंक बढ़कर 2001 में 75.26 प्रतिशत हो गई। इस तरह पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने साक्षरता कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी (60 प्रतिशत) पर विशेष बल दिया है।

माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्चतर शिक्षा के बीच सेतु का कार्य करती है और यह 14-18 वर्ष के बीच के किशोरों को उच्चतर शिक्षा में प्रवेश के लायक बनाती है। भारत में माध्यमिक स्कूलों की संख्या 1950-51 में 7,416 थी जो 2003-04 में बढ़कर 1,45,962 हो गई। इसलिए, दसवीं पंचवर्षीय योजना में माध्यमिक शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने पर खास बल दिया गया। योजना में

व्यावसायिक और रोजगारपरक पाठ्यक्रमों पर जोर दिया जाएगा, तथा पाठ्यक्रम में बदलाव, मुक्त शिक्षा प्रणाली के विस्तार तथा विविधीकरण, शिक्षकों के प्रशिक्षण के पुनर्गठन, नई सूचना तथा संप्रेषण प्राविधियों, खासकर कंप्यूटरों के अधिकाधिक प्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से उच्चतर शिक्षा प्रणाली में विश्वविद्यालयों तथा कालेजों की संख्या में 35 गुना वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2005-06 (31.12.2005) के दौरान देश में 335 विश्वविद्यालय थे जिनमें 215 राज्यों में 20 केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं 100 मान्य विश्वविद्यालय संस्थाएं थीं। यह संख्या राज्य विधायी नियमों के तहत गठित 5 संस्थाओं एवं केन्द्रीय कानूनों के तहत गठित 13 राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों के अतिरिक्त थी। देश में 1849 महिला कालेजों सहित 17,625 महाविद्यालय थे। वर्ष 2005-06 के प्रारम्भ में देश में औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत दाखिल छात्रों की संख्या विश्वविद्यालय एवं कालेजों में एक करोड़ 4 लाख 81 हजार थी। इसमें विश्वविद्यालय विभागों में 13.88 लाख और संबद्ध कालेजों में 90.93 लाख थी।

तकनीकी और प्रबंध शिक्षा ने देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय योगदान किया है। देश में तकनीकी संस्थानों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 1992-97 के 562 स्नातक स्तरीय कॉलेजों की तुलना में यह संख्या 2005-06 में 1478 थी। जबकि छात्र संख्या वर्ष 1997-98 के 1,34,298 से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 5,08, 595 हो गई। पहले सिर्फ 46 इंजीनियरिंग कॉलेज और 53 पॉलीटेक्निक संस्थान थे, जिनमें प्रतिवर्ष 6,240 विद्यार्थी दाखिल हो सकते थे जबकि वर्ष 2001-02 में 838 इंजीनियरी/वास्तुशिल्प कॉलेज और 1,160 पॉलीटेक्निक संस्थान थे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

जनसंख्या के स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर में सुधार, देश के सामाजिक विकास कार्यक्रमों के लिए ऐसा क्षेत्र रहा है, जिस पर प्रमुख रूप से जोर दिया जा रहा है। पिछले पांच दशकों में भारत ने सरकारी, स्वैच्छिक और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, मध्यवर्ती और तृतीयक सुविधाओं में विशाल जनशक्ति तथा बुनियादी स्वास्थ्य ढांचा तैयार कर लिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई प्रौद्योगिक उन्नति के साथ-साथ स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं की पहुंच का दायरा बढ़ने से जनसंख्या के स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों में काफी सुधार हुआ है तथा मृत्यु दर में तेज गिरावट आई है। लेकिन क्षेत्रों और राज्यों के बीच स्वास्थ्य सेवा के दायरे में भारी अंतर मौजूद है।

स्वास्थ्य प्रणाली के कमजोर कामकाज के लिए जिम्मेदार कुछ कारण हैं : (i) कार्मिकों और बुनियादी संरचना में विषमता; (ii) कार्मिकों के ओरिएंटेशन और कौशल उन्नयन के लिए निरंतर चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों का अभाव; (iii) उचित क्रियाशील रेफरल प्रणाली की कमी; और (iv) प्रणाली के विभिन्न अंगों में सुस्थापित संपर्कों का अभाव।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई कुछ बड़ी पहल इस प्रकार हैं : (i) जिन पिछड़े राज्यों में रुग्णता और संक्रामक रोग व्यापक रूप से व्याप्त हैं, उन राज्यों में विशेषज्ञता तथा उच्च विशेषज्ञता (सुपर स्पेशलिटी) की डॉक्टर सेवाएं उपलब्ध कराने के स्पष्ट उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की गई है। तृतीयक सुविधाओं वाले अस्पतालों/मेडिकल कॉलेजों की उपलब्धता में असंतुलों को दूर करने के लिए इन सुविधाओं से वंचित इलाकों में उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। कार्यक्रम में सहज जोर चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी है। इस कार्यक्रम के तहत बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम

बंगाल में से प्रत्येक राज्य में एक-एक चिकित्सा कॉलेज को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्तर और मानक तक उन्नत किया जाएगा। प्रस्तावित योजना में 2011-12 तक के लिए 4,180.86 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रावधान है; (ii) बीमारियों के बड़े पैमाने पर फैलने के संकेतों को पक्के तौर पर समझने वाले रोग निगरानी कार्यक्रम को बेहतर बनाने की दृष्टि से जिला स्तर पर एक व्यापक रोग निगरानी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इससे रोगों के स्वरूपों के अध्ययन में मदद मिलेगी। यह अध्ययन उभरते नए रोगों के बारे में भी होगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम से रोग नियंत्रण कार्यक्रमों पर निगरानी रखने के लिए डाटा उपलब्ध हो सकेगा तथा संसाधनों के आबंटन को इष्टतम बनाने में मदद मिलेगी; (iii) स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के अनिवार्य अंग के रूप में अस्पताल संक्रमण नियंत्रण तथा कचरा प्रबंध को शामिल किया गया है। कचरा प्रबंध के कामों में समन्वय स्थापित करने और इस बारे में नीतिगत दिशानिर्देश देने के लिए राष्ट्रीय कचरा प्रबंध समिति गठित की गई है; (iv) *अधिकार-प्राप्त कार्यसमूह* : उच्च प्रजनन तथा उच्च मृत्युदरों वाले पिछड़े राज्यों में स्वास्थ्य प्रदाता प्रणालियों में सुधार के प्रयासों में तेजी लाने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एक अधिकार-प्राप्त कार्यसमूह का गठन किया गया है। इस कार्यक्रम में शामिल राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ आते हैं। मूल उद्देश्य उच्चस्तरीय सेवाओं के, विशेषकर जनसांख्यिकी सूचकांकों के रूप में सेवाओं के प्रावधान के लिए परिवेश को प्रोत्साहित करना है। चलाई जाने वाली प्रमुख गतिविधियां हैं : क्षमता निर्माण तथा नीतिगत निर्णयों के लिए एकल खिड़की मंजूरी केंद्र सुनिश्चित करना और विशेष सहायता की व्यवस्था; और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा पुनर् उत्पादन स्वास्थ्य कार्यक्रम के शुरुआत के साथ ही सशक्ति कृतकार्यबल को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में शामिल किया गया है।

12 अप्रैल, 2005 को शुरू किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005-12) का उद्देश्य कमजोर स्वास्थ्य सूचकांक और कमजोर ढांचेवाले 18 राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए देश की ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। ये 18 राज्य हैं : अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मध्यप्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश।

यह मिशन सरकार की स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 2-3 प्रतिशत करने की प्रतिबद्धता का द्योतक है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली में इस तरह सुधार करना है ताकि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत बड़े हुए आबंटन का प्रभावी ढंग से उपयोग हो और ऐसी नीतियों को बढ़ावा देना है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंध को मजबूत करे और देश में लोगों को सेवा प्रदान करे।

इसका प्रमुख घटक हर गांव में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है। इसका उद्देश्य पंचायत की स्वास्थ्य और सफाई समिति द्वारा तैयार योजना, ग्रामीण अस्पताल को प्रभावी निदानात्मक देखभाल के लिए मजबूत बनाना और भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के माध्यम से समुदाय के प्रति उत्तरदायी बनाना, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम और धनराशि तथा ढांचे का अधिकतम उपयोग और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत बनाना है। इसका उद्देश्य स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं तथा आयुष को सार्वजनिक स्वास्थ्य में पुनर्जीवित करना है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य-चिंता को सफाई और स्वास्थ्य विज्ञान, पोषण और जिला स्वास्थ्य योजना के माध्यम से सुरक्षित पेयजल के साथ एकीकृत करना है।

आरसीएच II (2005-09) ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक मुख्य घटक है। यह मां के स्वास्थ्य नवजात/बाल स्वास्थ्य, आरटीआई/एसटीआई और परिवार नियोजन को सार्वजनिक और निजी/एनजीओ क्षेत्र को शामिल करने का एकीकृत दृष्टिकोण है। यह भारत के परिवार कल्याण कार्यक्रम में अनुकरणीय बदलाव का समर्थन करेगा। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है और महिलाओं और बच्चों में मृत्युदर और रुग्णता की ओर ध्यान देता है तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने में योगदान देता है। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की प्रमुख रणनीतियां शामिल हैं और यह उसके कई प्रमुख परिणामों में योगदान देता है।

किशोरियों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं के कुपोषण को कम करने के लिए देश के 51 जिलों में एक अग्रणी परियोजना शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत हर बड़े राज्य के दो पिछड़े और सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों को शामिल किया गया है। योजना में चिह्नित परिवारों को मुफ्त अनाज देने की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम के तहत 2004-05 में 141 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए। कार्यक्रम को पुनर्जीवित किया गया है और महिला तथा बाल विकास मंत्रालय ने इसे 2005-06 और 2006-07 में चलाने के लिए कैबिनेट की स्वीकृति ले ली।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में गर्भनिरोधकों की अपूर्ण मांग को पूरा करने तथा महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य रक्षा का तात्कालिक उद्देश्य निर्धारित किया गया है। मध्यावधि उद्देश्य 2010 तक जनसंख्या की कुल प्रजनन दर को 2.1 के स्थापन स्तर तक लाना और दीर्घावधि लक्ष्य 2045 तक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना रखा गया है।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 11 मई, 2000 को किया गया था। इसका उद्देश्य जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए समग्र मार्गदर्शन प्रदान करना था, जिसके लिए जनसांख्यिकी, शैक्षिक, पर्यावरणीय और विकास कार्यक्रमों में तालमेल को बढ़ावा देना था।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की विशेषकर उच्च प्रजनन राज्यों में समीक्षा करना, उच्च प्रजनन जिलों की पहचान और जिला कार्ययोजनाएं तैयार करना, निगरानी की दृष्टि से सामाजिक, आर्थिक तथा जनसांख्यिकी संकेतकों का चयन, जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए नीति प्रधानता वाले प्रासंगिक अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा परिवार नियोजन सेवाओं की अधूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है। योजना की व्यापक व बहुक्षेत्रीय समन्वयन को सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की योजनाओं को लागू करने के लिये राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग को योजना आयोग से हटाकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में पुनर्गठन के बाद आयोग में 40 सदस्य हैं और इसकी पहली बैठक 23 जुलाई 2005 को हुई।

निरंतर विकास को बढ़ावा देने के लिए, जनसंख्या स्थिरीकरण एक अनिवार्य आवश्यकता है। लघु अवधि परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या स्थिरीकरण में प्रमुख समस्या उच्च प्रजनन दर वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनसंख्या के आंकड़ों के अध्ययन हेतु, पांच विशेषज्ञ समूह बनाये गये हैं जिससे स्वास्थ्य वितरण प्रणाली की कमियों का पता लगाकर इन राज्यों में स्वास्थ्य और जनसंख्या संबंधों में स्थिति के सुधार के लिये उपाय सुझाये जा सके।

पंचायती राज संस्थाएं

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के पारित होने से देश की संघीय जनतंत्रीय व्यवस्था में नए युग का सूत्रपात हुआ। इस अधिनियम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिल गया। अधिनियम लागू होने के बाद जम्मू और कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तरांचल को छोड़कर शेष सभी राज्यों में विभिन्न स्तरों पर सुदृढ़ व्यावहारिक और जिम्मेदार पंचायतों का गठन किया गया। अरुणाचल प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़कर शेष सभी राज्यों में पंचायतों का गठन नए कानूनों के अनुसार किया गया है।

संशोधन अधिनियम में पंचायतों को संविधान की ग्यारहवीं सूची में दिए गए 29 विषयों से संबंधित आर्थिक विकास की योजनाएं तैयार करने और उन्हें लागू करने के अधिकार और दायित्व देने के प्रावधान हैं। इसी नीति का पालन करते हुए राज्य सरकारों से अपेक्षा है कि वे इन 29 विषयों में संकलित कार्यों के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार भी सौंप देगी। पंचायतों को अधिकार देने के बारे में केरल, मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में ही उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अधिकतर राज्यों ने पंचायतों को हस्तांतरित किए गए विषयों से संबंधित जरूरी कर्मचारी और निधि अभी तक पंचायतों को नहीं दी हैं। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता को समझते हुए सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय और प्रशासनिक सशक्तिकरण से संबद्ध राष्ट्रीय विकास समिति की एक 'सशक्तिकरण उपसमिति' का गठन किया है जो अधिकारों, कार्यों और वित्तीय संसाधनों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार करेगी।

वर्तमान में पंचायतों को तीन स्रोतों से धनराशि प्राप्त होती है। ये हैं— (i) केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप स्थानीय निकाय अनुदान; (ii) केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए धनराशि; और (iii) राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों पर राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली निधि। राज्य सरकारों के लिए जरूरी है कि वे पंचायतों को कर और गैर-कर राजस्व जुटाने के अधिकार देने के लिए कानून बनाएं ताकि पंचायतें प्रभावशाली संस्थान बन सकें।

राज्य सरकारों को संविधान के अनुच्छेद 43जेडडी के प्रावधानों के तहत जिला आयोजना समितियों का गठन करने की आवश्यकता है जिससे कि पंचायतों को विकेंद्रीकृत किया जा सके।

संविधान के अनुच्छेद 243 (ए) के अनुसार, ग्रामसभा उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और उन सभी कार्यों का निष्पादन कर सकती है जो राज्य विधानसभा कानून बनाकर उन्हें प्रदान करती है। अधिकतर राज्यों के अधिनियमों के अंतर्गत ग्रामसभा को दी गई जिम्मेदारियां और कार्य इस प्रकार हैं— (i) ग्राम पंचायतों के कामकाज का निरीक्षण और निगरानी करना; (ii) कार्यक्रमों की योजना का चयन करना और उन्हें मंजूरी देना तथा योजना लागू करने के स्थान और उसके लाभार्थियों का निर्णय करना; और (iii) सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों में स्वैच्छिक श्रमदान जुटाना तथा समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और सद्भावना मजबूत करना। केंद्र और राज्य सरकारों की आपसी भागीदारी से उठाए गए अनेक कदमों के फलस्वरूप हाल में एक दृष्टिकोण उभरा है कि ग्रामसभाओं को निचले स्तर पर लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में मजबूत किया जाना चाहिए।

राज्यों से अनुरोध किया गया है कि ग्रामसभा को सशक्त करने के लिए वे निम्नलिखित उपाय करें : (i) यह सुनिश्चित किया जाए कि हर तीन महीने में एक बार और हो सके तो गणतंत्र दिवस, मजदूर दिवस, स्वाधीनता दिवस और गांधी जयंती पर ग्रामसभा की बैठक हो; (ii) पंचायत अधिनियम (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार), 1996 के अंतर्गत ग्रामसभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व,

प्रबंधन और नियंत्रण का अधिकार देकर सशक्त किया जाए; (iii) ग्रामसभाओं को विभिन्न कार्यक्रमों की प्राथमिकता तय करने का पूरा अधिकार दिया जाए; (iv) पंचायतों को स्पष्ट तौर पर ग्रामसभा के प्रति जवाबदेह बनाया जाए; (v) ग्रामसभा सदस्यों को उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूक किया जाए तथा सामूहिक भागीदारी और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के कदम उठाए जाएं; (vi) ग्रामसभाओं को विकास कार्यक्रमों का सामाजिक परीक्षण कराने की प्रक्रिया तय करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 में प्रावधान किया गया है कि नौ राज्यों—आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में पंचायतों का गठन किया जाए। इससे जनजातीय समाज को अपने भाग्य का निर्धारण करने और प्राकृतिक संसाधनों पर अपना परंपरागत अधिकार कायम रखने का अधिकार मिलेगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को जिला परिषदों के नियंत्रण और देखरेख में कार्य करने के लिए पुनर्गठित किया जा रहा है।

समाज कल्याण

योजना आयोग और राज्य सरकारों के साथ मिलकर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समाज के उपेक्षित और वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए काम कर रहा है। इसका उद्देश्य शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक विकास के जरिए लक्षित समूहों को अधिकारसंपन्न बनाना तथा उन्हें शेष समाज के समकक्ष लाना है।

समाज कल्याण प्रभाग ने (i) विकलांगता वाले व्यक्तियों (लोको-मोटर, देखने, सुनने, बोलने और दिमाग से जुड़ी विकलांगताएं) को अधिकारसंपन्न बनाने; (ii) कानून की गिरफ्त में आने वाले सामाजिक पथभ्रष्ट लोगों (बाल अपराधी/आवारा, नशाखोर, शराबी, सेक्स वर्कर, भिखारी आदि); और (iii) अन्य वंचित वर्गों की देखभाल (वयोवृद्ध, फुटपाथी बच्चों, अनाथ/परित्यक्त बच्चों जैसे संकटग्रस्त बच्चे) के प्रति दसवीं योजना की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के अपने प्रयास जारी रखे। इसके लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा अन्य संबद्ध मंत्रालयों और विभागों/राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ तालमेल रखा गया ताकि इन लक्षित समूहों के लिए विभिन्न नीतियों तथा कार्यक्रमों को कुशलता से क्रियान्वित किया जा सके।

विकलांगता वाले व्यक्ति वे होते हैं, जो चार प्रकार की विकलांगताओं से ग्रस्त होते हैं। ये विकलांगताएं हैं : देखने, चलने-फिरने, बोलने तथा सुनने की और मानसिक विकलांगताएं। नौवीं योजना में (1992-97), 'कल्याण' से विकास की दिशा के पहले वाले परिवर्तन को और आगे 'अधिकारिता' तक ले जाया गया जो अधिक समग्र है क्योंकि इसमें कल्याण और विकास, दोनों ही परिप्रेक्ष्यों को जोड़ा गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य जोर विभिन्न कार्यक्रमों को इन वंचित वर्गों की विशेष समस्याओं और जरूरतों पर ध्यान देने के लिए समन्वित प्रयासों तथा अभिनव कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों को एकजुट और मजबूत करने पर रहा है। दसवीं योजना में विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए अवरोध-मुक्त परिवेश बनाने के लिए विकलांग-अनुकूल नीतियां बनाना एक महत्व का क्षेत्र रहा है।

उपलब्ध संसाधनों के कुशलतम उपयोग तथा कामकाज में परस्पर सक्रियता और एकजुटता के लिए योजना आयोग ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समाज कल्याण क्षेत्र में चलाई जा रही मौजूदा योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने, एकजुट करने, मिलाने और छंटाई करने के बारे में एक गहन

कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के परिणाम पर, केंद्रीय तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं की केंद्रीय शून्य बजट समिति में चर्चा की गई। केंद्रीय समिति के फैसलों के अनुसार नौवीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित 39 योजनाओं को (36 केंद्रीय योजनाएं और तीन केंद्र प्रायोजित योजनाएं) तर्कसंगत आधार पर घटाकर केवल 16 कर दिया गया है (15 केंद्रीय तथा एक केंद्र प्रायोजित) और उन्हें दसवीं योजना में भी बनाए रखा गया है।

दसवीं योजना में विकलांग कल्याण की 10 केंद्रीय योजनाएं चल रही हैं जिनके लिए 1,469 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है।

सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य वंचित वर्गों के लिए पांच योजनाएं हैं जिनके लिए 535 करोड़ रुपये का परिव्यय है। दसवीं योजना में समाज कल्याण क्षेत्र के लिए 2,004 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया।

समाज कल्याण क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों की पूरक/समर्थक भूमिका को देखते हुए, अधिकांश योजनाओं/कार्यक्रमों को गैर-सरकारी संगठनों की पूर्ण या आंशिक भागीदारी से क्रियान्वित किया गया है।

जनजातीय विकास क्षेत्र : सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के प्रयास जारी रखे। देश की कुल जनसंख्या में इनका अनुपात आठ प्रतिशत है। इनमें से 18 लाख आदिम जनजातीय समूहों से संबद्ध हैं।

दसवीं योजना और 2005-06 की वार्षिक योजना का उद्देश्य सामाजिक अधिकारिता, आर्थिक अधिकारिता और सामाजिक न्याय की त्रि-स्तरीय रणनीति के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों को अधिकारसंपन्न बनाना है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में योजना परिव्यय के रूप में 5,754 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे और 2006-07 की वार्षिक योजना के लिए 1,760.90 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

पांचवीं योजना में अपनाई गई जनजातीय उपयोजना रणनीति पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केंद्र तथा राज्य सरकारों, दोनों ही द्वारा अमल किया जा रहा है। जनजातीय उपयोजनाओं के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के अलावा, राज्य सरकारों को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए विशेष योजनाएं लागू करने के वास्ते अनुदान भी दिया जा रहा है।

जनजातियों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्त एवं विकास निगम गठित किया गया है। वर्ष 2006-07 की वार्षिक योजना के लिए 30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग : अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को अधिकारसंपन्न बनाने की प्रक्रिया को वार्षिक योजना 2006-07 में और तेजी से तथा कारगर ढंग से जारी रखने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2001 में देश की अनुमानित जनसंख्या में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 16.663 करोड़ और अल्पसंख्यकों की 18.89 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का क्रमशः 16.2 प्रतिशत और 18.4 प्रतिशत है। वंचित समूहों को सामाजिक रूप से अधिकारसंपन्न बनाने के लिए उन्हें अन्य बुनियादी न्यूनतम सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ मौजूदा असंतुलनों, असमानताओं को कम करने और दूर करने के कार्यक्रमों का सहारा लिया जा रहा है। मैट्रिक के उपरांत और पूर्व की छात्रवृत्तियों जैसी योजनाओं पर अमल करके शैक्षिक विकास का कार्य किया जा रहा है।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना की विशेष केंद्रीय सहायता, 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में दी जा रही है ताकि वे गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले परिवारों के लिए विशेष ढांचागत विकास प्रदान करने वाली परिवार-प्रधान आय-अर्जक मुख्य योजनाओं की महत्वपूर्ण कमियों को और अपूर्ण आदानों को पूरा कर सकें। वंचित वर्गों के लिए लघु ऋण, रोजगार, आय अर्जक योजनाओं और कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के वास्ते पूर्णतया, राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर वर्गों के लिए अलग से राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम स्थापित किया गया है। इनमें (i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम; (ii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम; (iii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम; और (iv) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम शामिल हैं, जो राज्यस्तरीय अनुसूचित जाति विकास निगमों के अलावा हैं।

शहरी विकास

शहर देश की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और आधारतंत्र आवश्यकता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये शहरवासियों को जहां उच्चस्तरीय सुविधाएं प्रदान करते हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र को विभिन्न सेवाएं सुनिश्चित करने में भी उनकी भूमिका है।

शहर और नगर-विपणन, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले नोडल केंद्रों के रूप काम करते हैं। ये विशाल विश्व के लिए खिड़कियों की भूमिका भी निभाते हैं। शहरी प्रबंध के दायित्व को विकेंद्रित करने के प्रावधानों वाले 74वें संविधान संशोधन का उद्देश्य लोगों की भागीदारी और प्रशासन में जवाबदेही बढ़ाना है। लेकिन दसवीं योजना में जिस चुनौती का सामना करना है, वह स्थानीय निकायों को संगठनात्मक रूप से बढ़ाने की है ताकि ये निकाय शहरी निवासियों की मांगों को विश्व स्तर के अनुरूप पूरा कर सकें। शहरी आधारभूत संरचना को उन्नत बनाने की दिशा में काफी कुछ किया जा चुका है और शहरी विकास प्रशासकों को परियोजनाओं की योजना बनाने और उन पर अमल करने का कौशल प्राप्त हो चुका है। दिसंबर, 2005 से सभी स्कीमें जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) में समाहित कर दी गईं। पांच शहरों के लिए मेगासिटी परियोजना, छोटे और मझोले नगरों के लिए समन्वित विकास कार्यक्रम और त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम ने शहरी जरूरतों को पूरा करने में सफलता के नए आयामों को स्पर्श किया है।

यूएलबी की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए दोहरी लेखा प्रणाली, ई-गवर्नेंस, संपत्ति कर सुधार, उचित उपयोगकर्ता प्रभार आदि के माध्यम से सुधार लागू किए जा रहे हैं। स्थानीय निकायों की धन की आवश्यकता और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों में अंतर को पूरा करने के लिए 12वें वित्त आयोग ने इनको 2005 से 2010 की अवधि के लिए 5000 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता दी है। इसमें से 2500 करोड़ रुपये निकायों में ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए है। स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए राज्य स्तर पर राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों को कर, शुल्क और फीस आदि के माध्यम से लागू किया जा रहा है।

शहर स्तर पर डाटाबेस विकसित करने के लिए राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली नामक नई योजना डिजाइन की गई है। इसमें दो बड़े उप घटक जैसे अर्बन स्पेसियल इन्फार्मेशन सिस्टम स्कीम—यानी सेटेलाइट/एरियल सर्वे से डिजिटल नक्शे तैयार करना ताकि उसका उपयोग दैनिक कामकाज के वास्ते शहरी नियोजन के लिए नक्शे, आंकड़े/सूचना की जरूरत पूरी हो सके और शहर स्तर का डाटाबेस विकसित करने के लिए राष्ट्रीय शहरी डाटाबैंक और संकेतक शामिल हैं।

शहरी ढांचा तथा गवर्नेंस

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी ढांचा तथा गवर्नेंस (यूआईजी) भाग के अंतर्गत कुल 463 परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। इनकी कुल स्वीकृत लागत 49743.46 करोड़ रुपये है जहां एसीए 23548.33 करोड़ रुपये प्रतिबद्ध है। 31.05.2009 को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को एसीए के रूप में 8253.00 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यूआईजी आबंटन का लगभग 75 प्रतिशत (31,500 करोड़) विभिन्न मिशन शहरों की परियोजनाओं के लिए ही है। लगभग 32 परियोजनाएं भौतिक रूप से पूरी हो चुकी हैं।

लघु और मझोले कस्बों के लिए शहरी ढांचा विकास स्कीम

लघु और मझोले कस्बों के लिए शहरी ढांचा विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) 2001 जनगणना के मुताबिक जेएनएनयूआरएम के तहत कवर होने वाले कस्बों और शहरों को छोड़कर सभी कस्बों और शहरों में ढांचागत सुविधाओं के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत 3 दिसंबर, 2005 को शुरू की गई थी। यूआईडीएसएसएमटी के तहत मुख्य जोर लघु और मझोले कस्बों के योजनागत तथा एकीकृत विकास पर है। स्कीम शहरी गवर्नेंस पर नजर रखती है ताकि नए कार्यक्रमों को शुरू करने तथा सेवाओं के विस्तार के लिए शहरी स्थानीय निकाय वित्तीय रूप से सुदृढ़ हो सकें जिससे क्रेडिट दर बढ़े और बाजार पूंजी तक पहुंचने की योग्यता बने। इस समुन्नत वातावरण में, विभिन्न सेवाओं के प्रावधान के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल भी संभव हो जाएगा। इस उद्देश्य को पाने के लिए राज्य सरकारें, शहरी स्थानीय निकाय तथा पैरास्टेटल एजेंसियों को सुधारों के एजेंडा और वैकल्पिक सुधारों को लागू करने की आवश्यकता है। स्कीम की पूर्णता पर यह आशा की जाती है कि स्कीम के तहत कवर किए जाने वाले कस्बों के पास होगा :-

- शहरी सेवाओं तथा गवर्नेंस कार्यों के लिए आधुनिक तथा पारदर्शी बजट प्रणाली, अकाउंटिंग, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली इत्यादि।
- यूएलबी/पैरास्टेटल के कोर कार्यों में ई-गवर्नेंस का अनुप्रयोग परिणाम स्वरूप सेवा प्रदान करने में लागत तथा समय में कमी। 31.03.2009 तक, 631 कस्बों की 747 परियोजनाओं के लिए एसीए जारी किया गया था जिसके लिए स्वीकृत परियोजना लागत 12777.80 करोड़ रुपये थी।

शहरी परिवहन

बढ़ती शहरी आबादी और बढ़ते शहरी आकार ने शहरी यात्रा मांग में तीव्र गति से शहरी यात्रा में बड़ी मांग की है। सार्वजनिक परिवहन को नजरअंदाज करने के साथ निजी मोटर वाहनों में बेतहाशा वृद्धि, पैदल चलना और मोटर वाहनों के लायक सड़कें न होने के चलते जाम, वायु प्रदूषण, बढ़ती दुर्घटनाओं के साथ-साथ पेट्रोलियम पदार्थों की खपत भी बढ़ी है। शहरी क्षेत्रों में गतिशीलता सुधारने के लिए सार्वजनिक परिवहन, पैदल चलने तथा उपयुक्त सड़कें न होने की प्रणाली को पर्याप्त रूप से सुधारने की बेहद जरूरत है ताकि इससे आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान की जा सके। एक जगह से दूसरी जगह जाने की ऐसी सुविधाओं का उन गरीब शहरी लोगों को लाभ होगा क्योंकि उनकी रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच हो सकेगी। शहरी आयोजना के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि परिवहन की एकीकृत तथा प्रत्येक शहरी भूमि के लिए भूमि उपयोग सहित यातायात योजनाओं के लिए एक उचित नीति की तरफ ध्यान दे।

केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति बनाई है। इस नीति का फोकस है 'लोग चलें वाहन नहीं'। इस नीति में एकीकृत भूमि उपयोग तथा परिवहन आयोजना, सार्वजनिक परिवहन में उल्लेखनीय सुधार, गैर-मोटर यात्रा को प्रोत्साहन, पर्याप्त पार्किंग स्थान का प्रावधान और शहरी परिवहन आयोजना में क्षमता निर्माण के लिए पहलों के विस्तृत खाके की परिकल्पना है।

यद्यपि, वर्तमान में दिल्ली, बंगलुरु तथा कोलकाता मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजनाएं लागू होने के चरण में हैं, चेन्नई मेट्रो रेल परिवहन भी अनुमोदित हो गई है। दिल्ली एमआरटीएस में पूंजी निवेश इक्विटी के जरिए तथा भूमि अर्जन के लिए अधीनस्थ ऋण तथा केंद्रीय करों का भुगतान भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) दिल्ली सरकार द्वारा बराबर-बराबर किया जा रहा है। साथ ही जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) की तरफ से हल्की ऋण सहायता प्रदान की जा रही है। जेआईसीए की तरफ से धन अनुभव के रूप में मुहैया कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, गुडगांव और नोएडा तक मेट्रो के विस्तार कार्य के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा भारत सरकार द्वारा 80:20 के अनुपात में सहायता प्रदान की जा रही है। दिल्ली एमआरटीएस के पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका है तथा गुडगांव और नोएडा के विस्तार कार्य सहित केंद्रीय सचिवालय से बदरपुर, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआई) तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लिंक का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है और राष्ट्रमंडल खेल 2010 से पहले पूरा करने का लक्ष्य है।

दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना की तर्ज पर ही बंगलुरु, कोलकाता तथा चेन्नई मेट्रो रेल परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। निर्माण के साथ ही संचालन तथा रख-रखाव का कार्य भी भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों की संयुक्त कंपनियों के जरिए किया जा रहा है। परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए एक स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) का गठन किया गया है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार की पूंजी भागीदारी 50:50 के आधार पर है। चूंकि सार्वजनिक परिवहन का प्रमुख रूप बसें ही बनी हुई हैं। सभी राज्य सरकारों और शहरों में आधुनिक आईटीएस संपन्न सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर नगर बस सेवा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और ऐसी गुणवत्ता जिसे जनता के समक्ष 'ब्रांडेड उत्पाद' के रूप में पेश किया जा सके। भोपाल, जोधपुर, उदयपुर, जालंधर, लुधियाना तथा जयपुर जैसे शहरों में आधुनिक नगर बस सेवा शुरू और विचारित की गई है। इसके अतिरिक्त, लागत प्रभाविकता पूरा किये जाने योग्य की संभावना को ध्यान में रखते हुए, बहुत से शहरों ने बीआरटी प्रणाली को चुना है जो दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, इंदौर, भोपाल, पुणे, पिंपरी-चिंचवाड़, जयपुर, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में लागू की जा रही है। आगे, दूसरे महत्वपूर्ण पैकेज के तहत जून 2009 तक एक ही पहल के रूप में, जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/शहरी स्थानीय निकायों को अपनी नगरीय परिवहन प्रणाली के लिए बसों को खरीदने के लिए सहायता के रूप में केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है। सभी प्रस्तावित शहरों में नगर बस सेवा तथा बस रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटी) के लिए ही विशेष वित्त व्यवस्था की जाएगी। विभिन्न शहरों के लिए इस स्कीम के तहत लगभग 15000 बसें प्राप्त की जाती हैं। बसों की स्वीकृति निर्धारित शर्तों के साथ जोड़ी गई हैं। नगर परिवहन में विभिन्न सुधारों से संबंधित शर्तों के अलावा इस प्रकार हैं :

एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) का गठन, पार्किंग तथा विज्ञापन नीति लागू करने की प्रक्रिया जिससे सार्वजनिक परिवहन पर राजस्व हासिल होता है, आध्यात्मिक सार्वजनिक परिवहन कोश, टोल फ्री नंबर सहित नियंत्रण-सह-सूचना केंद्र की स्थापना, बसों की सीमा/निर्धारित लेन

वाली बसों को प्राथमिकता, नगर बस सेवा संचालन के लिए सिटी स्पेसीफिक एसपीवी की स्थापना, बसों पर लगने वाले राज्य/यूएलबी करों में छूट/भुगतान आदि।

संशोधित रणनीति का जोर संपत्ति निर्माण को संपत्ति प्रबंधन सेवा प्रदान करने में सुधार, शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय स्थिति में मजबूती से जोड़ना है ताकि शहरी ढांचे और गवर्नेंस में समग्र सुधार हो। इस सुधरे हुए वातावरण में विभिन्न सेवाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी संभव हो सकेगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य एजेंसियों को सुधार का एक एजेंडा क्रियान्वित करने की बात स्वीकारनी होगी। प्रस्तावित सुधार राज्य और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर दो वर्गों में होंगे : (1) निदेशात्मक सुधार, (2) ऐच्छिक सुधार।

राज्य/शहरी विकास स्तर पर कुछ निदेशात्मक सुधार इस प्रकार हैं : (i) आधुनिक तथ्य आधारित लेखा की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली, (ii) आवास, सीआईएस और एमआईएस में आईटी लागू करने के लिए ई-गवर्नेंस प्रणाली लागू करना, (iii) जीआईएस लागू कर संपत्ति कर में सुधार, (iv) स्थानीय निकाय, उपयोगकर्ता प्रभार लागू करना, (v) 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप विकेंद्रीकरण के उपायों का क्रियान्वयन, (vi) शहरी भूमि सीलिंग और विनियम अधिनियम को रद्द करना, (vii) मकान मालिक और किराएदारों के हितों में संतुलन रखते हुए किराया नियंत्रण कानूनों में सुधार, (viii) स्टाम्प शुल्क को युक्तिसंगत बनाकर अगले पांच वर्षों में 5 प्रतिशत से ज्यादा नीचे न लाना, (ix) मध्यावधि वित्तीय योजना बनाने और कामकाज के बारे में त्रैमासिक रिपोर्ट जारी करने के लिए सार्वजनिक घोषणा कानून बनाना, (x) इमारत निर्माण और स्थलों का विकास आदि की स्वीकृति प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए उपविधि में संशोधन, (xi) शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति मालिकाना प्रमाणीकरण प्रणाली लागू करना, (xii) भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया लागू करना, (xiii) सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।

शहरी परिवहन

शहरी जनसंख्या में वृद्धि और शहरों का दायरा बढ़ने से शहरी परिवहन की मांग तेजी से बढ़ी है। निजी तौर पर मोटर वाहनों के इस्तेमाल से भीड़भाड़, वायु प्रदूषण, पेट्रोलियम उत्पादों की अधिक खपत के साथ दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ी है। शहरी क्षेत्रों में गतिशीलता में सुधार लाकर आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक परिवहन में सुधार आवश्यक है। गतिशीलता में इस सुधार से शहरी गरीबों पर अच्छा असर पड़ेगा और रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक उनकी पहुंच हो सकेगी। शहरी नियोजन के लिए परिवहन और यातायात योजना के लिए उचित नीति की ओर ध्यान देना आवश्यक है। इस क्षेत्र में उद्देश्य प्राप्ति के लिए जरूरतों को एनयूआरएम में शामिल करना और शहर की एकीकृत योजना और विशेषज्ञ संस्था बनाने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति पहली बार तैयार की गई है। इस नीति के तहत एकीकृत भूमि प्रयोग और परिवहन नियोजन, सार्वजनिक परिवहन में महत्वपूर्ण सुधार, यात्रा के गैर मोटरीकृत तरीकों के प्रयोग को बढ़ावा, उचित पार्किंग व्यवस्था और शहरी परिवहन नियोजन में क्षमता निर्माण के लिए व्यापक उपाय किए जाने चाहिए।

इस समय एकमात्र बड़ी परियोजना मॉस रेपिड ट्रांजिट सिस्टम क्रियान्वयन में है। कई अन्य प्रस्तावों को विचार के लिए रखा गया है।

दूरसंचार क्षेत्र

तीव्र सामाजिक और आर्थिक विकास में दूरसंचार क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पूरे विश्व में स्वीकार की गई है। देश में दूरसंचार क्षेत्र में 1991 से अनेक परिवर्तन और संस्थागत सुधार हुए, नई दूरसंचार नीति 1999 ने देश में दूरसंचार क्षेत्र के भविष्य में विकास और वृद्धि की आधारभूत रूपरेखा प्रदान की। दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण उद्देश्य इस प्रकार हैं : (I) सभी नागरिकों के लिए सस्ती और प्रभावी सुविधाएं, (II) ग्रामीण क्षेत्रों सहित छोटे हुए क्षेत्रों के लिए सेवा का प्रावधान, (III) दूरसंचार, आईटी और मीडिया के कनेक्शन के लिए आधुनिक और सक्षम दूरसंचार ढांचे का निर्माण, (IV) दूरसंचार क्षेत्र से स्पर्धात्मक वातावरण और सभी को समान अवसर प्रदान करना, (V) देश में अनुसंधान और विकास प्रयासों में मजबूती लाना, (VI) स्पेक्ट्रम प्रबंध में सक्षमता और पारदर्शिता लाना, (VII) देश की रक्षा और सुरक्षा हितों की रक्षा, (VIII) भारतीय दूरसंचार कंपनियों को वास्तव में विश्व स्तर का बनाना।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 12.5 करोड़ से अधिक का टेलीफोन नेटवर्क विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क में है और तेजी से बढ़ता जा रहा है। 2005-06 की पहली तीन तिमाहियों में उच्च वृद्धि दर जारी रही। दिसंबर 2004 और दिसंबर 2005 के बीच यह दर 35 प्रतिशत थी। 31 दिसंबर 2005 को टेलीफोनों की संख्या 125.8 मिलियन हो गई और वर्ष के दौरान कामकाज इतना शानदार रहा कि हर महीने 30 लाख लाइनों की बढ़ोत्तरी हुई। 2005-06 के दौरान 274.15 लाख नए कनेक्शन (50.90 लाख कनेक्शन बीएसएनएल और एमटीएनएल तथा 223.25 लाख निजी क्षेत्र द्वारा) दिए गए।

दूरसंचार के क्षेत्र विकास में निजी क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुल टेलीफोनों में निजी क्षेत्र का हिस्सा 31 मार्च, 2005 को 47 प्रतिशत था जो बढ़कर 31 दिसंबर 2005 को 55 प्रतिशत हो गया। 2005-06 में दिए गए 274.15 लाख अतिरिक्त टेलीफोनों में 223.25 लाख टेलीफोन (81 प्रतिशत से अधिक) निजी क्षेत्र द्वारा दिए गए शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों की पसंद वायरलेस टेलीफोन है और यह जारी है। यह अब बड़ी उपभोक्ता सेवा बन गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन के विकास के प्रयास जारी हैं। भारत निर्माण के तहत नवंबर 2007 तक छोटे हुए सभी 66,822 गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। मई 2006 तक 25,870 गांवों को यह सुविधा उपलब्ध हो चुकी है।

एक मार्च, 2006 से 'एक भारत शुल्क' योजना शुरू की गई है जिसके तहत बीएसएनएल और एमटीएनएल के ग्राहक कभी भी किसी भी फोन पर एक रुपया प्रति मिनट की दर से फोन कर सकते हैं।

डाक

डाक विभाग देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र नियोक्ताओं में से एक है। इसमें 5.7 लाख व्यक्ति काम करते हैं। इनमें स्थायी कर्मचारियों और विभागेतर कर्मचारियों की संख्या बराबर-बराबर है। इसने सेवा के 150 वर्ष पूरे कर लिए हैं और डाकघरों की संख्या 1.55 लाख है। विभिन्न डाक सेवाओं के अलावा यह ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन जुटाने के प्रयासों से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दसवीं योजना का उद्देश्य डाक सेवाओं को योजना के अंत तक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का है। 2004-05 की वार्षिक योजना के लिए 200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

विभाग द्वारा 2004-05 की वार्षिक योजना के तहत कार्यान्वित की जानेवाली एकमात्र महत्वपूर्ण योजना डाकघरों का कंप्यूटरीकरण और संयोजकता है। विभाग ने पोस्टल फाइनेंस मार्ट, घरेलू धनराशि ऑन लाइन प्रेषण सेवा, डाकघरों को जनता के करीब लाने के लिए डाक टिकटों और डाक सामग्री का ग्राहकों के दरवाजे पर डाकिया द्वारा बिक्री, डाकिया द्वारा चिट्ठियों को बटोरना जैसी कई नई पहल की है। दिल्ली और मुंबई के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स के बीच फरवरी 2006 से स्पीड पोस्ट गोल्ड सर्विस शुरू की गई। यह अगले दिन दोपहर से पहले चिट्ठी पहुंचाने, विलंब होने पर स्वतः वापसी, डिलिवरी का ई-मेल/एसएमएस से इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण और संग्रह, प्रेषण और वितरण की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करती है।

सूचना प्रौद्योगिकी

भारतीय सॉफ्टवेयर और आईटीईएस उद्योग का निर्यात 2003-04 के 12.9 अरब अमरीकी डालर से बढ़कर 2004-05 में 17.7 अरब अमरीकी डालर हो गया। अनुमान है कि 2005-06 में यह 23.4 अरब डालर तक पहुंच जाएगा। सॉफ्टवेयर और सेवाओं में डालर के संदर्भ में 32 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। पिछले पांच वर्षों में इसमें 28 प्रतिशत सीएजीआर की वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग का योगदान 1999-2000 के 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में 4.8 प्रतिशत हो गया।

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आईटीईएस-बीपीओ क्षेत्र में रोजगार पानेवालों की संख्या 1999-2000 के 2,84,000 से बढ़कर 2005-06 में 12,87,000 हो गई। पिछले साल इसमें 2,30,000 की बढ़ोत्तरी हुई है। इसके अलावा भारतीय आईटी-आईटीईएस क्षेत्र 30 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायक होगा।

सूचना और प्रसारण

सूचना और प्रसारण क्षेत्र की गतिविधियों के दायरे में तीन क्षेत्र आते हैं : प्रसारण (दूरदर्शन और आकाशवाणी), सूचना और फिल्म क्षेत्र। इन तीनों के कार्य एक-दूसरे के पूरक हैं। जनसंख्या के बड़े हिस्से तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किए गए संचार के पुराने माध्यम या तो पुराने पड़ गए या इनकी टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए, लेकिन लोगों को कम से कम कीमत पर सूचना और स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध कराने, स्वस्थ विकास में मदद करने और क्षेत्र में ही प्रतिस्पर्धा का महत्व बरकरार रहा। उल्लेखनीय है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों ही ने भौगोलिक और जनसंख्या कवरेज के मामले में काफी प्रगति की है। इसलिए इस क्षेत्र की चुनौतियों की समीक्षा करना और दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्राथमिकताएं फिर से तय करना जरूरी हो गया।

सरकार द्वारा उठाए गए कुछ नीतिगत कदम इस प्रकार हैं : ऐसी वैकल्पिक टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन जिससे आम आदमी के लिए कम खर्च पर सार्वजनिक और प्राइवेट प्रसारणकर्ताओं तक अधिक तथा बेहतर पहुंच हो सके तथा स्थानीय समुदायों द्वारा एफ.एम. मोड में कम शक्ति के सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोलने की अनुमति मिले। इन समुदायों में विश्वविद्यालयों जैसे गैर-लाभकारी संगठन, गैर-सरकारी संगठन आदि शामिल हैं। इन रेडियो स्टेशनों से संबद्ध समुदायों के शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। जम्मू और कश्मीर और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों तथा द्वीपीय क्षेत्रों में टेलीविजन और रेडियो सेवाओं को बेहतर बनाने वाले विशेष पैकेज शुरू करने पर जोर दिया गया है। दसवीं योजना के दौरान सूचना और प्रसारण क्षेत्र के लिए 2,380 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता सहित 5,130 करोड़ रुपये की योजना परिव्यय को स्वीकृति दी गई है।

इस क्षेत्र के वास्ते वार्षिक योजना 2006-07 के लिए 538 करोड़ रुपये रखे गए हैं। प्रसारण, सूचना और फिल्म के लिए इस राशि का वितरण 469.77 करोड़ रुपये, 27.28 करोड़ रुपये और 40.94 करोड़ रुपये है। इस योजना वर्ष में 10 करोड़ रुपये प्रसार भारती के साथ एफएम प्रसारण में निजी प्रसारकों को स्थल उपलब्ध कराने के लिए है। हैदरबाद में बाल चित्र समिति परिसर को भी विकसित करने, सत्यजीत राय फिल्म संस्थान, कोलकाता में कंप्यूटरीकरण और प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण और गीत और नाटक प्रभाग में आईसीटी कार्यक्रम पर बल दिया गया है। इन कार्यों के लिए अतिरिक्त धन दिया गया है। गुवाहाटी स्थित चित्राबन फिल्म स्टूडियो के आधुनिकीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

परिवहन क्षेत्र

रेलें और सड़कें परिवहन के प्रमुख साधन हैं। देश के कुल यातायात का 95 प्रतिशत इन्हीं साधनों से ढोया जाता है। नियोजित विकास के पहले 50 सालों में परिवहन क्षेत्र कई गुना बढ़ा है। इसका विस्तार भी हुआ है और क्षमता भी बढ़ी है।

रेलें : भारतीय रेल ने मई, 2002 में राष्ट्र की सेवा में अपने 150 साल पूरे किए। लगभग 55,000 करोड़ रुपये के पूंजी आधार और लगभग 63,000 मार्ग किलोमीटर के अपने नेटवर्क वाली भारतीय रेल भारी सामान और लंबी दूरी के यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। दसवीं योजना में मुख्य जोर रेल प्रणाली के आधुनिकीकरण और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से उसकी क्षमता-विस्तार पर दिया गया। इसके अलावा, सेवा का स्तर बढ़ाने, कुल यातायात में रेल माल यातायात अनुपात के लिए टैरिफ को तर्कसंगत बनाने तथा रेल सेवाओं की विश्वसनीयता पर भी जोर दिया गया।

सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर को देखते हुए आशा की जाती है कि रेलवे 11वीं योजना के अंत तक 1100 मिलियन टन माल ढोएगा। इस वृद्धि को बनाए रखने के लिए डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर जरूरी हैं। इसलिए दो कोरीडोर लुधियाना से सोन नगर (पूर्वी कोरीडोर-1230 कि.मी.) और मुंबई-तुंगलकाबाद/दादरी के बीच (पश्चिमी कोरीडोर-1469 कि.मी.) बनाने का फैसला किया गया ताकि आगामी वर्षों में भारतीय रेलवे की क्षमता बढ़े हुए माल को ढोने लायक हो सके। ये कोरीडोर और भारतीय रेलवे का फीडर मार्ग परिवहन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्षमता बढ़ाने में कामयाब होंगे।

सड़क : गतिशीलता और पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई है। पहुंच का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गांवों और बस्तियों को जोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में नए सिरे से प्राथमिकता तय की गई जिसका लक्ष्य 2003 तक एक हजार या अधिक की आबादी वाली बस्तियों को और 2007 (250 + पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र) तक पांच सौ या अधिक आदिवासी बस्तियों को जोड़ना है ताकि 2009 तक भारत निर्माण के लक्ष्यों (1000 + बस्ती और 500 + पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र) को हासिल किया जा सके।

राष्ट्रव्यापी संपर्क और बढ़ी हुई गतिशीलता की आवश्यकता को देखते हुए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आधार ढांचे पर समिति द्वारा प्रस्तावित उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित विकास सड़क कार्यक्रम पर पूरे जोर से काम हो रहा है।

इसके अलावा खामियों को दूर करने के लिए टूटी सड़कों के निर्माण, खराब सड़कों में सुधार, कमजोर पुलों के पुनर्निर्माण, बाई पास के निर्माण तथा दो लेन की सड़कों को मजबूत और चार लेन का बनाने पर बल दिया जाएगा।

विस्तारित राजमार्ग विकास के लिए वित्तीय व्यवस्था करना बहुत बड़ा कार्य है। इसीलिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के तहत निजी क्षेत्र को सड़कों के विकास में 'बनाओ, चलाओ, सौंपो' (बीओटी) के माध्यम से बड़े स्तर पर शुरू किया गया है। अब एनएचबीपी फेज III और आगे सड़क सेवा के सभी अनुबंध बीओटी आधार पर दिए जायेंगे, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट अनुबंध विशिष्ट अपवाद स्वरूप ही दिया जाएगा। सड़क विकास कार्यक्रम में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। बीओटी परियोजनाओं के लिए आदर्श रियायती समझौता विकसित किया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उच्चस्तरीय विशेषज्ञता के साथ बहु-आयामी व्यावसायिक संस्था बनाकर उसकी संस्थागत क्षमता को बढ़ाया जाएगा।

बंदरगाह: जल परिवहन और सेवा परिवहन के बीच, बंदरगाह लदान-मध्य (ट्रांसशिपमेंट) बिंदु का काम करता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए परिवहन प्रणाली में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर 12 बड़े और 184 छोटे/मध्यवर्ती बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाहों से देश का लगभग 75 प्रतिशत बंदरगाह ट्रैफिक आता-जाता है और शेष 25 प्रतिशत छोटे/राज्य बंदरगाहों से होता है।

दसवीं योजना में जोर सामान्य और खुले माल की हैंडलिंग की ऐसी सुविधाएं बनाने पर दिया गया, जिनमें कंटेनर यातायात और संगठनात्मक परिवर्तनों तथा कार्मिक व्यवस्था के स्तरों को युक्तिसंगत बनाने के जरिए कार्यकुशलता तथा उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी बड़े बंदरगाहों को रेल मार्गों से जोड़ने को प्राथमिकता दी जाएगी।

बंदरगाहों के कामकाज में भी सुधार हुआ है। बड़े बंदरगाहों से ट्रैफिक 2004-05 में 383.62 एमटी से 2005-06 में 423.42 एमटी हो गया।

अंतर्देशीय जल परिवहन : अंतर्देशीय जल परिवहन (आई.डब्ल्यू.टी.) व्यवस्था ऊर्जा की बचत करने वाला, पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ और किफायती परिवहन माध्यम है। भारत में जलमार्गों की बहुतायत है, जिनमें नदी प्रणालियां और नहरें शामिल हैं। अनुमान है कि कुल मिलाकर 14,544 किलोमीटर लंबाई के जलमार्गों का इस्तेमाल यात्रा और माल ढुलाई के लिए किया जा सकता है। लेकिन इस क्षेत्र की क्षमता का बहुत ही कम इस्तेमाल हो पा रहा है क्योंकि अधिकांश नौवहन योग्य जलमार्गों में उथले पानी और शुष्क मौसम में नहरों का पाट संकरा हो जाने, नदियों की तलहटियों में गाद जमा हो जाने और उनके किनारों के कटाव, उतराई और जलयानों के ठहरने जैसी पर्याप्त ढांचागत सुविधाओं की तथा सतही सड़क संपर्कों की कमी जैसे खतरों का इसे सामना करना पड़ रहा है।

दसवीं योजना में आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर दिया गया है, जिसके लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र पर और निजी क्षेत्र की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि धीरे-धीरे रेल और सड़क माध्यम से जाने वाले यातायात को अंतर्देशीय जल परिवहन द्वारा भेजना शुरू हो सके।

नागरिक उड्डयन

हवाई परिवहन का मुख्य लाभ गति है। परिवहन का कोई और माध्यम लंबी दूरी में इसकी गति का मुकाबला नहीं कर सकता। उड्डयन ने धरती को छोटा कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापार को बढ़ाने में मदद करता है। उड्डयन से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। सामरिक और रक्षा आवश्यकताओं के कारण भी विमान सेवा के लिए सक्षम और विश्वसनीय नेटवर्क की जरूरत होती है।

यात्रियों, माल यातायात को लाने-ले जाने के परिवहन के सबसे तेज माध्यम नागरिक उड्डयन को तीन स्पष्ट कार्यशील शाखाओं के रूप में गठित किया गया है—नियामक एवं विकास, परिचालन तथा संरचना। दसवीं योजना में नागरिक उड्डयन विकास का मुख्य उद्देश्य व्यापार तथा पर्यटन की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्व-स्तर की ढांचागत सुविधाएं और कुशल, सुरक्षित तथा विश्वसनीय विमान सेवाएं उपलब्ध कराना है। विश्वस्तरीय हवाई अड्डे और सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए नीति विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली ढांचा समिति ने आर्थिक विनियमन और विवाद निपटारे के लिए वैधानिक संस्था बनाने, नागरिक उड्डयन पर व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने और दिल्ली, मुंबई के हवाई अड्डों के पुनर्संरचना के लिए आदर्श रियायती समझौता तैयार करने का फैसला किया है।

इन फैसलों को लागू करने में काफी प्रगति हो चुकी है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के मेट्रो हवाई अड्डों, छह ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों और 35 गैर मेट्रो हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा।

पर्यटन

पर्यटन के बारे में दसवीं योजना के दृष्टिकोण में पहले की योजनाओं से भिन्न एक अलग दृष्टिकोण दिखाई देता है। राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव और विदेशी मुद्रा की आय को बढ़ावा देने के पारंपरिक फायदों के अलावा, दसवीं योजना में पर्यटन की रोजगार उत्पन्न करने की भारी संभावनाओं और योजनाओं के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को हासिल करने में इसकी भूमिका को स्वीकार किया गया है। यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के किसी भी दूसरे क्षेत्र की तुलना में प्रति लाख रुपये के निवेश पर अधिक रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता है और इस क्षेत्र में अकुशल से लेकर विशेषज्ञता वाले तरह-तरह की नौकरी के उम्मीदवारों को देश के दूरदराज के इलाकों में रोजगार प्रदान करने की भी क्षमता है।

नई पर्यटन नीति में एक ऐसे ढांचे की बात की गई है जो सरकार के नेतृत्व, निजी क्षेत्र की प्रेरणा और सामुदायिक कल्याण की ओर उन्मुख ढांचा है जिसमें सरकार पर्यटन विकास के लिए विधायी ढांचा और बुनियादी ढांचा तैयार करती है, निजी क्षेत्र बढ़िया क्वालिटी के उत्पाद उपलब्ध कराता है और समुदाय सक्रिय सहयोग प्रदान करता है। नई नीति को पांच प्रमुख उद्देश्यों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। ये उद्देश्य हैं : (i) पर्यटन को राष्ट्रीय प्राथमिकता देना; (ii) पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना; (iii) उत्पाद विकास में सुधार और विस्तार; (iv) विश्व- स्तर का आधारभूत ढांचा बनाना; और (v) कारगर विपणन योजना और कार्यक्रम।

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के मामले में भारत का हिस्सा 2002 में 0.34 प्रतिशत था जो 2005 में 0.49 प्रतिशत हो गया। 2005 में 39.2 लाख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद के अनुसार अगले दशक में भारत में पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ेगी। पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक धनराशि आबंटित की गई है।

स्वयंसेवी क्षेत्र

योजना आयोग का स्वयंसेवी कार्यवाई प्रकोष्ठ सरकार और स्वयंसेवी क्षेत्र के बीच सहयोग का माध्यम है। यह स्वयंसेवी क्षेत्र के नीति संबंधी मामलों और एनजीओ का व्यापक डाटाबेस बनाने का काम करता

है। योजना आयोग द्वारा स्वयंसेवी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय नीति का एक प्रारूप वीओ/एनजीओ से सलाह-मशविरा करके तैयार किया गया और प्रधानमंत्री कार्यालय को सुझावों के लिए भेजा गया है। 11वीं योजना (2007-2012) के लिए स्वयंसेवी क्षेत्र के लिए एक संचालन समिति बनाई गई है। स्वयंसेवी कार्रवाई प्रकोष्ठ ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र पर गैर सरकारी संगठनों से पांच क्षेत्रीय सलाह-मशविरा किया।

पर्यावरण और वन

वर्ष 2007 तक प्रमुख नदियों की सफाई दसवीं योजना का एक ऐसा लक्ष्य है जिसकी निगरानी की जा सकती है। देश में बड़ी नदियों के पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत दसवीं योजना में विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं। वर्तमान में इस नदी संरक्षण योजना में 18 राज्यों में फैली नदियों की 31 प्रदूषित पट्टियों के साथ-साथ 157 नगरों में नदी प्रदूषण घटाव कार्य शामिल हैं। वर्ष 2005-06 के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत 33 एस.टी.पी. क्षमता की स्थापना के जरिए 564.43 मिलियन लीटर प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। लक्ष्य 31.194 मिलियन तक 31.194 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता का था।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में देश का वृक्ष/वन क्षेत्र 23.68 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने के लक्ष्य पर निगरानी रखी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए शुरू किए गए जैव डीजल मिशन में परती जमीन में जटरोपा सहित गैर खाद्य तिलहन की खेती शामिल है जिससे जैव डीजल का उत्पादन होगा और उसे पेट्रो डीजल के साथ मिलाया जाएगा। योजना आयोग ने इस मिशन को बढ़ाया है जिसकी शुरुआत पेट्रो डीजल में 5 प्रतिशत जैव डीजल मिलाने से होगी और बाद में इसे 20 प्रतिशत के स्तर तक ले जाया जाएगा। परियोजना का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। मंत्रालय ने 9 राज्यों में 8000 हेक्टेयर क्षेत्र में 2005-06 में 50 करोड़ रुपये व्यय कर 18 करोड़ जटरोपा पौध लगाने की योजना की ईएफसी से स्वीकृति लेने के लिए कदम उठाए। बाद में मिशन का विस्तार और राज्यों में भी किया जाएगा। इस मिशन से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा होने के साथ पैदा हुई हरियाली से क्योटो संधि के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय सभी वर्गों के किनारे के गांवों को संयुक्त वन प्रबंध (जेएफएम) योजना में लाने की प्रक्रिया ठीक की जा रही है। मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना—राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत जेएफएम के माध्यम से वनारोपण गतिविधियों में सहायता प्रदान करता है। अब 28 राज्यों ने संयुक्त वन प्रबंध को अपनाया है। 31 जुलाई, 2005 तक 20.11 मिलियन हेक्टेयर का वन क्षेत्र 99,708 जेएफएमसी के अंतर्गत लाया जा चुका है।

प्रस्तावित राष्ट्रीय बांस मिशन का उद्देश्य बांस की खेती, प्रसंस्करण और बड़े पैमाने पर आधुनिक उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देना है, जिनका उपयोग आवास, परिवहन और अन्य उद्योगों में होता है। योजना आयोग ने हाल ही में 600 करोड़ रुपये लागत की केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी है जिसका क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। खेती से रोजगार/आजीविका के अवसर पैदा होंगे और सामुदायिक स्तर पर बांस का मूल्यवर्धन होगा, इसके अतिरिक्त लकड़ी का स्थानापन्न बांस के उत्पाद बनेंगे।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आवश्यकताओं के अनुसार, चुने हुए क्रियान्वयनाधीन कार्यक्रमों/योजनाओं का आकलन करता है। आकलन अध्ययन का उद्देश्य

निष्पादन, क्रियान्वयन प्रक्रिया, प्रदाय प्रणाली की प्रभावशीलता और कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करना है। यह संगठन चालू कार्यक्रमों के आकलन में विभिन्न मंत्रालयों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता भी प्रदान करता है। यह संगठन विकास आकलन में अपने अनुभवों को विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, अनुसंधान प्रस्तावों की जांच तथा पारस्परिक क्रिया के अन्य माध्यमों के जरिए बांटता भी है। अब तक इस संगठन ने 195 अध्ययन/गतिविधियां चलाई हैं और 17 अध्ययन अभी चल रहे हैं।

कार्यक्रम क्रियान्वयन

बुनियादी क्षेत्रों की मॉनीटरिंग

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (कार्यक्रम कार्यान्वयन शाखा) को देश की औद्योगिक मूलभूत सुविधाओं से संबंधित 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के निष्पादन की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। ये ग्यारह क्षेत्र हैं- बिजली, कोयला, इस्पात, रेलवे, जहाजरानी और बंदरगाह, दूरसंचार, उर्वरक, सीमेंट, पेट्रोलियम, सड़कें और नागरिक उड्डयन। यह अन्य बातों के साथ आधारभूत संरचना क्षेत्रों के बारे में मासिक समीक्षा रिपोर्टें और कैप्सूल तैयार करता है और उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडल सचिवालय को सौंपता है। वर्ष 1997-98 से प्रत्येक आधारभूत संरचना क्षेत्र की विकास दर और 2003-04 के दौरान उपलब्धियों को सारणी 22.1 में दर्शाया गया है।

बीस सूत्री कार्यक्रम की निगरानी

बीससूत्री कार्यक्रम लोगों और विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के जीवन-स्तर में तेजी से सुधार लाने के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आवास, शिक्षा, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-स्तर बेहतर बनाने से संबंधित अन्य योजनाओं को मजबूती प्रदान करना था। यह कार्यक्रम 1975 में आरंभ किया गया और पहले इसे 1982 में और फिर 1986 में यानी दो बार संशोधित किया गया।

वर्तमान कार्यक्रम बीस सूत्री कार्यक्रम 1986 (टी.पी.पी.-86) के नाम से जाना जाता है और इसके अंतर्गत 119 मदों पर निगरानी रखी जाती है। इनमें से 54 मदों का आकलन मूल्यांकन आधार पर किया जाता है और 65 मदों का आकलन पूर्व-निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के संदर्भ में किया जाता है। बाद वाली 65 मदों में से 20 महत्वपूर्ण मदों को मासिक आधार पर निगरानी के लिए चयनित किया गया है। केंद्र सरकार में प्रशासनिक मंत्रालय राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों से सलाह-मशविरा कर बजट व्यय के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करते हैं। केंद्र प्रायोजित कुछ योजनाओं में राज्य सरकारों को भी अंशदान देना होता है जबकि कुछ योजनाओं के लिए पूरी धनराशि केंद्र उपलब्ध कराता है।

केंद्र में निगरानी संरचना

केंद्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी और समीक्षा संबंधित विभागों/मंत्रालयों तथा सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा की जाती है जहां प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा अपने लिये निर्धारित लक्ष्यों के उत्तरदायी हैं वहीं यह मंत्रालय संपूर्ण रूप से कार्यक्रम में शामिल योजनाओं की निगरानी करता है।

मंत्रालय बीस-सूत्री कार्यक्रम पर मासिक प्रगति रिपोर्ट निकालता है। इस रिपोर्ट में चुनी हुई 20 मदों के बारे में पूर्व-निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों के आधार पर अब तक की अवधि की उपलब्धियां शामिल होती हैं। इन मदों का लोगों के जीवन स्तर से सीधा संबंध होता है। मासिक निगरानी के लिए

चुनी गई 20 में से 12 प्रमुख मदों के बारे में प्रदर्शन के आधार पर हर महीने राज्यों को श्रेणीबद्ध किया जाता है।

मंत्रालय मासिक कैपसूल रिपोर्ट और वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। कैपसूल रिपोर्ट में मासिक प्रगति की मुख्य बातें और वार्षिक रिपोर्ट में बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत आने वाली सभी चीजों के बारे में जानकारी होती है।

पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 2003-2004, 2004-05 और 2005-06 की अवधि के लिए मासिक निगरानी के लिए चुनी गई 20-सूत्री कार्यक्रम की 20 महत्वपूर्ण मदों का निष्पादन सारणी 22.2 में दिया गया है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 23 दिसंबर, 1993 को शुरू की गई ताकि सांसद स्थानीय विकास आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करवाने की सिफारिश कर सके। इस योजना के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं जिन्हें व्यापक रूप से संशोधित कर नवंबर 2005 में जारी किया गया।

योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- इस योजना के तहत कार्य का स्वरूप विकासोन्मुखी होना चाहिए। यह स्थानीय जरूरतों पर आधारित होना चाहिए जिससे स्थायी परिसंपत्ति बनाई जा सके।
- सांसद अपनी पसंद के कार्यों के बारे में जिलाधिकारियों को सिफारिश भेजते हैं जिसे संबंधित राज्य सरकार की प्रक्रिया के तहत क्रियान्वित किया जाता है।
- योजना के बारे में सभी तरह के फैसले और उनकी निगरानी जिला अधिकारियों द्वारा की जाती है।
- लोकसभा के सदस्य अपने चुनाव क्षेत्र में, राज्यसभा के सदस्य चुने हुए राज्य में और मनोनीत सदस्य पूरे देश में कहीं भी कार्य की सिफारिश कर सकते हैं।
- योजना के तहत जारी राशि व्ययगत नहीं होती, उसे आवश्यकतानुसार आगे ले जाया जा सकता है। वर्तमान में हर सांसद को 2 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होती है।
- पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए राशि को प्राथमिकता दी जाती है।
- सरकारी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्य के लिए धन की सीमा नहीं होती। जबकि न्यासों/सोसाइटियों के लिए 25 लाख रुपये की सीमा होती है।
- आपदा की स्थिति में प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वास के लिए 50 लाख रुपये की सीमा तय की गई है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए सांसद स्थानीय विकास निधि का 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में व्यय किया जाएगा।
- कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में अब पंचायती राज्य संस्थाओं और शहरी-स्थानीय निकायों की भूमिका पर जोर दिया जाता है।
- लोकसभा के गठन और राज्यसभा के लिए चुनाव के साथ ही एक करोड़ रुपये की राशि सांसदों को स्वतः जारी कर दी जाती है, मासिक प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं की जाती।
- वित्तीय दायित्व निर्धारण के लिए पिछले वित्त वर्ष का उपयोगिता प्रमाणपत्र और उससे पूर्व के वर्ष

में जारी राशि की ऑडिट रिपोर्ट दूसरे किस्त को जारी करने के पूर्व प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- कार्यान्वयन के लिए जिस राज्य में कार्य हो रहा है, उसमें लागू वित्तीय, ऑडिट प्रक्रिया ही लागू होगी।

लोगों की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में इस योजना का अच्छा प्रभाव रहा है। आम जनता के लाभ के अनेक कार्य इस योजना के तहत कराए गए। इनमें स्कूल भवनों का निर्माण, पीने के पानी की व्यवस्था, सड़कों, पुलों, खेल स्टेडियम, फुटपाथों और बिजली की व्यवस्था से संबंधित कार्य शामिल हैं।

योजना शुरू होने के बाद से 31 मार्च 2006 तक 14923.70 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। जिलों से मिली सूचनानुसार 13,301.12 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। जारी राशि का 89.13 प्रतिशत व्यय हो चुका है। 31.3.06 तक स्वीकृत किए गए कार्यों में से 9,04,955 कार्य पूरे हो चुके हैं। स्वीकृत कार्यों में से 80.50 प्रतिशत पूरे हो चुके हैं

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का कामकाज सक्रिय नीति पहल, निगरानी और समीक्षा के कारण काफी सुधरा है। अप्रैल 2004 से मार्च 2006 तक की उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

- राशि के उपयोग से महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। उपयोग प्रतिशत 31 मार्च, 2004 के 82.18 के मुकाबले 89.13 प्रतिशत हो गया है।
- वित्तीय अनुशासन के कारण व्यय न की गई राशि घट कर 470.57 करोड़ रुपये रह गई है।
- बड़ी संख्या में कार्य पूरे हो चुके हैं। स्वीकृति के मुकाबले 31 मार्च 2004 तक पूरे हुए कार्यों का प्रतिशत 80.14 से बढ़कर 88.50 हो गया है।

सारणी 23.1 : औद्योगिक क्षेत्र के आधारभूत ढांचे की वार्षिक विकास दर

क्रमांक	क्षेत्र	वृद्धि दर (प्रतिशत में)										वास्तविक 2005-06 (2005-06)*
		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	10	11
1.	विद्युत	6.6	6.6	7.1	3.9	3.1	3.2	5.0	5.2	4.8	615.75	अरब
2.	कोयला	3.6	-2.0	3.0	3.6	4.2	4.4	5.6	6.1	6.4	401.52	लाख टन
3.	तैयार इस्पात	0.6	-1.5	12.5	6.7	4.3	9.2	13.7	7.6	6.0	44.78	लाख टन
4.	रेलवे राजस्व अर्जक	5.0	-2.0	8.4	3.7	4.0	5.3	7.5	8.1	10.7	667.39	लाख टन
5.	प्रमुख बंदरगाहों पर माल की ढुलाई	10.6	0.1	8.0	3.4	2.4	9.0	10.0	11.3	10.3	423.41	लाख टन
6.	दूरसंचार											
	(क) स्विचिंग क्षमता में कुल बढ़ोतरी	13.0	36.1	40.2	6.4	-2.6	-35.6	0.1	49.8	85.8	12475.29	हजार लाइनें
	(ख) नए टेलिफोन कनेक्शन	27.1	16.4	29.7	20.5	-4.7	-39.8	148.8	-17.7	123.3	15546.47	हजार लाइनें
	(ग) सेलफोन कनेक्शन	-	-	-	-	-	119.2	115.3	10.4	89.4	28172.37	हजार लाइनें
7.	उर्वरक	17.1	3.7	4.8	2.9	-0.5	-1.1	-1.4	8.0	0.8	15.52	लाख टन

सारणी 23.1 : औद्योगिक क्षेत्र के आधारभूत ढांचे की वार्षिक विकास दर (जारी)

	वृद्धि दर (प्रतिशत में)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. सीमेंट		9.1	5.6	14.0	-2.8	9.5	8.8	6.1	8.2	10.7	147.81 लाख टन
9. पेट्रोलियम											
(क) कच्चा तेल		2.8	-2.8	-2.2	1.5	-1.2	3.2	1.0	1.8	-5.3	32.20 लाख टन
(ख) रिफाइनरी		3.6	5.2	25.3	20.3	3.7	4.9	8.2	4.3	2.1	129.84 लाख टन
10. नागरिक उड्डयन											
(क) निर्यात सामान की दुलाई		-0.2	-4.4	10.8	5.1	4.1	13.3	1.0	12.4	7.3	466659 टन
(ख) आयात सामान की दुलाई		1.4	-2.4	16.2	3.6	-1.0	18.6	13.4	24.2	15.8	319010 टन
(ग) अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों पर यात्रियों की आवाजाही		3.1	0.0	0.0	4.6	-5.0	4.8	6.5	14.0	12.8	168.44 लाख यात्री
(घ) घरेलू टर्मिनलों पर यात्रियों की आवाजाही		-2.8	0.9	7.5	7.7	-5.7	9.6	13.1	23.6	27.1	302.63 लाख यात्री
11. सड़कें											
(क) राष्ट्रीय राजमार्गों का स्तर सुधारना		-3.4	47.6	68.6	32.9	1.1	53.5	-16.6	16.1	-23.4	5296 किलोमीटर
(ख) पुलों की मरम्मत/निर्माण		-62.5	137.5	82.5	28.8	-8.2	16.3	-14.0	-14.6	5.7	99 संख्या

बीयू-बिलियन यूनिट, एमटी-मिलियन टन, *अंतिम

स्रोत : सांख्यिकी तथा कार्यक्रम का क्रियान्वयन मंत्रालय

सारणी 23.2 : बीस सूत्री कार्यक्रम का अखिल भारतीय प्रदर्शन (2003-04 से 2005-06)

क्रम अंक मद सं. संख्या			इकाई	2003-04			2004-05			2005-06		
				लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01	बी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना®	लाख श्रम दिवस	-	7523.6	-	-	7904.0	-	-	7294.1	-
2.	05	ए अतिरिक्त भूमि वितरण	हजार एकड़	17.6	24.0	136.4	17.6	36.3	206.3	20.0	54.1	270.5
3.	07	ए पेयजल आपूर्ति गांव/बस्ती	हजार में	111.1	40.8	36.7	74.9	73.1	97.6	56.3	93.1	165.6
4.	08	ए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	संख्या	575.0	148.0	25.7	514.0	64.0	12.5	575.0	397.0	69.0
5.	08	बी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	संख्या	406.0	41.0	10.1	406.0	423.0	104.2	406.0	475.0	117.0
6.	08	डी बच्चों का टीकाकरण	संख्या लाख में	253.5	274.1	108.1	256.9	292.2	113.7	258.0	260.3	100.9
7.	09	सी आई सी डी एस खंड (सामुदायिक)	संख्या	5132.0	5263.0	102.6	5652.0	5419.0	95.9	5652.0	5747.0	101.7
8.	09	डी आंगनवाड़ी (सामुदायिक)	हजार में	673.0	640.8	95.2	743.2	706.6	95.1	754.8	760.3	100.7
9.	11	ए सहायता-प्राप्त अनु.जा. परिवार	हजार में	2400.0	2559.4	106.6	2490.5	2811.2	112.9	2470.0	3257.6	131.9
10.	11	बी सहायता-प्राप्त अनु.जा. परिवार	हजार में	1117.0	1411.0	126.2	1116.6	1563.3	140.0	1131.6	1873.1	165.5
11.	14	सी इंदिरा आवास योजना	हजार में	1484.6	1198.1	80.7	1562.4	1420.6	90.9	1441.2	1414.7	98.2
12.	14	डी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आर्बिट्रि मकान	हजार में	58.2	58.2	100.0	50.2	52.4	104.4	43.4	104.6	241.0
13.	14	ई निम्न आय वर्ग के मकान	हजार में	6.8	12.8	188.2	16.9	22.3	132.0	24.4	21.8	89.3
14.	15	स्लम सुधार (जनसंख्या)	हजार में	3670.5	4991.1	136.1	5197.6	6170.6	118.7	1521.7	1626.1	106.9
15.	16	ए वृक्षारोपण	लाख में	8622.0	7611.4	88.3	12923.6	9076.1	70.2	12560.0	10265.3	81.7
16.	16	बी कवर किया जाने वाला क्षेत्र (रोपण के तहत) सार्वजनिक तथा वन भूमि	हजार हेक्टेयर	1071.7	844.4	78.8	1477.9	1126.1	76.2	1629.5	1485.6	91.2
17.	19	ए विद्युतीकृत गांव	संख्या	24011.0	5475.0	22.8	23860.0	8499.0	35.6	20084.0	14058.0	70.0
18.	19	बी ऊर्जाकृत पंपसेट	हजार में	217.07	231.8	106.8	212.2	287.9	135.7	386.6	311.0	80.4
19.	19	सी उन्नत चूल्हा	हजार में	-	78.1	-	-	64.9	-	-	80.4	-
20.	19	डी बायोगैस संयंत्र	हजार में	133.0	117.3	88.2	80.1	88.4	110.4	20.2	52.3	259.0

०योजना का निर्धारित लक्ष्य नहीं था

स्रोत : सीएसओ सांख्यिकी मंत्रालय

24. ग्रामीण विकास

ग्रामीण क्षेत्रों का समन्वित विकास, भारत सरकार के समक्ष प्रमुख कार्यों में से एक है। केंद्र सरकार का राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम, देश के समग्र विकास में गांवों के महत्व को हर बार की तरह विशेष जोर दिया जाता है। केंद्र सरकार उन ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है जो पिछले कई वर्षों में विभिन्न कारणों से शहरी क्षेत्रों से पिछड़ गए हैं।

सरकार की इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहली प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और ग्रामीण भारत से गरीबी और भुखमरी हटाना है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान ग्रामीण और शहरी इलाकों के अंतर को कम करने के लिए सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे को खड़ा किया गया है और ग्रामीण जनता के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के साथ अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास भी किया गया है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु संसाधन आबंटन की पिछले कई वर्षों के दौरान की गई बढ़ोतरी से ग्रामीण विकास इलाकों का विकास होता हुआ दिखाई देने लगा है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 76,776 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया जबकि नवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास के लिए 42,874 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए थे।

लोगों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की चुनौती से निपटना, ग्रामीण क्षेत्र के विकास का केंद्रबिंदु है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी और रोजगार प्रदान किया जाता है जबकि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) में स्वरोजगार प्रदान किया जाता है। रोजगार-सृजन के अलावा ये मजदूरी रोजगार योजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्ति सर्जन भी सुनिश्चित करती हैं। बुनियादी ग्रामीण संरचना के निर्माण और उन्नयन हेतु भी मंत्रालय ने विविध योजनाओं द्वारा पहल की है। ग्रामीण संयोजन सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत गांव की सड़कों का निर्माण और उन्नयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत उम्मीद की जा रही है कि विस्तारित और नवीकृत ग्रामीण सड़क नेटवर्क से गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, नियमित और उचित बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी। स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सार्वजनिक सेवाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध होंगी जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि की गति में तेजी आएगी। इसी तरह ग्रामीण जनसंख्या के अति संवेदनशील खंड की कल्याण संवृद्धि हेतु, इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई), त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) और संपूर्ण स्वच्छता आंदोलन (टीएससी), के तहत आवास, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। बंजर भूमि के उर्वरता ह्रास और प्राकृतिक संसाधनों की हानि को रोकने के लिए वाटरशेड यानी जलसंभरण के माध्यम से क्षेत्र विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है जो कि सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। इस योजना के तहत सरकार की गरीबों तक सीधे पहुंच रहेगी और विकास के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का गारंटीशुदा अकुशल मजदूरी/रोजगार वित्तीय वर्ष में प्रदान किया जाएगा।

यह अधिनियम 2 फरवरी, 2006 को लागू किया गया और इसे कई चरणों में लागू किया गया। पहले चरण में 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया। 2007-2008 में दूसरी किस्त में 130 जिलों को जोड़ा गया। पहले लक्ष्य के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का पहले 5 वर्ष में पूरे देश में विस्तार किया जाएगा। संपूर्ण राष्ट्र को एक सुरक्षित दायरे और मांग की दृष्टि से इस योजना का विस्तार 274 ग्रामीण जिलों में किया गया। 1 अप्रैल, 2008 में इसका तीसरा चरण आरंभ किया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला कानून है। इसमें रोजगार मजदूरी गारंटी किसी अनुमानित स्तर पर नहीं है। इस अधिनियम का लक्ष्य मजदूरी रोजगार को बढ़ाना है। इसका सीधा लक्ष्य है कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का कार्य द्वारा सही उपयोग और गरीबी का कारण जैसे सूखा, जंगल का कटना, मिट्टी के कटाव को सही तरीके से विकास में लगाना है। इस प्रक्रिया में से लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाना सरकार की जिम्मेदारी भी है।

प्रत्येक जिले को स्थानीय समुदाय की जरूरतों से व्युत्पन्न नीचे-उल्टे उपागम से एक पंचवर्षीय परिपेक्ष योजना तैयार की है। इस योजना को विशेषकर व्युत्पन्न समुदाय का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। कार्य-निष्पादन द्वारा अधिनियम के नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी में पंचायती राज संस्थाओं, पंचायतों की अहम भूमिका है। इस अधिनियम की अनोखी बात है समय पर रोजगार गारंटी और 15 दिन में मजदूरी का भुगतान होना। अंतरिम राहत न होने पर भी राज्य सरकार को 90 प्रतिशत रोजगार मुहैया करवाना होगा। यह खर्च केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बेरोजगार भत्ता में से स्वतः निकालना होगा। इस अधिनियम में 33 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है।

दो वर्षों में अधिनियम के लक्ष्य के आधार पर उसके कार्यान्वयन का रुख

रोजगार के अवसर बढ़ाना : 2007-2008 में 330 जिलों के 3.39 करोड़ परिवारों को रोजगार और 143.5 करोड़ लोगों के लिए रोजगार उत्पत्ति की गारंटी दी गई। 2008-2009 में जुलाई तक 253 करोड़ घरों को रोजगार और 85.92 करोड़ लोगों के लिए रोजगार उत्पत्ति की गारंटी।

मजदूरी कमाने के जरिए वृद्धि करना और न्यूनतम मजदूरी का असर : भारत के गरीब ग्रामीण के जीवनयापन स्रोतों को मजबूत कर मजदूरी कमाने के जरिये में वृद्धि कर, 2007-2008 में 68 प्रतिशत से अधिक की (फंड) राशि का मजदूरों को मजदूरी देने के लिए उपयोग किया गया। 2008-2009 में 73 प्रतिशत फंड (राशि) का उपयोग मजदूरी देने के लिए किया गया।

गरीबों तक पहुंच में बढ़ोत्तरी : स्वयंलक्षित प्रकृति के इस कार्यक्रम में उच्च कार्य में अल्पसमूह की भागीदारी जैसे 2007-2008 में अनुसूचित जाति/जनजाति (57%), महिलाएं (43%) और जुलाई 2008-2009 में अनुसूचित जाति-जनजाति का (53%) और महिलाओं की (49%) भागीदारी रही है।

ग्रामीण भारत के प्राकृतिक संसाधन को मजबूत करना : 2007-2008 में 17.88 लाख कार्यों का

उत्तरदायित्व लिया गया। इनमें 49% जल संचयन है। 2008-2009 के जुलाई तक 16.88 लाख कार्यों की जिम्मेदारी ली है जिसमें 49% जल संचयन की है।

गरीबों के लिए वित्तीय समावेश : केंद्र सरकार, राज्य सरकार को मजदूरी का भुगतान बैंक या पोस्ट ऑफिस से करने को प्रोत्साहित कर रही है। इसी कारण 2.9 करोड़ (जुलाई 2008 तक) नरेगा बैंक और पोस्ट ऑफिस में मजदूरी भुगतान के खाते खुले हैं। मंत्रालय नरेगा के कामगारों को जनश्री बीमा योजना के तहत जीवन बीमा करवाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है। सर्वप्रथम स्वतंत्र अध्ययन से यह इंगित हुआ कि खेत की उत्पादकता बढ़ी है। वाटर हार्वेस्टिंग, बांध का निरीक्षण, भूमिगत पानी का भराव, मिट्टी की नमी को बढ़ाना, उर्वरकता और लघु सिंचाई, विस्थापन पर रोक, बाजारों को बढ़ावा, ग्रामीण संपर्क के साधनों में सुधार से परिवार की आमदनी में बढ़ावा हुआ है और आबादी के अनुपात के अनुसार महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और प्राकृतिक संसाधनों में भी वृद्धि हुई है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नरेगा जैसे कार्यक्रमों को लागू करके स्थानीय समुदायों को सुदृढ़ बनाया है जिससे उनमें जीवनयापन की सुरक्षा में इजाफा हुआ है। मंत्रालय ने इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इसके तहत प्रतिभागी प्रबंधन का विकेंद्रीकरण, वितरण की प्रणाली में सुधार और लोगों के प्रति जवाबदेही शामिल हैं।

इस योजना के प्रावधानों के प्रति लोगों को जागरूक करने, लोगों के अधिकारों और कार्यान्वयन प्रक्रिया के साथ तालमेल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर नागरिक संगठनों के योगदान के लिए रोजगार जागरूकता पुरस्कार की शुरुआत की गई है।

योजना को लागू करने के लिए सामर्थ्य बढ़ाना

मंत्रालय को नरेगा के कामकाज के लिए और योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और कार्यनिष्पादन के लिए निपुण लोगों की आवश्यकता है। इसके लिए अब तक 6.2 लाख पीआरआई अधिकारियों और 4.82 लाख सतर्कता और निगरानी अधिकारियों को जुलाई, 2008 तक प्रशिक्षित किया जा चुका है। केंद्र सरकार योजना के कार्यान्वयन के लिए योजना की जानकारी और सूचना देने, प्रशिक्षण, कार्ययोजना, सूचना प्रौद्योगिकी, योजना का लेखाजोखा और फंड प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को हर तरह से तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रही है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी में वृद्धि : नरेगा में प्रबंधन सूचना पद्धति (एमआईएस) की वेब द्वारा मदद से सबसे बड़े ग्रामीण परिवारों का हिसाब रखने में सक्षम हो सका। एम आई एस ने सभी समालोचक पारेमीटर को स्थान दिया जैसे परियोजना के विभिन्न स्तरों का कार्य, मजदूरी भुगतान, रोजगार मुहैया करवाने के दिन, कार्य के दिन और कार्य में वृद्धि सभी आम लोगों के लिए उपलब्ध हैं। डाटा इंजीनियर सभी रिकॉर्डों की सतर्कता से जांच करते हैं और प्रबंधन जागरूक पीढ़ी को अनुकूल कर्मठता प्रदान कर रही है।

पारदर्शिता और लोगों के बीच साख बनाने के लिए निगरानी विकसित करना—निरीक्षण और मूल्यांकन : मंत्रालय ने विस्तारपूर्वक निरीक्षण पद्धति की स्थापना की है। इस वर्ष 260 राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन और 330 कार्यस्थल पर। प्रथम और द्वितीय चरण में क्षेत्रीय अधिकारियों ने कम से कम एक बार दौरा अवश्य किया है।

ब्लॉक स्तर पर परियोजना का सौ प्रतिशत कारगर निरीक्षण, 1%. जिलास्तर पर और 2% राज्य स्तर पर निरीक्षण करना सुनिश्चित किया है।

नरेगा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कार्य योजना

कार्यबल का गठन : मंत्रालय ने नरेगा के अधिक से अधिक बहुपक्षीय प्रभावों को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। यह कार्यबल सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि विकास योजना, भारत निर्माण, जलसंभरण विकास के कार्यक्रमों में संभावना तलाश करेगा। सरकार इन कार्यक्रमों को नरेगा के साथ क्रियान्वित करेगी। इससे नरेगा को लागू करने में मदद मिलेगी। इससे बेहतर ढंग से योजना बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी लगाने के लिए लोगों से सामंजस्य भी स्थापित हो सकेगा।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) 25 सितंबर, 2001 को प्रारंभ की गई। यह कार्यक्रम पहले से जारी रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर बनाया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ दिहाड़ी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। कार्यक्रम का लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और जोखिम पूर्ण व्यवसायों से हटाए गए बच्चों के अभिभावकों पर विशेष ध्यान देना है। हालांकि इस योजना के तहत रोजगार देने में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को वरीयता दी जाती है लेकिन गरीबी की रेखा से ऊपर के लोगों को भी रोजगार मुहैया कराया जा सकता है, जहां एन.आर.ई.जी.ए. प्रारंभ हो चुका है।

इस योजना का स्वीकृत वार्षिक परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये है, जिसमें 50 लाख टन अनाज शामिल है। योजना में खर्च की जाने वाली धनराशि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन की जाती है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अनाज मुफ्त मुहैया कराया जाता है। रियायती दर से अनाज के दाम का भुगतान केंद्र द्वारा सीधे भारतीय खाद्य निगम को किया जाता है लेकिन एफसीआई गोदामों से कार्यस्थल/सार्वजनिक वितरण केंद्र तक अनाज दुलाई का खर्च और इसके वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इस योजना के अधीन काम में लगे मजदूरों को दिहाड़ी के रूप में न्यूनतम 5 किलोग्राम अनाज और कम से कम 25 प्रतिशत मजदूरी नकद दी जाती है।

यह कार्यक्रम पंचायती राज संस्थानों के तीनों स्तरों पर कार्यान्वित किया जाता है। पंचायत का प्रत्येक स्तर कार्ययोजना बनाने और इसे लागू करने के मामले में एक स्वतंत्र इकाई होता है। जिला पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और ग्राम पंचायतों के बीच संसाधनों का वितरण 20:30:50 के अनुपात में किया जाता है।

ग्राम पंचायत उपलब्ध संसाधनों तथा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ग्राम सभा के अनुमोदन से कोई कार्य शुरू कर सकती है। ग्राम पंचायतों के लिए आबंटित धनराशि का 50 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्तियों में ढांचागत सुविधाओं के विकास पर खर्च करना होता है। जिला पंचायत और मध्यवर्ती पंचायतों के संसाधनों के हिस्से का 22.5 प्रतिशत अजा/अजजा के लिए लागू निजी लाभार्थी योजना पर खर्च किया जाना आवश्यक है। इस योजना में कोई भी काम ठेकेदारों से कराने की अनुमति नहीं है और न ही इसमें किसी मध्यस्थ तथा बिचौलिया एजेंसी को शामिल करने का प्रावधान है। कार्यक्रम पर लगातार निगरानी रखी जाती है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इस कार्यक्रम का मूल्यांकन प्रतिष्ठित संस्थानों और प्रायोजित संगठनों द्वारा प्रभाव-अध्ययन के जरिए कराया जा रहा है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम नवंबर, 2004 में ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों के परामर्श से योजना आयोग द्वारा देश के चुने हुए 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सर्वाधिक पिछड़े 150 जिलों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के अलावा अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना है ताकि इन जिलों में आवश्यकता आधारित आर्थिक-सामाजिक और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के जरिए पूरक दिहाड़ी रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के काम को और गहन बनाया जा सके। यह कार्यक्रम शत-प्रतिशत केंद्र प्रायोजित था। इस कार्यक्रम का अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो 150 एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. जिलों सहित देश के 200 चिह्नित जिलों में लागू हो गया है, में उपनय हो गया है। यह अधिनियम, प्रत्येक उस ग्रामीण परिवार को, जिसके सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने की इच्छा प्रकट करें, 100 दिन के काम की गारंटी प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

शत-प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर, 2000 को शुरू की गई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सड़क-संपर्क से वंचित गांवों को बारहमासी सड़कों से इस प्रकार जोड़ना है ताकि 500 या इससे अधिक आबादी वाला गांव (पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी वाला गांव) भारत निर्माण के अंतर्गत, 2009 तक समयबद्ध तरीके से, मैदानी क्षेत्रों में 1000 से ज्यादा जनसंख्या वाले आबाद क्षेत्र और पहाड़ी व जनजातीय इलाकों में 500 या ज्यादा की जनसंख्या वाले आबाद क्षेत्रों को संयोजन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। विद्यमान ग्रामीण सड़क नेटवर्क का क्रमबद्ध उन्नयन भी इस योजना का समाकल घटक है। तदनुसार 1,46,185 किलोमीटर, बारहमासी सड़कों द्वारा 66,802 आबाद क्षेत्रों को जोड़ने की एक कार्य-योजना तैयार की गई है। इस कार्य योजना में, विद्यमान ग्रामीण सड़क नेटवर्क के उन्नयन/नवीकरण भी परिलक्षित हैं। ऐसा अनुमान है कि भारत निर्माण के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु 48,000 करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी। क्रियान्वयन रणनीति, गुणवत्ता, मूल्य-प्रबंधन एवं 'समय पर' सुपुर्दगी पर फोकस कर रही है।

जुलाई, 2008 तक 81,717 करोड़ रु. के परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई जिसमें 38,999 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसमें 86,146 सड़कों को शामिल किया गया, जिनकी लंबाई 3,31,736 कि.मी. है। इसमें 1,75,629 कि.मी. की 52,218 सड़कों का कार्य पूरा हुआ जिसमें 35,295 करोड़ रुपये व्यय हुए।

ग्रामीण आवास

मानव के लिए मकान मूलभूत आवश्यकता है। बेघर लोगों के अधिकार को विस्तार देने के लिए स्थायी निधि दी जायेगी जो उन्हें सामाजिक रूप से तुरंत ही पूर्णतः प्राप्त हो।

ग्रामीण विकास मंत्रालय इंदिरा आवास योजना की शुरुआत गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को वित्तीय सहायता प्रदान कर पक्का मकान बनवाती है। इस योजना की विस्तृत जानकारी और कार्य नीचे दिया गया है :

इंदिरा आवास योजना

1985-86 से सरकार इंदिरा आवास योजना द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने को कार्यान्वित कर रही है।

इसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले को नई निर्माण से ऊपर लाना, ग्रामीण घरों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बंधुआ मजदूरों को 1993-99 से मदद कर रही है। इस योजना के विस्तार के तहत गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले इंदिरा गांधी आवास आबंटन में अनुसूचित जाति, जनजाति को 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस योजना का विस्तार सेवानिवृत्त सेना और अर्द्धसैनिक बल के मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिवारों तक भी किया गया है। 3 प्रतिशत घर शारीरिक और मानसिक विकलांगों को भी दिया जाता है। प्रत्येक राज्य के गरीबी रेखा के नीचे के अल्पसंख्यकों को भी चिह्नित किया जा रहा है।

योजना के तहत, वित्तीय संसाधन केंद्र और राज्य में 75:25 के अनुपात का आधार है। तबसे आवासविहीन लोगों में कमी लाना ही मुख्य उद्देश्य है। 75% बोझ घर की कमी को और 25% गरीबी अनुपात को दी गई है जो राज्य स्तर योजना आयोग ने बांटा है। जिला स्तर पर 75% बोझ घर की कमी और कुल जनसंख्या के 25% अनुसूचित जाति और जनजाति को दी गई है।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जिला परिषद्, पंचायतें लक्ष्य और आबंटन और इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत कितने घर बनेंगे, तय करती है। इसलिए ग्राम सभा लाभार्थी, लक्ष्य निर्धारित करती है। यह स्थायी इंदिरा आवास योजना के प्रतीक्षा सूची से लिया जाता है। इसके बाद किसी अन्य उच्च अधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को 1 अप्रैल, 2008 से मैदानी इलाकों में प्रति गृह निर्माण सहायता को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35000 रुपये और पहाड़ी/पर्वतीय क्षेत्रों में 27,500 रुपये से बढ़ाकर 38,500 रुपये कर दिया गया है। कच्चा मकान को पक्का बनाने के लिए प्रति मकान 12,500 रुपये की राशि को बढ़ाकर 15000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त मंत्रालय से निवेदन किया है कि इंदिरा आवास योजना के लिए ब्याज दर अलग रखे।

योजना के तहत आवासीय इकाई परिवार की महिला सदस्य के नाम से ही आबंटित होनी चाहिए। विकल्प के तौर पर मकान को महिला और पुरुष (पति या पत्नी) दोनों के नाम पर भी आबंटित किया जा सकता है। केवल उसी स्थिति में परिवार के पुरुष सदस्य के नाम मकान आबंटित किया जाना चाहिए जब परिवार में कोई महिला सदस्य न हो।

शौचालय, धुआंरहित चूल्हा, सही नाली प्रत्येक इंदिरा आवास योजना के घरों में होने चाहिए। प्रत्येक घर में शौचालय अलग होना चाहिए। घर का निर्माण अकेले किया जायेगा। इसमें किसी भी ठेकेदार का दखल नहीं होना चाहिए। इंदिरा आवास योजना के तहत किसी तरह का विशेष डिजाइन, तकनीक और सामग्री नहीं होती। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। योजना के तहत 181.51 लाख घरों का निर्माण। इंदिरा गांधी आवास योजना के लिए 31 मई, 2008 तक 36900.41 करोड़ रुपया व्यय हुआ।

वर्ष 2007-2008 का प्रदर्शन

वर्ष 2007-2008 के दौरान केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिए 40322.70 करोड़ रुपये आबंटित किए। इंदिरा आवास योजना के तहत इस दौरान 21.27 लाख मकानों का निर्माण/मरम्मत का लक्ष्य था, जबकि सरकार ने 19.88 मकानों के निर्माण/ मरम्मत के लिए 5458.01 करोड़ रुपये (राज्य सरकार के योगदान सहित) व्यय किए।

वर्ष 2008-2009 के दौरान प्रदर्शन

2008-09 के लिए केंद्र ने 5,645.77 करोड़ रुपये जारी किए, इससे 21.27 लाख मकान इंदिरा आवास योजना के तहत बनाने का लक्ष्य है। इसमें से 1,694.48 करोड़ रुपये पहली किस्त के रूप में दिए जा चुके हैं और अब तक 85879 घरों का निर्माण किया गया है।

भारत निर्माण

भारत निर्माण एक घटक ग्रामीण आवास भी है। भारत निर्माण के अंतर्गत 60 लाख मकानों का निर्माण इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत चार वर्षों 2005-06 से 2008-09 में होना है। 50.38 लाख मकानों का निर्माण पर पहले तीन वर्ष के भारत निर्माण कार्यक्रम के दौरान 13365.52 करोड़ खर्च हुए। वर्ष के अनुसार घर का निर्माण निम्नलिखित है :

वर्ष	लक्ष्य (लाख में)	मकानों का निर्माण (लाख में)	खर्च (करोड़ रुपये में)
2005-06	14.41	15.51	3654.09
2006-07	15.33	14.98	4253.42
2007-08	21.27	19.88	5458.01
कुल	50.71	50.38	13365.52

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के वास्ते एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में पहली अप्रैल, 1999 को शुरू की गई। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन कर रहे लोगों की मदद करके सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आमदनी देने वाली परिसंपत्तियों की व्यवस्था के जरिए उन्हें स्वयं-सहायता समूहों के रूप में संगठित करना है। यह कार्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के जरिए किया जाता है। लोगों की अभिवृत्ति और कौशल, संसाधनों की उपलब्धता और बाजार की संभाव्यता के आधार पर चुने हुए मुख्य कार्यकलापों के द्वारा कार्यकलाप समूह की स्थापना पर यह योजना ध्यान देती है। इस योजना में प्रक्रियागत दृष्टिकोण और गरीब ग्रामीणों की क्षमता निर्माण पर बल दिया जाता है। इसलिए इसमें स्वयंसेवी सहायता समूहों के विकास और पोषण, जिसमें कौशल-विकास भी शामिल है, में गैर-सरकारी संगठनों/सीबीओज/व्यक्तियों/बैंकों को स्वयं सहायता संवर्द्धन संस्थान/सुविधा प्रदाता के रूप में शामिल किया जाता है। योजना के तहत स्थानीय जरूरतों के मुताबिक सामाजिक मध्यस्थता और कौशल विकास प्रशिक्षण पर आने वाली लागत उपलब्ध कराई जाती है। समूहों के विकास की अवस्था के आधार पर प्रशिक्षण, आवर्ती कोष से आबंटन और आर्थिक कार्य-कलाप हेतु निधि के उपयोग में डी.आर.डी.ए. और राज्यों को लचीलेपन की गुंजाइश दी गई है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर आय सृजन के अवसर पैदा करने के लिए गरीब व्यक्तियों की क्षमता और हर क्षेत्र की भूमि-आधारित और अन्य संभावनाओं के आधार पर बड़ी संख्या में लघु उद्यमों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसलिए इसमें विभिन्न घटकों जैसे गरीब व्यक्तियों में क्षमता पैदा करना, कौशल विकास प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विपणन और ढांचागत सहायता पर विशेष बल दिया जाता है। योजना के अंतर्गत सब्सिडी कुल परियोजना लागत के

30 प्रतिशत की दर से दी जाती है लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 7,500 रुपये (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और विकलांगों के लिए यह सीमा 50 प्रतिशत रखी गई है जो अधिकतम 10,000 रुपये है) तय की गई है। स्वयं-सहायता समूहों को परियोजना लागत की 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 1.25 लाख या प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये, इनमें जो भी कम हो, तय की गई है। लघु सिंचाई परियोजनाओं, स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगारियों के लिए सब्सिडी की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है।

एसजीएसवाई में ग्रामीण गरीबों में कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तदनु रूप स्वरोजगारियों में से कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/जनजातियों से, 40 प्रतिशत महिलाओं और 3 प्रतिशत विकलांगों को शामिल करना अनिवार्य बनाया गया है। योजना के तहत एक बार ऋण देने के बजाय बहु-ऋण सुविधा को तरजीह दी जाती है।

स्वयं-सहायता समूह 10 से 20 सदस्यों द्वारा मिलकर गठित हो सकता है। अपंग व्यक्तियों और दुर्गम क्षेत्रों, जैसे पहाड़ी इलाकों, रेगिस्तान, छिटपुट आबादी वाले क्षेत्रों के मामले में यह संख्या न्यूनतम पांच भी हो सकती है। ये स्वयं-सहायता समूह ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित बी.पी.एल. सूची में से होने चाहिए। स्वयं-सहायता समूहों को मोटे तौर पर तीन चरणों—समूह बनाना, आवर्ती कोष के जरिए पूंजी निर्माण तथा कौशल विकास और आय अर्जन के साधन जुटाने के लिए आर्थिक क्रियाकलाप शुरू करने की प्रक्रिया से गुजरना होता है।

स्थानीय संसाधनों, लोगों की व्यावसायिक योग्यता और बाजार उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक ब्लॉक में 10 मुख्य क्रियाकलापों तक का चयन किया जा सकता है ताकि स्वरोजगारी अपने पूंजीनिवेश से समुचित आय प्राप्त कर सकें। योजना में सामूहिक प्रस्तावों पर जोर दिया गया है अर्थात् ब्लॉक स्तर पर चार-पांच चुनी हुई गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और उन गतिविधियों के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस योजना में चुनी हुई गतिविधियों पर आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और प्रत्येक स्वरोजगारी की आवश्यकताओं के अनुरूप उसके विकास पर जोर दिया जाता है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों और स्वयं-सेवा संगठनों की सक्रिय भागीदारी के साथ जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के जरिए क्रियान्वित की जा रही है। योजना पर खर्च की जाने वाली राशि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन की जाती है।

इस कार्यक्रम के तहत शुरू से अब तक 22.52 लाख स्वयं-सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है जिनमें 66.97 लाख स्वरोजगारी शामिल हैं। इन स्वरोजगारियों में 35.54 लाख स्वयं-सहायता समूह के सदस्य और 31.43 लाख व्यक्तिगत स्वरोजगारी शामिल हैं। इन्हें कुल 14,403.73 करोड़ रुपये की निवेश सहायता दी गई है। सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों में 45.54 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबद्ध हैं और 47.85 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। 2006-07 के दौरान इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में निर्देश दिया गया है कि राज्य बेरोजगार, वृद्ध, बीमार और विकलांग नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करेगा। दूसरी ओर जो इसके हकदार नहीं हैं, उनकी आर्थिक क्षमता और विकास का सीमा निर्धारण हो। राज्य की नीतियों में एकरूपता का निर्देश

है। इसलिए भारत सरकार द्वारा 1995 में गरीबों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को लाया गया। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सहायता प्रदान करना है, जिसका लाभ राज्य को तत्काल और भविष्य में हो सकता है। वर्तमान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना चलाया जा रहा है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को 19 नवंबर 2007 को आरंभ किया गया। इस योजना के तहत 65 वर्ष के या अधिक, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले को केंद्रीय सहायता से 200 रुपये प्रदान किया जाता है। पहले राष्ट्रीय पेंशन योजना सिर्फ निराश्रितों के लिए थी। 160 लाख लोग इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना से लाभ उठा रहे हैं जबकि राष्ट्रीय पेंशन योजना से मात्र 87 लाख लोग ही लाभ ले पा रहे थे।

1 अप्रैल, 2006 से वृद्धावस्था पेंशन 75 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी है। राज्य सरकार भी 200 रुपये पेंशन के रूप में देने का प्रयास करें ताकि 400 रुपये पेंशन वृद्धों को मिल सकें। वर्तमान में 25 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश 200 रुपये से अधिक पेंशन दे रहे हैं।

अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल, 2000 को आरंभ हुई। इसके अंतर्गत प्रतिमाह 10 किलो खाद्य पदार्थ मुफ्त में उपयुक्त व्यक्ति को दिए जाएंगे। इसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लाभार्थी को अन्न नहीं मिलता। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर 10,000 रुपये दिए जाते हैं। यह परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो और मृतक की उम्र 18 से 64 वर्ष हो। यह मौत सामान्य या दुर्घटना से हो सकती है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम हेतु 4200 करोड़ रुपये, वृद्धावस्था पेंशन के लिए 3800 करोड़ रुपये और 400 करोड़ रुपये राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना पर खर्च हो रहे हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का 2002-03 में राज्य योजना हस्तांतरण से राशि वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त केंद्रीय सहायता द्वारा दी जाती है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन का निरीक्षण ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा होता है।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) प्रशासन

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को मजबूती प्रदान करने और उन्हें अपने कामकाज में अधिक व्यावसायिक बनाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 1999 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) प्रशासन नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के लिए केंद्र और राज्य 75:25 के अनुपात में धन उपलब्ध कराते हैं। 2007-08 के दौरान (डीआरडीए) प्रशासन के लिए 250 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया। चालू वित्त वर्ष 2008-09 में इस योजना के लिए 250 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

कपार्ट

गांवों में खुशहाली बढ़ाने हेतु नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक गतिविधियों को सहयोग, प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने सितंबर, 1986 में ग्रामीण विकास मंत्रालय में एक स्वायत्त संस्था 'जन-सहयोग और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद' (कपार्ट) की स्थापना की।

कपार्ट की 9 प्रादेशिक समितियां/केंद्र हैं जो जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पटना,

चंडीगढ़, हैदराबाद, गुवाहाटी और धारवाड़ में स्थित हैं। प्रादेशिक समितियों को अपने-अपने प्रदेशों में स्वयंसेवी संस्थाओं को 25 लाख रुपये तक के परिव्यय वाली परियोजनाएं मंजूर करने का अधिकार है। वर्ष 2006-07 के दौरान कर्पाट के लिए 70 करोड़ रुपये का बजटीय आबंटन किया गया। कर्पाट ने अपनी स्थापना से लेकर मार्च, 2006 तक 903.34 करोड़ रुपये लागत वाली 24466 परियोजनाओं को मंजूरी दी है और इसके तहत 752.61 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

जलसंभरण विकास कार्यक्रम

ग्रामीण विकास मंत्रालय भू-संसाधन विभाग द्वारा बंजर व निम्न कोटि की जमीन की उत्पादकता बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिए सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) और एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के नाम से क्षेत्र-आधारित तीन जलसंभरण विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों की विशेष समस्याओं से निपटने के लिए वर्ष 1973-74 में सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम उन क्षेत्रों में चलाया जा रहा है जहां निरंतर सूखे की आशंका बनी रहती है। वर्तमान में यह कार्यक्रम 16 राज्यों के 195 जिलों के 972 ब्लकों में चलाया जा रहा है। मरुभूमि के विपरीत प्रभावों को कम करने के लिए 1977-78 में मरुभूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इस समय यह कार्यक्रम सात राज्यों में 40 जिलों के 235 ब्लकों में चल रहा है। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1989-90 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सामान्यतः उन इलाकों में परियोजनाएं मंजूर की जाती हैं जो मरुभूमि विकास कार्यक्रम या सूखा-प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आते।

1 अप्रैल, 1995 से ये तीनों कार्यक्रम जलसंभरण विकास के लिए तय किए गए साझा दिशा-निर्देशों के तहत क्रियान्वित किए जा रहे हैं। 1995-96 से 2007-08 तक स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण और आबंटित निधि निम्नवत है :

योजना	स्वीकृत परियोजनाएं	लाभान्वित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	केंद्र द्वारा जारी कुल निधि (करोड़ रुपये में)
सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम	27439	130.20	2837.81
मरुभूमि विकास कार्यक्रम	15746	78.73	2103.23
एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम	1877	107.0	2797.56
कुल आंकड़े	45062	322.93	7738.60

सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के तहत परियोजनाएं 500 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए और एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के अंतर्गत 5000-6000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए मंजूर की जाती हैं। इन तीनों परियोजनाओं के लिए मानक लागत संशोधित करके 600 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच खर्च 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के मामले में केंद्र और राज्यों के बीच लागत का बंटवारा 11:1 के अनुपात में होता है।

यह निधि सात किशतों में जारी की जाती है, छह किशतें 15 प्रतिशत की दर से जबकि अंतिम किशत 10 प्रतिशत की दर से। पहली किशत आरंभिक अनुमति आदेश के साथ जारी की जाती है और बाद की किशतें उपलब्ध निधि के 50 प्रतिशत के इस्तेमाल होने पर जारी की जाती हैं और साथ में ये कागजात भी लगाने होते हैं : (1) तिमाही प्रगति रिपोर्ट, (2) इस्तेमाल प्रमाणपत्र, (3) पिछले वर्षों के खातों के लेखा परीक्षण विवरण, और (4) संस्थागत प्रबंध के संतोषप्रद पूर्ण होने का साक्ष्य।

परियोजनाएं जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों द्वारा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के जरिए कार्यान्वित की जाती हैं। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी समवर्ती विभाग (राज्य सरकार का), पंचायती राज संस्थान, या किसी प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन को बनाया जा सकता है। एक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी सामान्यतः 5000-6000 हेक्टेयर के क्षेत्र में 10-12 जलसंभरण परियोजनाओं के कामकाज की देखरेख करती है। कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी को जलसंभरण विकास टीम के रूप में चार विशेषज्ञों की एक तकनीकी टीम रखनी होती है और व्यक्तिगत परियोजनाएं (500 हेक्टेयर) जलसंभरण क्षेत्र (वाटरशेड एसोसिएशन) में रहने वाले स्थानीय लोगों द्वारा जलसंभरण समिति (वाटरशेड कमेटी) नामक एक निर्वाचित निकाय के जरिए कार्यान्वित की जाती है।

भूमि संसाधन विभाग ने जलसंभरण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय और प्रशासनिक, दोनों प्रकार से अधिकारसंपन्न बनाने के उद्देश्य से एक नई पहल करते हुए 'हरियाली' नामक कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल के अंतर्गत एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) और मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) नाम से चल रहे सभी क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किए जाएंगे। क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत नई परियोजनाएं एक अप्रैल 2003 से हरियाली से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यान्वित की जाएंगी। इस तिथि से पूर्व स्वीकृत हो चुकी परियोजनाएं 2001 के जलसंभरण विकास दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की जाएंगी।

नई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतें परियोजना कार्यक्रम एजेंसियों की समग्र देखरेख और निर्देशन में परियोजनाएं कार्यान्वित करेंगी। किसी विशेष ब्लाक/ताल्लुक के लिए मंजूर सभी परियोजनाओं के लिए एक मध्यस्थ पंचायत को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी बनाया जा सकता है। इन पंचायतों के पूरी तरह सशक्त न होने की स्थिति में जिला पंचायत या तो खुद परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम कर सकती है या फिर कृषि, वानिकी, सामाजिक वानिकी, मृदा संरक्षण आदि उपयुक्त विभागों को या राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/संस्थान की किसी एजेंसी को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त कर सकती है। ऐसा करने में विफल रहने पर जिला पंचायत/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी जिले में जलसंभरण परियोजनाओं या संबंधित क्षेत्र विकास कार्यों के कार्यान्वयन में पर्याप्त अनुभव व निपुण किसी प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन को उसकी विश्वसनीयता की जांच करने के बाद परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त कर सकती है।

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायतों को जलसंभरण के लिए विकास योजनाएं तैयार करने के काम में जरूरी तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगी। इन गतिविधियों में भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन कार्यक्रम, ग्रामीण समुदायों के लिए सामुदायिक संगठन और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना जलसंभरण विकास गतिविधियों का निरीक्षण, परियोजना के खातों की जांच और उन्हें अभिप्रमाणित

करना, स्वदेशी तकनीकी जानकारी पर आधारित कम लागत वाली तकनीक को अपनाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना।

भूमि सुधार

भूमि संसाधन विभाग के अंतर्गत भूमि सुधार प्रभाग द्वारा केंद्र प्रायोजित दो योजनाएं— (i) भू-अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण और (ii) राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण और भूमि संबंधी रिकार्ड का नवीनीकरण करना है।

भू-अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण

वर्ष 1988-89 में भू-अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र से 100 फीसदी सहायता प्राप्त केंद्र प्रायोजित एक योजना विभिन्न राज्यों के आठ जिलों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू की गई थी। रंगारेड्डी (आंध्र प्रदेश), सोणितपुर (असम), सिंहभूम (बिहार), गांधीनगर (गुजरात), मुरैना (मध्य प्रदेश), वर्धा (महाराष्ट्र), मयूरभंज (उड़ीसा) और दुर्गापुर (राजस्थान) जिलों में शुरू की गई इस योजना का मकसद भू-अभिलेखों के रखरखाव में सुधार की मैनुअल प्रणाली की मुश्किलों को दूर कर भूमि रिकार्डों को अद्यतन (अपडेट) बनाना और विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों की जरूरतों को पूरा करना था। यह फैसला किया गया था कि भू-अभिलेखों के मूल आंकड़ों का कंप्यूटरीकरण करने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि विकास नियोजन में मदद मिले और लोगों/नियोजकों और प्रशासकों को आसानी से रिकार्ड उपलब्ध हो सकें।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में भू-अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण को अलग से केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी गई। आठवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम के तहत 299 जिलों में कुल 64.43 करोड़ रुपये खर्च किए गए। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के तहत 259 और जिलों को शामिल किया और 169.13 करोड़ रुपये जारी किए। वर्तमान में यह योजना देश के 582 जिलों में चलाई जा रही है। केवल वे जिले इसमें शामिल नहीं हैं जहां कोई भू-अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं।

उपयोगकर्ताओं और आम जनता को कंप्यूटरीकरण भू-अभिलेख आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1997-98 के दौरान इस योजना को तहसील/तालुक स्तर पर लागू करने का फैसला किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत तहसील स्तर, सब डिविजनल स्तर आंकड़े इकट्ठे करने के लिए डाटा एंट्री का काम करने और कंप्यूटर केंद्र स्थापित करने राज्य स्तर पर जिला भूमि रिकार्ड डाटा केंद्र और निरीक्षण सेल स्थापित करने के लिए और सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की इस्तेमाल के लिए राजस्व अधिकारियों के प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकारों को धन जारी किया जाता है। इसके तहत अब तक 4434 तहसील। ताल्लुकों; 392 जिला भूमि रिकार्ड डाटा केंद्रों, 1045 सब-डिविजन और 17 निरीक्षण सेलों को शामिल किया जा चुका है। 31.8.08 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 586.00 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके थे।

राजस्व प्रशासन को मजबूत बनाना और भू-अभिलेखों का आधुनिकीकरण

भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता करने के मकसद से 1987 में राजस्व प्रशासन को मजबूत करने और भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण की केंद्र प्रायोजित योजना

शुरू की गई। शुरू में यह योजना बिहार और उड़ीसा के लिए मंजूर की गई थी जिसका विस्तार 1989-90 के दौरान अन्य राज्यों और संघशासित प्रदेशों में किया गया। यह योजना राज्य सरकारों द्वारा अपने राजस्व एवं भू-सुधार विभागों के जरिए चलाई जाती है। केंद्र और राज्य इसके लिए बराबर-बराबर (50:50) के अनुपात में धन उपलब्ध कराते हैं लेकिन संघशासित राज्यों को केंद्र से पूरी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

इस योजना के तहत आधुनिक सर्वेक्षण उपकरणों जैसे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीएसपी), ईडीएम, टोटल स्टेशन, थियोडोलाइट्स, वर्क स्टेशन, एरियल सर्वे, फोटो कॉपियर्स जैसे कार्यालय उपकरण, लेमिनेटिंग मशीनें और बाईंडिंग मशीनें खरीदने के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। राजस्व विभाग के निचले स्तर के कर्मचारियों की कार्यकुशलता में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाने, पटवारियों के लिए कार्यालय एवं आवास का निर्माण कराने, प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण, मरम्मत व जीर्णोद्धार और प्रशिक्षण उपकरणों आदि की खरीद के लिए भी आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2008 तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 475.36 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। केंद्र द्वारा प्रायोजित इन दो योजनाओं राजस्व प्रशासन को मजबूत बनाने और भूमि रिकार्ड का आधुनिकीकरण को जोड़ने और इसमें वृद्धि करने का प्रस्ताव है जिसे बदल कर राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम का रूप दिया गया है। राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के अंतर्गत केवल भूमि रिकार्डों का कंप्यूटरीकरण, नवीनीकरण और रखरखाव और वैधता का ही रिकार्ड रखना नहीं बल्कि विकासात्मक योजनाओं के लिए व्यापक उपकरण उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के तहत आंकड़ों को तीन विभिन्न स्तरों के अनुसार एकत्र किया गया है। (क) उपग्रह तस्वीर/हवाई फोटोग्राफी से आकाशीय डाटा, (ख) भारतीय सर्वेक्षण और भारतीय वन सर्वेक्षण से स्थानों (टोपोग्राफी) के नक्शे और अन्य डाटा और (ग) भूमि रिकार्ड डाटा और नक्शे भौगोलिक सूचना प्रणाली में एक समान होंगे।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

सरकार ने 1972-73 त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (आरडब्ल्यूएसपी) के द्वारा ग्रामीण जनसंख्या की पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास किया है। ग्याहरवीं योजना को तैयार करते समय यह निर्णय लिया गया था कि इस अवधि में जिन प्रमुख समस्याओं से जूझने की आवश्यकता है, वह है- पानी की उपलब्धता और उसकी आपूर्ति, गंदे पानी की समस्या को दूर करना, जल स्रोतों/व्यवस्था की निरंतरता को सुनिश्चित करना और सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्कूली बच्चों, पिछड़े वर्गों और गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं, विकलांगों और वृद्ध लोगों को स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

ग्यारहवीं योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए उठाये गये कदम

ग्रामीण इलाकों में स्थायी रूप से पेयजल उपलब्ध कराने और पर्यावरण के अनुकूल पेयजल आपूर्ति परियोजना के अंतर्गत हाल ही में जारी दिशानिर्देश इस प्रकार हैं :

- भूजल, भूमिगत जल और वर्षा जल संचय के सुनियोजित इस्तेमाल से एक स्रोत पर निर्भरता के बजाए अनेक स्रोतों पर निर्भरता।
- पेयजल योजनाओं की दीर्घकालिकता सुनिश्चित करने पर ध्यान देना और इनके क्षय को रोकना।

- जल संरक्षण के तरीकों को बढ़ावा देना और परंपरागत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना।
- जल की समन्वित मांग और बजट प्रावधान के जरिये घरों में पेयजल सुरक्षा की दिशा में काम करना।
- ग्रामीण स्तर पर सभी जल संचय कार्यक्रम का एकीकरण।
- ग्राम स्तर पर जल सुरक्षा योजनाओं को बनाकर घरेलू स्तर पर इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रदूषण से निपटने के लिए खर्चीली प्रौद्योगिकी को छोड़कर वैकल्पिक स्रोतों को विकसित कर इनसे निपटना।
- भूतल और भूमिगत जल स्रोतों में कचरे को पहुंचने से रोकना और अजैविक उर्वरकों का इस्तेमाल घटाकर पर्यावरण की स्वच्छता पर ध्यान देना।
- खारेपन की समस्या से निपटने के लिए सौरडी-सेलिनेशन और वर्षा जल संचय का इस्तेमाल।
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम का ग्रामीण स्कूलों के लिए पेयजल सफाई प्रणाली पर अमल के वास्ते हाल के वर्षों में जलमणी दिशा-निर्देशों के साथ समावेशन।
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षित पांच निचले स्तर के कार्यकर्ता ग्रामीण भारत में घरेलू स्तर पर पेयजल सुरक्षा हासिल करने के वाहक भी हैं। 'आशा' कार्यकर्ता राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की कड़ी के रूप में काम करते हैं।
- बिखरे हुए आंकड़ों को डायएट्री के जरिये सहेजना और उन्हें जनगणना सर्वेक्षण और एनएनएफए सर्वेक्षण से संबद्ध करना।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों को अनुरूप कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण जलापूर्ति निर्देशों में निम्नलिखित बदलाव शामिल किए गए हैं:

- राज्यों के नकारात्मक प्रदर्शन की जगह उनके बेहतर कार्यों को पुरस्कृत करना। यह रुके हुए और आंशिक रूप से रुके हुए प्राकृतिक स्रोतों, जल गुणवत्ता प्रभावित स्रोतों के संबंध में राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता में दी जा रही महत्ता को समाप्त करके किया गया।
- बजट प्रावधान का मानदंड 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार होगा।
- उन राज्यों में जो पंचायती राज संस्थानों को इस संबंध में ज्यादा प्रभावी बनायेंगे उन्हें केंद्र द्वारा दी जा रही राशि में कुछ भाग प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा।
- पेयजल योजनाओं में स्थायित्व लाने के उद्देश्य से राज्यों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 20% की राशि को अलग से रखा गया है। यह 20% की राशि पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी।
- पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर जैसे कठिन परिस्थितियों वाले राज्यों में पेयजल परियोजनाओं के लिए केंद्र और राज्यों का 50:50 प्रतिशत की हिस्सेदारी की जगह अब 90:10 प्रतिशत कर दिया गया है।

संशोधित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के घटक

ग्रामीण जलापूर्ति के सभी पहलुओं को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने को सुनिश्चित करने के लिए संशोधित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के विभिन्न घटक तैयार किए गए हैं। पेयजल के लिए आबंटित कुल राशि का 10% पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रखा गया है। हाल ही में मंत्रिमंडल ने योजना के विभिन्न घटकों के तहत आबंटित राशि के प्रतिशत और आबंटन के तरीकों में बदलाव किए हैं जो इस प्रकार हैं:

घटक	वार्षिक बजट आबंटन का वितरण	केंद्र : राज्य हिस्सेदारी
ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (कुल व्यय)	38%	50 : 50* 90 : 10**
ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (स्थायित्व) स्वजलधारा***	20%	100 : 0
ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (जल गुणवत्ता)	20%	50 : 50* 90 : 10**
ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (प्राकृतिक आपदा)	5%	100 : 0
ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (डीडीपी क्षेत्र)	5%	100 : 0
ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (सहायता)	2%	100 : 0
संचालन एवं रखरखाव (संचालन एवं प्रबंधन)	10%	50 : 50* 90 : 10**

* पूर्वोत्तर राज्यों (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) और जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए।

** पूर्वोत्तर राज्यों (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) और जम्मू एवं कश्मीर के लिए।

*** संशोधित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (स्थायित्व) घटक के अंतर्गत जारी और सम्मिलित स्वजलधारा को जारी रखा जाएगा।

ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम—बजट आबंटन के मानदंड

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास जल कार्यक्रम (सामान्य) में पर्वतीय राज्यों की विशेष श्रेणी; जल गुणवत्ता की समस्या, डीडीपी, एडीपी, डीपीएपी के अंतर्गत राज्यवार बजट आबंटन किया गया है। कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटकों और प्रतिशत को नीचे दर्शाया गया है :

मानदंड	महत्व
2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या	60
ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना को ग्रामीण जनसंख्या के अनुरूप प्रबंधन (पेयजल स्रोतों/वितरण प्रबंधन)	10
ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में विशेष श्रेणी वाले पर्वतीय राज्यों और डीपीएपी और एडीपी के अन्तर्गत राज्य।	30

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास जल परियोजना

राज्यों के एनआरडीडब्ल्यूपी (डीडीपी) क्षेत्रों में वर्तमान असुरक्षित साधनों के लिए दी जाने वाली राशि के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास जलापूर्ति कार्यक्रम में अंतर्राज्यीय आबंटन इस प्रकार हैं :

महत्वपूर्ण घटक	प्रतिशत
डीडीपी ब्लकों में आनुपातिक ग्रामीण जनसंख्या	40
एनसी/पीसी/पुनर्स्थापन (2:1 अनुपात)	35
गुणवत्ता प्रभावित पुनर्स्थापित स्रोत	25

अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए बजट प्रावधान का कम से कम 25% की राशि को अनुसूचित जाति और अतिरिक्त 10% को अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए व्यय करना होगा। जिन राज्यों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत अधिक है वहां इस प्रतिशत को बढ़ाया जा सकता है। जिन राज्यों में सामान्य जनसंख्या के मुकाबले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की संख्या कम है वहां ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम का कम से कम 35% व्यय करना आवश्यक है।

पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान

पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जारी दिशा-निर्देशों में कार्यक्रम के लिए जारी कुल बजट का 10% पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित किया गया है। यह सुनिश्चित करने लिए कहा गया है ताकि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जारी बजट का इस्तेमाल हो सके। संसाधनों का एक ऐसा केंद्रीय पूल बनाया गया है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा इस्तेमाल न किये गये बजट को पूल में डाल दिया जाता है और राज्य सरकारें इस बजट से अपनी विभिन्न परियोजनाएं पूरी करती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए हाल ही में मंत्रिमंडल ने केंद्र और राज्यों के 50 : 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी की जगह इन राज्यों के लिए 90 : 10 की हिस्सेदारी कर दी है।

डीडीपी क्षेत्रों पर विशेष बल

डीडीपी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को देखते हुए ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत बजट का 5% अलग से निर्धारित किया गया है। डीडीपी ब्लकों में ग्रामीण जलापूर्ति के लिए केंद्र द्वारा सौ प्रतिशत की सहायता दी जाती है। सात राज्यों के 40 जिलों में 235 डीडीपी ब्लॉक हैं। राज्यों द्वारा इन ब्लकों में प्रति व्यक्ति और प्रति पशु के लिए 30 लीटर अतिरिक्त जल उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

भारत निर्माण—ग्रामीण पेयजल

केंद्र सरकार ने ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का विकास करने के उद्देश्य से 2005 में भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की है जो वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक की अवधि में लागू किया जा चुका है। ग्रामीण पेयजल भारत निर्माण कार्यक्रम के छह घटकों में से एक है। भारत निर्माण को लागू की गई इस अवधि

में जहां जलापूर्ति बिल्कुल नहीं थी ऐसे 55,067 क्षेत्रों और 3.31 लाख ऐसे इलाकों जहां आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही थी, शामिल करके पेयजल उपलब्ध कराया गया। 2.17 लाख ऐसे इलाकों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया जहां गंदे पानी की सप्लाई की जाती थी।

भारत निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई नीति

शामिल न हो पाई बस्तियां : भारत निर्माण अवधि के दौरान शामिल की जाने वाली 55067 बस्तियों में से 29 जून, 2009 तक 54433 बस्तियों को शामिल किया जा चुका है। शेष बची 637 बस्तियों में से कुछ दुर्गम स्थानों पर हैं, जहां पेयजल के अच्छे स्रोतों की कमी है। इनमें 2009-10 के दौरान पेयजल आपूर्ति का प्रावधान करने का प्रस्ताव है।

छूटी हुई बस्तियां : छूटी हुई कुल 383878 बस्तियों में से 29 जून, 2009 तक 358246 बस्तियों को शामिल कर लिया गया था। शेष 25482 बस्तियों को इस वित्त वर्ष में शामिल कर लिया जाएगा। विभाग का मुख्य जोर तथा रणनीति सभी पेयजल आपूर्ति कार्यक्रमों पर है, इससे बस्तियों के छूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

अर्सेनिक और फ्लोराइड : देश में 2.17 लाख जल स्रोत गंदे पानी से प्रभावित हैं जिनमें 5,029 स्रोतों में अर्सेनिक और 31,306 स्रोतों में फ्लोराइड की वजह से दूषित हैं। भारत निर्माण कार्यक्रम लागू करने के दौरान इन क्षेत्रों में स्वच्छ पानी की सप्लाई को प्राथमिकता दी गई। गंदे पानी की समस्या को दूर करने वाली परियोजनाओं में अर्सेनिक प्रभावित सभी जलस्रोतों को शामिल करके वहां स्वच्छ पानी की आपूर्ति की गई। फ्लोराइड प्रभावित स्रोतों में भी अधिकतम में इस समस्या को दूर करके साफ चालू वर्ष के दौरान प्राथमिकता देकर इस समस्या को दूर किया जाने का प्रयास किया जा रहा है।

लोहा प्रभावित

भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत में ही 1,18,088 जलस्रोतों को लोह प्रभावित दूषित पानी होने की रिपोर्ट थी। इन जल स्रोतों के पानी को दूषित पानी को कम खर्चीली पद्धति से स्वच्छ जल में तब्दील करने की योजना तैयार की गई। इनमें पानी को फिल्टरेशन द्वारा स्वच्छ बनाया गया। मिनरल एवं मैटिरियल प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएमएमटी) भुवनेश्वर को देशभर में लौह प्रभावित दूषित पानी की समस्या को दूर करने के लिए नोडल संस्थान के रूप में तैयार किया गया है। इस संस्थान ने टेराकोटा फिल्टर तैयार करके लोह प्रभावित पानी को स्वच्छ पानी में तब्दील करने की तकनीक तैयार की है। यह फिल्टर आसानी से बनाये जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल और रखरखाव भी काफी आसान है।

खारापन

इसी प्रकार 23,495 स्रोतों को खारे पानी की समस्या की वजह से दूषित पाया गया है। यह ज्यादातर तटीय क्षेत्रों में स्थित है। इन स्रोतों में खारे पानी की समस्या को दूर करने के लिए भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र; रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कई प्रौद्योगिकी तरीके विकसित किये गये हैं। इन प्रौद्योगिकी समाधानों से खारे पानी की समस्या से निजात पाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए सेंट्रल साल्ट एंड मेरिन कैमिकल्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट (केंद्रीय लवण एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान) भावनगर को नोडल एजेंसी के रूप में तैयार किया गया है। यह संस्थान कम लागत और साधारण तरीके से खारे पानी को पीने के साफ पानी में तब्दील करने की तकनीक को देशभर में भेजने का काम कर रही है।

नाइट्रेट

देशभर में 13,958 जल स्रोतों को नाइट्रेट से दूषित पानी से प्रभावित पाया गया है। इस समस्या को स्वच्छता से और उर्वरकों के कम इस्तेमाल से दूर किया जा सकता है।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए मानदंड

ग्रामीण जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1972 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम शुरू किया गया था। कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत मानदंड अपनाये गये हैं : प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता पूरी करने के लिए 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है।

उद्देश्य	मात्रा (एलपीसीडी)
पेयजल	3
खाना बनाने के लिए	5
नहाने के लिए	15
बर्तन धोने और घर की सफाई के लिए	7
प्रक्षालन	10

ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए आबंटित राशि

करोड़ रुपये में

वर्ष	बजट व्यय	संशोधित बजट
2005-06	4,050.00	4,060.00
2006-07	5,200.00	4,560.00
2007-08	6,500.00	6,400.00
2008-09*	7,300.00	7,300.00
2009-10	8,000.00	-

*ग्रामीण स्कूलों में पानी को साफ करने के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए ग्रामीण पेयजल के लिए 39,490 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई।

11वीं योजना के लिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के वास्ते 39,490 करोड़ रुपये आबंटित किए गए।

स्वच्छता कार्यक्रम (टीएससी)

1980 के विश्व जल दशक में केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता पर विशेष बल दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम में व्यक्तिगत स्वच्छता, ग्रह स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल तथा कूड़े-कचरे, मानव मलमूत्र और नाली के दूषित पानी का निस्तारण शामिल किया गया है जिसके लिए मूलभूत ढांचा तैयार करने और सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। ढांचागत सुविधाओं के अभाव के कारण और वित्तीय सहायता कम होने के कारण केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम से इस

विशालकाय समस्या को बहुत दूर नहीं किया जा सका है। कुछ राज्यों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान, सामुदायिक भागीदारी के कारण इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के बाद 1999 में कुल स्वच्छता अभियान चलाया गया।

उद्देश्य

कुल स्वच्छता अभियान के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन शैली में सुधार लाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान में तेजी लाना।
- जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्वच्छता के प्रति मांग बढ़ाना।
- स्वच्छता सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों और आंगनबाड़ियों को शामिल करना। साथ ही छात्रों को साफ-सफाई के लिए शिक्षित करना।
- स्वच्छता के लिए कम लागत वाली उपयुक्त प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना।
- खुले स्थानों पर मल त्याग न करने के लिए लोगों को जागरूक करना ताकि पेयजल और खाद्य पदार्थ दूषित न हों।
- सूखे शौचालयों की जगह फ्लश वाले शौचालयों को बनाना और मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना।

रणनीति

इस कार्यक्रम के लिए 'सामुदायिक भागीदारी' और 'लोगों पर केंद्रित' नीति तैयार की गई है। मांग बढ़ने की दृष्टि को अपनाकर घरों, स्कूलों और स्वच्छ पर्यावरण में स्वच्छता सुविधाओं के लिए जागरूकता पैदा करने और उसकी मांग बढ़ाने के प्रति जोर दिया गया। समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक वितरण व्यवस्था को अपनाया गया। प्रत्येक व्यय में व्यक्तिगत शौचालयों की जगह निर्धनतम घरों में शौचालय बनाने पर प्रोत्साहन देना शामिल किया गया। ग्रामीण स्कूली शौचालयों का निर्माण कार्यक्रम का मुख्य घटक है और ग्रामीण लोगों द्वारा स्वच्छता अपनाने का यह सबसे बेहतर तरीका है। पंचायती राज संस्थानों, सहकारी संगठनों, महिला समूहों, स्व-सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद से जागरूकता एवं शिक्षा अभियान चलाना। बेहतर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल के प्रति जागरूक करना। इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए बनाई गई नीति में लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना, उन्हें जीवन शैली में बदलाव लाना है। इसके लिए कम लागत वाले और उनकी पहुंच के अंदर उन्हें शौचालय उपलब्ध कराना है।

वर्ष 2001 में 21.9% लोगों को ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल किया गया था जबकि जून, 2009 में इसका लक्ष्य बढ़ाकर दुगुना करके 58.42% कर दिया गया। कार्यक्रम के यह उल्लेखनीय परिणाम 5.70 करोड़ व्यक्तिगत शौचालय, 8.9 स्कूली शौचालय और 2.77 लाख आंगनबाड़ी शौचालय के निर्माण के बाद हासिल किए गए हैं।

- स्वच्छता कार्यक्रम को वर्ष 2005 में निर्मल ग्राम पुरस्कार की शुरुआत करके और तेजी से लागू किया गया।
- वर्ष 2001 तक वार्षिक स्वच्छता कार्यक्रम में लोगों की वार्षिक भागीदारी की वृद्धिदर 1% ही थी।

- 1999 में कुल स्वच्छता अभियान की शुरुआत के बाद 2001 के मुकाबले 2004 में यह भागीदारी बढ़कर 3% हो गई।
- वर्ष 2004 में स्वच्छता कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी बढ़कर 7-8% हो गई।

वित्तीय प्रावधान

कार्यक्रम के लिए वर्ष 2002-03 में दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 165 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था, इसे बढ़ाकर वर्ष 2009-10 में 1200 करोड़ रुपये कर दिया गया।

कुल स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 593 जिला परियोजनाओं को 4-5 वर्षों में लागू करने के लिए 17885 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी जिसमें 11094 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा और 4776 करोड़ रुपये राज्यों द्वारा और 2015 करोड़ रुपये सामुदायिक भागीदारी थी।

- केंद्र द्वारा 4172.09 करोड़ रुपये और राज्यों द्वारा 2415.58 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
- कुल स्वच्छता अभियान की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि समुदायों द्वारा परियोजना के 1286.74 करोड़ रुपये का योगदान दिया गया।

प्रमुख घटक

- व्यक्तिगत शौचालयों का प्रावधान : गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को केंद्र द्वारा 1500 रुपये और राज्य द्वारा 700 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों को शौचालय बनवाने के लिए स्व-सहायता समुदायों से, बैंकों, सहकारी संगठनों आदि से ऋण लेकर या अपने खर्चे से शौचालय बनवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- केंद्र और राज्यों द्वारा 70 : 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ स्कूलों और आंगनवाड़ी में शौचालयों का निर्माण।
- सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण।
- शौचालयों के निर्माण के लिए सामग्री और उपकरणों/उत्पादन के लिए सहायता।
- मल निकास की व्यवस्था।

कार्यान्वयन

कुल स्वच्छता अभियान को कार्यान्वित करना एक परियोजना के तहत होता है। प्रस्तावित परियोजना जिला स्तर पर बनाई जाती है, राज्य सरकार उसकी जांच करती है और केंद्र सरकार (ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति विभाग) उन लोगों तक पहुंचाती है। स्वीकृत स्वच्छता अभियान की परियोजना कई चरणों में कार्यान्वित की जाती है। जानकारी, शिक्षा और जागरूकता के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस अभियान से जुड़े अन्य संगठनों और सरकार द्वारा लोगों को जानकारी देने, उन्हें स्वच्छता के प्रति शिक्षित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों तथा पंचायती राज संस्थानों की मदद ली जाती है ताकि लोगों में स्वच्छ जीवन शैली अपनाने की रुचि जागृत हो सके।

उपलब्धियां

- इस समय स्वच्छता अभियान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 593 ग्रामीण जिलों में चलाया जा रहा है।

- 2009 की गणना के अनुसार बिना शौचालयों वाले 15.02 करोड़ ग्रामीण घरों में से जून, 2009 तक 8.90 करोड़ घरों में शौचालय बनवाये गये। शेष 6.15 करोड़ घरों में शीघ्र ही शौचालय बनवाये जाएंगे।
- 2001 की जनगणना में से 64.4% घरों को और 58% घरों को शामिल किया जा चुका है।

निर्मल ग्राम पुरस्कार

स्वच्छता के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने की दिशा में पंचायती राज संस्थानों के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना शुरू की गई। यह पुरस्कार उन पंचायती राज संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने गांवों में खुले में मल त्यागने या शौच करने को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। निर्मल ग्राम पुरस्कार की अवधारणा सामाजिक इंजीनियरिंग और सामुदायिक भागीदारी की दिशा में महत्वपूर्ण उपकरण माना गया है। इससे ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को लागू करने में काफी मदद मिली है। निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत का असर आसपास के गांवों को भी प्रभावित करता है। देशभर में पंचायती नेताओं की कल्पना शक्ति को जगाने और स्वच्छता का चैंपियन बनाने में निर्मल ग्राम पुरस्कार का विशेष योगदान रहा है। जून, 2005 से ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा गांवों को शामिल करने की गति में इस पुरस्कार की वजह से तेजी से वृद्धि हुई है। निर्मल ग्राम पुरस्कार के अंतर्गत जिन पंचायती राज संस्थानों और अन्य संस्थानों को पिछले चार वर्षों में पुरस्कृत किया गया है। वह इस प्रकार हैं :

पुरस्कृत पंचायतें

- 2005— 38 ग्राम पंचायतें और 2 ब्लॉक पंचायतें।
- 2006— 760 ग्राम पंचायतें, 9 ब्लॉक पंचायतें और 4 संस्थान।
- 2007— 4945 ग्राम पंचायतें, 14 ब्लॉक पंचायतें और 9 संस्थान।
- 2008— 12276 ग्राम पंचायतें, 105 ब्लॉक पंचायतें, 8 जिला पंचायतें और 10 संस्थान।
- सिक्किम को देश का सबसे पहला निर्मल राज्य घोषित किया गया है।

25. वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीनकाल की उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी परंपरा रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारा वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी ढांचा न तो विकसित देशों जैसा मजबूत था और न ही संगठित। इसके फलस्वरूप हम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अन्य देशों में उपलब्ध हुनर और विशेषज्ञता पर आश्रित थे। पिछले चार दशकों के दौरान राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक आधारभूत ढांचा बना है व सामर्थ्य उत्पन्न कर ली गई है जिससे अन्य देशों पर भारत की निर्भरता घटी है। वस्तुओं, सेवाओं और उत्पादों के लिए व्यापक पैमाने पर लघु उद्योग से लेकर अत्याधुनिक परिष्कृत उद्योगों तक की स्थापना की जा चुकी है। मूलभूत और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र की नवीनतम जानकारी से लैस अनुभवी विशेषज्ञों का समूह अब उपलब्ध है, जो प्रौद्योगिकीयों में से विकल्प चुन सकता है, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर सकता है और देश के भावी विकास का ढांचा तैयार कर सकता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बुनियादी ढांचा

भारत में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक गतिविधियां केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उच्चतर शैक्षणिक क्षेत्र, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों और बिना लाभ के काम करने वाले संस्थानों/संघों समेत एक विस्तृत ढांचे के अंतर्गत संचालित की जाती हैं। संस्थागत प्रतिष्ठानों ने अपनी अनुसंधान प्रयोगशालाओं के जरिए देश में अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इनमें प्रमुख हैं—वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इनके अलावा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की विभागीय प्रयोगशालाएं हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, अंतरिक्ष विभाग, महासागर विकास विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, अक्षय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके अतिरिक्त औद्योगिक उपक्रमों की अपनी लगभग 1,200 अनुसंधान और विकास इकाइयां हैं जो अपने-अपने क्षेत्र में अनुसंधान करती हैं। अनेक भारतीय विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थाओं जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में भी अनुसंधान और विकास का काफी काम होता है।

नयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति 2003

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और नई पहलों को दिशा देने के लिए सरकार ने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति, 2003 की घोषणा की है। इस नीति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रशासन के प्रति रवैया, मौजूदा भौतिक और ज्ञान संसाधनों के उचित इस्तेमाल, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन और उनसे उबरने के लिए नई तकनीकों और प्रणालियों के विकास, नई प्रौद्योगिकी के विकास, बौद्धिक संपदा के सृजन और प्रबंधन तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी के लाभों और उपयोगों के बारे में आम जनता के बीच जागृति पैदा करने की रूपरेखा बनाई गई है।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग

मई 1971 में स्थापित विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग का उद्देश्य नए क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना और देशभर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी गतिविधियों के आयोजन, समन्वय तथा प्रोत्साहन के लिए नोडल विभाग की भूमिका अदा करना है। इतने वर्षों के दौरान विभाग ने नीति संबंधी प्रपत्र तथा दिशा-निर्देश बनाए हैं। विभाग ने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उन क्षेत्रों में समन्वय प्रणाली स्थापित की है जिनमें अनेक संस्थानों की दिलचस्पी है और क्षमता है तथा वैज्ञानिक संस्थाओं और व्यावसायिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस प्रक्रिया में विभाग ने उत्प्रेरक और समन्वयकारी भूमिका अदा की है। इस दौरान केंद्रशासित प्रदेशों और राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के प्रयासों में भी गति आई है।

अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) विज्ञान तथा अभियांत्रिकी के क्षेत्रों में विभिन्न विषयों में अग्रणी व प्राथमिकता वाले अनुसंधान व विकास क्षेत्रों का पता लगाने व उन्हें बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यह कार्य विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान परिषद (एस.ई.आर.सी.) के माध्यम से किया जाता है जो एक ऐसी सलाहकार संस्था है जिसमें आई.आई.टी., विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा उद्योगों के विख्यात वैज्ञानिक व तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। परिषद अपनी परामर्शदात्री समितियों के जरिए विभाग को विभिन्न प्रस्तावों के विश्लेषण में मदद देने के साथ-साथ अनुसंधान व विकास के ऐसे नए और अंतर-विषयक क्षेत्रों की पहचान भी करती है जिनमें समन्वित प्रयासों की जरूरत है। परामर्शदात्री समितियों की मदद से परिषद विभिन्न विषयों में प्रायोजित प्रत्येक परियोजना की प्रगति की निगरानी भी करती है और देखती है कि समन्वित व ठोस प्रयासों में कितनी प्रगति हुई है। प्रत्येक वर्ष विभाग को लगभग 1,000 अनुसंधान प्रस्ताव प्राप्त होते हैं जिनमें से अधिकांश मूलभूत विज्ञान व अभियांत्रिकी अनुसंधान की श्रेणी में आते हैं।

नैनोविज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते हुए अंतर्विषयक क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखकर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम “नैनोमैटिरियल्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनीशिएटिव” की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में नैनोविज्ञान और प्रौद्योगिकी के संपूर्ण शोध और विकास कार्य पर काफी जोर दिया जाता है ताकि भारत इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके और नई प्रौद्योगिकियों के विकास में योगदान कर सके।

भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर सरकार ने *स्वर्ण जयंती शोधवृत्ति* योजना शुरू की जिसका उद्देश्य प्रतिभावान युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान में विश्वस्तरीय क्षमता हासिल करने में मदद करना है। यह फैलोशिप 30-40 वर्ष के आयु वर्ग वाले ऐसे भारतीय वैज्ञानिकों के लिए है जिन्होंने अनुसंधान के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है और अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है।

आधारभूत ढांचे का विकास

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए अनुसंधान और विकास की नई सुविधाओं को स्थापित करने और मौजूदा सुविधाओं को बेहतर बनाने में सहयोग देने में उत्प्रेरक का काम कर रहा है। उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के कार्यक्रम से विज्ञान और अभियांत्रिकी के चुनिंदा क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं और अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करने में मदद

मिली है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसी एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक को ध्यान में रखकर एकांशों/कोर समूहों तथा राष्ट्रीय अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना की जाती है, जो उस क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र बिंदु बन जाते हैं।

विश्वविद्यालय नवीनता और अनुसंधान के उद्गम स्थल हैं। शैक्षिक/अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान व अध्यापन की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक नया कार्यक्रम 'फंड फार द इम्प्रूवमेंट आफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूनिवर्सिटीज एंड अदर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस' (विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए निधि) (एफ.आई.एस.टी.) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया। इसके तहत प्रयोगशालाओं को बेहतर बनाने के लिए उपकरण, कंप्यूटर नेटवर्किंग, पुस्तकालय आदि सुविधाएं दी जाती हैं। सक्रिय विश्वविद्यालय/शैक्षिक विभाग की पहचान सहकर्म पुनरीक्षण प्रक्रिया द्वारा की जाती है। साथ ही उस स्थान का दौरा भी किया जाता है।

मानव संसाधन विकास

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नई प्रतिभाओं की पहचान के लिए भी विभिन्न कार्यक्रमों को सहयोग देता है और विज्ञान व प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए फैलोशिप के रूप में वित्तीय सहायता देता है। विभाग शोधकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रीष्म विद्यालय तथा संपर्क कार्यक्रम चलाता है। जिन कार्यक्रमों को सहयोग दिया गया है, वे हैं—*बॉयसकास्ट* (बीओवाईएससीएसटी) फैलोशिप, एस.ई.आर.सी. छात्र फैलोशिप, आदि। स्नातक स्तर के छात्रों को भी फैलोशिप दी जाती है, ताकि उन्हें उत्कृष्ट अनुसंधान प्रयोगशालाओं में कार्य का अनुभव मिल सके। युवा वैज्ञानिकों (35 वर्ष से कम) को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास प्रक्रिया में शामिल करने और उन्हें अपने अनुसंधान संबंधी दिलचस्पी व नए विचारों को साकार रूप देने का मौका देने के लिए विभाग युवा वैज्ञानिकों के लिए एक विशेष योजना चला रहा है।

किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना नामक एक नई योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य उच्चतर विद्यालय/कालेज-स्तर के होनहार युवाओं को प्रोत्साहित करना और उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में ही अपना पेशा चुनने के लिए तैयार करना है। विद्यालय-स्तर पर प्रतियोगिताओं के जरिए प्रतिभाओं को ढूंढा जाएगा और चुने गए होनहार लोगों को आकर्षक फैलोशिप/छात्रवृत्ति तब तक दी जाती रहेगी जब तक वे विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त न कर लें। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चुनिंदा क्षेत्रों में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए सैद्धांतिक रसायन शास्त्र, भू-विज्ञान, खगोल शास्त्र, खगोल भौतिकी, लेजर, प्रकाशीय विज्ञान, आणविक और परमाणु भौतिकी आदि विषयों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, ग्रीष्म/शीत विद्यालय भी आयोजित किए गए।

विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग ने वर्ष 2002 में *महिला वैज्ञानिक योजना* शुरू की। इसके अंतर्गत महिला वैज्ञानिकों को अपने पेशे में अंतराल देकर या बिना अंतराल दिए विज्ञान के सभी पहलुओं पर काम करने के लिए सहयोग दिया जाता है तथा इसी क्षेत्र को अपना व्यवसाय बनाने और समाज के विकास में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने हेतु प्रेरित किया जाता है।

प्रौद्योगिकी विकास और संबद्ध कार्यक्रम

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग "औषधि और भेषज अनुसंधान" के अंतर्गत दवा कंपनियों और राष्ट्रीय

अनुसंधान व विकास की अकादमिक संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत परियोजनाओं में सहायता देता है। कार्यक्रम का उद्देश्य नयी दवाओं और ज्ञात दवाओं/दवाओं के महत्वपूर्ण मध्यवर्ती घटकों के लिए दोषमुक्त प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का विकास करना है। सभी चिकित्सा पद्धतियाँ—एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध और यूनानी—की दवाएं इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अनुसंधान और विकास के लिए राष्ट्रीय सुविधाओं की स्थापना भी कार्यक्रम के तहत की गई है। इसके अंतर्गत केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में मीडियम थ्रूपुट फैसिलिटी, भेषज परीक्षण सुविधा और सेंटर फार फार्मेको-काइनेटिक एंड मेटाबोलिक स्टीडीज, आई.आई.सी.बी. कोलकाता में इम्प्यूनो मॉड्यूलेटरी पोर्टेंशियल टेस्टिंग फैसिलिटी, सीसीएमबी हैदराबाद में जीन परिवर्तित और जीन नॉक आउट चूहों के बारे में राष्ट्रीय सुविधा, और राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मोहाली में राष्ट्रीय जैव उपलब्धता केन्द्र आदि का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। अब तक 7 राष्ट्रीय सुविधाओं सहित 45 परियोजनाओं का वित्तपोषण उद्योगों और संस्थानों के संस्थागत सहयोग से किया गया है। इनमें 20 संस्थाएं (राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और विश्वविद्यालय) तथा 19 औषधि कंपनियां शामिल हैं। कार्यक्रम के परिणामस्वरूप भारत और विदेशों में 12 पेटेंट दर्ज कराए गए हैं।

विभाग ने 24 सामाजिक-आर्थिक मंत्रालयों में दीर्घावधि/अल्पावधि के संयुक्त टेक्नोलाजी विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी सलाहकार समितियां गठित करने हेतु दिशानिर्देश प्रदान किए। इन समितियों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करने और विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों का जायजा लेने के लिए विभाग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में अंतर-क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति गठित की है। सूचनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए इस समिति द्वारा एक त्रैमासिक पत्र 'स्टैक स्कैन' का प्रकाशन किया जा रहा है।

विभाग उद्योगों और सामाजिक-आर्थिक मंत्रालयों के सहयोग से अनेक प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रमों की पहचान, संरचना और संचालन में उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस दिशा में विभाग के प्रयासों से प्रौद्योगिकी के उभरते नए क्षेत्रों में बहु-संस्थागत कार्यक्रम शुरू करने में मदद मिली है। इसी कार्यक्रम के तहत उपकरण विकास, अत्याधुनिक सामग्री, चीनी प्रौद्योगिकी, क्रांतिक प्रौद्योगिकी, फ्लाई ऐश उपयोगिता तथा आधुनिक-यौगिकों और उच्च तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र की परियोजनाओं को सहयोग जारी रखा गया है।

इस विभाग ने प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और आकलन परिषद-टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल (टी.आई.एफ.ए.सी.-टाइफैक) नामक स्वायत्त संस्था का गठन किया है। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी आकलन, प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान, बाजार तथा तकनीक संबंधी सर्वेक्षण के दस्तावेज तैयार करना और प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली स्थापित करना है। अब तक परिषद ने लगभग 280 विशिष्ट रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया है, जिनमें कृषि से अत्याधुनिक संसरो तक और सामग्रियों से जैव प्रौद्योगिकी के आर्थिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्र तक सब शामिल हैं। इसमें अग्रणी और आगे बढ़ रही प्रौद्योगिकियों, जैसे जीन परिवर्तित बीजों, बायोचिप्स, आर—डी.एन.ए उत्पादों, जीन परिवर्तित पशु मॉडलों, सरफेस इंजीनियरिंग आदि पर ध्यान दिया गया है। इन रिपोर्टों में उद्योगों, संस्थानों, उद्यमियों और विशेषज्ञों के लिए प्रौद्योगिकी की भावी तस्वीर, विकल्प और परिदृश्य से जुड़ी जानकारी दी गई है। परिषद ने पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के 16 क्षेत्रों में किए गए कार्यों का खाका खींचते हुए अनेक रिपोर्टें भी तैयार की हैं।

टी.आई.एफ.ए.सी. द्वारा लंबी अवधि के लिए जारी प्रौद्योगिकी परिदृश्य रिपोर्टें, 'टेक्नोलॉजी विजन 2020' में भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण 17 क्षेत्रों को शामिल करते हुए दूरगामी प्रौद्योगिकी

पूर्वानुमान लगाया गया है। यह रिपोर्ट अपेक्षित लक्ष्य की तत्काल उपलब्धि की प्रौद्योगिकी का व्यावहारिक खाका प्रस्तुत करती है। इन रिपोर्टों की कुछ सिफारिशों को विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं के माध्यम से लागू किया जा रहा है ताकि उनकी व्यापक स्तर पर पुनरावृत्ति की जा सके। इसका परिणाम चुने गए छह क्षेत्रों कृषि तथा कृषि खाद्य क्षेत्र, सड़क निर्माण और परिवहन उपकरण, कपड़ा मशीनरी/कपड़ा उद्योग का विकास, स्वास्थ्य सेवाएं और हर्बल/प्राकृतिक उत्पाद, उद्योग से संबंधित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और व्यावसायिक संस्थानों का विकास आरईएसीएच—REACH (मिशन रीच) तथा हाइड्रोजन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ग्रामीण संपर्क, एस एम ई आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लक्षित कार्यक्रम में व्यापक प्रयोग हेतु प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन की परियोजनाओं के सीमित स्तर पर अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में सामने आया है।

परिषद द्वारा चुने हुए विज्ञान और इंजीनियरी कॉलेजों के स्तर पर सुधार लाने के लिए मिशन रीच चलाया जा रहा है ताकि चयनित संस्थानों में नई ऊंचाईयों को हासिल करने में सक्षम, प्रासंगिक और उत्कृष्ट केंद्रों का गठन किया जा सके। उद्योगों तथा समाज के लिए प्रासंगिक अनेक नये क्षेत्रों में इसी तरह के 26 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन टाइफैक-कोर केंद्रों की एक अनोखी विशेषता यह है कि अनुसंधान कार्यक्रमों, अनुसंधान परियोजनाओं और परामर्श सेवाओं के माध्यम से उद्योग इनमें सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। संस्थाओं/क्षेत्रों आदि का विवरण www.missionreach.org में देखा जा सकता है।

परिषद में एक पेटेंट सुविधा प्रकोष्ठ की स्थापना भी की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य अनुसंधान व विकास कार्यक्रमों की प्रोत्साहन प्रक्रिया में पेटेंट जानकारी को महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना है। इसका काम देश के वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों को निरंतर पेटेंट सुविधाएं उपलब्ध कराना, बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में गतिविधियों पर नजर रखना, पेटेंट के बारे में जागृति उत्पन्न करना और जानकारी देना, ट्रिप्स समझौते तथा विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत अन्य समझौतों से जुड़े नीति संबंधी अध्ययन और विश्लेषण करना भी शामिल है। केंद्र वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों को नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालयों में सरकारी शोध और विकास संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। पी.एफ.सी. ने आकड़ों के दो सी.डी. रोम भी तैयार किए हैं जिनमें 1995 से अब तक की सूचनाएं उपलब्ध हैं। केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और सेवाओं की विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.indianpatents.org.in पर उपलब्ध है। पी.एफ.सी. ने सूक्ष्म जीवों पर एक रिपोर्ट तैयार की है और “पेटेंट मेड इजी” नाम से एक वीडियो कार्यक्रम भी विकसित किया है।

उद्यमियों में नवीनता को बढ़ावा देने के लिए टाइफैक और डीएसआईआर द्वारा एक नए स्वर्ण जयंती कार्यक्रम ‘टेक्नोप्रेन्योर प्रमोशन प्रोग्राम’ (टी.ई.पी.पी.) की शुरुआत की गई है। टी.ई.पी.पी. का मुख्य जोर भारतीय उद्यमियों में छुपी नवप्रवर्तन क्षमता को बाहर निकाल कर उसका उपयोग करना है। विचार/खोज/जानकारी के स्तर को कार्यशील मॉडल/प्रोटोटाइप/पायलट संयंत्रों के स्तर तक ले जाने के लिए निजी अन्वेषकों की परियोजनाओं की मदद की जाती है। वित्तीय सहायता के साथ-साथ प्रयास किया जाता है कि उन्हें अनुसंधान और विकास की आधुनिक सुविधाओं और विशेषज्ञता से जोड़ा जा सके; उन्हें पेटेंट खोजने और भरने में मदद की जा सके; व्यावसायिक रूप से लाभ उठा सकने के लिए वित्तीय संस्थानों से जोड़ने हेतु मंच उपलब्ध कराया जा सके, आदि।

सबसे निचले स्तर के अन्वेषकों को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय नवाचार संस्थान की स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे उत्साही अन्वेषकों को जासूसी, जलांडक, स्थाईकरण और अनुमाप में संस्थागत सहयोग देना है ताकि वे अपना कारोबार स्वयं संभाल सकें।

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का गठन सितंबर 1996 में किया गया। यह बोर्ड औद्योगिक इकाइयों तथा अन्य संस्थाओं को स्वदेशी तकनीक के विकास तथा व्यावसायिक उपयोग करने अथवा आयातित तकनीक के वृहद घरेलू उपयोग को अपनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। बोर्ड ने जिन क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी, वे हैं: चिकित्सा तथा औषधियाँ, अभियांत्रिकी तथा इलेक्ट्रानिकी, रसायन तथा स्नेहक, कृषि तथा जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, बिजली की तार, सड़क, वायु परिवहन, ऊर्जा, अपशिष्ट इस्तेमाल तथा दूरसंचार। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, शैक्षिक संस्थानों तथा उद्योग में मान्यता प्राप्त इन-हाउस अनुसंधान व विकास इकाइयों द्वारा प्रौद्योगिकी प्रदान की जाती है। जिन उत्पादों का सफलतापूर्वक उत्पादन और विपणन किया जा रहा है उनमें आनुवंशिक विधि से विकसित हेपेटाइटिस-बी टीका, मक्का के अपशिष्ट से जैव-उर्वरक, सूर्यामिन नाम से ग्लूटेन, क्षयरोग के उपचार में काम आने वाली दवा बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रतिस्थानिक दवा डीएल 2 अमीनो ब्यूटानोल, खाने वाली एंटी बायोटिक सेफेलोस्पोरिन दवा-सेफेक्सिम, रिकाम्बिनेंट हैपेटाइटिस-बी टीका, बैक्टीरियल इंडोटीक्सिन का पता लगाने के लिए सीएएल रीएजेंट, कपड़ा मिलों के लिए कार्डिंग मशीन, निकोटीनेमाइड, अरंडी के तेल से अन्डीसेनिओइक एसिड और शहरी कचरे से ईंधन आदि।

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड 1999 से हर साल 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर किसी एक औद्योगिक इकाई को “स्वदेशी प्रौद्योगिकी के सफल व्यावसायीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार” प्रदान करता है। राष्ट्रीय पुरस्कार के दो भाग होते हैं: i) औद्योगिक इकाई जिसने स्वदेशी प्रौद्योगिकी का सफल व्यावसायीकरण किया और ii) ऐसी प्रौद्योगिकी का विकासकर्ता/प्रदाता। प्रत्येक भाग की पुरस्कार राशि 2 लाख रुपये है जो कि प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद का सफल व्यावसायीकरण करने वाली लघु इकाई को दी जाती है।

परीक्षण तथा अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड

परीक्षण तथा अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड (एनएबीएल) परीक्षण, अंशांकन और चिकित्सा प्रयोगशालाओं की तकनीकी क्षमता के लिए औपचारिक मान्यता प्रदान करता है। एनएबीएल की मान्यता परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए आमतौर पर आईएसओ/आईईसी 17025-2005 तथा चिकित्सा प्रयोगशालाओं के लिए आईएसओ 15189:2003 पर आधारित है। 31 मई 2006 तक बोर्ड 428 परीक्षण प्रयोगशालाओं, 220 अंशांकन प्रयोगशालाओं तथा 68 चिकित्सा प्रयोगशालाओं का प्रमाणन कर चुका था।

बोर्ड की प्रमाणन प्रणाली आईएसओ/आईईसी 17011:2004 और एशिया पैसिफिक लेबोरेटरी एक्क्रेडिटेशन कांफ़िडेंस (एपीएलएसी) एमआर 001 के प्रावधानों के अनुसार है। सन् 2000 में एपीएलएसी द्वारा बोर्ड के कार्यों के मूल्यांकन के बाद एपीएलएसी और इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्क्रेडिटेशन कोऑपरेशन (आईएलएसी) ने बोर्ड को पारस्परिक मान्यता व्यवस्था के तहत हस्ताक्षरकर्ता सदस्य देश का दर्जा दे दिया है। 2004 में एनएबीएल के फिर से मूल्यांकन के बाद इस दर्जे का 2008 तक के लिए नवीकरण कर दिया गया है। इन पारस्परिक मान्यता समझौतों के अनुसार बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा जारी रिपोर्टों को 46 अर्थव्यवस्थाओं के 54 प्रमाणन संगठनों द्वारा जारी रिपोर्टों के समकक्ष माना जाता है।

अपनी प्रयोगशाला प्रमाणन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए बोर्ड ने निकट भविष्य में दक्षता परीक्षण करने वालों और प्रमाणित संदर्भ सामग्री उत्पादकों के लिए भी प्रमाणन कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनायी है।

सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ऐसे कार्यक्रमों को तैयार करने और चलाने के लिए भी प्रतिबद्ध है जिनके अंतर्गत खासकर समाज के वंचित वर्ग के सुधार के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाता है। जिन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं उनमें शामिल हैं: महिलाओं के लिए टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना; कम लागत आवास और स्वच्छता; समन्वित भू जल और आवरण प्रबंधन; पारिस्थितिकीय पुनर्निर्माण तथा पहाड़ी इलाकों में बायोमास का स्थायी उपयोग; दस्तकारों द्वारा मिट्टी के बरतनों का निर्माण; दस्ताकारों द्वारा लोहे के सामान का निर्माण; दस्तकारों द्वारा चमड़ा कमाना; खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि मजदूरों (अनुसूचित जाति के युवाओं) को आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण; जैव खाद के रूप में *अजोला* के उपयोग के लिए खेत आधारित किफायती टेक्नोलॉजी; और वाटरशेड विकास के माध्यम से मेलघाट क्षेत्र में जनजातियों की आजीविका का आधार बढ़ाना आदि। इन कार्यक्रमों के कुछ लाभ स्पष्ट देखे जा सकते हैं, जैसे उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकियों का विकास, बोज़िल काम से राहत, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सुधार और पर्यावरण संरक्षण। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि तथा गैर-कृषि क्षेत्रों में अनेक विशिष्ट परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इन राज्यों की विज्ञान व प्रौद्योगिकी परिषदों, गैर-सरकारी संस्थाओं और वैज्ञानिकों व तकनीकीविदों को प्रयासों में शामिल किया गया है। विशिष्ट क्षेत्रों में कृषि तथा गैर-कृषि, दोनों ही प्रकार की अनेक परियोजनाएं चलाई जाती हैं।

जनवरी 1982 में गठित राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड-नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेनरशिप डेवेलपमेंट बोर्ड (एन.एस.टी.ई.डी.बी.) विज्ञान व प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से स्थायी रोजगार प्रदान करने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम लागू कर रहा है। बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विज्ञान व प्रौद्योगिकी से जुड़े व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे अपना कामकाज शुरू कर सकें। बोर्ड अनेक व्यवसायों में कौशल विकास के कार्यक्रम भी आयोजित करता है ताकि बेरोजगार युवाओं को स्थायी नौकरी अथवा स्वरोजगार के मौके मिल सकें।

देश में विभिन्न विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थानों में तथा उनके आसपास विज्ञान व प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता पार्क (स्टैप) स्थापित किए गए हैं ताकि नए तथा मौजूदा उद्यमियों को प्रौद्योगिकी विकास, परीक्षण तथा अंशांकन, प्रलेखन और गणना, प्रशिक्षण आदि की सुविधाएं हासिल हो सकें। प्रौद्योगिकी व्यापार इंक्यूबेटर-(टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर) (टी बी आई) स्थापित करने की योजना 2000-01 में शुरू की गई ताकि प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमों को बढ़ावा दिया जा सके और अनुसंधान व विकास के नतीजों का तेजी से व्यावसायीकरण हो सके। इंक्यूबेटर्स की स्थापना देश में शैक्षिक और अनुसंधान व विकास संस्थाओं में अथवा उनके आसपास की जा रही है। उद्यमशीलता विकास प्रकोष्ठों- एंटरप्रेनरशिप डेवेलपमेंट सेल (ई.डी.सी.) की स्थापना शैक्षिक संस्थानों में की गई है ताकि योग्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों को उद्यम लगाने और स्वरोजगार/वेतन वाले रोजगार के अन्य तरीके प्राप्त करने में मदद मिल सके। पिछड़े जिलों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता विकास योजना-साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेनरशिप डेवेलपमेंट स्कीम (एसटीईडी) के अंतर्गत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। एसटीईडी परियोजनाओं का उद्देश्य संबंधित जिलों में छोटे उद्यम स्थापित करना है। जो व्यक्ति नियमित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले पाते, उनके लिए 1994-95 से अहमदाबाद के भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान के साथ मिलकर मुक्त उद्यमशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम-ओपन लर्निंग प्रोग्राम इन एंटरप्रेनरशिप (ओ.एल.पी.ई.) चलाया गया है। बोर्ड ने अपनी वेबसाइट www.techno-

preneur.net भी शुरू की है। उद्यमशीलता विकास के अनेक पहलुओं की विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर दी जाती है। नए और मौजूदा उद्यमियों को महत्वपूर्ण जानकारीयां उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड – “साइंस-टेक एन्ट्रेप्रेनर” शीर्षक से मासिक पत्रिका प्रकाशित करता है।

प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली

जिला-स्तर पर मौजूदा आंकड़ों के प्रबंधन की प्रक्रिया को सुधारने के लिए प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रबंधन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि स्थानीय क्षेत्र के विकास और प्रबंधन में फैसले लेने की प्रक्रिया आसान हो सके। वर्ष 1982-83 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम में देश के अनेक प्रसिद्ध अनुसंधान व विकास संस्थान, विश्वविद्यालय और गैर-सरकारी एजेंसियां संयुक्त रूप से शामिल हैं। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों व जिलों के जी.आई.एस. केंद्रों में स्थान संबंधी तथा अन्य आंकड़े बनाए जा रहे हैं और उनका नवीनीकरण किया जा रहा है। जिओ-रेफरेंस एरिया मैनेजमेंट साफ्टवेयर पैकेज के विभिन्न माड्यूल विकसित किए जा रहे हैं जिनका उपयोग जिले और उससे निचले स्तरों पर सूचना प्रसंस्करण जरूरतों में किया जाता है। कार्यक्रम में चुने हुए क्षेत्रों जैसे जल संरक्षण, भूमि उपयोग नियोजन, ऊर्जा प्रबंधन तथा आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए विशिष्ट निर्णय समर्थन प्रणालियों के विकास हेतु जी. आई. एस. प्रौद्योगिकी के विकास और प्रदर्शन का भी प्रावधान है। भूमि और जल प्रबंधन, भूस्खलन और छोटे जलसंभरण क्षेत्रों के जल वैज्ञानिक अध्ययन की अनुसंधान व विकास परियोजनाओं को भी मदद दी गई है।

राष्ट्रीय स्थानिक आंकड़ा अवसंरचना (एनएसडीआई)

राष्ट्रीय स्थानिक आंकड़ा अवसंरचना की शुरुआत अनुसंधान और विकास के प्रयास के रूप में 2000 में हुई। इसका उद्देश्य उपयोग करने वालों को समन्वित भू-स्थानिक आंकड़े उपलब्ध कराना था। समय के साथ-साथ एनएसडीआई का नीतिगत ढांचा तैयार किया गया और इसकी संरचनात्मक रूपरेखा तैयार की गई। जून 2006 में सरकार ने राष्ट्रीय स्थानिक आंकड़ा अवसंरचना के गठन को मंजूरी दी।

एनएसडीआई स्थान संबंधी संगठित आंकड़ों तक पहुंच और उनकी उपलब्धता के लिए आधारभूत ढांचा है। इसमें स्थानीय, सामुदायिक, नगर, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर विकास के लिए आधारभूत संरचना का उपयोग किया जाता है। भारत ने पिछले वर्षों में व्यवस्थित भौगोलिक, भूगर्भ वैज्ञानिक, मृदा संबंधी सर्वेक्षणों, विभिन्न प्राकृतिक संसाधन सूची कार्यक्रमों तथा दूर संवेदन चित्रों के उपयोग से मानचित्र संबंधी सूचनाओं का व्यापक आधार तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं, आंकड़ों में शुद्धता, उच्च रिजोल्यूशन वाले उपग्रह चित्रों, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) जैसे आंकड़े जुटाने वाले संगठनों तथा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की मदद से इन स्थानिक आंकड़ों या मानचित्रों की शुद्धता और उनमें उपलब्ध सूचनाएं बहुत ऊंचे स्तर की होती हैं।

एनएसडीआई आंकड़े जुटाने वाली वर्तमान एजेंसियों को प्रभावित करने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण ढांचा है। ये एजेंसियां अपनी घटक एजेंसियों से उनके आंकड़े हासिल कर सकती हैं और उपयोग करने वालों की आवश्यकता के अनुसार नए आंकड़े/उत्पाद/सेवाएं तैयार कर सकती हैं। एनएसडीआई मानक तौर-तरीकों, करारों और मानदंडों का उपयोग करते हुए भौगोलिक दृष्टि से संबद्ध सूचनाएं प्राप्त करने हेतु विश्वसनीय तथा अनुकूल माहौल बनाएगा। यह लाभार्थियों, सरकार, कॉर्पोरेट क्षेत्र, एनीजीओ, सामुदायिक संगठनों, शैक्षिक संगठनों, अनुसंधान संगठनों और नागरिकों को एकीकृत डेटाबेस तक पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा।

राज्यों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग 1980 से *विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राज्य परिषदों के विकास में सहायता* नामक योजना चला रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद स्थापित करने में मदद करना है। ये परिषदें राज्यों को अपने इलाकों में विज्ञान व प्रौद्योगिकी संबंधी गतिविधियों के बारे में ठोस योजनाओं के निर्माण, समन्वय और प्रोत्साहन में मदद करती हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राज्य परिषदें सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बना ली गई हैं। राज्य परिषदें अब कार्यक्रम आधारित विज्ञान व प्रौद्योगिकी सहयोग के चरण में पहुंच गई हैं जहां वे स्थान विशिष्ट तथा क्षेत्र विशिष्ट समस्याओं को निपटा सकती हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा, पारंपरिक कारीगरी, कृषि पद्धतियों आदि में अध्ययन कराने के लिए कदम उठाए गए ताकि उनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप के लिए पहचान की जा सके और योजनाएं बनाई जा सकें। राज्य परिषदों द्वारा विकसित सफल प्रौद्योगिकी को फैलाने के लिए राज्य परिषदों की मदद के वास्ते कदम उठाए गए हैं।

विज्ञान संचार तथा इसे लोकप्रिय बनाने के प्रयास

राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संचार परिषद-नेशनल काउंसिल फार साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्यूनिकेशन (एन.सी.एस.टी.सी.) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार कार्य में जुटी है और लोगों में वैज्ञानिक सोच पैदा कर रही है। इसके लिए परंपरागत व गैर-परंपरागत दोनों तरह के जनसंचार माध्यमों का उपयोग कर विभिन्न संचार प्रौद्योगिकियों के विकास, अनुकूलन, प्रोत्साहन और उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। कुछ प्राकृतिक घटनाओं और विशिष्ट घटनाओं पर आधारित गतिविधियों के जरिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संचार को बढ़ावा दिया जाता है।

राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जिसमें देश भर के 10-17 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे हिस्सा लेते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को अपने आस-पास के वातावरण, नजदीक के सामाजिक तथा प्राकृतिक वातावरण से विज्ञान सीखने के लिए प्रोत्साहित करना और ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पर बच्चे वैज्ञानिकों से मिलकर अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकें तथा सुजनशील बन सकें। इस कार्यक्रम में बच्चों को औसतन पांच-पांच के समूह में बांटा जाता है। ये समूह स्थानीय मुद्दों से जुड़ी वैज्ञानिक परियोजनाओं पर काम करते हैं। वे अध्यापकों/विज्ञान कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में काम करते हैं और अपनी खोज को स्कूल/ब्लॉक, राज्य तथा राष्ट्रीय-स्तर की कांग्रेस में पेश करते हैं।

स्वेच्छा से रक्तदान करने वालों के माध्यम से देश में रक्त की लगभग पूरी मांग को पूरा करने के लिए स्वैच्छिक रक्तदाताओं से रक्तदान को बढ़ावा देने का एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। पिछले 150 वर्षों के दौरान प्रकाशित विभिन्न भारतीय भाषाओं की लोकप्रिय विज्ञान पुस्तकों की सूची तैयार कर ली गई है। पर्यावरण तथा निरंतर विकास के मुद्दों पर जागृति पैदा करने के लिए अनेक रिसोर्स परसन्स को प्रशिक्षित किया गया है, जो कि विद्यालयों के विज्ञान क्लबों के समन्वयकों और विज्ञान व प्रौद्योगिकी आधारित स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए क्रियाकलाप आयोजित करेंगे।

सरकार ने वर्ष 2004 को *वैज्ञानिक जागरूकता वर्ष* के रूप में मनाने की घोषणा की। इसे मनाने के लिए विज्ञान रेल, वैज्ञानिक जत्थे और वैज्ञानिकों की आम आदमी लोगों से मुलाकात, जैसी गतिविधियां आयोजित की गईं। 'विज्ञान रेल और विज्ञान मेल' (पहियों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी) को 2005 में देश के कुछ चुनिंदा कस्बों में से पहुंचाया गया।

विज्ञान प्रसार

विज्ञान प्रसार का गठन 1989 में वैज्ञानिक कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए किया गया। जनसंचार माध्यमों के जरिए जनता तक विज्ञान को पहुंचाने के लिए यह अथक प्रयास कर रहा है। हमारी जिंदगी में वैज्ञानिक तौर-तरीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और वैज्ञानिक जागृति फैलाने के लिए विज्ञान क्लबों के नेटवर्क स्थापित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संसाधन सूचना

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग नियमित रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े मानवीय व वित्तीय संसाधनों के विषय में सूचना उपलब्ध कराता है। भारत में अनुसंधान व विकास संस्थानों की नवीनतम निर्देशिका में केंद्र, राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय व निजी उद्योगों की अनुसंधान व विकास इकाइयों, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और निजी क्षेत्र के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक संगठनों के नाम, पते तथा अन्य ब्यौरा शामिल किया गया है।

केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त गैर-वित्तीय अनुसंधान व विकास परियोजनाओं के आंकड़ों का संकलन भी किया जा रहा है और उनको निरंतर अपडेट किया जाता है। इन आंकड़ों का इस्तेमाल गैर-वित्तीय अनुसंधान परियोजनाओं की डायरेक्टरी बनाने में किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी सहयोग तीन स्तरों पर होता है, अर्थात विकसित तथा विकासशील देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग; क्षेत्रीय सहयोग जैसे—सार्क, आसियान तथा बी.आई.एम.एस.टी. देशों के साथ; और गुटनिरपेक्ष देशों के विज्ञान व प्रौद्योगिकी केंद्र, कोसटेड, यूनेस्को आदि के साथ बहुपक्षीय सहयोग। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत का 56 देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग है। बंगलादेश, बेलारूस, ब्राजील, बुल्गारिया, चीन, क्यूबा, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इंडोनेशिया, ईरान, इस्राइल, इटली, जापान, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, म्यांमार, पोलैंड, कोरिया गणराज्य, रोमानिया, रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, यूक्रेन, ब्रिटेन, अमरीका, उज्बेकिस्तान तथा वियतनाम के साथ सहयोग कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उचित प्रक्रिया स्थापित कर ली गई है।

भारत और रूस के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग का समन्वित दीर्घावधि कार्यक्रम दोनों देशों के बीच तालमेल का महत्वपूर्ण उदाहरण है। उच्च शोध को बढ़ावा देने के लिए भारत-फ्रांस केंद्र व्यावहारिक तथा मूलभूत विज्ञान व प्रौद्योगिकी के उच्च क्षेत्रों में समन्वित शोध को बढ़ावा देने की भारत और फ्रांस की एक और पहल है। भारत-अमेरिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंच के रूप में एक बड़ा द्विपक्षीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जर्मनी की शैक्षिक आदान-प्रदान सेवा के साथ मिलकर कार्मिकों के आदान-प्रदान पर आधारित एक नई परियोजना चलाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों के अंतर्गत इन संयुक्त अनुसंधान व विकास केंद्रों की स्थापना की गई है : मास्को में एडवांस्ड कम्प्यूटिंग का इंडो-रशियन अनुसंधान केंद्र; हैदराबाद में पाउडर मेटलर्जी का अंतर्राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केंद्र (एआरसी-1); नई दिल्ली में क्षय तथा संबद्ध रोगों के उपचार के लिए निम्न स्तर लेज़र के चिकित्सा उपयोग का इंडो-उज्बेक केंद्र।

भारतीय वैज्ञानिकों ने क्रिस्टलोग्राफी, संघनित पदार्थ भौतिकी, उच्च ऊर्जा प्रकीर्णन, ठोस एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी, नाभिकीय अनुनाद प्रकीर्णन, चुंबकीय चुंबकीय कॉम्पटन अध्ययन आदि क्षेत्रों में प्रयोग किए हैं और विभिन्नता अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के कार्यक्रमों के तहत उच्च स्तर का प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और सुविधाएं प्राप्त की हैं।

अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित संयुक्त अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित किए गए : मास्को में भारत-रूस एडवांस कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर, हैदराबाद में पावर मेटलर्जी के लिए अंतर्राष्ट्रीय एडवांस रिसर्च सेंटर (ए आर सी-1) और नई दिल्ली में ट्यूबरकुलोसिस और संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए कम क्षमता वाले लेजर के उपयोग के लिए भारत-उज़बेक केंद्र।

रूस के साथ मिलकर इंदौर में इंडस-I तथा इंडस-II सिंक्रोटोन विकिरण स्रोतों के डिजाइन और विकास का काम किया गया। जापानी विशेषज्ञों के साथ मिलकर बंगलौर स्थित भारतीय खगोल-भौतिकी संस्थान में नाभिकीय वस्तुओं के स्टिम्युलेशन हेतु 14 जी एफ एल ओ पी कंप्यूटर की स्थापना और 2-मी टेलीस्कोप के लिए लद्दाख (हेनले) में स्थान की पहचान की गई है। माउंट आबू पर गामा रे टेलीस्कोप का विकास रूस के सहयोग से किया गया। बुलंदशहर में ओरल पोलियो वैक्सिन की 10 करोड़ खुराकों के उत्पादन का संयंत्र भी रूस के सहयोग से लगाया गया। कोलकाता के वी.ई.सी.सी. में अतिचालक साइक्लोट्रॉन और क्रायोजेनिक स्थापित किए गए।

विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की विशेषज्ञता और कौशल का लाभ उठाने के लिए शुरुआत की गई है। विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के पंजीकरण के लिए और भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनकी साझेदारी हासिल करने के लिए वेबसाइट (<http://stio.nic.in>) स्थापित की गई है।

मौसम संबंधी सेवाएं

भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुई। यह राष्ट्रीय मौसम सेवा है तथा मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान और संबद्ध विषयों की प्रमुख सरकारी एजेंसी है। देशभर में फैली इस विभाग की इकाइयां मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ मौसम तथा भूकंपीय गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है मौसम पर निर्भर रहने वाली प्रमुख गतिविधियों-उड्डयन, जहाजरानी, कृषि, सिंचाई, समुद्र में तेल की खोज तथा उद्योगों को मौसम संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराना। मौसम विज्ञान विभाग तूफान, आंधी, भारी वर्षा, शीत व ग्रीष्म लहरों जैसी मौसम संबंधी घटनाओं के बारे में चेतावनी जारी करता है, जिनसे जान-माल की व्यापक तबाही होती है। यह जलवायु संबंधी जानकारी देता है, भूकंपों की तीव्रता मापता है और मौसम विज्ञान में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देता है। विभाग का देशभर में आधुनिक वेधशालाओं और संचार संपर्क का व्यापक जाल बिछा है। अब तो उच्च शक्ति राडारों और मौसम उपग्रहों से प्राप्त सूचनाओं का मौसम के विश्लेषण और पूर्वानुमान के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है।

भारत ने सितंबर 2002 में भूस्थिर मौसम उपग्रह मेटसैट (METSAT) का प्रक्षेपण किया और इसका नाम बदलकर कल्पना-1 रखा। अप्रैल 2003 में एक अन्य बहुदेशीय भूस्थिर उपग्रह इन्सेट-3ए छोड़ा गया। इस समय कल्पना, इनसैट-3ए और एनओएए शृंखला के उपग्रहों से मौसम संबंधी आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं जिनका उपयोग मौसम संबंधी विश्लेषण और मौसम के पूर्वानुमान के साथ-साथ हर घंटे बादलों के चित्र तैयार करने, इनसैट मौसम आंकड़ा प्रसंस्करण प्रणाली तथा निम्नलिखित को तैयार करने में किया जा रहा है— • क्लाउड मोशन वैक्टर, • समुद्र की सतह का तापमान, • निर्गमिक दीर्घ तरंग विकिरण, • वर्षा और हिमपात की मात्रा का पता लगाना।

राष्ट्रीय उपग्रह आंकड़ा केंद्र (एनएसडीसी) अक्टूबर 2005 से चालू हुआ। इसके माध्यम से आंकड़ों का संग्रह किया जाता है और इनसेट चित्र तथा वांछित उत्पाद वैब पोर्टल के जरिए उपयोग करने वालों तथा अनुसंधान करने वालों को उपलब्ध कराए जाते हैं।

विभिन्न राज्य सरकारों और बंदरगाह अधिकारियों को चक्रवात की चेतावनी देने के लिए पूर्वी तथा पश्चिमी तट के चक्रवात की आशंका वाले इलाकों में 252 एनालॉग किस्म के तथा 100 डिजिटल चक्रवात चेतावनी प्रसार प्रणाली के रिसीवर लगाए गए हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग का देशभर में 40 राडारों का एक नेटवर्क है। राडार नेटवर्क के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत जर्मनी से आयातित एक एस-बैंड डाप्लर मौसम राडार मेट्रो 1500 एस विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया है। चेन्नई, कोलकाता और मछलीपत्तनम में डॉपलर राडार पहले से ही दिन-रात कार्य कर रहे हैं। भुज, कोच्चि, मुंबई और पारादीप के चार पुराने और अप्रचलित राडारों की जगह नए डॉपलर मौसम राडार लगाने के प्रस्ताव को मौसम विज्ञान और वायुमंडल विज्ञान परिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।

मौसम विज्ञान विभाग देश के भीतर और आसपास भूकंपीय गतिविधियों पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क के अंतर्गत 51 भूकंप विज्ञान वेधशालाएं चलाता है। इनमें से 24 वेधशालाओं को नवीनतम डिजिटल ब्रॉडबैंड सिस्मोग्राफ प्रणालियों और आधुनिक संचार सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। नई दिल्ली में सेंट्रल रिसीविंग स्टेशन और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र - *नेशनल सिस्मोलोजिकल डाटाबेस सेंटर* (एन एस डी सी) की स्थापना की गई है। इसका कार्य भूकंप के आंकड़ों को एकत्र करना, उनका विश्लेषण करना तथा उन्हें अभिलेखीकृत करना है। केंद्र पर भूकंपकारकों की जानकारी एकत्र करने और विभिन्न उपभोक्ता एजेंसियों को वितरित करने की जिम्मेदारी है। वी सैट (VSAT) आधारित 16 एलीमेंट डिजिटल टेलिमीटरी सिस्मोग्राफ केंद्र नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसके दिल्ली स्थित केंद्रीय रिसीविंग स्टेशन द्वारा दिल्ली और आस-पास के इलाकों में भूकंपीय गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी।

भारत मौसम विज्ञान विभाग अरब सागर में महासागर अनुसंधान अंतर्विषयक से जुड़ी जहाजी यात्राओं में हिस्सा लेता है। ये यात्राएं मानसून से पहले, मानसून के दौरान और मानसून के बाद की अवधियों में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में की जाती हैं। इन यात्राओं का उद्देश्य आसपास के समुद्री क्षेत्रों के ऊपर की मौसम संबंधी जानकारी एकत्र करना है ताकि मानसून वितरण के विभिन्न पहलुओं और देश को प्रभावित करने वाली अन्य मौसम प्रणालियों का अध्ययन हो सके तथा जरूरत पड़ने पर भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह (आई.आर.एस.पी. 3) से प्राप्त मौसम संबंधी मापदंडों और आंकड़ों की पुष्टि की जा सके।

मौसमी दक्षिण-पश्चिमी मानसून की वर्षा (जून-सितंबर) का दीर्घावधि संचालनात्मक पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पहली बार 1986 में जारी किया था। विभाग ने लंबी अवधि का नया पूर्वानुमान मॉडल तैयार किया जिसे 2003 से लागू किया गया।

विभाग के फसल उपज निर्धारण एकांश ने सांख्यिकी मॉडल विकसित किए हैं, जिनमें कोरिलेशन तथा रिग्रेशन तकनीकों की मदद से धान उगाने वाले 26 उप-मंडलों और गेहूं उगाने वाले 16 उप-मंडलों के लिए संचालन के आधार पर फसलोत्पादन के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है। इन मॉडलों के आधार पर हर वर्ष अगस्त से दिसंबर के बीच धान और जनवरी से मई के बीच गेहूं की कटाई से पहले मासिक फसल उत्पादन का पूर्वानुमान लगा लिया जाता है।

मौसम विभाग ने चक्रवात की चेतावनी की 250 सूचना प्रणालियां - साइक्लोन वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम्स (सी.डब्ल्यू.डी.एस.) लगाई हैं। ये विश्व में अनूठी हैं और इनसे आम जनता और खासकर तटीय प्राधिकरणों को चक्रवात की चेतावनी सीधे प्रसारित करने में मदद मिलती है। अभी इस तरह की 100 डिजिटल प्रणालियां आंध्र तट पर और लगाई जा रही हैं। मौसम विभाग त्रै-मासिक पत्रिका 'मौसम',

भारतीय खगोलशास्त्र के वार्षिक प्रकाशन, *राष्ट्रीय पंचांग* का 13 भाषाओं में प्रकाशन करता है। कोलकाता स्थित खगोलीय केंद्र द्वारा सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय तथा चंद्रास्त की तालिकाएं प्रकाशित की जाती हैं।

मध्यम अवधि के मौसम पूर्वानुमान का राष्ट्रीय केंद्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ) भारत में जलवायु और मौसम संबंधी सभी मॉडलों के बारे में अनुसंधान के लिए प्रमुख केंद्र है। यह भारत का एकमात्र संगठन है जहां मध्यम अवधि के लिए कामकाजी मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध कराने के लिए वैश्विक तथा क्षेत्रीय आंकड़ों को तत्काल समन्वित किया जाता है। यह केंद्र भारत में किसानों को कृषि सलाहकार सेवाएं (एएएस) भी उपलब्ध कराता है। आंकड़ा संकलन, वैश्विक/क्षेत्रीय मॉडल निर्माण, विस्तारित अवधि/मौसमी पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन और फसल मौसल मॉडलिंग के विभिन्न पहलुओं के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान भी इस केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है।

मौसम पूर्वानुमान की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग जरूरी है। इस केंद्र के वैज्ञानिकों ने मौसम संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराने वाले सभी उपग्रहों के आंकड़ों के प्रयोग के नए तरीकों का पता लगाया है। केंद्र अंतरिक्ष एजेंसियों को भविष्य के उपग्रहों के लिए मौसम सेंसरों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराता है। वैश्विक मॉडल पर आधारित भौतिक तथा वैश्विक मॉडल रिजोल्यूशन में सुधार ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें इस केंद्र को सबसे ज्यादा महारत हासिल है। इस केंद्र में उच्च रिजोल्यूशन के क्षेत्रीय मॉडल रोजना चलाए जाते हैं ताकि उच्च रिजोल्यूशन वैश्विक मॉडल (टी 170 / एल 28) को और सुदृढ़ किया जा सके। इसके लिए इस केंद्र में भारत की सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रणाली है। यह केंद्र आने वाले चार से सात दिनों के लिए मौसम संबंधी पूर्वानुमान उपलब्ध कराता है ताकि उसके आधार पर किसान कृषि की अत्याधुनिक विधियों का बेहतर उपयोग कर सकें। मौसम पूर्वानुमान संबंधी बुलेटिन फैक्स इंटरनेट/ई-मेल से सप्ताह में दो बार ए.ए.एस. इकाइयों को भेज दिए जाते हैं। इस समय 71 इकाइयां इस सुविधा के जरिए इस केंद्र से जुड़ी हैं। 107 ए.ए.एस. इकाइयों के लिए साप्ताहिक पूर्वानुमान बुलेटिन जारी किए जाते हैं। हाल में जिला स्तर पर पूर्वानुमान की भी शुरुआत की गई है।

राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र पर्वतीय इलाकों के लिए जलवायु और मौसम संबंधी पूर्वानुमान उपलब्ध कराने में विशेष ध्यान देता है। इसके लिए उच्च रिजोल्यूशन वाला मीजोस्केल मॉडल (एमएम 5) हिमालय क्षेत्र के लिए विशेष रूप से अपनाया जाता है। यह केंद्र समुद्री लहरों की ऊंचाई, सबसे ऊंची लहर की दिशा और अवधि के पूर्वानुमान के लिए वैश्विक महासागर लहर माडल का उपयोग करता है। यह केंद्र अनुरोध प्राप्त होने पर अन्य संगठनों, जैसे भारतीय मौसम विभाग, भारतीय थल सेना, भारतीय नौ सेना, हिम और हिमस्खलन अध्ययन अवस्थापन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को नियमित रूप से तथा विशेष जानकारीयों उपलब्ध कराता है। इसके अलावा उपयोग करने वाले संगठनों में बिजली क्षेत्र, जल संसाधन, पोत परिवहन तथा मात्स्यिकी, परिवहन जैसे संगठन शामिल हैं जिन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विशेष सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र के विभिन्न संस्थानों तथा संगठनों के साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं। यह केंद्र मौसम और जलवायु के लिए बिमस्टेक (बे आफ बंगाल इनीशिएटिव फार मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन) केंद्र की भी मेजबानी करता है। यह केंद्र सदस्य देशों के मौसम और जलवायु संबंधी मुद्दों में समन्वय और समाधान का कार्य करता है। केंद्र युवा अनुसंधानकर्ताओं तथा अन्य उपभोक्ता समुदाय को समय-समय पर प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। यह वायुमंडलीय प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने और इनका मॉडल तैयार करने में प्रत्येक प्रेक्षण अभियान (इन्डोएक्स, बाबमैक्स, लैसपेक्स, आर्येक्स आदि) में सहभागी रहा है।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन-भारतीय सर्वेक्षण विभाग - सर्वे आफ इंडिया (एस.ओ.आई.) की स्थापना 1767 में की गई थी। विभाग का विशेष दायित्व है कि देशभर में इलाकों को खोजा जाए और उनका मानचित्रण किया जाए ताकि समन्वित व तेज विकास के लिए मानक मानचित्र उपलब्ध हो सकें तथा सभी संसाधनों का उपयोग देश की वर्तमान और भावी प्रगति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए हो सके। इस संगठन की मुख्य जिम्मेदारी 1:250 के, 1:50 के तथा 1:25 के स्केल में प्राकृतिक सर्वेक्षण करवाने की है। 1:250 तथा 1:50 के स्केल में पूरे देश में सर्वेक्षण किए जा चुके हैं तथा नवीनतम जानकारी के आधार पर मानचित्रों में परिवर्तन किए जा रहे हैं। 1:25 के स्केल में सर्वेक्षण राष्ट्रीय जरूरतों के आधार पर किए जाते हैं जिनका अंदाजा केंद्र/राज्य सरकारों तथा अन्य प्रयोक्ता एजेंसियों की प्राथमिकताओं से लगता है।

भारत सरकार के कार्यसूची (बिजनेस) नियम, 1971 में 'वैज्ञानिक सर्वेक्षण' की श्रेणी में आने के साथ-साथ यह संगठन अन्य कई गतिविधियां भी चलाता है, जैसे भू-भौतिकी अध्ययन, भूकंपशास्त्र संबंधी अध्ययन, हिमखंड विज्ञान अध्ययन, अंटार्कटिक जाने वाले भारतीय वैज्ञानिक अभियानों में हिस्सेदारी, डिजिटल कार्टोग्राफी से संबंधित परियोजनाएं, डिजिटल फोटोग्रामेटरी आदि ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के अनुकूल मूल आंकड़े प्राप्त हो सकें। इस संगठन ने प्राकृतिक नक्शों का डिजिटल कार्टोग्राफिकल डाटा बेस बनाने का काम भी शुरू किया है। कई संस्थाएं योजनाएं बनाने और जी.आई.एस. के लिए इन आंकड़ों का इस्तेमाल कर रही हैं। संगठन बड़े पैमाने पर विभिन्न विकास परियोजनाओं जैसे पनबिजली, सिंचाई, संग्रहण क्षेत्र, नहर क्षेत्र तथा छावनी क्षेत्र परियोजनाओं आदि के लिए सर्वेक्षण का काम करता है।

विभाग पर भारत की बाहरी सीमा तय करने, देश में प्रकाशित होने वाले मानचित्रों में उनको दर्शाने तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को तय करने में सलाह देने की भी जिम्मेदारी है। सर्वेक्षण अध्ययन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा अनेक अन्य सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी के बारे में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्विपक्षीय कार्यक्रमों के अंतर्गत अन्य देशों को भी सहयोग देता है जैसे नाइजीरिया, अफगानिस्तान, कीनिया, इराक, नेपाल, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, भूटान, इंडोनेशिया, मॉरीशस आदि।

भारतीय महासर्वेक्षक की अध्यक्षता में एक कार्यबल ने राष्ट्रीय भू-स्थानिक ढांचागत आंकड़ा तैयार करने के लिए विवेचन दस्तावेज तैयार किया जिसको फरवरी 2001 में नई दिल्ली में एन.जी.डी.आई. पर आयोजित कार्यशाला में समर्थन मिला। भारतीय सर्वेक्षण अपने विशाल भू-स्थानिक आंकड़ों के भंडार से एन.जी.डी.आई. के इंजन के रूप में कार्य करेगा। एन.जी.डी.आई. के स्वरूप के अस्तित्व में आने से आंकड़े तैयार करने वालों और उनका इस्तेमाल करने वालों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने से ढांचागत संबंध विकसित होंगे और आंकड़ों के आदान-प्रदान में सुगमता होगी। सामान्य मानक पर आंकड़ों की साझेदारी संबंधी ज्ञान संपन्न नीति और नेटवर्क विकास प्रक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका अदा कर सकेंगे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग अपनी तरह की आंकड़े तैयार करने वाली एजेंसियों के साथ मिलकर एन.जी.डी.आई. के माध्यम से सामाजिक जरूरतों के मुताबिक मुख्य भूमिका निभाने की योजना बना रहा है।

यू.एन.डी.पी. की सहायता से स्थापित सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद, उन प्रशिक्षणार्थियों को सर्वेक्षण और मानचित्र अंकों के विविध पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देने वाला अग्रणी संस्थान है जिन्हें विभाग अन्य राज्यों/केंद्र सरकार के संगठनों और पड़ोसी देशों द्वारा भेजा जाता है। इस संस्थान के आई.टी.सी. निदरलैंड जैसे विख्यात संस्थानों के सहयोग से आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है।

भारत और निकटवर्ती देशों के विशाल त्रिकोणमिति सर्वेक्षण त्रिकोणीय नेटवर्क का काम वर्ष 1802 में शुरू हुआ था। विज्ञान के इतिहास में यह सबसे बड़े कार्यों में से एक है। सन् 2003 में ब्रिटेन में 'ग्रेट आर्क' प्रदर्शनी आयोजित की गई और भारत में इस अवसर पर ग्रेट आर्क और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की सर्वेक्षण परंपराओं पर विशेष फिल्में और प्रकाशित चित्र जारी किए गए।

विभिन्न उपभोक्ताओं को डिजिटल मानचित्र उपलब्ध कराने के लिए एक नई मानचित्र नीति को मंजूरी प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय एटलस एवं विषयक मानचित्रण संगठन

भारतीय सर्वेक्षण विभाग जहां मानचित्र कला की राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वहीं विभाग के तहत कार्यरत *राष्ट्रीय एटलस एवं विषयक मानचित्रण संगठन* विशेष उपभोक्ताओं की विशिष्ट विषय संबंधी नक्शों की जरूरत पूरी करता है। नेशनल एटलस एंड थिमैटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन (एन.ए.टी.एम.ओ.) अपना ध्यान स्रोत मानचित्रों को संबंधित सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों के साथ जोड़ने पर भी देता है और उन्हें स्थानीय रूप से दर्शाता है ताकि विकासात्मक योजनाएं बनाने में उनका उपयोग हो सके। संगठन प्रयोगात्मक रूप से अपने मानचित्रों की रिवर्स प्रिंटिंग की प्रौद्योगिकी विकसित करने का भी प्रयास कर रहा है। संगठन मानचित्र प्रकाशन में धात्विक रंगों के इस्तेमाल की तकनीक लागू करने की भी कोशिश कर रहा है। इन सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

स्वायत्त वैज्ञानिक संस्थान

मूल तथा व्यावहारिक विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे निम्नलिखित 18 स्वायत्त संस्थानों को अनुदान देता है—(i) बोस संस्थान, कोलकाता-भौतिकी तथा जीवविज्ञान के क्षेत्र में मौलिक तथा व्यावहारिक अनुसंधान के प्रति समर्पित; (ii) अगरकर अनुसंधान संस्थान, पुणे-जीवविज्ञान के मूल तथा व्यावहारिक पहलुओं में अनुसंधान; (iii) श्री चित्रा तिरुनल चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुअनंतपुरम-जैव-चिकित्सा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का विकास, उन्नत चिकित्सा विशेषताओं में मरीजों की देखरेख में उच्च मानक प्रदर्शित करना तथा उपलब्ध कराना और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना; (iv) इंडियन एसोसिएशन फार द कल्टिवेशन आफ साइंस, कोलकाता-ठोस अवस्था भौतिकी, पदार्थ विज्ञान, सैद्धांतिक भौतिकी, स्पैक्ट्रोस्कोपी, ऊर्जा अनुसंधान, जैव-रसायन सहित रसायन विज्ञान, पोलिमेर विज्ञान आदि विषयों का अध्ययन; (v) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रापिकल मीटिरियोलॉजी, पुणे-अयनवृत्तों के बीच मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में काम करता है; (vi) भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बंगलौर-खगोल भौतिकी तथा खगोलीय वस्तुओं के अंतर्संबंधीय क्षेत्रों तथा उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान तथा खगोलीय अध्ययन के लिए उपकरणों का विकास; (vii) जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बंगलौर-रसायन शास्त्र, पदार्थों की भौतिकी, द्रव्य के गति विज्ञान की गणना, भू-गति, संकुचित पदार्थ सिद्धांत, पशुओं के व्यवहार, आनुवांशिकी आदि अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान; (viii) रमन अनुसंधान संस्थान, बंगलौर-मूलभूत विज्ञानों में अनुसंधान, जिनमें मुख्य क्षेत्र हैं—खगोलशास्त्र, खगोल भौतिकी, तरल क्रिस्टल, आदि; (ix) एस.एन. बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र, कोलकाता— मूल विज्ञानों की चुनिंदा शाखाओं में उन्नत अध्ययन; (x) बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो-बॉटनी लखनऊ जीवाश्म वनस्पति विज्ञान और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसके महत्व पर अनुसंधान; (xi) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ जिओमैग्नेटिज्म, मुंबई-पृथ्वी के गर्भ में चल रही भौतिक प्रक्रियाओं तथा

सूर्य और पृथ्वी के समीप तथा ग्रहों के बीच के अंतरिक्ष का अध्ययन; (xii) वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जिओलॉजी, देहरादून-हिमालय क्षेत्र के भू-आयामों को समझने के लिए बायो-स्ट्रेटोग्राफी, पेट्रोलॉजी तथा भू-रासायनिकी, सेडीमेंटोलॉजी, टेक्टोनिक्स और पर्यावरण भूगर्भ का अध्ययन; (xiii) पाउडर मैटलर्जी और नए पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद-बेहतर परिणामों वाले पदार्थों और प्रक्रियाओं का विकास; (xiv) टेक्नोलॉजी इंफार्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली; (xv) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली, (xvi) राष्ट्रीय परीक्षण और अंशान्कन प्रमाणन बोर्ड, नई दिल्ली। (xvii) तरल क्रिस्टल शोध केंद्र, बंगलौर और (xviii) आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला, नैनीताल।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संवर्द्धन में लगी निम्नलिखित शैक्षिक और व्यावसायिक संस्थाओं को भी वित्तीय और प्रशासकीय सहायता उपलब्ध कराता है, (i) भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलौर (ii) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली (iii) भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरी अकादमी, नई दिल्ली (iv) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद और (v) भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ, कोलकाता,।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग-डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (डी.एस.आई.आर.) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्वदेशी तकनीक के प्रोत्साहन, विकास, उपयोग और हस्तांतरण के उद्देश्य से इस विभाग की स्थापना हुई है। विभाग का प्राथमिक प्रयास देश के अनुसंधान और विकास के खर्च में उद्योग का हिस्सा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, छोटी और मझौली औद्योगिक इकाइयों को उच्च व्यावसायिक क्षमता वाली आधुनिकतम, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के टक्कर की तकनीक विकसित करने में सहयोग करना, प्रयोगशालाओं में चल रहे अनुसंधानों के व्यावसायिक इस्तेमाल की रफ्तार को बढ़ाना, तकनीक आधारित निर्यात की हिस्सेदारी बढ़ाना, औद्योगिक सलाहकारिता और तकनीकी विकास की क्षमता बढ़ाना और देश में औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ाने के लिए सरल सूचनातंत्र स्थापित करना है। यह दो स्वायत्तशासी संस्थानों वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद व सलाहकारिता विकास केंद्र तथा “प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन, विकास और उपयोग कार्यक्रम के अलावा दो सार्वजनिक उपक्रमों-राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम-नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एन.आर.डी.सी.) और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड-सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सी.ई. एल.) को संचालित करता है।

प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन, विकास व उपयोग (टीपीडीयू) कार्यक्रम

इस योजना के तहत कार्यक्रम और गतिविधियां औद्योगिक अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देने, तकनीकों के विकास और व्यावसायीकरण, तकनीकों के अधिग्रहण, प्रबंधन और निर्यात, सलाहकारिता क्षमताओं को बढ़ावा देने, अनुसंधान और विकास में सहयोग के लिए तकनीकी संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराने आदि पर केंद्रित है। इस योजना के कुछ प्रमुख अंग हैं :

- औद्योगिक शोध व विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम,
- प्रौद्योगिकी विकास व प्रदर्शन कार्यक्रम,
- प्रौद्योगिक-उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम,
- प्रौद्योगिकी प्रबंधन कार्यक्रम,

- अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी हस्तांतरण कार्यक्रम,
- परामर्श प्रोत्साहन कार्यक्रम
- प्रौद्योगिकी सूचना सुविधा कार्यक्रम

औद्योगिक शोध व विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विकास विभाग संस्थानों के निजी अनुसंधान और विकास केंद्रों को मान्यता देने वाला केंद्रीय विभाग है। इस कार्यक्रम के तहत उद्योगों और अव्यावसायिक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थानों की निजी अनुसंधान इकाइयों को मान्यता देने, उद्योगों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक व अन्य सहयोग करने से संबंधित सभी गतिविधियां आती हैं। इस योजना के तहत किए गए आर्थिक प्रोत्साहन और सहयोग से उद्योगों की मान्यता प्राप्त निजी अनुसंधान और विकास इकाइयों पर खर्च बढ़ाने को प्रोत्साहन मिलता है। इस वर्ष भी औद्योगिक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिए गए।

प्रौद्योगिकी विकास व प्रदर्शन कार्यक्रम (टीडीडीपी)

कार्यक्रम का लक्ष्य तकनीक अपनाने, अपने अनुकूल बनाने और प्रदर्शन से संबंधित गतिविधियों में सहयोग और उनकी प्रगति की रफ्तार बढ़ाना है, जिसमें वस्तुओं का विकास, उद्योग और अनुसंधान संस्थानों की भागीदारी भी शामिल है। इस योजना के तहत आयातित तकनीकों को स्वीकार और उन्नत करने तथा नई और बेहतर तकनीकों के विकास और प्रदर्शन की परियोजनाओं को मदद दी जाती है। हालांकि विभाग का सहयोग सिर्फ उत्प्रेरक और आंशिक है, ऐसी परियोजनाओं पर खर्च का बड़ा हिस्सा उद्योगों से ही मिलता है। इन परियोजनाओं में धातुकर्म, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, यंत्र-विन्यास, यांत्रिक अभियांत्रिकी, भूचलन और औद्योगिक मशीनरी, रसायन एवं विस्फोटक जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों में उत्पाद और प्रक्रियाएं शामिल हैं। टीडीडीपी परियोजनाओं से तकनीकी विकास के प्रयासों में सरकारी-निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ी है। इन परियोजनाओं से देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। पूरी हो चुकी परियोजनाओं से न सिर्फ कीमत में कमी, उच्च गुणवत्ता, बेहतर उत्पाद और प्रक्रियाएं तथा संबंधित कंपनी की विदेशी मुद्रा में बचत जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी और अर्थिक लाभ हुए हैं बल्कि इसमें शामिल औद्योगिक इकाइयों की अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बनाने में भी मदद मिली है। 'अपशिष्ट से संपत्ति' जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

सामाजिक/वैज्ञानिक उद्यमियों के लिए तकनीकी आधारित शुरुआतों, बेहतर जीवन के लिए पारिस्थितिकी निर्माण और 'अपशिष्ट से संपत्ति' के क्षेत्र में निर्माण क्षेत्र में नए रोजगार पैदा करने के लिए एक और कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है। इसमें ई-कचरे से पुर्जों की सामग्री, निगम के ठोस कचरे से ऊर्जा, कृषि/वन अपशिष्ट से ऊर्जा देने वाली सामग्री, शैवाल/उपयोग किए हुए तेल/तेल/प्लास्टिक के कार्बन से बायो-डीजल, खाद्य अपशिष्टों से भेषज उत्पाद, अपशिष्ट भोजन से खाने के लिए तैयार चीजें बनाने जैसी तकनीकें शामिल होंगी।

प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम (टीईपीपी)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के नागरिकों में मौजूद विशाल अविष्कार क्षमता का दोहन करना है। इस कार्यक्रम में शामिल गतिविधियां हैं-नए विचारों वाले अविष्कारकों को आर्थिक मदद देना और उन्हें काम लायक प्रादर्शों, प्रारूपों आदि में बदलना। 28 टीईपीपी आउटरीच केंद्रों के जरिए टीईपीपी नेटवर्क को मजबूत

बनाया गया है। आशा है कि वर्ष 2009-10 में लगभग 100 स्वतंत्र आविष्कारों की परियोजनाओं को इस कार्यक्रम के तहत सहयोग दिया जाएगा और 'रचनात्मकता संस्थान' बनाने का काम शुरू हो जाएगा।

प्रौद्योगिकी प्रबंधन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के उत्तम प्रबंधन और हस्तांतरण के लिए जानकारी और कौशल को बढ़ाना है। इसकी गतिविधियों से तकनीकी उत्कृष्टता प्राप्त करने के विभाग के अन्य कार्यक्रमों/ गतिविधियों को पर्याप्त सहायता मिलती है। उद्योगों, अनुसंधान और विकास संस्थानों, अध्ययन संस्थानों और अन्य संस्थाओं में प्रौद्योगिकी प्रबंधन क्षमताओं के विकास को लक्ष्य करके विशेष कार्यक्रम बनाए गए हैं। इससे प्रौद्योगिकी प्रबंधन के उभरते हुए तरीकों के प्रभावी इस्तेमाल को बढ़ावा देने और औद्योगिक इकाइयों के विभिन्न शिक्षा संस्थानों और विभिन्न राज्यों के निकायों के बीच नेटवर्क के जरिए उद्योग-संस्थान अंतर्संबंधों को बेहतर बनाने में मदद मिल रही है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी परियोजनाओं, सेवाओं और उच्च तकनीकी उत्पादों के निर्यात सहित अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी हस्तांतरण और व्यापार को बढ़ाना है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यापार को बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम के तहत कई गतिविधियां शामिल की गई हैं। जिसमें भारतीय उद्योगों, अनुसंधान और विकास संस्थानों और परामर्श संगठनों को जोड़ा गया है। इनमें तकनीकी निर्यात संभावनाओं पर पर्चे, रिपोर्ट, सारांश, कार्यशालाएं और जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियां आदि शामिल हैं। संबद्ध एजेंसियों को प्रौद्योगिकी प्रवण निर्यात के महत्व के प्रति शिक्षित करने के अलावा इन प्रयासों से देश के प्रौद्योगिकी प्रवण निर्यात की रफ्तार को बढ़ाने में मदद मिली है।

परामर्श प्रोत्साहन कार्यक्रम

परामर्श प्रोत्साहन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य घरेलू जरूरतों और निर्यात की आवश्यकताओं के लिए परामर्श क्षमताओं को बढ़ाना और मजबूत बनाना है। इसके अन्य उद्देश्य क्षेत्र आधारित परामर्श क्षमताएं विकसित करना और विभिन्न एसएमई समूहों में परामर्श क्लिनिक स्थापित करना है ताकि उन्हें अपने दरवाजे पर परामर्श सेवाएं मिल सकें।

प्रौद्योगिकी सूचना सहायता कार्यक्रम

टीपीडीयू कार्यक्रमों के लिए सूचना सेवाओं द्वारा मदद की जरूरत होती है। इसे समझते हुए टीपीडीयू कार्यक्रमों में प्रौद्योगिकी सूचना सहायता कार्यक्रम (टीआईएफपी) शामिल किया गया है। टीआईएफपी के तहत परियोजनाओं का उद्देश्य अनुसंधान और विकास गतिविधियों की सहायता के लिए उपयुक्त अंतरजातीय सूचना क्षमताएं विकसित करना, स्थानीय सूचनाएं एकत्र करना और स्वदेशी ज्ञान को एकत्र करना, सूचना और ज्ञान के नेटवर्क को बढ़ावा देना ताकि सूचना संसाधनों का प्रवाह और आदान-प्रदान सुगम हो सके, आदि है। हाल ही में पारंपरिक ज्ञान और लोक ज्ञान को विकसित करने, सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी सूचना और वर्चुअल सूचना प्रणाली के लिए स्थान बनाने और सामग्री विकास के लिए परीक्षण केंद्र विकसित करने पर ध्यान दिया गया है।

विभाग में ई-गवर्नेंस

भारत सरकार के ई-गवर्नेंस प्रयास के तहत विभाग में एक एकक बनाया गया है ताकि कार्यक्षमता,

पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ाने के लिए सरकार के सभी स्तरों पर सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए ई-गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए व्यापक कार्यक्रम को कार्यन्वित किया जा सके। इस कार्यक्रम के तहत सभी अधिकारियों को विभिन्न गतिविधियों के ऑटोमेशन के लिए इंटरनेट सहित कंप्यूटर दिए गए हैं और विभाग के वेबसाइट <http://www.dsir.gov.in> को लगातार अद्यतन बनाया जाता है।

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन.आर.डी.सी.) की स्थापना 1953 में कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत व्यावसायिक कंपनी के रूप में की गई जिसका उद्देश्य देश में आविष्कारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा अनुसंधान व विकास नतीजों को बेचने योग्य औद्योगिक उत्पादों, प्रक्रियाओं तथा सेवाओं में बदलना है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं: प्रयोगशाला के ज्ञान का व्यावसायीकरण, बौद्धिक संपदा अधिकार के जरिए खोजों/प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा करना, प्रौद्योगिकी विकास के लिए आर्थिक सहायता देना, आविष्कारों को बढ़ावा देना और उनका व्यावसायीकरण, ग्रामीण प्रौद्योगिकियों का विकास और व्यावसायीकरण, प्रौद्योगिकियों के निर्यात को प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बारे में सूचना का प्रसार आदि।

एनआरडीसी ने पिछले 10 वर्षों में 350 से ज्यादा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण लाइसेंस समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे प्रीमियम और रॉयल्टी के तौर पर 30 करोड़ रुपये की आमदनी हुई। इसके पास 2000 से ज्यादा तकनीकों का डाटाबेस है और यह एक हजार से ज्यादा सक्रिय लाइसेंसियों के संपर्क में है। यह आर्थिक सहायता/परामर्श/ बाजार-सर्वेक्षण पेटेंट दाखिल करने के अलावा आधारभूत इंजीनियरी डिजाइन पैकेज/संभाव्यता रिपोर्ट के जरिए प्रौद्योगिकियों का मूल्य वर्धन करना है। इसने अफ्रीकी और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ तकनीकी सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए कई समझौते किए। हाल ही में इसने आइवरी कोस्ट में प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन और संवर्धन के लिए एक केंद्र स्थापित किया है।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल)

सीईएल के कार्य को मोटे तौर पर तीन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है—सौर फोटोवोल्टेइक (एसपीवी), सामरिक इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे उत्पाद। सीईएल एसपीवी बैटरियों मॉड्यूल्स और प्रणालियां तथा रेल सुरक्षा संकेतक उपकरणों का शुरुआती और अग्रणी निर्माता है।

सामरिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सीईएल स्वदेशी चरण नियंत्रण मॉड्यूल बनाने वाला अकेला निर्माता है। यह मॉड्यूल फेज्ड एंटेना रडार का मुख्य पुर्जा है।

सीईएल ने माली के साथ सौर उपकरणों की आपूर्ति के लिए तथा सूडान के साथ सौर सेल निर्माण के लिए समझौते किए हैं। इसने 250 वॉट पावर के एसपीवी मॉड्यूल बनाने की एक इकाई शुरू की है। इसने 40 विचलन बिंदु बहु-खंड डिजिटल धुरी गणक भी विकसित किए हैं। इसने स्वीडन से 551 हीट फ्यूज के लिए पियाशो जनरेटर के लिए स्वीकृति प्राप्त की है। इसके साथ ही आयुध निर्माणी के एक कार्य-आदेश को पूरा किया। वर्ष 2009-10 में सीईएल द्वारा प्रस्तावित गतिविधियां हैं: सॉलिड स्टेट ब्लॉक उपकरण का विकास, स्वचालित उपकरण पहचान प्रणाली का विकास, तकनीक के समावेश और सुरक्षा प्रणाली के व्यावसायीकरण के लिए ढांचा तैयार करना, और चरण नियंत्रण मॉड्यूल की निर्माण क्षमता को 30,000 से 40,000 प्रति वर्ष तक बढ़ाना।

परामर्श विकास केंद्र (सीडीसी)

परामर्श विकास केंद्र का निर्माण जनवरी, 1986 में रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में किया गया और मई,

1994 से यह अपने इंडिया हैबिटाट सेंटर कार्यालय से काम कर रहा है। दिसंबर, 2004 में इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संस्थान के तौर पर मान्यता मिल गई। इन वर्षों में सीडीसी ने मुख्यतः मानव संसाधन विकास, कंप्यूटरीकृत डाटा/सूचना सेवाएं उपलब्ध कराने और प्रौद्योगिकीय और प्रबंधकीय परामर्श क्षमताएं मजबूत करने, जिसमें परामर्श निर्यात भी शामिल है, पर ध्यान दिया है। सीडीसी परामर्शदाताओं और परामर्श एजेंसियों की कंप्यूटर पर जानकारी रखता है। परामर्श के क्षेत्र में मानव संसाधन क्षमताओं को विकसित करने के लिए केंद्र 'बिट्स' पिलानी के सहयोग से परामर्श प्रबंधन में दो वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी चलता है। सीडीसी एशिया और प्रशांत के तकनीकी परामर्श विकास कार्यक्रम का सचिवालय (टीसीडीपीएवी) भी है। विभाग द्वारा समर्थित इस कार्यक्रम का उद्देश्य परामर्श क्षमताओं को बढ़ाना है, जिसमें एशिया-प्रशांत में परामर्श और सेवाओं का निर्यात भी शामिल है।

हाल ही में सीडीसी ने एम एस कार्यक्रम के लिए ई-कोचिंग मोड शुरू किया है। इसने, भारत में परामर्शदाताओं के आदर्श प्रत्यायन श्रेणीकरण और सूचीकरण प्रणाली पर चर्चा की और सुरक्षित पेयजल के क्षेत्र में नए प्रयास किए हैं। 2009-10 में सीडीसी द्वारा प्रस्तावित गतिविधियां हैं: सीडीसी-टीसीओ संकाय की स्थापना, सीएसआईआर की ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के लिए प्रौद्योगिकी परामर्श केंद्र, परामर्श क्षमताओं की शिक्षा/प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण तथा परामर्श प्रबंधन संस्थान के लिए पाठ्यक्रम का विकास।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और 39 क्षेत्रीय केंद्रों का एक समुच्चय है जो पूरे भारत में फैले हुए हैं। सीएसआईआर ने पिछले छह दशकों में भारत में अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्यादातर प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई है। इसकी उपलब्धियों में विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र जैसे एरोस्पेज, पर्यावरण, स्वास्थ्य, अक्षय ऊर्जा, उन्नत सामग्री इंजीनियरी डिजाइन आदि सभी शामिल हैं। उच्च विज्ञान और अविष्कारों सहित आधारभूत अनुसंधान के जरिए इसने विश्व अनुसंधान व विकास परिदृश्य में अपना प्रभाव बनाना जारी रखा है। अपनी स्थापना के समय से सीएसआईआर औद्योगिक प्रतियोगिता के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी का स्रोत रहने के साथ ही सामाजिक क्षेत्र के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधार, आम आदमी के लिए प्रौद्योगिकी और ज्ञान के विकास के लिए विज्ञान का स्रोत रहा है। इसके हाल के कार्यक्रम 'सीएसआईआर-800' ने भारत की एक बड़ी आबादी की आर्थिक प्रगति के लिए समाजवादी लेकिन व्यावसायिक रूप से उपयोगी व्यापार मॉडल दिए हैं। एक अन्य कार्यक्रम-ओपन सोर्स भेषज अन्वेषण (ओएसडीडी) का उद्देश्य आम आदमी को कम लागत में स्वास्थ्य सुविधाएं देना है, जिसमें एक वैश्विक मंच के जरिए स्वयंसेवी अनुसंधानकर्ताओं को शामिल किया जाता है। इस मंच के जरिए मलेरिया, टीबी, लीशमानिएसिस जैसी इस इलाके की बीमारियों के लिए नए इलाज ढूंढने से जुड़ी जटिल समस्याओं को मिलकर हल करने की कोशिश की जाएगी।

चंद्रयान में योगदान : अक्टूबर, 2008 में भारत ने अपना पहला वैज्ञानिक मिशन 'चंद्रयान-I' चंद्रमा पर भेजा। इस प्रतिष्ठित परियोजना में सीएसआईआर की 7 प्रयोगशालाओं ने योगदान किया। इसमें अंतरिक्ष मौसम सूचना/चेतावनियां, जिंक ऑक्साइड आधारित माइक्रोइलेक्ट्रोमेकैनिक्ल प्रणाली ध्वनि संवेदक, ध्वनि परीक्षण, वायु नलिका परीक्षण, विभिन्न सिविल संरचनाओं की डिजाइन आदि शामिल हैं।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में ओएसडीडी की शुरुआत एक महत्वपूर्ण व्यास है। www और लिनक्स के विकास पर आधारित यह कार्यक्रम 15 सितंबर, 2008 को शुरू किया गया और अब तक इन पोर्टलों के 1300 पंजीकृत सहभागी हैं। शुरुआत में ओएसडीडी भारत में व्यापक रूप से फैली बीमारी टीबी के

इलाज के लिए सस्ती दवाएं बनाएंगी। एक अन्य उपलब्धि भारतीय जीनोम भिन्नता के आंकड़े (इंडियन जीनोम वेरिएशन डेटाबेस) एकत्र करना है जिसमें भारत की सभी उपजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली आबादी में रोग व प्रतिक्रिया वाले 1000 से ज्यादा जीनों में सिंगल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता (एसएनपी) संबंधी आंकड़े लिए गए हैं। सीएसआईआर ने हाइड्रॉक्सी पेटाइट आधारित कृत्रिम श्रोणी-जोड़ आरोपण विकसित किया है जो टूटी हुई कूल्हे की हड्डी से पीड़ित विशेषकर वृद्धों के लिए उपयोगी है। इसमें दोनों कूल्हों को एक साथ प्रत्यारोपित किया जा सकता है। दांतों के लिए नैनो अकार की कृत्रिम हाइड्रोपेटाइट हड्डी का व्यावसायीकरण विभाग की एक और उपलब्धि है। प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए 'प्रोस्टालिन' नाम की एक दवा भी विकसित की गई है।

सीएसआईआर-800 : इसका उद्देश्य है, देश के विकास पिरामिड के निचले आधे हिस्से में रह रहे 80 करोड़ लोगों की प्रति व्यक्ति आमदनी को 15 रुपए प्रतिदिन बढ़ाना है। कार्य के मुख्य क्षेत्र हैं—'सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं', 'स्थायी ऊर्जा', 'अपशिष्ट से संपदा', 'पेयजल', 'सस्ते घर', और 'जनता का सशक्तीकरण' अपने प्रयासों की शुरुआत में सीएसआईआर ने 'सोलेक्शा' नाम से एक बेहतरीन डिजाइन वाला, पेडल से चलाने वाला, मोटरसहित, शून्य कार्बन छोड़ने वाला शहरी परिवहन वाहन बनाया है। इसके चार प्रमुख सामाजिक प्रभाव होंगे—प्राकृतिक पेट्रोलियम पदार्थों का संरक्षण, शून्य प्रदूषण (धुआ नहीं होता), शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए स्वरोजगार, मानवश्रम का सम्मान और पारंपरिक रिक्षे को चलाने की मेहनत और थकान का खात्मा। विशेष कर आपदा-प्रवण क्षेत्र में मकान की समस्या से निबटने के लिए सीएसआईआर ने प्राकृतिक रेशों और औद्योगिक अपशिष्ट से कम लागत वाले जल्द बनने वाले घर विकसित किए हैं।

स्थायी ऊर्जा के क्षेत्र में : सीएसआईआर ने भारत ने पहली बटन दबाकर चलाने वाली 300 वॉट की आत्मनिर्भर पालीमर मेंब्रेन ईंधन बैटरी प्रणाली विकसित की है। इसके अलावा इसने अपने स्थायी ऊर्जा के लक्ष्य की ओर प्रयास करते हुए ठोस ऑक्साइड ईंधन प्रणाली भी विकसित की है। 'अपशिष्ट से ऊर्जा' की अवधारणा के तहत सीएसआईआर ने गन्ने की खोई को जैव ईंधन में बदलने की तकनीक विकसित की है जो गन्ना उद्योग में इस्तेमाल भी होने लगी है। जट्रोफा से जैवडीजल बनाने की अपनी तकनीक को आगे बढ़ाते हुए सीएसआईआर ने 1 टीपीडी संयंत्र डीआरडीओ के साथ मिलकर स्थापित किया है। परिषद ने सौर ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। सौर वाटरहीटर 'नालसन' विकसित करके उसे व्यावसायिक इस्तेमाल में लाया जा रहा है। सौर फोटोवोल्टेइक्स के क्षेत्र में सीएसआईआर ने रंजक संवेदी सौर सेल के लिए सामग्री विकसित की है। इसके अलावा परिषद ने हिमालय प्रदेश में प्राकृतिक गर्मजल स्रोत से भूतापीय ऊर्जा के उपयोग से 5 किलो वॉट बिजली उत्पन्न करने के लिए एक छोटा टरबाइन विकसित और स्थापित किया है। साथ ही 300 और 500 किलो वॉट की पवनचक्कियां भी विकसित और स्थापित की हैं। सीएसआईआर ने कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत खंड 25 कंपनी स्थाई ऊर्जा के लिए अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर इस क्षेत्र में साझा अनुसंधान कार्य करना भी शुरू किया है।

पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में : सीएसआईआर ने लो-ग्रेड यूरेनियम अयस्क के लिए ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण करने वाली जैव-विक्षालन प्रक्रिया विकसित की है और भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड के एक संयंत्र में स्थापित की है। परिषद ने अपशिष्ट जल से फ्लोरीन को हटाने के लिए बायोसिरेमिक आधारित सम्मिश्र शोषक माध्यम बनाया है जो सक्रिय एल्यूमिना से कहीं ज्यादा फ्लोरीन शोषण कर पाता है। इस फ्लोरीन शोषक माध्यम ने विभिन्न अम्लीय व क्षारीय सांद्रता वाले घोलों से

फ्लोराइड अवशोषण की बेहतर और चयनात्मक क्षमता दिखाई है जो व्यवहार में बेहद उपयोगी होगी। परिषद ने हैक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन वाले अपशिष्ट के जैविक शोधन के लिए मानक स्तर का अपफ्लो एनरोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर स्थापित किया है। द्विमितीय हाइड्रोडाइनेमिक प्रारूप के आधार पर संस्थान ने अंडमान द्वीप समूह के लिए तूफान आपदा न्यूनीकरण योजना प्रस्तावित की है। सीएसआईआस ने 20 किमी के त्रिविम घूर्णन वाले वैश्विक सामान्य घूर्णन मॉडल के आधार पर दुनिया का पहला लंबा छद्म मौसम बनाया है। परिषद का इस क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण योगदान चमड़ा क्षेत्र के अपशिष्ट को रीइन्फोर्सड सीमेंट कंक्रीट संरचना से विकेंद्रीकृत सुरक्षित लैंडफिल प्रणाली का पेटेंटीकरण का रहा है। इसमें कचरे को एकत्र करके सीईटी में संशोधित करने तथा कम जगह में अधिक अपशिष्टों को इकट्ठा करने का प्रावधान है।

जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में: यह क्षेत्र जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सीएसआईआर का पारंपरिक गढ़ है। इस क्षेत्र में काम करने वाली प्रयोगशालाएं उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधानों के जरिए अपना योगदान करती हैं, जिनमें आधारभूत अध्ययन, औद्योगिक प्रक्रियाएं एवं उत्पाद शामिल हैं। सीएसआईआर ने प्रशोधित प्रोटीन का जैव-रसायनिक तुलनात्मक विश्लेषण करके पाया कि लीशमानिया की गतिविधियां आम जीवाणुओं से अलग होती हैं जोकि नई एंटी लीशमानिया दवाएं बनाने के लिए वैकल्पिक लक्ष्य का काम कर सकती हैं। सीएसआईआर ने हाल ही में दो स्पर्मनाशक रसायनों (डीएसई-36 और डीएसई-37, कार्बोथायोइक अम्ल के प्रतिरूप एस्टर) को खोजा है जोकि सर्वाधिक स्पर्मनाशक गुणों वाले हैं और एन-9के सिर्फ 4 फीसदी ईसी-100 सौ फीसदी मानव स्पर्म को मार देता है जबकि मानवीय बच्चेदानी के मुंह की कोशिकाओं और लैक्टोबेसिलस के प्रति एकदम निष्क्रिय रहता है। 'फिशमैप' का विकास एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान है। फिशमैप, जेब्राफिश के जीनोम की सूचना के संग्रह, पुनर्प्राप्ति और प्रदर्शन के लिए एकीकृत और केंद्रीकृत संसाधन है। सीएसआईआर की एक अन्य उपलब्धि उपयुक्त स्वयं जुड़ने वाले स्यूडोपेटाइड आधारित आणविक निर्माण इकाइयों से कुंतलित नैनोफाइबर का निर्माण है जो डाइपेटाइड से ढके सोने के नैनोपार्टिकल्स को गढ़ने के लिए उपयुक्त सांचे होते हैं, जिससे समझ में आता है कि इन नैनोफाइबर्स का इस्तेमाल सोने के नैनोपार्टिकल्स का समुच्चय बनाने में किया जा सकता है। हाल ही में सीएसआईआर ने आंत में लीशमानिया और काला-आजार के बाद त्वचा के लीशमानिया की पहचान के लिए पुनर्संयोजक झिल्ली एंटीजेन और उससे नैदानिक किट विकसित की है।

रासायनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में : सीएसआईआर का रासायनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में औद्योगिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। इसने देश के सबसे पुराने तेल शोधन संयंत्र डिग्बोई में अपशिष्ट टंकियों की तली से मूल्यवर्धित उत्पाद निकालने के लिए 20,000 टीपीए संयंत्र लगाया है। इसने एलील क्लोराइड से एपीक्लोरोहाइड्रिन बनाने के लिए उत्प्रेरक प्रक्रिया विकसित की है और रायोंग, थाईलैंड में आदित्य बिड़ला उद्योग समूह के लिए 3000 टीपीए संयंत्र भी लगाया है। सीएसआईआर प्रौद्योगिकी के आधार पर पर्यावरण के अनुकूल तरीके से पोटाश के सल्फर के उत्पादन का एक संयंत्र चेन्नई में लगाया गया है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अपने प्रयास को जारी रखते हुए सीएसआईआर ने इल्मेनाइट से टाइटेनियम-डाइ-ऑक्साइड के लिए टाइटेनियम संपोषण पदार्थ कृत्रिम रुटाइल बनाने की पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की है।

पृथ्वी विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में : जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के साथ सीएसआईआर ने भारत का गुरुत्वाकर्षण मानचित्र 2006 बनाया है।

सीएसआईआर द्वारा आंकड़े प्राप्त करके विश्लेषण करने से पूर्वी हिस्से में बंगाल की खाड़ी और अंडमान क्षेत्र में ~ 6,40,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में वैध महाद्वीपीय रेतीले कगार की प्राप्ति हुई है। परिषद ने किंबरलाइट क्लस्टर में पृथ्वी के निचले क्रस्ट और मैटल जेनोलिथ का जियोथर्मोबैरोमेट्री, उम्र और पेट्रो-भौतिक गुणों के आधार पर अध्ययन किया है और इसके आधार पर पूर्वी धारवाड़ क्रेटॉन में 4-D लिथोस्फीयर का मानचित्रण किया है। भू-तापीय भंडार से जुड़े पुगा क्षेत्र में 2-2.5 कि.मी. गहराई में डूबे महत्वपूर्ण चालक क्षेत्र की रूपरेखा का चित्रण परिषद की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे जम्मू और कश्मीर से ऊर्जा क्षेत्र के नए आयाम खुले हैं। सटीक अनुमान, सर्वेक्षण तथा खोज करने के लिए नई तकनीकें विकसित की गई हैं जिससे लगभग 40,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन के भंडारों की रूपरेखा चित्रित की जा सके।

इंजीनियरिंग डिजाइन और संरचना के क्षेत्र में : सीएसआईआर ने पंवन रेल पुल को मीटर गेज से बड़ी लाइन में बदलने के लिए उसके मार्ग को दोबारा बनाया है। एक अन्य उपलब्धि चेन्नई में विलक्षण टावर टेस्टिंग सुविधा की स्थापना है जो 65 मीटर तक ऊंचाई वाले और 22.5 मीटर × 225 मीटर व्यास और 36 मीटर क्रॉस आर्म चौड़ाई वाले टेस्टिंग टावरों में विश्व के श्रेष्ठतम सुविधाओं में शामिल है। इसमें इलेक्ट्रो-हाइड्रॉलिक सर्वो प्रणाली का उपयोग किया जाता है। भूकंप इंजीनियरी में विकसित अनुसंधान विकास पर काम करने के लिए सीएसआईआर ने विकसित भूकंपीय जांच सुविधा स्थापित की है जिसमें 30 टन का ट्राइएक्सिल शेक टेबल, 5 टन क्षमता का बाइएक्सिल शेक टेबल और मल्टीएक्सिस स्यूडो डाइनामिक जांच प्रणाली लगाई गई है। समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए सीएसआईआर ने औद्योगिक अपशिष्ट, प्राकृतिक रेशों और सुतली से तत्काल कम लागत में घर बनाने का तरीका विकसित किया है। आपदा आदि जैसी आपात स्थितियों में आधे घंटे में यह घर बनाया जा सकता है।

सूचना के क्षेत्र में : सीएसआईआर ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी सूचनाओं के प्रसार के अपने प्रयास जारी रखे हैं। यहां से तीन लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाएं-साइंस रिपोर्टर (अंग्रेजी मासिक), विज्ञान प्रगति (हिंदी मासिक) और साइंस की दुनिया (उर्दू त्रैमासिक), अनेक लोकप्रिय विज्ञान पुस्तकें और 16 विशेषज्ञ स्तर की विज्ञान पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं।

सामग्री एवं इंजीनियरी के क्षेत्र में : सीएसआईआर ने उच्च नॉन-लीनियरिटी वाला विशेष किस्म का फोटॉनिक क्रिस्टल फाइबर विकसित किया है तथा ऑप्टिकल कोहेरेन्स टोमोग्राफी स्पेक्ट्रोस्कोपी मेट्रोलोजी आदि विविध उपयोगों के लिए वाइड बैंड सुपरकंडीन्यूअम स्रोत उत्पन्न करने में इसकी कार्यविधि का प्रदर्शन भी किया है। कमरे के तापमान पर पुनर्स्थापित अंग की सतह को स्वच्छ बनाने के लिए ग्लोब्युलर/फाइब्रस प्रोटीन का नए तरीके से इस्तेमाल किया है। लवण परत की प्रोटीनयुक्त सामग्री इसकी जैव-अनुकूलता और जैव-विगलन के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक अन्य खोज है, स्वचालित ब्रेक और क्लच के लिए कार्बन फाइबर वाली सिलिकन कार्बाइड विकसित संकुल सिरामिक घर्षण प्लेट का निर्माण।

नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एनएमआईटीएलआई) : एनएमआईटीएलआई को सरकारी-निजी सहकार के क्षेत्र में एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। इस योजना के तहत दो श्रेणी की परियोजनाओं : (1) राष्ट्रीय रूप से विकसित परियोजनाओं (एनईपी) और (2) उद्योग क्षेत्र से उत्पन्न परियोजनाओं (आईओवी) को विकसित और समर्थन दिया जाता है। इसके अलावा संकल्पना के परीक्षण के आधार पर कुछ परियोजनाएं विकसित की जाती हैं जिन्हें पिछली/चालू परियोजनाओं से लिया जाता है। इस क्षेत्र में हाइड्रोजन आधारित फ्यूल सेल के हिस्सों का विकास,

सिलिकॉन और ग्रेफाइट कण युक्त एल्यूमिनियम मिश्रधातु मैट्रिक्स संकर संकुल, ट्रिपल प्ले ब्राडबैंड प्रौद्योगिकी, 500 वॉट की कम लागत वाली क्षैतिज-एक्सिस वायु टरबाइन, थ्रॉस्टोकाइट्रिड्स तकनीक से डोकोसाहैक्सोनिक एसिड (डीएचए) के उत्पादन की तकनीक का उद्योग को हस्तांतरण, सोरिएसिस के इलाज के लिए खाने वाली दवा का क्लीनिकल परीक्षण तीसरे चरण में पहुंचा, लाइसोस्टेफिन का क्लीनिकल परीक्षण दूसरे चरण में पहुंचा, मधुमेह, गठिया और जठरीय बीमारियों जैसे बड़ी उम्र के रोगों के लिए नई जड़ी बूटियों से बनी औषधियों का निर्माण, विथानिया और फंगल संक्रमणों के लिए पांच रसायन और एक पौध-रसायन संकर विकसित किए गए हैं और नए एक्सप्रेसन सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत खमीर को बढ़ावा देने वाले रसायन विकसित किए गए हैं। गन्ने की खली को सेल्यूलोज, हेमी-सेल्यूलोज और लिग्निन में तोड़ने की तकनीक को प्रायोगिक स्तर पर इस्तेमाल कर गोदावरी शुगर्स को हस्तांतरित किया गया है।

मानव संसाधन विकास

सी.एस.आई.आर. राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी कर्मियों के विकास और प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध है। यह राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक परियोजनाओं के माध्यम से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान को प्रोत्साहन, मार्गदर्शन देने के साथ उनका समन्वय करती है। कुछ गतिविधियां इस प्रकार हैं—शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और युवा वैज्ञानिक पुरस्कार; राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा के जरिए कनिष्ठ अनुसंधान फेलो, वरिष्ठ अनुसंधान फेलो, वरिष्ठ शोध फेलो का कार्यावधि विस्तार और वरिष्ठ शोध सहायकों और श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलो का चयन; विश्वविद्यालयों/अनुसंधान और विकास संगठनों की एक्सट्रा म्यूरल अनुसंधान योजनाओं को वित्तीय सहायता; दौरा/सम्मेलन/सिंजोजिम अनुदान; विज्ञान में युवाओं के नेतृत्व का सी.एस.आई.आर. कार्यक्रम। इस वर्ष के दौरान सी.एस.आई.आर. ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं के करीब 8000 शोध फेलो/सहायकों को मदद दी। इसके अलावा 122 सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों और 135 निकाय वैज्ञानिकों को मदद दी गई।

सी.एस.आई.आर. ने अपने केंद्र व अन्य प्रयोगशालाओं में मानव संसाधन के फोकस ग्रुप विकसित करने के लिए मानव संसाधन विकास केंद्र स्थापित किया है। यह केंद्र पेशेवर और समग्र मानव संसाधन प्रबंध को प्रोत्साहन देते हुए अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विकास/व्यक्तिगत कार्यक्षमता में वृद्धि/हुरन और सुधार की गुंजाइश वाली नीतियों की पहचान के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करता है।

बौद्धिक संपदा प्रबंधन

नयी विश्व व्यापार व्यवस्था के चलते सीएसआईआर देश में बौद्धिक संपदा आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है और पूरे विश्व में पेटेंट के लिए आवेदनकर्ताओं के विशिष्ट समूह में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के प्रयास कर रहा है। वर्ष 2008-09 के दौरान विदेश में 262 तथा देश में 699 पेटेंटों हेतु आवेदन सीएसआईआर द्वारा किए गए। अब तक इसे 2251 पेटेंट भारत में और 2722 पेटेंट विदेशों में प्राप्त हैं। इसके अलावा सीएसआईआर ने एससीआई पत्रिकाओं में 3883 शोध पत्र प्रकाशित किए जिनका प्रति अनुसंधान औसत प्रभाव कारक (एवीआईएफ) 2.17 है।

परमाणु ऊर्जा

3 अगस्त, 1954 में गठित परमाणु ऊर्जा विभाग परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विकास, विकिरण प्रौद्योगिकी के कृषि, दवाइयों और उद्योग में इस्तेमाल तथा मूलभूत अनुसंधान कार्यों में जुटा है।

विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम इसके शासनादेश से प्रेरित हैं जिसमें शामिल हैं—

- स्वदेशी और अन्य आजमाई हुई प्रौद्योगिकियों के जरिए नाभिकीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाना और उपयुक्त ईंधन चक्र संयंत्रों से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और थोरियम रिएक्टर विकसित करना;
- विकिरण समस्थानिकों के उत्पादन तथा औषधिविज्ञान, कृषि और उद्योग के क्षेत्रों में विकिरण तकनीक के उपयोग के लिए अनुसंधान रिएक्टरों का निर्माण और प्रचालन;
- एक्सेलेरेटर, लेज़र आदि विकसित तकनीकों का विकास और उद्योगों को तकनीकों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना;
- नाभिकीय ऊर्जा और विज्ञान के संबद्ध क्षेत्रों में आधारभूत अनुसंधान और विश्वविद्यालयों और उच्च-शैक्षिक संस्थानों के बीच आपसी संबंध बढ़ाने में सहयोग करना, ऐसी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सहयोग करना जो विभाग के कार्यक्रमों से जुड़ी हो, इन क्षेत्रों में अनुसंधान में अंतराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना; और
- राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान करना।

विभाग संगठनों का एक समन्वित समूह है जिसमें पांच अनुसंधान केंद्र, तीन औद्योगिक संगठन, पांच सार्वजनिक उपक्रम और तीन सेवा संगठन हैं। इसके दो बोर्ड हैं जोकि परमाणु और संबद्ध क्षेत्रों व गणित में अनुसंधान के लिए प्रोत्साहन तथा वित्तीय सहायता देते हैं। यह मूल विज्ञान, खगोलशास्त्र, खगोल भौतिकी, कैंसर अनुसंधान और शिक्षा आदि में शोध से जुड़े सात अंतराष्ट्रीय प्रसिद्धिप्राप्त संस्थानों को भी मदद देता है। इसकी एक सोसायटी है जो विभाग के कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध कराती है।

परमाणु ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों तथा इसके प्रमुख कार्यक्रमों के तहत किए गए कार्यों का ब्योरा इस प्रकार है—

नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम

परमाणु ऊर्जा विभाग तीन चरणों में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम चला रहा है। पहले चरण में दाबित गुरुजल रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) और उनसे जुड़े ईंधन-चक्र के लिए विधा को स्थापित किया जाना है। ऐसे रिएक्टरों में प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में तथा गुरुजल को मॉडरेटर एवं कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने का प्रावधान है, जिनके साथ पुनः प्रसंस्करण संयंत्र और प्लूटोनियम-आधारित ईंधन संविचरण संयंत्र भी होंगे। प्लूटोनियम को यूरेनियम 238 के विखंडन से प्राप्त किया जाता है। तीसरा चरण थोरियम-यूरेनियम-233 चक्र पर आधारित है। यूरेनियम-233 को थोरियम के विकिरण से हासिल किया जाता है।

नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के प्रथम चरण का उपयोग व्यावसायिक क्षेत्रों में हो रहा है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.) परमाणु ऊर्जा विभाग की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है जिस पर नाभिकीय रिएक्टरों के डिजाइन, निर्माण और संचालन का दायित्व है। कंपनी 17 रिएक्टर्स (दो उबलते जल वाले रिएक्टर और 15 दाबित गुरुजल रिएक्टर) का संचालन करती है जिनकी कुल क्षमता 4120 मेगावाट है। एनपीसीआईएल 03 पीएचडब्ल्यू रिएक्टर्स का तथा दो हल्के जल रिएक्टर्स का निर्माण कर रही है जिससे इसकी क्षमता वर्ष 2008 तक बढ़ कर 6780 मेगा इलेक्ट्रिक वॉट हो जाएगी।

फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम तकनीकी प्रदर्शन के चरण में है। दूसरे चरण का अनुभव प्राप्त करने के लिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आई.जी.सी.ए.आर.) तरल सोडियम द्वारा ठंडे किये जा रहे फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के डिजाइन और विकास में लगा है। इसने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रौद्योगिकी विकसित करने में सफलता हासिल कर ली है। इसके 500 मेगावाट क्षमता के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पी.एफ.बी.आर.) का निर्माण कलपक्कम में शुरू कर दिया गया है। इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए नई कंपनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम (बीएचएबीआरएनआई) 'भाविनी' द्वारा वर्ष 2010-11 तक दक्षिणी ग्रिड को 500 मेगा इलेक्ट्रिक वाट विद्युत की आपूर्ति की जा सकेगी।

नाभिकीय उर्जा कार्यक्रम का तीसरा चरण तकनीकी विकास के चरण में है। बार्क में 300 मेगावाट के उन्नत गुरुजल रिएक्टर (ए.एच.डब्ल्यू.आर.) का विकास कार्य चल रहा है ताकि थोरियम इस्तेमाल में विशेषज्ञता हासिल हो सके और सुरक्षा के पुख्ता तरीकों का प्रदर्शन हो जाये। थोरियम आधारित प्रणालियों जैसे ए.एच.डब्ल्यू.आर. को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए तभी स्थापित किया जा सकता है जबकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के आधार पर उच्च क्षमता का निर्माण कर लिया जाए।

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम : प्रथम चरण

दाबित गुरुजल रिएक्टर: 1960 में भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत के समय पहले चरण के रिएक्टर के रूप में पी.एच.डब्ल्यू.आर. का चयन किया गया था, मगर संचालन अनुभव हासिल करने के लिए शुरू में तारापुर (महाराष्ट्र) में एक परमाणु ऊर्जा केंद्र लगाया गया। अमरीका की जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर लगाए गए इस केंद्र में दो बायलिंग वाटर रिएक्टर थे जिन्होंने 1969 में काम करना शुरू किया था। ये रिएक्टर अभी भी काम कर रहे हैं।

रावतभाटा (राजस्थान) में निर्मित पहले दो दाबित गुरुजल रिएक्टरों ने वर्ष 1973 और 1981 में व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया, पहले रिएक्टर (आरएपीएस-1) को एटोमिक इनर्जी ऑफ कनाडा लि. (एईसीएल) की सहायता से बनाया गया था। दूसरा रिएक्टर स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास प्रयासों तथा भारतीय उद्योगों के सहयोग से निर्मित किया गया। इस सफलता के बाद देश में बने 220 मेगावाट के दो पी.एच.डब्ल्यू. रिएक्टरों को 1984 और 1986 में चेन्नई के समीप कलपक्कम (तमिलनाडु) में चालू किया गया। बाद में 220 मेगावाट के पी.एच.डब्ल्यू. रिएक्टरों के डिजाइन का मानकीकरण किया गया और इस डिजाइन के आधार पर नरौरा (उत्तर प्रदेश) में दो रिएक्टरों ने 1991 और 1992 में काम करना शुरू कर दिया।

इस डिजाइन के मानकीकरण से नये रिएक्टरों को चालू करने की अवधि में काफी कमी दर्ज की गई है। 1993 और 1995 में 220 मेगावाट वाले दो अन्य परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के काकरापार (गुजरात) में काम करना शुरू करने के साथ ही पी.एच.डब्ल्यू.आर. की स्वदेशी प्रौद्योगिकी ने व्यावसायिक परिपक्वता हासिल कर ली। वर्ष 2000 में कैगा (कर्नाटक) तथा रावतभाटा (राजस्थान) में उच्च प्रौद्योगिकी के दो-दो 220 मेगावाट वाले पी.एच.डब्ल्यू रिएक्टर लगाए गए।

220 मेगावाट की एक और पी.एच.डब्ल्यू.आर. मई 2007 में शुरू कैगा में हो गया है। दाबित गुरुजल रिएक्टर के 220 मेगा इलेक्ट्रिक वाट संयंत्रों की क्षमता को सफलतापूर्वक बढ़ाकर 540 मेगावाट कर दिया गया है। बढ़ी हुई क्षमता वाले ऐसे दो रिएक्टर तारापुर में वर्ष 2005 तथा 2006 में लगाए जा चुके हैं। इन रिएक्टरों को चालू करने के समय में भी काफी कमी दर्ज की गई है। उसने 540 मेगावाट रिएक्टरों की विखंडन योग्य सामग्री से ही 700 मेगावाट का पी.एच.डब्ल्यू.आर. की संरचना तैयार करने

का काम शुरू कर दिया है। अब परमाणु ऊर्जा उत्पादन वर्ष 1981-82 के तीन अरब यूनिट से बढ़कर वर्ष 2006 में 17 अरब 8 करोड़ 31 लाख यूनिट हो गया।

चालू परियोजनाएं

कुल 3160 मेगावाट क्षमता निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इसमें क्रमशः रावत भाटा में 220 मेगावाट क्षमता के दो दाबित जल रिएक्टर (आरएपीपी 5 तथा 6) तथा कैगा का एक (कैगा 3 तथा 4), कुडनकुलम में 1000 मेगावाट क्षमता के दो दाबित गुरुजल रिएक्टर एवं कलपक्कम में 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शामिल हैं।

नयी परियोजनाएं

भारत सरकार ने 6800 मेगावाट क्षमता के आठ अतिरिक्त नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टरों की स्थापना हेतु स्थानों की सिद्धांततः स्वीकृति दे दी है। इसमें कुडनकुलम (तमिलनाडु), काकरापार (गुजरात) रावतभाटा (राजस्थान) और जैतपुर (महाराष्ट्र) में लगने वाले 700 मेगावाट क्षमता के दाबित गुरुजल रिएक्टर एवं 1000 मेगावाट क्षमता के हल्के जल रिएक्टर शामिल हैं।

परमाणु ऊर्जा विभाग ने एक महत्वाकांक्षी नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत आंतरिक संसाधनों और बाहरी सहयोग से 2020 तक 20,000 मेगावाट नाभिकीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता को हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

नाभिकीय ईंधन चक्र

नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के प्रथम चरण में अनेक सहायक प्रक्रियायें होती हैं जिन्हें कुल मिलाकर नाभिकीय ईंधन चक्र कहा जाता है। इनमें शुरू में खनिजों की खोज, खनन, अयस्क का प्रसंस्करण और ईंधन संविचरण शामिल हैं जबकि चक्र के अंत की प्रक्रियाओं में इस्तेमाल हुये यूरेनियम ईंधन का पुनः प्रसंस्करण और परमाणु अपशिष्ट का प्रबंधन शामिल है। भारत ने दाबित गुरुजल रिएक्टरों पर आधारित नाभिकीय उर्जा कार्यक्रम का संपूर्ण नाभिकीय ईंधन चक्र सहित पी.एच.डब्ल्यू.आर. से संबंधित संयंत्रों/सुविधाओं के डिजाइन, निर्माण और प्रचालन की व्यापक क्षमता हासिल कर ली है। इसमें पी.एच.डब्ल्यू.आर. में मंदक और प्रशीतक के रूप इस्तेमाल होने वाले गुरुजल का उत्पादन शामिल है।

परमाणु उर्जा विभाग के, नाभिकीय ईंधन कार्यक्रम में सर्वाधिक योगदान करने वाले संगठन हैं— अनुसंधान पर्यवेक्षण के लिए परमाणु खनिज निदेशालय, हैदराबाद, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, जादुगुड़ा (झारखंड), नाभिकीय ईंधन परिसर, हैदराबाद और गुरुजल बोर्ड, मुंबई। बार्क और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र चक्र के अंतिम भाग का प्रचालन संभालते हैं।

शुरुआती ईंधन चक्र

शुरुआती ईंधन चक्र के अंतर्गत खनिज के खनन, उसे कारखाने तक लाने व उसका प्रसंस्करण करने एवं ईंधन रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रियाएं आती हैं। इसके अतिरिक्त गुरु जल का उत्पादन भी परमाणु ऊर्जा विभाग के दाबित गुरुजल रिएक्टरों का सहयोगी कार्यक्रम है।

सर्वेक्षण और अन्वेषण

परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) यूरेनियम, थोरियम, नियोबियम, टेंटेल्म,

बेरीलियम, जिरकोनियम, लीथियम, यिट्रियम और दुर्लभ भू-तत्वों के संसाधनों के सर्वेक्षण, खोज और आकलन का कार्यकर्ता है। ये सभी पदार्थ देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए जरूरी हैं। निदेशालय (एएमडी) परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने और नाभिकीय अपशिष्ट के निपटान के लिए एनपीसीआईएल के सहयोग से स्थान चयन के लिए भूगर्भीय अध्ययन भी करता है।

परमाणु खनिज के लिए सर्वेक्षण और अनुसंधान का कार्य 1949 में शुरू हुआ। पिछले कई वर्षों के दौरान झारखंड में जादूगुड़ा भाटिन, नरवापहाड़, तुरामडीह, (पूर्व और दक्षिण) बन्दुहुरान (तुरामडीह पश्चिम), मध्य केरूआडूंगरी, बगजाता, कान्यालुका, मोहुलडीह और नन्दुप, मेघालय में दोमियासियात और वाखिन, आंध्रप्रदेश में लम्बापुर-पेदागाट्टू, कोप्पुनुरू और तुम्मालापल्ली के अलावा कर्नाटक के गोगी और राजस्थान के रोहिल में भी सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य शुरू हुआ। अभी तक एएमडी ने 61,000 टन विद्यमान यूरेनियम संसाधनों का पता लगाया है।

प्रोटेरोजोइक थालों में विद्यमान असंगति से सम्बद्ध उच्चकोटि के यूरेनियम भंडारों के प्रमुख स्रोत इस समय आंध्रप्रदेश, राजस्थान के दिल्ली थाले (वलित पट्टी), कर्नाटक में भीमा और कालादगी - बादामी थाले, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती और अबूझमाड़ और मध्यप्रदेश में ग्वालियर थाले में पाए जाते हैं।

जिन मेसोजोइक और टर्शियरी थालों में विशाल टनेज सैंडस्टोन प्रकार के यूरेनियम भंडारों की खोज का कार्य चल रहा है वे मेघालय में मेसोजोइक महाडेक थाला, तथा मध्यप्रदेश में गोंडवाना थाले के अलावा हिमाचल प्रदेश में अपर टर्शियरी शिवालिक थाले हैं। एएमडी ने कोलंबाइट टैंटेलाइट नियोबियम और टैंटेलम खनिज के विशाल भंडारों का भी पता लगाया है।

पूर्वी और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में जमे बालू के ढेरों में इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सिन (टाइटेनियम), सिलिमेनाइट, गार्नेट, जिरकॉन (जिरकोनियम) और मोनाजाइट (थोरियम और हल्के दुर्लभ भूतत्व) जैसे पदार्थ पाए गए। इसके अलावा तमिलनाडु में टेरी सैंड तथा बिहार और पश्चिम बंगाल के नदी घाटी क्षेत्रों में भी ये पदार्थ पाए गए। भारी खनिज सांद्रता के क्षेत्र केरल में तोट्टपल्ली-अलप्पुजा, कोल्लम और अलप्पुजा जिलों, आंध्रप्रदेश में पूर्वी गोदावरी, नरसापुर, पश्चिम गोदावरी, अमलापुरम जिलों तथा तमिलनाडु के वायाकुल्लूर-तटूर, कन्याकुमारी जिलों में भारी खनिजों की सांद्रता के कई क्षेत्रों का पता चला है। अभी तक ए.एम.डी. ने लगभग 70 करोड़ टन तटीय बालू के भारी खनिज संसाधनों का पता लगाया है। उड़ीसा के पुरी जिले के ब्रह्मगिरि में मिले खनिज भंडार में 12 करोड़ टन भारी खनिज होने का पता चला है। यह देश में भारी खनिज संसाधन का सबसे बड़ा भंडार है।

खनिज और अयस्क प्रसंस्करण

परमाणु, खनिज निदेशालय के खोज प्रयासों से झारखंड राज्य के सिंहभूम (पूर्व) में भटीन, जादुगुड़ा, तुरामडीह और नरवापहाड़ में चार यूरेनियम खानों की शुरुआत हुई। सन् 2007 में सिंहभूम में बंदुहुरंग में भी एक नई खुली खान शुरू की गई है। इन खानों का संचालन सार्वजनिक उपक्रम, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड (यू.सी.आई.एल.) द्वारा किया जा रहा है जोकि देश की परमाणु ऊर्जा की सभी जरूरतों को पूरा करता है।

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए यू.सी.आई.एल. ने बागजाता (झारखंड), लंबापुर (आंध्र प्रदेश) और डोमिआसेट (मेघालय) में खानों का विकास कार्य शुरू किया है। परमाणु ऊर्जा विभाग भी अन्य स्रोतों के इस्तेमाल पर भी काम कर रहा है।

निगम यूरेनियम अयस्कों के प्रसंस्करण के लिए एक यूरेनियम मिल भी चलाता है ताकि सांद्रित यूरेनियम प्राप्त हो सके। यैलो केक नामक इस पदार्थ को ईंधन संविचरण के लिए नाभिकीय ईंधन परिसर (एन.एफ.सी.) भेजा जाता है। इसके अलावा यूरेनियम अयस्क के प्रसंस्करण संयंत्र से मैग्नेटाइट भी हासिल की जाती है।

अयस्क प्रसंस्करण और यूरेनियम धातु उत्पादन के क्षेत्र में शोध और विकास कार्य ट्रांबे में किया जाता है। यूरेनियम इनगोट के उत्पादन के लिए यूरेनियम धातु निर्माण केन्द्र ट्रांबे में काम कर रहा है।

नाभिकीय ईंधन संविचरण

विद्युत रिएक्टरों तथा शोध रिएक्टरों के लिए जरूरी ईंधन संविचरण का काम नाभिकीय ईंधन परिसर (एन एफ सी), हैदराबाद और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क (बार्क), मुंबई द्वारा किया जाता है। बार्क और आईबीसीएआर नये ईंधनों के विकास में जुटे हैं।

भारतीय पीएचडब्ल्यूआर में बुनियादी ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। ट्रांबे में पहले ईंधन तत्व के 1959 में निर्माण द्वारा बड़ी सफलता प्राप्त हुई थी।

विद्युत रिएक्टरों के लिए औद्योगिक स्तर पर नाभिकीय ईंधन और जिरकोनियम मिश्र धातु के निर्माण के लिए हैदराबाद में 1971 में नाभिकीय ईंधन परिसर (एन.एफ.सी.) की स्थापना की गई। एनएफसी अब एक आइएसओ 9001 संगठन है। इसमें जिरकलॉय-4 युक्त प्राकृतिक और निःशेष यूरेनियम ऑक्साइड और थोरिया समूह का निर्माण होता है जिनका इस्तेमाल दाबित गुरुजल रिएक्टरों में होता है, जिरकलॉय-2 युक्त समृद्ध यूरेनियम ऑक्साइड ईंधन संयोजन, क्वथन जल रिएक्टरों के लिए और स्टेनलेस स्टील युक्त थोरिया और डिप्लेटेड यूरेनियम ऑक्साइड का उपसंयोजन तरल धातु प्रशीतित, ब्रीडर रिएक्टर के लिए होता है। एनएफसी, पीएचडब्ल्यूआर और बीडब्ल्यूआर के लिए जिरकोनियम मिश्र धातु के बुनियादी पुर्जों का भी निर्माण करता है। इसके अलावा एनएफसी स्टेनलेस स्टील के खांचारहित हेक्सकेस और रिएक्टर कोर युग्मकों के लिए जरूरी स्ट्रक्चरलस तथा विशेष मिश्र धातु ट्यूबों का भी उत्पादन करता है। यह परमाणु ऊर्जा के पुनः प्रसंस्करण संयंत्रों और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में इस्तेमाल के लिए स्टेनलेस स्टील के पाइप और ट्यूबों के निर्माण संबंधी मांग को भी पूरा करती है। यह नाभिकीय उर्जा संयंत्रों और परमाणु उर्जा के पुनःप्रसंस्करण संयंत्रों में इस्तेमाल होने वाली उच्च गुणवत्ता वाली स्टेनलेस स्टील की ट्यूब और पाइप की मांग भी पूरी करता है। पिछले छह वर्षों से एनएफसी के संयंत्र अपने वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों को भलीभांति पूरा कर रहे हैं तथा इसके कुछ संयंत्रों ने तो अपनी संयंत्र क्षमता को भी पार कर लिया है।

बार्क में औद्योगिक स्तर पर अनेक प्रकार के ईंधनों का विकास और संविचरण किया गया है। टीएपीएस के बायलिंग वाटर रिएक्टरों के लिए स्वदेशी मिश्रित ऑक्साइड ईंधन के संविचरण के लिए तारापुर के बार्क में उन्नत ईंधन संविचरण सुविधा तैयार की गई। यहां तैयार ईंधन के संतोषजनक परिणाम मिले हैं। जिरकोनियम ऑक्साइड चूर्ण की उत्पादन समता बढ़ाने के लिए जिरकोनियम ऑक्साइड संयंत्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

गुरुजल उत्पादन एवं उच्चीकरण

देश में गुरुजल उत्पादन संयंत्रों का निर्माण करने और उनका संचालन करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग का गुरुजल बोर्ड (एचडब्ल्यूबी) उत्तरदायी है। देश में सात गुरुजल संयंत्र हैं। घरेलू आवश्यकताएं पूरी करने के अलावा बोर्ड ने इसका निर्यात भी किया है।

नवंबर 2006 में बोर्ड ने दक्षिण कोरिया को 13 मीट्रिक टन गुरुजल की सातवीं खेप निर्यात की है साथ ही अमरीका के साथ 4400 किलोग्राम नाभिकीय श्रेणी के गुरुजल की आपूर्ति का समझौता किया है। ऊर्जा संरक्षण और प्रबन्धन के क्षेत्र में गुरुजल बोर्ड के प्रयासों को देखते हुए ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने बोर्ड को उर्वरक, पेट्रोलियम और क्लोर अल्कली क्षेत्र के उद्योगों में ऊर्जा प्रबन्धन और संरक्षण का मुख्य कार्य सौंपा है ताकि ऊर्जा संरक्षण का राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल हो सके।

निरंतर शोध के उपरांध बार्क ने व्यापारिक स्तर पर प्रयोग के लिए गुरुजल की गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रौद्योगिकी का विकास किया है। इस समय इस तकनीकी पर आधारित 23 अंतिम संवर्धन टावर देश में विभिन्न स्थानों पर संचालित किए जा रहे हैं तथा कई अन्य का निर्माण किया जा रहा है।

नाभिकीय ईंधन चक्र के अंतिम भाग

नाभिकीय ईंधन चक्र के अंतिम भाग में ईंधन का पुनःप्रसंस्करण एवं नाभिकीय कचरे का प्रबंधन किया जाता है।

ईंधन पुनःप्रसंस्करण

भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम बंद चक्र पद्धति पर आधारित है जिसमें इस्तेमाल हुए ईंधन का पुनःप्रसंस्करण और प्लूटोनियम व यूरेनियम-233 का विद्युत उत्पादन के लिए पुनः उपयोग शामिल है।

परमाणु ऊर्जा विभाग का ट्रांबे में पुनःप्रसंस्करण का प्रायोगिक संयंत्र है और तारापुर व कलपक्कम में औद्योगिक स्तर के संयंत्र हैं। ट्रांबे के संयंत्र में अनुसंधान रिएक्टरों में इस्तेमाल हो चुके ईंधन का प्रसंस्करण होता है जबकि अन्य दो संयंत्रों में विद्युत रिएक्टरों में इस्तेमाल हो चुके ईंधन पर काम होता है।

नाभिकीय अपशिष्ट प्रबंधन

नाभिकीय ईंधन चक्र के विभिन्न चरणों में उत्पन्न रेडियोधर्मी अपशिष्ट को कम, मध्यम तथा उच्च स्तर की श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। हर प्रकार के रेडियोधर्मी अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अनेक परमाणु सुविधा-केंद्रों पर संयंत्र कार्यरत हैं। वीट्रिफिकेशन एक जटिल तकनीक है जो कुछ ही देशों के पास है। इसे ट्रांबे में सफलतापूर्वक विकसित कर लिया गया है।

उच्च श्रेणी के अपशिष्टों का उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है और इन्हें वीट्रिफिकेशन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए शीशे के मैट्रिक्स में दबा दिया जाता है। इस प्रौद्योगिकी के आधार पर दो अपशिष्ट निश्चलन संयंत्र ट्रांबे और तारापुर में काम कर रहे हैं। सीमेंट मैट्रिक्स ने अपशिष्ट को दबा देने की एक सुविधा कलपक्कम में प्रारंभ की गई है। बार्क जूल मेल्टर प्रौद्योगिकी के आधार पर तारापुर में उच्च-स्तरीय अपशिष्ट को निरस्त करने के लिए एक आधुनिक (उन्नत) वीट्रिफिकेशन प्रणाली का निर्माण कर रहा है। भारत विश्व के उन 6 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने जूल हीटेड सिरैमिक मिक्सर बना लिया है और उच्च स्तरीय अपशिष्ट के वीट्रिफिकेशन के लिए ऐसे संयंत्र लगाए हैं।

वीट्रिकृत अपशिष्ट को खास तौर पर डिजाइन की गई ठोस भंडारण सर्वेक्षण सुविधा में लगभग 30 साल तक रखा जाता है और उसके बाद उसे गहरी भूगर्भीय संरचनाओं में दबा दिया जाता है। इस प्रकार की पहली सुविधा तारापुर में 1999 से काम कर रही है।

परमाणु ऊर्जा के लिए अनुसंधान और विकास सहयोग

परमाणु ऊर्जा और परमाणु ईंधन चक्र से जुड़े सभी कार्यक्रम विभाग के बहुविध अनुसंधान एवं विकास

संबंधी आधारभूत ढांचे के आधार पर बनाए गए हैं। पी.एच.डब्ल्यू.आर. से संबंधित शोध व विकास कार्यक्रम बिजली संयंत्रों के डिजाइन, निर्माण, उत्पादन, स्थापना, संचालन और रख-रखाव के लगभग सभी पहलुओं को अपने में समायें हुये हैं। उपकरणों और पुर्जों के स्वदेशीकरण पर ध्यान देने के कारण उर्जा संयंत्रों की पहचान और देखभाल की तकनीकों विकसित हो पाई हैं। अनुसंधान और विकास से विकसित की गई प्रौद्योगिकियों में स्वचालन, निगरानी, निरीक्षण तथा मरम्मत प्रणालियां, उपकरण व यंत्र शामिल हैं। रिएक्टरों में सुधार/रख-रखाव के लिए काटने की प्रक्रिया और उसी स्थान पर अचूक मशीनिंग के लिए विशेष अभिप्राय की मशीनों का डिजाइन, विकास और सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। बार्क और आई.जी.सी.ए.आर. में रिएक्टरों और गुरुजल संयंत्रों की सर्वश्रेष्ठ यांत्रिक और नियंत्रण प्रणालियां विकसित की गई हैं।

अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों का लक्ष्य संयंत्र की कार्यक्षमता (और संयंत्र उपलब्धता कारकों) में सुधार के जरिए प्रति यूनिट उर्जा की लागत कम करना, परियोजनाओं के चालू होने के समय में कटौती करना और संयंत्र सुरक्षा को बढ़ाना है। अनुसंधान और विकास ने संयंत्र के जीवन प्रबन्धन में व्यापक योगदान दिया है। अनुसंधान और विकास के मजबूत आधार के कारण अनेक सफलताएं हासिल की गई हैं। जैसे कि आर.ए.पी.एस.-I के अतिदाब राहत उपकरण की मरम्मत, आर.ए.पी.एस.-II की प्रशीतक नलियों को एक साथ बदलना, कैलेंड्रिया इन्टेल मैनिफोल्ड का प्रबंधन, एंड-शील्ड की मरम्मत, भाप से चलने वाले (बनाने वाले) जनरेटर के पतले पिन को हटाना, प्रशीतक चैनलों के काम के दौरान ही निरीक्षण के लिए बार्क आई.एस. प्रणाली का विकास और प्रशीतक चैनलों में चैनलों गेटिस स्प्रिंग की जगह बदलने के लिए प्रणाली का विकास। सर्वोमैनुपुलर्स, फोटोप्रसंस्करण आधारित संरक्षण प्रणाली व अन्य नई प्रौद्योगिकियां विकसित हुई हैं। के.ए.पी.एस.2 से आगे प्रोन्नत कूलेण्ट चैनल सामग्री और रूपान्तरित चैनल डिजाइन प्रयोग में लाए गए हैं ताकि कूलेंट चैनलों का ज्यादा दिन इस्तेमाल हो सके।

बार्क में 540 मेगावाट पीएचडब्ल्यू रिएक्टरों में जोन कंट्रोल कंपार्टमेंट्स (जेडसीसी) में द्रव अवरोधी एवं निष्क्रिय कवर गैस के परिचालन के लिए चौदह जोन कंट्रोल कंपार्टमेंट (जेडसीसी) से सम्बद्ध, उपकरणों वाले छह लिक्विड जोन कंट्रोल सिस्टम (एलजेडसीएस) एवं मापन तथा नियंत्रण उपकरण डिजाइन कर स्थापित किए गए। माइक्रोकंप्यूटर आधारित फॉल्ट टॉलरेंट रीयल टाइम प्रोसेस कंट्रोल प्रणाली को डिजाइन करके 540 मेगावाट टीएपीपी-3 और 4 को मुहैया कराया गया है।

बार्क और आई.जी.सी.ए.आर., दोनों ही जगह रोबोट-विज्ञान शोध कार्यक्रम का प्रमुख केंद्र बिंदु हैं। ट्रांबे में रेडियोधर्मी रसायन प्रयोगशालाओं में लगाने के लिए पांच डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट, छह डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट और मोबाइल रोबोट का विकास किया गया है। आई.जी.सी.ए.आर. में किसी वस्तु को नुकसान पहुंचाए बगैर उसका मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न स्वचालित यंत्रों का विकास किया गया है। इनमें मोबाइल स्कैनर, सुदूर संचालित पॉवर मेनुपुलेटर और बोटलों के ढक्कन लगाने और खोलने वाला रोबोट शामिल हैं। बार्क द्वारा विकसित विभिन्न उपकरणों से प्रशीतन चैनलों के सुरक्षित प्रचालन समय को सात से लेकर नौ वर्षों तक बढ़ाने में मदद मिली है।

नाभिकीय ईंधन अध्ययन के लिए ध्रुव रिएक्टर में लगा 2 मेगावाट इन-पाइल लूप एक बड़ी सफलता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में आपातकालीन हालातों का सामना करने के लिए सुदूर संचालित हाइड्रोलिक ट्रांज़ी मेनुपुलेटर विकसित किया है। इसका परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। बार्क और आई.जी.सी.ए.आर. ने गैर-विनाशक जांच तकनीकों और उपकरणों का विकास किया है ताकि परमाणु कार्यक्रमों की उच्च गुणवत्ता जरूरतों को पूरा किया जा सके। परमाणु उर्जा विभाग गुणवत्ता आश्वासन से

जुड़ी तकनीकों को बढ़ावा देता रहा। वर्षों के इन प्रयासों का फल भारतीय उद्योगों के गुणवत्ता स्तर से सुधार के रूप में मिला है।

इलेक्ट्रानिक्स तथा यंत्रीकरण

परमाणु प्रौद्योगिकी की उच्च-प्रौद्योगिकी वाले यंत्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए पहले टी.आई.एफ.आर. और बाद में बार्क ने सुदृढ़ शोध और विकास आधार तैयार किया। इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में ट्रांजे में विकसित उत्पादों और जानकारी के फलस्वरूप 1967 में हैदराबाद में इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ई.सी.आई.एल.) का गठन हुआ। कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रानिक्स और कंप्यूटर क्रांति की पहल की। 70 और 80 के दशकों में ई.सी.आई.एल. ने देश में स्वदेशी श्वेत-श्याम और रंगीन टेलीविजन सेट उतारकर और ग्रामीण पुनः प्रसारण प्रणालियां विकसित कर देश में टेलीविजन क्रांति ला दी।

ईसीआईएल इस समय एक बहुविषयी और बहुउत्पादक संगठन हैं। यह सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए उपकरणों तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रणाली एकीकरण तथा प्रणाली समाधान, सामरिक इलेक्ट्रानिक्स, संचार नियंत्रण एवं स्वचालन इंस्ट्रुमेंटेशन एवं पुर्जों की व्यवस्था करता है।

अपनी साफ्टवेयर विशेषज्ञता के माध्यम से ईसीआईएल ने बैंकिंग क्षेत्र में स्वचालन, पुलिस के लिए नियंत्रण कक्ष तथा डायल-100 स्वचालन, रक्षा एवं टेलीकॉम क्षेत्र के लिए मैसेज स्विचिंग सिस्टम, बंदरगाहों, नगर निगमों एवं बाजारों तथा अन्य क्षेत्रों के लिए कार्य किया है। कंपनी ने टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए देशव्यापी एसपीसी टेलेक्स नेटवर्क, मैसेज स्विचिंग नेटवर्क तथा रखरखाव प्रणालियां उपलब्ध कराई हैं और कमान, नियंत्रण, संचार, कंप्यूटर एवं संचार/गुप्तचर प्रणाली के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी समाधान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। नाभिकीय एवं ताप बिजली घर, इस्पात संयंत्रों तथा प्रक्रिया उद्योगों में ईसीआईएल के स्वदेशी अनुसंधान द्वारा विकसित उपकरण लगाए गए हैं।

परमाणु ऊर्जा विभाग के शोध केंद्र परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों एवं कई अन्य क्षेत्रों के लिए उन्नत इलेक्ट्रानिक प्रणाली, उपकरणों तथा अन्य संघटकों के विकास कार्य में लगे हुए हैं।

नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम-द्वितीय चरण

फास्ट रिएक्टर कार्यक्रम

परमाणु ऊर्जा उत्पादन के दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों की स्थापना और उनके साथ पुनर्प्रसंस्करण संयंत्रों और प्लूटोनियम-आधारित ईंधन संविचरण केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव है। ये फास्ट ब्रीडर प्रणालियां जितना ईंधन इस्तेमाल करती हैं, उससे ज्यादा का उत्पादन करती हैं। इनमें ईंधन का इस्तेमाल पी.एच.डब्ल्यू. रिएक्टरों से लगभग साठ गुना ज्यादा तक हो सकता है।

इस विभाग के इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने अक्टूबर 1985 में कलपक्कम, तमिलनाडु में फास्ट ब्रीडर परीक्षण रियेक्टर की स्थापना के साथ अपना ब्रीडर कार्यक्रम शुरू किया। स्वदेश में ही विकसित मिश्रित यूरेनियम-प्लूटोनियम कार्बाइड ईंधन के उपयोग से इस केंद्र ने अपना प्रौद्योगिकी लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

इस रिएक्टर को 17.4 मेगावाट के विद्युत स्तर तक चलाया गया तथा इसके टर्बो जेनरेटर को ग्रिड से जोड़ने पर 18 लाख यूनिट बिजली प्राप्त हुई। इस ईंधन का बर्न अप 1,54,000 मेगावाट दिवस प्रति टन (एमडब्ल्यूडी/टी) तक पहुंचा जो कि मूलरूप से डिजाइन किए गए मानक का चार गुना अधिक है।

इस रिएक्टर से मिले अनुभव से अक्टूबर 2003 में स्थापित भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम (भवानी) 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण कर रही है। यह एक पूल प्रकार का रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम के मिश्र आवसाइड का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है। इसकी संरचना और तकनीक आई.जी.सी.ए.आर में विकसित की गई हैं। पी.एफ.बी.आर. के सितंबर 2010 में उत्पादन शुरू कर देने की उम्मीद है। एफ.बी.आर कार्यक्रम का उद्देश्य उपलब्ध यूरोनियम धातु संसाधनों के जरिए भारत की विद्युत क्षमता सौ गुनी तक बढ़ाना है।

आईजीसीएआर के अनुसंधान और विकास कार्य में प्रमुखता प्राथमिक रूप से पीएफबीआर के डिजाइन वैधीकरण को दी जाती है तत्पश्चात लागत घटाने के लिए भविष्य के एफबीआर हेतु डिजाइन आप्टिमाइजेशन का कार्य किया जाता है।

फास्ट रिएक्टर ईंधन निर्माण

विश्व में पहली बार उच्च प्लूटोनियम मात्रा युक्त मार्क-1 मिश्रित कार्बाइड ईंधन कोर का विकास किया गया है। मार्क II कोर का निर्माण कार्य ट्रांबे में प्रगति पर है। एफबीटीआर में विखंडन के लिए प्रायोगिक पीएफबीआर सब-असेंबली हेतु कई पीएफबीआरएमओएक्स ईंधन तत्वों का निर्माण बार्क द्वारा किया जा रहा है।

फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्प्रसंस्करण

एफ.बी.टी.आर ईंधन के पुनर्प्रसंस्करण के लिए लेड मिनि सेल, जिसे अब कॉम्पैक्ट रिप्रोसेसिंग फेसिलिटी फॉर एडवांस फ्यूल इन लेड सेल (कोरल) कहा जाता है, कलपक्कम में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य फास्ट रिएक्टर पुनर्प्रसंस्करण प्रक्रिया को स्थापित करना है।

फास्ट ब्रीडरों से ईंधन के पुनर्प्रसंस्करण के लिए आईजीसीएआर फास्ट रिएक्टर फ्यूल रिप्रोसेसिंग संयंत्र लगा रहा है। खर्च हुए ईंधन के क्षेत्र से यूरोनियम और प्लूटोनियम प्राप्त करने तथा रेडियोक्रिय विखंडन उत्पादों के अलग करने के लिए एक व्यापक प्रक्रिया विकसित की गई है।

फास्ट ब्रीडर प्रौद्योगिकी विकास

प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आईजीसीएआर इंजीनियरिंग से जुड़े अनुसंधान और विकास कार्य कर रहा है। इनमें तापीय हाइड्रॉलिक तथा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स अध्ययन, नियंत्रण एवं सेफ्टी रॉड ड्राइव मैकेनिज्म जैसे उपस्करों का विकास तथा सोडियम जल प्रतिक्रिया परीक्षण सुविधा जैसी विभिन्न परीक्षण सुविधाएं एवं स्टीम जेनेरेटर परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है।

नाभिकीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम-तृतीय चरण

थोरियम आधारित रिएक्टर : सतत आधार पर ऊर्जा सुरक्षा देने के लिए भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का दीर्घावधि केंद्रीय उद्देश्य थोरियम का इस्तेमाल है। भारतीय कार्यक्रम का तीसरा चरण इस कारण थोरियम-यूरेनियम 233 चक्र पर आधारित है। इस दिशा में एक छोटी शुरुआत के तौर पर सीमित रूप से थोरियम का अनुसंधान रिएक्टरों और दाबित गुरुजल रिएक्टरों में इस्तेमाल किया गया है।

अनुसंधान रिएक्टर, कामिनी विभिन्न पदार्थों की न्यूट्रान रेडियोग्राफी के लिए 30 किलोवाट का सीमित विद्युत उत्पन्न करता है और कलपक्कम स्थित इस रिएक्टर में थोरियम से हासिल किये गये

यूरेनियम-233 ईंधन का इस्तेमाल होता है। इस ईंधन का देश में ही उत्पादन, पुनर्प्रसंस्करण और संविचरण किया जाता है।

बार्क 300 मेगावाट वाले उन्नत गुरुजल रिएक्टर का विकास कर रहा है। यहां के अनुसंधान और विकास प्रयासों का उद्देश्य थोरियम के इस्तेमाल में महारत हासिल करना और सुरक्षा के उन्नत तरीकों का प्रदर्शन करना है।

इसकी संरचना थोरियम से लगभग 75 फीसदी विद्युत उत्पादन के अनुकूल है। विश्व में अपनी तरह का एकमात्र होने के कारण ए.एच.डब्ल्यू.आर. की संरचना लगातार वैज्ञानिकों की नजर में रहती है ताकि यह अनुकूलतम और सर्वमान्य बन सके। ए.एच.डब्ल्यू.आर. में इस्तेमाल के लिए मिश्रित थोरियम-यूरेनियम और थोरियम-प्लूटोनियम विकल्पों पर विचार हो रहा है। पारंपरिक पाउडर धातुविज्ञान के तरीकों से ईंधन के पैलेटों का सफलतापूर्वक संविचरण किया गया है। इस रिएक्टर में अनेक उन्नत सुरक्षा विशेषताएं हैं। मुख्य विन्यास सहित सम्पूर्ण भौतिक डिजाइन बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। एएचडब्ल्यूआर से जुड़ी भौतिक गणनाओं के वैधीकरण के लिए बार्क में महत्वपूर्ण सुविधा स्थापित की जा रही है।

मुख्यतः प्रक्रिया रुष्मा तथा नॉन-ग्रिड आधारित विद्युत उत्पादन प्रयोगों के लिए हाइड्रोजन उत्पादन हेतु सघन उच्च ताप रिएक्टर, परमाणु विद्युत पैक तथा उच्च ताप रिएक्टर सहित एक उच्च ताप रिएक्टर प्रणाली के विकास और डिजाइन बनाने का कार्य भी ट्रांबे में चल रहा है।

दूरदराज के क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन वैकल्पिक परिवहन ईंधन जैसे हाइड्रोजन और निम्न स्तर के कोयला और तैलीय पदार्थों के पुनःसंशोधन से जीवाष्म तरल ईंधन प्राप्त करने के लिए एक कंपैक्ट हाइ टेंप्रेचर रिएक्टर का विकास बार्क द्वारा किया जा रहा है। इसकी क्षमता 100 किलोवॉट की होगी।

थोरियम से यूरेनियम-233 विखण्डित पदार्थ को बनाने के लिए नाभिकीय रिएक्टरों के लिए एक्सीलेरेटर ड्रिवन सब-क्रिटिकल प्रणाली (ए.डी.एस.) भारतीय परमाणु कार्यक्रम की नवीनतम उपलब्धि है। थोरियम के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए एडीएस एक मजबूत प्रौद्योगिक आधार प्रदान कर सकता है। इस प्रविधि में लंबी जीवन अवधि के एक्टीनाइड्स और विखंडनीय उत्पादों को पूरी तरह जलाया जा सकेगा एवं दीर्घ जीवन अवधि वाली उच्च स्तरीय रेडियो एक्टिव अपशिष्ट सामग्री के भंडारण में आने वाली तकनीकी समस्याओं को कम किया जा सकेगा। इस प्रणाली के सफल विकास के लिए प्रोटोन इंजेक्टर का विकास परमाणु ऊर्जा विभाग ने शुरू किया है। सब-क्रिटिकल एसेम्बली पर प्रयोगात्मक अध्ययन करने के लिए एक 14 एम ई वी न्यूट्रॉन जेनरेटर को ज्यादा करंट आयन स्रोत के साथ उन्नत किया गया है।

यूरेनियम-233 को विकिरित थोरियम ईंधन से संयंत्र द्वारा अलग करने के लिए यूरेनियम-थोरियम पृथक्करण सुविधा ट्रांबे में उपलब्ध है।

सुरक्षा और पर्यावरण

संपूर्ण नाभिकीय ईंधन चक्र अर्थात् अयस्कों के अन्वेषण और खनन से लेकर अपशिष्ट के प्रबंधन तक सुरक्षा के सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाता है, जैसे विकिरण सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य, अग्नि सुरक्षा तथा पर्यावरण बचाव। सभी नाभिकीय संस्थानों में वहां काम कर रहे कार्मिकों, आम जनता और पर्यावरण को बचाने का ध्यान रखा जाता है। एक स्वतंत्र एजेंसी परमाणु ऊर्जा नियामक

बोर्ड (आईआरबी) सुरक्षा की निगरानी रखता है। बोर्ड द्वारा तय सुरक्षा मानक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) तथा अंतर्राष्ट्रीय विकिरण बचाव कमीशन (आईजीआरपी) की सिफारिशों के समरूप ही हैं।

एन.पी.सी.आई.एल. विश्व परमाणु संचालक एसोसिएशन (डब्ल्यू.एन.ओ.) का सदस्य है एसोसिएशन ने काकरापार और नरोरा परमाणु विद्युत केंद्रों की एक साथ समीक्षा की है। भारतीय विशेषज्ञ भी अमरीका, जापान और दक्षिण कोरिया के विशेषज्ञ सदस्यों के साथ ऐसी समीक्षाओं में शामिल हुए हैं। लगातार प्रयासों से परमाणु उर्जा संयंत्रों को सुरक्षित कामकाज के 260 संयंत्र वर्ष उपलब्ध हुए हैं।

विभाग के संयंत्रों में सुरक्षा निगरानी का निरीक्षण नियमित रूप से होता रहता है और आपात स्थितियों से निबटने के लिए आपदा तैयारी और त्वरित कार्रवाई योजना का परीक्षण भी होता रहता है।

परमाणु ऊर्जा विभाग के सुविधा केंद्रों में सुरक्षा निगरानी निरीक्षण नियमित रूप से किए जाते हैं और किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए व्यापक तैयारी और प्रत्युत्तर योजनाएं बनाई गई हैं।

बार्क और उसके द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं देशभर में लगभग 3000 औद्योगिक अस्पताल, शोध और विभाग के संगठनों के कर्मचारियों की व्यक्तिगत जांच करती हैं, जिससे हर वर्ष विकिरण में काम करने वाले 30,000 से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ होता है। पर्यावरण विकिरण निगरानी और पर्यावरणात्मक निगरानी इस विभाग के पर्यावरणात्मक कार्यक्रम के नियमित अंग हैं।

पर्यावरण सर्वेक्षण प्रयोगशालाओं (ईएसएल'एस) द्वारा विभिन्न स्थानों पर पर्यावरण निगरानी रखी जाती है और स्थान संबंधी मौसम का आंकड़ा एकत्रित किया जाता है। कैगा, तारापुर, कलपक्कम और ट्रांबे में अति आधुनिक मौसम निगरानी **सोडार** प्रणालियां काम कर रही हैं। पर्यावरण विकिरण निगरानी स्टेशनों का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क **इरेमोन** विकिरण उत्सर्जन का पता लगाता है। पाइलेट रहित वायुयान से बड़े इलाके में प्रदूषण का जायजा लेने के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली से जुड़ी हुई कांपेक्ट एरियल विकिरण निगरानी प्रणाली (सीएआरएमएस) भी ट्रांबे में कार्यरत है। परमाणु उर्जा विभाग न सिर्फ पर्यावरण के संरक्षण बल्कि इसके सर्वधन के लिए भी प्रतिबद्ध है। वर्तमान में कार्यरत सभी परमाणु ऊर्जा केंद्रों तथा गुरुजल संयंत्रों ने आईएसओ पर्यावरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं।

परमाणु उर्जा संयंत्रों के आस-पास रहने वाले लोगों को इसके बारे में शिक्षित करने के लिए विभाग के संगठनों द्वारा नियमित रूप से लोक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकियां

भारत में तापीय पारिस्थितिकी के व्यापक अध्ययन की शुरुआत परमाणु ऊर्जा विभाग ने की। गुरुजल बोर्ड द्वारा विकसित फ्लू गैस कंडीशनिंग का लाभ अब थर्मल बायलरों से निकलने वाली फ्लाई ऐश को कम करने में किया जाता है। बार्क में विकसित निसर्ग-रूपा प्रौद्योगिकी द्वारा जैविक रूप से गलने वाले ठोस अपशिष्ट को लाभदायक खाद और मीथेन में बदलने में मदद मिल रही है। इस प्रकार के कई संयंत्र विभिन्न स्थानों पर लगे हैं। बड़ोदरा का **सीवेज स्लज हाइजेनाइजेशन** संयंत्र किसानों के इस्तेमाल के लिए अहानिकर अपशिष्ट कीचड़ (स्लज) उपलब्ध करता है।

स्वच्छ कीटाणु रहित मल खेतों में उर्वरक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसमें जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाले पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। साथ ही इसे मिट्टी के लिए

उपयोगी कीटाणु, जैसे राइजोबियम और अज़ोटोबैक्टर के संवर्धन के लिए माध्यम के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है ताकि फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए संवर्धित खाद बनाई जा सके। विकिरण से प्रसंस्करित सीवेज के मल को बड़े बड़े खेतों में इस्तेमाल के लिए कृषि विज्ञान केंद्र, बडोदरा की निगरानी में बड़े पैमाने पर परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों में देखा गया कि इस खाद के इस्तेमाल से कई कृषि उपजों में बढ़ोत्तरी हुई।

विकिरण प्रौद्योगिकी और उपयोग

परमाणु ऊर्जा विभाग को दिये गये कार्यों में विकिरण प्रौद्योगिकी और उपयोग के साथ शोध रिएक्टरों से आइसोटोप उत्पादन, विकिरण के अन्य स्रोतों जैसे एक्सीलेरेटर्स और लेजर्स का निर्माण और विकिरण प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग में इस्तेमाल के लिए विकास और निर्माण शामिल हैं।

शोध रिएक्टर : विभाग का शोध रिएक्टर कार्यक्रम परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को शोध व विकास सहयोग देता है, स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि, उद्योग व शोध में इस्तेमाल के लिए रेडियो आइसोटोप का उत्पादन करता है और कर्मचारी प्रशिक्षण मुहैया कराता है।

विभाग द्वारा अब तक लगाये गए शोध रिएक्टर हैं: ट्रांबे में अप्सरा (1 मे.वा., ईंधन: एनरिचड यूरेनियम-एलुमिनियम मिश्रधातु), साइरस (40 मे.वा., ईंधन : प्राकृतिक यूरेनियम), ज़रलिना (शून्य ऊर्जा, प्राकृतिक यूरेनियम), पूर्णिमा I-III (ईंधन : प्लूटोनियम/यूरेनियम-233), ध्रुव (100 मे.वा., ईंधन : प्राकृतिक यूरेनियम), कामिनी (30 कि.वा., ईंधन : यूरेनियम 233-एलुमिनियम मिश्र धातु) और कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर परीक्षण रिएक्टर (40 मे.वा., ईंधन : यूरेनियम-प्लूटोनियम कार्बाइड)। इनमें से ज़रलिना ने 1984 से काम करना बंद कर दिया है और पूर्णिमा शृंखला की जगह कामिनी ने ले ली है।

ध्रुव, साइरस और अप्सरा का इस्तेमाल विकिरण-समस्थानिक तैयार करने के साथ परमाणु प्रौद्योगिकियों व पदार्थों में शोध, मूल और व्यावहारिक शोध तथा प्रशिक्षण में किया जाता है। कामिनी का इस्तेमाल ज्यादातर विभिन्न पदार्थों की रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है और एफ बी टी आर ईंधनों, ब्लेंकेट और निर्माणात्मक सामग्रियों के विकास के लिए परीक्षण बैड के रूप में काम आता है।

शोध रिएक्टर के क्षेत्र में नये प्रयासों में शामिल हैं-ट्रांबे में ए.एच.डब्लू.आर. और 540 मेगा वाट पी.एच.डब्लू.आर. का भौतिकी प्रयोगों के लिए क्रांतिक (क्रिटिकल) विकास, 20 मेगा वाट बहुद्देशीय शोध रिएक्टर का विकास जो कि पूल प्रकार का है और जो कम एनरिचड यूरेनियम ईंधन का इस्तेमाल करता है।

विकिरण समस्थानिक उत्पादन और प्रसंस्करण : भारत विश्व के अग्रणी विकिरण समस्थानिक उत्पादकों में से है। इनका उत्पादन ट्रांबे के शोध रिएक्टरों, परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों और कोलकाता साइक्लोट्रॉन में होता है।

ट्रांबे तथा एनपीसीआईएल के परमाणु ऊर्जा केंद्रों में उत्पादित विकिरण समस्थानिक का प्रसंस्करण बीआरआईटी द्वारा किया जाता है। इन उत्पादों में विकिरण औषधियां, लेबल्ड कंपाउंड्स, विकिरण रसायन, विकिरण जैव अणु, विकिरण स्रोत तथा विकिरण समस्थानिक की प्रयोग प्रविधियां शामिल हैं।

विकिरण समस्थानिक आधारित उत्पादों और सेवाओं को अब बीआरआईटी के माध्यम से व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

विकिरण समस्थानिक के उपयोग : ट्रांजे में निर्मित विकिरण समस्थानिक का व्यापक उपयोग कृषि तथा खाद्य, दवा तथा स्वास्थ्य सेवाओं, उद्योग तथा शोध कार्यों में होता है। इनके उपयोग के आधार पर देश में निम्न कार्यक्रम चलाये गये हैं:

नाभिकीय कृषि : विभाग का नाभिकीय कृषि कार्यक्रम दलहनों, तिलहनों और अनाजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास के लिए विकिरण प्रौद्योगिकी के प्रयोग, कटाई के बाद खाद्य पदार्थों के विकिरण प्रसंस्करण, उर्वरकों और कीटनाशकों से संबद्ध अध्ययनों और अन्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देता है। इन सभी तकनीकों से भारतीय किसानों और व्यापारियों को लाभ हो रहा है।

फसल सुधार : बार्क कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से फसल सुधार की दिशा में अनुसंधान तथा विकास कार्य कर रहा है। इस केंद्र ने अधिक उपज देने वाली कई किस्में विकसित की हैं। इनमें से 29 किस्में अधिसूचित कर मंत्रालय भारत सरकार को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए दी गई हैं। इनमें मूंगफली की 12, दालों की 11, सरसों की 2, सोयाबीन की 2 और पटसन, तथा चावल की एक-एक किस्म शामिल हैं।

बार्क ने हरी खाद की फसल *सेसबेनिया रोस्ट्राटा* के विकास में कामयाबी हासिल की है। यह छोटे कृषकों के लिए बेहद किफायती सिद्ध हो रही है। केले की व्यावसायिक किस्मों में तेजी से विकास के लिए बार्क ने उतक संवर्धन आधारित प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है और इस प्रौद्योगिकी को महाराष्ट्र राज्य बीज निगम को सौंप दिया गया है।

सूक्ष्म प्रचारण प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए बार्क ने अन्नानास में बड़ी मात्रा में बहुगुणन प्रविधि को मानकीकृत किया है। सूक्ष्म प्रचारण प्रक्रिया को गन्ने की तीन किस्मों के लिए भी मानकीकृत किया गया है। केंद्र ने मरूभूमि के लिए उचित पौधे-*अकेसिया विकटोरिई* जैसे सख्त पौधे के विकास में भी अच्छी प्रगति की है। यहां कई कीट फेरोमोन्स का संश्लेषण किया गया है और मृदा में पोषकों का पता लगाने की तकनीक विकसित की गई है। विभाग में संगठनों द्वारा विकसित तकनीकों के व्यापक इस्तेमाल के लिए कृषि मंत्रालय के साथ अंतर्संबंध स्थापित किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण : अधिक और कम मात्रा में विकिरण उपयोग के प्रदर्शन के लिए विभाग ने संयंत्र स्थापित किये हैं, ये हैं- मसालों के उच्च मात्रा में विकिरण प्रसंस्करण के लिए नवी मुंबई में बी.आर.आई.टी. द्वारा लगाया गया संयंत्र तथा खाद्य संरक्षण के लिए विकिरण के कम मात्रा में उपयोग के लिए नासिक के समीप लसलगांव में बार्क द्वारा स्थापित कृषक (कृषि उत्पादन संरक्षण केंद्र)। संयंत्र में प्याज, दालों, रवा और हल्दी का प्रसंस्करण होता है।

भारत सरकार ने कुछ खाद्य पदार्थों के विकिरण प्रसंस्करण की अनुमति निर्यात के लिए और घरेलू खपत के लिए दे दी है। वाशी स्थित विकिरण प्रसंस्करण संयंत्र में 1500 मीट्रिक टन से ज्यादा मसालों और दूसरी ऐसी चीजों का प्रसंस्करण किया जा चुका है।

दवाओं, खाद्य सामग्रियों और संबद्ध उत्पादों के लिए नए विकिरण प्रसंस्करण संयंत्र लगाने पर जोर दिया जा रहा है जिसके काफी उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। निजी क्षेत्र में विकिरण प्रसंस्करण संयंत्र लगाने के काम में काफी तेजी आई है। इनमें से पहला संयंत्र कोलकाता में लगाया गया जिसे मेसर्स ऑर्गेनिक ग्रीन फूड्स लिमिटेड ने बनाया है। तीन गामा प्रोसेसिंग संयंत्र सोनीपत (हरियाणा), अम्बरनाथ (महाराष्ट्र) और वडोदरा (गुजरात) में लगाए गए हैं। नए संयंत्रों को कोबाल्ट-60 स्रोतों की आपूर्ति करने के अलावा बीआरआईटी इन संयंत्रों को निश्चित समय पर चालू करने के लिए उद्यमियों को

सहायता देने हेतु आवश्यक प्रौद्योगिकी निर्देशन एवं सुविधा सेवाएं (अवधारणा से संयंत्र चालू करने तक) उपलब्ध कराता है।

हाल ही में बीआरआईटी ने चार निजी कंपनियों के साथ देश के विभिन्न भागों में विकिरण संयंत्र लगाने के लिए समझौते किए हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले के लासल गांव में बार्क के कृषक संयंत्र में एक निजी कंपनी के 300 टन प्याज को विकिरण प्रसंस्कृत किया गया। अप्रैल 2007 में कृषक विकिरण प्रसंस्करण संयंत्र विश्व का ऐसा पहला कोबाल्ट-60 गामा विकिरण संयंत्र बन गया है जिसे अमरीका की कृषि-पशु एवं वनस्पति स्वास्थ्य निरीक्षण सेवा ने आमों के पादपस्वच्छता उपचार के लिए प्रमाणित किया है, जिससे भारत ने अमरीका को आमों का निर्यात शुरू हो गया है। भारत ने अमरीका को 720 किलो हापुस और केसर आमों की पहली खेप निर्यात की है।

अमरीका को आम निर्यात करने के इच्छुक सभी निर्यातकों को कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) से संपर्क करना होगा और इसी प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त बागों और पैकिंग कंपनियों के जरिए ही आम कृषक विकिरण केंद्र में लाने होंगे।

हाल ही में बार्क और अमरीका के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉन बीम खाद्य अनुसंधान केंद्र टेक्सास के बीच, खाद्य संरक्षण, खाद्य सुरक्षा और पारपस्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉन और एक्स-किरण विकिरण तकनीकों के विकास में सहयोग के लिए समझौता हुआ है।

10 मेगावॉट/10 किलोवॉट लाइनैक भी आर.आर.सी.ए.टी.में लगाया गया है ताकि खाद्य पदार्थों को विकिरित किया जा सके।

बी.आर.आई.टी. ने खाद्य पदार्थों के विकिरण प्रसंस्करण के लिए लगाओ-और-चलाओ आधार पर रेडियेटर विकसित किया है जिसका आकलन और परीक्षण चल रहा है।

विभाग स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर कुछ अन्य पदार्थों तथा संबद्ध मुद्दों पर विकिरण प्रसंस्करण की स्वीकृति के प्रयास में लगा है।

बार्क में चल रहे अनुसंधान कार्यों में अनाजों और दालों, फलों और सब्जियों, मांस और मांस से बने उत्पादों तथा समुद्र से प्राप्त खाद्य सामग्री के संरक्षण के लिए विकिरण प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। गामा विकिरण की मदद से ज्यादा समय तक ताजा बने रहने वाले मांस-उत्पादों को तैयार करने की प्राविधि का मानकीकरण किया गया है। अनेक फल-सब्जियों, कई तरह की सब्जियों, फूलों और कॉफी की फलियों को अधिक समय तक संरक्षित रखने के वास्ते विकिरण, पैकेजिंग और तापमान कम रखने के प्रभावों का व्यापक अध्ययन चल रहा है।

नाभिकीय औषधि और स्वास्थ्य देखभाल : निदान, उपचार और स्वास्थ्य देखभाल में विकिरण समस्थानिकों और उनके यौगिकों का अनेक प्रकार से उपयोग होता है। इन गतिविधियों के मुख्य केंद्र बार्क और बी.आर.आई.टी. हैं।

ट्राम्बे में बार्क में सीजियम-137 आधारित ब्रेकीथेरेपी स्रोतों का लगातार उत्पादन होता है। आंख के कैंसर के इलाज के लिए चावल के दाने जितने अति लघु आकार के रेडियोधर्मी स्रोत का हाल ही में उत्पादन किया गया है जिसमें 2-3 मिली क्यूरी मात्रा आयोडीन-125 होती है। शंकर नेत्रालय, चेन्नई में अनेक स्रोतों पर क्लीनिकल परीक्षण चल रहे हैं। इस अति लघु स्रोत का परीक्षण पहली बार शंकर नेत्रालय, चेन्नई में आंखों के कैंसर के इलाज के लिए किया गया। एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि चार्ज कपल्ड डिवाइस पर आधारित डिजिटल मेडिकल इमेजिंग प्रणाली का विकास है।

बार्क ने जलने, कटने और कोढ़ के लिए विकिरण-प्रसंस्कृत हाइड्रोजेल, गठिया के इलाज के लिए होलोमियम-166-हाइड्राक्सी एपेटाइट (HoHa) और सेमारियम-153-हाइड्राक्सी एपेटाइट (Sm Ha) रेडियो भेषज और अंदरूनी रेडियोथेरेपी के लिए ल्यूथिनियम-177 के साथ फोस्फोनेट्स की रेडियोलेबलिंग का सफल विकास किया है।

भारत की एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या, क्षय रोग के संक्रमण का पता लगाने के लिए बार्क ने सीरो-डायग्नोस्टिक किट तैयार की है। त्रि-आयामी कोन-बीम टोमोग्राफी का इस्तेमाल कर एक्स-रे चित्र उतारना भी बार्क की उपलब्धि है।

मुंबई में बार्क का विकिरण चिकित्सा केंद्र (आरएमसी) नाभिकीय चिकित्सा और सम्बद्ध विज्ञानों के शोध और विकास से जुड़ा है। यहां रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल करते हुए नैदानिक और उपचार सेवायें उपलब्ध कराई जाती हैं और नाभिकीय चिकित्सा में मानव संसाधन विकास को बढ़ावा दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का यह क्षेत्रीय परामर्श केंद्र है।

रेडियोइम्युनोएसेस और संबंधित प्रक्रियाएं हार्मोन, एंजाइम, अनेक सीरम प्रोटीन और अनेक पदार्थों को नापने के लिए प्रभावी तरीके हैं। देश भर के थायराइड रोगियों को ये सेवायें आर एम सी उपलब्ध कराता है। यह केंद्र प्रतिवर्ष टेक्नीशियम आधारित रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की 90,000 एमसीआई उपलब्ध कराता है और प्रतिवर्ष 8000 रेडियो डायग्नोस्टिक जांच एवं 2000 रेडियोइम्युनोएसेस किए जाते हैं। कैंसर, हृदय रोग और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के निदान के लिए बहुत कम आयु वाले विशेष रेडियो आइसोटोप की जरूरत होती है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए आर एम सी में चिकित्सा साइक्लोट्रॉन लगाया गया है। रेडियोचित्र हासिल करने के लिए साइक्लोट्रॉन का संपर्क पॉजीट्रॉन एमीशन टोमोग्राफी स्कैनर से किया गया है।

देश के पूर्वी भाग में रेडियो-निदान की जरूरतें पूरी करने के लिए कोलकाता में वीईसीसी का क्षेत्रीय विकिरण चिकित्सा केंद्र कार्यरत है। यह केंद्र नाभिकीय चित्र और हार्मोनों की अनुमानकी का काम करता है।

बीआरआईटी ट्रांजे के शोध रिएक्टरों ध्रुव और अप्सरा में उत्पादित विकिरण समस्थानिकों के साथ ही एनपीसीआईएल में बने विकिरण समस्थानिकों के प्रसंस्करण एवं फार्मूलेशनों का कार्य भी करता है। ये देश के करीब 2000 संस्थानों को सप्लाई किए जाते हैं और इनका इस्तेमाल कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञानों तथा जैव विज्ञानों में शोधकार्य को समर्थन देने के वास्ते किया जाता है। बी.आर.आई.टी. विकिरण प्रौद्योगिकी पर आधारित उपकरण भी बनाता है और चिकित्सा क्षेत्र को विकिरण प्रसंस्करण सेवाएं उपलब्ध कराता है।

बीआरआईटी प्रतिवर्ष देशभर में नाभिकीय चिकित्सा केंद्रों तथा कैंसर अस्पतालों को विकिरण समस्थानिकों और सहायक उत्पादों के 43,000 नए एवं 99 एमटीसी (टेक्नीशियम) रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बनाते तथा 99 एमओ (मालीब्डिनम) एवं 131 आई (आयोडीन) के लिए 45,000 कोल्ड किट्स की आपूर्ति करता है। इन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों तथा कोल्ड किट्स की सहायता से प्रतिवर्ष तीन लाख से अधिक नैदानिक चित्रण अध्ययन किए जाते हैं और थायराइड गड़बड़ियों एवं थायराइड कैंसर के कई रोगियों का उपचार किया जाता है। बीआरआईटी जोड़ों की बीमारी (संधिवात) के उपचार हेतु सैमैरियम 32 पी फॉस्फेट कोलाइड इंजेक्शन के विकास पर कार्य कर रहा है। इस सफलता से विदेशों से नियमित रूप से आयात किए जाने वाले अस्थि उपशमन एजेंट के कम लागत वाले विकल्प हेतु चिकित्सकों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो सकेगी। रेडियो सक्रिय औषधि को शीशियों में

भरने के लिए एक नई स्वचालित द्रव वितरण प्रणाली को विकसित करके मालिब्डिनम उत्पादन संयंत्र में लगा दिया गया है। देश में कैंसर रोगियों विशेषकर गर्भाशय के कैंसर से पीड़ित रोगियों के लाभार्थ सीजियम -137 मैनुअल आफ्टर लोडिंग एप्लीकेटर्स की आपूर्ति दोबारा प्रारंभ की गई। हाइड्रोजेल बर्न एंड इंजरी ड्रेसिंग्स के उत्पाद के लिए विकसित प्रौद्योगिकी को हैदराबाद की एक निजी क्षेत्र की कंपनी को हस्तांतरित किया गया है जो बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन प्रारंभ करने वाली है।

रेडियोइम्यूनोएसे (आरआईए) जैविक द्रवों में विद्यमान हारमोनों, विटामिनों, औषधियों तथा अन्य पदार्थों के मापन की बहुपयोगी इन-विट्रो प्रविधि है। इम्यूनोरेडियोमीट्रिक ससे (आईआरएमए) नाम से ज्ञात एक अन्य प्रविधि का प्रयोग भी ऐसे आकलनों के लिए किया जाता है।

देश के लगभग 650 आरआईए केंद्रों को विभिन्न हारमोनों के लगभग 10,000 आरआईए/आईआरएमए किट्स सप्लाई किए गए। थायराइड हारमोन की जांच हेतु टी3/टी4 चुम्बकीय कण आधारित आरआईए किट्स को बाजार में उतारा जा चुका है। प्रतिवर्ष लगभग पांच लाख रोगियों से प्राप्त नमूनों की जांच में इन रेडियोइम्यूनोएसे किट्स का प्रयोग किया जाता है। बंगलौर और डिब्रूगढ़ के आरआईए केंद्रों में प्रतिवर्ष क्रमशः 6000 और 5000 रेडियो इम्यूनो एसे किए जाते हैं। बीआरआईटी के दिल्ली और बंगलौर स्थित क्षेत्रीय केंद्रों में अपने-अपने क्षेत्र में स्थित अस्पतालों में प्रयोग के लिए इस्तेमाल के लिए तैयार टेक्नीटियम (Tc)⁹⁹ एम रेडियोफार्मास्यूटिकल्स का प्रसंस्करण किया जाता है।

शोध और अनुज्ञापक (ट्रेसर) तत्वों के लिए लेबल युक्त यौगिक बहुपयोगी औजार हैं। बीआरआईटी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले महत्वपूर्ण लेबल युक्त यौगिक इस प्रकार हैं: फास्फोरस-32 और फास्फोरस-33 लेबल युक्त न्यूक्लिओटाइड, सल्फर-35 लेबल वाले अमीनो एसिड, कार्बन-14 लेबल लगे यौगिक एवं अन्य तथा जैविक अनुसंधान/नॉन रेडियो एक्टिव लेबलिंग के लिए बीआरआईटी की हैदराबाद स्थित बायोमॉलीक्यूल उत्पादक प्रयोगशाला नियमित रूप से देशभर में उपयोगकर्ता संस्थानों को एक दर्जन से अधिक लेबल युक्त न्यूक्लिओटाइड और मॉलीक्यूल बायोलॉजी किट्स की आपूर्ति करती है। बी.आर.आई.टी. की हैदराबाद में जोनाकी स्थित जैव-अणु उत्पादन प्रयोगशाला देश भर के उपभोक्ता संस्थानों को नियमित रूप से दर्जन भर से ज्यादा लेबल युक्त न्यूक्लियोटाइड और अणु-जीववैज्ञानिक किट की आपूर्ति करती है।

बीआरआईटी कैंसर के उपचार हेतु देशभर में कई रेडियोथैरेपी केंद्रों के लिए कोबाल्ट-60 और इरीडियम-192 के सील बंद विकिरण स्रोतों का उत्पादन और आपूर्ति करता है।

खर्चीली आयातित टेलीथैरेपी के स्थान पर बार्क ने एक कम लागत वाली टेलीथैरेपी इकाई, कोबाल्ट-60 टेलीथैरेपी मशीन का विकास किया है। एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर (एसीटीआरईसी) नवी मुंबई में लगाई गई भाभाट्रॉन की पहली इकाई का नियमित रूप से कैंसर रोगियों के उपचार हेतु उपयोग किया जा रहा है। रेड क्रॉस अस्पताल नेल्लोर (आंध्र प्रदेश) में भाभाट्रॉन का विकसित प्रतिरूप स्थापित किया गया है।

चिकित्सा उत्पादों का विकिरण विसंक्रमण

बीआरआईटी ट्रांजे में अब आईएसओ-9002 मान्यता प्राप्त विकिरण विसंक्रमण संयंत्र आईएसओएमईडी चला रहा है। यह संयंत्र अधिक विकिरण ले चुके व्यक्तियों को विकिरण विसंक्रमण सेवाएं प्रदान करता है। यह संयंत्र प्रतिवर्ष 14000 घन मीटर से अधिक चिकित्सा उत्पादों का प्रसंस्करण करता है।

आईएसओएमईडी द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से वित्तीय सहायता प्राप्त ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में माताओं में संक्रमण की रोकथाम एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए वितरित किए जाने बीस लाख से अधिक दाई किटों का विकिरण विसंक्रमण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान ने अपने अध्ययन में पाया कि राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश में ऐसे किटों के वितरण से शिशु मृत्यु दर 25 से 30 प्रतिशत तक कम हो गई है।

आईएसओएमईडी संयंत्र जैसे ही संयंत्र श्रीराम सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, दिल्ली तथा किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी, बंगलौर में चल रहे हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जोधपुर, राजस्थान में अनुसंधान एवं विकास हेतु एक संयंत्र चलाया जा रहा है।

निजी क्षेत्र में विकिरण प्रसंस्करण संयंत्र

बीआरआईटी के तकनीकी मार्गदर्शन और सहयोगी सेवाओं के बीच निजी क्षेत्र का नया गामा विकिरण संयंत्र बेंगलूर में लगाया गया था। उसके बाद अब पांच ऐसे संयंत्र काम कर रहे हैं। ऐसे संयंत्र लगाने के लिए निजी संस्थाओं के साथ सात समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं।

विकिरण समस्याओं का औद्योगिक उपयोग

बार्क द्वारा किए गए अध्ययनों से भूजल भंडारों का पता लगाने और उनकी पुनर्चालन स्थितियों का आकलन करने में बहुत सहायता मिली है। तटवर्ती उड़ीसा के डेलांग-पुरी क्षेत्र में भूजल की रीचार्ज स्थितियों का मूल्यांकन, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और हिमालयी क्षेत्रों में गर्म जल के स्रोतों का निर्धारण एवं पश्चिमी राजस्थान में पौराणिक नदी “सरस्वती” के प्राचीन मार्ग का निर्धारण इन अध्ययनों में शामिल हैं।

तिरुवाडाने, तमिलनाडु में तटवर्ती ताजा भूजल प्रणाली के रीचार्ज उपायों का जल विज्ञान आच्छादन मूल्यांकन, कुट्टानाड केरल में गहरे भूजल की निरंतर प्राप्ति, कर्नाटक में भूजल में फ्लोराइड मिले होने की जांच, केरल और राजस्थान के कुछ बांधों में रिसाव/क्षरण की समस्या का समाधान, पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में पुराकालीन नहरों में भूजल की उत्पत्ति और हनुमानगढ़ राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना कमान क्षेत्र में लवणता के स्रोत का पता लगाना प्रमुख गतिविधियां रही हैं। लगभग सभी प्रमुख बंदगाहों में अवसाद परिवहन पर बार्क द्वारा किए गए अध्ययनों से अवसाद (तलछट) निकालने की अवधि बढ़ी है जिससे तलछट निकालने पर आने वाले भारी व्यय में बचत हुई है। कोलकाता और कारवाड़ बंदगाहों में बेड-लोड ट्रांसपोर्ट पर किए गए अध्ययनों से बंदगाह-विस्तार कार्यक्रमों में सहायता मिली है। ट्रांबे में विकसित एक न्यूक्लियोनिक सस्पेंडेड कंसंट्रेशन गॉज बंदगाहों में ड्रेजिंग कार्यों में सहायक उपकरण सिद्ध हुआ है। मुंबई में कोलाबा नाले में डाले जा रहे सीवेज को पतला करने और उसे दूर-दूर तक फैलाने के प्रमुख अध्ययन में बार्क ने विकिरण समस्याओं के ट्रेसर प्रविधि का प्रयोग किया है।

गामा स्कैनिंग में बार्क की विशेषज्ञता का उपयोग प्रमुख पेट्रो रसायन उद्योगों द्वारा प्रक्रिया उपकरणों की समस्या दूर करने, भूमिगत पाइप लाइनों में रिसाव का पता लगाने, औद्योगिक प्रक्रिया नियंत्रणों इत्यादि के लिए किया जा रहा है। बार्क द्वारा किए गए अन्य अध्ययनों में गैस अथारिटी ऑफ इंडिया की 350 किमी लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में रिसाव के स्थानों का पता लगाना, तथा मुंबई एवं बड़ौदा में स्थित कंपनियों के लिए डिस्टिलेशन और डीगैसर कालम (स्तम्भों) की गामा स्कैनिंग करना शामिल हैं।

रेडियो ट्रेसिंग तकनीकों का प्रयोग करके इंडियन आयल कारपोरेशन की हरियाणा स्थित पानीपत रिफाइनरी तथा तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड, चेन्नई तमिलनाडु में हीट एक्सचेंजर्स में रिसावों का पता लगाया गया। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के तेल कुओं के प्रभावी प्रबंधन में भी इन प्रविधियों का प्रयोग किया गया।

बार्क की रेडियो ट्रेनिंग विशेषज्ञता का प्रयोग औद्योगिक इकाइयों द्वारा कई प्रकार से किया जा रहा है। औद्योगिक प्रक्रिया कॉलम्स में ऑनलाइन समस्याओं के समाधान हेतु गामा स्कैनिंग एक अपरिहार्य अविध्वंसात्मक प्रविधि है। बार्क ने हजीरा, गुजरात स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डीप्रोपेनाइजर कॉलम की जांच सफलता पूर्वक की है और परमाणु ऊर्जा विभाग की विभिन्न सुविधाओं के लिए शील्डिंग इंटीग्रिटी टेस्ट किए हैं। ट्रांबे में विकसित गामा स्कैनिंग का प्रयोग समस्याओं के समाधान और देश के प्रसंस्करण उद्योगों में सर्वश्रेष्ठ प्रसंस्करण हेतु किया गया है। इससे उत्पादन में होने वाली उस हानि को कम से कम किया जा सका है जो इस प्रकार के बड़े उद्योगों में प्रतिदिन कई करोड़ रुपये की होती।

स्वचालित गामा स्कैनिंग प्रणाली का विकास औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्रों, पेट्रोकेमिकल/तेलशोधक कारखानों, गुरुजल संयंत्रों इत्यादि में ऑन लाइन निरीक्षण, समस्या दूर करने और सर्वश्रेष्ठ उत्पादन हेतु किया गया है। इस प्रविधि में 70 मीटर ऊंचाई तक के प्रसंस्करण कालमों की स्कैनिंग का प्रयोग किया जाता है।

रासायनिक क्रियाओं की प्रक्रियाओं के अध्ययन के जरिए पाइपलाइनों में रिसाव और बहाव दर का आकलन एवं तलछट अध्ययन के लिए रेडियो रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे अध्ययनों को सुचारु बनाने के लिए बीआरआईटी में दूसरे कई प्रकार के रेडियो रसायनों का उत्पादन किया जाता है। उद्योगों में प्रयोग के लिए बीआरआईटी द्वारा निर्मित विकिरण प्रौद्योगिकी उपकरण इस प्रकार हैं—वैल्विंग, कास्टिंग इत्यादि के आंतरिक दोषों की जांच हेतु रेडियोग्राफी कैमरा, विखंडन नमूनों के लिए एक सघन सेल्फ शील्डेड कोबाल्ट-60 अनुसंधान इरेडिएटर गामा प्रकोष्ठ तथा रक्त आधान के पश्चात होने वाली गड़बड़ी खत्म करने के लिए रक्त एवं रक्त उत्पादों के विकिरण प्रसंस्करण हेतु रक्त इरेडिएटर।

बीआरआईटी ने 14C-अमोनियम थायोसायनेट (500 एमसीआई) तथा ट्रीट्रिएटेड जल (75 सीआई) की आपूर्ति करके ओएनजीसी को उसके तेल खोज प्रयासों में सहायता प्रदान की है।

एनडीटी केंद्र देश में बीआरआईटी से लाभ उठाने वालों में प्रमुख हैं जो इरीडियम-192 रेडियोग्राफी स्रोतों का एकमात्र आपूर्तिकर्ता है। विभिन्न औद्योगिक उपयोगों के लिए सीलबंद सामग्री को तैयार एवं उसका प्रसंस्करण करके निर्धारित स्थानों को आपूर्ति की जाती है। बीआरआईटी ने वियतनाम को 60-कोबाल्ट स्रोत पेंसिलों की आपूर्ति भी की। बीआरआईटी द्वारा बड़ी संख्या में निर्मित रेडियोग्राफी कैमरों तथा गामा चैम्बरों का भारतीय उद्योग जगत में पहले से ही उपयोग किया जा रहा है। बीआरआईटी में विकसित रक्त विकिरण के उपकरणों का अस्पतालों एवं रक्त बैंकों में प्रयोग किया जा रहा है, ऐसी इकाइयां बीआरआईटी के बंगलौर तथा दिल्ली स्थित क्षेत्रीय केंद्रों में भी लगाई गई हैं। बीआरआईटी एवं आरएपीपीसीओएफ कोटा, राजस्थान में कोबाल्ट-60 का प्रसंस्करण करता है और औद्योगिक एवं अन्य उपयोग के लिए विकिरण समस्थानिक आधारित उपकरणों का निर्माण करता है। औद्योगिक उत्पादों के रेडियोग्राफिक परीक्षण हेतु यह इरीडियम-192 के सील किए स्रोतों तथा रिमोट से संचालित रेडियोग्राफी कैमरे (आरओएलआई) की आपूर्ति करता है। बोर्ड ब्रिटेन, जर्मनी, बांग्लादेश, मिस्र, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, सीरिया और तंजानिया को रेडियो आइसोटोप एवं संबंधित उपकरणों का निर्यात भी करता है।

बीम प्रौद्योगिकियां

लेजर प्रणालियों और इलेक्ट्रान बीम एक्सीलेरेटर्स के क्षेत्रों में भारत अग्रणी देशों में से एक है। विभाग के शोध संगठन, इंदौर का सेंटर फार एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (सी.ए.टी.) और मुंबई का भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र लेजर प्रणालियों, इलेक्ट्रान बीम तकनीकों और उपकरणों और प्लाज्मा उपकरणों के क्षेत्रों में इस्तेमाल की तकनीक का विकास कर रहे हैं।

इलेक्ट्रॉन बीम प्रौद्योगिकियों पर आधारित अनेक उपकरण विकसित किए जा रहे हैं। बार्क प्रमुख केबिल निर्माण कंपनियों के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन बीम क्रॉस लिंकड केबिलों को देश में ही विकसित करने की दिशा में लगा है। नई दिल्ली के श्रीराम इंस्टीच्यूट ऑफ केमिकल रिसर्च के सहयोग से बार्क ने पीवीसी आधारित मैटिरियल का विशेष फॉर्मूला विकसित किया है जो रेडिएशन क्रॉस लिंकिंग होने पर ऐसा उत्पाद बनाता है जो 105° सेल्सियस तक के तापमान को झेल सकता है। एक समान क्रॉस लिंकिंग सुव्यवस्थित करने के लिए ट्रॉम्बे स्थित बार्क ने एक रोटेटिंग मल्टी स्पिंडल कनवेयर प्रणाली का डिजाइन तैयार किया है। इस प्राविधि का व्यावसायिक प्रयोग होने लगा है।

बार्क ने 500 केईवी का डीसी एक्सेलेरेटर सफलतापूर्वक विकसित किया है जो वाशी, नवी मुंबई के ब्रिट (बीआरआईटी) कॉम्पलेक्स में लगा है। यह एक्सेलेरेटर सतह सुधार अध्ययनों तथा प्रयोगों में इस्तेमाल होता रहा है। मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज इसे प्लास्टिक शीट्स और ग्रेन्यूल्स की क्रॉसलिंकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस 500 केईवी बीम एक्सेलेरेटर की मदद से बार्क और चेन्नई के आई.आई.टी. मद्रास पदार्थों पर विकिरण से होने वाले नुकसान का अध्ययन कर रहे हैं।

इलेक्ट्रॉन बीम इरेडिएशन की विविध मांगों को पूरा करने के लिए बार्क दो और एक्सेलेरेटरों के निर्माण में लगा है। इनमें से एक 3 MeV (एमईवी), 30 किलोवाट डीसी एक्सेलेरेटर है और दूसरा 10 MeV (एमईवी), 10 किलोवाट आरएफ लाइनैक है। इन्हें इलेक्ट्रॉन बीम सेंटर (ईसीबी) खारघर नवी मुंबई में स्थापित किया जाएगा। 10 MeV (एमईवी) 10 केवी आरक्षण इलेक्ट्रॉन लाइनैक की स्थापना की जा चुकी है तथा 3 MeV एक्सीलेरेटर्स के उपकरणों में फ्रैब्रीकेशन का कार्य काफी आगे बढ़ चुका है। औद्योगिक एक्सीलेरेटर्स तथा सामग्री प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास हेतु ईसीबी का एक अनूठे एवं समर्पित केंद्र के रूप में प्रयोग किए जाने की योजना है।

उच्च शक्ति वाले पल्सड इलेक्ट्रॉन एक्सीलेरेटर : इन एक्सीलेरेटरों का प्रयोग प्लैश एक्स-रे तथा उच्च शक्ति माइक्रोवेव के लिए किया जाता है। उद्योगों, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र और सामरिक क्षेत्रों में इन एक्सीलेरेटरों के अनेकों इस्तेमाल हैं। बार्क इस श्रेणी के दो प्रकार यानी सिंगल और रिपीटेटिव शॉट के विकास में लगा है। काली 200, काली 1000 और काली 5000 सिंगल शॉट श्रेणी के हैं तथा लीनियर इंडक्शन एक्सीलेरेटर (एलआईए) रिपीटेटिव श्रेणी का है। काली 200 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) तथा एमईआरडीसी बंगलौर को सौंप दिए गए हैं। काली 5000 हाल में ही चालू किया गया है तथा इसे लगभग 2 गीगा वॉट के माइक्रोवेव पावर स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। काली 5000 का इस्तेमाल हाई पावर माइक्रोवेव (एचपीएम) जनरेशन और प्लैश एक्सरे प्रयोगों के लिए किया जाता है।

तापीय प्रसंस्करण के लिए उच्च शक्ति इलेक्ट्रॉन बीम इकाइयां: बार्क ने वाष्पीकरण, रिएक्टिव और रिफ्रेक्टरी धातुओं व उनके यौगिकों को गलाने/पिघलाने तथा वेल्डिंग के लिए उच्च शक्ति इलेक्ट्रॉन बीम मशीनें विकसित की हैं। रक्षा मंत्रालय की अंबरनाथ स्थित मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री को 150 किलोवॉट और 6 किलोवॉट का एक वेल्डर सप्लाई किया गया है। इसे स्टील वाले हिस्सेपुर्जों को वेल्ड करने के लिए

इस्तेमाल किया जाता है। इस समय बार्क मोटे सेक्शन वाले मैटिरियल वेल्ड करने के लिए 80 किलोवोल्ट, 24 किलोवाट का वेल्डर विकसित कर रहा है। अभी हाल में उसने रिएक्टिव और रिफ्रेक्टरी धातुओं को पिघलाने के लिए 30 किलोवोल्ट, 80 किलोवाट की यूनिट भी विकसित की है। सख्त और जंगरोधक सतहें तैयार करने के उद्देश्य से ऑप्टिकल कोटिंग्स सहित कोटिंग यूनिटें विकसित की गई हैं।

लेजर प्रणालियां और प्रयोग

बार्क और आर.आर.सी.ए.टी. ने गैस लेजर, सॉलिड स्टेट लेजर और सेमीकंडक्टर लेजर सहित नई तरह के लेजर विकसित किए हैं जिनका व्यापक इस्तेमाल है। बार्क ने रक्षा धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद में लेजर आधारित प्रोजेक्टाइल गतिमापक उपकरण की कमीशनिंग तथा खुरदरापन मापने के लिए सतह प्रोफाइलोमीटर का विकास किया है। धातुओं की अवस्था का संतुलन मापने के लिए ट्रॉम्बे में झटकों का पता लगाने की विभिन्न प्रणालियां लगाई जा रही हैं।

प्लाज्मा उपकरण और प्रणालियां : बार्क ने अनेकों वातावरणीय प्लाज्मा टॉर्चे और प्रसंस्करण प्रणालियां विकसित की हैं। हस्तांतरित या गैर-हस्तांतरित स्थिति में ऑपरेट कर सकने वाली उच्च शक्ति प्लाज्मा टॉर्चे (40 से 300 किलोवाट) काटने, पिघलाने, छिड़काव करने और अन्य उच्च एन्थाल्पी प्रयोगों के लिए इस्तेमाल की गई हैं। इसके कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं: अंतरिक्ष विभाग के साथ मिलकर त्रिवेंद्रम में प्लाज्मा जेट की मदद से ताप संरक्षण सामग्रियों को टेस्ट करने की प्रणालियां, पानी के नीचे प्लाज्मा कटिंग प्रणालियां और बार्क के लिए प्लाज्मा की सहायता से चलने वाला एयरोसोल जनरेटर। सरफेस इंजीनियरिंग में प्लाज्मा स्प्रे प्रणालियां विशेष उद्देश्य वाले तापीय बैरियर, रासायनिक बैरियर और बायोसिरेमिक कोटिंग विकसित करके के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल में लाई गई हैं तथा इनके कारण प्रणाली के कार्य निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार आया है। माइक्रोवेव प्लाज्मा इस्तेमाल करने 1 से 2 माइक्रोन की कम दबाव वाली सतह कोटिंग भी विकसित की गई हैं।

जल प्रबंधन

बार्क द्वारा कई विलवणीकरण प्रविधियों का विकास किया गया है। ये बहुचरणी फ्लैश (एमएसएफ) वाष्पीकरण, रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) तथा निम्न ताप वाष्पीकरण (एलटीई) पर आधारित हैं। इन प्रविधियों का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों, समुद्री जहाजों तथा औद्योगिक उपयोग हेतु जल प्रबंधन के लिए जल संयंत्र लगाए गए हैं।

नाभिकीय रिएक्टर्स से निकलने वाली कम दबाव की भाप तथा अपशिष्ट ऊष्मा का प्रयोग करने के लिए बार्क कलपक्कम तमिलनाडु में 6300 घनमीटर/प्रतिदिन क्षमता वाला संयुक्त एमएसएफआरओ नाभिकीय विलवणीकरण प्रदर्श संयंत्र लगा रहा है। यह संयंत्र समुद्री जल का उचित एवं कम लागत पर विलवणीकरण करने के लिए समुद्री जल, भाप तथा मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र (एमएपीएस) से प्राप्त विद्युत का इस्तेमाल करेगा। आरओ प्रक्रिया पर आधारित 1800 घन मीटर प्रतिदिन विलवणीकरण प्रवाह को चालू कर दिया गया है। इससे अब समुद्री जल को मीठे पानी में बदला जा रहा है।

साइरस की अपशिष्ट ऊष्मा का प्रयोग करते हुए निम्नताप वाष्पीकरण प्रविधि पर आधारित एक छोटी (30 घनमीटर/दिन) विलवणीकरण इकाई ट्रांबे में स्थापित कर चालू कर दी गई है।

30 घनमीटर प्रतिदिन क्षमता वाला खारेपानी का एक संयंत्र राजस्थान के जोधपुर जिले के सातलाणा गांव में गांववासियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए चल रहा है।

समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने के लिए बार्क ने हाल ही में भाप संपीड़न तकनीक विकसित की है और 50 हजार लीटर प्रति दिन की क्षमता वाला भाप संपीड़न विलवणीकरण संयंत्र सफलता पूर्वक स्थापित और परिचलित किया जा रहा है।

बार्क ने एक ऑन लाइन घरेलू जल शोधक भी बाजार के लिए उतारा है जो बार्क से लाइसेंस प्राप्त कई कंपनियों हेतु तैयार किया गया है।

मौलिक अनुसंधान

परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसंधान केंद्र अपने कार्यक्रमों के अनुरूप मूल अनुसंधान कार्य में संलग्न हैं। इसके अतिरिक्त विभाग से अनुदान सहायता प्राप्त स्वायत्तशासी अनुसंधान संस्थान ऐसे उत्कृष्टता केंद्र हैं जिनमें गणित से कंप्यूटर, भौतिकी से खगोलशास्त्र तथा जीव विज्ञान से कैंसर तक के क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है।

गणित और कंप्यूटेशन : गणित तथा कंप्यूटेशन विज्ञान के क्षेत्र में टी.आई.एफ.आर. में बीजगणित, बीजगणितीय ज्यामिती, लाई समूह, इगोडिक सिद्धांत, संख्या सिद्धांत, कंबीनेट्रिज और टोपोलोजी पर शैक्षिक कार्यक्रम मुंबई में चलाया जाता है जबकि गणित के उपयोग पर कार्य बंगलौर में होता है। हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद गणित और सैद्धांतिक भौतिकी सहित खगोल-भौतिकी, उच्च-ऊर्जा भौतिकी, संकुचित पदार्थ भौतिकी और गणितीय भौतिकी के अग्रिम क्षेत्रों में शोध करता है। सैद्धांतिक भौतिकी, गणित और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्रों में चेन्नई का इंस्टीट्यूट ऑफ मैथिमेटिकल साइंस शोध कर रहा है।

1000 से भी ज्यादा प्रोसेसरों वाले टेराफ्लॉप सुपर-कंप्यूटरों को विकसित करने के प्रयासों के फलस्वरूप बार्क ने 1991 के बाद से अनुपम शृंखला के 15 से अधिक सुपर कंप्यूटर बनाए हैं। अभी तक देश के प्रमुख अनुसंधान और विकास केंद्रों एवं शिक्षा संस्थानों में 37 से अधिक सुपर कंप्यूटर चलाए जा चुके हैं। बार्क द्वारा विकसित अनुपम-अमेय सुपरकंप्यूटर 512 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक समूह है। यह अनुपम शृंखला में सबसे बड़ा और सबसे तेज है। इस मशीन में 256 ड्युअल प्रोसेसर जेऑन आधारित आईयू सर्वर हैं जो गीगाबिट एथरनेट नेटवर्क से जुड़े हुए हैं।

भौतिकी

टीआईएफआर के स्कूल ऑफ फिजिक्स में भौतिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान किया जाता है। यहां उच्च-क्षेत्र, एन.एम.आर. के लिए राष्ट्रीय सुविधा में शोधकर्ताओं को आधुनिकतम सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

भौतिकी अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर में संघनित पदार्थ और उच्च ऊर्जा, नाभिकीय, आणविक तथा एक्सीलेरेटर आधारित भौतिक तथा अन्य विषयों में शोध किया जाता है। संस्थान की एक प्रमुख परीक्षा सुविधा आयन बीम एक्सीलेरेटर है। संस्थान की सुविधाओं का लाभ कई शोध संगठन एवं विश्वविद्यालयों द्वारा उठाया जाता है।

हरीश चंद्र शोध संस्थान में टेक्योन प्राप्त ओपन स्ट्रिंग थ्योरी के ग्राउंड स्टेट को समझने के कार्य सहित भौतिकी में शोध होता है। पॉजीटिव कॉस्मोलोजिकल कांस्टेंट की मदद से सुपरग्रेविटी समाधान अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र हैं।

भूकंपीय अध्ययन

बार्क द्वारा कर्नाटक में गौरीबिदनूर, दिल्ली तथा ट्रांबे स्थित केंद्रों में भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी की जाती है। नियमित भूकंपीय विश्लेषणों के अलावा सतह तरंग अध्ययनों के क्षेत्र में अनुसंधान, विश्लेषण कार्यक्रमों (साफ्टवेयर) का विकास तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भी अनुसंधान किया जाता है।

अतिचालकता (सुपर कंडक्टिविटी)

सुपर कंडक्टिविटी का क्षेत्र भविष्य के लिए अपार संभावनाओं से भरा है। बार्क ने द्रव हीलियम के तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी केबलों के नमूनों का प्रकार निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण सुविधा का निर्माण पूरा कर लिया है। वीईसीसी में भी सुपरकंडक्टिंग केबलों और उनके जोड़ों का प्रकार निर्धारण करने की परीक्षण सुविधा का निर्माण करके चालू भी कर दिया गया है। आईजीसीएआर अविध्वंसक परीक्षण सहित पदार्थ तकनीक के लिए एसक्यूयूआईडी (स्क्विड) तकनीक के विकास की दिशा में भी काम कर रहा है।

खगोलशास्त्र : रेडियो खगोलशास्त्र के क्षेत्र में ऊटकमंड, तमिलनाडु के समीप नीलगिरी की पहाड़ियों में रेडियो टेलिस्कोप एरैं दशकों से काम कर रहा है। दूर की आकाशगंगाओं और ग्रहों के बीच वस्तुओं के रेडियो-स्रोतों के अध्ययन में इसका इस्तेमाल होता है।

पुणे, महाराष्ट्र के समीप नारायणगांव में 30 अति-विशाल पेराबोलिक डिशों वाला जाएंट मीटर-वेव रेडियो टेलिस्कोप कर रहा है। टी.आई.एफ.आर. द्वारा स्थापित यह टेलिस्कोप रेडियो खगोल शास्त्र में फ्रंट लाइन अनुसंधान सुविधा और अपनी श्रेणी में विश्व का सबसे शक्तिशाली रेडियो टेलिस्कोप है। यह टेलिस्कोप अब पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला सुविधाकेंद्र बन गया है। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोक्ता इस टेलिस्कोप से खगोलशास्त्र में शोध करते हैं।

बार्क द्वारा राजस्थान के माउंट आबू में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी का एक अन्य खगोलशास्त्रीय अनुसंधान सुविधाकेंद्र “ग्रेस” स्थापित किया गया है। जिसमें टैक्टिक (टेरा-इलेक्ट्रॉन-वोल्ट एटमास्फीरियक सेरन्कोव टेलिस्कोप) है। यह भारत का पहला गामा-रे टेलीस्कोप है जिसका इस्तेमाल 1 टीईवी (1 TeV) ऊर्जा से अधिक के कॉस्मिक गामा किरण स्रोतों के उच्च संवेदनशील अध्ययनों में किया जाता है।

रसायन विज्ञान

बार्क परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, शोध रिएक्टरों तथा गुरुजल संयंत्रों को आधुनिकतम विश्लेषणात्मक एवं रसायन विज्ञान में संबद्ध सेवाएं प्रदान करता है और रसायन विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करता है। यह केंद्र परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एवं बाहर के प्रयोक्ता संगठनों को विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान की सेवाएं उपलब्ध कराता है। अनेक प्रकार के पदार्थों, जैसे— धातुओं और मिश्र धातुओं, कार्बनिक व आर्गेनो-धात्विक यौगिकों, अकार्बनिक यौगिकों, पत्थरों और खनिजों, नाभिकीय और सामरिक पदार्थों, उच्च शुद्धता वाले पदार्थों, पर्यावरणात्मक व जैव विज्ञान पदार्थों आदि के नमूनों का यहां विश्लेषण होता है।

बार्क का सेंटर फॉर कंपोजिशनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ मैटीरियल्स, हैदराबाद विभिन्न विभागों, सरकारी और निजी संस्थानों को उच्च श्रेणी की विश्लेषणात्मक सेवाएं उपलब्ध कराता है।

जीव-विज्ञान : ट्रांबे में जीव-विज्ञान में शोध का लक्ष्य अधिक उपज वाली खाद्य फसलों को तैयार करना, फसल की कटाई के बाद टिकाऊ बनाकर नुकसान को समाप्त या कम करना, कम खुराक की

कैंसर रेडियोथेरेपी के नये तरीके विकसित करना तथा मूल जीव विज्ञान में आणविक तथा समस्थानिक तकनीकों का प्रयोग कर रोगों का निदान एवं व्यक्तियों और व्यापक जनसंख्या के फिंगरप्रिंट्स लेना है। टी.आई.एफ.आर. के राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र, बंगलौर में आधुनिक जीव विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में नई अनुसंधान पहल की जा रही है। साहा राष्ट्रीय भौतिकी संस्थान, कोलकाता में कोशिकीय एवं आणविक स्तर पर बायोमॉलीक्यूलज की संरचना क्रिया अंतर्संबंध पर शोध किया जा रहा है।

अनुसंधान शिक्षा संपर्क

परमाणु ऊर्जा विभाग राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालय प्रणालियों के बीच सकारात्मक अंतर्संबंध को अनेक तरीकों से बढ़ाता है, जैसे अंतर-विश्वविद्यालय समूह द्वारा विभाग की शोध सुविधाओं का उपयोग, अपने क्षेत्र से हट कर शोध के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट संस्थानों को अनुदान, आदि।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-परमाणु उर्जा विभाग में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समन्वय : परमाणु ऊर्जा विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1989 में इंदौर में इंटर-यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटामिक एनर्जी फैसिलिटीज के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये। यूजीसी के नियंत्रण में कार्यरत इस समूह का नाम अब यूजीसी-डीएई कंसोर्शियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च है। यूजीसी और डीएई के बीच सहयोग के क्षेत्र का विस्तार किया गया है और इसमें परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा भौतिक, रासायनिक, जैविक और इंजीनियरिंग विज्ञान में चलाये जा रहे सभी कार्यक्रमों को शामिल कर लिया गया है।

शैक्षिक कार्यक्रम

डीएई के अनुसंधान केंद्रों को उनके क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों द्वारा पोस्ट स्नातकोत्तर उपाधियों के लिए बने अनुसंधान केन्द्रों के रूप में मान्यता दे दी गई है। इनके कई वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों को सम्बद्ध विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातकोत्तर शिक्षकों का दर्जा दिया गया है। यहां के कर्मचारियों को इन केन्द्रों में किए गए शोध कार्य के आधार पर स्वयं को पंजीकृत कराने एवं शोध उपाधियां प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान : मान्य विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान 2005 से प्रारंभ किया गया है। यहां नाभिकीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा संबद्ध विषयों में शोध गतिविधियां जारी रखने के लिए युवा प्रतिभाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि परमाणु ऊर्जा विभाग की भविष्य की मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

मुख्य विषयों से हट कर शोध के लिए वित्तीय सहायता : परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई स्थित बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लीयर साइंसेस (बी.आर.एन.एस.) और नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथेमेटिक्स (एन.बी.एच.एम.) के जरिये अपने क्षेत्रों से संबद्ध विषयों में विश्वविद्यालयों, संस्थानों और प्रयोगशालाओं में शोध को प्रेरित करता है।

बी.आर.एन.एस. विभाग की परामर्शदाता एजेंसी है जो कि विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को वित्तीय सहायता की सिफारिश करती है। यह विभाग के भीतर और बाहर उच्च श्रेणी की शोध परियोजनाओं की मदद करती है और आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर देती है। यह डीएई

के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारियों के विकास हेतु तैयार किए जा रहे कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देती है।

युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान और इंजीनियरी के क्षेत्र में शोध कैरियर चुनने हेतु प्रेरित करने के लिए बी.आर.एन.एस. युवा वैज्ञानिकों को विभिन्न परियोजनाओं का कार्य देता है। स्नातक स्तर के छात्रों को अवसर उपलब्ध कराने हेतु इसने डीआई स्नातक फेलोशिप प्रारंभ की है। बीआरएनएस.होनहार वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को आकर्षित करने के लिए डा. के.एस. कृष्णन शोध एसोसियेटशिप देता है। इसकी डीआई-बीआरएन एस वरिष्ठ वैज्ञानिक योजना उन सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों/इंजीनियरों के अनुभव का लाभ उठाने के लिए है जो कि विभाग की इकाइयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों या संस्थानों में उच्च श्रेणी का शोध कर रहे थे और जो सेवानिवृत्ति के बाद भी शोध और विकास के अपनी पसंद के और विभाग की दिलचस्पी के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक हैं। यह उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को होमी भाभा चेयर से सम्मानित करता है। बोर्ड वैज्ञानिकों के दौरे पर आने के कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है ताकि वरिष्ठ स्तर के वैज्ञानिकों में सक्रिय मेलजोल हो सके।

बीआरएनएस ने परमाणु ऊर्जा विभाग विज्ञान शोध परिषद एसआरसी पुरस्कार भी प्रारंभ किया है जिसका उद्देश्य ऐसी प्रतिभाओं को केंद्र में रखकर अग्रणी शोध इकाइयों की स्थापना करना है। वर्ष 2006-07 में बोर्ड ने 90 नयी शोध परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की।

उच्च गणित के लिए राष्ट्रीय परिषद (एनबीएचएम) के माध्यम से परमाणु ऊर्जा विभाग देश में उच्च गणित, शिक्षा तथा शोध के क्षेत्र में उत्कृष्टता संवर्धन का कार्य कर रहा है। बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं में गणितीय केंद्रों का विकास, शोध एवं शोधोत्तर स्तर पर अनुसंधानकर्ताओं को छात्रवृत्तियां प्रदान करना, सम्मेलन/सेमिनारों में भाग लेने हेतु युवा गणितज्ञों को यात्रा भत्ता सुविधा इत्यादि, गणित पुस्तकालयों को सहायता, सम्मेलनों को सहायता गणित ओलम्पियाडों की निगरानी तथा अन्य गतिविधियां शामिल हैं। एन.बी.एच.एम. ने अंतर्राष्ट्रीय गणित यूनियन के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था (इंटरनेट) पर गणित से संबद्ध साहित्य उपलब्ध कराना शुरू किया है। वर्ष 2006-07 में बोर्ड को 12 करोड़ रुपये का बजट दिया गया था।

एनबीएचएम के बजट का एक तिहाई हिस्सा गणित की पुस्तकों की खरीद हेतु पुस्तकालय सहायता के रूप में 80 विश्वविद्यालयों/संस्थानों के गणित विभागों को जारी किया जाता है। एनबीएचएम गणित का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईसीएम-2010 भारत में आयोजित करेगा।

संस्थानों और कैंसर अस्पतालों को अनुदान : विभाग उन सात राष्ट्रीय शोध संस्थानों को मूल और व्यावहारिक शोध के लिए अनुदान देता है जोकि प्राकृतिक विज्ञान, गणित और खगोलशास्त्र से लेकर कैंसर और संलयन तक के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा विभाग एक सोसायटी को सहयोग करता है जोकि डीआई कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध देखती है। विभाग और इन शोध संस्थानों के बढ़ते ताल-मेल से कई संयुक्त परियोजनाएं शुरू हुई हैं।

वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान डीआई द्वारा इन शोध संस्थानों को 532 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान सहायता दी गई थी। विभाग, परियोजनाओं को समर्थन देने और विकिरण से संबद्ध उपकरणों की खरीद के लिए भी देश के कैंसर अस्पतालों को वित्तीय सहायता देता है। वर्ष 2006-07 के दौरान इस मद में छह करोड़ रुपये की सहायता दी गई। विभाग एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत पूर्वोत्तर परिषद् तथा असम सरकार के सहयोग से गुवाहाटी के डा. बी. बरुआ कैंसर संस्थान को फिर से सशक्त बनाने के लिए भी सहायता देता रहा है। यह चिकित्सालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में कैंसर के उपचार तथा नियंत्रण का क्षेत्रीय केंद्र है।

परमाणु ऊर्जा विभाग ने कैसर देखरेख कार्यक्रमों को अन्य क्षेत्र में पहुंचाने का कार्य भी प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत देश भर में फैले कैसर संस्थानों के बीच शोध और विकास पर ध्यान देते हुए बेहतर संपर्क की व्यवस्था करना, उपचार हेतु प्रशिक्षण एवं पूर्वाचार की तैयारी के साथ ही कैसर उपचार के लिए विकिरण संबंधी उपकरणों का स्वदेश में ही विकास करने को प्रोत्साहन देना आदि आते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तालमेल

मार्च, 1996 में किए गए एक सहयोग-समझौते के अनुसार डीआई अपनी इकाइयों के जरिये जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लीयर रिसर्च (सीईआरएन) में बनाए जा रहे पार्टिकल एक्सीलेरेटर लार्ज हेड्रोन कोलाइडर (एलएचसी) के लिए अत्याधुनिक पुर्जे विकसित कर रहा है।

इस सहयोग के अंतर्गत आरआरसीएटी में किए गए विकास द्वारा जनवरी 2006 तक 7000 से अधिक प्रेसीजन मैग्नेटिक पोजीशनिंग प्रणालियां (पीएमपीएस) जैक तथा लगभग 2000 सुपरकंडक्टिंग क्रेक्टर मैग्नेट तथा एलएचसी के लिए 1400 से अधिक स्थानीय संरक्षण यूनितों की आपूर्ति की जा चुकी है। वीईसीसी में निर्मित तथा एचएमसी, सीईआरएन जिनेवा एवं आरएचआईसी ब्रुकहैवेन नेशनल लेबोरेटरी ऑफ़ युनाइटेड स्टेट्स में स्थापित किए एवं चालू किए जा चुके हैं। वीईसीसी के वैज्ञानिकों ने प्रयोगों में भाग लेकर सामूहिक आंकड़ा विश्लेषण में योगदान दिया है। आरआरसीएटी ने सीईआरएन में कॉम्पैक्ट लीनियर कोलाइडर जांच सुविधा और सुपर कंडक्टिंग प्रोटॉन लिनैक-4 परियोजना के लिए नावेल एक्सेलेरेट तकनीकों के लिए सहयोग किया है।

सीईआरएन और बार्क का मजबूत सहयोगात्मक आधार है। इसकी गतिविधियों में सीईआरएन में सीएमएस में प्रयोग के लिए 1000 बड़े क्षेत्र वाले सिलिकान स्ट्रिप डिटेक्टरों की आपूर्ति करना शामिल है। लगभग 800 डिटेक्टरों का पहले ही वितरण किया जा चुका है। एसआईएनपी ने 80 हजार मानसचिप बनाकर सीईआरएन को सौंप दिये हैं। ऐसी गतिविधियों में परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्य संस्थानों द्वारा दिए गए योगदान से भारत को सीईआरएन में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है। आस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, कैनबरा, आस्ट्रेलिया में सुपर कंडक्टिंग लाइनैक (एलआईएनएसी) के लिए बार्क ने आरएफ रीजोनेटर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स की सफलतापूर्वक स्थापना करके इसे चालू कर दिया है।

बार्क ने जॉर्जिया में एस आर-90 ऑफन सोर्सज की खोज के लिए आईईईए-समर्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में भाग लिया। बार्क द्वारा विकसित एरियल गामा स्पेक्ट्रोमीटरी प्रणाली (एजीएसएस) को खोज कार्यों के लिए तैनात किया गया था। ऑफन सोर्सज की खोज में इस प्रणाली की तकनीकी श्रेष्ठता और उसकी स्थिति का पता लगाने में बार्क स्टाफ की विशेषज्ञता की, परमाणु विकिरण और सुरक्षा सेवाओं (एनआरएसएस) में लगे स्टाफ के प्रशिक्षण की जॉर्जिया सरकार और आईईईए, दोनों ने जोरदार सराहना की थी।

राष्ट्रीय सुरक्षा

भारत द्वारा 18 मई 1974 को पोखरण, राजस्थान में मरुस्थल में शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया गया था। इसके ठीक 24 वर्ष बाद 11 और 13 मई 1998 को भारत ने 5 सफल परमाणु परीक्षण किए जिसमें एक ताप नाभिकीय प्रविधि, एक विखंडन प्रविधि एवं तीन सब-किलोटन प्रविधि से संपन्न किए गए थे।

पदार्थ विज्ञान

पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में बार्क और आईजीसीएआर के प्रयास दबाव पात्रों (प्रेसर वैसल्स), क्लैड एंड

कंट्रोल एलीमेंट्स, बहुचरणी मिश्र धातु तथा स्ट्रक्चरल इंटरमेटलिक्स, अपवर्तक धातुएं एवं मिश्र धातु विकिरण स्रोतों का निर्माण, अत्यधिक शुद्ध धातुएं तथा अन्य विशेष उपयोगों की दिशा में किए जा रहे हैं।

एक्सीलेरेटर्स

डीएई ने नाभिकीय अनुसंधान, समस्थानिक उत्पादन तथा विकिरण प्रसंस्करण में प्रयोग होने वाले एक्सीलेरेटर्स के डिजाइन निर्माण और संचालन में अपनी क्षमता प्रदर्शित कर दी है। कोलकाता में वैरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन (वीईसी), मुंबई में 14 एमवी पैलेट्रॉन एक्सीलेरेटर, इंदौर में सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन सोर्सेज (एसआरसी) इंडस I तथा II एवं ट्रांजे में फोल्डेड टेंडम आयन एक्सीलेरेटर (एफओटीआईए) देश में प्रमुख एक्सीलेरेटर सुविधाएं हैं।

साइक्लोट्रॉन तथा अन्य एक्सीलेरेटर्स

एक्सीलेरेटर आधारित शोध हेतु कोलकाता स्थित वैरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन केंद्र (वीईसीसी) एक राष्ट्रीय केंद्र है। यहां बार्क द्वारा वैरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन की स्थापना मौलिक शोध के लिए 1977 में की गई थी। यहां विभिन्न उपयोगों के लिए विकिरण समस्थानिकों का उत्पादन भी किया जाता है। इस साइक्लोट्रॉन का उपयोग 35 से अधिक राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं एवं विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है।

वीईसीसी का इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस (ईसीआर) आयन स्रोत भारी आयनों के साथ शोध हेतु अनूठी सुविधा है। एक ईसीआर-2 आयन स्रोत को भी साइक्लोट्रॉन से जोड़ा गया है। हैवी आयन एक्सीलेरेटर कार्यक्रम से 6 एमई/न्यूक्लीऑन से अधिक क्षमता वाली हेवी आयन बीम प्राप्त करने में सफलता मिली है। अभी तक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, नीयोन, सल्फर आयन बीम्स को एक्सीलेरेट करने में सफलता प्राप्त हुई है। एक्जोटिक न्यूक्लियर के अध्ययन हेतु यहां एक स्वदेश में ही डिजाइन की गई एवं निर्मित आइसोटोप सेपरेटर आन-लाइन (आईएसओएल) प्रणाली भी संचालित की जा रही है।

वर्तमान में वीईसीसी द्वारा रेडियो एक्टिव आयनों को एक्सीलेरेट करने के लिए एक के-500 सुपरकंडक्टिंग साइक्लोट्रॉन तथा एक रेडियो सक्रिय आयन बीम (आरआईबी) सुविधा का निर्माण किया जा रहा है।

सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स में स्थापना, चालू करना, प्रशीतन करना, द्रव हीलियम की भराई तथा करेंट में लगातार वृद्धि इत्यादि का कार्य पूरा कर लिया गया है। अधिकतम प्राप्त करेंट की मात्रा छोटी कॉयल्स में 600 एम्पीयर और बड़ी कॉयलों में 675 एम्पीयर थी। सर्वाधिक 5.0 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त किया गया। पार्टिकल एक्सीलेरेशन जोन की मैग्नेटिक फील्ड मैपिंग और आंकड़ों के विश्लेषण का कार्य पूरा हो गया है। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को धीरे-धीरे सामान्य ताप तक गर्म किया जा चुका है।

इस केंद्र में एक आईएसओएल (आइसोटोप सेपरेटर-आन लाइन) पोस्ट एक्सीलेरेटर प्रकार की रेडियो सक्रिय आयन बीम सुविधा की परियोजना भी निर्माणाधीन है। सीमित जीवन अवधि वाले रेडियो सक्रिय पदार्थों के उत्पादन हेतु इस सुविधा द्वारा इस समय चल रहे साइक्लोट्रॉन एक्सीलेरेटर और थिन टारगेट से मिलने वाले प्रोटॉन एवं अल्फा बीम का प्रयोग किया जाएगा। एक्सीलेरेटर आधारित भौतिकी में शोध के लिए इन पदार्थों को एक ऑनलाइन स्रोत में आयनीकृत करके, शुद्धता हेतु बड़े पैमाने पर पृथक्करण करके उच्चशक्ति ऊर्जाओं के लिए एक्सीलेरेट किया जाएगा। इस परियोजना की अभी तक

प्राप्त बड़ी सफलता हैवी आयन आरएफक्यू (रेडियो फ्रीक्वेंसी क्वाड्रुपोल) एक्सीलेरेटर का विकास करना है। भारत में यह अपने किस्म की पहली है तथा विश्व में कुछ ही देशों के पास यह सुविधा है। एक ऑनलाइन ईसीआर आयन स्रोत तथा ऑनलाइन आइसोटोप सेपरेटर का विकास किया गया है जो सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। हाईचार्ज उच्च आवेश अवस्था आयनों, हीलियम जेट कपल्ड द्विचरणी स्किमर प्रणाली के उत्पादन हेतु थिक टारगेट, टू-आयन स्रोत के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास संबंधी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, लो एनर्जी हेवी आयनों के एक्सीलेशन के लिए विशेष प्रकार की लिनैक कैविटी के निर्माण का कार्य काफी तेजी पर है। इस सुविधा से फरवरी 2008 में कुछ रेडियो आयन बीम प्राप्त होने की संभावना है।

सिंक्रोट्रॉन और उसके उपयोग

अस्सी के दशक के उत्तरार्द्ध में भारत में सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नॉलोजी (सीएटी) की स्थापना के साथ एक्सीलेरेटर से संबंधित शोध और विकास को उस समय बढ़ावा मिला जब इस केंद्र ने दो सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन स्रोत (एसआरएस) तैयार करने का कार्य अपने हाथ में लिया। शुरू के वर्षों में एक 20 एमईवी माइक्रोट्रॉन तथा एक बूस्टर (450-700 एमईवी) सिंक्रोट्रॉन की स्थापना की गई। तत्पश्चात एक 450 एमईवी एसआरएस प्रथम रिंग इंडस-I की स्थापना वर्ष 1998 में एक राष्ट्रीय शोध सुविधा के रूप में की गई। पहली बार अप्रैल 1999 में इंडस-I में करेंट का भंडारण किया गया। तब से यह एसआरएस लगातार चालू है।

नब्बे के दशक के उत्तरार्द्ध में 2.5 जीईवी एसआरएस इंडस-II के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ और रिंग की एसेंबली 2005 में पूरी की गई। इस रिंग को चालू करने तथा बीम के भंडारण का कार्य 2005 के अंत में प्रारंभ किया गया। मार्च 2006 तक इंडस-II में 550 एमईवी करेंट प्रवाह की दर से 38 मिली एम्पीयरस (एमए) का भंडारण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इस बीम उर्जा को बढ़ा कर 2.4 जीईवी तक किया जा चुका है। विश्व में लगभग एक दर्जन देशों के पास ही इंडस-II जैसे जटिल एक्सीलेरेटर्स को डिजाइन करके बनाने की क्षमता है।

एफओटीआईए

नाभिकीय, आणविक तथा पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक एवं व्यवहारिक अनुसंधान के उपयोग हेतु हल्की तथा भारी आयन बीम उपलब्ध कराने के लिए बार्क ने अप्रैल 2000 में ट्रांजे में एक फोल्डेड आयन एक्सीलेरेटर (एफओटीआईए) चालू किया है। इस एक्सीलेरेटर का प्रयोग विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यों हेतु किया जा रहा है।

पैलेट्रॉन

मुंबई में पिछले एक दशक से अधिक समय से चल रही बार्क-टीआईएफआर पैलेट्रॉन एक्सीलेरेटर सुविधा ने नाभिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डाला है। पैलेट्रॉन की बीम ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एक सुपर कंडक्टिंग लाइन एक्सीलेरेटर (लाइनैक) की स्थापना की जा रही है। लाइनैक का प्रथम चरण अब चालू हो गया है।

अन्य एक्सेलेरेटर्स

हाल ही में आईजीसीएआर ने कलपक्कम में अधिक करेंट तथा भारी आयन क्षमता वाला 1.7 मिलियन

वोल्ट टैंडेट्रॉन एक्सीलेरेटर सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। 30 एमए, 10 एमईवी प्रोटोन लाहनैक का डिजाइन बार्क द्वारा बनाया जा रहा है।

संलयन तथा अन्य प्लाज्मा प्रौद्योगिकियां

प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान (आईपीआर) अहमदाबाद उच्च ताप चुम्बकीय आबद्ध प्लाज्मा पर अध्ययन के लिए आदित्य टोकामाक का संचालन करता है। इन अध्ययनों का टोकामाकों की सतह पर कण परिवहन की प्रकृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ है।

भौतिकी तथा प्रौद्योगिकी की उन्नत टोकामाक संरचनाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए इलॉनोटेड डाइवर्टर प्लाज्मा एवं 1000 सेकेंड संचालन क्षमता युक्त विश्व के प्रथम सुपर कंडक्टिंग स्टीडी स्टेट टोकामाक एसएसटी-1 की स्थापना आईपीआर में की जा रही है। पूर्ण रूप से एक इकाई के रूप में जोड़ने से पहले एसएसटी-1 की अधिकतर उपप्रणालियों का निर्माण, संशोधन एवं अलग-अलग परीक्षण किया जा चुका है। मौलिक मशीन को अपने आप में ही पूर्णतः संयोजित किया जा चुका है और अब इसे चालू करने की प्रक्रिया से गुजारा जा रहा है।

इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (आईटीईआर) की केंद्रीय समिति तथा सदस्य देशों के विशेषज्ञों ने आईटीईआर परियोजनाओं में पूर्ण सदस्य के रूप में भारत की तकनीकी क्षमता एवं तैयारियों का आकलन किया। जेजू, दक्षिण कोरिया में 6 दिसंबर, 2005 को वार्ताकारों की बैठक के दौरान भारत को सफलतापूर्वक आईटीईआर में शामिल किया गया। साथ ही भारत को एक स्वीकृत पैकेज का आबंटन किया गया है। इसके अंतर्गत भारत का भारी उद्योग आईटीईआर के बड़े क्रायोस्टेट का निर्माण तथा संचालन, प्रशीतन प्रणाली के लिए उपकरण, क्रायोलीन तथा क्रायो वितरण प्रणाली के लिए उपकरण, वैक्यूम वैसेल शील्ड इत्यादि बना सकेगा। भारतीय पैकेज में आयन साइक्लोट्रॉन हीटिंग तथा करेंट ड्राइव, इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन सिस्टम स्टार्ट अप प्रणाली, डाइग्नोस्टिक नेचुरल बीम तथा कुछ नैदानिक प्रणालियों के लिए उपकरण भी शामिल हैं। गर्व की बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संलयन समुदाय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संलयन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की विशेषज्ञता को मान्यता दी है और भारत को सदस्य मानकर उसमें विश्वास जाहिर किया है तथा शीघ्र ही उसे एक वांछित पैकेज दिया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय तापनाभिकीय प्रायोगिक संयंत्र (आईटीईआर)

संलयन की प्रक्रिया सूर्य और तारों की उर्जा का स्रोत है। इसमें दो हल्के नाभिक (उदाहरण-ड्यूटीरियम और ट्रीटियम) मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और इसमें बड़ी मात्रा में उर्जा निकलती है। पिछले 50 साल से वैज्ञानिक संलयन तकनीक के विकास में जुटे हुए हैं ताकि धरती पर भी वैसी उर्जा बनाई जा सके। बड़े पैमाने पर ऊर्जा स्रोत के रूप में संलयन की कई अच्छाइयां हैं। इसके आधारभूत ईंधन असीमित मात्रा में हर जगह उपलब्ध हैं और यह तकनीक पर्यावरण के अनुकूल है।

इस तकनीक की जटिलता को देखते हुए जापान, यूरोपीय संघ तत्कालीन सोवियत संघ और अमरीका ने मिलकर 1985 में अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक संयंत्र परियोजना शुरू की थी ताकि संलयन उर्जा पैदा की जा सके। इस प्रयास में चीन और दक्षिण कोरिया भी शामिल हो गए।

अस्सी के दशक के प्रारंभ से ही भारत में संलयन अनुसंधान कार्यक्रम चल रहा है। अहमदाबाद के पास प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान में दो टोकामाक देसी तकनीक से विकसित किए गए हैं जबकि साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान कोलकाता में जापान की तोशिबा कंपनी से एक छोटा टोकामाक आयातित किया गया है।

यूरोपीय संघ ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय तापनाभिकीय प्रायोगिक संयंत्र कार्यक्रम दल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया और अक्टूबर 2004 में प्रारंभिक चर्चा के लिए यूरोपीय संघ के एक दल ने भारत का दौरा किया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई और देश में सहमति बनी। आखिर 5 दिसंबर, 2005 को जेजू, द.कोरिया में हुई एक बैठक में भारत को भी आईटीईआर की चर्चाओं में शामिल कर लिया गया।

आईटीईआर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से चल रही अनुसंधान परियोजना है जिसमें भौतिक संलयन की प्रक्रिया को धरती पर दोबारा उत्पन्न किया जाएगा। आईटीईआर का लैटिन भाषा में शाब्दिक अर्थ है 'तरीका'।

भारत इस प्रयोग में 50 करोड़ अमरीकी डॉलर कीमत के उपकरण देगा और बाद के प्रयोगों और प्रचालन में भी हिस्सा लेगा। आईटीईआर में भारत का योगदान ज्यादातर भारतीय उद्योग में उपलब्ध घरेलू अनुभवों और विशेषज्ञता पर आधारित है। भारत 28 मीटर व्यास और 26 मीटर ऊंचाई वाले स्टेनलेस स्टील के क्रायोस्टैट को गढ़ने का काम करेगा जो आईटीईआर के बाहरी निर्वात आवरण को बनाता है। निर्वात पात्र कवच जो दो फीसदी बोरॉन इस्पात से बनाता है और दो दीवारों के बीच में लगाया जाता है, भी भारत द्वारा ही बनाया और गढ़ा गया है। भारत 2.5 मेगावॉट के आठ आयन साइक्लोट्रॉन तापक स्रोतों की संरचना और गढ़ाई का काम भी करेगा जिसमें उर्जा प्रणालियां और नियंत्रण व्यवस्था भी होंगी। भारत नैदानिक उदासीन विकीर्ण प्रणाली को भी गढ़ेगा जो परियोजना में जलने वाले प्लाज्मा की भौतिकी के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं देगा। भारत कई अन्य नैदानिक उपप्रणालियों के लिए भी जिम्मेदार होगा। भारत क्रायो-वितरण और पानी को ठंडा करने की उपप्रणालियों में अपना योगदान करेगा। ये सभी उपकरण आईटीईआर के गुणवत्ता मानकों के अनुरूप और फ्रांस के कादाराशे स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय दल द्वारा निर्धारित समय लगभग 10 वर्ष में बनाने होंगे।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

परमाणु ऊर्जा विभाग के शोध केंद्रों में हुए अनुसंधान से जुड़ी कई परियोजनाओं को व्यावसायिक उत्पादन हेतु उद्योग जगत को हस्तांतरित कर दिया गया है। उद्योगों के लाभ हेतु ये केंद्र विभिन्न प्रकार की तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। बार्क से हाल में ही उद्योगों को सौंपी गई प्रौद्योगिकी में ऑन लाइन जल शोधक, इलेक्ट्रोलाइजिंग ऑफ रीएक्टर चैनल सीलिंग प्लग जॉ, परिष्कृत लास्कन डायो गेज, मेडीकल एनालाइजर और डिजिटल मेडीकल इमेजिंग सिस्टम आदि शामिल हैं। जैव विखंडनीय अपशिष्ट पर आधारित बायोगैस संयंत्र निसर्ग-रूपा की प्रौद्योगिकी 30 आवेदकों को सौंपी गई है। तेल की 12 इंच पाइपलाइन की जांच के लिए अंशांकित इंस्ट्रुमेंटेड पाइप निरीक्षण गेज अब वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध है।

बार्क ने व्यावसायिक उत्पादन के लिए स्वदेश में विकसित कोबाल्ट-60 टेलीथरेपी इकाई भी निजी उद्योगों को हस्तांतरित कर दी है। परमाणु ऊर्जा विभाग के शोध केंद्रों द्वारा उद्योगों को दी जाने वाली तकनीकी सेवाएं गैर-विध्वंसक परीक्षण, तनाव मापन, ध्वनि टोपोग्राफी, पदार्थ प्रकार निर्धारण तथा अन्य क्षेत्रों से सम्बद्ध हैं। विभिन्न उपयोगों के लिए परिष्कृत एवं उन्नत उपकरणों के विकास हेतु बार्क द्वारा परंपरागत निर्माण एवं मशीनीकरण, विशिष्ट डिजाइन एवं विकास विशेषज्ञता तथा एकीकृत मशीनीकरण सुविधाओं की पूर्ण शृंखला उपलब्ध कराई जाती है। यह केंद्र पैक किए हुए पानी के नमूनों तथा औषधि निर्माता कंपनियों के नमूनों में रेडियो सक्रिय तत्वों की मात्रा के निर्धारण हेतु विशेषज्ञात्मक सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है।

मानव संसाधन विकास

चुनिंदा वैज्ञानिकों और अभियंताओं को विभाग के विभिन्न संस्थानों और परियोजनाओं में जिम्मेदार पदों पर नियुक्ति के लिए तैयार करने हेतु बार्क ने 1957 में ट्रॉम्बे में एक प्रशिक्षण स्कूल की शुरुआत की। तब से यहां से 7 हजार से ज्यादा युवकों और युवतियों ने विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता हासिल की है। वे नाभकीय कार्यक्रम के विभिन्न हिस्सों में अपना योगदान कर रहे हैं।

स्कूल में हर साल 100 अभियांत्रिकी स्नातक और विज्ञान स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की भर्ती होती है जो मुख्यतः भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, विकिरण जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी रासायनिक, यांत्रिकी, वैद्युत, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और धातुकर्म विषयों के होते हैं। वे एक वर्ष का समेकित पाठ्यक्रम पढ़ते हैं जिसमें उन्हें विभाग के विविध विषयों से परिचित कराया जाता है। इसके अलावा विभाग की स्नातक शिक्षावृत्ति योजना के जरिए भी छात्रों की भर्ती की जाती है जिसमें छह शीर्ष भारतीय तकनीकी संस्थानों (आईआईटी) का सहयोग रहता है। विभाग इन संस्थानों के 40 स्नातकों को स्नाकोत्तर (एम टेक) के लिए प्रायोजित करता है जो पढ़ाई खत्म करके विभाग को अपनी सेवाएं देते हैं। प्रशिक्षण स्कूल में इन्हें चार माह का प्रवेश पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाता है।

इस स्कूल का प्रयास ऐसे व्यक्तियों का निर्माण है जिन्हें परमाणु उर्जा के क्षेत्र में काम करने के लिए जरूरी विविध विज्ञान और तकनीकी विषयों का ज्ञान हो।

बार्क के विभिन्न प्रभागों द्वारा चलाए जा रहे कुछ अन्य पाठ्यक्रम हैं—

- विकिरण औषधि विज्ञान
- आयुर्विज्ञान विकिरण समस्थानिक तकनीकें
- स्वास्थ्य भौतिकी
- विकिरण भौतिकी
- विकिरण से सुरक्षा और विकिरण स्रोतों की सुरक्षा
- विकिरण समस्थानिकों और एक्स-किरणों के औद्योगिक उपयोग में विकिरण सुरक्षा
- विकिरण चित्रण परीक्षण तकनीकें
- विकिरण-सक्रिय अपशिष्ट प्रबंधन
- अपशिष्ट निष्पादन का सुरक्षा आकलन
- विकिरणी-रोगप्रतिरोधन मापक (रेडियो इम्यूनोएसे) और उसके नैदानिक उपयोग
- रासायनिक विश्लेषण और एनडीटी तकनीकें
- अनुसंधान रिपेक्टरों का निरीक्षण और प्रचालन/अनुरक्षण
- ऊष्णकटिबंधीय फसल पौधों का उत्परिवर्तन प्रजनन
- अवशिष्ट कीटनाशक विश्लेषण

विभाग की बढ़ती मांग को देखते हुए बार्क प्रशिक्षण स्कूल विभिन्न विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए दूसरे संस्थानों से सहयोग ले रहा है। वह सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इंदौर, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स-हेवी वाटर बोर्ड (एनएफसी-एचडब्ल्यूबी) हैदराबाद और न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के प्रशिक्षण स्कूलों से संबद्ध है जो तारापुर, रावतभाटा, कैगा और

कलपक्कम में हैं। ये सभी प्रशिक्षण स्कूल वैज्ञानिकों और अभियंताओं को इन विशेष कार्यों के लिए तैयार करते हैं—

- सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी (कैट) इंदौर का प्रशिक्षण स्कूल लेजर एक्सेलेरेटर, क्रायोजेनिक्स, सुपरकंडक्टर, पदार्थ विज्ञान, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और माइक्रोवेव के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करता है।
- एनपीसीआईएल प्रशिक्षण स्कूल नाभिकीय उर्जा संयंत्रों के प्रचालन और अनुरक्षण से संबंधित कार्य करता है।

बौद्धिक संपदा संरक्षण

परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में शोध एवं विकास की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए विभाग का एक बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) एकक कार्यरत है जो भारत एवं विदेश में पेटेंट दाखिल करने संबंधी सभी मामलों के लिए नोडल संस्था के रूप में काम करता है। अभी तक विभाग द्वारा 168 पेटेंट आवेदन किए गए हैं जिनमें से 89 को पेटेंट जारी किए गए हैं और 59 के लिए प्रक्रिया चल रही है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) की स्थापना के समय से ही इसके प्रशासकीय निकाय का नामित सदस्य है। एजेंसी के नीति प्रबंधन एवं कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने के अलावा भारत आईएईए तथा ऐसे सभी देशों जिनके साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए द्विपक्षीय समझौते किए गए हैं, के माध्यम से विदेशी वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण सुविधाएं, फेलोशिप एवं वैज्ञानिक यात्रा सुविधा इत्यादि उपलब्ध कराता है और अन्य देशों में विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अपने वैज्ञानिकों की सेवाएं उपलब्ध कराता है।

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम

विकासशील अर्थव्यवस्था और उससे जुड़ी समस्याओं से घिरे होने के बावजूद भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से विकसित किया है और उसे अपने तीव्र विकास के लिए इस्तेमाल भी किया है तथा आज विश्व के अन्य देशों को विभिन्न अंतरिक्ष सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत भारत में मुख्यतः साउंडिंग रॉकेटों की मदद से हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की स्थापना 1969 में की गई। भारत सरकार द्वारा 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग के गठन से अंतरिक्ष शोध गतिविधियों को अतिरिक्त गति प्राप्त हुई। इसरो को उसी वर्ष अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में 70 का दशक प्रयोगात्मक युग था जिस दौरान आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी तथा एप्पल जैसे प्रयोगात्मक उपग्रह कार्यक्रम चलाए गए। इन कार्यक्रमों की सफलता के बाद 80 का दशक संचालनात्मक युग बना जबकि इन्सेट तथा आई.आर.एस. जैसे उपग्रह कार्यक्रम शुरू हुए। आज इन्सेट तथा आई.आर.एस. इसरो के प्रमुख कार्यक्रम हैं।

अंतरिक्ष यान के स्वदेश में ही प्रक्षेपण के लिए भारत का मजबूत प्रक्षेपण यान कार्यक्रम है। यह अब इतना परिपक्व हो गया है कि प्रक्षेपण की सेवाएं अन्य देशों को भी उपलब्ध कराता है। इसरो की व्यावसायिक शाखा एंटीक्स, भारतीय अंतरिक्ष सेवाओं का विपणन विश्व भर में करती है। भारतीय

अंतरिक्ष कार्यक्रम की खास विशेषता अंतरिक्ष में जाने वाले अन्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विकासशील देशों के साथ प्रभावी सहयोग है।

वर्ष 2005-06 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे प्रमुख उपलब्धि पीएसएलवीसी 6 का सफल प्रक्षेपण रही है। 5 मई, 2005 को पोलर उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी-एफ सी 6) की नौवीं उड़ान ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) से सफलतापूर्वक दो उपग्रहों-1560 कि.ग्रा. के कार्टोस्टार-1 तथा 42 कि.ग्रा. के हेमसेट को पूर्व-निर्धारित पोलर सन सिन्क्रोनस आर्बिट (एसएसओ) में पहुंचाया। लगातार सातवीं प्रक्षेपण सफलता के बाद पीएसएलवी-सी 6 की सफलता ने पीएसएलवी की विश्वसनीयता को आगे बढ़ाया तथा 600 कि.मी. ऊंचे पोलर एसएसओ में 1600 कि.ग्रा. भार तक के नीतभार को रखने की क्षमता को दर्शाया है।

22 दिसंबर 2005 को इन्सेट-4ए का सफल प्रक्षेपण, जोकि भारत द्वारा अब तक बनाए गए सभी उपग्रहों में सबसे भारी तथा शक्तिशाली है, वर्ष 2005-06 की अन्य बड़ी उपलब्धि थी। इन्सेट-चार ए डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) टेलीविजन प्रसारण सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है।

इसके अतिरिक्त, नौ ग्रामीण संसाधन केंद्रों (वीआरसीज) के दूसरे समूह की स्थापना करना अंतरिक्ष विभाग की वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण मौजूदा पहल है। वीआरसी की धारणा ग्रामीण समुदायों की बदलती तथा महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष व्यवस्थाओं तथा अन्य आईटी औजारों से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करने के लिए संचार साधनों तथा भूमि अवलोकन उपग्रहों की क्षमताओं को संघटित करती है।

भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली

एशिया-प्रशांत इलाके में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सेट) प्रणाली सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। 1980 के दशक में इसने भारत के संचार क्षेत्र में बड़ी क्रांति की शुरुआत की जिसे बाद में जारी रखा गया। इन्सेट प्रणाली के जिन उपग्रहों से अभी काम लिया जा रहा है, वे हैं—इन्सेट-2ई, इन्सेट-3ए, इन्सेट-3बी, इन्सेट-3सी, इन्सेट-3ई, कल्पना-1 तथा जी सेट-2, एडुसेट तथा इंसेट 4ए। यह प्रणाली सी-बैंड, वृहद सी-बैंड और कू-बैंड में कुल मिलाकर 175 ट्रांसपोंडर्स उपलब्ध कराती है। बहुदेशीय उपग्रह प्रणाली होने के कारण यह दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण, मौसम पूर्वानुमान, आपदा चेतावनी और बचाव क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध कराती है।

इन्सेट प्रणाली भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण दूरसंचार क्षेत्र है जो इन्सेट मोबाइल उपग्रह सेवा के साथ-साथ वी-सेट सेवाएं भी देता है। आज लगभग 25,000 से भी ज्यादा अत्यधिक लघु एपर्चर टर्मिनल (वी-सेट) काम कर रहे हैं।

इसी प्रकार टेलीविजन प्रसारण और पुनर्वितरण को इन्सेट से काफी लाभ हुआ है। इन्सेट के कारण भारत में 1400 से भी ज्यादा स्थलीय पुनर्प्रसारण ट्रांसमीटरों से 90 करोड़ के करीब लोगों तक टी.वी. की पहुंच हो पाई। इसके अतिरिक्त इन्सेट के कारण ही प्रशिक्षण और विकासात्मक शिक्षा के लिए विशेष चैनल उपलब्ध करा पाना संभव हो पाया। साथ ही दूर-दराज क्षेत्र के लोगों व ग्रामीण लोगों को टेलि-मेडिसीन नेटवर्क के जरिए विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा पाना संभव हो गया है। इस नेटवर्क के अंतर्गत 152 अस्पताल आते हैं जिनमें से 120 अस्पताल सुदूर ग्रामीण इलाकों में हैं और 32 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रमुख नगरों में हैं। भारत का पहला विषय-आधारित उपग्रह एडुसेट, जो विशेष रूप से शिक्षण सेवाओं के लिए है, के प्रक्षेपण से इन्सेट प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली शिक्षण सेवाओं को और बढ़ावा मिला है।

इन्सेट प्रणाली अपने कुछ अंतरिक्ष यानों में स्थापित वेरी हाई रेजोल्यूशन रेडियोमीटरों तथा सीसीडी कैमरों के माध्यम से मौसम संबंधी सेवाएं भी मुहैया कराती है इसे मौसम संबंधी चित्रों तथा आपदा-चेतावनी रिसीवरों के माध्यम से आने वाले तूफानों की चेतावनी देने के लिए उपयोग किया जाता है। इस उद्देश्य हेतु भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तटों पर 350 रिसीवर लगाए गए हैं।

भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रणाली

भारत द्वारा सर्वाधिक संख्या में सुदूर संवेदी उपग्रह छोड़े गए हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किए जा रहे हैं। इन उपग्रहों से मिलने वाले आंकड़े 360 मीटर से लेकर 2.5 मीटर की शृंखला में आते हैं। इसके अलावा आई आर एस के अंतरिक्ष यानों पर लगे अत्याधुनिक कैमरे विभिन्न स्पेक्ट्रल बैंडों में पृथ्वी के चित्र लेते रहते हैं। भविष्य में इसरो द्वारा ऐसे अंतरिक्ष यान छोड़े जाएंगे जिनसे बेहतर रिजोल्यूशन के दिन और रात दोनों समय के चित्र प्राप्त होंगे। आईआरएस प्रणाली के निम्नलिखित उपग्रह—आईआरएस-1C, आईआरएस-1डी, आईआरएस-पी 3, ओसीईएन सेट-1, तकनीकी परीक्षण उपग्रह (टीईएस) तथा रिसोर्ससेट-1 तथा अभी हाल ही में छोड़ा गया कार्टोसेट-1 जो स्टीरियो तस्वीरें लेने में सक्षम है, वर्तमान में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आने वाले सुदूरसंवेदी उपग्रह हैं—कार्टोसेट-2, आरआई सेट (राडार इमेजिंग सेटेलाइट) तथा ओसीयन सेट-2।

आइआरएस उपग्रहों द्वारा प्रेषित चित्रों का भारत में कृषि उपज क्षेत्र तथा उनसे प्राप्त पैदावार के लिए कई तरह से उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन चित्रों का उपयोग जल के श्रेष्ठतम उपयोग हेतु भूजल एवं सतह पर उपलब्ध जल के संचयन एवं तालाबों तथा सिंचाई कमान क्षेत्रों की निगरानी हेतु भी किया जाता है। वन सर्वेक्षण, बंजर भूमि पहचान तथा उसे पुनः उपज योग्य बनाने का कार्य भी इन चित्रों के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त आइआरएस चित्रों का उपयोग खनिजों के अन्वेषण एवं संभावित मत्स्य क्षेत्रों की भविष्यवाणी हेतु भी किया जाता है।

आयोजना और प्रबंधन में प्रयोगों के संदर्भ में आईआरएस से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग शहरी आयोजना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पहचान और इसके प्रभाव को कम करने के उपाय सुझाने के लिए किया जा रहा है। इस अनुभव के आधार पर स्थायी विकास के लिए समन्वित मिशन की धारणा विकसित की गई है जिसमें अंतरिक्षयान से प्राप्त चित्रों और आंकड़ों को परंपरागत स्रोतों से मिलने वाले सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों के साथ समन्वित किया जाता है ताकि स्थायी विकास प्राप्त किया जा सके।

प्रक्षेपण यान

1980 में पहले स्वदेशी प्रक्षेपण यान एसएलवी-3 के सफल परीक्षण के पश्चात् इसरो ने अगली पीढ़ी के संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान (एएसएलवी) का निर्माण किया। अक्टूबर 1994 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा आई.आर.एस.-पी 2 यान को छोड़े जाने के साथ हमारे प्रक्षेपण यान कार्यक्रम ने बड़ी छलांग लगाई। 18 अप्रैल, 2001 को भारत ने सफलतापूर्वक भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान छोड़ा। अग्रवर्ती प्रक्षेपण यान वाहनों के लिए तकनीकी विकास ने एयर ब्रीदिंग इंजिन द्वारा नियोजित सुपर सोनिक कम्बेशन रामजेट (स्कार्मजेट)की वर्ष के दौरान हासिल सफलता के साथ अच्छी प्रगति दिखाई है। यह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण घटक है। पुनः प्रयोग्य प्रक्षेपण यान के लिए अवधारणाओं का अध्ययन किया जा रहा है।

ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी)

चार चरणों वाला पीएसएलवी 1,600 कि.ग्रा तक के उपग्रहों को 620 कि.मी. ऊंची ध्रुवीय कक्षा में छोड़ सकता है। यह 100 कि.ग्रा. के माइक्रो-उपग्रहों या लघु उपग्रहों को विभिन्न गठजोड़ों के रूप में छोड़ने की क्षमता रखता है। यह एक टन के नीतभार को भू-तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा में भी प्रक्षेपित कर सकता है। अब तक इसके नौ मिशन चलाए गए जिनमें से आठ लगातार सफल रहे हैं। पीएसएलवी (पीएसएलवी-सी6) का नवीनतम प्रक्षेपण 5 मई, 2005 को था जिस दौरान यान ने 1560 कि.ग्रा. कार्टोसेट-1 तथा 42 कि.ग्रा. के हमसेट को 620 कि.मी. ऊंचे ध्रुवीय एसएसओ में ठीक-ठाक छोड़ दिया।

भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (जीएसएलवी)

जीएसएलवी अपनी पहली परीक्षण उड़ान में ही सफल रहा। 8 मई, 2003 को इसकी सफल उड़ान के बाद इसने काम करना शुरू कर दिया है। इसके बाद 20 सितंबर, 2004 को इसकी तीसरी उड़ान भी सफल रही। जीएसएलवी 2,000 कि.ग्रा. श्रेणी के उपग्रहों को भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा में छोड़ सकता है। जीएसएलवी के तीसरे चरण में इस्तेमाल होने वाले स्वदेश में ही बने क्रायोजेनिक तकनीक का आगे सफल परीक्षण किया गया और वास्तविक उड़ान हालातों में इसकी सहनशक्ति सिद्ध हो गई। जीएसएलवी-मैक-3 नामक एक नए प्रकार के जीएसएलवी का विकास किया जा रहा है जिससे 4 टन तक वजन वाले अंतरिक्ष यानों को कक्षा में भेजा जा सकेगा।

प्रक्षेपण की बुनियादी सुविधाएं

भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र—‘शार’ में प्रक्षेपण की व्यापक सुविधाएं उपलब्ध हैं। श्रीहरिकोटा चेन्नई से 100 कि.मी की दूरी पर स्थित है। श्रीहरिकोटा 13° उत्तरीय अक्षांश पर स्थित है। यहां से 18° से लेकर 99° तक की विभिन्न कक्षाओं में उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जा सकता है। उपग्रह के हिस्सों को इकट्ठा करने, उनमें ईंधन भरने और प्रक्षेपण की पूरी सुविधाएं यहां मौजूद हैं। श्रीहरिकोटा में उपग्रहों के मार्ग पर निगाह रखने और उसकी गतिविधियों को मॉनीटर करने के लिए टेलीमीट्री, ट्रेकिंग और कमांड नेटवर्क भी हैं। मौजूदा प्रक्षेपण स्थल के अपर्याप्त रहने के कारण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, शार में दूसरा नया प्रक्षेपण स्थल भी पूरा किया जा चुका है ताकि इससे जीएसएलवी-एमके III तथा अन्य भावी प्रक्षेपण यानों की जरूरतें पूरी की जा सकें। इसे 5 मई, 2005 को पीएसएलवी-सी6 के सफल प्रक्षेपण के साथ चालू किया गया।

अंतरिक्ष विज्ञान

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम गतिशील है जिसमें खगोलशास्त्र, खगोल भौतिकी, नक्षत्र तथा अंतरिक्ष विज्ञान, भू विज्ञान और सैद्धांतिक भौतिकी शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भू-सुविधायें जैसे खगोलीय वेधशालाएं, विशाल मीटर तरंग टेलिस्कोप, समतापमंडल और क्षोभमंडल रडार सुविधा आदि बना लिए गए हैं। गुब्बारों, साउंडिंग रॉकेटों तथा उपग्रह मंचों का इस्तेमाल वैज्ञानिक यंत्रों को उड़ाने में किया जाता है। भारत ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अभियानों, जैसे मोनेक्स, इंडोएक्स, जीबीपी आदि में हिस्सा लिया है। एस्ट्रोसेट, एक बहु स्पेक्ट्रम उच्च शक्ति वाले अंतरिक्ष प्रेक्षण उपग्रह को 2008-09 में छोड़ा जाना है। चंद्रयान-1 भारत का चांद पर पहला वैज्ञानिक मिशन, ऐसा अंतरिक्ष यान है जिसमें चंद्रमा की सतह से 100 कि.मी. की दूरी से रासायनिक, खनिज एवं फोटोभूगर्भिक मानचित्रण की सुविधाओं का प्रावधान है। इस अंतरिक्ष यान में यूके, जर्मनी, स्वीडन, बुलगारिया तथा अमरीका में बने 11 वैज्ञानिक यंत्र हैं। चंद्रमा के अन्वेषण के लिए मानवरहित अंतरिक्ष यान—चंद्रयान-1 22 अक्टूबर को श्रीहरिकोटा,

तमिलनाडु से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। बाद में 'मून इंपैक्ट प्रोव' अंतरिक्ष यान से अलग होकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 386 करोड़ रुपये है। इस अंतरिक्ष अभियान का उद्देश्य चंद्रमा की रासायनिक विशेषताओं का तथा त्रिआयामी स्थलाकृतिक मानचित्र बनाना है। इसमें इसरो के पांच और नासा, ईएसए और बुल्गारियाई अंतरिक्ष एजेंसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थानों के छह पेलोड निशुल्क लादे गए हैं।

अंतरिक्ष-उद्योग सहयोग

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण विशेषता शुरू से ही रही है—भारतीय उद्योगों के साथ सहयोग का नजरिया। अंतरिक्ष विभाग ने लघु, मध्यम तथा बड़े स्तर के 500 से भी ज्यादा उद्योगों से संबंध स्थापित किए हैं। सामान की खरीददारी, जानकारी के आदान-प्रदान अथवा तकनीकी परामर्श के जरिए ये संबंध बने हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंध रखने के कारण अंतरिक्ष उद्योग में अब उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने या जटिल निर्माण कार्यों को करने की सामर्थ्य आ गई है।

शैक्षिक तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं से संबंध

अंतरिक्ष कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए इसरो देश भर में शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थानों के साथ संबंध बनाने का एक सक्रिय कार्यक्रम चलाता है। इस दिशा में अंतरिक्ष विभाग का प्रायोजित अनुसंधान कार्यक्रम (रिसर्पोड) डोस एक अहम अंग है। रिसर्पोड के अंतर्गत डोस विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और आई.आई.टी. तथा अन्य शोध संस्थानों में अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधियों को अंतरिक्ष विभाग द्वारा सहयोग करता है। वर्ष 2005-06 में 13 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की गईं तथा विश्वविद्यालयों, कालेजों एवं अनुसंधान संस्थानों सहित 42 शिक्षण संस्थानों में 62 नई परियोजनाएं शुरू की गईं। शोध परियोजनाओं के साथ-साथ अंतरिक्ष विभाग ने डोस द्वारा समर्थित 73 संगोष्ठियों, सम्मेलनों और उन्नयन गतिविधियों की, इसने इसरो के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मदद के साथ ही प्रतिष्ठित संस्थानों में इसरो-संस्थागत चेयरों की भी मदद की।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अपनी शुरुआत से ही इसरो का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में अच्छा रिकार्ड है। इसने 26 देशों/अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा केंद्र (सी.एस.एस.टी.ई.-एपी) भारत में स्थापित किया गया है और इसने अब तक एशिया-प्रशांत के 400 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया है। वर्ष के दौरान सीएसएसटीई-एपी ने 10 वर्ष पूरे किए। इसके अतिरिक्त इसरो अपने अंतरिक्ष में अनुभव बांटने के कार्यक्रम के अंतर्गत विकासशील देशों के लोगों को अंतरिक्ष उपयोग के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है।

इसरो ने अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के वैज्ञानिक नीतभार को भी प्रक्षेपित किया है जैसे जर्मनी की डी एल आर के माइयूलर ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर को आई.आर.एस.-पी 3 अंतरिक्षयान से प्रक्षेपित किया गया और इसके आंकड़े डी एल आर, भारत और अमरीका के वैज्ञानिक आपस में बांटते हैं। इसका नासा/एन.ओ.ए.ए. के साथ इन्सेट उपग्रह से प्राप्त मौसम संबंधी आंकड़ों को हासिल करने का सहयोग समझौता है।

मेघा-ट्रापिक्स वायुमंडल के अध्ययन के लिए इसरो और फ्रेंच अंतरिक्ष एजेंसी सी.एन.ई.एस. के बीच संयुक्त उपग्रह मिशन है। उपग्रह का विकास और प्रक्षेपण इसरो द्वारा किया जाएगा तथा इसरो

सी.एन.ई.एस. दो नीत भारों का विकास करेगा और तीसरे नीत भार का विकास संयुक्त रूप से किया जाएगा। साथ ही, अमरीका, जर्मनी, स्वीडन, यूके तथा बुल्गारिया में विकसित वैज्ञानिक यंत्र भारत के चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान से ही छोड़े जाएंगे। इसके अलावा, इटली का एक वैज्ञानिक यंत्र भारत के ओशियन-सेट-2 उपग्रह में शामिल किया जाएगा। इस्राइल और कनाडा में संयुक्त रूप से विकसित खगोलीय अवलोकन के यंत्र क्रमशः भारत के जी सेट-4 तथा रीसेट से छोड़े जाएंगे तथा सौर भौतिकी एवं सौर-भूमध्यरेखीय विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एक भारतीय वैज्ञानिक यंत्र रूस के कोरोनस फोटोन उपग्रह से उड़ाए जाएंगे।

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कोसपेस/सारसेट कार्यक्रम के लिए 3 स्थानीय प्रयोक्ता टर्मिनल तथा एक मिशन नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किया है जोकि आपदा चेतावनी और स्थिति हालात सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही इन्सेट-3ए अंतरिक्षयान में खोज तथा बचाव ट्रांसपोंडरों को भी शामिल किया गया है।

भारत आपदा प्रबंधन की अंतर्राष्ट्रीय संधि का सदस्य है और इसके लिए दूरसंवेदी आंकड़े उपलब्ध कराता है।

एन्ट्रिक्स

एन्ट्रिक्स इसरो की व्यावसायिक इकाई है जोकि भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं के विपणन के लिए केंद्रीय एजेंसी का काम करती है। अमरीका की स्पेस इमेजिंग के साथ यह आई.आर.एस. आंकड़ों को विश्व भर में सुलभ कराने में अहम भूमिका अदा करती है। एन्ट्रिक्स आई.आर.एस. से प्राप्त आंकड़ों के इस्तेमाल में उपयोगी उपकरण भी मुहैया कराती है।

यह भारत के पी.एस.एल.वी. द्वारा प्रक्षेपण सेवाएं उपलब्ध कराता है। पी.एस.एल.वी. ने दो जर्मन, एक कोरियाई और बेलजियम के एक उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा है। एन्ट्रिक्स के जरिये टेलीमीट्री, ट्रैकिंग और कमांड समर्थन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी प्रकार इनसेट प्रणाली से 11 ट्रांसपोंडर पहले ही लीज पर दिए जा चुके हैं। एन्ट्रिक्स द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले अंतरिक्ष यानों के हिस्से पुर्जों के खरीदारों में दुनिया के जानेमाने अंतरिक्षयान निर्माता शामिल हैं।

संचार बाजार के लिए 2000 कि.ग्रा. तथा 3000 कि.ग्रा. श्रेणी के उपग्रह प्लेटफार्मों के संयुक्त निर्माण के लिए ईएडीसी, एस्ट्रियम, पेरिस के साथ एक समझौता किया गया। इसके अतिरिक्त, एन्ट्रिक्स ने अति-स्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रेक्षण सेवाओं के लिए यूरोप तथा एशिया से अनुबंध हासिल किए। उद्योग के सहयोग से एक निम्न लागत वाले, चुस्त, मापांक तथा ठोस स्वचालित मौसम केंद्र (ए.डब्ल्यू.एस.) के सफल विकास के बाद, प्रौद्योगिकी को उद्योग में नियमित उत्पादन करने का लाइसेंस मिल गया है।

इस प्रकार देश में ही अंतरिक्षयान और प्रक्षेपणयान प्रौद्योगिकियां विकसित करने के साथ-साथ भारत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लाभार्थ विकसित उपग्रह प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में भी सफलता प्राप्त की है। इसके साथ-साथ, भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अंतरिक्ष आधारित जानकारी बांट रहा है तथा विश्व को वाणिज्यिक अंतरिक्ष सेवाएं प्रदान कर रहा है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी-सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा उद्योग

वर्ष 2008-09 में अभूतपूर्व वैश्विक आर्थिक कठिनाई देखने को मिली। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी-सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा उद्योग ने 2008-09 में अनिश्चित वैश्विक स्थिति के बावजूद वृद्धि दर्ज

की है। इस उद्योग द्वारा वित्त-वर्ष 2007-08 के 6.4 अरब अमरीकी डॉलर के मुकाबले वर्ष 2008-09 में अनुमानतः 12 फीसदी अधिक 71.7 अरब अमरीकी डॉलर का सकल राजस्व अर्जित करने का अनुमान है। उद्योग की राजस्व वृद्धि लगातार दो अंको में रही, नए सेवा क्षेत्रों और भौगोलिक विस्तार इस क्षेत्र की उपलब्धियां रहीं।

सूचना-प्रौद्योगिकी आधारित सेवा-बीपीओ सहित भारतीय सॉफ्टवेयर व सेवा निर्यात 2007-08 के 40.4 अरब अमरीकी डॉलर के मुकाबले 2008-09 में 16.3 फीसदी बढ़कर अनुमानतः 47 अरब अमरीकी डॉलर हो गया है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवा निर्यात 2007-08 में 23.1 अरब अमरीकी डॉलर था जो 2008-09 में 16.5 फीसदी बढ़कर अनुमानतः 26.9 अरब अमरीकी डॉलर हो गया है। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा-बीपीओ का निर्यात 2007-08 में 10.9 अरब अमरीकी डॉलर के मुकाबले 17.4 फीसदी बढ़ कर 2008-09 में (वर्ष आधारित) 12.8 अरब डॉलर होने का अनुमान है।

अमरीका और इंग्लैंड सबसे बड़े निर्यात बाजार के रूप में कायम है (2007-08 में क्रमशः 60% और 19% के आस-पास)। उद्योग ने अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में भी अपने लिए जमीन तलाशना सतत जारी रखा है। महाद्वीपीय यूरोप को निर्यात में विशेष रूप से वृद्धि हुई है। 600 से ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना उत्पाद विकास और इंजीनियरी सेवाएं भारत से प्राप्त कर रही हैं। बढ़ती जिम्मेदारी और स्वामित्व के कारण इन भारत-आधारित संसाधनों से भारत को अनुसंधान और विकास का सामाजिक केंद्र के रूप में उभरने में मदद मिल रही है।

एक व्यापार केंद्र के रूप में भारत की विश्वसनीयता उद्योग क्षेत्र ने बढ़ाई है। इसने वैश्विक 24 × 7 सेवा निर्वहन का नया प्रतिमान देकर फोर्चून 500 कंपनियों में 75 फीसदी के साथ संबंध बनाए हैं जिससे उपभोक्ताओं के लिए बचत (2008 में लगभग दो खरब से 25 खरब अमरीकी डॉलर) की है और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया है (65 प्रतिशत संभावना परिपक्वता मॉडल स्तर 5 की कंपनियां भारत में हैं)। इसके अलावा उद्योग ने बड़ी संख्या में प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को प्रश्रय दिया है।

पिछले कुछ वर्षों से बीपीओ सेक्टर मजबूत होता जा रहा है जबकि ज्ञान प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग (केपीओ-नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग) जिसे सर्वोच्च स्तर का बीपीओ कहा जा सकता है, अब भी देश में शैशवावस्था में है। बाजार से केपीओ तक की विकास यात्रा से प्रवृत्तियों में बदलाव आएगा और निर्यात में ऊंचे मूल्य की सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केपीओ में इन अवसरों से भारतीय बाजार को वैश्विक मूल्य और ज्ञान की शृंखला में ऊंचा उठने में मदद मिलेगी।

हालांकि आईटी-बीपीओ क्षेत्र निर्यातोन्मुख है, फिर भी घरेलू बाजार भी महत्वपूर्ण है। घरेलू बाजार आईटी सेवाएं तथा आईटीईएस-बीपीओ से राजस्व की प्राप्ति 2007-08 के 11.7 अरब अमरीकी डॉलर से अनुमानतः 6.8 फीसदी बढ़कर 2008-09 में 12.5 अरब अमरीकी डॉलर हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में घरेलू बाजार में बीपीओ की मांगें काफी बढ़ी हैं।

भारतीय आईटी सॉफ्टवेयर और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि तथा आईटीईएसबीपीओ सेक्टर का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ा है। इसने रोजगार के असीम अवसर पैदा किए हैं और राष्ट्रीय आमदनी बढ़ाई है। इसने अनेक छोटे-छोटे सहायक उद्यमों, जैसे परिवहन, भूसंपत्ति, खान-पान को भी बढ़ावा दिया है और युवा उपभोक्ता का एक बढ़ता वर्ग बना दिया है जिसके पास खर्च करने के लिए धन है। इससे प्रत्यक्ष कर प्राप्ति बढ़ी है और उपभोक्ता के खर्च करने को बढ़ावा मिला है।

देश में कुछ सूचना-प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और सेवाओं में रोजगार (हार्डवेयर क्षेत्र को छोड़कर) जो 2007-08 में 20.1 लाख था, 2008-09 में इसके 10.9 फीसदी बढ़कर 22.3 लाख के आंकड़े को

छूने की संभावना है। इस तरह 2008-09 में इस उद्योग में कुल 226,000 व्यावसायिक कर्मचारियों की बढ़ोतरी हुई है यानी इस क्षेत्र में विकास के कारण करीब 80 लाख रोजगार के अवसर बने हैं।

इस उद्योग ने प्रतिभा के उपयोग का उदाहरण खड़ा किया है। युवाओं के लिए भविष्य के अवसर पैदा किए हैं, उन्हें वैश्विक अनुभव दिया है और सघन प्रशिक्षण और विकास के अवसर दिए हैं। इसके अलावा यह उद्योग कार्यक्षेत्र में बहुलता के मामले में अग्रणी रहा है। 30 फीसदी से ज्यादा कर्मचारी महिलाएं हैं, 60 फीसदी से ज्यादा उद्यमियों ने विकलांगों को भी नौकरी दी है।

देश के सकल देश घेरलू उत्पाद (जीडीपी) में आई.टी.-बीपीओ क्षेत्र का राजस्व का हिस्सा 2007-08 के 5.5 फीसदी से बढ़कर 2008-09 में 5.8 फीसदी होने का अनुमान है।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख पहलें

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी)

सरकार के न्यूनतम साक्षा कार्यक्रम की प्राथमिकताओं के आधार पर प्रशासनिक सुधार एवं जनशिकायत विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने मिलकर एनईजीपी बनाया। इसका उद्देश्य आम आदमी की जरूरत के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ई-गवर्नेंस के बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना को 18 मई, 2006 को सरकार की मंजूरी मिल गई।

योजना को बनाते समय राष्ट्रीय, राज्य व स्थानीय स्तर पर सरकार के विभिन्न अंगों की ई-गवर्नेंस गतिविधियों पर ध्यान देने और पूरे देश में यह कार्यक्रम लागू करने के लिए खुले नजरिए से विचार किया गया। ई-गवर्नेंस योजना में कार्यक्रम लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से आम आदमी के नजरिए को ध्यान में रखा गया है। इस तरह सरकार की लागत में बचत होती है क्योंकि मुख्य और सहयोगी ढांचागत सुविधाएं साझा की जाती हैं। इससे मानक विधियां अपनाई जाती हैं, नतीजतन आम आदमी सरकार की गतिविधियों को साफ-साफ देख पाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में शीर्ष समिति इस कार्यक्रम की निगरानी करती है।

ई-गवर्नेंस योजना में 27 मिशनमोड परियोजनाएं (एमएमपी) हैं जो विचार, डिजाइन, कार्यान्वयन और कार्यान्वयन-पश्चात की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

केंद्रीय एमएमपी (9)	समेकित एमएमपी (7)	राज्य एमएमपी (11)
एमसीए 21	सीएससी	भू-रिकॉर्ड (पूर्वएनईजीपी)
पेंशन	ई-न्यायालय	भू-रिकॉर्ड (एनएलआरएमपी)
आयकर	ईडीआई	सड़क परिवहन
पासपोर्ट और वीसा/	इंडिया पोर्टल	कृषि
आप्रवासन	एनएसडीजी	पुलिस (सीसीटीएनएस)
केंद्रीय आबकारी	ई-बिज्ञ	राजकोष
बैंकिंग*	ई-खरीद	नगर-निगम
एनएनआईसी/यूआईडी		ई-जिला
ई-कार्यालय		व्यावसायिक कर
बीमा*		ग्राम पंचायत
		रोजगार कार्यालय

* ये एमएमपी निजी क्षेत्र की पहलें हैं।

27 राज्यों में 1, 14, 548, सीएससी की स्थापना के लिए पत्र जारी कर दिए गए हैं। इन राज्यों में से 23 में 1, 06, 126 सीएससी के लिए मास्टर सेवा समझौतों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और काम आर्बिट्रित किया जा चुका है। जून, 2009 के अंत तक 21 राज्यों में लगभग 43464 सीएससी शुरू हो चुके हैं। तीन राज्यों (झारखंड, हरियाणा और सिक्किम) में सौ फीसदी सीएससी का काम शुरू हो चुका है। इन केंद्रों से प्राप्त की जा सकने वाली सुविधाएं हैं—जन्म, मृत्यु आदि के प्रमाणपत्र जारी करना, सूक्ष्म ऋणों कृषि बीमा, कंप्यूटरशिक्षा आदि से संबंधित निजी सेवाओं तथा अधिकारों के रिकॉर्ड जारी करना आदि।

सीएससी को इंटरनेट सुविधाएं देने पर भी विचार किया गया है। बीएसएनएल 41500 सीएससी को ये सुविधा देगी। इसका आंशिक खर्च सूचना प्रौद्योगिकी विभाग वहन करेगा जो कि 500 करोड़ रु. इस पर खर्च करेगा। 150 करोड़ रु. की पहली किश्त जारी की जा चुकी है और आशा है कि दिसंबर, 2009 तक 41500 सीएससी इंटरनेट से जुड़ जाएंगे।

इसके अलावा पूर्वोत्तर और दूसरे राज्यों के दूर-दराज के इलाकों के 2500 अन्य सीएससी को 49.88 करोड़ रुपए की लागत से वीसैट के जरिए जोड़ा जाएगा। एनआईसी (कार्यान्वयन एजेंसी) को 12.50 करोड़ रुपए की पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है। दिसंबर, 2009 तक इन सीएससी के भी इंटरनेट से जुड़ पाने की उम्मीद है।

सेवाओं को पहुंचाने के मुद्दे से निबटने के लिए 400 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह धन सीएससी योजना के लिए मंजूर योजना खर्च में से बचाया गया है ताकि राज्यों के वेबसाइट, राज्य सेवा प्राप्ति द्वार बनाए जा सके और ढांचागत सुविधाओं की कमी की भरपाई हो सके।

राज्य आंकड़ा केंद्र (एसडीसी)

भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तीन मुख्य ढांचागत हिस्सों में से एक है राज्य आंकड़ा केंद्र। इस योजना के तहत 28 राज्यों और 7 केंद्रशासित प्रदेशों में आंकड़ा केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि राज्य स्तर के ई-गवर्नेंस कार्य/आंकड़े रखने के लिए सामान्य सुरक्षित सूचना प्रौद्योगिकी ढांचागत सुविधाएं स्थापित की जा सकें। इससे सरकार से सरकार (जी 2 जी), सरकार से नागरिक (जी 2 सी) और सरकार से कारोबार (जी 2 बी) को सेवाएं सहज ही पहुंचाई जा सकें जिसमें गांवों के स्तर पर स्थापित सीएससी (सामान्य सेवा केंद्रों) और राज्य के वाइड एरिया नेटवर्क का सहयोग मिल सके।

देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में आंकड़ा केंद्र स्थापित करने की योजना को सरकार ने 1623.20 करोड़ रुपए के कुल खर्च के साथ 24 जनवरी, 2008 को मंजूरी दी। यह राशि पांच वर्ष के लिए है। योजना के बेरोक और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने नीति निर्देशिका बनाई है जिसमें योजना में शामिल विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों आदि विभिन्न मुद्दों को शामिल किया गया है जो डाटा केंद्रों की योजना और स्थापना के समय उठ सकते हैं।

सरकार द्वारा एसडीसी योजना की मंजूरी के बाद से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 31 राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों से आए प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिन पर 1378 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।

क्षमता निर्माण योजना (सीबी योजना)

सरकार ने 3 साल के लिए 133 करोड़ रुपए के खर्च वाली यह योजना जनवरी, 2008 में मंजूर की। इसका उद्देश्य राज्य स्तर के सामरिक निर्णयों, जैसे राज्य ई-गवर्नेंस मिशन टीम (एसईएमटी) का निर्माण आदि के लिए संस्थागत फ्रेमवर्क बनाना है। हर राज्य में एसईएमटी होगी जो मुख्यतः राज्य स्तर की नीति

बनाने व निर्णय करने वाली एजेंसियों को तकनीकी और विशेषज्ञ सहायता देगी और राज्य स्तर पर ई-गवर्नेंस के लिए विशिष्ट कौशल विकसित करेगी। सीबी योजना में एसईएमटी और निर्णयकर्ताओं (राज्य विधानसभा के सदस्यों और वरिष्ठ नौकरशाहों) को विशेष प्रशिक्षण देना भी शामिल है। ज्ञान की साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की श्रेष्ठ तकनीकों को लाकर राज्यों के प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करना भी इस योजना का हिस्सा है।

सभी 35 राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों ने योजना के नियमों और शर्तों को मंजूर कर लिया है। अब तक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 35 राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों के लिए 62.90 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। विभाग में सीबी योजना के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण प्रबंधन एकक बनाया गया है।

ई-जिले

ई-जिला, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत राज्य मिशन मोड परियोजना है। परियोजना का उद्देश्य एनईजीपी के तहत किसी एमएमपी न आने वाला उच्च मात्रा वाली सेवाओं को लक्ष्य करना तथा अंतिम सिरे पर कंप्यूटरीकरण करना है ताकि सामान्य सेवा केंद्रों के जरिए इन सेवाओं की डिलीवरी हो सके। ई-जिला की कार्यान्वयन नीति में एनईजीवी के तहत स्थापित की जा रही ढांचागत सुविधाओं, जैसे सीएससी, स्वान, एसडीसी आदि को भी ध्यान में रखा जाएगा।

विभाग ने 35 जिलों के लिए 14 पायलट ई-जिला परियोजनाएं मंजूर की हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, असम और बिहार के बड़े इलाके को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में तीन सेवाओं की पायलट परियोजनाएं छह जिलों में शुरू हो चुकी हैं। असम और बिहार में उपयोगिता विकास का काम चल रहा है।

राष्ट्रीय सेवा डिलीवरी गेटवे (एनएसडीजी)

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक) ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा डिलीवरी गेटवे (एनएसडीजी) और राष्ट्रीय सेवा डायरेक्टरी (एनएसडी) को निर्मित और चालू किया है जो 14 अगस्त, 2008 के बाद से दूसरी मिशन मोड परियोजना है। एनएसडीजी पहला गेटवे है जिसे केंद्रीय स्तर पर कार्य के लिए बनाया गया है। विभाग द्वारा बनाए गए विभिन्न ई-गवर्नेंस मानकों को पूरा करने वाली संदेश वाहक मध्यस्थ व्यवस्था है। यह गेटवे नई और मौजूदा ई-गवर्नेंस सेवाओं के लिए सेवा-उन्मुख स्थापत्य (एसओए) फ्रेमवर्क बनाता है। विभाग विभिन्न स्तरों यानी राज्य स्तर तथा डोमेन स्तर पर गेटवे बनाना चाहता है ताकि गेटवे का समूह तैयार हो सके जो अपने आप में एक नवाचार है। गेटवे समूह के बीच आपस में संदेशों के आदान-प्रदान के समन्वय के लिए एनएसडी केंद्रीय सेवा निदेशिका है। 'एनएसडीजी गो लाइव' का उद्घाटन 14 अगस्त, 2008 को हुआ था।

अन्य प्रयास

भू-रिकार्ड, भूमि पंजीकरण और परिवहन के क्षेत्र में श्रेष्ठ व्यवहार को सभी जगह लागू करने के लिए ई-गवर्नेंस के श्रेष्ठ व्यवहार के क्षेत्रीय अंतरण के लिए देश भर में एक पहल की गई है। सभी सरकारी सेवाएं एक ही जगह से उपलब्ध कराने के लिए बहुभाषी माध्यम बनाने के लिए इंडिया पोर्टल बनाया गया जिसे नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाता है। इसका वेबसाइट <http://india.gov.in> है। एनएसडीजी जैसे अन्य प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि आपसी तालमेल का खाका बन सके, और खुले प्रौद्योगिकी केंद्र (ओटीसी) से ई-गवर्नेंस के मानकीकरण के लिए जरूरी मदद मिल सके।

विभाग ने एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया है ताकि ई-गवर्नेंस से जुड़े लोग इसे बेहतर समझ पाएं और लोगों की इस प्रक्रिया में और ज्यादा भागीदारी हो। इस प्रयास के तहत कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और प्रचार अभियान पूरे देश में चलाए जाएंगे।

इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर निर्माण

इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर निर्माण सरकार के लिए अब भी प्राथमिकता का विषय है। विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (सिप्स) के तहत सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन और अन्य माइक्रो और नैनो तकनीक निर्माण उद्योगों की भारत में स्थापना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसकी घोषणा सरकार ने 21 मार्च, 2007 को की थी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आकलन समिति गठित की गई है। 14 सितंबर, 2007 को दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (सिप्स) अधिसूचना और दिशा-निर्देश विभाग की वेबसाइट www.mit.gov.in पर उपलब्ध है।

योजना पर उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिली है। 10 वर्ष के लिए 1,60,000 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 18 परियोजनाओं के प्रस्ताव मिले हैं जिनमें सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, टीएफटी-एलसीडी पैनल और सौर फोटोवोल्टिक निर्माण की योजनाएं शामिल हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी निवेश के क्षेत्र

2 टियर और 3 टियर शहरों में ढांचागत सुविधाएं विकसित करने की जरूरत महसूस की जा रही है क्योंकि टियर 1 शहरों- दिल्ली, बंगलूरु, हैदराबाद, मुंबई और चेन्नई में अतिरिक्त व्यावसायिक क्षेत्र बनाने की गुंजाइश कम है। इस जरूरत को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र बनाने के फैसले को केंद्र सरकार ने 29 मई, 2008 को अधिसूचित किया। यह पारदर्शी और निवेश के लिए सुविधाजनक नीति है और इससे आईटी/आईटीईएस/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर निर्माण इकाइयों में निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008

सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 ई-कॉमर्स में मदद के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन के लिए कानूनी ढांचा बनाता है साथ ही कंप्यूटर संबंधी अपराधों पर भी कानूनी दृष्टि देता है। इस बीच कंप्यूटर अपराध, उसका दुरुपयोग और धोखाधड़ी बढ़ रही है। इसे देखते हुए सूचना सुरक्षा के लिए कानूनों को मजबूत बनाने की जरूरत थी। सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 मौजूदा कानूनी ढांचे में सुधार कर इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं और निवेशकों का भरोसा बढ़ाएगा। मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों में कुछ और मुद्दे जोड़ कर यह अधिनियम अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में लाने, अश्लील वीडियो, साइबर आतंकवाद, विश्वासघात और आंकड़ों को सार्वजनिक करने और ई-कॉमर्स में धोखाधड़ी जैसे साइबर अपराधों के नए रूपों से निबटने में मदद करेगा। इस अधिनियम के तहत नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है।

साइबर सुरक्षा

सरकार ने भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) बनाया है जो जल्द चेतावनी देकर घटना पर तत्काल प्रतिक्रिया करे। यह चौबीसों घंटे चलता है और उपभोक्ताओं को शुरुआती चेतावनी और सलाह देकर उन्हें मुस्तैद रखता है।

देश में साइबर सुरक्षा शिक्षा, जागरूकता और कौशल बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों, न्यायपालिका और कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार एजेंसियों तथा ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के मालिकों को सहायता देना है। न्यायिक अधिकारियों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जा रहे हैं। विभिन्न सरकारी विभागों के लगभग सौ कर्मचारियों को कार्नेगी मेलॉन विश्वविद्यालय, अमरीका में मास्टर प्रशिक्षक के तौर पर प्रशिक्षण दिया गया जो देश में और लोगों को प्रशिक्षित कर सकेंगे।

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क

सरकार ने बहु-गीगाबाइट क्षमता वाला राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) बनाने का फैसला किया है जिसमें विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, पुस्तकालयों, अस्पतालों और कृषि संस्थानों आदि 1000 संस्थानों को आपस में जोड़ा जाएगा। यह ई-गवर्नेंस के लिए रीढ़ का काम करेगा। ज्ञान और जानकारी के प्रवाह को सुगम बनाकर यह नेटवर्क पहुंच को आसान बनाने के साथ ही देश में अनुसंधान के प्रयासों को समृद्ध करेगा। नेटवर्क की स्थापना के शुरुआती चरण में निकनेट के 15 पीओपी को 2.5 गीगाबाइट/सेकेंड की क्षमता तक उन्नत बनाया गया है। छह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में एनकेएन आधारित वर्चुअल कक्षाएं बनाई गई हैं।

भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास

भारतीय भाषाओं में भी सूचना प्रौद्योगिकी को विस्तार देने के लिए भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी विकास (टीडीआईएल) कार्यक्रम के तहत संविधान में स्वीकृत 22 भारतीय भाषाओं में फॉन्ट और सॉफ्टवेयर टूल उपलब्ध कराने की एक बड़ी पहल की गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 16 भाषाओं—तमिल, हिंदी, तेलुगु, मराठी, उर्दू, पंजाबी, उड़िया, कन्नड, असमिया, मलयालम, गुजराती, संस्कृत, बोडो, डोगरी, मैथिली और नेपाली में लोगों के मुफ्त इस्तेमाल के लिए सीडी जारी की है। शेष छह भाषाओं में भी इस दिशा में काम चल रहा है। सीडी के ऑनलाइन पंजीकरण और सीडी के वितरण के अलावा लगभग 40 लाख लोगों ने विभाग की वेबसाइट (<http://www.ildc.in>) से यह सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं।

नैनोटेक्नोलॉजी

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नैनोटेक्नोलॉजी प्रयास 2004 के शुरू हुआ जिसमें नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस है। कार्यक्रम में संस्थागत क्षमता निर्माण और अनुसंधान व विकास के लिए ढांचागत सुविधाओं तथा नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। आईआईटी मुंबई और भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलूरु में नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स उत्कृष्टता केंद्र भी बनाए जा रहे हैं जिनकी लागत 100 करोड़ रुपए होगी। ये केंद्र स्वास्थ्य और पर्यावरण की निगरानी, ऑर्गेनिक व बायोपॉलीमर उपकरणों, जीएनएन उपकरणों, ध्वनि आधारित संवेदी उपकरणों, एलसी रेसोनेटर्स के लिए चुंबकीय सामग्री, एफएआरएम के लिए फेरोइलेक्ट्रॉनिक्स फेज शिफ्टर आदि के विकास पर काम करेंगे। 'भारतीय नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स उपयोगकर्ता कार्यक्रम (आईएनयूपी) नामक एक महत्वपूर्ण, 25 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना भी आईआईटी मुंबई और आईआईएससी बंगलूरु में शुरू की गई है। इसमें इन दोनों केंद्रों में स्थापित सुविधाओं को बाहरी उपयोगकर्ताओं की भागीदारी के जरिए नैनोइलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में ज्ञान और विशेषज्ञता को बढ़ाने में सहायता दी जाएगी।

विकसित कंप्यूटिंग विकास केंद्र (सी-डैक)

सी-डैक, विभाग का उत्कृष्ट अनुसंधान और विकास संस्थान है जो सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सहयोगी क्षेत्रों में काम करता है। पेटाफ्लॉप कंप्यूटिंग, साझा हार्ड पर्फार्मेंस कंप्यूटिंग (एचपीसी) सुविधाएं, ग्रिड कंप्यूटिंग और अनुसंधान के कठिन क्षेत्रों में क्षमता बढ़ाने का काम कर रहा है। इसके लिए यह शिक्षण, संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और उद्योगों के साथ निकट संपर्क में रह कर कार्य करता है।

सी-डैक ने सुपरकंप्यूटिंग प्रणाली 'परम युवा' नवंबर, 2008 में बनाई। इसका आर मैक्स (सतत कंप्यूटिंग क्षमता) 37.80 टेराफ्लॉप (टीएफ) और आरपीक (अधिकतम कार्यक्षमता) 54.01 टेराफ्लॉप (टीएफ) है। नवंबर, 2008 में आस्टिन, अमरीका में हुए सुपरकंप्यूटिंग सम्मेलन एससी-08 में इसे विश्व के श्रेष्ठ 500 सुपरकंप्यूटरों में 68वें स्थान पर घोषित किया गया। यह प्रणाली पेटाफ्लॉप कंप्यूटिंग की दिशा में सी-डैक के एचपीसी प्रयासों के रास्ते का एक मील का पत्थर है।

परम युवा (टीएफ 37.8) और परम सिनर्जी (2.01 टीएफ) को भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलूरु ने 18 दिसंबर, 2008 को हुए सम्मेलन हाइपीसी 08 में भारत का क्रमशः दूसरा और 9वां श्रेष्ठतम सुपरकंप्यूटर घोषित किया।

गरुड़-राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग प्रयास का प्रायोगिक चरण समाप्त हो गया है और यह सफल रहा। इसका फांडेशन चरण शुरू हो गया है। इस चरण में चार एचपीसी समूहों का परीक्षण स्थल बनाया गया है। गरुड़ अपने अगले चरण में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) कनेक्टिविटी पर निर्भर होगा।

भारतीय ग्रिड प्रमाणन प्राधिकरण (आईजीसीए) का उद्घाटन 14 जनवरी, 2009 को भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डा.आर. चिदंबरम ने किया। आईजीसीए सभी ग्रिडों को आपस में एक-दूसरे से और अंतर्राष्ट्रीय ग्रिडों से जोड़ने का काम करेगा।

सी-डैक के 'मुफ्त एवं खुला स्रोत सॉफ्टवेयर के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र' (एनआरसीएफओएसएस) ने बीओएसएस/लिनक्स सीडी जारी की है जोकि जीएनयू/लिनक्स का स्थानीकृत भारतीय वितरक है। बीओएसएसजीएनयू/लिनक्स विकसित सर्वर इंडिया सॉफ्ट 2009 कोलकाता में 27 फरवरी, 2009 को जारी किया गया। यह इंटेल और एसएमडी $\times 86 / \times 86-64$ के अनुरूप है। बीओएसएसजीएनयू/लिनक्स विकसित सर्वर की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे—वेब सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, डाटाबेस सर्वर, मेल सर्वर, नेटवर्क सर्वर, फाइल एवं प्रिंट सर्वर, एसएमएस सर्वर, एलडीएपी सर्वर। बीओएसएसजीएनयू/लिनक्स विकसित सर्वर में एडमिनिसट्रेशन टूल, जैसे वेबमिन, जो कि वेब आधारित माध्यम है, गाडमिन, पीएचपी माइएडमिन, पीएचपी एलडीएपी एडमिन, पीजी एडमिन आदि हैं। बीओएसएसजीएनयू/लिनक्स देश भर में फैले सी-डैक केंद्रों के नेटवर्क से प्राप्त किया जा सकता है।

इनडीजी, सी डैक की एक और पहल है जिसका लक्ष्य ग्रामीण और सामाजिक विकास के क्षेत्र में विशिष्ट जरूरतों को पूरा करना है। www.indg.in पोर्टल को भारत के 'पहुंच के बाहर' के ग्रामीण नागरिकों खास तौर पर गरीबों और महिलाओं तक सूचना और सेवाएं एक ही खिड़की से पहुंचाने के लिए विकसित किया गया है। यह पांच प्रमुख क्षेत्रों—कृषि, स्वास्थ्य, ई-गवर्नेंस, प्राथमिक शिक्षा और ग्रामीण ऊर्जा पर ध्यान देता है। इस पोर्टल का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति ने 4 जुलाई, 2008 को किया।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) देश में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और देश में ई-गवर्नेंस की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए मुख्य संगठन है। सूचना विज्ञान

विकास और नेटवर्किंग के क्षेत्र में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों 28 राज्य सरकारों एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और छह केंद्र शासित क्षेत्रों तथा 611 जिला प्रशासनों को नेटवर्क से जोड़ने के लिए संगठन ने अनेक नए प्रयास किए हैं। देश में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को तथा अन्य शासकीय निकायों को कंप्यूटर और नेटवर्किंग सहायता देने वाला यह देश का अकेला संस्थान है।

एनआईसी के ई-गवर्नेंस नेटवर्क 'निकनेट' से ई-मेल, वेबसाइट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जियोस्पेटियल सेवाएं ई-शिक्षण अंतर-सरकार आदि सेवाएं उपलब्ध हैं। एनआईसी ने वेब एनेबल्ड सिस्टम, न्यायपालिका (ई-कोर्ट) लेखांकन, ग्रामीण सूचना पंचायती राज का कंप्यूटरीकरण, ई-खरीद, उपयोगी नक्शे बनाने भौगोलिक सूचनाएं आदि क्षेत्रों में अनेक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाए हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइन, योजना, विकास और सुविधा शुरू करने तक सभी तरह की सहायता एनआईसी देता है। ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक सूचना केंद्र (सीआईसी) कुछ राज्यों में बनाए गए हैं। कुछ पड़ोसी देशों में भी आईसीटी सहयोग और परामर्श दिया गया है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र प्रमाणन प्राधिकरण (एनआईसीसीए) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 21 के तहत एनआईसी मुख्यालय में स्थापित किया गया है जो डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) देता है जो ई-गवर्नेंस के काम आते हैं। एनआईसीसीए ढांचे में राज्य परिवहन कार्यालय को डीएल एंड आरसी प्राधिकरण कार्ड जारी करने के लिए आधुनिक सिमेट्रिक की-इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया गया है। 14,000 से अधिक डीएससी जारी किए गए। ईसीआईएल व एनआईसी, उड़ीसा में पंजीकरण प्राधिकरण तथा ई-पासपोर्ट के काम के लिए विदेश मंत्रालय के लिए एनआईसीसीए में एक उप सीए स्थापित किया गया है।

ई-शिक्षण

सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए शिक्षा प्राप्त करना जीवनभर अच्छी शिक्षा देने का प्रभावी साधन है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में ई-लर्निंग को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं। इनके परिणामस्वरूप डिजिटल सामग्री को पहुंचाने और प्रबंधन के लिए सस्ती तकनीकों और साधनों का विकास हुआ है। ई-शिक्षण के क्षेत्र में प्रायोगिक तौर पर योजनाएं चलाने और अनुसंधान के लिए विभाग ने कई संस्थानों, प्रयोगशालाओं को आर्थिक सहायता दी है। सामग्री विकास, अनुसंधान/तकनीक विकास परियोजनाओं, मानव संसाधन विकास तथा शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अनुदान सहायता दी है ताकि सूचना और संचार तकनीकों के उपयोग से दूरस्थ शिक्षा के जरिए कंप्यूटर साक्षरता बढ़ाई जा सके।

डीओईसीसी सोसाइटी

मानव संसाधन विकास सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग में डीओईसीसी शीर्ष निकाय है जो सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास और संबंधित गतिविधियां करता है। सोसाइटी के अगरतला, आइजॉल, औरंगाबाद, कालीकट, चंडीगढ़ (शिमला, लखनऊ और नई दिल्ली में तीन शाखाएं), गोरखपुर, इंफाल, श्रीनगर/जम्मू, कोहिमा/चुचुयिमलांग, कोलकता, शिलांग और तेजपुर/गोवाहाटी में इसके केंद्र हैं जबकि मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके दो क्षेत्रीय केंद्र पुदुकोट्टई (तमिलनाडु) और पटना (बिहार) में हैं। दो अन्य केंद्र चेन्नई और गंगटोक में स्थापित किए जा रहे हैं। डीओईसीसी सोसाइटी विभाग तथा एआईसीटीई की संयुक्त परियोजना ओएबी और सी स्तर की कंप्यूटर शिक्षा के लिए योजना चला रही है। सोसाइटी के केंद्र राज्यों के विश्वविद्यालयों/तकनीकी बोर्डों द्वारा मान्यताप्राप्त एमटेकर डिप्लोमा व एमसीए, बीसीए पाठ्यक्रम चला रहे हैं। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में

सर्टिफिकेट कोर्स (सीसीसी) को गुजरात व महाराष्ट्र राज्य सरकारों ने सरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिए मान्य बना दिया है। सीसीसी परीक्षा में पौने तीन लाख से ज्यादा प्रत्याशी बैठे। इनमें से डेढ़ लाख से ज्यादा को प्रमाणपत्र दिया जा चुका है। हर साल लगभग 60,000 छात्र डीओईएसीसी के ओ, ए व बी स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण करते हैं।

भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (एनआईएक्सआई)

भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (एनआईएसआई) की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत अलाभकारी संगठन के रूप में जुलाई, 2003 में की गई। यह देश में इंटरनेट सेवा देनेवालों (आईएसपी) का निरपेक्ष मिलन स्थल है। इसका मुख्य उद्देश्य साथी सदस्यों के साथ घरेलू इंटरनेट ट्रैफिक के आदान-प्रदान को सुगम बनाना है। इससे बैंडविड्थ का बेहतर इस्तेमाल हो पाता है और विदेशी मुद्रा की बचत भी होती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरणों के दोहराव में कमी आती है और उपभोक्ताओं को श्रेष्ठ सेवाएं मिल पाती हैं। इस समय मुंबई, दिल्ली (नोएडा), चेन्नई, कोलकाता, बंगलूरु, हैदराबाद और अहमदाबाद में एक्सचेंज केंद्र चालू हैं। इससे जुड़े 30 आईएसपी 6.4 गीगाबाइट प्रति सेकेंड के इंटरनेट ट्रैफिक का आदान-प्रदान करते हैं।

यह देश देश में .in डोमेन नेम का पंजीकरण करता है। इस समय दुनियाभर के उपभोक्ताओं के लिए .in डोमेन नेम रजिस्टर करने के लिए 53 पंजीयकों को प्रत्यायित किया गया है। जून, 2009 में .in डोमेन नेम के साथ रजिस्ट्रेशन 5 लाख को पार कर गया।

पृथ्वी विज्ञान

पृथ्वी विज्ञान प्रणाली से संबंधित मामलों की बढ़ती जरूरत को देखते हुए भारत सरकार ने 12 जुलाई, 2006 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय बनाया। इसका कार्य समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मौसम विज्ञान, भूकंपविज्ञान, जलवायु परिवर्तन विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान से जुड़े सभी पक्षों से संबंधित है।

मंत्रालय में केंद्रीय सचिवालय के अलावा पृथ्वी आयोग है जिसमें शीर्ष वैज्ञानिक, प्रशासक और नीतिनिर्धारक हैं जो मंत्रालय की पृथ्वी विज्ञान संबंधी नीति और नियम के बारे में सलाह देते हैं। पृथ्वी विज्ञान संगठन में वैज्ञानिक, प्रशासक, वित्त सलाहकार और मंत्रालय के अधीन अनुसंधान संस्थानों के प्रमुख हैं जो मंत्रालय की वार्षिक कार्य योजना बनाते हैं। पृथ्वी आयोग व पृथ्वी विज्ञान संगठन के अध्यक्ष पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव होते हैं। मंत्रालय को निम्नलिखित संगठनों से मदद मिलती है—

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
- राष्ट्रीय सामुद्रिक प्रौद्योगिक संस्थान
- राष्ट्रीय अंटार्कटिक व समुद्र अनुसंधान केंद्र
- राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र
- भारतीय ऊष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान
- समेकित तटीय समुद्र क्षेत्र प्रबंधन
- समुद्री जीवित संसाधन व पारिस्थितिकी केंद्र
- राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र
- राष्ट्रीय मध्यम मौसम भविष्यवाणी केंद्र

वायुमंडलीय विज्ञान, सूचना और सेवाएं

तूफान चेतावनी : भारत के लंबे तटीय इलाके ऊष्णकटिबंधीय चक्रवातों के रूप में मारक तूफानों को झेलते रहते हैं। इन इलाकों के लोगों को आगामी चक्रवात की पूर्व सूचना देने का महत्वपूर्ण कार्य भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है। इसका उद्देश्य पूर्व चेतावनी के जरिए होने वाले जान और माल के नुकसान को कम करना है।

हर साल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चार से छह ऊष्णकटिबंधीय तूफान आते हैं जिससे जान और संपत्ति का बहुत नुकसान होता है। इन तूफानों की निगरानी और भविष्यवाणी के अलावा मौसम विज्ञान विभाग विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सदस्यों को आंकड़े और सलाह देता है ताकि पैसिफिक पैनल (ईएससीएपी) के देशों, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका व अन्य के साथ आर्थिक और सामाजिक सहयोग बन सके।

यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन के लिए कटिबंधीय चक्रवात सलाहकार केंद्र (टीसीएसी) का काम भी करती है। राष्ट्रीय स्तर पर विभाग राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृहमंत्रालय के लगातार संपर्क में रह कर उन्हें समय पर सूचना और चेतावनी देता है। नतीजतन, कटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न पहलुओं पर नीतियां बनाने, भविष्यवाणी तकनीकों, सूचना के प्रसार के तरीकों और अनुसंधान आदि गतिविधियों के लिए विभाग की गतिविधियों को सहयोग देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन सबसे आपदा प्रबंधकों व निर्णयकर्ताओं को अवलोकन, विश्लेषण, अनुमान और चेतावनी के आधार पर महत्वपूर्ण मौसम विज्ञान संबंधी सहयोग मिलेगा।

चेतावनी प्रसार चैनल

चक्रवात चेतावनी का प्रसारण रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, टेलीफोन, फैक्स, टेलेक्स, टेलीग्राम, पुलिस बेतार नेटवर्क आदि के जरिए किया जाता है। इनसैट उपग्रह के जरिए चलने वाली विशेष चक्रवात चेतावनी प्रसारण प्रणाली से पारंपारिक संचार माध्यमों के न रहने पर भी क्षेत्र विशेष को सेवाएं मिल जाती हैं। ये चेतावनियां आम जनता, केंद्र और राज्य सरकारों के आपदा उपशमन और राहत कार्य से संबंधित कर्मचारियों, औद्योगिक व अन्य संस्थानों, रेलवे, उड्डयन, संचार और बिजली अधिकारियों को दी जाती है। इन्हें दो चरणों में प्रसारित किया जाता है। पहले चरण को चक्रवात सचेतक कहा जाता है। जो समुद्रतट पर बुरे मौसम के संभावित समय से 48 घंटे पहले प्रसारित किया जाता है। दूसरे चरण को 'चक्रवात चेतावनी' कहा जाता है। और इसके लिए 24 घंटे पहले चेतावनी जारी की जाती है। चक्रवात सचेतन से पहले भी एक चेतावनी दी जाती है तथा दूरदराज के चक्रवात प्रभावित इलाकों के लिए चक्रवात के बाद की योजना भी दी जाती है।

नई दिल्ली स्थित कार्यालय को ऊष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए क्षेत्रीय विशेषज्ञ मौसमविज्ञान केंद्र का दर्ज दिया गया है। यह विश्व मौसमविज्ञान संगठन के तहत, चक्रवातों की निगरानी के लिए बनी वैश्विक प्रणाली के पांच केंद्रों में से एक है।

चक्रवात निगरानी

इनसैट उपग्रह के चित्रों की मदद से भारत मौसम विज्ञान विभाग अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के संभावित कटिबंधीय चक्रवातों पर लगातार नजर रखता है। जहाजों और समुद्री नौकाओं से भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जब ये तूफान भारतीय तट के पास आने लगते हैं तो उनके आगे के विकास और

दिशा पर चक्रवात पहचान रडारों के जरिए लगातार नजर रखी जाती है। ये रडार देश के संपूर्ण समुद्रतट पर लगाए गए हैं।

मौसम विज्ञानी आंकड़ों और 125 साल के चक्रवातों के आंकड़ों के आधार पर बने मॉडलों के आधार पर चक्रवात की दिशा की भविष्यवाणी की जाती है। चक्रवात निगरानी नेटवर्क में जमीन पर और जमीन से ऊपर स्थापित एयरस्टेशन, डॉपलर मौसम रडार/चक्रवात पहचान रडार और भू-स्थैतिक उपग्रहों के आंकड़ों को शामिल किया जाता है। इन रडारों की बदौलत भारतीय समुद्रतट पर 1977 के चक्रवात में 20,000 लोगों के मारे जाने के मुकाबले उसी तीव्रता के चक्रवात में 1996 में 1000 और 2005 में 27 लोग मारे गए।

भविष्यवाणी में (1) चक्रवात की मौजूदा स्थिति और तीव्रता (2) चक्रवात की तीव्रता, दिशा और गति (3) उसके स्थलावतरण का समय और स्थान तथा उस तेज हवा से प्रभावित होने वाले तटीय इलाकों को चेतावनी (4) तूफान के समय समुद्री ज्वार की अनुमानित ऊंचाई (5) भारी/बहुत भारी/अत्यंत भारी वर्षा से प्रभावित होने की संभावना वाले क्षेत्र आदि सूचनाएं दी जाती हैं। इस संक्षिप्त विश्लेषण के अलावा इस उद्देश्य के लिए विभिन्न मौसम विज्ञानी, सांख्यिकी और अंकीय मौसम की भविष्यवाणी के मॉडल भी इस्तेमाल किए जाते हैं।

चेतावनी उत्तरदायित्व केंद्र

भारत मौसम विज्ञान विभाग का चक्रवात चेतावनी खंड तीन स्तरों में बंटा हुआ है। विशाखापट्टनम, अहमदाबाद और भुवनेश्वर में चक्रवात चेतावनी केंद्र (सीडब्ल्यूसी) हैं जो तटीय राज्यों को चक्रवात की चेतावनी देते हैं। इसके अलावा क्षेत्र आधारित चक्रवात चेतावनी केंद्र (एसीएब्ल्यूसी) कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में हैं जो अपने क्षेत्र के राज्यों को न सिर्फ चेतावनी देते हैं बल्कि उन्हें दी गई सलाहों की भी निगरानी करते हैं। केंद्र सरकार और अन्य संगठनों के बीच राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संवाद के लिए विभाग के मुख्यालय नई दिल्ली में चक्रवात चेतावनी प्रभाग है। एसीडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी गहरे समुद्र में गए जहाजों, तटीय जल के जहाजों, बंदरगाहों, मछलीमारों, सरकारी अधिकारियों और आम आदमी को उनके इलाकों में संभावित बुरे मौसम की चेतावनी हर तीन घंटे के अंतराल पर जारी करते हैं। चक्रवात चेतावनी के समय आकाशवाणी और टेलीविजन तथा प्रिंट मीडिया के जरिए बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं। जब कोई रडार केंद्र पूरे भरोसे के साथ चक्रवात की मौजूदगी को दर्ज करता है, जो आम तौर पर उसके स्थलावतरण के 24 घंटे पहले हो जाता है, तब हर घंटे प्रसारण किया जाता है।

कौशल और क्षमताएं

24 घंटे भविष्यवाणी के मामले में भारत मौसम विज्ञान विभाग की भविष्यवाणी त्रुटि लगभग 140 कि.मी. है। पिछले पांच साल के आंकड़ों के आधार पर चक्रवात की स्थलावतरण भविष्यवाणी को देखते हुए 12 और 24 घंटे की चेतावनी दूसरे समुद्र बेसिनों की तुलना में समान ही है।

बेहतर भविष्यवाणी के बेहतर प्रसारण के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। बेहतर वैज्ञानिक समझ, व्यापक अवलोकन नेटवर्क और साझा अनुसंधानों से मॉडलिंग तकनीक में सुधार के जरिए यह लक्ष्य पाया जा सकता है। इस प्रयास में दूरसंचार तकनीकों के अलावा मीडिया व आपदा प्रबंधन में शामिल लोगों से समन्वय को भी महत्व दिया जा रहा है। साथ ही, कटिबंधीय चक्रवातों के विशेष अवलोकन और सुधरी मॉडलिंग तकनीकों से इनकी भविष्यवाणी में और सुधार लाने के लिए परियोजनाएं भी हाथ में ली जाती हैं।

मानसून भविष्यवाणी

दुनियाभर में सूखे और बाढ़ से मानवीय अस्तित्व को बड़ा खतरा होता है। भारत में हाल के मौसमी अत्याचार ने कृषि उत्पादन, अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर डाला है जिससे जान और माल का काफी नुकसान हुआ है। लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। मौसम विज्ञानियों ने भविष्यवाणी की थी कि मानसून 29 मई, को केरल में आएगा जिसमें 4 दिन की त्रुटि की संभावना थी। मानसून 31 मई को, सामान्य तिथि से एक दिन पहले केरल पहुंचा और यह अनुमानित समय के भीतर ही था। वैज्ञानिकों ने इसके लिए देसी आंकड़ा मॉडल व तर्क इस्तेमाल किए थे।

इस तरह पूर्व चेतावनी क्षमता देश की प्रगति को मापने का महत्वपूर्ण मानक बन गई है। गर्मियों के मानसून की भविष्यवाणी के प्रयास अंततः भलीभूत हुए। अब मई के चौथे सप्ताह की बजाए अप्रैल-मई में ही इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। इसके अलावा नई तकनीक में जुलाई में त्रुटि संशोधन की भी गुंजाइश रहती है जिससे कम मानसून के कृषि पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने की कोशिश की जा सकती है। अगर मानसून लगभग सामान्य हो तो लीनियर व नॉन लीनियर प्रतिगमन मॉडल तथा न्यूरल नेटवर्क आधारित मॉडल उपयुक्त होते हैं लेकिन वे अधिक या कम मानसून की भविष्यवाणी नहीं कर पाते। इसका उदाहरण है, 2002 में सूखा पड़ा था जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सका। तब एम्पायरिकल मॉडलों का इस्तेमाल किया गया था। इसकी जगह अब जलवायु मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन अत्याधुनिक मॉडलों से भी एशियाई मानसून की भविष्यवाणी ठीक नहीं हो पाती। इसका कारण समुद्री क्षेत्र में अपर्याप्त अवलोकन तथा जटिल मानसूनी जलवायु को प्रतिनिधित्व करने वाले जलवायु मॉडलों की कमी है।

कृषि-मौसम विज्ञानी सलाहकार सेवाएं

हाल के तकनीकी विकास और सिंचाई सुविधाओं के बावजूद भारतीय किसान इन सबसे दूर हैं और अब भी फसल के लिए मौसम पर निर्भर हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इस कमी को पूरा करने के लिए किसानों को अच्छे मौसम का सर्वाधिक लाभ और बुरे मौसम का प्रभाव न्यूनतम करने में मदद देने की व्यवस्था की है। एग्रोमेट सलाहकार सेवा (एएएस) जो पहले 127 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में काम करती थी, अब जिलावार सलाह देती है। हर इलाके के मौसम और फसलों में खेती के तरीकों और मिट्टी की स्थितियों में अंतर होता है। इसे देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है। एएएस को इस वर्ष जून में अपग्रेड किया गया। इस तरह मध्यम रेंज की मौसम भविष्यवाणी के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ) ने यह बेहतर सेवा विकसित की और किसानों तक पहुंचाई। मौसम विज्ञान विभाग भारतीय और विदेशी एजेंसियों, कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि-मौसम फील्ड इकाइयों व अन्य केंद्रों के मौसम मॉडलों के इस्तेमाल से अगले 5 दिन के मौसम की भविष्यवाणी करती है। इस सलाह को फिर विभिन्न माध्यमों, जैसे निजी टीवी चैनलों, एफ एम रेडियो और स्वयंसेवी संस्थानों, आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्र, जिला कृषि कार्यालयों, विश्वविद्यालयों और मौसम विभाग की वेबसाइट के जरिए किसानों तक पहुंचाया जाता है।

मौसम निगरानी प्रणाली

मंत्रालय ने अपने आधुनिकीकरण के पहले चरण में मौजूदा 125 स्वचालित मौसम स्टेशनों (एडब्ल्यूएस) को सहयोग के लिए 550 अतिरिक्त एडब्ल्यूएस और 1350 स्वचालित वर्षा मापक एआरजी स्टेशन स्थापित किए हैं। इस तरह हर जिले में कम से कम एक एडब्ल्यूएस और दो एआरजी स्टेशन हो जाएंगे।

इसके अलावा 55 डॉपलर मौसम रडार लगाने की योजना है जिनमें से 12 पहले चरण में लगाए जाएंगे। उपग्रह से मिले बड़े पैमाने पर आंकड़ों को सम्मिलित करने की तकनीकें विकसित की गई हैं। अवलोकन प्रणाली में सुधार के जरिए अब अंकीय मौसम भविष्यवाणी मॉडलों को चलाने की शुरुआती स्थितियों को स्पष्ट करने में मदद मिलगी, जिससे मौसम की भविष्यवाणी में और सुधार हो जाएगा।

मौसम भविष्यवाणी प्रणाली

पहली जून, 2008 से शुरू हुई मौसम भविष्यवाणी प्रणाली ने जिला स्तर सभी 613 जिलों में हर पांच दिन की मौसम भविष्यवाणी पर सलाह देना शुरू कर दिया है। इसमें मौसम के सात मुख्य घटकों—वर्षा, न्यूनतम व अधिकतम तापमान, सापेक्षिक आद्रता, हवा की दिशा और वेग और बादल की मात्रा का अनुमान शामिल है। कोई एक अंकीय मॉडल भारतीय क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है इसलिए भारत मौसम विज्ञान विभाग भी मल्टी मॉडल पद्धति से अनुमान लगाता है। विभाग दुनिया भर के अंकीय मॉडलों के आधार पर अनुमान करता है। ये हैं टी 254 मॉडल, एनसीएसआरडब्ल्यूएफ का, टी-799 मॉडल यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग का यूनाइटेड किंगडम मेट ऑफिस, नैशनल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट प्रिडिक्शन, यूएसए तथा जापान मेटेरोलॉजिकल एजेंसी। इस तरह मिले नतीजे राज्यों में स्थित मौसम विभाग के अपने केंद्रों और क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों को भेजे गए। इन परिणामों के मूल्यवर्धन के बाद ये कार्यालय उन्हें राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और आईसीएआर के संस्थानों में मौजूद 130 एग्रोमेट फील्ड इकाइयों को भेजते हैं।

सलाहकार सेवा नेटवर्क

उपरोक्त भविष्यवाणी उत्पादों और जिलों से आई फसल सूचनाओं के आधार पर एएमएफयू जिलावार कृषि सलाह तैयार करते हैं। इसमें कृषि विश्वविद्यालय, आईसीएआर कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि एवं सहकारिता विभाग राज्यों के कृषि/बागवानी/पशुपालन/वाणिकी विभाग, गैरसरकारी संगठन और मीडिया एजेंसियां शामिल होती हैं। इस परियोजना में पांच चरण हैं जिसमें सेवा के सभी हिस्से, जैसे—मौसम विज्ञान संबंधी, कृषि, कृषि विस्तार और सूचना प्रसार एजेंसिया शामिल हैं।

सलाह के प्रसार की प्रक्रिया

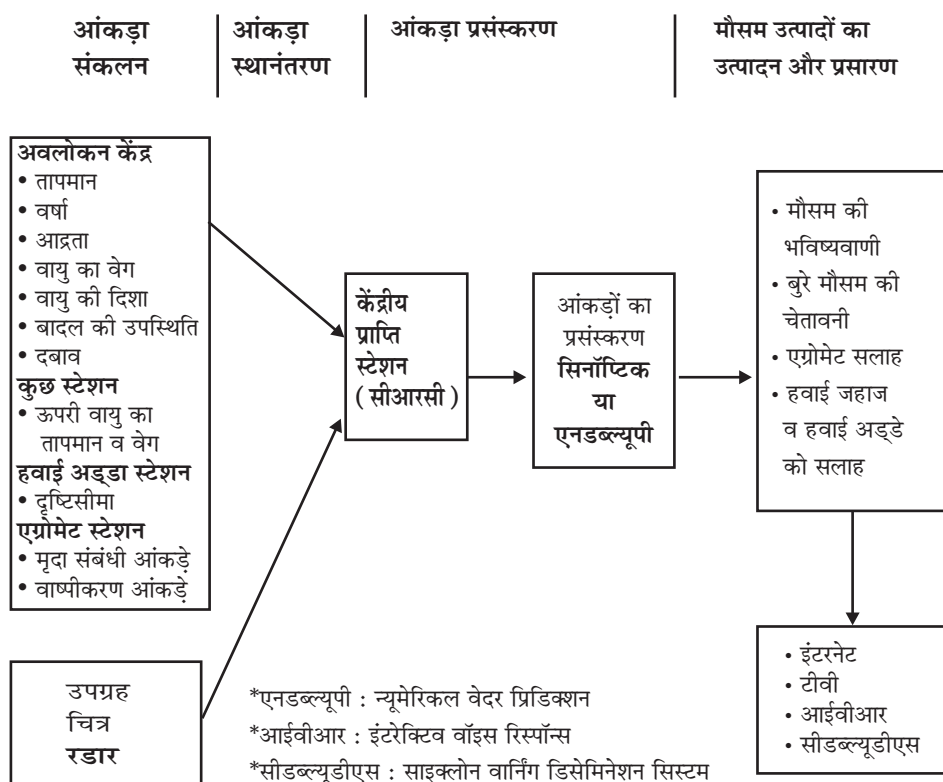
मौसम आधारित सलाहों को जन संचार माध्यमों और जिला स्तर के माध्यमों से किसानों तक पहुंचाया जाता है। इसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन, निजी टीवी चैनल, एफएम रेडियो, समाचार पत्र-पत्रिकाएं, इंटरनेट, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सामुदायिक सेवा केंद्र, सेल फोन, एसएमएस, कृषि विज्ञान केंद्र, जिला कृषि कार्यालय, किसान कॉल सेंटर और गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं। मौसम की भविष्यवाणी की गुणवत्ता, उपयोगिता, प्रभावकारिता आदि के बारे में जानने के लिए किसानों से प्रतिक्रिया पाने का तरीका भी निकाला गया है। भविष्यवाणियों की सटीकता और पहुंच को लगातार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

मौसम विज्ञान विभाग का आधुनिकीकरण

भारत में वर्षा की प्रकृति हर साल ज्यादा असामान्य होती जा रही है। इसलिए मौसम विज्ञान विभाग को विभिन्न अवलोकन एजेंसियों से आंकड़े लेने के अलावा अपनी सेवाओं को आधुनिक बनाने में भी जुटा है। यह आधुनिकीकरण योजना तीन चरणों में लागू करने का प्रस्ताव है। इसमें संचार,

अवलोकन, भविष्यवाणी प्रणाली, चक्रवात चेतावनी, उड्डयन आदि के क्षेत्र में विभिन्न उपकरणों का उन्नयन/खरीद शामिल है। प्राथमिक उद्देश्य यह है कि हर जिले में मौसम निगरानी उपकरण सीधे उपग्रह से जुड़ा हो ताकि मौसम संबंधी आंकड़े तत्काल मिल सकें। पिछले दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान ये प्रणालियां बहुत काम आईं। इससे वैज्ञानिक कम दबाव के क्षेत्र के चलन को बारीकी से अध्ययन कर सकता है जिससे मौसमी बदलावों का सटीक अनुमान लगा सकता है। इससे सुदूर इलाकों में अप्रशिक्षित लोगों के द्वारा मापन करने से होने वाली त्रुटियों की कोई संभावना नहीं रहती। दुनियाभर के अध्ययनों में एडब्ल्यू एस स्टेशनों के नेटवर्क के उपयोग से शहरों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के लिए आवश्यक स्थानीय मौसम अनुमान में सुधार हुआ है। इस परियोजना को तेजी से लागू करने के लिए आधुनिकीकरण परियोजना को 10 उप-परियोजनाओं में बांटा गया है जिनमें से हर एक में एक निदेशक और कई टीम के सदस्य होंगे। इनके काम-काज को सुचारु रूप से चलाने के लिए स्पष्ट कार्य व निगरानी व्यवस्था की गई है। विभिन्न भागों में कृषि मौसम विज्ञान संबंधी सलाहें प्रसारित करने के लिए बहुभाषा वेबसाइट बनाई गई है जिसे पुणे स्थित एग्रीमेट केंद्र से अद्यतन किया जाता है।

विभाग का पूरा काम-काज बड़ी संख्या में वेधशालाओं और मिले आंकड़ों के विश्लेषण पर निर्भर है जिन्हें समाज के विभिन्न हिस्सों को संप्रेषित किया जाता है। नीचे के चित्र से इनके अंतर्संबंध स्पष्ट होते हैं।



भविष्यवाणियों/सलाहों की सटीकता इन कारकों पर निर्भर है—

- अवलोकन केंद्रों की संख्या और सघनता
- जमीन पर और वायुमंडल में स्थापित उपकरणों की गुणवत्ता, जिनसे आंकड़े लिए जाते हैं
- सभी केंद्रों से आंकड़े कितनी जल्दी सीआरसी पहुंचते हैं
- आंकड़ों का संप्रेषण स्वचालित है या मानवचालित
- आंकड़ों के विश्लेषण की प्रविधि, यानी अंकीय मौसम भविष्यवाणी (एनडब्ल्यूपी) मॉडल इस्तेमाल किए जा रहे हैं या कोई और; तथा मॉडलों की गुणवत्ता।
- भविष्यवाणी या सलाहों को प्रसारित करने की प्रविधि
- उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया पाने की प्रविधि ताकि मॉडलों में सुधार किया जा सके।
- कितनी जल्दी नई तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम भविष्यवाणी केंद्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ)

यहां एक्स 1 ई तथा परम पदम कंप्यूटर लगाए गए तथा इनका परीक्षण किया गया। 2006 के मानसून के लिए तत्काल मानसून पूर्वानुमान किए गए। 2005 में टी 80/एल 18 मॉडल से सामूहिक पूर्वानुमान प्रणाली लागू की गई। एनजीईपी क्षेत्रीय स्पेक्ट्रल मॉडल (आरएसएम 97) का सबसे नया रूपांतर स्थापित किया गया जो टी-80 वैश्विक स्पेक्ट्रल मॉडल के साथ प्रायोगिक तौर पर चलाया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग और एसएसी अहमदाबाद को विस्तारित श्रेणी मानसून पूर्वानुमान दिए गए जिनमें 10 सदस्यों को उपयोग किया गया। 30 कि.मी के क्षेत्रीय घूर्णन और 31 स्तर ऊर्ध्वाधर घूर्णन वाला मौसम अनुसंधान भविष्यवाणी (डब्ल्यूआरएफ) मॉडल स्थापित किया गया। 24 एग्रोमेट खोली गई जिससे एएस इकाइयों की संख्या 107 हो गई है। वर्ष 2004 से केंद्र ने अपने नोएडा स्थित नए परिसर में काम करना शुरू कर दिया और काम-काज में रुकावट के बिना जरूरी कंप्यूटर सुविधाएं स्थापित की गईं। समुद्री हवाओं के पूर्वानुमान के लिए वेव वॉच मॉडल के लिए समय पर आंकड़े देने हेतु एक मध्यम श्रेणी का 10 किलोमीटर वियोजन वाला ईटीए मॉडल स्थापित करके लिनक्स वातावरण में जांचा गया। 3 वीडिआर सम्मिश्रण प्रणाली भी सफलतापूर्वक स्थापित और परीक्षित की गई ताकि एसएम 5/डब्ल्यूआरएफ मॉडल को प्रचालन के लिए बेहतर शुरुआती स्थितियां मिल सकें। 82 एग्रोमेट इकाइयों को सप्ताह में दो बार 4 दिन के विचलन के साथ दैनिक मौसम का पूर्वानुमान दिया गया। कृषि मंत्रालय के फसली मौसम निगरानी समूह को हर सोमवार को अखिल भारतीय साप्ताहिक मौसम भविष्यवाणी भेजी गई। कई उपभोक्ताओं को मध्यम श्रेणी का, आवश्यकतानुसार मौसम पूर्वानुमान भेजा गया : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) को उपग्रह छोड़ने के लिए, रक्षा मंत्रालय को एवरेस्ट व अन्य अभियानों के लिए, जल संसाधन से संबंधित निकायों को, ऊर्जा उत्पादन तथा परिवहन क्षेत्रों को। भारत मौसम विज्ञान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को 2006 और 2007 के मौसमी पूर्वानुमान प्रायोगिक तौर पर दिए गए। केंद्र ने एनडब्ल्यूपी उत्पादों के विकास, उपयोग और परिणामों के विश्लेषण में योगदान किया है।

समर्पित मौसम चैनल : उड्डयन, पर्यटन, रक्षा, परिवहन, बिजली, खेल व अन्य सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों के विकास में दैनिक मौसम की जानकारी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए मंत्रालय ने अत्याधुनिक मौसम चैनल शुरू करने का फैसला किया जो 24 × 7 आधार पर मौसम की सूचना देता है। अनुसंधान, अवलोकन, मॉडलिंग और संचार के क्षेत्र में विशेषज्ञता से इस प्रयास में मदद मिलगी।

समुद्र विज्ञान और सेवाएं : इस अभियान में मुख्यतः आधारभूत विकास, उत्पादों/सेवाओं का परिचालन, उत्पादन और प्रसारण, अवलोकन नेटवर्क की स्थापना, समुद्री मॉडल का विकास आदि शामिल हैं। सतह पर बहने वाली नौकाओं, धारा मापने के ऐरे, फैलने वाले बाथीथर्मोग्राफ और ज्वार-भाटा मापकों के जरिए पूरे भारत से विभिन्न स्थानों के आंकड़े प्राप्त करने के लिए मंत्रालय का एक व्यापक समुद्र अवलोकन कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय एआरजीओ परियोजना के तहत 300 किलोमीटर के अंतर पर पूरे विश्व के समुद्रों में 3000 एआरजीओ फ्लोट लगाए जाएंगे। इनमें से 71 फ्लोट काम कर रहे हैं। इनके अलावा भारत सहित अनेक देशों ने हिंद महासागर में 618 फ्लोट लगाए हैं जो काम कर रहे हैं। फ्लोट से प्राप्त सभी आंकड़े आईएनसीओआईएस पर उपलब्ध हैं। इस काम में भारत की सक्रिय भागीदारी रही है। एग्रो डाटा से प्राप्त विभिन्न डाटा उत्पाद भी आईएनसीओआईएस समुद्र वेबसाइट पर उपयोग के लिए उपलब्ध है। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) हैदराबाद में फरवरी, 1999 में स्थापित किया गया। यह समुद्री विषयों पर ज्ञान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रयास है। यह विभिन्न प्रकार की समुद्रतटीय तथा समुद्री सूचनाएं व सलाहकार सेवाएं देने के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मछलीमार समुदाय को महत्वपूर्ण मछलीमार क्षेत्रों (पीएफजेड) के बारे में भरोसेमंद सलाह देने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है। समुद्र, अंतरिक्ष और मत्स्य विज्ञान के विशेषज्ञों के समुद्रतटीय राज्यों के साथ संयुक्त प्रयासों से पीएफजेड इलाकों के मौसम के बारे में समय पर भरोसेमंद सलाह देना संभव हो गया है। समुद्र सतह के तापमान और क्लोरोफिल आदि के आधार पर लहरों के प्रवाह, मछलियों के पाए जाने की संभावित जगहों आदि का पता लगाया जाता है। यह सलाह स्थानीय भाषाओं में तैयार की जाती है और 225 स्थानों पर बिना बादल वाले दिनों में सप्ताह में तीन बार—मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार को दी जाती है। ये सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड, सूचना क्रियोस्क, रेडियो, समाचार पत्र, ईमेल व वेबसाइट तथा फैक्स और फोन पर दी जाती है। देश के मछलीमार समाजों को इसी जरिए से सूचना मिलती है। साथ ही वैज्ञानिकों और मछलीमारों के बीच तट पर गहन विचार-विमर्श होता है जिससे इन सूचनाओं का श्रेष्ठ उपयोग हो पाता है और उनमें इन सलाहों का उपयोग करने के बारे में जागरूकता बढ़ती है। साथ ही मछलीमारों से इन प्रयासों पर प्रतिक्रिया भी प्राप्त हो जाती है। केरल के तटों के पास स्थापित 295 गिल नेटर और 400 रिंगसीनर से प्राप्त आंकड़ों से देखा गया कि इससे वेलापवर्ती मछलियों को ढूंढने के समय में 30 से 70 फीसदी की कमी आई जिससे डेढ़ से 6 लाख रुपए प्रति नौका प्रतिवर्ष की बचत हुई।

आईएनसीओआईएस अपने 60 पंजीकृत उपभोक्ताओं के अलावा समुद्री तथा समुद्र के भीतर विकास की गतिविधियों के लिए वेबसाइट के जरिए सूचना भेजता है। इसने हिंदमहासागर स्थिति फ्लोटों से प्राप्त आंकड़ों के संग्रहण व प्रसारण के लिए एआरजीओ आंकड़ा केंद्र भी बनाया है। 12 एग्रो डाटा उत्पाद वेबसाइट के जरिए तत्क्षण दिए जाते हैं।

आईओजीओओएस की 5 नवंबर-2002 को औपचारिक स्थापना हुई। 10 देशों के 19 संगठन इसके सदस्य हैं और हिंदमहासागर में जीओओएस के कार्यान्वयन में सहयोग के लिए सहमत हैं ताकि इस क्षेत्र में समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हो सके।

समुद्र प्रौद्योगिकी

समुद्र विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) एक स्वायत्त संस्थान है जिसकी स्थापना समुद्र ऊर्जा, गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकी और समुद्री खनन, तटीय व पर्यावरणीय इंजीनियरी, और समुद्री यांत्रिकी के क्षेत्र में परियोजना व विकास के लिए हुई। संस्थान की गतिविधियों में

से एक है—कम ताप पर तापीय विलवणीकरण प्रक्रिया (एलटीटीडी) से समुद्री जल से पेयजल प्राप्त करना। इसके बाद ठंडा समुद्री जल से पाइप के जरिए प्राप्त करने की चुनौती शेष है।

मानव के लिए पेयजल अतिआवश्यक है। दुनिया की आबादी में तेज वृद्धि और पेयजल के असमान वितरण के कारण पेयजल प्राप्त करने की नई तकनीकों की जरूरत पड़ती है। नदियों का पानी पर्याप्त नहीं है इसलिए वैज्ञानिक अब समुद्री जल के इस्तेमाल के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समुद्री पानी खारा होता है। फिलहाल इस खारेपन को दूर करने के लिए आसवन विपरीत ऑस्मोसिस और इलेक्ट्रो-डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। भारत की जरूरतों को देखते हुए दो तरह के विलवणीकरण संयंत्र विकसित किए गए हैं— भूमि आधारित और समुद्र तट से दूर/भूमि आधारित संयंत्र लक्षद्वीप के लिए उपयुक्त है जबकि तट से दूर के संयंत्र देश के मुख्य भू-भाग के लिए ठीक हैं। लक्षद्वीप छोटे द्वीप है जिनमें मीठे पानी के स्रोत तालाब नदियां आदि नहीं हैं। वहां वर्षा का पानी ही इस्तेमाल किया जाता है। नलकूप का पानी में अक्सर समुद्री पानी मिला होता है। इसलिए विलवणकरण वहां के लोगों के लिए अच्छा विकल्प है।

भूमि आधारित संयंत्र : एक लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला एक संयंत्र मई, 2005 में कावारत्ती में लगाया गया था। इसे एनआईओटी ने विकसित किया। इससे वहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। अब तक यह 9 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी साफ कर चुका है। और कई बार उत्पादन इसकी निर्धारित क्षमता से ज्यादा भी हो जाता है। इसके कारण कावारत्ती में पानी से होने वाली बीमारियां खासतौर पर बच्चों को, घट कर 10 फीसदी से भी कम रह गई हैं। साथ ही कावारत्ती के समुद्रतटों पर सजावटी मछलियां पैदा हो रही हैं जिससे यहां नयी समुद्री परिस्थितिकी व्यवस्था विकसित हो रही है। इससे यहां पर्यटन उद्योग को लाभ हुआ है। इन लाभों को देखते हुए लक्षद्वीप प्रशासन ने ऐसे और संयंत्र मिनीकोय, अगत्ती और एंड्रोथ में लगाने की योजना बनाई है जो दिसंबर 2009 तक पूरी हो जाएगी। जमीन आधारित एक संयंत्र उत्तरी चेन्नई ताप विद्युत गृह में मई 2009 में लगाया गया। यह तकनीक पर्यावरण के अनुकूल है और बिजलीघर के बेकार ताप का सदुपयोग करके चलती है।

समुद्र तट से दूर संयंत्र : अप्रैल, 2007 में 10 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला देश में ही बना एक संयंत्र चेन्नई से कोई 40 कि.मी. दूर लगाया गया। प्रयोग के तौर पर लगे इस संयंत्र को लगातार कई हफ्तों तक सफलतापूर्वक चलाया गया। एक हजार मीटर की गहराई में लगे पाइप से पानी लेने वाला यह समुद्रतट से दूर स्थित एकमात्र संयंत्र है। फिलहाल एक करोड़ लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला संयंत्र विकसित किया जा रहा है।

क्रियान्वयन की स्थिति : फिलहाल संयंत्र का विस्तृत डिजाइन बनाकर उसका विश्लेषण किया जा रहा है। मंत्रालय इन संयंत्रों को लगाने के बाद उनके प्रचालन और रखरखाव के लिए निजी-सरकारी सहयोग पर भी विचार कर रहा है। इसमें उद्योग की भागीदारी के लिए एक परियोजना प्रस्ताव सरकार की मंजूरी के लिए बनाया जा रहा है। पुनरोपयोगी ऊर्जा क्षेत्र, जैसे सौर और पवन ऊर्जा के लिए सरकार प्रोत्साहन देती है। ऐसे प्रोत्साहन एलटीटीडी के लिए भी देने के बारे में सरकार से मांग की गई है।

समुद्र में खनन : भारत पहला देश है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने 1987 में समुद्र के भीतर के संसाधनों की खोज और उपयोग के लिए मध्य हिंदमहासागर में खनन की अनुमति दी। भारत, समुद्र की तली में 6000 मीटर नीचे मिलने वाले बहुधातु गांठों के खनन की अनुमति चाहता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने रूसी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर 5200 मीटर समुद्रतल में पास जाने वाले लवणों की पहचान का उपकरण विकसित किया है। साथ ही रूस के साथ, 6000 मीटर की गहराई पर काम करने वाले रिमोट चालित

वाहन के विकास की परियोजना पर काम चल रहा है। 200 मीटर गहराई वाले प्रायोगिक उपकरण को जांचा जा चुका है इसे पूरी तरह भारत में बनाया गया है। इस तरह भारत कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो समुद्र में खनन कर सकते हैं।

भारत को 2007 से पांच साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण (आईएसए) के विधिक व तकनीकी आयोग का सदस्य चुना गया है।

भू-क्षेत्र और भूकंपीय आपदा

सुनामी शीघ्र चेतावनी प्रणाली : 15 अक्टूबर, 2007 को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और भू-विज्ञान मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने आईएनसीओआईएस हैदराबाद स्थित प्रारंभिक सुनामी चेतावनी प्रणाली का उद्घाटन किया। 26 दिसंबर 2004 को ग्रेट सुमात्रा में आए भूकंप के बुरे परिणामों के बाद भारत सरकार ने हिंद महासागर क्षेत्र में हैदराबाद में यह संयंत्र लगाया जो चौबीसों घंटे काम करता है। यह सुनामी की अग्रिम चेतावनी देता है, जिसकी देश के तटों तक पहुंचने की संभावना हो। इसके लिए मौसम विज्ञान विभाग ने तत्क्षण भूकंप निगरानी नेटवर्क (आरटीएसएमएन) लगाया है। इससे न्यूनतम समय में सुनामी की सटीकतम जानकारी मिल सकेगी। इसमें वीसैट के जरिए मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली और आईएनसीओआईएस, हैदराबाद को तत्काल डाटा मिल जाएगा जिसे विश्लेषित करके वे हिंद महासागर में संभावित भूकंप को पहचान पाएंगे। इसके लिए विदेशी एजेंसियों से भी सहयोग लिया जा रहा है। भूकंप की सूचना विभिन्न माध्यमों से संबंधित एजेंसियों को स्वचालित तरीकों से दी जाएगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, अंतरिक्ष विभाग और भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर यह प्रणाली स्थापित की है।

सुनामी मॉडलिंग के अलावा पिछले सुनामियों के आंकड़े, तीव्रता, स्थान आदि के आधार पर भारतीय तटों पर सुनामी क्षेत्रों की पहचान की गई है। जल्द सुनामी चेतावनी केंद्र 6 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप को उनके होने के 20 मिनट पहले पहचान सकता है। गहरे समुद्र में लगे तल दाब अभिलेखक (बीपीआर) सुनामी की शुरुआत को पहचानने वाले महत्वपूर्ण संवेदक हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने बंगाल की खाड़ी में 4 और अरब सागर में दो बीपीआर लगाए हैं। इनके अलावा संस्थान और सर्वे ऑफ इंडिया ने सुनामी की लहरों के बढ़ने को जानने के लिए 30 ज्वार भाटा मापक यंत्र लगाए हैं। समेकित तटीय व समुद्री क्षेत्र प्रबंधन ने 5 ऐतिहासिक भूकंपों के लिए सुनामी मॉडल बनाए हैं और संभावित क्षेत्रों का अनुमान लगाया है। इन संभावित क्षेत्रों के नक्शे आबादी और ढांचागत सुविधाओं को होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाने में बेहद मददगार होते हैं। मॉडलिंग के लिए जरूरी बारीक आंकड़े राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एनआरएसए) तैयार करती है। आईएनसीओआईएस ने भी कई मॉडल परिदृश्यों का डेटाबेस तैयार किया है जिन्हें विभिन्न भूकंपों के समय मापा गया था। और इनका उपयोग सुनामी शीघ्र चेतावनी के लिए किया जा रहा है।

भूकंप केंद्रों से तत्क्षण मिले आंकड़ों को शीघ्र चेतावनी केंद्र तक तत्काल भिजवाना महत्वपूर्ण है ताकि समय पर सुनामी की चेतावनी जारी की जा सके। इसके लिए अनेक संचार प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इनसैट के उपयोग से शुरुआत से अंत तक आंकड़ों के संचार की योजना बनाई है।

राष्ट्रीय शीघ्र चेतावनी केंद्र समय पर सलाह गृह मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष को भेजता है जिसे मंत्रालय जनता के लिए जारी करता है। उपग्रह आधारित वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपदा प्रबंधन सहयोग

(वीपीएनडीएमएस) की भी स्थापना गृह मंत्रालय ने सूचना के प्रसारण के लिए की है। सुनिश्चित चेतावनी की स्थिति के लिए राष्ट्रीय शीघ्र चेतावनी केंद्र को सीधे प्रशासकों, मीडिया व जनता को चेतावनी भेजने में समर्थ बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए मौसम विज्ञान विभाग के चक्रवात चेतावनी नेटवर्क और आईएनसीओआईएस के इलेक्ट्रॉनिक समुद्र सूचना मंडल का भी उपयोग किया जा सकता है।

चौबीसों घंटे सुनामी सलाह तैयार और प्रसारित करने के लिए मानक प्रचालन पद्धति (एसओपी) विकसित की गई है। 12 सितंबर, 2007 को हिंदमहासागर में आए 8.4 तीव्रता वाले समुद्र के भीतर के भूकंप के समय इस सुनामी चेतावनी व्यवस्था की परीक्षा हो गई।

अप्रैल, 2008 में हिंदमहासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली पर यूनेस्को द्वारा स्थापित पांचवें आईओसी समन्वय समूह ने हिंदमहासागर में क्षेत्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली की जिम्मेदारी को पहचाना।

भूकंपीय क्षेत्र : भारत में 10 ब्रॉड बैंड भूकंपीय अवलोकन नेटवर्कों को संशोधित किया गया। इसके लिए नई दिल्ली में भूकंप संभावना मूल्यांकन केंद्र बनाया गया ताकि भूकंपों के खतरे का मूल्यांकन किया जा सके।

चुनिंदा शहरी केंद्रों में माइक्रोजोनेशन अध्ययन : माइक्रोजोनेशन एक बहु-विषयक और बहु संस्थात्मक प्रयास है जिसका आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन, शहरी विकास, नियोजन, डिजाइन और निर्माण और जीवन व संपत्ति को आशंका का आकलन, रक्षा स्थापनाएं, भारी उद्योग और जन उपभोक्ता व सेवाएं आदि क्षेत्रों में प्रत्यक्ष उपयोग है। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली, गुवाहाटी, सिक्किम और बंगलूरु के लिए माइक्रोजोनेशन अध्ययन किए गए। गुवाहाटी और सिक्किम के लिए 1:25000 पैमाने पर माइक्रोजोनेशन का काम पूरा हो चुका है। जबकि दिल्ली के लिए 1:50,000 पैमाने पर काम हो चुका है और इसके बाद नक्शे को 1:00000 पैमाने पर विस्तारित किया जा रहा है। बंगलूरु माइक्रोजोनेशन का काम भी काफी आगे बढ़ चुका है। ये सभी अध्ययन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत हो रहे हैं।

क्रायोस्फीयर और ध्रुवीय विज्ञान

अंटार्कटिक संधि-अंटार्कटिक में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र : भारत को 30वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक में 2007 में मेजबान बनने का अवसर मिला। 1983 में भारत के अंटार्कटिका संधि में शामिल होने और सलाहकार का दर्जा मिलने के बाद से उसे पहली बार एटीसीएम का मेजबान बनने का मौका मिला।

इस बैठक के अन्य परिणामों में थे-एटीसीएम द्वारा भारत के नए अनुसंधान बेस लारसेमान हिल्स, पूर्वी अंटार्कटिका में बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलना। इससे भारत लारसेमान पहाड़ पर अपने तीसरे केंद्र के फाइनल डिजाइन के अनुसार निर्माण कार्य कर सकेगा।

एटीसीएम ने पर्यटन से जुड़े दो और फैसले किए—एक, अंटार्कटिका संधि क्षेत्र में जहाज आधारित पर्यटन और दूसरा अंटार्कटिका में पर्यटन के लिए जमीनी स्थायी ढांचागत सुविधाओं विकास से संबंधित है, जिनकी शर्त है कि संबंधित पक्ष 500 से ज्यादा यात्रियों को ले जाने वाले जहाजों को अंटार्कटिका में रुकने से मना किया जाएगा और जहाजों व पर्यटकों की संख्या का अनुपात एक समय में एक के मुकाबले 100 से कम न हो इसका ध्यान रखा जाएगा।

आइस-कोर प्रयोगशाला : गोवा में राष्ट्रीय अंटार्कटिक और समुद्री अनुसंधान केंद्र (एनसीएओआर) की, विशेष रूप से ध्रुवीय अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में स्थापना से स्पष्ट होता है कि भारत की

अंटार्कटिक विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण में सतत गहरी रूचि रही है। यह केंद्र भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम की मुख्य समन्वय एजेंसी है और वहां भारत के स्थायी केंद्र 'मैत्री' की देखभाल के लिए जिम्मेदार है। केंद्र ने ध्रुवीय विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक गतिविधियां पर ध्यान देने में मदद की है तथा समुद्री बर्फ के वातावरण में अनुसंधान, विचार विमर्श और जलवायु मॉडलिंग, अंटार्कटिका और वैश्विक बदलाव, पुराकालिक जलवायु तथा पुराकालिक पर्यावरण व दक्षिणी समुद्र के अध्ययन और अनुसंधान और विकास की गतिविधियां चलाई हैं। आइस-कोर प्रयोगशाला अब यहां शुरू हो चुकी है। यह हिमालय और अंटार्कटिका दोनों के लिए ही सारभाग के संग्राहक का कार्य करेगी। इसका इस्तेमाल पिछली जलवायु और पर्यावरण में बदलाव देखने के लिए किया जा रहा है। साथ ही इससे जलवायु मॉडलों को सुधार करने में भी मदद मिलेगी। 'मैत्री' में एक अर्थ स्टेशन बनाया गया है जहां से भारत की मुख्यभूमि से संपर्क के लिए 2 एमबीपीएस की रफ्तार से संचार की व्यवस्था की गई है।

आर्कटिक अभियान : भारत ने अंटार्कटिका में पिछले 27 साल में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा दी है। लेकिन आर्कटिक के बारे में ज्ञान की कमी से द्विध्रुवीय नजरिए से आगे अध्ययन में कमी महसूस की गई। आर्कटिक समुद्र व आस-पास की जलवायु सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से है जो न सिर्फ पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करती है बल्कि उसके पिछले जलवायुवीय इतिहास को संरक्षित भी करता है। यह क्षेत्र भविष्य के बदलाव की शुरुआत करने वाला स्थल भी है क्योंकि पृथ्वी पर होने वाले जलवायुवीय बदलाव यहां पर सबसे अधिक स्पष्ट रूप में होते हैं। यहां के मौसम से भारत के मानसून की तीव्रता का सीधा संबंध है जो कि हमारी खेती और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन यह संबंध क्या है और कैसे काम करता है, इस पर अनुसंधान जारी है। इसी ज्ञान की तलाश में भारत ने अगस्त, 2007 में एनसीएओआर गोवा के निदेशक श्री रसिक रवींद्र के नेतृत्व में अपना पहला अभियानदल इस क्षेत्र में भेजा। दल ने नार्वे के स्पिट्सबर्गेन द्वीप पर नाइ-अलेसुंद स्थित अनुसंधान सुविधाओं का उपयोग किया। दल में विभिन्न क्षेत्रों के पांच विशेषज्ञ सदस्य एनसीएओआर, गोवा; सीसीएमबी, हैदराबाद; आईआईटीएम, पुणे; और लखनऊ विश्वविद्यालय से थे। उन्होंने वातावरणीय अध्ययन, आर्कटिक सूक्ष्मजीवों और पृथ्वी विज्ञान से संबंधित तीन परियोजनाएं शुरू की हैं। 29 फरवरी 2008 को शीतकालीन अभियान में चार और नई परियोजनाएं शुरू की गईं। भारतीय आर्कटिक स्टेशन का नाम हिमाद्रि है जिसका बेस कैंप नार्वे में है।

ओआरवी सागर कन्या : इस जहाज में नई डीपी प्रणाली, बेहतर जनरेटर, आधुनिक मल्टी बीम स्वाथ बाथीमेट्रिक प्रणाली आदि लगाकर इसे बेहतर बनाया गया है। समुद्र में 140 दिनों में 10 यात्राएं करने के अलावा इसरो-जीबीपी के अंतर्गत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अवलोकन के लिए 'एरोसोल, गैस और विकिरण बजट के लिए समेकित अभियान' भी इसने 50 दिन से ज्यादा की समुद्री यात्रा के बाद पूरा कर लिया। इसमें 29 वैज्ञानिक/तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे जिन्होंने विभिन्न नमूने/आंकड़े संग्रहीत किए। जीएसएलवी इंजन की खोज के लिए पहली बार ओआरवी सागर कन्या ने 92 वर्ग कि.मी क्षेत्र में लगभग 600 मील की यात्रा की। इस असफल उपग्रह प्रक्षेपणयान के तीन इंजन एस 1, एस 2 व एस 3 तथा चौथे इंजन एस 4 के कुछ टुकड़े समुद्र तल से उठाए गए इसमें 94 स्थानों के लिए 550 बार डुबकियां लगाई गईं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 1996 में एरीयान के बाद जीएसएलवी के उपकरणों को समुद्र से निकालना अंतरिक्ष इतिहास में दूसरा ऐसा प्रयास था।

अजैविक संसाधन

बहुधातु नोड्यूल कार्यक्रम : हिंदमहासागर के थाले में संयुक्तराष्ट्र द्वारा नोड्यूल की खोज और

उपयोग की अनुमति मिलने के बाद भारत 1987 में शुरुआती निवेशक का दर्जा पाने वाला पहला देश बन गया। अभी भारत के पास 75,000 कि.मी. का जल क्षेत्र है जो उसके दक्षिणी सिरे से 1600 नॉटिकल मील दूर है। भारत उन 8 देशों/संधिकारों में से है जिन्होंने बहुधातु नोड्यूल की तलाश व उपयोग के दीर्घकालिक कार्यक्रम चलाए हैं।

मैंगनीज नोड्यूल खनन कार्यक्रम के तहत एक, क्रॉलर खननस्थल पर टेस्टर और दूर से संचालित करने वाला वाहन बनाया और परीक्षित किया गया। ये परीक्षण 410 मीटर, 5200 मीटर और 205 मीटर की गहराई में किए गए। धातुओं को निकालने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा स्थापित परीक्षण संयंत्र में तीन प्राथमिक प्रोसेस रुटों का परीक्षण किया गया और तांबा, निकल और कोबाल्ट को बहुधातु नोड्यूल से सफलतापूर्वक निकाला गया।

भारतीय महाद्वीपीय शेल्फ कार्यक्रम : देश के महाद्वीपीय शेल्फ की बाहरी सीमाएं तय करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण बहु-संस्थागत राष्ट्रीय प्रयास है। 1995 के सम्मेलन में भारत के समर्थन के बाद भारत को मई, 2009 तक अपने विस्तारित शेल्फ के दावे को दाखिल कराना था। इस काम को एनसीएओआर ने अंजाम दिया। 17 जुलाई, 2002 को शुरू हुए बहु-संस्थागत समुद्री भू-भौतिक आंकड़ा संकलन कार्यक्रम में साफ मौसम वाले 385 दिनों के दौरान 31,000 कि.मी. के भूकंपीय गतिविधियों, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय आंकड़े जुटाए गए। इसके अलावा देश में पहली बार अत्याधुनिक 90 समुद्रतलीय सीस्मोमीटर कई भूकंपीय क्षेत्रों में सफलतापूर्वक चलाए गए। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या का कार्य एनसीएओआर, एनजीआरआई और एनआईओ को दिया गया है। जून, 2007 में भारत यूएनसीएलओएस का सदस्य चुना गया।

इस वर्ष मंत्रालय ने म्यामार के लिए भू-भौतिक सर्वेक्षण का कार्य किया जो कि सीएलसीएस की जरूरत थी। भू-भौतिक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए म्यामार के वैज्ञानिकों के लिए एक कार्यशाला एनसीएओआर, गोवा में आयोजित की गई। म्यामार के ईईजेड में भू-भौतिक आंकड़ों के संकलन के लिए कुल 2759 कि.मी. क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा चुका है।

गैस हाइड्रेट : भारत के ईईजेड में गैस हाइड्रेट सहित विभिन्न स्रोतों की उपलब्धता की अपार संभावना को देखते हुए यहां ईईजेड क्षेत्र में व्यापक बाथमेट्रिक सर्वेक्षण किया गया। इसके तकनीकी पक्षों को सुलझाने के लिए भारत-रूस गैस हाइड्रेट केंद्र स्थापित किया गया है।

तटीय व समुद्री पारिस्थितिकी

समुद्री सजीव संसाधन : देश के आस-पास समुद्रों में जीवित संसाधनों के व्यवस्थित वैज्ञानिक आकलन के लिए मत्स्य अनुसंधान व अन्य संस्थानों ने मिल कर एक समर्पित कार्यक्रम शुरू किया है। इसका समन्वय समुद्री सजीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र (सीएमएलआई) कोचि कर रहा है। समुद्री जीवों से औषधि विकास के लिए पिछले कुछ दशकों में कई प्रयास किए गए। दो योगिकों (मधुमेह निरोधी और डिस लिपिडेमिया निरोधी) को निकाला गया है और उन्हें औषधि रूप में लाने का कार्य काफी आगे बढ़ चुका है। इसके अलावा सीसे वाले यौगिक एंटीबायोटिक, एंटीवायरल रक्त कैंसर विरोधी पाए गए हैं और उनकी विषाक्तता व प्रयोगिक परीक्षण का कार्य चल रहा है। मंत्रालय में समुद्री विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए समुद्र जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है।

झींगा मोटापन तकनीक : राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई ने झींगा मछली व केकड़ों को मोटा करने की तकनीक विकसित की है। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी और अंडमान द्वीपों के चुनिंदा

लाभार्थियों के लिए प्रयोग के तौर पर यह तकनीक उपयोग की गई। इससे मछलीमारों की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। समुद्री खरपतवार कल्चर की यह तकनीक मन्नार की 100 महिलाओं को, झींगा को मोटा बनाने और केकड़ों को मोटा बनाने की तकनीक अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की 25-25 महिलाओं को उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा एनआईओटी ने लक्षद्वीप के लाभार्थियों के लिए अरब सागर में 28 मत्स्य विकास उपकरण लगाए हैं।

समेकित तटीय व समुद्री क्षेत्र प्रबंधन (आईसीएमएएम)

1998 में शुरू हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य तटीय इलाकों की समस्याओं जैसे मिट्टी का अपरदन, प्रदूषण और अधिवास का नष्ट होना आदि से निबटने के लिए वैज्ञानिक उपाय और तकनीकों को उपयोग करना है। इससे मैंग्रोव, मुंगा पर्वतों, तथा अन्य जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सेहत का आकलन दूरसंवेदी यंत्रों से किया जा सकता है। गणितीय मॉडलों से तटों के अपरदन का आकलन और वैकल्पिक उपायों का प्रदर्शन एन्नोर (तमिलनाडु), पनथुरा और कायनकुलम (केरल) तथा मैंगलोर (कर्नाटक) में किया गया। इसी तरह की परियोजनाएं गोपालपुर (उड़ीसा), कर्नाटक के उत्तरी कनारा और अन्य चुनिंदा समुद्र तटों पर भी यह परियोजना चलाई जा रही है। कोच्चि के बैकवार्टर्स, चिलका झील और सुंदरबन में पारिस्थितिकी मॉडल की पहल भी की गई है। प्रदूषण नियंत्रण प्रयास के रूप में एन्नोर, तापी (गुजरात), और हुगली (प. बंगाल) में सीवेज की अपशिष्ट सम्मिश्रण क्षमता के मापन की गणितीय मॉडल तकनीक इस्तेमाल की गई। इसके अलावा पारा, तांबा, कैडमियम तथा अन्य के विषाक्तता प्रयोग भी किए गए।

तटीय समुद्र निगरानी एवं अनुमान प्रणाली

समुद्री पर्यावरण की सेहत का लंबे समय के लिए अनुमान लगाने के लिए यह कार्यक्रम 1990 से लागू है। इसमें समुद्र में मिलने वाले औद्योगिक व घरेलू अस्वच्छ अपशिष्ट जल में रसायनों की मात्रा का आकलन 76 तटीय इलाकों में किया जा रहा है। पाया गया है कि मुंबई के अलावा सभी स्थानों पर समुद्र तट के 2 कि.मी. बाद का पानी स्वस्थ है। मुंबई में तट से 5 कि.मी. के बाद पानी स्वस्थ है। मुंबई का समुद्रतट, बेरावाल बंदरगाह, केरल में वेली का तटीय जल बुरी तरह प्रदूषित है। हजीरा, कोच्चि, कुड्डालोर, तूतीकोरिन, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पुरी और सैंडहेड्स (प.बंगाल) में भी समुद्री जल प्रदूषित है। लेकिन समुद्री पानी में डीडीटी और कार्बन हेक्साक्लोराइड जैसे कीटनाशक नहीं हैं।

समुद्री अनुसंधान नौकाएं

समुद्र में वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए अनुसंधान नौकाओं की जरूरत को देखते हुए विभाग ने अत्याधुनिक अनुसंधान नौकाएं-ओआरवी सागर कन्या और एफओआरवी सागर संपदा क्रमशः 1983 और 1984 में खरीदी है। अब तक ये नौकाएं क्रमशः 230 और 247 से ज्यादा समुद्र यात्राएं कर चुकी हैं जिनमें अंटार्कटिक क्रिल संसाधनों सहित अन्य सजीव और निर्जीव समुद्री संसाधनों की खोज और दोहन का कार्य किया गया। 1998 तटीय अनुसंधान नौकाएं सागर पूर्वी व सागर पश्चिमी तथा सागर मंजूषा खरीदी गईं ताकि समुद्री अवलोकन के कार्य में मदद मिले। तकनीकी विकास के लिए सागर निधि नौका का निर्माण किया गया। अजीवित संसाधनों के लगातार दोहन के लिए तकनीकी प्रदर्शन नौका जैसे मंच जरूरी होते हैं। इस जरूरत को पूरा करने के लिए इस नौका 'सागर निधि' का उद्घाटन जून, 2007 में किया गया। यह उथले समुद्र में भी सर्वेक्षण का कार्य कर सकती है। ग्यारहवीं योजना के तहत वैज्ञानिक कार्यक्रमों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस कार्यक्रम का समन्वय एनआईओटी करेगा। इस नौका को तीन मार्च 2008 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। यह नौका 30

वैज्ञानिकों को लेकर 45 दिन तक लगातार चलने और विविध क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य संचालित करने में सक्षम है। यह 5050 टन की आईसीई श्रेणी की नौका है जिसमें आरओवी, एयूवी तथा मानव चालित पनडुब्बी भी है।

जलवायु परिवर्तन अध्ययन

मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले स्वास्थ्य, कृषि, पानी आदि पर प्रभाव से जुड़े वैज्ञानिक पहलुओं पर विचार करने के लिए पुणे में एक विशिष्ट केंद्र शुरू किया है। उष्णकटिबंधीय मौसम और मानसून जलवायु के अनुमान में आधारभूत अध्ययन के अपने लक्ष्य के अनुसार भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) ने मौसम पूर्वानुमान, मानसून परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय रसायन मॉडलिंग और वायु गुणवत्ता मापन के क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

संस्थान के कुछ महत्वपूर्ण योगदान हैं—(1) आईआईटीएम की लंबे समय की मौसम औसत वर्षा भविष्यवाणी के लिए इंपीरिकल मॉडल्स के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। (2) देश में पहली बार विभिन्न जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों में भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून का अनुमान किया गया। इसके लिए हेडली सेंटर क्षेत्रीय जलवायु मॉडल के नवीनतम मॉडल का उपयोग किया गया। विभिन्न प्रभाव अनुमान समूहों को डाटा उत्पादों का वितरण भी किया गया। (3) 1951-2000 के बीच मानसून के मौसम में मध्य भारत में हल्की से मध्यम वर्षा की आवृत्ति में कमी और भारी वर्षा की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि का पहला प्रमाण संस्थान ने उपलब्ध कराया और इसका वैश्विक उष्णता से संबंध स्पष्ट किया। (4) उष्णकटिबंधीय हिंदमहासागर में वायु चक्रीय गति और दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के बीच फीडबैक को दो मौसमों के बीच के टाइम स्केल में विकसित किया है जो कि भारत में मानसूनी वर्षा के लंबे अंतरालों और सूखे की स्थिति का पूर्वानुमान करने के लिए महत्वपूर्ण है। (5) लीडार समूह के वैज्ञानिकों ने यहां एक्सीमर लेसर आधारित डीआईएल टैक्नीक फॉर वर्टिकल प्रोफाइलिंग ऑफ ओजोन अप्टु स्ट्रेटोस्फीरिक एल्टीट्यूड्स विकसित किया है। जिससे पुणे में देश में पहली बार ओजोन के उर्ध्वाधर प्रोफाइल का मापन किया गया। (6) क्या कारण है कि सभी एल-नीनो मानसूनी सूखे से संबंधित नहीं हैं, इस सवाल पर भी एक नई दृष्टि मिली।

जैव प्रौद्योगिकी

जैव प्रौद्योगिकी तेजी से उभरती और व्यापक नई तकनीकों का समूह है जिससे सतत खाद्य उत्पादन, पोषण सुरक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल और पर्यावरण की सुदीर्घता के क्षेत्रों को बड़ी उम्मीदें हैं। जैव प्रौद्योगिकी को विश्व में तेजी से उभरती जटिल और व्यापक नई तकनीकी के रूप में पहचान मिली है। अगले दो दशकों में जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी से आए बदलावों के बराबर ही क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हाल की प्रगति साफ तौर पर जैव प्रौद्योगिकी के इस नए औजार के उपयोग का नतीजा है। जीवविज्ञान-जीनोमिक्स, प्रोटीयोमिक्स, बायोइंफोर्मेटिक्स और सूचना प्रौद्योगिकियों में प्रगति की अभिरूपता से एक नई जैव-अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। पिछले पांच वर्षों से जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में 40 फीसदी की दर से प्रगति हो रही है और 2005-06 में इसका कुल कारोबर 1.5 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा का हो गया था। हालांकि यह प्रगति मुख्यतः बायोजेनेटिक्स और ठेके पर निर्माण के कारण हुई, फिर भी अनुसंधान के जरिए नए उत्पादों का विकास पिछड़ा नहीं है। इस प्रगति का सामाजिक प्रभाव इस बात से जाहिर होता है कि भारत टीकों के निर्यात

नैदानिकी, जीन-परिवर्तन (बीटी कपास) और अनेक जैव-चिकित्सा सामग्री के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान लेता जा रहा है। वर्ष 2010 तक भारत का वार्षिक कारोबार 10 करोड़ अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है और 2010 से 2015 तक वार्षिक प्रगति की दर 25 फीसदी होने की संभावना है। वर्ष 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों पर जोर दिया गया जिनमें संरचनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने, उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, क्षमता बढ़ाने, मिशन मोड कार्यक्रमों को बनाने और निजी-सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोग को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस वर्ष 450 से ज्यादा अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सहयोग दिया गया जिनमें कोई 200 विश्वविद्यालयों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं को क्षमता निर्माण और ढांचागत मजबूती दोनों ही कार्यों के लिए सहयोग दिया गया।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए टीके और नैदानिक पदार्थ बनाए गए हैं और उनका क्लीनिकल परीक्षण चल रहा है। देश में स्टेम सेल अनुसंधान के विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है और छह केंद्रों को कार्यक्रम सहयोग दिया गया है। इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अंतरविभागीय सहयोग के लिए एक योजना बनाई गई है और इस वास्ते कुछ शहर भी बसाए गए हैं। ऊतक अभियांत्रिकी, जैव-आयुर्विज्ञान उपकरण, जैव-पदार्थ, नैनोजैवप्रौद्योगिकी और आरएनएआई के क्षेत्र में गहन अनुसंधान को सहायता दी जा रही है। देश के मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए जरूरी विशेष साधन और फार्मूलेशन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पोषण बढ़ाने, उत्पादन में बढ़ोतरी और जैविक या अजैविक तत्वों के प्रति फसलों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया रहा है। उत्कृष्टता केंद्र बनाने पर इस वर्ष विशेष ध्यान दिया गया। कुछ संस्थानों को नवीन कार्य करने हेतु पुनर्गठित किया गया है। समाज विकास कार्यक्रम से 20 हजार से ज्यादा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों, महिलाओं और ग्रामीण आबादी को लाभ मिला। लोगों की नए उत्पादों और तकनीकों तक पहुंच बढ़ाने और स्वास्थ्य, पोषण सुरक्षा, रोजगार निर्माण और पर्यावरण में सुधार के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु विशेष प्रयास किए गए। जैव-विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान के नए औजारों के विकास और नए विचारों और प्रतिपादनों के लिए नई पहलें की गईं जिनमें पीएचडी, पोस्टडॉक्टरल और विदेशी शिक्षावृत्ति में बढ़ोतरी, युवा अनुसंधानकर्ताओं को त्वरित अनुदान, नव-अनुसंधान शिक्षावृत्ति आदि शामिल हैं।

निजी-सार्वजनिक क्षेत्र की साझेदारी एक बड़ी सफलता रही- लघु व्यापार नवाचार अनुसंधान उपक्रम (एसबीआईआरआई) का गठन जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किए जा रहे नए प्राथमिक चरण के अपुष्ट और विकसित चरण के विकासोन्मुख अनुसंधानों को बढ़ावा देता है। इस वर्ष आधारभूत विज्ञान के अलावा तकनीक और उत्पाद विकास पर स्वायत्त संस्थानों ने ज्यादा ध्यान दिया। डेनमार्क, नीदरलैंड, अमरीका, फिनलैंड, ब्रिटेन आदि देशों के साथ नए अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए। इनमें से कई मामलों में उन देशों की जरूरतों के मुताबिक कृषि संबंधी टीकों और नैदानिक तकनीकों का विकास किया गया।

मानव संसाधन विकास

प्रशिक्षित कार्मिक बनाने और मौजूदा कार्मिकों के कौशल में सुधार के लिए जैव-प्रौद्योगिकी में समेकित मानव संसाधन विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्तमान में जैव-प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों-सामान्य जैव-प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों-सामान्य जैव-प्रौद्योगिकी, कृषि जैव प्रौद्योगिकी, पशुविज्ञान, आयुर्विज्ञान, समुद्र विज्ञान, तंत्रिकाविज्ञान, औद्योगिक जैव-प्रौद्योगिकी, आणविक व मानव जीन-विज्ञान, पर्यावरण जैव-प्रौद्योगिकी और भेषज जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम और जैव-रसायन अभियांत्रिकी

और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में एमटेक के अलावा जैव सुरक्षा और नियम, पशु कोशिका संवर्धन आदि क्षेत्रों में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों को सहायता दी जा रही है। आखिल भारतीय समान प्रवेश परीक्षा के जरिए करीब एक हजार छात्रों को इन पाठ्यक्रमों के लिए भर्ती किया गया। जैव-प्रौद्योगिकी औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (बीआईटीपी) के तहत स्नातकोत्तर छात्रों को छह माह के लिए औद्योगिक अनुभव दिलाने का भी प्रावधान है ताकि छात्रों के कौशल और उद्योग की जरूरतों के बीच अंतर को खत्म किया जा सके।

विभाग ने 2004 से कनिष्ठ अनुसंधानवृत्ति की शुरुआत की है। इन 100 शोधार्थियों का चुनाव जैव प्रौद्योगिकी योग्यता परीक्षा (बीइटी) के जरिए पुणे विश्वविद्यालय करता है और शोधवृत्तियां शुरू में तीन साल के लिए दी जाती हैं जिन्हें पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। आयुर्विज्ञान और अभियांत्रिकी के छात्रों के लिए भी इस कार्यक्रम को खोला जा रहा है। डॉक्टरेट के बाद फेलोशिप (पीडीएफ) 100 लोगों को हर साल दी जाती है, जिनका चुनाव भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलूर करता है। मध्यम स्तर के वैज्ञानिकों तथा स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए कम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हैं जो देश के शीर्ष संस्थानों में चलाए जा रहे हैं। विदेशी प्रयोगशालाओं में विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

जैव-प्रौद्योगिकी की सुविधाएं तथा कार्यक्रम समर्थन

रेशमकीट के जेनेटिक्स और जीनोमिक्स, ट्यूबरकुलोसिस पर समन्वित अनुसंधान, संक्रामक रोग फैलाने वाले जीवों के विरुद्ध नए निरोधकों का निर्माण, फसलों के आणविक प्रजनन के लिए उच्च निवेश एलेली निर्धारण और चावल प्रजनन के लिए उच्च-निवेश आणविक विधियां आदि क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए छह उत्कृष्टता केंद्रों को सहयोग दिया गया। इसके अलावा 'कार्यक्रम सहयोग' के तौर पर ग्यारह प्रस्तावों को सहायता दी गई है। इनमें चिकित्सकीय प्रोटीन, नई खमीर प्रजातियां, अजैविक और जैविक तत्वों के प्रति फसली पौधों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, कैसर जीवविज्ञान व उपचार, पोषण जननिकी, मानव की जननिक बीमारियाँ, सूक्ष्मपोषक तत्वों की कमी कैसर और लीशमानिएसिस रोगों प्रतिरोधक उपचार, उत्परिवर्तित चावल का ट्रांसलेशनल अनुसंधान तथा उपेक्षित संक्रामक रोगों की नैदानिकी शामिल हैं।

कृषि जैव प्रौद्योगिकी—फसलें

चावल की फसल के लिए क्यूटीएल में एलेलीज की पहचान, मानचित्रण और स्थानांतरण, बीसी2एफ4 के कृषि वैज्ञानिक मूल्यांकन, नियर आइसोजोनिक इंटीग्रेशन लाइन्स (एनआईआईएल) की परियोजना में इस वर्ष लगातार दूसरे साल 200 बीसी2एफ5 संततियों का मूल्यांकन किया गया। हिमालयन राई और देसी गेहूं के जीनोटाइप्स को मिलाकर एक नई ट्रिटिकल लाइन विकसित की गई है जिसे बहुत खास राई-गेहूं ट्रांसलोकेशन प्राप्त करने के विविध स्रोतों के रूप में उपयोग किया जाएगा। चावल की क्रियात्मक जीनोमिक्स परियोजना का उद्देश्य जीनों की खोज और कार्यात्मक पुष्टिकरण था। जंगली प्रजातियों जैसे ओ लॉन्गीस्टैमिनेटा, ओ.निवारा, ओ.ग्लैबेरिमा और ओ.बारथी भू-प्रजाति एसी32753 और आईआर64 की कुछ उत्परिवर्तित पंक्तियों की प्राप्ति के दौरान बैक्टीरियल ब्लाइट प्रतिरोधक जीन की खोज हुई है।

गॉलमिज प्रतिरोधक जीन जीएम1 और जीएम4 का बारीकी से 2एमबी क्षेत्र के 10सीएम के भीतर ही मानचित्रण किया जा रहा है। चावल में क्षारीयता और निर्जलीकरण सहनशक्ति बढ़ाने के लिए चल रहे एक कार्यक्रम में 1,6, बिसफॉस्फेट फ्रक्टोज के जीन कूट का पूरा क्लोन बना लिया गया। और पाया

गया कि यह एन्जाइम नमक की मौजूदगी में सक्रिय होता है। जीन परिवर्तन के बाद बनाई गई सरसों (डीएमएच-11) के कई जगहों पर मूल्यांकन की बारनेस आधारित बारनेस-बारस्टार प्रणाली पर आधारित परियोजना में राष्ट्रीय अरंडी-सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर ने परीक्षण किए। इनमें चार चीजों— सीएमएस आधारित संकट (डीएमएच-11), राष्ट्रीय चेक्स (वरुण और क्रांति) और 10 स्थानों पर क्षेत्रीय जांच भी की गई। यह देखा गया कि 9 में से 6 स्थानों पर डीएमएच-11 प्रजाति की पैदावार ज्यादा रही। कीटप्रतिरोधक जीन परिवर्तित कपास के विकास की परियोजना में सीआरवाई1 एसी जीनयुक्त कपास (कोकर 310 एफ आर) में करीब 300 स्वतंत्र ट्रांसजेनिकस पंक्तियां विकसित की गई जिसमें हेलिकोवेरपा आर्मिंगेरा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता थी। ज्यादातर जीनपरिवर्तित प्रजातियों में सीआरवाई 1 एसी जीन डबल एनहान्सर सीएमएम वी35एस प्रमोटर के नियंत्रण में रहता है। कपास के उत्परिवर्तन की प्रविधि में भी तरक्की हुई है जिसमें मार्कर के रूप में डबल म्यूटेड एसीटोलेकटे सिंथेज जीन के इस्तेमाल से कैनामाइसिन की जगह इमिडाजोलिलोन को चुनाव कारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

जैव उर्वरक

पर्यावरण के प्रति चिंता बढ़ने के साथ ही रासायनिक खाद पर आधारित खेती की जगह कार्बनिक और अकार्बनिकों का झोतों मिला-जुलाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस संदर्भ में जैव उर्वरक उत्पादकता बढ़ाने के सस्ते, दोबारा इस्तेमाल योग्य और सुरक्षित स्रोत माने गए हैं। साथ ही जैविक /कार्बनिक खेती के बढ़ते चलन के कारण जैव उर्वरकों की मांग काफी ज्यादा होने की उम्मीद है। यहां यह समझना होगा कि सूक्ष्मजीव पोषकतत्व परिस्थितिकीय निवेश हैं जिनका प्रभाव रासायनिक खाद की तरह चमत्कारी न होकर धीमा होता है। अजैविक कारकों को ध्यान में रखते हुए भंडारण और आवागमन के समय फसल को ज्यादा समय तक संभालकर रखने पर भी ध्यान देने की जरूरत है। गुणवत्ता आधारित उत्पादन और विपणन नेटवर्क में ग्राहक की संतुष्टि के लिए जैव उर्वरक निश्चय ही उपयोगी साबित होंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए द्रव जैव उर्वरक और बागानी फसलों और औषधीय पौधों के लिए जैव उर्वरक आधारित समेकित पोषण प्रबंधन पैकेज बनाने के लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं। साथ ही ट्रांसजेनोसिस के जरिए विकसित जैव उर्वरकों का नियंत्रित परिस्थितियों में मूल्यांकन किया जाएगा।

जैव खरपतवार नाशक तथा उपज प्रबंधक

यह कार्यक्रम कीटों, रोगों और खरपतवार के प्रबंधन के साथ व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य प्रचुर उत्पादन प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु चलाया जाता है। कीट व खरपतवार नष्ट करने के प्रभावकारी और सस्ते जैविक तरीके विकसित कर लिए गए हैं। विभिन्न फसलों को कवक और विषाणु के प्रकोप से बचाने के लिए कई फार्मूले बना कर उनका परीक्षण भी कर लिया गया है। एन्टोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स की विभिन्न प्रजातियों में तापमान आदि पर्यावरणीय कारकों के प्रति सहनशक्ति बढ़ाने के लिए जेनेटिक सुधार किए गए। अरहर के कीट, चावल के तना वेधक, चना फली बेधक, इलायची की जड़ सूंडी, कपास के शोषक कीट के खिलाफ भी ये प्रभावी पाए गए। दो परभक्षियों डिफा अफीदीवोरा और माइक्रोडन्स इगोरोटस के संरक्षण और आबादी बढ़ाने में सफलता मिली है, जो गन्ने के रोएंदार माहू की संख्या पर नियंत्रण रखते हैं। फेरोमोन्स डोडाकीट की विभिन्न प्रजातियों जैसे अनार के फल बेधकों और नारंगी के चूषक कीटों के खिलाफ प्रभावी साबित हुए हैं। फेरोमोन छिड़काव यंत्र भी विकसित

किए गए हैं जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हैं। विभिन्न पौध प्रजातियों के कीटनाशक जहरीले जीन और जीवाणु जीन बनाए जा रहे हैं ताकि प्रभावी जैव-कीटनाशक विकसित किया जा सके। पार्थेनियम के प्रबंधन पर एक बहुकेंद्रीक कार्यक्रम इस खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। विभाग की पहल पर जैव कीट व खरपतवार नाशकों के पंजीकरण के दिशा निर्देश सरल बना दिए गए हैं। जैव खरपतवार नाशकों के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए 10 जैव खरपतवारनाशकों के प्राथमिक संवर्धनों और उनके फार्मूलेशन दोनों के विषयवैज्ञानिक आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। जैव कीट व खरपतवार नाशकों पर एक व्यापक वेबसाइट बनाई गई है जो विभाग द्वारा इन क्षेत्रों में चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की उपलब्धियों को प्रकाशित करती है।

राष्ट्रीय जैव-संसाधन विकास बोर्ड

बोर्ड के तहत जैव विविधता की प्रकृति निर्धारण, उनके आंकड़े एकत्र करने, संभावित क्षेत्रों में उनकी खोज, संसाधनों के इस्तेमाल और क्षमता निर्माण की दिशा में काम जारी है। 25 जुलाई, 2006 को विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विज्ञान मंत्री श्री कपिल सिब्बल की अध्यक्षता में बोर्ड की चौथी बैठक हुई। मंत्री महोदय ने इसमें जैव संसाधनों (पौधे, पशु, जीवाणु और सामुद्रिक) जीव संपदा की प्राथमिक और द्वितीयक सूची आंकड़ों के रूप में जारी की। साथ ही जैव संसाधन निर्धारण परियोजना के तहत मध्य भारत, पश्चिमी घाट और कच्छ वनस्पति वाले इलाके का रिमोट सेंसिंग के जरिये तैयार किया गया मानचित्र और एटलस भी मंत्री महोदय ने जारी किया। बैठक में इंडियन बायो-रिसोर्स इनफॉर्मेशन नेटवर्क (आईबीआईएन) नाम का वेब-पोर्टल भी जारी किया। पोर्टल में एक ही जगह रिमोट सेंसिंग के जरिये तैयार और साधारण डाटा उपलब्ध हैं। यह अपनी तरह का पहला प्रयास है, जिसमें जैव संसाधनों की हर प्रजाति की जानकारी के अलावा वे संदर्भ भी उपलब्ध कराए गए हैं, जो प्रजातियों पर जेनेटिक स्तर पर हो रहे अध्ययन की जानकारी दे सके। पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाटों, पूर्वी घाटों में पादप संसाधनों के मानचित्र तैयार करने और मात्रा निर्धारण करने संबंधी अध्ययन जारी हैं।

मंत्री महोदय ने ही 25 नवंबर, 2006 को बंगलोर के बानेरघट्टा जैविक पार्क में देश के पहले तितली पार्क का उद्घाटन किया। पार्क में 42 प्रजातियों की 2000 तितलियों का संग्रह है। तितलियों के पालन-पोषण और बार-कोडिंग का काम यहां के शोध की विशेषता है।

पौधों, जीवाणु, फफूंद, लाइकेन के आदर्श जीन मोलिक्यूल और एनजाइम की खोज करने वाली परियोजनाओं को बढ़ावा दिया गया ताकि इनसे औद्योगिक महत्व के उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। आदर्श जीन/संवर्धक प्रतिलिपि के कारणों की पहचान की जा रही है ताकि जैविक/गैर जैविक के ट्रांसजेनिक तैयार किए जा सकें और किसी जैविक प्रणाली में संचालित विभिन्न उपापचय इंजीनियरिंग मार्गों को चिन्हित किया जा सके। नाइट्रोजन और फॉस्फेट आधारित एक जैव-खाद का फॉर्मूलेशन तैयार कर उद्योग को सौंपा गया।

जिंजिबर्स और हनी बी नेटवर्क के तहत कार्यक्रम में कम इस्तेमाल होने वाले सजावटी पौधों की प्रजातियों के जैव रासायनिक और आणविक चरित्र निर्धारण संबंधी परियोजना को बढ़ावा दिया गया। चाय अनुसंधान नेटवर्क के तहत एक्सप्रेसड सिक्वेस टैग को पैदा करने और उसके विश्लेषण के साथ ही जेनेटिक संपर्क मानचित्र और मार्कर असिस्टेड सेलेक्शन को समाहित करने की परियोजना को बढ़ावा देने के नए प्रयास किए गए। भारतीय कॉफी के जीन अनुसंधान के लिए भी एक नेटवर्क कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके तहत सी-डीएनए लाइब्रेरी और ईएसटी विकसित किए जा रहे हैं। गन्ना जीन अध्ययन

के तहत गन्ने में लालीपन लिए हुए रोग और धब्बा रोग की पहचान के लिए एक पीसीआर आधारित परीक्षण किट का विकास महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसे मान्यता दिलाने की प्रक्रिया जारी है। बांस उत्पादन कार्यक्रम के तहत 380 हेक्टेयर में टिशू-कल्चर के तहत पौधे लगाए गए। इसके अलावा बांस की दूसरी प्रजातियों के टिशू-कल्चर प्रोटोकॉल के मानकीकरण और विकास के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया।

क्षमता निर्धारण कार्यक्रम के तहत स्कूलों की छुट्टियों के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में 21 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। इनमें 600 बच्चों को जैव संसाधनों के उपयोग के उन तरीकों के बारे में समझाया गया, जिनसे इन संसाधनों का दोहन तो हो पर ये भविष्य में भी सुरक्षित रह सकें और उनका संवर्धन भी होता रहे। यानि उन्हें जैव संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के बारे में समझाया गया। केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट उपकेंद्र निलांबुर में 5 हेक्टेयर में एक जैव संसाधन प्रकृति-पथ स्थापित किया गया।

औषधीय और सुगंधित पौधे

अधिक जनन-द्रव्य अभिगमन के प्रकृति निर्धारण, संवर्धन और संग्रह के संदर्भ में चार जीन बैंकों की क्षमताएं बढ़ाई गईं। पिक्रोराइजा स्क्रोफ्लोरिफ्लोरा में बाहरी तत्व को बढ़ाने के लिए तेज और उच्च प्रजनन क्षमता के प्रोटोकॉल विकसित किए गए। पश्चिमी घाटों में उच्च उत्पादकता वाले नोथापोडाइटस निम्मोनियाना की ऐसी प्रजाति की पहचान की गई जिसमें एक फीसदी से भी ज्यादा 'कैम्प्लोथिसिन' थी। त्रिपुरा में 20 हेक्टेयर में वनिला के उच्चस्तरीय ऊतक संवर्धन के साथ-साथ स्टेम कटिंग प्रणाली की खेती के परिणाम और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया। 'गुगुलस्टेरोन' 'कोम्मिफारा' के उत्पादन के लिए सेल-कल्चर का सहारा लिया गया। पशुओं में पाए जाने वाली बीमारी 'बोवाइन मास्टिटिस' के लिए तैयार होनी वाली आयुर्वेदिक औषधि के मानकीकरण के विकास का काम भी शुरू हुआ।

एगल मार्मेलॉस से प्राप्त शोधित पेक्टिक पॉलीसैकराइड में प्रयोगशाला परीक्षणों के दौरान लीशमानिया के विरुद्ध सक्रियता देखने को मिली है। क्लेटोरिया टेरनाटी और टैराक्सेरोल की जड़ों के रस में एसीटाइल कोलीनेस्टेरेज निरोधक और शरीर-दिमाग में समन्वय को बढ़ाने के गुण पाए गए। दक्षिण भारत में मिलने वाले चंदन (सैंटालम एलबम) में आर ए पी डी व मिनिसेटैलाइट गुणों को प्राप्त किया गया है। पाइक्रोराइजा कुरोआ में पाइक्रोसाइड्स बायोसिंथेसिस से संबंध जीन्स के नियंत्रक तत्वों की क्लोनिंग और लक्षण निर्धारण का काम शुरू किया गया है। आर्टेमिसिया एनुआ के सेस्क्विटर्पिन बायोसिंथेसिस नियंत्रण से जुड़े 4, 11-डाईईन सिंथेज़ जीन को पूरी तरह क्लोन किया जा चुका है। पापावर सोमनीफेरम के आइसोक्विनोलीन अल्कलॉइड बायोसिंथेटिक पाथवे के चार जीनों को भी क्लोन किया जा चुका है।

वनस्पति जैव प्रौद्योगिकी

वानिकी, बागवानी और रोपण फसलों के अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को साल भर समर्थन मिलता रहा। मुख्य जोर वांछित और गुणवत्ता युक्त पौधों के उत्पादन पर रहा और इसके लिए टिशू कल्चर पर ध्यान दिया गया ताकि अच्छी गुणवत्ता वाले या संवर्धित जीन वाले पौधों का उत्पादन हो सके। जैव विविधता की पहचान और निर्धारण के लिए आणविक तकनीक और उत्पादों का सहारा लिया गया साथ ही पौधों से वांछित विशेषताएं हासिल करने के लिए परियोजनाएं चलाई गईं। हिमालयी क्षेत्र में चीड़ की जीन संरचना और उसकी विविधता का भी विश्लेषण किया जा रहा है। बागवानी पौधों के क्षेत्र

में मुख्य जोर रोग रहित पौधों के उत्पादन और उनकी गुणवत्ता में सुधार पर रहा। इसके साथ ही पौधों की उम्र बढ़ाने और उनकी जीन संबंधी विशेषताओं के अध्ययन पर भी जोर था।

जैव प्रौद्योगिकी के जरिये लकड़ी और अन्य वन आधारित जैविक संसाधनों के सुधार के लिए एक सत्र का आयोजन किया गया। एक परियोजना के तहत पाइन्स और यूकेलिप्टस की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी काम चल रहा है। आलू, प्याज, बैंगन और भिंडी की गुणवत्ता सुधारने की परियोजनाओं को बढ़ावा दिया गया। इन क्षेत्रों में निजी और सरकारी भागीदारी की संभावना तलाश की जा रही है। बांस के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत कई राज्यों में नमूना परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया गया। अगले साल तक इस परियोजना के तहत 1000 हेक्टेयर में बांस संवर्धन का काम होना है। पौधों के जैविक, गैर जैविक गुणों, हारमोन, उन पर प्रकाश के अध्ययन संबंधी परियोजना को बढ़ावा मिला।

एक अंतर्राष्ट्रीय जीनोम अभियान शुरू किया गया। ढांचागत और क्रियाशील जीनोम अध्ययन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उद्योगों के लिए जैव ईंधन मुहैया कराने के लिए परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी का भी खाका तैयार किया गया है।

जन्तु जैव प्रौद्योगिकी

जैव प्रौद्योगिकी पशुओं की तादाद बढ़ाने, जानवरों के लिए नए टीके विकसित करने, उनके शारीरिक परीक्षण की नई तकनीक के साथ ही देसी मवेशियों के आणविक प्रकृति निर्धारण और जानवरों से मिलने वाले अन्य उत्पादों के विकास के लिए प्रयास तेजी से चल रहे हैं। पशुओं के पोषण और नए टीके विकसित करने की दिशा में नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। मवेशियों के चारे में माइकोटॉक्सिन्स की मात्रा के आकलन के लिए मानक विकसित किए गए। इसकी मात्रा रूटीन विश्लेषण के लिए विभिन्न प्रयोगशालाओं में भेजी गई। एंथ्रेक्स का नया टीका विकसित किया गया। इसके अलावा भैंसों में होने वाली चेचक के वायरस के लिए टीके का परीक्षण चल रहा है। रैबिज, क्लोसट्रिडियम, हेमरेजिक सेप्टीसीमिया, मुंह पका-खुर पका, बोवाइन बुसेलोसिस, टीबी आदि के टीके विकास के विभिन्न चरणों में हैं। पशुओं के बोवाइन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के दोबारा होने वाले एंटीजेन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए हाइब्रिडोमा के विकल्प के तौर पर फेज डिस्प्ले तकनीक का इस्तेमाल किया गया। पेस्ट देस पेटी वायरस और चेचक के वायरस का परीक्षण और जांच के तरीके विकसित किए गए और उन्हें सफलतापूर्वक मान्यता भी हासिल हो गई। बॉर्डर डिसीज़ वायरस की निर्धारित जांच के लिए आइटी-पीसीआर परीक्षण विधि का मानकीकरण किया गया। साथ ही बॉर्डर डिसीज़ वायरस और जानवरों में वायरल डायरिया वायरस 1 और 2 की अलग पहचान के लिए भी पीसीआर विकसित किया गया। भैंसों के जीन अध्ययन के लिए बहुकेंद्रीय कार्यक्रम लागू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत आर्थिक महत्व के जीनों की पहचान पर ध्यान केंद्रित किया गया। काडिर्यो माइकोसाइट कल्चर के लिए मवेशियों के त्रिआयामी प्लेटफॉर्म के संरचनात्मक और क्रियाशील पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। पालतू जानवरों में शरीर रचना दोष सुधार शल्य चिकित्सा के लिए इस्तेमाल होने वाले जैव पदार्थ को विकसित करने का भी काम हो रहा है।

जलजीव संवर्धन और सामुद्रिक प्रौद्योगिकी

बायोसर्फेसैन्ट, समुद्री एंजाइमों की खोज, जैवसक्रिय अणु पुनरुत्पादन जीवविज्ञान और कोशिका चक्र, प्लाज्मिड रोगप्रतिरोध प्रतिक्रिया, तंत्रिका-पेप्टाइड संरलेक्षण, जैवप्रतिक्रियाकारी, मछलियों के लिए वैक्सीन विकास, झींगा मछली के लारवे में सुधार के लिए बैक्टीरिया भक्षी थैरेपी, मत्स्य अंडजाला में अंडों की गिनती पर नजर रखने के लिए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जांच, समुद्री जीवों का जननांकी गुणनिर्धारण, अंगों

का विकास, सीबैस से कोशिका रेखाएं, झींगा मछली का जीन अध्ययन और मत्स्य पोषण आदि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। समुद्री एसीनेटोबैक्टर जीनोस्पीशीज के इस्तेमाल से बायोसर्फेसैन्ट की जांच की गई। रेसवे आधारित झींगा मछली उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रायोगिक मॉडल का इस्तेमाल इनके बच्चों को पालने के लिए किया गया। तटीय समुद्री पानी में मनुष्यों में रोग पैदा करने वाले विषाणुओं की उपस्थिति के अध्ययन किए गए। जैव उपचार और लवण सहनशीलता के लिए उपयोगी सुपरॉक्साइड डिस्म्यूटेज एंजाइम के प्रभाव को जांचने के लिए समुद्री सायनो- बैक्टीरिया और क्लोरेला प्रजातियों का अध्ययन किया गया। बैक्टीरिया विरोधी, विषाणु विरोधी और कैंसर विरोधी कारकों के रूप में जैवसक्रिय अणुओं की खोज की गई। जीवाणुओं के प्लाज्मिड जीन की भूमिका का अध्ययन करके एपीजूओटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम और इसकी विषाक्तता की जानकारी ली गई। खमीर को मछलियों के वैकल्पिक चारे के रूप में इस्तेमाल करके पौध-एंजाइम के इस्तेमाल के उपयोगों का अध्ययन किया गया। तंत्रिका-पेप्टाइड संश्लेषण की खोज भारतीय शंकु घोंघों में की गयी और कोनस पेप्टाइड शृंखला का पता लगाया गया। समुद्री खाद्य उद्योग के कचरे के निष्पादन के लिए जीवाणु आधारित प्रणाली के लिए बायोरिएक्टर का विकास किया जा रहा है। एयरोमोनास के विरुद्ध मछलियों की वैक्सीन के विकास में आशाजनक प्रगति हुई। जलजीव पालन में एंटीबायोटिक के विकल्प के तौर पर झींगा मछलियों में बैक्टीरिया भक्षी थैरेपी को अपनाया गया। मत्स्य अंडजशाला में अंडों की संख्या की निगरानी के लिए ओल्लिगोन्यूक्लियोटाइड जांच प्रणाली का निर्माण किया गया। भारतीय केंकड़े की एक प्रजाति के पेरीविलेलाइन द्रव के इस्तेमाल से अंग विकास और भिन्न का अध्ययन किया गया। सी बैस से कोशिका पंक्तियों के अध्ययन में काफी प्रगति हुई। झींगा मछली में मौजूद रोग प्रतिरोधन से संबंधित प्रोटीन के जरिए उसके जीनोमिक्स पर काम किया गया।

रेशम जैव प्रौद्योगिकी

रेशमकीट (बॉम्बेक्स मोराइ) में वैक्यूलोवायरस के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता के लिए रेशमकीट के जर्मप्लाज्म के अध्ययन के परिणामस्वरूप बाइवोल्टाइन और मल्टीवोल्टाइन की तीन-तीन नस्लों की पहचान की गई। मुगा रेशमकीटों (एंथेरिया असामा) में माइक्रोसैटेलाइट विश्लेषण से पता चला कि पहाड़ी कीटों और मैदानी कीटों में जेनेटिक अंतर होता है। बॉम्बेक्स मोराइ के जीन में एंटीवाइरल प्रोटीन कोड को अंशतः पहचान लिया गया है। संक्रामक रोग विज्ञान, मुगा रेशमकीट की बीमारियों के अस्थायी और स्थाई पक्षों पर एक सहयोगात्मक परियोजना शुरू की गई है। लेपिडोप्टेरन जीनोम परियोजना पर अंतर्राष्ट्रीय संघ में भारतीय पहल के तहत मुगा रेशमकीट के विलक्षण जीनों की कार्यात्मक व्याख्या की गई। शहतूत की कुल 67 नई प्रजातियों को परखनलियों में संरक्षित किया गया और 238 को सफलतापूर्वक क्रायोप्रिजर्व किया गया। शहतूत के उत्परिवर्तन (एचवीए-1 जीन सहित) पर अजैविक तनाव सहनशीलता का मूल्यांकन शुरू किया गया है। अराबिडोप्सिस से मिलते जुलते जीन के एपीक्यूटिकुलर लाख से संबंधित अंशों को शहतूत से क्लोन किया गया है। एक नेटवर्क परियोजना के तहत शहतूत के जर्मप्लाज्म में पाउडरी मिल्ड्यू, टुकड़ा और निमेटोड की बीमारियों के प्रति प्रतिक्रिया की जांच का काम पूरा हो गया है। टसर रेशम उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी का एक नया कार्यक्रम हाल ही में केंद्रीय रेशम बोर्ड के साथ मिलकर शुरू किया गया है।

आधुनिक जीवविज्ञान में बुनियादी अनुसंधान

व्यावहारिक अनुसंधान में निहित बारीकियों की समझ के लिए ज्ञान को नए आयाम देने के लिए आधारभूत विषयों से संबंधित 52 अनुसंधान और विकास परियोजनाएं की शुरू की गई। इनमें से कुछ खास हैं- एनआईपीईआर मोहाली में साइक्लोस्पोरिन के व्यावसायिक उत्पादन के कारण उसकी खाने वाली दवा की

जैव-उपलब्धता में सुधार और उनसे होने वाली वृक्क विषाक्ता में कमी के अच्छे परिणाम, श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम में वयस्क चूहे के हृदय की फाइब्रोब्लास्ट की हाइपोक्सिया के प्रति प्रतिक्रिया के आकलन के लिए परखनली में कोशिका संवर्धन मॉडल में इस्तेमाल से अध्ययन किए गए, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलूरु ने बताया कि यूडीजीबी (UdgB) माइकोबैक्टीरिया में की महत्वपूर्ण भूमिका है, आईआईएमटेक चंडीगढ़ के वैज्ञानिकों ने बताया कि phop प्रमोटर गतिविधि phop के द्वारा शृंखला-विशिष्ट अंतर्क्रिया (ओ) के जरिए नकारात्मक रूप से स्वतः नियंत्रित होती है, जिसमें नौ बी पी समंजन-बंधन शृंखला वाली तीन सीधे दोहराव वाली उपइकाइयां शामिल हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलूरु के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि एमबीपी और पूर्व-एमबीपी दोनों ही भीड़ की स्थितियों में ज्यादा अक्रामक होती हैं और पूर्व एमबीपी ज्यादा आक्रामकता दिखाती है, जीवन विज्ञानशाला, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने स्मारकल-1 की शारीरिक भूमिका को जानने के लिए चित्रण विधियों का अध्ययन किया, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलूरु के वैज्ञानिकों ने बताया कि ग्लाइकोडेलिन्स के वलित समनुरूपण में स्थिरीकारक संपर्क भिन्न-भिन्न होते हैं, सीडीआरआई, लखनऊ के वैज्ञानिकों ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एसीरीशिया कोलाई, और होमोसेपियंस के पेप्टाइड-टीआरएनए (tRNA) हाइड्रोलेस की संरचना को समझने के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया, ई कोलाई Pth क्रिस्टल संरचना पर आधारित संरचनात्मक मॉडल बनाया गया, प्लाज्मोडियम फेल्लिसेपेरम के पीएफफैबजेड का क्रिस्टलोग्रफिक विश्लेषण भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलूरु में किया गया जिससे नए मलेरिया विरोधी उपायों को विकसित करने के नए तरीकों का पता चला, जेएनयू नई दिल्ली में हुए अध्ययन बताते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के दौरान डी डिस्कोइडियम पीएआरपी मीडिएटेड कास्पेस विमुक्त पैरापटोटिक कोशिका मृत्यु को दर्शाता है, आईसीएस में ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण डीएनए में होने वाले नुकसान का अध्ययन आईआईटी खड़गपुर में किया जा रहा है, जिससे पता चला कि आरओएस और शुक्राणु आकृतिविज्ञान और उसके डीएनए को हुए नुकसान में सकारात्मक संबंध है। आईसीजीईबी, नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने सीआईपी के प्रोटीन में ऑटोफॉस्फोरिलेशन गतिविधि होती है, आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने बायोकंपैटिबल नॉनपॉलीमेरिक युग्मक कारकों के जरिए फॉलिक एसिड के उपरोपण द्वारा फोलेट-नैनोपार्टिकल संयुग्म बनाने की कोशिश की और मद्रास विश्वविद्यालय चेन्नई के वैज्ञानिक डीएनए संधिस्थान, जैसे तीन और चार तंतुओं के संधिस्थान तथा नई सूक्ष्मसंरचनाओं अस्वाभाविक डीएनए पैकिंग के अध्ययन के लिए जैवभौतिक तकनीकों, मुख्यतः एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी और साथ ही कंप्यूटर मॉडलिंग अल्ट्रा-वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी और जेल मोबिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे नई सूक्ष्मसंरचनाओं की जानकारी मिली।

चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी

प्रमुख संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों खासतौर पर ट्यूबरकुलोसिस, बर्डफ्लू, चिकुनगुनिया, रोटावायरस, टाइफाइड, मलेरिया और एचपीवी के क्षेत्रों में वैक्सीन और नैदानिकी के विकास के लिए विशेष प्रयास किए गए, एचआईवी/एड्स और रोगाणुनाशक अनुसंधान में डीबीटी-आईसीएसआर संयुक्त प्रयास कर रहे हैं। इस संयुक्त प्रयास के तहत लगभग 20 परियोजनाएं चलाई गईं। बर्ड फ्लू, चिकुनगुनिया और दूसरी संक्रामक बीमारियों पर भावी अनुसंधान और विकास प्रयासों पर विचारमंथन सत्र आयोजित किए गए। वायरस अनुसंधान नेटवर्क परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया गया। टाइफाइड वैक्सीन विकास की तकनीक एक उद्योग को हस्तांतरित की गई ताकि और सीजीएमपी(cGMP)वैक्सीन श्रेणी का उत्पादन और जानवरों तथा मनुष्यों पर इसका परीक्षण किया जा सके। अन्ना विश्वविद्यालय,

चेन्नई द्वारा विकसित फाइलेरिएसिस के लिए तीव्र नैदानिक जांच प्रणाली (सिग्नल एमएफ) को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए बाजार में उतार दिया गया है। विभिन्न संक्रामक और पुरानी बीमारियों पर 100 से भी ज्यादा नई परियोजनाओं को चलाने की सिफारिश की गई है। आणविक विकास और बर्ड फ्लू (एच5एन1) वायरस के लिए सस्ती बहुसंयोजकीय वैक्सीन के विकास के अध्ययन के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में मिली सफलताओं का उत्पाद/प्रक्रिया विकास में परिणत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेन्टीवायरस आधारित उच्च क्षमता वाली जीन स्थानांतरण वाहक के विकास के लिए अध्ययन के परिणाम स्वरूप स्वदेशी जस्थानांतरण वाहक का विकास हुआ है जिसमें अधिक क्लोनिंग क्षमतायुक्त बहुक्लोनिंग के विशिष्ट गुण हैं। डीबीटी और आईएवीआई के बीच एचआईवी/एड्स का वैक्सीन बनाने के लिए जैव चिकित्सकीय अनुसंधान कार्यक्रम चलाने के लिए सहयोग के एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं और न्यूट्राइजिंग एंटीबॉडी कंसोर्शियम कार्यक्रम जल्द ही शुरू किया जाएगा। नई नैदानिक प्रणालियों, बेहतर उपचार प्रणालियों आरएनएआई और नई वैक्सीनों की दिशा में मिली सफलताओं के बाद कई संबंधित कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

स्टेम सेल

जीवन विज्ञान में स्टेम सेल जीव संभावनाओं से भरपूर उभरता हुआ क्षेत्र है। कई असाध्य रोगों में कोशकिय प्रतिस्थापना और ऊतकीय इंजीनियरी के जरिए इलाज में स्टेम सेल प्रौद्योगिकी की क्षमता को व्यापक मान्यता मिली हुई है। इस प्रौद्योगिकी के चिकित्सकीय महत्व को देखते हुए विभिन्न संस्थानों, अस्पतालों और उद्योगों में इस बारे में मूलभूत और प्रयोगात्मक शोध को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक, स्टेम सेल शोध के अलग-अलग आयामों से संबंधित 55 कार्यक्रमों को चिन्हित कर उन्हें प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें मानव भ्रूणीय स्टेम सेल, अग्न्याशयी प्रोजेनिटर कोशिकाओं के इंजुलीन बनाने वाली कोशिकाओं में पृथकीकरण, अस्थि मज्जा से अलग-अलग क्षमताओं वाली वयस्क प्रोजेनिटर कोशिकाओं को अलग करने और उनके क्लोन के रूप में विस्तार, केले के लेक्टिन का स्टेम सेल परिरक्षण के लिए प्रयोग, हैप्लो आइडेंटिकल एचएससी ट्रांसप्लांटेशन के लिए हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, आंख की सतह संबंधी गड़बड़ियों के लिए हाथ-पांव के स्टेम सेल के प्रयोग, मीसेनक्राइमल और लीवर स्टेम सेल के पृथकीकरण और पहचान, मानव भ्रूणीय स्टेम सेल के टेस्ट ट्यूब में न्यूरल और नॉन न्यूरल, हृदय संबंधी स्टेम सेल और भ्रूणीय स्टेम सेल आदि में विभेदीकरण शामिल है।

हृदय रोग, लिंब इश्चेमिया (हाथ-पांव में खून के प्रवाह में कमी) और अस्थि रोग जैसे क्षेत्र में स्टेम सेल के इस्तेमाल के बारे में विचार मंथन बैठकों के अलग-अलग दौर हो चुके हैं। सीएमसी वेल्लोर में मूलभूत और प्रयोगात्मक अनुसंधान के लिए “सीएमसी-डीबीटी सेंटर फॉर स्टेम सेल रिसर्च” की स्थापना की गई है। एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन के बारे में कई केंद्रों में नैदानिक अध्ययन किया गया है और एक्यूट इश्चेमिया स्ट्रोक के बारे में एक प्रायोगिक अध्ययन शुरू किया गया है ताकि अस्थि मज्जा की एककेंद्रित कोशिकाओं की सुरक्षा और सामर्थ्य के बारे में जाना जा सके। चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर, लखनऊ के एसजीपीजीआईएमएस, मुंबई के केईएम और हैदराबाद के एलवीपीईआई में स्टेम सेल अनुसंधान की सुविधाएं और साफ-सुथरे कक्ष उपलब्ध कराए गए हैं। भ्रूणीय और वयस्क स्टेम सेल के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए बेंगलूर में एक प्रशिक्षण केंद्र को एनसीबीएस और जेएनसीएसएआर संयुक्त रूप से सहयोग दे रहे हैं। निर्माण की अच्छी कार्यप्रणाली के बारे में कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए कई वैज्ञानिकों और चिकित्सा विज्ञानियों को आमंत्रित किया गया।

इस क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उनमें शामिल हैं—वांछित योग्यता वाले लोगों की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे में कमियां, विषय संबंधी अनुसंधान के लिए शोधकर्ताओं और चिकित्सा विज्ञानियों के बीच तालमेल, उपयुक्त नियामक तंत्र, चिकित्सकीय और संबंधित शोध की दिशा में ले जाने वाले मौलिक शोध को चिन्हित करना और खास लक्ष्य की ओर कार्यरत केंद्र और संस्थान।

स्टेम सेल शोध की आगे की दिशा तय करने के लिए अलग-अलग रोग से संबंधित बैठकें आयोजित की गईं। इससे उभरी आम सहमति के आधार पर स्टेम सेल शोध की आगे की दिशा को इन अलग-अलग क्षेत्रों में बांटा गया— मूल अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का सृजन, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, चिकित्सा संस्थानों में मौलिक शोध केंद्रों की स्थापना, बीमारियों के लिए अच्छे पशु मॉडल आदि।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय चिकित्सा शोध परिषद ने मिलकर स्टेम सेल रिसर्च के लिए दिशानिर्देशों का प्रस्ताव तैयार किया है। अभी इन दिशानिर्देशों को सार्वजनिक बहस के लिए पेश किया जा रहा है।

जैव अभियांत्रिकी

विभाग ने जैव अभियांत्रिकी को अनुसंधान के लिए संभावनाओं वाले विषय के तौर पर चिन्हित किया है। प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों की पहचान करने, आगे की दिशा तय करने, अनुसंधान और विकास तथा जैव अभियांत्रिकी अनुसंधान के लिए बुनियादी ढांचे का सशक्त बनाने के लिए विभाग ने कई सघन वैचारिक बैठकें आयोजित कीं। जिन मुख्य क्षेत्रों की पहचान की गई वो हैं—ऊतक इंजीनियरी, चिकित्सा शस्त्र, चिकित्सकीय उपकरण, बायोइंस्ट्रुमेंटेशन और बायो सेंसर के लिए जैविक सामग्री उपलब्ध कराना। चिन्हित किए गए क्षेत्रों में कई बैठकें की गईं। “मातृत्व, नवजात और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े उपकरणों” और “समय से पहले पैदा हुए बच्चों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले सर्फेक्टेंट के देश में ही निर्माण” के विषय में भी विचार मंथन के लिए बैठकें की गईं। ये महसूस किया गया कि अनुसंधान की पर्याप्त सुविधायुक्त संस्थानों में उद्योग के साथ तालमेल करके निधारित लक्ष्य वाले कार्यक्रम शुरू करने की जरूरत है। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य दवा देने में बायोमटीरियल के विकास के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियां; कोशकीय और आणविक इमेजिंग प्रौद्योगिकी; बीमारियों के तेजी से निदान के लिए सस्ते डिस्पोजेबल बायोसेंसर; बहु-मानदंडीय दृष्टिकोण का इस्तेमाल करने वाले एमईएमएस बायोसेंसर; चिकित्सकीय यंत्र और जैव उपकरण का निर्माण इंप्लांट का विकास आदि है। नतीजे के तौर पर चिकित्सा विज्ञानियों और भौतिक शोधकर्ताओं के कई नेटवर्क समूह बनाए गए। जैव अभियांत्रिकी के खास क्षेत्रों में बहुकेंद्रीय परियोजनाएं शुरू की गईं और उन पर अमल किया गया। इस क्षेत्र में परियोजनाओं पर विचार करने के लिए एक अलग कार्य दल गठित किया गया है।

जैव अभियांत्रिकी और उत्पाद विकास को लेकर वैज्ञानिकों, चिकित्सा विज्ञानियों और उद्योग जगत में जागरूकता बढ़ी है। इस क्षेत्र में एकेडमिक लोगों, चिकित्सा विज्ञानियों और उद्योग जगत के बीच नेटवर्क बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि इससे जुड़े सभी पक्ष विकास के तमाम यानी अनुसंधान, उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उसके व्यावसायिक इस्तेमाल से जुड़े रहें। हालांकि उत्पाद विकास अब भी एक बड़ी चुनौती है।

मानव अनुवांशिकी और जीनोम विश्लेषण

1990-91 से चल रहे मानव अनुवांशिकी और जीनोम विश्लेषण कार्यक्रम ने काफी बड़ा ढांचा खड़ा किया ताकि देश में पोस्ट जीनोमिक रिसर्च चलाया जा सके और साथ ही सार्वजनिक प्रक्षेत्र में मौजूद

मानव, जन्तु और जीवाणु के जीनोम संबंधी ज्ञान का इस्तेमाल करने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के साथ चल पाना संभव हो। 1991-92 से लेकर अब तक 25 अनुवांशिक निदान सह सलाह एकक स्थापित कर प्रभावित परिवारों को इलाज की सुविधा दी जा रही है ताकि अनुवांशिक गड़बड़ियों और बीमारियों का असर कम किया जा सके। अब तक एक लाख से भी ज्यादा परिवारों को इन एककों से फायदा पहुंचा है और देश में ही निदान की सुविधा देने से विदेशी मुद्रा की भी बचत हुई है। इस क्षेत्र में प्रशिक्षित लोगों को तैयार करने के लिए चार प्रशिक्षण केंद्र (सीएमसी, वेल्लोर; एम्स, नई दिल्ली; आईआईएस, मुंबई; और एसजीपीजीआईएमएस, लखनऊ) हैं जो अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में काम करने वाले चिकित्सा विज्ञानियों और टेक्निशियनों को प्रशिक्षण देते हैं।

मानव अनुवांशिकी और मानव जीनोम विविधता, क्रियात्मक, ढांचागत, सूक्ष्मजैविक, बायोकेमिस्ट्री, फार्मेकोजेनेमिक्स, क्लिनिकल प्रोट्योमिक्स जैसे क्षेत्रों में कई परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें बड़ी संख्या में चिकित्सा विज्ञानी, आणविक अनुवांशिकीविद और मानवविज्ञानी शामिल हुए। 11वीं योजना के लिए एक कार्ययोजना का दस्तावेज बनाया गया है ताकि मानव अनुवांशिकी और देश में अनुवांशिक शिक्षा समेत जीनोमिक नेटवर्क प्रोजेक्ट के क्षेत्र में बड़ी पहलकदमियां ली जा सकें।

विचार मंथन बैठकों के जरिए क्लिनिकल प्रोट्योमिक्स, फार्मेकोजेनेमिक्स और आरएनएआई के क्षेत्र में कई परियोजनाएं/कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और इस अवधि में कई परियोजनाओं को सहायता भी दी गई है।

पर्यावरणीय जैवप्रौद्योगिकी

जैवप्रौद्योगिकी विभाग के पर्यावरण जैवप्रौद्योगिकी प्रभाग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शोध के लिए विचार किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों की पहचान और जहां आवश्यक हो, वहां केंद्रित बहु संस्थानिक नेटवर्क परियोजनाएं चलाने के उद्देश्य से चार विचार मंथन सत्र आयोजित किए गए। पर्यावरणीय मटाजीनोमिक्स का सत्र नई दिल्ली में, पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी का सत्र नागपुर में, जैवविविधता संरक्षण का सत्र नागपुर और तिरुअनंतपुरम में किया गया। इस बात के प्रयास हो रहे हैं कि प्रदूषण को कम करने, कचरे से मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाने और लुप्तप्राय जीवों और पौधों को बचाने के लिए उद्योगों को जैवप्रौद्योगिकी समाधान उपलब्ध कराए जाएं। जैव प्रौद्योगिकी संबंधी उपायों के जरिए कार्बन कम करने के कार्यक्रम बनाने के लिए एनटीपीसी के साथ मिलकर एक संयुक्त कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। कचरे से हाइड्रोजन (जैव ऊर्जा) बनाने और पेट्रोलियम संस्थानों/रिफाइनरी, पल्प और कागज उद्योगों, कपड़ा और रंजक उद्योगों और पोल्ट्री के कचरे के निष्पादन के लिए प्रयोगशाला स्तर पर विकसित की गई प्रौद्योगिकी के उद्योगों में इस्तेमाल का तरीका ढूंढने के लिए साझा उपक्रम किए जा रहे हैं। औद्योगिक अपशिष्ट उपचार, नष्ट हो गई पारिस्थितिकी व्यवस्थाओं से बचाने, प्रदूषित स्थानों के जैव उपचार और आणविक साधनों के प्रयोग से जैवविविधता के संरक्षण आदि के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सहायता दी जा रही है।

जैव ईंधन और जैव ऊर्जा पर निर्धारित लक्ष्य वाले कार्यक्रम

जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने बायोमास से जैव ईंधन बनाने के लिए एक मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें लिग्नेसेल्युलोसिक कचरे को कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल कर एथनॉल बनाने, एथनॉल उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए रिकॉम्बिनेंट माइक्रोबियल स्टेन की पहचान करने, बायोडीजल उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल के उत्पादन और तेल को बायोडीजल में परिवर्तित करने के लिए

एंजाइमिक ट्रांसस्फिकेशन प्रक्रिया के विकास पर जोर दिया गया है। जेट्रोफा करकैस के अच्छे क्वालिटी के पौधों के लिए एक माइक्रोमिशन के तहत पहली बार एक व्यवस्थित वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया है जिसके तहत देश भर से अच्छी क्वालिटी के नमूने इकट्ठा किए गए हैं। देश भर से लगभग 1000 नमूने जुटाकर उनकी पहचान की गई है। अच्छी क्वालिटी के पौधे उपलब्ध कराने के लिए देश भर के 12 स्थानों पर नर्सरी बनाई गई है।

लिग्नोसेल्युलॉसिक उत्पादों के इस्तेमाल के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये उत्पाद सस्ते और नवीनकरणीय संसाधन हैं, हमारे देश में ये बड़े मात्रा में उपलब्ध हैं और एथनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया का आर्थिक रूप से कारगर होना सेल्युलोज और हेमीसेल्युलोज के घुलनशील शर्करा में प्रभावी परिवर्तन पर निर्भर है। मौजूदा एंजाइम उत्पादन की लागत घटाकर इस खर्च में दो गुने तक कटौती की जा सकती है। बायोएथनॉल कार्यक्रम के तहत रिकॉम्बिनेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म की पहचान की गई है। ये ताप सहनशील हैं और इनसे एथनॉल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है। लिग्नोसेल्युलॉसिक ह्रास के लिए एंजाइम के जरिए प्रशोधन पूर्व प्रक्रिया पर भी काम चल रहा है। इन प्रौद्योगिकियों को व्यावसायिक रूप से उपयोगी बनाने की दिशा में प्रयास जारी हैं।

माइक्रोमिशन के तहत जेट्रोफा के 1000 से ज्यादा नमूने इकट्ठे किए गए हैं और 820 नमूनों का तेल की मात्रा और फ्री फैटी एसिड के लिए विश्लेषण किया गया है। इसके अलावा जर्मप्लाज्म गुणों की पहचान का काम भी किया जा रहा है और 48 नमूनों का इस काम के लिए अध्ययन किया गया है।

सामाजिक विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी

प्रमाणित और जांची-परखी गई प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन और प्रशिक्षण का काम जारी है। उत्पाद और प्रक्रिया के विकास, रोजगार सृजन, और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के जरिए परियोजनाओं पर अमल से अनु.जाति/जनजाति, ग्रामीणों और महिलाओं के कौशल और उनकी आमदनी बढ़ सकती है। सुगंधित और चिकित्सकीय पौधों की खेती और मशरूम उत्पादन, पौधों में लगने वाले कीड़ों और बीमारियों के जैविक नियंत्रण, वर्मीकल्चर और वर्मीकंपोस्ट, जैविक खाद, जलजीव पालन, बटेर पालतू और मानव स्वास्थ्य से संबंधित 135 जारी परियोजनाओं से 1,16,000 से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। इस साल 20 नई परियोजनाओं के लिए धन दिया जा रहा है।

खाद्य और पोषण जैव प्रौद्योगिकी

इस साल संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए न्यूट्राशूटिकल और प्रोबायोटिक्स के विकास और इस्तेमाल पर जोर दिया गया। देश और कनाडा के विशेषज्ञों से गहराई से विचार-विमर्श के बाद विभाग ने एक राष्ट्रीय कृषि-खाद्य यानी जैवप्रौद्योगिक संस्थान (एनएबीआई) और बायोप्रोसेसिंग यूनिट(बीपीयू) स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की। ये दोनों संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान होंगे। एनएबीआई और पार्क मिलकर पंजाब के मोहाली में एग्री फूड क्लस्टर का हिस्सा बनेंगे। खाद्य और पोषण विज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मियों की कमी को देखते हुए विभाग ने पोषण विज्ञान या खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर और डाक्टरेट कार्यक्रम शुरू करने के लिए आशय पत्र आमंत्रित किए हैं।

बड़ी इलायची उत्पाद योजना

ऊतक संवर्धन वाली इलायची और स्वाभाविक रूप से पनपे बीज के पौधों को तुलनात्मक अध्ययन उत्तराखंड के खेतों में चल रहा है। इसके लिए 2006 में 34.45 हेक्टेयर इलाके में दोनों तरह के पौधे

उगाए गए हैं। बड़ी इलायची की खेती और प्रबंधन के बारे में परियोजनाकर्मियों और किसानों को शिक्षित करने के लिए चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सूक्ष्मजैविक और औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी

अनुसंधान में सफल परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है ताकि वे अंततः उद्योगों के लिए तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बनें। औद्योगिक महत्व के विभिन्न एंजाइमों जैसे केराटिनेज, पुलुलेनेज, सेल्युलोज, लैक्केज, प्रोटिएज आदि के उत्पादन की तकनीकों का विकास किया जा रहा है। हाइड्रोलेज, एल-एस्परजिनेज, फाइटेज, चिटिनेज आदि तथा औषधीय महत्व के फंफूद उत्पाद, जैसे फ्यूमाजिलिन, लोवोसाटिन और एजेटिमाइब आदि के उत्पादन पर भी जोर दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण नई परियोजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि सोरिएसिस के लिए नई पुटिकामय औषध संप्रेषण प्रणाली तथा अनुवांशिक रोगों की पहचान के लिए बायोचिप आधारित प्रणाली का विकास किया जा सके। वस्त्र रंजक उद्योग में उपयोग के लिए कुछ चुनौती कवकों से अधिक रंजक प्राप्त करने, संरचित लिपिडों के संश्लेषण के लिए झिल्ली के रूप में बायोरिएक्टर के विकास, ट्राइग्लिसराइड्स के निर्धारण के लिए एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर बनाने, गेहूँ में करनाल बंट की पहचान के लिए रोगप्रतिरक्षण-नैदानिक उपकरण के विकास, आम से शराब बनाने और द्रवीकृत तलछट बायोमास गैसकारक बनाने और उसके श्रेष्ठतम उपयोग के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ग्यारहवीं योजना में मिशनमोड परियोजनाओं/नेटवर्क कार्यक्रमों के रूप में कार्यान्वयन के लिए कुछ क्षेत्रों की पहचान की गई है। इसके अलावा उत्पाद आधारित नई खोजों के लिए शोध कार्य में लगे लोगों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। उत्पाद विकास से जुड़े कार्यक्रमों में उद्योग की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी उत्पाद की संभावना वाली परियोजनाओं में शुरूआत से ही उद्योग की भागीदारी को बढ़ाना दिया जाता है।

निजी-सार्वजनिक भागीदारी के लिए लघु व्यापार नवीकरण अनुसंधान पहल (एसबीआईआरआई)

विभाग ने जैव प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग को तकनीकी क्रांति की प्रथम पंक्ति में लाने के लिए सितंबर 2005 में लघु व्यापार नवीकरण अनुसंधान पहल (एसबीआईआरआई) योजना शुरू की। इसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को विश्व के शीर्ष देशों के बीच स्थापित करना है। यह योजना दो चरणों में चलाई जाती है। प्रथम चरण में अत्यंत नवीन प्रारंभिक और अप्रमाणित अनुसंधानों की मदद की जाती है जबकि द्वितीय चरण में विकसित परियोजनाओं, नई शोध सफलताओं के व्यावसायिक उपयोग आदि के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जरूरतों से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना से सार्वजनिक-निजी सहयोग का एक नया दौर शुरू हुआ है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता और निजी क्षेत्र की रचनात्मकता और तात्कालिकता सम्मिलित है। प्रयोगशालाओं की खोजों को व्यावसायीकरण की राह दिखाने के लिए उद्योग और ज्ञान के बीच प्रभावी संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है।

सितंबर 2005 से अब तक इस योजना का पांच बार विज्ञापन निकाला जा चुका है। निजी उद्योगों से विभाग को सकारात्मक जवाब मिला है। ये प्रस्ताव मोटे तौर पर स्वास्थ्य, कृषि व संबंध क्षेत्रों, औद्योगिक उत्पाद व प्रक्रिया विकास तथा पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्य जोर उपचार प्रणालियों और औषधि डिजाइनिंग के विकास पर है जबकि नैदानिक, बायोइंस्ट्रुमेंटेशन

आदि का उपयोग भी आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में होता है। स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों और क्लीनिकल अनुसंधान में शोध और विकास को भी निजी क्षेत्र ने शामिल किया है। कृषि क्षेत्र में ज्यादा ध्यान जीन-परिवर्तित नस्लों के विकास पर दिया गया है।

जैव सुरक्षा के मुद्दे

जैव सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जीन परिवर्तन द्वारा परिवर्तित जीवों (जीएमओ) तथा उत्पादों के उपयोग में उपभोक्ता और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैव सुरक्षा प्रक्रियाओं और निर्देशिकाओं के पालन पर मुख्य जोर दिया गया है। पुनर्संयोजित डीएनए के काम में लगी संस्थाएं और उद्योग संस्थागत जैवसुरक्षा समितियों, निगरानी और मूल्यांकन समिति (एमईसी) तथा जननिक परिवर्तन पुनरीक्षण समिति (आरसीजीएम) तथा अन्य संस्थाओं द्वारा मंजूरी के बाद ही ये काम करती हैं। विभाग ने आरसीजीएम का पुनर्गठन किया था ताकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के 1989 नियमों के तहत चालू आर-डीएनए परियोजनाओं और जेनेटिकली परिवर्तित जीवों/खतरनाक जीवों से जुड़ी गतिविधियों तथा ट्रांसजेनिक फसलों के नियंत्रित अनुप्रयोगों में सुरक्षा संबंधी मामलों की निगरानी की जा सके। ट्रांसजेनिक फसलों और आरडीएनए उपचार विधियों के विकास में लगे सरकारी और निजी संस्थानों को मंजूरी देने और मार्गदर्शन करने में आरसीजीएम सक्रिय रूप में शामिल है। आरडीएनए तकनीक से जुड़े विभिन्न संस्थानों द्वारा दिए गए अनुरोध पत्रों पर विचार करने के अलावा आरसीजीएम ने कई नीतिगत फैसले किए हैं जैसे- कई स्थानों पर फील्ड परीक्षण के लिए प्रविधि का मानकीकरण, आंकड़े इकट्ठे करने के पैमाने बनाना, ट्रांसजेनिक फसल/जीन/घटना का नामकरण और बीटी कॉटन की प्रक्रिया की निगरानी। भेषज क्षेत्र में विभाग ने पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा स्थापित 'पुनर्व्यवस्थित भेषज क्षेत्र' विषय पर बने कार्य बल की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में सक्रिय रूप से भाग लिया। विभाग ने रिपोर्ट में विभिन्न प्रकार के आरडीएनए भेषज उत्पादों पर अपनी सिफारिशें दी।

रिपोर्ट में स्वदेशी विकास और विपणन, आयात और विपणन, जीएमओ की शुद्धीकृत सामग्री का व्यावसायिक इस्तेमाल और उत्पाद के रूप में जीएमओ जैसे मुद्दे शामिल थे। विभाग ने जैव सुरक्षा नियामक प्रक्रियाओं को व्यावहारिक बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई कई समितियों को अपना योगदान दिया है। मेसर्स बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड को जीएमओ से संबंधित जैव सुरक्षा पहलुओं पर राष्ट्रीय विचार विमर्श पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए विभाग मदद करता है जो आईवीएससी सदस्यों को जैव सुरक्षा नियमों, कानूनों और प्रक्रियाओं से अवगत कराता है। विभाग आर-डीएनए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम कर रहे अनुसंधान संस्थानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जैव सुरक्षा नियमों, कानूनों और प्रक्रियाओं पर कार्यशालाएं, गोष्ठियां और परिसंवाद आयोजित करता है। समाज को जल्द से जल्द ट्रांसजेनिक फसलें और पुनर्संयोजित डीएनए नैदानिकी उपलब्ध कराने और साथ ही उत्पादों की सुरक्षा पर कोई समझौता न करने के लिए तर्कसंगत जैव सुरक्षा दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। जैव सुरक्षा पर समर्पित, डाइनैमिक और विकसित वेबसाइट बनाई गई है जिसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय निर्देशिकाएं, राष्ट्रीय नियम व प्रक्रियाएं परिलक्षित होती हैं। संस्थागत जैव सुरक्षा समितियों(आईबीएससी) के सहयोग से यह वेबसाइट बनाई और शुरू की गई है। "भारतीय जीएमओ अनुसंधान सूचना प्रणाली(जीएमओआरआईएस)" पर एक अन्य वेबसाइट भी शुरू की गई है जो भारतीय प्रयोगशालाओं में चल रहे अनुसंधानों के बारे में सूचना देती है। आईबीएससी के सदस्यों के लिए एक निर्देशिका भी बनाई और वितरित की गई है। विभाग ने हमारे बीटी कॉटन के सीआरवाई1एसी(मोन531-ईवेंट), सीआरवाई1-व-आरवाई2एबी(मोन 15985 ईवेंट) और जीएफएमक्राई1ए

और क्राई-1-एसी (ईवेंट सं.1) जीनों से संबंधित चार ईवेंट्स विभिन्न कंपनियों/उद्योगों द्वारा जारी करने में सक्रिय भूमिका निभाई। इन्हें आरसीजीएम और एमईसी की सिफारिशों के बाद जारी किया गया। विभिन्न सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों, निजी अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों में अब तक 320 आईबीएससी स्थापित की जा चुकी हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश के बाद विभाग विभिन्न प्रयोगों व उनके क्षेत्र में परीक्षण अनुसंधानों के दौरान इन आदेशों में शामिल शर्तों के अनुपालन के प्रयास कर रहा है।

जैव सूचना

विभाग का बीटीआईएस नेट कार्यक्रम अब देशव्यापी नेटवर्क में बदल गया है जिसमें देश भर के 20 से ज्यादा संस्थान हैं। यह नेटवर्क जैव सूचना विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और इस क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करके जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान में सहयोग कर रहा है। इस नेटवर्क में शामिल वैज्ञानिकों ने पिछले 5 साल में 1000 से ज्यादा जैव सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रपत्र विभिन्न समीक्षा पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाए हैं और जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी में 3000 से ज्यादा शोध प्रपत्र छपवाने में मदद की है। जैव सूचना विज्ञान के जरिए जीव विज्ञान शिक्षण (बीटीबीआई) में नवीनता लाने के लिए 52 जैव सूचना विज्ञान सुविधाएं (बीआईएफ) स्थापित की गईं। ये सुविधाएं जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी में शिक्षण क्षमता बढ़ाने में संस्थाओं के लिए जैव सूचना विज्ञान संसाधन केंद्रीय के संसाधन के रूप में काम करेंगी।

जैव सूचना विज्ञान में विषय केंद्रित बहुसंस्थानीय संकाय परियोजनाएं शुरू की गई हैं ताकि जैव सूचना विज्ञान के नजरियों से खास समस्याओं को सुलझाया जा सके। जैव सूचना विज्ञान और प्रायोगिक जीव विज्ञान की सम्मिलित परियोजनाएं चलाने पर विचार हो रहा है ताकि जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान में जैव सूचना विज्ञान का योगदान बढ़ाया जा सके। जैव सूचना विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्रों जैसे जेएनयू और पुणे विश्वविद्यालय ने इस विषय में अपने डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को क्रमशः कंप्यूटेशनल व सिस्टम्स बायोलोजी में एम टेक तथा जैव सूचना विज्ञान में एमएससी तक उन्नत कर दिया है। देश में जैव सूचना विज्ञान में उपलब्ध श्रेष्ठ मानव संसाधन को पहचान दिलाने के लिए इस साल राष्ट्रीय स्तर की जैव सूचना विज्ञान प्रमाणपत्र (बीआईएनसी) परीक्षा शुरू की गई।

भारत में जैव सूचना विज्ञान पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईएनसीओबी2006) के आयोजन में आशातीत सफलता मिली। 1000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने 400 पोस्टर, 20 पर्चे बीएमसी बायोइन्फोर्मेटिक्स पर जे बायोसाइंस में प्रकाशित करवाए जिसका इंपैक्ट फैक्टर 4.96 रहा। इस वर्ष दूसरी आसियान-भारत जैव सूचना विज्ञान कार्यशाला भी आयोजित की गई जिससे भारत सहित 30 आसियान देशों के वैज्ञानिकों को लाभ हुआ।

जैव प्रौद्योगिकी पार्क तथा इनक्यूबेटर्स

जैव प्रौद्योगिकी पार्क और इनक्यूबेशन केंद्र इस क्षेत्र की नई कंपनियों को प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र की नई कंपनियों को प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र में सरकारी-निजी प्रयासों के सहयोग के लिए अवसर उपलब्ध कराते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास विभाग द्वारा 8 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया जैव प्रौद्योगिकी पार्क अब चालू हो गया है और आदर्श के रूप में उभर रहा है। इसमें जैव-व्यापार खंड व्यापार सहयोग सुविधाएं, जैव सूचना विज्ञान एकक सम्मेलन/ प्रशिक्षण कक्ष और कैफेटेरिया होंगे। उक्त संवर्धन एकक की क्षमता 10 हजार में एक लाख तक पौधे/पौध उत्पादित करने

की है। जैव उर्वरक एकक में बैक्टीरिया से उर्वरक बनाने की सुविधाएं हैं। सहायक सेवा खंड वातानुकूलन प्रणाली, उच्च व निम्न तनाव फलकों, डीजल सेट जनरेटर व बाँयलर रूम के लिए बनाया गया है। निष्कर्षण खंड में पादप/रसायन सीसा धातु अणुओं के उच्च श्रेणी के औषधीय पौधों से निष्कर्षण की सुविधा में नैदानिक होगी। उद्योग द्वारा स्थापित नैदानिक सुविधा किटों का निर्माण और विपणन किया जाएगा। आसवन और कीड़ों से खाद बनाने (वर्मीकंपोस्ट) वाली इकाई का निर्माण भी पूरा हो गया है। आसवन एकक में जेट्रोफा के बीज से तेल निकालने के लिए एक टीपीडी तेल निष्कर्षक भी स्थापित किया गया है।

जीनोम वैली हैदराबाद के शापूरजी पल्लोनजी जैव प्रौद्योगिकी पार्क में जैव प्रौद्योगिकी पार्क और इनक्यूबेशन सुविधा का मुख्य उद्देश्य जैव प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों का विकास और सुधार है। वर्तमान श्रेष्ठ निर्माण आचरण (सीजीएमपी) जो कि मिलावट की संभावना को न्यूनतम या पूरी तरह खत्म करने और उच्च गुणवत्ता के लिए जरूरी है, भी उपलब्ध होगा। आईआईसीटी हैदराबाद में बीटीआईसी के हिस्से के रूप में पूर्व-जैव प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर (बीटीआईसी) प्रक्रिया जनरेटर (पीबीपीजी) स्थापित किया गया ताकि वह जैवप्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के लिए प्रयोगशाला तकनीकों और आधारभूत स्तर की प्रक्रिया तकनीकों उपलब्ध कराने के लिए माध्यमिक और प्रारंभिक सुविधा के रूप में काम कर सके। जैव प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन केंद्र केरल के कलामासेरी, एरनाकुलम जिले में स्थापित किया जा रहा है ताकि पारंपरिक औषधि, जड़ी बूटी और पौध किस्मों के ज्ञान में छोटे उद्यमियों और इकाइयों का प्रोत्साहित किया जा सके। इससे उत्पादन प्रौद्योगिकियों, कच्चे माल और उत्पादों के गुणवत्ता आश्वासन के आधुनिकीकरण में सहायता मिलगी। इनक्यूबेटर सुविधा से नई प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण को बढ़ाने, जैव प्रौद्योगिकी के नए उपक्रमों को सहायता देने और उद्यमियों को उपयुक्त संपर्क उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में एक जैव प्रौद्योगिकी पार्क बनाने के प्रयास जारी हैं। बंगलुरु, कर्नाटक में बायोटेक पार्क के लिए सरकार व निजी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर काम चल रहा है। इस पार्क के तीन हिस्से होंगे— संस्थागत व अनुसंधान और विकास खंड; जैव प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन केंद्र और सामान्य इनस्ट्रूमेंटेशन सुविधा; तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग समूह जिसमें निजी उद्योगों की स्वतंत्र इकाइयां होंगी। कर्नाटक जैव प्रौद्योगिकी तथा सूचना तकनीक सेवा (केबीआईटीएस) कार्यान्वयन एजेंसी है और उसने जैव प्रौद्योगिकी पार्क के लिए कुछ निजी-सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोगियों की पहचान की है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

जैव प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ज्ञान का आधार बढ़ाने और विशेषज्ञता के विकास के वाहन के रूप में महत्वपूर्ण है जिससे देश में विकास और अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है। विकसित देशों में भारत के साथ सहयोग की रुचि बढ़ी है। डेनमार्क और फिनलैंड के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद अच्छी प्रगति हुई है और परियोजनाओं को आर्थिक सहयोग मिला है। संयुक्त परियोजनाओं को ब्रिटेन की जैव प्रौद्योगिकी तथा जीवविज्ञान अनुसंधान परिषद (बीबीएसआरसी) से आर्थिक सहायता मिली है। नए सहयोग के तहत विभाग ने कनाडा के कृषि तथा कृषि-खाद्य (एग्रीकल्चर एंड एग्री-फूड) और राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के साथ अलग-अलग समझौते किए हैं। चालू द्विपक्षीय समझौते और सहयोग भी महत्वपूर्ण हैं जिनमें संयुक्त उद्यमों को जर्मनी, नार्वे और अमरीका से आर्थिक सहायता मिल रही है। स्वीडन, यूक्रेन और यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय संवाद शुरू किए गए हैं। सार्क देशों के बीच सहयोग के बहुआयामी साझा कार्यक्रमों पर भी काम चल रहा है।

स्वायत्तशासी संस्थान और लोक उपक्रम

राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान, नई दिल्ली: संस्थान रोग प्रतिरक्षण प्रणाली से संबंधित आधारभूत अनुसंधान में आगे बढ़ रहा है। संस्थान ज्ञान की वृद्धि के जरिए देश की स्वास्थ्य समस्याओं से बेहतर ढंग से निबटने के लिए नए प्रभावी तरीके ढूंढने के लिए प्रतिबद्ध है। इस साल 50 से ज्यादा समालोचित शोध पत्र पांडुलिपियां और 5 समालोचनाएं प्रकाशित हुई हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल सहयोगी द्वारा समालोचित मूल प्रकाशनों की संख्या में 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इनमें विशेष रूप से प्रभावी प्रक्रियाओं-नेचर इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोटी, ई एमबीओ जर्नल, जर्नल ऑफ क्लीनिकल कैंसर, सेल डेथ एंड डिफेंसिएशन, जर्नल ऑफ बायोलोजिकल कैमिस्ट्री और यूरोपियन जर्नल ऑफ इम्यूनोलॉजी आदि शामिल हैं। संस्थान जीवविज्ञान अनुसंधान में शुरू से अंत की अवधारणा पर चल रहा है और एस्ट्राजेन्का इंडिया, बेंगलूर और कैडिला फार्मास्यूटिकल्स अहमदाबाद के साथ माइकोबैक्टीरियल फैड-डी (Fad D) प्रोटीनों के नए अणुओं के रोकने की तकनीकी से संबंधित समझौते किए हैं जो कि ताकतवर एंटीमाइकोबैक्टीरियल दवाएं भी बन सकती हैं।

राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, पुणे: केंद्र स्टेम सेल जीव विज्ञान, सिग्नल ट्रांसडक्शन, कैंसर जीवविज्ञान, मधुमेह, संक्रमण और रोग प्रतिरोध क्षमता तथा क्रोमेटिन संरचना और जीन नियमन जैसे जीव विज्ञान के विषयों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों में जुटा हुआ है। राष्ट्रीय कोशिका भंडार ने देश में 128 वैज्ञानिक संस्थाओं को 1154 कोशिका शृंखलाओं (सेल लाइन्स) की आपूर्ति की है। प्रशिक्षण और शिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कोशिका जीवविज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में पहली बार न्यूक्लियर पोर प्रोटीन की खोज की गई है जो इंटरफेस सूक्ष्मनलिकाओं से संबद्ध है। भारतीय नाल केकड़े के पेरिविटेलिन द्रव से मिले प्रोटीन अणु में हृदय की गतिविधि को बढ़ाने के गुण पाए गए हैं। स्टेम सेल अनुसंधान में पाया गया कि अराकिडोनिक एसिड (ओमेगा 6) और इसके विविध रूप (मेटाबोलाइट) सीडी 34+ कोशिकाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति (एपोप्टोसिस) को बढ़ाती हैं। चूहे के भ्रूण स्टेम सेल से डोपामिनर्जिक न्यूरॉन को अलग करने में सफलता मिली है। मधुमेह अनुसंधान में चूजे के अग्नशय की बीटा कोशिकाएं शारीरिक और भेषज अध्ययनों के लिए बेहतरीन मॉडल साबित हुई हैं। कैंसर जीवविज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रियल उत्परिवर्तन संरचना (प्रोफाईल) और विभिन्न स्टेमसेल आयातों की पहचान की गई है जो अर्बुद उत्पत्ति से संबंधित प्रतीत होती हैं। ताकतवर कोलेस्ट्रॉल विरोधी कारक के रूप में मिथाइल बीटा साइकोलोडेक्सटेरिन दो अन्य कोशिकाविष (साइटोटॉक्सिक) दवाओं के साथ मिलाकर दवा की मात्रा में कमी करने की दिशा में शोध चल रहा है। सिग्नल ट्रांसडक्शन पर अध्ययन से पता चला है कि कॉक्स-2 (cox2) प्रोस्टेट (अंडग्रंथि) के कैंसर को दबाने में महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। संक्रमण और रोग प्रतिरोधन अध्ययनों में सेलेनोफॉस्फेट सिंथेटेज जीन का क्लोन बनाया गया और उसके गुणों की पहचान की गई। डेंड्रिटिक कोशिका के टाइप एक व दो की पहचान और उसके गुणों का निरूपण सफलतापूर्वक किया गया। पॉक्सवायरसों और हर्पीज वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला कि इन परिवारों के सदस्य मानव पूरक सक्रियण के मानव नियंत्रकों के संरचनात्मक समरूपों की नकल करते हैं ताकि परपोषी के प्रतिरक्षात्मक आक्रमण से बच सकें। एच आई वी जीवविज्ञान के अध्ययनों से पता चला है कि एनईएफ के सहयोग से एचआईवी जीन की अभिव्यक्ति और बहुगुणन की वृद्धि में एचसीपी 40 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एचआईवी में क्रोमाटीन संरचना और जीन नियमन अध्ययन में मिली सफलताओं से वैश्विक जीन नियमन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी बढ़ी है।

समीक्षा अवधि में प्रभावशाली पत्रिकाओं में 46 वैज्ञानिक शोधपत्र प्रकाशित हुए और सात पेटेंट आवेदन दिए गए हैं।

राष्ट्रीय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और नैदानिकी केंद्र (सीडीएफडी), हैदराबाद: सीडीएफडी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त स्वायत्त संगठन है। केंद्र डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, नैदानिकी नवजात स्क्रीनिंग और जैव सूचना विज्ञान संबंधी सेवाएं आम जन तथा जीव विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधारभूत शोध के लिए देता है। इसमें यह आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी डीएनए-आधारित विधियों का उपयोग करता है। सीडीएफडी सरकार और कानून का अनुपालन करवाने वाली विभिन्न एंजेसियों को डीएनए फिंगरप्रिंट सेवा देता है तथा इसने समाज के हित में इस तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्यों/केंद्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशालाओं के साथ समझौते किए हैं। इस समय जेनेटिक्स, आणविक तथा कोशिका जीवविज्ञान, कैंसर जीवविज्ञान, रोगाणु जीवविज्ञान, एचआईवी जीवविज्ञान, रोगप्रतिरक्षण आदि से संबंधित विविध अनुसंधान क्षेत्रों में पंद्रह समूह कार्य कर रहे हैं। सीडीएफडी में सनमाइक्रोसिस्टम का आयुर्विज्ञान जैव सूचना विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र भी है। केंद्र द्वारा विकसित नूतन तकनीक के आधार पर इस वर्ष एपीडा-सीडीएफडी सेंटर फॉर बासमती डीएनए एनालिसिस के रूप में एक संयुक्त गतिविधि शुरू की गई है जिसे एपीडा (कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) से आर्थिक सहायता मिल रही है। यह केंद्र निर्यात किए जाने वाले बासमती चावल की शुद्धता की जांच और प्रभावीकरण करेगा साथ ही आशा है, ऐसे दूसरे निर्यात योग्य उत्पादों के मूल्य और गुणवत्ता को बढ़ाने में सहयोग करेगा। केंद्र में संक्रामक रोगों के कीटाणुओं-एम ट्यूबरकुलोसिस, एच पाइलोरी, एचआईवी और एचपीवी; रेशमकीट जेनेटिक्स और जीनोमिक्स; कंप्यूटेशनल जीन विज्ञान और जैव सूचना विज्ञान; और ट्रांसक्रिप्शन और सिग्नल ट्रांसडक्शन में आधारभूत अध्ययन जैसे विषयों पर अध्ययन पर विशेष जोर दिया गया। आरएनएआई तकनीक की मदद से जीन परिवर्तित रेशमकीट बनाया गया जो बैकुलोवायरस के प्रति प्रतिरोधक है। कैंसर एपीथीयल कोशिकाओं में के-रास (k-Ras) संकेतन मार्ग के महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की पहचान के नए सुविधाजनक औजार विकसित किए गए हैं।

राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र (एनबीआरसी) मानेसर, हरियाणा: तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में एनबीआरसी की स्थापना की गई है ताकि इस क्षेत्र में उच्च श्रेणी के आधारभूत अध्ययन को बढ़ावा मिले और इस क्षेत्र में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त मानव संसाधन का विकास हो सके। केंद्र ने अपने नेटवर्क से अब तक 47 तंत्रिका विज्ञान समूह/संस्थान बनाए हैं ताकि बहुविषयी शोध को बढ़ावा मिल सके और डिजिटल पुस्तकालय की सुविधा मिल सके। केंद्र में फंक्शनल मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग (एफएमआरआई) सुविधा 29 सितम्बर 2006 को शुरू हुई। मानद विश्वविद्यालय के रूप में एनबीआरसी में एमएससी और शोधार्थियों के लिए पीएचडी कार्यक्रम जारी हैं।

अनुसंधान के लिए चुने गए प्रमुख विषयों में हैं—कंप्यूटेशनल तंत्रिका विज्ञान, तंत्र और ज्ञानात्मक तंत्रिका विज्ञान, स्टेम सेल अनुसंधान, विकासात्मक तंत्रिका जीवविज्ञान और तंत्रिका संबंधी और मनोवैज्ञानिक रोगों को समझने की दिशा में आधारभूत अध्ययन आदि।

नेशनल इंस्टीट्यूट फार प्लांट जीनोम रिसर्च (एनआईपीजीआर), नई दिल्ली: एनआईपीजीआर (पूर्व में नेशनल सेंटर) प्लांट जीनोमिक अनुसंधान में जुटा है जिसका मुख्य बल संरचनात्मक जीनोमिक्स और व्यावहारिक जीनोमिक्स पर है। यह कुछ फसलों के जीनोमिक्स पर काम कर रहा है ताकि जीन में बदलाव करके बेहतर श्रेणी की खाद्य व औद्योगिक फसलें, जैसे चना, कैथेरैन्थस, आलू, टमाटर, लेथीरस, चावल,

शकरकंद, कसावा आदि पाई जा सकें। पोषकता के अलावा फलों और सब्जियों की भंडारण अवधि बढ़ाने, बीमारियों और अजैविक तनाव के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के अलावा संस्थान कैथेरिन्थस के पौधे से औषधीय एल्कोलाइड के अधिक उत्पादन की दिशा में भी प्रयास कर रहा है। संस्थान पादप अणु जीवविज्ञान, जीनोमिक्स और जीन आधारित परिवर्तन के क्षेत्रों में वैज्ञानिक मानव संसाधन विकास के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है।

जैव संसाधन एवं दीर्घकालिक विकास संस्थान, इंफाल: संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी के जरिए जैव संसाधनों के विकास और उनके दीर्घकालिक उपयोग के लिए कई शोध कार्यक्रम चला रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के जैव संसाधनों के डिजिटाइज्ड डाटाबेस में प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों से प्राप्त 1619 नए रिकार्ड शामिल किए गए हैं जिससे कुल रिकार्ड की संख्या 4085 हो गई है। सूक्ष्मजीवों, खास तौर पर मणिपुर में पाए जाने वाले साइनो बैक्टीरिया के डेटाबेस पर काम शुरू किया गया है। जैव सूचना विज्ञान नेटवर्क के तहत संस्थान में वितरित सूचना उपकेंद्र (सब-डीआईसी) स्थापित किया गया है। कैम्फेरिया गलांगा की पौध के परखनली में बहुगुणन और ऊतक दृढ़ीकरण का काम जारी है। दो दुर्लभ विध्वंसक आर्किड प्रजातियों-एरिडेज वान्डारियम और वान्डा कोएरुली के संकर विकसित करने में सफलता मिली है। मणिपुर में उगने वाली ट्री बीन (पार्टिका तिमोरियाना) के जननिक अंतर का विश्लेषण किया गया है। किसानों को महंगी ओस्टियोब्रामा बेलांगेरी (पेंगबा) मछली के 10 लाख अंडे और 20 हजार स्पॉन वितरित किए गए। जैव संसाधन विकास और उपभोग की तकनीकों के इस्तेमाल पर तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ओस्टियोब्रामा बेलांगेरी (पेंगबा) के संवर्धन योग्य बीजों को एक प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम में विकसित किया गया और मणिपुर के चुनिंदा किसानों और उद्यमियों को मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने के हेतु 10 लाख अंडे और 20 हजार आंगुलिक वितरित किए गए।

जीवन विज्ञान संस्थान (आईएलएस) भुवनेश्वर: अणु जीवविज्ञान में आधुनिक तकनीक से वृद्धावस्था, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया की पैथोजेनेसिस, हैजा, मलेरिया और फाइलेरिएसिस जैसे संक्रामक रोगों और पादप व पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी को समझने में मदद मिली है। प्रजाति आधारित विषाक्त और वी कॉलेरी के एसएक्सटी पॉजिटिव रोगाणु की शीघ्र पहचान के लिए सेप्टाप्लेक्स पीसीआर ऐसे विकसित किया गया और इस ऐसे की सत्यता के परीक्षण के लिए वी कॉलेरी ओ1 की सौ नस्लों की जांच की गई। इस वर्ष फ्लूविटिलिस की बंधु प्रजाति की पहचान के लिए मल्टीप्लेक्स पीसीआर ऐसे विकसित की गई हैं जिसका उपयोग इन रोगाणुवाहकों की खान-पान की आदतों (एंथ्रोप्रोफिलिक इंडेक्स) को समझने और स्पारोजॉइट वहन करने की क्षमता को समझने में किया जाएगा। जैव-पूर्वक्षण पर अध्ययन चल रहे हैं ताकि थर्मोपाइल्स के बड़े भंडार का उपयोग किया जा सके। थायोमोनास, कोमामोनास और क्रोमोबैक्टीरियम जातियों के बैक्टीरिया के एक व्यापक समूह को गर्म पानी के झरनों में पहचाना गया। कीमोलिथोहेटेरोट्रॉफिक थायोसल्फेट ऑक्सीडाइजिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम (स्ट्रेन S10 के रूप में नामाकरण) की पहचान की गई। इसके 16S डीएनए शृंखला के आंकड़े और कुल फैटी एसिड विश्लेषण से पता चलता है कि यह थायोमोनास जाति की एक नई प्रजाति है जिसके थायोमोनास भुवनेश्वरेन्सिस नाम प्रस्तावित किया गया है।

इस वर्ष डीएनए प्रौद्योगिकियों, व्यावहारिक जीनोमिक्स और प्रोटियो-मिक्स अनुसंधान तथा अजैविक तनाव प्रतिक्रिया व तनाव लाने वाले जीन के अध्ययन के लिए जीन कार्यशालाएं और प्रशिक्षण आयोजित किए गए। नवंबर 2006 में दस प्रकाशन निकाले गए जिनका प्रभाव कारक 3.02 रहा। इस वर्ष तीन गैर तकनीकी पद भी मंजूर किए गए। नए अनुसंधान भवन जीव घर और शोधार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और यह कार्य मेसर्स राइट्स लिमिटेड को दिया गया है।

1016

भारत-2010

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान

इस क्षेत्र में दो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान हैं भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलोजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (बिबकॉल) और इंडियन वैक्सीन कॉरपोरेशन लिमिटेड (इवकॉल)। भुवनेश्वर स्थित बिबकॉल खाने वाली पोलियो वैक्सीन बनाता है जिसका उपयोग राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में किया जा रहा है। इवकॉल एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। नए उत्पादों को शामिल करके और इसकी आर्थिक व्यवस्था में बदलाव लाकर इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश हो रही है।

अंतर्राष्ट्रीय जेनेटिक इंजीनियरी और जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, नई दिल्ली (आईसीजीईबी): आईसीजीईबी ने मानव स्वास्थ्य, कृषि और उत्पाद विकास के क्षेत्रों में अपने अनुसंधान जारी रखे। समुद्री जीवों के असंशोधित सारतत्व और रासायनिक संयुक्त भंडारों (केमिकल कॉम्बिनेटोरियल लाइब्रेरीज) की जांच के लिए प्लाज्मोडियम के हीमडिटॉक्सीफिकेशन पाथवे पर आधारित उच्च निवेश माइक्रोटिटर ऐसे विकसित किया गया है। कीटों से फैलने वाले रोगों के कीटाणु जेन्थोमोनास निमैटोफिल के सीक्रेटोम से कई जैव सक्रिय प्रोटीनों की पहचान की गई है। केंद्र द्वारा वैज्ञानिक एचसीवी मल्टी एपिटोप प्रोटीन पर आधारित एचसीवी परीक्षण विकसित किया गया है जिसका विपणन भारत में किया जा रहा है। मलेरिया, विषाणुविज्ञान और पादप रूपांतरण पर तीन कार्यशालाएं आयोजित की गईं। ट्यूबरकुलोसिस अनुसंधान पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। दो पेटेंटों के लिए आवेदन दिए गए हैं।

26. परिवहन

देश के निरंतर विकास में सुचारू और समन्वित परिवहन प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्तमान प्रणाली में यातायात के अनेक साधन, जैसे—रेल, सड़क, तटवर्ती नौ-संचालन, वायु परिवहन इत्यादि शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ-साथ इसका विस्तार हुआ है और क्षमता भी बढ़ी है। जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय रेल और नागर विमानन को छोड़कर परिवहन के विभिन्न साधनों के विकास के लिए नीतिगत कार्यक्रम बनाने और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी निभाता है।

रेल

देश में माल ढोने और यात्री परिवहन का मुख्य साधन रेलें हैं। देश के कोने-कोने तक लोगों को आपस में जोड़ने के अलावा इसने कारोबार, देशाटन, तीर्थयात्रा और शिक्षा को सुलभ बनाया है। रेलें राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की प्रमुख कड़ी साबित हुई हैं। इसने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को एक सूत्र में पिरोया है और साथ ही कृषि तथा औद्योगिक विकास को तीव्र गति प्रदान की है। हमारे देश में रेल-परिचालन की शुरुआत 1853 में हुई थी। पहली रेलगाड़ी मुम्बई से थाणे तक (34 किलोमीटर की दूरी तक) चलाई गई थी। आज देशभर में रेलों का व्यापक जाल बिछा हुआ है। 31 मार्च, 2008 तक रेलवे स्टेशनों की संख्या 7025 तथा रेलमार्ग की कुल लंबाई 63,273 किलोमीटर है। भारतीय रेल के पास 8330 रेल इंजन, 47,375 यात्री गाड़ियां, 6,186 अन्य सवारी गाड़ियां और 204034 रेल के डिब्बे थे। रेलवे ने अपनी 150 वर्ष की अवधि में असाधारण प्रगति की है। इसने देश के सामाजिक-आर्थिक और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। विभिन्न गेज वाली रेल प्रणाली के तहत कुल 63273 किलोमीटर लंबे रेलमार्गों पर अनेक रेलें चलाई जाती हैं।

31 मार्च, 2008 तक विभिन्न गेज वाली रेलों और रेलमार्ग की लंबाई इस प्रकार है—

रेल लाइन (गेज)	रेलमार्ग (कि.मी.)	चालू रेल पटरी (कि.मी.)	कुल रेल पटरी (कि.मी.)
बड़ी लाइन (1.676 मि.मी.)	51,082	72,538	96,851
मध्यम लाइन (1.000 मि.मी.)	9,442	9869	11,676
छोटी लाइन (762 मि.मी. व 610 मि.मी.)	2,749	2,751	3072
योग	63,273	85,158	1,11,599

लगभग 28 प्रतिशत रेलमार्ग, 41 प्रतिशत चालू पटरियों व 42 प्रतिशत कुल रेल पटरियों का विद्युतीकरण हो चुका है। रेल नेटवर्क को 16 जोन (क्षेत्रों) में बांटा गया है। इन 16 जोन और उनके मुख्यालयों का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

रेलवे जोन	मुख्यालय
मध्य रेलवे	मुम्बई सेंट्रल
पूर्वी रेलवे	कोलकाता
उत्तर रेलवे	नई दिल्ली
पूर्वोत्तर रेलवे	गोरखपुर
उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे	मालेगांव (गुवाहाटी)
दक्षिण रेलवे	चेन्नई
दक्षिण-मध्य रेलवे	सिकंदराबाद
दक्षिण-पूर्व रेलवे	कोलकाता
पश्चिम रेलवे	चर्च गेट, मुम्बई
पूर्वी मध्य रेलवे	हाजीपुर
पूर्वी तटवर्ती रेलवे	भुवनेश्वर
उत्तर मध्य रेलवे	इलाहाबाद
उत्तर-पश्चिम रेलवे	जयपुर
दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे	बिलासपुर
दक्षिण-पश्चिम रेलवे	हुबली
पश्चिम-मध्य रेलवे	जबलपुर

विभिन्न समितियों के माध्यम से जनता और रेल प्रशासन के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं जिनमें मंडलीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समितियां और प्रभागीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समितियां शामिल हैं। 31 मार्च, 2008 तक भारतीय रेलवे के चल स्टॉक बेड़े में 44 भाप इंजन; 4,843 डीजल इंजन और 3443 इलेक्ट्रिक (विद्युत) इंजन काम कर रहे थे। इस समय रेलवे ईंधन की कम खपत व अधिक अश्वशक्ति वाली डिजाइन के इंजनों, तीव्रगति की रेलगाड़ियों के यात्री डिब्बों और मालगाड़ी के आधुनिक किस्म के डिब्बों को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए प्रयासरत है। इस प्रणाली की कार्यकुशलता में सुधार लाने हेतु पैनल इंटरलॉकिंग, रूट-रिले इंटरलॉकिंग, केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण व्यवस्था, स्वचालित व बहु-आयामी रंगीन प्रकाश सिग्नल/प्रणाली को अपनाया जा रहा है। कई वर्ष के निरंतर प्रयास से भारतीय रेलवे ने देश में ही रेल इंजन व डिब्बे तथा कई वांछनीय उपकरणों के निर्माण में सफलता हासिल की है और ज्यादातर वस्तुओं के मामले में आत्मनिर्भर बनी है।

रेलवे आयोजना के मुख्य उद्देश्य हैं—प्रस्तावित यातायात लाने और ले जाने की परिवहन व्यवस्था विकसित करना और अर्थव्यवस्था की विकास संबंधी जरूरतें पूरी करना। वर्ष 1950-51 में आयोजना के सूत्रपात के पश्चात् से अब तक भारतीय रेलवे नौ पंचवर्षीय योजना सहित कई वार्षिक योजनाएं पूरी कर चुकी है। इस अवधि में रेल प्रणाली के आधुनिकीकरण-संबंधी विस्तृत कार्यक्रम पर ध्यान दिया गया।

क्षमता के अधिक उपयोग के मद्देनजर रेल परिवहन की बढ़ती मांग को पूर्ण करने के लिए आजकल कम लागत में प्रौद्योगिकीय परिवर्तन लाना आवश्यक हो गया है। रेल परिसंपत्ति के समुचित उपयोग पर दबाव डालने के साथ-साथ रेल पटरी, इंजन, यात्री व माल डिब्बों का डिजाइन; सिग्नल, दूरसंचार प्रणाली आदि प्रमुख क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी परिवर्तन और उनके स्तर में सुधार लाने के प्रयास किए गए। रेल यातायात और इंजन व डिब्बों की संख्या सारणी 25.1 में दर्शाई गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत ग्यारह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं— (1) रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड (राइट्स), (2) इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन), (3) इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (4) कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (5) कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (6) इंडियन रेलवे क्रेटिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (7) रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (8) मुम्बई रेल विकास निगम लिमिटेड, (9) रेल विकास निगम लिमिटेड और (10) डेडीकेडोट फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और (11) भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड

रेल सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) की स्थापना रेलवे की विभिन्न कंप्यूटरीकृत परियोजनाओं को तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई है।

रेल चल स्टॉक (डिब्बे और इंजन)

पिछले कई वर्षों से भारतीय रेल न केवल अपने देश में रेल डिब्बे और इंजन के निर्माण में आत्मनिर्भर बनी है बल्कि यह अन्य देशों और गैर-रेल उपभोक्ताओं को इनकी आपूर्ति भी करती है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के सापेक्ष में भारतीय रेल ने डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (डीएलडब्ल्यू) वाराणसी में 4000 हॉर्स पावर वाले, कम मात्रा में ईंधन की खपत वाले, माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित आधुनिक एसीडीसी इंजन के निर्माण के लिए अमरीका के मेसर्स जनरल मोटर्स के साथ और चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चित्तरंजन में 6000 हॉर्स पावर वाले तीन फेज विद्युत इंजन के निर्माण के लिए मेसर्स एबीबी के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर समझौते किये हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान डीएलडब्ल्यू ने 257 इंजनों का निर्माण किया। इसमें सूडान को निर्यात किये गये एक रेल इंजन, और गैर रेल उपभोक्ता को निर्यात किये गये 17 इंजन भी शामिल हैं। डीएलडब्ल्यू ने गैर रेल ग्राहकों को चार डीजल इंजन उपलब्ध कराए। सीएलडब्ल्यू ने 220 विद्युत इंजनों का उत्पादन किया।

भारतीय रेल ने कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्टरी में एलएचबी डिजाइन तेज गति और हल्के वजन वाले डिब्बों का निर्माण भी शुरू किया है। वर्ष 2007-08 के दौरान आरसीएफ ने गैर-रेल ग्राहकों/निर्यात के लिए 46 डिब्बों सहित 1480 डिब्बों का उत्पादन किया। इंटिग्रल कोच फैक्टरी (आईसीएफ), पेरुम्बूर, चेन्नई ने वर्ष 2007-08 के दौरान गैर रेल ग्राहकों/निर्यात के लिए 40 डिब्बों सहित 1291 डिब्बों का उत्पादन किया।

वर्ष 2007-08 के दौरान रेल व्हील फैक्टरी, बंगलूरु ने 1,47,007 पहियों, 52,870 एक्सलॉ (धुरियों) और 40,509 पहिया सेटों का उत्पादन किया।

अनुसंधान और विकास

लखनऊ स्थित अनुसंधान, डिजाइन एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) भारतीय रेल की प्रमुख

अनुसंधान और विकास शाखा है। तकनीकी मामलों में यह भारतीय रेल में परामर्शदाता के रूप में सेवारत है और रेल निर्माण तथा डिजाइन में अन्य संगठनों को सलाह भी देता है।

रेल वित्त

वर्ष 1924-25 से ही रेल राजस्व को सामान्य राजस्व से अलग रखा गया है। संसद में प्रतिवर्ष रेल बजट को सामान्य बजट से अलग प्रस्तुत किया जाता है किंतु निवेश की गई पूंजी पर रेलवे उपलब्ध लाभांश सामान्य राजस्व की मद में जमा करता है। संसद की अधिवेशन समिति रेलवे द्वारा जमा राशि की समय-समय समीक्षा भी करती है।

यात्री यातायात

रेलयात्रियों की संख्या वर्ष 1950-51 में 1 अरब 28 करोड़ 40 लाख थी, जो वर्ष 2007-08 में बढ़कर 6 अरब 52 करोड़ 24 लाख हो गई। इस अवधि में यात्रियों द्वारा तय की जाने वाली कुल दूरी 1950-51 में 66 अरब 52 करोड़ किलोमीटर से बढ़कर 2007-08 में 7 खरब 70 अरब किलोमीटर हो गई थी। साधनों की कमी के बावजूद रेल विभाग यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में सफल रहा है। उपनगरों से यात्रा करने वाले और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले—दोनों प्रकार के यात्रियों के लिए रेलें यातायात का मुख्य साधन हैं।

माल ढुलाई

औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र में तीव्र विकास से रेल परिवहन की मांग बहुत बढ़ी है। यह मांग महत्वपूर्ण चीजों जैसे कोयला, लोहा व इस्पात, अयस्क, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्यान्न, उर्वरक, सीमेंट, चीनी, नमक, खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए बढ़ी है। वर्ष 1950-51 में रेलों द्वारा 73.2 मिलियन टन राजस्व अर्जक माल की ढुलाई की गई जो वर्ष 2007-08 की अवधि में बढ़कर 793.89 मिलियन टन हो गई। रेल मालढुलाई को शुद्ध टन कि.मी. के स्तर में देखें तो यह वर्ष 1950-51 की अवधि में 38 अरब थी, जो वर्ष 2007-08 में बढ़कर 581 अरब हो गई। मालढुलाई के लिए कुछ सुधार किए गये हैं जो इस प्रकार हैं—(1) कुछ महत्वपूर्ण खंडों में रेलमार्ग की क्षमता में सुधार तथा सिग्नल प्रणाली का आधुनिकीकरण, (2) कोयले जैसी बड़े पैमाने पर ढोये जाने वाली वस्तुओं के यूनिट ट्रेन संचालन जैसे उपाय, (3) रोलर बीयरिंग वाले मालडिब्बों की संख्या में वृद्धि, (4) ट्रेलिंग भार क्षमता बढ़ाकर 4,500 टन तक करना, (5) पूरे देश में एक समान गेज रेल प्रणाली से जोड़ना, (6) भारी तथा मजबूत पटरियों और कंक्रीट स्लीपर का इस्तेमाल कर रेलमार्ग को मजबूत बनाना, और (7) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा मालढुलाई के लिए 5,000 हार्सपावर वाले प्रोटोटाइप विद्युत इंजन का उत्पादन।

सड़कें

हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में से एक है। इस समय देश में सड़कों की कुल लंबाई 33 लाख किलोमीटर है। देश के सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यों के राजमार्ग, प्रमुख/अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण/देहाती सड़कें शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की व्यवस्था का दायित्व केंद्र सरकार का है। इनकी लंबाई, 70548 किलोमीटर है जो सड़कों की कुल लंबाई का मात्र 2 प्रतिशत है, लेकिन यातायात का 40 प्रतिशत इन्हीं राष्ट्रीय राजमार्गों से गुजरता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेस मार्ग	70,548 किलोमीटर
राज्यों के राजमार्ग	1,28,000 किलोमीटर
बड़ी और अन्य जिला सड़कें	4,70,000 किलोमीटर
ग्रामीण सड़कें	26,50,000 किलोमीटर

राष्ट्रीय राजमार्गों को राजमार्गों की चौड़ाई के अनुसार वाहनों की संख्या को देखते हुए विभाजित किया गया है। आमतौर पर एक लेन (सिंगल लेन) वाले राजमार्ग की चौड़ाई 3.75 मीटर और ज्यादा लेन (मल्टी लेन) वाले राजमार्गों की चौड़ाई प्रति लेन 3.75 मीटर की रखी गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों की चौड़ाई को नीचे दिये गये प्रतिशत में विभाजित किया गया है :

एकल (सिंगल) लेन	30 प्रतिशत
दोगनी/मध्यम लेन	53 प्रतिशत
चार लेन/छह लेन/आठ लेन	17 प्रतिशत

कुल यातायात में सड़कों के जरिए होने वाली माल ढुलाई 1950-51 से 6 अरब टन किलोमीटर से बढ़कर 2003-04 में 658.9 अरब टन किलोमीटर हो गई और इसी अवधि में यात्रियों की आवाजाही 23 अरब पैसेंजर किलोमीटर से बढ़कर 4251.7 अरब पैसेंजर किलोमीटर हो गई। 1951 में वाहनों की संख्या 0.3 मिलियन थी जो वर्ष 2005-06 में बढ़कर 89.6 मिलियन हो गई। यह 1951 की तुलना में 300 गुणा अधिक है। इसी अवधि में सड़क नेटवर्क 0.4 मिलियन किलोमीटर से बढ़कर 3.3 मिलियन किलोमीटर हो गया जो कि 1951 से आठ गुना अधिक है।

ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2006-07 में केंद्रीय क्षेत्र में सड़क कार्यक्रम का कुल परिव्यय 72,530 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। (वर्तमान मूल्य 82,032.97 करोड़ रुपये) इसके अलावा इस क्षेत्र में 34829 करोड़ रुपये की राशि आईबीआर की ओर से और 86792 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र की ओर से निवेश करने की उम्मीद है। 11वीं योजनावधि के दौरान वर्ष 2007-08 में 14,530 करोड़ रुपये का प्रावधान जिसमें 2090 करोड़ रुपये आईबीआर की ओर से दिये गये थे वर्ष 2008-09 में आईबीआर के 4100 करोड़ रुपये सहित 17370 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये वर्ष 2009-10 में आईबीआर के 5000 करोड़ रुपये सहित 19698 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान किया गया व्यय क्रमशः 14,429.92 करोड़ रुपये और 16,821.23 करोड़ रुपये रहा।

राष्ट्रीय राजमार्ग

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। इस समय राजमार्गों की कुल लंबाई का नेटवर्क 70548 किलोमीटर तक फैला है। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव का कार्य परिवहन मंत्रालय, राज्यों के लोक निर्माण विभाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन के माध्यम से करती है। देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने व्यापक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शुरू की है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना देश की अब तक की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। इस परियोजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी I और II) की उपलब्धियां

चरण I और चरण II की गतिविधियां इस प्रकार हैं :

(i) चार महानगरों—दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता को 5846 किलोमीटर लंबी राजमार्ग से जोड़ने वाली योजना स्वर्णिम चतुर्भुज (ii) उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर जिसकी लंबाई 7142 किलोमीटर है और जो क्रमशः कोच्चि-सेलम स्पर मार्ग सहित श्रीनगर को कन्याकुमारी और सिलचर को पोर्बंदर से जोड़ता है (iii) देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने वाले 380 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाए जाने का प्रस्ताव है, (iv) 962 किलोमीटर लंबे अंतर्राष्ट्रीय राजमार्गों का नवीनीकरण। एनएचडीपी के पहले और दूसरे चरण के तहत कुल 14,145 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और नवीनीकरण के लिए 80,626 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च आएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण III

एनएचडीपी चरण-III में राज्यों की राजधानियों, प्रमुख प्रयटक स्थलों और आर्थिक महत्व के स्थानों को जोड़ने वाले अत्यधिक यातायात वाले 12,109 किलोमीटर के राजमार्गों को 80,626 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 4/6 लेन वाला बनाना।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, चरण IV

एनएचडीपी के चरण चार में राजमार्गों का 20,000 किलोमीटर हिस्सा फुटपाथ सहित दो लेन का है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, चरण V

एनएचडीपी चरण पांच में डिजाइन बिल्ड फाइनेंस एंड ऑपरेट (डीबीएफओ) के आधार पर चार लेन वाले 6500 किलोमीटर राजमार्गों को 41,210 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से छह लेन वाला बनाने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज और अन्य राजमार्गों का 5,700 किलोमीटर हिस्सा शामिल है।

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत एक लेन मध्यम आकार वाले दो लेन वाले 5000 कि.मी. लम्बे राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने/सुधारने की मंजूरी दे दी है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, चरण VI

चरण VI में डिजाइन- निर्माण- वित्त- संचालन (डीबीएफओ) के आधार पर सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी के अंतर्गत 1000 कि.मी के एक्सप्रेस-वे निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। इसकी अनुमानित लागत 16680 करोड़ रुपये है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, चरण VII

चरण VII में 16,680 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से रिंग रोड, बाईपास ग्रेड सेपरेटर, फ्लाईओवर, अंडरपास, ओवर ब्रिज एलीवेटेड सड़क के निर्माण की और सड़कों की मरम्मत की मंजूरी शामिल है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना—उपलब्धियां

30 जून 2009 तक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत जो उपलब्धियां रही वह इस प्रकार हैं:

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के घटक	कुल लंबाई (कि.मी.)	कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं			सिविल कार्यों का शेष बचा कार्य
		समाप्त हो चुकी चार लेन का कार्य कि.मी	लंबाई (किमी)	अनुबंधों की संख्या	
स्वर्णिम चतुर्भुज	5846	5729	117	15	—
एनएस-ई डब्ल्यू	7142	3762	2648	125	732
बंदरगाहों को जोड़ने का काम	380	235	139	7	6
अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग	962	821	121	13	20
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण III	12109	890	2037	34	9181
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण V	6500	130	904	8	5466
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण VII	700	—	19	—	681
कुल	33,639	11569	5985	203	16086

पूर्वोत्तर राज्यों के लिये विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के जिला मुख्यालय के 58 शहरों को राज्य की राजधानियों से 2/4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जाएगा और राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूर-दराज के स्थानों की सड़कें सुधारना और उन्हें मुख्य मार्गों से जोड़ना है। इस कार्यक्रम में 9760 कि.मी. लंबे सड़क मार्ग को सुधारना शामिल किया गया है (जिसमें 5104 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग और लगभग 4656 कि.मी. राज्य राजमार्ग व अन्य सड़कें शामिल हैं) इस कार्यक्रम को तीन भागों में बांटा गया है। पहले चरण में 2616 कि.मी. लम्बे सड़क मार्ग को चरण 'ख' में 4825 कि.मी और अरुणाचल प्रदेश पैकेज के अन्तर्गत सड़कों और राजमार्गों के 2319 कि.मी. मार्गों को लिया गया है। कार्यक्रम के चरण 'क' को और सड़क और राजमार्गों के अरुणाचल प्रदेश पैकेज को मंत्रिमंडल को मंजूरी दे दी है, जबकि चरण 'ख' की योजना अभी तैयार की जा रही है। इससे आठों पूर्वोत्तर राज्यों के सभी जिला मुख्यालयों को जो अभी तक राष्ट्रीय राजमार्गों से नहीं जुड़े हैं, को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों के लिये त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 30 जून, 2009 तक 1058 कि.मी. लम्बे सड़क मार्ग को सुधारने में अनुमानतः 3406 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी गई है। 1058 कि.मी लम्बे सड़क मार्ग में से 450 कि.मी मार्ग का कार्य 1796 करोड़ रुपये के व्यय से पूरा किया जा चुका है।

कार्यक्रम में चरण 'क' और अरुणाचल प्रदेश पैकेज को सड़क और राजमार्गों में से 1315 कि.मी. मार्ग को सरकारी एवं निजी भागीदारी के तहत शामिल किया गया है, जिसकी लागत लगभग 11,550 करोड़ रुपये है। इसमें से 718 कि.मी. की 2 सड़क परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है।

सरकारी-निजी साझेदारी : शुरू से ही सड़क परियोजनाएं बजट अनुदान से ही धन प्राप्त करती रही हैं और सरकार की ओर से नियंत्रण तथा निगरानी होती रही है। अतीत में सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बहुत सीमित रही है। सड़कों पर दिनों-दिन बढ़ते यातायात दबाव के मद्देनजर सड़क परियोजनाओं को बजट प्रावधान के माध्यम में धन उपलब्ध कराने का परंपरागत तरीका कारगर साबित नहीं हो पाया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए खर्चीली सड़क परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिए नई संभावनाएं तलाशने की जरूरत अनुभव की गई।

सड़क परियोजना के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की शुरुआत सबसे व्यापक सड़क परियोजना—राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के रूप में हुई। इस दिशा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें :

- सड़क क्षेत्र को उद्योग घोषित करना।
- परियोजना को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए परियोजना लागत में 40 प्रतिशत की सब्सिडी का प्रावधान।
- किसी भी परियोजना के पहले 20 वर्षों में से शुरुआती निर्माणाधीन 10 वर्ष के लिए करों में शत-प्रतिशत छूट।
- कार्य के लिए बाधा रहित रुझान, इसके अंतर्गत निर्माण से पहले, भूखंड विकास सहित अन्य सभी खर्च सरकार वहन करती है।
- सड़क ब्रिज में 100 प्रतिशत तक प्रत्येक विदेशी पूंजी निवेश।
- उदार विदेशी व्यावसायिक ऋण नियम।
- उच्च रियायत अवधि (30 वर्षों तक)।
- चुंगी वसूलने का अधिकार।

बीओटी (चुंगी) योजना

सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत मंत्रालय की परियोजनाएं :

- बीओटी परियोजना में वार्षिक रखरखाव पर होने वाले व्यय और ऊपरी लागत को पूरा करने के लिए रियायत (निजी क्षेत्र) के रूप में चुंगी लेना। इस रियायत के अंतर्गत ब्याज सहित पूरी लागत और भविष्य में चुंगी वसूलते के निवेश की उगाही रखी गई है।
- बीओटी (चुंगी) योजना : अप्रैल, 2009 तक (चुंगी आधारित परियोजनाओं) निर्माण, संचालन और स्थानांतरण (बीओटी) पर 38,168.04 करोड़ रुपये की लागत वाला करीब 3613 कि.मी की 94 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से 43 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 51 परियोजनाओं पर अभी कार्य चल रहा है।

बीओटी (वार्षिकी आधार) परियोजना

- वार्षिक परियोजनाओं में पूरी लागत और वार्षिक रखरखाव की लागत को वसूलने के लिए रियायत दी गई (इसमें क्लाइंट द्वारा दिया गया अनुदान नहीं है)। अनुदान के लिए पूरी लागत की वसूली के लिए चुंगी क्लाइंट द्वारा ली जाती है।

- बीओटी (वार्षिक) योजना : अप्रैल, 2009 तक 9411.88 करोड़ रुपये वाली 1376 कि.मी. की 25 परियोजनाएं वार्षिक आधार पर शुरू की गई हैं जिनमें से 9 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

केंद्रीय सड़क कोष

केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अधिभार लगाकर केंद्रीय सड़क कोष स्थापित किया है। इस समय पेट्रोल, डीजल और हाई स्पीड डीजल पर 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से अधिभार वसूल करती है। इससे एकत्र धन राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य-सड़कों, ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव तथा इन पर पुल बनाने जैसे कार्यों के लिए वितरित किया जाता है। केंद्रीय सड़क कोष अधिनियम 2000 के निर्धारित प्रावधानों के तहत यह धन खर्च किया जाता है। इस समय पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल आयल पर 2 रुपया प्रतिलीटर की दर से अधिभार वसूल किया जा रहा है। इसमें से 1.50 रुपये का आवंटन इस प्रकार किया गया है :

- (1) हाईस्पीड डीजल ऑयल पर वसूले गए अधिभार का 50 प्रतिशत ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर खर्च होता है।
 - (2) शेष 50 प्रतिशत और पेट्रोल पर वसूले गए अधिभार संपूर्ण अधिभार का वितरण इस प्रकार होता है :
 - (क) इस तरह प्राप्त कुल धनराशि का 57.5 प्रतिशत भाग राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव के लिए होता है।
 - (ख) 12.5 प्रतिशत सड़कों के निर्माण, पुलों के निर्माण और कर्मचारी रहित रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा उपाय बनाने पर खर्च होता है।
 - (ग) राज्य सड़कों के विकास और रख-रखाव पर 30 प्रतिशत खर्च किया जाता है। 10 प्रतिशत भाग केंद्र सरकार के पास आरक्षित रहता है। यह धन केंद्र सरकार की अनुमति से राज्य सड़क परियोजनाओं, अंतरराज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की गतिविधियों पर खर्च होता है।
 - (3) शेष 0.5 प्रतिशत की धनराशि राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और रखरखाव के लिए दी जाती है।
- 6.1 वर्ष 2007-08 के लिए केंद्रीय सड़क कोष के अंतर्गत आबंटित 16680 करोड़ रुपये का ब्योरा इस प्रकार है :

1. राष्ट्रीय राजमार्ग	8578.45 करोड़ रुपये
2. ग्रामीण सड़कें	4843.13 करोड़ रुपये
3. रेलवे	958.13 करोड़ रुपये
4. राज्य की सड़कों के लिए राज्यों और केंद्र शासित राज्य की सरकारों को अनुदान	2070.06 करोड़ रुपये
5. राज्यों को आपस में जोड़ने के लिए और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों के लिए राज्यों और केंद्रशासित राज्य सरकारों को अनुदान	230.00 करोड़ रुपये
कुल	16680 करोड़ रुपये

राज्यों की सड़कें

राज्यों के राजमार्गों व जिला ग्रामीण सड़कों का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। इसलिए इनका विकास और रखरखाव राज्य-केंद्रशासित प्रदेश की विभिन्न एजेंसियां करती हैं। यद्यपि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय

सड़क कोष को राज्यों को सड़क के विकास के लिए दिया जाने वाला कोष निम्न योजनाओं के तहत दिया गया है :

सीआरएफ से राज्य की सड़कों में सुधार

केंद्रीय सड़क कोष से एकल धनराशि राज्य में ग्रामीण सड़कों को छोड़कर अन्य सड़कों के सुधार के लिए उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2008-09 के दौरान केंद्रीय सड़क कोष के तहत 13 राज्यों की सड़कों के सुधार के लिए 5126 करोड़ रुपये के 1313 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कोष के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के लिए राज्यों को सड़कों के सुधार के लिए 2070.06 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दे दी गई है।

अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व

राज्यों को उनके आर्थिक विकास और अंतर्राज्यीय सुविधाओं के प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार आर्थिक महत्व के अंतर्राज्यीय सड़क-पुलों के निर्माण को ध्यान में रखते हुए अंतर्राज्यीय संपर्क परियोजनाओं के लिए शत-प्रतिशत धनराशि उपलब्ध कराती है। इसके अलावा आर्थिक महत्व की परियोजनाओं के लिए सी.आर.एफ. से 50 प्रतिशत अनुदान मिलता है।

वर्ष 2008-09 के दौरान आर्थिक महत्व के 162.37 करोड़ रुपये के 20 प्रस्तावों, जिसमें 81.19 करोड़ रुपये केंद्र का हिस्सा है, को मंजूरी दे दी गई है। अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क के तहत 303.20 करोड़ रुपये के 27 प्रस्तावों को मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी गई है। वर्ष 2009-10 के लिए इंगित योजनाओं के लिए 230.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी गई है। 213.97 करोड़ रुपये राज्यों और 16.03 करोड़ रुपये केंद्रशासित प्रदेशों के लिए हैं।

सड़क विकास के लिए विकास और अनुसंधान कार्य

सड़क क्षेत्र के अनुसंधान और विकास पर विशेष जोर देने का उद्देश्य भारत में सड़कों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना है। इसके अंतर्गत सड़कों के नये डिजाइन, सड़कों के निर्माण की आधुनिक तकनीकें, बेहतर और आधुनिक निर्माण सामग्री, बेहतर और समुचित विशिष्टताएं, नई तकनीकों के उपयोग और विकास को प्रोत्साहित करना आदि शामिल हैं। इन्हें लागू करने के लिए नये दिशानिर्देश, निर्देश/ सर्कुलर, नवीनतम रिपोर्टें और सेमिनार/प्रस्तुतिकरण आदि किये जाते हैं।

विभाग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान योजनाएं जो एक बार पूरी हो जाती हैं, इन्हें उपयोग करने वाली एजेंसी/विभाग द्वारा अपनाया जाता है। इन नई तकनीकों और तरीकों में सड़कें, सड़क परिवहन, पुल, ट्रैफिक और परिवहन तकनीकें शामिल हैं। योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विभाग विभिन्न अनुसंधान संस्थानों, शैक्षिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों की सहायता लेता है। वर्ष 2008-09 में अनुसंधान और विकास के लिए 850.00 लाख रुपये आबंटित किये गये हैं। चलाई जा रही योजनाएं इस प्रकार हैं :

सड़कें

- अधिक घनत्व वाले ट्रैफिक कॉरिडोर पर प्रयोगशालाओं में जांची गई मजबूत पटरियों के प्रदर्शन का अनुसंधान और विकास कार्य।
- मोडीफाइड बाइंडर्स के साथ बीट्यूमाइनस मिक्स के उपयोग की जांच।

- भूकंपरोधी पटरियों की जांच।
- उच्चतम तकनीक वाली मिश्रित पटरियों के निर्माण पर नियमावली तैयार करना।
- हाईवे इंजीनियरिंग पर सॉयल नेलिंग तकनीक के लिये दिशा-निर्देश।

पुल

- केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान को सभी तरह की जांच सुविधाओं के साथ आत्मनिर्भर बनाना।
- कंक्रीट के पुलों (फुजी आधारित) की जांच के लिये विशेष प्रणाली विकसित करना।
- मिश्रित तकनीक से बने पुलों (स्टील गर्डर के साथ) के लिये मानक ड्राईंग विकसित करना।
- मानक निर्देश और इस्तेमाल में लाई जा रही पुल निर्माण की तकनीक पर विस्तृत ढंग से बताने का तरीका विकसित करना।

ट्रैफिक और यातायात साधन

- राष्ट्रीय राजमार्ग सूचना प्रणाली पर आधारित जी.आई.एस. का विकास

सीमा सड़क संगठन

सीमा सड़क संगठन, (बीआरओ) की शुरुआत 1960 में प्रथम प्रधानमंत्री प.जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य देश की उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमा क्षेत्रों में सड़कों का त्वरित निर्माण और विकास करना था। संगठन को देश की सुरक्षा और एकता को बनाये रखने की दिशा में राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता और इसके अभिन्न घटक के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इस संगठन को 60 के दशक में हिमालय क्षेत्र में सड़क निर्माण एजेन्सी के रूप में शुरू किया गया था। लेकिन यह संगठन कई विकासात्मक परियोजनाओं के निर्माण एयरफील्ड, रक्षा कार्य और सुरंगें बनाने के कार्य करके लोगों का प्रिय हो गया। 1961 में दो छोटी परियोजनाओं से शुरू हुआ था पहली पूर्व (वर्तक) और उसकी उत्तर में (बीकन) आज देश में इसकी 15 प्रमुख इंजीनियर परियोजनाएं फैली हुई हैं।

सीमा सड़क संगठन की उपलब्धियां

- सीमा सड़क संगठन एक अकेली ऐसी सड़क निर्माण बनाने वाली संस्था है जो विपरीत और कठिन परिस्थितियों तथा अत्यंत खराब मौसम में भी सड़क का निर्माण और मरम्मत कार्य करती है। सीमावर्ती इलाकों जैसे सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अंडमान व निकोबार में जीवन को चलाये रखने में वहां के लोगों का संगठन पर पूरा भरोसा है।
- संगठन ने देश के कठिन और दूरदराज के इलाकों में 46780 कि.मी. सड़क मार्ग का निर्माण किया है। इसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा के कोयला खदानों के लिये सड़कों को एक लेन से दो लेन बनाने का कार्य भी शामिल है। ई-तकनीक के साथ पुलों का निर्माण भी किया है। सीमा सड़क संगठन ने 129302 मीटर अस्थाई पुलों को स्थाई बनाने का काम भी किया है।

वर्ष 2008-09 के दौरान उपलब्धियां

- सीमा सड़क संगठन ने अफगानिस्तान में डेलाराम-जाराज में 215 कि.मी लंबी सड़क का निर्माण किया। संयोगवश यह अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत की पहली पक्की सड़क है। सीमा सड़क संगठन में कार्यरत टीम के 700 कर्मचारियों (300 सीमा सड़क संगठन के और 400 भारत

तिब्बत-सीमा पुलिस के) ने 17 जुलाई, 2008 को सफलतापूर्वक इस कार्य को पूरा किया। इस सड़क का उद्घाटन तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी द्वारा किया गया और इसे अफगानिस्तान के लोगों को समर्पित किया गया।

- संगठन ने त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर, असम और मेघालय राज्यों के लिये संवाट के एकमात्र रास्ते शिलांग-जोवाई-बदरपुर-...राईबाटी (राष्ट्रीय राजमार्ग-44) के 141.74 कि.मी. लंबी सड़क पर 120 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जिसकी लागत 1172.25 लाख रुपये आई। 29 सितंबर, 2008 को तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री डा. एमएम पलाम राजू ने इसका उद्घाटन किया।
- 8.8 कि.मी. लंबी रोहतांग सुरंग के निर्माण के लिये टेंडर जारी किये जा चुके हैं। प्राप्त किए गए टेंडर अंतिम रूप से विराट किये जा रहे हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2000 करोड़ रुपये है और इसके पूरा होने की प्रस्तावित समय 2014 है।
- उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम के अंतर्गत 17.2 कि.मी लंबे विजयपुर से कुंजवानी तक के राष्ट्रीय राजमार्ग-1ए को फोर लेन बनाने का काम लगभग पूरा किया जा चुका है। इस मार्ग पर केवल दो पुलों और एक अंडरपास बनाने का काम ही शेष बचा है।
- अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर 637.60 मीटर लंबे नोआधिग पुल का काम पूरा किया गया। यह सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे लंबा पुल है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर 561.03 लंबी राणाघाट-माबो-दाम्बुक सड़क पर बिना किसी ठेकेदार के विभागीय संसाधनों से ही 480 लंबा गर्डर पुल (सिकू पुल) बनाया गया।
- संगठन ने तजाकिस्तान में 50 करोड़ रुपये की लागत से 10 महीने के रिकार्ड समय में ही रनवे के पुनरुद्धार का काम किया।
- म्यांमार में 160 कि.मी. लंबी तमू-कालेम्यो-कालेवा सड़क का निर्माण और रखरखाव किया।
- भूटान में अंतराष्ट्रीय पेरा हवाई अड्डे पर 1968 में संगठन द्वारा बनाई सड़कों को 2007-2008 के दौरान फिर से बनाया और उनकी मरम्मत का काम पूरा किया।
- असम के बोडोलैंड स्वायत्त परिषद के पिछड़े जिलों में 18 पुलों का और सड़कों की मरम्मत का, मणिपुर और त्रिपुरा में एक-एक सड़क का और नगालैंड में 8 सड़कों की मरम्मत और रखरखाव का काम योजना आयोग ने संगठन को सौंपा है जिसकी लंबाई 703 कि.मी. और अनुमानित लागत 460 करोड़ रुपये है। इसका व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। सीमा सड़क संगठन ने ज्यादातर सड़कों का निर्माण कार्य समाप्त करके राज्य के पी.डब्ल्यू.डी. को सौंप दिया है। इस समय नगालैंड में केवल तीन सड़कों, मणिपुर और त्रिपुरा की एक-एक सड़क और असम के बोडोलैंड क्षेत्र के 9 पुलों का कार्य प्रगति पर है। मणिपुर में दो अतिरिक्त सड़कों का निर्माण कार्य भी अभी निर्माणाधीन है।

जहाजरानी

परिवहन क्षेत्र में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जहाजरानी की प्रमुख भूमिका है। देश का लगभग 90 प्रतिशत (मूल्य स्तर पर 70 प्रतिशत) व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। विकासशील वृद्धि देशों में भारत के पास व्यापारिक जहाजों का सबसे बड़ा बेड़ा है। व्यापारिक जहाजरानी बेड़े की दृष्टि से भारत

विश्व में 20वें स्थान पर है। 01.06.2008 को इसके बेड़े की सकल पंजीकृत क्षमता (जी.टी) 8.83 लाख टन है और बेड़े की औसत आयु 18 वर्ष है। भारतीय जहाजरानी क्षेत्र न केवल राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय माल की ढुलाई करता है, बल्कि कई तरह की अन्य सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे—माल लादने-उतारने की सेवाएं, पोतों का निर्माण व रखरखाव, माल अग्रेषण (फ्रेट फॉरवर्डिंग), प्रकाश स्तंभ व्यवस्था, तटवर्ती कर्मचारियों का प्रशिक्षण, आदि।

देश की जहाजरानी नीति की विशेषता यह है कि इसमें देश को विदेश व्यापार में आत्मनिर्भर बनाए रखने के साथ-साथ आयात-निर्यात व्यापार में पूंजी निवेशकों के हितों को भी सुरक्षित रखा गया है। देश के राष्ट्रीय ध्वजपोत कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए परिवहन का अनिवार्य माध्यम हैं। विदेशी मुद्रा अर्जित करने में राष्ट्रीय जहाजरानी का महत्वपूर्ण योगदान है।

भारतीय बेड़ा

देश स्वतंत्र होने के समय भारतीय जहाजों की भारवहन क्षमता केवल 1.92 लाख जीटी थी, जो अब 8.83 लाख जीटी हो गई है। और 14.55 मिलियन डीडब्ल्यूटी जिसमें 872 वैसल, 7.89 मिलियन जीटी सहित 282 विदेशी वैसल हैं। 13.55 मिलियन डीडब्ल्यूटी तथा 0.5 मिलियन जीटी तथा 0.99 मिलियन डीडब्ल्यूटी सहित 590 तटीय वैसल, पिछले चार वर्षों के दौरान सरकार द्वारा सुविधाजनक उपाय विशेषकर 2004-05 के दौरान जहाजरानी उद्योग के लिए भार कर योजना शुरू करने से कुल जीटी में 1.89 प्रतिशत का शुद्ध लाभ हुआ।

2006-07 में देश के विभिन्न बंदरगाहों पर आने-जाने वाले जहाजों से उतारा-चढ़ाया जाने वाला माल बढ़कर 464 मीट्रिक टन हो गया जो 2005-06 में 424 मीट्रिक टन था। उल्लेखनीय है कि कार्गो की विभिन्न श्रेणियों के कारण भारतीय मालवाहक जहाजों का विदेशी व्यापार अलग-अलग है। वर्ष 2006-07 के दौरान भारतीय मालवाहक जहाजों द्वारा माल ढुलाई का प्रतिशत लगभग 12.2 था जिसमें कोयला, कच्चा तेल और पेट्रोलियम पदार्थों की ढुलाई प्रमुख है। 2006-07 में भारतीय माल वाहक जहाजों ने 3.6 प्रति सामान्य, 6.3 सूखे सामान तथा 24.7 प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ ढोया था।

तटवर्ती जहाजरानी

तटवर्ती जहाजरानी भारतीय परिवहन नेटवर्क का ऊर्जा की बचत करने वाला, पर्यावरण अनुकूल और किफायती साधन है तथा घरेलू उद्योग और व्यापार के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के 7,517 किलोमीटर लंबे समुद्रतट में 13 प्रमुख बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह हैं जो इस वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था के विकास के लिए अनुकूल और उत्साहवर्द्धक परिस्थितियां उपलब्ध कराते हैं।

एक जून 2008 को भारत की तटवर्ती जहाजरानी की मालवाहन क्षमता 590 जहाजों के साथ 9,47,734 जीआरटी तथा 9,91,378 डीडब्ल्यूटी थी। तटवर्ती जहाजरानी के विकास की कार्ययोजना केंद्र सरकार के विचाराधीन है। तटीय जहाजरानी और जहाज चलाने वाली कंपनियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए घरेलू व्यापारिक जहाजों और विदेशों से जुड़े व्यापारिक जहाजों को लाइट हाउस अधिनियम 1927 के प्रावधानों के तहत लाइट हाउस बकाया के भुगतान से छूट दे दी गई है। इस बीच तटीय जहाज रानी की संभावनाओं का पता लगाने और मार्गों की संभावनाओं को देखते हुए छोटे बंदरगाहों की भूमिका का आकलन करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्वेक्षण 6 टीसीएस ने एक अध्ययन किया है। छोटे बंदरगाहों के विकास के लिए प्रचार किए जा रहे हैं, इससे तटीय जहाजरानी विकसित हो सकेगी।

नौसंचालन में सहयोग

स्वाधीनता-प्राप्ति के पश्चात नौसंचालन में हमारे देश ने तेजी से तरक्की की है। देश के स्वतंत्र होने से पहले 17 प्रकाश स्तंभ थे। अब उनकी संख्या 171 हो गई है। इसके अलावा एक लाइट शिप, एक लोरन-‘सी’ चैन स्टेशन, 59 रेकन, 21 डीप सी लाइटड बॉयस 01 एक मेकिंग सहित 22 डीजीपीएस केंद्र शामिल हैं। द्वीपसमूह के प्रकाश स्तंभों की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह विभाग तीन लांचरों को उपयोग में लाता है। उनमें एक यांत्रिकी जहाज और दो बड़े जहाज *एम.वी. सागरदीप* व *एम.वी-प्रदीप* पोत हैं। लगभग 165 करोड़ रुपये की लागत से कच्छ खाड़ी के रन में जनवरी, 2002 को एक तटवर्तीय पोत सेवा योजना मंजूर की गई। परियोजना के 2008 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। इससे इस क्षेत्र में सुचारू नौसंचालन उपलब्ध हो सकेगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 12 नए लाइट हाउस एक राष्ट्रीय स्वतः पहचान प्रणाली (एआईएस) स्थापित करने का प्रस्ताव है। क्षमता लोकल लाइट सुधार के लिए व्यापार हेतु सुधार कार्य किए गए।

समुद्री प्रशिक्षण

देश के मर्चेट नेवी बेड़े के लिए आवश्यक प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराना जहाजरानी महानिदेशक की जिम्मेदारी है। इस राष्ट्रीय दायित्व को निभाने के लिए सरकारी प्रशिक्षण संस्थान तथा निजी क्षेत्र के अनेक मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं। संगठित और सुचारू प्रशिक्षण का महत्व 1927 में समझा गया था जब प्रशिक्षण जहाज *डफरिन* की स्थापना की गई थी। तब से लेकर अब तक उच्च कौशल के अनेक भारतीय नाविक भारत में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इन्होंने देश-विदेश में काफी नाम कमाया है।

सरकार द्वारा स्थापित चार प्रशिक्षण संस्थान

1. प्रशिक्षण जहाज ‘चाणक्य’—(i) मुम्बई विश्वविद्यालय के तत्त्वावधान में नॉटिकल साइंसेज में 3 वर्ष का बी.एस-सी. डिग्री पाठ्यक्रम, और (ii) डेक-कैडेट्स के लिए प्री-सी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है।
2. कोलकाता का मरीन इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान (एमईआरआई) मरीन इंजीनियरिंग में चार वर्ष का पाठ्यक्रम चलाता है।
3. मुम्बई स्थित मरीन इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान (एमईआरआई) (i) ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरों के लिए एक वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, और (ii) मुम्बई विश्वविद्यालय के तत्त्वावधान में मेरीटाइम साइंसेज (पॉलिटेक्निक डिग्री) में तीन वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम चलाता है।
4. मुम्बई स्थित लालबहादुर शास्त्री तटवर्ती अनुसंधान एवं उच्च अध्ययन संस्थान मरीन अधिकारियों के लिए लगभग 46 पोस्ट-सी ट्रेनिंग कोर्स चलाता है।

इनके अलावा जहाजरानी महानिदेशक से मान्यताप्राप्त लगभग 124 प्रशिक्षण संस्थान निजी क्षेत्र में हैं जो विभिन्न विषयों में प्री-सी और पोस्ट-सी प्रशिक्षण देते हैं।

एसटीसीडब्ल्यू-95 तथा अंतर्राष्ट्रीय मेरीटाइम (समुद्रीय) संगठन द्वारा 1997 में निर्धारित विनियमों के लागू होने से भारत में समुद्री प्रशिक्षण में जबर्दस्त बदलाव आ गया है। नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। विश्व के अन्य भागों की स्पर्धा में टिके रहने के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं एसटीसीडब्ल्यू-95 के तहत निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होनी जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने मेरीटाइम (समुद्रीय) विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में पहले कदम के तौर पर ‘इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेरीटाइम स्टडीज’ की स्थापना की है। इसे समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत भी करा लिया है तथा चारों सरकारी प्रशिक्षण संस्थान इसी के नियंत्रण में कर दिए गए हैं। सरकार ने 13

मार्च, 2007 को लोकसभा में एक भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय बिल पेश किया जिसका मुख्यालय चेन्नई में होगा और इसके मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम में कैंपस बनाए जायेंगे।

भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड

सार्वजनिक क्षेत्र की जहाजरानी कंपनी भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना दो अक्टूबर, 1961 को हुई थी। कंपनी की अधिकृत पूंजी 450 करोड़ रुपये और चुकता पूंजी 282.30 करोड़ रुपये थी। 18 सितंबर, 1992 को कंपनी का दर्जा 'प्राइवेट लिमिटेड' से बदलकर 'पब्लिक लिमिटेड' कर दिया गया। कंपनी को भारत सरकार ने 24 फरवरी, 2000 को 'मिनी रत्न' का खिताब दिया। कंपनी की 80.12 प्रतिशत शेयर पूंजी सरकार के पास है, जबकि शेष पूंजी वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक और अन्य निकायों, अनिवासी भारतीयों, कॉर्पोरेट निकायों आदि के पास है।

भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड जहाजरानी मंत्रालय के साथ अनुबंधपत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर करता रहा है और निगम को उत्कृष्ट कार्य के लिए लगातार 18 वर्षों से 2006-2007 तक 'सर्वश्रेष्ठ' होने का पुरस्कार प्राप्त होता रहा है। निगम ने 2008-09 के लिए जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ 27 मार्च, 2008 को एक अनुबंध पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

01 जून, 2008 को भारतीय जहाजरानी निगम एससीआई का भारतीय माल ढोने में 31 प्रतिशत जीटी और 32 प्रतिशत डीडब्ल्यूटी का हिस्सा था। वर्तमान में, एससीआई के बेड़े में 79 पोत हैं जिनकी सकल क्षमता लगभग 27 लाख जीटी (48 लाख डीडब्ल्यूटी) है जिनमें सेल्यूलर वाहक पोत, कच्चा तेल टैंकर (संयुक्त वाहकों सहित), उत्पाद टैंकर, बल्क कैरियर एलपीजी/अमोनिया वाहक, फास्फोटिक एसिड वाहक, यात्री तथा समुद्र तटीय आपूर्ति जहाज शामिल हैं। कंपनी लाइनर और यात्री सेवाएं, बल्क कैरियर और टैंकर सेवाएं समुद्रतटीय और विशेष सेवाएं प्रदान करती है। इनके अलावा, एससीआई विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य संगठनों के लिए कुल 0.12 मिलियन जीटी (0.06 मिलियन डीडब्ल्यूटी) तक 53 पोतों का संचालन करता है जिनमें यात्री-सह-माल पोत, बंकर नावों, अनुसंधान पोत, ऑफशोर आपूर्ति पोत, भूकंप सर्वे पोत स्टिम्युलेशन पोत, गोताखोर सहायता पोत भूगर्भ तकनीकी पोत और बहुउद्देशीय सहायता पोत शामिल हैं। एससीआई के बेड़े में सबसे अलग और उत्कृष्ट आधुनिक और कम ईंधन खपत वाला जहाज शामिल है जो एससीआई को विशिष्ट दर्जा ही नहीं अन्य पोतमालिकों से आगे खड़ा करता है।

एससीआई ने लाभांश और मुनाफे की दृष्टि से रिकार्ड कायम रखा है। 2006-07 में कुल कारोबार 4210.00 करोड़ रुपये का था, जिसमें कर भुगतान के बाद शुद्ध लाभ 1.015 करोड़ रुपये का हुआ। वर्ष 2007-08 के लिए इसने 45 प्रतिशत अंतरिम लाभांश अदा किया है। कुल कारोबार 4,084 करोड़ रुपये है। कर बाद शुद्ध लाभ 814 करोड़ और 85 प्रतिशत लाभांश दिया। भारतीय जहाजरानी निगम निम्नलिखित क्षेत्रों में अग्रणी है—(क) कच्चे तेल, पीओएल और ड्राई बल्क कार्गो; (ख) क्रायोजेनिक ऑपरेशन (एलएनजी/एलपीजी); (ग) जहाजरानी क्षेत्र के संयुक्त उद्यम तथा अन्य भागीदारी उद्यम; (घ) जहाजरानी परामर्श सेवा।

पर्व मुंबई में मेरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (एमटीआई) स्थापित हो जाने से कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रशिक्षण को नई दिशा मिली। एमटीआई में व्यापक आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनसे यह सुनिश्चित हो जाता है कि एससीआई की कार्मिक योग्यता और विशेषज्ञता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। जून, 1988 के बाद से एससीआई के सभी इन-हाउस पाठ्यक्रम एमटीआई में

ही चलाए जा रहे हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए देश में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) के सेमिनार और विशेषज्ञ पाठ्यक्रम (संक्षिप्त) चलाने के मामले में एमटीआई को स्वीडन (माल्मो) की वर्ल्ड मेरीटाइम यूनिवर्सिटी की शाखा माना जाता है। जहाजरानी प्रबंधन पाठ्यक्रमों के मामले में एम.टी.आई. को अंकटाड प्रशिक्षण केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। एमटीआई को प्रशिक्षण के क्षेत्र में शानदार रिकार्ड के लिए 'स्वर्णमयूर पुरस्कार' दिया गया।

8 मार्च 2007 को भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारत सरकार ने एससीआई को वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए 'एमओयू उत्कृष्टता प्रमाणपत्र' दिया गया। एससीआई 5 नवंबर, 2007 को बंगलूरु में 'बेस्ट इंटरनेशनल सॉल्यूशन अवार्ड' तथा 'थर्ड एचएसबीसी ग्लोबल पेमेंट एंड कैश मैनेजमेंट पार्टनरशिप अवार्ड' प्राप्त कर चुका है। नवंबर 2007 में दुबई में आयोजित सी ट्रेड मिडल ईस्ट एंड इंडियन सब-कंटेनेटल अवार्ड 2007 में 'शिपऑनर/आपरेटर ऑफ द ईयर 2007' अवार्ड जीत चुका है। मुंबई में ही नवंबर 2007 में आयोजित लॉयड लिस्ट मिडल ईस्ट एंड इंडियन सब-कंटेनेटल अवार्ड में भी 'शिपऑनर ऑफ द ईयर 2007' अवार्ड जीत चुका है।

तरल प्राकृतिक गैस (संयुक्त उपक्रम)

एलएनजी को देश के बिजलीघरों के लिए भविष्य का ईंधन तथा रसायन/पेट्रोसायन उद्योग के लिए फीडस्टॉक (कच्चा माल) मान लिया गया है। एससीआई की एलएनजी के विकास और अपार संभावना वाले वाहक के रूप में पहचान की गई है और पेट्रोनेट एलएनजी परियोजना में इसकी उपस्थिति मौजूद है।

इंडिया एलएनजी ट्रांसपोर्ट कंपनी सं. 1 और 2 लिमिटेड

माल्टा में बने ये दोनों संयुक्त उद्यम एससीआई और तीन जापानी कंपनियों-मैसर्स मित्सुई ओ.एस.के. लाइंस लिमिटेड (एमओएल), मैसर्स निप्पन युसेन काबुशिकी काइशा लि. (एनवाई के लाइंस) तथा मैसर्स कावासाकी किसेन काइशा लि. (के लाइंस) तथा मैसर्स कतर शिपिंग कंपनी (क्यू शिप्स), कतर द्वारा संचालित हैं। दोनों उपक्रमों ने 31.03.2008 तक एसएस दिशा तथा एसएस राही नाम के दो एलएनजी टैंकरों को संचालित किया। दोनों टैंकर बिना किसी कर के संचालित किए गए और दोनों ने शुरू से लगभग 157 कार्गो तथा एलएनजी के 120 कार्गो ढोए यानी कुल 18.16 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी।

इंडिया एलएनजी ट्रांसपोर्ट कंपनी सं. 3 लिमिटेड

यह संयुक्त उपक्रम भी माल्टा में बना और उपर्युक्त तीनों जापानी कंपनियों तथा एससीआई की देखरेख में संचालित हुआ। मैसर्स कतर गैस ट्रांसपोर्ट कंपनी लि. (क्यूजीटीसी) और मैसर्स पेट्रोनेट एलएनजी लि. (पीएलएल) से लगभग 155,000 सीबीएम के एमएलएनजी टैंकर को निर्माण स्वामित्व और संचालन का 25 वर्षों का एक समझौता हुआ है। टैंकर का निर्माण जारी है और सितंबर 2009 में प्राप्त हो जाएगा। इसे पीएलएल के देहाज टर्मिनल को 2.5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए तैनात किया जाएगा। इस टर्मिनल का विस्तार किया जा रहा है।

ईरान-हिंद शिपिंग कंपनी (आईएचएससी) : एससीआई ने ईरान-हिंद शिपिंग कंपनी के नाम से एक और संयुक्त उद्यम बना रखा है जो लगातार तीन दशकों से सफलतापूर्वक काम कर रहा है। यह संयुक्त उद्यम एससीआई और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिपिंग लाइन के बीच मार्च 1975 में तेहरान में स्थापित हुआ था। इस संयुक्त उपक्रम का संतोषजनक प्रदर्शन जारी है और ईरानी वर्ष 1385 (21 मार्च, 2006 से 20 मार्च, 2007 तक) के दौरान कर के बाद 33.336 बिलियन ईरानी रियाल (3.683 मिलियन

अमरीकी डालर) का शुद्ध लाभ कमाया। 20.03.2007 तक इसका कर के बाद कुल अनंतिम लाभ 18.102 मिलियन अमरीकी डालर रहा है। आईएचएससी और उसकी अन्य सहयोगी कंपनियों को मिलाकर उसके पास वित्तीय वर्ष के अंत में 6 जहाज थे जिनकी क्षमता 0.494 मिलियन डीडब्ल्यूटी है।

सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना

भारत सरकार ने जहाजरानी मंत्रालय के माध्यम से 'सेतुसमुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड' (एससीएल) नाम से एक 'स्पेशल परपज व्हीकल (एसवीपी) स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पाक खाड़ी (सेतुसमुद्रम शिप चैनल) से गुजरते मन्नार खाड़ी से बंगाल की खाड़ी तक एक समुद्री रास्ते के निर्माण और संचालन हेतु आवश्यक सुविधाएं जुटाने और इस कार्य के लिए आवश्यक धन जुटाने की योजना है। जैसा कि सरकार का निर्णय है, इस परियोजना के लिए एससीआई सहित विभिन्न पीएसयू द्वारा इक्विटी के रूप में धन मुहैया कराया जाना है। एससीआई बोर्ड ने इस परियोजना में 50 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से भागीदारी करने का फैसला लिया है। 22 मई, 2008 को एससीएल में एससीआई का पूंजी सहयोग 50 करोड़ रुपये है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

12 अक्टूबर 2005 से लागू इस अधिनियम के अनुपालन में एससीआई ने अपनी वेबसाइट पर सूचना मांगफार्म, जनसूचना अधिकारी तथा सहायक जन सूचना अधिकारियों की सूची प्रदर्शित की है।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल)

भारत के पश्चिमी तट पर केरल कोचीन शहर में स्थापित कोचीन शिपयार्ड देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। 1972 में बना यह शिपयार्ड 1,10,000 डीडब्ल्यूटी तक जहाज बना सकता है और 1,25,000 डीडब्ल्यूटी तक मरम्मत कर सकता है। यार्ड ने टैंकर, बल्क कैरियर, पोर्ट क्राफ्ट, ऑफशोर पोत तथा यात्री जहाज सहित विभिन्न प्रकार के जहाज बनाए हैं। सीएसएल ने हाल ही में मैसर्स क्लिपर ग्रुप, बहमास के लिए बल्क कैरियर, मैसर्स आटको, सऊदी अरब के लिए अग्निशामक टग तथा नार्वे की डीप सी स्प्लाईज़ के लिए प्लेटफार्म स्प्लाई पोत निर्मित किए हैं। यार्ड की 01.07.2008 को बुक आर्डर स्थिति है: नार्वे साइप्रस, यूएसए और नीदरलैंड की शिपिंग कंपनियों को 16 प्लेटफार्म स्प्लाई पोत, साइप्रस की शिपिंग कंपनियों के लिए 4 एंकर हैंडलिंग टंग तथा भारतीय नौसेना के लिए देसी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए नामित किया गया है।

एक अप्रैल, 2005 को शिपयार्ड के पास 15 जहाजों के निर्माण के आदेश थे। ये सभी निर्यात के आदेश थे। इनमें से 5 टग नौकाएं हैं जो सऊदी अरब के मैसर्स ए.ए. टर्की कार्पोरेशन के लिए हैं। 30,000 डीडब्ल्यूटी के 6 भार वाहक जहाज डेनमार्क के मैसर्स क्लिपर्स ग्रुप, 4 प्लेटफार्म स्प्लाई जहाज नार्वे की मैसर्स सी टैंकर्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए हैं। सब्सिडी मिलाकर इन सभी निर्माण आदेशों का मूल्य 953.54 करोड़ रुपये है। देश में निर्मित होने वाले पहले विमान वाहक युद्धपोत का निर्माण इसी शिपयार्ड में हो रहा है। इस युद्धपोत के लिए इस्पात काटने का काम 11 अप्रैल 2005 से शुरू हो चुका है। सीएसएल में जहाज मरम्मत का कार्य 1983 में शुरू हुआ था। अब तक करीब 900 जहाजों की मरम्मत यहां कराई जा चुकी है। इनमें तेल खोज उद्योग के जहाजों को प्रोन्नत बनना, नौसेना, एससीआई, केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप, तटरक्षक और पोर्ट ट्रस्ट के जहाजों की समय-समय पर मरम्मत और नवीनीकरण शामिल है। 2004-05 के दौरान जहाजों की मरम्मत का कारोबार 129.00 करोड़ रुपये का था। एक दशक से अधिक समय से शिपयार्ड को मुनाफा हो रहा है। यार्ड ने 300 टी गेंट्री क्रेन, अतिरिक्त

खाड़ी, मरीन कोर्टिंग शॉप, सचल आउटफिट शाप सहित सुविधाएं बढ़ाने का कार्य हाथ में लिया है। यार्ड देश का अग्रणी जहाज मरम्मत कर्ता है और सभी तरह के 1200 जहाजों की मरम्मत कर चुका है जिनमें ओएनजीसी, नौसेना और तटरक्षक जहाजों की मरम्मत शामिल है। पिछले सात वर्षों से यार्ड लाभ कमा रहा है।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरी लिमिटेड, कोलकाता

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरी लिमिटेड 1934 में मेसर्स गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड के नाम से संयुक्त स्टॉफ कंपनी के रूप में शुरू की गई थी। सरकार ने 1960 में इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया था और 1 जनवरी, 1977 में इसका नाम बदलकर गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरी लिमिटेड रखा गया। तब से यह कंपनी अपनी विभिन्न गतिविधियों के जरिये विकास की ओर अग्रसर है और शिप बिल्डिंग डिवीजन और इंजीनियरी और इंजन डिवीजन के साथ एक बहु-इकाई के रूप में कार्य कर रही है। कंपनी तटरक्षक और नौसेना के लिए युद्ध पोतों और सहायक जहाजों के निर्माण और मरम्मत का कार्य करती है। इसके वर्तमान उत्पादकों में कार्रवेट फ्रीगेट, फ्लीट टैंकर, पेट्रोल के जहाज, तेज हमलावर जहाज, आधुनिक प्रौद्योगिकी के शिप बोर्न उपकरण, छोटे इस्पात पुल, कृषि क्षेत्र के लिए ट्रिब्यून पंप, मेरीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और डीजल इंजन आदि हैं। 5 सितंबर, 2006 को जीआरएसई को मिनी रत्न स्टेटस श्रेणी-1 प्रदान की गई।

वर्ष 2006-07 के दौरान जीआरएसई की उल्लेखनीय उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- लैंडिंग शिप टैंक (बड़ा) आई एन एस शारदुल और दो तीव्र गतिवाले हमलावर जहाज (फास्ट अटैक क्राफ्ट, आईएनएसबटी माल्व और आई एन.एस. बारातगं) भारतीय नौसेना को सौंपे गये।
- जीआरएसई एंड एस को भारतीय नौसेना की ओट से 10 वॉटरजेट तीव्र गति वाले हमलावर जहाज और अंडमान और निकोबार प्रशासन की ओर से 65 पेक्स और 100 पेक्स नावों के उत्पादन का अनुबंध प्राप्त हुआ।
- कंपनी ने सड़क परिवहन मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अंतरदेशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड से 1 जुलाई, 2006 को राजाबागान डॉकयार्ड का अधिग्रहण किया।
- वर्ष 2005-06 के लिए जीआरएसई को तीव्र हमलावर जहाज वॉटरजेट का डिजाइन तैयार करने के लिए रक्षा मंत्री का उत्कृष्ट सम्मान प्राप्त हुआ।
- कंपनी के इंजीनियरी विभाग को दो लेन वाले मॉड्यूलर इस्पात पुल बनाने और विकसित करने का 9 फरवरी, 2007 को पेटेंट अधिकार प्राप्त हुआ। यह अधिकार 16 जनवरी, 2003 से लागू किया गया।

जहाज के निर्माण की अवधि कम करने और उसे जल्दी से जल्दी सौंपने की दिशा में जीआरएसई के लिए 402 करोड़ रुपये का कई चरणों में आधुनिकीकरण करने के लिए प्रावधान किया गया। आधुनिकीकरण के लिए कंपनी के अपने और नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से वित्तीय राशि उपलब्ध कराई गई। कंपनी ने इसके लिए 184 करोड़ रुपये का योगदान दिया। आधुनिकीकरण होने से जहाजों की क्षमता को बढ़ाने, नई/मॉड्यूलर उत्पादन तरीके अपनाने की दिशा में तेजी, उल्लेखनीय उत्पादन क्षमता के लिए ढांचे को तैयार करने, जहाज को पहली बार चलाते समय बाहरी फिटिंग के साथ बर्थ को तेजी से घुमाने और प्रभावी संपर्क एवं एकीकरण के कार्य में सुधार लाया जा सकेगा। कंपनी के आधुनिकीकरण का कार्य 2010 तक पूरा होने की संभावना है।

हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (विशाखापत्तनम)

हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (विशाखापत्तनम) की स्थापना वर्ष 1941 में निजी क्षेत्र में हुई और 1952 में सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। 1962 में शिपयार्ड केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गया। यार्ड की जहाजनिर्माण क्षमता 21,500 डीडब्ल्यूटी क्षमता के 3.5 पायनियर श्रेणी के जहाज बनाने की है। यहां अधिकतम 50,000 डीडब्ल्यूटी क्षमता के जहाज बनाए जा सकते हैं। इसमें जलावतरण मंच (स्लिपवेज), ढकी निर्माण गोदी, वैट बेसिन, आउटफिट जैटी आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह देश का पहला शिप निर्माण करने वाला यार्ड है जिसे अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक के लिए लंदन लॉयड्स रजिस्टर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस द्वारा आईएसओ: 9001 प्रमाणपत्र प्राप्त है। इसकी जहाज-मरम्मत गोदी में आधुनिक शुष्क गोदी, वैटबेसिन, मरम्मत कार्यशाला आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां पर पनडुब्बियों, टैंकरों तथा 70,000 डीडब्ल्यूटी तक की क्षमता वाले जहाजों की मरम्मत की जा सकती है। अपतटीय प्लेटफार्म यार्ड प्रतिवर्ष दो प्लेटफार्म का निर्माण कर सकता है। आधारभूत सुविधाओं में इंजीनियरी शॉप्स, क्रेन और लोड आउट सुविधाएं शामिल हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एचएसएल की आर्डर बुक लगभग 37.195 डीडब्ल्यूटी से 3,13,255 डीडब्ल्यूटी तक बढ़ चुकी है। एचएसएल के पास फिलहाल निम्नलिखित आर्डर हैं:

- अंडमान और निकोबार प्रशासन के लिए दो 150 यात्रियों वाले यात्रीपोत
- विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) के लिए एक प्रदूषण नियंत्रण पोत
- मैसर्स गुडअर्थ मारीटाइम लि. के लिए एक 30,000 डीडब्ल्यूटी बल्क कैरियर
- मैसर्स गुडअर्थ मारीटाइम लि. के छह 53,000 डीडब्ल्यूटी बल्क कैरियर
- भारतीय तटरक्षक के लिए पांच इनशोर पेट्रोल वैसल (आईवीपी)
- न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट के लिए एक 32 टन बोलाई पुल टग
- भारतीय नौसेना के लिए 877 ईकेएम पनडुब्बी 'आईएनएस सिंधुकृति' का आधुनिकीकरण और मरम्मत।

इन आर्डरों का वर्तमान मूल्य लगभग 1599.76 करोड़ रुपये है।

एचएसएल की निर्माण को समेकित करने तथा चार से पांच जहाज प्रत्येक (21,500 डीडब्ल्यूटी) प्रतिवर्ष निर्माण उपलब्धि तथा 35-40 Mhrs/डीडब्ल्यूटी की गति से निर्माण और जहाज निर्माण गतिविधि में और विस्तार करने की योजना है। यार्ड की भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों का मरम्मत कार्य जारी रखने तथा 120 से 150 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष टर्नओवर हासिल करने का लक्ष्य है। प्रौद्योगिकी और ढांचागत सुधार के बल पर एचएसएल ग्लोबल बाजार में अपनी उपस्थिति बना पाएगा और एक विश्वस्तरीय शिपयार्ड बन सकेगा।

हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता

हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, (एचडीपीईएल) कोलकाता ने 1984 में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान का रूप धारण किया। इस कंपनी की दो इकाइयां पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में सलिकिया तथा नजीरगंज में हैं। इसकी जहाजनिर्माण की स्थापित वार्षिक क्षमता प्रतिवर्ष 1,100 टन है। लगभग 125 जहाजों की मरम्मत यहां की जाती है। यहां शुष्क गोदी के अलावा एक जेट्टी व छह शिपवेज भी हैं। यहां यात्री जहाज के अलावा अन्य जहाज, जैसे—ड्रेजर पोत, जहाज खींचने वाली

नौकाएं, तैरने वाली शुष्क गोदी, मछली पकड़ने वाली नौकाएं, समुद्री प्लेटफार्मों, सप्लाई व राहत पहुंचाने वाले जहाज, बहु-उद्देश्यीय गोदी पोत, प्रकाश स्तंभ के निविधा पोत, बाजमूरिंग लांचर आदि के निर्माण और विभिन्न किस्म के जहाजों की मरम्मत भी की जाती है।

वर्तमान में एचडीपीईएल के पास जहाज निर्माण के 201.00 करोड़ रुपये तथा जहाज मरम्मत के लिए 2.60 करोड़ रुपये के आर्डर हैं। जहाज निर्माण के आर्डरों में शामिल हैं: एक हाइड्रोलिक सरफेस ड्रेजर, दो सेल्फ लोडिंग कार्गो पोत, एक फ्लोटिंग ड्राई के अतिरिक्त आईडब्ल्यूआई के लिए छह वर्कबोट। एचडीपीईएल को भारतीय नौसेना से दो और नावों के निर्माण विकल्प के साथ चार 1000 टी ईंधन नावों के निर्माण का आर्डर प्राप्त हुआ।

बंदरगाह

भारत के तटवर्ती इलाकों में 12 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार और छोटे बंदरगाह राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं।

देश में स्थित 12 बड़े बंदरगाह (भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन पोर्ट ऑफ एन्नोर सहित) पूर्वी और पश्चिमी तटों पर समान रूप से बनाए गए हैं। कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं, जबकि कोचीन, न्यू मंगलौर, मोरमुगाओ, मुंबई, न्हावशेवा पर जवाहरलाल नेहरू और कांडला बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित हैं।

बड़े बंदरगाहों की क्षमता 1951 में 20 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 31 मार्च, 2007 तक 504.75 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो गई है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू में बंदरगाहों की क्षमता 343.45 मिलियन टन प्रतिवर्ष थी। जो दसवीं योजना के अंत तक (31 मार्च, 2007 तक) बढ़कर 504.75 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक पहुंच गई। इस अवधि में 160.80 मिलियन टन प्रतिवर्ष की अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धि रही। दसवीं योजना के सभी वर्षों में इन बड़े बंदरगाहों में ट्रैफिक की आवाजाही में भी वृद्धि हुई। वर्ष 2006-07 में छोटे बंदरगाहों में 185.54 मिलियन टन और 2006-07 के अंत तक यह बढ़कर 228 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो गई।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में बड़े बंदरगाहों में आने वाले जहाजों से 313.55 मिलियन टन क्षमता बढ़कर वर्ष 2007-08 में 519.67 मिलियन टन हो गई जिसमें 73.48 मिलियन कंटेनर ट्रैफिक था। बड़े बंदरगाहों में कंटेनर ट्रैफिक 2005-06 के 61.98 मिलियन से बढ़कर 2007-2008 में 78.87 मिलियन टन हो गया।

बंदरगाहों के कुशल संचालन, उत्पादकता बढ़ाने और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ-साथ बंदरगाहों में प्रतिस्पर्धा लाने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में निजी भागीदारी को भी स्वीकृति दे दी गई है। बड़े बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1953 के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बड़े बंदरगाहों में शत-प्रतिशत तक की भागीदारी की अनुमति दे दी गई है जिसमें बंदरगाहों और पत्तन स्थलों का निर्माण और रखरखाव किया जा सकेगा। बंदरगाह सेवाओं में टर्मिनलों/बर्थों के निर्माण और संचालन, भंडार ग्राहों और भंडारण सुविधाओं, ड्राई डॉकिंग तथा जहाजों के निर्माण में भी निजी क्षेत्र की भागीदारी रहेगी।

अब तक 4927 करोड़ रुपये के निवेश वाली 17 निजी क्षेत्र की परियोजनाएं संचालित की गई हैं जिसमें 99.30 मिलियन टन प्रतिवर्ष अतिरिक्त क्षमता शामिल है। 5181 करोड़ रुपये के निवेश वाली 8 परियोजनाओं का कार्यान्वयन और मूल्यांकन किया जा रहा है।

अंतर्देशीय जल परिवहन

देश में लगभग 14,500 कि.मी. लंबा नौ-संचालन जलमार्ग है। इनमें नहरें, नदियां, अप्रवाही जलसहित संकरी खाड़ियां शामिल हैं। प्रतिवर्ष लगभग 50 मिलियन टन माल की दुलाई अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली के जरिए की जाती है। 2005-06 में 28.2 मिलियन टन माल ढोया गया। इस समय गंगा-भागीरथी-हुगली नदी के कुछ हिस्सों, ब्रह्मपुत्र-बराक नदी, गोवा की नदियों, केरल के अप्रवाही जल और गोदावरी-कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्रों तक नौसंचालन सीमित है। यांत्रिक जहाजों की संगठित मालवाही के अतिरिक्त विभिन्न क्षमता वाली देशी नौकाएं भी विभिन्न नदियों-नहरों में माल की दुलाई कर रही हैं।

यांत्रिक और देशी नौकाओं के संगठित संचालन के अलावा होनेवाली माल दुलाई और यात्रियों की संख्या के आंकड़े तैयार नहीं हैं। इस दिशा में प्रयास जारी है। लेकिन इतना तय है कि असंगठित क्षेत्र में भी काफी मात्रा में माल दुलाई और यात्रियों का आवागमन होता है।

ईंधन की कम खपत, पर्यावरण अनुकूलता और प्रभावी लागत आदि स्वाभाविक फायदों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार रेल और सड़क परिवहन के मुकाबले इसे एक प्रभावी पूरक परिवहन के रूप में विकसित करने के प्रयास कर रही है।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) की स्थापना 27 अक्टूबर, 1986 को हुई। इसे राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और नियमन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास से संबंधित मामलों में केंद्र तथा राज्य सरकारों को सलाह भी देता है। प्राधिकरण राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय जलपरिवहन से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाता है। इसका मुख्यालय नोएडा में; क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी व कोच्चि में; तथा शाखा कार्यालय इलाहाबाद, वाराणसी, भागलपुर, फरक्का व कोल्लम में हैं।

राष्ट्रीय जलमार्ग

अब तक गंगा नदी के इलाहाबाद व हल्दिया के बीच के (1,620 कि.मी.) मार्ग को, ब्रह्मपुत्र नदी के सदिया से धुवरी तक के 891 कि.मी. मार्ग को और केरल की चंपाकारा तथा उद्योग-मंडल नहरों सहित पश्चिमी तट नहर के कोल्लम-कोट्टापुरम खंड (205 कि.मी.) को राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दिया जा चुका है। प्राधिकरण उन्हें नौ-संचालन के लिए विकसित कर रहा है।

तलचर-डरमरा मार्ग, काकीनाडा-पुडुचेरी मार्ग और बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने वाला बिल संसद में पहले ही पेश किया जा चुका है।

केंद्र प्रायोजित योजना : देश में अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय जलमार्गों के साथ-साथ अन्य सहायक जलमार्गों को भी विकसित किया जाए। एक ओर जब राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास और नियमन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और आई.डब्ल्यू.ए.आई. की है तो दूसरी ओर संबंधित राज्यों को अन्य जलमार्ग विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि धन की कमी के चलते राज्यों के लिए आईडब्ल्यूटी विकास हेतु धन जुटाना संभव नहीं हैं। अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना भी है। सी.एस.एस. के तहत सिक्किम

सहित पूर्वोत्तर राज्यों की परियोजनाओं के लिए शत प्रतिशत सहायता अनुदान और अन्य राज्यों के लिए 90 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध है। 2007-08 से पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य क्षेत्रों से योजना आयोग ने योजना बंद कर दी है। केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में यह चालू है।

अंतर्देशीय जहाज निर्माण सब्सिडी योजना

अंतर्देशीय नौ संचालन में भावी संचालक कंपनी पर पूंजी का बोझ कम करने और उनके लाभ में वृद्धि करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से 30 प्रतिशत सब्सिडी के साथ अंतर्देशीय जहाज निर्माण सब्सिडी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत मालवाहक और यात्री दोनों तरह के जहाजों के निर्माण पर सब्सिडी प्राप्त होगी। सब्सिडी योजना के तहत उन्हीं जहाजों को लाभ मिलेगा जो राष्ट्रीय जलमार्ग, सुंदरबन और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पर चलेंगे। 31 मार्च, 2007 को यह योजना समाप्त हो गई। यद्यपि, इसे अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अंतर्देशीय जल परिवहन और व्यापार के बारे में संधि

अंतर्देशीय जल परिवहन और व्यापार के बारे में भारत और बांग्लादेश के बीच संधि है। इसके तहत किसी एक देश के जहाज निर्धारित जल मार्गों से दूसरे देश में जा सकते हैं। संधि के तहत निर्धारित मार्ग इस प्रकार हैं : (1) कोलकाता-पांडु-कोलकाता, (2) कोलकाता-करीमगंज-कोलकाता, (3) राज शाही-धुलियान-राज शाही, (4) पांडु-करीमगंज-पांडु।

अंतर्देशीय व्यापार के लिए दोनों देशों में से प्रत्येक में चार बंदरगाह निर्धारित किए गए हैं। भारत में ये बंदरगाह हैं—हल्दिया, कोलकाता, पांडु और करीमगंज जबकि बांग्लादेश में इन बंदरगाहों के नाम हैं—नारायणगंज, खुलना, मोंगला और सिराजगंज।

अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी साझेदारी

अंतर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने एक अंतर्देशीय जल परिवहन नीति को मंजूरी दी है। इस नीति में अंतर्देशीय जहाजों के संचालन, स्वामित्व और ढांचागत विकास में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई वित्तीय रियायतें और मार्ग दर्शन मौजूद हैं। आईडब्ल्यूटी क्षेत्र में संयुक्त उपक्रमों और बीओटी परियोजनाओं में संभावनाओं का पता लगाने के लिए कई इच्छुक फर्मों के साथ बात की गई और संभावनाओं वाली प्राथमिक परियोजनाओं के लिए कुछ फर्मों को छांटा गया। इनमें से कुछ परियोजनाओं के लिए आईडब्ल्यूएआई द्वारा निविदाएं मंगाई गईं। इस पहल से कुछ निजी फर्मों को आकर्षित करने में सफलता मिली और आईडब्ल्यूएआई तथा सफल निविदाकर्ताओं के बीच सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत बंडेल, कोराघाट तथा पश्चिम बंगाल में बज-बज में घाटों की स्थापना और प्रबंधन तथा कोलकाता-मोगला, कोलकाता-धुबरी तथा कोलकाता-पांडु के ओ-डी जोड़ों पर नावों को प्राप्त करना, संचालन तथा उनका प्रबंधन शामिल है। उपर्युक्त परियोजनाओं को लागू करने के लिए तीन संयुक्त उपक्रम कंपनियां पहले ही गठित की जा चुकी हैं और चौथी गठित की जा रही है।

राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान

राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, पटना, फरवरी 2004 से आरंभ हो गया है। यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। यह देश में अपनी तरह का पहला संस्थान है। इस संस्थान से अब तक 300 प्रशिक्षणार्थी, जहाजकर्मी का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम

केंद्रीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कोलकाता में है। इसकी स्थापना सार्वजनिक प्रतिष्ठान के रूप में मई, 1967 में की गई थी। यह निगम मुख्य रूप से गंगा-भागीरथी, हुगली, सुंदरबन और ब्रह्मपुत्र नदियों में अंतर्देशीय माल लाने-ले जाने का काम करता है। यह कोलकाता और पांडु (गुवाहाटी के निकट), कोलकाता और करीमगंज (असम), कोलकाता एवं बांग्लादेश तथा हल्दिया और पटना के बीच नियमित मालवहन सेवाएं चलाता है। सरकार ने इसे विनिवेशित करने का निर्णय लिया है और विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

रेलवे सुरक्षा आयोग

रेलवे सुरक्षा आयोग के अंतर्गत रेल यात्रा और संचालन से जुड़े सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। इस उद्देश्य से यह रेलवे अधिनियम 1989 और उसके अंतर्गत बने नियमों के आधार पर वैधानिक ढंग से अपनी भूमिका अदा करता है। औपचारिक रूप से रेलवे निरीक्षणालय कहा जाने वाला यह विभाग मई, 1941 तक रेलवे बोर्ड के नियंत्रण में काम किया। लेकिन उसके बाद यह निरीक्षणालय रेलवे बोर्ड से प्रशासनिक स्वतंत्रता के लिए अलग हो गया। पैसेफिक लोकोमोटिव कमेटी की सिफारिश पर केंद्रीय विधायिका की स्वीकृति के साथ यह अलगाव हुआ। अलग हो जाने के बाद यह निरीक्षणालय, हवाई अनुभाग (एयर विंग) के साथ संबद्ध हो गया और यह संचार विभाग के अधीन कार्य करने लगा। 19 मई, 1967 में यह पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रण में आ गया जिसे आजकल नागर विमानन मंत्रालय कहा जाता है। यह आयोग निरीक्षण, खोज और परामर्श यात्री क्रियाकलापों के माध्यम से रेल अधिकारियों को निर्देश व सलाह देते हुए सतर्क करता है कि रेल निर्माण और रेलगाड़ियों के सुरक्षित संचालन में निर्धारित उपायों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं। रेल सुरक्षा के सभी-मामलों में ये ही भारत सरकार के प्रधान तकनीकी सलाहकार भी होते हैं। इस आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। मुख्य आयुक्त आयोग की तकनीकी गतिविधियों के निर्देश देता है और गंभीर रेल दुर्घटनाओं की कानूनी जांच, रेल लाइनों के विद्युतीकरण के बाद यातायात पूर्व निरीक्षण नए इंजनों के संचालन की स्वीकृति संबंधी आदेश जारी करता है। आयोग के 9 परिमंडल कार्यालय हैं। मुख्यालय सहित दो मुंबई में, मुख्यालय सहित तीन कोलकाता में और मुख्यालय सहित, बंगलौर, नई दिल्ली, लखनऊ और सिक्ंदराबाद में एक-एक कार्यालय स्थित है। प्रत्येक परिमंडल कार्यालय आयुक्त के प्रभार में है। एक प्रमुख विकास पहल के तहत भारत सरकार ने आयोग का उपयोग सुरक्षा मानकों की एक समान सुनिश्चितता के लिए आगामी मेट्रो रेल प्रणाली के सुरक्षा प्रमाणीकरण के लिए करने का निर्णय लिया है।

पर्यटन

पर्यटन रोजगार के अवसर पैदा करने, गरीबी दूर करने और मानव विकास के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। रोजगार के अवसर जुटाने में इसका योगदान बहुत ज्यादा है। वर्ष 2003-04 के दौरान 2 करोड़ 15 लाख 40 हजार बेरोजगारों को इससे प्रत्यक्ष लाभ हुआ है। पर्यटन से राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा मिलता है तथा स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलता है।

पिछले तीन दशकों में देश में पर्यटन में भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 2004 के मुकाबले वर्ष 2003-04

में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विश्व पर्यटन में भारत का हिस्सा वर्ष 2004 में 0.44 प्रतिशत था जबकि 2005 में यह 0.49 प्रतिशत हो गया। 2005 में 25,172 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई जबकि वर्ष 2004 में 21,828 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई थी।

सामाजिक और सांस्कृतिक लगाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय लक्ष्य तक पहुंचने में घरेलू पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी इसका काफी योगदान है। पिछले कुछ वर्षों में लोगों की आय बढ़ने और मध्यम वर्ग के एक शक्ति के रूप में उभरने के साथ ही घरेलू पर्यटन में वृद्धि के लिए अच्छी संभावनाएं पैदा हुई हैं। वर्ष 2004 के दौरान घरेलू पर्यटकों की संख्या लगभग 36.60 करोड़ थी। 2005 में यह संख्या 38.20 करोड़ तक पहुंच गई।

संगठन

पर्यटन विकास में सहयोग देने वाले केंद्रीय संगठन हैं—पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पर्यटन तथा यात्रा प्रबंध संस्थान, राष्ट्रीय होटल प्रबंध तथा खान-पान टेक्नोलॉजी परिषद्, भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, भारतीय स्कीइंग तथा पर्वतारोहण संस्थान और राष्ट्रीय जल-क्रीड़ा संस्थान।

पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन विकास तथा विदेशी पर्यटकों को देश की ओर आकृष्ट करने के कार्यक्रमों और नीतियों का निर्माण करने व सुचारु रूप से उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है। यह पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास, प्रचार और प्रोत्साहन, सूचनाओं के प्रसार तथा संबंधित उद्योग और यात्रा प्रबंध व्यवसाय से जुड़े विभिन्न क्षेत्र, जैसे—होटल, ट्रेवल एजेंसी, टूर आयोजक की गतिविधियों की देखरेख तथा उनमें समन्वय स्थापित करने के प्रयास करता है। पर्यटन मंत्रालय के 20 क्षेत्रीय कार्यालयों के अलावा विदेश में 13 कार्यालय हैं, जो विकास और प्रोत्साहन गतिविधियों में व्यस्त हैं। विदेशों में स्थित कार्यालय जहां पर्यटकों को भारत आने और पर्यटन के लिए प्रोत्साहित कर उनसे तथा यात्रा संस्थान और प्रचार माध्यम से बराबर संपर्क रखते हैं, वहीं भारत स्थित क्षेत्रीय कार्यालय उनको सुविधा सेवाएं प्रदान करते हैं और मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रत्येक राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाए रखते हैं। विश्व के संभावित पर्यटन बाजार में ये कार्यालय मंत्रालय की महत्वपूर्ण बाहरी चौकी का काम करते हैं। उनमें रणनीति विकसित कर उनको लागू करके स्वदेश आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाना ही उनका प्रमुख क्रियाकलाप है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आईटीडीसी)

भारतीय पर्यटन विकास निगम का गठन अक्टूबर, 1966 में किया गया। पर्यटन ढांचे के विस्तृत विकास सहित देश को विश्व में पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनाना ही इसका प्रमुख ध्येय है। निगम ने समूचे देश में एक वृहद् होटल श्रेणी बनाने में सफलता हासिल की है। प्रत्येक होटल में पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था, खान-पान, परिवहन, घरेलू पर्यटक एजेंसी, करमुक्त खरीददारी (ड्यूटी-फ्री शॉपिंग), मनोरंजन, प्रचार सेवाएं आदि उपलब्ध हैं। निगम निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को पर्यटन विकास परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध कराता है।

सरकार की विनिवेश नीति के अनुपालन के तहत अब तक 18 होटलों का विनिवेश किया जा चुका है। बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निगम का पुनर्गठन युक्तिसंगत ढंग से किया गया है, ताकि वह देश में पर्यटन के विकास के अपने मूल लक्ष्य को निरंतर पूरा करता रहे। मौजूदा व्यापार

क्षेत्रों को मजबूत करके और उनका विस्तार करते हुए आईटीडीसी ने नए आयामों/नई सेवाओं में विविधता को अपनाया है। इन सेवाओं में फुल फ्लेजिड मनीचेंजर सेवाएं और वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, आतिथ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण परामर्श और पर्यटन और इंजीनियरिंग परियोजनाओं के कार्यान्वयन और परामर्श सेवाएं आदि शामिल हैं।

भारतीय पर्यटन विकास एक ही छत के नीचे पर्यटन सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला एक अग्रणी पर्यटन संगठन है। कुछ होटलों के विनिवेश के बाद निगम के मौजूदा नेटवर्क में अशोक समूह के आठ होटल, संयुक्त उपक्रम के सात होटल (एक निर्माणाधीन सहित), दो रेस्तरां (एक हवाई अड्डे पर है), 13 परिवहन इकाइयां और एक पर्यटक सेवा केंद्र, 37 करमुक्त खरीददारी केंद्र (जो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कस्टम हवाई अड्डों, दोनों पर हैं), एक करमुक्त भुगतान केंद्र, एक ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम और चार खान-पान दुकानें शामिल हैं। इसके अलावा निगम भरतपुर में एक होटल और कोसी में पर्यटन विभाग के स्वामित्व में एक रेस्तरां और अहमदाबाद के साबरमती में एसइएल शो का भी प्रबंध करता है।

निगम के अशोक इंटरनेशनल ट्रेड डिवीजन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को विश्व स्तर की करमुक्त खरीददारी सुविधाएं 38 बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध हैं और इससे देश के लिए महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है।

अशोक ट्रेवल्स एंड टूर (एटीटी) घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय टिकटिंग, होटल आरक्षण और टूर पैकेजों, परिवहन व्यवस्था, मुद्रा परिवर्तन, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर और सीमा शुल्क आदि सुविधाओं की व्यवस्था करता है।

विभिन्न सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए विदेशी टूर ऑपरेटरों के साथ प्रत्यक्ष वार्तालाप सुनिश्चित करने के वास्ते आईटीडीसी के अशोक आरक्षण और विपणन सेवा प्रभाग ने जैसे राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बर्लिन में आईटीबी में हिस्सा लिया।

भारतीय पर्यटन विकास निगम का अशोक इन्स्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट (एआईएच एंड टीएम) तीन दशक से भी ज्यादा समय से मानव संसाधन विकास क्षेत्र के प्रमुख प्रयासों से जुड़ा रहा है। पर्यटन और स्वागत प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा देने वाला यह प्रमुख संस्थान है। एआईएच एंड टीएम को आई एस ओ- 9001-2000 प्रमाणपत्र दिया गया है और इसने अपने स्तर पर पाकशास्त्र पर भी 18 महीने का क्राफ्ट/सर्टिफिकेट कोर्स आरंभ किया है। वैसे संस्थान प्रबंधन प्रशिक्षणार्थियों/अप्रेंटिसेस को प्रशिक्षण तो देता ही है, आईटीडीसी के अधिकारियों के लिए कार्यकारी विकास कार्यक्रम भी चलाता है। इस संस्थान ने प्रतिष्ठित कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन के अधीन अगस्त 2004 से अंतर्राष्ट्रीय आतिथ्य और वाणिज्य प्रबंधन में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किया है।

होटल प्रबंधन और पाक कला संस्थान

पर्यटन विभाग होटलों, रेस्तरांओं और अन्य आवभगत आधारित उद्योगों की बढ़ती जनशक्ति मांग पूरी करने को प्राथमिकता देता है। इस उद्देश्य से देश में 21 होटल प्रबंध और खानपान प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा 10 पाक-कला संस्थानों की स्थापना की गई है। इनमें से तीन राजकीय होटल प्रबंधन और पाक-कला संस्थान हैं। इसके अलावा उत्तरांचल (देहरादून), झारखंड (जमशेदपुर), छत्तीसगढ़ (रायपुर) और हरियाणा (कुरुक्षेत्र) में चार और होटल प्रबंधन संस्थानों के लिए प्रक्रिया जारी है। ये संस्थान होटल

मैनेजमेंट, खानपान प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त पोषण में डिग्री पाठ्यक्रमों तथा खाद्य एवं पेय पदार्थ से संबंधित सेवाओं, आवास संचालन, आहार विज्ञान और अस्पताल खाद्य सेवा, खाद्य उत्पादन और पैटिसरी, हाउसकीपिंग, फ्रंट आफिस आदि में शिल्प पाठ्यक्रमों का संचालन करते हैं। आईएचएम, मुंबई, बेंगलूर और पूसा (नई दिल्ली) ने दो वर्षीय स्नातकोत्तर हॉस्पिटैलिटी पाठ्यक्रम शुरू किया है। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट (खाद्य शिल्प संस्थान) परिचालक स्टाफ के लिए 6 महीने से एक वर्ष तक की अवधि के क्राफ्ट कोर्स (शिल्प पाठ्यक्रम) का आयोजन करता है। यह सभी प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय होटल प्रबंधन खान-पान प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त पोषण परिषद् से मान्यताप्राप्त हैं, जो इन संस्थानों के शैक्षिक नियमन की शीर्ष संस्था है।

भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान

ग्वालियर स्थित भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन की शिक्षा देने और पर्यटन उद्योग में व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित कार्मिकों की मांग पूरी करने के लिए की गई है। यह संस्थान पर्यटन प्रबंधन में स्नातक, एमबीए और पर्यटन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाता है। संस्थान कार्यकारी विकसित करने संबंधी पाठ्यक्रमों और पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संबंधी सेमिनारों और कार्यशालाओं का भी आयोजन करता है।

सेवाकर्मियों में क्षमता निर्माण : वर्ष 2002 में मंत्रालय ने उन सेवा कर्मियों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सीबीएसपी नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया जिसने छोटे होटलों, ढाबों, खान-पान केंद्रों, रेस्टोरेंटों में कार्य करने वाले सेवा कर्मियों को प्रशिक्षण के लिए सीबीएसपी कार्यक्रम शुरू किया। इसके अलावा अप्रवासी कर्मचारियों, हवाई अड्डा-कर्मियों, पुलिस और सुरक्षा कर्मी, गाइड, टैक्सी चालकों और बस चालकों को शिष्टाचार और तहजीब विकसित करने के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्यक्रम का कार्य क्षेत्र और बढ़ा है और सेवाएं देने वाले कर्मियों की दक्षता बढ़ाने वाला 3/6 महीने का एक और प्रशिक्षण कार्यक्रम इसमें जुड़ गया है। इसके तहत 'प्रियदर्शिनी परियोजना' नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को टैक्सी चलाने, टैक्सी सेवा के संचालन और दुकानें आदि चलाने जैसे कामों का प्रशिक्षण देकर पर्यटन को उद्यम के रूप में स्थापित करना है जिससे महिलाएं इसे व्यवसाय के रूप में अपना सकें।

राष्ट्रीय जलक्रीड़ा संस्थान, गोवा : पर्यटन विभाग ने जलक्रीड़ा पर्यटन उद्योग के लिए प्रशिक्षण एवं संसाधन केंद्र के रूप में गोवा में राष्ट्रीय जलक्रीड़ा संस्थान (एनआईडब्ल्यूएस) की स्थापना की है। राष्ट्रीय जलक्रीड़ा संस्थान विभिन्न गतिविधियों, जैसे—नौकायन, गोताखोरी (स्कूबा डाइविंग), जलबहाव पर फिसलना (वाटर स्कीइंग) आदि में पाठ्यक्रमों के आयोजन के साथ-साथ इनके लिए सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। यह संस्थान देश में जलक्रीड़ा—उन्मुखी पर्यटन के लिए एक नोडल सेंटर के रूप में काम करता है।

होटल आवास

होटल क्षेत्र पर्यटन उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें रोजगार पैदा करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने की बहुत अधिक क्षमता है। इसके विकास को ध्यान में रखकर सरकार ने आयात-निर्यात नीति के अंतर्गत होटल उद्योग को करों से रियायतें प्रदान कर कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। उद्योग नीति में अब होटल तथा पर्यटन से संबंधित गतिविधियों को प्राथमिकता वाले उद्योगों में रखा गया है। नई आर्थिक नीति के तहत होटल उद्योग में विदेशी पूंजी निवेश और विदेशी हिस्सेदारी को आसान

बना दिया गया है। अब होटल और पर्यटन क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ती है।

होटलों के वर्गीकरण की सितारा प्रणाली

पर्यटन विभाग ने होटलों को सितारा प्रणाली के अनुसार वर्गीकृत किया है। इनमें एक से लेकर पांच सितारा डीलक्स होटल तथा हाल में बनाए गए 'हेरिटेज' (हेरिटेज, क्लासिक, ग्रांड और हेरिटेज रैनेसा) अपार्टमेंट होटल तीन सितारा से पांच सितारा तक, टाइम शेयर रीज़ॉर्ट तीन सितारा से लेकर पांच सितारा तक और गेस्ट हाउस शामिल हैं। विभाग हर पांच साल बाद होटलों का वर्गीकरण नए सिरे से करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन होटलों में निर्धारित मानदंडों का पालन किया जा रहा है। इसके लिए 'होटल और रेस्तरां अनुमोदन तथा वर्गीकरण समिति' का गठन किया गया है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा होटल और पर्यटन उद्योग संघ के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।

हेरिटेज होटल

महलों, हवेलियों, दुर्गों, किलों के अलावा 1950 से पहले बने आवासीय भवनों में चल रहे होटलों के लिए 'हेरिटेज' नाम का नया वर्ग बनाया गया है। इनकी परंपरागत इमारतों से अतीत के परिवेश और जीवनशैली की झलक मिलती है। ये पर्यटकों को अत्यंत प्रिय भी हैं। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारी विरासत की ये धरोहरें और ऐतिहासिक स्थल इस्तेमाल न होने के कारण जर्जर या नष्ट न हो जाएं व इन्हें अनुमोदित क्षेत्र में लाया जाए।

पर्यटन व्यापार

पर्यटन विभाग ट्रेवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों एडवेंचर टूर आपरेटरों और पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों को कार्यक्रम के तहत मान्यता प्रदान करता है। 2005 के दौरान घरेलू पर्यटकों की संख्या में संभावित वृद्धि के मद्देनजर घरेलू टूर ऑपरेटरों की एक नई श्रेणी मान्यता के लिए शामिल की गई है। इस योजना का लक्ष्य और उद्देश्य इन श्रेणियों के पर्यटन में गुणवत्ता, स्तर और सेवा को प्रोत्साहन देना है ताकि भारत में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिल सके। पर्यटन व्यापार प्रभाग पर्यटन व्यापार में लगे संगठनों की एसोसिएशनों, जैसे—ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन तथा इंडिया कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो और पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन आदि अन्य एजेंसियों के साथ भी संपर्क करता है।

यात्रा व्यापार प्रभाग (ट्रेवल ट्रेड डिविजन) क्षेत्रीय स्तर पर पर्यटक गाइडों से संबंधित नियमों और प्रशिक्षण से जुड़े सभी मुद्दों का कामकाज देखता है। प्रभाग अन्य मंत्रालयों, जैसे—नागर विमानन, संस्कृति, रेल, भू-तल परिवहन, विदेश और गृह मंत्रालय के साथ विभिन्न मुद्दों पर समन्वय भी स्थापित करता है ताकि विभिन्न स्थानों पर आने वाले पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार किया जा सके।

विभिन्न पर्यटन कार्यक्रमों का आयोजन

वर्ष 2005-06 के दौरान भारत की ओर पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से देश के बारे में जागरूकता लाने और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की सुविधा के लिए विभिन्न राज्यों के पर्यटन विभागों के सहयोग से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इनमें शामिल हैं—श्रीनगर में गोल्फ ओपन टूर्नामेंट, लेह में सिंधु दर्शन, नई दिल्ली में विरासत महोत्सव, हैदराबाद में अखिल भारतीय शिल्प मेला,

जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय विरासत महोत्सव, हिमाचल प्रदेश में पारा ग्लाइडिंग प्रदर्शनी और पर्यटन सम्मेलन, देहरादून में विशाल लोक महोत्सव विरासत का आयोजन, कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय नौका प्रदर्शनी, पृथ्वी 05-भूमंडल आर्थिक सम्मेलन कोच्चि।

प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर, को विश्व पर्यटक दिवस के अवसर पर 'संस्कृतियों का संगम' विषय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फोटो प्रदर्शनी 'मेरे लिए पर्यटन का महत्व' जैसे विषय पर निबंध और फोटो प्रतियोगिता का आयोजन करता है। भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 17 मार्च, 2006 को डिजाइनर्स का रात्रि बाजार सूरज कुंड शिल्प मेला (हरियाणा); तीसरी विश्व गोल्फ चैम्पियनशिप, फोटो प्रदर्शनी इको टूरिज्म विपणन बैठक, मंसूरी (उत्तरांचल), डब्ल्यू.टी.टी.सी. हिमालय दौड़ और कश्मीर के इस्लामिक, हिंदू और बौद्ध स्मारकों पर फोटो प्रदर्शनी का आयोजन हुआ।

पर्यटन विभाग ने भारत और विदेशों में आयोजित विभिन्न यात्राओं और पर्यटन कार्यक्रमों, मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लिया। नई दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, चेन्नई में आयोजित पर्यटन और यात्रा मेले, दक्षिण एशिया पर्यटन और यात्रा प्रदर्शनी, नई दिल्ली, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली उनमें मुख्य रूप से शामिल हैं। भारत के 20 शहरों में स्थित पर्यटन कार्यालयों ने भी महत्वपूर्ण स्थानीय मेलों में भाग लिया। पर्यटन विभाग ने भी विदेश में आयोजित कई यात्रा और पर्यटन व्यापार मेलों में भाग लिया। इनमें से वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन; आई.टी.बी. बर्लिन, अरबी ट्रेवल मार्ट, दुबई; ई आई बी टी एम, स्पेन; आई एम ई एक्स, फ्रैंकफर्ट; पाटा ट्रेवलमार्ट मलेशिया, एफआईटीयूआर स्पेन और विश्व व्यापार मेला शंघाई प्रमुख हैं। विदेश में स्थित 13 भारतीय पर्यटन कार्यालयों ने भी विभिन्न यात्रा और पर्यटन मेलों में भाग लिया।

राष्ट्रीय पर्यटन नीति, 2002 : सरकार राष्ट्रीय पर्यटन नीति-2002 की घोषणा कर चुकी है। इसमें अन्य बातों के अलावा देश को एक ग्लोबल ब्रांड (विश्वस्तरीय गंतव्य) के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है ताकि विकासमान विश्व यात्रा और व्यापार का लाभ उठाया जा सके तथा पर्यटन के लक्ष्य के रूप में देश की उन विस्तृत संभावनाओं का दोहन किया जा सके जिनका उपयोग अभी तक नहीं हो सका है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन : देश में पर्यटन के विकास में और तेजी लाने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नांकित पहलुओं पर जोर दिया जाएगा—पर्यटन को आर्थिक विकास के प्रमुख साधन के रूप में अपनाना; रोजगार के अवसर पैदा करना; आर्थिक विकास और ग्रामीण पर्यटन पर बल देने के लिए पर्यटन के प्रत्यक्ष और बहुपक्षीय प्रभावों का दोहन करना; घरेलू पर्यटन को विशेष रूप से प्रोत्साहित करना (जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के विकास और विस्तार के लिए प्रेरक के रूप में काम करेगा); देश को एक ग्लोबल ब्रांड (विश्वस्तरीय लक्ष्य) के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करना; निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी को पहचानना (ताकि सरकार सक्रिय सुविधाप्रदाता और प्रेरक की भूमिका का निर्वाह करे); देश की बेजोड़ सभ्यता, विरासत और संस्कृति पर आधारित समेकित पर्यटन सर्किटों का निर्माण तथा विकास करना, जिसमें राज्यों, निजी क्षेत्र और अन्य एजेंसियों को भागीदार बनाया जा सके; और यह सुनिश्चित करना कि देश में पर्यटक गण स्वयं को भौतिक रूप से रोमांचित, मानसिक रूप से तरोताजा, सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध, आध्यात्मिक स्तर पर उन्नत और 'हमारे देश को अपने अंतरतम' में महसूस करें।

भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानन संगठन (आईसीएओ) का सदस्य है और शुरू से ही इसकी परिषद में शामिल रहा है। नागर विमानन क्षेत्र की कार्यप्रणाली को तीन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है—

नियामक, परिचालन संबंध और मूलभूत संरचनात्मक ढांचा। भारत में हाल के वर्षों में नागर विमानन क्षेत्र में चमत्कारिक प्रगति हुई है। इस समय देश में भारी संख्या में ऐसी कंपनियां हैं जो यात्री और माल-दुलाई जैसी सेवाएं दे रहीं हैं। वायु परिवहन कंपनियों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में कार्य कर रही हैं। ये हैं: भारतीय राष्ट्रीय विमान कंपनी लिमिटेड (एनएसीआईएल), एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड और एलायंस एयर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अलावा निजी क्षेत्र में 8 निर्धारित एयरलायंस हैं : इनमें, जेट एयरवेज, इंडिया लिमिटेड, सहारा एयरलाइंस, डकन विमानन, गो एयरवेज, किंग फिशर एयर लायंस, पैरामाउन्ट एयरवेज गो एयरलाइंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंटर ग्लोब एविएशन (इंडिगो), घरेलू क्षेत्र में संचालित हैं और यात्रियों को चुनाव का व्यापक अवसर मिलता है। इसके अलावा देश में माल वाहक सेवा संचालित करने के लिए ब्लू डार्ट विमानन नाम से एक निजी मालवाहक कंपनी है। वर्ष 2007 के दौरान निर्धारित घरेलू उड़ानों के जरिये कुल 5,00,75 उड़ानें (घरेलू) भरी गईं, जिसमें कुल 32.172 मिलियन यात्रियों ने यात्रा की। उपर्युक्त निर्धारित उड़ानों के अलावा, इस समय 86 कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास गैट निर्धारित उड़ानों को संचालित करने का परमिट है। एनएसीआईएल अंतराष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराती है। साथ ही पड़ोसी देशों जैसे दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों और मध्य एशियाई देशों भी में उड़ानें संचालित करता है। एयर इंडिया चार्टर भी मध्यपूर्व देशों में सेवाएं देती है। निजी एयरलाइनों में जेट एयरवेज विभिन्न अंतराष्ट्रीय क्षेत्रों में सेवाएं संचालित कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पवनहंस हैलीकाप्टर लि. जो ओएनजीसी के समुद्री अभियान के लिए हैलीकाप्टर सेवाएं उपलब्ध कर रही है। कई राज्य भी पवनहंस हैलीकाप्टर की सेवाएं लेते हैं। विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में कठिन और दुर्गम स्थानों तक पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल होता है।

पर्यटकों की चार्टर उड़ानें

एरोनॉटिक इन्फॉर्मेशन-सर्कुलर 5/2006 के अनुसार पर्यटकों की चार्टर उड़ानों को उदार बनाया गया है। जनवरी से दिसंबर 2007 तक भारत में कुल 748 चार्टर उड़ानों का संचालन हुआ जिससे 1,68,714 विदेशी पर्यटकों का भारत आगमन हुआ।

विमान सेवाएं

भारत का 103 देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है। हाल ही में मेक्सिको और चिली के बीच नए विमान सेवा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एक जुलाई, 2007 से 30 जून 2008 तक 21 देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई। उजबेकिस्तान, मलेशिया, ईबसा मालदीव्स, हांगकांग, सऊदी अरब, ओमान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इथोपिया, चीन, थायलैंड, बेल्जियम और जर्मनी के साथ अतिरिक्त क्षमता अधिकार और नए बिंदुओं पर बातचीत हुई। द्विपक्षीय अधिकारों के अपेक्षित उपयोग को ध्यान में रखकर कम-से-कम पांच वर्षों से घरेलू विमान सेवा उपलब्ध कराने वाले और बेड़े में 20 जहाज रखने वाले विमान सेवा प्रदाताओं को विदेशी गंतव्यों तक विमान सेवा चलाने की अनुमति दी गई है।

हवाई सेवाओं का उदारीकरण

नागर विमानन क्षेत्र में उदारीकरण नीति के अनुसार और अधिक से अधिक विदेशी यात्रियों को आकर्षित करने के नजरिये से सरकारों ने 2007-08 के दौरान अपनी उदार दृष्टिकोण बनाए रखा, साथ ही विभिन्न विदेशों के साथ द्विपक्षीय समझौते के तहत ट्रैफिक अधिकारों के मामले में भी उदारता बरती। भारत-

अमरीका और भारत-ब्रिटेन विमानन बाजारों में इन देशों के साथ हुए नए संशोधित हवाई सेवा समझौतों के बाद महत्वपूर्ण बढ़त दर्ज हुई है। साथ ही, भारत तक/से बढ़ी पहुंच बनाने के लिए 2007-2008 के दौरान विभिन्न देशों के बीच ट्रेफिक अधिकार बढ़ाए गए हैं। इन देशों में शामिल हैं: सिंगापुर, कंबोडिया, जोर्डन, यूएई (अबुधावी, दुबई और शारजाह), ओमान, बहरीन, कुवैत, रूस, उज्बेकिस्तान, चीन और बेल्जियम। इससे न केवल इन देशों से भारत तक उड़ान संख्या और बेहतर पहुंच बढ़ेगी बल्कि सभी संचालित विमान कंपनियों को और व्यावसायिक अवसर भी मिलेंगे।

इसके अतिरिक्त, छोटे शहरों और उनके अंदर संपर्क स्थापित करने के लिए अनुसूचित एयरलाइंस, की एक नयी श्रेणी का उद्घाटन किया गया है जैसे अनुसूचित वायु परिवहन। उत्तरी क्षेत्र में एम.डी.एल.आर. एयरलाइंस क्षेत्रीय अनुसूचित एयरलाइंस (विमान सेवा) की तरह कार्यरत है।

दो मालवाहक विमान सेवाएं तथा ब्लू डार्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और डक्कन कार्गो एवं एक्सप्रेस लॉजिस्टिक (प्राइवेट) लिमिटेड भी देश में अनुसूचित मालवाहक सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

कैलेंडर वर्ष 2008 के दौरान, कुल 5,22,603 उड़ानें (सिर्फ घरेलू) घरेलू कार्यक्रम संचालकों द्वारा संचालित की गईं जो कुल 40.848 मिलियन यात्रियों को (तय) लाती-ले जाती रही। उपरोक्त नियत एयरलाइंस के साथ, वर्तमान में 122 कंपनियां अनियतकालीन संचालक परमिट (15.09.09 से) वहन कर रही हैं। हालांकि नासिल ए (NACIL) अंतरराष्ट्रीय सेवाएं देता है नासिल आई (I) वहीं दक्षिण-पूर्व एशिया एवं मध्य एशिया के देशों को घरेलू सेवाएं भी प्रदान करता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस नाम से एयर इंडिया चार्टर भी मध्य-पूर्व देशों के लिए संचालन करता है। निजी नियतकालीन एयरलाइन जेट एयरवेज और किंगफिशर एयरलाइंस भी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों के संचालन में सक्रिय हैं। पवनहंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, जो एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, जिसने अनियतकालीन संचालक परमिट धारण किया हुआ है, ओ.एन.जी.सी. को इसके आकाशीय अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाने में लगी हुई है और इसकी सेवाएं विभिन्न राज्यों विशेषकर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के उन इलाकों से संपर्क स्थापित करने के लिए ली गई हैं जहां पहुंचना नामुमकिन है और जो कठिन भू-भाग हैं।

केपटाऊन समझौता सम्मेलन

भारत सरकार ने केपटाऊन कन्वेंशन में अपनी सहमति प्रदान की तथा इसे 01 जुलाई, 2008 से प्रभावी बनाया गया। इस कन्वेंशन/प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था चल उपकरणों का प्रभावी वित्तीयन। इसका विकास अद्वितीय पहचान वाले चल उपकरणों तथा उच्च मूल्यों की श्रेणी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय विधिक प्रणाली की स्थापना के लिए किया गया। केपटाऊन समझौते के आर्थिक लाभ महत्वपूर्ण हैं।

मांट्रियल समझौता :

भारत ने पहली मई, 2009 को मांट्रियल समझौते पर अपनी सहमति दी। इस समझौते को दी गई सहमति से भारतीय अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रियों को उच्च अनुदान तथा पांचवीं राजकीय अधिकार क्षेत्र देने में बढ़ावा मिलेगा।

आई.बी.एस.ए.—पंचवर्षीय कार्य योजना

तृतीय आई.बी.एस.ए. सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में 15 अक्टूबर, 2008 को तकनीकी समन्वय द्वारा नागर विमानन के विकास और प्रगति के लिए भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (आई.बी.एस.ए.) के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।

नागर विमानन महानिदेशालय

भारत में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में नागर विमानन निदेशालय नागरिक उड़ान नियमों को लागू करने वाला एक प्रमुख नियामक संगठन है। इसकी जिम्मेदारियों में जो कार्य शामिल हैं वह इस प्रकार हैं:—

(i) विमान अधिनियम, 1937 के प्रावधानों के अंतर्गत देश से/देश को और देश के भीतर विमान यातायात सेवाओं का नियमन करना जिसमें उसके देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते भी शामिल हैं। (ii) विमानचालकों, विमान रखरखाव इंजीनियरों और उड़ान इंजीनियरों को लाइसेंस जारी करना; (iii) नागरिक विमानों का पंजीकरण करना; (iv) भारत में नागरिक विमानों के पंजीकरण के लिए उड़ान योग्य आवश्यकताओं को देखना और इसे उपयुक्त विमानों को प्रमाणपत्र जारी करना। (v) अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठनों से संबद्ध कार्यों में समन्वय स्थापित करना। (vi) उड़ान के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं की जांच और सरकार द्वारा नियुक्त न्यायालय/जांच समितियों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, (vii) उड़ान (फ्लाइटिंग)/ग्लाइडिंग क्लबों की प्रशिक्षण गतिविधियों पर निगरानी रखना, (viii) हवाई अड्डों और विमान वाहकों को लाइसेंस जारी करना (ix) विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय उड़ान सेवाओं सहित विमान परिवहन से संबद्ध मामलों पर सरकार को सलाह देना, (x) हल्के विमानों, ग्लाइडरों और विचों का विकास करना। (xi) विमान अधिनियम, 1934 और विमान अधिनियम, 1937 तथा विमानन संबंधी अन्य कानूनों में संशोधन करना, ताकि शिकागो संधि और उसके अनुलग्नकों के प्रावधानों को तथा विमानन संबंधी अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को देश में लागू किया जा सके; (xii) विभिन्न प्रकार के विमान को प्रमाणित करना।

डीजीसीए के एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग विभाग के निम्नलिखित दायित्व हैं:

- (i) हवाई जहाज, इंजनों और प्रपेलरों का नमूना प्रमाणीकरण (वर्तमान में 14 सीट वाले यातायात श्रेणी के हवाई जहाज 'सारस' की परियोजना पर कार्य)।
- (ii) पहले से प्रमाणित नमूनों का निरंतर हवाई गुणवत्ता (वर्तमान परियोजना : 12 सीटों वाले हेलीकॉप्टर 'ध्रुव' पर कार्य)।
- (iii) हवाई जहाज के उपकरण औजारों और अतिरिक्त सामान की नमूना अनुमोदन।
- (iv) नागर विमान और उसके हिस्सों की डिजाइन/विकास में लगे डिजाइन संस्थानों का अनुमोदन।
- (v) नागर विमानन आवश्यकताओं (सीएआर) का विकास और उन्नयन।
- (vi) नागर विमानों की आधुनिकीकरण और मरम्मत योजनाओं का अनुमोदन।
- (vii) कॉकपिट वॉयस रिकार्डर (सीवीआर) तथा डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकार्डर (डीएफडीआर) की गुणवत्ता और संचालन निगरानी।
- (viii) देसी हवाई जहाजों की सामग्री, हिस्से, उपकरण आदि का विकास परीक्षण।
- (ix) हवाई जहाजों की उड़ान के समय फेल हिस्सों/उपकरणों की प्रयोगशाला जांच।
- (x) अतिविशिष्ट व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल हवाई जहाज सहित इस्तेमाल होने वाले विमान ईंधन, ईंधन/तेल नमूनों की जांच और गुणवत्ता नियंत्रण निगरानी।
- (xi) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/सम्मेलनों के जरिये उपयुक्त इंजीनियरिंग और नियामक पहलुओं पर मानव संसाधन विकास।

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का प्रारंभ में गठन 10 सितंबर, 1976 को अगवा हुए इंडियन एयरलाइन के हवाई जहाज के बाद गठित पांडे समिति की सिफारिशों पर जनवरी, 1978 में नागर विमानन महानिदेशालय के एक प्रकोष्ठ के रूप में हुआ। प्रकोष्ठ का कार्य नागर विमानन सुरक्षा मामलों में सहयोग, निगरानी, निरीक्षण और कार्मिकों को प्रशिक्षित करना था। जून, 1985 में कनिष्क दुर्घटना के चलते एक अप्रैल, 1987 को बीसीएस को नागर विमानन मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र विभाग का दर्जा दिया गया। बीसीएस की प्रमुख जिम्मेदारी भारत और विदेशी हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों के संबंध में मानक और सुरक्षा उपाय तय करना है। यह देश में नागर विमानन सुरक्षा का नियामक है। सुरक्षा आयुक्त सक्षम अधिकृत व्यक्ति होता है। बीसीएस देश में राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा कार्यक्रमों के विकास, रखरखाव, नवीनीकरण तथा उनके क्रियान्वयन तथा संबंधित सभी अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने वाला एक उपयुक्त प्राधिकरण है। ब्यूरो का मुख्यालय दिल्ली में है तथा दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई हवाई अड्डों पर इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनके प्रमुख क्षेत्रीय सुरक्षा उपायुक्त (सीए) होते हैं। ये नियमन और निगरानी के साथ-साथ उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र के हवाई अड्डों का नियमित निरीक्षण और ऑडिट भी करते हैं।

बीसीएस, गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम और सुरक्षा की भयावह स्थितियों के लिए मानक सुरक्षा स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है ताकि नागर विमान ऑपरेशन को निरापद बनाया जा सके। इसके लिए यह नियमित निरीक्षण और निगरानी पर ध्यान देता है। बीसीएस का मुख्य उद्देश्य नागर विमान संचालन को गैर कानूनी हस्तक्षेप से सुरक्षित रखना है।

ब्यूरो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विमानन कर्मियों के प्रशिक्षण, सुरक्षा दायित्वों, प्रवेश परमिट जारी करने जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी है। ब्यूरो की मुख्य जिम्मेदारियों में अन्य बातों के अलावा आयोजना, और विमान सुरक्षा संबंधी गतिविधियों का समन्वय, आपातकालीन संचालन और संकट कालीन प्रबंधन शामिल हैं।

ब्यूरो के पास चार बम खोजी और निपटान दस्ते हैं, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर तैनात हैं। इनके पास रोबोट, आरटीवीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेथेस्कोप और विस्फोटक सूचक जैसे अत्याधुनिक यंत्र और उपकरण हैं। चारों महानगरों में बम खोजी और निपटान दस्तों के पास एयरपोर्ट पर खोजी कुत्तों को भी रखा गया है। इसके अलावा श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा खोजी कुत्ते रखे गये हैं। यह दस्ते आईईडी और अन्य विस्फोटकों को निष्क्रिय करने में स्थानीय पुलिस की मदद करते हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) का गठन एक अप्रैल, 1995 को राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एनएआई) तथा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (आईएआई) के विलय द्वारा हुआ। दोनों प्राधिकरणों को विलय बाद एक ऐसा ताकतवर संगठन बनाना था जो प्रतिस्पर्धी माहौल में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। नागर विमानन के क्षेत्र में विश्व स्तर पर काफी बदलाव आए हैं और एएआई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। 11वीं पंचवर्षीय योजना तैयार है और आर्थिक मापदंडों पर विकास लक्ष्य तय कर दिए गए हैं तथा नागर विमानन का विकास उत्साहजनक है।

एएआई व्यावसायिक एयरलाइन संचालन के लिए डिफेंस हवाई क्षेत्रों सहित 127 हवाई अड्डों का रख-रखाव और संचालन करता है। दिल्ली और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को पुनर्गठन के तहत 3.5.2006 को संयुक्त उपक्रमों को पट्टे पर दे दिया है। हैदराबाद के नजदीक शमशाबाद में विकसित ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा 23.3.2008 से चालू हो गया है। इसी प्रकार 24.5.2008 से बंगलुरु के पास देवन हल्ली हवाई अड्डा भी संचालन में है। एएआई देश के सभी अड्डों पर सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करता है जिसमें 2.8 मिलियन स्क्वायर नौटिकल मील इंडियन स्पेस शामिल है।

2008-09 के दौरान, एएआई ने 13.06 लाख हवाई उड़ानों (10.40 लाख घरेलू तथा 2.70 लाख अंतर्राष्ट्रीय), 108.88 मिलियन यात्री (77.30 मिलियन घरेलू तथा 131.58 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय) तथा 16.97 लाख मीट्रिक टन सामान (5.48 लाख मीट्रिक टन घरेलू और 11.58 लाख मीट्रिक टन अंतर्राष्ट्रीय) का प्रबंधन किया।

प्रशिक्षण

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नागर विमान प्रशिक्षण कालेज इलाहाबाद में है जो वायु यातायात नियंत्रण रडार और संचार जैसे संचालन क्षेत्रों का प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। ए.ए.आई. का राष्ट्रीय विमानन प्रबंध और अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है जहां विभिन्न विमानन प्रबंध कार्यक्रमों के प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के संचालन की व्यवस्था है। इनके अतिरिक्त कोलकाता के निकट नारायणपुर में अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण स्कूल तथा नई दिल्ली में अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र हैं, जहां आग से बचाव संबंधी पुनश्चर्या और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

‘गगन’ परियोजना

नागरिक उड्डयन की आवश्यकताओं के देखते हुए जीपीएस सिग्नल को अधिक उपयुक्त और बेहतर बनाने के लिए जीपीएस एडिड जिओ ऑगमेंटेशन नेवीगेशन ‘गगन’ प्रणाली विकसित की गई। इस प्रणाली को तीन चरणों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। दूसरे और तीसरे चरण में ‘टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन सिस्टम’ (प्रौद्योगिकी प्रदर्शन प्रणाली) को पूरी तरह से संचालित प्रणाली बनाने के लिए बेहतर बनाया जाएगा। जमीनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैसर्स रेथिमान को दिया गया है। इसरो द्वारा बनाया जा रहा उपग्रह जीएसएटी IV को ‘गगन’ का भार सौंपा जाएगा। इस उपग्रह से अफ्रीका से आस्ट्रेलिया तक के भौगोलिक क्षेत्र को कवर किया जाएगा। भारतीय आकाश से बाहर के क्षेत्र को सेवा प्रदान करने के लिए ‘गगन’ कार्य करेगा। परियोजना का प्रदर्शन प्रणाली चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और संचालन के अंतिम चरण की पहल शुरू हो चुकी है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा गैर-महानगरीय हवाई अड्डों का विकास

पिछले कुछ वर्षों में भारत में उड्डयन उद्योग में तीव्र गति से विकास हुआ है। एयरपोर्ट पर मूलभूत सुविधाओं की बढ़ती मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 35 गैर-महानगरीय एयरपोर्ट को विकसित करने और आधुनिक बनाने का निर्णय लिया और इन एयरपोर्टों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराईं। यह 35 गैर- महानगरीय एयरपोर्ट जिन शहरों में हैं वह हैं— अहमदाबाद, अमृतसर, गुवाहाटी, जयपुर, उदयपुर, त्रिवेन्द्रम, लखनऊ, गोआ, मदुरई, मैंगलौर, अगाती, औरंगाबाद, खजुराहो, राजकोट, वडोदरा, भोपाल, इंदौर, नागपुर, विशाखापट्टनम, त्रिची, भुवनेश्वर,

कोयम्बटूर, पटना, पोर्ट ब्लेयर, वाराणसी, अगरतला, देहरादून, इम्फाल, रांची, राजपुर, आगरा, चंडीगढ़, दीमापुर, जम्मू और पुणे।

विश्व तकनीकी सलाहकार (ग्लोबल टेक्नीकल एडवाइज़र जीटीए) और भारतीय वित्तीय परामर्शदाता (इंडियन फाइनेंशियल कंसल्टेंट आईएफसी) ने मास्टर प्लानिंग के लिए टैक्नो इकॉनॉमिक फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की है। प्रत्येक एयरपोर्ट पर आधुनिकीकरण/विकास और नये टर्मिनल भवन का निर्माण, जमीन के बेहतर उपयोग की योजनाएं और मॉडल आदि पर विभिन्न चरणों में कार्य किया जा रहा है। इन सभी एयरपोर्टों पर आधुनिकीकरण और विकास का कार्य 2010 तक पूरा होने की संभावना है। कुछ चुनिंदा गैर-महानगरीय हवाई अड्डों पर बिक्री बढ़ाने का कार्य निजी क्षेत्र के साथ मिलकर किया जा रहा है। अमृतसर और उदयपुर हवाई अड्डों की प्रक्रिया विचाराधीन है। तत्पश्चात अन्य हवाई अड्डों की बारी है।

दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों का पुनर्निर्माण

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली

दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड (डीआईएएल) ने एएआई के साथ संचालन, प्रबंधन विकास समझौता (ओएमडीए) किया है। इसके अनुसार डीआईएएल समझौते की शर्तों के मुताबिक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (एयरपोर्ट), दिल्ली के संचालन, रखरखाव, विकास, डिजाइनिंग, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण और प्रबंधन का जिम्मा संभालने के लिए सहमत है।

डी.आई.ए.एल. के अंशधारी प्रतिमान इस प्रकार हैं:

राज्य संवर्धन :- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 26%

निजी/गैर सरकारी/अराजकीय/वैयक्तिक संवर्धक : जी.एम.आर समूह (विदेशियों सहित) द्वारा संचालित जी.एम.आर. इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 74%

संचालन, प्रबंधन विकास समझौते के अलावा, डीआईएएल ने एएआई के साथ जमीन का लीज समझौता और सीएनएस-एटीएम रियायत समझौता तथा राज्य सरकार सहायता समझौता और भारत सरकार के साथ राज्य सहायता समझौता किया है। डीआईएएल को 30 वर्षों के लिए अधिकार दिए गए हैं और अगले 30 वर्षों तक और बढ़ाने की शर्त भी है। एएआई द्वारा संचार, नेविगेशन और सर्वेलांस तथा एयरट्रैफिक प्रबंधन मुहैया कराया जाएगा। डीआईएएल एएआई को समझौते की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए अपने राजस्व का 45.99 प्रतिशत की दर से वार्षिक शुल्क अदा करेगा।

छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड (एमआईएएल) ने एएआई के साथ संचालन, प्रबंधन विकास समझौता (ओएमडीए) किया है। इसके अनुसार एमआईएएल समझौते की शर्तों के मुताबिक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (एयरपोर्ट), दिल्ली के संचालन, रखरखाव, विकास, डिजाइनिंग, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण और प्रबंधन का जिम्मा संभालने के लिए सहमत है।

एम.आई.ए.एल. के अंशधारी प्रतिमान इस प्रकार हैं:

राज्य संवर्धन : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

निजी/गैरसरकारी संवर्धक : जी.वी.के. समूह (विदेशियों सहित) द्वारा संचालित जी.वी.के. एयरपोर्ट्स होलिंग प्राइवेट लिमिटेड

संचालन, प्रबंधन विकास समझौते के अलावा, एमआईएल के साथ जमीन का लीज समझौता और सीएनएस-एटीएम रियायत समझौता तथा राज्य सरकार सहायता समझौता और भारत सरकार के साथ राज्य सहायता समझौता किया है। एमआईएल को 30 वर्षों के लिए अधिकार दिए गए हैं और अगले 30 वर्षों तक और बढ़ाने की शर्त भी है। एआई द्वारा संचार, नेविगेशन और सर्वेलांस तथा एयरट्राफिक प्रबंधन मुहैया कराया जाएगा। एमआईएल एआई को समझौते की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए अपने राजस्व का 38.7 प्रतिशत की दर से वार्षिक शुल्क अदा करेगा।

ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट

बंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

बंगलुरु अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (बीआईएल) की स्थापना कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश और विकास निगम लिमिटेड, एआई, सीमेंस प्रोजेक्ट वेंचर्स जीएमबीएच, फ्लुगफेन ज्यूरिख एजी तथा लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड ने मिलकर की जिसमें विकास, डिजाइन, वित्त, निर्माण, पूर्णता, रख-रखाव, संचालन तथा प्रबंधन शामिल है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में इसे बंगलुरु के नजदीक देवनहल्ली में स्थापित किया गया। सीएनएस समझौते के अलावा जमीन के लिए राज्य सरकार से बीआईएल का रियायत समझौता हुआ है जो 30 वर्षों के लिए है जिसे और 30 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। बीआईएल को कुल आमदनी का 4 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार को वार्षिक आधार पर देना होगा। इस हवाई अड्डे को व्यवसायिक उपयोग के लिए 24 मई, 2008 को खोल दिया गया है। बी.आई.ए.ल.के अंशधारी प्रतिमान इस प्रकार हैं-

राज्य संवर्धन

- कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश एवं विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Karnataka State Industrial Investment and Development Corporation Limited) 13%
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 13% निजी/गैरसरकारी संवर्धन
- साइमेन प्रोजेक्ट वेंचर्स जीएमबीएच 40%
- फ्लगफेन ज्यूरिख ए.जी. 17%
- लार्सन एवं टूब्रो लिमिटेड 17%

राज्य की सहायता से बी.आई.ए.ल. ने भारत सरकार के साथ एक रियायती समझौते पर और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ किए गए सीएनएस समझौते के अतिरिक्त कर्नाटक सरकार के साथ भूमि लीज समझौते पर हस्ताक्षर किया है।

हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा)

जीएमआर हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (जीएचआईएल) की स्थापना आंध्र प्रदेश सरकार एआई, जीएमआर ग्रुप तथा मलेशिया एयरपोर्ट होल्डिंग्स बेरहाद (एमएचबी) ने मिलकर शेयरधारक के रूप में की है। ये संस्थाएं मिलकर हवाई अड्डे का संचालन करेंगी। जीएचआईएल ने भी आंध्र प्रदेश सरकार और एआई के साथ जमीन और सीएनएस के लिए रियायत समझौता किया है। 30 वर्षों तक के इस समझौते को आगे 30 वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। जीएचआईएल

रियायत सहायता के रूप में भारत सरकार को कुल आमदनी का 4 प्रतिशत वार्षिक अदा करेगा। 23 मार्च 2008 को हवाई अड्डा व्यावसायिक संचालन के लिए शुरू हो गया है। जी.एच.आई.ए.एल. के अंशधारी प्रतिमान इस प्रकार हैं:-

राज्य संवर्धक :

- आंध्र प्रदेश की सरकार 13%
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 13%

निजी/गैरसरकारी संवर्धक :-

- जी.एम.आर. समूह 63%
- एम.ए.एच.वी. 11%

उड़ान प्रशिक्षण विद्यालय, गोण्डिया

नागर विमानन मंत्रालय के गोण्डिया में प्रमुख पायलेट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव किया है। विमानन क्षेत्र में योग्य और प्रशिक्षित पायलटों की कमी को देखते हुए यह प्रयास किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण ने राज्य सरकार से 405.92 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। यह निर्णय लिया गया है कि नया उड़ान प्रशिक्षण संस्थान सभी शेयरधारकों की भागीदारी के साथ संयुक्त उद्यम की परियोजना के रूप में रहेगा। प्राधिकरण की हिस्सेदारी 49 प्रतिशत इक्विटी की रहेगी जिसमें उड्डयन क्षेत्र से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य संयुक्त उपक्रमों का 51 प्रतिशत का भी शेयर रहेगा। प्राधिकरण इस परियोजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है और इसके लिए 'एक्सप्रेसन ऑफ इंटरनेट' भी निमंत्रित किये गये हैं। संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने के लिए एएआई के साथ समझौता हो चुका है। वर्ष के अंत तक राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान (एनएफटीआई) के शुरू होने की आशा है।

नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एयर इंडिया) :

27 अगस्त, 2007 को एयर इंडिया और इंडियन मर्जर के सम्मिलन से आधिकारिक तौर पर नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड अस्तित्व में आया। इस सम्मिलन के बाद जहां नया नाम एयर इंडिया ही रहा वहीं इसका लोगो 'महाराजा' को प्रतिधारित किया गया। नयी कंपनी के नियंत्रण में निम्नांकित सहायक हैं :

सहायक कंपनी का नाम	प्राधिकृत पूंजी (करोड़ रु. में)	भुगतान की गयी पूंजी (करोड़ रु. में)
होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एचसीआई)	41.00	40.60
एयर इंडिया चार्टर्स लि. (एयर इंडिया एक्सप्रेस)	30.40	30.00
एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट्स सर्विसेज लि.	100.00	00.05
एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लि.	10.00	00.05
वायु दूत लिमिटेड	50.00	36.42
एयरलाइंस एलायड सर्विसेज लि. (एलायंस एयर)	05.00	02.25
आई.ए.एल. एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	100.00	00.05

31 जुलाई, 2009 को एयर इंडिया के कुल संचालित जहाजी बेड़े की ताकत 135 रही है जिसमें 92 स्वस्वामित्व वाले और 43 लीज पर लिए गए थे। यात्रियों की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए बाद में मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में कॉल सेंटर्स भी स्थापित किए गए हैं।

एयर इंडिया की सेवाओं के प्रोत्साहन में, एनएसीआईएल द्वारा 2008 एवं 2009 में निम्नलिखित सम्मान ग्रहण किए गए :

- विश्व की सर्वोत्तम बेस्ट बाउंड विमान सेवा के लिए गैलीलियो एक्सप्रेस ट्रेवल वर्ल्ड अवार्ड।
- सर्वोत्तम लघु माल दुलाई अन्तरराष्ट्रीय विमानसेवा के लिए गैलीलियो एक्सप्रेस ट्रेवल अवार्ड-2008
- कार्गो एयरलाइन ऑफ द ईयर 2009

बेंगलुरु में सामान दुलाई और हैदराबाद अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की भूमि परिचालन के लिए एयर इंडिया ने सिंगापुर एयरलाइन टर्मिनल सर्विसेज के साथ एक जोखिमभरा कदम उठाया है।

अमरीकी 100 डालर के प्रस्तावित मूल्य पर नागपुर में एक अनुरक्षण, मरम्मत एवं पूर्ण मरम्मत सुविधा (एमआरओ) की स्थापना के लिए मेसर्स बोइंग ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एमओयू (MOU) पर दस्तखत किए हैं। जहाजी बेड़े समझौते के भाग के रूप में एयर इंडिया द्वारा 111 नए विमान बहुत पहले 50 एयर इंडिया के लिए, 18 एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए और 43 बहुत पहले भारतीयों के लिए खरीदे जाने की अनुमति ली गई थी।

ढांचागत विकास के एक भाग के रूप में एयर इंडिया निम्नांकित नए विमानों के आधार निर्माण की प्रक्रिया में संलग्न हैं :-

- तिरुअनंतपुरम के लिए लघु/कम दूरी वाले विमानों का आधार
- दिल्ली के लिए अतिरिक्त आधार
- A 319 विमान के लिए कोलकाता में एक नया आधार
- बिल्कुल नए बी 777 एवं बी 787 विमानों के रखरखाव के लिए एनेक्स के साथ एक नया हैंगर

इंटरनेट/वेब के बढ़ते उपयोग के साथ एयर इंडिया ने अपने यात्रियों को इंटरनेट द्वारा टिकट बुकिंग और खरीदने की सुविधा मुहैया कराई है। वर्तमान में, 90% के लगभग घरेलू टिकट ई-टिकट होते हैं।

एयर इंडिया आरक्षण के 24 घंटे की जानकारी के लिए यात्रियों को सीटों की बुकिंग/प्लाइट आने जाने/उड़ानों की सूचना से संबंधित सूचनाएं देने के लिए एक टॉल फ्री नंबर का भी बंदोबस्त किया गया है। एयर इंडिया ने सी.आई.ए.एल. की सहभागी बनाकर कोच्चि हवाई अड्डे पर एक एम.आर.ओ. सुविधा स्थापित करने की योजना बनाई है।

एयर इंडिया को स्टार एलायंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। 21 सर्वोच्च/सर्वोत्तम अन्तरराष्ट्रीय मालवाहकों में से सबसे मुख्य वैश्विक विमान एलायंस। यह नासिल यात्रियों को सुविधाओं का आनंद लेने में समर्थ बनाएगा, जिसमें विश्व की यात्रा के दौरान बाधारहित स्थानांतरण, कोड शेयरिंग व्यवस्था के तहत विमानों/उड़ानों की पसंद एवं विश्वव्यापी स्तर पर अंतरराष्ट्रीय विश्राम ग्रहों की उपलब्धता शामिल है। वर्तमान में, स्टार एलायंस 912 गन्तव्यों वाला एक जाल/तंत्र प्रस्तावित किया है जिसमें 152 देश सम्मिलित हैं।

एयर इंडिया ने फरवरी, 2007 में जीई के साथ एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए हैं जो विमान सेवाओं को समग्र पर्यावरण कार्यक्रमों और अभ्यासों से एक पर्यावरणीय धारणीय विमान सेवा का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक हो सके। जी.ई. इको-फ्रेंडली (पर्यावरण हितैषी) तकनीकों द्वारा अपने मुख्यालय को एक हरी इमारत में गुप्त रखने के लिए नासिल को भी सहयोगी बनाएगा।

एयर इंडिया मुंबई में 777 एवं बी 787 विमानों में वैमानिकी तत्वों/उपकरणों के प्रमाणन की प्रतिस्थापना, जांच/पुनर्निर्माण/रखरखाव के लिए 3 स्वचालित जांच उपकरण स्टेशन की स्थापना की प्रक्रिया में भी हैं।

वर्ष 2008 के दौरान कुल 446 हज चार्टर विमानों द्वारा 24 लाख तीर्थयात्री ले जाए गए जिनमें से 262 उड़ानें एयर इंडिया द्वारा संचालित की गईं और 64 000 यात्री ले जाए गए।

एचसीआई : भारतीय होटल निगम लिमिटेड (एचसीआई) एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। इसका स्वामित्व एयर इंडिया लिमिटेड के पास है। इसकी शुरुआत 8 जुलाई 1974 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुई। एयर इंडिया ने विश्व की विमान कंपनियों के इस क्षेत्र में भागीदारी को देखते हुए होटल व्यवसाय के क्षेत्र में कदम रखा। इसका उद्देश्य हवाई अड्डों, और अन्य पर्यटक स्थलों पर यात्रियों को बेहतर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है ताकि पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। 2002-2003 में एचसीआई की तीन संपत्तियां इस प्रकार थीं—इंडो-होक्के होटल लिमिटेड (सेंटॉर होटल, राजगीर), सेंटॉर होटल जुहू बीच और सेंटॉर होटल, मुंबई एयर पोर्ट को बेचा जा चुका है। एचसीआई की बची इकाइयां—सेंटॉर होटल दिल्ली एयरपोर्ट, सेंटॉर होटल लेक ब्यू श्रीनगर और फ्लाइट किचेस—दिल्ली और मुंबई हैं।

एयर इंडिया एक्सप्रेस : इस समय एयर इंडिया एक्सप्रेस के बेड़े में 6 अपने बी 737-800 विमान हैं और 7 किराये (लीज) के विमान हैं। केरल/खाड़ी देशों के बीच 26 उड़ानों को शुरू करने के साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस के नेटवर्क में नये रूट जुड़ गये हैं और उसकी उड़ानों में भी वृद्धि हुई है। इस समय विभिन्न मार्गों पर 57 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया गया। इसके अतिरिक्त एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एयर इंडिया के लिए चेन्नई/कुआलालंपुर तक सप्ताह में पांच उड़ानों का संचालन किया। भारत और बहरीन/दोहा के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा 11 जनवरी, 2007 से उड़ानें शुरू की गईं। गर्मियों में एयर इंडिया एक्सप्रेस के बेड़े में विमानों की संख्या बढ़ाई गई और यह मान लिया कि यह प्रति सप्ताह 130 उड़ानें संचालित कर सकता है। नेटवर्क में नये शहरों जैसे तिरुचिरापल्ली, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद और कोलकाता को भी जोड़ा गया। बाजार की आवश्यकताओं को देखते हुए मौजूदा मार्गों पर विमानों की आवाजाही बढ़ाई गई।

एलायंस एयर

एलायंस एयर की स्थापना 15 अप्रैल, 1996 को एक अलग कंपनी के रूप में हुई थी। यह इंडियन एयरलाइंस का मुनाफा कमाने वाला केंद्र था जिसका मुख्य कार्य बोइंग 737 विमान बेड़े का उपयोग के साथ-साथ उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए इंडियन एयर लाइंस का उत्पादकता और मुनाफा बढ़ाना था। जरूरत के अनुसार एलायंस एयर का सहयोग भी लिया गया।

एलायंस एयर ने लीज पर 4 एटीआर-42 विमान लेकर 2 जनवरी, 2003 से पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी नियमित उड़ानें शुरू कीं। पूर्वोत्तर परिषद् के साथ हुए समझौते के अंतर्गत ये सभी विमान पूर्वोत्तर क्षेत्र में

परिचालित होते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 5 वर्ष के लिए 175 करोड़ का बजट सहयोग प्रदान किया गया है। इसका वार्षिक बजट 35 करोड़ है। यह आर्थिक सहयोग एन.ई.सी. की ओर से प्रदान किया जाता है। आपसी समझौते के प्रभावी काल में पूर्वोत्तर क्षेत्र के एलायंस एयर को ए.टी.एफ. और आरएनएफएस दरों में काफी रियायत मिलती है। आपसी समझौता पिछले 5 वर्षों से प्रभावी है। ए.टी.आर. विमान के अलावा, एलायंस एयर बोइंग 737-200 का संचालन करता है। यह सेवा विभिन्न क्षेत्रीय और ट्रंक मार्गों पर परिचालित होती है।

पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड

पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड भारत की अग्रणी हेलिकाप्टर कंपनी है जो विश्वसनीय हेलिकाप्टर संचालन के लिए जानी जाती है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। यह पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए देश के दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलिकाप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। वर्तमान में पवनहंस हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड के बेड़े में 36 हेलिकॉप्टर हैं—जिसमें बेल 206 एल-4, बेल 407, डॉफिन-एसए 365 एन, डॉफिन एस 365 एन 3 और एमआई 172 शामिल हैं।

पवनहंस देश में समुद्रतट पर तेल की खुदाई में सहायता के लिए हेलिकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराने में अग्रणी है। मुम्बई हाई में ओएनजीसी और चेन्नई के हार्डी एक्सप्लोरेशन की सहायता के लिए इसके हेलिकॉप्टर विभिन्न परिस्थितियों में उड़ान भरते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में भी कंपनी के हेलिकॉप्टर लगे हैं। इन राज्य सरकारों के अधीन इन हेलिकॉप्टरों से नियमित यात्री सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। अतिविशिष्ट व्यक्तियों (वी.आई.पी.) के इस्तेमाल के लिए गृह मंत्रालय को पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु हेलिकॉप्टर उपलब्ध कराया गया है।

कंपनी ने अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के बीच अंतर-द्वीपसमूह उड़ानों के लिए भी एक हेलिकॉप्टर उपलब्ध करा रखा है। पंजाब सरकार (वीआईपी परिवहन) और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जैसे भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) की पाइप लाइनों की निगरानी रखने जैसी जरूरतों को भी पूरा करता है।

27. जल संसाधन

जल संसाधन मंत्रालय देश के जल संसाधनों के विकास और विनियमन के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करता है। इसमें क्षेत्रीय नियोजन, समन्वय, नीतिगत मार्ग निर्देशन परियोजनाओं की तकनीकी परीक्षा एवं तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन, विशिष्ट परियोजनाओं को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराना, विदेशी सहायता एवं अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों को निपटारे में सहायता सुविधा दिलाना, और लघु सिंचाई, कमांड क्षेत्र विकास एवं भूजल संसाधनों के विकास आदि के संबंध में नियोजन, मार्गदर्शन एवं नीतियां तैयार करना शामिल है।

राष्ट्रीय जल नीति 2002 में उपलब्ध सतही और भूजल के उपयुक्त और टिकाऊ उपयोग के लिए समन्वित जलसंसाधन विकास एवं प्रबंधन; सुविकसित सूचना प्रणाली तैयार करने; जल संरक्षण और मांग प्रबंधन; मात्रा एवं गुणवत्ता सहित पर्यावरणीय मसलों, परियोजना नियोजन में लाभार्थियों एवं हितधारियों को शामिल करने एवं जल संसाधन प्रबंधन में भागीदारी दृष्टिकोण रखने; उपयुक्त प्रशिक्षण एवं अनुसंधान; परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन मसलों पर जोर दिया गया है। नीति में उपभोगकर्ताओं के प्रति जवाबदेही और सेवा दक्षता सुधारने और नियमित प्रबंधन तंत्र विकसित करने व वित्तीय संसाधन जुटाने वाले नवीन उपाय लागू करने की दृष्टि से जहां कहीं संभव हो विभिन्न प्रयोगों के लिए जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन को नियोजित करने हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता पर बल दिया गया है।

जल संसाधन क्षमता

देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर (बी.सी.एम.) आंकी गई है। इसमें से कुल उपयोग लायक जल संसाधन 1123 बी.सी.एम., सतही जल 690 बी.सी.एम. और भूजल 433 बी.सी.एम. आंका गया है।

सिंचाई क्षमता

देश में खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए वर्तमान प्रणालियों के सुदृढ़िकरण सहित सिंचाई सुविधाओं का विस्तार मूल रणनीति का मुख्य भाग रही है। सिंचाई के सतत् और सुचारु विकास के चलते वृहद्, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के जरिए देश में सिंचाई की क्षमता 1951 में भारत में विकास की प्रक्रिया शुरू होने के 22.6 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर दसवीं योजना के अंत में 102.77 मिलियन हैक्टेयर हो गई है। देश में वृहद्, मध्यम और लघु आकार की सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सृजित और

उपयोग की गई योजनावार सिंचाई क्षमता नीचे दर्शाई गई है—

योजनावार सिंचाई क्षमता

योजना अवधि	कुल सृजित क्षमता (मिलियन हैक्टेयर)	कुल उपयोग की गई क्षमता (मिलियन हैक्टेयर)
पूर्व योजना अवधि	22.60	22.60
पहली योजना (1951-56)	26.26	25.04
दूसरी योजना (1956-61)	29.08	27.80
तीसरी योजना (1961-66)	33.57	32.17
वार्षिक योजनाएं (1966-69)	37.10	35.75
चौथी योजना (1969-74)	44.20	41.89
पांचवीं योजना (1974-78)	52.02	48.46
वार्षिक योजनाएं (1978-80)	56.61	52.64
छठी योजना (1980-85)	65.22	58.82
सातवीं योजना (1985-90)	76.44	68.59
वार्षिक योजनाएं (1990-92)	81.09	72.85
आठवीं योजना (1992-97)	86.26	77.21
नौवीं योजना (1997-2002)	93.95	81.00
दसवीं योजना (2002-07 तक)	102.77	87.23

वृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

2000 से 10,000 हैक्टेयर तक खेती योग्य कमांड क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजनाओं को मध्यम और 10,000 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाली परियोजनाओं को वृहद् के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न योजना अवधियों में वृहद् और मध्यम परियोजनाओं पर व्यय और सृजित सिंचाई क्षमता नीचे दर्शायी गई है।

वृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

अवधि	आबंटन व्यय (करोड़ रु. में)	सृजित क्षमता (एमएचए)	कुल क्षमता (एमएचए)
पूर्व योजना अवधि	—	9.70	9.70
पहली योजना (1951-56)	376	2.50	12.20
दूसरी योजना (1956-61)	380	2.13	14.33
तीसरी योजना (1961-66)	576	2.24	16.57
वार्षिक योजनाएं (1966-69)	430	1.53	18.10
चौथी योजना (1969-74)	1242	2.60	20.70
पांचवीं योजना (1974-78)	2516	4.02	24.72
वार्षिक योजनाएं (1978-90)	2079	1.89	26.61
छठी योजना (1980-85)	7369	1.09	27.70

सातवीं योजना (1985-90)	11107	2.22	29.92
वार्षिक योजनाएं (1990-92)	5459	0.82	30.74
आठवीं योजना (1992-97)	21072	2.21	32.95
नौवीं योजना (1997-2002)	49289	4.10	37.05
दसवीं योजना (2002-07)	71213*	5.30*	42.35

* अनंतिम

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम—1996-97 में ऐसे राज्यों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था जिनकी अधूरी वृहद्/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूरी होने के अग्रिम चरणों में थीं। उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों और उड़ीसा के केबीके जिलों की सतही लघु सिंचाई योजनाओं को 1999-2000 से इस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई है। अप्रैल, 2004 से इस कार्यक्रम में अनुदान का भाग भी शामिल कर लिया गया है। दिसंबर, 2006 से प्रभावी वर्तमान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के मानकों के अनुरूप चुनिंदा परियोजनाओं को गैर विशेष श्रेणी वाले राज्यों के वृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 25% और विशेष श्रेणी वाले राज्यों के वृहद्/मध्यम/लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 90% अनुदान दिया जाता है। उड़ीसा के केबीके जिलों को विशेष श्रेणी राज्यों के समतुल्य माना जाता है। सूखा प्रवण जनजातीय और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में पड़ने वाले गैर विशेष श्रेणी राज्यों की लघु सिंचाई योजनाओं को विशेष श्रेणी राज्यों के समतुल्य माना जाता है और उन्हें भी लागत का 90% अनुदान दिया जाता है। 31 मार्च, 2007 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 353 वृहद्/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और 8666 सतही लघु सिंचाई योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को 27185.56 करोड़ रुपये की राशि केंद्रीय ऋण सहायता/अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई है। इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद से अब तक 98 वृहद्/मध्यम और 5339 सतही लघु सिंचाई योजनाएं पूरी कर ली गई हैं। मार्च, 2008 तक वृहद् मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा 4.952 मिलियन हैक्टेयर और सतही लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा 0.261 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

जल विज्ञान परियोजना

भारत सरकार के साथ ऋण समझौते के अंतर्गत एस.डी.आर. 75.1 मिलियन की विश्व बैंक सहायता से जल विज्ञान परियोजना (चरण I) लागू की गई थी। द्विपक्षीय समझौते के तहत तकनीकी सहायता के रूप में नीदरलैंड सरकार ने 14.64 मिलियन यूरो की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई।

जल विज्ञान परियोजना चरण II (एचपी II), जो जल विज्ञान परियोजना चरण I (एचपी I) का अगला भाग है, भूजल (एस डब्ल्यू) और भूगर्भ जल (जी डब्ल्यू) विभागों द्वारा 13 राज्यों में लागू की जा रही है। इसमें एचपी I के 9 राज्य— आंध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तमिलनाडु; तथा 4 नए राज्य— हिमाचल प्रदेश, गोवा, पांडिचेरी और पंजाब शामिल हैं। इनके अतिरिक्त, 8 केंद्रीय एजेन्सियां— जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूगर्भीय जल बोर्ड, राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र, भारत का मौसम विभाग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और भाखड़ा-व्यास प्रबंधन बोर्ड भी एच पी II में भागीदारी कर रहे हैं। एच पी II की कुल परियोजना लाभ 135.01 मिलियन अमरीकी डालर आंकी गई है, जिसमें से

104.98 मिलियन अमरीकी डालर की राशि आई बी आर डी ऋण के रूप में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित है और शेष राशि भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। एच पी II के उद्देश्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में जल संसाधन नियोजन और प्रबंधन से जुड़े सभी संभावित उपयोगकर्ताओं द्वारा जल विज्ञान सूचना प्रणाली का सतत् और प्रभावी उपयोग उपलब्ध कराने व इसे बढ़ावा देने के जरिए 13 राज्यों और 8 केंद्रीय क्रियान्वयन एजेंसियों में बेहतर उत्पादकता और लागत प्रभावी जल संबंधी निवेश को सुनिश्चित करना है। परियोजना के कार्यान्वयन के तीन मुख्य अवयव हैं :

(क) सभी 13 राज्यों और 8 केंद्रीय एजेंसियों में संस्थागत सुदृढ़ीकरण।

(ख) एच पी I के 9 राज्यों और 6 केंद्रीय एजेंसियों में लम्बवत् विस्तार।

(ग) एच पी II में शामिल 4 नए राज्यों और 2 नई केंद्रीय एजेंसियों में समस्तर विस्तार।

एच पी II अप्रैल 2006 से छह वर्ष के लिए शुरू किया गया है।

जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण

राष्ट्रीय जल संसाधनों के प्रदूषण संबंधी समस्याओं के मद्देनजर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 22 जून, 2001 को जारी एक अधिसूचना के जरिए 29 मई, 2001 से जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण का गठन किया।

जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण का मुख्यालय जल संसाधन मंत्रालय है। केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय सुधारने, जला संसाधनों की गुणवत्ता सुधारने के लिए शुरू की गई। शुरू की जाने वाली स्कीमों की समीक्षा/मूल्यांकन, समस्या क्षेत्रों के पहचान के लिए जल गुणवत्ता संबंधी आंकड़ों के विवरण अर्थों की समीक्षा तथा स्थाई आधार पर गुणवत्ता सुधारने के लिए और कार्ययोजनाएं तैयार करने, निगरानी/अनुभवण के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान और समय-समय पर जल गुणवत्ता संबंधी अन्य विविध मुद्दों को देखने के लिए राज्यों में जल गुणवत्ता समीक्षा समितियां गठित की गई हैं।

विशेषज्ञ समिति और कार्य दल की अनुशंसाओं के आधार पर जून 2005 में सभी जल गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों द्वारा अपनाये जाने के लिए एक समान निगरानी प्रक्रिया संबंधी एक गजट अधिसूचना जारी की गई। उपनदी प्रणालियों में न्यूनतम बहाव के मसलों को देखने के लिए प्राधिकरण द्वारा एक कार्यदल भी गठित किया गया है।

कमांड क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम

केंद्र प्रायोजित कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के अंतर्गत एक बहुविधेयक टीम के जरिए सिंचित कृषि से उत्पादकता एवं कृषि उत्पादन को बढ़ाना तथा सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग में बेहतरी लाना था। पहली अप्रैल 2004 से इस कार्यक्रम को कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के रूप में पुनर्गठित और पुनःनामित किया गया। वर्तमान वित्त वर्ष (2008-09) से योजना आयोग ने इस कार्यक्रम को राज्य क्षेत्र स्कीम के तौर पर लागू करने का फैसला किया है, जो फिलहाल स्वीकृति की प्रक्रिया से गुजर रहा है।

कार्यक्रम 60 बड़ी तथा मझौली सिंचाई परियोजनाओं के लिए शुरू की गई थी। अब तक 29 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 332 सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। योजना आयोग इस कार्यक्रम को राज्यवार योजना के रूप में लागू करने पर विचार कर रहा है।

राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में जल संसाधनों के प्रबंधन में भागीदारी दृष्टिकोण पर बल दिया गया है। यह माना गया है कि लाभार्थियों की सहभागिता से सिंचाई प्रणाली के समुचित रखरखाव और सिंचाई जल के उपयोग में बड़ी मदद मिलेगी। सिंचाई के प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी से जल उपयोगकर्ताओं की एसोसिएशन के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई प्रणाली के संचालन और अनुरक्षण और जल शुल्कों के संग्रहण की जिम्मेदारी दी जा सकेगी। पुनर्गठित कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत जल उपयोगकर्ताओं को एकमुश्त अनुदान राशि दी जा रही है। खेतों में उपनहरों के निर्माण, कृषि क्षेत्र कार्यों के पूरे पैकेज और पानी में डूबी जमीन की पुनर्प्राप्ति की लागत में लाभार्थियों के लिए न्यूनतम 10% योगदान निर्धारित किया गया है।

पूर्व में किए गए मूल्यांकनों से पता चलता है कि कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम ने कई महत्वपूर्ण कारकों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है जैसे सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, उत्पादकता और उत्पादन, सिंचाई क्षमता आदि। सिंचाई जल प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद कई सिंचित कमाण्ड क्षेत्रों में पानी भरने की समस्या आई है। पानी भरने वाले क्षेत्रों में भूमि की पुनः वापसी खण्ड के अंतर्गत नौ राज्यों— बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की 478 स्कीमों को 63567 हैक्टेयर जमीन की प्राप्ति के लिए 52.89 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अब तक स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें से लगभग 46668 हैक्टेयर क्षेत्र इन राज्यों द्वारा मार्च, 2007 तक पुनः प्राप्त कर लिया गया है।

जलीय क्षेत्रों की मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापना

भारत सरकार ने जनवरी 2005 में दसवीं योजना की बाकी बची अवधि में लागू करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच 3:1 के अनुपात में 300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक प्रायोगिक योजना को स्वीकृति दी, जिसका नाम है 'कृषि से सीधे जुड़े जलीय क्षेत्रों की मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापन के लिए राष्ट्रीय परियोजना'। योजना के उद्देश्य हैं जलीय क्षेत्रों की भंडारण क्षमता की पुनः स्थापना और उसमें वृद्धि, तथा उनकी खोई हुई सिंचाई क्षमता को दृढ़ता और उसमें वृद्धि करना। प्रायोगिक योजना में ऐसे जलीय क्षेत्रों को शामिल किया गया जिनकी कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र 40 से 2000 हैक्टेयर था। यह योजना आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र के 26 जिलों में 299.92 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्वीकृति की गई है। इन परियोजनाओं में 1.72 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र वाले 1098 जलीय क्षेत्र शामिल हैं। पूरी होने पर यह योजना 0.78 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता तैयार करेगी। 13 राज्यों में 894 जलीय क्षेत्रों में कार्य पूरा कर लिया गया है।

केंद्रीय वित्तमंत्री ने 2006-07 के बजट भाषण में घोषणा की थी कि जलीय क्षेत्रों की मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापना की परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय सहायता के जरिए देशभर में विस्तारित किया जाएगा। 2007-08 के बजट भाषण में वित्तमंत्री ने 2005 में जलीय क्षेत्रों की मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापना की प्रायोगिक परियोजना शुरू करने और अंतर्राष्ट्रीय सहायता के जरिए इसे देशभर में विस्तारित करने की अपनी घोषणा की ओर पुनः ध्यान आकर्षित किया। तदनुसार, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल से इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों को विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। परियोजना के अंतर्गत लागत का 75% हिस्सा विश्व बैंक द्वारा राज्य को ऋण के रूप में और 25% केंद्रीय अनुदान के रूप में दिया जाएगा। 12.02.2007 को तमिलनाडु के साथ 4 लाख हैक्टेयर

कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र वाले 5763 जलीयक्षेत्रों की पुनर्स्थापना के लिए 2182 करोड़ रुपए वाले विश्व बैंक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। 835 करोड़ रुपए की आंध्रप्रदेश समुदाय आधारित तालाब प्रबंधन परियोजना के लिए भी जून 2007 में विश्व बैंक के साथ सहमति पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिसमें 2.5 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र वाले 3000 जलीय क्षेत्रों की पुनर्स्थापना शामिल है। 1225 जलीय क्षेत्रों की पुनर्स्थापना के लिए 268.78 करोड़ रुपए की कर्नाटक सरकार की परियोजना भी हस्ताक्षरित हो चुकी है। इस बीच उड़ीसा की परियोजना की मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पश्चिम बंगाल की परियोजना अभी मूल्यांकन के स्तर पर है।

इस कार्यक्रम/स्कीम को ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान देशभर में विस्तारित करने का प्रस्ताव है और तदनुसार विभिन्न हितधारियों से विचार-विमर्श के साथ एक प्रस्ताव शुरू किया गया है। भारत सरकार के योगदान स्वरूप परियोजना लागत के 25% वित्त पोषण हेतु 2750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

बाढ़ प्रबंधन

देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र 329 मिलियन हैक्टेयर में से लगभग 40 मिलियन हैक्टेयर बाढ़ प्रवण है। मार्च, 2007 तक 18.22 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को तटबंधों, नहरों के निर्माण, नगर रक्षण कार्यों और प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाने आदि द्वारा बाढ़ के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गई है।

केंद्र सरकार बाढ़ प्रवण राज्यों को कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू करने के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध करा रही है। सीमावर्ती और उत्तर पूर्वी राज्यों को भी कुछेक प्राथमिकता वाले कार्यों को शुरू करने के लिए विशेष सहायता दी जा रही है।

बाढ़ से होने वाली हानि को कम करने के लिए केंद्रीय जल आयोग द्वारा अंतर्राज्यीय नदी घाटियों पर राष्ट्रव्यापी बाढ़ पूर्व सूचना और चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है। 175 केंद्रों से बाढ़ पूर्व सूचना जारी की जा रही है, जिनमें से 147 नदी स्तरीय पूर्व सूचना केंद्र हैं और 28 ऐसे केंद्र प्रमुख बांधों/भंडारकों पर हैं। केंद्र, राज्य सरकारों के विभिन्न प्रशासनिक प्राधिकारों, जिला प्रशासनों, मीडिया और अन्य उपयोगकर्ताओं को (1) बाढ़ के परिणामस्वरूप नदियों में संभावित जल स्तरों, और (2) भंडारकों में पानी आने की मात्रा के बारे में पूर्व सूचनाएं दी जाती हैं।

नदी जल विवाद

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत जब दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच जल विवाद पैदा होता है, तो अधिनियम की धारा 3 के तहत कोई भी नदी घाटी राज्य केंद्र सरकार को इस संबंध में अनुरोध भेज सकता है। अधिनियम के अंतर्गत ऐसे अंतर्राज्यीय जल विवादों की स्थिति इस प्रकार है :

क्र.सं.	नदी/नदियां	राज्य	पंचाट के गठन की तिथि	निर्णय की तिथि
1.	कृष्णा	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक	अप्रैल 1969	मई 1976
2.	गोदावरी	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा	अप्रैल 1969	जुलाई 1980

3.	नर्मदा	राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र	अक्टूबर 1969	दिसंबर 1979
4.	कावेरी	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और केंद्रशासित प्रदेश पांडिचेरी	जून 1990	धारा 5(2) के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त संबंधित राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा धारा 5(3) के अंतर्गत याचिकाएं प्रस्तुत। रिपोर्ट प्रतिशितिक
5.	कृष्णा	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक	अप्रैल 2004	धारा 5(2) के अंतर्गत रिपोर्ट लंबित
6.	मदेई/मण्डोवी/ महादायी	गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र		
7.	वन्साधारा	आंध्रप्रदेश और उड़ीसा		

उक्त अधिनियम के अंतर्गत, विवाद के बातचीत के जरिए न सुलझपाने के प्रति संतुष्ट होने की स्थिति में केंद्र सरकार उस विवाद को एक पंचाट को सौंप सकती है। तदनुसार, कावेरी और कृष्णा से संबंधित जल विवाद क्रमशः 1990 और 2004 में फैसले के लिए पंचाटों को सौंप दिए गए थे।

कावेरी जल विवाद पंचाट ने 25 जून, 1991 को अंतरिम आदेश पारित किया, और फिर अप्रैल 1992 और दिसंबर 1995 में स्पष्टीकरण आदेश जारी किए। बाद में 5.2.2007 को पंचाट ने अंतर्राज्यीय नदी विवाद अधिनियम 1956 की धारा 5(2) के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट और फैसला दिया। इस रिपोर्ट और निर्णय सुनाए जाने के पश्चात केंद्र और राज्य सरकारों ने अधिनियम की धारा 5(3) के तहत पंचाट से स्पष्टीकरण और निर्देश के लिए अनुरोध किया है। मामला पंचाट के विचाराधीन है। मामले से संबद्ध राज्यों ने पंचाट के 5.2.2007 के निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की है, और अब यह मामला न्यायाधीन है। कृष्णा जल विवाद पंचाट ने संबद्ध राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश द्वारा अंतरिम राहत के लिए दायर आवेदन पर 9 जून, 2006 को निर्णय सुनाया और अंतरिम राहत प्रदान करने से इंकार करते हुए पंचाट से विवाद का हल प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों की ओर इंगित किया। इसके पश्चात, आंध्रप्रदेश राज्य ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 5(3) के अंतर्गत संवादात्मक आवेदन दायर किया जिसमें 9 जून, 2006 के पंचाट के आदेश के अंतर्गत स्पष्टीकरण/मार्गनिर्देश मांगे गए हैं, यह आवेदन अभी लंबित है। पंचाट ने सितंबर और अक्टूबर 2006 को हुई सुनवाई में अपने सम्मुख विवाद के हल के लिए 29 मुद्दों की पहचान की है। पंचाट की सुनवाइयां अभी जारी हैं।

महादायी/मण्डोवी और वन्साधारा जल विवादों के संबंध में गोवा और उड़ीसा राज्यों के निवेदन जुलाई 2002 और फरवरी 2006 में प्राप्त हुए हैं। महादायी जल विवाद के बारे में इस मंत्रालय में यह राय बनी है कि यह विवाद बातचीत से नहीं सुलझाया जा सकेगा और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के अनुसार आगे कार्रवाई की जा रही है। वन्साधारा जल विवाद के संबंध में केंद्र सरकार अभी तक इसे बातचीत के जरिए सुलझापाने के निर्णय पर नहीं पहुंची है।

रावी और व्यास जल पंचाट

रावी और व्यास नदियों के जल पर पंजाब और हरियाणा के दावों पर फैसला देने के लिए पंजाब समझौते (राजीव-लॉगोवाल सहमति-1985) के अनुच्छेद 9.1 और 9.2 के अनुसरण में 1986 में गठित रावी-व्यास जल पंचाट ने 30 जनवरी, 1987 को अपनी रिपोर्ट दाखिल की। संबद्ध राज्यों के संदर्भों और अपनी रिपोर्ट पर केंद्र सरकार द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों/मार्गनिर्देशों पर अभी पंचाट को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। पंचाट की कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पंजाब समझौतों के समापन का अधिनियम 2004 पर राष्ट्रपति के संदर्भ पर आने वाले निर्णय पर निर्भर हो गयी है।

सतलज-यमुना संपर्क नहर

सतलज-यमुना संपर्क नहर के जरिए रावी-व्यास नदी जल में से हरियाणा का हिस्सा दिया जाना है। पंजाब के क्षेत्र में इस नहर का कार्य पूरा होने के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 जून, 2004 को एक निर्णय में केंद्र सरकार को नहर का काम पूरा करने की अपनी कार्ययोजना पर काम करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार ने आवश्यक कार्यवाही की। किंतु पंजाब विधान सभा ने 12 जुलाई, 2004 को रावी-व्यास नदी जल से संबंधित सभी समझौतों और उनके अंतर्गत सभी जिम्मेदारियों को निरस्त करते हुए पंजाब समझौते निरस्त अधिनियम 2004 लागू कर दिया। इस अधिनियम के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति की ओर से एक संदर्भ दायर किया गया है, जिसपर निर्णय अभी लंबित है।

देश में भूजल का विकास

देश में कुल वार्षिक पुनः भरणीय भूजल संसाधन 433 बिलियन क्यूबिक मीटर आंके गए हैं और शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता 399 बिलियन क्यूबिक मीटर होने का अनुमान है। सभी उपयोगकर्ताओं के लिए मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार वर्तमान कुल भूजल दोहन 231 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष है। भूजल विकास का स्तर 58% है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भूजल का विकास एक समान नहीं रहा है। देश के कुछ हिस्सों में भूजल के अत्यधिक विकास के परिणामस्वरूप वहां इसका जरूरत से ज्यादा उपयोग हुआ है; जिसके कारण भूजल के स्तर में कमी आई है और तटीय क्षेत्रों में समुद्री जल के बढ़ने की घटनाएं हुई हैं। देश के संकटग्रस्त और अत्यधिक उपयोग वाले क्षेत्रों में एक सतत प्रगति देखी गई है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के अनुसार निर्धारण इकाइयों का वर्गीकरण भूजल विकास के चरण और पूर्व दशक 1995-2004 में जल स्तर में कमी के आधार पर 'अत्यधिक उपयोग', 'संकट ग्रस्त' और 'अर्द्ध संकट ग्रस्त' किया गया है। देश में 5723 निर्धारण इकाइयों (ब्लॉक/मंडल/तालुक) में से विभिन्न राज्यों में 839 इकाइयां 'अत्यधिक उपयोग' के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। यानी यहां भूजल की वार्षिक निकासी वार्षिक पुनःभरण संसाधन से अधिक है। 226 अन्य इकाइयां संकटग्रस्त श्रेणी में हैं, यानी भूजल विकास की स्थिति 90% से अधिक और वार्षिक पुनःभरणीय संसाधन के शत-प्रतिशत तक है। अर्द्ध संकटग्रस्त 550 इकाइयों में भूजल विकास की स्थिति 70 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच है। ऐसे क्षेत्रों की सूची राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को उपलब्ध कराई जाती है जो इन क्षेत्रों में लगाई जाने वाली परियोजनाओं/औद्योगिक इकाइयों को पानी लेने की अनुमति के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के पास भेजते हैं।

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने अब तक देश में 43 अत्यधिक उपयोग वाले क्षेत्रों को भूजल विकास और प्रबंधन के नियमन के लिए अधिसूचित किया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के खंड 5 के अंतर्गत जारी नियमन निर्देशों को लागू करवाने के लिए संबद्ध उपायुक्तों/जिला मजिस्ट्रेटों को अधिसूचित

क्षेत्रों में निर्देशों की अवहेलना के मामलों में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। भूजल विकास और प्रबंधन के अधिक प्रभावी नियमन के लिए जिलाधीशों/उपायुक्तों की अध्यक्षता में विभिन्न संगठनों से लिए गए सदस्यों वाली सलाहकार समितियों का गठन किया गया है जो ऐसे मामलों में परामर्श प्रदान करेंगी।

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने विभिन्न राज्यों में ऐसे 65 अत्यधिक उपयोग वाले क्षेत्र भी अधिसूचित किये हैं जहां भूजल स्तर में बहुत ज्यादा कमी आई और जहां नियमन के लिए कार्यवाही की आवश्यकता थी। ऐसे क्षेत्रों में भूजल दोहन वाले ढांचों के पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय भूजल आयोग ने अत्यधिक उपयोग वाले ब्लॉकों वाले सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भूजल के अप्राकृतिक पुनः भंडारण को बढ़ावा देने/वर्षा जल संचयन के आवश्यक उपाय करने के निर्देश जारी किये हैं।

केंद्रीय भूजल आयोग ने पर्यावरण संरक्षण नियमावली 1986 के नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 125 अत्यधिक उपयोग वाले क्षेत्रों को अधिसूचित करने का भी फैसला किया है।

जल संसाधन मंत्रालय में भूजल के कृत्रिम पुनःभरण की सलाहकार परिषद

सरकार ने वर्ष 2006 में जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में भूजल के कृत्रिम पुनःभरण की सलाहकार परिषद का गठन किया। सलाहकार परिषद का मुख्य कार्य सभी हितधारियों में कृत्रिम पुनःभरण के विचार को लोकप्रिय बनाना है। सलाहकार परिषद के सदस्यों में विभिन्न संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, गैर सार्वजनिक उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और प्रख्यात विशेषज्ञ/कृषक/गैर सरकारी संगठन शामिल हैं। सलाहकार परिषद की पहली बैठक जुलाई 2006 में और दूसरी सितंबर 2007 में आयोजित की गयी। परिषद की अनुशंसाओं के अनुसार कई कार्य शुरू किये गये हैं जिनमें मुख्य हैं :

- राष्ट्रीय भूजल कांग्रेस का आयोजन।
- वर्ष 2007 को राष्ट्रीय जल वर्ष घोषित करना।
- देश के 25 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 5000 कृषक भागीदारी कार्य अनुसंधान कार्यक्रम का कार्यान्वयन।
- गैर सरकारी संगठनों/ग्राम पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों/संस्थानों/निगम क्षेत्रों और व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए भूजल वृद्धि पुरस्कार और राष्ट्रीय जल पुरस्कार शुरू किए गये।
- जल की प्रत्येक बूंद से अधिक पैदावार और आय पर रिपोर्ट तैयार की गयी तथा इसकी सिफारिशों पर आगे की कार्रवाई शुरू।
- उद्योगों के लिए पानी पर एक नीति तैयार की गयी जिसपर जल संसाधन मंत्रालय में अंतिम रूप दिया जा रहा है।

कृषक भागीदारी कार्य अनुसंधान कार्यक्रम

- 22 जुलाई, 2006 को नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनःभरण की सलाहकार परिषद की पहली बैठक में उद्घाटन भाषण देते हुए प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि “हमें अपने पानी का इस्तेमाल

कम से कम करना है— विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश के जरिए कम पानी इस्तेमाल करने वाली फसलें उगानी होंगी। दूसरे शब्दों में पैदावार को पानी की प्रत्येक बूंद की दर पर आंकने के तरीके ढूंढें।”

- प्रधानमंत्री के सुझावों पर अमल के लिए परिषद ने पानी की प्रत्येक बूंद से अधिक पैदावार और आय रिपोर्ट को देश में कृषक भागीदारी कार्य अनुसंधान कार्यक्रम लागू करने के लिए स्वीकार कर लिया।
- जल संसाधन मंत्रालय ने 60 संस्थानों के जरिए दो से तीन फसल मौसमों में उक्त अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत 5000 प्रदर्शन स्वीकृत किये हैं; जो कृषि विश्वविद्यालयों, आई सी ए आर अनुसंधान संस्थानों, इकरी सैट और वाल्मिस आदि में चलाए जाएंगे। देश के 25 राज्यों/संघ प्रदेशों में 24.4685 करोड़ रुपये की लागत से ये कार्यक्रम पानी, फसलों और उनकी किस्मों में सामंजस्य, कृषि पद्धतियों; मृदा पोषकों और कृषि साधनों के बेहतर मेल-मिलाप के जरिए कृषि कार्य में लाभप्रदता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को उपलब्ध प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से चलाये जा रहे हैं।
- प्रत्येक कार्यक्रम में न्यूनतम 1 हैक्टेयर भूमि शामिल की जाती है और इसे भागीदारी आधार पर लागू किया जा रहा है ताकि कृषक परिवार इस कार्यक्रम को अपना मानकर चल सके।
- 14347 से अधिक किसान इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। रवि के मौसम तक 980 प्रदर्शन पूरे कर लिये गये हैं और खरीफ मौसम के अंत तक 3360 प्रदर्शन पूरे होने की उम्मीद है।
- इन कार्यक्रमों की निगरानी केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल बोर्ड के फील्ड कार्यालयों द्वारा की जानी है।

भूमि जल संवर्धन पुरस्कार और राष्ट्रीय जल पुरस्कार

- जल संसाधन मंत्रालय ने वर्ष 2007 में 18 भूमि जल संवर्धन पुरस्कार शुरू किए थे, जिनमें एक राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी था। इसका उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों (1 लाख तक की आबादी के लिए) वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनःभरण के जरिए भूमि जल संवर्धन के नवीन तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
- वर्ष 2007 के लिए राष्ट्रपति ने हिवारे बाजार ग्राम पंचायत, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र को राष्ट्रीय जल पुरस्कार और 14 ग्राम पंचायतों/एनजीओ/स्थानीय निकायों को भूमिजल संवर्धन पुरस्कार प्रदान किए।
- इन पुरस्कारों के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए मार्गनिर्देशों को संशोधित किया गया है और उपरोक्त तीन श्रेणियों के अतिरिक्त पुरस्कारों की तीन अन्य श्रेणियां शामिल की गयी हैं— कृषक भागीदारी कार्य अनुसंधान कार्यक्रम लागू करने वाले संस्थान, निगम क्षेत्र और व्यक्ति/संस्थान।
- संशोधित मार्गनिर्देशों के अनुसार भूमि जल संवर्धन पुरस्कार और राष्ट्रीय जल पुरस्कार एनजीओ/ग्राम पंचायतों/स्थानीय निकायों/संस्थानों/निगम क्षेत्र और व्यक्तियों को वर्षाजल संचयन एवं कृत्रिम पुनःभरण के द्वारा भूमि जल संवर्धन के नवीन उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किये गये हैं। पानी के उपयोग में दक्षता को प्रेरित करना, पानी का पुनःचक्रीकरण और पुनःप्रयोग करना और लक्षित क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी के जरिए जागरूकता पैदा करना इसके अन्य उद्देश्य हैं जो भूमि जल संसाधनों के टिकाऊपन और हितधारियों के बीच उपयुक्त क्षमता विकास जैसे परिणाम देने में सक्षम हैं।

- कुल मिलाकर सभी 6 श्रेणियों में एक राष्ट्रीय जल पुरस्कार सहित 21 पुरस्कार होंगे। इन 21 विजेताओं में से राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में 10 लाख की नकद राशि, एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, जबकि भूमि जल संवर्धन पुरस्कार के प्रत्येक विजेता को 1 लाख रुपये नकद और एक ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र दिये जाते हैं।
- पुरस्कारों की विस्तृत जानकारी जल संसाधन मंत्रालय की वेबसाइट <http://mowr.gov.in/> पर मार्ग निर्देश-राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत उपलब्ध है।
- वर्ष 2008 के लिए राज्यों/संघ प्रदेशों के नोडल विभागों द्वारा नामांकन जमा कराने की अंतिम तिथि 25 अगस्त, 2008 है। पुरस्कारों के लिए नामांकन को एक अध्यक्ष और 4 विशेषज्ञ सदस्यों वाली एक चयन समिति (ज्यूरी) द्वारा चुना जाएगा।
- वर्ष 2008 के लिए यह पुरस्कार सितंबर 2008 में प्रस्तावित राष्ट्रीय भूमि जल कांग्रेस के समापन सत्र में दिये जाने का प्रस्ताव है।

गहरे कुओं के जरिए भूजल के कृत्रिम पुनःभरण की स्कीम

- सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में राज्य क्षेत्र की स्कीम 'गहरे कुओं के जरिए भूजल के कृत्रिम पुनःभरण की स्कीम' ग्यारहवीं योजना के दौरान आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में 1798.71 करोड़ रुपये की लागत से चलाई जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों में 1180 अतिशोषित, संकटग्रस्त और अर्धसंकटग्रस्त ब्लाकों वाले 146 जिले शामिल किये गये हैं।
- क्षेत्र में बड़े स्तर पर भूजल के पुनःभरण की सुविधा प्रदान करने के लिए स्कीम के अंतर्गत किसानों के वर्तमान सिंचाई कुओं में 4.45 मिलियन भूजल पुनःभरण ढांचों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इनमें 2.72 मिलियन छोटे और सीमांत किसानों के तथा 1.73 मिलियन अन्य किसानों के स्वामित्व में है। प्रत्येक कुएं के पुनःभरण की औसत लागत 4000 रु. तक है, जो महाराष्ट्र में 3600 रु. से लेकर आंध्रप्रदेश में 5700 रु. तक है। स्कीम में भागीदारी के लिए कृषकों को प्रेरित करने की दृष्टि से इसमें सीमांत और छोटे किसानों के लिए 100% तक और अन्य श्रेणी के किसानों के लिए 50% तक की राज सहायता का प्रावधान किया जाता है।
- पुनःभरण की प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्रों की जनसंख्या की आर्थिक-सामाजिक स्थिति और सतत पेय जल पूर्ति एवं पानी की गुणवत्ता में सुधार आएगा। स्कीम के परिणामों का मूल्यांकन जल संसाधन मंत्रालय द्वारा पहचाने जाने वाले स्वतंत्र एजेंसियों के प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों के जरिए किया जाएगा।
- केंद्रीय भूजल बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय नियोजन, निष्पादन और परियोजना पश्चात् प्रभाव अंकन अध्ययनों में राज्य सरकार/क्रियान्वयन एजेंसियों को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगे। स्कीम की लागत 1499.27 करोड़ रुपये है जो नाबार्ड के जरिए वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। जल संसाधन मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर स्कीम की निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय है जो सभी हितधारकों के बीच अनुभव बंटवारे, ज्ञान के आदान-प्रदान और जागरूकता के लिए उपाय करता है। इस हेतु मंत्रालय में एक परियोजना निगरानी इकाई गठित की गई है।
- जल संसाधन मंत्रालय द्वारा परिचालित विस्तृत निष्पादन मार्गनिर्देशों के अनुसरण में राज्यों ने

राज्यस्तरीय परिचालन समितियां गठित की हैं और स्कीम के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभागों की पहचान की है। 30 जून, 2009 तक इस योजना के लिए 173.961 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी; इसमें से 156.961 करोड़ रुपये लाभार्थियों को सब्सिडी के रूप में तथा 17 करोड़ रुपये सूचना, शिक्षा, संचार, क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए संबंधित राज्यों को जारी किए गए। आंध्र प्रदेश को धनराशि जारी नहीं की गई क्योंकि राज्य ने अभी तक कार्यान्वयन एजेंसी की पहचान नहीं की है। जारी की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

30 जून, 2009 को स्थिति

(रुपये करोड़ में)

क्रम संख्या	राज्य	किसानों को सब्सिडी के रूप में जारी धनराशि	राज्यों को आई ई सी गतिविधियों के लिए जारी धनराशि	कुल जारी धनराशि
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.000
2.	गुजरात	39.854	3.25	43.104
3.	कर्नाटक	13.510	2.00	15.210
4.	मध्य प्रदेश	0.000	2.00	2.000
5.	महाराष्ट्र	9.324	2.00	11.324
6.	राजस्थान	3.405	2.00	5.405
7.	तमिलनाडु	90.868	5.75	96.618
	कुल	156.961	17.00	173.961

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद

भारत सरकार ने वर्ष 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। जल संसाधन राज्य मंत्री, संबद्ध केंद्रीय मंत्री/राज्य मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघप्रदेशों के उपराज्यपाल/प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। जल संसाधन मंत्रालय के सचिव परिषद के सचिव होते हैं।

राष्ट्रीय जल बोर्ड

राष्ट्रीय जल नीति के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने और इसकी जानकारी समय-समय पर राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद को देने के लिए जल संसाधन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में भारत सरकार ने सितंबर 1990 में राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन किया। कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, भूतल परिवहन, पर्यावरण एवं वन योजना और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव, केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और सभी राज्यों/संघ प्रदेशों के मुख्य सचिव इसके सदस्य हैं। केंद्रीय जल आयोग के सदस्य (जल नियोजन एवं परियोजनाएं) परिषद के सदस्य सचिव हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

(क) भारत-नेपाल सहयोग

जल संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए केंद्र सरकार विभिन्न स्तरों पर नेपाल की सरकार के साथ सतत् संपर्क में है। महाकाली नदी के समन्वित विकास पर एक समझौता दोनों देशों की सरकारों के

बीच फरवरी, 1996 में हस्ताक्षरित हुआ; जो जून 1997 से प्रभावी हुआ (महाकाली समझौता)। महाकाली नदी (भारत में शारदा नदी) पर पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना इस समझौते का केंद्र बिंदु है। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना की संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए भौतिक और वित्तीय प्रगति पर भारत-नेपाल संयुक्त विशेषज्ञ समूह नजर रख रहा है। सभी संबंधित फील्ड जांच पूरी कर ली गई है और लंबित मुद्दों को सुलझाने के बाद, जिन पर नेपाल के साथ विस्तृत चर्चा चल रही है, परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। परियोजना से बाढ़ नियंत्रण सहित विद्युत और सिंचाई के लाभ भी प्राप्त होंगे।

सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना और सुन कोसी भंडारण सह अपवर्तन योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, संयुक्त फील्ड जांचों, अध्ययनों को शुरू करने के लिए भी नेपाल के साथ एक संधि की गई है। इस कार्य के लिए अगस्त 2004 में नेपाल में एक संयुक्त परियोजना कार्यालय खोला गया। फील्ड जांचों का कार्य प्रगति पर है।

भारत और नेपाल के बीच सीमावर्ती नदियों पर विभिन्न निर्माण कार्यों के चलते होने वाले स्वाभाविक जलप्लावन की समस्या से निपटने के लिए 1986 से एक स्थायी समिति काम कर रही है जिसका काम समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करना और सतत् आधार पर संभावित उपायों को सुझाना है।

जल संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में उच्चतर स्तर पर तालमेल के और विभिन्न संधियों और समझौतों के कार्यान्वयन के लिए दोनों देशों के जल संसाधन सचिवों की अध्यक्षता में एक भारत-नेपाल संयुक्त जल संसाधन समिति काम कर रही है जो अन्य सभी समितियों और समूहों के ऊपर वृहत्तर समिति के रूप में काम करती है।

(ख) भारत-भूटान सहयोग

भारत और भूटान में बहने वाली नदियों पर जल-मौसम विज्ञान और बाढ़ पूर्व सूचना नेटवर्क की स्थापना के लिए 'समग्र स्कीम' नामक एक योजना संचालन में है। इस नेटवर्क में भूटान में स्थित 35 जल-मौसम वैज्ञानिक/मौसम विज्ञान केंद्र शामिल हैं जिन्हें भारत के वित्त पोषण से भूटान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इन केंद्रों से प्राप्त आंकड़े भारत में केंद्रीय जल आयोग द्वारा बाढ़ पूर्व सूचना के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोनों देशों के सरकारी अधिकारियों वाला एक संयुक्त विशेषज्ञ दल इस योजना की प्रगति और अन्य आवश्यकताओं पर लगातार नजर रखता है।

भूटान से निकलकर भारत में आने वाली नदियों में आने वाली बाढ़ों की समस्या पर भूटान सरकार से चर्चा की गई। बार-बार आने वाली बाढ़ों और भूटान के दक्षिणी तलहटी क्षेत्रों और भारत के साथ लगे मैदानों में क्षरण के संभावित कारणों और प्रभावों के मूल्यांकन और उन पर चर्चा के लिए भारत और भूटान के बीच बाढ़ प्रबंधन पर एक संयुक्त विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया जो दोनों सरकारों को उपयुक्त और स्वीकार्य उपाय सुझाएगा।

इस समूह की पहली बैठक भूटान में 1 से 5 नवंबर, 2004 को हुई। संयुक्त विशेषज्ञ समूह ने चर्चाओं के कई दौर किए और कुल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया, जिनमें भूस्खलन प्रवण इलाके और डोलामाइट खनन क्षेत्र शामिल थे। चर्चाओं के आधार पर समूह ने महसूस किया कि अधिक विस्तृत तकनीकी परीक्षा की आवश्यकता है और तदनुसार उत्तरी बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग के सदस्य (पीआईडी) की अध्यक्षता में एक संयुक्त तकनीकी दल का गठन किया गया जिसने पहली बैठक अप्रैल, 2005 में की।

इस दल ने तलछट भार के कुछ स्रोतों और भूस्खलन की प्रकृति का अध्ययन किया और संभावित उपायों पर फैसला लेने के लिए अधिक अध्ययन किया और मानचित्रण का सुझाव दिया। संयुक्त तकनीकी दल की प्राथमिक रिपोर्ट (जनवरी 2006) जल संसाधन मंत्रालय में फरवरी 2006 के दौरान प्राप्त हुई।

संयुक्त विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक नई दिल्ली में फरवरी 26-27 को आयोजित हुई। बैठक के दौरान संयुक्त तकनीकी दल की प्राथमिक रिपोर्ट (जनवरी 2006), भूटान में त्सातिचू झील पर भारत-भूटान विशेषज्ञ दल के संयुक्त दौरे (दिसंबर 2006) की रिपोर्ट और माथनगुड़ी के निकट मानस नदी पर बुलहेड्स के निर्माण के लिए भूटान सरकार की अनुमति पर चर्चा की गयी।

संयुक्त विशेषज्ञ दल की दूसरी बैठक के दौरान संयुक्त तकनीकी दल का पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठित दल के कार्यक्रम में भूटान से बहकर आसाम में आने वाली कुछ ऐसी नदियों/धाराओं को अध्ययन/अनुशंसाओं के लिए शामिल करने का फैसला किया गया जिनकी पहचान फील्ड दौरों के आधार पर संयुक्त तकनीकी दल द्वारा की जाएगी। यह भी तय किया गया कि भारत और भूटान के विशेषज्ञों के दल 2008 में भूस्खलन बांध स्थल का एक और संयुक्त दौरा करेंगे।

विदेश मंत्रालय ने 10-4-2008 के अपने पत्र के जरिए डिप्लेक्टर्स के निर्माण के लिए भूटान सरकार की स्वीकृति की जानकारी दी है। यह स्वीकृति असम सरकार के जलसंसाधन सचिव को इस अनुरोध के साथ भेज दी है कि वह भूटान के जेमगांग जिले के पानवांग ब्लाक के स्थानीय प्रशासन से जलसंसाधन मंत्रालय के पत्र दिनांक 22-4-2008 के अनुसार डिप्लेक्टर्स के निर्माण के लिए कहें।

(ग) भारत-बांग्लादेश सहयोग

साझी नदी प्रणालियों से अधिकतम लाभ लेने के लिए सर्वाधिक प्रभावी संयुक्त प्रयास सुनिश्चित करने के लिए आपसी संबंध बनाये रखने की दृष्टि से भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग 1972 से काम कर रहा है, जिसकी अध्यक्षता दोनों के जल संसाधन मंत्री करते हैं। आयोग की छत्तीसवीं बैठक 19 से 21 सितंबर 2005 को ढाका में हुई जिसमें जल संसाधन क्षेत्र में सहयोग के विभिन्न मसलों पर चर्चा हुई। यहां लिये गये निर्णयों के अनुसरण में दोनों देशों के जल संसाधन मंत्रियों ने अपने प्रतिनिधि मंडलों सहित 13 से 21 सितंबर, 2006 के दौरान संबद्ध साझी/सीमावर्ती नदियों के आस-पास नदी किनारे के संरक्षण स्थलों, लघु लिफ्ट सिंचाई और पेय जल स्कीमों का दौरा किया। इसमें इच्छामति नदी का वो भाग भी शामिल था जो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का काम करता है, और हालात का मौके पर जायजा लिया। स्थलीय दौरे और चर्चाओं के दौरान दोनों पक्षों में अच्छी आपसी समझ दिखाई दी और मतभेद कम करने में मदद मिली। कई मुद्दों पर बेहतर समझ और अधिकाधिक स्पष्टता पायी गई। हालांकि अधिक तकनीकी विवरणों की आवश्यकता के चलते कोई समझौता नहीं हो पाया। यह फैसला किया गया कि इस मामले में आगे की चर्चा संयुक्त नदी आयोग की अगली बैठक में की जाए, जो भारत में होनी प्रस्तावित है।

भारत-बांग्लादेश संबंधों में 12 दिसंबर, 1996 को एक नए युग का सूत्रपात हुआ जब दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने कम पानी वाले मौसम में फरक्का पर गंगा के पानी बंटवारे पर एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार फरक्का में (जो भारत में गंगा नदी पर अंतिम नियंत्रण बिंदु है) गंगा का पानी कमी वाली अवधि के दौरान पहली जनवरी से 31 मई तक हर वर्ष संधि में दिये गये फारमूले के अनुसार 10-दैनिक आधार पर बांटा जा रहा है। संधि की अवधि 30 वर्ष है। हालांकि हर पांच वर्ष में इसकी समीक्षा का प्रावधान है, अभी तक किसी ने भी इसकी मांग नहीं की है।

संधि के अनुरूप पानी के बंटवारे की निगरानी एक संयुक्त समिति करती है जो दोनों देशों के संयुक्त नदी आयोग के सदस्यों से बनी है। इस संयुक्त समिति की तीन बैठकें हर वर्ष होती हैं। दोनों देशों की संतुष्टि के अनुसार यह संधि 1997 से कार्यान्वित की जा रही है।

भारत बांग्लादेश को उसकी बाढ़ पूर्व सूचना और चेतावनी व्यवस्था के लिए तीस्ता, मनु, गुमती, जल ढाका और तोरसा आदि नदियों के आंकड़ों के अतिरिक्त गंगा के लिए फरक्का के बाद आंकड़े, ब्रह्मपुत्र के लिए पांडू, ग्वालापाड़ा और धुबरी के बाढ़ आंकड़े और बराक के लिए सिल्चर के बाद आंकड़े मानसून अवधि के दौरान (15 मई से 15 अक्टूबर) उपलब्ध कराता है। मानसून के दौरान भारत से बाढ़ पूर्व सूचना जानकारी के प्रवाह से, जो निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, बांग्लादेश के नागरिक और सैनिक अधिकारियों को बाढ़ प्रवाहित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में मदद मिलती है।

(घ) भारत-चीन सहयोग

वर्ष 2002 में भारत सरकार ने बाढ़ के मौसम में चीन द्वारा भारत को चालूजांगबू/ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जल वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए चीन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके प्रावधानों के अनुसार चीनी पक्ष तीन केंद्रों—नुगेशा, यांगकुन और नुक्सिया के संबंध में हर वर्ष पहली जून से 15 अक्टूबर तक जल वैज्ञानिक सूचनाएं उपलब्ध करा रहा है, जिसका उपयोग केंद्रीय जल आयोग द्वारा बाढ़ पूर्व सूचना के लिए कर रहा है।

अप्रैल, 2005 में चीनी शासनप्रमुख की भारत यात्रा के दौरान एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए जिसमें बाढ़ के मौसम में सतलुज (लांग्क्व नदी) के संबंध में जल वैज्ञानिक सूचनाओं की आपूर्ति का प्रावधान है। चीनी पक्ष वर्ष 2007 के मानसून से सतलुज नदी (लांग्क्व नदी) पर त्सावा केंद्र के संबंध में जल विज्ञान सूचना उपलब्ध करा रहा है।

चीन के राष्ट्रपति ने 20 से 23 नवंबर 2006 के दौरान भारत का राजकीय दौरा किया। इस दौरान बाढ़ के मौसम में जल वैज्ञानिक आंकड़ों, आपातकालीन प्रबंधन और सीमाओं के आर-पार की नदियों संबंधी अन्य मसलों पर बातचीत और सहयोग की विशेषज्ञ स्तरीय मशीनरी स्थापित करने पर सहमति हुई। तदनुसार दोनों पक्षों ने संयुक्त विशेषज्ञ स्तरीय मशीनरी स्थापित की है। भारतीय पक्ष की ओर से विशेषज्ञ समूह का नेतृत्व जलसंसाधन मंत्रालय में आयुक्त कर रहे हैं। चीनी पक्ष का नेतृत्व वहां के जलसंसाधन मंत्रालय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग व विनियम केंद्र के निदेशक कर रहे हैं।

संयुक्त विशेषज्ञ स्तर की पहली बैठक 19-21 सितंबर, 2007 को हुई। सीमापारीय नदियों पर विशेषज्ञ स्तरीय दूसरी बैठक 10-12 अप्रैल, 2008 को हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस प्रकार की बैठक हर वर्ष बारी-बारी से भारत और चीन में होगी।

(ङ) सिंधु जल संधि, 1960

सिंधु जल संधि, 1960 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान ने दोनों देशों में सिंधु नदी जल के लिए आयुक्त का एक-एक स्थायी पद सृजित किया है, जो इस संधि से उभरने वाले सभी मामलों के लिए अपनी-अपनी सरकारों के प्रतिनिधि हैं और संधि के कार्यान्वयन में संचार के नियमित साधन की

भूमिका निभाते हैं। दोनों आयुक्त मिलकर स्थायी सिंधु आयोग बनाते हैं जो समय-समय पर बैठकें करता है और भारत-पाकिस्तान में परियोजनाओं/कार्यों के निरीक्षण दौर भी करता है। संधि के क्रियान्वयन के रूप में स्थायी सिंधु आयोग ने 100 वीं बैठक लाहौर में और 101 वीं बैठक नई दिल्ली में विशेषकर किशनगंगा जल विद्युत परियोजना पर पाकिस्तान द्वारा उठाये गये मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की। सहयोग की भावना के तहत पाकिस्तान आयुक्त के निवेदन पर जुलाई 2008 में स्थायी सिंधु आयोग का 107 वां अंवेक्षण दौरा पूर्णता के निकट पहुंच चुकी बागलिहार जलविद्युत परियोजना (जम्मू कश्मीर) का किया गया।

सद्भावना के तौर पर अग्रिम बाढ़ चेतावनी उपाय करने के 1-7-2008 से चिनाव, सतलुज और रावी नदियों के बाढ़ संबंधी आंकड़े पाकिस्तान को समर्पित किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए प्रस्तावित बरसर जलविद्युत परियोजना जिप्सा जलविद्युत परियोजना, ऊझ बहुउद्देश्यीय परियोजना और द्वितीय रावी-व्यास संपर्क परियोजना को शाहपुर कंडी बांध परियोजना के साथ राष्ट्रीय परियोजनाओं की सूची में शामिल किया गया है ताकि संधि के अंतर्गत उपलब्ध जलसंसाधन क्षमता का अधिक प्रभावी उपयोग किया जा सके।

केंद्रीय संगठन

(1) केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधनों के क्षेत्र में केंद्रीय जल आयोग 1945 से देश का एक अग्रणी तकनीकी संगठन है। आयोग के उत्तरदायित्वों में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत विकास के उद्देश्यों के लिए संबद्ध राज्य सरकारों के सहयोग से देश भर में जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और आयोग के लिए स्कीमों बनाना, समन्वयन करना और उन्हें आगे बढ़ाना शामिल है। आयोग आवश्यकता पड़ने पर ऐसी किसी भी स्कीम की जांच, निर्माण और कार्यान्वयन भी करता है।

केंद्रीय जल आयोग का मुखिया इसका चेयरमैन होता है, जिसका दर्जा भारत सरकार के कार्यकारी सचिव के समकक्ष होता है। इसके तीन तकनीकी अंग हैं— (1) डिजाइन और अनुसंधान, (2) जल नियोजन और परियोजनाएं, और (3) नदी प्रबंधन। प्रत्येक अंग का मुखिया एक अभियांत्रिक अधिकारी, जिसका पदनाम सदस्य होता है और जो भारत सरकार का पदेन अतिरिक्त सचिव होता है। इन तीन अंगों के अंतर्गत मुख्य अभियंताओं की अध्यक्षता में संगठन होते हैं, जिनके नीचे निदेशालय होते हैं, प्रत्येक का मुखिया निदेशक/अधीक्षण अभियंता होता है। केंद्रीय जल आयोग के अंतर्गत 32 संगठन और 147 निदेशालय/ सर्कल हैं।

केंद्रीय जल आयोग के तेरह क्षेत्रीय संगठन हैं जो बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, चण्डीगढ़, कोयम्बटूर, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, नागपुर, पटना, शिलांग, सिलीगुड़ी और गांधीनगर में कार्यरत हैं। प्रत्येक का मुखिया एक मुख्य अभियंता है। यह संगठन राज्यों के निकट संपर्क में रहते हैं और मध्यम व बृहद् परियोजनाओं की निगरानी, कमाण्ड क्षेत्र विकास, जलीय क्षेत्रों के पुनर्वास व नवीकरण, लघु सिंचाई व अन्य जल प्रबंधन गतिविधियों, मध्यम आकार की परियोजनाओं के अध्ययन, बाढ़ पूर्वसूचना तथा जलवैज्ञानिक निगरानी आदि करते हैं।

केंद्रीय जल आयोग के प्रमुख कार्य

केंद्रीय जल आयोग के कार्य निम्न हैं—

— जल विद्युत उत्पादन, गुरुत्वाकर्षण बहाव लिफ्ट द्वारा सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन, पर्यावरणीय प्रबंधन,

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना, मृदा संरक्षण, पानी के भराव को रोकने के उपायों, क्षारीय व लवणीय भूमि की पुनः प्राप्ति, बड़े नालों और पेयजल आपूर्ति के लिए नदी घाटियों के विकास हेतु डिजाइन और स्कीमों की तैयारी के लिए सर्वेक्षण और अनुसंधान करना।

- नदी घाटी और जलविद्युत विकास योजनाओं के अन्वेषण, सर्वेक्षण और उन्हें तैयार करने में राज्य सरकारों को परामर्श और सहायता देना।
- भारत सरकार या संबद्ध राज्य सरकार के लिए किसी नदी घाटी विकास योजना का निर्माण कार्य करना।
- वर्षा बहाव एवं तापमान, भंडारकों में गाद जमा होने, हाइड्रोलिक ढांचों के बरताव, पर्यावरणीय पहलुओं आदि के संबंध में आंकड़ें इकट्ठा करना, उनके संग्रहण में समन्वय करना, उसे प्रकाशित व उसकी समीक्षा करना।
- जल संसाधनों के संबंध में सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रहण, अनुरक्षण और प्रकाशन और जल संसाधनों के संबंध में केंद्रीय सूचना ब्यूरो के रूप में कार्य करना।
- नदियों के स्वभाव, तटों के रक्षण/किनारों के टूटने की समस्याओं को समझने के लिए आकृति विज्ञान अध्ययन शुरू करना।
- जल संसाधनों के नदी घाटी वार विकास पर संबद्ध राज्य सरकारों और भारत सरकार को परामर्श देना।
- भारत सरकार को अंतरराज्यीय-जल विवादों संबंधी सभी मामलों में परामर्श देना।
- सिंचाई के स्थायी विकास के लिए सिंचाई परियोजनाओं के सामाजिक कृषि-आर्थिक और पारिस्थितिक पहलुओं पर अध्ययन करना।

(2) केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केंद्र

नई दिल्ली स्थित केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केंद्र मुख्यतया भूतकनीकी अभियान्त्रिकी, निर्माण सामग्री और कंक्रीट प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं अन्वेषण को समर्पित देश का अग्रणी राष्ट्रीय संस्थान है। जल विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं सहित जल संसाधन क्षेत्र के अतिरिक्त केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केंद्र आणविक और वृहत ताप विद्युत परियोजनाओं संबंधी चुनौतीपूर्ण और अन्य निर्माण कार्य भी करता है। यह अनुसंधान केंद्र भारत में और नेपाल, भूटान, मॉरिशस, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में निम्नलिखित विशेषज्ञ क्षेत्रों में परियोजनाओं आदि के लिए सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है : मृदा मैकेनिक्स और नींव अभियान्त्रिकी, मृदा डायनामिक्स रॉकफिल तकनीक, जिओ टेक्स्टाइल, ग्राउट टेक्नोलॉजी, खुदाई प्रौद्योगिकी, आभियान्त्रिकी भू भौतिकी, रौक इंजीनियरिंग निर्माण सामग्री और कंक्रीट प्रौद्योगिकी, भू तकनीकी इनस्ट्रुमेंटेशन, जल एवं अभियान्त्रिकी सामग्रियों के रासायनिक पहलू।

अनुशांगिक संगठन

(क) केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र

पुणे के नजदीक खड़क वासला स्थित केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र हाइड्रोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का उत्कृष्टता केंद्र है। 1916 में सिंचाई और ड्रेनेज की जुड़वां समस्याओं को देखने

वाले एक संस्थान के रूप में शुरुआत से आज यह हाइड्रोलिक अनुसंधान के मामले में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान बन गया है। यह केंद्र हाइड्रोलिक्स के क्षेत्र में मूल और अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्य करता है और नदी घाटी एवं तटीय पर्यावरण से संबंधित विविध जल संसाधन संबंधी मसलों को सुलझाने में कठिन भौतिकीय और गणितीय मॉडलिंग तकनीकों के इस्तेमाल में सबसे आगे है। 1971 से एस.केप (ESCAP) की क्षेत्रीय प्रयोगशाला के रूप में इस अनुसंधान केंद्र ने पड़ोसी देशों सहित मध्यपूर्व और अफ्रीका के देशों में कई परियोजनाओं को अपनी सेवाएं दी हैं।

केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र के प्रमुख विषय/प्रयोगशालाएं हैं— नदी अभियांत्रिकी, भंडारण एवं संबद्ध ढांचे, तटीय एवं ऑफ शोर अभियांत्रिकी, शिप हाइड्रोडायनामिक्स, हाईड्रोलिक मशीनरी, पृथ्वी विज्ञान, गणितीय मॉडलिंग, आधारभूत ढांचे और इंस्ट्रुमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग। अद्यतन उपकरणों और उच्च स्तरीय ढांचे सहित सॉफ्टवेयर सुविधा वाली 50 डिबीजेन इन विषयों के संबंध में अनुसंधान कार्य करती हैं।

(ख) केंद्रीय भूजल बोर्ड

केंद्रीय भूजल बोर्ड जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत भूजल के क्षेत्र में राष्ट्रीय शीर्ष संगठन है। इसका उद्देश्य आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय दक्षता और समानता के सिद्धांतों के आधार पर वितरण और अन्वेषण, मूल्यांकन, संरक्षण, उनमें वृद्धि और प्रदूषण से बचाव सहित भारत के भूजल संसाधनों के प्रबंधन, स्थायी एवं वैज्ञानिक विकास के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित करना उन्हें वितरित करना तथा राष्ट्र नीतियों की निगरानी और उन्हें लागू करना।

यह बोर्ड एक बहुविषयक वैज्ञानिक संगठन है जिसमें जलभू विज्ञानी, भूभौतिकविद, रसायनज्ञ, जल विज्ञानी, जल मौसम विज्ञानी और अभियंता काम करते हैं। इनका कार्य देश में भूजल संसाधनों के वैज्ञानिक अध्ययन, अन्वेषण जांच, भूजल की निगरानी, मूल्यांकन, वृद्धि और नियमन करना है। इस बोर्ड का मुखिया चेयरमैन होता है, जो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का भी प्रमुख होता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के चार तकनीकी खंड हैं, प्रत्येक का मुखिया एक सदस्य होता है—(1) सर्वेक्षण मूल्यांकन और निगरानी खंड, (2) अन्वेषणकारी खुदाई और सामग्री प्रबंधन खंड, (3) सतत् प्रबंधन और संपर्क खंड, और (4) प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी अंतरण खंड। बोर्ड के 18 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, प्रत्येक में एक क्षेत्रीय निदेशक और देश में इसके 11 राज्य इकाई कार्यालय और 17 अभियांत्रिकी डिबीजेन हैं।

विभिन्न विकास गतिविधियों के चलते भूजल के गुणवत्ता और मात्रा में बदलाव का मूल्यांकन करने और भूजल प्रबंधन परियोजना तैयार करने के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड प्रतिवर्ष 1.50 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूजल प्रबंधन अध्ययन कराता है। इन अन्वेषणों से प्राप्त आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा भूजल के विकास और प्रबंधन की स्कीमें तैयार करने के लिए वैज्ञानिक आधार उपलब्ध कराते हैं। भूजल में कमी, समुद्री जल के अंतःप्रवेश और भूजल सड़न आदि की समस्या वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है और समस्या की गहराई आंकने और भूजल प्रबंधन योजनाएं सुझाने के लिए विशेष अध्ययन किये जाते हैं।

विभिन्न भूगर्भीय संरचनाओं की क्षमता जानने के लिए भूभौतिकीय और दूर संवेदी अध्ययनों की सहायता से अन्वेषणकारी ड्रिलिंग की जाती है। बोर्ड के पास देशभर में स्थापित 300 से 700 मीटर ड्रिलिंग क्षमता वाले 87 रिम्स हैं। बोर्ड ने 31 मार्च, 2008 तक 14668 अन्वेषणकारी कुएं खोदे हैं। सफल कुओं को उपयोग हेतु राज्य सरकारों को सौंप दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने वैज्ञानिक आंकड़े जमा करने के लिए 5782 जांच कुएं, 3142 दाबमापी, 360 बारीक छिद्र और 3635 डिपॉजिट कुएं बनाये

हैं। पेयजल समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकारों की मदद हेतु सूखाप्रवण, जनजातीय और भूजैविक सड़न वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

भूजल के समय और स्थान संबंधी परिवर्तनों के आकलन के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड 15,000 उथले और गहरे अन्वेषण कुओं के नेटवर्क के जरिए भूजल का देशव्यापी अनुरक्षण करता है। साल में चार बार भूजल स्तर नापा जाता है और क्षेत्रीय स्तर पर भूजल गुणवत्ता परिवर्तनों पर आधार जानकारी उपलब्ध कराने के लिए साल में एक बार अप्रैल/मई के दौरान पानी के सैम्पल जमा किए जाते हैं। जल स्तरों में नियमित परिवर्तनों पर नज़र रखने के लिए उच्च फ़्रिक्वेंसी डाटा देने के लिए चुनींदा जांच कुओं को डिजिटल जल स्तर रिकार्डरों (1200 की संख्या में) से लैस किया गया है।

पानी की बढ़ती मांग और देश में ताजे पानी की घटती उपलब्धता की चुनौती का सामना करने के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड वर्षा जल संचयन सहित भूजल के कृत्रिम पुनःभरण कार्य को प्रेरित करता है। राज्य सरकारों के विभागों के सक्रिय सहयोग से बोर्ड ने 190 प्रदर्शन वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनःभरण प्रायोगिक परियोजनाओं पर काम शुरू किया है जिनमें 750 से ज्यादा कृत्रिम पुनःभरण ढांचे निर्मित किए गए ताकि देश में विभिन्न जल भौतिकीय परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता स्थापित की जा सके। प्रायोगिक परियोजनाओं के अंतर्गत पुनःचरण ढांचों के निर्माण के बाद किये गये प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों में भूजल स्तरों में स्थानीय वृद्धि/भूजल के स्तर में कटौती में कमी, भूजल गुणवत्ता में सुधार और गर्मियों के दौरान उथले बोर वेलों/ट्यूबवेलों में भूजल का स्थायित्व और सूखे खुदाई वाले कुओं/ट्यूबवेलों के पुनःजीवित होने की प्रवृत्ति देखी गयी है। बोर्ड द्वारा शुरू किये गये पुनःभरण की प्रायोगिक परियोजनाओं से कृत्रिम पुनःभरण वाले ढांचों की तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता को स्थापित करने और जागरूकता एवं क्षमता निर्माण के जरिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। बोर्ड ने इन परियोजनाओं से प्राप्त जानकारी स्थानीय भाषाओं में मैनुअलों, गाइडों, पंपलेटों, फिल्मों, जनजागरण और प्रशिक्षण कार्यों के जरिए सुलभ कराई है। बोर्ड देश में विभिन्न केंद्रीय/राज्य सरकार के विभागों, उद्योगों और व्यक्तियों को स्थल विशेष हेतु कृत्रिम पुनःभरण और वर्षा जल संचयन ढांचों के डिजाइन के लिए तकनीकी निर्देशन उपलब्ध करा रहा है। वर्ष 2006-2008 के दौरान भूजल के पुनःभरण के लिए काम्पैक्ट क्षेत्र आधार पर कार्यान्वयन हेतु प्रदर्शन कृत्रिम पुनःभरण परियोजनाएं वैज्ञानिक आधार पर चुने गए 8 क्षेत्रों में शुरू की गयी, जिनमें तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और मध्यप्रदेश शामिल हैं जो पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। यह बोर्ड की भूजल सर्वेक्षण, अन्वेषण और जांच स्कीम के तहत किया जा रहा है। प्रदर्शन पुनःभरण स्कीम के अंतर्गत राज्य एजेंसियों के समन्वय से 200 क्षेत्र विशेष पुनःभरण ढांचे बनाये जा रहे हैं। प्रदर्शन पुनःभरण परियोजनाओं की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि सामान भूजल भौतिकी या लक्षणों वाले अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी तकनीकों का उपयोग किया जा सके।

केंद्रीय भूजल बोर्ड भूजल से संबंधित अध्ययनों के विशिष्ट क्षेत्र से जुड़े अग्रणी सरकारी संगठनों/संस्थानों के सहयोग से वैज्ञानिक अध्ययन कर रहा है। सहयोग के क्षेत्रों में शामिल हैं—भूजल मॉडलिंग, आइसोटोप अध्ययन, ताजे-नमकीन पानी की संधि स्थल की निशानदेही, खनन जल विज्ञान, भूजल में विषाक्ता पर अध्ययन, दूर संवेदन इत्यादि। सहयोगी संस्थानों में एन आई एच और बीएआरसी, एनएलसी, आरएसएमएल और बीआईटी मेसरा शामिल हैं। इन अध्ययनों से भूजल क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं को समझने और सुलझाने में मदद मिली है। अपनी बहुउद्देशीय वैज्ञानिक गतिविधियों की मदद से बोर्ड बेहतर भूजल विकास और प्रबंधन प्रक्रियाओं की अनुशंसाओं के जरिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है।

बोर्ड ने भूजल संबंधी आंकड़ों के संग्रहण, वैधानीकरण प्रसंस्करण और उनकी समीक्षा के लिए प्रक्रियाओं के मानकीकरण में अग्रणी भूमिका निभाई है। भूजल आंकड़ों के प्रसंस्करण और समीक्षा के लिए बोर्ड ने भूजल अनुमानीकरण एवं प्रबंधन प्रणाली नामक एक समर्पित सॉफ्टवेयर विकसित किया है। विश्व बैंक की सहायता से जल विज्ञान परियोजना II तेरह राज्यों/संघप्रदेशों (आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पांडिचेरी) में हितधारियों के बीच आपसी परिकल्पना, जल संसाधन नियोजन व प्रबंधन और सूखा प्रबंधन में सुधार के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना के दौरान की जाने वाली मुख्य गतिविधियों में जल वैज्ञानिक डिजाइन उपकरणों का विकास, निर्णय समाधान प्रणाली और उद्देश्य पर अध्ययनों का कार्यान्वयन शामिल है। परियोजना की अवधि 6 वर्ष है।

बोर्ड नियमित रूप से वैज्ञानिक रिपोर्ट और भूजल विकास एवं प्रबंधन परिदृश्य पर मानचित्र प्रकाशित करता है। इसने विभिन्न रिपोर्टें मानचित्र प्रकाशित किये हैं जिनमें भारत का जल भौतिकीय मानचित्र, जल भौतिकीय एटलस, राज्य रिपोर्टें, भूजल के कृत्रिम पुनःभरण पर मास्टर प्लान और भूजल के कृत्रिम पुनःभरण पर मेन्यूअल शामिल हैं। केंद्रीय भूजल की वेबसाइट www.cywb.gov.in पर भूजल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। बोर्ड ने देश के 560 जिलों के सरल भूजल उपयोगकर्ता मानचित्र तैयार किये हैं। जल क्षेत्र के नियोजकों की आवश्यकता पूरी करने के लिए बोर्ड ने 1:2,50,000 स्केल पर वाटरशेड एटलस तैयार की है। इसे एआरसी जीआईएस पर्यावरण में तैयार किया गया है और यह बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बोर्ड अपनी त्रैमासिक पत्रिका 'भूजल न्यूज' के जरिए 1985 से अपनी वैज्ञानिक गतिविधियों को नियमित रूप से प्रकाशित कर रहा है।

बोर्ड एक वेब आधारित समग्र भूजल सूचना प्रणाली भी तैयार कर रहा है, जो भूजल संसाधनों के प्रबंध और विकास के लिए उपयोगकर्ता समुदाय और नीति नियोजकों को बहुमूल्य आंकड़े और सूचनाएं उपलब्ध कराएगा।

केंद्रीय भूजल बोर्ड भूजल अन्वेषण, विकास एवं प्रबंध तकनीकों के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने की अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है, और 100 से अधिक पाठ्यक्रमों के जरिए बोर्ड और केंद्र व राज्य सरकारों के संगठनों के 2300 से अधिक पेशेवरों व अर्द्धपेशेवरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। पाठ्यक्रमों में भूजल वैज्ञानिकों और पानी के कुओं की खुदाई अभियांत्रिकियों के लिए प्रवेश स्तरीय पाठ्यक्रम, दूर संवेदन, भूभौतिकी, जलरसायन, भूजल मॉडलिंग, कृत्रिम पुनःभरण, आदि में अग्रिम प्रौद्योगिकियों का प्रयोग शामिल है।

वर्तमान में 300 अधिकारियों और स्टॉफ सदस्यों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित करने के लिए 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भूजल क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रायपुर में राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान फिर से खोला जा रहा है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड ने पहली राष्ट्रीय भूजल कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में 11 सितंबर, 2007 को किया। इसका उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा किया गया और लगभग 1000 प्रख्यात वैज्ञानिकों, अभियांत्रिकों, नियोजकों, कृषकों, स्कूली छात्रों, गैर सरकारी व स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों और उद्योग जगत ने इसमें भाग लिया। कांग्रेस ने भूजल से जुड़े त्वरित मुद्दों पर उपयुक्त नीतिगत ढांचा तैयार करने के लिए इसके विभिन्न आयामों पर प्रतियोगियों के बीच विचार-विमर्श का एक सांझा मंच उपलब्ध कराया। समापन सत्र की अध्यक्षता भारत की

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने की, जिन्होंने इस अवसर पर राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी प्रदान किये।

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की स्थापना पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के भाग 3 (3) के अंतर्गत देश में भूजल संसाधनों के विकास और प्रबंधन के नियमन और नियंत्रण के लिए किया गया। इसने अब तक देश में 43 अत्यधिक उपयोग वाले क्षेत्रों को भूजल विकास और प्रबंधन के नियमन हेतु अधिसूचित किया है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के भाग 5 के तहत जारी किये गये नियमन निर्देशों को लागू करने के लिए संबद्ध उपायुक्तों/जिलाधीशों को अधिसूचित क्षेत्रों में निर्देशों की अवहेलना के मामलों में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन अधिसूचित क्षेत्रों में भूजल दोहन के नए ढांचे लगाने की अनुमति केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं दी जाती। जिलाधीशों/उपायुक्तों की अध्यक्षता में विभिन्न संगठनों से लिये गये सदस्यों वाली सलाहकार समितियां बनाई गई हैं जो भूजल विकास और प्रबंधन के नियमन संबंधी परामर्श उपलब्ध कराएंगी। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने विभिन्न राज्यों में 65 अत्यधिक उपयोग वाले क्षेत्र अधिसूचित किए हैं। जहां भूजल स्तरों में भारी गिरावट देखी गयी है, ऐसे क्षेत्रों में भूजल दोहन वाले ढांचों का पंजीकरण किया जाएगा।

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण अत्यधिक उपयोग वाले, संकटग्रस्त और अर्द्धसंकट ग्रस्त ब्लॉकों/तालुकों/मंडलों/जिलों में उद्योगों/परियोजनाओं द्वारा भूजल के दोहन को ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति की शर्त से जोड़कर नियंत्रित कर रहा है। भूजल प्रबंधन में जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए सक्रिय उपायों के रूप में यह प्राधिकरण देशभर में जनजागरण और जल प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है।

प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ पर वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाने के निर्देश भी दिये हैं। अत्यधिक उपयोग वाले ब्लॉकों के राज्यों के मुख्य सचिवों को भूजल के कृत्रिम पुनःभरण/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने/अपनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिये हैं।

फरक्का बैराज परियोजना

भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली में सुधार के जरिए कोलकाता बंदरगाह के संरक्षण और रख-रखाव के लिए फरक्का बैराज परियोजना का निर्माण किया गया था। भागीरथी नदी, फीडर नहर और फरक्का स्थित नेवीगेशन लॉक मिलकर हल्दिया इलाहाबाद अंतरदेशीय जल मार्ग का एक भाग बनते हैं। परियोजना के प्रमुख अवयव हैं— (1) गंगा नदी पर 2245 मीटर लंबा बैराज जिस पर एक रेल सह सड़क पुल, आवश्यक नदी प्रशिक्षण कार्य और दाहिने किनारे पर एक रेगुलेटर, (2) जांगीपुर में भागीरथी नदी पर 213 मीटर लंबा बैराज, (3) फरक्का बैराज के दाहिने किनारे पर हैड रेगुलेटर से शुरू होने वाली एक फीडर नहर जो 38.38 किलोमीटर लंबी है और 1113 क्यूबिक मीटर प्रति सैकण्ड (40,000 क्यूबिक फीट प्रति सैकण्ड) की क्षमता रखती है, और (4) नेवीगेशन कार्य जैसे लॉक्रस, लॉक चैनल, शेल्टर बेसिन, नेवीगेशन लाइट्स और अन्य ढांचे।

भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने फरक्का बैराज का कार्यक्षेत्र बढ़ाकर धारा के ऊपर राजमहल तक (फरक्का बैराज से 40 किलोमीटर) और धारा के नीचे जलंगी तक (फरक्का बैराज से 80 किलोमीटर) केवल क्षरणरोधी और तट संरक्षण कार्यों के लिए कर दिया है। इसके अनुसार फरक्का

बैराज परियोजना अधिकरण ने विस्तारित हिस्सों को कुछ संकटग्रस्त क्षेत्रों में गंगा नदी के किनारे के साथ-साथ क्षरणरोधी कार्य आपात तौर पर वर्ष 2005 से शुरू कर दिये हैं।

सरदार सरोवर निर्माण परामर्श समिति

वडोदरा स्थित सरदार सरोवर निर्माण परामर्श समिति का गठन 1980 में नर्मदा जल विवाद पंचाट के निर्देश पर सरदार सरोवर परियोजना की इकाई एक (बांध और संबंधित कार्य) और इकाई तीन (जल विद्युत परिसर) की अनुमानित लागत की जांच और समयबद्ध पूरे किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु अनुमानों, तकनीकी पहलुओं, डिजाइन की जांच और निर्माण गतिविधि की प्रगति की निगरानी के लिए किया गया था। जल संसाधन मंत्रालय में सचिव समिति के अध्यक्ष हैं। इसके सदस्यों में परियोजना से संबंधित चार राज्यों के संचाई, विद्युत, राजस्व, कल्याण आदि विभागों के प्रतिनिधि, भारत सरकार के प्रतिनिधि और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल हैं।

बाणसागर नियंत्रण बोर्ड

बाणसागर नियंत्रण बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों के परामर्श से सोन नदी पर बाण सागर बांध के दक्ष प्रभावी और त्वरित निर्माण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया गया था। इसमें मध्यप्रदेश में सभी संबद्ध कार्य शामिल थे। बोर्ड का मुख्यालय रीवा (मध्यप्रदेश) में है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बोर्ड की दैनिक गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारी समिति करती है जिसका अध्यक्ष केंद्रीय जल आयोग का प्रमुख होता है। परियोजना का वित्त पोषण लाभार्थी राज्य मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और बिहार 2:1:1 के अनुपात में करते हैं।

इस बांध परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत 1054.96 करोड़ रुपये है (1998 मूल्य स्तर पर)। इस बांध परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत 105.96 करोड़ रुपये है (1998 मूल्य स्तर पर)। सभी नॉन ओवर फ्लो ब्लॉक और दोनों सिरों पर दोनों मुख्य ब्लॉकों का काम आर एल 347.00 मीटर की सर्वोच्च ऊंचाई तक पूरा कर लिया गया है। सभी स्पिल के ब्लॉकों को क्रेस्ट स्तर (ई एल 326.40 मीटर) तक जून 2000 में उठा दिया गया था। सभी निर्माण जलमार्गों को बंद कर दिया गया है। बांध के खम्भों और स्पिल वे पुल को पूरा कर लिया गया है। बाएं और दाहिने चट्टानी बांध को आर एल 347 मीटर यानी टीवी एल तक पूरा कर लिया गया है। सभी 6 सैडल बांधों का काम भी पूरा हो चुका है। सभी 18 रेडियल क्रेस्ट गेट खड़े करके संचालित कर दिये हैं। झील को 2006 मानसून के दौरान ईएल 339.00 मीटर (एफ आर एल 341.50 मीटर) तक भरा गया।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग

पटना में मुख्यालय वाले गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना 1972 में हुई। यह मुख्यालय बोर्ड के सचिवालय और कार्यकारी अंग के रूप में काम करता है। बोर्ड का अध्यक्ष केंद्रीय जल संसाधन मंत्री होते हैं। और इसके सदस्यों में केंद्रीय वित्त, रेल, भू-तल परिवहन और कृषि मंत्री, केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री, बेसिन राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य शामिल हैं। आयोग के मुखिया के अतिरिक्त इसमें पूर्णकालिक सदस्य भी हैं।

आयोग के मुख्य कार्यों में बाढ़ प्रबंधन के लिए समग्र योजना बनाना और उन्नयन करना, बाढ़ प्रबंधन स्कीमों की तकनीकी आर्थिक समीक्षा करना, सड़क और रेल पुलों के नीचे जल मार्गों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना, बाढ़ प्रबंधन स्कीमों की निगरानी और कार्य निष्पादन मूल्यांकन करना,

तथा बाढ़ प्रबंधन विषय से संबंधित गंगा घाटी राज्यों पर भारत सरकार द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समितियों में भाग लेना शामिल है।

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड

यमुना नदी घाटी राज्यों के बीच ओखला तक पानी के प्रवाह के आबंटन का विवाद 12 मई, 1994 को हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्रियों द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने से सुलझाया जा सका। इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का गठन किया गया जिसका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बनाया गया। यमुना के सतही जल के बहाव के आबंटन के संबंध में समझौते के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और उपयुक्त विकास के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए ऊपरी यमुना समीक्षा समिति का भी गठन किया गया। उत्तरांचल को भी बोर्ड और समिति का सदस्य बनाया गया है। ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की बैठक केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में 12 अप्रैल, 2006 को हुई और 20-12-2006 को एक विशेष बैठक रखी गयी और ऊपरी यमुना नदी घाटी में तीन भंडारण बांधों— रेणुका, किशाऊ और लखवारव्यासी के कार्यान्वयन को गति देने संबंधी मसलों पर चर्चा की गई। ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के अध्ययन द्वारा 11 फरवरी, 2008 को ली गयी बैठक में भी नदी घाटी राज्यों द्वारा भिन्न मत प्रस्तुत किये गये थे। हालांकि यह फैसला किया गया कि इन परियोजनाओं के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए और लागत एवं लाभ के बंटवारे के फार्मूले पर चर्चा जारी रखी जाए।

भारत सरकार ने 3 भंडारण परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं में शामिल कर लिया है जिनके लिए केंद्रीय सहायता परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल भाग की लागत का 90 प्रतिशत अनुदान के रूपों में होगी। जल संसाधन मंत्रालय की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुदेशीय परियोजनाओं पर सलाहकार समिति द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति और योजना आयोग द्वारा निवेश अनुमोदन मिलने के बाद ये परियोजनाएं केंद्रीय अनुदान के लिए पात्र हो जाएंगी।

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की 27-3-2008 को हुई 33वीं बैठक और योजना आयोग के प्रधान सलाहकार द्वारा आयोजित एक बैठक में इन परियोजनाओं के जल्दी कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले मसलों पर आगे चर्चा हुई। केंद्रीय जल आयोग के अध्ययन द्वारा नदी घाटी के साथ अलग-अलग अनौपचारिक बैठकों में भी इन तीन भंडारण परियोजनाओं की लागत और लाभ के बंटवारे पर इन राज्यों के अपने रुख को जानने और एक औपचारिक बैठक में उन्हें सुलझाने के प्रयोग किये गये।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

(क) जल एवं विद्युत परामर्श सेवाएं (इंडिया) लि.

- जल एवं विद्युत परामर्श सेवाएं (इंडिया) लि.— वैपकोज केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत एक मिनीरत्न सार्वजनिक उपक्रम है। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 26 जून, 1969 को स्थापित वैपकोज देश और विदेश में जल संसाधनों, विद्युत और ढांचागत क्षेत्रों के सभी अंगों में परामर्श सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।
- कंपनी की विशेषज्ञता वाले प्रमुख क्षेत्र हैं— सिंचाई और ड्रेनेज, बाढ़ नियंत्रण और भूमि पुनः प्रापण, नदी प्रबंधन; बांध जल भंडार अभियांत्रिकी और बैराज, समन्वित कृषि विकास, वॉटर शेड प्रबंधन, जल विद्युत और ताप विद्युत उत्पादन, विद्युत पारेषण और वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण,

भूजल अन्वेषण, लघु सिंचाई, जलापूर्ति और स्वच्छता (ग्रामीण व शहरी), पर्यावरणीय अभियांत्रिकी जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और पर्यावरणीय लेखा परीक्षण शामिल हैं; बंदरगाह व गोदी और अंतरदेशीय जलमार्ग, वर्षा जल संचयन, सर्वेक्षण और अन्वेषण, मानव संसाधन प्रबंधन, प्रणाली अध्ययन और सूचना प्रौद्योगिकी। वैपकोज नए क्षेत्रों में भी कदम बढ़ा रहा है। जैसे सॉफ्टवेयर का विकास; नगर विकास योजनाएं, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, तकनीकी शिक्षा; गुणवत्ता नियंत्रण और निर्माण पर्यवेक्षण, सड़कें और पुल। कंपनी ने हाल ही में अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में संशोधन करके देश-विदेश में विकासशील परियोजनाओं के लिए कमीशनिंग सेवाएं शामिल की हैं।

- वैपकोज द्वारा प्रदत्त सेवाओं में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं जैसे पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन; सिमुलेशन अध्ययन, नैदानिक अध्ययन, सामाजिक-आर्थिक अध्ययन; मास्टर प्लान और क्षेत्रीय विकास योजनाएं; फील्ड जांचें, विस्तृत अभियांत्रिकी, विस्तृत विशेषताएं, टेण्डर प्रक्रिया- ठेका और निर्माण प्रबंधन, कमीशनिंग और टेस्टिंग, संचालन और अनुरक्षण, गुणवत्ता आश्वासन और प्रबंधन, सॉफ्टवेयर विकास और मानव संसाधन विकास।
- वैपकोज की अधिकृत पूंजी 200 लाख रुपये है (प्रदत्त पूंजी यानी सरकार का मूल निवेश रु. 30 लाख और बोनस शेयर रु. 170 लाख)। पिछले कुछ वर्षों के दौरान कुल व्यापार, नया व्यापार और कुल अंतर के आधार पर वैपकोज की प्रगति नीचे दर्शायी गयी है।
- वैपकोज ने 40 देशों में सफलतापूर्वक परामर्श सेवाएं पूरी की हैं। यह विश्व बैंक/पुनः निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक; खाद्य एवं कृषि संगठन कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, पश्चिम अफ्रीकी विकास बैंक; भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, समुद्र पारिय आर्थिक सहयोग निधि, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जापान बैंक, आदि जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों के पास उनकी परियोजनाओं में भाग लेने के लिए पंजीकृत है। भारत के अतिरिक्त वैपकोज फिलहाल अफगानिस्तान, भूटान; कंबोडिया इथियोपिया, आस्ट्रेलिया, लाओस, लिसोथो, खान्डा, सूडान, स्वाजिलैण्ड, युगाण्डा, जाम्बिया और जिम्बावे में परामर्श सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।
- वैपकोज को पिछले लगातार चार वर्षों से सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा उत्कृष्ट श्रेणी दी जा रही है। इसे वर्ष 2005-06 के लिए प्रधानमंत्री का कार्यनिष्पादन में उत्कृष्टता के लिए एम ओ यू पुरस्कार प्रदान किया गया। सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने वैपकोज को इस पुरस्कार के लिए सर्वोत्कृष्ट 10 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में चुना। कंपनी को वर्ष 2004-05 के लिए एम ओ यू उत्कृष्टता प्रमाणपत्र भी मिला। इसे वर्ष 2005-06 में 'स्टार प्रदर्शक' श्रेणी में ईईपीसी अखिल भारतीय निर्यात पुरस्कार मिला और 2004-05 में 'परियोजना निर्यात/परामर्श सेवाएं- बड़े उपक्रम' श्रेणी में 'ईईपीसी (उत्तरी क्षेत्र) पुरस्कार' मिला। वैपकोज ने वर्ष 2003-04 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन में बेहतरीन योगदान और उत्कृष्टता के लिए स्कोप पुरस्कार-लघुतर सार्वजनिक उपक्रम श्रेणी की रजत ट्रॉफी और भारतीय औद्योगिकी प्रौद्योगिकी संस्थान से उपक्रम उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किए। वैपकोज के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को भारतीय शिरोमणि पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि कंपनी ने राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के लिए आर्थिक अध्ययन संस्थान से स्वर्ण पदक प्राप्त किया।

(ख) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसका गठन 1997 में जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत देश के विकास के लिए ढांचागत कार्य और अन्य संबद्ध गतिविधियां चलाने के उद्देश्य से किया गया था। एनपीसीसी ने देश-विदेश में आवासन, संस्थानिक भवनों, व्यावसायिक परिसरों, औद्योगिक परियोजनाओं, सड़कों व राजमार्गों, पुल एवं फ्लाईओवरों, खत्तियों, सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं, बांधों एवं बैराजों, जल विद्युत एवं ताप विद्युत परियोजनाओं आदि जैसी विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को पूरा किया है।

एनपीसीसी एक आईएसओ 9001-2000 प्रमाणित अग्रणी अभियांत्रिकी सार्वजनिक उपक्रम है और इसने अभियांत्रिकी के क्षेत्र में मील के कई पत्थर स्थापित किए हैं/कर रहा है।

एनपीसीसी द्वारा पूरे किए गए/कार्यान्वित कार्याधीन कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं इस प्रकार हैं :

1. छत्तीसगढ़ के सिपल और उड़ीसा के तालचर में एनटीपीसी टाउनशिप।
2. झारखंड में रामगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज/पाकुर, बाहरागोरा, भागा और गोला में पॉलिटेक्निक कॉलेज।
3. जोधपुर में डेजर्ट मेडिकल रिसर्च सेंटर के लिए प्रयोगशाला एवं प्रशासनिक भवन। दिल्ली में पटेल चेस्ट संस्थान का सभागार।
4. बिहार के पटना में लोकनायक जयप्रकाश भवन।
5. उत्तरप्रदेश के नोएडा में फ्लाईओवर का निर्माण।
6. ईराक में अनाज खलियों की परियोजना।
7. भूटान में चुखा जल विद्युत परियोजना।
8. इराक में नाहर-साद नहर परियोजना।
9. आंध्रप्रदेश में विशाखापत्तनम स्टील प्लांट का निर्माण। उड़ीसा में राउरकेला स्टील प्लांट का आधुनिकीकरण।
10. पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में असम राइफल्स के भवन।
11. उत्तराखंड में मनेरीभाली जल विद्युत परियोजना का निर्माण।
12. मध्यप्रदेश में जोबत बांध और मणिपुर में खुगा बांध।
13. आंध्रप्रदेश में गोदावरी बैराज।
14. बिहार और झारखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़कों का निर्माण।
15. भारत— बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाना और त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय में सड़क कार्य।

वर्तमान में एनपीसीसी के 19 ज़ोन देशभर में फैले हैं और उत्तरपूर्व क्षेत्र के अति मुश्किल क्षेत्र में काम करते हुए राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

अन्य संगठन

(क) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण

केंद्र सरकार ने नर्मदा जल योजना तैयार की जिसने अन्य बातों के अलावा नर्मदा जल विवाद पंचाट के

निर्णयों और निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए 1980 में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण और एक समीक्षा समिति का गठन किया।

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, जो एक उच्चस्तरीय अंतर्राज्यीय संस्था है; के मुखिया जल संसाधन मंत्रालय के सचिव हैं, जो चेयरमैन कहलाते हैं। विद्युत, पर्यावरण एवं वन; सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजातीय मामले मंत्रालयों के सचिव, चार संबद्ध राज्यों के मुख्य सचिव, एक कार्यकारी सदस्य, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन पूर्णकालिक सदस्य और संबद्ध राज्य द्वारा नियुक्त चार अल्पकालीन सदस्य होते हैं जो सिंचाई/विद्युत/राज्य विद्युत बोर्डों के विभागों के प्रमुख होते हैं। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति के प्रमुख जल संसाधन मंत्री हैं और पर्यावरण एवं वन मंत्री और संबद्ध राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। जल संसाधन सचिव समीक्षा समिति के संयोजक हैं। समिति स्वयं अथवा किसी संबद्ध राज्य या पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिव के आवेदन पर प्राधिकरण के किसी भी निर्णय की समीक्षा कर सकती है।

सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने संबंधी अनुमति के लिए 8 मार्च, 2006 को नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार ब्लॉक संख्या 22 से 50 की ऊंचाई बढ़ाकर 121.92 मीटर कर दी गयी है। गुजरात सरकार ने सरदार सरोवर बांध के स्पिलवे ब्लॉकों को ई एल 121.92 मीटर तक उठाने का काम पूरा कर लिया है। इस बांध से राजस्थान सीमा तक पानी ले जाने वाली मुख्य नहर का निर्माण गुजरात में 458 किलोमीटर की कुल लंबाई में से 357 किलोमीटर लंबाई तक पूरी कर ली गयी है। नर्मदा का पानी 18-3-2008 को राजस्थान पहुंच गया। जब मुख्य नहर के साइफन कार्य पूरे हो गये और खारी नहर के साइफन की बाय पास व्यवस्था कर ली गयी। सरदार सरोवर बांध को ईएल 121.92 मीटर तक उठाने के बाद से नर्मदा के पानी को छोड़े जाने से आंशिक सिंचाई लाभ प्राप्त होने लगे हैं। आंशिक लाभ प्राप्त करने के लिए नर्मदा मुख्य नहर के द्वितीय चरण में 0.46 लाख हैक्टेयर और प्रथम चरण में 2.52 लाख हैक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र गुजरात सरकार द्वारा विकसित किया गया है। पूरे सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में 8215 गांवों और 135 शहरी केंद्रों में पेयजल की आपूर्ति भी, शुरू हो गयी है। नदी थाले के विद्युत गृह की सभी 6 इकाइयां और नहर मुहाने के विद्युत गृह की 5 इकाइयां सफलतापूर्वक शुरू कर दी हैं और संचालन की स्थिति में है। अब तक स्थापित उत्पादन इकाइयों से वर्ष 2007-08 के दौरान 4435.660 मिलियन जल विद्युत इकाइयां उत्पादित की गयीं। ये ऊर्जा लाभ संबद्ध राज्यों द्वारा नर्मदा जल विवाद पंचाट के निर्णय के अनुसार आपस में बांटे जा रहे हैं।

(ख) बेतवा नदी बोर्ड

बेतवा नदी बोर्ड का गठन जल संसाधन मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के संयुक्त उपक्रम राजघाट बांध परियोजना के दक्ष, लागत प्रभावी और त्वरित निष्पादन हेतु किया गया था। बोर्ड का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के झांसी में है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। बोर्ड की गतिविधियां एक कार्यकारी समिति द्वारा चलायी जाती है जो केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष के अधीन काम करती है। राजघाट बांध के निर्माण, विद्युत गृह परियोजनाओं और बोर्ड के कार्यालय के खर्चों के लिए धनराशि मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश समान अनुपात में उपलब्ध कराते हैं।

राजघाट बांध और राजघाट जल विद्युत परियोजनाएं मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की अंतरराज्यीय परियोजना है। राजघाट बांध की अनुमानित लागत 300.60 करोड़ रुपये है (वर्ष 2000 मूल्य स्तर पर) और विद्युत गृह की अनुमानित लागत 1997 मूल्य स्तर पर 139.74 करोड़ रुपये है। राजघाट बांध लगभग

पूरा हो चुका है। राजघाट जल विद्युत परियोजना की सभी तीन इकाइयां वर्ष 1999 में ग्रिड से जोड़ दी गईं और तब से सभी इकाइयों में विद्युत उत्पादन हो रहा है।

(ग) तुंगभद्रा बोर्ड

तुंगभद्रा बोर्ड का गठन तुंगभद्रा परियोजना के निर्माण, संचालन, अनुरक्षण के लिए किया गया था। यह बोर्ड परियोजना के साझे हिस्से के लिए उत्तरदायी है। कृष्णा जल विवाद पंचाट ने अपने निर्णय में कर्नाटक और आंध्रप्रदेश राज्यों द्वारा तुंगभद्रा नदी जल के उपयोग के बारे में स्पष्ट प्रावधान किए थे। इन्हीं प्रावधानों को पूरा करने की जिम्मेदारी पंचाट द्वारा तुंगभद्रा बोर्ड को सौंपी गयी। बोर्ड दाहिने किनारे पर सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और अन्य उपयोग के लिए पानी का नियंत्रण कर रहा है।

बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति भारत सरकार करती है; इसका एक सदस्य भारत सरकार से और एक-एक सदस्य आंध्रप्रदेश और कर्नाटक से होता है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड का सचिव इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। बोर्ड के कार्यकलापों के लिए राशि दोनों राज्य सरकारें देती हैं।

पानी के नहरवार बंटवारे के लिए कार्यतालिका तुंगभद्रा बोर्ड द्वारा हर साल राज्य सरकारों के मशविरे से तैयार की जाती है और जल वर्ष के दौरान समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। जल का नियंत्रण इस स्वीकृति कार्यतालिका के अनुसार किया जाता है। उत्पादित विद्युत कर्नाटक और आंध्रप्रदेश के बीच 20:80 के अनुपात में बांटी जाती है।

(घ) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान

1978 से चल रहे राष्ट्रीय जल-विज्ञान संस्थान का मुख्यालय रुड़की (उत्तराखंड) में है। फील्ड संबंधी अनुसंधान कार्य के लिए संस्थान के चार क्षेत्रीय केंद्र बेलगाम, जम्मू, काकीनाडा और सागर में तथा बाढ़ प्रबंधन अध्ययन के लिए दो केंद्र गुवाहाटी और पटना में स्थित हैं।

संस्थान के उद्देश्य हैं : 1. देश में स्थायी जल संसाधन विकास में योगदान देने के लिए जल विज्ञान के सभी पहलुओं पर आधारभूत, अनुप्रयुक्त और रणनीतिक अनुसंधान को अपनाना, सहायता देना, बढ़ावा देना और उसमें समन्वय करना। 2. ज्ञान और सूचना के भंडार के रूप में काम करना और उसे देशभर में फैलाना। 3. जल विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मानव संसाधन विकास और संस्थागत विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में काम करना। 4. जल विज्ञान के क्षेत्र में परामर्श के जरिए उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित और मांग द्वारा निर्देशित अनुसंधान कार्य करना, और 5. उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में उपयुक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग और समन्वय करना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्थान ने जल विज्ञान में आणविक अनुप्रयोग, जल गुणवत्ता प्रयोगशाला और दूर संवेदी एवं जी आई एस अनुप्रयोग प्रयोगशाला के क्षेत्रों में विश्व स्तरीय प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं।

संस्थान वर्तमान में निम्नलिखित क्षेत्रों में अध्ययन और अनुसंधान एवं विकास कार्य कर रहा है: आत्यन्तिक जल वितान, भूमि प्रयोग परिवर्तनों का जल संसाधनों पर प्रभाव, भू-जल मॉडलिंग और प्रबंधन, स्थायी जल प्रणाली प्रबंधन, सतही जल मॉडलिंग, क्षेत्रीय जल विज्ञान और पर्यावरणीय जल विज्ञान। संस्थान राष्ट्रीय महत्व के कई जल संसाधन परियोजनाओं और विश्व बैंक द्वारा पोषित जल विज्ञान परियोजना से जुड़ा हुआ है।

यह संस्थान इन्कोह (INCOH) के सचिवालय का काम भी देख रहा है जो युनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यक्रम के लिए भारत में नोडल एजेंसी है। संस्थान जलविज्ञान परियोजना चरण II के लम्बवत् विस्तार भाग और संस्थानिक सुदृढिकरण में भाग ले रहा है। साथ ही यह समग्र जल संसाधन विकास और प्रबंधन के लिए डीएसएस (नियोजन) के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रहा है।

(ड) ब्रह्मपुत्र बोर्ड

ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन दिसंबर, 1981 में ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ प्रबंधन और तटीय क्षरण के उपायों के नियोजन और कार्यान्वयन के लिए किया गया था। बोर्ड की मुख्य गतिविधियों में ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में परियोजनाओं के मास्टर प्लान तैयार करना और अन्वेषण करना, योजनाओं/परियोजनाओं को चलाना और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना है। बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र नदी (मुख्य धारा), बराक नदी और इसकी सहायक नदियों से संबंधित मास्टर प्लान भाग एक और दो पहले ही पूरे कर लिये हैं। 36 मास्टर प्लानों को भारत सरकार की स्वीकृति मिल चुकी है और इन्हें कार्यान्वयन हेतु राज्यों को भेज दिया गया है। अन्य 6 भी पूरे कर लिए गए हैं और बोर्ड द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं। अन्य 15 ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार किये जाने के विभिन्न चरणों में हैं। बोर्ड ने 542.90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत पाग्लादिया बांध परियोजना का निर्माण कार्य हाथ में लिया है। परियोजना का निर्माण कार्य असम सरकार द्वारा जिरत सर्वेक्षण (परियोजना मूल्यांकन) को पूरा न करने के कारण रुका हुआ है। राज्य सरकार के साथ यह सर्वेक्षण पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

बोर्ड ने डोलाहाटीधुली में ब्रह्मपुत्र के विदारण का कार्य और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्षरणरोधी और ड्रेनेज विकास स्कीमों को हाथ में लिया है। असम में माजुली द्वीप के संरक्षण के लिए क्षरणरोधी उपाय भी शामिल किए जा रहे हैं।

(च) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी

जल संसाधन मंत्रालय ने अगस्त, 1980 में पानी की अधिकता वाली नदी घाटियों से अतिरिक्त पानी को कमी वाले नदी घाटी क्षेत्रों में अंतरित करके जल संसाधन विकास की एक राष्ट्रीय दूरगामी योजना तैयार की थी। इस योजना के दो प्रमुख भाग हैं : हिमालयी नदियों का विकास और प्रायद्वीपीय नदियों का विकास। योजना में 35 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई लाभ की परिकल्पना की गई है, यानी अतिरिक्त पानी से 25 मिलियन हैक्टेयर और भू-जल के बढ़े उपयोग से 10 मिलियन हैक्टेयर, जो वृहद् मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं से मिलने वाले लगभग 140 मिलियन हैक्टेयर सिंचाई क्षमता के अतिरिक्त है। इससे 34 मिलियन किलोवाट जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण, नेवीगेशन, जलापूर्ति, मत्स्यपालन, लवणता, प्रदूषण नियंत्रण आदि के लाभ भी मिलेंगे। हिमालयी भाग के अंतर नदी घाटी जल अंतरण प्रस्तावों में उत्तरप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा को सीधे लाभ मिलने की परिकल्पना के साथ ब्रह्मपुत्र के अतिरिक्त जल से प्रायद्वीपीय भाग को पोषित किया जाना है। प्रायद्वीपीय भाग में आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात को लाभ मिलने की संभावना है।

1982 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को एक सोसाइटी के रूप में सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य करने और राष्ट्रीय दूरगामी योजना के अंतर्गत संपर्कों के बारे में संभाव्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए स्थापित किया गया। एजेंसी ने 137 नदी घाटियों, उपघाटियों और 71 पहचाने गये अपसार बिंदुओं में

जल तुलन अध्ययन किये तथा 74 पहचाने गये भंडारकों और 37 संपर्क स्थानों पर टोपो शीट अध्ययन किये। इस प्रकार इसने 30 संपर्कों की पहचान की जिनमें 16 प्रायद्वीपीय भाग में और 14 हिमालयी भाग में आते हैं, जहां पानी के अंतरण के लिए संभाव्यता रिपोर्टें तैयार की जानी थीं। एजेंसी ने 16 जल अंतरण संपर्कों की संभाव्यता रिपोर्टें पूरी कर ली हैं, जिनमें 14 प्रायद्वीपीय और दो हिमालयी भाग में भारतीय हिस्से में हैं। हिमालयी भाग के पांच संपर्कों में अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य हैं, अतः ऐसे संपर्कों की संभाव्यता रिपोर्ट पूरी होने का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। प्रायद्वीपीय भाग में एक संपर्क पूरी तरह कर्नाटक में ही पड़ता है; अतः कर्नाटक की सहमति आवश्यक है। अन्य संपर्कों की संभाव्यता रिपोर्टें प्रगति पर हैं।

अतिरिक्त जल को कमी वाले क्षेत्र में भेजने और उसके बंटवारे के लिए राज्यों में तेज गति से सहमति तैयार करने, आर्थिक लाभप्रदता के संबंध में प्रत्येक परियोजना के मूल्यांकन के मानकों के लिए मार्ग निर्देश उपलब्ध कराने, सामाजिक-आर्थिक प्रभावों, पर्यावरणीय प्रभाव और पुनर्वास योजनाएं बनाने के तरीके सुझाने की दृष्टि से दिसंबर, 2002 में नदियों को आपस में जोड़ने पर एक कार्यबल बनाया गया। कार्यबल ने दो कार्य योजनाएं प्रस्तुत की हैं जिनमें संभाव्यता रिपोर्टें, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को पूरा करने की समय-सीमा, अनुमानित लागत-कार्यान्वयन समय सारणी, परियोजना के शुद्ध लाभ आदि तथा वित्त पोषण के संभावित तरीकों, लागत आहरण और नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में रूपरेखा बनायी गयी है।

राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में देश की नदियों को जोड़ने की सम्भाव्यता के समग्र आंकलन हेतु पूर्णतया सलाह-मशवरे के जरिए दक्षिणी नदियों से शुरू करने की बात कही गयी है।

देश में नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी सम्भाव्यता के समग्र आंकलन के पश्चात् इस विषय पर कार्यबल, जिसने कार्ययोजना I और II प्रस्तुत करके अपना कार्य पूरा कर लिया था, उसे दिसंबर, 2004 में भंग कर दिया गया। जल संसाधन मंत्रालय में इस कार्यबल के बचे हुए काम की देखरेख के लिए एक विशेष एकक बनाया गया है। सरकार ने दिसंबर, 2004 में पर्यावरणीय, सामाजिक मसलों आदि पर परामर्श देने के लिए पर्यावरणविदों, सामाजिक वैज्ञानिकों और अन्य विशेषज्ञों की एक समिति बनायी है। इस समिति ने अब तक पांच बैठकें की हैं।

अंतर नदी घाटी जल अंतरण संपर्क स्कीमों का कार्यान्वयन सरकार की प्राथमिकताओं के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। मगर इससे पूर्व, कुछ अन्य कदम, जैसे- अंतर नदीघाटी अंतरण में शामिल राज्यों के बीच, विचार एवं सहमति, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना, उनका तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन, निवेश स्वीकृति, वित्त व्यवस्था और कार्यान्वयन एजेंसियों का निर्धारण आदि आवश्यक होंगे।

विस्तृत परियोजना रिपोर्टें बनाने के लिए संबद्ध राज्यों में सहमति तैयार करने के लिए प्राथमिकता संपर्कों के रूप में पहचाने गये संपर्क हैं— 1. केन-बेतवा, 2. पार्वती-काली सिंध-चंबल, 3. गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा), 4. दामन गंगा-पिंजाल और 5. पार-तापी-नर्मदा।

इन संपर्कों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

केन-बेतवा संपर्क

केन-बेतवा संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की उपस्थिति में 25 अगस्त, 2005 को केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री

के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस संपर्क पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य एन.डब्ल्यू.डी.ए. द्वारा शुरू कर दिया गया है, जिसे दिसंबर, 2008 तक पूरा करने की योजना है।

पार्वती-कालीसिंध-चंबल संपर्क

इस संपर्क के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु मध्यप्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, और सूचित किया है कि इस बारे में समझौता-ज्ञापन पर विचार चल रहा है, जिसे शीघ्र ही केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा।

पार-तापी-नर्मदा संपर्क और दामन गंगा- पिंजाल संपर्क

संबद्ध राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात की सहमति के समझौते का प्रारूप अप्रैल, 2007 में भेज दिया गया था। दोनों की सहमति प्राप्त हो चुकी है। समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षर की कार्यवाही की जा रही है।

गोदावरी-कृष्णा संपर्क

इस संपर्क के बारे में संबद्ध राज्यों से चर्चा की जा रही है।

नदी प्रणाली

भारत की नदी प्रणालियों को चार समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है : 1. हिमालयी नदियां, 2. दक्खनी नदियां, 3. तटीय नदियां, 4. अंतरदेशीय अपवहन घाटी की नदियां। हिमालयी नदियां पिघलती बर्फ और ग्लेशियरों से बनती हैं और सारे साल बहती रहती हैं। मानसून के महीनों में हिमालय में बहुत भारी वर्षा होती है, जिससे नदियां उफनती हैं और बार-बार बाढ़ आती है। दूसरी तरफ दक्खनी नदियां वर्षा से ओषित होती हैं और इसलिए अस्थायी होती हैं। इनमें से कई लगातार नहीं बहतीं। तटीय धाराएं, विशेषकर पश्चिम तट पर कम लंबाई की होती हैं और इनका आवाह क्षेत्र सीमित होता है, यह भी अधिकतर पूरे साल नहीं बहतीं। पश्चिमी राजस्थान के अंतरदेशीय अपवहन घाटी की धाराएं भी थोड़ी ही हैं और दूर-दूर बहती हैं। इनमें से कई क्षणिक चरित्र वाली होती हैं।

हिमालयी नदी प्रणाली में मुख्यता सिंध और गंगा-ब्रह्मपुत्र- मेघना प्रणालियां हैं। सिंधु तो दुनिया की महान नदियों में से एक है, तिब्बत में मानसरोवर के निकट प्रकट होती है और भारत में से होते हुए और फिर पाकिस्तान में बहते हुए अंततः कराची के निकट अरब सागर में गिरती है। भारतीय क्षेत्र में बहने वाली इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं- सतलुज (जो तिब्बत से शुरू होती है), व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना एक अन्य महत्वपूर्ण प्रणाली है जिसकी प्रमुख उपनदीघाटियां हैं भागीरथी और अलकनंदा, जो देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती हैं। यहां से यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की यात्रा करती हैं। राजमहल पहाड़ियों के नीचे अब तक मुख्य धारा के रूप में बहने वाली भागीरथी आगे बढ़ जाती है, जबकि पदमा नदी पूर्व की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और सोन नदियां गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। चंबल और बेतवा महत्वपूर्ण उपनदियां हैं जो जमुना के गंगा में मिलने से पहले उससे मिलती हैं। पदमा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश के भीतर मिलती हैं और पदमा या गंगा के रूप में आगे बहती चली जाती हैं। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में प्रकट होती है, जहां इसे त्सांग्यो कहा जाता है, और एक लंबी दूरी तय करते हुए अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से भारत में प्रवेश करती है। पासी घाट के करीब देबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है और यह मिली-जुली नदी असम में एक तंग घाटी से गुजरती है। धुबरी के नीचे यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है।

भारत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं— सुमानसिरि, जियामरेली, धनसिरि, पुक्षीमारी, पाग्लादिया और मानस। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को तीस्ता आदि का प्रवाह प्राप्त होता है और यह अंततः गंगा में मिल जाती है। मेघना नदी की मुख्य धारा, बराक नदी मणिपुर के पर्वतों में प्रकट होती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों में मक्कू, त्रांग, तुइवइ, जिरि, सोनाइ, रूकनि, कटखल, धलेश्वरि, लांगचीनी, मादुवा, और जयतंगा शामिल हैं। बराक बांग्लादेश में आगे बढ़ती है और भैरव बाजार के निकट गंगा-ब्रह्मपुत्र का इससे मिलान होता है।

दक्खन क्षेत्र में, पूर्वी दिशा में बहने वाली अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पूर्वी दिशा में बहने वाली बड़ी नदियां हैं— गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं।

दक्षिणी प्रायद्वीप में गोदावरी दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी है जो भारत के 10% भू-भाग पर बहती है। क्षेत्र में इसके बाद कृष्णा नदी घाटी है, जबकि महानदी तीसरे स्थान पर है। दक्खन के ऊपरी भू-भाग में से होकर अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा नदी का क्षेत्र और दक्षिण में कावेरी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दोनों की लंबाई लगभग एक समान है हालांकि उनका चरित्र और आकार भिन्न है।

बहुत-सी तटीय नदियां भी हैं जो तुलना में छोटी हैं। जहां ऐसी केवल कुछ ही नदियां पूर्वी तट के डेल्टा के निकट समुद्र में गिरती हैं, पश्चिमी तट पर ऐसी 600 नदियां हैं।

राजस्थान की कुछ नदियां सागर तक नहीं पहुंच पातीं। ये नमक की झीलों में खाली हो जाती हैं और रेत में खो जाती हैं। इनके अलावा रेगिस्तानी नदियां भी हैं जो कुछ दूर तक बहती हैं और फिर मरुस्थल में खो जाती हैं। ये हैं— लूनी, मच्छू, रूपेन, सरस्वती, बनास, घग्गर और अन्य।

भारत की नदी प्रणाली को नदी घाटियों के रूप में भी बताया जा सकता है। पूरे देश को बीस नदी घाटियों/नदी घाटी समूहों में बांटा गया है, जिसमें 12 प्रमुख घाटियां और 8 मिश्रित नदी घाटियां हैं। 12 प्रमुख नदी घाटियां हैं— 1. सिंधु, 2. गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना, 3. गोदावरी, 4. कृष्णा, 5. कावेरी, 6. महानदी, 7. पेन्नार, 8. ब्राह्मणी- बैतरणी, 9. साबरमती, 10. माही, 11. नर्मदा, 12. तापी। इन नदी घाटियों में से प्रत्येक का अपवहन क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है।

8 मिश्रित नदी घाटियां जो अन्य सभी बची हुई मध्यम (अपवहन क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर) और लघु (अपवहन क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम) नदी प्रणालियों को उपयुक्त तौर पर मिलाकर बनी हैं। ये हैं— 1. सुवर्ण रेखा जिसमें स्वर्ण रेखा और बैतरणी के बीच की सभी छोटी नदियां शामिल हैं। 2. महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व दिशा में बहने वाली नदियां, 3. पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व दिशा में बहने वाली नदियां, 4. राजस्थानी रेगिस्तान में अंतरदेशीय अपवहन का क्षेत्र, 5. लूनी सहित कच्छ और सौराष्ट्र की पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां, 6. तापी से तादरी के बीच पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां, 7. तादरी से कन्याकुमारी के बीच पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां, और 8. म्यांमार (बर्मा) और बांग्लादेश में खाली होने वाली छोटी नदियां।

28. कल्याण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के शैक्षिक विकास, उन्हें आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्रदान करने, विकलांग व्यक्तियों और नशीली दवाओं के लती लोगों के पुनर्वास और वरिष्ठ नागरिकों एवं समाज के ऐसे ही अन्य वर्गों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है।

संवैधानिक उपाय

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो अनुसूचित जातियों के लिए उपलब्ध कराई गई सुरक्षा पर निगरानी रखती है और उनके कल्याण से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करती है। अनुसूचित जातियों के हितों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के उपायों के लिए आयोग को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। आयोग को वे सभी अधिकार दिए गए हैं जो किसी भी मामले की सुनवाई कर रहे सिविल न्यायालय के होते हैं। इनके अंतर्गत वह देश के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी कर बुला सकता है और शपथ पत्र की जांच के लिए साक्ष्य मांग सकता है। आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट 17-7-2006 में प्रस्तुत कर दी थी।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसे अन्य बातों के अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की विशिष्ट शिकायतों और उनके कल्याण की योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने संबंधी मामलों की जांच का अधिकार दिया गया है।

नागरिक अधिकार संरक्षण विधेयक, 1955 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में ऐसे किसी भी व्यक्ति को सजा देने का प्रावधान है जो किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता निवारण के बाद मिले अधिकारों का उपयोग करने से रोकने का प्रयास करता है। 22 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने छुआछूत के मामलों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कानूनी मदद करने का प्रावधान दिया है। 16 राज्यों ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के उल्लंघनों पर निगरानी करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाए हैं। आंध्र प्रदेश में ऐसे मामलों से तेजी से निपटने के लिए 22 विशेष चलित न्यायालय भी बनाए गए हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को कारगर ढंग से लागू करने के लिए राज्यों को समय-समय पर दिशानिर्देश और निर्देश जारी किए जाते हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 में अत्याचार की श्रेणी में आने वाले अपराधों के उल्लेख के साथ-साथ उनके लिए कड़े दंड की व्यवस्था भी की गई है।

1995 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत व्यापक नियम भी बनाए गए जिनमें अन्य बातों के अतिरिक्त प्रभावित व्यक्तियों के लिए राहत एवं पुनर्वास की भी व्यवस्था है। इसमें अत्याचार की रोकथाम के उपायों की भी व्यवस्था है और राज्यों से कहा गया है कि वे अन्य बातों के अतिरिक्त पीड़ितों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था करें। अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इस तरह के मामलों में इस कानून के तहत विशेष अदालतें बनाई गई हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 137 विशेष अदालतें केवल ऐसे मामलों के लिए गठित की गई हैं। 11 राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश) की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार की आशंका वाले क्षेत्रों के रूप में की गई है।

केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत दोनों कानूनों को लागू करने पर जो खर्च आएगा, उसका आधा हिस्सा राज्य सरकारें और आधा हिस्सा केंद्र सरकार देगी। केंद्रशासित प्रदेशों को इसके लिए केंद्र द्वारा शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है। वर्ष 2006-07 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 36.44 करोड़ रुपए जारी किए गए।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति अस्पृश्यता और अत्याचार की रोकथाम के उपाय सुझाने और प्रभावी प्रशासन कार्यान्वयन के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति की पहली बैठक 18 सितंबर, 2006 को नई दिल्ली में और दूसरी बैठक 15 जनवरी, 2007 को नई दिल्ली में हुई। अंतरराष्ट्रीय परिषद की बैठक 9 दिसंबर, 2006 को हुई जिसका विषय था, 'अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रति अस्पृश्यता का अपराध'। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की और इसमें मुख्यमंत्रियों व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। आगामी कार्रवाई के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने 24 अप्रैल, 2007 को राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा कि वे सुनिश्चित करें कि वर्ष 2007-08 अस्पृश्यता और अत्याचार मुक्त होगा।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है जो उन गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) या मानवाधिकार के क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे जिन्होंने अस्पृश्यता निवारण के क्षेत्र में और जन अधिकार अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार की रोकथाम) अधिनियम, 1989 के तहत अत्याचारों से संबंधित अपराधों पर काबू पाने के क्षेत्र में असाधारण कार्य किया है। हर वर्ष चार पुरस्कार दिए जाएंगे। कार्यकर्ता को दी जाने वाली पुरस्कार राशि दो लाख रुपए और संस्थान को दी जाने वाली राशि पांच लाख रुपए है। इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विशिष्ट एनजीओ या मानवाधिकार के क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ताओं को देश के चार भागों यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से चुना जाएगा। इस पुरस्कार को एक से अधिक कार्यकर्ता या संगठनों में भी बांटा जा सकता है। इस पुरस्कार की स्थापना 2006 में हुई थी और इसे हर वर्ष दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त करने की तिथि 31 अक्टूबर है। इस पुरस्कार योजना की क्रिया प्रणाली और अन्य जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

शैक्षिक विकास

अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति : इस योजना के तहत ऐसे परिवारों के बच्चों को 10 वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है जो सफाई करने, मरे पशुओं की खाल उतारने और चर्मशोधन का काम करते हैं। यह छात्रवृत्ति राज्य सरकारों और

केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों के माध्यम से दी जाती है। इसमें आधा खर्च केंद्र सरकार और आधा खर्च राज्य सरकार को देना होता है, जबकि केंद्रशासित प्रदेशों को शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है। लक्षित समूहों में विकलांग विद्यार्थियों को भी सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

पहली से पांचवी कक्षा तक के बच्चों को 40 रुपए प्रतिमाह, छठी से आठवीं कक्षा तक 60 रुपए प्रति माह और नौवीं व दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को 75 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रावासों में रहने वाले तीसरी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 300 रुपए प्रति माह और नौवीं और दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को 375 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है।

यह छात्रवृत्ति शैक्षिक वर्ष के दौरान 10 महीने के लिए दी जाती है। रोज आने-जाने वाले विद्यार्थियों को 550 रुपए और छात्रावास में रहने वाले छात्रों को 600 रुपए वार्षिक तदर्थ अनुदान राशि भी दी जाती है। वर्ष 2006-07 के दौरान राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के करीब 6.54 लाख विद्यार्थियों के लिए 20.25 करोड़ रुपए जारी किए गए।

अनुसूचित जाति/जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति : इस योजना के तहत अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। सहायता के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के पाठ्यक्रमों के लिए रखरखाव भत्ता संस्थानों द्वारा वसूल की गई अनिवार्य अप्रति देय शुल्क और अन्य भत्ते जैसे अध्ययन यात्रा खर्च, शोध की टाइपिंग/प्रिंटिंग का खर्च और पुस्तक अनुदान शामिल है। इस छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए आय सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपए वार्षिक कर दी गई है। छात्रवृत्ति का वितरण संबद्ध राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों के माध्यम से किया जाता है।

योजना के अंतर्गत निर्धारित व्यय राशि के अतिरिक्त राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को शत प्रतिशत केंद्रीय सहायता दी जाती है लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों को अपनी ओर से धन निर्धारित करने की जिम्मेदारी से मुक्त रखा जाता है। वर्ष 2006-07 में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 526 करोड़ रुपए की सहायता दी गई जिससे 29.58 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ हुआ।

राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना : वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी फेलोशिप (जीएनएफ) नाम की एक नई योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत एम.फिल और पीएच.डी. जैसी डिग्रियों के लिए उच्चतर अध्ययन हेतु अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में फेलोशिप प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति से संबद्ध ऐसे विद्यार्थी फेलोशिप पाने के अधिकारी हैं जिन्होंने किसी विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थान में पूर्णकालिक एम.फिल. /पीएच.डी पाठ्यक्रम में पंजीकरण कराया हो। फेलोशिप की राशि उतनी ही होती है, जितनी कनिष्ठ अनुसंधान फेलोशिप के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जाती है। शुरू में वर्ष 2005-06 और वर्ष 2006-07 के दौरान हर वर्ष कुल 1333 फेलोशिप प्रदान करने का निर्णय किया गया। इस योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से लागू किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2006-07 में यूजीसी की 34.18 करोड़ रुपए जारी किए गए।

विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति तथा यात्रा अनुदान : इस योजना के अंतर्गत चुने गए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता केवल इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और विज्ञान जैसे कुछ विशिष्ट विषयों में पीएच.डी. और पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान के लिए दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 8200 डॉलर या

5200 पाउंड स्टर्लिंग सालाना निर्वाह भत्ता दिया जाता है। ब्रिटेन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कॉपी-किताब, आवश्यक उपकरणों, शोध प्रबंध के लिए टाइपिंग और बाईंडिंग, अध्ययन यात्रा आदि पर होने वाले आकस्मिक खर्च के लिए दी जाने वाली राशि 550 डॉलर या फिर 400 पाउंड स्टर्लिंग सालाना है। योजना के तहत यात्रा किराया, बीजा शुल्क, उपकरण भत्ता, अनुषंगी खर्च, संबंधित संस्थान द्वारा वसूल की जाने वाली वास्तविक शुल्क तथा चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर आने वाले खर्च की राशि भी दी जाती है। अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को यह छूट है कि वे अनुसंधान/अध्यापन सहायता कार्य भी कर सकते हैं। विदेश में विभिन्न पाठ्यक्रमों पर अध्ययन के लिए समय की अधिकतम सीमा पीएच.डी. के लिए चार वर्ष और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए तीन वर्ष तय की गई है। विदेश अध्ययन के लिए चुने गए प्रत्याशी के परिवार की मासिक आय 18,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी माता-पिता/अभिभावक का केवल एक बच्चा ही इस योजना का लाभ उठा सकता है। उसकी उम्र 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्ष 2006-07 के दौरान उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले विद्यार्थियों हेतु 1.05 करोड़ रुपये दिए गए। इस योजना के तहत 20 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई। इनमें 17 अनुसूचित जाति के, दो अधिसूचित खानाबदोश/अर्ध खानाबदोश जनजाति के और एक-एक भूमिहीन खेतिहर मजदूर तथा परंपरागत शिल्पी हैं।

अनुसूचित जाति की योग्यता बढ़ाना : इस कार्यक्रम का उद्देश्य आवासीय विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम से चहुंमुखी विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराकर अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की योग्यता बढ़ाना है। इसके तहत नौवीं से 12 वीं कक्षाओं तक पढ़ रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग उपलब्ध करा, उनकी कमियों को दूर करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्र से शत-प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराई जा सकती हैं। 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी को उपलब्ध कराई जाती है जिनमें से पांच हजार रुपये आवास और भोजन की व्यवस्था के लिए, एक हजार रुपये जेब खर्च के लिए, दो हजार रुपये पुस्तकों और लेखन सामग्री के लिए और सात हजार रुपये विद्यार्थियों की योग्यता में सुधार लाने और विशेष कोचिंग देने वाले प्रधानाचार्य/विशेषज्ञ को दिए जाने वाले मानदेय के लिए होते हैं। अनुसूचित जाति के विकलांग विद्यार्थियों को अतिरिक्त कई सुविधाएं भी दी जाती हैं। इस योजना के तहत वर्ष 2006-07 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तीन करोड़ रुपये दिए गए।

अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग एवं संबंधित योजना : इस योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के इच्छुक विद्यार्थियों को परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। महत्वाकांक्षी विद्यार्थी राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों, विश्वविद्यालयों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित केंद्र में जाकर परामर्श एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इन केंद्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिससे वे विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। वर्ष 2006-07 के दौरान पूर्व संशोधित कार्यक्रम में क्रियान्वयन एजेंसियों को 3.00 करोड़ रुपये जारी किए गए।

अनुसूचित जाति के बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास : इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के बालक और बालिकाओं को छात्रावास की सुविधा मुहैया करना है जो माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। छात्रावासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। छात्रावास के रखरखाव, विद्यार्थियों के रहने और खान-पान की व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की है। इस योजना में राज्य सरकारों को 50:50 के अनुपात

में समान हिस्सेदारी के आधार पर केंद्र से सहायता मिलती है। केंद्रशासित प्रदेशों को शत प्रतिशत और केंद्रीय विद्यालयों को 90 प्रतिशत सहायता मिलती है। अन्य विश्वविद्यालयों को भी 45 प्रतिशत तक केंद्रीय सहायता मिल सकती है और शेष (45 प्रतिशत) राशि का प्रबंध संबंधित राज्यों और 10 प्रतिशत स्वयं उनके द्वारा किया जा सकता है। एनजीओ को भी उनके वर्तमान छात्रावासों के विस्तार के लिए उनके राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से 45:45:10 के आधार पर सहायता मिलती है। वर्ष 2006-07 के दौरान बालकों के 109 छात्रावासों के निर्माण के लिए 25.23 करोड़ रुपए और बालिकाओं के लिए 204 छात्रावासों के निर्माण के लिए 28.811 करोड़ रुपये जारी किए गए।

डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन

फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य भारत और विदेशों में बाबा साहेब डॉ. बी. आर. अंबेडकर की विचारधारा और संदेश को प्रचारित करना है। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की गईं। डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता के अंतर्गत 25 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए 6.25 लाख रुपए दिए गए। विश्वविद्यालयों/संस्थानों में वर्ष 2006-07 के दौरान अनुसंधान से संबद्ध पीठों के रखरखाव के लिए 58.39 लाख रुपए जारी किए गए और फाउंडेशन ने सामाजिक समता केंद्र योजना के अंतर्गत तमिल और उर्दू में संपूर्ण अंबेडकर साहित्य भी प्रकाशित किया।

आर्थिक विकास

अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता : अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) (जिसे पहले विशेष संघटक योजना कहा जाता था) के अंतर्गत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी विशेष संघटक योजनाओं के लिए शत प्रतिशत सहायता दी जाती है। इस सहायता राशि का प्रयोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से संबंधित विकास कार्यक्रमों पर अतिरिक्त बल देने के लिए किया जाता है। इस योजना के तहत वर्ष 2006-07 के दौरान 459.15 करोड़ रुपए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जारी किए गए।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) गरीबी रेखा (ग्रामीण क्षेत्रों में 40,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 55,000 रुपए वार्षिक प्रति परिवार) से नीचे गुजारा करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराने हेतु रियायती ब्याज दर पर धन उपलब्ध कराता है और प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास और नई परियोजनाओं के माध्यम से उनके कौशल का विकास करता है। निगम 'महिला समृद्धि योजना' भी लागू कर रहा है। वर्ष 2005-06 के दौरान निगम ने 53315 लाभार्थियों की मदद की है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम : राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) सफाई कर्मचारियों को आमदनी बढ़ाने की व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराता है। निगम 'महिला समृद्धि योजना' भी चला रहा है। निगम ने वर्ष 2006-07 के दौरान 77970 लाभार्थियों की सहायता की है।

राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम : राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसीएस) 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कार्य कर रहे हैं। इन निगमों में पूंजी का 49 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार की

और 51 प्रतिशत राज्य सरकारों का होता है। वर्ष 2006-07 में 77970 लाभार्थियों के लिए 16902 लाख रुपए जारी किए।

मैला ढोने वालों की पुनर्स्थापना योजना : मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों की पुनर्स्थापना के लिए नई रोजगार योजना (एसआरएमएस) का आरंभ वर्ष 2007 में हुआ। मार्च, 2009 तक इस पर 735.60 करोड़ रुपए की कुल लागत आई। केंद्र सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एनएसकेएफडीसी को वर्ष 2006-07 के दौरान 56 करोड़ रुपए की अनुदान राशि प्रदान की।

अनुसूचित जातियों के लिए कार्य करने वाले स्वयंसेवी संगठन : इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सक्षम और विश्वसनीय स्वयंसेवी संगठनों की सेवाओं का लाभ उठाना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना की लागत का 90 प्रतिशत तक का सहायता अनुदान स्वयंसेवी संगठनों को दिया जाता है। विकास परियोजनाएं पूर्व प्राथमिक शिक्षा सहित सामान्य/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा केंद्रों, औषधालयों और आय के अवसर पैदा करने वाली गतिविधियों से संबद्ध हो सकती हैं।

अनुसूचित जनजातियों का विकास

भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत 'अनुसूचित जनजातियों' की श्रेणी में आने वाले जनजातीय लोगों की संख्या 8.43 करोड़ है। यह देश की कुल जनसंख्या (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) का 8.2 प्रतिशत है।

अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र : अन्य समुदायों से भिन्न अनुसूचित जनजातियां समूहों में रहती हैं, इसलिए उनके विकास की गतिविधियां चलाने में क्षेत्रवार दृष्टिकोण सरलता से अपनाया जा सकता है और उनके हितों की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान किए जा सकते हैं।

भूमि हस्तांतरण और अन्य सामाजिक पहलुओं के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए संविधान की 'पांचवी' और 'छठी' अनुसूची में व्यवस्था की गई है।

संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत पांचवीं अनुसूची में 'अनुसूचित क्षेत्रों' की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि राष्ट्रपति से परामर्श के बाद अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा का आदेश जारी कर सकते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 244 (2) के तहत छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के घोषित जनजातीय क्षेत्रों से संबद्ध है। इसमें ऐसे क्षेत्रों के लिए जिला परिषदों और/अथवा क्षेत्रीय परिषदों का प्रावधान किया गया है। इन परिषदों को व्यापक विधायी, न्यायिक और कार्यकारी अधिकार दिए गए हैं।

पांचवी अनुसूची-अनुसूचित क्षेत्र : पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के मानदंड इस प्रकार हैं—(क) जनजातीय संख्या का बाहुल्य, (ख) क्षेत्र का तर्कसंगत आकार और सघनता, (ग) व्यवहार्य प्रशासनिक सत्ता जैसे जिला, ब्लॉक या तालुक और (घ) पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन।

राज्य के संदर्भ में 'अनुसूचित क्षेत्रों' का निर्धारण संबद्ध राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। 'अनुसूचित क्षेत्रों' में फेरबदल, बढ़ोतरी और कटौती करने, नए क्षेत्र शामिल करने या किसी आदेश को रद्द करने के लिए भी यही तरीका अपनाया जाता है।

अनुसूचित क्षेत्रों के लाभ इस प्रकार हैं : (क) राज्यपाल को अपने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है : (1) जनजातीय लोगों की भूमि के हस्तांतरण पर रोक या प्रतिबंध, (2) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को रुपया उधार देने के कारोबार को नियमित करना। ऐसा कोई भी नियम बनाने के लिए राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र में लागू राज्य की किसी विधायिका या संसद के कानून को निरस्त या संशोधित कर सकता है। (ख) राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना जारी करके आदेश दे सकता है कि संसद या किसी राज्य की विधायिका का कोई कानून विशेष राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी हिस्से पर लागू नहीं होगा या उसके द्वारा निर्दिष्ट फेरबदल और अपवाद के अनुसार ऐसे क्षेत्रों पर लागू होगा। (ग) अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को हर वर्ष या जब भी राष्ट्रपति मांगेगा, उसे रिपोर्ट देंगे। यह रिपोर्ट राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और संघ के कार्यकारी अधिकारों के तहत क्षेत्र के प्रशासन और राज्य को निर्देश देने के संबंध में होगी। (घ) जनजातीय इलाकों वाले राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद स्थापित की जाएगी। राज्यपाल द्वारा भेजे गए जनजातीय के कल्याण और प्रगति से जुड़े मुद्दों के बारे में यह राज्य सरकार को सलाह देगी। जनजातीय सलाहकार परिषद में सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए जिनमें लगभग तीन चौथाई अनुसूचित जाति के विधायक होने चाहिए। (जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना भारत के राष्ट्रपति के निर्देश पर किसी भी राज्य में की जा सकती है जहां अनुसूचित जनजातियां हों लेकिन अनुसूचित क्षेत्र न हों) (च) पंचायतों का प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पीईएसए) के अनुसार संविधान के 9वें भाग में दिए गए पंचायतों संबंधी प्रावधानों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों तक किया गया है। इसमें अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

छठी अनुसूची- जनजातीय क्षेत्र : संविधान के अनुच्छेद 244 की छठी अनुसूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय इलाकों में स्वायत्त जिलों की पहचान की गई है। इन स्वायत्त जिलों में भी स्वायत्त क्षेत्रों की पहचान का प्रावधान किया गया है। इन्हें छठी अनुसूची के अनुच्छेद 20 की सारिणी के भाग-1, 2, 2 (क) और 3 में दिया गया है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ऐसे क्षेत्र जहां छठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं, जनजातीय क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं। जनजातीय क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

भाग-1	असम	1. उत्तर कछार पर्वतीय जिला
		2. कर्बी- आंगलोंग जिला
		3. बोडोलैंड क्षेत्रीय जिला
भाग-2	मेघालय	1. खासी पर्वतीय जिला
		2. जैंतिया पर्वतीय जिला
		3. गारो पर्वतीय जिला
भाग- 2 क	त्रिपुरा	1. त्रिपुरा जनजातीय जिला
भाग- 3	मिजोरम	1. चकमा जिला
		2. मारा जिला
		3. लई जिला

स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों का प्रशासन जिला परिषदों/क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से चलाया जाता है। ये परिषदें निर्वाचित इकाइयां होती हैं। इन्हें कार्यकारी, विकासात्मक और वित्तीय दायित्व सौंपे गए हैं। इन्हें विधायी तथा न्यायिक प्रशासन के अधिकार भी दिए गए हैं। जिला या क्षेत्रीय परिषदों को जिले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, पोखरों, नौकाओं, मत्स्य क्षेत्रों, सड़कों, भूतल परिवहन और जलमार्गों की स्थापना, निर्माण और प्रबंधन के संबंध में राज्यपाल की मंजूरी से कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।

उत्तरी कछार पर्वतीय इलाकों और कर्बी- आंगलों की स्वायत्त परिषदों को माध्यमिक शिक्षा, कृषि, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, जन स्वास्थ्य तथा सफाई, लघु सिंचाई आदि क्षेत्रों के संबंध में भी कानून बनाने के अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं।

परिषदों को कुछ अपराधों और मुकदमों की सुनवाई के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत अधिकार दिए गए हैं। इन्हें अपने क्षेत्र में राजस्व कर और कर एकत्र करने के लिए राजस्व प्राधिकरण के अधिकार और प्राकृतिक संसाधनों के नियम और प्रबंधन के लिए अन्य अधिकार भी दिए गए हैं।

अनुसूचित जनजाति घोषित करने की प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (25) के तहत अनुसूचित जनजातियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है : संविधान की धारा 342 के तहत आने वाली अनुसूचित जनजातियों के समान जनजातियां या जनजातीय समुदाय या ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के समूह अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में आते हैं। अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों की पहचान के मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

अनुच्छेद 342 (1) के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संदर्भ में और राज्य के मामले में राज्यपाल से परामर्श के बाद जनजातियों या जनजातीय समुदायों या उसके समूहों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। यह अनुच्छेद जनजाति या उसके समूह को उनके राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में इन समुदायों को उनके लिए संविधान में प्रदत्त संरक्षण उपलब्ध कर, संवैधानिक हैसियत प्रदान कर सकता है।

इस प्रकार अनुच्छेद 342 (1) के अनुसार केवल वे जनजातियां अनुसूचित जनजातियां मानी जाएंगी जिनके बारे में राष्ट्रपति प्रारंभिक सार्वजनिक अधिसूचना के जरिए तत्संबंधी घोषणा करेंगे। इस सूची में किसी तरह का संशोधन संसदीय कानून की धारा 342 (2) के जरिए ही किया जा सकता है। संसद कानून बनाकर किसी भी जनजाति या जनजातीय समुदाय या उससे किसी समूह को अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ सकती है या उससे हटा सकती है।

अनुसूचित जातियों की सूची राज्य विशेष के बारे में है। आवश्यक नहीं कि किसी एक राज्य में अनुसूचित जनजाति घोषित समुदाय, किसी दूसरे राज्य में भी अनुसूचित जनजाति मानी जाए।

जनजातियों को अनुसूचित श्रेणी में सम्मिलित करना और उससे हटाना

इस प्रकार, किसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश विशेष के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के प्रारंभिक विनिर्देश संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना से हटाए जाते हैं। इस

अनुच्छेद में यह प्रावधान भी है कि अनुसूचित जनजातियों की राज्यवार/केंद्रशासित प्रदेशवार सूची बनाई जाए न कि अखिल भारतीय आधार पर।

किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के आधार इस प्रकार हैं : (क) आदिम विशेषताएं (ख) भिन्न संस्कृति (ग) बड़े स्तर पर सार्वजनिक संपर्क से बचना (घ) भौगोलिक अलगाव यानी पिछड़ापन।

संविधान में इसका उल्लेख नहीं है लेकिन ये मापदंड पूरी तरह से स्थापित हो चुके हैं। इनमें वर्ष 1931 की जनगणना और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (कालेलकर) 1955, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूचियां (लोकुर समिति) 1965 के संशोधन पर सलाहकार समिति और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 (चंदा समिति) 1969 की रिपोर्ट को ध्यान में रखा गया है।

भारत के संविधान की धारा 342 के तहत 700 से अधिक (इनमें से कई एक से अधिक राज्यों में हैं) जनजातियों को अधिसूचित किया गया है। ये देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैली हैं। गौरतलब है कि हरियाणा, पंजाब और केंद्रशासित प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली और पुद्दुचेरी में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने में ध्यान देने योग्य बिंदु

सामान्य

अगर कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर जनजातीय समुदाय का होने का दावा करता है तो निम्न बातों की पुष्टि की जानी चाहिए : (क) वह व्यक्ति जिस समुदाय का होने का दावा कर रहा है, क्या वह और उसके अभिभावक वास्तव में उस समुदाय से संबंध रखते हैं, (ख) क्या वह समुदाय संबंधित राज्य के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल है, (ग) क्या वह व्यक्ति उस राज्य और उस राज्य के तहत उस क्षेत्र से संबंध रखता है जहां उस समुदाय को अनुसूचित किया गया है, (घ) वह कोई भी धर्म अपना सकता है, (च) वह व्यक्ति या उसके माता-पिता/दादा-दादी आदि को इस संदर्भ में लागू राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना के दिन उस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, (छ) अगर किसी व्यक्ति की जनजाति उसके गृह राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में अनुसूचित है और वह व्यक्ति इस संदर्भ में लागू राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना जारी होने के समय नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में अस्थायी रूप से अपने स्थायी आवास से दूर हो तो वह भी अनुसूचित जनजाति का माना जा सकता है, (ज) लेकिन उसे अपने अस्थायी आवास के स्थान पर अनुसूचित जनजाति का नहीं माना जाएगा, भले ही उसकी जनजाति को राष्ट्रपति के आदेश के तहत उसके अस्थायी आवास वाले राज्य में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया हो, (झ) अगर किसी व्यक्ति का जन्म इस संदर्भ में राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी होने के बाद हुआ हो तो अनुसूचित जनजाति के दर्जे के प्रयोजन के लिए उसका आवास स्थान राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना के समय उसके माता-पिता का स्थायी आवास होगा। यह लक्षद्वीप की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं है।

प्रवास पर अनुसूचित जनजाति के दावे

जब कोई व्यक्ति राज्य के उस हिस्से में प्रवास करता है जहां उसका समुदाय अधिसूचित है और उसी

राज्य के उस हिस्से में जाता है जहां उसका समुदाय अनुसूचित नहीं है तब भी वह व्यक्ति उस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा,

जब कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करता है तब वह व्यक्ति केवल उसी राज्य का अनुसूचित जनजाति का सदस्य माना जाएगा जहां का वह मूल निवासी है, न कि उस राज्य का जहां वह रह रहा है।

विवाह के माध्यम से अनुसूचित जनजाति का होने का दावा

इस संदर्भ में मार्गदर्शन करने वाला सिद्धांत कहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, केवल इस आधार पर अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने अनुसूचित जनजाति के सदस्य से विवाह किया है। इसी प्रकार, कोई अनुसूचित जनजाति का सदस्य इसी जाति का सदस्य बना रहेगा, चाहे उसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जो अनुसूचित जनजाति का न हो।

अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करना

अनुसूचित जनजाति के लोग अनुसूचित निर्धारक प्रमाणपत्र निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं : (1) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधीश/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप जिलाधीश/ प्रथम श्रेणी/ वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उपमंडलीय जिलाधीश/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के दर्जे से नीचे का न हो), (2) मुख्य महाप्रांतीय मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य महाप्रांतीय मजिस्ट्रेट/महाप्रांतीय मजिस्ट्रेट, (3) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के दर्जे से कम न हो, (4) उम्मीदवार और उसका परिवार आम तौर पर जिस क्षेत्र में रहता है वहां का उपमंडलीय अधिकारी, (5) प्रशासक/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप द्वीपसमूह का प्रशासक/सचिव)।

उचित सत्यापन के बिना अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकारियों को दंड

अगर कोई अधिकारी बिना उचित सत्यापन के लापरवाही से अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह उस कार्रवाई के अतिरिक्त होगी जो प्रशासनिक कार्रवाई के अंतर्गत होगी।

अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से आए प्रवासियों को अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में छूट

अनुसूचित जनजाति के उन व्यक्तियों को जो रोजगार, शिक्षा आदि के उद्देश्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में आए हैं उन्हें अपने मूल्य राज्य से एसटी प्रमाणपत्र हासिल करने में काफी मुश्किलें आती हैं। इस कठिनाई को दूर करने की दिशा में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रशासन का निर्धारित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को अपने माता/पिता को जारी प्रामाणिक प्रमाणपत्र हाजिर करने का अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। अगर अधिकारी को लगता है कि प्रमाणपत्र जारी करने से पहले विस्तृत जांच जरूरी है तो वह जांच के बाद प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। प्रमाणपत्र इस आधार के बिना जारी किया जाएगा कि व्यक्ति का राज्य/केंद्रशासित प्रदेश से कोई संबंध नहीं है, यद्यपि जहां पर वह रह रहा है, उस राज्य में वह लाभ का पात्र नहीं होगा।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने या सूची से हटाने की प्रक्रिया

अनुसूचित जनजातियों को सूची में सम्मिलित करने या सूची से हटाने के दावों का निर्णय करने के तौर-तरीकों को सरकार ने जून 1999 में स्वीकृति दे दी। इन दिशानिर्देशों के अनुसार केवल उन्हीं दावों पर विचार किया जाएगा जिन पर संबंधित राज्य सरकार, भारत का महापंजीयक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का राष्ट्रीय आयोग सहमत होंगे।

जब भी किसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को सम्मिलित किए जाने के प्रतिवेदन मंत्रालय को प्राप्त होंगे, तो वह संविधान की धारा 342 के तहत अपेक्षित सिफारिशें संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन को भेज देता है। अगर संबद्ध राज्य सरकार प्रस्ताव की सिफारिश करती है तो उसे भारत के महापंजीयक के पास भेज दिया जाता है।

भारत के महापंजीयक अगर राज्य सरकार की सिफारिश से संतुष्ट होते हैं तो वे केंद्र सरकार को इस प्रस्ताव की सिफारिश को करते हैं। तब सरकार इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास भेज देती है। अगर यह आयोग भी इस संबंध में सिफारिश करता है तो इस मामले को संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ परामर्श के बाद मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए भेज दिया जाता है।

सामान्य आंकड़े

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 8.43 करोड़ थी जो देश की कुल जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत है।

जनसांख्यिकीय विवरण-जनगणना 2001

क्र. सं.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या	राज्यों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत
1	मिजोरम	888,573	839,310	94.5
2	लक्षद्वीप	60,650	57,321	94.5
3	नगालैंड	1,990,036	1,774,026	89.1
4	मेघालय	2,318,822	1,992,862	85.9
5	अरुणाचल प्रदेश	1,097,968	705,158	64.2
6	दादर और नगर हवेली	220,490	137,225	62.2
7	मणिपुर	2,166,788	137,225	62.2
8	छत्तीसगढ़	20,833,803	6,616,596	31.8
9	त्रिपुरा	3,199,203	993,426	31.1
10	झारखंड	26,945,829	7,087,068	26.3
11	उड़ीसा	36,804,660	8,145,081	22.1
12	सिक्किम	540,851	111,405	20.6
13	मध्य प्रदेश	60,348,023	12,233,474	20.3
14	गुजरात	50,671,017	7,481,160	14.8
15	राजस्थान	56,507,188	7,097,706	12.6
16	असम	26,655,528	3,308,570	12.4

1098

भारत-2010

17	जम्मू और कश्मीर	10,143,700	1,105,979	10.9
18	महाराष्ट्र	96,878,627	8,577,276	8.9
19	दमन और दीव	158,204	13,997	8.8
20	अंडमान निकोबार	356,152	29,469	8.3
21	आंध्र प्रदेश	76,210,007	5,024,104	6.6
22	कर्नाटक	52,850,562	3,463,986	6.6
23	पश्चिम बंगाल	801,76,197	4,406,794	5.5
24	हिमाचल प्रदेश	6,077,900	244,587	4.0
25	उत्तराखंड	8,489,349	256,129	3.0
26	केरल	31,841,374	364,189	1.1
27	तमिलनाडु	62,405,679	651,321	1.0
28	बिहार	82,998,509	758,351	0.9
29	उत्तर प्रदेश	166,197,921	107,963	0.1
30	गोवा	1,347,668	566	0
31	हरियाणा	21,144,564	0	0
32	पंजाब	24,358,999	0	0
33	चंडीगढ़	900,635	0	0
34	दिल्ली	13,850,507	0	0
35	पुद्दुचेरी	974,345	0	0
भारत		1028,610,328	84,326,240	8.2

जनजातियां सामान्यतः निम्नलिखित तीन वर्ग स्तरों में रहती हैं:

पूर्वोत्तर क्षेत्र	- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम
मध्य जनजातीय इलाका	- राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव
अन्य राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	- हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप

जनजातीय समुदाय देश के कुल क्षेत्र के लगभग 15 प्रतिशत भाग में फैले हैं जो भिन्न-भिन्न पारिस्थितिकी तथा भू-जलवायु स्थितियों वाले मैदानी, पर्वतीय, जंगली और दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। विभिन्न जनजातीय समुदायों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास का स्तर अलग-अलग है। जनजातीय समुदाय के लोग हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पांडिचेरी और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में रहते हैं। देश के जनजातीय बहुल राज्य (जहां कुल आबादी की 50 प्रतिशत से

अधिक आबादी जनजातीय हैं) इस प्रकार हैं : अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप। अगर जनसंख्या की दृष्टि से अनुसूचित जनजातियों के बीच तुलना की जाए तो अनुसूचित जनजाति की आधी से अधिक आबादी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात में है। सबसे अधिक जनजातियां (62) उड़ीसा राज्य में हैं। उसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों का स्थान है।

आदिम जनजातीय समूह (पीटीजीएस) : हालांकि कुछ जनजातीय समुदायों ने जीवनशैली की मुख्यधारा को अपना लिया है लेकिन अब भी 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में आदिम जातियों के 75 समूह हैं जिनकी विशेषताएं इस प्रकार हैं : (क) प्रौद्योगिकी का कृषि पूर्व स्तर, (ख) घटती या अस्थिर जनसंख्या, (ग) साक्षरता की अत्यधिक कमी और (घ) गुजारे लायक आर्थिक स्थिति।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, इनकी कुल आबादी लगभग 24.12 लाख थी। इनमें से अधिकतर समूहों के लोगों की संख्या बहुत कम है, और उन्होंने सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति के विभिन्न स्तरों को प्राप्त किया है और यह सामान्यतः दूर-दराज के इलाकों में अल्प प्रशासनिक तथा ढांचागत सुविधाओं के साथ रहते हैं।

जनसंख्या विवरण : अनुसूचित जनजातियों की जनसांख्यिकीय, लिंग अनुपात, शिक्षा, जीविका तथा स्वास्थ्य की स्थिति आदि के संबंध में जनगणना कार्यों या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) या केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) के माध्यम से समय-समय पर जानकारी संकलित की गई है।

वर्ष 1961 से अनुसूचित जनजातियों के लोगों की आबादी बढ़ रही है। जनगणना के अनुसार, वर्ष 1991 से 2001 के दौरान जनजातियों की जनसंख्या 24.45 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। जनगणना वर्ष 1981 से 1991 के बीच जनजातीय लोगों की वृद्धि दर कुल जनसंख्या की वृद्धि दर (23.51 प्रतिशत) की तुलना में अधिक (31.64 प्रतिशत) थी। जनगणना वर्ष 1991 से 2001 के दौरान यह कुल जनसंख्या की वृद्धि दर 22.66 प्रतिशत के मुकाबले 24.45 प्रतिशत थी।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों के बीच लिंग अनुपात कुल जनसंख्या के लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुष, 933 महिलाएं) की तुलना में बेहतर (प्रति 1000 पुरुष, 978 महिलाएं) है।

साक्षरता : कुल जनसंख्या की साक्षरता दर वर्ष 1991 से 2001 के बीच 52.2 प्रतिशत से बढ़कर 65.38 प्रतिशत हो गई। अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर 29.62 प्रतिशत से बढ़कर 47.10 प्रतिशत हो गई। फिर भी जनजातियों में साक्षरता दर देश की कुल जनसंख्या की साक्षरता दर (64.8 प्रतिशत) की तुलना में कम (47.10 प्रतिशत) है।

जनजातियों के बीच महिला साक्षरता दर वर्ष 1991 से 2001 के दौरान 18.2 प्रतिशत से बढ़कर 34.8 प्रतिशत हो गई। यह सामान्य जनसंख्या की महिला साक्षरता दर से 20 प्रतिशत कम होने का अनुमान है लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जनजातियों में महिला साक्षरता सहित कुल मिलाकर, साक्षरता बढ़ी है। औपचारिक शिक्षा में पढ़ाई छोड़ देने वालों की अधिक संख्या होने के कारण उच्च शिक्षा में शिक्षा के अनुपात में विषमता आ जाती है।

कामकाज संबंधी विवरण : वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में 42.02 प्रतिशत लोग कामगार थे। इनमें से 54.50 प्रतिशत किसान और 36.9 प्रतिशत खेतिहर

मजदूर थे। इस प्रकार इन समुदायों के कार्यरत लोगों का लगभग 82 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों में लगा था।

पिछड़ेपन का संकेतक : गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली अनुसूचित जनजातियों का अनुपात राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी अधिक होना आश्चर्यजनक नहीं है। अधिकतर अनुसूचित जनजातियां गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही हैं। उनमें साक्षरता दर बहुत कम है। वे कुपोषण तथा बीमारियों की शिकार हैं और उनके विस्थापन की आशंका बनी रहती है।

केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए ये कार्यक्रम/योजनाएं चला रही हैं- नौकरियों में आरक्षण, जनजातीय उपयोजनाएं, केंद्रीय योजनाएं, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं आदि। लेकिन अनुसूचित जनजातियों के अपेक्षित विकास लक्ष्य को पाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

जनजातियों का विकास

हमने देखा है कि जनजातीय आबादी का मानव विकास सूचकांक शेष लोगों की तुलना में अत्यधिक कम है। इसका प्रमुख कारण यह है कि ये जनजातियां आम तौर पर समूहों में ऐसे क्षेत्रों में रहती हैं जो दूर-दराज और वन क्षेत्रों के निकट होते हैं। इनके दुर्गम इलाकों में बसने के कारण ही आम लोगों के लिए लागू किए जाने वाले विकास कार्यक्रम इन तक पहुंच नहीं पाते। फिर भी, भारत सरकार और राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों के विकास और उनकी स्थिति सुधारने के लिए हाल के वर्षों में कई उपाय किए हैं लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। मई 2004 में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अनुसूचित जातियों के विकास पर जोर दिया गया है।

जनजातीय उपयोजना (टीएसपी)

अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए जनजाति उपयोजना का आरंभ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में वर्ष 1974-75 में किया गया। इसके तहत अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी वाले 21 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया गया। इस विशेष रणनीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि केंद्र और राज्य स्तर पर चलाई जा रही विकास योजनाओं का उचित हिस्सा अनुसूचित जनजाति के लोगों तक पहुंचे। इसमें राज्य योजना की धनराशि ही नहीं बल्कि सभी केंद्रीय मंत्रालय/विभागों की धनराशि का लाभ भी अनुसूचित जनजाति को मिलना सुनिश्चित करने की बात की गई। टीएसपी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश या केंद्रीय मंत्रालय/विभाग की सकल योजना का एक हिस्सा है इसलिए इसे उपयोजना कहा गया।

टीएसपी कानूनी और प्रशासनिक सहायता से विकास कार्यों को प्रोत्साहन देती है। टीएसपी रणनीति 195 एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं(आईटीडीपी)/एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों(आईटीडीए), 259 संशोधित क्षेत्र विकास पहुंच (एमएडीए) और 82 समूहों के माध्यम से लागू की जा रही है। इसके लाभ भिन्न-भिन्न स्थानों पर रहने वाली अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या तक भी पहुंचाए जा रहे हैं।

टीएसपी की धनराशि केंद्र द्वारा समर्थित योजनाओं, विशेष केंद्रीय सहायता, राज्य योजना और संस्थागत वित्त से मिलती है। केंद्रीय मंत्रालयों को अनुसूचित जनजाति के कल्याण व विकास के लिए बजट का कम से कम आठ प्रतिशत उपयोग करने का अनुरोध किया गया है।

जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता

भारत सरकार ने जनजातीय उपयोजना के समर्थन में 1974 में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एससीए योजना लागू की है। इसका उद्देश्य पारिवारिक आय बढ़ाने के कार्यक्रमों में अंतर को दूर करना है। नतीजतन, सभी विकास कार्यक्रमों के तहत अनुसूचित जनजातियों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए उनके विकास हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध धनराशि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

जनजातीय मामलों का मंत्रालय जनजातीय उपयोजना के तहत विशेष केंद्रीय सहायता, 21 जनजातीय राज्यों की सरकारों और दो केंद्रशासित प्रदेशों को उपलब्ध कराता है। इन राज्यों में पूर्वोत्तर राज्य-असम, मणिपुर और त्रिपुरा शामिल हैं लेकिन वर्ष 2003-04 से केंद्रशासित प्रदेशों के लिए जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता के तहत धनराशि गृह मंत्रालय उपलब्ध करा रहा है।

विशेष केंद्रीय सहायता का इस्तेमाल जनजातीय उपयोजना की राशि के साथ समन्वित रूप से किया जाता है जिससे उन कमियों को दूर किया जा सके जिनकी ओर राज्य योजना में ध्यान नहीं दिया जाता। टीएसपी की एससीए का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र मूलतः दसवीं पंचवर्षीय योजना से टीएसपी की परिवार आधारित आय वृद्धि में भारी अंतर को मिटाना था। अब एससीए का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र आय वृद्धि के लिए आधारभूत आकस्मिक आय को सम्मिलित करने तक बढ़ा दिया गया है।

टीएसपी की एससीए के तहत राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों को जारी फंड इस प्रकार है :

पंचवर्षीय योजना	जारी किया गया फंड
पांचवी	119.31
छठी	486.11
सातवीं	846.95
आठवीं	1484.12
नौवीं	2009.61
दसवीं	2960.83
ग्यारहवीं (वर्ष 2007-08)	631.80

अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान : भारतीय संविधान में अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रबंधन के स्तर को बढ़ाकर, राज्य के अन्य क्षेत्रों के समान करने के लिए सुनिश्चित विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया।

जंगल बाहुल्य गांवों के विकास के लिए कार्यक्रम

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जंगल बाहुल्य गांवों का विकास जनजाति विकास के क्षेत्र में एक अहम हिस्सा है। योजना आयोग ने प्रति गांव 15 लाख रुपए के औसत आवंटन के हिसाब से जंगल बाहुल्य गांवों के विकास के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय को 450 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 12 राज्यों में लगभग 2474 ऐसे जंगल बाहुल्य गांव हैं जिन्हें अभी भी राज्य का वन विभाग देखता है। ऐसा अनुमान है कि इन गांवों में लगभग 2.5 लाख आदिवासी परिवार रहते हैं। इन जंगल बाहुल्य गांवों

को राजस्व अर्जित गांवों में बदलने की प्रक्रिया विचाराधीन है। योजना के तहत जारी फंड का ब्यौरा इस प्रकार है :

(रुपये लाख में)

वर्ष	जारी फंड
2005-06	19180.86
2006-07	22097.09
2007-08	4646.82
2008-09	13931.55

अनुच्छेद 275 (1) के तहत विभिन्न योजनाओं में जारी धनराशि :

(रुपये करोड़ में)

योजना	जारी धनराशि
पांचवी	60.00
छठी	80.00
सातवीं	100.00
आठवीं	340.00
नौवीं	741.00
दसवीं	1662.70
ग्यारहवीं (वर्ष 2007-08)	390.28

आदिम जनजाति समूहों के लिए योजना

वर्ष 1998-99 में इन समूहों के समूचे विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत अन्य किसी योजना में शामिल नहीं की गई परियोजनाएं/गतिविधियां शुरू करने के लिए समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाओं, जनजातीय शोध संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

अनुसूचित जनजाति के बालक-बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण की योजना

इस योजना के तहत केंद्र नए छात्रावासों के निर्माण और/अथवा वर्तमान छात्रावासों के विस्तार हेतु सहायता देता है। इस योजना के तहत वर्ष 2007-08 तक छात्रावास निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार आधी-आधी लागत वहन करते हैं। केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्र सरकार पूरा खर्च वहन करती है। निर्माण की लागत राज्य लोक निर्माण विभाग और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की दरें, जो भी कम हों, पर आधारित हैं। छात्रावास के निर्माण का उत्तरदायित्व संबद्ध राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की है। छात्रावास में सीटों की संख्या 100 थी।

अनुसूचित जनजाति के बालक-बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण की योजना ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी निम्न परिवर्तनों के साथ चालू हैं :

1. सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों/विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण की संपूर्ण लागत केंद्र वहन करेगा।
2. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बालकों के लिए छात्रावास निर्माण की लागत केंद्र

सरकार वहन करेगी जबकि अन्य क्षेत्रों में 50 प्रतिशत लागत वहन करेगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों को शत प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

3. व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में भी इसी आधार पर केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।
4. छात्रावास निर्माण की अवधि पांच वर्ष से घटाकर दो वर्ष कर दी गई है।

रुपये करोड़ में

योजना अवधि	परिव्यय	वास्तविक जारी धनराशि	निर्मित छात्रावासों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
दसवीं योजना के दौरान दोनों योजनाओं को समाहित कर दिया गया	104.00	88.41	389	24379
वर्ष 2007-08	37.00	37.00	314	28146

जनजातीय उपयोजना के क्षेत्र में आश्रम विद्यालयों की स्थापना

आश्रम स्कूल योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उनके परिचित वातावरण में आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना है जिससे जनजातीय विद्यार्थियों में साक्षरता दर बढ़ाई जा सके और उनकी साक्षरता दर देश के अन्य लोगों की साक्षरता दर के बराबर लाई जा सके। इस योजना में राज्य और केंद्र दोनों की आधी-आधी भागीदारी होती है जबकि केंद्रशासित प्रदेश में पूरा खर्च केंद्र वहन करता है।

रुपये करोड़ में

योजना अवधि	परिव्यय	वास्तविक जारी धनराशि	निर्मित आश्रम विद्यालयों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
दसवीं	78.30	42.97	232	17650
वर्ष 2007-08	147.60	20.00	97	16839

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की मेरिट का उन्नयन

इस योजना का उद्देश्य दसवीं और बारहवीं के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग उपलब्ध कराना है जिससे वे इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तैयारी कर सकें। राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों में यह योजना शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता से मुहैया कराई जा रही है।

रुपये करोड़ में

योजना अवधि	परिव्यय	वास्तविक जारी धनराशि	वास्तविक उपलब्धियां
नौवीं	4.20	3.60	329 विद्यार्थी*
दसवीं	5.56	4.58	3352 विद्यार्थी
वर्ष 2007-08	1.75	1.38	1031 विद्यार्थी

*वर्ष 1997-98 से वर्ष 1999-2000 तक अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों की संख्या

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति : इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पंजीकृत पाठ्यक्रमों में मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिए प्रोत्साहन देना है। इस योजना में पेशेवर, तकनीकी, गैर पेशेवर तथा गैर तकनीकी सभी स्तर के पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है। इसमें दूरस्थ शिक्षा के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया है। केंद्र की शत प्रतिशत सहायता में इसका कार्यान्वयन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। अन्य आवश्यकताओं के लिए बजटीय प्रावधान है।

बजटीय आवंटन, वास्तविक जारी धनराशि आदि का ब्यौरा इस प्रकार है-

(रुपये करोड़ में)

योजना अवधि	परिव्यय	वास्तविक जारी धनराशि	उपलब्धियां
नौवीं	221.55	260.65	2639088
दसवीं	389.09	683.98	3744000
वर्ष 2007-08	201.24	200.3	1028903

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण : इस योजना का उद्देश्य जनजातीय युवाओं में रोजगार/स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए कौशल विकसित करना है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में इसका प्रारंभ वर्ष 1992-93 में किया गया था। योजना को राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन, संस्थाओं या संगठनों के जरिए सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्तशासी निकाय, शैक्षिक और अन्य संस्थान जैसे स्थानीय निकाय, सहकारी समितियों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा लागू किया जाता है। प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की क्षमता 100 है जिसमें 50 लोगों के लिए छात्रावास की सुविधा भी शामिल है। क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार केंद्र पांच व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है। प्रत्येक जनजातीय बालक/बालिका को उनकी रुचि के दो कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक पाठ्यक्रम की अवधि तीन महीने है। प्रशिक्षु को छह माह बाद उपनगरीय क्षेत्र के एक प्रशिक्षक शिल्पी से छह माह के लिए संबद्ध कर दिया जाता है। इससे वह प्राप्त प्रशिक्षण का व्यावहारिक प्रयोग कर सकता है। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए यह अवधि तीन महीने की है। इसमें प्रशिक्षु को मासिक स्टैंडपेंड और प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

बजट आवंटन, वास्तविक जारी राशि और लाभार्थियों का विवरण निम्नलिखित है :

(रुपये करोड़ में)

योजना अवधि	परिव्यय	वास्तविक जारी धनराशि	लाभार्थियों की संख्या
नौवीं	30.25	17.44	203
दसवीं	33.56	24.35	290
वर्ष 2007-08 (एनजीओ के अतिरिक्त)	6.75	6.75	48
ग्यारहवीं (2007-08) (एनजीओ)	2.25	2.25	14

कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा

जनजातीय महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 1992-93 में पहली से पांचवी कक्षा तक की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकायों और स्वैच्छिक संगठनों के जरिए किया जाता है। दसवीं योजना के दौरान योजना के लिए 33.34 करोड़ रुपए जारी किए गए जिससे प्रति वर्ष 8000 से ज्यादा जनजातीय बालिकाओं को लाभ मिला। मार्च 2007-08 के दौरान 76 आवासीय परिसरों के लिए 19.75 करोड़ रुपए जारी किए गए और इससे 10379 जनजातीय बालिकाओं को लाभ मिला।

वित्तीय वर्ष 2009 के प्रारंभ में इस योजना का पुनर्मूल्यांकन कर इसे नया नाम 'कम साक्षरता वाले जिलों में जनजातीय बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढीकरण' दिया गया। इसमें उन जिलों को शामिल किया गया जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातीय जनसंख्या 25 प्रतिशत या उससे अधिक है और जनजातीय महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से नीचे है। चुने हुए 54 जिलों के अतिरिक्त ऐसी ही स्थिति वाले ब्लॉक और पीटीजी क्षेत्र भी योजना में शामिल हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को योजना में प्राथमिकता दी गई है। सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी विद्यालय या शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं के तहत चलाए जा रहे विद्यालयों के बालिका छात्रावासों के लिए इस योजना के तहत मंत्रालय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जहां इस प्रकार के विद्यालय नहीं हैं, वहां विद्यालय व छात्रावास सहित पूरे परिसर को शामिल किया जाता है। निःशुल्क शिक्षा के साथ ही जनजातीय बालिकाओं को आवास, वर्दी, पुस्तकें, भोजन का पैसा और इनसेंटिव दिया जाता है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक परिसर संचालित करने वाले संगठन को व्यावसायिक/कौशल विकास प्रशिक्षण भी देना होता है।

स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान : इस योजना का उद्देश्य स्वैच्छिक संगठनों के प्रयास से सरकार की कल्याण योजनाओं की पहुंच को बढ़ाना और शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, एग्री हॉर्टिकल्चर उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा दायरे आदि क्षेत्रों में जनजातीय इलाकों में सेवा के अंतर को कम करना है और जनजातियों के सर्वांगीण विकास और सामाजिक आर्थिक उन्नयन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है। मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत उन स्वैच्छिक संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है जो आवासीय और गैर आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, अस्पतालों, चल चिकित्सा इकाइयों, कंप्यूटर प्रशिक्षण इकाइयों, पुस्तकालयों, दृश्य श्रव्य इकाइयों, कृषि प्रशिक्षण आदि परियोजना के लिए कार्य करते हैं। यह अनुदान सामान्यतः परियोजना की कुल अनुमोदित लागत का 90 प्रतिशत तक होता है और शेष 10 प्रतिशत राशि संबंधित संगठन द्वारा वहन की जाती है। दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 146.16 करोड़ रुपए जारी किए गए। ग्यारहवीं योजना के दौरान वर्ष 2008-09 से योजना की वित्तीय शर्तों में संशोधन किया गया है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप : इस योजना का उद्देश्य जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के रूप में फेलोशिप उपलब्ध कराना है। इस फेलोशिप का प्रारूप शोधार्थियों को एम.फिल., पीएच.डी. पाठ्यक्रमों के लिए यूजीसी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही फेलोशिप के समान है। दसवीं योजना के दौरान 776 विद्यार्थियों को फेलोशिप प्रदान की गई। वर्ष 2007-08 में 667 नए विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (गैर योजना) : इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों, गैर अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों के प्रतिभाशाली सदस्यों को इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में निर्दिष्ट

विषयों में स्नातकोत्तर, पीएच. डी. और डॉक्टरल परवर्ती अनुसंधान पाठ्यक्रमों के लिए विदेश में उच्चतम शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। चुने हुए उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता के अतिरिक्त विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा वसूल की जाने वाली ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षिक शुल्क आदि, गुजारा भत्ता और अन्य अनुदान दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों को यात्रा अनुदान भी दिया जाता है जिन्हें विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययन, अनुसंधान और प्रशिक्षण (इसमें सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन शामिल नहीं हैं) के लिए किसी विदेशी सरकार/संगठन से या किसी अन्य योजना के अंतर्गत योग्यता छात्रवृत्ति प्रदान की गई हो लेकिन यात्रा खर्च का प्रावधान न किया गया हो। विदेश में शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की इस योजना को वर्ष 2004-05 से संशोधित किया गया है।

इस योजना के तहत मास्टर डिग्री पीएच.डी. के लिए विशिष्ट क्षेत्रों तक इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में पोस्ट- डॉक्टरल अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु जनजातीय विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

बजटीय आवंटन, वास्तविक जारी धनराशि और लाभार्थियों का विवरण निम्नलिखित है :

योजना अवधि	परिव्यय	वास्तविक जारी	उपलब्धियां
नौवीं	114	50	5 विद्यार्थी
दसवीं	418	50	5 विद्यार्थी
वर्ष 2007-08	100	0.14	8 विद्यार्थी

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उच्चस्तरीय शिक्षा योजना

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वर्ष 2007-08 में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा की नई योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य चुनिंदा उत्कृष्ट संस्थानों में से किसी में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 127 उच्च स्तरीय सरकारी और निजी क्षेत्र के संस्थान मान्यता प्राप्त हैं जो प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून और वाणिज्यिक पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। प्रति वर्ष 635 छात्रवृत्तियों की सीमा के साथ ही प्रत्येक संस्थान को पांच छात्रवृत्तियां स्वीकृति की गई हैं। जनजातीय विद्यार्थी की सभी स्रोतों से पारिवारिक आय दो लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के मामले में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पूरी ट्यूशन फीस और गैर प्रत्यर्पणीय शुल्क छात्रवृत्ति में शामिल हैं। हालांकि निजी क्षेत्र के संस्थानों के लिए प्रति वर्ष, प्रति विद्यार्थी दो लाख रुपए की सीमा तथा व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण के लिए निजी क्षेत्र के फ्लाईंग क्लब हेतु तय सीमा 3.72 लाख रुपए प्रति वर्ष-प्रति विद्यार्थी है। इसके अतिरिक्त छात्रवृत्ति के तहत निम्न सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं (1) रहन-सहन खर्च 220 रुपए प्रति माह-प्रति विद्यार्थी, (वास्तविक खर्च के अनुसार), (2) पुस्तक और स्टेशनरी खर्च तीन हजार रुपए प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी, और (3) नवीनतम कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक बार 45000 रुपए की एकमुश्त धनराशि।

लघु वनोत्पादों के लिए सहायता अनुदान कार्यक्रम : यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके तहत राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों, वन विकास निगमों और लघु वन उत्पाद (व्यापार और विकास) परिसंघों को लघु वन उत्पाद कार्यक्रम शुरू करने के लिए शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इस योजना के तहत राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों/वन विकास निगमों को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए

धन दिया जाता है- (1) आवश्यकता पड़ने पर परिचालन क्षति समायोजित करते हुए लघु वन उत्पादों की मात्रा में वृद्धि करना, (2) लघु वन उत्पादों के कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए संबद्ध निगम का पूंजी आधार मजबूत करना और इस प्रकार वर्तमान में उत्पादित लघु वन उत्पादों की मात्रा में बढ़ोतरी करना, (3) जहां भी आवश्यक हो वैज्ञानिक गोदाम सुविधाओं की स्थापना करना, (4) लघु वन उत्पादों के लिए मूल्य संवर्धन के लिए प्रसंस्करण उद्योग लगाना जिससे जनजातियों को उनके लघु वन उत्पादों के लिए अधिकतम मूल्य सुनिश्चित किया जा सके, (5) जनजातियों को उपभोग ऋण प्रदान करने के लिए और (6) अनुसंधान और विकास प्रयासों में सहायता पहुंचाने के लिए।

अनुसूचित जनजातियों द्वारा भ्रमण : अनुसूचित जनजातियों के लिए भ्रमण की एक नई योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि ये लोग देश के विकसित क्षेत्रों का दौरा करके, जानकारी हासिल कर सकें और अनुभवों का आदान-प्रदान करें।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम

अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास की गति को तेज करने और उस पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को विभाजित कर, अप्रैल, 2001 में जनजातीय मामले के मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की स्थापना की गई। इसे कंपनी अधिनियम को धारा 25 (ऐसी कंपनी जो लाभ के लिए नहीं है) के तहत लाइसेंस दिया गया। निगम की अधिसूचित शेयर पूंजी पांच सौ करोड़ रुपए और प्रदत्त पूंजी 230 करोड़ रुपए है।

निगम के लिए बनाए गए अधिदेश (अंडरटेकिंग, स्वरोजगार उद्यम/कार्य) के अनुसार ऐसे जनजातीय परिवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों से दोगुनी है, निगम से वित्तीय सहायता ले सकते हैं। निगम लक्षित समूह को कौशल और उद्यमिता विकास के लिए अनुदान के रूप में भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय सहायता संबद्ध मंत्रालय/राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश द्वारा नामित सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य योग्य अनुसूचित जनजातियों की आय में सुधार करना और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। निगम लघु वनोत्पादों की खरीद/विपणन के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

लाभार्थियों की योग्यता के मानदंड

लाभार्थी अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए और उसकी वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की वार्षिक आय की दोगुनी (डीपीएल) से अधिक नहीं होनी चाहिए (इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में डीपीएल 39500 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 54500 रुपए प्रति वर्ष है।)

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के मामले में समूहों के सभी सदस्य अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए और उनकी पारिवारिक आय डीपीएल से कम होनी चाहिए। इसी प्रकार सहकारी समिति के संदर्भ में ऐसी सहकारी समिति जिसके 80 प्रतिशत या इससे अधिक सदस्य अनुसूचित जनजाति के हों, ऋण जारी कर सकती है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चला रही है।

आय बढ़ाने के कार्यों के लिए सावधि ऋण : (1) निगम 10 लाख रुपए तक की स्वतंत्र इकाई/लाभ केंद्र की व्यावहारिक योजना (योजनाओं)/ परियोजना (परियोजनाओं) के लिए सावधि ऋण उपलब्ध

कराती है। (2) निगम योजना/परियोजना लागत की 90 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एक लाख तक की योजना/परियोजना के लिए संचालकों को धनराशि के योगदान की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि एक लाख से अधिक की योजना/परियोजना के लिए संचालक से इकाई की लागत के अनुसार 2-5 प्रतिशत धनराशि लगाने के लिए कहा जाता है। (3) ऐसी योजना/परियोजना जिसमें निगम की अंशधारित योजना 5 लाख रुपए तक है, तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर और इससे अधिक अंशधारित वाली योजना/परियोजना के लिए पांच प्रतिशत की ब्याज दर पर निगम ऋण देता है। एससीए को निगम द्वारा लगाई गई ब्याज दर के ऊपर तीन प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर लागू करने की अनुमति है। (4) लाभार्थी अधिकतम दस वर्ष में अपनी सुविधानुसार तिमाही/छमाही पर ऋण की किस्तों की अदायगी कर सकता है।

ब्रिज ऋण : निगम 10 लाख रुपए प्रति इकाई/लाभ केंद्र लागत वाली ऐसी योजना/परियोजना जिसे एससीए ने वित्तीय सहायता प्रदान की हो, उसे पूरा करने के लिए भी ऋण उपलब्ध कराता है।

स्वयं सहायता समूहों के लिए योजना : (1) निगम ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए विस्तारित वित्तीय सहायता हेतु विशेष योजना शुरू की है और 25 लाख रुपए प्रति समूह तक की लागत वाली इकाई को योजना/परियोजना के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है (2) निगम द्वारा प्रति इकाई प्रति सदस्य 50 हजार तक के निवेश वाली योजना/परियोजना लागत की 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है (3) इस योजना के तहत संचालक का न्यूनतम योगदान इकाई की लागत का 10 प्रतिशत है।

विपणन सहायता : (1) जनजातियों द्वारा एकत्र/उत्पन्न वनोत्पाद/कृषि उत्पाद की खरीद और विपणन के लिए केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और राष्ट्रीय स्तर की फेडरेशन की कार्यगत पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है (2) एससीए के जरिए लाभार्थियों को विपणन सहायता दी जाती है। ब्याज दर सावधि ऋण की ब्याज दर के समान होती है (3) उन केंद्र/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के संगठन, राष्ट्रीय स्तर के फेडरेशन जो खरीद से सीधे जुड़े हों, उन्हें सात प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर से विपणन सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

अनुदान द्वारा सहायता : सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्त शासी सरकारी निकायों द्वारा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की कुशलता, उद्यमिता विकास संबंधी प्रशिक्षण के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम के मामले में शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

विशेष योजनाएं

(क) आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) : इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए रियायती ब्याज दर पर धनराशि दी जाती है। इसके लिए निगम प्रति स्वतंत्र इकाई/लाभ केंद्र 50 हजार लागत वाली योजनाओं/परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण उपलब्ध कराता है। योजना/परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता निगम द्वारा दी जाती है। एससीए प्रति वर्ष अधिकतम चार प्रतिशत तक की ब्याज दर लाभार्थी महिला से ले सकता है।

(ख) लघु ऋण योजना : लाभ में चल रहे वर्तमान स्वयं सहायता समूहों के लिए अनुसूचित जनजाति के योग्य व्यक्तियों को छोटे और रोजगार उद्यमों/कार्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु यह योजना बनाई गई है। एससीए लक्षित समूह के लिए योजना अनुसार मार्जिन मनी या सब्सिडी उपलब्ध कराता है, बाकी धनराशि निगम द्वारा दी जाती है। एससीए द्वारा सब्सिडी उपलब्ध न कराए जाने के

मामले में निगम अधिकतम प्रति सदस्य 15000 रुपए के हिसाब से सावधि ऋण के रूप में शत प्रतिशत धनराशि उपलब्ध कराता है।

वर्ष 2006-07 के दौरान निगम का कार्य प्रदर्शन : निगम ने 31 मार्च, 2008 तक आय बढ़ाने वाले कार्यक्रम के तहत 937 योजनाओं/परियोजनाओं को मंजूरी दी जिसमें उसका हिस्सा 466.59 करोड़ रुपए था और 1.73 लाख अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया। इसमें अनुसूचित जनजाति की 45 हजार महिलाओं को जारी किए गए 64.17 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त निगम ने अनुसूचित जनजाति के 19.11 लाख सदस्यों के लिए कृषि/वनोत्पाद और अन्य उत्पादों की खरीद और विपणन हेतु 65 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी भी दी।

ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राइफेड)

बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत राष्ट्रीय स्तर के शीर्षस्थ निकाय के रूप में वर्ष 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई।

बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2007 के अधिनियमित होने के बाद ट्राइफेड को इस अधिनियम में पंजीकृत कर इसे राष्ट्रीय सहकारी समिति के रूप में अधिनियम की दूसरी अनुसूची में अधिसूचित किया गया।

नए बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (इसे बहुराज्यीय सहकारी समिति के नियम 2002 के साथ पढ़ा जाए) से सुसंगत बनाने के लिए अप्रैल, 2003 में ट्राइफेड की नियमावली में परिवर्तन किया गया। इसके अनुसार, ट्राइफेड ने जनजातियों से लघु वनोत्पाद और अधिशेष कृषि उत्पादों की खरीद बंद कर दी है। यह खरीद अब राज्य स्तर की जनजातीय सहकारी/समिति फेडरेशन द्वारा की जाती है। ट्राइफेड अब जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार का विकास करने वाले और सदस्य फेडरेशनों को सेवा प्रदान करने वाली इकाई के रूप में कार्य कर रहा है।

ट्राइफेड अपनी दुकानों (ट्राइव्स इंडिया) के जरिए जनजातीय लोगों द्वारा बनाए गए उत्पादों (प्राकृतिक और जैविक उत्पाद, हस्तशिल्प आदि)के विपणन विकास में लगा है। दुकानों द्वारा इन उत्पादों की बिक्री प्रेषित माल के आधार पर की जाती है।

वनों पर जनजातियों के अधिकार को मान्यता : अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी (वन अधिकार को मान्यता)अधिनियम, 2006 के तहत वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासियों के वनों पर अधिकार को मान्यता दी गई है। ये लोग पीढ़ियों से इन वनों में रह रहे थे लेकिन औपनिवेशिक काल के दौरान वनों पर इनके अधिकार को समाप्त कर दिया गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस ऐतिहासिक भूल को दोहराया गया और उनके साथ अन्याय हुआ। यह अधिनियम 31 दिसंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया।

(2) इस अधिनियम को 1 जनवरी, 2008 से कार्यान्वयन के लिए 1 जनवरी, 2008 को नामांकित किया गया। इसके तहत राज्य सरकारों द्वारा जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तर को निगरानी समिति का गठन किया गया।

(3) सभी राज्यों से अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नामित करने का अनुरोध किया गया है। राज्यों में निम्नलिखित तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है—

(क) जागरूकता कार्यक्रमों, मुद्रित सामग्री जैसे क्षेत्रीय भाषाओं में पोस्टरों के जरिए अधिनियम के उद्देश्य, प्रावधानों तथा प्रक्रिया और नियमों की जानकारी देना।

- (ख) अधिनियमों और नियमों का सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद तथा प्रकाशन व सभी ग्राम सभाओं, वन अधिकार समितियों और पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जनजातीय एवं समाज कल्याण व वन विभागों सहित सभी सरकारी विभागों में इनका वितरण।
- (ग) राज्य के अधिकारियों, नागरिक प्रतिनिधियों और गैर सरकारी संगठनों को अभिमुख करना, जिससे वे जागरूकता कार्यक्रमों में सहायता कर सकें।
- (घ) उपमंडल तथा जिला स्तरीय समितियों को अधिनियम व नियमों के उद्देश्य, प्रावधानों व प्रक्रियाओं के प्रति संवेदनशील बनाना।

(4) अधिनियम के अनुसार, वन अधिकारों और भूमि अधिकारों के वितरण की पहचान का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित नियमों के तहत सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के अनुसार वन अधिकारों से संपन्न करने का कार्य शीघ्र पूरा कर लें।

(5) वेबसाइट <http://www.tribal.gov.in> पर परीक्षण के उद्देश्य से 4 जून, 2008 से अधिनियम के कार्यान्वयन की ऑनलाइन निगरानी के लिए वेब आधारित एमआईएस शुरू की गई है। हालांकि अंतिम वेबसाइट <http://forestrights.gov.in> होगी।

अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

पिछड़े वर्गों से संबद्ध दूसरी रिपोर्ट, जिसे मंडल रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, के अनुसार देश की आबादी में अन्य पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी 52 प्रतिशत है। वर्ष 1992 में मंडल निर्णय के बाद अन्य पिछड़े वर्गों को उनके शैक्षिक विकास, आर्थिक विकास और सेवाओं में आरक्षण के विभिन्न लाभ मिलने लगे।

वैधानिक निकाय

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग : मंडल निर्णय (वर्ष 1992) के तौर पर विख्यात उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करते हुए वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना एक स्थायी संस्था के रूप में की गई। इसका उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में नागरिकों को सम्मिलित करने और सूची से हटाने संबंधी शिकायतों को निपटाने तथा उनकी जांच के बारे में सरकार को सलाह देना है। अधिनियम में प्रावधान है कि सरकार आयोग के परामर्श को मानने के लिए साधारणतया बाध्य होगी।

शैक्षिक विकास

मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति : अन्य पिछड़े वर्गों से संबद्ध ऐसे विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आमदनी 44500 रुपए प्रति वर्ष से अधिक न हो। ये छात्रवृत्तियां पहली कक्षा या मैट्रिक पूर्व किसी भी कक्षा में दिन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को या छात्रावासों में रहने वाले तीसरी कक्षा या मैट्रिक पूर्व किसी भी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी को दी जाती हैं। छात्रवृत्ति संबद्ध राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के संदर्भ में लागू होती है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को 50 प्रतिशत और केंद्रशासित प्रदेशों को शत प्रतिशत केंद्रीय सहायता उनके स्वयं द्वारा निर्धारित राशि के अतिरिक्त दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान 25.27 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई जिससे 957338 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

मैट्रिक बाद की छात्रवृत्तियां : इस योजना का उद्देश्य पीएच.डी उपाधि सहित मैट्रिक/ माध्यमिक स्तर के बाद अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिससे वे आगे की शिक्षा पूरी कर सकें। ये छात्रवृत्तियां केवल देश में शिक्षा ग्रहण करने वालों को दी जाती हैं और आवेदक से संबद्ध राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासनों के माध्यम से दी जाती हैं। ये छात्रवृत्तियां मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने वालों को दी जाती हैं। जिन बेरोजगार विद्यार्थियों के माता-पिता/ अभिभावकों की वार्षिक आय 44500 रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, वे ऐसी छात्रवृत्ति के अधिकारी हैं। इस योजना के तहत राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को उनके स्वयं द्वारा निर्धारित राशि के अतिरिक्त शत प्रतिशत केंद्रीय सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत 16 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 55.63 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। इससे वर्ष 2006-07 के दौरान 416765 विद्यार्थियों ने लाभ उठाया।

अन्य पिछड़े वर्गों के बालक-बालिकाओं हेतु छात्रावास : इस योजना का उद्देश्य केंद्र/राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्ति के बेहतर अवसर मुहैया कराना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्यों को 50 प्रतिशत और केंद्रशासित प्रदेशों को शत प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराती हैं। ये छात्रावास माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाए जाते हैं। इनके लिए भूमि अधिग्रहण, कर्मचारियों के वेतन और रखरखाव का खर्च संबंधित राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों को वहन करना होता है। इस योजना के तहत वर्ष 2006-07 में 11 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्ग के 4520 विद्यार्थियों के लिए 82 छात्रावासों के निर्माण के लिए 19.58 करोड़ रुपए दिए गए।

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता : इस योजना का उद्देश्य स्वैच्छिक क्षेत्र की सहायता से अन्य पिछड़े वर्गों की शैक्षिक और आर्थिक- सामाजिक स्थिति सुधारने का प्रयास करना है जिससे वे आय बढ़ाने के लिए अपना काम-धंधा शुरू कर सकें और लाभप्रद रोजगार प्राप्त कर सकें। इस योजना के तहत प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए स्वीकृत खर्च का 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में गैर सरकारी संगठन को दिया जाता है। इन प्रशिक्षण केंद्रों में बढईगिरी, कंप्यूटर, दस्तकारी, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, फोटोग्राफी, मुद्रण, कंपोजिंग, बुक बाइंडिंग, टाइप और शॉर्टहैंड, वेल्डिंग, फिटिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। 85 गैर सरकारी संगठनों को वर्ष 2006-07 में 2.22 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई जिससे अन्य पिछड़े वर्गों के 4315 लोगों को लाभ पहुंचा।

आर्थिक विकास

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम : राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) आय अर्जन की विभिन्न गतिविधियों के लिए उन लोगों को ऋण सुविधाएं प्रदान करता है जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों की आय की दुगुनी से कम है। निगम ने 132108 लाभार्थियों को ऋण सुविधाएं प्रदान कीं।

नौकरियों में आरक्षण

सरकारी नियंत्रण वाली सेवाओं में अनुसूचित जातियों/जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त शारीरिक रूप से विकलांगों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी कुछ विशेष पदों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अखिल भारतीय स्तर पर मुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े

वर्गों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मुक्त प्रतियोगिता को छोड़कर अन्य तरीके से अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों के लिए 16.66 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 25.84 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 15 और 7.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है। तीन प्रतिशत रिक्तियां शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए आरक्षित की गई हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षण उपलब्ध कराया गया है। अर्द्धसैनिक बलों में सहायक कमांडेंट के स्तर के 10 प्रतिशत, 10 प्रतिशत ग्रुप सी के और 20 प्रतिशत ग्रुप डी के रिक्त पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं।

संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में इस बात की व्याख्या की गई है कि किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों और जनजातियों में किन वर्गों को सम्मिलित किया जाएगा। सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों की सूची तैयार की गई है। किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ही इन सुविधाओं का फायदा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए अंतरराज्यीय प्रतिबंध लगाए गए हैं। सेवाओं में आरक्षण के लिए भूतपूर्व सैनिकों की परिभाषा भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवाओं और पदों में पुनर्नियोजन) निगम, 1979 में और विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की शर्तें विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में दी गई है।

आरक्षित रिक्तियां उपयुक्त श्रेणी के उम्मीदवारों से ही भरी जाएं यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ रियायतें और छूट जैसे अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है। प्रत्येक मंत्रालय में आरक्षण नीति पर सही तरीके से अमल सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूजित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

एक जनवरी, 2005 तक केंद्र सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों/जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है :

वर्ग	कुल	अ.जाति	प्रतिशत	अ.जनजाति	प्रतिशत	अ.पि.वर्ग	प्रतिशत
(क)	80589	9551	11.9	3448	4.3	3791	4.7
(ख)	139958	19194	13.7	6230	4.5	3252	2.3
(ग)	20.36103	333708	16.4	131678	6.5	119968	5.9
(घ)	767224	140469	18.3	55032	6.9	32973	4.3
सफाई कर्मचारी को छोड़कर							
सफाई कर्मचारी	81174	48067	59.2	4012	4.9	1834	2.3
कुल	3023874	502922	16.63	194388	6.43	159984	5.29
(सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)							
कुल	3105048	550989	17.74	198400	6.39	161818	5.21
(सफाई कर्मचारियों को मिलाकर)							

नोट : उपर्युक्त में दो मंत्रालयों के बारे में सूचना नहीं है।

आरक्षण की यह प्रणाली राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी अपनाई जा रही है। राज्य सरकारों ने भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों आदि को पदों में आरक्षण प्रदान किया है और राज्य सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उपाय किए हैं लेकिन राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण उपाय

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत पांच धार्मिक समुदायों- मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया है। इनकी जनसंख्या देश की कुल आबादी का 18.47 प्रतिशत है। सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए निम्न उपाय किए हैं।

संवैधानिक उपाय

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग : गृह मंत्रालय द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर जनवरी 1978 में स्थापित अल्पसंख्यक आयोग गैर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 लागू होने के बाद संवैधानिक निकाय बन गया और इसका नाम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कर दिया गया। पहला संवैधानिक राष्ट्रीय आयोग 17 मई 1993 को गठित किया गया। यह संशोधन अधिनियम की धारा 2 (बी) और 3 (2) में दिया गया और इसके तहत आयोग में उपाध्यक्ष के पद का सृजन किया गया। अधिनियम की धारा 3(2) के तहत प्रावधान किया गया है कि अध्यक्ष सहित पांच सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। यह प्रावधान समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा 23 अक्टूबर, 1993 को गजट में अधिसूचित किया गया।

राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग : भारत सरकार ने धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण की आवश्यकता को समझा है। सरकार ने धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान का आधार तय करने के लिए विस्तृत जांच और उनके कल्याण के उपाय सुझाने हेतु राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। इसे निम्न कार्य सौंपे गए हैं- (क) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के बारे में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के आधार के बारे में सलाह देना (ख) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ों के कल्याण के उपाय सुझाना। ये उपाय शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के संदर्भ में भी होंगे (ग) उनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक तौर तरीके सुझाना और उनकी राय और सिफारिशों के बारे में रिपोर्ट पेश करना।

आयोग ने 21 मार्च 2005 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

केंद्रीय वक्फ परिषद

वक्फ ऐसे कार्यों के लिए स्थायी रूप से दान की गई ऐसी चल या अचल संपत्तियां हैं जो मुस्लिम कानून के अनुसार धर्म सम्मत और पवित्र माने जाते हैं। धार्मिक पहलू के अतिरिक्त वक्फ सामाजिक और आर्थिक उत्थान में मदद करती है। वक्फ संस्थाओं के बारे में केंद्रीय कानूनों पर अमल की जिम्मेदारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की है। वक्फ बोर्ड के कामकाज से संबंधित मुद्दों और देश में वक्फ के समुचित प्रशासन से संबंधित मुद्दों के बारे में परामर्श देने के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद् की स्थापना एक स्थायी इकाई के रूप में की गई। केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना दिसंबर, 1964 में वक्फ अधिनियम, 1954

के भाग 8 अ के अंतर्गत (अब वक्फ अधिनियम, 1995 के भाग 9 के उप भाग (1) के तहत की। वर्तमान परिषद का पुनर्गठन 18 मार्च, 2005 को किया गया। वक्फ के प्रभारी केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय वक्फ परिषद के सदस्य होते हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद इन समुदायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके द्वारा लागू की जाने वाली योजनाएं हैं—(1) शहरी वक्फ संपत्तियों का विकास, (2) शैक्षिक विकास कार्यक्रम।

भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी

भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का कार्यालय (आम तौर पर भाषायी अल्पसंख्यकों के आयोग के रूप में जाना जाने वाला) जुलाई 1957 में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना संविधान की धारा 35) (ब) के प्रावधानों के तहत की गई। भारतीय भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद में और क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, बेलगाम और चेन्नई में है। भाषायी अल्पसंख्यकों का आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रदत्त संरक्षण संबंधी राष्ट्रीय और संवैधानिक योजनाओं के लागू नहीं किए जाने से जुड़ी शिकायतों का निपटारा करता है। ये मुद्दे भाषायी अल्पसंख्यकों/समूहों या संगठनों द्वारा राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनिक और राजनीति के उच्चतम स्तर से ध्यान में लाए जाते हैं और यह इन शिकायतों को दूर करने के उपाय सुझाता है।

आर्थिक विकास

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम अल्पसंख्यक समुदाय के उन लोगों, जिनकी पारिवारिक आय गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की आय की दुगुनी से कम हो, स्वरोजगार गतिविधियों के लिए रियायती वित्त प्रदान करता है। निगम की अधिकृत हिस्सा पूंजी 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 650 करोड़ कर दी गई है।

शैक्षिक विकास

मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन : मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन एक पंजीकृत सोसायटी है जिसका उद्देश्य समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों, विशेषकर अल्पसंख्यकों में शिक्षा का प्रसार करना है। भारत सरकार फाउंडेशन को संचित निधि उपलब्ध कराती है। देश भर में चल रही फाउंडेशन के उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए सरकार संचित निधि को 70 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करने पर विचार कर रही है।

तीन नई योजनाएं—मौलाना आजाद सद्भावना केंद्र, प्रतिभावान छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना और मौलाना आजाद साक्षरता आजाद योजना लागू की गी है। वर्ष के दौरान फाउंडेशन ने 22 राज्यों की 2774 छात्राओं को 10 हजार रुपये (प्रति छात्रा) की छात्रवृत्ति प्रदान की। पहली बार जम्मू कश्मीर राज्य में 300 छात्रवृत्तियां वितरित की गईं। मौलाना आजाद सद्भावना केंद्र योजना के तहत फाउंडेशन ने मध्य प्रदेश में चार परियोजनाओं को मंजूरी दी।

विकलांगों का कल्याण

समाज के अलग-थलग पड़े वर्गों में विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति को वर्ष 2005 में अंतिम रूप दिया गया। इस नीति में विकलांगता की रोकथाम और विकलांग व्यक्तियों के शारीरिक और आर्थिक पुनर्वास के उपायों पर बल दिया गया है। इसे सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा लागू किया जाएगा। विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए पहले भी विभिन्न प्रकार के उपाय किए गए हैं।

विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 नामक व्यापक कानून फरवरी 1996 में लागू किया गया। इस कानून के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर विकलांगों के पुनर्वास को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों जैसे शिक्षा, रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुकूल परिवेश का निर्माण, विकलांगों के लिए पुनर्वास सेवाओं का प्रावधान, संस्थागत सेवाएं और सहायक सामाजिक सुरक्षा उपाय जैसे केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर बेरोजगारी भत्ता तथा शिकायत निवारण तंत्र आदि बातों पर ध्यान दिया गया है।

आत्मविमोह, मस्तिष्क पक्षाघात, मंदबुद्धि और बहु-विकलांगता के शिकार व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास : यह न्यास एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना आत्मविमोह, मस्तिष्क पक्षाघात और मंदबुद्धि के शिकार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास और बहु विकलांगता अधिनियम, 1999 के तहत की गई है। इस न्यास का मूल उद्देश्य इस तरह की विकलांगता के शिकार व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना है जिससे वे यथासंभव स्वतंत्र रूप से जी सकें। न्यास जरूरत के मुताबिक सेवाएं प्रदान करने वाले पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करता है और जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी संरक्षक नियुक्त करने की प्रक्रिया तय करता है। वर्ष के दौरान 384 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए और 79300 अभिभावकों और व्यावसायिकों को परामर्श दिया गया।

विकलांगों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय : विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 57 के तहत नियुक्त मुख्य आयुक्त महत्वपूर्ण वैधानिक पदाधिकारी है। मुख्य आयुक्त के मुख्य कार्यों और उत्तरदायित्वों में विकलांगों के लिए राज्य आयुक्तों के काम में समन्वय, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए धन के इस्तेमाल की निगरानी, विकलांगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना और अधिकारों की रक्षा के उपाय और इस संबंध में शिकायतों का निवारण शामिल है।

मुख्य आयुक्त विकलांगों के लिए बने किसी कानून, नियम आदि को लागू नहीं किए जाने के मामले में अपनी ओर से कार्रवाई कर सकता है। उसे गवाह को बुलाने, जांच और किसी दस्तावेज को मंगाने जैसे सिविल अदालत के अधिकार भी प्राप्त हैं।

भारतीय पुनर्वास परिषद्

भारतीय पुनर्वास परिषद् एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 के तहत की गई है। यह परिषद् विकलांगों के पुनर्वास और विशिष्ट शिक्षा के संदर्भ में व्यवसायों के विभिन्न वर्गों के लिए प्रशिक्षण, नीति और कार्यक्रम तय करने के लिए जिम्मेदार है। इसके कार्यों में शामिल हैं- (1) देश भर में सभी प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण और नियमन, (2) विकलांगों के पुनर्वास के संदर्भ में देश में और देश के बाहर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने वाले प्रशिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, (3) पुनर्वास और विशिष्ट शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ाना, (4) पुनर्वास के क्षेत्र में मान्य योग्यता रखने वाले व्यवसायों का एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर रखना, (5) पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम जारी रखने को प्रोत्साहन देना और इसके लिए विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के साथ मिलकर काम करना।

राष्ट्रीय संस्थान

विकलांगों की विविध समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विकलांगता के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में निम्नलिखित राष्ट्रीय संस्थानों/उच्च स्तरीय संस्थाओं की स्थापना की गई है : (1) राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान, देहरादून, (2) राष्ट्रीय अस्थिरोग विकलांग संस्थान, कोलकाता, (3) अली यावरजंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान, मुंबई, (3) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद, (5) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक, (6) शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली और (7) बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई। ये संस्थान मुख्य रूप से मौलिक अनुसंधान के संचालन, कार्मिक विकास के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आयोजन और देश भर में सेवाएं प्रदान करने के प्रति जिम्मेदार हैं।

आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया : कृत्रिम अंगों का निर्माण करने वाला कानपुर स्थित यह निगम सार्वजनिक क्षेत्र का एक निकाय है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरणों का निर्माण करता है। निगम द्वारा निर्मित उत्पादों पर आईएसआई का चिन्ह अंकित रहता है और वह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्वीकृत मानकों के अनुरूप होते हैं। यहां निर्मित उत्पादों को कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, भुवनेश्वर और दिल्ली स्थित मार्केटिंग केंद्रों के जरिए बेचा जाता है। इसे राष्ट्रीय संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से भी बेचा जाता है।

समन्वित क्षेत्रीय केंद्र और क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्र : विकलांग व्यक्तियों के लिए पांच समन्वित क्षेत्रीय केंद्र—श्रीनगर, लखनऊ, भोपाल, सुंदरनगर और गुवाहाटी में स्थापित किए गए हैं। पुनर्वास के क्षेत्र में पेशेवर कर्मचारी तैयार करने के लिए इन केंद्रों में प्रशिक्षण केंद्र चलाए जाते हैं और विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। रीढ़ की हड्डी और हड्डी संबंधी अन्य विकलांगताओं के लिए मोहाली, कटक, जबलपुर और बरेली में चार पुनर्वास केंद्र क्षतिग्रस्त रीढ़ की हड्डी के उपचार और उपचार के बाद की बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं जिससे प्रभावित व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकें।

आर्थिक विकास

राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम : राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक विकास के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान करने वाला शीर्ष संस्थान है। यह सहायता राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। निगम स्नातक और उच्च स्तरीय शिक्षा जारी रखने के लिए ऋण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह तकनीकी और उद्यमशीलता के कौशल को उन्नत बनाने में भी सहायता करता है जिससे लाभार्थी सक्षमतापूर्वक अपनी उत्पादन इकाइयों का संचालन कर सकें।

विकलांग व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंगों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग की सहायता योजना : इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद विकलांगों को टिकाऊ, अत्याधुनिक और वैज्ञानिक निधि से निर्मित मानक सहायक उपकरणों की सहायता उपलब्ध कराना है जिससे उनकी विकलांगता की परेशानियां कम हो सकें और उनकी आर्थिक क्षमता बढ़ सके तथा शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से उनका पुनर्वास हो सके। यह योजना स्वयंसेवी संगठनों, मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय संस्थानों, एलआईएमसीओ, जिला पंचायतों, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों आदि के माध्यम से लागू की जा रही है। अमल करने वाली एजेंसियों को सहायता उपकरण आदि खरीदने, ढांचा तैयार करने और उनका वितरण आदि के लिए अनुदान/सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के तहत उपकरणों

और सहायक पुर्जों की फिटिंग के पहले उनकी चिकित्सा/सर्जरी से ठीक करने आदि की सभी प्रक्रियाएं भी शामिल हैं।

सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में मंत्रालय वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण और नशीली दवाओं के लती लोगों के पुनर्वास के प्रति वचनबद्ध है। लक्षित समूहों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं-

वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति : वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा जनवरी 1999 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति को स्वयं अपने और अपने सहयोगी के वृद्ध जीवन की तैयारी हेतु प्रोत्साहन देना, परिवारों को अपने बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल के लिए प्रोत्साहित करना, परिवार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली देखभाल में स्वयंसेवी और गैर सरकारी संगठनों को पूरक योगदान हासिल करना, गंभीर हालत वाले वृद्ध लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल और संरक्षण, वृद्धों के लिए सेवा और संरक्षण देने वाले लोगों को अनुसंधान तथा प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना और वृद्धों में ऐसी जागरूकता पैदा करना जिससे वे स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें।

राष्ट्रीय वृद्ध परिषद् : सरकार ने वर्ष 2005 में वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद् का पुनर्गठन किया जो वृद्धों के बारे में नीतियों और कार्यक्रमों के विकास के लिए सरकार को सलाह और सहायता देती है। यह वृद्धों के बारे में राष्ट्रीय नीति और उनके लिए विशेष उपायों पर अमल किए जाने के बारे में की गई कार्रवाई की जानकारी भी देती है। परिषद् वृद्धों के कल्याण हेतु नीति तैयार करने और कार्यक्रमों पर अमल करने के मामले में सरकार को सलाह देने और तालमेल रखने के मामले में सर्वोच्च संस्था है।

वृद्धों के लिए समन्वित कार्यक्रम : इस योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को परियोजना लागत की 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। यह सहायता राशि वृद्धाश्रम बनाने और उसकी देखभाल करने, दिन के देखभाल केंद्र, सचल चिकित्सा सुविधा इकाइयां खोलने और उसका कार्य संचालन करने और वृद्धों को गैर संस्थागत सेवाएं उपलब्ध कराने पर खर्च की जाती है।

मद्यपान और मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम : इस योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों को नशीली सेवाओं और मद्यपान के लती लोगों के पुनर्वास के लिए 90 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर और सिक्किम में 95 प्रतिशत) तक की अनुदान सहायता दी जाती है।

सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता : इस योजना के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक वर्गों के पुनर्वास के उन कार्यक्रमों के लिए सहायता दी जाती है जो मंत्रालय की वर्तमान योजनाओं के तहत नहीं आते। विशेष रूप से इस योजना के तहत उन क्षेत्रों में प्रायोगिक परियोजनाएं मुहैया कराई जाती हैं जहां मंत्रालय आने वाले समय में स्वतंत्र रूप से कार्यक्रम शुरू करना चाहता हो। वेश्याओं के बच्चों के पुनर्वास के लिए अनेक कार्यक्रमों को मदद दी जाती है। विधवाओं के पुनर्वास के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं और सदमे के शिकार बच्चों और महिलाओं, विशेष रूप से शारीरिक हिंसा और यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों और महिलाओं को परामर्श और सहायता देने वाली परियोजनाओं को सहायता देने के उपाय किए गए हैं।

महिला और बाल विकास

प्रस्तावना

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 71.14 प्रतिशत भाग महिलाएं व बच्चे हैं। इनमें 48 प्रतिशत महिलाएं हैं (इनमें 0-18 वर्ष की लड़कियां भी शामिल हैं) और 44 प्रतिशत बच्चे

हैं (इनमें बालक और बालिकाएं, दोनों शामिल हैं)। महिला और बच्चों के सर्वांगीण विकास और उन्हें महत्व देने के लिए पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक अलग महिला और बाल विकास विभाग 1985 से काम कर रहा था। लेकिन विभाग का महत्व देखते हुए 30 जनवरी, 2006 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अस्तित्व में आया। 16 फरवरी, 2006 को एक अधिसूचना जारी कर सरकार ने बच्चों के कल्याण और सुरक्षा के सभी मामले जैसे बाल न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000, केंद्रीय दत्तक संसाधन एजेंसी (कारा) और दत्तक ग्रहण भी इस नवगठित मंत्रालय को सौंप दिए। ये कार्य पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन थे।

दृष्टिकोण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का दृष्टिकोण 'महिलाओं और बच्चों का सर्वांगीण विकास करना और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराना है जिससे वे एक नागरिक के रूप में उत्पादक बन सकें और अच्छा जीवन जी सकें।' मंत्रालय महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए नीति, कार्ययोजना, कानून, कार्यक्रम, योजनाएं बनाता है और राज्य सरकारों, केंद्र सरकार की दूसरी एजेंसियों और स्वैच्छिक संगठनों की मदद से उन्हें लागू करता है।

खाद्य और पोषाहार बोर्ड

खाद्य और पोषाहार बोर्ड (एफएनबी) महिला और बाल विकास मंत्रालय का हिस्सा है जो अपने देश के लोगों में पोषण स्थिति में सुधार लाने के लिए नए उपाय करने हेतु नीतियां बनाती है और रणनीतियां विकसित करती है। यह पोषाहार की शिक्षा देकर, कम कीमत वाले स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य को प्रोत्साहित करके, गृह आधारित प्रसंस्करण के माध्यम से फलों और सब्जियों के संरक्षण और पोषण पर स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षित करके लोगों की पोषाहार संबंधी खान-पान की आदतों में सुधार पर बल देता है।

केंद्र में एफएनबी की एक तकनीकी शाखा है, चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसकी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में क्वालिटी कंट्रोल प्रयोगशालाएं हैं और 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 43 सामुदायिक खाद्य और पोषण विस्तार इकाइयां हैं।

राष्ट्रीय पोषाहार नीति को वर्ष 1993 में प्रतिपादित किया गया और वर्ष 1995 में अनुवर्तन के रूप में राष्ट्रीय कार्यवाई योजना को विकसित किया गया। इस कार्यवाई योजना के तहत सरकार के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की गई ताकि वे कुपोषण से लड़ने के लिए समन्वित कार्यवाई कर सकें। शिशु और बच्चों के भोजन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश तय किए गए और शिशु दुग्ध विकल्प, दुग्धपान बोतल और शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण) अधिनियम, 1992 का कार्यान्वयन और वर्ष 2003 में इसका संशोधन (आईएमएस) को खाद्य और पोषाहार बोर्ड को सौंपा गया।

कार्यक्रम का लक्ष्य मास्टर प्रशिक्षकों को तैयार करना था, जैसे मेडिकल ऑफिसर्स, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स, साथ ही फील्ड स्तर के अधिकारियों को तैयार करना। अनेक प्रकार के पोषाहार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसके तहत गृह आधारित फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण आदि के बारे में जानकारी दी गई। इससे किशोरियों और महिलाओं में कौशल विकास को भी बढ़ावा मिला। कम मूल्य वाली पौष्टिक आहार की विधियों को प्रदर्शित करके, बेहतर पोषण हासिल करने का तरीका बताया गया। अनुपूरक पोषाहार की पौष्टिकता और स्वास्थ्य एवं पोषण के संबंध में शिक्षा के लिए आईसीडीसी के साथ नियोजन भी स्थापित किए गए।

शिशु और बच्चों के भोजन, संतुलित आहार, अल्पाहार और कुपोषण से होने वाली कमियों की रोकथाम, खाद्य संबंधी गंभीर गैर संचरणीय बीमारियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर फिल्म, ऑडियो और वीडियो स्पॉट्स, रेडियो प्रोग्राम्स भी प्रचार का अंग हैं। नियमित स्तर पर पोषाहार पर प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं और विश्व स्तनपान सप्ताह, राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह, विश्व खाद्य दिवस मनाए जाते हैं।

एफएनबी के विभिन्न प्रकाशन और वॉल कैलेंडर भी हैं जो बड़े पैमाने पर लोगों के बीच पोषण संबंधी मूलभूत जानकारीयां पहुंचाते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर इन प्रकाशनों की सूची मौजूद है।

महिलाओं और बच्चों से जुड़े कानून

महिला और बाल विकास विभाग पर निम्नलिखित अधिनियमों को लागू करने की जिम्मेदारी है : (क) अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम, 1956 (1986 में संशोधित), (ख) महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण निरोधक कानून, 1986 (1986 का 60), (ग) दहेज निरोधक कानून, 1961 (1986 तक संशोधित रूप में), (घ) सती प्रथा (निरोधक) अधिनियम, 1987 (1988 का 3), (च) शिशु दुग्ध विकल्प, दुग्धपान बोतल और शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण) अधिनियम, 1992 (1992 का 41), (छ) बाल विवाह निषेध अधिनियम, (2006) जनवरी, 2007 में अधिसूचित, (ज) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1980, (झ) घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005, (ट) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, (ठ) बाल न्याय (सुरक्षा और संरक्षण) अधिनियम, 2005 और बाल न्याय (संशोधित) अधिनियम, 2006 जोकि 23 अगस्त 2006 को सरकारी गजट में नामांकित है।

इसके अतिरिक्त मंत्रालय महिला और बाल विकास संबंधी मुद्दों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए भी उत्तरदायी है।

महिलाओं के लिए योजनाएं

मंत्रालय की महिलाओं से संबंधित निम्न योजनाएं हैं :

आर्थिक सशक्तिकरण की योजनाएं

स्टेप : महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के लिए सहायता देने का कार्यक्रम (स्टेप) वर्ष 1987 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य परंपरागत क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल में सुधार तथा परियोजना आधार पर रोजगार उपलब्ध करके, महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार करना है। इसके लिए उन्हें उपयुक्त समूहों में संगठित किया जाता है, विपणन संबंधी संपर्क कायम करने के लिए व्यवस्थित किया जाता है, सेवाओं में मदद दी जाती है और ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में रोजगार के आठ परंपरागत क्षेत्र शामिल हैं जो इस प्रकार हैं- कृषि, पशुपालन, डेयरी व्यवसाय, मत्स्य पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी और ग्राम उद्योग और रेशम कीट पालन। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, राज्य निगमों, जिला ग्राम्य विकास अधिकरणों, सहकारिताओं, परिसंघों और ऐसे पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से लागू की जा रही है जो कम से कम तीन साल से अस्तित्व में हैं।

वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान 70920 महिलाओं को इस योजना से लाभ प्राप्त हुआ है। इस उद्देश्य के लिए, देश भर में विभिन्न कार्यान्वयन संस्थाओं को 3307.90 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

स्वयंसिद्धा : स्वयंसिद्धा महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना है। इस योजना का दीर्घकालीन उद्देश्य महिलाओं का चहुंमुखी विकास, विशेष तौर पर उनका सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। इसके लिए सभी वर्तमान क्षेत्रीय कार्यक्रमों में समन्वय और लगातार चलने वाली प्रक्रिया के जरिए संसाधनों तक उनकी सीधी पहुंच तथा नियंत्रण सुनिश्चित करना है। योजना का फौरी उद्देश्य (क) स्वयं सहायता समूहों का गठन, (ख) समूह के सदस्यों में महिलाओं की स्थिति, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, साफ-सफाई, कानूनी अधिकारों, आर्थिक विकास और अन्य सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक मुद्दों के प्रति जागरूकता पैदा करना, (ग) ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत डालना और आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण प्रदान करना, (घ) लघु ऋण योजनाओं तक महिलाओं की पहुंच बनाना, (च) स्थानीय स्तर की योजनाओं में महिलाओं को शामिल करना और (छ) महिला और बाल विकास मंत्रालय और अन्य विभागों की सेवाओं की तरफ अभिमुख करना है।

यह योजना वर्ष 2000-01 में देश के 650 ब्लॉकों में शुरू की गई थी, जिसमें आईएमवाई 335 जिलों के 238 ब्लॉक भी शामिल हैं। 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रत्येक ब्लॉक में 100 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। अधिकतर राज्यों में कार्यक्रम का क्रियान्वयन आईसीडीसी द्वारा किया जाता है। कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, बिहार आदि में स्वैच्छिक संगठनों की मदद ली जाती है। इस योजना के तहत 69803 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाता है जिनके 10.02 लाख महिला सदस्य हैं। योजना के तहत गठित इन स्वयं सहायता समूहों से 168.82 करोड़ रुपए की बचत हुई है। 66396 समूहों ने बैंक में खाते खोले हैं। 36574 समूहों (56 प्रतिशत) ने बैंक से 167.61 करोड़ रुपए ऋण लिया है। 53207 समूहों (82 प्रतिशत) की 6.52 लाख महिलाएं आमदनी बढ़ाने की गतिविधियों में संलिप्त हैं। 42386 समूह (65 प्रतिशत) सरकार की दूसरी योजनाओं को एकत्र कर काम कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों ने 5424 सामुदायिक संपत्तियों का सृजन किया है। यह योजना 31 मार्च 2008 को समाप्त कर दी गई है।

सामाजिक सशक्तिकरण योजनाएं

स्वाधार : कठिन परिस्थितियों में पड़ने वाली महिलाओं के लाभ के लिए विभाग ने वर्ष 2001-02 में केंद्रीय क्षेत्र में एक नई योजना स्वाधार शुरू की है। यह योजना निम्नलिखित महिलाओं के लिए है : दीन हीन विधवा जिनके परिवार वालों ने उन्हें वृंदावन, काशी आदि धार्मिक स्थानों पर बेसहारा छोड़ दिया है, जेल से रिहा की गई महिला कैदी, जिसे परिवार का सहारा नहीं है, प्राकृतिक आपदा की शिकार ऐसी महिलाएं जो बेघर हैं और उनके पास कोई सामाजिक और आर्थिक सहारा नहीं है, वेश्यालयों या अन्य स्थानों से भागी या मुक्त कराई गई महिलाएं/बालिकाएं या यौन शोषण की शिकार ऐसी महिलाएं/बालिकाएं, जिनके परिवारवालों ने उन्हें वापस लेने से मना कर दिया है या जो किसी अन्य कारणों से वापस अपने परिवार में नहीं लौटना चाहती हैं, आतंकवाद की शिकार महिलाएं जिन्हें परिवार का सहारा नहीं है, और जिनके पास जीने के लिए आर्थिक जरिया नहीं है, मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएं जिन्हें परिवार या रिश्तेदारों से कोई मदद नहीं मिलती, आदि।

इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में भोजन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श व्यवस्था शामिल है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास, जागरूकता पैदा करने, कौशल बढ़ाने और व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण का भी प्रबंध किया जाता है। इन श्रेणियों के तहत महिलाओं के हेल्पलाइन और अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

यह परियोजना समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास विभागों, महिला विकास निगमों, शहरी निकायों के निजी, सार्वजनिक ट्रस्टों या स्वैच्छिक संगठनों आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उन्हें अलग-अलग परियोजनाओं के आधार पर इस तरह की महिलाओं के पुनर्वास का वांछित अनुभव और कौशल हो।

वर्ष 2008-09 में (31 मार्च, 2009 तक) इस योजना के तहत 14.94 करोड़ रुपए जारी किए गए जिससे 15360 महिलाओं को लाभ हुआ।

अल्पावधि प्रवास गृह : अल्पावधि प्रवास गृह परियोजना वर्ष 1969 में शुरू की गई थी। इसे अप्रैल, 1999 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को सौंप दिया गया। इसका उद्देश्य पारिवारिक विवादों, सामाजिक बहिष्कार, नैतिक पतन के लिए खतरे के कारण सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक परेशानियों से जूझ रही महिलाओं और बालिकाओं को संरक्षण देना और उनका पुनर्वास करना है। अप्रैल, 1989 से यह कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए सीएसडब्ल्यूबी को सौंप दिया गया है। जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों को छह महीने से तीन साल तक अस्थायी आश्रय दिया जाता है। माताओं के साथ आए बच्चों या बाद में पैदा हुए बच्चों को सात साल तक आश्रयगृहों में रुकने की अनुमति होती है। उसके बाद उन्हें बच्चों के संस्थानों में स्थानांतरित किया जा सकता है या उन्हें पालनगृहों में भेजा जा सकता है।

परिवार परामर्श केंद्र : परिवार परामर्श केंद्र का उद्देश्य अत्याचार की शिकार और पारिवारिक असहयोग की समस्या का सामना कर रही महिलाओं और बच्चों को रोकथाम और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना है। परिवार परामर्श केंद्र योजना केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, 1984 से स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से चला रहा है। इस तरह के केंद्र विशेष श्रेणी के लोगों के लिए पुलिस मुख्यालय, महिला कारागार, बलात्कार के संकट सहायता केंद्रों और विवाह पूर्व परामर्श केंद्रों में भी चलाए जा रहे हैं। महिला मुद्दों पर कार्य कर रहे महिला संगठन और अन्य स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संगठन परिवार परामर्श केंद्रों की स्थापना के लिए सीडब्ल्यूसी से सहायता ले सकते हैं। उन्हें बजट प्रावधान का 20 प्रतिशत योगदान देना होता है।

महिला शिक्षा के लिए कंडेंस पाठ्यक्रम : इस कार्यक्रम पर अमल केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य 4 शिक्षा और उचित हुनर उपलब्ध कराकर महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक अधिकारिता उपलब्ध कराना है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से ऐसी महिलाओं के लिए तैयार किया गया है जो स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ देती हैं या उत्तीर्ण हो जाती हैं। यह योजना 15 वर्ष और इससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए है। शैक्षिक कार्यों में विशेषज्ञ पंजीकृत समाज कल्याण संगठन और पंजीकृत शैक्षिक संस्थान सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना अनुरक्षण गृहों और परिरक्षक संस्थानों में भी चल रही है।

ग्रामीण और गरीब महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के कार्यक्रम : केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड इस कार्यक्रम को चला रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिलाओं की समस्याओं, अधिकार और स्थान संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना है। पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

महिलाओं के लिए सहयोगी सेवाएं

कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल : कामकाजी महिलाओं सहित बच्चों की देखभाल के लिए हॉस्टल निर्माण या विस्तार के लिए यह योजना वर्ष 1972-73 से चल रही है। इसके अंतर्गत गैर सरकारी

संगठनों, सहकारी संस्थाओं और महिलाओं के सामाजिक कल्याण, महिला शिक्षा आदि कार्यों में लगी अन्य एजेंसियों, सार्वजनिक उपक्रमों, महिला विकास निगमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों आदि को कामकाजी महिलाओं के हॉस्टलों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में कामकाजी महिलाओं (अकेली कामकाजी महिलाओं, ऐसी महिलाएं जिनके पति शहर से बाहर रहते हों, विधवाओं, परित्यक्ताओं, तलाकशुदा महिलाओं आदि), रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं और स्कूली शिक्षा के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा कर रही महिलाओं के लिए सुरक्षित और किराये की आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं को एक साल तक और छात्राओं को पांच साल तक इन हॉस्टलों में रहने की अनुमति होती है लेकिन इसमें कामकाजी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। योजना के दिशानिर्देशों में यह भी प्रबंध है कि रोजगार के लिए प्रशिक्षण ले रही महिलाओं और छात्राओं की संख्या हॉस्टल में महिलाओं की कुल संख्या के 30 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वर्ष 1969-70 से केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं जिनकी मदद से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल चलाने और उन्हें सुरक्षित आवास प्रदान करने के लिए अनुदान दिए जाते हैं।

अन्य उपाय

उज्ज्वला : अवैध व्यापार को रोकने के लिए 4 दिसंबर, 2007 से उज्ज्वला नाम से एक व्यापक योजना शुरू की गई। इस योजना के पांच विशेष घटक हैं - रोकथाम, रिहाई, पुनर्वास, पुनः एकीकरण और स्वदेश भेजना। इस योजना के तहत वर्ष 2008-09 के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

इस योजना के पांच घटक निम्नलिखित हैं—

रोकथाम—सामुदायिक निगरानी दल/किशोर दल बनाना, पुलिस, सामुदायिक नेताओं को जागरूक करना, आईईसी सामग्री तैयार करना और कार्यशालाओं का आयोजन करना आदि।

रिहाई (मुक्त कराना)—शोषण किए जाने वाले स्थान से सुरक्षित रिहाई।

पुनर्वास—चिकित्सकी सहायता, कानूनी सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और आय उत्सर्जक गतिविधियों की भी व्यवस्था हो।

पुनः एकीकरण—पीड़ित की इच्छानुसार उसे परिवार/समुदाय में एकीकृत करना।

स्वदेश भेजना—सीमा पार चले गए पीड़ितों की सुरक्षित स्वदेश वापसी।

मंत्रालय की पहल पर लिंग आधारित बजट : बजटीय प्रक्रिया में लिंग को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए लिंग आधारित बजट की शुरुआत की गई है। बजट की प्रक्रिया के दौरान ही लिंग संभावनाओं को हर स्तर और चरण में शामिल कर लिया जाता है। इसके साथ बजट में ही लिंगभेद आकलन का अनुमान लगाकर उन उपायों को बजट में ही पूरा कर लिया जाता है।

मंत्रालय ने वर्ष 2004-05 में लिंग समानता बजट पर एक मिशन वक्तव्य स्वीकार किया गया था और उस मिशन को लागू करने के लिए रणनीतिक रूपरेखा भी तैयार की गई थी। वर्ष 2005 के बाद प्रशिक्षण, कौशल निर्माण, जागरूकता पैदा करना, पैरवी, आग्रहीकरण और लिंग उत्पादक अनुमान पर गहन कार्य किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को लिंग आधारित बजट के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया है। मंत्रालय ने इस कार्य के लिए अलग से लिंग आधारित बजट ब्यूरो का गठन किया है जिसे पूरा स्टाफ और सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। मंत्रालय लिंग आधारित बजट के लिए क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के साथ-साथ प्रशिक्षण नियमावली तैयार करने की

योजना भी बना रहा है। जनवरी 2009 में भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिए आधारित बजट पुस्तिका माननीय राज्य मंत्री द्वारा जारी की गई है। अब तक भारत सरकार ने 56 मंत्रालयों तथा विभागों ने लिंग आधारित बजट इकाइयां स्थापित की हैं।

सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ ही राज्यों और कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए लिंग आधारित बजट इकाई की स्थापना के लिए मंत्रालय में लिंग आधारित ब्यूरो बनाने और बजट उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। वर्ष 2008-09 की वार्षिक योजना में तीन करोड़ रुपए के परिव्यय से 11 वीं योजना के लिए लिंग आधारित बजट योजना को सम्मिलित किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एसएफसी आयोजित की गई जिसमें 4 जनवरी, 2008 को योजना को मंजूरी दी गई।

अनुसंधान, प्रकाशन और निगरानी के लिए अनुदान : इस योजना के माध्यम से मंत्रालय महिला और बाल विकास के क्षेत्र में उभरते मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययनों, कार्यशालाओं और सेमिनारों को बढ़ावा देता है।

महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति : सरकार द्वारा 20 मार्च 2001 को लागू की गई महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना और महिलाओं के साथ हर तरह का भेदभाव समाप्त कर यह सुनिश्चित करना है कि वे जीवन के हर क्षेत्र और गतिविधि में खुलकर भागीदारी करें। इस नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की जा रही है।

महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43वां) : महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए एक नया कानून बनाया है और उसे 26 अक्टूबर, 2006 से लागू कर दिया गया है।

महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने पर सम्मेलन (सीईडीएडब्ल्यू) : भारत ने महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने संबंधी सम्मेलन (सीईडीएडब्ल्यू) पर 30 जुलाई, 1980 में हस्ताक्षर किए थे और एक आरक्षित और दो घोषित वक्तव्यों के साथ 9 जुलाई, 1993 को उसकी पुष्टि कर दी थी। सम्मेलन या संधि में शामिल देशों की महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए अपने यहां कानून बनाने और दूसरे उपाय करने की बाध्यता है और उन्हें पुरुषों के समान मूल अधिकारों और मानवाधिकारों का उपयोग करने की गारंटी का प्रावधान है। इस सिलसिले में पहली रिपोर्ट 21 अक्टूबर, 1997 को जमा की गई जिस पर 24 और 30 जून, 2000 को विचार किया गया और दूसरी और तीसरी रिपोर्ट संयुक्त रूप से जून 2005 को जमा की थी। सीईडीएडब्ल्यू पर संयुक्त राष्ट्र की समिति ने इन रिपोर्टों पर 18 जनवरी, 2007 को विचार किया।

कार्रवाई के लिए बीजिंग प्लेटफार्म : वर्ष 1995 में बीजिंग में महत्वपूर्ण चौथे विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण को रफ्तार देने के लिए घोषणा और कार्रवाई के लिए प्लेटफार्म बीपीएफ को स्वीकार किया गया। बीपीएफ ने 12 ऐसे क्षेत्रों को चुना जो महिलाओं के लिए चिंता का विषय हैं। भारत ने दोनों को ही बिना किसी शर्त के स्वीकार किया है। महिलाओं की स्थिति पर समिति सदस्य देशों में महिलाओं की स्थिति की प्रगति की समीक्षा करती है। महिलाओं की स्थिति पर समिति का 52वां सत्र 25 फरवरी से 7 मार्च 2008 तक न्यूयार्क में आयोजित किया गया।

स्त्री शक्ति पुरस्कार : सामाजिक विकास के क्षेत्र में महिलाओं के व्यक्तिगत योगदान को पहचान देने के लिए केंद्र सरकार ने स्त्री शक्ति के नाम से पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है। यह पुरस्कार

भारतीय इतिहास की सम्मानित महिलाओं के नाम पर रखे गए हैं, जो अपने साहस और एकता के लिए विख्यात हैं :

- देवी अहिल्याबाई होलकर
- कन्नगी
- माता जीजाबाई
- रानी गिडेनेलु जेलियांग
- रानी लक्ष्मीबाई

वर्ष 2007 से स्त्री शक्ति पुरस्कार की उपश्रेणी में रानी रुद्रम्मा देवी का नाम भी जोड़ा गया है। यह पुरस्कार उत्कृष्ट प्रशासनिक कौशल, नेतृत्व क्षमता और साहस के लिए व्यक्तिगत रूप से महिला और पुरुष को प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों के तहत तीन लाख रुपए नकद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

बच्चों के लिए कार्यक्रम

एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीसी) योजना : एकीकृत बाल विकास सेवा वर्ष 1975 में केंद्र प्रायोजित योजना के तौर पर शुरू की गई। इसके उद्देश्य हैं : (क) छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के पौष्टिक आहार तथा स्वास्थ्य स्तर में सुधार (ख) बच्चों के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव डालना (ग) बाल मृत्यु दर, कुपोषण और स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी लाना (घ) बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति तथा कार्यान्वयन में कारगर तालमेल (च) स्वास्थ्य तथा पोषाहार, शिक्षा की समुचित व्यवस्था करके, माताओं तथा बच्चों की स्वास्थ्य व पोषाहार संबंधी जरूरतों की देखरेख की क्षमता बढ़ाना। योजना छह साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करती है, (1) अनुपूरक पोषण (2) प्रतिरक्षण (3) स्वास्थ्य जांच (4) पोषण व स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा (5) संदर्भ सेवाएं (6) स्कूली शिक्षा से पूर्व गैर औपचारिक शिक्षा।

जनसंख्या के प्रतिमान : आंगनबाड़ी केंद्र और लघु आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए जनसंख्या के प्रतिमान इस प्रकार हैं—

योजना, (1) प्रत्येक राज्य में ग्रामीण और आदिवासी सामुदायिक विकास ब्लॉक में एक परियोजना शुरू की जाएगी, भले ही उसमें कितने भी गांव/आबादी क्यों न हो।

(2) शहरों में एक लाख की आबादी पर एक परियोजना चलाई जाएगी।

दो लाख की आबादी वाले ब्लॉक में, राज्य को प्रति लाख की आबादी पर एक परियोजना से अधिक पर या एक परियोजना के आधार पर चलना चाहिए। इस मामले में, आबादी या ब्लॉक के आंगनबाड़ियों की संख्या के आधार पर कर्मचारियों को समुचित रूप से सशक्त बनाना चाहिए। इसी प्रकार एक लाख से कम की आबादी वाले ब्लॉक में सीडीपीओ कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या सामान्य ब्लॉक से कम होनी चाहिए।

आंगनबाड़ी केंद्र

ग्रामीण/शहरी परियोजनाओं के लिए

400-800- एक आंगनबाड़ी

800-1600- दो आंगनबाड़ी

1600-2400- तीन आंगनबाड़ी

800 के गुणांकों की आबादी पर- एक आंगनबाड़ी

लघु आंगनबाड़ी के लिए

150-400- एक लघु आंगनबाड़ी

आदिवासी/नदी क्षेत्र/रेगिस्तान, पर्वतीय और अन्य दुर्गम क्षेत्रों के लिए परियोजना

300-800- एक लघु आंगनबाड़ी

लघु आंगनबाड़ी के लिए

150-300- एक लघु आंगनबाड़ी

किशोर बालिकाओं के लिए पोषण कार्यक्रम : महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 से देश के 51 जिलों में पायलट परियोजना के रूप में किशोर बालिकाओं के लिए पोषण कार्यक्रम (एनपीएजी) लागू की। 11-15 वर्ष की 30 किलोग्राम से कम वजन वाली और 15 से 19 वर्ष की 35 किलो से कम की किशोरियों को इस योजना में शामिल किया गया है। योजना के तहत प्रत्येक कुपोषित किशोरी को प्रति माह छह किलोग्राम अनाज दिया जाता है। कार्यक्रम को राज्यों, जिला ब्लॉक और आंगनवाड़ी केंद्रों में स्थापित आईसीडीएस की प्रशासनिक इकाई के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। एनपीएजी के लिए धन का प्रावधान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए शत प्रतिशत अनुदान के आधार पर विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में किया जाता है। इस कार्यक्रम के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग केंद्रीय आधारित मूल्य परस बीपीएल दर पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अनाज मुहैया करता है। इससे पहले योजना आयोग ने वर्ष 2002-2003 और वर्ष 2003-04 में एक पायलट परियोजना शुरू की थी।

मंत्रालय किशोरी शक्ति योजना (केएसवाई) भी लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य 11-18 वर्ष की उम्र की कुपोषित किशोरियों को अपने विकास, पौष्टिक और स्वास्थ्य की स्थिति, साक्षरता और अंकीय कौशल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। यह योजना आईसीडीसी की 6118 परियोजनाओं में चल रही है। किशोरी शक्ति योजना के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की स्थानीय आवश्यकताओं के मद्देनजर किशोरियों के विकास की विभिन्न योजनाओं के विकल्प उपलब्ध हैं। किशोरियों में पोषण और स्वास्थ्य संबंधी विकास के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को एक साथ मिलाने की आवश्यकता है। किशोरी शक्ति योजना के तहत प्रति ब्लॉक प्रति वर्ष 1.10 लाख रुपए अनुदान के तौर पर जारी किए जाते हैं।

कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी नेशनल क्रेच स्कीम (राजीव गांधी राष्ट्रीय बाल अनुसंधान केंद्र) : 1 जनवरी 2006 को कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय बाल अनुसंधान केंद्र की शुरुआत की गई। यह योजना केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और राष्ट्रीय स्तर के दो स्वैच्छिक संगठनों, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ और भारतीय बाल कल्याण परिषद् के माध्यम से क्रियान्वित कराई जा रही है। एक क्रेच में 25 बच्चों को रखने की सुविधा है। अब तक 31718 क्रेच की अनुमति दी गई है जिससे 7.92 लाख बच्चों को लाभ हुआ है।

योजना का उद्देश्य

- क्रेच खोलकर कामकाजी माताओं के बच्चों (0-6 वर्ष तक के) की दिन भर देखभाल करना।
- कामकाजी माताओं के बच्चों को विकास सेवाएं प्रदान करना, उदाहरण के लिए अनुपूरक पोषण, स्वास्थ्य देखभाल जैसे प्रतिरक्षण, पोलियो की दवा, मूलभूत स्वास्थ्य निगरानी और मनोरंजन
- योजना के तहत वित्तीय अनुदान
- परियोजना में प्रस्तावित या जितना वास्तविक व्यय हुआ है, जो भी कम हुआ, सरकार उसकी 90 प्रतिशत तक की लागत चुकाएगी (इसमें क्रेच के कामगारों का मानदेय शामिल नहीं है) और शेष राशि कार्यान्वयन संस्था द्वारा वहन की जाएगी।
- सरकारी अनुदान 3532 रुपए प्रति माह प्रति क्रेच के आधार पर कार्यान्वयन संस्था को प्रदान करेगी।

परियोजनागत प्रस्ताव निम्नलिखित है।

चालू अनुरक्षण केंद्रों के लिए अनुदान : आवर्ती अनुदान और गैर आवर्ती अनुदान निम्नलिखित हैं:

आवर्ती अनुदान

घटक	सीलिंग व्यय	अनुदान
प्रति क्रेच कामगार को एक हजार रुपए की दर से प्रति क्रेच दो क्रेच कामगारों का मानदेय	2000 रु. प्रति माह	2000 रु. (100 प्रतिशत)
प्रति क्रेच 25 बच्चों के लिए 26 दिनों के लिए प्रति बच्चा 2.08 रुपए की दर से भोजन	1352 रु. प्रति माह	1217 रु. (90 प्रतिशत)
आपातकालीन सेवाएं और आकस्मिक व्यय	350 रु. प्रति माह	315 रु. (90 प्रतिशत)

गैर-आवर्ती अनुदान

घटक	सीलिंग व्यय	अनुदान
प्रति क्रेच एक हजार रुपए की दर से नया क्रेच खोलते समय उपभोग्य सामान की खरीद	1000 रु. प्रति क्रेच	1000 रु. (100 प्रतिशत)
प्रति क्रेच 5000 रुपए के हिसाब से पांच साल पुरानी उपभोग्य सामग्री के स्थान पर नई की खरीद	5000 रु. प्रति क्रेच	5000 रु. (100 प्रतिशत)

राज्य सरकार की सलाह से राज्यों से राज्यवार स्वतंत्र निगरानी संस्थाओं की पहचान की गई है। इसकी निगरानी के लिए अनुदान की व्यवस्था भी की गई है।

चाइल्डलाइन सेवाएं

मुसीबत में फंसे बच्चों की मदद के लिए 1098 नंबर की 24 घंटे की निशुल्क फोन सेवा उपलब्ध कराई गई है। इस सेवा का उपयोग मुसीबत में फंसा बच्चा या मुसीबत में फंसे बच्चों की तरफ से कोई भी वयस्क कर सकता है। अभी चाइल्डलाइन सेवा 73 शहरों में काम कर रही है। चाइल्ड लाइन का मूल उद्देश्य है : (1) आपात स्थिति में फंसे बच्चों को तुरंत मदद पहुंचाना और उन्हें उनकी आवश्यकता सेवा

(2) बाल संरक्षण की सेवाओं को नेटवर्क उपलब्ध कराना (3) बच्चों की आवश्यकताओं के मद्देनजर पुलिस, नगर निगम, अस्पताल, मेडिकल कर्मियों को आग्रही बनाना (4) बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करना और (5) मुसीबत में फंसे बच्चों की जरूरत के समय समाज को जवाब देने के मौके उपलब्ध कराना। चाइल्ड लाइन सेवा प्रचालन का समन्वय, निगरानी और विस्तार चाइल्ड लाइन फाउंडेशन करता है। इसका गठन भारत सरकार के एक अंब्रेला संगठन के तौर पर किया है जिसका उद्देश्य बच्चों को उत्तम गुणवत्ता की सेवा उपलब्ध कराना है।

एकीकृत बाल सुरक्षा योजना (आईसीपीएस)

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए एकीकृत बाल सुरक्षा योजना नाम से नई योजना का शुभारंभ किया है जिसका कार्यान्वयन राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य मुसीबत में फंसे बच्चों के कल्याण में योगदान देना और बच्चों के उत्पीड़न, तिरस्कार, शोषण, परित्याग और माता-पिता से बिछुड़ने वाली संवेदनशील स्थितियों और कार्यों को रोकना है। पूर्व निर्धारित परिव्यय विभाजन के आधार पर राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से यह योजना कार्यान्वित की जाएगी।

आईसीपीएस जरूरतमंद बच्चों को रोकथाम, सांविधिक, देखभाल और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करती है। साथ ही बाल न्याय (देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, 2000 के तहत बच्चों को सुरक्षा देती है।

आईसीपीएस गैर सरकारी संगठनों की मदद से अथवा राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासनों द्वारा सेवाओं के गठन और संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन सेवाओं में शामिल है : (क) चाइल्डलाइन के माध्यम से आपात स्थिति में फंसे बच्चों तक पहुंचना (ख) शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद बच्चों के लिए खुले आश्रय स्थल (ग) परिवार आधारित गैर संस्थागत देखभाल (घ) संस्थागत सेवाएं।

इस योजना में प्रावधान है कि राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों को निम्नलिखित सांविधिक सेवाओं के गठन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाए (क) बाल कल्याण समिति (ख) बाल न्याय बोर्ड (जेजेबी) (ग) राज्य बाल पुलिस इकाई, जो कि बाल न्याय अधिनियम में प्रदत्त है।

आईसीपीएस योजना और उसकी विभिन्न सेवाओं के नियोजन, कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए समर्पित सेवा संरचना प्रदान करती है जिससे बच्चों को अधिकतम लाभ दिया जा सके। इसमें शामिल है : (क) केंद्रीय योजना सहयोग इकाई (सीपीएसयू) (ख) राज्य योजना सहयोग इकाई (एससीपीएस) (ग) राज्य बाल सुरक्षा सोसायटी (एससीपीएस) (घ) जिला बाल सुरक्षा सोसायटी (डीसीपीएस) (च) राज्य दत्तक संसाधन संस्था (एसएआरए) (छ) चाइल्डलाइन फाउंडेशन का विस्तार और उसे सशक्त करना (ज) केंद्रीय दत्तक संसाधन संस्था (कारा) को सशक्त बनाना (झ) राष्ट्रीय जन समन्वय और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) को मजबूती प्रदान करना।

आईसीपीएस वर्तमान बाल सुरक्षा कार्यक्रमों को आगे लाती है (क) बाल न्याय के लिए एक कार्यक्रम (ख) फुटपाथी बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम (ग) अन्य नए हस्तक्षेपों के साथ एक अंब्रेला के तहत देश में गोद लेने को बढ़ावा देने के लिए शिशु गृह को सहयोग प्रदान करना।

कामकाजी बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उनकी देखरेख व संरक्षण संबंधी कल्याण कार्यक्रम

यह योजना जनवरी 2005 से लागू की गई है। योजना का उद्देश्य उन कामकाजी बच्चों को, जिन्होंने

किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दी है, शिक्षा ग्रहण ही नहीं कर सके, उन्हें अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण मुहैया कराना है जिससे वे दोबारा मुख्यधारा की शिक्षा में प्रवेश/पुनः प्रवेश पा सकें ताकि उनका भविष्य में शोषण न हो।

कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम

कन्याओं के प्रति अपराध और हिंसा उसके पैदा होने से पहले से शुरू हो जाती है। कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाएं इस बात की गवाह हैं कि उन्हें जन्म लेने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय को सुझाव दिया है कि प्री-कंसेप्शन और प्री-नेटल डायग्नोस्टिक (प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सेलेक्शन) ऐक्ट, 1994 के प्रावधानों का अमल, उनकी निगरानी और प्रशासन को और मजबूत करें। लिंग की पहचान करने और भ्रूण हत्या की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक तंत्र की स्थापना भी की जाए।

धनलक्ष्मी

बीमा कवर सहित बालिकाओं को नकद राशि

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 3 मार्च, 2008 को इस योजना को आरंभ किया।

योजना के तहत निम्न परिस्थितियों में बालिका के परिवारी जनों (विशेष माता) को नकद राशि दी जाती है:

- जन्म और जन्म के पंजीकरण पर
- टीकाकरण की प्रगति पर (छह माह में राशि देना)
- टीकाकरण पूरा होने पर
- विद्यालय में दाखिला करने पर (मंत्रालय कक्षा आठ तक धनराशि देता है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय कक्षा 9-12 तक धनराशि देता है)
- शेष धनराशि 18 वर्ष की आयु में दी जाती है
इसके अतिरिक्त एक लाख रुपए का बीमा कवर भी उपलब्ध कराया जाता है
योजना का उद्देश्य द्विस्तरीय है-
- कन्या शिशु को बचाए रखने और उन्हें शिक्षा देने के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
- कन्या के प्रति परिवार की मनोवृत्ति में बदलाव लाना। इससे परिवार के लोग कन्या को बोझ की बजाय संपदा समझेंगे क्योंकि उसके कारण परिवार को धन मिलेगा।
- यह योजना सात राज्यों के 11 जिलों में शुरू की जाएगी।
वर्ष 2008-09 के लिए 10 करोड़ रुपए का वार्षिक परिव्यय मंजूर किया गया है।

बाल विवाह की रोकथाम

बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिरोधक अधिनियम, 1929 को वापस लेकर उसके स्थान पर बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, 2006 बनाया गया है जिसे 11 जनवरी 2006 को अधिसूचित कर लागू किया गया है। अधिनियम की धारा 19(1) के तहत राज्य सरकारें इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाएंगी। अधिनियम की धारा 19(2) में प्रावधान है कि इस अधिनियम के

तहत बनाए गए नियम को राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने 24 अगस्त, 2007 को दिए गए आदेश में कहा कि बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, 2006 को जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी और इस तिथि से चार हफ्ते के अंदर लागू कर दिया जाए। यह आशा की गई कि राज्य इसके छह हफ्ते के भीतर उचित नियम बना लेंगे। इस कानून में दोषी को सजा का प्रावधान है। कानून के तहत बाल विवाह को रोकने के लिए राज्यों में प्रतिबंध अधिकारियों की नियुक्ति करने का भी प्रावधान है।

यूनिसेफ से सहयोग

भारत में यूनिसेफ कार्यक्रमों का संचालन यूनिसेफ और भारत सरकार की ओर से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच हुए समझौते के माध्यम से किया जा रहा है। यह समझौता आपसी विचार-विमर्श और सहमति से बनाया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय समझौते के कार्यान्वयन और समन्वय के लिए शीर्षस्थ मंत्रालय है। मंत्रालय समय-समय पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा व्यय की निगरानी और समन्वय के लिए समीक्षा बैठक करता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और यूनिसेफ के बीच 3 जून, 2008 को नई दिल्ली में वर्ष 2008-12 की अवधि के लिए एक नया समझौता कंट्री प्रोग्राम ऐक्शन प्लान (सीपीएपी) हुआ। इसका कार्यान्वयन संबद्ध मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा किया जाएगा। समझौते का उद्देश्य शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, कुपोषण का मुकाबला करना, कन्या शिशु को प्रोत्साहन देना, बाल हिंसा से निपटना, बेहतर शिक्षा, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना और एचआईवी की समस्या से निपटना है।

यूनिसेफ भारत सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की सहायता तथा भारत में सहयोग के पंचसाला कार्यक्रम के लिए 51 करोड़ 20 लाख अमेरिकी डॉलर एकत्र करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीपीएपी वर्ष 2008-12 बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौते और अन्य राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप है।

स्वैच्छिक संगठनों की सहायता

इस योजना के तहत महिलाओं और बच्चों के कल्याण की उन नई योजनाओं और गतिविधियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता दी जाती है जो महिला और बाल विकास विभाग की वर्तमान योजनाओं में शामिल नहीं है।

बाल दिवस

भारत में हर वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें अवसर प्रदान करता है कि हम लक्ष्यों को हासिल करने, कमियां दूर करने और बाधाएं समाप्त करने की दिशा में की गई प्रगति की समीक्षा करें और इन लक्ष्यों को पाने के लिए समयबद्ध रणनीति तैयार करें।

बाल अधिकार संधि

भारत ने बच्चों के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराते हुए 11 दिसंबर 1992 को बच्चों के अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र संधि का अनुमोदन किया। इस संधि का उद्देश्य बच्चे को स्वस्थ और अनुकूल माहौल में जीने और बढ़ने का अधिकार देना। इस संधि का अनुमोदन करने वाले सदस्य देशों को अपने देश में

इसके क्रियान्वयन पर समय-समय पर रिपोर्ट देनी पड़ती है। इस समझौते के अनुरूप पहली इंडिया कंट्री रिपोर्ट वर्ष 1997 में संयुक्त राष्ट्र को सौंपी गई। बच्चों के अधिकारों के बारे में दूसरी रिपोर्ट वर्ष 2001 में प्रस्तुत की गई जिस पर जेनेवा में 21 जनवरी, 2004 को मौखिक रूप से विचार विमर्श किया गया। समिति ने यह रिपोर्ट की प्रशंसा की और इस पर अपनी टिप्पणी और राय दी।

भारत ने सितंबर, 2004 को बच्चों के अधिकारों पर दो वैकल्पिक संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, (1) सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की भागीदारी और (2) बच्चों की खरीद फरोख्त, बाल वेश्यावृत्ति और बाल अश्लील साहित्य पर संधि।

राष्ट्रीय बाल कार्य योजना

राष्ट्रीय बाल योजना को 22 अगस्त, 1974 को मंजूर किया गया। इसमें व्यवस्था है कि राज्य बच्चों के पैदा होने से पहले, बाद में और बढ़ते हुए पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

राष्ट्रीय बाल घोषणापत्र को सरकार ने नीतिगत मसौदे के रूप में स्वीकार किया है जिसमें सरकार और समाज की बच्चों के प्रति जिम्मेदारी, बच्चों के अपने परिवार, देश और समाज के प्रति कर्तव्यों को उजागर किया गया है। इसे भारत सरकार के गजट पत्र में 9 फरवरी, 2004 को अधिसूचित किया गया। भारत विश्व बाल सम्मेलन 1990, संयुक्त राष्ट्र बाल सम्मेलन 1992, संयुक्त राष्ट्र बाल विशेष सत्र में 2002 जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों से चल रही गतिविधियों में सक्रिय भागीदार बना। वर्ष 2002 में बच्चों पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप राष्ट्रीय कार्य योजना, 2005 तैयार की गई। दसवीं योजना में और संबंधित मंत्रालयों/विभागों में बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कार्य योजना संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, गैर सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों से सलाह लेकर तैयार की गई। राष्ट्रीय कार्य योजना में जारी दशक के लिए बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार, शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी, दाखिलों की संख्या में वृद्धि और बीच में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक, टीकाकरण के क्षेत्र का विस्तार करना आदि के लिए लक्ष्य, उद्देश्य और रणनीतियों को शामिल किया गया है।

उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

शिक्षा, कला, संस्कृति और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 4-15 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की उपलब्धियों की सराहना के लिए वर्ष 1996 से इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई। प्रति वर्ष एक स्वर्ण और रजत पदक (प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश को एक) प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2008 के लिए पुरस्कार 5 फरवरी, 2009 को दिए गए।

बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के लिए पांच संस्थानों और तीन व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इनकी शुरुआत वर्ष 1979 में की गई थी। इसके तहत संस्थान की तीन लाख रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र और व्यक्ति को एक लाख रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। वर्ष 2008 के पुरस्कार 5 फरवरी 2009 को प्रदान किए गए।

राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार

इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। यह पुरस्कार बच्चों के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए

दिया जाता है। पुरस्कार में एक लाख रुपए की नकद राशि, प्रमाणपत्र और रजत पदक दिया जाता है। वर्ष 2006 में पुरस्कारों की संख्या बढ़ाकर तीन कर दी गई है। पुरस्कारों की घोषणा स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिवस पर प्रति वर्ष 20 अगस्त को की जाती है। वर्ष 2008 का पुरस्कार 5 फरवरी 2009 को प्रदान किया गया है।

वैधानिक और स्वायत्त संगठन

राष्ट्रीय महिला आयोग : इस आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत 31 जनवरी, 1992 को किया गया। आयोग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा करने वाले संवैधानिक और सभी कानूनों के प्रावधानों का अध्ययन और निगरानी करना और जरूरी संशोधनों की सिफारिश करना है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक योजना तैयार की है जिसका नाम है बलात्कार की शिकार महिलाओं के लिए राहत और पुनर्वास की योजना, 2005। इसमें सभी प्रकार के पुनर्वास उपायों के लिए बलात्कार की शिकार महिला को अधिकतम दो लाख रुपए तक दिए जाते हैं। मई 2008 में आयोग ने दिल्ली पुलिस के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। सेव होम, सेव फैमिली नामक इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति थाना/पुलिस स्टेशन स्तर के पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाना है। इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में, महाराष्ट्र की तर्ज पर दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के लिए तीन विशेष इकाइयों की स्थापना करना है जिसे मार्च 2009 में शुरू किया गया है। इन इकाइयों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों को निपटाना, आपराधिक शिकायतों में पुलिस सहायता का प्रावधान, पारिवारिक सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं को रेफर किया जाना और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में लोगों को सचेत करना और कानूनी परामर्श प्रदान है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा अनुदान प्राप्त है और इसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (टीआईएसएस) के सहयोग से चलाया जा सकता है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (2006 का संख्या 4) और इसके संशोधन को सरकारी राजपत्र में 20 जनवरी 2006 और 20 दिसंबर 2006 को अधिसूचित किया गया और इसकी धारा 3 के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। आयोग का काम बच्चों के अधिकारों का सही रूप से उपयोग करना, कानूनों और कार्यक्रमों पर प्रभावी रूप से अमल कराना है। आयोग का काम बच्चों से जुड़े सभी मामलों की ईमानदारी से समीक्षा करना भी है। आयोग का एक अध्यक्ष है और छह सदस्य हैं जिनमें दो महिलाएं हैं। आयोग का एक सदस्य सचिव भी है। सदस्यों को बाल स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल देखभाल और विकास, किशोर न्याय, विकलांग बच्चे, बाल श्रम को दूर करने, बाल मनोविज्ञान और समाजशास्त्र और बच्चों से जुड़े कानूनों का विशेषज्ञ होना चाहिए।

राष्ट्रीय महिला कोष : समितियां पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 30 मार्च, 1993 को गठित इस संस्था का लक्ष्य गरीब महिलाओं को उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। यह ऋण गैर सरकार संगठनों, महिला विकास निगमों, महिला सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और उपयुक्त राज्य सरकार की संस्थाओं के माध्यम से दिया जाता है। राष्ट्रीय महिला कोष इन संगठनों को आठ प्रतिशत की दर से ऋण देता है और ये संगठन आठ प्रतिशत से 18 प्रतिशत की दर से महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों/अंतिम महिला लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराता है। कोष एक विशेष ऋण डिलिवरी मॉडल- आरएमके- एनजीओ- एसएचजी-लाभार्थी की तर्ज पर लघु

ऋण उपलब्ध कराता है, यही इसकी सफलता का मुख्य कारण है। अन्य कारण लचीले ऋण नियम, आसान ऋण, बिचौलियों की अनुपस्थिति और ब्याज की रियायती दर है।

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान : नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना बाल विकास विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय के तत्वावधान में की गई है। इसका उद्देश्य सामाजिक विकास में स्वैच्छिक कार्यों को प्रोत्साहन देना और उनका विकास करना, बाल विकास पर व्यापक दृष्टि डालना और राष्ट्रीय बाल नीति के अनुरूप कार्यक्रमों का विकास और प्रोत्साहन और सामाजिक विकास में सरकारी और स्वयंसेवी कार्यों में समन्वय के उपाय करना और सरकारी व स्वैच्छिक प्रयासों के जरिए बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित करने हेतु पृष्ठभूमि व ढांचा तैयार करना है।

समन्वित बाल विकास कार्यक्रम का संचालन करने वालों को प्रशिक्षित करने का यह अग्रणी संस्थान है। यह महिला एवं बाल विकास के कार्यक्रमों व नीतियों पर अमल करने व उन्हें बढ़ावा देने और स्वैच्छिक कार्यों के लिए सरकार व स्वयंसेवी संस्थाओं को तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों व तकनीकी इकाइयों के साथ समन्वय रखता है। संस्थान के चार क्षेत्रीय केंद्र हैं जो बंगलुरु, गुवाहाटी, लखनऊ और इंदौर में हैं।

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड : बोर्ड की स्थापना अगस्त, 1953 में हुई थी। बोर्ड की प्रगति एक प्रकार से भारत में स्वैच्छिक संस्थाओं के विकास का प्रयास है। बोर्ड का कार्य स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से सामाजिक कल्याण की गतिविधियों को बढ़ावा देना, महिलाओं-बच्चों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं पर अमल करना है। वर्ष 1969 में बोर्ड को कंपनी अधिनियम के तहत चैरिटेबल कंपनी के रूप में पंजीकृत करके, कानूनी रूप दिया गया। 33 राज्य कल्याण बोर्ड विभिन्न कार्यक्रमों पर अमल कर रहे हैं जिसमें जागरूकता बढ़ाने, महिलाओं के लिए शिक्षा का पाठ्यक्रम, परिवार परामर्श केंद्र, अल्पावधि प्रवास गृह, राजीव गांधी राष्ट्रीय अनुरक्षण योजना, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल (किराया) आदि।

केंद्रीय दत्तक संसाधन संस्था (कारा) : कारा की स्थापना 20 अगस्त, 1990 में की गई थी। यह एक पंजीकृत स्वायत्त निकाय है जिसे सोसायटी अधिनियम 1860 के तहत 18 मार्च, 1999 को पंजीकृत कराया गया। राज्य सरकारों की सलाह पर कारा अंतरदेशीय गोद लेने के कार्य में लगी संस्थाओं को मान्यता प्रदान करती है। कारा विदेशी दत्तक संस्थाओं को भी उनके देश के उपयुक्त कानूनों के हिसाब से सूचीबद्ध करती है जिसके बारे में भारतीय मिशन सुझाव देते हैं। अभी भी कारा ने 64 भारतीय प्लेसमेंट संस्थाओं को मान्यता दी है और 152 उन संस्थाओं को सूचीबद्ध किया है जो 25 देशों में काम कर रही हैं। इनमें भारत सरकार के विभाग भी हैं। कारा देश में गोद लेने को बढ़ावा देने वालों के लिए शिशु गृह योजना लागू करती है।

सूचना का अधिकार : जन संबंधी मामलों में पारदर्शिता बढ़ाने की आवश्यकता और भ्रष्टाचार रोकने की आवश्यकता को देखते हुए संसद ने वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार/अधिनियम लागू किया। यह एक अनूठा विधेयक है जो लोगों का, विशेष कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण करेगा। हालांकि सूचना के अधिकार की संविधान में निहित गारंटी मौजूद है, यह अधिनियम नागरिकों को प्रशासन के सभी मामलों पर सूचना हासिल करने का व्यावहारिक अधिकार प्रदान करता है। यह अधिनियम जन प्रशासन को उत्तरदायी ठहराने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को भागीदारीपूर्ण बनाने की दिशा में असाधारण कदम है।

यह विधेयक बहुत विस्तृत है, प्रशासन के लगभग सभी स्तरों पर लागू होता है और इसकी सबसे व्यापक पहुंच है। यह न केवल केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों और सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू

है बल्कि सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों पर भी लागू है। इस अधिनियम के तहत व्यापक सूचना प्राप्त करना संभव है और इसमें राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कम से कम छूट दी गई है। वे संस्थान भी जिन्हें छूट मिली है तब नागरिकों के जानने के अधिकार में आ जाते हैं जब मसला भ्रष्टाचार या मानवाधिकारों के हनन का हो।

यह अधिनियम विश्व में ऐसे सभी विधेयकों की तुलना में संभवतः सबसे प्रगतिशील है। सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को अपनी अधिकारिकता स्थापित नहीं करनी होती है। यह किसी भी अधिनियम जिसमें सरकारी गोपनीयता अधिनियम भी शामिल है, में इसके विरुद्ध कुछ भी हो उसे निरस्त करता है।

इस अधिनियम के तहत सूचना हासिल करने का तरीका सरल है। सरकार के किसी भी कार्यालय से सूचना प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को केवल संबंधित जन सूचना अधिकारी से आग्रह करना होता है। इस आग्रह में केवल जो सूचना चाहिए, उसके बारे में और जिस पते पर चाहिए, उसे लिखा जाना चाहिए। इस प्रार्थना को या तो डाक द्वारा या स्वयं जमा कराना होता है। इसे अंग्रेजी या हिंदी में या उस क्षेत्र की राजभाषा में किया जा सकता है और ई मेल द्वारा भी भेजा जा सकता है।

यह अधिनियम प्रार्थी को सरकारी दस्तावेज जांचने की अनुमति देता है। यह प्रार्थी को विभिन्न कार्यों के नमूने एकत्र करने की अनुमति भी देता है।

यदि प्रार्थी को 30 दिनों के भीतर सूचना नहीं मिलती या प्रार्थी उसे दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है तो वह पहली अपील 30 दिनों के भीतर अपील अधिकारी से कर सकता है जो आम तौर पर जन सूचना अधिकारी का तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी होता है। अपील अधिकारी को अपील मिलने के 30 दिनों के भीतर उस पर निर्णय लेना होता है।

यदि प्रार्थी अपील अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता तो वह 90 दिनों के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को दूसरी अपील कर सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग केंद्र सरकार और केंद्रशासित प्रदेशों के तहत आने वाले कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि की अपीलों पर गौर करता है जबकि राज्य सूचना आयोग संबंधित राज्य सरकार के अधीन आने वाले कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि की अपीलों पर गौर करता है।

केंद्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग उच्चाधिकार प्राप्त स्वतंत्र आयोग हैं। इन आयोगों को चूक करने वाले जन सूचना अधिकारियों पर जुर्माना लगाने का अधिकार भी है।

इस अधिनियम ने गोपनीय शासन व्यवस्था को पारदर्शी शासन व्यवस्था में बदल दिया है। ऐसा नहीं है कि सूचना तभी दी जाएगी जब कोई व्यक्ति उसके लिए आग्रह करता है। हर प्राधिकरण को अधिकतम संभव सूचना के प्रसारण के लिए अपने संस्थान से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी स्वयं प्रकाशित करनी चाहिए जिससे जनता को जन प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने की कम से कम आवश्यकता पड़े।

अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का गठन 29 जनवरी, 2006 को किया गया। इसके गठन का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की नीति, नियोजन, समन्वय, मूल्यांकन और समीक्षा करना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के तहत पांच धार्मिक समुदायों— मुसलिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन पांचों समुदायों का प्रतिशत देश की जनसंख्या में 18.47 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992, वक्फ अधिनियम, 1995 और दरगाह खाजा साहब अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय जिम्मेदार है।

कम समय में ही मंत्रालय ने न केवल पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया है बल्कि चल रही योजनाओं/कार्यक्रमों को सरल और कारगर बनाना है और अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए रचनात्मक व प्रभावी योजना/कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। मंत्रालय और उसके अधीनस्थ संगठनों द्वारा चलाई जा रही योजनाएं इस प्रकार हैं :

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम : इस कार्यक्रम की घोषणा जून 2006 में की गई थी। इसका उद्देश्य इस प्रकार है : (क) शैक्षिक अवसरों में बढ़ोतरी (ख) मौजूदा और नई योजनाओं, स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और राज्य व केंद्र सरकार की नौकरियों के चयन द्वारा रोजगार व आर्थिक गतिविधियों में अल्पसंख्यकों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना (ग) बुनियादी संरचना विकास योजनाओं में उचित भागीदारी सुनिश्चित कर अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर में सुधार लाना (घ) सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण करना। नए कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वंचितों के लिए बनाई गई विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के वंचित वर्ग को मिले। यह सुनिश्चित करने के लिए इन योजनाओं का लाभ समान रूप से अल्पसंख्यकों तक भी पहुंचे, नए कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं का कुछ हिस्सा केंद्रित करने पर विचार किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जहां तक संभव हो, विभिन्न योजनाओं का 15 प्रतिशत हिस्सा वित्तीय परिव्यय व लाभार्थी अल्पसंख्यकों में से हों।

प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के कारण, इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

वर्ष 2006-07 व 2007-08 के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियों और वर्ष 2008-09 के लिए निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं :

- (क) सर्वशिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2006-07 के दौरान अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 961 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण किया गया और वर्ष 2007-08 में यह संख्या 2008 है। वर्ष 2006-07 के दौरान 1114 प्राथमिक विद्यालय खोले गए। इनकी संख्या 2007-08 में 3001 है। इसी प्रकार शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक जनसंख्या बहुल खंडों में कस्तूरबा गांधी बालिक विद्यालयों की संख्या वर्ष 2006-07 के 97 से बढ़कर, वर्ष 2007-08 में 219 हो गई।
- (ख) स्वर्ण जयंती ग्राम स्व रोजगार योजना के तहत वर्ष 2006-07 में अल्पसंख्यक स्व रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या 60494 थी जो वर्ष 2007-08 में बढ़कर 143385 हो गई। वर्ष 2008-09 के लिए यह लक्ष्य 264401 रखा गया है।
- (ग) इंदिरा आवास योजना के तहत वर्ष 2006-07 के दौरान 14236 बीपीएल अल्पसंख्यक परिवारों को पक्के मकानों के निर्माण के लिए सहायता दी गई। वर्ष 2007-08 में इनकी संख्या 143385 हो गई। वर्ष 2008-09 के लिए इसका लक्ष्य 264401 निर्धारित किया गया है।
- (घ) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान कौशल प्रशिक्षण के लिए 15933 लाभार्थियों को सहायता दी गई। वर्ष 2007-08 में इनकी संख्या 41466 हो गई जो निर्धारित लक्ष्य से अधिक है।

(च) प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में अल्पसंख्यकों की भागीदारी तीन साल यथा 2007-08 से 2009-10 में नौ प्रतिशत से बढ़कर 15 हो जाने की उम्मीद है। वर्ष 2007-08 के दौरान अल्पसंख्यकों को 58662.67 करोड़ रुपए का प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वितरित किया गया जो कुल प्राथमिकता ऋण का 9.67 प्रतिशत है। वर्ष 2008-09 के लिए यह लक्ष्य 13 प्रतिशत है।

अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना : अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित तीन छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई हैं। इनमें बालिकाओं की उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इन तीन योजनाओं में 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां उनके लिए हैं। ये योजनाएं इस प्रकार हैं :

- **मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप :** यह पूर्णतः केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष 20000 नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। योजना में 70 संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है और इसके विद्यार्थियों को पूरे पाठ्यक्रम की फीस दी जाती है। अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष अधिकतम 20000 रुपए का पुनर्भुगतान किया जाता है। वर्ष 2007-08 के दौरान 28 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 17258 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं जिनमें लड़कियों का प्रतिशत 29.02 है। वर्ष 2008-09 के लिए निर्धारित लक्ष्य 37258 छात्रवृत्तियां हैं।
- **मेरिट पश्चात स्कॉलरशिप :** यह पूर्णतः केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। यह छात्रवृत्ति कक्षा ग्यारह से पीएच.डी स्तर तक के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। इसमें कक्षा ग्यारह और बारह के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी शामिल हैं। तीन हजार से दस हजार प्रति वर्ष की फीस का पुनर्भुगतान विद्यार्थी को कर दिया जाता है। वर्ष 2007-08 के दौरान 28 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 56742 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं जिनमें लड़कियों का प्रतिशत 56.80 है। वर्ष 2008-09 के लिए निर्धारित लक्ष्य 2.5 लाख विद्यार्थी हैं।
- **मैट्रिक पूर्व स्कॉलरशिप :** पहली कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए चलाई जाने वाली इस योजना में केंद्र व राज्य की भागीदारी क्रमशः 75 और 25 की है। इस योजना के तहत 4700 रुपए प्रति वर्ष तक की फीस का पुनर्भुगतान विद्यार्थी को किया जाता है। आवेदन के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विज्ञापन देती हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान चार लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने का लक्ष्य है।

अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान : वर्ष 2001 की जनगणना और पिछड़ेपन के पैमानों के आधार पर ऐसे 90 जिलों की पहचान की गई है। शिक्षा, रोजगार, स्वच्छता, आवास, पेयजल और विद्युत आपूर्ति जैसे विकास के पिछड़ेपन के कारकों से निपटने के लिए वर्ष 2008-09 में एक बहुत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। विकास के पिछड़ेपन के कारकों की पहचान के लिए बुनियादी सर्वेक्षण भारतीय समाज विज्ञान शोध परिषद, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय शोध संस्थानों द्वारा किया गया। वर्ष 2008-09 के दौरान इसके लिए 540 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। आठ अल्पसंख्यक जनसंख्या बहुल जिलों की बहु क्षेत्रीय विकास योजना को मंजूरी दी जा चुकी है।

कोचिंग और समवर्गी योजना : सरकारी सेवाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व में सुधार करने व नौकरी के क्षेत्र में उभरते परिदृश्य का सामना करने के उद्देश्य से यह योजना जुलाई 2007 में शुरू की गई। वर्ष 2007-08 के दौरान 4147 उम्मीदवारों को कोचिंग के लिए 60 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वर्ष 2008-09 के दौरान बजटीय प्रावधान 10 करोड़ रुपए है।

सचर समिति की सिफारिशों के अनुसरण के लिए की गई पहल

- सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को अल्पसंख्यक बहुल जिलों में और अधिक शाखाएं खोलने का निर्देश दिया गया। वर्ष 2007-08 के दौरान ऐसे जिलों में 523 शाखाएं खोली गईं।
- समान अवसर आयोग के ढांचे तथा कार्य के अध्ययन और अनुमोदन के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन। इस समूह ने अपनी रिपोर्ट 13 मार्च, 2008 को सौंप दी है।
- शिक्षा, आवास और रोजगार के क्षेत्र में विभिन्नता को मापने के लिए उचित विभिन्नता सूचकांक ईजाद करने के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन। इस समूह ने अपनी रिपोर्ट 24 मार्च 2008 को सौंप दी है।
- सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सामाजिक आर्थिक धार्मिक समुदायों के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं पर आंकड़ा संग्रहण के लिए राष्ट्रीय डाटा बैंक की स्थापना।
- उचित तथा कारगर नीतिगत निर्णय हेतु आंकड़ों के विश्लेषण के लिए योजना आयोग में स्वायत्त मूल्यांकन एवं निगरानी प्राधिकरण (एएमए)का गठन।
- शैक्षिक रूप से पिछड़े सभी 3479 ब्लॉक में अपर प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन प्रदान करना।
- शिक्षक शिक्षा ब्लॉक संस्थानों (बीआईटीई) की स्थापना के लिए 77 मुस्लिम बहुल ब्लॉक की पहचान की गई है। इस योजना में परिवर्तन किया जा रहा है।
- मौजूदा यूजीसी योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल जिलों में कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में छात्राओं के लिए अधिक छात्रावासों के निर्माण का प्रस्ताव है। इन क्षेत्रों में छात्रावास सुविधा सहित नए पॉलिटेक्नीक खोलने का भी प्रस्ताव है।
- मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम संशोधित किया जा रहा है। मौजूदा कार्यक्रम के दो घटकों को दो नई योजनाएं बनाने का प्रस्ताव है। ये हैं : (क)मदरसा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा (ख)अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित प्राथमिक, अपर प्राथमिक, सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में बुनियादी ढांचे का विकास। इसमें से पहली योजना के तहत मदरसा शिक्षा को शिक्षकों को बेहतर वेतन देकर, पुस्तकों के लिए दी गई सहायता में वृद्धि कर, कंप्यूटर उपलब्ध कराकर तथा व्यावसायिक विषय शुरू कर इसे अधिक आकर्षक बनाया जा रहा है।
- एनसीएफ 2005 के मद्देनजर एनसीईआरटी ने सभी कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार की हैं।
- अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति/जनजाति का सामाजिक बहिष्कार तथा सम्मिलित करने की नीतियों के अध्ययन के लिए केंद्रों की स्थापना हेतु 13 विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक को 40 लाख रुपए दिए गए हैं।

मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन : फाउंडेशन का मौजूदा संग्रह 250 करोड़ रुपए का है। वर्ष 2008-09 के लिए संग्रह फंड में 60 करोड़ रुपए की वृद्धि का लक्ष्य है। वर्ष 2007-08 के दौरान अनुदान योजना के तहत छात्रावास भवन के निर्माण के लिए 175 लाख रुपए, विद्यालयों, कॉलेजों का निर्माण/विस्तार के लिए 439.50 लाख रुपए तथा तकनीकी शिक्षा के लिए 45 लाख रुपए दिए गए। मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के तहत 3549 लाभार्थियों को 425.88 लाख रुपए वितरित किए गए और फाउंडेशन द्वारा दिल्ली में चलाए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए 4.75 लाख रुपए प्रदान किए गए।

वर्ष 2008-09 में (जुलाई 08 तक) फाउंडेशन की अनुदान योजना के तहत छात्रावास भवन के निर्माण के लिए 172 लाख रुपए विद्यालयों, कॉलेजों के निर्माण/विस्तार के लिए 311.90 लाख रुपए तथा तकनीकी शिक्षा के लिए 37 लाख रुपए वितरित किए गए। मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के तहत 462 लाभार्थियों को 55.44 रुपए वितरित किए गए तथा फाउंडेशन द्वारा दिल्ली में चलाए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र पर 1.75 लाख रुपए खर्च किए गए।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम

अधिसूचित अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों के बीच, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 30 सितंबर, 1994 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की स्थापना की गई। आयोग अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे लोगों को स्व रोजगार के लिए रियायती दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है जिनकी पारिवारिक आय बीपीएल से दोगुनी से कम हो।

निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 750 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 850 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी है। निगम संबद्ध राज्य/केंद्रशासित प्रशासन द्वारा नामित स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसी (एससीए) तथा एनजीओ के जरिए लाभार्थी को सहायता उपलब्ध कराता है। एससीए कार्यक्रम के तहत पांच लाख तक लागत वाली परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस कार्य के लिए एससीए को तीन प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है जिसे वह छह प्रतिशत की ब्याज दर पर दे सकती है। निगम एससीए के जरिए व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा शैक्षिक ऋण की योजना भी चला रहा है।

एनजीओ कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य से 25 हजार तक का लघु ऋण दिया जा सकता है। इस कार्य के लिए एनजीओ को एक प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है जिसे वह आगे पांच प्रतिशत की ब्याज दर पर सदस्यों को देता है। ऋण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त निगम लक्षित समूह को कौशल उन्नयन तथा विपणन सहायता भी देता है। एनजीओ कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह की स्थापना और प्रोत्साहन के लिए ब्याज मुक्त ऋण का भी प्रावधान है।

निगम एनसीए के जरिए शैक्षिक ऋण योजना भी चला रहा है। इस योजना के तहत निगम अल्पसंख्यक समुदाय के सुपात्र व्यक्तियों को पेशेवर और तकनीकी शिक्षा के लिए तीन प्रतिशत की ब्याज दर पर 250000 रुपए का ऋण देता है।

निगम ने इस वर्ष (अगस्त 2008 तक) सावधि ऋण योजना के तहत 13889 लाभार्थियों को 6709 लाख रुपए के ऋण प्रदान किए। इसी अवधि के दौरान 11115 लाभार्थियों को 1703.25 लाख रुपए के लघु ऋण प्रदान किए गए।

निगम ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक 1108.09 करोड़ रुपए जारी किए जिससे 399976 लोगों को लाभ मिला।

सरकार ने निगम को धारा 25 के तहत कंपनी को नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनांस कंपनी (एनवीएफसी) में बदलने की मंजूरी दे दी है।

वार्षिक योजना

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का वार्षिक योजना परिव्यय वर्ष 2007-08 में 500 करोड़ रुपए था जिसे वर्ष 2008-09 में बढ़ाकर एक हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है। वर्ष 2008-09 के लिए 13.83 करोड़ रुपए का गैर योजनागत प्रावधान भी किया गया है।

29. युवा मामले और खेल

भारत में युवाओं की संख्या कुल आबादी का 40 प्रतिशत है। इसीलिए यह जरूरी है कि देश के इन बहुमूल्य मानवीय संसाधनों को लाभ पहुंचाने के साथ-साथ उन्हें नियोजन और विकास प्रक्रिया में युवाओं को प्रमुख रूप से भागीदार बनाया जाए, युवक और युवतियां देश के विकास में अहम भूमिका निभा सकें इसके लिए उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कुछ समय पूर्व देश के नौजवानों के लिए राष्ट्रीय युवा नीति की घोषणा की जो तेजी से बदलते सामाजिक-आर्थिक माहौल के अनुरूप है और युवाओं के नये सरोकारों का भी ध्यान रखती है, भारत के युवाओं की समस्याओं का समाधान निकालने, खासतौर पर बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के बारे में सुझाव देने के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय आयोग बनाया है, इस संबंध में आयोग से प्राप्त सिफारिशों के अनुसरण करते हुए मंत्रालय ने ग्यारहवीं योजना में 1 अप्रैल, 1998 से किशोरों और युवाओं के विकास का राष्ट्रीय कार्यक्रम (पुनर्गठित कार्यक्रम) और पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान नाम के दो कार्यक्रम प्रारंभ किये हैं।

युवा सेवाएं

राष्ट्रीय युवा नीति (एनवाईपी), 2003

पहली राष्ट्रीय युवा नीति 1988 में तैयार की गई और संसद में रखी गई। देश में तेजी से बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान राष्ट्रीय युवा नीति की समीक्षा की आवश्यकता महसूस की गयी। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2003 में नई राष्ट्रीय युवा नीति तैयार की जिसका उद्देश्य वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए युवाओं को नई चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाना और राष्ट्र के विकास में युवाओं को और अधिक सक्रिय भागीदारी निभाने को प्रोत्साहित करना है।

राष्ट्रीय युवा नीति, 2003 में युवाओं की आयु 13 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इस नीति में चार प्रमुख क्षेत्रों पर बल दिया गया है, ये क्षेत्र हैं:—(1) युवाओं को अधिकार संपन्न बनाना, (2) स्त्री-पुरुष समानता, (3) अंतर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण, (4) सूचना तथा अनुसंधान तंत्र। युवा नीति में युवाओं के विकास के लिए आठ प्रमुख क्षेत्र शामिल किये गये हैं। इसमें युवाओं के लिए पांच प्राथमिकता समूहों की पहचान भी की गयी है, नीति में इस कार्यान्वयन ढांचे को भी रेखांकित किया गया है ताकि युवा विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राज्य सरकारें, केंद्रीय मंत्रालय/विभाग सक्रिय रूप से सहयोग करें।

किशोरों व युवाओं के विकास का राष्ट्रीय कार्यक्रम

(ग्यारहवीं योजना के लिए दिशानिर्देश)

पृष्ठभूमि

यह कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय की शत प्रतिशत केंद्रीय सहायता वाले चार कार्यक्रमों को मिलाकर बनाया गया है, ये कार्यक्रम हैं—युवा क्रियाकलाप एवं प्रशिक्षण संवर्धन, राष्ट्रीय

अखंडता को बढ़ावा, साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा, और किशोरों का विकास और सशक्तिकरण। ऐसा एक समान उद्देश्यों वाले कार्यक्रमों की बहुलता को कम करने, वित्त पोषण और कार्यान्वयन प्रक्रिया में समानता सुनिश्चित करने, फील्ड स्तर पर कोष की उपलब्धता में देरी को दूर करने, और परियोजना की तैयारी एवं उसके कार्यान्वयन राज्य सरकारों की भागीदारी को संस्थागत स्वरूप देने की दृष्टि से किया गया। अब संचालनगत मशीनरी और कार्यक्रम के क्रियान्वयन में एकजुटता और समग्रता के साथ-साथ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक भाग के वित्तीय परिणामों का स्पष्ट बंटवारा भी होगा।

10वीं योजना के अंतिम वर्ष 2006-07 में इन कार्यक्रमों में कुछ प्रक्रियागत बदलाव किये गये थे, किंतु यह भी महसूस किया गया कि इनके स्वरूप, प्रभाव और परिणामों को अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए इनके पुर्नगठन की आवश्यकता है। योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में इन कार्यक्रमों की समीक्षा की गयी। कार्यदल द्वारा यह सिफारिश की गई कि पुर्नगठित योजना को उभरती आवश्यकताओं के अनुसार और कार्यान्वयन संगठन की क्षमता, कार्यक्रम के स्वरूप और प्रशिक्षणों के प्रकार के संदर्भ में अधिक केंद्रित होना चाहिए। इन सिफारिशों और 11वीं योजना में शून्य आधारित बजट व्यवस्था के संदर्भ में सभी कार्यक्रमों को एक वृहद् कार्यक्रम में मिला लिया गया।

पुर्नगठित वृहद् कार्यक्रम युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा 11वीं योजना में शत-प्रतिशत केंद्रीय कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जाएगा।

कार्यक्रम के उद्देश्य

लघु अवधि के उद्देश्य

- किशोरों सहित युवाओं की पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए उनके समग्र विकास के अवसर प्रदान करना;
- युवाओं में नेतृत्व के गुणों और उनके व्यक्तित्व का विकास करना; और उनकी ऊर्जा को राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक प्रगति की दिशा में मोड़ना;
- युवाओं की सृजनात्मक अभिव्यक्ति के जरिए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और धर्म निरपेक्ष एवं आधुनिक दृष्टिकोण को मजबूत करना;
- युवाओं में साहसिक कार्य, जोखिम उठाने, टीम कार्य, चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए सदा तैयार रहने और स्थायित्व की भावना भरना;
- किशोरों को युवाओं में पृथक उपसमूह; के रूप में मान्यता देना और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना; उनके समग्र विकास के लिए ग्राह्य वातावरण और प्रोत्साहन उपलब्ध कराना;
- युवाओं और किशोरों से संबंधित अनुसंधान व प्रकाशन को प्रोत्साहन देना और सूचनाओं और आंकड़ों के विकास सहित तकनीकी संसाधन सहयोग को बढ़ावा देना।

दीर्घकालीन उद्देश्य

- राष्ट्रनिर्माण के लिए सकारात्मक तरीके से युवाओं की ऊर्जा को लगाना और दिशा देना।
- लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे राष्ट्रीय मूल्यों में गर्व की भावना जागृत करना,
- युवाओं में सामाजिक सौहार्द्र और राष्ट्रीय एकता का संवर्धन करने वाली गतिविधियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

- देश के विभिन्न भागों के युवाओं में राष्ट्रीय अखंडता, अनेकता में एकता और भारतीयता के गर्व की भावना भरना और उनमें सामाजिक सौहार्द पैदा करना;
- ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान के प्रसार के लिए युवाओं को मुख्य कार्यकर्ता का काम करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करना।
- समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से वंचित/पिछड़े वर्गों के किशोरों के विकास और सशक्तिकरण के लिए कार्य करना
- देश में किशोरों की विशिष्ट आवश्यकताओं और उम्मीदों को समझने वाले वातावरण का निर्माण और विकास करते हुए किशोरोन्मुख सेवाएं उपलब्ध कराना।

कार्यक्रम के लाभार्थी

युवाओं और किशोरों की परिभाषा : इन्हें राष्ट्रीय युवानीति के अनुसरण में परिभाषित किया जाएगा। दूसरे शब्दों में 'युवा' में 13 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लोग, और 'किशोर' में 10 से 19 वर्ष आयु समूह के लोग शामिल होंगे।

लक्षित युवा और किशोर : इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पाने वाले लक्षित लोगों में शामिल हैं— नेहरू युवा केंद्र संगठन से संबद्ध युवा क्लबों के सदस्य, राष्ट्रीय सेवा योजना, राज्य सरकारों के युवा संगठनों, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स और स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र/अन्य स्थापित युवा संगठनों या एनजीओ से जुड़े किशोरों और युवाओं को भी ऐसे संगठनों का पंजीकृत सदस्य होने पर इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। विशेष योग्यताओं वाले युवाओं और अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय एवं कमजोर वर्गों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

महिलाओं को प्राथमिकता : लाभार्थियों के चयन में महिलाओं को विशिष्ट प्राथमिकता दी जाएगी और लाभार्थियों में कम से कम एक तिहाई महिलाओं को शामिल करने की कोशिश की जाएगी।

कार्यक्रम क्षेत्र और घटक

कार्यक्रम घटक : वृहद् कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र और उनके घटक शामिल होंगे।

कार्यक्रम क्षेत्रों के नाम	कार्यक्रम के घटक
(क) युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास	(i) युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण
(ख) राष्ट्रीय अखंडता को प्रोत्साहन	(i) राष्ट्रीय अखंडता कैम्प (ii) युवाओं का अंतर्राज्यीय आदान-प्रदान (iii) बहुसांस्कृतिक गतिविधियां (iv) राष्ट्रीय युवा पुरस्कार (v) राष्ट्रीय युवा महोत्सव (vi) राज्य युवा महोत्सव
(ग) साहसिक कार्य को प्रोत्साहन	(i) भारत में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर के साहसिक कार्यों को प्रोत्साहन (ii) भारत में उच्च स्तर के साहसिक कार्यों और साहसिक अभियान को प्रोत्साहित करना

- (घ) किशोरों का विकास और सशक्तिकरण
- (ङ) तकनीकी और संसाधन विकास
- (iii) मान्यताप्राप्त संस्थानों को अनुदान
(iv) तेनसिंह नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार
- (i) जीवन कौशल की शिक्षा
(ii) परामर्श
(iii) रोजगार मार्गदर्शन
(iv) रिहाइशी कैम्प
- (i) माहौल बनाना
(ii) युवाओं के मुद्दों पर अनुसंधान और अध्ययन
(iii) प्रलेखन और प्रकाशन
- (iv) युवाओं और किशोरों, से संबंधित मुद्दों, राष्ट्रीय एकता और साहसिक गतिविधियों के बारे में सेमिनार, बैठक, प्रदर्शनी और कार्यशाला

प्रचालन दिशा-निर्देश : प्रत्येक कार्यक्रम क्षेत्र और कार्यक्रम घटक के अंतर्गत गतिविधियों, अर्ह संस्थानों/ संगठनों की वित्तीय सहायता और उनकी वित्तीय लागत के संदर्भ में निर्धारित प्रचालन दिशा-निर्देश हैं।

कार्यक्रम का कार्यान्वयन

अर्हता : कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु निम्नलिखित संगठन पात्र हैं :

अखिल भारतीय संगठन

1. नेहरू युवा केंद्रों के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन (मुख्यालय);
2. एनएसएस इकाइयों के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना (कार्यक्रम सलाहकार एकक);
3. भारत स्काउट्स एंड गाइड्स (मुख्यालय) अपनी इकाइयों के लिए;
4. सभी विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के समकक्ष संस्थाएं;
5. भारतीय विश्वविद्यालय संघ; और
6. हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, भारतीय पर्वतारोहण न्यास, जवाहर पर्वतारोहण एवं शीत कालीन खेल संस्थान तथा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य साहसिक क्रीड़ा संस्थान;
7. स्पिक मैके;
8. राष्ट्रीय युवा परियोजना;
9. इंडिया इंटरनेशनल रूरल कल्चरल सेंटर;
10. राजयोगे शिक्षा एवं अनुसंधान फाउंडेशन
11. द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट; और
12. रामकृष्ण मिशन

राज्य स्तरीय संगठन

1. राज्य सरकारें, उनके युवा मामलों/युवा कल्याण विभाग/ निदेशालय और राज्यों के अन्य जिला स्तरीय अधिकारी;

2. पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय विकास;
3. पॉलिटेक्नीक सहित शैक्षणिक संस्थान;
4. सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (या अन्य उपयुक्त राज्य अधिनियम) के अंतर्गत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन और स्वैच्छिक एजेन्सियां। सार्वजनिक ट्रस्ट और लाभ के उद्देश्य से काम न करने वाली कंपनियां जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात् कम से कम 3 वर्ष पूरे किये हों और जिनका पिछले तीन वर्षों के दौरान 500,000 रुपये या इससे अधिक का औसत वार्षिक कार्यक्रम व्यय किया हो।

परियोजना प्रणाली : कार्यक्रम को परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सियों (पीआईए) के जरिए परियोजना के तौर पर लागू किया जाएगा। पीआईए एक या अधिक कार्यक्रम क्षेत्र या अवयव के लिए परियोजना प्रस्ताव जमा कर सकते हैं किंतु परियोजना पर विचार करने का मुख्य आधार पिछला उनका अनुभव और संसाधन (अवसंचरना और तकनीकी कार्यशक्ति) होंगे। पीआईए द्वारा परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए निम्नलिखित विवरण अनिवार्य है।

1. *परियोजना क्षेत्र:* परियोजना प्रस्ताव का एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए और लक्षित लाभार्थियों को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए। सामान्यतः एक राज्य में दो या तीन जिलों को मिलाकर एक परियोजना क्षेत्र बनेगा। परियोजना क्षेत्र में एक प्रदेश से अधिक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश होने पर संबद्ध अवसंचरना, मानवशक्ति और पिछले अनुभव के बारे में पर्याप्त स्पष्टीकरण होना चाहिए।
2. *परियोजना अवधि:* सामान्य तौर पर परियोजना एक वर्ष की होनी चाहिए जिसमें कुछ गतिविधियों की योजना बन सके। यदि किसी परियोजना के लिए एक वर्ष से अधिक की आवश्यकता हो तो उसे प्रस्ताव में पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए।
3. *परियोजना को चरणबद्ध करना :* परियोजना में तीन चरण होने चाहिए, यानी, तैयारी चरण, गतिविधि चरण और अनुसरण चरण। पहले चरण में स्कीम दिशा-निर्देशों में दिये गये विवरणों के अनुसार माहौल तैयार करने संबंधी गतिविधियां और लक्षित लाभार्थियों की पहचान/चयन की जानी चाहिए। इसके बाद गतिविधि चरण के कार्यों को विस्तृत रूप से समयबद्ध किया जाए। अनुसरण चरण में लक्षित युवाओं और किशोरों पर परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन परियोजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
4. *परियोजना बजट :* इसके अंतर्गत अवयव वार लागत अनुमान होने चाहिए जिसके दो उपशीर्ष हों
(I) कार्यक्रम क्रियान्वयन द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला योगदान-नकद अथवा सामान, और
(II) सरकार से मांगी जा रही वित्तीय सहायता।

परियोजना मूल्यांकन समिति : प्रस्तावों पर मंत्रालय में विधिवत गठित परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जाएगा। इसके सदस्यों में योजना आयोग, एकीकृत वित्त प्रभाग और मंत्रालय के प्रशासनिक प्रभाग के अधिकारियों के अलावा आवश्यकता अनुसार बाहरी विशेषज्ञ भी होंगे। स्कीम के लिए आबंटित वार्षिक बजट में से अखिल भारतीय और राज्य स्तरीय संगठनों के लिए अलग से बजट व्यवस्था की जाएगी। मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सियों को राशि जारी करना : परियोजना स्वीकृत होने पर पहली किस्त के रूप में स्वीकृत राशि के 50 प्रतिशत तक सहायता राशि जारी कर दी जाएगी। राज्य/केंद्रशासित प्रदेश

सरकारों, एनएसएस और नेहरू युवा केंद्रों के मामले में ये अग्रिम राशि 90 प्रतिशत तक हो सकती है। बकाया राशि अनुमोदित कार्यक्रम के पूरा होने और दस्तावेजों के जमा किये जाने के बाद जो भी पहले हो जारी की जाएगी।

बकाया किस्त के लिए दस्तावेज का प्रेषण : और धनराशि जारी करने के बारे में विचार करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज भेजे जाने जरूरी हैं:

- (1) अनुदान प्राप्त करने वाले द्वारा फॉर्म जीआरएफ-19(ए) में उपयोग प्रमाणपत्र
- (2) निष्पादन रिपोर्ट जिसमें स्वीकृत पत्र के संदर्भ में प्रत्येक मद और उसके अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों का उल्लेख हो
- (3) इस आशय की शपथ कि :
 - (क) वित्तीय स्वीकृति के सभी नियम और शर्तें पूरी कर ली गयी हैं;
 - (ख) स्वीकृति पत्र में परियोजना के लाभार्थियों की आयु, संख्या और श्रेणी सहित अन्य ब्यौरे में कोई बदलाव नहीं हुआ है;
 - (ग) मंत्रालय से जिस राशि की वापसी वांछित है वह किस अन्य स्रोत से हासिल नहीं की गयी है और किसी तरह का बदलाव होने पर संगठन इस बारे में सरकार को जानकारी देगा।
- (4) धनराशि की अंतिम किस्त जारी करवाने के लिए इन तीन दस्तावेजों के अलावा लेखा का अंकेक्षित विवरण भेजा जाना जरूरी है। इस विवरण में प्राप्त हुई कुल धनराशि (अपने स्रोतों सहित मंत्रालय और अन्य स्रोतों से हासिल) और स्वीकृत परियोजना के कुल खर्च का ब्यौरा चार्टर्ड अकाउंटेंट से विधिवत प्रमाणित करके भेजा जाना जरूरी है।
- (5) मंत्रालय द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तारीख के बाद एक साल के बाद प्राप्त हुए दूसरी/बकाया किस्त जारी करने के अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा

पहले स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था : वित्तीय सहायता की संशोधन पूर्व योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को इस योजना के तहत पहले स्वीकृत धनराशि जारी रखी जाएगी, इन परियोजनाओं में युवा गतिविधियां और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और किशोरों के विकास तथा सशक्तिकरण के कार्यक्रम शामिल है कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरी और अंतिम किस्त की बकाया राशि वचनबद्धता वाली देयता के अंतर्गत जारी की जाएगी।

कार्यक्रम दिशा-निर्देशों और लागत संबंधी मानदंडों में संशोधन : सचिव युवा मामले और खेल की स्वीकृति और मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार के परामर्श से कार्यक्रम संबंधी दिशा-निर्देशों में, जिनमें लागत संबंधी मानदंड भी शामिल हैं, कोई भी बदलाव किया जा सकता है कार्यक्रम के किसी भी प्रावधान में बदलाव/छूट के बारे में मंत्रालय का फैसला अंतिम होगा और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी इसे मानने को बाध्य होगी

वित्तीय सहायता ढांचा

विशिष्ट कार्यक्रम घटक: कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता उत्प्रेरक के रूप में होगी और कार्यान्वयन एजेंसी अपने कार्यक्रम के संचालन के लिए अन्य स्रोतों से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए स्वतंत्र होंगी। वित्तीय सहायता की राशि भागीदारों की संख्या या कार्यक्रम की

अवधि के अनुसार भिन्न हो सकती है। किसी खास कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता का ढांचा और अर्ह संगठन/संस्थान मार्गदर्शन के लिए नीचे दर्शाये गये हैं।

	कार्यक्रम घटक	योजना के तहत वित्तीय सहायता	पात्र संगठन
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास	3,00,000/- रुपये	अखिल भारतीय संगठन/राज्य स्तरीय संगठन
(ख)	राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन		अ.भा. संगठन/राज्य स्तरीय संग अ.भा. संगठन/राज्य स्तरीय संग
(i)	150 लोगों के लिए सात दिन का राष्ट्रीय सद्भावना कैम्प लगाना। राज्य की राजधानी में अन्य स्थान पर	4,30,000/- रुपये 3,53,750/- रुपये	
(ii)	अंतरराज्यीय युवा विनिमय कार्यक्रम 50 प्रतिभागी 15 दिन के लिए	2,92,500/- रुपये	अ.भा.संग/राज्य स्तरीय संग
(iii)	बहुसांस्कृतिक गतिविधियां	पहली बार अधिकतम 30 लाख रुपये का अनुदान	अ.भा. संग/राज्य स्तरीय संग
(iv)	राष्ट्रीय युवा महोत्सव	अधिकतम 2 करोड़ रुपये	राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश
(v)	राज्य युवा महोत्सव	10,00,000 रुपये तक	राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश
(vi)	राष्ट्रीय युवा पुरस्कार व्यक्तिगत एनजीओ	40,000 रुपया 2,00,000 रुपया	व्यक्ति और एनजीओ
(ग)	साहसिक कार्य को प्रोत्साहित करना		
(i)	मान्यता प्राप्त संस्था को अनुदान	अनुमोदित वार्षिक बजट के अनुसार	मान्यता प्राप्त संस्थान
(ii)	25 व्यक्तियों के लिए एक सप्ताह का बुनियादी या माध्यमिक कैम्प	93,750 रुपये	अखिल भारतीय संगठन/ राज्य स्तरीय संगठन
(iii)	अग्रिम स्तर के साहसिक कार्य, भारत में साहसिक यात्रा सहित	अभियान की विशिष्ट आश्यकतानुसार	मान्यताप्राप्त संस्थान
(iv)	तेनसिंह नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार	5,00,000/- रु.	व्यक्ति
(घ)	किशोरों का विकास		
(i)	जीवन कौशल शिक्षा (40 किशोरों के लिए) एक सप्ताह प्रवासी कार्यक्रम एक सप्ताह बिना प्रवास का कार्यक्रम	65,000/- रुपये 23,000/- रुपये	अखिल भारतीय संगठन/ राज्य स्तर संगठन

(ii)	परामर्श		
	पहुंच कार्यक्रम	1,73,000/-रुपये	अ.भा. संग/राज्य स्तरीय संग
	ग्रामीण परामर्श केंद्र	1,28,000/-रुपये	
	दूरभाष हेल्पलाइन	1,00,000/-रुपये	
(iii)	रोजगार मार्गदर्शन		
	प्रथम वर्ष मार्गदर्शन केंद्र		
	रोजगार	2,34,000/-रुपये	
	दूसरे/अगले वर्ष	2,14,000/-रुपये	
	रोजगार मेला	25,000/-रुपये	
(iv)	पुनः प्रयास शिविर (4 महीना)	4,56,000/-रुपये	अ.भा. संग/राज्य स्तरीय संग
(ड)	तकनीकी संसाधनों का विकास		
(i)	पर्यावरण बनाना	अधिकतम 2.00 लाख	अ.भा. संग/राज्य स्तरीय संग
(ii)	युवाओं के विषय में शोध और अध्ययन	पहली बार सहायता लेने वाले के लिए अधिकतम 3.0 लाख रुपये	अ.भा. संग/राज्य स्तरीय संग
(iii)	दस्तावेज और प्रकाशन	पहली बार सहायता लेने वाले के लिए अधिकतम 3.0 लाख रुपये	
(iv)	युवाओं और किशोरों के मुद्दों सहित राष्ट्रीय एकता और साहसिक कार्य हेतु सेमिनार, सम्मेलन कार्यशाला		
	राष्ट्रीय स्तर	अधिकतम 5.0 लाख	
	राज्य स्तर	3.0 लाख रुपये तक	
	जिला क्षेत्रीय स्तर	0.50 लाख रुपये तक	

किसी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को दी जाने वाली सहायता की अधिकतम सीमा एक जिले के लिए 10 लाख रुपये अथवा पिछले तीन वर्षों के दौरान एजेंसी के औसत कार्यक्रम व्यय में से जो कम हो, निर्धारित की गयी है। अखिल भारतीय संगठनों और राज्य सरकारों के संगठनों के मामले में परियोजना मूल्यांकन समिति लिखित में कारण दर्शाते हुए एक जिले के लिए 10 लाख रुपये से अधिक की परियोजना को मंजूरी दे सकती है।

निगरानी और मूल्यांकन

कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक संस्थागत प्रणाली तैयार की जाएगी। राज्य/संघ प्रदेश में आरजीएनआईआईडी, टीओसी, एनएसएस के टीओआरसी, आईडीएआरए और अन्य प्रतिष्ठित संस्थान/एनजीओ/स्वैच्छिक संगठन को इस काम के लिए नामित किया जा सकता है।

निगरानी और मूल्यांकन संस्थान को कार्यक्रम के बजट में से राशि प्रदान की जाएगी। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी परियोजना से संबद्ध सभी रिकार्ड ऐसे संस्थान को सौंपेगी।

निगरानी और मूल्यांकन संस्थान तिमाही आधार पर परियोजना का दौरा करेगा और उसके प्रदर्शन के बारे में मंत्रालय और संबद्ध राज्य/ संघ प्रदेश सरकार को तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। परियोजना के पूरे होने पर यह संस्थान एक अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। हालांकि इन रिपोर्टों की वजह से परियोजना के लिए कोष जारी करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

एक वर्ष के दौरान राज्य में लगभग पांच परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए संस्थान को डेढ़ लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। यह राशि अधिकतम तीन किशतों में दी जाएगी।

इस निगरानी और मूल्यांकन के अतिरिक्त युवा मामले एवं खेल मंत्रालय कार्यक्रम/परियोजना का पृथक मूल्यांकन भी कर सकता है। युवा मामले और खेल मंत्रालय निगरानी और मूल्यांकन संस्थानों द्वारा की गयी निगरानी और मूल्यांकन के अलावा वांछित परिणाम और युवाओं के लाभ की दृष्टि से कार्यक्रम/ योजना का समानांतर मूल्यांकन करा सकता है

राष्ट्रीय युवा महोत्सव

युवा मामले और खेल मंत्रालय हर साल महान दार्शनिक और चिंतक स्वामी विवेकानंद की जयंती का आयोजन करता है, इससे पहले राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 से 16 जनवरी तक किया जाता था इसके बाद ये फैसला किया गया कि यह महोत्सव हर साल 8 से 12 जनवरी तक मनाया जाएगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन समारोह 8 जनवरी को होगा और समापन 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन होगा जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित करने की शुरुआत 1995 में राष्ट्रीय एकता शिविर कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधि के रूप में हुई युवा महोत्सव मनाने का उद्देश्य युवाओं का सम्मेलन आयोजित करना और ऊपर बताये गये सभी कार्यक्रम आयोजित करना है ताकि युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे, साहस और साहसिक कार्य करने की भावना उत्पन्न की जा सके राष्ट्रीय युवा महोत्सव की ही तरह राज्यों को भी राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर इसी तरह के उत्सव आयोजित करने को प्रोत्साहित किया जाता है।

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार हर साल युवाओं और स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान किये जाते हैं अब ऐसे विषयों के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा जिसमें वर्षा जल के संचयन सहित पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्य किया गया हो

राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना, जो एनएसएस के नाम से प्रसिद्ध है, 1969 में शुरू हुई थी। महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी 1969 में इसका शुभारंभ हुआ। इसका प्राथमिक उद्देश्य 37 विश्वविद्यालयों के 40,000 छात्रों के व्यक्तित्व का सामुदायिक सेवा के माध्यम से विकास करना था। आज एनएसएस में 3.2 करोड़ छात्र तथा स्वयंसेवक हैं। यह 200 विश्वविद्यालयों से अब तक देश भर में 41(+2) उच्च माध्यमिक परिषद और व्यावसायिक शिक्षा में 10,313 कॉलेज, उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान और 7542 माध्यमिक स्कूलों में फैला हैं। शुरुआत से अब तक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों के 2.9 करोड़ छात्र स्वयंसेवक के रूप में काम करके इसका लाभ पा चुके हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना में दो प्रकार के कार्यक्रम शामिल होते हैं—नियमित कार्यकलाप तथा स्वयंसेवकों द्वारा चलाए जा रहे विशेष शिविर कार्यक्रम। नियमित कार्यकलाप के अंतर्गत छात्रों को दो वर्षों तक स्वयंसेवक के रूप में कार्य करना होता है। इन्हें प्रतिवर्ष कम से कम 120 घंटे सामुदायिक सेवा कार्य करना होता है। इन कार्यकलापों में गांवों को अपनाना तथा मलिन बस्तियों में रक्तदान, प्रौढ़ तथा

अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार, परिवार कल्याण, एड्स-जागरूकता अभियान, वृक्षारोपण तथा परिसरों में सुधार आदि शामिल हैं। विशेष शिविर कार्यक्रम के अंतर्गत हर वर्ष चुने हुए क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट विषयों पर 10-10 दिन की अवधि के शिविर आयोजित किए जाते हैं।

विशेष अभियानों का कार्यक्रम

एनएसएस ने शिक्षा के विकास में नए आयाम जोड़े हैं। छात्रों को समाज की आवश्यकता के अनुसार ढालने और उन्हें संवेदनशील और आत्मनिर्भर नागरिक बनाने के प्रयास किए जाते हैं। देश की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विषयों पर विशेष एनएसएस कैम्पों का आयोजन किया जाता है। एनएसएस एक मूल्य आधारित स्वयंसेवी कार्यक्रम है। यह हमेशा भारतीय समाज के विभिन्न मुद्दों को छूता है। एनएसएस के स्वयंसेवी बाढ़, सूखा, सुनामी, भूकंप और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मदद के लिए सामने आते हैं। एनएसएस द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रति वर्ष विशेष कैम्प आयोजित किए जाते हैं। इन कैम्पों में बाल विवाह, स्त्री-पुरुष भेदभाव, दहेज, एचआईवी/एड्स, किशोरों का स्वास्थ्य, और राष्ट्रीय सद्भावना जैसे विषयों पर शिक्षा दी जाती है।

संगठन

राष्ट्रीय स्तर पर एनएसएस मुख्यालय योजना की नीति, निरीक्षण और उपाय पर नजर रखता है। एनएसएस के अंतर्गत कार्यक्रम सलाहकार सेल लक्ष्यों और यह विशेष अभियान कार्यक्रमों का मूल्यांकन और अनुश्रवण करते हैं। राज्यों में 15 क्षेत्रीय केंद्र काम कर रहे हैं। यह उप या सहायक कार्यक्रम सलाहकार या यूथ अधिकारी द्वारा चलाए जाते हैं।

इंदिरा गांधी एनएसएस पुरस्कार

एनएसएस के 25 वर्ष (सिल्वर जुबली) पूरे होने के अवसर पर 1993-94 में इंदिरा गांधी एनएसएस पुरस्कार की शुरुआत की। इसमें एनएसएस के स्वयंसेवकों, कार्यक्रम अधिकारियों और कार्यक्रम समन्वयकों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान (12 से 16 जनवरी) प्रतिवर्ष पुरस्कार दिए जाते हैं।

प्रशिक्षण

एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी को सामाजिक विकास की आधुनिक तकनीक की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। 5 दिशा-निर्धारण प्रशिक्षण और खोज केंद्र और 13 प्रशिक्षण और दिशा-निर्धारण केंद्र पूरे देश में सरकार के खर्च पर चल रहे हैं। एनएसएस के सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले कार्यक्रम अधिकारियों को दिशा-निर्धारण के लिए पुनर्प्रशिक्षण दिया जाता है।

लक्ष्य और उपलब्धियां

वर्ष 2008-2009 में 31.10 लाख स्वयंसेवकों ने नियमित कार्यकलापों में भाग लिया। 20,625 विशेष अभियान चलाये गए और 25,385 गांवों एवं शहरों की झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों को गोद लिया गया।

एनएसएस के नियमित कार्यकलाप में देशभर में पर्यावरण संरक्षण और हजारों पौधों को लगाना शामिल है। संस्थाओं में नई परियोजना के तहत 'एनएसएस बगीचों' का निर्माण किया गया है। छायादार पौधारोपण, पौधों की पहचान और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कैम्प का आयोजन भी किया गया। वर्ष के दौरान 25,07,302 से अधिक पौधों का रोपण किया गया। पल्स पोलियो टीकाकरण में 29,44,069 से अधिक बच्चों को लगभग 5 लाख एनएसएस स्वयंसेवियों द्वारा खुराक पिलाई गई।

मानव जीवन में रक्त का बहुत महत्व है। रक्त के स्थान पर सिर्फ रक्त की आवश्यकता होती है। इसी के मद्देनजर एनएसएस के स्वयंसेवक नियमित रक्तदान करते हैं और समाज को जैसे जरूरत होती है वैसे खून देने को तैयार रहते हैं। पूरे वर्ष में 3.17 लाख स्वयंसेवियों ने रक्तदान किया। नियमित रक्तदान के अलावा राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पूरे देश में मनाया गया।

राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत नयी पहल

जिन इलाकों में केंद्र सरकार की ओर से प्रत्यक्ष और पूर्ण वित्त पोषण संभव है वहां नये उपाय किये जा रहे हैं

देश भर से आये 400 एनएसएस स्वयंसेवकों का पहला ग्रीष्मकालीन शिविर 22 जून को राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान श्रीपेरंबुदूर में आयोजित किया गया यह शिविर 12 दिन के लिए था जिसमें 5 दिन दक्षिण भारत में शैक्षिक भ्रमण के लिए थे इस शिविर के शैक्षिक में सतत विकास के मुद्दे को भी शामिल किया गया था ताकि छात्रों को वर्तमान सरोकारों की जानकारी हो सके।

राजीव गांधी साहसिक योजना में एनएसएस के 2000 स्वयंसेवकों को शामिल करने का प्रस्ताव है चालू साल में अब तक 1000 स्वयंसेवक साहसिक गतिविधि वाले शिविरों में हिस्सा ले चुके हैं, प्रत्येक साहसिक गतिविधि शिविर दस दिन का होता है। लड़के-लड़कियों को बराबरी का मौका देने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित किया गया कि प्रतिभागियों में से 50 प्रतिशत लड़कियां हो। इस तरह के कार्यक्रमों का क्रमशः विस्तार किया जाएगा और हर साल 5000 स्वयंसेवकों को इसमें शामिल किया जाएगा।

साहसिक गतिविधियों के अंतर्गत ऊंचाई वाले इलाकों में ट्रेकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, हवाई वाटर रैफ्टिंग, कैमल सफारी और जंगल कैंप आदि शामिल हैं। साहसिक गतिविधियां इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन और नेशनल माउंटेनियरिंग स्कूल जैसे अग्रणी सहयोगियों की मदद से संचालित की जानी हैं, इसी तरह की कुछ और सहयोगी संस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं :

1. इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन
2. हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग
3. नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी
4. वेस्टर्न हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट मनाली
5. जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जम्मू और कश्मीर
6. नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन
7. सी एक्सप्लोरर्स इंस्टीट्यूट कोलकाता

अतिरिक्त शिविरों को आयोजित करने की भी योजना है। ये शिविर दक्षिण भारत, जैसे कर्णूर में रॉक क्लाइम्बिंग, टेक्वाडी और मुंबई में सह्याद्रि में जंगल कैंप आयोजित करने की योजना है। दक्षिण में ये शिविर राज्य सरकारों के सहयोग से लगाए जा रहे हैं। दक्षिण भारत में साहसिक गतिविधियों का केंद्र ऊटी को बनाया गया है दक्षिण भारत का यह केंद्र ऊटी में नवनिर्मित यूथ होस्टल से कार्य करेगा जिसका हाल ही में उद्घाटन कर दिया गया है।

राष्ट्रमंडल खेल 2010 में एनएसएस के 7000 स्वयंसेवकों की तैनाती : इनके लिए इन स्वयंसेवकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। आशा की जाती है कि इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में कार्य करने का अनुभव प्राप्त होगा और वे औरों से आगे निकल सकेंगे।

गणतंत्र दिवस शिविर सुविधाओं का विस्तार : हर साल देश भर से 200 एनएसएस स्वयंसेवकों का चयन गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए किया जाता है। हर वर्ष 1 से 31 जनवरी तक दिल्ली में यह शिविर आयोजित किया जाता है। चालू वर्ष से इन स्वयंसेवकों को उपलब्ध कराया जा रही सुविधाओं को बढ़ाने का प्रस्ताव है इसके अलावा शिविर में शैक्षिक गतिविधियों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि इस अनुभव से स्वयंसेवकों के व्यक्तित्व का और विकास हो और वे आसानी से रोजगार हासिल कर सकें।

गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस से पूर्व शिविर

एनएसएस के स्वयंसेवी प्रत्येक वर्ष राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हैं। परेड के लिए प्रतिभागियों को चुनने के लिए, पांच पूर्व गणतंत्र दिवस परेड कैम्पों का आयोजन देश के अलग-अलग स्थानों पर होता है। 1000 स्वयंसेवी और कार्यक्रम अधिकारी इन कैम्पों में भाग लेते हैं जिसमें से 200 स्वयंसेवी जनवरी में एक महीना लंबा चलने वाले परेड कैम्प में भाग लेते हैं। दिल्ली में प्रवास के दौरान शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यायाम, योगाभ्यास आदि करवाया जाता है। साथ ही व्यक्तित्व विकास के लिए विभिन्न प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अध्ययन संबंधी कार्यकलाप जैसे लेक्चर इत्यादि का आयोजन होता है। इन आयोजनों से कैम्प में छोटा भारत उतर आता है। ये स्वयंसेवी भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मिलते हैं।

युवा महोत्सव

प्रत्येक वर्ष एनएसएस राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेता है। इस दौरान दो आयोजन जैसे राष्ट्रीय युवा सभा और 'सुविचार' होते हैं, जिनमें देश के विभिन्न भागों के 200 एनएसएस स्वयंसेवी भाग लेते हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान स्वयंसेवियों को कुछ जाने-माने व्यक्तियों से भी मिलने का अवसर प्राप्त होता है।

नेहरू युवा केंद्र संगठन

नेहरू युवा केंद्र संगठन युवा कार्य और खेल विभाग का एक स्वायत्त संगठन है। देश के 500 जिलों में नेहरू युवा केंद्र संगठन के कार्यालय हैं। विश्व में यह सबसे बुनियादी स्तर पर कार्यरत संगठन है जो दो लाख 53 हजार युवा क्लबों के जरिए पंजीकृत 80 लाख से अधिक गैर-छात्र ग्रामीण युवाओं की आवश्यकता को पूरा करता है। ये युवा क्लब शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान, कौशल विकास एवं स्वरोजगार, उद्यम विकास, मितव्ययिता एवं सहकारिता आदि क्षेत्रों में काम करते हैं। साथ ही, ये खेल व साहसिक कार्यों के जरिए शारीरिक विकास और नए विचारों को बढ़ावा देने तथा विकास रणनीतियों के जरिए मानसिक विकास के लिए भी काम करते हैं। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए इस संगठन के पास हर जिले में प्रशिक्षित युवा समन्वयकता, राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवकों तथा युवा नेताओं का एक तंत्र उपलब्ध है। सबसे निचले स्तर पर नेहरू युवा केंद्र संगठनों का विशाल तंत्र ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है।

नेहरू युवा केंद्र संगठन दो प्रकार के कार्यक्रमों द्वारा अपने लक्ष्य पूरा करता है। नियमित कार्यक्रम जैसे—युवा क्लब विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कार्य शिविर, जागरूकता अभियान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम, साहसिक गतिविधियां, संगोष्ठी तथा कार्यशालाओं का आयोजन तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों/सप्ताहों पर विविध समारोह। नेहरू युवा केंद्र संगठन कार्यान्वयन मंत्रालय की निम्नलिखित योजनाओं पर भी अमल करता है—राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक, युवा क्लबों को वित्तीय सहायता, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कृत करना।

राष्ट्रीय सद्भावना योजना

पहली जून 2005 से शुरू की गई यह योजना पहले चल रही राष्ट्रीय पुनर्निर्माण दल योजना के स्थान पर शुरू की गयी है। इसके अंतर्गत युवा एवं सामुदायिक विकास के लिए चल रहे कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु नेहरू युवा केंद्र वाले 501 जिलों में औसतन 10 से 20 स्वयंसेवक, जिन्हें नेहरू युवा साथी कहा जाता है, भर्ती किये गये। इन्हें युवा वर्ग को प्रभावित करने वाले विषयों जैसे शैक्षिक, रोजगार संबंधी अथवा सांस्कृतिक मुद्दों में प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे उनके प्रशिक्षक बन सकें। वे राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव और मातृभावना का प्रशिक्षण देंगे। वे युवाओं और समाज को स्त्री-पुरुष में भेदभाव, जाति प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों और धूम्रपान, शराब पीने, नशे की लत जैसी बुराइयों से अवगत कराएंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा अन्य वे क्षेत्र हैं जहां वे युवा वर्ग को प्रेरित कर सकते हैं। वे कुशलता शिक्षा, कौंसिलिंग, जीविका चयन जैसे अन्य बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। वे सभी पंजीकृत क्लबों के साथ समन्वय लाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वे सभी क्रियाशील हों। वे युवा विकास केंद्रों की स्थापना में भी सहायता करेंगे। ये युवा और युवा संगठनों के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों के विकास में संपर्क का काम करेंगे ताकि वे स्वरोजगार और रोजगार स्कीमों से लाभ उठा सकें। इस स्कीम के तहत नेहरू युवा साथियों का चयन युवा क्लबों, महिला मंडलों, क्रीड़ा-क्लबों तथा युवा विकास केन्द्रों में आयोजित प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाता है। नेहरू युवा साथियों को 1000 रुपये प्रतिमाह के मानदेय पर एक वर्ष के लिए तैनात किया जाता है। क्लबों के मूल्यांकन के मानदंडों को अंतिम रूप दे दिया गया है। और योजना में शामिल होने के लिए नेहरू युवा केंद्र योजना के तहत सभी पंजीकृत क्लबों को भेज दिया गया है। प्रशिक्षित स्वयंसेवी युवाओं के सशक्तिकरण और प्रोत्साहन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे, 2009-10 में नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से 6000 नेहरू युवा साथियों को तैनात करने की मंजूरी दी गयी है।

यूथ होस्टल

भारत में युवा भ्रमण को प्रोत्साहन देने के लिए यूथ होस्टलों का निर्माण किया जाता है ताकि युवाओं को अपने देश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के बारे में जानकारी और अनुभव मिल सके। यूथ होस्टलों के निर्माण की परिकल्पना केंद्रीय और राज्य सरकारों के संयुक्त उद्यम के रूप में की गई। केंद्रीय सरकार इसकी निर्माण लागत वहन करती है, जबकि राज्य सरकार निःशुल्क विकसित जमीन के अलावा पानी, बिजली तथा सड़कों की सुविधा मुहैया कराती है। यूथ होस्टलों का निर्माण हो जाने के बाद उन्हें राज्य सरकारों को प्रबंध के लिए सौंप दिया जाता है। देश में अब तक 79 युवा होस्टल का निर्माण हो चुका है और पांच युवा होस्टल निर्माणाधीन है।

स्काउट और गाइड

स्काउट और गाइड एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य बालक-बालिकाओं के चरित्र का निर्माण और विकास करना है। इससे उनमें देशभक्ति, दूसरों के प्रति सहानुभूति और समाज सेवा की भावना का विकास किया जाता है। भारत स्काउट और गाइड देश में इन गतिविधियों को प्रोत्साहन देने वाला प्रमुख संगठन है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय इन्हें वित्तीय सहायता देता है। इनकी गतिविधियों में प्रौढ़ शिक्षा, वृक्षारोपण, सामुदायिक सेवा, कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता और स्वच्छता तथा स्वास्थ्य को प्रोत्साहन आदि बातें शामिल हैं।

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान

तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा संस्थान पूरे देश में युवा संबंधी गतिविधियों के तालमेल और उनकी निगरानी के लिए शीर्ष स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्यरत है। यह संस्थान निम्नलिखित निम्नलिखित कार्य भी करता है : (i) युवा कार्यक्रमों, नीतियों तथा कार्यन्वयन रणनीतियों के लिए एक अनुसंधान एजेंसी तथा वैचारिक मंच के तौर पर कार्य, (ii) युवाओं के लिए बहुआयामी कार्यक्रमों का विकास करना, (iii) युवा मामलों के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के लिए एक संस्थान के रूप में कार्य (iv) युवा विकास से संबद्ध प्रकाशनों और सूचना तथा अभिलेखन के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य (v) संदर्भ स्रोत केंद्र के रूप में कार्य।

यह संस्थान न्यूनतम कर्मचारियों और एक डिवीजन के सहयोग से काम कर रहा है। चार डिवीजन और कर्मचारियों की व्यवस्था करके इसका विस्तार किया जा रहा है। इस प्रकार इसमें ये पांच डिवीजन हो जाएंगे: (1) प्रशिक्षण एवं विस्तार विभाग, (2) अनुसंधान, मूल्यांकन, प्रलेखन/प्रसारण प्रभाग, (3) पंचायती राज एवं युवा मामलों का प्रभाग, (4) युवा विकास में उत्कृष्टता के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, (5) सामाजिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता प्रभाग! विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 23-10-2008 का राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को विश्वविद्यालय के समकक्ष संस्थान का दर्जा दे दिया है।

खेल

मनुष्य के व्यक्तित्व के चहुंमुखी विकास में खेल-कूद की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इनसे मनोरंजन तो होता ही है, शारीरिक सक्षमता भी बढ़ती है। इतना ही नहीं इनसे से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना भी उत्पन्न करते हैं और समाज को जोड़ने में अपनी भूमिका निभाते हैं, खेल-कूद में उत्कृष्ट उपलब्धियों से राष्ट्र का सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है।

लेकिन पुराने जमाने के खेल-कूद से अलग, आज के खेल अत्यंत प्रतिस्पर्धा वाले बन गये हैं। आधुनिक उपकरणों, बुनियादी ढांचे और परिष्कृत वैज्ञानिक सहायता से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल-कूद परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। अत्याधुनिक खेल उपकरणों, बुनियादी ढांचे और वैज्ञानिक सहायता की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कई कदम उठाये हैं। लेकिन इन कदमों का कोई खास नतीजा हासिल नहीं हो पाया है क्यों नीतिगत उपाय और बजट सहायता पर्याप्त नहीं है।

नई राष्ट्रीय खेल नीति 2001

राष्ट्रीय खेल नीति आरंभ में 1984 में बनाई गई। खेलों को बढ़ावा देने तथा प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने वर्ष 2001 में नई राष्ट्रीय खेल नीति बनाई। इसकी मुख्य बातें हैं— (i) खेलों का आधार व्यापक करना तथा उपलब्धियों में श्रेष्ठता लाना, (ii) संरचनात्मक ढांचे का विकास तथा उच्चकरण, (iii) राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों और दूसरी उपयुक्त संस्थाओं को सहायता प्रदान करना, (iv) खेल को वैज्ञानिक तथा प्रशिक्षण संबंधी मजबूती प्रदान करना, (v) खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, (vi) महिलाओं, पिछड़ी जनजातियों तथा ग्रामीण युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा, (vii) खेलों के उत्थान में संगठित क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा, (viii) जनता में खेलों के प्रति रुझान बढ़ाना।

भारतीय खेल प्राधिकरण

भारत सरकार ने जनवरी 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की। प्रारंभ में इसका उद्देश्य 1982 में एशियाड के दौरान दिल्ली में निर्मित खेलकूद की बुनियादी

सुविधाओं के कारगर रख-रखाव तथा उनके अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करना था। अब यह देश में खेलों के विस्तार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में विशेष उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की नोडल एजेंसी बन गई है। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए शीर्ष पर एक ही एजेंसी स्थापित करने के उद्देश्य से एक मई, 1987 को राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेलकूद सोसाइटी (एसएनआईपीईएस) का भारतीय खेल प्राधिकरण में विलय कर दिया गया। इसके बाद, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान (एनएसएनआईएस) पटियाला और बंगलौर, कोलकाता तथा गांधीनगर में इसके केंद्र तथा तिरुअनंतपुरम के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक व्यायाम शिक्षा विद्यालय भी भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत आ गए। अब इसके छह क्षेत्रीय केंद्र बंगलौर, गांधीनगर, कोलकाता, चंडीगढ़, भोपाल और इंफाल में हैं और दो उपकेंद्र गुवाहाटी (असम) और लखनऊ (यूपी) में हैं। बुनियादी खेल सुविधाएं अब सोनीपत में जुटाई जा रही हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण शिलारू (हिमाचल प्रदेश) में एक हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर भी संचालित करता है।

भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय खेल प्रतिभा (एनएसटीसी), आर्मी ब्वायज़ स्पोर्ट्स कंपनी (एबीएससी), भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) तथा विशेष क्षेत्रीय खेल (एसएजी) जैसी योजनाओं का संचालन करता है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने विशेष प्रतिभा संपन्न खिलाड़ियों के लिए अपने सभी क्षेत्रीय केंद्रों तथा राष्ट्रीय खेल कूद संस्थान, पटियाला में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित किए हैं।

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय ग्वालियर

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की पहली लड़ाई के शताब्दी वर्ष में 17 अगस्त, 1957 को एक महाविद्यालय के तौर पर की गई थी। यह विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थित है जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर किये थे। शारीरिक शिक्षा तथा खेल के लिए किए गए प्रयासों को देखते हुए 1995 में इस संस्थान को विश्वविद्यालय के समकक्ष घोषित किया गया। और 14.1.2009 से इसे लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय के नाम से पुकारा जाने लगा है। इस संस्थान को भारत सरकार से पूरी वित्तीय सहायता मिलती है।

संस्थान में उपलब्ध पूर्णकालिक पाठ्यक्रम निम्नलिखित हैं : (1) शारीरिक शिक्षा स्नातक (4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम) (बीपीई), (2) शारीरिक शिक्षा परास्नातक, (दो वर्षीय मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम), (एमपीई), शारीरिक शिक्षा में एम.फिल. (एकवर्षीय पाठ्यक्रम)। और (4) शारीरिक शिक्षा में पी.एच.डी. 1 इसके अलावा विश्वविद्यालय में निम्नलिखित डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं: (क) सूचना टेक्नोलॉजी; (ख) खेल-कूद प्रबंधन; (3) योग और वैकल्पिक चिकित्सा; तथा खेल-कूद कोचिंग संस्थान पूर्व सैन्य-कर्मियों के लिए शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विश्वविद्यालय, कॉलेज तथा स्कूलों के शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम भी चलाता है। संस्थान में विदेशी छात्र भी आते हैं।

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए)

दसवीं योजना अवधि में मंत्रालय ने खेल-कूद के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित चार योजनाएं चलाई जिन्हें 1.4.2005 से राज्य क्षेत्र के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया। इनके नाम हैं : खेल-कूद का बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए अनुदान योजना; ग्रामीण स्कूलों को खेल-कूद का

सामान और खरीदने और खेल के मैदान के विकास के लिए अनुदान देने की योजना; विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में खेल-कूद को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान देने की योजना; और खेल मैदानों में कृत्रिम सतह बिछाने के लिए अनुदान योजना केंद्र द्वारा पूर्व में संचालित इन योजनाओं के तहत राज्य सरकारों, शिक्षा संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों को खेल-कूद की सुविधाएं जुटाने के लिए लागत भागीदारी आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती थी।

इन योजनाओं के बंद हो जाने के बाद राज्य सरकारों, शिक्षा संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों को खेल-कूद के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था नहीं रह गयी है। सबसे निचले स्तर पर, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में खेल-कूद के लिए बुनियादी सुविधाओं की बेहद कमी है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में खेल-कूद प्रतियोगिताएं भी बहुत कम होती हैं। स्कूल और कॉलेजों में बच्चों के लिए खेल-कूद की सुविधाओं की स्थिति भी बड़ी निराशाजनक है। देश भर में 21 करोड़ बच्चों में से केवल 3 करोड़ बच्चों को भी मुश्किल से ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। देश में कुल 77 करोड़ युवाओं, किशोरों और बच्चों में से 5 करोड़ संगठित खेल-कूद गतिविधियों का लाभ उठा पाते हैं। खेल-कूद सुविधाएं और संगठित खेल-कूद गतिविधियां देश की पांच प्रतिशत से भी कम आबादी की पहुंच में होने के कारण सबसे निचले स्तर पर खेल-कूद के बुनियादी ढांचे को चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की आवश्यकता पर विभिन्न मंचों के माध्यम से जोर दिया जाता रहा है।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मार्च, 2008 में एक नयी योजना शुरू करने की मंजूरी दी जिसका नाम है पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान, इसका उद्देश्य सभी संबद्ध पक्षों, खास तौर पर राज्य सरकारों, पंचायतों, शिक्षा संस्थाओं, खेल-कूद को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं और युवा क्लबों की मदद से अगले दस वर्षों में पंचायत स्तर पर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है। इस अवधि के दौरान सभी 2,50,000 गांवों, ब्लॉक पंचायतों और समकक्ष इकाइयों को शामिल किया जाएगा। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, बेहतर सामाजिक समावेशिता, देसी खेल-कूद के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी। ऐसा समझा जाता है कि इससे खेल-कूद के बुनियादी ढांचे, कोच, खेल-कूद के सामान तथा खेल प्रतियोगिताओं और संबंधित खेल सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा।

योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक लाख रुपये और प्रत्येक ब्लॉक पंचायत को पांच लाख रुपये की प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी जिससे वे खेल के मैदानों के विकास और उनकी फेंसिंग, गोल पोस्ट, खम्भे और नेट आदि लगाने एथलेटिक ट्रैक के निर्माण जैसे कार्य कर सकेंगे। इस कार्य में सामान्य राज्यों के लिए राज्य का हिस्सा 25 प्रतिशत होगा जबकि विशेष दर्जे वाले राज्यों का हिस्सा 10 प्रतिशत होगा। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को खेल-कूद का सामान खरीदने के लिए क्रमशः 10 हजार रुपये और गैर प्रतियोगी किस्म के संचालन खर्च के रूप में 12 हजार रुपये वार्षिक की अनुदान सहायता दी जाएगी। ब्लॉक पंचायतों के लिए यह राशि क्रमशः 20 हजार रुपये और 24 हजार रुपये वार्षिक होगी। प्रत्येक ब्लॉक पंचायत को ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए 50 हजार रुपये का वार्षिक प्रतियोगिता अनुदान भी दिया जाएगा। इसी तरह जिला स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए प्रत्येक जिले को 3 लाख रुपये का प्रतियोगिता अनुदान दिया जाएगा यही नहीं ब्लॉक और जिला स्तर की प्रतियोगिताओं के विजेताओं को (पहले तीन को) इनाम भी दिया जाएगा।

योजना आयोग ने ग्यारहवीं योजना में इसके लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। अनुमान है कि ग्यारहवीं और बारहवीं योजना में इस कार्यक्रम के लिए करीब 5000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

2008-09 में इस योजना के तहत करीब 23,000 पंचायतों को सहायता प्रदान की गयी। इसके लिए स्वीकृत 250.78 करोड रुपये में से 92 करोड रुपये पहली किस्त के रूप में जारी किए गए।

राष्ट्रमंडल खेल

राष्ट्रमंडल खेलों (2010) का आयोजन दिल्ली में 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2010 तक किया जाएगा। इनके सफल आयोजन के लिए एक विस्तृत समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत खेल-कूद के विश्व स्तरीय ढांचे के विकास साथ-साथ खेल ग्राम, नागरिक सुविधाओं, पर्यटन, परिवहन और सुरक्षा संबंधी इंतजाम किये जा रहे हैं।

राष्ट्रमंडल खेल 2010 के समुचित नियोजन और समय से तैयारियों के लिए कई संस्थागत प्रबंध किये गये हैं। इनमें शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के दल का गठन किया गया है जो प्रतियोगिता के आयोजन से संबंधित विभिन्न कार्यों में तालमेल रख रहा है। युवा मामले और खेल मंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति भी गठित की गयी है जो राष्ट्रमंडल खेल 2010 से संबंधित विभिन्न मामलों की निगरानी और उनमें तालमेल रखेगी। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के प्रमुख की अध्यक्षता में इन खेलों के आयोजन के लिए एक आयोजन समिति भी बनायी गयी है। मंत्रियों के समूह द्वारा लिए गए निर्णयों पर अमल और अन्य संबद्ध मामलों की निगरानी के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति भी गठित की गयी है। केंद्र के स्तर पर इन इंतजाम के अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उप-समिति बनायी गयी है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले कार्यों जैसे बुनियादी ढांचे के विकास और खेल की तैयारियों पर निर्णय लेती है। दिल्ली के उप राज्यपाल को सुरक्षा, कानून और व्यवस्था तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के तहत आने वाले मामलों की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

सभी संबद्ध पक्षों को प्रमुख कार्यों को पूरा करने के लिए निश्चित समय सीमा तय कर दी गयी है। विस्तृत डिजाइन और अनुमानों को अंतिम रूप देने, टेंडर जारी करने की प्रक्रिया, निर्माण कार्य की शुरुआत और इसे पूरा करके खेल आयोजन समिति को सौंपे जाने की तारीख निर्धारित कर दी गयी हैं। प्रमुख परियोजनाओं का निर्माण कार्य पहले ही प्रारंभ हो चुका है।

खेल-कूद में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की योजना

राष्ट्रीय खेल परिसंघों को मदद देने की योजना

इस योजना के अंतर्गत सरकार भारत में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भाग लेने, कोचिंग कैंप आयोजित करने, खेल सामग्री प्रदान करने, विदेशी कोच नियुक्त करने और वेतनभोगी संयुक्त/सहायक सचिवों के वेतन के भुगतान के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता उपलब्ध कराती हैं।

प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण योजना

इस योजना के अंतर्गत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को देश और विदेश में प्रशिक्षण या प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उपकरणों की खरीद तथा वैज्ञानिक सहायता के वास्ते सहायता उपलब्ध करायी जाती है। खेल-कूद कर्मियों, जैसे कोच, खेल वैज्ञानिक, डाक्टर आदि को किसी खास

खेल के बारे में विशेषता पर आधारित प्रशिक्षण प्राप्त करने, सेमिनार/सम्मेलन आदि में जाने, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने तथा क्वालीफाइंग टूर्नामेंट्स में हिस्सेदारी के लिए सहायता दी जाती है। यह योजना भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाती है।

राष्ट्रीय खेल विकास कोष

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल विकास कोष का गठन देश में खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए किया। इसके अंतर्गत प्रवासी भारतीयों और निजी/कार्पोरेट क्षेत्र सहित सरकारी और गैर-सरकारी सभी स्रोतों से पैसा जुटाया जाता है। कोष में मदद करने को आकर्षक बनाने के लिए अंशदान की राशि पर आयकर में शत प्रतिशत छूट दी जाती है। सरकार ने 1998-99 में 2 करोड़ रुपये के अंशदान से कोष की शुरुआत की इसके अलावा अन्य क्षेत्रों से मिले अंशदान के अनुसार सरकार समान सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय खेल विकास कोष में प्राप्त धनराशि का उपयोग खेल-कूद को सामान्य रूप से बढ़ावा देने के साथ-साथ खास खेलों और कुछ विशिष्ट खिलाड़ियों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने; खिलाड़ियों, कोच और खेल विशेषज्ञों को विशेष प्रशिक्षण देने; खेल-कूद में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण तथा रखरखाव; सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों तथा व्यक्तियों को खेल-कूद के उपकरण व सामग्री मुहैया कराने; और खेल-कूद के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए समस्याओं का पता लगाने तथा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने में किया जाता है।

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की योजना

युवा मामले और खेल मंत्रालय खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम संचालित करता है। जो इस प्रकार हैं:

राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार

यह कार्यक्रम 1991-92 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाना है ताकि वे समाज में ज्यादा सम्मान प्राप्त कर सकें। इसके अंतर्गत पिछले साल सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपये दिये जाते हैं।

अर्जुन पुरस्कार

अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किये गये और ये पिछले तीन वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले और नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन जैसे गुणों का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। पुरस्कार के अंतर्गत एक प्रतिमा, प्रमाणपत्र, पारंपरिक पोशाक और 5 लाख रुपये नकद दिये जाते हैं। हर साल अधिकतम 15 अर्जुन पुरस्कार दिये जाते हैं।

खेल-कूद में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार

खेल-कूद में जीवन भर की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में शुरू किया गया। यह अपने शानदार खेल से खेल-कूद के क्षेत्र में योगदान करने और सक्रिय खेल जीवन से अवकाश प्राप्त करने के बाद भी खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए योगदान जारी रखने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वालों को एक प्रतिमा, प्रमाणपत्र, पारंपरिक पोशाक और 5 लाख रुपये नकद दिये जाते हैं। हर साल ज्यादा से ज्यादा तीन खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

द्रोणाचार्य पुरस्कार

द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में प्रारंभ किये गये ये खिलाड़ियों और टीमों को प्रशिक्षण प्रदान करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जाने माने खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किये जाते हैं। इसके अंतर्गत गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा, प्रमाणपत्र, पारंपरिक पोशाक और 5.0 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है। हर साल अधिकतम 5 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी

मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 1956-57 में शुरू की गयी। यह चल वैजती (रॉलिंग ट्रॉफी) है और यह अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंट्स में सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। इसे फिर से हासिल करने वाले विश्वविद्यालय को ट्रॉफी की प्रतिकृति भी दी जाती है। इसके अलावा विश्वविद्यालय को 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है। प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय को 5 लाख रुपये और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 3 लाख रुपये के नकद पुरस्कार दिये जाते हैं।

राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार

खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों के अलावा अन्य लोगों द्वारा खेल-कूद के विकास में योगदान करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने वर्ष 2009 से राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार नाम का एक नया पुरस्कार प्रारंभ किया है। इसकी चार श्रेणियां हैं जिनके नाम हैं : सामुदायिक खेल-कूद विकास; उत्कृष्ट खेल अकादमियों को प्रोत्साहन; प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सहायता और रोजगार प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार के रूप में मानपत्र और ट्रॉफी प्रदान की जाती है। इसमें किसी प्रकार की नकद इनाम नहीं दिया जाता।

अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिताएं जीतने वाले खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार

यह कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित करना और नौजवानों को खेल-कूद को व्यवसाय के तौर पर अपनाने के लिए बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को निम्नलिखित पुरस्कार दिये जाते हैं:

खेल/चैम्पियनशिप का नाम	स्वर्ण पदक प्रथम स्थान	रजत पदक द्वितीय स्थान	कांस्य पदक तृतीय स्थान
(1) ओलम्पिक खेल	50 लाख रुपये	30 लाख रुपये	20 लाख रुपये
(2) आधिकारिक/विश्वकप/ एशियाई खेल/राष्ट्रमंडल खेल	10 लाख रुपये	5 लाख रुपये	3 लाख रुपये
(3) एशियाई और राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप	3 लाख रुपये	2 लाख रुपये	1.5 लाख रुपये

उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन देने के लिए खेल कोष कार्यक्रम

यह कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत ओलिंपिक खेल, विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और पैरालिम्पिक्स में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को 30 साल की उम्र के बाद सक्रिय खेल जीवन से आवकाश लेने के बाद पेंशन देने का प्रावधान है। 1.7.2008 से पेंशन की दर बढ़ाकर इस प्रकार कर दी गयी है :

(क) ओलिंपिक खेलों में पदक विजेता	10,000 रुपये मासिक
(ख) विश्व कप/ओलिम्पिक विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक विजेता	8,000 रुपये मासिक
(ग) विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेल प्रतियोगिताओं में रजत और कांस्य पदक विजेता	7,000 रुपये मासिक
(घ) एशियाई खेलों/राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता	7,000 रुपये मासिक
(ङ) एशियाई खेलों/राष्ट्रमंडल खेलों में रजत/कांस्य पदक विजेता	6,000 रुपये मासिक
(च) पैरालिंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता	5,000 रुपये मासिक
(द) पैरालिंपिक खेलों में रजत पदक विजेता	4,000 रुपये मासिक
(ज) पैरालिंपिक खेलों में कांस्य पदक विजेता	3,000 रुपये मासिक

खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष (गैर-योजना)

खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना मार्च, 1982 में बीते जमाने के ऐसे खिलाड़ियों की मदद के लिए की गयी थी जिन्होंने पदक जीत कर देश का नाम रौशन किया लेकिन जो फिलहाल खराब परिस्थितियों में जीवन बिता रहे हैं। इस कोष से ऐसे खिलाड़ियों और उनके परिवारों को भी अनुदान सहायता के रूप में एकमुश्त राशि दी जाती है जिन्हें प्रशिक्षण के दौरान या अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिता में भाग लेते समय घातक चोट लगी हो। इसके अलावा चोट के घातक न होने पर भी खिलाड़ियों को सहायता दी जाती है। जिन खिलाड़ियों के इलाज और खेल-कूद को बढ़ावा देने वालों (रेफरी, कोच और अंपायर) को खराब स्थितियों से उबारने के लिए सहायता दी जाती है। सहायता प्राप्त करने वालों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोष का प्रबंधन और संचालन एक समिति करती है जिसके अध्यक्ष युवा मामले और खेल मंत्री होते हैं।

खेल सहभागिता से संबंधित कार्यक्रम

राष्ट्रीय महिला खेल-कूद चैंपियनशिप (गैर-योजना)

1975 में शुरू की गयी इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को खेल-कूद के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं से पहले निचले स्तर (ब्लॉक, जिला और राज्य) पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इन आयोजनों के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता दी जाती है। यह कार्यक्रम भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाता है। इस समय केंद्रीय वित्तीय सहायता इस प्रकार से दी जाती है:

1. ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए	प्रत्येक ब्लॉक को 1,000 रुपये
2. जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए	प्रत्येक जिले को 3,000 रुपये
3. राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए	प्रत्येक ब्लॉक को 10,000 रुपये
4. छोटे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए	प्रत्येक राज्य/के.शा.प्र. को 5,000 रुपये

ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए किसी राज्य को केंद्रीय सहायता खेल-कूद प्रतियोगिताएं आयोजित करने वाले ब्लॉकों की कुल संख्या के 60 प्रतिशत ब्लॉकों तक ही सीमित रहती है। बाकी 40 प्रतिशत के लिए राज्यों से पूरा खर्च उठाने को कहा जाता है।

पूर्वोत्तर खेल-कूद

पूर्वोत्तर खेल-कूद समारोह आयोजित करने की योजना 1986-87 में प्रारंभ की गयी। भारतीय खेल प्राधिकरण इसका आयोजन करता है। प्राधिकरण हर साल पूर्वोत्तर के किसी राज्य के सहयोग से इस समारोह का आयोजन करता है। यह आयोजन बारी-बारी से किया जाता है। इस समारोह में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों पर उम्र संबंधी कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन प्रतिभागियों के लिए आवश्यक है कि वे पिछले पांच साल से पूर्वोत्तर में ही रह रहे हों। पूर्वोत्तर राज्यों में जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए प्रत्येक जिले को 50 हजार रुपये और प्रत्येक राज्य स्तरीय स्पर्धा के लिए 75 हजार रुपये दिये जाते हैं। पूर्वोत्तर खेलों के लिए धनराशि अब पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है।

मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम के लिए सहायता योजना

डोपिंग खिलाड़ियों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में ऐसे पदार्थ या तौर-तरीकों के इस्तेमाल को कहते हैं जिन पर अंतर्राष्ट्रीय ओलिंपिक समिति के चिकित्सा आयोग/विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी (वाडा) ने प्रतिबंध लगा रखा है। बहुत से खिलाड़ी सोने की चमक और दुनिया में नाम होने के प्रलोभन में फंसकर दूसरे खिलाड़ियों को पछाड़ने के लिए मादक पदार्थों का सहारा लेते हैं। भारत भी इस बुराई से अछूता नहीं है। इस समस्या से फौरन निपटने के लिए भारत सरकार डोपिंग रोकने के विश्व के देशों के प्रयासों में हाथ बंटा रही है। भारत वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के संस्थापक बोर्ड के सदस्यों में से एक है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय ओलिंपिक समिति की पहल पर की गयी है।

राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी (एनएडीए) : देश में खेल-कूद के क्षेत्र में डोपिंग की रोकथाम की निगरानी, समन्वय और इसको बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय संगठन है। नाडा के मादक पदार्थों के इस्तेमाल पर रोक लगाने संबंधी नियम वाडा के एंटी डोपिंग कोड के अनुसार हैं।

राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) : वाडा और वाडा से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के घनिष्ठ संपर्क से डोप नमूनों के परीक्षण और इस बारे में उच्च स्तरीय अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है। अक्टूबर, 2006 से परिवीक्षा में रहने के बाद इस प्रयोगशाला को सितंबर, 2008 में वाडा से मान्यता मिली। इस तरह अब यह प्रयोगशाला वाडा से मान्यता प्राप्त एशिया क्षेत्र की छठी और दुनिया की 35वीं प्रयोगशाला बन गयी है।

युवा मामले और खेल

1159

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम : राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम 1974 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य राष्ट्रमंडल देशों में नौजवान युवकों और युवतियों को बढ़ावा देना था।

मुख्य उद्देश्य :

1. राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा और प्रोत्साहन देना;
2. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवाओं के योगदान को मान्यता देना;
3. बेरोजगारी दूर करने के लिए उत्पादक गतिविधियों को बढ़ावा देना;
4. युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय समझ के अवसर प्रदान करना;

मुख्यालय : लंदन

राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम के एशियाई केंद्र का मुख्यालय : चंडीगढ़

वर्तमान गतिविधियां : मंत्रालय राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम के एशियाई केंद्र के सहयोग से हर साल 3-4 कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इसके लिए युवाओं से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय/क्षेत्रीय विचार-विमर्श और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

नयी पहल : राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम के एशियाई केंद्र के सहयोग से कुछ और कार्यक्रम आयोजित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

कार्यक्रम : अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान

विभिन्न देशों के युवाओं के बीच विचारों के आदान-प्रदान और राष्ट्रों के आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए युवा शिष्टमंडलों के अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान का सहारा लिया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दुनिया के देशों के साथ युवाओं के कार्यक्रमों, बैठकों, सेमिनार, सम्मेलनों आदि में भागीदारी के लिए युवा शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान किया जाता है। इस समय जनवादी चीन गणराज्य और कोरिया गणराज्य के साथ विनिमय कार्यक्रम चल रहा है।

नई पहल : कुछ देशों के साथ इस बारे में करार/समझौते करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

30. राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश

आंध्र प्रदेश

क्षेत्रफल :	2,75,069 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या :	8.32 करोड़
राजधानी :	हैदराबाद	मुख्य भाषाएं :	तेलुगु और उर्दू

इतिहास और भूगोल

आंध्र के संबंध में प्रारंभिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण (2000 ईसा पूर्व) में मिलता है। इसमें संकेत दिए गए हैं कि आंध्र मूल रूप से आर्य जाति के थे और उत्तर भारत में रहते थे, जहां से वे विंध्य पर्वतों के दक्षिण में चले गए और बाद में अनार्यों के साथ घुल-मिल गए। इतिहासविदों के अनुसार आंध्र प्रदेश का नियमित इतिहास 236 ईसापूर्व से शुरू होता है। इसी वर्ष सम्राट अशोक का निधन हुआ था। उसके बाद की शताब्दियों में सातवाहनों, शकों, इक्ष्वाकुओं, पूर्वी चालुक्यों और काकतीयों ने इस तेलुगु देश पर शासन किया। बाद में विजयनगर और कुतुबशाही शासकों का शासन रहा और उनके बाद मीर कमरुद्दीन और निजाम के नाम से प्रसिद्ध उसके उत्तराधिकारियों ने आंध्र पर शासन किया। धीरे-धीरे 17वीं शताब्दी से अंग्रेजों ने निजाम के कई हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया और मद्रास प्रांत की स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास प्रेजीडेंसी से अलग कर 1 अक्टूबर, 1953 को नए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 पारित होने के बाद हैदराबाद राज्य का आंध्र प्रदेश में विलय हो गया और परिणामस्वरूप 1 नवंबर, 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया।

ऐतिहासिक रूप से आंध्र प्रदेश को भारत का 'चावल का कटोरा' कहा जाता है। राज्य की नदी प्रणाली बहुत बेहतर है। जो वर्षा जल की पूर्ति करती है। यह देश के उन राज्यों में शामिल है जिनकी नदी प्रणाली बहुत सुदृढ़ है।

आंध्र प्रदेश के उत्तर में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हैं, पश्चिम में महाराष्ट्र और कर्नाटक, दक्षिण में तमिलनाडु तथा पूर्व में 974 किलोमीटर की तटरेखा वाली बंगाल की खाड़ी है।

कृषि

आंध्र प्रदेश की आबादी के करीब 62 प्रतिशत हिस्से का मुख्य व्यवसाय खेती है। चावल राज्य की मुख्य फसल और मुख्य आहार है तथा राज्य के कुल अनाज उत्पादन में चावल का हिस्सा 77 प्रतिशत है। अन्य प्रमुख फसलें हैं—ज्वार, तंबाकू, कपास और गन्ना। राज्य के कुल क्षेत्रफल के 23 प्रतिशत हिस्से में वन हैं। महत्वपूर्ण वन उत्पादों में सागवान, यूकलिप्टस, काजू, कैस्यूरीना और इमारती लकड़ी शामिल हैं।

राज्य की स्थापना के बाद से वर्ष 2008-09 में रिकार्ड खाद्य उत्पादन 204.04 लाख टन हुआ है, वर्ष 2007-08 में खाद्य उत्पादन 198.17 लाख टन था।

सरकार न्यूनतम लागत तथा अधिकतम आय के लिए व्यावहारिक कृषि उत्पादन के मिशन पर काम कर रही है। मिशन को वास्तविक रूप देने के लिए सरकार अनेक योजनाएं, जैसे नौ घंटे की विद्युत आपूर्ति, सब्सिडी वाले बीज, सब्सिडी पर फसल ऋण उपलब्ध कराने तथा बेहतर कृषि लागू कर रही है। आंध्र प्रदेश का सहकारी तथा व्यावसायिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण में पहला स्थान है।

केंद्र सरकार की ऋण माफी योजना तथा राज्य सरकार की प्रोत्साहन योजना से लगभग एक करोड़ किसानों को 16,000 करोड़ रुपये का फायदा हुआ। आंध्र प्रदेश सरकार खाद्य उत्पाद बढ़ाने के लिए सहकारी कृषि पद्धति शुरू करने में रुचि ले रही है।

सिंचाई

जलयागणम कार्यक्रम के तहत कुल 86 परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से 44 बड़ी, 30 मझौली, 4 बांधों के तटबंध तथा 8 आधुनिकीकरण परियोजनाएं हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी संभव स्रोतों से धन प्राप्त कर सभी चालू तथा नई परियोजनाओं को रिकार्ड समय में पूरा करना है, जिसमें पानी की कमी वाले सभी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने को उच्च प्राथमिकता दी गई है। अब तक 12 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं तथा 19 अन्य परियोजनाओं के लिए पानी छोड़ा जा चुका है तथा शेष बची परियोजनाएं समयबद्ध ढंग से पूरी की जाएंगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वृहद बजटीय सहायता दी है। आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने सिंचाई स्रोतों के प्रबंधन में किसानों को शामिल किया है।

बिजली

राज्य की महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाएं हैं—नागार्जुन सागर और नीलम संजीव रेड्डी सागर (श्रीसेलम पनबिजली परियोजना), ऊपरी सिलेरू, निचला सिलेरू, तुंगभद्रा और मचकुंड पनबिजली परियोजना नेल्लोर, रामगुंडम, कोठागुडम, विजयवाड़ा और मड्डानूर तापबिजली परियोजना। 770 मेगावाट स्थापित क्षमता वाली श्रीसेलम (दायां तट) पनबिजली परियोजना, 900 मेगावाट क्षमता की श्रीसेलम (बायां तट) पनबिजली परियोजना और 960 मेगावाट क्षमता वाली नागार्जुन सागर परियोजना राज्य में पनबिजली के प्रमुख स्रोत हैं। 1,260 मेगावाट क्षमता वाला विजयवाड़ा ताप बिजलीघर तथा 1,200 मेगावाट क्षमता वाला कोठागुडम ताप बिजलीघर ताप बिजली के प्रमुख स्रोत हैं। 1000 मेगावाट क्षमता वाले कोयले पर आधारित सिंहाद्री ताप बिजलीघर का उद्देश्य आंध्र प्रदेश की बिजली की समूची 11वीं योजना में आवश्यकता को पूरा करना है।

जून 2009 में राज्य की स्थापित क्षमता 13,472.33 मेगावाट थी। वार्षिक विद्युत राजस्व 13945 करोड़ रुपये था। सरकार किसानों के कल्याण के लिए नौ घंटे निशुल्क बिजली उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। सरकार ने किसानों के 1,245 करोड़ रुपये बकाया माफ कर दिए हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान 81,036 नये कनेक्शन किसानों को दिए गए। एपीजीएनसीओ द्वारा 21 नई परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनमें से दो परियोजनाएं—रायल सीमा टीपीपी द्वितीय चरण तथा डॉ. नरला टाटा राव टीपीएस द्वितीय चरण पहले ही शुरू हो गई हैं।

उद्योग

आंध्र प्रदेश सरकार उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में नई नीतियां तैयार कर तथा संसाधनों की उपलब्धता

बढ़ाकर, बेहतर औद्योगिक वातावरण उपलब्ध करवा कर, क्षम प्रोत्साहन में वृद्धि, आयातकों को बेहतर विपणन सुविधा उपलब्ध करवा कर आयात को प्रोत्साहन देकर घरेलू तथा विदेशी निवेश को बढ़ावा दे रही है। यह महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भेषज, जैव-प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन, चमड़ा, वस्त्र उद्योग, संसोधित घटकों, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमी कंडक्टर तथा ऑटोमोबाइल एवं आटोकलपुर्जों के विकास पर मुख्य जोर दे रही है। औद्योगिक वृद्धि को तेज करने के लिए सरकार क्षेत्र आधारित औद्योगिक ढांचों, जैसे बायोटेक पार्क, टेक्सटाइल पार्क, लेदर पार्क, आटो पार्क, फेबसिटी तथा हार्डवेयर पार्क का निर्माण कर रही है। राज्य सरकार लघु उद्योग, मझौले, छोटे तथा बड़े उद्योगों को विविध प्रोत्साहन दे रही है। राज्य सरकार निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सेज में विद्युत शुल्क, भूमि आबंटन में रियायत देकर तथा क्षम कानूनों को उदार बना रही है। आंध्र प्रदेश 102 सेज को प्रोत्साहन दे रहा है, जिसमें से 64 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित हैं। राज्य ने केंद्र सरकार से सक्रिय निजी भागीदारी द्वारा 59 आईटी/आईटीईएस सेज खोलने की सिफारिश की है। अब तक 12 आईटी सेज खोले जा चुके हैं, जिनकी 22 इकाइयां हैं जिनमें 15000 आईटी प्रोफेशनल कार्यरत हैं।

खान एवं भूविज्ञान

आंध्र प्रदेश पूरे विश्व में चट्टानी तथा खनिज विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसे 'रत्नगर्भा' कहा जाता है। राज्य में क्राइसोलाइट एसबेस्टस का सबसे बड़ा भंडार है। राज्य के अन्य महत्वपूर्ण खनिज तांबा, मैगनीज, माइका, कोयला तथा चूना पत्थर हैं। सिंगरेनी कोयला खदान से पूरे दक्षिण भारत में कोयले की आपूर्ति होती है। विभिन्न उद्योगों तथा खनिज आधारित निर्माण उद्योग को प्रोत्साहन से खनिजों की खपत बढ़ रही है। राज्य 100-110 मिलियन टन औद्योगिक खनिज तथा 200 मिलियन घन मीटर पत्थर और भवन निर्माण सामग्री का उत्पादन करता है। देश में बैरिट्स तथा चूना पत्थर उत्पादन में राज्य पहले नंबर पर है। राज्य लघु खनिज उत्पादों से राजस्व अर्जित करने में प्रथम स्थान पर तथा सकल खनिज पदार्थों से राजस्व अर्जित करने में देश का दूसरा राज्य है। वर्ष 2008-09 के दौरान खनिज राजस्व 1,610.79 करोड़ रुपये रहा। देश के खनिज उत्पादन राज्यों में खनिज राजस्व अर्जन में राज्य प्रथम स्थान पर है।

नागरिक आपूर्ति

दो रुपये किलो चावल योजना : सरकार ने गरीबों को दो रुपये किलो चावल देने की योजना 7 अप्रैल, 2008 से शुरू की। परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर सफेद कार्ड धारक को प्रतिमाह 16-20 किलो चावल मिलेगा। इससे 1.82 करोड़ सफेद कार्ड धारकों को लाभ हुआ।

आवास

सरकार ने राज्य के मध्यवर्गीय लोगों के एक अद्वितीय स्व वित्तपोषित आवास योजना 'राजीव स्वगृह' शुरू की है। इसका उद्देश्य गृहविहीन मध्यवर्गीय परिवारों को राज्य में शहरी/म्युनिसिपल क्षेत्र में अपना घर उपलब्ध करवाना है। योजना के तहत बाजार दर से 25 प्रतिशत कम दरों पर आवास उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत आवास निर्माण का कार्य प्रगति पर है। यह योजना 85,961 आवासों के निर्माण के लिए बनाई गई है, 61,793 इकाइयों के लिए निविदाएं प्राप्त हुईं तथा 52,340 इकाइयों के लिए काम सौंप दिया गया है।

दुर्बल वर्ग के लिए आवास योजना के तहत 31 मार्च, 2009 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 80,64,383 तथा शहरी क्षेत्रों में 7,05,699 आवासों का निर्माण हो गया था।

स्वास्थ्य

‘राजीव आरोग्यश्री’ आंध्र प्रदेश में चल रही एक अद्वितीय स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के तहत गंभीर रोग से पीड़ित गरीब को दो लाख रुपये तक की उपचार सुविधा का प्रावधान है। सभी सफेद कार्डधारी 344 कॉरपोरेट, निजी तथा सरकारी अस्पतालों में 942 बीमारियों का निशुल्क उपचार करवा सकते हैं। मरीज अपनी मर्जी से अस्पताल चुन सकता है। किसी भी तरह के फ्राड दुरुपयोग को रोकने के लिए पूरी प्रक्रिया आनलाइन वेब आधारित है। यह योजना ज्यादा से ज्यादा सरकारी अस्पतालों को इससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिससे उपलब्ध राजस्व का उपयोग स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने में किया जाएगा। इसके कारण स्वस्थ क्षेत्र सुधार होगा। अनेक दूसरे राज्यों के अधिकारियों ने राज्य का दौरा कर योजना की सराहना की है। योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल, 2007 को हुआ था। तब से 31 मार्च, 2009 तक 344 निजी तथा सरकारी अस्पताल योजना से जुड़ चुके हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 8785 हेल्थ कैंप लगाए गए, 15,99,520 रोगी देखे गए तथा 2,43,529 ऑपरेशन/ उपचार किए गए, जिनकी लागत 781.35 करोड़ रुपये थी। इसके अतिरिक्त 3,65,763 मरीजों को चिकित्सा परामर्श दिया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। अवसरों का लाभ उठाने के मामले में यह अन्य राज्यों से बहुत आगे है। वर्ष 2008-09 के दौरान राज्य में उपलब्ध इस क्षेत्र के पेशेवरों का फायदा उठाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गईं। राज्य का आयात 31,800 करोड़ रुपये था, इससे 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। आईटी क्षेत्र में कार्यप्रदर्शन के मामले में राज्य देश में चौथे स्थान पर है।

राज्य सरकार वारंगल, तिरुपति, काकीनाड, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर तथा कडप्पा जैसे टायर-II शहरों में आईटी विस्तार के लिए प्रयासरत है। इसके परिणाम स्वरूप इन शहरों में आईटी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। आईआईटी, हैदराबाद 20 अगस्त, 2008 से शुरू हो गया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवाओं की शैक्षिक जरूरतें पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने 2008 में राजीव गांधी ज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके तहत बसरा (आदिलाबाद), नुजीर्विडू (कृष्णा) तथा राजीव नॉलेज वैली (कडप्पा) तीन आईआईटी स्थापित किए गए। 2009 के अकादमिक सत्र में 6000 विद्यार्थियों ने इनमें प्रवेश लिया।

परिवहन

सड़कें

31 मार्च, 2009 तक राज्य में सड़कों की लंबाई 69,051 कि.मी. थी जिसमें राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 4648 कि.मी. राज्य राजमार्ग 10,519 किमी, मुख्य जिला सड़कें 32170 किमी. तथा ग्रामीण सड़कें 27,714 कि.मी. थीं। राज्य में आर एंड बी सड़क नेटवर्क के संदर्भ के तहत घनत्व 0.23 किमी प्रति वर्ग किमी. तथा 0.86 किमी. प्रति 1000 व्यक्ति था।

रेलवे

राज्य के 5,107 किमी. रेल मार्ग में से 4.633 किमी. बड़ी लाइन के, 473 किमी छोटी लाइन के तथा 37 किमी नेरोगेज के हैं।

उड्डयन

शमसाबाद, तिरुपति तथा विशाखापट्टनम महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं। शमसाबाद से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा उपलब्ध है।

बंदरगाह

केंद्र सरकार का मुख्य बंदरगाह विशाखापट्टनम तथा राज्य सरकार के 13 छोटे बंदरगाह राज्य में स्थित हैं। समुद्री गतिविधियों जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग, तटीय शिपिंग, पोत मरम्मत, मछली पकड़ने, पर्यटन तथा खेलों आदि के लिए बंदरगाह महत्वपूर्ण विकास की क्षमता रखते हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान आंध्र प्रदेश के छोटे बंदरगाहों से 26.88 मिलियन टन माल की दुलाई हुई, इस मामले में देश में राज्य का दूसरा स्थान है।

पर्यटन स्थल

हैदराबाद में चारमीनार, सालारजंग संग्रहालय और गोलकुंडा किला, वारंगल में सहस्र स्तंभ मंदिर और किला, यादागिरिगुट्टा में श्रीलक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर, नागार्जुनकोंडा और नागार्जुन सागर में बौद्धस्तूप, तिरुमाला-तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर, श्रीसेलम का श्रीमल्लिकार्जुनस्वामी मंदिर, विजयवाड़ा का कनक दुर्गा मंदिर, अन्नावरम में श्री सत्यनारायण स्वामी मंदिर, सिंहाचलम में श्री वराह नरसिंह स्वामी मंदिर, भद्राचलम में श्री सीताराम मंदिर, अरकुघाटी, होर्सले पहाड़ियां और नेलापट्टू आदि आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं।

सरकार

राज्यपाल	: नारायण दत्त तिवारी
मुख्यमंत्री	: कोनिजेति रोजैय्या
विधानसभा अध्यक्ष	: एन. किरण कुमार रेड्डी
मुख्य सचिव	: ए.रघोत्तम राव
विधान परिषद अध्यक्ष	: पुवड्डा नागेश्वर राव
मुख्य न्यायाधीश	: ए. आर. दवे
उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	: आंध्र प्रदेश

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (हजार वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (जनगणना 2001)	मुख्यालय
1. आदिलाबाद	16.1	24,88,003	आदिलाबाद
2. अनंतपुर	19.1	36,40,478	अनंतपुर
3. चित्तूर	15.2	37,45,875	चित्तूर
4. कडप्पा	15.4	26,01,797	कडप्पा
5. पूर्व गोदावरी	10.8	49,01,420	काकीनाडा
6. गुंटूर	11.4	44,65,144	गुंटूर
7. हैदराबाद	0.2	38,29,753	हैदराबाद

8.	करीमनगर	11.8	34,91,822	करीमनगर
9.	खम्माम	16.0	25,78,927	खम्माम
10.	कृष्णा	8.7	41,87,841	मछलीपत्तनम
11.	कर्नूल	17.7	35,29,494	कर्नूल
12.	महबूबनगर	18.4	35,13,934	महबूबनगर
13.	मेडक	9.7	26,07,097	संगारेडु
14.	नलगोंडा	14.2	32,47,982	नलगोंडा
15.	नेल्लौर	13.1	26,68,564	नेल्लौर
16.	प्रकाशम	17.6	30,59,423	ओंगोल
17.	निजामाबाद	8.0	23,45,685	निजामाबाद
18.	रंगारेडु	7.5	35,75,064	हैदराबाद
19.	श्रीकाकुलम	5.8	25,37,593	श्रीकाकुलम
20.	विशाखापत्तनम	11.2	38,32,336	विशाखापत्तनम
21.	विजयनगरम	6.5	22,49,254	विजयनगरम
22.	वारंगल	12.9	32,46,004	वारंगल
23.	पश्चिम गोदावरी	7.7	38,03,517	एलुरु

अरुणाचल प्रदेश

क्षेत्रफल : 83,743 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या : 10,97,968 (2001 के अस्थायी आंकड़े)

राजधानी : ईटानगर

मुख्य आदिवासी : मोनपा, मिजी, अका, शेरदुकपेन, निशी, अपतानी, तगिन, अदी, दिगारू-मिशमी, इदु-मिशमी, मिजु-मिशमी, खामटी, नोकटे, तंगसा और वांचू

इतिहास और भूगोल

अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी, 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1972 तक यह पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी के नाम से जाना जाता था। इसे 20 जनवरी, 1972 से केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा मिला।

15 अगस्त, 1975 को चयनित विधानसभा का गठन किया गया तथा पहली मंत्री परिषद ने कार्यभार ग्रहण किया। प्रथम आमचुनाव फरवरी, 1978 में करवाए गए।

राज्य में 16 जिले हैं। राज्य की राजधानी ईटानगर पापुम पारा जिले में हैं। ईटानगर नाम ईटा किले पर पड़ा है जिसका अर्थ है ईंटों का किला, जिसे 14 सदी पूर्व बनाया गया था।

कल्कि पुराण तथा महाभारत में अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख मिलता है। यह पुराणों में वर्णित प्रभु पर्वत नामक स्थान है।

परशुराम ने यहां अपने पापों का प्रायश्चित्त किया था, ऋषि व्यास ने यहां आराधना की थी, राजा भीष्मक ने यहां अपना राज्य बसाया तथा भगवान कृष्ण ने रुक्मिणि से विवाह किया था।

अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में फैले पुरातात्विक अवशेषों से पता चलता है कि इसकी एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा रही है।

कृषि और बागवानी

अरुणाचल प्रदेश के लोगों के जीवनयापन का मुख्य आधार कृषि है। यहां की अर्थव्यवस्था मुख्यतः झूम खेती पर आधारित है। अब नकदी फसलों, जैसे—आलू और बागवानी की फसलों, जैसे—सेब, संतरे और अनन्नास आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

खनिज और उद्योग

राज्य की विशाल खनिज संपदा का पता लगाने तथा उसके संरक्षण के लिए 1991 में अरुणाचल प्रदेश खनिज विकास और व्यापार निगम लिमिटेड (ए.पी.एम.डी.टी.सी.एल.) की स्थापना की गई। निगम ने नामचिक-नामफुक कोयला क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया है।

शिल्पियों को विविध उद्यमों में प्रशिक्षण देने के लिए राज्य में दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। ये प्रशिक्षण संस्थान रोइंग और दपोरिजो में स्थित हैं।

त्योहार

राज्य के कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों में अदीस लोगों द्वारा मनाए जाने वाले मोपिन और सोलुंग; मोनपा लोगों का त्योहार लोस्सार; अपतानी लोगों का द्री, तगिनों का सी-दोन्याई; इदु-मिशमी समुदाय का रेह; निशिंग लोगों का न्योकुम आदि शामिल हैं। अधिकांश त्योहारों के अवसर पर पशुओं की बलि चढ़ाने की प्रथा है।

पर्यटन स्थल

राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं—तवांग, दिरांग, बोमडिला, टीपी, ईटानगर, मालिनीथान, लीकाबाली, पासीघाट, अलोंग, तेजू, मियाओ, रोइंग, दापोरिजो, नामदफा, भीष्मकनगर, परशुराम कुंड और खोंसा।

सरकार

राज्यपाल	:	जनरल (सेवानिवृत्त) जे.जे. सिंह
मुख्यमंत्री	:	दोरजी खांडू
विधानसभा अध्यक्ष	:	वांगलिन लॉगडांग
मुख्य सचिव	:	ताबोम बान

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
जिला			
1. तवांग	2,172	38,924	तवांग
2. पश्चिम कामेंग	7,422	74,599	बोमडिला
3. पूर्वी कामेंग	4,134	57,179	सेप्पा
4. पापुम पारे	2,875	1,22,003	यूपिया
5. लोअर सुबनसिरी (कुरुंग कुमे जिला सहित)	10,135	98,244	जीरो
6. अपर सुबनसिरी	7,032	55,346	दपोरिजो

7.	पश्चिमी सियांग	8,325	1,03,918	अलॉंग
8.	पूर्वी सियांग	4,005	89,397	पासीघाट
9.	ऊपरी सियांग	6,188	33,363	यिंगकियांग
10.	दिबांग घाटी (लोअर दिबांग घाटी सहित)	13,029	57,720	अनीनी
11.	लोहित, अन्जाओ सहित	11,402	1,43,527	तेजू
12.	चंगलांग	4,662	1,25,422	चंगलांग
13.	तिरप	2,362	1,00,326	खोंसा

असम

क्षेत्रफल : 78,438 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या : 2,66,55,528

राजधानी : दिसपुर

मुख्य भाषा : असमिया

इतिहास और भूगोल

कुछ विद्वानों का मानना है कि 'असम' शब्द संस्कृत के 'असोमा' शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अनुपम अथवा अद्वितीय। लेकिन आज ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि यह शब्द मूल रूप से 'अहोम' से बना है। ब्रिटिश शासन में इसके विलय से पूर्व लगभग छह सौ वर्षों तक इस भूमि पर अहोम राजाओं ने शासन किया। आस्ट्रिक, मंगोलियन, द्रविड़ और आर्य जैसी विभिन्न जातियाँ प्राचीन काल से इस प्रदेश की पहाड़ियों और घाटियों में समय-समय पर आकर बसीं और यहां की मिश्रित संस्कृति में अपना योगदान दिया। इस तरह असम में संस्कृति और सभ्यता की समृद्ध परंपरा रही है।

प्राचीनकाल में असम को 'प्रागज्योतिष' अर्थात् 'पूर्वी ज्योतिष का स्थान' कहा जाता था। बाद में इसका नाम 'कामरूप' पड़ गया। कामरूप राज्य का सबसे प्राचीन उल्लेख इलाहाबाद में समुद्रगुप्त के शिलालेख में मिलता है। इसमें कामरूप का उल्लेख प्रत्यंत यानी ऐसे सीमावर्ती देश के रूप में मिलता है, जो गुप्त साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करता था और जिसके साथ उसके संबंध मैत्रीपूर्ण थे। चीन का विद्वान यात्री ह्वेनसांग लगभग 743 ईसवी में राजा कुमार भास्कर वर्मन के निमंत्रण पर कामरूप में आया। उसने कामरूप का उल्लेख 'कामोलुपा' के रूप में किया। 11वीं शताब्दी के अरब इतिहासकार अलबरूनी की पुस्तक में भी कामरूप का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार महाकाव्यकाल से लेकर 12वीं शताब्दी ईसवी तक समूचे आर्यावर्त में पूर्वी सीमांत देश को प्रागज्योतिष और कामरूप के नाम से जाना जाता था। यहां के राजा अपने आप को 'प्रागज्योतिष नरेश' कहा करते थे।

सन 1228 में पूर्वी पहाड़ियों पर अहोम लोगों के पहुंचने से इतिहास में नया मोड़ आया। उन्होंने लगभग छह सौ वर्षों तक असम पर शासन किया। जब राजदरबार में व्याप्त असंतोष और लड़ाई-झगड़ों के कारण अहोम शासकों की शक्ति क्षीण होने लगी तो पूर्वी सीमा से बर्मी लोगों ने इस प्रदेश में प्रवेश किया। सन 1826 में यह क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के क्षेत्राधिकार में आ गया जब बर्मी लोगों ने यंडाबू संधि के अनुसार असम को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया।

असम पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी और पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेशद्वार है। यह भूटान और बंगलादेश से लगी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप है। असम के उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में मणिपुर तथा नगालैंड और दक्षिण में मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा हैं।

कृषि

असम कृषि प्रधान राज्य है। खेती यहां की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। चावल यहां की मुख्य खाद्य फसल है। जूट, चाय, कपास, तिलहन, गन्ना, आलू आदि नकदी फसलें हैं। राज्य की मुख्य बागवानी फसलें हैं: संतरा, केला, अनन्नास, सुपारी, नारियल, अमरूद, आम, कटहल और नींबू जाति के फल। इनकी खेती छोटे पैमाने पर की जाती है। राज्य में लगभग 39.83 लाख हेक्टेयर कुल खेती योग्य भूमि है। इसमें से करीब 27.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें उगाई जाती हैं।

वन

असम अपनी वन संपदा तथा जीव-जंतुओं और वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है, जोकि कुल वन क्षेत्र के 26.22 प्रतिशत हैं।

वन्यजीव

राज्य में पांच राष्ट्रीय पार्क और 11 वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी विहार हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस बाघ परियोजना (राष्ट्रीय उद्यान) क्रमशः एक सींग वाले गैंडों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं।

उद्योग

असम में कृषि पर आधारित उद्योगों में चाय का प्रमुख स्थान है। राज्य में छह औद्योगिक विकास केंद्र हैं। इसके अलावा बालीपाड़ा और माटिया में दो औद्योगिक विकास केंद्र और खोले जा रहे हैं। इस समय राज्य में चार तेलशोधक कारखाने काम कर रहे हैं, जिनमें से एक डिगबोई में है। गुवाहाटी के पास अमीनगांव में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क का निर्माण पूरा होने वाला है। गुवाहाटी के पास बोरझार में एक साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा। अमीनगांव में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है। अपनी कला और हस्तशिल्प से जुड़े कुटीर उद्योग के लिए असम हमेशा से विख्यात रहा है। हथकरघा, रेशम, बेंत और बांस की वस्तुएं, गलीचों की बुनाई, काष्ठ शिल्प, पीतल तथा अन्य धातुओं के शिल्प आदि यहां के प्रमुख कुटीर उद्योगों में शामिल हैं। असम में कई किस्म का रेशम, जैसे-एंडी, मूगा, टसर आदि का उत्पादन होता है। मूगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जिसका उत्पादन विश्व में सिर्फ असम में होता है।

बिजली

राज्य के प्रमुख बिजलीघरों में चंद्रपुर तापबिजली परियोजना और नामरूप तापबिजली परियोजना के अलावा एक लघु पनबिजली परियोजना तथा कुछ मोबाइल गैस टरबाइन इकाइयां शामिल हैं। बोंगईगांव के ताप बिजलीघर को पुनः चालू करने और इस समय चल रही कारबी-लंगपी परियोजना से राज्य में बिजली की सप्लाई बढ़ जाएगी। तिपाईमुख बांध परियोजना के लिए स्वीकृति मिल गई है। जकुवा वेस्ट हीट रिकवरी परियोजना 2008-09 में चालू हो जाने की संभावना है।

परिवहन

सड़कें

असम में सड़कों की कुल लंबाई 37,515 किलोमीटर थी जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2,754

कि.मी. शामिल है। भारत-बंगलादेश सीमा पर 27 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने एवं 160 किलोमीटर सीमा पर कांटेदार तार-बाड़ लगाने का कार्य पूरा किया जा चुका है।

रेलवे

इस समय असम में रेलमार्गों की लंबाई 2,284.28 किलोमीटर है जिसमें छोटी रेल लाइन 1,057.12 कि.मी. और बड़ी लाइन 1,227.16 कि.मी. शामिल हैं।

विमान सेवा

नागरिक विमानों की नियमित उड़ानें लोकप्रिय गोपीनाथ बाड़दोलोई हवाई अड्डा (गुवाहाटी), सलोनीबाड़ी (तेज़पुर), मोहनबाड़ी (डिब्रूगढ़), सिलोनीबाड़ी (उत्तरी लखीमपुर), कुंभीरग्राम (सिलचर), और रोवरियाह (जोरहाट) से होती हैं।

त्योहार

असम में अनेक रंगारंग त्योहार मनाए जाते हैं। 'बिहू' असम का मुख्य पर्व है। यह साल में तीन बार मनाया जाता है—रंगाली बिहू या बोहाग बिहू फसल बुवाई की शुरुआत का प्रतीक है और इससे नए वर्ष का भी शुभारंभ होता है। भोगली बिहू या माघ बिहू फसल कटाई का त्योहार है और कांती बिहू या कांगली बिहू शरद ऋतु का एक मेला है।

ज्यादातर त्योहार धार्मिक कारणों से मनाए जाते हैं। राज्य में रहने वाले वैष्णव लोग प्रमुख वैष्णव संतों की जयंती तथा पुण्यतिथि पर दिन भर भजन गाते हैं तथा परंपरागत नाट्यशैली में 'भावना' का मंचन करते हैं। कामाख्या मंदिर में अंबुबाशी और उमानंदा तथा शिव मंदिरों के निकट स्थित अन्य स्थानों पर शिवरात्रि मेला, दिवाली, अशोक अष्टमी मेला, पौष मेला, परशुराम मेला, अंबुबाशी मेला, दोल-जात्रा, ईद, क्रिसमस और दुर्गा पूजा, आदि अन्य धार्मिक त्योहार भी राज्य में श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं।

पर्यटन स्थल

गुवाहाटी में तथा उसके आसपास प्रमुख पर्यटन स्थलों में कामाख्या मंदिर, उमानंदा (मयूरद्वीप), नवग्रह मंदिर, वशिष्ठ आश्रम, डोलगोबिंद, गांधी मंडप, राज्य का चिड़ियाघर, राज्य संग्रहालय, शुक्रेश्वर मंदिर, गीता मंदिर, पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण मदन कामदेव मंदिर और सरायघाट पुल शामिल हैं। अन्य दर्शनीय स्थल हैं—काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क (एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध), मानस बाघ परियोजना, पोबीतोरा और ओरंग (वन्यजीव उद्यान), शिवसागर (शिव मंदिर, रंगघर, करिंगघर), तेज़पुर (भैरवी मंदिर और रमणीक स्थान), भालुकपुंग (अंगलिंग), हॉफलांग (स्वास्थ्यप्रद स्थान और जतिंगा पहाड़ियां), माजुली (विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप), चंदुबी झील (पिकनिक स्थल), हाजो (बौद्ध, हिंदू और इस्लाम की मिलनस्थली), बताद्व (महान वैष्णव संत शंकरदेव की जन्मभूमि) और सुआलकूची (रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध)।

सरकार

राज्यपाल	: जे.बी. पटनायक
मुख्यमंत्री	: तरुण गोगोई
विधानसभा अध्यक्ष	: टंका बहादुर राय

मुख्य सचिव : पी.सी. सर्मा
 मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति डी. बिस्वास
 गुवाहाटी उच्च न्यायालय का
 अधिकार क्षेत्र : पूर्वोत्तर के सभी राज्य

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (लाख में)'	मुख्यालय
1. धुबरी	2,838	16.35	धुबरी
2. कोकराझार	3,129	9.30	कोकराझार
3. बोंगईगांव	2,510	9.06	बोंगईगांव
4. ग्वालपाड़ा	1,824	8.22	ग्वालपाड़ा
5. बारपेटा	3,245	16.42	बारपेटा
6. नलबाड़ी	2,257	11.38	नलबाड़ी
7. कामरूप	4,345	25.15	गुवाहाटी
8. दरांग	3,481	15.04	मंगलदोई
9. शोणितपुर	5,324	16.78	तेजपुर
10. लखीमपुर	2,277	8.89	उत्तरी लखीमपुर
11. धेमाजी	3,217	5.89	धेमाजी
12. मोरीगांव	1,704	7.76	मोरीगांव
13. नौगांव	3,831	23.15	नौगांव
14. गोलाघाट	3,502	9.46	गोलाघाट
15. जोरहाट	2,851	10.09	जोरहाट
16. सिबसागर	2,668	10.53	सिबसागर
17. डिब्रूगढ़	3,381	11.72	डिब्रूगढ़
18. तिनसुकिया	3,790	11.50	तिनसुकिया
19. कार्बी-आंगलोंगे	10,434	8.12	दिफू
20. उत्तरी कछार हिल्स	4,888	1.86	हॉफलांग
21. करीमगंज	1,809	10.04	करीमगंज
22. हैलाकांडी	1,327	5.43	हैलाकांडी
23. कछार	3,786	14.42	सिलचर

बिहार

क्षेत्रफल	: 94,163 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	: 8,28,78,796
राजधानी	: पटना	मुख्य भाषा	: हिंदी

इतिहास और भूगोल

बिहार का उल्लेख वेदों, पुराणों और प्राचीन महाकाव्यों आदि में मिलता है और यह राज्य महात्मा बुद्ध और 24 जैन तीर्थंकरों की कर्मभूमि रहा है। ईसा पूर्व काल में इस क्षेत्र पर बिम्बसार, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करने वाले उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक सहित मौर्य, शुंग तथा कण्व राजवंश के नरेशों ने राज किया। इसके पश्चात कुषाण शासकों का समय आया और बाद में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बिहार पर राज किया। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों का इस क्षेत्र पर अधिकार रहा। बिहार पर सबसे पहले विजय पाने वाला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश तथा मुगल वंश का आधिपत्य था।

बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है। इसके उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में झारखंड राज्य हैं। यहां अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें प्रमुख है गंगा। अन्य नदियां हैं—सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा, दुर्गावती, कोसी, गंडक, घाघरा आदि।

कृषि

बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है जिसमें से केवल 55.65 लाख हेक्टेयर पर ही वास्तव में खेती होती है। वैसे राज्य में लगभग 77.19 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। विभिन्न साधनों से कुल 46 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं जबकि करीब 34.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है।

यहां की प्रमुख खाद्य फसलें हैं : धान, गेहूं, मक्का और दालें। मुख्य नकदी फसलें हैं : गन्ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च, पटसन और मेस्ता। लगभग 6.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वन फैले हैं जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का करीब 6.65 प्रतिशत है।

उद्योग

राज्य के मुख्य उद्योग हैं : मुजफ्फरपुर और मोकामा में भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट। बरौनी में भारतीय तेल निगम का तेलशोधक कारखाना है। बरौनी का एच.पी.सी.एल. और अमझोर का पाइराइट्स फास्फेट एंड कैमिकल्स लिमिटेड (पी.पी.सी.एल) राज्य के उर्वरक संयंत्र हैं। सीवान, भागलपुर, पंडौल, मोकामा और गया में पांच बड़ी सूत कटाई मिलें हैं। उत्तर व दक्षिण बिहार में 13 चीनी मिलें निजी क्षेत्र की तथा 15 चीनी मिलें सार्वजनिक क्षेत्र की हैं जिनकी कुल पेराई क्षमता 45,000 टन है। इसके अलावा गोपालगंज, पश्चिमी चंपारन, भागलपुर और रीगा (सीतामढ़ी जिला) में शराब बनाने के कारखाने हैं। पश्चिमी चंपारन, मुजफ्फरपुर और बरौनी में चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग हैं। कटिहार और समस्तीपुर में तीन बड़े पटसन के कारखाने हैं। हाजीपुर में दवाएं बनाने का कारखाना; औरंगाबाद और पटना में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने के कारखाने हैं। इसके अलावा बंजारी में कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाने का बिहार के औद्योगिक नक्शे में महत्वपूर्ण स्थान है।

सिंचाई

बिहार में कुल सिंचाई क्षमता 28.73 लाख हेक्टेयर है। यह क्षमता बड़ी, मंझोली तथा 49.35 लघु सिंचाई परियोजनाओं से जुटाई जाती है।

परिवहन

सड़कें

मार्च, 2009 तक बिहार में 46107.00 किलोमीटर पक्की सड़कें थीं। इनमें 3,734.38 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 3989 किलोमीटर प्रांतीय राजमार्ग, 8156.00 प्रमुख जिला सड़कें, 3818.00 किलोमीटर अन्य जिला सड़कें तथा 27,400 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें शामिल थीं।

रेलवे

बिहार में रेल लाइनों का अच्छा जाल बिछा हुआ है। मोकामा में एकमात्र रेलवे पुल होने के कारण उत्तरी बिहार के लिए परिवहन व्यवस्था में थोड़ी परेशानी है। कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने वाले रेलमार्गों, जैसे मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर-बरौनी-कटिहार और मुजफ्फरपुर-छपरा-सिवान को बड़ी लाइन में बदला गया है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, कटिहार और समस्तीपुर राज्य के मुख्य रेलवे जंक्शन हैं।

उड्डयन

राज्य में सभी बड़े जिलों में हवाई पट्टियों के अलावा पटना में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है।

पर्यटन स्थल

राज्य के प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं : राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी (जहां भगवान महावीर ने अंतिम सांस ली और निर्वाण को प्राप्त हुए), बोधगया, विक्रमशिला (उच्च शिक्षा के बौद्ध विश्वविद्यालय के अवशेष), पटना (पाटलीपुत्र का प्राचीन नगर) और सासाराम (शेरशाह सूरी का मकबरा) और मधुबनी (प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला का केंद्र)। अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं: मुंडेश्वरी मंदिर (कैमूर), रोहतासगढ़ किला (रोहतास), जैन तीर्थस्थल, कुंडलपुर (नालंदा), बिहार योग केंद्र (मुंगेर), मनेर शरीफ पटना, ग्रामीण पर्यटन स्थल नेपुरा (नालंदा), केसरिया स्तूप (पश्चिमी चंपारन), बाड़ाबार पहाड़ियां (जहानाबाद), लौरिया नंदनगढ़।

सरकार

राज्यपाल	: डी. कंवर
मुख्यमंत्री	: नीतीश कुमार
मुख्य सचिव	: अनुप मुखर्जी
उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	: बिहार

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. अररिया	2,796.8	21,24,831	अररिया
2. औरंगाबाद	3,389.2	20,04,960	औरंगाबाद
3. बेगूसराय	1,889.1	23,42,989	बेगूसराय
4. भागलपुर	2,501.9	24,30,331	भागलपुर
5. बांका	3,020.2	16,08,778	बांका

राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश

1173

6.	भोजपुर	2,337	22,33,415	आरा
7.	बक्सर	1,633.6	14,03,462	बक्सर
8.	कैमूर (भभुआ)	1,840.3	12,84,575	भभुआ
9.	दरभंगा	2,502	32,85,473	दरभंगा
10.	पूर्वी चंपारन	4,154.8	39,33,636	मोतीहारी
11.	गया	4,941	34,64,983	गया
12.	गोपालगंज	2,009.2	21,49,343	गोपालगंज
13.	जहानाबाद	1,569.3	15,11,406	जहानाबाद
14.	जमुई	2,996.5	13,97,474	जमुई
15.	सहरसा	1195.6	15,06,418	सहरसा
16.	कटिहार	3,009.9	23,89,533	कटिहार
17.	खगड़िया	1,485.8	12,76,677	खगड़िया
18.	किशनगंज	1,938.5	12,94,063	किशनगंज
19.	मधेपुरा	1,797.4	15,24,596	मधेपुरा
20.	मधुबनी	3,477.8	35,70,651	मधुबनी
21.	मुंगेर	-	11,35,499	मुंगेर
22.	लखीसराय	3,302.2	8,01,173	लखीसराय
23.	शेखपुरा	-	5,25,137	शेखपुरा
24.	मुजफ्फरपुर	3,122.7	37,43,836	मुजफ्फरपुर
25.	नालंदा	2,361.7	23,68,327	बिहार शरीफ
26.	नवादा	2,497.5	18,09,425	नवादा
27.	पटना	3,130.1	47,09,851	पटना
28.	पूर्णिया	3,202.3	25,40,788	पूर्णिया
29.	रोहतास	3,838.2	24,48,672	सासाराम
30.	समस्तीपुर	2,578.7	34,13,413	समस्तीपुर
31.	सारन	2,624.1	32,51,474	छपरा
32.	सीतामढ़ी	2,627.7	26,69,887	सीतामढ़ी
33.	शिवहर	-	5,14,288	शिवहर
34.	सीवान	2,213	27,08,840	सीवान
35.	सुपौल	2,984.9	17,45,069	सुपौल
36.	वैशाली	1,995.3	27,12,389	हाजीपुर
37.	पश्चिमी चंपारन	4,249.9	30,43,044	बेतिया

छत्तीसगढ़

क्षेत्रफल	: 1,36,034 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	: 2,07,95,956
राजधानी	: रायपुर	मुख्य भाषा	: हिंदी

इतिहास और भूगोल

मध्य प्रदेश का हिस्सा निकालकर बनाया गया यह राज्य भारतीय संघ के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर, 2000 को अस्तित्व में आया। यह राज्य यहां के आदिवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। प्राचीनकाल में इस क्षेत्र को दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। छठी और बारहवीं शताब्दियों के बीच सरभूपूरिया, पांडुवंशी, सोमवंशी, कलचुरी और नागवंशी शासकों ने इस क्षेत्र पर शासन किया। कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ पर सन 980 से लेकर 1791 तक राज किया। सन 1854 में अंग्रेजों के आक्रमण के बाद ब्रिटिश शासनकाल में राजधानी रतनगढ़ के बजाय रायपुर का महत्व बढ़ गया। सन 1904 में संबलपुर उड़ीसा में चला गया और सरगुजा रियासत बंगाल से छत्तीसगढ़ के पास आ गई।

छत्तीसगढ़ पूर्व में दक्षिणी झारखंड और उड़ीसा से, पश्चिम में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से, उत्तर में उत्तर प्रदेश और पश्चिमी झारखंड से और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से घिरा है। छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल के हिसाब से देश का नौवां बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से इसका 17वां स्थान है।

कृषि

राज्य में 80 प्रतिशत आबादी कृषि और संबंधित गतिविधियों में लगी है। 137.9 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से कुल कृषि क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 35 प्रतिशत है। खेती का प्रमुख मौसम खरीफ है, जिसमें लगभग 45.89 लाख हेक्टेयर में खेती होती है। चावल यहां की मुख्य फसल है। अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं : मक्का, गेहूं, कच्चा अनाज, मूंगफली और दलहन। राज्य में धान का जर्मप्लाज्म का सर्वाधिक भंडार है। लगभग 3.03 लाख हेक्टेयर में बागवानी फसलें उगाई जाती हैं। राज्य द्वारा शुरू किया अनूप कार्यक्रम किसानों को धान की कम उपजाऊ किस्म के बदले व्यावसायिक रूप से अधिक उपजाऊ किस्मों तथा अन्य फसलों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

सिंचाई और बिजली

जब यह राज्य अस्तित्व में आया, तब (1 नवंबर, 2000) इसकी कुल सिंचाई क्षमता 13.28 लाख हेक्टेयर थी जो अब बढ़कर 16.81 लाख हेक्टेयर हो गई है। पूरी हो चुकी मुख्य परियोजनाएं हैं: तांदुला, कोडर और पेयरी।

राज्य बिजली बोर्ड की कुल क्षमता 1,681.05 मेगावाट है, जिसमें से 1,260 मेगावाट तापबिजली और शेष पनबिजली है। राज्य बिजली बोर्ड आधुनिकीकरण तथा प्रेषण व वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा सृजन क्षमता को बढ़ाने का काम कर रहा है। राज्य बिजली बोर्ड ने कोरबा में 500 मेगावाट की अतिरिक्त स्थापित उत्पादन क्षमता (2×250 मेगावाट यूनिट) बढ़ाई है। निजी क्षेत्र को बिजलीघर बनाने और इनमें उत्पन्न बिजली राज्य से बाहर बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य के कुल 19,720 बसे हुए गांवों में से 93 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है।

खनिज संसाधन

छत्तीसगढ़ में आग्नेय, कार्बोनाट और तलछटी क्षेत्रों में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कोयला, कच्चा लोहा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, डोलोमाइट तथा टिन के विशाल भंडार राज्य के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं। रायपुर जिले में हाल ही में पहचाने गए डाइमंडीफैरस किंबरलाइट्स में से काफी मात्रा में हीरा प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा सोना, आधार धातुओं, बिल्लौरी पत्थर, चिकना पत्थर,

सेटाइट, फ्लूरोराइट, कोरुंडम, ग्रेफाइट, लेपिडोलाइट, उचित आकार की एम्लीगोनाइट के विशाल भंडार मिलने की संभावना है। राज्य में देश के 20 प्रतिशत इस्पात और सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। कच्चे टिन का उत्पादन करने वाला यह देश का एकमात्र राज्य है। यहां खनिज संसाधनों से उत्खनन, खनिज आधारित उद्योग लगाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की अपार क्षमता है। छत्तीसगढ़ में विश्व का सबसे अधिक किंबलराइट भंडार का क्षेत्र है। आठ ब्लॉकों में हीरे की संभावना का पता लगाने के लिए उनकी पहचान की गई है। हीरे के अलावा सोने की संभावना के लिए चार तथा आधार धातुओं के लिए पांच ब्लॉक चिह्नित किए गए हैं।

उद्योग

छत्तीसगढ़ में वन, खनिज और भूजल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का असीम भंडार है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और यह उद्योगों के मामले में बहुत फल-फूल रहा है। छत्तीसगढ़ में देश का लगभग 20 प्रतिशत इस्पात और 15 प्रतिशत सीमेंट तैयार होता है। भिलाई इस्पात संयंत्र, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, साउथ-ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, एन.टी.पी.सी. जैसे भारत सरकार के उपक्रम और ए.सी.सी., गुजरात अंबुजा, ग्रासिम, एल एंड टी, सी सी आई और फ्रांस के ला-फार्गे जैसे बड़े सीमेंट प्लांट तथा 53 इस्पात परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य में लगभग 133 इस्पात ढालने के कारखाने, अनेक लघु इस्पात संयंत्र, 11 फैरो-एलॉय कारखाने, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन इकाइयों सहित बड़े पैमाने पर कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण, रसायन, प्लास्टिक, भवन निर्माण सामग्री और वनोत्पाद पर आधारित कारखाने हैं।

अनुकूल औद्योगिक वातावरण की वजह से, छत्तीसगढ़ में विशाल औद्योगिक निवेश किया जा रहा है। नए उद्योगों की स्थापना और विद्यमान औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिए 85,000 करोड़ रुपये के 80 आशय-पत्रों पर हस्ताक्षर किये गए। राज्य में जनवरी-दिसंबर 2006 के दौरान 1,07,899 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश होने की वजह से छत्तीसगढ़ को भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय की औद्योगिक उद्यमशीलता जापान रिपोर्ट में प्रथम स्थान मिला है।

भारत के केंद्र में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य कारखानों में हर समय बिजली उपलब्ध कराने में सक्षम है। राज्य में कोयले के विशाल भंडार (देश के 87 प्रतिशत) की वजह से राज्य के पास कम लागत पर अत्यधिक बिजली उत्पादन के अवसर हैं और राज्य के पास 50,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता है। एन.टी.पी.सी. बिलासपुर जिले में अपना अब तक का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित कर रहा है। एन.टी.पी.सी. ने सीपट में 2,640 मेगावाट के और कोरबा में 600 मेगावाट के सुपर ताप बिजलीघर का निर्माण शुरू कर दिया है।

गुजरात सरकार कोरबा में 500 मेगावाट का एक विद्युत उत्पादन संयंत्र लगा रही है। कई अन्य राज्य भी यहां अपने संयंत्र लगाना चाहते हैं। निजी क्षेत्र के 25,000 मेगावाट से अधिक के संयंत्रों के अनुबंध-पत्र (एम.ओ.यू.) विचाराधीन हैं। छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम लि., रायपुर ने राज्य में लगभग 3,500 हेक्टेयर औद्योगिक जमीन के विकास, रखरखाव और प्रबंधन का काम अपने हाथ में ले लिया है। निगम द्वारा विकसित जमीन में 925 से अधिक उद्योग खोले जा चुके हैं जिन पर 1,800 करोड़ रुपये से भी अधिक का निवेश है और जिनमें 80,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

सूचना प्रौद्योगिकी

छत्तीसगढ़ में ई-गवर्नेंस जनता को सरकार तक पहुंचने का आश्वासन देती है। इससे सरकार अधिक

सक्रिय और पारदर्शी हुई है। चिप्स (छत्तीसगढ़ इंफोटेक एंड बायोटेक प्रमोशन सोसाइटी) मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त परिषद् की देखरेख में गठित की गई है और यह राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करेगी। ई-गवर्नेंस की सारी नागरिक सेवाएं 'चॉइस' (छत्तीसगढ़ ऑनलाइन इनफार्मेशन फार सिटिजन एम्पावरमेंट) नामक परियोजना के अंतर्गत हैं।

छत्तीसगढ़ को, नागरिकों की बेहतरी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके तैयार की गई मानव विकास रिपोर्ट के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पुरस्कार, 2007 मिला है।

परिवहन

सड़कें

राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 34,930 कि.मी. है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2,225 कि.मी., प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई 3,213.50 कि.मी., जिला सड़कों की लंबाई 4,814 कि.मी. और ग्रामीण सड़कों की लंबाई 27,001 कि.मी. है। बेहतर संपर्क के लिए उत्तर-दक्षिण को जोड़ने वाले दो तथा पूर्व-पश्चिम को जोड़ने वाले चार सड़क गलियारे बनाए जा रहे हैं जिनकी कुल लंबाई 3,106.75 कि.मी. है।

रेल

रायपुर, विलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ और कोरबा यहां के प्रमुख रेल स्टेशन हैं।

पर्यटन स्थल

भारत के हृदय में स्थित छत्तीसगढ़ में समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और आकर्षक प्राकृतिक विविधता है। राज्य में प्राचीन स्मारक, दुर्लभ वन्यजीव, नक्काशीदार मंदिर, बौद्धस्थल, महल जल-प्रपात, पर्वतीय पठार, रॉक पेंटिंग और गुफाएं हैं। बस्तर अपनी अनोखी सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान के साथ पर्यटकों को एक नई ताजगी प्रदान करता है। चित्रकोट के जल-प्रपात—जहां इंद्रावती नदी का पानी 96 फुट ऊंचाई से गिरता है। कांगेर नदी के सौ फुट की ऊंचाई से गिरने से बने तीरथगढ़ प्रपात नयनाभिराम दृश्य उपस्थित करते हैं। अन्य प्रमुख स्थल हैं : केशकल घाटी, कांगेरघाट राष्ट्रीय पार्क, कैलाश गुफाएं और कुडंबसर गुफाएं जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती हैं।

बिलासपुर में रतनपुर का महामाया मंदिर, डूंगरगढ़ में बंबलेश्वरी देवी मंदिर, दांतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी मंदिर और छठी से दसवीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा सिरपुर भी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्मस्थल चंपारण, खूटाघाट जल प्रपात, मल्लाहार में डिंडनेश्वरी देवी मंदिर, अचानकमार अभयारण्य, रायपुर के पास उदंति अभयारण्य, कोरबा जिले में पाली और कंडई जल प्रपात भी पर्यटकों के मनपसंद स्थल हैं।

खरोड जंजीर चंपा का साबरी मंदिर, शिवरीनारायण का नरनारायण मंदिर, रंजिम का राजीव लोचन और कुलेश्वर मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और जंजीर का विष्णु मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में हैं। पर्यटन क्षेत्र के स्थायी विकास के लिए राज्य ने केंद्रीय एजेंसी के रूप में राज्य पर्यटन संवर्द्धन बोर्ड का गठन किया है।

सरकार

राज्यपाल	: ई.एस.एल. नरसिंहन
मुख्यमंत्री	: डा. रमन सिंह

राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश

1177

विधानसभा अध्यक्ष : प्रेम प्रकाश पांडे
 मुख्य सचिव : पी. जॉय ओमन
 उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र : छत्तीसगढ़

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. बस्तर	10,376	11,31,453	जगदलपुर
2. बिलासपुर	8,569	19,93,042	बिलासपुर
3. दुर्ग	8,702	28,01,757	दुर्ग
4. रायगढ़	6,528	12,65,084	रायगढ़
5. रायपुर	13,445	30,09,042	रायपुर
6. राजानांदगांव	8,023	12,81,811	राजानांदगांव
7. सरगुजा	16,034	19,70,661	अंबिकापुर
8. कोरिया	5,978	5,85,455	बैकुंठपुर
9. जशपुर	6,457	7,39,780	जशपुर
10. जंजगीर चम्पा	4,467	13,16,140	जंजगीर
11. कोरबा	5,769	10,12,121	कोरबा
12. कांकेर	6,434	6,51,333	कांकेर
13. दांतेवाड़ा	9,055	4,89,233	दांतेवाड़ा
14. महासमुंद	4,963	8,60,176	महासमुंद
15. धमतरी	4,081	7,03,569	धमतरी
16. कबीरधाम (कावर्धा)	3,958	5,84,667	कबीरधाम (कावर्धा)
17. नारायणपुर	6,640	1,10,800	नारायणपुर
18. बीजापुर	6,555	2,29,832	बीजापुर

गोवा

क्षेत्रफल	: 3,702 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	: 13,47,668
राजधानी	: पणजी	मुख्य भाषाएं	: कोंकणी तथा मराठी

इतिहास और भूगोल

गोवा प्राचीनकाल में गोमांचल, गोपकपट्टनम, गोपकेपुरी, गोवापुरी और गोमांतक आदि कई नामों से विख्यात रहा है। इस प्रदेश की लंबी ऐतिहासिक परंपरा रही है। गोवा के प्रारंभिक इतिहास के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में गोवा सातवाहन साम्राज्य का अंग था। उसके बाद कदंब, मलखेड़ के राष्ट्रकूटों, चालुक्य तथा सिलाहार राजवंशों का इस पर शासन रहा। 14वीं शताब्दी

के अंत में यादवों का साम्राज्य समाप्त हुआ और दिल्ली के खिलजी वंश ने इस पर अपना अधिकार किया। इस प्रकार गोवा मुस्लिम शासकों के अधीन आ गया। सन 1498 में वास्कोडिगामा द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के बाद कई पुर्तगाली यात्री भारत पहुंचे। सन 1510 में एल्फांसो द अलबुर्करक ने विजयनगर के सम्राट की सहायता से गोवा पर आक्रमण करके इस पर कब्जा कर लिया। सन 1542 में जेसुइट संत फ्रांसिस जेवियर के आगमन से गोवा में धर्म परिवर्तन का काम आरंभ हुआ। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के कुछ वर्षों को छोड़कर, जब शिवाजी ने गोवा तथा उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया, समूचे क्षेत्र पर पुर्तगालियों का शासन जारी रहा। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा, किंतु पुर्तगाली शासक गोवावासियों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए और अंततः 19 दिसंबर, 1961 को गोवा को मुक्त करा लिया गया और इसे दमन तथा दीव के साथ मिलाकर केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। 30 मई, 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन तथा दीव को अलग केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया।

गोवा भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके उत्तर में तेरेखोल नदी बहती है, जो गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है। इसके दक्षिण में कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ जिला और पूर्व में पश्चिमी घाट तथा पश्चिम में अरब सागर है। पणजी, मडगांव, वास्को, मापुसा, तथा पोंडा राज्य के प्रमुख शहर हैं।

कृषि

चावल यहां की मुख्य खाद्य फसल है। इसके अलावा दालें, रागी तथा कुछ अन्य खाद्य फसलें भी उगाई जाती हैं। नारियल, काजू, सुपारी तथा गन्ने जैसी नकदी फसलों के साथ-साथ यहां अनन्नास, आम और केला भी होता है। राज्य में 1,424 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में घने वन हैं।

सिंचाई और बिजली

राज्य में सेलाउलिम और अंजुनेम जैसे बांधों और अन्य लघु सिंचाई परियोजनाओं के चालू हो जाने से सिंचित क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। इन परियोजनाओं से अब तक कुल 43,000 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता उपलब्ध हो सकी है। राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है और शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है।

उद्योग और खनिज

राज्य में लघु उद्योगों की संख्या 7,110 है और 20 औद्योगिक परिसर हैं। राज्य के खनिज उत्पादों में फैरो मैंगनीज, बॉक्साइट, लौह-अयस्क आदि शामिल हैं और इनके निर्यात से राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है।

मत्स्यकी

राज्य में मत्स्यकी का एक प्रमुख स्थान है क्योंकि 90 प्रतिशत जनसंख्या मत्स्य उद्योग में लगी है। लगभग एक लाख लोग मत्स्य उद्योग में कार्यरत हैं। 3220 मछुआरों को राज्य बीमा योजना में शामिल किया गया है। 718 मछुआरों को सेविंग-कम-रीलीफ फंड योजना में शामिल किया गया है।

कला एवं संस्कृति

राज्य को कला एवं संस्कृति निदेशालय द्वारा आईएसओ 9001-2000 प्रमाणपत्र दिया गया है। गोवा में

टाइट अकादमी की स्थापना की गई है। सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा कलाकारों को सहायता देने के लिए कला सम्मान, कलाकार कृतिदन्यता निधि जैसी विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं।

परिवहन

31 दिसंबर 2008 तक गोवा में 4,40,152 ड्राइविंग लाइसेंस दिए गए तथा 6,59,012 वाहनों का पंजीकरण किया गया।

सड़कें

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 224 किलोमीटर तथा प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई 232 किलोमीटर है। इसके अलावा 815 किलोमीटर जिला मार्ग हैं।

रेलवे

गोवा कोंकण रेलवे के माध्यम से मुंबई, मंगलौर और तिरुवनंतपुरम से जुड़ा है। इस रेलमार्ग पर अनेक तेज-रफ्तार रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं। वास्कोडिगामा दक्षिण मध्य रेलवे के बंगलौर और बेलगांव स्टेशनों से जुड़ा है। इस मार्ग का इस्तेमाल फिलहाल माल यातायात के लिए हो रहा है।

उड्डयन

डबोलिम हवाई अड्डे से मुंबई, दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, चेन्नई, अगाती और बंगलौर के लिए नियमित विमान सेवाएं हैं।

बंदरगाह

मरमुगाव राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। यहां मालवाहक जहाजों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा पणजी, तिराकोल, चपोरा बेतूल और तालपोना में भी छोटे बंदरगाह हैं, मगर इनमें से पणजी प्रमुख व्यस्त बंदरगाह है। हाल में यहां जहाजों के लिए एक पत्तन (पोर्ट) चालू हुआ है।

सिंचाई

गोवा तथा महाराष्ट्र की संयुक्त सिंचाई परियोजना तिलारी का उद्देश्य गोवा की 24618 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 57.43 घन मीटर पानी घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों के लिए दिया जाएगा।

वन

राज्य के 34 प्रतिशत हिस्से पर वन हैं। लगभग 30.18 लाख पौधे लगाए गए तथा 978.50 हेक्टेयर क्षेत्र पर पौधे लगाए गए।

स्वास्थ्य

लोगों के घरों तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं के मामले में राज्य का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। मेडीक्लेम योजना के तहत धनराशि को बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दिया गया है। मोबाइल हेल्थ केयर तथा 108 एंबुलेंस सेवा शुरू की गई है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नवजात शिशुओं की पूरी देखभाल की व्यवस्था है।

पर्यटन स्थल

गोवा के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं—कोलवा, कालनगुटे, वागाटोर, बागा, हरमल, अंजुना और मीरामार समुद्र तट; पुराने गोवा में बैसीलिका ऑफ बोम जीसस और से-केथेड्रल चर्च; कावलेम, मारडोल, मंगेशी तथा बनडोरा मंदिर; अगुडा, तेरेखोल, चपोरा और काबो डि रामा किले; प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध दूधसागर और हरवालेम जलप्रपात तथा माएम झील हैं। राज्य में समृद्ध वन्यप्राणी उद्यान हैं, जैसे—बोंडला, कोटीगाव तथा मोलेम वन्यप्राणी उद्यान और चोराव में डा. सालिम अली पक्षी उद्यान, जिसका कुल क्षेत्रफल 354 वर्ग किलोमीटर है।

सरकार

राज्यपाल : डॉ. शिवेन्द्र सिंह सिद्धू

मुख्यमंत्री : दिगंबर कामत

मुख्य सचिव : संधु श्रीवास्तव

गोवा मुंबई उच्च न्यायालय की पणजी खंडपीठ के अधिकार क्षेत्र में आता है।

गुजरात

क्षेत्रफल	: 1,96,024 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	: 5,06,71,017
राजधानी	: गांधीनगर	मुख्य भाषा	: गुजराती

इतिहास और भूगोल

गुजरात का इतिहास ईसवी पूर्व लगभग 2,000 साल पुराना है। यह भी माना जाता है कि भगवान कृष्ण मथुरा छोड़कर सौराष्ट्र के पश्चिमी तट पर जा बसे, जो द्वारका यानी प्रवेशद्वार कहलाया। बाद के वर्षों में मौर्य, गुप्त, प्रतिहार तथा अन्य अनेक राजवंशों ने इस प्रदेश पर राज किया। चालुक्य (सोलंकी) राजाओं का शासनकाल गुजरात में प्रगति और समृद्धि का युग था। महमूद गजनवी की लूटपाट के बावजूद चालुक्य राजाओं ने यहां के लोगों की समृद्धि और भलाई का पूरा ध्यान रखा। इस गौरवपूर्ण काल के पश्चात गुजरात को मुसलमानों, मराठों और ब्रिटिश शासन के दौरान बुरे दिन देखने पड़े। आजादी से पहले गुजरात का वर्तमान क्षेत्र मुख्य रूप से दो भागों में बंटा था—एक ब्रिटिश क्षेत्र और दूसरा देसी रियासतें। राज्यों के पुनर्गठन के कारण सौराष्ट्र के राज्यों और कच्छ के केंद्रशासित प्रदेश के साथ पूर्व ब्रिटिश गुजरात को मिलाकर द्विभाषी बंबई राज्य का गठन हुआ। पहली मई, 1960 को वर्तमान गुजरात राज्य अस्तित्व में आया। गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में पाकिस्तान तथा उत्तर-पूर्व में राजस्थान, दक्षिण-पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र है।

कृषि

गुजरात कपास, तंबाकू और मूंगफली का उत्पादन करने वाला देश का प्रमुख राज्य है तथा यह कपड़ा, तेल और साबुन जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। यहां की अन्य महत्वपूर्ण नकदी फसलें हैं—इसबगोल, धान, गेहूं और बाजरा। गुजरात में वनों में उपलब्ध वृक्षों की जातियां हैं—सागवान, खैर, हलदरियो, सादाद और बांस।

उद्योग

राज्य में औद्योगिक ढांचे में धीरे-धीरे विविधता आती जा रही है और यहां रसायन, पेट्रो-रसायन, उर्वरक, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि उद्योगों का विकास हो रहा है। 2006 के अंत में राज्य में पंजीकृत चालू फैक्टरियों की संख्या 23,308 (अस्थाई) थी, जिनमें औसतन 10.93 लाख दैनिक मजदूरों को रोजगार मिला हुआ था। सितंबर, 2006 तक राज्य में 3.12 लाख लघु औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण हो चुका था। गुजरात औद्योगिक विकास निगम को ढांचागत सुविधाओं के साथ औद्योगिक संपदाओं के विकास की भूमिका सौंपी गई है। वर्ष 2007-08 तक गुजरात औद्योगिक विकास निगम ने 249 औद्योगिक संपदाएं स्थापित की थीं।

सिंचाई और बिजली

राज्य में भूतलीय जल तथा भूमिगत जल द्वारा कुल सिंचाई क्षमता 64.88 लाख हेक्टेयर आंकी गई है जिसमें सरदार सरोवर (नर्मदा) परियोजना की 17.92 लाख हेक्टेयर क्षमता भी शामिल है। राज्य में जून 2008 तक कुल सिंचाई क्षमता 42.26 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई थी। जून 2008 तक अधिकतम उपयोग क्षमता 37.42 लाख हेक्टेयर आंकी गई।

31 मार्च, 2008 तक बिजली की कुल स्थापित क्षमता 9,827 मेगावाट थी जिसमें केंद्रीय क्षेत्र परियोजना भी शामिल है। राज्य गुजरात की 'ज्योति ग्राम योजना' के तहत के सभी 18,066 गांवों में बिजली पहुंचा दी गई थी।

परिवहन

सड़कें

2005-06 के अंत तक राज्य में सड़कों की कुल लंबाई (गैर योजना, सामुदायिक, शहरी और परियोजना सड़कों के अलावा) लगभग 74,038 किलोमीटर थी।

उड्डयन

राज्य के अहमदाबाद स्थित मुख्य हवाई अड्डे से मुंबई, दिल्ली और अन्य शहरों के लिए दैनिक विमान सेवा उपलब्ध है। अहमदाबाद हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल गया है। अन्य घरेलू हवाई अड्डे वडोदरा, भावनगर, भुज, सूरत, जामनगर और राजकोट में हैं।

बंदरगाह

गुजरात में कुल 41 बंदरगाह हैं। कांदला राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। वर्ष 2008-09 के दौरान गुजरात के मंझोले और छोटे बंदरगाहों से कुल 152.81 लाख टन माल ढोया गया जबकि कांदला बंदरगाह से 722.25 लाख टन माल ढोया गया।

त्योहार

भाद्रपद (अगस्त-सितंबर) मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी के दिन तरणेतार गांव में भगवान शिव की स्तुति में तरणेतार मेला लगता है। भगवान कृष्ण द्वारा रुक्मणी से विवाह के उपलक्ष्य में चैत्र (मार्च-अप्रैल) के शुक्ल पक्ष की नवमी को पोरबंदर के पास माधवपुर में माधवराय मेला लगता है।

उत्तरी गुजरात के बानसकांठा जिले में मां अंबा को समर्पित अंबाजी मेला आयोजित किया जाता है। राज्य का सबसे बड़ा वार्षिक मेला द्वारका और डाकोर में भगवान कृष्ण के जन्मदिवस जन्माष्टमी के अवसर पर बड़े हर्षोल्लास से आयोजित होता है। इसके अलावा गुजरात में मकर सक्रांति, नवरात्रि, डांगी दरबार, शामलाजी मेले तथा भावनाथ मेले का भी आयोजन किया जाता है।

पर्यटन स्थल

राज्य में द्वारका, सोमनाथ, पालीताना, पावागढ़, अंबाजी, भद्रेश्वर, शामलाजी, तरंगा और गिरनार जैसे धार्मिक स्थलों के अलावा महात्मा गांधी की जन्मभूमि पोरबंदर तथा पुरातत्व और वास्तुकला की दृष्टि से उल्लेखनीय पाटन, सिद्धपुर, घुरनली, दभोई, वाडनगर, मोधेरा, लोथल और अहमदाबाद जैसे स्थान भी हैं। अहमदपुर मांडवी, चोरवाड़, उभारत और तीथल के सुंदर समुद्री तट, सपुतड़ा पर्वतीय स्थल, गीर वनों में शेरों का अभयारण्य और कच्छ में जंगली गधों का अभयारण्य भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं।

सरकार

राज्यपाल	: डॉ श्रीमती कमला बेनीवाल
मुख्यमंत्री	: नरेंद्र मोदी
विधानसभा अध्यक्ष	: अशोक भट्ट
मुख्य सचिव	: डी. राजगोपालन
उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	: गुजरात

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (2001 की जनगणना)	मुख्यालय
अहमदाबाद	8,087	58,16,519	अहमदाबाद
अमरेली	7,397	13,93,918	अमरेली
आणंद	2,941	18,56,872	आणंद
बनासकांठा	10,757	25,04,244	पालनपुर
भड़च	6,527	13,70,656	भड़च
नर्मदा	2,755	5,14,404	राजपीपला
भावनगर	9,981	24,69,630	भावनगर
गांधीनगर	2,163	13,34,455	गांधीनगर
जामनगर	14,125	19,04,278	जामनगर
जूनागढ़	8,846	24,48,173	जूनागढ़
पोरबंदर	2,298	5,36,835	पोरबंदर
कच्छ	45,652	15,83,225	भुज
खेड़ा	4,219	20,24,216	नादियाड
मेहसाणा	4,384	18,37,892	मेहसाणा
पाटण	5,730	11,82,709	पाटण
पंचमहल	5,220	20,25,277	गोधरा
दाहोद	3,646	16,36,433	दाहोद

राजकोट	11,203	31,69,881	राजकोट
साबरकांठा	7,390	20,82,531	हिम्मतनगर
सूरत	7,657	49,95,174	सूरत
सुरेंद्रनगर	10,489	15,15,148	सुरेंद्रनगर
वलसाड़	3,035	14,10,553	वलसाड़
नवसारी	2,209	12,29,463	नवसारी
वडोदरा	7,549	36,41,802	वडोदरा
डांग	1,764	1,86,729	अहवा

हरियाणा

क्षेत्रफल :	44,212 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या :	2,11,44,564
राजधानी :	चंडीगढ़	मुख्य भाषा :	हिंदी

इतिहास और भूगोल

हरियाणा का इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण है और यह वैदिक काल से आरंभ होता है। यह राज्य पौराणिक भरत वंश की जन्मभूमि माना जाता है जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। हमारे महान महाकाव्य महाभारत में हरियाणा की चर्चा हुई है। कौरवों और पांडवों की युद्धभूमि कुरुक्षेत्र हरियाणा में ही है। मुसलमानों के आगमन और दिल्ली के भारत की राजधानी बनने से पहले तक भारत के इतिहास में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभाता रहा। इसके बाद हरियाणा दिल्ली का ही एक हिस्सा बन गया और 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम महासंग्राम से पूर्व तक यह गुमनाम बना रहा। सन 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद जब ब्रिटिश प्रशासन फिर से स्थापित हुआ तो झज्जर और बहादुरगढ़ के नवाबों, बल्लभगढ़ के राजा तथा रिवाड़ी के राव तुलाराम की सत्ता छीन ली गई। उनके क्षेत्र या तो ब्रिटिश क्षेत्रों में मिला लिए गए या पटियाला, नाभा और जींद के शासकों को सौंप दिए गए। इस तरह हरियाणा पंजाब प्रांत का हिस्सा बन गया। एक नवंबर, 1966 को पंजाब के पुनर्गठन के बाद हरियाणा पूर्ण राज्य बन गया।

हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में पंजाब, उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में राजस्थान है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हरियाणा से जुड़ा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दायरे में हरियाणा भी है।

कृषि

हरियाणा की 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या की जीविका का आधार कृषि है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 26.4 प्रतिशत है। खाद्यान्न उत्पादन, जो हरियाणा के राज्य बनने के समय 25.92 लाख टन था, वर्ष 2008-09 में बढ़कर 155.08 लाख टन हो जाने का अनुमान है क्योंकि ज्यादा फसलें बोई जा रही हैं और मुख्य फसलों का उत्पादन बढ़ रहा है। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, गन्ना, कपास, दलहन, तिलहन और आलू राज्य की प्रमुख फसलें हैं। फसलों में विविधता लाने के लिए गन्ना, कपास, तिलहन और सब्जियों तथा फलों जैसी नकदी फसलें अधिक उगाई जा रही हैं। सूरजमुखी तथा सोयाबीन, मूंगफली तथा बागवानी को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य में गहन और विस्तृत खेती को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। मृदु उर्वरता रखने के लिए ढेंचा मूंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी

दुनिया भर में चल रही वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी की नई व्यापक नीति तैयार की है ताकि राज्य नई सदी में विकास की ओर अग्रसर हो। इसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी, आई.टी.ई.एस./बी.पी.ओ. उद्योग को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। सरकार ने हाल ही में टेक्नोलॉजी पार्कों के लिए भी एक नीति घोषित की है जिसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी पार्कों और आई.टी. कॉरीडोरों की स्थापना के लिए लचीला रुख अपनाया गया है। इस नीति का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी को नानो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, मोबाइल कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स से जोड़ना है। राज्य सरकार टेक्नोलॉजी पार्क, साइबर सिटी तथा आईटी कॉरीडोर की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी कर रही है। फरवरी 2007-अप्रैल 2008 तक ऐसी 72 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई, इससे लगभग तीन लाख आईटी पेशेवरों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा गुड़गांव को सूचना प्रौद्योगिकी और आई.टी.ई.एस./बी.पी.ओ. दोनों कंपनियों के लिए वरीयता प्राप्त निवेश गंतव्य के रूप में विकसित किया गया है। अब गुड़गांव भारत में कारपोरेट दुनिया का केंद्र बन गया है। राज्य सरकार गुड़गांव के इलेक्ट्रॉनिक नगर में हाई-टैक हैबिटेट सेंटर स्थापित करने की योजना बना रही है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी/आई.टी.ई.एस/बी.पी.ओ. होंगे जो विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करेंगे। गुड़गांव के अलावा, सरकार कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस हाईवे और फरीदाबाद के पास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रों को विकसित करने पर विचार कर रही है। ये गुड़गांव-मानेसर मेगा आई.टी. हब के उपग्रह का काम करेंगे। वर्ष 2007-08 में लगभग 18000 करोड़ रुपये के साफ्टवेयर का निर्यात हुआ।

सरकार राज्य भर में 'ई-दिशा एकल सेवा केंद्र' के नाम से 1,159 ग्रामीण और 104 शहरी सामान्य सेवा केंद्र स्थापित कर रही है। स्थापना का काम शुरू किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 67 प्रतिशत काम हो चुका है। इस समय कंप्यूटर प्रशिक्षण, ई-टिकटिंग, मोबाइल रिचार्ज, जाब प्लेसमेंट सेवा, इंटरनेट सर्फिंग, डी.टी.पी. जैसी 'बिजनेस टु सिटिजन्स' (बी2 सी) सेवाएं इन केंद्रों से दी जा रही है। सरकार इन केंद्रों से बस के पास, बिजली के बिल वसूलने, नकल (भूमि रिकार्ड) जारी करने, अनु. जाति/पिछड़ी/निवास जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने और नए राशन कार्ड जारी करने जैसी 'गवर्मेंट टु सिटिजन्स' (जी 2सी) सेवाएं प्रदान करने पर विचार कर रही है।

राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की शत-प्रतिशत कंप्यूटर साक्षरता के लिए आईटी साक्षरता योजना शुरू कर रही है। इसके तहत मुख्यालय तथा जिला मुख्यालयों में आईटी प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। अब तक लगभग 24000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने राज्य के शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को कंप्यूटर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए 44.36 लाख रुपये के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम के तहत दस जिलों में 800 महिलाओं/बालिकाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया।

उद्योग

हरियाणा का औद्योगिक आधार विशाल है। राज्य में 1,343 बड़ी और मंजौली तथा 80,000 लघु उद्योग इकाइयां हैं। हरियाणा में हर चीज का उत्पादन होता है। हरियाणा कारों, ट्रैक्टरों, मोटरसाइकिलों, साइकिलों, रेफ्रिजरेटरों, वैज्ञानिक उपकरणों आदि का सबसे बड़ा उत्पादक है। हरियाणा विश्व बाजार में बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। पचरंगा अचार के अलावा पानीपत की हथकरघे की बनी वस्तुएं और कालीन विश्व भर में प्रसिद्ध हैं।

जुलाई, 1991 से अब तक 13,914 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन जमा किए गए जिनमें से 2,274 ज्ञापन लागू कर दिए गए हैं। इसमें मई, 2008 तक 24,034 करोड़ रुपये का निवेश हुआ और 4,02,129 लोगों को रोजगार मिला। नई औद्योगिक नीति के परिणामस्वरूप सुरक्षित आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापित करने के 100 प्रस्ताव राज्य को मिले हैं जिसके अनुसार औद्योगिक ढांचे पर 2 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बाद कई हजार करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश होगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार गुडगांव में आईएमटी. मानेसर के विस्तार के अलावा खरखोदा, फरीदाबाद, रोहतक और जगाधरी में औद्योगिक आदर्श नगर विकसित कर रही है। पानीपत में 33,000 करोड़ रुपये के निवेश का पेट्रो रसायन केंद्र स्थापित कर लिया है। 2,000 करोड़ रुपये की लागत से कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस राजमार्ग विकसित किया जा रहा है। इससे राजमार्ग के आसपास अनेक आर्थिक केंद्र बनेंगे जिससे औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में निवेश के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे।

हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम और हरियाणा नगर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित औद्योगिक संपदाओं में भूमि आवंटन हेतु उद्योगों की बहुत मांग है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 98 बड़ी और मंजोली तथा 7,683 लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं जिन पर 2,744 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और 1,25,747 लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा अनेक औद्योगिक इकाइयों का विस्तार किया गया है जिसके फलस्वरूप 35,000 करोड़ रुपये से अधिक का नया निवेश हुआ है। हाल ही में भारतीय तेल निगम ने पानीपत में 5,000 करोड़ रुपये के निवेश से पैरेक्सीलीन/पीटीए की स्थापना की है। मारुति उद्योग, हीरो होंडा और अनेक ऑटोमोबाइल उद्योगों में विस्तार हुआ है जिन पर लगभग 10,000 करोड़ रुपये की लागत आई है। इस समय औद्योगिक क्षेत्र में 70,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

सिंचाई

पूरे राज्य में सिंचाई और पेय जल के समान वितरण के लिए सरकार 354 करोड़ रुपये की लागत की 109 किलोमीटर लंबी विशाल नहर 'भाखड़ा मुख्य नहर-हांसी शाखा-बुटाना शाखा बहुदेशीय संपर्क नहर' का निर्माण कर रही है।

मानसून के मौसम में यमुना नदी के अतिरिक्त पानी को इस्तेमाल करने के लिए 267 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 'दादूपुर-शाहाबाद-वाल्मी नहर परियोजना' शुरू की है। इसके तहत यमुना नगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र में पड़ने वाले 92,532 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई और भूजल रिचार्ज सुविधाओं के लिए 590 क्यूसेक अतिरिक्त जल का उपयोग किया जाएगा।

सरकार ने घग्घर और इसकी सहवर्ती नदियों पर चार कम ऊंचाई के बांध—कौशल्या बांध, दंग्राना बांध, दीवानवाला बांध और छामला बांध—परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इन पर क्रमशः 180 करोड़, 63.69 करोड़, 132.70 करोड़ तथा 20.41 करोड़ रुपयों की लागत आएगी और इनसे मानसून के मौसम में पानी का फालतू बहाव और संपत्ति को होने वाला नुकसान रोका जा सकेगा।

बिजली

हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां 1970 में ही सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई थी। सन 1966 में राज्य में 20,000 नलकूप थे जिनकी संख्या मार्च 2008 में बढ़कर 4.51 लाख हो गई है। बिजली की औसत दैनिक उपलब्धता 2007-08 में 7.23 करोड़ यूनिट हो गई है। बिजली उपभोक्ताओं

की संख्या 2007-08 में 42.70 लाख हो गई है। 31 मार्च, 2009 तक बिजली की स्थापित उत्पादन क्षमता 4,636.23 मेगावाट थी।

परिवहन

सड़कें

हरियाणा में सभी गांव पक्की सड़कों से जुड़े हैं। राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 34,772 किलोमीटर है।

रेलवे

कालका, अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, जींद, हिसार, अंबाला, पानीपत और जखाल यहां के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से हैं। जगाधारी शहर में रेलवे की एक वर्कशॉप है।

उड़डयन

हरियाणा में असैनिक हवाई अड्डे—हिसार, करनाल, पिंजौर, नारनौल और भिवानी में हैं।

पर्यटन स्थल

हरियाणा में 44 पर्यटक परिसर हैं। प्रमुख पर्यटन केंद्रों में ब्लू जे (समालखा), स्काईलार्क (पानीपत), चक्रवर्ती झील और ओएसिस (उचाना), पराकीट (पीपली), किंगफिशर (अंबाला), मैगपाई (फरीदाबाद), दबचिक (होडल), जंगल बबलर (धारूहेड़ा), रेड बिशप (पंचकुला), ब्लू बर्ड (हिसार), शमा (गुड़गांव), गौरैया (बहादुरगढ़), पिंजौर गार्डन (पिंजौर), दिल्ली के निकट सूरजकुंड और बड़खल झील, सुल्तानपुर पक्षी विहार (सुल्तानपुर, गुड़गांव), दमदमा (गुड़गांव) और चीड़ वन के लिए प्रसिद्ध मोरनी हिल्स पर्यटकों के रुचि के कुछ अन्य केंद्र हैं। सूरजकुंड का विश्वप्रसिद्ध शिल्प मेला हर वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाता है। इसी तरह पिंजौर विरासत उत्सव प्रतिवर्ष बनाया जाता है।

सरकार

राज्यपाल	: जगन्नाथ पहाड़िया
मुख्यमंत्री	: भूपिंदर सिंह हुड्डा
विधानसभा अध्यक्ष	: हरिमोहिंदर सिंह
मुख्य सचिव	: श्रीमती उर्वशी गुलाटी
उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

(जनगणना 2001)

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. अंबाला	1,574	10,14,411	अंबाला
2. भिवानी	4,778	15,25,022	भिवानी

3.	फरीदाबाद	1,752	19,90,719	फरीदाबाद
4.	फतेहाबाद	2,538	8,06,158	फतेहाबाद
5.	गुड़गांव	1,254	8,70,539	गुड़गांव
6.	हिसार	3,983	15,37,117	हिसार
7.	झज्जर	1,834	8,80,072	झज्जर
8.	जींद	2,702	11,89,827	जींद
9.	करनाल	2,520	12,74,183	करनाल
10.	कुरुक्षेत्र	1,530	8,25,454	कुरुक्षेत्र
11.	महेंद्रगढ़	1,889	8,12,521	नारनौल
12.	रोहतक	1,745	9,40,128	रोहतक
13.	सिरसा	4,277	11,16,649	सिरसा
14.	सोनीपत	2,122	12,79,175	सोनीपत
15.	कैथल	2,317	9,46,131	कैथल
16.	पानीपत	1,268	9,67,449	पानीपत
17.	पंचकुला	898	4,68,411	पंचकुला
18.	रिवाड़ी	1,594	7,65,351	रिवाड़ी
19.	यमुनानगर	1,768	10,41,630	यमुनानगर
20.	मेवात	1859	993617	नूह
21.	पलवल	44212	21144564	पलवल

हिमाचल प्रदेश

क्षेत्रफल	: 55,673 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	: 60,77,900
राजधानी	: शिमला	मुख्य भाषा	: हिंदी और पहाड़ी

इतिहास और भूगोल

हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय की गोद में बसा हुआ है। इसे 'देवभूमि' के रूप में जाना जाता है और कहा जाता है कि इस पर देवी-देवताओं की कृपा है। पूरे प्रदेश में प्रस्तर और काष्ठ के मंदिर बने हुए हैं। यहां की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की वजह से यह प्रदेश अद्वितीय है। हिमाचल प्रदेश लोकगाथाओं और सौंदर्य की भूमि है। पौराणिक आख्यानों में हिमाचल प्रदेश को यक्षों, गंधर्वों और किन्नरों का प्रदेश बताया गया है। प्रागैतिहासिक काल में यहां कोल, किरात और नाग जातियां रहती थीं। बाद में उत्तर से भारतीय तिब्बती, सिंधु घाटी से भारतीय आर्य और मध्य एशिया से खस लोग अनंत हिम और अपूर्व शांति की इस भूमि पर आए। महाभारत और कुमारसंभव में इस जगह की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है, जहां कुनिंदों और औदुंबरों ने बहु-जनजातीय राज्य स्थापित किए। मध्यकाल में, जब उत्तर-पश्चिम से आक्रमण हुए तो राजपूताना और आसपास के क्षेत्रों के राजवंश यहां आकर बस गए और उन्होंने अपनी रियासतें स्थापित कीं। इन राजवंशों ने यहां के स्थानीय लोगों को सभ्य-सुसंस्कृत बनाया और भारतीय चित्रकला की अद्वितीय धरोहर पहाड़ी कला और स्थापत्य कला को प्रश्रय दिया।

राज्य का उत्तर-पूर्वी भाग हिमाच्छादित रूपहले पर्वत शिखरों, मनोरम झीलों और हरी वनस्पतियों से सुसज्जित है, जिसका प्रभाव जादुई और भावना संगीतमय है। राज्य में फल-फूल व जीव-जंतु प्रचुर मात्रा में हैं। इस बहुमूल्य भू-भाग की भौगोलिक स्थिति सामरिक दृष्टि से आदर्श है। उत्तर में यह जम्मू और कश्मीर से सटा है और दक्षिण-पूर्व में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं। दक्षिण और पश्चिम में यह राज्य क्रमशः हरियाणा और पंजाब से जुड़ा है और इसके पूर्व में तिब्बत की सीमा है।

अप्रैल 1948 में इस क्षेत्र की 27,000 वर्ग कि.मी. में फैली लगभग 30 रियासतों को मिलाकर इस राज्य को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। 1954 में जब 'ग' श्रेणी की रियासत बिलासपुर को इसमें मिलाया गया, तो इसका क्षेत्रफल बढ़कर 28,241 वर्ग कि.मी. हो गया। सन 1966 में इसमें पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर इसका पुनर्गठन किया गया तो इसका क्षेत्रफल बढ़कर 55,673 वर्ग कि.मी. हो गया। आज हिमाचल प्रदेश को न केवल पहाड़ी क्षेत्रों के विकास का माडल माना जाता है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं में इस प्रदेश ने उल्लेखनीय विकास किया है।

कृषि

कृषि हिमाचल प्रदेश का प्रमुख व्यवसाय है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह 69 प्रतिशत कामकाजी आबादी को सीधा रोजगार मुहैया कराती है। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र से होने वाली आय प्रदेश के कुल घरेलू उत्पाद का 21 प्रतिशत है। कुल भौगोलिक क्षेत्र 55.673 लाख हेक्टेयर में से 9.79 लाख हेक्टेयर भूमि के स्वामी 9.14 लाख किसान हैं। मंझोले और छोटे किसानों के पास कुल भूमि का 86.4 प्रतिशत भाग है। राज्य में कृषि भूमि केवल 10.4 प्रतिशत है। लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा-सिंचित है और किसान इंद्र देवता पर निर्भर रहते हैं। वर्ष 2006-07 में खाद्यान्न उत्पादन 16 लाख टन रहा।

फसल विविधता के लिए सोयाबीन, तिलहन और दलहनों के अलावा बे-मौसमी वनस्पतियां, सब्जियों के उत्तम किस्म के बीज, आलू और अदरक उगाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिए परियोजना आधारित दृष्टि अपनाई गई है। अगले तीन वर्षों में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सब्जी उत्पादन के अंतर्गत लाने के लिए एक योजना बनाई गई है। इस समय करीब 44,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 9 लाख टन सब्जी पैदा की जाती है। वर्ष 1999-2000 के रबी मौसम से राज्य में 'राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना' शुरू की गई। इस योजना में ऋण लेने वाले और न लेने वाले सभी किसान शामिल हैं और शुरू में मक्का, चावल, गेहूं, जौ और आलू की फसलों को इन योजनाओं के अंतर्गत लाया गया है। कृषि में तेजी से वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसानों को आधुनिक तकनीक के बारे में शिक्षित करने के लिए राज्य में व्यापक नेटवर्क को ऊर्जीन्वित किया गया है और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के साथ-साथ मानव संसाधन विकास और जल संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है।

बागवानी

प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को व्यापक कृषि जलवायु परिस्थितियां प्रदान की हैं जिसकी वजह से किसानों को विविध फल उगाने में सहायता मिली है। बागवानी के अंतर्गत आने वाले प्रमुख फल हैं—सेब, नाशपाती, आड़ू, बेर, खूबानी, गुठली वाले फल, नींबू प्रजाति के फल, आम, लीची, अमरुद और झरबेरी आदि। 1950 में केवल 792 हेक्टेयर क्षेत्र बागवानी के अंतर्गत था, जो 2006 में बढ़कर 2.23 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसी तरह, 1950 में फल उत्पादन 1200 मीट्रिक टन था, जो 2006 में बढ़कर 6.95

लाख टन हो गया है। वर्ष 2006-07 के लिए 7 लाख टन फल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और फल उद्योग से करीब 2200 करोड़ रुपये की सकल घरेलू वार्षिक आय होती है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में बागवानी के समन्वित विकास के लिए टेक्नोलॉजी मिशन 80 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ स्थापित किया जा रहा है। यह मिशन *अंत से अंत तक* की अवधारणा पर आधारित है जिसके तहत राज्य में बागवानी विकास की सभी तरह की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न जलवायु वाले कृषि क्षेत्रों में चार उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे और जल संरक्षण, ग्रीन हाउस, कार्बनिक कृषि और कृषि तकनीकों से जुड़ी सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

सड़कें

हिमाचल प्रदेश में, खासतौर से राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें एक तरह से जीवनरेखा और आवाजाही का मुख्य साधन हैं। इसके 55,673 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 36,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बसा हुआ है और 16,807 बसे हुए गांव असंख्य पहाड़ियों के ढलानों और घाटियों में बिखरे हुए हैं। उत्पादन क्षेत्रों और बाजार केंद्रों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण के महत्व को समझते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने अगले तीन वर्षों में हर पंचायत को सड़क से जोड़ने का फैसला किया है। जब यह राज्य 1948 में अस्तित्व में आया, तो यहां केवल 288 कि.मी. लंबी सड़कें थीं जो 15 अगस्त 2007 तक बढ़कर 36,264 कि.मी. हो गई हैं।

पनबिजली उत्पादन

हिमाचल प्रदेश के पांच नदी थालों में जबर्दस्त पनबिजली क्षमता है। ये पांच नदी प्रणालियां—चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना पश्चिमी हिमालय से निकलती हैं और हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती हैं। इन नदियों की अनुमानित पनबिजली क्षमता 80,000 मेगावाट है।

बिजली क्षेत्र में विकास की रणनीति के तहत पनबिजली क्षमता को वास्तविकता में परिणत करना और बिजली क्षेत्र में सुधार लाना शामिल है ताकि बिजली क्षेत्र की कार्यक्षमता बढ़े और उपभोक्ताओं को उचित दर पर अच्छी गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध हो सके और उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्र को प्रचुर मात्रा में बिजली की आपूर्ति हो। राज्य में कुल चिह्नित क्षमता 21,000 मेगावाट, जो देश भर की पनबिजली क्षमता का एक चौथाई है। इसमें से 6,067 मेगावाट विभिन्न संस्थाओं से पहले ही पैदा की जा रही है। 7,602 मेगावाट की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। यह स्पष्ट हो गया है कि 11वीं योजना के अंत तक लगभग 11,000 मेगावाट बिजली वास्तव में पैदा होने लगेगी।

इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि जिस प्रकार से सरकार ने बिजली विकास की रफ्तार तेज करने का कार्यक्रम तैयार किया है, उससे हिमाचल प्रदेश देश का 'बिजली राज्य' बनने की ओर अग्रसर है। राज्य के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है और बचे हुए छिटके गांवों तक बिजली पहुंचाने का काम चल रहा है।

औद्योगिक विकास

हिमाचल प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में औद्योगीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रदूषण मुक्त वातावरण, बिजली की पर्याप्त आपूर्ति, शांतिपूर्ण माहौल और जवाबदेह और पारदर्शी प्रशासन राज्य की

औद्योगिक नीति की विशेषताएं हैं। राज्य में 349 बड़े और मंझोले तथा लगभग 33,284 छोटे उद्योग लगाए जा चुके हैं जिन पर करीब 4,822.54 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है और इनमें 2 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इस क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 17 प्रतिशत है। इस क्षेत्र से 6000 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार होता है।

राज्य की औद्योगिक नीति-2004 में उद्यमियों को औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए आकर्षक एकमुश्त प्रोत्साहन दिए गए हैं। राज्य में सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त 42 औद्योगिक क्षेत्र और 15 औद्योगिक संपदाएं स्थापित की गई हैं।

वर्तमान तथा नए उद्यमों को संरक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्लीयरेंस एंड मानीटरिंग एथारिटी (एस.एल.एस.डब्ल्यू.सी.एम.ए.) का गठन किया है। यह प्राधिकरण सभी उद्योग संबंधी तथा अंतर्विभागीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करके उन्हें सुलझाने का प्रयास करेगा। साथ ही, पहले से प्रस्तावित तथा अनुमोदित इकाइयों की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करेगा। यही नहीं, प्राधिकरण ढांचागत गुणवत्ता के विकास पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस समय 27,380.99 करोड़ रुपये की लागत की 7,040 औद्योगिक इकाइयां स्वीकृत हो गई हैं, जिनमें 3.37 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा कांगड़ा, उना और अन्य जिलों में 7,580 करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

केंद्र सरकार ने राज्य में औद्योगिक इकाई लगाने वालों को आकर्षक रियायतों की पेशकश की है जिसमें आयकर में छूट भी शामिल है। राज्य सरकार ने भी उत्पाद कर में छूट दी है।

सूचना प्रौद्योगिकी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य को सूचना प्रौद्योगिकी के शिखर पर ले जाने के लिए 'नैसकॉम' के सहयोग से 'सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान-2010' तैयार किया है। सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत यह फैसला किया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी से संबद्ध सेवाओं और शैक्षिक संस्थानों समेत सभी सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को उद्योग का दर्जा दिया जाए। इसलिए वर्तमान औद्योगिक नीति के अंतर्गत उद्योगों को उपलब्ध सभी प्रोत्साहन सुविधाएं राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को भी दी जा रही हैं।

सरकारी कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का उद्देश्य 'स्मार्ट' (एस.एम.ए.आर.टी.—सिंपल, मॉरल, एकाउंटेबल, रेस्पॉसिव और ट्रांसपेरेंट) सरकार कायम करना है। राज्य सरकार की वेबसाइट का पता है—<http://himachal.nic.in> इस वेबसाइट के जरिए नागरिकों को उन पर केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और इसमें निचले स्तर से इनपुट लेने का भी प्रावधान है। राज्य सरकार ने राज्यव्यापी क्षेत्रीय नेटवर्क (HIMSWAN) स्थापित कर लिया है जोकि इंटरनेट से भी जुड़ा है। प्रत्येक तीसरे व्यक्ति को लोकल एरिया नेटवर्क (एल.ए.एन.) उपलब्ध कराने के लिए एच.पी. सेक्रेटरिएट लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसके चरण-II में सभी जिला मुख्यालयों को राज्य मुख्यालय के साथ जोड़ा जाएगा। शिमला में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और हाईस्पीड डाटा कनेक्टिविटी सुविधाएं शुरू की जा चुकी हैं। राज्य में सभी आई.टी. इकाइयों को सन 2007 तक आयकर से छूट मिली है। राज्य के सोलन जिले में एक सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव है।

जैव प्रौद्योगिकी

जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए राज्य में विद्यमान जैव-प्रौद्योगिकी की संभावनाओं के दोहन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए अलग से जैव-प्रौद्योगिकी विभाग खोला गया है। राज्य ने अपनी जैव-प्रौद्योगिकी नीति तैयार की है। सरकार की तरफ से जैव-प्रौद्योगिकी इकाइयों को वही रियायतें दी जा रही हैं जो अन्य औद्योगिक इकाइयों को मिलती हैं। राज्य सरकार का सोलन जिले में जैव-प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव है।

सिंचाई और जलापूर्ति

साल 2007 तक हिमाचल प्रदेश में कुल बुवाई क्षेत्र 5.83 लाख हेक्टेयर था। गांवों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और अब तक राज्य में 14,611 हैंडपंप लगाए जा चुके हैं। जल आपूर्ति और सिंचाई क्षेत्रों में सुधार के लिए राज्य सरकार ने 339 करोड़ रुपये की लागत से 'वाश' परियोजना आरंभ की है। यह परियोजना सिंचाई तथा पीने के पानी के लिए जी.टी.जेड. के सहयोग से चलाई जा रही है।

शिमला नगर में 40 करोड़ रुपये की लागत से पीने के पानी की आपूर्ति की नई योजना शुरू की गई है। भारत सरकार ने स्वजल धारा कार्यक्रम के तहत 471 योजनाओं के लिए 7.33 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। सिंचाई तथा लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति के राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 49 छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए 16.31 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

वानिकी

राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। वन रिकार्ड के अनुसार, कुल वन क्षेत्र 37,033 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 16,376 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जहां पहाड़ी चरागाह वाली वनस्पतियां नहीं उगाई जा सकती क्योंकि यह स्थायी रूप से बर्फ से ढका रहता है। संवारने लायक वन क्षेत्र केवल 20,657 वर्ग किलोमीटर है।

राज्य सरकार अपनी नई परियोजनाओं के माध्यम से अधिकतम क्षेत्र को हरित पट्टी के दायरे में लाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार की अपनी, भारत सरकार की और बाहरी सहायता से चल रही परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। विश्व बैंक ने मध्य हिमालय में समन्वित जलाशय विकास परियोजना के लिए 365 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। यह परियोजना अगले छह वर्षों में 10 जिलों के 42 विकास खंडों की 545 पंचायतों में क्रियान्वित की जाएगी। राज्य में 2 राष्ट्रीय पार्क और 32 वन्यजीव अभयारण्य हैं। वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत कुल क्षेत्र 5,562 कि.मी., राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत 1,440 कि.मी. है। इस तरह कुल संरक्षित क्षेत्र 7,002 कि.मी. है।

शिक्षा

समग्र विकास निष्पादन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश तीसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य है। पिछले तीन वर्ष की उपलब्धियां 'इंडिया टुडे' के सर्वेक्षण में प्रकाशित हुई थीं और प्राथमिक शिक्षा तथा अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात में हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। राज्य में साक्षरता के क्षेत्र में क्रांति हुई है और साक्षरता के मामले में हिमाचल प्रदेश केरल के बाद दूसरे स्थान पर है। राज्य में लगभग 15,000 शिक्षण संस्थान हैं जिनमें दो मेडिकल कालेज, सरकारी क्षेत्र का एक इंजीनियरिंग कालेज और अनेक तकनीकी, व्यावसायिक तथा अन्य शिक्षण संस्थाएं शामिल हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य का

साक्षरता प्रतिशत 77.13 है जो राष्ट्रीय औसत 65.38 से कहीं अधिक है। राज्य सरकार आवश्यकता आधारित विस्तार के अलावा गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दे रही है। ज्ञान का प्रकाश राज्य के कोने-कोने में पहुंचाने के उद्देश्य से प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 532 करोड़ रुपये की 'सर्व शिक्षा अभियान' नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना चलाई जा रही है।

पर्यटन

पर्यटन उद्योग को हिमाचल प्रदेश में उच्च प्राथमिकता दी गई है और हिमाचल सरकार ने इसके विकास के लिए समुचित ढांचा विकसित किया है जिसमें जनोपयोगी सेवाएं, सड़कें, संचार तंत्र, हवाई अड्डे, यातायात सेवाएं, जलापूर्ति और जन स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। राज्य सरकार राज्य को 'हर मौसम में, हर सूरत में गंतव्य' का रूप देने के लिए कटिबद्ध है। राज्य पर्यटन विकास निगम राज्य की आय में 10 प्रतिशत का योगदान करता है। यह निगम बिक्री कर, सुख-सुविधा कर और यात्री कर के रूप में 2 करोड़ रुपये वार्षिक आय का योगदान करता है। वर्ष 2007 में राज्य में 83 लाख पर्यटक आए जिनमें 2,008 विदेशी थे।

राज्य में तीर्थों और नृवैज्ञानिक महत्व के स्थलों का समृद्ध भंडार है। राज्य को व्यास, पाराशर, वसिष्ठ, मार्कण्डेय और लोमश आदि ऋषियों के निवास स्थल होने का गौरव प्राप्त है। गर्म पानी के स्रोत, ऐतिहासिक दुर्ग, प्राकृतिक और मानवकृत झीलें, उन्मुक्त विचरते चरवाहे पर्यटकों के लिए असीम सुख और आनंद का स्रोत हैं।

राज्य सरकार स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है कि वह पर्यटन संबंधी ढांचे को इस तरह विकसित करे ताकि राज्य की प्राकृतिक स्थिति और पर्यावरण अक्षुण्ण बना रहे। मुख्य जोर रोजगार सृजन और पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा देने पर है। अतिथियों/पर्यटकों के प्रवास की अवधि बढ़ाने के लिए गतिविधि आधारित पर्यटन के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है।

पर्यटन की दृष्टि से राज्य के संवर्धन और विकास के लिए राज्य सरकार जिन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है, वे हैं : (1) इतिहास संबंधी पर्यटन, (2) नए क्षेत्रों/पर्यटक गंतव्यों को चिह्नित करना और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना, (3) ढांचे का सुधार, (4) तीर्थ पर्यटन, (5) आदिवासी पर्यटन, (6) प्रकृति पर्यटन, (7) स्वास्थ्य पर्यटन, (8) साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहन, (9) वन्यजीवन पर्यटन, (10) सांस्कृतिक पर्यटन।

वर्ष 2006-07 के लिए, राज्य में पर्यटन विकास के लिए 6276.38 लाख रुपये का आवंटन है। भारत सरकार ने 8 करोड़ रुपये कुल्लू-मनाली-लाहौल एवं स्पीति तथा लेह मठ परिसर के लिए, 21 करोड़ रुपये कांगड़ा, शिमला और सिरमौर क्षेत्र के लिए, 16 करोड़ रुपये बिलासपुर-मंडी और चंबा क्षेत्र के लिए, 30 लाख रुपये मनाली में पर्यटन सूचना केंद्र के निर्माण के लिए स्वीकृत किए हैं। त्योहारों और अन्य बड़े अवसरों के लिए 1,545 परियोजनाओं हेतु 67.57 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।

सरकार

राज्यपाल : वी.एस. कोकजे
मुख्यमंत्री : प्रो. प्रेम कुमार धूमल

राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश

1193

विधानसभा अध्यक्ष : गंगूराम मुसाफिर
 मुख्य सचिव : सुश्री आशा स्वरूप
 उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र : हिमाचल प्रदेश

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. बिलासपुर	1,167	3,40,885	बिलासपुर
2. चंबा	6,528	4,60,887	चंबा
3. हमीरपुर	1,118	4,12,700	हमीरपुर
4. कांगड़ा	5,739	13,39,030	धर्मशाला
5. किन्नौर	6,401	78,334	रिकांग पीओ
6. कुल्लू	5,503	3,81,571	कुल्लू
7. लाहौल एवं स्पीति	13,835	33,224	किलौंग
8. मंडी	3,950	9,01,344	मंडी
9. शिमला	5,131	7,22,502	शिमला
10. सिरमौर	2,825	4,58,593	नाहन
11. सोलन	1,936	5,00,557	सोलन
12. उना	1,540	4,48,273	उना

जम्मू और कश्मीर

क्षेत्रफल :	2,22,236 * वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या :	1,00,69,987
राजधानी :	श्रीनगर (ग्रीष्मकाल में) जम्मू (शीतकाल में)	मुख्य भाषाएं :	उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, लद्दाखी, बाल्टी, पहाड़ी, पंजाबी, गूजरी और ददरी।

इतिहास और भूगोल

राजतरंगिणी तथा नीलमत पुराण नामक दो प्रामाणिक ग्रंथों में यह आख्यान मिलता है कि कश्मीर की घाटी कभी बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। इस कथा के अनुसार कश्यप ऋषि ने यहां से पानी निकाल लिया और इसे मनोरम प्राकृतिक स्थल में बदल दिया। किंतु भूगर्भशास्त्रियों का कहना है कि भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण खदियानयार, बारामुला में पहाड़ों के धंसने से झील का पानी बहकर निकल गया और इस तरह पृथ्वी पर स्वर्ग कहलाने वाली कश्मीर घाटी अस्तित्व में आई। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। बाद में कनिष्क ने इसकी

* इसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला 78,114 वर्ग कि.मी. इलाका, पाकिस्तान द्वारा गैर-कानूनी ढंग से चीन को दिया गया 5,180 वर्ग कि.मी. क्षेत्र तथा गैर-कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग कि.मी. क्षेत्र शामिल है। जनगणना के आंकड़ों में चीन और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों की जनसंख्या शामिल नहीं है, क्योंकि यहां जनगणना नहीं की जा सकती।

जड़ें और गहरी कीं। छठी शताब्दी के आरंभ में कश्मीर पर हूणों का अधिकार हो गया। यद्यपि सन 530 में घाटी फिर स्वतंत्र हो गई लेकिन इसके तुरंत बाद इस पर उज्जैन साम्राज्य का नियंत्रण हो गया। विक्रमादित्य राजवंश के पतन के पश्चात कश्मीर पर स्थानीय शासक राज करने लगे। वहां हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का मिश्रित रूप विकसित हुआ। कश्मीर के हिंदू राजाओं में ललितादित्य (सन 697 से सन 738) सबसे प्रसिद्ध राजा हुए जिनका राज्य पूर्व में बंगाल तक, दक्षिण में कोंकण, उत्तर-पश्चिम में तुर्किस्तान, और उत्तर-पूर्व में तिब्बत तक फैला था। ललितादित्य ने अनेक भव्य भवनों का निर्माण किया। कश्मीर में इस्लाम का आगमन 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुआ। मुस्लिम शासकों में जैन-उल-आबदीन (1420-70) सबसे प्रसिद्ध शासक हुए, जो कश्मीर में उस समय सत्ता में आए, जब तातारों के हमले के बाद हिंदू राजा सिंहदेव भाग गए। बाद में चक शासकों ने जैन-उल-आबदीन के पुत्र हैदरशाह की सेना को खदेड़ दिया और सन 1586 तक कश्मीर पर राज किया। सन 1586 में अकबर ने कश्मीर को जीत लिया। सन 1752 में कश्मीर तत्कालीन कमजोर मुगल शासक के हाथ से निकलकर अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के हाथों में चला गया। 67 साल तक पठानों ने कश्मीर घाटी पर शासन किया।

जम्मू का उल्लेख *महाभारत* में भी मिलता है। हाल में अखनूर से प्राप्त हड़प्पा कालीन अवशेषों तथा मौर्य, कुषाण और गुप्त काल की कलाकृतियों से जम्मू के प्राचीन स्वरूप पर नया प्रकाश पड़ा है। जम्मू 22 पहाड़ी रियासतों में बंटा हुआ था। डोगरा शासक राजा मालदेव ने कई क्षेत्रों को जीतकर अपने विशाल राज्य की स्थापना की। सन 1733 से 1782 तक राजा रंजीत देव ने जम्मू पर शासन किया। किंतु उनके उत्तराधिकारी दुर्बल थे, इसलिए महाराजा रंजीत सिंह ने जम्मू को पंजाब में मिला लिया। बाद में उन्होंने डोगरा शाही खानदान के वंशज राजा गुलाब सिंह को जम्मू राज्य सौंप दिया। गुलाब सिंह रंजीत सिंह के गवर्नरों में सबसे शक्तिशाली बन गए और लगभग समूचे जम्मू क्षेत्र को उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। सन 1947 तक जम्मू पर डोगरा शासकों का शासन रहा। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर, 1947 को भारतीय संघ में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए।

जम्मू और कश्मीर राज्य 32°-15' और 37°-05' उत्तरी अक्षांश और 72°-35' तथा 83°-20' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भौगोलिक रूप से इस राज्य को चार क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला पहाड़ी और अर्द्ध-पहाड़ी मैदान जो कंडी पट्टी के नाम से प्रचलित है; दूसरा, पर्वतीय क्षेत्र जिसमें शिवालिक पहाड़ियां शामिल हैं; तीसरा कश्मीर घाटी के पहाड़ और पीर पांचाल पर्वतमाला तथा चौथा क्षेत्र तिब्बत से लगा लद्दाख और करगिल क्षेत्र। भौगोलिक तथा सांस्कृतिक रूप से राज्य के तीन जिला क्षेत्र जम्मू, कश्मीर और लद्दाख हैं।

परिवहन

सड़कें

राज्य 400 किमी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1ए द्वारा शेष देश से जुड़ा हुआ है, जिसका रखरखाव सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है। रेल यातायात शुरुआती चरण में होने कारण सड़कें दूर-दराज के क्षेत्रों को जोड़ने का मुख्य जरिया हैं। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 1ए) के रखरखाव का खर्च विश्व में सबसे अधिक है।

9933 बस्तियों में से सिर्फ 2735 सड़कों से जुड़ी हैं। 18809.42 कि.मी. सड़क का रख-रखाव पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है। इससे से 9559.64 किमी. डामर की, 4832 किमी मेटल्ड, 1315 किमी.

इकहरी, 3000 किमी. मौसम के अनुकूल तथा 102 किमी. जीप से जाने लायक है। राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा 2002-03 में 14858 किमी. सड़क की मरम्मत की गई।

मार्च, 2009 के अंत तक पीडब्ल्यूडी ने 18809 किमी. सड़क का मरम्मत कार्य किया। पीडब्ल्यूडी सड़कों का घनत्व 18.55 किमी. प्रति वर्गमीटर तथा 154.34 किमी. प्रति हजार व्यक्ति है। 2008-09 के दौरान 100 किमी. सड़क के लिए वाहनों की संख्या 3553 रही। 2001-02 के 3.64 लाख वाहनों की तुलना में वर्ष 2008-09 में वाहनों की संख्या में 6.68 लाख का इजाफा हुआ, इस दौरान वाहनों की संख्या में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2008-09 के अंत तक पीडब्ल्यूडी द्वारा अनुरक्षित सड़कों की लंबाई 18809 किमी थी जबकि वाहनों की कुल संख्या 668427 रही। सौ वर्ग किमी. में पंजीकृत वाहनों की संख्या 659 तथा प्रति लाख जनसंख्या पर पंजीकृत वाहनों की संख्या 5342 थी।

मार्च, 2009 तक सभी एजेंसियों द्वारा अनुरक्षित सड़कों की कुल लंबाई 40103 किमी. थी। राज्य का सड़क घनत्व राष्ट्रीय औसत 104.6 किमी. से बहुत कम 35.71 किमी. है। इसके कारण आर्थिक विकास तथा जनसेवाओं दोनों पर खराब प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीण सड़क घनत्व में बहुत अधिक अंतर है।

रेलवे

भौगोलिक कठिनाइयों के कारण राज्य में रेल का विकास, अन्य राज्यों के समान नहीं हो पाया है। अभी तक जम्मू रेल लाइन को ऊधमपुर तक बढ़ाया गया है (90 किमी.)। ऊधमपुर-काजीगुंड रेल लाइन का काम चल रहा है तथा काजीगुंड और बारामुला रेल लाइन का काम पूरा हो गया है। हालांकि अभी तक बारामुला से अनंतनाग तक ही रेल चलाई गई है।

उड़डयन

राज्य में तीन प्रमुख हवाई अड्डे हैं। इसमें से श्रीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाकर इसका नाम शेख-उल-आलम रखा गया है। लेह तथा जम्मू हवाई अड्डों के उन्नयन का काम भी चल रहा है। करगिल मुख्यालय हवाई अड्डे को डकोटा सेवा से जोड़ा गया है।

शेख-उल-आलम हवाई अड्डे के चालू हो जाने से राज्य सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ जाएगा इससे राज्य के पर्यटन उद्योग को गति मिलेगी, आर्थिक विकास में वृद्धि होगी तथा रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी।

कृषि

कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक है। राज्य की लगभग 70 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनी जीविका कृषि से अर्जित करती है। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है। 49 प्रतिशत कार्यरत आबादी में से 42 प्रतिशत किसान तथा 7 प्रतिशत कृषि मजदूर है। राज्य की ज्यादातर आबादी के लिए खेती ही रोजगार का प्रमुख साधन है। केसर, शहद तथा बासमती जैसे दुर्लभ कृषि उत्पादों का कृषि आयात में महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2007-08 के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था में जीएसपीपी में 27 फीसदी योगदान कृषि क्षेत्र का था जिसमें से केवल कृषि का हिस्सा 8-9 प्रतिशत था।

सिंचाई

सिंचाई खेती का एक अनिवार्य घटक है। विश्व में खेती के लिए बारिश के पानी के अतिरिक्त सिंचाई की जरूरत पड़ती है। मौसमी बरसात वाले क्षेत्रों में बारिश के मौसम के अलावा पानी की जरूरत सिंचाई

से पूरी की जाती है। राज्य में उपलब्ध सिंचाई क्षमता के केवल 50 प्रतिशत का ही दोहन किया गया है। राज्य की संभावित सिंचाई क्षमता 1358 हजार हेक्टेयर है। सिंचाई का प्रमुख साधन नहरें हैं। लगभग 93 प्रतिशत सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। सिंचाई के अन्य साधन ट्यूबवेल, तालाब आदि हैं।

बागवानी

जम्मू-कश्मीर राज्य देश तथा विदेशों में अपने बागवानी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यहां सेब, नाशपाति, प्लम, खुबानी, आड़ू, बादाम, चेरी, आम, अमरूद, नीबू, लीची आदि की पैदावार होती। इसके अलावा केसर की खेती भी की जाती है। राज्य में कुछ स्थानों पर जीरा भी उगाया जाता है। बागवानी राज्य के तेजी से उभरते क्षेत्रों में से एक है। राज्य के निर्यात क्षेत्र में इसका योगदान 7-8 प्रतिशत है। कृषि राजस्व में 45 प्रतिशत योगदान बागवानी क्षेत्र का है। पांच लाख परिवारों के लगभग तीस लाख लोग बागवानी व्यापार में लगे हैं।

वर्ष 2008-09 के दौरान 3.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर बागवानी की जा रही थी, जो पिछले वर्ष के आंकड़ों से 3.73 प्रतिशत ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा सेब का, 43.30 प्रतिशत तथा दूसरा हिस्सा, 27.80 प्रतिशत अखरोट का है।

वर्ष 2008-09 में फल उत्पादन 2007-08 से 3.36 प्रतिशत ज्यादा अर्थात् 16.91 लाख टन था। इसमें से 15.26 लाख टन अर्थात् 90.24 प्रतिशत ताजे फल तथा 9.76 प्रतिशत मेवे थे। सेब का हिस्सा 81.18 प्रतिशत तथा अखरोट का 8.97 प्रतिशत था।

पुष्पोत्पादन

यह बागवानी का मुख्य घटक है। देशी तथा विदेशी बाजारों में फूलों की बढ़ती मांग के कारण किसानों को इससे खूब आमदनी हो रही है। इसके प्रोत्साहन के लिए पुष्पोत्पादन नर्सरियां बनाई गई हैं, जहां सुंदर तथा औषधीय महत्व के फूलों की खेती की जाती है। पुष्पोत्पादन विभाग ने 40 लाख पौधे बनाई हैं। यह पौधे की बिक्री भी करता है। इससे विभाग को प्रतिवर्ष 8 लाख रुपये की आय हो रही है।

सिराज बाग, श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन लगाना विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। इसमें मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक फूल खिले रहते हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान गार्डन के टिकटों की बिक्री से 30 लाख रुपये की आमदनी हुई।

वन

राज्य के 20230 वर्ग किमी. क्षेत्र में वन हैं, जो वास्तविक सीमा रेखा के इस पार के भौगोलिक क्षेत्र, 101387 वर्ग किमी. का 19.95 प्रतिशत है। इसमें से 2551 वर्ग किमी. अर्थात् 12.61 प्रतिशत आरक्षित वन क्षेत्र है। 17643 वर्ग किमी. अर्थात् 87.21 प्रतिशत संरक्षित वन क्षेत्र तथा शेष 0.18 प्रतिशत अर्थात् 36 वर्ग किमी. अवर्गीकृत वन क्षेत्र है। 8128 वर्ग किमी. क्षेत्र कश्मीर घाटी, 12066 वर्ग किमी. जम्मू खंड तथा 36 वर्ग किमी. क्षेत्र में है, जो क्रमशः 50.9770, 45.89% तथा 0.06% है।

90.68 प्रतिशत वन क्षेत्र को कोनीफर्स प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 5.32% देवदार, 9.02% चीड़, 9.73% केल, 16.81% फिर तथा 49.80 प्रतिशत अन्य वनस्पतियां हैं। शेष 9.32% वन क्षेत्र गैर कोनीफर्स प्रजातियों का है।

उद्योग

राज्य के आर्थिक विकास, आय वृद्धि तथा रोजगार उत्पादन के लिए औद्योगीकरण बहुत जरूरी है। औद्योगीकरण के नये युग की शुरुआत के लिए 2004 में व्यापक औद्योगिक नीति बनाई गई जो 2015 तक जारी रहेगी। इसके तहत राज्य में उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

राज्य औद्योगिक नीति के तहत 90 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाली इकाइयों की योजना के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। वर्ष 2008-09 के दौरान राज्य की 215 औद्योगिक इकाइयों को 74.05 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया गया।

पर्यटन

जम्मू-कश्मीर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है तथा सदियों से देश-विदेश के पर्यटकों का आकर्षण स्थल रहा है। हरे-भरे वन, मीठे झरने, नदियां, खूबसूरत नयनाभिराम दृश्य कश्मीर घाटी में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं तो मंदिरों की भूमि जम्मू तीर्थ यात्रियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। माता वैष्णो देवी मंदिर को देखने बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यहां आते हैं, वहीं लेह विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है।

वर्ष 2004 में राज्य में 6912000 सैलानी आए जबकि 2008 में 7718175 सैलानी आए, इस प्रकार सैलानियों की संख्या में 11.66 प्रतिशत का इजाफा हुआ। इस अवधि में माता वैष्णो देवी आने वाले तीर्थयात्रियों में 7.8 तथा अमरनाथ यात्रियों में 34.15% की वृद्धि हुई। जून 2009 के अंत तक राज्य में 32.49 लाख पर्यटक आए। वर्ष 1988 से 2008 में पर्यटकों की संख्या में 172.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1980 के दशक के अंत से जम्मू-कश्मीर आने वाले अधिकांश यात्री लेह आए।

पर्यटन से पैदा होने वाला रोजगार मापा नहीं जा सकता क्योंकि यह बहुत छितराया हुआ तथा परोक्ष रूप से संबंधित है। पर्यटन से पैदा होने वाले रोजगार को मापने के लिए पूरे देश में 65 नेशनल सैंपल सर्वे किए गए हैं। इससे पर्यटन नीति बनाने में सहायता मिलेगी।

राज्य में अधिकाधिक पर्यटन राजस्व उत्पादन की क्षमता है। पहले चार वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र ने लगभग 102.63 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। 2004-05 के दौरान 2072.26 लाख तथा 2007-08 में 2916.93 लाख रुपये राजस्व अर्जित किया गया। इसमें 2007-08 के दौरान 40.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2006-07 से 2007-08 के दौरान राजस्व में 10.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

राज्य सरकार एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाकर तथा विभिन्न सुविधाएं देकर पर्यटन को प्रोत्साहन दे रही है।

मेले तथा त्यौहार

मेले तथा त्यौहार राज्य की सांस्कृतिक विविधता तथा सामाजिक विरासत का परिचायक है। हिंदू, मुस्लिम तथा सिख त्यौहार राज्य में धार्मिक सद्भाव के साथ मनाए जाते हैं। संपूर्ण देश की तरह राज्य में दीवाली, होली, ईद, मिलाद-उन-नबी तथा मोहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है।

प्रत्येक वर्ष 13 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तथा मंदिरों में यज्ञ और हवन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़के नवदंपति के घर जाते हैं तथा उनसे उपहार मांगते हैं। युवा लड़के एक पारंपरिक नृत्य 'छाजा' करते हैं।

बैसाखी विवाह के लिए पवित्र अवसर माना जाता है। यह उत्तर भारत का फसल उत्सव है। इसका नाम हिंदू विक्रमी माह बैसाख पर रखा गया है।

सरकार

राज्यपाल	: एन.एन. वोहरा
मुख्यमंत्री	: उमर अब्दुल्ला
मुख्य सचिव	: एस.एस.कपूर
उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	: जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) अनुमानित ¹	जनसंख्या (2001 जनसंख्या) लाख में	तहसील	ब्लाक
1. अनंतनाग	2,917	7.83	6	7
2. बडगाम	1,371	6.29	6	8
3. बांदीपुर	398	3.16	3	5
4. बारामुला	4190	8.53	7	12
5. डोडा	4500	2.86	4	8
6. जम्मू	3097	13.57	4	8
7. कारगिल	14,036	1.19	3	9
8. कठुआ	2440	5.11	5	8
9. किश्तवाड़	7737	1.91	4	8
10. कुपवाड़ा	2,379	6.50	3	11
11. लेह	45100	1.17	3	9
12. पुलवामा	1090	4.41	4	4+
				(केलर ब्लाक का हिस्सा)
13. पुंछ	1,674	3.73	4	6
14. राजौरी	2,630	4.83	7	8
15. रामबन	1138	0.22	2	4
16. रीसी	1517	2.48	2	4
17. सांबा	910	2.70	1	4
18. सोपियां	612,87	2.11	1	1+
				(केलर ब्लाक का हिस्सा)
19. श्रीनगर	2,94	9.89	2	1

20. उधमपुर	2380	4.98	4	7
21. गंदरबल	1,945	2.12	4	4
22. कुलगाम	1,067	3.89	3	5
कुल	701387	101.43	82	142

नवगठित जिलों की सीमा रेखा को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

झारखंड

क्षेत्रफल	:	79,714 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	:	2,69,09,428
राजधानी	:	रांची	मुख्य भाषा	:	हिंदी

इतिहास और भूगोल

झारखंड 15 नवंबर, 2000 को संघ के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यह आदिवासियों की गृहभूमि है, जिसका सपना वे सदियों से देख रहे थे। एक गाथा के अनुसार, उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने तेरहवीं शताब्दी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। झारखंड में मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार और संथाल परगना के वन क्षेत्र शामिल हैं। यहां की विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराएं हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के युग में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नियमित आंदोलन किया, जिसकी वजह से सरकार ने 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद् की स्थापना की और अंततः पूर्ण राज्य अस्तित्व में आया।

झारखंड पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार तथा दक्षिण में उड़ीसा से घिरा हुआ है।

कृषि

राज्य के 79,714 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 18,423 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में वन हैं। कृषि और संबंधित गतिविधियां झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार हैं। कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल केवल 38 लाख हेक्टेयर है।

सिंचाई और बिजली

दामोदर, मयूराक्षी, बराकर, उत्तरी कोयेल, दक्षिणी कोयेल, संख, सुवर्णरेखा, खरकई और अजय राज्य के प्रमुख जल स्रोत हैं। राज्य में कुल बुवाई क्षेत्र 18 लाख हेक्टेयर है जिसमें 8 प्रतिशत क्षेत्र में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है।

झारखंड की स्थापित विद्युत क्षमता 2,590 मेगावाट है। इसमें शामिल हैं : 420 मेगावाट (तेनुघाट ताप बिजलीघर), 840 मेगावाट (पतरातू ताप बिजलीघर), 130 मेगावाट (सिक्कीद्रि पनबिजली परियोजना) और 1,200 मेगावाट (दामोदर घाटी निगम ताप/पनबिजली परियोजना)। ताप व पनबिजली पर आधारित विभिन्न बिजलीघरों की क्षमता बढ़ाकर 4,736 मेगावाट की जा सकती है। इसमें 686 मेगावाट पनबिजली उत्पादन शामिल है।

उद्योग और खनिज

झारखंड के कुछ बड़े उद्योग हैं : सार्वजनिक क्षेत्र का बोकारो स्टील प्लांट, जमशेदपुर में निजी क्षेत्र की टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को)। अन्य प्रमुख उद्योग हैं : टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी

(टेलको), टिमकेन इंडिया लिमिटेड (जमशेदपुर), भारत कुकिंग लिमिटेड (धनबाद), खिलाड़ी सीमेंट फैक्टरी (पलामू), इंडियन एल्यूमिनियम (मुरी), ए सी सी सीमेंट (चाइबासा), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (रांची), उषा मार्टिन, उषा बैल्ट्रान, यूरेनियम कारपोरेशन (इं) लिमिटेड (जादूगोड़ा), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (मुसाबनी), टिन प्लेट कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड (जमशेदपुर), इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड (गोमिया) और हिंडालको बॉक्साइट (लोहरदगा), आदि।

झारखंड खनिज संसाधनों के मामले में देश का समृद्धतम राज्य है। प्रमुख उपलब्ध खनिज हैं: कोयला, कच्चा लोहा, चूना पत्थर, खनिज तांबा, बॉक्साइट, पाइराइट, चीनी मिट्टी, काइनाइट, चिकनी मिट्टी, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, बेंटोनाइट, साबुन पत्थर, बिल्लौरी रेत और सिलिका बालू। इस नवगठित राज्य में सिंहभूम, बोकारो, हजारीबाग, रांची, कोडरमा और धनबाद में कोयला, अभ्रक और अन्य खनिजों के दोहन की अपार क्षमताएं हैं।

परिवहन

सड़कें

राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 4,311 किलोमीटर है। इसमें 1,500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और 2,711 किलोमीटर प्रांतीय राजमार्ग शामिल हैं।

रेलवे

राज्य में सुविकसित रेलवे प्रणाली है। रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं।

उड्डयन

विमान सेवा से रांची दिल्ली, पटना और मुंबई से जुड़ा है। जमशेदपुर, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, हजारीबाग, डाल्टनगंज और नोआमुंडी में हवाई पट्टियां हैं।

पर्यटन स्थल

राज्य में अनेक मनोरम स्थल हैं। ये हैं : इचागढ़ पक्षी विहार, उद्धव पक्षी विहार—साहिबगंज (पठारा झील), चाचरो मगरमच्छ पालन केंद्र—कोडरमा (तिलाया बांध), चंद्रपुर पक्षी विहार, जवाहरलाल नेहरू चिड़ियाघर (बोकारो), तेनुघाट पक्षी विहार, डालमा वन्यजीव अभयारण्य (जमशेदपुर), टाटा स्टील चिड़ियाघर (जमशेदपुर), पलकोट वन्यजीव अभयारण्य (गुमला), भगवान बिरसा चिड़ियाघर (रांची), बिरसा हिरन अभयारण्य (कालमाटी रांची), बेटला राष्ट्रीय उद्यान (पलामू), रांची मत्स्य केंद्र (रांची), हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, तातोलोई गर्म पानी झरना (दुमका) और सारंदा वन।

उपर्युक्त के अलावा झारखंड में कुछ मशहूर मंदिर हैं : झारखंड धाम, लंगंता बाबा मंदिर/मजार, बिंधवासिनी मंदिर, मसनजोर धाम आदि।

सरकार

राज्यपाल	: के. शंकरनारायणन
मुख्यमंत्री	: राष्ट्रपति शासन

मुख्य सचिव : मनोज कुमार

उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र : झारखंड

यहां के जिलों के नाम हैं : रांची, गुमला, लोहरदगा, पलामू, गढ़वा, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुर और साहिबगंज।

कर्नाटक

क्षेत्रफल	: 1,91,791 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	: 5,28,50,562
राजधानी	: बंगलुरु	मुख्य भाषा	: कन्नड़

इतिहास और भूगोल

कर्नाटक का लगभग 2,000 वर्ष का लिखित इतिहास उपलब्ध है। कर्नाटक पर नंद, मौर्य और सातवाहन राजाओं का शासन रहा। इसके अलावा चौथी शताब्दी के मध्य से इस राज्य पर इसी क्षेत्र के राजवंशों— बनवासी के कदंब तथा गंगों का अधिकार रहा। श्रवणबेलगोला में विश्व प्रसिद्ध गोमटेश्वर की विशाल प्रस्तर प्रतिमा गंग वंश के एक मंत्री चामुंडराया ने ही बनवाई थी। बादामी के चालुक्य वंश (500 से 735 ई. तक) ने नर्मदा से कावेरी तक के एक विस्तृत क्षेत्र तक पुलिकेशी द्वितीय (609 से 642 ई.) के समय से राज किया और उसने कन्नौज के शक्तिशाली सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया। इस राजवंश ने बादामी, एहोल और पट्टादकल में अनेक सुंदर कलात्मक तथा कालजयी स्मारकों का निर्माण किया। इनमें चट्टानों को तराशकर बनाए गए मंदिर भी शामिल हैं। एहोल देश के ऐसे स्थानों में से है जहां मंदिर वास्तुकला पनपी। चालुक्यों की जगह लेने वाले माल्लखेड के राष्ट्रकूटों ने तो (753 से 973 ई.) कन्नौज साम्राज्य के वैभव वाले युग में वहां के शासकों से कर भी प्राप्त किये। इस काल में कन्नड़ साहित्य का विकास हुआ। भारत के श्रेष्ठ जैन विद्वान इन राजाओं के दरबारों की शोभा बढ़ाते थे। कल्याण के चालुक्य राजाओं (973 से 1189 ई.) और उनके परवर्ती हलेबिड के होयसाल सामंतों ने सुंदर मंदिरों का निर्माण किया और साहित्य तथा ललित कलाओं को प्रोत्साहित किया। सुविख्यात न्यायशास्त्री विज्ञानेश्वर (कृति: *मिताक्षर*) कल्याण के रहने वाले थे। महान धार्मिक नेता बासवेश्वर भी कल्याण साम्राज्य के मंत्री थे। विजयनगर साम्राज्य (1336-1646 ई.) ने अपनी देशज परंपराओं का पोषण किया और कला, धर्म तथा संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और तमिल साहित्य को प्रोत्साहित किया। इस काल में विदेशों में व्यापार खूब फला-फूला। बहमनी सुलतानों (राजधानी : गुलबर्गा एवं बाद में बीदर) और बीजापुर के आदिलशाहों ने भारतीय-सारासानी शैली के भव्य भवनों का निर्माण किया और उर्दू व फारसी साहित्य को प्रोत्साहन दिया। पुर्तगालियों के आगमन से राज्य में कई नई फसलों (तंबाकू, मक्का, मिर्च, मूंगफली, आलू आदि) की खेती होने लगी। पेशवा (1818) और टीपू सुलतान (1799) की पराजय के पश्चात कर्नाटक ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने अंग्रेजी शिक्षा तथा मशीनों से छपाई का प्रसार किया तथा परिवहन, संचार और उद्योग के क्षेत्र में क्रांति आई। शहरी नगरों में मध्य वर्ग का उदय हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद राज्य के एकीकरण का आंदोलन प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता के बाद मैसूर राज्य बना और कन्नड़ भाषियों की अधिकता वाले विभिन्न क्षेत्रों का एकीकरण किया गया। 1973 में इस विस्तारित मैसूर राज्य का नाम बदलकर 'कर्नाटक' कर दिया गया।

कर्नाटक राज्य 11°31' और 18°14' उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 74°12' और 78°14' पूर्वी देशांतर के बीच में भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम-केंद्रीय भाग में स्थित है। इसकी अधिकतम लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 700 कि.मी. और पूर्व से पश्चिम तक 400 कि.मी. है। कर्नाटक गोवा और महाराष्ट्र के दक्षिण में, आंध्र प्रदेश के पश्चिम में, तमिलनाडु के उत्तर-पूर्व में और केरल के उत्तर में है। इसमें समुद्र-तट की लंबाई 400 कि.मी. है।

वन और वन्यजीवन

वन विभाग राज्य 20.15 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का प्रबंध करता है। वनों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है— सुरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, ग्रामीण वन और निजी वन। यहां 5 राष्ट्रीय पार्क और 23 वन्यजीव अभयारण्य हैं। ईंधन की लकड़ी, चारा और इमारती लकड़ी की कमी को पूरा करने के लिए बेकार जंगलों और भूमि को विकसित किया जा रहा है। पश्चिमी घाट की कोमल पर्यावरण प्रणाली के संरक्षण और विकास पर बल दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलीफेंट जैसी अनेक योजनाएं केंद्रीय सहायता से लागू की जा रही हैं। विदेशी सहायता से अनेक वन परियोजनाएं शुरू की गई हैं। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोओपरेशन ने कर्नाटक के लिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट और बायो-डाईवर्सिटी परियोजना की स्वीकृति दी है और यह पूरे कर्नाटक में 2005-06 से 2012-13 तक लागू की जा रही है।

कृषि

कर्नाटक की करीब 66 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है और लगभग 56 प्रतिशत श्रम शक्ति कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों में लगी है। राज्य के कुल 1,90,49,836 हेक्टेयर क्षेत्र में से 1,21,08,667 हेक्टेयर क्षेत्र में 62,79,798 किसान परिवार में खेती करते हैं। राज्य की 60 प्रतिशत (114 लाख हेक्टेयर) भूमि खेती योग्य है, जिसके 72 प्रतिशत क्षेत्र में भरपूर वर्षा होती है। शेष 28 प्रतिशत में सिंचाई की जाती है। मुख्य फसलें हैं—धान, ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का, गेहूं, मूंगफली, सूरजमुखी, कपास, गन्ना, तंबाकू और दालें। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में राज्य का करीब 6.32 प्रतिशत का योगदान है। 2007-08 में 117.35 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन की संभावना है, जबकि लक्ष्य 119.70 लाख टन था।

डेयरी

कर्नाटक देश के प्रमुख दुग्ध उत्पादनों में से है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के पास 21 प्रसंस्करण संयंत्र हैं जिनकी क्षमता 26.45 लाख लिटर प्रतिदिन है तथा 42 प्रतिशत केंद्रों की क्षमता 14.60 लाख है।

बागवानी

राज्य में 16.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी होती है। इसमें 101 लाख मी. टन उत्पादन होता है। बागवानी से किसानों को अधिक आय के अवसर मिल रहे हैं। बागवानी नीति में क्षेत्र विस्तार, नई टेक्नोलॉजी के प्रसार तथा पौध सामग्री का उत्पादन, आपूर्ति और उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अनेक किसान खेती से हटकर बागवानी की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने 'राष्ट्रीय बागवानी मिशन' के तहत 171.29 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

सिंचाई

कर्नाटक में 28 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र में सिंचाई होती है। 2006-07 के दौरान कुल 33.14 लाख

हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित की गई जिसमें से 23.21 लाख हेक्टेयर बड़ी व मंझोली तथा 9.93 लाख हेक्टेयर लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं।

विद्युत

कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पनबिजली संयंत्र स्थापित किए गए। आज कर्नाटक की बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता 7,222.91 है और 2007-08 में 3,122.9 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ।

सूचना प्रौद्योगिकी

कर्नाटक सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अमेद्य बना हुआ है। 2006-07 में यहां से 48,700 करोड़ रुपये का साफ्टवेयर निर्यात हुआ। 2007-08 में नवंबर, 2007 तक 24,450 करोड़ रुपये का निर्यात हो चुका था। पिछले वर्ष की उपलब्धि से इसमें 25 प्रतिशत वृद्धि की आशा है। नैसकॉम की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मंगलौर और मैसूर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

जैव प्रौद्योगिकी

कर्नाटक राज्य और विशेषकर बंगलुरु शहर देश का सबसे बड़ा जैव भंडार बन गया है। 2006-07 के दौरान एसएलएलडब्ल्यू ने तीन परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इन पर 535.50 करोड़ रुपये का निवेश होगा। जैव प्रौद्योगिकी का निर्यात 21.5 करोड़ अमरीकी डालर रहा।

परिवहन

सड़कें

कर्नाटक में सड़कों की लंबाई 1971 में 83,749 कि.मी. थी जो बढ़कर 2007 में 2,15,849 कि.मी. हो गई। कर्नाटक राजमार्ग सुधार परियोजना विश्व बैंक की सहायता से 2,375 कि.मी. सड़क को सुधारेगी यानी 900 कि.मी. का उन्नयन और 1,475 कि.मी. का पुनर्वास। इसमें प्रांतीय राजमार्ग और जिला सड़कें शामिल हैं। इस पर 2,402.51 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह सहायता सड़कों और पुलों के निर्माण और सुधार के लिए ग्रामीण ढांचागत विकास फंड के तहत दी जा रही है।

बंदरगाह

कर्नाटक राज्य में 115 समुद्री मील (300 कि.मी.) लंबे समुद्र तट पर केवल एक बड़ा बंदरगाह है—मंगलौर में यानी न्यू मंगलौर। इसके अलावा 10 छोटे बंदरगाह हैं: कारवाड, बेलेकेरी, ताद्री, भत्कल, कुंडापुर, हंगरकट्टा, मालपे, पदुबिद्री, होन्नावर और पुराना मंगलौर। इन 10 बंदरगाहों में से केवल कावाड हर मौसम के लिए है जबकि बाकी नौ बंदरगाहों में ऐसी बात नहीं है। इन सभी बंदरगाहों से 2006-07 में मालवाहकों के जरिए 6,573 हजार टन माल ढोया गया।

उड्डयन

नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में जबर्दस्त वृद्धि हुई। 2006-07 में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में 50 प्रतिशत और घरेलू यात्रियों में 44 प्रतिशत वृद्धि हुई। राज्य के हवाई अड्डों से 2006-07 में 1.66 लाख टन माल ढो गया। यह पिछले वर्ष से 19 प्रतिशत अधिक था।

बंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

देश का पहला हरे-भरे मैदान वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु के निकट देवनहल्ली में बनाया गया है। 2000 करोड़ रुपये की लागत से यात्री और मालवाहक हवाई जहाजों के लिए बनाया गया यह हवाई अड्डा 28 मई 2008 से शुरू हो गया है। इस हवाई अड्डे की वजह से बंगलुरु शहर को विश्व का लक्ष्य गंतव्य बनाया गया है और यहां की सुविधाओं की सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तुलना होने लगी है।

सरकार ने शिमोगा और गुलबर्गा में हवाई अड्डे विकसित करने की योजना बनाई है।

‘एक राज्य : कई दुनिया’ के रूप में जाना जाने वाला कर्नाटक दक्षिण भारत का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनता जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी के केंद्र कर्नाटक में हाल ही में बहुत पर्यटक आए हैं। 2005-06 की तुलना में 2006-07 में पर्यटकों की संख्या में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह राज्य अपने स्मारकों की विरासत और प्राकृतिक पर्यटन के गंतव्य के रूप में प्रसिद्ध है।

स्वर्ण रथ, जिसका नाम दक्षिण भारत की विश्व धरोहर हंपी के प्रस्तर रथ के नाम पर रखा गया है, प्राचीन धरोहरों, भव्य महलों, वन्यजीवन और सुनहरे समुद्र-तटों के बीच भ्रमण करेगा।

इसकी 7 रात /8 दिन की यात्रा प्रत्येक सोमवार को बंगलौर से शुरू होगी। मैसूर में श्रीरंगपटन, मैसूर के महल, नगरहोल राष्ट्रीय पार्क (कबीनी) की सैर कराते हुए 11वीं शताब्दी के होयसाला स्थापत्य और विश्व धरोहर श्रवणबेल गोला, बेलूर, हलेबिड, हंपी से होते हुए बदामी, पट्टादकल व ऐहोल की त्रिकोणीय धरोहर से होते हुए गोवा के सुनहरे समुद्र-तटों का अवलोकन कराते हुए अंत में यह बंगलौर वापस आएगा।

कर्नाटक में धरोहर वाले महल, घने वन और पवित्र स्थलों की भरमार है। ‘होमस्टे’ नामक नई अवधारणा ने राज्य में पर्यटन के नए आयाम जोड़ दिए हैं। हंपी और पट्टकल को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है।

नई योजनाएं और उपलब्धियां

ई-गवर्नेंस

भूमि कागजाती की ऑन लाइन डिलीवरी योजना 2000 में शुरू हुई और 200 लाख कागजात की डिजिटलीकरण कर दिया गया है। वर्तमान साफ्टवेयर का उन्नयन किया जा रहा है और अब भूमि साफ्टवेयर को कावेरी कार्यक्रमों, बैंकों, कचहरियों से जोड़ा जाएगा।

इसके अलावा ई-गवर्नेंस ने ‘बंगलौर एक कार्यक्रम’ शुरू किया है जो बहुसेवा केंद्र है जहां लोग बिजली, टेलीफोन आदि के बिल जमा कर सकते हैं और एक ही जगह 25 अन्य सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसने ‘नेम्मादी’ नामक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अंतर्गत 765 ऐसे टेलीसेंटर हैं जहां आय, जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं।

इसके अलावा मानव संसाधन प्रबंध सेवा भी विकसित की गई है।

भाग्यलक्ष्मी

स्त्री-पुरुष अनुपात को संतुलित करने और गरीब परिवारों को नैतिक संबल प्रदान करने के लिए कर्नाटक सरकार ने ‘भाग्यलक्ष्मी’ योजना शुरू की है। यह दो लड़कियों तक सीमित है और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे सभी परिवारों के लिए है। लड़की के जन्म के समय उसके नाम से 10,000 रुपये जमा किए जाएंगे और ब्याज सहित 18 वर्ष पूरा हो जाने पर दिए जाएंगे। 2007-08 के दौरान 1.31 लाख परिवारों के लिए

132.42 करोड़ रुपये जारी किए गए। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत 2008-09 के बजट में दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है और इसके लिए 266.65 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

मदीलु

यह एक अन्य योजना है जो मां और शिशु के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बनाई गई है। इसके तहत प्रसव के बाद मां और शिशु की जरूरत का सामान दिया जाता है। यह सुविधा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे सभी परिवारों के लिए है। 2007-08 के दौरान इससे लगभग 1.50 लाख परिवारों को लाभ पहुंचा है। 2006-07 में 63.82 प्रतिशत लाभान्वित प्रसव थे और 2007-08 में यह संख्या 67.97 प्रतिशत रही।

भाग्यरथ

शिक्षा के लिए बेहतर पहुंच और इसे जारी रखने के लिए राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है। इसके तहत सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों को साइकिलें दी जाएंगी। 2007-08 में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की 1.75 लाख लड़कियों और 2.38 लड़कों को साइकिलें बांटी गईं। इस वर्ष (यानी 2008-09 में) यह योजना आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी वर्ग के बच्चों के लिए कर दी गई है। आशा है कि इससे 7 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा।

सरकार

राज्यपाल	: हंसराज भारद्वाज
मुख्यमंत्री	: बी.एस. येदुरप्पा
मुख्य सचिव	: सुधाकर राव
उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	: कर्नाटक

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. बागलकोट	6,575	16,51,892	बागलकोट
2. बंगलौर	2,190	65,37,124	बंगलौर
3. बंगलौर ग्रामीण	5,815	18,81,514	बंगलौर
4. बेलगाम	13,415	42,14,505	बेलगाम
5. बेल्लारी	8,450	20,27,140	बेल्लारी
6. बीदर	5,448	15,02,373	बीदर
7. बीजापुर	10,494	18,06,918	बीजापुर
8. चामराजानगर	5,101	9,65,462	चामराजानगर
9. चिकमंगलूर	7,201	11,40,905	चिकमंगलूर
10. चित्रदुर्ग	8,440	15,17,896	चित्रदुर्ग
11. दक्षिण कन्नड़	4,560	18,97,730	मंगलौर
12. दावणगीर	5,924	17,90,952	दावणगीर
13. धारवाड़	4,260	16,04,253	धारवाड़

1206

भारत-2010

14. गडग	4,656	9,71,835	गडग
15. गुलबर्गा	16,224	31,30,922	गुलबर्गा
16. हासन	6,814	17,21,669	हासन
17. हावेरी	4,823	14,39,116	हावेरी
18. कोडागु	4,102	5,48,561	मदिकेरी
19. कोलार	8,223	25,36,069	कोलार
20. कोप्पल	7,189	11,96,089	कोप्पल
21. मांड्या	4,961	17,63,705	मांड्या
22. मैसूर	6,854	26,41,027	मैसूर
23. रायचूर	6,827	16,69,762	रायचूर
24. शिमोगा	8,477	16,42,545	शिमोगा
25. तुमकुर	10,597	25,84,711	तुमकुर
26. उडुपी	3,880	11,12,243	उडुपी
27. उत्तरी कन्नड़	10,291	13,53,644	कारवाड़
28. रामनगर	-	-	-
29. चिक्काबल्लारपुर	-	-	-

केरल

क्षेत्रफल	: 38,863 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	: 3,18,41,374
राजधानी	: तिरुवनंतपुरम	मुख्य भाषा	: मलयालम

इतिहास और भूगोल

केरल भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण-पश्चिमी छोर पर स्थित है। जब स्वतंत्र भारत में छोटी रियासतों का विलय हुआ तब त्रावनकोर तथा कोचीन रियासतों को मिलाकर 1 जुलाई, 1949 को त्रावनकोर-कोचीन राज्य बना दिया गया, किंतु मालाबार मद्रास प्रांत के अधीन रहा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत त्रावनकोर-कोचीन राज्य तथा मालाबार को मिलाकर 1 नवंबर, 1956 को केरल राज्य बनाया गया।

पूर्व में ऊंचे पश्चिमी घाट और पश्चिम में अरब सागर के बीच स्थित इस प्रदेश की चौड़ाई 35 कि.मी. से 120 कि.मी. तक है। भौगोलिक दृष्टि से केरल को पर्वतीय क्षेत्र, घाटी, मध्यवर्ती मैदान तथा तटवर्ती क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। केरल नदियों और तालाबों के मामले में समृद्ध है। 44 नदियां (41 पश्चिम की ओर और तीन पूर्व की ओर बहने वाली) अपनी सहायक नदियों और उपधाराओं के साथ केरल से होकर गुजरती हैं। समुद्री झीलें केरल में आकर्षण के केंद्र तथा आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं।

कृषि

केरल की कृषि की विशेषता यह है कि यहां व्यापारिक फसलें अधिक उगाई जाती हैं। राज्य की लगभग 50 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। केरल नारियल, रबड़, काली मिर्च, अदरक, चाय, इलायची, काजू तथा काफी आदि का प्रमुख उत्पादक राज्य है। अन्य फसलों में सुपारी, केला, अदरक तथा हल्दी शामिल हैं। राज्य में जायफल, दालचीनी, लौंग आदि मसालों के वृक्ष भी उगाए जाते हैं। चावल तथा टैपियोका यहां

की मुख्य खाद्य फसलें हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चावल के क्षेत्र में वार्षिक कमी 22,000 हेक्टेयर थी। नौवीं योजना में यह घटकर 13,000 हेक्टेयर रह गई। 2003-04 के 2.87 लाख हेक्टेयर की तुलना में यह बढ़कर 2004-05 में 2.90 लाख हेक्टेयर हो गई। यह वृद्धि 2,634 हेक्टेयर थी। चावल का उत्पादन 5.70 मीट्रिक टन से बढ़कर 6.67 लाख टन हो गया। यह वृद्धि 17 प्रतिशत थी।

हाल के वर्षों के अभूतपूर्व सूखे की वजह से धान उत्पादन में 2003-04 में कमी आई किंतु 2004-05 में उत्पादन में वृद्धि हुई। 2004-05 में चावल के उत्पादन में वृद्धि अल्लुपुज्जा (75 प्रतिशत), पलक्कड (37 प्रतिशत) में दर्ज की गई।

आय और रोजगार की दृष्टि से अपने बहुविध योगदान के कारण नारियल केरल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। नारियल का फसल क्षेत्र नौ लाख हेक्टेयर है, जो कुल फसल क्षेत्र का 41 प्रतिशत है। केरल में नारियल से 35 लाख लोगों की रोजी-रोटी चलती है।

मुख्य निर्यात वस्तुओं में काली मिर्च ऐसी वस्तु है, जिसमें केरल अन्य उत्पादक राज्यों में हमेशा से ही सर्वश्रेष्ठ बना हुआ है। देश भर में काली मिर्च के उत्पादन का 98 प्रतिशत केरल में होता है और इस तरह इस क्षेत्र में केरल का एकाधिकार बना हुआ है।

केरल का चार बागानी फसलों— रबड़, काफी, चाय तथा इलायची में खास हिस्सा है। इन चार फसलों की 6.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है। यह राज्य के कुल कृषि क्षेत्र का 29 प्रतिशत और राज्य में इन फसलों के अधीन क्षेत्र का 43 प्रतिशत है।

बागानी फसलों में रबड़ प्रमुख फसल है। देश के कुल रबड़ क्षेत्र का 83 प्रतिशत क्षेत्र केरल में है।

वर्ष 2004-05 में देश में कॉफी का उत्पादन क्षेत्र 3.28 लाख हेक्टेयर था जिसमें से 0.846 लाख हेक्टेयर केरल में है जो कुल क्षेत्र का 26 प्रतिशत है। वर्ष के दौरान, देश के कुल 2.75 लाख मीट्रिक टन कॉफी उत्पादन के मुकाबले केरल का उत्पादन 0.54 लाख मीट्रिक टन था, जो कुल उत्पादन का 19.7 प्रतिशत है।

केरल में केवल 0.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में चाय की खेती की गई। चाय उत्पादन में केरल की हिस्सेदारी 2004 में पिछले वर्ष के 7 प्रतिशत से गिरकर इस वर्ष 6 प्रतिशत रह गई। पिछले तीन वर्षों से उत्पादन में गिरावट का रुझान चल रहा है। बड़ी कंपनियों के चाय बागानों में संगठित क्षेत्र के 84,000 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। इलायची एक अन्य बागानी फसल है जिसका उत्पादन 2004-05 में 28 प्रतिशत से बढ़कर 76 प्रतिशत हो गया।

उद्योग

केरल में औद्योगिक विकास की बहुत संभावनाएं हैं। यहां पर पनबिजली, घने वन, दुर्लभ खनिज और कुशल परिवहन तथा संचार प्रणाली जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां के परंपरागत उद्योग हैं—हथकरघा, काजू, नारियल जटा तथा हस्तशिल्प। अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों में रबड़, चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन, बिजली तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टेलीफोन के तार, ट्रांसफार्मर, ईट और टाइलें, औषधियां और रसायन, सामान्य इंजीनियरी वस्तुएं, प्लाईवुड, रंग-रोगन, बीड़ी और सिगार, साबुन, तेल, उर्वरक तथा खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा महीन उपकरण, मशीनी औजार, पेट्रोलियम पदार्थ, पेंट, लुगदी, कागज, अखबारी कागज, कांच तथा अलौह धातुओं के उत्पादन के लिए राज्य में कई कारखाने हैं। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में प्रमुख हैं—काजू, चाय, कॉफी, मसाले, लेमन ग्रास ऑयल, समुद्री खाद्य उत्पाद, शीशम तथा नारियल रेशा। राज्य में इल्मेनाइट, स्टल, मोनाज़ाइट, जिरकोन, सिलीमेनाइट, चिकनी मिट्टी तथा स्फटिक युक्त बालू जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।

केरल औद्योगिक रूप से एक प्रतिस्पर्धी राज्य बन रहा है और निवेशकों के लिए यहां एक अनुकूल माहौल रहा है। निवेश में पर्याप्त वृद्धि से आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन की संभावना बढ़ी है। इसलिए मौजूदा उद्योग प्रतिस्पर्धी हुए हैं और औद्योगिक उत्पाद नई मांगों के अनुरूप बहुआयामी हुए हैं। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की नीति के प्रति राज्य के स्पष्ट और दृढ़ रुख के कारण निवेशकों को आकर्षक प्रलोभन दिए गए हैं।

केरल सरकार औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण/परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। औद्योगिक प्रोत्साहन के कार्य में लगी महत्वपूर्ण एजेंसियां और विभाग हैं : के.एफ.सी., के.एस.आई.डी.सी., सिडबी, किनफरा, उद्योग और वाणिज्य निदेशालय, एसआईडीसी, एसआईएसआई, किटको और सीएमडी।

राज्य का औद्योगिक उत्प्रेरक किनफरा औद्योगिक विकास, विशेषकर राज्य के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए सजग प्रयास कर रहा है। यह निगम राज्य की औद्योगिक नीति के अनुसार, उद्यमियों द्वारा उद्योग लगाने के लिए आवश्यक औद्योगिक पार्क, नगर और क्षेत्र स्थापित कर रहा है। किनफरा ने विभिन्न क्षेत्रों में 17 औद्योगिक पार्क स्थापित किए हैं जिनमें 150 औद्योगिक इकाइयां काम कर रही हैं और जिनकी वार्षिक आय 1,000 करोड़ रुपये है। इनमें 5,000 लोग काम कर रहे हैं।

उद्योग और वाणिज्य निदेशालय भूमि अधिग्रहण करके, उसे विकसित करके, सड़क, जलापूर्ति, बिजली तथा आवश्यक इमारतें बनाकर, सारी सुविधाएं लघु उद्योगों को उपलब्ध कराता है।

लघु उद्योग विकास निगम अपनी बड़ी औद्योगिक संपदाओं व लघु औद्योगिक संपदाओं के जरिए लघु उद्योगों को ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

निर्यात संवर्द्धन के लिए मुख्य जोर विशेष आर्थिक क्षेत्र पर दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य निर्यात के लिए मुक्त वातावरण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतिस्पर्धी माहौल उपलब्ध कराने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करना है। कोच्चि में तीन विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं— कलमसरी के किनफरा में इलेक्ट्रॉनिक पार्क, कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र, बंदरगाह आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसके अलावा अन्य हैं—मल्लपुरम फूड पार्क, टेक्नोपार्क, तिरुअनंतपुरम में एफरल पार्क, फिल्म और वीडियो पार्क, (भारत का प्रथम) एनिमेशन विशेष आर्थिक क्षेत्र।

केरल सरकार ने जिला औद्योगिक केंद्रों के जरिए 'प्रत्याशा' शीर्षक के अंतर्गत केरल स्थानीय उद्योग संवर्द्धन कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य 25,000 लघु उद्योग स्थापित करना है जिनमें वर्ष 2005-06 में 1,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी और इसका अधिकाधिक उपयोग करने की क्षमता वैभव, शक्ति और ज्ञान अतः सामाजिक कल्याण को सृजित करने और उसका आकलन करने का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जा रहा है। केरल सरकार ने राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें प्रमुख हैं—(1) टेक्नोपार्क - तिरुअनंतपुरम - भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र, (2) कोच्चि में किनफरा स्थित सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, (3) केरल सूचना प्रौद्योगिकी मिशन का सूचना प्रौद्योगिकी परिसर, (4) राज्य सरकार की ई-गवर्नेंस पहलें, जैसे—फ्रैंड्स।

टेक्नोपार्क की ऐसे समन्वित सूचना प्रौद्योगिकी वातावरण के रूप में अवधारणा की गई है जिसमें इस उद्योग की आवश्यकता की सभी मूलभूत और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों। सरकार ने इस परिसर को सभी व्यवधानों से मुक्त कर दिया है, केवल बिजली की सुरक्षा के लिए मुख्य विद्युत निरीक्षक से

प्रमाण-पत्र लेना होता है। भारत सरकार की अधिकांश स्वीकृतियों के लिए टेक्नोपार्क एकमात्र संपर्क की भूमिका निभाता है। टेक्नोपार्क ने 2004 में सूचना प्रौद्योगिकी परिसर के लिए ढांचागत और अन्य सेवाओं के सृजन और विपणन की अच्छी प्रणाली कायम करने और उसके रख-रखाव के लिए आईएसओ 9001:2000 प्रमाण-पत्र प्राप्त किया। टेक्नोपार्क ऐसी पहली सेवा संस्था है जिसे 2004 में अमेरिका की कारनेगी मैल्टन यूनिवर्सिटी से सीएमएमआई लेवल 4 प्रमाण-पत्र मिला।

केरल को ई-गवर्नेंस के मामले में भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य होने का गौरव प्राप्त है। फ्रैंड्स (फास्ट रिलायबिल इंस्टैंट एफिशिएंट नेटवर्क फार डिस्बर्समेंट सर्विस) एक ही स्थान पर निपटान प्रणाली है जहां नागरिक सभी कर और अन्य वित्तीय देय सरकार को देते हैं। फ्रैंड्स केन्द्रों पर कुल मिलाकर 4.50 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।

अगस्त 2004 में मल्लपुरम जिले में फ्रैंड्स परियोजना के विस्तार के रूप में अक्षय ई-केंद्रों के जरिए केरल सरकार ने बिलों के भुगतान की सुविधा शुरू की है।

देश में अपनी तरह का पहला कॉल सेंटर राज्य की राजधानी में स्थापित किया गया है। इससे आम नागरिक टेलीफोन के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों में हुई लेन-देन के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

सिंचाई

राष्ट्रीय विचारों के अनुरूप केरल भी जलापूर्ति के लिए भूतल जल सिंचाई प्रणाली पर निर्भर है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा संचालित होती है। बहुत बड़ा भूखंड बड़ी और मंझोली सिंचाई परियोजनाओं के लिए नियत है। मार्च 2005 तक कुल 3,572.40 करोड़ के निवेश में से 2,462.51 करोड़ रुपये का निवेश (69 प्रतिशत) बड़ी और मंझोली सिंचाई परियोजनाओं के लिए था।

केरल में सिंचाई व्यवस्था बड़ी, मंझोली और लघु सिंचाई परियोजनाओं का भूजल और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के माध्यम से होती है। पूरी की गई प्रमुख परियोजनाएं मलमपूजहा, चलाकुड्डी, पीची, पंपा, पेरियार, चित्तूरपूजा, कुट्टियाडी, नैयार और चिम्मनी, पझासी, कांजरापूजा तथा कल्लाड हैं। पोथुड्डी, गायत्री, वलयार, वझानी, मंगलम और चीराकुझी मंझोली परियोजनाएं हैं। चार बड़ी परियोजनाओं मुवातुपूजा, इदमलयार तथा कुट्टियार कुट्टी-कारापारा तथा कारापूजा और वाणासुर सागर, तिरथाला में पुल तथा जल नियामक तथा चामारावत्तर में मंझोली योजनाओं पर काम चल रहा है।

दसवीं योजना में सिंचाई पर निवेश 930 करोड़ रुपये निर्धारित था। इसमें से प्रमुख निवेश बड़ी तथा मंझोली सिंचाई योजनाओं पर 600 करोड़ रुपये तथा उसके बाद लघु सिंचाई योजनाओं पर 205 करोड़ रुपये तथा बाढ़ नियंत्रण और समुद्र क्षरण अवरोधी योजनाओं पर 50 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए। पहले तीन वर्षों में 4 करोड़ रुपये बजट में आवंटित थे और 494.63 करोड़ रुपये व्यय हुए। इसमें से अधिकांश बड़ी और मंझोली सिंचाई के लिए थे।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम मुख्य रूप से इस उद्देश्य से शुरू किया गया था कि अर्जित सिंचाई क्षमता और उपयोग में लाई गई क्षमता के अंतराल को पाटा जा सके। 2003-04 में कार्यक्रम की पुनर्रचना की गई और इसे एक नया नाम दिया गया—कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्राधिकरण के मुख्य कार्य नालियां, नाले बनवाना और बाड़ाबंदी लागू करना है। प्राधिकरण की प्रमुख गतिविधियां 16 पूरी हो चुकी सिंचाई परियोजनाओं में हुईं, यथा : मलमपुझा, मंगलम, पोथुंडी, वालयार, चीराकुझी, वाझानी, पीची, चलाकुड्डी, नैयार, गायत्री, पंपा, पेरियार घाटी, चित्तूरपुझा, कुट्टियाडी, पझाची और कांजिरपुझा। कमान क्षेत्र विकास के कार्यक्रम भारत सरकार की वित्तीय सहायता से चलाए जाते हैं। 2004-05 की उपलब्धियों में 1998 हेक्टेयर में नालियां, 6,156

हेक्टेयर क्षेत्र के लिए राजबहे बनाना, 10 हेक्टेयर में इस प्रणाली की परख करना तथा 2,302 हेक्टेयर में 83 प्रतिशत कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। 1,033 हेक्टेयर संचित जल को उपयोगी बनाया गया और 3 मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

बिजली

केरल में पिछले दो दशकों में विद्युत प्रणाली में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विकास के आरंभिक चरणों में राज्य में पनबिजली क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया गया। केरल विद्युत प्रणाली में 30 बिजली उत्पादन केंद्र हैं, जिनमें से 24 पनबिजली के, 5 तापबिजली के और 1 पवनचक्की है। इनमें से भी केरल राज्य विद्युत बोर्ड के पास 24 पनबिजली के, दो तापबिजली के और 1 पवनचक्की है।

31 मार्च 2005 तक केरल में कुल स्थापित क्षमता 2,617.22 मेगावाट थी, जिसमें से केरल राज्य विद्युत बोर्ड की 1,810.60 मेगावाट पनबिजली की, कोजीकोड की 2.0 मेगावाट पवनचक्की की और 234.60 मेगावाट तापबिजली संयंत्रों की थी।

मलनकारा पनबिजली परियोजना 23 अक्टूबर 2005 को शुरू की गई, जिससे स्थापित क्षमता में 10.5 मेगावाट की वृद्धि हुई। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से बिजली आयात की जाती है। अच्छे मानसून की वजह से भंडारण से 7949 मेगा यूनिट और पनबिजली उत्पादन से 4949.15 मेगा यूनिट बिजली (नवंबर 2005 तक) मिली। इसके कारण केरल राज्य बिजली बोर्ड की स्थिति सुधर गई और उपभोक्ताओं पर भी वित्तीय भार नहीं पड़ा।

ए.एन.ई.आर.टी. ने माइक्रो जलविद्युत कार्यक्रम के तहत बहुत छोटी पनबिजली परियोजनाओं को दो जिला पंचायतों—कासरगोड में कम्माडी और कोझीकोड जिले में चक्रकुंडु में लागू करने का काम अपने हाथ में लिया है। यूनिडो ने बिजली प्रबंधन केंद्र में लघु पनबिजली का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है। केंद्र ने राज्य में 30 छोटी पनबिजली परियोजनाओं के बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। इनमें से 13 छोटी पनबिजली परियोजनाएं प्रतिबंधित बिजली परियोजनाओं तथा स्वतंत्र बिजली परियोजनाओं के अंतर्गत निवेदकों को बूट आधार पर आवंटित की गई हैं। 100 किलो वाट की छोटी बिजली योजनाओं में से पहली इदुक्की जिले के मनिक्कुलम में चालू हो गई है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संसाधन आकलन के अंतर्गत अध्ययन के लिए दो क्षेत्रों—कासरगोड में पसवाई कुंब तथा इदुक्की जिले में कल्याणाथांडु को चुना गया है।

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के परिप्रेक्ष्य में केरल के 14 जिलों के 930 गांवों के 3,578 घरों को बिजली पहुंचाने के लिए 348.79 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार ने पहले चरण के लिए 221.75 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी, जिसमें 7 जिलों में बिजली पहुंचाने का काम होगा। ये जिले हैं : कासरगौड़, वायनाड, कन्नूर, कोझीकोड, मलप्पुरम, इदुक्की और पलक्कड़।

परिवहन

सड़कें

राज्य की यातायात प्रणाली में 1.61 लाख कि.मी. सड़कें, 1,148 कि.मी. रेल लाइनें, 1,687 कि.मी. अंतर्वर्ती जलमार्ग और 18 हवाई अड्डों के 111 स्टेचू मील वायुमार्ग हैं।

केरल के राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई इस प्रकार है : (1) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 (थलप्पडी-एडापल्ली)—420.777 कि.मी., (2) रा.रा.सं. 47 (वालार-कलिमकविला)—416.800 कि.मी., (3) रा.रा.सं. 47ए (वैलिंगटन द्वीप से कोच्चि-बाईपास)—5.920 कि.मी., (4) रा.रा.सं. 49 (बोडीमेट्टू-

मुवात्तपुझा-कोच्चि) — 167.593 कि.मी. (5) रा.रा.सं. 208 (कोल्लम-आर्यनिकवू-मुवात्तपुझा) — 81.280 कि.मी., (6) रा.रा.सं. 212 (कोझीकोड-कल्लेगल) — 117.600 कि.मी., (7) रा.रा.सं. 213 (कोझीकोड-पलक्कड) — 125.300 कि.मी., (8) रा.रा.सं. 220 (कोल्लम-कोट्टायम-कुमिली-थीनी) — 190.300 कि.मी.।

केरल राज्य परिवहन परियोजना ने जून 2002 में विश्व बैंक की सहायता से 584 कि.मी. लंबी विद्यमान सड़कों को सुधारने तथा चौड़ा करने, 993 कि.मी. सड़कों की भारी मरम्मत करने तथा 150 कि.मी. के निष्पादन से संबंधित रखरखाव के लिए कार्यक्रम आरंभ किया है। इसमें 93 किलोमीटर लंबी अंतर्वर्ती जल नहर की योजना भी शामिल है।

रेलवे

राज्य में 1,148 किलोमीटर लंबी रेल लाइनों के अंतर्गत 13 रेलवे मार्ग हैं। बड़ी रेल लाइन 1,036.86 किलोमीटर और छोटी लाइन 111.14 किलोमीटर लंबी है। कोल्लम और पुनलुर के बीच छोटी लाइनों को बड़ी में बदलने का कार्य चल रहा है।

उड्डयन

राज्य में तीन प्रमुख हवाई अड्डे तिरुअनंतपुरम, कोच्चि (नेदुंबसेरी) और कोझीकोड में हैं। उनमें से प्रथम दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं।

बंदरगाह

585 कि.मी. लंबी तटवर्ती पंक्ति में केरल में एक बड़ा बंदरगाह कोच्चि में है और 17 छोटे मध्यवर्ती बंदरगाह हैं। प्रधानमंत्री ने 16 दिसंबर 2005 को वल्लारपदम अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत टर्मिनल का शिलान्यास किया। इसके पूरा हो जाने पर कोच्चि बंदरगाह हिंद महासागर का एक विशाल बंदरगाह बन जाएगा।

त्योहार

केरल में अनेक रंगारंग त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से अधिकतर त्योहार धार्मिक हैं जो हिंदू पुराणों से प्रेरित हैं। ओणम केरल का विशिष्ट त्योहार है, जो फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है। यह त्योहार खगोलशास्त्रीय नववर्ष के अवसर पर आयोजित किया जाता है। केरल में नवरात्रि पर्व सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का त्योहार पेरियार नदी के तट पर भव्य तरीके से मनाया जाता है और इसकी तुलना कुंभ मेले से की जाती है। सबरीमाला के अय्यप्पा मंदिर में इसी दौरान मकरविलक्कु भी आयोजित होता है। 41 दिन के इस उत्सव में देश-विदेश के लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। वलमकली या नौका दौड़ केरल का अपने ढंग का अनोखा आयोजन है। पुन्नमदा झील में आयोजित होने वाली नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ को छोड़कर शेष सभी नौका दौड़ उत्सवों का कोई न कोई धार्मिक महत्व है। त्रिचूर के वडक्कुमनाथ मंदिर में हर वर्ष अप्रैल-मई में पूरम त्योहार मनाया जाता है, जिसमें सजे-धजे हाथियों की भव्य शोभायात्रा निकलती है और आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाता है। क्रिसमस और ईस्टर ईसाइयों के मुख्य त्योहार हैं। पुंबा नदी के तट पर हर वर्ष मरामोन सम्मेलन होता है, जहां एशिया में ईसाइयों का सबसे बड़ा जमावड़ा लगता है। मुसलमान मिलाद शरीफ, रमजान के रोजे, बकरीद और ईद-उल-फितर का त्योहार मनाते हैं।

पर्यटन

पर्यटन केरल के लिए वैसा ही है, जैसे हिमाचल प्रदेश के लिए सेब उगाना। इन दोनों ही क्षेत्रों में दोनों

ही गतिविधियों की स्थायी और सफल वृद्धि के लिए अपेक्षित वातावरण पहले से विद्यमान है। पर्यटन क्षेत्र के पनपने के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं : प्राकृतिक सौंदर्य, सामान्य जलवायु, स्वच्छ पर्यावरण, मैत्री भाव वाले शांतिप्रिय लोग हैं जो सांस्कृतिक विविधता के प्रति बेहद सहिष्णु हैं और अनूठे पर्यावरण उत्पाद निर्मित करने की क्षमता रखते हैं।

केरल देश में सर्वप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। समुद्र तट, गर्म मौसम, समुद्री झीलें, पर्वतीय स्थल, जलप्रपात, वन्यजीवन, आयुर्वेद, वर्ष-भर त्योहार तथा विविध पेड़-पौधे केरल को पर्यटकों के लिए एक अनूठा गंतव्य स्थल बनाते हैं।

पर्यटन विभाग, केरल पर्यटन विकास निगम, जिला पर्यटन संवर्द्धन परिषद्, बेकल पर्यटन विकास निगम, स्थानीय प्रशासनों तथा निजी क्षेत्र की पर्यटन में महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में जो मुख्य क्षेत्र विकास के लिए देखे जा रहे हैं : वे हैं ग्रामीण पर्यटन, माइस पर्यटन (एम.आई.सी.ई.-मीटिंग, इंसेंटिव, कन्वेंशंस तथा इवेट्स/एक्सीबीशन/ट्रेड शोज़) यानी—बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां/व्यापार प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक पर्यटन, विरासत पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन तथा चिकित्सा पर्यटन। केरल में पर्यावरण पर्यटन के तहत शुरू की गई सबसे बड़ी परियोजना थेणमाला है। इसमें सुविधा केंद्र, शॉप कोर्ट, प्लाजा, पिकनिक क्षेत्र, चट्टान पर चढ़ाई, नदी पार का मुक्त प्रेक्षागृह, रेस्तरां, झूलते पुल, कमल के तालाब, संगीतमय नृत्य, फव्वारे, शिल्पमूर्ति वाले बाग, हिरण पुनर्वास केंद्र, नौकायन, बैटरी चालित वाहन आदि हैं। वन विभाग के समन्वय से पकरूवी में ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्ष 2004-05 में 1,04,622 पर्यटक थेणमाला पर्यावरण (इको) पर्यटन स्थल देखने गए और 35,63,820 लाख रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई।

राज्य में पर्यटन क्षेत्र से आय में वर्ष 2003 में 30 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2002 में जहां 705.67 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी, वहीं 2003 में यह बढ़कर 983.37 करोड़ रुपये हो गई। राज्य में 2004 में विदेशी पर्यटकों से विदेशी मुद्रा में 1,266.77 करोड़ रुपये की आय हुई और घरेलू पर्यटकों से 3,881.92 करोड़ रुपये की आय हुई। पर्यटन से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कुल आय लगभग 6,829 करोड़ रुपये हुई। पर्यटन में 8 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है और प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाता है।

शिक्षा

2001 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता औसत से अधिक है। केरल में साक्षरता दर पूरे भारत में सर्वाधिक है। केरल में यह दर 90.92 प्रतिशत (जनगणना 2001) है, जबकि भारत की औसत साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत है। राज्य में पुरुष साक्षरता की दर 94.2 प्रतिशत तथा स्त्री साक्षरता की दर 87.6 प्रतिशत है।

केरल में 2006 में कुल 12,644 स्कूल थे, जिनमें से 6,817 लोअर प्राइमरी, 3,037 अपर प्राइमरी और 2,790 हाईस्कूल थे। इसके अलावा 587 सीबीएसई स्कूल, 78 आईसीएसई स्कूल, 26 केंद्रीय विद्यालय और 13 जवाहर नवोदय विद्यालय थे।

केरल में स्कूल छोड़ने वालों की दर अपेक्षाकृत कम है। वर्ष 2004-05 में स्कूल छोड़ने वालों की दर लोअर प्राइमरी में 0.88, अपर प्राइमरी में 0.45 और हाईस्कूल में 1.50 थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार माध्यमिक स्तर की शिक्षा को मान्यता देने के लिए राज्य में उच्चतर

माध्यमिक पाठ्यक्रम शुरू किया गया। प्रथम चरण में, 1990-91 के दौरान 31 सरकारी स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर उच्चतर माध्यमिक स्कूल बना दिया गया। अकादमिक वर्ष 2005-06 से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली शुरू कर दी गई है।

स्वास्थ्य

केरल ने जन्मदर, मृत्युदर, शिशु मृत्यु दर, प्रसूति मृत्यु, जन्म पर औसत आयु तथा टीकाकरण के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य स्तर प्राप्त कर लिया है। केरल में प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म दर 16.90, मृत्यु दर 6.40, शिशु मृत्यु दर 10, प्रसूति मृत्यु दर 0.87 थी। हालांकि केरल ने बेहतर स्वास्थ्य देखभाल संकेतक प्राप्त कर लिए हैं, फिर भी लोग संक्रामक और गैर संक्रामक दोनों तरह की बीमारियों से अस्वस्थ होते जा रहे हैं।

केरल की स्वास्थ्य प्रणाली में एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी शामिल है। इन तीनों प्रणालियों के सरकारी क्षेत्र में 2,711 संस्थान हैं।

केरल अन्य राज्यों की तुलना में चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर कहीं ज्यादा खर्च करता है जो कि सरकार के प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य व्यय से स्पष्ट है।

जलापूर्ति

केरल में 1.4.2006 तक 83.07 प्रतिशत शहरी तथा 62.74 प्रतिशत ग्रामीण लोगों को नलों का पानी उपलब्ध करा दिया गया। कुल मिलाकर 68.02 प्रतिशत लोगों को पानी उपलब्ध कराया गया। 1.4.2005 तक यह 67.52 प्रतिशत के लिए था।

गरीबी उन्मूलन

गरीबी दूर करने के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बनाया गया है। केरल स्थानीय प्रशासन, और राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन द्वारा लागू 'कुटुंबश्री' में भाग लेकर महत्वपूर्ण काम कर रहा है। एनएसएसओ के 55वें चरण (1999-2000) के अनुसार केरल में 9.35 प्रतिशत गरीबी ग्रामीण इलाकों में और 20.27 प्रतिशत गरीबी शहरी इलाकों में है।

सरकार

राज्यपाल	: आर.एस.गावी
मुख्यमंत्री	: वी.एस. अच्युतनंदन
मुख्य सचिव	: लिज्जी जैकब
अधिकार क्षेत्र	: केरल और लक्षद्वीप

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. तिरुवनंतपुरम	2,192	32,34,356	तिरुवनंतपुरम
2. कोल्लम	2,491	25,85,208	कोल्लम

1214

भारत-2010

3.	पथनामथीटा	2,637	12,34,016	पथनामथीटा
4.	अलप्पुजा	1,414	21,09,160	अलप्पुजा
5.	कोट्टायम	2,208	19,53,646	कोट्टायम
6.	इडुकी	4,358	11,29,221	पयनाव
7.	एर्नाकुलम	3,068	31,05,798	एर्नाकुलम
8.	त्रिचूर	3,032	29,74,232	त्रिचूर
9.	पलक्कड	4,480	26,17,482	पलक्कड
10.	मलापुरम	3,550	36,25,471	मलापुरम
11.	कोझीकोड	2,344	28,79,131	कोझीकोड
12.	वायनाड	2,131	7,80,619	कालपेट्टा
13.	कन्नूर	2,966	24,08,956	कन्नूर
14.	कासरगोड	1,992	12,04,078	कासरगौड

मध्य प्रदेश

क्षेत्रफल	: 3,08,000 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	: 6,03,85,118
राजधानी	: भोपाल	मुख्य भाषा	: हिंदी

इतिहास और भूगोल

मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। भौगोलिक दृष्टि से यह देश में महत्वपूर्ण स्थान पर है।

सम्राट अशोक ने सबसे पहले उज्जैन पर शासन किया। मध्य भारत का काफी बड़ा हिस्सा गुप्त साम्राज्य (300-500 ईसवी) का भाग था। ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में मध्य भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ। सबसे पहले महमूद गजनवी यहां आया और फिर मुहम्मद गौरी आया, जिसने वहां के कुछ भागों को अपनी दिल्ली की सल्तनत में मिला लिया। मध्य भारत मुगल साम्राज्य का भी हिस्सा रहा। मराठों का प्रभाव आरंभ होने से लेकर 1794 में माधोजी सिंधिया के देहांत तक मध्य भारत पर मराठों का बोलबाला रहा। परंतु उसके बाद छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्य बनने लगे। ये छोटे राज्य ही आगे चलकर ब्रिटिश सत्ता के जमने का कारण बने।

इंदौर की रानी अहिल्याबाई होल्कर, गोंड की महारानी कमलापति और रानी दुर्गावती आदि कुछ महान महिला शासकों ने अपने उत्कृष्ट शासन के लिए भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखवा लिया। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर, 1956 को हुई। नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हुए विभाजन के बाद यह अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर, 2000 को अस्तित्व में आया। मध्य प्रदेश उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम में राजस्थान और गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र से घिरा है।

कृषि

कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है, क्योंकि राज्य की 74.73 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और खेती पर निर्भर है। राज्य की करीब 49 प्रतिशत जमीन खेती योग्य है। 2007 में शुद्ध बुवाई क्षेत्र (14.83) लाख हेक्टेयर रहने का अनुमान था और अनाज का कुल उत्पादन 14.45 मीट्रिक टन

रहा। गेहूं, चावल, दलहन जैसी प्रमुख फसलों का उत्पादन भी अच्छा रहा। 31 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वित किया गया है। बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग नाम से एक अलग विभाग गठित किया गया है।

उद्योग और खनिज

मध्य प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, मोटरवाहनों, सूचना प्रौद्योगिकी आदि उच्च-तकनीकी उद्योगों के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। दूरसंचार प्रणालियों के लिए यह राज्य ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन कर रहा है। इंदौर के पास पीठमपुर में बड़ी संख्या में मोटर-वाहन उद्योग स्थापित हुए हैं। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उद्योग हैं—भोपाल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि., होशंगाबाद में सिक्वोरिटी पेपर मिल, देवास में नोट छापने की प्रेस, नेपानगर में अखबारी कागज की मिल और नीमच की अल्कालॉयड फैक्ट्री। गत वर्ष राज्य में सीमेंट का उत्पादन 124.9 लाख मीट्रिक टन हुआ। पीठमपुर में जल्दी ही एक मालवाहक विमान परिसर स्थापित किया जा रहा है। भारत सरकार इंदौर में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित कर रही है। समग्र आर्थिक विकास नीति लागू कर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य ने निवेश को आकर्षित करने के लिए आकर्षक छूट देने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा की है। सागर जिले के बीना में काफी समय से लंबित 10,300 करोड़ रुपये की लागत वाली ओमान-बीना तेलशोधक परियोजना का रास्ता साफ हो गया है। भारत सरकार ने धार जिले के पीठमपुर में एक राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण, अनुसंधान तथा विकास परियोजना को मंजूरी दे दी है।

खनिज उत्पादन के क्षेत्र में राज्य का विशिष्ट स्थान है। राज्य में 90.20 करोड़ रुपये के खनिजों का उत्पादन हुआ। राज्य में 21 तरह के खनिज निकाले जाते हैं। 2007 में डोलोमाइट का उत्पादन 164 हजार मीट्रिक टन, हीरे का उत्पादन 586 कैरेट और चूना पत्थर का 256.40 लाख मीट्रिक टन, बॉक्साइट का उत्पादन 4.75 करोड़ मीट्रिक टन, ताम्र अयस्क का उत्पादन 2.91 करोड़ मीट्रिक टन और कोयले का उत्पादन 678.41 करोड़ मीट्रिक टन रहा। यह राज्य चंदेरी और माहेश्वर के पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघे से बने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है।

सिंचाई और बिजली

2008 में कुल 63.47 लाख हेक्टेयर इलाके में सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी। सिंचाई सुविधाओं में 39 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक वृद्धि का लक्ष्य है। 30 जिलों की विद्यमान सिंचाई प्रणालियों का नवीकरण करके 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की फिर से बहाली के लिए 1919 करोड़ रुपये की जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना पर काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में निम्न स्तर का कोयला प्रचुर मात्रा में होता है, जो बिजली उत्पादन के अनुकूल है। पनबिजली उत्पादन की भी यहां अपार क्षमता है। राज्य में वर्ष 2007 में विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 9658.45 मेगावाट थी। यहां 902.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के आठ पनबिजली केंद्र हैं। राज्य के 51,806 में से 50,475 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है।

विकास की पहल

मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार योजना सभी 50 जिलों में लागू की गई है। इस योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। राज्य में बागवानी उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया है।

परिवहन

सड़कें

मध्य प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई 73,311 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 4,280 कि.मी. और प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई 8,729 कि.मी. है। राज्य में सड़कों के निर्माण तथा सुधार का कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है तथा लगभग 60 हजार कि.मी. सड़कों का निर्माण तथा सुधार किया जाएगा।

रेलवे

उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला प्रमुख रेलमार्ग मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। राज्य में भोपाल, बीना, ग्वालियर, इंदौर, इटारसी, जबलपुर, कटनी, रतलाम और उज्जैन मुख्य जंक्शन हैं। रेलवे के क्षेत्रीय मुख्यालय भोपाल, रतलाम और जबलपुर में हैं।

त्योहार

मध्य प्रदेश में कई त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं। आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण त्योहार *भगोरिया* है, जो परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। खजुराहो, भोजपुर, पचमढ़ी और उज्जैन में *शिवरात्रि* के पर्व के दौरान स्थानीय परंपराओं का रंग दिखाई देता है। चित्रकूट और ओरछा में *रामनवमी* पर्व के आयोजन की अनोखी परंपरा है। ओरछा, मालवा और पचमढ़ी के उत्सवों में कला और संस्कृति का बड़ा सुंदर मेल दिखाई देता है। ग्वालियर के तानसेन संगीत समारोह, मैहर के उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, उज्जैन के कालिदास समारोह और खजुराहो के नृत्य समारोह मध्य प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध कला उत्सव हैं। जबलपुर में संगमरमर की चट्टानों के लिए मशहूर भेड़ाघाट में इस वर्ष से वार्षिक नर्मदा उत्सव की शुरुआत की गई है। शिवपुरी में इस वर्ष से शिवपुरी उत्सव शुरू किया गया है।

पर्यटन स्थल

अपनी मध्यकालीन विशेषताओं को सहेजकर रखे हुए मध्य प्रदेश के शहर, स्फूर्ति भर देने वाले वन्य जीव अभयारण्य, अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थान और देश के पवित्रतम तथा महत्वपूर्ण तीर्थ इस राज्य में पर्यटकों के आकर्षण के अनेक केंद्र हैं। पचमढ़ी का अद्भुत सौंदर्य, भेड़ाघाट की चमचमाती संगमरमरी चट्टानें और धुआंधार जलप्रपातों का शोर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जहां अनूठे बारहसिंगे रहते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जहां प्रागैतिहासिक गुफाएं और वन्य जीव हैं—ये सब राज्य के प्रमुख आकर्षण हैं। ग्वालियर, मांडू, दतिया, चंदेरी, जबलपुर, ओरछा, रायसेन, सांची, विदिशा, उदयगिरि, भीमबेटका, इंदौर और भोपाल ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं। माहेश्वर, ओंकारेश्वर, उज्जैन, चित्रकूट और अमरकंटक ऐसे स्थान हैं, जहां आकर तीर्थयात्रियों के मन को शांति मिलती है। खजुराहो के मंदिर विश्व में अनूठे हैं। इसके अलावा ओरछा, भोजपुर और उदयपुर के मंदिर इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। सतना, सांची, विदिशा, ग्वालियर, इंदौर, मंदसौर, उज्जैन, राजगढ़, भोपाल, जबलपुर, रीवां और अन्य अनेक स्थानों के संग्रहालयों में पुरातत्वीय महत्व के भंडारों को संरक्षित रखा गया है। माहेश्वर, ओंकारेश्वर तथा अमरकंटक को उनके धार्मिक महत्व के अनुसार समग्र विकास के लिए पवित्र शहर घोषित किया गया है। बुरहानपुर को नए पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

सरकार

राज्यपाल	: रामेश्वर ठाकुर
मुख्यमंत्री	: शिवराज सिंह चौहान

राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश

1217

मुख्य सचिव : आर.सी. साहनी

उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र : मध्य प्रदेश

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. बदवानी	-	10,81,039	बदवानी
2. बालाघाट	9,229	14,45,760	बालाघाट
3. बेतूल	10,043	13,94,421	बेतूल
4. भिंड	4,459	14,26,951	भिंड
5. भोपाल	2,772	18,36,784	भोपाल
6. छतरपुर	8,687	14,74,633	छतरपुर
7. छिंदवाड़ा	11,815	18,48,882	छिंदवाड़ा
8. दमोह	7,306	10,81,909	दमोह
9. दतिया	2,038	6,27,818	दतिया
10. देवास	7,020	13,06,617	देवास
11. धार	8,153	17,40,577	धार
12. दिंदोरी	-	5,79,312	दिंदोरी
13. गुना	11,065	16,65,503	गुना
14. ग्वालियर	5,214	16,29,881	ग्वालियर
15. हरदा	-	4,74,174	हरदा
16. होशंगाबाद	10,037	10,85,011	होशंगाबाद
17. इंदौर	3,898	25,85,321	इंदौर
18. जबलपुर	10,160	21,67,469	जबलपुर
19. झाबुआ	6,782	13,96,677	झाबुआ
20. कटनी	-	10,63,689	कटनी
21. खंडवा (पूर्वी निमाड़)	10,779	17,08,170	खंडवा
22. खरगौन (पश्चिमी निमाड़)	13,450	15,29,954	खरगौन
23. मांडला	13,269	8,93,908	मांडला
24. मंदसौर	9,791	11,83,369	मंदसौर
25. मुर्ना	11,594	15,87,264	मुर्ना
26. नरसिंहपुर	5,133	9,57,399	नरसिंहपुर
27. नीमच	-	7,25,457	नीमच
28. पन्ना	7,135	8,54,235	पन्ना
29. रायसेन	8,446	11,20,159	रायसेन
30. राजगढ़	6,154	12,53,246	राजगढ़
31. रतलाम	4,861	12,14,536	रतलाम
32. रीवां	6,314	19,72,333	रीवां
33. सागर	10,252	20,21,783	सागर

34. सतना	7,502	19,68,648	सतना
35. सीहोर	6,578	10,78,769	सीहोर
36. सिवनी	8,758	11,65,893	सिवनी
37. शहडोल	14,028	15,72,748	शहडोल
38. शाजापुर	6,196	12,90,230	शाजापुर
39. श्योपुर	-	5,59,715	श्योपुर
40. शिवपुरी	10,278	14,40,666	शिवपुरी
41. सिद्धि	10,256	18,30,160	सिद्धि
42. टीकमगढ़	5,048	12,03,533	टीकमगढ़
43. उज्जैन	6,091	17,09,885	उज्जैन
44. उमरिया	-	5,15,851	उमरिया
45. विदिशा	2,742	12,14,759	विदिशा
46. अशोक नगर	4,673.90	6,88,940	अशोक नगर
47. बुरहानपुर	24,72.5	6,35,661	बुरहानपुर
48. अनूपपुर	3,746	6,61,127	अनूपपुर
49. अलीराजपुर	-	-	अलीराजपुर
50. सिंगरौली	-	-	सिंगरौली

महाराष्ट्र

क्षेत्रफल	: 3,07,713 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	: 9,67,52,247
राजधानी	: मुंबई	मुख्य भाषा	: मराठी

इतिहास और भूगोल

महाराष्ट्र के पहले प्रसिद्ध शासक सातवाहन (ई.पू. 230 से 225 ई.) थे जोकि महाराष्ट्र के संस्थापक थे। उन्होंने अपने पीछे बहुत से साहित्यिक, कलात्मक तथा पुरातात्विक प्रमाण छोड़े हैं। उनके शासनकाल में मानव जीवन के हर क्षेत्र में भरपूर प्रगति हुई।

इसके बाद वाकाटक आए, जिन्होंने सर्व-भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। उनके शासनकाल में महाराष्ट्र में शिक्षा, कला तथा धर्म सभी दिशाओं में विकास हुआ। उनके शासन के दौरान ही अजंता की गुफाओं में उच्च कोटि के भित्तिचित्र बनाए गए। वाकाटकों के बाद कुछ समय के लिए कलचुरी वंश ने शासन किया और फिर चालुक्य सत्ता में आए। इसके बाद तटवर्ती इलाकों में शिलाहारों के अलावा महाराष्ट्र पर राष्ट्रकूट तथा यादव शासकों का नियंत्रण रहा। यादवों ने मराठी को शासन की भाषा बनाया और दक्षिण के एक बड़े भाग पर अपना आधिपत्य कायम किया।

हालांकि बहमनी शासकों ने महाराष्ट्र तथा इसकी संस्कृति को कुछ हद तक समन्वित किया, पर शिवाजी के कुशल नेतृत्व में महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास हुआ और यह एक अलग पहचान के साथ उभरकर सामने आया। शिवाजी ने स्वराज तथा राष्ट्रीयता की एक नई भावना पैदा की। उनकी प्रचंड शक्ति ने मुगलों को भारत के इस भाग में आगे नहीं बढ़ने दिया। पेशवाओं ने दक्षिण के पठार से लेकर पंजाब पर हमला बोलकर मराठाओं का आधिपत्य स्थापित किया।

स्वतंत्रता संग्राम में महाराष्ट्र सबसे आगे था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भी यहीं हुआ। मुंबई तथा महाराष्ट्र के अन्य शहरों के अनगिनत नेताओं ने पहले तिलक और बाद में महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस के आंदोलन को आगे बढ़ाया। गांधीजी ने भी अपने आंदोलन का केंद्र महाराष्ट्र को बनाया था और गांधी युग में राष्ट्रवादी देश की राजधानी सेवाग्राम थी।

देश के राज्यों के भाषायी पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 मई, 1960 को महाराष्ट्र राज्य का प्रशासनिक प्रादुर्भाव हुआ। यह राज्य आसपास के मराठी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया, जोकि पहले चार अलग-अलग प्रशासनों के नियंत्रण में थे। इनमें मूल ब्रिटिश मुंबई प्रांत में शामिल दमन तथा गोवा के बीच का जिला, हैदराबाद के निजाम की रियासत के पांच जिले, मध्य प्रांत (मध्य प्रदेश) के दक्षिण के आठ जिले तथा आसपास की ऐसी अनेक छोटी-छोटी रियासतें शामिल थीं, जो समीपवर्ती जिलों में मिल गई थीं। महाराष्ट्र प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में बसा हुआ है और भौगोलिक दृष्टि से एक समान है। यहां का मुंबई बंदरगाह अरब सागर का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। भौतिक दृष्टि से यह राज्य मुख्यतः पठारी है। महाराष्ट्र पठारों का पठार है। इसके उठे हुए पश्चिमी किनारे सह्याद्रि पहाड़ियों का निर्माण करते हैं और समुद्र तट के समानांतर हैं तथा इसकी ढलान पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व की ओर धीरे-धीरे बढ़ती है। राज्य के उत्तरी भाग में सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, जबकि अजंता तथा सतमाला पहाड़ियां राज्य के मध्य भाग से होकर जाती हैं। अरब सागर महाराष्ट्र की पश्चिमी सीमा का प्रहरी है, जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश इसके उत्तर में हैं। राज्य की पूर्वी सीमा पर छत्तीसगढ़ है और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश इसके दक्षिण में हैं।

कृषि

महाराष्ट्र के लगभग 65 प्रतिशत श्रमिक कृषि तथा संबंधित गतिविधियों पर निर्भर हैं। 2003-04 में 29.4 लाख हेक्टेयर शुद्ध सिंचित क्षेत्र था। यहां की प्रमुख फसलें हैं—धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं, तूर, मूंग, उड़द, चना और अन्य दलहन। यह राज्य तिलहनों का प्रमुख उत्पादक है और मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन प्रमुख तिलहनी फसलें हैं। महत्वपूर्ण नकदी फसलें हैं—कपास, गन्ना, हल्दी और सब्जियां। राज्य में 13.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के फल, जैसे—आम, केला, संतरा, अंगूर, काजू आदि की फसलें उगाई जाती हैं।

उद्योग

महाराष्ट्र को पूरे देश का औद्योगिक क्षमता का केंद्र माना जाता है और राज्य की राजधानी मुंबई देश की वित्तीय तथा वाणिज्यिक गतिविधियों का केंद्र है। राज्य की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। खाद्य उत्पाद, तंबाकू और इससे बनी चीजें, सूती कपड़ा, कपड़े से बना सामान, कागज और इससे बनी चीजें, मुद्रण और प्रकाशन, रबड़, प्लास्टिक, रसायन व रासायनिक उत्पाद, मशीनें, बिजली की मशीनें, यंत्र व उपकरण तथा परिवहन उपकरण और उनके कल-पुर्जे आदि का राज्य के औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2005-06 में औद्योगिक उत्पादन (निर्माण) वर्ष 2004-05 के मुकाबले 8.9 प्रतिशत अधिक रहा।

सिंचाई और बिजली

जून 2005 के अंत तक 32 बड़ी, 178 मंझोली और राज्य क्षेत्र की 2,274 लघु सिंचाई परियोजनाएं पूरी हो चुकी थीं। इसके अलावा 21 बड़ी और 39 मंझोली सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य जारी है। 2004-05 में राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र 36.36 लाख हेक्टेयर था।

2004-2005 में महाराष्ट्र की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 12,909 मेगावाट थी। राज्य में प्लांट लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.) 81.6 प्रतिशत था और बिजली उत्पादन 68,507 करोड़ किलोवाट था।

परिवहन

सड़कें

मार्च 2005 तक राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 2.29 लाख कि.मी. थी, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 4,367 कि.मी., प्रांतीय राजमार्गों की 33,406 कि.मी., प्रमुख जिला सड़कों की 48,824 कि.मी., अन्य जिला सड़कों की लंबाई 44,792 कि.मी. और ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई 97,913 कि.मी. थी।

रेलवे

महाराष्ट्र में 5,527 कि.मी. रेल मार्ग है। इसमें से लगभग 78.6 प्रतिशत बड़ी रेल लाइनें, 7.8 प्रतिशत मीटर गेज तथा 13.6 प्रतिशत छोटी रेल लाइनें हैं।

उड्डयन

राज्य में कुल 24 हवाई अड्डे/हवाई पट्टियां हैं। इनमें से 17 महाराष्ट्र सरकार के नियंत्रण में हैं। चार हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण/भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नियंत्रण में हैं, जबकि बाकी तीन रक्षा मंत्रालय के अधीन हैं। राज्य सरकार के नियंत्रण वाले हवाई अड्डों पर अभी व्यावसायिक उड़ानों की सुविधा नहीं है।

बंदरगाह

मुंबई प्रमुख बंदरगाह है। राज्य में दो बड़े और 48 छोटे अधिसूचित बंदरगाह हैं।

पर्यटन स्थल

यहां के महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र हैं : अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी और कारला गुफाएं, महाबलेश्वर, माथेरन और पंचगनी, जवाहर, मालशेजघाट, अंबोली, चिकलधारा और पन्हाला पर्वतीय स्थल। पंढरपुर, नासिक, शिरडी, नांदेड़, औधानागनाथ, त्र्यंबकेश्वर, तुलजापुर, गणपतिपुले, भीमशंकर, हरिहरेश्वर, शेगांव, कोल्हापुर, जेजुरी तथा अंबजोगई प्रसिद्ध धार्मिक स्थान हैं।

सरकार

राज्यपाल : एस.एम. कृष्णा

मुख्यमंत्री : अशोक चव्हाण

मुख्य सचिव : डी.के. शंकरन

उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र : महाराष्ट्र और गोवा

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (2000 की गणना)	मुख्यालय
1. अहमदनगर	17,034	40,88,077	अहमदनगर
2. अकोला	5,431	16,29,305	अकोला

राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश

1221

3.	अमरावती	12,235	26,06,063	अमरावती
4.	औरंगाबाद	10,106	29,20,548	औरंगाबाद
5.	भंडारा	3,890	11,35,835	भंडारा
6.	बीड	10,692	21,59,841	बीड
7.	मुंबई नगर	157	33,26,837	मुंबई
8.	मुंबई (उपनगर)	446	85,87,561	बांद्रा
9.	बुलढाणा	9,680	22,26,328	बुलढाणा
10.	चंद्रपुर	11,417	20,77,909	चंद्रपुर
11.	धुले	8,061	17,08,993	धुले
12.	गडचिरोली	14,477	9,69,960	गडचिरोली
13.	जलगांव	11,757	36,79,936	जलगांव
14.	जालना	7,715	16,12,357	जालना
15.	कोल्हापुर	7,692	35,15,413	कोल्हापुर
16.	लाटूर	7,166	20,78,237	लाटूर
17.	नागपुर	9,810	40,51,444	नागपुर
18.	नांदेड	10,545	28,68,158	नांदेड
19.	नासिक	15,539	49,87,923	नासिक
20.	उस्मानाबाद	7,550	14,72,256	उस्मानाबाद
21.	परभणी	6,511	14,91,109	परभणी
22.	पुणे	15,637	72,24,224	पुणे
23.	रायगढ़	7,162	22,05,972	अलीबाग
24.	रत्नागिरि	8,196	16,96,482	रत्नागिरि
25.	सांगली	8,577	25,81,835	सांगली
26.	सतारा	10,475	27,96,906	सतारा
27.	सिंधुदुर्ग	5,222	8,61,672	ओरस
28.	शोलापुर	14,886	38,55,383	शोलापुर
29.	थाणे	9,563	81,28,833	थाणे
30.	वर्धा	6,311	12,30,640	वर्धा
31.	यवतमाल	13,594	24,60,482	यवतमाल
32.	नंदुरबार	5,035	13,09,135	नंदुरबार
33.	वाशिम	5,150	10,19,725	वाशिम
34.	गोंदिया	5,430	12,00,151	गोंदिया
35.	हिंगोली	4,526	9,86,717	हिंगोली

मणिपुर

क्षेत्रफल	: 22,327 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	: 22,93,896
राजधानी	: इंफाल	मुख्य भाषा	: मणिपुरी

इतिहास और भूगोल

ईसवी युग के प्रारंभ होने से पहले से ही मणिपुर का लंबा और शानदार इतिहास है। यहां के राजवंशों का लिखित इतिहास सन 33 ई. में पखंगबा के राज्याभिषेक के साथ शुरू होता है। उसके बाद अनेक राजाओं ने मणिपुर पर शासन किया। मणिपुर की स्वतंत्रता और संप्रभुता 19वीं सदी के आरंभ तक बनी रही। उसके बाद सात वर्ष (1819 से 1825 तक) बर्मी लोगों ने यहां पर कब्जा करके शासन किया। 1891 में मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया और 1947 में शेष देश के साथ स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर यह एक मुख्य आयुक्त के अधीन भारतीय संघ में भाग 'सी' के राज्य के रूप में शामिल हुआ। बाद में इसके स्थान पर एक प्रादेशिक परिषद गठित की गई जिसमें 30 चयनित तथा दो मनोनीत सदस्य थे। इसके बाद 1962 में केंद्रशासित प्रदेश अधिनियम के अंतर्गत 30 चयनित तथा तीन मनोनीत सदस्यों की एक विधानसभा स्थापित की गई। 19 दिसंबर, 1969 से प्रशासक का दर्जा मुख्य आयुक्त से बढ़ाकर उपराज्यपाल कर दिया गया। 21 जनवरी, 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 60 निर्वाचित सदस्यों वाली विधानसभा गठित की गई। इसमें से 19 अनुसूचित जनजाति और 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। राज्य से लोकसभा में दो और राज्यसभा में एक प्रतिनिधि है।

मणिपुर भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित है। यह 23.83° से 25.68° उत्तरी अक्षांश और 93.03° से 94.78° पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य दो भागों में बंटा हुआ है—पर्वतीय भाग में पांच तथा मैदानी भाग में चार जिले हैं। मणिपुर पूर्व में म्यांमार, उत्तर में नगालैंड, पश्चिम में असम और मिजोरम तथा दक्षिण में म्यांमार और मिजोरम से घिरा हुआ है। राज्य चारों तरफ से घिरी पहाड़ियों के बीच की घाटी में है। राज्य के 9/10 भाग में पहाड़ियां हैं। मणिपुर पहाड़ी समुद्र तल से 970 मीटर ऊपर है। पहाड़ियां उत्तर में ऊंची हैं और दक्षिण में कम होते-होते समाप्त हो जाती हैं। घाटी भी दक्षिण की ओर ढल जाती है।

कृषि

कृषि और संबद्ध गतिविधियां राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। 70 प्रतिशत आबादी इस पर निर्भर करती है। घाटी तथा पर्वत राज्य के दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं। घाटी को चावल का कटोरा कहा जाता है। पर्वतों की अधिकतम ऊंचाई 3000 मीटर है। राज्य का मौसम गर्म, आर्द्र तथा बारिश वाला है। पिछले दस वर्षों में राज्य में औसतन 1482.20 मिमि. वर्षा हुई। जून, जुलाई तथा अगस्त में सर्वाधिक वर्षा होती है। राज्य में कृषि भी असमान है क्योंकि यह बरसात पर निर्भर करती है।

कुल क्षेत्र में से 10.48 प्रतिशत पर खेती की जाती है। घाटी में 47 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्र में 53 प्रतिशत पर खेती की जाती है। 2001 की जनगणना के अनुसार व्यक्ति या कृषि भूमि का अनुपात हेक्टेयर में 1:0.10 है। सिंचित क्षेत्र 30,980 हेक्टेयर अर्थात् कृषि भूमि का 13.24 प्रतिशत है। फसल उत्पादकता में तीव्र आधुनिकीकरण के बावजूद जनसंख्या में तीव्र वृद्धि राज्य की खेती के लिए समस्या है।

राज्य कृषि विभाग निम्न उद्देश्यों के साथ ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान व्यवसायीकरण तथा विविधता की योजना बना रही है :

- (i) कुल कृषि क्षेत्र में वृद्धि
- (ii) ग्यारहवीं योजना के अंत तक फसल मात्रा में वृद्धि
- (iii) ग्यारहवीं योजना के अंत तक सकल फसल उत्पादन में 7.97 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि

वन

जनवरी 2005 में राज्य का कुल वन क्षेत्र 17,086 वर्ग कि.मी. अर्थात् भौगोलिक क्षेत्र का 76.53 प्रतिशत है। इसमें से 923 वर्ग किमी. अत्यधिक घना, 5541 वर्ग किमी. कम घना तथा 10,622 वर्ग किमी खुला वन क्षेत्र है। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार सघन वन क्षेत्र, विरल वन क्षेत्र तथा खुले वन क्षेत्र में क्रमशः 7 वर्ग कि.मी., 54 वर्ग किमी. तथा 112 वर्ग कि.मी. की कमी आई है। वन क्षेत्र में कमी का कारण सभी पहाड़ी जिलों में स्थानांतरित खेती तथा तमांगलॉग, चूड़ाचंददुर तथा चंदेल जिलों में बांस में फूल आना है।

मणिपुर के उखरूल जिले में सिरोंडा पर्वतमाला में सिरोंडा लिलि पाई जाती है, विश्व में यह लिलि पुष्प सिर्फ यहीं पाया जाता है। जूको घाटी में दुर्लभ-प्रजाति जूको लिलि पाई जाती है।

मणिपुर पृथ्वी का एकमात्र स्थल है, जहां ब्राउ-एंटिलर्ड हिरन पाया जाता है। इसका स्थानीय नाम संगी है। यह विष्णुपुर जिले में पाया जाता है। इसके पर्यावरण स्थल को राष्ट्रीय अभ्यारण बना दिया गया है, जो 40 वर्ग किमी. में फैला है। यह ताजे पानी की प्रसिद्ध झील लोकटाक झील के दक्षिण-पूर्व में स्थित है। 1975 में इन हिरनों की संख्या 14 थी जो 2003 में बढ़कर 180 पहुंच गई। अन्य संरक्षित क्षेत्र लोकचो वन्यजीव अभ्यारण है। यह 184.40 वर्ग किमी. है। यह चंदेल जिले में स्थित है। इस अभ्यारण में मालायन सन बीयर पाया जाता है।

राज्य जैव-विविधता के मामले में बहुत समृद्ध है। यहां टेक्सास, बकाटा, जिंगसिंग, आदि जैसे दुर्लभ औषधीय पौधे पाए जाते हैं। राज्य ने 11-13 दिसंबर, 2008 तक इंफाल में आशियान तथा बिमिस्टिक देशों के लिए औषधीय पौधों पर एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें बंगलादेश, भूटान, ब्रूनई, जेरुशलम, कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड तथा वियतनाम ने भाग लिया। मणिपुर में दुर्लभ आर्किड तथा फर्न भी पाए जाते हैं।

सिंचाई

राज्य में 1980 से सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गईं। अभी तक 8 बड़ी तथा मझौली परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें से पांच आठवीं योजना अवधि के अंत तक पूरी हो गई थीं।

इस समय तीन बड़ी तथा मझौली सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं। इन तीनों परियोजनाओं के पूरे हो जाने के बाद राज्य की सिंचाई आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। इन परियोजनाओं को पूरा करना राज्य का प्राथमिक उद्देश्य है। थोबल बहुउद्देशीय परियोजना आंशिक रूप से पूरी हो गई है। इसकी क्षमता 4000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने की है। चालू परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर 106950 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी, वाणिज्य तथा उद्योग 19 एमजीडी जलापूर्ति होगी तथा 9.75 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा।

वाणिज्य तथा उद्योग

हथकरधा राज्य का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। कृषि के बाद इसमें सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। यह राज्य

की महिलाओं की आय का प्रमुख स्रोत है। यह परंपरागत कला राज्य की महिलाओं का प्रस्थिति प्रतीक होने के साथ ही उनकी सामाजिक-आर्थिक पक्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खाद्य प्रसंस्करण राज्य का अन्य लोकप्रिय उद्योग है। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए राज्य सरकार ने इंफाल में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र तथा खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण हाल खोला है। नीलाकुटी में फूड पार्क की स्थापना का काम चल रहा है। इसमें 60 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सामान्य सुविधाएं जैसे कोल्ड स्टोरेज, वेट ब्रिज, वेयरहाउसिंग, डाकघर, बैंक, विद्युत तथा जलापूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी।

12 अप्रैल, 1995 से भारत-म्यांमार सीमा खोल दी गई है। इससे राज्य के बहुत से परिवारों को रोजगार मिला है। राज्य का वाणिज्य तथा उद्योग विभाग सीमापारीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। सीमावर्ती कस्बे मोराह में वेयरहाउसिंग तथा कन्वेंशनल हाल स्थापित किए गए हैं। इंफाल के वाणिज्य तथा उद्योग निदेशालय के परिसर में विदेश व्यापार महानिदेशालय का कैंप कार्यालय खोला गया है। गृह मंत्रालय की पहल से मोराह में एकीकृत चेकपोस्ट स्थापित किया गया है।

बिजली

मणिपुर राज्य की विद्युत आपूर्ति पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित केंद्रीय क्षेत्र के निम्न विद्युत उत्पादन स्टेशन पर निर्भर है—(1) एनएचपीसी की लोकटाक जल विद्युत परियोजना, (2) पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन की कोपिली जल विद्युत परियोजना, (3) खांडोंग जल विद्युत परियोजना, (4) दोयांग जल विद्युत परियोजना, (5) रंगांडी जल विद्युत परियोजना, (6) एजीवीपीपी, काठलगुरी, (7) एजीटीपीपी, रामचंद्रनगर, (8) बारामुरा गैस थर्मल परियोजना।

मानसून के अतिरिक्त अधिकांश स्टेशनों में क्षमता से कम विद्युत उत्पादन होता है। इस समय मणिपुर को दिन में 40-50 मेगावाट तथा मांग की अधिकता के समय 70-90 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की जाती है जबकि आवश्यकता क्रमशः 100 मेगावाट तथा 150 मेगावाट है।

मणिपुर में 1800 मेगावाट की संभावित जल विद्युत क्षमता है, जो न केवल राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है, बल्कि दूसरे राज्यों को भी इसकी आपूर्ति की जा सकती है। कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जो इस प्रकार हैं—

1. लोकटाक जल विद्युत परियोजना (2 × 33 मेगावाट) एनएचपीसी तथा राज्य सरकार के 74:26 शेयर से लागू की जा रही है, यह 12वीं योजना में कार्य करना शुरू कर देगी।
2. तापीमुख जल विद्युत परियोजना (1500 मेगावाट) एनएचपीसी लिमिटेड (69 प्रतिशत पूंजी शेयर), एसजेवीएनएल (26 प्रतिशत पूंजी शेयर) तथा मणिपुर सरकार (5 प्रतिशत पूंजी शेयर) द्वारा बनाई जा रही है और 12वीं योजना अवधि में पूर्ण होने की संभावना है।
3. इरंग जल विद्युत परियोजना (15 × 4 मेगावाट) के लिए सर्वे का कार्य चल रहा है।
4. तुवाई जल विद्युत परियोजना (17 × 3 मेगावाट) का सर्वे कार्य 2010-11 में पूर्ण हो जाने की संभावना है।

परिवहन

सड़कें

वर्ष 2008 तक सड़कों की कुल लंबाई 12618 किमी. है। तीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39, 53 तथा 150 राज्य के सभी जिलों को जोड़ती हैं। मणिपुर की राजधानी इंफाल राष्ट्रीय राजमार्ग 39 द्वारा उत्तर में

राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश

1225

नागालैंड तथा पूर्व म्यांमार से तथा एनएच 53 पश्चिम में असम से तथा एमएच 150 दक्षिण में मिजोरम से जोड़ता है।

सौराष्ट्र-सिलचर सुपर राजमार्ग परियोजना को मोराह तक बढ़ाया जा रहा है। प्रस्तावित मोराह-माइसॉट (थाईलैंड) राजमार्ग से मणिपुर दक्षिण-पूर्व एशिया का गेटवे बन जाएगा।

उड़डयन

इंफाल पूर्वोत्तर का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। यह आइजोल, गुवाहाटी, कोलकाता, सिलचर तथा नई दिल्ली से वायु सेवा द्वारा जुड़ा है।

इंफाल हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। सिर्फ पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एयरलाइन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

रेलवे

मई, 1990 में जीरीबाम में रेल हेड खोला गया। यह इंफाल से 225 किमी. है। इंफाल का निकटवर्ती रेल हेड दिमापुर (नागालैंड) 215 किमी. है।

जिरीबाम-तुपुल रेलवे लाइन को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। लाइन का निर्माण 2014 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य को तुपुल से इंफाल तक बढ़ाया जाएगा।

त्योहार

मणिपुर में वर्ष भर त्योहार मनाए जाते हैं। शायद ही कोई महीना हो जब कोई त्योहार न मनाया जाता हो। त्योहार मणिपुर निवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक आकांक्षाओं का प्रतीक हैं। राज्य के प्रमुख त्योहार हैं—लाई हारोबा, रास लीला, चिराओबा, निंगोल चाक-कुबा, रथ यात्रा, ईद-उल-फितर, इमोइनु, गान-नागी, लुई-नगाई-नी, ईद-उल-जुहा, योशांग (होली), दुर्गा पूजा, मेरा होचोंगबा, दिवाली, कुट तथा क्रिसमस आदि।

पर्यटन केंद्र

स्वास्थ्यप्रद जलवायु तथा मनमोहक प्राकृतिक भू-दृश्यों से मणिपुर पर्यटकों को बार-बार आने के लिए लुभाता है। मुख्य पर्यटन केंद्र—कांगला, श्रीश्री गोविंदाजी मंदिर, ख्वाराम्बंद बाजार (इमा कियेल), युद्ध स्मारक, शहीद मीनार, नूपी लेन (स्त्रियों का युद्ध) स्मारक परिसर, खोंगमपट्ट उद्यान, आजाद हिंद सेना (मोइरंग) स्मारक, लोकतक झील, केइबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान, विष्णुपुर का विष्णु मंदिर, सेंदरा, मोरह, सिरोंय गांव, सिरोंय पहाड़ियां, ड्यूको घाटी, राज्य संग्रहालय, केनिया पर्यटक आवास, खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर आदि हैं।

सरकार

राज्यपाल : गुरुबचन जगत
मुख्यमंत्री : ओ. इबोबी सिंह
विधानसभा अध्यक्ष : डा. सपम बुद्धिचंद्र सिंह
मुख्य सचिव : डी.एस. पुनिया (आई.ए.एस.)

उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र : गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ, इंफाल पीठ ने 14 मार्च,

1992 से कार्य करना आरंभ किया। 30 अप्रैल 2006 को मुख्य न्यायाधीश ने नए उच्च न्यायालय परिसर का शिलान्यास किया।

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा मुख्यालय

क्र.स.	जिला	क्षेत्रफल	जनसंख्या	मुख्यालय
1.	सेनापति	3,271	2,83,621	सेनापति
2.	उखरूल	4,544	1,40,778	उखरूल
3.	चंदेल	3,313	1,18,327	चंदेल
4.	चूड़ाचांदपुर	4,570	2,27,905	चूड़ाचांदपुर
5.	तामंगलॉग	4,391	1,11,499	तामंगलॉग
6.	इंफाल (पश्चिम)	519	4,44,382	लाम्फेलपट
7.	इंफाल (पूर्व)	709	3,94,876	पोरोम्पट
8.	थोबल	514	3,64,140	थोबल
9.	विष्णुपुर	496	2,08,368	विष्णुपुर

मेघालय

क्षेत्रफल	: 22,429 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	: 23,18,822 (2001 की जनगणना)
राजधानी	: शिलांग	मुख्य भाषा	: खासी, गारो तथा अंग्रेजी

इतिहास और भूगोल

मेघालय का गठन असम के अंतर्गत 2 अप्रैल, 1970 को एक स्वायत्तशासी राज्य के रूप में किया गया। एक पूर्ण राज्य के रूप में मेघालय 21 जनवरी, 1972 को अस्तित्व में आया। इसकी उत्तरी और पूर्वी सीमाएं असम से और दक्षिणी तथा पश्चिमी सीमाएं बंगलादेश से मिलती हैं। मेघालय, जिसका शाब्दिक अर्थ है—मेघों का आलय यानी बादलों का घर, मूलतः एक पहाड़ी राज्य है। यहां मुख्यतः खासी, जयंतिया और गारो आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। मेघालय के मध्य और पूर्वी भाग, जिसमें खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं, एक विशाल पठारी क्षेत्र हैं। इस इलाके में विस्तृत मैदान, पहाड़ियां और नदी-घाटियां हैं। इस पठार के दक्षिणी इलाके में गहरे खड्ड तथा खड़ी ढलानें हैं और पहाड़ की तलहटी पर समतल भूमि की संकरी पट्टी बंगलादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगी है।

कृषि और सिंचाई

मेघालय बुनियादी तौर पर कृषि प्रधान राज्य है। यहां की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या आजीविका के लिए मुख्य रूप से खेती-बाड़ी पर निर्भर है। यहां की मिट्टी और जलवायु बागवानी के अनुकूल होने के कारण बागवानी के विकास की यहां काफी क्षमता है। शीतोष्ण, उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय फलों और सब्जियों के उत्पादन की भी यहां अच्छी संभावनाएं हैं।

चावल और मक्का यहां की मुख्य फसलें हैं। इनके अतिरिक्त मेघालय अपने संतरे (खासी मेंडेरियन), अनन्नास, केला, कटहल और आलूबुखारा, नाशपाती तथा आड़ू जैसे शीतोष्ण फलों के लिए प्रसिद्ध है। नकदी फसलों तथा प्रचलित व परंपरागत ढंग से उगाई जाने वाली फसलों में आलू, हल्दी,

अदरक, काली मिर्च, सुपारी, पान, टैपियोका, छोटे रेशे वाली कपास, पटसन और मेस्टा, सरसों और तोरिया शामिल हैं। इस समय गैर-परंपरागत फसलों जैसे तिलहनों (मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी), काजू, स्ट्रॉबरी, चाय और कॉफी, मशरूम, जड़ी-बूटियों, आर्किड और व्यावसायिक दृष्टि से उगाए जाने वाले फूलों की खेती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

भूतलीय जल तथा भूजल से राज्य की सिंचाई क्षमता लगभग 2.13 लाख हेक्टेयर है और अब तक 55,182 हेक्टेयर क्षमता जुटाई जा चुकी है।

उद्योग

मेघालय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड राज्य की वित्तीय एवं औद्योगिक विकास संस्था है, जो स्थानीय उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जिला औद्योगिक केंद्र लघु, ग्रामीण, बहुत छोटे स्तर के तथा कुटीर उद्योगों के विकास तथा संवर्धन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। लोहे तथा इस्पात सामग्री, सीमेंट तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनेक उपक्रमों की स्थापना की गई है।

त्योहार

पांच दिन तक मनाया जाने वाला 'का पांबलांग-नॉंगक्रेम' खासियों का एक प्रमुख धार्मिक त्योहार है। यह नॉंगक्रेम नृत्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह खासियों का एक प्रमुख धार्मिक त्योहार है। यह हर साल शिलांग से लगभग 11 कि.मी. दूर स्मित नाम के गांव में मनाया जाता है। *शाद मिनसीम* खासियों का एक अन्य महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व हर वर्ष अप्रैल के दूसरे सप्ताह में शिलांग में मनाया जाता है। बेहदीनखलम जयंतिया आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण तथा खुशनुमा त्योहार है। यह आमतौर पर जुलाई के महीने में जयंतिया पहाड़ियों के जोवाई कस्बे में मनाया जाता है। गारो आदिवासी अपने देवता सलजोंग (सूर्य देवता) के सम्मान में अक्टूबर-नवंबर में वांगाला त्योहार मनाते हैं। यह त्योहार एक हफ्ते तक चलता है।

पर्यटन स्थल

मेघालय में जगह-जगह ऐसे खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं, जहां प्रकृति अपने भव्य रूप में दिखाई देती है। राजधानी शिलांग में कई रमणीक स्थान हैं। इनमें वार्ड लेक, लेडी हैदरी पार्क, पोलो ग्राउंड, मिनी चिड़ियाघर, एलीफेंट जलप्रपात, और शिलांग चोटी प्रमुख हैं। शिलांग चोटी से पूरे शहर का नजारा दिखाई देता है। यहां का गोल्फ कोर्स देश के बेहतरीन गोल्फ कोर्सों में से एक है।

परिवहन

सड़कें

मेघालय से छह राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राज्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई पक्की और कच्ची सड़कों की कुल लंबाई 7,977.98 किलोमीटर है।

उड्डयन

राज्य में एकमात्र हवाई अड्डा उमरोई में है, जो शिलांग से 35 किलोमीटर दूर है।

सरकार

राज्यपाल	:	आर.के. मुशहरी
मुख्यमंत्री	:	डी.डी. लपांग

मुख्य सचिव : आर. चटर्जी

उच्च न्यायालय का अधिकार : मेघालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। शिलांग में उच्च न्यायालय की खंडपीठ भी है।

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. पूर्वी खासी हिल्स	2,820	6,60,923	शिलांग
2. पश्चिमी खासी हिल्स	5247	296,049	नांगस्टन
3. जयंतिया हिल्स	3,819	2,99,108	जोवाई
4. पूर्वी गारो हिल्स	2603	250582	विलियम नगर
5. पश्चिमी खासी हिल्स	3715	518390	तुरा
6. रिभोई	2376	1,92,790	नॉंगपोह
7. दक्षिणी गारो हिल्स	1,849	1,00,980	बाघमारा

मिज़ोरम

क्षेत्रफल : 21,081 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या : 8,91,058
राजधानी : आइजोल	मुख्य भाषा : मिज़ो और अंग्रेजी

इतिहास और भूगोल

मिज़ोरम पर्वतीय प्रदेश है। फरवरी, 1987 को यह भारत का 23वां राज्य बना। 1972 में केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले तक यह असम का एक जिला था। 1891 में ब्रिटिश कब्जे में जाने के बाद कुछ वर्षों तक उत्तर का लुशाई पर्वतीय क्षेत्र असम के और आधा दक्षिणी भाग बंगाल के अधीन रहा। 1898 में दोनों को मिलाकर एक जिला बना दिया गया जिसका नाम पड़ा—लुशाई हिल्स जिला और यह असम के मुख्य आयुक्त के प्रशासन में आ गया। 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू होने पर मिज़ोरम केंद्रशासित प्रदेश बन गया। भारत सरकार और मिज़ो नेशनल फ्रंट के बीच 1986 में हुए ऐतिहासिक समझौते के फलस्वरूप 20 फरवरी, 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्व और दक्षिण में म्यांमार और पश्चिम में बांग्लादेश के बीच स्थित होने के कारण भारत के पूर्वोत्तर कोने में मिज़ोरम सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण राज्य है। मिज़ोरम में प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है तथा इस क्षेत्र में प्रकृति की विभिन्न छटाएं देखने को मिलती हैं। यह क्षेत्र विभिन्न प्रजातियों के प्राणियों तथा वनस्पतियों से संपन्न है।

‘मिज़ो’ शब्द की उत्पत्ति के बारे में ठीक से ज्ञात नहीं है। 19वीं शताब्दी में यहां ब्रिटिश मिशनरियों का प्रभाव फैल गया और इस समय तो अधिकांश मिज़ो लोग ईसाई धर्म को ही मानते हैं। मिज़ो भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है। मिशनरियों ने मिज़ो भाषा और औपचारिक शिक्षा के लिए रोमन लिपि को अपनाया। मिज़ोरम में शिक्षा की दर तेजी से बढ़ी है। वर्तमान में यह 88.8 प्रतिशत है, जोकि पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। मिज़ोरम शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले स्थान पर आने के लिए बड़े प्रयास कर रहा है।

कृषि

मिज़ोरम के 80 प्रतिशत लोग कृषि कार्यों में लगे हैं। कृषि की मुख्य प्रणाली झूम या स्थानांतरित कृषि है। अनुमानित 21 लाख हेक्टेयर भूमि में से 6.30 लाख हेक्टेयर भूमि बागवानी के लिए उपलब्ध है। वर्तमान में 4127.6 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही विभिन्न-विभिन्न फसलों की बागवानी की जा रही है, जो कि अनुमानित संभावित क्षेत्र का मात्र 6.55 प्रतिशत है। यह दर्शाता है कि मिज़ोरम में बागवानी फसलों के फलने-फूलने की विस्तृत संभावनाएं हैं। बागवानी की मुख्य फसलें फल हैं। इनमें मैडिरियन संतरा, केला, सादे फल, अंगूर, हटकोडा, अनन्नास और पपीता आदि शामिल हैं। इसके अलावा यहां एंथुरियम, बर्ड आफ पेराडाइज, आर्किड, चिरासेथिमम, गुलाब तथा अन्य कई मौसमी फूलों की खेती होती है। मसालों में अदरक, हल्दी, काली मिर्च, मिर्च (चिड़िया की आंख वाली मिर्च) भी उगाए जाते हैं। यहां के लोग पाम आयल, जड़ी-बूटियों तथा सुगंध वाले पौधों की खेती भी बड़े पैमाने पर करने लगे हैं।

सिंचाई

मिज़ोरम में संभावित भूतल सिंचाई क्षेत्र लगभग 70,000 हेक्टेयर है। इसमें से 45,000 हेक्टेयर बहाव क्षेत्र में है और 25,000 हेक्टेयर 70 पक्की लघु सिंचाई परियोजनाओं और छह लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें वर्ष में दो या तीन फसलें ली जा सकती हैं।

उद्योग

संपूर्ण मिज़ोरम अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र है और इसे 'उद्योगविहीन क्षेत्र' के तहत वर्गीकृत किया गया है। 1989 में मिज़ोरम सरकार की औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद पिछले दशक में यहां थोड़े से आधुनिक लघु उद्योगों की स्थापना हुई है। मिज़ोरम उद्योगों को और तेजी से बढ़ाने के लिए वर्ष 2000 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इनमें इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी, बांस तथा इमारती लकड़ी पर आधारित उत्पाद, खाद्य तथा फलों का प्रसंस्करण, वस्त्र, हथकरघा तथा हस्तशिल्प शामिल हैं।

औद्योगिक नीति में राज्य से बाहर के निवेश को आकर्षित करने के लिए ऐसे सभी बड़े, मध्यम तथा लघु पैमाने के उद्योगों, जिनमें कि स्थानीय लोग भागीदार हों, की स्थापना के लिए साझे उपक्रम लगाने की अनुमति दी गई है। विद्यमान औद्योगिक संपदाओं के उन्नयन के अतिरिक्त संरचनात्मक विकास कार्य जैसे कि लुंगामुआल, आइजोल में औद्योगिक प्रोत्साहन संस्थान (आईजीसी), निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क, लेंगरी, एकीकृत संरचनात्मक विकास केंद्र (आईआईडीसी), पुकपुई, लुंगतेई तथा खाद्य पार्क, छिंगछिप आदि पूर्ण होने वाले हैं।

चाय की वैज्ञानिक तरीके से खेती आरंभ की गई है। निर्यातानुमुखी औद्योगिक इकाइयों (ईओयूज) की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए एम्परेल प्रशिक्षण तथा डिजाइन केंद्र तथा रत्नों की कटाई तथा पॉलिश करने की इकाइयां लगाने की योजना है। कुटीर उद्योगों में हथकरघा तथा हस्तशिल्प को उच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा ये दोनों क्षेत्र मिज़ोरम तथा इसके पड़ोसी राज्यों—मेघालय तथा नगालैंड में उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए फल-फूल रहे हैं।

राज्य की शांतिपूर्ण स्थिति, म्यांमार तथा बंगलादेश की सीमाओं के व्यापार के लिए खुलने तथा भारत सरकार की 'पूर्व की ओर देखो नीति' के कारण मिज़ोरम अब और अधिक समय तक देश के दूरस्थ होने का राज्य मात्र नहीं बना रहेगा। इन सब बातों से निकट भविष्य में मिज़ोरम में औद्योगीकरण की गति में भारी तेजी आएगी।

बिजली

तुईरियाल पनबिजली परियोजना (60 मेगावाट) का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। कोलोडाइन पनबिजली परियोजना (500 मेगावाट) का सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा दिसंबर 2005 तक पूरा कर लिया गया है। इस उपक्रम से 500 मेगावाट बिजली के उत्पादन के अलावा क्षेत्र में जल परिवहन की सुविधाएं प्राप्त होंगी। मिज़ोरम सरकार ने इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। तीन मेगावाट क्षमता की तुईपांगुली तथा काऊतलाबंग राज्य पनबिजली परियोजनाओं को हाल में ही चालू किया गया है जिन्होंने राज्य की पनबिजली उत्पादन क्षमता को 15 मेगावाट कर दिया है। मेशम-II(3 मेगावाट), सेरलुई 'बी'(12 मेगावाट) तथा लामसियाल (0.5 मेगावाट) राज्य पनबिजली योजनाओं का कार्य प्रगति पर है तथा इनके सन 2007 के दौरान चालू होने की उम्मीद है। कुल 695 गांवों में बिजली पहुंचा दी गई और 709 कि.मी की 132 के.वी. लाइन पूरी कर ली गई।

परिवहन

राज्य में सड़कों (सड़क सीमा संगठन तथा राज्य लोक निर्माण विभाग) की कुल लंबाई 5,982.25 किलोमीटर है। राज्य में बैराबी में रेलमार्ग स्थापित किया गया है। राज्य की राजधानी आइज़ोल विमान सेवा से जुड़ी है। बेहतर परिवहन सुविधा के लिए सरकार ने विश्व बैंक के अनुदान की मदद से कुल 350 करोड़ रुपये की लागत से मिज़ोरम राज्य सड़क परियोजना शुरू की है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मिज़ोरम में 384 गांवों को जोड़ने वाली 2,421 किमी. लंबी सड़क बनाने का कार्य तेजी से प्रगति पर है।

त्योहार

मिज़ो लोग मूलतः किसान हैं। अतः उनकी तमाम गतिविधियां तथा त्योहार भी जंगल की कटाई करके की जाने वाली झूम खेती से ही जुड़े हैं। त्योहार के लिए मिज़ो शब्द 'कुट' है। मिज़ो लोगों के विभिन्न त्योहारों में से आजकल केवल तीन मुख्य त्योहार 'चपचार कुट', 'मिम कुट' और 'थालफवांगकुट' मनाए जाते हैं।

पर्यटन स्थल

समुद्र तल से लगभग 4,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय नगर आइज़ोल, मिज़ोरम का एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। म्यामां की सीमा के निकट चमफाई एक सुंदर पर्यटन स्थल है। तामदिल एक प्राकृतिक झील है जहां मनोहरी वन हैं। यह आइज़ोल से 80 किलोमीटर और पर्यटक स्थल सैतुअल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वानतांग जलप्रपात मिज़ोरम में सबसे ऊंचा और अति सुंदर जलप्रपात है। यह थैनज़ोल कस्बे से पांच किलोमीटर दूर है। पर्यटन विभाग ने राज्य में सभी बड़े कस्बों में पर्यटक आवास गृह तथा अन्य कस्बों में राजमार्ग रेस्तरां तथा यात्री सरायों का निर्माण किया है। जोबौक के निकट जिला पार्क में अल्पाइन पिकनिक हट तथा बेरो त्लांग में मनोरंजन केंद्र भी बनाए गए हैं।

सरकार

राज्यपाल : (अवकाश प्राप्त) ले. जनरल एम.एम. लखेरा
मुख्यमंत्री : पी.वी. ललथनवाला
मुख्य सचिव : हौजैल हौखुम

उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र : यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। मिज़ोरम में न्यायालय की एक खंडपीठ है।

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. आइजोल	3,576.31	3,39,812	आइजोल
2. लुंगलेई	4,538.00	1,37,155	लुंगलेई
3. छिमतुईपुई	1,399.90	60,823	सैहा
4. लोंगतलई	2,557.10	73,050	लोंगतलई
5. चंफई	3,185.85	1,01,389	चंफई
6. कोलासिब	1,282.51	60,977	कोलासिब
7. ममित	3,025.75	62,313	ममित
8. सरछिप	1,421.60	55,539	सरछिप

नगालैंड

क्षेत्रफल : 16,579 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या : 19,88,636
राजधानी : कोहिमा	मुख्य भाषाएं : अंगामी, आओ, चांग, कोन्याक, लोथा, संगताम, सेमा और चाखेसांग

इतिहास और भूगोल

नगालैंड 1 दिसंबर, 1963 को भारतीय संघ का 16वां राज्य बना। यह राज्य पूर्व में म्यांमार, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है। यह पूर्व में 98° तथा 96° देशांतर तथा भूमध्य रेखा के उत्तर में 26.6° तथा 27.4° अक्षांश के बीच बसा हुआ है।

नगालैंड राज्य का क्षेत्रफल 16,579 वर्ग कि.मी. तथा 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी 19,88,636 है। असम घाटी की सीमा से लगे क्षेत्र के अलावा इस राज्य का क्षेत्र अधिकांशतः पहाड़ी है। इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी सरमती है जिसकी ऊंचाई 3,840 मीटर है और यह पर्वत शृंखला नगालैंड और म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक सीमा रेखा खींच देती है।

नगा लोग भारतीय-मंगोल वर्ग के लोगों में से हैं, जो भारत की उत्तर-पूर्वी पहाड़ियों से सटे क्षेत्रों और पश्चिमी म्यांमार के ऊपरी भाग में रहते हैं। नगालैंड की प्रमुख जनजातियां हैं: अंगामी, आओ, चाखेसांग, चांग, खिआमनीउंगन, कुकी, कोन्याक, लोथा, फौम, पोचुरी, रेंग्मा, संगताम, सुमी, यिमचुंगरू और जेलिआंग। नगा भाषा एक जनजाति से दूसरी जनजाति और कभी-कभी तो एक गांव से दूसरे गांव में भी अलग हो जाती है। तथापि इन्हें तिब्बत-बर्मा भाषा परिवार में वर्गीकृत किया गया है।

बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी में इन लोगों का आज के असम के अहोम लोगों से धीरे-धीरे संपर्क हुआ, लेकिन इससे इन लोगों के रहन-सहन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन पर यह क्षेत्र ब्रिटिश प्रशासन के अधीन आ गया। स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में यह क्षेत्र केंद्रशासित प्रदेश बन गया और असम के राज्यपाल द्वारा इसका प्रशासन देखा जाने लगा। यह नगा

हिल्स तुएनसांग क्षेत्र कहलाया। यह जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरा और असंतोष पनपने लगा। अतः 1961 में इसका नाम बदलकर 'नगालैंड' रखा गया और इसे भारतीय संघ के राज्य का दर्जा दिया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन 1 दिसंबर, 1963 को हुआ।

कृषि

नगालैंड मूलतः कृषि की भूमि है। लगभग 70 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है। राज्य में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। चावल यहां का मुख्य भोजन है। कुल क्षेत्र के 70 प्रतिशत में धान की खेती होती है और राज्य के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 75 प्रतिशत चावल है।

यहां मुख्यतः 'स्लेश' और 'बर्न' खेती प्रचलित है, जिसे स्थानीय तौर पर झूम के नाम से जाना जाता है। करीब 1,01,400 हेक्टेयर क्षेत्र में झूम खेती और हेक्टेयर क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती की गई। इस वर्ष के दौरान सकल खाद्य उत्पादन 3,86,300 मीट्रिक टन था।

16,57,587 हेक्टेयर के कुल भूमिक्षेत्र में से करीब 8,35,436 हेक्टेयर क्षेत्र में वन हैं। कोहिमा जिले में इंतकी तथा पुलीबादजे, तुएनसांग में फाकिम और दीमापुर में रंगापहाड़ नामक वन्यजीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान हैं।

बिजली

1981 की जनगणना के अनुसार नगालैंड के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है, जिसमें दूरस्थ गांव भी शामिल हैं।

सिंचाई

राज्य में कोई बड़ी या मंझोली सिंचाई परियोजना नहीं है। छोटी सिंचाई परियोजनाओं से मुख्यतः पहाड़ी झरनों की धारा मोड़ी जाती है, जो घाटी में धान की खेती की सिंचाई में काम आती है। कुल सिंचित क्षेत्र 93,231.43 हेक्टेयर है।

परिवहन

सड़कें

राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 9,860 किलोमीटर है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, जिला तथा ग्रामीण सड़कें शामिल हैं।

रेलवे/उड्डयन

नगालैंड में दीमापुर एकमात्र ऐसा स्थान है, जहां रेल और विमान सेवाएं उपलब्ध हैं।

त्योहार

संगीत और नृत्य नगा जनजीवन के मूलभूत अंग हैं। वीरता, सुंदरता, प्रेम और उदारता का गुणगान करने वाले लोकगीत और लोकगाथाएं पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली जा रही हैं। इसी तरह नृत्य हर उत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर त्योहार पर दावत, नाच-गाना और उल्लास होता है। राज्य के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं—सेकरेन्थी, मोआत्सु, तोक्कू एमोंग और तुलनी।

पर्यटन स्थल

प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) में ढील देने से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आना-जाना शुरू हो गया है, अतः यहां देशी-विदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में आते हैं।

पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में 'हॉर्नबिल' उत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें नगालैंड की सभी जनजातियां एक जगह आकर उत्सव मनाती हैं और अपनी पारंपरिक वस्तुओं, खाद्य पदार्थों और शिल्पगत चीजों का प्रदर्शन करती तथा बेचती हैं। तीन पारंपरिक उत्सवों—कोहिमा जिले के तोउफेमा में *सेकरेन्थी* (26-27 फरवरी); लोंगलेंग उपमंडल के पोंगो में *मोन्यू* (1-3 अप्रैल) तथा मोकोकचुंग जिले के चुचुयिमलांग में *मोआत्सु* (1-3 मई) की उत्सव गंतव्यों के रूप में पहचान की गई है।

उद्योग

राज्य में औद्योगीकरण की प्रक्रिया अभी अपनी शैशवावस्था में है, किंतु और अधिक उद्योग लगाने की आवश्यकता को अच्छी तरह पहचाना गया है। दीमापुर में एक लाख ईंटें प्रतिदिन उत्पादित करने की क्षमता वाली नगालैंड मैकेनाइज्ड ब्रिक्स कंपनी लि. चालू कर दी गई है। हथकरघा और हस्तशिल्प महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग हैं, जो अधिकतर सहकारी समितियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। दीमापुर स्थित नगालैंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम लि. सरकार के स्वामित्व वाला निगम है, जो राज्य में हथकरघा और हस्तशिल्प के उत्पादों को बढ़ावा देने और उनके विपणन का काम करता है। दीमापुर के निकट गणेश नगर में एक औद्योगिक विकास केंद्र बनकर तैयार हो गया है।

नगालैंड औद्योगिक विकास निगम उद्यमियों को मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता देने वाली सबसे बड़ी प्रोत्साहक संस्था है। दीमापुर के फल और सब्जी प्रसंस्करण और कोल्ड स्टोरेज संयंत्र की स्थापित क्षमता क्रमशः 5 मीट्रिक टन फल और सब्जी के प्रसंस्करण और 3000 मीट्रिक टन प्रतिदिन के कोल्ड स्टोरेज की है।

सरकार

राज्यपाल	:	श्यामल दत्ता
मुख्यमंत्री	:	नेफियू रियो
मुख्य सचिव	:	लाल हुमा

उच्च न्यायालय : नगालैंड गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोहिमा में न्यायालय की खंडपीठ है।

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. कोहिमा	3,144	3,14,366	कोहिमा
2. मोकोकचुंग	1,615	2,27,320	मोकोकचुंग
3. मोन	1,876	2,59,604	मोन
4. त्वेनसांग	4,228	4,14,801	त्वेनसांग

5.	जून्हेबोटो	1,255	1,54,909	जून्हेबोटो
6.	वोखा	1,628	1,61,098	वोखा
7.	दीमापुर	927	3,08,382	दीमापुर
8.	फेक	2,026	1,48,246	फेक

उड़ीसा

क्षेत्रफल	: 1,55,707 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	: 3,68,04,660
राजधानी	: भुवनेश्वर	मुख्य भाषा	: उड़िया

इतिहास और भूगोल

उड़िया लोगों की भूमि उड़ीसा प्राचीन काल में कलिंग के नाम से विख्यात थी। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी (261 ई.पू.) में मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के लिए शक्तिशाली सेना भेजी, जिससे कलिंगवासियों ने जमकर लोहा लिया। अशोक ने कलिंग जीत तो लिया, किंतु युद्ध की मार-काट से उसके मन में आत्मग्लानि पैदा हो गई। अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग फिर से स्वाधीन हो गया। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में खारवेल राजा के अधीन कलिंग एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। खारवेल की मृत्यु के बाद उड़ीसा की ख्याति लुप्त हो गई। चौथी शताब्दी में विजय अभियान पर निकले समुद्रगुप्त ने उड़ीसा पर आक्रमण किया और इस प्रदेश के पांच राजाओं को पराजित किया। सन 610 में उड़ीसा पर शशांक नरेश का अधिकार हो गया। शशांक के निधन के पश्चात हर्षवर्धन ने उड़ीसा पर विजय प्राप्त की।

सातवीं शताब्दी में उड़ीसा पर यहीं के गंग वंश का शासन रहा। सन 795 में महाशिवगुप्त यज्ञाति द्वितीय ने उड़ीसा का शासन संभाला और इसके साथ ही उड़ीसा के इतिहास का सबसे उज्ज्वल अध्याय प्रारंभ हुआ। उन्होंने कलिंग, कनगोडा, उत्कल और कोशल को एक करके खारवेल की तरह का विशाल साम्राज्य स्थापित किया। गंग वंश के राजाओं के शासन काल में उड़ीसा की खूब प्रगति हुई। इसी राजवंश के नरसिंह देव कोणार्क का विश्वप्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनवाने के लिए प्रसिद्ध हैं। 16वीं शताब्दी के मध्य से 1592 तक उड़ीसा पर पांच मुस्लिम राजाओं ने शासन किया। सन 1592 में अकबर ने उड़ीसा को अपने राज्य में शामिल कर लिया। मुगलों के पतन के बाद उड़ीसा पर मराठों का अधिकार हो गया। सन 1803 में ब्रिटिश आधिपत्य से पहले उड़ीसा मराठा राजाओं के अधीन रहा।

1 अप्रैल सन 1936 को उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दे दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात उड़ीसा तथा इसके आसपास की रियासतों ने भारत सरकार को अपनी प्रभुसत्ता सौंप दी। रियासतों (गवर्नर के अधीन प्रांतों) के विलय संबंधी आदेश 1949 के अंतर्गत जनवरी 1949 में उड़ीसा की सभी रियासतों का उड़ीसा राज्य में पूर्ण विलय कर दिया गया। यद्यपि उड़ीसा के कलिंग, उत्कल और उद्र जैसे कई प्राचीन नाम हैं, किंतु यह प्रदेश मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ उड़ीसा के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। विभिन्न कालों में उड़ीसा के लोगों पर बौद्ध, ईसाई और इस्लाम धर्मों का भी काफी प्रभाव पड़ा।

उड़ीसा भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, उत्तर-पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में झारखंड, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में आंध्र प्रदेश है। राज्य को

मोटे तौर पर चार भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ये हैं—उत्तरी पठार, मध्य नदी थाला, पूर्वी पहाड़ियां और तटवर्ती मैदान।

कृषि

राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे राज्य के निवल उत्पाद का 26 प्रतिशत प्राप्त होता है और कार्यशील जनसंख्या की 65 प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में काफी उतार-चढ़ाव आया है। यह सब प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ। फिर भी 2006-07 में राज्य में 73.45 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। चावल उड़ीसा की मुख्य फसल है और 2006-07 में 10,341 टीएमटी मी.टन चावल का उत्पादन हुआ। गन्ने की खेती किसान बड़े पैमाने पर कर रहे हैं।

सिंचाई और बिजली

सिंचाई न केवल कृषि उत्पादन को स्थिर करने के लिए, बल्कि किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत बीजों और आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने का महत्वपूर्ण पक्ष है। लगभग 28.31 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है।

2006-07 में राज्य क्षेत्र में बिजली की कुल स्थापित क्षमता 3,095 मेगावाट थी। मार्च 2006 तक राज्य के 46,989 गांवों में से 38,044 गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है।

उद्योग

उद्योग प्रोत्साहन तथा निवेश निगम लि., औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड तथा उड़ीसा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम—ये तीन प्रमुख एजेंसियां राज्य के बड़े और मंझोले उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं।

औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए इस्पात, एल्यूमीनियम, एल्यूमिन्स, पेट्रो रसायन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा आईटीईएस, ताप बिजली उत्पादन और अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी निवेशकों के साथ 4 लाख करोड़ रुपयों के निवेश के लिए आशय पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य सरकार लघु, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन और रियायतें देकर संस्थागत और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। 2006-07 के अंत तक 4,550 अति लघु, लघु और मध्यम उद्यमियों ने उत्पादन प्रारंभ किया जिन पर 271.14 करोड़ रुपये का निवेश हुआ और जिनमें 20,839 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए।

परिवहन

सड़कें

2006-07 के दौरान राज्य में सड़कों की लंबाई इस प्रकार थी: राष्ट्रीय राजमार्गों की 3,596 कि.मी., प्रांतीय एक्सप्रेस राज्यमार्गों की 29 कि.मी., राजकीय राजमार्गों की 3,855 कि.मी., मुख्य जिला सड़कों की 3,842 कि.मी., अन्य जिला सड़कों की 6,515 कि.मी., ग्रामीण सड़कों की 27,284 कि.मी., पंचायत समिति सड़कों की 20,314 कि.मी., ग्राम पंचायत सड़कों की 1,39,942 कि.मी., वन्य सड़कों की 7,298 कि.मी., शहरी सड़कों की 17,282 कि.मी., सिंचाई सड़कों की 6,277 कि.मी. और ग्रिडको सड़कों की 88 किलोमीटर।

रेलवे

राज्य में रेलमार्गों की लंबाई 2,339 कि.मी. है जिसमें 54 कि.मी. छोटी लाइनें हैं। कुल 234 रेलवे स्टेशन हैं और 127 पैसेंजर गाड़ियां यहां रुकती हैं।

उड्डयन

भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भुवनेश्वर हवाई अड्डे (बीजू पटनायक हवाई अड्डे) के भौगोलिक, पर्यटन और व्यावसायिक महत्व को देखते हुए इसके विस्तार/आधुनिकीकरण का काम शुरू किया है। भुवनेश्वर से दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलौर और मुंबई के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं।

बंदरगाह

देश के 11 बड़े बंदरगाहों में से एकमात्र परायदीप ऐसा है जो उड़ीसा में है। इसके अलावा, धामरा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशाल बंदरगाह का निर्माण शुरू हो गया है। गोपालपुर में हर मौसम के अनुकूल बंदरगाह बनना शुरू हो गया है। अनेक बंदरगाह निर्माताओं ने बालासोर के सुवर्णरेखा मुहाने पर तथा अस्तंरंग में देवी मुहाने पर हर मौसम के अनुकूल बंदरगाह विकसित करने में रुचि दिखाई है। इन बंदरगाहों के विकास से उड़ीसा का समुद्र-तट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र बन जाएगा।

सरकार

राज्यपाल	: मुरलीधर चंद्रकांत भंडारी
मुख्यमंत्री	: नवीन पटनायक
कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष	: प्रहलाद दोरा
मुख्य सचिव	: अजित कुमार त्रिपाठी
मुख्य न्यायाधीश	: डॉ बलबीर सिंह चौधरी
उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	: उड़ीसा

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. अंगुल	6,375	11,40,003	अंगुल
2. बालासोर	3,806	20,24,508	बालासोर
3. बोलनगीर	6,575	13,37,194	बोलनगीर
4. बाउध	3,098	3,73,372	बाउध
5. भद्रक	2,505	13,33,749	भद्रक
6. बारगढ़	5,837	13,46,336	बारगढ़
7. कटक	3,932	23,41,094	कटक
8. देवगढ़	2,940	2,74,108	देवगढ़
9. गंजम	8,206	31,60,635	छत्रपुर

राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश

1237

10. ढेंकानल	4,452	10,66,878	ढेंकानल
11. गजपति	4,325	51,18,837	परलखेमुंडी
12. जगतसिंहपुर	1,668	10,57,629	जगतसिंहपुर
13. जाजपुर	2,899	16,24,341	जाजपुर टाउन
14. झारसुगड़ा	2,081	5,09,716	झारसुगड़ा
15. क्योँझर	8,303	15,61,990	क्योँझर
16. कालाहांडी	7,920	13,35,494	भवानीपटना
17. कोरापुट	8,807	11,80,637	कोरापुट
18. केंद्रपाड़ा	2,644	13,02,005	केंद्रपाड़ा
19. खुर्द	2,813	18,77,395	खुर्द
20. मयूरभंज	10,418	22,23,456	बारीपाड़ा
21. मलकानगिरि	5,791	5,04,198	मलकानगिरि
22. नवरंगपुर	5,291	10,25,766	नवरंगपुर
23. नयागढ़	3,890	8,64,516	नयागढ़
24. नवापाड़ा	3,852	5,30,696	नवापाड़ा
25. पुरी	3,479	15,02,682	पुरी
26. कंधामल	8,021	6,48,201	फूलबनी
27. रायगढ़	7,073	8,31,109	रायगढ़
28. संबलपुर	6,657	9,35,613	संबलपुर
29. सुंदरगढ़	9,712	18,30,673	सुंदरगढ़
30. सोनपुर	2,337	5,41,835	सोनपुर

पंजाब

क्षेत्रफल	: 50,362 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	: 2,43,58,999
राजधानी	: चंडीगढ़	मुख्य भाषा	: पंजाबी

इतिहास और भूगोल

प्राचीन पंजाब किसी जमाने में विस्तृत भारत-ईरानी क्षेत्र का हिस्सा रहा है। बाद के वर्षों में यहां मौर्य, बैक्ट्रियन, यूनानी, शक, कुषाण, गुप्त जैसी अनेक शक्तियों का उत्थान और पतन हुआ। मध्यकाल में पंजाब मुसलमानों के अधीन रहा। सबसे पहले गजनवी, गौरी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, लोदी और मुगल वंशों का पंजाब पर अधिकार रहा। पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में पंजाब के इतिहास ने नया मोड़ लिया। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से यहां भक्ति आंदोलन ने जोर पकड़ा। सिख पंथ ने एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य धर्म और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। दसवें गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को खालसा पंथ के रूप में संगठित किया तथा उन्हें सदियों के दमन और अत्याचार के खिलाफ एकजुट किया। उन्होंने देशभक्ति, धर्मनिरपेक्षता और मानवीय मूल्यों पर आधारित पंजाबी राज की स्थापना की। एक फारसी लेखक के शब्दों में महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब

को 'मदम कदा' अर्थात् नरक से 'बाग-ए-बहिश्त' यानी स्वर्ग में बदल दिया। किंतु उनके देहांत के बाद अंदरूनी साजिशों और अंग्रेजों की चालों के कारण पूरा साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। अंग्रेजों और सिखों के बीच दो निष्फल युद्धों के बाद 1849 में पंजाब ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया।

स्वतंत्रता आंदोलन में गांधीजी के आगमन से बहुत पहले ही पंजाब में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष आरंभ हो चुका था। अंग्रेजों के खिलाफ यह संघर्ष सुधारवादी आंदोलनों के रूप में प्रकट हो रहा था। सबसे पहले आत्मानुशासन और स्वशासन में विश्वास करने वाले नामधारी संप्रदाय ने संघर्ष का बिगुल बजाया। बाद में लाला लाजपतराय ने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। चाहे देश में हो या विदेश में, पंजाब स्वतंत्रता संग्राम में हर मोर्चे पर आगे रहा। देश की आजादी के बाद भी पंजाब के कष्टों का अंत नहीं हुआ और उसे विभाजन की विभीषिका का सामना करना पड़ा जिसमें बड़े पैमाने पर रक्तपात तथा विस्थापन हुआ। विस्थापित लोगों के पुनर्वास के साथ-साथ राज्य को नए सिरे से संगठित करने की भी चुनौती थी।

पूर्वी पंजाब की आठ रियासतों को मिलाकर नए राज्य 'पेप्सू' तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ-पटियाला का निर्माण किया गया। पटियाला को इसकी राजधानी बनाया गया। सन 1956 में पेप्सू को पंजाब में मिला दिया गया। बाद में 1966 में पंजाब से कुछ हिस्से निकालकर हरियाणा बनाया गया।

पंजाब देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में जम्मू और कश्मीर, उत्तर-पूर्व में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में हरियाणा तथा राजस्थान हैं।

कृषि

पंजाब राज्य में देश के भौगोलिक क्षेत्र के केवल 1.5 प्रतिशत हिस्से में देश के कुल गेहूं का 22 प्रतिशत, चावल का 12 प्रतिशत और 12 प्रतिशत कपास की पैदावार करता है। अब पंजाब में फसल गहनता 186 प्रतिशत से अधिक है। पंजाब ने पिछले दो दशकों में 40 से 50 प्रतिशत चावल तथा 50 से 70 प्रतिशत गेहूं उत्पादित करके 'देश की खाद्य टोकरी तथा भारत का अनाज भंडार' का खिताब हासिल किया है। भारत के कुल उत्पादन में पंजाब 11 प्रतिशत चावल, 20 प्रतिशत गेहूं और 13 प्रतिशत कपास का योगदान करता है। पंजाब में प्रति हेक्टेयर खाद का उपयोग 225 किग्रा. प्रति हेक्टेयर है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 113 किग्रा. प्रति हेक्टेयर खाद प्रयुक्त की जाती है। वर्ष 2008-09 के दौरान 167 लाख मीट्रिक टन गेहूं तथा 157 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ।

उद्योग

पंजाब में लघु उद्योग इकाइयों की संख्या 1.54 लाख तथा मझोली इकाइयों की संख्या 375 है। 9.35 लाख लोगों को रोजगार देने वाली ये इकाइयां साइकिलों के कल-पुर्जे, सिलाई मशीन, हाथ के औजार, मशीनों के हिस्से-पुर्जे, मोटरवाहनों के कल-पुर्जे, बिजली की वस्तुएं, खेल-कूद का सामान, शल्य चिकित्सा में काम आने वाले उपकरण, चमड़े का सामान, हौजरी, बुने हुए वस्त्र, नट-बोल्ट, कपड़ा, चीनी, वनस्पति तेल आदि का उत्पादन करती हैं। राज्य में 600 बड़ी/मझोली औद्योगिक इकाइयां हैं।

राज्य में बड़ी संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास की कंपनियां आ रही हैं। चंडीगढ़ के पास एसएस नगर, मोहाली सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित उद्योगों के लिए एक आकर्षक गंतव्य स्थान बन गया है। मैसर्स क्वॉर्क सिटी प्राइवेट लिमिटेड इस क्षेत्र में भारी पैमाने पर निवेश कर रही है। पहले चरण में कंपनी 50 एकड़ क्षेत्र में एक सूचना तकनीकी पार्क का

विकास कर रही है। कंपनी की योजना दो चरणों में 1,000 करोड़ रुपयों का निवेश करने की है। मेसर्स डेल कंप्यूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भी मोहली में अपना कॉल सेंटर आरंभ किया है जिससे 1500 लोगों को रोजगार मिला है। कई अन्य सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों ने भी इस क्षेत्र निवेश की योजना बनाई है। भारत सरकार ने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम (आई.आई.यू.एस.) के तहत लुधियाना में दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं बुनाई तथा साइकिल के हिस्से बनाने वाले समूहों से संबद्ध हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योग को सार्वजनिक/निजी भागीदारी के जरिए समूह/स्थानों पर ढांचागत गुणवत्ता उपलब्ध कराकर इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

सिंचाई

कृषि प्रधान राज्य होने की वजह से पंजाब में कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। राज्य में उपलब्ध जल यहां की भूमि की उपजाऊ क्षमता से काफी कम है। इसीलिए यहां उत्पादकता बढ़ाने के लिए पानी की हर बूंद को सही ढंग से इस्तेमाल करने पर बल दिया जाता है। पंजाब सरकार भी फसलों के विविधीकरण के लिए अनेक परियोजनाएं चला रही है। पानी के सही इस्तेमाल के कारण राज्य के कपास उत्पादन वाले विभिन्न जिलों में सिंचाई क्षेत्र 0.97 लाख हेक्टेयर बढ़ाया जा सका है। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 50.36 लाख हेक्टेयर है जिसमें 42.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है। राज्य में 33.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नहरों से सिंचाई होती है। नहरों के इस विस्तृत जाल में शामिल मुख्य नहरों तथा उनकी शाखाओं की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है।

यू.बी.डी.सी. परियोजना को जल्दी पूरा करने के लिए बाकी बचे कार्य को युद्धस्तर पर निपटाने के लिए राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। मूल ऊपरी कसूर शाखा के डिजाइन में परिवर्तन करके निचली कसूर शाखा तथा सबरांवाँ नहर शाखा प्रणाली को पर्याप्त पानी मिलने वाली बाधाओं को दूर कर दिया गया है जिससे यू.बी.डी.सी. प्रणाली के विस्तृत क्षेत्र को पर्याप्त पानी की आपूर्ति बहाल हो गई है।

बानुर नहर प्रणाली को सदा प्रवाही बनाने का प्रस्ताव नाबार्ड के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। इस पर 38.08 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसी तरह मुख्य शाखा नहर से नालियां निकालने की योजना, जिस पर 39.55 करोड़ रुपये की लागत आएगी, भी नाबार्ड की मंजूरी के अंतर्गत है। इन सबसे ऊपर, बीएमएल नहर प्रणाली, सरहिंद नहर प्रणाली, सरहिंद फीडर प्रणाली, बिस्ट दोआब नहर प्रणाली तथा पूर्वी नहर प्रणाली जैसी नहर प्रणालियों के विभिन्न स्तरों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 299.22 करोड़ की एक एकीकृत योजना प्रस्तावित की गई है। इसके लिए आवश्यक निधि नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अंतर्गत 33,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई क्षमता के साथ-साथ 1,98,000 कि.मी. क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं में सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया है।

पंजाब के पिछड़े क्षेत्र कांदी का विकास 420 करोड़ रुपये की लागत से 12 छोटे बांधों के निर्माण से किया जा रहा है। इन बांधों से 12,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। कांदी नहर का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद यह 29,640 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करेगी इसके अतिरिक्त 1800 गहरे ट्यूबवेल लगाने का काम भी किया जा रहा है।

राज्य में 1,615 ट्यूबवेल काम कर रहे हैं। इसके अलावा 3,905 कि.मी. लंबी जल प्रणालियां भी बनाई गई हैं। पंजाब के दक्षिणी भाग में बढ़ते जल-स्तर के प्रभाव को नई नालियां बनाकर, वर्तमान 8000 कि.मी. की नालियों को गहरा करके, 1800 कि.मी. लंबे तटों को चौड़ा करके तथा 3,800 नदी संरक्षण कार्य करके कम किया गया है। ट्यूबवेलों को चालू करके नहर के रिसाव को रोका गया है।

सरहिंद फीडर के किनारे-किनारे ट्यूबवेल बना देने से भी नहरों का रिसाव रोकने में मदद मिली है। राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र में 60 प्रतिशत की सिंचाई निजी/सरकारी ट्यूबवेलों से तथा शेष 40 प्रतिशत की सिंचाई नहरों से होती है।

बिजली

भाखड़ा नांगल काम्प्लेस के निर्माण सहित भाखड़ा बांध, भाखड़ा मेन लाइन, नांगल पनबिजली चैनल, गंगूवाल और कोटला पॉवर हाउस, हरिके बैराज, सरहिंद फीडर, माधोपुर हेडवर्क को बैराज में बदलना आदि, और पोंग में व्यास बांध कुछ मुख्य सिंचाई और पनबिजली परियोजनाएं हैं जिन्होंने राज्य में सिंचाई तथा बिजली क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। माधोपुर व्यास लिंक का निर्माण रावी नदी के अतिरिक्त पानी को व्यास नदी में स्थानांतरित करने के लिए किया गया। इसी तरह की व्यास-सतलुज लिंक परियोजना में व्यास नदी के पानी का इस्तेमाल स्लेपर में बिजली के उत्पादन और तत्पश्चात इस पानी को गोविंद सागर झील में स्थानांतरित करने पर जोर दिया गया है। मुकेरियां और आनंदपुर साहिब पनबिजली परियोजनाएं दो महत्वपूर्ण सिंचाई तथा बिजली परियोजनाएं हैं।

रनजीत सागर बांध एक बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसमें रावी नदी पर 160 मीटर ऊंचा अर्थ कोर-कम-ग्रेवाल शेल बांध बनाया जाएगा जिसकी कुल स्टोरेज क्षमता 328 करोड़ क्यूसेक होगी। इसमें 3.48 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए पानी उपलब्ध कराने की क्षमता है। रनजीत सागर बांध (4 × 150 मेगावाट) की चारों इकाइयों सफलतापूर्वक चालू हो गई हैं। इस परियोजना से वर्ष में 2100 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा जिसमें से उत्पादित 4.6 प्रतिशत बिजली हिमाचल को मुफ्त तथा 20 प्रतिशत बिजली जम्मू और कश्मीर को वास्तविक दरों पर सप्लाई की जाएगी। इस बांध के पूरा होने से सिंधु-जल संधि के तहत पंजाब को आवंटित सभी तीनों नदियों का पानी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस परियोजना से करीब 500 करोड़ रुपये वार्षिक आमदनी शुरू हो गई है और अगले चार-पांच वर्षों में परियोजना का पूरा खर्च निकल आएगा, ऐसी उम्मीद है।

पेडा : पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) ने राज्य में सिंचाई के उद्देश्य से लगभग 2000 दो एच.पी. सोलर फोटोवोल्टिक पानी के पंपसेट लगाए हैं। बीओओएस आधार पर 16 लघु तथा 28 माइक्रो पनबिजली परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनकी क्षमता क्रमशः 15.85 तथा 35 मेगावाट है।

पेडा ने 200 के.डब्ल्यू.पी. सौर फोटोवोल्टिक ग्रिड इंटरैक्टिव क्षमता का पावर प्लांट शहीद भगत सिंह नगर के खटकर कलां गांव में शुरू किया है, जिस पर 4.5 करोड़ रुपये की कुल लागत आई। राज्य में 218.65 मेगावाट की बायोमास आधारित कंजर्वेशन बिजली परियोजना भी शुरू की है।

पेडा, पंजाब में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 क कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी है। यह ऊर्जा संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने, ऊर्जा संरक्षण के उपाय जैसे सीएफएल का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने, भवनों तथा उद्योगों का ऊर्जा ऑडिट करने आदि से संबंधित कार्य करती है।

परिवहन

सड़कें

राज्य सरकार की सड़कों, पुलों और भवनों के रखरखाव की जिम्मेदारी पी.डब्ल्यू.डी. की है। सड़कों के संजाल की लंबाई 63833 कि.मी. है। इसमें से 1739 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग, 1462 कि.मी. राज्य राजमार्ग, 5968 कि.मी. मुख्य तथा अन्य जिला सड़कें, 45000 कि.मी. गांवों को जोड़ने वाली सड़कें,

8130 शहरों को सड़कें, 1534 कि.मी. परियोजना सड़कें हैं। 3400.02 कि.मी. ग्रामीण सड़कों में से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 815.16 कि.मी. नई सड़कों का निर्माण तथा 2584.86 कि.मी. सड़कों का उन्नयन किया गया है।

उड्डयन

पंजाब में कुल तीन नागरिक विमानन क्लब अमृतसर, लुधियाना और पटियाला में हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ में एक घरेलू हवाई अड्डा; राजासांसी (अमृतसर) में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पटियाला तथा सहनेवाल (लुधियाना) में दो हवाई अड्डे हैं। दो विमानन क्लब फरीदकोट तथा तलवंडी साबू में बन रहे हैं।

मेले और त्योहार

दशहरा, दिवाली और होली के अलावा यहां अन्य प्रमुख त्योहार/मेले हैं—मुक्तसर में माघी मेला, किला रायपुर में ग्रामीण खेल, पटियाला में बसंत, आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला, तलवंडी साबू में बैसाखी, सरहिंद में रोजा शरीफ पर उर्स, छप्पर में छप्पर मेला, फरीदकोट में शेख फरीद आगम पर्व, गांव रामतीरथ में रामतीरथ, सरहिंद में शहीदी जोर मेला, हर-बल्लभ संगीत और सम्मेलन जालंधर में बाबा सोदाल आदि। इसके अलावा अमृतसर, पटियाला तथा कपूरथला में होने वाले तीन सांस्कृतिक महोत्सव भी हर वर्ष मनाए जाते हैं और पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं।

पर्यटन

पंजाब को भारत के अन्न भंडार तथा देश में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय के लिए भी जाना जाता है किंतु संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को अतिरिक्त पैसा जुटाना पड़ता है। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन राज्य को अल्पकाल तथा दीर्घकाल तक अच्छी-खासी मात्रा में राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक राजस्व जुटाने के सबसे अच्छे अवसर प्रदान करने में मदद करता है। यह मानना होगा कि पर्यटन से न केवल रोजगार पैदा होता है बल्कि यह मानवीय कुशलताओं को बढ़ाता है। पर्यटन के लिए तैयार संरचना का अर्थव्यवस्था के अन्य सभी क्षेत्रों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए पर्यटन के विकास को पृथक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए और राज्य के इसके विकास के लिए समेकित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

राज्य सरकार ने पर्यटन को नेतृत्व सौंपकर तथा संगठनात्मक एवं युक्तिपरक निर्देश देकर राज्य का प्रमुख उद्योग बनाने, पर्यटन उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने, पर्यटकों की रुचि के स्थानों को विकसित करने, सभी श्रेणी के पर्यटकों तथा तीर्थयात्रियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने, रोजगार प्रदान करने के लिए पंजाब के पर्यटन उत्पादों का विपणन घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने और अपने नागरिकों के आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लाभ के उद्देश्यों के साथ नई पर्यटन नीति की घोषणा की है।

राज्य में पर्यटकों की रुचि के कई स्थान हैं। इनमें अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, दुर्गियाना मंदिर, तथा जलियांवाला बाग, आनंदपुर साहिब में तख्त श्री केशगढ़ साहिब और खालसा सांस्कृतिक परिसर, भाखड़ा बांध, पटियाला में किला अंदरून और मोती बाग राजमहल, हरिके पट्टन में आर्द्र भूमि, पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण संगोल तथा छतबीर चिड़ियाघर; आम खास बाग में मुगलकालीन स्मारक परिसर और सरहिंद में अफगान शासकों की कब्रें और शेख अहमद का रोजा शरीफ; जालंधर में सोदाल मंदिर तथा महर्षि बाल्मीकि की विरासत का स्मारक आदि प्रमुख हैं।

पेंशन

पंजाब सरकार 12.30 लाख वृद्धों, 84,568 निराश्रित बच्चों, 110967 विकलांगों तथा 2.14 लाख विधवाओं को 250 रुपये प्रतिमाह पेंशन दे रही है। वर्ष 2009-10 के दौरान इन 16.40 लाख लोगों को पेंशन देने के लिए 468 करोड़ रुपये जारी किए गए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार अपनी तरफ से विगलांगों, संतानहीनों, विधवाओं तथा निराश्रित वृद्धों को 200 रुपये प्रतिमाह और देती है। इसके लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत भारत सरकार शत-प्रतिशत एसीए उपलब्ध कराती है। पंजाब में इस योजना के 159,292 लाभार्थी हैं।

सरकार

राज्यपाल	: जनरल (सेवानिवृत्त) एस.एफ. रॉड्रिग्स
मुख्यमंत्री	: सरदार प्रकाश सिंह बादल
मुख्य सचिव	: सुबोध चंद्र अग्रवाल
उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	: पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. अमृतसर	2,647	21,57,020	अमृतसर
2. भटिंडा	3,385	11,83,295	भटिंडा
3. फरीदकोट	1,469	5,50,892	फरीदकोट
4. फतेहगढ़ साहिब	1,180	5,38,041	फतेहगढ़ साहिब
5. फिरोजपुर	5,303	17,46,107	फिरोजपुर
6. गुरदासपुर	3,564	21,04,011	गुरदासपुर
7. होशियारपुर	3,365	14,80,736	होशियारपुर
8. जालंधर	2,632	19,62,700	जालंधर
9. कपूरथला	1,632	7,54,521	कपूरथला
10. लुधियाना	3,767	30,32,831	लुधियाना
11. मानसा	2,171	68,87,58	मानसा
12. मोगा	2,216	8,94,854	मोगा
13. मुक्तसर	2,615	7,77,493	मुक्तसर
14. नवांशहर	1,258	5,87,468	नवांशहर
15. पटियाला	3,218	16,33,879	पटियाला
16. रूपनगर	13,69	6,28,846	रूपनगर
17. संगरूर	3,610	14,73,242	संगरूर
18. तरनतारन	2449	939057	तरनतारन
19. एस.ए.एस.नगर	1093	698317	एस.ए.एस.नगर

20. एस.बी.एस.नगर	1267	587468	एस.बी.एस.नगर
21. बरनाला	1410	2157020	बरनाला
कुल	50362	24358999	

राजस्थान

क्षेत्रफल	: 3,42,239 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	: 5,64,73,122
राजधानी	: जयपुर	मुख्य भाषाएं	: हिंदी और राजस्थानी

इतिहास और भूगोल

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आजादी से पहले यह क्षेत्र राजपूताना (राजपूतों का स्थान) कहलाता था। रणबांकुरे राजपूतों ने कई सदियों तक इस क्षेत्र पर राज्य किया।

राजस्थान का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है। ईसा पूर्व 3000 से 1000 के बीच यहां की संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता जैसी थी। सातवीं शताब्दी में यहां चौहान राजपूतों का प्रभुत्व बढ़ने लगा और बारहवीं शताब्दी तक उन्होंने एक साम्राज्य स्थापित कर लिया था। चौहानों के बाद इस योद्धा जाति का नेतृत्व मेवाड़ के गहलोतों ने संभाला। मेवाड़ के अलावा जो अन्य रियासतें ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमुख रहीं, वे हैं—मारवाड़, जयपुर, बूंदी, कोटा, भरतपुर और अलवर। अन्य सभी रियासतें इन्हीं रियासतों से बनीं। इन सभी रियासतों ने 1818 में अधीनस्थ गठबंधन की ब्रिटिश संधि स्वीकार कर ली जिसमें राजाओं के हितों की रक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन इस संधि से आम जनता स्वाभाविक रूप से असंतुष्ट थी।

1857 के विद्रोह के बाद लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एकजुट हुए। सन 1935 में अंग्रेजी शासन वाले भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू होने के बाद राजस्थान में नागरिक स्वतंत्रता तथा राजनीतिक अधिकारों के लिए आंदोलन और तेज हो गया। 1948 में इन बिखरी हुई रियासतों को एक करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो 1956 में राज्य में पुनर्गठन कानून लागू होने तक जारी रही। सबसे पहले 1948 में मत्स्य संघ बना, जिसमें कुछ ही रियासतें शामिल हुईं। धीरे-धीरे बाकी रियासतें भी इसमें मिलती गईं। सन 1949 तक बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, और जैसलमेर जैसी मुख्य रियासतें इसमें शामिल हो चुकी थीं और इसे बृहत्तर राजस्थान संयुक्त राज्य का नाम दिया गया। सन 1958 में अजमेर, आबू रोड तालुका और सुनेल टप्पा के भी शामिल हो जाने के बाद वर्तमान राजस्थान राज्य विधिवत अस्तित्व में आया।

राजस्थान की समूची पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान पड़ता है जबकि उत्तर में पंजाब, उत्तर-पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण-पश्चिम में गुजरात है।

कृषि

राज्य में वर्ष 2008-09 में कुल कृषि योग्य क्षेत्र 225 लाख हेक्टेयर था और 2008-09 में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 161.80 लाख टन रहा। राज्य की मुख्य फसलें हैं—चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, गेहूं, तिलहन, दालें, कपास और तंबाकू। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में सब्जियों और संतरा तथा माल्टा जैसे नींबू प्रजाति के फलों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। यहां की अन्य फसलें हैं—लाल मिर्च, सरसों, मेथी, जीरा और हींग।

उद्योग और खनिज

राजस्थान सांस्कृतिक रूप में समृद्ध होने के साथ-साथ खनिजों के मामले में भी समृद्ध रहा है और अब वह देश के औद्योगिक परिदृश्य में भी तेजी से उभर रहा है। राज्य के प्रमुख केंद्रीय प्रतिष्ठानों में देवरी (उदयपुर) में जस्ता गलाने का संयंत्र, खेतड़ी (झुंझनू) में तांबा परियोजना और कोटा में सूक्ष्म उपकरणों का कारखाना शामिल है। मार्च, 2009 तक राज्य में लघु उद्योगों की 1316267 इकाइयां थीं, जिनमें 888820.70 करोड़ रुपये की पूंजी लगी थी और लगभग 1616267 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। मुख्य उद्योग हैं : वस्त्र, ऊनी कपड़े, चीनी, सीमेंट, कांच, सोडियम संयंत्र, आक्सीजन, वनस्पति रंग, कीटनाशक, जस्ता, उर्वरक, रेल के डिब्बे, बॉल बियरिंग, पानी व बिजली के मीटर, टेलीविजन सेट, सल्फ्यूरिक एसिड, सिंथेटिक धागे तथा तापरोधी ईंटें आदि। बहुमूल्य और कम मूल्य के रत्नों के अलावा कास्टिक सोडा, कैल्शियम कार्बाइड, नाइलोन तथा टायर आदि अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयां हैं।

राज्य में ज़िंक कंसंट्रेट, पन्ना, गार्नेट, जिप्सम, खनिज चांदी, एस्बेस्टस, फैल्सपार तथा अभ्रक के प्रचुर भंडार हैं। राज्य में नमक, रॉक फास्फेट, मारबल तथा लाल पत्थर भी काफी मात्रा में मिलता है। सीतापुर (जयपुर) में देश का पहला निर्यात संवर्द्धन पार्क बनाया गया है जिसने काम करना प्रारंभ कर दिया है।

सिंचाई और बिजली

मार्च 2009 तक राज्य में विभिन्न बड़ी, मंझोली और छोटी सिंचाई परियोजनाओं के जरिए सिंचाई की व्यवस्था कर दी गई है और अब कुल सिंचित क्षमता 36.461 लाख हेक्टेयर हो गई है और 2008 में 58,067 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता अर्जित कर ली गई है। राज्य में स्थापित बिजली क्षमता दिसंबर 2009 तक 701959 मेगावाट तक पहुंच गई जिसमें 4000 मेगावाट राज्य की स्वयं की परियोजनाओं, 766.00 मेगावाट समन्वित परियोजनाओं तथा 1879.29 मेगावाट केंद्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से प्राप्त की गई।

परिवहन

सड़कें

मार्च 2009 में राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई 186806 कि.मी. थी।

रेलवे

जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, कोटा और भरतपुर राज्य के प्रमुख रेलवे जंक्शन हैं।

उड्डयन

दिल्ली और मुंबई से जयपुर, जोधपुर तथा उदयपुर के लिए नियमित विमान सेवाएं हैं।

त्योहार

राजस्थान मेलों और उत्सवों की धरती है। होली, दीपावली, विजयदशमी, क्रिसमस जैसे प्रमुख राष्ट्रीय त्योहारों के अलावा अनेक देवी-देवताओं, संतों और लोकनायकों तथा नायिकाओं के जन्मदिन मनाए जाते हैं। यहां के महत्वपूर्ण मेले हैं—तीज, गणगौर (जयपुर), अजमेर शरीफ और गलियाकोट के वार्षिक उर्स, बेनेश्वर (डूंगरपुर) का जनजातीय कुंभ, श्री महावीर जी (सवाई माधोपुर मेला), रामदेउरा (जैसलमेर),

राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश

1245

जंभेश्वर जी मेला (मुकाम-बीकानेर), कार्तिक पूर्णिमा और पशु मेला (पुष्कर-अजमेर) और श्याम जी मेला (सीकर) आदि।

पर्यटन स्थल

राज्य में पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं—जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, माउंट आबू, अलवर में सरिस्का बाघ विहार, भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार, अजमेर, जैसलमेर, पाली, चित्तौड़गढ़ आदि।

सरकार

राज्यपाल	: शिलेंद्र कुमार सिंह
मुख्यमंत्री	: अशोक गहलोत
विधानसभा अध्यक्ष	: दिपेंद्र शेखावत
मुख्य सचिव	: कुशल सिंह
मुख्य न्यायाधीश	: न्यायमूर्ति नारायण रे
उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	: राजस्थान

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. अजमेर	8,481	21,80,526	अजमेर
2. अलवर	8,380	29,90,862	अलवर
3. बांसवाड़ा	5,037	15,00,420	बांसवाड़ा
4. बाड़मेर	28,387	19,63,758	बाड़मेर
5. भरतपुर	5,066	20,98,323	भरतपुर
6. भीलवाड़ा	10,455	20,09,516	भीलवाड़ा
7. बीकानेर	27,244	16,73,562	बीकानेर
8. बूंदी	5,550	9,61,269	बूंदी
9. चित्तौड़गढ़	10,856	18,02,656	चित्तौड़गढ़
10. चुरू	16,830	19,22,908	चुरू
11. धौलपुर	3,034	9,82,815	धौलपुर
12. डूंगरपुर	3,770	11,07,037	डूंगरपुर
13. गंगानगर	7,944	17,88,487	गंगानगर
14. जयपुर	11,588	52,52,388	जयपुर
15. जैसलमेर	38,401	5,07,999	जैसलमेर
16. जालौर	10,640	14,48,486	जालौर
17. झालावाड़	6,219	11,80,342	झालावाड़
18. झुंझनू	5,928	19,13,099	झुंझनू

1246

भारत-2010

19. जोधपुर	22,850	28,80,777	जोधपुर
20. कोटा	5,481	15,68,580	कोटा
21. नागौर	17,718	27,73,894	नागौर
22. पाली	12,387	18,19,201	पाली
23. सवाई माधोपुर	5,043	11,16,031	सवाई माधोपुर
24. सीकर	7,732	22,87,229	सीकर
25. सिरोही	5,136	8,50,756	सिरोही
26. टोंक	7,194	12,11,343	टोंक
27. उदयपुर	12,511	26,32,210	उदयपुर
28. दौसा	2,950	13,16,790	दौसा
29. बाराण	6,955	10,22,568	बाराण
30. राजसमंद	4,768	9,86,269	रामसमंद
31. हनुमानगढ़	12,690	15,17,390	हनुमानगढ़
32. करोली	5,014	12,05,603	करोली
33. प्रतापगढ़	4189	706807	प्रतापगढ़

सिक्किम

क्षेत्रफल : 7,096 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या : 5,40,493
राजधानी : गंगटोक	मुख्य भाषाएं : लेप्चा, भूटिया, और नेपाली

इतिहास और भूगोल

सिक्किम का प्रारंभिक इतिहास 13वीं शताब्दी से आरंभ होता है जब लेप्चा प्रमुख थेकॉंग-थेक और तिब्बत के राजकुमार खे-भूमसा के बीच उत्तरी सिक्किम में काब लुंगत्सोक में भाईचारे के एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद सन 1641 में तिब्बत के सम्मानित लामा संतों ने पश्चिमी सिक्किम के युक्साम प्रांत की ऐतिहासिक यात्रा की, जहां उन्होंने खे-भूमसा के छोटी पीढ़ी के वंशज फुंत्सोग नामग्याल का सिक्किम के पहले चोग्याल के रूप में राज्याभिषेक किया और इस तरह सिक्किम में नामग्याल राजवंश का उदय हुआ। समय के बदलाव के साथ सिक्किम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरा और 1975 में वह भारतीय संघ का अभिन्न अंग बन गया। गुरु पद्मसंभव ने अपने तिब्बत प्रवास के दौरान इस स्थान को आशीर्वाद दिया था। सिक्किम में सभी समुदायों के लोग आपसी सद्भाव से रहते हैं। सिक्किम में भिन्न-भिन्न मतों से जुड़े लोग हैं और शायद यह भारतीय संघ में सांप्रदायिक सद्भाव और मानवीय संबंधों को बढ़ावा देने वाला सर्वाधिक शांति वाला राज्य है जिसकी भारत जैसे बहुसामाजिक व्यवस्था वाले देश में नितांत आवश्यकता भी है।

सिक्किम एक छोटा पर्वतीय प्रदेश है। उत्तर में यह तिब्बत के पठार, पूर्व में तिब्बत की चुम्बी घाटी और भूटान साम्राज्य, पश्चिम में नेपाल साम्राज्य और दक्षिण में दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) से घिरा है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 7,096 वर्ग किलोमीटर है और इसका भूभाग उत्तर से दक्षिण तक 112

किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 64 किलोमीटर में फैला है। यह उत्तर-पूर्व हिमालय में 27 डिग्री 00'46'' से 28 डिग्री 07'48'' उत्तरी अक्षांश और 88 डिग्री 00'58'' से 88 डिग्री 55'25'' पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है।

विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंगा, जिसे सिक्किम की रक्षा देवी माना जाता है, इस राज्य पर अपनी मंत्रमुग्ध करने वाले प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बिखेरती है। सिक्किम जैव विविधताओं से भरा दुनिया के 18 प्रमुख क्षेत्रों में एक है। सिक्किम हिमालय जैव विविधता से भरपूर है। राज्य में आवृतबीजी वनस्पतियों की 5000 प्रजातियां पाई जाती हैं जो देश भर में पाई जाने वाली आवृतबीजी प्रजातियों का एक तिहाई है। फूल वाले पौधों की 4000 जातियां, फर्न तथा एल्गी की 300 जातियां, प्राइमल तथा बांस की 40 प्रजातियां, आर्किड की 500 जातियां, रोडेन्ड्रान की 36 जातियां, ओक की 40 जातियां, स्तनपायी जीवों की 150 जातियां, पक्षियों की 500-600 जातियां, तितली तथा मोंथ की 400 जातियां तथा सरीसर्पों की अनेक जातियां राज्य में पाई जाती हैं। याक, लाल पांडा, तिब्बती मिसटिफ तथा दुर्लभ ब्लू शिप भी यहां पाई जाती हैं।

पर्यटन

सिक्किम अपने हरे-भरे पौधों, जंगलों, दर्शनीय घाटियों और पर्वतमालाओं और अब्बल सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है और यहां के शांतिप्रिय लोगों की वजह से यह प्रदेश पर्यटकों के लिए सुरक्षित स्वर्ग के समान है। राज्य सरकार पर्यावरण से दोस्ती पूर्ण पर्यटन तथा तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और वे तमाम सुविधाएं प्रदान कर रही हैं जिससे कि यहां आने वाले लोग सिक्किम की जीवन-शैली और धरोहर के आनंद का अनुभव कर सकें। पर्यटन उद्योग की संभावनाओं को स्वीकारते हुए राज्य सरकार दक्षिण सिक्किम में चैमचेय गांव में हिमालयन सेंटर फॉर एडवेंचर टूरिज्म की स्थापना कर रही है।

सिक्किम का प्रमुख बौद्ध मठ पेलिंग में स्थित पेमायांत्से है। इसके अलावा यहां पश्चिमी सिक्किम में ताशिदिंग मठ भी है, जो सिक्किम के सभी मठों में सबसे पवित्र माना गया है। सिक्किम का सबसे प्राचीन मठ युक्सोम है, जिसे ड्रबडी मठ के नाम से जाना जाता है। यह लहातसुन चेन्पो (सिक्किम के प्रमुख संत) का व्यक्तिगत आश्रम था जो संभवतः 1700 ईसवी में बना था। कुछ अन्य मठों के नाम हैं—फोडोंग, फेन्सांग, रुमटेक, नगाडक, तोलुंग, आहल्य, त्सुकलाखांग, रालोंग, लाचेन, एन्चेय। अन्य हिंदू मंदिर हैं—गंगटोक के मध्य में स्थित प्रमुख रूप से जाना जाने वाला ठाकुर बाड़ी। इसके बाद दक्षिण जिले की एक पवित्र गुफा है जिसमें एक शिवलिंग है जो इस गुफा को जगमगाता है जहां कोई अन्य रोशनी नहीं पहुंच पाती। राज्य में कुछ महत्वपूर्ण गुरुद्वारे और मस्जिदें भी हैं और उनमें से प्रमुख गंगटोक और रावनगला में हैं।

त्योहार

सिक्किम में मुख्य रूप से भूटिया, लेपचा और नेपाली समुदायों के लोग रहते हैं। माघी संक्रांति, दुर्गापूजा, लक्ष्मीपूजा और चैत्र दसाई/राम नवमी, दसई, त्योहार, सोनम लोसूंग, नामसूंग, तेन्दोंग हलो रुम फाट (तेन्दोंग पर्वत की पूजा), लोसर (तिब्बतीय नव वर्ष) राज्य के प्रमुख त्योहार हैं। अन्य त्योहारों में साकेवा (राय), सोनम लोचर (गुरूंग), बराहिमजोग (मागर) आदि शामिल हैं।

कृषि

सिक्किम की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि प्रधान है। राज्य की 64 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जीवनयापन के लिए कृषि पर निर्भर है। सिक्किम में कृषि योग्य भूमि लगभग 1,09,000 हेक्टेयर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15.36 प्रतिशत है। कृषि जनगणना 2000-01 के अनुसार 78,300 हेक्टेयर भूमि में कृषि होती है।

मक्का, चावल, गेहूं, आलू, बड़ी इलायची, अदरक और संतरा यहां की प्रमुख फसलें हैं। सिक्किम देश में बड़ी इलायची का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है और इसके अधिकांश भू-भाग में इलायची का उत्पादन होता है। अदरक, आलू, संतरा तथा गैर-मौसमी सब्जियां यहां की अन्य नकदी फसलें हैं।

उद्योग

हालांकि सिक्किम को औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य घोषित किया गया है, लेकिन कई सदियों पहले यहां दस्तकारी आधारित परंपरागत सिक्किम कुटीर उद्योग रहे हैं। लेपचा लोग बांस के सामान, लकड़ी के सामान, धागा बुनाई और गलीचे की बुनाई परंपरागत तरीकों से बड़ी कुशलता से करते हैं, वहीं भूटिया लोगों को गलीचा और कंबल बुनाई की प्राचीन तिब्बती पद्धति में महारत हासिल है तथा नेपालियों द्वारा निर्मित धातु और चांदी तथा लकड़ी के सामान की कारीगरी का अपना ही महत्व है।

सिक्किम ज्वैल्स लिमिटेड राज्य का तथा बहुत-से नाजुक उपकरण बनाने वाला उद्योग है जहां पानी और बिजली के मीटरों तथा घड़ियों आदि के लिए ज्वैल बियरिंग्स बनाई जाती हैं। राज्य में कई सहायक इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें घड़ियों के लिए ज्यूल्स बनाए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में विकास के लिए सिक्किम औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड कुटीर, लघु और मंझोले उद्योग लगाने, के लिए दीर्घावधि ऋण उपलब्ध कराता है।

पूरे पूर्वोत्तर में राजनीतिक स्थायित्व, शांति, कादन-व्यवस्था की बेहतर स्थिति के चलते सिक्किम निवेश करने के लिए सबसे सुरक्षित राज्य है।

सिंचाई और बिजली

दसवीं पंचवर्षीय योजना में 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग 3789.88 हेक्टेयर कृषियोग्य भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवा रहा है।

राज्य की जलविद्युत क्षमता 40.7 मेगावाट, डीजल उत्पादन क्षमता 5 मेगावाट तथा ट्रांसफार्मेशन क्षमता 200 एमवीए की 132/66 किलोवाट और 207.5 एमवीए की 66/11 किलोवाट है एनएचपीसी ने 570 मेगावाट जलविद्युत का उत्पादन शुरू किया है। निजी कंपनियों की 4538 मेगावाट उत्पादन क्षमता में से 2015 मेगावाट का निर्माण कार्य चल रहा है। राज्य की मौसमी जल विद्युत उत्पादन क्षमता 8000 मेगावाट है।

परिवहन

सड़कें

गंगटोक सड़क मार्ग से दार्जिलिंग, कलमपोंग, सिलीगुड़ी तथा सिक्किम के सभी जिला मुख्यालयों से जुड़ा है। 41 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग सहित, राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 2,383 कि.मी. है। इसमें से 873.40 किमी. सड़कें सीमा सड़क संगठन ने बनाई हैं।

रेलवे और उड्डयन

राज्य के निकटवर्ती रेलवे स्टेशन सिलीगुड़ी (113 कि.मी.) और न्यू जलपाईगुड़ी (125 कि.मी.) हैं जहां से कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी, लखनऊ तथा देश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों के लिए आया-जाया जा सकता है।

सिक्किम में कोई हवाई अड्डा नहीं है। गंगटोक और बागडोगरा के बीच हेलीकाप्टर सेवा उपलब्ध कराई गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी

राज्य में एक नया सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बनाया गया है और इस विभाग को प्रमुखता देने के लिए वृहद् परियोजनाएं तैयार की गई हैं। नवसृजित विभाग ने सिक्किम के बारे में बड़ी संख्या में वेबसाइटें शुरू की हैं और सूचना उपकरणों के प्रयोग के साथ इसकी ई-गवर्नेंस की योजना चल रही है। सिक्किम सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित और दुरुस्त रखी जा रही सरकारी वेबसाइट है—
www.sikkimgovt.org

सरकार

राज्यपाल	:	बाल्मिकी प्रसाद सिंह
मुख्यमंत्री	:	पवन चामलिंग
विधानसभा अध्यक्ष	:	के.टी. नामग्याल
मुख्य सचिव	:	टी.टी. दोरजी
मुख्य न्यायाधीश	:	न्यायमूर्ति आफताब हुसैन सेख
उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र : सिक्किम		

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. पूर्व	954	1,78,452	गंगटोक
2. उत्तर	4,226	11,240	मंगन
3. दक्षिण	750	98,604	नामची
4. पश्चिम	1,116	98,161	ग्यालशिंग

तमिलनाडु

क्षेत्रफल	:	1,30,058 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	:	6,24,05,679
राजधानी	:	चेन्नई	मुख्य भाषा	:	तमिल

इतिहास और भूगोल

तमिलनाडु का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। यद्यपि प्रारंभिक काल के संगम ग्रंथों में इस क्षेत्र के इतिहास का अस्पष्ट उल्लेख मिला है, किंतु तमिलनाडु का लिखित इतिहास पल्लव राजाओं के समय से ही उपलब्ध है।

दक्षिण भारत पर कई शताब्दियों तक चोल, चेर और पांड्य राजाओं का शासन रहा। चौथी शताब्दी के पूर्वार्द्ध में पल्लवों का वर्चस्व कायम हुआ। उन्होंने ही द्रविड़ शैली की प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला का सूत्रपात किया। अंतिम पल्लव राजा अपराजित थे, जिनके राज्य में लगभग दसवीं शताब्दी में चोल शासकों ने विजयालय और आदित्य के मार्गदर्शन में अपना महत्व बढ़ाया। ग्यारहवीं शताब्दी के अंत में तमिलनाडु पर चालुक्य, चोल, पांड्य जैसे अनेक राजवंशों का शासन रहा। इसके बाद के 200 वर्षों तक दक्षिण भारत पर चोल साम्राज्य का आधिपत्य रहा।

मुसलमानों ने भी धीरे-धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर ली जिसे चौदहवीं शताब्दी के मध्य में बहमनी सल्तनत कायम हुई। लगभग उसी समय विजयनगर साम्राज्य ने तेजी से अपनी स्थिति मजबूत बना ली और समूचे दक्षिण भारत तक अपना प्रभाव बढ़ा लिया। शताब्दी के अंत तक विजयनगर साम्राज्य दक्षिण की सर्वोच्च शक्ति बन चुका था, किंतु 1564 में तालीकोटा की लड़ाई में दक्षिण के सुलतानों की सामूहिक फौजों से वह पराजित हो गया।

तालीकोटा के युद्ध के बाद कुछ समय तक स्थिति अस्पष्ट रही, लेकिन इस बीच यूरोप के व्यापारी अपने व्यापारिक हितों के लिए दक्षिण भारत में अपने पैर जमाने के लिए एक-दूसरे से होड़ करने लगे थे। पुर्तगाल, हालैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के लोग एक के बाद एक जल्दी-जल्दी आए और उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए, जिन्हें उन दिनों फैक्ट्रीज कहा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मछलीपत्तनम (जो अब आंध्र प्रदेश में है) में अपनी फैक्ट्री लगाई और धीरे-धीरे उन्होंने स्थानीय शासकों को आपस में लड़ाकर उनके क्षेत्र हथिया लिए। ब्रिटिश लोगों ने भारत में सबसे पहले तमिलनाडु में अपनी बस्ती बसाई। सन 1901 में मद्रास प्रेसीडेंसी बनी जिसमें दक्षिण प्रायद्वीप के अधिकतर हिस्से शामिल थे। बाद में संयुक्त मद्रास राज्य का पुनर्गठन किया गया और वर्तमान तमिलनाडु राज्य अस्तित्व में आया।

तमिलनाडु के उत्तर में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, पश्चिम में केरल, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर हैं।

कृषि

तमिलनाडु में मुख्य व्यवसाय कृषि है। राज्य में 2007-08 में कुल खेती योग्य क्षेत्र 58.15 लाख हेक्टेयर था। प्रमुख खाद्यान्न फसलें चावल, ज्वार और दालें हैं। प्रमुख व्यापारिक फसलों में गन्ना, कपास, सूरजमुखी, नारियल, काजू, मिर्च और मूंगफली हैं। अन्य पौध फसलें हैं—चाय, कॉफी, इलायची और रबड़। मुख्य वन उत्पाद हैं—इमारती लकड़ी, चंदन की लकड़ी, पल्पवुड और जलाने योग्य लकड़ी। जैव उर्वरकों के उत्पादन और इस्तेमाल में तमिलनाडु का प्रमुख स्थान है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि तकनीक में सुधार किया जा रहा है। 2007-08 में यहां का वार्षिक अनाज उत्पादन 65.81 लाख मीट्रिक टन से अधिक रहा।

उद्योग और खनिज

राज्य के प्रमुख उद्योग हैं—सूती कपड़ा, भारी वाणिज्यिक वाहन, ऑटो कल-पुर्जे, रेल डिब्बे, विद्युत चालित पंप, चमड़ा उद्योग, सीमेंट, चीनी, कागज, ऑटोमोबाइल और माचिस।

तमिलनाडु के औद्योगिक परिदृश्य में सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी जैसे ज्ञान आधारित उद्योगों को विशेष महत्व दिया गया है। साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, आईडैल की स्थापना थारामणि, चेन्नई में की गई है। चेन्नई में इस समय 900 आई.टी. कंपनियों में करीब 50,000 सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ

कार्यरत हैं। वर्ष 2006-07 में राज्य से, 20,000 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ जो 2007-08 में 25,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। नोकिया, मोटोरोला, फाक्सकाम, फ्लैक्सट्रानिक जैसी बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार कंपनियां यहां उत्पादन कर रही हैं।

अंतर्राष्ट्रीय ऑटो कंपनी हुंडई मोटर्स, फोर्ड, हिंदुस्तान मोटर्स और मित्सुबिशी ने तमिलनाडु में उत्पादन इकाइयां शुरू की हैं। अशोक लेलैंड और ताफे ने चेन्नई में विस्तार संयंत्र लगाए हैं।

ग्रेनाइट, लिग्नाइट और चूना पत्थर राज्य की प्रमुख खनिज संपदा है। राज्य तैयार खालों और चमड़े का सामान, सूती धागे, चाय, कॉफी, मसाले, इंजीनियरिंग सामान, तंबाकू, हस्तशिल्प वस्तुएं और काले ग्रेनाइट पत्थर का प्रमुख निर्यातक है। तमिलनाडु में देश के 60 प्रतिशत चमड़ा शोधन कारखाने हैं।

सिंचाई

विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित 'प्रणाली सुधार और किसान आय परियोजना' के फलस्वरूप महत्वपूर्ण सिंचाई योजनाओं तथा वर्तमान पेरियार वैगई प्रणाली, पालार थाला प्रणाली और पैरंबीकुलम-अलियार प्रणाली के अलावा छह लाख एकड़ की अयकाट तथा वेल्लार, पेन्नायर, अरनियार अमरावती, चिथार थाला आदि छोटी सिंचाई प्रणालियां लाभान्वित हुई हैं। विश्व बैंक ने सिंचित कृषि आधुनिकीकरण तथा जलाशय प्रबंधन परियोजना के लिए 2,547 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इससे राज्य के चुने हुए 63 उप-थालों के 617 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा। हाल ही में शुरू हुई और धीमी गति से चल रही नौ सिंचाई परियोजनाओं का काम समुचित धन और मार्गदर्शन के बाद तेजी से चल रहा है और शीघ्र पूरा हो जाएगा। तमिलनाडु के एक तिहाई क्षेत्र की सिंचाई करने वाली बड़ी सिंचाई प्रणाली—तालाब सिंचाई प्रणाली—के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और सार्वजनिक निर्माण विभाग के पालार, वैगई तथा ताम्रपर्णी थालों में कार्यरत 620 तालाबों के पुनर्वास और विकास का काम किया जा रहा है। यह परियोजना पूरी होने वाली है और किसानों की पूरी संतुष्टि की गई है। तमिलनाडु 'नदी थाला प्रबंधन' प्रणाली लागू करने वाला ऐसा पहला राज्य है जो ऐसी व्यक्तिगत संस्था द्वारा चलाया जा रहा है जिसमें थाला के प्रतिनिधियों के अलावा किसान भी हैं।

बिजली

29.3.2009 को राज्य में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता 10,214 मेगावाट थी। राज्य क्षेत्र की स्थापित क्षमता 5,690 मेगावाट और निजी क्षेत्र की स्थापित क्षमता 1,180 मेगावाट है। इसके अलावा इसे केंद्र क्षेत्र से अपने हिस्से की 2,825 मेगावाट बिजली मिलती है, 305 मेगावाट बाहरी सहायता से तथा 214 मेगावाट अधिगृहीत विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त होती है। इसके अलावा पवनचक्कियों से 4270 मेगावाट, सहयोगी उत्पादन परियोजनाओं से 466.10 मेगावाट तथा जैव परियोजनाओं से 109.55 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है।

31 मार्च 2009 को 1259 उपकेंद्र, 1.643 लाख किलोमीटर उच्च क्षमता के तार, 5.26 किलोमीटर निम्न क्षमता के तार, 1.86 वितरण ट्रांसफार्मर और 203.87 लाख कनेक्शन थे।

परिवहन

सड़कें

तमिलनाडु में सड़कों के संजाल की कुल लंबाई करीब 61641 कि.मी. है, जिसमें भूतल सड़कें 60,901 कि.मी. हैं।

रेलवे

राज्य में चेन्नई, मदुरै, तिरुचिरापल्ली, सलेम, अरक्कोणम, कोयंबटूर और तिरुनेलवेली मुख्य जंक्शन हैं। रेलवे लाइनों की कुल लंबाई 3927 किलोमीटर है।

उडुयन

चेन्नई हवाई अड्डा दक्षिणी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने की वजह से वायुमार्ग का मुख्य केंद्र बन गया है। इसके अलावा तिरुचिरापल्ली, मदुरै, कोयंबटूर और सलेम में भी हवाई अड्डे हैं।

बंदरगाह

चेन्नई और तूतीकोरिन राज्य के प्रमुख बंदरगाह हैं तथा कुड्डालूर और नागपट्टिनम सहित सात छोटे बंदरगाह हैं।

त्योहार

फसल कटाई के त्योहार पोंगल में जनवरी माह में किसान अपनी अच्छी फसल के लिए आभार प्रकट करने हेतु सूर्य, पृथ्वी और पशुओं की पूजा करते हैं। पोंगल के बाद दक्षिण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में 'जल्लीकट्टू' (तमिलनाडु शैली की सांडों की लड़ाई) होता है। तमिलनाडु में अलंगनल्लूर 'जल्लीकट्टू' के लिए विश्व-भर में प्रसिद्ध है। 'चित्तिरै' मदुरै का लोकप्रिय त्योहार है। यह पांड्य राजकुमारी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर के अलौकिक परिणय बंधन की स्मृति में मनाया जाता है। तमिल महीने 'आदि' के अठारहवें दिन नदियों के किनारे 'आदिपेरुकु' पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही नई फसल की बुवाई से संबंधित काम भी शुरू हो जाता है। नृत्य महोत्सव 'ममल्लापुरम' एक अद्भुत महोत्सव है। समुद्र तट से लगे प्राचीन नगर ममल्लापुरम में पल्लव राजाओं द्वारा 13 शताब्दी पूर्व चट्टानों से काटकर बनाए गए स्तंभों का एक खुला मंच है, जिस पर लोकनृत्यों के अलावा नृत्यकला के सर्वश्रेष्ठ और सुविख्यात कलाकारों द्वारा भरतनाट्यम, कुचीपुडि, कथकलि और ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। 'नाट्यांजलि' नृत्य महोत्सव में मंदिरों की नगरी चिदंबरम के निवासी सृष्टि के आदि नर्तक भगवान नटराज को विशेष श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 'महामाघम' एक पवित्र पर्व है, जो बारह वर्ष में एक बार होता है। मंदिरों की नगरी कुंभकोनम् को यह नाम दैवी पात्र 'कुंभ' से मिला है। ग्रीष्म महोत्सव हर वर्ष 'पर्वतीय स्थलों की रानी' सदाबहार ऊटी, विशिष्ट स्थल कोडाइकनाल या येरूकाड की स्वास्थ्यवर्द्धक ऊंची पहाड़ियों पर मनाया जाता है। कंथूरी उत्सव वास्तव में एक धर्मनिरपेक्ष त्योहार है, जिसमें विभिन्न समुदायों के श्रद्धालु संत फकीर कादिरवाली की दरगाह पर इकट्ठे होते हैं। संत कादिरवाली के शिष्य-वंशजों में से किसी एक को 'पीर' अथवा आध्यात्मिक नेता चुना जाता है और उसकी अर्चना की जाती है। इस उत्सव के दसवें दिन फकीर की दरगाह पर चंदन घिसा जाता है और उस पवित्र चंदन को सब लोगों में बांट दिया जाता है। 'वेलंकन्नी' उत्सव के बारे में अनेक आश्चर्यजनक दंतकथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक यह है कि सोलहवीं शताब्दी में पुर्तगाली नाविकों ने कुंवारी मेरी के लिए एक विशाल गिरजाघर बनवाने का संकल्प लिया था, क्योंकि उन्हीं की कृपा से भयंकर समुद्री तूफान से उनके जीवन की रक्षा हुई थी। 'वेलंकन्नी' उत्सव देखने के लिए हजारों लोग नारंगी पट्टियां डालकर उस पवित्र स्थान पर एकत्र होते हैं, जहां जहाज आकर जमीन पर लगा था। कुंवारी मेरी द्वारा रोगियों को ठीक कर देने की चमत्कारी शक्तियों से संबंधित अनेक बातें भी इतनी ही प्रचलित हैं और इसके लिए यह गिरजाघर, पूर्व का लार्डस के नाम से भी प्रसिद्ध है।

'नवरात्रि' पर्व का शाब्दिक अर्थ 'नौ रात्रियां' है जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न रूपों में और अनोखे ढंग से मनाया जाता है। यह पर्व शक्ति, धन और ज्ञान के लिए देवी 'शक्ति' को संतुष्ट

करने के लिए मनाया जाता है। तमिलनाडु का प्रकाश-पर्व 'कार्तिकै दीपम्' भी बहुत प्रसिद्ध है। इसमें घरों के बाहर मिट्टी के दीए जलाए जाते हैं और उल्लासपूर्वक पटाखे छोड़े जाते हैं। तमिलनाडु का संगीत महोत्सव चेन्नई में दिसंबर में मनाया जाता है। इसमें कर्नाटक संगीत की महान और अमूल्य परंपरा का निर्वाह किया जाता है और इस समारोह में नए और पुराने कलाकारों द्वारा संगीत और नृत्य की अविस्मरणीय प्रस्तुतियां होती हैं।

पर्यटन स्थल

चेन्नई, ममल्लापुरम, पूंजहार, कांचीपुरम, कुंभकोनम, धारासुरम, चिदंबरम, तिरुअन्नामलै, श्रीरंगम, मदुरै, रामेश्वरम, तिरुनेलवेल्ली, कन्याकुमारी, तंजावूर, वेलंकन्नी, नागूर चित्तान वसाल, कलुगुमलै (स्मारक केंद्र), कोर्टलम, होगेनक्कल, पापनाशम, सुरूली (जल-प्रपात), ऊटी (उदगमंडलम), कोडईकनाल, यरकाड, इलागिरि कोल्लिहिल्स (पर्वतीय स्थल), गुइंडी (चेन्नई), मुदुमलाई, अन्नामलाई, मुंदांथुरै, कालाकाड (वन्य जीव अभयारण्य), वेदंथंगल तथा प्वाइंट केलिमियर (पक्षी अभयारण्य) और चेन्नई के समीप अरिगनर अन्ना चिड़ियाघर आदि पर्यटन की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं।

सरकार

राज्यपाल	:	एस.एस. बरनाला
मुख्यमंत्री	:	एम. करुणानिधि
मुख्य सचिव	:	एल. त्रिपाठी
मुख्य न्यायाधीश	:	न्यायमूर्ति अजीत प्रकाश शाह
उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र : तमिलनाडु और पांडिचेरी		

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. चेन्नई	174	43,43,645	चेन्नई
2. कांचीपुरम	4,307	28,77,468	कांचीपुरम
3. तिरुवल्लूर	3,550	27,54,756	तिरुवल्लूर
4. वेल्लोर	6,077	34,77,317	वेल्लोर
5. तिरुअन्नामलै	6,190	21,86,125	तिरुअन्नामलै
6. कुड्डालोर	3,706	22,85,395	कुड्डालोर
7. विल्लुपुरम	7,190	29,60,373	विल्लुपुरम
8. सलेम	5,425	30,16,346	सलेम
9. नमक्कल	3,404	14,93,462	नमक्कल
10. धर्मपुरी	9,622	28,56,300	धर्मपुरी
11. इरोड	8,209	25,81,500	इरोड
12. पुदुक्कोट्टई	4,651	14,59,601	पुदुक्कोट्टई
13. नीलगिरि	2,549	7,62,141	उदगमंडलम

14.	कोयंबतूर	7,469	42,71,856	कोयंबतूर
15.	तिरुचिरापल्ली	4,511	24,18,366	तिरुचिरापल्ली
16.	करूर	2,901	9,35,686	करूर
17.	पेरांबलूर	1,750	4,93,646	पेरांबलूर
18.	तंजावूर	3,476	22,16,138	तंजावूर
19.	एरियालूर	1,944	6,95,524	एरियालूर
20.	नागपट्टिनम	2,417	14,88,839	नागपट्टिनम
21.	तिरुवरूर	2,377	11,69,474	तिरुवरूर
22.	मदुरै	3,696	25,78,201	मदुरै
23.	थेनी	2,869	10,93,950	थेनी
24.	डिंडीगुल	6,058	19,23,014	डिंडीगुल
25.	रामनाथपुरम	4,175	11,87,604	रामनाथपुरम
26.	शिवगंगाई	4,143	11,55,356	शिवगंगाई
27.	विरुधुनगर	4,283	17,51,301	विरुधुनगर
28.	तिरुनेलवेल्ली	6,810	27,23,988	तिरुनेलवेल्ली
29.	तूथूकुडि	4,621	15,72,273	तूथूकुडि
30.	कन्याकुमारी	1,684	16,76,034	नागरकोइल
31.	तिरुप्पुर	4719.85	1917033	तिरुप्पुर

त्रिपुरा

क्षेत्रफल : 10,49,169 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या : 31,91,203

राजधानी : अगरतला

मुख्य भाषाएं : बांग्ला और काकबरक

इतिहास और भूगोल

त्रिपुरा का बड़ा पुराना और लंबा इतिहास है। इसकी अपनी अनोखी जनजातीय संस्कृति तथा दिलचस्प लोकगाथाएं हैं। इसके इतिहास को त्रिपुरा नरेश के बारे में 'राजमाला' गाथाओं तथा मुसलमान इतिहासकारों के वर्णनों से जाना जा सकता है। महाभारत और पुराणों में भी त्रिपुरा का उल्लेख मिलता है। राजमाला के अनुसार त्रिपुरा के शासकों को 'फा' उपनाम से पुकारा जाता था जिसका अर्थ 'पिता' होता है। 14वीं शताब्दी में बंगाल के शासकों द्वारा त्रिपुरा नरेश की मदद किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। त्रिपुरा के शासकों को मुगलों के बार-बार आक्रमण का भी सामना करना पड़ा जिसमें आक्रमणकारियों को कमोबेश सफलता मिलती रहती थी। कई लड़ाइयों में त्रिपुरा के शासकों ने बंगाल के सुल्तानों को हराया। 19वीं शताब्दी में महाराजा वीरचंद्र किशोर माणिक्य बहादुर के शासनकाल में त्रिपुरा में नए युग का सूत्रपात हुआ। उन्होंने अपने प्रशासनिक ढांचे को ब्रिटिश भारत के नमूने पर बनाया और कई सुधार लागू किए। उनके उत्तराधिकारों ने 15 अक्टूबर, 1949 तक त्रिपुरा पर शासन

किया। इसके बाद त्रिपुरा भारत संघ में शामिल हो गया। शुरू में यह भाग-सी के अंतर्गत आने वाला राज्य था और 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद यह केंद्रशासित प्रदेश बना। 1972 में इसने पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया।

त्रिपुरा बांग्लादेश तथा म्यांमार की नदी घाटियों के बीच स्थित है। इसके तीन तरफ बांग्लादेश है और केवल उत्तर-पूर्व में यह असम और मिज़ोरम से जुड़ा हुआ है।

सिंचाई

त्रिपुरा राज्य मुख्यतः पहाड़ी इलाका है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 10,49,169 हेक्टेयर है। अनुमान है कि 2,80,000 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। 31 मार्च, 2008 तक 93,359 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई, गहरे नलकूप, दिशा परिवर्तन, मध्यम सिंचाई व्यवस्था, शैलो ट्यूबवैल और पंपसेटों के जरिए सुनिश्चित सिंचाई के प्रबंध किए गए हैं। यह राज्य की सिंचाई योग्य भूमि का 79.97 प्रतिशत और कृषि योग्य भूमि का लगभग 32.34 प्रतिशत है। सार्वजनिक निर्माण विभाग (जल संसाधन) द्वारा 1,411 डाइवर्जन स्कीम, 166 गहरे नलकूप स्कीमें पूरी की जा चुकी हैं तथा 3 मध्यम सिंचाई योजनाओं— (i) गुमती (ii) खोवई और (iii) मनु के जरिए कमान एरिया के कुछ भाग को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। नहर प्रणाली का कार्य 2009-10 तक पूरा हो जाने की आशा है।

बिजली

इस समय राज्य की व्यस्त समय की बिजली की मांग लगभग 162 मेगावाट है। राज्य में अपनी परियोजनाओं से लगभग 80 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। लगभग 40 मेगावाट बिजली पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित केंद्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केंद्रों से राज्य के लिए आवंटित हिस्से से प्राप्त की जाती है। इस प्रकार कुल उपलब्ध बिजली लगभग 120 मेगावाट है।

यह अनुमान लगाया जा रहा है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और राज्य में उद्योगीकरण के कारण 2012 में यह मांग बढ़कर 396 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। पश्चिमी त्रिपुरा में पूर्वोत्तर परिषद के अंतर्गत बारामुरा में 1×21 मेगावाट जीटी परियोजना की स्थापना का काम प्रगति पर है और दिसंबर 2009 तक पूरा हो जाएगा। 1×21 मेगावाट जीटी का एक अन्य संयंत्र पश्चिमी त्रिपुरा के रोखिया में लगाया गया। पालटाम, उदैपुर, दक्षिण त्रिपुरा में ओटीपीसी विद्युत परियोजना (740 मेगावाट) 2011-12 में शुरू होने की संभावना है। इसमें त्रिपुरा का हिस्सा 200 मेगावाट है। नीपको द्वारा शुरू की गई मोनारचक जी.टी. परियोजना (104 मेगावाट) 2010-11 में चालू हो जाने की संभावना है।

परिवहन

सड़कें

त्रिपुरा में विभिन्न प्रकार की सड़कों की कुल लंबाई 1,997 कि.मी. है, जिसमें से मुख्य जिला सड़कें 90 कि.मी., अन्य जिला सड़कें 1,218 कि.मी. और प्रांतीय राजमार्ग 689 कि.मी. हैं।

रेलवे

राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत अगरतला तक रेलमार्ग पहुंचाने का काम पूरा हो चुका है। अगरतला-सबरूम संपर्क रेल लाइन विस्तार के कार्य को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है।

उड्डयन

त्रिपुरा का मुख्य हवाई अड्डा अगरतला में है।

पर्यटन स्थल

प्रमुख पर्यटन केंद्र इस प्रकार हैं :

पश्चिम-दक्षिण त्रिपुरा पर्यटन सर्किट

(i) अगरतला (ii) कमलसागर (iii) सेपाहीजला (iv) नीरमहल (v) उदयपुर (vi) पिलाक (vii) महामुनि

पश्चिम-उत्तर त्रिपुरा पर्यटन सर्किट

(i) अगरतला (ii) दंबूर झील (iii) यूनोकुटी (iv) जंपुई हिल

त्योहार

(क) पर्यटन समारोह

- (i) ऑरेंज एंड टूरिज्म फेस्टिवल-वांगमुन,
- (ii) उनोकोटी टूरिज्म फेस्टिवल,
- (iii) नीरमहल टूरिज्म फेस्टिवल,
- (iv) पिलक टूरिज्म फेस्टिवल

(ख) सांस्कृतिक/धार्मिक उत्सव

(i) तीर्थमुख और उनाकोटी में मकर संक्रांति, (ii) होली, (iii) उनोकोटी, ब्रह्मकुंड (मोहनपुर) में अशोकाष्टमी, (iv) राश (v) बंगाली नववर्ष, (vi) गरिया, धामेल, बिजू और होजगिरि उत्सव (vii) नौका दौड़ और मनसा मंगल उत्सव, (viii) केर और खाची उत्सव, (ix) दुर्गापूजा, (x) दिवाली, (xi) जंपुई पहाड़ियों में क्रिसमस, (xii) बुद्ध पूर्णिमा, (xiii) रॉबिंदर-नजरुल-सुकांता उत्सव (xiv) गली नाट्य उत्सव, (xv) चोंगप्रेम उत्सव, (xvi) खंपुई उत्सव, (xvii) वाह उत्सव, (xviii) सांस्कृतिक उत्सव (लोक उत्सव), (xix) मुरासिंग उत्सव, (xx) संघाटी उत्सव, (xxi) बैसाखी उत्सव (सबरूम) आदि हर वर्ष मनाए जाते हैं।

सरकार

राज्यपाल	:	डॉ.डी.वाई. पाटिल
मुख्यमंत्री	:	माणिक सरकार
विधानसभा अध्यक्ष	:	रामेंद्र चंद्र देबनाथ
मुख्य सचिव	:	शशि बकश

उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र : गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अगरतला पीठ

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. उत्तरी त्रिपुरा	2,820.63	5,90,913	कैलाशहर
2. दक्षिणी त्रिपुरा	2,151.77	7,67,440	उदयपुर
3. पश्चिमी त्रिपुरा	2,996.82	15,32,982	अगरतला
4. ढलाई	2,552.47	3,07,868	अंबासा

उत्तराखंड

क्षेत्रफल :	53,483 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या :	84,89,349
राजधानी :	देहरादून	मुख्य भाषाएं :	हिंदी, अंग्रेजी, गढ़वाली और कुमाऊंनी

इतिहास और भूगोल

उत्तराखंड का उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों में केदारखंड, मानसखंड और हिमवंत के रूप में हुआ है। इस क्षेत्र पर कुषाणों, कुनिंदों, कनिष्क, समुद्रगुप्त, पौरवों, कत्यूरियों, पालों, चंद्रों, पंवारों और ब्रिटिश शासकों ने समय-समय पर राज किया है। इसके पवित्र स्थलों और तीर्थस्थलों के कारण बहुधा इसे देवताओं की धरती—‘देवभूमि’ कहा जाता है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र पर्यटकों व तीर्थयात्रियों को निर्मल प्राकृतिक दृश्य प्रदान करते हैं।

वर्तमान उत्तराखंड राज्य पहले आगरा और अवध संयुक्त प्रांत का हिस्सा था। यह प्रांत 1902 में अस्तित्व में आया। सन 1935 में इसे संक्षेप में केवल संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम ‘उत्तर प्रदेश’ रखा गया। 9 नवंबर, 2000 को भारत का 27वां राज्य बनने से पूर्व तक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना रहा।

हिमालय की तलहटी में स्थित उत्तराखंड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तर में चीन (तिब्बत) और पूर्व में नेपाल से मिलती हैं। इसके उत्तर-पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश है।

कृषि

उत्तराखंड की 90 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य का कुल खेती योग्य क्षेत्र 767,571 हेक्टेयर है।

उद्योग और खनिज

राज्य में चूनापत्थर, राक फास्फेट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम आदि के प्रचुर भंडार हैं। राज्य में 34231 लघु औद्योगिक इकाइयां हैं, जिनमें 177677 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसके अलावा 14965.67 करोड़ रुपये के निवेश वाले उद्योग हैं। अधिकांश उद्योग वन-आधारित हैं।

सिंचाई और बिजली

राज्य के 549381 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। राज्य के पास पनबिजली उत्पादन की जबर्दस्त क्षमता है। यमुना, भागीरथी, भीलांगना, अलकनंदा, मंदाकिनी, सरयू, गौरी, कोसी और काली नदियों पर अनेक पनबिजली संयंत्र हैं, जिनमें बिजली का उत्पादन हो रहा है। राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 25450 मेगावाट है, जिसमें 13667 मेगावाट की परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। राज्य के 15,761 गांवों में से 15,241 गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है।

परिवहन

सड़कें

उत्तराखंड में पक्की सड़कों की कुल लंबाई 29,939 किलोमीटर है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों की लंबाई 22,623 कि.मी., स्थानीय निकायों द्वारा बनाई गई सड़कों की लंबाई 3,925 कि.मी. है।

रेलवे

प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं: देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, काशीपुर, हल्द्वानी, ऊधमसिंह नगर, रामनगर और काठगोदाम।

उड्डयन

जौली ग्रांट (देहरादून) और पंतनगर (ऊधमसिंह नगर) में हवाई पट्टियां हैं। नैनी-सैनी (पिथौरागढ़), गौचर (चमोली) और चिनयालिसौर (उत्तरकाशी) में हवाई पट्टियां बनाई जा रही हैं। पवनहंस लि. ने रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक तीर्थ यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है।

त्योहार

विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला/अर्द्ध कुंभ मेला हरिद्वार में प्रति बारहवें/छठे वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। अन्य प्रमुख मेले/त्योहार हैं: देवीधुरा मेला (चंपावत), पूर्णांगिरि मेला (चंपावत), नंदा देवी मेला (अल्मोड़ा), गौचर मेला (चमोली), बैसाखी (उत्तरकाशी), माघ मेला (उत्तरकाशी), उत्तरायणी मेला (बागेश्वर), विशु मेला (जौनसार बावर), पीरान-कलियार (रुड़की), और नंदा देवी राज जात यात्रा हर बारहवें वर्ष होती है।

पर्यटन स्थल

तीर्थयात्रियों/पर्यटकों के आकर्षण के प्रमुख स्थल हैं : गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब, नानकमत्ता आदि। कैलाश मानसरोवर की यात्रा कुमाऊं क्षेत्र से होकर की जाती है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, पिंडारी ग्लेसियर, रूपकुंड, दयारा, बुग्याल, औली तथा मसूरी, देहरादून, चकराता, नैनीताल, रानीखेत, बागेश्वर, भीमताल, कौसानी और लैंसडाउन जैसे पर्वतीय स्थल पर्यटकों के आकर्षण के महत्वपूर्ण स्थल हैं।

सरकार

राज्यपाल	:	मार्गरेट अल्वा
मुख्यमंत्री	:	रमेश पोखरियाल 'निशंक'

राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश

1259

विधानसभा अध्यक्ष : हरबंस कपूर

मुख्य सचिव : इंदु कुमार पांडेय

उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र : उत्तराखंड (नैनीताल)

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. उत्तरकाशी	8,016	2,95,013	उत्तरकाशी
2. चमोली	7520	3,70,359	गोपेश्वर
3. रुद्र प्रयाग	2,439	2,27,439	रुद्र प्रयाग
4. टिहरी गढ़वाल	3,796	6,04,747	नई टिहरी
5. देहरादून	3,088	12,82,143	देहरादून
6. गढ़वाल	5,329	6,97,078	पौड़ी
7. पिथौरागढ़	7,169	4,62,289	पिथौरागढ़
8. चंपावत	2004	2,24,542	चंपावत
9. अल्मोड़ा	3,689	6,30,567	अल्मोड़ा
10. बागेश्वर	1,696	2,49,462	बागेश्वर
11. नैनीताल	3422	7,62,909	नैनीताल
12. ऊधमसिंह नगर	3055	12,35,614	ऊधमसिंह नगर (रुद्रपुर)
13. हरिद्वार	2,360	14,47,187	हरिद्वार

उत्तर प्रदेश

क्षेत्रफल : 2,40,928 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या : 16,61.98.000

राजधानी : लखनऊ

मुख्य भाषाएं : हिंदी और उर्दू

इतिहास और भूगोल

उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत प्राचीन और दिलचस्प है। उत्तर वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था। यह वैदिक काल के कई महान ऋषि-मुनियों, जैसे—भारद्वाज, गौतम, याज्ञवल्क्य, वसिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि आदि की तपोभूमि रहा। आर्यों की कई पवित्र पुस्तकों भी यहीं लिखी गई। भारत के दो महान महाकाव्यों—*रामायण* और *महाभारत* की कथा भी इसी क्षेत्र पर आधारित लगती हैं।

ईसा पूर्व छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश दो नए धर्मों—जैन और बौद्ध—के संपर्क में आया। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और अपने संप्रदाय की शुरुआत की तथा उत्तर प्रदेश के ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश में कई नगर, जैसे—अयोध्या, प्रयाग, वाराणसी और

मथुरा विद्या-अध्ययन के प्रसिद्ध केंद्र बन गए थे। मध्य काल में उत्तर प्रदेश मुस्लिम शासकों के अधीन हो गया जिससे हिंदू और इस्लाम धर्मों के संपर्क से नई मिली-जुली संस्कृति का जन्म हुआ। तुलसीदास और सूरदास, रामानंद और उनके मुस्लिम शिष्य कबीर तथा कई अन्य संतों ने हिंदी और अन्य भाषाओं के विकास में योगदान दिया।

उत्तर प्रदेश ने अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता को ब्रिटिश शासनकाल में भी बनाए रखा। अंग्रेजों ने आगरा और अवध नामक दो प्रांतों को मिलाकर एक प्रांत बनाया जिसे आगरा और अवध संयुक्त प्रांत के नाम से पुकारा जाने लगा। बाद में 1935 में इसे संक्षेप में केवल संयुक्त प्रांत कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम 'उत्तर प्रदेश' रखा गया।

उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा पूर्व में बिहार राज्य हैं। उत्तर प्रदेश को दो प्रमुख भागों में विभक्त किया जा सकता है : 1. दक्षिणी पर्वत, तथा 2. गंगा का मैदान।

कृषि

उत्तर प्रदेश में लगभग 66 प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। राज्य में निवल 167.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि होती है। 2006-07 में राज्य में 260.27 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 109.12 लाख मीट्रिक टन चावल, 18.14 लाख मीट्रिक टन दालें, 7.54 लाख मीट्रिक टन तिलहन और 1309.22 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ। 2006-07 में कुल 418.65 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ।

उद्योग और खनिज

वर्ष 2006-07 में राज्य में कुल 6,12,338 लघु इकाइयां थीं जिनमें 7172 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी और 2396 हजार लोग काम कर रहे थे। वर्ष 2007-08 में राज्य में लगभग 73.20 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। राज्य में 68 कपड़ा मिलें और 32 आटोमोबाइल कारखाने हैं, जिनमें 5,740 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है और 20,280 लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

सन 2011 तक नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत 102 सेक्टर विकसित करने की योजना है। इस प्राधिकरण में औद्योगिक क्षेत्र, आवास क्षेत्र, ग्रुप हाउसिंग क्षेत्र, आवासीय भवन, व्यावसायिक परिसंपत्तियां और संस्थागत क्षेत्र शामिल हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के नमूने पर राज्य में अन्य औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करने के लिए कदम उठाए गए हैं। साफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कानपुर में एक साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। ऐसे ही पांच अन्य साफ्टवेयर पार्क और खोले जाएंगे।

सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत चूनापत्थर, मैग्नेसाइट, कोयला, रॉक फास्फेट, डोलोमाइट और सिलिकन रेत का खनन किया जाता है। छोटे खनिजों तथा कुछ और बड़े खनिजों, जैसे—चूनापत्थर, सिलिका, मैग्नेसाइट, फाइरोफाइलाइट और डायोस्पायर के बड़े पैमाने पर उत्पादन का अधिकतर कार्य निजी क्षेत्र में है। खनिज आधारित महत्वपूर्ण उद्योगों में सोनभद्र का बड़ा सीमेंट संयंत्र शामिल है।

बिजली

14 जनवरी, 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को पुनर्गठित करके उत्तर प्रदेश विद्युत निगम, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन और उत्तर प्रदेश पनबिजली निगम की स्थापना की गई है।

2001-02 में कुल स्थापित क्षमता 4659 मेगावाट, 2003 - 04 में 4621 मेगावाट थी जिसे बढ़ाकर 4706 मेगावाट कर दिया गया है। वर्ष 2001-2002 में विद्युत उत्पादन 226330 लाख किलोवाट, 2003-04 में 228355 लाख किलोवाट तथा 2004-05 में 209114 लाख किलोवाट हुआ। 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 में खपत क्रमशः 252302 लाख किलोवाट, 266596 लाख किलोवाट तथा 279392 किलोवाट रही।

विद्युत आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण घटक है। दसवीं योजना के दौरान पुनर्गठित उत्तर प्रदेश की स्थापित क्षमता 7821.82 मेगावाट थी। केवल 56.6 प्रतिशत गांव विद्युतीकृत थे तथा 7.88 लाख ट्यूबवेल बिजली से चलते थे। गठन के समय कुल स्थापित क्षमता 2635 मेगावाट थी जो अब 5414 मेगावाट है।

सिंचाई

सिंचाई क्षमता को 267.99 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने के लिए 2,094.5256 करोड़ रुपये खर्च किए गए। 2004-05 के अंत तक राज्य में 319.92 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया। जिसमें से केवल 231.61 लाख हेक्टेयर का उपयोग किया जा सका। 2006-07 के लिए निर्धारित लक्ष्य 7.41 लाख हेक्टेयर था।

परिवहन

सड़कें

उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की सड़कों की कुल लंबाई 131969 किलोमीटर है। इसमें 3794 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग, 8,449 किलोमीटर लंबे प्रांतीय राजमार्ग, 119726 किलोमीटर अन्य जिला सड़कें तथा 72,931 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं।

रेलवे

रेलवे के उत्तरी नेटवर्क का मुख्य जंक्शन लखनऊ है। अन्य महत्वपूर्ण रेल जंक्शन हैं—आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मुगलसराय, झांसी, मुरादाबाद, वाराणसी, टूंडला, गोरखपुर, गोंडा, फैजाबाद, बरेली और सीतापुर।

उड्डयन

प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, झांसी, बरेली, हिंडन (गाजियाबाद), गोरखपुर, सरसावा (सहारनपुर) और फुर्सतगंज (रायबरेली) में हवाई अड्डे हैं।

त्योहार

इलाहाबाद में प्रत्येक बारहवें वर्ष कुंभ मेला आयोजित होता है जो कि संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। इसके अलावा इलाहाबाद में प्रत्येक 6 साल में *अर्द्ध कुंभ मेले* का आयोजन भी होता है। इलाहाबाद में ही प्रत्येक वर्ष जनवरी में *माघ मेला* भी आयोजित होता है, जहां बड़ी संख्या में लोग *संगम* में डुबकी लगाते हैं। अन्य मेलों में मथुरा, वृंदावन व अयोध्या के *झूला मेले* शामिल हैं, जिनमें प्रतिमाओं को सोने एवं चांदी के झूलों में रखा जाता है। ये झूला मेले एक पखवाड़े तक चलते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा में डुबकी लगाना अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसके लिए गढ़मुक्तेश्वर, सोरन, राजघाट, काकोरा, बिठूर, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और अयोध्या में बड़ी

संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। आगरा जिले के बटेश्वर कस्बे में पशुओं का प्रसिद्ध मेला लगता है। बाराबंकी जिले का देवा मेला मुस्लिम संत वारिस अली शाह के कारण काफी प्रसिद्ध हो गया है। इसके अतिरिक्त यहां हिंदू तथा मुस्लिमों के सभी प्रमुख त्योहारों को राज्य भर में मनाया जाता है।

पर्यटन स्थल

उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार के सैलानियों के लिए आकर्षण की कई चीजें हैं। प्राचीन तीर्थ स्थानों में वाराणसी, विंध्याचल, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग, नैमिषारण्य, मथुरा, वृंदावन, देवा शरीफ, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, संकिसा, कंपिल, पिपरावा और कौशांबी प्रमुख हैं। आगरा, अयोध्या, सारनाथ, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, गोरखपुर, जौनपुर, कन्नौज, महोबा, देवगढ़, बिठूर और विंध्याचल में हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुशिल्प और संस्कृति के महत्वपूर्ण खजाने हैं।

सरकार

राज्यपाल	: बी.एल. जोशी
मुख्यमंत्री	: मायावती
मुख्य सचिव	: अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य न्यायाधीश (कार्यवाहक)	: न्यायाधीश सैयद रफत आलम
उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	: उत्तर प्रदेश

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. आगरा	4,027	36,20,436	आगरा
2. अलीगढ़	3,650	29,92,286	अलीगढ़
3. इलाहाबाद	5,482	49,36,105	इलाहाबाद
4. आजमगढ़	4,054	39,39,916	आजमगढ़
5. बहराइच	4,420	23,81,072	बहराइच
6. बलिया	2,981	27,61,620	बलिया
7. बांदा	4,460	15,37,334	बांदा
8. बाराबंकी	4,402	26,73,581	बाराबंकी
9. बरेली	4,120	36,18,589	बरेली
10. बस्ती	2,688	20,84,814	बस्ती
11. बिजनौर	4,561	31,31,619	बिजनौर
12. बदायूं	5,168	30,69,426	बदायूं
13. बुलंदशहर	4,352	29,13,122	बुलंदशहर
14. देवरिया	2,538	27,12,650	देवरिया
15. एटा	4,446	27,90,410	एटा

राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश

1263

16.	इटवा	2,311	13,38,871	इटवा
17.	फैजाबाद	2,341	20,88,928	फैजाबाद
18.	अंबेडकर नगर	2,350	20,26,876	अकबरपुर
19.	फतेहपुर	4,152	23,08,384	फतेहपुर
20.	फर्रुखाबाद	2,181	15,70,408	फतेहगढ़
21.	गाजियाबाद	1,148	32,90,586	गाजियाबाद
22.	गौतम बुद्ध नगर	1,442	12,02,030	नोएडा
23.	गाजीपुर	3,377	30,37,582	गाजीपुर
24.	गोंडा	4,003	27,65,586	गोंडा
25.	गोरखपुर	3,321	37,69,456	गोरखपुर
26.	हमीरपुर	4,282	10,43,724	हमीरपुर
27.	हरदोई	5,986	33,98,306	हरदोई
28.	जालौन	4,565	14,54,452	उरई
29.	जौनपुर	4,038	39,11,679	जौनपुर
30.	झांसी	5,024	17,44,931	झांसी
31.	कानपुर (देहात)	3,021	15,63,336	अकबरपुर
32.	कानपुर(शहर)	3,155	41,67,999	कानपुर
33.	लखीमपुर खीरी	7,680	32,07,232	खीरी
34.	ललितपुर	5,039	9,77,734	ललितपुर
35.	लखनऊ	2,528	36,47,834	लखनऊ
36.	मैनपुरी	2,760	15,96,718	मैनपुरी
37.	मथुरा	3,340	20,74,516	मथुरा
38.	मेरठ	2,590	29,97,361	मेरठ
39.	मिर्जापुर	4,521	21,16,042	मिर्जापुर
40.	मुरादाबाद	3,718	38,10,983	मुरादाबाद
41.	मुजफ्फरनगर	4,008	35,43,362	मुजफ्फरनगर
42.	पीलीभीत	3,499	16,45,183	पीलीभीत
43.	प्रतापगढ़	3,717	27,31,174	प्रतापगढ़
44.	रायबरेली	4,609	28,72,335	रायबरेली
45.	रामपुर	2,367	19,23,739	रामपुर
46.	ज्योतिबा फुले नगर (अमरोहा)	2,249	14,99,068	ज्योतिबा फुले नगर
47.	सहारनपुर	3,689	28,91,222	सहारनपुर
48.	शाहजहांपुर	4,575	25,47,855	शाहजहांपुर
49.	सीतापुर	5,743	36,19,661	सीतापुर
50.	उन्नाव	4,558	27,00,324	उन्नाव
51.	सुलतानपुर	4,436	32,14,832	सुलतानपुर
52.	वाराणसी	1,535	31,38,671	वाराणसी

53. मऊ	1,713	18,53,997	मऊ
54. सिद्धार्थनगर	2,895	20,40,085	नवगढ़
55. फिरोजाबाद	2,361	20,52,958	फिरोजाबाद
56. सोनभद्र	6,788	14,63,519	राबर्टगंज
57. महाराजगंज	2,952	21,67,041	महाराजगंज
58. संत रविदास नगर (भदोही)	1,015	13,53,705	भदोही
59. महोबा	2,884	7,08,447	महोबा
60. हाथरस	1,840	13,36,031	हाथरस
61. कौशांबी	1,780	12,93,154	कौशांबी
62. कुशीनगर	2,906	28,93,196	पडरौना
63. चंदौली	2,541	16,43,251	चंदौली
64. बलरामपुर	3,394	16,82,350	बलरामपुर
65. श्रावस्ती	2,458	11,76,391	श्रावस्ती
66. चित्रकूट	3,164	7,66,225	चित्रकूट
67. बागपत	1,321	11,63,991	बागपत
68. कन्नौज	2,093	13,88,923	कन्नौज
69. औरैया	2,015	11,79,993	औरैया
70. संत कबीर नगर	1,646	14,20,226	खलीलाबाद
71. कांशीराम नगर	-	92485	कांशीराम नगर

पश्चिम बंगाल

क्षेत्रफल	: 88,752 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	: 8,01,76,197
राजधानी	: कोलकाता	मुख्य भाषा	: बांग्ला

इतिहास और भूगोल

भारत के प्रागैतिहासिक काल के इतिहास में भी बंगाल का विशिष्ट स्थान है। सिकंदर के आक्रमण के समय बंगाल में गंगारिदयी नाम का साम्राज्य था। गुप्त तथा मौर्य सम्राटों का बंगाल पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। बाद में शशांक बंगाल नरेश बना। कहा जाता है कि उसने सातवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में उत्तर-पूर्वी भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके बाद गोपाल ने सत्ता संभाली और पाल राजवंश की स्थापना की। पालों ने विशाल साम्राज्य खड़ा किया और चार शताब्दियों तक राज्य किया। पाल राजाओं के बाद बंगाल पर सेन राजवंश का अधिकार हुआ, जिसे दिल्ली के मुस्लिम शासकों ने परास्त किया। सोलहवीं शताब्दी में मुगलकाल के प्रारंभ से पहले बंगाल पर अनेक मुसलमान राजाओं और सुलतानों ने शासन किया।

मुगलों के पश्चात् आधुनिक बंगाल का इतिहास यूरोपीय तथा अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों के आगमन से आरंभ होता है। सन 1757 में प्लासी के युद्ध ने इतिहास की धारा को मोड़ दिया जब अंग्रेजों

ने पहले-पहल बंगाल और भारत में अपने पांव जमाए। सन 1905 में राजनीतिक लाभ के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में लोगों के बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए 1911 में बंगाल को फिर से एक कर दिया गया। इससे स्वतंत्रता आंदोलन की ज्वाला और तेजी से भड़क उठी, जिसका पटाक्षेप 1947 में देश की आजादी और विभाजन के साथ हुआ। 1947 के बाद देसी रियासतों के विलय का काम शुरू हुआ और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की सिफारिशों के अनुसार पड़ोसी राज्यों के कुछ बांग्लाभाषी क्षेत्रों को भी पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया।

इस राज्य के पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम में नेपाल, उत्तर-पूर्व में भूटान, उत्तर में सिक्किम, पश्चिम में बिहार, झारखंड, दक्षिण-पश्चिम में उड़ीसा तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है।

कृषि

राज्य की आमदनी में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है और राज्य के हर चार में से तीन व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में लगे हैं। वर्ष 2007-08 में राज्य में कुल खाद्य उत्पादन 16060.0 हजार टन था जिसमें से चावल का उत्पादन 14719.2 हजार टन, गेहूं और दलहनों का उत्पादन क्रमशः 917.3 हजार टन और 158.0 हजार टन रहा। इसी अवधि में तिलहनों का उत्पादन 705.7 हजार टन और आलू का 9900.89 हजार टन हुआ। 2007-08 में पटसन का उत्पादन 8216.0 हजार गांठें रहा।

उद्योग

वर्ष 2008 के दौरान 4060.78 करोड़ रुपये के निवेश से 187 परियोजनाएं शुरू की गईं। राज्य के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार 1993-94 = 100) में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह 2001-02 में 132.8 था जो 2007-08 में बढ़कर 200.8 हो गया है। मंदी के बावजूद औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में पिछले वर्ष की तुलना में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2007-08 के दौरान निर्माण क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक 7.9 प्रतिशत रहा।

औद्योगिक प्रोत्साहन तथा आर्थिक विकास की राज्य की नीति की प्रमुख विशेषताएं विदेशी तकनीकी और निवेश को प्रोत्साहन देना, विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र का निवेश तथा औद्योगिक ढांचे का सुधार और उन्नयन करना है। पेट्रोरासायन, डाउनस्ट्रीम उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी, लौह एवं इस्पात, मैटलर्जी तथा इंजीनियरिंग, वस्त्र उद्योग, चमड़ा तथा चमड़े के उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, औषधीय पौधे, खाद्य तेल, सब्जी का प्रसंस्करण तथा एक्वाकल्चर पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।

हाल के वर्षों में बांकुरा, मेदनीपुर, बर्दवान तथा पुरलिया जिलों में अधिक निवेश किया गया है। वर्ष 2007 में 1532.52 करोड़ रुपये का सर्वाधिक निवेश रसायन तथा पेट्रो रसायन क्षेत्र में किया गया। इसके पश्चात लौह एवं इस्पात क्षेत्र में 1359.62 करोड़, लाख प्रसंस्करण में 705.13 करोड़, इंजीनियरिंग उद्योग में 471.26 करोड़ तथा साफ्टवेयर एवं अन्य सेवा क्षेत्रों में 328.51 करोड़ रुपये का निवेश किया गया।

राज्य सरकार औद्योगिकीकरण को तेज करने के लिए सतत प्रयासरत है। राज्य ने 42 औद्योगिक उपक्रम मेमोरैंडम लागू किए हैं। वर्ष 2007 में लौह एवं इस्पात क्षेत्र में 4535 अतिरिक्त रोजगार पैदा किए गए।

जेएसडब्ल्यू बंगाल, भूषण स्टील लिमिटेड, जय बालाजी, विडियोकॉन समूह ने राज्य में इस्पात, सीमेंट, पावर प्लांट आदि लगाए हैं। जेएसडब्ल्यू बंगाल के अतिरिक्त वर्ष के दौरान स्पंज आयरन तथा इस्पात क्षेत्र के अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिले हैं, जैसे—जुरुलिया में 7737 करोड़ रुपये के निवेश से जय

बालाजी समूह का 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता का इस्पात संयंत्र, पुरलिया के रघुनाथपुर में 1850 करोड़ रुपये के निवेश से आधुनिक कारपोरेशन का 1.1 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता का इस्पात संयंत्र, मिदनापुर के खड़गपुर में 0.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता का इस्पात संयंत्र, 910 करोड़ रुपये के निवेश से श्याम समूह का 1.1 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता का इस्पात संयंत्र तथा 1028 करोड़ रुपये के निवेश से श्याम सेल लिमिटेड का 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता का इस्पात संयंत्र। इसके अतिरिक्त राज्य को भारत एलुमिनियम कंपनी द्वारा रानीगंज में 1200 मेगावाट विद्युत संयंत्र लगाने का प्रस्ताव भी मिला।

हालांकि राज्य में लौह अयस्क प्राप्ति का कोई लिंक नहीं है लेकिन कंपनियों ने यहां इस्पात संयंत्र लगाने का निर्णय किया है, जिसके लिए लौह अयस्क निकटवर्ती राज्यों, जैसे झारखंड तथा उड़ीसा से मंगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार पेट्रोलियम, रसायन तथा पैट्रोसायन के निवेश के लिए प्रयास कर रही है।

खान, इस्पात संयंत्रों, पिग आयरन, आदि में मुख्य निवेश किया गया है। बिजली की आसानी से उपलब्धता, शुष्क असमानता की समाप्ति, प्राकृतिक संसाधनों से प्रचुर स्थानों की समीपता तथा पारंपरिक रूप से इस्पात उद्योग में दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र में निवेश को गति मिली है। हाल के वर्षों में रसायन तथा रसायन उद्योग में निवेश में भी तेजी का रूप बना है।

वर्ष 2000 में हल्दिया पैट्रोसायन लिमिटेड की स्थापना के बाद से प्लास्टिक तथा अन्य संबद्ध उद्योगों में डाउनस्ट्रीम इकाइयों की स्थापना में तेजी आई है। ये मुख्यतः प्लास्टिक के सामान जैसे बाल्टियां, कंटेनर, मोलडेड फर्नीचर, बैटरी कंटेनर, नायलान नेट, आदि बनाने में संलग्न हैं। वर्ष 2008 के दौरान लिमिटेड की 67 डाउनस्ट्रीम इकाइयों में 138 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। 2006-07 तक 43863 लोगों को रोजगार मिला तथा 80044 लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिला।

राज्य सरकार ने निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए अनेक क्षेत्रों में नीतिगत सुधार लागू किए हैं। जैव-प्रौद्योगिकी, खान तथा खनन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा आईटी संबद्ध सेवा क्षेत्र में इन नीतियों के बेहतर परिणाम मिले हैं। नीति वक्तव्य में राज्य सरकार के उद्देश्य तथा इनकी प्राप्ति के तरीकों का स्पष्ट उल्लेख है। राज्य सरकार ने डब्ल्यूबीआईआईडीसी तथा डब्ल्यूबीआईआईडीसी के जरिए चमड़ा परिसर, फाउंड्री, रबड़, रसायन, प्लास्टो-स्टील, लाइट इंजीनियरिंग, पॉलिमर, वस्त्र तथा जूट पार्क स्थापित किए हैं। पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा, मालदा, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिलों में औद्योगिक पार्क स्थापना का कार्य शुरू किया जा रहा है।

राज्य सरकार सेज के विकास पर ध्यान दे रही है। यह निर्यात प्रोत्साहन के लिए बाधारहित निर्माण तथा व्यापार को प्रोत्साहित कर रही है। मार्च, 2008 तथा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 6 अधिसूचित अनुमोदन दिए गए। लगभग 80 प्रतिशत निवेश आईटी/आईटीईएस क्षेत्र तथा 2 प्रतिशत बायोटेक क्षेत्र में किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तीन कार्यरत सेज हैं—फाल्टा (बहु उत्पाद जोन), मणिकांचन (साल्ट लेक — रत्न तथा आभूषण) तथा विप्रो (साल्ट लेक-आईटी) आई.टी.ई.एन।

बंटाला स्थित कलकत्ता लेदर कॉम्प्लेक्स को 'सेज' घोषित किया जा चुका है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह 1100 एकड़ क्षेत्र में फैला है। यह विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं बागवानी विभाग राज्य में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दे रहा है। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना जोर पकड़ रही है तथा वर्ष 2006-07 के दौरान 67 परियोजनाओं में 336.18 करोड़ रुपये का निवेश किया गया।

राज्य ने सूचना प्रौद्योगिकी की वृद्धि के लिए प्राथमिक क्षेत्र के तौर पर पहचान की है। साल्ट लेक के सेक्टर-IV में स्थित आईटी हब भारत का पहला एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक काम्प्लेक्स है। यह हवाई अड्डे के निकट 150 एकड़ प्रदूषण मुक्त क्षेत्र में फैला हुआ है। 2007-08 के दौरान इस क्षेत्र में 15000 नये रोजगार सृजित किए गए। कोलकाता स्थित साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के तहत 2007-08 के दौरान 4000 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया। 2005-06 तथा 2006-07 में निर्यात राशि क्रमशः 2167 करोड़ तथा 3169 करोड़ रुपये थी।

सिंचाई

राज्य में 7 बड़ी तथा 34 मझौली सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। तीस्ता बैराज परियोजना तथा सुवर्णरेखा बैराज परियोजना दो बड़ी चालू परियोजनाएं हैं। वर्ष 2007-08 तक तीस्ता बैराज परियोजना की सकल क्षमता 145020 हेक्टेयर थी, इस परियोजना के पूरा हो जाने पर क्षमता-527000 हेक्टेयर होगी। सुवर्णरेखा बैराज परियोजना के लिए झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इस बैराज से राज्य के पश्चिमी तथा पूर्वी मिदनापुर जिले में खरीफ और रबी सत्र में क्रमशः 99248 तथा 30766 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी।

राज्य सरकार बांकुरा, बीरभूमि, बर्दवान तथा पुरुलिया जिले में अनेक छोटी सिंचाई परियोजनाएं चला रही है। पुरुलिया की 32 योजनाओं में से 25 पूरी हो चुकी है तथा 7 चल रही हैं, जिसमें से दो पाटलोई तथा टटकू सिंचाई योजना को एआईबीपी की संशोधित योजना में शामिल किया गया है। पूरी हो चुकी मझौली सिंचाई परियोजनाओं द्वारा 43,002 हजार हेक्टेयर की सिंचाई की जा रही है, जबकि चालू योजनाओं के पूरा हो जाने पर सिंचाई क्षमता बढ़कर 8.21 हजार हेक्टेयर हो जाएगी।

राज्य की लघु सिंचाई क्षमता 44.34 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 31.34 लाख हेक्टेयर भूजल तथा 13 लाख हेक्टेयर सतही जल द्वारा की जाती है। वार्षिक योजना 2008-09 के अंत तक इस क्षमता को बढ़ाकर 40.20 लाख हेक्टेयर कर दिया जाएगा जिसमें से 27.47 लाख भूजल द्वारा तथा 12.73 लाख सतही जल द्वारा होगा।

बिजली

पश्चिम बंगाल में राज्य क्षेत्र की विद्युत उत्पादन इकाइयां बंगाल पावर डवलपमेंट कारपोरेशन, तापीय विद्युत उत्पादन के लिए दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन के लिए पश्चिम बंगाल नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी हैं। केंद्र सरकार की दामोदर वैली कॉरपोरेशन तथा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के अतिरिक्त निजी क्षेत्र की सीईएससी लिमिटेड तथा देसरगढ़ पावर सप्लाई कारपोरेशन अन्य विद्युत उत्पादन इकाइयां हैं। 2008-09 के दौरान (अप्रैल-अक्टूबर तक) राज्य इकाइयों द्वारा 16270.1 एमयू विद्युत उत्पादन किया गया। अक्टूबर 2008 तथा 37416 मौजा का विद्युतीकरण किया गया तथा 115357 पंपसेटों को बिजली दी गई।

परिवहन

सड़कें

31 मार्च, 2002 तक 1898 किमी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग सहित राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 91970 किमी. थी। राज्य राजमार्ग 3533 किमी., पीडब्ल्यूडी सड़कें 12565 किमी तथा जिला सड़कें 42,479 किमी. लंबी थी।

रेलवे

वर्ष 2007-08 में राज्य में रेल मार्ग की लंबाई 4561.93 किमी. थी। हावड़ा, आसनसोल, सियालदाह, बंदेल, बर्दवान, खड़गपुर तथा न्यू जलपाईगुड़ी प्रमुख जंक्शन हैं।

सरकार

राज्यपाल : गोपाल कृष्ण गांधी

मुख्यमंत्री : बुद्धदेव भट्टाचार्य

विधानसभा अध्यक्ष : हाशिम अब्दुल हलीम

मुख्य सचिव : अशोक मोहन चक्रवर्ती

उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र : पश्चिम बंगाल और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. बांकुड़ा	6,882	31,91,822	बांकुड़ा
2. बर्दमान	7,024	69,19,698	बर्दमान
3. बीरभूम	4,545	30,12,546	सियुड़ी
4. कोलकाता	185	45,80,544	कोलकाता
5. दार्जिलिंग	3,149	16,05,900	दार्जिलिंग
6. हावड़ा	1,467	42,74,010	हावड़ा
7. हुगली	3,149	50,40,047	चिनसुड़ा
8. जलपाईगुड़ी	6,227	34,03,204	जलपाईगुड़ी
9. कूच बिहार	3,387	24,78,280	कूच बिहार
10. माल्दा	3,733	32,90,160	इंगलिश बाजार
11. मेदिनीपुर	14,081	96,38,473	मेदिनीपुर
12. मुर्शिदाबाद	5,324	58,63,717	बरहामपुर
13. नादिया	3,927	46,03,756	कृष्णनगर
14. उत्तरी 24-परगना	4,094	89,30,295	बारासात
15. दक्षिणी 24-परगना	9,660	69,09,015	अलीपुर
16. पुरुलिया	6,295	25,35,233	पुरुलिया
17. उत्तरी दीनाजपुर	3,140	24,41,824	रायगंज
18. दक्षिणी दीनाजपुर	2,219	15,02,647	बेलूरघाट

नोट : जिला मेदिनीपुर को 1 जनवरी, 2002 से दो भागों में बांट दिया गया है : पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर। जनगणना 2001 के आंकड़े अभी दिए जाने हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

क्षेत्रफल	: 8,249 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	: 3,56,265 (2001 की जनगणना के अनुसार)
राजधानी	: पोर्ट ब्लेयर	मुख्य भाषाएं	: हिंदी, निकोबारी, तमिल, बांग्ला, मलयालम और तेलुगु

इतिहास और भूगोल

केंद्रशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह 6 और 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 92 और 94 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। यह 572 द्वीपों का समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा म्यांमार के नेगरिस अंतरीप से 193 किलोमीटर, कोलकाता से 1255 किलोमीटर और चेन्नई से 1190 किलोमीटर दूर है। रिची आर्किपेलागो और लेबीरिथ द्वीपों के दो प्रमुख समूह हैं। निकोबार द्वीपसमूह अंडमान के दक्षिण में छोटे अंडमान द्वीप से 121 किलोमीटर दूर है। यहां आबादी वाले कुल 38 द्वीप हैं जिनमें 25 अंडमान में और 13 निकोबार जिले में हैं। 10° उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित द्वीप अंडमान द्वीपसमूह कहलाते हैं जबकि 10° उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में स्थित द्वीप निकोबारी द्वीपसमूह कहलाते हैं। यहां की जलवायु नम, उष्णकटीबंधीय और तटीय है। इस समस्त द्वीपसमूह में दक्षिण-पश्चिमी तथा उत्तर-पूर्वी—दोनों मानसूनों की वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा मई और दिसंबर के महीनों में होती है।

इस द्वीप समूह के मूल निवासी जंगलों में रहते थे और शिकार तथा मछलियां पकड़कर अपना गुजारा चलाते थे। अंडमान के द्वीपसमूहों में महा अंडमानी, ओंगे, जरवा और सेंटिनली नाम की चार निग्रेडो जातियां हैं तथा निकोबार द्वीपसमूह में निकोबारी तथा शोमपेन नाम की दो मंगोलाइड जातियां हैं।

कृषि

प्रदेश में कुल 51,694.35 हेक्टेयर भूमि में खेती की जाती है। इसमें से 8,068.71 हेक्टेयर भूमि सुनामी/भूकंप से तबाह हो गई। इसमें से 2,177.70 हेक्टेयर में धान व अन्य फसल तथा 5,891.01 हेक्टेयर में पौधों की फसल नष्ट हो गई। 4206.64 हेक्टेयर खेती की भूमि स्थायी रूप से पानी में डूब गई। धान यहां अनाज की प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो कि मुख्यतः अंडमान द्वीपसमूह में उगाई जाती है जबकि निकोबार द्वीपसमूह की मुख्य नकदी फसलें नारियल और सुपारी हैं। रबी के मौसम के दौरान दालें, तिलहन और सब्जियां उगाई जाती हैं जिसके बाद धान की फसल बोई जाती है। यहां के किसान पहाड़ी जमीन पर भिन्न-भिन्न प्रकार के फल, जैसे—आम, सेपोटा, संतरा, केला, पपीता, अनन्नास और कंदमूल आदि उगाते हैं। यहां बहुफसल व्यवस्था के अंतर्गत मसाले, जैसे—मिर्च, लौंग, जायफल तथा दालचीनी आदि भी उगाए जाते हैं। इन द्वीपों में रबड़, रेड आयल, ताड़ तथा काजू आदि भी थोड़ी-बहुत मात्रा में उगाए जाते हैं।

वन

इन द्वीपों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7,171 वर्ग किलोमीटर भाग वनों से ढका हुआ है। इन द्वीपों पर लगभग सभी प्रकार के वन जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्द्ध सदाबहार वन,

आर्द्र पर्णपाती, गिरि शिखर पर होने वाले तथा तटवर्ती और दलदली वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में विभिन्न प्रकार की लकड़ियां पाई जाती हैं। सबसे बहुमूल्य लकड़ियां पाडोक तथा गरजन की हैं। ये निकोबार में नहीं मिलतीं।

वन्यजीव

इन द्वीपों में 96 वन्यजीव अभयारण्य, नौ राष्ट्रीय पार्क तथा एक जैव संरक्षित क्षेत्र (बायोरिजर्व) हैं। स्तनपायी—अब तक अधिसूचित कुल 55 स्थलीय एवं 7 समुद्री स्तनपायी प्रजातियों में से 32 क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं। पक्षी—इन द्वीपों में पक्षियों की 246 प्रजातियां एवं उपप्रजातियां मिलती हैं जिनमें से 99 प्रजातियां एवं उपप्रजातियां क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं। सरीसृप—इस राज्य में सरीसृपों की 76 प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें से 24 क्षेत्र विशेष तक सीमित हैं। समुद्री जीव—इन द्वीपों के समुद्र में मछलियों की 1200 से अधिक प्रजातियां, इकाइनो डर्म की 350, घोंघा (मोलस्क) समूह की 1000 तथा अन्य सूक्ष्म प्रजातियां पाई जाती हैं। कशेरुकी प्राणियों में मुख्यतः ड्यूगॉग, डॉल्फिन, व्हेल, खारे पानी के घड़ियाल, समुद्री कछुए तथा समुद्री सर्प इत्यादि मिलते हैं। मूंगा एवं प्रवाल—अभी तक 61 वर्गों के प्रवालों की 179 प्रजातियों के बारे में जानकारी मिली है। पूर्वी तट पर मुख्यतः झब्बेदार (फ्रिजिंग) प्रकार के तथा पश्चिमी तट पर अवरोधी (बैरियर) प्रकार के प्रवाल पाए जाते हैं।

उद्योग

राज्य में 31 मार्च, 2007 तक 1,833 लघु व मध्यम उद्यम एवं हस्तशिल्प इकाइयां पंजीकृत थीं। झींगा मछली प्रसंस्करण के क्षेत्र में दो इकाइयां शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख हैं। इसके अतिरिक्त सीपी एवं लकड़ी आधारित हस्तशिल्प इकाइयां हैं। लघु व मध्यम उद्यम इकाइयां पेंट तथा वार्निश, छोटी आटा पिसाई चक्कियां, शीलत पेय एवं शराब, स्टील फर्नीचर एवं अन्य उपकरण, रेडीमेड कपड़े, लोहे के दरवाजे, ग्रिल इत्यादि के उत्पादन का कार्य करती हैं। लघु औद्योगिक इकाइयां सीपी शिल्प, बेकरी उत्पाद, चावल निकालने तथा फर्नीचर बनाने का कार्य भी कर रही हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम ने पर्यटन, मत्स्य उद्योग तथा औद्योगिक ऋण के क्षेत्रों में काम करना आरंभ कर दिया है तथा यह एलायंस एयर/जेट एयरवेज/एयर दक्कन के अधिकृत एजेंट के रूप में भी कार्य कर रहा है।

परिवहन

द्वीपों पर आवागमन दो तरीकों—वायु व जलमार्ग—से होता है। एलायंस एयर कोलकाता एवं पोर्ट ब्लेयर के साथ-साथ चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर के बीच अपनी सेवाएं चलाती है। जेट एयरवेज केवल चेन्नई तथा पोर्ट ब्लेयर के बीच अपनी सेवाएं चलाती है। नौवहन (जहाजरानी) निदेशालय के पानी के जहाज भी पोर्ट ब्लेयर से कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम के बीच में आते-जाते रहते हैं। जहाजरानी विभाग के पास अंतर्द्वीपीय यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक नौकाएं तथा अन्य साधन हैं।

अंडमान-निकोबार प्रशासन का मोटर परिवहन विभाग उत्तरी और दक्षिणी द्वीपसमूह के 13 केंद्रों से सेवा संचालित करता है। विभाग के पास कुल 205 बसें हैं, जो अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में चलती हैं।

15 अगस्त 2007 से कंप्यूटरीकृत टिकट प्रणाली शुरू की गई है। यहां से अग्रिम टिकट प्राप्त किए जा सकते हैं।

2007-08 के दौरान 135.88 लाख लोगों ने राज्य परिवहन की बसों से यात्रा की और विभाग को 1,075.22 लाख रुपयों का राजस्व प्राप्त हुआ। इस तरह यह स्पष्ट है कि विभाग न केवल बेहतर सार्वजनिक परिवहन सेवा देने में लगातार प्रगति कर रहा है, बल्कि अपनी आय को भी बढ़ाता जा रहा है।

पर्यटन स्थल

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एक पर्यावरण अनुकूल सुरक्षित पर्यटक स्थल के रूप में विख्यात है। पर्यटकों के इस स्वर्ग में सेल्यूलर जेल, रॉस आइलैंड तथा हैवलाक आइलैंड जैसे विशिष्ट स्थान हैं।

अंडमान के उष्णकटिबंधीय सदाबहार घने वन, सुंदर रूपहले व रेतीले समुद्र तट, सर्पाकार मैंग्रोव युक्त क्रीक, दुर्लभ समुद्री वनस्पतियों एवं जीव-जंतुओं की प्रजातियों युक्त समुद्री परिवेश तथा मूंगे यहां पर्यटकों को एक स्मरणीय अनुभव प्रदान करते हैं। समुद्र तट पर बने रिसार्ट्स, जलक्रीड़ा केंद्रों तथा पानी के साहसिक खेलों, ट्रेकिंग, आइलैंड कैंपिंग, प्रकृति के बीच निवास (नेचर ट्रेल) स्कूबा डाइविंग जैसे साहसिक पर्यटन के रूप में यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं।

इन द्वीपों की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों के ठहरने की आरामदेह व्यवस्था के लिए पर्यटन विभाग की ओर से द्वीपों के विभिन्न भागों में विश्राम गृहों का संचालन किया जाता है। यहां के प्रमुख पर्यटक स्थलों में नृतत्व संग्रहालय, समुद्री संग्रहालय, जलक्रीड़ा परिसर, गांधी पार्क, उत्तरी खाड़ी (नार्थ बे) वाइपर आइलैंड, रॉस आइलैंड, चिड़िया टापू (बर्ड वाचिंग), रेडस्किन आइलैंड, कोर्बिन्स कोव बीच तथा नील आइलैंड, हैवलाक आइलैंड, सिक्बे, लघु अंडमान, दिगलीपुर (रॉस एवं स्मिथ) इत्यादि हैं। मुख्यभूमि से द्वीप हवाई और समुद्री यात्रा द्वारा अच्छी तरह संपृक्त हैं। कोलकाता और चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच इंडियन एयरलाइंस, डैक्केन और जेटलाइट की नियमित उड़ानें हैं। चेन्नई, कोलकाता और विशाखापट्टनम से यहां के लिए नियमित यात्री नौका सेवा है।

प्रमुख पदाधिकारी

उप-राज्यपाल :	लेफ्टिनेंट जनरल (अवकाश प्राप्त) भूपिंदर सिंह, परमवीर तथा अतिविशिष्ट सेवा पदक
मुख्य सचिव :	विवेक राय
उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र :	अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है।

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. दक्षिण अंडमान	3,181.401	2,08,471	पोर्ट ब्लेयर
2. निकोबार	1,841	42,026	कार निकोबार
3. उत्तरी व मध्य अंडमान	3,226.6	1,05,613	मायाबंदर

चंडीगढ़

क्षेत्रफल	: 114 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	: 9,00,635
राजधानी	: चंडीगढ़	मुख्य भाषाएं	: हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी

इतिहास और भूगोल

चंडीगढ़ आधुनिक शिल्पकला के वैभव से संपन्न प्रदेश है। शिवालिक पहाड़ियों की नयनाभिराम तलहटी में बसा चंडीगढ़ वास्तविक अर्थों में एक खूबसूरत शहर है। फ्रांसीसी वास्तुशिल्पी ला कार्बूजिए द्वारा निर्मित यह शहर आधुनिक स्थापत्य कला तथा नगर नियोजन का शानदार उदाहरण है। चंडीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र को पहली नवंबर, 1966 को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। यह हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी भी है। इसके उत्तर और पश्चिम में पंजाब तथा पूर्व और दक्षिण में हरियाणा है।

प्रशासन

चंडीगढ़ प्रशासन मोटे तौर पर चार मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। पहला यह कि इसका उद्देश्य सूचना और प्रौद्योगिकी की मदद से सुगम और पारदर्शी प्रशासन देना है। यह सूचना अधिकार कानून के प्रावधानों को सबसे पहले लागू करने वालों में से है। कई सेवाएं, जिनके लिए पहले लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब कंप्यूटर और मोबाइल फोनों पर उपलब्ध हैं। सारे नियमों की इस दृष्टि से समीक्षा की जा रही है कि उन्हें किस तरह सरल बनाया जाए ताकि वे आम आदमी के अनुकूल हो सकें। उद्देश्य यह है कि झंझट कम से कम हो और नागरिकों को प्रशासन के चक्कर कम से कम काटने पड़ें।

दूसरा यह कि प्रशासन आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करके आर्थिक ज्ञान पर आधारित उद्योग, उच्चस्तरीय वाणिज्यिक कार्यकलाप जैसी अधिक मूल्यवर्द्धक सुविधाएं प्रदान करके विकास की उच्च दर प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। चंडीगढ़ में प्रतिव्यक्ति आय पहले से ही देश में सबसे ज्यादा है और सरकार चाहती है कि उस आधार को सुधारा जाए।

तीसरा यह कि प्रशासन बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवा जैसी मूलभूत सेवाएं और सार्वजनिक परिवहन की ऐसी सेवाएं प्रदान करना चाहता है जो उन्नत देशों के मुकाबले की हैं। इसमें समय लगेगा लेकिन यह इच्छा जल्दी ही पूरी होगी।

चौथा यह कि प्रशासन इस वास्तविकता के प्रति पूरी तरह सचेत है कि विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक समान रूप से नहीं पहुंचता। इसलिए इस बात पर विशेष जोर दिया जा रहा है कि विकास उन लोगों तक पहुंचे जहां अभी तक नहीं पहुंचा है।

परिवहन

चंडीगढ़ प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए शीघ्र ही जन त्वरित परिवहन प्रणाली शुरू करने का निश्चय किया है। चंडीगढ़ प्रशासन तथा पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारों परियोजना पर काम कर रही हैं।

प्रशासन शीघ्र ही वातानुकूलित तथा डबल डेकर बसें चलाएगा। वर्ष 2007-08 के दौरान 85 नई बसें खरीदी गईं।

सीटीयू का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है तथा 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। ग्लोबल पोजिशनिंग की जा रही है। आईएसबीटी सेक्टर 43 के प्रथम चरण ने कार्य शुरू कर दिया है।

ग्रामीण विकास

गरीब तथा पिछड़े तबके के लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी उन्हें मुहैया कराने के लिए विभिन्न गांवों में 14 विधि जागरूकता सेमिनार आयोजित किए गए।

खाजरी तथा पालसोरा गांव में सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ तथा नालियों को ढकने का काम पूरा। मौली जागरण गांव में 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण।

खेल

प्रशासन ने सेक्टर 19 में लड़कियों के लिए हाकी अकादमी की स्थापना की है, जल्दी ही क्रिकेट तथा फुटबाल के लिए भी ऐसी अकादमियां बनाई जाएंगी। 8 अक्टूबर 2007 को सेक्टर 16 के उन्नत स्टेडियम में भारत तथा आस्ट्रेलिया के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। सेक्टर 56 में 40,000 दर्शकों की क्षमता वाला आधुनिकतम फुटबाल स्टेडियम बनाया जाएगा। स्टेडियम में इंडोर गेम जैसे वालीबाल, बास्केट बाल, जूडो तथा कुश्ती की भी व्यवस्था होगी।

वर्ष 2007 में प्रदेश की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से चंडीगढ़ खेल परिषद ने हाकी तथा क्रिकेट के लिए इन-हाउस अकादमी स्थापित कीं। इनमें खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध होंगी।

सूचना प्रौद्योगिकी

चंडीगढ़ प्रशासन की महत्वपूर्ण परियोजना राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण कार्य पूरी तेजी से चल रहा है। तृतीय चरण का कार्य पूरा हो जाने पर 35000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इससे आरजीसीटीपी के प्रत्यक्ष रोजगार में 67,000 की वृद्धि होगी तथा चंडीगढ़ में 200,000 परोक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। व्यावसायिक विकास केंद्र तथा पार्क की स्थापना 1.5 एकड़ में की जा रही है। केंद्र इस वर्ष कार्य करना शुरू कर देगा।

चंडीगढ़ जनता को प्रयोक्ता अनुकूल तथा त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग में रोल मॉडल बन जाएगा। ई-गवर्नेंस पहल के तहत ढांसा, खुड्डा जस्सु, कंबाउला, रायपुर खुर्द, रायपुर कलां, मक्खन माजरा तथा भालना में 2007 में ग्राम संपर्क केंद्र स्थापित किए गए। पलसोरा, दादू माजरा, हल्लू माजरा, खुदा अलीसर, दरिया, मौली जागरण तथा मालाया में ग्राम संपर्क केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

मौजूदा संपर्क केंद्रों के अलावा अन्य संपर्क केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे तथा ग्रामीणों की सुविधा के लिए इनमें बीएसएनएल बिल, बिजली के बिल, पानी के बिल, एलआईसी प्रीमियम का भुगतान, स्कूल फीस भुगतान तथा ट्यूबवेल बुकिंग को भी इसमें शुरू किया जाएगा।

प्रशासन ऊर्जा संरक्षण के लिए भी कार्य कर रहा है। टाटा बीपी सोलर लिमिटेड को वनस्पति उद्यान में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थापित करने का आर्डर दिया गया है। गांवों की सभी स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी।

समाज कल्याण

प्रशासन के लिए समाज कल्याण प्रमुख मुद्दा है। प्रशासन ने अनेक जनोपयोगी योजनाएं शुरू की हैं। जाति व्यवस्था की बुराई को दूर करने तथा अन्तरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए यदि दंपति में से कोई एक अनुसूचित जाति का हो तो दंपति को देने वाली 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है।

बालिका समृद्धि योजना के तहत बीपीएल परिवार की नवजात कन्या शिशु को 500 रुपये देने का प्रावधान है। प्रशासन ने विशेष देखरेख वाले 50 बच्चों के लिए सेक्टर 38 स्थित प्रयास भवन में प्रीपेटरी स्कूल खोला है। इसके लिए उपकरणों आदि की खरीद हेतु 2008-09 में 0.14 लाख रुपये आबंटन का प्रस्ताव है।

सड़कों पर रहने वाले 900 बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए मालोया में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। प्रशासन ने चाइल्ड हेल्प लाइन भी शुरू की है।

स्वास्थ्य

सेक्टर-32 स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में टेलीमेडिसिन परियोजना शुरू की की है। सेक्टर 16 स्थित गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में 28 बिस्तरों वाली ट्रॉमा सेंटर इकाई शुरू की गई है। प्रशासन ने प्रत्येक मां तथा बच्चे के लिए 5273 रुपये की लागत से प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र में एक परियोजना शुरू की है।

सरकारी मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में प्री-एनेस्थिसिया, पोस्ट-एनेस्थिसिया तथा पोस्ट आपरेटिव रूम सहित सात आधुनिकतम आपरेशन थिएटर बनवाए हैं। मानसिक रोगियों के लिए सेक्टर-15 में एक रिहाइशी आवास 'समर्थ' बनाया गया है। मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल के कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण हेतु 50.6 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

उद्योग

प्रशासन मौली जागरण गांव के राजस्व इस्टेट में औद्योगिक क्षेत्र के तीसरे चरण का विकास कर रहा है। इसके लिए 152 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2007 में चंडीगढ़ के पंडाल को रजत पदक प्रदान किया गया।

शिक्षा

चंडीगढ़ प्रशासन सारंगपुर में 130 एकड़ क्षेत्र में 'चंडीगढ़ एजुकेशन सिटी' बना रहा है। पहली से पांचवी कक्षा तक की सामान्य श्रेणी की बालिकाओं के लिए उपस्थिति छात्रवृत्ति को 30 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 250 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। छह से 14 आयुवर्ग तथा पहली से कक्षा आठ तक की अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उपस्थिति छात्रवृत्ति को 30 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

कक्षा IX-XII तक के अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिमाह कर दिया है, जो पहले 20 तथा 25 रुपये प्रतिमाह थी।

चंडीगढ़ प्रशासन ने 1.5 लाख प्रतिवर्ष से कम आमदनी वाले मुसलमान, ईसाई, अन्य पिछड़े वर्ग, विकलांगों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारगण, भूतपूर्व-सैनिक, विधवा तथा तलाकशुदा परिवारों के बच्चों

की ट्यूशन शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। झुगियों में रहने वाले तथा कम आय वर्ग के परिवारों से ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन्हें स्कूल में भर्ती होने पर 250 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

पर्यटन

प्रशासन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल कर रहा है। चिकित्सीय, शैक्षिक तथा मनोरंजन सुविधाओं में वृद्धि कर प्रशासन सिनेमैटिक, खेल तथा चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

आवास

चंडीगढ़ आवास बोर्ड विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। बोर्ड 'चंडीगढ़ स्माल फ्लेट स्कीम-2006' को लागू करने वाली शीर्षस्थ संस्था है। परियोजना के तहत दो चरणों में एक कमरे वाले 25,728 फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा। सेक्टर 49 में 1024 तथा सेक्टर 38 में 1120 फ्लैटों का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है। अन्य छह स्थानों पर फ्लैटों का निर्माण कार्य समय पर शुरू हो जाएगा।

बोर्ड ने वर्ष के दौरान शहर के कूड़ा बीनने वालों के लिए सेक्टर 56 में 326 प्रीफेब सेल्टर का निर्माण कार्य पूर्ण किया। सेक्टर 49 में 400 ईडब्ल्यूएस तथा सेक्टर 38 में 288 ईडब्ल्यूएस का निर्माण कार्य फरवरी, 2009 में पूरा हो गया। प्रशासन के अपने कर्मचारियों के लिए बोर्ड ने दोमंजिला इकाइयों की विशेष स्ववित्त पोषित योजना शुरू की है। इसका निर्माण सेक्टर 52 तथा 56 में 45.5 एकड़ भूमि में किया जाएगा। तीन वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले तथा तीन वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए पांच प्रतिशत मकान आरक्षित रखे गए हैं। विकलांगों के लिए तीन प्रतिशत मकान आरक्षित हैं।

सेक्टर-26 की मद्रासी कॉलोनी में झुग्गीवासियों से खाली कराई गई जमीन का उपयोग करने के लिए उस पर 160 ईडब्ल्यूएस मकानों का निर्माण शुरू हो गया है। एक कमरे वाले 256 तथा दो कमरे वाले 2008 मकानों का निर्माण चल रहा है।

बिजली

वोल्टेज प्रोफाइल को सुधारने तथा विद्युत वितरण नेटवर्क पर दबाव को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक विंग ने विभिन्न स्थानों पर स्थित 66 किलोवाट ग्रिड सब-स्टेशनों में 80 एमवीएआर स्वचालित कैपेसिटर बैंक लगाने की योजना बनाई है।

सभी सरकारी भवनों में सीएफएल अनिवार्य कर दिया गया है। इसी प्रकार शैक्षणिक भवन अपने पार्किंग स्थानों पर सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी विंग ने वितरण तथा पारेषण हानि को 20.89 से घटाकर 19.29 प्रतिशत कर दिया गया है।

नगरपालिका

चंडीगढ़ नगरपालिका ने द्विजिन में 28 करोड़ रुपये की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र का उन्नयन किया है। नगरपालिका की जलापूर्ति तथा ड्रेनेज प्रणाली के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है।

जलापूर्ति की निगरानी के लिए 700 करोड़ रुपये की लागत से एक सुपरवाइजरी नियंत्रण तथा डाटा एक्वाइजेशन प्रणाली शुरू की है। इससे बिजली की खपत में कमी आएगी तथा संचालन और देखरेख लागत में प्रतिवर्ष लगभग तीन करोड़ रुपये की कमी आएगी।

पार्कों, लैंडस्केप आदि के लिए 36 करोड़ रुपये की लागत से एक परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना से 10 एमजीडी तृप्तपिक जल का उत्पादन होगा। सेक्टर 15 स्थित धोबी घाट को स्वचालित लांड्री मार्ट में बदल दिया गया है। यह भारत में अपने प्रकार का पहला मार्ट है। शहर को सुंदर बनाने तथा पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए दादू माजरा में दस एकड़ क्षेत्र में 30 करोड़ की लागत से ठोस कचरा संशोधन संयंत्र बनाया है। यह उत्तरी भारत में अपने प्रकार का पहला संयंत्र है।

प्रमुख पदाधिकारी

प्रशासक	: जनरल (सेवानिवृत्त) एस.एफ. रॉड्रिग्स
प्रशासक के सलाहकार	: ललित शर्मा
उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	: चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

दादरा और नगर हवेली

क्षेत्रफल	: 491 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	: 2,20,490
राजधानी	: सिलवासा	मुख्य भाषाएं	: गुजराती तथा हिंदी

इतिहास और भूगोल

मराठों और पुर्तगालियों के बीच लंबे संघर्ष के बाद 17 दिसंबर, 1779 को मराठा सरकार ने मित्रता सुनिश्चित करने की खातिर इस प्रदेश के कुछ गांवों का 12,000 रुपये का राजस्व क्षतिपूर्ति के तौर पर पुर्तगालियों को सौंप दिया। जनता द्वारा 2 अगस्त, 1954 को मुक्त कराने तक पुर्तगालियों ने इस प्रदेश पर शासन किया। 1954 से 1961 तक यह प्रदेश लगभग स्वतंत्र रूप से काम करता रहा जिसे 'स्वतंत्र दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन' ने चलाया। लेकिन 11 अगस्त, 1961 को यह प्रदेश भारतीय संघ में शामिल हो गया और तब से भारत सरकार एक केंद्रशासित प्रदेश के रूप में इसका प्रशासन कर रही है। पुर्तगाल के चंगुल से इस क्षेत्र की मुक्ति के बाद से 'वरिष्ठ पंचायत' प्रशासन की परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य कर रही थी परंतु इसे 1989 में भंग कर दिया गया और अखिल भारतीय स्तर पर संविधान संशोधन के अनुरूप दादरा और नगर हवेली जिला पंचायत और 11 ग्राम पंचायतों की एक प्रदेश परिषद गठित कर दी गई। दादरा और नगर हवेली 491 वर्ग कि.मी. में फैला छोटा-सा केंद्रशासित प्रदेश है। यह गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। इसके दो भाग हैं: एक दादरा और दूसरा नगर हवेली। निकटतम रेलवे स्टेशन वापी में है, जो सिलवासा से 18 किलोमीटर दूर है।

कृषि

दादरा और नगर हवेली मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र है, जहां 79 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं। इसका कृषि क्षेत्र लगभग 21,115 हेक्टेयर है। मुख्य फसल धान (खरीफ) है तथा नागली और पहाड़ी बाजारा अन्य प्रमुख फसलें हैं। फलों में आम, चीकू तथा केले का मुख्य उत्पादन होता है तथा कुल भू-भाग के 40 प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं।

पिछले कुछ वर्षों से गन्ने की खेती में वृद्धि हुई है। सिंचित क्षेत्रों में बहु-फसल पद्धति के उपाय किए जा रहे हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान 2211 किसानों की 27 मिट्रिक टन अधिक उपज वाले बीज तथा 6449 किसानों को 1407 मिट्रिक टन रासायनिक उर्वरक दिया गया। दूधानी तथा मंडोनी में शीघ्र ही ऑर्गेनिक फार्मिंग खेती शुरू की जाएगी। अभी तक 60 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं।

गैर सरकारी संगठन, बीएआईएफ, नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से दादरा तथा नगर हवेली के जनजातीय क्षेत्र में वाडी विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इससे 800 जनजातीय तथा अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभ होगा।

उद्योग

1965-66 से पहले इस प्रदेश में कोई उद्योग नहीं था। केवल कुछ दस्तकार परंपरागत रूप से बर्तन, चप्पल, जूते जैसे चमड़े का कुछ सामान और बांस की चीजें बनाते थे। 1967-68 में *दान उद्योग सहकारी संघ लि.* ने सहकारी क्षेत्र में औद्योगिक संपदा की स्थापना करके छोटे पैमाने पर औद्योगिक विकास के काम की शुरुआत की। इसके बाद सिलवासा, मसात और खदोली में तीन सरकारी औद्योगिक संपदाएं विकसित की गईं। 2006-07 में 1863 लघु उद्योग, 430 मझौली/लघु उद्योग इकाइयां कार्यरत थीं, जिनमें 46,000 लोग काम कर रहे थे।

सिंचाई और बिजली

इस क्षेत्र में स्वतंत्रता से पूर्व, यहां किसी प्रकार की सिंचाई सुविधाएं नहीं थीं और किसानों को पूरी तरह वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। प्रदेश के भारतीय संघ में सम्मिलित होने के बाद लघु सिंचाई क्षेत्र में पर्याप्त उपाय किए गए हैं। अब तक सिंचाई कुओं से संबंधित 128 लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। भूतल जल संसाधनों, जैसे कि नदियों, बांधों के जरिए प्रदेश में 1851 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अतिरिक्त सिंचाई व्यवस्था की गई है। मंझोली सिंचाई परियोजना—जैसे कि दमनगंगा आरक्षित जल परियोजना के जरिए इस केंद्रशासित प्रदेश में 115 कि.मी. छोटी नहरें और राजबहे चल रहे हैं। 4,300 हेक्टेयर में सभी तरह के फील्ड चैनलों में विकास कार्य पूरा हो चुका है तथा 4,049 हेक्टेयर में परीक्षण किया गया है।

इस क्षेत्र की स्वतंत्रता से पूर्व गांवों में बिजली नहीं थी। इस क्षेत्र में केवल एक डीजल जेनरेटर सेट था जोकि सिलवासा कस्बे के अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए बने सर्किट हाउस को बिजली उपलब्ध कराने के लिए था।

स्वतंत्रता के बाद केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन ने पड़ोसी राज्य गुजरात के सहयोग से ग्रामीण विद्युतीकरण का काम हाथ में लिया और 1976 तक 25 गांवों के विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया। केंद्रशासित प्रदेश की बिजली की मांग गुजरात बिजली बोर्ड वापी सिलवासा से केवल एक सर्किट के जरिए पूरी कर रहा है और सीमित संख्या में उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध होती है। 1979 में पहला 66 के.वी. सब-स्टेशन आमली में स्थापित किया गया। इस सब-स्टेशन के चालू होने पर बिजली विभाग सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराने की स्थिति में है।

खदोली गांव में 220/66 किलोवाट, 2×160 एमवीए सब-स्टेशन को विद्युत मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने काम शुरू कर दिया है तथा इसके तीन वर्षों में पूरा हो जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त बागधारा, अरुल, पिपराई, साइली, वेलूग्राम में 66/11 किलोवाट सब-स्टेशन की स्थापना पर विचार चल रहा है।

इस क्षेत्र की बिजली की मांग देश के पश्चिमी क्षेत्र के केंद्रीय बिजली उत्पादन केंद्रों से पूरी की जाती है। केंद्र से इस समय 270 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है। भारत सरकार द्वारा इस केंद्रशासित प्रदेश को दिए जाने वाले टैक्स होलीडे (कर छूट) लाभ के विस्तार के कारण तेजी से हो रहे औद्योगीकरण की वजह से प्रदेश में बिजली की जबरदस्त मांग बढ़ी है।

परिवहन

केंद्रशासित प्रदेश पूरी तरह महाराष्ट्र और गुजरात के सड़क नेटवर्क पर निर्भर है क्योंकि मुंबई से इन दोनों राज्यों को पार करने के उपरान्त ही प्रदेश में पहुंचा जा सकता है। वर्तमान में सड़कों की कुल लंबाई 635 कि.मी. है जिसमें से 570 कि.मी. पक्की हैं। लगभग सभी गांव ऐसी सड़कों से जुड़े हैं जो हर मौसम में ठीक रहती हैं। मुंबई से अहमदाबाद का रेल मार्ग वापी से भी जुड़ा है। निकटतम हवाई अड्डा मुंबई है। बढ़ते यातायात की जरूरतों के मद्देनजर प्रदेश में सड़कें चौड़ी करने का काम हाल में शुरू किया गया है।

तेजी से बढ़ रहे उद्योगीकरण को देखते हुए सिलवासा और आस-पास के क्षेत्रों में अन्य छुट-पुट कार्यों के अलावा चार लेन सड़क-निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। दादरा-तिगहरा दो लेन सड़क को चार लेन में बदलने का काम प्रगति पर है। 17.69 कि.मी. की दो लेन वाली सड़कों को चार लेन का बनाने का कार्य पूरा हो गया है। सिलवासा-करोली के बीच 5.7 कि.मी. रोड को भी चार लेन का बनाया जा रहा है।

पर्यटन स्थल

घने वन क्षेत्र तथा अनुकूल जलवायु को देखते हुए यहां पर्यटन क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

पर्यटन की दृष्टि से प्रमुख स्थान हैं—ताड़केश्वर शिव मंदिर, वृंदावन, खानवेल का हिरण पार्क, वाणगंगा झील और द्वीप उद्यान, दादरा; वनविहार उद्यान, लघु प्राणी विहार, बाल उद्यान, आदिवासी म्यूजियम और सिलवासा स्थित हिरवावन उद्यान/धुधानी में जलक्रीड़ा स्थल का काम पूरा हो चुका है।

सिलवासा के यात्री निवास से सटे खुले रंगमंच के निर्माण का काम प्रगति पर है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल तारपा उत्सव, पतंग उत्सव और विश्व पर्यटन दिवस आदि आयोजित किए जाते हैं।

त्योहार

इस क्षेत्र में सामान्यतया सभी हिंदू, मुस्लिम और ईसाई त्योहार मनाए जाते हैं। आदिवासी अपने ही त्योहार मनाते हैं। ढोडिया और वर्ली जनजातियां 'दिवसो' त्योहार मनाती हैं और ढोडिया जनजाति रक्षाबंधन भी मनाती है। वर्ली, कोकना और कोली जनजातियां भावड़ा त्योहार मनाती हैं। यहां की सभी जातियों के लोग फसल काटने से पहले ग्राम देवी की पूजा करते हैं तथा फसल काटने के बाद 'काली पूजा' का त्योहार मनाते हैं।

प्रमुख पदाधिकारी

प्रशासक : आर.के. वर्मा

उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र : मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत

दमन और दीव

क्षेत्रफल	: 112 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	: 1,58,204
राजधानी	: दमन	मुख्य भाषाएं	: गुजराती

इतिहास और भूगोल

दमन और दीव तथा गोवा देश की आजादी के बाद भी पुर्तगाल के अधीन रहे। सन 1961 में इन्हें भारत का अभिन्न हिस्सा बना दिया गया। 30 मई, 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद दमन और दीव को अलग केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। दमन मुंबई से लगभग 193 किलोमीटर दूर है। यह पूर्व में गुजरात, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में कोलक नदी तथा दक्षिण में कलाई नदी से घिरा है। गुजरात का वलसाड, दमन का पड़ोसी जिला है। दीव दो पुलों से जुड़ा हुआ द्वीप है। दीव का पड़ोसी जिला गुजरात का जूनागढ़ है।

कृषि और सिंचाई

2000-2001 की कृषि जनगणना के अनुसार दमन और दीव में कुल सिंचित क्षेत्र 393.93 हेक्टेयर है, जबकि असिंचित क्षेत्र 3,304.73 हेक्टेयर है। कुल कृषि योग्य क्षेत्र 3375.65 हेक्टेयर है। यहां की महत्वपूर्ण फसलें धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, दालें, सेम, गेहूं, चीकू, सपोता, आम, केला, नारियल और गन्ना हैं। इस क्षेत्र में कोई बड़ा जंगल नहीं है।

उद्योग और बिजली

दमन और दीव में 2930 मंझोली तथा लघु उद्योग इकाइयां हैं। दमन में ओमनीबस औद्योगिक विकास निगम द्वारा दो औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया है। दाभेल, भीमपूर, काचीगाम और कदाइया दूसरे औद्योगिक क्षेत्र हैं।

सभी गांवों में बिजली पहुंच गई है। दमन और दीव को पश्चिमी क्षेत्र के केंद्रीय बिजलीघरों से पर्याप्त बिजली मिल रही है।

परिवहन

सड़कें

दमन और दीव में सड़कों की कुल लंबाई क्रमशः 191 कि.मी. और 78 कि.मी. है।

रेलवे

दमन और दीव रेलमार्ग से नहीं जुड़े हैं। दमन का निकटतम रेलवे स्टेशन वापी है जो पश्चिम रेलवे के मुंबई-दिल्ली मार्ग पर है। दीव का समीपवर्ती रेलवे स्टेशन मीटर गेज लाइन पर स्थित दलवाड़ा है।

उड्डयन

दमन और दीव दोनों में ही हवाई अड्डे हैं। दीव विमान सेवा से जुड़ा हुआ है तथा मुंबई से दीव तक की नियमित विमान सेवा उपलब्ध है।

पर्यटन स्थल

दमन के प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं—बॉम जीसस चर्च, अवर लेडी ऑफ सी चर्च, अवर लेडी ऑफ रेमेडिओज चर्च, मोती दमन और नानी दमन के किले, जंपौर और देवका बीच, नानी दमन और मोती दमन जेट्टी में सार्वजनिक उद्यान, परगोला गार्डन, मोती दमन; एम्यूजमेंट पार्क, देवका; दमनगंगा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, काचिगाम; सत्य सागर उद्यान; मिरासोल गार्डन, मिरासोल वाटर पार्क और दीव में सेंट पॉल चर्च, दीव फोर्ट और पानीकोटा फोर्ट, नागोआ और चक्रतीर्थ तथा घोघला और समर हाउस चिल्ड्रन पार्क प्रमुख पर्यटन स्थल हैं।

प्रमुख पदाधिकारी

प्रशासक : आर.के. वर्मा

विकास आयुक्त : धर्मेन्द्र

वित्त सचिव : पी.के. गुप्ता

कलेक्टर, दमन : विकास आनंद

कलेक्टर, दीव : जे.बी. सिंह

उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र : मुंबई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. दमन	72	1,13,989	दमन
2. दीव	40	44,215	दीव

दिल्ली

क्षेत्रफल : 1,483 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या : 1.38 करोड़

राजधानी : दिल्ली

मुख्य भाषाएं : हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी

इतिहास और भूगोल

महाकाव्य-महाभारत काल से ही दिल्ली का विशेष उल्लेख रहा है। दिल्ली का शासन एक वंश से दूसरे वंश को हस्तांतरित होता गया। यह मौर्यों से आरंभ होकर पल्लवों तथा मध्य भारत के गुप्तों से होता हुआ 13वीं से 15वीं सदी तक तुर्क और अफगान और अंत में 16वीं सदी में मुगलों के हाथों में पहुंचा। 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध और 19वीं सदी के पूर्वार्द्ध में दिल्ली में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई। 1911 में कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित होने पर यह शहर सभी तरह की गतिविधियों का केंद्र बन गया। 1956 में इसे केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ। देश के उत्तरी भाग में स्थित दिल्ली पूर्व दिशा

को छोड़कर सभी ओर से हरियाणा राज्य से घिरी है, पूर्व में उत्तर प्रदेश की सीमा इससे लगती है। दिल्ली के इतिहास में 69वां संविधान संशोधन विधेयक एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 में लागू हो जाने से दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ।

कृषि

गेहूं, बाजरा, ज्वार, चना और मक्का यहां की प्रमुख फसलें हैं, लेकिन अब किसान अनाज वाली फसलों की बजाय फलों और सब्जियों, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, फूलों की खेती को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ये गतिविधियां खाद्यान्नों, फसलों के मुकाबले अधिक लाभदायक साबित हुई हैं।

उद्योग

दिल्ली न केवल उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र है, बल्कि यह लघु उद्योगों का भी सबसे बड़ा केंद्र है। इनमें टेलीविजन, टेपरिकार्डर, हल्का इंजीनियरिंग साज-सामान, मशीनें, मोटरगाड़ियों के हिस्से-पुर्जे, खेलकूद का सामान, साइकिलें, पी.वी.सी. से बनी वस्तुएं, जूते-चप्पल, कपड़ा, उर्वरक, दवाएं, हौजरी का सामान, चमड़े की वस्तुएं, साफ्टवेयर आदि विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती हैं।

नई सहस्राब्दी के लिए दिल्ली की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्यूनिकेशन, साफ्टवेयर उद्योग तथा सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ सेवा बनाने वाले उद्योग लगाने पर बल दिया गया है। दिल्ली में ऐसी औद्योगिक इकाइयां लगाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिनसे प्रदूषण नहीं फैलता और जिनमें कम कामगारों की आवश्यकता होती है। दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ओखला स्थित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के भवन में रत्न, आभूषण और परख तथा मीनाकारी का एक प्रशिक्षण संस्थान खोल रहा है।

रिहाइशी और उद्योगों के लिए वर्जित क्षेत्रों में काम कर रही इकाइयों को दूसरे स्थानों पर ले जाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 1,900 एकड़ भूमि बवाना, होलंबी कलां और होलंबी खुर्द तथा नरेला में नए औद्योगिक परिसर के विकास के लिए अधिग्रहीत की है। नरेला में 900 प्लांट विकसित किए जा चुके हैं तथा 600 अन्य प्लांट तैयार किए जा रहे हैं। झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में 378 घरेलू फैक्टरियां बनाने का काम पूरा हो चुका है। भोरगढ़ औद्योगिक संपदा के लिए 450 एकड़ भूमि का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए कंझावला/कारला में 652 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है।

सिंचाई और बिजली

दिल्ली के गांवों का तेजी से शहरीकरण होने की वजह से सिंचाई के अंतर्गत आने वाली खेती योग्य भूमि धीरे-धीरे कम होती जा रही है। राज्य में 'केशोपुर प्रवाह सिंचाई योजना चरण तृतीय' तथा 'जल संशोधन संयंत्र से सुधार एवं प्रवाह विस्तार सिंचाई प्रणाली' नामक दो योजनाएं चलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में 350 हेक्टेयर की सिंचाई राज्य नलकूपों द्वारा और 1,376 हेक्टेयर की सिंचाई अतिरिक्त पानी द्वारा की जा रही है। इसके अलावा 4,900 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हरियाणा सरकार के अधीन पश्चिमी यमुना नहर द्वारा की जा रही है।

दिल्ली के लिए इसकी अपनी उत्पादन इकाइयों—राजघाट बिजलीघर, इंद्रप्रस्थ स्टेशन और बदरपुर ताप बिजलीघर सहित गैस टरबाइन पर आधारित इकाई से 850-900 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है। शेष बिजली उत्तर क्षेत्रीय ग्रिड से प्राप्त की जाती है। दिल्ली में कई बिजली उत्पादन इकाइयां शुरू करने की योजना

है। इंद्रप्रस्थ एस्टेट में प्रगति कंबाइंड पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा चुका है। 330 मेगावाट प्रगति पावर परियोजना निर्माणाधीन है और जल्दी ही चालू होने वाली है। इसके 100 मेगावाट वाले प्रथम चरण को परीक्षण के लिए शुरू कर दिया गया है। प्रगति-II के अंतर्गत गैस पर आधारित 330 मेगावाट तथा बवाना में लगाई जाने वाली 1000 मेगावाट की परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

बिजली वितरण को सुचारु बनाने के लिए दिल्ली विद्युत बोर्ड का निजीकरण कर दिया गया है और दिल्ली की बिजली व्यवस्था अब देश की दो जानी-मानी संस्थाओं—बी.एस.ई.एस. तथा टाटा पावर (एन.डी.पी.एल.) द्वारा देखी जा रही है।

परिवहन

दिल्ली सड़कों, रेल लाइनों और विमान सेवाओं के जरिये भारत के सभी भागों से भलीभांति जुड़ी हुई है। यहां तीन हवाई अड्डे हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए, पालम हवाई अड्डा, घरेलू उड़ानों के लिए तथा सफदरजंग हवाई अड्डा, प्रशिक्षण उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली में तीन महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन भी हैं। ये दिल्ली जंक्शन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के नाम से जाने जाते हैं। तीन अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे—कश्मीरी गेट, सराय काले खां और आनंद विहार में हैं।

दिल्ली शहर में बढ़ते वाहन प्रदूषण और यातायात की अस्त-व्यस्त स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने मास रेपिड ट्रांजिट प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया। यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है और इसमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेट्रो रेल परियोजना दिल्ली में आ गई है। अब दिल्ली मेट्रो के प्रथम चरण में तीन मेट्रो कारीडोर हैं जो रिकार्ड समय में पूरे होकर काम भी करने लगे हैं। शाहदरा से रिटाला और दिल्ली विश्वविद्यालय से केंद्रीय सचिवालय के बीच लाइनें बिछ गई हैं और इन पर गाड़ियां भी चलने लगी हैं। बाराखंभा और द्वारका के बीच तीसरी लाइन भी चालू हो गई है। दिल्ली मेट्रो के द्वितीय चरण को भी स्वीकृति मिल गई है जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के यात्रियों को बेहतर संपर्क सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

त्योहार

महानगर होने की वजह से यहां भारत के सभी प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। इनके अलावा दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम कुछ वार्षिक उत्सवों का भी आयोजन करते हैं। ये हैं : रोशनआरा उत्सव, शालीमार उत्सव, कुतुब मेला, शीतकालीन मेला, उद्यान और पर्यटन मेला, जहाने-खुसरो उत्सव तथा आम महोत्सव।

पर्यटन स्थल

दिल्ली के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में लालकिला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लक्ष्मीनारायण (बिड़ला) मंदिर, हुमायूं का मकबरा और लोटस टैंपल आदि प्रमुख हैं। दिल्ली राज्य पर्यटन और परिवहन विकास निगम पर्यटकों को यहां के विभिन्न स्थानों की सैर कराने के लिए विशेष बस सेवाएं चलाता है। निगम ने पैरा सेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और बोटिंग जैसी साहसिक गतिविधियों के लिए सुविधाएं विकसित की हैं। निगम ने 'दिल्ली हाट' का विकास किया है, जहां काफी और विभिन्न राज्यों की खाद्य वस्तुएं एक ही जगह उपलब्ध हैं। दिल्ली के विभिन्न भागों में ऐसी ही 'हाट' बनाने की योजना

है। निगम दिल्ली के अनेक भागों में 'कॉफी होम' भी चला रहा है। दिल्ली के दक्षिणी जिले में 'पंचेंद्रियों का पार्क' भी खुला है जो दिल्ली में आने वाले बहुत-से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है।

प्रमुख पदाधिकारी

उप-राज्यपाल	: तेजेन्द्र खन्ना
मुख्यमंत्री	: शीला दीक्षित
विधानसभा अध्यक्ष	: डॉ. योगानंद शास्त्री
मुख्य सचिव	: राकेश मेहता
उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	: दिल्ली

लक्षद्वीप

क्षेत्रफल	: 32 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	: 60,650
राजधानी	: कवारत्ती	मुख्य भाषाएं	: जेसरी (द्वीप भाषा) और माहल

इतिहास और भूगोल

इन द्वीपों के बारे में, इनके पूर्व इतिहास के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। समझा जाता है कि पहले-पहल लोग आकर अमीनी, अनद्रौत, कवारत्ती और अगात्ती द्वीपों पर बसे। पहले यह विश्वास किया जाता था कि द्वीप में आकर बसने वाले मूल लोग हिंदू थे और लगभग 14वीं शताब्दी में किसी समय अरब व्यापारियों के प्रभाव में आकर मुसलमान बन गए। परंतु हाल में पुरातत्वीय खोजों से पता चलता है कि लगभग छठी या सातवीं शताब्दी के आसपास यहां बौद्ध रहते थे। सर्वप्रथम इस्लाम धर्म को अपनाने वाले जिन लोगों और निवासियों का पता चलता है वे हिजरी वर्ष 139 (आठवीं शताब्दी) के समय के मालूम होते हैं। इस तारीख का पता अगात्ती में हाल में खोजे गए मकबরों के पत्थरों पर खुदी तारीखों से लगता है। स्थानीय परंपरागत मान्यताओं के अनुसार, इस द्वीप में अरब सूफी उबैदुल्ला हिजरी सन 41 में इस्लाम को लेकर आए।

शायद 16वीं शताब्दी तक स्वतंत्र इन द्वीपों में बसने वाले लोगों को पुर्तगालियों के उपनिवेशों के आधिपत्य से मुक्ति पाने के लिए चिरक्कल के राजा की सहायता लेनी पड़ी। इससे वह यहां अपना प्रभुत्व जमा सका और बाद में इन द्वीपों को कन्नानूर में मोपला समुदाय के प्रमुख अली राजा को जागीर के रूप में सौंप दिया जो बाद में स्वतंत्र शासक बन बैठा। अरक्कल शासन लोकप्रिय नहीं हुआ और 1787 में टीपू सुल्तान ने इन द्वीपों पर कब्जा करने की उत्तर के द्वीपवासियों की याचिका को स्वीकार कर लिया। टीपू सुल्तान के पतन के बाद ये द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में दे दिए गए, परंतु इन पर कन्नानूर के शासक वस्तुतः तब तक शासन करते रहे जब तक कि अंततः बीसवीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेजों ने इन पर कब्जा नहीं कर लिया। 1956 में इन द्वीपों को मिलाकर केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया और तब से इसका शासन केंद्र सरकार के प्रशासक के माध्यम से चल रहा है। सन 1973 में लक्का दीव, मिनीकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूहों का नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों का एक समूह है जिसमें 12 प्रवाल द्वीप, तीन प्रवाल भित्ति

और जलमग्न बालू के तट शामिल हैं। यहां के कुल 27 द्वीपों में से केवल 11 में आबादी है। ये द्वीप उत्तर में 8° और 12°3' अक्षांश पर तथा पूर्व में 71° और 74° देशांतर पर केरल तट से लगभग 280 से 480 कि.मी. दूर अरब सागर में फैले हुए हैं।

कृषि

यहां की प्रमुख फसल नारियल है और प्रतिवर्ष 580 लाख नारियल का उत्पादन होता है। 2,598 हेक्टेयर भूमि में यहां खेती की जाती है। यहां के नारियल को जैव उत्पाद (आर्गेनिक प्रोडक्ट) के रूप में जाना गया है। भारत में सर्वाधिक नारियल उत्पादन लक्षद्वीप में होता है तथा प्रति हेक्टेयर उपज 22,310 नारियल है और प्रत्येक पेड़ से प्रतिवर्ष औसतन 97 खजूरों का उत्पादन होता है। लक्षद्वीप के नारियलों में विश्व के अन्य नारियलों के मुकाबले सर्वाधिक तेल (72%) पाया जाता है।

मछली पालन

मछली पकड़ना यहां का एक अन्य प्रमुख कार्य है। इसके चारों ओर के समुद्र में मछलियां बहुत अधिक हैं। लक्षद्वीप में प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता देश में सर्वाधिक है। सन 2006 में इस प्रदेश में 11,751 टन मछलियां पकड़ी गईं।

उद्योग

नारियल के रेशे और उससे बनने वाली वस्तुओं का उत्पादन यहां का मुख्य उद्योग है। सरकारी क्षेत्र के अधीन नारियल के रेशों की सात फैक्ट्रियां, सात रेशा उत्पादन एवं प्रदर्शन केंद्र और चार रेशा बंटने वाली इकाइयां हैं। इन इकाइयों में नारियल रेशों और सुतली के उत्पादन के अतिरिक्त नारियल के रेशे से बनी रस्सियां, कॉरीडोर मैट, चटाइयों और दरियों आदि का भी उत्पादन किया जाता है। विभिन्न द्वीपों में निजी क्षेत्र में भी कई नारियल रेशा इकाइयां काम कर रही हैं।

परिवहन

इस समय मुख्य द्विपीय क्षेत्र में एम वी कावारत्ती, एमवी टीपू सुल्तान, एमवी भारत सीमा, एमवी मिनिक्कॉय, एम वी अमनदिवी तथा एम वी दीपसेतु संचालित हैं। वर्ष 2008-09 तीव्र गति तथा 150 यात्री क्षमता वाले वलियापाणी, चेरियापानी, तथा पाराली एंड्रोट/कोच्ची/दापोर तथा मिनीक्कॉय-कावारत्ती क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अन्य अंतरद्विपीय फेरियां-खदीजा बीवी, हमी बीवी, वीरजिली, ब्लू मार्लिन, ब्लैक मार्लिन तथा स्किपजैक मिनिक्कॉय और कावारत्ती के अतिरिक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराते हैं। चार कार्गो बैराज—उबैदुल्ला, थिनाकारा, लाकादिव तथा चेरियम कार्गो सुविधा उपलब्ध कराते हैं। कावारत्ती में अंतरद्विपीय फेरी को बंकर उपलब्ध कराने के लिए एक तेल बैराज-सुखेली (60 एमटी) है। द्विपों से कावारत्ती तथा मुख्य भूमि तक गंभीर रोगियों को पहुंचाने के लिए प्रशासन दो वायुयान चलाता है। दूसरे वायुयान का प्रयोग कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा मानसून के दौरान कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए किया जाता है। इंडियन एयरलाइंस तथा किंगफिशर एयरलाइंस के चाबियों के लिए तथा कावारत्ती और अगाती/बांगरम को जोड़ने के लिए भी वायुयान सेवा उपलब्ध है।

यूटीएल में जहाजों की जरूरत पूरा करने के लिए जहाजरानी मंत्रालय ने दिसंबर, 2000 को 15 वर्षीय प्रस्तावित योजना को मंजूरी दे दी थी। नई योजना के तहत प्रस्तावित 18 जहाजों में से 150 यात्री क्षमता वाले तीन जहाज तथा 10 टन बुल्ड टग वाले तीन जहाज खरीदे जा चुके हैं तथा संचालित किए

जा रहे हैं। पीएमजीएसवाई के तहत 15 यात्री क्षमता वाले एक तथा 50 यात्री क्षमता वाले तीन जहाज खरीदे गए हैं। कोलंबों डाकयार्ड, श्रीलंका में 10 मिट्रिक टन कार्गो तथा 250 यात्री क्षमता वाले दो जहाजों का निर्माण किया जा रहा है। पहला जहाज दिसंबर, 2009 में तथा दूसरा जून, 2010 में मिल जाएगा। विपुल बंदरगाह, गोवा में 200 यात्री क्षमता वाले छह लैंडिंग बारजेज भी बनाए जा रहे हैं। इनके अतिरिक्त समिति ने दो लैंडिंग बारजेज, एक आयल बारजेज तथा एक एलपीजी जहाज की संस्तुति भी की है। मंत्रालय ने 400 यात्री क्षमता वाले एक यात्री जहाज की खरीद के लिए ईएफसी मंजूरी के लिए प्रस्ताव दिया है।

पर्यटन केंद्र

एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में पर्यटन का विकास हो रहा है। अगाती, बंगारम, कलपेनी, कादमत, कावारती तथा मिनीकॉय आदि मुख्य पर्यटन स्थल हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान कुल 13,115 पर्यटक आए, जिसमें से 2852 विदेशी थे।

पर्यटन स्थल

प्रदेश में पर्यटन महत्वपूर्ण उद्योग बनता जा रहा है। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं : अगाती, बनगारम, कलापेनी, कादमत, कवारती और मिनीकाय आदि। वर्ष 2008-09 में यहां 13,115 पर्यटक घूमने आए। इनमें से 2,852 विदेशी थे।

प्रमुख पदाधिकारी

प्रशासक : बी.वी. सिल्वाराज, आई.ए.एस.

उच्च न्यायालय

का अधिकार क्षेत्र : लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

पुदुचेरी

क्षेत्रफल	: 479 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	: 9,74,345
राजधानी	: पुदुचेरी	मुख्य भाषाएं	: तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच और अंग्रेजी

इतिहास और भूगोल

पुदुचेरी के क्षेत्र में दक्षिण में फैले पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनाम के वे क्षेत्र शामिल हैं जहां पहले फ्रांसीसियों का शासन था। पुदुचेरी इस प्रदेश की राजधानी है जो कभी भारत में फ्रांस वालों का मूल मुख्यालय हुआ करता था। यह 138 वर्षों तक फ्रांसीसी शासन के अधीन रहा। और 1 नवंबर 1954 को भारत में इसका विलय हो गया। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और शेष तीन तरफ तमिलनाडु है। पुदुचेरी से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण में पूर्वी तट पर कराईकल है जबकि माहे पश्चिम में केरल से घिरे पश्चिमी घाटों के मालाबार तट पर स्थित है। यहां पर कालीकट हवाई अड्डे से पहुंचा जा सकता है जो माहे से 70 किलोमीटर दूर है। यनाम आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले से सटा हुआ है और विशाखापत्तनम से 200 कि.मी. की दूरी पर है।

कृषि

यहां की लगभग 24.37 प्रतिशत जनता कृषि और इससे संबंधित व्यवसायों में लगी है तथा इस क्षेत्र में 80.7 प्रतिशत कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। धान मुख्य फसल है। दलहन उत्पादन दूसरे नंबर पर है। माहे क्षेत्र का यहां की पौध-संपत्ति में प्रमुख योगदान है। नारियल, सुपारी और मसाले भी यहां उगाए जाते हैं। यनाम में उगाई जाने वाली दालें, मूंगफली तथा मिर्च यहां की वर्षा आधारित मुख्य व्यापारिक फसलें हैं।

उद्योग

प्रदेश में 2,177.78 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित 7,982 उद्योगों में मार्च, 2008 तक 93,044 व्यक्ति कार्यरत थे। इन इकाइयों से कुल 13,455.34 करोड़ रुपये की वस्तुओं का उत्पादन हुआ। वर्ष 2005-2006 में (मार्च 2006 तक) इन औद्योगिक इकाइयों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के निर्यात का मूल्य 901.06 करोड़ रुपये था।

सिंचाई

पुदुचेरी क्षेत्र में यूरोपीय संघ वित्तीय सहयोग शंकरपरानी तथा पेन्नार नदी पर आठ बांधों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा भूजल की री-चार्जिंग हेतु अतिचिकुप्पम, सेल्लीपेट में पंबीयार, नेट्टापक्कम में मालातार पर पुदुचेरी में तथा मुलियार, परवदानार तथा कारीकल में बनजर पर बांध बनाने का कार्य प्रगति पर है।

बिजली

केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी की बिजली की जरूरतें केंद्र सरकार के बिजली उत्पादन केंद्रों से अपना हिस्सा लेकर और पड़ोसी राज्यों के बिजली बोर्डों—तमिलनाडु बिजली बोर्ड, केरल राज्य बिजली बोर्ड से बिजली खरीदकर और पांडिचेरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, कराईकल से पूरी की जाती है। इस प्रदेश की कुल बिजली उपलब्धता 39658 मेगावॉट है।

परिवहन

विभिन्न प्रकार की 677.525 की.मी. लंबी सड़कों का रख-रखाव पुदुचेरी पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा है। पुलों के निर्माण तथा सड़कों का सुधार कार्य चल रहा है।

पर्यटन

चेन्नई के दक्षिण में 160 कि.मी. की दूरी पर स्थित पुदुचेरी (तमिल में पांडुचेरी को पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है)। यह प्रारंभिक अठारहवीं सदी से फ्रांस का एक उपनिवेश रहा है। यह एक दिलकश भारतीय शहर है जिसमें समुद्र के अतिरिक्त फ्रांस की सांस्कृतिक विरासत के जीवंत नमूने तथा एक आश्रय मौजूद है। अन्य फ्रांसीसी स्थलों—कराईकल (तमिलनाडु), माहे (केरल), यनाम (आंध्र प्रदेश), को मिलाकर पुदुचेरी केंद्रशासित प्रदेश बना है। इस नगर की खासियत यहां की सुनियोजित नगर योजना तथा फ्रांसीसी-तमिल वास्तुकला का संगम है। यह शहर फ्रांस के 18वीं सदी के किलेबंद समुद्रतटीय शहर 'बास्टाइड' के नमूने पर बना है।

पुदुचेरी का प्रसिद्ध स्तंभों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध होने, रोम तथा यूनान के साथ प्राचीन व्यापारिक संबंध होने, फ्रांसीसी भारत की एक समय राजधानी होने तथा आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र होने

राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश

1287

के कारण पुदुचेरी के उथले पानी, नदियों, समुद्री तटों तथा दूसरे क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए प्रचुर पर्यटन संसाधन उपलब्ध है। पूर्व तथा पश्चिम संस्कृति से प्रभावित पुदुचेरी में हस्तशिल्प से तैयार चमड़े की वस्तुएं, मिट्टी के बरतन, हाथ से तैयार कागज, धूप तथा पुराना औपनिवेशिक फर्नीचर आदि अनोखी वस्तुएं मिलती हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पुदुचेरी को 'फ्रांसीसी संस्कृति की खिड़की' कहा था।

महान संत, कवि तथा भारतीय आध्यात्मिकता के महान प्रवर्तक श्री अरविंद अपने जीवन के अंत तक अपनी दृष्टि तथा विचारों का प्रसार करते रहे। उनका आश्रम आज भी अपनी खास जीवन शैली के कारण विश्व-भर से लोगों को आकर्षित करता है।

सरकार

उपराज्यपाल	:	इकबाल सिंह
मुख्यमंत्री	:	वी. विथिलिंगम
विधानसभा अध्यक्ष	:	आर. राधाकृष्णन
मुख्य सचिव	:	नैनी जयशीलन
उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	:	चेन्नई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. पांडिचेरी	290	7,35,332	पांडिचेरी
2. कराईकल	161	1,70,791	कराईकल
3. माहे	9	36,828	माहे
4. यनाम	20	31,394	यनाम

31. राष्ट्रीय घटनाक्रम

अक्टूबर 2008 से सितंबर 2009

अक्टूबर 2008

- राजस्थान में चामुंडादेवी मंदिर में मची भगदड़ में कम से कम 187 लोगों की मृत्यु हो गई। और सैकड़ों लोग घायल हो गए।
- टाटा समूह ने पश्चिमी बंगाल के सिंगूर से अपनी छोटी कार परियोजना 'नैनो' को हटाया।
- भारत और अमेरिका ने परमाणु समझौते पर मुहर लगाई।
- चुनाव आयोग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, मिजोरम में एक दिवसीय तथा छत्तीसगढ़ में दो दिवसीय चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की।
- चुनाव आयोग ने जम्मू और कश्मीर में 17 नवंबर, 2008 से सात चरणों में होने वाले चुनाव की घोषणा की।
- भारत अपने पहले मानव रहित, चंद्रयान-I की शुरुआत के साथ चंद्रमा तक पहुंचाने वाले छह सदस्यीय वैश्विक क्लब का सदस्य बना।

नवंबर 2008

- चंद्रयान-I पांचवें और अंतिम कक्ष परिवर्तन के साथ ही ल्युनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में स्थापित।
- अप्रैल-जून 2008 की अवधि के दौरान सर्वोच्च न्यायालय में लंबित पड़े मामलों की संख्या 47,855 तक पहुंची।
- पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्य अजीत पांजा का 72 वर्ष की आयु में निधन।
- मंदी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की पुनर्रचना प्रक्रिया में भारत, चीन और ब्राजील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की अहम भूमिका पर सहमत होते हुए अमेरिका ने जी-20 सम्मेलन की मेजबानी की।
- सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु एवं मझोले उद्यमों के विकास में जान फूंकने के लिए 20,000 करोड़ रुपये का विशेष कार्यक्रम शुरू किया।
- मुंबई में आतंकवादियों से लड़ते हुए महाराष्ट्र आतंक निरोधी दस्ते (एटीएस) के प्रमुख हेमंत करकरे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (उत्तर पूर्व) अशोक कामटे तथा एनकाउंटर विशेषज्ञ विजय सालस्कर सहित 14 पुलिसकर्मी शहीद।
- मुंबई के विभिन्न स्थानों पर छिपे आतंकियों के खिलाफ दो दिनों तक चली कार्रवाई में 155 लोग मारे गए और 327 घायल हुए।

- पाकिस्तान सरकार ने पंजाब में अटारी सीमा से 101 भारतीय मछुआरे रिहा किए।
- पूर्व प्रधानमंत्री वी.पी सिंह का 77 वर्ष की आयु में निधन।

दिसंबर 2008

- सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि देय की वसूली के लिए संस्थाएं पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे सेवानिवृत्ति लाभों की कुर्की नहीं कर सकतीं।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को देने वाले और लेने वाले लघु अवधि ऋणों पर एक प्रतिशत पॉइंट की कटौती सहित कई पहल कीं। साथ ही भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) तथा राष्ट्रीय आवास बैंक को 11,000 करोड़ रुपये की मदद भी दी। लघु अवधि ब्याज दर (रेपो) 6.5 प्रतिशत तथा ऋण (रिवर्स रेपो) दर 5 प्रतिशत तक पहुंची।
- भारतीय वायु सेना के लिए 80 एमआई-17 हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए भारत और रूस ने दस खरब से ज्यादा के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए सरकार ने पैकेज के एक हिस्से के रूप में 20,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त गैर-योजना व्यय की घोषणा की।
- अतिरिक्त धन और कुल 35,000 करोड़ रुपये की गारंटी के जरिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऊर्जा, निर्यात, आवास, वाहन, लघु और मझौले उद्योगों तथा बुनियादी क्षेत्र पर लक्षित पैकेज की शुरुआत की।
- कांग्रेस ने दिल्ली, राजस्थान और मिजोरम में विजय प्राप्त की।
- भाजपा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विजयी।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मुंबई आतंकी हमले का मुद्दा उठाया और विश्व संस्था से प्रभावी रोक के साथ पाक आधारित जमात-उद-दावा तथा ऐसे ही संगठनों को प्रतिबंधित करने की मांग की।
- विधि मंत्रालय के अनुसार देश के अधीनस्थ न्यायालयों में 2.52 करोड़ मामले लंबित।
- संसद ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया।
- अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ए.आर. अंतुले ने त्यागपत्र दिया।
- भारत ने *सुपरसोनिक कूज* मिसाइल का परीक्षण किया।
- भारत ने पाकिस्तान को वह पत्र सौंपा जिसमें मुंबई आतंकी हमले के एकमात्र जीवित आतंकी अजमल मोहम्मद आमिर कसाब ने स्वयं को पाकिस्तानी बताते हुए वहां की नागरिकता की बात स्वीकारी।
- कथित धोखाधड़ी के चलते विश्व बैंक ने भारत की सत्यम कंप्यूटर सर्विस पर आठ वर्षों के लिए बैंकों को सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करने पर पाबंदी लगाई।

जनवरी 2009

- भारतीय रिजर्व बैंक ने नकद रिजर्व अनुपात में 0.50 प्रतिशत की कटौती कर 5 प्रतिशत तथा रेपो और रिवर्स रेपो में 100 बेसिस अंकों की कटौती कर क्रमशः 5.5 तथा 4 प्रतिशत तक कर दी।
- शेयरधारकों की तरफ से अमेरिका की दो कानूनी फर्मों ने सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के खिलाफ मामला दायर किया।

- आंध्र प्रदेश पुलिस ने सत्यम कंप्यूटर के संस्थापक-अध्यक्ष बी. रामालिंगा राजू, उसके भाई तथा पूर्व कंपनी प्रबंध-निदेशक बी. रामा राजू को गिरफ्तार किया।
- भारत ने एफ्रो-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (एएआरडीओ) की अध्यक्षता संभाली।
- सरकार ने सत्यम कंप्यूटर के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की जिसमें मशहूर बैंकर दीपक पारेख, आईटी विशेषज्ञ किरण कार्णिक तथा सेबी के पूर्व सदस्य सी. अच्युतन शामिल हैं।
- तमिल विधानसभा उप चुनाव में हार के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने इस्तीफा दिया।
- आपराधिक और आतंकवाद संबंधी मामलों की बेहतर जांच के लिए सरकार ने फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की एक शृंखला स्थापित करने तथा मौजूदा प्रयोगशालाओं का स्तर सुधारने के लिए 300 करोड़ रुपये की एक योजना अनुमोदित की।
- प्रबंधन और बजट के व्हाइट हाउस कार्यालय में भारतीय अमरीकी वकील प्रीता बंसल ने जनरल काउंसिल और वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला।
- एक और भारतीय अमरीकी वकील नील कुमार कात्याल में मुख्य उपमहाधिवक्ता के रूप में ओबामा प्रशासन से जुड़े।
- प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का डा. रमाकांत पांडा के नेतृत्व में एशियन कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट (एसीआई) के डाक्टरों की टीम ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दिल का आपरेशन किया।
- 60वें गणतंत्र दिवस पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सैन्य ताकत का राजपथ पर प्रदर्शन। इस अवसर पर कजाक राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजरबयेव मुख्य अतिथि थे।
- पूर्व राष्ट्रपति आर.वेंकटरामन का निधन।

फरवरी 2009

- टेनिस में, यूकी भांबरी ने जूनियर बॉयज एकल खिताब जबकि सानिया मिर्जा-महेश भूपति ने आस्ट्रेलियाई ओपन का मिक्सड डबल्स खिताब जीता।
- अतिरिक्त नागरिक रिएक्टरों के निरीक्षण की अनुमति सहित भारत ने आईईए के साथ प्रमुख रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- सरकार ने एफडीआई नीति को बदला और सर्वत्र क्षेत्रीय सीमा से घरेलू कंपनियों के जरिए प्रत्यक्ष निवेश को बाहर किया।
- ए.आर.रहमान स्लमडॉग मिलेनियर फिल्म में दिए संगीत के लिए दो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले संगीतकार बने। इस फिल्म को कुल आठ अकादमी पुरस्कार मिले।

मार्च 2009

- चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल से 13 मई तक पांच चरणों में लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा की।
- रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष तथा स्टील बादशाह लक्ष्मी मित्तल, फोर्ब्स की विश्व में सबसे धनी 24 भारतीयों की सूची में शीर्ष पर।
- अमेरिकी प्रशासन ने भारत को आठ बोइंग पी-81 मेरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के आपूर्ति सौदे के लिए 2.1 खरब डालर मंजूर किए।
- टाटा मोटर्स ने एक लाख रुपये वाली आम आदमी की कार नैनो की व्यावसायिक रूप से घोषणा की।

- ओबामा प्रशासन ने एनपीटी को मजबूत करने और सुरक्षित, किफायती परमाणु ऊर्जा को प्रोत्साहित करने में *सहायता करने को कहा*।
- जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल खरीद और उन्हें विकसित करने के लिए भारत और इजराइल ने 8000 करोड़ रुपये के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया।

अप्रैल 2009

- सीबीआई ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट दी।
- असम में एक आतंकी हमले में सात लोगों की मृत्यु और 63 घायल।
- 41 वर्षों के बाद भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-0 से श्रृंखला जीती।
- गोलाबारूद उत्पादन में सुधार के लिए भारत और इजरायल ने 1200 करोड़ रुपये के सौदे पर हस्ताक्षर किए।
- सत्यम घोटाले में छह सप्ताह की लंबी जांच के बाद सीबीआई ने मामले में 300 पृष्ठों की चार्जशीट दाखिल की।
- भारत और कुवैत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति में सहयोग को मजबूत करने के लिए तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- मशहूर फिल्मकार शक्ति सामंत का 83 वर्ष की आयु में निधन।
- भारतीय स्टेट बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज सहित 47 कंपनियां विश्व की सबसे बड़ी 2000 कंपनियों में शुमार।
- भारत ने पांच देशों के टूर्नामेंट के फाइनल में 13 वर्षों के बाद मलेशिया को मात देते हुए अजलान शाह हॉकी खिताब जीता।
- देश में ही विकसित जमीन से जमीन पर मार करने वाली परमाणु संपन्न बैलेस्टिक मिसाइल पृथ्वी-II का सफल परीक्षण।
- नवीन चावला ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला।
- सरकार ने स्वाइन फ्लू प्रभावित देशों में जाने वाले यात्रियों के लिए पर्यटन सलाह जारी की और देश में आने वाले यात्रियों की प्रारंभिक जांच शुरू की।
- बॉलीवुड अभिनेता फिरोज खान का निधन।

मई 2009

- सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगों के मामलों पर लगी रोक को हटाया और फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का निर्देश दिया।
- विशेष अदालत ने पाकिस्तानी आतंकी और 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य अभियुक्त अजमल कसाब तथा दो अन्य आतंकियों पर 86 मामले बनाए।
- दुर्घटना के बाद भारतीय वायु सेना ने एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू जेट विमानों के पूरे बेड़े की जांच के लिए रूस से सहायता मांगी।
- पूर्व नौसेना प्रमुख और 1971 भारत-पाक युद्ध के नायक एडमिरल एस.एम. नंदा का निधन।

- लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की बढ़ती तूफान यूपीए फिर सत्ता में आई। भाजपा ने हार स्वीकारी और कहा कि पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा और जनादेश कांग्रेस- यूपीए गठबंधन के पक्ष में था।
- भारत ने 3,000 कि.मी तक मारक क्षमता वाली परमाणु संपन्न अग्नि-II मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
- मनमोहन सिंह लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए।
- पश्चिम बंगाल में 'आइला' तूफान से प्रभावित 13 जिलों में 81 लोगों की जानें गईं।
- तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित 59 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 79 तक पहुंची।

जून 2009

- भारत ने जमात-उद-दावा (जेयूडी) प्रमुख हफीज मोहम्मद सईद की रिहाई पर अप्रसन्नता जाहिर की और कहा कि मुंबई हमलों की पाकिस्तान की जांच प्रतिबद्धता पर संदेह पैदा करती है।
- मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर बनीं।
- प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आतंक के लिए अपनी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस नीति' की घोषणा की लेकिन पाकिस्तान के साथ शांति बनाए रखने में पहल की बात कही यदि भारत के खिलाफ आतंकवाद रोकने में वहां का नेतृत्व मजबूत और प्रभावी कदम उठाता है।
- गोपाल सुब्रह्मण्यम भारत के नए महाधिवक्ता बने।
- गैर कानूनी गतिविधियां (निरोध) अधिनियम के तहत केंद्र ने सीपीआई (माओवादी) पर पाबंदी लगाई।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 22 नए टीवी चैनलों को अनुमति दी। इसके साथ ही भारत में 450 टीवी चैनलों की अनुमति।
- आयोध्या में 1992 में बाबरी मस्जिद मामले की जांच कर रहे लिब्राहन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी।
- मुंबई में 5.6 किमी लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन।

जुलाई 2009

- रेलमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने रेल बजट प्रस्तुत किया। रेलमंत्री ने पश्चिम बंगाल के कंचनपाड़ा-हलिसहर रेल परिसर में एक नई कोच फैक्ट्री, भीड़ के समय दिल्ली चैनई में 'केवल महिलाओं के लिए' ईएमयू रेलगाड़ी चलाने तथा युवाओं और निम्न-आय वर्ग के लिए कम लागत और एसी सीटों वाली 'युवा रेलगाड़ियां' चलाने की घोषणा की।
- आर्थिक सर्वेक्षण संसद में रखा किया गया। सर्वेक्षण में उच्च प्रौद्योगिकी, रणनीतिक रक्षा सामान, सेवाएं और प्रणाली में 'केस-बाई-केस' आधार पर शत-प्रतिशत एफडीआई का समर्थन किया।
- केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने 6 जुलाई, 2009 को वर्ष 2009 का बजट पेश किया।
- अहमदाबाद में जहरीली शराब पीने से 113 व्यक्तियों की मृत्यु।
- फॉर्च्यून 500 की सूची में भारतीय मूल की इंदिरा नूई कंपनियों के शीर्ष पदों पर 13 महिलाओं में शामिल की गईं।

राष्ट्रीय घटनाक्रम

1293

- प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने *नाम* को मजबूत करने और फ्रांस के साथ नागरिक परमाणु सहयोग तथा रक्षा सहित सभी क्षेत्रों में रणनीतिक भागीदारी मजबूत करने पर जोर दिया।
- प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने आतंकवाद से साझी लड़ाई लड़ने पर सहमति जताई और परमाणु ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष में सहयोग पर चर्चा की।
- अदन की खाड़ी में सोमालियाई समुद्री लुटेरों द्वारा बंधक बनाए देसी पोत के चालक दल के 14 सदस्यों को भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना ने छुड़ाया।
- जयपुर राजघराने की गायत्री देवी का 90 वर्ष की आयु में निधन।

अगस्त 2009

- निरुपमा राव ने विदेश सचिव का पदभार संभाला।
- गुजरात के राज्यपाल डी.एन. चतुर्वेदी का 74 वर्ष की आयु में निधन।
- स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दृढ़ता से कहा कि भारतीयों को अपने ऊपर पूरा भरोसा है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र नए कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर है।
- अपनी पुस्तक 'जिन्ना-इंडिया, पार्टिशन, इंडिपेंडेंस' में मोहम्मद अली जिन्ना की प्रशंसा करने पर भाजपा ने प्रमुख नेता जसवंत सिंह को निष्कासित किया।
- हरियाणा विधानसभा भंग।

सितंबर 2009

- भारत ने सीरिया से नेहरू कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबाल टूर्नामेंट जीता।
- आस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान को यू.एस. में आयोजित 'ग्रास्सूट ग्रेमी' पुरस्कार।
- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी तथा चार अन्य की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु।
- भारत के पंकज अडवाणी ने अपना पहला विश्व पेशेवर बिलियर्ड्स खिताब जीता।
- भारत के रमेश कुमार ने डेनमार्क में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 74 कि.ग्रा वर्ग की फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा।
- विश्व बैंक ने अपने आर्थिक वृद्धि कार्यक्रम तथा वित्त बुनियादी परियोजनाओं को गति देने के लिए 4.3 बिलियन डालर स्वीकृत किए।

32. सामान्य सूचना

भारत के राष्ट्रपति

नाम	पद अवधि
डा. राजेंद्र प्रसाद (1884-1963)	26 जनवरी, 1950 — 13 मई, 1962
डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888-1975)	13 मई, 1962 — 13 मई, 1967
डा. ज़ाकिर हुसैन (1897-1969)	13 मई, 1967 — 3 मई, 1969
वराहगिरि वेंकटगिरि (1884-1980) (कार्यवाहक)	3 मई, 1969 — 20 जुलाई, 1969
मुहम्मद हिदायतुल्लाह (1905-1992) (कार्यवाहक)	20 जुलाई, 1969 — 24 अगस्त, 1969
वराहगिरि वेंकटगिरि (1884-1980)	24 अगस्त, 1969 — 24 अगस्त, 1974
फखरुद्दीन अली अहमद (1905-1977)	24 अगस्त, 1974 — 11 फरवरी, 1977
बी.डी. जत्ती (1913-2002) (कार्यवाहक)	11 फरवरी, 1977 — 25 जुलाई, 1977
नीलम संजीव रेड्डी (1913-1996)	25 जुलाई, 1977 — 25 जुलाई, 1982
ज्ञानी जैल सिंह (1916-1994)	25 जुलाई, 1982 — 25 जुलाई, 1987
आर. वेंकटरामन (जन्म 1910)	25 जुलाई, 1987 — 25 जुलाई, 1992
डा. शंकर दयाल शर्मा (1918-1999)	25 जुलाई, 1992 — 25 जुलाई, 1997
के.आर. नारायणन (1920-2005)	25 जुलाई, 1997 — 25 जुलाई, 2002
डा. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम (जन्म 1931)	25 जुलाई, 2002 — 25 जुलाई, 2007
श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल (जन्म 1934)	25 जुलाई, 2007 — अभी तक

भारत के उप-राष्ट्रपति

नाम	पद अवधि
डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888-1975)	1952 — 1962
डा. ज़ाकिर हुसैन (1897-1969)	1962 — 1967
वराहगिरि वेंकटगिरि (1884-1980)	1967 — 1969
गोपाल स्वरूप पाठक (1896-1982)	1969 — 1974

सामान्य सूचना

1295

बी.डी. जत्ती (1913-2002)	1974 — 1979
न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह (1905-1992)	1979 — 1984
आर. वेंकटरमन (1910-2009)	1984 — 1987
डा. शंकर दयाल शर्मा (1918-1999)	1987 — 1992
के.आर. नारायणन (1920-2005)	1992 — 1997
कृष्णकांत (1927-2002)	1997 — 2002
भैरों सिंह शेखावत (जन्म 1923)	2002 — 2007
मोहम्मद हामिद अंसारी (जन्म 1937)	2007 — अभी तक

भारत के प्रधानमंत्री

नाम	पद अवधि
जवाहरलाल नेहरू (1889-1964)	15 अगस्त, 1947 — 27 मई, 1964
गुलजारी लाल नंदा (1898-1997) (कार्यवाहक)	27 मई, 1964 — 9 जून, 1964
लाल बहादुर शास्त्री (1904-1966)	9 जून, 1964 — 11 जनवरी, 1966
गुलजारी लाल नंदा (1898-1997) (कार्यवाहक)	11 जनवरी, 1966 — 24 जनवरी, 1966
इंदिरा गांधी (1917-1984)	24 जनवरी, 1966 — 24 मार्च, 1977
मोरारजी देसाई (1896-1995)	24 मार्च, 1977 — 28 जुलाई, 1979
चरण सिंह (1902-1987)	28 जुलाई, 1979 — 14 जनवरी, 1980
इंदिरा गांधी (1917-1984)	14 जनवरी, 1980 — 31 अक्टूबर, 1984
राजीव गांधी (1944-1991)	31 अक्टूबर, 1984 — 1 दिसम्बर, 1989
विश्वनाथ प्रताप सिंह (1931-2008)	1 दिसम्बर, 1989 — 10 नवम्बर, 1990
चन्द्रशेखर (1927-2007)	10 नवम्बर, 1990 — 21 जून, 1991
पी.वी. नरसिम्हा राव (1921-2004)	21 जून, 1991 — 16 मई, 1996
अटल बिहारी वाजपेयी (जन्म 1926)	16 मई, 1996 — 1 जून, 1996
एच.डी. देवेगौड़ा (जन्म 1933)	1 जून, 1996 — 21 अप्रैल, 1997
इन्द्र कुमार गुजराल (जन्म 1933)	21 अप्रैल, 1997 — 18 मार्च, 1998
अटल बिहारी वाजपेयी (जन्म 1926)	19 मार्च, 1998 — 13 अक्टूबर, 1999
अटल बिहारी वाजपेयी (जन्म 1926)	13 अक्टूबर, 1999 — 22 मई, 2004
डा. मनमोहन सिंह (जन्म 1932)	22 मई, 2004 — अभी तक

भारत के मुख्य न्यायाधीश

नाम	पद अवधि
हरिलाल जे. कानिया	26 जनवरी, 1950 — 6 नवम्बर, 1951
एम. पतंजलि शास्त्री	7 नवम्बर, 1951 — 3 जनवरी, 1954
मेहर चंद महाजन	4 जनवरी, 1954 — 22 दिसम्बर, 1954
बी.के. मुखर्जी	23 दिसम्बर, 1954 — 31 जनवरी, 1956
एस.आर. दास	1 फरवरी, 1956 — 30 सितम्बर, 1959
भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा	1 अक्टूबर, 1959 — 31 जनवरी, 1964
पी.बी. गजेंद्रगडकर	1 फरवरी, 1964 — 15 मार्च, 1966
ए.के. सरकार	16 मार्च, 1966 — 29 जून, 1966
के. सुब्बाराव	30 जून, 1966 — 11 अप्रैल, 1967
के.एन. वांचू	12 अप्रैल, 1967 — 24 फरवरी, 1968
एम. हिदायतुल्लाह	25 फरवरी, 1968 — 16 दिसम्बर, 1970
आई.सी. शाह	17 दिसम्बर, 1970 — 21 जनवरी, 1971
एस.एम. सीकरी	22 जनवरी, 1971 — 25 अप्रैल, 1973
ए.एन. रे	26 अप्रैल, 1973 — 27 जनवरी, 1977
एम.एच. बेग	28 जनवरी, 1977 — 21 फरवरी, 1978
वाई.वी. चंद्रचूड़	22 फरवरी, 1978 — 11 जुलाई, 1985
प्रफुल्लचंद्र नटवरलाल भगवती	12 जुलाई, 1985 — 20 दिसम्बर, 1986
रघुनंदन स्वरूप पाठक	21 दिसम्बर, 1986 — 18 जून, 1989
ई.एस. वेंकटरमैया	19 जून, 1989 — 17 दिसम्बर, 1989
एस. मुखर्जी	18 दिसम्बर, 1989 — 25 सितम्बर, 1990
रंगनाथ मिश्र	26 सितम्बर, 1990 — 24 नवम्बर, 1991
के.एन. सिंह	25 नवम्बर, 1991 — 12 दिसम्बर, 1991
एम.एच. कानिया	13 दिसम्बर, 1991 — 17 नवम्बर, 1992
आई.एम. शर्मा	18 नवम्बर, 1992 — 11 फरवरी, 1993
एम.एन. वेंकटचलैया	12 फरवरी, 1993 — 24 अक्टूबर, 1994
ए.एम. अहमदी	25 अक्टूबर, 1994 — 24 मार्च, 1997
जे.एस. वर्मा	25 मार्च, 1997 — 17 जनवरी, 1998
एम.एम. पंडी	18 जनवरी, 1998 — 9 अक्टूबर, 1998
ए.एस. आनंद	10 अक्टूबर, 1998 — 31 अक्टूबर, 2001
एस.पी. भरूचा	1 नवम्बर, 2001 — 5 मई, 2002
बी.एन. कृपाल	6 मई, 2002 — 7 नवम्बर, 2002

सामान्य सूचना

1297

जी.बी. पटनायक	8 नवम्बर, 2002 — 18 दिसम्बर, 2002
वी.एन. खरे	19 दिसम्बर, 2002 — 01 मई, 2004
एस. राजेन्द्र बाबू	2 मई, 2004 — 31 मई, 2004
आर.सी. लाहोटी	1 जून, 2004 — 31 अक्टूबर 2005
वाई.के. सब्बरवाल	1 नवंबर, 2005 — 14 जनवरी 2007
के.जी. बालाकृष्णन	14 जनवरी 2007 से अब तक

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

नाम	पद अवधि
सुकुमार सेन	21 मार्च 1950 — 19 दिसम्बर 1958
के.वी.के. सुंदरम	20 दिसम्बर 1958 — 30 सितम्बर 1967
एस.पी. सेन वर्मा	1 अक्टूबर 1967 — 30 सितम्बर 1972
डा. नगेंद्र सिंह	1 अक्टूबर 1972 — 6 फरवरी 1973
टी. स्वामीनाथन	7 फरवरी 1973 — 17 जून 1977
एस.एल. शकधर	18 जून 1977 — 17 जून 1982
आर.के. त्रिवेदी	18 जून 1982 — 31 दिसम्बर 1985
आर.वी.एस. पेरिशाल्स्त्री	1 जनवरी 1986 — 25 नवम्बर 1990
श्रीमती वी.एस. रमादेवी	26 नवम्बर 1990 — 11 दिसम्बर 1990
टी.एन. शेषन	12 दिसम्बर 1990 — 11 दिसम्बर 1996
एम.एस. गिल	12 दिसम्बर 1996 — 13 जून 2001
जे.एम. लिंगदोह	14 जून 2001 — 7 फरवरी, 2004
टी.एस. कृष्णामूर्ति	8 फरवरी, 2004 — 15 मई, 2005
बी.बी. टंडन	16 मई, 2005 — 29 जून, 2006
एन. गोपालस्वामी	30 जून, 2006 — 20 अप्रैल, 2009
नवीन चावला	21 अप्रैल, 2009 — अभी तक

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष

नाम	पद अवधि
सर रोस बार्कर	अक्टूबर 1926 — अगस्त 1932
सर डेविड पेट्री	अगस्त 1932 — 1936
सर आयर्रे गोर्डन	1937 — 1942
सर एफ.डब्ल्यू. राबर्टसन	1942 — 1947
एच.के. कृपलानी	1 अप्रैल, 1947 — 13 जनवरी, 1949
आर.एन. बैनर्जी	14 जनवरी, 1949 — 9 मई, 1955

एन. गोविंदराजन	10 मई, 1955 — 9 दिसम्बर, 1955
वी.एस. हेजमाडी	10 दिसम्बर, 1955 — 9 दिसम्बर, 1961
बी.एन. झा	10 दिसम्बर, 1961 — 22 फरवरी, 1967
के.आर. दामले	18 अप्रैल, 1967 — 2 मार्च, 1971
आर.सी.एस. सरकार	11 मई, 1971 — 1 फरवरी, 1973
डा. ए.आर. किदवई	5 फरवरी, 1973 — 4 फरवरी, 1979
डा. एम.एल. शहारे	16 फरवरी, 1985 — 16 मार्च, 1985
एच.के.एल. कपूर	18 फरवरी, 1985 — 5 मार्च, 1990
जे.पी. गुप्ता	5 मार्च, 1990 — 2 जून, 1992
आर.एम. बाथ्यू खरबुली	23 सितम्बर, 1992 — 23 अगस्त, 1996
एस.जे.एस. छतवाल	23 अगस्त, 1996 — 30 सितम्बर, 1996
जे.एम. कुरैशी	30 सितम्बर, 1996 — 11 दिसम्बर, 1998
लेफ्टिनेट जनरल (सेवानिवृत्त)	
सुरिंदर नाथ	11 दिसम्बर, 1998 — 25 जून, 2002
पी.सी. होता	25 जून, 2002 — 8 सितम्बर, 2003
माता प्रसाद	8 सितम्बर, 2003 — 4 जनवरी, 2005
डा. एस.आर. हाशिम	4 जनवरी, 2005 — 1 अप्रैल, 2006
गुरबचन जगत	1 अप्रैल, 2006 — 30 जून, 2007
प्रो. डी.पी. अग्रवाल	1 जुलाई, 2007 — अभी तक

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सूची (30 नवंबर, 2009 की स्थिति)

अध्यक्ष	: प्रो. डी.पी. अग्रवाल
सदस्य	: प्रो. के.एस. चेलम, प्रो. ई. बालागुरुस्वामी, शशि उबन त्रिपाठी, प्रो. पुरुषोत्तम अग्रवाल, डा. के.के. पॉल, ले.जन. (रिटायर्ड) निर्भय शर्मा, आईएमजी खान, प्रशांत कुमार मिश्र, विजय सिंह

नागरिक पुरस्कार

भारत रत्न	: यह पुरस्कार कला, साहित्य और विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए की गई विशिष्ट सेवा और जन सेवा में उत्कृष्टतम योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है।
पद्म विभूषण	: यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं।
पद्म भूषण	: यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उच्च स्तर की उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं।
पद्मश्री	: यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं।

पद्म पुरस्कारों के दिशा-निर्देशों और कुछ अन्य पहलुओं पर विचार करने के लिए सरकार ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा समिति गठित की थी। समीक्षा समिति ने नवम्बर 1996 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। वर्ष 1997 से इन पुरस्कारों को देना फिर से शुरू कर दिया गया।

भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति

नाम	वर्ष
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी	(1878-1972) 1954
डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	(1888-1975) 1954
डा. चंद्रशेखर वेंकटरमन	(1888-1970) 1954
डा. भगवान दास	(1869-1958) 1955
डा. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया	(1861-1962) 1955
जवाहरलाल नेहरू	(1889-1964) 1955
गोविंद बल्लभ पंत	(1887-1961) 1957
डा. धोंडो केशव कर्वे	(1858-1962) 1958
डा. बिधान चंद्र राय	(1882-1962) 1961
पुरुषोत्तमदास टंडन	(1882-1962) 1961
डा. राजेंद्र प्रसाद	(1884-1963) 1962
डा. ज़ाकिर हुसैन	(1897-1969) 1963
डा. पांडुरंग वामन काणे	(1880-1972) 1963
लाल बहादुर शास्त्री (मरणोपरांत)	(1904-1966) 1966
इंदिरा गांधी	(1917-1984) 1971
वराहगिरि वेंकटगिरि	(1884-1980) 1975
कुमारास्वामी कामराज (मरणोपरांत)	(1903-1975) 1976
मेरी टेरेसा बोजाक्सिऊ (मदर टेरेसा)	(1910-1997) 1980
आचार्य विनोबा भावे (मरणोपरांत)	(1895-1982) 1983
खान अब्दुल गफ्फार खान	(1890-1988) 1987
मरुदु गोपालन रामचंद्रन (मरणोपरांत)	(1917-1987) 1988
डा. भीमराव रामजी अम्बेडकर (मरणोपरांत)	(1891-1956) 1990
डा. नेल्सन रोहिल्लाह्ला मंडेला	(जन्म 1918) 1990
राजीव गांधी (मरणोपरांत)	(1944-1991) 1991
सरदार वल्लभभाई पटेल (मरणोपरांत)	(1875-1950) 1991
मोरारजी रणछोड़जी देसाई	(1896-1995) 1991
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (मरणोपरांत)	(1888-1958) 1992

जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा	(1904-1993)	1992
सत्यजीत रे	(1922-1992)	1992
अरुणा आसफ अली (मरणोपरांत)	(1909-1996)	1997
गुलजारी लाल नंदा (मरणोपरांत)	(1898-1997)	1997
डा. अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम	(जन्म 1931)	1997
मदुराई षण्मुखावैदीवु सुब्बालक्ष्मी	(1916-2004)	1998
चिदम्बरम सुब्रमण्यम	(1910-2000)	1998
लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मरणोपरांत)	(1902-1979)	1999
प्रोफेसर अमर्त्य सेन	(जन्म 1933)	1999
लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई (मरणोपरांत)	(1890-1950)	1999
पंडित रविशंकर	(जन्म 1920)	1999
लता दीनानाथ मंगेशकर	(जन्म 1929)	2001
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां	(1916-2006)	2001

पद्म पुरस्कार

पद्म पुरस्कार देश के उच्चतम नागरिक पुरस्कार हैं। पद्म पुरस्कारों की तीन श्रेणियां हैं—पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी, खेल, चिकित्सा आदि किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है।

वर्ष 2007 में दिए गए पद्म पुरस्कार

पद्म विभूषण :	प्रो. बालू शंकरन
	प्रो. एनाकल चेंडी ज्यार्ज सुदर्शन
	श्री फाली सेम नरीमन
	श्री खुशवंत सिंह
	श्री नरेश चंद्रा
	श्री नरेन्द्र नाथ वोहरा
	न्यायमूर्ति प्रफुल चंद भगवती
	प्रो. राजा राव (मरणोपरांत)
	डा. राजा जेसूदोस चेलिया
	डा. वी कृष्णामूर्ति
पद्म भूषण :	प्रो. भीखू पारेख
	श्री चंद प्रसाद सैकिया (मरणोपरांत)
	सुश्री इला गांधी
	फादर गैब्रील चिरामेल सी.एम.आई.

डा.गोपाल दास नीरज
 डा. गुरचरण सिंह कलकट
 श्रीमती इंद्रा.के.नूयी
 डा. जमशेद जे. इरानी
 श्री जावेद अख्तर
 प्रो. जेफरी डी. साचास
 न्यायमूर्ति के. टी. थॉमस
 श्री कावलम नारायण पाणिकर
 कैप्टन एल.जे. सैलो
 डा.(श्रीमती)मंजू शर्मा
 डा. एन. महालिगंम
 मिस्टर ओसामू सुजुकी
 डा. पृथ्वीपाल सिंह मेनी
 पंडित राजन मिश्रा
 श्री रामनकुट्टी नायर
 पंडित राजन मिश्रा
 डा. सरोज घोष
 श्री सैयद हैदर रजा
 प्रो.(डा.)शिव कुमार सरीन
 प्रो. (वैद्य)श्री राम शर्मा
 प्रो. सोमनाथ होरे (मंरणोपरांत)
 श्री सुनील भारती मित्तल
 हाकिम सैयद मोहम्मद सर्फुद्दीन कादरी
 प्रो.तपन कुमार राय चौधरी
 प्रो.थिरूकोडिकवल नीलकांत श्रीनिवासन
 श्री तैयब मेहता
 डा.(श्रीमती)वी. मोहिनी गिरी
 डा.विलापपुर सुब्रमणियम रामचंद्रन

पद्मश्री

(डा.)आदप प्रसाद मिश्रा
 श्री अमिताव घोष
 प्रो. आनंद मोहन चक्रवर्ती
 डा. (श्रीमती) आनंद शंकर जयंती
 श्री अनंतरामकृष्णन शिवसैलम

डा. अनूप मिश्रा
 प्रो. (डा.) अशोक कुमार हेमल
 श्री अस्ताद आदेरवाद देबू
 प्रो. (डा.) अतुल कुमार
 डा. बी.पाल थालियाथ
 डा. बकुल हर्षद ढोलकिया
 डा. बलबीर सिंह
 डा. बल्देवराज
 श्री चिरंजीव मिल्लखासिंह
 प्रो. देविंदर राहिनवाल (मरणोपरांत)
 प्रो. दिलीप विश्वास
 पंडित गजेंद्र नरायण सिंह
 श्रीमती गीता चंद्रन
 डा. गिरिराज किशोर
 राजमाता गोवरदन कुमारी
 प्रो. (डा.) हरपिंदर सिंह चावला
 प्रो. कल्ली पट्टी रामासामी पलानीस्वामी
 प्रो. (डा.) खड्ग सिंह वल्दिया
 श्री खालिद जहीर
 श्री किरन शरदचंद्र कार्णिक
 सुश्री कोनेरू हंपी
 डा. ललित पांडे
 श्री लामा थुप्टेन फुंटोंक
 सिस्टर एम.सिरिल मूने
 डा. राम. मोहन बाबू
 डा. महादेव प्रसाद पांडे
 डा. महीपाल सिंह सचदेव
 डा. मंजूनाथ चोलेनहल्ली नांजप्पा
 प्रो. माइल बाहनन नटराजन
 डा. (श्रीमती) मीनाक्षी गोपीनाथ
 श्रीमती मीरा साल्गनिक उर्फ मरियम लवोना साल्गनिक
 डा. मोहसिन बाली
 श्री मुजतबा हुसैन
 प्रो. मुशीरूल हसन

श्रीमती नैनालाल किदवाई
 श्री नवरेम ओंगवी नीलमणी देवी
 प्रो. (डा.) नर्मदा प्रसाद गुप्ता
 श्री पी. गोपीनाथन
 डा. पी. नामपेरूमलसामी
 श्रीमती पी.आर.थिलागम
 श्री पन्नूरू श्रीपथी
 डा. (श्रीमती) प्रतिभा राय
 श्रीमती पुष्पा हंस
 डा. रबि नरायन वास्तिया
 श्री रविंद्र गोकलदास अहूजा
 श्री राजिंदर गुप्ता
 श्री रवींद्र दयाल (मरणोपरांत)
 श्री रेमो फर्नांडिस
 श्रीमती रूना बनर्जी
 प्रो.रिवाकोव रोस्टस्लाव
 श्री एस. दक्षिणामूर्ति पिल्लई
 श्री एस. बालचंद्र मेनन
 श्रीमती शांति हीरानंद
 श्रीमती शशिकला जाबलेकर
 प्रो. (डा.) शेखर पाठक
 डा. शिवभगवान टिबरवाल
 श्रीमती सोनम स्कालजेंग
 श्रीमती सोनम शेरिंग लेपचा
 प्रो. सुधीर कुमार सप्रू
 श्री सुशील गुप्ता
 डा. (श्रीमती) सैयदा सैयदेन हमीद
 श्री टी.एस. रंगराजन उर्फ कविगनार वाली
 श्रीमती तरला दलाल
 सुश्री तिस्ता शीतलवाड़
 प्रो. (श्रीमती) टेम सुला एओ
 प्रो. थानू पद्मनाभन
 डा. थेकेथिल कोचंडी अलेक्स
 श्री थिंगभेयजम बाबू सिंह

श्री वलयपट्टी ए.आर.सुब्रमणियम
 श्री विजयदान देथा
 श्री विक्रम सेठ
 श्री वामन ठाकरे
 डा. यूसुफखान मुहम्मद खान पठान

जीवन रक्षक पदक पुरस्कार शृंखला

जीवन रक्षक पदक शृंखला के पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान को अत्यधिक खतरे में डालकर भी साहस और तत्परता का परिचय दिया हो अथवा ऐसा करते वक्त उसे स्वयं चोट पहुंची हो। इसमें मानवीय प्रकृति के कार्य आते हैं जैसे किसी को डूबने से, आग से, खान दुर्घटना में फंसे लोगों को बचाना आदि। जीवन रक्षक पदक पुरस्कारों को तीन वर्गों में बांटा गया है— सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, उत्तम जीवन रक्षक पदक और जीवन रक्षक पदक। इन पुरस्कारों के लिए सिफारिश राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों और भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा की जाती है। पुरस्कार समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति ने वर्ष 2006 के लिए तीन व्यक्तियों को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 38 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। इस वर्ष किसी को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक पुरस्कार देने की घोषणा नहीं की गई है।

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005

भाषा	शीर्षक (विधा)	लेखक
असमी	मौना औँथ मुखर हृदय (उपन्यास)	येशे दोरजी थोंगची
बांग्ला	हस्पताले लेखा कबितागुच्छा (कविता)	बिनय मजुमदार
बोडो	जिउनी म्वगतांग बिसोम्बी अर्व आरोज (कविता)	मंगलसिंह हजोवारी
डोगरी	ढलदी धूप दा सेक (कहानियां)	कृष्ण शर्मा
गुजराती	अखण्ड जलर वागे (कविता)	सुरेश दलाल
हिंदी	क्याप (उपन्यास)	मनोहर श्याम जोशी
कन्नड़	तेउर (उपन्यास)	राघवेंद्र पाटिल
कश्मीरी	यथ मियानी जोय (कविता)	हामिदी कश्मीरी
कोंकणी	भांगरसाल (कहानियां)	एन. शिवदास
मैथिली	छनन घन गच्छिया (कविता)	विवेकानंद ठाकुर
मलयालम	जप्पना पुकायिला (कहानियां)	जी.वी. कक्कानंदन
मणिपुरी	पंगल शोन्बी इशे आदमगिनी (कहानियां)	एम. नबकिशोर सिंह
मराठी	भीजकी वही (कविता)	अरुण कोलात्कर
नेपाली	जीवन गोरितो मा (उपन्यास)	कृष्ण सिंह मोकतन
उड़िया	गोपापुरा (कहानियां)	रामचंद्र बेहरा

पंजाबी	अग्निकलश (कहानियां)	गुरबचन सिंह भुल्लर
राजस्थानी	कस्तूरी मिरग (कहानियां)	चेतन स्वामी
संस्कृत	श्रीभार्गव राधावियम	स्वामी रंभद्राचार्य
संथाली	भाबना (कविता)	जदुमणि बेसरा
सिंधी	अंधेरो रोशन थिये	ढोलन 'राही'
तमिल	कलमारम (उपन्यास)	जी. तिलकावती
तेलुगू	तन मरगम (कहानियां)	अब्बुरी छायादेवी
उर्दू	रेत पर खेमा (संस्मरण)	जाबिर हुसैन

नोबेल पुरस्कार विजेता

अमर्त्य सेन (जन्म 1933)

अर्थशास्त्र के लिए 1998 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रो. अमर्त्य सेन यह सम्मान पाने वाले पहले एशियाई हैं। शांतिनिकेतन में जन्मे इस विद्वान अर्थशास्त्री ने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। उन्होंने कल्याण और विकास के विभिन्न पक्षों पर अनेक पुस्तकें तथा पत्र लिखे हैं। प्रो. सेन आम अर्थशास्त्रियों के समान नहीं हैं। वह अर्थशास्त्री होने के साथ-साथ, एक मानववादी भी हैं। उन्होंने अकाल, गरीबी, लोकतंत्र, स्त्री-पुरुष असमानता और सामाजिक मुद्दों पर जो पुस्तकें लिखी हैं, वे अपने-आप में बेजोड़ हैं। केनेथ ऐरो नाम के एक अर्थशास्त्री ने *असंभाव्यता सिद्धांत* नाम की अपनी खोज में कहा था कि व्यक्तियों की अलग-अलग पसंद को मिलाकर समूचे समाज के लिए किसी एक संतोषजनक पसंद का निर्धारण करना संभव नहीं है। प्रो. सेन ने गणितीय आधार पर यह सिद्ध किया है कि समाज इस तरह के नतीजों के असर को कम करने के उपाय ढूंढ सकता है।

सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर (1910-1995)

सन 1983 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता डा. सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर खगोल भौतिक शास्त्री थे। उनकी शिक्षा चेन्नई के प्रेसीडेंसी कालेज में हुई। वह नोबेल पुरस्कार विजेता सर सी.वी. रमन के भतीजे थे। बाद में डा. चंद्रशेखर अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने खगोल भौतिक शास्त्र तथा सौरमंडल से संबंधित विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखीं। उन्होंने 'व्हाइट ड्वार्फ', यानी *श्वेत बौने* नाम के नक्षत्रों के बारे में सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन नक्षत्रों के लिए उन्होंने जो सीमा निर्धारित की है, उसे *चंद्रशेखर सीमा* कहा जाता है। उनके सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक रहस्यों का पता चला।

मदर टेरेसा (1910-1997)

मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। मदर का जन्म अलबानिया में स्कोपजे नामक स्थान पर हुआ था, जो अब यूगोस्लाविया में है। उनका बचपन का नाम एग्नस गोंक्सहा बोजाक्सिऊ था। सन 1928 में वह आयरलैंड की संस्था 'सिस्टर्स आफ लोरेटो' में शामिल हुईं और मिशनरी बनकर 1929 में कोलकाता आ गईं। उन्होंने बेसहारा और बेघरबार लोगों के दुख दूर करने का महान व्रत लिया। निर्धनों और बीमार लोगों की सेवा के लिए उन्होंने *मिशनरीज आफ चैरिटी* नाम की संस्था बनाई और कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थों की लत के शिकार बने लोगों तथा दीन-दुखियों के लिए *निर्मल हृदय* नाम की संस्था बनाई। यह संस्था उनकी गतिविधियों का केंद्र बनी। उन्होंने पूरी निष्ठा से न सिर्फ बेसहारा लोगों की निःस्वार्थ सेवा

की, बल्कि विश्व शांति के लिए भी प्रयास जारी रखे। उन्हीं की बदौलत भारत शांति के लिए अपने एक नागरिक द्वारा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव हासिल कर सका है।

हरगोबिंद खुराना (जन्म 1922)

हरगोबिंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 1968 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारतीय मूल के डा. खुराना का जन्म पंजाब में रायपुर (जो अब पाकिस्तान में है) में हुआ था। उन्होंने लिवरपूल विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में डाक्टरेट की डिग्री ली। सन 1960 में वह विस्कॉसिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बने। उन्होंने अपनी खोज से आनुवंशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया।

चंद्रशेखर वेंकटरमन (1888-1970)

भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डा. चंद्रशेखर वेंकटरमन थे। उन्हें 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। रमन का जन्म तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के पास तिरुवनाइक्कावल में हुआ था। उन्होंने चेन्नई के प्रेसीडेंसी कालेज में शिक्षा प्राप्त की। बाद में वह कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर बने। चंद्रशेखर वेंकटरमन ने अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। उन्हें 'सर' की उपाधि से भी सम्मानित किया गया और प्रकाशकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने अपने अनुसंधान से इस बात का पता लगाया कि किस तरह अपसरित प्रकाश में अन्य तरंग, लंबाई की किरणें भी मौजूद रहती हैं। उनकी खोज को *रमन प्रभाव* के नाम से जाना जाता है। सन 1928 में की गई इस खोज से पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणों में आवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या की गई है।

रवींद्रनाथ ठाकुर (1861-1941)

रवींद्रनाथ ठाकुर, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। 'गुरुदेव' के नाम से प्रसिद्ध रवींद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई, 1861 को कोलकाता में हुआ। उन्हें अपनी कविताओं की पुस्तक *गीतांजलि* के लिए 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रवींद्रनाथ ठाकुर ने अनेक प्रेमगीत भी लिखे हैं। *गीतांजलि* और *साधना* उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। महान कवि, नाटककार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध 'गुरुदेव' ने भारत के राष्ट्रीय गान का भी प्रणयन किया। सन 1901 में उन्होंने *शांतिनिकेतन* की स्थापना की, जो बाद में विश्वभारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

कमांडर-इन-चीफ

नाम	पद अवधि
जनरल सर राय बूचर	1 जनवरी, 1948 — 14 जनवरी, 1949
जनरल (बाद में फील्ड मार्शल) के.एम. करिअप्पा	15 जनवरी, 1949 — 14 जनवरी, 1953
जनरल महाराज राजेंद्र सिंहजी	15 जनवरी, 1953 — 31 मार्च, 1955

थलसेना अध्यक्ष

नाम	पद अवधि

सामान्य सूचना

1307

जनरल महाराज राजेंद्र सिंहजी	1 अप्रैल, 1955 — 14 मई, 1955
जनरल एस.एम. श्रीनागेश	15 मई, 1955 — 7 मई, 1957
जनरल के.एस. तिमैया	8 मई, 1957 — 7 मई, 1961
जनरल आर.एन. थापर	8 मई, 1961 — 19 नवम्बर, 1962
जनरल जे.एन. चौधरी	20 नवम्बर, 1962 — 7 जून, 1966
जनरल पी.पी. कुमारमंगलम	8 जून, 1966 — 7 जून, 1969
जनरल एस.एच.एफ.जे. मानेकशा	8 जून, 1969 — 31 दिसम्बर, 1972
फील्ड मार्शल एस.एच.एफ.जे. मानेकशा	1 जनवरी, 1973 — 14 जनवरी, 1973
जनरल जी.जी. बेवूर	15 जनवरी, 1973 — 31 मई, 1975
जनरल टी.एन. रैना	1 जून, 1975 — 31 मई, 1978
जनरल ओ.पी. मल्होत्रा	1 जून, 1978 — 31 मई, 1981
जनरल के.वी. कृष्णाराव	1 जून, 1981 — 31 जुलाई, 1983
जनरल ए.एस. वैद्य	1 अगस्त, 1983 — 31 जनवरी, 1986
जनरल के. सुंदरजी	1 फरवरी, 1986 — 30 अप्रैल, 1988
जनरल वी.एन. शर्मा	1 मई, 1988 — 30 जून, 1990
जनरल एस.एफ. राड्डिस	1 जुलाई, 1990 — 30 जून, 1993
जनरल बी.सी. जोशी	1 जुलाई, 1993 — 18 नवम्बर, 1994
जनरल एस. राय चौधरी	22 नवम्बर, 1994 — 30 सितम्बर, 1997
जनरल वी.पी. मलिक	1 अक्टूबर, 1997 — 30 सितम्बर, 2000
जनरल एस. पद्मनाभन	30 सितम्बर, 2000 — 31 दिसम्बर, 2002
जनरल एन.सी. विज	1 जनवरी, 2003 — 31 जनवरी, 2005
जनरल जे.जे. सिंह	1 फरवरी 2005 — 30 सितंबर, 2007
जनरल दीपक कपूर	30 सितंबर 2007 — अभी तक

नौसेना अध्यक्ष

नाम	पद अवधि
रियर एडमिरल जे.टी.एस. हाल	15 अगस्त, 1947 — 14 अगस्त, 1948
एडमिरल सर एडवर्ड पैरी	15 अगस्त, 1948 — 13 अक्टूबर, 1951
एडमिरल सर मार्क पिजे	14 अक्टूबर, 1951 — 21 जुलाई, 1955
वाइस एडमिरल सर स्टीफेन कार्लिल	22 जुलाई, 1955 — 21 अप्रैल, 1958
वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी	22 अप्रैल, 1958 — 4 जून, 1962
वाइस एडमिरल बी.एस. सोमन	5 जून, 1962 — 3 मार्च, 1966
एडमिरल ए.के. चटर्जी	4 मार्च, 1966 — 27 फरवरी, 1970

एडमिरल एस.एम. नंदा	28 फरवरी, 1970 — 28 फरवरी, 1973
एडमिरल एस.एन. कोहली	1 मार्च, 1973 — 28 फरवरी, 1976
एडमिरल जे.एल. कर्सेटजी	1 मार्च, 1977 — 28 फरवरी, 1979
एडमिरल जे.एल. परेरा	1 मार्च, 1979 — 28 फरवरी, 1982
एडमिरल ओ.एस. डॉसन	1 मार्च, 1982 — 30 नवम्बर, 1984
एडमिरल आर.एच. तहिलियानी	1 दिसम्बर, 1984 — 30 नवम्बर, 1987
एडमिरल जे.जी. नादकर्णी	1 दिसम्बर, 1987 — 30 नवम्बर, 1990
एडमिरल एल. रामदास	1 दिसम्बर, 1990 — 30 सितम्बर, 1993
एडमिरल वी.एस. शेखावत	1 अक्तूबर, 1993 — 30 सितम्बर, 1996
एडमिरल विष्णु भागवत	1 अक्तूबर, 1996 — 30 सितम्बर, 1998
एडमिरल सुशील कुमार	31 दिसम्बर, 1998 — 29 दिसम्बर, 2001
एडमिरल माधवेंद्र सिंह	29 दिसम्बर, 2001 — 31 जुलाई, 2004
एडमिरल अरुण प्रकाश	1 अगस्त, 2004 — 31 अक्तूबर, 2006
एडमिरल सुरेश मेहता	31 अक्तूबर, 2006 — 31 अगस्त, 2009
एडमिरल निर्मल वर्मा	1 सितंबर, 2009 — अभी तक

वायुसेना अध्यक्ष

नाम	पद अवधि
एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट	15 अगस्त, 1947 — 21 फरवरी, 1950
एयर मार्शल सर रोनल्ड चैपमैन	22 फरवरी, 1950 — 9 दिसम्बर, 1951
एयर मार्शल सर जेराल्ड गिब्स	10 दिसम्बर, 1951 — 31 मार्च, 1954
एयर मार्शल एस. मुखर्जी	1 अप्रैल, 1954 — 8 नवम्बर, 1960
एयर मार्शल ए.एम. इंजीनियर	1 दिसम्बर, 1960 — 31 जुलाई, 1964
एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह	1 अगस्त, 1964 — 15 जुलाई, 1969
एयर चीफ मार्शल पी.सी. लाल	16 जुलाई, 1969 — 15 जनवरी, 1973
एयर चीफ मार्शल ओ.पी. मेहरा	16 जनवरी, 1973 — 31 जनवरी, 1976
एयर चीफ मार्शल एच. मुलगांवकर	1 फरवरी, 1976 — 31 अगस्त, 1978
एयर चीफ मार्शल आई.एच. लतीफ	1 सितम्बर, 1978 — 31 अगस्त, 1981
एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह	1 सितम्बर, 1981 — 4 सितम्बर, 1984
एयर चीफ मार्शल एल.एम. कात्रे	5 सितम्बर, 1984 — 1 जुलाई, 1985
एयर चीफ मार्शल डी.ए.ला फोंतेन	3 जुलाई, 1985 — 31 जुलाई, 1988
एयर चीफ मार्शल एस.के. मेहरा	1 अगस्त, 1988 — 31 जुलाई, 1991
एयर चीफ मार्शल एन.सी. सूरी	1 अगस्त, 1991 — 31 जुलाई, 1993

एयर चीफ मार्शल एस.के. कौल	1 अगस्त, 1993 — 31 दिसम्बर, 1995
एयर चीफ मार्शल एस.के. सरीन	1 जनवरी, 1996 — 31 दिसम्बर, 1998
एयर चीफ मार्शल ए.वाई. टिपनिस	1 जनवरी, 1999 — 31 दिसम्बर, 2001
एयर चीफ मार्शल एस. कृष्णास्वामी	1 जनवरी, 2001 — 31 दिसम्बर, 2004
एयर चीफ मार्शल एस.पी. त्यागी	31 दिसम्बर, 2004 — 31 मार्च, 2007
एयर चीफ मार्शल एम.एफ.एच. मेजर	1 अप्रैल, 2007 — 31 मई, 2009
एयर चीफ मार्शल प्रदीप वसंत नाइक	31 मई, 2009 — अभी तक

परमवीर चक्र

मेजर सोमनाथ शर्मा, कुमाऊं रेजिमेंट, मरणोपरांत—नवम्बर 1947 (कश्मीर में सैनिक कार्रवाई, 1947-48)
 सैकिंड लेफ्टिनेंट आर.आर. राणे, कोर आफ इंजीनियर्स — अप्रैल 1948 (कश्मीर में सैनिक कार्रवाई, 1947-48)

कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, राजपूताना राइफल्स, मरणोपरांत — जुलाई 1948 (कश्मीर में सैनिक कार्रवाई, 1947-48)

लांस नायक करम सिंह, सिख रेजिमेंट — अक्टूबर 1948 (कश्मीर में सैनिक कार्रवाई, 1947-48)

नायक जदुनाथ सिंह, राजपूत रेजिमेंट, मरणोपरांत — दिसम्बर 1948 (कश्मीर में सैनिक कार्रवाई, 1947-48)

कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, गोरखा राइफल्स, मरणोपरांत — दिसम्बर 1961 (कांगो)

मेजर धनसिंह थापा, गोरखा राइफल्स, अक्टूबर 1962 — (लद्दाख)

सूबेदार जोगिंदर सिंह, सिख रेजिमेंट, मरणोपरांत — अक्टूबर 1962 (नेफा)

मेजर शैतान सिंह, कुमाऊं रेजिमेंट, मरणोपरांत — नवम्बर 1962 (लद्दाख)

कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, ग्रेनेडियर्स, मरणोपरांत — सितम्बर 1965 (पाकिस्तान के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई)

लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापोर, पूना हौर्स, मरणोपरांत — सितम्बर 1965 (पाकिस्तान के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई)

फ्लाईंग आफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों, फ्लाईंग ब्रांच (पायलट), मरणोपरांत — दिसम्बर 1971 (भारत-पाक युद्ध)

मेजर होशियार सिंह, ग्रेनेडियर्स — दिसम्बर 1971 (भारत-पाक युद्ध)

सैकिंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, 17 पूना हौर्स, मरणोपरांत — दिसम्बर 1971 (भारत-पाक युद्ध)

लांस नायक अलबर्ट एक्का, ब्रिगेड आफ गाड्स, मरणोपरांत — दिसम्बर 1971 (भारत-पाक युद्ध)

नायब सूबेदार बाना सिंह, जे एंड के लाइट इन्फैंट्री — जून 1987 (सियाचिन ग्लेशियर पर सैनिक कार्रवाई)

मेजर रामस्वामी परमेश्वरन, महार रेजिमेंट, मरणोपरांत — नवम्बर 1987 (श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की कार्रवाई)

कैप्टन विक्रम बतरा, 13 जे ए के राइफल (मरणोपरांत) — जून 1999 (कारगिल में आपरेशन विजय)

लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे 1/11 जी आर (मरणोपरांत) — जून 1999 (कारगिल में आपरेशन विजय)
 राइफलमैन संजय कुमार 13 जे ए के राइफल — जून 1999 (कारगिल में आपरेशन विजय)
 ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, 18 ग्रेनेडियर्स — जून 1999 (कारगिल में आपरेशन विजय)

वीरता पुरस्कार

स्वतंत्रता दिवस, 2009 के अवसर पर निम्नलिखित वीरता और विशिष्ट सेवा पदकों की घोषणा की गई:

अशोक चक्र	...	9 (9 मरणोपरांत)
कीर्ति चक्र	...	13 (6 मरणोपरांत)
बार टू शौर्य चक्र	...	1 (1 मरणोपरांत)
शौर्य चक्र	...	30 (8 मरणोपरांत)
बार टू सेना मेडल/नौसेना मेडल/युवा सेना मेडल (वीरता)	...	2
सेना मेडल/नौसेना मेडल/युवा सेना मेडल (वीरता)	...	99 (10 मरणोपरांत)
परम विशिष्ट सेवा मेडल	...	29
बार टू अति विशिष्ट सेवा मेडल	...	1
अति विशिष्ट सेवा मेडल	...	50
उत्तम युद्ध सेवा मेडल	...	2
युद्ध सेवा मेडल	...	5
बार टू विशिष्ट सेवा मेडल	...	2
विशिष्ट सेवा मेडल	...	122
बार टू सेना मेडल (कर्तव्यपरायणता)		
सेना मेडल/नौसेना मेडल/वायुसेना मेडल (कर्तव्यपरायणता)...		62

गणतंत्र दिवस, 2009 के अवसर पर निम्नलिखित वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई :

अशोक चक्र	...	2
कीर्ति चक्र	...	4
शौर्य चक्र	...	26
बार टू सेना मेडल/नौसेना मेडल (वीरता)	...	2
सेना मेडल/नौसेना मेडल/वायुसेना मेडल (वीरता)	...	109

इसके अतिरिक्त 37 थल सेना अधिकारियों/कार्मिकों को 15 अगस्त, 2009 को मेशन-इन-डिस्पेच पुरस्कार दिए गए।

देश में राज्यवार राजमार्गों की सूची

क्रम सं.	राज्य	राजमार्ग संख्या	कुल लंबाई (किमी. में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 16, 18, 43, 63, 202, 205, 214, 214A, 219, 221 & 222	4472

सामान्य सूचना		1311
2. अरुणाचल प्रदेश	52, 52A & 153	392
3. असम	31, 31B, 31C, 36, 37, 37A, 38, 39, 44, 51, 52, 52A, 52B, 53, 54, 61, 62, 151, 152, 153 & 154	2836
4. बिहार	2, 2C, 19, 28, 28A, 28B, 30, 30A, 31, 57, 57A, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 & 110	3642
5. चंडीगढ़	21	24
6. छत्तीसगढ़	6, 12A, 16, 43, 78, 200, 202, 216, 217, 111 & 221	2184
7. दिल्ली	1, 2, 8, 10 & 24	72
8. गोवा	4A, 17, 17A & 17B	269
9. गुजरात	NE-1, 6, 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 14, 15, 59, 113 & 228	3245
10. हरियाणा	1, 2, 8, 10, 21A, 22, 64, 65, 71, 71A, 72, 73, 73A, 71B & NE-111512	1512
11. हिमाचल प्रदेश	1A, 20, 21, 21A, 22, 70, 72, 88 & 73A	1208
12. जम्मू-कश्मीर	1A, 1B, 1C & 1D	1245
13. झारखंड	2, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99 & 100	1805
14. कर्नाटक	4, 4A, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 206, 207, 209, 212 & 218	3843
15. केरल	17, 47, 47A, 49, 208, 212, 213 & 220	1440
16. मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12A, 25, 26, 26A, 27, 59, 59A, 69, 75, 76, 78, 86 & 92	4670
17. महाराष्ट्र	3, 4, 4B, 4C, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 50, 69, 204, 211, 222	4176
18. मणिपुर	39, 53, 150 & 155	959
19. मेघालय	40, 44, 51 & 62	810
20. मिजोरम	44A, 54, 54A, 54B, 150 & 154	927
21. नागालैंड	36, 39, 61, 150, & 155	494
22. उड़ीसा	5, 5A, 6, 23, 42, 43, 60, 75, 200, 201, 203, 203A, 215, 217 & 2243704	3704
23. पुद्दुचेरी	45A & 66	53
24. पंजाब	1, 1A, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72 & 95	1557
25. राजस्थान	3, 8, 11, 11A, 11B, 12, 14, 15, 65, 71B, 76, 79, 79A, 89, 90, 113, 112, 114 & 116	5585
26. सिक्किम	31A	62
27. तमिलनाडु	4, 5, 7, 7A, 45, 45A, 45B, 45C, 46, 47, 47B, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219, 220, 226 & 227	4462

1312

भारत-2010

28. त्रिपुरा	44 & 44A	400
29. उत्तराखंड	58, 72, 72A, 73, 74, 87, 94, 108, 109, 123, 119, 121, 87 Ext. & 125	1991
30. उत्तर प्रदेश	2, 2A, 3, 7, 11, 12A, 19, 24, 24A, 24B, 25, 25A, 26, 27, 28, 28B, 28C, 29, 56, 56A, 56B, 58, 72A, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 91A, 92, 93, 96, 97, 119 & NE-11	
31. पश्चिम बंगाल	2, 2B, 6, 31, 31A, 31C, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 60A, 80, 81 & 117	2377
32. अंडमान तथा निकोबार	223`	300

भारत की कुछ प्रमुख नदियां

नदी	लंबाई (कि.मी.)
सिंधु	2,900
ब्रह्मपुत्र	2,900
गंगा	2,510
गोदावरी	1,450
नर्मदा	1,290
कृष्णा	1,290
महानदी	890
कावेरी	760

संविधान में संशोधन

1. संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1950—इस संशोधन में संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार तथा कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के नए अधिकारों की व्यवस्था है। इन प्रतिबंधों का प्रावधान सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों अथवा वाक् स्वातंत्र्य के अधिकार के संदर्भ में अपराध-उद्दीपन और व्यावसायिक या तकनीकी अर्हताएं विहित करने अथवा कोई व्यापार या कारोबार चलाने के अधिकार के संदर्भ में राज्य आदि द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग अथवा सेवा चलाने के संबंध में किया गया है। इस संशोधन द्वारा दो नए अनुच्छेद 31क और 31ख तथा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया, ताकि भूमि सुधार कानूनों को चुनौती न दी जा सके।

2. संविधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1952—इस संशोधन द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए प्रतिनिधित्व के अनुपात को पुनः समायोजित किया गया।

3. संविधान (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1954—इस संशोधन द्वारा सूची 3 (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 33 प्रतिस्थापित की गई है, ताकि वह अनुच्छेद 369 के समरूप हो सके।

4. संविधान (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 1955—निजी संपत्ति को अनिवार्यतः अर्जित या अधिग्रहीत करने की राज्य की शक्तियों की फिर से ठीक-ठीक ढंग से व्याख्या करने और इसे उन मामलों से जहां राज्य की विनियमनकारी और प्रतिषेधात्मक विधियों के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित किया गया हो, अलग करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 31 (2) में संशोधन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 31क की परिधि का जमींदारी उन्मूलन जैसे आवश्यक कल्याणकारी कानूनों तक विस्तार करने तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समुचित आयोजन और देश के खनिज तथा तेल स्रोतों पर पूरा नियंत्रण करने के उद्देश्य से इस अनुच्छेद का संशोधन किया गया। नौवीं अनुसूची में छह अधिनियम भी शामिल किए गए। राज्य-एकाधिपत्यों के लिए उपबंध करने वाली विधियों के समर्थन में अनुच्छेद 305 में भी संशोधन किया गया।

5. संविधान (पांचवां संशोधन) अधिनियम, 1955—इस संशोधन में अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया, जिससे राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि वह राज्य विधान-मंडलों द्वारा अपने-अपने राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं आदि पर प्रभाव डालने वाली प्रस्तावित केंद्रीय विधियों के बारे में अपने विचार भेजने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित कर सकते हैं।

6. संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956—इस संशोधन द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर करों के संबंध में अनुच्छेद 269 और 286 में कुछ परिवर्तन किए गए। संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में एक प्रविष्टि 92क शामिल की गई।

7. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956—राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और पारिणामिक परिवर्तनों को शामिल करने के उद्देश्य से यह संशोधन किया गया। मोटे तौर पर तत्कालीन राज्यों और राज्य क्षेत्रों का राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकरण किया गया। संशोधन में लोकसभा का गठन, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, नए उच्च न्यायालयों की स्थापना और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के बारे में उपबंधों की भी व्यवस्था की गई है।

8. संविधान (आठवां संशोधन) अधिनियम, 1960—संसद और राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए और नामनिर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए स्थानों के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक और बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया।

9. संविधान (नौवां संशोधन) अधिनियम, 1960—भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए करारों के अनुसरण में पाकिस्तान को कतिपय राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण करने की दृष्टि से यह संशोधन किया गया। यह संशोधन इसलिए आवश्यक हुआ कि बेरुबाड़ी के हस्तांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि किसी राज्य-क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देने के करार को अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई किसी विधि द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, अपितु इसे संविधान में संशोधन करके ही क्रियान्वित किया जा सकता है।

10. संविधान (10वां संशोधन) अधिनियम, 1961—दादरा और नगर हवेली के क्षेत्र को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में शामिल करने और राष्ट्रपति की विनियम बनाने की शक्तियों के तहत उसमें प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद 240 और पहली अनुसूची को संशोधित किया गया।

11. संविधान (11वां संशोधन) अधिनियम, 1961—इस संशोधन का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 66 और 71 का इस दृष्टि से संशोधन करना था, जिससे उपयुक्त निर्वाचकमंडल में किसी खाली पद के आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती न दी जा सके।

12. संविधान (12वां संशोधन) अधिनियम, 1962—इस संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया और इस प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 240 का संशोधन किया गया।

13. संविधान (13वां संशोधन) अधिनियम, 1962—इस संशोधन द्वारा भारत सरकार और नगा पीपुल्स कन्वेंशन के बीच हुए एक करार के अनुसरण में नगालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करने के लिए एक नया अनुच्छेद 371क जोड़ा गया।

14. संविधान (14वां संशोधन) अधिनियम, 1962—इस अधिनियम के द्वारा पांडिचेरी केंद्रशासित प्रदेश के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया और इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पांडिचेरी के केंद्रशासित प्रदेशों के लिए संसदीय विधि द्वारा विधानमंडलों का गठन किया जा सका।

15. संविधान (15वां संशोधन) अधिनियम, 1963—इस संशोधन द्वारा न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने और एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने वाले न्यायाधीशों को प्रतिपूरक भत्ता देने का उपबंध किया गया। इस अधिनियम द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थान पर नियुक्त किए जाने की भी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 226 का भी विस्तार किया गया, ताकि उच्च न्यायालयों को यह शक्ति दी जा सके कि वे किसी प्राधिकारी को निर्देश, आदेश या हुक्मनामा (रिट) जारी कर सकें। यदि ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए वाद का कारण उन राज्य क्षेत्रों में उत्पन्न हुआ हो, जिनमें वहां का उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, चाहे उस सरकारी अधिकारी का स्थान इन राज्य क्षेत्रों के अंदर नहीं हो। इस अधिनियम द्वारा सेवा आयोगों के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसकी शक्तियों का प्रयोग किसी एक सदस्य द्वारा किए जाने का भी प्रावधान है।

16. संविधान (16वां संशोधन) अधिनियम, 1963—इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 19 में संशोधन किया गया, जिसमें भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता के हित में वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, शांतिपूर्ण और शस्त्ररहित सम्मेलन तथा संस्था बनाने के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया। संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या अधिनियम का संशोधन करके उसमें यह शर्त भी शामिल की गई कि वे भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे। इन संशोधनों का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है।

17. संविधान (17वां संशोधन) अधिनियम, 1964—अनुच्छेद 31क में और आगे संशोधन किया गया, जिसके अनुसार निजी खेती के अधीन भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि प्रतिपूर्ति के रूप में उसका बाजार मूल्य न दिया जाए। साथ ही, इस संशोधन द्वारा उक्त अनुच्छेद में दी गई 'संपदा' की परिभाषा को पीछे की तारीख से लागू किया गया। नौवीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया और उसमें 44 और अधिनियम शामिल किए गए।

18. संविधान (18वां संशोधन) अधिनियम, 1966—इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 3 का संशोधन यह स्पष्ट करने के लिए किया गया कि 'राज्य' शब्द में केंद्रशासित प्रदेश भी शामिल होगा और

इस अनुच्छेद के तहत नया राज्य बनाने की शक्ति में किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के एक भाग को किसी दूसरे राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से मिलाकर एक नया राज्य या केंद्रशासित प्रदेश बनाने की शक्ति को भी शामिल किया गया।

19. संविधान (19वां संशोधन) अधिनियम, 1966—निर्वाचन न्यायाधिकरणों को समाप्त करने और उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव याचिकाओं की सुनवाई किए जाने के निर्णय के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 324 का संशोधन इस पारिणामिक परिवर्तन के लिए किया गया।

20. संविधान (20वां संशोधन), अधिनियम, 1966—यह संशोधन चंद्रमोहन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय के कारण आवश्यक हुआ, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य में जिला न्यायाधीशों की कतिपय नियुक्तियों को निरस्त घोषित कर दिया था। एक नया अनुच्छेद 233क जोड़ा गया और राज्यपाल द्वारा की गई नियुक्तियों को विधिमान्य बना दिया गया।

21. संविधान (21वां संशोधन) अधिनियम, 1967—इस संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया।

22. संविधान (22वां संशोधन) अधिनियम, 1969—यह अधिनियम असम राज्य में एक नए स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण करने की दृष्टि से लागू किया गया।

23. संविधान (23वां संशोधन) अधिनियम, 1969—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा आंग्ल भारतीयों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों में स्थानों के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक और बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 334 का संशोधन किया गया।

24. संविधान (24वां संशोधन) अधिनियम, 1971—यह संशोधन गोलकनाथ के मामले में उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में पारित हुआ। तदनुसार इस अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकारों के बारे में सभी प्रकार के संदेहों को दूर करने के लिए अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया।

25. संविधान (25वां संशोधन) अधिनियम, 1971—इस संशोधन द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले को देखते हुए अनुच्छेद 31 में संशोधन किया गया। 'मुआवजा' शब्द की 'पर्याप्त मुआवजा' के रूप में न्यायिक व्याख्या को देखते हुए 'मुआवजा' शब्द के स्थान पर 'रकम' शब्द रखा गया।

26. संविधान (26वां संशोधन) अधिनियम, 1971—इस संशोधन द्वारा भारतीय रियासतों के शासकों के 'प्रिवीपर्स' और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। यह संशोधन माधवराव के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप पारित किया गया।

27. संविधान (27वां संशोधन) अधिनियम, 1971—यह संशोधन अधिनियम उत्तर-पूर्वी राज्यों के पुनर्गठन के कारण आवश्यक कतिपय बातों की व्यवस्था करने के लिए पारित किया गया। एक नया अनुच्छेद 239ख जोड़ा गया, जिससे कुछ केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन अध्यादेश जारी करने के लिए समर्थ हो गए।

28. संविधान (28वां संशोधन) अधिनियम, 1972—यह संशोधन भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों के छुट्टी, पेंशन और अनुशासन के मामलों के संबंध में विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए पारित किया गया।

29. संविधान (29वां संशोधन) अधिनियम, 1972—संविधान की नौवीं अनुसूची का संशोधन करके उसमें भूमि सुधार के बारे में केरल के दो अधिनियम शामिल किए गए।

30. संविधान (30वां संशोधन) अधिनियम, 1972—इस संशोधन का उद्देश्य अनुच्छेद 133 का संशोधन करके उसमें निर्धारित 20,000 रुपये की मूल्यांकन परीक्षा समाप्त करना तथा उसके स्थान पर सिविल कार्यवाही में उच्चतम न्यायालय में अपील की व्यवस्था करना है, जो केवल उच्च न्यायालय के इस प्रमाणपत्र पर ही की जा सकेगी कि उस मामले में सामान्य महत्व की विधि का सारवान प्रश्न अंतरग्रस्त है और उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।

31. संविधान (31वां संशोधन) अधिनियम, 1973—इस अधिनियम द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्रशासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या को 25 से घटाकर 20 किया गया।

32. संविधान (32वां संशोधन) अधिनियम, 1973—इस अधिनियम द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने वाले उपबंध को लागू करने के लिए आवश्यक संवैधानिक प्राधिकारी की व्यवस्था की गई और लोक सेवाओं से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की अधिकारिता का एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण गठित किया गया। इसके द्वारा संसद को यह शक्ति भी दी गई कि वह उस राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कानून बना सकती है।

33. संविधान (33वां संशोधन) अधिनियम, 1974—इस संशोधन द्वारा संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडलों से त्यागपत्र दिए जाने की प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए अनुच्छेद 101 तथा 120 में संशोधन किया गया।

34. संविधान (34वां संशोधन) अधिनियम, 1974—इस अधिनियम द्वारा विभिन्न राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए 20 और काश्तकारी व भूमि सुधार कानूनों को नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया।

35. संविधान (35वां संशोधन) अधिनियम, 1974—इस अधिनियम द्वारा एक नया अनुच्छेद 2क जोड़ा गया, जिसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के सह-राज्य का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 80-81 में परिणामिक संशोधन किए गए। एक नई अनुसूची, अर्थात् 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें सिक्किम के भारतीय संघ में शामिल होने की शर्तें दी गईं।

36. संविधान (36वां संशोधन) अधिनियम, 1975—सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण सदस्य बनाने और संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल करने और सिक्किम को राज्यसभा और लोकसभा में एक-एक स्थान देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। संविधान (35वां संशोधन) अधिनियम द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 2क और 10वीं अनुसूची को हटाकर अनुच्छेद 80 और 81 का यथोचित संशोधन किया गया।

37. संविधान (37वां संशोधन) अधिनियम, 1975—इस अधिनियम द्वारा केंद्रशासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की व्यवस्था की गई, संविधान के अनुच्छेद 240 का भी संशोधन किया गया और यह उपबंध किया गया कि विधानमंडल वाले अन्य केंद्रशासित प्रदेशों की तरह केंद्रशासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग तब किया जा सकेगा, जब विधानसभा या तो भंग हो गई हो या उसके कार्य निलंबित हों।

38. संविधान (38वां संशोधन) अधिनियम, 1975—इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123, 213 और 352 में संशोधन करके यह उपबंध किया गया कि इन अनुच्छेदों में उल्लिखित राष्ट्रपति या राज्यपाल के संवैधानिक निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी।

39. संविधान (39वां संशोधन) अधिनियम, 1975—इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकेगा, जो संसदीय कानून द्वारा नियुक्त किया जाए। इस अधिनियम द्वारा नौवीं अनुसूची में कतिपय केंद्रीय कानूनों को भी शामिल किया गया।

40. संविधान (40वां संशोधन) अधिनियम, 1976—इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महासागरीय सीमा अथवा देश के भू-भाग के अंदर अथवा पूरी तरह भारत के आर्थिक क्षेत्र में आने वाली सभी खानों, खनिज पदार्थों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को संघ के अधिकार में निहित करने का उपबंध किया गया। इसमें इस बात का भी उपबंध किया गया कि भारत के आर्थिक क्षेत्र के सभी अन्य संसाधन भी पूरी तरह संघ के अधिकार में होंगे। इस अधिनियम द्वारा इस बात का भी उपबंध किया गया कि राष्ट्रीय जल सीमा, देश के भू-भाग और भारत के आर्थिक क्षेत्र की सीमाएं पूरी तरह विनिर्दिष्ट होंगी, जो समय-समय पर संसद द्वारा अथवा संसद द्वारा निर्मित कानून के अधीन निर्धारित की जाएंगी। साथ ही, नौवीं अनुसूची में कुछ और अधिनियम जोड़े गए।

41. संविधान (41वां संशोधन) अधिनियम, 1976—इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 316 में संशोधन करके राज्य लोक सेवा और संयुक्त लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की सेवा-निवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया।

42. संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976—इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनेक महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। ये संशोधन मुख्यतः स्वर्णसिंह आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए थे।

कुछ महत्वपूर्ण संशोधन समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता के उच्चादर्शों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने, नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक व्यापक बनाने और उन्हें उन मूल अधिकारों, जिनकी आड़ लेकर सामाजिक-आर्थिक सुधारों को निष्फल बनाया जाता रहा है, पर वरीयता देने के उद्देश्य से किए गए। इस संशोधनकारी अधिनियम द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के संबंध में एक नया अध्याय जोड़ा गया और समाज विरोधी गतिविधियों से, चाहे वे व्यक्तियों द्वारा हों या संस्थाओं द्वारा, निपटने के लिए विशेष उपबंध किए गए। कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करने तथा किसी कानून को संवैधानिक दृष्टि से अवैध घोषित करने के लिए कम-से-कम दो-तिहाई न्यायाधीशों की विशेष बहुमत व्यवस्था करके न्यायपालिका संबंधी उपबंधों का भी संशोधन किया गया।

उच्च न्यायालयों में अनिर्णित मामलों की बढ़ती हुई संख्या को कम करने के लिए और सेवा, राजस्व, सामाजिक-आर्थिक विकास और प्रगति के संदर्भ में कतिपय अन्य मामलों के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए इस संशोधनकारी अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सुरक्षित रखते हुए प्रशासनिक और अन्य न्यायाधिकरणों के गठन के लिए उपबंध किया गया। अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों के रिट अधिकार क्षेत्र में भी कुछ संशोधन किया गया।

43. संविधान (43वां संशोधन) अधिनियम, 1977—इस अधिनियम के द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 के लागू होने से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में जो कटौती हो गई थी, उसे बहाल करने का उपबंध किया गया और तदनुसार उक्त संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किए गए अनुच्छेद 32क, 131क, 144क, 226क और 228क को

इस अधिनियम द्वारा हटा दिया गया। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31घ को भी, जिसके द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कतिपय कानून बनाने के लिए संसद को विशेष शक्तियां दी गई थीं, हटा दिया गया।

44. संविधान (44वां संशोधन) अधिनियम, 1978—संपत्ति के अधिकार को, जिसके कारण संविधान में कई संशोधन करने पड़े, मूल अधिकार के रूप में हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। फिर भी यह सुनिश्चित किया गया कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाने से अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और संचालन संबंधी अधिकारों पर कोई प्रभाव न पड़े। संविधान के अनुच्छेद 352 का संशोधन करके यह उपबंध किया गया कि आपात स्थिति की घोषणा के लिए एक कारण 'सशस्त्र विद्रोह' होगा। आंतरिक गड़बड़ी, यदि यह सशस्त्र विद्रोह नहीं है तो आपात स्थिति की घोषणा के लिए आधार नहीं होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को, जैसा कि अनुच्छेद 21 और 22 में दिया गया है, इस उपबंध द्वारा और अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। इसके अनुसार निवारक नजरबंदी कानून के अधीन व्यक्ति को किसी भी स्थिति में दो महीने से अधिक अवधि के लिए नजरबंद नहीं रखा जा सकता, जब तक कि सलाहकार बोर्ड यह रिपोर्ट नहीं देता कि ऐसी नजरबंदी के पर्याप्त कारण हैं। इसके लिए अतिरिक्त संरक्षण की व्यवस्था इस अपेक्षा से की गई कि सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसी समुचित उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश होगा और बोर्ड का गठन उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा।

विलंब से बचने की दृष्टि से अनुच्छेद 132 और 134 में संशोधन किया गया और एक नया अनुच्छेद 134क सम्मिलित किया गया, जिसके द्वारा यह उपबंध किया गया कि निर्णय, डिग्री, अंतिम आदेश अथवा सजा सुनाए जाने के तत्काल बाद संबंधित पक्ष के मौखिक आवेदन के आधार पर अथवा यदि उच्च न्यायालय उचित समझे तो स्वयं ही उच्चतम न्यायालय में अपील करने के प्रमाणपत्र मंजूर किए जाने के प्रश्न पर विचार करे। इस अधिनियम द्वारा किए गए अन्य संशोधन मुख्यतः आंतरिक आपात स्थिति की अवधि के दौरान किए गए संशोधन के कारण संविधान में आई विकृतियों को दूर करने अथवा सुधार करने के लिए हैं।

45. संविधान (45वां संशोधन) अधिनियम, 1980—यह अधिनियम संसद तथा राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीयों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी व्यवस्था को 10 वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ाने के उद्देश्य से पारित किया गया।

46. संविधान (46वां संशोधन) अधिनियम, 1982—इसके द्वारा अनुच्छेद 269 का संशोधन किया गया, ताकि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान भेजे जाने वाले सामान पर लगाया गया कर राज्यों को सौंप दिया जाए। इस अनुच्छेद का संशोधन इस दृष्टि से भी किया गया, ताकि संसद कानून द्वारा यह निर्धारित कर सके कि किस स्थिति में भेजा जाने वाला माल अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान भेजा हुआ माना जाएगा। संघ सूची में एक नई प्रविष्टि 92ख भी शामिल की गई, ताकि ऐसी स्थिति में जब माल अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान भेजा जाए तो उस माल पर कर लगाया जा सके।

अनुच्छेद 286 के खंड (3) का संशोधन किया गया, ताकि संसद कानून द्वारा कार्य-संविदा के निष्पादन के दौरान वस्तुओं के हस्तांतरण में, किराया-खरीद अथवा किस्तों में अदायगी के आधार पर माल की सुपुर्दगी पर कर लगाने की प्रणाली, दरों और अन्य बातों के संबंध में प्रतिबंध और शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकें।

'माल के क्रय और विक्रय पर कर' की परिभाषा में यह जोड़ने के लिए अनुच्छेद 366 का यथोचित संशोधन किया गया कि उसमें नियंत्रित वस्तुओं के प्रतिफलार्थ अंतरण, कार्य-संविदा के निष्पादन से संबंधित

वस्तुओं के रूप में संपत्ति का अंतरण, किराया-खरीद अथवा किस्तों में अदायगी आदि की प्रणाली में माल की सुपुर्दगी को भी शामिल किया जा सके।

47. संविधान (47वां संशोधन) अधिनियम, 1984—इस संशोधन का उद्देश्य संविधान की नवम् अनुसूची में कतिपय भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल करना है, ताकि उन अधिनियमों को लागू किए जाने में रुकावट डालने वाली मुकदमेबाजी को रोका जा सके।

48. संविधान (48वां संशोधन) अधिनियम, 1984—संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन पंजाब राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा तब तक एक वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं रह सकती, जब तक कि उक्त अनुच्छेद के खंड (5) में उल्लिखित शर्त पूरी नहीं होती। चूंकि यह महसूस किया गया है कि उक्त उद्घोषणा का लागू रहना आवश्यक है, इसलिए यह संशोधन किया गया है, ताकि इस मामले में अनुच्छेद 356 के खंड (5) में उल्लिखित शर्तें लागू न होने पाएं।

49. संविधान (49वां संशोधन) अधिनियम, 1984—त्रिपुरा सरकार ने सिफारिश की थी कि संविधान की छठी अनुसूची के उपबंधों को उस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया जाए। इस अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन का उद्देश्य उस राज्य में काम कर रही स्वायत्तशासी जिला परिषद को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना है।

50. संविधान (50वां संशोधन) अधिनियम, 1984—संविधान के अनुच्छेद 33 द्वारा संसद को यह निर्धारित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है कि संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त किसी अधिकारी को सशस्त्र सेनाओं अथवा लोक-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभारित बलों पर लागू करने में किस सीमा तक प्रतिबंधित अथवा निराकृत किया जाए, ताकि उनके द्वारा कर्तव्यों के उचित निर्वहन और उनमें अनुशासन बनाए रखने को सुनिश्चित किया जा सके।

अनुच्छेद 33 की परिधि में निम्नलिखित बातों को लाने के लिए इसका संशोधन प्रस्तावित है :

- (1) राज्य की अथवा उसके प्रभार या कब्जे में संपत्ति के संरक्षण के लिए प्रभारित बलों के सदस्य, अथवा
- (2) आसूचना अथवा प्रति-आसूचना के प्रयोजन के लिए राज्य द्वारा स्थापित ब्यूरो अथवा अन्य संगठनों में नियुक्त व्यक्ति, अथवा
- (3) किसी बल, ब्यूरो अथवा संगठन के प्रयोजन के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणालियों में नियुक्त अथवा उनसे संबंधित व्यक्ति।

अनुभव से पता चला है कि इनके द्वारा कर्तव्यों के उचित निर्वहन तथा उनमें अनुशासन बनाए रखने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता राष्ट्रीय हित में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

51. संविधान (51वां संशोधन) अधिनियम, 1984—इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 330 में संशोधन किया गया, ताकि मेघालय, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों के लिए संसद में स्थान आरक्षित किए जा सकें। साथ ही, स्थानीय जनजातियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुच्छेद 332 में संशोधन करके नगालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में भी इसी तरह का आरक्षण किया गया।

52. संविधान (52वां संशोधन) अधिनियम, 1985—इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई संसद-सदस्य या विधानसभा-सदस्य दल-बदल करता है या दल द्वारा निकाल दिया जाता है, जिसने उसे चुनाव में खड़ा किया था, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो चुने जाने के छह महीने के अंदर

किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाएगा। इस अधिनियम में राजनीतिक दलों के विभाजन तथा विलय के संबंध में समुचित प्रावधान है।

53. संविधान (53वां संशोधन) अधिनियम, 1986—यह भारत सरकार और मिजोरम सरकार द्वारा मिजोरम नेशनल फ्रंट के साथ 30 जून 1986 को हुए मिजोरम समझौते को लागू करने के लिए बनाया गया है। इसके लिए नया अनुच्छेद 371जी संविधान में जोड़ा गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, मिजो लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति-रिवाजों, परंपरागत कानून और विधि के संबंध में संसद द्वारा कानून बनाने की मनाही है। दीवानी तथा फौजदारी संबंधी मामलों, जिन पर मिजो लोगों के परंपरागत कानून के अनुसार निर्णय लिया जाता है तथा जमीन के स्वामित्व और हस्तांतरण के बारे में भी तब तक संसदीय कानून लागू नहीं होगा, जब तक मिजोरम की विधानसभा इसे मंजूरी नहीं दे देती। लेकिन यह धारा मिजोरम राज्य में संशोधन के जारी होने से पहले से लागू होने वाले केंद्रीय कानूनों पर लागू नहीं होगी। नई धारा में यह भी व्यवस्था है कि मिजोरम विधानसभा में कम-से-कम 40 सदस्य होंगे।

54. संविधान (54वां संशोधन) अधिनियम, 1986—इस अधिनियम द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन को निम्न प्रकार से बढ़ाया गया है :

भारत के मुख्य न्यायाधीश	10,000 रुपये प्रतिमाह
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश	9,000 रुपये प्रतिमाह
उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश	9,000 रुपये प्रतिमाह
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश	8,000 रुपये प्रतिमाह

इस अधिनियम द्वारा द्वितीय अनुसूची के भाग 'घ' में संशोधन करके वेतन को उपर्युक्त प्रकार से बढ़ाया गया है तथा अनुच्छेद 125 एवं 221 में यह प्रावधान रखा गया है कि संसद कानून बनाकर भविष्य में न्यायाधीशों के वेतन में सुधार कर सकती है।

55. संविधान (55वां संशोधन) अधिनियम, 1986—इसमें केंद्रशासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिए जाने के भारत सरकार के प्रस्ताव को लागू किया गया है। इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 371एच जोड़ा गया है। अन्य बातों के अलावा, इस अनुच्छेद में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रदेश की अत्यंत नाजुक स्थिति के कारण कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने में राज्यपाल मंत्रिपरिषद में सलाह-मशविरा करके की जाने वाली कार्रवाई के बारे में अपना व्यक्तिगत निर्णय ले सकेंगे। यदि राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल की यह जिम्मेदारी खत्म की जा सकेगी। नए अनुच्छेद के अनुसार यह भी व्यवस्था की गई है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा में 30 से कम सदस्य नहीं होंगे।

56. संविधान (56वां संशोधन) अधिनियम, 1987—भारत सरकार ने केंद्रशासित प्रदेश गोवा, दमन व दीव के गोवा जिले में शामिल क्षेत्र को गोवा राज्य के रूप में तथा उसी केंद्रशासित प्रदेश के दमन व दीव में शामिल क्षेत्र को दमन व दीव नामक एक नए केंद्रशासित प्रदेश के रूप में गठन का प्रस्ताव किया है। इस संदर्भ में यह प्रस्तावित किया गया कि नए राज्य गोवा की विधानसभा में 40 सदस्य होंगे। केंद्रशासित प्रदेश गोवा, दमन व दीव की मौजूदा विधानसभा में 30 निर्वाचित सदस्य हैं तथा तीन मनोनीत सदस्य हैं। ऐसा विचार किया गया कि जब तक मौजूदा विधानसभा की पांच वर्ष की अवधि समाप्त होकर नए निर्वाचन न कर लिए जाएं, तब तक गोवा राज्य के लिए बनी नई विधानसभा में दमन व दीव का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्यों को शामिल न किया जाए। अतएव, नए राज्य गोवा को ऐसी विधानसभा

देने का निश्चय किया गया, जिसमें 30 से कम सदस्य न हों। इस संशोधन ने उक्त प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित विशेष प्रावधान को प्रभावी बनाया।

57. संविधान (57वां संशोधन) अधिनियम, 1987—संविधान (51वां संशोधन) अधिनियम, 1984 लोकसभा में नगालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करने तथा संविधान के अनुच्छेद 330 व 332 को समुचित प्रकार से संशोधित करके नगालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यद्यपि ये क्षेत्र जनजाति-बहुल हैं, तथापि इस संशोधन का उद्देश्य यह था कि इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां अपना न्यूनतम प्रतिनिधित्व तो कर ही सकें, क्योंकि वे विकसित वर्ग के लोगों के साथ चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं हैं। यद्यपि संविधान (51वां संशोधन) अधिनियम औपचारिक रूप से प्रभावी था, फिर भी यह पूरी तरह से तब तक लागू नहीं हो सकता था, जब तक यह निर्धारित न हो जाए कि इन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए किन-किन स्थानों का आरक्षण करना है। किसी भी राज्य में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 332(3) के प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही निर्धारित किया जाता है, किंतु उत्तर-पूर्वी राज्यों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, इन राज्यों की अनुसूचित जनजातियों के विकास व अन्य संबंधित बातों पर विचार करके यह जरूरी समझा गया कि इन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं, ताकि ये लोग भी, जैसा कि संविधान में संकल्पना की गई है, सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। संविधान के अनुच्छेद 332 को अस्थाई प्रावधान बनाने के लिए फिर से संशोधित किया गया, जिससे अनुच्छेद 170 के अंतर्गत वर्ष 2000 के बाद पहली जनगणना के आधार पर अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का पुनः निर्धारण किया जा सके। इस संशोधन में यह इच्छा व्यक्त की गई कि यदि ऐसे राज्यों की विधानसभाओं (जो संशोधित अधिनियम के लागू होने की तिथि पर अस्तित्व में थीं) में सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा अधिग्रहीत किए गए हों, तो एक को छोड़कर सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएं तथा अन्य किसी मामले में जहां पर स्थानों की संख्या कुल संख्या के बराबर हो, एक ऐसा अनुपात हो जिसमें मौजूदा विधानसभा के सदस्यों की संख्या मौजूदा विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के बराबर हो। यह अधिनियम इन उद्देश्यों को प्राप्त करता है।

58. संविधान (58वां संशोधन) अधिनियम, 1987—हिंदी में संविधान के प्राधिकृत पाठ की मांग सामान्यतः रही है। विधि प्रक्रिया में संविधान का आसानी से प्रयोग किया जा सके, इसके लिए आवश्यक है कि इसका हिंदी पाठ भी प्राधिकृत हो। संविधान का कोई भी हिंदी संस्करण न केवल संवैधानिक सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी अनुवाद के अनुरूप हो, बल्कि हिंदी में केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों की भाषा, शैली व शब्दावली के भी अनुरूप हो। संविधान को संशोधित करके राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदत्त की गई है कि वह अपने प्राधिकार के तहत संविधान के हिंदी अनुवाद को, जिस पर संवैधानिक सभा के सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए हुए हैं तथा जिनमें उन सभी परिवर्तनों को शामिल कर लिया गया है जिससे यह हिंदी भाषा के केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों की भाषा, शैली व शब्दावली के अनुरूप हो, प्रकाशित करा सकें। राष्ट्रपति को यह शक्ति भी प्रदत्त की गई है कि वह संविधान में किए गए प्रत्येक अंग्रेजी संशोधन का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करवाएं।

59. संविधान (59वां संशोधन) अधिनियम, 1988—इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356(5) का संशोधन किया गया, जिससे कि अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति की उद्घोषणा

का एक वर्ष की अवधि से आगे विस्तार किया जा सके और यदि आवश्यक हो तो पंजाब राज्य में अशांति की स्थिति बनी रहने के कारण अनुच्छेद 356 के खंड (4) के अधीन यथा अनुज्ञेय तीन वर्ष की अवधि तक प्रभावी बनाया जा सके। इस अधिनियम द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 352 का, पंजाब राज्य में इसे लागू किए जाने की बाबत संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 का भी संशोधन किया गया है। पंजाब राज्य के संबंध में अनुच्छेद 352, 358 और 359 के संशोधन की तारीख 30 मार्च 1988 से जो इस संशोधन के प्रारंभ की तारीख है, दो वर्ष की अवधि के लिए ही प्रवर्तनीय रहेंगे।

60. संविधान (60वां संशोधन) अधिनियम, 1988—अधिनियम, संविधान के अनुच्छेद 276 के खंड (2) का इस दृष्टि से संशोधन करता है, जिससे कि वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर की अधिकतम सीमा को 250 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रतिवर्ष किया जा सके। इस कर में वृद्धि करने से राज्यों को अतिरिक्त स्रोत जुटाने में सहायता मिलेगी। धारा (2) के उपबंध का लोप किया गया है।

61. संविधान (61वां संशोधन) अधिनियम, 1989—इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, ताकि देश के उस युवा-वर्ग को जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिल सके और वे राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बन सकें।

62. संविधान (62वां संशोधन) अधिनियम, 1989—संविधान के अनुच्छेद 334 में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सीटों के आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था संविधान में लागू होने के 40 वर्ष बाद समाप्त हो जाएगी। हालांकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों ने गत 40 वर्षों में पर्याप्त प्रगति की है, किंतु संविधान सभा के सामने इस तरह की व्यवस्था बनाते समय जो कारण थे, वे अभी बरकरार हैं। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 334 को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण और आंग्ल-भारतीय समुदाय का मनोनयन द्वारा प्रतिनिधित्व अगले 10 वर्षों तक जारी रहेगा।

63. संविधान (63वां संशोधन) अधिनियम, 1989—संविधान (59वां संशोधन) अधिनियम मार्च 1988 में लागू किया गया, जिससे पंजाब में आपात स्थिति की घोषणा और राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि के संबंध में कुछ परिवर्तन किए गए थे। इस पर पुनर्विचार करने पर सरकार ने निर्णय किया कि संशोधन में पंजाब में आपात स्थिति की घोषणा के संबंध में जिस विशेष अधिकारी की व्यवस्था की गई थी, उसकी अब जरूरत नहीं रही। तदनुसार, अनुच्छेद 356 की धारा 5 तथा अनुच्छेद 359क को हटा दिया गया है।

64. संविधान (64वां संशोधन) अधिनियम, 1990—इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 की धारा 4 व 5 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 356 की धारा 1 के तहत पंजाब के संबंध में 11 मई 1987 को संशोधित की गई घोषणा की अवधि को साढ़े-तीन वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया।

65. संविधान (65वां संशोधन) अधिनियम, 1990—संविधान के अनुच्छेद 338 में एक विशेष अधिकारी का प्रावधान है, जो संविधान के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों से संबंधित मामलों की जांच करेगा और इस संबंध में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजेगा। यह अनुच्छेद संशोधित कर दिया गया है। जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग

के गठन की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा पांच अन्य सदस्य होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति अपनी मुहर से नियुक्त करेंगे। संशोधित अनुच्छेद में आयोग के कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है और उसके उन कदमों के बारे में भी बताया गया है, जो उसे केंद्र अथवा राज्य सरकार को कमीशन की रिपोर्ट के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उठाने होंगे। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि आयोग के पास शिकायत पर की जाने वाली जांच के दौरान वे सभी अधिकार होंगे, जो कि एक न्यायिक अदालत को होते हैं और आयोग की रिपोर्ट संसद और राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखी जाएगी।

66. संविधान (66वां संशोधन) अधिनियम, 1990—इस अधिनियम के तहत भूमि सुधार तथा कृषि भूमि की सीमा से संबंधित राज्य सरकारों के उन 55 नियमों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल तथा सुरक्षित कर दिया गया है, जिन्हें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, चेन्नई, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर-प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केंद्रशासित प्रदेश पांडिचेरी के प्रशासन ने इस आशय से बनाया था कि इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

67. संविधान (67वां संशोधन) अधिनियम, 1990—संविधान के 64वें संशोधन में पंजाब के संबंध में 11 मई, 1987 को की गई घोषणा को तीन वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष किया गया था। 67वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 356 की धारा 4 को पुनः संशोधित करके इस अवधि को बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है।

68. संविधान (68वां संशोधन) अधिनियम, 1991—संविधान के 67वें संशोधन के तहत पंजाब के संबंध में 11 मई, 1987 को की गई घोषणा को बढ़ाकर चार वर्ष किया गया था। 68वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 356 की धारा 4 को संशोधित करके इस अवधि को बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है।

69. संविधान (69वां संशोधन) अधिनियम, 1991—भारत सरकार ने 24 दिसम्बर 1987 को दिल्ली के प्रशासन से संबंधित विभिन्न मामलों का अध्ययन करने तथा प्रशासनिक ढांचे को चुस्त बनाने के उपाय सुझाने के लिए एक कमेटी गठित की थी। पूरी जांच-पड़ताल और अध्ययन के बाद इस समिति ने यह सिफारिश की थी कि दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश बना रहे और इसमें एक विधानसभा तथा एक मंत्रिपरिषद भी हो, जो आम आदमी से संबंधित मामलों के बारे में पूरी तरह से अधिकारसंपन्न हो। कमेटी ने यह सिफारिश भी की थी कि स्थायित्व और सुदृढ़ता को दृष्टि में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे राष्ट्रीय राजधानी को अन्य केंद्रशासित प्रदेशों की तुलना में एक विशेष दर्जा प्राप्त हो। यह अधिनियम उपरोक्त सिफारिशों को लागू करने के लिए पारित किया गया।

70. संविधान (70वां संशोधन) अधिनियम, 1992—संविधान (69वां संशोधन) विधेयक, 1991 और राष्ट्रीय राजधानी सीमा क्षेत्र सरकार, विधेयक 1991 पर संसद के दोनों सदनों में विचार प्रकट करते समय केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी संविधान के अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचनमंडल में शामिल करने के पक्ष में विचार प्रकट किए गए। इस समय राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 54 में निर्वाचनमंडल के लिए केवल निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों (इसमें केंद्रशासित प्रदेश शामिल नहीं हैं) को शामिल करने का प्रावधान है। इसी प्रकार अनुच्छेद 55 में इस प्रकार के चुनाव के तरीके के लिए राज्यों की विधानसभाओं की भी बात की गई है।

अनुच्छेद 55 में शामिल की गई एक व्याख्या के अनुसार अनुच्छेद 54 और 55 में 'राज्य' के संदर्भ में इस बात का प्रावधान किया गया कि इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचनमंडल में राष्ट्रीय राजधानी सीमा क्षेत्र दिल्ली और केंद्रशासित प्रदेश पांडिचेरी को भी शामिल किया जाएगा। इससे अनुच्छेद

239ए के प्रावधानों के तहत केंद्रशासित प्रदेश पांडिचेरी के लिए बनाई गई विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों और अनुच्छेद 239ए के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी सीमा क्षेत्र दिल्ली की प्रस्तावित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचन-मंडल में शामिल किया जा सकेगा।

71. संविधान (71वां संशोधन) अधिनियम, 1992—संविधान की आठवीं अनुसूची में कुछ भाषाएं और जोड़ने की मांग चल रही थी। इस अधिनियम से संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन करके इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया है।

72. संविधान (72वां संशोधन) अधिनियम, 1992—त्रिपुरा राज्य में जहां गड़बड़ी का माहौल बना हुआ है, शांति और सद्भाव कायम करने के लिए गत 12 अगस्त, 1988 को भारत सरकार और त्रिपुरा राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते को लागू करने के लिए संविधान (72वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 332 में संशोधन किया गया है, ताकि त्रिपुरा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए तब तक के लिए अस्थाई व्यवस्था की जा सके, जब तक कि संविधान के 170वें अनुच्छेद के अंतर्गत वर्ष 2000 के बाद प्रथम जनगणना के आधार पर सीटों का तालमेल न हो जाए।

73. संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1993—संविधान के अनुच्छेद 40 में सुरक्षित किए गए राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक में यह कहा गया है कि राज्यों को ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें वे सभी अधिकार प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जो उन्हें एक स्वायत्तशासी सरकार की इकाइयों के रूप में काम करने के लिए आवश्यक हैं।

ऊपर दिए गए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए संविधान में पंचायत से संबंधित एक नया पैरा-9 जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य अन्य चीजों के अलावा, एक गांव में अथवा गांवों के समूह में ग्रामसभा स्थापित करना, गांव के स्तर पर तथा अन्य स्तरों पर पंचायतों का गठन करना, गांव और उसके बीच के स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए सीधे चुनाव करना, ऐसे स्तरों पर पंचायतों के यदि सरपंच हैं तो उनका चुनाव कराना, पंचायतों में सदस्यता के लिए और सभी स्तरों पर पंचायत के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए कम-से-कम एक-तिहाई सीटों का आरक्षण, पंचायतों के लिए पांच साल की कार्यवाधि तय करना और यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो छह महीने के भीतर उसका चुनाव कराने की व्यवस्था करना है।

74. संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1993—अनेक राज्यों के विभिन्न कारणों से स्थानीय निकाय कमजोर और बेअसर हो गए हैं। इनमें नियमित चुनाव न होना, लंबे समय तक भंग रहना और कर्तव्यों तथा अधिकारों का समुचित हस्तांतरण न होना शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप, शहरी स्थानीय निकाय एक स्वायत्तशासी सरकार की जीवंत लोकतांत्रिक इकाई के रूप में कारगर ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं।

इन खामियों को देखते हुए संविधान में पालिकाओं के संबंध में एक नया भाग 9ए शामिल किया गया है, ताकि अन्य चीजों के अलावा निम्नलिखित प्रावधान किए जा सकें : तीन तरह की पालिकाओं का गठन, जैसे कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए नगर पंचायतें, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषदें और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम।

75. संविधान (75वां संशोधन) अधिनियम, 1994—इन दिनों विभिन्न राज्यों में जो किराया नियंत्रण कानून लागू हैं, उनमें कई खामियां हैं, जिनके कारण अनेक अवांछनीय परिणाम हो रहे हैं। किराया

नियंत्रण कानूनों के कुछ वैधानिक दुष्परिणाम हैं—लगातार बढ़ती हुई मुकदमेबाजी, न्यायालयों द्वारा समय पर न्याय न दे पाना, किराया नियंत्रण कानूनों से बचने के तरीके निकालना और किराए के लिए मिल सकने वाले मकानों की निरंतर कमी।

उच्चतम न्यायालय ने देश में किराया नियंत्रण कानूनों की अनिश्चित और तर्करहित स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रभाकरण नय्यर और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (सिविल रिट पेटीशन संख्या 506 आफ 1986) तथा अन्य रिट याचिकाओं के संदर्भ में यह विचार प्रकट किया था कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को किराया कानूनों के जबर्दस्त भार से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। इन मुकदमों में अपील करने के अवसर कम कर दिए जाने चाहिए। किराया नियंत्रण कानून, सरल, विवेकपूर्ण और स्पष्ट होने चाहिए। मुकदमेबाजी जल्दी ही अवश्य समाप्त हो जानी चाहिए।

इसीलिए इस कानून द्वारा संविधान के भाग 14 (क) के अनुच्छेद 323 (ख) में संशोधन किया गया है, ताकि किराएदारों और मकानमालिकों को समय पर राहत मिल सके। इस संशोधन में राज्य स्तर पर किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण स्थापित करने और अन्य सभी अदालतों में मकान मालिक-किराएदार से संबद्ध मुकदमे दायर करने पर रोक लगाने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के कारण ऐसे मुकदमों के फैसलों की अपील संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन केवल उच्चतम न्यायालय में की जा सकेगी।

76. संविधान (76वां संशोधन) अधिनियम, 1994—पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित करने की नीति का लंबा इतिहास 1921 में तमिलनाडु से शुरू हुआ था। राज्य सरकार अधिकांश लोगों की आवश्यकता के अनुरूप सुरक्षित स्थानों की संख्या समय-समय पर बढ़ाती रही। अब सुरक्षित स्थानों की संख्या बढ़कर 69 प्रतिशत हो गई है—18 प्रतिशत अनुसूचित जातियां, एक प्रतिशत अनुसूचित जनजातियां और 50 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग। उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य (ए आई आर 1993 एस सी 477) में 16 नवम्बर 1992 को फैसला दिया कि अनुच्छेद 16(4) के अधीन कुल सुरक्षित स्थानों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों (शिक्षा संस्थाओं में स्थान और राज्य के अधीन नौकरियों में नियुक्तियां या पद सुरक्षित करना) विधेयक 1993 पारित कर, इसे संविधान के अनुच्छेद 31सी की व्यवस्थाओं के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ भारत सरकार के पास भेजा। भारत सरकार ने राज्य सरकार के इस कानून की व्यवस्थाओं का अनुमोदन किया और राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के इस विधेयक को स्वीकृति दे दी। इस निश्चय के परिणामस्वरूप यह जरूरी था कि 1994 के तमिलनाडु कानून, 45 को संविधान की नौवीं अनुसूची की परिधि में लाया जाए, ताकि संविधान के अनुच्छेद 31बी के अधीन न्यायालयों द्वारा विचार न कर सकने के बारे में इस कानून को संरक्षण मिल सके।

77. संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995—अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को 1955 से ही पदोन्नतियों में आरक्षण की सुविधा मिल रही है। लेकिन इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य के मुकदमे में 16 नवम्बर 1992 को उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत नियुक्तियों अथवा पदों का आरक्षण केवल शुरू में की जाने वाली नियुक्ति पर लागू होता है तथा इसे पदोन्नतियों के मामले में आरक्षण पर लागू नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। चूंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों

का राज्यों की नौकरियों में प्रतिनिधित्व अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जिस स्तर पर होना चाहिए था, अतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने की वर्तमान छूट को जारी रखना आवश्यक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के प्रति सरकार की वचनबद्धता को देखते हुए सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की वर्तमान नीति को जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए यह आवश्यक था कि संविधान के अनुच्छेद 16 में एक नई धारा (4ए) जोड़कर उसमें संशोधन किया जाए, ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नतियों में आरक्षण प्रदान किया जा सके। यह कानून उपरोक्त उद्देश्य पूरा करने के लिए है।

78. संविधान (78वां संशोधन) अधिनियम, 1995—संविधान का अनुच्छेद 31बी नौवीं अनुसूची में शामिल उन कानूनों को इस आधार पर कानूनी चुनौती देने से संवैधानिक छूट प्रदान करता है कि इससे संविधान के खंड-3 में सुरक्षित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। इस अनुसूची में विभिन्न राज्यों की सरकारों और केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की सूची है, जो अन्य चीजों के अलावा भूमि-सहित संपत्ति के हितों और अधिकारों को प्रभावित करती हैं।

पहले जब कभी यह महसूस किया गया कि जिन प्रगतिशील कानूनों की परिकल्पना जनता के हित में गई है, उन्हें मुकदमेबाजी का खतरा है तो उसके लिए नौवीं अनुसूची का सहारा लिया गया। तदनुसार, भूमि सुधारों और कृषि योग्य भूमि की हदबंदी से संबंधित विभिन्न राज्यों के कानूनों को पहले ही नौवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। चूंकि सरकार भूमि सुधारों को महत्व देने के प्रति वचनबद्ध है, अतः भूमि सुधार कानूनों को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का फैसला लिया गया, ताकि उन्हें अदालतों में चुनौती न दी जा सके। बिहार, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने भूमि से संबंधित अपने कानूनों को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का सुझाव दिया है।

चूंकि उन कानूनों में संशोधन को, जो पहले ही नौवीं अनुसूची में शामिल हैं, कानूनी चुनौती से स्वतः छूट नहीं मिली हुई है, अतः नौवीं अनुसूची में कुछ मूलभूत कानूनों के साथ-साथ अनेक संशोधित कानूनों को भी शामिल किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लागू होने पर ये कानून मुकदमेबाजी से प्रभावित नहीं होंगे।

79. संविधान (79वां संशोधन) अधिनियम, 1999—इस कानून द्वारा सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो इंडियन्स के लिए लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।

80. संविधान (80वां संशोधन) अधिनियम, 2000—दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संविधान (80वें संशोधन) अधिनियम-2000 में संघ और राज्यों के बीच करों से एकत्र राजस्व बांटने के बारे में वैकल्पिक योजना पर अमल करने की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अनुसार आयकर, उत्पादन शुल्कों, विशेषतः उत्पादन शुल्कों तथा रेल यात्री किरायों पर कर के बदले अनुदाओं के लिए अब तक राज्य सरकारों को केंद्रीय करों तथा शुल्कों से एकत्र कुल राजस्व का जितना हिस्सा मिलता था अब उसका 26 प्रतिशत भाग राज्यों को दिया जाएगा।

81. संविधान (81वां संशोधन) अधिनियम, 2000—इस संशोधन के द्वारा व्यवस्था की गई है कि संविधान के अनुच्छेद 16 की किसी भी व्यवस्था के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्ष में जितने खाली सरकारी पद आरक्षित हैं यदि वे पद उस वर्ष नहीं भरे जाते हैं

तो उन पर आगामी वर्ष में या वर्षों में जो नियुक्तियां की जाएंगी उन्हें पृथक वर्ग की नियुक्ति समझा जाएगा तथा उस वर्ग की नियुक्तियों को सम्बद्ध नियुक्ति वर्ष के कुल पदों के पचास प्रतिशत आरक्षित पदों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

82. संविधान (82वां संशोधन) अधिनियम, 2000—इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि संघ या किसी राज्य के मामलों से सम्बद्ध किसी सेवा के किन्ही वर्गों या वर्ग अथवा पदों पर पदोन्नति देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में किसी परीक्षा के अर्हता अंकों में अथवा मूल्यांकन के स्तरों में नरमी बरतने के लिए की गई किसी व्यवस्था को संविधान के अनुच्छेद 335 का कोई भी प्रावधान राज्य को नहीं रोक सकेगा।

83. संविधान (83वां संशोधन) अधिनियम, 2000—इस कानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 एम में संशोधन कर व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जनजातियों से पूरी तरह आबाद अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है।

84. संविधान (84वां संशोधन) अधिनियम, 2001—इस कानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 (3) की शर्तों में संशोधन किया गया है ताकि वर्ष 1991 की जनगणना के दौरान सुनिश्चित की गयी आबादी के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित लोकसभा सीटों और राज्यों की विधानसभा सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन किये बगैर राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों को परिवर्तित तथा पुनर्गठित किया जा सके। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं। ऐसा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आबादी/मतदाताओं की संख्या में अनियमित वृद्धि के कारण पैदा हुए असंतुलन के दूर करने के लिए किया गया है। इससे वर्ष 1991 की जनगणना के दौरान सुनिश्चित की गयी आबादी के आधार पर राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा के लिए आरक्षित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या भी फिर से निर्धारित की जा सकेगी।

85. संविधान (85वां संशोधन) अधिनियम, 2001—इस कानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) में संशोधन किया गया है ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को आरक्षण नियमों के तहत पदोन्नति के मामले में आनुषंगिक वरीयता प्रदान की जा सके। इसे 17 जून 1995 से प्रभावी माना गया है।

86. संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम, 2002—इसका संबंध अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए नए अनुच्छेद 21 ए से है। नया अनुच्छेद 21 ए, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है—“राज्य को छह से 14 साल तक के सभी बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी।”

संविधान के अनुच्छेद 45 में निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा गया है जिसमें छह साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 45 “राज्य को तब तक सभी बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा जब तक वह छह साल की आयु का नहीं हो जाता है।”

संविधान के अनुच्छेद 51ए में संशोधन करके (जे) के बाद नया अनुच्छेद (के) जोड़ा गया है, “इसमें छह साल से 14 साल तक की आयु के बच्चे के माता-पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।”

87. संविधान (87 वां संशोधन) अधिनियम, 2003—संविधान के अनुच्छेद 81 के खंड (3) के उपबंध में धारा (ii) में, '1991' की जगह '2001' लिखा जाए।

संविधान के अनुच्छेद 82 के तीसरे उपबंध की धारा (ii) में '1991' की जगह '2001' लिखा जाए।

संविधान के अनुच्छेद 170 व्याख्या में धारा 2 (i) के उपबंध में '1991' की जगह '2001' लिखा जाए; व्याख्या में धारा (3) (ii) में तीसरे उपखंड में '1991' की जगह '2001' लिखा जाए। अनुच्छेद 330 में व्याख्या में उपखंड में '1991' की जगह '2001' लिखा जाए।

88. संविधान (88वां संशोधन) अधिनियम, 2003—यह संशोधन केंद्र सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित होने की तारीख से प्रभावी माना जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 268 के बाद निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाए :

“268ए (1) सेवाओं पर कर भारत सरकार द्वारा लगाया जाएगा और इन करों का संग्रहण और उपयोग भारत सरकार और राज्यों द्वारा धारा (2) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।”

(2) किसी भी वित्तीय वर्ष में धारा (1) में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक लगाए गए ऐसे किसी भी कर को—(क) भारत सरकार और राज्य एकत्रित करेंगे; (ख) भारत सरकार और राज्यों द्वारा इसका उचित इस्तेमाल किया जाएगा और यह संग्रहण और उपयोग उन सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा जैसा कि संसद ने कानून के द्वारा निर्धारित किया हो।

संविधान के अनुच्छेद 270 की धारा (1) में 'अधिनियम 268 और 269' के स्थान पर 'अधिनियम 268, 268ए और 269' लिखा जाए।

संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची I-केंद्रीय सूची में 92 बी के बाद '92 सी-सेवाओं पर कर' को सूचीबद्ध किया जाए।

89. संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003—यह संशोधन उस दिन से प्रभावी होगा जिस दिन से केंद्र सरकार इसे अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में शामिल करेगी।

संविधान के अनुच्छेद 338 (ए) में उपांतिक (मार्जिनल) शीर्षक की जगह निम्नलिखित उपांतिक शीर्षक लिखा जाए : “अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग”

(बी) धारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित धारायें शामिल की जाएं :

“(1) अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होना चाहिए जिसे अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाए।

(2) संसद द्वारा इस बारे में बनाए गए कानून के प्रावधानों के मुताबिक आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्य होंगे और नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें तथा कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा तय नियमों से निर्धारित होंगे।”

(सी) धारा (5), (9) तथा (10) में जहां भी 'अनुसूचित जनजाति' शब्द प्रयुक्त हुआ हो, उसे हटा दिया जाए। अनुच्छेद 338 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाए :

338ए (1) अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होना चाहिए जिसे अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाएगा।

(2) संसद द्वारा इस संदर्भ में पारित किसी कानून के प्रावधानों के मुताबिक, आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्य होंगे और नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा तय नियमों से निर्धारित होंगे।

(3) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ से जारी सीलबंद वारंट द्वारा की जाएगी।

(4) आयोग को अपनी कार्यप्रक्रिया स्वयं निर्धारित करने का अधिकार होगा।

(5) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि—(ए) संविधान या वर्तमान में लागू अन्य किसी कानून के अंतर्गत या सरकार द्वारा जारी किसी आदेश के तहत अनुसूचित जातियों को दी गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की छानबीन एवं निगरानी तथा इन तय सुरक्षा मानदंडों का मूल्यांकन; (बी) अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों तथा सुरक्षा से वंचित करने के संदर्भ में किसी विशेष शिकायत की जांच; (सी) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में शामिल होना एवं सलाह देना और केंद्र तथा किसी राज्य के अंतर्गत उनके विकास का मूल्यांकन; (डी) निर्धारित सुरक्षा मानकों के कारगर होने या न होने के बारे में आयोग अपनी रिपोर्ट वार्षिक तथा अन्य किसी ऐसे समय, जब उसे उचित लगे, राष्ट्रपति को सौंपेगा; (ई) ऐसी रिपोर्ट अथवा सिफारिशें करेगा, उपाय सुझाएगा जो केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा इन सुरक्षा उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उठाए/कार्यान्वित किए जाएंगे ताकि अनुसूचित जन जातियों के हितों की रक्षा, उनका कल्याण और आर्थिक सामाजिक विकास हो सके। (एफ) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण एवं विकास तथा उनकी प्रगति संबंधी ऐसे अन्य कार्य करेगा जोकि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के मुताबिक राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे।

(6) राष्ट्रपति यह सुनिश्चित करे कि ऐसी सभी रिपोर्टें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएं। साथ ही, केंद्र से संबंधित सिफारिशों के संदर्भ में उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के बारे में ज्ञापन भी हो जिसमें किसी सिफारिश को अगर स्वीकार नहीं किया गया हो तो उसका कारण भी निर्दिष्ट हो।

(7) जहां ऐसी कोई रिपोर्ट, या उसका कोई हिस्सा, किसी ऐसे मामले से संबंधित हो जोकि किसी राज्य सरकार से संबद्ध हो, ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य के राज्यपाल को भेजी जानी चाहिए जोकि यह सुनिश्चित करे कि वह रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाए। साथ ही, राज्य से संबद्ध सिफारिशों के संदर्भ में उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के बारे में जानकारी देने के लिए एक ज्ञापन भी हो जिसमें किसी सिफारिश को अगर स्वीकार नहीं किया गया है, तो उसकी अस्वीकृति के कारणों के बारे में भी बताया जाए।

(8) आयोग धारा 5 की उपधारा (ए) में दिए गए किसी मामले की छानबीन कर रहा हो या उपधारा बी के तहत किसी शिकायत की जांच कर रहा हो, ऐसे में उसे वह सभी शक्तियां प्राप्त हैं जो किसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान सिविल कोर्ट को प्राप्त होती हैं, विशेषतौर से निम्नलिखित मामलों के संदर्भ में, जो इस प्रकार हैं :

(ए) भारत के किसी भी हिस्से से किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए उसे सम्मन जारी करना तथा उसकी उपस्थिति दर्ज करना और शपथ से उसकी जांच करना; (बी) किसी दस्तावेज की खोज तथा प्रस्तुति की आवश्यकता पड़ने पर; (सी) शपथपत्र पर प्रमाण प्राप्त करने पर; (डी) किसी अदालत या कार्यालय से कोई सार्वजनिक रिकार्ड या प्रति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना; (ई) गवाहों तथा दस्तावेजों

की जांच-परख के लिए कमीशन जारी करना, (एफ) अन्य कोई मामला जो किसी नियम के मुताबिक राष्ट्रपति सामने रखे।

(9) केंद्र तथा सभी राज्य सरकारें अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी बड़े नीतिगत मामलों पर आयोग से विचार-विमर्श करेंगी।

90. संविधान (90वां संशोधन) अधिनियम, 2003—संविधान के अनुच्छेद 332 की धारा (6) में निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाए, जो कि इस प्रकार है :

“असम राज्य के लिए विधानसभा चुनावों हेतु बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्रीय जिला सहित निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों तथा गैर-अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व, जैसाकि अधिसूचित हो, तथा जो वर्तमान में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिला गठित होने से पहले हैं, को बरकरार रखा जाए।”

91. संविधान (91वां संशोधन) अधिनियम, 2003—संविधान के अनुच्छेद 75 में धारा (1) के बाद निम्नलिखित धाराएं जोड़ी जाएं—

“(1ए) मंत्रीपरिषद् में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(1बी) संसद के किसी भी सदन का सदस्य जोकि किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध हो तथा उसे दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अंतर्गत उस सदन का सदस्य बनने के अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, वह धारा (1) के तहत मंत्री के पद पर नियुक्ति के लिए भी अयोग्य माना जाएगा और यह अवधि उसे अयोग्य घोषित किए जाने की तारीख से शुरू होगी और उस तारीख तक लागू रहेगी जिस अवधि तक उसका सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त नहीं होता या उस अवधि के समाप्त होने से पहले उस तारीख तक, जब वह कहीं से संसद के किसी भी सदन के लिए हुए चुनाव में खड़ा हुआ हो, और उसे निर्वाचित घोषित किया गया हो, जो भी पहले हो”।

संविधान के अनुच्छेद 164 में धारा (1) के बाद निम्नलिखित धाराएं जोड़ी जाएं :

“(1ए) राज्य में मंत्रीपरिषद् में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए :

बशर्ते राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं हो :

बशर्ते जहां किसी राज्य में मंत्रीपरिषद् में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित संविधान (91वां संशोधन) अधिनियम, 2003 लागू होने की तारीख को उपरोक्त 15 प्रतिशत या पहले उपखंड में निर्दिष्ट संख्या से ज्यादा हो, जैसा भी मामला हो, तब उस राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या को इस धारा के प्रावधानों के मुताबिक निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा इस बारे में सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने की तारीख के छह महीने के भीतर इस धारा के प्रावधानों का पालन किया जाए।

(1बी) राज्य विधानसभा या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन, जहां विधानपरिषद् हो, का सदस्य जो किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध हो तथा जिसे दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के तहत उस सदन का सदस्य बनने के अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, धारा (1) के तहत उसे मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए भी अयोग्य माना जाएगा तथा वह अवधि उसे अयोग्य घोषित किए जाने की तारीख से उस तारीख तक जारी रहेगी जब तक उसकी उस सदस्य के रूप में नियुक्ति की अवधि समाप्त नहीं हो जाती या उस

अवधि के समाप्त होने से पहले, उस तारीख से, जब वह राज्य विधानसभा या विधानमंडल के किसी भी सदन के लिए चुनाव लड़े, जहां विधानपरिषद् हो, जैसा भी मामला हो, उसे निर्वाचित घोषित किया जाए, जो भी पहले हो।”

संविधान के अनुच्छेद 361ए के बाद निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाए, जो इस प्रकार है :

‘361बी—किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध सदन का सदस्य जिसे दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अंतर्गत सदन की सदस्यता के अयोग्य घोषित किया गया हो, वह उस अवधि में किसी लाभकारी राजनीतिक पद के लिए भी अयोग्य माना जाएगा। उसे अयोग्य घोषित किए जाने की तारीख से तब तक के लिए, जब तक उसकी सदस्य के रूप में नियुक्ति की अवधि समाप्त नहीं हो जाती या उस तारीख तक, जब वह सदन के लिए कोई चुनाव लड़े और निर्वाचित घोषित किया जाए, जो भी पहले हो।’

व्याख्या इस अनुच्छेद के उद्देश्य से—

(ए) ‘सदन’ का अर्थ वही समझा जाएगा जो दसवीं अनुसूची के पैरा 1 की धारा (ए) में दिया गया है। (बी) शब्द ‘लाभकारी राजनीतिक पद’ से तात्पर्य किसी कार्यालय में (i) भारत सरकार या राज्य सरकार के तहत, जहां ऐसे कार्यालय में वेतन या पारिश्रमिक भारत सरकार या राज्य सरकार के सार्वजनिक राजस्व से दिया जाता हो, जैसा भी मामला हो, या (ii) ऐसा संकाय, जो निगमित हो या नहीं, पूरी तरह या आंशिक रूप से भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन हो तथा ऐसे कार्यालय का वेतन या पारिश्रमिक ऐसे संकाय द्वारा दिया जाता है, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां ऐसा वेतन या पारिश्रमिक प्रतिपूरक के रूप में दिया जाता हो।

संविधान की दसवीं अनुसूची में (ए) पैरा 1 में धारा बी में शब्दों तथा संख्या को “पैरा 3 या, जैसा भी मामला हो, हटा दिया जाए;” (बी) पैरा 2 के उप-पैरा (1) में शब्दों तथा संख्या “पैरा 3, 4 तथा 5”, के स्थान पर “पैरा 4 तथा 5” लिखा जाए; (सी) पैरा 3 को हटा दिया जाए।

92. संविधान (92वां संशोधन) अधिनियम, 2003—संविधान की आठवीं अनुसूची में—

(ए) वर्तमान प्रविष्टि 3 को प्रविष्टि 5 किया जाए तथा प्रविष्टि 5 से पहले निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाए :

“3. बोडो;

4. डोगरी”।

(बी) वर्तमान 4 से 7 तक की प्रविष्टियों को क्रमशः प्रविष्टि 6 से 9 लिखा जाए;

(सी) वर्तमान प्रविष्टि 8 के स्थान पर प्रविष्टि 11 लिखा जाए तथा प्रविष्टि 11 से पहले निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जाए :

“10 मैथिली”

(डी) वर्तमान 9 से 14 तक की प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः 12 से 17 लिखा जाए;

(ई) वर्तमान प्रविष्टि 15 की जगह प्रविष्टि 19 लिखा जाए और प्रविष्टि 19 से पहले निम्नलिखित

1332

भारत-2010

प्रविष्टि जोड़ी जाए :

“ 18 संथाली ”

(एफ) वर्तमान प्रविष्टि 16 से 18 के स्थान पर क्रमशः प्रविष्टि 20 से 22 लिखा जाए।

93. संविधान (93वां संशोधन) अधिनियम, 2006—बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों और सामाजिक तथा शिक्षा के स्तर पर पिछड़े हुए अन्य वर्गों के नागरिकों के लिए व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण समस्या है। शिक्षा संस्थानों में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था, संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा (4) के प्रावधानों के तहत की गई है। इस समय सहायता प्राप्त अथवा प्रशासन द्वारा संचालित संस्थानों में विशेष तौर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए जो सीटें उपलब्ध हैं वे गैर सहायता प्राप्त निजी संस्थानों की तुलना में सीमित हैं।

संविधान के अनुच्छेद 30 की धारा (1) के प्रावधानों के तहत सभी अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों को संस्थानों की स्थापना और उसके संचालन के बारे में जो अधिकार मिले हुए हैं, उनकी रक्षा करना आवश्यक है। इसके फलस्वरूप जिन संस्थानों को सरकार ने अनुच्छेद 30 की धारा (1) के तहत अल्पसंख्यक घोषित कर रखा है, उन्हें इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।

सामाजिक और शिक्षा के स्तर पर पिछड़े हुए वर्गों के नागरिकों, अर्थात् अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को, अनुच्छेद 30 की धारा (1) के तहत आनेवाले अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर बाकी गैर सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थानों में दाखिला देने के मामले में अनुच्छेद 15 के प्रावधानों का विस्तार किया गया है। अनुच्छेद 15 की नयी धारा (5) के तहत संसद तथा राज्यों की विधायिकाएं ऊपर दिए गए उद्देश्य के लिए समुचित कानून बना सकती हैं।

परिशिष्ट**भारत सरकार**

श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल

राष्ट्रपति

मोहम्मद हामिद अंसारी

उपराष्ट्रपति

कैबिनेट मंत्री

(14.06.2009 को)

डा. मनमोहन सिंह

प्रधानमंत्री तथा ऐसे मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए हैं जैसे :

- (i) कार्मिक, लोक शिकायतें तथा पेंशन मंत्रालय
- (ii) योजना मंत्रालय
- (iii) परमाणु ऊर्जा विभाग
- (iv) अंतरिक्ष विभाग
- (v) संस्कृति मंत्रालय

श्री प्रणब मुखर्जी

वित्त मंत्री

श्री कपिल सिब्बल

मानव संसाधन विकास मंत्री

श्री ए.के. एंटनी

रक्षा मंत्री

श्री शरद पवार

कृषि, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री

सुश्री ममता बनर्जी

रेल मंत्री

श्री पी. चिदंबरम

गृहमंत्री

श्री एस.एम. कृष्णा

विदेश मंत्री

श्री ए.आर. अंतुले

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री

श्री सुशील कुमार शिंदे

ऊर्जा मंत्री

श्री एम.के. अझागिरि

रसायन और उर्वरक इस्पात मंत्री

श्री एस. जयपाल रेड्डी

शहरी विकास मंत्री

डॉ. फारूक अब्दुल्ला

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

सुश्री अंबिका सोनी

सूचना प्रसारण मंत्री

श्री मल्लिकार्जुन खर्गे

श्रम तथा रोजगार मंत्री

श्री सुबोध कांत सहाय

खाद्य प्रसंस्करण मंत्री

कुमारी शैलजा

आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन तथा पर्यटन मंत्री

श्री कांतिलाल भूरिया

जनजातीय मामलों के मंत्री

श्री कमलनाथ
 श्री दयानिधि मारन
 श्री वायलार रवि
 श्री आनंद शर्मा
 श्री एम. वीरप्पा मोइली
 श्री विलास राव देशमुख
 प्रो. पवन कुमार बंसल
 श्री सी.पी. जोशी
 श्री बी.के. हांडिक
 श्री मुकुल वासनिक
 श्री मुरली देवड़ा
 श्री ए. राजा
 श्री गुलाम नबी आजाद
 श्री वीरभद्र सिंह
 डा. एम.एस. गिल
 श्री जी.के. वासन

सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री
 कपड़ा मंत्री
 प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री
 वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री
 विधि और न्याय मंत्री
 भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री
 जल संसाधन तथा संसदीय कार्य मंत्री
 ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
 खान तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास मंत्री
 सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री
 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
 संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
 इस्पात मंत्री
 युवा मामले तथा खेल मंत्री
 जहाजरानी

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री प्रफुल्ल पटेल
 श्री पृथ्वीराज चव्हाण
 श्री जयप्रकाश जायसवाल
 श्री सलमान खुर्शीद
 श्री दिनशा जे. पटेल
 श्रीमती कृष्णा तीरथ
 श्री जयराम रमेश

नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री
 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी; भूविज्ञान; प्रधानमंत्री कार्यालय; कार्मिक, जनशिकायत तथा पेंशन और संसदीय कार्य राज्यमंत्री
 कोयला तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्यमंत्री
 कारपोरेट मामले तथा अल्पसंख्यक मामले राज्यमंत्री
 छोटे, लघु तथा मझोले उद्यम राज्यमंत्री
 महिला तथा बाल विकास राज्यमंत्री
 पर्यावरण तथा वन राज्यमंत्री

राज्यमंत्री

श्री शशि थरूर
 श्री ई. अहमद
 श्री श्रीकांत जैना
 डा. मुल्लापल्ली रामचंद्रन
 श्री एम.एम. पल्लमराजू

विदेश राज्यमंत्री
 रेल राज्यमंत्री
 रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री
 गृह राज्यमंत्री
 रक्षा राज्यमंत्री

सामान्य सूचना

1335

श्री के.एच. मुनियप्पा
 श्री माधव एस. खंडेला
 श्री वी. नारायणस्वामी
 श्री अजय माकन
 श्री नेपोलियन
 सुश्री पिन्नबाकालक्ष्मी
 श्री सुल्तान अहमद
 श्री नमो नारायण मीणा
 श्री के.बी. थॉमस

श्री एस.एस. पल्लानिमनिक्कम
 सुश्री परणीत कौर
 श्री सौगात रे
 श्री जतिन प्रसाद
 श्री साई प्रताप
 श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया
 श्री शिशिर अधिकारी
 श्री प्रदीप जैन
 श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी
 श्री गुरुदास कामथ
 श्री विंसेट पाल
 श्री तुषारभाई चौधरी
 श्री सचिन पायलट
 श्री अरूण यादव
 श्री हरीश रावत
 श्री भरतसिंह सोलंकी
 श्री दिनेश त्रिवेदी
 श्री एस. गांधी सिल्वन
 श्री मुकुल राय
 चौधरी मोहन जटवा
 श्री एस. जगतरक्षकन
 श्री प्रतीक प्रकाश प्रभु पाटिल
 श्री आर.पी.एन. सिंह
 सुश्री अगाथा संगमा

रेल राज्यमंत्री
 सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग राज्यमंत्री
 योजना मंत्रालय तथा संसदीय कार्य राज्यमंत्री
 गृह राज्यमंत्री
 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री
 कपड़ा राज्यमंत्री
 पर्यटन राज्यमंत्री
 वित्त राज्यमंत्री
 कृषि, उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक
 वितरण राज्यमंत्री
 वित्त राज्यमंत्री
 विदेश राज्यमंत्री
 शहरी विकास राज्यमंत्री
 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री
 इस्पात राज्यमंत्री
 वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री
 ग्रामीण विकास राज्यमंत्री
 ग्रामीण विकास राज्यमंत्री
 मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री
 सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री
 जल संसाधन राज्यमंत्री
 जनजातीय मामले राज्यमंत्री
 संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री
 संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री
 श्रम तथा रोजगार राज्यमंत्री
 ऊर्जा राज्यमंत्री
 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री
 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री
 जहाजरानी राज्यमंत्री
 सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री
 सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री
 युवा मामले तथा खेल राज्यमंत्री
 सड़क परिवहन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग राज्यमंत्री
 ग्रामीण विकास राज्यमंत्री

संसद सदस्य

राज्यसभा (14.06.2009 को)

अध्यक्ष

मो. हामिद अंसारी

उपाध्यक्षश्री के. रहमान खान

नाम	दल/समूह

राज्य

आंध्र प्रदेश-18

1.	मुहम्मद अली खान	कांग्रेस
2.	राशिद अल्वी	कांग्रेस
3.	नंदमारु हरिकृष्णा	तेलुगु देशम
4.	जयराम रमेश	कांग्रेस
5.	पेनुमल्ली मधु	मा.क.पा.
6.	नन्दी येल्लैया	कांग्रेस
7.	सैयद अजीज पाशा	भा.क.पा.
8.	के.वी.पी. रामचंद्र राव	कांग्रेस
9.	डा. दसारी नारायण राव	कांग्रेस
10.	के. केशवा राव	कांग्रेस
11.	वी. हनुमंत राव	कांग्रेस
12.	श्रीमती टी. रतनबाई	कांग्रेस
13.	जी. संजीवा रेड्डी	कांग्रेस
14.	एम.वी. मयसूरा रेड्डी	तेलुगु देशम
15.	एन. जनार्दन रेड्डी	कांग्रेस
16.	डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	कांग्रेस
17.	गिरीश कुमार सांघी	कांग्रेस
18.	जेसुदासु सीलम	कांग्रेस

अरुणाचल प्रदेश-1

19.	मुकुट मिथि	कांग्रेस

असम-7

20.	बीरेंद्र प्रसाद वैश्य	असम गण परिषद

सामान्य सूचना

1337

21.	विश्वजीत डिमरी	ओ
22.	दीपक दास	असम गण परिषद
23.	सिलवियस कोंडप्पन	कांग्रेस
24.	भुवनेश्वर कलीतर	कांग्रेस
25.	डा. मनमोहन सिंह	कांग्रेस
26.	श्रीमती सैयदा अनवरा तैमूर	कांग्रेस

बिहार-16

27.	एजाज अली	जनता दल (यू.)
28.	अली साबिर	ओ
29.	आर.के. धवन	कांग्रेस
30.	प्रेमचन्द गुप्ता	राजद
31.	जाबिर हुसैन	राजद
32.	डा. महेन्द्र प्रसाद	जनता दल (यू.)
33.	अली अनवर	जनता दल (यू.)
34.	जार्ज फर्नांडीज़	जनता दल (यू.)
35.	राजनीति प्रसाद	राजद
36.	रविशंकर प्रसाद	भाजपा
37.	राजीव प्रताप रूढ़ि	भाजपा
38.	महेन्द्र साहनी	जनता दल (यू.)
39.	एन.के. सिंह	जनता दल (यू.)
40.	डा. सी.पी. ठाकुर	भाजपा
41.	शिवानंद तिवारी	जनता दल (यू.)
42.	सुभाष प्रसाद यादव	राजद

छत्तीसगढ़-5

43.	शिवप्रताप सिंह	भाजपा
44.	नंद कुमार साई	भाजपा
45.	श्रीमती मोहसिना किदवई	कांग्रेस
46.	मोतीलाल वोरा	कांग्रेस
47.	श्री गोपाल व्यास	भाजपा

गोवा-1

48.	शांताराम लक्ष्मण नाईक	कांग्रेस

गुजरात-11

49.	सूर्यकांतभाई आचार्य	भाजपा
50.	प्रभातसिंह भरतसिंह परमार	भाजपा
51.	अरुण जेटली	भाजपा
52.	नाटूजी हालाजी ठाकुर	भाजपा

1338

भारत-2010

53.	प्रो. अलका बलराम क्षत्रिय	कांग्रेस
54.	अहमद पटेल	कांग्रेस
55.	कांजीभाई मगनभाई पटेल	भाजपा
56.	केशुभाई एस. पटेल	भाजपा
57.	सुरेंद्र मोतीलाल पटेल	भाजपा
58.	प्रवीण चंद्र सोमभाई राष्ट्रपाल	कांग्रेस
59.	विजयकुमार रमणिकलाल रूपानी	भाजपा

हरियाणा-5

60.	शादीलाल बत्रा	कांग्रेस
61.	अजय सिंह चौटाला	आई.एन.एल.डी.
62.	डॉ. रामप्रकाश	कांग्रेस
63.	ईश्वर सिंह	कांग्रेस
64.	त्रलोचन सिंह	निर्दलीय

हिमाचल प्रदेश-3

65.	आनंद शर्मा	कांग्रेस
66.	शांता कुमार	भाजपा
67.	श्रीमती विप्लव ठाकुर	कांग्रेस

जम्मू और कश्मीर-4

68.	गुलाम नबी आजाद	कांग्रेस
69.	जी.एन. रतनपुरी	ज.क.ने.का.
70.	मोहम्मद शफी	ज.क.ने.का.
71.	प्रो. सैफुद्दीन सोज़	कांग्रेस

झारखंड-6

72.	एस.एस. आहलूवालिया	भाजपा
73.	परिमल नथवानी	निर्दलीय
74.	धीरज प्रसाद साहू	कांग्रेस
75.	सुश्री मेबेल रिबेलो	कांग्रेस
76.	जयप्रकाश नारायण सिंह	भाजपा
77.	हेमंत सोरेन	झारखंड मुक्ति मोर्चा

कर्नाटक-12

78.	एम. रामा जोइस	भाजपा
79.	राजीव चंद्रशेखर	निर्दलीय
80.	ऑस्कर फर्नांडीस	कांग्रेस
81.	बी.के. हरिप्रसाद	कांग्रेस
82.	के. रहमान खान	कांग्रेस

सामान्य सूचना

1339

83.	प्रभाकर कोरी	भाजपा
84.	एम. राजशेखर मूर्ति	जनता दल (एस)
85.	एम. वैकेया नायडू	भाजपा
86.	एस.एम. कृष्णा	कांग्रेस
87.	अनिल एच. लाड	कांग्रेस
88.	डा. एम.ए.एम. रामास्वामी	जनता दल (एस)
89.	के.बी. शनप्पा	भाजपा

केरल-9

90.	अब्दुल वहाब पीवी	मु.ली.
91.	ए.के. एन्टोनी	कांग्रेस
92.	के.ई. इस्माइल	कांग्रेस
93.	एम.पी. अच्युतन	सी.पी.आई.
94.	पी.आर. राजन	सी.पी.आई.(एम)
95.	वायलर रवि	कांग्रेस
96.	पी. राजीव	सी.पी.आई.(एम)
97.	ए. विजयराघवन	माकपा
98.	प्रो. पी.जे. कुरियन	कांग्रेस

मध्य प्रदेश-11

99.	अनिल माधव	भाजपा
100.	रघुनंदन शर्मा	भाजपा
101.	प्यारेलाल खंडेलवाल	भाजपा
102.	प्रभात झा	भाजपा
103.	कप्तान सिंह सोलंकी	भाजपा
104.	अर्जुन सिंह	कांग्रेस
105.	श्रीमती माया सिंह	भाजपा
106.	नारायण सिंह केसरी	भाजपा
107.	सु. थिरुनवुक्करासर	भाजपा
108.	सुश्री अनुसूया उइके	भाजपा
109.	विक्रम वर्मा	भाजपा

महाराष्ट्र-19

110.	गोविंदराव वामनराव अदिक	एन.सी.पी.
111.	बलवंत उर्फ बाल आपटे	भाजपा
112.	राहुल बजाज	निर्दलीय
113.	पृथ्वीराज चव्हाण	कांग्रेस
114.	विलासराव देशमुख	कांग्रेस
115.	विजय जे. दर्दा	कांग्रेस

1340

भारत-2010

116.	मुरली देवड़ा	कांग्रेस
117.	राजकुमार धूत	शिवसेना
118.	प्रकाश केशव जावडेकर	भाजपा
119.	मनोहर जोशी	शिवसेना
120.	शरद अनंतराव जोशी	स्वतंत्र भारत पक्ष
121.	रंजीतसिंह विजयसिंह मोहितेपाटिल	एन.सी.पी.
122.	भरतकुमार भवानीशंकर राउत	एस.एस.
123.	शिवराज विश्वनाथ पाटिल	कांग्रेस
124.	संजय राउत	शिवसेना
125.	योगेन्द्र प्रेमकृष्ण त्रिवेदी	एन.सी.पी.
126.	राजीव शुक्ला	कांग्रेस
127.	तारिक अनवर	रा.कां.पा.
128.	जर्नादन माधवराव वाघनमारे	एन.सी.पी.

मणिपुर-1

129.	रिशांग कीशिंग	कांग्रेस

मेघालय-1

130.	थॉमस संगमा	रा.कां.पा.

मिज़ोरम-1

131.	लालमिंग लियाना	एम.एन.एफ.

नगालैंड-1

132.	खिखो झीमोमी	एन.पी.एफ.

उड़ीसा-10

133.	रामचंद्र खूंटिया	कांग्रेस
134.	मंगला किसन	बीजू ज.द.
135.	भगीरथी माझी	भाजपा
136.	प्यारमोहन महापात्रा	बीजू ज.द.
137.	डा. राधाकांत नायक	कांग्रेस
138.	किशोर कुमार मोहंती	बीजू ज.द.
139.	रुद्र नारायण पाणी	भाजपा
140.	बलबीर पुंज	भाजपा
141.	श्रीमती रेणु बाला प्रधान	बीजू ज.द.
142.	सुश्री सुशीला तिरिया	कांग्रेस

पंजाब-7

सामान्य सूचना

1341

143.	अश्विनी कुमार	कांग्रेस
144.	वरिन्द्र सिंह बाजवा	शि.अ.द.
145.	डा. एम.एस. गिल	कांग्रेस
146.	राज मोहिंदर सिंह मजीठा	शि.अ.द.
147.	धर्मपाल सब्बरवाल	कांग्रेस
148.	श्रीमती अम्बिका सोनी	कांग्रेस
149.	नरेश गुजराल	कांग्रेस

राजस्थान-10

150.	रामदास अग्रवाल	भाजपा
151.	संतोष बगरोदिया	कांग्रेस
152.	कृष्ण लाल वाल्मिकी	भाजपा
153.	ललित किशोर चतुर्वेदी	भाजपा
154.	डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला	भाजपा
155.	नरेन्द्र बुडानिया	कांग्रेस
156.	डा. ज्ञान प्रकाश पिलानिया	भाजपा
157.	ओमप्रकाश माथुर	भाजपा
158.	डा. अभिषेक मनु सिंघवी	कांग्रेस
159.	डा. प्रभा ठाकुर	कांग्रेस

सिक्किम-1

160.	ओ.टी. लेपचा	एस.डी.एफ.

तमिलनाडु-18

161.	एस. अनबलगन	अन्नाद्रमुक
162.	एन. बालगंगा	अन्नाद्रमुक
163.	टी.टी.वी. दिनाकरन	अन्नाद्रमुक
164.	बी.एस. ज्ञानदेसिकन	कांग्रेस
165.	एन.आर. गोविंदराजार	अन्नाद्रमुक
166.	अमिर अली जिन्ना	द्रमुक
167.	कन्नीमोझी	द्रमुक
168.	वी. मेत्रेयन	अन्नाद्रमुक
169.	जयंती नटराजन	कांग्रेस
170.	डा. के. मलयसामी	अन्नाद्रमुक
171.	डी. राजा	सी.पी.आई.
172.	ई.एम. सुदर्शन नटचियप्पन	कांग्रेस
173.	टी.के. रंगराजन	सी.पी.आई.(एम)
174.	डा. अंबुमणि रामादोस	पी.एम.के.
175.	शिव त्रिचि	द्रमुक

1342

भारत-2010

176.	वासंती स्टेनले	द्रमुक
177.	जी.के. वासन	कांग्रेस
178.	ए. एलावरासन	अन्नाद्रमुक

त्रिपुरा-1

179.	मतिलाल सरकार	सी.पी.आई.(एम)

उत्तर प्रदेश-31

180.	डा. अखिलेश दास	कांग्रेस
181.	कमाल अख्तर	सपा
182.	मुनकौद अली	बसपा
183.	मोहम्मद अदीब	निर्दलीय
184.	गंगाचरण	बसपा
185.	श्रीमती जया बच्चन	सपा
186.	अवतार सिंह करीमपुरी	बसपा
187.	वीरेंद्र भाटिया	बसपा
188.	ब्रजलाल खबरी	बसपा
189.	श्रीराम पाल	बसपा
190.	विनय कटियार	भाजपा
191.	अमीर आलम खां	सपा
192.	महमूद ए. मदनी	रालोद
193.	महेंद्र मोहन	सपा
194.	वीरपाल सिंह यादव	सपा
195.	जनेश्वर मिश्र	सपा
196.	कलराज मिश्र	भाजपा
197.	सतीश चंद्र मिश्रा	बसपा
198.	ब्रजेश पाठक	बसपा
199.	राम नारायण साहू	सपा
200.	अरुण शौरी	भाजपा
201.	ब्रजभूषण तिवारी	सपा
202.	अमर सिंह	सपा
203.	भगवती सिंह	सपा
204.	जयप्रकाश	बसपा
205.	कुसुम राय	भाजपा
206.	अम्बेठ राजन	सपा
207.	वीरसिंह	बसपा
208.	राजाराम	बसपा
209.	नंद किशोर यादव	सपा

सामान्य सूचना

1343

210. रामगोपाल यादव सपा

उत्तराखंड-3

211. सत्यव्रत चतुर्वेदी कांग्रेस
 212. भगतसिंह कोश्यारी भाजपा
 213. सतीश कुमार शर्मा कांग्रेस

पश्चिम बंगाल-16

214. श्यामल चक्रवर्ती सी.पी.आई.(एम)
 215. अहमद सईद मलीहाबादी निर्दलीय
 216. स्वप्न साधन बोस तृणमूल कांग्रेस
 217. प्रशांत चटर्जी माकपा
 218. मोइनुल हसन माकपा
 219. श्रीमती वृंदा करात माकपा
 220. मुहम्मद अमीन माकपा
 221. डा. बरुण मुखर्जी फा. ब्लॉक
 222. समन पाठक माकपा
 223. अबनी राय आरएसपी
 224. मुकुल राय एआईटीसी
 225. तारिणी कांता राय माकपा
 226. तपन कुमार सेन माकपा
 227. अर्जुन कुमार सेनगुप्ता निर्दलीय
 228. रामचंद्र सिंह सी.पी.आई.
 229. सीताराम येचुरी सीपीएम

केंद्रशासित प्रदेश

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-3

230. परवेज हाशमी कांग्रेस
 231. जनार्दन द्विवेदी कांग्रेस
 232. डा. कर्ण सिंह कांग्रेस

पुद्दुचेरी-1

233. - -

नामांकित-12

234. श्याम बेनेगल नामांकित
 235. श्रीमती शोभना भरतिया नामांकित
 236. प्रो. एम.एस.स्वामीनाथन नामांकित
 237. डा.(श्रीमती) कपिला वात्सायन नामांकित

लोकसभा
(14.06.2009 को)

अध्यक्ष : मीरा कुमार

राज्य/निर्वाचन क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल/समूह
आंध्र प्रदेश (42)		
1. श्रीकाकुलम	श्रीमती कुरुपरानी	कांग्रेस
2. जाहिराबाद	सुरेश कुमार	कांग्रेस
3. मलकाजगिरी	सत्यनारायण	कांग्रेस
4. विशाखापत्तनम	डग्गूबती पुरंदेश्वरी	कांग्रेस
5. चेलवेल्ला	मिदियाम बाबू राव जयपाल रेड्डी	कांग्रेस
6. अनकापल्ली	साबमहरि	कांग्रेस
7. काकीनाडा	मल्लीपुडी मंगापति	कांग्रेस
	पल्लाम राजू	
8. राजामुन्दरी	अरुणा कुमार वुन्डावल्ली	कांग्रेस
9. अमलापुरम	जी.वी. हर्ष कुमार	कांग्रेस
10. नरसापुर	बापीराजू कणुमुरू	कांग्रेस
11. एलुरु	कावुरू साम्बासिवा राव	कांग्रेस
12. मछलीपत्तनम	कोनाकल्ला नारायण राव	टीडीपी
13. विजयवाड़ा	राजगोपाल लगदापति	कांग्रेस
14. मेहबूबाबाद	पी. बलराम	कांग्रेस
15. गूंटूर	रायपति साम्बासिवा राव	कांग्रेस
16. बपातई	पनबक्कालक्ष्मी	कांग्रेस
17. नरासरावपेट	वेलुगोपाल रेड्डी	टीडीपी
18. ओंगोल	मगुंता श्रीनिवासुलु रेड्डी	कांग्रेस
19. नेल्लोर	राजमोहन रेड्डी	कांग्रेस
20. तिरुपति (अनु.जा.)	चिंतामोहन	कांग्रेस
21. चित्तूर	नारामल्ली शिवप्रसाद	टीडीपी
22. राजमपेट	अन्नायागरी साई प्रताप	कांग्रेस

सामान्य सूचना

1345

23.	कुड्डप्पा	वाई.एस. जगन्मोहन रेड्डी	कांग्रेस
24.	हिंदुपुर	क्रिस्टिया निम्माला	टी.डी.पी.
25.	अनंतपुर	अनंथा वेंकटा रामी रेड्डी	कांग्रेस
26.	कुरनूल	कोटला जयसूर्या प्रकाश रेड्डी	कांग्रेस
27.	नांदयाल	एस.पी.वाई. रेड्डी	कांग्रेस
28.	नगरकुरनूल	डा. मंडा जगन्नाथ	तेलुगु देशम
29.	महबूबनगर	के. चंद्रशेखर राव	टीआरएस
30.	हैदराबाद	असादुद्दीन ओवेसी	आ.ई.म.ई.मु.
31.	सिकंदराबाद	एम. अंजन कुमार यादव	कांग्रेस
32.	भोंगिर	राजगोपाल रेड्डी	कांग्रेस
33.	मेडक	विजयशांति	टी.आर.एस.
34.	निजामाबाद	मधु गोड यास्की	कांग्रेस
35.	आदिलाबाद	रमेश राठौड़	टी.डी.पी.
36.	पेड्डापल्ली (अनु. जा.)	जी. विवेकानंद	कांग्रेस
37.	करीमनगर	पूनम प्रभाकर	कांग्रेस
38.	हानमकोंडा	बी. विनोद कुमार	टी.आर.एस.
39.	अराकू	किशोर चंद्र देव	कांग्रेस
40.	खम्मम	नागेश्वर राव	टी.डी.पी.
41.	नालगोंडा	सुकेंद्र रेड्डी	कांग्रेस
42.	विजयनगर	झांसी लक्ष्मी	कांग्रेस

अरुणाचल प्रदेश (2)

43.	अरुणाचल पश्चिम	संजय तकम	कांग्रेस
44.	अरुणाचल पूर्व	इरिंग निंनोग	कांग्रेस

असम (14)

45.	करीमगंज (अनु.जा.)	ललित मोहन शुक्लबैद्य	कांग्रेस
46.	सिलचर	कवीन्द्र पुरकायस्थ	भाजपा
47.	स्वायत्तशासी जिला (अनु.ज.जा.)	बिरेन सिंह ऐंगती	कांग्रेस
48.	धुब्री	बदरुद्दीन अजमल	एयूडीएफ
49.	कोकराझार	सनसुमा खुंगुर बविश्वमुतियारी	बीडीएफ
50.	बरपेटा	इस्माइल हुसैन	कांग्रेस
51.	गुवाहाटी	विजय चक्रवर्ती	भाजपा
52.	मंगलदोई	रमन देका	भा.ज.पा.

1346

भारत-2010

53.	तेजपुर	जोसेफ टोप्पी	एजीपी
54.	नौगांव	राजेन गोहेन	भा.ज.पा.
55.	कालियाबोर	दीप गोगोई	कांग्रेस
56.	जोरहाट	बिजाय कृष्ण हंदीक	कांग्रेस
57.	डिब्रूगढ़	पबन सिंह घटोवर	कांग्रेस
58.	लखीमपुर	रानी नराह	कांग्रेस

बिहार (40)

59.	बाल्मिकी नगर	वैद्यनाथ प्रसाद महतो	ज.द. (यू.)
60.	पश्चिम पंचारण	संजय जायसवाल	भाजपा
61.	पूर्वी चंपारण	राधा मोहन सिंह	भाजपा
62.	गोपालगंज	पूरणमासी राम	ज.द. (यू.)
63.	सिवान	ओमप्रकाश यादव	निर्दलीय
64.	महाराजगंज	उमाशंकर सिंह	रा.ज.द.
65.	सारन	लालू प्रसाद यादव	रा.ज.द.
66.	हाजीपुर	रामसुंदर दास	ज.द. (यू.)
67.	वैशाली	रघुवंश प्रसाद सिंह	रा.ज.द.
68.	मुजफ्फरपुर	जयनारायण प्रसाद निषाध	ज.द. (यू.)
69.	सीतामढ़ी	अर्जुन राय	ज.द. (यू.)
70.	सिहोर	रमादेवी	भाजपा
71.	मधुबनी	हुकमदेव नारायण यादव	भाजपा
72.	झंझारपुर	मंगनी लाल मंडल	ज.द. (यू.)
73.	दरभंगा	कीर्ति आजाद	भाजपा
74.	सुपौल	विश्वास मोहन कुमार	ज.द. (यू.)
75.	समस्तीपुर	महेश्वर हाजग	ज.द. (यू.)
76.	उजियारपुर	अश्वमेध देवी	ज.द. (यू.)
77.	काराकाट	महाबली सिंह	ज.द. (यू.)
78.	जामुल	भूदेव चौधरी	ज.द. (यू.)
79.	मधेपुरा	शरद यादव	ज.द. (यू.)
80.	अररिया	प्रदीप कुमार सिंह	भा.ज.पा.
81.	किशनगंज	मो. असरारुल हक	कांग्रेस
82.	पूर्णिया	उदयसिंह	भा.ज.पा.
83.	कटिहार	निखिल कुमार चौधरी	भा.ज.पा.
84.	बांका	दिग्विजय सिंह	निर्दलीय

सामान्य सूचना

1347

85.	भागलपुर	सैयद शाहनबाज हुसैन	भा.ज.पा.
86.	खगड़िया	दिनेशचंद्र यादव	ज.द. (यू.)
87.	मुंगेर	राजीव रंजन सिंह	ज.द. (यू.)
88.	बेगूसराय	डॉ. मुनाजिर हसन	ज.द. (यू.)
89.	नालंदा	कौशलेन्द्र कुमार	ज.द. (यू.)
90.	पटना साहेब	शत्रुघ्न सिन्हा	भाजपा
91.	आरा	मीना सिंह	ज.द. (यू.)
92.	बक्सर	जगदानंद सिंह	रा.ज.द.
93.	सासाराम	मीरा कुमार	कांग्रेस
94.	पाटलिपुत्र	रंजन प्रसाद यादव	ज.द. (यू.)
95.	औरंगाबाद	सुशील कुमार सिंह	ज.द. (यू.)
96.	जहानाबाद	जगदीश शर्मा	ज.द. (यू.)
97.	नवादा	भोला सिंह	भाजपा
98.	गया	हरी मांझी	भाजपा

छत्तीसगढ़ (11)

99.	सरगुजा	मुरारीलाल सिंह	भा.ज.पा.
100.	रायगढ़	विष्णुदेव साई	भा.ज.पा.
101.	जांजगीर	कमला देवी पटेल	भा.ज.पा.
102.	बिलासपुर	दिलीप सिंह जूदेव	भा.ज.पा.
103.	कोरबा	चरणदास महंत	भा.ज.पा.
104.	रायपुर	रमेश बैस	भा.ज.पा.
105.	महासमुंद	चंदूलाल साहू	कांग्रेस
106.	कांकेर	सोहन पोताई	भा.ज.पा.
107.	बस्तर	बलिराम कश्यप	भा.ज.पा.
108.	दुर्ग	सरोज पांडे	भा.ज.पा.
109.	राजनंदगांव	मधुसूदन यादव	भाजपा

गोवा (2)

110.	उत्तरी गोवा	श्रीपद येसो नाइक	भा.ज.पा.
111.	दक्षिणी गोवा	कोस्मी फ्रांसिसको केटेनो सरदिन्हा	कांग्रेस

गुजरात (26)

112.	कच्छ	पूनमबेन वेलजीभाई जाट	भा.ज.पा.
113.	सुरेन्द्र नगर	कोली पटेल सोमाभाई गंडाभाई	भा.ज.पा.

1348

भारत-2010

114.	जामनगर	अहिर विक्रमभाई अर्जनभाई मदाम	कांग्रेस
115.	राजकोट	कुंवरजीभाई मोहनभाई बवेली	कांग्रेस
116.	पोरबंदर	विट्ठलभाई हंसराजभाई	कांग्रेस
117.	जूनागढ़	दीनूभाई भोगभाई सोलंकी	भा.ज.पा.
118.	अमरेली	नारनभाई कचालिया	भा.ज.पा.
119.	भावनगर	राणा राजेंद्र सिंह घनश्यामसिंह (राजूभाई राणा)	भा.ज.पा.
120.	अहमदाबाद पूर्व	हरीन पाठक	भा.ज.पा.
121.	अहमदाबाद पश्चिम	किर्ती प्रेमजीभाई सोलंकी	भा.ज.पा.
122.	गांधीनगर	एल.के. आडवाणी	भा.ज.पा.
123.	मेहसाना	जयश्रीबेन पटेल	भा.ज.पा.
124.	पाटन	जगदीश ठाकुर	कांग्रेस
125.	बनासकांठा	मुकेश कुमार गड़वी	कांग्रेस
126.	साबरकांठा	महेन्द्रसिंह चव्हाण	भा.ज.पा.
127.	पंचमहल	प्रभातसिंह प्रतापसिंह चव्हाण	भा.ज.पा.
128.	दाहोद	डॉ. प्रभा किशोर	कांग्रेस
129.	नवासरी	सी.आर. पाटिल	भा.ज.पा.
130.	खेड़ा	दिनशा पटेल	कांग्रेस
131.	आनंद	भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी	कांग्रेस
132.	छोटा उदयपुर	रामसिंहभाई पाटलभाई रतवा	भा.ज.पा.
133.	बड़ौदा	बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	भा.ज.पा.
134.	भरुच	मनसुखभाई धांजीभाई वासवा	भा.ज.पा.
135.	सूरत	दर्शना विक्रम जरदोस	भा.ज.पा.
136.	बारदोली	तुशारभाई अमरसिंह भाई चौधरी	कांग्रेस
137.	वलसाड	किशनभाई वेस्टाभाई पटेल	कांग्रेस

हरियाणा (10)

138.	अम्बाला (अनु.जा.)	शैलजा	कांग्रेस
139.	कुरुक्षेत्र	नवीन जिंदल	कांग्रेस
140.	करनाल	अरविंद कुमार शर्मा	कांग्रेस
141.	सोनीपत	जितेंद्र सिंह मलिक	कांग्रेस
142.	रोहतक	दीपेन्द्र सिंह हुड्डा	कांग्रेस
143.	फरीदाबाद	अवतार सिंह भड़ाना	कांग्रेस

सामान्य सूचना

1349

144.	महेंद्रगढ़-भिवानी	श्रुति चौधरी	कांग्रेस
145.	गुड़गांव	इंद्रजीत सिंह	कांग्रेस
146.	हिसार	भजनलाल	एचजेसी
147.	सिरसा	अशोक तंवर	कांग्रेस

हिमाचल प्रदेश (4)

148.	शिमला	वीरेंद्र कश्यप	भा.ज.पा.
149.	मंडी	वीरभद्र सिंह	कांग्रेस
150.	कांगड़ा	डॉ. राजन सुशांत	भा.ज.पा.
151.	हमीरपुर	अनुराग सिंह ठाकुर	भा.ज.पा.

जम्मू और कश्मीर (6)

152.	बारामूला	शरीफुद्दीन शरीक	ज.क.ने.कां.
153.	श्रीनगर	फारूक अब्दुल्ला	ज.क.ने.कां.
154.	अनन्तनाग	मिर्जा महबूब बेग	ज.क.ने.कां.
155.	लद्दाख	हसन खान	निर्दलीय
156.	उधमपुर	चौ. लाल सिंह	कांग्रेस
157.	जम्मू	मदन लाल शर्मा	कांग्रेस

झारखंड (14)

158.	राजमहल	देवधन बेसरा	भा.ज.पा.
159.	दुमका	शिवू सोरेन	झा.मु.मो.
160.	गोड्डा	निशिकांत दुबे	भा.ज.पा.
161.	चतरा	इंदर सिंह नामधारी	निर्दलीय
162.	कोडरमा	बाबू लाल मरांडी	रा.ज.द
163.	गिरडीह	रवीन्द्र कुमार पांडे	भा.ज.पा.
164.	धनबाद	पशुपतिनाथ सिंह	भा.ज.पा.
165.	रांची	सुबोधकांत सहाय	कांग्रेस
166.	जमशेदपुर	अर्जुन मुंडा	भा.ज.पा.
167.	सिंहभूम	मधु कोडा	निर्दलीय
168.	खूंटी	करीया मुंडा	भा.ज.पा.
169.	लोहारदग्गा	सुदर्शन भगत	भा.ज.पा.
170.	पलामू	कामेश्वर	झामुमो
171.	हजारीबाग	यशवंत सिन्हा	भा.ज.पा.

कर्नाटक (28)

172.	बिदर	धर्मसिंह	कांग्रेस
173.	गुलबर्गा	मल्लिकार्जुन खर्गे	कांग्रेस
174.	रायचूर	एस. पाकीरप्पा	भा.ज.पा.
175.	कोप्पल	शिवरामगोडा शिवानगोडा	भा.ज.पा.
176.	बेल्लारी	जे. शांता	भा.ज.पा.
177.	दावणगेरे	जी.एम. सिद्धेश्वर	भा.ज.पा.
178.	चित्रदुर्ग	जनार्दन स्वामी	भा.ज.पा.
179.	तुमकुर	जी.एस. बासवराज	भा.ज.पा.
180.	चिकबल्लापुर	वीरप्पा मोड्ली	कांग्रेस
181.	कोलार	के.एच. मुनीयप्पा	कांग्रेस
182.	बंगलौर ग्रामीण	कुमारस्वामी	ज.द. (एस.)
183.	बेंगलोर उत्तर	डी.बी. चंद्रगौड़ा	भा.ज.पा.
184.	बेंगलोर दक्षिण	अनंत कुमार	भा.ज.पा.
185.	मांड्या	एन. चेलुवरैय्या स्वामी	ज.द. (एस.)
186.	चामराजनगर	ध्रुवनारायण	कांग्रेस
187.	मैसूर	एच. विश्वनाथन	कांग्रेस
188.	बंगलौर (केंद्रीय)	पी.सी. मोहन	भा.ज.पा.
189.	उडुपी	सदानंद गोडा	भा.ज.पा.
190.	हासन	एच.डी. देवगौड़ा	ज.द. (एस.)
191.	चिकमंगलूर	डी.सी. श्रीकांतप्पा	भा.ज.पा.
192.	शिमोगा	बी.वाई. राघवेन्द्र	भा.ज.पा.
193.	उतारा	अनंत कुमार हेगड़े	भा.ज.पा.
194.	हावेरी	शिवकुमार चन्नावासप्पा	भा.ज.पा.
195.	धारवाड़	प्रहलाद जोशी	भा.ज.पा.
196.	बेलगाम	अंगादी सुरेश चन्नावासप्पा	भा.ज.पा.
197.	चिक्कोडी	कट्टा रमेश विश्वनाथ	भा.ज.पा.
198.	बागलकोट	गाड्डीगोडर पर्वतगोड़ा चंदनागोड़ा	भा.ज.पा.
199.	बीजापुर	रमेश चंडप्पा जिगाजिंगी	भा.ज.पा.

केरल (20)

200.	कासरगोड	पी. करुणाकरण	मा.क.पा.
201.	कन्नानोर	के. सुधाकरण	कांग्रेस
202.	बडागरा	मुल्लापल्ली रामचंद्रन	कांग्रेस

203.	वायनाड	एम.आई. सनावस	कांग्रेस
204.	कोझीकोड	एम.के. राघवन	कांग्रेस
205.	पोन्नानी	ई.टी. मोहम्मद बशीर	मु.ली.के.एस.सी.
206.	मल्लापुरम	ई. अहमद	मु.ली.के.एस.सी.
207.	पल्लकड	एम.बी. राजेश	मा.क.पा.
208.	त्रिचूर	पी.सी. चाको	कांग्रेस
209.	अलाथूर	पी.के. बीजू	मा.क.पा.
210.	एर्नाकुलम	प्रो. के.वी. थामस	कांग्रेस
211.	चलाकुड्डी	के.पी. धनपलान	कांग्रेस
212.	कोट्टायम	के. मणि जोश	के.ई.सी. (एम.)
213.	इडुक्की	पी.टी. थामस	कांग्रेस
214.	अलापुझा	के.सी. वेणुगोपाल	कांग्रेस
215.	मावेलीकरा	कोडिकुन्नील सुरेश	कांग्रेस
216.	पथानमथिट्टी	एंटो एंटोनी पुन्नाथानियल	कांग्रेस
217.	कोलम	ए. पीतंबर कुरूप	कांग्रेस
218.	अटिंगल	ए. संपथ	मा.क.पा.
219.	तिरुवनंतपुरम	शशि थरूर	कांग्रेस

मध्य प्रदेश (29)

220.	मुरैना	नरेन्द्र सिंह तोमर	भा.ज.पा.
221.	भिंड	अशोक अरगाल	भा.ज.पा.
222.	ग्वालियर	यशोधरा राजे सिंधिया	भा.ज.पा.
223.	गुना	ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	कांग्रेस
224.	सागर	भूपेंद्र सिंह	भा.ज.पा.
225.	खजुराहो	जीतेंद्र सिंह बुंदेला	भा.ज.पा.
226.	दमोह	शिवराज भैया	भा.ज.पा.
227.	सतना	गणेश सिंह	भा.ज.पा.
228.	रीवा	देवराज सिंह पटेल	बसपा
229.	सीधी	गोविंद प्रसाद मिश्रा	भा.ज.पा.
230.	शाहडोल	राजेश नंदनी सिंह	कांग्रेस
231.	बालाघाट	के.डी. देशमुख	भा.ज.पा.
232.	मंडला	बसोरी सिंह मसराम	कांग्रेस
233.	जबलपुर	राकेश सिंह	भा.ज.पा.
234.	टीकमगढ़	वीरेंद्र कुमार	भा.ज.पा.

1352

भारत-2010

235.	छिंदवाड़ा	कमलनाथ	कांग्रेस
236.	बैतूल	ज्योति ध्रुव	भा.ज.पा.
237.	होशंगाबाद	उदय प्रताप सिंह	कांग्रेस
238.	भोपाल	कैलाश जोशी	भा.ज.पा.
239.	विदिशा	सुषमा स्वराज	भा.ज.पा.
240.	राजगढ़	नारायण सिंह	कांग्रेस
241.	देवास	सज्जन सिंह वर्मा	कांग्रेस
242.	खंडवा	अरुण सुभाषचंद्र यादव	कांग्रेस
243.	खरगौन	माखनसिंह सोलंकी	भा.ज.पा.
244.	धार	गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी	कांग्रेस
245.	इंदौर	सुमित्रा महाजन	भा.ज.पा.
246.	उज्जैन	गुड्डू प्रेमचंद	कांग्रेस
247.	रतलाम	कांतिलाल भूरिया	कांग्रेस
248.	मंदसौर	मीनाक्षी नटराजन	कांग्रेस

महाराष्ट्र (48)

249.	रावेर	हरीभाऊ माधव जवाले	भा.ज.पा.
250.	रत्नागिरि	डॉ. नीलेश नारायण राणे	कांग्रेस
251.	पालगढ़	बलिराम जाधव	बीवीए
252.	मुम्बई दक्षिण	मिलिंद मुरली देवड़ा	कांग्रेस
253.	मुम्बई दक्षिण मध्य	एकनाथ गायकवाड़	कांग्रेस
254.	मुम्बई उत्तर-मध्य	प्रिया दत्त	कांग्रेस
255.	मुम्बई उत्तर-पूर्व	संजय पाटिल	एन.सी.पी.
256.	मुम्बई उत्तर-पश्चिम	गुरुदास कामत	कांग्रेस
257.	मुम्बई उत्तर	संजय निरुपम	कांग्रेस
258.	ठाणे	संजीव गणेश नाइक	कांग्रेस
259.	रायगढ़	अनंत गीते	शिवसेना
260.	नासिक	समीर भुजबल	एन.सी.पी.
261.	भिवंडी	सुरेश काशीनाथ	कांग्रेस
262.	धुले	प्रताप नारायणराव	भा.ज.पा.
263.	नंदुरबार	माणिकराव होदलिया गावित	कांग्रेस
264.	कल्याण	आनंद प्रकाश परांजपे	शिवसेना
265.	जलगांव	टी. नांग पाटिल	भा.ज.पा.
266.	बुलढाना	जाधव प्रतापराव गणपतराव	शिवसेना

सामान्य सूचना

1353

267.	अकोला	संजय शामराव धोतडे	भा.ज.पा.
268.	दिनडौरी	हरिशचंद्र देवराम	भा.ज.पा.
269.	अमरावती	आनंदराव विठोबा	शिवसेना
270.	रामटेक	मुकुल वासनिक	कांग्रेस
271.	नागपुर	विलासराव बाबूरावजी	कांग्रेस
272.	भंडारा	प्रफुल्ल पटेल	एनसीपी
273.	चिमूर	मारुतराव सानूजी	कांग्रेस
274.	चंद्रपुर	हंसराज गंगाराम अहीर	भा.ज.पा.
275.	वर्धा	दत्ता माधे	कांग्रेस
276.	यवतमाल	भावना गावली	शिवसेना
277.	हिंगोली	सुभाष बापूराव वानखेडे	शिवसेना
278.	नांदेड	भास्करराव बापूराव खंडगांवकर पटेल	कांग्रेस
279.	परभणी	गणेशराव नागौराव दूधगांवकर	शिवसेना
280.	जालना	रावसाहेब दादाराव दाणवे	भा.ज.पा.
281.	औरंगाबाद	चंद्रकांत खेडे	शिवसेना
282.	बीड	गोपीनाथ मुंडे	भा.ज.पा.
283.	लातूर	गंगाराम जयवंत	कांग्रेस
284.	ओस्मानाबाद	पद्मसिंह पाटिल	एन.सी.पी.
285.	शोलापुर	सुशील कुमार शिंदे	कांग्रेस
286.	मावल	गजानन बब्बर	शिवसेना
287.	अहमदनगर	दिलीप कुमार गांधी	भा.ज.पा.
288.	शिरूर	शिवाजी दत्तात्रेय	शिवसेना
289.	शिरडी	राजराम भाऊसाहेब	शिवसेना
290.	पुणे	सुरेश कलमाडी	कांग्रेस
291.	बारामती	सुप्रिया सुले	एन.सी.पी.
292.	सतारा	लक्ष्मणराव पांडुरंग जादव (पाटिल)	रा.कां.पा.
293.	माधा	शरतचंद्र गोविंदराव पवार	एन.सी.पी.
294.	सांगली	प्रतीक प्रकाशबापू पाटिल	कांग्रेस
295.	हथकंगली	माने निवेदिता साम्बाजी राव	एस.डब्ल्यू.पी
296.	कोल्हापुर	सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	रा.कां.पा.

मणिपुर (2)

297.	भीतरी मणिपुर	डा. थोकचोम मेन्या	कांग्रेस
298.	बाह्य मणिपुर	थांगसो बेट्टी	कांग्रेस

मेघालय (2)

299.	शिलांग	विंसेट एच. पाल	कांग्रेस
300.	तुरा	अगाथा संगमा	राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी

मिजोरम (1)

301.	मिजोरम	सी.एल. रुझाला	कांग्रेस

नगालैंड (1)

302.	नगालैंड	सी.एम. चांग	एन.पी.एफ.

उड़ीसा (21)

303.	मयूरभंज	लक्ष्मण टूडू	बीजू ज.द.
304.	बालासोर	श्रीकांत कुमार जेना	कांग्रेस
305.	भद्रक (अ.जा.)	अर्जुन चरण सेठी	बीजू ज.द.
306.	जाजपुर (अ.जा.)	मोहन जैना	बीजू ज.द.
307.	केंद्रपाड़ा	बैजंत पांडा	बीजू ज.द.
308.	कटक	भर्तृहरि महताब	बीजू ज.द.
309.	जगतसिंहपुर	बिभु प्रसाद	सी.पी.आई.
310.	पुरी	पिनाकी मिश्रा	बीजू ज.द.
311.	भुवनेश्वर	प्रसन्ना कुमार पाटसानी	बीजू ज.द.
312.	अस्का	नित्यानंद प्रधान	बीजू ज.द.
313.	बेरहामपुर	सिद्धार्थ महापात्र	बीजू ज.द.
314.	कोरापुट	जयराम पंगी	बीजू ज.द.
315.	नवरंगपुर	प्रदीप माझी	कांग्रेस
316.	कालाहांडी	भक्त चरणदास	कांग्रेस
317.	बारगढ़	संजय भोई	कांग्रेस
318.	बोलनगीर	कलिकेश नारायण सिंह देव	बीजू ज.द.
319.	सम्बलपुर	अमरनाथ प्रधान	कांग्रेस
320.	कंधमाल	रूद्रमाधव रे	बीजू ज.द.
321.	ढेंकनाल	तथागत सत्पथि	बीजू ज.द.
322.	सुंदरगढ़	हेमनंद बिस्वाल	कांग्रेस
323.	क्योंझर	यशवंत नारायण सिंह	बीजू ज.द.

पंजाब (13)

324.	गुरदासपुर	प्रतापसिंह बाजवा	कांग्रेस
325.	अमृतसर	नवजोत सिंह सिद्धू	भा.ज.पा.

सामान्य सूचना

1355

326.	खदूर साहब	डा. रत्न सिंह अजनाला	शि.अ.द.
327.	जालंधर	मोहिंदर सिंह	कांग्रेस
328.	आनंदपुर साहब	रवनीत सिंह	कांग्रेस
329.	होशियारपुर	संतोष चौधरी	कांग्रेस
330.	फतेहगढ़ साहब	सुखदेव सिंह	कांग्रेस
331.	पटियाला	परणीत कौर	कांग्रेस
332.	लुधियाना	मनीष तिवारी	कांग्रेस
333.	संगरूर	विजयेन्द्र सिंगला	कांग्रेस
334.	भटिंडा (अनु. जा.)	हर्षमृत कौर बादल	शि.अ.द.
335.	फरीदकोट	परमजीत कौर गुलशन	शि.अ.द.
336.	फिरोजपुर	शेरसिंह	शि.अ.द.

राजस्थान (25)

337.	गंगानगर	भरतराम मेघवाल	कांग्रेस
338.	बीकानेर	अर्जुन राम मेघवाल	भा.ज.पा.
339.	चूरू	रामसिंह कासवान	भा.ज.पा.
340.	झुनझुनु	शीश राम ओला	कांग्रेस
341.	सीकर	माधव सिंह	कांग्रेस
342.	जयपुर ग्रामीण	लालचंद कटारिया	कांग्रेस
343.	दौसा	किरोड़ीलाल मीणा	निर्दलीय
344.	अलवर	जितेंद्र सिंह	कांग्रेस
345.	भरतपुर	रतन सिंह	कांग्रेस
346.	जयपुर	महेश जोशी	कांग्रेस
347.	सवाई माधोपुर (टोंक)	नमो नारायण	कांग्रेस
348.	अजमेर	सचिन पायलट	कांग्रेस
349.	राजसमंद	गोपाल सिंह	कांग्रेस
350.	कोटा	रघुवीर सिंह कौशल	भा.ज.पा.
351.	झालावाड़	दुष्यंत सिंह	भा.ज.पा.
352.	बांसवाड़ा	ताराचंद भगौड़ा	कांग्रेस
353.	करौली-धौलपुर	खिलाड़ी लाल बैरवा	कांग्रेस
354.	उदयपुर	रघुवीर सिंह मीणा	कांग्रेस
355.	चित्तौड़गढ़	डा. गिरजा व्यास	कांग्रेस
356.	भीलवाड़ा	डा. सी.पी. जोशी	कांग्रेस
357.	पाली	बद्रीराम जाखड	कांग्रेस

1356

भारत-2010

358.	जालौर	देवजी पटेल	भा.ज.पा.
359.	बाड़मेर	हरीश चौधरी	कांग्रेस
360.	जोधपुर	चंद्रेश कुमारी	कांग्रेस
361.	नागौर	ज्योति मिर्धा	कांग्रेस

सिक्किम (1)

362.	सिक्किम	प्रेम दास राय	एस.डी.एफ.

तमिलनाडु (39)

363.	चेन्नई उत्तर	टी.के.एस. इलंगोवान	द्र.मु.क.
364.	चेन्नई मध्य	दयानिधि मारन	द्र.मु.क.
365.	चेन्नई दक्षिण	सी. राजेंद्रन	अन्नाद्रुमुक
366.	श्रीपेरम्बदूर	टी.आर. बालू	द्र.मु.क.
367.	तिरुवेल्लूर	वेणुगोपाल पी.	अन्नाद्रुमुक
368.	अरककोनम	जगतरक्षकन	द्र.मु.क.
369.	वेल्लौर	अब्दुलरहमान	द्र.मु.क.
370.	कांचीपुरम	पी. विश्वनाथन	कांग्रेस
371.	तिरुवनमल्लई	डी. वेणुगोपाल	द्र.मु.क.
372.	असी	ए. कृष्णासामी	कांग्रेस
373.	कुड्डालोर	एस. अलागिरी	कांग्रेस
374.	चिदम्बरम	तिरुमावालावन कोल	वी.सी.के.
375.	धरमपुरी	आर. थामरसेलवन	द्र.मु.क.
376.	कृष्णागिरी	ई.जी. सुगवनम	द्र.मु.क.
377.	वेलुपुरम	एम. आनंदन	अन्नाद्रुमुक
378.	सेलम	एस. सेमालाई	अन्नाद्रुमुक
379.	कल्लिकुरिचि	शंकद आदि	द्र.मु.क.
380.	नीलगिरी	ए. राजा	द्र.मु.क.
381.	नामाकाल	एस. गंधोसेलवस	द्र.मु.क.
382.	कोयम्बतूर	पी.आर. नटराजन	भा.क.पा.
383.	पोल्लाची	के. सुकुमार	अन्नाद्रुमुक
384.	इरोड	गणेशमूर्ति ए. मारुमलारची	द्र.मु.क.
385.	डिंडीगुल	एन.एस.वी. चित्तहन	कांग्रेस
386.	मदुरै	एम.के. अलगिरी	द्र.मु.क.
387.	तिरुप्पुर	सी. सीवासामी	अन्नाद्रुमुक
388.	करूर	एम. थंबीदुरई	अन्नाद्रुमुक

सामान्य सूचना

1357

389.	तिरुचिरापल्ली	पी. कुमार	अन्नाद्रुमुक
390.	पेरम्बलपुर	डी. नेपोलियन	डी.एम.के.
391.	मयिलादुतुराई	ओ.एस. मणियम	अन्नाद्रुमुक
392.	नागपट्टीनम	ए.के.एस. विजयन	डी.एम.के.
393.	थंजावुर	एस.एस. पलानीमाणकम	डी.एम.के.
394.	थीनी	जे.एम. रशीद	कांग्रेस
395.	शिवगंगा	पी. चिदंबरम	कांग्रेस
396.	रामनाथपुरम	जी.के. रीतेश	डी.एम.के.
397.	विरुधनगर	मनिक्का टैगोर	कांग्रेस
398.	तिरुनेवेली	एस.एस. रामासुब्बा	कांग्रेस
399.	तेनकासी	पी. लिंगम	भा.क.पा.
400.	थूथोक्कुड्डी	एस.आर. जयादुरई	द्र.मु.क.
401.	कन्याकुमारी	हेलन डेविडसन	द्र.मु.क.

त्रिपुरा (2)

402.	त्रिपुरा पश्चिम	खागेन दास	मा.क.पा
403.	त्रिपुरा पूर्व (अनु.ज.जा.)	बाजूबन रियान	मा.क.पा.

उत्तराखंड (5)

404.	टिहरी गढ़वाल	विजय बहुगुणा	कांग्रेस
405.	गढ़वाल	सतपाल महाराज	कांग्रेस
406.	अल्मोड़ा	प्रदीप टम्टा	कांग्रेस
407.	नैनीताल-ऊधमसिंह नगर	के.सी.सिंह बाबा	कांग्रेस
408.	हरिद्वार	हरीश रावत	कांग्रेस

उत्तर प्रदेश (80)

409.	बिजनौर	संजीव सिंह चौहान	रा.लो.द.
410.	अमरोहा	देवेंद्र नागपाल	रा.लो.द.
411.	मुरादाबाद	मो. अजरूद्दीन	कांग्रेस
412.	रामपुर	पी. जयाप्रदा नाहटा	स.पा.
413.	सम्भल	डॉ. शफीकुर रहमान	ब.स.पा.
414.	बदायूं	धमेन्द्र यादव	स.पा.
415.	आंवला	मेनका गांधी	भा.ज.पा.
416.	बरेली	प्रदीप सिंह	कांग्रेस
417.	पीलीभीत	फिरोज वरुण गांधी	भा.ज.पा.

1358

भारत-2010

418.	शाहजहांपुर	मिथलेश	स.पा.
419.	खीरी	जफर अली नकवी	कांग्रेस
420.	नगीना	यशवीर सिंह	स.पा.
421.	सीतापुर	कैसर जहां	ब.स.पा.
422.	मिसरिख (अनु.जा.)	अशोक कुमार रावत	ब.स.पा.
423.	हरदोई	उषा वर्मा	स.पा.
424.	लखनऊ	लालजी टंडन	भा.ज.पा.
425.	मोहनलाल गंज	सुशीला सरोज	स.पा.
426.	उन्नाव	अनु टंडन	कांग्रेस
427.	रायबरेली	सोनिया गांधी	कांग्रेस
428.	प्रतापगढ़	राजकुमारी रत्ना सिंह	कांग्रेस
429.	अमेठी	राहुल गांधी	कांग्रेस
430.	सुल्तानपुर	डा. संजय सिंह	कांग्रेस
431.	अकबरपुर	राजाराम पाल	कांग्रेस
432.	फैजाबाद	निर्मल खत्री	कांग्रेस
433.	बाराबंकी	पी.एल. पुनिया	कांग्रेस
434.	केसरगंज	ब्रजभूषण शरण सिंह	स.पा.
435.	बहराइच	कमल किशोर	कांग्रेस
436.	गाजियाबाद	राजनाथ सिंह	भा.ज.पा.
437.	गोंडा	बेनी प्रसाद वर्मा	कांग्रेस
438.	बस्ती	अरविंद कुमार चौधरी	ब.स.पा.
439.	डुमरियागंज	जगदम्बिका पाल	कांग्रेस
440.	गौतमबुद्धनगर	सुरेंद्र सिंह नागर	ब.स.पा.
441.	बांसगांव	कमलेश पासवान	भा.ज.पा.
442.	गोरखपुर	आदित्यनाथ योगी	भा.ज.पा.
443.	महाराजगंज	हर्षवर्धन	कांग्रेस
444.	कौशांबी	शैलेन्द्र कुमार	स.पा.
445.	देवरिया	गोरखप्रसाद जयसवाल	ब.स.पा.
446.	सालेमपुर	रमाशंकर राजभर	ब.स.पा.
447.	बलिया	नीरज शेखर	स.पा.
448.	घोसी	दारा सिंह चौहान	ब.स.पा.
449.	आजमगढ़	रमाकांत यादव	ब.स.पा.
450.	लालगंज	डा. बलिराम	ब.स.पा.
451.	मछलीशहर	तूफानी सरोज	स.पा.

सामान्य सूचना

1359

452.	जौनपुर	धनंजय सिंह	ब.स.पा.
453.	फतेहपुर सीकरी	सीमा उपाध्याय	ब.स.पा.
454.	गाजीपुर	राधेमोहन सिंह	स.पा.
455.	चंदौली	रामकिसुन	स.पा.
456.	वाराणसी	डा. मुरली मनोहर जोशी	भा.ज.पा.
457.	राबर्टसगंज	पंकज लाल	स.पा.
458.	मिर्जापुर	बाल कुमार पटेल	स.पा.
459.	फुलपुर	कपिल मुनि	ब.स.पा.
460.	इलाहाबाद	कुंवर रेवती रमन सिंह	स.पा.
461.	धौरारा	कुंवर जतिन प्रसाद	कांग्रेस
462.	फतेहपुर	राकेश सचान	स.पा.
463.	बांदा	आर.के. सिंह पटेल	स.पा.
464.	हमीरपुर	विजय बहादुर सिंह	ब.स.पा.
465.	झांसी	प्रदीप कुमार जैन (आदित्य)	कांग्रेस
466.	जालौन	घनश्याम अनुराग	स.पा.
467.	श्रावस्ती	विनय कुमार पांडे	कांग्रेस
468.	आंबेडकर नगर	राकेश पांडे	ब.स.पा.
469.	कानपुर	प्रकाश जायसवाल	कांग्रेस
470.	इटवा	प्रेमदास कटारिया	स.पा.
471.	कन्नौज	अखिलेश यादव	स.पा.
472.	फर्रुखाबाद	सलमान खुर्शीद	कांग्रेस
473.	मैनपुरी	मुलायम सिंह यादव	स.पा.
474.	कुशीनगर	रत्नजीत प्रताप नारायण सिंह	कांग्रेस
475.	एटा	कल्याण सिंह	निर्दलीय
476.	फिरोजाबाद	-	-
477.	आगरा	डा. रामशंकर	रा.लो.द.
478.	मथुरा	जयंत चौधरी	रा.लो.ज.
479.	हाथरस	सारिका सिंह	रा.लो.द.
480.	अलीगढ़	राजकुमारी चौहान	ब.स.पा.
481.	संत कबीरानगर	भीष्म शंकर उर्फ कौशल तिवारी	ब.स.पा.
482.	बुलंदशहर	कमलेश	स.पा.
483.	भदोही	गोरखनाथ	ब.स.पा.
484.	मेरठ	राजेंद्र अग्रवाल	भा.ज.पा.
485.	बागपत	अजीत सिंह	रा.लो.द.

1360

भारत-2010

486.	मुजफ्फरनगर	कदीर राणा	ब.स.पा.
487.	कैराना	तब्बसुम बेगम	ब.स.पा.
488.	सहारनपुर	जगदीश सिंह राणा	ब.स.पा.

पश्चिम बंगाल (42)

489.	कूच बिहार (अनु.जा.)	नृवेन्द्रनाथ राय	ए.आई.एफ.बी.
490.	अलीपुरदुआर्स (अनु.ज.जा.)	मनोहर विखे	आर.एस.पी.
491.	जलपाईगुड़ी	महेन्द्र कुमार राय	मा.क.पा.
492.	दार्जिलिंग	जसवंत सिंह	भा.ज.पा.
493.	रायगंज	दीपा दासमुंशी	कांग्रेस
494.	बालूरघाट	प्रशांत कुमार मजूमदार	आर.एस.पी.
495.	माल्दा दक्षिण	अबू हासिम खान चौधरी	कांग्रेस
496.	जांगीपुर	प्रणब मुखर्जी	कांग्रेस
497.	मुर्शिदाबाद	अब्दुल मन्नान हुसैन	कांग्रेस
498.	बेहरामपुर	अधीर रंजन चौधरी	कांग्रेस
499.	कृष्णागढ़	तापस पाल	तृणमूल कांग्रेस
500.	माल्दा उत्तर	मौसम नूर	कांग्रेस
501.	बारासात	काकली घोष दस्तीदार	तृणमूल कांग्रेस
502.	बसीरहाट	अजय चक्रवर्ती	भा.क.पा.
503.	जायनगर	डा. तरुण मंडल	निर्दलीय
504.	मथुरापुर	चौधरी मोहन जटुआ	तृणमूल कांग्रेस
505.	डायमंड हार्बर	सौमेन्द्र नाथ मित्रा	तृणमूल कांग्रेस
506.	जादवपुर	कबीर सुमन	तृणमूल कांग्रेस
507.	बैरकपुर	दिनेश त्रिवेदी	तृणमूल कांग्रेस
508.	दम दम	सौगात रे	तृणमूल कांग्रेस
509.	राणाघाट	सुचारू रंजन हल्दर	ए.आई.टी.सी.
510.	कोलकाता उत्तर	सुदीप बंदोपाध्याय	तृणमूल कांग्रेस
511.	कोलकाता दक्षिण	ममता बनर्जी	तृणमूल कांग्रेस
512.	हावड़ा	अंबिका बनर्जी	तृणमूल कांग्रेस
513.	उलूबेरिया	सुल्तान अहमद	तृणमूल कांग्रेस
514.	सेरामपुर	कल्याण बनर्जी	तृणमूल कांग्रेस
515.	हुगली	डा. रत्ना डे	तृणमूल कांग्रेस
516.	आरामबाग	मलिक शक्ति मोहन	मा.क.पा.
517.	घाटल	गुरुदास दासगुप्ता	भा.क.पा.

सामान्य सूचना

1361

518.	तमलुक	सुवेंदु अधिकारी	तृणमूल कांग्रेस
519.	कोंतई	शिशिर कुमार अधिकारी	तृणमूल कांग्रेस
520.	मिदनापुर	प्रबोध पांडा	सी.पी.आई.(एम.)
521.	झारग्राम	रूपचंद मुर्मू	सी.पी.आई.(एम.)
522.	पुरुलिया	नरहरि मोहते	फारवर्ड ब्लॉक
523.	बांकुरा	आचार्य बासुदेब	सी.पी.आई.(एम.)
524.	विष्णुपुर	सुस्मिता बौरी	सी.पी.आई.(एम.)
525.	दुर्गापुर वर्दवान	एस.के. सैदुल हक	सी.पी.आई.(एम.)
526.	आसनसोल	बंसगोपाल चौधरी	सी.पी.आई.(एम.)
527.	वर्दमान	प्रभु अनूप कुमार साह	सी.पी.आई.(एम.)
528.	बानगांव	गोविंद चंद्र नासकार	तृणमूल कांग्रेस
529.	बोलपुर	डा. रामचंद्र धूम	सी.पी.आई.(एम.)
530.	बीरभूम	शताब्दी राय	सी.पी.आई.(एम.)

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (1)

531.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	विष्णु पाडा राय	भा.ज.पा.

चंडीगढ़ (1)

532.	चंडीगढ़	पवन कुमार बंसल	कांग्रेस

दादरा व नगर हवेली (1)

533.	दादरा व नगर हवेली	नाटूभाई गुमानभाई पटेल	भा.ज.पा.

दमन व दीव (1)

534.	दमन व दीव	लालूभाई पटेल	भा.ज.पा.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (7)

535.	नई दिल्ली	अजय माकन	कांग्रेस
536.	दक्षिण दिल्ली	रमेश कुमार	कांग्रेस
537.	पूर्वी-उत्तरी दिल्ली	जयप्रकाश अग्रवाल	कांग्रेस
538.	पूर्वी दिल्ली	संदीप दीक्षित	कांग्रेस
539.	चांदनी चौक	कपिल सिब्बल	कांग्रेस
540.	पश्चिमी दिल्ली	महाबल मिश्रा	कांग्रेस
541.	उत्तरी-पश्चिमी दिल्ली	कृष्णा तीरथ	कांग्रेस

लक्षद्वीप (1)

542.	लक्षद्वीप	मोहम्मद हमदुला सईद	कांग्रेस

पुहुचेरी (1)

543. पुहुचेरी

नारायणसामी

कांग्रेस

पार्टियों के लिए इस्तेमाल किए गए संक्षिप्त नाम : आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक (फा. ब्लाक), आल इंडिया मजलिसे इत्तहादुल मुस्सलमीन (आ.इ.म.ई.मु.), आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (तृणमूल कांग्रेस), असम गण परिषद (अ.ग.प.), बहुजन समाज पार्टी (ब.स.पा.), भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.), भारतीय नवशक्ति पार्टी (नवशक्ति), बीजू जनता दल (बीजू.ज.द.), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भा.क.पा.), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (मा.क.पा.), द्रविण मुन्नेत्र कझगम (द्र.मु.क.), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस), जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस (ज.क.ने.कां.), जनता दल सिक्कूलर (ज.द.एस.), जनता दल यूनाइटेड (ज.द.यू.), झारखंड मुक्ति मोर्चा (झा.मु.मो.), केरल कांग्रेस (केरल कांग्रेस), लोक जनशक्ति पार्टी (एल जे एस पी), मरुमलार्ची द्रविण मुन्नेत्र कझगम (एमडीएमके), मिजो नेशनल फ्रंट (मि.ने.फ्रं.), मुस्लिम लीग (मु.ली.), नगालैंड पीपुल्स फ्रंट (एन.पी.एफ.), नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (रा.कां.पा.), पत्ताली मक्कल काट्ची (पी.एम.के.), जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (ज.क.पी.डे.पी.), राष्ट्रीय जनता दल (रा.ज.द.), रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया (ए) (आर.पी.आई. (ए)), राष्ट्रीय लोकदल (रा.लो.द.), रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी), समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय (स.ज.पा. (रा.)), समाजवादी पार्टी (स.पा.), शिरोमणि अकाली दल (शि.अ.द.), शिवसेना (शिवसेना), सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एस.डी.एफ.), तेलंगाना राष्ट्रीय समिति (टी.आर.एस.), तेलुगु देशम पार्टी (तेलुगु देशम), निर्दलीय।